

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली

★

२४८२

कम गणना

काल न०

रणः

(०२) (२४८२) दिल्ली









**शोध चाहिए!**

वाक्य का शब्द का एक प्रसि का विदेशी के ...  
 न दोनो वाला

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—साहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक १ ]

मुद्रण-संस्थापक } अहमदाबाद, माधो गद्दी २, संवत् १९८१ } गुणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
 मालिक के अंकाल दूध } रविवार, १७ अगस्त, १९२४ ई० } वागपुर सरकीगरा की बाड़ी

## सलाखार संकट-निवारण

एक अर्थिक का उत्तर कपना से अधिक वेग के साथ बिछा है, मुझे माफना पड़ेगा। यह ईश्वर का अनुग्रह है। लोगों के दो क्या-जन्म सर्वदा रहता है, यह बात एक बार नहीं बल्कि बार-बार याद दिला दी है। इसके लिए अनेक चन्दे हो। जिसको भी चन्दे उसीमें यह दे, मेरी तो यही याचना सलाखार के चन्दे का कयाल नहीं किता आ प्रकृता। की आशा रखने वाला अनुग्रह सब की जाता है। तब ही जान पड़ता है। कबतक उसे जीने का मन्दा होता है। तक मूल-न्याय, और धूप-छाह की सुधि उसे नहीं रहती। कबतक सलाखार के साह-मदनों की सहायनी चाहिए। जो भी तो नये। जो चन्दे है वह जीवन के चन्दे में चन्दे हैं। ज्यों जिन आते हैं त्यों त्यों उनका रोय बढेगा-पढेगा नहीं। हम के दरबार में पामर प्राणी हैं। हम अपनी अमकरी से भीटी कुशल बालने की सत्ता रखते हैं। हम जिसकी मानते हैं इकारों गुनी सत्ता हमें भीटी की तरह कुशल बालने का ने अपने पास रखी है और मौका पडने पर वह उनका उपयोग करता है। परन्तु उसकी हिंसा हिंसा नहीं होती। क्यों कि निराल है। वह ब्रह्मा का सागर है। उसके भेद को हम समझ सकते हैं। इससे हम उसे कर्ता, रखेता और संहरता मानते हैं। जो भी कर्ता है, न कर्ता है, न संहरता है। न जाने किस कामूक साधनी, होकर हम जन्मते हैं, भीते हैं, और मरते हैं? जो कुछ हो, पर सलाखार हम जीवित रहना चाहते हैं तबतक ही जीने के चन्दे करवा इमारत सदन और अन्विचार्य

एक मह पढकर कुछ शेरों कि कोई भाई-बहन एक जल में रहे हैं और किसीने किसी एक चीज का त्याग कर और ऐसा करते हुए जो प्रकृत कर पाये हैं वह इस चन्दे हैं। बाकत भी उसमें अपनी नहीं से शरीर हुए है।

किसी एक मिनट की संभावना है। एक लकरी न पड़े सुराकर रखते थे, वे भी इस चन्दे में आते एक लकरी के अन्वयी लोग शोके की सुविधा और संकोर

दे ही है। एक और बहन ने अपनी पचनधार कटी दे दी है। एक लकरी ने अपनी सोने की चाखी दी है और एक बहन ने अपने चांदी के कूटे दिये हैं। एक ने पैर के दो छत्रे दिये हैं। एक अनन्य लकरी ने अपनी इच्छा से अपने पैर के छत्रे दे दिये हैं। एक लकरी ने अपने सोने के बज्र दे दिये हैं।

आजतक नकद रकम (६५५५) आई है। मुझे आशा है कि पर रकम जिस प्रकार धुन हुई है उसी प्रकार जारी रहेगी।

### कपडे

कपडे डेर से डेर चले आ रहे हैं। इनको कीमत लघुना सुस्तिक है। ऐसे समय में तमाम कपडे सूख काम जायेंगे। नक कि आराम ही फट पडा है तब स्वदेशी-विदेशी का कयाल न रह सकता। इसलिए जो कपडे मिल जाय कहींका क लेने व विचार रक्खा है। जो लंग बिना कपडे के भारे तारे फिरते हैं उन्हें विदेशी कपडे में अपने हाथों न द, यह कहने की हिम्मत मुझे नहीं हांती। भारतवर्ष यदि आज खादाभय हो गया होता तो मैं जरूर यही आवाज उठाता। जब कि हम यह कपडे प्राप्त नहीं कर पाये हैं तब हम जो कि तरह तरह के कपडों से लदे हुए हैं बक-विहीन लोगों को कपडा पहनाते समय यह भेद कैसे रख सकते हैं? मैं तो इस संकट-निवारण के लिए सदयोग-असहयोग का भी मूल गया हूँ। सरकारी कर्मचारी के मातहत भूखों की सेवा करने के लिए तैयार हूँ और असहयोगियों को तैयार रहने की सलाह देता हूँ। इच्छा अर्थ यह नहीं है कि हमें सरकार की सहायों में भी जाना चाहिए। इस काम में हम कुछ नहीं जानते। इस तो निपाही का काम करेगा यदि हम चन्द्रा एकत्र कर सकें तो जहां सरकारी मजद को जाना न पहुँगे और जहां सरकारी की गृह्य न हो या पर पहुँचना न चाहे वहां मजदारीयक मदद पहुँचाने। सरकार यदि चाहे तो बहुत मदद कर सकती है। फिर भी काम इतना बडा है कि आत्मगो सहायता के लिए र्थ पूरी सुझाव है। अकेले सर-सरकारी लोगों का साह्य इतना सुकायक करने में असमर्थ है। परन्तु सरकारी मजद के अलावा जो कुछ बाकी रह जाय वह आत्मगो पयर्थों से ही हो सकता है। मैं यत्नकर्ता हूँ इस बात पर सलाह-मसवरा कर रहा हूँ कि इस रकम का अच्छे

से अपना उपभोग किस तरह किया जाय। इसके निपटारे का कायदा अधिकतर चन्दे की रकम की तादाद पर रहेगा।

'नवजीवन' (गुजराती) में किसीकी भेजी रकम की पहुंच न छपे तो वे मुझे जरूर लिखें। तमाम रकमों की पहुंच देने का संकल्प कायम है। छोटी छोटी रकमों को मिलाकर छापने की सज्जोज की है। जो अपना नाम गुप्त रखना चाहे वे ऐसा सूचित करने की कृपा करें।

कपडे भेजने वाले सज्जन नीचे लिखी हिदायतों पर ध्यान देंगे तो सहूलियत होगी—

१. मैले कपडे धुलाकर दे,
२. फटे कपडे सिला कर भेजें,
३. तमाम कपडे तहाकर उजका बंडल बनावें और उसपर देने वाले और कपडे के नाम की लिट लगावें

ये कपडे हम भिक्षुओं को भेजी भेज रहे हैं। हम जैसे ही अच्छो हालत में रहने वाले मध्यम वर्ग के भाई-बहन इनमें होंगे। अपने सगे भाई-बहनों को जिस प्रेम, चिन्ता, और विवेक के साथ हम कोई चीज भेजते हैं या देते हैं उसी प्रेम, विवेक और चिन्ता की आशा में इसमें भी रखता हू। सब बात तो यह है कि हम यदि भिक्षुक को भी कुछ दें तो विवेक और चिन्ता के साथ देना चाहिए। मैले कपडों को धीने, फटे हुआ कोबीन और सबको सहाने में बहुत बक नहीं लगता। उसमें केवल प्रेम की परीक्षा है।

### महाविद्यालय के विद्यार्थी

महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने सूत दिया है। पर उसके अलावा उन्होंने मजदूरी भी कें ह. जैसा कि स्वामी ध्यानानन्दजी के लिखों के इच्छित आश्रमों के सत्याग्रह के समय किया था। कोई पौन सौ विद्यार्थी विद्यापीठ की इमारत में जो कि बन रही है मजदूरी कर रहे हैं और यह रकम इस चन्दे में आवेगी। विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देना हूँ और आशा रखता हूँ कि वे समय समय पर ऐसा ही परिश्रम करेंगे। यह प्राप्त विद्या का शुद्ध उपयोग है।

### कहाँ हैं ?

अहमदाबाद में प्रान्तिक समिति कार्यालय, नवजीवन कार्यालय, या सत्याग्रहशाला में हैं। वहाँ में प्रान्तिक समिति के साथ अथवा मिन्सेस स्ट्रीट पर नवजीवन शाला में दें। हर अग्रह से धन, सूत और कपडे को पहुंच जरूर ले लेनी चाहिए।

( नवजीवन )

मोहनदास करमचंद गांधी

## नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

जीवन की स्वस्थता—महात्मा जालंधरीजी इस पर सुग्ध हैं और बाबू राजेन्द्र महाराज लिखते हैं—“यह अमूल्य ग्रन्थ है। धर्म ग्रन्थों की तरह इसका पठन-मनन होना चाहिए। अरिजगठन विद्यार्थियों को दृग्ग ग्रन्थ नहीं मिल सकता।” मूल्य (1)

लोकमान्य की अर्धाजलि (1)

अध्यात्मिक (1)

हिन्दू-मुसलमान-तनाजा ( गांधीजी ) (1)

जो इतना पुस्तकें (गांधीजी) कि रखने से भेजना पड़े उनसे सम्बन्ध नहीं। मूल्य मविआदर द्वारा भेजिए—बी. पी. नहां भेजी जाती

## महाविद्यालय में गांधीजी

[ पिछले सप्ताह राष्ट्रीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने का ११००) की बैठी तथा प्रत्येक विद्यार्थी का कता ५ तोला अर्पण किया था। उस अवसर पर गांधीजी ने नीचे भाषण किया था।

उप संपादक  
अध्यापक भाइयों, विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों,  
आपको उपलब्धीजी ने राजा का गीत सुनाया; पर यदि यह कह कर गया हो कि मैं छः साल में आऊंगा बजाय वह दो ही बरस में आकर खड़ा हो तो इसमें बचन का है, प्रजा का नहीं। राजा का विचार लेना चाहिए नैयारी का समय नहीं मिला।

आपसे जितना हो सका उतना काम आपने के अन्दर बारे में कुछ कहने के पहले मुझे एक फैसला देना चाहता हूँ। नाम लेने का जकरत नहीं। आप तो उनको जानें अर्थात् अ-यापक ने पत्र लिख कर पूछा था कि अरखा गांधी काते या देश के लिए? मवाल आसान है। तुम बिना शिक्षा पाते हो। तो यह तो समझते ही होगे कि हम कम से कम दो बाजू हुआ करनी हैं—एक काकी उजली, अथवा एक गरम और दूसरी नरम। यदि लोगों के दृष्टि-बिन्दु से सोने तो दोनों की पाते ठीक रहस गांधी के लिए सूत कातता है वह अपनी ही जो देश के लिए कातता है वह भी सब है। क्यों है कि गांधी आख नहीं तो कल दुनिया में न रहेगा। कुछ क्यावह ठीक मालूम होती है, क्योंकि पहले का वस्तु का मोह दे तरा दूसरे का देश के प्रति प्रेम को कोई धार्मिक वस्तु नहीं। यदि हम स्वराज्य को उते कायम रखने के लिए सख्कार रखने की ही जरूरत दुनिया का नियम है। इसलिए जबतक देश है तबतक दंड है। इस दंड में निर्मलता है; मोह नहीं। अब तीसरी हम खुद अपने ही लिए अरखा क्यों न काते? बलिदान, आदि वी जो बातें हम करते हैं उससे हम संसार की अ-पूल शोफते हैं। हमारा त्याग बलिदान नहीं—यह तो बिलकुल हमारी इच्छा को सन्तुष्ट करने का म्वार्थ उसमें रहता है। 'देश के लिए' का अर्थ है हमारे अपने ही लिए। हम अगर लिए अरखा कातने को तैयार होंगे तो फिर उसे कभी न अरखा प्रकार कि खाना, पीना आदि शरीर के धर्मों को छोड़ सकते। वरन्तु वे तीनों दृष्टियां उक्त उन सन्तुष्टों विन्दु से सब हैं।

अबो भगन ने जिन्दगी का कर्तव्य बता दिया है। व धांका देने के लिए नहीं, देश को धांका देने के लिए सूत का धोका देने के लिए नहीं, बल्कि अपने सन्तोष के काता जाय। जबतक हम लोग दोग-दकोसके कात तभी तक हमारे काम की शोभा होगी। कुछ और अधिक हांगा, मोह उलवा ही कम हीगा। फिर भी मोह या प्रेम के बसबर्ती हो कर करने से भी काम पुत्र के हृदय में पिता के प्रति मोह रहता है। मैं जो सीखा उसमें मेरे पिता का कुछ हिस्सा है। उस समय ज्ञान न था कि सब बोलना ही अच्छी बात है। मुझे जरूर था कि अपने पिता के लिए इतना ही माता के प्रेम के जाचीन हो कर मैंने मांस को प्रेम के बदोक्त ही मैं व्यभिचारी होते होते का आम में दुनिया में कोई भारी कुशाखी भाइयों

इ के बदीकत मेरी उमति हुई; पर उमति हुई, यह भी कौन है? सकता है? मैं तो वास्तव में गिरते गिरते गया। माता-पिता के प्रेम के बंधवर्ती हूँ, प्रस के अधीन हो कर मैं गया। प्रस के जिन्दगी में मेरा सहारा है। तारपर्य यह कि मनुष्य शुभ काम करने के आशों से करता है। आपने जो सवाल खडा किया है उसकी जवाबत ही न थी। असली बात यह थी कि हमारे लिए का क्या जरूरी था। यह बात ठीक नहीं कि तुम पांच तोला इतना बन कर चरखे को फेंक दो। ऐसा करने से पतन होगा। लिए तो सतत चलता रहना चाहिए। तुम्हारी भावना पर ही मुझ-ब-स्थिति और नाश का आधार है।

मुसलमानों के विद्यार्थियों को वे कितनी ही बातें समझ कर रहे हैं। जिनके आधार पर विद्यालय की नींव खड़ी की गई अखिल-विद्यालय विद्यालय राष्ट्रीय नहीं रह सकता। विद्यालय के जो जो साधन माने गये हैं उन्हें समझ लेना चाहिए। उन्हें समझ कर यदि उनका पालन न करेंगे तो गोया हम सत्संग के आँसों में डूब झोंकेगे। यदि विद्यालय में अखिल विद्या मिलनी अंगरेजी का उत्कृष्ट ज्ञान मिलता हो, संस्कृत इस प्रकार धारा बोलते हों कि काशी के पण्डित भी नमस्कार करें। उसमें कुछ सार नहीं है। यहाँ रह कर तुमको ये बातें सिख करनी हैं। कुछ अलौकिक वस्तुयें लेनी हैं। वे दूसरी जगह से आने से बच कर हैं। वे हैं चरखा, अन्त्यज को गले लगाना मुझे अन्त्यज-मुसलमान-पारसी आदि जातियों की एकता करना। मैं अन्त्यज के लडके से मिले हो? किसी परसी अथवा अंगरेजी के लडके से मिले हो? उन्हें कभी कहा है, समझाया है, कि मैंने तुम्हारे लिए महाविद्यालय में गुजागिर है? उन्हें महाविद्यालय में आने का अनुरोध करने हो? इतना करने पर भी यदि मैं न आऊँ तो फिर कुमूर तुम्हारा नहीं, विधि का है।

बाहर से कोई भी शक्य यदि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आये तो वह तुम्हारे अंगरेजी, गुजराती या संस्कृत के ज्ञान का परिचय देने वाले जवाबों से शुभ न होगा; वह तो दूर से ही देखेगा कि तुम्हारे यहाँ चरखे चल रहे हैं या नहीं, अस्पृश्यता का बहिष्कार हो गया है या नहीं। चरखा, अस्पृश्यता और हिन्दू-मुस्लिम-एकता ये तीनों अंग हर दर्शन को फूले-फूले दिखाई देने चाहिए। इनको छोड़कर यदि दूसरी बातों में तुम पास हो तो उसमें कुछ बड़ाई नहीं। जहाँ महाविद्यालय में तुमने अपना समय कञ्चल गंवाया।

तुम लोग जो-कुछ काम यहाँ कर रहे हो उसके लिए मैं तुम्हारा उपकार मानता हूँ। अब तुम एक कदम आगे बढ़ो-नहीं तो तुम्हें और देश को नीची गर्दन करनी होगी। तुम देश के ऐसे सेवक बन जाओ कि देश तुम पर आफरी हो जाय। मैं तो गुजरात महाविद्यालय से ज्यादा से ज्यादा आशा रखता हूँ। तुम्हारे पार कर देखो कि हमने महाविद्यालय पर अबतक कितना खर्च किया है। (पी सदी २०) खर्च हुआ है। इन खर्च के अर्थों का हिसाब कैला कर देना कि एक विद्यार्थी पर हमने कितना खर्च किया है। मैं जिस तरह कांप उठता हूँ उसी तरह लोगों को भी रण सडे हो जायेंगे। तुम्हारे दिल में यह जेकली जरूर हानी चाहिए कि जो सर्प हमपर हुआ है उसके बड़े में हमने देश की क्या सेवा की है? यदि हमारी भावी प्रजा हमारे काम से सन्तुष्ट न हो तो महाविद्यालय को छोड़ देने में ही तुम्हारी शोभा है। तुम इस विद्यालय को समझो और कमर कस लो कि अखिलभारत के स्वराज्य-के चिरस्थायी अंगों को तुम अपनाओगे। इस बात को समझने में ही तुम कायक बनोगे, तुमपर जो कुछ खर्च हुआ है

उस सब का अग्रहित सब तुम्हें मिलेगा। जिस तरह बीज बोते हैं फलता है उसी तरह तुम पर खर्च हुई रकम फूले-फलेगी। विद्यार्थी और कुलपति की हैसियत से मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास केवल दो ही रास्ते हैं-तुम्हें इन दोनों बातों को मानना होगा। कुलपति के खातिर सूत देना और मेरे लिए सूत देना—ये दो जुदी जुदी बातें हैं। मुझपर यदि तुम्हारी श्रद्धा हो और मेरे प्रेम या मोह के बंधवर्ती होकर यदि तुम सूत कातो तो यह ठीक है, पर मुझे सन्तोष दिलाने के लिए ऐसा करना जुदी बात है। यदि चरखे पर तुम्हारी श्रद्धा हो और तुम न कातते हो और यदि मैं आकर तुम्हारी काश्चिकी दर कस और तुम मेरे खातिर कातने लगे तो अच्छा है। पर जिस बात पर तुम्हें सुत्क श्रद्धा ही न हो उसे केवल मुझे सन्तोष दिलाने के लिए करना निहायत ही जुरी बात है। यह पासंड और दया है। जिन अध्यापकों ने यह कहा है कि देश के लिए चरखा कातना चाहिए, उन्होंने इसी अर्थ में यह बात कही होगी।

हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, बहूदी, ये सब हमारे भाई हैं। यदि ऐसी श्रद्धा तुम्हारे दिल में हो और तदनुसार चलने की तैयारी तुम्हारी न हो तो तुम खुशी से महाविद्यालय को छोड़ देना। तुम अपने रास्ते चले जाओ और महाविद्यालय अपनी कार्य-रक्षा विधित कर लेना।

यह बात करते हुए मुझे महाविद्यालय की इमारत की याद आ गई। वहाँ कितने ही अन्त्यज मजदूर काम करते हैं और उन्हें पानी की तकलीफ पडती है। यदि तुम में शक्ति हो और हमारे मजदूर जमा चारों तो उन्हें जाने देकर तुम खुद अन्त्यजों के साथ काम में लग जाओ। पर मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसे शरीर नहीं, वह प्रेम नहीं। तुम ऐसे अवसर पर अन्त्यजों के तथा औरों के पानी पीने की व्यवस्था करना। तुम जन्मी जाति के मजदूरों से कह सकते हो कि पाना खींच कर अन्त्यजों को पिलाओ। और उन्हें समझा सकते हो तुम्हें यदि अपने से हीन वर्ण के लोगों पर दया न आवे तो हम पानी भर देंगे। इस प्रकार दया और सत्याग्रह का पदार्थ-पाठ दे सकते हो। तुम कम से कम इतना तो करो कि अन्त्यजों को नहलाकर नहाओ और खिला कर स्वाओ। इस चाहे जगल में, टूटे-फूटे मकानों में रह लेंगे, पर अन्त्यजों को न छोड़ेंगे। और ऐसा कर के ऊंचे वर्ण के अत्याचार को मिटा देंगे। यह शिक्षा तुमको अध्यापक लोग नहीं दे सकते, यह पुस्तकों से नहीं मिल सकती। अध्यापक अपने आचरण द्वारा पदार्थ-पाठ पढा कर ही यह शिक्षा दे सकेंगे। विद्यापीठ की स्थापना के समय मैंने कहा था कि यदि केवल अक्षर-ज्ञान के ही लिए यह संस्था खड़ी की गई हो तो मैं कुलपति होने के योग्य नहीं हूँ। अखिलभारत को बढाने के लिए ही-इसी शर्तपर विद्यापीठ आदि संस्थाओं की शीव डाली गई। इस बात को याद दिलाया मेरा कर्तव्य है और तुम इस अनिवार्य अंग का स्वीकार करो और इसे महास्वी यमाओ।

तुम्हारे चरखे यदि घूर और बारिश में सड़ते रहें तो समझना कि तुम पाप कर रहे हो। विज्ञान की प्रयोगशाळा में औजार कितने साफ-सुधरे रखते हो? तुम्हारे चरखे भी वैसे ही रखे आना चाहिए। तुम्हारे पास बटिया तकुआ, चमरकें, दर्ई, पुनी आदि की आशा मैं अब्द रखता हूँ। इसके लिए तुम्हें आश्रम का मुँह देना उचित नहीं। क्योंकि तुम तो 'विद्यार्थ' कहलाते हो। यदि तुमसे नहीं तो फिर और किससे आशा रखें? इतना स्वाभिमान तो तुम्हारे अन्दर जरूर होना चाहिए कि तुम अपने तौर पर इनका इन्तजाम कर लो।



## हिन्दी-नवजीवन

रविवार, भादों वदी ३, संवत् १९८१

### क्षमा-प्रार्थना

‘हिन्दी-नवजीवन’ का तीसरा वर्ष आज पूरा होता है। मुझे कहते हुए रंज होता है कि मैं ‘हिन्दी-नवजीवन’ के लिए स्वल्प लेख बहुत न लिख सका। पाठक उस बात को मानें कि इसका कारण अनिच्छा नहीं, बल्कि समय का अभाव है। और इसके लिए मुझे क्षमा करें।

‘हिन्दी-नवजीवन’ अब तक स्वावलंबी नहीं हुआ है। मैंने एक समय जाहिर किया है कि किसी अखबार को नुकसान उठाकर चलाना मजा की दृष्टि से अच्छा नहीं है। ‘हिन्दी-नवजीवन’ केवल सेवा-भाव से ही निकलता है। इसीलिए प्रत्येक पाठक उसपर अपनी मालिकी समझे और उसे स्वावलंबी बनाने की कोशिश करें। अब २७०० प्रतिशत बिकती हैं। स्वावलंबी बनने के लिए कम से कम ३००० प्रतिशत बिकनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि पाठकगण कोशिश कर के उस घटी को दूर करेंगे।

मोहनदास करमचंद गांधी

### जोश चाहिए !

मैं एक ऐसे वकील साहब के पत्र से कुछ अंश यहाँ उद्धृत करता हूँ जिन्होंने राष्ट्रीय कार्य में बहुत कुरबानियाँ की हैं। जब उन्होंने असहयोग किया, अपनी कितानों तक बेच डाली। अब वे नाराम्मीद हो गये हैं। वे यह कह कर अपनी चिन्ही खतम करते हैं—‘मैंने यह खत महज इसलिए लिखा है कि जिसमें मेरे मन का गुस्सा निकल जाय। यदि इसकी ओर आपका ध्यान न गया तो मुझे निराशा न होगी।’ शुद्ध भाव से भेजे गये किसी भी लेख की लक्ष्मी मेरी तरफ से नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सभ्यम मार्ग स्वकार किया है। मैंने इस पत्र से निगदात्मक और उपदेशात्मक अंश को निकाल कर उसका निचोड़ निकाला है। वह नीचे लिखा जाता है, जो कि विचारणीय है—

‘स्वराज्य, हिन्दू-मुस्लिम-एकता और अछूतोद्धार की बातें लोगों को दो साल हो जाने पर भी अर्थात्क जन्मी नहीं। और अब उनके विचारों में परिवर्तन होने का कोई चिह्न नहीं दिखाई देता।

अपरिवर्तनवादीयों को अपना कार्यक्रम मनुष्य-प्रकृति के अनुकूल बनाना चाहिए। उन्हें इस बात का खयाल रखना चाहिए कि जनता में फिर से उत्साह का संचार करने के लिए जोश दिलाने की बहुत आवश्यकता है। सत्याग्रह से बचकर जोश दिलाने का जहाँ दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन वह सरकार से सीधी और झुली लड़ाई के रूप में होना चाहिए। हमारे अन्दर ही अन्दर भिन्न भिन्न जातियों में सत्याग्रह होना हानिकारक है। इससे तो महज सरकार की अँधेरे में और खास कर खाई में छिप कर लड़ने

का मौका मिलता है। उसके कारण बहुतेरे वद्वयों और शरारती प्रचार की गुजाइश हो जाती है। सरकार से खाली अच्छी मुठभेड़ करने के लिए पक्के कारण चुन लेने चाहिए और उनके साथ लोगों की सहानुभूति प्राप्त करनी और बढ़ानी चाहिए। नीचे लिखी बातें इन शर्तों को पूरा कर सकती है, इनमें से कोई बात चुन ली जाय—

१—अदालतों का बहिष्कार किया जाय और ग्राम, कम्पा, नगर पंचायतों की स्थापना की जाय, और हर जगह दस्तावेजों को रजिस्टर करने के दफतर रहें,

२—सिने के चलन का बहिष्कार करके हुंड़ी का चलन चलाया जाय,

३—शराब तथा मशीली चीजों के व्यवहार को रोकना

मैं इस बात को नहीं मानता कि हमने जनता को अभी इतना काम कर दिखाया है कि जिसमें हम यह कह सकें कि ये तीनों चीजें उन्हें अच्छी नहीं। हमने जनता को शरीर देहात का जो कुछ तजरिबा हासिल किया है उससे तो मालूम होता है कि चरखा उन्हें जचता है। उन्हें सिर्फ संगठित करने की जरूरत है। लेकिन हम लोग जो कि उनके नेता होने का दम भरते हैं, गाँवों में जाकर उनके बीच रहने और चरखे के जीवन-दायी संदेश को उन्हें सुनाने से इन्कार करते हैं। लेकिन का तो जनता से परिचय हट्टे नहीं। वरना उन्हें मालूम होता कि हिन्दू-मुगलमान जनता आपस में नहीं लड़ रही है। देहली कोई गाँव नहीं। और वहाँ भी यह कहना उनकी बदनामी करना होगा कि गरीब लोग उठे थे। हमने उन्हें आपस में लड़ने के लिए मटकवाया। हाँ, अछूतों का गबल अलखते जनता के अन्दर मुठिभल है। फिर भी वह उन्हें पटता है; पर वह ऐसे रूप में जिसे हम पसंद नहीं करते। जो अकेलापन उन्हें मदिथों से विरासत में मिला है वे उसका सेवन करने हैं। लेकिन यदि हम खुद अपनी स्वभूतता, निस्वार्थता और धैर्य के बल उन्हें इन रोग से मुक्त नहीं कर सकते, तो राष्ट्र की हैसियत से हमारी मौल ही नमस्सि। इस बात को हर राजनैतिक सुधारक जितना ही जल्दी महसूस करेंगे उतना ही भला उनका और देश का होगा। हमें चाहिए कि हम इस लड़ाई को-अछूतोद्धार के प्रयत्न को-स्वराज्य प्राप्त होने तक न छोड़ें, न मुलतबी कर दें। इसे मुलतबी करना मानों स्वराज्य को हूँ मुलतबी करना है। यह ऐसा ही है जैसे बिना फेफड़ों के जीवित रहने की इच्छा रखना। जो लोग यह मानते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम-तनाजा और खुआछून स्वराज्य प्राप्त होने के बाद दूर किये जा सकेंगे, वे मानों स्वाधी बुनिया में विचरते हैं। अपने प्रभाव का भय समझने की शक्ति इनमें नहीं है। स्वराज्य-प्राप्ति के किसी भी कार्यक्रम में ये तीन अंग अवश्य होने चाहिए। हाँ, यह काम मुश्किल है; पर असंभव नहीं। इसलिए मैं यह बात दावे के साथ कहता हूँ कि यह रचनात्मक त्रिविध कार्यक्रम भारत की मनुष्य-प्रकृति के बिल्कुल अनुकूल है। वह उन लोगों की दैनिक आवश्यकताओं के बिल्कुल अनुकूल है जो कि अपनी प्रगति पर तुले हुए हैं।

पर ये मित्र तो कहते हैं कि ‘जोश’ के बिना काम नहीं चल सकता। पता नहीं, ‘जोश’ कहते किस हैं। क्योंकि जो लोग कार्य-कर्ता हैं उनके लिए तो इन तीन चीजों में काफी जोश मौजूद है। आप किसी भी एक गाँव में चले जाइए, एक चरखा लेकर बैठ जाइए और गाँववालों से कहिए कि वे अपने अछूत-भाइयों को गले लगावे। गाँव के वच्चे तो चरखे के आसपास, त्रिभू के बरखों से भूल गये थे, बस नाचने ही लगेगे और गाँववाले यदि आप उन्हें अछूतों को गले लगाने की बात अच्छे और मीठे ढंग से न कहेंगे तो आपको परधर मारने पर आवादा होंगे। यह



ऐसा जोश है जिससे जीवन मिलता है। पर एक ऐसा जोश भी है जो हमारी मृत्यु का कारण होता है। वह क्षणिक होता है और लोगों को अधा कर देता है तथा जरा धर के लिए खलबली पैदा करता है। इस किस्म के जोश से स्वराज्य नहीं मिल सकता। हाँ, उन लोगों के लिए इसकी उपयोगिता का अनुमान मैं कर सकता हूँ जो दूसरे के हाथों से सत्ता छीनने के लिए युद्ध करने को मजबूर हों। पर भारत के सामने जो समस्या दरपेश है वह इतनी सुगम नहीं है। हम न तो इधियार ले कर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और न हमें इसका अभ्यास ही है। अंगरेज लोग मइज मुज-बल के ही द्वारा यहाँ राज्य नहीं करते हैं। वे हमारा मन-हरण करते—हमें फुसलाने के भी साधन रखते हैं। वे ऊपरी मुलाकात में अपनी तलवार को बड़ी सावधानी के साथ छिपा कर रख सकते हैं। जिस वही हम बुद्धियुक्त संगठन, शुद्ध और अविचल संकल्प तथा पूर्ण और नियमबद्ध संघर्षात्मिक का परिचय देंगे वे अपना शासन-भार हमें बिना ही प्रहार की नीवत पहुंचे सौंप देंगे और हमारी शर्तों पर भारत-भूमि की सेवा करेंगे, जैसे कि हम आज अविच्छा-पूर्वक या अज्ञान-पूर्णक उनकी शर्तों पर अपनेको उनका गुलाम बनाये हुए हैं।

सत्याग्रह इस विच्छेद तर्ज का जोश नहीं है। वह तो उन्हा ऐसे वायुमण्डल में भर जाता है। उसके लिए शान्त माइस की आवश्यकता है, जो न तो शिकस्त को जानता है और न बदला लेने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि अन्तर्जातीय सत्याग्रह भी (यदि वह दर इकीकत सत्याग्रह हो तो) राष्ट्र को सरकार के मुकाबले में लड़ाई लड़ने के लिए बल प्रदान करता है। अपरिचरित-बादियों और परिवर्तनवादियों के बीच जो यह मही लड़ाई हो रही है वह किसी भी अर्थ में सत्याग्रह नहीं है। उहली की शर्मनाक घटनाये मुत्लक सत्याग्रह नहीं है। अन्तर्जातीय सत्याग्रह के नमूने सिर्फ बाइकोम और तारकेश्वर हैं। मैं बाइकोम के बारे में तो कुछ जानता हूँ; क्योंकि मैं उसकी धामडोर रखनेवाला माना जाता हूँ। यदि सत्याग्रही धीरजवान, पूर्णरूप से सत्य-परायण, मोलही आना अहिंसात्मक (अजबरे मन, वचन और कर्म में) रहे, और यदि वे प्रतिपक्षियों के साथ ममता से पेश आते रहे और अपनी छोटी-सी भी टेक पर टक बने रहे तो सफलता मिले बिना रही नहीं सकती। यदि वे इन शर्तों को पूरा कर देंगे तो सनातनी हिन्दू उनपर आकीर्षण की नृष्टि करेंगे और राष्ट्र कार्य को कमजोर नहीं, प्रबल बनावेंगे। तारकेश्वर के बारे में मैं नहीं के बराबर हाल जानता हूँ। पर यदि वह सच्चा सत्याग्रह होगा तो उसका भी फल अच्छा ही हो सकता है, बुरा किन्ती हालत में नहीं।

पत्र-लेखक के जोश पैदा करने का तरीका सत्याग्रह-संघर्षो उनकी गलत-फहमी के अनुकूल ही है। वे इस बात को नहीं महसूस करते कि पंचायतों और इलाक़ों को रजिस्टर करने की व्यवस्था में यदि सहनी से काम लिया जाय, तो उससे लेखक का मूल उद्देश ही नष्ट हुए बिना न रहेगा। और यदि इनमें सन्ती न रखी जायगी तो वे बरखे से भी कम जोश पैदा कर सकेंगे—क्योंकि खानगी अदालतों में किसे पडी है जो अपने दस्तावेज रजिस्टर कराने जायगा। चलनी सिद्ध का बहिष्कार भी बिना लाठी के निर्जीव रहेगा। हाँ, यदि शांतिपूर्ण वायुमण्डल बनाया जा सके और पहरा प्राप्तपूर्ण होता हुआ पाया जाय तो शराब की दुकानों पर पहरा बिठाने का काम मैं फिर से बहुत-कुछ शुरू कर सकता हूँ। तजरिधा यह विस्तारता है कि १९२१ का 'पहरा' सब तरह शांतिपूर्ण न था।

दूसरा उपाय हमें अपने अन्दर ही मिलेगा। अन्तता मे नहीं बल्कि हमीने अपना विश्वास खो दिया है। क्योंकि पत्र-लेखक भिन्नके कि जिम्मे खुद एक महासभा-समिति का काम है, कहते हैं कि मेरे पास बडाबड इस्तीफे ला रहे हैं। क्यों ? इसलिए कि इस्तीफे देने वाले लोगों का विश्वास इस कार्यक्रम पर नहीं रह गया है। अबतक तो वे राष्ट्र के साथ खिलवाव कर रहे थे, अब वे अपने और राष्ट्र के साथ संजीदगी से पेश आ रहे हैं। वे सत्य की पुकार का उत्तर दे रहे हैं। इन इस्तीफों को मैं राष्ट्रकार्य के लिए स्पष्टतः लाभकारी मानता हूँ। यदि सब लोग ऐसा सोल खेंदें और या तो प्रस्तावों का पालन करें और या इस्तीफे दें, तो हमें पता लग जायगा कि हम कहाँ हैं। जिन सन्त्री महासभ्य के जिम्मे महासभा का काम है उन्हें मैं मुस्ताडंगा वे अत-दाताओं को यदि उमके रजिस्टर में उनके नाम दर्ज हों तो, बुरावें कि वे अपने प्रतिनिधियों का चुने। यदि सद्यस्य लोग वस्तुतः स्वयंमन्य होंगे जैसा कि मुझे अंधेसा है कि बहुत सी जगहों में होंगे, तो मन्त्री ही अकेला महासभा का सच्चा प्रतिनिधि अच्छी तरह रहे, बघतें कि उसे खुद अपने ऊपर और कार्यक्रम पर विश्वास हो। उस अवस्था में उसे अपना सारा समय और ध्यान चरखे के लिए देने की छुट्टी रहेगी। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि वह अपने का चरखा कातने में अपनेला न पावेगा। जो मनुष्य अपने पास अन्दा और एक विश्वय रखता है उसे दुनिया में विराध होने का कोई कारण नहीं रहता।

(५०००)

मोहनदास करमचंद गांधी

## फिरकी की उपयोगिता

“दर 'सचजीवन' में फिरकी या चातली का हाल पढा। जब मैं पढे पाल मिला था तब चातली के इस्तेमाल करने का वादा मैंने किया था। अब मैंने उसे रमा लिया है। आपके लेखानुसार चर्च से आधा काम उत्तपर नहीं निकलता। रुपये में दा आना पाम होता है (मेरे हिसाब में) फिर भी चीज है उत्तम। बडा में बडा विज्ञापन है। रेल में बेटे बेटे में उत्तपर सुत कातता ह। और खुप रहने हुए भी कातने और खादी पहनने का उपदेण करता रहता ह।”

यह तो अनेक अनुभवों में से सिर्फ एक है। अभी तो फिरकी अर्थात् चातली का आरम्भ-कारण है। अबतक घण्टे में ७० गज सुत कातने की शखर मिल चुकी है। बरखे पर बहुतेरे लोग इससे ज्य.दह नहीं कातते। पर इस तरह चातली का मुकाबला चरखे से नहीं किया जा सकता। चातली पर तो जहाँ ५ मिनिट की फुरसत मिली कि सुत कातने लगे। रेल में चरखा नहीं चल सकता। इसलिए महा-समिति ने सफर में सुत कातना माफ किया है। यदि मुझे उस समय चातली की उपयोगिता का पूरा खयाल होता तो मैं सफर को भी मुस्तसना न करता। इस तरह बिचार करने पर भ्रमण करने वाले अथवा दूसरे कामों के बीच बीच में कातने वाले शरख के लिए चातली जायद चरखे से भी अधिक काम दे सके। फिर भी चातली चरखे के बजाय नहीं, बल्कि उसके अलावा चलानी चाहिए। यह सुत कातने का प्रायः सुपन साधन है। यदि ठीकरी की चातली बनाई जाय तो वह तो बिल्कुल ही सुफत पडगी है। (सचजीवन)

## प्राइक होनेवालों की

आदि कि वे सालाना चन्दा ५) मनीआर्देर द्वारा सेजें। की, पी, मैकने व। रिबाज हयते यह नहीं हैं।

### दिपणियां

#### देहली में काम-काज

मौलाना महम्मदअली के एक बात से मालूम होता है कि देहली में वे निज निज दलवालों में समझौते की पूरी पूरी रीति से कर रहे हैं। वे एक जांच-समिति नियुक्त करने की भी मांग कर रहे हैं। इसके लिए निहायत दृष्टिगारी से काम लेने की जरूरत है। वहां परम्पर इतना अविश्वास फैला हुआ है कि कितने ही लोग तो कहते हैं कि हों जांच-समिति ठरकार ही नहीं। मौलाना साहब बीमार हैं और बिलों पर पड़े रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह डोली में बैठकर जाते हैं। हमें आशा रखनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि मौलाना साहब जल्द ही तन्तुस्त हो कर अपने विराम के भारी काम को जीव ठीक कर सकें।

[गत १६ अगस्त का गांधीजी उसी मिनिसिले में देहली खाना लो गये हैं— उप-संपादक।

#### श्री केलकर और मानहानि

बम्बई की हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने श्री केलकर की जो सजा दी है, जो जुरमाना किया है उससे भेरायाल है कि श्री केलकर या केसरी का कुछ भी खिलाफ नहीं हो सकता। यह जुरमाना देने पर भी दोषा ठिके रहेंगे। श्री केलकर इस मामले में जिस बहादुरी से उठे जाते रहे उसपर उन्हें पत्रकारों और लोगों की तरफ से बहुत कुछ सुधारवादी मिली है। 'केरी' की इज्जत तो लोगों में वैसे ही बढा हुई थी, लेकिन इस मामले के फैसले से वह और भी बढ गई है। पर न्यायाधीशों में यह इतनी बे-बेनी क्यों पाए जाती है? निश्चय से श्री केलकर की खली टीका-दिपणी से अपश्य ही उनका कुछ नहीं बिगड सकता। हां, हमेंदा ऐसी टीकाएँ टीक और ऐसी जते होती कि जिसका बचाव भी किया जा सके। जिन लेखों से अदालत की मानहानि हुई उन लेखों को भेजे उखा नहीं है। लेकिन हम सजा से लोगों की फायदा क्या हो सकता है? क्या लोग या श्री केलकर इस फैसले के कारण न्यायाधीशों के प्रति अधिक उदार रुकाव रखने लगेगे? यदि इन लेखों में न्यायाधीशों का पक्षपाती होना दिखाया गया है तो पर सिर्फ लोकमत का प्रतिरथ है। ऐसा पक्षपात जानबूझ कर ही होना जरूरी नहीं है। लेकिन जनता का ऐसा विश्वास ही बंध ग... कि भारतीयों और यूरोपियनों के बीच के झगडे में न्यायाधीशों की ओर से आमतौर पर पक्षपात होता है। मुब भेरा दक्षिण-अफ्रिका का विरुद्ध और वहा से कुछ काम पाने का अनुभव जनता के इस विश्वास का समर्थन करना है। १९१९ में पञ्जाब के खास ट्रिब्युनल के फैसलों का निवेदन में 'संगठित' में दिया था। उससे यह बिलाशक सापित होता है कि पञ्जाब के इन ट्रिब्युनल के न्यायाधीशों में अवश्य ही पक्षपात था। यूरोपीयन और भारतीय के बीच न्याय मिलना मुश्किल है। मे न्यायवाह कि मंग रथाल इसके खिलाफ हो। लेकिन यह संभव नहीं है। मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि इस परिस्थिति से पक्षपर कोई भी मनुष्य ऐसा ही करेगा। यह कहने का एक तरीका है कि मनुष्य-स्वभाव सब अवस्था में एकता ही रहता है। न्यायाधीश भी मनुष्य हैं और साधारण मनुष्य की तरह उनमें भी धैर्य ही कमजोरी है और वैसी ही भावनाओं से उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं इन न्यायाधीशों को आदर-पूर्वक सह दिखाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार वे 'केसरी' की इस खली टीका से बिगड

गैडे, वैसे ही यदि बिगडा करेंगे तो वे इस प्रकार के त... मुठने डेनेवाले प्रभाव को गेफेंगे। श्री केलकर के समान अ... को पत्रकार जब न्यायाधीशों के फैसलों के खिलाफ टीका करना उ... समझते ह तो उसे उनके लिए एक रसायन का काम देना चाहिए। यूरोपीयन न्यायाधीश यदि पक्षपात और एक-तरफा प्रभाव के खिलाफ, जो उनपर भारी असर डालता है, प्रयत्न करना चाहते हों तो उन्हें मेरी विनीत राय के मुताबिक भारतीय पत्रकारों की टीका का स्वागत करना चाहिए और उन्हें ऐसा करने के लिए प्रसाहित करना चाहिए। किन्तु दुःख की बात तो यही है कि न्याय ऐसी टीकाएँ उनके पास फैसले के लिए नहीं आती... में उन्हें शायद ही पडते हों। श्री केलकर के खिलाफ... दिया गया है उसमें तो वर्तमानपत्रों के सम्पादक... उनके जो पकड़ ही न करेगे या सब बगानर एकट करेगे। अन्दर ही अन्दर अपना र... कर लेगी। अब भी हमारे पास इस... कभी नहीं है; साधारणतया कुछ अधिकता ही है। मैं यह कहे और नहीं रह सकता कि श्री केलकर के खिलाफ जो यह फैसला दिया गया है उससे हमारे चारों ओर लोगों के जीवन में झटापट और भी बढ जायगा और यूरोपीयनों और हिन्दुस्तानियों के संबंध में और भी अधिक कड़ता आ जायगी। यह बिनकुर ही अनावश्यक था।

#### 'राजा कभी गलती नहीं करता!'

एक न्यायाधीश पर टीका करने के लिए श्री केलकर का ५,००० देने पडे। एक कलेक्टर के खिलाफ लिखन के लिए कानिबल का १५,००० देने पडे। लेकिन लाई लॉटन, इसलिए कि वे बंगाल में सभ्राट् के प्रतिनिधि हैं, हिन्दुस्तानी खियों पर दोष लगा सकते हैं और उन्हें कुछ भी सजा होने का भय नहीं। एसाबद उनके भक्तों की तरफ से उन्हें इस साफ साफ बात क कहने के लिए बाधधाही भी मिलो होगी। उन्होंने, कहा जाता है कि एक व्यान्याय में गभीरता-पूर्वक यह बात कही कि "निर्ण अधिधारियों के प्रति नफरत होने के कारण ही भारतीय पुरुषधर्म भारतीय खियों को दहनम करने के लिए उन्नत बिगाडने के झंटे अपराध दमाने पर तैयार करने में नहीं सकु चाने।" यदि यह बात उनके ज्यान्याय की सम्झी रिपोर्ट में न होती और केवल सवादाता ने उस रिपोर्ट के सार के तौर पर ही लिखी होती ता मैं इस बात पर विश्वास करने से इन्कार करता कि एक जिम्मेदार अजेज भी ऐसी रूप विचार-हीन बात कह सकता है। यह तो साफ है कि लाई लिन्ग यह नहीं जानते या जानने की परवाह भी नहीं रखते कि इस प्रकार भारतीय खियों पर दोषाजोप करने में भारतीयों के दिलों में कैसी गहरी कलधली मख जायगी। क्या लॉर्ड लिटन के पास अपनी बात के अकारण प्रमाण संजूद है? यदि उन्होंने केवल पुलिस की बातों पर ही विश्वास रखा है तो उनका यह आधार पशु है। उनके सहाइकारों को उन्हें ऐसे एकतरफा प्रमाणों पर विश्वास रखने से राकधान कर देना चाहिए था। लेकिन वे बिना कुछ भी सजा पाये ऐसी अपराध की बात कैसे कर सकें? यदि बंगाल या लोकमत और इसलिए सारे हिन्दुस्तान का लोकमत पुर असर होता तो किन्ही एक मामले में भी इस बात क सब प्रमाणित होसे हुए भा वे ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं करते? आज देश में ऐसा लोकमत ही नहीं है कि जो अपनी करामात दिखा सके। फिर भी देश के सब से अधिक शक्तिशाली ध्याकि को भी यह रुकाव न करना चाहिए कि हिन्दुस्तान को और हिन्दुस्तानी भाषों को हमेंदा अवमानित

ऐसा (मे) हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े और परिवर्तनवादियों और अल्पसंख्यकों के मतभेद राष्ट्रीय हलचल में थोड़े दिन के लिए साम्य है। लेकिन बड़ी बड़ी अगहों पर ही अंग्रेज लोग जो अपमान करते हैं वह भारतवासियों के दिलों पर गहरी चोट पहुँचाता है। सभ्यता के गौरव-जिम्मेदार प्रतिनिधियों के ऐसे अविचार-पूर्ण कृत्यों के कारण हम अपना मतभेद सब राक पर रख दें, यह कबाल भी अपमानकारक प्रतीत होता है।

**संवाददाताओं को चेतावनी**

मुझे बड़ी मुश्किल से—बड़ा बड़ी तकलीफें उठाके के बाद मनुष्यता हरण करने का यश मैन प्राप्त किया पा। वह अहमदाबाद के मुसलमानों (मैं आशा रखता हूँ कि थोड़े समय के लिए) कर दिया। अपने ऐसी रिपोर्ट भेजी कि मैं प्रत्यक्ष-पीठित-आचार के लिए केवल यही संदेश भेज सकता हूँ कि जा लोग भूखे, बस-हीन, और बिना घर के हो गये हैं उन्हें सुन कातना चाहिए। अपनी बदनामी के लिए यदि श्री, पेन्टर का १,५०,००० मिल सकते हैं तो मुझे अपनी इस बदनामी के लिए मेरा ख्याल है कि कमसे कम १,५०,००० मिलने चाहिए। और अगर मुझे यह रकम मिल जाय तो मैं अपनी खाई हुई नीति कुछ अंश में फिर प्राप्त कर लूँ और सारी रकम बिना कुछ भी कम किये मलाबार के प्रत्यक्ष-पीठितों को दे दूँ। लेकिन मैं पेन्टर जैसा नहीं बनना और संवाददाता और पत्रकारों दोनों को सब दोगा से बरी किये देता हूँ। स्थानिक संवाददाता ने मुझसे कहा है कि वह सभा में गया ही न था। जो लोग गया में गये थे उन्होंने ने भी बहुत ही कम सुना था। लेकिन मुझेनेवालों का ख्याल था कि मैंने कागजों के बारे में कुछ कहा था। इससे अधिक स्वाभाविक क्या हो सकता है कि मैं मलाबार के पीठित लोगों का कपड़े, खाने और रहने का साधन प्राप्त करने के लिए कातने की प्रेरणा करूँ? क्या आचार्य राम यही काम नहीं कर रहे हैं? बेचारा संवाददाता यह भूल ही गया कि आचार्य राम यह काम लोगों के दिमाग से बस जाने के बाद कर रहे थे। खैर; इस भगकर भूल से संवाददाता और सर्व-साधारण दोनों सबक सीख सकते हैं। सार्वजनिक लोगों का सदा सवाहदातागण अपना हथेली में रखते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं कि ऐसे लोगों के ख्यालघान और कार्य की गलत रिपोर्ट की जाय। लोगों को भी चाहिए कि वे सब बातों को बिलकुल सती न मानें। अपने संबंध में तो सर्व-साधारण को और दूसरे लोगों को मुझे यह जताता रहना होगा कि जयतक मैं स्वयं किसी बात का सही हाना जाहिर न करके तबतक वे, मेरे बारे में को गई किमो भी रिपोर्ट पर विश्वास न करें। मेरे सभ्यता की रिपोर्ट भेजी जाय ऐसी जल्दी मुझे नहीं रहती। जो संवाद वे भेजना चाहते हैं उनका समर्थन जबतक मुझसे न करा लें तबतक यदि संवाददातागण मेरे बारे में कुछ भी खबर न भेजेंगे तो उनकी मुझ पर, बड़ी महारानी होगी।

मुझे यह इसलिए कष्ट पड़ता है कि मुझे अपनी बातों की गलत रिपोर्ट भेजने का कष्टकर अनुभव याद है। १८९६ में मैंने हिन्दुस्तान में दक्षिण अफ्रिका के ब्रिटिश भारतीयों के बारे में एक ३० या अधिक सफे की पुस्तिका प्रकाशित की थी। उसका साठ पाँच अक्षरों में रुबर ने नेटाल तार से भेज दिया। उस पुस्तिका में मेरा कहने का जो कुछ भी मतलब था उसके यह बिल्कुल ही खिलाफ था। नेटाल के गोरे इससे सबक लें। और जब मैं नेटाल गया तब जोषा में आई हुई

एक भांड ने मुझपर ऐसा हमला किया—ऐसा मारा कि मरते मरते बच गया। मेरे बकाल मित्रों ने मुझसामी का दावा करने के लिए बहुत समझाया। लेकिन उस वक्त भी मैं सत्याग्रही था। मैंने दावा करने से इन्कार किया। दावा न करने से मेरा कुछ खिगदा भी नहीं। जब उन लोगों ने देखा कि मैं खुश आदमी नहीं और उनका मुझे समझने में बुरी तरह से धाका हुआ है तो वे अपनी भूल के लिए पछताने लगे। इसलिए इस वक्त संयम रखने से आरिज मुझे कुछ भी मुकमान न हुआ। लेकिन इससे और जो अधिक यश मुझे मिले ता भी मैं दूसरा नेषा अनुभव करना नहीं चाहता। यदि ईश्वर की इच्छा है तो मैं चाहता हूँ कि और अधिक काम करें। इसलिए मैं संवाददाताओं को कहता हूँ कि अभी कुछ अरसे के लिए मुझे इससे बचा लें।

**मुरम्न कार्रवाई**

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त प्रांत की सरकार को आचार्य रामदास गोड की हिन्दी पाठ्य पुस्तकों की जल्ती के बारे में नीचे लिखा पत्र भेजा है—

“संयुक्त प्रांत की सरकार ने जो १८९५ के ५वें कानून की २५ वें वारा क अनुसार आचार्य रामदास गोड की हिन्दी पुस्तक २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ और ३२ तथा उनके कुछ अंश अलग किये उसकी आर संयुक्त प्रांत की पार्लियामेंट समिति का ध्यान गया है। पछले कुछ समय से ये पुस्तकें बहुतेरी शाखाओं में प्रचलित हैं। ये पुस्तकें हिन्दी के खास खास लेखकों के लेखों को चुन कर बनाई गईं हैं। इससे यह समझ लेना महक नहीं है कि पुस्तक का कौन भाग हिन्दुस्तान के ताज्जुरान हिन्द १२२ अ पारा के अनुसार सरकार की दोग्युक्त मालूम होता है। मैं आपका बड़ा धन्यवाद यदि आप यह जतराने की गया करेंगे कि पुस्तक का कौन सा भाग दोग्युक्त जान पड़ता है, जिससे पुस्तकें जलती गईं। उर हमारी प्रान्तिक समिति गौर में देखेगी और यदि उसे यह विश्वास हो जायगा कि पुस्तक के वे अण वास्तव में सदाँष हैं तो यह जो रामदास गोड को यकीनन् सलाह देगी कि आप अपनी पुस्तक से उव हिस्सा को निकाल दीजिए। मैं बहुत खुश हुंगा यदि आप जूपा भर के इस पत्र का उत्तर जल्ती देंगे; क्योंकि ये पुस्तकें मेरी समिति से मंजब रखनेवाले कितने ही मदरसों में जारी हैं।”

पण्डितजी ने एक ऐसा ही पत्र संयुक्त प्रांत के शिक्षाविभाग के दफ्तर के नाम में भेजा है। सर्वसाधारण भी इसके आगे का करवाई की उत्सुकता के साथ देखेंगे। इसी बीच पुस्तक-प्रकाशकों ने इस हुक्म को रद्द करने के लिए कानूनी कारवाई शुरू कर दी है। ये पुस्तकें हजारों की संख्या में बिकी हैं। ऐसी हालत में तमाम पुस्तकों को जलत करके फिरेना सरकार के लिए कठिन होगा। हाँ लड़के-लड़कियाँ अपने आप उन्हें फाड़ डालें या जला डालें तो बान दूसरी है। अभी तक तो इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बल्कि पुस्तकें अभी तक ज्यों की त्यों मदरसों में चल रही हैं। लेकिन सरकार के पास तो बहुतेरी तरकीबें छिपी हुई होंगी और ज्योंही वह मौका देखेगी उन लोगों को छका लेगी जिनके पास वे कलंकित पुस्तकें होंगी। लोग इस बात को जान कर खुश होंगे कि पुस्तकों के बिलगुन लेखक ने उनका कोई काफा राईट नहीं रखा है। (य. ई.)

**राष्ट्रीय पाठशाखाओं में दण्डनीति**

एक महाशय लिखते हैं—‘आपने शिक्षा परिषद में बहुतेरे प्रस्ताव पास कराये। शिक्षकों ने राजा या नाराजी से आपका खस करने के लिए उन्हें पास कर दिया है। पर उनका पाठन



सायद ही होगा। लेकिन आप एक बात का प्रस्ताव करना भूल गये। हमारी राष्ट्रीय पाठशालाओं में विद्यार्थियों को शारीरिक दण्ड दिया जाता है।

मैं आशा करता हूँ कि शिक्षण-परिवर्तन के प्रस्ताव मुझे कुछ करने के लिए नहीं हुए हैं, बल्कि पालन करने की इच्छा से संभूर किये गये हैं। इन महाशय के लेखानुसार मुझे तो अभिश्वास बिलकुल नहीं है। मैं यह मान कर चला हूँ कि राष्ट्रीय पाठशालाओं में दण्ड-नीति त्याग दी गई है। यदि ऐसा न होता तो कोई न कोई शिक्षक उसकी चर्चा अवश्य करता। दूसरा अनुमान यह भी हो सकता है कि दण्डनीति इतनी प्रचलित है कि उसमें किल्लीको कुछ आश्चर्य ही नहीं होता। मैं ऐसा अनुमान करने के लिए तैयार नहीं। मैं आशा करता हूँ कि इन महाशय ने वही एकाग्र जगह विद्यार्थियों को भजा पाते हुए देखा होगा। जो शिक्षक सजा देता है उसे शिक्षक नहीं कह सकते। यह तो कैदियों का दारोगा है। शिक्षक का तो धर्म है हसा-खिला कर प्रेम से बालकों को आगे बढ़ाना। यह वहम है कि सजा के डर से बालक पढ़ते हैं। यह तो अब प्रायः दूर ही हो गया है। दुनिया के हजारों शिक्षकों का यह अनुभव है कि धीरे-धीरे से बालकों को अधिक शिक्षा दी जा सकती है। दण्ड शिक्षक के अहम का सूचक है। शिक्षक का काम है प्रत्येक विषय का बिलम्ब बना देना। अच्छा शिक्षक अयोग्यता जैसी वस्तु को भी भयोरंजक बना सकता है।

ये राक्षस थे ?

एक महाशय ने रामचन्द्र, युधिष्ठिर, नल, पर किये गये कुछ आरोप लिख कर भेजे हैं और उनके जवाब चाहे हैं। 'रामचन्द्र ने सीता का अग्नि में प्रवेश कराया और उसका त्याग किया, युधिष्ठिर ने जुआ खेला और द्रौपदी की रक्षा करने की भी हिम्मत नहीं बतलाई, नल ने अपनी पत्नी पर फलक लगाया और अशुभ अवस्था में शोर बन में भटकती छोड़ दी। इन तीनों को पुरुष कहे या राक्षस ?'

इसका जवाब सिर्फ दो ही व्यक्ति दे सकते हैं—या तो कवि स्वयं या वे सतियां। मैं तो प्राकृत दृष्टि से देखता हूँ, तो मुझे ये तीनों स्त्री-पुरुष बवनीय हैं। राम के तो बात ही छोड़ देना चाहिए। परन्तु आहए, ऐतिहासिक राम को दूसरे दोनों की पत्ति में जरा डर के लिए रख दें। ये तीनों सतियां इतिहास में सती न बखानी गई होती, यदि ये इन तीनों महापुरुषों की अर्पणना के रूप में न रही होती। दमयन्ती ने नल का नाम रमना से नहीं छोड़ा, सीता के लिए राम के सिवा इस जगत् में दूसरा कोई न था। द्रौपदी धर्मराज पर भौंहे ताने रहती थी, फिर भी उससे जुदा नहीं होती थी। जब जब इन तीनों ने इन सतियों को सताया तब तब हम यदि उनकी हृदय-गुहा में पैठ पाये होते तो उसमें जलती हुई हुस्वाभि हमें भस्म कर देती। राम को भी हुक हुआ है उसका चित्र मन्वृति ने चित्रित किया है। द्रौपदी को फूट की तरह रखने वाले भी वे पाँवों भाई थे। उसके बोल सहने वाले भी वही थे। नल ने जो कुछ किया वह तो अपनी अर्पण अवस्था में। नल की पत्नी-परायणता को तो वेवता भी उस समय आकाश से झांक कर देख रहे थे जब कि वह ऋतुपर्ण को के उडा था। इन तीनों सतियों के प्रमाण-पत्र मेरे लिए बस हैं। हाँ, यह सब है कि कवियों ने तीनों को उनके पतियों से विशेष गुणवती चित्रित किया है। सीता के बिना राम की क्या सोना, दमयन्ती के बिना

नल की क्या सोना, और द्रौपदी के बिना धर्मराज की क्या सोना? पुरुष विह्वल, उनके धर्म प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न, उनकी भक्ति 'व्यभिचारिणी'। पर इन सतियों की भक्ति तो स्वच्छ, स्फटिकमणि की तरह अव्यभिचारिणी। स्त्री की क्षमाशीलता के सामने पुरुष की क्षमाशीलता कोई चीज नहीं। और क्षमा तो है वीरता का लक्षण। इसलिए ये तीनों सतियां अबला नहीं बल्कि सबला थीं। पर यह दोष तो पुरुषमात्र का मानना चाहे तो मान सकते हैं—नलादि का विशेष रूप से नहीं। कवियों ने इन सतियों को सहनशीलता की साक्षात् मूर्ति चित्रित किया है। मैं तो सतियों को शिरोमणि के रूप में पहचानता हूँ। परन्तु उनके पुण्य-रूप पतियों को राक्षस के रूप में नहीं देखना चाहता। उन्हें राक्षस मानने से सतियां दूषित होते हैं। सतियों के पास आसुरी भावना रही नहीं सकती। हाँ, वे सतियों से कनिष्ठ भले ही माने जाय, पर दोनों की जाति तो एक ही—दोनों पूजनीय। 'जितनी पुरानी बातें हैं सब हो पवित्र हैं' उस विचार में जितना दोष है, उतना ही इस विचार में भी दोष है कि 'जितनी प्राचीन बातें हैं सब दोष-तुष्ट हैं, सतियों के अधिकार के विचार की प्रथा डालते हुए हमें उनके धर्म का बलिदान न कर देना चाहिए। सतियों के हकों की रक्षा करते हुए पुरातन कालीन पुरुषों की निन्दा की जरूरत मुझे नहीं दिखाई देती।

विदेशी बनाम स्वदेशी शकर

एक सज्जन लिखते हैं—'किस चीनी को अच्छा समझें और किसे स्वदेशी तथा किसे बदेशी मानें?' मैंने बारीकी के साथ इस पर विचार नहीं किया। यह जान नहीं कि स्वदेशी चीनी को हड़ी जादि से साफ न किया जाता हो। हिन्दुस्तान हर साल १८ करोड़ रुपये की चीनी विदेशों से मंगवाता है। पर ऐसा जान पड़ता है कि वह थोड़े समय में इन आवश्यकता को पूरा न करेगा। मैं खुद तो बहुधा चीनी का इस्तेमाल करता ही नहीं। पोषण के लिए उसकी जरूरत बहुत थोड़ी है। जितनी जरूरत है, मीठे फलों से मिल सकती है। गन्ने चूल्ना शकर के इस्तेमाल का सबसे अच्छा तरीका है। जब उसका मौसम न हो तब गुड़ से काम चला लेना चाहिए। फिर भी जिसका काम शकर बिना न चलता हो उन्हें देश में बनने वाली शकरों की खोज कर लेना चाहिए और यदि दुर्भनदार उनमें मिश्रण करे तो यह जोखिम उठाने को भी तैयार रहना चाहिए।

( नवजीवन )

गांधीजी के लिए या देश के लिए ?

एक मित्र कहते हैं कि आजकल गांधीजी के नामसे विद्यार्थियों का कातने के लिए और देकर कहने का एक रिवाज सा पड़ गया है। वे पूछते हैं कि क्या यह ठीक है? जबतक मैं देश के लिए और देश ही के लिए कार्य करता रहूँ तबतक इस प्रकार की अपील खास परिस्थिति में और कुछ हद तक अनुचित नहीं है। मेरे लिए कातने की अपील देश के लिए कातने की अपील से अधिक सीधी असर पहुंचा सकती है। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि सबको देश के लिए कातना ही उचित है। अपने लिए उसके आर्थिक अर्थ में कातना और भी अच्छा है। क्योंकि हर एक कार्यकर्ता जो देश के लिए कार्य करता है वह अपने लिए भी कार्य करता है। जो सिर्फ अपने लिए काम करता है वह अपना ही सुकमान करता है। हमारा लाभ देश के लाभ के अनुकूल होना चाहिए—वह सबसे जुदा न हो जाना चाहिए। वे लोग जो केवल दिखाने के लिए कमी कमी कातते हैं और फिर बंद कर देते हैं, जहाँ में थूक झोकने का ही प्रयत्न करते हैं। श्री० क० गांधी

# बोल्शविज्म या संयम?

वार्षिक " ७)  
 छः मास का " २)  
 एक प्रति का " १)  
 विदेशों के लिए " ७)

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक २ ]

मुद्रक-प्रकाशक बेनीलाल छ मलाल बूच	अहमदाबाद, भावों बंदी १०, सषत् १९८१ रविवार, २४ अगस्त, १९२४ ई०	मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय, सांगपुर सरकीगरा का बाड़ी
--------------------------------------	---	---

## मलाबार-संकट-निवारण

इस समाह में कुल ८२५-१५-३ चेरा आया है। जिसका व्योरा इस प्रकार है—

सत्याग्रहाश्रम में	४४७-१२-६
नवजीवन की बचई शाखा में	८५६-१२-०
गुजरात प्रान्तिक समिति में	१०८४-०-०
नवजीवन कार्यालय में	१६३७-६-९
हिन्दी-नवजीवन कार्यालय में-	१६०-०-०
कपूरजी मगनीराम	१५
देवाजी नरसिंजी	१५
नारायणदास चुनीलाल	१५
पनाजी देवीचंद	०
गमनाजी प्राणचंद	७
केसरीमल दासमल	७
जईशंकर भाईशंकर	५
कर्वकराव काकर	५
वासुदेव श्रीनिवास उमचमी	१०
ईशानी असलाजी	४
श्राचंद दीपचंद	४
मादुसा आबासा खटवटे	४
लकाजी हिराचंद	३
खगारजी रतनचंद	२
कमाजी रामाजी	२
नरसिंगजी गुलाबचंद	२
धर्मासा शीदलींग	२
आमीचंद भगवानजी	१
एच आमीनसाहेब अम्ब अम्ब	१
कुकाराम नरसिंगराव खगार	२६
कुंजीलाल पुस्तालाल तमाली	२५
भगवानदास श्यामसुंदरलाल तमोली	२५
	१६०

इसके अलावा कर्पों के २ गहड़ १०० पौंड बजन के आये हैं।

## टिप्पणियां

### पहली किरत

महासमिति के कताई के प्रस्ताव के अबाब में जो पहली किरत सूत को मिली है उसका विश्लेषण करने हुए मुझे खुशी होती है। मे नाहता ह कि पाठकगण भी उपमें शरीक हों। अमीतक तो गुजरात के भेजे हुए सूत का हिसाब ही मुझे मिला है। क्योंकि अहमदाबाद ७० भा० खा० भंडल का मुख्य स्थान है। जिन प्रतिनिधियों के लिए सूत भेजना जानिभी है उनकी संख्या यहाँ ४०८ है। उनमें से मिक १६२ प्रतिनिधियों ने ही सूत भेजा है। अर्थात् फी संकडा ४२ लोगों ने अपने जिम्मे का सूत भेजा और ५८ लोगों ने नहीं भेजा। यह कहा जाा है कि जिन्होंने अपने जिम्मे का सूत नहीं भेजा वे नौसिखिया हैं। किन्तु यह कारण ठीक नहीं है। श्री वल्लभभाई और संयमजी नौसिखिया होने पर भी निधयपूर्वक काम करने के कारण ५००० बार से भी अधिक सूत भेज सके हैं। इसलिए मुझे आशा है कि दूसरे महीने में सब प्रतिनिधि अपना अपना सूत अवश्य भेज देंगे।

जिन शक्तीयों ने प्रतिनिधि न होने पर भी सूत भेजा है उनकी संख्या सूत न भेजनेवाले प्रतिनिधियों की संख्या से भी अधिक है। क्योंकि सब मिलाकर ६७२ लोगों ने सूत भेजा है। यह संख्या सचमुच उत्साह देनेवाली है। यदि व्यवस्था और संगठन थोडा और अधिक किया जाय तो मतीजा बहुत अच्छा दिखाई देगा। सब ता यह है कि यदि यह त्याग-भाव से कातने की हलचल फैल जाय तो हर महीने उसका बडा आभयकारी फल दिखाई देगा। इनमें से किसी ने भी ३००० बार से कम सूत नहीं भेजा है। बहुतों ने ५००० बार भेजा है। एक ने तो ४३००० बार भेजा है। यह बहुत बडा काम है। सूत भी बराबर अच्छा और बलदार है। पाठकों को यह ब्याख न करना चाहिए कि सूत कातना उनका पेशा है। उन्हें बहुत थोडे अरसे का ही महाबरा है एक हमरे मजान ने १२००० बार सूत दिया है। उन्होंने २४००० बार काता था। लेकिन १२००० बार खुद अपने इस्तेमाल के लिए रख लिया। एह तीसरे महाधाय ने बद्यपि काता ता है २७,५०० बार पर भेजा है ११००० बार ही। ये दोनों महासभा के प्रतिनिधि हैं और बडी जिम्मेवारी की जगहों पर काम करते हैं। हर रोज बगैर तीन घंटे काम किये वे इतना अधिक सूत नहीं भेज सकते थे।

उसका कहना है कि हमारे मुपुदे जो कपरा काम है उसका मुकसान पहुंचा कर हमने यह मत नहीं काता है। वे इतना काम कर सके इसका कारण यह है कि वे सुबह जल्दी उठ घंटों के भी अपने एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं। एक मनुष्य ने ४६,००० मिनट काता है, किन्तु सिर्फ उतना ही भजा है जितना कम से कम मांगा गया था। वह अधिक नहीं भेज सकता था। मैं यह भी कह देता हूँ कि बहुतों ने ३००० बार से अधिक मिनट काता है लेकिन वे कुछ अपने कपड़े के लिए भी कातते हैं और इसलिए कम से कम जितना मांगा गया उससे अधिक नहीं भज सकते हैं। जिलों के हिसाब से वेदा जिले का नंबर पहला है और पंचमहाल का आखिरी।

**अली-भाइयों का हिस्सा**

बड़े भाई ने खूब प्रयत्न किया लेकिन वे सिर्फ एक लाला कराव बता हुआ मत ही भेज पाये हैं। इन भाइयों के एलि पक्षपात रखने का दोष यदि पाठकों की तरफ से मुझपर लगाये जाये का भय न होता तो मैं यह कहना कि जो हमेशा धूमता फिरता रहता है और जिसका शरीर भातन के लिए लगातार बैठ रहने के योग्य नहीं उसके लिए यह कुछ बुरा नहीं है। फिर भी मौलाना साकतअली ने मुझे यह यकीन दिलाया है कि हमारे भाइयों में अपना हिस्सा पूरा पूरा भेज देंगे। मौलाना अहमदअली ने कुछ अधिक किया है। उनकी बात उन्दीके मुह में सुन लीजिए—

‘ मैं साकत के साथ महाभया के समापति के कातने के प्रयत्न का जो कुछ भी परिणाम हुआ है भेज रहा हूँ। मेरे कानने का इतिहास इस प्रकार है। जीवन भर मैं भोज कभी एक बार भी मत न काता था। किन्तु अहमदाबाद के बाद भोज निषेध किया गि जिस रोज से मैं देहलो में स्थायी रूप से रहने लगना उसका दूसरे दिवस से ही कातना शुरू कर दूंगा। लगातार सागर करने के बाद मुझे बीमारी ने र लिया। लेकिन दूसरी जगस्त का बहुत दिना बाद मैं आखिर बचने बैठा ही। २-३ मगस को जो जो भी काम किया उसका परिणाम है मेरे बराबर न मत हुए मुझे मुझे की दो आठिया, लेकिन उसमें से कुछ तो मेरी स्त्री का काता हुआ था जो मुझे कामना मिला रह थी और फिर कुछ आंगक हथी का भी काता हुआ था जिसने कि मुझे थोडा कातना मिलाया। ४ तारीख को मेरे तीसरी आटी काती लेकिन किमान चार फानी यह गिनना ही भूल गया। मेरा ख्याल है कि यह ११० बार होगा। ५-६-७ तारीख को मैंने ८० बार काता और फिर मुझे रासपुर मानाजी की देखने के लिए जाना पडा। मुझे क्या अपमान है मि जाने की गडबडी और उन्दी के सबसे मेरा चरस्ता पीठ रह गया। मेरे आठ आने के बाद १५० बार से बरेंथ फिर काता; लेकिन हिन्दू-मुसलमान समझौता-ना की बीमारी और नुद मेरे पैर की मजह से एक जिस पर एक फंजा (carbuncle) अभी अच्छा नहीं हुआ था कि दूसरा निकल आया है, मे काम में बड़ा उलझा रहा। आखिर की आटी में ४६२ बार मिन है यह चार दिन का काम है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुदा ने चाहा तो १५ सितंबर तक सिर्फ २००० बार ही न कातूंगा बल्कि अगरत की बनी को भी पूरा कर दूंगा। तब तक क्या आप काम के बजाय इच्छा को ही कबूल न कर लेंगे?’

जो हमेशा सफर में रहता है और बीमार रहता है उसके लिए यह बहुत है। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि अपने अनुयायियोंसे काम लेने की आशा रखने के पहले गमावति को खुद अपने काम में नियमित रहना चाहिए और उनपर खूब न्याय देना चाहिए। अली-भाई सिर्फ कायेस के ही प्रतिनिधि नहीं है ये मुसलमानों के

भी प्रतिनिधि है। सब तरफ से यही प्रकार आती है कि मुसलमान लोग महासभा के फरमावो का जदाब ही नहीं देते। उनको उनके कर्तव्य के प्रति जाग्रत करने लिए बड़े प्रयत्न की आवश्यकता है। कातने में यदि मुसलमान हिन्दुओं को बराबरी करने लगेंगे तो उसका असर हिन्दुओं पर भी होगा। तब विश्वास कपडे का बहिष्कार सफल होगा और आजा का आर्थिक कष्ट भी दूर हो जायगा। आर्थिक कष्ट के दूर हो जाने पर आत्म-विश्वास प्रकट होगा और आत्म-विश्वास से स्वराज्य अवश्य ही प्राप्त होगा।

**नेटाल के भारतवासी**

नेटाल में रहनेवाले भारतवासियों के म्युनिमिपैलिटी के चुनाव में अपनी राय देने का अधिकार एक हुक्म के द्वारा महा की सरकार ने छीन लिया है। इसके विरोध में वहां के हिन्दुस्तानियों ने एक कम्पाजनक अर्थात् मेमो है। यह लडाई नई नहीं, ठेठ १८-१९ ईसवी से चली आ रही है। गिछले समय हमेशा के लिए इस जगज का फेमला हिन्दुस्तानका क एक में हो गया था। तत्कालीन नेटाल-सरकार ने उस बात को कुबूल किया था कि हिन्दुस्तानी कर-दानियों के भुमिस्वामि मताधिकार का छीनना अत्यन्त अन्याय पण होगा। वहां के भारतवासियों ने राजनीतिक मताधिकार से वरजुत वंचित रहना नो कुबूल कर ही लिया था। परन्तु सरकार जब किसी नागिक या मजदूर को बदलना चाहती है तब कोई फाईल बचन का प्रतिज्ञाये उनके समने में बाधक नहीं देगा। दक्षिण-आफ्रिका के भारतवासियों के इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। सोचा पहने ही उन्हें दिया गया प्राय एक एक आवासन तोडा गया है। नेटाल स्थित हमारे देश-भाई इस हुक्म में बड़े पक्षपेज में गड गये है उन्होंने भारत से कम्पाज्यादक अपील ही है। पर वे शायद यह नहीं जानते है कि उन्हें राखी सहायता देने का सम्बन्ध हम नहीं है। हाँ, हमददी गो ह्य है। और अगयाग में लेख भी उनके लिए लिखे जायंगे। १६ नो बनी बताई वा है। पर मुझे अन्देधा है कि इससे अधिक सहायता उन्हें बहुत कम मिलेगा। यदि भारत-सरकार को इस बात पर कुछ धम आये और वह कुछ सहायता करे तो भले ही। वह यदि दरा मि पर भठरनेवादी खू-असौद से बचाना चाहे तो अली तरह बचा सकती है। मैं इसे 'सिख पर मंडरानेवाली' इसलिए कह रहा हूँ। इस हुक्म के द्वारा दक्षिण आफ्रिका की मुनियन के मजदूर जनरल को मजदूरी सरकार होती है। पहले एक बार तो मैंने हुक्म का कामजूर कर लुके हैं। वे अगर अपने अवयव का अधिकार का पणम करे तो वे इस हुक्म के द्वारा भारत-वासियों के हुए इस अवयव को बचा सकते हैं। जब श्रीमता मरोजिनी बायड दक्षिण आफ्रिका में अपना उलकाल काम कर रही थी तब जिनने उन बदा में जाने में उनमें में हमारे भाइयों की बडी बडी आस्था बंधने हुए देगता था। परन्तु दक्षिण आफ्रिका के योरपियन उहाँ सम्बन्धता के साथ व्यवहार कर सकते हैं तहां वे अपने इरादों का पूरा करने का निधय ना रखत है—फिर भले ही वह मोलहो जाना अन्याय है—जैसा कि यह मामला है। जनरल स्मट्स की खेख-रेरा में उन्होंने मीटो मीटी बाते करके अन्यायकुण कामों को कर ले जाने की कला सीख ली है। इसका आखिरी इलाज तो हमारे देश-भाइयों के ही पास है।

**आचार्य गिदधानी**

यह कहा गया है कि नाभा जेल में आचार्य गिदधानीजी का वजन ६० पाउन्ड कम हो गया है और भोमती गिदधानीजी से यह चार बार खिल कर पूछा कि मैं अपना पति से कब मिल सकूंगी फिर भी उनको कोई उत्तर नहीं मिला है। यह उदासीनता हुक्म



हीन है। पत्र-पत्रों के साथ-साथ आचार्य गिद्वानीजी ने आचार्य सर्वश्री का-कागडा बुद्धिदिन प्रकट कर सकते हैं। और प्रजा के उनकी तन्त्रुहृत्ती से आगाह कर सकते हैं। श्रीमती गिद्वानीजी को जितनी सम्मति से नाते उभरे, पत्रों से नहीं मुलाकात करने दिया जाता, यह समझना भी बड़ा मुश्किल है। मेरी उनके साथ महासुभक्ति है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वे बहादुर पति की जहादुर पत्नी हैं। मैं सिर्फ उनकी भी सलाह दे सकता हूँ कि वे किसी बात की भी परवाह न करें और गृहीत ब्याज रखें कि मनुष्यों को बचाई किसी भी संस्था के अनिश्चित ईश्वर उनके पति की संभाल अधिक रख सकता है। उन्हें और भी यह महसूस करना चाहिए कि मत्स्याग्रही और असहयोगी लोगों के कारण हम ऐसे ही बर्तन को आधा रख सकते हैं जैसा कि बर्तन उनके और उनके पति के साथ किया गया है। यदि आचार्य गिद्वानी अपना धर्म-मन्तव्य बदल दें तो उन्हें आप गिद्वाने मिल सकते हैं। उन्हें सिर्फ नामा की हद में पौर रखने के बहादुर मानवी कार्य के लिए माफी मागना पड़ेगी। बस वे छुट्टी लिये जायेंगे। किन्तु वे ऐसा न करेंगे। सत्याग्रहियों का तो यह आशय है कि वे अपमानित स्वतंत्र जीवन के बजाय कैद की को पसंद करने दें। (१८-१९)

**अन्या पारलियामेन्ट**

अन्या यह बिकूल गद्य है कि एक बधन का स्वीकार करने पर अनेक बधनों से मुक्त मिल जाती है, लेकिन हमेशा सब हालतों में यह सही ही है, यह कब कब कह सकते हैं? आपने अंग्रेजी पारलियामेन्ट का नाम क्या कहा है लेकिन आप क्या ही कुछ बर्तन भी लेना चाहते हैं। क्या बराबर की पारलियामेन्ट भी किसी ही संस्था का बर्तन न होगा? क्या वह बराबर स्वतंत्रता के रक्षकत्वता तो न मिलानेगी? आप अभी तो बहुमत के तरीके से काम लेने का मन्त्र महत्व देते हैं। क्या यह संभव नहीं कि आगत इनसे देश का स्वतंत्रता-लाभ न हो? एक भर्त्सना दयावान् न्यायी मनुष्य की दुहाई मान लेने से क्या प्रजा का कल्याण नहीं हो सकता? पारलियामेन्ट का तरीका तो मजबूती है। विधायक में स्वीकी आद में लूब कपट और दम्भ चल रहा है। आप नहीं पर यदि इससे दूसरी आधा रखने दें तो क्या आपकी यह आधा अर्थ नही है?"

एक पत्रकार ने कुछ ऐसे ही उद्गार निकाले हैं। पारलियामेन्ट तो मनुष्य बन्धन ही होगी। मुझे यह मरोगा नहीं कि हिन्दुस्तान में उसका यह गुण बनला जा सकेगा। मैं न केवल इनकी आधा अवश्य देखती हूँ कि अपनी पारलियामेन्ट संस्था ही रहेगी, वह कपट तो न पनेगी। मैं व्यवहार का नहीं छोड़ सकता। राम का राज्य ही एक आदर्श है। लेकिन हम राम कटा से उठें? पत्रकार लिखते हैं- "प्रजा जिसको मानें" किन्तु प्रजा क्या है? पारलियामेन्ट ही और दूसरी दृष्टि में इसका गृही अर्थ होता है कि यह पारलियामेन्ट जिस शीलवान् पुरुष या श्री को माने वही। प्रजा का आवाज प्रजा का ही शब्द चाहिए। यह आवाज किराये के मूल देने वाले लोगों का न होना चाहिए। यही कारण है कि मैं ऐसी युक्तियाँ जूटता हूँ कि सब प्रजा का आवाज हम मन सके। जिनकी पद्धति है- जितने तरीके हैं सभी मशौफ हैं। आज तो हम उसी तरीके को हट रहे हैं जिससे कि हिन्दुस्तान को अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। अच्छे आदमी बुरी पद्धति को भी अच्छा बना लेते हैं, जैसे बुद्धिमान यहिणी धूल में से भी धातु पैदा कर लेती है। यह आदमी अच्छी से अच्छी पद्धति का भी

दृष्टयोग करते हैं, जैसे गूरी यहिणी अच्छे से अच्छे आवाज को भी गूरी कर देती है। इसलिए वे भाग में अच्छे आदमियों को ही हट रहा हूँ। ऐसे आवाज बाहर निकल जायें, इसलिए नामा प्रकार की युक्तियाँ कर रहा हूँ। लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है? वह तो केवल श्रम प्रयत्न ही कर सकता है। उसका परिणाम-फल तो ईश्वर के अधीन है। परिणाम का परिपाक होना एक मनुष्य के नहीं किन्तु अनेक मनुष्यों के प्रयत्न पर आधा रखता है। हममें अनेक प्रकार के संयोग आ जुटने हैं। इसलिए हमारे लिए तो यह पत्र आगे बढ़ना ही बहुत है।

**अन्तरात्मा को पुकार**

पूर्विका पत्र-लेखक ही कहते हैं कि "आजकल अन्तरात्मा की पुकार का भूत लोगों के मिर लूब सकार रहता है। पर कितने ही लोगों के अन्तःकरण डतने पापकर्म हो गये हैं कि उन्हें पाप ही पुण्य दिखाई देता है। कितने ही लोगों का अन्तःकरण तो औरों के दोष ही दोष देखता है। ऐसे अन्तःकरण की पुकार का क्या उपाय? आजकल के अखबारों को देखिए। तमाम संपादक लोग अपना अन्तरात्मा के अनुसार लिखते हैं; पर उनमें जहरीली नीका-टिप्पणी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। आपने तो एक बार कहा ही है कि हर शासन का लिखने का अधिकार नहीं है। पर आज तो ऐसा मालूम होता है कि सब लोग अधिकार ले बैठे हैं। इस पर आप कुछ क्यों नहीं लिखते?"

लेखक का ये बातें स्याम हैं; पर ये दोष अनिवार्य हैं। सबके नाम पर यदि बनावटी लोग प बरत करतें ही तो क्या इससे सबके आदमियों को त्याग कर दें? अन्तरात्मा तो अभ्यन्त से आमत होती है। वह मनुष्य-मात्र से स्वभावतः आमत नहीं होती। इसके अभ्यास के लिए बहुत पवित्र वायुमण्डल की जरूरत रहनी है, गन्त प्रयत्न की जरूरत है। यह अत्यन्त गालुक चीज है। बालकों के नजदीक अन्तरात्मा की पुकार जैसी कोई चीज नहीं होती। जो लोग जगली माने जाते हैं उन्हें अन्तःकरण नहीं होता। अन्तःकरण क्या चीज है? परिपाक बुद्धि के सम्ये हमारे अन्तः-पट पर पढ़नेवाली पतिश्वन्ति। अतएव यदि हर शासन अन्तरात्मा की पुकार का दावा करे तो वह हास्यजनक है।

ऐसा होते हुए भी यदि सब लोग उसका दावा करते हैं तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। जो अधर्म अन्तरात्मा के नाम पर किया जाता है वह ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। फिर वे लोग जो अन्तरात्मा की पुकार के बहाने काम करते हैं कष्ट-सह्य करने के लिए तैयार नहीं होते। उनका रोजगार या दिन चल कर बन्द हो जाता है। अतएव ऐसा दावा भले ही मेकहाँ लोग करते रहें उससे संसार की हानि न होगी। हा, जिन्होंने ऐसी सूक्ष्म बस्तु के साथ खिलवाट किया होगा उनके नगर की मभावना जरूर है, औरों की नहीं। अखबारों की गिराल इसके लिए दी गई है। कितने ही अखबार आज लोकरीवा के नाम पर जहर ही जहर फैला रहे हैं। परन्तु यह राजगार ज्यादा दिन नहीं नहीं चल पावेगा। लोग जरूर उससे ऊब उठेंगे प्रजाच इस बात में महा अपराधी हैं? ताजुब की बात तो यह है कि ऐसे अखबार मुल्कक चल पाते हैं। लोग उन्हें उत्साहित ही कैसे करते हैं? जब तक सेठ-साहूकार होंगे तबतक चोर भूखों नहीं मर सकते। वहाँ जबतक लोगों का एक हिस्सा जहरीले लेकों को पढ़ने के लिए तैयार है तबतक ऐसे अखबार जरूर चलेंगे। इसका दवा है लोकमत को छुट शिखा देना।

## हिन्दी-नवजीवन

रविवार, भादों मदी १०, संवत् १९८१

### बोलशेविज्म या संयम ?

दो अमेरिकन मित्रों ने मुझे बड़ा गीरगभीर पत्र लिखा है। उसमें वे कहते हैं कि धर्म के नाम पर मैं भारत में बहुत करके बोलशेविज्म का प्रचार कर रहा हूँ, जो कि उनकी राय में न तो ईश्वर को मानता है न नीति-सदाचार को और स्थापन: नास्तिक है। वे कहते हैं कि मुसलमानों की ओर आपकी मुल्ट नापाक मुल्ट है और दुनिया के लिए एक बन्दा है; क्योंकि, वे कहते हैं, आज मुसलमान रूस के बोलशेविकों की सहायता से पूर्व-दिशा में अपना आधिपत्य जमाने की धुन में हैं। इससे पहले भा मैंने अपने पर यह गृहभत लगते हुए देखी है। पर अब तक मैंने उनपर कोई तबयत्रह नहीं की। पर अब तो जिम्मेवार विदेशी मित्रों ने कुछ भाष से यह इत्जाम लगाया है, इसलिए मेरी समझ में इस पर विचार करने का समय अब आ पहुँचा है। सब से पहले तो मैं यह इकबाल करता हूँ कि मुझे पता नहीं, बोलशेविज्म के मानी ही क्या है? मैं इतना ही जानता हूँ कि इस मामले में दो एक हैं—एक तो उसका बड़ा भद्रा और काला मित्र खीचा करता है और दूसरा उसे संसार की तमाम दलित-पतित और और पीडित जातियों के इस्तेमाल के लिए कण कसने वाला बनाता है। अब मैं नहीं कह सकता किसी बात पर विश्वास करना चाहिए मैं जो कुछ कह सकता हूँ वह यह है कि मेरी हल-चल नास्तिक नहीं है। वह ईश्वर का इनकार नहीं करती। वह तो उसीके नाम पर शुरू की गई है और निरन्तर उसकी प्राप्ति करते हुए चल रही है। हाँ, वह जनता के हित के लिए जरूर शुरू की गई है; परन्तु वह जनता तक उसके हृदय के द्वारा, उसकी सन्-प्रकृति के द्वारा ही पहुँचना चाहती है। यह हल-चल क्या है? एक प्रकार की संयम-पालन की दिशा है। और यही कारण है कि इसने कुछ मेरे अच्छे से अच्छे साथियों के दिल में निराशा भर दी है।

मुसलमानों से मेरी मित्रता पर मुझे फक है। इस्लाम में ईश्वर का धता नहीं बताई गई है। वह तो एक सय सत्ताधारी परमेश्वर को मानता है। इस्लाम के बुरे से बुरे टीकाकार ने भी इस्लाम पर नास्तिकता का दावा-प्रापण नहीं किया है। ऐसी हालत में यदि बोलशेविज्म अनीश्वर-वाद है तो इस्लाम की ओर उसकी बुनियाद में एकता नहीं हो सकती। उस अवस्था में वह दोनों मित्रों का नही बल्कि विराधियों का आलंगन होगा। मैंने अमेरिकन मित्रों के पत्र की भाषा का ही प्रयोग किया है पर मैं अपने अमेरिकन पाठकों को तथा औरों को सूचित करता हूँ कि मैं किसी धर्म के अधीन काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा दावा तो बहुत थोड़ा है। जो मित्रता है वह तो अली-भाइयों के और मेरे बीच है अर्थात् कुछ कीमती मुसलमान मित्रों के और मेरे बीच है। हाँ, यदि मैं इसे मुसलमानों और हिन्दुओं के—मेरे नहीं— बीच मित्रता कह सकू तो क्या बात हो! पर यह तो एक दिन का ख्वाब-सा मालम हुआ। इसलिए वास्तव में तो यही कह सकते हैं कि यह कुछ मुसलमानों के, जिनमें अली-भाई भी है, और कुछ हिन्दुओं के बीच जिनमें एक मैं भी हूँ, मित्रता है। अब यह हरी कर्हातक आगे ले जाती है, यह भविष्य ही कह सकता है। इस मित्रता में कोई बात गोलमोल नहीं है—स्पष्ट नहीं है। यह तो संसार में सब से

अधिक कुदरती चीज है। दुःख की बात तो यह है कि हमपर लोगों को ताज्जुब—नहीं, डर भी डोना है। भारत के हिन्दू और मुसलमान गहीं जन्में और यही परिशिष्ट हुए हैं। एक दूसरे के दुख-सुख, भाषा-निराशा के साथी हैं। ऐसी हालत में इससे बड़ कर कुदरती बात क्या हो सकती है कि दोनों परस्पर मित्र और भाई—एक ही भारत माता के पुत्र—बन कर रहें? ताज्जुब तो इस बात पर डोना चाहिए कि दोनों में अगठे क्यों होते हैं, इस बात पर नहीं कि दोनों में एकता कैसे हो रही है। और यह दोनों का संयोग संसार के लिए एक गकट क्यों होना चाहिए? दुनिया का सबसे बड़ा संकट तो आज वह साम्राज्यवाद है जो दिन पर दिन अपनी टांगें फैलाता जाता है, दुनिया को छुटा जाता है, जो किसीके बजदोक जिम्मेवार नहीं, और जो भारत को गुलाम बनाकर उसके द्वारा दुनिया की तमाम निबल जातियों के स्वतंत्र अस्तित्व और बिस्तार को नष्ट करने पर तुल रहा है। यह साम्राज्यवाद ही ईश्वर को धता बता रहा है। वह ईश्वर के नाम पर उसके आदेश के खिलाफ करतूतें करना है, वह अपनी अमानुषताओं, डायरवाही और आंतवायरवाही को मानवता, न्याय और नैती के आवरण में छिपा लेता है। और इसमें भी अत्यन्त दुःख की बात यह है कि अधिकांश अंगरेज लोग इस बात का नहीं जानते कि इसमें उनके ही नाम का दुःखयोग किया जा रहा है। और इससे भी बड़ कर करुणाजनक बात यह है कि मोंग्य और ईश्वर-भीत अंगरेज लोगों के दिल में यह जंचा दिया जाता है कि भारत में तो चैन की बसी बज रही है—जब कि डर हकीकत वहाँ दहण-कन्दन हो रहा है, और आफ्रिकन जातियाँ भी आनन्द-मगल कर रही हैं। हालांकि वाकई वे उनके नाम पर लूटे और गिराये जा रहे हैं। यदि जर्मनी की ओर योरप के मध्यवर्ती राज्यों की गिदस्त ने जर्मन-रुपी संकट का अन्त किया तो मित्र-राष्ट्रों की विजय ने एक नवीन संकट को जन्म दिया है जो कि संसार की गान्ति के लिए उससे कम क्षत्रनाक और मारक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिन्दुओं और मुसलमानों की यह मित्रता एक स्थायी सत्य बात हो जाय और उनका आधार दोनों के उच्च हितों की परस्पर स्वीकृति हो। सब जाकर वह साम्राज्यवाद के लोहे को मानव-धर्म के मोने में बदल सकेगी। हिन्दू-मुस्लिम-मिश्रता का हेतु है भारत के लिए और सारे संसार के लिए एक मंगलमय प्रयास होना; क्योंकि उनकी कल्पना के मूल में गान्ति और नर्व-भूत-हित का समावेश किया गया है। उसने भारत में सत्य और अहिंसा को अनिवार्य-रूप से स्वराज्य, प्राप्त करने का माधन स्वीकार किया है। उसका प्रतीक है चरखा—जो कि साक्षी, स्वावलंबन, आत्म-संयम, स्वेच्छापूर्वक करोड़ों लोगों में सहयोग, का प्रतीक है। यदि ऐसी भैत्री संसार के लिए संकट रूप हो तो समझना चाहिए कि दुनिया में कोई ईश्वर ही नहीं, अथवा यदि है तो वह कहीं गहरी बीद में खुरटें ले रहा है।

( य० इ० )

मीरानदास कारमचंद गांधी

### नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

जीवन का सद्यः—महामना मालवीयजी इस पत्र सुग्य हैं और वाकू राजेन्द्रप्रसादजी लिखते हैं—“यह अमूल्य ग्रंथ है। धर्म ग्रन्थों की तरह इसका पठन-मनन होना चाहिए। चरित्रगठन विद्यार्थियों को इसका ग्रन्थ नहीं मिल सकता।” मुख्य ॥)

लोकमान्य की अर्द्धांजलि ॥)

अद्यन्त अंक ॥)

हिन्दू-मुसलमान-तमाजा ( गांधीजी ) -)

## शक्ति का दुर्बल ?

गता मई मास के 'बेलफेअर' नामक अंगरेजी पत्र के एक लेख की ओर एक मित्र ने मेरा ध्यान खींचा है, जो कि श्री एम्. एन्. राय का लिखा हुआ है और जिसमें उन्होंने कोकनाडा की स्वाधी-प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर की हुई आचार्य राय की वक्तव्या की आलोचना की है। मेरे कागज-पत्रों में उस लेख की प्रति कोठे दो महीनों से रक्खी हुई थी। खेद है कि मैं उसे अबतक न पढ़ पाया था। पढ़ चुकने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि आचार्य राय के विचारों का श्री एम्. एन्. राय द्वारा किये गये खंडन का खण्डन मेरे लेखों में कई बार आ चुका है। पर पाठकों की स्मृति अल्पजीवी होती है, इसलिए अच्छा होगा कि फिर एक बार यहाँ मैं अपनी युक्तियों को मिलसितेवार पेश करूँ। आचार्य राय के ये आलोचक महाशय मानते हैं कि चरखे के लिए जो इतना उद्यम किया जा रहा है वह महज 'शक्ति का दुर्बल' है। आचार्य राय की दृष्टि का मुख्यान यह है कि चरखा बाँध कर किसानों के लिए अपना एक सन्देश ग्यना है और वह यह कि 'तुम मेरे द्वारा अपने फुरसत के वक्त का सदुपयोग कर सकते हो।' पर श्री राय का कहना है कि किसानों के पास फुरसत का वक्त होता ही नहीं। और जो कुछ फुरसत उन्हें रहती है उसकी उन्हें जरूरत भी है। यदि चार महीने फुरसत उन्हें रहती है तो इसकी वजह यह है कि वे आठ महीनों तक इतने से ज्यादा काम करते हैं और अगर इन फुरसत के ४ महीनों में भी उन्हें चरखे पर काम करना पड़े, तो उन आठ महीनों में काम करने की उनकी कृषक हर साल कम होनी जायगी। हमारे धर्मों में कई तो आलोचक महाशय की राय में भारत के पास चरखा कातने का समय नहीं है।

मेरा जान पड़ता है कि राय महाशय के भारत के किसानों का तजरिबा बहुत ही कम है। और न वे इस बात का चिन्त ही अपनी आँखों के सामने खड़ा कर पाये हैं कि चरखा किस तरह काम करेगा--नहीं, आज भी कर रहा है। किसानों को चरखे का गुलाम हो जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि उसके जयें कड़ी मिहन्त के बाद किसानों को बड़ी तफरिह का मौका मिलता है। इसके उनका दिल जिल उठेगा। हाँ, भारत की महिलाओं का अलबत्ते यह स्थायी वस्तु के रूप में भेट किया गया है। वे जब जब मौका पड़ेगा चरखा कातेगी। यदि अधिकांश मिहन्त-मजदूरा अर्थात् दारिद्र्य भ्रम करने वाले लोग औसतन मिर्फ आभा यण्टा रोज चरखा काते तो न केवल अपने लिए काफी मृत काल केंगे बल्कि औरों के लिए भी बचा सकेंगे यह सारुम कम से कम १-११-० हर साल अधिक कमावेगा-जोकि फुरसत के वक्त की कमाई के खयाल से कम नहीं है। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आज भारत में हाथ-करघे और जुलाहे तो इतनी तादाद में मौजूद हैं कि हमारी जरूरत का तमाम कपडा बुन सकते हैं। एसी हालत में सवाल सिर्फ मृत-कताई का ही रह जाता है। यदि किसान भाई इसे अपने हाथ में ले लें, तो बिना ही बहुतेरी पूँजी लगाये भारत के बल-म्बातन्त्र का सवाल बात की बात में हल हो सकता है। इसके मानी यह होंगे कि कम से कम ६० करोड़ रुपया उन करोड़ों मृतकारों, हजारों धुनियाधों, और जुलाहों के अन्दर आता-जाता रहेगा, जो कि अपना झोंपडी में बैठे बैठे काम करेंगे और उसी हद तक किसानों की आमदनी बढ़ाने की क्षमता भी बढ़ेगी।

तमाम दुनिया का यह तजरिबा है कि किसानों के लिए एक ऐसे धन्धे की जरूरत रहती है जिससे वह फुरसत के समय में

कुछ कमाई कर सके--अपनी आमदनी बढ़ा सके। इन मौके पर यह बात हरमिज न भूल जाना चाहिए कि बहुत दिनों की बात नहीं है, भारतवर्ष की महिलायें उनके कपडे के लिए फुरसत के वक्त में चरखा कात कात कर मृत देती थीं। और चरखे के इस मीनोंद्वार ने तो इस बात की सन्धता का बड़ी अच्छी तरह प्रदर्शित कर दिया है। यह खयाल करना मलत है कि चरखे की हल-चल असफल हुई। हाँ, कार्यकर्ता अल्पवत्ते कुछ अंशों में काम न कर पाये हैं। लेकिन जहाँ कहीं उन्होंने दिल लगा कर काम किया है वहाँ बराबर चरखे का काम चल रहा है। हाँ, यह बात सच है कि अभी उसकी जड़ नहीं जम पाई है। इसका कारण है व्यवस्था और संगठन की अगणता। एक कारण यह भी है कि मृतकारों को अभी यह यकीन नहीं हो पाया है कि हमें काम निरंतर मिलता रहेगा। मैं श्री. राय को आवाहन करता हूँ कि वे पंजाब, कर्नाटक, आन्ध्र और तामिल नाड के कुछ हिस्सों का प्रबन्धन और मनन करें और वे खुद देख लेंगे कि चरखे में कितनी कामता है।

भारतवर्ष को अकालों की भूमि ही समझिए। इनमें हमारे भाई-बहनों के लिए कौन-सी बात अच्छी है? राइकों पर निरी फोबना या रुई गुनकना और मृत कातना? लगातार अकालों से पीडित रहने के कारण उडीसा की प्रजा भिखमगे होने की हद तक पहुच गई है। यहाँ तक कि अब उनमें काम लेना भी मुश्किल हो गया है। वे धीरे धीरे मृत के मुह में जा रहे हैं। उनके लिए अगर कोई जिन्यगी की आशा है तो वह है यह चरखा।

श्री राय सुधरे हुए तरीकों से खेती करने पर जोर देते हैं। हाँ, इसकी जरूरत है पर चरखे की नजबीज कृषि-सुधार के माधनों की जगह नहीं की जा रही है बल्कि उल्टे यद तो उसका अग्रगामी अंग है। इस सुधार के रास्ते में सारी भारी कठिनाइयाँ हैं। हमें सरकार की अनिच्छा से पार पाना होगा, पूँजी का अभाव और तीवरे नई तरीकों का अपनाते से किसानों का हडता के साथ इनकार करना। परन्तु चरखा-कताई के निस्वत इतनी बातों का दावा किया जाना है--

(१) यह उन लोगों को एक तैयार काम देना है, जिन्हें फुरसत रहती है और जो पैसे ज्यादा कमाने की जरूरत रखते हैं:

(२) हजारों लोग इतसे बाकिर है;

(३) इसे आसानी से सीख सकते हैं;

(४) इसके लिए पूँजी की वस्तुता: बिल्कुल जरूरत नहीं;

(५) चरखा आसानी से बहुत कम दाम में बन सकता है।

बहुतेरे लोग यह भी नहीं जानते कि चातली या फिरकी पर भी मृत काता जा सकता है;

(६) लोग उसे हिकारत की निगाह से नहीं देखते,

(७) अकालों और मधुगी के दिनों में तुरन्त सकट निवारण का सबसे अच्छा साधन है;

(८) विलायती कपडे की खरीदी के रूप में हिन्दुस्तान के बाहर जाने वाले धन-प्राह वन्द करने का सामर्थ्य अकेले चरखे में ही है,

(९) इस तरह बची हुई रकम को वह करोड़ों गरीबों के घर पहुचा देता है;

(१०) थोड़ी-सी सफलता भी उस हद तक लोगों को तुरन्त फायदा पहुचाती है; और

(११) लोगों के अन्दर सहयोग उत्पन्न करने और फैलाने का सबसे अधिक समर्थ साधन है।

इसके रास्ते में जो कठिनाइयाँ हैं वे ये हैं--(१) मध्यम वर्ग के लोगों के मन में इसके प्रति भ्रम का अभाव और

सकल श्रेणी के दो लोगों में अपनी तादाद में कृपापूर्ति मिल सकने के लिए। जहाँके विनाई के लिए जिनके विदेशी सपनों के बजाय स्वामी-पूजने का धर्म लोगों की उर्जा, यह और भी बड़ी कठिनाई है। (३) इस प्रकार अवस्था में स्वामी की मददगी एक प्रयोग कठिनाई है। यह कानून के अन्तर्गत को लोग अपनी तादाद में अपना ले तो गांधी मिल के कपड़े का मुकाबला कर सकती है। इनके काँफूस नहीं कि इस दुःखाल की सफलता के लिए लोगों को कुछ त्याग करने ही जरूरत है। यदि सरकार हमारी अपनी है, जो विमानों की जरूरतों का ध्यान रखती और आवश्यकता के मुताबिके के उनको रखा करने का निश्चय रखती तो हमें इस मत्पक्ष त्याग के भी परेशान नहीं। पर राष्ट्रीय सरकार के अभाव में बड़े काम जो राष्ट्रीय सरकार कर सकती है, मध्यम-दर के लोगों के कुछ समय के लिए श्रम का त्याग करने से ही सकता है।

और शक्ति के प्रदर्श का तो स्वाभाव ही नहीं है। आचार्य राम पहले गरीब बहनों को मुफ्त में अन्न बाँटा करते थे। अन्न के चरखे के रूप में नए एक प्रतिष्ठित पैसा डेवर कुछ अर्थों में या सर्वोच्च में स्वायत्तता बना रहे। क्या यह बाँट का दुर्व्यय है? श्रीमान् मांगने का भंगी मरने के अलावा उनके पथ हमारा कोई काम करने को न था। क्या मध्यमकों का गांधी में जाना, उनकी जरूरतें मालूम करना, उनके दुःख में दुःखी होना और उन्हें सहायता करना, शक्ति का प्रयोग है? इसा हमारे हेतुविषयकार नवभूतकों और श्रमिकों का कर्मकाण्ड अन्तर्गत रहनेवाले दरिद्र लोगों का अत्याचार करने के साथ और धर्म-भाव-पर्यंत उनके लिए आशा घण्टा नरमा कानून; धर्म की कजल मची है? जब कि कुछ काम न हो, किसी पुत्र्य या स्त्री का चरखा कामकर कुछ पैसों कमाना उसना हा फायदा है। उन्नीयकन त्याग के भाव से किसीका चरखा कातना भी उनना ही फायदा है। अगर कोई ऐसी हल-चल है जिसमें हम तरह काम ही काम है, मान कुछ नहीं तो वह चरखा-रताई है।

( ५० ३० ) **मोहनदास करमचंद गांधी**

**जानबूझ कर किया गया अपमान**

यदि मुगदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट की विवक्ति पर विश्वास किया जा सके तो उनमें जो समानार प्रकाशित हुए हैं वे बड़े दिल दहलाने वाले अर शिवरात्री पैदा करने वाले हैं। कहा जाता है कि दो मन्दिर अपवित्र किये गये हैं और वहाँ एकजिन हिन्दुओं पर हमला किया गया था। इस प्रकार जानबूझ कर मन्दिरों को अपवित्र करने का कोई कारण नहीं बताया जाता। मुगदी जिला मखनक में भी, कहा जाता है कि, ऐसा ही हुआ है। कहा कहते हैं मजिस्ट्रेट के हुपम के गिलाफ, हिन्दुओं ने काम फर्मा। यदि उन्होंने ऐसा किया तो यह काम मजिस्ट्रेट का था कि वह उनका बजानेवालों का गजा प्रता; किन्तु मुगदगानों का यह काम शक्ति न था कि वे एक बड़ी तादाद में मन्दिरों में घुस जाते और उन्हा करने और उसे अपवित्र कर गये। इसमें कोई शक नहीं कि वेने प्रलों को मदद करनेवाले कोई समर्थित उपाय है। यह जमानत। लोगों की है जो मजिस्ट्रेट-मुसलमानों में मनमताव पैदा करते हैं। र हिन्दु-मुसलमान-वेक्य में जानबूझ कर शक्ति दालते हैं। यमहा नहीं आता कि ऐसे काम करने से उन लोगों को क्या हासिल है। इससे इस्लाम की इज्जत नहीं बढ़ सकती और वह लोकमान्य हो सकता है। यदि किसी दुनियावादी काम पाने के लिए ऐसे क्रिये जाते हैं तो वह भी नहीं शिल्प करना। यदि वे ऐसे क्रों से सरकार की मिह्रबानी की आशा रखते हैं तो उनका धर्म थोड़े ही दिनों में दूर हो जायगा। ( ५० ३० )

**रास्ते में बातचीत**

[ देहली जाते हुए गांधीजी से रेल में हुई युक्तप्रान्त के एक सज्जन की बातचीत का वर्णन श्री महादेव गिर्भाडे देखाई ने 'नवभोग' में इस प्रकार किया है - उप मपादक ]

राजकर्म गांधीजी स्लीले बहुत कम करते हैं, बाले की कम करने हैं। परन्तु युक्तप्रान्त के एक सज्जन उनसे बात करने के ही लिए उनके साथ जा रहे थे। गांधीजी साग दिग लिखते रहे। उससे उड़ी पाने ही बातचीत शुरू हुई। उक्त सज्जन ने पूछा कि बनावट, अग मुझे क्या करना चाहिए? वे विद्वान हैं और उर्द्व में अच्छी रचना कर सकते हैं, फिर भी गांधीजी ने उनसे कहा— "गद कातने का यज्ञ हो रहा है। हममें आपमें जितनी मदद हो सके, कीजिए। जिन विर्म में आपका गावका पड़े इससे आप देशके प्रोत्थय अर्थ दिलाइए। बस, इतना करेंगे तो समझिए आप अपना काम कर चुके।"

ये सज्जन अपनी कठिनाइयाँ बताने हुए अपनी मनोवशा का भी वर्णन करने जान थे— "आपका काम अद्भुत है। यह जमाना था कि इस राजनीति को महत्त राजनीति मानते थे, हिंसा और कुटिल-नीति में हमें कुछ बुराई नहीं दिखाने देती थी। पर आपने इस हलचल का धार्मिक स्वरूप हमें समझाया; जेल में इस बात पर ठीक ठीक विचार करके इस निश्चय पर आये कि यही गति ठीक है। अब आप कहते हैं कि कानून के प्रभाव का हेतु सविनय भंग भी अवश्य है। अर्थात् फिर धार्मिक भूमि से आप हमें राजनीतिक भूमि पर उत्तरम का प्रेरणा करते हैं। आपके लिए तो यह नया मदद है। पर आपके एक शब्द-मात्र से हमारे दिमाग का कांटा काया चकर सा जाता है? x x x आप कटना डर करना चाहते हैं। आपकी नयाम कारियों इन्ही दिशा में ही गयी है। आपके नयाम जेसों से यही गति निकलती है। पर यह कटुता दूर कबे होगी?"

गांधीजी—"विरोधियों के हमलों का अभाव न होने में।"

"पर काम तो अलग आत्म करना पड़ना है न? अगर कुछ नुदे काम करने से कटुता आ ही जाती है।"

गांधी—"मैं यही दिशाना चाहता हूँ कि नहीं जा सकती।"

"आप असहयोग का जीवन का एक सिद्धान्त मानते हैं या सभ्राम की एक विधि?"

गांधी—"दोनों।"

"यदि इसे सभ्राम की एक विधि भी मानते हों तो फिर हम उस विधि को बदल क्यों न दें? उसे बदलने में सिद्धान्त का साथ तो होना ही नहीं। हम नयाम बहिष्कारों को छोड़ दें तो क्या बुराई?"

गांधी—"यदि बहिष्कारों को छोड़ दें तो सविनय भंग का अन्वह हमें नहीं मिल सकता। जहाँ बहिष्कार छोड़ा नहीं कि सविनय भंग से ऐतबार पटा नहीं। मेरा इस युक्त है कि कार्यकर्ताओं का विश्वास बहिष्कार पर से भी उठ गया है और जहाँ बहिष्कार में विश्वास गया कि फिर सविनय भंग की बात ही नहीं रह सकती। इसलिए ऐसे लोग जा बहिष्कार को मानने को, चरण पर विश्वास रखते हों अर्थात् उनमें धार्मिक श्रद्धा रखते हों, जितने मिल सके उनको जूटाना चाहता हूँ—रखी सविनय भंग का वाधुमण्डल पैदा हो सकता है।"

"हां, यह तो ठीक; पर आप तो शक्ति के गहर लोगों से काम चाहते हैं—जितनी उनकी शक्ति हो उतना ही उनसे काम लीजिए न?"



गा०—“हां, मैं क्या कहना चाहता हूँ ? पर इसका मतलब यह तो नहीं कि सिद्धांत को छोड़ दें ?”

“तो फिर कद्रता किस तरह बुर होगी ?”

गा०—“मैं तो काम करने के क्षेत्रों को बदल रहा हूँ। आज कुछ और क्षेत्र हैं, कल कुछ और था। जितने काम करने वाले मिलें उनके साथ आगे कदम बढ़ाने रहे और ऐसा करते हुए ही कद्रवापन अपने आप बुर हो जायगा।

पर मैं तो बहिष्कार छानने पर भी रजामदी जाहिर कर चुका हूँ।”

“कब ?”

गा०—“जब एक कार्यक्रम के संबंध में लिखा था तभी। उसकी शर्तें सिर्फ इतनी ही हैं कि सब की-हर एक बल का, राजा, महाराजा का भी-पगद है।

“तो क्या लार्ड-रीडिंग भी खादी पहनना मंजूर करें ?”

गा०—“हां, उन्हें भी एक दिन मंजूर करना पड़ेगा। उनके खना कहीं काम चल सकता है ?”

“पर आप तो सिर्फ लेख लिख कर बैठ रहे। आगे कुछ कार्रवाई नहीं की। आप और प० मोतीलालजी मिलकर देश से ऐसी अपील करें तो क्या हो ?”

गा०—“हां, पर ऐसी अपील के करने न करने के बारे में अभी मुझे बर्खास्त है। मैं समझता हूँ कि स्वराज्यवादी चरखे पर धार्मिक भाव से विश्वास नहीं रखते।”

“वे उसकी आर्थिक उपयोगिता के बराबर कायल हैं।”

गा०—“आर्थिक कारणों से भी यदि वे उसे अर्थात् साधन मानते ही तो ठीक, पर ऐसा नहीं है। मैं तो देश में Heart-Conviction—अन्तःकरण का निश्चय—चाहता हूँ। यदि वह न हो तो ‘एक कार्यक्रम’ किसी काम का नहीं।”

“यदि उन्हें ऐसा निश्चय न हुआ हो तो उसका कारण क्या है जो मैं कह रहा हूँ—कद्रता। यदि यह मनभुटान निर्मूल हो जाय तो यह अटल निश्चय भी हो सकता है कि चरखा और खादी ही रामबाण हल्लाज है।”

गा०—“बिल्कुल नहीं। क्या नरमदलवालों के साथ मेरी अनवधान है ? अपारिधर्तनवादियों के साथ उनका कोई बमनस्य है ? बिल्कुल नहीं। फिर भी वे इस कार्यक्रम में धारक नहीं हो सकते। सब बात यह है कि श्री. शालाजी चरखे का आर्थिक साधन मुक्तक नहीं मानते। मोलाना हसरत मोहानी तो उसे एक ‘फंजूल बात’ समझते हैं और श्री. किन्तामणि जैसे तो उसे हानिकारक भी मानते हैं ! उसी तरह स्वराज्यवादी चरखे का आवश्यक साधन नहीं मानते। उनका रास्ता ही गुवा है। हा, उसक लिए जगड है। मैं उनका आदर करता हूँ। कद्रता के कारण वे उस चीज का भाग नहीं कर सकते जिसे वे देश के लिए हितकारी मानते हैं। आप उनके साथ अन्याय करते हैं। मुझे तो इनके अन्दर विचारों की प्रामाणिकता दिखाई देती है, जो आपको नहीं दिखाई देती।

मैं ऐसा काम चाहता हूँ जसा डाक्टर राय कर रहे हैं। क्या स्वराज या नरम दलवाले इस श्रद्धा के साथ खादी का काम करेंगे ?”

“बाह ! आर डा० राय के जैसा काम चाहते हैं ! पर यदि डाक्टर राय की तरह सारे देश की चित्तवृत्ति हो जाय तो सविनय भंग किसी तरह नहीं हो सकता।”

गा०—“जबतक ऐसे कार्य के फल-स्वरूप सविनय भंग पैदा न होगा तबतक वह, मुझे धकीक है, कि स्वराज्य हासिल करने के लिए बेकार होगा।”

“पर आप तो बहुत जल्दी मचाते हैं।”

गा०—“मैं तो जिस जितना समय चाहता हूँ उतना देता हूँ और जो जितना मुझे देना है उतना लेता हूँ। मैं तो उतने ही सिवाहियों से अपना काम चला लगा जितने मुझे मिल जायगे गुजरात में ६७२ लोगों ने मृत काफा दे। उनसे मैं बहुत काम ले सकता हूँ।”

“अजी, ये ६७२ क्या काम करेंगे ?”

गा०—“नहीं, बहुत काम कर सकते हैं। इन भाई-बहनों ने जो मृत कात कर भेजा है उससे मुझे विश्वास होता है कि वे जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं।”

“अजी कर चुके जैसा कहते हैं वैसा ! बहुततरे लोग तो इसीलिए करते हैं कि गांधीजी का कहना है। मैं इन ६७२ के बारे में नहीं कहता। परन्तु आप ऐसा क्यों मान लेते हैं कि ऐसे गमले लोग सभ्य होते हैं। संभव है इसमें बहुततरे लोग लुंगे-लफंगे हों। उनसे आप क्या काम लेंगे ?”

गा०—“होते रहें। पर मैं नहीं मानता। अगर होंगे भी तो उनकी बदमाशी भी इसी रात निकल जायगी।”

“अजी महात्माजी, मैं जानता हूँ, ऐसे भी हमारे भाई हैं जो पांच पांच बार नमाज पढ़ते हैं फिर भी बदमाशी नहीं छोड़ते। तो फिर एक घण्टा मृत कातने से बदमाशी क्या मिटेगी ?”

गा०—“आपने नमाज की घिनाल न गेश की टासी तो अच्छा था। पर अब आपने पेश कर दी दी है तो मैं उत्तर देता हूँ। सुमकिन है अब नमाज में सामर्थ्य न रह गया हो; क्योंकि लोग झूठ-मूठ नमाज पढ़ते होंगे। पर आप इस झूठ-मूठ के लिए पढ़ जानेवाले नमाज से क्यों मुकाबला करते हैं ? १३०० साल पहले जब नमाज शुरू हुआ तब उसका असर कितना जादू-सा हुआ होगा, इसका क्याल कीजिए। यही बात कातने के संबंध में समझिए। जब पर घन चरखा काता जाता था तब उसका कुछ भी धार्मिक अर्थ न रहा होगा। पर आज तो वे लोग एक घण्टा मृत कातने का मकल्प कर रहे हैं त्रिन्दोने कभी चरखा न काना था। क्या उन्हें धीरज, स्वामोक्षी और शान्ति की तालीम नहीं मिलती ? मैं मानता हूँ कि आज जो लोग देश के लिए कानने का मकल्प करते हैं वे शुद्ध धार्मिक श्रद्धा हीमें ऐसा करते हैं।”

“पर आपके ६७२ में कितनी ही औरतें होंगी, जितने ही ऐसे लोग होंगे जिनका महासभा के काम से कुछ भी ताल्लुक न होगा। वे औरतें सविनय-भंग के लिए क्या काम करेंगी ?”

गा०—“हां, जरूर खूब काम देंगी। जब कई बेकाम हो जायंगे तब उन्हींसे काम लेने की आशा न रखता हूँ।”

“तब तो बदमाशों को भी मृतकताई के द्वारा सुधारने की आशा आप रखते हैं ?”

गा०—“जरूर पर जो बदमाश होंगे वे कागेगे ही नहीं। और मैं तो आपके दो कदम आगे बढ़कर कहूंगा कि चाहे बदमाश हो, शराबी हो, न्यामिचारी हो, एक महाना बल लगा कर कातने से जरूर उसकी बुराई कम हो जायगी, हालांकि मुझे निश्चय है कि इन ६७२ में ऐसा कोई नहीं है।”

“अच्छा, तो फिर मैं भेड़ी बाजार (बबड) से ऐसे कातने वाले इकट्ठे कर दूँ ? क्या उनकी जिदगी का सुधार होगा और क्या वे सविनय भंग के काम आन लेंगे !”

गा०—“हां, जाएँ, मैं आपसे इकरार करता हूँ कि आप उनसे मृत कटाएँ और मैं उन्हें दुरुस्त कर दूंगा।”

“हां, मैं कहता हूँ कि बबई की सुनहली टासी में घूमकर मैं तीन महिना उनसे मृत कटावा दूंगा।”

गा०—“अच्छा करा दीजिए, और मैं उन्हें सुनहली टोली से छुड़वा दूंगा।”

“अच्छा तो फिर दिलाइए रुपया, मैं काम शुरू करता हूँ।”

गा०—“रुपयें किसलिए? जिनसे आप कताना चाहते हैं उनसे जाकर कहिए कि भीख मांग कर रुई ले जायें, चरखा खोज लायें, धुनकना सीख लें, रुई धुनके, कातना जान लें और कातें। आप बंबई के गुडों से इतना कराइए, और फिर मुझसे कहिए कि “लाइए स्वराज्य।”

“बाहू, महात्माजी! आप तो सब तरह से बाँध लेते हैं। अब बेचारी से इतना सब किस तरह कराया जा सकता है। वे तो सिर्फ कात सकते हैं।”

गा०—“कात सकने” नहीं, उमंग के साथ कातने वाले होने चाहिए—वे लोग जिन्हें इसका रंग लग जाय और जो इसके लिए आवश्यक परिश्रम करने को तैयार हों।”

“आपके ये ६७२ ऐसे होंगे? क्या ये सब खुद धुनक भी लेते हैं? शायद ही।”

गा०—“हां, मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग धुनक लेते होंगे। पर ऐसा न भी हो तो मैं उन्हें रुई आदि तो नहीं देता हूँ।”

“हां, पर ये लोग निर्मल किस तरह हो जायेंगे, यह बात मैं समझ नहीं सकता।”

गा०—“भाई, मैं तो अनुभव से कहता हूँ कि जो लोग इस काम को नियमित-रूप से करने लगेंगे वे यदि स्वच्छ न होंगे तो हानि लगे जायेंगे। मेरे लिए तो इतना काम बस है। मुझे ६०० नहीं पर यदि ६० ही सच्चे आदमी मिले तो मैं उनसे ६० हजार दूसरे पैदा करा दूँगा।”

“कितने बक मैं?”

गा०—“ईश्वर को पता। जबतक सब लोग भर न मिटेंगे तबतक। आज तो मैं इतनी भीयाद दे सकता हूँ। आप इससे हैं; पर सबकुछ मुझे इस बात की परवा नहीं है कि सत्तार कहेगा गांधी ने तो सौ साल का कार्यक्रम दिया।”

“वे सब बातें साफ होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो फिर स्वराज्यों को महासभा सौंप देने में क्या हज़ है?”

गा०—“कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि स्वराज्यों को दिकत न हो। आज अगर मैं महासभा का भार उनपर दालू तो शायद उन्हें यह खयाल हो कि ऐसा करते हुए भी मैं अपने को महत्व देता हूँ। जबतक मैं महासभा में हूँ तबतक वे निर्भय हैं। मेरे एकाएक निकल जाने में शायद उन्हें तकचूरी भी मालूम हो और इससे उनको उत्सान तो जरूर होगी। पर ऐसा करना अच्छा होगा कि जब वे चाहे तब मैं महासभा से निकल जाऊँ और बाहर रहकर उन्हें मदद पहुँचाऊँ। मौ० शोकतअली ने मुझसे पूछा कि इससे देश को आघात न पहुँचेगा? मैंने कहा—पहुँचता रहे। देश को यदि मेरे बारे में कुछ भय होगा तो वह दूर ही जाय नहीं अच्छा है।

स्वराज्य प्रामाणिक हैं। वे धारासभा के द्वारा ही काम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि धारासभा के द्वारा स्वराज्य युग-युगान्तर में भी नहीं मिल सकता और यदि मिले भी तो वह किसी काम का न होगा। फिर भी उन्हें कोशिश करने देना ही ठीक है। यदि मैं अपने कार्यक्रम के द्वारा शुद्ध स्वराज्य ला सकूँ तो वे जरूर इस बात को कुबूल करेंगे कि हा, “हमारा कार्यक्रम ठीक न था”

मैं यदि उन्हें कठिनाइयों में डालूँ तो उनकी शक्ति कम हो जायगी। जो काम वे आज कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि उनमें भी वे अपनी शक्ति का पूरा पूरा परिचय दें।

यदि अपरिवर्तनवादी मुझे ऐसा काम करने की सलाह दें कि जिससे उनके काम में जरा भी धक्का पहुँचे तो मैं उसे हरगिज न करूँगा। मैं रोम रोम में मत्याग्रही हूँ। महासभा से बाहर निकल कर भी उन्हें मदद करूँगा। मैं तो सत्याग्रह का जादू बताना चाहता हूँ। मैं जिस तरह अपने परिवार में व्यवहार करता हूँ उसी तरह यहाँ भी कर रहा हूँ। एक समय ऐसा आवेगा कि जब उन सबको यह बकील हो जायगा कि यह आदमी निर्मल है, इसमें तकचूरी नहीं, धोखा-धड़ी नहीं। आज तो मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहता हूँ कि वे जानें बस, अब इससे अधिक आशा गांधी से नहीं रख सकते।”

### जबतक आया सूत

अखिल भारत कादी-मण्डल के मंत्री ने २१ अगस्त तक के आये हुए सूत का ब्योरा इस प्रकार भेजा है—

प्रान्त का नाम	प्रतिनिधियों के नाम	सूत भेजने-वाले प्रति०	अ-सदस्य जिन्होंने सूत भेजा है
१ आन्ध्र	११६४	२२७	१०१
२ आसाम	१०४	४	...
३ अजमेर	३७	६	९
४ बंबई	२२५	८५	१७
५ ब्रह्मदेश	३६	१	१
६ बिहार	१०५४	१५७	२८
७ बंगाल	१०६६	३५५	४२
८ बरार	...	...	...
९ मध्यप्रान्त (मराठी)	९४०	४३	२३
१० मध्यप्रान्त (हिन्दी)	१३२२	५९	६
११ देहली	...	४	...
१२ गुजरात	४०८	१८९	५०२
१३ करनाटक	...	२	...
१४ केरल	५२	१	...
१५ महाराष्ट्र	६७४	४६	...
१६ पंजाब	१५९	१४	...
१७ सिंध	२३८	३५	३
१८ तामिलनाडु	...	६५	...
१९ युक्तप्रान्त	९४२	११४	२०
२० उत्कल	४१२	२४	५

जम्मा ८९४३ १५०१ ७५७

इसमें बहुतेरी जगहों के अंक अधूरे हैं। भिन्न भिन्न प्रान्तों की ओर से जो ब्योरा मिला है उसके अनुसार वे तैयार किये गये हैं। बहुतेरी सूत की पार्सेलें अभी जल्द ही आनेवाली हैं। बरार, देहली, आसाम और करनाटक से सूत अभी तक नहीं आ पाया है। तामिल नाडु, बरार, देहली और करनाटक ने अभीतक अपने रजिस्टर भी नहीं भेजे हैं।

### एजेंटों के लिए

“हिन्दी-जबजीवन” की एजेंसी के नियम नीचे लिख जाते हैं—

१. बिना पेशगी दाम आने किसीको प्रतिष्ठा नहीं भेजी जायगी।
२. एजेंटों को प्रति कापी (1) कमीशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम के अधिक रुने का अधिकार न रहेगा।
३. १० से कम प्रतिष्ठा भेजाने वालों को डाक क्लर्क देना होगा।
४. एजेंटों को यह लिखना चाहिए कि प्रतिष्ठा उनके पास डाक से भेजी जाय या रेलवे से।



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ३ ]

मुद्रक-प्रकाशक

बैणीकाल छ मलाल मुख

अहमदाबाद, भादों सुदी १. संवत् १९८१

रविवार, ३१ अगस्त, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,

सातगपुर सरकोयगा का बाड़ी

## टिप्पणियां

### लार्ड लिटन का विचार

लार्ड लिटन ने जो विचार श्रीमद्गान्धेय ठाकुर के नाम एक पत्र लिख कर अपनी संपादकीय है। उनके खुलाने में मेरी राय में उनके द्वारा किया गया तीव्र स्त्री जाति का अपमान घटना नहीं उल्टा बढ जाता है। लार्ड लिटन ने जो व्याकरण क समझ भेदों का दुहाई दी है, उससे मेरी समझ में यह मामला तय नहीं होता। मुझे यकीन है कि जब लार्ड माहध ने वे गंदे उद्गार प्रकट किये तब किलीको भी यह खयाल तक न हुआ था कि लार्ड सा० का कथन हिन्दुस्तान की विधियों के संबंध में आम तौर पर था। पर लोगों की शिकायत तो यह है कि लार्ड सा० को यह तुहमत लगाने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? जब लार्ड जिन्मदार शास्त्री किसी पर कोई दोष-रोपण करता है तब उनके संबंध में हमेशा दो अनुमान होते हैं— एक तो यह कि लार्ड उले उन जानों का पूरा यकीन हो चुका है जो दूसरे बह दुनिया के सामने उसे साबित कर सकता है। दूसरा यह कि जिस बुराई के संबंध में वह इल्जाम लगाया जाता है वह सर्व-सामान्य हो गई है। अच्छा तो अब पुनश्च के सूत्र के अलावा जनाब लार्ड सा० के पास कोई ऐसा सूत्र है जिससे वे सर्व-साधारण की अपनी बात का यकीन करा सकते हैं? और सर्व-साधारण को न सही, कविवर कोही सही। क्या वे हम बात का नहीं जानते कि सर्व-साधारण का मुख्य विश्वास पुलिस पर नहीं रह गया है? क्या वे यह नहीं जानते हैं कि अर्हात सर्व-साधारण से तान्त्रिक है पुलिस को आम तौर पर अपनी सुयुक्तदोषी साबित करना राजिमी है? और अच्छा, जरा देर के लिए यह भी मान ले कि यह तुहमत कुछ मर्दानों और कुछ औरतों के निरबत मच है, तो क्या वे यह साबित कर सकते हैं कि यह बुराई इतनी सर्व-व्यापक हो गई है कि जिसके लिए उन्हें जन-साधारण के सामने उसकी निन्दा करने की जरूरत हुई? यदि कोई जिन्मदार हिन्दुस्तानी यह कहे कि अधिकांश सिविलियन लोग चरित्र हीनता और अनीतिमत्ता के अपराधी हैं क्योंकि उसने ऐसे इन्के-हुके सिविलियनों को देखा है, तो क्या उसका यह कहना न्याय-युक्त होगा? और अगर कोई ऐसा कहेगा तो क्या लार्ड साहब तपाक के साथ उठकर उसे मली-सुरी न सुनावेंगे और अदालत में बहीट कर उतसे इस बात पर माफी न मागवायेंगे कि जो बुराई केवल कुछ लोगों पर घटती है उसे

उसने एक सारे समाज पर लाद दिया। ऐसी अवस्था में क्या वह मुस्लिम 'कुछ' शब्द की ओर में अपनी सफाई दे सकेगा? यदि लार्ड लिटन के कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही होता है कि हिन्दुस्तानी जन-समाज में कुछ पातित औरतें भाई हैं, जैसे कि हमान सार्यों में होती है, तब फिर उनकी शिकायत के लिए जयह ही कहा रह जाती है? फिर भी ऐसे भाषण में जो कि गंभीरता से पूरा जा और वे जानते कि इसके एक एक शब्द यहाँ बड़े ध्यान से पढ़ा जायगा और विदेशों में भी उसका काफी बलन कामा जायगा। अतएव मैं अक्षय के साथ यह कह बिना नहीं रह सकता कि यदि उसका उद्देश यह न रहा है कि भारतीय स्त्रियों और पुत्रों पर छीटे उठाये जाय, तो उनको बिला खरखशा इन तुहमत के लिए नाकी मांग लेना चाहिए। ऐसा करके वे अपनी प्रतिष्ठा और गौरव की वृद्धि ही करेंगे। इसके विपरीत अगर उनके पास वैसा सूत्र है जैसे कि मैंने सुनाये हैं तो उन्हें रिम्पत के साथ अपने इल्जाम की पुष्टि करनी चाहिए। और जन-साधारण के सामने वे सबूत उपस्थित कर देने चाहिए। लार्ड खुलासा कोई खुलासा नहीं होता। यह तो मामों जले पर नमक छिड़कना है।

### ध्यान दीजिए

अ. भा. खादी-मण्डल के मन्त्री ने सूत्र भेजनेवालों की दिहायत के लिए नीचे लिखी सूचनाएं भेजी हैं—

(१) बहुतेरे सूत्र भेजने वाले सदस्यों ने अपना रजिस्टर नंबर नहीं लिखा है। इसके कारण शायद यह हो कि प्रांतीय खादी-मण्डल ने अपने अपने सदस्यों का उनके रजिस्टर नंबर को खबर न की हो।

(२) रजिस्ट्रों में अकाराधिक क्रम से सदस्यों की सूची नहीं दी गई है इससे उनके नाम खोजने में भी दिवात पडती है। इस तरह की सूची के संबंध में जो दिहायते दी गई है उनका पालन बहुत कम प्रांतों ने किया है। जिन सदस्यों ने अपना रजिस्टर नंबर नहीं लिखा है उनके नाम, यदि रजिस्टर में अकाराधिक क्रम से सूची भी नहीं दी गई है, तो साट करना प्रायः कसमब हो जाता है।

(३) कितने ही सदस्य और अ-सदस्य दोनों ने अपना सूत्र सीधा यहाँ, इस दफ्तर को भेज दिया है—हालांकि उन्हें भेजना चाहिए था अपने प्रांत के दफ्तर में। उन्हें खबर हो

जाती चाहिए कि आगे से वे—सदस्य और अ-सदस्य दोनों—अपना अपना सूत अपने प्रान्त के ही दफ्तर में भेजा करें।

(४) बहुतेरे लोगों ने सूत को लंबाई नाप कर नहीं भंजी है। प्रान्तीय मन्त्री की चाहिए वे पामेल खाना करने के पहले यह देख लें कि हर शाल के सूत पर लेबल लगा है या नहीं और उसपर आवश्यक तकनीक दर्ज है या नहीं।

सूत-कटाई की व्यवस्था उसी हालत में पुर-असर और कामयाब हो सकती है जब कि दी गई हिदायतों का पालन कामिल तौर पर किया जाय। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि अगले माह से आ. भा. खादी-मण्डल की हिदायतों का पूरा पालन किया जायगा।

### उपयोगिता का बिल्ला

भारत का हर एक सामंजसिक कार्यकर्ता इस बात को जानता है कि जब इंग्लैंड में बाहर से लाये जाने वाले सूती कपड़े पर चुंगी लगाई गई तब लंकाशायर के हित के लिए भारत के अने कपड़े पर खाल तौर पर चुंगी लानी गई थी। उसके खिलाफ विरोध की आवाज उठाई गई और इस बात का बचन भी दिया गया कि इस पर फिर से विचार किया जायगा। तिसपर भी वह लाजतक ज्यों की त्यों कायम है। यह चुंगी होने निरंतर इस बात की याद दिलाती रहती है कि भारत का हित इंग्लैंड के हित का गुलाम है—उसके आगे गौण है। इसलिए मैं विदेशी मिलों के मुकाबले में हिन्दुस्तानी मिलों की रक्षा करने का पक्ष लेता हूँ। पर कितने ही लोग इसमें अफर में पड़ जाते हैं। वे उसका आशय ठीक ठीक नहीं समझ पाते। क्योंकि एक ओर तो मैं मिल-कटे कपड़े के मुकाबले में हाथ-कटे कपड़े की सिफारिश जोर-शोर से पर शान्त के साथ करता हूँ और दूसरी ओर मिल-कटे कपड़े का रक्षा की आवाज उठाता हूँ। पर जरा ही गौर करने से उन्हें ये दोनों नैतियां परस्पर सुसंगत देख पड़ेंगी। यदि भारतवर्ष को आर्थिक विषय में एक स्वार्थी राष्ट्र बनना हो, यदि उसके फ़िराकों की सदियों फाँकफनी मिटानी हो, यदि उन्हें अकालों और ऐसे ही दूसरे संकटों के समय कोई प्रसिद्ध काम दरकार हो तो देश से विदेशी कपड़े का मुह नाला किये बिना चारा नहीं। अपने कपड़े के मुख्य उद्योग की रक्षा करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। अतएव मैं विदेशी मिलों की बड़ा-छपरी के मुकाबले में भारतीय मिलों की रक्षा जरूर कराना-भले ही उसका फल यह होता हो कि चन्द्रगज के लिए गरीबों को दण्ड भुगतना पड़े। ऐसा दण्ड उन्हें तभी भुगतना पड़ेगा जब कि मिल-मालिक देश-प्रेम को इतना खो बैठे हो कि कपड़े का बाजार उनके हाथ में आ जाने पर भी वे उसके दाम घटा दें। इसलिए मैं कपास की तथा भारत के कपड़े पर लगी नियन्त्रात्मक चुंगी के उठा लिए जाने पर बिना हिचकिचाहट के जोर दे सकता हूँ।

इसी तरह और बिना किसी प्रकार की उमंगति के मैं देश-मिलों के मुकाबले में हाथकती खादी की रक्षा करूँगा। और मैं जानता हूँ कि यदि विदेशी का साथ चटा-ऊरी बन्द हो जाय तो खादी की रक्षा बिल्कुल दिव्य हो सकती है। ज्यों ही एकमत इतना प्रबल हुआ कि उसका प्रभाव पड़ सके त्यों ही वहाँ से विदेशी कपड़े का मुह नाला हो जायगा। और बड़ी शक्ति मिलों के मुकाबले में खादी की रक्षा करेगी। पर मुझे तो यह सब विश्वास है कि खादी तो मिलों से बिना ही भई लड़ाई-झगड़े के अपना पैर जमा लगी। परन्तु यह जरूरी बात है कि जबतक खादी के भर्त्सों की संख्या बहुत थोड़ी है तबतक उन्हें लाजिम है कि वे देशी मिलों तक में बने अथवा उनके सूत

के बने कपड़ों के बजाय खादी को ही उत्तेजना दें, एकमात्र खादी का प्रचार करें। लोगों की मर्जीपर ही छोट देना मानों खादी को निर्मूल कर देना है।

### मिल की खादी

इसपर कोई अप्रीर टेनप्रेमी कहेगा—“जब कि मिल-मालिकों नकली खादी भोली-भाली-जमता के चिर मूढ़ कर उनकी भाँखों में धूल झोकते हुए नहीं मित्र उठते तब आपके दिल में मिलों के लिए कहे गुवाह हो सकती है!” हाँ, मुझे इस नकली खादी का पता है। मैंने जान-बूझ कर ऐसी नकली खादी के कुछ बढिया नमूने अपने सामने रख छोड़े हैं जिनसे कि वे मुझे मेरे कर्तव्य की याद दिलाते रहे। वह कर्तव्य कौनसा? बड़ी कि ऐसे मिल-मालिकों के इस तरह के दंष्ट-भक्ति से हीब बर्ताव के होते हुए भी मैं उनपर गुस्सा न करता। मैं यह भी जानता हूँ कि बिना खादी की नटा ३.५री में पड़े व अपना रोजगार अच्छी तरह कर सकते थ। कम से कम वे अपने मोटे कपड़े का कूट-सूट खादी के नाम पर बेचने के पाप से अपनेका बचा सकते थे; क्योंकि वे जानते हैं कि ‘खादी’ नाम केवल उसी कपड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि हाथ-कटा और हाथ-बुना है। परन्तु जो बुराई की जाय बुराई से देने से बड़े अलाई नहीं हो सकती। मेरा सत्याग्रह-वर्म मुझे कहेता है कि बदसा देने की नियत न रखो। उनके देशभक्ति-हिन कार्यों का अनुकरण करना उचित नहीं। मुझे निश्चय है कि खादी का अनुरागी लोग अपने विश्वास पर हठ और गैर गैर बने रहे तो तमाम कठिनकर्मों को दौते हुए भी हाथ-कती खादी फूल फल निकलेगा। इसलिए उपयोगिता की चाहिए कि धरापर कपास की चुंगी को इटान के ही नहीं बल्कि मिलों के महान् उद्योग की रक्षा के लिए भी आवाज उठाते रहें। जो जान में वा अनजान में कुछ मिलें खादी को हाथ पधुचा रही हैं, इसका कुछ खयाल न करें। (४० इ०) श्री० क० गांधी

### आदर्श नगर कैसा हो ?

इसो मसाले गांधीजी को अहमदाबाद की म्युनिसिपल्टी ने अभिनन्दन-पत्र समर्पित किया था। उसके उत्तर में गांधीजी ने जो आपण किया वह दूसरे नगरों के लिए भी उपयोगी होने के कारण यहाँ दिया जाता है:—

आपने जो यह सुन्दर अभिनन्दन-पत्र मुझे दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पर बड़े दुःख के साथ मुझे यह बात कहनी पड़ती है कि मैं अहमदाबाद के नागरिक की हैसियत से इसके योग्य कदापि नहीं हूँ। इसे भिषा बात न समझिए। मीरी नगर की म्युनिसिपल्टी की ओर से अभिनन्दन-पत्र पाने का अधिकारी बड़ी नागरिक है सरता है जिनने उस नगर की सास सेवा की है। मैंने अहमदाबाद की ऐसी कोई सेवा नहीं की है। मेरी जिन सेवासों के उपलक्ष्य में आपने यह अभिनन्दन-पत्र दिया है, उनके लिए तो इसके हक में आपको अपनी राय देने की बिल्कुल जरूरत न थी। पर एक तो आपसे बहुतसे सज्जन दूसरे क्षेत्र में मेरे साथी हैं और दूसरे हमारा देश स्वभावतः ही उदारता के लिए प्रसिद्ध है, जिनके कि बिनामी होने का मुझे अभिमान है। मैं जानता हूँ कि इन दो कारणों से मैं इस अभिनन्दन-पत्र के योग्य समझ गया हूँ।

दक्षिण आफ्रिका को छोड़कर जब मैं अहमदाबाद में आकर बसा और आप लोगों के आवाहन से यहाँ अपना पड़ाव डाला, तभी मैंने सोचा था कि मुझे नगर की कुछ सेवा करनी चाहिए और अपनेको इस नगर का निवासी कहलाने के लायक बनाना

चाहिए। उस समय में आप बहुतेरे मन्वनों से परिचित न था; पर मैं डॉ० हरिप्रसाद से अपनी स्वप्न सृष्टि की बातें किया करता था। उनसे मेरी अन्तर मुलाकात होती रहती थी। दक्षिण आंध्रका में मैंने भिन्न भिन्न नगरों की जो कुछ सेवा की उसका हाल मैं उन्हें सुनाया करता। आप लोगों को उनका कुछ भी पता नहीं है। और इस बात पर मुझे खुशी है। अपनी सेवा नहीं है जिसका किंदोस दुनिया में नहीं पीटा जाता।

डॉक्टर हरिप्रसाद के साथ मैं अहमदाबाद के स्वास्थ्य-सुधार और सफाई-संरक्षणी तजवीजों की चर्चा करता। हमने सोचा था कि एक ऐसी संस्था-समिति बनाई जाय, जो नगर के एक एक कोने कुचरे में घूमें और गूद गदरें, कान्याने तथा सड़कें साफ करके लोगों को गदरें, पाखाने और सड़कें साफ करने का पदार्थ-पाठ मिलाने। हमने मच्छ-विस्तार की तजवीज भी सोची थी। गंदी और लग धलियों में रहना छोड़कर नगर के बाहर खुली जगहों में आवादी करने की सलाहें की थीं। हमने सोचा था कि यह काम पूरा लगाकर न किया जा सकेगा। इसलिए हमने विचार किया कि हम लोग भिक्षा-पात्र लेकर लक्ष्मी-पुरों के घर-घर पहुंचें और उनसे नगर के बीच में जगह-जगह जमीनें मांगें जहाँ कि छोटे बालकों को खेलने के लिए बगीचे बनाए जायें। अहमदाबाद के बच्चे बच्चे का शिक्षा प्राप्त करने की पूरी पूरी सुविधाये करने की तजवीज भी हमने सोची थी। हमने यह भी विचार था कि नगर की लक्ष्मी-शाखाओं की म्युनिसिपल्टी के अधीन कर के सुदृढ़ और सस्ता रूप लोगों का पहुंचाने का प्रबन्ध करे। श्री० जीवन्माल देसाई ने तो यह भी मझाया था कि मैं म्युनिसिपल्टी में शरीर-हो जाऊँ और अपने सोचे-उपायों को काम में लाने की कोशिश करूँ। पर हमनहार कुछ और ही था। गौलट बिल के रूप में देश में ऐसा भारी बन्धन उठा कि जा हम सब को अपने वेग में बसीट कर ले उठा। उसमें कितनों ही को जानें भी जाया हुई—कुछने तो कुम्भ किया था और कुछ वे कुम्भ थे। मुझे अपनी हिमालय के नरावर गन्त-अन्दाजी के लिए पासबिल करना पड़ा। वह बन्धन अह भी मौजूद है—हां, उसको शकल बदल गई है। हम लोग उसे रोकने की कोशिश अपने काम कर रहे हैं। पर वह काफी नहीं है। और मुझे ऐसा मालूम होता है कि अभी मैं अपनी उन तजवीजों का कार्य-रूप में परिणत कराने की फुरसत न निकाल सकूंगा। पर मैं यह अभिमान क्यों कर कर सकता हूँ कि यदि मैं म्युनिसिपल्टी में चुना होता तो मैं जरूर ही काम बना लेता? मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपके भिक्षुके समापत्तियों ने या आपने ये सब बातें न मानी होंगी, या अब न साथ रहे होंगी? मैं यह कहने की प्रयत्न करने कर सकता हूँ कि इन बात के किंग अथवा किसी तरह का कोशिश नहीं की गई। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जब जब मैं अहमदाबाद की सड़कों से गुजरता हूँ तब तब सड़कों की गंदगी कीचड़, कुर्मल और चिन को देख कर मेरा हृदय रो उठता है। ऐसी पनी लक्ष्मी की और ऐसी उदार और म्युनिसिपल्टी बगरी में इतनी गंदगी, यह पाकेकनी क्यों कर रह सकती है?

पर मैं यह अभिमान नहीं रख सकता कि यदि मैं म्युनिसिपल्टी में चुना होता तो मैं इस लक्ष्मी बुराइयों को दूर कर दता। बहुत मुश्किल है वहाँ भी मुझे बदनामी ही नम ब जाती, जैसे कि दूसरी बातों में हा रही है। सायद हेथर ने मेरे वहाँ न जाने में कुछ भलाई ही रखी हो। परन्तु फिर भी आज मेरे कपाल में यह कालिमा हो गयी ही हुई है कि मैं इस नगर की कुछ या

सेवा न कर सका—और जिस पर भी आज यह अभिनन्दन-पत्र ग्रहण कर रहा हूँ, जिसके कि मैं सर्वथा अयोग्य हूँ। अतः परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि वह सिर्फ मेरे शुभ हेतुओं पर ही ध्यान रखे और मेरी त्रुटियों के लिए मुझे माफ करे। आप सबको से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि तपस्या मुझे क्षमा कीजिए और आज आदर्श नगर की स्वप्न-सृष्टि का जो वर्णन मैंने आपके सम्मुख किया है उसे याद रखिए। मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ।

( पृष्ठ २३ से आगे )

होगा। मुझे तो ये बातें स्वयं-गन्ध मास्त्रम होती हैं। यदि हम खादी आदि को सर्व मान्य बनाये बिना ही स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे तो लोगों पर जबरदस्ती किसे बिना हम खादी आदि का प्रचार न कर सकेंगे। यदि ऐसा हो तो उसे सभा स्वराज्य नहीं कह सकते। फिर यदि बहुतेरे लोग खादी-युक्त न हों तो खादी को सर्वमान्य करने का कानून भी नहीं बनाया जा सकता। इस्तरह इतने उदाहरणों से यह दिखाई देगा कि जो शर्तें नई मास्त्रम होती हैं वे नई नहीं पर पुरानी ही हैं। अब तो यह बात स्पष्ट हो ही जानी चाहिए कि सामुदायिक अंग के लिए ऐसी एक भी कठिन शर्त नहीं है जिसका पालन न हो सके। परन्तु सत्याग्रह प्रारंभ करने और संचालन करनेवाले के लिए तो कड़ी शर्तें आवश्यक हैं और हमेशा से थीं। गगीतशास्त्री के लिए यशों की तात्कीय की जरूरत है। उसका कल्ला महीन से महीन स्वर पर होना चाहिए। उसमें यह परीक्षा करने की शक्ति जानी चाहिए कि उनमें कौन कमजोर है और कौन बलवान है। परन्तु समाज के लिए तो इतना ही ज्ञान बस है कि वह गगीतशास्त्री के घर में गुर मिला दें। सत्याग्रह का नायक समीतशास्त्री की तरह होना चाहिए।

यहाँ मैं एक बात का और झुलासा कर देता हूँ। अखबारों में मुझपर यह दोष लगाया जा रहा है कि जहाँ कहीं सत्याग्रह हुआ कि गांधी उसमें बाल की साल निकाला करता है। इससे सिद्ध होता है कि हर सत्याग्रह का काम गांधी के बिना नहीं चल सकता। यह महज वहम है। बरमण्ड, नागपुर, चिरला-पेरला में मैं कहां था? किसीने मुझसे पूछा तक न था। फिर भी मैं सत्याग्रह क्यों कर चल पाये? हाँ, यदि सत्याग्रह करनेवाला व्यक्ति अनुभवों और समझों न हो तो जरूर मुझसे पूछे बिना चक्र में पड़ेगा। पर अब हम हम हृदयक प्रत्यु गये हैं कि जो चाहे वह अपनी जिम्मेवारी पर सत्याग्रह कर सकता है। यदि कोई मुझसे पूछता है तो अपनी समझ के अनुसार जवाब देता है। पर यह बात नहीं कि मुझसे पूछे बिना सत्याग्रह शुरू किया हो नहीं जा सकता। यदि ऐसा हो तो सत्याग्रह-ज्ञान गजब हुआ। मैं अकेला कहां कहां पहुंच सकता हूँ? और मैं धिरजोब तो हूँ नहीं। सत्याग्रह यदि सर्वकालीन अंग हो तो उसके च-गंगवाल की पुष्प भा अनेक देने चाहिए और है भी।

(नवजीवन)

पाहनदास करमचंद्र गांधी

एजेंटों के लिए

- “हिन्दी-नवजीवन” की एजेंसियों के नियत नीचे लिखे जाते हैं—
१. बिना पदांगी दाम आये किनीको प्रतिमा नहीं भेजी जायगी।
  २. एजेंटों को प्रति काफी (1) कमीशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिख हुए दाम से अधिक लने का अधिकार न रहेगा।
  ३. १० से कम पानेयों संगले वालों को कांक करने देना होमा।
  ४. एजेंटों का यह दिखाना चाहिए कि प्रतिमां तनक पास हांक च भजी जाय या रखे च।

## हिन्दी-नवजीवन

रविवार, भाद्रपद सुदी १, संवत् १९२१

### गुलवर्ग का पागलपन

पिछले गणराज्य मंत्रे रक्षाग किया था कि हिन्दुओं के मन्दिरों को अपवित्र करने की जो हवा आजकल बह रही है उसकी सहायता के लिए जबर कड़े संगठित जमात है। गुलवर्ग की यह ताजी मिसाल है। हिन्दुओं की तरफ से अगर मुसलमान अडकाये भी गये हों तो इससे क्या? क्या मुसलमानों का इस तरह टूट पड़ना भयानक नहीं दिखाई देता? मन्दिरों का अपवित्र करना तो किसी भी हालत में संगर्भनीय नहीं कहा जा सकता। मौलाना की कतअलो ने जब रामर और अनेकों का हाल सुना तो वे चोके और गरज कर कहा कि अगर किसी दिन हिन्दू लोग मुसलमानों की मसजिदों को नापाक करके इसका बदला दें तो वे साजुब न होंगे। मौलाना साहब के इन क्रोध-पूर्ण बयानों को गूँथकर, मुसलमान हैं, हिन्दू लोग फूल गटे, या उनके दिल को गहमही होने लगे। पर मुझे ऐसा नहीं होता और मैं हिन्दुओं को गलाह देता हूँ कि वे भी अपनेको इसी बचाने। वे इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि जब जब मुसलमान भयानक हा कर हिन्दुओं पर टूट पड़े हैं या टूट पड़ने हैं तब तब बहुतेरे हिन्दुओं से अधिक कहीं मेरे दिल को चोट पहुँची है और पहुँचती है। मुझे इस बात का पूरा ध्यान है कि इस मामले में मेरी जिम्मेदारी का है। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुतेरे हिन्दुओं का दिक् यह कहता है कि ऐसे बहुतेरे इंगे-फनाद का जिम्मेदार मैं हूँ। क्योंकि, उनका कहना है, कि सौँडे मुसलमान-जनता को आमत करने में मेरा ही मदरा हाथ है। मैं इस इज्जाम को बसन्द करता हूँ। और यद्यपि मुझे अपनी इस कृति पर जरा भी पछतावा नहीं होता, तथापि मुझे मानना पड़ता है कि उनकी दलोल पुरजोर है। इसलिए अगर और किसी वजह से नहीं तो इसी अपनी बढी हुई जिम्मेवारी के सवाल से ही मुझे, बहुतेरे हिन्दुओं की अपेक्षा, इन मन्दिरों के अपवित्र किये जाने की दुर्घटनाओं पर अधिक दुःख होना चाहिये। मैं मूर्ति-पूजक भी हूँ और मूर्ति-भंजक भी हूँ, पर उस धर्म में जिसे मैं इन शब्दों का सही अर्थ मानता हूँ। मूर्तिपूजा के अन्दर जो भाव है मैं उसका आदर करता हूँ। मनुष्य-जाति के इरयान में उससे भयान्त सहायता मिलती है। और मैं अपने प्राण टकर भी उन हजारों पवित्र देवालियों की रक्षा करने का सामर्थ्य अपने अन्दर रखना पसन्द करूँगा, जो हमारी इन जनना जन्म-भूमि का पुनीत कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ जो मेरी मित्रता है उसके अन्दर यह बात परले हो से ग्रहीत की हुई है कि वे मेरी मूर्तियाँ और मेरे मन्दिरों के प्रति पूरी पूरी सहनशीलता रखेंगे। और मैं मूर्ति-भंजक इस भाषी में हूँ कि मैं उन धर्मान्धता के रूप में छिपी सूक्ष्म मूर्तिपूजा का सिर तोड़ देता हूँ, जो कि अपनी ईश्वर-पूजा की विधि के अलावा दूसरे लोगों की पूजा-विधि में किसी गुण और अच्छाई को देखने से इनकार करती है। हम किसम की सूक्ष्म मूर्ति-पूजा—सुत-परस्ती—उयादद घातक है: क्योंकि यह उस स्थूल और प्रत्यक्ष पूजा से जिसमें कि एक पत्थर के टुकड़े या सुवर्ण की मूर्ति में ईश्वर की कल्पना कर ली जाती है, अधिक सूक्ष्म और भोका देनेवाली है।

हिन्दू-मुसलमान-पैक्य के लिए यह आवश्यक है कि मुसलमान लोग आपसमें के तौर पर नहीं, व्यवहारनीति के तौर पर नहीं, बल्कि अपने मजहब का एक अंग समझ कर दूसरों के मजहब के साथ सहिष्णुता रखें, तब तक जबतक कि वे लोग अपने अपने मजहबों को सच्चा मानते रहें। और इसी तरह हिन्दुओं से भी यह आशा की जाती है कि वे अपना धर्म और ईमान समझ कर दूसरों के धर्मों के प्रति उसी सहिष्णुता का परिचय दें—किर हिन्दुओं को अपनी भावना के अनुसार वे चाहे कितने ही तिरस्कार के योग्य मालूम हों। इसलिए हिन्दुओं को चाहिए कि वे बदला लेने की इच्छा को अपने दिलों में जगह न दें। छिटि की उत्पत्ति से लेकर आजतक हम बदले की अर्थात् प्रतिहिंसा की आजमाइश करने आ रहे हैं और अबतक का सज्जिदा होने बतलाता है कि वह बुरी तरह बेकार साबित हुई है। उसके जहलीले अन्दर से हम आज बेतरह छटपटा रहे हैं। जो कुछ हा; पर हिन्दुओं को चाहिए कि मन्दिरों के लोड जाने पर भी वे मसजिदों की ओर जगली तक न उठावें। यदि वे बदले का अवलोकन करें तो उनकी बेइयाँ और भी मजबूत हो जायगी और ईश्वर जाने क्या क्या दुर्गत उनकी टगी। इसलिए चाहे हजारों मन्दिर तोड़-फोड़ कर मिट्टी में क्यों न मिला दिये जाय, मैं एक भी मसजिद को न छुऊँगा और इस तरह दीन के दीनाने कागों के दीना-ईमान से अपने धर्म-कर्म को ऊँचा साबित करने की उम्मीद रखूँगा। ऐसे समय यदि मैं सुनूँ कि पुजारी लोग अपने मन्दिरों अर मूर्तियों की रक्षा करने करते हुए पुर को बले गये तो मेरा कलेजा छत्र उठेगा। ईश्वर बट-बट व्यापी है। वह मूर्ति में भी विद्यमान है। किर जो वह अपने और अपनी मूर्ति के अपमान और तोड़-फोड़ का नुर्बाप सहन कर लेता है। पुजारियों को भी चाहिए कि वे अपने भगवान को तरह ही अपनी मन्दिरों की रक्षा के लिए कष्ट-सहन करें और मरना मीजें। यदि हिन्दू लोग बदले में मसजिदें तोड़ने लगें तो वे अपनेको भी उन्हीं लोगों की तरह थर्मान्य साबित करेंगे ज कि मन्दिरों को अपवित्र करते हैं और तिसपर भी अपने धर्म की रक्षा तो वे दरगिज न कर सकेंगे।

अब मैं उन मुसलमानों से कहता हूँ जो कि छिपे हुए हैं और जो इन मन्दिरों की तोड़-फोड़ में भीतर ही भीतर शरीक हैं—“याद रखो, इस्लाम की जाय तुम्हारी बरतुओं से हा रही है। मैंने अभीतक एक भी ऐसा मुसलमान नहीं देखा है जिसने इन हमलों को ताईद ही हा—किर वे भले ही किसी के उभाड़े जाने पर क्यों न किये गये हों। मुझे जरा तक दिखाई देता है, हिन्दुओं की तरफ से, अगर हा तो, आरको उभड़ने का भोका बहुत ही कम दिया गया है। पर अच्छा, कर्ज कीजिए कि बात इसके खिलाफ हुई है अर्थात् हिन्दुओं ने मुसलमानों को दिक् करने के लिए मसजिद के नजदीक बाजे बजाये, और यहाँ तक कि एक भीवारे पर से एक पत्थर लखाह लिया। तो भी मैं कहने का साहस करता हूँ कि मुसलमानों को मन्दिरों का अपवित्र न करना चाहिए था। बहुतेरे की भी आखिर हट होती है। हिन्दू लोग अपने देवालियों को जान से अधिक मानते हैं। हिन्दुओं के जान को तुकमान पहुँचाने का खयाल तो किया जा सकता है; पर उनके मन्दिरों को हानि पहुँचाने का नहीं। धर्म जीवन से बढ कर है। इस बात का याद रतिए कि दूसरे धर्मों के साथ तात्त्विक तुलना करने में चाहे किसीका धर्म नीचा उतरता हो, परन्तु उसे तो अपना वह धर्म सब से सवा और प्रिय ही मालूम होता है। परन्तु जहाँतक अनुमान पहुँचता है हिन्दुओं की तरफ से मुसलमानों को उभड़ने का भोका



ही नहीं किया गया है। मुसलमानों में जो मन्दिर अपवित्र किये गये हैं उस समय उन्हें हिन्दुओं ने कहा उभावा था ? मेरे हिन्दु-मुस्लिम-तनाजे वाले लेख में हिन्दुओं के संबन्ध में जो मस्जिदों को अपवित्र करने की बात कही गई है उसके सबूत एवम् करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। परन्तु अबतक मुझे उनका कुछ भी सबूत नहीं मिला है। अमेठी, सम्भर और गुलबर्गा की जो खबरें प्रकाशित हुई हैं, ऐसे कार्यों को करके आप इस्लाम की कीर्ति को बहाने नहीं हैं। अगर आप इनाजत दें तो मैं कहूँगा कि इस्लाम की इजाजत का भी मुझे उतना ही खयाल है जितना कि खुद अपने मजहब का है। यह इसलिए कि मैं मुसलमानों के साथ पूरी, खुली और दिली दोस्ती रखना चाहता हूँ। पर मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि ये मस्जिदों को अपवित्र करने की घटनायें मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रही हैं।”

देहली के हिन्दुओं और मुसलमानों से मैं कहता हूँ—“यदि आप इन दो जातियों में मेल-मिलाप करना चाहते हों तो आपके लिए यह अनमोक्ष अयसर है। अमेठी, सम्भर और गुलबर्गा में जो कुछ हुआ है उसे देखने के बाद आपका यह दुहेरा कर्तव्य हो जाता है कि आप इस मसले को हल कर लें। हुकीम अजमलखान साहब और डाक्टर अनसारी जैसे मुसलमान सज्जनों के सहबाष का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त है, जाकि अभा नलतक दोनों जातियों के विश्वास-पात्र थे। इस तरह आपकी परंपरा उच्च चली आई है। अपनी दल-बन्धियों को साँठ कर और ऐसी दिल्ली दोगली फायम कर के जो किसी तरह न टूट पावे आप इन लड़ाई-झगड़ों को अच्छे फल के रूप में परिणत कर सकते हैं। मैं तो अपनी सेवामें आपके हवाले कर ही दी हूँ। यदि आप मुझे दोनों का मध्यस्थ बनाना पसंद करेंगे तो मैं देहली में अपनाको दफनाने के लिए तैयार हूँ। और उन दुग्ने सज्जनों के साथ जिन्हें आप तजवीज करेंगे, सभी बातों का पता लगाने की कोशिश करूँगा। इस सवाल के स्थायी निपटारे के लिए यह आवश्यक बात है कि पहले हम इस बात की पूरी तहकीकात करें कि पिछली जलाइ में दरहकीकत क्या क्या हुआ और वह क्यों कर हो पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप शीघ्र ही किसी बात को तय कर लीजिए। यह हिन्दु-मुसलमानों का सवाल एक ऐसा सवाल है जिसके ठीक ठोक हल होनेपर ही नजदीकी भविष्य में भारत का भाग्य अवगणित है। देहली अगर चाहे तो इस सारे सवाल को हल कर सकती है; क्योंकि देहली जा कुछ करेगी, बहुत संभव है उसीवा अनुकरण दूसरी जगह हो।

( ५० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

**नवजीवन-प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद**

सोपान का सङ्ग्रह—महायना मालवीयजी इस पर सुग्ध हैं और बाबू राजेन्द्रप्रसादजी लिखते हैं—“यह अमूल्य ग्रन्थ है। धर्म ग्रन्थों की तरह इसका पठन-मनन हना चाहिए। चरित्रगठन विद्यार्थियों को दूसरा ग्रन्थ नहीं मिल सकता।” मूल्य ॥)

- लोकमान्य की अर्द्धाञ्जलि ॥)
- अग्रन्थ अंक ॥)
- हिन्दू-मुसलमान-तनाजा ( गांधीजी ) -)

जो इतनी पुस्तकें गांवों के रेलवे से भेजना पड़े उनसे रेलवेखर्च नहीं। मूल्य मनीभाईर द्वारा भेजिए—बी. पी. नहीं भेजी जाती

**अंकों पर विचार**

१५ अगस्त को अंतिम होनेवाले महीने के लिए आये सूत की आखिरी किर्हास्त नांगे दी जाती है। २५ अगस्त तक जितना सूत आया है, वह इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद जो सूत आवेगा वह अगले महीने में गिना जायगा।

प्रान्त का नाम	प्रतिनिधियों की संख्या		मृत भेजनेवालों की तादाद		अ-सदस्य मृत भेजने वाले		कुल मृत भेजने वाले	
	की संख्या	की तादाद	मृत भेजने वाले	मृत भेजने वाले	मृत भेजने वाले	मृत भेजने वाले		
आन्ध्र	१६५३	३०२	१०७	४२५				
आन्ध्र	२५०	२४	२	३६				
अजमेर	५७	९	६	१५				
बंबई	२४२	६५	२१	८५				
ब्रह्मदेश	३९	१	१	२				
बिहार	१०७४	१७४	३४	२०८				
बंगाल	१५४०	१०१	४३	६४४				
बरार	२५५	१	...	१				
मध्यप्रान्त (मराठी)	९५२	६४	२३	६७				
” (हिन्दी)	१३२४	१६	५	७१				
देहली	१८५	६	६	१२				
गुजरात	५०८	१५७	६६८	८४५				
*करनाटक	१६२	५३	१८	४१				
केरल	५३	२	...	२				
महाराष्ट्र	६७४	१३७	२५	१६२				
*पंजाब	२५५	२३	...	२३				
*सिंध	२६२	३६	१२	४८				
*नामिलनाद	८२६	७०	११	९०				
युक्त प्रान्त	१५८१	२३५	२७	१६२				
उत्तराल	४१३	३२	५	३७				
			१५३००	१७५६	१०३४	२७००		

“यहाँ के रजिस्टर अधूरे हैं।

महासमिति के प्रस्ताव के अनुसार जिन सदस्यों ने मृत भेजा है उनकी तादाद रजिस्टर में दर्ज भंग्या की तिक १४ की सदी है। अ सदस्य मृत भेजने वाले की संख्या सूत कातने वाले सदस्यों का ६७ की संख्या है। प्रायः हरएक मास से इन बार कम मृत भेज सकने के लिए माध्याय चाही गई है। अगले महीने में वे इससे कहीं अच्छा नतीजा दिखाने की आशा रखते हैं। इस मृतकों में गुजरात का नवर सयमे पहला है। पर टारमें की जाधर्ये की बात नहीं। क्योंकि मृत कातने की शिक्षा देने की मुबियायें और व्यवस्था अर्ण भवगे अच्छी हैं। अगर सबसे फसही रहा है मैं तो आशा कर रहा था कि बरार का विधान चरखे पर न रहने पर भी वह महासमिति की आशा का पालन अवश्य करेगा और मैं उसे बधाई दूँगा। मैं बरार की पान्थिक समिति को आवाहन करता हूँ कि वह भी इस मेल में शरीक हो। और कम बरार में ऐसे लग नहीं है जो सदस्य चाहे न ही पर जो चरखे के कायल हों ? गुजरात के बाद दुगुरा नहर है बंगाल का। यह बात ध्यान देने लायक है। ऐसा मानना होता है कि वह गुजरात को हरा देगा। होना भी यही चाहिए। क्योंकि बंगाल तो उनके नकीज सूतधारों की जन्मभूमि है जिनको टकर के मृतकार मुबियायें में कहीं पैदा हो न हुए। बंगाल ही को ईस्ट इंडिया कंपनी की निष्पूरता का पूरा पूरा शिकार होना पडा। ऐसी हालत में इससे





की गुंजाइश नहीं हो सकती। उस समय सदस्यों का एकमात्र यही कर्तव्य है कि या तो वे उसका तन-मन से पालन करें या इस्तीफा दे कर अलग हो जाय।

( बं . ई. )

मोहनदास करमचन्द गांधी

### आज बनाम कल

एक सज्जन लिखते हैं—

“सांभुदायिक या व्यक्तिगत असहयोग या सत्याग्रह कब हो सकता है, कौन कर सकता है, इस विषय में तीन चार साल पहले जो लेख आपने लिखे थे उन्हें तथा आजकल के आपके लेखों को पढ़ने से मुझे दो बातों में बड़ा अन्तर दिखाई देता है। एक तो आपका लोगों के संबन्ध में यह विश्वास कुछ कम हुआ दिखाई देता है कि यदि कार्य धर्म्य हो तो लोग जरूर सत्याग्रह या असहयोग करें और उससे फल-सिद्धि अवश्य होगी। दूसरे यह कि असहयोग या सत्याग्रह करने के लिए आज आप पहले भी बहुत कड़ी शर्तें पेश करते हैं। मैं तो यह समझता था कि जब राज्य या समाज के खिलाफ किसी दल के दुःख दर्द या शिकायत का कारण उपस्थित हो तब उस दल को चाहिए कि भरसक सामाजिक स काम ले और जब उसमें सफलता न मिले तब सत्याग्रह या असहयोग का अवलंबन करना चाहिए। पहले लोगों को सत्याग्रह या असहयोग का रास्ता मालूम न था। इनसे पशु-धन और हिंस-कांड का प्रयोग करते थे। जो लोग सत्याग्रह या असहयोग के कायल नहीं हैं वे अब भी इनका आश्रय लेते हैं। पर मैं समझता हूँ कि इनके बजाय असहयोग या सत्याग्रह को ही उन्हें उचित और धर्म मार्ग मानना चाहिए। इसमें असहयोग करने वाले दल का कर्तव्य सिर्फ इतना ही है कि एक तो वे शान्ति और सत्यविद्या के साथ तमाम कठों और अशुविधाओं का सहन करें और दूसरे अतन्तक अपनी श्रद्धा पर अटल रहे। मेरी समझ ऐसी ही थी। पर आज कल के आपके लेखों से मालूम होता है कि असहयोग या सत्याग्रह करनेवालों लिए आप नीति-नील और व्यवहार-इंजिनी बहुत ही कड़ी शर्तें पेश करते हैं, जिनका कि पालन करना किसी दल या समुदाय के लिए प्रायः अशक्य मान्य होता है। हाँ, यदि आप असहयोग या सत्याग्रह के अंगुठा से इतनी बातें चाहें तो यह समझ में आ सकता है। पर सारे दल या समाज से ऐसे गुणों की चाह रखने का फल यही होगा कि वर्तमान काल की दृष्टि जहाँ तक पहुँचती है, सांभुदायिक सत्याग्रह प्रायः असम्भव ही जायगा। हाँ, यह तो ठीक है कि असहयोगी और सत्याग्रही-दल जितना विशाल हो उतना ही अच्छा; परन्तु यदि नीति की उत्कृष्ट स्थिति तक पहुँचे बिना असहयोग या सत्याग्रह करने का अधिकार ही किसी समाज को न हो तो इससे सामान्य लोगों के सामान्य जीवन में सत्याग्रह की व्यवहार्यता और प्रयोग-योग्यता बहुत कम हो जाती है।

दूसरी बात यह कि जिन बातों का संबन्ध परिस्थिति-विशेष से संबन्ध रखने वाले सत्याग्रह से न हो वहाँ उन चीजों के अभाव में आप सत्याग्रह को अनुचित करार देते हैं। यह बात अभी मेरी दृष्टि में नहीं आती। मिसाल के तौर पर भावनगर वारंपद-संबन्ध राज्य की निषेध-आज्ञा को ही लीजिए। उसके लिए सत्याग्रह करने या करने के लिए यदि आप बाल-महाराज और मरा पट्टणी की विशेष स्थिति, प्रजा का मन्दोद्देश्य, तथा ऐसी ही दूसरी बातों पर विचार करें तो यह ठीक ही है। पर वे कबाल कि काठियावाड़ खादी पहनता है या नहीं, अस्पृश्यता का कौटा हटा दिया है या नहीं, शराबखोरी बंद की है या नहीं (वे अपने तौर पर उनके उपयोगी होते

हुए भी) क्या इन चारों में अनापसक नहीं माहम होते? मैं तो यह समझता था कि यदि परिषद मन्त्रगुः धर्मकार्य हो, उसे सफल करने के लिए बलवती लोकेगणा हो, उसकी मदद पर सच्चा लोकेमत हो और आहिंसात्मक सत्याग्रह का रहस्य समझनेवाला मजबूत बल हो तो इन मन्त्रों को तोड़ कर परिषद अवश्य करना चाहिए। इसी तरह वादकाम सत्याग्रह के प्रश्न पर भी मैं विचार करूँगा। खादी चाहे किन्नी ही उपयोगी और आनन्दक वस्तु हो पर पर्वतिका विषयों में सत्याग्रह करनेवाले को हार्थकत खादी अवश्य पहननी चाहिए, यह नियम मुझे नहीं पड़ता। यदि अधिक समझदार लोगों को इस तरह की शर्तें पेश करनी हैं। इतल्लम पार्थक्य है कि आप इन बातों का खुलासा सर्व-साधारण के लिए करना की कृपा करें।”

इस लेख पर विचार करना समझ बाटक भावनगर की परिषद को भूल जाय। उस परिषद का शिक्र प्रश्न उदाहरण के तौर पर ही हुआ है। परिषद के विषय में मैं अपने विचार व्यक्त कर ही चुका हूँ। भावनगर में परिषद न करने का लिए जो कारण भेजे दिये हैं वे भी हैं इनसे नहीं सरे इतनी बातें बाद न रखेंगे तो एक घानक रूप पर ही दुःख्यगी के उत्तर जाने की संभावना है।

मुझे तो नहीं दिखता कि जिनसे पहले के आर आपके सत्याग्रह संबंध लेखों में लिखा था अन्तर है। हा, यह गंध है कि ज्यों ज्यों परिस्थिति बदलती जाती है त्यों त्यों शर्तें पेश दिवत हैं वे वाकी शर्तें खड़ी हो जाती हैं। पर तबतक मनुष्य तुरन्त देख सकेगा कि वे शर्तें मूल समझाने में ही सम्मिलित रहती हैं। जैसे कि अहमदाबाद का मजाममम न टलया था कि शर्तों। मन, वचन और कर्मयुक्त नगी चाहिए। यह शर्तें मई गती थीं। जब तजरिबा हुआ कि लोग दिगा की शिका या नहीं करते हैं; पर दिल में उसके ऊन्टी इच्छा रखते हैं तब यह सम्झना करने की जरूरत पडी कि यह मनुष्य उसी दम में अद्विक रहा माना जायगा जब कि वह मन, वचन और काया से अद्विक रहेगा। अर्थात् यह बताया गया कि दार्थिक शक्ति अन्ति दुर्ग नहीं। दले मई बात नहीं कह सकते। मशौला आदि को शर्त सत्याग्रह के साधक के लिए है और पहले भी थीं। सादृशी कानों से सरी हमें मजरिबा की जरूरत होती है फिर सत्याग्रह में तो शर्तें आर्यकता है। हमसे आशय ही क्या? बदे जन-समुदाय से मने कडा शर्तों के पालन की आशा कभी नहीं रखी। लोगों आशा क भतेने तो औरसद में भी सत्याग्रह न हो सकता था। जन-साधारण के लिए वा सिर्फ दो ही शर्तें थी एक उन्हें मेशम से पशुवल ता अवलंबन न करना चाहिए और दूसरे अमर्तों की आज्ञा का पालन करना चाहिए।

भावनगर और बाजोग के मन्त्रपरियों के बारे में मेरी यह आशा है कि वे सहायसा-संज्ञितियों के सम्य है। महामभा के पदाधिकारी उसके प्रस्तावों का जतने हुए यदि महामभा की सामान्य और शायी शर्तों का भी पालन न करें तो सत्याग्रह करने के प्रोत्थ कंड माने जा सकते हैं? एक वाय के लिए को यह पतिहा का पालन जब वे न परे तो कुरती प्रीति का पालन करने केरंग? स्वराज्य-विषयक सत्याग्रह वा संघ खादी से सञ्जा है। स्वराज्यवादी क दूसरे अवय में सत्याग्रह करने हुए भी अपनी स्वराज्यवादिता सिद्ध करने की जरूरत रहती है। कोरन्द के लगी लोगों का सत्याग्रह करते हुए खादी वा शराबखोरी की जरूरत न थी, पर पदाधिकारियों के लिए तो अवश्य थी। अब अगर कोरन्द के धारावा मई-बहन स्वराज्य के लिए सत्याग्रह करना चाहते हो तो उन्हें अवश्य खादी पहननी होगी, शराबखोरी करनी होगी, अस्पृश्यता के पाप से मुक्त होना (शेष पृष्ठ १५ पर)

**मलाबार-संकट-निवारण**

सत्याग्रहाश्रम नावरमणी में आया

यं० इ० में २६।८ तक स्वीकृत रकम १४,०२०-६-०  
उसके बाद यं० २०।८ तक वसूल हुआ ७५३-२-०

जॉइंट १४,७७३-८-०

इस सप्ताह की रकम में नीचे लिखे सजनों का चन्दा भी शामिल है—भोलाराम जवाहरलाल धूलिया २५) सौ.गी.एम. महेंद्र अलोगढ १०) भरघप्रसाद अन्वशहर २५) मूलचन्द बरवा अजमेर ६॥) नकुलप्रसाद प्रयाग ४) बालिका साद कानपुर १०) रुदनलाल जयपुर ५०) महावीरप्रसाद बनारस २०) शालवन्ती देवी प्रयाग २५) बाला केशव नमार नगपुर २) छोटगाम नमार उज्जैन ५) मिसेज नुशीराम सिध ५) बाबुराम बरेली ५) धरुदेवदाम नल्यूवाह बुरहानपुर १४) मुरालाल मोलवाडा ५) स्वामी विद्यानन्द अलमाडा ५) भगवान् ए.कपनी दरगाद २५) लाला ब्रजकिशन देहली ८५) बेगम महरमदमनी राय १००) कन्हैयालाल टहलराम किर्गची १२३) लाला सौरनन्द सिधदराबाद ६०) घनायसिंह नुधियाना १८॥) गणपतिराम विद्यार्थी अमृतसर २) प्रियक दामादर पुस्तके उज्जैन २५) श्रीमती किशनवन्ता प्रयाग १०) रामजी वेस्टर्जी मेरठ ५) गोविंदराम सिध २) श्रीनिवास हिमालसिग भागलपुर २१) मंत्री लहनाल कांग्रेस कमिटी अग्रमोली के द्वारा ५६) राज-बहादुर शुक्र हरदे १) पंजाब प्रान्तीय मंत्रिमति के द्वारा ५००) शुक्रदेवप्रसाद बांदा की मार्फत १९) धर्मपत्नी महेंद्रनाथ भागीव ५) दामोदरदास त्रिजलाल धूलिया ५) खेदासल परमदयाल गोविंदगढ की मार्फत १९) लाल गोपाल अलपुर ५) धर्मपत्नी विश्वेश्वरदयाल चतुर्वेदी आगरा ५) धर्मपत्नी महावीरसिंह आगरा २) सुरलीधर बकाल अमाला १७) गणेशदाम टहन गुजरात (पंजाब) ११) शुभनाम ५) हरमरूप मुलन्दशहर ५) बनारस म्युनेसिपल्टी के शिक्षकों का मूा २) श्री रागदान गोंड और उषा धर्मपत्नी, बनारस, का मूत १) रघुनाथ बहुरसिंह जौनपुर १०) बानानाथ करगसिंह लोथाभुसा १०) कर्पूरचंद पाटणी जैन जयपुर २५) हरीलाल गांधिया २५) श्रीमती उत्तमादेवी असोरा १००) श्रीमती भगवानश्री देहली ५०) हनुमान सठाणी ५१) इगोरामजी जाजेंदिया ५) इगोदा गोम्राणी, ११) खेना जाट ५) लक्ष्मणगढ; रामकिसन डालभियां चिगवा के मार्फत ३५०) सहस्राल कांग्रेस कमिटी गोंधिया के मार्फत ७३२॥)॥) जिनकी सहायता— मुलजी शिक्षा कं० ५१) मोतीरामजी चौधमल ५१) सुप्रदान २५) महावीरप्रसाद अयोध्यागद २१) मोहनलाल हरगोविंद २१) राम- गोपालजी रामविराज १५) हिमालालजी बलश्व ११) गंगराज गणेशराम ११) लक्ष्मनराम रामप्रताप ११) लोटापाल जेडाभाई ११) जगन्नाथजी भूरमल ७) परमानंदजी दयाराम ७) सालगरामजी सुख-देव ५) चतारभुजजी गिरधारीलाल ५) जिहारीलालजी शर्मा ५) गोविंदरामजी बालचरग ५) विजयराजजी मिरचीलाल ५) जिवनरामजी सुवदूलाल ५) शंकरलालजी रामन्द ५) काजी पातदार ५) निर्भारामजी कन्हैयालाल ५) श्रीमती रतियाभाई ५) बदी-नारायणजी राजमल ५) रामगुलजी जंगोपालजी ५) आनिधाराजी बालकिसन ५) रामदयालजी धनालाल ५) हसरामजी जूराकाजी ५) नैनसुखजी कनौरामजी ५) जैनारायणजी मूरजमलजी ५) रामनाथजी किसनलालजी ५) शिवनारायणजी कन्हैयालालजी ५) माहन हरबन ५) हिरजी कल्याणजी ५) रानशी लडा ५) नरसीभाई लौलाधर ५) अमरनाथ बाबू ५) लाला वचुलालजी ५) छन्ू गिया ५) जाती-

प्रसाद दौलतराम ५) चिखर कं० १७६॥)॥) माईलाल मीखामाई कम्पनी २१) गगारामजी विठोबाजी २१) मुलजी शिक्षा कंपनी २१) मोहनलालजी हरगोविंद २१) पटेलभाई बकोरभाई ११) रामकिसनजी रामनाथजी ११) हरीसिंहजी कन्हैयालालजी ११) शिवदयालजी लछमीनारायणजी ११) कायूजी सीतारामजी ११) हाजी बलीमहम्मद हाजी मुलेमान ७) महादेवजी चुन्नीलालजी ५) चुन्नीलालजी हीरालाल ५) शिवदयालजी बहीनारायणजी ५) रामगोपालजी बाबूजी ५) चिखर रकम १३) राजस्थान सेवा संघ अजमेर की मार्फत—गाराजी खेंगारजी कच्छी ५) वंघ रामचंद्र शर्मा डाक्टर अवालाल ३) मुंशी ललता- प्रसाद २) बाबू चुन्नालाल १-) राजस्थान सेवा-सघ के कार्यकर्ताओं के आठ दिवसी की सचत के ३) प. गगाधर १) प. गुरुदयाल १) इसके अलावा कुछ कपडे और चांदी के कटे के दो टुकडे । सेवासमिति जैतों की मार्फत—जयचंदभाई जीवाभाई १०) मूलचंद माधीजी १०) ममलदास भोय्याभाई ५) चांडुनल बलीराम ७) नदराम गुरुवाराम ५) चैनमुल्लराय हरजीमल १०) आत्मानंद जैन सभा, अम्बाला की मार्फत— गोपीचंद जैन ५) मंगतराय ४) चिरीजीलाल ३) वलायतीलाल २) चन्दनमल २) हरीचंद २) जिनदाम २) भागमल १) परशराम १) टेकचंद १) चेतनदाम १) रचनाराम १) पारसदाम १) विलायतीगाम १) विश्वोरीलाल १) गगाविशन १) तीरथराम ॥)

**गुजरात प्रांतिक समिति में वसूल**

ता. २७-८-६४ तक ४३०४-३-०  
उसके बाद ता० ३० तक १९९४-१४-९  
जॉइंट ६३८९-१-९

**यंग इंडिया, नवजीवन और**

**हिन्दी-नवजीवन के दफ्तरों में वसूल—**

यं० इ० में स्वीकृत ४,४-७-१०१९  
उसके बाद ता. २९-८-२४ तक १३३-१४-९  
जॉइंट ५३०४-९-६  
इन्में बर्ष-शाखा के शामिल हैं— २५-८-०  
उनके कम करने पर शेष ५०५४-९-६

इस सप्ताह की रकम में नीचे लिखी रकम भी शामिल है—

जगलाम पांडे नेर २५) गोपालदास नादेवर बनारस ५) खेजवां आदर्श पुस्तकलय काशी १५) दीपचंद मोडा बैतूल १५) रामचन्द्र धामपुर १५) कुमारी शान्तिदेवी लखनऊ १-) रामदयाललाल भटनी ५) विमला देवी लाहौर ३) लाला निलकराम कटनी २५) लाला भीमसेन सचर गुजरातवाला १११) भेजर जे. एल्. लिंवर सिलवर १०) सत्यवान प्रयाग ११) मुन्कराज. मंत्री सेवासमिति भोपाल के मार्फत ६२॥)॥) लालसिंह सकर ११) जुगलकिशोर मुन्तार सरसावा ३०)

**नवजीवन की बर्ष-शाखा में वसूल**

पिछले सप्ताहों में १७५-४-०  
ग. इ. में स्वीकृत ता. २१-८-२४ तक ८७६-१२-०  
उसके बाद ता. २९-८-२६ तक मिले व्यौर की रकम १५४१-१२-०  
जॉइंट २३७३-१२-०  
इन्में शामिल किये गये पूर्वोक्त २५०-८-  
कुल जॉइंट २८,८४०-१५-३

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ४

सुरक्ष-प्रकाशक  
 वैष्णोकाक छापनालाल दूब

अहमदाबाद, भादों सुदी ९, संवत् १९८१  
 रविवार, ७ सितम्बर, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 मारंगपुर सरकोगरा की बाड़ी

## टिप्पणियां

### लघुसम समापवर्तक

मंबई के एक्सेल्सियर थियेटर में हुआ मेरा भाषण पाठक अत्यंत पढ़ेंगे। उसमें पाठकों को एक सूचना मिलेगी। अभी देश में निम्न निम्न दल हैं। वे एक-दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुतांश में वे यह जानते भी नहीं हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। उन सबके एकत्र करने के संबंध में वह सूचना मैंने की है। क्योंकि मैं जहां जाता हूँ लोग मुझसे कहते हैं, गांधीजी, सब दलों को एकत्र कर लीजिए। इसलिए मैं इस बात की चेष्टा कर रहा हूँ कि किस तरह वे निम्न निम्न शक्तियां एकत्र हो सकती हैं, दूसरे शब्दों में यह कहूँ कि वे कौनसी बातें हैं जिनमें उन लोगों की एक बड़ी तादाद, जिन्होंने कि देश के सार्वजनिक जीवन को बनाने में कुछ योग दिया है, परस्पर सहमत हैं या हो सकते हैं अथवा जो हमारे आन्तरिक शक्तियों की बढ़ती के लिए अनिवार्य है। हाँ, बाहरी बातों से भी कुछ काम बन सकता है, पर मेरा स्वभाव ही ऐसा बना हुआ है कि मैंने अपने सारे जीवन भर भीतरी शक्तियों और गुणों की बढ़ती का ही विचार किया है। यदि भीतरी शक्तियों का प्रभाव न हो तो बाहरी बातों का प्रयोग बिल्कुल निरर्थक है। यदि शरीर की भीतरी शक्तियां पूर्णता को पहुंच गई हों तो बाहरी प्रतिकूल परिस्थिति और प्रभावों का उस पर कुछ असर नहीं होता और न उसे बाहरी साधनों की सहायता की ही अस्मरत रहती है। एक बात और है। जब कि आन्तरिक अवयव घुटने हों तो बाहरी सहायता अपने आप उभरती और खिंचती हुई चली जाती है। इसीसे यह कहावत पढ़ गई है कि ईश्वर उन्हीं का सहायक है जो खुद अपनी सहायता आप करते हों। अतएव यदि हम सब मिलकर भीतरी अवयवों की पूर्णता के लिए प्रयत्न करेंगे तो हमें दूसरी किसी दल-बल में पड़ने की मुत्सुकता नहीं। पर हम चाहें ऐसा करें या न करें—कम से कम महासभा की तो भीतरी विकास तक ही अपने काम को सीमा बांध लेनी चाहिए।

अच्छा, तो अब ऐसी बढ़ती या उन्नति के लिए आवश्यक लघुसम समापवर्तक क्या हो सकता है? मैं बराबर कहता आया हूँ कि वह है चरखा और खादी, तमाम धर्मों की एकता, और हिन्दुओं के भीतर सुआहत का त्याग। आखिरी दो बातों में बाध है

किसीका मत-मेद हो। पर मैं जानता हूँ कि चरखा के संबंध में अर्थात् सारे राष्ट्र के लिए चरखा कातने और खादी धारण करने की आवश्यकता और इन कामों के करने भी विधि के संबंध में—अब भी कुछ मत-मेद है। अन्यत्र मैं इस बात को दिखा चुका हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए खादी की कितनी आवश्यकता है और घर घर चरखा कातना ही हमकी एकमात्र विधि है।

### कब खातमा होगा ?

पर लोग पूछते हैं कि 'काम ... का खातमा आखिर कब होगा?' सो मेरा जहां तक तात्कालिक है, मेरी तरफ से तो खातमा ही समझिए। मुझे अब आपस में लड़ाई लड़ने की कोई भावना नहीं रह गई है। आगामी महासभा के अधिवेशन में स्वराज्यवादियों से लड़ने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है। और न मैं नरम-दल वालों से ही लड़ना चाहता हूँ। मुलह के लिए अपनी तरफ से मेरी कोई शर्त नहीं है—या अगर कोई शर्त है तो वह है मेरा भिक्षापात्र। मैं स्वराजी, नरम-दलवाले, लिबरल और कन्वेंशनवाले—सबसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस भिक्षारी की थाली में अपना कटा सुत डाल दें। यह है मेरी मनोदशा। अतएव मैं तो राष्ट्र के तमाम कार्यकर्तार्यों को सलाह दूंगा कि वे चरखा कातने, एकता बढ़ाने और जो हिन्दू हों वे सुआहत दूर करने ही में अपनी सारी ताकत लगा दें।

लेकिन अपरिवर्तनवादी मुझसे पूछते हैं कि ऐसी हालत में महासभा की समितियों का क्या होगा? सो मेरी धारणा तो यह है कि हमारा सारा गंगठन छिन्न-भिन्न हो गया है। हमारे पास नाम लेने लायक मताधिकारियों का सघ नहीं है। और जहां कहीं रजिस्ट्रों में उनकी एक कसीर तादाद दिखाई देती है वहां वे लोग महासभा की कार्यवाही में उत्साह के साथ दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ऐसी हालत में हम स्वयंभू मताधिकारी और स्वयंभू प्रतिनिधि हैं। जब मताधिकारियों की यह दशा है तब उन मुकामों पर कटुता पैदा हुए बगैर नहीं रह सकती जहां कि एक-दूसरे के खिलाफ उद्दीभवार खड़े होंगे। बिला ताबस्तुय के काम उसी हालत में हो सकता है जब कि मताधिकारियों का तादाद बहुत बड़ी हो, वे सब बातों का अच्छी तरह समझते हों और खुद किसी बात का प्रस्ताव कर सकते हों। इसलिए मेरी यह सलाह है कि जहां काम करा जाय संघर्ष की संभावना हो और शब्द दोनों का

बंटी हुई दिखाई दें वहाँ अपरिवर्तनवादियों को चाहिए कि उम्मीद-बारी से हट जायें। और जहाँ कहीं संघर्ष की सभावना न हो तथा जहाँ रायें बहुत भारी तादाद में उनके पक्ष में हो, वहाँ वे पदाधिकारी बने रहें या अपना बहुमत बनाये रखें। किसी तरह की चालाकी, चालबाजी या धोखे-धली से काम न लिया जाय। अताधिकारियों का दुरुपयोग करना—ऐसी-वैसी बात नहीं है। कार्यकर्ता लोग ऐसा करके अपने सिर पर एक भयकर जिम्मेवारी लेते हैं। बहुमत के द्वारा जिन सरकारों का संचालन होता है, ऐसे दुरुपयोग और कर्तव्य-भ्रष्टता को उनके कपाक की काशिमा ही समझिए। ऐसी हालत में जो इन बातों की ज्यादा कद्र करते हैं कम से कम उन्हें इनमें शरीक न होना चाहिए।

### समापति के बारे में

महासभा का समापति कौन होगा, यह बात अभीतक तय नहीं हो पाई है। बहुतों के लिए यह भी काम के एक रहने का कारण हो सकता है। खेद है, जब से मैंने सार्वजनिक जीवन में फिर पांव रखा है तभी से मैं तमाम काम के रुकने का कारण बन रहा हूँ। मुझे इस स्थिति पर बड़ा खेद है। पर क्या किया जाय ? जिस बात की कुछ दवा नहीं हो सकती उसे सहन किये ही छुटकारा ! अभीतक मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ। मैं ऐसा समापति होना नहीं चाहता जिससे देश में फूट फैले। मैं उसी अवस्था में इस गौरव को प्राप्त करना चाहता हूँ जब वास्तव में उसके द्वारा देश की कुछ भी सेवा हो सकती हो। बात यह है कि मैं इन दल-बन्दीयों से-आपस की फूट-फाट से उकता उठा हूँ। जब चरखे के जेब में मैं था तब मैंने जर्मन कवि गेटे का फास्ट नामक एक नाटक हुआ था। बरसों पहले एक बार मैंने उसे पढ़ा था। पर उस समय उसकी कुछ भी छाप मेरे चित्त पर न पड़ी थी। गेटे के सन्देश को मैं न ग्रहण कर पाया था। मैं नहीं कह सकता कि अब भी मैं उसे ग्रहण कर पाया हूँ। हाँ, मैं उसे थोड़ा-बहुत समझ जरूर पाया हूँ। उसकी एक स्त्री-पात्र है मार्गरेट। उसका हृदय दुःख और विषाद से व्याकुल रहता है। उसे 'नन नहीं पड़ती-शान्ति नहीं मिलती। कब्रों से छुटकारे का कोई उपाय नहीं मुझ पड़ता। वह चरखे का आश्रय ग्रहण करती है और वह मानों अपने गीत के द्वारा उसकी व्यथा और वेदना को बाहर निकालता है। चरखे के नजदीक उसे कुछ तसल्ली मिलती है। उसके इस चरित्र-चित्रण पर मेरा ध्यान जम गया। मार्गरेट अपने कमरे में अकेली है। उसका हृदय दुःख और निराशा से टूट-टूक हो रहा है। कवि उसे कमरे के एक कोने में पड़े चरखे के पास भेजता है। यह बात नहीं कि सान्त्वना के लिए वहाँ दूसरे साधन न थे। बडिया चुनी हुई पुस्तकों की लायबेरी थी, कुछ सुन्दर चित्र भी थे और एक हस्तलिखित सचित्र बाइबिल भी वहाँ रखी हुई थी। पर न तो चित्र, न वे पुस्तकें और न वह बाइबिल जो कि मार्गरेट के नजदीक ग्रन्थ-शिरोधार्य थी, उसे तसल्ली देने में समर्थ थीं। वह बरबस चरखे के नजदीक जाती है और जो शान्ति उसके पास आने से इनकार करती थी वही उसे मिल जाती है। उसकी उन हृदय-शापक पंक्तियों का अनुवाद यहाँ दिया जाता है—

छोड़ गई है शान्ति मुझे हा !

हृदय खिन्न अति हान्त, म्लान ।

हा ! जो गया, हुआ वह मेरा—

सदा—सदा को अन्तर्धान ॥

जिस थल पर वह नहीं, असंगल

है वह केवल धोर स्मरण ।

शोक, दुःख, चिन्ता, ज्वाल है  
मुझ दुःखिया की विश्व महान् ॥  
हीन, मलीन, विकल मन मेरा  
व्यथा-वेदना-व्याकुल है ।  
छीन, हीन, आहत, शिव मेरा—  
टूक-टूक, शोकाकुल है ॥  
छोड़ गई है शान्ति मुझे हा !  
हृदय खिन्न अति हान्त, म्लान ।  
प्रेम मुझे हा ! छोड़ तड़पती,  
हुआ सदा को अन्तर्धान ॥

आप इनके कुछ शब्दों को इधर-उधर कर दीजिए—बस वे पक्ष मेरी मानसिक स्थिति का चित्र आपके सामने खड़ा कर देंगे। जान पड़ता है, मैं भी अपने प्रेम से हाथ धो बैठा हूँ, और ऐसा मान्य होता है कि मैं राह भूँस गया हूँ-इधर-उधर भटक रहा हूँ। मुझे अनुभव तो ऐसा होता है कि मेरा सखा निरन्तर मेरे आसपास है—पर फिर मैं बड़ मुझसे दूर दिखाई देता है। क्योंकि वह मुझे ठीक ठीक राह नहीं दिखा रहा है और साफ साफ हुकम नहीं दे रहा है। बल्कि, सन्ता, गोपियों के छलिया जटझट रूप की तरह बड़ मुझे बिढाता है—कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है और कभी फिर दिखाई देता है। जब मुझे अपनी आँखों के सामने स्थिर और निश्चित रूप से प्रकाश दिखाई देगा तभी मुझे अपना पथ साफ साफ मान्य होगा और तभी मैं पाठकों से कहूँगा कि आइए, अब मेरे पीछे पीछे चालिए।

तबतक मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपना चरखा लेकर बैठ जाऊँगा और उसीके संबंध में कहूँगा—सुनता, रहूँगा या लिखता—लिखाता रहूँगा और पाठकों को उसकी आवश्यकता और उपयोगिता जंचाता रहूँगा। अब जब कि मैं सब तरह अकेला पड़ गया हूँ—चरखा ही मेरा मित्र है, यही मुझे तसल्ली देनेवाला है, मेरा अमोघ शान्तिदाता है। परमात्मा करें, पाठकों के लिए मैं यह ऐसा ही माहित हो। मेरे एक और मित्र भी हैं जो कि मार्गरेट की और मेरी तरह दुःखाकाशत हैं। वे भी कहते हैं—  
“हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने हमें चरखा दे रखा है। और मुझसे जितना होता है, चरखा कात कर अपने दिल को तसल्ली दिया करता हूँ।”

### फिर नागपुर

टापटर मुझे ने मुझे बताया है कि मैं नागपुर के हिन्दू-मुस्लिम-तमाज के बारे में कुछ न लखूँ। यह तोसरा दफा नागपुर के हिन्दू-मुस्लिमान आपस में लड़े हैं और एक दूसरे के साथ मार-पीठ की है। क्या उन्होंने इस बात का अहद कर लिया है कि जब हम अपने पशु-ल को आजमा देखेंगे तब कहीं जाकर शान्ति के साथ किसी मुलह पर विचार करने के लिए बैठेंगे ? क्या दोनों के वैमनस्य को मिटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता ? ऐसा मान्य होता है कि नागपुर में दोनों दलों में बराबर बराबर दम-खम है। इतना होने हुए भी उन्हें जल्द ही पता लग जायगा कि हसेना लठ-पात्री करने रहने से कुछ हासिल न होगा। अहद ही नागपुर में ऐसे कितने ही समझदार और तटस्थ हिन्दू और मुस्लिमान होंगे जो दोनों के झगड़ों का विपटारा करा दें और पिछली बुराइयों को भुलवा दें। मन्दिरो के अपवित्र सिद्धे बाने की तरह इके-दुके राहगीरों पर टूट पड़ने का क्या तरीका और बिकल पड़ा है। बहुतेरे सगड़े ता क्षणिक होते हैं और उनका कारण होता है छोटी-मोटी बातों में बात का बड़ जाना और लोगों का उभड़



कठका । लेकिन वेकुसूर लोगों पर दृष्ट पटना तो यहाँ दिखाता है कि दोनों ओर से ऐसी कोशिशें जान-बूझ कर और किसी साम्य तन्त्रवीज के मुताबिक हो रही हैं, पर जबतक दोनों दलवालों की तरफ से ठीक ठीक और विश्वसनीय समाचार न मिलें तबतक मुझे चुपचाप सहन करना काजिमी है । ऐसी अवस्था में मैं सिर्फ इतनी आशा भर कर सकता हूँ कि समझदार और सदस्थ लोग दोनों जातिवर्गों में राजी-रजामन्दी के साथ स्थायी शान्ति करा देने में कोई बात न ठठा रखेंगे ।

**काशी में कत्तारें**

अध्यापक रामदास गौड़ काशी की म्युनिसिपल पाठशालाओं में बरखे का प्रचार कर रहे हैं । उन्होंने अपने काम की रिपोर्ट भेजी है; जिससे जाना जाता है कि उन्होंने किस प्रकार वहाँ कठकों में बरखे का प्रवेश कराया । पहले तो उन्होंने ४० पुराने बरखे और पुनकने के धनुड़े आदि करीबे । फिर उन्होंने १३ शिक्षकों को सूत कातना सिखाया । उन शिक्षकों ने दूसरे साथी शिक्षकों को बताया । इस तरह कुछ ऊपर एक महीने में १७५ शिक्षक आठे कत्तारों के जस्ताद बन गये । गौड़जी को धर्मपत्नी और कन्या ने इसमें उनकी सहायता की । इसपर गौड़जी अभिनाम के साथ कहते हैं कि हर एक पाठशाला में कोई बरखा मास्टर अलहदा रक्खा जाता तो कमसे कम-१००००) साल खर्च उठाना पड़ता.....कोई ५-६ सप्ताह तक मैंने अपना सिर्फ ४ घण्टा समय मौजूदा शिक्षकों को कातना सिखाने में लगाया और यह समस्या हल हो गई ।” आगे आप कहते हैं “अब ऐसा कोई शिक्षक नहीं रह गया है जो कातना या पुनकना न जानता हो और आगे ऐसे किसी स्त्री या पुरुष का शिक्षक की जगह नहीं दी जायगी, जो पुनकना और कातना न जानता हो ।” गौड़जी अपने आगे की तन्त्रवीज इस तरह बयान करते हैं-

“जब यह कठिनाई हल हो गई तब मैंने बोर्ड में एक सविस्तर तन्त्रवीज पेश की-२६ अपर प्राइमरी स्कूलों में ३५० बरखे दाखिल किये जाय, कमसे कम ७०० कठकों को पुनकना और कातना सिखाया जाय, ६ करघे धुनाई के लिए जारी किये जाय, एक जुलाई-शिक्षक, एक निरीक्षक, एक बठई और इतना कपास दिया जाय जिसमें हर विद्यार्थी आध घण्टे तक रोज काम कर सके । इसके लिए ६०००) प्रति वर्ष दरकार है । पर बोर्ड इसपर पक्षोपेक्ष में पड़ी और दो महीने तक इस सवाल को आगे धकती रही । आखिर पिछली २६ जुलाई का बोर्ड ने एक साल के लिए ६,०००) मंजूर किया । ऐसी हालत में मुझे कपास की मद प्रायः बिल्कुल निकाल देनी पड़ी और दूसरी मदों में भी इस तरह काट-काट करनी पड़ी जिससे काम छोटे पैमाने पर बामिजाज चल सके । अब मैं सिर्फ ३०० बरखे और ६०० चमरखें आश्रम के नमूने के मंगा रहा हूँ । आश्रम में मैंने जो कुछ देखा उसके अनुसार कुछ बोझ घुंघार कर देने से मैं उम्मीद करता हूँ कि एक हजार कठके-कठकी कातना साँझ जायगे और राज बरखा कात कर अच्छा सूत निकाल सकेंगे । अब सिर्फ बरखों के बन जाने की इन्तजारी है-ये तो बनने ही बनेंगे । पर इस बीच मैं लड़के-लड़कियों के माँ-बाप और पाठकों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे कपास का इन्तजाम अपने घर से कर दिया करें । बरखा बगैरह चीजें मैं भूखा-जखरी बातें मैं बसा दिया कहूँगा और वे सिर्फ कपास का इन्तजाम करेंगे । सूत के माँलिक वे रहेंगे और अगर वे चाहे ना हमें दे कर खादी बनवा लेंगे । मैं मिलाई सिखाने का भी इन्तजाम कर रहा हूँ जिससे खादी की सिलाई सस्ती हो जाय ।”

लोग इस आज्ञादेश को दिलचस्पी और इमर्दों के साथ देखेंगे । मुझे आशा करनी चाहिए कि और शिक्षक भी अध्यापक रामदास गौड़ का अनुकरण करेंगे ।

**महाभार-सैकट-निवारण**

मलाबार के प्रलय-पीडित जनों की पुकार का जवाब धन और कपड़े-लते दोनों के रूप में अच्छी तरह मिल रहा है । परन्तु सबसे अधिक खन्तोबजनक बात यह है कि गरीब-गुरबा भी इसमें अपनी तरफ से अच्छी सहायता कर रहे हैं । अछूत-भाई भी दिल खोल कर बन्दा भेज रहे हैं । मेरे सामने इस समय एक मर्मस्पर्शी पत्र रक्खा हुआ है । उससे जाना जाता है कि एक कुटुम्ब ने अपनी सारी बचत की रकम भेज दी है । यह रकम उन्होंने तरह तरह से कम खर्च करके बचाई थी । प्रोप्रायटरी हाईस्कूल, अहमदाबाद के लड़कों ने ७५०) दिये हैं । गुजरात महाविद्यालय ने ५००) दिये हैं, जिनमें से २००) की उन्होंने नंगों के लिए खादी खरीद की है । मुझे यकीन होता है कि ऐसे दानों की अगर पहुंचने से हमारे उन पीडित भाइयों को जरूर सभी तसल्ली होगी । मैं आशा करता हूँ कि कार्य-कर्ता लोग इस बात को महसूस कर लेंगे कि कुदरत ने हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में कोई भेद-भाव नहीं रक्खा है । और इसलिए वे भी ऐसे भेद-भाव से परहेज करेंगे । यदि भिन्न भिन्न दल के लोग अपनी अपनी संस्थाओं के द्वारा मदद पहुंचाने तो इसमें कोई हर्ज नहीं । पर अगर वे महज अपनी ही जातिवालों की सहायता करेंगे तो यह बिल्कुल नागवार होगा ।

**एक उपदेश**

“मुसलमानों की चापलूसी करने की ऐसी कत आपको पक गई है कि आप हमेशा यही मानते हुए दिखाई देते हैं कि आप उन्हें उसी अवस्था में हिन्दुओं के साथ रख सकते हैं जब कि उन्हें बिल्कुल दोषी न मानें । पर अब तो आपको न्याय की दृष्टि से दोनों पक्षों में निन्दा अथवा स्तुति बाँट देनी पड़ेगी । क्योंकि निर्बल और सीधे लोगों की ही हमेशा गलती निकालने और बलवान् तथा जाहिल लोगों की चापलूसी करने की नीति में बुद्धिमानी नहीं है ।”

एक हिन्दू-मित्र ने मुझे एक लंबा-चौड़ा उपदेश सुनाया था । उसका यह एक छोटा सा टुकड़ा है । मैं जानता हूँ कि दूसरे अनेक हिन्दू ऐसे ही विचार रखते हैं । पर सच बात यह है कि वहम और आवेश से भरे वायु-मण्डल में मेरी निष्पक्षता के पक्षपात समझ लिए जाने की बहुत आशंका है । यदि मैं इस्लाम अथवा मुसलमानों का जरा भी बचाव करता हूँ तो उन हिन्दुओं को आश्रम तौर पर चोट पहुंचती है जो इस्लाम अथवा मुसलमानों के अन्दर किसी भी अच्छी चीज को देखने से इनकार करते हैं । पर इससे मैं निश्चित नहीं होता । क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी न किसी दिन तो मेरे हिन्दू आक्षेपक मेरी दृष्टि की यथायथा को कुबूल करेंगे । शायद वे इस बात को भी मानेंगे कि जबतक एक पक्ष दूसरे पक्ष का दृष्टि-बिन्दु समझने, उसकी कदर करने और उसके लिए कुछ झुकने को तैयार न हो तबतक एकता होना असंभव है । इसके लिए चाहिए बड़ा दिल, चाहिए उदारता । हमें उसी त ह दूसरों के साथ वर्ताव करना चाहिए जिस तरह हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ करें ।

( ५० ई० )

मो० क० गांधी

निम्नल भारतवर्षीय पन्त्रहवा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन आगामी ७-८-९ नवम्बर १९२४ को होना निश्चित हुआ है । हिन्दी पत्रों और पुस्तकों की एक प्रदर्शनी भी होगी । समाचार-पत्र और पुस्तकें भेजने की प्रार्थना यन्त्रीजी करते हैं ।



## हिन्दी-नवजीवन

रविवार, भादों सुदी ९, संवत् १९८१

### पतितों के लिए

कोई तीन साल पहले बरीसाद में मुझे हमारी पतित बहनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जो हमारे—पुरुषों के विषय-भोग का शिकार हो रही हैं। उनमें से कुछ ने मुझसे कहा था—  
“तुम्हें दो से तीन रुपया रोज आमदनी होती है। आप हमें ऐसा कोई काम बताइए जिससे हमें इतनी आमदनी हो जाय करे।” एक क्षण के लिए तो मेरा कलेजा बैठ गया—पर तुरन्त ही मैं सँभल गया और कहा—“नहीं, बहनों, मैं तुम्हें ऐसा तो कोई काम नहीं बना सकता जिससे तुम्हें २-३) रोज मिल सके; पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि तुम यह पेसा छोड़ दो, तुम्हें भूखों भी मरना पड़े तो हर्ज नहीं। हाँ, चरखा एक ऐसी चीज है। अगर तुम उसे अपनाओगी तो यह तुम्हारी मुक्ति का माध्यम हो सकता है।”

वे पतित बहनें तो भारत के पतित जन-समाज का एक अस्पांश-भाग हैं। उन्नीस के नर-काल भी एक अर्थ में इसी समाज के अंग हैं। पतित बहनें जिस प्रकार हमारे विषय भोग का शिकार हो रही हैं उसी तरह वे उन्नीस के इन्हीं-चमड़े के पुतले हमारे अज्ञान के शिकार हो रहे हैं। हमारी इन्द्रियों की पाशविक लुत्ति नहीं, बल्कि धन की भोगभिलाषा ने उन्हें अस्थिरवर्ति-व्यथित कर दिया है। उनके कलेजे के तून से हम मालामाल हो रहे हैं।

पर, अब, ईश्वर को शन्यवाद है कि हम मध्यवर्ग के पढ़े-लिखे लोग अपनी पतिंग बहनों और दुष्वा-पीडित भाइयों के दुःखों को अपना दुःख बनाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। हम स्वराज्य इच्छी-लिए चाहते हैं कि जिससे उन्हें जीवन मिले। पर हम सब लोग गांधी में आ कर देहातियों की सहायता नहीं कर सकते। हमारी पतित बहनों का विषय हमें चौबीसों घण्टे इस बात की याद दिलाता रहता है कि हमें अपना चरित्र निर्मल, निष्कलक करना चाहिए। तब सवाल है कि हम कौन उपाय करें जिससे हमें बराबर उनका खयाल होता रहे, उनकी दुःस्थिति से हमारा हृदय व्यथित होता रहे? हर रोज उनके लिए हमें क्या करना उचित है? हम कमजोर हैं, इतने कि थोड़ा-बहुत जो कुछ उनके लिए कर सके वही गनीमत। तो वह कौनसा काम है? मेरी नजर में तो भिया चरखे के और कुछ नहीं दिखाई देता। वह काम ऐसा होना चाहिए जिसे अपढ़-कूपक और पढ़े लिखे, भले और बुरे, बालक और बूढ़े, स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियाँ, कमजोर और ताकतवर, फिर वे किसी जाति और धर्म के हों, कर सकें। फिर वह ऐसा होना चाहिए जो सब के लिए एक ही एक-सा हो। सभी उससे कुछ काम बन सकता है—वह फलदायी हो सकता है। चरखा ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें वे सब गुण हैं। अतएव जो कोई स्त्री या पुरुष रोज आध घण्टे चरखा कातता है वह भरसक अच्छी से अच्छी सेवा जन-समाज की करता है। यही नहीं, वह भरत-भूमि के पतित मानव समाज की सेवा तहे दिल से और सेवा के भाव से, करता है और इस तरह उनको सेवा के लिए स्वराज्य का दिन पर दिन नजदीक लाता है।

हम भारतवासियों के लिए तो चरखा अपना तमाम सार्वजनिक और सामुदायिक जीवन की नींव ही समझिए। उसके बिना किसी भी प्रकार के स्थायी सार्वजनिक जीवन का निर्माण करना असंभव है। यही एक ऐसा प्रत्यक्ष प्रेम-वाद्य है, जो हमें अपनी अन्ध-भूमि के छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ जकड़ कर बांधता है; और उन्हें आशा का सन्देश पहुंचाता है। हाँ, यदि जरूरत हो तो हम चाहे और चीजें उसके साथ शामिल कर लें; पर सब से पहले हमें उसकी जड़ मजबूत कर लेना चाहिए। होशियार कारीगर पहले हमारा ही बुनियाद को पक्का कर लेता है—फिर उसपर संजिले काँचना है और इमारत जितनी ही बड़ी और ऊँची बनायी जाती है उतनी ही अधिक गहरी और मजबूत वह नींव को करता है। अतएव यदि हम चाहें कि चरखे की कुछ करामात हमें दिखाई दे तो हमें धर धर उसका प्रचार कर देना चाहिए।

परन्तु चरखा आली देश के ऊँचे और नीचे लोगों की ही एक शृंखला में नहीं बाँधेगा, बल्कि वह देश के विविध राजनैतिक दलों को भी एक सूत्र में बाँधने का साधन होगा। तमाम दल के लिए यह सर्व-साधारण होगा। वे चाहे तो भले ही दूसरी तमाम बातों में मत-भेद रखते रहें, पर कम से कम इसपर सब सहमत हो सकते हैं।

अतएव मैं हरएक शक्त से, जिसके हृदय में अपने देश के-प्रति प्रेम हो, जो देश के हरिद्र और पतित भाइयों से अनुराग रखता हो, प्रार्थना करता हूँ कि कृपा कर आध घण्टा रोज अपना समय चरखे के लिए दीजिए और उनके लिए, ईश्वर के नाम पर, एकसा और मजबूत मृत मेजिए। राष्ट्र के लिए उनकी तरफ से वह दान होगा। अतएव वे अ० भा० आदी-मण्डल के पास उसे भेज दें—बराबर नियम से जैसे कि किसी धार्मिक नियम का पालन वे करते हों।

( य० इ० )

मीरठकराज करमचंद गांधी

### हृदय-दर्शन

[ पिछले समाह गांधीजी के कई भाषण बंबई में हुए। उनमें एक भाषण प्रायः शब्दशः यहाँ दिया जाता है। समा में भिन्न भिन्न दलों के बक्का और लोग एकत्र थे। अनेक बक्काओं ने गांधीजी की अपार प्रशंसा की थी। श्री जमनादास द्वारकादास ने अपने भाषण में गांधीजी के लिए 'गांधीजी' शब्द का प्रयोग किया। इस पर कुछ लोग चिल्लाने लगे 'महात्माजी' कहिए। जमनादासजी ने शिष्टतापूर्वक उत्तर दिया—'महात्मा' शब्द गांधीजी को प्रिय नहीं है। मैं उनको अप्रसन्न करना नहीं चाहता। उन्होंने यह भी कहा कि गांधीजी को मैं भारतमाता का सबसे श्रेष्ठ पुत्र मानता हूँ। इसी घटना के बंदोबस्त उस दिन की पंचरंगी सभा को गांधीजी के अगाध हृदय के विषय, करुणा और प्रेम-भाव का दर्शन हुआ।

सरोजिनी देवी ने अपने भाषण में एक गुरु की कथा कही थी जिसका शिष्य जहाँ जाता बहुत खेलता था, पर गुरु चुप रहते थे। और एक जगह गुरुने शिष्य से कहा कि यदि लोग मेरे आचरण का नहीं देखते तो फिर मेरी बकवाद से क्या लाभ ?

उप-संपादक ]

“मेरा हृदियार

आज यहाँ इतने व्याख्यान हुए हैं कि यदि सरोजिनी देवी की सलाह के अनुसार मैं चुप ही रहूँ तो शर्म नहीं। पर इसमें एक कड़िवाई है। मैं अपना हृदियार धर रख आया हूँ। यदि उसे यहाँ काया होता तो आपको पदाथ-पाठ दे कर कहता कि सब चरखा के धर मेरी तरह कातने लग जाइए।

**सुपचार्य मन्त्र**

मुझे पता नहीं था कि सरोजिनी बहन से आज ऐसी नसीहत मिलेगी, या मेरे भाग्य में इतने स्तुति-स्तोत्रों को सुनना क्या होगा। मैं अपनी तारीफ सुन सुन कर थक गया हूँ। आप विहित प्राप्ति, तारीफ मुझे जरा भी नहीं सुहाती। पर यहाँ इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिन्होंने मेरी प्रशंसा की है उनका मैं कृतज्ञ हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे श्री अय्यर के कथनानुसार सुपचार्य मुझे सहायता करें। यदि आप सब की मूक सहायता मुझे मिलेगी तो इस गहरी जिम्मेदारी वाले काम का भार उठाया जा सकेगा।

**प्रायश्चित्त**

कुछ और कहने के पहले मैं कुछ भाइयों से प्रायश्चित्त करना चाहता हूँ। जब कभी हम किसी सभा में जायें तो वहाँ हमें शिष्टाचार का पालन पूरा पूरा करना चाहिए। सभा में जो लोग नियमित स्थिति में आते हैं उनके स्वभाव और रुचि को देख कर हमें उनके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सकें तो बहुत ही बुरा न जायें। सभा के इस नियम का भंग दो-तीन भाइयों ने किया है। भाई जमनादास ने जो कुछ कहा वह अक्षरशः सच था। 'महात्मा' के नाम पर अनेक बाह्यवात जाते हुए हैं। मुझे 'महात्मा' शब्द की बदबू आती है। फिर जब कोई इन बातों का इस्तेमाल करता है कि मेरे लिए 'महात्मा' शब्द का ही प्रयोग किया जाय तब तो मुझे असह्य पीडा होती है, मुझे सिन्धवा रहना भारभूत मालूम होने लगता है।" यदि मैं इस बात को जानता न होता कि मैं ज्यों ज्यों 'महात्मा' शब्द के प्रयोग न करने पर जोर देता हूँ त्यों त्यों उसका प्रयोग अधिकाधिक होता है तो मैं जरूर लोगों का मुँह बंद कर देता। आरम्भ में मेरा जीवन बहता है। वहाँ हर एक बच्चे, लड़की, पुरुष सब को आह्ला है कि वे 'महात्मा' शब्द का प्रयोग न करें, किसीको पत्र में भी मेरा उल्लेख 'महात्मा' शब्द के द्वारा न करें। मुझे वे सिर्फ गांधी या गांधीजी कहा करें। जिन लोगों ने भाई जमनादास को रोका है उन्होंने मेरे प्रति शिष्टाचार का भंग किया- नहीं, बल्कि आप सब के प्रति अशिष्ट व्यवहार किया, शान्ति का भंग किया। हमारा संग्राम शान्तिमय है। विनय और शिष्टाचार के बिना शान्ति कैसे हो सकती है? विनयहीन शान्ति अब शान्ति होगी। हम तो चैतन्य के पुजारी हैं। और चैतन्यमय शान्ति में तो विवेक, शिष्टता, विनय जरूर रहता है। इसलिए मेरी सलाह है कि जिन लोगों ने जमनादासजी के भाषण में रोक-टोक की है वे सब उनसे माफी माँगें। जमनादासजी ने मेरी बड़ी स्तुति की है। पर अगर उन्होंने यह भी कहा होता कि गांधी के बराबर दुखदानी मनुष्य एक भी नहीं है—और जो ऐसा मानते हैं उन्हें ऐसा कहने का पूरा अधिकार है—तो भी उन्हें रोकने का अधिकार किसीको नहीं, तो भी हमें उचित है कि हम शिष्टता और सभ्यतापूर्वक उनके भाषण को सुनें [इस जगह दो-तीन लोगों ने उठ कर हाथ जोड़ कर जमनादासजी से माफी माँगी]

"अच्छी प्राणी हूँ"

अच्छा, अब कोई ऐसा कुसूर न करें। अितने मनुष्य उतने बस हुआ करते हैं। यदि हम एक दूसरे के विचारों को बरदाश्त न करेंगे तो कैसे काम चल सकता है? आज हिन्दू मुसलमान को सहन नहीं करते हैं और मुसलमान हिन्दुओं को नहीं कर रहे हैं और मन्दिरों को तोड़ते हैं। यदि दोनों सहिष्णुता का पाठ

सीख लें तो तबका झगड़े बंद हो जायें। सहिष्णुता से सब लोग अपने-सारे जीवन में लाभ उठाते हैं। एक बार आप उल्लास प्रसार हो गया कि फिर हिन्दू-मुसलमान बाराही सब एक दूसरे के विरोध को सहन करेंगे। हमारी प्रकृति में बाधक भावनाओं का सबसे बड़ी बन्दु है असहिष्णुता। मैं इस स्थिति को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अल्पप्राणी हूँ, महाप्राणी नहीं। यदि महाप्राणी होता तो इस असहिष्णुता को सहन ही टोक सकता। अभी मेरे अन्दर छद्मता, प्रेम, विनय, विवेक की कमी है। वहाँ तो आपको मेरी भाँसों में और जमान में यह बात दिखाई देती कि आप इसारे में समझ जाते कि शान्तिमय आसहयोग का यह तरीका नहीं है। मैं तो आपसे कह चुका हूँ कि बाहर हमारा हाथ नहीं है, अंगुलीय भी हमारा शत्रु नहीं है—बस आप अपना दुस्मन न मानिए—अपने ही उन्होंने काम सुमनों जैसा किया हो—अपपर आप हमामात्र रक्षिए। यदि हम उन तक को हिकारत की जरूरत है नहीं देख सकते तो फिर जमनादासजी को किस तरह उरदुरा सकते हैं। हमारे वहाँ अब कोई अतिथि जाता है तब हम अपने घर के लोग और इष्ट-मित्रों को दूर बैठकर उसे आसन पर बिठाते हैं। यदि जमनादास हमारे विरोधी हों तो भी वे हमारे अतिथि हैं। अतएव हम उनका अपमान नहीं कर सकते। और अगर वे हमारे भाई न हों तो उन्हें नीचा दिखाने की बात ही नहीं ठहर सकती।

आप लोगों ने जो जमनादासजी का अपमान किया, इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ था। पर आपके अत्यन्त बुरता के साथ माफी माँग लेने से वह दुःख मुझ के रूप में बदल गया है। यह-मुझे बड़ा अच्छा मालूम हुआ। जिन लोगों ने माफियाँ माँगी हैं उनका तो कल्याण होगा ही, पर हम लोगों का भी जो कि इस दम के साथी है, अवश्य मला होगा। ऐसे शत्रु भावनाओं में हमें नहीं दिखाई दे सकते। मैं नहीं आरासमा की चर्चा नहीं छेड़ना चाहता। इस उल्लेख के लिए अय्यर साहब मुझे क्षमा करें। इस प्रायश्चित्त में मुझे सबे त्वराज्य की जग दिखाई देती है।

**प्रलय-संकट-निवारण**

श्री० देवधर ने यदि मलाबार का जिक्र न किया होता तो भी हजे न था। क्योंकि आज हम मलाबार के भाई-बहनों के प्रति भाव-भाव प्रदर्शित करने के ही लिए एकत्र हुए हैं। आप लोगों ने तो क्यासक्ति टिकट खरीद कर उनकी सहायता की है। श्री० देवधर के भाषण का दुहेरा हेतु था। इसके अलावा उन्होंने आपसे निःस्वार्थ सेवा भी माँगी है। और मैं इससे सहमत हूँ। 'जबजीवन' और 'य. द.' के पाठकों को मालूम है कि मैं तो वहाँ से भी कहता हूँ कि अब हमारे सगे भाई-बहन भूके हों तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें अपने रुपये और नामे में से कुछ हिस्सा न दोगे? तुम कम खाना खाओ, कम कपड़े पहनो और बचत की रकम मलाबार के लिए दो। मैं इस तरह का दान आपसे माँगता हूँ। मुझसे बार बार यह सवाल किया जाता है कि हम दानों का सङ्ग्रह होता है या नहीं? यह सवाल उचित भी है और अनुचित भी है। जहाँ श्री० देवधर हों वहाँ अप्रामाणिकता हो ही नहीं सकती। कितनी ही बातों में इनके मेरे विचारों में जमीन-आसमान का अन्तर है, इनके कितने ही विचार मुझे पसन्द नहीं हैं; परन्तु इनकी पवित्रता के संबंध में मुझे जरा भी शक नहीं। इनके गरीब से घर में मैं जब जब जाता हूँ तब तब मुझे मालूम होता है कि इसमें आत्मा का निवास है। ये जंगलों में

बूझते हैं, धूप-छाँह की परवा नहीं करते, खराब आबहवा को नज़र न करने हैं—”इ सब महान शुद्ध-सेवा के लिए। अतएव इनके काम में हमें क्यों सहायता न देना चाहिए। हाँ, यदि ये चरका के विकास कुछ करें तो, मैं कहता हूँ, इनकी बात बिल्कुल न सुविण्णा।

‘अपूर्ण, सम्पूर्ण सकारण कैसे दे?’

हिन्दुस्तान मुझसे कुछ जाना कर रहा है। वह गम्भीरता है कि केरगाँव में मैं ऐसा कोई रास्ता बताऊँगा जिससे हम सब एक मत हो जायेंगे, कथना विरोधी विचारों को सहन करने लगे। मैं अपने आपको थोड़ा नहीं दे सकता। अपनी तारीफ़ सुनकर मैं यह नहीं मान लेता हूँ कि मैं उस तारीफ़ के लायक हूँ। मेरी स्तुति का अर्थ सिर्फ़ इतना ही है कि अभी मुझसे अधिक भाषा रखी जाती है—अधिक प्रेम की, अधिक त्याग की, अधिक सेवा की भाषा की जाती है। पर मैं यह किस तरह कर सकूँगा? मेरा शरीर अब कमजोर पड़ गया। उसका कारण है मेरे पाप। बिना पाप बिना अनुपम रोगी नहीं हो सकता। ईश्वर ने हमें शरीर बीरोगी रखने के लिए दिया है। पाप का मतलब है कुदरत के नियमों का जान वा अनजान में उल्लंघन। राज्य के कानून का उल्लंघन यदि वे-जाने भी हो तो दण्ड मिलता है। फिर प्रकृति के कानून के अंग होने का दूसरा परिणाम कैसे हो सकता है? चोर को मारो नहीं मिक सकती। हाँ, अपराध यदि अनजान में हुआ हो तो बचा बोली होती है। इसके अलावा और कोई नेद नहीं है। मैं जो बीमार हुआ उसका कारण है मेरा ऐसा कोई पाप ही। और जबतक मेरे हाथों ऐसे पाप जाय में वा अनजान में होते रहेंगे तबतक सयसना चाहिए कि मैं अपूर्ण अनुपम हूँ। अपूर्ण अनुपम सम्पूर्ण सकारण कैसे दे सकता है? इससे मैं उल्लंघन में पड़ा हुआ हूँ।

शान्त, मधुर, सत्याग्रह

फिर भी मेरे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। बस एक ही रास्ता है—सत्याग्रह। अबतक मैंने सत्याग्रह का भीषण स्वरूप देश के सामने उपस्थित किया है। अब शान्त, मधुर और गंभीर स्वरूप पेश करना चाहता हूँ। उसका अनुकरण यदि हो तो फिर सब ही सब है। मैं मानता हूँ कि मुझे सत्याग्रह-शासन पूरी तरह अवगत है। मुझे बराबर यह मय बना रहता है कि आज की हालत में भारतवर्ष उस स्वरूप को हजम न कर सकेगा। यदि हम समय के साथ शान्त स्वरूप का हस्तैमाक करेंगे तो बेलगाँव के पहले तक हम बहुत काम कर सकेंगे। इसमें सहयोगी, असहयोगी, कड़ अवशिष्टनवादी, परिवर्तनवादी, स्वराजी, लिबरल, कनेक्शनवादी, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, यहूदी, सब शामिल हो सकते हैं। सत्याग्रह का अर्थ केवल सविनय भंग ही नहीं है।

कल ही मैंने कितनी ही मूयनायें पण्डित म.ती.लाकजी के पास भेजी हैं। पण्डितजी के साथ मेरी कितनी बान्धता है, यह बात सब लोग जानते हैं। उनके पत्र में मैंने अपना सारा हृदय जक कर रखा दिया है। क्योंकि यदि मैं उन्हें समझा सका तो मैं औरों को भी समझा सकूँगा। विदुषी बेजेट कल मुझसे मिली थीं। उन्हें भी मैंने वे बातें कहीं। विदुषी बेजेट की उमर कहां? उनका अनुभव कहां? उनके सामने तो मैं एक बालक-सा हूँ। मैंने उसी तरह उनके सामने अपनी बात पेश की जिस तरह बच्चा माँ के सामने करता है। इसकी ही ममता के साथ मैं अपने बिचार श्री० साहसीजी के सामने पेश करूँगा। अगरेजों पर भी प्रकट करूँगा। यदि सब लोगों की समझ में आ जाय तो हमें तुरन्त इसका लाभ मिल सकता है। तफ़्तीक की बातों में मैं यहाँ पकना नहीं चाहता। आप इतना बकर समझ रखिए कि इसमें चरका अवश्य ही शामिल

है। मेरी तमाम योजनाओं के कोने कोने में चरका बकर रहेगा। इसके बिना न मैं जी सकता हूँ, न भारतवर्ष जी सकता है। मैं देखता हूँ कि ऐसा समय आ रहा है जब इसके बिना आपका भी काम न चल सकेगा।

दीन-दुखियों को भजो

आप मुझे ‘महात्मा’ मानते हैं। इसका कारण न तो मेरा सत्य है, न मेरी शान्ति है, बल्कि दीन-दुखियों के प्रति मेरा अगाध प्रेम ही उसका कारण है। चाहे कुछ भी हो जाय पर इन कड़ेहाक बरकंकारों को मैं नहीं भूल सकता, नहीं छोड़ सकता। इसीसे आप समझते हैं कि गांधी किसी काम का आदमी है। इसीलिए अपने प्रेमियों-रतनशी, जमनादास, पिकथाल, जयदर,—सबसे मैं कहता हूँ कि आप मेरे प्रति यदि प्रेम भाव रखते हैं तो ऐसी कोशिश कीजिए कि देहात के लोगों को, जिन्हें कि मैं प्रेम करता हूँ, अन्न-वस्त्र मिले बिना न रहे। इन दीन-दुखियों को आप भजिए। किस तरह भजेंगे? सो मैं बताता हूँ। जो सूट-मूट माका केरना होगा उसे मुक्ति कभी न मिलेगी, उन्नी अधाजति प्राप्त होगी; क्योंकि ऊपर से माला फेरने हुए वह अन्दर तो खुरी ही चिखता रहेगा। मैं मानता हूँ कि चरका चलाते हुए भी मेरे मन में मलिनता होने की संभावना है। पर मलिनता के होते हुए भी कानने के बाक फल से तो मैं बचित नहीं रह सकता। मैं तो सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि ईश्वर या खुदा का नाम लेकर मैं भारत के एक बच्चों के लिए चरका कानता हूँ और आपसे भी ऐसा ही करने की प्रार्थना करता हूँ। हा सकता है कि इसमें भूल है। भविष्य में भय-शाका सायद बतावेंगे कि इसमें भूल है, पर वे कुछ करेंगे कि इस भूल से भी लाभ ही हुआ है। क्योंकि उससे थोड़ा-बहुत सूत तो मिला होगा और देश में कपड़े की बढती हुई होगी। मुझे सर दिग्गजा वाकला का शिष्य ही समझिए। उन्होंने बताया है कि भारत में फी इसम २३॥ गज कपडा सरकार होता है; पर मिलता है सिर्फ़ २॥ गज ही। अर्थात् फी इसम ४ गज और पैदा करने की जरूरत है। यदि आप हर राज १०० गज सूत कातेंगे तो सूत का एक भारी ढेर लग जायगा। एक एक सूत के तनु से मजबूत रस्ती बन जाती है। यदि हम सब मिलकर सूत कातेंगे तो उससे हिन्दुस्तान का हम तक सकेंगे और बांध सकेंगे। मुझे तो अटक विश्वास है कि यदि आप एक बार कानने लगेंगे तो करेंगे कि गांधी ठीक कहता था।

मुझे इस बात पर विश्वास है कि मेरे प्रति आका जो प्रेम है उसका कारण और कुछ नहीं—यही है कि मैं दीन-दुखियों के साथ तदाकार हो गया हूँ। मैं अंगों के साथ अंगी हो सकता हूँ, डेड के साथ डेड होकर उसका काम कर सकता हूँ। यदि इस जन्म में असृश्यता न मिट जाय और मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े तो मैं चाहता हूँ कि अंगों के ही घर मेरा जन्म हो। यदि असृश्यता के कायम रहने के कारण मुझे हिन्दू-धर्म छोड़ देना पड़े तो मैं जरूर छान दूँ और कसमा पड़ दूँ या बसिस्मा ले लूँ। पर मुझे तो अपने धर्म पर इतनी भ्रष्टा है कि मुझे उसीमें जीना और उसीमें मरना है। सो इसके लिए भी यदि फिर जन्म लेना पड़े तो अंगों के ही घर में लूँगा। इसी कारण मैं कहता हूँ कि यदि अंगियों, डेडों, और उषीसा के कंगालों पर आपको दया आती हो तो आप जिहायती और मिक के कपड़े को भूल जाएँ और उन गरीबों का बगला और डेडों का बुना कपडा पहनिए। वे हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार कपडा किस तरह दे सकते हैं? वे तो अश्लील लोग हैं। काठिकाबाक की कितनी ही कंगाल बहनों को एक-दो आने भी नहीं मिलते।

उन्हें अब बरखे दिने गये तो उन्हें कुछ ऐसे मिलने लगे थे । भाव उनके चरखे बंद हो गये हैं । इसलिए वे दो चार पैरों के लिए रोती-फिरती हैं । ऐसी कितनी ही बहने हैं । इन बहनों को अब मैं कहूंगा कि अयकर कातते हैं, सरोजनी कातती हैं, विद्युज विसेंट कातती है, दादाभाई की पौत्री कातती हैं, शालीबी कातते हैं तो फिर उनके पास जाते हुए और उनके फिर बरखा कताते हुए मुझे शरम न आवेगी ।

**सदाश्रम नहीं चाहता**

मैं हिन्दुस्तान में सदाश्रम-दानशालायें नहीं खोलना चाहता । मैं तो सदाश्रमों को-दानशालायों को दूर करवा चाहता हूँ । मैं मानता हूँ कि सदाश्रम-दानशालायें हमारे सिर कटक हैं । इस लिए मैं चाहता हूँ कि सब स्वाभयवी बन जायें । इन बहनों को मैं चार पैसा मुफ्त नहीं दिलाया चाहता । मैं तो इन्हें केवल स्वाभयवी बनाना चाहता हूँ । यदि आप इन बहनों को दूसरे गरीबों को और वेध-भंगी को भी स्वाभयवी बनाना चाहते हों तो यह यह कुछ कीजिए । हर एक शम्स को अपने हाथसे कना हुआ २००० गज सूत देना चाहिए । फिर मैं एक साल ही मैं स्वराज दिला दूंगा ।

लेकिन बाद रलिए मैं भीयाद का वादा नहीं करता हूँ । अकेले आप ही कातते तो स्वराज्य मिल जायगा, यह भी नहीं कहता । लेकिन सब कातते तो स्वराज्य मिल जायगा, यह अवश्य कहता हूँ । यदि आप कातते तो यकीनन दूसरों से भी सूत कता सकेंगे । भगवद्गीता में कहा गया है "यद्यदाचरित श्रेष्ठः तव तदेवेतरो जना ।" अष्ट पुरुषों के बर्ताव के अनुसार ही दूसरे लोग भी चलते हैं । यह कहा जाता है प्रिन्स ऑफ वेल्स जैसे पोसाक के नये नये तरीके बदलते हैं वैसे ही दूसरे लोग भी बदलते हैं । आप लोग तो हिन्दुस्तान की जम्क सबसे जाते हैं-अथवा आप चाहते हैं कि आप जैसे ही समझे जाय । आप यदि कातना शुरू कर देंगे तो क्या दूसरे पैसा नहीं करेंगे ?

लेकिन इस बात को भी मैं छोड़ देता हूँ । आप लोगों के कातने से स्वराज मिले या न मिले किन्तु मैं आप लोगों से इतनी मिला जन्म मांगता हूँ कि यदि आपको मिसारियों के प्रति कुछ दया हो तो उस दया-भाव से प्रेरित हो कर भी आप उनके लिए कातिए । मिसारियों के साथ एक हो जाइए, आप अपने को उनसे मिला दें । मीराबाई ने तो यह कहा है:-

"सूतने तांतणे मने हरजीए बांधो

जेम ताणे तेम तेमनी रे

मने लागी कटारी प्रेमनी "

यदि अपने करोड़ों भाई-बहनों के प्रति हमारा ऐसा प्रेम रहे तो हम उन्हें और वे हमको सूत के तार से बांध लेंगे । मैं तो यही अर्धशास्त्र जानता हूँ, दूसरा नहीं ।

एक और बात भी कह देता हूँ । नागपुर के दगे की बात तो आपको सुनी ही होगी । हिन्दू के मन में मेल है, मुसलमान के मन में भी है । वहाँ मैं अपनी तीन बातों के सिवा और क्या पेश कर सकता हूँ । सभी सत्याग्रह के शान्तिमय प्रयोगों में इन तीन बातों को तो जरूर पावोगे । यदि आप सब इतनी बातें याद रखेंगे तो मेरा खयाल है कि हम सब एक ही मंच पर खड़े हो सकेंगे । अदाकत, घातकसा इत्यादि के त्याग की बातें अलग रखो । हम सब इनमें एक नहीं हो सकते । लेकिन जितनी बातों में हमारा मेल हो सकता है जतनी बातों में तो हमें सबको एक साथही खड़े रहना चाहिए ।"

इसके बाद अंगरेजी से आपने कहा-"मैंने गुजराती में अपने हृदय का सारा उफान निकाल डाला है । अब इतना थक

गया हूँ कि अधिक नहीं कह सकता । मेरे स्वभाव के दो अंग हैं-एक उग्र दूसरा शान्त । उग्र या अयकर रूप के कारण अनेक मित्र मुझसे अलग हो गये हैं । मेरी पत्नी, पुत्र और मेरे स्वर्गीय भाई के बीच खाई हो गई थी । दूसरे-रूप में तो स्वाभाव प्रेम ही प्रेम है । पहले रूप में प्रेम को खोजना पड़ता है । मुझ जैसे कठोर आत्मनिरीक्षक शायद ही दूसरे होंगे । मुझे विश्वास है कि पहले रूप में द्वेष की गंध तक नहीं है परन्तु उसमें हिमात्मक वैसी अयकर भूलें हो जाने की संभावना रहती है । किन्तु मनोविज्ञान के ज्ञाता आपको बतावेंगे कि दोनों का उत्पत्ति-स्थान एक ही है । परावार प्रेम भीषण रूप धारण कर सकता है । यदि मैंने अपनी पत्नी को कुछ पटुंवाया है तो सबसे मेरे दिल में और गहरा घाव हो गया है । दक्षिण आफ्रिका में अपने रात दिन के साथी अंगरेजों का यदि मैंने कुछ पटुंवाया है तो उसके अधिक दुःख मुझे हुआ है । यदि मेरे यहाँ के कार्यों से अंगरेजों का भी मैंने पटुंवाया है तो उससे विशेष दुःख मेरे जी को हुआ है ।

मे अंगरेजों से जो यह कहता हूँ कि "तुमने हमें बुरा बूसा है, आज भी बुरा रहे हो । पर तुम्हें पता नहीं है । तुम बोरी और सीमाबोरी करते हो, याद रखना, पड़ताओगे । इंग्लैंड की आँखें खोलने के लिए मुझे अपना सर्वस्व रूप प्रकट करना पड़ा है ।" तो इसका कारण यह नहीं कि मैं उन्हें कम चाहता हूँ बल्कि यही है कि मैं उन्हें स्वयंओं की ही तरह चाहता हूँ । पर अब यह भीषण-रूप बरका गया । पण्डित मोतीलालजी को मैंने कहा है कि अब तो लड़ने की भावना ही मुझमें नहीं रह गई । मैं तो शरणागत हूँ । अब कि हमारे घर में भी कुछ फैली हुई है और कड़ता और शत्रुता बढ़ रही है तब दूसरा विचार ही कैसे हो सकता है ? मुझे तो इस हाकत को दुरुस्त करने के लिए अवीर्य प्रयत्न करना होगा । मैं इस तरह कोई विरोध नहीं करना चाहता, जिससे बेलगांव में या बेलगांव के पहले देश में फूट फैले । मैं मान लूंगा कि मैं हार गया । मैं कुछ आंकना और झुक कर सब को एकत्र करने की आशा रखूंगा । ऐसा करते हुए अब भारत अपनी विस्मृत रक्षा से अलग कर अपनी आजादी हासिल करेगा तब मानव-जाति को उससे सबक मिलेगा । इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ ? मैं तो ईश्वर से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सत्यपथ दिखा, मेरे अन्धर राग, द्वेष या क्रोध का यदि कुछ भी अंश छिपा हुआ रह गया हो तो उसे निकाल डाल और मुझे ऐसा सन्देश पहुंचा जिसमें सब लोग उत्साह और उमंग के साथ सम्मिलित हों ।"

'बिडे पारके' की सभा में कहा-"मौलाजा हसरत मोहानी मुझे मिले थे । उन्होंने मुझे कहा-आप सुभाषूत दूर करवा चाहते हैं । पर उत्तरी भारत में तो हिन्दू मुसलमानों को भी अछूत मानते हैं । अगर उसे आर दूर करा सकें तो मैं आप जो चाहें-गोबध तक-मुसलमानों से बंद करवा देने को तैयार हूँ । यह बात सुनकर मुझे नीचा देखना पड़ा । मैंने उनसे कहा कि आप अपने धर्म का पालन कीजिए । अगर आप यह मानते हों कि हिन्दुओं के लिए गाय की रक्षा करना पुण्य कार्य है और मन्दिर तोड़ना पाप है तो आप मुसलमानों को समझाइएगा । मैं आपसे इकरार कराना नहीं चाहता । हाँ, मैं अपने बारे में आपसे कुछ देता हूँ कि मैं हर हिन्दू को यह समझाऊंगा कि हिन्दू हो कर किसी भी मनुष्य को केवल उसके जन्म या धर्म के कारण अछूत मानना पाप है । तो फिर मुसलमानों को अछूत कैसे मान सकते हैं ? मुसलमान, ईसाई आदि विधार्थियों को अस्पृश्य



मानना ही यदि हिन्दू-धर्म हो तो उस हिन्दू-धर्म का वादा हो जायगा ।”

भावी कार्यक्रम के संबंध में आपने कहा—“ मैं लड़ाई से डार गया हूँ, थक गया हूँ, लड़ने की भावना ही मुझे न रही । स्वराजी और मुसलमान दोनों ने मुझे हरा दिया है । आपस में झूठकर हम कभी नहीं एकत्र हो सकते । पिछली महासमिति में मैं खूब खूब लिखा । मैंने देखा कि उसके फल-स्वरूप देश में कड़ुता बढ़ी है । यह देखकर मेरा हृदय रोया है, अब भी रो रहा है । अब वेकगॉव में मैं ऐसा नहीं कर सकता ”

### मलाबार-संकट-निवारण

सन्धिप्रस्ताव में आया—

२९-८-२४ तक स्वीकृत रकम	१४,७७३ -८-०
४-९-२४ तक वसूल हुआ	२,२५३-११-६

जोड़ १७,०२७-३-६

इस सप्ताह की रकम में नीचे लिखे लोगों का चन्दा भी जमा है—  
 प्रताप कार्यालय, कानपुर की मार्फत—लक्ष्मण दलाल ५०) लाला शास्त्रिराम ५०) छोटेलाल आगरा ७०) आर. एस. रेणु बांदा के कमचारियों की ओर से १०१४-१) कल्लुभाई गट्टुभाई १०) और कल्लुभाई कुचालभाई १०) कानदेश, वसन्तलाल कलकता ६०) टाऊन और ट्रेनिंग स्कूल बांदा के विद्यार्थियों की तरफ से १८४) और एक गण्ड कपडा । श्री हेमराज, लुधियाना के द्वारा—  
 हेमराज १०) मनशीराम ३) कृपाराम १०) रामशरणदास ५) अच्युतराम १) कृपाराम ५) चम्पूलाल १०) जुगलकिशोर ६) सुखीराम २) रामजीदास १) धीमती सरस्वती देवी २) रामकृष्ण २) डाक्टर किशोरीलाल १) गुप्तदास १) धीमती लालबन्ति २) डाक्टर अच्युतराम १०) डा० बनारसीदास २) डा० चन्द्रभान २) लाला अमीचन्द १) लाला रामरत्ना ॥) टाऊन नसीबमिह बा मद्रास हरबंसलाल ६) बालकृष्ण ५) हरबंसलाल २) वैद्य कात्यायनदास १) शंकरलाल २) महता हरनामदास ५) सालगराम २) 'साजा महुमद आजम ५) साजा महुमद यूसफ ६) धीमती यशोदादेवी ५) कुमारी शांतिदेवी २) मंगलसेन १) रामचन्द २) हरिराम ५) नौरंगराम २) धीमती लालबन्ति १) गुजरमल ५) लभूराम १) भानाराय २) और मेहराज ६) त्रिलोकनाथ भार्गव, मुल्तई ३०) निरजनलाल सिकंदराबाद ४) स्वर्गीय ब्राह्मण-पत्नी, कलकता ५०) लक्ष्मीनारायण भट्टारी कलकता ११) वैद्य कृपाराम ५) सेठ बन्नीदास ५) और सेठ सांवलराम २) भिवानी बीलाराम नागसाल जालंधर ४०) अमीचन्द फिरोजपुर ५) केताराम जिला बनारस ५०) पूनजाय रामचरेली २॥) ए. बी. सिंह रोवाराज्य ४) वमवारीलाल बूंदी ५)

गुजरात प्राम्थिक समिति में वसूल—

३०-८-२४ तक पहले स्वीकृत	६३८९ -१-९
४-९-२४ तक वसूल	१०३८-१२-६

जोड़ ७४२७-१४-३

भंग इच्छिया, नवजीवन और हिन्दी-नवजीवन के दफ्तरों में प्राप्त

२९-८-२४ तक पहले स्वीकृत	५८५४ -९-६
४-९-२४ तक प्राप्त	२७१२-११-०

जोड़ ८५६६-१०-६

इस सप्ताह की रकम में नीचे लिखे लोगों का चन्दा भी शामिल है—

नानीलाल महाचार्य सीरामपुर २०) बी. जे. लॉवे एन्ड फं. सीयालकोट १२१-) वीर सेवकमंडल जयपुर, ८०) रामपूजन त्रिवेदी मालन ५) धर्मदास टी. शिकारपुर ५) जेष्ठजित शर्मा हम्पौर २१-) लक्ष्मणदास बैरागी, बांभवाहा १) सेठ जसराम भाटीया, डेरा इस्माइलखान ५०) विघ्नलाल सीताराम मद्रास ५) दिनकर डी. बाब अहमदनगर ५) मेठाराम मूलचंद काटकी ५) महात्मा एकरमानंद सरायप्रयाग १८१४-) सी. एम. इन्द्रचंद्र सावकारपेट १०) डॉ. टंडारी चोष कलकता ७) बी. डी. सत्यंकर छिन्वावा २२०) एम. डी. चतुर्वेदी नैनीताल १२॥) सेक्रेटरी का. कमिटी सीरसा २५) लालचंकर देवशंकर लायलपुर १२॥) सीताराम बिपाठी के मार्फत सीरगुजा ३३) श्री मारवाड विद्यालय के विद्यार्थी और अभ्यापकोंकी और सेवानंद ४) पुरुषोत्तमदास टीचर रामपुर १०) आर. एम. कुर्नकोटी १२) सेवासमिति आधम भदौर ४५) बासीराम पन्नीवाल के मार्फत कलकता १७) विभनाथ बासुदेव, इन्दौर ५) बन्नीप्रसाद मारकडेबलक बरगोड ५) मन्त्री नवयुवक समेलन आगरा ३७) भाई महेश के स्वर्णार्थ आगरा ४) ए. एस. सिंह, देहरादून ४) जगन्नाथ डी. नाईट टबीलदास, दूधी १०) अवारनाथ, टीमरपुर २) अ. नारायण गोकुळा, कानपुर ५) भगवानदास टहवीलदास, दूधी ४)

नवजीवन की बंधई-शाखा में वसूल—

२९-८-२४ तक पहले स्वीकृत	२६२३-१२-०
४-९-२४ तक प्राप्त	१६२५-११-३

जोड़ ४२४८-७-३

गांधीजी का यात्रा में मिले—

१४५८-१२-३

कुल जोड़ ३७,५२२-१०-६

रु. १) में

१ जीवन का सहाय	॥)
२ लोकमान्य का धदाअकि	॥)
३ जयन्ति अक	॥)
४ हिन्दू-मुस्लिम तनाज	॥)
	१॥)॥

चारो पुस्तकें एक साथ खरीदने वाले को रु. १) में मिलेंगी । मूल्य मनीआर्डर से भेजिए । वी. पी. नहीं भेजी जाती । नवजीवन प्रकाशन मन्दि

### एजंटों के लिए

“हिन्दी-नवजीवन” की एजंसी के नियम नीचे लिखे जाते हैं—

१. बिना पंजगी दाम आर्थ, किसीको प्रतिर्या नहीं भेजी जायगी ।
२. एजंटों को प्रति कापी )। कमीशन दिया जायगा और एजंट पत्र पर लिखे हुए दाम से अधिक लेने का अधिकार न रहेगा ।
३. १० से कम प्रतिर्या भंगाने वालों को डाक चार्ज देना होगा ।
४. एजंटों का यह कियना चाहिए कि प्रतिर्या उनके पास डाक से भेजी जाय या रेल से ।

ग्राहक होनेवालों को

११९५ कि व सालाना चन्दा ४) मनीआर्डर द्वारा भेजें । भेजने का विधान हमारे मदी नहीं है ।

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ५

मुद्रक-प्रकाशक  
बेनोलाल लाललाल बून

अहमदाबाद, क्वार बरी ६, संवत् १९८१  
रविवार, २४ सितम्बर, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
सांगपुर अरंडीगरा की बाड़ी

## हिन्दू-मुसलमान-ऐक्य

मूरत की मना में हिन्दू-मुसलमानों की एकता के संबंध में कुछ बालने का मौका मिला था। कितने ही मज्जान ने मगठन के विषय में मेरे विचार जानना चाहे थे। उमके बाद एक मुसलमान मज्जान का पत्र मुझे मिला। उसमें उन्होंने निम्नो ही बात लिखी थी। अब मैं देखता हूँ कि मुज्जान में भी जगडे का भय दिखाई देना है। बीसभर का मामला अभी शान्त हुआ नहीं माना जा सकता। मांडल में कुछ उपद्रव हुआ है। अहमदाबाद में कुछ खलबली हुई। उमरेठ में भी डर है। यदी हाकत और प्रान्तों में भी, जैसे सांगलपुर ( बिहार ) में, डर रहो है।

यह सवाल दिन ब दिन गभीर होता जा रहा है। एक बात तो शुभवान में ही तय हो जानी चाहिए। यह बात बराबर कही जानी है कि इन झगडों में सरकारी लोगों का हाथ है। यह बात यदि सच हो तो मुझे दुःख होगा, ताज्जुब तो कुछ भी न होगा। क्योंकि सरकार को तो नीति ही है। हमस फूट डाले रखना—हमें अलहदा अलदना रखना। सर सरकार यदि यह चाहती हो कि हम लडे-झगडे तो आखों की बात नही। और दुःख तो इसपर होगा कि अभी तक दोनों कोब अपना अपना रवार्थ नहीं समझ पाई है। जिन्हें लडाईं झगडा करने की आदत पड रही है इन्हीं लोगों में तीसरा शक्त झगडा करा सकता है। ब्राह्मणों और बनियों में तो सरवार की आर से झगडा कराने की बात अब तक नही सुनी गई। सुन्नो मुसलमानों में भी लडाईं कराने का हाल नही गुना। पर वह हिन्दू-मुसलमाना झगडे फसाद पैदा करती है; क्योंकि ये जानियां बहुत बार लडा आर लड चुकी है। जब यह लडने का रास्ता छूड देंगे तभी हमे सुख से स्वराज्य मसी हो सकता है, नही तो वह असभव है।

असतक हिन्दू डरा करेगे तबतक भी झगडे हुंते ही रहेंगे। जो डरपोक होता है वहां डराने वाले हमेशा मिल हो जाता है। हिन्दुओं को समझ लेना चाहिए कि जब तक वे डरते रहेंगे तब तक उनकी रक्षा कोई न करेगा। मनुष्य का डर रखना यह सूचित करता है कि हमारा ईश्वर पर अविश्वास है। जिसे यह विश्वास न हो कि ईश्वर हमारे चारा आर है, सर्वन्यापी है, या यह विश्वास सिथिल हो, वे अपने बाहु-बल पर विश्वास रखते हैं। हिन्दुओं को दो में से एक बात प्राप्त करनी होगी। यदि

ऐसा न करेगे तो हिन्दू-जाति के नष्ट हो जाने की संभावना है। पहला मार्ग है—कमल ईश्वर पर विश्वास रखा कर मनुष्य का डर छोड देना। य, अदिगा का शान्ता है और उत्तम है। दूसरा है बाहुबल का अधीन हिंसा का मार्ग। दोनों मार्ग संवार में प्रचलित है। और हमें दो में से किसी भी एक को प्रवृण करने का अधिकार है। पर एक आदमी एक ही समय दोनों का उपयोग नडा कर सकता।

यदि हिन्दू और मुसलमान दोनों बाहु-बल का ही रास्ता प्रवृण करना चाहते हों तो किलहाल शीघ्र स्वराज्य मिलने की आशा छोड देना ही उचित है। तत्कार के न्याय से ही यदि छल्लह धरनी हा तो दोनों को पहले खूब लड लेना होगा, खून की नदियां बहेगी। दो-चार खून होने या पांच-पचीस मन्दिर तोडने से फमला नही हो सकता।

म मगठन के खिलाफ हम ही और नही भी। मगठन का मतलब है अखाडा और अखाडों के जयें हिन्दू गुंजों की तैयार करना। यह हालत मुझे तो दयाजनक ही मालूम होती है। गुणों के द्वारा धर्म की रक्षा नही हो सकती। यह तो एक भय के बदले, उसके अलावा, मानो दूसरा भय तयार किया जाता है। यदि ब्राह्मण, वैश्य आदि ही अखाडों के द्वारा अपनी शारीरिक उन्नति को और करने के लिए तैयार हो तो मुझे कुछ भी आपत्ति नही। पर मुझे तो यकीन है कि उन्हें लडाईं लडने के लायक शक्ति प्राप्त करने बहुत समय लगेगा। अखाडों के लिए अरराडे खोलना बिल्कुल ठीक है। मुसलमानों को लडाईं में शिकस्त देने का इलाज अखाडा नही है। मुझे इसमें जरा भी शक नही।

यदि हम मुसलमानों के दिल का जीतना चाहते हों तो हमे तपस्वियां करनी होगी। हमें पवित्र बनना होगा। हमें अपनी एबों को दूर कर देना होगा। अगर ये हमारे साथ लडे तो हमें उलट कर प्रहार न करेगे हुए हिम्मत के साथ मरने की विद्या सीखनी होगी। डर कर, औरतों, बालबच्चों और बर बार को छोडकर भाग जाना और भागने हुए मर जाना मरना नही कहाता। बल्कि उनके प्रहार के सामने खडा रहना और हंसते हंसते मरना हमें सीखना पडेगा।

मै मुसलमानों को भी यही सलाह दूंगा। पर वह अजाबदमक है। क्योंकि वे डराने वाले माने गये हैं। सामान्य अनुभव यह है कि वे मरने में बहादुर हैं। इसलिए उन्हें हिन्दुओं के बाहु-

बल से बचने का रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं रह जाती। उन्हें तो यह विन्ती करनी होगी कि 'भाई साहब, अपनी तलवार म्यान में रखिए। अपने गुर्घों को अपने कब्जे में रखकर सुलह से काम लीजिए। मुसलमानों को हिन्दुओं की तरफ से दूसरे भय चाहे हों—आधिक भय है। बकरीद के दिन उनकी क्रिया में रुकावट डालने का भय है। परन्तु उन्हें हिन्दुओं के हाथों पिटने का डर हरिज नहीं है। इसलिए उन्हें तो मैं यही कहूंगा कि आप लाठी या तलवार के बल पर इस्लाम की रक्षा नहीं कर सकते। लाठी का गुग अब चला गया। धर्मियों की कमीटी उनकी पवित्रता के द्वारा ही होगी। धर्म की रक्षा आप गुर्घों के हाथों में जाने देगे तो इस्लाम को भारी नुकसान पहुंचावेंगे। फिर इस्लाम फकीरों का, खुदापरस्त लोगों का धर्म न रहेगा।"

यह तो साधारण विचार हुआ। मौलाना सरत मोहानी कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वे हिन्दुओं के खातिर गाय को बचावें। और हिन्दू मुसलमानों से छूत न मानें। वे कहते हैं कि उत्तर हिन्दुस्तान में मुसलमान भी अस्पृश्य गिने जाते हैं। मैंने मौलाना साहब से कहा, मैं तो ऐसी बात में गर्दा या बदला न करूंगा। मुसलमान यदि हिन्दुओं के लिए गाय को बचाना अपना धर्म समझे तो गाय को बचावें फिर हिन्दू चाहे अच्छा मलक करें या बुरा। हिन्दू यदि मुसलमानों का अस्पृश्य मानते हों तो यह पाप है। मुसलमान चाहे गोवध करें या न करें, पर हिन्दुओं को चाहिए कि वे मुसलमानों को अछूत न मानें। अर्थात् जो व्यवहार बार आतिया एक दूसरे के साथ रपस आदि के बारे में रखती है वही हिन्दुओं का मुसलमानों के साथ रसना चाहिए। इस बात को मैं तो स्वयंशिक्ष मानता हू। हिन्दू-धर्म यदि मुसलमानों के या अन्य धर्मियों के तिरस्कार की शिक्षा देता हो तो उसका नाश ही होगा। इसलिए बिना सौदे-घटे के दोनों को अपना अपना घर साफ करना चाहिए। गाय को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ दुश्मनी करना गाय को मारने का रास्ता है और दुहेरा पाप है। यदि विधर्मी लोग गोवध करें तो इससे हिन्दू-धर्म लोप न होगा। पर हिन्दू गाय को न मारे। यह उनका धर्म है। पर क्या विधर्मी पर जबरदस्ती करके उसके हाथ से गाय को छुड़ाना उनका धर्म हो सकता है? हिन्दू लोग भारत में स्वराज्य चाहते हैं, हिन्दू-राज्य नहीं। हिन्दू-राज्य में भी यदि सहिष्णुता का पालन हो तो मुसलमान और ईसाई दोनों के लिए जगह होनी चाहिए। हिन्दू राज्य में भी यदि दोनों जातियाँ समझ बुझ कर अपनी भूख से गोकुशी बन्द कर दें, तभी हिन्दू-धर्म की शोभा बनी जायगी। परन्तु हिन्दुओं के लिए हिन्दू-राज्य की इच्छा करना ही मैं देश-दौल मानता हूँ।

अब रहा बाजे का झगडा। बाजे का झगडा दिन पर दिन बढ़ता दिखाई देता है। सरतवाला पत्र कहता है कि हिन्दू धर्म में बाजा बजाना अनिर्णय नहीं है। इसलिए हिन्दुओं को चाहिए कि वे मुसलमानों के भावों को अघात न पहुंचाने के लिये बाजे से मसजिदों के सामने बाजे बजाना बन्द कर दें। मैं चाहता हूँ कि यह बाजे की बात उतनी ही आसान हो जितनी कि पत्र लेखक बताते हैं। पर इकीकत इसके खिलाफ है। हिन्दू-धर्म की काई भी विधि ऐसी नहीं है जो बिना बाजा बजाये हो सकती है। कितनी ही विधियाँ तो ऐसी हैं जिनमें शुरु से अखीर तक बाजा बजाना जरूरी है। हाँ, इसमें भी हिन्दुओं को इतनी चिन्ता जरूर रखनी चाहिए कि मुसलमानों का दिल न दुखने पावे। बाजा धीमे बजाया जाय-कम बजाया जाय गूह सब लेन-देन की नीति के अनुसार हो सकता है, और होना चाहिए। कितने ही मुसलमानों के साथ

बाजे करने में मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस्लाम में ऐसा कोई फरमान नहीं है जिससे दूसरों के बाजे को बन्द करना लाजिमी हो। इसलिए मसजिद के सामने दूसरे विधर्मी के बाजे बजाने से इस्लाम को धक्का नहीं पहुंचता। अतएव यह बाजे का सवाल झगडे का मूल न होना चाहिए।

ऐसा होते हुए भी कितनी ही जगह मुसलमान भाई जबरदस्ती बाजे बन्द कराना चाहते हैं। यह नागवार है। जो बात विनय के खातिर की जा सकती है उसे जंगल-जंगल के खातिर नहीं की जा सकती। विनय के सामने झुकना धर्म है, जोरों-जोर के सामने झुकना अधर्म है। मार के जर से यदि हिन्दू बाजे बजाना छोड़ें तो हिन्दू न रहेंगे। इसके लिए खायाज्य नियम इतना ही बताया जा सकता है कि जहां हिन्दू लोगों ने समझ-बूझ कर बहुत समय से मसजिद के सामने बाजे बन्द करने का रिवाज रखा है वहां उन्हें उसका पालन अवश्य करना चाहिए। जहां वे हमेशा बाजे बजाते आये हैं वहां उन्हें बचाव का अधिकार होना चाहिए। जहां झगडे की संभावना है वहां इकीकत के बारे में मत-भेद हो वहां हिन्दू और मुसलमानों की रक्षा को पंच की मार्गदर्शक करा लेना चाहिए।

जहां अदालत ने बाजे बजाने की मुमानियत की हो, वहां हिन्दू लोग कानून को अपने हाथों में न लें।

मुसलमानों को भी हिन्दुओं का बाजा बजाना बन्द कराने की जिद छोड़ देनी चाहिए।

जहां मुसलमान बिल्कुल न मानें, अथवा जहां हिन्दुओं पर जबरदस्ती किये जाने का अर्थ हो, और जहां अदालत से बाजे बजाने की बन्दो न दो वहां हिन्दुओं को निरह होकर बाजे बजाने हुए निफलना चाहिए और मुसलमान चाहे कितनी ही मार-पीट करें, हिन्दू उन्हें सहन करें। इस तरह जितने बाजे बजानेवाले मिले सब अपना बलिदान वहां कर दें—इसमें धर्म और अर्थ-सम्मान दोनों की रक्षा होगी।

जहां हिन्दुओं में इतना आत्म बल न हो, वहां उन्हें अपने बचाव के लिए मार-पीट करने का अधिकार है।

मार कर अथवा मारते हुए मरकर धर्म की रक्षा करने की जहां जरूरत दिखाई दे वहां दोनों दल का अदालत या सरकार की धारण जाने का विचार छोड़ देना चाहिए। यदि कदाचित एक पक्ष सरकार की या अदालत की महायता ले तो भी दूसरे को क्षामेश रहना चाहिए।

यदि अदालत में गये अपना काम ही न चले तो अदालतों में बनावटी सबूत हरिज न दिये जाय।

मारपीट का यह कायदा है कि पीट मर के मार खाने और मारने के बाद दोनों लडकैय्या टंड पक्ष जाते हैं और दूसरों को महायता लेने नहीं जाते।

जिम जगह दोनों फरक न लड़ने का निश्चय किया हो वहां उन्हें पीछे बदला चुकाने का या औरों की महायता लेने का विचार छोड़ देना चाहिए।

एक मुहल्ले का जगडा दूसरे मुहल्ले में न ले जाना चाहिए। स्त्रियाँ, बूढ़, अपंग और बालकों पर तथा शान्त रहने वाले लोगों पर हमला न करना चाहिए।

यदि इनके नियमों का पालन होता रहे तो भी समझा जायेगा कि कुछ तो मर्यादा रखनी जाती है।

हरकर भाग खड़े होना, मन्दिर छोड़ देना या बाजे बजाना बन्द कर देना या अपनी रक्षा न करना, यह अनुप्यता नहीं है, यह तो नामर्दा है। अहिंसा वीरता का लक्षण है—भीरु, हरयोक्त

मनुष्य यह तक नहीं जान सकता कि अहिंसा किम चिडिया का नाम है ।

अतएव दोनों कौमों के सर्वसाधारण लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, एक को डर छोड़ना चाहिए—दूसरे को डर दिखाने की आदत छोड़ते अभी समय लगेगा । इस बीच दोनों जातियों के समझदार लोगों को हर झगड़े के मौके पर पञ्चायत के सिद्धान्त का पालन करने वा प्रयत्न करना चाहिए । समझदार-वर्ग की हालत नाजुक है । परन्तु उसे चाहिए कि वह अपनी सारी शक्ति सर्व-साधारण को शान्त बनाये रखने में ही लगावे ।

(नवजीवन)

प्र हनुदास रामचंद्र गांधी

### टिप्पणियाँ

#### सूत की आगामी किरत

\* १५ सितम्बर सूत की दूसरी किशन का दिन जल्द ही आने वाला है । पहले महीने में सूत भेजने वालों की संख्या २७८० थी । इसमें सदस्य अमदस्य दोनों ही शामिल हैं । कितने ही लोगों और जगहों से न भेज पाने के कारण बताये गये हैं । कितने ही लोग तो यह भी नहीं जानते थे कि अ प्रतिनिधियों को भी सूत भेजना है । इसलिए इस दूगरे महीने में बहुत उन्नति दिखाई देनी चाहिए । सूतकारों का नीचे लिखी बातों पर ध्यान देना चाहिए ।

( १ ) सूत एकसा भेजे । अब जब अच्छी पूनी मिले, २० अंक से कम का सूत न काने । एक ही शहर में भलहदा भलहदा अंक का सूत भेजा है । हर सूतकार को ध्यान रखना चाहिए कि पुनाई के समय एक एक के सूत में दूसरे एक का सूत काम नहीं दे सकता ।

( २ ) हर आंटी में ५०० गज में ज्यादा सूत न दोना चाहिए । हर फालकी में हर १०० गज के बाद एक टोरे से गांठ बांध लेनी चाहिए । अब पुनाई के लिए सूत के काफड़े बनाने जाते हैं तब इससे बड़ी गहूलियत हो जाती है । यदि सूत उलझा हुआ हो तो कोकड़े बनाना प्रयत्न अशक्य हो जाता है । बीच में जो गांठे लगाई जाती हैं उनमें कोकड़े बनाने वाले का रुदा धागा हूदंग में गहूलियत मिलती है । १०० ही गज में वहीं धागा खोजना उसके लिए अधिक आसान होगा ।

( ३ ) फालकी पर से उतांगे के पहले सूत पर पानी फूटने से मजबूती बढ जाती है ।

( ४ ) एक-से सूत की हर आंटी पर सूत का वजन, लंबाई (गजों में) और अंक की चिठ्ठ लगानी चाहिए । अतः निकालने का तरीका बड़ा आसान है । सूत की गज लंबाई को उसके वजन-तोला और २१ से भाग दे दीजिए । जैसे—४० गज की आंटी का वजन यदि १ तोला है तो सूत का अंक  $\frac{40 \times 21}{1} = 840$  होगा । यदि उसका वजन ३ तोला होगा तो उसका अंक  $\frac{40 \times 21}{3} = 280$  होगा । अंक निकालने में बटे को छोड़ दे सकते हैं ।

( ५ ) कुछ लोगों ने सूत की कुकड़ी तड़प से निकाल कर धरों की रथों-बिना आंटी बनाये भेजी है । तड़प से निकालने के बाद उसका आंटी बनाना निश्चयत मुश्किल है । जबतक उसकी आंटी न बनाई जायगी और पूर्वोक्त दम से उसमें गांठे न लगाई जायगी तबतक वह पुनाई के काम में नहीं आ सकता ।

यहां मुझे एक बात कह देनी चाहिए । एक दो शहर ऐसे हैं जो मिल का सूत भेजने हुए भी नहीं सकुन्नाये । शायद उन

लोगों ने बिना यह जाने ही कि हमारा कर्तव्य क्या है, यह भेज दिया है । मिल-कता सूत आसानी से पहचाना जा सकता है । किसी भी किस्म का सूत भेज देने से कुछ लाभ नहीं है । बल्कि अपना कता अच्छा सूत भेजने से ही वास्तविक लाभ हो सकता है ।

तमाम पार्सलें साबरमती के पते पर भेजनी चाहिए—अहमदाबाद नहीं । उनका किराया वहीं भर देना चाहिए

#### कुछ और अंक

सूत का विवरण प्रकाशित होने के बाद कुछ सूत के पार्सल और आये हैं—आन्ध्र से और तामिलनाड से—जिससे यह मालूम होता है कि इन दोनों प्रान्तों ने रिपोर्ट में दिखलाये अंकों से बहुत ज्यादा सूत भेजा है । आन्ध्र की कुल संख्या है १४७ और तामिल नाड की है १०५ ।

कुल सूत का वजन २३ मन २३ पौंड है । इसमें गुजरात का वजन १३ मन, दोप दसरे प्रान्तों का है । सूत ऊंचे से ऊंचा १०० अंक तक का आया है । हमारी मीलों में आमतौर पर ४० से अधिक अंक का सूत नहीं काता जाता । सूतकारों को जानना चाहिए कि जब वे अपनी बुझी से कातने की मिहमत मजूर करते हैं तब ऊंचे नम्बर के सूत कातने में लचके कम लगता है । अर्थात् ऊंचा नम्बर कातने में रुपये की बचत होती है । यदि कोई शहर १० के बजाय २० अंक का सूत काते भी वह कोई आधी कीमत कपाम की बचत करेगा । अतएव बेहतर होगा कि सूतकार जरा अगलियों और आंठों को रफ्त होने ही ऊंचे अंक का सूत कातने की कोशिश करें । धर्म की दृष्टि से यदि देखें तो कोई ५० पार्सियों ने अपने जिम्मे का सूत भेजा है । हां, कुछ ईसाइयों के नाम भी मिलते हैं । महासमिति के १०५ सदस्यों ने सूत भेजा है । कार्य-समिति के, सिर्फ तीन को छूट कर, तमाम सदस्यों ने अपना सूत भेजा है । देश के अत्यन्त परुषात पुरुषों में, जो कि महासमिति के सदस्य नहीं है, दो मज्दूरों ने सूत भेजा है । वे हैं—मोयाना अच्युलारी साहब और आचार्य पण्डितचन्द्राय ।

#### उभय काम

यह सुधा किरमती की बात है कि जिन्हे ममात, नागपुर के टिन्दू-मुस्लिम-दंगे में सेठ जमनालालजी पहंच गये थे । उसमें उन्हें चोट भी आई । मार पीट के बटने का शायद यह भी एक कारण हुआ है । नागपुर की महासभा समिति के धन्वी बाबू फालीचरण और धीरूत अचारी भी अपनी जान की जोखों में डालकर लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहे थे । मैं इन तीनों कार्य-कर्ताओं को उनके साहस और शान्ति-प्रियता पर धन्यवाद देता हूँ । बहुत मुश्किल है कि निरस्थायी मुल्द और शान्ति के लिए हमसे से कुछ लोगों को अपना बन्दिान कर देना पड़े । ममात्र के बदमाशों और गुर्दों का गगहन एक-दूसरे के खिलाफ करके हम देश में पुस्तों तक स्थायी एकता नहीं स्थापित कर सकते । तमाम अन्तःकलह मानों और हमारे काम धंध ही की किया है । उसके द्वारा आम मुल्द-शान्ति खासी खनी शान्ति होगी, जिसके लिए बरसों तक दोनों को एक-दूसरे का सिर फोड़ने रहना होगा (१५००) मो क. गांधी

#### प्राइक होनेवालों को

नोट कि वे सालाना चन्दा ४) १ नीआइर द्वारा भेजे वी. पी. वेजने ११ रिगख हयते यहाँ नहीं है ।



## हिन्दी-नवजीवन

रविवार, क्वार बटी १, संवत् १९८१

### एकता का प्रस्ताव

आज-कल मेरे लेखों में आज एक बात तो कल दूसरी बात दिखाई देती है। बहुत संभव है, पाठक इससे चकर में पड़ते हों और हैरान होते हों। पर मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इन्हें आप तन्वीलियाँ न समझें। बल्कि जिन दिशा की ओर हम आ रहे हैं अथवा हमें जाना उचित है, उसमें हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम जिन सिद्धान्तों के पालन करने का दावा करते हैं उनके फलस्वरूप ये स्वाभाविक उप-सिद्धान्त हैं।

यदि हम इस बात को याद रखें कि असहयोग की अपेक्षा अहिंसा अधिक महत्वपूर्ण है और अहिंसा के बिना असहयोग पाप है, तो मैं आजकल जिन विचारों को इन पृष्ठों में प्रकटित कर रहा हूँ, वे सूर्य-प्रकाश की तरह स्पष्ट हो जायेंगे। पर मुद्रिक यह है कि पाठक इस बात को बहुतांश में नहीं जानते हैं कि नेपथ्य में-परदे के भीतर-इस विषय में क्या क्या हो रहा है। मैं अभी तक सब बातों को खोल कर नहीं बता रहा हूँ-कुछ तो जान-बूझ कर और कुछ बदजं लाचारी। हाँ, पल पल में और दिन दिन एक के बाद दूसरी बात का फैसला अपने साथियों तक पहुंचाना दिक्कत-तलब है। मेरा तो इस बात पर विश्वास रहता है कि मेरी तरह उनके भी नजदीक वे स्पष्ट हो जायेंगे-क्योंकि वे मेरी समझ में हमारे मुख्य सिद्धान्त से फलित होने वाले उपसिद्धान्त ही हैं।

बात यह है कि जैसी परिस्थिति बदलती जाती है वैसे ही हमारी गति-विधि में भी फर्क होना चाहिए। ऐसे फर्क का उद्गम यदि उन्हीं सिद्धान्तों से हो तो वह असंगत नहीं हो सकता।

अब यह बात हर शासन के दिल में माफ हो गई होगी कि हमारे मन-मैव दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं हर दल के लोग अपने कार्यक्रम को सिद्धान्त का रूप दे रहे हैं। हर दलवाले सच्चे दिल से इस बात को मानते हैं कि हमारे ही कार्यक्रम के द्वारा हम लोग हमारे श्रेय के अभाव नजदीक पहुंचेंगे। जबतक देश में कोई भी एक संस्था होगी और यदि दिन पर दिन उसका विस्तार न होता हो तो भी यदि वह एक बड़ी संस्था होगी-तबतक ऐसे दल जरूर रहेंगे, जिनका कि कार्यक्रम होगा धारासभाओं के अन्दर काम करना। पर इस हमारे असहयोग ने तो सरकार से असहयोग करने की बनिस्बत हमारे आपस में ही असहयोग करने का रूप धारण कर लिया है हम आपस में ही असहयोग कर रहे हैं। फलतः—हम एक दूसरे को कमजोर बना रहे हैं—और उम्र हूँ तक हूँ उस शासन प्रणाली की सहायता रहे हैं जिनको कि मिटा देना हमारा उद्देश्य है। इस प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वही कि यह परापञ्चिनी है और राष्ट्रीय जीवन की गंदगी पर जीवित रहती है, उस से अपने लिए पोषण-सामग्री ग्रहण करती है।

यह शासन-तंत्र हिंसा की नींव पर स्थित है। हिंसा उसके लिए परम आवश्यक है। उसके खिलाफ अहिंसारमक शक्ति—सजीव, सक्रिय शक्ति—उत्पन्न करना हमारे असहयोग का उद्देश्य था। पर बदकिस्मती से हमारा असहयोग कभी सक्रिय-रूप में अहिंसारमक हुआ ही नहीं। कमजोर और असहाय की शारीरिक अहिंसा पर ही हम सन्तुष्ट हो रहे हैं। इससे वह इस शासन-प्रणाली को नष्ट न

कर सका—तत्काल ऐसा असर न डाल सका। इस कारण वह अब इतने वेग और ताकत से हमीपर उलट पड़ा है और यदि हम समय पर न चेते तो हमीको निगल जाने की तैयारी में है ऐसी हालत में मैंने तो अपनी तरफ से यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं इस घरेलू कड़ाई में शरीक न हूँगा और उसमें कित्त तमाम लोगों से भी यही दरखास्त करूँगा। यदि हम इस काम में आगे बढ़ कर सहायक नहीं हो सकते तो कम से कम हमें इसमें कोई रुकावट न डालनी चाहिए। मैं आज भी उसी दृढ़ता के साथ पांचों बहिष्कारों को मानता हूँ। पर अब मुझे यह साफ साफ दिखाई देता है कि हम चाहें खुद जिजी तौर पर उनका अमल गले ही करे पर आम तौर पर उनके अनुसार काम करने के लायक वायु-पटल नहीं रह गया है। यह बात अहमदाबाद की महासमिति के समय मुझे नहीं दिखाई दी थी। आज हमारे आस-पास अविश्वास ही अविश्वास दिखाई देता है। हर कार्रवाई शक की नजर से देखी जाती है और उसका गलत अर्थ लगाया जाता है। ऐसी हालत में हम एक ओर जहाँ खुलासा कर-खुलासा के जग में मुन्तिला है तहाँ दूसरी ओर दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा खड़ा हो रहा है और अपनी ताकत को जुटा और बढ़ा रहा है। हमें हर मुरत में और हर हालत में इससे बचना चाहिए।

इसलिए मैंने यह मुझाया है कि हम देश के तमाम मुस्लतिक राजनैतिक दलों का लघुतम निकालें और उसके अनुसार काम करने के लिए सब को महासभा के मंच पर बुलावें। यह है हमारे आन्तरिक विकास का कार्य, जिसके बिना किसी प्रकार का बाहरी राजनैतिक प्रभाव सफलता-पूर्वक काम नहीं उ भ्रकता। जो राजनैतिक लोग बाहरी काम को भीतरी काम से अधिक महत्व देते हैं या जो समझते हैं कि यह भीतरी काम बहुत देर से फल देगा, उन्हें अपनी शक्ति को बढ़ाने की पूरी पूरी आजादी रहनी चाहिए—पर मेरी राय में यह काम महासभा के बाहर होना चाहिए। महासभा को तो दिन पर दिन जनता का अधिकधिक प्रतिनिधि होना चाहिए। वह अभीतक राजनीति से अछूती है। उनके अन्दर देशा राजनैतिक चेतन्य नहीं है जैसा कि हमारे राजकाजी भाई चाहते हैं। उनकी राजनीति तो है—नमक और रोटी—में ही हममें किय तरह जोड़ें? क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो भी तंग डीक, तेल तलक का स्वाद नहीं जानते। उनकी राजनीति एक जाति के दूसरे जाति के साथ गधोचित्र व्यवहार की मर्यादा से आगे नहीं बढ़ती। फिरभी यह कहना बिल्कुल ठीक है कि जब हम राजनैतिक लोग सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं तब हम जरूर जनता के प्रतिनिधि का काम करते हैं। पर यदि हम उनके तैयार होने के पहले ही उनका इस्तेमाल करने लगे तो हम उनके प्रतिनिधि न रह जायेंगे। पहले हमें उनके अन्दर काम करके उनके साथ अपना जीता-जागता रिश्ता जोड़ना चाहिए। हमें उनके दुख का अपना दुख समझना चाहिए। उनकी कठिनाइयों को अनुभव करना चाहिए और उनके अभावों और जरूरतों को जानना चाहिए। अछूत और बहिष्कृत लोग में भी हमें धैर्य हो हो कर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उच्च श्रेणी के लोगों के पैसाने साफ करते समय हमारे दिलों में क्या क्या भाव उदय होते हैं और उनकी जूठों पसलों का खाना हमें खेचना चाहिए। हमें बंबई के कुलियों के मन्तूकों में जिन्हें लोभों ने झूठ-मूठ मकान नाम रखदिया है—रह कर देखना चाहिए कि यह हमारे दिल का कैसा खगता है। हमें देशतियों में देहाती बन जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वे किस तरह जेठ-बैधान्त की कड़ी धूप में कमर झुकाकर हल चलाते हैं और हमें जानना चाहिए कि उन गट्टों से पानी पीना हमें कैसा माकस

इसमें वेहती लोग नहाते हैं, कपड़े और बरतन धोते हैं और जिनमें उनके मवेशी पानी पीते और कोठते हैं। हम उसी अवस्था में अपनेको उनका साथ प्रतिमिधि कह सकते हैं, उसके पहले नहीं। और सभी वे यकीनन हमारी हर एक पुकार पर प्राण-पण से दौड़ पड़ेगे, उसके पहले नहीं।

हमपर कुछ लोग कहेंगे—“हमसे यह सब नहीं हो सकता। और अगर हमें यही करना हुआ तो फिर आगे एक हजार साल तक स्वराज्य का इत्तम तक देखने को न मिलेगा।” इस ऐतराज के साथ मेरी हमदर्दी होगी। पर मैं यह बात दावे के साथ कहूंगा कि हममें से कम से कम कुछ लोगों को जरूर इन गन्धर्वाओं से पुनरना पड़ेगा। और उन्हें द्वारा पूर्ण, बलशाली और स्वाधीन राष्ट्र निर्माण होगा। इसलिए मैं सब लोगों का यह सूचित करता हूँ कि वे इसके साथ अपना मानसिक सद्व्योग करें और अपने मन के द्वारा जनता के साथ अपना तादात्म्य करें एवं उसके दृश्य चिह्न के तौर पर वे उसके नाम पर, उसके लिए रोज कम से कम तीस मिनट सरसमी के साथ चरखा कायें। यह मानों भारत के हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, आदि के बुद्धि-प्रधान लोगों की तरफ से उसकी अर्थात् भारत-माता की मुक्ति के लिए ईश्वर के प्रति बलवती प्रार्थना होगी।

हिन्दुओं और मुसलमानों का तनाजा दिन पर दिन गहरा होता जाता है। सिवा इसके कि देश के तमाम दल महासभा के अन्दर एक हो कर इस जटिल समस्या को हल करने का सबसे उम्दा उपाय खोजें, इसे दूर करने का दूसरा कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता। यह तनाजा तो मानों किसी फैसले को होने ही नहीं देना चाहता। इसके बदीकृत तो राष्ट्र को आजाद करने की-बाहमी विश्वास और सहायता की नींवपर आजाद करने की-हमारी बड़ी बड़ी उमंगें टूट कर हो रही हैं। अतएव यदि और किसी कारण से नहीं तो महज इस एकता के ही लिए हमें अपनी अन्दरूनी राजनैतिक लड़ाई बंद कर देनी चाहिए।

उसकी सिद्धि के लिए मेरा प्रस्ताव यह है—

(१) १९२५ की बैठक तक महासभा विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का छोड़कर अपने तमाम बहिष्कारों को मुलतवी कर दे।

(२) महासभा अंग्रेजी माल के बहिष्कार को उठा दे, बशर्ते कि धर्त १ अमल में लाई जाय।

(३) हाथ-कती और बुनी खादी का प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता का उद्योग और हिन्दू सदस्यों के द्वारा छुआछूत मिटाना-इतनी ही बातों में महासभा अपनी शक्ति लगावे।

(४) मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं का संचालन महासभा करे; और अगर सुमकिन हो तो नवीन संस्थायें खोले तथा उन्हें सरकार के अकुप्ट और प्रभाव से अलग रखे।

(५) महासभा के सदस्यों के लिए जो नार आना फीस है वह उठा ली जाय और उसकी जगह सदस्यों की पात्रता रक्खी जाय-हाथ कती-बुनी खादी पहनना, आध घण्टा रोज सूत कातना और हर महीने कम से कम २००० गज अपना कासा सूत महासभा को भेजना-जो सदस्य इतने गरीब हों कि कपास का खर्चा न उठा सके उन्हें कपास मुहैया किया जाय।

ऊपर मैंने महासभा के संगठन-विधान में जो परिवर्तन सूचित किया है उसके संबंध में कुछ सुझाव करने की जरूरत है। महासभा के वर्तमान संगठन-विधान का मुख्य विधाता स्वयं मैं ही हूँ। इस उद्देश के लिए पाठक मुझे क्षमा करेंगे। इसका उद्देश यह था कि हमारा संगठन बुनिया के तमाम संगठन-विधानों से अधिक जन-सत्तात्मक हो और यदि उनके

अनुसार सफलता-पूर्वक कार्य किया जा सके तो बिना कुछ और बिबे ही हमें स्वराज्य मिल जाय। पर उसके अनुसार यद्ये-कथ से काम ही नहीं किया गया। हमारे पास लंबे और कुमोम-कार्यकर्ता काफी तादाद में न थे। हमें यह बात कुबूल करनी होती कि जिस उद्देश के लिए वह बनाया गया था उस आशय में वह छिन-भिन्न हो गया है। हमारे रजिस्टर में कभी एक करोड़ सदस्य भी न दर्ज हो पाये। इस समय शायद सदस्यों की संख्या सारे भारत में मिल कर कोई दो लाख से अधिक न होगी। और इन दो लाख में से भी अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सिवा पार आना दे देने और रायें देने के बच हाथ ऊंचा उठा देने के हमारे काम-काज में आम तौर पर दिलचस्पी नहीं लेते हैं। लेकिन हम जरूरत तो हैं ऐसी संस्था की जो पल्लवभी हो, लोक-तरार हो, सुसंगठित हो, काम ठीक ठीक और तुरन्त बजाती हो और जिसमें बुद्धिमान, परिश्रमी, उद्योगी राष्ट्रीय कार्यकर्ता हों। एक मीमकाय, दीर्घसूत्री और ऐसी संस्था की बदीकृत जिसका कोई स्थिर मन्तव्य न हो थोड़े लोगों का एक छोटा मण्डल हो तो हम अपने कार्य का अच्छा खेला दे सकते हैं। इस प्रस्ताव में एक ही बहिष्कार कायम रक्खा गया है-विदेशी कपड़े का। और यदि हम चाहते हों कि उसमें सफलता मिले तो हम कुछ समय तक महासभा को मुख्यतः सूतकारों का नंब बनाकर ही यह कर सकते हैं। यदि हम एक ही भारी और महत्वपूर्ण रचनात्मक काम में सफल हो जायेंगे तो यह हमारे लिए एक गहरी फतह होगी। मैं मानता हूँ कि ऐसी बीज यदि कोई है तो वह है हाथ-कती और हाथ-बुनी खादी। यदि हम चाहते हों कि खादी का काम राष्ट्रीय दृष्टि से सफल हो तो चरखा ही उसका एकमात्र साधन है। यदि हम चाहते हों कि राष्ट्र के कल्याण-साधन में जनता का भी कुछ स्थानी हित रहे तो चरखा ही उसका एकमात्र साधन है। यदि हम देश से दरिद्रता का मुंह काका कर देना चाहते हों तो चरखे के सिवा दूसरी कोई रास्ताबान दबा नहीं है।

मेरे प्रस्ताव से नीचे लिखी बातें फलित होती हैं—

(अ) स्वराजी लोग बामिजाज अपना दल संघटित कर सकेंगे-महासभा या अपरिवर्तनवादियों की तरफ से उनका विरोध न होगा।

(आ) दूमरी राजनैतिक संस्थाओं के सदस्य महासभा में शरीक होने के लिए निमन्त्रित किये जायें-इसके लिए उन्हें राजी किया जाय।

(इ) अपरिवर्तनवादियों को मना कर दिया जाय कि वे धारा-सभा-प्रवेश के खिलाफ जाशिरा तौर पर या दबे-छिपे आन्दोलन न करें।

(ई) जो लोग खुद चार में से किसी भी बहिष्कार को न मानते हों वे उसी तरह अपना मनचाहा काम करने के लिए आजाद रहेंगे-माना ये बहिष्कार प्रचलित थे ही नहीं। इसके लिए उन्हें नीचा देखने को जरूरत नहीं। इस तरह अखडयोमी बकील यदि चाहें तो फिर से बकालत शुरू कर सकते हैं और खिलानधारी, सरकारी शिक्षालयों के शिक्षक आदि महासभा में शरीक होने और उसके पदाधिकारी होने के पात्र समझे जायेंगे।

इस तजवीज के मुताबिक देश के तमाम राजनैतिक दल मिल जुल कर राष्ट्र के भीतर विकास के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। इस तरह महासभा तमाम राजनैतिक दलों को सम्मिलित होने का खासा मौका देती है और उसके बाहर एक ऐसी स्वराज्य की योजना तैयार करने का मौका देती है जिसे सब मंजूर कर सकें और जो सरकार को पेश की जाय। मेरी जारी राय तो यह है कि अभी ऐसी तजवीज पेश करने का समय

हीं आया है। मैं तो यह मानता हूँ कि यदि हम सब मिलकर एक साथ पूर्वीक रचनात्मक कार्यक्रम को सफल बनाने का उद्योग करें तो उससे हमारी आन्तरिक शक्ति आकाशीत बढ जायगी। पर देश के उन बहुसंख्यक सज्जनों की राय इसके विपरीत है, जो अब तक लोगों के अग्रगण्य रहे हैं। जो कुछ हो, कम से कम हमारे सुभोगों के लिए तो एक स्वराज्य-याजना की जरूरत हुई है। पाठक जानते ही होंगे कि इस मामले में मैं तो बाबू भगवानदास के विचारों का कायल हो गया हूँ। अतएव इसके लिए यदि कोई परिषद होगी और उसमें मेरी हाजिरी की जरूरत होगी तो उसमें हाजिर होकर उस तजवीज को बनाने में जरूर मदद दूंगा। इस काम को महासभा के बाहर रखकर चलने पर जो मैं जोर दे रहा हूँ उसका सबब यह है कि मैं पूरे एक साल तक महासभा को सिर्फ भीतरी उन्नति के और मजबूती के काम में लगा रखना चाहता हूँ। जब हम अपने इस काम में काफी परिमाण में सफलता प्राप्त कर चुकेंगे तब महासभा शोक से बाहरी राजनैतिक हलचलों में भी पक जाय।

तो अब सवाल यह उठना है कि यदि यह प्रस्ताव मजूर न हुआ और देश के तमाम राजनैतिक दलों को महासभा के अन्दर एकत्र करना मुश्किल हुआ, और हमारे और स्वराजियों के बीच की इस खाई को पूरना ना-सुमकिन हुआ तो फिर क्या होगा? मेरा जवाब सरल और सीधा है। यदि सारा शक्यता महासभा पर कब्जा करने के ही लिए हो तो मैं उसमें शरीक न हूँगा। जिन लोगों के विचार मुझसे मिलते हैं उन्हें भी मैं ऐसा ही करने की सलाह दूँगा। मैं उन्हें यह भी मशवरा दूँगा कि वे महासभा स्वराजियों के हवाले कर दें और उसके लिए वे जो बातें चाहें कुबूल कर लें और अपनी तरफ से बिना किसी तरह के आन्दोलन के उनका धारासभा-कार्यक्रम बिला-खरबसा चलने दें। मैं अपरिवर्तनवादियों को सिर्फ रचनात्मक काम में लगाऊँगा और उन्हें सलाह दूँगा कि वे दूसरे दलवालों से जितनी वे दे सकें, सहायता लें।

जो लोग अपने राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन के लिए महज रचनात्मक कार्यक्रम पर ही सारा धारोमदार रखते हैं उनका काम है कि वे स्वयंसेवा के रास्ते में पहले आगे बढ़ सकें। महाममा में पदाधिकारी बनने और स्वराजियों का विरोध करने से हमें अपनी एक भी पिय वस्तु की प्राप्ति न होगी। हम स्वराजियों की महरबानी से ही उन पदों पर रहें। यदि हम अपने इशारों पर लोगों को इस आत्मघातक गज-प्राद के युद्ध में फसावेंगे तो हम दोनों दल के लोग उनको मार्ग-च्युत करने के अपराधी होंगे। क्योंकि लोग तो सीधे-मोले होते हैं और आंख बंद कर महाममा के नाम की पूजा करते हैं। अपनी शुद्ध सेवा के बल पर जो पद और सत्ता हमें मिलती है वह हमारे हृदय को उन्नत बनाती है। जो सत्ता सेवा के नाम पर हासिल की जाती है और महज कमरत राय के बल पर प्राप्त की जाती है, वह केवल भ्रम-जाल है। उससे हमें बचना चाहिए—साम पर इस मौक पर तो उगसे दूर रहने की और भी ज्यादा जरूरत है।

मैं अपने इस प्रस्ताव की उपयोगिता और उम्दगी का कायल पाठकों को चाहे कर सका हूँ या न कर सका हूँ, पर मैं तो अपनी तरफ से विश्वास कर चुका हूँ। इस सवाल-मात्र से मेरे चित्त को प्यसा होनी है कि जिन लोगों के साथ अबतक मैंने कंधे से कंधा मिला कर काम किया है, वे अतिकूल दिखाई देनेवाली दिशा में काम करें।

ऊपर मैंने जो बातें पेश की हैं वे मेरे धरम रख देने की शर्तें नहीं हैं। मैं तो बिना किसी शर्त के शरणगत हूँ। मैं महाममा को रहनुवाई उसी हालत में कर सकता हूँ जहाँ कि तमाम दल के

लोग ऐसा चाहे। मैं इस बगधोर अन्धकार में सूरज की किरण देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यह घुघली-सी दिखाई भी देती है। मुमकिन है अब भी मैं गलती कर रहा हूँ। पर मैं इतनी बात जरूर जानता हूँ कि अब मेरे अन्दर लडाई का भाव बिल्कुल नहीं रह गया है। मैं एक जन्मगत लडाईया हूँ। मेरे लिए इतना ही कहना बहुत है मैं अपने अजीबों और आत्मीयों तक से लडा हूँ। पर मैं लडा हूँ प्रेम-भाव से प्रेरित हो कर ही। स्वराजियों से भी मुझे प्रेम-भाव से प्रेरित हो कर ही लडाना चाहिए। पर मैं देखता हूँ कि अभी मुझे अपने प्रेम-भाव को साबित कर दिखाना बाकी है। मैं समझता था, साबित कर चुका हूँ। लेकिन देखता हूँ कि मैं गलती पर था। इसलिए मैं अपने कदम पीछे हटा रहा हूँ। मैं हर शक्यता से अनुरोध करता हूँ कि आइए, इसमें मेरा हाथ बटाइए और इन दोनों पक्षों को एक होने में सहायता कीजिए। कम से कम कुछ समय के लिए तो अवश्य ही महासभा को बहुतांश में एतमवालों की संस्था बनाना आवश्यक है।

(५० इ०)

महासभा का मजबूत गांधी

## पूना में गांधीजी

भिन्न भिन्न राजनैतिक दलों को एक मंच पर लाने के इरादे से बर्हई की अनेक सभाओं में एक कार्यक्रम उपस्थित कर के गांधीजी पूना गये। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा काम लेने का लोम किया-इससे गांधीजी को सिहत भी खूब पढी और यथेष्ट पूर्णता के साथ चर्चा भी न हो पाई। चर्चा का कुछ अंश बहुत आवश्यक और उपयोगी था। पहले उन के मुख्य भाषण का सार देकर फिर चर्चा का जिक्र करेंगे।

### खादी और मिल

रात की सभा में गांधीजी ने सर्व-सामान्य कार्यक्रम पेश किया। आरंभ में उन्होंने पूनावासियों से पिछले दो साल के काम का हिसाब मांगा, और मिल के कपड़े तथा खादी के सवाल की चर्चा की—

“आप पूछते हैं कि मिल का कपड़ा पहनने से बहिष्कार क्यों कर नहीं हो सकता? वह प्रश्न भारी अज्ञान-जमित है। मिल का कपड़ा बहिष्कार के लिए काफी हई नहीं। बंग-भंग के समय में मिलवालों ने बंगाल को किस तरह दगा दिया। इसका शिकायत बंगाल आज भी करता है। उनके अनुभव से हमें यह नसीहत लेना चाहिए कि मिल के कपड़े से बहिष्कार असंभव है। इसलिए हमें केवल खादी का ही प्रचार करना चाहिए। सो बात स्पष्ट है कि मिल के कपड़े को महासभा में बिल्कुल स्थान न होना चाहिए।”

### अज्ञा का अर्थ

दिन में स्वराज्यवादियों के साथ खूब चर्चा हुई थी। उसके अन्त में एक महाशय ने पूछा था—‘विपलणकर को अर्थभूति की खोलेत समय आपने कहा था महाराष्ट्र में त्यत है, पर अज्ञा नहीं, इसका क्या अर्थ?’ गांधीजी ने कहा था—‘इसका जवाब रात की सभा में दूंगा।’ यह जवाब देते हुए, गांधीजी ने कहा—‘अज्ञा का अर्थ है आत्म-विश्वास और आत्म-बेधाम के मानो है ईश्वर पर विश्वास जब चागे और फाले बाटल दिखाई देने हों, किनारा कहीं नजर न आता हो, और ऐसा मान्दम होता है कि बस अब डूबे, तब भी जिसे यह विश्वास होता है कि मैं हरगिज न डूबूंगा उसे कहते हैं अज्ञावान्। द्रौपदी का बल हरण हो रहा था उसकी रक्षा करने में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, असमर्थ थे। तब भी द्रौपदी ने अज्ञा न छोडी। वह कृष्ण कृष्ण पुकारती रही, उसे इस बात पर अज्ञा थी कि जबतक कृष्ण मौजूद है तब तक किसकीमजाव है कि मेरा बल हरण कर सके। आपमें ऐसी अज्ञा

है ? यदि आपके अन्दर ऐसी श्रद्धा हो तो आप अकेले पूजा के बल पर स्वराज्य ले सकते हैं। जो भ्रष्टाचार होता है वह ईश्वर के साथ बाधा नहीं करता-इकरार नहीं करता। हरिचन्द्र ने बाधा नहीं किया था। वह अपनी पत्नी के गले पर छुरी फेरने की भी तैयार हो गया था।

‘मैं पागल हूँ ?’

जो लोग खादी की बात को पागलपन समझते हैं उनको संबोधन करके बोलें—‘मैंने कर्मल मेडक से पूछा कि आप अपने विद्यार्थियों को खादी न पहनने देंगे ? उन्होंने मुझे नहीं कहा कि तुम पागल हो। उन्होंने तो कहा कि यदि विद्यार्थी पहनना चाहते हों तो मैं क्यों इनकार करने लगा ? और श्रीमतां मेडक विलायत खादी ले गई हैं। जो काम नहीं करना चाहता वह हजार बहाने बनाता है। मजा कोई नहीं करता-करती है हृदय की दुर्बलता। अच्छा मान लीजिए कि गांधी पागल है। मैं कहता हूँ देहान के लोग जो कपड़ा पहनते हैं वह पहनिए। क्या वह कहना पागलपन है ? और बातों के लिए आप चाहे मुझे दीवाना कहिए। पर खादी के लिए यदि आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि कहनेवाले ही दीवाने हैं। क्योंकि मैं तो अनुभव की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यदि आपसे और कुछ न हो सके तो गरीबों पर कृपा कर के कमसे कम खादी जरूर पहनिए। चंपारन और उड़ीसा में लोगों को चार पैसे रोज मिलने की भी सांसल पड़ती है। वहाँ लोग काले चावल खाकर रहते हैं। हड्डी-बमकी भर उनके बदन पर रह गई है। उनपर रहम करके, उनके अन्दर रहनेवाले ईश्वर के दर्शन कर के आप २००० गज सूत दीजिए। यही प्रार्थना आपसे है।’

छात्राङ्कल और हिन्दू-मुसलमान गेवय के बारे में विवेचन करके इस तरह उपसंहार किया—

‘मैं तो हार गया। प. मोतीलालजी और श्री केलकर यदि मुझे कहे कि तुम महासभा से चले जाओ तो मैं थला जाऊंगा—यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं बेलगाँव में रायों के लिए हाथ नहीं ऊँचा उठवाऊंगा। इस अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी दोनों रायों के केकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। महासमिति में मैंने रायें लीं। अब मैं देखता हूँ कि मैंने यह अपराध ही किया है। वहाँ रायें लेना मेरा पागलपन हुआ। मैं तो विवादी ठहरा। मुझे सनभना चाहिए था कि लड़ाई तो वहीं लड़ी जा सकती है जहाँ कटुता न पैदा हो, दुश्मनी न पैदा हो। यदि प. मोतीलालजी और श्री केलकर के साथ लड़ने में कटुता बढती हो तो मैं उनके चरणों में सीस छुकारना बेहतर समझता हूँ। मेरे दिल के अंदर यदि किसी के भी प्रति द्वेष हो, दुश्मनी हो, तो बेहतर है, मैं साबरमती में डूब मरूँ। हाँ, जहाँ सिद्धान्त की लड़ाई हो वहाँ मैं लडे बिना नहीं मानता, पर जहाँ दुश्मनी की बू आती हो वहाँ क्या लड़ूँ-किस तरह लड़ूँ ? जहाँ ऐसी लड़ाई से सीसरी ताकत बढ रही हो वहाँ किस तरह लड़ूँ ? इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं न लड़ूंगा। पूना-निवासियों को सिर्फ एक ही बात कह कर मैं बिदा लगा। यह पागल बनिया आपको कह कर जाता है ‘पूनावासियों, भ्रष्टा रक्खो और स्वराज्य लो।’

प्रश्नोत्तरी

कपर मैंने जिस चर्चा का जिक्र किया है उसमें हुए प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं—

प्रश्न—आप ये तीनों चीजें महासभा में रखना चाहते हैं। इससे क्या महासभा का राजनैतिक स्वरूप मिट नहीं जाता ?

गांधीजी—हां कुछ समय के लिए मिट जाता है—पर मैं एक ही साल का प्रयोग करना चाहता हूँ। जब तक विदेशी माल का बहिष्कार कर रहा हूँ तभी तक।

प्र०—पर आप तो उन सब लोगों को जो सूत न कातें, महासभा से निकालना चाहते हैं। क्या सिर्फ खादी-काम करने वालों को ही महासभा में रहने का अधिकार है ? जो लोग दूसरे काम करें उन्हें अधिकार क्यों न होना चाहिए ?

गा०—मैं तो लड़वैया ठहरा। इसलिए मैं तो लड़ाई चलाने के हंग को देख कर, सोच कर बात करता हूँ। हिन्दू-मुसलमान-गेवय और अस्पृश्यता के लिए शारीरिक श्रम जरूरत नहीं। सिर्फ प्रचार और शिक्षा की जरूरत है। यह काम छुद्र भाव रखने से बहुत कुछ हो सकता है पर खादी के काम के लिए तो छुद्र भाव का अनिश्चित हाथ हिलाने की भी जरूरत है। मैं तो कार्यकर्ताओं और जनता का एक शृङ्खला में बांधना चाहता हूँ और वह शृङ्खला है सरले का सूत। महासभा के सदस्य यदि सूत कातेंगे तो करोड़ों लोग उनके देखकर कातने लगेंगे।

प्र०—तो जिन्हें आपके दूसरे काम के साथ हमदर्दी होगी उन्हें तो महासभा के बाहर ही रहना होगा न ?

गा०—हां, वे याहर रहकर मदद कर सकते हैं। हमदर्दी रखने वाले तो बहुत लोग देश में हैं हैं। उससे क्या काम चलता है ? मैं तो २००० गज सूत कातने वाली फौज खरी करना चाहता हूँ। क्या २००० हजार गज कातने का बक्त नहीं भिड़ सकता ? क्या आपके सिर-मुहसे अधिक काम का बांझ है ?

प्र०—पर जो मवाल मैंने पहले किया था वही फिर कंगवा-महासभा का राजनैतिक रूप मिट जायगा—यही सबसे बड़ा डर है।

गा०—ना, मिट नहीं जायगा आज मैं लड़ाई में पडे बिना आपको राजनैतिक कार्यक्रम नहीं दे सकता। पर मैं कहता हूँ कि यदि आप हतना करेंगे तो मैं तुरन्त आपको राजनैतिक कार्यक्रम दे दूंगा। मैं साधु-फकीर नहीं, राजकाजी आदमी हूँ। हाँ, जरा सौम्य प्रकार का हूँ। क्या दक्षिण अफ्रिका में मैं राजकाजी नहीं था ? राजनीति के ज्ञान के बिना हो मैंने जनरल स्मट्स के साथ दो दो हाथ किये थे ? मुझे खबना है, मैं लड़ूंगा—पर भाई, मुझे हथियार भी तो ठीक कर लेने दो।

प्र०—आप कहते हैं कि समितियों का कब्जा दे दिया जाय ? क्या इससे कटुता और सन्तुता कम हो जायगी ?

गा०—अगर मुझे से छोड़ेंगे तो कम न होनी—यदि उन्हें कम करने के हरावे से छोड़ेंगे तो जरूर कम हो जायगी।

प्र०—जो आपकी खादी को, आपके सिद्धान्त को, तहस-तहस करने पर ही तुला हो उसका आप क्या उपाय करेंगे ?

गा०—मैं समझता हूँ, ऐसा कोई नहीं चाहता। पर यदि चाहता हो तो मैं निश्चिन्त हूँ, निर्भय हूँ।

प्र०—पर अगर सिद्धान्त पर ही हमला होता हो तो आप सिद्धान्त छंवर तो फायदा नहीं उठा सकते ? लडकर ही सिद्धान्त की रक्षा करनी होगी।

गा०—मेरे सिद्धान्त में ही ऐसी शक्ति है कि उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। सिद्धान्त नहीं छोड सकते। जरूरत हो तो महासभा-समितियों का चाहे छोड दें।

प्र० यदि समितियाँ हाथ में न रहेंगी तो हम तो पशु हो जायेंगे। फिर काम किन अधिकार के बल पर करेंगे ?

गा०—जरा अधिक गहरा विचार कीजिए। देखिए, फर्गुसन कालेज आपकी राष्ट्रीय समस्याओं के सामने खडा हुआ है। क्या वह महासभा के आश्रय पर खडा है ? वह माववा एक बहम है कि महासभा के आश्रय से ही काम चल सकता है। जितनी शक्ति आपके अन्दर होगी उतना ही काम आप कर सकते हैं। और ऐसा तंत्र रखने से लाभ हो क्या कि जिसकी मरम्मत में ही



सारी शक्ति और सारी दौलत खर्च हो जाय ? ऐसी हालत में तो उस तन्त्र को तोड़ डालना ही बेहतर है। यदि तन्त्र अनायास हाथ में रहता हो तो रहे। वहां वह सारी शक्ति को ही खा जाता है वहां हमारे हाथ से चला भी जाय तो चला जाय।

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देशाई

**मलाबार-संकट-निवारण**

सत्सामहाय्य में बसूल हुआ—

४-९-२४ तक स्वीकृत १७०२५-३-६  
उसके बाद ११-९-२४ तक बसूल ७१३८-८-३

जोड़ २४१६५-११-९

इस सप्ताह की रकम में नीचे लिखी रकमें भी शामिल हैं—  
जानकीदास, बीकानेर ४) चन्द्रदत्त पाण्डेय, बनारस ४५) माताबदल-  
सिंह, प्रयाग ५) म. प. गुप्त कानपुर १॥८) राधाकृष्ण माहेश्वरी  
खोशी (ब. १२) की मार्फत—लक्ष्मीनन्द राधाकृष्ण माहेश्वरी ४५)  
गुवाजीराम सेवाराम माहेश्वरी १५) टीकमदास जेठमल ५) लालचद  
५) बतरभूज ५) हस्तमराव देशमुख ५) मुलचंदजी भट्ट माहेश्वरी  
५) बनराजजी केला ४) नथुवा महादेव बानेरे ३) नारायणराव भाउराव  
देशमुख २) जगन्नाथ शंकर माहेश्वरी २) विहारीलाल ईश्वरदास ५)  
महाराजशंकर शर्मा, पटना, की मार्फत—महाराजशरण शर्मा  
२) गिरिधरधारीसिंह १) मेदनीप्रसादसिंह १) श्रीपतिसिंह १) फुटकर  
०॥॥ एम. रामचंद्र, धुनेजा ३) लाला रामचंद्र लाहौर १०) रामकृष्ण  
गुप्त, सारन २५) रामदयाल शर्मा, हाफिजगंज ४) रामचंद्र  
जोरावरमल लाजा के मार्फत—रामचन्द्र जोरावरमल ११) नारा-  
यणदास रामकिसन ११) मुरजमल ५) बिलर ५॥॥ रामदत्तसिंह सहायक,  
हाजीपुर ८॥॥ राजस्थान काही मण्डल इलाहाबाद की मार्फत—  
गणेशदास कुमराज ११) श्रीमती शान्तिदेवी २५) कुन्दनमल  
लालचन्द ११) लक्ष्मीनारायण बकील १०) चान्द्रमल मोदी ५)  
चतुर्भुज डोगालाल ५) फतहचन्द कुंभरलाल ५) विहारीलाल भागव  
५) नाथूलाल बोया ५) तुलसीराम रामस्वरूप ५) हरप्रसाद तुलसी  
राम ५) हरिप्रभुमणि रांका बांका सुखानन्द सत्संघ ४॥८) राजस्थान  
प्रान्तीय काहीमण्डल के बुनकरों से ४) जवानमल शोभाचन्द ४)  
केमानन्द राहत १॥॥ भूरजी मजन लाल २) मन्नु भाई ३)  
मानमल बडेल २) शोभागलाल बकील २) जयदेव शर्मा २)  
समन्वरा कैसरीमल १) कुन्दनलाल दलाल १) न्यलाल १)  
बख्शीराम फुलचन्द १) लाहुरामशर्मा १) मुत्फरिंक २०॥॥॥॥॥  
रामेश्वरदास धूलिया की मार्फत—गंगाधर शाही केकर १)  
सुनीलाल शीवसाय २५) साहगराम रामचंद्र भरनीया २५) मोहन-  
लाल मोतीरीराम २१) बौदुलाल गणेशराम ११) हरनारायण प्रेमसूक  
११) भोकाराम जन्धारमल ११) पन्नालाल नारायणदाम ११) बिजेराम  
केकराज ११) चपालाल पांडुरंग ५) माहादु औंकार ५) बलभराम  
तोडाराम ५) कनवालाल सीवसाय ५) गोविंदजी सीमत्री ५)  
पापालाल शीवचंद ११) काहुराम मन्नालाल २) गुलाबचंद मन्नुलाल  
१) रजुनाथ शीवकरण १) लालाजी गोविंदा १) चासीराम बाहुराम  
१) मिठालाल गणेशराम २) मोहनलाल बालमुंकर १) कीका विश्वर  
०॥॥ श्री कृपा १) पंजाब प्रान्तीय समिती की मार्फत ३०)  
शुंवरदास बलभदास करौंची ५१) अरुणभद्रास ओसवाल, जलगांव  
की मार्फत—राजमलजी ललबानी २०१) मोतीलाल धाकीवाला जामनेर  
२) शंकराज बवलमल जामनेर ५) बगमल लक्ष्मीचंद इच्छावर ११)  
मोतीलाल मुलचंद बीदर ५१) सेसमल पूनमचन्द २१) बगमल  
बदायमल २१) बहुराज ललबानी ५) नथमल सुबचन्द २१) उम्राण

बेडगांवकर बन्धु ५१) इमीरमल कलमसरा ५) पूनमचन्द नाहटा  
७) एम सी. केकर १५) रूपचन्द ललबानी ५) रिपभद्रास  
ओसवाल ५) एक सज्जन ८॥८) नथमल बेनीप्र० ५) रतनचन्द  
मुलचन्द २) हीरानन्द गुलाबचन्द ५) दोरनी नथुशुमेर १)  
शुंजालचन्द ५) सुपालचन्द बन्सीलाल २) हरकचन्द माणकचन्द २)  
नारमल गुलाबचन्द २५) मांतीलाल रैदासणी २५) पन्नालाल  
कलमसरा ५१) फुलचन्द सूरजबल ५) मेन्नाल बड १५)  
भूरमल भाउराज ११) पूनमचन्द जीवराज ५) बिलर २८॥८) गोविंद  
सिंह कटक ३५) रामस्वरूप भाडिया मिबानी ५) रामकिशन  
बालमिया विरावां ३१५) उत्तमचंद जैन मेरठ २०) राईस जयचन्द  
एसोसिएशन, बर्मा ३१५०) जानकीदास डाहुराम बप्तर २५)  
गुजरात प्रान्तिक समिति में बसूल—

४-९-२४ तक स्वीकृत ७४१९-१४ ३  
उसके बाद १२-९-२४ तक आया २६८१-१२-०

जोड़ १०,१०१-१०-३

यंग इंडिया, नवजीवन और हिन्दी नवजीवन के दफ्तरों में प्राप्त—

४-९-२४ तक बसूल ७७६७-५-३  
उसके बाद १२-९-२४ तक आया १८१२-१२-०

२५८८-१-३

इस सप्ताह में आई रकमों में नीचे लिखे सज्जनों का चन्दा भी शामिल है—  
मुबनेश्वरी पुस्तकालय पुरापोर ३॥॥ धुपनलाल बनियां रायपुर ११) मूलचन्द बागडी रायपुर १०) कालजी मोठाभाई अकोला १५) डी. ए. कं. का आफिस स्टाफ कानपुर ३९) रामकुमार मारवाडी ३) रामनारायण ३) नुराराम केदारराम २) लखू बाबू २) नृजलाल प्रह्लादराय १) गौरीदत्त १) राधेकृष्ण बन्धुनयत लक्ष्मीप्रसाद १) स्वामलाल १) राजाराम सुखदेवराम १) जमुनाराम १) काशीराम १) रजुवीरराम १) और हनुमानराम काशीराम उस्काबाजार १) और फुटकर चन्दा ४) रामेश्वर बाजपेई १) रामरतन तंबोली ३) और गदाधर पोबां मगरायर १) कीर्तिप्रसाद तिल्लाकी मार्फत बीजुली २०॥॥ बलचन्तसिंह मेरठ १०) अवधविहारी-  
लाल बेरन १०) विश्वेश्वरदयाल सक्सेना कायमगंज ५) हेडमास्टर एच. ई. स्कूल हाजीपुर २२) सुंदरदास खेर गुजरात (धार, एच.) ११) बालकिशनदास देहली २) मांणिलाल कानजी बालाबाद ५) दत्त एस. हरिते बंकीकोडला ५) जयराम कीशन चवन यवतमाल के मार्फत १२॥॥ ठाकुर सीताराम अलीगढ १००) कै. एन. अलोगढ २५) शिवशंकर धिपाटी कानपुर १८) जी० सम्भगरा भरकारा २) अमेदत्त तिवारी मेसोड १३) मदनमोहन राधा बवापुर ८) आई. एस. सच्चार जमालपुर २५) गोपालचंद्र शर्मा तरबगंज ५) तार ओफीस का स्टाफ अलवारपुररा ३५)

नवजीवन की बंबई-शाखा में बसूल—

३-९-२४ तक स्वीकृत ४२४२-७-३  
उसके बाद ९-९-२४ तक प्राप्त १४१७-१४-३

जोड़ ६६७-५-६

गांधीजी का यात्रा में मिले—

७-९-२४ की संख्या में स्वीकृत १४५८-१२-३  
उसके बाद अबतक मिले ८८०७-०-०

जोड़ १०२६५-१२-३

कुल जोड़ ५९७८०-९-०

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—माइनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ७

मुद्रक-प्रकाशक  
 वैजोबाई काननदास दूब

अहमदाबाद, बवार गली ३०, संपत् १९८१  
 रविवार, २८ सितम्बर, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
 सारंगपुर सरकीगरा की धाबी

## गांधीजी के समाचार

आज उपवास का १२ वां दिन है। किरसी गांधीजी इस तरह उपवास को सहन कर रहे हैं कि दम रह जाता पकता है। एकता परिषद के गांधीजी के एकता-संपर्की स्थापित सिद्धान्तों को स्वीकारने और पं.मोतीलालजी के बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने बचन दिया है कि जिस क्षण डाक्टर सचमुच यह कह देंगे कि अब अन्तकाल नजदीक है, मैं उपवास छोड़ दूंगा।

## मेरा उपवास

मैं पाठकों को यह बकीन बिलाना चाहता हू कि मैंने यह उपवास बिना सोचे-समझे शुरू नहीं किया है। सच पूछिए तो जब से असहयोग का जन्म हुआ है तभी मेरे मेरा जीवन एक बाजी हो रहा है। मैंने आंख मूंद कर उसमें हाथ नहीं डाला। इसके साथ रहने वाले खतरों की काफी चेतावनीयां मुझे मिली थीं। मैं अपना कोई काम बिना प्रार्थना किये नहीं करता। मनुष्य स्वल्प-शील है। वह कभी निर्भ्रान्त नहीं हो सकता। जिसे वह अपनी प्रार्थना का उत्तर समझता है, संभव है कि वह उसके अहंकार की प्रतिबन्धि हो। अबूक माग दिवाने के लिए मनुष्य का अन्तःकरण पूर्ण निर्दोष और दुष्कर्म करने में असमर्थ होना चाहिए। मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता। मेरी तो भूलती-भटकती, गिरती-पड़ती, उठती और प्रस्न करती अपूर्ण आत्मा है। मैं अपनेपर तथा अपनोंपर प्रयोग कर कर के ही आगे बढ़ सकता हूँ। मैं ईश्वर के और इसलिए मनुष्यजाति के पूर्ण एकत्व का मानता हूँ। हमारे शरीर यदि भिन्न भिन्न हैं तो क्या हुआ ? आत्मा तो हमारे अन्दर एक ही है। सूर्य की किरण वरानतन से अनेक दिखाई देती हैं। पर उनका आधार-उत्पत्ति एक ही है। इसलिए मैं अपनेको अत्यन्त दुष्टात्मा से भी अलग नहीं मान सकता (और न सबकों के साथ मेरी सम्यक्ता से ही इनकार किया जा सकता है)। ऐसी अवस्था में मैं, दाह या न चाहूँ, अपने समान सजातियों को—मनुष्यों को—अपने प्रयोग में अनायास शामिल किये बिना नहीं रह सकता। और न प्रयोग किये बिना ही मेरा काम चल सकता है। जीवन का प्रयोगों की एक अनन्त मालिका ही समझिए।

मैं जानता था कि असहयोग एक खतरनाक प्रयोग है। अहंकार असहयोग और एक अस्वाभाविक, घुरी और पापमय वस्तु है। पर, मुझे विश्वास है कि शान्तिमय असहयोग प्रयोगोपास एक पवित्र कर्तव्य है। मैंने इसे अनेक बातों में साधित कर दिखाया है। पर हाँ, बहु-जब-समाज पर उसकी आजमाने में गलतियां होने की बहुत संभावना थी। लेकिन अधाध्य-भोषण रोग का इलाज भी दाहण हो करना पड़ता है। अगमकता तथा हमसे भी घुरी घुराओं के लिए शान्तिमय असहयोग के बिना दूसरा कोई उपाय ही न था। पर, चूंकि वह शान्तिमय था, मुझे अपनी जिन्दगी तराजू पर रखनी पड़ी।

जो हिन्दू-मुसलमान दोनों दो बरस पहले धूम-धुंका एक साथ मिल-जुल कर काम करते थे वही अब कुछ जगह कुत्ते-बिल्ली की तरह खड़े रहे हैं। यह इस बात का भली भाँति सिद्धांत है कि उनका यह असहयोग शान्तिमय न था। मैंने बचड़े, खोमीचौरा तथा दूसरे छोटे-बड़े मौकों पर इसका विषय देखा किया था। मैंने उन मौकों पर प्रायश्चित्त भी किया। उस बात से उसका असर भी हुआ। पर इन हिन्दू-मुसलमान तनाजे का तो ख्याल भी नहीं हो सकता था। जब कोहट की दुर्घटना का समाचार मैंने सुना तो यह मेरे लिए असह्य हो गया। माबरमती से देहली खाना होने के पहले सरोजनी देवी ने मुझे लिखा था कि शान्ति के लिए भाषणों और उपदेशों से काम न चलेगा। आपको अगर कोई रामबाण दवा बूँद निकालनी चाहिए। उनका मेरे सिर हमकी जिम्मेवारी डालना ठीक ही था। क्या मैं लोगों के अन्ध कृतना जीवन डालने में साधनीभूत न हुआ हूँ ? और यदि वह जीवन-शक्ति आत्म-नाशक साधित होती हो तो मुझोंको उनका उपाय खोजना लाजिगी है। मैंने उन्हें जवाब में कहा कि यह तो प्रयास के द्वारा ही हो सकता है। कोरी प्रार्थना निम्न आहम्बर होगा। उस समय मैं यह बिल्कुल न जानता था कि यह बवा होगी यह लंबा उपवास। इतना हाने पर भी यह उपवास इतना लंबा मुझे नहीं समझ होता कि जिससे मेरी व्यथित आत्मा का शान्ति को मिले। क्या मेरा गलती की है ? क्या धीरज से काम नहीं लिया है ? क्या मैंने पाप के साथ समझौता कर लिया है ? मुझ से यह सब बन पड़ हो या न बन पड़ा हो, मैं तो जो अपने सामने देखता हूँ वही जानता हूँ। यदि उन लोगों

मैं जो आज लड़ रहे हैं सभी अहिंसा और सत्य को समझा होता तो यह खूनी झूठ-धुंध जो आज-कल हो रहा है, असंभव प्राप्त होती। इसमें कहीं न कहीं मेरी जिम्मेदारी जरूर है।

अमेठी, संभल और गुलबर्गा की दुर्घटनाओं से मेरा दिमाग बड़े जोर के साथ दहल उठा था। मैं अमेठी और संभल की, हिन्दू और मुसलमान-मित्रों के द्वारा लिखी, रिपोर्टें पढ़ चुका था। मैं गुलबर्गा गये हिन्दू और मुसलमान मित्रों के द्वारा एकमत से मेरा वृत्तान्त पढ़ चुका था। मैं बड़े दुःखित हृदय से उनके बारे में कुछ आदि लिखता था—पर उसके इलाज के लिए लावार रहता था। कोर्ट के समाचारों से मेरे हृदय का वह पुष्पाधार एक से जल उठे। कुछ न कुछ करना जरूरी था। दो रात मैंने अलौकिक और नेकरारी में गुजारी। दुष्पचार को दवा हाथ लग गई। बस, मुझे प्रायश्चित्त करना चाहिए। सत्याग्रहाभय में रोज प्रातःकाल प्रार्थना के समय हम कहते हैं—

“कर-वरणकृतं वाकायजं कर्मजं वा  
अवयव-अवयवजं वा मानसं वापराधम् ।  
विदितमविदितं वा सर्वमेतत्कर्मसु  
जय जय करुणाय्ये श्री महादेव शंभो !”

मेरा प्रायश्चित्त है एक विदीर्ण और क्षतविक्षत हृदय की प्रार्थना कि परमात्मन् मेरे अनजान में किये पापों को क्षमा कर। वह सब हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए एक चेतावनी है जो मेरे साथ प्रेमभाव बताया करते हैं। यदि वे सचमुच मेरे साथ प्रेम रखते हैं, और यदि सचमुच मैं उसका पात्र हूँ तो वे मेरे साथ, अपने हृदय से ईश्वर को हटा देने के जोर पाप का प्रायश्चित्त करें। एक दूसरे के धर्म को गालियाँ देना, अबाधुन्ध बकल्य प्रकाशित करना, अस्तव्य बोलना, निर्दोष लोगों के चिर फोड़ना, अशिष्टों या मसखियों को तोड़ना, अवश्य ईश्वर को न मानना है। हमारी इस “बादली” की हिनिया—कोई सुखी के साथ और कोई दुःख के साथ—विहार रही है। हम सैतान के दाब में फस गये हैं। धर्म का क्लृप्त फिर उसे आप किसी भी नाम से पुकारिए—वह नहीं है। हिन्दुओं और मुसलमानों के लिए प्रायश्चित्त विधि उपवास नहीं बल्कि अपने कदम पीछे हटाना—अपनी गलती सुधारना—है। एक मुसलमान के लिए सच्चा प्रायश्चित्त यही है कि वह अपने किसी हिन्दू-भाई के प्रति दुर्भाव न रखे और एक हिन्दू के लिए भी यही सच्चा प्रायश्चित्त है कि वह किसी मुसलमान भाई के प्रति जरा भी दुर्भाव न रखे।

मैं किसी भी हिन्दू या मुसलमान से यह नहीं कहता कि वह अपने धर्म-सिद्धान्त को अणु-मात्र छोड़ें। पर वह अपना यह निश्चय जरूर कर ले कि यह सचमुच धर्म का अंग है। लेकिन मैं हर हिन्दू और मुसलमान से यह जरूर कहता हूँ कि वह किसी पापिण्य लाभ के लिए एक दूसरे न ठके। यदि किसी भी जाति को मेरे उपवास के निमित्त किसी सिद्धान्त की बात, मैं सुकना कहा तो मेरे हृदय को अत्यन्त व्यथा होगी। मेरा उपवास तो ईश्वर और मेरे बीच की बात है।

मैंने किसी मित्र से इसकी चर्चा न की—इकीम सा० से भी नहीं जो कि दुष्पचार को बड़ी देर तक मेरे साथ रहे थे—और न मौखाना महम्मद अली से, जिनके घर में मैं अतिथिस्वरूप का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। जब कोई मनुष्य ईश्वर से अपना हिसाब कर लेना चाहे तो वह किसी तीसरे से सलाह करने नहीं जाता। उसे जाना भी न चाहिए। यदि उसे उसके बारे में कुछ शक-शुबह हो तो जबर सलाह-मसावरा करना चाहिए।

पर मुझे इस बात की आवश्यकता में जरा भी शक-शुबह न था। मित्र लोग मुझे उपवास शुरू करने से रोकना अपना कर्तव्य समझते। ऐसी सलाह-मसावरे या दलीलों का विषय नहीं होती। यह तो हृदय की व्याकुलता की बात है। जब राम ने अपने प्राप्त कर्तव्य के पालन करने का निश्चय कर लिया तब न तो वे अपनी पूज्य माता के रोदन-कन्दन से, न गुरु के उपदेश से, न प्रजा-जन के अनुनय-विनय से, और यहाँ तक कि न पिता की मृत्यु की निश्चित संभावना से भी अपनी प्रतिज्ञा से जरा भी डिने। वे बातें तो क्षणिक हैं। यदि राम ने ऐसे मोह के अवसरों पर अपने हृदय को ब्रह्म न बना लिया होता तो हिन्दू-धर्म में धर्मोन्ध बहुत न रह जाता। वे जानते थे कि यदि मुझे मानव-जाति की सेवा करना है और मावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बनना है तो ऐसी तमाम यन्त्रणाओं से गुजरना ही होगा।

पर क्या एक मुसलमान के घर में बैठ कर मुझे यह उपवास करना उचित था? हाँ, जरूर था। मेरा उपवास किसी भी प्राणी के प्रति दुर्भाव से प्रेरित होकर नहीं अंगीकार किया गया है। मेरा एक मुसलमान के घर में रहना इसके ऐसे मानी किये जाने खिलाफ एक गैरपटी ही होगा। एक मुसलमान के घर में इस उपवास का शुरू और खतम होना बिल्कुल ही उचित है।

और महम्मदअली भी कौन है? अभी, उपवास के दो दो दिन पहले, एक सानगी मामले में हमारी बातचीत होती थी। मैंने कहा—जो मेरी बीज है सो आपकी है जो आपकी है सो मेरी है। और मुझे सर्व-साधारण से कृतकृता-पूर्वक यह बात कहनी चाहिए कि महम्मदअली के घर पर जैसा स्वागत-सत्कार मेरा हो रहा है वैसा मेरा कहीं न हुआ होगा। मेरी हर जरूरत का पहले से ख्याक रक्खा जाता है। उनके घर के हर शब्द के दिक में सबसे ज्यादा खयाल इसी बात का रहता है कि किस तरह मुझे और मेरे साथियों को आराम पहुंचावें। डाक्टर अनसारी और डा. अब्दुल रहमान ने अपनेको मेरा डाक्टर ही बना लिया है। वे रोज आ कर मुझे देख जाते हैं। मुझे अपने जीवन में अनेक सुखदायी अवसर मिले हैं। यह अवसर पिछलों से कम नहीं है। भोजन-पान ही सब कुछ नहीं। यहाँ तो मैं उत्कृष्ट प्रेम का अनुभव कर रहा हूँ। यह मेरे लिए भोजन-पान से कहीं अधिक है।

कुछ लोग कानों-कान कह रहे हैं कि मैं मुसलमान-मित्रों के बीच इतना रहकर अपनेको हिन्दुओं का दिल जानने के अयोग्य बना रहा हूँ। पर हिन्दुओं का दिल कोई मुझसे भिन्न बीज है? जब कि मेरे शरीर और मन का एक एक अर्ध हिन्दू है तो निश्चय ही हिन्दुओं के मन की बात जानने के लिए मुझे हिन्दुओं के बीच रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा हिन्दू-धर्म शुद्ध वस्तु होगी, यदि बल अत्यन्त प्रतिकूल प्रभावों के अन्दर भी न फल-फूल सके। मैं सत्य-स्मृति से ही इस बात को जानता हूँ कि हिन्दू-धर्म के लिए किस बात की आवश्यकता है। लेकिन मुसलमानों के दिल का हाक जानने के लिए जरूर मुझे प्रयास करना होगा। उत्कृष्ट मुसलमानों के धर्मिष्ठ सम्पर्क में मैं बितना ही अधिक आसुरता उतना ही मुसलमानों और उनके कार्यों के विषय में मेरा अन्दाज अधिक व्यावयुक्त होगा। मैं इन दोनों जातियों के बीच एक संधि-साधन बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि आवश्यकता हो तो अपना खून दे कर भी इन दो जातियों में सन्धि कर देने के लिए मैं काकावित हूँ। लेकिन ऐसा करने के पहले मुझे मुसलमानों

को वह आश्रित कर देना होना कि मैं उन्हें उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि हिन्दुओं को। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि सब पर समान प्रेम रखो। ईश्वर इसमें मेरा सहायक हो। और और बातों के अलावा मेरे उपवास का एक उद्देश यह भी है कि मैं उस समभावपूर्ण और निस्वार्थ प्रेमभाव को प्राप्त कर सकूँ। २२-९-२४

(४० ई०)

मोहनदास करमचंद गांधी

### टिप्पणियाँ

#### मासिक बढती

कातनेवालों की संख्या २७८० से बढ़ कर एक महीने ही में ४००८ तक पहुँच जाना कोई बुरी प्रगति नहीं है। पाठक इस बात पर गौर करें कि यह वृद्धि सदस्य और गैर-सदस्य दोनों में ही पायी गई है। गुजरात का नंबर अभी तक तो अम्बक ही रहा है। लेकिन आंध्र इस दौर में उसके बिल्कुल पीछे छूटा हुआ है। कर्नाटक का ४१ से एकदम कूट कर ३५२ तक जाना और तामील नाडु का २० से ४५६ तक पहुँच जाना बहुत उत्साहवर्द्धक है। इस साल कर्नाटक को महासभा अपने नहीं बुलाने की इज्जत मिली है। इसलिए उसे तो अम्बक नंबर पर ही होना चाहिए। इस महीने का अभी और सूत जाना बाकी है। उससे तो वृद्धि और भी अधिक स्पष्ट प्रतीत होगी। यदि इसी तरह प्रगति होती रहेगी तो बहुत जल्द एक बड़ी संख्या कातनेवालों की हो जायगी। पाठक यह समझ ही लेंगे कि जितने स्वेच्छा से कातने वाले हैं उन सबको इस मीजान में शामिल नहीं किया गया है। जो लोग अभियमित कातते हैं उनकी संख्या नियमित कातने वालों की संख्या से कमसे कम घूनी होगी। और मजदूरी केकर कातनेवाले इसमें शुमार नहीं किये गये हैं। यदि सिक के किन्हीं नियमित कातना शुरू कर दिया है स्वराज्य मिलने तक बराबर कातते रहेंगे (यह कई उनसे बहुत बड़ी जाया नहीं रखी जाती) तो हम उसको कुछ जल्दी जबर पा सकेंगे।

#### सभापति की तरफ से इनाम

मौलाना महम्मदअली रोजाना कातने में प्रगति कर रहे हैं। घण्टों सार्वजनिक कार्यों में लगे रहने पर भी कात रहे हैं। गत मास के २००० गज पूरा करने के लिए आधीरात तक बराबर कातते रहे थे। उन्होंने मुझे यह जाहिर करने को कहा है कि उनके कार्य-काल में जो प्रान्त गुजरात से बाजी ले जायगा उसे पांच चरखे इनाम दिये जायेंगे। जो प्रान्त यह बाजी मारेगा उसके सबसे लायक और गरीब कातनेवालों को ये मिलेंगे। चरखे साबरमती में तैयार किये आखिरी तर्ज के होंगे। जहाँतक कातने वालों की संख्या से और सूत के बजन से संबंध है गुजरात से कातने में बाजी मार जाना आसान बात नहीं है। सूत की अच्छाई और बारीकी में बंगाल, कर्नाटक, आंध्र और तामील नाडु गुजरात से बाजी ले जा सकते हैं लेकिन उसको स्वेच्छा से कातने वालों की संख्या में और सूत के बजन में जो हरा देना वह कभी आसानी से न होने देगा। लेकिन मौलाना साहब ने कातनेवालों की संख्या का हवाल कर के यह इनाम रक्खा है। इस लिए जहाँतक मेरा हवाल है बंगाल, तामील नाडु और कर्नाटक की तरफ से स्वर्ण का जोर पठना ही संभवनीय है। मुझे आशा है कि इस इनाम की कीमत की ओर न देख कर महासभा के संपन्न गण इसी बात का हवाल करेंगे कि महासभा के समापति की ओर से यह इनाम दिया जायगा। यह धरती, मैं चाहता हूँ, कि बड़ी गंभीर और फलदायी हो। इस इनाम को जीतने के लिए अभी

तीन महीने बाकी हैं। यदि सब के सब प्रान्त प्रयत्न करेंगे तो मैं आशा हूँ कि मौलाना साहब को इच्छित बड़ा संतोष होगा। क्योंकि स्वेच्छा से कातने का राष्ट्रीय महत्व से समझ गये हैं अपना काता हुआ सूत बिकाने में और उसको रोजाना अधिक शुभार कर बारीक और बराबर कातने का प्रयत्न करने में वे बड़ी बिकवली ले रहे हैं। (४० ई०) श्री० क० गांधी

#### और सूत

अवस्त के सूत का खोरा पिछले सप्ताह प्रकाशित हो जाने के बाद अधिक भारत कादीसकल को और भी सूत मिला है। अजमेरने वालों की कुल संख्या ५८०० हुई है अर्थात् पिछले सप्ताह से कोई ६५० बढ़ गये हैं। अगले सप्ताह उनकी सही संख्या प्रकट कर दी जायगी। युक्तप्रान्त से ५८१ धरतों ने सूत भेजा है और आंध्र, तामीलनाडु और गुजरात में से क्रमशः २४७,११२, ९० धरतों ने अधिक संख्या में सूत भेजा है।

### मलाबार-संकट-निवारण

सत्याग्रहाध्ययन में बसूक हुआ—

पहले स्वीकृत	२८७६५-१५-०
२३-९-२४ तक बसूक	१३८८-१२-०
<b>जोड़</b>	<b>३०,१५४-११-०</b>

गुजरात प्रांशिक समिति में बसूक—

पहले स्वीकृत	१२,०११-०-३
उसके बाद २३-९-२४ तक जाया	७५९-१५-११
<b>जोड़</b>	<b>१२,७७१-०-३</b>

बंग इंडिया, मजदूरीयन और

हिन्दी मजदूरीयन के धन्तरों में प्राप्त—

पहले स्वीकृत	११५१६-१२-६
उसके बाद २३-९-२४ तक प्राप्त	१६९७-२-०
<b>जोड़</b>	<b>१३२१३-१४-६</b>

मजदूरीयन की बंबई-शाखा में बसूक—

पहले स्वीकृत	७४९८-१२-०
उसके बाद २२-९-२४ तक प्राप्त	२४०-८-०
<b>जोड़</b>	<b>८७३९-४-०</b>

गांधीजी को याचा में मिले—

१०३१६-१२-३

**कुल जोड़** ७५,१९६-९-११

र. १) में

१ जीवन्त का सद्यय	III)
२ लोकमान्य को अदाकति	II)
३ जयन्ति अंक	I)
४ हिन्दू-मुस्लिम तमाशा	-)
	<b>१II-</b>

बारी पुस्तके एक साथ खरीदने वाले को र. १) में मिलेगी। मुख्य मजीआहरे से भेजिए। बी. पी. नहीं भेजी जाती। एक कर्न और पेकिंग बगीह के ०-५-० अलग भेजना होगा। मजदूरीयन प्रकाशन मन्दिर



ने पाठक !

होत

बार

मैं तुम्हें क्या लिखूँ ? मेरा और तुम्हारा संबंध, मेरी दृष्टि से, असाधारण है। 'नवजीवन' के संपादक का पद मैंने न तो धन-लोभ से और न कीर्ति-लोभ से ग्रहण किया। मैंने तो अपने शब्दों के द्वारा तुम्हारे जोहृदय को हिलाने के लिए यह पद स्वीकार किया है। मेरे लिए तो यह अनायास आ पड़ा है। परन्तु जब से बोधाया है तभी से मैं तुम्हारा ही चिन्तन करता रहा हूँ। प्रति सप्ताह 'नवजीवन' में मैंने अपनी आत्मा उडेलने का प्रयत्न किया है। एक भी शब्द ईश्वर का साक्षी रखे बिना मैंने नहीं लिखा है। तुम्हें जो प्रसादी पसंद हो वही सुनना मैंने अपना धर्म नहीं समझा। कितनी ही बार मैंने कड़वी घूंट भी पिलाई है। किन्तु कड़वी या भीठी हरपक घूंट में मैंने वही बताने की कोशिश की है जिसे मैंने निर्मल धर्म माना है, जिसे मैंने स्वच्छ देश-सेवा मानी है।

आज जो मैं उपवास कर रहा हूँ सो संपादक-पद के अधिक योग्य होने के लिए। मैं जानता हूँ कि 'नवजीवन' के अनेक पाठक भाई-बहन मेरे लेखों को देखकर चलते हैं। कहीं मैंने उन्हें गलत रास्ता दिखाकर हानि पहुंचाई हो ता ? यह ख्याल मुझे बराबर सुटकना रहता था।

अस्पष्टता के बारे में मुझे कभी लेश-मात्र संदेह न हुआ। चरखे के विषय में तो संदेह के लिए जगह ही नहीं। वह लंगड़े की लाठी है--सहारा है। भूखे को दाना देने का साधन है। निधन श्रियों के सतीत्व की रक्षा करने वाला किला है। सब लंगों के द्वारा उसके स्वीकृत हुए बिना हिन्दुस्तान की फाकेकशी मिटना असंभव मानता हूँ। इन कारण चरखा चलाने में अथवा उसका प्रचार करने में भूल के लिए कहीं भी गुंजायश नहीं है। हिन्दू-मुसलमान-पेरुय की आवश्यकता के विषय में भी कहीं संशय के लिए स्थान नहीं। उसके बिना स्वराज्य आकाश-पुष्पवत् है।

परन्तु पिछाल अहिंसा का ग्रहण करने के लिए तुम तैयार हो या नहीं, इसके विषय में मुझे सदा संदेह रहा है। मैंने तो पुकार पुकार कर कहा है कि अहिंसा—क्षमा वीर का लक्षण है। जिसे मरने की शक्ति है वही मारने से अपनेको रोक सकता है। मेरे लेखों से तुम भीरुता का अहिंसा मान ली तो ? अपने लंगों की रक्षा करने के धर्म को जो बैठो तो ? तो मेरी अयोग्यता हुए बिना न रहे। मैंने कितनी ही बार लिखा है और कहा है कि कायरता कभी धर्म हो ही नहीं सकता। संसार में तलवार के लिए जगह जरूर है। कायर का तो क्षय ही हो सकता है। उसका क्षय ही योग्य भी है। परन्तु मैंने तो यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि तलवार चलाने वाले का भी क्षय ही होगा। तलवार से मनुष्य किसका बचावेगा और किसकी मारेगा ? आत्मबल के सामने तलवार बल तुणवत् है। अहिंसा आत्मा का बल है। तलवार का उपयोग करके आत्मा शरीरवत् बनती है। अहिंसा का उपयोग करके आत्मा आत्मवत् बनती है। जो इस बात को न समझ सके उसे तो तलवार हाथ में लेकर भी अपने आश्रितों की रक्षा जरूर करनी चाहिए।

ऐसा अनमोल अहिंसा-धर्म मैं शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकता। खुद पालन करके ही उसका पालन कराया जा सकता है। इससे इस समय मैं उसका पालन कर रहा हूँ। मेरे मन्दिरों की तोड़नेवाले मुसलमान को भी मैं तलवार से न मारूंगा। उसपर मैं क्रोध भी न करूंगा। उसे भी मैं केवल प्रेम के ही द्वारा जीतूंगा।

मैंने लिखा है कि हिन्दुस्तान में यदि एक ही शुद्ध भेमी पैदा हो जाय तो वह स्वधर्म की रक्षा कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा बनूँ। मैं हमेशा लिखता रहा हूँ कि तुम भी ऐसे बनो।

मैं जानता हूँ कि मेरे अन्दर बहुत प्रेम है। पर प्रेम के तो सीमा ही नहीं होती। मैं यह भी जानता हूँ कि मेरा प्रेम असीम नहीं है। मैं सांप के साथ कहां खेल सकता हूँ ? जो अहिंसा-मूर्ति हो उसके सामने सांप भी ठंडा हो जाता है। मुझे इसपर पूरा पूरा विश्वास है।

उपवास करके मैं अपनी जांच कर रहा हूँ। विशेष प्रेम उत्पन्न कर रहा हूँ। मैं अपना कर्तव्य पूरा करके तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य बताने की इच्छा रखता हूँ। तुम यदि मेरे साथ उपवास करोगे तो वह निरर्थक है। उसके लिए समय, अधिकार, आदि की जरूरत रहती है। तुम्हारा कर्तव्य तो यही है कि जो तीन चीजें मैं भिन्न भिन्न रूप में तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ उनको साथो। उनके द्वारा दूसरी सब बातें अपने आप साथ जावंगी। यह मेरा विश्वास है।

मेरे उपवास के औचित्य पर शंका करने के बदले तुम ईश्वर से यही मांगो कि मेरे उपवास निर्विघ्न पूरे हों, मैं फिर 'नवजीवन' के द्वारा तुम्हारी सेवा करने लखूँ और मेरे शब्दों में अधिक बल आवे। (नवजीवन)

देहली,

कार बंदी ११  
बुधवार।

तुम्हारा सेवक,

मोहनदास गांधी

## ईश्वर एक है

पिछले गुस्वार की रात को पहले से बक मुकर्रर कर के कुछ मुसलमान मित्र मुझसे मिलने आये थे। उनमें मुझे सरगर्मी और सबाई दिखाई देती थी। बुद्धि और संगठन के खिलाफ उन्हें बहुत-कुछ कहना था। मैं इन हल-बलों के बारे में अपने विचार पहले ही प्रकाशित कर चुका हूँ। जहाँतक हो सके, इन ग्राम दिनों में, मैं विवादास्पद विषयों पर कुछ भी कहना नहीं चाहता। वहाँ तो मैं उनके बतये एकता के उपाय की ओर पाठकों का ध्यान दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा—“हम वेदों की अपौरुषेयता को मानते हैं। इन श्रीकृष्णजी महाराज और रामचन्द्रजी महाराज (विशेषण उन्हींके हैं) को भी मानते हैं। फिर हिन्दू क्यों कुरान को अपौरुषेय मानकर हमारे साथ नहीं कहते “लाइलाहिल्लिहाइ महम्मदरसूलिहाइ” (अर्थात् सब देवों में खुदा एक है और महम्मद उसका नबी है?) हमारा मजहब संकुचित—विषर्जेक नहीं है उन्हा वह तो खसूसन् समावेशक—व्यापक है।

मैंने उनसे कहा कि आपका उपाय उतना आसान नहीं है जितना कि आप बताते हैं। आपका यह सूत्र चाहे कुछ सु शिक्षित लोगों के लिए ठीक हो, पर राह चलते लोगों के लिए यह काम नही। क्योंकि हिन्दुओं की दृष्टि में गो-रक्षा और हरिकीर्तन—जिसमें बाजे के साथ बेरोक संगीतकरते हुए फिर मरिजद के आगे होकर जाना ही तो भी, जाना—हिन्दू-धर्म का सार है और मुसलमानों के खयाल में गो-बध और बाजे बजाने की रोक इस्लाम का सार सर्वस्व है। इसलिए यह जरूरी है कि हिन्दू लोग मुसलमानों का गो-कुशी छेड़ देने पर मजबूर करना छोड़ दें और मुसलमान लोग हिन्दुओं को बाजे बध करने पर लाबा. करना छोड़ दें। गो-कुशी और बाजे बजाने के नियम-विधान का काम दोनों जातियों के सम्भाव पर छोड़ दिया जाय। क्यों उ्यों दोनों में सहनशीलता के भाव बढ़ते जायेंगे त्यों त्यों दोनों के रिवाजों का रूप अपने आप यथा-योग्य हो जायगा। पर इस नाजुक सवाल का अधिक विस्तार यहाँ करना नहीं चाहता।

मैं तो वहाँ उन मुसलमान-मित्रों के बताये आकर्षक सूत्र पर विचार करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि उसमें से कम से कम मैं क्या मान सकता हूँ। मेरा सहज स्वभाव हिन्दू है। और इसलिए मैं जानता हूँ कि इस्पर मैं जो कुछ कहूँगा वह हिन्दुओं के बड़े जन-समाज को भी पसंद होगा।

सब पूछिए तो औसत दर्जे मुसलमान ही वेदों की तथा दूसरे हिन्दू धर्म-ग्रन्थों की अपौरुषेयता को या कृष्ण अथवा राम के पैगम्बर या अवतार या देवता होने की बात को न कुबूल करेंगे। हिन्दुओं के लिए तो कुरान शरीफ या पैगम्बर साहब को भला-बुरा कहने का यह नया तरीका निकला है। हिन्दुओं को जमात में मैंने पैगम्बर साहब के प्रति आदर-भाव देखा है। वहाँ तक कि हिन्दुओं के गीतों में इस्लाम को तारीफ पाई जाती है।

अब सूत्र के पहले भाग को लीजिए। ईश्वर वाकई एक है। वह अमम, अगोचर और मानव-जाति के बहु-जन-समाज के लिए अज्ञात है। वह सर्वव्यापी है। वह बिना आशों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। वह निराकार और अनेक है। वह अजन्मा है, उसके न माता है, न पिता, न सन्तान—फिर भी वह पिता, माता, पत्नी या संतान के रूप में पूजा ग्रहण करता है। यहाँतक कि वह काष्ठ और पाषाण के भी रूप में पूजा-अर्चा को अंगीकार करता है, हालां कि वह न तो काष्ठ

है, न पाषाण आदि ही। वह हाथ नहीं आता—कच्चा देकर निकल जाता है। अगर हम उसे पहचान लें तो वह हमारे विस्तृत नजदीक है। पर अगर हम उसकी सर्व-व्यापकता को अनुभव न करना चाहें वह हमसे अत्यन्त दूर है। वेद में अनेक देवता हैं। दूसरे धर्मग्रन्थ उन्हें देव-पुत्र या नबी कहते हैं। पर वेद तो एक ही ईश्वर का गुण-गान करते हैं।

मुझे कुरान को ईश्वर-प्रेरित मानने में कोई मकोब नहीं होता, जिस प्रकार कि बाइबिल, जेन्दाबस्ता, या ग्रन्थ साहब तथा दूसरे पुण्य धर्मग्रन्थों को मानने में नहीं होता। ईश्वरी प्रकाश किसी एक ही राष्ट्र या जाति की सन्पत्ति नहीं है। यदि मुझे हिन्दू-धर्म का कुछ भी ज्ञान है तो वह समावेशक—व्यापक, सदावर्धमान और परिस्थिति के अनुरूप नवीन रूप धारण करने वाला है। उसके नहीं कल्पना, संकेना और तर्क के लिए पूरा पूरा अवकाश है। कुरान और पैगम्बर साहब के प्रति आदर-भाव उत्पन्न करने में मैंने हिन्दुओं के नजदीक जरा भी दिक्कत महसूस न की। पर हाँ, मुसलमानों के अन्दर बही आदर-भाव वेदों और अवतारों के प्रति उत्पन्न करने में मैंने अलबले दिक्कत अनुभव की है। दक्षिण अफ्रिका में मेरे एक मुसलमान मुवकिल थे। अफसोस है, अब वे दुनिया में न रहे। हमारा बकील-मुवकिल का रिश्ता आगे चलकर एनिष्ठ साधियों के रूप में परिणत हो गया था। हम बहुत बार धार्मिक बहस भी किया करते। मेरे वे मित्र किसी अर्थ में विद्वान् तो नहीं कहे जा सकते, पर उनकी बुद्धि कुशाग्र की तरह पैनी थी। वे कुरान की सब बातें जानते थे। दूसरे धर्मों की भी कुछ बातों का ज्ञान उन्हें था। मुझे इस्लाम स्वीकार कराने में वे दिलबस्पी रखते थे। मैंने उनसे कहा—मैं कुरान शरीफ और पैगम्बर साहब के प्रति पूरा पूरा आदर भाव रख सकता हूँ—पर आप वेदों और अवतारों को न मानने का इस्सारा क्यों करते हैं? उन्हींकी मदद से तो मैं आज तो कुछ हूँ हो पाया हूँ। अगदीता और तुलसीदास की रामायण से मुझे अजहद शान्ति मिलती है। मैं खुलमखुला कुबूल करता हूँ, कि कुरान बाइबिल तथा दुनिया के अन्यान्य धर्म के प्रति मेरा अति आदर-भाव होते हुए भी मेरे हृदय पर उनका उतना असर नहीं होता जितना कि श्रीकृष्ण की गीता और तुलसीदास की रामायण का होता है।” तब वे मुझसे ना-उम्मीद हो गये और उन्होंने मे-खटके मुझसे कहा आपके दिमाग में जरूर कुछ खामी है। और उनकी यह एकही मिसाल नहीं है। उसके बाद ऐसे कितने ही मुसलमान मित्रों से मेरी मुलाकात हुई है जो ऐसे ही विचार रखते हैं। फिर भी मैं मानता हूँ कि यह मनः स्थिति बदरोजा है। मैं अस्तिष्ठ अमोरअली के इस विचार से सहमत हूँ कि हाक-उल्-रशीद और मायू के जमाने में इस्लाम दुनिया के तमाम मजहबों में सब से ज्यादा सहिष्णु था। पर आगे चलकर उनके जमाने के धर्मगुरुओं की प्रतिपादित उदार-वृत्ति के खिलाफ प्रत्याघात शुरू हुआ। इन प्रतिगामियों में भी बड़े विद्वान् और प्रभावशाली लोग थे और उन्होंने इस्लाम के उदार और सहिष्णु धर्मगुरुओं और तत्तत्वेलाओं का प्रायः बर्षा किया था। उस प्रत्याघात के प्रभाव से आज भी हम भारत में दुख पा रहे हैं। लेकिन इस बात में तिक-साह सन्देह नहीं है कि इस्लाम के अन्दर इस अनुदारता और असहिष्णुता को निकाल डालने की पूरी पूरी क्षमता है। हम बही तेजी से उस काल के नजदीक पहुंच रहे हैं जब कि इन मित्रों का सुप्ताया सूत्र सारी मनुष्य-जाति को मान्य हो जायगा। इस समय आवश्यकता इस बात की नहीं है कि सब का धर्म एक बना दिया जाय बल्कि इस बात की है कि भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायी और पैनी परस्पर आदर-भाव और

सहिष्णुता रखते। हम सब धर्मों को स्तवत् एक सतह पर लाना नहीं चाहते। बल्कि चाहते हैं विविधता में एकता। पूर्व-परम्परा तथा आधुनिक संस्कार, जलवायु और दूरी आसपास की बानों के प्रभाव को उन्मूलित करने का पयन केवल असफल ही नहीं बल्कि अभर्ष्य होगा। आत्मा सब धर्मों की एक है—हां, वह भिन्न भिन्न आकृतियों में मूर्तिमान् होती है। और यह बात काल के अन्ततक कायम रहेगी। इसलिए जो बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, वे तो ऊपरी कलेवर पर ध्यान न दे कर भिन्न भिन्न आकृतियों में लसी एक आत्मा का दर्शन करेंगे। हिन्दुओं के लिए यह आशा करना कि इस्लाम, ईसाई धर्म, और पारसी-धर्म हिन्दुस्तान से निकाल दिया जा सकेगा, एक निरर्थक स्वप्न है—इसी तरह मुसलमानों का भी यह उम्मीद करना कि किसी दिन अकेले उनके कल्पनागत इस्लाम का राज सारे दुनिया में हो जायगा, कोरा स्वप्न है। पर अगर इस्लाम के लिए एक ही खुदा को तथा उसके पैगम्बरों की अनन्त परंपरा को मानना काफी होता हो तो हम सब मुसलमान हैं—इसी तरह हम सब हिन्दू और ईसाई भी हैं। सत्य किसी एक ही धर्म-ग्रन्थ की ऐकान्तिक सम्पत्ति नहीं है। १५-९-२४

( सं० ६० )

मीहनदास करमचंद गांधी

## इस तपश्चर्या का मर्म

### विफल प्रार्थनाएं

उपवास के पहले दिन गांधीजी ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं उनके सामने कुछ भी दलीलें पेश न करू। पर कहीं भोलाना साहब (महम्मदअली) का ऐसा हुक्म दिया जा सकता है? उन्हें तो कहा रोना-गाना नहीं और धीरज रखना। उन्होंने सजल आंखों से दलीलें की, प्रेम-भरे रोष से दलीलें की, 'बापू यह क्या? इसे मुहम्मद कहते हैं? आपने तो हमें धंखा दिया? आपका तो यह इस्कार था न कि जो कुछ काम करना तुम लोगों से सलाह मशवरा कर के करूंगा। यह इस्कार कहा गया?'

'कितनी ही बातें ऐसी होती हैं न, कि जिनके लिए मुझे खुदा से ही सीधा हिदायत कर लेना पड़ता है?'

'पर आपने तो खुदा को हमारे और आपके बीच में जो रक्का है!'

'नहीं, हम दोनों खुदा के बन्दे हैं। दोनों ने खुदा के साथ इस्कार किया है। मैं उसके साथ बातें कर रहा हूँ। यह काम है ऐसा कि मुझे दूसरे के साथ सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं। यह बात तो मेरी रग-रग में भरी हुई है। मेरा सारा जीवन इसीपर आधार रखता है। पहले मैंने तमाम उपवास किसीसे बिना चर्चा किये ही किये थे।'

'पर इस तरह एकाएक कोई काम करना क्या जन्दबाजी नहीं? आप हंसते हैं, आपको तो इसमें कुछ नहीं दिखाई देता, पर हमारा क्या हाल होगा?'

'आप ही खरियत ही होगी। और आप ऐसा माम ही क्यों लेते हैं कि मैं मर ही जाऊंगा?'

'आप किसलिए माने लेते हैं कि 'मैं जरूर जीना रहूंगा' आप शरीर के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं और मानते हैं कि आपको कुछ न होगा?'

'भाई भागो, तसल्ली रखो। इस तरह कोई रोना है? मैं कल आपको ज्वाबदाह समझाऊंगा।'

हकीमशां भी थकवाये हुए तो थे ही। उनका कहना था कि अभी बिचार और चर्चा चल ही रही है। ऐसी हालत में आप का ऐसा भीषण काम कर बैठना जा नहीं कहा जा सकता। पन्द्रह

दिन की मीयाद दीजिए और अगर इनने दिनों में देश की हासत न सुधरे तो आप जरूर रोजा रखिएगा, हम आपको न रोकेंगे।

'अच्छा पन्द्रह दिन की मीयाद लेकर देख लीजिए। मेरे उपवास की बात पन्द्रह दिन तक जाहिर न कीजिए। यहाँ किसी का जाने न दीजिए और फिर आकर मुझसे कहिए कि अब देश में शान्ति है तो मैं छः दिन के बाद उपवास छोड़ूंगा।' हकीम साहेब हँसे। शरीर की दृष्टि से बातें करने लगे। तब बापूजी कहने लगे '२१ दिन तक रोजे के बाद मेरी तबियत आपसे अच्छा ही होगी।' वेगम साहब तो परदा छोड़कर सबके बीच में आ बैठे। आग्रह के साथ कहने लगे—'मे तो उपवास खुदाये बिना यहाँ से उठूगी ही नहीं। बी अम्मा अगर ऊपर आने लायक होती तो आती। पर वे बिस्तरे से उठ नहीं सकतीं। इसीलिए मैं भाई हूँ। आप रोजा छोड़ दीजिए, नहीं तो हम सब २१ दिन तक रोजा रखेंगे। इस तरह रात के ११ बजे गये। तब ज्वाबदाह दलील न करते राब उठे। गांधीजी तो ११ बजे सोते बैठे। कातना बाकी रह गया था।

### मरने की कुंजी कैसे घटाऊँ?

दूसरे दिन मुझसे कहा—'अच्छा, महादेव, चौरी-चौरा और बंबई के उपवास का मर्म तो तुम समझे हो न?' 'हां, जरूर।' 'तब इस उपवास का क्यों नहीं समझते?' 'वहाँ तो आपने अपना कुसूर माना था? यहाँ ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। यहाँ कुसूर का तो सवाल ही नहीं है।'

'है। यह कितना भ्रम! चौरी-चौरा में तो गैस लाग थे जिन्होंने मुझे न कभी देखा, न कभी जाना-चीन्हा। यहाँ तो मेरे परिचित, मुझसे मुहल्लत रखने वाले लग रहे।'

'शौकतअली-महम्मदअली तो राकने की कोशिश कर रहे हैं। पर कितने ही लोग इनकी मानत ही महा, इसका ये क्या करें? आप भी क्या कर सकते हैं? वे तो समय पा कर ही ठीक होंगे।'

'यह दूसरी बात है। शौकतअली-महम्मदअली तो कुदम हैं। वे तो खूब कोशिश कर रहे हैं। पर यह बाजी हाथ में नहीं रही। छः महीने पहले थी। मैं जानता हूँ कि इन उपवास से उनके दिल में खलबली मचेगी, पर यह उसका गौण अमर है। लेकिन, किसी पर असर डालने के लिए तो मैं उपास करता ही नहीं।'

'परन्तु हा, आपका कुसूर क्या है, यह तो रही गया।'

'कुसूर? मैंने एक तरह से हिन्दू-जाति के साथ विश्वास-घात ही किया। मैंने तो हिन्दुओं से कहा 'मुसलमानों के गले मिलो, उनकी पाक जगहों की रक्षा के लिए तन, मन, धन अर्पण कर दो आज भी उनको अहिंसा का, मार का नहीं बल्कि मर कर झगड़े मिटाने का सबक दे रहा हूँ। पर उसका नतीजा क्या देखता हूँ? कितने मन्दिर टूटे! कितनी ही महर्षी ने मुझसे आ कर शिक्षायते की हैं! कल ही मैंने हकीमजी से कहा—'यहाँ की मुसलमान गुणों का बराबर उर बना रहता है। कितनी ही जगह उन्हें बाहर निकलना मुश्किल होता है।—भाई का पत्र आया है। उसमें बर्षों पर जो कुछ बोती है—'यह कहीं गवारा हो सकती है? मैं जब हिन्दुओं का किस मुंह से कह कि तुम ब दासत करते ही रहो? मैंने तो उन्हें विश्वास दिलाया था कि मुसलमानों की मुहल्लत का फल अच्छा ही निकलेगा, फल का विचार किये बिना आप उनके साथ मुहल्लत करो। इस विश्वास का सब साबित करने की शक्ति आज मुझमें नहीं रही। न महम्मदअली शौकतअली में है। मेरी बात कौन सुनता है? फिर भी मुझे तो हिन्दुओं को मरने की ही

बात कहना है। तो यह मैं खुद मर कर ही कर सकता हूँ। मर कर ही मरने की कुंजी बता सकता हूँ। हमारे किस तरह बताऊँ ?

‘मैंने असहयोग-आन्दोलन को शुरू किया। आज मैं देखता हूँ कि अहिंसा की गंध तक न होते हुए लोग आपस में असहयोग करने लगे हैं। इसका कारण क्या है? कारण यही कि मैं खुद अहिंसामय नहीं हूँ। मेरी अहिंसा हुई क्या? यदि वह पराकाष्ठा तक पहुँच गई होती तो जो हिंसा मैं आज देख रहा हूँ वह न दिखाई देती। इसलिए मेरा उपवास प्रायश्चित्त है, तपश्चर्या है। मैं किसीको ऐब लगाना नहीं चाहता। मैं तो अपना ही दोष समझता हूँ। मेरी शक्ति चली गई है। हारने, शक्ति गवाने के बाद ईश्वर के दरबार में भर्ज करना ही मेरे लिए बाकी रहा है। अब बही चुन सकता है, दूसरा कौन चुननेवाला था?’

### प्रथम से ही प्राण देने की प्रतिज्ञा

भ्रम प्रवाह चल रहा था। उस दिन की तमाम बातें लिखने में असमर्थ हूँ। पर क्या यही प्रायश्चित्त की विधि है? ऐसे उपवास हिन्दू-धर्म के अनुकूल हैं? ऐसे सवाल मन में उठा करते थे। बापूजी कहते हैं—

‘बाह! हैं क्यों नहीं? ऋषि-मुनि क्या करते थे? वे जो तपश्चर्या करते थे, सो क्या बन में फल-फूल खा कर तप करते होंगे? कहते हैं, उन्होंने हजारों बघों तक तपस्या की है, गुफाओं में तपस्या की है। पार्वती ने जो अपर्णव्रत लिया था वह क्या रहा होगा? तप और जप इन दो बातों से सारा हिन्दू-धर्म मरा हुआ है।

‘हम उपवास के अन्दर जितना गहरा विचार भरा हुआ है, उतना पहले के उपवासों में शायद ही रहा हो। ऐसा उपवास तो मैंने उसी दिन से शेष रखना था जिस दिन मैंने असहयोग शुरू किया। असहयोग की शुरुवात के अक्त मेरे दिल में यह क्याल आया था कि मैं यह भयकर हथियार लोगों के हाथ में देता तो हूँ पर यदि इसका दुरुपयोग हुआ तो? तो प्राण दे देना पड़ेंगे। वह समय अब आया है। अबतक के उपवासों का उद्देश्य परिमित था। इस समय के उपवास का उद्देश्य तो विश्वव्यापी है। इसके मूल्य में अपार प्रेम है। और आज इस प्रेम-सागरमें मैं स्नान कर रहा हूँ।

### बड़े भाई के साथ

तीसरे दिन शौकतअली आये। महम्मदअली उनकी गढ़ हो देख रहे थे। वर्यो कि अब भी उन्हें आशा थी कि शायद शौकतअली बापूजी से उपवास छुड़ा सकेंगे। बापूजी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि ‘अगर शौकत या आप मुझे कायल कर सकें कि उपवास करने में भूल हुई है, उपवास बेजा है तो मैं छोड़ दूंगा।’ इसलिए शौकत के आने से महम्मदअली में आशा और बल आया। परन्तु शौकत बापूजी के साथ ज्यादा दलील न करते सुनते ही रहे। और अन्त को ‘हाँ, महाराज, सब ठीक है।’ कह कर बाहर निकले। इन बातों का थोड़ा बहुत भ्रमण भी यदि करा सकूँ तो सारे उपवास के रहस्य पर और भी अधिक प्रकाश पड़ेगा।

शौकत ने कहा ‘हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं, यह कहूँ तो बेजा न होगा। आप अखबारों के द्वारा अपने विचार फैला रहे हैं। पर अभी लंबी सफर आपने कहाँ की है? आप जहाँ जहाँ दूँगे फगाद हुए हैं वहाँ कहीं चूने हैं? छूमकर वायुमण्डल को साफ कीजिए।’

‘भाई, मेरे सामने तो मेरे धर्म की बात आकर खड़ी है। मैंने चारों तरफ देखा कि मैं तो अपनी पूरी शक्ति लगा चुका हूँ। सफर करके मैं कुछ न कर पाता। आज तो सब-साधारण लोगों को हमारे विषय में चक्कर पैदा हो गया है। देखली में हिन्दू मुक्त पर विश्वास ही रखते हैं, यह न समझना। उन्होंने कोई बात एकमत से नहीं की है। और कारण स्पष्ट है। जिसके घर में खून हुए हैं उसके यहाँ जाकर यदि मैं माफी की बात कलं तो मेरी कौन सुनेगा! अंजुमन के लोग हकीम साहब की बात मानने से इनकार करते हैं। यह सब हो ही रहा था कि कोहट की खबरें आईं। मैंने अपने दिल से पूछा—‘दे माणो, अब क्या करेगा?’ मैं तो irrepressible optimist (अटल आशावादी) हूँ। पर दमशा किसी बुनियाद पर आशा रखता हूँ। आप भी अटल आशावादी हैं। परन्तु बिना बुनियाद के आशा बांधते हैं। आज आप की बात कोई न सुनेगा। गुजरात के वीधनगर में कोई अन्धास या महादेव की बात सुनने को तैयार न था। अहमदाबाद में झगडा होते होते रुका, उमरेठ में तैयारी थी। इन सब को न रोक पाना मेरी कमजोरी है। ऐसी कमजोरी के मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हजारों लाखों बहनों से साबका पडा है। वे यह मान कर ‘गांधीजी जो कहते हैं वह ठीक है’ अपना काम करते हैं। आज वे भयभीत हो रही हैं। इन सब बहनों को मुझे आज मर बताना है।

दोनों जातियाँ यदि बहादुरी से लड़नी होती तो क्या मैं उपवास करता? पर यहाँ तो नामर्दाना का टिकाना ही नहीं। पत्थर फेंक कर भाग जाते हैं, गुनाह करके भाग जाते हैं, फिर अदालतों खटखटाते हैं और वहाँ जाकर छुट्टे सबूत देते हैं। मैं तो आप पर विश्वास ही रख सकता हूँ। आप और हमारे लोग भरसक कर रहे हैं, पर हिन्दुओं से जाकर क्या कहूँ? मैं तो उन्हें कहे देता हूँ कि मैं अपनी शक्ति खो बैठा हूँ और अब फिर उसे प्राप्त करना चाहता हूँ।’

### फाके की महिमा

शो०—लोगों को जो दवा दो वे उसे पीने के लिए तैयार नहीं। उनके शरीर में मजं घुस गया है, वह अब बाहर फूट निकलेगा तब उन्हें खबर पड़ेगी कि गांधी की बात सच थी। पर आप तो आज खुदा के साथ जुड़ती लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आपने दानों जातियों को मर्द बनाया—कुछ मर्द तो जस्त्र ही बनाया—थोड़े दिनों में अजब चमत्कार दिखाया। परन्तु आपको दवा की खुराक कम पड़ी। पर क्यों आपका बीज मरने वाला है? आप यह क्यों मानते हैं कि आज बीमारी बढ गई है? एक टापटर है। वह दवा दे रहा है। उसके चले जाने के बाद पीछे रहने वाला ने उसको दवा जारी रखने के बजाय अपने ही दवा देना शुरू किया। आखिर फागदा तो आपकी ही दवा से होगा। पर उन ‘अटवैर्यो’ को दवा के उलटे असर को देखकर आप परेशान क्यों होते हैं? आपने तो जानियों का परस्पर जहर बहुत-कुछ कम कर दिया है। वह फिर बढ गया है। मैं तो लड़ने की जगह जाकर गालियाँ देकर कहूँगा—कम्बळती! कट मरा कट। खुदा मर नहीं गया है। आज जो खडर और अन्धापन है, जो शैतानियत जहाँ तहाँ दिखाई देती है वहाँ आपकी या मेरी बात कोई न सुनेगा। छड़ते छड़ते जब थक जायेंगे तब जरूर सुनेंगे। मस्जिद किसीके गिरावे नहीं, गिर सकती, मस्जिद किसीके तोड़े नहीं टूट सकते। हमारे पास ईंट है, चूना है, पानी-पत्थर जितने चाहिए हैं। फौरन फिर बनवा देंगे। क्या कहे, आपको मुह दिखाते शरम



आती है। मैं आपको क्या सल्लाहें? आपको अपनी कोशिशें ही जारी रखनी चाहिए थी। इतना ही फाका न कीजिए।

गा०—मैं खुदा के साथ कुशली कर रहा हूँ? मेरे अन्दर यदि कहीं भी तकचरी हो तो मैं मिट जाऊंगा। भाई, यह उपवास तो अनेक दिनों की इबादत का परिणाम है। इससे पहले तो रात को तीन तीन बजे उठ कर मैंने खुदा से पूछा है कि क्या करूँ, बता क्या करूँ? उसका जवाब १७ ता. को दोपहर को मिला। मैं भूल करता हूँगा तो खुदा मुझे माफ कर देगा। मैंने जो कुछ किया है खुदा से बहुत बर बर कर किया है—और सो भी एक मुसलमान के घर में बैठ कर। मेरे धर्म की ऐसी आशा है कि खुदा की इबादत बढी करता है जो कुछ नुकसान सहन करता है। इस्लाम में भी मैंने तप की मिसाल देखी है, 'खिरत' में पढ़ा है कि पैगंबर साहब बहुत बार रोजा करते, पर दूसरों को मना करते। उनसे किसीने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो? उन्होंने कहा—मुझे खुदाई खुराक मिलती है। पैगंबर साहब ने फाका-उपवास—बुरके ही काम किये हैं। मेरा तो यह विश्वास हो गया है कि जिसका खुदा पर अथाह विश्वास हो वही उपवास कर सकता है। महम्मद पैगंबर साहब को ईश्वरी प्रेरणा होती थी। वह ऐशआराम में नहीं होती थी। वे तो ज्यादातर फाके करते थे और कभी कभी कुछ खजूर खा लिया करते थे। जब प्रेरणा होती तब जागरण कर के, फाके कर के, रातभर अखण्ड खड़े रहते। आज भी उनकी ऐसी तस्वीर मेरी आँकों के सामने खड़ी है।

मेरे उपवास में यदि कोई खामी है तो वह यही कि यह गौण रूप से कुछ असर पैदा करता है। लोग यदि मुझसे कहें कि शौकत-महम्मद ने आपके साथ विश्वासघात किया तो यह मुझे बरदाश्त न होगा। इसके लिए मुझे मरना ही चाहिए। मैं तो अपना दिल साफ कर रहा हूँ—शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ।

मैं जो आपको इतना कह रहा हूँ उससे कहीं गलतफहमी न कर लीजिएगा। मैं तो मानों जरा देर के लिए मुसलमान बन कर ही मुसलमानों को यह बात कह रहा हूँ, यह समझिए। मैंने तो इस्लाम के लिए जितनी ही छके हमदर्दी व्यक्त की। क्योंकि मुझे तो हर धर्म में अद्भुतता देखना है। अब मैं दिल को अधिक साफ करने, अपनेके अधिक मजबूत बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर वे दोनों बातें हो पाईं तो दोनों आतियों पर असर पड़ेगा।

मेरा मिद्दान्त है कि शरीर का जितना ही दमन किया जाता है उतना ही आत्मा का बल बढ़ता है। आज तो हम कोई काम ही नहीं कर सकते। हमें बदमाशी का मुकाबला करना है। आज हमारी तपश्चर्या काफ़ी नहीं है।

दूसरे का विचार करना ठीक नहीं

शौ०—'पर देश के दिल का आपके उपवास से कितना खंड पहुँचेगी, इसका विचार भी आपका धर्म न करने देगा?'

गा० 'ज, नहीं करने देगा। क्योंकि मनुष्य भोला है। कितनी ही बार वह औरों को खुश करने के लिए अनुचित काम कर लेता है। इसलिए धर्म यही शिक्षा देता है कि तेरे सामने सारी दुनिया खड़ी हो जाय तो भी तू अपना काम करता रह। तुझे क्यों इतना अभिमान होना चाहिए कि तेरे उपवास से सारी दुनिया को दुःख पहुँचेगा।

'और इस तरह किन किन का लिहाज करके हम अपना धर्म छोड़े? ऐसा ही यदि करते रहें तो किसी बात की सीमा न रहेगी।

रामचन्द्र की माता कैकेयी ने रामचन्द्र के वनवास जाने का बरदाश्त माँगा। दशरथ को वह कुबूल करना पड़ा। मामूली सौरपर तो यही कह सकते हैं कि दशरथ पागल तो नहीं हो गया था? पर रामचन्द्र क्यों बिगने लगे? उनसे कहा गया, तुम्हारे नियोग में पिता रो रो कर मर जायगे, अयोध्या विधवा हो जायगी। पर उन्होंने सब बातों को सुट्टा समझा—

रघुकुल रीति सदा खलि आई

प्राण जाइ नरु बसव न जाई।

अयोध्या निस्तेज हुई, दशरथ की मृत्यु हुई। पर राम अटल रहे। विश्वामित्र ने दशरथ से दो लठके माँगे। क्या दशरथ ने बेंने में आनाकानी की? हरिधन्द्र ने अपनी पत्नी की गर्दन पर खुरी उठाई? ये सब काम उन्हींसे हो सकते हैं जो ईश्वरभक्त हों—खुदापरस्त हों। खुदा के साथ तकचरी करने वाले ऐसा नहीं कर सकते।

शौ०—'ऐसी तपश्चर्या में दूसरे की मलाह काम दे सकती है?

गा०—'नहीं यह तो मेरे और खुदा के बीच की बात है। यदि किसी की सलाह की जरूरत हो तो उसे छोड़ ही देना चाहिए'

शौ०—'तपश्चर्या से नुकसान हो, जान और तन्दुरुस्ती का नुकसान पहुँचना हो तो भी दूसरा इन्साफ नहीं कर सकता?'

गा०—'नहीं, यदि ऐसी कमजोरी हो तो वह बर बर जाय, भले मर जाय। दुनिया और देह कोई चीज नहीं। जेल में जब मैं 'उष्वड़े साहबा' पठता था तब मैं नाच-सा उठता था। उसमें एक बात है—नाम तो भूल गया—एक शरूब को हजरत उमर ने ५००० डीनार में बेत। वह रोने लगा। उसकी बीबी ने पूछा क्यों रोते हो? उसने जवाब दिया—मेरे बर दुनिया-माया-आई है—अब क्या होगा? ये डीनार तो हजरत उमर जैसे पाक आदमी की भेट थी। पर उसे भी उसने माया समझा। धन, देह सब क्षणिक है। कितनी काम के नहीं। खुदा को इस शरीर से कितना काम लेना होगा उतना लेता है, अब भी लेना हो तो ले, और ले जाना हो तो ले जाय। यदि इस मामले का कुछ निपटारा न हो तो मैं तो हमेशा के लिए अनशन लेने का विचार करता था—परन्तु मौकाना और हकीमजी की बहुतेरी बातें सुनने पर मैंने उस विचार को छोड़ दिया। हकीमजी ने कहा—इस ख्याल को दिल से ही निकाल डालिए। मैंने कहा—दिल से तो कैसे निकल सकता है? क्योंकि जिसे मैं धर्म मानता हूँ उसे तो मैं जबर पूरा करूँगा। मैं तो आपसे यह कहूँगा कि यदि आपके धर्म में गैर-मुस्लिम कौमों के साथ मुहब्बत रखने की आज्ञा हो और आप मुहब्बत न करें तो हमें फना हो जाना पड़ेगा। और उस समय मुझे जीवित रहने का अधिकार न रहेगा। मैंने तो ख्वाजा हसन निजामी का भी कहा कि रस्ते चलते मिस्त्रमों को, भेगी चमारी को और अनाथों को मुसलमान क्या बनाते हैं? मुझे बनाइए न? मुझे बना लेने से और भी अनेक हो जायेंगे। ये बेचारे इस्लाम को कुबूल करके क्या खुदा को पहचानेंगे? इनकी तादाद बढ़ने से इस्लाम की क्या ताकत बढ़ेगी?'

जानें बहुत चलतीं। पर गांधीजी धक गये थे। शौकतखली उठे। उठते उठते कहा—'हररोज नमाज पढते बक कितनी ही दुआ माँगना हूँ—पहली हिन्दू-मुसलमान एकता की, दूसरी मेरी माँ के इस्लाम के आजाद होने तक कायम रहने और स्वराज्य को देखने की, आखिरी दुआ यह कि महात्मा गांधीजी की दुआ बर आवे।'

(मन्त्रीधर्म)

बरसा दादशी, अनशन-आष्टमी } महादेव हरिनाई देखाई

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ८

मुद्रक-प्रकाशक	अहमदाबाद, क्वार सुदी ७, सेवन् १९८१.	मुद्रणस्थान- नवजीवन मुद्रणालय,
वैज्ञानिक छापनकाल वृत्त	रविवार, ५ अक्टूबर, १९२४ ई०	सांगपुर सरकीगरा की बाड़ी

## हृदय का पलटा

अवलोक्य उक्त अंग्रेजों के जिनसे कि भारत सरकार बनी हुई है हृदय बदल देने की इच्छा रखती गई थी और उसीके लिए प्रयत्न भी हो रहा था। लेकिन अभी वह तो होना बाकी ही था कि यह प्रयत्न अब सिंधु और सुखलसोनी के परस्पर मिल बहलने लिए करना होगा। स्वतंत्रता-संरक्षण का विचार करने के भी पहले उन्हें इतना बहादुर जरूर बनना पड़ेगा कि वे एक दूसरे से प्रेम कर सकें, एक-दूसरे के धर्म को सहन कर सकें, धार्मिक दुर्भाव और बहम को भी दूरगुजर कर सकें और एक दूसरे पर विश्वास रख सकें। इसके लिए आत्म-विश्वास होगा जरूरी है। यदि हमारे अन्दर आत्म-विश्वास है तो हम एक दूसरे से डरना छोड़ देंगे।

ता. १२९-९-२४

( ५० ई० )

मोहनदास करमचन्द गांधी

## क्या गुजरात हारेगा ?

बंगाल और आंध्रदेश ने गुजरात को स्वतंत्रता की संस्था में हरा देने की धमकी दी है। यदि इनमें से एक भी प्राप्त गुजरात को हरा देगा तो मैं उसमें अवश्य सुधारकवादी हूँगा। लेकिन गुजरात कैसे हार सकता है ? पूर्ण प्रयत्न करने के बाद हारने से भी जीत ही होती है। गुजरात ने तो अभी प्रयत्न शुरू ही किया है। समाज शिक्षक लोग अभी कहाँ कातते हैं ? विद्यार्थी कहाँ कातते हैं ? वे सब कातें और नभाओं में हाजिर रहने वाले भाई-बहन भी कातें और फिर गुजरात भले ही हारे। राजी कार्यकर्ताओं के हाथ है। कार्यकर्तागण ! खेनो !

( नवजीवन )

आश्विन ४, १  
कुम्हार

मोहनदास गांधी

## दूसरा सप्ताह

अमृत-ओषधि

आज उपवास का दूसरा सप्ताह पूरा होता है। अब शरीर कुछ कम, परन्तु कानि पूर्ववत् ही तेजस्वी और विरोग सोम्य मान्य होती है। दूसरे सप्ताह में खुद उठ कर नहाना-धाना और जीना उतरना बन्द हो गया। अब राधीनी पलंग पर ही दिन-रात लेटे रहते हैं। भिके कानने के लिए संतप-बल का उपयोग होता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर ने चरवा छोड़ देने की पिकारिश की थी; पर अत्यन्त अज्ञापालक रोगी की तरह बर्ताव करने वाले रोगीजिन इस बात में डाक्टरों को चुनौती दी। ८ टर दारे, आठ घण्टा काठने के बाद भी थकावट नहीं दिखाई दी। उठना नहीं की गति और भो अच्छी दिखाई दी। अब डरे। ना पडा कि यह तो आरके लिए एक रसायन ही है।

अशक्ति में दूसरा उपवाद है। लिखने की शक्ति का। इसमें भी डाक्टरों को संकल्प-शक्ति ही काम करनी हुई दिखाई दी। डाक्टरों की सुमानियता होने हुए भी दूसरे सप्ताह में उन्होंने कम लिखाई नहीं की। एकता-परिषद के सभ्यों के नाम उन्होंने एक लंबा सत लिखा। जो दिन डाक्टरोंने देना कि वे इन लेखों के द्वारा डॉक्टर नप करते हुए भी गम को अमृत-ओषधि दे रहे हैं। 'नवजीवन' के पाठक को लिखा लेख, 'यंग इंडिया' के लिए लिखा छोटा-सा लेख तथा भित्त कर्म की नियमितता से लिखे पत्रों को जो जानते है वे इस अमृत-ओषधि का परल सकते है। बैठ नहीं सकते, सत हुए नकिये के सामने कागज रख कर लिखते है।

## डाक्टरों की वैदनी

सोमवार को भद्रा की तरह ४० सेन के गहा मूत्र परीक्षा के लिए गया। उसमें पहले से ही कुछ जहरी पदार्थ मालूम देने थे। लेकिन वे धर हट पैदा करने लागक न थे। सोमवार को उनकी मिकदार बडा भयजनक मालूम हुई। सारे और चिन्ता की छाया फैल गई। इकीमजी बीमार थे। वे परिषद् में भी न जा पाये थे। यह खबर सुनते गांधीजी के पास दौड़े आये। इकीमजी का और डाक्टरों का मत था कि गांधीजी कुछ शकर ले तो वे जहरीले पदार्थ निकलना बन्द हो जाय। इकीमजी से पहले ही देख-

बन्धु दाम और श्रीमती बावती देवी वहां आ पहुंचे थे। सोमवार मौनवार टहरा। कौन किस तरह उनसे दलील करता? फिर भी हकीमजी ने उन्हें खूब समझाया। तब गांधीजीने उन्हें लिख कर-जवाब दिया—'महरबानी करके कल तक ठहर जाइए। मैं कल सब सुनाऊंगा।'

हकीमजी कहते हैं—'आप तो सुनावेंगे, लेकिन हम सुनाना चाहते हैं और आपको सुनना ही होगा।' गांधीजी हंस रहे थे। आखिर फिर उन्हें लिखा—'खुदा करेंगे तो कल पेशाब में कुछ नहीं होगा।' हकीमजी जोर से हंस के बोले—'आप तो बन्दी हैं, महात्मा हैं, इसलिए यह कह सकते हैं। मैं तो तबीब हूँ। मुझे कैसे यकीन हो सकता है?' गांधीजी फिर हंसे। हकीमजीने खुद ही कहा—'अच्छा मैं कल सबह आऊंगा। हकीमजी पर विजय प्राप्त कर के गांधीजी मजे में सा रहे थे कि डाक्टर आये। डा० अनसारी का चेहरा गंभीर था। वे इस निश्चय से आये थे कि आज तो गांधीजी को जरूर दवा लेने पर मजबूर करेंगे। उनके कुछ हटने के पहले ही गांधीजीने मोठा उलहना दिया—'आपने यह क्या दौड़-धूप लगाई है? मूत्र के विश्लेषण से इतनी चिन्ता ही क्या है, जब कि और बातों में मेरी हालत उम्मीद से ज्यादा अच्छी है। डाक्टर अब्दुल रहमान करते हैं—हां, हम मानते हैं कि हालत अच्छी है। लेकिन जहर की मिकदार इतनी ज्यादा है कि यदि वह जरा भी बढ़ जाय तो दूसरी तमाम अच्छी बातें बेकार हो जायें। उस समय नाड़ी अच्छी चलनी रहेगी, दिलकी धड़कन ठं क ठीक होगी, श्वासोच्छ्वास भी ठीक होगा,—फिर भी दिमाग पर इतना असर हो सकता है कि हम कुछ न कर पायेंगे।' डाक्टर अनसारी समझाने लगे—'मैं आपसे यह वेता हू कि मैं स्वभावतः घबड़ा जाने वाला आदमी नहीं हूँ। सब लोग इस बात को मानेंगे। पर हम तीन-चार दिनों से लगातार आपकी हालत देख रहे हैं। जिस चीज की हमें शिकायत है वह दिन दिन बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। यदि वह इसी तरह बढ़ती रहे तो हम हाथ मलते रह जायेंगे। अब इसे बढ़ने देना ही गुआइश नहीं।'

गांधीजी ने शान्ति के साथ लिखा 'ठं क' पर अब कल तक राह देखनी बाहिए। कलकी परीक्षा का फल देखकर फिर हम लोग चर्चा करेंगे।'

डा० अनसारी—'पर आप तो बचन दे चुके हैं कि यदि डाक्टरों को खतरा मालूम हो तो मैं उपवास तोड़ दूंगा।' और हम आपको उपवास तोड़ने का कहते ही नहीं हैं। सिर्फ एक चम्मच दवा लीजिए जिससे जहर फैलता हुआ रुक जाय। हम ऐसी तजवीज करेंगे कि जिससे दवा के द्वारा आपके शरीर को कुछ भी पोषण न मिले—अर्थात् दवा इतनी थंड़ी तादाद में देंगे कि आपके उपवास का असर कम न होगा। पर कल तक रुकने की बात नहीं हो सकती। हम किसको जोखेंगे? अब तो हद हो गई है।' डा० अनसारी के शब्दों में जो रुकना, प्रेम-भाव और ममत्व था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो उस समय उनकी मुखचर्चा देखता वही जान सकता है गांधीजी ने जवाब दिया—'पर आज रात को तो मैं शांति भी नहीं ले सकता। क्योंकि आप आते हैं कि शाम हो जाने के बाद कुछ न खाने की मेरी दूसरी प्रतिज्ञा है। मुझे आशा है कि कलकी मूत्र-परीक्षा आप लोगों को चिन्तायुक्त कर देगी।'

अनेक प्रतिज्ञाओं का कवच धारण करनेवाली आत्मा के साथ अधिक दलील करना कठिन होता है। फिर भी डा० अनसारी जिने नहीं। बोले—'अच्छा, हम मुझ के जये दवा न देंगे। इंजक्शन के द्वारा नम के राने देने से भी असर बढ़ा होगा।

इससे आपकी प्रतिज्ञा भी न टूटेगी। कल से आज जहर की मिकदार बढ़ गई है, इसीसे हम रात का विश्वास नहीं कर सकते।'

गांधीजी ने फिर यकीन दिलाया—'रात के लिए आप बेफिकर रहिए। हकीमजी भी कल मूत्र-परीक्षा होने तक ठहरने का वचन दे गये हैं।'

डा० अनसारी—'पर हम आपको १३ दिन से देख रहे हैं, हकीमजी नहीं देखते हैं। इस बारे में मैं हकीमजी की न सुनूंगा। मुझे आपकी तबियत मालूम है। उन्होंने तो आज ही नब्ज देखी है।'

फिर गांधीजी ने लिखा—'पर आज तो पेशाब भी कम हो रही है। कल देखिएगा, जहर भी कम मिलेगा।'

एक ओर डाक्टरों को गांधीजी के दिमाग पर मिहमत न डालने का खयाल था, दूसरी ओर वा खतरा का खयाल। पर इस आशा से कि कहीं भगवान करे गांधीजी मान जायें, डा० रहमान बोले—'मैं यह नहीं कहता कि कल की जांच का नतीजा अच्छा न हो सकेगा। क्योंकि आपने तो 'साइन्स' के भी छोटे छुड़ा दिये हैं। हमें जिन जिन लक्षणों का डर था वह एक भी नहीं दिखाई देता। आपके बारे में तो हमारा किताबी ज्ञान गलत साबित हुआ है। हम तो ठंरे मामूली आदमी, मामूली आदमियों का इलाज करनेवाले। उन्हींके हिसाब से आपकी परीक्षा करने में जोखिम कम है। हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप हमारी जिम्मेवारी पर हयाल कीजिए।'

इस प्रेम के अधीन हो जायें या अविचल रहें, इस गांधीजी की उलझन का नाप मौन कर सकता है? उन्होंने फिर कण्ठाजमक, आर-पार तीर की तरह, एक वाक्य लिखा—'जो कुछ हो, महरबानी कर के कल तक तो मुझपर रहम कीजिए।' गरीब गाय की इस करुणा बाणी को डाक्टरों के प्रेम-पूर्ण हृदय ने पकड़ लिया। कितने ही क्षण तक कमरे में समाटा रहा। डाक्टरों की गमगीन चुप्पी को देख कर अब दया-याचना करने के बदले गांधीजी उन्हींपर दयाई हो कर उन्हें कुछ करने की कोशिश करने लगे। जरा विस्तार से लिख कर उन्हें धीरज रखने का अनुरोध किया—'जुदी जुदी सासियतों का हयाल आप नहीं करत। किसी दूसरे शस्त्र के लिए जो हालत खतरनाक हो सकती है वह मेरे लिए न भो हो सकती है। फिर आप उपवास करने वालों के अवलोकन पर से किसी अनुमान पर नही आये हैं—उपवास न करने वालों को देख कर अनुमान बाधे हैं। उपवास के अनेकविध असर की गहरी परीक्षा में अभी आपके वैद्यकशास्त्र ने हाथ नहीं डाला है।'

डाक्टर अनसारी ने कहा—'नहीं, हम उपवास करनेवालों के अवलोकन के आधार पर से ये बातें कर रहे हैं। उपवास करने वालों के शरीर की क्रिया-विक्रिया की छान-बीन वैद्यक-शास्त्र में की गई है।'

अब इसका जवाब सिवा इसके दूसरा नहीं दिया सकता था कि—'हां, तो वे उपवास करनेवाले मुझ जैसे न होंगे। मेरा तो यह स्वाम केस है।' परन्तु गांधीजी ने दलील न करते हुए दो शब्दों में ही काम पूरा किया—'जब और कल', और आंख पर से चश्मा उतार लिया। डाक्टरों ने समझ लिया कि यह चर्चा बंद करने की जोड़ित है। उठते उठते डा० रहमान बोले—'आपकी संकल्प शक्ति यदि जहर की बढ़ती को रोक भी दे तो ताज्जुब नहीं। सरहं, सहज आत्म-विश्वास-ईश्वर-भ्रष्टा से गांधीजी ने हंस दिया।

इस ऐतिहासिक प्रसंग का अक्षरशः वर्णन करने के लिए मैं पाठकों से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं समझता। डाक्टर रात को गांधीजी के पास सोने की—तरह तरह के साथनों, दवाओं की—तैयारी कर के गये थे। शाम की मूत्र-परीक्षा में जहरी पदार्थ प्रायः छस हो गया था। डाक्टर खाली आ कर गांधीजी के पास गहरी नींद

संघे। सुबह जन्दी उठकर डा० रहमान गांधीजी को देखने गये। गांधीजी हँसकर कहते हैं—'क्यों शहर से यहाँ आ कर सोने से ठीक 'बैंज' हुआ न?' डा० कहते हैं—'अब हम रोज आयेगे।' गांधीजी ने कहा—'जरूर आइए—किन्तु मेरे लिए नहीं, एक-दूसरे आराम करने के लिए।'

(गवर्नीपन)

महादेव हरिमई देसाई

## टिप्पणियाँ

### अमानुष व्यवहार

श्रीमती गंगाबाई गिदवाणी और डा० चोदधराम नामा जेल में आचार्य गिदवाणी से मिलने गये थे। लौटने पर उनसे मेरी मुलाकात हुई। वे कहते हैं कि आचार्य गिदवाणी दिन भर कोठरी में बंद रखे जाते हैं। तीन महीने में एकबार मुलाकात हो सकती है। ३० पोंड से अधिक वजन उनका कम हो गया होगा। वे यह भी कहते हैं कि बहुत दिनों से आचार्य का वजन भी नहीं लिया गया है। जब उन्होंने सुपरिटेण्डेंट से इसका सबब पूछा तो उन्होंने अपने कंधे हिला कर कहा—'यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है।' मैं जानता हूँ कि जेल महल नहीं हंसे। कैदी का घर के तमाम सुविधा की उम्मीद बरा न करनी चाहिए। पर मैं ऐसी बहुतेरी जेलों को भी जानता हूँ जहाँ आचार्य गिदवाणी के साथ ऐसा व्यवहार होना असंभव होगा। हाँ, अधिकारियों के साथ इन्साफ करने के लिए मुझे यह भी कह देना चाहिए कि उन्होंने १० घण्टा रोज सुबह-शाम खुली हवा में कसरत करने की छुट्टी दी थी, लेकिन उन्होंने तिरस्कार के साथ उससे मुंह मोड़ लिया। इसपर मुझे ताश्तुब नहीं होता। वे स्वाभिमानी हैं। वे जानते हैं कि मैंने कोई गुनाह तो किया ही नहीं है। न उन्होंने इरादन नामा की हद में प्रवेश किया है। उनकी मनुष्यता उन्हें यहाँ घसीट के गई। न उन्होंने ऐसी कोई बात की है जिसे हम मलमन्मी के खिलाफ कह सकें। उन्होंने नामा-राज्य के खिलाफ कोई साजिश भी नहीं की। न उनपर किसी हिंसात्मक घड्यन्त्र का ही शक किया गया है। तब फिर क्यों वे किसी मामूली कैदी की भी तरह नहीं रखे जाते जो कि बरतुतः दिन भर खुली हवा में रहते हैं? यहाँ तक कि खनी कैदी भी कुछ खुली हवा और कसरत करने की सुविधा पाते हैं। और ऐसी हालत में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आचार्य गिदवाणी बिला बजह हो पछुओं की तरह एक कोठरी में बंद रखे जाते हैं। ऐसा एकान्त-वास तो जेल के किसी भीषण अपराध की सजा के तौर पर ही दिया जाता है। यदि आचार्य गिदवाणी ने ऐसा कोई कुसूर किया है तो सर्व-माधारण को उसकी क्षमा मिलनी चाहिए। हाँ सकता है कि नामा-राज्य के पास ऐसा सुधीता न हो कि वह आचार्य गिदवाणी को दिन भर बंद रख सकें। यदि ऐसा हो तो उनकी बदली इसरी जेल में कर दी जानी चाहिए। मुझे पता है, सारे भारतवर्ष में एक जेल से दूसरी जेल में कैदी भेजने का रिवाज है। जैसे-यरवडा सेन्ट्रल जेल में मैंने पंजाब, जूनागढ़ स्टेट और मद्रास इलाके से आये हुए कैदी देखे थे। जब मैंने श्रीमती गिदवाणी और डा० चोदधराम से यह समाचार सुना तो मेरी सारी सत्याग्रह-शक्ति उगल उठी और मन में लड़ाई छेड़ देने का भाव जाग उठा। पर ज्योंही मुझे अपनी शक्ति के अभाव का खयाल आया, मेरी गर्दन मारे शर्म के नीचे झुक गई। जब कि देश में हर दल एक दूसरे के खिलाफ सस ठोक कर लड़ रहा है और हिन्दू-मुसलमानों के झगड़ों से उसकी आत्मा छिन्नभिन्न हो रही है, तबतब एक असंभव बात दिखाई देती है। पं. जवाहरलाल मुझसे पूछते हैं कि नामा के राज्याधिकारी ने जो पत्र उन्हें भेजा है उसपर वे उनके भाष्यान को कुचूल कर लें और नामा की हद में प्रवेश कर के

अपने साथी से जा मिलें? क्या क्या अच्छा होता, यदि मैं उन्हें 'हाँ' कह पाता। इस अवस्था में तसल्ली की बात सिर्फ इतनी ही है कि आचार्य गिदवाणी वीर पुरुष हैं और जेल की तमाम सुविधाओं को वे सह लेंगे। भगवान उन्हें इस अभि-परीक्षा में उत्तीर्ण होने का बल दें। यह स्वाधीनता की कीमत और हमें वह देनी ही पड़ेगी। स्वाधीनता बड़ी महंगी वस्तु और जेल उसे तैयार करने के कारखाने हैं।

### दूसरे के द्वारा नहीं

एक महाशय कहते हैं मेरी माता बहुत अच्छा सूत कातती हैं और रोजाना कोई २० तोला कात लेती हैं। कताई का प्रस्ताव पास होने के बाद मैंने अपनी माँ से कहा मुझे पालना गिन्ना दो। बेचारी माँ की समझ में न आया कि क्या जवाब दे। उमने सोचा कि मैं जितना सूत कातती हूँ वह सारे घर भर के लिए काफी है—बासकर वह तो रोज उससे दूना सूत कातती हैं जितना हम घर माह चाहते हैं। सो यदि उस प्रस्ताव के द्वारा सिर्फ सूत की तादादही माँगी गई होती तो उस माता की गान बिलकुल ठीक थी। पर दुनिया में ऐसे कर्तव्य भी मनुष्य के होते हैं, जो दूसरों के द्वारा नहीं कराये जा सकते। हम किसी दूसरे आदमी के द्वारा नहीं नहीं सकते, अध्ययन नहीं कर सकते, या इंधर की पूजा-अर्चा नहीं कर सकते। इसी तरह जब कि हर शहस के सूत कातने के द्वारा हम गरीबों के साथ अपनेको एकान्त करना चाहते हों, जब कि हम सूत कात कर दूसरों के सामने मिसाल पेश करना चाहते हों और हम उस कला का ज्ञान इस तरह घर घर फैला देना चाहते हों कि जिससे उस संधि-पाई तरीके से शाय कता सूत इतना सस्ता हो जाय कि वह मिल के पपड़े की बराबरी कर सके, तब हम दूसरों के द्वारा अपने दिलों का सूत भी नहीं कता सकते। लड़के के सूत कातने पर माँ ने जो ऐतबार किया है उसके मूल में यह भाव निस्सन्देह वर्तमान है कि चरखा कातना महज औरतों का काम है। हाँ, यह जान सब है कि मामूली तौरपर औरतें ही सूत कातती हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि ऐसे हलके काम के लिए मर्दों की बनिस्तर औरतें ज्यादा सुआधिक होती हैं। पर इसलिए यह कहना कि वे काम पुरुष की शान को बिगाड़ते हैं, या यह कि वे उनसे जताने हो जाते हैं एक भारी बहम है। शान पकाना मुख्यतः औरतों का काम है पर हर सिपाही के लिए खाना पकाना जानना ही जरूरी नहीं है बरिफ उसे खुद अपने हाथ से खाना पकाना भी पडगा है, जब कि वह अपनी ड्यूटी पर होता है। पुरुष ही आज दुनिया में सर्वोत्तम पाक-शास्त्री हैं। स्त्री अपने अध्ययन का पकड़ना के कारण घर की रानी हैं। बड़े पैमाने पर काम का संगठन करने के लिए उसकी रचना नहीं हुई है। पुराण-प्रिय और स्त्री-रक्षक होने के कारण वह नवीन तथ्यों का शोध नहीं कर सकती। परन्तु पुरुष असन्तोषी और प्रायः बड़ीबिनाशक होने के कारण नई नई बाने म्जो निकालता है। सारे विश्व के लिए ठीक हो या न हो, पर इस बात का कोई खण्डन नहीं कर सकता कि तमाम बड़े बड़े नूतन शोध पुरुषों के ही द्वारा हुए हैं। खुद हमारे चरखे का रटन भी पुरुषों के ही द्वारा हुआ है। चरखे के तमाम आवश्यक औजार पुरुषों के ही बनाये हुए हैं। चाहे किसी लिहाज से देखिए, चरखा कातना पुरुष के लिए भी उतना ही प्रधान है जितना कि स्त्रियों के लिए है—उस समय तक जब तक कि चरखा घर घर में इतना व्याप्त न हो जाय कि हमारे देश में उसकी फिर से प्रतिष्ठा हो सके और उसके द्वारा विदेशी कपड़े का पूरा बहिष्कार हो जाय।

( य ६० )

मौ० क० गांधी



## गांधीजी के समाचार

आज गांधीजी के उपवास का १० वां दिन है। कल के ताजे तार-समाचार हैं कि गांधीजी को रात को अच्छी तरह नींद न आई। पर मदा की तरह प्रफुल और सतेज दिखाई देते हैं। कल सुबह ९ बजे डॉक्टरों ने उन्हें देखा था। उन्हें गांधीजी की हालत से पूरा सन्तोष है। दारुण निराशा उम्दा है। वे कहते हैं, चमत्कार की बात है कि दिल की धड़कन एक सप्ताह पहले से भी अब और अच्छी है। तापमान भी बहुत ठीक है। रज की तरह चर्मा बराबर रहती है।

## हिन्दी-नवजावन

रविवार, क्वार सुदी ७, मंसिर १९८१

### मैत्री की इच्छा

परिषद् धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अन्त को यह चिन्मरणीय हो जायगी। पर मेरे पास आशा नहीं रहती कि कुछ चमत्कार दिखाई देगा। इसका फल इतना ही हो सकता है कि सभ विचार जाग्रत हो जायेंगे। गांधीजी ने अपने इस पुर अमर कार्य के द्वारा हिन्दू-मुसलमान-एकता के अत्यावश्यक पक्ष के हल करने की ओर देश का ध्यान आकृष्ट किया है। बड़ी भरती पर रास्ता धीरे धीरे पकता है, परन्तु विचार मना पहले ऊपर के सह पर जमते हैं और फिर ठेठ निचले तक पहुंच आते हैं। इससे पहले दोनों पक्षों में वैर-भाव प्रकट हो उठता था। आज जो लोग अंध माने जाते हैं, जो मार्गदर्शक माने जाते हैं उनके बीच अकट वैर-भाव की वह प्रतिबन्धि मानी जाती थी आज भी एकता करनेवाली को ही कठिनाई दिखाई देती है—एक कभी ब्रिटिश राज्य के प्रति दोनों जातियों का वैरभाव और दूसरी कभी गांधीजी और अलीमदशों का झुझ, गहरा और व्यक्तिगत प्रेम। पहली कड़ी मिथ्या है और ब्रिटिशों को यदि हटा लें तो वह टूट सकती है। दूसरी बात सच है, अधिक शुभ बातों के आगमन का आरंभ-रूप है। गांधीजी आज दोनों जातियों को जाड़नेवाली एक-मात्र कड़ी हैं। इसीसे 'गांधीजी की जय' इस घोष को आज नवीन अर्थ और महत्त्व मिलता है।

पूर्वोक्त उद्धार भी आर्थर मूर—'स्टेट्स मैन' पत्र के सम्पादक—ने देहली छोड़ने के पहले प्रकट किये थे। इस आन्दोलन सज्जन के इन विपक्ष उद्धारों में अपार सच भरा हुआ है। महा इतना कह देना चाहता हूँ कि गोपध-संबंधी अत्यन्त विवादोत्तेजक प्रस्ताव के पास हमें के पहले ही था, मूर देहली से चले गये थे। जिस दिन उन्होंने देहली छोड़ी उस दिन उन्होंने विषय-समिति में अत्यन्त कटुता-पूर्ण विवाद देखा था। फिर भी उन्होंने जो आगाही दी थी वह आज सच हो रही है।

यदि कोई यह कहे कि इस परिषद् के द्वारा एकता हो गई है तो उसे सीधा गोला दी कहना चाहिए। कोई अपने दिल को यह तसल्ली नहीं दे सकता कि इस परिषद् के द्वारा दिल के जलम भर गये हैं, दिल मिल गये हैं, हार्दिक एकता हो गई है। यह मान लेने की कुछ जरूरत नहीं है कि 'महात्मा गांधीजी की जय' पुकारने वालों ने गांधीजी की मुराद संलहों जाना पूरी बर दी है। पर यह कहे बिना नहीं रह सकते कि जो हुआ है वह भ्रमणा ही हुआ है।

पहले दो प्रस्तावों में परिषद् का महत्व है। उन प्रस्तावों में पञ्चायत है, अहिंसा के अमल करने का निश्चय है, अगला होने

पर भी लाठी के बल उसका फैसला व करने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। यह बात कुछ ऐसी-वैसा नहीं है। गैरशा और बाजे बजाने के प्रस्तावों में अदला-बदली की वृत्ति आती है, पर इसमें भी महत्व की बात यह है कि यह बात समस्त पक्षों के धार्मिक और राजनैतिक नेताओं ने मिल कर तय की है। विदेशी छत्ता से युद्ध में प्रवृत्त देश का ध्यान आज अपने घर के टूटे सुखाने को ओर झुका है और हम आज भीमे भीमे कदम बढ़ाते हुए ऐसी माध्यानी रखने की तजवीज में हैं कि कहीं एक दूसरे के वैर न छिन्न जायं। यह उस बात की हद को सूचित करता है कि हम किस आन्दोलन को जा पहुंचे हैं। पर इस प्रस्ताव में इस इच्छा की पुनः जाग्रति दिखाई देती है कि अब हम अधिक नीचे नहीं गिरना चाहते, आगे ही बढ़ना चाहते हैं, एकता करना चाहते हैं, स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं।

श्री. मूर ने जो कहा है कि गांधीजी ही दोनों जातियों को एक भ्रमणा में बांधने वाली कड़ी है, वह वास्तव में वस्तुस्थिति है। पर गांधीजी ऐसा नहीं चाहते कि यह वस्तुस्थिति इसी प्रकार चलती रहे। उनके उपवास का उद्देश्य यह है कि गांधीजी के खातिर नहो, बल्कि अपने जीवन के खातिर, दोनों जातियों प्रेम से एक दूसरे के गले मिले। यदि गांधीजी परिषद् में होते तो शायद प्रस्तावों की भाषा और भी अच्छी होती, उसमें कम बफारत होती, कम देन-लेन की गंध होती। पर गांधीजी का न होना ही ठीक हुआ जिससे सब ने अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी जुगत के मुताबिक ही प्रस्ताव पास किये हैं। जब गोपध-संबंधी प्रस्ताव पास हुआ तब 'गांधीजी की जय' का दर्पनाद हुआ और कुछ देर बाद परस्पर बिकट पक्ष के नेता एक दूसरे के गले मिले। अगले दिन के पञ्चायत-सूचक प्रस्ताव से झुझ हो कर उनका एक-दूसरे से गले मिलना इस बात को सिद्ध करता है कि यदि उनमें एकता न हुई तो कम से कम दुःखनी जरूर भूल गये हैं।

गांधीजी के उपवास से यदि गांधीजी के हृदय के जलम का अन्दाज सब लोग कर सके, तो उन्हें भी थोड़ी बहुत चोट पहुंचे बिना न रहेगी। परिषद् में आने और 'महात्मा गांधी की जय' पुकारनेवाले इन अपूर्ण प्रस्तावों का भी फालन यदि पूरी तरह करेंगे तो कोड़े ही समय में सपूर्ण प्रस्ताव करने का समय आ जायगा।

जब मैं वीसनगर (गुजरात) गया था तब एक मुसलमान सज्जन ने कहा था कुरान शरीफ में कहा है—किसी के दिल को दुखाना मानों काथा जैसे पाक जगह को नापाक करना है। धार्मिक हिन्दू तो 'मम हृदय भवन प्रभु तारा' में विश्वास रखते हैं। हिन्दू और मुसलमान यदि अपने इस अटल सिद्धान्त पर टक रह कर एक-दूसरे के दिल को न दुखाने की प्रतिज्ञा कर लें, यह मानने लगे कि एक-दूसरे के दिल को दुखाना अपराध करना है तो एकता होने में देर न लगे। यह सच आज नहीं है—यह स्थिति परिषद् के प्रस्तावों में नहीं है। प्रस्ताव पास करने वालों में से कितने ही लोगों के दिल में यह भाव अभी बाकी रहा है कि—'वे यदि ऐसा करें तो हम ऐसा करें।' पर सब लोगों ने इतनी बात ता स्वीकार कर ली है कि दोस्ती करना है, और दोस्ती का उपाय है पाप के लिए पञ्चायत और अहिंसा। अदासीयता और उपेक्षा की जगह अब मैत्री की इच्छा पैदा हो गई है और उसके साथ ही स्वराज्य प्राप्त करने की लालसा का भी पुनर्जाय हुआ है। इसी ऐसा-वैसा बात नहीं कह सकते। परन्तु मैत्री तथा स्वराज्य प्राप्त करने के सफल के लिए तथा उसके हेतु एकता के पक्ष का सदा के लिए निपटारा करने योग्य हिम्मत आने में अभी समय लगेगा।

(नवजावन)

महादेव हरिभाई देसाई

## काम नहीं तो राय नहीं

मौजाना इस्मत मोहानी ने उस दिन मुझे स्वीट सोबीट का रचना-विधान पढ़ने के लिए दिया और कहा कि इसे देखिए यदि और किसी बजह से नहीं तो सिर्फ इच्छा कि महासभा के और सोबीट के रचना-विधान में कितनी स्पष्ट समझा दिखाई देती है। मैंने उसे सरसरी तौर पर पढ़ा तो देखा कि दोनों रचना-विधानों के रूप में निःसन्देह स्पष्ट-रूप से समता है। यह समता बतलाती है कि इस भूमण्डल पर कोई बात मौलिक और बर्हि नहीं है। दोनों में फर्क भी मुझे मिला, पर उसकी बर्हि करने की जरूरत नहीं। हाँ, उसकी एक बात पर तो मैं लडू हो गया। वह थी 'काम नहीं तो राय नहीं' का सूत्र। सोबीट के रचना-विधान में सदस्य की पात्रता न रुपये से परखी जाती है, न चार आने से, न मितिकयत से, और न तालीम से, बल्कि सभी मिहनत से। इस तरह सोबीट-महासभा को एक कार्यकर्ताओं की महासभा समझिए। क्या दार्शनिक, क्या अध्यापक और क्या दूसरे तमाम लोग सब के लिए कुछ न कुछ काम करना लाजिमी है। पता नहीं उन्हें मिहनत किस तरह की करनी पड़ती है। मैंने चंद हो मिनटों में उसे इधर-उधर देखा। इससे अगर यह बात उसमें बर्हि दशाई भी गई हो तो मुझे न मिल पाई। हमारे काम की और माँके की बात तो उसमें यही है कि हर एक मतदाता को कुछ न कुछ ज्ञाना काम कर के दिखाना पड़ता है। ऐसी अवस्था में मेरा यह प्रस्ताव कि अब से हर एक महासभा के सदस्य होने की इच्छा रखनेवालों को चाहिए कि वे अपने राष्ट्र के लिए शारीरिक श्रम करें, न तो मौलिक है, न हास्यास्पद है। जब कि एक बड़े राष्ट्र ने पहले से ही इस सूत्र का मसूर कर लिया है तब तो हमें उसका अनुकरण करने में अपने की कोई जरूरत नहीं। थोड़े समय तक रोज की जानेवाली मिहनत सभी फल दे सकती है जब कि लाखों लोगों के लिए उनकी किस्म या रूप एक ही हों। और हमारे देश के सहस्र विद्यालय देश में ऐसा शारीरिक काम जिसका धर धर प्रचार हो सके, किवा बर्हि-कताई के दूसरा नहीं है।

लेकिन यह कहा जाता है कि यह प्रस्ताव महज शारीरिक काम का प्रस्ताव नहीं है, उसके अन्दर आर्थिक पात्रता छिपी हुई है। सूत चाहे कितना महीन क्यों न करे १ साल के सूत की कीमत ४ आने तक तो हरगिज नहीं घट सकती। पर आक्षेप-कर्ता इस बात को भूल जाते हैं जिस लेख में मैंने अपने प्रस्ताव की रूप-रेखा दी है, उसमें मैंने कहा है कि जो सूत कातने की जुरत न रखते होंगे उन्हें प्रांतिक ममितियों की तरफ से कपास मिला करेगा। इसलिए लोग जो कपास बिना भृत्य प्रदान करेंगे वह मेरी तजवीज के मुताबिक बन्द नहीं बल्कि बान होगा। तजवीज से यह मालूम होता है कि हजारों लोगों के लिए हर साल २४००० गज सूत कातने लायक काफी कपास मिलना बिल्कुल संभवनीय है। इस बार ७० भा० खादी-मंडल में ५००० से ऊपर लोगों ने सूत मेजा है। उन्होंने खादीमंडल से कपास नहीं मंगाया। मुमकिन है कि कुछ प्रान्तों ने सूतकारों को सूत पहुंचाने का इन्तजाम किया हो। अगर उन्होंने ऐसा किया हो तो कुछ बेजा नहीं। क्योंकि असली चीज तो है आध घण्टा शारीरिक श्रम करना। हमारे राष्ट्र के इस क्षय का कारण कच्चे माँ की कमी नहीं, बल्कि शारीरिक श्रम और साधारण हुनर के अभाव से ही उसका सत्यानाश हो रहा है। हमें अपने हाथों से मिहनत करने की आदत नहीं रट गई है। इसीसे मेरा यह प्रस्ताव कुछ लोगों को अग्रिम मालूम होता दिखाई देता है और राष्ट्र की एक

ही आवश्यकता के लिए आध घण्टा काम करने में सारे देश के अपनी राजी-शुशी से लग जाने के लाभों की समझना कठिन मालूम हो रहा है। निश्चय ही मेरे प्रस्ताव में नीति-बिन्दव तो कुछ भी नहीं है। और न उनमें कोई बात ऐसी है जो किसीकी अन्तरात्मा के खिलाफ हो। न उनमें कोई बात भारी कठिन ही है। भारी कार्यमम लग के लिए भी आध घण्टा खादी मिहनत करना—बरखा कातना कोई कठिन नहीं है। ऐसी हालत में इस प्रस्ताव के खिलाफ जो कुछ उबावह से ज्यादा कहा जा सकता हो वह यही कि इस मिहनत का कुछ फल न निकलेगा। अच्छा, बरा देर को पत्र कर लीजिए कि स्वराज्य या छोड़ आर्थिक मुक्ति की दृष्टि से इसका कुछ फल न होगा। पर अ०सा०खादी-मण्डल के पास अगर हर माह मनो सूत आता रहे और उसको सस्ती खादी बने तो क्या यह निष्फल होगा ? नहीं। खादी का एक एक गज जमा बना कपडा कभी बेकार नहीं कहा जा सकता।

दूसरा ऐतराज उपपर यह किया गया है कि उससे महासभा के हजारों मतदाताओं का मतानिहार छिन जायगा। पर मैं साहस के साथ कहता हू कि यह आक्षेप कल्पना-मात्र है। मतदाता उसीका नाम है जो अपनी संस्था के काम में लगन से दिलचस्पी देता हो। हमारे मतदाता ऐसे नहीं हैं। कसूर उनका नहीं, हमारा है। हमने उनके कार्यों में काफी दिलचस्पी नहीं की। और जब तक हमें ऐड न लगाई जाय तबतक हम ऐसा करेंगे भी नहीं। तजुबा ही यह ऐड है। हर महीना महासभा के अधिकारियों को हर एक मतदाता से अपना सीधा संपर्क रखना पड़ेगा। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। ताजुब है कि इसे भी खोल कर बताने की जरूरत पड़ती है। हर महीने अपने काम का हिसाब देनेवाले हजारों सभे कार्यकर्ताओं की एक संस्था के लाभों को कल्पना तो लीजिए। और, क्या थोड़े पर उत्साही काम करनेवालों की सजीब संस्था उस संस्था से हजारों गुना अच्छी नहीं है जिसमें हजारों सदस्य हों, जिन्हें उनके काम की परवा ही न हो, और जो कुछ आदमियों के इशारे पर अपनी राय देने से अधिक अपना कोई काम न समझते हों। पर सूत तो ऐसी दिखाई देती है कि यदि हम आवश्यक परिश्रम करने का साहस-मात्र दिखावें तो हमें इतनी बड़ी तादाद में मतदाता लोग मिलेंगे जो हमारे अन्दाज से बहुत ज्यादा होंगे। दूसरे महीने के सूत मेजनेवालों की तादाद पहले महीने से प्रायः तिगुनी है। यदि हर प्रान्त का हर कार्यकर्ता राजी-शुशी से कातनेवालों का खासा समठन कर लें तो सूतकारों की सख्या में हमें बराबर वृद्धि ही दिखाई देगी। और यदि कुछ ही महीनों में यह तादाद दो लाख तक पहुंच जाय तो हमें ताजुब न करना चाहिए। द' लाख के मानी है हर प्रान्त में इस हजार। और हर प्रान्त औसतन दस हजार स्वेच्छापूर्वक कातनेवाले लोगों को जुटाने में कोई गैर-मामूल व्यवस्थाशक्ति की जरूरत नहीं है। इर्मालण में आशा करता हू कि मेरा प्रस्ताव ना-मंजूर न होगा।

मैंने जान-बूझ कर अपने प्रस्ताव को लघुसम समापवर्तक कहा है, महत्तम नहीं। और लघुसम का मतलब यह नहीं है कि वह सारे देश के लिए मंजूर होने लायक लघुसम हो, बल्कि देश की उद्देश-सिद्धि के लिए आवश्यक लघुसम हो। और मेरा मत ही जुटा है कि यदि हमें रक्तपात के बिना स्वराज्य प्राप्त करना हो तो मेरा बताई ये तीन बातें परम आवश्यक हैं। यदि हमारा यह आदर्श हो कि जितने सदस्य हो सकें, किये आय-कार्य की सुवास्ता रहे या न रहे—तब हिन्दू-मुस्लिम-एकता और अस्पृश्यता की भी नमस्कार कर केया होगा। क्योंकि मैं जानता हू कि अस्पृश्यता-

विचारण के लिए जहाँ कहीं हमने जोर-शोर से काम किया है वहाँ बहुतेरे लोग महासभा से अलग हो गये हैं। वे अब भी उसे हिन्दू-धर्म का अभिन्न अंग मानकर उसे आलिंगन कर रहे हैं। और यही बात हिन्दू-मुस्लिम-एकता के भी संबंध में करनी चाहिए। क्योंकि वर्तमान दुर्घटनाओं के अनुभवों ने यह दिखाया दिया है कि बितने ही लोग देखे हैं जो न केवल हिन्दू-मुस्लिम-एकता को चाहते नहीं हैं, बल्कि हमारे मेरों को विरंजनी बनाना चाहते हैं। जरा जरा से विमर्शों पर वे झगडा झोक लेना चाहते हैं। वे बहाने पैदा करने में भी नहीं हिचकते। ऐसी अवस्था में यदि हम अपनी आन्तरिक वृद्धि के साधन-रूप हम तीनों शर्तों को निहाल दें तो फिर महासभा एक खासा आजार ही प्रायगी-राष्ट्र की पुकार पर एक आदमी की तरह हीट पड़ने वाली महासभा न रह जायगी। कम से कम मैं ही ऐसी संस्था में जहाँ वे तीनों शर्तें जीवित और वास्तविक रूप में न हों, बिल्कुल पहरा जाऊंगा। और यदि वाइलिस के एक वचन की कुछ तोड़-मरोड़ करने में पाप न होता हो तो कर्ना - 'पहले तुम हिन्दू-मुस्लिम-एकता कर लो, छुआछूत हटा लो, अरका और खादी को अपना लो, बस फिर दूसरी सभाम बातें अपने आप तुम्हें मिल जायंगी। २०-९-२४

( सं० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

### एकता-परिषद्

सभापति के द्वारा उपस्थित किये जाने पर नीचे लिखा स्ताव 'एकता'-परिषद् में सर्व-सम्मति से पास हुआ:-

महात्मागांधी के उपवास से इस परिषद् का बहुत दुःख और निन्ता हुई है।

इस परिषद् की यह एक राय है कि अन्तरात्मा और धर्म की आन्तरिक स्वतन्त्रता परम आवश्यक है और यह पूजा-स्थानों के लिए है किसी भी धर्म-सम्प्रदाय के हों, अष्ट किये जाने और किसी भी मनुष्य के अन्तर् धर्म ग्रहण करने या पुनः स्वधर्म में आने के कारण उसके दिक या दृष्टिमान करने की निन्दा करती है और अन्तर्धर्म की किसीको अपने धर्म-मत में मिलावे या दूसरे के हकों पर वदाकात करके अपने धार्मिक रीति-रिवाजों को दूसरों पर लादने या उनकी रक्षा करने के प्रयत्नों की भी निन्दा करता है।

इस परिषद् के सदस्य महात्मा गांधी को यकीन दिलाते हैं कि हम इन सिद्धान्तों का परिपालन कराने और इनके जोषा तथा झूठकामा की अवस्था में भी उद्घवन करने पर उसकी निन्दा करने की प्रतिज्ञा करते हैं।

यह परिषद् अपने सभापति को इस बात का अधिकार देती है कि वे खुद जा कर महात्मा गांधी पर इस परिषद् का यह गर्भीर आभाषण प्रकट करें और परिषद् की यह अमिलावा भी उनपर आशिर करें कि महात्मा गांधी तुरन्त अपना उपवास छोड़ कर देश में तेजी के साथ फैलने वाली इस बुराई को तत्काल मली भाति रोकने के तेज उपायों का अवलंबन करने में परिषद् को अपने सहयोग, सहाह और सहनुसाई का लाभ प्रदान करें।

२६ सितंबर २५,२६

मोतीलाल नेहरू सभापति

गांधीजी ने अपनी उपवास-शय्या से यह स्वहस्त-लिखित उत्तर भेजा:-

प्रिय मोतीलालजी,

आपकी सहनुसाई में प्रेम और दया से प्रेरित हो कर परिषद् ने जो प्रस्ताव पास किया है उसे आपने हृषा-पूर्वक कल रात का सुखी पढ़ कर सुनाया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभा को कुछ बात का बर्कन दिखायें कि यदि मुझसे हो सकता तो मैं

खुशी से उसकी टपका के अनुसार टपकास छोड़ देता। पर मैं अपने दिल में फिर फिर यह एक बात पर विचार किया है और देखा कि उपवास छोड़ना मेरे लिए संभवनीय नहीं है। मेरा बस मुझे शिक्षा देता है कि किसी शुभ और उच्च कार्य के लिए जो प्रतिज्ञा एक बार की जाय या जो मत एक दफा ले लिया जाय, उसे तोड़ना न चाहिए। और आप जानते हैं कि ४० साल से ज्यादा हुए मेरा जीवन इसी सिद्धान्त के आधार पर बना हुआ है।

इस पत्र में जितना खुलासा कर सकता हूँ उससे भी अधिक गहरे कारण मेरे उपवास के हैं। इस उपवास के द्वारा मैं एक बात के लिए अपना अडा प्रकट कर रहा हूँ। असहयोग-आन्दोलन का विचार किसी भी अंगरेज के प्रति द्वेष या दुर्भाव से प्रेरित हो कर नहीं किया गया था। उसके अहिंसारमक रखने का उद्देश्य यही था कि हम अंगरेजों को अपने प्रेम-दल के द्वारा जीते। पर इसका परिणाम केवल वसा हूँ नहीं हुआ, बल्कि उसके द्वारा उत्पन्न शक्ति के सुख हमारे ही अन्दर एक-दूसरे के प्रति द्वेष और दुर्भाव पैदा कर दिया। इस बात के ज्ञान होने के कारण ही मेरा सिर झुक गया है और मुझे यह अहम्य प्रायश्चित अपने ऊपर लादना पडा है।

इसलिए यह उपवास मेरे और ईश्वर के बीच की बात है। सो मैं आपसे केवल यही निवेदन न करूंगा कि उसे न छोड़ सकने के लिए आप मुझे भाफ करें, बल्कि यह भी कहूंगा कि मुझे इसके लिए उत्साहित करें और मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह निर्विघ्न समाप्त हों।

मैंने यह उपवास मरने के लिए नहीं, बल्कि और भी अच्छी और सुख जिन्दगी देश की सेवा के लिए बसर करने के उद्देश्य से किया है। सो यदि, ऐसी मजकूर हालत हो जाय ( जिसकी कि मुझे कोई संभावना नहीं दिखाई देती है ), जब मृत्यु और जीवन दो में से किसी बात की परान्दगी करने का तबाल कडा हो तो मैं जरूर उपवास छोड़ दूंगा। लेकिन ४० अमदारी और बाद अन्दुक इम्मान जो कि बड़ी सावधानी और निन्ता के साथ मेरी शुभ्या में हैं, आसे कहेंगे कि मैं इतना तरोताजा रहता हूँ कि किस पर ताज्जुब होता है।

इसलिए सभा से मैं अधिक प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे प्रति अपना सभाम प्रेम, जिसका कि यिक यह प्रस्ताव है, एकता के लिए ठोस, सच्चे और सरगर्म काम के रूप में परिणत करे, जिसके लिए यह परिषद् हो रही है।

२७-९-२४

आपका सच्चा  
मो० क० गांधी

[ आगे पृष्ठ ६४ ]

६- सभों के रजिस्टर में जहाँ प्रान्त और जिके के नंबरों में हर एक के लिए एक से नंबर शुरू किया गया है, दुहरती भी जरूरत है। उसमें बहुतेरी भूलें होती हैं और उन्हें सोचने में समय बरबाद होता है। नंबरों का काम सीधा अदृष्ट रखना चाहिए।

७- असदस्यों का नंबर एक से शुरू होनेमें हर्ष नहीं। पर उसके पहले 'न' चिह्न लगाया जाय।

अ-सदस्य

अ-सदस्य लोग अभी तक सीधे यहीं पैकट भेज दिया करते हैं। उनसे फिर प्रार्थना है कि वे अपने प्राप्त के खादी-सम्पत्त की भेजें। उनके पैकटों पर रजिस्टर नंबर नहीं होता। इससे सभा इन्दराज करने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। अ. स. का कार्यालय को उनके प्रान्त को मूल की खबर भेजनी पड़ती है-यह काम भी दूब जाता है।

मूल भेजनेवालों की अन्तिम संस्था तथा विभिन्न विभाग प्रान्तों की पगति का पृथकरण जामानी अंक में लेनी भी आना रहती है।





૦-૮-૦ સુધાર લેઠાલઈ; ૦-૮-૦ ઠે. મોતી; ૦-૪-૦ કેમ્બર દરજી લઈ  
 પ્રતાપમદ ૧ રામરતન; ૧ નિહર; ૦-૮-૦ નસ્તર મદમદ; ૧ લલા  
 બિહાર; ૧ નંદુમાર; ૦-૮-૦ પંડિત રામસેવક; ૨ ઠીનજી  
 સમાજસેવક; કાનપુર ૦૧૩-૨-૦ કારકંદાસ રામપીલ ખુવાચંદ્ર;  
 ૭ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ પ્રતા; લાખીમપુર ૨ દેવીદયાલ; મીરત ૫-૧-૦  
 દેવનામરી લાઈકુલના વિદ્યાર્થીઓ તથા શિક્ષકો તરફથી; યુધ્ધરનમર પ  
 એવેલર સ્વતંત્ર પ્રેસ; ૨૫ શેઠ ખુબચંદ દોલતરામ; ૧૧ શ્રી જગજીવનની  
 કું; ૧૫ શા લલુ લાઈચંદ ૫ શા. કેસરજી તેજપાર; ૫ શા વલ્લભ  
 દાસ ગીરધરલાલ; ૫ એસ એમ. પટેલ કું; ૫ લાઈ તલકરી પરશોતમ;  
 ૫ શા નવમલ બત્વાલ; ૫ શા. વેલજી બોલાઈયા; ૧૧ શા. નેપત  
 તેજપાર; ૫ શા યુનીલાલ ગરુક; ૩ શા ચંપાલાલ જસાલ; ૩ શા  
 ચંકરલાલ નેમચંદ; ૩ શા બિંદુજી ધોળાલ; ૩ શા વીરચંદ પુનમચંદ;  
 ૨ શા. સાકરચંદ ગોપાલ; ૨ શા. દલીચંદ બોહારદાસ;  
 ૨ શા ઠોટાલાલ સુરજમલ; ૨ શા યુનીલાલ હીપાલ;  
 ૨ શા ચનાલ હરભલ; ૨ શા ગુલાબચંદ બાલચંદ; ૨ શા.  
 કીરીરામ બનેચંદ; ૨ શા. હીમતલાલ એમલ;  
 ૧ માસ્તર ન્યાલચંદ માણીચંદ; ૧ બાઈ જમન દાસ હરખચંદ;  
 ૧ બાઈ પદમશી મેઘલ; ૧ બાઈ રૂપનાથ પન્નાલ; ૧ શા. સમયમલ  
 હરશીમલ; ૧ લાઈ મોતીલાલ હરદુરચંદ; અમદાવાદ ૫૦-૧૩-૨  
 શ્રીઆરો. શ્રી. લ. યુવકમંડળ હા. શ્રીજીભાઈ મગનલાલ; હીપાનેર (ગોપાળ)  
 પખલાદુરસિદ્ધ કુમેરસિંહ; નૈનીતાલ ૫ ૧-૦ શ્રી. સુરમતી દેવી;  
 સીમલા ૧૦ મહિશામ દેવી; હુધીઆના ૧ માસ્તર સત્યલાલ; ૫  
 મહારાજ રજુવીરસિંહ; ૦-૮-૦ લાલા જગન્નાથ; ૨ સરદાર જૈનલસિંહ;  
 ૦ ૮ ૦ બાબુ દેવરાજ; ૧૦ લાલા યુનિશામ; ૧ લાલા નાયુલાલ;  
 જુજપુર (કચ્છ) ૨ ફાર્સીઆ દેવશી જીહાણી; ૯૨ ગામ રિઆળ  
 (બિળકા)ના ધોળા તાલુકા સમિતિ તરફથી હધરાજીના; ૩-૧૪- જામ  
 આદેરાલ (ધોળકા)ના હધરાજીના હા. ડાહ્યાભાઈ મનેરદાસ; ૨ ૧૩-૦  
 'શીનખ'પુ કુલપત્રિકાના વેચાણના નાના હા ડાહ્યાભાઈ મનેરદાસ;  
 અમદાવાદ ૧૮ ૧૨-૦ આરજીલાલ મજબૂબજીદાસ; હરિપુરા ૭ નારજી  
 ભગા શીરા, રતનપુરા ૩ ચંદુલાલ બેળીલાલ શાહ; હુમડુમા ૩-૬-૦  
 બનિકેશ પંડિત; મુદ્રા (કચ્છ) ૫ એક રુદ્ધરમ; ૪ એક રુદ્ધરમ;  
 ૩-૧૨-૦ જૈન બાઈબા તરફથી; ૨ રોહરી વીરજી; ૧ મૂળજી  
 ગોવિંદજી શેઠ; ૨ જની હીરજી હર પ્રજી; ૨ પદમશી પ્રેમજીની કું;  
 ૨ તેજપાલ સાકરચંદ; ૨ શેઠ લલુ જનજી, ૨ શેઠ હરમાલભાઈકાદાભાઈ;  
 ૧-૪-૦ કરચનજી શીરજી; ૧ પારેજી નાનચંદ શેઠ; ૧ સો. પ. જી. ભાઈ  
 ૧ બોડીલાલ મેમીલાલ; ૧ લખાચીચંદ વેલજી; ૧ દેવશી નામજી;  
 મુદ્રા ૧ વજરાજ સાકરચંદ; ૧ પુ. ધોળામ મૂળજી શેઠ; ૧ મેઘજી મૂળ  
 ચંદની કું; ૧ જીવીબહેન બે. ઠીલાલ; ૧ સોની નરસી દેવજી; ૧ કેવલજી  
 વીરજી; ૧ વધમાન ર.મજી, ૧ હાઈબાઈલાલચંદ; ૧ રજની; ૧ એક  
 રુદ્ધરમ; ૦-૮-૦ પદમશી જીહા, ૦-૪-૦ વેલજી માણીચંદ; ૦-૪-૦  
 હરમાલ નુરમામદ; ૦ ૪ ૦ ખાલ હંબલા હરપજી; ૦-૪-૦ મણિલાલ  
 સાકરચંદ; ૦-૪-૦ સોની વેલજી માધરજી; ૦-૪-૦ શા. સંતાપી;  
 ૪૦ શા. હામજી વજરાજ જીહા-માડવી; અમદ વાદ ૫૦ લાઈ જગજીવનના  
 પુસ્તકાઈ.

● આઈ બિહન મુકું છે તે ગાયોની રકમોમાંથી ૦-૧૨-૦  
 મનીઓઈર મચાના બદ

કુલ રૂ. ૧૪૬૧૧-૧૨ ૩ તા. ૩૦ ૬-૨૪ સુધીના  
 જુજરાત પ્રાંતિક સમિતિમાં ભર.એસાં નાણાં  
 રૂ. ૧૨૭૭૧-૦ ૨ તા. ૨૩ ૬-૨૪ સુધીના અથમ  
 સ્વીકારાએલા

૫૨ મજી ૧ નેરશી જગન્નાથ ધોઆરામ; ૧ રાવજી જગન હંવાજી; ૫  
 બાવ નર મગનલાલ હ જીભાઈ; ૨ શા. ગુલાબચંદ જીઆઈ; ૧  
 વનમાળી હુડુ બાવસાર; ૪ ઠાકરશી નયુ બાવસાર; ૩ હલુ નયુ  
 બાવસાર; ૧ ગઠળી માલ ૧ મચાબ.ઈ; ૧ જ વમાર હરદુર કામજી;  
 ૨ શા. ધોપટલાલ નેસંગભાઈ, ૨ બાવસાર કુવચંદ નારજી; ૧ શાકરી  
 મગનલાલ આજીદજી; ૧ શા લલુ પીતાળવદ.સ; ૦-૮-૦ શા.  
 પરસોતમ પીતાળવદામ; ૨ રાવજી રામસાકર મહારાઈકર; ૨ રોહ  
 કુલાબ હ કાજીભાઈ; ૨ આરટ કુલાભાઈ મજીભાઈ; ૧ પા. પીતાળવ  
 હરીલાલ; ૧ ઠાલી જીવુ રતનલાલ; ૧ રોહ તેજ અરજીજી; ૧  
 શા. પરસોતમ નારજી; ૨ મેહેલ નાયુબ હ હરીલાલ; ૧ કકર કુમેર

કેવલજી; ૧ બારક ગઠાર નાનક; ૨ કકર રતનજી કેવલજી; ૧ લાવસાર  
 મોર હલુની વિધવા બાઈ પાવતી; ૩ બાઈ પામબા કાલી બહુલાઈ  
 હાજીભાઈની વિધવા; ૨ રોહક હાજીબઈ રોસાબ.ઈ; ૧ કકર રજુભાઈ  
 કેવલજી; ૨ બાવસાર નરસી લલુ; ૩ બાવા સરજીલાલ ગોપાળકાઈ  
 ૧ કકર બંબાલાલ મગનલાલ; ૧ કકર હજીર કેવલજી; ૨ સોની  
 જગવાન બાજીજી; ૧ શા. બાઈલાલ કુવચંદ શ્રી. દેવામામ; ૨ પદ.  
 મોતી કરસન; ૨ પા. ગીહા કરસન; ૨ પા. અદેસજી કરસન; ૨ પા.  
 મુલજી માણ; ૧ કકર કરસન બોધવજી; ૩ પા. શીવા વીરસીંગ  
 ૨ બાવસાર મોહન મોતી; ૩ મોહેલ મહારસીમ જીવાનાર  
 ૧ ગુડાસમા તાનલા મે.જી શ્રી કમણીયા મગન; ૧ મોહેલ કાજીભાઈ  
 નેડીભાઈ; ૧ મોહેલ તેજભાઈ બેચાજી; ૫ ઠાલી જીઆમ.હ મોહનલાલ  
 ૨ પા. બેચર રતના; ૧ પા. પુના પહેલા; ૧ પા. હાજી નયુ; ૧ પા.  
 જીવા વીરા; ૧ પા. કરસન રતના; ૧ પા. મુળજી ખોડા; ૫ બાવ  
 મરીબદાસજી; ૧ પા. નારજી વજરામ; ૨ પા. કાજી બાપુ; ૧ પા.  
 નારજી બાપુ; ૧ રાવજી કુવચંદ અંબારામ; ૧ મોહેલ હાજીભાઈ  
 પ્રતાપસંગ; ૧ રેવર બાવસંગ ધોઆ; ૬ બાવસાર મોહનલાલ લલુભાઈ  
 ૧ સોની ધોપટ બાજીજી; ૫ રોહક નાવાભાઈ હાજીભાઈ; ૦-૮-૦ કકર  
 કરસન કેવલજી; ૧ પા. ગોપા હરી; ૨ કકર ત્રીકમ બોધવજી; ૧  
 ભરવાઈ છુટા કાના; ૧ મોહેલ બેચરજી અસેસંગ; ૦-૮-૦ તરિયાન  
 પરસોતમ શંકર; ૧ પા. જગજી ધોઆ રાવપુરવાળા; ૧-૮-૦ જનલાલ  
 જગચંદ વેલાળી; રા. (તા. પાદરા) ૧ બળદેવલાલ આમરભાઈ;  
 અમદાવાદ ૨૦૧ શ્રી જના ગાધવપુરોના મહાબલ તરફથી; ૫ આનિલાલ  
 હા રીલાલ કેવલજી; આનલીઆરા ૧૬-૧૨-૦ જગજીવન પરમાનંદ  
 પંડયા; કલકાલ ૨૫ શ્રી બાઈ નેકેર પંડયા ગોરખન યુસાલ શ્રી વિધવા;  
 અમદાવાદ ૧૦૦ હરિલાલ ઠોટાલાલ; ૧૦૦૧ શેઠ સાહેબ લાલભાઈ  
 હલપતભાઈ; ૧૫-૪ ૬ પ્ર. પ્રા. કાવળી શાળા ન. ગુના વિદ્યાર્થીઓ  
 તરફથી; ગાના ૦ ૧૨-૦ જોરલાલ મહાભાઈ; જમન ૧ હાજીભાઈ  
 યુસાલભાઈ, ૨ ધાંચદાના નીજી; ૧ કાળીદાસ ચંકરભાઈ; ૧ કુવચંદ  
 મુળજી; ૧ મગનભાઈ તગશીભાઈ નાવરજી; ૨ પુરાકભાઈ જીજીભાઈ;  
 ૧ હવેરલાઈ હાહાભાઈ; ૧ કારીભાઈ જીજીભાઈ; ૧ શંકરલાલ મુનદાસ;  
 નાર ૧૧૧-૮-૦ શ્રી. નારગામના હધરાજીના અનાજના વેચાણના;  
 બાકરોલ ૨૩ શ્રી. બાકરોલ-ગમના હધરાજીના હા. મો. હા. પંડયા;  
 અમદાવાદ ૧-૧૨-૩ શ્રી પ્રા. પ્રા. હુડું શાળા ન. રવના વિદ્યાર્થીઓ  
 તરફથી; ૧૦ કે. આર. બાઈ

કુલ રૂ. ૧૪૬૧૧-૦-૧૨ તા. ૨૮-૬-૨૪ સુધીના  
 સુખાઈ શાખામાં ભર.એસાં નાણાં  
 રૂ. ૭૪૬૮ ૧૫-૦ તા. ૧૭-૬-૨૪ સુધીના અથમ  
 સ્વીકારાએલા.

૮૨૬ ડાહ્યાવાડ જૈન મૂર્તિપૂજક સંઘ (આ પૈસામાંથી હધરાં તથા  
 અનાજ ન આપવાનું, શેકડા પૈસા નથી આપવાના); ૮ કકર ગાવિંદજી  
 દેવકરજી સાકાવાલા; ૧૫૧ હાજી હમીદ સાહેબમદમદ; ૧૫ ચંદુલાલ  
 સુ. શાલ; ૨૨ સોનીભાઈ; ૫ અદમદઅથી અબદુલ્લીન; ૧૦ વેલજી  
 લખનશી; ૮ ઉચરદાસ મરમદાસ મરચંદ; ૦-૮-૦ ગાવજી ગોપાલજી;  
 વાટોપર ૧૦ ૨૫૦ રેવાકુવર નેજીસી; ૩ જયા રતીલાલ મહેતા; ૫  
 મગનલાલ એ.ટ મોતીલાલ ગધી કું, ૫ નરસીકાંચ નાનાભાઈ શાહ;  
 ૫ ખંડુભાઈ એ. ગ. ૫ મગનંદ એ.; ૩ એક અનાવિલ સદમદરમ; ૨  
 મોતીરામ હલપતરામ બકસ; ૨ આઈ. એ. શેખ; ૨ મગનલાલ વી.  
 દેસાઈ; ૨ રમાચંદર કુખ્લાલા; ૧ અ. ૦ સો. બહેન રાન છી; ૧ જી  
 બી. પરંબો; ૧ એસ એ. ફડે; ૧ માલેખરપ્રસાદ; ૧ પુરુષોતમ શ્રી.  
 પટેલ; ૧ આણસંક જી નેરશી; ૧ જગલ લ શી દેસાઈ; ૧ ખંડુભાઈ  
 વી. દેસાઈ; ૧ સીતારામ એલ. દેસાઈ; ૧ દેવદત્ત આર; ૧ સહીસુમતિ  
 પ્રા.વનાર; ૧ એન જી. દેવ ઈ; ૧ અમરતરાવ બી. દેસાઈ; ૧ રતીલાલ  
 એન; ૧ ચંદુલાલ મગનલાલ; ૧ હરેચંદ ૧ નચેજી, ૧ જી. એસ.  
 કુખ્લમડરી; ૧ હલપરાય જે; ૧ પેરવનજી પીરો. સા; ૧ એન. એલ.  
 બદ; ૧ મનહરલાલ એન. ચાંદરી; ૧ લીરમીલા,ખાન મહમદખાન; ૧  
 જી. વાલ. બાટાલે; ૧ ગોવિંદજી બી; ૧ સહીસુમતિ ધરાવનાર; ૧  
 રતીલાલ હીમનલાલ; ૧-૪-૦ બાઈદાસ કેવજીરામ; ૦-૮-૦ પ્રજુલાદજી;  
 ૦-૮-૦ બાજીજીરામ; ૦-૮-૦ બાજીભાઈ; ૦-૪-૦ કુમરી મણિલાલ  
 બાપુભાઈ; ૨ એક મહરવ; ૫ મોતીલાલ અમુલલાલ; ૫ જનમજી  
 પાનાચંદ; ૦-૮-૦ સાહ બોધવજી; ૦-૮-૦ કકર ડાહ્યાભાઈ મુખજી  
 ૨૫ મંગલદાલ ભણિદરાજી; ૫૦ પંજબી વિદ્યામલ ભાવચંદ; ૪



## एकता-परिषद् के प्रस्ताव

१ यह परिषद् हिन्दू-मुसलमानों की अवबोध और हिन्दुस्तान के विभिन्न विभिन्न स्थानों में हुई सार-पीट पर ज़ोर प्रकाशित करती है, जिसके फलस्वरूप जाने जाया हुआ है, मात्र की छुट लसोट हुई है और अज्ञान जगैरह जलामे गये है तथा मन्दिर तोड़े गये हैं। परिषद् इन कार्यों को जंगली और धर्म के खिलाफ समझती है। और इससे जिन लोगों के जानो माल को दुस्सायन पहुँचा है उनके प्रति अपनी हमदर्दी जाहिर करती है।

२ इस परेबद की यह राय है कि कियो भी शक्य का बतौर बदला निकालने के अपने हाथों से कानून के लेना कानून और धर्म के खिलाफ है। और इस परिषद् की यह राय है कि हर किसम के समान मत-भेदों और अवबोधों का फैसला पनायत के मार्फत किया जाय।

३ विभिन्न विभिन्न जातियों के समान जगहों, मत-भेदों की, हाल की दुर्घटनाओं की भी तहकीकात करने और उनका निर्णय करने के लिए, एक 'राष्ट्रीय पंचायत' नामक सम्भवती मंडल की स्थापना की जाती है, जिसमें १५ में अधिक सदस्य न होंगे और उसे अधिकार होगा कि अदालत पकने पर उसमें स्थानिक लोगों को भी शामिल कर के। उसके सदस्य इस प्रकार होंगे -

गांधीजी (अध्यक्ष), हकीम अजम-शरान, लाला लाजपतराय, श्री० मदीमान (पारसो) श्री० एस. के. दत्त (इसाई) मास्टर सुन्दरसिंग कायकपुरी (सिख)

४ पहले और दूसरे प्रस्ताव में स्वीकृत सिद्धान्त को अमल में लाने के लिए तथा समाज धर्मों के मर्तों, विश्वासों और आचारों के विषय में सहिष्णुता कायम रखने के लिए इस परिषद् की यह राय है कि-

(अ) हर एक व्यक्ति अथवा समूह को अपने अपने धर्म-मत कायम करने का पूरा पूरा हक तथा दूसरों के मनोभावों के प्रति आदर रखते हुए तथा दूसरे के हक में बाधा न डालने हुए अपने आचारों के पालन करने का हक होगा। ऐसा करते हुए किसीको दूसरे धर्म के मन्थापकों, गायुपुरुषों तथा सिद्धान्तों की निन्दा न करनी चाहिए।

(आ) हर धर्म के प्रार्थना-स्थानों की पवित्र और अव्यवह माने और किसी भी तरह के जोश-झरोश होने पर भी अथवा ऐसे ही स्थानों के भ्रष्ट अथवा खण्डित होने पर भी उसका बदला लेने के लिए उनपर हमला न किया जाय अथवा न भ्रष्ट या खण्डित न किया जाय। ऐसे हमलों अथवा भ्रष्ट करने की कियो को रोकने के लिए आवश्यक प्रयत्न करना और उसकी निन्दा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है।

(इ) हिन्दुओं को मुसलमानों के गोकुली के हक के अमल को अवरुद्ध करने से, किसी स्थानिक मण्डल के प्रस्ताव में, या धारणना के प्रस्ताव में, अथवा अदालत के हुकम से, रोकने की आशा न रखनी चाहिए-एक दूसरे के समझौते से हो ऐसा करने की आशा रखनी चाहिए, और अपने मनोभावों के प्रति मुसलमानों के दिल में अधिक गहरा आदर उत्पन्न करने के लिए मुसलमानों की मकमन्साहत पर तथा दूसरी जातियों में अर्के सम्बन्ध की स्थापना पर विश्वास रखना चाहिए।

पूर्वोक्त प्रस्ताव के किसी भी मजमून से दोनों जातियों के पहले से प्रचलित रिवाज अथवा इकरार में बाधा नहीं पड़ेगी, अथवा जहाँ पहले गोकुली न होता हो वहाँ करने का हक हासिल न होगा। इस आखिरी बात के बारे में

कोई शक्यता लडा हो तो तीसरे प्रस्ताव के अनुसार स्थापित पंचायत उसका निपटारा करेगी। जहाँ गोकुली होती हो वहाँ भी यह इन तरह न की जायगी जिससे हिन्दुओं का जी दुके।

परिषद् के मुसलमान सभ्य अपने दूसरे लोगों को सूचित करते हैं कि वे जितना हो सके गोकुली कम करने की कोशिश करें।

(ई) मुसलमानों को, मसजिद के सामने बाजे बजाने के हिन्दुओं के हक के अमल को अवरुद्ध करने से, किसी स्थानिक मण्डल के प्रस्ताव में, या धारणना के प्रस्ताव में अथवा अदालत का हुकम हासिल कर के रोकने की आशा न रखनी चाहिए। बल्कि सिर्फ एक दूसरे की रानी-रजामन्दी से ही ऐसा करने की आशा रखनी चाहिए और अपने मनोभावों के प्रति हिन्दुओं के दिल में अधिक गहरा आदर उत्पन्न करने के लिए हिन्दुओं की मकमन्साहत पर तथा दूसरी जातियों के सम्बन्ध की स्थापना पर विश्वास रखना चाहिए।

पूर्वोक्त प्रस्ताव के किसी भी मजमून से दोनों जातियों के बीच पहले से प्रचलित रिवाज तथा इकरार में बाधा नहीं पहुँचानी अथवा पहले जहाँ बाजे न बजते हों वहाँ नये तिरों से बाजे बजाने का अधिकार प्राप्त न होगा। इस आखिरी बात के बारे में यदि किसी बात का विवाद लडा हो तो तीसरे प्रस्ताव के अनुसार स्थापित पंचायत उसका निपटारा करेगी।

इस परिषद् के हिन्दू सभ्य अपने धर्म-बन्धुओं से आग्रह करने हैं कि वे मसजिदों के सामने इस तरह बाजे बजाना छोड़ दें जिससे कि वहाँ की सामुदायिक प्रार्थना में बाधा न पहुँचता हो।

मुसलमानों का घर में, किसी भी मसजिद में, अथवा किसी सार्वजनिक जगह में जो कि किसी जाति की धार्मिक विधि के लिए नियत न हो, बाज पुकारने अथवा मजाज पकने का हक है।

जहाँ पशुओं के बंध अथवा भौंस-बिक्रय के खिलाफ किसी दूसरे कारण से आपत्ति न हो वहाँ, 'लडका' या 'बिबह' की धर्म-प्रणाली पर आपत्ति न की जाय।

(उ) हर शक्यता को अपने मन चाहे धर्म के पालन करने का और स्नेह से उसे बदलने का हक है। इस प्रकार धर्म बदलने के कारण कोई भी शक्यता क अथवा जिस धर्म को उसने छोड़ा है उसके अनुयायियों की तरफ से परेशान किये जाने का पाप न होगा।

(ए) कोई भी व्यक्ति अथवा समूह दूसरे को दलील अथवा अनु-राज के द्वारा धर्मान्तर कराने का अथवा किये हुए धर्मान्तर से फिर वापस लाने का हक रखता है। परन्तु ऐसा करते हुए अथवा उसे रोकते हुए उसे अवरुद्ध करने या फरेब करने तथा गुलियानी लालने देने आदि ऐसे ही विचित्र उपायों का प्रयोग न करना चाहिए। सोलह साल से कम उम्र के श्री-पुरुषों का धर्मान्तर न किया जाय-यदि उनके पालकों या मा-बाप के साथ हो तो बात दूसरी है। इसके अलावा जो कोई सोलह बरस से कम उम्र का शक्यता अपने मा-बाप या पालक से विच्छेदा हुआ और आधारा पाया जाय तो उसे तुरन्त उसके धर्मवालों के हवाले कर देना चाहिए, और किसी भी धर्मान्तर अथवा धर्मान्तर से फिर वापस लाने की विधि में कोई बात गुप्त न होनी चाहिए।

(ऐ) कोई एक जाति किसी दूसरी जाति के आदमी को उसकी जमीन में नवीन धर्म-मन्दिर बाधने से अवरुद्ध करने से रोकें। परन्तु ऐसा नया धर्म-मन्दिर दूसरी जाति के विद्यमान धर्म-मन्दिर से काफी दूर बनाना चाहिए।

५. इस परिषद् की यह राय है कि अल्पवयों का एक मसम और आस करके उत्तर भारत का, विभिन्न विभिन्न जातियों की मौजूदा अवबोध बजाने के लिए विन्मोकार है। तिल का ताल

बना कर एक दूसरे के धर्म की निन्दा कर के और हर तरह से द्वेष और धर्मान्धता पटा कर उन्होंने यह किया है। यह परिषद् ऐसे लेखों की निन्दा करती है और सर्व-साधारण से प्रार्थना करती है कि ऐसे अखबारों और पुस्तिकाओं को आश्रय देना बन्द करें और यह परिषद् मध्यवर्ती तथा स्थानिक पचायनों को सलाह देती है कि वे ऐसे लेखों पर देख-रेख रखें और समय पर सच्चे समाचार प्रकाशित कि। करें।

६ इस परिषद् के सामने यह बात पेश हुई है कि कितने ही स्थानों में मस्जिदों के सामने अनुचित काम किये गये हैं। यदि कहीं ऐसा हुआ हो तो इस परिषद् के हिन्दू सन्य उसकी निन्दा करते हैं। इस के अलावा इस परिषद् के हिन्दू तथा मुसलमान सभ्य अपने धर्मबन्धुओं से प्रार्थना करते हैं कि वे ईसाई, पारसी, सिक्ख, बौद्ध, जैन, यहूदी इत्यादि भाग्य की लड़ाई जानियों के प्रति उतनी ही सहिष्णुता रखें जितनी कि वे दोनों भावस में रखना चाहते हैं और जातीय व्यवहार के तमाम मामलों में न्याय और उदारता की नीति का अनुसरण करें।

७ इस परिषद् की राय है कि एक जाति के लोगों के द्वारा दूसरी जाति के लोगों को बहिष्कृत करने की तथा जातीय या व्यापारिक व्यवहार बन्द करने की कोशिशें जो कि कहीं कहीं हुई पाई जाती हैं, निन्द्य हैं और देश के विविध जातियों के लिए घातक हैं। इसलिए यह परिषद् तमाम जातियों से प्रार्थना करती है कि ऐसे बहिष्कारों तथा दुर्भाव एकट करने वाली बातों से मुक्त हों।

यह परिषद् देश के तमाम जातियों के भी-पुरुषों में निवेदन करती है कि वे महात्माजी के उपासक के आसिरी मन्नाद से रोज ईश्वर से प्रार्थना करें और आगामी ८ अक्टूबर को देश के गांव गांव में गभाये करके सर्वशक्तिमान परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करें और उससे प्रार्थना करें कि देश में सद्भाव और बन्धुभाव फैले, देश की तमाम जातियाँ एक हो, एवं इस परिषद् से स्वीकृत पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता तथा पारस्परिक सद्भाव का सिद्धान्त देश में स्वीकृत हो और भारत की तमाम जातियों के लोग उसके अनुसार आचरण करें।

## अगस्त के सूत की परीक्षा

(अ० भा० खादी मंडल के मन्त्रों की नकल से)

इस मास में सूत की नादाद तो बड़ी ही है, पर साथ ही इस एक ही महीने के अन्दर कताई में भी मन्तोषजनक उन्नति दिखाई देती है। यद्यपि सूत के पांच दर्जे नियत किये गये हैं—(१) ३ से ६ अंक; (२) ११-१६, (३) १० से २२; (४) २३ से ३०, (५) ३१ से ऊपर अंक। उनमें दूसरे दर्जे का सूत मेजने वाले कितने ही अग्रणियों तथा सर्व-साधारण भी-पुरुषों की उन्नति आश्चर्यजनक हुई है। परन्तु अभी बहुत से सूत में व्यवस्थितता की खासी दिग्गई देती है। और यह खासी उन उन प्रांतों के काननेवाले लोगों की खामियों की सूचक है। जबतक वे दूर न होंगे तब तक खादी का कदम आगे नहीं बढ़ सकता। यह अव्यवस्थितता ही बहुतांश में खादी के महंगी तथा बेदो हान का कारण है।

जिस प्रांत में आठियों के जाप और किस्से जुड़ी जुड़ी हैं उन्हें इस बात पर स्याल करने की जरूरत है कि बुजने वालों को कितनी दिक्कों का सामना करना पड़ता है। कोई कोई आंटी स्त्रियों की बूझियों के बराबर छोटों और धनी होती है। इससे के कर अनेक प्रकार के जाप की आठियाँ मिलती है। ऐसे सूत को खोलने के लिए गुननेवाले को तरह तरह के फालके जुदा रखना जरूरी होता है। यह सब किस तरह का सकता है? और वह ऐसा सूत बुनना भी पसंद क्यों करेगा? फिर ऐसी

आठियों से काकड़े भरते बक यदि तार टूट जाता है तो उसे खोजना बेकार हो जाता है। और फोकड़ा भरनेवाले का बक इतना जाया जाता है कि फिर यदि वह सूत हाथ में लेने की कसम ग्याले तो ताज्जुब नहीं। एक थोड़ी भी लापरवाही का ऐसा नतीजा होता है। हर १० तार लपेटे बाद एक मजबूत दोरे से गांठ लगा देनी चाहिए और ४०० या ५०० तार की फालकी खतारनी चाहिए। इस तरह उसमें ४-५ लट्टे हों तो उन्हें खोलने में बड़ी आसानी देती है। परन्तु फालकी पूरी हो जाने के बाद ऐसी लट्टे बांधना फजूल है। सौ तार छपेटने के बाद एक भाग से गांठ लगाना चाहिए और फिर दूसरे सौ तार के बाद उसी भाग से दूसरी गांठ लगानी चाहिए। इस तरह गांठ से ही फायदा हो सकता है। खया हुआ भाग यदि न मिले तो इन गांठों के बीच का भाग निकाल कर फोकड़ा भरने का काम बलाया जा सकता है। यही इन गांठों से लाभ है। कितने ही लोग सूत में पूरी फालकी होने के बाद पीछे से ऐसी गांठें लगाने हैं। हर सूतकार को यह बात समझ लेनी जरूरी है। इसीलिए यहाँ इतनी तकलील से यह बात समझाई जाती है।

## इन्दराज की खामियाँ

इन्दराज की खामियाँ दुरुस्त करने की कोशिश हर प्रांत ने की है परन्तु अभी कठिनाइयाँ दूर करना याकी ही है और कुछ तो नई खड़े होती हैं। इसमें दुरुस्त सूत को दर्जे करना, जांचना, उसका नंबर और उसपर राय प्रकाशित करना मुश्किल हो जाता है। नीचे लिखी बातों पर हर प्रांत का ध्यान जाना जरूरी है—

१- हर पैकट पर चिट मजबूत अर्थात् ऐसी जो कुचल कर फट न जाय, देनी चाहिए। सूत मेजनेवाले ने यदि चिट अच्छी न लगाई हो तो प्रांतिक खादी मण्डल के दफ्तर में उसे दुरुस्त कर लेने का अनुबंध है। रजिस्टर नंबर गिरे या चिट हरफों में फिर तोला, गज, अक और कोई कैंफियत हो तो बः लिखनी चाहिए।

२- पैकट लिक्सिलेष्टाग फहरिस्त बनाना मेजे जाय। वह पैकट का देखना न बनाई जाय बल्कि पैकटों को रजिस्टर में दर्जे करके फिर रजिस्टर पर से नंबर की जायगी तो हम डीक और आगामी में रहेंगे। गाराश यह कि पैकट बेगनीव और महबूब नहीं बल्कि यथाकाम उनकी फहरिस्त लिखनी चाहिए। यदि ऐसा न किया जाय तो अ० का० कार्यालय में तमाम प्रांतों का इन्दराज थोड़े समय में और सूत की जांच कर लेना गैर मुमकिन होगी फहरिस्त के लिए आवश्यक छपे फार्म मेजने की तजवीज हो रही है। छपने ही ने मेजे जायगे। इससे आशा है कि अगले महीने में कमवार उनकी भाभापुरी ग्याविधि हो कर आवेगी।

३ फहरिस्त के लेखे के लिए भी छपे हुए फार्म मेजे जायगे। वे भाभापुरी करके मेजे जाय।

४- अ-रादियों के विषय में भी बेगी ही व्यवस्था रखनी चाहिए जैसी सदियों के विषय में हो अर्थात् हर पैकट पर रजिस्टर नंबर, ताला, गज तथा अक लिखना चाहिए और उसकी फहरिस्त भी वातरतीव मेजना चाहिए।

५- नाम न देने वाले भाई-बहनों के नाम 'शुभेच्छक' या 'देश-सेवक' इस प्रकार रजिस्टर में दर्जे करके उसपर नंबर लगाना फजूल है। यदि ऐसे लोग खुद अपना कोई तखल्लप दें तो नंबर पर सदाये जा सकते हैं। वना ऐसे पैकटों की तादद फहरिस्त में दर्जे कर दी जाय।

(शेष पृष्ठ ६२ पर)



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ९

मुद्रक-प्रकाशक  
 वेणीलाल छानलाल बून

अहमदाबाद, क्वार सुदी १५, संवत् १९८१  
 रविवार, १२ अक्टूबर, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 मारंगपुर सरकीगरा की बाड़ी

## मेरा अवलंब

मेरे प्रायश्चित्त और प्रार्थना का आज बीसवाँ दिन है। अब मैं फिर शान्ति के राज्य से निकल कर तूफानी दुनिया में पड़नेवाला हूँ। ज्यों ज्यों मुझे इसका खयाल होता है त्यों त्यों मैं अपनेको अधिकाधिक अमहाय अनुभव करता हूँ। कितने ही लोग एकता-परिषद् के शुरू किये काम का पूरा करने के लिए मेरी आँसू देखते हैं। कितने लोग राजनैतिक दलों को एकत्र करने की उम्मीद मुझसे रखते हैं। पर मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर ही सब कुछ कर सकता है, प्रभा मुझे अपना योग्य साधन बनाओ और अपना इच्छित काम मुझसे ले।

मनुष्य कोई चीज नहीं। नेपोलियन ने क्या क्या मनसूबे बांधे, पर सेंट हेलेना में एक कैदी बन कर उसे रहना पड़ा। जर्मन सम्राट कैसर ने योग्य के नरक पर अपनी नजर गड़ाई, पर आज वह एक मामूली आदमी है। ईश्वर को यही मजूर था। हम ऐसे उदाहरणों पर विचार करें और नम्र बनें।

इन अनुग्रह, सौभाग्य और शांति के दिनों में मैं मन ही मन एक भजन गाया करता था। वह सत्याग्रहआश्रम में अक्सर गाया जाता है। वह इतना भाव-पूर्ण है कि मैं उसे पाठकों के सामने उपस्थित करने की सुखाभिलाषा को रोक नहीं सकता। मेरे शब्दों की अपेक्षा उस भजन का भाव ही मेरी स्थिति को अच्छी तरह प्रदर्शित करता है—

रघुबीर तुमको मेरी आज ।

मदा सदा मे सरन तिहारी, दुग बडे गरीबनेवाज ।  
 पतितउधारन बिरुद तिहारी श्रवणन सुनी अवाज ।  
 हौं तो पतित पुरातन कहिये पार उतारो जजाज ।  
 अष-सहन दुख-भजन जन के यही तिहारा काज ।  
 मुलसीदास पर किरपा कारये भक्ति-दान रहु आज ॥

(य. ई.) १ अक्टूबर १९२४

मोहनदास गांधी

## तप की महिमा

हिन्दू-धर्म में तप कदम कदम पर है। पार्वती यदि शंकर को चाहे तो तप करे। शिव से जब भूल हुई तो उन्होंने तप किया। विश्वामित्र तो तप की मूर्ति ही थे। राम जब वन का गये तो भरत ने योगारूढ हो कर पार तपश्चर्या की और शरीर को क्षीण कर दिया।

ईश्वर दूसरी तरह मनुष्य की कसौटी कर ही नहीं सकता। यदि आत्मा देह से भिन्न है तो देह को कष्ट देने हुए भी आत्मा प्रसन्न रहती है। अन्न शरीर की ग्युराक है; ज्ञान और चिन्तन आत्मा की। यह बात एसंगोपात्त हर शक्य का अपने लिए सिद्ध करनी पड़ती है।

परन्तु यदि तपादि के साथ श्रद्धा, भक्ति, नम्रता न हो तो तप एक मिथ्या कष्ट है। वह दम्भ भी हो सकता है। ऐसे तपस्वी से तो वामिजाज भोजन करने वाले ईश्वर-भक्त हजार गुना बेहतर हैं।

मेरे तप की कथा लिखने लायक शक्ति आज मुझमें नहीं है; पर इतना कहे देना है कि इस तप के बिना मेरा जीना असंभव था। अब मेरे नसीब में फिर तूफानी समुद्र में कूटना बढ़ा है। प्रभा! दीन जान कर मुझे नार !

( नवजीवन )

देहली,  
 आश्विन सु. ११,  
 बुधवार।

मोहनदास गांधी

## क्या यह राजनीति नहीं है ?

( १ )

पायक-देश के समझदार लोग सलाह-मसाले के लिए जमा हुए । उस देश में अन्न के अभाव से लोग क्षुधार्त रहते थे । वे अपने देश के अन्न की समस्या को हल करने के लिए अपना दमाग छीलने लगे । उनमें एक आदमी था, जिसके चहरे पर विचारशीलता छिटक रही थी । जरा देर के लिए सब लोगों की आंखें उस पर गहीं । उन्होंने उससे पूछा—'आप इसका कुछ उपाय बतावेंगे ?' उसने कहा—'हां, त्यों नहीं ? अगर लोग मेरी बात मानें तो इस दुखी देश के लोगों के प्राण बच सकते हैं।' सब लोगों ने बड़ी उत्कण्ठा से पूछा—'क्या उपाय है ?' उनकी खन्डर भरी हुई आंखों में आशा का नेत्र चमकने लगा । "देखो क्या हल हमारे पास है । ईश्वर ने हमें बड़ी उपजाऊ जमीन दी है, बारिश के ज्यों वह अपने करुणा-कण ठीक समय पर, बिला नागा, यहा भेजता है । आओ, हम सब लोग मिल कर जमीन को जोतें और अनाज बोवें । फिर इस भूमि से फाकेकशी का नाम निशान जाता रहेगा ।"

जिन आंखों में कुछ क्षण के लिए आशा की ज्योति चमक उठी थी वे अब निराशा से कीकी पड़ गई । उन्होंने कहा—'यह तो काम है, खाना नहीं।' और वहां से उठ कर चले गये । मिथुन-भूमि के लोगों की समझ में यह बात नहीं आती थी कि अन्न से काम का क्या ताल्लुक है ? उन्होंने सोचा था कि यह बाल्य हमें भ्रमरता-पूर्वक याचना करने का कई नया तरीका बतावेगा, पर उसने तो ऐसी अजीब बात बताई, जिसका मतलब ही उनकी समझ में न आ सकता था ।

पड़ोस में ही एक विधवा थी, जहां के लोग दुःखियत सब अन्वेषण थे । वे भी भूख के कर्त्रों से व्याकुल थे पर उसका कुछ उपाय न सूझता था । वे भी एक जगह गुकन हुए और अपनी दुःखमय दशा से छुटकारा पाने का उपाय खोजने लगे । बड़ी गरमागरम बहस हुई—'खूब नू त में-में हुई, पर इलाज किसीको कुछ न मूना । उनके अन्दर एक आदमी था, जो लुपवाप बैठे हुआ था और जो बड़ा विचारवान था । अक्सर-सरदारों ने उसके पास जाकर कहा—'आप उप क्यों घंटे हैं, आप सब में ज्यादा अकलमंद है, फिर भी हमारी कुछ मदद नहीं करते ?' उसने कहा—'इसकी दवा है 'काम' । चलो हम सब हल खोल कर जमीन जोतें और अनाज बोवें ।' वे लोग कह-कहा कर हल पड़े और सुह बना कर करने लगे—'उम, यही अकल आरके पास है ? हगने तो सोचा था कि आ कर आप हमारी कुछ मदद करेंगे ।' यह कह कर वे वहां से चले गये ।

वे कथार्थ कर्पोल-काल्पत है । लेकिन इनसे उन लोगों की मनोवृत्ति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है जो कहते हैं कि महासभा के लिए गांधीजी का कार्यक्रम तो एक सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम है, उसमें राजनीति तो वही है ही नहीं । उनके नजदीक राजनीति है, भलीभांति भीख मांगना, या कारगर तौरपर चींग हांकना । मूलभूत सत्य मिहान्त उनके दिमाग को नहीं जंचता । वे कहते हैं आप तो महासभा का राजनैतिक रूप बिल्कुल ही हटाने लेते हैं । पर वे यह नहीं देखते कि इस विदेशी आधिपत्य का दुहेरा आधार है आर्थिक पराबलंबन और सामाजिक व्यवस्था के दोष ही । यदि हमें अनाज की आवश्यकता है तो हमें जमीन का जोत कर लेनी चाहिए, न कि भीख मांगने का, या कारा डालने का या श्रेष्ठ मजाने का कोई और नया रास्ता खोजें । इसी तरह यदि

भारत की आजादी दरकार है तो उसे अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करना जरूरी है । वही सही राजनीति है और दूसरी राजनीतियां तो शब्दच्छल हैं,—कोरी बातें हैं । गुलामी ने हमारी आत्मा को इतना जर्जर कर दिया है कि हमें रचनात्मक कार्य में राजनीति नहीं दिखाई देती । हमें वह सिर्फ जत्तों में, मांगें पेश करने में और बुझकियां बताने में ही दिखाई देती हैं ।

( २ )

क्या किसी देश के लोगों के गुलामी की बिकियां तांडने के निश्चय को प्रदर्शित करने का तरीका हम इससे बड़कर खयाल कर सकते हैं कि उसके तमाम स्त्री, पुरुष, बच्चे, सब लोग सभ्य और प्रतिष्ठित गुलामी के तमाम खयालात को छोड़ कर, तमाम बन्ध ऐसा कुछ काम करें, जो उस आधिपत्य की जड़ को ही निमूलक कर सकता हो, जिसके शिकार हो कर हम दीन-हीन बन रहे हैं । आप कई कहीं जाय घर में, बाजार में, रास्ते में, रेकगाडी में, मदर्से में, हॉटल में, मन्दिर में, मस्जिद में सब जगह स्त्री-पुरुषों को 'तकली' या 'चांतली' अथवा चरखे पर सूत कातते हुए—वेस को बिदेसी कपड़े के बोझ से मुक्त करने में यथाशक्ति सहायता करने का निश्चय प्रकट करते हुए— देखें, तो बताइए, ऐसे वायुमण्डल का पमान किसके रोके रक सकेगा ? ऐसे निश्चय का मुकाबला दुनिया की कोई चीज कर सकती है ? अपने प्रयास-बचसे बड़े और बलवान् से बलवान् शस्त्र-का प्रयोग करने से बचकर कोई राष्ट्र इसके लिए और कुछ कर सकता है ? हम आखिर करना क्या चाहते हैं ? यही न कि हम अपने अंगरेज शासकों को यह समझना देना चाहते हैं कि अब आपके यहाँ शासन करने में कुछ हाथ नहीं आने का । वे हमें अपनी जरूरत का प्रायः तमाम कपड़ा देते हैं और उनके देश के लोग इससे भीतर ही भीतर उत्साहित होकर, और ऊपर से राजनैतिक आधिपत्य के द्वारा रक्षण से कर अपना व्यापार बरकरार रखना चाहते हैं । यदि हम अपना कपड़ा खुद ही तैयार करके उनके कपड़े की कपट का रास्ता ही रोक दें तो मानां हम उनके यहाँ राज्य करने की अभिलाषा की शक्तिवाह ही हटा देते हैं । और यह हम किस तरहकी आन की आन में कर क दिखा सकते हैं ? हमारे पास सिर्फ ऐसी ताकत है हमारी बहु-संख्या । ऐसी दूसरी ताकत न हमारा वैज्ञानिक कौशल है, न हमारा संगठन है और न हमारी धन-सौकरत है । बरखा ही एकमात्र ऐसा शस्त्र है, जिसका प्रयोग हम महज अपनी जन-संख्या के बल पर दिन दूने रात भोगने असर के साथ कर सकते हैं और तिस पर भी दुर्ग यह कि हमारे संगठन की, कौशल की या संजी की सामियों का कुछ घुरा भी असर उसपर नहीं हो सकता । पर आज हम क्या कर रहे हैं ? हम अपनी इस ताकत से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उसकी करामात कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि अपने प्रतिपक्षी के साथ उसीके मनवाहि हथियारों से लड़ रहे हैं । हम खयाल करते हैं कि खुद अपने हथियारों से लड़ना कोई ठीक लडाई नहीं है; बल्कि अच्छा तो यह होगा कि ऐसे हथियारों से लड़ने की कोशिश करें जिनको हम मकी शक्ति न चका पाते हैं !

( ३ )

सूत-कटाई को मतदाता होने की पात्रता नियत कर देने से उसके अनुसार काम हो सकता है ? क्या नहीं ? ऐसी वे-कामया सभा जो कि चाहे लोगों की बोली-बहुत प्रतिनिधि-रूप तो है पर जो केवल लोगों की क्वाडिशों को बाहिर करती है, अच्छी है या ऐसी कार्य-कुशल सभा बेहतर है जिसमें ऐसे लोगों का अन्वेषण समूह हो जो हम बात की प्रतिष्ठा किये हों कि देश की खन्डरता

रपी शक्ति को जोतने और जोने के लिए जो जो कुछ करना बकरी हो उसे करेंगे, और यह अपनी मिसाल पेश कर के औरों से भी करावेंगे। कोरी भाग से कुछ काम करना कहीं बेहतर है और मतादाता की राजता की यह कल्पना इतनी बेव और गति देने-वाली है कि जिससे भारत में काम करने की उमंग और इति कायत हो जायगी, और यही तो हमारी मुक्ति का एकमात्र साधन है। १९२० और २१ में जिन भाषों ने हमें उल्लेखित किया था उनसे यह क्याक कहीं अधिक शक्ति-संपन्न है। फिर एक बार गांधीजी को मौका दीजिए ! मौजूदा अंकों से जगदाज न लगाइए, परन्तु इस बात को देखिए कि प्रगति कितनी जपाटे से हो रही है। जरा देखिए तो लोग किस भाव से बरखा कात रहे हैं ! शुरू में हर जगह भीम विचित्र और असंभव मान्य होती है। ऐसा न हो तो फिर उनकी नशीनता ही क्या रही ? जो वस्तु असंभव दिखाई देती है उसीके पूरा होने से बड़े बड़े सुफल हुआ करते हैं।

व्याख्याताओं और विचार-प्रधान लोगों की सभा को अब कार्यकर्ताओं की सभा का रूप देना होगा। एकबारगी इस इस परिवर्तन के असुकर अपनेको शायद न बसा सकेंगे। इसलिए उचित होगा कि विचार-प्रधान और व्याख्यान-पटु लोगों को कुछ काम भी करना चाहिए और कार्यकर्ता लोगों को कुछ विचार करने और कुछ कुछ बोलने की आदत डालनी चाहिए जिससे लोगों एक जगह आकर आसानी से मिल जायं। इस नयी मतादाता-राजता का यही रहस्य है।

जब १९२१ में महासभा की सदस्यता का जन्म हुआ तब उसका आधार यही था कि जो लोग महासभा के सदस्य हों वे अबाकतों, शिक्षालयों और मारासनाओं का महिकार करेंगे और हर तरह सरकारी अवलंबन से मुँद मोड़ेंगे। यह संगठन का अंग न था, पर महासभा में प्रवेश करने की कठिन कमीटी जरूर थी। १९२०-२१ में जो जो महासभा के सदस्य हुए वे इस शर्त को स्वीकार करके सदस्य हुए थे। इस कड़ी शर्त के बदलत बहुतेरे लोगों ने पूर्वोक्त बातों से अपनेको बंचित रक्ता। वे शर्तें कड़ी थीं और यह तजवीज करीब करीब नष्ट-भ्रष्ट हो गई। पर फिर भी यह नहीं कह सकते कि कम से कम कुछ समय तक करने काम न किया। पर अब यह प्रस्ताव पेश हो रहा है कि सदस्यता की शर्तें और भी हल्की कर दी जाय-पर साथ ही यह ऐसी हो जो थोड़े त्पण के द्वारा व्यावह करामात दिखा सके और जिस कार्य के लिए हम अपना संगठन कर रहे हैं उसके लिए उसका मूल्य भारी हो। संभव है कि यह प्रजासत्ता के स्वरूपों के खिलाफ पकती हुई दिखाई दे; पर भारतव में यह उससे कहीं अधिक तर्क-शुद्ध है जितनी शुरू में दिखाई देती है। उसके अन्दर एक अद्भुत चेतनाधारा है। और यह चेतनाधारा ही हमारे बीच विद्यमान अत्यन्त चेतनाधाय प्रतिभाशाली व्यक्ति को उसकी विकारिण करने के लिए प्रेरित करने का रहस्य है।

( ५० इ० ) च. राजगोपालाचार्य

**भूक-सुधार**

२१ मितंबर के दि. न. में मलाबार संकट निवारण-फंड में श्री सुंदरलाल शर्मा राजिम के नाम (५५८) छपे हैं। उसकी जगह पाठक (४२५८) बना देने की कृपा करें।

**सूचना**

स्थान की कमी में म० म० निवारण फंड का ज्वारा अलगाव काय कर लिया जाता है। आशा है, गुजराती लिपि का पाठक सुगुण कर लेंगे।

उप-संपादक

**त्रिप्यगियां**

**देहा-सेवा की भाषा**

एकता-सम्मेलन में अंगरेजों को तो स्थान था, पर अंगरेजी को न था। हां, प्रस्ताव अलबने अंगरेजी में तैयार किये जाते थे; परन्तु गांधीजी की मौजूदगी के बिना, अथवा उनके आग्रह के बिना उनका उर्दु तरजुमा करना पड़ता था। कर्वा तो प्रायः सारी उर्दु में ही होती थी। पण्डित मोतीलालजी और मौ० महमद जली ने अपने भाषण पहले उर्दु में कर के फिर थोड़े में उसका मतलब अंगरेजी में समझाया था। अंगरेजों को भी यह स्थिति सम्मान-पूर्ण मालूम हुई होगी। जब तक सरकार को ही प्रमत्ताने या अर्ज-माहज करने का सवाल था तब तक हमने अंगरेजी भाषा का मोह खूब पूरा किया ! यहाँ तो भाई भाई के बीच मुनगू करनी था, वह निदेशी भाषा में कैसे हो सकती है ? हिन्दी और उर्दु से दोनों भाषायें आसानी से एक हो सकती हैं; परन्तु जब तक हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे तब तक ये दो भाषायें भी एक दूसरी से दूर रहेंगी। हिन्दू और मुसलमान जब तक अपने हकों के लिए लड़ते रहेंगे तब तक उर्दु में फारसी और अरबी लघन क्यादह आते रहेंगे-यहाँ तक कि मंदिर का बहुवचन 'मनादिर' और 'हिन्दू' का 'दिन्दू' होता रहेगा, और हिन्दू अपना मन्तव्य कल्पित संस्कृत शब्दों के द्वारा व्यक्त करते रहेंगे। क्यों ज्यों हिन्दू और मुसलमान अपने छोटे छोटे भेद-भावों को मिटा कर एक होते जायेंगे त्यों त्यों उर्दु और हिन्दी भाषा राष्ट्रीय रूप धारण कर के एक स्वरूप होती जायेंगी।

देहली की परिषद् में उल्हा की जवान में किष्ट अरबी और फारसी शब्द आते थे; परन्तु पण्डित मालवीयजी अथवा स्वामी श्रद्धानन्दजी अच्छे अच्छे फारसी शब्दों का प्रयोग करते हुए भी कहना होगा कि संस्कृत शब्द बहुत कम काम में न लाने थे। पूरा गैरब होने के पहले यदि ऐसे अनेक मिजाप हों तो भी एक मर्द, सीधी-सादी देश भाषा—हिन्दुस्तानी—आसानी से उत्पन्न हो सकती है।

**अनुकरणीय**

गांधीजी के उपवास के बाद प्रायश्चित के पिछ गे तौर पर स्वामी श्रद्धानन्दजी ने हिन्दू व्यवहारों से प्रथेना की थी कि वे मुसलमान अवधारों पर टीका-टिप्पणी न करें, उनकी आपलोचनाओं के जवाब न दें और घटनाओं का विवेचन करना छोड़ दें-कम से कम उपवास के २१ दिन तक ता यह धन्द रक्ता जाय। लाहौर के मुसलमान पत्रों ने भी जाहिर किया था कि व्यावह नहीं तो कम से कम सात दिन तक लड़ाई बन्द करनी जाय। इस प्रसंग पर विदुषी बेजेंट की मन्थ प्रतिज्ञा का स्मरण हो जाता है। इसमें तुलना की कोई बात नहीं है--श्रीमती बेजेंट को तो किमी बात का प्रायश्चित्त करना ही न था-फिर भी उन्होंने एक ही क्षेप में, एक ही ध्येय के लिए काम करने वालों के विरुद्ध किमी को टीका-टिप्पणी न करने का और अपनेपर हुई टीका-टिप्पणी ना उत्तर मौन के द्वारा देने का मन्थ निश्चय किया है। उसे देख कर हम लोगों की मर्दन शुरू जानी चाहिए। इसमें सत्याग्रह के शुद्ध स्वरूप का दर्शन होता है। गैरब को अपना ध्येय मानने वाले सब लोग यदि विदुषी बेजेंट का अनुकरण करें तो आधा काम बन जाय। नेताओं और कार्यकर्ताओं की जवान और कलम की लड़ाई जन-साधारण को जाठी से लड़ने की प्रेरणा करती है। नेता और कार्यकर्ता यदि जवान और कलम की लड़ाई को भूत भावें तो कहना होगा कि हम अभी मजिल तय कर चुके।

( नवजीवन )

## गांधीजी के समाचार

उपवास के दिनों में जिस भीरु और शान्ति का परिचय गांधीजी दे रहे थे, वही प्रफुल्लता और धैर्य के पारणा के बाद भी दिखा रहे हैं। बेचैनी का कोई चिह्न नहीं। नींद खुब आती है। पारणा के दूसरे ही दिन मित्रों से मिले और बातें कीं। डाक्टरों का सामना है कि मन को पूरा आराम देना विहायत जरूरी है। पर वे अपनेको सब तरह की खबरें सुनाने और तमाम जरूरी किन्हीं-पत्री पेश करने का आग्रह कर रहे हैं।

हालत दिन पर दिन सुधर रही है। दूध लेना शुरू कर दिया है। मूत्र-परीक्षा में पाये जानेवाले तमाम भयजनक चिन्ह कम हो गये हैं।

## हिन्दी-नवजीवन

रविवार, २२ जनवरी १९२४

### पूर्णाहुति का संदेश

उपवास की पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में देश के चारों कोने से सब धर्मों और सब वर्गों के लोगों ने गांधीजी के अभिनन्दन में जो तार और सन्देश भेजे हैं उनके जवाब में गांधीजी ने नीचे लिखा सन्देश अखबारों में प्रकाशित कराया है—

ईश्वर की महिमा अगाध है। उसकी महिमा और करुणा का अनुभव मैं इस समय कर रहा हूँ। उसने मुझे आग्निपरीक्षा से उच्चीर्ण किया है। डाँक और तार-द्वारा मेरे नाम आये अनेक संदेशों को पढ़ने या सुनने की इजाजत अभी मुझे मिली नहीं है। फिर भी जो कुछ थोड़े संदेश मुझे दिखाये गये हैं उनसे मेरा हृदय भर आता है। इन संदेशों के द्वारा देश के असंख्य भाई-बहनों ने मुझ पर जो प्रेम-दृष्टि की है वह ईश्वर की दया की गवाही देती है। इन तमाम भाई-बहनों के प्रेम के लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। पर साथ ही मैं यह भी आशा रखता हूँ कि इसके बाद का जो काम अब मेरे मिर पर आ पड़ा है और जिसके लिए मेरी अन्तरात्मा कहती है कि यह ईश्वर का काम है, उसमें आप सच्चे दिल से मेरी सहायता करें। इस संबंध में तीन सप्ताह के पहले जो जिम्मेवारी मंत्री थी उससे आज की जिम्मेवारी स्पष्टतः अनेक गुना अधिक है। मेरे उपवास से मेरा कार्य पूरा नहीं होता है बल्कि शुरू ही होता है। मैं इस बात को जानता हूँ और इसीलिए इसमें भारतवर्ष के प्रत्येक भाई-बहन के आशीर्वाद और प्रत्यक्ष सहयोग की आशा रख रहा हूँ।

मोहनदास करमचंद गांधी

## उत्थापन

'तुम काल तप समय किरिया  
कही कहां लो कीजे ?  
तुम दशम विगु सब या लकी  
अंतर चित्त न भीजे  
चैतन अब भोहिं दशम दीजे'

पिछले सप्ताह गांधीजी के मत के दूसरे सप्ताह की कुछ झलक दिखाई थी। डाक्टरों की बेचैनी, गांधीजी के साथ उनकी बातचीत और गांधीजी के द्वारा उनकी मानवता का चित्र चित्रित करने का यत्न किया था। अब अन्तिम सप्ताह की बात सुनिए—

डाक्टर जी इस बात को समझ गये थे कि खाने का इस्तरा फजूल है। गांधीजी के दिये ध्यान का मर्म भी वे जान गये। गांधीजी के शब्द थे—'यदि आहार और प्राण में से किसी चीज को पसंद करना पड़े' तो पसंदगी करने वाले भी तो खुद गांधी जी ही न ? डाक्टर नहीं। डाक्टरों ने देखा कि गांधीजी को सोलहों आना निश्चय है कि इतने उपवासों से शरीर छूटेगा नहीं। इसलिए ध्यान देने हुए उन्होंने ऐसी बातें करना भी छोड़ दिया। ऐसा मान्य होता था भाग्यो वे भी बापूजी के उपवास को कायम रखना अपना धर्म समझने लगे। जब पूना के उपवास चिकित्सक डा० बिबलकर आये तब उन्होंने बापूजी का देख कर कहा—'यह हाल तो आश्चर्यजनक है, इन्हें तो किसी भी डाक्टर की जरूरत नहीं। मैंने आज तक ऐसा रोगी एक भी नहीं देखा। इतने उपवासों की हालत में तो आदमी मरणामग्न हो जाती है। उसे दो घण्टे से ज्यादा नींद नहीं आती। पन्तु गांधीजी तो रात रात घण्टे सोते हैं। इनका आत्मबल, इनकी भारी एकाग्रता—बल्कि ही इन्हें मदद कर रही है।' जो संसार को दबा दे रहा है, उसे दूसरा क्या दबा देगा ? फिर भी डाक्टरों की सेवा अनुभव थी। यदि मैं इस बात का उल्लेख न करूँ तो कृतघ्न कहलाऊंगा। डाक्टर रोज मुझ तक उनको देखते और मुह भटकाकर गांधीजी से कहते—'महात्मा जी, आपका काम तो अजब है।' इस वचन में जो दबा की घंट है उससे कौन इनकार कर सकता है ?

मुझे ऐसा मान्य हुआ कि आखिरी तीन-चार दिन थक मंथन में बीते। शरीर को तो किसी प्रकार का कष्ट न था। एक बार सिर्फ इतना कहा—'कष्ट तो बिल्कुल नहीं है। दक्षिण आफ्रिका में तो दूसरे ही सप्ताह में हालत खराब हो गई थी। इस बार सिर्फ मुह कुछ खराब मालूम होता है, पानी पीने को जो नहीं चाहता। बस। पर इससे भी यह जाना जाता है कि उपवास में कुछ न कुछ खामी रही है।' शरीर को इतनी भी संज्ञा रहना कैसे सहन हो सकता है ? शरीर की ममता की जरा भी कोई बात बिकरलती तो बापूजी को नागवार हो जाती। पिछले सप्ताह कितने ही लोगों की सलाह हुई कि देवदास को आग्रह से बुला लें। मैंने एक बार बहुत आग्रह किया। उस समय चरखा कात रहे थे। झुंझका कर बोले—'तुम पागल तो नहीं हो गये ? वह खाना नहीं चाहता। तुमने लिखा, डा० अजसारी ने लिखा। फिर भी वह बराबर लिख रहा है कि मैं खाना नहीं चाहता। फिर तुम क्यों जिद करते हो ? जो मोह को रोक रहा है, उसे तुम क्यों मोह में गिराते हो ?' बस, तब से हम लोगों ने देवदास को बुलाने का खयाल छोड़ दिया।

यह कहा जा सकता है कि यह चार सप्ताह देहात्मभाव के अध्यास को निरमूल करने की स्वप्न में ही बीता। लेकिन भी विनोबा से मगहगीता के दो-तीन अध्याय का पाठ सुनते, बाकलीया से पञ्चांगिक भजन मचाते। पिछले चार दिनों के लो विनोबा कठोरपिण्ड



का पाठ सायंकाल को करते हैं। सारा कण्ठस्थ होने के कारण बच्ची को भी जबरत क्यों होने लगी? अपार शान्ति के साथ वे एक एक बकि सुनाते हैं और उसपर विवेचन करते हैं। महा-विद्याचार्य बकिकेत का आख्यान सुनते समय बापूजी आसपास के जगत् से आँसू मूँद लेते हैं। और जब जब स्मरण होता कि दो-तीन दिनों में फिर जंजाल में पड़ना है तो बड़े पशोपेश में पड़ जाते हैं और मन में सोचते हैं कि यदि वे उपवास पूर्ण अत्यल्पवय होने तक चला करे तो क्या अच्छा हो? और कितनी ही बार तो मानों मधीर होकर

“सुन कारन तप संयम किरिया कही कहां जों कैंजे?” इस प्रकार अपने प्यारे प्रभु को उपालंभ देते हुए दिखाई देते हैं। और कभी कभी तो दुनिया के तमाम पापों को अपने गिर लेकर ‘हैं प्रसिद्ध धाराकी तू-पाप-पुजहारी’ कह कर भगवान् को पाप-पुंज नष्ट कर देने की प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं।

इस विषय में कौन सन्देह कर सकता है कि इस महासागर मंथन से अमृत निकलेगा। पर कभी कभी यह मंथन भी असत्य हो उठता है। इतनी तपस्या करते हुए भी यदि इतना मंथन होता है तो फिर पूर्णता के लिए आत्मोपम्व प्राप्त करने में किना ब्रह्म सहन करना पड़ेगा-इसका विचार करते हुए पामर बुद्धि कुण्ठित हो जाती है।

इसी पशोपेश में ८ तारीख-दशहरा का पुण्यदिन आ पहुँचा। जगह जगह से उपवास निर्विघ्न समाप्त होने पर तार आने लगे। १२ बजे के पहले तो मकान का चारा निचला भाग मनुष्यों से भर गया। १२ का चप्टा बजते ही बापूजी एक के बाद एक लोगों को बुलाने लगे। इमाम साहब, नालकोबा, एण्डयूज साहब को पहले बुलाना हुआ। श्री बांकरलाल पास खंडे हुए आँसू बिरों रहे थे। उन्हें पास खींच कर पीठ पर हाथ फेरा। डाक्टरों को बुलाने की आज्ञा हुई। पूछा-और कोई नहीं है? किसीने धड़ा-नीचे तो अलीभाई, जेगम साहब, देशबन्धु, उनकी धर्मपत्नी, पं. मोतीलालजी, उनकी धर्मपत्नी पं० जगन्नाथलाल, उनकी धर्म पत्नी आदि सब खंडे हैं। सबको बुलाने की आज्ञा हुई। बा० अनसारी नजदीक जाकर मिले-अपने आँसू न रोक सके। फिर मौ० महम्मदअली आये। वे दूर खंडे रहे। उनको ‘आओ भाई, आओ’ कह कर नजदीक बुलाया। वे लिपट कर रोने लगे। सब बैठ गये। इमाम साहब को कुरान शरीफ से खुदा की बर्गी करने की आज्ञा हुई। उन्होंने मुलन्द अबाज, में—‘विद्विगता-ई रहमान-ई-रहीम’ वाली पहली सुरा गाई। इसके बाद उतने ही ओशिरव के साथ एण्डयूज साहब को—

‘When I survey the Wondrous Cross  
On which the Prince of glory died’

नाम का गीत गाने का हुकम हुआ। ईसाईयों में एण्डयूज साहब के अलावा श्री सुधीर सह तथा बाबू जोसफ भी थे। धाँकी दर कूस के कष्ट और अनशन के कष्ट, ईसानसीह के आँसू और प्रेम तथा बापूजी के आँसू और प्रेम में सबसे अमेद-मात्र अनुभव किया। कितनों ही की आँसू से आँसू टपक रहे थे। इसके बाद श्री विनोबा से उपनिषद् के मंत्र पढ़ने के लिए कहा गया। उन की मधुर ध्वनि से गाई सत्य की सदिशा से सारा खण्ड गुन उठा था। इसके बाद नालकोबा ने ‘वेण्णव बन तो’ मजम गाया, फिर ‘कय जगदीश हरे’ गा कर अन्त को

‘रघुकुल रीति सदा बकि आई  
प्राण जाई पर न न जाई’

की पुनर् में प्रार्थना समाप्त हुई। मन्, मन् कण्ठ हो कर बापूजी ने कहा—

**इकीम साहब और महम्मदअली,**

ये २१ दिव के उपवास बड़ी शान्ति में बीते। हिन्दू-मुसलमान-ऐक्य मेरे लिए आज की बात नहीं है। पिछले ३० वर्षों से मैं इसका सेवन कर रहा हूँ। इसीकी लगन मुझे लग रही है। फिर भी मुझे इसमें सफलता नहीं मिली है। मैं नहीं कह सका कि खुदा की क्या मरजी है। जब मैंने २१ दिव के उपवास की प्रतिज्ञा की थी तब उसके दो भाग किये थे। एक भाग आज पूरा होता है। दूसरा भाग मैंने इकीमजी तथा दूसरे मित्रों की इच्छा से बन्द कर दिया था। यदि उसे बंद न किया होता तो श्री ऐक्य-सम्मेलन के जिस अच्छी तरह होने के समाचार मैं सुन रहा हूँ उसके कारण मेरा उपवास आज ही पूरा होता। आज मैं आपसे यह वचन माँगना चाहता हूँ, बचन तो पहले ही मिल चुका है—कि हम हिन्दू-मुसलमान-ऐक्य के लिए मर भिटेगे। मैं तो समझता हूँ कि यदि यह ऐक्य न हो सके तो हिन्दू-धर्म किसी काम का न होगा और मैं यह कहने का भी साहस करता हूँ कि इस्लाम भी निरर्थक होगा। ऐक्य के बराबर महत्वपूर्ण बन्दू दूसरी कोई नहीं है। हमें ऐसा जरूर करना चाहिए कि एक मास रह सके। यदि हिन्दू बेल्टके अपने मन्दिर में प्रार्थना न कर सके और मुसलमान अपनी मसजिद में अजान न पुकार सके तो हिन्दू-धर्म या इस्लाम के कुछ मानी नहीं। अब मेरे उपवास छोड़ने का समय आया है, अब मैं फिर जंजाल में पहुँगा। इससे बचपि आपका वचन तो मिल ही चुका है फिर भी मैं अपना भार हलका करनेके लिए वचन माँगता हूँ।”

इकीम साहब ने श्री बोले में जवाब दिया—‘मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो तकलीफ उठाई है उसका नतीजा अच्छा ही निकलेगा। हम सब मिल कर आपके नेक काम में मदद देने के लिए तैयार हैं। यदि यह काम न हो तो दूसरे तमाम कामों को छोड़ कर भी हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको आगम हो और खुदा आपके उपवास को सफल करे।’

मौ० अयुक्त कलाम आजाद ने कहा—‘इकीमजी ने यहाँ मौजूद तमाम मुसलमानों की तरफ से आपको बकीम दिलाया ही है। मुझे विश्वास है कि हिन्दू-मुसलमानों के दिल एक होंगे-और-फिर होंगे और वे जल्द ही होंगे। इस काम के लिए अपनी जिदगी लगा देने से ज्यादा इन्सान क्या कर सकता है, और मैं अपनी जिदगी इस काम के लिए देने को तैयार हूँ।’

इसके बाद कुछ देर तक शान्ति फैल गई। उपवास छुड़ाने का पहला अधिकार डाक्टर अनसारी के सिवा किसको हो सकता था? नारंगी का रम साफर उन्होंने बापूजी को दिया। तद्विषे पर तक्रिया रखकर बापूजी ने सोते ही सोते रस पीकर पारणा की। और उसके साथ ही मानों पेट भर जाने-पीने वाले लोगों की जान में जान आई, सबने लबा उपवास छोड़ कर पारणा की।

हम सब मिलकर यदि इस तपसव्या को अपने हृदय-पटल अर्पित करें, इसका भर्म समझे और जग वठें तो समझिए कि कृतकृत्य हुए—

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राथ्य वराशिबोधत ।

सुरस्म धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो बद्धन्ति ।

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देहाई

ग्राहक होनेवालों को

बाहिए कि वे साक्षात् बन्दा (४) ममीसाहेब द्वारा भेजे गी. पी. सेवने का विवाह हमने बर्त नहीं है।

## परिषद् का असर

यह जानने के लिए पर परिषद् उत्पन्न है कि देहली की एकता परिषद् ने क्या किया और उसका फल क्या निकलेगा। इस परिषद् में उपस्थित होनेवाले प्रत्येक पुरुष से लोग परिषद् का हाल पूछते हैं। परिषद् का हाल पढ़कर समाचार-पत्रवाले अपनी रायें जाहिर करते हैं और वक्ता उन्हें पढ़ कर, हसपर अनुमान बांध कर, लोगों के सामने पेश करते हैं। इस तरह 'पिण्डे पिण्डे मतिभिजा' न्याय के अनुसार परिषद् की अनेक अप्रियतायें समाज के सामने पेश होने लगी हैं। गांधीजी खुद यदि परिषद् में हाजिर होते तो वे खुद परिषद् का वायु मण्डल, परिषद् का कार्य, और परिषद् के परिणाम के विषय में अधिकारी-रूप से विस्तृत और होने उनके देखने आसवाक्य समझ कर उसके अनुसार काम शुरू करने। ऐसे अधिकारयुक्त अभिप्राय के अभाव में यह बात कि परिषद् का कार्य सफल होगा या नहीं, उस बात पर आधार रखता है कि लोग उसे किस भाव से ग्रहण करते हैं। परिषद् ने तो ८-१० दिन की लम-तोड़ मसमारा मिहनत करके अपने निर्णय प्रस्तावों के रूप में देश के सामने उपस्थित किये हैं। परिषद् की प्रवृत्ति, परिषद् का वायुमण्डल, सब-कुछ उसके प्रस्तावों में साफ साफ दिखाई देता है। वे प्रस्ताव कहते हैं कि हमारे काम के बारे में यदि आग अति आशा रखेंगे तो पछतावेंगे और जो काम हुआ है उसके संबंध में बिल्कुल नास्तिकता प्रवर्धित करने तो परिषद् और देश के साथ अन्याय करेंगे। दो जातियों के झगड़ों के लिए जहां समझौते की जगह ही न थी वहां उसके लिए खिड़की खोल गई है। यही नहीं, बल्कि ठीक दिशा में यदि कोशिश होगी तो इस प्रस्ताव की नींव के आधार पर पूर्ण गेय की इमारत भी खड़ी की जा सकेगी।

परिषद् की शुष्कता में दोनों जातियों के प्रतिनिधि हिल खिल कर लड़ लिये थे। हम बहुत बार कहते हैं कि दोनों जातियों के शरीफ लोगों का कोई दोष नहीं है। गुण्डे ही लटते हैं और नाहक खारी जाति का नाम बदनाम करते हैं। परिषद् की शुष्कता के दो तीन दिनों ने दिखाया दिया कि जिस प्रकार मन में गोट नीचे हैं उसी तरह ऊपर भी हैं। आबकदार लोग मन में कुबयुवाते रखते हैं, उनके परिवारक वायु-दुर्ललाजी करते हैं, सर्वसाधारण एक दूसरे की निन्दा करते हैं, नापाक लोम गांधी-तलोज करते हैं और गुण्डे लड़-मरते हैं। तीन सौ बरसों तक लड़ कर दोनों जातियां जो पाठ सीखी थीं वही तीन दिवस के बाद-विवाद के बाद हमारे नेता लोगों ने फिर एक बार पढ़ा। तीन दिन तक परस्पर एक दूसरे का समझाते रहे। पर पीछे वे अपनी अपनी जाति को समझाने लगे। एक जाति का नेता जब तक दूसरी जातिवालों को समझाने की कोशिश करता था तब तक उसका असर नहीं के बराबर होता था। परन्तु जब अगुआ लोग खुद अपनी ही जाति को समझाने लगे तब उसका असर उन उन जातियों पर हुआ। इसमें तो कुछ पार्थक्य नहीं, परन्तु ध्यान खींचनेवाली बात तो यह है कि उसका असर दूसरी जाति पर भी होने लगा। अमृतसर के दिनों से लेकर आज तक गांधीजी अपने लोगों से बराबर कहते आये हैं कि अपना गुनाह कबूल करो, प्रायश्चित्त करो। ऐसा मालूम हुआ कि इसका रहस्य देश के अगुआ: कुछ हद तक समझे। और इसका असर भी उन्हें अच्छा दिखाई दिया। परिषद् शुरू हुई थी ऐसे वायुमण्डल से—'आप अगर ईश्वर में माफी मांगेंगे तो हम अपने ईश्वर से माफी मांगेंगे, आप यदि अपनी जाति के लोगों के दुष्कृत्यों की निन्दा करेंगे तो हम भी हमारी जाति के लोगों के

दुष्कृत्यों की निन्दा करेंगे। आप यदि उदारता बतावेंगे तो हम भी उदारता बतावेंगे' शुष्कता में किसीने इस बात का विचार न किया कि तराजू से तौल कर दी गई समानता में उदारता होती ही नहीं। और दुष्कृत्यों में तो यह नियम हो ही नहीं सकता कि जो अपराध है वह दुबारा है। दुष्कृत्यों की निन्दा दूसरी जाति को मुझ करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जाति के दुष्ट लोगों को नसीहत देने के लिए की जाती है। और यह कर्तव्य निरपेक्ष होता है। गांधीजी ने इस बात की तटकीकात किये बिना ही कि अमृतसर में सरकार ने अपने राज्य-कर्मचारियों को सजा दी है या नहीं, अपने देश-माइयों के किये अत्याचारों की सभे दिख से निन्दा की। उसका असर देश पर तो अच्छा हुआ ही, परन्तु विदेशों पर भी कम न हुआ। उम्मी प्रवृत्ति में अपना कल्याण और अन्तिम क्षान्ति के बीच है, इतना समझने की बुद्धि और जानने का अनुभव तो हर बालक के पास है, परन्तु उसके अनुसार चलने की हिम्मत बहुत थोड़े लोगों में होती है।

परिषद् का काम-काज और के साथ देखने पर मेरे दिल पर तो यह छाप पड़ी कि गांधीजी के उपवास के बसौलत ही तथा परिषद् में जो साफ साफ बातें हुईं उसके कारण, दोनों जातियों में कुछ रद्द का पलटा जरूर हुआ है। परिषद् में उपस्थित मुसलमान उठेसा लोगों ने अच्छा भाग लिया था। उन्होंने अपने विचार और भाव जैसे वे बैसे ही बता दिये। उन्होंने यह भी साफ साफ कह दिया कि हम कितना करने के लिए तैयार हैं और कितना नहीं। इससे सब लोगों को इस बात का ठीक ठीक अन्दाज लग गया कि उसके कितनी आशा रखनी चाहिए। धर्म के हार्द और धर्मशास्त्र के पिनलकोड में क्या संबंध है, वह बात भी इस परिषद् में झल्लिभति प्रकट हो गई। यदि हमें यह चाहते हों कि भारतवासी आजादी अथवा इन्सानियत की ओर कदम बढ़ावें तो इस परिषद् ने इसका उमरा पाठ हमें पढ़ाया कि हमें किस दिशा में कोशिश करनी चाहिए, यद्यपि परिषद् के प्रस्तावों में इसकी कुंजी नहीं है। शुद्ध स्वार्थ, डरपोकपन, और अज्ञान इन सबका साम्राज्य है तब तक ऐसे झगड़ों का अन्त आने का नहीं। ऐसी लोक-शिक्षा ही कि जिसके द्वारा लोगों के अन्दर सभी धार्मिकता पैदा हो, स्वराज्य का मुख्य तैयारी है। यही इस परिषद् का मुख्य सन्देश है।

शुष्कता में इसकी बड़ी कंठी अर्थात् हुई कि परिषद् का समापति कौन है? मुझे तो इस बात का दिव्युल कथाल तक न हुआ कि इस बात को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। परन्तु परिषद् के अन्त में मैं देखा पाया कि परिषद् की सफलता का भ्रम बहुतायत में पण्डित मोतीलालजी को ही है। शुरू से अन्त तक उन्होंने सारा काम धीरज और शांति के साथ चलाया। कितनी ही बार उन्होंने शास्त्रविदित तटस्थता को छोड़ कर दोनों पक्षों को समझाने की सब कोशिश की। जब जब उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि प्रस्तावों और तरकीमों पर बहस परिषद् के सदेव्य के लिए बाधक हो रही है तब तब उन्होंने विषय-समिति का काम सुलतबी करके खामोशी में सफाई करने की विधि को उल्लेखना दी। परन्तु पं. मोतीलालजी के कदम का सधु महत्व तो उस समय दिखाई दिया जब विषय-समिति के बाद परिषद् में गोवध-संबंधी प्रस्ताव पर तरकीमों आने लगीं। उन समय उन्होंने जो भाषण दिया उसे मैं सारी परिषद् में सब से महत्वपूर्ण मानता हूँ। इस एक भाषण के द्वारा पं. मोतीलालजी ने देश की असाधारण सेवा की है।

हिन्दुओं की ओर से काका कामधाराय और पण्डित मालवीयजी के हाथों में जिम्मेवारी का कयाक पूरा पूरा दिखाई देता था। इसी तरह मुसलमानों की ओर से इकीम अबमलकाम तथा मौकाना अनुकलाम आबाद भी ऐसा ही काम कर रहे थे। इसकसे के विषय और श्री नरीमान की उपस्थिति भी परिवर्द्ध के लिए अत्यन्त कामदायक हुई।

परिवर्द्ध के बारे में एक शिवायत जरूर करनी है। परिवर्द्ध की बैठकों के समय की पाबन्दी रखने में जो सिधिलता हुई है उसे देखकर तो कलकत्ता के नवाब की ऐतिहासिक लापरवाही भी भूल जाती है। निश्चित समय के घण्टों बाद तक 'हजरात' इकठ्ठे ही नहीं होते थे और 'जनाये सवर' के आने के बाद भी ठीक आधे या पौन घण्टे तक दूसरे हजरात के आने की राय माजिजाज देखी जाती थी। फिर भी आखिर तक किसीने इस बात में खेद या आश्चर्य तक प्रकाशित न किया। समिति का समय ११ बजे होता तो हम विवेकर में आगे की कुरसियों पर कब्जा करने के लिए जरा पहले अर्थात् बारह बजे ही जा कर बैठते। समय की पाबन्दी में इस परिवर्द्ध का अनुकरण यदि हो तो उसे एक राष्ट्रीय आपत्ति ही समझना चाहिए। परिवर्द्ध में यथा-समय आनेवाले श्रीकृती बेजेट, श्री मूर और विषय साहब इन तीनों के मन में यह विचार आया होगा कि हिन्दुस्तान के लोग जबतक इस तरह समय की पाबन्दी करते हैं तब तक ब्रिटिश सन्तान को डरने की कोई जरूरत नहीं है।

( नवजीवन ) वृत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

### अगस्त के सूत की परीक्षा

( अ० मा० खादी-मण्डल के मन्त्री की ओर से )

#### सूत की आगम

अगस्त महीने में आगे सूत के आखिरी अंक नीचे दिये जाते हैं। प्रान्तों के नाम उनकी संख्या के लिहाज से क्रमशः दिये गये हैं। जुलाई महीने के सूत की संख्या भी दे दी गई है जिससे पाठकों की तुलना करने में सुविधा हो।

प्रान्त	प्रतिनिधियों की संख्या	वर्षव्य	अ-वर्षव्य	कुल	पिछले महीने की संख्या
१ गुजरात	४०८	१८६	११३३	१२२९	७५
२ आंध्र	१६६७	६१०	६६२	१२७२	४२९
३ बंगाल	१५४९	२९९	३४५	६४४	४४४
४ तामिलनाडु	१३२१	२६९	३२६	५९५	९०
५ बिहार	१०४४	२५३	१६८	४२०	२०८
६ करनाटक	१६३	८५	२८४	३६९	४१
७ युक्त प्रान्त	१५८१	२१६	८३	२९९	१६२
८ महाराष्ट्र	६७४	९०	१८२	२७२	१६२
९ बम्बई	२४२	९५	१६४	२२९	८५
१० आसाम	२७७	४२	१८२	२३४	३६
११ केरल	१२३	५०	१५३	१०३	२
१२ म.प्र. (हिंदी)	१३२४	८५	४६	१३२	७१
१३ सिन्ध	२६२	४६	५०	१०५	४८
१४ उत्तरक	३८९	७८	२३	१०१	३७
१५ पंजाब	४३६	४३	४१	७४	२३
१६ म.प्र. (मराठी)	४४२	३९	३२	५१	६७
१७ दिल्ली	२७६	१३	७	२०	१२
१८ मद्रास	३६	६	१२	१८	२
१९ अजमेर	३७	६	८	१४	१५
२० बरार	३५५	०	७	७	१
	१३०३६	२४६३	३८३७	६३०१	२७८०

जुलाई महीने का पिछड़ कर आया सूत भी इनमें शामिल है। उसका अ्योरा-आन्ध्र २२, करनाटक १२७, बंगाल ४, तामिल नाडु ११३, युक्तप्रान्त ३, दिल्ली २, मद्रास १, उत्तरक १, पंजाब ७, बम्बई ८४ और केरल ३२-कुल ४६६.

गुजरात में खास गुजरात के ११६८, काठियावाड के १२७ और कच्छ के ४ हैं।

#### वजन

	पौंड	तोला
१० अंक तक	५६३	०
११ से १६ अंक तक	४२५	१६
१७ से २२ अंक तक	१५३	४
२३ से ३० अंक तक	५०	११
३१ से ऊपर	१३	६३

कुल १२०४

बारे तथा कुछ और सूत अभी आ रहा है उसे जंब कर कोई ३१ मन का अन्दाज हो जाता है। जुलाई में १५ मन ३३ पौंड आया था। सो अगस्त में सूत भेजने वालों की संख्या तो जुलाई से तिगुनी हो गई है पर सूत का वजन वना ही हुआ है। सूत की लंबाई का परिमाण तो बराबर ही रहा है। इससे यह जाना जाता है कि सूत कातने में अधिक उन्नति हो रही है।

११ और १६ अंक के बीच के सूत की तादाद में अच्छी बढ़ती हुई है। कटाई की शुरुवाती हाकत जल्दी चली गई और जिस नेताओं तथा दूसरे लोगों ने जुलाई में ही कातना शुरू किया था उनमें से कुछ लोगों ने तो बहुत तरकी करली है।

#### घासों और प्रगति

इस मास में प्रायः तमाम प्रान्तों में हर बात में तरकी नजर आती है। फिर भी अभी ये आदर्श अवस्था का नहीं पहुंच पाये हैं। भेज भिन्न प्रान्तों की खास खास बातें धोटे में नीचे दी जाती हैं—

आन्ध्र—फालकियों पर जिटे ठीक ठीक लगी हैं। सूत भेजने वालों की अकारादि कम से सूची भी होनी चाहिए थी। सब से अच्छा सूत इन सब्जों का है—

	गज	अंक
१ श्रीमती के सेलुवैयम्मा	गार २०५४	१४० अच्छा
२ ,, जे. बी. कमलामणि	,, २०५५	१९७ ,,
३ ,, एम्. कमलाम्या	,, २०००	५० ,,

श्री कौंडा बैकटप्पय्या, प्रान्तिक समिति के सभापति, ने २००० गज १४ अंक का अच्छा सूत भेजा है। आन्ध्र खादी मण्डल के सभापति श्री नागेश्वरराव ने १५ अंक का ३००० गज सूत भेजा है। इस सूत में बल कुछ अधिक लगा है। यह प्रान्त गुजरात की बराबरी पर आ पहुंचा है। कुछ जगहों में कटाई-मण्डल कायम हो चुके हैं और नये भी कायम हो रहे हैं।

आस्साम—वर्णानुक्रम-सूची न होने की श्रुति दिखाई देती है। पहले नंबर के सूत भेजने वाले मकान हैं—श्री दुर्गाधर बरसा २६० गज ३५ अंक।

अजमेर—अबतक १४ पैकट भिजे हैं। कोई खास बात कहने लायक नहीं।

बंगाल—जिटे अच्छी तरह लगाई गई है। परतु वर्णानुक्रम-सूची होने से बड़ा अच्छा होता। २५,००० गज श्री मासतलाल सेन ने भेजा है। बंगाल से सब से ज्यादा लंबाई इन्हींके भेजे सूत की है। श्री सतीशदास गुप्त का नंबर दूसरा है, जिन्होंने १५,००० गज भेजा है। इस बार भी सब से बढ़िया-सूत श्रीमती

अपर्णा देवी का रहा है। उन्होंने ५००० गज ८० अंक का बहुत बड़ा सूत भेजा है। श्री अमन्तकुमार बहु ने २००० गज ७५ अंक का भेजा है। पर सूत एक-सा होने पर भी अच्छा नहीं है।

सूत भेजनेवालों की संख्या में बढ़ती हुई है। यह सादी प्रतिष्ठान के प्रयत्न का फल है। श्री सतीशदास गुप्त लिखते हैं कि बंगाल से भंगले महीने में लंबाई में ६०,००० गज तक सूत आने वाला है। वे कहते हैं कि गुजरात सावधान हो जाय।

बिहार—सारे प्रान्त के लिए रजिस्टर नंबर एक-सीधे होने चाहिए। बिटें मजबूत होनी चाहिए। बिटें फट जाने या कुचल जाने से पहला मुश्किल हो जाता है। पतले गत्तों की बिटें होनी चाहिए। श्री गुंतेश्वर पांडे ने ३०,०८० गज सूत १६ अंक का भेजा है। अच्छा है। इनके बाद श्रीराजेन्द्रप्रसाद का नंबर आता है। उन्होंने १३००० गज १२ अंक का भेजा है। राजेन्द्रबाबू ने ११,१०० गज भिन्न भिन्न अंकों का भेजा है। इससे माहूम होता है कि सूतकार ने उत्तरोत्तर महीन सूत कातने का प्रयत्न किया है और उसमें वे सफल भी हुए हैं। इस मात के सूत का क्वाक इसके दरजे का माहूम होता है।

बंबई—रजिस्टर में वर्णानुक्रम सूची की क्षामी है। श्री पदविदरी प्राणिक समिति के मन्त्री का सूत १०,००० गज १० अंक का भेजा है। बहुत हद तक अच्छे से अच्छा सूत श्रीमती विजिया बहन कल्याणदास का है—८१२० गज २० अंक का। बहुत उम्दा है।

बाराह—पिछले महीने में निके एक पैकट था—अब बढकर ७ हुए हैं।

मध्य प्रान्त (मराठी)—सफाई वैसी ही रही है। लेकिन कातने वालों की संख्या में बढ़ती नहीं हुई है। अ-सदस्यों के अलहदा रजिस्टर की जरूरत है। श्री नीलकण्ठ देशमुख ने १५२० गज २५ नंबर का अच्छा सूत भेजा है। पहले नंबर में आ सकता है।

मध्यप्रान्त (हिन्दी)—वर्णानुक्रम सूची नहीं दी गई है। संख्या में भी बढ़ती नहीं हुई है। सूची में सब से अग्रस्थान इनका है—

	गज	अंक	
श्री विशंभर	४०००	३६	अच्छा
श्रीमती सुमत्राकुमारी	३०००	३५	अच्छा

देहली—जुलाई में १२ पैकट थे। इस मास में बढकर २० हो गये।

गुजरात—संख्या में बढ़ती है। अ-सदस्यों के रजिस्टर में क्षामियां हैं। बिना नवरी पैकटों से बड़ा मांजमाळ हुआ। एक-साधे रजिस्टर नंबर रखने की जरूरत है। दरबार श्री गोपालदासभाई का नंबर इस बार भी पहला रहा। तमाम कालकियों का अंक ३७ है और सब की मिल कर लंबाई ५००० गज है। ऊंचे अंक का सूत और छोटों ने भी भेजा है, पर वह कमजोर है। श्रीमती विजयागौरी काम्पा ने ५,१११ गज ३२३ अंक का अच्छा सूत भेजा है। गुजरात में सब से ज्यादा लंबाई १५,००० गज है। महास्वामी ने २० अंक का अच्छा कता ५,०६४ गज सूत अपने ठीक कफ पर, अगस्त के अखीर में, भेज दिया था। श्री बलमभाई पटेल, अम्बाम तैयबजी और शंकरलाल वैकर ने क्रमशः ७३०० गज २० अंक, ५,००० गज ११ अंक और १२००० गज १६ अंक का सूत भेजा है।

करमाटक—अंकों की गिनती कुछ अधिक लिखी गई माहूम होती है। ताकी बना कर सूत भेजना ठीक नहीं है। सब से अच्छा सूत भेजने वाले सज्जन—

	गज	अंक
१ श्री गंगाधरराव देसपांडे	२६००	२० अच्छा
२ श्रीमती तुलशाबाई जाकोबाळ	२५२०	५३ ठीक
३ श्री रावास्वामी	२१००	४३ ठीक
४ अप्पणा मिजली	२०००	४० ठीक

केरळ—७० पैकट भिजे हैं। बाइकोम सत्याग्रहियों ने ७१ पैकट भेजे हैं। अच्छा सूत भेजनेवाले—

१ श्री गोविंद पम्पिकर	२०००	३२
२ श्री नारायण इकायक	२०००	२४
बाइकोम सत्याग्रही		
१ ,, पी. एस्. सुकुमारव	१६८०	४०
२ ,, के रमणकुटी	१६८०	४०
	१६८०	१६

महाराष्ट्र—सदस्यों और असदस्यों के लिए अलहदा अलहदा रजिस्टर नहीं रखे गये हैं। श्री बी. जी. जोगकेकर का सूत २५० अंक १५ लंबाई के लिहाज से सर्वोत्तम है। ऊंचे अंक भेजने वाले—

१—श्री बी. एल्. जालकर	२०००	२१
२—श्रीमती आनदीबाई जोगकेकर	"	"

पंजाब—सूत आम तौर पर मोटा—कम अंक का है। कालकियां ज्यादा लंबी हैं। कोकडी भेज देना ठीक नहीं। सर्वोत्तम सूत भेजने वाले—

१—श्री उसात्रक राय	६०००	१४
२—,, दीवान चंद	५०००	१२

खिन्ध—अच्छी तरकी है। ऊंचे अंक भेजने वाले—

१—श्री नैलाराम मंगतराम	३०००	५०
२—,, परशदास नारायणदास	२०००	२८

अच्छा सूत

१—,, बाइशराम	३६८०	१५
२—,, जयरामदास दौलतराम	२०००	१७

तामिल नाडु—सब से ऊंचा अंक १५१ श्री मीनाक्षी सुंदरम का है। १०० से ११० अंक तक का सूत भेजने वाले और कोम भी है। पर सूत सबका का अच्छा कता नहीं है। श्री व० राजगोपाळाचार्य ने ४२०० गज १४ अंक का बड़ा अच्छा सूत भेजा है। कम अंक वालेसूत में आन्ध्र और तामिल नाडु में अभी बहुत सुधार की जरूरत है।

पुन्य प्रान्त—पैकटों पर बिटें नहीं हैं। बिटों के लिए गस के टुकड़े काम में लाना चाहिए।

एक लकड़े के युवा रोमी विजयशंकर मिश्र ने भी अपनी रोग शम्भा से अपना ही धुनका और कता २५०० गज २८ अंक का सूत भेजा है। पं. जवाहरलाल नेहरू ने लगातार सफर में रहते हुए भी ३१३० गज २७ अंक का अच्छा सूत भेजा है। ३५,५०० गज ३३ अंक का सूत श्रीमती सी. सी. दास ने भेजा है।

उत्तरकळ—पिछले मास से तिसुनी संख्या हुई है। ऊंचे अंक के सूतदाता—

१—श्री सुधिया बेहरा	३०००	५०
२—श्री विश्वनाथ पारिड	२१००	४५

सर्वोत्कृष्ट सूत

श्रीमती अपर्णा देवी इस मास भी सर्व-प्रथम रही हैं। उनका ५००० गज ८० अंक का सूत सर्वोत्कृष्ट है।

देश भर में सबसे ऊंचा अंक है १५१ और बड़ा तामिल नाडु के श्री मीनाक्षी सुंदरम ने भेजा है।



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

[ वर्ष ४ ]

[ अंक १० ]

मुद्रक-प्रकाशक बेबीलाल छानलाल चून्	अहमदाबाद, कार्तिक वदी ६, सितम्बर १९८१ रविवार, १९ अक्टूबर, १९२४ ई	मुद्रकालय-जवाहरलाल मुद्रणालय, सांगपुर, सिमरा की बाड़ी
---------------------------------------	---	--

## चौथा सप्ताह

### दिनचर्या

२१ दिन की तपश्चर्या शुरू हुए आज का सप्ताह पूरे हुए। तीसरे सप्ताह के मनोमंथन और व्रतोद्यापन का वर्णन करके उपवास का प्रकरण पूरा किया था। मालूम होता है कि चौथे पाँचवें सप्ताह के बारे में लिखने का दुःखद कर्तव्य अभी मुझे और करना होगा। क्योंकि अभी बस दो दिन तक (१) गांधीजी को काफी ताकत नहीं आसकेगी। पारणा के बाद मामूली आदमियों को सुस्ती मालूम होती है, नया खाना बचिकर होते देर लगती है, अनेक दिवस मिठाहार रहने से खाना खूब खाने को भी ली जाता है, परन्तु बापूजी को इनमें से एक भी शिकायत न हुई। जिस सरलता और प्रसन्नता से उन्होंने अनशन आरंभ किया था उतनी ही सरलता और प्रसन्नता से उन्होंने भोजन शुरू किया। व्रत तो २२ बजे समाप्त होता था, परन्तु प्रार्थना द्रव्यादि के बाद फल का रस कोई पौन बजे लिया। दो दिन के बाद दूध लेना शुरू किया—थोड़ा थोड़ा, दो औंस, तीन औंस, चार औंस, - और आज २५ औंस तथा कुछ मारंगी तक पहुँचे हैं। उपवास पूरे होने के पहले अनेक जैन मुनियों ने खान लीर पर पत्र लिख कर अपने आशीर्वाद और धन्यवाद भेजे थे और साथ ही पारणा शुरू करने के संबंध में अनेक सूचनाएँ की थीं। इनमें खूब प्रेम-भाग भरा हुआ था। पर बापूजी के पाँच बीजों के व्रत के कारण फलाहार के अनिश्चित किसी भी सूचना से वे काम न उठा सके। भोजन खान-पान से निवृत्त इत्यादि सब नियमित चल रहा है।

### भागवत-भजन

प्रार्थना भजन आदि भी यथानियम जारी हैं। एक दिन एक बहन आई और आपस के साथ कहने लगी—'मुझे ऊपर जाने दीजिए, मुझे गांधीजी के पास जाना है, एकाध बात पूछनी है।' हम यह समझ कर उठे न जाने दे- जे कि कोई दुखी ली होगी, घर के बाँ और किसी दुख को रोने लगी होगी। पर उठने ऐसी दृष्टि लगी कि हमें संजूर होना पड़ा। उन्होंने एक ही सवाल पूछा—'महारानी, भक्ति किस तरह करनी चाहिए? मैं महादेव की भक्ति

करना चाहती हूँ। बताइए किस तरह करे?' गांधीजी कुछ देर चुप रहे, फिर कहने लगे—'महान, मैं क्या बताऊँ? मैं तुम्हें ही भक्ति करना नहीं जानता। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि भला बने और भले काम करे।' यह बेचारी तो समुद्र ही दर चली गई। पर ऐसा जान पड़ता है कि बापूजी के दिम में यह उदात्त उदा ही करता था। यहाँ यह बिचार सहज ही उठ सकता है कि इतने दिनों तक जो भक्ति में लीन रहा है तथा जिसका एक एक कार्य अर्पित मालूम होता है, उन्हें ऐसा जवाब क्यों देना पडा होगा? क्या यह कारण तो नहीं कि जिस प्रकार ईश्वर अनिर्वचनीय है उनी प्रकार उसको भक्ति भी अनिर्वचनीय है? जो ही, दूसरे ही दिन से बापूजी ने भगवत के एकादश स्कंध का पाठ शुरू कराया। भगवद्गीता का पाठ तो चलता ही था, उसके साथ अब भगवत भी पाठिक हुई है।

इसके अलावा और समय में साधारणतः वे बाहर के लोगों से मिलते हैं। एक मित्र कहते हैं—'अब तो कृपा कर के ऐसी घोर प्रतिज्ञा कभी न कीजिएगा। दुनिया में दुष्टता तो खोजी-बहुत रहेगी ही।' सुरत ही बापूजी ने इस कर कहा 'आप यह हरगिज न मानिएगा कि मैं इस बात का घमण्ड रखता हूँगा कि दुनिया की दुष्टता मिटाने का सामर्थ्य मुझमें है। उपवास तो मैंने अपनेको शुद्ध करने के लिए किया था। इतना प्रायश्चित्त करना मेरे लिए धर्मकृत्य था, सा हो गया। अब फल ईश्वराधीन है।

### मानव-जाति का ऐक्य या भारत का?

बड़ाई सम्प्रदाय की एक अगरेज महिला ऐक्य-परिवर्त के दिनों से बारबार आती है और नाम की प्रार्थना में शरीक होती तीन दिन पहले आ कर उमरे दो-तीन सवाल पूछने की इजाजत माही। उनमें एक सवाल यह था—'आप सारी मानव-जाति का ऐक्य करना चाहते हैं या केवल भारतीय जातियों का?' गांधीजी ने सुरत उत्तर दिया—'भारतीय जातियों के ही ऐक्य के द्वारा मानव-जाति का। धाक में जब भारतीय जातियों का ही ऐक्य नहीं कर पया है तब बाहर का विश्वास क्या कर सकता है? यह बात

मेरी धरती के बाहर हो आयगी। इसलिए अभी मैं सिर्फ यहीं की जातियों में एकता स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ। पर मुझे विश्वास है कि इसे सिद्ध करने में मानव-जाति की एकता एक हद तक सघ जाती है।'

### कैथलिक ज्योतिषी

इसी सप्ताह में एक कैथलिक ज्योतिषी आया। एण्ड्रयूज उसे जानते थे। 'बह अपनी ज्योतिष की आमदनी को परोपकार में ही लगाता है। आपसे मिलने के लिए उत्सुक है।' यह सुनते ही गांधीजीने कहा—'ज्योतिष की बात मेरे सामने न करेंगे, इस शर्त पर शौक से आने। एण्ड्रयूज ने यह शर्त उससे कही। बड़े आनन्द से उसने उसे कुबूल किया और ऊपर गया। कुछ देर बापूजी को निरखता रहा। फिर घुटनों के बल बैठकर कुछ प्रार्थना की, भीगी आँसू के कर नीचे आये और एण्ड्रयूज से कहा—इनकी तुलना यदि किसीसे हो सकती है तो सिर्फ संत फ्रान्सिस से। दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। इन्हे देख कर मैं धन्य हुआ।

### प्रार्थना के दृश्य

इस तरह मेला लगा ही रहता है। एक दिन कितने ही मुसलमान भाई एकत्र हुए। नमाज का वक़्त हुआ। सब छत पर गये। बाँग दी गई और सबने नमाज पढ़ी। षण्ठे वर बाँझ सारी छत हिन्दुओं से भर गई। उसमें मरहमद-अली तथा दूसरे मुसलमान मित्र तो थे ही। बालकृष्ण ने प्रार्थना शुरू की। एण्ड्रयूज के मजन भी बार बार होते हैं। मौलाना महमद अली के घर भी हम यथा-समय प्रार्थना शुरू करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि प्रभात की अजा के खतम होते ही हमारी प्रार्थना शुरू होती थी। यह दृश्य मौलाना महमद अली और रा. व. सुल्तानसिंह के बंगले में ही क्यों कैद रहे? सारे देश में यदि यह दिखाई दे तो लताम आतियों की एकता आसानी से हो जाय।

### एण्ड्रयूज के साथ बातचीत

बुधवार को उपवास आरंभ हुआ, उसके बाद के बुधवार को चलना फिरना बंद हुआ, आज बुधवार को 'बह फिर शुरू हुआ है। आज सुबह डाक्टर अब्दुल रहमान के सहारे बापूजी कमरे से बरामदे में गये। अब डाक्टरों ने थोड़ी बातचीत करने की हजाजत दे दी है। पण्डित मोतीलालजी, जो अभी यहाँ हैं, डाक्टरों से पूछ कर ही बातचीत करने आते हैं। एकाध षण्ठा बातचीत करके जाते हैं। कल तो सुबह एण्ड्रयूज सा के साथ, दोपहर को अकालियों के साथ, और शाम को कोइटावालों के साथ बातें की। कुछ थक गये थे। एण्ड्रयूज साहब के साथ हुई बातचीत बहुत उपयोगी होने के कारण यहाँ देता हूँ।

सुबह भागवत का पाठ हो जाने के बाद एण्ड्रयूज सा को बुलावा हुआ। एण्ड्रयूज सा, एक भजन सुनगुनाते हुए आये। आजकल वे हमारी प्रार्थना में गाये जानेवाले भजनों का अर्थ समझ लेते हैं और फिर उनके समानार्थक भजन अपनी भजना बलि में न निकाल कर मेसार के ईश्वर-भक्तों के भाव-धाम्य पर न्योछावर हो जाते हैं—'इतना साम्य जहाँ है, वहाँ कौन इस बात का घमण्ड कर सकता है कि मेरा ही धर्म अच्छा है और दूसरे का खराब। सब को अपने अपने धर्म से आवश्यक बातें मिल जाती हैं।' यह उसी सुबह उन्होंने मुझसे कहा था। ऊपर आकर बापूजी से कहते हैं,—'आज मैं आपको ऐसा भजन सुनाना चाहता हूँ जो आपके कभी न सुना होगा। बाइबिल में यह फौरी अधिष्ठाने इमा-मसीह को अपने घर के एक बीमार

आदमी को चंगा करनेका हुकम देने को कहता है। ईसा-मसीह उसके घर जाने को कहते हैं। वह जवाब देता है—'मैं बड़ा बाधम हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। आप सिर्फ अपने भी-मुक्त से इतना कह दीजिए कि अच्छा हो जायगा, और वह चंगा हो जायगा। यह प्रसंग है।'

इतनी प्रस्तावना के बाद उन्होंने अपना भजन गाया। उसका भाव तुलसीदासजी के—

मम हृदय-भवन प्रभु तोरा ।

तई आय भये बहु चोरा ॥

कह तुलसीदास सुनु रामा ।

कटहि तस्कर तब धामा ॥

चिन्ता यह माहि अपारा ।

अपजस नहिं हाई पुन्दारा ॥

इससे बहुत मिलता-जुलता था। उसकी कुछ कड़ियाँ सुनिए—

I am not worthy, cold and bare

The lodging of my Soul:

How canst 'Thou deign to enter there ?

Lord speak and make me whole.

\* \* \*

And fill with Thy love and power

This worthless heart of mine.

'आपके भजन से कितना मिलता हुआ है?' यह कर एण्ड्रयूज रुके। बापूजी ने कहा—'मैंने उसे सुना है।' एण्ड्रयूज सामन्दाध्यय से सुनते रहे। 'मैंने यह १८९३ में सुना था। तब मैं ईसाइयों के अनेक राप्रदायों के लोगों से मिलता था और हर रविवार को उनके गिरजा में जा कर प्रार्थना में शरीक होता था। उस समय सुना यह पढ़ता है।' और फिर वे ईसाई मित्रों की याद करके उनकी बातें कहने लगे। फिर कहने हैं—'पर आपको जो ऊपर बुलाया था वह दूसरे ही काम से। मैं चाहता हूँ कि आप कताई को महासभा के सदस्य होने की शर्त बनाने के बारे में मेरे सब विचार सुन लें।'

### कालने की शर्त और महासभा

'कल के य. इ. में मेरा लेख आपका अच्छा न लगा। पर मैं कहता हूँ कि मेरी दलील लाजवाब है। आपको वह ठीक नहीं दिखाई देती, क्योंकि आप इस बात को भूल जाते हैं कि उसके अन्त में मैंने लिखा है कि यह दलील उन लोगों के लिए है जो देश के लिए ऐच्छिक कातना आवश्यक समझते हैं। उन्हें तो महासभा के सदस्यों का २०० पत्र सुन कापने की शर्त को बकर मानना चाहिए। यदि कोई शक्य यह कहना है कि अपनी मरजी से कातना, तो उसे कातने की शर्त पर मद्रस बनानेवाले माण्डल का सभासद कातने की शर्त का रबीकार कर के बनने में कोई झिझक न होनी चाहिए। इसीसे मैंने यह कहा है कि जो देश सैनिक शिक्षा को अत्यन्त मद्रस की बात मानता है—जैसे कि फ्रांस—वह सैनिक शिक्षा को अपने राष्ट्र-संघ के सभासद होने की शर्त के तौर पर रख सकता है। यदि भारतवर्ष में कताई का सामर्थ्य, उपयोगिता और आवश्यकता मानी जाती हो तो फिर कताई का सभासद होने की शर्त मान लेना चाहिए।

ए—'आपकी दलील बहुत कमजोर है। आपका सैनिक शिक्षा से तुलना करना मुझे अमानक वाक्यन हाता है। मैं तो कौन से भन्ती होने के बदले जेल में जाना पसंद करूँगा—जिस तरह कि रमेड गया था और जिस तरह कि गोलों ने वेस छोड़ा था।

‘हाँ, मैं भी जाना पसंद करूँगा। पर इससे क्या? जिसके दिल में यह बात सटकती हो वह जरूर जोखिम उठावे। परन्तु यदि आम तौर पर सारा देश सैनिक शिक्षा शुरू करने का कार्यक्रम हो तो फिर उसके लिए कानून बना देने में क्या बाधा हो सकती है?’

### कमजोर उपमा

ए—‘नहीं, आपकी यह कमजोर उपमा मुझे ठीक नहीं मालूम होती। इससे अधिक अच्छी उपमा लेनी चाहिए थी। अमेरिका के मध्यम-निषेध की उपमा आप ले सकते थे। अमेरिका में जब ८० की सदी लोगों ने शराब छोड़ने की तैयारी दिखाई तभी कानून बनाया जा सका। आप भी एक जैसा भारतीय कताई-मण्डल खोलिए और जब ८० की सदी लगे कातने लग जायें तब अपनी शर्त रखिए। आज तो आप घोड़े के पीछे गाड़ी रखने के बदले गाड़ी के पीछे घोड़ा रखते हैं।’

‘नहीं, मैं तो बिल्कुल न्याय की बात करता हूँ। किसी मण्डल को अपने ममानदों से किसी बात के कराने का हक है या नहीं? यदि यह धर्म किसीको न पड़ती हो तो इससे यह कहना ठीक नहीं है कि शर्त रखने का हक ही नहीं है।’

ए—‘अमेरिका में कानून होने के पहले शराब पीने का तक सबको था। आज भी कानून को रद्द करके शराब मंगाने का हक उन्हें है। मेरा सवाल यह है कि महासभा में लोक-मत का प्रतिबिम्ब पड़ता है या मुझी-भर लोगों का ही मत व्यक्त होता है? महासभा एक महामण्डल रहेगा या एक छोटी-सी ममिति बन जायगा?’

‘महामण्डल ही रहेगा। आप मेरे अनुभव को गलत कर सकते हैं, पर यदि एक बार आप इस बात को स्वीकार कर लें कि महासभा को अपने ममानदों पर फैसले कराने का अधिकार है तो फिर मैं सब बातें साबित कर दूँगा।’

### महासभा को एक टोलीन बनाइए

ए—‘आपको महासभा को एक टोलीन बना देना चाहिए, स्वेच्छा-नियुक्त मण्डल बनाये रखना चाहिए।’

‘आपको महासभा की ठीक ठीक कल्पना नहीं है। आज तो वह एक अनिश्चित, अव्यवस्थित मण्डल है। उसके संगठन से अधिक बातें उसमें आ जाती हैं। यदि महासभा सच्चा राष्ट्रमण्डल बनना चाहती हो तो उसका संगठन अधिक जीवनदायी अधिक सच्चा और राष्ट्र की आवश्यकता का अधिक द्योतक होना चाहिए। संख्या की कुछ जरूरत नहीं। मैंने तो जब बार आना फीस रखवाई तब ऐसी आस्था रखी थी कि यह मण्डल बड़े से बड़ा हो जायगा, लेकिन उसके अनुसार चलने वाले कार्यकर्ता न निकले। आज हमारा देश आलसियों और प्रमादियों का देश हो गया है। गुलामी में रहनेवाले मूक गरीब लोगों पर नहीं बल्कि हम सभसदार और कफा कहलाने वालों पर मैं यह कथन पटाना चाहता हूँ। इन सबको मैं दूसरे किस उपाय से राष्ट्र-कार्य में लगा सकता हूँ? दूसरे किस तरीके से महासभा कार्यपरायण संस्था हो सकती है? २००० गज कातने की फीस रखने के प्रस्ताव से मुझे आशा है कि यह बात हो सकेगी। एक कहेगा ‘मैं कुछाड़ी लेकर काटूँगा’ दूसरा कहेगा ‘मैं कुपडा सीरुंगा’ और तीसरा कोई और बात कहेगा तो इसका परिणाम कुछ न निकलेगा। मैं सबको एक बात पर एकाम करके कुछ नतीजा निकालना चाहता हूँ।’

### अन्तर देखिए

ए—‘मुझे डर हो रहा है कि आप सूत कातने और खादी पहनने को एक नया धर्म बना देंगे।—महासभा खादी

पहनते हैं या बिलायती, इससे मेरा क्या बास्ता? मुझे तो इस बात से काम है कि वह खादी कैसा है। इसामसीह ने भी कहा है कि ‘यसुध्व का बाहरी आचार नहीं, अन्तर देखो।’

‘इसई और हिन्दू भादरी में भेद है।’

‘आप तो यह भी कहेंगे कि अमुक प्रकार का भोजन करो तो आध्यात्मिकता बढ़ेगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। विद्या वेस्टकोट जैसे सज्जन को लीजिए। उन्होंने तो शराब भी पिया है और आम भी खाया है। पर क्या वे आध्यात्मिक नहीं हैं?’

‘आप एक उदाहरण से सामान्य नियम गाबित करना चाहते हैं। यह नहीं दो मन्ना। आप सर्व-साधारण से यह नहीं कह सकते कि जी चाहे मो खाओ, मन आवे सो पियो और यह मानने रहो कि हमारा अन्तर पवित्र है।’

### अमेरिका की मिस्त्राल

ए—‘मैं फिर अपने असली मुँह पर आता हूँ। कानून बनाने के पहले अमेरिका में जितने उपाय किये गये उतने यहाँ किये जाते हैं?’

‘मैं तो रोज उपाय किया ही करता हूँ। आज की स्थिति चार वर्ष का फल है। आप यदि महासभा के प्रस्तावों को देखेंगे तो खबर पड़ेगी कि मैं आ प्रस्ताव करना चाहता हूँ वह कातने की आवश्यकता की मूल स्वीकृति का परिणाम है।’

ए—‘जब आप जेल में गये तब भी यह स्वीकारा जाता था?’

‘जब मैं जेल गया तब मूल प्रस्ताव रद्द नहीं हो गया था।’

ए—‘जबतक आप अमेरिका के तरीकों से काम न लेंगे तबतक आपका प्रयोग सफल नहीं हो सकता।’

‘अमेरिका की हालत यहाँ से भिन्न है। यहाँ तो पहिले ही शराबखोरी प्रचलित थी। उन्हें यह समझाने की जरूरत थी कि शराब न पीओ। वहाँ उन्हें ऐसा काम करना था जो अबतक यहाँ न हुआ था। यहाँ तो सिर्फ इतनी ही बात है कि लोग उस बात को करें जिसे उन्होंने जमाने तक किया है और जिसे वे कुछ सालों से भूल गये हैं। और दूसरी बात यह कि यहाँ तो—

नंदाभिक्रमनामोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य वाचते महतो भयात् ॥

ए—‘आप क्यों नहीं? है। हम सब की शक्तियाँ जुड़े जुड़े प्रकार की हैं। हो सकता है कि हमें इतना जल्दी काम हो कि आधा घण्टा न निकाल सकें। मैं इन महादेव को ही देखता हूँ। ये आधी रात को सूत कातते हैं अथवा इस्लामकी जैसे भी जब आधी रात को सगला कातने है तब मेरे मन में आता है कि इसके क्या मानी है?’

‘इन लोगों को यदि ऐसी वैधक कातना पड़ता है तो यह उनकी व्यवस्था और समय-प्रबंध की तामी को सूचित करता है, और कुछ नहीं।’

ए—‘आधे घण्टे की बात तो एक ओर रही। जब से आपने सूत पर एकाग्रता शुरू की है तब से दूसरी तमाम बातें भूलती जा रही हैं। इस खादी के ही काम में इतनी सारी शक्ति खर्च हो जाती है कि मछली नीजों और शराब के निषेध को तो सब भूल ही गये हैं।’

‘मैंने तो एक ऐसा ऐक्य-पौषक कार्यक्रम बनाया है जो सबकी समझ में आ जाय। शराब की दुकान पर पहरा रखने की बात तो सिर्फ हिंसा-काण्ड होने के डर से ही छोड़ देनी पड़ी है, खादी के काम के कारण नहीं। और दूसरी बात यह कि खादी पर जोर देना जितना जरूरी है कि उतना हमारे कामों पर नहीं।’

इसका कारण यह है कि सब लोग इस बात को मानते हैं कि शराब न पीना चाहिए। इसके लिए लोगों को नया पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। स्वराज्य होने पर भी कितने ही शराब पीने वाले ता होंगे ही। उनका प्रबंध स्वराज्य के बाद करना होगा।

#### अफीम की बात

ए०—'क्या अफीम छोड़ देने के लिए भारी आन्दोलन सजा सजा करने का ज़रूरत नहीं है? क्या देश इसके महत्व को समझ गया है?'

'हां, मैं मानता हू कि समझ गया है।'

ए०—'मिलों में काम करनेवाली औरतें अपने बच्चों को अफीम खिलाती हैं। आप इस बात को जानते हैं?'

'हां, पर इससे यह न कहिए कि अफीम के दुर्व्यसन की जड़ जम गई है, देश उसे बढ़ने दे रहा है। और बच्चों का अफीम न खिलाने के प्रस्ताव में ता मिलों में काम करनेवालों में शिक्षा-प्रचार करने का सवाल है, दवा-दारू का सवाल है, त्रिथों का मिलों में कितने समय तक काम करने देना चाहिए—यह सवाल है।'

#### मद्य-निषेध

ए०—'मुझे तो यही मालूम होता है कि जब आपने अस्पृश्यता, हि. मु. ऐक्य और खादी का त्रिविध कार्यक्रम रचा तब मद्य-निषेध को भूल ही गये।'

'ना, भूल नहीं गया। बात यह कि देश को अब इस विषय में नये सिरे से कुछ बताना बाकी नहीं है।'

ए०—'भ्रष्टी, अफीम-बंदी-संबंधी साहित्य में लोगों को दिल चरपी पैदा कराना असंभव हो गया है।'

'सो तो यदि आप और मैं दक्षिण और पूर्व आफ्रिका के संबन्ध में लिखना बंद कर देगे तो लोग उनमें भी अनुराग लेना छोड़ देंगे। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों को समझाना है। पर आप इस बात को भूलते हैं कि मद्य-निषेध का काम आज भी हो रहा है। जहाँ जहाँ खादी ने अपना पड़ाव डाला है वहाँ वहाँ उसके साथ यह शुद्धि-कार्य भी शुरू हो गया है। बोरसद, रामेसरा, बारकोली में जाकर यदि आप देखेंगे तो खबर पड़ेगी। खादी के केन्द्र के आपपान शराब-बंदी तथा दूरे समाप्त आरम्भ-शुद्धि के कार्य भी हो रहे हैं।'

#### कनॉई को धर्म-कार्य बना देंगे?

ए०—'पर यह बात मुझे नहीं ज़बर्ती कि आप खादी पहनने या सूत कानने को एक धर्म-कार्य बना दें। लोग खादी न पहनने वाले और न काननेवाले लोगों का बहिष्कार करेंगे।'

'हां, धर्मकार्य तो यह अवश्य रहेगा। इराक़ भारतवासी यदि इसे धर्म-कार्य न बना डाले तो उससे देश का क्या कोई काम होगा? पर इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि खादी न पहनने वालों का बहिष्कार किया जाय। हम खादी न पहननेवाले के गले मिलें, उसके साथ प्रेम करें और प्रेम-पूर्वक यदि उसे समझा सकें तो खादी पहनने के लिए समझावें—निंदा कर के हरगिज नहीं। हां, मैं यह आशा तो रखता हू कि न पहननेवाले का बहिष्कार या उसपर अत्याचार न होगा। ऐसे अत्याचारों के हो लिए तो २१ दिन तक उपवास किया। अब भी खग न समझेंगे? किसी भी काम में यदि बहिष्कार ही ज़रूरत पड़े तो वह सिर्फ एक ही कित्त का हो सकता है—उससे किसी तरह की सेवा न लें या कोई लाभ न उठावें। मैं चाहूंगा कि शराबी का ऐसा बहिष्कार किया

जाय। पर खादी न पहननेवाले या न काननेवाले के साथ हरगिज नहीं। क्योंकि शराब पीना जिस तरह का पाप है, विलायती कपड़े पहनना वैसा नहीं।'

'मेरे दिल को बड़ी शान्ति हो रही है। आपके इतने खुलासे से मुझे बड़ा मन्तोष हुआ। पर खादी को एक नीति की कसौटी बना देना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक मित्र मुझे लिखते हैं कि मैंने खादी पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि वह भले आदमी कहलने का एक सस्ता साधन हो गया है।'

'यह उस मित्र की भूल है। कोई यदि पाखण्ड करे तो क्या हमसे मैं उय बान को करना छोड़ दूं जो मुझे अच्छी लगती है। यह ऐसी ही बात हुई कि यदि कोई सत्य का ढोंग करे तो उससे मैं झूठ बोलने लगूं।'

#### 'शुद्ध'—'अशुद्ध'

ए०—'पर आप 'शुद्ध' और 'अशुद्ध' ये शब्द खादी की परिभाषा में से नहीं निकाल सकते?'

'कपड़े को तो 'शुद्ध' 'अशुद्ध' बहूंगा। भारतवासी के शरीर पर विदेशी कपड़ा 'अशुद्ध' होगा। यदि वह विलायत में हो तो वही 'अशुद्ध' न मानूंगा। परन्तु अशुद्ध कपड़े से मनुष्य अशुद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार शुद्ध कपड़े से अशुद्ध जीवन शुद्ध नहीं माना जा सकता। शुद्ध कपड़े से—खादी से जो आर्थिक लाभ है वह तो ज़रूर होगा। इसीसे बेरया भी शुद्ध खादी पहन सकते हैं और उस हद तक देश में आनेवाला विदेशी कपड़ा रोक सकती है।'

ए०—'आप विदेशी कपड़े को जो अशुद्ध कहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता।'

'सो मैं जानता हूँ। यह हमारा मतभेद भले ही बना रहे। देहली के मैदान की हवा भर कर थिमला पर रहनेवाले के लिए भेजे तो वह उसके लिए अशुद्ध होगी। विदेशी वस्त्र इस अर्थ में और इसी तरह अशुद्ध है।'

ए०—'पर वह मेरी समझ में नहीं आता। परन्तु आपके दूसरे खुलासों से मैं बड़ा प्रमत्त हुआ।'

उपवास के पहले तो ऐसी रंगत गांधीजी हर किसी के साथ करते थे। उपवास के बाद इतनी लंबी चर्चा—१० मोतीलाहजी के साथ की चर्चा का छोड़कर—यह पहली ही है। यह बात नीत उसके महत्व की दृष्टि से तथा यह दिखाने के लिए भी कि अब इतनी शक्ति गांधीजी में अगई है, यहाँ दे दी है।

भावी कार्यक्रम शक्ति आने पर आधार रखता है। शक्ति आते ही पहले कोहाट जाने का इरादा रखते हैं।

(नवजीवन)

महादेश हरिभाई देशाई

रु. १) में

१	जीवन का सद्यय	॥)
२	लोकमान्य के धदाजलि	॥)
३	अपमि अंक	१)
४	हिन्दू-मुस्लिम तनाजा	७)

१॥)

चारों पुस्तके एक साथ खरीदने वाले को रु. १) में मिलेगी। मुख्य अभीआर्डर से भेजिए। को. पी. नहीं भेजी जाती। डाक चार्ज और पैकिंग चार्ज के ०-५-० अलग भेजना होगा।

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर



# हिन्दी-नवजीवन

रविवार, कार्तिक वद्य ६, संवत् १९८१

## असहयोगी का कर्तव्य

आगामी महासभा में शायद असहयोग मुन्तवी हो जाय। पर हमसे यह न समझना चाहिए कि असहयोगी मुन्तवी हो गया। सब पूछिए तो मुन्तवी हुआ है असहयोग का आभास-भाव। जहाँ प्रेम है वहाँ सहयोग और असहयोग दोनों वस्तुतः एक ही। बेटा बाप के साथ अथवा बाप बेटे के साथ चाहे सहयोग करे चाहे असहयोग, दोनों प्रेम के फल होने चाहिए। स्वार्थ के बन्धी-भूत होकर किया सहयोग, सहयोग नहीं घूस है। द्वेष-भाव से किया असहयोग गद्द पाप है। ये दोनों त्याज्य हैं।

जो असहयोग १९२० में शुरू किया गया उसके मूल में प्रेम भाव था—भले ही लोग उसे न जानते हों, भले ही लोग द्वेष से प्रेरित हो कर उसमें शरीक हुए हों। फिर भी नमाम लेता यदि उसके मूल स्वरूप को समझे होते और उसके अनुसार चले होते तो जो कटु परिणाम निकले है वे न निरालते।

हम शान्त असहयोग का रहस्य समझे नहीं। इसीसे वैर-भाव बढ़ा और अब करनी का फल भोग रहे हैं। जिस वैर-भाव से हमने अंगरेजों के साथ असहयोग अंगीकार किया नहीं अब हमारे आपसमें फैल गया है।

यह वैर-भाव अकेले हिन्दू-मुसलमानों में नहीं, बल्कि महायोगियों और असहयोगियों में भी व्याप्त हो गया है।

इस कारण, असहयोग के इन कुफल को रोकने के लिए, हमें असहयोग मुन्तवी रखना पड़ता है। असहयोग मुन्तवी रखने का अर्थ यही नहीं है कि बकील यदि फिर से बकालत करना चाहें और विद्यार्थी सरकारी मदरों में जाना चाहें तो बिला शर्म के बकील बकालत कर सकें और विद्यार्थी सरकारी मदरों में जा सकें। सब पूछिए तो जो बकील और विद्यार्थी असहयोग के सिद्धान्त को समझ गये होंगे वे न तब तक किसे बकालत करना चाहेंगे और न फिर सरकारी मदरों में भरती लेंगे। बल्कि असहयोग के मुन्तवी करने का फल तो यह दिखाई देना चाहिए कि हमें पलायन नये, असहयोगी सहयोगी के गले मिले, उन्हें प्रेम से जीते, उनका द्वेष न करें, वे कृषी से सरकार की सहायता लेते रहें, उदाहरणों में बकालत करते रहें, सरकारी नौकर हों या धारामग में जाते हों। उन सब के साथ असहयोगी मिले-जुळे। उन सब की मदद हिन्दू-मुसलमान झगड़े निपटाने में, अस्पृश्यता दूर करने में, विदेशी कपड़े का बहिष्कार कराने में, शराबखोरी मिटाने में, जमीन का पुम्बसत दूर करने में तथा ऐसे अनेक कामों में मदद ले और दें।

ऐसे कामों में असहयोगी को पहले कदम बढ़ाना होगा। उसमें असहयोगी की कला, विवेक, सौजन्य, क्षान्ति और नम्रता का परीक्षा होने वाली है। सहयोगी को प्रेम से जीतने में असहयोगी को योग्यता की कसौटी है। एक तरफ से झूठी छुशामद से बचें और दूसरी तरफ से जाकलत से बचें। इन दोनों बातों को साधने के लिए पहला पाठ है हम सब का एक होना। ईश्वर हमारे सहायता करें।

कार्तिक व. ३  
बुधवार

मोहनदास गांधी

## कताई की शर्त

महासभा की गद्ययना की पात्रता मूल-कताई को बनाने संबंधी मेरे प्रस्तावों पर जो आक्षेप किया जा रहा है उसका सारांश यह है—'यदि कताई एक ऐच्छिक त्याग रूप ही तो बहुत ठीक; परन्तु उसे मत देने की पात्रता के तौर पर रखना तबालत-तलब है।' मुझे खेद के साथ जवाब देना है कि इस आपत्ति को चुन कर मैं दग रह जाता हूँ, क्योंकि आक्षेपकारों का आक्षेप कताई पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि यह एक शर्त है, शर्त है। पर ऐसा क्यों होगा चाहिए? यदि शर्त के रूप में पात्रता अर्थात् शर्त लगाई जा सकती है तो फिर काम के रूप में क्यों नहीं लगाई जा सकती? क्या स्वयं कुछ शारीरिक श्रम करने की बन्धितता पैसे दे देना ज्यादा सम्माननीय है? क्या किसी श्रमपात्र-विधेक शर्त में इतना सदस्य के लिए मद्यमान-त्याग का बिककुल अनिवार्य होना तबालत-तलब है? क्या किसी जहाजी बेटे में इतना सदस्य के लिए कुछ जहाजी पात्रता का आवश्यक रखना कठरायी है? अथवा उदाहरण के लिए, अग प्रान्त में कहा कि कुछ कौशल राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए आवश्यक समझा जाता है, इतना सदस्य के लिए यह लाजिमी होना कि वह उधियार चलाना जानें तो क्या यह विपत्तिकर है? यदि इन तमाम प्रसालों में पूर्वोक्त कर्तव्यों को रखना कठरायक नहीं है तो फिर हमारी भारतीय राष्ट्र महासभा में कताई की और खाड़ी के टिकास की जो कि एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, मतदाताओं की पात्रता रखना, या दूसरे शब्दों में सदस्यता की पात्र रखना, क्यों कर दुखदायी हो सकता है? क्या यह कताई और खाड़ी को सर्वजन प्रिय बनाने का शौर लोगों के जहननधीन करने का सबसे नासाय तरीका नहीं है? हाँ, यह बात सच है कि मेरी यह दलील सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि इस बात को परत आवश्यक मानते हैं कि भारत कम से कम कपड़े के मामले में तो स्वायत्तता ही जाय और सा भी मुख्यतः बरखे और शोध-करधे के द्वारा।

( यं० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## इलाहाबाद और जबलपुर

मेरे पत्रात और एकना-परिषद के होने हुए भी इलाहाबाद और जबलपुर में क्रमाद और सारपीठ हुई है। यह क्या तो किमीने भी न दिया था कि सार्नी परिषद थपा उपवास के आद से तमाम दगे एउदग बन्द हो जायगे। पर मैं इतनी आशा जबर रखता हू कि अखबारनयान लोग ऐसे दगो के बारे में कलम रोक कर जोर पक्षपात छाड़ कर लिखेंगे। मैं यह भी आशा रखता हू कि दोनों जातियों के और तमाम दर्जा के अगुआ उनके अवली कारणों को खोज निकालने में, उनका उपाय करने में और सर्वसामाज्य के सामने सही जगोरा प्रकाशित करने में परस्पर स-योग करेंगे।

## गुरुकुल कांगड़ी

बाद में तो इस साल चारों ओर सत्यानाश कर मारा है। गुरुकुल भी, जो स्वामी ब्रह्मचर्यजी के धर्म और आत्म-त्याग-पूर्वक विवेक गंधे प्रयत्नों का कर्ति-चिह्न है, गंगाजी की बाढ के शिकार होने में नहीं बचा है। उनक तथा उस महान् सस्था के स्वयंस्थापक और विद्यार्थियों के साथ मेरा हृदय गहरी गहानुभूति प्रदर्शन करता है। मुझे आशा है कि बन्दे के लिए की गई अपील-का उत्तर लोग तुरंत ही उदारता-पूर्वक देंगे।

( यं० ६० )

मो० क० गांधी

## भारत-राष्ट्र का स्वभाव-लेख

प्रमादी मनुष्य को एक बार पढा पाठ बार बार पढना पडता है। अन्यथा दुनिया के तमाम धर्मों को आश्रय देनेवाली इस भूमि में धार्मिक स्वतन्त्रता का पस्ताव फिर से एक बार पास न करना पडता। स्वयं भारतवर्ष को एक सर्व-धर्म-परिषद् ही समझिए। बामकोडिगामा के आने के सैकड़ो साल पहले से इस देश में ईसाई-धर्म को आश्रय मिला है। और महम्मद बिन कासिम के सिंध पर चढाई करने के पहले इस्लाम का पचार इस देश में हुआ है। ईरान के प्राचीन धर्म को तो इस देश के सिवा अन्यत्र कहीं स्थान ही नहीं है। और यहां राजालोग राज की भवितव्यता के साथ इतने एक-रूप हो गये थे कि प्रजा के धर्म में ही वे अपने आभासन को खोजने थे। हिन्दुस्तान के अनेक राजा केवल इसी बात का विचार करके सन्तुष्ट नहीं हो रहते थे कि प्रजा का ऐहिक सुख किस बात में है? परन्तु वे इस बात का भी ध्यान-पूर्वक अच्छा अच्छा अध्ययन करते थे कि अपनी प्रजा की धर्म-जिज्ञासा किस प्रवाह में बह रही है और आत्म-दर्शन की यात्रा किस हद तक पहुँची है। उपनिषत्काल के मिथिलेश और काशी-नरेश से लेकर हर्ष, समुद्रगुप्त और अकबर तक और अकबर से लेकर आजकल के नामधारी राजाओं तक हिन्दुस्तान के राजपुरुषों ने धर्म-चिन्तन और धर्म-वर्चा में अनुराग रक्खा है। जिस समय अन्य देशों में धार्मिक मल-भेदों के कारण धर्मोन्मत्त लोग असीम मनुष्य-वध करते थे उस समय भारतवर्ष के लोग तर्क, कल्पना और अनुभव को भरसक दौकाकर उदारता से धर्मपरिक्षीलन करते थे। इस राष्ट्र-स्वभाव का विरोध राजाओं की ओर से नहीं होता था— बल्कि उलटा दार्दिक प्रोत्साहन मिलता था।

भारतवर्ष में धर्म-वर्चा तो भारत के आरंभ से ही चली आ रही है। परन्तु यह कह सकते हैं कि संगठित धर्म-प्रचर अगवान बुद्ध के अनुयायियों ने ही शुरु किया। सब लोग इस बात को जानते हैं कि इन धर्मप्रचरकों में देवानामित्र अशोकवर्धन का नाम अग्रगण्य है। उन्होंने हिन्दुस्तान के चारों कोनों में घूरे घूरे तक धर्मोपदेशक भेजे थे और वे मानते थे कि धर्म-प्रचार ही मेरा और मेरे राजत्व का अन्तिम साफल्य है। और इस तरह विचार करके मानों भारतवर्ष के हजारों वर्षों का भविष्य जानते हों, उन्होंने धर्म-सहिष्णुताबोधक कई एक शिलालेख आज से कोई बार्ह हजार वर्ष पहले भारतीय इतिहास के साक्षी-रूप पहाड़ी पत्थरों पर खुदवा रखे हैं। वह उपदेश अशोक के काल में जिनका पथ्यकर था उतना ही आज भी है। २२०० वर्ष के विशाल अनुभव के बाद भी उसमें एक भी शब्द घटाने या बढाने लायक नहीं है। पाठक खुद ही इस बात को देख लेंगे। अशोक का यह शिलालेख क्या है मानों इस सनातन राष्ट्र का स्वभाव-लेख है। इसी तरीके से भारत की उन्नति हुई है और इसी तरीके से अब भी वह उन्नत होगा। इतिहास और मानव-हृदय धोक्णा करके कहते हैं कि इसके खिलाफ प्रवृत्ति इस देश में टिक ही नहीं सकती।

“देवानामित्र मियदर्शी राजा (अशोक) सर्व धर्म के साधुओं तथा गृहस्थों को दान द्वारा तथा अन्य विविध प्रकार से पूजता है। परन्तु राजा दान और पूजा को इतना महत्व नहीं देता जितना सब धर्मों की सारवृद्धि को। सारवृद्धि अनेक प्रकार की होती है—परन्तु उसका मूल वाणी का संयम ही है। और वाणी का संयम क्या है? हम अपनी भाषा पर इतना कब्जा रखें कि जिससे अपने ही पंथ की स्तुति और दूसरे के धर्म की निन्दा न होने पावे। धर्म-वर्चा के सहस्र

प्रसंग के सिवा जब चाहें तभी अपने धर्म की सुन्दरता और दूसरे के धर्म के दोष दिखाने से हमारी हीनता ही प्रकट होती है। जिस समय जैसा प्रसंग हो उस समय उस प्रकार से परधर्म का आदर करना ही उचित है। ऐसा करके मनुष्य अपने धर्म की आत वृद्धि करता है और दूसरे के भी धर्म की सेवा करता है। ऐसा न करके मनुष्य अपने भी धर्म को तोड़ता है और दूसरे के धर्म को नुकसान पहुँचता है।

मनुष्य जब अपने धर्म की स्तुति करता है और दूसरे धर्म की निन्दा करता है तब वह यह अपने धर्म के प्रति अकि-भाव से प्रेरित होकर ही करता है। उसके मन में होता है कि चलो अपने धर्म को कठिया करके दिखावें। पर ऐसा करते हुए वह अपने ही धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाता है, अपने ही धर्म का भारी घात करता है। अच्छी बात तो यही है कि सब धर्मों में प्रेम भाव हो, सब मिल-जुल कर रहें—मानों एक कुटुंब हो। ऐसा होने से जुड़े जुड़े पंथ वाले लोग धर्म का उपदेश सुनते हैं। और उसका पालन करने हैं।

अशोक राजा की खास इच्छा है कि सब पंथ के लोग बहुश्रुत हों और उनका ज्ञान कल्याणकारी सिद्ध हो। भिन्न भिन्न धर्मों के पारस्परिक झगडे तभी मिट सकते हैं जब बहुश्रुत होने के कारण मनुष्य के विचार की अन्धता दूर हो जाती है और मनुष्य की विद्वता समाज को कल्याण की ओर ले जाती है। यह बात जिन्हें पसंद हो उन्हें लोगों को समझाना चाहिए कि अशोक राजा दान या पूजा को इतना महत्व नहीं देता जितना सब धर्मों की सार-वृद्धि को अर्थात् कल्याण करने की शक्ति को। इसीलिए उन्होंने धर्म-महामाध नियुक्त किये हैं, स्त्रियों के लिए उपदेशक नियुक्त किये हैं, प्रात्यभूमिक नियत किये हैं और दूसरी समायें भी स्थापित की हैं। इसका फल यह है कि हर एक के धर्म की भी वृद्धि हो जाय और धर्म की विजय हो।”

( नवजीवन )

दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

एक वृद्ध

एक रोज गांधीजी की तसबीरों की बात चली, तब एक मित्र ने कहा था “सुझे तो उनकी उस चक की तसबीर सब से श्रेष्ठ मालूम होती है जब वे दक्षिण आफ्रिका की जेल से रिहा हो कर निकले थे। शरीर सूख कर काँटा हो गया था। आँखों में गहरी दया और कठना मरी हुई थी और उनके चहरे से निश्चय प्रकट हो रहा था।” जब २१ दिन का व्रत लिया तब गांधीजी ने दो संकल्प किये थे; रोज आश्रम को एक पत्र लिखना और आखिर तक आध घंटा कातना। जिन्होंने आखिर के दिनों में उन्हें कातते देखा है वे उस पत्र को भुला नहीं सकते। जब वे जेल में से निकले तब चल-फिर सकते थे। लेकिन इस चक तो वे केवल कातने के लिए ही बिछौने में उठ बैठते थे। देश के समस्त वायु-मण्डल की छाया दधाने वाला उनका चेहरा, इसीस दिन के उपवास से प्रतिदिन आँखों में अभिकाधिक प्रकट होने वाला अटक आत्मा का प्रकाश, शक्तिहीन घुरमुदवाले किन्तु चरखा कातने का आग्रह रखने वाले हाथ—मानों यह भारतवर्ष का ही एक कल्प चित्र था; यह कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी। जिस भारतवर्ष में, सब सम्पत्ति खो दी है, अपना देज और जीहर खो दिया है वह आज भी आत्मा का नूर बचाये हुए है। जितने आग्रह से इस प्रकाश का रक्षण किया जावेगा उतना ही मधुर फल प्राप्त होगा।

( नवजीवन )

## टिप्पणियाँ

### आशा की किरणें

ऐक्य-परिषद् निरर्थक न हुई। उसने जो कुछ भी किया है उसका अमूल्य हो तो भी बहुत है। गांधीजी के प्रायश्चित्त का असर बहुतेरे स्थानों में पाया जाता है। गांधीजी के प्रायश्चित्त के संबंध में 'स्टेट्समैन' पत्र में जो लेख प्रकाशित किये गये हैं वे सामान्यदार्ढ्य दिखातेवाले हैं। उसके संपादक ने गत ८ ता० की अर्थात् पारणा के दिन 'ऐक्य अंक' निकाला था। उसमें अनेक देश नेताओं के और गवर्नरों तथा बाइसराज और स्टेट सेक्रेटरी ने भी संदेश भेजे हैं। 'इंग्लिशमैन' पत्र ने भी जो हमारी सब हलचलों का सिर्फ मजाक उढाया करता था, गांधीजी के उपवास के संबंध में बड़े गम्भीर भाव से लिखा है—

"हम आशा करते हैं कि हिन्दू-मुसलमान-ऐक्य के लिए ही अब महात्माजी अपना उपवास छोड़ देंगे। हम जानते हैं कि वे उसे प्रायश्चित्त समझते हैं। यह प्रायश्चित्त बड़े ही उदार आशय से किया गया है। लेकिन उन्होंने जो शक्ति उत्पन्न की उसके परिणाम स्वरूप यदि मित्र मित्र जातियों में झगड़े हुए हों तो उन्हें उन लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए जो उस शक्ति को शांत कार्य में लगा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके उपवास से जो कुछ भी बाह्य असर होना था वह हो गया। अहिंसावादी होने के कारण अब उन्हें उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। गांधीजी की अहिंसा-विष्ठा अम्यमिथारिणी है, इसमें किसीको कुछ भी शुबहु नहीं।"

उपवास के संबन्ध में बहुत से अंधों के और ईसाइयों के पत्र आये हैं और अभी आ रहे हैं। कुछ ईसाई ऐसी अभिलाषा रखते हैं कि हजरत ईसा की महरबानी गांधीजी पर उतरे और आखिर को उन्हें ईसाई धर्म में शांति मिले और कुछ गांधीजी के प्रायश्चित्त का रहस्य समझ कर ऐसा प्रार्थना करते हैं कि वह सफल हो। शिमला से एक अंग्रेज सज्जन लिखते हैं—

"आपके 'धेय-ऐक्य-के संबंध में क्या भारत का 'ईसाई धर्म-सब' कुछ सेवा कर सकता है? यदि वह कर सके तो उसे किस तरह काम करवा होगा, कृपा कर लिख भेजें। संयम के द्वारा ऐक्य साधन करने की आपकी अभिलाषा को मैं खूब अच्छी तरह समझ गया हूँ। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में यदि आप कुछ लिखने की महरबानी करेंगे तो उपकार मानूंगा।"

एक यूरोपीय ईसाई बहन के जो पत्र आये हैं वे इतने निजी तौर पर लिखे गये हैं कि प्रकाशित नहीं किये जा सकते। फिर भी उनके निमिक्त प्रेम को दिखाने के लिए उसमें से कुछ वाक्य बहा देता हूँ। श्री एण्डयूज की यह बहन लिखती हैं—

बापूजी यदि न हों तो देश के लिए मुझे कुछ भी आशा न रहेगी। किन्तु अभी मेरी आशा नष्ट नहीं हुई और आज (दूसरी ता०) से बापूजी को पारणा होने तक मैं भी उपवास करती। हे ईश! हम पर क्या कर, हमारे हृदय को नवीन कर दे, उसमें से अप्रेम को निकाल कर प्रेम भर दे। और हम लोग जो सिर्फ नाम-मात्र के ईसाई हैं, ईसा का अनुकरण कर सच्चे ईसाई और जगत में शान्ति स्थापित करने वाले बनें।

गांधीजी के नाम के पत्र में मृत भोजन लिखती है—

'मेरे प्रेम और प्रार्थना के विह-स्वरूप यह मृत भोजन रही है यह नहीं कि इतना ही काता है, काता बहुत है—अपना कर्तव्य करने का प्रयत्न कर रही हूँ। लेकिन यह तो देव-कृपा है। इसका उपयोग अनुप्य नहीं, देव कर सकते हैं, इसलिए यह आपके लिए ही भेजा है। यह मृत मेरी बाकी के कपास का है। प्रजात समय में देवी अधुओं से भीगे कोमल कपास की अपने हाथ से तोडा, बिनौके

निकाके और यंत्र के मलिन स्पर्श से उसे बचा कर यह मृत निकाल कर भेज रही हूँ। उसे कातते समय मैं जप कर रही थी। अब उसे मैं अपने आंघुओं से भी मिंगाती हूँ, क्योंकि आपका और भारतवर्ष का क्याल आने से मेरे हृदय में भंग हो रहा है।'

### और अधिक धर्म-विह्वन

इस अपूर्व प्रेम का उल्लेख करते हुए इन २१ दिनों के उपवास दरम्यान और भी अनेक प्रकार से जो प्रेम की पृष्टि हुई है उसका भी बिक्रम यहाँ किये उता हूँ, सैंकड़ों तार हिन्दू-मुसलमानों की तरफ से आये हैं। इसके अलावा ऐसी अभिलाषा प्रकट करनेवाले पत्र कि गांधीजी के उपवास निर्विघ्न समाप्त हो और उससे अच्छा फल निकले, इतने अधिक आते हैं कि उन सब को पढ़ना भी मुश्किल होता है। पत्र से भी अधिक मूर्त विह्वन भेजनेवाले भी कम नहीं। एक बंगाली बहन लिखती है— "मैंने अपने पति की आज्ञा लेकर उपवास शुरू किये हैं, जितने हो सकेंगे उतने कसंगी। चरके को तो मैं अपना, जान भी सौंप दूंगी। मैं और मेरे पति शेष सब उपवास करें तो क्या आप उपवास न ताँकेंगे?" नौ—इस-और नेरह बंधे के तीन बालक शिवनिमित्त भोजन कर लिखते हैं "आप न होंगे तो हमें अच्छा बनना कौन सिखावेगा? आप साधु हैं।" एक मुसलमान बहन ने उपवास के बाद सुरत ही छः सात सेर मृत भेजा है। एक ईसाई भाई ने ६ सेर मृत भेजा है। बंगलौर के एक बड़े सरकारी नौकर के घर की एक बालिका ने बड़ा अच्छा मृत भेजा है। पूना में ऐसे पत्र आते थे कि हम इतने दिन गायत्री का अक्षण्ड जप करेंगे, वैसे अब भी आ रहे हैं। डाक्टर और वैद्य अपने योग्य उपयोगी सूचना और सेवा मांग रहे हैं। इन सब को भुला दे ऐसी वस्तु तो एक अंध बालक का भेजा अपना काता मृत है। मैमनसिंह से एक सज्जन लिखते हैं "मैं ६० वर्ष का हूँ। आनका चरखे का संदेश मुझे बहुत परसद आया है। मैं तीन वर्ष से कात रहा हूँ, अतिशय अन्धा से नियमित कात रहा हूँ। मेरा तो यह अटल विश्वास है कि यदि हम सब चरखा चलाने की प्रतिज्ञा करें तो सिर्फ चरखा ही हम सबको एक कर सकता है।"

जब से उपवास शुरू हुआ तब से उसकी समाप्ति तक-करीब करीब समाप्ति के दिन तक-उपवास बन्द करने की प्रार्थना करने वाले तार आते ही रहे। दीर्घायु चाहनेवाले और "आपका कल्याणकारी कार्य सदा जारी रहे" इस मतलब के तार तो अब भी आ रहे हैं। इन तारों के भेजनेवालों में सभी कौमें आ जाती हैं। उपवास के बाद भी मुबारकवादी देनेवाले और दीर्घायु चाहनेवाले तारों का आना अभी जारी है। इसमें से पारसी कौम का नाम लिगे बिना कते रत्ता जा सकता है? अनेक जगहों से—जहाँ जहाँ उनकी बस्ती है, उनके तार और पत्र आये हैं। गरीब अंत्यज माहयों में भी इस प्रयत्न पर तार करना ही उचित समझा। तार का इतना खर्च? इसका विचार करते ही ईसा ने जो उतर अपने पर इस छिड़कनेवाली ली की टीका करनेवालों को दिया था, याद आता है। इन सब सुमेच्छाओं-सर्षी आरोग्यप्रद सुमेच्छाओं के लिए गांधीजी सबके अत्यन्त ऋणी हैं।

कातनेवालों के-नये कातनेवालों के भी पत्र आ रहे हैं। बहुतों ने उपवास के बाद कातने के मत लिये हैं। बहुत सी जगहों से मृत भी आया है। मृत भेजनेवालों से यह प्रार्थना है कि अब वे मृत भेजने का केवल एक पत्र ही गांधीजी को लिख कर मृत सीधा नाबरमती भेज दिया करें।

**कुछ ईसाईयत**

गांधीजी का प्रेम किस किस प्रकार के प्रेम को आमत पर समझता है उसके कुछ दृष्टान्त ऊपर दिये हैं। ए. ए. यूरोपीय ईसाई महान के पत्र का कुछ अंश उद्धृत किया जा चुका है। एक दूसरे यूरोपीय ईसाई लिखते हैं -

“ मुझे इस बात का बड़ा दुःख है, कि इस देश में अपनेको ईसाई कहलाने वाले बहुत से ईसाई प्रेम के संबन्ध में उदासीन रहे हैं, और दूसरे धर्म के भारतवासियों के साथ सहयोग करने से अलग रहे हैं। आपकी नवधर्मियों के कारण ऐसे अनेक ईसाईयों के हृदय में अपनी इस उदासीनता के लिए लज्जा उत्पन्न हुई है, और उन्हें अपने कर्तव्य का म्याल हुआ है। इस बुधवार को ईसाई लोग हिन्दू-मुसलमान भाइयों के साथ खड़े रह कर देश के पुनरुद्धार की प्रतिज्ञा करेंगे।”

एक महाराष्ट्रीय भाई लिखते हैं, “ आप तस्वी हैं। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है ‘ तपो नानशनात्परम’।” अनशन से बच कर कोई तप नहीं। एक दूसरे महाराष्ट्रीय भाई लिखते हैं “ आपका मत भीति उत्पन्न करानेवाला था, किन्तु आपकी कारणशक्ति मुझे इतनी सुसंगत मालूम हुई कि एकान्त में जाकर आपके साथ परमेश्वर की प्रार्थना के उद्देश से मैं समर्थ रागदाम मदागज व समाधिस्थान के पास सज्जनगढ़ में आकर प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रयाग के एक सज्जन और उनकी पत्नी के पत्र में जो कथना है उसकी तो सीमा ही नहीं है। “ आप न होंगे तो अपनी पुरातन अभ्यन्ता का क्या होगा? हमपर क्या कीजिए, अकर्ण्य रह कर, नेत्रेण्यो की तरह यहाँ पड़े रहने में हमारा हृदय फटा जा रहा है। अभद्र हो कर मैंने और मेरी पत्नी ने अपने शहर से खुद निकाल कर उससे निष्का है। जो खुद हृदय में का रहा है, वह इसी तरह प्रकट किया जा सकता है पर गमन कर प्रेमा विना है, जिगरी १४. आप शायद इस तन्त्र और रतन्त्र आत्मभारों की आर्द्र आर्द्र कथना प्रार्थना और विनय को सब मान कर स्वीकारे। नारायण! यदि बलिदान की इच्छा है तो हम जैसे भक्तों को आका ही जग। हमें आशा है सौ-पचास आदमों केक्य आ आभके नाम पर अपने प्राणों की बलि प्रयत्न के दोगे।”

अनेक भाई और बहनों ने उपवास किये। गांधीजी ने उन्हें रोका जिन्हें रोक सके। किन्तु ही बहनों ने तो पंद्रह पंद्रह राज उपवास करके आराम से प्रारणा करने की स्वप्न दी है। वेदा युद्ध प्रेम क्या केवल उसके उद्भवस्थान को ही प्रभावित करेगा? नहीं। उसका प्रकाश तो चारों ओर फैलेगा उसमें कुछ भी सुबद नहीं।

**फिर डा० राय की गर्जना**

डा. राय को आज तीन वर्ष हुए गांधी जी की कान लगी है। वे खाली का ही बिचार करते हैं और स्वतंत्र के ही स्वप्न देखते हैं। उनकी कलम और वाणी का ही स्वप्न के सिवा दूसरा विषय नहीं सुझता। हाल ही प्रकट किये अपने निवेदन में वे लिखते हैं “ मुझे कितने ही बुद्धिमान लोग चरखे के पाछे पागल कहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी उमर में भी मैं आज बंगाल मसाला कार्यालय का और सात जाइन्ट रटाक कमानियों का डीरेक्टर हूँ। इसका दावा तो मैं जरूर कर सकता हूँ कि मुझे आधुनिक व्यवसाय का भी कुछ ज्ञान है। तो फिर मैं चरखे के पीछे इनका पागल क्यों हुआ हूँ? चरखे का अर्थशास्त्र क्या लेखों को मसाले के लिए दो एक सादे दृष्टान्त देने मात्र। बंगाल की बस्ती ५ करोड़ की है और यदि हर एक कुटुम्ब में पांच आदमी मान लें तो १ करोड़ कुटुम्ब हुए यदि एक कुटुम्ब में एक ही लक्ष्य है तो लक्ष्य करते और दो पैसे रोज पैसा कें तो एक महीने के १ करोड़

रुपये और साल के बारह करोड़ रुपये बंगाल पैदा कर सकता है। लेकिन पांच आदमियों में एक ही आदमी क्यों काते? अधिक आदमी क्यों न काते? बरीसाल और मेरे खुलना जिले में एक ही फसल पकती है। अपने अनुभव से मैं यह कहता हूँ कि किसान लोग सिर्फ तीन महीना काम करते हैं और नौ महीने बाते हाका करते हैं। मिक के साथ स्पष्टी का तो सवाल ही नहीं है। जो बहुतेरा समय फसल जाता है सिर्फ उसको काम में लगाने का यह सवाल है।”

रेम्से मेकडोनल्ड की पुस्तक में से कुछ वचन उद्धृत करके वे कहते हैं—चरखे को फिर घर घर में सजीवन कर दो-अकेला बंगाल ही ३० करोड़ रुपया अपनी हृद में बचा सकेगा। मेकडोनल्ड कहते हैं कि ‘यह बड़े वेद की बात है कि सरकार ने पुराने कातने और धुनने के व्यवसाय को उठा दिया और सस्ता माल उसकी जगह चलाया।’ (नवजीवन)

**सूत का कल**

अब लोग बारीक सूत भी कातने लगे हैं, यह अच्छी बात है। परन्तु आन्ध्र के महीन सूत की तरह कसदार न हो तो महीन सूत किसी काम न आवेगा। आशा है कि महीन कातनेवाले अपने सूत को कसदार बनाने में कृतकार्य होंगे। सूत की ताकत का पहला आधार है उसका एकसा कतना और एकसा कतने का आधार है पूनी की अर्थात् धुनकाई की सफाई। यह मान कर कि रुई के मोटे रेशों पर ही महीन सूत का कल अवलंबित है, महीन कातना भूल होगा। हाल ही मछलीपटन से एक ब्राह्मण महाशय ने अपने हाथ का तकली पर कता सूत भेजा है। उससे भी यही जाना जाता है कि मोटे रेशेवाली रुई से अजबूत महीन सूत अच्छा नहीं निकल सकता। यह सूत प्रायः ७० अंक का अजबूत है। हमारे अनुरोध पर सूतकार ने अपनी तकली, उसपर कांचे कोई एक तीखे सूत सहित (अंक ७०) यहाँ भेजी है। नारियल की कटोरी में उसे रख कर दहने हाथ से जुभाते हैं और बाये हाथ से चरखे की तरह सूत खींचते हैं। कपास का मूना भी इन्होंने भेजा है। वह ‘तीनी’ नामका कपास है। उसका बीज छोटा और काला है और रेशा आधा से पौन इंच तक का, पर बहुत बारीक और मुलायम है। पूनी भी भेजी है। बीज से हाथों निकाली रुई को अंगुलियों से संवार कर बनाया रेशों का एक छोटा, सा जूता ही समझिए। उसमें गर्व या ऊँची बिरकूल नहीं है। एक पुडिया में विभूति थी, वह कटोरी में रखी जाती है और कभी कभी उंगलियों में लगा कर उससे तकली घुमाई जाती है, जिससे वह और से चलती है। कताई के वेग के संबन्ध में यह कहा जाता है कि चरखे की ही गति के बराबर है; पर उसे लपेटते हुए अलवने देर होती है। इस सूत का कल अच्छा है। जहाँ जहाँ महीन कातने का प्रयत्न हो रहा है वहाँ कम अच्छा काने की और अधिक ध्यान दिलाने के लिए यह सविस्तर वर्णन किया है।

(नवजीवन)

य. सु. गांधी

**एजेंटों के लिए**

“हिन्दी-नवजीवन” की एजेंसी के नियम नीचे लिखे जाते हैं—  
 १. किसी पेशगी एजेंट को किसीको प्रतिष्ठा नहीं भेजी जायगी।  
 २. एजेंटों को प्रति कपी १) कमीशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम से अधिक रूने का अधिकार न रहेगा।  
 ३. १० से कम प्रतिष्ठा भ्रमान वालों को डाक खर्च देना होगा।  
 ४. एजेंटों को यह लिखना चाहिए कि प्रतिष्ठा उनके पास डाक से भेजी जाय या रोक लें।



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक १४ ]

सुरक-सकायक  
 मैत्रीकाल-समकाल रूप

अहमदाबाद, अगहन बन्दी ५, संवत् १९८१  
 रविवार, १६ नवम्बर, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 सारंगपुर सरकीगरा की बगली

## कलकत्ते में गांधीजी

गांधीजी के शरीर में अभी पूरी ताकत नहीं आ पाई है। परन्तु काम तो उन्होंने पहले की तरह करना शुरू कर दिया है। वह थोड़े सप्ताह की बटमाओं तथा इस अंक में लिखे उनके लेखों से दिखाई देती है।

गांधीजी कहते क्यों गये, किप भाव से गये, इसका उल्लेख थोड़े सप्ताह में आ चुका है। अब इस पत्र में इस बात का चिन्तन करना चाहता हूँ कि उसका क्या फल निकला, क्यों निकला और किस परिस्थिति में निकला? गांधीजी ४ दिन कलकत्ते में रहे। इस बीच उन्होंने जितना काम किया उसे देख कर हर तरह का सही जवाब होना कि अब उनकी कमजोरी कितनी जाती रही। प्रातःकाल के ४ बजे से रात के ग्यारह बजे तक बेर बेर तक खीं और खर्चा करते। उससे उन्हें कितनी थकावट महसूस होती थी, जो मैं जानता हूँ। और इसका असर अब माहूम भी होने लगा है।

### स्वराजियों के साथ सम्बन्ध

पहिले ही दिन ४ ता० को देशबन्धु ने गांधीजी को स्वराजियों के मिलने का निमन्त्रण दिया और यह बताने का उनसे अनुरोध किया कि वेनाक में उत्तम परिस्थिति को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, तथा देश को क्या करना चाहिए। बड़ी देर तक मुफतागू हुई। गांधीजीने अपने उन विचारों को फिर से दोहराया जो उन्होंने वायसरॉय के सम्मुख लेख में प्रकट किये थे और सबसे अनुरोध किया कि स्वराज्य भंग के नोन्स स्थिति के अभाव में हम सम्भवतः करने में सफल नहीं हो सकते। अतएव चुप रह कर, केवल त्रिविध कार्यक्रम पर अपनी शक्ति एकाग्र करना चाहिए। उन्होंने कहा—  
 “हो सकता है कि इस तीन कार्यों में आपको कोई बात उत्साह-प्रेरक व माहूम हो, लोगों को शान्त बहुव शिथिल और मन्द कामकाज दिखाई दे। परन्तु बेहतर है कि लोग अपनी धूम-धाम की आशाओं में व्यस्त होकर हमें छोड़ दें। हम व्यर्थ के भीड़-भाड़ से जो ‘महात्मा गांधीजी की जय’ या दूसरे किसी की जय मनाते हैं, देश को इसका काम न होगा। इसका कारण जो हमारा चिन्तन है, देश को इससे और भी काम है। हम तीन बातों पर

भी हम सब सहयोग करके बल प्राप्त कर लें वही मेरा हेतु है।”

और इस बात के छिपते ही सूत कातकर मताधिकार प्राप्त करने के प्रस्ताव पर बातें चलीं। ‘बहि यह मंजूर न हो सके तो?’ ‘तो मुझे महासभा से निकल जाना होगा और स्वराजियों को काम करने देना होगा। आपने अपनी नियमनशुद्धता का बहिर्बर्ण दिया है। सरकार पर अपना ठिका बसा दिया है। हाँ, यह सच है कि मुझे आपकी नीति पसंद नहीं। पर इस बात से मैं कैसे इन्कार कर सकता हूँ कि आपने सरकार पर अपनी काय बिठा दी है। इसलिए मुझे आपके काम में बाधा-म्य न होना चाहिए। संभव है कि कइर असहयोगी मेरे इस तरह को पसंद न करें और मेरा साथ छोड़ दें। पर मैं तो आपके प्रति यही भाव रख सकता हूँ। मैं आपके साथ रुक नहीं सकता।”

परन्तु गांधीजी का महासभा से बला जाना स्वराज्यवादियों के लिए असह्य था। पर इधर वे गांधीजी की शर्तों को कुचुक भी नहीं कर सकते थे। और यह बात उन्होंने साफ साफ उनपर प्रकट भी कर दी।

‘आप कहते हैं, बरखा कातकर महासभा के सदस्य बनो। अब आपके साथ दलील करने की गुंजायश न रही। आपको जहाँ भन्दा इस बात पर है वैसी हमारी नहीं। हाँ, हम फालने की आवश्यकता के कायल हैं, पर यह बात हमें नहीं पटती कि खुद हीकी कायना जकरी है। और जब कि हमें पटती नहीं है तब हम यह शर्त कैसे मंजूर कर सकते हैं?’

फिर भी स्वराज्यवादियों के किने काम को बिगाड़ने के लिए सरकार ने उनपर जो बस गिराया है उसके विस्तार में क्या गांधीजी उन्हें कुछ भी मदद न दें? इस व्याजभाव के अवसर पर गांधीजी के नेतृत्व का कुछ भी काम उन्हें न मिलना चाहिए?

### कुसुम से भी कोमक

इस समस्या पर विचार करते करते गांधीजी संवे। ‘मिर्च के बल राम’ के सुर हृदय में गूँज रहे थे। सोचते तो रात को इस जवाब को के कर कि कर्तव्याकर्तव्य को हम उत्तम को अन्याय ही पुकलानेगा; पर प्रातःकाल को यह विचार कर के उठे कि जितना त्याग

विना या उसके करना चाहिए, जिम इत तक आकर इत ही जा सके देवी चाहिए। यदि अनिवार्य कताई महाराष्ट्र-रुह को बहुत देखा जाय तो ही तो वह अपना काता नहीं तो अके ही औरों का काता सूत कीस की जगह मेरा करे। इससे बाध्या विवते की रक्षा तो न होगी पर अधिक रक्ष तो एक होगा ही; क्योंकि हर सभ्य का कितना न कितना से ता कता कर मेरना ही होगा। यह विचार पर के उन्होंने अपनी शर्त में पूर्वोक्त परिवर्तन कर देने का विचार प्रकाशित किया। इस परिवर्तन के बाद खादी पहनने का सवाल खड़ा हुआ। पण्डित मोतोकाजी ने तथा औरों ने सब जगह और सब समय खादी पहनने को मताधिकारियों के लिए अनिवार्य करने से पैदा होने वाली कठिनाईयाँ बताईं। कितनी ही शर्तें ऐसी हैं कि जिनके बिना काम नहीं चल सकता और फिर भी वे खादी की बनी नहीं निकलीं। औरों के लिए क्या किया जाय? जाके के मौसिम में भीतर पहनने के कपड़े छुट्ट, बाह-कते हाथ-सुने ऊन के नहीं निकले। दूसरे ऐसे अनेक मोके हो सकते हैं जब खादी पहनना अथवा मिलना असम्भव है। अपवाद भी किन किन चीजों के करें? इसलिए ऐसा निश्चय बनाना चाहिए कि अमुक अमुक अवसर पर खादी के सिवा दूसरा कपड़ा न पहनें। बाहर यदि पाप से न बच सके तो सौर्यक्षेत्र में पाप न करें, बाहर यदि असह्यता से पिण्ड न छुटा सके तो अगवान् के पवित्र मन्दिर में जो प्राथिम्य को समान समझा—इस भाव से ऐसे प्रयोग निषेध किये गये खादी पर खादी न पहननेवाला व्यक्ति सभ्य न हो सके।

परन्तु सर्वोपरि विचार तो मन में रही था कि मनुष्य किस इत तक बढ़ा हो सकता है? अपने प्रति मनुष्य सभ्य से भी ऊपर हो सकता है; पर औरों के प्रति भी क्या वह इतना ऊँच हो सकता है? जब कि काम यह कहते हैं कि मेरे नेतृत्व के बिना इसका काम नहीं चल सकता तब क्या मुझे उचित है कि अपना नेतृत्व मईगा कर दूँ? अपने निश्चय से उतरे बिना यदि मैं आदेश से उतर सकता हूँ तो क्या मुझे अपना आग्रह न करना चाहिए? इन भाव से—कुसुम से भा कर्मठ भाव से—गांधीजी ने उस संयुक्त घोषणा पर अपन सहो की।

**अपरिवर्तनवादी के साथ**

परन्तु उसपर इस्ताहर करने के पहले कसबे कम बंगाल के अरविर्त-बादियों के साथ तो बहुत-कुछ बातें कर देने का निश्चय किया, और काम भी उ-से मिल। स्वराजियों के साथ मैत्री करने का मुख्य कारण था स्वराजियों पर किया सरकार का हमला-उनकी अहित परिस्थिति। यह कारण जिस इत तक सच है, इस बात पर उनके साथ बहुत देर तक चर्चा होनी रहा। इसका मा-गांधीजी ने अपने शिर्षा में बहुत अच्छा तरह दिया है। उनका दलीलों से अपरिवर्तनवादियों का संतुष्ट हुआ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने मजता के साथ एक निवेदन किया 'इसमें हमारा सिद्धान्त जाता है, रचनात्मक कार्यक्रम उभर जायगा, यह भय हमारे मन से नहीं निकलना। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप एकबारगी हम इकरारनामे पर खड़ी न कीजिए—एक मसाह तक हम पर धाम्ति के साथ विचार कीजिए, सावधमती जाकर विचार कीजिए, और फिर दस्तखान कीजिए।' अन्ततः ने इस अनुसंधान पर विचार करने का वचन दिया। पर आकर विचार किया और निश्चय किया कि स्वराजियों का संतुष्ट होना है और इस मोके पर उभरा साथ देना जरूरी है। इस निश्चय के बाद भी अपरिवर्तनवादियों का अपना स्थिति और कठिनाई की-की समझाने के लिए वे दूसरे दिन उनके मिले। इस बात का कारण कुछ विस्तार के साथ देना चाहना है—इस विचार

है कि गांधीजी के ठिठे ठेक के उपरान्त उससे कुछ अधिक प्रकाश पड़ेगा—

**मेरा त्याग**

इसकात में अपने म'भावा' को समझाने हुए गांधीजी ने कहा—'मुझे खूब अपने इस कार्य के औचित्य के संबंध में जरा भी शक नहीं है। अबतक मैं कार्यकार्यता के मभर में था। पर अब मेरा मन निश्चिन्त है। मुझे निश्चय हो चुका है कि जो कुछ मैंने किया है उससे मिन मुझसे कुछ न हो सकता था। अहिंसावादी का धर्म ही यह है—इतना त्याग कर देना कि फिर कुछ त्यागना बाकी न रहे। इससे मैं आखिरी सीढ़ी पर जा कर बैठ गया हूँ। मुझे हम इत तक त्याग करना चाहिए कि जिनके प्रतिपक्षी का यह मामूला हो कि अब तो हद हो गई—वहाँ तक कि वह त्याग से सम्मिन्त हो जाय और यह मेरा पहला अनुभव नहीं। देने—दान करने—का धर्म ही यह कहता है—इतना दो, इतना दे जाना कि कामिवाला का का कर भया जा'। हाकी कि या जा दान मैंने किया है वह वैसा दान नहीं है—उस प्रकार का त्याग नहीं है मैंने तो जो कुछ दिया है आंचातानी कर के, अपने छुने को उबार समझ का के, दिया है। धीरे, धीरे, कम कम से एक एक इंच पीछे हटा हूँ। हाँ, कितने ही कम यह या ते हैं कि मैं उनके अन्दान से अधिक आगे बढ़ गया हूँ और दे चुका हूँ।

**कौनसा त्याग किया?**

'यदि आप एक बार यह समझ आने कि असहयोग सच नहीं चल सकता तो आप एक क्षण में समझ जायेंगे कि मैं किस इत तक गया हूँ उत उतक गये बिना छुटकारा न था। मैं खादी काता हूँ तो हिंसा के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। काम के इदयस्तक में हिंसा ही हिंसा जरो हुई है यहाँतक कि असहयोग को राष्ट्रीय स्तर में जारी रखना एक धुम ही माना जा सकता है। परन्तु 'राष्ट्रीय' और 'व्यक्तिगत' में भेद है। इससे व्यक्तियों ने तो असहयोग जिम इत तक किया था उस इत तक वे खादी ही अक्षेणी, बहिन उसे तत्र देगी तो उनका मूल असहयोग अर्थात्तक कहा जायगा।

'मताधिकार के लिए सूत कातने के संबंध में बहुत चर्चा हुई है। आप मानते हैं कि मैंने बहुत त्याग कर दिया। खादी को मैंने एक शिष्टाचार-मात्र बना दिया। पर बात ऐसी नहीं है। यदि आप हिंसा देखेंगे तो मामूला दो कारण कि हम कितने आगे बढ़ गये हैं। आरंभ में खादी ही प्रतिष्ठा के अनेक प्रकार थे—छुट्ट, मेथ, इत्यादि। फिर मिन के कपड़े को तिकात्मिक सिद्धी, और खादी आई। फिर चरके ने प्रवेश किया। फिर खादी स्वयंसेवकों के लिए अनिवार्य हुई, आगे जा कर कताई का काम प्रति करना अनेकाये हुआ। हमसे आगे जा कर सब के हातमें पर खार दिया गया। फिर पदाधिकारियों के कातने का प्रस्ताव खार हुआ और आज हमने कताई का मत देने की शर्त बना दिया है।

'हाँ, यह ठीक है कि हर सभ्य-न कायेना'पर आज जो लोग कातते हैं वे इससे बंद न होंगे। उभटा उनकी संख्या आज से अधिक बढ़ेगा ही। पैसा करने कर के कितने लोग कताईने? अथात् बड़ी संख्या सा अपना ही काता सूत भेजेगी। परन्तु जिनका हद निश्चय न हुआ हो उससे हम न रदती कसे कता सकते हैं? जो हमें इसीपर सन्तोष मानना चाहिए कि वह कताई से कता कर भेज दें। और यदि अधिक सूक्ष्म विचार करें तो म'हान होगा कि हर सभ्य के लिए कताई का अनिवार्य होना सिद्धान्त की बात नहीं थी। मुझे यह भी कहना चाहिए कि यह विचार बहूतों का नहीं था, मुझ अकेले का ही था। कितने

यह कहना अनुचित न होना कि वह मेरा आदर्श था। हाँ, बहुत समय पहले हीरोन है एक महाशय ने बहर दिखा था, हर समय के लिए कताई अनिवार्य क्यों न की जाय ? परन्तु उस समय तो मैंने उसे अशुभ संज्ञा कर उसपर विचार भी न किया था। उसे मुझे वह संभवनीय मान्य हुई और मैंने उसे देश के सम्मुख उपस्थित किया। ऐसी अवस्था में मुझे सिद्धे अपने ही आदर्शों में अपनी खोबी बात में ही—कुछ त्याग करना पडा है, यत् ।

और क्या आप यह मानते हैं कि मैंने खादी को एक शिक्षाचार बना रखा है ? नहीं। यह मय भी सिध्या है। खादी पहनने का प्रस्ताव एक बात है, खादी पहनेवाला ही महाशय का संस्कार हो सकता है, यह दूसरी बात है। मत लेने का कार्य बहुत अधिक वस्तु है—उसकी शर्त भी अनिश्चित और दुसाध्य न होनी चाहिए। मि० सुहरावर्दी ५५००००० के डिप्टी मेयर कल सिर से कर तक खादी पहन कर आये थे। वे नियमित रूप से खादी नहीं पहनते। पर कल का प्रयोग उन्हें खादी पहनने के माध्य माध्यम हुआ। अब ऐसों को मैं यह किस तरह कह सकता हूँ कि आप अब अज्ञानता में जाओ तब लिबास भी खादी का पहन कर जाओ। मुझे तो यही आशा रखनी चाहिए कि जबकि राष्ट्रीय प्रसंगों पर वे खादी पहनने त केवल जिद के लिए वे आगमो मौकों पर विकस्यती अथवा मिल का कपडा न पहनने लगेगे। जो खादी हस्तेमाक करत है वे तो करते हो रहेंगे। जो कमी न पहनने वे उन्हें कुछ बात मौकों पर खादी पहन कर महाशय में जाने का अवसर मिलेगा। आज तो महाशय में जो प्रतिनिधि आते हैं वे भी खादी पहनते हैं ? आज २० की सदी लोग खादी को नहीं बल्कि मिल का पहन कर महाशय में आते हैं। इस कर्त के होने पर ऐसा नहीं हो सकता।

स्वराज्यवादिनों के साथ ए.प्र. होने का सबल निकुला। यह क्यों किया जाय, इसकी सविस्तार बर्बा गोधीजी ने अपने लेख में की ही है। उन्होंने सिफ इतनी ही पलीक पल की कि सरकार ने साह-कल्याण के विचार से तो स्वराज्यवादिनों को पकडा ही नहीं है। मेरा यह निश्चय पल पल पर दड हो रहा है कि स्वराज्यवादिनों की गहन भारने के ही लिए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उल्लंघन करते हुए उन्होंने कहा—

“मुझे विश्वास है कि मेरा यह त्याग 'यं. ह.' में प्रदक्षित मेरे आदर्श का कुछ त्याग अवश्य है, पर तब या सिद्धान्त का त्याग नहीं। पर यदि आप ऐसा समझे कि मैंने तब का त्याग किया है, आपको यह दिखाई दे कि मेरा त्याग अनुचित है तो आप मेरा पूरा पूर्ण विरोध कीजिएगा। मैंने क्या वाद पर अपना उद्देश प्रवट किया था। आज मेरा उद्देश है समाज अज्ञानता को मिटा कर सुभवस्था करना, विवाद को मिटा कर संवाद पैदा करना, मिश्रण प्रजा को एकत्र करके उसमें सामर्थ्य और निर्भयता उत्पन्न करना। मैंने यदि कोई ऐसा एक उत्पन्न किया हो कि जो केवल अशुभता को ही बढ़ाता रहे तो उसमें मेरा का अहित है। सर्वसाधारण को मैं क्षमा कर सकता हूँ, पर आप तो केवल, बहर और बर्बा दरन्वाके काम हैं। आपको यही काम करना चाहिए जो आपको मुझ आपको बताने। यह बात नहीं कि मुझसे भूल नहीं हो सकती। हाँ, आपसे अनुभव मुझे अवक है, इसके शायद मुझे कम करूँ। पर यह भी संभव है कि जो अनिष्ट भूल करता हो उससे कमी बडा भारी भूल हो जाय। संभव है कि स्वराज्यवादिनों के काम का अनुचित महत्त्व दे रहा हूँ, हिन्दू-मुसलमान-ऐक्य को आकर्षकता अधिक सपुन्य दे रहा हूँ। तो आप केवल नवीन रचना

अंधीकार कर कीजिएगा, और इसीपर आरुह रहिएगा। ऐसा कर के आप स्वयं अपना और मेरा गौरव बढ़ावेंगे। त्याग हो तब के होते हैं। अपना स्वतंत्र मत और तब-निश्चय। स्व. जोशके करते कि पहले का त्याग जनकल्याण के लिए हो सकता है, दूसरे का नहीं। इस दृष्टि से आप को रास्ता अव्यतार करना चाहें, कृपया से कीजिएगा।

इस के बाद प्युतेरे प्रश्नोत्तर हुए। उनमें से कुछ यहाँ देता हूँ—

प्र०—अब महाशय गरीबों की न रहेगी, अन्धकारों की ही रहेगी। क्योंकि अन्धकार तो हर कहीं से सून जारी लेने।

उ०—नहीं बिल्कुल गरीबों की रहेगी। गरीबों को कई कामों का काम होगा महाशय का और अपनी मेहनत से गरीबों का। सर्वसाधारण भी सून करीदगे नहीं, खुद ही कातेगे। हाँ, जो आकसी होंगे, या जिन्हें कातने से अक्षयि हामी वे ही दूसरे से कता कर लेजगे।

असहयोग किसके साथ ?

प्र०—आपने कुछ सरकार के साथ असहयोग आरंभ किया और अब उसे धीरे धीरे छोडते जा रहे हैं। पर उसके उपरान्त अब तो आप दुष्टता के साथ सहयोग करने का उच्छेस दे रहे हैं। स्वराज्यियों ने ऐसे एमे प्रपच रचे हैं और असहयोग का आह्वान किया है कि उनके साथ सहयोग किस तरह किया जाय ?

उ०—मैंने यह कहा ही नहीं कि सब जगह असहयोग किया जाय असहयोग तब करना चाहिए जब किसके कुछ कार्य में हमें हाथ बंटाने की आवश्यकता है। आपके इल्काव यदि सब ही तोभी उनकी भूटी बातों में हमें शरीक न होना चाहिए। और आप भूलते हैं कि सरकार के साथ असहयोग हमने ३० बरस सहयोग कर चुकने के बाद किया। स्वराज्यियों अथवा हमारे भाइयों के साथ तो असहयोग का प्रयोग ही अभी उपस्थित नहीं हुआ। अभी हमने उनके साथ इतना सहयोग ही कहा किया है जो असहयोग करने की औचित्य आवे ? आज तो हिन्दू-मुसलमानों के बिगडे दिलों को बनाया ही मुझे अपना काम मान्य होता है। इसी काम में सबकी सहायता चाहता हूँ। जिस दिन उनके दिल पलट जायगे तब दिन मेरी ही प्र स्वराज्य प्राप्त करने की आशा अनेक गुना बढ़ जायगी।

प्र०—आज तो हम इलवालों को भी लेना चाहते हैं और जो लोग हिंसाकारी हैं उनके लिए भी रास्ता खुला कर देना चाहते हैं, यह कैसा ? इन सबका मेल कैसे होगा ?

उ०—मुझे तो सत्य के लिए जाना है और सत्य के लिए मरना है। मैं चाहता हूँ कि लोग और कुछ नहीं तो कम से कम सच्चे और प्रामाणिक बनें। जो आदर्श स्थिति में चाहता हूँ वह यदि सबसे स्वीकृत करके तो इससे इन्म पैदा होगा, प्रामाणिकता नहीं बडेगी। आज जिस प्रस्ताव पर मैंने अपनी सही की है उससे प्रामाणिकता बडेगी। मैं सिर्फ इसना चाहता हूँ कि लोग लड़ी से छोटी प्रतिज्ञा करें और उसे पूरी तरह पाके। इसी विचार से मैं कहता था कि महाशय के संकल्प में से 'जान और उचित शब्द' निकाल दिया जाय। ६६६ की प्रतिज्ञा करके हिंसा भाव को धारण करते रहने की अपेक्षा अहिंसा की प्रतिज्ञा ही न करना क्या अच्छा नहीं है ? मेरे आह्वान यदि देश को पसंद हो तो वह उन्हें अपनाये। यदि देश उन्हें न स्वीकारे तो मैं उन्हें अपनी जेब में रख लूंगा। फिर भी जिस बातों का त्याग नहीं किया जा सकता उसका त्याग मैंने नहीं किया

# हिन्दी-नवजीवन

रविवार, अगस्त मही ५, संवत् १९८१

## समझौता

स्वराज्य के सामने जितना बुरा जना मेरे लिए संभव था उतना-मैं और मेरे मित्र जितनी आशा रखते थे उससे कहीं अधिक-कुछ जाने की शक्ति ईश्वर ने मुझे दी, इसके लिए मैं उसे बन्धनदायक मानता हूँ। इस समझौते के लिए मैं स्वराजियों का कर्णी हूँ। मैं जानता हूँ कि रचनात्मक काम पर अितना जोर मैं दे रहा हूँ उतना और बहुत से लोग नहीं देते हैं। बहुतों को महासभा के सच्य होने की बात बड़ी कठची माखम हुई है। फिर भी वेसा के लिए और देश के लिए उन्होंने उसको स्वीकार किया है। इसके लिए वे बड़े सम्मान के पात्र हैं।

इस समझौते से स्वराजी और अपवर्तनवादी दोनों की स्थिति एक-जमान हो जाती है। यदि मत देने की संघट और उसके सक्षिमाय से बचना चाहते हों तो यह अनिवार्य था। अहिंसा के मानी हैं अपने सिद्धान्त पर रट रहते हुए दूसरी बातों को नरसक अपनाया। स्वराजी दावा करते हैं कि हमारा एक एक वर्षमान्यक है। और इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि उन्होंने सरकार पर अपनी छाप डाली है। हाँ, उसकी कीमत के संबंध में कुछतक रायें हो सकती हैं किन्तु जो वस्तुस्थिति है उसपर प्रश्न नहीं किया जा सकता। उन्होंने दिखा दिया है कि उनमें निधर, एक, ताकीम और संगठन है और अपनी नीति के अनुसार दो दो हाथ करने तक की शक्ति कानि में वे हिंसापन्थी नहीं हैं। यदि आरासना में जाने की आवश्यकता का मान लें तो यह भी अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने भारतीय आरासनाओं में एक नया ही तेज डाल दिया है। उनकी इस कमक-इसक से राष्ट्र का ध्यान अपनी तरफ से हट गया है, यह मुझ जैसे के लिए अफसोस की बात है। केकिन जबतक हमारे योग्य से योग्य पुत्र आरासना-प्रवेश की नीति में विश्वास रखते हैं तबतक तो आरासनाओं का हमें अच्छे से अच्छा उपयोग किये बिना नराना नहीं। अटक अपरिवर्तनवादी शोषे हुए भी मुझे उनके प्रति न केवल सहिष्णुता दिखाना चाहिए और उनके साथ काम करना चाहिए, बल्कि जहाँ तक मुझसे कम पडे उन्हें बल भी देना चाहिए।

यदि अपरिवर्तनवादी मुख्य मतमेद का निर्णय मत के कर न करना चाहें ता वे शोष महासभा का कार्य केवल परस्पर सहिष्णुता और राणी-सुनी से ही कर सकते हैं और यदि वे लड़ना नहीं चाहते हैं तो उन्हें महासभा के अधिकारों को शोष देना होगा। यह तो मानी हुई बात है कि कोई भी एक एक दूसरे एक की सहायता के बिना काम नहीं कर सकता। देश में शोषो महत्त्व के एक हैं। गरम एक बालों के और मिसेज वेदन्ट के एक के महासभा शोष देने से महासभा की शक्ति घट गई। केकिन यह अनिवार्य था; क्योंकि वे सिद्धान्त के तौरप। असहयोग के विकल के। अब यदि संभव हो तो हमें इस फूट को आगे न बढ़ाना चाहिए। केवल मतमेद की बातों को यों ही सिद्धान्त मान कर हमें कंनपर हूँ-नू मैं-नै न करना चाहिए।

यदि असहयोग सुस्तानी रक्खा गया, जैसा कि मैं अवाक करता हूँ कि यह होना चाहिए, तो इसका स्वाभाविक नतीजा नहीं हो सकता

है कि स्वराज्य की हलचल के प्रति कुछ-भाव करा भी न हो। यदि महासभा के सरस्यों ने आरासना में जाने का विचार ही न किया होता तो क्या होता, यह कहना और उसपर विचार करना अब अनावश्यक है। हमें तो आज जो स्थिति है उसीपर विचार करना होगा और या तो अपनेको उसके अनुकूल बनाना होगा या गंभव हो तो उसे अपने अनुकूल बनाना होगा।

और आखिरी बात यह है कि बंगाल की स्थिति के कारण अपरिवर्तनवादियों को यह उचित है कि वे स्वराज्य की जितनी अधिक से अधिक मदद कर सकें उतनी करें।

कुछ अपरिवर्तनवादियों ने और दूसरे लोगों ने मुझसे कहा, 'केकिन उस हागत पर जिसमें लिखा है कि सरकार ने कान्तिवादियों पर कहीं किन्तु स्वराजियों पर ही आक्रमण किया है, आप कैसे हस्ताक्षर कर सकते हैं ? क्या आप इससे सरकार के साथ अन्याय नहीं करते ?' इससे मैं बड़ा खुश हुआ और कुछ अभिमान भी हुआ। इसलिए कि जिस सरकार को वे पसंद नहीं करते उसके साथ भी मेरे प्रभकर्ता न्याय करने की हार्दिक इच्छा रखते थे। और अभिमान इसलिए हुआ कि प्रभकर्ता मुझसे कभी लनीका और संपूर्ण न्याय की आशा रखते थे। मैंने उन लोगों के सामने यह स्वीकार कर दिया कि भूतकाक के अनुभवों के कारण सरकार के विकास में बड़ा शोषक रहता हू, विकासत और भारत के गोरे-अधरों ने मुझे स्वराज्य-दल पर आक्रमण होने के संबंध में पढ़के से तैयार कर रक्खा था, सरकार की यह जाहिरा नीति है कि बड़े बड़े लोगों पर हाथ धरक किया जाय और जो शोष कैद किये गये हैं यदि उनमें कुछ कान्तिवादी हों भी तो यह बात बिल्कुल सच है कि उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ही स्वराजियों का है। और जैसा कि सरकार कहती है कान्तिवादियों का एक बहुत बड़ा एक है तो सरकार को शोषा सिर्फ स्वराजियों को ही कैद करने का लिके, यह भी बड़े ही आश्चर्य की बात है। मैंने उमसे यह भी कहा कि कान्तिवादियों की यदि कोई बड़ी और सजीव संस्था है तो जो भयकर कान्तिवादी है वे स्वराज्य-दल के बाहर ही होंगे, अन्दर नहीं और रात को तलाशी के बक, कहा जाता है कि, पुलिस को कुछ भी इधिवार शय न लगे से। मेरे प्रभकर्ताओं ने मुझसे जबाब में जो कुछ भी कहा उससे मेरा विश्वास तनिक भी कम न हुआ और मेरा जवाब है कि मेरे प्रभकर्ताओं को मैं भी मेरे विचारों के अनुकूल यदि विश्वास न करा सका तो कम से कम मैं उन्हें यह विश्वास तो दिला सका कि मेरे विचारों के लिए मेरे पास काफी बल है और अब यह सरकार के जिम्मे है कि यह यह दिखा दे कि उसकी यह कार्रवाई बंगाल में स्वराज्य-दल के विकास नहीं है।

असहयोगी व्यक्तियों के साथ असहयोग के सुस्तानी कर देने का कुछ भी संबंध नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने विचारों पर कायम रहने का ही हक नहीं है बल्कि यदि वे अपनी जाती राय शोष देने को उनकी-कुछ नी-की-अज्ञा नू रहेयी। असहयोग कीविए, असहयोग के सुस्तानी कर देने का मतलब यह नहीं कि मैं अपने तपमे बावक मंगा लूँ, फिर बकाबारा हुए कर दूँ और सरकारों लसनाओं में अपने लडके जेजना हुए कर दूँ। इस प्रकार कोई भद्रावाण असहयोगी अपना असहयोग कायम रख सकते हैं तो वे जिन्होंने असहयोग को एक नीति के तौर पर वा अज्ञात के हुकम से अज्ञातार किया है, चाहें तो असहयोग को शोष देने के लिए स्वतंत्र हैं और उनपर किसी भी प्रकार का शोष न कर सकेगा। यदि असहयोग का सुस्तानी कर देना शोषको ही जबाब तो महासभा के किसी भी सदस्य को यह हक नहीं है।



महासभा की नीति का कार्य के तौर पर असहयोग का प्रचार करें। लेकिन उसको यह अधिकार सुकर है कि वह प्रत्येक असहयोगी मुस्लिम इच्छा तथा है तब तक जोनों को असहयोग न करने के लिए समझावे।

अब कातने की शर्त को लीजिए। मेरी तो यह इच्छा थी कि महासभा के सदस्य सब समय जादी ही पहने और बीमारी या कष्टकी की वजह को छोड़ कर हर महीने २००० गज सूत खरीदें। लेकिन यह शर्त भी बदल कर बहुत मुछायम कर दी गई है। उन्हें सिर्फ महासभा के वा राष्ट्रीय कार्य करते समय ही जादी पहननी चाहिए और जो लोग सूत कातना न चाहें वे भी सूतरे से कता कर भेज सकते हैं। लेकिन इसपर भी उनसे दूट जाने की हर तक जोर देना मेरे लिए असंभव था। पहली बात तो यह थी कि महाराष्ट्र एक को, जहर पहनने और कातने की सदस्यता की शर्त बनाने में विधि-विधान संबंधी मुश्किलें थीं और दूसरी बात यह है कि स्वराज-दक वाले सब कातने का और जहर पहनने को उतना महत्व नहीं देते। जिस प्रकार मैं मानता हूँ कि स्वराज्य पाने के लिए और विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने के लिए वे अनिर्धार्य हैं उस प्रकार वे उन्हें नहीं मानते हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में तो इस बरके मधे रूप में जादी और कातने को सदस्यता की शर्त मानना बहुत ही बड़ी रियायत थी। ऐस्य के लिए उन्होंने जो यह रियायत की उसको मैं जामार-स्वीकार करता हूँ। जिन लोगों का शर्त के बदलने से असंतोष हुआ है उन्हें यह याद रखना चाहिए कि मास-मास को चार आना की रखने के बरके सदस्यता की ऐसी शर्त और फलदायी शर्त रखना कि जिससे महासभा का हर सदस्य नहीं तक रुपये से संबंध है हिन्दुस्तान को स्वयं अपने ऊपर आधार रखने की आवश्यकता होने का अपना विश्वास साबित कर सके और वह भी हिन्दुस्तान की कातने की पुरानी कारीगरी को ताजा कर के और इस प्रकार जहाँ बन के पहुँचने की बहुत ही जरूरत है वहाँ बन पहुँचा करके, यह एक बहुत बड़ी प्रगति है।

इस ही कहा गया है कि हर शकस हर रियायत से कारदा उठावेगा और स्वराज-प्राप्त से कातने का बखल ही नष्ट हो जायगा एवं जादी पहनना सिर्फ महासभा के कार्य करते समय और राजनैतिक मौकों पर ही मर्यादित रह जायगा। यदि ऐसा पुरा नीतिवा होता होगा तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। जिन जिन लोगों का यह भावना है वे यह तो भूल ही जाते हैं कि महासभा का हर एक सदस्य सूत काते, वह तो सिर्फ एक ही शकस का खयाल था। इसने अपनी बात इस सुभरे हुए प्रस्ताव के मुकाबले में छोड़ दी है। इसलिए सुभरे हुए रूप में भी उस खयाल का सदस्यता को शर्त के तौरपर स्वीकार होना समझना गुनाहा ही है और उससे खरी से कातनेवाके की और जादी पहनेवालों की संख्या बढनी ही चाहिए।

अबना इसके यह भी याद रखना चाहिए कि गुजार के लिए सिफारिश करनेवाके वा संबंध-कर्ता प्रस्ताव करना यह एक शर्त है और उन्हें सदस्यता की अनिर्धार्य शर्त बनाना यह विशिष्टक सुखी ही बात है। सदस्यता की शर्त में कुछ भी अनिर्धार्य बात न होनी चाहिए और वह ऐसी ही चाहिए जिसका अमक भावना ही हो सके। क्योंकि यदि उसका अमक न हो सके तो सदस्यता का एक ही बका जाता है। सब कातने में सब समय जहर पहनना हम में से जोन्क से जोन्क पुख्तों के लिए भी जाबद जामावनी न हो।

अबकाइर में फिर भी इस यह देखेंगे कि यदि महासभा के कार्य-मसंभों पर जहर हो बढना पड़ेगा तो जो लोग सुखी सुखी

पोशाक का कार्य नहीं उठा सकते उन्हें सब समय सब मौके पर जादी ही पहनना होगा। उतसाही सदस्य के लिए तो हर मौके महासभा के ही प्रसंग होंगे और वह जो या पुरुष महासभा का उदासीन सदस्य होना जिसके पास बीबीसों घंटे जमावत महासभा का काम न होगा। हमारे रजिस्टर पर हजारों मत देने वाले या सदस्य होने चाहिए। वे सब बहुत ही पोशाकें नहीं रख सकते और न घुसरो का काता सूत ही खरीद कर दे सकते हैं। उन्हें स्वयं कातना होगा और इस प्रकार वे कम से कम आधे घण्टे सूत की मजदूरी राष्ट्र को दे सकेंगे। महासभा के स्वयंसेवक आ सुद नहीं कातते हैं उन्हें घुसरो को कतारों की आवश्यकता समझाने में बड़ी मुश्किल मालूम होगी। इसलिए इस प्रस्ताव का अमक प्रामाणिकता और जमावतारी के साथ करने पर ही सब बातों का आधार है।

यह समझौता-एक जबरदस्त सिफारिश है और नहीं होने का क्या कहता है। मैंने उसपर सिर्फ अपनी ही तरफ से इस्ताफर किये हैं। देवाबगुदास और बंदिता मोतीबखल नेइक ने स्वराज-दक की तरफ से उसपर इस्ताफर किये हैं। इसलिए मेरी और स्वराज दक की तरफ से महासभा के तमाम सदस्यों के प्रति, उसपर विचार करने के लिए और उसको स्वीकार करने के लिए यह सिफारिश की गई है। मैं चाहता हूँ कि उसके गुणदोष की दृष्टि से ही उसका विचार किया जाय। मेरी सब से प्रार्थना है कि इसका विचार करते समय वे मेरा खयाल लंब दें। जबतक इस सिफारिश की स्वीकृति बख के गुणदोष का विचार करके न की जायगी तबतक वा राजनैतिक ऐस्य हम चाहते हैं और जो जाना चाहिए, उभे प्राप्त करने में हमें बड़ी मुश्किल होगी और विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने में भी, जो हमें करना जरूर है बड़ी मुश्किल होगी। जहर देना बहिष्कार सिर्फ सबके कातने से और जादा पहनने से ही होना संभवनीय है। असहयोग को मुस्लिम कर देना वा महासभा का तरफ से स्वराज्य-दक की उचित, हार्दिक स्वीकृति करना वा जादी वा कतारों को, फिर वे स्वयं कातें वा घुसरो से कतारें, महासभा की सदस्यता की शर्त स्वीकार करवा यदि महासभा के विमंभित सदस्यों को पसंद न हो तो उन्हें वे बातें नामंजूर कर देनी चाहिए और बिका दिखविबाइत के उन्हें अपना निर्णय राष्ट्र के सामने पेश करना चाहिए। किसी भी प्रकार के विचार से मजुम्य का आंतरिक विचार दूर नहीं किया जा सकता और न दिया जाना चाहिए।

( म. इ. ) मोहनदास क. संबंद गांधी

**बी-अम्मा का अचसान**

(अली-भाइयों की बयोवृद्ध माता बी-अम्मा के अचसान कः सबर मेवते हुए गांधीजी ने नीचे लिखा संदेश हमें भेजा है—)

“ गुस्वार को सुख बी-अम्मा का देहान्त हुआ। अन्तिम समय जिन जिन लोगों को उनके दर्शन करने का जौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हें आभली खरोजिनी मायहू तथा मैं था।

हा० जनश्री आशिरी बक तक मौजूद थे। दोनों भाई उनके मजदीक थे। शरीरान्त के समय ‘अन्नाइ’ का नाम-स्मरण ही रहा था। बी-अम्मा ने पहले से ही यह इच्छा प्रकृतित की थी कि सूफी कमस्ताब में मेरा दफन किया जाय। ऐसा ही किया गया। शोक-पीडित जनों में अनेक हिन्दू भी थे और कितने ही लोगों को अबाके को हाथ लगावे का भी जौभाग्य प्राप्त हुआ था। महापुरुष-सूफिक संदेशों की दृष्टि चारों ओर से हो रही है।”

### सुलासा

‘एकोपीएट्रेड ग्रेस’ के देहली वाले प्रतिनिधि ने गांधीजी से अपनी सुलासात में यह प्रश्न किया—

‘भी दास, नेहरू और आपके हारताक्षर से जो समझौता-ऐक्य-बोधना प्रकट हुई है उसका मतलब यदि सहयोगियों को और दूसरे दलों के लोगों को महासभा में बापिस आने के लिए निमन्त्रण देना है तो ऐसी प्रार्थना प्रकट करने के पहले उन लोगों से सलाह-मशवरा क्यों नहीं किया गया?’

उत्तर में गांधीजी ने कहा “जबतक स्वराजदल और अपरिवर्तनवाहियों में समझौता न हो तबतक ऐसी परिषद् की योजना असंभव थी; क्योंकि ऐसी कोई भी प्रार्थना महासभा के दोनो दलों की एकत्र प्रार्थना होनी चाहिए। सब पूछिए तो अपरिवर्तनवाहियों के साथ भी सलाह-मशवरा करके किसी बात का निर्णय नहीं किया गया है। यह सब है कि मैं बंगाल के अपरिवर्तनवाहियों से मिला और उनसे इस विषय में बातचीत की; लेकिन इस प्रकार तो मैं भी सत्याग्रहवास से भी मिला था और उनसे भी बातचीत की थी। मैंने तो इस समझौते पर उनको राजी करने की भी कوشिश की थी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कहीं भी साधन न था जिससे कि मैं यह ख़ुम कर देता कि तमाम अपरिवर्तनवाहियों को इच्छा क्या है और उन्हें उससे बांध देता। इसलिए मैंने वह अन्ध समझा कि मैं स्वयं अपनी ही राय बाहिर करूँ और वह जिस किसी कायद हो, लोगों के सामने पेश करूँ। यह तो आप बिल मकते हैं कि यह समझौता महासभा के बाहर और अन्दर तमाम दलों के प्रति शिक्षाविद्य के तौर पर प्रकाशित किया गया है। त्रिविध करने का समय तो अब है। आगामी महासमिति में अपरिवर्तनवादी अपना राय जाहिर करगे। महासभा के अगस्त मीठ महम्मदअली ने ता तमाम दलों के प्रतिनिधियों को, यारपोयन एकाधिकार के प्रतिनिधियों का भी इस परिषद् में आमंत्रण होने के लिए निमन्त्रण भेजा है।

स्वराजदल और मेरा तरफ से भी गई यह सिकारिय सहाय्युति-पूर्वक विचार करने के लिए इस बैठक में ऐस की जावगी। स्वराजदल तथा मेरे सिवा और किसी भी संबंध रखनेवाली कोई आखिरी बात इसमें कहा नहीं गई है। हम लोगों को समझाने के लिए हर शकस स्वतन्त्र है और मुझे यकन है कि मैं और स्वराजदल किसी भी ऐसे दूसरे समझौते में बाधाधन न होंगे जो एक तरफ से तमाम दलों को एक मंच पर एकत्र कर सकता है, हमारे सामान्य ध्येय के प्रति हमारी प्रगति में मदद कर सकता हो, और बंगाल-सरकार की हमनजीति वा पुर्नधर कवाव रखता हो और दूसरी तरफ से मार्ग खुले काम्तिकारियों की महत्वाकांक्षा को संतोष पहुंचता हो तथा उन्हें गलत रास्ते से बचा देता हो। मैं सब नेताओं से यह प्रार्थना करता हूँ कि वे मौखिक महम्मदअली के निमन्त्रण को स्वकार कर लें और बंबई में होने वाली इस समिति के विचार-कार्य में रुक कर और उसे मार्ग दिखायें।”

रु. १) में

- १ जीवन का सत्य (11)
- २ आकाशमय का अज्ञान (11)
- ३ जयन्ति अंक (1)
- ४ हिन्दू-मुस्लिम तथा (2)

(11-)

मनीषाकर मैत्रिण ।

मजदूरजीवन महासभा सम्पादन

### टिप्पणियाँ

काबे किस तरह किया जाय ?

इन टिप्पणियों में मैं स्वराजदल और मेरे सम्मान के समझौते पर अपकेस में जहाँ पाठकों को छुंटा दिया है वहीं के फिर विचार करना चाहता हूँ। यदि आगामी बैठक में हमारी यह सिकायित स्वीकृत हो गई तो महासभा में संभल-संबंधी एक बड़ी क्रांति ही होगी। उसके सदस्य सिर्फ एक मर में एक एक या दो मरतवा मत देने के मंत्र ही न रहेंगे बल्कि वे दिन-प्रति-दिन काम करनेवाले होंगे और मुख्य राष्ट्रीय इच्छा में अपना ठास हिरसा दे सकेंगे। इससे महासभा सूत उत्पन्न करने वाली, इन्फ्रा करनेवाली और उसका वितरण करनेवाली एक बहुत बड़ी संस्था बन जावगी। यह कार्य बिना पद्धति मिदन्त, समय को पावन्नी, देश भक्त, आत्मरपाग, प्राणाधिकता और आवश्यक चतुराई के सुव्यवस्थित नहीं हो सकता। जब तक महासभा इस स्ताव का स्वीकार नहीं करती है तबतक कहीं भी शकस बाह आना देकर महासभा का सभ्य बन सकता है। फिर भी यदि आगामी पमिति ने सदस्यता की इस मान का स्वीकार कर लिया तो प्राम्तिक समितियों को अभी से व्यवस्था करना शुरू कर देना चाहिए। वर्या ज ल ग आज महासभा के सदस्य हैं उन्हींमें काम शुरू कर देना चाहिए। उन्हें सदस्यता की इस शर्त के बदले जाने की कबर देनी चाहिए और उन्हें कातना सीखने की और करवा पाने बगैर ही सुविधा कर देनी चाहिए सूत किस तरह इच्छा किया जाय और उसका क्या उपयोग किया जाय यह पत्र विचारवा ता अना बाका है। एक प्रस्ताव के सिवा जो महासभा के कार्य कर्ताओं को ही बंधनकर्ता है, महासभा के किसी भी प्रकार के प्रस्ताव के बिना सिर्फ इन पत्रों में लिखे गये केषों से ही आज सात हजार लो पुत्र स्वेच्छा से कात रहे हैं। उनकी संख्या बढ़ रही है। इन्कि उह मानना बिल्कुल ठक होगा कि यदि महा मा सदस्यता की इस शर्त से स्वीकार करके तो बोके ही नहीं में एक काक कारनेवाले हो सकेंगे। यदि प्रत्येक सदस्य का काता सूत औसत दमें २० अंक वा ५ तका मान लें तो महीने में २२ ५ अंक सूत होगा, ७ बर्से १५ अर्ष की द गन कम्पनी १२५०० क्रांतिवा या साक्षिया हों, और जब इन ७ जाभते हैं कि सूत कातने तक की मिहानन मुफ्त मिका है त यह बोटी वा साक्षिया बाकार में देना किसी भी बीम के साथ बराबरी कर सकेंगे। यदि एक राष्ट्र सिर्फ इसी एक राष्ट्रिय कार्य के पीछे अपनी तमाम शक्ति लगा देगा तो फिर ५ पत्रों का सम्पूर्ण बाहोकार करने में करानी कटिनाई न होनी और वा भी ऐसे मान से जो अहिंसात्मक और बहा अन्मानाप्यद है।

आगामी समिति

लेकिन आगामी समिति पर ही सब आचार है। यह केवल महासमिति की बैठक ही नहीं है लेकिन सब प्राम्तिक समितियों और दुपरी समार्यों वा एकोपिएसकों के प्रतिनिधियों की यह बैठक होगी। मैं आशा करता हूँ कि मौखिक महम्मदअली के निमन्त्रण का कवाव बहा इ संतुष्टपूर्ण सि होगा। इस संयुक्त समिति को सिर्फ इस प्रश्न की ही विषय नहीं करना है कि महासभा में जो सूत बनी है उनका हू कर के केन दूसरे प्रसिद्ध नेताओं का महासभा में बापव आने के लिए समझौता भी उचीका काम है। इस समिति को बंगाल के दम के कवाव में भी एक प्रभावकारी कार्यकम कवावा होगा। जबसे ज्येष्ठ पर पहुंचने के मार्ग-संबंधी कितना ही कवावेह हमारे अन्दर क्यों न हो, लेकिन मेरे निमन्त्रण कला को उकटने के संभव में हमारे अन्दर जो मत नहीं है।

असतक एक प्रकृत के हाथ की हथेली में, फिर चाहे वह कसना ही बना क्यों न हो, काखों मनुष्यों के आग, आक और हृदय ११६ है अतः हिन्दुस्तान स्वतंत्र नहीं हो सकता। ऐसी संस्था विस्तृत हानि अस्वाभाविक और असम्भव है। स्वराज्य प्राप्त करने के पहले इसका अन्त होना परमावश्यक है। (यं. इं.)

### कलकत्ते में गांधीजी

(पृष्ठ १७ से आगे)

है। कोई हिन्दू यदि आ कर यह कहे कि हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य को मैं क्यों एक उद्देश्य के रखना नहीं चाहता तो क्या मैं उसकी आज्ञा सुनूँ? क्या प्रकार मतदाताओं की शर्तों में यदि क्रिक का कण्डा रखा जाता तो उसे भी मंजूर न कर सकता-क्योंकि ऐसा करने का मैं काही का नाम ही कर सकता।

प्र०—एक बार आप कहते थे कि एक सरकारी बकील की अपेक्षा ईमानदार बूट साफ करनेवाला अच्छा है। आज तो आप बकीलों और बड़े आदमियों के बनने के लिए तैयार हो गये हैं।

उ०—हां, आपने यह ठीक कहा। मैंने जो कहा था वह आश्चर्यः डक कहा था। असहयोग आज है कहां? यदि असहयोग काका भावा व्यवस्था है, यदि बूट पाकिष्ठ करनेवाले जैसे लोग भी बुरा असहयोग करते तो वे सहायियों को दूर रख सकते हैं। घर में कोई महासभा का धनी-धोरी नहीं हूँ। मैं अस्वभाविक शर्तों को रख कर नहीं, बल्कि सहज साम्य शर्तों रख कर ही लोगों का नेतृत्व कर सकता हूँ। यदि हमारे आपस में फूट न होती, यदि अंदर न फैला हुआ होता तो मैं पहले की ही तरह अपना करी चलाता। पर अब तो वह कुछ रहा नहीं। इनसे मैंने सोचा कि मुझे सामोरा रहना चाहिए और लड़ाई की बात भूल जाना चाहिए।

#### नये दोस्त

इस तरह अपरिवर्तनवादियों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न कर के गांधीजी लौटे। एक अग्रगण्य सज्जन मुझसे कहते थे—'यहां का वायु मन्डल इतना विषम हो गया है कि स्वराज्य और अपरिवर्तनवादी एक दूसरे को वायु को दृष्टि से देखते हैं। इससे गांधीजी के 'प्रेम-पथ' का क्याल इन्हे कैसे आ सकता है? पर गांधीजी की कही तमाम बातों पर यदि विचार करें तो स्वराज्यों के साथ एकज होने में कुछ भी कठिनाई नहीं आसकती। जिस दिन हकरारामने पर दस्तखत हुए उसके दूसरे दिन जाते समय सब लोग गांधीजी के पास आये और पश्चित मोतीलालजी सबकी तरफ से कहने लगे—'महात्माजी, अब तो आप हमें चरखे का संक सिलाइए—हम आपसे चरखा कातना सीख कर आवेंगे।' ता, ४ को जब पहले पत्रक मिले तब श्री केलकर ने कहा था—'हम एक जगह बैठे, पुराने दोस्त हैं न?' गांधीजी ने तुरंत कहा—'नहीं पुराने दुश्मन, पर नये दोस्त।'

इस नये दोस्तों के इतिहास को अब यहाँ अन्तम करता हूँ।

#### अंगरेजों और भारतवासियों की मैत्री

इस इतिहास के मुताबिक, कलकत्ते की मुलाकात के मुताबिक और भी बहुत-सी बातें लिखने लायक हैं। देशभंडू बाबू का प्रधान दुश्मने उद्देश्य की जगह थी। एक तरफ तो स्वराजियों की सभाओं जाती रहती थी—और दूसरी तरफ गांधीजी से मिलने अनेक लोग जाते थे। यह सब परस्परगी भेदा था। बगाली बहनों का शुमार न था और देशी भाइयों की भी विचरती न थी। नौसे इबारों की भी अन्तमगी थी। वे सिर्फ दर्शन करके चोर-शुक ब्राम्णा बन्द करत थे। लेकिन ऊपर भी इतने लोग आते थे कि अ. कुंभू मुलाकात करके अस्वभाव हो जाता। विचरियों का भी ठाक

मेका लगा था। दो अंगरेजों ने बड़ी देर तक चर्चा की थी, एक कैम्ब रमणी, एक बीमा सज्जन भी मिलने आये थे। दूसरे अनेक विदेशी सिर्फ दर्शनों के लिए ही आये थे। कलकत्ता छोड़ते समय दो अंग्रेज बहने स्टेशन पर केवल परिचय करने के लिए और हाथ मिलाने के लिए आई थीं। एक अमेरिकन बहन इस्ताहर केने आई थी। एरते में एक सेनार्क की बहन ने ट्रेन में मुलाकात चाई थी। इस प्रकार मैत्री का मन्त्र इतने अधिक स्थानों में पहुच गया है कि सब मित्र बनाना चाहते हैं। जो दो अंगरेज आये थे वे भी मैत्री—गांधीजी की जाती मैत्री नहीं, भारतवासियों की और अंगरेजों की मैत्री किस तरह हो जाय, इसीका विचार करने के लिए आये थे।

उन्में से एक सज्जन से गांधीजी ने कहा—'दो लव बालें मित्र हो जायें ता मैत्री होना आसान है। हिन्दुस्तान का स्वावर्धी बनना चाहिए और यके लिए अधिक प्रयत्न कर लेना चाहिए। विदेशी कपडा जो हिन्दुस्तान क परतंत्र और निःसम्भ बना रहा है यदि बला जाय ता उसमें निमंयता के साथ खडा रहने की ताकत आवेगी। आका यह कहना मैं मानता हूँ कि अंगरेजों और हिन्दुस्तानियों के बीच केवल असहयोग ही कल्पना तक नहीं की जा सकती। सदा मनुष्य का आधार मनुष्य पर ही रहेगा। लेकिन मैं दोनों के संबन्ध को समान करना चाहता हूँ। यदि दोनों के संबन्ध में इन्तानियत हो तो मुझे सन्तोष होगा। आज आप काम हिन्दुस्तान के बलिदान पर अपनी जेब भरने आते हैं। इसलिए हमारा और आपका हित परस्पर विरुद्ध है। यहाँ एक दूसरे का साथ चुप कर जाता है। इस अस्वाभाविक संबन्ध के दूर होने पर ही मैत्री की गीत बालो जा सकता है। लेकिन आज ता अंगरेज अपनेका भारतीयों से ऊंचे दर्जे का मानते हैं। यह क्याल बुर हो जाना चाहिए।

अब हिन्दू-मुसलमान ऐक्य की बात लीजिए। यह कहा जाता है कि अंगरेज भी इसे चाहते हैं, लेकिन इस विषय में जो सदा शंका ही बनी रहती है। इस विषय में अंगरेज जो कहते हैं वह उनके मन की बात नहीं, वह संदेह हमेशा बना रहता है। अंगरेजों को यह ऐक्य साधने में अपना हित मानना चाहिए, उसीमें कृतदृश्यता माननी चाहिए।

अकिरी बात शराब के कर को है। इसे बंद कराने के लिए अंगरेजों को भी-जान से बोशिश करनी चाहिए। क्योंकि यह कर अनीति-मूलक है। यों कहा जाता है कि इसके द्वारा शिक्षा दी जाती है। मैं कहता हूँ कि शिक्षा देना भले ही बंद हो जाय, शराब के कर से यदि हिन्दुस्तान का रक्षण होता हो तो भले ही यह भी बंद हो जाय, किन्तु शराब का कर तो बन्द होना ही चाहिए।

और अब इससे ये मूल बात पर आता हूँ। अंगरेजों को भारतवासियों पर इतना बडा अविश्वास है कि उन्होंने करोंको का सर्व फौज के लिए उसपर लाव दिया है। यदि अंगरेज लोग सिर्फ भारतवासियों की अलमस्ती पर आधार रखते तो परदेशी फौज की कुछ जरूरत न रहेगी। लेकिन आज तो चारों ओर अविश्वास सरा हुआ है—सब जगह कौलाद की दिवारें खडी हैं।

यदि इसकी बातों का निर्णय हो जाय तो मैं स्वराज की ओकना चौरह की सब बातें छोड हूँ। क्योंकि फिर स्वराज मिलने में सिर्फ इन्ने-गिने दिन ही रह जायगे।

वे सब सुन रहे थे। उन्होंने ऊंच-नीच के क्याल की बात कुचल की। उन्होंने कहा—'ऐसा क्याल बहुत अंशों में है, लेकिन यह स्वयं का श्रेष्ठ नहीं है स्वभाव का दोष है। हाँप से रहनेवालों के लिए स्वाभाविक-मकुचितता से अधिक कुछ नहीं है। शराब

के कर की अवीति-युक्तता को भी उन्होंने कुचक किया। सिर्फ रुपये की बात और कोची कर्य की बात उनका डीक न जयी। क्योंकि वे इस बात को मानते थे कि ईश्वर अस्तरत पक्षों पर एक शब्द को दूसरे राष्ट्र के सिर पर रह कर उनका मला करने के लिए पैदा करता है और वह एक अंगरेजों को मिला हुआ है।

परन्तु इन महाशय को तो बंगाल का नया नामका ईराम किये वा। गांधीजी को उन्होंने एक नई दिशा सुझाई। 'इस समय को अराजकता आस है, वा दिशा आस है, उसकी आप निन्दा क्यों न करें? यदि आप इसकी अर्थज्ञा करें तो इस अंगरेजों और योरनिजनों को अमयदान निक जाय, और मैत्री करने की इच्छा हा।'

'पर मैं तो बराबर निन्दा करता आया हूँ। बक-बैवक मैंने बराबर अपने विचार प्रकृत किये हैं।'

'सिर्फ आप अकेलेही ने। दूसरों ने कहा ऐसा किया है? मि. दास ने ऐसा कहा किया है?'

'वाह! मि. दास ने नहीं? उनके तो कोई एक दर्जन भाषण मैं ऐसे दिशा सकता हूँ जिसमें उन्होंने अराजकता और दिशा को और निन्दा की है।'

'मैं भी इसके विचारक उनके विचार पेश कर सकता हूँ। पर बात यह नहीं है। आज आप हमारी इतनी दिग्दर्श नहीं कर सकते?'

'हां, क्यों दिग्दर्श न कराने? मि. दास भी आपको निश्चय दिलावें?'

'पर मैं चाहता हूँ कि आप सार्वजनिक सभा करके हमें निश्चय दिलावें। इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा और फिर एक बात पर अंगरेज और हिन्दुस्तानी एक हो सकेंगे।'

'मुझे अन्वेषण है कि इससे आपको संतोष न हो सकेगा। ऐसे विषय से न आपका काम चलेगा न हमारा। इससे कहीं मैत्री की सुझाव हो सकती है? इतना तो हम अपने स्वार्थ के लिए भी करेंगे। हम यों अहिंसा-नीति को चाहे मानते हैं वा न मानते हैं, पर हमारे हित के लिए तो हम उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। सा केवल इससे आपको संतोष न हो सकेगा। और आप जिस बात को सुझा रहे हैं उसका फल, आप मानते हैं, क्या होगा? इसका फल यही होगा कि आज सरकार ने जिस अराजकता का अवलोकन किया है, जिस अनीति का आशय किया है, हम उसका समर्थन करते हैं, राष्ट्र की स्वतंत्रता पर जो उसने बाह्य हमला किया है, उसकी हम ताईद करते हैं।'

'परन्तु सरकार की स्थिति को आप नहीं समझते। गहरी तहकीकात के बाद ही और भारी अराजक-संस्था का निश्चय होने पर ही उसने ऐसी कार्रवाई की है।'

'निश्चय? पुश्तिका का जो निश्चय सो काटसा० का निश्चय। मुझे सब विश्वास है कि जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं उनमें से बहुतों का अराजक-बक से कुछ भी संबंध नहीं। अराजकत्व तो अज्ञात ही रहा है-सरकार ने तो स्वराज्य-इक पर ही हमला किया है; क्योंकि नरु उसके लिए कांटा हो रहा है'

'स्वराज्य नहीं; बल्कि उनके काम। गोपीनाथ साहाजाडे प्रस्ताव ने उस इक को मजबूत कर दिया है और गति दी है।'

'मैं नहीं समझता कि गति दी है। उस प्रस्ताव के विचारक महासमिति ने प्रस्ताव किया है। और वह प्रस्ताव न होता तो भी गोपीनाथ बाडे मूक प्रस्ताव बाद तो एक भी अस्वाभाव नहीं हुआ।'

'पर महासमिति कैसा प्रस्ताव क्या आज नहीं कर सकते?'

'आज उसका भीका ही नहीं है। आज यदि किसीने अराजकता या दिशा का प्रस्ताव किया होता तो उसकी आवश्यकता

अवश्य थी। परन्तु अकारण ही ऐसी प्रस्ताव करवा मानों सरकार की जो-हुकमी की ताईद करना ही है।'

'अच्छा, वह तो ठीक। पर यदि अराजक लोग राज्य के लिए एक कतरा होने लगे तो सरकार क्या करे? आप ऐसी हालत में ही तो क्या करेंगे?'

'मैं, मुझे माक कीजिएगा, यदि मैं मजबूर होता और सुझाव लोगों का विश्वास होता तो मैं खुद काबी बनने के बड़े कोक-वेताओं को बुकता, उनके सामने अपने पास आई बातें पेश करता और उनसे पूछता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि लोगों का विश्वास सुझाव न होता तो मैं कुछ भी न करता।'

'मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को प्रयत्न करें। आप जो तरीका बताते हैं उससे मैत्री नहीं हो सकती। पर मैं जो बात बताता हूँ उससे होगा। इंग्लैंड का संबंध आज हिन्दुस्तान के साथ अतिशय अस्वाभाविक है। इस संबंध का सुधार करने में अंगरेजों का तो हित है, इससे उनके लिए यह सबक और सुकन है। यदि अंगरेजलोग इस संबंध को उकटा दें तो इससे उनकी प्रतिष्ठा बहेगी, उनके प्रति हिन्दुस्तानियों का प्रयत्न बहेगा-सिर्फ इससे उनकी हानि उची बात में होगी जिसपर उनका कभी अधिकार वा ही नहीं! आप तहकीकात की करते हैं। सुबाब बोस की कौन तहकीकात की गई थी? अंगरेजों के साथ तो ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ है। पार्सेक पर बड़े बड़े जुर्म लगावें गये थे। क्या वह अराजक से हाजिर नहीं किया गया वा? उसके लिए तो कथिखन बैठा वा। बर्नई के एक कमिशनर-कार्कई-पर तो रूसकोरी के अवररस्त इराम लगे थे। परन्तु मामूली अराजक में उसपर मामला चलाना मानों उसकी इतक करना वा न? जो उसके लिए कथिखन बैठा। मैं कहता हूँ कि सुबाब बोस उचीके जेसा-उचीकी कोटि का शकस वा-वह न तो अहीनस में पेश किया जाता है, न कुछ तहकीकात ही होती है-पुश्तिका उची माहक बिना किसी बमह के पकड कर हवाअत में रख देती है।'

'सुबाब बोस बहिया आहमी थे। अच्छे हाकिम थे। योरनिज लोग भी उन्हें चाहते थे। परन्तु संभव है, अराजक लोगों के साथ उनका संबंध हो भी और न भी हो। पर यदि जरा भी शक हो तो फिर उन्हें गिरफ्तार करना ही सामिती है। और आप यह तो नहीं न चाहेंगे कि तमान कारण और तमान कार्रवाई प्रकाशित करनी चाहिए?'

'नहीं, मके ही। पर सुकदवा तो प्रकाश्य-क्ये से अज्ञात में अवश्य चलाना चाहिए। और बड़े बड़े जज भी क्या करते हैं? आपको पता है कि पंजाब के सुकदर्यों में बड़े बड़े शक निश्चय थे और उन्होंने कैले कैले निर्दोषों को सजावें डीकी थीं? काका हरकिशनकाक, गरीब मज जैसे काकोनाथ राय-इन्हें किसने सजावें डीकी? पंजाब की रिपोर्ट यह देखिए। उसकी एक भी बात और एक भी इरामका विराकरण अर्थात् तक नहीं हुआ है।'

और कितनी ही कते होती रहीं। अन्त को गांधीजी के जहा-में खुद तो अराजकता और दिशा का शत्रु हूँ। मैं इसे निरुक्त करंगा और अपने इस काम में सबों और करोड़ों को शामिल करने का प्रयत्न करेगा-इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। पर आपको कहे जाता हूँ कि इस निश्चय से न आपका फायदा है न पैरा। अंगरेजों को हिन्दुस्तानियों के साथ अपना संबंध छोडा और अराजक करवा ही पड़ेगा।

(अपूर्ण)

(गणनीय)

महाशय हरिभाई देसाई



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक १५ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
 वैभीलाळ कृष्णलाल पूव

अहमदाबाद, अहमदनगरी १२, सितम् १९८१  
 रविवार, २३ नवम्बर, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
 सारंगपुर सरकीगरा की बाड़ी

## एक को सो देश की

बंगाल की लाज सारे देश की लाज है। 'एक हिन्दुस्तानी की लाज सारे देश की ही लाज है' इस बात को हम जिन दिन समझ जायेंगे उसी दिन स्वराज्य हमसे दूर न रहेगा। यह भाव व्याप्त तो सब है, परन्तु अबनी सत्ता उतना प्रचार नहीं हुआ है, जितना कि आवश्यक है। यदि मेरा भाई बंकर में हो, यदि उसकी लाज बिना कारण जाती हो तो मैं सहायुभूति का प्रस्ताव पत्र करके न बैठ रहूंगा, बल्कि उसकी मदद के लिए जा पहुंचूंगा। अभी हमारे अन्दर देश के प्रति ऐसी भावना जाग्रत नहीं हुई है। झाड़पीर से लेकर कन्याकुमारी तक यदि किसी भी भारतवासी को कुछ हो और जब उसको दखाने कराँधी के मंत्र में बंद जाय तब तक हो कि यह हमारा ही दुःख है तब बंगाल-सरकार की राजनीति को निर्मूल करने का उपाय हमें सहज ही सूझ सकेगा। हम अंधेरे में भटक रहे हैं। क्योंकि हमारी समवेदना इतनी प्रज्वलित नहीं है। जब शून्य भाव का उदय होगा तब उसका प्रकाश हमें अपना रास्ता दिखा देगा। हम आज शिथिल हो रहे हैं। जब सहायुभूति और सहायना-रूपी विजला हमारे अन्दर समझ उठेंगे तब हमारी गति को महान् वेग मिल जायगा। हम बिखरे हुए दिखाई देते हैं। आपस में लड़ रहे हैं। जब तब सहायुभूति-रूपी गोंद की चिकनाई हमारे अन्दर देव होगी तब हम एक-दूसरे से इस तरह गले मिलेंगे और विपक्ष जायेंगे कि हम अनेक होते हुए भी एक-रूप मालूम होंगे।

यदि हमारा भाई भूखों मरता हो और उसे यह मालूम हो कि वह यदि चरखा काते तो उसे आर्जबिजा मिल सकती है, परन्तु वह आलस्य से कातता नहीं है और यदि हम कुछ कात कर उसे पदार्थ-पाठ पढावें तो वह कातेगा तो हम लकर चरखा चलावेंगे। ऐसी हालत आज हिन्दुस्तान में करोड़ों लोगों की है। फिर भी उन्हें पदार्थ-पाठ पढाने के लिए भी आशा भण्टा चरखा कातना हमें भार-रूप हो जाता है। क्यों? हमारे अन्दर अभी एक दूररे के प्रति आतृ-भाव नहीं है।

यदि हम सब विदेशों चपड़ा छोड़ दें और चरखा बला कर भारत के लिए आवश्यक कपड़ा तैयार कर दें तो यह सस्तरत अविषास में स्वायं रहित हो जाय। यह जानते हुए भी हमसे से कितने ही लोग कातने से इन्कार करते हैं; क्योंकि हमारी सहायुभूति अभी नीव नहीं हुई है।

सब पछिए ता कितने ही शहरों में हिन्दू-मुसलमानों में आतृ-भाव ही नहीं। ऐसी हालत में 'हमारे देश' की पुकार कराँधी कण्ठों से निकल ही नहीं सकती। और जबतक ऐसी स्थिति न होगी तबतक स्वायं की आशा रखना फलहीन है। जिन रास्ते से स्वराज्य मिलेगा, उसी रास्ते से बंगाल की राजनीति बद हो सकती है, यह बात हम सब समझ सकते हैं। अतएव पक्ष की अराजकता स्वराज्य के लिए है। वह निरर्थक है। हिन्दू अराजकता के रोग का कारण स्वराज्य का अभाव है। सरकार अपनी सत्ता भरसक छंड़ना नहीं चाहती। यदि स्वराज्य हो तो ऐसी अराजकता नहीं हो सकती। इसीसे मैं कहता हूँ कि राष्ट्र चरखा स्वराज्य का साधन है, यदि हिन्दू-मुसलमान-एक्य स्वराज्य का साधन है, तो सरकार की दमननीति दूर करने का साधन भी वहीं है।

और यदि हिन्दू-मुसलमान में आतृ-भाव नहीं है तो अस्पृश्य हिन्दू और दूसरे हिन्दुओं में बंद कहां है? भाई-भाई के बीच अस्पृश्यता कैसे हो सकती है? एक भाई मिष्टान खाय और दूसरा उसकी जुठन, यह नहीं हो सकता। फिर भी अस्पृश्यता दूर करने में कितनी कठिनाइयाँ पैदा आती हैं, यह वही लोग जानते हैं जिन्हें अस्पृश्यता-निवृत्त का काम करना पड़ता है।

जहां ऐसी एष्ट हालत मौजूद है, जहां बीमारी और उसके इलाज का काम है, वहां इलाज को काम में न लाना और अधीर हो कर दूसरे इलाज की खोज में पलन मानो बीमार का सन्धानाक करना है।

दितने हो लोग कहते हैं—लोग को तो धूम-धडक चाहिए है। धूम धडक से कुछ काम भले ही बनता है, परन्तु हुनिया में आजतक किसी देश ने धोर-गुल मचा कर आजादी प्राप्त नहीं की है। हिन्दुस्तान भी कभी हासिल नहीं कर सक्ता। हमारा यह स्पष्ट और निश्चित कल्प है कि हम धूम-धडक का छोड़ कर अपने काम से काम-उसीमें मग्न रहें। जो लोग इस बात को जानते हैं वे यदि औरों का मुँह न देखते अपने बनेबने-पावज में खग जायेंगे तो उसी दृष्टक स्वराज्य के नजदीक पहुंचेंगे। इसीलिए, देश में और लोग जो चाहें चरते रहें, जो इस बात को जानते हैं वे यदि अपने कल्प में दृष्ट रहेंगे तो गारा देश उनके रास्ते चलेगा, इसमें मुझे खरा भी शक नहीं है। क्योंकि इस देश की मुक्ति का दूसरा उपाय ही नहीं।

(नवजीवन) मोहनदास करमचन्द गांधी

### विरोधी मित्र

जितनी हम अनुकूल मित्र से शिक्षा ग्रहण करते हैं उससे अधिक शिक्षा हमें बहुत बर विरोधी मित्रों से मिलती है। परन्तु उसमें शक यह है कि हमारे पास अपनी गुणावली होने और समझने की सहजता और धीरज हमारे लिए। मुझे विश्वास है कि वे लोगों में हममें हैं। इससे मैं अपने कितने ही टीकाकारों से बहुत-कुछ शिक्षा ग्रहण कर पाया हूँ। ऐसे एक टीकाकारों का एक पत्र यहाँ देता हूँ—

“आपके उपवास के समय यहाँ के लोगों की तरफ से एक तार मैंने आपके नाम १३-१०-२४ को भेजा था और आपसे प्रार्थना की थी कि कुछ संदेश भेजिए। पर अफसस है कि आपने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया और उसे कूड़े की टोकरी में डाल दिया। इससे माहूम होता है कि आप चाहे कैसे ही हों पर हैं आखिर हिन्दुस्तानी ही। यदि आपकी जगह कोई गोरवियन या सरकार होती तो वह जबर उत्तर देती। हमारे ओर उनके काम करने की रीति में क्या फर्क है। आप और हम अभी स्वराज्य के लयक नहीं हुए। अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि स्वराज्य मिल जाय तो हमें बड़ी हानि पहुँचती। पहले तो राज्य-कार्य का सञ्चालन करना और राज्य को कायम रखना हमें जानना चाहिए। स्वराज्य मिलने के बाद स्वराज्य-सञ्चालन-विद्या शिक्षाने की पाठशालाएँ मग्न खोली जा सकतीं। आप तो भले-भाके हैं। आपके आर-पास के लोग ऐसे नहीं माहूम होते। आप हर इलचल में बहम पीछे डटते हैं। भारत में व्यापार की हालत बहुत मन्द है। हमारे ही व्यापारी, उनके नौकर तथा देश-तज्जह हो गया है। इसके लिए आप और आपका आन्दोलन ही जिम्मेवार है। इंग्लैंड को कुछ भी नुकसान न हुआ। खादी पर लोगों का विश्वास नहीं। वह मंटी होती है, खली मैली हो जाती है, जाने में तकलीफ होती है और मिडमैपन की निशानी है। साबुन के ब्यादा खर्च से उल्टी महीनी पड़ती है। बरखा चलानेवाला राज्य चलाने के लिए अयोग्य है। इस महीनी के जमाने में रोमाना २-३ आने मिलने से कुछ काम नहीं चल सकता। सरकारी पाठशालाएँ छोड़ कर सबके इधर उधर आधारा भटते हैं। और आपके आन्दोलन से सिर्फ नाफरमान और बात-बात पर कानून भंग करने की टेक के लिए दूसरा कुछ हासिल न हुआ। स्वराज्य मिलने के बाद भी यदि लोग आज की शिक्षा के अनुसार आपका कानून तोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? हिन्दू मुसलमान-ऐक्य भी मुझे अचम्ब माहूम होता है। आप महम्मदअली और शकतअली की सुबत छेड़ दीजिए। स्वयंमन्य नेताओं के प्रस्ताव ता अच्छे माहूम होते हैं, पर उसका अवर कुछ नहीं होता। नेतालग कुछ हुल्लट करने नहीं आते। हुल्लट करनेवाले लोग तो और ही होते हैं। आपके उपवास का भी कुछ असर न हुआ। डाक-विभाग के नौकरों ने बेलन बढाने के लिए हड़ताल की, उसे प्रस्ताहन मिला। इससे सारे देश के मरये खर्चे का भार लदा और डाक के भाव बढ गये। स्वराज्य तो जब मिलना होगा तब मिलेगा। परन्तु देश तो आज दुःखी हो रहा है। सरकार कुछ विलयत से ठपका ला कर ता हर्ष करेगी नहीं। वह तो खर्च का भार हमारे ही सिर पर डकेगी। मैं तो मानता हूँ कि आप अब मिटायर हो जायें और दिमाक्य में जायें। ईश्वर-मज्जम में अपने दिन बितायें। लोग अब आपकी बात कर आपके पीछे चलने के लिए तैयार नहीं हैं।

सहायक-विशेष आरकी सभाम तरों अपने ही पास रहने कीपीनाय वा  
 ‘पर महाशक्ति,  
 ‘आज उसका  
 अज्ञानता या शिक्षा का

मैं मानता हूँ कि यह पत्र भिन्नक भाव से लिखा गया है। लेखक को गुस्सा तो आ गया है पर उन्होंने बड़ो लिखा है जो वे मानते हैं। उन्होंने काकतालीय-न्याय का प्रमाण माना है। उन्होंने जा तार किया उसका जबाब उन्हें न मिला। इससे उन्हें मेरी सारी करनी निम्न माहूम होती है। मैं तो यह मानता आया हूँ कि पत्रों के जबाब में बहुत नियम-पूर्वक देता हूँ और मेरे आरूपस जा मेरे साथी रहते ह वे दुष्ट नहीं होते, बल्कि सरव अनुपकरण करने का प्रयत्न करनेवाले होते हैं। परन्तु कई मनुष्य चाहे कितना ही नियम-पूर्वक क्यों न रहता हो, वह अपने तमाम पत्रों और तारों का जबाब नहीं दे सकता। उपवास के समय भिन्ने तमाम पत्रों और तारों का देखना मेरे लिए अक्षय्य था। ऐसी समझ में आने लयक बात भी पूर्वोक्त लेखक न समझ सके, यह दुःख की बात है।

असहयोग जल रहा है, और इधर भारत में व्यापार भी मन्द है, इसलिये उसकी मन्दता का कारण है असहयोग। असहयोग का प्रवर्तक हूँ मैं, इसलिए उसकी जिम्मेवारी मेरे सिर पर। यह है पत्र-लेखक बलीक। मैं इससे उल्टी इलीक पेश करना चाहता हूँ। ल'गा ने असहयोग को पूरा पूरा नहीं अपनाया, उन्होंने बरखा-धर्म का पूरा आदर नहीं किया। इसीसे दुनियाँ में प्रवर्तित व्यापार को मंदी का शिकार भारतवर्ष भी हो गया। सोच असहयोग का मर्म न समझ पाये, क्योंकि पत्र लेखक की तरह अंधर और अज्ञान्य लोग हम देश में बहुत बधते हैं। इससे भारतवर्ष को दुःख सहन करना पड़ता है। यदि वे धीरज रख कर असहयोग का मर्म समझें और उसका पालन करें तो हिन्दुस्तान आज मुक्त हो जाय।

फिर हम लेखक ने वैवागी निर्दोष खादी पर प्रहार किया है। उसका जबाब ता बहुत बार दिया जा चुका है। फिरभी लेखक तथा उनके जैसे अ-प्रदवान् लोगों के लिए फिर लिखता हूँ।

अकेली खादी ही मैली नहीं होती, हर तरह का सफेद कपडा मैला होता है। हाँ, खादी बरा मटा होती है, इसके धोने में जरा तकलीफ होती है। पर अगर पश्चिम की मज्जुक रहन-सहन से हमारे अन्दर नजाकत न आ गई होती तो खादी को धोने में हम कुछ नहीं, उल्टा आनन्द मान लेते। फिर पहनेवाला कपडे कम पहनता है। इससे आगे बढ़कर मैं तो यह भी कहूँगा कि जिन्हें मंटी खादी दुःखदायक माहूम होती है वे महीन सूत कातकर पढा चुनवा लें। इससे खादी मलमल जैसी हो जायगी और उसका खर्च मलमल से कम पड़ेगा। क्योंकि कातने तक की किया का ता कुछ भी खर्च न पड़ेगा। जब से ऐच्छिक सूत कातने की इलचल शुरू हुई है तब से जा महीन खादी पहनना चांता हो, उसे उसके मिलने की सुविधा हो गई है जो अपने आकरायकश महीन सूत न कातेंगे उन्हें खादी पर मोटेपन को दोष लगाने का अधिकार नहीं रह सकता। यदि यह ऐच्छिक कातने का कम कायम रहेगा ओर फैलेगा ता बाजार में भी महीन खादी जितनी चाहिए, मिल सकेगी।

बरखे की इलचल का उद्देश है आमदनी का बढाना। वह अत्रपूर्ण है। पत्रलेखक बलीक हैं। उन्हें गरबों की हालत को कम्बना नहीं हो सकती। यदि वे गरीब गांधों में घूमें तो उन्हें पता लगेगा कि एक पैसा भी कमाल के लिए स्वागत-यय्य हो जाता है। करकों मजदूरों को दिन में एक आना भी नहीं मिलता है। धनके लिए तो बरखा कामधेनु हो जाता है। इसके एक साथी आचार्य राय हैं।

केन्द्र का ना-परमानी पर दिया आक्षेप विचार करने योग्य है। उसमें बहुत सारा है। लोग जिस प्रकार असहयोग के प्रथम पद 'शांतिमय' को नहीं समझे उसी प्रकार 'कानून भंग' के प्रथम पद 'सविनय' को भी नहीं समझे। इसीसे युरे परिणाम पैदा हुए हैं, इसमें शक नहीं। लोगों ने मान लिया है कि जो चाहे उसी हुक्म, जो चाहे उसी रात के भंग करने का हूँ अधिकार है। यह सविनय भंग नहीं, किन्तु उद्दत्त, अविनय और नाशकारक भंग है। यह कष्टकारी बलबे से भी कुछ अंश में हानिकर है।

पर यह सविनय भंग की खात्री नहीं। नाहक भंग करनेवाले की समझ का दोष है। नये आन्दोलन में ऐसी बे-समझी हुआ ही करती है। अपूर्ण मनुष्यों में जब अपूर्ण मनुष्य काम करता है तब ऐसी अपूर्णतायें होना सम्भवनीय ही हैं। परन्तु यदि दोनों पक्ष-सुधारक और समाज-निर्मल भाव से भूल करें तो यह ईश्वरी नियम है कि वह भूल अपने आप सुधर जाती है। जहाँ जहाँ मुझे क्षम दिखलाई देता है तहाँ तहाँ प्रायश्चित्त करता हूँ। लोग भी मन्त्रेण तिल से भूल सुधा-ते हैं। लेकिन उन्हें एक एक ऐसा है जो आन-दूखकर बीच में पड़ता है और लड़ाई को तुल्यमान पहुँचा दे। इसका इशारा है इन नये दिखलाई देनेवाले सिद्धान्तों का अधिक प्रचार और अधिक ज्ञान। फिर भी हम सब को सावधान करने के लिए मैं केन्द्र के उपरों का स्वागत करता हूँ।

( मजबूत )

मोहनदास करमचंद गांधी

### बी-अम्मा

यह मानना मुश्किल है कि बी-अम्मा का देहांत हो गया है। बी-अम्मा की उस राजसी मूर्ति को या सार्वजनिक सभओं में उनकी बुलन्द आवाज को कौन नहीं जानता? युवापुत्र इसे हुए भी उनमें एक नवयुवक की नाकत थी। लिखक और इराज्य के लिए उन्होंने अथक यात्रायें कीं। इस्लाम की बुरा अनुयायिन होते हुए भी उन्होंने देख लिया था कि इस्लाम का काय, जहाँ तक मनुष्य के बस की बात है, भारत की आजादी पर मुनहसर है। इनी विश्व के साथ उन्होंने यह भी महसूस कर लिया था कि हिन्दुस्तान की आजादी बिना हिन्दू, मुस्लिम-एक्य और कार्द के गैर-मुमकिन है। इसलिये वे अविराम एन्ता का प्रचार करती थीं। यह उनके लिए एक अटल सिद्धान्त हो गया था। उन्होंने अपने तमाम विदेशी और मिल के कपड़ों का परिस्थान कर दिया था और खाकी इस्तेमाल करती थीं। मैकाना महम्मदअली मुज से कहते हैं कि बी-अम्मा ने उन्हें यह हुक्म दे रक्खा था कि मेरे जन्म पर सिवा खादी के और कुछ न होना चाहिए। जब जब मुझे उनके बिल्लोने के नजदीक जाने का सौभाग्य प्राप्त होता तब तब वे स्वराज्य और एकता की बातें पूछतीं। उसके बाद ही प्रायः वे खुदा फाला से हुआ करतीं 'या खुदा, हिन्दुओं और मुसलमानों को ऐसी अर्द्ध ब्रह्म कि जिन्से वे एकता की जम्मत को समझें और रहम करके स्वराज्य देखने के लिए मुझे जिन्दा रहने दे।' इस महादुर और शरीक रह की यादगार का कायम रहने का सब से अच्छा तरीका यही है कि हम सब सामान्य बायों के प्रति उनके उत्साह और उमंग का अनुकरण करें। हिन्दू भ्रम भी बिना स्वराज्य के उतना ही कतरे में है जितना कि इस्लाम है। परमात्मा वरे कि हिन्दुओं और मुसलमानों को इस प्रारम्भिक बात के बरत करने की बी-अम्मा जैसी बुद्धि है। परमात्मा उनकी आत्मा को शान्ति और अली-भावों को उनके सौंपे कार्य को जारी रखने की शक्ति दे।

बी-अम्मा की मृत्यु की रात के उस गंजर और प्रभावकारी दम का वर्णन किये बिना मैं नहीं रह सकता। उस समय मुझे उनके पास ही रहने का सम्भाग्य प्राप्त हुआ था। यह सुनते ही कि अब वे अपने जीवन की अन्तिम साँसें ले रही हैं मैं और सरेजिनी देवी वहाँ दौड़े गये। उनके कुन्बे के तितने ही कम आसपास जमा थे। उनके डाक्टर और हितचिन्तक डा० अनसारी भी मौजूद थे। वहाँ रोने की आवाज न सुनाई देती थी, अकबले मौ० महम्मद अली के गालों से आँसू धर टपक रहे थे। बडे भाई ने बडी कठिनाई से अपने शंकावेग को रोक रक्खा था। हाँ, उनके चेहरे पर एक असाधारण गभीरता अकबले थी। सब कम अल्लाह वा जमाचार कर रहे थे। एक सज्जन अन्तसमय की प्रार्थना पा रहे थे। कामरेड प्रेस भी अम्मा के कमरेसे इतना नजदीक है कि आवाज सुनाई सकती है। परन्तु एक मिनिट के लिए वहाँ के काम में खरबशा न हुआ। और न जेराना ने ही अपने संपादकीय बल्लों में झलक आने दिया। और सार्वजनिक काम तो कोई भी मुस्तकी नहीं किया गया। मौ० शौकतअली ने तो ख्वाब तक में न सोचा था कि मैं अपना राम बस काकेज आना मुस्तकी करूँगा और एक सवे विपाही को तरह मुजफ्फरनगर के हिन्दुओं को दिने निश्चित समय पर हमसे मिले-हालांकि बी-अम्मा की मृत्यु के बाद उन्हें तुल्य ही वहाँ से चला जाना पडा था। यह सब जैसा कि होना चाहिए था वैसा ही हुआ। जन्म और मरण के दो भिन्न भिन्न इशारों नहीं हैं, बल्कि एक ही दशा के दो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। न मृत्यु से डुकी होने की जकरत है, न जन्म से खुशी मनाने की।

( मं० इ० )

मो० क० गांधी

### पंजाब में 'हिन्दी-नवजीवन' मुफ्त

मिथानी के श्रीयुत मेकाराम बैश्य सूचित करते हैं कि पंजाब के सार्वजनिक पुस्तकालयों और बाचनालयों का 'हिन्दी-नवजीवन' उनकी तरफ से मुफ्त दिया जायगा।

नीचे लिखे पते पर वे अपना नाम और पूरा पता साफ साफ लिख कर भेजें—

सदस्य-धापक—“हिन्दी-नवजीवन” अहमदाबाद

क. १) में

१	जीवन का सहाय	॥)
२	काकमान्य का भद्राक्षि	॥)
३	शान्ति अंक	१)
४	हिन्दू-मुस्लिम सनातन	१)

१॥)

बारों पुस्तके एक साथ खरीदने वाले को क. २) में मिलेगी। मुख्य मनीआर्डर से भेजिय। बी. पी. नहीं भेजी जाती। डाक चार्ज और पंकिंग बॉरड के ०-५-० अलग भेजना होगा। नवजीवन प्रकाशन मन्दि।

### खजूरटों के लिए

“हिन्दी-नवजीवन” की एक्सी डे नियम नीचे लिखे जाते हैं—  
 १. बिना पचासी बाय आये किसीको प्रतियां नहीं भेजी जायंगी,  
 २. एक्टों को प्रति कापी )। कमीशन दिया जायगा और उन्हे पत्र पर लिखे हुए नाम से अधिक देने का अधिकार न रहेगा।  
 ३. १० से कम प्रतियां भेजने वालों को डाक चार्ज देना होगा।  
 ४. एक्टों का वह लिखना चाहिए कि प्रतियां उनके पास ६/६ के भेजी जाय या रोकें दे।

## हिन्दी-नवजावन

रविवार, अगहन वद्य १२ संवत् १९२१

### सर्व-परीक्षा

स्वराजियों का और मेरा जो समझौता हुआ है उसपर अपरिवर्तनत्व दियो को अत्यन्त अमन्तोष हुआ है। यह आश्चर्य की बात नहीं। मैंने बार बार यह बात कही है कि मैं तो अहिंसा-शासन का एक अल्प शोधक हूँ। उसकी आन्तरिक गहराई कभी कभी मेरे हृदय को उतना ही विचलित कर देती है जितनी कि मेरे साथियों की। मैं श्रद्धालु हूँ कि अभी तो उन गमतीते से मेरे और स्वराजियों के सिवा बिनीका भी मन्तोष होता हुआ नहीं दिनाई दे रहा है। दितने ही अंगरेज सबजन मानते हैं कि मैंने तो बड़े निन्दनीय रूप से अपनेको स्वराजियों के सामने झुका दिया है। दितने ही अपरिवर्तनवादी इसे विश्वस-बात यदि नहीं तो भारी किससाट्ट मानते हैं। अन्ध से एक मित्र ने मुझे पत्र भेजा है जिसपर भयान माना और जिसका युक्ति-मंगत उत्तर देना आवश्यक है।

हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मैं झुका जरूर हूँ। लेकिन मैं ज्ञान और विचारपूर्वक झुका हूँ, जैसा कि एक अंगरेज-पत्र ने लिखा है, किसी हिंसाकारी-दल को मेने सिर नहीं झुकाया है। मैं जानता हूँ कि ऐसे इज्जाम तों ठेठ दादाभाई नौरोजी और जस्टिस रानडे तक पर लगाये गये हैं। वे हमेशा शक की नजर से देखे जाते रहे थे और झुफिया छाया की तरह उनके साथ रहते थे। लाला हरकिशनलाल का संबंध किसी हिंसाकारी दल से उतना ही था जितना कि खुद सर माथकेल अंड्रायर का ही सकता है; पर फिर भी उन्हें बन्दे गिरफ्तार कराया और जेल भिजवाया। यदि स्वराज्य-दल को इस विपत्ति के समय में उनका साथ न देना तो मैं देश के प्रति अपने कर्तव्य से च्युत होता। कई इस बात को निर्भ्रान्त रूप से दिना दे कि स्वराज्य-दल का कुछ भी संबंध हिंसात्मक कार्यों से है, बस कही मे कही भाग में उमठों फटकारने के लिए मुझे तैयार हो समझिए। ऐसा सूभूत मिल जाने पर मैं अपना माग सम्बन्ध उससे तड लुगा। परन्तु तबतक, यद्यपि मैं भारासभा-पेश की उपयोगिता में और भागमभा-संबंधी उनकी युद्ध-रतिर्ग में विश्वास नहीं रखता हूँ तथापि, मुझे उनका माग प्रण्य देना चाहिए।

परन्तु स्वराज्य-दल को महासभा का एक अंग मान लेने का यह अर्थ नहीं है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति अपना असहयोग छोड़ दें। इसका अर्थ इतना ही है कि महासभा मानती है कि स्वराज्य-दल महासभा का एक बड़ा और बरिष्णु पक्ष है। और यदे वह बिना लडाई किये महासभा में गैल स्थान प्राप्न करने से इनकार करता है, और यदि यह आवश्यक अर समय-परयोगी है कि लडाई से विमुक्त रहें, तो फिर उसके इस दावे का कि बाचास्ता और निश्चित रूप से हम महासभा का अंग मान लिये जाय, न मानना कठिन है। फिर कई महासभावादी, सिर्फ इसीलिए कि वह महासभा का सदस्य है, यह नहीं माना जाता कि वह महासभा के कार्यक्रम की तमाम सबों का मानता है। हाँ, मैं मानता हूँ, कि यह मेरी हालत इसमें कुछ लुदा है। मैं इस ममझाने के जन्म में साधनीभूत हुआ हूँ। और मुझे इसपर दुःख भी नहीं है। सही

तौर पर हो या गलत तौर पर, लेकिन देश मुझसे कुछ रहनुमाई की उम्मीद कर रहा है। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि स्वराज्य-दल को, बिना अपरिवर्तनवादियों के किसी भी तरह के दखल या बाधा डाले, अपने कार्यक्रम के अनुसार काम करने का पूरा प्रथम देने में देश का हित ही है। यदि अपरिवर्तनवादी धारामभा के काम को पसन्द न करते हों तो वे उन्हें मरद करने के लिए बाध्य नहीं हैं। पर वे स्वनात्मक कार्यक्रम को आगे बढाने के लिए स्वतन्त्र और बाध्य है, जैसे स्वराज्य-दलवाले भी बाध्य हैं। उसी तरह व्यक्तिगत वे अपने असहयोग को कायम रखने के लिए भी आजाद हैं। पर महासभा के द्वारा असहयोग के मुन्तवी किये जाने का यह अर्थ अवश्य है कि असहयोग महासभा से पुत्रि या बल नहीं प्राप्त कर सकता। उन्हें स्वयं अपने अन्दर से बल प्रदण करना चाहिए। और यही उनकी बसौटी और आजमाएण है। यदि उनकी श्रद्धा कायम रही तो यह उनके और असहयोग दोनों के लिए अच्छी बात है। यदि उसके मुन्तवी कर देने के साथ ही वह उठ जाय तो असहयोग जो सार्वजनिक जीवन में एक शक्ति-रूप है, वह नष्ट हो जायगा। पर एक मित्र कहते हैं कि 'जब खुर आप ही बगमगाते हैं तब औरों का क्या हाल?' सो मैं बायाडील नहीं हूँ। असहयोग में मेरा विश्वास उतना ही अवलन्त है, जितना कि हमेशा रहा है। क्योंकि कोई ३० साल से यह मेरे जीवन का एक सिद्धान्त रहा है। परन्तु मैं अपना सिद्धान्त औरों पर नहीं लाद सकता, एक राष्ट्रीय संस्था पर तो दरगिज नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि राष्ट्र का उनकी सुन्दरता और उपयोगिता का कायल करने की कंशिया करूँ। और यदि मैं राष्ट्र की मनोवस्था को देख कर इस नतीजे पर पहुंचूँ कि उसे, अर्थात्कि महासभा के द्वारा वह अपनेको प्रदर्शित करता है, सुस्ता लेना जरूरी है तो मुझे सिवा 'ठहरो!' कहने के कोई चारा नहीं है। हो सकता है कि महासभा की मनोदशा का अन्दाज करने में मैं गलती कर जाऊँ। पर जिस दिन ऐसा होगा, महासभा के अन्दर जो मैं एक बल हूँ, वो न रह जाऊगा। पर अगर ऐसा हो तो यह कोई विपत्ति न होगी। पर हाँ, अगर अपनी हठधर्मी के कारण मैं अन्य मार्गों के द्वारा ही राकनेवाली देश की प्रगति में बाधक होऊँ, जबतक कि वे साधन निधायत्मक रूप से दुग और हाकिर न हों, तो जरूर देश के लिए एक विपत्ति होगी। अमे, यदि देश सचमुच हिंसा-काण्ड को अपनाते लगे तो मैं अपना पूरी ताकत के साथ उसके खिलाफ उठ खडा हूगा-फिर मैं चाहे अकेला ही क्यों न होऊँ। पर हाँ, यह बात मैं मान चुका हूँ कि यदि राष्ट्र नाहे तो उसे प्रत्यक्ष हिंसा के द्वारा भी अपनी आजादी की रक्षा करने का हक है। पर उस हालत में भारतवर्ष मेरी प्रेम-भूमि न रह जायगी, भले ही वह मेरी जन्म-भूमि बनी रहे जैसे कि यदि मेरी माता मन्मार्ग छोड़ दे तो उसका मुझे अभिमान न रहना चाहिए। लेकिन स्वराज्य-दल तो एक व्यवस्थायुक्त प्रगते चाहनेवाला दल है। हो सकता है कि वह मेरा तरह अहिंसा की कसमें न खाता हो। पर अहिंसा को वह एक मार्ग-नोति के तौर पर अवश्य मानता है और हिंसा का दबाता है, क्योंकि वह यदि उसे हाकिर नहीं तो निरुपयोगी अवश्य मानता है। महासभा में उसका एक प्रधान स्थान है। पर यदि उसके संख्याबल की जांच की जाय तो संभव है वह सब से प्रधान पक्ष न मान्य हो। हाँ, मेरे लिए यह निश्कूल आमान है कि महासभा से टट जाऊँ और उम दल को महासभा का कार्य-सन्वाकन करने हूँ। पर यह मैं उमी हालत में कर सकता हूँ और कहेगा जब कि मैं देश लुगा कि मेरे और उसके बीच में कोई बात सामान्य



नहीं है। परन्तु जबतक मुझे उसके उद्धार की जरा भी आशा है तबतक मैं उसका पला पकड़े रहूँगा—उसी तरह जिस तरह बालक अपनी माता के स्तन को चामे रहता है। मैं उससे अपना संबंध छोड़ कर अपना उसकी भर्त्सना कर के या महासभा से अपनेको हटा कर उसकी ताकत कम न होने दूँगा।

मैंने उद्धार शब्द का प्रयोग बुरे भाव में नहीं किया है। मेरे पास भी बुद्धि और तबलीग की अपनी विधि है। मुनिया ने अब तक ऐसी सर्वात्म्य विधि नहीं देखी है। अपने आचार और बल का ज्ञान रखने हुए मैं अपनेको इस बात के लिए स्वराज्य-दल के सिपुर्द करता हूँ कि वह जितना उससे हो सके अपना असर मुझपर डाले। इससे मुझे उसकी शक्ति और कार्य की पूरा पूरा जाप मिलेगी। और मैं अपना भी यह इरादा लिगा नहीं रखता कि उसके प्रभावान्वित होते हुए मैं उसपर अपना भी ऐसा असर डालना चाहता हूँ जिससे वह मेरी कार्य-विधि के अनुकूल हो जाय। यदि इस सिस्त्रिके में वह मेरा उद्धार कर दे, मुझे अपने मत का बना ले, तो बाह बाह! उस अवस्था में मैं बुलन्द आबाज में अपने मतान्तर की बखाना कर दूँगा। यह एक प्रकार की बुद्धि होगी—बुद्धि के द्वारा बुद्धि को समझा कर, और हृदय से हृदय की बातें करा कर की गई बुद्धि होगी। यह मतान्तरित करने की शान्तिमय विधि है। असहयोगियों को चाहिए कि वे इसमें अपनी शक्ति मेरे साथ लगावें और उसके साथ ही वे व्यक्तित्व रूप से अपने विचार और आचार पर भी एक बने रहें। यदि उनके असहयोग का उद्गम प्रेम में से होगा तो मैं प्रतिज्ञा के साथ कहना हूँ कि वे स्वराजियों को अपने मत में मिला लेंगे और यदि वे सफल न भी हुए तो उनकी जाती हानि कुछ भाग न होगी। यदि देश उनके साथ रहा और स्वराजी, देश का साथ न देंगे, तो अपने-आप गौण स्थान प्राप्त कर लेंगे। और यदि वे इन शान्तिमय १२ महीनों में अपनी जड़ जमा सके तो अवश्य ही महासभा के निर्निवाद कर्ता-भर्ता रहेंगे और असहयोगियों को अपनी अल्प-संख्या पर संतुष्ट रहना होगा। वे अभी से मेरा नाम उस अल्पसंख्या में पेशगी लिख लें।

(यं० इ०)

भीमनदास करमचंद गांधी

**हमारी असहयायकस्था**

यह तो साफ ही दीख रही है। प्रस्ताव करने के सिवा हमारे पास कोई शक्ति दिखाई नहीं देती। लेकिन यदि हम सब मिल कर रचनात्मक कार्य करना शुरू कर दें तो इससे अत्य-विश्वास और कार्य करने की शक्ति प्राप्त करने में हम आगे बढ़ सकेंगे। हर शकस को यह साफ साफ समझ लेना चाहिए कि यदि हिन्दू और मुसलमानों की अकल ठिकाने आ जाय, हिन्दू अस्पृश्यों के साथ अपने भाइयों सा बर्ताव रखने, और हम खादी को और कटाई को इतना लोकप्रिय बना सकें कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आसानी से होना सम्भव हो जाय तो हमारी इच्छा के प्रति उनका ध्यान खींचने के लिए हमें और कुछ न करना होगा। इसके अलावा हमारे लिए न तो यही आवश्यक होना चाहिए कि हिंसा बढानेवाले गुप्त समितियाँ खलें और न अहिंसात्मक सचिबय भग ही करें। जब सब मिल कर एक निधय से लगातार रचनात्मक कार्य करेंगे सभी यह संपूर्ण हो सकता है। इसलिए दमन के क्वाकामुकी का या तमाम राष्ट्र की चिरकालीन मुलामी और असहयायकस्था का मेरे पास तो यही एकमात्र रामबाण उपाय है। (यं.इ.)

**प्राइक होमिवालों को**

चाहिए कि वे सामान्य रूप से) सभीआर्देर द्वारा भेजे जा, पी, सेजने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है।

**विद्यार्थी क्या करें ?**

“जब कि जब असहयोग ही मुत्तबी कर दिया गया है तब विद्यार्थियों का क्या होगा ? उनकी क्या हालत होगी ? वे सरकारी पाठशालाओं में क्यों न जायें ? अब उनसे यह कहना कि मुन ब जाओ, कितनी मिठरता होगी ? उन्होंने सबसे ज्यादा बलिदान किया है अब क्या और भी करना चाहते हैं ? इस तरह तो हमेशा बेचारे गरीब लोगों का ही विचार होता रहेगा ? अब स्वराज्य लेने की विधि में ही ऐसा हो रहा है तब स्वराज मिलने पर तो हम जैसे गरीबों का न जाने क्या हाल होगा ? असहयोग के मुत्तबी करने का समाचार सुनकर हम विद्यार्थियों के तो होश उठ गये हैं।”

कुछ विद्यार्थी इस विस्म का विचार प्रकाशित करते हैं। अब जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका समझना यदि पहले असहयोगियों को भी कठिन हो रहा है तो फिर यदि विद्यार्थियों में एबराहट फंके तो आश्चर्य ही क्या है ? उनके बलिदान के विषय में तो मत नहीं हो सकते। इतना हाँते हुए भी पूर्वोक्त विचार-भेणी में भूल अवश्य है।

प्रस्ताव यह नहीं है कि सब तरह से असहयोग मुत्तबी कर दिया जाय, बल्कि यह है कि महा-भा असहयोग के प्रचार को मुत्तबी रखे। जब किसी बात को राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण भाग जो पड़े उसे मानता था, झंडता है तब उसका सार्वजनिक रूप रक्खा या कहा नहीं जा सकता। महासभा जिस बात का झंड दे, यह आवश्यक नहीं कि सारा राष्ट्र उसे छोड़ दे। महासभा को कितनी ही बातें ने-मन से-अभिष्ठापूर्वक-काठना पड़ती हैं। पर फिर भी महासभा यह इच्छा रखती है कि लोग उसे न छोड़ें तो अच्छा। धन के अभाव में आज महासभा ऐसी आदर्श पाठशालाये जगह जगह नहीं खोल सकती जिनमें हिन्दू, मुसलमान, इत्यादि भिन्न भिन्न वर्गों के लड़के एक जगह पठ सकें। पर इसका वह अर्थ नहीं कि इस कारण और लोग ऐसी पाठशालाये न खोलें। यही नहीं, बल्कि यदि कोई ऐसी पाठशाला खलेगा तो महासभा उसे धन्यवाद देगी। उसी प्रकार यदि महासभा आज असहयोग मुत्तबी करेगी तो उसका कारण यह नहीं कि असहयोग के सिद्धान्त से उसकी भड्डा उठ गई है, बल्कि यह है कि महासभा के सभ्या का एक बड़ा भाग उसके अनुसार चलने में असमर्थ है। ऐसा होते हुए भी महासभा की इच्छा ऐसी हो सकती है कि यदि राष्ट्र का कोई भाग असहयोग को जारी रख के उसकी शक्ति का सिद्ध कर दिखावे तो महासभा उसे धन्यवाद देगी। महासभा यह नहीं चाहती कि बकील लोग फिर से बकालत करने लगे। पर अगर कोई बकील जाचार होकर बकालत शुरू करे तो महासभा उसकी निन्दा न करेगी। उसी प्रकार जिन विद्यार्थियों ने असहयोग किया है वे फिर सरकारी पाठशालाओं में जाय-यह महासभा कभी न चाहेगी; पर जो उकता कर या दूसरे किसी कारण से जाय तो वह अवगणना भी न करेगी परन्तु उसके सुभीते के लिए तथा असहयोगी पाठशालाओं को कायम रखने के लिए महासभा प्रयत्न करेगी और प्रबलित पाठशालाओं को सहायता करेगी। असहयोग सिर्फ 'मुत्तबी' किया जा रहा है, हमेशा के लिए बन्द नहीं। पर अगर उसका पुन-रुज्जीवन हो तो क्या सरकारी पाठशालाओं में गये हुए विद्यार्थी फिर उन्हें छोड़ देंगे ? असहयोग के दूसरे भागों में चाहे जो परिवर्तन होगा परन्तु राष्ट्रीय शालाये तो जीवित रहनी चाहिए, जीवित रहेंगी और यदि न रहें तो राष्ट्र को नुक़ कट जायगी। इतना ही नहीं बल्कि आगे आगे जाकर राष्ट्रीय शालाओं में तो

तो बुद्धि ही होनी चाहिए। स्वराज्य मिलने पर असहयोगी बर्तन असाध्य में बकालत करने जायेंगे, परन्तु अमहयोगी शालाये तो कायम ही रहेंगी। दूसरी शालाये उनके अनुकूल होंगी, असहयोगी शालाये पिछली सरकारी शालाओं के अनुकूल न होंगी। स्वराज्य चाहे आज आने या भले ही उसके आने में युग बीत जायें। परन्तु उस समय जो असहयोगी शालाये जीवित रहनी वे ही आदर्शरूप होंगी और जनता उनकी बर्तना लेंगी।

इसलिए मुझे कहना चाहिए कि मेरे मुकामी रहने के प्रस्ताव से जहाँ जहाँ बेवैनी फैली हुई देखता हूँ वहाँ वहाँ अमहयोग के प्रति अभद्रता दिखाई देती है। जिसे अपने कार्य और सिद्धान्त पर अविचल भद्रता है वह दूसरे की अभद्रता से या दूसरे के त्याग से क्यों डरने लगा? क्यों बेचैन होने लगा? क्यों चंचल होने लगा? जो भद्रतावान् होता है वह तो दूसरे की अभद्रता देखकर उठटा दुगुना दब होता है। सुरक्षित मनुष्य रक्षकों के बले जाने पर जिस तरह असा धन छूटकर सावधान हो जाता है उसी प्रकार भद्रतावान् मनुष्य अपने साथियों को भागता देखकर रक्षक घुटके होता है और सिंह की तरह अकेला लडता है और पालक की तरह अटक हो जाता है।

हां, विद्यार्थियों ने बलिदान तो जबर ही किया है परन्तु बलिदान का मर्म समझने की भी जरूरत है। यह करनेवाला मनुष्य दूसरे की दवा का भुग्ना नहीं होता। उसकी स्थिति दयाजनक नहीं। वह तो स्थिर है। जो अनिच्छ, या विधापूर्वक किया जाता है वह बल नहीं। बलिदान के साथ तो उच्छास, हर्ष, उत्साह होता है। बलिदान करनेवाला तो इच्छा करता है कि मुझे अधिक त्याग का सामर्थ्य प्राप्त हो। वह त्याग से दुखी नहीं होता; क्योंकि उसके लिए त्याग में सुख है। उसे विश्वास होता है कि आज मर्यादा यह कष्टदायी दिखाई देता है तथापि अन्त को तो यह सुखदायी ही सिद्ध होगा। जिसे अमहयोग दिया है उसने मर्यादा कुछ भी नहीं—बल्कि उसने तो उल्टा कहा है। जो अपनी मर्यादा का रू करती है वह सुख होता है। त्याग्य वस्तु का त्याग करना मर्यादा के लिए बल इच्छा करता है। जो आध घण्टा बरसा बातता है वह बलिदान करता है अर्थात् आरक्षण और स्वाध-त्याग करता है; क्योंकि दाना बातें त्याग्य हैं। जिसने सरकारी पठशाळा छोड़ा है उसने बलिदान किया है; क्योंकि उसने त्याग्य वस्तु का त्याग किया है। वह त्याग के समय मूर्ख मतिन न करेगा बल्कि उसके सुख पर तो आनन्द छिंटकता रहेगा। मीराबाई राज-भोग का त्याग कर नाचती थीं; राज-भोग पर रोती थीं। हमारी दृष्टि से वह भारी बलिदान था। मीराबाई के लिए वह त्याग और भोग था। सुघ-वा उबलते हुए तेल के कड़ाह में भी नाचता हुआ भाग्यण का नाम होता था। इसीसे प्रीतम-एक गुजराती कवि-ने कहा है कि जो लाल किलारे पर खड़े हैं उनका हृदय तो कांप रहा है; परन्तु जो संशय में खूब पड़े हैं वे बड़ा सुख मानते हैं। इसीसे निष्कल नन्द ने भी कहा है कि त्याग बिना वैराग्य के नहीं टिकता। जबलक किसी वस्तु के विषय में राग रहता है तत्काल उसका मर्यादा त्याग संभवनीय नहीं। उदीमा के क्षुण्ण पंजा से मर्यादा सन्न कंगाल निराहारी अर त्यागी नहीं हैं। वे तो ज-रहती भुके रहे हैं। उनकी राग तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। वे तो जीवियों घण्टे मजन करते हैं; क्योंकि उनकी जीवत भोजन में ही लगी रहती है। जिस असहयोगी विद्यार्थी का मन सरकारी पठशाळा में लगा रहता है पर स्वयं के सारे या ऐसे ही

दूसरे कारण से जिसका शरीर-मात्र राष्ट्रीय शाळा में है, वह योगी नहीं, असहयोगी नहीं। उसकी स्थिति सबसुख दयाजनक है। जो मन है वहीं शरीर रखनेवाले का उदार तो संभवनीय है। परन्तु जो शरीर और मन दो अलग अलग जगह रहता है वह अपनेका, संसार का, तथा ईश्वर का भासा देता है।

(नवभाषण)

माहलहास करमचन्द्र गांधी

## कलकत्ते में गांधीजी

(२)

हमें न सुधारने ?

एक दूसरे अंगरेज भाई अने थे। उनकी सरलता और निर्मलता उनके चेहरे पर छिटक रही थी। उनके साथ हुई बातचीत प्रायः सांग मदां दे देता हूँ—

‘आपके उपवास पर मैं तो चकित हो गया। ऐसा उपवास पहले कभी नहीं देखा। आपने अपने शरीर को जकड़ते शून्यकर कर डाली है।’

‘क्या बहूँ, मुझे जिन्दा रहना खलने लगा और जिन्दा रह कर कुछ न कर पाना नागवार हो उठा, तब उपवास पर आना पडा।’

‘आप सकल भी हुए। विधाय साधन के साथ मेरी बहुत बातचीत हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि आपके उपवास का भारी प्रभाव पडा। मुझे आशा है कि आप अंगरेजों और भारतवासियों का संबंध भी इसी तरह दुरुस्त कर देंगे।’

‘हां, यह तो मेरा जीवन-कार्य है।’

‘पर मैं आशा रखता हूँ कि उसके लिए आपको उपवास न करना पड़ेगा।’

गांधीजी ईम पडे। ‘नहीं, अंगरेजों और हिन्दुस्तानियों का तथा हिन्दुओं और मुसलमानों का संबंध जुटे जुटे रिस्म का है। अंगरेज अपनेको उच्च समझते हैं। हिन्दुओं और मुसलमानों में यह भाव नहीं है। अंगरेज अपनेको शासक-जाति का मानते हैं। हिन्दु या मुसलमान ऐसा भाव नहीं रखते। अंगरेजों के हृदय को अपने के लिए बहुत परिश्रम करना होगा। मेरे कितने ही अंगरेज-मित्र हैं। पर ये हैं कुछ ही। आम तौर पर अंगरेजों के साथ दवा करते हुए जग संकाय होता है, संभाल कर बात करनी पडता है। पर मुसलमानों या हिन्दुओं का मैं अपने विक की बात सुना सकता हूँ। क्योंकि अंगरेज मेरा बातों का अधिक अनर्थ करते हैं। इससे हमेशा मेरे मन में संकोच रहा करता है।’

‘मैं आशा करता हूँ कि इस उपवास के बाद आपने यह संकोच रू कर दिया होगा।’

‘जो नहीं, मैं अंगरेजों की शिक्षायत नहीं करता। मुझे यह खर रहा करना है कि वे मेरी बात को न समझ सकेंगे। दक्षिण आफ्रिका में अंगरेजों के सामने यह साबित करने के लिए कि मैं प्रामाणिक हूँ, मुझे २० बरस लगे थे। और २० बरसों तक मुझे उनके गाड़ सफरक में आना पडा था, उन्हें अपना काम बताया पडा था। अपना जीवन उनके सामने खोड कर रखना पडर था, तब जा कर उनों विश्वास पैदा कि मैं सचका आदमी हूँ। सो राह चलते अंगरेजों के सामने अपना हृदय खोड कर बात कर सकने के लिए, संभव है, सांग जीवन भी लग जाय।’

‘आपका यह खयाल है कि अभी संबंध नहीं आया ?’

'नहीं, यह बात तो नहीं। उन्हें भी मैं कहता रहता हूँ। परन्तु हिन्दू-मुसलमानों को कहते हुए मुझे किसी प्रकार संकट रखने की जरूरत नहीं दिखाई देती। देखिए, शार्व-समाजियों की मीने ग्रैम पूर्वक वितनी कड़ी आलोचना की थी। क्योंकि वे मेरी बात को समझ सकते हैं। और मैं उनके आक्षेप को समझ सकता हूँ। मुसलमानों का भी मैं हवी तरह कह सकता हूँ। पर अंगरेजों को हवी तरह नहीं कह सकता। इन निःपतारियों का ही लीजिए, उसकी मुझे परवा नहीं। पर कानून को इस तरह उलट देना मुझे बड़ा खटक रहा है।'

'मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे भी यह बुरा मालूम हो रहा है।'

'पकड़ें, मायला चला कर जेल में, यह ठीक है। मुझे निष्पत्ता करके छः साल की सजा दी, इससे मुझे त ही हुई।'

'एक बात पूछें? हिन्दुओं और अंगरेजों में कितना अन्तर आपको दिखाई देता है, उससे अधिक हिन्दुओं और मुसलमानों में नहीं मालूम होता?'

'जो नहीं; हिन्दुओं और मुसलमानों का अन्तर ऊपरी है, गहरा नहीं। दोनों एक हीना तां जरूर चाहते हैं। फिर संस्कृतिगत अन्तर में यह अन्तर भी नहीं है। वे जा झगडे होते हैं सांस्कृतिक अर्थों के कारण, बदमाशों की माफत, अपने स्वार्थ के ही लिए, कमाने हैं। पर अंगरेजों और वास्तविकियों के बीच यह अन्तर अन्तर है। एक दृष्टि से तो ऐसा मालूम होता है कि दोनों में एकता का कोई आधार ही नहीं दिखाई देता। एक मामूली 'टामी' को लीजिए। वह तो हिन्दुसूतानियों को तिरस्कार की ही नजर से देखता है। हिन्दुसूतानी उठो देख कर चौंकते हैं। एक दूसरे के प्रति, मान-आदर का भाव ही नहीं है, परस्पर विश्वास ही नहीं है। यह स्थिति बड़ी भयंकर है।'

'मैं नहीं समझता कि यह बुरा हो रहा है।'

'मैं भी नहीं मानता, पर यह है और अनेकाल से है।'

'इसका कुछ उपाय?'

'अच्छे, भले अंगरेजों को यह अपना कर्तव्य मानना चाहिए कि हम हाकत का पूरा करें। परन्तु आज तो अच्छे अच्छे अंगरेज भी यही मानते हैं कि भारतवासियों से दो कास दूर रहने में हमारी रक्षा है, हमारे अस्तित्व का निश्चय है।'

'इसे निमूल करने की शक्ति तो आपमें है। उपवास के द्वारा आपने दूसरा परेचय ब दया है। मुझे आपके जैसा शक्ति दूसरे लोगों में नहीं दिखाई देना।'

'जी नहीं; यह काम मेरा लिए भी निकट नजर आता है। मुझे अभी अंगरेजों का बः साति कर देना आता है कि मेरा एक एक शब्द मेरे हृदय से निकलता है।'

'नहीं, शायद आपके काम करने के तरीके पर उनका सुविश्वास हो।'

'सा तो इतने है। मेरी अहिंसा को ही वे नहीं समझ पाये हैं। असहयोग के नाम-भार से वे क्यों चौंकते हैं? उनके मूल में अहिंसा का है। मेरे लिए तो अहिंसा के बिना असहयोग स्वाभाविक है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि पहले जितनी अहिंसाता मुझमें अंदर हो अपनी मिश्रण डालो। यदि विकास-क्रम के नियम का कुछ अर्थ हो तो यह यह कि जबतक दुनिया जिस रास्ते चलती आई है, जिस दियार का बनती आई है, उसे छोड़ें। जब हम भरे तब दुनिया का अपने जन्म के समय से अधिक साफ कर छुड़ जाय, यह हमारा अर्थ होना चाहिए।'

वे समझ गये। बड़ो हृदयों के साथ बोले 'मैं अपना काम कर रहा हूँ। भरसक काशिश करता हूँ। पर आपकी बात पर सारे हिन्दुस्तान का ध्यान जा सकता है। मेरी बात को कौन सुनने लगा?'

'मैं इस बात को समझता हूँ। पर अपनी अहिंसा के विषय में कुछ और कहना चाहता हूँ। मेरे स्वराज्य के विचार के मूल में भी विश्वास ही है। इस विश्वास-अन्योन्य विश्वास-पर ही इसकी बुनियाद पडनी चाहिए। आज मैं हिन्दुस्तान का बड़े अभिमान के साथ अपनी जन्मभूमि मानता हूँ पर मेरा यह अभिमान न जाने कहाँ चला जायगा, यदि हिन्दुस्तान हिंसा-धर्म को स्वीकार करे। हिन्दुस्तान अरबी समुद्र, हिन्दी-महासागर और बंगाल के उप-समुद्र से घिरा और हिमालय का सुष्ट पहलने वाला हिन्दुस्तान ही नहीं है, हिन्दुस्तान के मानी हैं सदियों से अहिंसा के सिद्धान्त का उच्च बंध और उपदेश करनेवाला देश। अतएव अहिंसा के बिना इसके उद्धार की कल्पना मुझे नहीं हो सकती, मैं उसे स्वप्न नहीं देख सकता।'

आप लोगों के लिए मैंने तो एक दूसरे समान को तीन रास्ते बता दिये हैं—हिन्दू-मुस्लिम ऐका में अरीक राजा, विदेशी कब्जे को आमद को रोबने में मदद करना और शराब का कर बंद करना। अंगरेजों को इतना करने, के अपने इस कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। यदि वे इतना कर सकें तो उन्हें परकारना को अन्त्य कर देना चाहिए। आज कितने ही अंगरेज हमें लडता हुआ उच्च कर छुड़ा होते हैं। कितने ही लोग तो यह भी इज्जाम लगाते हैं कि वे लडाने की काशिश करते हैं। विदेशी करों के द्वारा जो रक्त-शायन हो रहा है उनके कुफलां का बर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। इसी हिन्दुस्तान को निराशा का डाला है। हिन्दुस्तान के करोड़ों भूखों मरनेवालों का पेशा चला गया, और आज वे बे-कार बैठे हैं। उन्हें सालभर में कम से कम चार महने की माहक की बिका तनख्वाह अनिवार्य छुटी रहती है। ऐसा छुटी मनाकर दुनिया में कोई कौन जीवित रह सकती है? आज तो लोगों की काम में अड्डा हो नहीं रह गई है, काम करने की इच्छा ही नर गई है। मैं अच्छे का सार्वजनिक करके फिर उसे सजीवन करना चाहता हूँ। शराब की आहवनी के विषय में आपका कुछ कहने की जरूरत है?'

अखण्ड कृतज्ञता प्रदर्शित करके वे समान विरा हुए। वे दोनों अंगरेज गांधीजी-वर्गित दो प्रकार के अंगरेजों के जमून थे। पहले के सामने दिल खोलकर बात करते हुए संकोच होता है, यह डर रहता है कि हमारी बात का अनर्थ बरेंगे, परन्तु दूसरे के साथ मुझे दिल से बात करते हुए जरा भी आगा-पौछा नहीं करना पडता। जब तक ये दूसरे प्रकार के अंगरेज उं लियों पर विनये लायक हैं तब तक अभी हमारी सहाई की उम्र बहुत समझिए।

विश्वभारती के एक नैनी अध्यापक भी आये थे। वे तो पश्चिम मात्र के लिए आये थे। चीन की आंतर राजनीति के विषय में उन्होंने बातचीत छेड़ी, परन्तु गांधीजी चीन के संबंध में क्या बात-बत करसे? एक प्रेस महिला भी आई थीं। इसके अलावा मो० र.मेनन रोके का सन्देश लेकर डा० काशिदास आये थे डा० नाम बर्गीय समाजों के अच्छे जानकार हैं। और पेरिस के विद्यापीठ की पदवियों से सूपत हैं। मो. रोके के साथ उनकी अच्छी मैत्री है। गांधीजी का बहुत-कुछ परिचय उन्हें कराने में उनका हाथ है।

उन्होंने पहले यह बात सुनाई कि आखिरक गांधीजी के संबंध में अितामी मिल सकें जानकारी प्राप्त करने के लिए योरोप के लोग कितने उत्सुक और आतुर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गांधीजी पर जो पुस्तक जो रोलें ने लिखी है उसका अनुवाद तमाम योरपियन भाषाओं में हो गया है। बस में विकिसम गोरकी जैसे अग्रगण्य विद्वान् ने उसका अनुवाद किया है।

परन्तु आज फ्रान्स देश में मो० रमेश्वर रंते जैसे महापुरुष की कदर नहीं, उनका अहिंसा और शान्ति का उपदेश सुनने के लिए बड़ा आज कोई तैयार नहीं, आज वे परित्राजक हैं।

विष्णु में होनेवाले शान्ति-परिवर्त का एक कार्य उन्होंने डा० कालिदास के साथ गांधीजी के लिए मेजा है। उसपर एक और परित्राजक—हरमन हेस—के भी इस्ताक्षर हैं। यह जर्मन हैं और गांधीजी को बहुत चाहते हैं। अपनी शान्तिप्रियता के कारण अपने देश से भगा दिये गये हैं।

यह परिषद् इटली में होनेवाली थी, परन्तु यह भी शान्ति-परिषद्, जो वहाँ न होने ही गई। इस तरह योरोप शान्ति से भरता है। डॉ० रोलें का संदेश सक्सेर में यह था—'योरोप और भारत आपके जीवन से एक सूत्र हैं।'

इस तरह कलकत्ते में चार-पाँच दिन सुबह से शाम तक चर्चाओं, बातचीतों और मुलाकातों में बीते। परन्तु इस सकल वान को इकट्ठा करनेवाली चार्ज भी कम न थी। एक दिन बड़ी रात को एक देहाती अपने लकड़ों-बर्तों को लेकर आया। उस बेचारे को ऊपर कौन आने देता? बाहर तो उस समय भी सड़कों लीज रहते थे और यह बवाल रहता था कि किसे आने दें, किसे न आने दें। आखिर बेचारे ने अपने सूत की पुटकी दरवाजे पर देकर कहा कि यह सूत गांधीजी को दे देना। गांधीजी ने पुटकी लेकर तुरन्त उसे बुलवाया। बर्तों के और बाप के आनन्द का ठिकाना न रहा।

परन्तु उनके उद्यम और देश-प्रेम की क्या कहूँ? कलकत्ते की किसी संकटी गंदी गली में बेचारे का घर है, मिहनत मजदूरी करके पेट भरते हैं, पर साथ ही अपने अपने और गाँव के लोगों (यदि मैं भूलता न होऊँ गाजियाबाद) से—कलकत्ते में मजदूरी करने वाले लोगों से—सूत कंतवाता है। पाँच सेर से अधिक मूल होगा। यह सूत इस महीने के लिए काँता था। उसे यह तो मादम था नहीं कि महासभा में मेजना चाहिए, जो वह गांधीजी को देने के लिए आया। गरीबों को और महासभा को एक सूत्र में बांधनेवाला यह सूत ही है, इससे बंध कर इसका प्रमाण और क्या चाहिए?

किसी किसी दिन शाम को गांधीजी को प्रिय संगीत भी मिल जाता था। श्री दिलीपकुमार राय मो. रोलें का गांधीजी-विषयक भाषा एक पत्र लेकर आये थे। इस पत्र में गांधीजी के कला-विषयक विचारों पर श्री दिलीपकुमार के लिखे लेख की चर्चा थी। परन्तु वह किन्हीं को पढ़ने के पहले गांधीजी मला उनका संगीत सुने बिना कह रह सकते थे? दिलीप बाबू ने

'जानकी बाबू सहाय करे जब'

के सुन्दर गान से कमरे को गुंजा दिया।

पण्डित जेतीलालजी ने मुग्ध हो कर एक और गीत का अनुसरोध किया। तब उन्होंने ने अपने प्यारे

'जब प्राण तन से निकले'

की तान छेड़ी। इसके बाद कला-विषयक कुछ चर्चा छिड़ी। दिलीप बाबू इस बात को न समझ पाये थे कि गांधीजी केवल सृष्टि-सौंदर्य पर ही इतना जोर क्यों देते हैं? क्या चित्रकार की कृषी में यह सौंदर्य नहीं है, चित्रकार की मूर्ति में सौन्दर्य नहीं है? इसके उत्तर में गांधीजी ने कहा—

'मेरा काम इन चित्रों के बिना चल सकता है, इससे मैंने कहा कि मेरा दिवाराँ पर यदि चित्र न हों तो भी मुझे ने अच्छी मालूम होती है। इसका कारण यह है कि चित्रों के द्वारा परमेश्वर की लीला देखने की जरूरत मुझे नहीं। ईश्वर ने हमें ऐसी भूमि और जल-वायु में जन्म दिया है कि सुन्दर सूर्योदय, सुन्दर चन्द्रिका और तारायें, सुन्दर जल और स्थल के दृश्य हमें प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। लंदन में जब कई दिनों तक सूर्य के दृशन नहीं होते वहाँ ऐसे चित्रों की जरूरत पड़ती है। इस देश में बसनेवाले गरीब लोगों को ऐसे चित्र खरीदने की सिफारिश मैं क्यों करूँ?'

मेरा ध्येय हमेशा है कल्याण। कला मुझे वही अंश तक स्वीकार्य है जिस अंश तक वह कल्याणकारी है, ममलकारी है। मैं उसे योरोप की दृष्टि से नहीं देख सकता, और योरोप भी है क्या चीज? पृथिवी-तल पर अखिर है तो एक बिंदु ही न?

फिर भारतीय कलाकारों ने तो अपनी कला को मन्दिरों में और गुहाओं में प्रकट करके सार्वजनिक कर दिया है। गरीबों को ऐसे स्थानों में जा कर जा बूझा लो मिल सकता है।'

'तब संगीत के विषय में आपका क्या मत है? संगीत तो आप गरीबों के लिए भी चाहेंगे?'

'हां, जरूर! क्योंकि संगीत तमाम कलाओं में सर्वोपरि है। उसका संबंध अनेक तरह से हमारे जीवन के साथ है और यह अनेक प्रकार से कल्याणकारक होता है। और वह गरीब से गरीब जन के लिए भी सुलभ है।'

दिलीप बाबू ने योरोप के संगीत की चर्चा शुरू की, योरोप के मन्दिरों के संगीत की बातें कीं। गांधीजी को भी वहाँ का अनुभव तो था ही। इसलिए उन्होंने अपने सुने बहिया बहिया संगीत की भी बातें की। अन्त को समस्त कलाओं के विषय में इस तरह उपसंहार किया—

'कलाकार जब कला को कल्याणकारी बनावेंगे और जन-साधारण के लिए उसे सुलभ कर देंगे तभी उस कला को जीवन में स्थान रहेगा। जब कला सब लोगों को न रख कर थोड़े लोगों की रह-जाती है तब, मैं मानता हूँ कि, उसका महत्व कम हो जाता है।' यहाँ दिलीप बाबू ने उन्हें रोका—'तब तो इस दृष्टि से जो तत्त्व-ज्ञान लोगों की बुद्धि के लिए सहज गम्य न हो, जो बाध्य या जो साहित्य जन-साधारण के लिए सुबोध न हो, वह भी आपकी रुचिकर नहीं हो सकता।'

'हां, नहीं हो सकता। हर एक ऐसे बुद्धि के व्यापार का मूल्य, जिसमें कुछ विशेषता हो—अर्थात् जिससे गरीब लोगों को बहित रहना पड़ता हो—उस वस्तु से अवश्य कम है जो सर्व-साधारण के लिए होगी। यही काव्य और वही साहित्य चिरंजीवी रहेगा जिसे लोग प्रथमता से पा सकेंगे, जिसे वे आसानी से पचा सकेंगे।'

अब उस बड़े लंबे पत्र को किसी तरह खतम करती आखिरी दिन देशबन्धु की एक कहन की लकड़ी गांधीजी से मिलने के लिए आई। उससे गांधीजी ने बीरबबाई का भजन सुनना चाहा। उन्होंने बिना किसी संकोच के दो तीन भजन बड़े धुन करके सुने—

'बीरों बित और न माने देन मिलो महाराज' की धनि अमीनक कानों में गुंज रही हैं।

(नवजीवन)

अहमद अलि खान देखाई



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक १६ ]

मुद्रक—मकाशक  
 कैपिलाल छगनलाल दूब

अहमदाबाद, जगहन सुबी ४, संवत् १९८१  
 रविवार, ३० नवम्बर, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 लारंगपुर सरकीपरा की बाड़ी

## एकता करनी है ?

पिछले सप्ताह जो परिषद हुई वो उसके फल-स्वरूप अभी तमाम दलों की एकता न हो पाई। इससे यह जाना जाता है कि इसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं। पर एकता स्थापित करने के बराबर कोजने के लिए जो कमिटी नियुक्त हुई है उससे मात्तम होता है कि परिषद इस काम को अर्धभव नहीं समझती न वह विरासत ही है। वही नहीं बल्कि भी अयसुकलाल महेता के इस प्रस्ताव का समर्थन तो अच्छी तादाद में हुआ था कि कमिटी अपनी रिपोर्ट अगस्त १५, दिसंबर तक या उसके पहले प्रकाशित कर दे। उन्हें तो तुरन्त सफलता मिलने की बड़ी आशा है। परन्तु जो सावधानी से काम लेना चाहते हैं उन्होंने ३१ मार्च कायम करके ए० और जहाँ इसकी कठिनाइयों को अनुभव किया है तहाँ दूसरी ओर उसके गभित अर्थ के द्वारा कमिटी पर यह भार भी डाल दिया है कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले जो सबको कुमूल हो जाय। सुमाचार-पत्रों के लेखक और संपादक कोकमत का ठीक दिशा की ओर प्रेरित करके कमिटी को बहुत-कुछ सहायता कर सकते हैं। कमिटी पर अपने विचारों का असर डालनेवाली सस्थायें ये हैं—नरमदल, स्वतन्त्रदल और नेशनल होम-स्कूल-दल। होमस्कूल-दल की नेत्री भोमती बेजेट ने वस्तुतः उन बातों को स्वीकार कर लिया है, जो मेरे और स्वराजियों के बीच तय हुई थीं और जिनपर अब महासमिति ने भी अपनी मुहर लगा दी है। लिबर-दल और स्वतन्त्र-दल के मार्गों की कठिनाइयाँ एक-सी हैं और वे ये हैं—महा-सभा का संकल्प, पारासभा के काम का स्वराजियों का सौंपा जाना और कताई द्वारा मताधिकार। कहते हैं कि महासभा का संकल्प अमंरराष्ट्रक है—हुमानी है। मैं साहस के साथ इस इत्काम का अस्वीकार करता हूँ। वर्तमान संकल्प तो हमारी विद्यामय अवस्था की स्वीकृति ही है। इसका अर्थ यही है—स्वराज्य, यदि संभवनीय हो तो साम्राज्य के अंतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर। इस संकल्प की योजना करके एक और अंगरेजों के सिर पर यह भार डाल दिया गया है कि वे हमारे लिए साम्राज्य के अन्दर रचना—बराबरी के हिस्सेदार बनकर रहना संभवनीय बना दे और दूसरी ओर यह हिम्मत के साथ जोषित करता है कि यदि आवश्यक हुआ तो देश एक पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र की हैसियत से अपने हाँ पैरों पर खड़ा रहने का

सामर्थ्य रखता है। साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य के मानी हैं एक आजाद राष्ट्र, साम्राज्य के अन्दर स्वेच्छापूर्वक रहने, और भारतवर्ष वास्तविक समझे तो साम्राज्य के साथ में न रहने की स्वतन्त्रता। साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य ऐसा ही होना चाहिए, जिसमें निम्न निम्न राष्ट्र अपनी अपनी इच्छा के अनुसार हिस्सेदार बन कर रहें। यह इतनी महत्वपूर्ण और मातृक सिद्धि है कि उसका त्याग नहीं किया जा सकता। महासभा के विभिन्न कर्ता-धर्ता भी यदि महासभा के संकल्प को इस तरह बदलने की अभिलाषा करें, जिसका अर्थ हो सिर्फ 'साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य और इसलिए एक पराधीन-राज्य' तो न सिर्फा ही एक भारी बहुसंख्या इस अवमानना को सिर झुकाने से इन्कार कर देगी। महासभा के संकल्प में लिबरल तथा स्वतन्त्र-दलवालों की हितमत दिशा में परिवर्तन करने का लक्ष्य रखना राष्ट्र के वर्तमान मनोभावों के प्रतिकूल जाना है। उनके लिए सिर्फ यही मार्ग हो सकता है कि वे महासभा में शरीक होकर उनके सदस्यों को अपने मनोमूर्त परिवर्तन की आवश्यकता और उपयोगिता का कायल करें—जिस तरह कि मौलाना इस्लाम मोहानी संकल्प में इस तरह का परिवर्तन कराने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिससे महासभा के श्लेष का अर्थ सिर्फ इतना ही हो जाय, 'ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी स्वतन्त्रता'। मैं बड़े अर्थ के साथ कहता हूँ कि कम से कम वर्तमान संकल्प में कोई बात हानिकर या अनीति युक्त नहीं है। बल्कि इसके विपरीत वर्तमान अवस्था में तो यह मानना कि स्वतन्त्रता पाने की ताफि हमारे अन्दर नहीं है, नीति-शास्त्र की दृष्टि से भारी आक्षेपाई बात हो सकती है। दुनिया का कोई राष्ट्र जो यह संकल्प रखता है, स्वतन्त्रता के लिए असमर्थ नहीं हो सकता। जो हो। पर हर हालत में मुझे तो यही विश्वास है कि देश के तमाम दल इस बात को मानेंगे कि महासभा में ऐसे मतदाता हैं, जो समक पक्ष में अपना वादा करा सकते हैं और ऐसा होना ठीक भी है।

अब रही यह बात कि महासभा में स्वराजी लोगों का क्या दखल रहे, तो यह उनके अपने निर्णय करने की बात है। आज तो महासभा में स्वराजी और अपरिवर्तनवादी ही प्रधान दल हैं। यदि महासभा अग्रद्वेष को मुक्त कर दे तो फिर शायद स्वराजी अपने आप प्रधानता पा जायेंगे। और यदि दोनों दल

देश-हित को ध्यान में रख कर महासभा में फूट न आने का निर्णय करके तो दोनों संयुक्त और बराबरी के हिस्सेदार माने जाने चाहिए। कलकत्तेवाले इकरारनामें में मैंने सिर्फ इसी सीधी-सादी और स्वाभाविक बात को स्वीकार किया है। यदि कोई एक इससे अधिक चाहता है तो वह महासभा में शरीक हो कर ही और स्वराजियों की बुद्धि को समझा कर तथा महासभा के मतदाताओं में अपने मत का प्रचार कर के और नये मतदाता बनाकर ही ऐसा कर सकता है। महासभा के मतदाताओं की बुद्धि करने की मेहद गुंजाइश है, और यदि किसीको अपने विचार और मतवाले स्त्री-पुरुष मिलते हों तो, हर एक महासभा के ऐसे इत्के और कमिटियाँ बना सकता है।

तीसरा आक्षेप है कताई के द्वारा मताधिकार। यदि यह चीज नई न होती तो न सिर्फ इसपर इतनी उत्तेजना न फैलती और बिस्मय न होता, बल्कि काम इसे मताधिकार की सर्वोत्तम कसौटी समझ कर इसका स्वागत करते। यदि पूजिपतियों या शिक्षित जनों की अपन आज श्रमजीवियों का सबसे अधिक प्राधान्य और प्रभाव होता और यदि साम्प्रतिक या शिक्षा-सम्पन्नी कई कसौटी रखती जाती तो उन सबल श्रमजीवियों ने उस बात की दिक्को दी हक है इती और यहां तक कि उसे अनित्युक्त भी कहा जाता। क्योंकि जबक वलीक यह होती कि पूजिपतियों और शिक्षितों की संख्या तो बहुत छोटी है और शारीरिक श्रम तो सब-सामान्य है। हो सकता है कि मेरी एक विशेष प्रकार के शरार-श्रम की—कताई की—कसौटी का कुछ मूल्य न हो, वह मेरा लहरी-पन हो, पर वह न तो अनित्युक्त है और न राष्ट्र के लिए अहितकर ही है। बल्कि इससे विपरीत मैं तो मानता हू कि इससे देश को सबसुख काम होगा—यदि देश के लिए हजारों जो—पुरुष शारीरिक श्रम करें—फिर वह सिर्फ आगे बढे रोज ही नहीं न हो। और न खादी-पोषा होने को शर्त है। किसी एक के महासभा में प्रवेश करने में बाधक होनी चाहिए। खादी को तो महासभा में पिछके तीन बरों से बहुत ही महत्त्व दिया जा रहा है।

और निस्सन्देह खादी पहनने को मताधिकार की शर्त बनाने पर तो सिद्धान्ततः कोई अकाट्य आक्षेप ही नहीं सकता। सो यदि खादी पहनना और सूत कातना मताधिकारी की पात्रता न रखी जाय और यदि मेरी भारी भूल न होती हो तो मैं समझता हूँ, बहुतेरे सर्वोत्तम कार्यक्रमों को महासभा में रहने में हिलचली न रहेगी। इस समय महासभा में दो दल हैं। एक को इस बात में विश्वास नहीं है कि भारासभा के द्वारा स्वराज्य मिल सकता है और जबतक देश शान्तिमय कानून भंग या असहयोग के लिए तैयार न हो तबतक खादी का काम करने में वह सन्तोष प्राप्त है। एक दूसरा दल है जो खादी के आर्थिक महत्त्व को मानते हुए भी यह मानता है कि यदि स्वराज्य भारासभा-प्रवेश के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता, तो कम से कम उसी दिशा में ऐसी कार्रवाई तो की जा सकती है कि जोहरखादी को मनमानी बरजानी पर कुछ तो संकुच रहे। अब मैं तो इसमें अपना रास्ता इस तरह निकाल सकता हूँ कि एक ओर मैं स्वराजियों से झगडा मोल न लूंगा, उन्हें अपने रास्ते जाने दूंगा और दूसरी ओर जितना हो सके और वे से सके उनका सहयोग खादी-कार्यक्रम में प्राप्त करूंगा। और मैं लिबरल और स्वतन्त्र दलवालों से भी प्रार्थना करूंगा वे इस बात की कदर करें, जिसमें फर्क करना एक आदमी के बूते का नहीं है। और यह विस्कुल संभवनीय भी है। स्वराजी, तथा लिबरल और स्वतन्त्र-दलवाले मिल कर आपस में इस बात पर मसखरा करें और यदि वे इसी नतीजे पर पहुंचें कि खादी में कुछ

कम नहीं रहा है और यह सिर्फ एक मेरी सनक है, और यदि वे मुझे अपनी भूल का कायल न कर सकें, तो मैं ब-बुरा महासभा के बाहर रहूंगा। मैं उनके काम में—उनके मत के अनुसार देशहित के लिए राष्ट्रीय महासभा का उपयोग और कब्जा करने में—किसी तरह बाधक न होऊंगा। मुझसे एक खास स्वराजो भाई ने कहा है कि खादी-कार्यक्रम असफल हुए बिना वह नहीं सकता और स्वराजियों का उसमें अरा भी विश्वास नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके इस अविश्वास से सहमत नहीं। मैंने उनसे कहा कि स्वराजियों ने सबे दिल से उसे कबूल किया है और वे उत्साह और उमंग के साथ उसमें भिड जायेंगे। पर मान लीजिए कि इन महासभा का कथन बहुत साधारण हो और यदि यह खादी-संप्रदाय हमारे सामाजिक जीवन में फूटबालने वाला तत्व हो तो अच्छा है कि वह श्रम जल्दी पर हो जाय। हाँ, जबतक मेरा विश्वास उसपर से उठ नहीं जाता तबतक मुझे उसपर कायल रहने की इजाजत रहे। पर उसके कारण मैं देश के दूसरे तमाम कामों को रोक या बन्द नहीं कर सकता। इसलिए मैं सबको सरगर्भी के साथ वह आश्वासन देता हूँ कि मैं जान बूझकर किसी भी सम्मानपूर्ण साधन के स्वीकार करने के मार्ग में बाधक न हूँगा, जो कि देश के तमाम दलों को एकत्र करने के लिए कमिटी तजवाज करेगी। मैं अपनेको जानबूझकर स्वराजियों, लिबरलों और स्वतन्त्र दलवालों के बीच में रख रहा हूँ, नम्रतापूर्वक उनके दृष्टि-बिन्दु का आश्रय लेना समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसमें मेरा तो कुछ मतलब है नहीं। देश की आजादी के लिए उनके मनमें जो चिन्ता और उत्सुकता है वह मुझे भी है। हाँ, मेरा रास्ता उनसे छुटा है। यदि मुझसे हो सका तो खुशी से उनके रास्ते चलूंगा। इसलिए हर दल को उचित है कि वे ऐसे उपाय को खोजने का प्रयत्न सबे दिल से उत्साहपूर्वक करें। सब दलों की एकता का उपाय खोजने के लिए वे भद्रा और हठ निश्चय के साथ कमिटी में विचार करें। अपने दिल और दिमाग को साफपाक रख कर कमिटी में मसखरा करें।

एक मित्र पूछते हैं कि जबतक सर्वदल-समिति की औष पूरी न हो और उसका नतीजा न निकल आवे तबतक मताधिकार को शर्त में परिवर्तन करने का प्रस्ताव मुस्तबी नहीं किया जा सकता? इसपर मैं अदब के साथ कहता हूँ कि एक अच्छी तरह विचार-पूर्वक किसे गये कार्यक्रम को यों सहसा मुस्तबी नहीं कर सकते। इस अंदेसे से कि शायद लिबरल और स्वतन्त्र-दल के लोग खादी-कार्यक्रम को मंजूर न कर सकें, तब महीने के पुस्ता काम को यों ही गवां नहीं सकते। फिर भी यदि कमिटी की यह राय होगी कि खादी-कार्यक्रम असम्भव है और दर-असल सभी एकता में बाधक होता है तो मताधिकार की यह शर्त महासभा का एक विशेष अधिवेशन करके आसानी से हटा दी जा सकती है। मेरी राय में देश का हित यही चाहता है कि हर दल अपने अपने विश्वास के अनुसार कार्य करे; पर साथ ही साथ गलतियाँ करने और उसके महत्त्व होने पर पश्चाताप कर के पीछे हटने की भी प्रवृत्ति काममें रहे।

(५० इ०)

मोहनदास करमचंद गांधी

पंजाब में 'हिन्दी-संघर्ष' मुफ्त

मिवाली के श्रियुक्त मेकाराम वैश्य सूचित करते हैं कि पंजाब के सामाजिक पुस्तकालयों और बाबुनालयों को 'हिन्दी-संघर्ष' उनकी तरफ से मुफ्त दिया जायगा।

नीचे लिखे पते पर वे अपना नाम और पूरा पता साफ साफ लिख कर भेजें—  
व्यवस्थापक 'हिन्दी-संघर्ष'

## अपरिवर्तनवादियों की दशा

अपरिवर्तनवादियों की हालत सचमुच दयानक है। और यह सचमुच एक यदि संकटों आना नहीं तो, बहुत अंध में, मैं ही इसका कारणोभूत हूँ, मुझे विश्व कर देता है। मेरी तसल्ली केवल इसी विचार से होती है कि मैं तमाम अपरिवर्तनवादियों में सब से ज्यादा बड़ा अपरिवर्तनवादी हूँ। मैं समझता हूँ कि इससे उन्हें भी तसल्ली होनी चाहिए। पर अपरिवर्तनवादी विद्ये कटना चाहिए? 'अपरिवर्तनवादी' कई अच्छा शब्द नहीं। इसका कुछ भी मतलब नहीं होता। पर इसका प्रयोग उन लोगों के लिए होता आया है जो कहते हैं १९२० में पास हुए मूल असहयोग-प्रस्ताव को मानते हैं। उम्का कार्यकारी भाग है अहिंसा। १९२० के पहले भी हम अपने दिनों में असहयोग कर रहे थे क्योंकि पिल तो सरकार के खिलाफ बग़ावत के मामों से भरा रहता था। हाँ, अपने ऊपरी आचरण के द्वारा हम जरूर उससे सहयोग करते हुए दिखाई देते थे। १९२० में यह हालत बदल गई। हमने मन, बचन और कार्य में सहयोग स्थापित करने की कोशिश की। हमने देखा कि न सहयोग केवल अहिंसा के ही द्वारा हो सकता है। और हमने देखा कि जितना ही हम अपना सहयोग सरकार से हटावेंगे उतना ही हमारा सहयोग हमारे अन्दर बढ़ना चाहिए। इसलिए अपरिवर्तनवादो है वह जो अपने शासकों का बुरा न मनाते हुए—पर उसकी रबी प्रणाली को मष्ट करने में प्रयत्नशील रहते हुए, उस शासन-प्रणाली के कहे जानेवाले कामों अर्थात् धारासभाओं, अदालतों, शिक्षाकार्यों, उपाधियों और उपाधयों विशेषी कपड़ों का त्याग करे। यह उसका निषेधात्मक भाग था। उसका विधायक अंग था स्वतन्त्र शिक्षाकार्यों, पंचायतों की स्थापना और हाथ-कतों और हाथबुली खादी की पैदायश करना। महामभा ने मुख्य धारासभा-मण्डल का त्याग किया था और 'सेवका-सेवकों का पुस्ता काम था उनकी कंपनी से कंपनी उपाधियाँ। परन्तु पूर्वोक्त पाँच सरकारी संस्थाओं को हम बह न कर सके और न नव स्थापित संस्थाओं का काफी फल ही दिखाई दिया। इससे हमारे कुछ लोगों का दिल टूट गया और उन्होंने देखा कि अब तो धारा-सभा ही राष्ट्र की सेवा करने का एक मार्ग रह गया है। अब अपरिवर्तनवादियों को, यदि सचमुच उनका विश्वास अहिंसा में था, तो चाहिए था कि वे अपने साधियों की भ्रष्टाहीनता पर विचार न उठते। उन्हें चाहिए था कि उन्हें भी प्रामाणिकता और देशभक्ति का उतना ही भ्रय देते जितना कि वे अपने लिए दावा करते थे। बल्कि उन्होंने तो जोर-जोर के साथ अपने उन साधियों का जो कि अब स्वराजी कहे जाते हैं, विरोध किया। यदि वे सचमुच अहिंसा-परायण होते तो वे अहिंसा का आश्रय लेकर उनके मत-मैद के प्रति अपना आदर प्रकट करके उन्हें उनके रास्ते जाने देते। पर उनकी इस अहिंसा में उनका दोष न था। वे तो यह जानते भी न थे कि हम अहिंसा ही रहे हैं। पर बजाय इसके कि वे अपने पैरों पर लड़े रहते और अपने ही कार्यक्रम पर अटक धरती रहते, उन्होंने स्वराजियों से बल प्राप्त करना चाहा, जिस तरह कि हम सब अपनी कमजोरियों को दूर करने की इच्छा न रख कर या उसमें असमर्थ होकर, अपने शासकों से बल प्राप्त करना चाहते हैं। यह असहज मनोवस्था अब भी कायम है और यही कारण है मेरे और स्वराजियों के बीच हुए उस ठहराव से असन्तोष होने का। क्या अपरिवर्तनवादियों के मन में सचमुच स्वराजियों के प्रति प्रेम है? मैंके ही स्वराजी बैठे न ही ऐसा कि होने का दावा करते हैं या बैठे ही हैं बैठे कि हममें से कुछ लोग मानते हैं। यदि उनके अन्दर

वह प्रेम-भाव है तो वे स्वराजियों की गति-विधि पर सविनय और हुकी न होंगे।

किर अपरिवर्तनवादियों के बहुत बड़े भाग के लिए सिवा कार्यों के दूसरा कोई काम नहीं है, जिनमें उनका सारा समय लग सके। हिन्दू-मुस्लिम-संबंध और अस्पृश्यता का विषय तो मनोवृत्ति से संबंध रखता है और यह उनकी तरफ से शुद्ध होनी चाहिए। पर इन बातों के लिए सबको कोई अमली काम मिलना कठिन है। राष्ट्रिय शिक्षाकार्यों में भी कुछ ही लोगों के लिए काम मिल सकता है, और जो भी विशेष प्रकार की योग्यता रखनेवाले चाहिए। पर खादी एक ऐसी नीज है जिसमें जितने लो, पुष्ट, युवक, मिल सकें सबका सारा समय लग सकता है, यदि उसमें उनका विश्वास हो। यदि वे वास्तव में अहिंसा-परायण हैं तो उन्होंने यह भी जान लिया होगा कि जबतक आरंभिक रचनात्मक काम न हो जायगा तब तक सविनय भंग एक असमर्थ बात है सविनय भंग का अर्थ है असीम कष्ट-सहन की क्षमता—जो भी प्रतिपक्षी का संहार करने की उत्तेजना के लक्ष्य के बिना। यह तबतक नहीं हो सकता जबतक कि हमारा वायुमण्डल कुछ इस तक सन्तिपूर्ण न हो और जबतक कि हमें इस बात का आशा यकीन न हो कि हिन्दू-मुस्लिम, ब्राह्मण-अब्राह्मण और उच्च हिन्दू और अछूत आपस में न लड़ पड़ेंगे और जबतक कि हाथ-कतों और हाथ-बुनाई का रहस्य इस इस तक न समझ लेंगे कि उसकी सहायता के बल पर हम सार्वजनिक सहायता के बिना कार्यकर्ताओं के निर्बाह के विषय में निश्चिन्त हो जायं। ऐसे लोगों की संख्या चाहे उगलियों पर गिनने लायक हो चाहे बहुत। यदि हमारी संख्या अधिक होगी तो उसे हमें वायुमण्डल की क्षमता का निश्चय हो जाना। यदि हमारी संख्या कम होनी तो फिर हमें अपने आस पास फेले शोबानक को बुझाते हुए मर मिटना होगा। यदि ऐसे असहयोगी कहीं हों तो वे इस ठहराव पर सगुन न करने। क्योंकि यह और कुछ नहीं, अटक, आगही और अस्म्य अपरिवर्तनवादियों का, जिनका प्रेम-भाव कर्मों से कड़ी कसौटी पर भी सौ टक् सविनय हो और त्रिविध रचनात्मक कार्यक्रम के प्रति भ्रष्टा, आवश्यकता पड़ने पर, तमाम देश का भ्रष्टाहीनता को मिटा दे, आज निकालने को एक विधि ही है। उन्हें किसी की भी सहायभूति की जरूर नहीं, बल्कि उरटे जो कुछ सहायभूति और पुष्टि वे दे सकते हैं। सकी जरूरत तो मुझे है और मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। यह वे करें अपने आत्मल्य के द्वारा, उठ सेवा के द्वारा, बिना कुछबुझाये और पुरस्कार की हाँ किये। अतिरिक्त हो सिर्फ अपनी अन्तरात्मा के द्वारा हुआ अनुभव पाठक इस बात का यकीन रखें कि ऐसे कार्य-कर्ता भी देश हैं। उन्हें यं. इ. के पृष्ठों के द्वारा प्रसिद्धि या परिचय की आवश्यकता नहीं है।

( यं० इं० )

मोहनचरस करमचंद गंगाधी

रु. १) में

- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| १ जीवन का सद्यय          | ॥१) |
| २ लोकमान्य को भ्रष्टाजकि | ॥२) |
| ३ जयन्ति अंक             | ॥३) |
| ४ हिन्दू-मुस्लिम तमाना   | ॥४) |

शक खने 1-) सहित मनीभाईर मेजिए।

११८)

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर

# हिन्दी-नवजीवन

रविवार, अगस्त सुबो ४ सप्ट १९८१

## ईश्वर सहायक हों

बहुत प्रार्थना और बहुत कुछ हृदय-सोचन के बाद अब और कल्पित इहय से मैंने आत्माही महासभाके समापति-पद को ग्रहण करना मंजूर कर लिया है। मैं ऐसे समय में समापति हो रहा हूँ जब कि भारतवर्ष के शिक्षित जनों और मेरे बीच मत-भेद का भारी समुद्र फैला हुआ दिखाई देता है। हाँ, इन शिक्षितों में कुछ अच्छे अच्छे अपवाद भी हैं। पर आम तौर पर कुछ साधारण प्रसिद्ध भारतवासियों को छँड कर देश का बुद्धिवादी अंश मेरी किम्बर और काब-रीति के खिलाफ दिखाई पड़ता है। लेकिन फिर भी इसलिये कि मैं सर्व-साधारण जनता में लोकप्रिय दिखाई दे रहा हूँ और कितने ही शिक्षित जन को यह विश्वास है कि मैं जो उन्हींके सबसे अपने देश के प्रति प्रेम रखता हूँ, वे चाहते हैं कि देश के इतिहास में उपस्थित इस विकट और कठिन अवसर पर मैं महासभा के कार्य का विश्वासार्थक बूँ।

मैं समझता हूँ कि मुझे उनकी इस इच्छा को रोकना न चाहिए। कठिन इसके विपरीत मुझे अपना उपयोग होने देना चाहिए, जो कि मैं आशा करता हूँ कि देश-हित के ही लिए होगा। इस माह का आखिरी फैसला करते के पहले मैं महामति के निर्णय का प्रस्ताव कर रहा था। महासमिति की बैठक में स्वराजियों के मौल ने प्रस्ताव प्रभाव-पूर्ण बयान का काम किया। मैं जानता हूँ कि कर्मों से बहुतेरे लोग महासभा की शर्तों के परिवर्तन पर बहुत रुचि न थे। पर मुझ और एकता के लिए उन्होंने मौल रहकर इस परिवर्तन के पक्ष में अपना मत दिया। असहयोगियों का हृदय मुझ से भरा हुआ था, वे समझते थे हमारे प्रिय पोषित आदर्शों का त्याग हो रहा है और इसलिये वे उसपर अपना संक्षेप प्रकट कर रहे थे। उन्होंने विरोध किया; परन्तु मत मजबूत इतराज के खिलाफ नहीं दिया।

यह स्वराजी और अपरिवर्तनवादी के लिए भूषणार्थक हुआ, परन्तु यह वायुमण्डल कुछ ऐसा उत्सङ्गशी नहीं है जिसमें कुछ काम हो सके-और पास कर जब कि एक ही आदमी से बहुत-कुछ उम्मीद की जाती हो। पर अभी तो मेरी अहिंसा की आजमाइश का ठक ठीक मौका है। यदि मेरे हिक में अपरिवर्तनवादियों, स्वराजियों, सिविलों, मेहनत-होमकक शकों और स्वातन्त्र-दलवालों तथा उसी तरह अंगरेजों के प्रति भी समान प्रेम-भाव होगा तो मैं समझता हूँ कि मेरे और देश के लोगों के लिए सब बातें सुगम हो जायेंगी।

मैं देश की आंख में धूल न झोंकूंगा। मेरे नवदीक धर्म विहीन राज-नीति कोई चीज नहीं है। धर्म के मानी बहनों और गतानुपतिकत्व का धर्म नहीं, द्वेष करने वाला हो और लड़ने वाला धर्म नहीं, बरिष्क विश्ववापी सहिष्णुता का धर्म। नीति-हृदय राजनीति सर्वथा त्याग्य है। इसपर कोई कस सकता है कि 'तब तो आपको राजनैतिक क्षेत्र से हट जाना चाहिए।' जो मेरा समरिवा ऐसा नहीं है। मुझे समाज के अन्दर रहते हुए भी उसके दुश्मनों से अहिंसक रहने का प्रयत्न करना होगा। किसी भी सुप्त में मेरे लिए महासभा से आगजाना कायरता

होगी और मेरे लिए तो अब महासभा का अप्यक्ष-पद न स्वीकार करना मानों सबसे पलायन कर जाना होय-आसकर जब कि हर शकस मेरे लिए मार्ग निष्कण्टक करने की कोशिश कर रहा है।

मुझे अपने कार्य और मानवी गुणों में विपुल श्रद्धा है। दुनिया के किसी भी देश से भारत की मनुष्य-जाति बुरी नहीं है-बरिष्क संभवतः बेहतर ही है। और मेरा कार्य तो निस्सन्देह मनुष्य की सत्प्रवृत्ति-विषयक श्रद्धा को पाले ही से गृहीत किये हुए है। यद्यपि रास्ता अंधकार से परिपूर्ण दिखाई देता है तो भी ईश्वर मुझे प्रकाश दिखावेगा और मेरी रज्जुमाई करेगा, यदि मुझे उसकी रज्जुमाई में श्रद्धा होगी और इतनी ममता होगी कि उसके सबूक मार्ग-दर्शन के अभाव में होनेवाली अपनी असहाय अवस्था को स्वीकार करे।

यद्यपि मैं अबतक एक पक्का असहयोगी और सत्याग्रही बन्ना हुआ हूँ तथापि मैं देखता हूँ कि राष्ट्रीय रूप में असहयोग या सविनय भंग करने के अनुकूल वायुमण्डल देश में नहीं है। ऐसी अवस्था में मेरी कोशिश यही होगी कि देश के तमाम दलों को, बिना जाति, रंग, या पंथ के भेद-भाव के, पारस्परिक सहिष्णुता की नींव पर, एकत्र करे और यदि संभवनीय हो तो यह दिखाऊँ कि महासभा के असहयोग का मूल द्वेष या मत्सर न था। अब मैं असहयोग और सविनय भंग को-टीका टिप्पणी या दमन के द्वारा नहीं बरिष्क स्वराज्य प्राप्त करके-असमम कर देने का भार तमाम दलों पर रख दूंगा। इसलिये देश के तमाम भिन्न भिन्न दलों के प्रतिनिधियों से प्रार्थना करता हूँ कि वे शौलना महम्मदखली के विमन्त्रण पत्र को अवर स्वीकार करें कि यदि आप प्रतिनिधि बनकर नहीं आ सकते तो दशक बनकर ही पधारिए, और अपने बकाए-समावरे से काम पहुंचाए।

महासभावादियों के सिर पर, फिर वे चाहे स्वराजी हों, अपरिवर्तनवादी हों, हिन्दू या मुसलमान हों अथवा ब्राह्मण या अन्नासल हों, भारी कर्तव्य का भार है। उन्हें अपने कार्यक्रम के अनुसार चलना है और अपने दैनिक जीवन में उसका पालन करना है। महासभा में वे सेवक के रूप में उपस्थित होंगे, सेवा चाहनेवाले स्वामी के रूप में नहीं। दूसरे तमाम कपड़ों को छोड़कर सिर्फ जादी ही धारण कर के वे खादी के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करेंगे, जिसका उदाहरण वे आज ४ घण्टे से करते आ रहे हैं। एक दूसरे के प्रति अधिक से अधिक सहनशीलता और क्षमाशीलता तथा एक दूसरे को धार्मिक विधियों और क्रियाओं के प्रति परस्पर आदर-भाव दिखका कर वे भिन्न भिन्न जातियों और धर्म-पन्थों की एकता के प्रति अपनी श्रद्धा का परिचय देंगे। महासभा में आनेवाले अहूर्तों को देख-भाह अपने जिम्मे लेकर-अपनी हद से बाहर जाकर-हिन्दू लोग अस्पृश्यता निवारण के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रवर्तित करेंगे। प्रतिनिधि तथा दशक, निस्सन्देह, मुझसे इसी बहुतेरी करारियों का, जैसे हिन्दू-मुसलिम-बैमनस्य, बंगाल-ब्रह्म, अकाशियों का निर्देयतापूर्ण पीडन तथा दुरितों की ओर है प्रचलित बाइकम-सत्याग्रह और सबसे बड़ कर स्वराज्य की प्राप्ति के लक्ष्य की उम्मीद रखते होंगे। पर मेरे पास कहीं समदी मुस्कान नहीं है। इकाज तो मुझ प्रतिनिधि और दर्शकगण से ही मिलेगा। मैं ता दिवा दिवानवाका पटरी की तरह सिर्फ लंगको उड़ा कर रास्ता भर दिखा सकता हूँ। महासभाके सभ्य चाहें तो मुझे संजूर करे चाहें तो नामंजूर। परमात्मा हम सब की इच्छासदा करे।

( ३० ई० )  
शावरमती, २६ नवंबर, १९२४ मोहनदास करमचंद गान्धी



### टिप्पणियाँ

यदि मैं, वायसराय होता—

जो अंगरेजों ने जो बंगाल में प्रचलित दमन-नीति के पैरेकार थे, मुझसे पूछा कि "यदि आप रुई कीडिंग या लार्ड सिटन की जगह हो तो क्या करते?" तुरन्त मेरे मुँह से जवाब निकला। पर मैंने देखा कि उससे उन मित्रों का संताप न हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जवाब देना आसान है, क्योंकि मैं दरअसल उनकी जगह पर तो हूँ नहीं। फिर भी मैंने अपने जवाब पर एक तरह से विचार देखा और वह मुझे सबक माहूम हुआ। दूसरे कितने ही अंगरेज ऐसे हो सकते हैं जो उन सज्जनों की तरह बंगाल के दमन को ठीक मानते हों। इसलिए मैं अपना उत्तर जरा विस्तार के साथ यहाँ देता हूँ—

यदि मैं वायसराय अथवा बंगाल के गवर्नर की जगह होता तो पहला काम मैं यह करता कि समाज के विश्वासपात्र हिन्दुस्तानियों को बुलाता और उनके सामने अपने तमाम कागज-पत्र रख देता और वे जो बलाह देने उसके मुताबिक करता। सुधासचन्द्र बोस को तो मैं अपने यहाँ बुलाता और उनपर अपना सन्देश प्रकट करता और जो सुझावा दे देते उसे प्रकाशित करता। फिर जिन प्रतिष्ठित भारतवासियों की आय मैं लेता उन्हींसे पूछकर मैं देशबन्धु दास को बुलाता और उनके दल के जिन लोगों पर शक हाता उनकी सारी जिम्मेवारी उनके सिर पर डालता। इस विधि के द्वारा मैं कामोन्नी के साथ शान्ति स्थापित कर लेता अथवा अपना भ्रम दूर कर लेता। यदि मुझे अपने भारासमा-मण्डल में विश्वास न होता या उनकी एकर करने के लिए समय न रहता तो मैं कम से कम इतना अकर करता। फिर इससे भी आगे चल् कर मैं अपनी इस अत्यन्त दयाजनक स्थिति का विचार करता और उसकी असत्यता को तुरन्त समझ जाता।

इस प्रकार उस विषय प्रसंग का पूरा इलाज करके मैं मूल रोग की, जिसके फलस्वरूप यह प्रसंग एक बिह्वरूप में प्रकट हुआ हो, खोज करता। इसके लिए मैं देश के भारतीय प्रतिनिधियों को बुलाता और इस बात का यकीन कर लेने की कोश करता कि वे नवयुवक जा कि सुयोग्य और यों दूरी तरह से न्याय हैं, क्यों निर्दय हो कर वे-गुनाह लोगों की हत्या कर डालते हैं और बिना सोचे-समझे खुद अपनी भी जान को खतरे में डालते हैं? मैं जाना पाता कि वे अपने स्वार्थ-साधन के लिए ऐसा नहीं करते हैं; बल्कि अपने देश के लिए आजादी चाहते हैं। मैं ए मैं उस असली कारण का इलाज करने में उन प्रतिनिधियों को प्रकाह के मुताबिक बलता। हाँ, इस बात का अकर बयाल रखता कि विदेशियों के न्यायोचित हितों का धात न होने पावे। और इतना कर सु... इस विचार से सन्तोष मान कर निश्चिन्त रहता कि ऐसे भावी विषय प्रसंगों का उपाय करने की जिम्मेवारी भारासमा-मण्डल की भी उतनी ही होगी जितनी कि मेरी है।

मैं जानता हूँ कि मैंने इसमें कोई नई बात नहीं बताई। पर उसका गुण यही है कि यह पुरानी है। वर्तमान शासन-पद्धति भय-प्रदर्शक की नीति पर ही जोरित रह रही है और एक के बाद दूसरे वायसराय भारतियों के साथ परामर्श करने की इस स्पष्ट आवश्यकता की ओर से आँखें मूंदते रहे हैं। इस पुराने से पूर्णतः सहाह धर्म नहीं साबित होती। उलटा उस तंत्र का मिथ्यापन ही सिद्ध होता है जिसके अंदर इस तरह कोकमल की विषमिन्त अलगवला हो सकती है। ऐसी हाकत में थक यदि

वायसराय वाइस को अपेक्षित पुष्टि के बड़े विरोध होना दिखाई दे तो कौन आश्चर्य की बात है? (५.)

### पारसी रस्तमजी

जी, अम्मा की मृत्यु होने पर मौ. शौकतबखी ने कहा मज-हिन्दुस्तान का एक सच्चा सिपाही कम हो गया। पारसी रस्तमजी की मृत्यु से भी एक सच्चा सिपाही कम हो गया है। मही नहीं मेरा तो एक परम मित्र ही कम हो गया है। पारसी रस्तमजी जैसे आदमी मैंने बहुत बड़े देखे हैं। शिक्षा उन्हींसे बाम-प्राप्त के ही लिए प्राप्त की थी। अंगरेजी भी पढ़ी ही आसते थे। गुजराती का ज्ञान भी बामूठी था। पढ़ने का बहुत शौक न था। जवानी में ही व्यापार में पड़ गये थे। कैबल अपने परिश्रम के बल पर एक मामूली गुमास्ते की हाकत से एक बड़े व्यापारी की सीढ़ी पर जा पहुँचे थे। फिरकी उनकी व्यवहार-शुद्धि तीव्र थी उनकी उदारता हातिम के जैसी थी; उनकी अहिंसात्मक तो इतनी बड़ी हुई थी कि खुद कहर पारसी होते हुए भी हिन्दू, मुसल्मान, ईसाई आदि के प्रति एक-सा प्रेम रखते थे। किसी भी बन्दा चाहनेवाले या हाथ फैलानेवाले को उनके से खाली हाथ जाते हुए मैंने न देखा। अपने मित्रों के प्रति उनकी बरादारी इतनी सूझ थी कि कितने ही लोग उन्हींको अपना मुस्तारामा दे जाते थे। मैंने देखा है कि बड़े बड़े मुसल्मान व्यापारी अपने नाते-रिश्तेदारों को छेड़ कर पारसी रस्तमजी को अपना एकमात्र बचाते थे। कोई भी गरीब पारसी रस्तमजी को दुकान से खाली नहीं लौटता था। पारसी रस्तमजी अपने लोगों के प्रति जितने उदार थे खुद अपने प्रति उतने ही कसूर थे। आसोद-प्रमोद का तो नाम भी न जानते थे। अपने या स्वजनो के लिए विचार-पूर्वक कार्य करते थे। वह मैं अन्त तक बहुत सादगी कायस रखती थी। मोरके, पैयामुज, सरोजिनी देवी आदि पारसी रस्तमजी के ही यहाँ डकूते थे। छोटी से छोटी बात पारसी रस्तमजी के ध्यान से रहती। मोरके के अर्सेरुम अभिनन्दन-पत्र इत्यादि के बारे में पैताकीस अदद का पैक करना, उन्हें बहान पर बचाला, आदि सारा भार पारसी रस्तमजी पर न हो तो किखपर हो।

अपनी प्रिय धर्मपत्नी की मृत्यु पर उनके नाम का-जोरबाई टूट कर के अपनी संपत्ति का बड़ा भाग उन्होंने धर्म-कार्य के निमित्त रख छोड़ा था। अपनी सन्तान को उन्होंने भी चटक-भटक की हवा न लगने दी। उन्हें सारी रक्त सखन दिखाई और उनके लिए इतनी ही विरासत रख छोड़ी है जससे वे भूजों न भर सकें। अपने बसीयत नामे में उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों को याद किया है।

पूर्वक प्रकार की ही सावधानी और हकता के साथ उन्होंने सार्वजनिक हलचलों में योग दिया था। सत्याग्रह के समय में अपना सर्वस्व स्वाहा कर देने के लिए तैयार व्यापारियों में पारसी रस्तमजी सबसे आगे थे।

अंगीकृत कार्य को हर तरह का संकट उपस्थित होने पर भी उसे न छूटने को देव उन्हें थी। अपेक्षाकृत अधिक दिनों तक जेल में रहना पडा, तो भी वे रिश्मत न हारे। कड़ाई आठ साह तक चली, कितने ही मजबूत लडवैया मिर गये, पर पारसी रस्तमजी अटल बने रहे। अपने पुत्र साराबजी को भी उन्होंने खड़े में स्वाहा कर दिया।

इस हिन्दुस्तानी सज्जन की मुलाकात मुझे १८९३ में हुई। पर ज्यों ज्यों मैं सार्वजनिक कामों में पड़ता गया त्यों त्यों पारसी रस्तमजी में खड़े अभावका की करना मैं हीकास गया। के के

महाकवि थे। सार्वजनिक कामों में मेरे साथी थे। और अन्त को मेरे मित्र होगये। वे अपने दोषों का वर्णन भी मेरे सामने बाकक की तरह आकर कर देते। वे मेरे प्रति अपने विश्वास के द्वारा मुझे चकित कर देते थे। १९२७ में जब गरी ने मुझपर हमला किया तब मेरे और मेरे शत्रु-बन्धों का आशय-स्थान इस्तमजी का मकान था। गरी ने उसके मकान अखबार आदि में आग लगा देने की धमकी दी। पर उससे पारसी इस्तमजी का रुवां तक खडा न हुआ। दक्षिण आफ्रिका में जो आता उन्होंने जोडा सा ठेठ मृत्यु-दिन तक कायम रखा। वहाँ भी वे सार्वजनिक कामों के लिए रुपया-पैसा मेजते रहते थे। दिसम्बर में महासभा के समय उनके यहाँ आने की संभावना थी। पर ईश्वर को कुछ और ही करना था। इस्तमजी सेठ की मृत्यु से दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों की बड़ी भारी हानि हुई है। सोरामजी अजाजणिया गये, फिर अहमद महमद काछलिया गये, जभी अभी पी. के. नायडू गये और अब पारसी इस्तमजी भी चले गये। अब दक्षिण आफ्रिका में इन सेबकों की कोटि के भारतवासी शायद ही रहे हों। ईश्वर निराधारों का रखवाला है। वह दक्षिण आफ्रिका के भारतवासियों की रक्षा करेगा। परन्तु पारसी इस्तमजी की जगह तो हमेशा खाली ही रहेगी।

( नवजीवन )

मो० क० गांधी

### सर्व-दल-परिषद्

“बंगाल क्या है ? भारतवर्ष का एक अंग है। बंगाल का दुःख सब प्रान्तों का दुःख है। बंगाल पर आई आफत मेरी आफत है। इस आफत में यदि मैं देशबन्धु का साथ न दूँ तो मेरा देशभिमानी और देशभक्ति कजूर है।” “अहिंसा के क्षेत्र में मैं ज्यों ज्यों गहरा पैठला हूँ त्यों त्यों नित्य नवीन प्रवेश दिख ई पड़ते जाते हैं, नवीन प्रकाश मिलता जाता है। इसलिए मैं सब अपरिवर्तनवादियों से हर बन्धन इस तरह मशवरा कर सकता हूँ। उन्हें अहिंसा प्रिय है, वे अहिंसा-सिद्धान्त के पूजक हैं। इसलिए मुझे हमेशा यह आशा रहा करती है कि वे मेरे अहिंसा-धर्म को तथा उसके अन्तर्गत मुझे नित्य नई मिलनेवाली बातों को इसारे में समझ जायेंगे।” इन बचनों में सबई की सर्वदल-परिषद् का संयोजक हेतु और गांधीजी की वर्तमान प्रवृत्ति का पूरा पूरा परिचय मिल जाता है। परिषद् का परिमित हेतु था बंगाल का दुःख सारे हिन्दुस्तान को अनुभव कराना और उसके प्रति विरोध प्रदर्शित करना हुआ। परिषद् का इरबती और विशाल हेतु था—देश की तैमान अवस्था को दूर करने के लिए तमाम दलों से एक सामान्य कार्यक्रम स्वीकार कराना। वह पूरा न हुआ। परन्तु इस परिमित हेतु की सिद्धि में ही व्यापक हेतु की सिद्धि की आशा है।

इस परिमित हेतु का विचार करने के बजाय विशाल हेतु का विचार पहले करने की भी सूचना पेश हुई थी। गांधीजी ने इसपर कहा था कि यह तो गांधी के पाँके घोडा खडा करने जैसी विपरीत बात है। और परिषद् के अन्त में सबने कुबूक किया कि गांधीजी का कहना यथार्थ था। क्योंकि विशाल हेतु की चर्चा में यदि परिषद् पकी हाती तो शायद वह आजतक पूरी न हुई हाती और बिना ही कुछ मत-जा निकले उसे अज्ञान करना पड़ता। उसकी जगह आम परिमित हेतु—बंगाल में जारी किये बेकायदा कानून का निषेध करना, उसे रद्द करने का मतांकन करना और यह प्रतिपादन करना स्वयं

स्थापित करने से ही यह परिस्थिति दूर हो सकती है—बकल हुआ है। इससे तमाम दल बडे हेतु की सिद्धि की भी बहुत कुछ आशाये के कर गये हैं। बडे उद्देश को सिद्ध करने के लिए जो कमिटी नियुक्त हुई है उनमें, आशा है, तमाम दलों के समाचार-पत्र भी र्हायता करेंगे। क्योंकि विनीत-दल के नेता ने तथा पत्रों ने परिषद् के कार्य पर स्तुति प्रकृत किया है और आशा प्रकट की है। विदुषी बेजेट ने भी अत्यन्त सन्तोष प्रकट किया है। यही नहीं, बल्कि महासभा में भी आगे का बचन दिया है और ऐसी सम्भावना है कि वे अपने दल के साथ महासभा में शरीक होंगी। ब्राह्मणेतर दल को भी परिषद् के कार्य से असन्तुष न हुआ।

विदुषी बेजेट का मत प्रकट करते हुए एक खास बात किन्हने लायक मालूम होती है। उन्होंने अपनी राय जाहिर करते हुए एक बात पर खास तौर पर जोर दिया है। ‘यद्यपि मैं बंगाल में जारी किये गये फरमान के पक्ष में था तभी मेरे विचार बड़ी शान्ति के साथ छुने गये थे।’ यह बात खरी परिषद् की कार्रवाई पर बटती थी। परिषद् ने चाहे कोई स्पष्ट फल न पैदा किया हो तोभी उसने शान्ति और सद्भिण्यता का वायुमण्डक स्थापित किया है। इस दृष्टि से उसे अपूर्व कह सकते हैं। और इस बात का देखते हुए अंगरेजों को उसमें उपरिधत न होने की अपनी भूल माखम हो जायगी—हालां कि योरपवन-मण्डल को खास तौरपर काग्रह निमन्त्रण दिया गया था; परन्तु उन्होंने उसे स्वीकार न किया। बंगाल के बेहूदा प्रस्ताव का मसविदा तैयार करने के लिए जो कमिटी नियुक्त की गई थी उसमें श्री जिना और मौलाना महम्मदअली ने जिस ममत्व के साथ विदुषी बेजेट को समझाने का प्रयत्न किया था उसका बडा गहरा अकर उनपर हुआ। अंगरेज लोग उसमें शरीक हुए हाते तो उन्हें भी समझाने में किसी बात की कंई कसर न रखी जाती। और इस सद्भिण्यता और ममता के फल-स्वरूप ही प्रस्ताव के दूसरे भाग—१८१८ का कानून वापस के लेने तथा उसकी रू से गिरफ्तार किये लोगों पर, आवश्यक हा तो, अदालत में मामला चलाने के प्रस्ताव—को विदुषी बेजेट तक सब नेताओं ने स्वीकार किया।

विनीत दल के साथ हुए गांधीजी के परामर्श की तरह तरह की खबरें अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। उनमें कुछ ही अथवा अर्ध सत्य है। इस बात में जरा भी सत्यांश नहीं कि मताधिकार की अनिर्धार्य बातों के तौर पर हाथ-कटा सूत मेजने तथा खारी पहनने के प्रस्ताव को अज भी ठीका करने की इच्छा गांधीजी ने प्रवर्धित की। मताधिकार-विषयक गांधीजी के विचार ‘एकता करनी है?’ नामक लेख में सविस्तर आ जाते हैं। इन विचारों के उपरान्त उन्होंने कुछ न कहा था। हाँ, एक खास बात जानने लायक है। गोष्ठी तो हुई न थी—सिर्फ एक दूसरे के विचार एक दूसरे पर प्रकट किये गये थे। श्री शालीजी के आक्षेपों पर विचार हुआ और श्री चिन्तामणि ने अपने विचार गांधीजी पर प्रकट किये। और अन्त को गांधीजी ने उनसे साफ साफ कह दिया था—श्री शालीजी को—विनीत पक्ष को डर है कि मैंने तो असहयोग को सिर्फ मुलतबी मर रक्खा है और मौका मिलते ही मैं फिर उसे शुरू करूंगा। आप कृपया मेरी तरफ से उन्हें कह दीजिएगा कि उनका डर सच है। असहयोग को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, और मैंने उसे जो मुलतबी किया है जो प्रसिद्धक वायुमण्डक के कारण ही। अतुबूक वातावरण होसे ही मैं

जबकि उन्हें शुक कहेंगा; पर साथ ही यह भी कहे देता हूँ कि मुझे फिर शुक करने से रोकना अब आपके ही हाथ है। आप ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं जिससे मुझे असहयोग शुरू करने की आवश्यकता न रहे। आप सरकार को समझा सकते हैं, आप अंगरेजों को समझा सकते हैं और उन्हें जो करना हो सो करने से असहयोग को अनावश्यक कर सकते हैं। इतनी स्पष्ट बात के होते हुए भी विनीत पक्ष के सज्जन अच्छी तादाद में उपस्थित हुए थे—भी घाली के समापनत्व में विशाल हेतु सिद्ध करने के लिए कमिटी नियुक्त करने का प्रस्ताव पेश हुआ और पास हुआ—ये सब छुम बिन्द है।

\* \* \*

समस्त दलों से एक कार्यक्रम स्वीकृत करा के उन्हें महासभा में एकत्र करने के लिए जो कमिटी नियुक्त हुई है उसमें गांधीजी ने पहले से ही चुने हुए लोगों के नाम रखे थे। अन्त को उनके नाम बदते बदते लगभग सौ सवा-सौ तक पहुँच रहे हैं। इसी कमिटी का काम बंद जायगा, उसमें अनेक कठिनाइयों के आने की संभावना है; परन्तु उद्दिष्टता को पराकाष्ठा तक पहुँचाने की इच्छा रखनेवाले गांधीजी ने नामों की संख्या बढ़ाने पर भी कोई ऐतराज न किया। २० दिसंबर तक सब दल के लोग अपनी अपनी एकत्र होने की शर्तें पेश करेंगे और बेलगाँव की महासभा के पहले से शर्तें पेश हो जायँगी, जिससे बेलगाँव में एकत्र होनेवाले तमाम दलों में उनपर चर्चा होने में बहुत अनुकूलता हो सकेगी। इस बीच मताधिकार की नवीन शर्तों पर महासभा में भी वादविवाद होगा; और सब दलों को यह देखने का मौका मिलेगा कि इसके पक्ष में लोकमत कितना प्रबल है। इससे मार्च में देहली में समस्त-पक्ष-परिवर्तन नियुक्त कमिटी की बैठक की चर्चा के लिए पूरी सामग्री तैयार हो रहेगी। गांधीजी ने परिवर्तन में तथा इस अंक में प्रकाशित लेखों में यह बात स्पष्ट कर दी है कि खादी और चरखे पर मेरा विश्वास अटल है। यदि वह सिद्ध कर दिया जायगा कि यह अटल फलक है तो मैं सब में शामिल हो जाऊँगा और यदि यह सिद्ध न हो सके तो मैं अकेला इस मत का होते हुए महासभा बहु-मति को घोष कर अकेला काम करूँगा।

\* \* \*

महासमिति की चर्चा का मुख्य विषय तो या बंगाल का ठहराव ही। गांधीजी ने इसका विवेचन करते हुए जो भाषण किया था वह अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इस अंक में अब उसके लिए स्थान नहीं। परन्तु उसके मुख्यार्थ दिये विचार नहीं रही जाता। इन व्याख्यानों में उन्होंने अपनी मनादशा त्रितनी स्पष्टता के साथ व्यक्त की थी उतनी शायद ही और कहीं की हो। आरंभ में सब को अपना अपना स्वतंत्र मत देने की सूचना कर के उन्होंने एक वाक्य कहा जो उनकी वर्तमान सारी प्रवृत्ति पर बहुत प्रकाश डालता है। 'देना कहीं न हुआ कि दुनिया की किसी इच्छुक का परिणाम उसके साधनों के अनुरूप न हुआ हो। इस बात पर मेरी अटल भ्रष्टा है। इसीसे मैं कहता हूँ कि साधन और साध्य एक ही चीज है। अगर आप इस बात को मानेंगे तो आप इस बात को समझ जायँगे कि मैं क्यों कहता हूँ कि इस ठहराव को मंजूर कीजिए।' आज हमारे साध्य की जो वृद्धा है वह पिछले वर्ष में हुई साधन-शिक्षिता की प्रतिध्वनि है। साधन को यदि हम स्वच्छ करेंगे तो साध्य तक जल्दी पहुँचेंगे। यह चेतावनी हम बच्चों से हीनों स्वराजियों और अपरिवर्तनवादियों को-भिक जाती है।

ठहराव पर बहस होने के पहले अपरिवर्तनवादियों के साथ गांधीजी ने बानगी में गुप्तगू भी की थी। उस समय उन्होंने ठहराव का अर्थ बड़ी अच्छी तरह समझाया और अपने भाषण में उसे और स्पष्ट किया था। "देश के बुद्धिमान् और शिक्षित वर्ग का एक बड़ा भाग आज जुदी ही दिशा में जा रहा है। एक व्यबहार-दक्ष मनुष्य की तरह मुझे उनके साथ परामर्श करना चाहिए। उसका विरोध करने में मुझे कुछ सार नहीं दिखाई देता। बहुत काळ तक महासभा को एक ही मत की संस्था नहीं रख सकते। इसके अनेक कारण हैं। एक यह कि हमें सहिष्णुता-धर्म को समझना चाहिए। महासभा में समस्त पक्ष के लोग होने ही चाहिए। अब इसकी पहली सीढ़ी है महासभा के दलों में ठहराव, इकरार हो जाना। यदि महासभा बहुमत से निवृत्त करे कि भारासभा में जाना चाहिए तो जबतक अपरिवर्तनवादियों की संख्या कम है तबतक वे उसे यह कहने से नहीं रोक सकते कि महासभा की तरफ से स्वराज्यवादी भारासभा में जाते हैं; क्योंकि महासभा ने तो भारासभा के कार्यक्रम को स्वीकार ही कर लिया है। इस स्थिति में तथा आज की स्थिति में अन्तर नहीं। बहुमत से किया निर्णय और आपस के मसबरे के द्वारा किये ठहराव का परिणाम एक-सा है। और इसके फलस्वरूप स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादी दोनों को महासभा में एक समान दरजा मिल जाता है।"

\* \* \*

मताधिकार के बारे में भी बहुत चर्चा चली थी। खरीद कर सूत मेजने का अधिकार देने से, असहयोग का कार्यक्रम मुस्तवी रखने से, असहयोग बंद हो जायगा, खादी के काम का बन्ना पहुँचेगा, इस विस्म की दलों में पेश हुई थी। गांधीजी ने खाली बातवत में आदेश के साथ कहा था—"उस असहयोग का कोई मूल्य मेरे नजदीक नहीं जिसे बाहरी इच्छुकों की सहायता की जरूरत हो, जिसको असहयोग-कार्यक्रम के हर क्षेत्र में जारी रदने से ही प्रेरणा मिल सकती है और उसके बिना जो मित्राण हो जाय। मैं तो असहयोग और खादी के लिए ऐसी स्थिति चाहता हूँ कि वे अपने ही प्रकाश से चमकें, अपने ही बल पर स्वतन्त्र, स्वाधीन सके रहें।" उन्होंने जरा विस्तार के साथ अपने भाषण में इसकी चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि मताधिकार की इस परिवर्तन शर्त के विषय में यदि किसीको कुछ आपत्ति हो तो वह स्वराजियों को ही हो सकती है, अपरिवर्तनवादियों को नहीं, और अन्त में दोनों पक्षों को संबोधन कर के उन्होंने ये हृदयवन्त विचार प्रकट किये—'देखना, स्वराजियों के लिए कहीं कहीं ऐसा न कहें कि चरखे के काम को निर्मूल करने के ही लिए उन्होंने नये मताधिकार की शर्त को स्वीकार किया। इस ठहराव को हम दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है। और उसे हमने इसी शर्त पर स्वीकारा है कि हम उसका तल-प्रब से पालन करेंगे। हमारा कार्य जो न सफल हो सके उसका कारण है तालीम की विधिलता, तालीम की न्यूनता। यदि हम इसमें नतये कार्यक्रम में सारे देश की शक्ति लगा सकें तो फतेह हमारी आँखों के सामने ही समझिए। यदि अविष्य में इस ठहराव के शर्तों के अर्थों पर भिन्ना चर्चा हो, उसकी शर्तों पर कभी मिश्रा हो तो मैं अपंग हो जाऊँगा। अपरिवर्तनवादियों को यह ठहराव यदि बिल्कुल त्याज्य मान्य हो तो वे उसके सुधारने का आग्रह मुझसे, देशबन्धु से और मोतीलालजी से कर सकते हैं ... .. आज तो हृदय के अन्दर मोता लगा कर देखने की जरूरत है, सारे धाने-उसने सिरोधार्य कर देने की

जबरत है। मैं तो ठहरा व्यवहारदक्ष आदमी। यद्यपि मैं सिद्धान्त की बात में कभी झुकनेवाला शक्स न हूँ तथापि व्यवहार में तो मैं स्वराजियों के आगे झुक गया हूँ, ज्वनीतों के सामने झुक रहा हूँ, और एक यदि अंग्रेज प्रायःवत धरने के लिए तैयार हों तो आप मुझे उनके सामने भी झुकता हुआ देखेंगे। मुझे तो अहिंसा के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता। अहिंसा के पालन के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं दिखाई देता। मुझे विश्वास है कि अहिंसा की सदा जय होती है। जिसदिन मुझे यह प्रतीति हो जायगी कि अहिंसा निष्फल है तब केरे चतुर् ही एक विरामस्थान होग।”

ग दो भाइयों को छोडकर बकी यह टहराव पसन्द हुआ। काई यह सवाल न करे कि परिषद् का नतीजा क्या निकला ? परिषद् का फल माहम होवा अभी बाकी है और यह सबके हाथ में है। मौ० शौकतअली ने पहले प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक पूछा था—‘यह प्रस्ताव तो हमने किया, पर यदि कोई हमारी बात न सुने तो क्या कीजि गा ? इसका अमल कराने के लिए आपके पास काई ताक है यह सवाल तो हमेशा के लिए रहेगा ही। यदि वह शक्ति ही आज रही हंतो तो इस परिषद् की भी जबरत न रहती। इस शक्ति को प्राप्त करने के ही लिए गांधीजीने फिर अव्यवस्था में से रचना करने की सुझावत की है। ऐसा माहम हंतो है कि आज हम इस सवाल पर डट गये हैं। भीचितामणि और देवाबंदु के भाषण अत्यन्त ज्ञान और आविशपूर्ण थे। रौलट कानून के समय ऐसे भाषण श्री शाहीजी ने भी किये थे, परन्तु उस समय गांधीजी सारे देश में यह फूंक करे थे। आज बिजली फैलावे जैसी हालत नहीं—इससे प्रभाव कर सन्तोष मानने की शर्मनाक हालत में आ जाना पडा है। इस शक्ति के निवारण का उपाय आगमी महासभा में पेश होनेवाले कार्यक्रम तथा उसपर सत्र दलवालों के एकीकरण में ही है।

( मजलीस )

महादेव हरिभाई देशाई

### अब क्या करें ?

कयदी एक एक कदम आगे बढ़तो जा रही है। अखिल भारत महासमिति ने मताधिकार में जादी को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हमें आशा रखनी चाहिए कि महासभा भी स्वीकारेगी। परन्तु महासभा चाहे स्वीकारे वा न स्वीकारे किज लोगों का विश्वास कातने की शक्ति पर है वे ता सुत कात कर ही अपनी सभ्यता की सुशामित करेंगे। स्वराजियों ने झुब हेतु से कताई और खादी के लिबास को मताधिकार में स्थान दिशा है। परन्तु इसलिये कि उन्हें उत्साह मिले, उनका विश्वास दृढ हो, अकरिबहीतवादीयों को आगे कदम बढ़ा कर अरों को आगे बढाना चाहिए। अभी तो गुजरात में काई २००० स्वेच्छापूर्वक कालनेवालों को नियर रखने के लिए हमें मिहमत करना पडतो है, हमारी याजना-शक्ति की माप निक जाती है, हमारी कुशलता को जांच हा जाती है। अरको बहुत आगे बढाने में तो हमारी तमाम शक्तियों की परीक्षा होगी। जब बहुसंख्यक कार्यकर्ता इसकी सतत तैयारी करते रहेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। हजारों लोग तो अपनी मिहनत दे सकेंगे। काई न होंगे, व उन्हें मिल ही सकेगी। वे सब अपने लिए पुनियां भी तैयार न करेंगे। इसलिये हर गांव और हर ताकुकके में अच्छे अरकोवाले होने चाहिए। हर गांव में, हर ताकुकके में, अच्छे अरको और पुहाई के कसडे बनानेवाले होने चाहिए। समितियों को अरकोवादीयों को कषाच का संसद रखना चाहिए। यह सब

काम जो प्रान्त अच्छी तरह कर सकेगा उसमें, माना जायगा कि अमकी शक्ति, तंत्र का संचालन करने की शक्ति आ गई। यदि हम इतना भी न कर सके तो फिर स्वराजतंत्र का संचालन करने की शक्ति कहां से लायेंगे ? स्वराज्य मिलने पर ये शक्तियां अपने आप नहीं आ खडी हो जायंगी। बल्कि उन शक्तियों को प्राप्त करने में ही स्वराज्य छिपा हुआ है, यह हमारी समझ में आ जायगा। हमारे कताई के पैसे को नष्ट करके इस्ट इंडिया कंपनी ने हमपर अपना कब्जा जमाया है। अब उसी बीज का बीजो-दार हमारा उद्धार है।

आजतक सूत उन्हीं लोगों ने काता है जो चरखा, पूनी, आदि प्राप्त कर सके हैं। अब यदि हम बहुसंख्यक लोगों से आधे घण्टे की मिहनत की आशा रखते हों तो समितियों को यह सब सुविधा करनी पडेगी। यदि हमारे अन्दर सभी आयुति हो तो हजारों लोगों को इस अल्प परिश्रम से होनेवाले महायज्ञ में हाथ बंढाना चाहिए। और यदि यह बात सच हो कि चरखे के सिवा स्वराज्य नहीं, ता फिर उसमें हजारों लोगों का शामिल होना कोई आश्चर्य की बात न होनी चाहिए। मेरी दृष्टि से तो चरखा ही स्वराज्य प्राप्त करने का सबसे सहल साधन है। वह दूसरी तमाम इकककों को प्रज्वलित कर सकेगा और उसके बिना दूसरी तमाम इकककों निरर्थक साबिता होंगी।

लोगों में अचमुक शक्ति है वा नहीं, लोग सचमुक स्वराज्य चाहते हैं वा नहीं, इसका अन्दाज लगाने का हमारे पास दूसरा कोई शान्तिमय साधन नहीं है। बडे बडे सम्मेलनों में लाकों आदिमियों के जमा होने से स्वराज्य-शक्ति सिद्ध नहीं होती। हजारों लोगों के अन्दा देने से भी वह शक्ति नहीं आती। जहां रुपये वा उपयोग करनेवाले न हों वहां रुपये की क्या कीमत ? बहुतों के हिन्दी वा अंगरेजी व्याख्यानों से भी स्वराज्य नहीं निक सकता। परन्तु चरखा कातने में यह शक्ति किस तरह है, वह बात मैं काई बार अनेक तरह से बता चुका हूँ।

यदि चरखा न फले-फुडेगा तो मुझे निश्चय है कि भारत-वर्ष के लिए आजादी हासिल करने का एक मात्र उपाय रहेगा ख-रेजी। केवल धारासभा के द्वारा कभी सभी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। यह बात हरएक भारतवासी को सूत्र-रूप में रट-रखना चाहिए। फिर तो एक शक्ति-मार्ग ही रहा। एक शान्त शक्ति मार्ग-इसमें हमें खुद कष्ट-सहन करना होगा-हमें कुछ रचनात्मक काम करना होगा।

दूसरा खनी शक्ति-मार्ग-उसमें हमें प्रतिपक्षी को दख देना होगा। इस रास्ते को अभी तो सब लोगों ने त्याज्य माना है। खनी साधनों से निकडक तो भारत कुछ भी नहीं कर सकता। यह इतनी सीधी बात है कि एक बच्चा भी समझ सकता है।

इससे अडा तक मेरी दृष्टि जाती है, बरी तक यदि मुझे चरखा ही चरखा दिखई दे तो पडक मुझे भाक करे और जो बात मुझे दिखई देतो है वही यदि उन्हें भी दिखई दे तो है, उन्हें इस मध्य यज्ञ में अपना हिस्सा अर्पण करने के लिए विमर्शण देता हूँ।

( मजलीस )

मोहनदास करमचंद गांधी

प्राहक होनेवालों को

चाहिए कि वे सालाना अन्दा ५) मनीआर्डर द्वारा मेरे को. पी. डेबन का विवाक हमारे यत्र नहीं हैं।

अध्यस्थापक—“हिन्दी-मजलीस” अहमदाबाद



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक १७ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
 वैणीलाल छानलाल बूब

अहमदाबाद, अमरुत सुदी १२, संवत् १९८१  
 गवियार, ७ दिसम्बर, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
 सारंगपुर सरकीगरा की बाडी

## टिप्पणियाँ

धेलगाव में

मैं चाहता हूँ कि कार्यकर्तागण यह समझ लें कि मैं महासभा के आगामी अधिवेशन का ऐसा ही सभापति होऊँगा जैसा कि एक कामकाजी आदमी एक कामकाजी राजा का सभापति होता है। महासभा का दिशाकल्पन तो उसकी प्रदर्शनी तथा ऐसे ही और और कामों में दिखाने देगा। किन्तु यदि हम लोग स्वयं कुछ ठोस काम करना चाहते हैं तो हमें उसका एक कार्यक्रम पहले से ही बना देना चाहिए। यदि हमें यह करना है तो सभी कार्यकर्ताओं को उपस्थित होना चाहिए और सज्जता देना चाहिए। यह सभी हो सकता है जब न रायजनों को रागधरे, पसद करें और पूरे दिल से मान लें। मुझे यह पसन्द नहीं है कि अबाद सराजी हो या अपरिचर्जनवादी। उन्हें ऐसे केवल अज्ञान या भक्ति के लिहाज से मान लें। यह समझना केवल दिव्याने के लिए नहीं है। दूसरों पर अवर डालने के लिए नहीं, किन्तु अपने ही लोगों पर अवर डालने के लिए यह समझौता हुआ है। केवल अपनी मन से मंजूर करना तो कुछ न करने से जो बढ़तर होगा। किन्तु मजूरी के साथ आन्तरिक विश्वास और मान्यता का होना आवश्यक है। कुछ सराजियों ने मताधिकार के न बढ़ने की प्रार्थना की है। सिवा इसके मैंने स्वराजियों की ओर से अरुतक कोटि विरोध नहीं पाया है। किन्तु अपरिचर्जनवादी तो मुझपर बड़े रोष और दुःख के साथ अपनी नाराजी प्रकट कर रहे हैं। जहाँ तक मुझसे हो सकता है, मैं इन पृष्ठों में, रिश्तों को मजबूत करने का और शकाओं के समाधान का प्रयत्न करता हूँ। तब भी मैं यह जानता हूँ कि मुझे दिल से मन भर कर बालें करने के समान असह्य में और कुछ भी नहीं है। महासमिति की बैठक में मैंने बड़े भर तक अपरिचर्जनवादियों से बात की थी। पर उस एक घंटे में क्या होना था? मैं इसलिए २० दिसम्बर को, धेलगाव में अपरिचर्जनवादियों से मिलकर विचार करने के लिए अलग निकाल देता हूँ। मैं उम्मीद है कि मुझे धेलगाव में पहुँच जाने की सम्मति रखता हूँ। मैंने श्रीशुत गंगाधरराव देसाय की लिखा है कि भरे स्वागत में किसी प्रकार की धूमधाम न की जाय। इसमें समय नष्ट करवा टोक नहीं है। मैं सभी अपरिचर्जनवादियों से, जो वादविवाद में भाग लेना चाहते हैं, इस आगामी सभा में आने का अनुरोध करता हूँ। ता भी मैं

उन्हें इतना पहले बेलगाव में भीड़ लगा देने से रोकना चाहता हूँ। २६ ता: के पहले महासभा की बैठक शुरू नहीं होगी। अन्तिम परिपक्व भी २४ ता: से पहले शुरू नहीं होती है। मैंनामक सम्प्रेषण भी इससे पहले न हो सकेगा। इसलिए मैं यह उचित समझता हूँ कि हर एक प्रान्त अपने दो दो तीन तीन प्रतिनिधि चुन कर भेजे जो और लोगों के भी विचारों के पूरे जानकार हों। २० वीं तारीख का तीसरा-पहर केवल विचार-विनिमय के लिए दिया जा सकता है। यदि जरूरी पड़ी तो २१ वीं को भी बैठक चल सकती है। मैं देशगुरु दास और प्रबल मोतीलाल नेहरू से स्वराजियों में भी ऐसी समीचीन आत्मिकता के विषय में पत्रव्यवहार कर रहा हूँ। यदि वे उचित समय तो मैं बड़ी खुशी से केवल स्वराजियों को ही २० ता. का एक दिवस दे दूँगा। जहाँ तक प्रतिनिधियों की उपस्थिति से संबंध है, मैं आशा करता हूँ, दोनों दलों की ओर से पूरी पूरी उपस्थिति होगी। जहाँ तक स्वयं मुझसे संबंध है, मैं दलबन्दी के लिहाज से मताधिकार के द्वारा कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कराना नहीं चाहता हूँ। मैं केवल प्रतिनिधियों के रंग को जानने के लिए उत्सुक हूँ। वे अपने कर्तव्य के पालन में चूकेंगे, यदि वे केवल उपेक्षा और उदासीनता के कारण वागत हो पर महासभा में न आवेंगे। जिसे राष्ट्रीय कार्य में अपना समय देना नामंजूर हो उसे प्रतिनिधि न बनना चाहिए। जहाँ तक मनुष्य के बस की बात है, महासभा में उपस्थित होना उनका कर्तव्य है।

## विश्वास-घात ?

देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देश का नीतिमता का प्यार रहता है। वह एक शुभ चिह्न है। एक भिय जो कि स्वयं विनीतदल वाले नहीं हैं, पूछने पर कि महासमिति द्वारा स्वीकृत केवल स्वराजियों और अपरिचर्जनवादियों का समझौता सर्वदल-परिपक्व के साथ विभाज्यमान नहीं है? भरी तरफ से इसका जोरदार उत्तर है—'हरमिज नहीं'। क्योंकि यह समझौता ही तो इस निमन्त्रण का आधार है। उसके पहले महासभा के दोनों दलों का मिल जाना आवश्यक था। जब तक महासभा का अधिवेशन न हो तब तक महासमिति ही उस एकता को प्रदर्शित कर सकती है। जहाँ तक महासभा के दोनों दलों का संबंध है, यह समझौता आविरी है। पर किसी बाहरी दल के चाहने पर इसका विरोध करने, यहाँ तक कि पुनर्बिचार भी करने

को गुमाइश है। उस विरोध का सफल होना तभी संभव है जब वह दलों दलों को युक्तियुक्त जचे। किसी दल से यह नहीं कहा जाता है कि एकता के नाम पर वे अपने अपने सदाओं को छोड़ दें। महासमिति का समझौतेवाला प्रस्ताव ऐसा कोई आखिरी निश्चय नहीं है कि या तो यही मंजूर कीजिए या कुछ भी नहीं। समझौते के अतिरिक्त भी ऐसी कितनी बातें हैं जिन पर सभी दलों को विचार करना पड़ेगा। महासमिति से यह आशा नहीं की जाती है कि वे अपने सिद्धान्त वा नीति को सर्वदल-परिषद् के निर्णय तक मुन्तबी करेंगे। पर हाँ, उनसे यह उम्मीद जरूर की जाती है कि वे प्रत्येक प्रश्न पर बिना पहले से कोई धारणा किये विचार करेंगे। वे परिषद् में उपस्थित प्रत्येक बात पर विचार करने के लिए तैयार रहेंगे। इस बहुत ही जरूरी बात को मान कर सभी दलों के लिए यह बेहतर होगा कि वे अपने सिद्धान्त, नीति तथा इरादों को जाहिर कर दें। मन में किसी प्रकार का दुराव नहीं रहना चाहिए। समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार किये बिना आंग बटना मन का दुराव कहलाता। हिन्दू-मुसलमानों में अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए जिस सहिष्णुता के भाव को पैदा करने की जरूरत है और जिसको कोशिश भी की जा रही है, यही बड़ी भाव हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे अन्दर गहरे मतभेदों के होते हुए भी यदि हम सबका ध्येय एक ही हो तो हमें मेल-जोल से रहना और परस्पर आदर-भाव रखना है। ईश्वर न करे, पर यदि हम लोगों को यह दिखाई दे कि हम सबका लक्ष्य एक नहीं है तो यह हमारे लिए बड़े दुःख की बात होगी जैसे-स्वराज का कोई भी स्वरूप सबको नान्य न हो; हम सबके हित एक ही न हों। उस हालत में मैं कहूँगा कि सभी दलों का महासभा के संघ पर एक होना असंभव है। परन्तु इसका अर्थ यही होगा, मानों इस द्वािद्वि भारत के लिए स्वराज्य असंभव है। क्योंकि अन्त को तो स्वराज्य होने पर भी सभी दलों को एक ही स्वराज्य पालियामेंट में काम करना पड़ेगा। महासभा को ऐसी पालियामेंट का पूर्णरूप या नमूना बनाना ही हमारा हेतु है।

**किन्ने राजविद्विहात्मक कहें ?**

अध्यापक रामदास गौड की पोथियों में जो कुछ अन्य प्रचलित पुस्तकों में है, उनके सिवा और कुछ नहीं है, यह मान कर भी इलाहाबाद-हाईकोर्ट ने उन्हें राजविद्विहात्मक कहा है। मुझे का उनसे ३०० रुब भी दिलाया जायगा। वे पंथियों रुपये के ३ वर्ष बाद जन्म की गई है। मैं इतना तो मानता हूँ कि केवल समय बीत जाने के कारण सटप बस्तु निर्दोष नहीं हो जाती है। किन्तु यह पूछना भी तो अनुचित नहीं है कि सरकार ने इस दोष को इतने दिनों तक अछूना ही क्यों रहने दिया? सरकार ने ऐसा समय चुना है जब कि असहयोग पटती पर है। यह अनुमान अनुचित नहीं है। अब असल प्रश्न यह उठता है कि अध्यापक रामदास गौड अब क्या करें, वा वे मातापिता या पाठशालाओं को उन पोथियों का व्यवहार करते हैं, क्या करें? इस प्रश्न का उत्तर देना सहज काम नहीं है। हम लग असहयोग मुत्तबी करने जा रहे हैं और इस कारण गविजय भंग भी। इस लिए अब इस तरह के काम महासभा से नैतिक समर्थन नहीं पा सकते। प्रत्येक व्यक्ति या संस्था अपने दायित्व पर ही कुछ कर सकती है। फिसले में पोथियों के उद्घृत अंशों के तीन भाग किये गये हैं:

(१) वे अंश जो सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करानेवाले कहे जाते हैं।

(२) वे अंश जो पश्चिमी सभ्यता और इसलिए यूरोपियनों के प्रति घृणा उत्पन्न करानेवाले कहे जाते हैं।

(३) वे अंश जो भिन्न भिन्न धर्मावलम्बी मनुष्यों के प्रति घृणा उत्पन्न करानेवाले कहे जाते हैं।

पहले तो मैं यह कहूँगा कि पूर्वापर-संध तोड़ कर जहाँ तहाँ से उद्घृत अंशों के सहारे कोई भी पुस्तक आपत्तिजनक ठहराई जा सकती है। जहाँ तक मुझे मालूम है जर्मों को इसके सिवा और प्रकार का मसाला नहीं मिला था। हमारे यों तो प्रायः प्रत्येक भारतीय समाचार-पत्र राजविद्विहा कहा जा सकता है; क्योंकि वे कानून के द्वारा स्थापित सरकार के प्रति (पद्धति के विरुद्ध, मनुष्यों के विरुद्ध नहीं) अप्रीति का प्रचार करते हैं। प्रत्येक शास्त्रवासी ने इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है—और वे या तो उसका सुधार करना या मिटा ही देना चाहते हैं। जहाँ तक पश्चिमी सभ्यतासे संबंध है, हिन्दू-धर्मग्रन्थों में से उसके निन्दा और निवेघात्मक बड़े बड़े मयंकर बचन पेश किये जा सकते हैं। मेरी पुस्तिका, जिसमें से पश्चिमी सभ्यता-संबंधी अंश उद्धृत किये गये हैं, सबको को वेघटक दे दी जाती है। संभव है कि मुझसे निन्दा करने में भूल हुई हो। यह किसी बात के प्रति घृणा का प्रचार करने के लिए नहीं लिखी गई थी, बल्कि प्राणिमात्र के प्रति प्रेम पैदा करने के लिए। मैं ऐसा एक भी उदाहरण नहीं जानता हूँ कि एक आदमी को भी उसके पढ़ने से बुरा असर पहुँचा हो। वेश, विदेश सभी जगह बहुत-सी भाषाओं में उसके अनुवाद हुए हैं। बम्बई सरकार ने एक बार उसे जप्त कर लिया था। अब वह जन्ती, यदि भाव में नहीं तो व्यवहार में रत गई है। यह तो आश्चर्यजनक है कि अध्यापक रामदास गौड को भी सजा हो और मैं अछूता ही छोड़ दिया जाऊँ। तीसरे इन्जाम के विषय में तो मैं केवल एक ही बचन पाता हूँ। मुझे उनके पूर्वापर-संध का पता नहीं। मुझे यह तो स्पष्ट ज्ञान है कि केवल उस एक अंश के लिए पोथियाँ जप्त नहीं हुई हैं। मैं जानता हूँ कि अध्यापक महोदय को अन्तरात्मा शुद्ध है। उनका हेतु किसी व्यक्ति के प्रति घृणा उत्पन्न कराना नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ कि पुस्तकों की जितनी से उन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया है। यदि मैं उनके स्थान में होता तो पुस्तकों की बिक्री यथावत् जारी रहने देता। सरकार ने उनकी तमाम प्रतियाँ तो अवश्य ही जप्त कर ली होंगी। किन्तु जहाँ वे पोथियाँ पढ़ने से ही पढ़ाई जा रही हैं, वहाँ मैं तो उन्हें बेचे ही पढ़ाने देता, जब तक कि सबको के मातापिता या पाठशालाओं के नचालक कोई दूसरा निश्चय न जाहिर करते।

( ४० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

**ग्राहक होनेवालों को**

चाहिए कि वे सालाना चन्दा ४) रानीआहेंदर द्वारा भेजे की, पी. येजने का विवाज हमारे वहाँ नहीं है।

**व्यवस्थापक—“हिन्दी-नवजीवन” अहमदाबाद**

**पंजाब में ‘हिन्दी-नवजीवन’ मुफ्त**

मिथानी के श्रीयुत मेलाराम वंश्य सूचित करते हैं कि पंजाब के सार्वजनिक पुस्तकालयों और वाचनालयों को ‘हिन्दी-नवजीवन’ उनकी तरफ से मुफ्त दिया जायगा।

नीचे लिखे पते पर वे अपना नाम और पूरा पता साफ साफ लिख कर भेजें—  
**व्यवस्थापक ‘हिन्दी-नवजीवन’**



## हिन्दी-नवजीवन

रविवार, अगस्त सुदी १२ संवत् १९८१

### झुकाया तक नहीं

अपरिन्त-वादियों की उलझन और घबराहट क्यों की क्यों बनी हुई है। किन्तु ही अपरिन्त-वादियों की सम्मति और सहकारिता को मैं अन्य सभी चीजों से अधिक मूल्यवान् समझता हूँ। उनमें से कुछ अच्छे से अच्छे भी "किं कतव्य-मिमूढ" हो गये हैं। उन्हें माहूम होता है कि मैंने, सम्भवतः अपने आजीवन मित्रान्तों को सिर्फ तोप-दांप के निमित्त छोड़ दिया है। इस आशय का एक पत्र मैं नीचे उद्धृत करता हूँ।

“ऐसी रिपेंट मिली है कि आपने कहा है कि स्वराज-दलवालों के साथ अभी लड़ाई करने की शक्ति के अभाव में मैं अब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ और अपने मौके की ताक में हूँ। परन्तु ऐसा क्यों? सत्य और अहिंसा का कार्य आपसे चाहता है कि आप हम लोगों को एकज रम्बर, स्वराज्य या महासभा के बाहर हमारी पनाका फहराते रहिए—किसी के प्रति शत्रुभाव से नहीं, बल्कि जैसा कि हजरत मुहम्मद ने किया था। उनके अनुयायी घटते घटते केवल तीन ही रह गये थे और उन्हें सिर्फ परमात्मा की ही शक्ति का शरोसा करना पड़ा। निस्सन्देह बिपक्षियों से हाथ मारने तथा उनकी सहायता करने में आपका तो व्यक्तिगत लाभ ही है, परन्तु हमारे कार्य को इससे बड़ी गहरी हानि पहुँचती है; क्योंकि आप तो असहयोगियों को संयुक्तरूप से न तो अपनी राजा फहराते रखने के लिए कहते ही हैं और न फहराने ही देते हैं। आध्यात्म-प्रेमी मनुष्य उस राजनीति में दिलचस्पी नहीं रख सकता जो न तो सत्य और अहिंसा की वृद्धि ही करता है और न उनसे पेशवा ही ग्रहण करती है। कोई भी बनावटी एकरा ईश्वर को आकषित नहीं कर सकती, क्योंकि वैसी हालत में किसी सरकार के साथ लड़ाई अधार्मिक हो जाती है। इसके अलावा स्वराज्य-दलवालों की अमलदारी में आतुर आदर्शवादियों की हिंसामक प्रवृत्तियों को शुद्ध करने के लिए ऐसी कोई शक्ति नहीं रह जायगी, जैसी कि आपके उच्च नैतिक आदर्शवाद तथा आध्यात्मिक अमलदारी में थी। अब तो निरी निष्कलना तथा पूर्ण निराशा को उनके मिर पर मचार ही समझिए।”

इन मित्र के ये विचार बहुत से असहयोगियों के विचारों के प्रतिनिधि हैं। वे खुद भी इस आन्दोलन की ओर इसकी आध्यात्मिकता के ही कारण आये थे। इसलिए मैंने उनके इस मदेश को बार बार गौर से पढ़ा है। लेकिन उन्होंने अपनी यह राय, मेरे वक्तव्यों की मनमानी कटी-छंटी और अकसर गलत रिपोर्टों पर ही कायम की है और सही मेरे लिए आशा-प्रद बात है। वे खुद परिपट्ट में उपस्थित न थे। वे बचड़े में भी नहीं थे। किसी झूल-बल की बातों का केवल असकारों के विवरण के आधार पर समझ लेना अत्यन्त कठिन है। मैंने यह रिपोर्ट नहीं देखी जिसका बिक इन महाशय ने किया है। “स्वराज्यदल के साथ लड़ाई लेना इन शब्दों का अर्थ, यदि उनको तोड़ मरोड़ दिया जाय, तो मेरे अर्मष्ट आशय के उलटा भी लगाया जा सकता है। अब इनका झुकाया दिये देता हूँ। मैं स्वराज्यदलवालों से नहीं कह सकता, यदि उनको मेरे इन विचारों के संबंध में गलतफहमी है, विनीत

भाव से कल्पित अहिंसा की लड़ाई जिन भाव से लड़ी जा सकती है, उसे यदि अपरिन्तवादी नहीं समझ सकते, यदि सरकार इस लड़ाई का ऐसा लाभ उठानी है जिसका मैंने विचार भी नहीं किया है, या यदि ऐसे संभव के लिए आवश्यक साधन का अभाव है। पर वास्तव में हुआ ऐसा है कि ये सब बातें थोड़ी या बहुत हमारे सामने हैं। इसके बिना यह भी याद रखना चाहिए कि मेरे नजदीक अपने कार्य की रथा मयाबल पर कभी अवलम्बित नहीं रही है। मेरी योजनाओं को जल्दी कार्यरूप में परिणत दिये जाने के रास्ते में शायद मेरी यह भागी जाने वाली सर्वप्रियता ही सबसे बड़ी बाधा होती आई है। जिन लोगों ने बम्बई और चौराचौरी के हंगों के भाग लिया था, यदि वे मेरे लिए निकलकल अजबन्धी होते और उन्होंने अपने को अहिंसा का हामी न बतलाया होता, तो मुझे इन दोनों में किना के लिए भी प्रायश्चित्त न करना पड़ता। इसलिए जब तक लोगों की भौड़ भरी और दौड़ दौड़ कर आती रहती है तब तक मुझे अवश्य फूंक फूंक कर चलना होगा। एक बड़ी सेना को साथ रख कर सेनापति उतनी सज्जी से कुछ नहीं कर सकता जितना यह चाहता है। उसे अपनी सेना के भिन्न भिन्न अंगों का ख्याल रखना ही पड़ता है। मेरी स्थिति ऐसे सेनापति की स्थिति से बहुत भिन्न नहीं है। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है परन्तु यह है ऐसी ही। अकसर यह स्थिति ताकत समझी जाती है। परन्तु कभी कभी तो यह स्पष्टतः बाधक हो जाती है। “स्वराज्यदलवालों के साथ अभी लड़ाई करने की शक्ति के अभाव” से मेरा जो तात्पर्य था, शायद वह अब स्पष्ट हो गया होगा।

मैंने किसी तरह भी असहयोग की राजा को कभी नीचा नहीं किया है। नहीं, वह तो आधी नीचे भी नहीं गिराई गई है, क्योंकि किसी भी असहयोगी को यह नहीं कहा जाता कि वह अपने असूल से हटे। संसार के बड़े पैगम्बरों या धर्म-प्रचारकों का उदाहरण पेश करने में सर्वदा जोखिम रहती है। इस सत्तार में, “व्युत्तिक अन्धकार के बीच,” मैं प्रकाश की ओर जाने का रास्ता टटोल रहा हूँ। अकसर मैं भूल करता हूँ और मेरे अन्दाज गलत होजाते हैं। इस सम्बन्ध में पैगम्बर साहब का नाम लिया गया है, इस लिए पूरी नम्रता के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इस आशा से रहित नहीं हूँ कि यदि दोही मनुष्य मेरे साथी रह जाय, या कई भी नहीं रहे, तो उस हालत में मैं कब नहीं निकलूँगा। ईश्वर पर ही मेरा तो कुल शरोसा है। और मैं मनुष्यों पर भी इसी लिए शरोसा रखता हूँ कि ईश्वर पर मेरा परा शरोसा है। यदि ईश्वर पर मेरा शरोसा न होता तो मैं कंकपवियर वर्णित एथेन्स के टिगन की तरह मनुष्यजाति से घृणा करने लगता। यदि बड़े बड़े धर्म-प्रचारकों के जीवन से हम कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो हम लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि हजरत मुहम्मद ने उन लोगों के साथ सधि की थी जिन्होंने उनका मत बहुत ही कम मिला था। ऐसे लोगों का वर्णन कुरानकारीक में सुरे शब्दों में किया गया है। सत्य ही, हजरत मुहम्मद के जीवनसंप्राम का, सर्वरथ था और असहयोग, हिजरत, प्रतिरोध और हिंसा तक भी उनके नजदीक अपने जीवनसंप्राम के भिन्न भिन्न रूप थे।

जैसा कि ये मित्र विश्वास करते हुए शीखते हैं, वैसा मैं नहीं विश्वास करता कि एक व्यक्ति को तो आध्यात्मिक लाभ हो सकता है पर उसके भास पाम बालों को हानि। मैं अहंता में विश्वास करता हूँ, मैं मनुष्य की परम आदरमक एकरा में भी विश्वास करता हूँ, इसीलिए मैं सभी अवधारणियों के एकरा में विश्वास करता हूँ। इस कारण मुझे तो ऐसा यकीन है कि एक मनुष्य के आध्यात्मिक लाभ के साथ सारी इन्धिया का काम होता है। उसी



तब एक मनुष्य के अधःपतन के साथ उस हृदय तक सारे संसार की अधोगति होती है—यथा मैं अपने प्रतिपक्षियों की सहायता, बिना अपनी और अपने सहयोगियों की साथ ही साथ सहायता बिना, नहीं कर सकता। मैंने किसी भी पक्ष अंतर्द्वारा को यह नहीं कहा है कि वे व्यक्ति या समूह रूप से, अपनी पताका न फहराव। उल्टे, मैं तो उन्हें ऐसी ही उम्मीद रखता हूँ कि वे हर तरह की दिक्कतों के रहते हुए भी अपनी 'बजाय' को लंचे सिस्टर पर फहराते रहेंगे। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्र या महासभा का असहयोग जारी है। वाक्यांत को सामने रख कर हमें यह मानना होगा, कि राष्ट्र या महासभा जहाँ तक वह राष्ट्र की प्रतिनिधि है, असहयोग के कार्यक्रम पर अमल नहीं कर रही है। इसलिए असहयोग को कुछ व्यक्तियों में ही परिमित रहना पड़ेगा। असहयोगी पक्षी, उदात्त छोड़ने वाले, पुराने शिक्षक, और असहयोगी धारासभावाद, वे सभी पूर्णरूप से असहयोगी रहते हुए भी महासभा में रह सकते हैं। कताई और खादी यहाँ उनका मुख्य कार्यक्रम रहेगा। इन दोनों को अभी महासभा ने छोटा नहीं है। इन मामलों में स्वराज्यदलवादी अपरिवर्तनवादियों को लंबे के साथ पूरी तरह अपना रहे हैं जहाँ तक यह काम उनके विश्वास से मगन है। अपरिवर्तनवादियों की तरह वे किसी कपड़ों को जन्म से जन्मी हड़ाने के लिए, लंबे के द्वारा कताई के व्यवहार को आवश्यक नहीं समझते। अपरिवर्तनवादियों की, या चाहे तो यों कहिए कि भेरी सद्कारिता के रखने के लिए उन्होंने यह देखकर कि हमें कताई के सिद्धान्त में कोई आशय नहीं है, मताधिकार में इसको शामिल करना मजूर किया है। यहाँ यह वाद रखना अच्छा होगा कि कताई को मताधिकार में शामिल करना एक असाधारण बात है। स्वयं उन्माही कानने वाले इन पर भी श्री स्टोक्स के समान सिद्धान्तवादी मनस्य भी इसका दिकोजानने विरोध करते हैं। हमारे कितने ही देशवासी इसकी हामी उठाते हैं। तब तो स्वराज्यदल वालों का इसे स्वीकार करना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए यदि वे अपनी बातों के पक्के निकले (और इसमें मन्देद करने का मुझे कोई कारण कारण नहीं है) तो असहयोगियों को किसी अलग संगठन की प्रवृत्त नहीं रह जाती। अपरिवर्तनवादियों को धारासभाओं के कार्यों में योग देने की आवश्यकता नहीं और उनके लिए उचित भी नहीं है।

इसलिए धारासभा के कार्यक्रम का पूरा अधिकार और कानतः उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वराज्यदलवालों पर ही है। महासभा के नाम का व्यवहार करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा, पर अब वे अपरिवर्तनवादियों का नाम नहीं ले सकेंगे। महासभा अब एक सम्मिलित संग्रह रहेगी जिसकी कुछ बातों की जिम्मेदारी समुक्त ही रहेगी, और उस के साथ साथ काम दल-विशेष को दिने आशय जिनका भार वे अपने ऊपर ग्रहण करेंगे।

यदि एकता, अज्ञानोद्धार और चर्या, ये उन देश की राजनीति के अंग हैं, तो अपरिवर्तनवादियों को पूर्णरूप से अपने अर्थात् सत्य, अहिंसा और अत्यात्म मिल सकते हैं। सरकार के साथ अपरिवर्तनवादी की लड़ाई मुख्यतः इनामे है कि वह अपने को शुद्ध कर के अपनी दक्षिण का विकास करे। उसे अपने किसी भी कार्य से किसी भी स्वराज्य की शक्ति को किसी तरह आपात न पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसे उनको (स्वराज्यवादी) अपनी ही तरह इमानदार समझना चाहिए। औरों को हटाकर अपने ही अन्दर शुद्धता का अभिमान करने में अपरिवर्तनवादी को सधमे पीछे रहना चाहिए। यदि मान भी लिया जाय कि स्वराज्यों का

अंग पुरा है, तोभी उन्हें इस तरह काम न करना चाहिए मानो आधुनिक शासन-प्रणाली वससे बहुत ज्यादा खराब नहीं है। अहिंसा में विश्वास रखनेवाले व्यक्ति को भी दो प्रतिस्पर्धियों में यह कहना ही पड़ता है कि कौन कम पुरा है और किसका पक्ष न्याययुक्त है। जापान और रूस के दरम्यान टालस्टाय ने अपना फसला जापान के पक्ष में दिया था। इंग्लैंड और रूस दक्षिण अफ्रिका के दरम्यान डबल्यु. टो. रेट्ट ने बोअरों का साथ दिया था और इंग्लैंड के पराजय के लिए डेवर से प्रार्थना की थी। इसी तरह स्वराज्यों और सरकार के बीच, मुझे अपनी राय कायम करने में एक क्षण भी डेर नहीं लग सकती। स्वराज्यों ने हमारे १९२० वाले कार्यक्रम के खिलाफ बग़ायत की थी, इसलिए हमारी धारणा के पल्लवित हो जाने का खतरा है। अच्छा, थोटी डेर के लिए मान लीजिए कि स्वराज्यी वाकई जैसे पुरे हैं जैसे कि सरकार हमें अँचाना चाहती है। तो भी उनकी सरकार योजुदा सरकार से कानूनों दरजे अच्छी रहेगी, क्योंकि इस सरकार के पास तो आचार-स्वतन्त्रता या वास्तविक प्रतिहार के धाँसे भी बरत का कुचलने के अनन्त साधन तैयार रखे हुए हैं। मैं किसी बनावटी एकता को अपना लक्ष्य नहीं बना रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि महासभा में तमःम दलों के प्रतिनिधि रहें जिससे कि हम एक दूसरे की राय को बर्दाश्त करना सीधे, एक दूसरे को अच्छे तरह समझ सकें, एक दूसरे पर अपने कार्यों का अमर लाल सकें और यदि हम सबके लिए किसी एक ही कार्यविधि की तजवीज न कर सकें तो कम से कम एक सर्वमान्य स्वराज्य की योजना तो तैयार कर सकें।

हाँ, मैं इन भिन्न की धारिरी बातों से जरूर सहमत हूँ। निस्सन्देह धारासभा का कार्यक्रमन आनुर आदर्शवादियों को उनके दुष्कृत्यों से दूर नहीं रख सकता। यह शक्ति तो केवल अहिंसामयक असहयोग में ही है, क्योंकि वह स्वायत्तता के उष से उब भाव को जाग्रत करता है और यह त्याग भाव ही उन्हें अपने मार्ग की भूलों से बचा सकता है। मैं प्रतिज्ञा के साथ कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे किसी पक्ष असहयोगी की ताकत कम हो जाय। मैंने तो अपने साथ ही साथ उनको भी आँच में तपाया है। जरा वे निर्मल प्रेम की बलिवेदी पर पूरी शक्ति पर अपना बलिदान तो करें, फिर देखें कि सारी महासभा एक मन से उनका अनुसरण करती है कि नहीं। पर ऐसा प्रेम अदृश्य रूप से अपना काम किया करता है। जो शक्ति जितनी ही उत्तम होती है, उतनी ही वह सूक्ष्म होती है, और मौन रूप से अपना काम करती है। प्रेम ही मसार में सब से अधिक सूक्ष्म शक्ति है। यदि असहयोगी के पास यह शक्ति है तो यह उसके तथा औरों के लिए अच्छा ही है।

(यं ६०)

मोहनदास करमचन्द गांधी

र. १) में

- |                        |      |
|------------------------|------|
| १ जीवन का सद्य         | III) |
| २ लोकमान्य को प्रदायलि | II)  |
| ३ अयन्ति अंक           | I)   |
| ४ हिन्दू-मुस्लिम तजाना | -)   |
- डाक मन्वे 1-) महिन मनीआर्डर भेजिए।

१11-

बारी पुस्तके एक साथ खरीदने वाले को र. १) में मिलेगी। मुख्य मनीआर्डर से भेजिए। चो. पी. नहीं भेजी जाती। डाक कर्ष और पेंडिंग बगरह के ०-५-० अलग भेजना होगा नवजीवन प्रकाशन मन्दिर

## मुत्तवी या मंजूवी ?

इस सवाल का जबाब कि अमहयोग मुत्तवी किया जाय वा मंजूवी, जबाब देनेवाले के ही अपने मन की हालत पर मुनदलिर है। जिसने असहयोग में सभी विश्वास न किया वा जो स्वभावतः ही हयेशा के लिए इसका संसूत्र होना चाहेगा। जिसने मेरे समान ही इसमें विश्वास किया है, जब और जहाँ जरूरत पड़े इसके अनुसार व्यवहार किया है और इसलिए जो उगीका जप करता है वह तो मुत्तवी करने के पक्ष में भी बड़ी सुदृक्क से राय देगा। निःसन्देह वह उस आशा के भरोसे रहेगा कि कभी वह दिन भी आयेगा जब हम शही और अधिभामी पक्षों को अपने पक्ष में मिला लेंगे और अमहयोग राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में सफल होगा। इसलिए मुत्तवी करना ही मन्थम मार्ग है जो आपको मंजूवी हो सकता है। जो जहिसा और असहयोग की ताबत और जरूरत में विश्वास करते हैं, वे मेरी आशा रख सकते हैं कि जब मेरी हालत होगी कि फिर अमहयोग करना जरूरी हो तो देस उसे फिर शुरू कर देगा। जिन्हें असहयोग में विश्वास नहीं है वे मुत्तवी के दिनों में अपनी राय के मुआविक इसके अनिर्णय पर प्रचार, महासभावालों का अपने पक्ष में मिजाने के लिए, कर सकते हैं। उन्हें यह बड़ा भारी असर मुत्तवी से मिलता है। मेरी राय में पूरी असहयोगी महासभा मुत्तवी से और आगे बढ़ी जा सकती। मैं महासभा का पूर्ण-रूप से अमहयोगी इसलिए कहता हू कि स्वराजी भी अमहयोग में विश्वास प्रकट करते हैं। यदि इसे मुत्त-भेद कह सकें तो मैं यहाँ एक मुत्त-भेद बताता हूँ। तीन मास से भी अधिक दिन हुए, जब सनसोते का सब से पहला मसबिदा तैयार हुआ था। उसके प्राक्खन में ही असहयोग में विश्वास प्रकट किया गया था। वह स्वराजियों को पूरी तौर से संजूर था। हिन्दू महासभा में विनीत-दलवालों तथा और लोगों के मिलने का रास्ता भीधा करने के विचार से ही आपस की राय से बह दटा दिया गया। कुछ मित्रों में ऐसा सुझाया था कि शायद होमरूलवालों और विनीत-दलवालों को प्राक्खन के पक्ष में राय देने में मंतराज हो। साथ पूछिए तो मित्राणों का पूरा स्थान रक्ष कर के इसका मसबिदा बनानेवालों ने उन लोगों को भी अकरियात का बहुत खगल रक्का है जो अबतक महासभा में अलग रहे हैं। हाँ, इतना होने पर भी भिन्न भिन्न राजनैतिक दलों की समस्त आनउपपत्ताओं का बह मसबिदा पूरा नहीं करगा है। यह कभी मेरी या स्वराजियों की ओर से चाह था कोशिश में कोर-कसर के कारण नहीं है। इसका कारण तो है हम लोगों का अपने अपने सिद्धांतों का पूरा ध्यान रक्का। यदि कोई इसे अच्छा शब्द समझे तो यह कह सकता है कि यह हम दोनों की सीमाबद्धता है, किद है।

इसे बार बार दुहराने की जरूरत नहीं है कि महासभा के विशाल मतदानाओं पर हमारा गर्वदा ध्यान रहा था। यह सच है कि वे मसबेदा भोका राय पर भी निश्चय-एक अपने मतों का प्रतिपादन नहीं करने दें, किन्तु मेरा ऐसा अनुभव है कि कभी कभी वे नेताओं के इजरा विरोध करने पर भी बग़र अपनी इच्छा की जाय के साथ जाहिर करते हैं। हम सब को उन एक ही मत दाताओं पर एभाव डालना है और उनमें प्रभावित होना है। मेरी राय में, एकता के उपाय रहने में यदि हम एक ही कर काम करना चाहें, तो हर एक दल का इतने ही अधिकार मांगने का पयत्न करना चाहिए जितना उसकी अन्तरात्मा की माग के लिए अव्याप्यक है, और अधिक नहीं।

कोई केवल असहयोग करने के लिए ही असहयोग को नहीं चाहता है। किसीको स्वाधीनता से जेल अधिक पसंद नहीं है। तो भी जब स्वतन्त्रता पर गकट पडता है तब असहयोग कर्तव्य हो सकता है और जेल राजमदल। जो लोग हर हालत में असहयोग से विमुत्त रदना चाहते हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वे ऐसा उपाय करें जिससे फिर अमहयोग करना अनावश्यक हो जाय। इसका एक सबसे अच्छा उपाय यह है कि सभी दल एकत्र हों और स्वराज की एक गाजना साने और साथ ही साथ यह भी साथे कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि सभी दल एक होकर उस याजना के लिए कार्य करें ?

( सं० ३० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## एक मनोरंजक संवाद

दुल्ही ने गांधी जी के साथ हुए लोगों के कुछ संवाद में पहले से नका हूँ। आज एक और रोचक संवाद सुनाता हूँ।

दा अमेरिकन ज राषक आये थे। एक थे मानसशास्त्र के और दूसरे समाजशास्त्र के। समाजशास्त्र के अध्यापक तो सुविख्यात हैं। उन्होंने Nonviolent Coercion (अहिंसामक प्रतिकार) नामक भाषत में अति प्रसिद्ध पुस्तक का उपोद्घात लिखा है। मेरा नयाल था वे कुछ म्थम सवाल पूछेंगे; पर ऐसा न हुआ। जाते समय दोनों अध्यापकों ने कहा—'इसके जयाव कितने थे—घटक और स्पष्ट थे। हम , चकित रह गये। इतनी स्पष्टवादिता हमने कहीं न देखे।

शुरू में इधर-उधर की जाने पर के उन्होंने कहा—हम भारत का अ ध्यान करने आये हैं, और जालियाँवालाबाग देखने का अपना इरादा जाहिर किया।

गांधीजी—'आसपाम का हरथ तो पहले जैसा ही है। आपको चारोंभोर बह दिा दें दिखाई देगी, परन्तु जमीन—खून से रंगी हुई जमीन—नहीं दिखाई देगी।'

'आपका क्या खयाल है, वहाँ जो कार्य हुआ वह ब्रिटिश नीति के अनुरूप था, या एक विगडे दिमाग, गैर-जिम्मेदार हाकिम का कृत्य था ?'

गां०—ब्रिटिश सरकार की मामूली नीति के अनुसार था—एक अविशयित संस्करण कह सकते हैं। क्योंकि १८५७ ई० के बाद उसके सतश भीषण घटना गद् नहीं आती। परन्तु यह बात तो उनकी नीति में ही दाखिल है—गासित लोगों को डराना—भय—कठिपत कर देना।

( यह संवाद गि० की वर्तमान घटनाओं के पहले हुआ था )

'आपने २५, गां तक सहयोग किया। क्या इस बीच आप को कभी यह न खयाल हुआ कि इस सरकार की तो नीति ही इस तरह की है ?'

गां०—'हाँ, हुआ था। फिर भी मैंने उस समय समझा था कि इसका संसदन-विधान शुद्ध है, ऐसी बातें इसके अन्दर स्वाभावतः हैं जिससे लोगों की शुद्ध आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने में विकल न होगी। इसी मेरे समय—कुसमय उस के शासन-विधान की प्रशंसा की है और उनके प्रति अपना विश्वास प्रकट किया है।'

'तब क्या पञ्जाब ने ही आपकी आँखें खोलीं ?'

'आज तो खली गौठत काजूर ने। इस कानून के उद्देश तथा स्पष्टतः लोक-मत के खिलफक उसे पान करना इन बातों से मेरी आँखें खुलीं। परन्तु विश्वास तो पूरा पूरा नष्ट हुआ मिलाफत और पञ्जाब के विषय में सरकार के खल की देख कर। पहला आघात मेरे विश्वास को १९१७ ई० में पहूँचा—जब

कि मेरे मित्र श्री. गण्डवृज ने गुप्त इकरारनामों की ओर मेरा ध्यान खींचा था। पर मैं इस चर्चा में नहीं पड़ना चाहता कि उस समय मैंने कोई कार्रवाई क्यों न की। फिर तो योरप का महाभारत पूरा हुआ। सब कोई अच्छा होने की आशा कर रहे थे। हमारे देश में भी आशा रखी थी। परन्तु हमें प्रदान किया गया रौलट कानून और साथ ही बाइसराय ने 'सिविल सर्विस के' ब्रिटिश व्यापारियों के पांव 'गायबन्द दिवाकरों' मजबूत करने का बचन दिया। तब मुझे इस कानून का पोर विरोध करना पड़ा।

“यह कानून असल में तो अभी नहीं लाया गया?”

गाँ०—असल में तो क्या आता? पीछे तो रद्द भी कर दिया गया। इस विरोध से सारे देश में खलबली मच गई थी तैसी कि मानों कोई लंबे सपने से जगा हो।

‘आप कहा करते हैं, ब्रिटिश सत्ता ने भारतवासियों को नामदं बना दिया है, इसका क्या अर्थ है?’

‘तीन तरह से, शरीर मन और आत्मा तीनों में नामदं बना डाला है। देश का सम्बन्ध खूब डाला है, उसके मुख्य धर्म का नाश हो गया, और आज देश दिन दिन अधिक गरीबी में डूबता जा रहा है। अर्थात् शरीर निर्बल होने में कुछ भी बाकी न रहा। सरकार जो विद्या देती है वह विदेशी भाषा के द्वारा। इनसे हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति क्षीण हो जाती है। हमारे सरकार में वृद्धि नहीं होती, उल्टा हम नकलखी हो जाते हैं, अंगरेजों भाषा के बूट प्रयोगों के गुलाम बनते जा रहे हैं। और आश्चर्यकर देश को जबरदस्ती निःशस्त्र कर डाला, जिससे देश को आराम का प्राप्त हो गया। मानसशास्त्र के अध्यापक बोलें—‘पर क्या आप इस दशा को लाभदायी नहीं बना सकते? आप तो अहिंसावादी ठहरे। आप लोगों को आध्यात्मिक बलवानी नहीं बना सकते?’

गाँ०—‘किस तरह? आ शक्य अनेक तरह के स्वाद चलने के लिए बिलस रहा हो उसे यदि कटे स्वाद से विमुक्त करने की बात कहें तो वह क्या सुनेगा? मुझे जेल-जीवन का अनुभव है और मैं कैदियों को हालत को जानता हूँ। आम तौर पर कैदी लोग, जेलखाने के बाहर, तरह तरह के छुगाड़ भोजन नहीं करते, उनके लिए व्याकुल नहीं होते। परन्तु जेल में उन्हें शक्ति कुछ खास चीजों की सुमानियत होती है, इससे उनका मन उन्हीं चीजों के लिए पीठ लगाता रहता है। यह सुमानियत ही एक तरह का लोभ उनके अन्दर उत्पन्न करता है। कैदी को स्वाभाविक रूप से अपने अभावों, कठिनाइयों और न्यायों को बटा कर देखने की आदत पड़ जाती है। यही बात हम देश की स्थिति के विषय में कही जा सकती है। जेय सुमानियतों के कल-स्पर्ष यहाँ हथियार चंप दिने गये हैं और उन लिये गये हैं, उन्हींके लिए वे हथियार चाहते हैं। अंगरेज लोग तुम्हें करने में तो संकोच करते नहीं, हर तरह से भारतवर्ष को गुलाम बनाना चाहते हैं, तब लोग कुदस्ती तौर पर लम्बा बदला लेने का तरीका सोचने लगते हैं और उन्हें शस्त्र-संग्रह में मज्जा आता है।’

‘तब क्या भारतवासियों में कोई उन्नत, धार्मिक या आध्यात्मिक भावनायें नहीं रह गई हैं?’

गाँ०—‘भारतवर्ष को आप एक बड़ा जेलखाना मान लीजिए। फिर आप मेरी बात को समझ पावेंगे। आज सबकुछ ही यह एक महा कैदखाना हो गया है-क्योंकि लोग विस्तृत निःशस्त्र और निराधार कर दिये गये हैं। इसका असर जहाँ-जहाँ हुआ बिना नहीं रहता।’

‘हमारे यहाँ ही हथियार ले लिये जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा असर नहीं होता।’

‘दोनों स्थितियाँ भिन्न हैं। यहाँ भी यदि आपकी तरह स्वतन्त्रता हो और फिर एक भी हथियार न हो तो कोई चिन्ता नहीं। पर जहाँ सुमानियत रक्ती कि शक्ति पेश आई। अफिरा के तथा गद्दी के दिलकर १०-१२ जेलों का अनुभव मुझे है और मैं कह सकता हूँ कि कैदियों की मनोदशा कैसी होती है।’

‘हां, तो आराम गुलामा यह है कि यहाँ पगाधोन मनुष्य को मनोदशा ध्यात है, न? अच्छा, आपने तो विदेशी भाषा के द्वारा शिक्षा का दिया जाना भी एक कारण बताया था? क्या अंगरेजी भाषा मानी भाषा नहीं हो सकती?’

‘नहीं हो सकती। फ्रेंच तारे योरप को भाषा है; परन्तु कंडे अंगरेज दूसरे अंगरेज के साथ फ्रेंच में जान करेगा? भारतवर्ष में आपको यह दयाजनक लग देऊँगे का मिलेगा। भिन्न भिन्न प्राणों के ही नहीं, बल्कि एक ही प्राण के लग यथा एक-दूसरे के साथ अंगरेजी बोलते और लिखते हैं।’

दूसरे बूट साक्षर बले—‘आप तो भारत के नेता कहलाते हैं। पर आप भी बोलते हैं अंगरेजी ही?’

‘नहीं, आपने मुझे लोगों से बातचीत करने हुए नहीं देखा है, मैं हिन्दी ही बोलता हूँ।’

‘साफ कीजिएगा, हमें मालूम न था। तो क्या हिन्दुस्तानी के द्वारा यह संवाद हल हो जाएगा?’

‘क्यों न होगा? देश के अनेक करांड लोग हिन्दुस्तानी बोलते हैं साथ संवाद लेते हैं-पर अंगरेजी बोलने और लिखने वालों की संख्या १० लाख भी नहीं है।’

‘आपने जो उदाहरण किया भी क्या यह संक करने के लिए कि इन लोगों से आपकी कितना तुल्य पटुवा है?’

‘नहीं, यह तो एक अल्प परिणाम था।’

‘किस तरह?’

‘क्योंकि मेरे प्राणों की बात पकड़ हो गई। उसे गुप्त नहीं रख सकते थे और न मेरी उन्मा ही थी। (पुनर्कहि होने के रथाक में बहुतसी बात छोट देता हूँ) विधि और निवेध संवनी पापों के लिए प्रायश्चित्त अवश्य करना पड़ना है।’

‘तब क्या यह आंगों के लिए न था? ईसाई-धर्म क अनुपार आपने यह नहीं किया?’

‘ईसाई-धर्म का सुधार बड़ा प्रयत्न है। परन्तु प्रायश्चित्त का भाव मैंने उससे नहीं नीचा। मेरा प्रायश्चित्त अपने पाप के लिए था, आंगों के लिए नहीं। यह दूसरी बात है कि दूसरी पर उसका असर पड़ना ही अथवा आंगों के पापों से मेरा पाप-ज्ञान जाग्रत हो। प्रायश्चित्त का भाव उस ईसाई-धर्म से भिन्न है। तपश्चर्या के हवाले ब्रह्मन्त ईसाई-धर्म में भरे हुए हैं।’

‘तब ईसाई-धर्म क प्रणी आप किस प्रकार से है?’

‘साधारण तौर पर। यह जान कर आपकी आश्चर्य होगा कि ईसाई-धर्म के साथ मेरा पहला परिचय किस तरह हुआ और मुझे अपने धर्म-ग्रन्थों के प्रति अनुगम किस तरह पैदा हुआ। मैं तो यह सत्यता था कि ईसाई होना के मानी हूँ मोक्ष खाना और सागव रीति। राजकूट में एक शस्त्र-ईसाई हुआ था। लोग कहते थे वह होगा ही करना है। इस तरह नेग पहला परिचय उससे हुआ। इसी संवाद को ले कर मैं लंदन गया था। दो अंगरेजों ने मुझसे कहा कि चलो हम साथ साथ भगवद्गीता पढ़ें। मुझे तो उस समय भगवद्गीता का भी ज्ञान न था। मैंने आर्नाल्ड का

अनुवाद लिया। उसकी बड़ी छाप मेरे मन पर पड़ी। मैंने देखा कि उसने ग्रन्थ का हार्द समझ कर अपने हृदय के उद्गार प्रकाशित किये हैं। तब तो मैं उत्तरर किदा हो गया। सायंकाल के प्रायेण मैं जिन श्लोकों का पाठ मैं करता हूँ वे मेरे रातदिन की साथी हो गये। इसके बाद एक शाकाहारवाले उपाहार-गृह में मित्र एक से मेट हुए। उन्होंने मुझे वाइबल दी। 'फुलने इकरार' का मैं एक के बाद एक काण्ड पढ़ता गया और मेरी रुढ़ कांपने लगी। मन में सबाल उठा 'क्या देसाई-धर्म यही है? पर मैं तो उन मित्र को वचन दे चुका था मैं कि आदि से अन्त तक बाइबल पठ जाऊंगा। सो मैं तो नीचा सिर किये पढ़ता ही चला गया। वचन का पालन करने के मेरे आग्रह ने मुझे बचाया। अन्त को पर्यतीय प्रवचन आया और मैंने आनन्द से उर्द्वीस लिया। उसने मुझे परम शांति और आश्वासन मिला।

अमेरिकन अ पापकों को हममें बड़ा आनन्द आया। एक ने पूछा—

'इसानसीह ने जो औरों के दुखों का भार अपने सिर लिया और सबों को तारा, इसके विषय में आपको क्या धारणा है?'

'मुझपर इस विचार का कोई उपादह असर नहीं हुआ।'

'आपको आघात पहुंचा?'

'नहीं आघात भी नहीं पहुंचा। हिन्दू-धर्म में भी ऐसी कुछ बातें हैं। परन्तु बाइबिल के दितने ही अंश—जोन की वार्ता के दितने ही सुपरिचित अंश—या अने में कुछ दूसरे प्रकार से करता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि कोई किसी के पाप धो सकता है और किसीको सुख कर सकता है। परन्तु यह बात मानस-शास्त्र-सिद्ध है कि एक के दुःख अथवा पाप से दूसरा दुःखी हो सकता है और इस खयाल से कि दूसरे को दुःख हो रहा है, एक की उन्नति होती है। परन्तु यह बात मुझे नहीं पड़ती कि एक मनुष्य अपने-जो के लिए मर सकता है और उनकी सार सकता है।' (अपूर्ण)

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देशाई

एक बड़ी छूट

पंडित मातोलाल जी कहते हैं कि हाल में महानमिति की वृद्धि में दिये गये मेरे ध्यान-यान को जो रिपर्ट अखबारों में छपी है उसमें एक आवश्यक अंश छूट गया है। वह अंश है स्वराज-दल के अपनी सहायता के लिए प्रार्थना करने के औचित्य पर मेरे विचारों से संघर्ष रखनेवाला। तेशक यह अंश आवश्यक था और मैं उसका छपना जरूरी समझता था। इसलिए मैं तुंगी से उसका भाग यहां देता हूँ—

"स्वराजियों को अपनी ताकत बढ़ाने का, अपना संगठन करने का तथा इसके लिए देश से, जिसमें अपरिवर्तनवादी भी शामिल हैं, प्रार्थना करने का पूरा अधिकार है। यदि असहयोग स्थापित कर दिया गया और महासभा में स्वराजियों को भी बड़ी दरजा मिला जो कि अपरिवर्तनवादियों का है, तब उन्हें उनके उस प्रकार का विरोध करना होगा। अवश्य ही ऐसा विरोध करना अनुचित होगा। मेरी समझ में असहयोग के स्थापित करने का सही तात्पर्य यही है। इसका मतलब यह नहीं है कि बर्र से बर्र अपरिवर्तनवादी स्वराज-दल में मिल जाय। देश-भू ने मुझे स्वराज-दल में शामिल हो जाने को कहा था, और यह करने का उन्हें पूरा अधिकार भी था। मैंने उन्हें कहा कि जबतक मुझे स्वराज-दल के कार्यक्रम में विश्वास नहीं है, तबतक मैं स्वराज-दल में योग नहीं दे सकता। मैं बाहर रह कर ही उन्हें सहायता दे सकता हूँ। इसी प्रकार कोई भी सच्चा अपरिवर्तनवादी उन्हें योग नहीं दे सकता। परन्तु जो सिर्फ इसलिए अलग रहें हैं कि महासभा का कार्यक्रम उन्हें पसंद

## कपास बचाओ

मृत कातने में सब से पहली बात कपास का संग्रह है। उस से भी पहली चीज है कपास की गुंथाई। परन्तु यहाँ उसके विषय में विचार करने की जरूरत नहीं है; क्योंकि सारे हिन्दुस्तान में कपास बहुत बेश जाती है। मगर अफसोस की बात यही है कि, देश में, इतना कपास काये जाने पर भी हमारे किसान भाई इसका सदुपयोग नहीं जानते और इसके इसका संग्रह करने के बदले, अच्छे दर की लासल में बेच दिया करते हैं। वे इधर तो अच्छे भाव जेंचते हैं, किन्तु यह नहीं जानते कि अन्त में उन्हें उनके पदले में भैदगी चीज खरीदनी पड़ती है।

इस विषय पर और अधिक विचार फिर कभी करेंगे। अभी तो इतना ही काफी है कि जब तक कपास तैयार होकर गुना नहीं जाता है और जधनक रिटेशों में भेजे जाने के लिये बिक नहीं जाता है, उस के पदले ही हमारे समझदार किसान भाई उसका संग्रह कर लेवे और यह अनजान भाइयों को भी समझावें।

जिस तरह इन लोग १९२२ में चड़े उगाहा परतें थे उसी तरह अब हमें चाहिए कि कपास उगाई, और उसे कटावारे। चंदे की अनिरता कपास उगादा लाभदायक है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। क्योंकि कपास तो सूद क ही गुना बढ़ता है और सूद जालसियों का धन है। कपास माल मिहमत से बढ़ता है और मिहमत श्रमी का धन है। मिहमत मजदूरी की कीमत को हमारे मायम धेणी के रसो पुर्यों में नहीं समझा है। शारीरिक श्रम में शमी प्रकार के लोग योग में सकते हैं। यदि हम कपास इतना पर सके और उसकी विविध क्रियाओं के लिए हमारे पाग काफी कारगरता हों तो हम कपास का मूल्य अपेक्षाकृत जितना चाहें बढ़ा सकते हैं।

यदि शारी कपास लोग धान के धेत और उसपर मिहमत भी सुगत मिले, तो शारी को हम पानी के दाम बेच सकते हैं। यह बात समझ में आने लायक है। किन्तु पस्तुत, ऐसा हो न सकेगा। क्योंकि उसका प्रबंध करने में, उसकी निकामी में, कितने ही सेवकों को केवल आया ही धटा नहीं यन्कि अपना साग समय देना पड़ेगा। और यह स्पष्ट ही है कि बिना कुछ लिये धं काम न कर सकेंगे। पर अगर आधा धटा देनेवाले हमारा भाई हमें मिल जाय तो थोड़े वैतनिक कार्यकर्ताओं से ही हम बहुत काम कर सकते हैं। मगर हमें इन बातों पर विचार करने के पदले कपास का संग्रह कर लेना जरूरी है। इसलिए मेरी सलाह है कि महासभा-समितियों जितना हो सके कपास संग्रह कर लें। संग्रह करनेवालों को चाहिए कि जिस प्रकार कपड़े-पैसे का हिसाब रखते हैं, उसी तरह उसका भी हिसाब रहे। एक भी गुन्धा लुकमान न होय और एक भी पैला हवा में न उड़े।

अब हमें उसके संग्रह करने के उपायों पर भी विचार करना होगा। यह भी जानना जरूरी होगा कि न्हे की गाठें किस तरह बांधी जायगी। इस तरह कताई की सब क्रियायें समझ में आ जायगी। जब ये सब क्रियायें सारे राष्ट्र के हित के लिए की जायगी तो उनमें कितनी ताकत आ जायगी, इसका अनुमान पाठक सहज ही लगा सकते हैं।

(नवजीवन)

महानदास करमचंद गांधी

करता है, वे अपरिवर्तनवादियों की अर से किसी तरह की भाषा के बिना स्वराज-दल में मिल सकते हैं। अपरिवर्तनवादी धारासभाओं का जबानी विरोध नहीं कर सकते, बल्कि उनके द्वारा अबिराम कार्य ही उ का सच्चा प्रचार-कार्य होगा। स्वराजियों को तो चरखा और धारासभायें दोनों बस्तुयें हैं, किन्तु अपरिवर्तनवादियों का अवलम्ब तो केवल चरखा ही है।" (५० ६०)



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक १८

मुद्रक-प्रकाशक   
 बेनीलाल छगनलाल बूच

अहमदाबाद, पौष वदी ३, संवत् १९८२   
 रविवार, १४ दिसम्बर, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,   
 सारंगपुर सरकीगरा की बाड़ी

## मेरी पंजाब-यात्रा

इच्छा से नहीं

अपनी इच्छा से नहीं बल्कि आवश्यकता वश, मैंने पंजाब प्रान्तीय परिषद् का सभापति होना स्वीकार किया। पंजाबी किसी बाहर के आदमी को सभापति बनाना चाहते थे और यदि उनके लिए संभव होता तो मौलाना अबुल कलाम आजाद को। मौलाना साहब इसपर राजी न थे। उनका कहना था कि मैं खुशी से परिषद् में उपस्थित हो सकूंगा, परन्तु मे समक्षता? कि मैं अलग रहकर अधिक उपयोगी हो सकूंगा। मौलाना को इस स्थिति को सब ने पसंद किया। उसके बाद पण्डित मोतीलालजी से अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई खास बाधा न हुई तो मैं सभापति का स्थान ग्रहण कर सकूंगा। और यदि पण्डित मोतीलालजी सभापति होने में असमर्थ रहे, तो सभापति-पद का भार मेरे सिर डाला जाने वाला था। बढकिस्मती से, एक अनपेक्षित घटना हो गई जिससे वे न भा सके। इसके जो कारण उन्होंने बतलाये हैं, वे सार्वजनिक महत्व के हैं, इसलिए मैं उन्हें उन्हींके शब्दों में यदा देना हूँ।

जी ऊब उठा

मौलाना के पास मेजे हुए पत्र में लिखते हैं—

“इस बात का बड़ा अंदेशा हो रहा था कि मैं पंजाब प्रान्तीय परिषद् के सभापति-पद को मजूर कर सकूंगा या नहीं। मैं और महात्माजी दोनों इस बात में सहमत थे कि मौलाना अबुलकलाम आजाद ही सबसे योग्य सभापति हो सकेंगे और यदि हम लोग उन्हें राजी न कर सकें, तो उस हालत में मैं ही उनका स्थान ग्रहण करूंगा, पर इसी बीच मुझे अपनी पत्नी की भयानक बीमारी की सूचना मिली और मुझे फौरन एक प्रसववैद्य को साथ ले कर जाना पड़ा। मौलाना साहब मेरे साथ ही सभाभवन से बाहर आये और मैंने उनसे साफ कह दिया था कि अब मेरे पंजाब और नागपुर के काम पूरे न हो सकेंगे। मैं यह भी कहा कि आपको ही पंजाब परिषद् का सभापति होना चाहिए और नागपुर के लिए, को इसका समय ठीक कर देना चाहिए। जिस समय मैं जाता, मैं ऐसा समझता था कि मे महात्माजी से इस विषय में बातचीत करके यदि मैं स्वयं सभापति होने पर राजी न हूँ तो किसी और का इस काम के लिए ठीक करेगा। यहां

पहुंचने पर हम लोगों ने एक दिन बड़ी चिन्ता में काटा। नवजात शिशु को बचाने की कोशिश करते रहे, परन्तु आखिर बच्चा जाता रहा। जन्म की हालत साधारणतः अच्छी थी, पर होने के कारण पूरी तरह सन्तोषजनक न थी। इसी वजह से मुझे कलकत्ते की पटना की खबर मिली। मुझे सूचना दी तुरन्त रवाना होने के लिए तैयार रहने को कहा गया था।

ज्योंही अवाहर की पत्नी के सम्बन्ध में कोई भय न रहा, मैंने प्रयाग के हिन्दू-मुसलमानों के झगड़ों की ओर अपना ध्यान फेरा। मैंने ऐसा निश्चय किया कि जबतक मुझे कलकत्ते से सूचना न मिले तबतक मैं इसके लिए यथामुमकिन प्रयत्न करूँ। स्थिति मुझे बहुत ही तुरी मालूम पड़ी। बहुत दिनों तक शहर और सूबे से अलग रहने के कारण मेरे ऊपर चारों ओर से कड़ी शिक्षायत्तों की बौछार होने लगी। मैंने लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं उनके लिए पूरे १५ दिन काम करके उनकी काफी क्षति-पूर्ति कर दूंगा।

मैं अपने इस आश्वासन को पूरा करने में फौरन ही जुट पड़ा। पहले जब मैं अपनी यात्राओं में थोड़ी थोड़ी दूर के लिए यहां आया था, तो नामधारी अग्रगण्य हिन्दुओं और मुसलमानों से मेरा जी ऊब उठा था। इसबार मैंने ऊपर से काम करने के बड़े जोर से ही काम शुरू करना निश्चय किया। एक हिन्दू-मुसलमान-संगठन करने का मेरा पुराना विचार था, उसको मैंने हाथ में लिया और इसका काम प्रयाग से ही आरम्भ करने का विचार किया। मेरा सब से पहला काम था विधायिकालय के अध्यक्षों और विद्यार्थियों के पास जाना। विधायिकालय में एक सभा है। उसकी एक शान्ति सामाजिक सेवा के लिए है। दोनों के कार्या सदस्य हैं। अध्यक्षों के साथ मिलने पर यह निश्चय किया गया कि समाज-सेवा-विभाग को ही हिन्दू-मुसलमान संगठन का केन्द्र बनाने के लिए प्रयत्न किया जाय। इसके अनुसार एम. ए. वर्ग के दो विद्यार्थी—एक हिन्दू और एक मुसलमान—चुने गये। जातिगत मामलों में उनकी निष्पक्षता प्रमाणित हो चुकी थी। संगठन के लिए विद्यार्थियों को सदस्य बनाने का काम उन्हें दिया गया। मास ही मास, इसी तरह प्रत्येक मुद्रण संगठित किया जा रहा है। कल से मैं अत्यन्त नुहने में जानेवाला हूँ। और साथ ही मैं विद्यार्थियों के दलों को स्वयं स्वयं समय पर जानन्द-भवन में बुलाकर उनसे बातें करूंगा। जब यह प्रारम्भिक

काम हो जायगा, तब मैं आम तौर पर विद्यार्थियों से मिलूंगा और एक दो आम जलसे कगजगा। यदि समय मिला, तो मैं लखनऊ जा कर भी ऐसा ही करूंगा।

आप लोगों ने हि उपरोक्त कार्यक्रम में क्या काम की योजना है। और इसके अन्दर बाहरी दिखाने को बिल्कुल स्थान नहीं है। अभाव्यवस्था आजकल हमारे सार्वजनिक कामों का सिर्फ यही भाग रह गया है। यदि सब पूछिए तो अब सभा-सम्मेलनों की ओर से मेरा मन बिल्कुल हट गया है, ये सिर्फ चद्रोजा दिखाने हे जिनसे कभी कोई भी वास्तविक फल नहीं निकलता। नागपुर के हागडों के फेसले, का सुयोग आ गया है और नागपुर से आये हुए पत्रों से मालूम होता है कि इसकी सफल जरूरत है कि पंच (मैं और मैं, अबुलकलाम आजाद) वहाँ मिलकर बेलगांव महा-सभा के पहले यह शगडा तय कर दें। इसके लिए ६७ तारीख विश्व करने का प्रस्ताव करते हुए, मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद को कलकत्ता दो तार दिये हैं परन्तु उनका जवाब नहीं आया है।

मैंने आपको इतना इसलिए लिखा है कि मैंने अपने लिए जो काम तजवीज किया है उसका आपको ठीक ठीक सत्याल हो जाय। इसलिए इस हालत में मेरा पंजाब जाना उतना लाभदायक न होगा। मुझे आशा है कि आप मुझसे इस बात में सहमत होंगे।

पण्डितजी के समान ही मैं भी इन सम्मेलनों से घबराता हूँ। इसलिए नहीं कि वे बराबर भंगार ही होते हैं, हमारे जीवन के काम काम समयों में उनकी बड़ी जरूरत थी। परन्तु अपनी वर्तमान दशा में उनकी उपयोगिता प्रायः कुछ नहीं रह गई है। यदि सबसे कोट और मुकसान न हो तो भी समय और रुपये का अपव्यय तो होता ही है। इनके द्वारा जो सार्वजनिक भाव जाग्रत हुआ है उसे अच्छे कामों के रूप में मुक्त करने के लिए छोटी छोटी समितियों के द्वारा ही सबसे अधिक काम हो सकता है।

ये समितियाँ सभी उपयोगी हो सकती हैं जब उनके सदस्य आपस में मेल-मिलाप रखने वाले सर्व-सामान्य प्रजाजन की इच्छाओं का ध्यान रखने वाले तथा अपने ठोस और अमली काम के द्वारा उनसे अपना संबंध बनाये रखने वाले हों। इन परिषदों का त्याग, हम जनता की विमरकता या मन्दता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए करें कि इसके द्वारा हम जनता को और भी अच्छे उपयोगी काम में लगा सकते हैं। जैसे यह बड़ी नासमझी होगी, यदि खादी के काम में लगे हुए लोगों को बुलाकर हम उन्हें ऐसे विषयों पर प्रस्ताव पास कराने में लगाये जिनपर लोगों का एकमत है। इसी तरह जो लोग अकाल-पीडित स्थानों में सहायता पहुंचाने की व्यवस्था करने में लगे हों, उन्हें भी ऐसे काम के लिए बुलाना उचित न होगा। स्वयं पण्डितजी भी प्रयाग में अपने शान्ति-दल को संगठित करने के अधिक उपयोगी काम में संलग्न हैं। और यदि वे सच्चा, हिन्दू-मुस्लिम-संगठन कायम करने में सफल हों तो यह देश के लिए अच्छा बज की सेवा होगी। बीसवालों के द्वारा नहीं, बल्कि जड़ से ही काम शुरू करने की उनकी जो धारणा है, उसके फल-स्वरूप हिन्दू-मुस्लिम जनता में सद्भाव फैले बिना नहीं रह सकता।

#### मेरा प्रमली काम

यह परिषद् मैंने लिए एक आकस्मिक बात थी। मेरा अन्तही काम तो था हिन्दुओं और मुसलमानों के प्रतिनिधियों से मिलना ही। इसलिए अग्रतसर की विरहकत परिषद् में उपस्थित जनता से परिषद् के दूसरे दिन की बैठक को, उस दिन के तीसरे पहर तक मुन्तवो करने का अनुरोध करने में मुझे आगापीछा न हुआ।

मेरा ऐसा करने का तात्पर्य यह था कि ८ तारीख को सबेरे सब लोग प्रतिनिधियों की बैठक-सभा में योग दे सकें। मुझे यह देख कर बड़ी खुशी हुई कि उपस्थित सज्जनों ने मेरी यह राय मान ली। मौलाना जकरअलीखान (सभापति) डाक्टर किचलू तथा अन्य सज्जन बड़ी अनुविधा उठा कर भी उस सभा के लिए लाहौर आये।

#### परिणाम

पाठक को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि यह सभा खास इसी उद्देश्य से की गई थी कि हिन्दुओं और मुसलमानों के आपस के मतभेदों को रोकने और इन दोनों जातियों के बीच असली अमन कायम करने के रास्ते और रायों पर विचार किया जाय। बाहर से आनेवाले मुसलमानों में इकीम साहब अजमल खान, अली बन्गु और टाण्डर अन्धारी, तथा हिन्दुओं में पण्डित मदन मोहन मालवीय उपस्थित थे। अगठों के सार्वजनिक कारणों पर ही वादविवाद चला। क्योंकि पंजाब के पठ-लिखे लोगों के इस मनो-मालिन्य का पूर्ण नहीं तो प्रधान कारण यही दीखता था। लालाजी ने बड़े दुःख के साथ मुझसे कहा कि पहले जहाँ शिक्षित हिन्दुओं और मुसलमानों में सामाजिक सद्भाव था वहाँ अब मर्म-मुटाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए सभा में इस बात पर बहस हुई कि लखनऊ के ठहराव पर पुनर्विचार करना उचित है या नहीं। पंजाब के मुसलमानों का विचार है कि लखनऊवाला ठहराव यदि शुरू में एक बड़ी भूल न माना जाय तो भी अब वह हमारे लिए नाकाफो हो गया है। उनका कहना है कि जबतक जाति-गत द्वेष बढ रहा है और पारस्परिक अविश्वास मौजूद है तबतक—

१. जातिगत प्रतिनिधित्व रद्द हो जाय। उसका आधार ही प्रत्येक जाति की जनगणना। और निर्वाचक गणसंख्या कम से कम सबका एक हो या जरूरत हो तो अलग अलग भी रहे। इस बात पर ये लोग एकमत मालूम पड़ते थे कि छोटी छोटी जातियों के चाहने पर ही अलग अलग निर्वाचन का तत्त्व फिर से स्थापित हो।

२. किसी भी जाति या पंग के साथ रिआयत न होनी चाहिए अर्थात् किसी जाति को अपनी संख्या के लिये अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार न होना चाहिए।

३. व्यवस्थापिका सभाओं और स्थानीय संस्थाओं में भी इसी सिद्धान्त का पालन होना चाहिए।

४. योग्यता का क्याल रखते हुए, भिन्न भिन्न जातियों को सरकारी नौकरियाँ सदस्या के हिसाब से मिलनी चाहिए। इसलिए यदि किसी खास जाति को एक पद भी न मिला हो तो आये जितने चुनाव होने वाले हों, आया वे नये हों, या खाली जगह को भरने के लिए हों, उधी जाति में से होने चाहिए जिसमें संख्याबद्ध के अनुसार चुनाव बिल्कुल ठीक हो जाय। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह है कि किसी वर्गविरुद्ध के साथ खास रिआयत या भिहरावनी न होनी चाहिए। उपस्थित मुसलमान सज्जनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राय दे रहे हैं। अपनी श्रम बातों से किसी और का नहीं, केवल अपनेको ही बच्य करते हैं। और यदि कोई जाति किसी खास रिआयत का दावा करे तो वे अपनी राय पर पुनर्विचार कर सकेंगे।

५. इनका जो कोई उपाय तय हो वह ऐसा हो जो सारे देश पर धरति हो सकता हो और सारे देश की राय से तजवीज हो।

मिस्टर गार्डिया का यह कहना था कि पंजाब में हमारी एक खास स्थिति और महत्व है। जो हमारे लिए विशेष व्यवहार की जरूरत है अर्थात् यदि पंजाब में जातिगत प्रतिनिधित्व-प्रणाली

बकाई जाय तो हमें भी संख्या-बल से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिलना चाहिए। उन लोगों ने कहा कि यदि जातिगत प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही छुड़ दिया जाय, और यदि एक सिक्ख भी धारासभाओं में गया और किसी संख्या में न गया तोभी उसे गन्तोप रहेगा।

हिन्दू लोग चाहते थे कि जातिगत प्रतिनिधित्व कतई न होना चाहिए और यदि हो तो निर्याक-मण्डल नियुक्त करना चाहिए। हिन्दू लोग किसी एक धर्म पर विचार न हो पाये थे। पंजाब के हिन्दुओं को यह डर मालूम होता था कि मुसलमानों की इस भांग के मूल में कोई महंग दाव-पेच है। सचमुच उनके मन में इस तरह का भय था कि यदि पंजाब का शासन-प्रबन्ध में मुसलमानों का बहुमत हुआ, तो अन्य मुसलमान जातियों के नजदीक ही रहने के कारण, सामरूप पंजाब को, और सारे भारत को बड़ा भारी खतरा रहेगा।

यही वहाँ की भिन्न भिन्न जातियों की गवार्थ विचारों की ओर मैंने भरसक संक्षेप में डीक डीक करने का प्रयत्न किया है। ऐसी हालत में किसी निर्णय पर अर्द्धा पटुबने के लिए जोर देना सम्भव न था। मैं यह आशा कर रहा हूँ कि वेल्गाम में भिन्न भिन्न जातियों के प्रतिनिधियों की इससे-यादह राजासता सभाओं होगी और वहाँ सब कुछ विचार कर इस उल्लेख सवाल का एक सर्वमान्य माधन सारे राष्ट्र के लिए निकल आयेगा।

**परिषद्**

विषय-समिति और परिषद् दोनों जगहों पर प्रतिनिधियों ने मेरी बड़ी सहायता की। इसके सिवा परिषद् में दूरी मार्के की बात न थी। मुझसे भिन्न मत रखनेवालों ने भी बड़े पैरों से काम लिया। मैंने यह बात इसलिए बतलाई है कि समापति की आज्ञा मानना, हमारे अन्तःसामाजिक जीवन के विकास के लिए बड़ा आवश्यक है। निस्संदेह समापति के पुनर्गठन में सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए परन्तु अब कोई अनुसूच समापति बना दिना गया तब उनके साथ शिक्षता और आत्मपालन का व्यवहार करना चाहिए। किसी चागी, बाँकाटोल या पञ्जाबी समापति के साथ पैदा आने का गरी उपाय है कि उनके योग्य ज्ञान के अधिवासमूक प्रस्ताव स्वीकृत कर उसे अपने स्थान से हटा देना चाहिए।

सुमनसित समाज में, न्याय की नहीं, परिष्कृत शब्दों का स्थान की जाती है। राजाजी शासन और समाजिक राज्य में यही बड़ा फरक है कि हमारे में पद की इज्जत की जाती है, जो राज्य द्वारा अर्थात् जनता द्वारा निर्मित किया गया है। इस तरह कोई भी शासक या समापति बनाया जाय, इसका प्रभाव न रहने हुए, राज्य ज्यों का त्यों बना रहता है। हमारे शब्दों में इसका अर्थ यह होता है कि सुसंगठन राज्य का हर एक आदमी अपनी जिम्मेवारी और अपने अधिकारों को जानता है। प्रत्येक नागरिक को अपने स्वतंत्रों को दूसरों के स्वतंत्रों के अंगीन मानने के लिए तैयार रहने पर ही राज्य की स्थिरता निर्भर है। यह जानना है कि अपना फर्ज अदा करने पर स्वतंत्र आपसे आप आगे है। राज्य की ओर से प्रत्येक सदस्य द्वारा किये गये त्याग का योगफल ही राज्य है। प्रतिनिधियों की सावधानी और सज्जनता पर उन्हें धन्यवाद देते हुए, मैं यह कहूँगा कि अब भी हमारी सभाओं के सदस्यों में आत्मसमय की कमी अज्ञात-रूप से बन चुके हैं।

आम या खास जुलूसों के लिए यह अनिवार्य है कि उन्हें उपस्थित सज्जन, सबके सब एक बार ही धाते या आपस में बाबा फुसी न करने लगे, बल्कि जो कुछ कहा जाय उसको ध्यान पूर्वक सुनें। यदि श्रोता ध्यान न दें तो सभाओं का कोई मूल्य नहीं

रह जाता। पाठक मेरी इन सम्मतियों की सामर्थ्यता और साथ साथ इनमें मेरी छुदगर्जी समझ जायेंगे। मैं वेल्गाम के लिए क्षेत्र तैयार कर रहा हूँ। जो मज्जन वेल्गाम की परिषदों और मण्डलना में शामिल होने वाले हैं, वे कृपया इस बात पर ध्यान रखें।

परिषद तारीख ७ को राबेरे ८ में ११ बजे और संख्या समय ४ से ८ बजे तक, कुल ७ घंटे तक काम होता रहा। विषय-समिति की ६ घंटे लगे। किसीके आने की प्रतीक्षा करने में समय नष्ट न हुआ, इसलिए सभा का काम बड़ी पूर्णता से हो सका। परिषद् संख्या गरी काम निम्न समय पर किये गये।

**वार्षिकोत्सव**

इसके पहले का दिन ता० ८ दिसम्बर भिन्न भिन्न दलों के प्रतिनिधियों से मिलने, जुलूस में शामिल होने (यह जहरी मगर परेशानी का काम था) और गरीब विद्यालय के वार्षिकोत्सव में सक्रम विद्यार्थियों को उपाधि दी गई। कुलपति की दृष्टियत में आला लाजपतराय ने उनमें हिन्दुस्तानी में यह कसम खिलाई कि "मैं शपथ के साथ प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने जीवन में ऐसा कोई काम न करूँगा जिससे अपने धर्म और देश को नुकसान पहुंचे।" उपाधि पानेवाले विद्यार्थियों में एक लड़की और एक मुसलमान भी था। यह रसम बहुत अच्छा था। परन्तु मैं अपने इन विचारों को नहीं रोक सका कि उपाधि वितरण करते समय मेरी स्थिति ऐसी हो गई जैसे गोल मुराल में किसी चौरख बस्तु की होती है। शिक्षा के विषय में मेरे विचार क्रान्तिकारी हैं, इस कारण समालोचकों को उनका अजीब मालूम होना ठीक ही है। स्वराज्य के रूप में ही राष्ट्रीय शिक्षा का मैं विचार कर सकता हूँ। मैं तो चाहूँगा कि विद्यालयों के विद्यार्थी भी कताई को बला और उसके भिन्न भिन्न उपायों को अच्छी तरह जानने की ओर ध्यान दें। उन्हें सारा के आर्थिक रूप को तथा उसके साथ की अन्य बातों का भी ज्ञान होना चाहिए। उन्हें यह जानना चाहिए कि एक मिल की स्थापना में कितना समय और कितना मूलधन लगेगा। उन्हें जानना चाहिए कि मिलों का बेहद बंध जाना सम्भव है या नहीं और उसमें क्या क्या रक्षाबंधन सम्बन्धी है। उन्हें यह भी जानना चाहिए मिलों के द्वारा और हाथ-कताई और पुनर्गठन द्वारा किस प्रकार धन-वितरण किया जा सकता है। उन्हें यह समझना लेना चाहिए कि किस तरह कताई या व्यवसाय और कपड़ों का पराचार नष्ट किया गया। उन्हें यह स्वयं समझना चाहिए और दूसरों का समझाने के योग्य बनना चाहिए कि भारत के लोगों कितानों की शंखटियों में कताई का क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें यह जानना चाहिए कि हमारी यह-कलाओं के पूर्ण पुनर्जीवन किन तरह हिन्दू और मुसलमानों के चिन्ते हुए स्थलों को जोड़कर एक कर सकता है। ये विचार या तो समय के पीछे हैं या आगे हैं। इनकी अधिक परवाह नहीं कि वे समय से आगे हैं या पीछे। मैं यह जानता हूँ कि एक न एक दिन सारा शिक्षित भारत उन्हें अपनावेगा।

**माशुल ला के कैदी**

पाठक को श्री रतनचन्द और बुग्गा चौधरी का स्मरण होगा। वे दोनों माशुल-ला के कैदी थे-उन्हें फाँसी की सजा दी गई और इन्हींकी ओर से पण्डित मोतीलालजी ने प्रिन्सी कौंसिल में अपील की थी। पाठकों को यह भी याद होगा कि अपील के खारिज हो जाने पर भी फाँसी की सजा, आजन्म कारावासदण्ड में परिवर्तित गई थी। श्री बुग्गा चौधरी अण्डमन से मुन्ताज लाये गये हैं और मैं मन्ता हूँ कि श्री रतनचन्द अब भी अण्डमन में ही रखे गये

हैं। मैं श्री युग्मा की सास से भिड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा कि श्री युग्मा जमाद और बयासीर से पीड़ित हैं और अगर तीन महीने से उन्हें पखार भी आ रहा है। अगहयोग के १५-दिनों में मैं कहा करता था कि वे फेदी जन्म छोड़ दिने जायेंगे। इस बार मुझे बड़ा दुःख हुआ, जब मैं उमर राम को जामाता के शीघ्र मुक्त होने की आशा न दिला सका, यद्यपि बट दामाद दुःख में हैं और ५ वर्ष तक सजा काट चुका है। इन दोनों सज्जनों के मुक्त होने में दो गड़े गवाहियों को देखने पर मैंने अपना यह विश्वास प्रकट किया था कि सज्जनों में ऐसी कोई बात नहीं है जो यह साबित करे कि उन्होंने किसीकी हत्या की है। राम की माद होगा कि हम मामले में किसी कीपिल ने सत्यता की बात नहीं की। न्यायाधीश आर्से महाशयों ने केवल जादों की बातों के आधार पर ही अपील खारिज कर दी थी।

( सं० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## हिन्दी-नवजीवन

रविवार, पौष मदी ३ संवत् १९८१

### मेरा पथ

यूरोप और अमेरिका में आज-कल मेरे प्रति लोगों का ध्यान बंधित रहा है। यह मेरे लिए सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही की बात है। सौभाग्य की बात तो इसलिए है कि पश्चिम में भी मेरे संदेश को लोग समझते और मनन करते हैं। मेरा दुर्भाग्य यह है कि कोई तो अनजान में उसकी महत्ता बहुत ही बड़ा देते हैं और कोई जान बूझकर उसका रूप बिगाड़ देते हैं। सत्य सर्वदा स्वावलम्बी होता है और बल तो उसके स्वभाव में ही होता है। इसलिए जब मैं देखता हू कि लोग मेरे संदेश को गलत रूप में पेश करते हैं तब भी मैं विचिन्तित नहीं होता। एक योरपियन मित्र ने कृपापूर्वक मुझे इस बात की चेतावनी मेजी है कि, या तो तुरी नीयत से वा भूलसे, हम में मेरे मत के विषय में बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। मालूम नहीं उन्हें कहां तक सच खबर मिली है। नीचे उनके पत्र का अनुवाद लीजिए।

“बोलशेविक सरकार गांधीजी के पीले अजीब अजीब प्रयत्न कर रही है। कहा जाता है कि बर्लिनस्थित नयी राज्य-प्रतिनिधि कंसटिन्सकी को पर-राष्ट्र-सचिव की ओर से कहा जायगा कि वे अपनी सरकार की ओर से गांधीजी का स्वागत करें। और इस स्थिति से फायदा उठाकर गांधीजी के अनुयायियों में बोलशेविक मत का प्रचार कराने का उद्योग करें। इसके अलावे कंसटिन्सकी का यह काम भी दिया जायगा कि वे गांधीजी को रूस में आने के लिए निमंत्रण दें। एशिया की दलित-पीड़ित जातियों में बोलशेविक साहित्य के प्रचार के लिए धन खर्च करने का भी उन्हें अधिकार दिया गया है। जोरियंटल-एन्ड सेक्रेटरियट के काम के लिए वे गांधीजी के नाम पर एक थैली खोलने वाले हैं जिससे कि उनके (गांधीजी के या मास्को वालों के ?) मत को माननेवाले विद्यार्थियों को महायत्ना दी जायगी। अन्त में, इसमें तीन हिट्ठ भरनी किये जायेंगे। १८ अक्टूबर को यह सब रूसी समाचार पत्रों में प्रकाशित हो गया है।

इस मजबूत से इस राक्षस का कुछ रहस्य निकल जाता है जिसके द्वारा मेरे जर्मनी और रूस जाने के लिए आमन्त्रित किये

जाने की सभावना बनाई गई था। यह कहने को तो जरूरत ही नहीं है कि न तो मुझे ऐसा कोई निमन्त्रण ही मिला है और न मैं इन महान् देशों में जाने की कुछ अभिलाषा ही रखता हू। क्योंकि मैं जानता हू कि मेरे प्रतिपादित सत्य को अभी शुद्ध भारतवर्ष में भी पूरे तौर से ग्रहण नहीं किया है—वह अभी यथेष्ट-रूप में प्रस्थापित भी नहीं हो पाया है। हिन्दुस्तान में जा काम मैं कर रहा हू, वही अभी प्रयोगावस्था में ही है। ऐसी हालत में मेरे लिए विदेशों में जा कर किसी साहसिक कार्य के करने का समय अभी नहीं आया है। यदि हिन्दुस्तान में ही यह पर्याप्त प्रयत्न रूप में प्रकट हो जाय तो मैं पूर्णरूप से संतुष्ट हो जाऊंगा।

मेरा रास्ता साफ है। हिंसात्मक कार्यों में मेरा उपयोग करने के सभी प्रयत्न अवश्य विफल होंगे। मेरे पास कोई गुप्त मार्ग नहीं है। मैं सत्य को छोड़ कर किसी रूढ़-नीति को नहीं जानता। मेरा एक ही धर्म है—अहिंसा। संभव है कि मैं अनजाने, कुछ देर के लिए गलत रास्ते गटका लिया जाऊ, किन्तु यह हमेशा के लिए नहीं चल सकता। अतएव मैंने अपने लिए ऐसी केंद्र निश्चित कर ली है, जिसके दायरे के भीतर ही मुझ से काम लिया जा सकता है। इसके पहले भी मुझ से अनुचित काम निकालने के अनेक प्रयत्न किये गये हैं। जहां तक मुझे मालूम है, वे हर बार निष्फल ही हुए हैं।

बोलशेविज्म को मैं अभी तक ठीक ठीक नहीं समझ सका हू। मैं इसका अध्ययन भी नहीं कर सका हू। मैं यह भी नहीं कह सकता कि रूस के लिए अन्त में यह लाभकारक होगा या नहीं। तो भी इतना तो मैं अवश्य जानता हू कि जहांतक हमेशा आधार हिंसा और ईश्वर-विमुखता पर है, यह मुझे अपने से दूर ही हटाता है। मैं यह नहीं मानता कि हिंसात्मक लघुपथों में गफलत मिलती है। जो बोलशेविक दिग्गज हमारी दूरकत पर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि, मैं उनके उद्देश्यों की चाहे जितनी प्रशंसा करू और उनके साथ सहानुभूति दिखलाऊ, किन्तु श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कार्य के लिए मैं हिंसात्मक पद्धति का अटल निरोधी हू। अतएव हिंसावादियों के और मेरे मिलाप के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इतना होने पर भी मेरा अहिंसा-धर्म मुझे ब केवल नहीं रोकता है बल्कि अराजकों और अन्य सभी हिंसावादियों से सम्पर्क रखने पर मजबूर करता है। किन्तु यह मसग केवल इसी आशय से है कि उन्हें मैं उम राह से धक्का जो मुझे गलत दिखाई देती है। क्योंकि मुझे अपने अनुभव से विश्वास हो गया है कि रक्षार्थी प्रत्यक्ष असत्य और हिंसा का फल कभी हो ही नहीं सकता। यदि मेरा यह विश्वास केवल एक भोले की भ्रान्ति ही हो तो भी आशय लोग मान लेंगे कि यह है एक मनोहारिणी भ्रान्ति।

( सं० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

### एजेंटों के लिए

“हिन्दी-नवजीवन” की एजेंसी के नियम नीचे लिखे जाते हैं—

१. बिना पेशगी दाम आये किसीको प्रतियां नहीं भेजी जायेंगी।
२. एजेंटों को प्रति कापी (।) कमीशन दिया जायगा और उन्हें पर पर लिखे हुए दाम से अधिक लेने का अधिकार न रहेगा।
३. १० से कम प्रतियां मंगाने वालों को डांक खर्च देना होगा।
४. एजेंटों को यह लिखना चाहिए कि प्रतियां उनके पास डांक से भेजी जायें या रकन से।





એમ મીઠી; સાલીયા (ગોધરા) ૧ વિલાસી મંડલ; ૧૧૩-૫-૦ નીચલામાં વસનજી માર્ગે તુલનાચીના કિલ્લીઓના; (પી. કિ. પે. ૨-૭-૬ નીચલામાં વસનજી નાયક; ૨-૨-૦ નાજરજી રામલાલ પટેલ; ૧-૨-૦ છે દુર્માઈ રજુછાડજી નાયક; ૨-૨-૦ શેખ મહમદ ખલીફી; ૧-૨-૦ નાયુભાઈ વલ્લભભાઈ દેશાઈ; ૧-૨-૦ મોતીલાલ સોમાભાઈ પટેલ; ૧-૨-૦ લાંબુભાઈ ભાંડાભાઈ મુની; ૧-૨-૦ ખંડુભાઈ રામભાઈ વરી, ૧-૨-૦ કમાલુદ્દીન ચેંમકર; ૦-૧૭-૬ આર. એમ. રાબ (મદ્રાસ); ૦-૧૦-૬ પરામજી ડાહ્યાભાઈ પટેલ; ૦-૧૦-૬ સુન.લ.લ પ્રાણજીવન ત્રિવેદી; ૦-૧૦-૬ રામજીભાઈ પટેલ, ૧૨-૬-૦ આમ 'રાણીઆ' (સાવલી) નો ફાળો હા. કાશીભાઈ તલખભાઈ.

આ ગામની રકમોમાંથી મળ્યાં આડંર ખર્ચના કુલ ૧-૧૨-૦ બાદ કુલ રૂ. ૨૧૧૧૮-૧૪-૪ તા. ૧-૧૨-૨૪ સુધીના સત્યામહાકામમાં બચાવેલાં નાણાં

રૂ. ૩૫,૬૬૩-૭-૦ તા. ૭ ૧૧-૨૪ સુધીના પ્રથમ સ્વીકારાએલા

મુગધ ૫૫ શાહ મનલાલ હરજીવનદાસ; અમલનેર ૫ પ્રલોક દેવલાલ પટેલ બરેલી ૫ ચિદામરનાથ, ચોરખંદર ૧૦૧ બાઈ મોતીભાઈ જો મનમોહનદાસ નંમીદાસના ધણીચાણી; ૫૦ કલ્યાણજી ગોવીંદજી વોરા; સંભાવા (માડાખાસ્કર) ૧૧૧-૮-૦ શ્રી હસનઅલી સમસુદીન મારફત કાંક ૧૦૦૫ના (૧૦૦ રબખઅલી બહુભાગી કું; ૫૦ પ્રજાજી મહમદભાઈ દીવાન; ૨૦૦ ખાનભાઈ રેમાનજી; ૧૦ અબાભાઈ ઇસા; ૫૦ મુસ્લા જવાજી મુસ્લા આદમજી; ૨૫ હમરામજી બહુભાઈ; ૫૦ આલાયા ફેર; ૨૫ ઇસાજી ગુરભાઈ; ૨૫ હસનઅલી તૈવબજી મુગાના; ૫૦ ફકરુદ્દીન બહુભાઈ કુકાન સભાવા; ૨૦૦ હસનઅલી સમસુદીન; ૨૦ મુમરાભાઈ; ૨૦ અસગરઅલી હસનઅલી; ૨૦ સબહુદીન હસનઅલી; અચીરાબે (ચાઈમાર) ૧૦૦ બાઈ અલીભાઈ ગીડાભાઈ, અંતાલાહા ૫૦ મુસ્લા આદમજી મુસ્લા મહમદઅલી; સંભાવા ૧૦૦ બાઈ હસનઅલી ગુરભાઈ); અમરજી ૫ વરજીવનદાસ અમનાદાસ; અમદાવાદ ૫ અવેરજી ત્રિભુવનદાસ; ૫ હરીચંદ ત્રિભુવનદાસ.

રૂ. ૩૬૩૫૫-૧૫-૦ તા. ૧-૧૨-૨૪ સુધીના.

ગુજરાત પ્રાંતિક સમિતિનાં બચાવેલાં નાણાં

૧૮,૨૧૦-૧-૬ તા. ૫-૧૧-૨૪ સુધીના પ્રથમ સ્વીકારાએલા. કલકતા ૨૫ બાઈ લાલભાઈ બીખાભાઈની કું; માણુકાટ ૩ મુહમ્મદ હા મહેતા બાઈલાલભાઈ કાળીદાસ; નડીઆલ ૫ એક સેવક હા. અંબલ આબમ; હંદરાવાદ ૪-૫-૦ શ્રી મત્રીજી સીધ પ્રેમીન્ડીમલ કાન્હેસ કમીટી, ૨ કમેલભાઈ નારજીભાઈને બરેલી સોનાવાળી ૧ના વેચાણના; ટાંકવા ૭૫ તામ ટાંકવાની પ્રબલમસ્ત હા. મુની જનવિજયજી; ચાલજીપુર ૧૦૦ બાપાલાલ એકભાઈ હા. કાળીદાસ જ. અવેરી; બાવડા ૧૦ પટેલ જનજીવન ગીરધરાલાલ; ૫ ઠાઠાલાલ રટેશન માસ્તર; ૧ અબાલાલ દીગ્રીટ માસ્તર; વીરમગમ ૧૫ રતીલાલ દેરાવલાલ દેશાઈ, ૧૯-૪-૦ શ્રી પ્રેમચંદ ઇચંદ મારફત ધામજી (તા. પાદરા)ના ઉધરાણાના; અમદાવાદ ૫૦ શ. નરવરાજ હનુમતરાવ ઠાકોર.

કુલ રૂ. ૧૮૫૨૪-૧૦-૬ તા. ૬-૧૨-૨૪ સુધીના મુગધ રાખામાં બચાવેલાં નાણાં

રૂ. ૧૦૬૭૬-૭-૦ તા. ૨૨-૧૦-૨૪ સુધીના પ્રથમ સ્વીકારાએલા.

રૂ. ૭૮૪-૩-૦ ત્યાર બાદ સ્વીકારાએલા (એની વિગત હવે અહીં પ્રકટ કરવામા આવશે.)

[નવજીવનના તા. ૭-૯-૨૬ના અહના વધારામાં મુગધ ખાખાખાં બચાવેલી રકમ રૂ. ૧૭૫-૪-૦ સ્વીકારાએલ છે; તેમાંના રૂ. ૧૧૭-૦-૦ ની પહેાચ તા. ૧૭-૮-૨૪ના અંકમાં 'મહાચાર સંકટનિવારણ' નામના અગ્રણીપત્રમા આવી ગઈ છે. આખીના રૂ. ૫૮-૪-૦ની રકમ સ્વીકારાવા છતાં નામો અપાવા રહી ગયેલ તે નીચે પ્રમાણે છે: ૨ અંક પારસી મુહમ્મદ; ૫ બાહુભાઈ નામવલાલ; ૨૫ કુલીચંદ મંજલખંદ; ૨૫ હરજી હામજી; ૧-૪-૦ કનેયાલાલ રામચંદ (એક વિવસના પગારના) કું

કુલ રૂ. ૧૧૫૬૦-૧૦-૦

ગંધીજીની મુમકરી દરમીયાન મળેલાં નાણાં: રૂ. ૧૦૩૧૩-૧૨-૩ પ્રથમ સ્વીકારાએલા

કુલ સરવાળો રૂ. ૬૭૮૭૬-૧૪-૪

## पंजाब की चिट्ठी

२ ता० को निकल कर ४ को साहौर पहुंचे। आज रात लीपटी जा रहे हैं। इन चार दिनों में मुझ से ले कर आधी रात तक बराबर काम ही काम रहा। पंजाब पर इस बार गांधीजी की चढ़ाई हिन्दू-मुस्लिम-समूहों को रफा करने के मिस्सिले में हुई थी। उसमें विजय हुई, यह तो नहीं कह सकते: पर दिल माफ हुए, यह कह सकते हैं।

यहां अविश्वास इस हद तक पहुंच गया है कि बाहर के प्रांतों को उनका सही खयाल नहीं हो सकता। वेवल हिन्दुओं और मुसलमानों के ही दिल नहीं बिगड़े हैं, बल्कि हिन्दुओं के खिलाफ निष्पक्ष और गिरफ्तारों के गिलाफ हिन्दुओं के भी दिल बिगड़े हुए हैं। कभी हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े से सिर्फ खुश होते हैं, काम उठाते हैं: कभी मुसलमान गिरफ्तारों को एक खुदा के माननेवाले कह कर उनका सुसामद करते हैं। यहां पंजाब में हिन्दू जत्तों में अथवा वहां जहां हिन्दुओं की सभ्या ज्यादा हो, कौमी नारा 'वन्देमातरम' की ध्वनि होती है और मुसलमान जत्तों में मजहब 'नारये तकबोर' 'अल्लाहो अकबर' की गूँज होती है। हिन्दुओं के दिल में यह बात पंठ गई है कि महात्मा के नेताओं ने हमें मदद नहीं की—मुसलमान के तथा दूसरे धर्मों के समय किसी क्रिस्म की सहायता नहीं दी। मुसलमानों को राष्ट्रीय जत्तों में अपना कुछ वास्ता नहीं मालूम होता।

### अकालियों के साथ

ता० ५ को अमृतसर गये। वहां दो-तीन अकल्पित बातें हो गईं। सरदार भगलसिंह गांधीजी की दरबार माहब में अकालियों से मिलाने ले गये। जल्सा जबरदस्त था। मंगलसिंहजी ने भारी कार्यक्रम बना रक्खा था। लंबी लंबी तकरीरें हुईं। सरदार भगलसिंह ने अकालियों के पिछले दो साल के दुःखों का वर्णन किया। हजारों का जेल जाना, जेलों के अनेक प्रकार के कष्ट, अनेकों की मृत्यु इत्यादि बातों का वर्णन किया। सरदार साहब जब यह वर्णन कर रहे थे, गांधीजी ने आंख में कुछ गिर जाने के कारण या किसी और सबब से अपनी आंख मसली कि सरदार साहब ने उन कष्टों को—दुःखों को गांधीजी जैनों की आंख में भी आंगूठाने वाले बयान किया। इसके बाद एक दूसरे सरदार साहब खड़े हुए। उन्होंने कहा:—गांधीजी जैसे सच बोलनेवाले दुनिया में बहुत ही कम होंगे। ये देखभाल कर हमारी दलचल के बारे में भी कहें कि उसमें कितनी सच्चाई, कितनी सहिष्णुता भरी हुई है। राजनितिक उद्देश्यों की सिद्धि हमारा ध्येय नहीं, पारमिक सुधार ही हमारा उद्देश्य है' इत्यादि। इन दो बातों के आधार पर ही गांधीजी ने अपना व्याख्यान रचा, पहली बात के संबंध में उन्होंने कहा—“सरदार साहब ने कहा है कि उन्होंने जो काम मुनासिब उसमें मेरी आंखों में आंगूठ आये। मुझे यह कह देना चाहिए कि मेरी आंखों से आंगूठ नहीं निकले हैं। मैंने इतना अधिक दुःख देखा है कि मेरा लक्ष्य परधर-गा कठोर हो गया है और मुझे ऐसा भी मालूम होगा है कि जितना दुःख देखा है उससे हजार गुना अधिक दुःख देखना पड़ेगा। यह नहीं कह सकते कि हमारा कुछ कितने दिनों तक चलेगा, और अपनी भूलों से ही हमें अधिक कष्ट उठाना पड़े तो कोई तात्पुत्र की बात नहीं है। इसलिए मैं तो छाती टट किये बंठा हूँ। आंसू मिराने से कष्ट-सहन करने की शक्ति नहीं मिलती। हृदय पत्र-सा फटिन बना कर दुःख सहन करने से ही यह थक बढ सकती है।

दूसरे सरदार साहब के बचनों के संबंध में गांधीजी ने कहा:—

आप लोगों के बंधु मैंने आंखों से नहीं देखे हैं लेकिन उनके

बारे में सुना बहुत कुछ है। आप लोगों ने धर्म और महानशीलता का जो पाठ सिखाया है वह अपूर्व है। लेकिन आप लोगों की सच्चाई के बारे में जो अविश्वास मानना पड़ा है उससे प्रतीत होता है कि आप लोगों पर आशंका हो रही है। आप कुछ बातें छिपाते तो नहीं हैं, आपके न्देष्य कुछ गूढ़ तो नहीं हैं? ऐसे ऐसे आशंका यदि अनेक दिशाओं से होते हों तो इस विषय में आप लोगों को कुछ मावधान हो जाना चाहिए। बम्बई में जो परिपक्व हुए उसमें मैंने सब पत्रों को एकत्र करने का प्रयत्न किया। जेल्हाव में भी यही प्रयत्न करेगा। स्वराज्यवादियों के साथ सधि में मूढबन्ध के लिए विरुद्ध पत्रवालों का अपना मित्रान्ता पंटे बिना जो कुछ दिया जा सकता है सब दे दिया। आप लोगों से भी मेरी यही अपेक्षा है कि अपनी कौम में जो अनेक बंध हो गये हैं उन्हें आप एकत्र करने का प्रयत्न करें। उनमें से यदि किसीको सुधारने का कदम चाहिए तो उसे वह दे दीजिए और यह जगत् को सिद्ध कर दीजिए कि हम मुसलमानों का कदम नहीं चाहते कि उनका सुधार चाहते हैं।

### अमृतसर के नागरिकों से सीधी बातचीत

शहर के लोग अभिनन्दनपत्र देने का आग्रह करते हुए आये थे। उन्हें गांधीजी ने प्रथम ही प्रश्न किये “मानपत्र कौन देता है? क्या हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, सनातनी, आर्यसमाजी, रामजीमी—सब इसमें शामिल हैं? यदि शामिल है तो मानपत्र क्या।” आखिरकार जो शहर आग्रह करने के लिए आये थे वे सब मंडलों के मन्त्रियों से दस्तखत करा कर फिर आये और गांधीजी ने मौलाना शौकतअली के आग्रह से मानपत्र लेना स्वीकार कर लिया। मानपत्र जल्दीया-नाला बाग में दिया गया। लोग कहते थे कि इस दो तीन साल के अरसे में आठ दस हजार आदिमियों का यह प्रथम ही जलमा हो रहा था। जो मानपत्र पंटे गये उनमें हिन्दू-मुसलमानों के दरम्यान बेदिली का भी उल्लेख था और यह भी लिखा था कि “हमारे नेता तो एक कौम को दूसरी में लड़ाने के लिए बाँधे खड़ा कर फिर रहे हैं।” उत्तर देते हुए गांधीजी ने ‘जयकार’ के रूप में कितने ही मर्मगोपी बचन कहे।

१९२२ के प्रवाग में जब निकला था तब मैं ‘महात्मा गांधी की जय’ सुनने की आशा तो करता ही था। अमृतसर आया तब भी यह सुनने की आशा थी। उस समय मुझे दुःख तो होता ही था और मैं कहता था कि यह गुरुवार मुझे दुःख होता है: क्योंकि मेरे नाथ लैले कर आपने गुरे काम किये हैं। इसीमें मैं कहता था कि मेरा नाम मूल जाया और मेरा काम करी। फिर भी इस जय-ध्वज को परदास्त कर लिया जाता था। क्योंकि उस समय उसके साथ ‘हिन्दू-मुसलमान की जय’ भी मैं सुनता था और सम्झता था कि मेरी जयकार वास्तव में मेरी नहीं है, हिन्दू-मुसलमान-संघ की ‘जय’ है, स्वराज्य की ‘जय’ है, चरने की ‘जय’ है, सत्य की ‘जय’ है, आदिमा की ‘जय’ है। पर आज तो यह जयकार सुनकर मेरे रोंगटे लड्डे हो जाते हैं। आप समझ लीजिए कि मैं तो एक मुरदा हो गया हूँ। मुझे जरा भी देर के लिए जिन्दा रहना अच्छा नहीं मालूम होता। मैं ईश्वर से हर मिनट प्रार्थना कर रहा हूँ कि यदि तू मुझे जिन्दा रखना चाहता है तो हिन्दू-मुसलमान आदि जातियों का एक-दिल बना दे, दोनों जातियों के दिल में अदावत, ईर्ष्या, द्वेष और विष की निकाल डाल। ये बुराईया यदि हमारे दिल से दूर न हुईं तो समझ रल्लिए, हमारे कर ललाट पर गुलामी हमेशा के लिए लिख गई है। यहा आपने महात्मा गांधी की ‘जय’ तो सदा की तरह पुकारी परन्तु किसीने हिन्दू-मुसलमान का जय-ध्वज नहीं किया और यदि किसीने किया भी होता तो लोगों ने जय

अपना धर न मिलाया जाता। जब कि आपने अपने दिव्य अभिनन्दन-पत्र में कुछ किताबें हैं कि हमने उन दा सारों तक धर्मनाम काम ही किये हैं तब जिस बुद्धि-आशा में और 'जय' पत्र दिया, उसी आशा में हिन्दू-मुसलमान को 'जय' बोला। (हिन्दू-मुसलमान को 'जय' अनेक बार बोली गई।) इस 'जय' के यह बात समित है कि हमारे लिए आपमें कौनसा धराम है, हिन्दू-मुसलमान अथवा दूसरे किसी भी धर्म में हमारे धर्म के साथ लड़ना धराम है, किसी भी इन्सान को मजबूर करना धर्म की निन्दा करना है।

'जयों के लिए कुरमर वा नय-भाषण नहीं, परन्तु अगुआ लोग ही हैं' यह कह कर गांधीजीने अज्ञान और जयने की बातें बतानेवाले अगुओं का त्याग करने की सलाह दी और अपने पत्रों आने का उद्देश समझाया। 'जय'—जिस अज्ञान में हिन्दू-मुसलमानों के खून की बहियाँ बहीं, जिस अज्ञान में पेट के बल रेंगना पड़ा, जिस लालाओं में कोड़े लगाये गये और अनेक बेचारी मरना पड़ी—वशात् तो जेने अगुओं हरगिज न होने चाहिए—पर उन्हे वही से जे अगुओं पैदा हुए हैं। उन्हे दूर करने की काशिश करने के लिए मैं हकीमजी को ले कर आया हूँ। हकीमजी खुद शर्मिदा हैं और आप लोगों को शर्मिदा करने आये हैं।

'गांधी तो मुसलमानों के हाँ रहे' इस उल्लाम का निक करते हुए उन्होंने कहा—

'आप कहते हैं, गांधी ने मुसलमानों का हाँ किया है। उन्हे यह कुछ नहीं कहना। सिर्फ आर्यों की ही कहता है। इसपर मैं कहता हूँ कि मुझे इस बात पर अभिमान होता है कि मैं जो जान-अज्ञान में मुसलमानों का उपासक नहीं कह-सुन रहा हूँ यह किना पच्छा है! मैं हिन्दू हूँ। इसलिए हिन्दुओं को ही अधिक कहना-सुनना मेरा धर्म है। मुसलमानों को मैं किसलिए और क्या कहूँ? कुरानाशरीर की उपासना यदि मैं न करना चाहूँ तो मुझे यह धरामा चाहिए कि मुसलमान उनके साथ किस तरह पेश आते हैं। वे जैसा करते हैं। वैसा ही मुझे करना चाहिए। पर जब मैं अपने मित्रों में जाऊँ तब क्या मुझे किसी हिन्दू की ओर धराम कर कुछ करना पड़ता है? परन्तु दरबार सादर में जब गया तब मैं सरदार मंगलसिंग की ओर धराम करता रहा कि जिस तरह मिर झुकाया चाहिए, जिस तरह धराम रखना चाहिए। तभी तरह मैं तमाम धर्मों के प्रति आदर उत्पन्न कर रहा हूँ। और आज कह सकता हूँ कि मेरा जितना धराम हिन्दू-धर्म के साथ है, उतना ही इस्लाम, गिब्रान-धर्म और उपासना-धर्म के साथ है। इस तरह मैं पक्षा सनातनी होते हुए भी किसी भी धर्म के लिए मरने की तैयारी रखता हूँ। यदि मुझे कोई यह कहे कि आपको अपने धर्म के प्रति अथवा दूसरे धर्म के प्रति प्रेम नहीं है तो मैं पूछता हूँ कि उस अविश्राम करनेवाले ने कदम अज्ञान किसका हो सकता है? पर मैं क्या करूँ? अपने अपने दिलों को ऐसा बना लाला है कि यदि मैं इन्सान में मुसलमानों का भिक्षु की भूल न देख तो लोग समझते हैं मेरा विश्राम न करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि यदि मेरा काम अच्छा लगता हो तो उसके अगुओं का काम करो नहीं तो मुझे छोड़ दो। मेरे काम के मियाँ दूसरी किसी बात की ओर न देखें। मेरे जीवन की एक भी बात मुझ नहीं। मेरे तमाम काम, तमाम बन्ते खुले-भँदाय कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं तो हिन्दुओं का, मुसलमानों का, सिक्खों का इस्लाम हूँ। यदि मुझे बेवफा पाओ तो मुझे कतल कर लालो। मुझ पता, जो सच्चाई और अहिंसा का पाठ पढ़ना चाहता है वही, यदि आपको कुमारा में

ले जाय तो उसे कतल कर लालो—मेरे लिए तो कुछ बोलना भी हिंसा है। यदि मैं धर के धारे कुछ करता हूँ, तो भी मैं करने लायक हूँ। अगुआ बनना और साथ ही धरना—मेरे लिए धराम है। यदि मैं सच्चाई छोड़ूँ, शांति छोड़ूँ, और भय न छोड़ूँ,—उन तीनों बातों में फल होऊँ—तो समझना मैं ना-पाक ही नया और मानना कि मैं कतल करने के लायक हूँ गया। (अपूर्ण)

(नवजीवन) महादेव हरिभाई देशाई

## एक मनोरंजक संवाद

(२)

मानसशास्त्र के अध्यापक का मन बकर में पड़ा। वे तो मानस-शास्त्र और तत्त्वज्ञान के सबालों में उलझने लगे।

'आप स्वतन्त्र संकल्प-शक्ति को मानते हैं?'

गाँ०—'मैं मानता हूँ कि मैं परिस्थिति के अधीन हूँ—देश और काल के अधीन हूँ। फिर भी परमेश्वर ने कुछ स्वतन्त्रता मुझे दे रखी है और मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि धर्म और अधर्म का जान कर उनमें से मुझे जो पवना हो उसे ग्रहण करने की स्वतन्त्रता मुझे है। मुझे यह कभी प्रतीत न हुआ कि मुझे स्वतन्त्रता नहीं है। परन्तु यह निर्णय करना कठिन है कि किसी कार्य के करने की स्वतन्त्रता अपना रूप बदल कर कर्तव्य कहाँ बन जाती है। अवशाना और परवशाना की सीमा बहुत ही सूक्ष्म है।'

पर यह तो पाण्डित्य में गौता लगाना था और मुझे अध्यापक का यह सचिकर भी न हुआ। उनके मन में तो ब्रिटिशनीति पर किये गये आक्षेपों पर विचार उठा करते थे। 'आपने ब्रिटिशनीति का बड़ी निन्दा की है। आप कहते हैं कि इसके अन्त से लोभ नार्मर् हो रहे हैं। पर क्या मुगल लोग इनसे बुरे न थे? नादिरशाह ने कितना जुगुप्स किया था? आज तो चारों ओर शांति ही शांति है।' इसी आशय की बात उन्होंने कही।

इतिहास में नादिरशाह के हमले का जो वर्णन हम पढ़ते हैं उससे हमें अर्थानि चित्र दिखाने नहीं देता। उसके आक्रमण के अन्त से सर्व-साधारण तो अरुते ही रहे थे। उसके पास मराने गनों न थीं, ऐरोलेन न थे, आधुनिक म्धारयुग के दूसरे साधन भी न थे कि जिससे यह सर्व-साधारण का संहार करता था उनको तबाह करता। मुगलों के पास मन्ध-शक्ति थी, एकत्रबल था, परन्तु उन्होंने लोभों की बीरता का नाश नहीं किया था। अतएव इन तमाम विदेशियों के साथ अधर्मों की तुलना नहीं हो सकती।

'क्या मरहटों ने भी लोगों की बीरता का नाश नहीं किया?'

'जरा भी नहीं, १८५७ के बकरों के समय की हालत का पता आपको नहीं। उस समय के शासक के साथ दूसरी किसीकी तुलना नहीं की जा सकती। रेल सार और डाक-व्यवस्था से बहुत देन कितना सुखी था, इसका ख्याल आप नहीं कर सकते। शिवाजी के हमलों से कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा? लाखों लोगों तक तो वे पहुँच भी न सके होंगे और आज तो अंगरेज सरकार ने साँठ सात लाख गाँवों में अपना आल फैला रखा है।'

'ब्रिटेन की छत्रछाया में शांति फैल रही है, यह बात क्या सच नहीं है?'

'हां, यह शूतक की शांति है।'



‘बवाब का विजय क्या वैसा काम न करेंगे जैसे कि अंगरेज करते हैं?’

‘हाँ, मैं इस भय से कम्पित नहीं होता। इस आफत के लिए मैं तैयार हूँ, पर वह आफत आज की आफत से कई बरजे अच्छी है।’

‘पूर्वी जूआ अधिक कष्टदायी न हो जायगा?’

‘नहीं वह तो सत्य हो जायगा। यह पश्चिमी जूआ असह्य है क्योंकि पूर्वी जूआ के खिलाफ तो बग़ावत का मौका मिलता है और दोनों की लड़ाई में लोगों की विजय की संभावना भी आठ आने रहती है।’

‘पर अब तो उन्हें भी मशीनमन मिल सकती है?’

‘हाँ, पर वे उनका इस्तेमाल न करेंगे।’

‘आपको स्वराज्य मिलने के बाद आज के इन राजाओं ने से कोई उठ कर आपको अपने पजे में न लेंगा?’

‘भले ही ले लें। कुछ अन्यवस्था हो तो भी एक भी राजा सात लाख गाँवों पर कब्जा नहीं कर सकता। पर वे सब कल्पनायें आप क्यों करते हैं? ब्रिटिश सत्ताका नाश हो जाने पर, ब्रिटिश हमको छोड़ कर भाग नहीं जायेंगे। और अगर ऐसा हो भी और हमारी कमजोरी के कारण ऐसी अन्धाधुन्धों फेले भी तो, हम अपनी कमजोरी कुचल कर डेंगे। जोड़े ही दिनों में हम अपनी भूल दिखाई देंगी और हम तुरंत ही जायेंगे। और यदि हम अहिंसा के ही द्वारा स्वराज्य प्राप्त कर सके तब फिर किसी प्रकार का डर नहीं। आपको शायद यह खयाल न रहा हो कि अहिंसा के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना मेरा मनोरथ है।’

‘पर क्या लोग मार-काट न कर देंगे? साम्राज्य के लोगों के लिए आप क्या करेंगे?’

‘ब्रिटिशों में वह एक होजा खड़ा कर दिया है। और खुबो यह है कि अफगानिस्तान की भाँती कर डेंते हुए भी कुछ-न-कुछ सगळे तो हुआ ही करते हैं।’

‘अफगान आवें तो?’

‘आवेंगे तो हम समझ लेंगे। हमारे स्वराज्य में यह बात भी समाविष्ट है कि दूसरे राष्ट्रों को अनुकूल बना लेना। पहले जिस तरह अनेक जातियाँ यहाँ आ आ कर रहीं थीं उमी प्रकार यदि अफगान भी आवें तो हम उनका समावेश कर सकेंगे।’

‘इस बात का अन्त नहीं था। मानसशास्त्री इसमें उब उठा। उसने दूसरा ही ढंग शुरू किया।’

‘पूर्व और पश्चिम एक दूसरे से कुछ टेना-देना चाहते हैं?’

‘ब्रिटिश और भारतवर्ष का ही दृष्टि में रख कर बात करते हैं।’

‘हाँ’

‘मैं समझता हूँ कि ब्रिटिश यहाँ कुछ देने के लिए नहीं आये। उनके सहवास से हमें कुछ दामिल न हुआ। जो कुछ हमें हासिल हुआ दिखाई देता है वह उनके सहवास के हाँसे हुए भी-उनके सहवास का फल-रूप नहीं। मेरी धारणा के अनुसार हिन्दुस्तान को पश्चिम की अहिंसा-धर्म सिखाना है। यदि भारतवर्ष यह न कर सके तो अपनी जन्म-भूमि के तौर पर उसका अभिमान मुझे न रहेगा। हो सकता है, यह मेरा एक स्वप्न हो, पर इस स्वप्न को बहुत समय से मैं अपने हृदय में स्थान दे रहा हूँ। यहाँ अनेक युगों से अहिंसा-धर्म की शिक्षा मिली है। यहाँ की आबोहवा इस धर्म के अनुकूल है। आमतौर पर यह लोगों की रस-रस में व्याप्त है।’

‘बौद्धों के समय से?’

‘उसके भी पहले थे। बुद्ध ने इस धर्म को, जिसे हि लोग भुलते जा रहे थे, प्रभावता दी। मेरी अन्तरात्मा कहती है कि समार के लिए भारतवर्ष का यही उद्देश्य हो सकता है।’

समाजशास्त्री बोले—‘मैं समाजशास्त्र का रसायनी हूँ। निरन्कार, द्वेष जैसे भाव दान्ति और अहिंसा के बाधक है। हाँ, यह मैं मानता हूँ कि पश्चिम की भी अहिंसा को स्वीकार किये बिना गति नहीं है। हमें हमारी नीति ही बदलनी पड़ेगी।’

वृद्ध मानसशास्त्री ने फिर शका उठाई—‘अहिंसा-धर्म आपकी आत्मा में से प्रकट हुआ है या अनुभव में से?’

‘दोनों में से भेने हमें एक सुद्ध नीति के तौर पर भिकाया है और समाज के अध्ययन और अनुभव के बाद भी मैं इसी नियम पर पहुँचा हूँ।’

‘आप चमत्कारों में विश्वास रखते हैं? आग पर चलना, तथा ऐसी कुरीतियाँ बाने जा सुनी जाती हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है?’

‘यह सच हो सकता है। पर मैंने कभी इसपर गौर नहीं किया, इसमें कभी दिलचस्पी नहीं ली। हमारे धर्म तो इसका निषेध करते हैं। जो इसके माँह-जाल में फसते हैं वे तो मानों जन्म-मरण के फेरे में फस चुके और उनके लिए मुक्ति का मार्ग नहीं है। शास्त्र-वचन तो यही है। पर मैं यह नहीं मानता कि ऐसी बात असम्भव है।’

‘पर क्या जन-कल्याण के लिए उनका उपयोग नहीं हो सकता?’

‘नहीं, यदि ऐसा होता तो इन चमत्कार-वाजों से द्वारा जगतक कुछ जन-कल्याण हुआ होता। फिर यह सभी को ही शक्ति ही नहीं जो आसानी से प्राप्त की जाय या जिसकी जन्म भी तो। यदि ऐसा होता तो वह सम्मानास्य कर डेंती। कुदरत के कानून को उलट देने में क्या आनन्द है? यदि किसी के दिल में नहीं तरंग उठे कि मैं सद्भाग के देशतान में पानी निकालूँगा और यदि वह निकाल भी दे तो इससे क्या लाभ? कुदरत का तत्त्व/ उलटने से लाभ ही क्या?’

वृद्ध लोग बातचीत तो हुआ ही करते हैं, यदि उन्हें यह न खबर दी जाती कि हमारी प्रार्थना का समय हो गया है, तो नहीं कह सकते उनकी बातें कहाँ तक चलतीं। परन्तु बहुत दिनों में गांधाजी ने इतनी लंबी और विविध विषयों पर बातचीत की और विवेक से हम देश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आनेवाले अ आपको को सन्तुष्ट कर विदा किया।

(नवजीवन)

महादेव हरि शर्मा देशाई

रु. १) में

१ जीवन्त का सहाय	11)
२ लोकमान्य की धाराजलि	11)
३ अयन्ति अक	1)
४ हिन्दू-मुस्लिम तनावा	1)
डाक संख्या 1-)	सहित मनीआउर सेजिग।

१11-)

चारों पुरतके एक सार खरीदने वाले को रु. १) में मिलेगी मुख्य मनीआउर से सेजिग। घो. पो. नहीं भेजी जाती डाक कर्च और पंक्ति बन्गह के ०-०-० अलग सेजिग होगा मधजीवन प्रकाशन मन्दिर

### चरखे की प्रगति

अहमदाबाद के प्रान्त के अनुसार, इस साल के लिए सूत भेजने का आखिरी दिन, इसी सप्ताह में पड़ता है। महाराष्ट्र के आगामी अधिवेशन के कारण, हर एक प्रान्त का अपना सूत भेजने की जल्दी रहेगी। किन्तु हम लोगों को, गन्त मार्ग के सूत का सविस्तर ज्योथा बहुत शीघ्र देना बड़ा कठिन होगा। भिन्न भिन्न प्रान्तों के भेजे गये चरखे मशीनों का प्रथम वर्ग में हम लोगों की बड़ी कड़ी जांच होती है। इन चार मशीनों के भीतर अशान्ति उत्पत्ति हुई है। गुजरात, तामिलनाडु, बंगाल और आन्ध्र की पहलें से ही बड़ी प्रशंसा की जाती थी, किन्तु ये, इससे फूल कर कुपे न हो गये; बल्कि बराबर नियमित रूप से उत्पत्ति ही करते गये। इन सभी में तामिलनाडु की उत्पत्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अन्य कई प्रान्तों ने भी बहुत उत्साह दिखाया है। महाराष्ट्र, बिहार, (हिन्दुस्तानी और मराठी) मध्यप्रान्त, कर्ण, सिन्ध, उत्तरकल, बरार, गुजरात, आताम, केरल, यम्मा, और देहली, इत्यादि ने भी अपने अव्यवसाय और सुन्यवस्था का परिचय दिया है। राजस्थान आगे नहीं बढ़ा। पन्ना सूत तो अब अधिक दे रहा है किन्तु और बत्तों में पहलें के ही समान है और अभी उत्पत्ति की बहुत गंजाइयाँ हैं।

#### रुई का संवय और न्युनाय

सभी नस्लों ने रुई के न्युनाय में उत्पत्ति की है। इसमें केवल गुजरात ही पिछड़ा रहा है। अभी कपास की नौशम आरंभ है। इसी समय फावने वालों, और स्थानीय तथा प्रान्तीय समितियों को चाहिए कि वे अच्छे नर्ग तक के लिए, रानीय बाजार की सबसे अच्छी कपास मरीद पर टकनी करके। कपास की घटती बढ़ती तो सबमुच दुसदायी है। परन्तु यह न्युनाय तो हम प्रकार कपास जमा करने के अनुभव में ही टल किया जा सकेगा। प्रान्तीय खादी—मंडल अपने इलाके के रुई के व्यापारियों की सलाह और सहायता लेकर, इस दिशा में बहुत काम कर सकते हैं।

एक संयुक्त राज्य में कितने व्यवसाय होने हैं और उनमें कपास का व्यवसाय सा जीवण-मरण का सवाल होता है। वहाँ एक एक गृहस्थ की फसल का विन्युत ज्योथा प्रान्तीय मण्डलों के पास पहुंचता है। उनके द्वारा यह समाचार केन्द्रीय मंडल को देने नियमित रूप से मिलता रहता है कि न, इसका ठीक अंदाजा लगा लेते हैं कि नारे देश में कितना और किस प्रकार का अनाज पैदा होगा? कितना अनाज का क्या दर रहेगा? और इस प्रकार संसार का रुई की कुजी ने अपने हाथ में रखते हैं। प्रत्येक किसान, एक व्यवसायी, रत्येक महाराष्ट्र की गंध्या, अवश्य ही देश की सेवा कर सकेगी यदि वह बाजार भाव के नडाव-उतार का ज्याल न करने हुए, रुई न-य कर के रहेगी। अनाज के दिनों में संघित अन्न जिस प्रकार काम आता है, यह संघित रहे वा कपास, उससे कम काम न आवेगी।

#### अडियार में कताई

कोई एक महीना है कि, माई देवदास की ती तकली पर, एक घण्टे में १०० गज तक कात लेते थे। उनके इस प्रकार के काम ने नन्दे नताई-माला बनाने लायक बना दिया है। वे इस समय का एक सप्ताह से अडियार में रुई पर श्रीमती श्रीमती को गन्त कायम किया गये हैं। उन्होंने १० तारीख को महाराष्ट्र से तार दिया है कि उनका यात्रा सफल

हुई। जबतक बाफ्टर बेसेन्ट को सिखलाते ६ दिन हो गये थे। श्रीमतीने बड़ी उत्पत्ति की है। वहाँ और भी किराने आदमी इस में बड़ी ही दिलचस्पी ले रहे हैं और कातने भी लगे हैं। जिस एमिली न्यूवेन्स तकली में निपुणता प्राप्त करने के लिए सरमर्षी से प्रयत्न कर रही हैं। बाफ्टर बेसेन्ट ने तो दो अमेज महिलाओं का कातना सीखने के लिए साबरमती एक महीने के लिए भेजने का निश्चय किया है। माई देवदास के साथ ही श्रीयुत राजगोपालाचार्य भी वहाँ इतने दिनों तक बराबर थे। वे लोग श्रीमती कमलामणि अम्मा को देखने गये थे और उनका चित्र लिखवाने का भी प्रबन्ध किया। वे श्रीमतीजी २८५ नंबर का सूत कातती हैं।

#### महासभा की प्रदर्शनी

प्रदर्शनी विभाग के मन्त्री श्रीयुत इणमन्तराय कौजलगी लिखते हैं कि दो बाजी होगी—एक तो एकसप्ताह की और दूसरी एक घण्टे की। श्रीयुत १०० घण्टे १०० गज चंदी से एक सोने का और एक चांदी का पदक सब से अच्छे काननेवालों को देने का वचन दिया है। ये पदक गांधीजी के हाथ से दिलाये जायेंगे। जिन लोगों को पान्तीय समितियों ने नहीं चुना है, वे लोग भी बाजी में शरीक हो सकेंगे।

अबकी बार महासभा में एक सुन्दर दर्य लेने में आवेगा। दो सौ नरखे एक मंडप में रखे जायेंगे। जो कोई चाहेगा, नाम मात्र की फीस दे कर वहाँ कात सकेगा। वहाँ का कता हुआ सभी सूत महासभा को भेंट कर दिया जायगा।

यदि श्रीमती कमलामणि के समान अच्छे अच्छे सूतकार महासभा में आने और अपने व्यक्तिगत उदाहरण से देश में सूत की कताई को उत्तेजना दे तो नया ही अच्छा ही।

(५० ई०)

मनमलाल खुशालचन्द्र गांधी

### प्राहकों को सूचना

जिन प्राहकों की मीयाद चरखे महीने के अन्त में पूरी होती है उनके पते की चिट पर इतला के लिए महीने के अखीर में मीयाद पूरी होने की सूचना की छाप लगा दी जाती है। प्राहकों को चाहिए कि जिस महीने के अन्त में उनका चन्दा पूरा होता है उस महीने में मनीऑर्डर द्वारा चन्दा पहल ही भेज दें।

यह छाप महीने के अन्त तक, अर्थात् चार सप्ताह तक, बराबर पते की चिट पर लगाई जायगी और यदि चन्दा छाल का चन्दा महीना खतम होने के पहल न मिलता तो बिसा किसी नोटिस के पत्र बद कर दिया जायगा।

चन्दा भेजने के वक मनीऑर्डर के रूप में अपना प्राहक नंबर अवश्य लिखना चाहिए।

व्यवस्थापक—“हिन्दी-नवजीवन” अहमदाबाद

#### पंजाब में ‘हिन्दी-नवजीवन’ सुपत

गिदानी के श्रीयुत मेलाराम देव्य सूचित करते हैं कि पंजाब के सांख्यिक पुरतकार्यों और नाचगाल्यों को ‘हिन्दी-नवजीवन’ उनकी तरफ से सुपत दिया जायगा।

नीचे लिखे पते पर वे अपना नाम और पूरा पता साफ साफ लिख कर भेजें—

व्यवस्थापक ‘हिन्दी-नवजीवन’

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक १९ ]

मुद्रक-प्रकाशक

बेपीक; ३ छगनलाल दूब

अहमदाबाद, पौष बधी १०, संवत् १९८१

रविवार, २१ दिसम्बर, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,

सारांगपुर सरकोगरा की बाड़ी

## टिप्पणियाँ

क्या लालाजी भीरु हैं ?

मैं खयाल करता हूँ कि बहुत से व्याख्यान-दाताओं की तरह मेरा भी यह दुर्भाग्य है कि संवाद-दाता-गण मेरे व्याख्यानों की अकसर गलत रिपोर्ट भेज देते हैं, यद्यपि वे जानबूझ कर ऐसा नहीं करते। मुझे याद है कि १८९६ में रवर्गीय सर फ़िरोज़शाह मेहता ने, जब कि मैं पहले पहल भारतवर्ष में व्याख्यान देने के लिए खड़ा हुआ था, मुझसे कहा था कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके व्याख्यान की सुनें और उनकी सही रिपोर्ट भेजी जाय तो आपको अपना व्याख्यान लिख लेना चाहिए। उनकी इस अच्छी सलाह के लिए मैंने उन्हें इमेगा धन्यवाद दिया है। मैं यह जानता हूँ कि यदि उस दिन की सभा के लिए मैंने उनकी सलाह के अनुसार काम न किया होता तो वहाँ मेरी बड़ी फ़ज्जत होती। लेकिन जब जब मेरे व्याख्यानों की रिपोर्ट गलत भेजी गई है तब तब मैंने के उस बिना-ताज के राजा की उरा सलाह को याद करने का मुझे अबसर मिला है। कहा जाता है कि किसीने यह संवाद भेजा है कि अमृतसर की खिलफत परिषद में मैंने लाला लाजपतराय को भीरु कहा है। लालाजी जो कुछ भी हैं, ये भीरु नहीं हैं। मेरे व्याख्यान का पूर्वापर संबन्ध रखने से प्रतीत होगा कि मैं उनका हम आक्षेप से कि वे मुसलमान के विरोधी हैं भवाव कर रहा था। उस समय मैंने जो कुछ कहा था यह यह है—लालाजी सदा शक्ति वित्त रहते हैं और उन्हें मुसलमानों के उद्देश के बारे में बड़ी शका रहती है। लेकिन वे मुसलमानों को देखते सचेत दिल से चाहते हैं। लालाजी के प्रति मेरा बड़ा आदरभाव है। मैं उन्हें बहादुर आत्म-स्थानी, उदार, सत्यनिष्ठ और ईश्वर से डरने वाला मानता हूँ। उनका स्वदेश प्रेम बड़ा ही शुद्ध है। देश की जितनी और जैसी सेवा उन्होंने की है उसमें उनकी बराबरी करनेवाले बहुत कम हैं। और यदि ऐसे शत्रुओं पर यह सन्देह किया जा सके कि उनके उद्देश हीन हैं तो हमें हिन्दू-मुस्लिम-ऐश्वर्य से उसी प्रकार निराश होना पड़ेगा जिस प्रकार हमें अली-माइनों पर हीन उद्देश रखने का संदेह करने पर निराश होना पड़े। हम सब अपूर्ण हैं, हमारा मत एक दूसरे के खिलाफ दूषित हो गया है। हम, हिन्दू और मुसलमान, जैसे हैं वैसे ही समझे जाने चाहिए। जा हिन्दू-मुस्लिम ऐश्वर्य को मानना धर्म मानते हैं उन्हें तो जो साधन हमारे पास है उसीके जपे उसे संपादन करने का

प्रयत्न करना चाहिए। अपने औजारों को घुरा कहने वाला कहीगर आपही घुरा है। कर्नल मैडक ने मुझसे कहा था कि एक मरतबा एक साधारण साकू से ही मैंने एक बहादुर और आदरेशम किया था क्योंकि उस समय मेरे पास कोई औजार न था और खोलते हुए पानी के सिवा दूसरी कोई जन्तु-विनाशक औषधि भी न थी। उन्होंने हिम्मत से काम लिया और उनका रोगी भी बच गया। हम भी एक दूसरे का विश्वास करें और हम सब सही-सलामत रहेंगे। एक दूसरे का विश्वास करने के यह काली कर्मों नहीं हैं। सकते कि जबानी तो हम एक दूसरे के प्रति विश्वास जाहिर करें और हृदय में अविश्वास की ही स्थान दें। यह सबसुच भीरुता ही है। और भीरु भीरु में या भीरु और बहादुरों में मित्रता हो ही नहीं सकती।

## फिर अपरिवर्तनवादी

अपरिवर्तनवादियों की ओर से मेरे पास पठनाजनक पत्र आ रहे हैं। इनके लेखकों को इसका तो स्पष्ट रूप में विश्वास है कि मैंने असहयोग को भंग डाला। परन्तु मेरे प्रति प्रेम-साध नाम के धारण वे मेरे विरुद्ध उठ खड़े भी न होंगे। मैं यह जानता हूँ कि वे अपरिवर्तनवादी जो मेरे स्वराजियों के साथ समझौता करने के विरुद्ध लेख प्रकाशित करते हैं, जन्त के साथ ऐसा कर रहे हैं। अपने प्रति उनकी इस नाजुक-खयाली का मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। परन्तु जहाँ इस खयाल से मुझे ध्यानन्द हांता है तहाँ साथ ही यह मुझे पग्राहट में भी डाल देता है। मैं उन्हें यकीन दिखाना चाहता हूँ कि यदि वे मुझे गलत रास्ते में चलता समझ कर मेरा विरोध करेंगे तो मैं इसे घुरा न मानूंगा। मेरे प्रति उनके प्रेम के और मेरी पुरानी सेवाओं के कारण उनकी ओर से विरोध में कोई कमी न होनी चाहिए। विरोध को जितना सद्, शिष्ट और अहिंसात्मक बना सकें, वे बचाव; परन्तु उसके कारण उसके जोर में कमी न आने देनी चाहिए। सबसुच में तो उनके नजदीक भी असहयोग क्या हो सिद्धान्त का सवाल है जैसा कि मेरे नजदीक। मैंने बार बार कहा है कि यदि यह पक्का सिद्धान्त है तो इसका व्यवहार प्रियतम संबंधियाँ और मित्रों के प्रति भी संभव है। मैंने अनेक बार कहा है कि घरेलू जीवन का यानपूर्वक अभ्ययन कर के और उसे ठीक करने में अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयत्न कर के ही मैंने इसको पाया है। अपरिवर्तनवादी लोग, जिन्हें मेरी भूल का पक्का विश्वास हो गया है, मुझसे असहयोग कर के ही मेरी सेवा कर

सकते हैं। परन्तु जिन्हे मेरी भूल में सन्देह है, उनके सन्देह से लाभ उठाने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। अपनी ओर से मैं और अधिक प्रयत्न नहीं करूँगा। एक अगरेज मित्र कहते हैं कि अब अधिक ऐसा प्रयत्न करने का अर्थ होगा अनुचित प्रभाव डालना। समझौते के पक्ष में मुझे जो कुछ कहना था, वह मैं कह चुका। मैं बिना पूरा विचार किये शीघ्रता से कुछ भी नहीं कर बैठता हूँ, इसलिए मैं पीछे पैर हटाने में भी विलम्ब करता हूँ। परन्तु अपरिपक्ववादियों को मुझे यह विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है कि जिस दिन मुझे यह मालूम होगा कि मैंने 'अपने सिद्धान्त को पंच दिया है,' उसी समय मैं बहुत तेजी से पीछे लौट आऊँगा और उसके लिए भरपूर प्रायश्चित्त करूँगा। परन्तु उस समय तक ये मुझसे अपने विश्वासों के विरुद्ध चलने की आशा न रखेंगे। (पृ० ६०)

मो० क० शांथी

## मद्रास में ग्यारह दिन

गत सितम्बर में विदुषी एनी बेजेंट ने यह ऐलान किया था कि 'यदि थरखा ही एक ऐसी चीज है जो मुझे महासभा में फिर शामिल होने से रोकती है तो मैं 'अपना हिस्सा' पूरा करने की तैयार हूँ।' असहयोग के मुक्तवी किये जाने पर वास्तव में कई मद्रास का मेद महासभा तथा विदुषी देवी के बीच में न रहा। असहयोग का विचार भी इन्होंने विशेष कारण से किया था। आपकी राय यह है कि असहयोग एक ऐसा शस्त्र है कि जिसका प्रयोग अन्तिम समय में ही किया जा सकता है। आपकी राय में महासभा ने असहयोग के संबंध में जल्दबाजी की। किन्तु अब यह शिकायत भी अमली सूरत में दूर हो गई।

जैसी कि आशा थीमती एनी बेजेंट के व्यक्तित्व से की जा सकती थी, आपने चरखे को कोई विघ्न न समझा। आपने उसे स्वीकार किया। सितम्बर के ऐलान के बाद, थीमतीजी का कुछ भी अनुभव रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को यह विश्वास था कि उस पर शीघ्र ही अमल किया जायगा।

गत अगस्त के अन्तिम दिनों की घटना है कि मेरे पिताजी और थीमती एनी बेजेंट के बीच देश की वर्तमान परिस्थिति पर मशवरा हो रहा था। मैं पास ही था। बातचीत के बीचमें ही मैं अपनी 'तकली' साथ लेकर गुलाया गया। मैंने एक मिनट तकली पर सूत कातने की विधि थीमतीजी को दिखाई।

दिसंबर की शुरुआत में मुझे मद्रास से बुलाया आया। 'तकली' दिखलाने का सौभाग्य प्राप्त करके मैंने आगे की जिम्मेवारी माल ली थी। मेरे संकोच की सीमा न रही। मद्रास चरखे का केन्द्र है। मैं जानता था कि चरखे की कला सिखाने के लिए मेरे मद्रास तक जाने के खयाल मात्र से मेरे मित्रगण हंस पड़ेंगे। किन्तु बाद पिताजी का था। अतः मद्रासियों के इस अपमान की जिम्मेवारी उन्होंने ले ली थी। मेरी व्यग्रता दूर हुई।

टूटे-फूटे चरखों की मरम्मत करना, टेडे तक्रुए को सीधा करना, कर्कर आवाज को दूर कर मधुर ध्वनि का संचार करना, यह एक उत्तम कला है। इसमें सेवा भी बहुत है। हमारे दुर्भाग्य से इस तरह बहुत कम लोगों की दृष्टि गई है। जबतक इस काम को पेशा बना कर उसमें परम सततप माननेवाले नवयुवक काही तादाद में न निकलेंगे तबतक न हम यह आशा कर सकते हैं कि प्रत्येक स्थान में चरखे बा-बायदा चला करेंगे और न यह कि नये चरखे चलने लगेंगे।

इस प्रकार का काम मेरे काल्प समय का पेशा है। इसके वास्ते मुझे छोटे मंटे औजार तथा बहुतसा चरखे का फुटकर

सामान रखना पड़ता है। मेरा यह मन्तव्य है कि प्रत्येक मनुष्य को जो कि न सिर्फ खुद सूत कातना हो बल्कि दूसरों से भी कतवाने में तत्पर रहना हो, इन आवश्यक चीजों को अपने पास रखना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ जाय अपने साथ ले जाना चाहिए। मैं, कम से कम, अपना यह सारा सामान दो-एक चरखे तथा कुछ 'तकलियाँ' साथ ले कर मद्रास की ओर न्योते के दूसरे ही दिन चल दिया। मेरे साथ श्री राजगोपालाचार्य भी वहाँ पर शामिल हुए। आप चरखे की शास्त्रीय तथा अमली विधाओं में निष्णात हैं। हम दोनों थीमती एनी बेजेंट के ही कसिधि थे। जाते ही हमें थीमतीजी के दर्शन हुए। आपने प्रेम-पूर्वक हमारा सत्कार किया। एक मिनट आपने श्री राजगोपालाचार्यजी के साथ मद्रासभा के ध्येय-पत्र पर हस्तक्षरत करने के संबंध में बातचीत की। इसके बाद कातने की बात छिड़ी। अब यह कह देना आवश्यक है कि न श्री राजगोपालाचार्य को न मुझे इस बात से सन्तप था कि थीमती एनी बेजेंट 'तकली' से प्रारंभ करें। आपने मुझे सिर्फ तकली सीखने की भीयत से गुलाया था। तकली और चरखे में बड़ा अन्तर है। तकली कभी चरखे के मुकाबले में नहीं ठहर सकती। मैंने अपना मनोभाव प्रकट किया। राजगोपालाचार्यजी ने मेरा समर्थन किया। थीमतीजी ने स्वीकार कर लिया। दूसरे रोज चरखे के साथ ही मैं गुलाया गया। मेरा आधा काम हा गया।

पहला दिन अखबार में मित्रों के साथ मिलने में तथा नये मित्रों का परिचय करने में बीता। चरखे की धुन हमसे पहले वहाँ पहुँच चुकी थी। कइयोंने सीखने का इरादा कर लिया। अगरेज और हिन्दुस्तानी स्त्री-पुरुष बड़े चाव से कातने, धुनने तथा वैसी रंगई के संबंध में खोज खोज कर प्रश्न पूछने लगे। कइयों की हालत हमने यह भी पाई कि वे कताई तथा गुनाई का भेद तक न जानते थे। मुश्किल से यह ममज्ञा पाये कि चरखे से सूत निकला करता है, कपडा नहीं।

शुरुवात थीमतीजी ने अच्छी की। कितने ही कातने के डम्मीद्वारा शुरू में सूत की जगह रस्सी कातते हैं। परन्तु थीमती ने सूत ही काता। इराका ध्येय उनकी अंगुलियों की चपलता को उतना नहीं जितना उनके धोरज को था। उनके घुटनों में बड़ा दर्द होता था, फिर भी वे निश्चय-पूर्वक पलथी मार कर बैठतीं। आँखों से तार उन्हें शायद ही नजर पड़ता। बमरखों को उनके सूरखों में ठीक ठीक डालने में भी उन्हें आँखों पर जोर देना पड़ता। फिर भी दो तीन बार उन्होंने खुद ही यह सब किया। जहाँ अस्ति काम नहीं देती, तहाँ स्पर्श तथा आवाज के सहारे अपना काम चलातीं। तार को तक्रुए पर लपेटने के बाद फिर तार निकालते वक्त बड़ी दिक्रत पेश आती थी। शुरू शुरू में यह बात उनके खयाल में नहीं रहती थी कि पूनी तनी खिचती है जब तार तक्रुए को नोक पर आ जाता है। मैं सोच में पड़ा। फिर मैंने देखा कि तक्रुए की नोक उन्हें साफ दिखाई नहीं देती है। उसके बाद से वे तबतक हाथ खींचती ही न थीं जब तक तार के नोक पर आने की आवाज न सुनाई देती। जब कभी मैं पूछता—'बनावट तो नहीं मालूम होती?' जवाब मिलता 'अभी से?' जब शुरुआत में कठिनाई पड़ने लगी तब मैं जरा बेचैन हुआ था। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो गुंवान की मुश्किलों का देखकर थि-कुल निराश हो जाते हैं। लेकिन थीमती बेजेंट के बारे में ऐसा अन्देश रखना मानों उनको न पहचानना था। 'याद रखो, तुम्हारे पिताजी को जो बचन मैं दे चुकी हूँ, उसको पालन कराकर रखेंगी।' उनके



ये शब्द अब भी मेरे कानों में गूँजा करते हैं। रोज लगभग एक घण्टा वे मुझे देतीं, जिनमें कोई पौन घण्टा तो चरखा काततीं और कोई १५ मिनट मेरे साथ बेतकली के साथ बातें करतीं। पर अब वे कम से कम आधघण्टा रोज तो जरूर ही काततीं। पहले दिन श्री० राजगोपालाचार्यजी ने कहा—'आपके लिए सिर्फ उदेश-पत्र पर दस्तखत करने की जरूरत है, और वस, आप महासभा में आ सकती हैं। तब उन्होंने कहा—'हां, और कातना भी न !'

मेरे साथ वाले चरखे को देख कर अधियारवाली अंगरेज बहनें उसपर लड़ू हो गईं। अधियार के चरखे आवाज बहुत करते थे। कितने ही लोग इसीको 'चरखे का संगीत' समझ कर या तो इसारी भूलता और संगीत के ज्ञान पर कह बहा लगाते होते या उन्हीं कर्कश दर में संगीत सुनने का प्रयत्न करते होंगे। अधियारवाली बहनें आभ्रमवाले चरखेका गुजारण सुन कर चकित हो गईं। कितनी ही बहनों ने तुरत चरखा कातना सीख लेने का निश्चय किया। यहाँ विदुषी बेजेंट के एक बचन भी निकल देता है—'आमतौर पर अधियार के लोग कटो बात या पालन करते हैं। नहीं तो यहाँ रहें नहीं सकते।'

सो कोई ४ अंगरेज बहनों तथा दूसरे -८ लोगों ने इन ग्यारह दिनों में मेरे चरखे पर कातना सीखा। अच्छे सीखनेवालों में एक फ्रेच बाई मैडम डी मंजियारली थी। वे पहले से चरखे और खादी को चाहती हैं। उन्होंने कहा—'गादी मुझे बड़ी खूब सूत मालूम होती है। इसीलिए मैं पहनती हूँ।' उन्होंने चरखा और 'तकली' दोनों सीख लिया है। अब अधियार के काम की जिम्मेवारी उन्हींपर है। श्रीमती एनी बेजेंट ने उन्हें कताई में अपना गुरु बनाया है।

दूसरे दिन श्रीमती बेजेंट को ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर मुझे ता उससे उनकी दृढ़ता और उमंग का ही परिचय हुआ। तीसरे-चौथे दिन उन्होंने खूब एकत्र चित्त से मिहनत की। जो बात पुढिनाम्य न मालूम होती उसपर खूब बहस करतीं। हर बार तार के टूटने का श्रुलासा पूछतीं। और फिर से भूल न होने देने की कोशिश करनी। पाँचवें दिन से कहने लगीं—'अब मुझे कुछ सुकम मालूम होता है। अब इसका शास्त्र मेरी समझ में कुछ कुछ आ गया है।' अब तार बहुत छुलकर और कम मिहनत से निकलता था।

तकली सीखने की इच्छा होते हुए भी चरखा ठीक ठीक सीख लेने की और उनकी दृष्टि दिन ब दिन दृढ़ होती गई। ग्यारह दिनों में दो ही बार उन्होंने तकली पर बात कर देखा। ग्यारहवें दिन मुझे रत्नसत किया और उसी दिन मैडम डी मंजियारली से कहा, तकली के लिए तैयार रहना।

इस तरह अधियार में समय लगाते हुए भी मुझे और जरूरी कामों के लिए बक्त बच रहता था। मद्रास जाने के बाद मेरा पहला कर्तव्य था ४०० अंक का सूत कातनेवाली बहन के दर्शन करना। मैं उनका चरखा और खुद उन्हें कातते हुए देखना चाहता था। ३२० अंक का सूत कातने का समस्कार मैंने अपनी आँखों देखा। इतने महीन तार के सिवा जो खादी आँखों से मुकिल से दिखाई देता था, और कोई बात असाधारण न थी। चरखे का चक्र बड़ा पर हलका था। तकला मामूली था। हाँ! रई अलबत्ते बड़िया थी—कातनेवाली बहन, नजर धीरज, और उपलियों की कला का तो पूछना ही क्या? बस, यही समस्कार था। वे बहन रोज ४-५ घण्टा कातती हैं।

श्रीमती कजन्स ने ए६ स्त्रियों को समा का प्रबन्ध किया था। उसी दिन मुझे उसमें अपने चरखे का प्रयोग बताना था। श्रीमती कमलम्मा तथा उनके पति श्रियुत रामराव मेरे अनुरोध से उसमें शरीक हुए थे। यद्यपि रामरावजी खुद काते नहीं हैं, तो भी खुद कताई के शास्त्र हैं। यह कहने की जरूरत ही नहीं है, दोनों खादी पहनते हैं। समा पूरी हो जाने के बाद श्रीमती कमलम्मा को स्त्रियों ने चारा वार से घेर लिया। कृतज्ञता-पूर्वक उनपर आशीर्षकों की झड़ी नमने लगी। यदि हमारा राज्य-सूत्र हमारे हाथ में होता तो इस-बहन के काम की कवर हम दमरी ही तरह करते। आज तो हम मुक्तकण्ठ से उनकी प्रशंसा कर के उनकी उमंग को अपने लिए उदाहरण मानें।

मद्रास में मैं 'तकली' के विषय में अधिक खोज करना चाहता था। यज्ञोपवीत के सूत के बारे में मैंने गुजरात में तथा अन्यत्र बहुत-कुछ सुन रक्खा था। अब तो आम तौर पर जापानी सूत और कहीं कहीं तो जापानी जनोऊ भी काम में लिये जाते हैं। इसे मैं अपना असहाय अवस्था की दृढ़ मानता था। मैं जानता था कि मद्रास में हाथ-बनें शुद्ध यज्ञोपवीत मिलते हैं। खोज करने पर मैं इसे प्रत्यक्ष देख पाया। दो जगह हम भारत ब्राह्मणों ने श्री० राजगोपालाचार्य तथा मुझे अपनी तकली की विधि बताई, तकलियाँ निकल सीधी-सादी थीं। बारह इंच लंबी पतले रंग की सीक, एक सिरे पर सुवारी अथवा गाल चपटा पत्थर लगा दूसरे पर एक अकुआ। अदगुत फला का यही औजार था। वहाँ बाजी शुरू हुई। एक जगह जीतनेवाले ने १४८ फी घण्टे के हिसाब से ३५ अंक का सूत काता, दूसरी जगह २५ मिनट में फी घण्टा २०१ गज के हिसाब से ५१ अंक का बढिया, एक सा और अच्छे चटबला सूत काता। इन नतीजों से मुझे बहुत उम्माह मिला। इन्हीं ब्राह्मणों ने मुझसे कचल किया कि थोड़े ही दिन पहले हम फिर से तकली पर जगोज बनाने लगे हैं। क्योंकि वे भी हमें के प्रबाइ में बहू बले थे। भावुक लोगों को विलायती जनेऊ पहाते थे। पर अब उन्हें तकली का भविष्य उज्जवल दिखाई देना है। आइए, हम भी उनकी आशा में अपनी आशा का योग कर दें।

देवदास गांधी

### पंजाब में 'हिन्दी-नवजीवन' मुफ्त

मिवानी के श्रियुत मेलाराम वैश्य स्थापित करते हैं कि पंजाब के सार्वजनिक पुस्तकालयों और वाचनालयों को 'हिन्दी-नवजीवन' उनकी तरफ से मुफ्त दिया जायगा।

नीचे लिखे पते पर वे अपना नाम और पूरा पता साफ साफ लिख कर भेजें—  
व्यवस्थापक 'हिन्दी-नवजीवन'

र. १) में

१ जीवन का सहाय	III)
२ लोकमान्य को भ्रष्टाचरि	II)
३ जयन्ति अंक	I)
४ हिन्दू-मुस्लिम तमाजा	—)

डाक बॉक्स 1- सहित मनीऑर्डर भेजिए।

१।१)

चारों पुस्तकें एक साथ खरीदने वाले को र. १) में मिलेगी। मूल्य मनीऑर्डर से भेजिए। श्री. पी. नहीं भेजी जाती। डाक बॉक्स और पेंकिंग चर्गरह के ०-५-० अलग भेजना होगा  
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर

## जरूरी सूचना

### एजेंट खास तौर पर ध्यान दें

अब तक हिन्दी-नवजीवन 'यमदंडिया' से चार रोज बाद प्रकाशित हुआ करना था। इससे उसमें यं. इ. में लिखे गांधीजी के लेखादि हिन्दी-पाठकों को पिछड़ कर मिलते थे। इस अमुविधा को दूर करने के लिए आगामी जनवरी से 'हिन्दी नवजीवन' भी यं. इ. के साथ ही अर्थात् हर गुरुवार को प्रकाशित करने का प्रबन्ध किया है। इस तजवीज के मुताबिक नया अंक आगामी १ जनवरी, गुरुवार, को निकलेगा।

आगामी २६ दिसंबर को बेलगाव में महासभा की बैठक शुरू होगी। उसके उपलक्ष्य में हि० न० का आगामी अंक २८ दिसंबर के बजाय २६ दिसंबर को प्रकाशित होगा।

व्यवस्थापक

## हिन्दी-नवजीवन

रविवार, पौष वदो १०, संवत् १९८१

### पागल देश-प्रेम

यदि वह समाचार सच है कि मुलशीपेटा के कुछ सत्याग्रहियों ने एक रेलगाड़ी तोड़ डाली है, जोकि ताता के कारखाने पर काम करने के लिए कुलियों को ले जा रही थी, और इन्जिन के टायर को चोट पहुंचाई है और गरीब कुलियों को, जिनमें औरतें भी शामिल थी, बेगडक मारा है, तो उनके इस जुर्म की जितनी भिन्दा की जाय थोड़ी ही है। कहने है कि कानून, व्यवस्था और शिष्टता का भंग करनेवाले इन अपराधियों ने ताता के विरुद्ध युद्धपाषाण की है और वे आशा करते हैं कि कुलियों पर हाथ चला कर वे ताता के कारखाने का बनना रोक सकेंगे। एक अच्छे समझे जानेवाले काम के लिए यह जोरो-जुल्म किया गया है। चाहे अच्छे काम के लिए हो या बुरे काम के लिए, सभी प्रकार की आतंकनीति बुरी है। सच्ची बात तो यह है कि उसके हमी को सभी काम अच्छे ही मालूम होते हैं। जनरल डायर ने (और उनके समान हृदय से विश्वास करने वाले सचमुच हज़ारों अंगरेज पुरुष और स्त्रियाँ थीं) जालियाँवाला बाग-काण्ड एक ऐसे ही हेतु के लिए किया जिसे वह निःसन्देह अच्छा समझता था। यह मोक्षता या कि केवल एक उस काम को कर के उसने ब्रिटिश साम्राज्य और अंगरेजों की जानें बचाई हैं। 'यह सब केवल कल्पना का ही खेल था' यह कहने से तो उसकी समझ में अपने विश्वास की गहराई कम नहीं हो जाती। लार्ड स्मिथन और लार्ड रीडिंग हृदय से विश्वास करते हैं कि बंगाल का स्वराज्यदल हिंसा ही में डूबा हुआ है। परन्तु उनकी आतंक-नीति का समर्थन इससे नहीं होता कि उनका हेतु अच्छा था। जिस कार्य को मुलशीपेटा के ये पागल सत्याग्रही अच्छा और न्याययुक्त मानते हैं उसीको तानावाले और उनके समर्थक सचमुच ही बुरा मानते हैं। वे हृदय से विश्वास करते हैं कि उनकी योजना से चारों ओर के गाँवों को लाभ पहुंचेगा, जो लोग हटाये गये हैं, उन्हें पूरा बदला दे दिया गया है और उन्होंने अपनी खुशी से अपनी जमीन छोड़ी है और उनकी योजना बर्बाद के लिए एक

बरदान होगा और इसलिए जो उसे मिल कर देना चाहते हैं वे उन्नति के विरोधी हैं। उनको अपना यह मत रखने का उत्तम ही अधिकार है जितना मुझे यह विश्वास रखने का अधिकार है कि, इस योजना से पड़स के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, यह वहाँ की प्राकृतिक शोभा का नाश कर देगी, गरीब गाँववालों का कोई निश्चित मन ही नहीं था और इसलिए यह कहना कि उन्होंने अपनी खुशी से गाँव छोड़ा है, अनुचित है, कोई भी बदला उस स्थान के लिए पूरा नहीं कहा जा सकता है जिसे वे बापदादों के जमाने से अपना बतन मानकर पथिन्न समझते आये हैं और यह कहना कि यह बंबई प्रान्त के लिए एक बरदान होगा, विवादास्पद विषय है। परन्तु जहाँ मैंने अपने ही सही होने का दावा किया कि मैंने ईश्वर का पद ले लेने की भ्रष्टता कर ली। परन्तु हमारे पास कोई पैसा अचूक और त्रिहालाबाधित माप नहीं है जिस से हम किसी काम को जांच सकें कि यह सही है कि नहीं, इस कारण हर हालत में आतंकनीति को बुरा ही कहना होगा। दूसरे शब्दों में, शुद्ध हेतु के कारण कोई अशुद्ध बुरा वा द्वािात्मक कार्य उद्विन नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं अपराधियों को अपनी खुशी से आत्म-समर्पण देने पर भी उस की तारीफ नहीं कर सकता। इनसे दंड का निवारण नहीं हो सकता। यह सड़क में ही बहादुरी की संतो भी हो सकती है। उस दिन स्विडकी में एक महिला का इत्याकारी, आत्मसमर्पण करके अपनेको नहीं बचा सका। उन निर्दोष स्त्रियों पर, जो ईमानदारी से अपनी रोजी पैदा करती थीं, चोट करना अक्षम्य पाप है। मुलशी के दिहातियों के बन बैठे इन दोस्तों को इसका पूरा अधिकार था कि वे यदि चाहते तो मजदूरों के पास जाते और उन्हें सभाना-बुझा कर ताता का काम करने से हटा लेते। परन्तु अपने ही हाथ में कानून तो लेने का उन्हें कोई अधिकार न था। उन्होंने आतंक-नीति का सपारा लेकर एक अच्छे काम की हानि पहुंचाई है और जो कुछ जनता की सहायुभूति उनके साथ थी, उससे हाथ धो लिया है। सुधारकों की ओर से तो आतंकनीति का उपयोग बस ही अनुचित है जैसा कि सरकार की ओर से, बल्कि कहीं कहीं तो उनसे भी बढकर; क्योंकि इसके साथ तो सही सहायुभूति भी पैदा हो जाती है। मैंने एक महिला को अराजकों के आत्म-बलिदान की चिनगादियाँ उठा कर भाषण देते और श्रोताओं के हृदय को उभाड़ते हुए देखा है। थोड़ा विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि किसी अपराध को, स्वाध-त्याग के कारण, जायज नहीं मान सकते। किसी अनीति का वा बुरे काम का समर्थन अपना बलिदान करने से भी नहीं हो सकता। यदि आग से खेलने के लिए लड़का खाना पीना छोड़ दे तो उसे उस समय आग से खेलने देने वाला पिता दुर्धन-हृदय कहा जायगा। कलहने के पास एक निर्दोष मोटर-ड्रायवर को करीब करीब मार डालनेवाले युवक केवल इस लिए कि वे देशहित में धन-व्यय करने के लिए टाका डाल रहे थे और इस प्रयत्न में वे अपनी जान भी खतरे में डाल रहे थे, सहायुभूति के अधिकारी नहीं हैं। इन तरह भूले-भटके युवकों के प्रति सहायुभूति दिखलाने के लिए जो लोग प्रेरित होते हैं वे देश की हानि पहुंचा रहे हैं और इन युवकों का अरा भी हित-साधन नहीं करते हैं।

(यं० इ०)

मोहनदास करमचन्द गांधी

ग्राहक होनेवालों को

बाहिए कि वे साकाशा बन्दा ७) समीआडेर द्वारा भेजे की, पी. प्रेसने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है।

## कोहाट की दुर्घटना

भारत-सरकार ने कोहाट की दुर्घटना पर परदा डाल दिया है। बायसराय ने मालवीयजी को उत्तर देते समय ही, देश को ऐसे किसी प्रस्ताव को सुनने के लिए तैयार कर रखा था जैसा कि आज देश के सामने उपस्थित हुआ है। यह निश्चय सरकार की बेरोक प्रभुता और लोक-मत के प्रति लापरवाही का नमूना है। साथ ही उससे हमारी राष्ट्र की निर्धनता भी प्रकट होती है। मेरी दृष्टि में कोहाट की यह दुर्घटना हिन्दू-मुसलिम-अनैक्य का फल उत्तना नहीं है, जितना कि वहाँ के स्थानीय शासकों की नाचायकी और निकम्मेपन का है। यदि उन्होंने धन-जन की रक्षा करने के अपने प्राथमिक कर्तव्य का पालन किया होता तो यह जो दिन-बढ़ाये मनमानी खून-खराबी शुरू हुई और होती भी रही, सो रोकी जा सकती थी। रोग के जलते समय जिस तरह रोग का सप्ताह नीरो उरो देख कर नाच-गान में मशगूल रहा, वैसे ही अधिकारीगण भी घामिजाज उसे देखते रहे। शासक लोग अपने निरुपाय होने का उजा नहीं पेश कर सकते। उनके पास यथेष्ट साधन मौजूद थे। उन्हें अपनी ही सजा के योग्य गफलत और घातकता की वजह से कुछ उपाय न सूझा हो सो सही। परन्तु अपनी निरुपायता पर तो उन्हें कभी बेचैनी न हुई थी।

और अब तो भारत सरकार भी उनके कामों की लोपा पोती कर के और उनकी लापरवाही बल्कि जुर्म को धीरज और साहस बताकर उनके पाप की हिस्सेदार हो गई है। आशा तो यह की जा सकती थी कि इसकी पूरी खुले आम और स्वतंत्र जांच होगी। किन्तु उसकी जगह जांच तो केवल सरकारी महकमे के द्वारा हुई और उसमें भी सर्व-साधारण से कुछ नहीं पूछाताछा गया। इसके फैसले पर सर्व-साधारण को कुछ भी गिनवार नहीं हो सकता। रायबहादुर सरदार माखनमिद से लेकर प्रायः तमाम कोहाटियों से मैं और मेरे मुसलमान साथी मिले। उन्होंने यह तो स्वीकार कर लिया की काला जीवनदास ने एक पर्चा जिसमें कि बहुत ही अपमानजनक कविता थी, प्रकाशित किया था, किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी पटा था कि हिन्दुओं ने उसके बढ़के भरपूर प्रायश्चित्त कर लिया था और हिन्दुओं ने आत्मरक्षा में तभी गोलियाँ चलाईं, जब मुसलमानों ने खून-खराबी शुरू कर दी थी। कोहाट के मुसलमानों की ओर से कहा गया कि उस पर्चे के लिए यथेष्ट प्रायश्चित्त नहीं किया गया और मुसलमानों ने तभी मार-काट करना और गोलियाँ चलाना शुरू किया जब हिन्दू गोली चला चुके थे और मुसलमानों की जान ले चुके थे। दुर्भाग्य से कोहाट के मुसलमान रावलपिन्डी में नहीं जावे थे। इसलिए हमें सखी बात का पता न लग सका। इस हालत में भारत-सरकार ने जिस प्रकार दोनों जातियों के सिर दोंप का बटवारा कर दिया है, उसे गलत कहना कठिन है। तोभी उनका निर्णय पक्षपातहीन या मानने योग्य नहीं कहा जा सकता। कोहाट के हिन्दुओं से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे इस निर्णय को मान लेंगे और कुबूल कर लेंगे। और न इसलिए कि यह मुसलमानों के पक्ष में दिखाई देता है, इससे कोहाट के मुसलमानों को ही तसल्ली होगी। क्योंकि मुसलमानों के लिए यह बेबा होगा यदि केवल इस कारण कि इस बार सरकार उनकी ओर ढलती-सी दीख पड़ती है, वे उसके निर्णय पर तालियाँ बजावें। कोई भी निर्णय, सब को सन्तोष तभी दे सकता है जब वह उन हिन्दुओं और मुसलमानों का किया हुआ हो, जिनकी कि निष्पक्षता सिद्ध हो चुकी है। इसलिए भारत-सरकार का निश्चय दोनों जातियों के लिए एक तरह की चुनौती ही है। यह निश्चय हिन्दुओं को अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करके कोहाट जाने

का हुकम देना है। और मुसलमानों को उनके हिन्दू-भाइयों का अपमान करने का प्रलोभन देना है। मैं आशा करता हूँ कि हिन्दुलोग कोहाट के बाहर मानसहित गरीबी के जीवन को, कोहाट में अपमान के साथ किन्तु सुखी जीवन से अधिक पसंद करेंगे। मुझे आशा है कि मुसलमान इतने पुनर्पार्थ वा परिचय देंगे कि वे सरकार की दो हुई इस ढालच को नामंजूर करेंगे और अपने उन हिन्दू भाइयों का, जो वहाँ अत्यन्त ही अल्पसंख्यक हैं, अपमान करने में हाथ पेंडाने से इनकार करेंगे। शुरू में चाहे जिस जाति ने भूल की हो और उत्तेजना दिखाई हो परन्तु यह बात तो ठीक ही है कि कोहाट से हिन्दुओं को बाहर भगाने पर मजबूर होना पड़ा। इसलिए अब यह मुसलमानों का कर्तव्य है कि वे रावलपिन्डी जावें और उनके जानोमाल की पूरी हिफाजत का विश्वास दिलाते हुए, मित्रभाव से उन्हें कोहाट लौटा लानें। और कोहाट के बाहर के हिन्दुओं को मुसलमानों के लिए हिन्दुओं के पास इस काम के लिए जाना आमामन कर देना चाहिए। कोहाट के बाहर के मुसलमानों को वहाँके मुसलमानों पर इस बात के लिए जोर देना चाहिए कि वे अल्पसंख्यक हिन्दुओं के प्रति अपने प्राथमिक कर्तव्य को पूरा करें। इस सवाल के उचित और यथायोग्य फैसले पर हिन्दू-मुसलिम-एकता के प्रयत्नों की सफलता बहुत-कुछ निर्भर है।

हम सभी सहयोगी और असहयोगी, जितना शीघ्र सरकार की रक्षा का भरोसा रखना छोड़ दें, उतना ही हम लोगों के हक में यह अच्छा होगा और, उतनी ही शीघ्रता से और चिरस्थायी रूप से हम इस मसले को दल कर सकेंगे। उस दृष्टि से देखने पर, कोहाट के अधिकारियों की उदारमनता अच्छा ही फल लावेगी। यदि हिन्दुओं ने अधिकारियों से सहायता न मांगी होती, यदि वे अपने घर पर ही बिना कोई बचाव किये अडे रहने, वा यदि अपनी, अपने धन की और अपने आश्रितों की रक्षा में वे जलमून कर रक हो जाते तो आज इतिहास दूसरे ही ढंग से और अधिक आदरपूर्ण शब्दों में लिखा जाता। यदि सरकार ऐसा प्रस्ताव करे कि कंई उससे, जातीय झगडों में सहायता की आशा न करे तो मैं ऐसे प्रस्ताव का स्वागत करूँगा। यदि एक जाति दूसरी जाति की उग्रहती से अपनी रक्षा करना सीख ले, तो हम लोग स्वराज्य के सही रास्ते पर हैं, यह कहा जायगा। आत्मरक्षा और अत्म-सन्मान की, जिसे हम स्वराज्य ही कह सकते हैं, यह अच्छी तालीम होगी। आत्मरक्षण के दो दग हैं। सब से अच्छा और पुरअयर काम तो है अपने स्थान पर, बिना बचाव किये ओखिम को उठा लेना। दूसरा अच्छा किन्तु उत्तना ही गोरवपूर्ण तरीका है, आत्म-रक्षार्थ बहादुरी से लड़ना और सब से अधिक खतरनाक जगह में भी अपनेको डाल देना। अगर इस तरह खुल कर कुछ लडाइयाँ हो चुकेंगी, तभी वे समझ सकेंगे कि एक दूसरे का सिर फोड़ना व्यर्थ है। इससे उन्हें यह शिक्षा मिलेगी कि इस प्रकार लड़ने से वे ईश्वर की सेवा नहीं करते हैं बल्कि शैतान की सेवा करते हैं।

मैंने रावलपिन्डी में ठहरे हुए कोहाट के देश-त्यागियों को जो बचन दिया था, उसीको फिर दोहरा कर यह लेख समाप्त करता हूँ। कोहाट के मुसलमानों के हार्दिक आमन्त्रण के बिना वे यदि कोहाट न लौटेंगे तो मैं पहले से ही हाथ में लिए अपने और काम समाप्त करके मुग्त हो मौ० शौकतअली के साथ रावलपिन्डी जाऊँगा और दोनों जातियों का झगडा मिटाने का प्रयत्न करूँगा। यदि मुझे इसमें सफलता न मिली तो मैं उनके लिए उचित काम का प्रबन्ध करने में सहायता दूँगा।

## पंजाब की चिट्ठी

२  
मुसलमानों का फर्ज

खिलाफत परिषद् का नाम ता दस बजे शुरू होने वाला था लेकिन शुरू हुआ तीन बजे। और सभापति ने व्याख्यान पढ़ना ६ बजे शुरू किया। इसलिए गांधीजी को जो अमृतसर ४ बजे छोड़ना था वह न हो सका। आखिर सभापति का व्याख्यान खतम होने के पहले ही गांधीजी को पोलने का मौका देना उम्मीद मालूम हुआ, अन्यथा वे आखिरी गार्ड में भी नहीं जा सकते थे। सभापति जफर-अली खां साहब ने कितनी ही बातें विशेष जोर देकर गांधीजी को कह सुनाई। सनातन धर्म परिषद् के प्रस्ताव—मालवीयजी के समक्ष पास किये गये प्रस्ताव—दूसरे एक हिन्दू नेता के ऐक्य विरुद्ध लेख, इनका विशेष रूप से उद्धरण किया। गांधीजी ने परिषद् में बोलते हुए कहा:—

‘तीन साल पहले अितने मनुष्यों पर हम असर डाल सकते थे वतनों को हम आज संभाल नहीं सकते। आज तो सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ सलाह-मशवरा करना ही काम बाकी है। आज जो झगड़े हो रहे हैं उसका कारण साधारण जनता नहीं लेकिन नेता-लोग ही हैं, जो उन्हें सहन कर लेते हैं; साधारण जनता नहीं, पर मैं हूँ, दक्षीमजी हैं, किचलू हैं, गरयपाल हैं। इसलिए आप लोग सदर साहब से यह कहें कि लाहौर में कल जो नेताओं का जलसा होने वाला है, उसमें सब मुसलमान नेता इस परिषद् को कल दोपहर तक मुन्तवी रख कर जाय, ऐसा वे प्रबन्ध करें।

(सभापति ने परिषद् का अभिप्राय पूछा और सबने “आमीन” कहा)

‘सदर साहब ने जो कुछ भी कहा है मैंने बड़े गौर से सुना है और मुझे अफसोस भी हुआ है। मेरे दिल में यह खयाल हुआ कि सदर साहब वे बम क्यों फेंक रहे हैं। अगर हम ऐक्य (इत्तफाक) चाहते हैं तो इस प्रकार एक दूसरे के खिलाफ कब्रतक शिकायत करते रहेंगे? मैं आप लोगों से क्या कहूँ? परन्तु, आप लोगों ने मुझे बड़ा बनाया है, हालांकि मैं तो अल्पात्मा हूँ, मैं स्वाधिसार हूँ—इसलिए मुझे तो आपको और हिन्दुओं की गुलामी ही करनी होगी और इसीसे कुछ करने का दिल होता है। जब जफरअली खां साहब ने मालवीयजी की शिकायत की तो मुझे मालूम हुआ मुझपर पत्थर गिरा। मुझे यह खयाल नहीं होता कि मालवीयजी मुसलमानों के दुश्मन हैं। यदि हों तो यह जाहिर करने में अयशय मुझे कुछ भी गकच न होता। यदि यह मान भी लिया जाय कि वे दुश्मन हैं तो भी उनकी शिकायत करने से कुछ हासिल न होगा। यदि आप लोग यह मानते हैं कि हिन्दुओं को और मुसलमानों को एक होना चाहिए तो आपको मालवीयजी से भी काम लेना होगा। मुझे तो आप अपना दोस्त मानते हैं इसलिए धाम लेना बहुत महल है—यद्यपि मैं आपका दोस्त हूँ कि दुश्मन यह तो सिर्फ खुदा ही कह सकता है—लेकिन मालवीयजी को आप अपना दोस्त नहीं मानते हैं और बिना उनके हिन्दुओं के साथ मेल हो नहीं सकता, इसलिए उन्हें कोसने से कुछ भी काम न होगा। हिन्दू तो आज कहते हैं कि मैं मुसलमानों का दोस्त हूँ—कुछ गुजराती अम्बवार तो च्याँडी पीट कर यह कहते हैं कि मैं मुसलमान बन गया हूँ। लेकिन मुझे यह सब सुनाने से क्या फायदा? हिन्दुओं से मैं कहता हूँ कि दक्षीमजी घुरे हों तो उनसे मुहत्त्व रखने से ही काम

चलेगा। अविश्वास रखने से काम न होगा। आप लोगों से भी कहता हूँ कि वे खुदापरस्तो! अजान की आवाज सुनते ही सब काम छोड़ कर बंदगी करनेवालो! अमुक व्यक्ति विश्वास का पात्र नहीं, यह कह कर उसे छोड़ देना आपको भीना नहीं देता। आप पैगम्बर साहब का अनुसरण करें। उनपर आक्रमण करने वाले के हाथ में तलवार छेन कर भी उन्होंने उनपर आक्रमण न किया और उसे माफो बखशी और इसी प्रकार उन्होंने इस्लाम को फैलाया। सदर साहब के सामने सर झुका कर मैं यही बात कहूँगा कि लाहाजी या मालवीयजी किसीका भी वे अविश्वास न करें। लाहाजी का दिल साफ है लेकिन वे डरते हैं। फिरभी वे यह नहीं चाहते कि पंजाब में मुसलमान जो अधिक हैं वे कम हो जायं। यदि रही चाहते हैं तो मैं उनका विरोध करूँगा। लेकिन यदि ऐसे कोई हों तो भी आपको तो यही फर्ज है कि आप खुदा से हुआ मांगे कि उनका दिल साफ हो जाय। हिन्दू जो डरते हैं उन्हें मैं डर छोड़ देने को ही इलाह दूँगा। लेकिन मुसलमानों का भी यह फर्ज है कि वे हिन्दुओं को निर्भय कर दें। मैंने तो बड़ी लंबी-चौड़ी बात कह डाली। सब बात की एक बात यही कहता हूँ कि यदि इस्लाम की रक्षा करना चाहते हैं तो हिन्दुओं से फेरला कर लो और एक दिल हो जाओ। हिन्दू यदि कहें कि वे मुसलमानों को मिटा देंगे तो यह बाहियात बात है। हिन्दुओं को मुसलमानों के दिलों पर कब्जा करना ही होगा। आज हमें इतना तो जरूर समझ केना चाहिए कि तीसरी ताकत—अंगरेज सरकार—हमारे धर्म की रक्षा न करेगी। उससे रक्षा की आशा रखने से तो हिन्दू-धर्म और इस्लाम दोनों पर समान आफत आ लखी होगी। अब मेरा काम तो यही है कि कुछ हिन्दू और मुसलमानों को साथ लेकर इस आफत से दोनों धर्मों की रक्षा करूँ और उनपर आफत काने वाले से लड़ूँ, ताकि ईश्वर के दरबार में यह कहने की फुसंत रहे कि जो कुछ तेरा हुक्म था उसपर हमने अमल किया है।’

### प्रान्तिक परिषद् में

लाहौर में जो खानगी जलसे हुए उनका तो उल्लेख-मात्र ऊपर किया गया है। राष्ट्रीय विद्यार्थ के विद्यार्थियों को पदवी-दान करने का समारंभ बड़ा मध्य था और वहाँ का भाषण भी मोट करने कायक था। लेकिन उसे दूसरे अंक पर छोड़ देता हूँ। अब हम राबलपिंडी भी पहुंच गये हैं। इसलिए प्रान्तिक परिषद् का उल्लेख कर के और वहाँ की हलचल का बयान दे कर इस पत्र को पूरा करता हूँ। पंच मोतोलालजी न आ सके, इसलिए गांधीजी को सभापति होना पड़ा। परिषद् बैठला हाल में सुपह आठ बजे होनेवाली थी। गांधीजी बराबर आठ बजे आ पहुंचे। परिषद् में लोगों की हाजरी नहीं के बराबर ही थी। सकल जाड़े में कौन आता है? स्वयं स्वागत मण्डल के सभापति भी हाजिर न थे। लेकिन गांधीजी इस चैरी को कैसे सहन कर सकते थे? उन्होंने लाहाजी के साथ मशवरा करके अपना—सभापति का व्याख्यान शुरू कर दिया। व्याख्यान कासा लम्बा था। आधा हुआ होगा कि स्वागत-मण्डल के सभापति लाहा बुलीबन्द साहब पधारे। लेकिन गांधीजी ने तो अपना भावपूर्ण व्याख्यान जारी ही रखता। उसका सार मात्र ही यहाँ दे सकता हूँ। “इस लोग यहाँ परिषद् के लिए नहीं आये हैं। लेकिन अगुओं के साथ सलाह-मशवरा करने आये हैं। इस सलाह—मशवरे में आप हम लोगों को क्या मदद करेंगे? मैंने हिन्दू, मुसलमान, से तो कह दिया है और सिक्खों से कहना चाहता हूँ कि यदि एक भी कौम दूसरी से यह कह दे कि “हम भूखों मर जायेंगे तो कुछ परवा नहीं, तुम्हें जो कुछ चाहिए ले लो” तो इस झगड़े का कौरन ही अंत हो जायगा। क्या कोई यह पूछे कि सिक्ख अथी



छोटी कौम क्यों कर ऐसा कर सकती है? ऐसा करने पर वह तबाह न हो जायगी? तो मैं कहता हूँ कि सिक्ख तो जबर ही ऐसा कर सकेंगे। उनके बराबर कुरबानी किस कौम ने की है? उनके बराबर कुरबानी करने के लिए न मुसलमान तैयार हैं न हिन्दू। उन्होंने 'सत श्री अकाल' नाम लेते लेते सीने पर गोलियाँ खाई है। अल्लाह का नाम लेकर, राम का नाम लेकर मुसलमान या हिन्दू ऐसा कर सकेंगे या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है। इसलिए सिक्खों को इतना त्याग भाव दिखाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुसलमानों के लिए भी मुश्किल नहीं है। मुसलमानों ने अपनी अकल खो नहीं दी है। उनके पीछे उनका १३०० वर्ष का इतिहास है, महम्मद पैगम्बर और दूसरे फरीरों के त्याग की कथाओं की विरासत उन्हें मिली है।

जब कि मैं हिन्दुओं को त्याग का कर्तव्य नहीं समझा सकता तो इन सबको मैं किस मुंह से कहूँ कि तुम त्याग करो? मैं हिन्दू हूँ और चाहता हूँ कि गीता का एक श्लोक पढ़ते पढ़ते मर जाऊँ और मोक्ष प्राप्त करूँ। मैं स्वर्ग नहीं चाहता, न बिमान चाहता हूँ। पृथ्वी पर चलने से भी अभिमान होता है। विमान पर चलने से क्या मालूम कितना अभिमान होगा? मैं तुलसी और रामचन्द्र का भक्त हूँ और बुद्ध सनातनी होने का दावा करता हूँ। इसलिए मैं हिन्दुओं से कहता हूँ कि अगर आप लोग ही मेरी न सुनेंगे तो मैं मुसलमानों को क्या सुनाऊँगा? मैं आप लोगों से इतना ही कहता हूँ कि दगे से मत डरो। अगर सिक्ख और मुसलमान दगा देंगे तो दगा देनेवालों का ही नाश होगा। जो टंगे मरे हैं उनका कभी नाश नहीं हो सकता। हिन्दू हो कर मैं हिन्दुओं से कहता हूँ कि आप इसके निर्णय का भार सिक्ख और मुसलमानों का ही सौंप दो। पांडवों ने क्या किया था? उन्होंने इस्तिनापुरी न मांगी। इन्द्रप्रस्थ न मांगा, सिर्फ पांच गांव ही मांगे थे। दुर्योधन ने कहा ये भी न मिलेंगे, इनके लिए भी लड़ना होगा, इसलिए वे लड़े। म्युनिखियालिटी, धारासभा, और लोकल बोर्ड में अगड़ पाना, और चौकरी इत्यादि आप लोगों के लड़ने की बातें नहीं हैं। लड़ने की अगर बात है तो आपका धर्म है, आपको बहनों की रक्षा करना है। आपकी क्षत्रियता है 'अपलायनम्'—क्षत्रियत्व के माने मारने की शक्ति नहीं लेकिन पीठ न दिखाने की शक्ति, है। यदि मुसलमान कहें कि तुम लोग गौ की पूजा न कर सकोगे, हम उस पूजा में एकाग्र होकर, यदि वे कहें कि काशीविश्वनाथ एक पत्थर का टुकड़ा है और तुम बुतपरस्तों से हमें नफरत होती है तो आप उनसे दिल् खाल कर लड़ें। उनसे आप कहें कि हमारे लिए तो गौ पूज्य है, पत्थर की मूर्ति में हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं, हमारी कौम ने हजारों वर्षों से इसीके सामने अपने पापों का प्रायश्चित्त किया है। हमें उसके प्रति उतना ही आदर है जितना कि आपको काबाघरीक के प्रति है। ये बातें ऐसी हैं कि उन्हें छोड़ नहीं सकते। मैं तो पंजाब की धारासभा में या स्वानिक-इंडरों में ५१ या ५६ प्रति सैकड़ा जगद केने की निद छंड ठेने की ही बात कहता हूँ। क्योंकि इसे छंड देना ही सारी दुनिया को बरीद लेने का मार्ग है। दुजयबी हकों को छंड कर और दुनिया के सामने फिर बुका कर ही हम उसे शुद्ध कर सकते हैं। आप लोग मुझे गुजरात का बनिया कह कर मेरा उपहास करते हैं, लेकिन मुझे आपकी व्यवहार बुद्धि पर इसी आती है। मुझे आपके समझ-बहादुरों पर दया आती है। क्योंकि जब सारा हिन्दुस्तान एक तीसरी ताहत के हाथ में फंसा हुआ है तब उन्हें ऐसी बातों के लिए झगडा करने की सूझ रही है। इन जगहों को प्राप्त करने में ही क्या हिन्दू-

धर्म की व्यवहारबुद्धि खतम हो जाती है? इन्हें प्राप्त करने में ही क्या हिन्दू-धर्म समाप्त हो जाता है। यदि मैं पंजाबी बन गया होता तो पंजाब को हिला देता और कहता कि मुसलमान और सिक्खों के हाथ में ही कलम सौंप दो। आप लोगों को अफगान का डर है। जिस दिन अफगान आ कर खडा रहेगा उस दिन मेरी आपकी समझर क्या काम देगी?" भंडिरी और त्रिगों की रक्षा के लिए अपलायनम्-मर कर रक्षा करने का और यह न बन सकें वो मारते मारते मरने का—अनेक बार कहा गया धर्म गांधीजी ने फिर पुकार पुकार कर सुनाया और यह भी कहा "मेरे दिल में जो आग सुलग रही है उसकी आप लोगों को क्या खबर? इस आग को कौन बुझ सकता है? जिन्दा होते हुए भी मरने की कांशिय कर रहा हूँ, गो किस लिए? आपलोग क्या अब भी यह न समझेंगे? अब भी क्या आप लोग एड होकर मेरी इस आग को न बुझाओगे?"

हिन्दुओं के अत्याचार के एक दो ताजे सुभे हुए फिरसों का उल्लेख कर उन्होंने कहा कि गन्दे अस्त्रधारी में ये प्रकाशित हुए थे। फिर भी मैंने खोज की। खोज करने पर मैंने देखा कि उधमें बड़ी ही अत्युक्ति हुई है। लेकिन यह भी मालूम हुआ कि वे बिल्कुल बेयुनियाम भी न थे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हिन्दू भी बदला जने का मोक्ष तो इन्हें ही रहते है—इसलिए नहीं कि वे हिन्दू है लेकिन इसलिए कि वे इन्सान है। यह दृष्टांत मैंने हिन्दू-मुसलमान झगडे के नदी लेकिन इन्सान के दिल में जो शैतान है उसीके दिये हैं। इसका उद्देश्य यही दिखाना है कि पाप के विरुद्ध पाप करके आप उमका नाश नहीं कर सकते। वेद या महाभारत यह नही मिलाते कि यदि मंदिर तोडा गया तो मस्जिद भी तोडी जाय, या हमारी बहन पर अत्याचार हुआ तो दूसरे कि बहन पर भी अत्याचार करके उसका बदला लिया जाय। मेरा धर्म तो कहता है कि यदि तुम उसकी रक्षा करते करते प्राण दे दोगे तो जीवित ही रहोगे। 'चग्खा कातना तो औरतो का नाम है', इसके अभाव में गांधीजी ने पूजा 'रुकाशायर में चरखा कौन चलाने है?' और फिर सबसे कात कर मताधिकार प्राप्त करने की बात रकीकार करने का आग्रह किया।

### रायलपिंडी

ता०८ को सुबह रायलपिंडी पहुंचे। कोहाट के मुसलमान—शिक्षकत कमिटी के मजदो—डो मंलाना शौकतअली साहब ने बुलवाया था। लेकिन वे न आये। वे सरकार के साथ सलाह कर रहे हैं। सरकार ने भी गांधीजी और शौकतअली आ कर शान्ति स्थापित करने का मान प्राप्त न कर जाय, इसकी पूरी पूरी तजवीज कर रखी थी। कोहाट के अगुआओं को पढ़के से ही बुला रक्खा था। गायर थे गांधीजी के सपनाये समझ जाय इस डर से सरकार ने भी सलाह-मशवरा करने के लिए आठवों और नव तारीख ही मुकरर की थी। हिन्दुओं के नेना तो आ गये। लेकिन मुसलमानों की राह आज सुबह तक देखी पर वे न आये। शौकतअली के दर्द की बात क्या कहूँ? वे हैरान हो रहे हैं।

दरम्यान गांधीजी ने बहुतसी बातें और सलाह-मशवरे कर लिये हैं। और अभी यहा ने रवाना होंगे वा कार्यक्रम था सो मौकूफ कर दिया और अधिक सलाह-मशवरा करने के लिए रुक गये हैं।

बल्क शाम को वे कोहाट से भाग कर यहाँ आभय पाये हुए भाइबहनों से मिले। रायलपिंडी से भाइयों ने यहाँ बड़ी बड़ी धर्मशाळाओं में उनके लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। पांच पांचसौ आदमी एक ही चौके में बैठ कर भोजन करते हैं, और ठंड में जो कुछ भी कपडे मिलते है बांट लेते हैं। इन बहणाजनक

दर्यों को देखकर गांधीजी ने उस रात को रावलपिंडी की सभा में व्याख्यान दिया। आरंभ में उनको मानपत्र दिया गया था। उसके विषय में उन्होंने कहा कि जबतक सारे हिन्दुस्तान की तरफ से मुझे और शौकतअली को बोलने की ताकत थी तबतक एक को ही मानपत्र देना बस था। लेकिन आज खुद मुझे मुसलमानों की तरफ से बोलने की ताकत न रही, शौकतअली को हिन्दुओं की तरफ से बोलने की ताकत न रही, यह दुर्भाग्य है। लेकिन जबतक देश का ऐसा ही दुर्भाग्य रहे दोनों को मानपत्र देना उचित है।

कोहाट की दुर्घटना के विषय में बोलते हुए उन्होंने कहा—

‘यह घटना क्यों होने पायी और इसमें सबसे ज्यादा कुत्तर किसका था यह दिखाने की आज मेरी इच्छा नहीं है। इसका एक सबब यह भी है कि मुझे उसकी सब पूरी पूरी खबर नहीं मिली है। लेकिन यह बात तो निश्चिन ही है कि यहां दो तीन हजार हिन्दू रावलपिंडी का आश्रय लिये पड़े हैं। उन्हें कोहाट छोड़ना पड़ा, इसकी जिम्मेवारी तो हिन्दू-मुसलमान दोनों कौमो पर है। जबतक वे यहां पड़े रहेंगे दोनों कौमों की बदनामी होगी। यह बदनामी बुरा हो, इसीलिए तो शौकतअली, किचल, जफर अलीखान, और मैं यहां आये हुए हैं। अबतक हम सफलता नहीं मिली है। क्योंकि तीसरी ताकत अपना काम कर रही है। इस ताकत का काम यदि झगडा पंदा करना नहीं है तो उन्हें बढाना जरूर है। और मेरे जानने में ये यह बात नहीं आयी है कि उसने किराी भी झगडे का अंत किया हो। सब बात तो यह है कि करने का काम जो सरकार ने किया होता तो यह दुर्घटना कभी न होने पाती और हिन्दू भागते भी नहीं। वहां के हाकिम या तो नामद बने बैठे रहे या उन्होंने अपना फर्ज अदा न किया। सरहद पर लड़नेवाले सबको लड़ते हैं। इसलिए जोर देकर यह कहना कि यह सब हिन्दुओं को लड़ने के लिए किया गया था मुश्किल है। लड़ने का और माल असबाब जलाने का काम करने वाले सरहद पर के लोग न थे किन्तु सरहद पर के हाकिम लोग ही थे, यह मैं जरूर ही कह सकता हूं। जिस तरह कोहाट में यह सन्तनत अपने फर्ज को भूल गई उसी तरह मैं चाहता हूं कि वह अपने फर्ज को हमेशा ही भूलती रहे। यह सन्तनत बिल्कुल ही पैठ आय और फिर हिन्दू-मुसलमान दिन खोल कर लड़ें और एक दूसरे को लड़ें तो मुझे जरा भी दुख न होगा। जबतक दोनों कौमों के दिलों में मेल है, कमजोरी है और दरपोषण भरा है तबतक एक दूसरे से लड़ कर वे खून की नदियां बहावेंगे। आखिर दोनों कौमों के अगुआ यह समझेंगे कि वे अपना फर्ज कर रहे हैं और फिर ठहरे कर बैठेंगे। लेकिन आज तो हम तीसरी ही ताकत के सहारे लड़ रहे हैं। यदि उसका सहारा ले कर लड़ेंगे तो उसीका सहारा लेकर एक हो सकेंगे। फिर तो यही रामस लो कि उसकी गुलामी सिर लिखी ही रहेगी। यदि आप हिन्दू-मुस्लिम-एकता को समझते हैं तो मैं कहूंगा कि इस तीसरी ताकत को छोड़ दो। आप लोगों से यही कहता हूं कि सरकार यदि गुस्सा हो कर आप लोगों के सामने आवे, मुसलमानों को ही मदद करे तो आप राम का नाम लेकर मर जायें। आज तो सन्तनत के हुकाम आपको ‘शौकतअली के पास जाओ,’ ‘गांधी के पास जाओ’ यह कह कर ताना मारते हैं। मुझे अफसोस है हम कोई आज कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सलवार नहीं है, मंत्र उसे पैक दिया है। शौकतअली ने नये अमान मे रक्ष लिया है। इसलिए हमें आपको यही सलाह देनी होगी कि स्वराज लेना हो तो अपने दिल को आज्ञाद करो। इन्सान आप ही अपने को मिटा सकता है, उसे दूसरा इन्सान मिटा नहीं सकता। आप कहेंगे इस राय का नतीजा तो सिर्फ खूबारी ही होगी,

इससे मदद क्या मिलेगी? तो मैं कहूंगा कि मैं आपको खूबार होने का तरीका ही बता रहा हूं, मे तो खूबार होने की बात कहता हूं।

सरहद पर रहनेवाले हिन्दुओं से मैं कहूंगा, ९५ प्रति सैकडा मुसलमानों की बस्ती में रह कर भी वे कभी सरकार की सलाह लेने न जायें। यदि वे जाय भी तो उसी हालत में जायें जब कि सरहद पर के मुसलमान उनसे विनय करें, उनकी इज्जत करें और हमेशा के लिए उनका रक्षण करने का यकीन दिलावें। आप लोग वहां अनेक पीढ़ियों से बसे हुए हैं। उन लोगों को विना मनाये वहां कैसे रह सकेंगे? आपने वहां कमाई की है, दुकानें चलाई हैं। उनके साथ सलाह-मदावरा किये बिना मुख-शान्ति में कैसे रह सकेंगे? सरकार किसी भी बड़ी कौम के लिए जमानत नहीं दे सकती। स्वराज हो, शौकतअली कमान्डर-इन-चीफ हो और मैं बायसराय होऊ और मुझसे कोई एक कौम की रक्षा करने को कहे तो मैं कहूंगा कि ९५ प्रति सैकडा बस्तीवाली कौम में मैं आपलोगों की रक्षा नहीं कर सकता। मुसलमान यदि पांच प्रति सैकडा हों तो मैं उनसे भी यही बात कहूंगा। सरहद पर इज्जत और मुहब्बत के साथ रहने का एक यही तरीका है।’

आगे चठकर हिन्दू और मुसलमानों के संबंध के बारे में कुछ विषयान्तर करके आखिर कोहाट-वासियों का धर्म फिर समझाने लगे ‘आप लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग अपनी रक्षा करना चाहेंगे तो सरकार से कहें कि जबतक मुसलमानों के साथ फैसला नहीं किया है, जब तक मुसलमान हमें बुलाकर न ले जायेंगे तबतक हम यहांसे हिलेंगे तक नहीं। यदि कोहाटी मेरी राय पर चलने को तैयार हैं तो मैं इस्कार करता हू कि बेलगांव के बाद कोहाटियों में आकर दफन हो जाने के लिए मैं तैयार हू, उनको लेकर सारे भारतवर्ष की सफर करने के लिए भी तैयार हू लेकिन यदि वे सरकार के कहने से वापस चले जायेंगे तो हिन्दू-मुसलमान दोनों के लिए बड़े नुकसान की बात होगी। सरकार यदि सारी जायदाद वापस कर दे, तीन करोड का नुकसान भी अदा कर दे तो भी उसकी रक्षा का यकीन करके वहां जाने से हिन्दू-मुसलमान दोनों को हानि ही होगी। यदि आप मेरी इस राय को न मान कर चले ही गये तो महासभा में मेरा काम बड़ा मुश्किल होगा। ईश्वर आपको मुसलमानों के साथ होने की ताकत दे।’

मौलाना शौकतअली ने भी इस सलाह के एक एक शब्द का समर्थन किया था।

बैचवशाह कोहाटियों को जिसदिन यह सलाह दी गई उसके दूसरे रोज ही कोहाट के संबंध में सरकारी निर्णय प्रकट हुआ है। इस निर्णय के विषय में गांधीजी स्वयं ही हमको कुछ सुनावेंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि सरकार का आश्रय पा कर कोहाट न जाने की गांधीजी की सलाह अबतक सिर्फ म्याटव और हुस्त भी लेकिन हम निर्णय के प्रकट होने पर तो कोहाटियों के लिए बस, वही एक सलाह हो सकती है। यह स्थिति केवल कथ्याजक है। इन कोहाट के निराश्रितों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यदि शीघ्र ही कोहाट वापस न जाय तो संभव है कि उन्हें बड़ी हानि हो। लेकिन कोहाटी हिन्दुओं में इस कलक का सिर पर डेकर कोहाट वापस जाने के लिए एक भी हिन्दू राजी नहीं है। ईश्वर से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि वह इस परीक्षा में कोहाटियों को पास करे।

( नवजावन )

रावलपिंडी }  
१०-१२-२४}

महादेव हरिभाई देवाह

वार्षिक १)   
 छा. भा. का २)   
 एक प्रति का ३)   
 विदेशों के लिए ४)

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक १० ]

मुद्रक-प्रकाशक  
 मैत्रीलाल छपानलाल

अहमदाबाद, पीप बंदी ३०, सेप्ट १९८१  
 शुक्रवार, २६ दिसम्बर, १९२४ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
 सारंगपुर सरकीगरा की बाड़ी

## ३९ वीं राष्ट्रीय महासभा-बेलगांव

### सभापति-गांधीजी का भाषण

३९ वीं राष्ट्रीय महासभा-बेलगांव

आप लोगों ने जो इज्जत मुझे बख्शा है उसकी जिम्मेवारी को मैंने बहुत परापूर्वक के बाद कुबूल किया है। यह असाधारण मान इस बार आपको धीमती सर्राजनी नायडू को देना चाहिये था, जिन्होंने कि केनिया और दक्षिण आफ्रिका में ऐसा अद्भुत (हीरत अंग्रेज) काम किया है। लेकिन ईश्वर को ऐसा संशय न था। मुझ के भीतरी और बाहरी घटनाक्रम ने (मामलान की रविश ने) मेरे लिए इस बोझ को उठाना जरूरी कर दिया। मुझे मालूम है कि जिस ऊंचे पद (ओहरे) पर आपने मुझे बिठाया है उसकी जिम्मेदारियों को ठीक ठीक अदा करने की कोशिश में आप मेरी पूरी पूरी मदद करेंगे।

आरंभ में, मैं इस मौके पर भी अम्मा, सर आशुतोष मुकर्जी, बाबू भूपेन्द्रनाथ बसु, डाक्टर सुब्रह्मण्य रेयंग और श्री दत्तबहादुर गिरि (हिन्दुस्थान में) तथा पारसी कमलामंत्री और श्री पी. के. नाथडू (दक्षिण आफ्रिका में) की मर्त पर अपने दिली गम को और उनके तई अपने आदर-भाव (इज्जत) की जाहिर करता हूँ। और हमने जो मदद (दुःख) उनके रिश्तेदारों पर गुजरा है उसके लिए आपका तर्फ से मैं उन्हें अपनी हमदर्दी का यकीन दिलाता हूँ।

#### सिद्दांतलोकन

सितम्बर १९२० ई० से महासभा (कॉम्रेल) ने व्यापक मुन्ना की भीतरी ताकत को बढ़ाना अपना उद्देश (संयोज) बनाया। गजानत (मुन्ना) के दरमियाँ और अजिमी के जो अपने दुख-धरे दुःख करने का तरीका यह अब छोड़ चुकी है। इसकी वजह यह थी कि जगता यह विश्वास (ऐताकद) बिन्दु उठ गया था कि वर्तमान शासन-प्रणाली (मौजूदा निजामे-हुकूमत) किसी भी दरजे तक पायबन्द है। मुसलमानों के साथ जो बचन-भंग (बादाधिकारी) सरकार ने किया उसने लोगों के विश्वास (ऐताकद) को पहला मरग भसा पहुंचाया। रैलवे एकट और ओडिसावागवाही ने जो कि अपना गम जालियांबाटा बाग के काले आम में छाड़े, इस प्रणाली (निजाम) का अमलियत का मेद लोगों

पर प्रकट (रोशन) कर दिया। इसके साथही लोगों ने इस बात को जाना कि इस मौजूदा हुकूमत का दारोमदार जाने वा बे-जाने और अपनी मर्जी से वा मजबूरन लोगों के सहयोग (तआयन) पर है। इमलिन, मौजूदा शासन-प्रणाली (निजामे हुकूमत) को सुधारने या मिटाने के उद्देश्य (गज) से यह तय किया गया कि जिस हद तक लोग अपनी रजामन्दी से सहयोग (तआयन) कर रहे हैं उसका हटाना शुरू करने की कोशिश करें, और अगर प्रारंभ (शुभआत) ऊपर की धरणा (नबके) से किया जाय। १९२० का महासभा (कॉम्रेल) की खाम बंदक (इज्जाम) में, जो कि कलाने में हुई थी, सरकारी खिताब, अदालतों, शिक्षालयों (तालीमगाहों) भागसनाओं (कॉन्सिलों) और विदेशी बपटे के बहिष्कार (बाह्कट) के बारे में तजवीजें पास हुईं। इन तमाम बहिष्कारों पर कम या ज्यादा दरजे तक उन लोगों ने अमल (पालन) किया जिनका उनसे तात्लुक (संबंध) था। और जिनके लिए ऐसा करना न मुमकिन ही था और न जो इसके लिए राजी ही थे। वे महासभा में अलग हो गये। यहाँ से असहयोग आन्दोलन (नहरीके अदम तअनुम) के रंग-बिरंगे इतिहास (तारीख) का चित्र (नक्शा) आपके सामने खीनना नहीं चाहना। इतना कहना काफी होगा कि गद्याप (अगच्चे) किसी भी एक बाह्कट (बाह्कट) में पूरा पूरा कामवाही (सफलता) नहीं हुई, या भी इसमें कोई तम्बेद (तुबद) नहीं कि जिन जिन चीजों का बहिष्कार (बाह्कट) किया गया उन सब का इज्जत (प्रतिष्ठा) लोगों के दिलों में जन्म ही उठ गये।

सबसे महत्वपूर्ण (अम्मा) बहिष्कार हिन्दी (नसुड) का बाह्कट था। गद्याप (अगच्चे) एक बक्त ऐसा मान्य होना लगा था कि यह पूरा तरह फल (कामवाब) हो गया, क्योंकि धाके ही अमे में यह पना लग गया कि हमारी अहिंसा (अदम तअनुम) बहुत कच्ची बुनियाद पर खड़ा है। हमारी अहिंसा (अदम तअनुम) तजवार लोगों को अहिंसा की तरह निश्चिन्त (ताबारी अम) थी, न कि एक हिक्मती और जानकार आदमी को अहिंसा। नतीजा यह हुआ कि जो लोग असहयोग (अदम तअनुम) आन्दोलन में शरीक न हुए वे उनके खिलाफ अनाहिंसा की लहर चल पडी। यह एक

सूक्ष्म प्रकार (लताक किम्म) का हिंसा (तशहुद) थी। लेकिन इस भारी लाम्बी के होते हुए भी मैं दावे के साथ यह कहता हूँ कि अहिंसा (अदम तशहुद) के प्रचार (नहगीय) ने हिंसा (तशहुद) के उस तूफान को रोक दिया जा कि जरूर ही उठ राधा होता, अगर शान्तिमय असहयोग (पुरअमन तकें मवालात) शुरू न हुआ होता। बहुत सांच-बिचार के बाद मैं इस पक्ष पर पहुँचा हूँ कि अहिंसात्मक असहयोग (पुरअमन तकें मवालात) ने लोगों को अपनी ताकत की पहचान करा दी है। इसने लोगों के अन्दर कष्ट-सहन (सब्र) के जयें प्रतीकार (मुकावला) करने की लुपी ताकत का जगा दिया है। इसके बदलन जनना (अध्याम) में वह जागृति (बेदारी) पैदा हो गई है जो कि शायद किसी और तरीके से न होती।

इसलिए यद्यपि शान्तिमय असहयोग हमें स्वराज्य नहीं दिला सका, यद्यपि इससे कई खेदजनक (अफगोसनाक) नतीजे निकले हैं, और यद्यपि जिन चीजों का बाह्यकार (बाह्यकार) करने का कोशिश की गई थी वे अब भी फल-फूल रही हैं, तो भी मेरी नाकिस राय में शान्तिमय असहयोग ने अब राजनैतिक (सियासी) आजादी हासिल करने के एक साधन (जयें) के तौर पर जड़ पकड़ ली है और उस पर अधूरे तौर पर अमलदरामद (पालन) होते हुए भी वह हमें स्वराज्य के नजदीक ले आया है। और यह बात सूर्य-प्रकाश (रोजे रोशन) की तरह जाहिर है कि किसी ध्येय (मकसद) के लिए कष्ट-सहन की क्षमता (तहम्मूल और बरदाशत की कूवत) पैदा करने से उसका मिलना जरूर आसान होता है।

### कदम धामने की जरूरत

लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसी हालत खड़ा हो गई है जो हमें मजबूर करती है कि कदम धामें। क्योंकि यद्यपि अब भी ऐसे कई शरस हैं जिनका कि विश्वास ब्यक्तिषा: (इनकरादी तौर पर) असहयोग पर अटक है, फिर भी उन लोगों की बड़ी तादाद जिनका कि इस आन्दोलन (तहरीक) से सीधा ताल्लुक है, अमली तौर पर उससे सिवा बिदेशी कपडे के बहिष्कार के, विश्वास (अकादा) हट गया है। बांसियों बकालों ने फिर से बकालत शुरू कर दी है। कुछ लोग तो बकालत छोड़ने पर पछता भी रहे हैं। बहुत से लोग जिन्होंने धारासभाओं का बहिष्कार किया था अब फिर उनमें खले गये हैं और धारासभा में विश्वास (ऐतकाद) रखनेवालों की तादाद बढ़ती पर है। सैकड़ों लड़के-लड़कियाँ जिन्होंने सरकारी मदरसों को छोड़ दिया था, अब पछता कर फिर उनमें लौट रहे हैं। यह भी मेरे कानों में खबर पहुँची है कि सरकारी मदरसों में इनकी जगह नहीं है कि सब को भरती कर सकें। इस हालत में इन चीजों के बहिष्कार का पालन (अमल दरामद) एक राष्ट्रीय कार्यक्रम (कामी प्रोग्राम) के रूप में नहीं किया जा सकता, जबतक कि महासभा (कामिस) उन लोगों के बिना अपना काम न चला सके जिनका कि ताल्लुक उसमें है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि आज उन लोगों को महासभा के बाहर रखना उतना ही अव्यवहार्य (ना कारिखे अमल) है जितना कि असहयोगियों को। यह जरूरी है कि दोनों ठल बिना एक दूसरे के काम में दखल दिये और एक दूसरे के खिलाफ टीका-टिप्पणी (मुक्ताचीनी) किये, महासभा के अन्दर रहे। जो सिद्धान्त (अमूल) हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य (इत्फाक) के सवाल पर बटित (आयद) होता है वही इन भिन्न भिन्न (मुस्तलिफ) दर्जों की पारस्परिक (बाहमी) एकता पर बटता है। हमें चाहिए कि आपस में बहिष्पुता (बरदाशत की ताकत) बढ़ावे। और इस बात का यकीन रखें कि जमाना ही हमको एक दूसरे की राय का फायदा कर सकेगा। हमें इससे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हमें नरमदिलवालों तथा दूसरे लोगों से जो कि महासभा से अलग हो चुके हैं, अनुगोष (दल्लिजा) करना चाहिए

कि वे फिर महासभा में शामिल हों। जो असहयोग मुस्तबी हो बाब तो उनके लिए कोई बजह बाकी नहीं रहती कि वे महासभा से अलग रहे। मगर इस बात में पहला कदम इन महासभावालों को बढ़ाना चाहिए। हमें प्रेमपूर्वक उन्हें महासभा में शामिल होने के लिए दावत देनी चाहिए और उनका रास्ता जिस कदर हो सके आसान बना देना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि अब आप समझ गये होंगे कि क्यों मैंने स्वराजियों के साथ समझौता किया।

### बिदेशी कपडे के बहिष्कार का फर्ज

आप लोगों ने देखा होगा कि बिदेशी कपडे का बहिष्कार बहरतूर कायम रखला गया है। एक अंगरेज दोस्त के भावों (जजबात) का लिहाज रख के समझौते के लेख में बहिष्कार लफ्ज की जगह 'बिदेशी कपडा न पहनना' रखला गया है। इसमें कोई शक नहीं कि बहिष्कार शब्द में एक तुरी ज्वनि पाई जाती है। आम तौर पर इससे नफरत का भाव उपकता है। लेकिन जहाँतक मुझसे ताल्लुक है, उस शब्द का इस्तेमाल मैंने नफरत के ज़ानी में नहीं किया है। बहिष्कार अंगरेजी कपडे का नहीं बल्कि बिदेशी कपडे का है। इस भाव में बहिष्कार सिर्फ एक हक ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। यह फर्ज उतना ही अहम (महत्वपूर्ण) है जितना कि किसी गैर-मुल्क से लाये गये पानी का बहिष्कार-अगर वह इस गरज से मंगाना जाय कि हिन्दुस्तान की नदियों के पानी के बजाय उसका इस्तेमाल हो। लेकिन यह तो एक प्रसंग से बाहर बात हुई।

मगर जो बात मैं आपसे कहना चाहता था वह तो यह है कि मेरे और स्वराजियों के दरम्यान (बीच) समझौते ने बिदेशी कपडे के बहिष्कार को सिर्फ कायम ही नहीं रक्खा बल्कि उसपर और भी जोर डाला है। मेरे नजदीक तो यह तमाम हिंसात्मक (तशहुद आमेज) तरीकों के बजाय एक कारणर एथियार है। जिस तरह कि कई बानें जैसे किसी शरस को गाली देना, बुरी तरह पेश आना, झूठ बोलना, किसीको चोट पहुँचाना या खून करना ये हिंसा-भाव (दरिदगी) की निशानी है उसी तरह शिष्टता, सौजन्य, सच्चाई वगैरह अहिंसा-भाव के प्रतीक (इलाकात) हैं। बस इन्हीं तरह बिदेशी कपडे का बहिष्कार मेरे लिए अहिंसा का प्रतीक है। अराजक (अनारकिस्ट) लोगों के हिंसात्मक कामों का उद्देश होता है सरकार पर दबाव डालना। लेकिन यह दबाव गुस्ता और अदायत के भावों से प्रेरित है और उसे एक किस्म का पागलपन कह सकते हैं। मेरा दावा है कि अहिंसात्मक तरीकों से जो दबाव डाला जा सकता है वह उस दबाव से कहीं पुरअसर है, जोकि हिंसात्मक तरीकों से डाला जा सकता है। क्योंकि पहली किस्म का दबाव सद्भाव (नेकादिली) और सौम्यता (हलीमी) पर अपनी हस्ती रखता है। बिदेशी कपडे के बहिष्कार से ऐसा ही दबाव पड़ता है। हमारे देश में ज्यादातर बिदेशी कपडा लंकाशायर से ही आता है। और यह आना भी है और बाकी सब चीजों से ज्यादा अधिकदार (परिमाण) में। इसके बाद शकर का नंबर आता है। ब्रिटेन (बरतानिया) का सबसे बड़ा स्वार्थ (गर्ज) भारत के साथ होनेवाली लंकाशायर के कपडे की त्जारात पर ही केन्द्रित (मरकूज) है। यही सिर्फ एक चीज है जो कि बाकी सब चीजों से ज्यादा हिन्दुस्तान के किसानों की लबाही का बाइस हुई है और जिसने उनको अपने सहायक (मुआबिन) बनने से बांचित (महकूम) करके उनके सिर बेकारी बट दी है। इसलिए अगर हिन्दुस्तान के कृषि-जीवियों (जरायत पेशा लोगों) को जिन्दा रखना है तो बिदेशी कपडे का बहिष्कार एक जरूरी बात है। और इसके लिए जो तजवीज निकाली गई है वह यह है कि किसानों को इस बात पर आमादा किया जाय कि वे



और आजाद (गरीब) सरकार का कुछ बल न बचता हो, पर वे वहाँ के हिन्दुस्तानी (निवासी) की विभाजक (रक्षा) के लिए या तो राजभंग नहीं दे या उनका जोर नहीं दे रहे हैं जितना कि उन्हें चाहिए। भारत सरकारने जो कित्तीबाडे अपने कमीशन की रिपोर्ट तक प्रकाशित (काया) करने की विवृता (शाश्वतपी) नहीं दिखाई।

और अक्रियों के अक्षय (न हबने वाले) तेज को कुचलने को क्रोशिया करना भी उली बीमारी का विशाम है। किम काम को वे अपनी ज्ञान के बराबर प्यार करते हैं उसके लिए उन्होंने प्राणी की तरह अपना खून बहाया है। हो सकता है उनमें महिलाएँ हुई हों। अगर ऐसा हुआ भी हो तो उसके लिए खून उन्हींका बहा है। उन्होंने किसी हुरी को खोद नहीं पाया है। नन्दामा छाहव, गुरु का भाग और अती उनके साक्ष्य (असिद्ध), उनके तुरवार कइसहन और उनके असीद होने को गराही देने रहेंगे। के.एम कहते हैं कि संजान के काद साइक ने इन बाल की बराम का का है कि मैं अकालियों को कुचल कर छोड़गा।

उपर बनी से ली आवाज आ रही है कि हमन का दीरदीरा बनी भी बहियों की आत्मा को कुचल रहा है।

भियर की हालत भी हमने प्ररुओ नहीं है। एक पायल मिसरी ने एक अंगरेज अफसर को बल कर डाला—जकर ही यह नफरत करने लायक जुन है। लेकिन हमकी आ सजा दी जा रही है वह महज एक वृणित जुन ही नहीं बल्कि मनुष्यजाति पर जगती (अन्वा-कार) है। भियर ने जो गुण पाया था करीब करीब गम ली चुका। फिर एक आइसो के जुन के लिए सारी वीम को घेरनी से मजा दी गई है। हो सकता है कि उन लून के साथ मिसरियों की हमबदी नहीं हो। पर क्या उग ताकत के लिए हम नरद जंगीजुम करना बजा हो सकता है, जो कि उसके दिना भी अपने दिनों की रक्षा कर सकते हैं।

इसलिए भगल का यह हमन कोई गैरलाम्बुओ (अभाधारण) बान नहीं है। लपी हालत में, जदलक के हमारी भाग और रूद अपने हाथों में न आ जाये हमन का किसी न किसी रूप (शकल) में और किसी न किसी जान (मुने) में सम्य समथ पर होनेवाले ऐत उदक (उभाड) को एक सामूची बात मसले दिना कूटकारा नहीं।

**आदेश (हुपम) की जरूरत**

हमलिए यह जरूरी है कि महासभा अपना एक आदेश बनाने केससे उसका मनाकवा (मांग) मजबूत हो। नभी बंद अपने जिम्मे की आती के लायक अपने की बना सकती है। लेकिन ऐसा आदेश गठने के पहले हम हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाईयों, सिखों, पारसियों, अर्थात् धर्मवादीयों, नर्म दखलाओं, होमलक वालों, सुल्लिम लीम वालों तथा दूसरों को मिलाव कर लेना होगा। अगर हम सब मिल कर अपने अपनी एक आवाज उठा सके और अपने विचार और कार्य का ठोक ठोक स्याल बना ले तो यह भी अच्छा होगा। पर अगर हम अपनी ताकत को इतना बहा सके कि नसाम विवेकी कथन को हिन्दुस्तान की चहार-दीवारी के बाहर ही रहने दे तो यह

और भी अच्छा होगा। उस हालत में हम उस आदेश के लिए तैयार बाने जायगे।

**मेरी आशा (पकीम)**

अब मैं अपनी आशा आप पर प्रकट करूँ। एक महासभावादी की हसियत से मैं महासभा के काम को ठीक ठीक चलाने के लिए प्रसहयोग को मुन्तबी रखने की सलाह देता हूँ, क्यों कि मैं देखता हूँ कि काम इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक ब्यापक की हसियत से मैं तबतक ऐसा नहीं कर सकता—न करूँगा—जबतक कि यह सरकार किसी को तैसी बनी रहेगी। यह बात मेरे नजदीक महज एक कार्यनीति (पोलसी) नहीं है, बल्कि अटल सिद्धान्त है। असहयोग (सर्वेभवाकास) और सविनय अग्र (विमिल नाफरमानी) ये एक ही फल, सत्याग्रह, की जूरी सुबरी धारें हैं। यह मेरा करवहुन—जामेजाम—है। सत्याग्रह क्या है? सत्य की खोज। और ईश्वर ही सत्य है। अहिंसा (अहम तथाहुद) यह ज्योति (रीशनी) है जिसके ज्यों सुके इस सत्य का दर्शन होता है। मेरे नजदीक ब्यराज्य उली सत्य का एक अंग है। इतिव आभिका, खेडा, चम्पारन तथा और किलो ही जगह इस सत्याग्रह में अपना काम धरावर बजाया। उसमें किसी किम के हिंसा या धुगा—भाव के लिए जगह नहीं है। इस लिए मैं अंगरेजों से नफरत नहीं कर सकता, न करूँगा। पर माथ ही मैं उनके जूए को भी गवारा (सहन) नहीं कर सकता। मैं भरते दम तक उस नापाक कोशिश को मुदाबल किये बिना टरगिज न रहूँगा, जो कि हिन्दुस्तान के सिर-पर अंगरेजी सारंगराज (विधि-विधान) कादने के लिए की जा रही है। लेकिन मैं अहिंसा के द्वारा ही उसका सामना कर रहा हूँ। मेरा यह हठ विग्राम है कि हिन्दुस्तान अहिंसा के धिययो के मजुदा अंगरेज हाकिमों का मुकाबला कर सकता है। हमारा यह आजमाइश (प्रयोग) नाकामयाब (अकसल) नहीं हुई है। जगमें सफलता जरूर हुई है लेकिन उस हद तक नहीं कि जिस हद तक हम चाहते और हमीद रखते थे। पर मैं निराश (नाइम्मीद) नरा हूँ। बरि, इसके खिलाफ मेरा तो विश्वास है कि सारलक्ष शीद्र ही स्वायत्त (अद सुकनार) हो जायगा और वह भी सत्याग्रह के ही जने। यह सुल्लतो करने की तजवीज भी उली प्रयोग का एक अंग है। अगर ऐसा बनया यह कार्यक्रम पूरा किया जा सके तो अराहदाग को फिर से शुरू करने की मुल्लक जरूरत न होगी। पर अगर यह फाटकम न बला ली धान्निमय असहयोग किसी न किसी शकल में, चाहे महगभा के द्वारा चाहे उससे अन्य, फिर जारी किया जायगा। मेने भी बार कहा है कि सत्याग्रह कभी खाली नहीं जाता और हम सत्याग्रह के प्रतिधारन के लिए सिर्फ एक ही पूरा सत्याग्रही काफी है। सविन आइम, हम सब मिलकर सच्चे सत्याग्रही बनने का सल (वे दिना) करे। इस यत्न के लिए ऐसे किसी भी गुण या योग्यता का जकल नही जो इस में से अदना से अदना भी न हासिल कर सके। सत्याग्रह द्वारा अन्तस्थ (अंतली) आहलकेज (रुद्र) का एक धर्म (सारि.यन) है। पर हम सब के अन्दर छिपा हुआ है। स्वराज्य की तरफ तो वे जन्मासद (पैदायकी) अधिकार (हक) है। बाहर, हम उसकी पशवाने।

बन्धुभातरम।



व सिर्फ कम काम और रंगभिरंगे कमकदार विदेशी कपड़ों से मुह मोड़ें बल्कि उन्हें यह भी सिखावें कि वे अपने पुरखत का बक्त का उपयोग धुनकने, कातने और गांध के जुलाहों से धुनवाने में करें, ऐसी ही बुनी खादी को पहने और इस तरह विदेशी तथा मिल के बने कपड़े की खरीदी में लगने वाला रुपया बचावें। इस तरह हाथ-कटाई और बुनाई यानी खादी के जयें किया गया विदेशी कपड़े का बहिष्कार न सिर्फ किसान के कपड़े की बचत ही करता है बल्कि कार्यकर्ताओं को उच्चतर दर्जे की मजदूरी-सेवा करने का मौका देता है। यह देशत के लोगों के साथ हमारा सीधा संबंध (रुगाव) जोड़ता है। इसके जयें हम उन्हें सभी राजनैतिक शिक्षा (सियासी तालीम) दे सकते हैं और उन्हें अपने पांव पर खड़े होने का और अपनी जरूरियात खुद रफा करने का सबक सिखा सकते हैं। इस प्रकार खादी का संगठन (तनत्रीम) सहयोग-समितियों से अथवा दूसरे किसी तरह के ग्राम्य-संगठन (देहाती तनत्रीम) में कितने ही बरजे बेहतर है। इसके अन्दर भारी से भारी राजनैतिक परिणाम छिपे हुए हैं, क्योंकि ऐसा करके हम बिरतानिया (ब्रिटेन) के रास्ते से सबसे बड़ा अनीति-मूलक प्रलोभन (गल्बसा) दूर करते हैं। लकाहायर के कपड़े के व्यापार (सिजारत) को मैं इसलिए अनीतिमूलक कहता हूँ कि उसकी बुनियाद हिन्दुस्तान के करोड़ों खेतिहरों (कारतकारों) की तबाही पर कायम की गई है और अब भी वह उसीके बल पर जिन्दा है। और चूँकि एक बड़ी इन्सान को दूसरी बर्दियों के लिए प्रेरित करती है, बिरतानिया के ने-शुमार अनीतिमय कामों (बर्दियों) की जड़ जो कि साफ साफ साबित किये जा चुके हैं, वही एक अनीतिमय व्यापार दिखाई जा सकती है। ऐसी हालत में अगर यह एक बड़ा प्रलोभन बिरतानिया के रास्ते से हिन्दुस्तान खुद अपनी कोशिश से हटा दे तो इसका नतीजा हिन्दुस्तान के लिए नेक साबित होगा। बिरतानिया के लिए नेक साबित होगा और चूँकि ब्रिटेन बुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सारी मनुष्य जाति (आदम-जात) के लिए भी नेक साबित होगा। मैं इस मसले को कुबूल करने के लिए तैयार नहीं कि पैदावार मांग के कर्जों पर चढ़ती है। बल्कि इसके खिलाफ नीति और धर्म का खयाल न रखने वाले (बद दिवानत) व्यापारी बनावटी तरीकों से मांग को बढ़ाते हैं और अगर यह जान ठीक है और मैं मानता हूँ कि ठीक है कि राष्ट्र (कौम) भी व्यक्तियों की तरह नीति के नियमों में बंधे हुए हैं तो उन्हें उन लोगों के कल्याण (बहुबुद्धी) का लिहाज रखना जरूरी है, जिनकी ककरतें पूरा करना वे चाहते हैं, जैसे एक राष्ट्र (कौम) के लिए हम कौमों को जो कि शराब का आर्षा हैं शराब पहुंचाना एक बुराई और बर्दी है। और बड़ी मिसाल अनाज और कपड़े पर भी घटेगी, अगर इनकी काशन या पैदावार का बंद हो जाना मजदूर, बेकारी और मुकदिली का वाहन हो। वे आखिरी बातें भी इन्सान के शरीर और आत्मा (रुह) को उसी तरह मुकसान पहुंचाती हैं जिन तरह कि नगिली बीजे। शिथिलता जोष की एक उलटी तस्वीर है और इसीलिए आन्त्रिकार वैंभी ही धानक (तबाहकून) साबित होती है जैसे कि नगिली बीजे, और यह बार तो हमसे भी बड़ जानी है, क्योंकि बेकारी या मुकदिली (निर्भनता,) से पैदा हुई शिथिलता को हमने अभी एक अनीति और पाप मानना नहीं सीखा है।

### ब्रिटेन का फर्ज

ऐसी हालत में मैं कहूंगा कि ब्रिटेन का यह फर्ज है कि वह अपने यहाँ से बाहर जानेवाली बीजों की सिजारत को हिन्दुस्तान के हित का बन्धुभी लिहाज रखकर नियमित करे (जाचने में लावे)। इसी तरह हिन्दुस्तान का भी यह फर्ज है कि वह अपने यहाँ बाहर से आने

वाली बीजों को अपनी बहुबुद्धी का लिहाज रखते हुए नियमित करे। वह अर्थशास्त्र गदत है जो नैतिक सिद्धान्तों की उपेक्षा करता है। अहिंसा-धर्म के मानी अपने व्यापक रूप (बसी अ मुरत) में, यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय (मैनुलअकतामी) व्यापार के नियमित बनाने में नैतिक सिद्धान्तों को पूरा महत्व दिया जाय। और मैं यह मानने को तैयार हूँ कि मेरी महत्वाकांक्षा इससे कम नहीं कि भारत की कोशिशों से अन्तर्राष्ट्रीय संबंध की बुनियाद नैतिक सिद्धान्तों पर बंध जाय। मैं उस बात को नहीं मानता कि मनुष्य-स्वभाव (इन्गानी फितरत) का हुकाव हमेशा नीचे की तरफ ही है। हाथ-कटाई या खादी के जयें विदेशी कपड़े के बहिष्कार का फल सिर्फ यही अन्दाज नहीं किया गया है कि एक अव्यक्त दर्जे का राजनैतिक नतीजा पैदा हो, बल्कि यह भी अन्दाज किया गया है कि हिन्दुस्तान के गरीब से गरीब नर-नारी को अपनी शक्ति का हान हो और वे मुक्त की आजादी के संग्राम (जहोजहद) में पूरा हिस्सा लें।

### विदेशी बनाम अंगरेजी

अब यहाँ इस बात का शायद ही जरूरत हो कि अंगरेजी कपड़े से, या जैसे कि कुछ देश ने बक (मुहिब्बाने बतन) कहते हैं, अंगरेजी माल के बहिष्कार की प्रसामय प्रवृत्ति (खसलत) तो ठीक, उसका निरामादन तक प्रत्यक्ष दिखनाया जाय। मैं तो बहिष्कार की बात सिर्फ हिन्दुस्तान के हित को ही महेश्जर रखकर कर रहा हूँ। हर किस्म के ब्रिटिश माल से हमें मुकसान नहीं पहुंचता है। कुछ अंगरेजी चीजें भी, जैसे किताबें, हमें अपनी दिमागी या सहानी तरकी के लिए दरकार होती हैं। अब रहा कपड़ा। मैं सिर्फ अंगरेजी कपड़ा ही हमारे लिए मुजिर (हानिकर) नहीं है, बल्कि तमाम विदेशी कपड़ा और हम लिहाज में कुछ दर्जे में, मिल का कपड़ा भी हमें मुकमान पहुंचाता है। सारांश कि जो फल हाथ-कटाई और खादी के जयें हासिल हो सकता है वह 'वेन केन उपायमन' किये महज अंगरेजी कपड़े के बहिष्कार से हरगिज नहीं हो सकता। अगर यह तभी हो सकता है जब कि तमाम विदेशी कपड़े का पूरा बहिष्कार कर दें। इस बहिष्कार का हेतु (मद्दा) कितनीका गजा देना नहीं, बल्कि उसकी जगह तो है राष्ट्र या हस्तों को कायम रखने के लिए।

### आक्षेपों पर विचार

लेकिन कुछ लोगों का ऐतराज है कि चरखे के पैगाम ने लोगों के दिलों में घर नहीं किया, उसमें जोश पैदा करने की ताकत नहीं है, यह सिर्फ आँगनों का पेशा है, इसके मानी दकियानूर्गी तरीकों पर फिर लौट जाना है। वे कहते हैं कि यह तो विज्ञान-पिशा के प्रताप शार्वा (शहानावार) आगे बढ़ने हुए कदम को, जिसकी कि गवाही आंयें दिन की नित नई कलें दे रही हैं, रोकने की एक पञ्चल कोशिश है। मेरी नाकिस राय में हिन्दुस्तान को इस समय जोश-खरोश (उन्नेजना) की जरूरत नहीं है, बल्कि ठोस काम करने की है। करोड़ों लोगों के लिए तो ठोस काम ही जोश और ताकत का मुम्बदा है। बात यह है कि अभी तक हमने चरखे को पूरी आजमाइश नहीं की है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हममें से कश्चोने तो अभी उस पर संजीदगी (गभीरता) के साथ गौर भी नहीं किया है। यहाँ तक कि महासमिति के भी सब सदस्यों ने समय समय पर अपने ही पास किये चरखा कातने के प्रस्ताव पर अब तक असल नहीं किया है। हममें से एक बड़ी तादाद ने तो उस पर विश्वास ही न करने की टान ली। ऐसी हालत में यह कहना इन्साफ की रू से ठीक न होगा कि चरखे की हलचल, उसके अन्दर जोश दिलाने की कमी से अ-सफल हो गई। और यह कहना कि चरखा महज औरतों

का पेशा है मानो वस्तुस्थिति (दकीकत) को न देखना है। आखिर मूल कानून की मिलें हैं क्या नीज : गिफ्त : बहुतमे चरखों का एक संग्रह (सज्जना)। उन्हें मरने नीज तो और कीज चलाने है। जब मौका आ गया है कि हम हम चरखों को छोड़ दें कि कुछ पेशे हम मरने की धान के खिलाफ है। जौ. मामूली बक्त में चरखा कानून औरतों का ही काम होगा। मगर हमारी आबी सरकार का उभेधा कुछ आदमी इस काम पर मुकर्रर करना होंगे कि वे चरखे में एक चरखे धन्धे की हिसियत को मदेनबर रखते हुए सुधार करते रहें। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो सुधार चरखे की बनावट में आज आप पाते हैं वे मुमकिन न होते अगर हममें से कई शाहस इस काम में अपनेको न लगाने और विन-रान इसी की पुनर्भ न लगे रहते।

### यन्त्र-सामग्री

मैं यह भी आपसे कहना चाहता हू कि यन्त्र-कला के बारे में मेरे कां ख्यालान बताये जाते हैं उनका अपने दिमाग से निकाल डालें। पढ़सी बात तो यह कि आज मैं यन्त्र-सामग्री विषयक अपने तमाम विचार पेश केन। मने पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा हू जिस तरह कि अपने विद्विसा संबंधी विश्वास को भी नहीं पेश कर रहा हू। चरखा खुद भी यन्त्रकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। मेरा गिर उसके अज्ञान (नामादम) आधिष्ठाता के प्रति रोज आदर से झुक जाता है। मुझे तनाप तो इस बात पर होता है कि हिन्दुस्तान के इस एक-मात्र चरखे उद्योग को बिला-बजह बरबाद कर दिया गया जोकि भूख की बला से १९०० मील लंबे और १५०० मील चौड़े मुल्क के तहते पर फैंके हजारों घरों की रक्षा करता था।

### कतारों के द्वारा मताधिकार

अब आप इस बात पर ताज्जुब न करेंगे कि मैं क्यों चरखे के पीछे पागल हो गया हूँ और न इसी बात पर हैरान होंगे कि मैंने इसे मताधिकार की शर्त में शामिल क्यों किया और क्यों स्वराज्य-इल की तरफ से देशबन्धु दास और प्रखित भीतीलाल नेहरू ने इसे भंडार किया। अगर आज मेरा बस चले तो मैं एक भी शाहम का नाम बतौर महासभा के सदस्य के महासभा के रजिस्टर में दर्ज न हूँ जो चरखा कानून पर राजामन्द न हो या जो हर मौक पर आदी का विवास न पहनें। फिर भी मैं स्वराज्य-इल का इतना हूँ कि उन्होंने इस दरजे तक भी इस बात को कुबूल किया। शर्तों का डीला कर दिया जाना हमारी फमजोरी या विश्वास के अभाव (गैतकाद की कर्मा) के खातिर एक रियायत ही है। लेकिन इस रियायत को उन लोगों के लिए जिनका कि पूरा विश्वास चरखे और आदी में है, अपनी कोशिश को और तेज करने का प्रेरक कारण होना चाहिए।

### कोई नया पैगाम नहीं

मैंने चरखे के बारे में इतनी मविस्तर चर्चा इसलिए की है कि मेरे पास देश के लिए और कोई बेदतर या नया पैगाम नहीं है। अगर हम वाकई 'शान्तिमय और उचित' उपायों से स्वराज्य हासिल किया चाहते हों तो मेरे पास चरखे से बड़ कर कोई दूसरा रामबाण उस्ता नहीं है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, सिर्फ यही एक हथियार ऐसा है जिसे हिंसात्मक साधनों की जगह सारा देश कुबूल कर सकता है। मैं सविनय अंग पर अब भी उभी तरह अटल हूँ। लेकिन जब तक कि हम अपने छन्दर विद्वेदी कपडे के बहिष्कार की ताकत न पैदा कर लें, सविनय अंग के जय स्वराज्य हासिल करना गैर-मुमकिन है। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर चरखे संबंधी मेरे खयालात आपको कुबूल न हों तो मैं महासभा की रहनु-माई (पथदर्शन) के लिए किस तरह निकम्मा हो जाऊंगा। अगर आप चरखे के मूलतत्व को जिसका प्रतिपादन (तशरीह) मैंने किया है, मल्लत मान्ये ही तो बरहकीकत आपका यह खयाल करना ठीक होगा

कि मैं देश की प्रगति (तरकी) में रुकावट हूँ, जैसा कि कई सज्जन अब भी समझते हैं। अगर आपके दिल और दिमाग दोनों इसको कुबूल न करें तो आप अपने कर्तव्य-पालन में चूकेंगे अगर आप मेरी रहनुमाई को नामंजूर न करें। देखो, कहीं ऐसा न हो कि फिर लोग यह कहें कि हम हिन्दुस्तानियों में 'ना' कहने की ताकत और हिम्मत नहीं है, जैसा कि लार्ड विलिंगडनने एकबार कहा था और ठीक कहा था। आप सब मानिए कि अगर मेरी तजवीज आपको कुबूल न हो और आप उसे नामंजूर कर दें तो इससे देश स्वराज्य की ओर एक कदम आगे बढ़ जायगा।

### हिन्दू-मुस्लिम-एकता

हिन्दू-मुस्लिम-एकता चरखे से कम महत्व नहीं रखती है। इसे तो हमारा जीवन-प्राण ही समझिए। इस मसले पर आपका ज्यादा समय लेना मैं जरूरी नहीं समझता। क्योंकि स्वराज्य हासिल करने के लिए उसकी जरूरत के प्रायः सब लंग कायल है। 'प्रायः' शब्द का प्रयोग (इस्तीवाल) मैंने जान-बूझ कर किया है। मैं जानता हूँ कि कुछ हिन्दू और मुसलमान ऐसे हैं जो अगर अकेले हिन्दुओं या अकेले मुसलमानों का राज्य हिन्दुस्तान में कायम न कर सके तो बिरनानिया की गुलामी की मौजूदा हालत को तरजीह देंगे। खुशी की बात है वे इने-गिने ही हैं।

मौलाना शौकतअली की तरह मैं भी टड आशावादी हूँ कि यह मौजूदा तनाजा एक चन्दरोजा दिमागी मर्ज (बिमारी) है। खिलाफत आन्दोलन (तहरीक) ने जिसमें कि हिन्दू और मुसलमान दोनों कन्धे से कन्धा निडाकर लड़े और असहयोग ने जो कि उसके बाद झुक हुआ, गफलत की नींद में सोई हुई जन्नता को जगा दिया। इसने ऊंची धेणी के लोगों में, और क्या जनता में, एक नई जाण्टि की लहर फैला दी। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी सुदगरज लोग थे जिन्हें असहयोग के उत्कर्ष (अहज) के दिनों में निराण (भायूस) होना पडा था। जब उन्होंने देखा कि अब असहयोग की पहले की टाठ न रही तो अपना मौका पाकर वे लगे दोनों कीमों की धार्मिक अन्धता (तजस्सुब) और सुदगर्जी से फायदा उठा कर अपना उकल लीला करने। मजहब को उन्होंने एक मखौल ही बना डाला और छोटी छोटी निकम्मी बातों को बड़ा कर मजहबी असमूलों के दरजे पर बठा दिया। और मजहबी दीवाने यह दावा पेश करने लगे कि उनका पालन करना हर मूरन में लाजिमी है। और फसाद पैदा करने के लिए आर्थिक (इकनसादी) और राजनैतिक (सियासी) कार्यों का दुहपयोग करने लगे। कोहाट में तो वे हरकतें चरम लीया की पहुंच गई थी। स्थानीय हाकिमों की संगदिली और लापरवाही ने उस दुर्घटना को और भी दुस्तदायी बना दिया। उसके कारणों की खानबीन करने या किसी को कुसूरवार ठहराने में बक्त बर्फ करना नहीं चाहना। और मैं ऐसा चाहता भी तो मेरे पास इसके लिए काफी मसाला नहीं था। बस इनका ही कहना काफी होगा कि कोहाट के हिन्दू अपनी जान के मारे शहरसे भाग निकले। कोहाट में मुसलमान बहुत भारी तादाद में बसते हैं। और जिस हदर कि एक गैर हुकूमत के मातहत मुमकिन हो सकता है प्रसाधकारी (पुर असर) राजनैतिक बल है। उनके लिए यह दिखलाभाई जेवा (शोभनीय) होगा कि हिन्दू भी उनकी बहुसंख्या के अन्दर उतने ही सुरक्षित (सलामत) हैं, जितने कि वे अगर कोहाट में तमाम ही बसे होते तो सलामत होते। कोहाट के मुसलमानों को तबतक बैन न लेना चाहिए जबतक कि एक एक आगित हिन्दू को कोहाट में वापस न ला सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हिन्दू भी सरकार के लगाये फन्दे में न फंस जायेंगे और हड़ता के साथ तबतक कोहाट छोड़ने से इनकार कर देंगे जबतक कि



वहाँ के मुसलमान उनके जानोमाल की हिफाजत का पूरा पूरा यकीन दिलाकर उन्हें न डराने। हिन्दू लोग सिर्फ उसी सूरत में मुसलमान की भारी आबादी में रह सकते हैं जब कि वे (मुसलमान) उन्हें दोस्ताना और बराबरी के सत्क के साथ बुलाने और अपने पास रखने पर सहमत रहें। और यही उसूल मुसलमानों पर भी आयद (पठित) है अगर उनकी संख्या छोटी और हिन्दुओं की आबादी भारी हो-अर्थात् उन्हें अपनी हस्ती को सम्मानपूर्वक (बातौकीर) कामम रखने के लिए हिन्दुओं के दोस्ताना सत्क पर ही अपना दारोमदार रखना होगा। कोई सरकार सिर्फ चोर-डाकुओं से ही अपनी प्रजा (रिआया) की रक्षा (हिफाजत) कर सकती है—हमारी अपनी सरकार हो तब भी यह अगर एक जाति दूसरी सारी जाति का बहिष्कार कर दे तो उससे उसकी रक्षा न कर सकेगी। सरकारें सिर्फ बेरामभूली सूरत पैदा ही जाने पर ही उनमें हाथ डाल सकती है। जब कि कड़ाई अगळे एक रोजाना मामूल (दैनिक नियम) हो जाय तब ऐसी हालत को गृह-युद्ध (स्वानाजंगी) कहेंगे और ऐसी हालत में दोनों दलवाले आपस में लड़कर ही निपटारा कर सकते हैं। मौजूदा सरकार एक गैर, और दरअसल परदे में एक फौजी हुकूमत है और इसलिए अपने पास इसकदर सामान तैयार रखती है कि जिससे उसके खिलाफ हमारे हर किस्म के एके से वह अपनी हिफाजत कर सके, और इसलिए उसकी इतनी ताकत भी जरूर है कि अगर वह चाहे तो हमारे जातिगत (फिरकाबंद) झगड़ों का बंदोबस्त भी कर सके। अगर कोई स्वराज्य-सरकार जो कि जरा भी लोकप्रिय होने का (जम्हूरियत का) दावा रखती हो, दरगिज जंगी पाये पर अपना संगठन कर के अपनी हस्ती कायम नहीं रख सकती। हमारी स्वराज्य-सरकार के मानी हैं, वह सरकार जो हिन्दुओं, मुसलमानों आदि की संयुक्त (मुसफिका) और सुली रजामंधी पर कायम हो। जो अगर हिन्दू और मुसलमान स्वराज्य चाहते हों तो उन्हें तो आपस में मिल-जुल कर अपने भेद-भाव (तफरके) को मिटाने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। देहली की ऐक्य-परिषद् ने हमारे मजहबों झगड़ों के तस्फिये का रास्ता सुझा बना दिया है। और सर्व-दल परिषद् की बनाई समिति से यह उम्मीद की जाती है कि वह और बातों के साथ साथ महज हिन्दुओं और मुसलमानों के ही नहीं, बल्कि मुल्क की तमाम जात, पात, पंथ और फिरके के राजनैतिक मत-भेदों (तफरकों) का ठीक और सुसाध्य (काबिले अमल) उपाय (तयबीर) खोज निकाले। इसमें हमारा लक्ष्य (मकसद) हाना चाहिए जितना जल्दी हो सके जातिगत या पंथगत (फिरकावाराना) प्रतिनिधित्व को मन्सूख कर देना। मतदानामण्डल (रायदिहन्दों के इल्ले) मिले-जुले हों और वे सिर्फ गुण और योग्यता (काबिलियत) के लिहाज से निष्पक्ष हो कर (बिला तअस्सुब) अपने प्रतिनिधियों (नुमायन्दों) को चुने। इसी तरह हमारी नीकरियों में भी बिला तअस्सुब सबसे ज्यादा काबिल मर्द और औरतें ही भरती किये जायें। लेकिन जबतक कि वह दिन न आवे कि जातिगत द्वेष (हसद) और तरजीह के भाव गये-गुजरे न हों जायें तबतक जो छोटी छोटी जातियाँ बड़ी जातियों की नीमत की शक की नजर से देखती हों, उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार चलने की छूट रहे। और बड़ी जातियों को इस बारे में कुरबानी का नमूना पेश करना चाहिए।

**अस्पृश्यता**

एक और रकाबट जो कि स्वराज्य के रास्ते में खड़ी है-अस्पृश्यता है। इसका निवारण (तदारुक) उसी कदर जरूरी है जिस कदर कि हिन्दू-मुस्लिम एकता का कायम होना। यह सवाल सिर्फ हिन्दुओं से ही तात्काल रखता है और हिन्दूलोग तबतक स्वराज्य का कोई दावा नहीं रखते और न उसे पा सकते हैं जबतक कि वे अपने दलित

भाइयों की उनकी आजादी न दे दें। उनकी दबा कर वे अपनी कियती खुद डुबा बैठे हैं। इतिहासकार (सुवरिख) हमें बताते हैं कि आर्य-जाति के आक्रमणकारियों ने (हमला आकर कर्मों ने) हिन्दुस्तान के मूल निवासियों (कदीमी बाशिंदों) से अगर ज्यादा बुरा नहीं तो कमसे कम बिन्कुल बैसा ही मुल्क किया जैसा कि हमारे अंगरेज आक्रमणकारी आज हमारे साथ कर रहे हैं। अगर यह बात सचमुच ऐसी ही है तो हमने जो एक अछूत जाति दी दुनिया में बना डाली है उसका यह ठीक प्रतिफल (बदला) अपनी माजूदा गुलामी के रूप में हमें मिला है। यह एक ईश्वरी कौप (कहरे इलाही) ही हमपर हुआ है, जिसके कि हम बिन्कुल योग्य हैं। जितना ही जल्दी हम इस कलंक को अपने सिर से मिटा देंगे तबना ही अच्छा हम हिन्दुओं के लिए होगा। लेकिन हमारे धर्माचार्य कहने हैं कि अस्पृश्यता तो ईश्वर-निर्मित (खुदाई कानन के मुताबिक) है। मेरा दावा है कि मैं भी हिन्दू-मजहब का कुछ ज्ञान (इल्म) रखता हूँ। मैं निश्चय (यकीन) के साथ कहता हूँ कि धर्माचार्य इन बात में गलती पर हैं। यह कहना कि ईश्वर ने मनुष्य-जाति (आदमजाद) के किसी हिस्से को अछूत करार देने के लिए पैदा किया है, मानो ईश्वर की धान को धक्का लगाना है। महासभा के हिन्दू सदस्यों का यह काम है कि वे जितनी जल्दी हो सके इन दिवारों को ढहा दें। वाइकोम के सत्याग्रही हमें इसका रास्ता दिखा ही रहे हैं। वे अपने आन्दोलन को दृढ़ता (साबित कदमी) और मैम्यता (हलीमी) के साथ चला रहे हैं। उनमें धीरज, हिम्मत और श्रद्धा है। जैसी किसी हलचल में ये गुण (असाफ) पाये जाय उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। फिर भी मैं अपने हिन्दू भाइयों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि वे उस लहर से अपनेको बचावें जो कि इन दिनों दलित जातियों को अपने राज-नैतिक मतलब गांठने में औजार बनाने की ओर दिखाई देती है। खुआछूत का दूर करना उच्च हिन्दुओं के लिए एक प्रायश्चित है जो कि हिन्दू-धर्म के तथा स्वयं अपने प्रति उनपर लाजिम है। जिन शुद्धि की जरूरत है वह अछूतों की नहीं बल्कि ऊँची कहलाने वाली जातियों की है। कोई एक दुनिया में ऐसी नहीं है जो काम तार पर अछूतों के ही अन्दर हो। मैला-कुचैलापन और आराग्य-रक्षा के नियमों के खिलाफ आदत भी महज उन्हींके अन्दर नहीं है। अपनेको ऊँचा गभजने वाले हम हिन्दुओं का अभिमान ही हमें अपने दोषों के प्रति अन्याय बना देता है और अपने बेचारे दलित-पीड़ित (मजहलम) भाइयों के दोषों को गढ़े का पहाड़ बना कर दिखाता है, जिन्हें कि हम दबाते नले आये हैं और अब भी जिनकी गर्दन पर सवार रहते हैं। भिन्न भिन्न राष्ट्रों (मुसल्लिक कर्मों) की तरह जुदा जुदा धर्म (मजहब) भी इस बकन कमाटी पर चढाये जा रहे हैं। ईश्वरी अनुग्रह (फजल) और प्रकाश (इल्हाम) का टंका किसी एक कौम या जाति (नराल) को नहीं है। वे बिना भेद-भाव उन सब बन्दों को प्राप्त होते हैं जो कि उनके हजर में हाजिर रहते हैं। उस कौम और उस मजहब का नामोनिशा दुनिया के सतह से मिटे बिना न रहेगा जो कि अपना दारोमदार बेइन्साफी (अन्याय) झूठ (असत्य) और पंथजल (दरिदगी) पर रखती है। ईश्वर प्रकाश (नूर) है, अन्धकार (तारकी) नहीं। यह प्रेम है, घृणा नहीं। वह गत्य है, अगत्य नहीं। एक ईश्वर ही महान है। ('अल्लाही अकबर') हम उसके बन्दे उसकी बरणरज (कदमों की खाक) हैं। आओ, हम सब मिल कर नम्र (हलीम) बनें और ईश्वर के छोटे से छोटे बन्दे के भी इस दुनिया में रहने के हक को दसलीम करें (मानें)। श्रीकृष्ण ने कटे-पुराने निषेध पढ़ने हुए सुदामा का वह स्वागत-सत्कार (ताकीर) किया जोकि किसीका नहीं किया था। गोस्वामी मुलसीदासजी का कथन है:

### ' क्या धर्म का मूल है वेद मूल अभिमान '

स्वराज्य हमें चाहे मिले वा न मिले, पर इसमें कोई छुपक नहीं कि हिन्दुओंको खुद अपने दिल की शुद्धि (सफाई) करनी होगी। तभी वे वैदिक धर्म के तत्त्वों के पुनरुज्जीवन की तथा उन्हें जीती जगती सूरत में देखने की आशा कर सकेंगे।

#### स्वराज्य की रूप-रेखा

मगर चरखा, हिन्दू-मुस्लिम-गकता और छुआछूत का निवारण हमारी ध्येय-प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधन हैं। हम किसी चीज के अन्तिम फल को पहले से कयाल नहीं कर सकते। मेरे लिए बन इनका ही काफी है कि मैं अपने साधनों (जराय) का अच्छी तरह चुनाव कर सकूँ। मेरे जीवन-मिथान में तो माथ और सावन में कोई अन्तर नहीं है। मगर जैसा कि मैं जाहिर कर चुका हूँ बहुत अरसे से इस मामले में मैं बाबू भगवानदासजी के विचारों का, जिन्हें कि उन्होंने लोगों के सामने पेश किया है, कायल हो चुका हूँ अर्थात् यह कि सर्व-साधारण को हमारे ध्येय का टीकटीक, न कि अनिश्चित रूप में, ज्ञान होना चाहिए। उन्हें स्वराज्य की पूरी ध्यालया जाननी चाहिए—उम स्वराज्य योजना का ज्ञान होना चाहिए जो कि गारे हिन्दुस्तान को दरकार है और जिसके कि लिए उसे लड़ाई लड़नी होगी। सुधी की बात है, कि सर्व-दल-परिवर्त की कमिटी के सिपुर्दे यह काम भी कर दिया गया है और हमें आशा करनी चाहिए कि कमिटी ऐसी तजवीज बना सकेगी जो कि तमाम दलों को मंजूर हो। आपको इजाजत हो तो मैं नीचे लिखी बंद बातें उसके गौर के लिए पेश करूँ—

१ मताधिकार की पात्रता न तो (सम्पत्ति) मालियत हो, और न पद (स्तबा) हो बल्कि शारीरिक श्रम (मजदूरी) हो जैसा कि सूतकताई जिसे मैंने महासभा के मताधिकार के लिये गुझाया है। शिक्षा और सम्पत्ति-संबंधी कर्तें मायावी (ना काबिल ऐसवार) साबित हुई हैं। शारीरिक शक्ति मंजूर हो जाने से हर शकस को जो देश के शासन-कार्य में तथा राज्य के हित-साधन में शरीक होना चाहते हो, देना करने का मौका मिलेगा।

२ मौजूदा घातक (तथाहकना) फौजी सर्वे उरा हद तक कम करना चाहिए जिस हद तक कि यह देश की मामूली हालत में जानो-माल की शिफाजत के लिए जरूरी हो।

३ न्याय के साधन सस्ते होने चाहिए और इस बात को मदेनजर रख कर अपील की आखिरी अदालत लन्दन में नहीं बल्कि देहली में होनी चाहिए। दीवानो मामलात में ज्यादातर फरीकेन को अपना मामला पंचायत में ले जाने पर मजबूर करना चाहिए। इन पंचायतों का फैसला आखिरी माना जाय, सिवा उन मामलात के जिन में बेइमानी या कानून का दुुरुपयोग किया गया हो। दरमियानी अदालतों की तादाद को जरूरत से ज्यादा न बढ़ने देना चाहिए। कानून नजीर मन्सूख किया जाय और जायते में आम तौर पर सावगी दाखिल करना चाहिए। हमने अंगरेजी जायते की लकीर का फकीर बन कर भारी और जराजीर्ण (उमर रसीदा) कानून का अनुकरण किया है। उपनिवेशों में तो जायते की सगल बमाने की प्रवृत्ति हो रही है जिनसे कि फरीकेन अपने मुकदमों की पैरवी खुद ही कर सकें।

४ शराब और नशीली चीजों की आमदनी उठा दी जाय।

५ मुल्की और फौजी जगहों की तनहवाई इतनी कम होनी चाहिए जिससे वे देश की सामान्य स्थिति के अनुकूल हो जायं।

६ भाषाओं के लिहाज से प्रान्तों की पुनर्रचना (हदबन्दी) की जाय और हर प्रान्त को अपने भीतरी शासन और तरफी के लिए जहांतक मुमकिन हो पूरी स्वाधीनता दी जाय।

७ एक कमीशन बैठाया जाय जोकि विदेशी लोगों को दिये गये ठेकों की जांच-परताल करे और उसकी सिफारिश पर उन लोगों के

तमाम न्याय-पूर्वक (हकता) प्राप्त हकों को सुरक्षित (सहकृत) रखने की पूरी नैरप्टी दी जाय।

८ देशी राज्यों को नैरप्टी मिलनी चाहिए कि उनका धरज। बदस्तूर धायम रहेगा और मध्यवर्ती सरकार की तरफसे किसी किसम की रोकटोक न होगी। अगर देशी रियासत की कोई रियावा जिससे बहाके फौजदारी कानून के खिलाफ कोई काम न किया हो, सरकारी इलाके में पनाह कैना चाहे तो उसके हकोंकी शिफाजत करना सरकार का हक होगा।

९ इतररह के मनमाने अकथारात एक बारगी मन्सूख किये जायें।

१० उचे से ऊंचा पद ऐसे हर शकस के लिए खुला होना चाहिए जो कि उसके काबिल हो। मुल्की और फौजी ओहदों के लिए परीक्षाये (इस्तहानात) हिन्दुस्तान में होनी चाहिए।

११ हर पन्थ के लोगों की पूरी मजहबी आजादी का हक पारस्परिक सहिष्णुता के न्याय को मदेनजर रखते हुए स्वीकार किया जाय।

१२ एक खास भीयाद के अन्दर हर प्रान्त की शकसतों और धारासभाओं का कामकाज उसी प्रान्त की भाषा में जारी हो जाना चाहिए। अपील की आखिरी अदालत की जघान हिन्दुस्तानी करा दी जाय—लिपि चाहे देवनागरी हो वा फारसी। मध्यवर्ती सरकार और बड़ी धारासभाओं की भाषा भी हिन्दुस्तानी ही हो। अन्तर्राष्ट्रीय राज्यव्यवहार की भाषा अंगरेजी रहे।

मुझे मरोमा है कि अगर आपको यह मालूम हो कि मेरे विचार के अनुसार बताई स्वराज्य की कुछ जरूरतों की रूप-रेखा में मैं हद से बाहर चला गया हूँ तो भी आप छूटते ही उसकी हंसी न उठाने हग जायेंगे। हमारे पास आज इन चीजों के केने या पाने की ताकत भले ही न हो। तबाल यह है कि हम इन्हें हासिल करना चाहते भी हैं या नहीं? आजो, पहले इन कमले का इस जमिनात को ही बढावें। इसके पहले कि मैं अपने इन बने कल्पनामय अतएव मनो-मोहक (हवाली और दिलबल्प) विषय को समाप्त (कतम) करूँ मैं उस कमिटी को जिसके जिम्मे स्वराज्य की तजवीज तैयार करने का काम हुआ है, बकीन दिखाना चाहता हूँ कि मैं यह हरमिज नहीं चाहता हूँ कि मेरे विचारों पर दूसरे किसी भी एक शकस के विचार से ज्यादा महत्व (अहमियत) दिया जाय। मैंने सिर्फ इस ख्याल ने इन्हें अपने भाषण में स्थान दिया है कि उनका ज्यादा प्रचार हो।

#### स्वतन्त्रता

पूर्वोक्त योजना में यह बात घृहीत कर ली गई है कि ब्रिटेन का संबंध पूरी बराबरी और सम्मानपूर्ण (बाहजकत) ध्यनहार की शर्त पर कायम रक्खा जा सकता है। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि महा-सभा के अन्दर एक ऐसा दल भी है जो चाहता है कि हर हालत में हम ब्रिटेन से पूरे आजाद हो जायं। वे बतौर एक बराबरी के हिस्सेदार के भी उसके साथ रहना नहीं चाहते। अंगरेजी सरकार को कुछ कहना है वह यदि ईमानदारी के साथ कहती हो और हमें सचाई के साथ पूरी समानता प्राप्त करने में मदद करे, तो ब्रिटिशों से कतई संबंध तोड़नेकी बनिस्बत यह हमारी ज्यादा विजय होगी। इसलिए मैं तो अपनी तरफ से साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य के लिए ही कोशिश करूँगा—लेकिन हाँ—अगर खुद ब्रिटेन के इंसारे से संबंध तोड़ कैना जरूरी हो जाय तो मैं ऐसा करने में जरा भी अत्ता-पीटा न करूँगा। इस तरह मैं संबंध विच्छेद का भार अंगरेजों पर छोड दूँगा। दुनिया के दुमिदारशील लोग आज ऐसे पूर्ण स्वतन्त्र राज्यों को नहीं चाहते हैं जो एक-दूसरे से कडते हों, बल्कि ऐसे राज्यों के संघ को चाहते हैं जो एक दूसरे के विष और आशिक हों। नके ही इस उद्देश की सिद्धि का दिन बहुत दूर ही। मैं अपने

देश के लिए कोई भारी भारी दावे करना नहीं चाहता। और मेरी समझ में कोई यह बात भी नहीं आती कि पूरी आजादी के बजाय इस विश्व-कुटुम्ब का एक सहयोगी अंग बनने के लिए अपनी तैयारी बाहिर करना कौन ऐसी भारी या असंभव बात है? यह बात ब्रिटेन पर छोड़ देनी चाहिए कि यह ऐजान करे कि यह हिन्दुस्तान से कच्ची दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं। मैं यह तो चाहता हूँ कि हमारे अन्दर पूरी तरह आजाद हो जाने की काबलियत हो। अगर मैं उस ताकत की जताने की उतनी स्वाहिस नहीं रखता। इसलिए जबतक ब्रिटेन इस कौल पर कायम है कि उसका मकसद हिन्दुस्तान को साम्राज्य के अन्तर्गत पूरी सभामता देना ही है, तबतक जो कोई स्व-राज्य की तजवीज मैं तैयार करूँगा वह खिरकत की नींव पर होगी न कि भिन्नता-हीन स्वतन्त्रता की नींव पर। मैं महासभा के हर सदस्य से जोर के साथ यह दरखास्त करूँगा कि वे हर बात में स्वतन्त्रता की घोषणा करने पर जोर न दें—इस बजह से नहीं कि यह कोई ना-मुमकिन बात है, बल्कि इसलिए कि जबतक यह पूरी तरह आहिर न हो जाय कि ब्रिटेन दरअसल अपनी घोषणाओं के खिलाफ हमें अपने अधीन ही बनावे रखना चाहता है, बिल्कुल गैर-जस्री है।

### स्वराज्य-दल

यहांतक तो मैंने अपने और स्वराजियों के दरम्यान समझौते की बातें तथा उससे उठने वाले सवालों पर अपने विचार प्रकट किये। स्वराज्य-दल को महासभा में जो बराबरी का दर्जा दिया गया है उसके बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा करने की नीयत न आती—इसलिए नहीं कि स्वराज्य-दल इसके लायक नहीं, बल्कि इसलिए कि धारासभा—प्रदेश संघर्षी उसके विचारों से मैं सहमत नहीं। लेकिन अगर मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं महासभा के अन्दर रहूँ और उसकी रहनुमाई करूं तो मेरे नजदीक इसके सिवा कोई चारा नहीं कि जो बातें मेरी आंखों के सामने भौख्य हैं उनको मैं मजर-अन्दाज न करूं। मेरे लिए यह एक सहूल बात की कि या तो मैं महासभा से निकल जाऊँ या सभापति बनने से इनकार करूं। अगर मैंने उसबतक यह सोचा और अब भी इसी रस्य पर कायम हूँ कि मेरे लिए ऐसा करना देश के लिए हानिकर (मुकसानदेह) साबित होगा। महासभा में स्वराज्य-दल की यदि बहु-संख्या नहीं है तो कम से कम एक अच्छी खासी तादाद जरूर है और वह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सो जब कि मैं यह फैसला कर चुका था कि स्वराज्य-दलके दर्जे के सवाल का फैसला महासभा में रायों के जयें न होना चाहिए तब मैं मजबूर था कि उनकी शर्तों को कुबूल करूं अगर वे मेरी अस्तराया (जमीर) के खिलाफ न हों। मेरी राय में वे शर्तें उनके सवाल से बेजा न थी। स्वराज्य अपनी कार्यनीति को सफल बनाने के लिए महासभा के नाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब एक ऐसा तरीका खोजना था कि जिससे एक ओर उनका काम निकले, दूसरी तरफ अपरिवर्तन-वादियों को उनकी नीति के साथ न बंध जाना पड़े। इसका एक तरीका यह था कि हमको अपनी नीति की रचना और उसके अनुसार काम करने की शक्ति और हुकूमती जिम्मेवारी और अहम्भारात दे दिखे जाय। और मैं कि मैं यह जिम्मेवारी अपने ऊपर न ले सकता था, और मुझे डर है कि मैं अपरिवर्तनवादी ऐसा नहीं कर सकता, मैं उनकी नीति की रचना करने में शरीक नहीं हो सकता और न मैं उसकी रचना कर ही सकता था जबतक कि मेरा दिल उसकी तरफ रुजू न होता। और बिल्कुल तो उसी चीज की तरफ रुजू हो सकता है जिस में कि इन्काम का विश्वास हो। मैं जानता हूँ कि एक स्वराज्य-दल को ही आजादसभा में अपने कार्यक्रम को चलाने की पूरी सत्ता महासभा की

तरफ से दी जाने से, बाकी और दलों की हाकत जो कि महासभा में आना चाहती है, कुछ नाजुक जरूर हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस से कोई छुटकारा न था। स्वराज्य-दल से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि महासभा में अपने मौजूदा हालात से फायदा उठाना छोड़ दे। आखिरकार वे अपने निज के लिए फायदा हासिल करना नहीं चाहते हैं बल्कि देश की सेवा के लिए। सब दलों की यही एक महत्वाकांक्षा (चाह) हो सकती है, दूसरी नहीं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरे तमाम दलों के लोग महासभा में शरीक हो कर अन्दर से देश की राजनीति पर अपना असर डालने का काम करें। विद्युपी बेसेंटने इस मामले में कदम आगे बढ़ा कर भारों के लिए रास्ता कर दिया है। मुझे मालूम है कि वे यदि चाहती तो बहुतसी बातें करा सकती थी, अगर उन्होंने केवल इसी आशा पर सन्तोष माना कि महासभा में आ कर और उसके अन्दर काम कर के वे मतदाताओं को अपने मत का कायल कर सकेंगे। मेरी नाकिस राय में अपरिवर्तनवादी भी शुद्ध हृदय से मेरे और स्वराजियों के समझौते के हक में राय दे सकते हैं। अब देश के तमाम दलों के मिल कर काम करने लायक कार्यक्रम सिर्फ यही है—खादी, हिन्दू-मुस्लिम-एकता और हिन्दुओं के लिए अस्पृश्यता निवारण। और क्या यही वे बातें नहीं हैं जिन्हें सत्र दल के लोग करना चाहते हैं?

### क्या यह महज सामाजिक सुधार (इसलाह) है ?

यह ऐतराज उठाना गया है कि इस कार्यक्रम के मंजूर करने से महासभा शुद्ध सामाजिक सुधार की संस्था बन जावगी। मैं इस राय से सहमत नहीं हूँ। स्वराज के लिए जो जो बातें निहायत जरूरी हैं—वे महज सामाजिक बातें नहीं हैं। उनका महत्व उससे कहीं अधिक है और महासभा को उन्हे जरूर उठा लेना चाहिए। इसके अलावा यह तो किसीने कहा ही नहीं है कि महासभा अपनी तमाम शक्ति इमेशा के लिए सिर्फ इसी काम में लगा दे। तजवीज सिफ यह है कि महासभा को आगामी वर्ष में अपनी तमाम कार्य शक्ति (ताकत) रचनात्मक कार्य में अर्थात् जिसे मैंने दूसरे शब्दों में आंतरिक विकास का कार्य कहा है—लगा देना चाहिए।

और यह बात भी नहीं कि इस समझौते में जिन तामीरी कामों का जिक्र है उन के सिवा कोई और रचनात्मक कार्य नहीं जिनको की महासभा अपने हाथ में न ले सके। जिन कामों का जिक्र अब मैं करूँगा वे हैं तो बड़े ही महत्व के लेकिन उनके बारे में कोई मत-भेद नहीं है और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए वे सर्वथा अनिवार्य नहीं हैं जैसे कि पूर्वोक्त तीन कार्य। इसीलिए ममझौते में उनका जिक्र नहीं किया गया है।

### राष्ट्रीय शिक्षालय

इसमें से एक ऐसा कार्य है—राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थाओं को कायम रखना। शाब्द जनता को यह बात न मालूम होगी कि खादी के बाद राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं को चलाने में सब से ज्यादा सफलता मिली है। जबतक बोर्डे भी विद्यार्थी रहेंगे वे संस्थाये बंद नहीं की जा सकती। प्रत्येक प्रान्त के नजदीक अपने विद्यालयों को जारी रखना अपनी इज्जत का सवाल होना चाहिए।

असहयोग मुलतबी कर देने का कुछ भी बुरा असर इन संस्थाओं पर न होना चाहिए। बल्कि इन्हे कायम रखने और उनको पुष्टि देने के लिए पहले से भी ज्यादा कोशिश होनी चाहिए। बहुत से प्रान्तों में राष्ट्रीय विद्यालय कायम हैं। अकेले गुजरात में ही एक ऐसा राष्ट्रीय विद्यापीठ है जिसमें १००,०००) सालाना खर्च होता है, ३ महा विद्यालय हैं और ७० पाठशालाएँ हैं जिनमें ९,००० विद्यार्थी, शिक्षा पा रहे हैं। अहमदाबाद में उनमें अपने लिए जमीन भी खरीद ली



हैं और २,०५,३२३) खर्च करके मकान भी बनवा रहा है। देश भरमें सबसे अच्छा और सुपचार काम हुआ है अहमदाबाद विद्यालयों के द्वारा ही। उनका त्याग भी बहुत बड़ा और उच्च है। दुनियावी खयाल से शायद उन्होंने अपने दानदार भविष्य को नष्ट कर दिया है। पर मैं उन्हें यह कहूंगा कि राष्ट्रीय दृष्टि से उन्हें नुकसान के बनिस्बत फायदा ही अधिक हुआ है। उन्होंने विद्यालयों को स्थापित छोड़ा था कि उन्हीं के जयें पंजाब में हमारे देश के युवकों को जे-इज्जत और जलील किया गया था। इन्हीं संस्थाओं में हमारी गुलामी की जंजीर की पहली कड़ी तैयार की जाती है। इसके मुकाबले में हमारी राष्ट्रीय संस्थाएँ, फिर चाहे उनकी व्यवस्था कैसी ही अपूर्ण क्यों न हो, उन कारखानों की तरह हैं जहाँ कि हमारी आजादी के पहले हथियार ढाले जाते हैं। कुछ भी हो, आखिर तो इन्हीं राष्ट्रीय संस्थाओं में पढ़ने वाले लड़कें और लड़कियों पर ही भविष्य की आशा निर्भर है। इसलिए मेरे खयाल में इन्हीं राष्ट्रीय संस्थाओं का रखना सबसे पहला हक है। लेकिन ये राष्ट्रीय संस्थाएँ तभी सच्चे मानी में राष्ट्रीय बनेंगी जबकि वे हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य की बढान की तालीम देने के कलबधर बन जायें। इसी तरह उनका छोटे छोटे बच्चों को यह तालीम देने के पलना बनना चाहिए जहाँ कि उन्हें यह तालीम मिल सके कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्म पर एक कलक है और मनुष्यत्व के खिलाफ एक जुर्म है। कताई गुनाह के हुनर की तालीम देनी चाहिए जिससे कि लड़कें और लड़कियाँ प्रवीण बन कर बाहर निकले। अगर महासभा का विश्वास चरखा और खादी की शक्ति में ज्यों का त्यों कायम रहे तो इन संस्थाओं के माफत एक चरखा-शाब्द तैयार हो जाने की आशा रखना अनुचित न होगा। ये संस्थाएँ खादी पैदा करने के कारखाने भी बनना चाहिए। यह कहने से यह मतलब नहीं कि लड़कें-लड़कियों को किसी प्रकार की साहित्य आदि की शिक्षा न दी जाय। पर मैं यह बात भी जरूर कहूंगा कि दिमागी तालीम के साथ ही साथ हाथ और हृदय की शिक्षा भी मिलनी चाहिए। किसी राष्ट्रीय विद्यालय की उपयोगिता और पात्रता की परख उसके छात्रों और विद्वानों की सिद्धियों की चमक-दमक से नहीं होगी बल्कि राष्ट्रीय चारित्र्यबल और तौल, चरखे और फरसे चलाने की निपुणता से होगी। इसलिए एक ओर जहाँ मैं इस बात के लिए बड़ा उत्सुक हूँ कि कोई भी राष्ट्रीय विद्यालय बन्द न हो, तहाँ दूसरी ओर मुझे उस पाठशाला को बन्द करने में जरा भी हिचकिचाहट न होगी, जो गैर-हिन्दू लड़कों को भरती करने की परवाह न करती हो और जिसने अछूत बालकों के लिए अपने दरवाजे बन्द रखे हो और जिसमें पुनकना और कानना शिक्षा के अनिर्णय (लाजिमी) विषय न हों। अब यह समय चला गया जब कि हम सिर्फ पाठशाला के साइन-बोर्ड पर 'राष्ट्रीय' शब्द पढ़ कर और यह जान कर कि किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय (युनिवर्सिटी) से उम्का सन्ध नहीं है और उसकी व्यवस्था में सरकार का कुछ भी हाथ नहीं है, मनोव मान लेते थे। मुझे यहाँ इस बात की आर भी इंगारा कर देना चाहिए कि आजकल बहुतेरी 'राष्ट्रीय' संस्थाओं में देशी भाषाओं तथा हिन्दुस्तानी के प्रति उपेक्षा रखने की प्रवृत्ति देखी जाती है। बहुत से शिक्षकों को देशी भाषाओं के या हिन्दुस्तानी के जयें शिक्षा देने की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। मुझे यह बख कर बड़ी खुशी होती है कि श्री मंगायररावने राष्ट्रीय शिक्षा-शाखाओं की एक सभा करने की प्रवृत्ति किया है जिसमें वे मेरी बताई इन बातों के मुताबिक एक दूसरे पर अपना तजरिका जाहिर कर सकेंगे और यदि संभव हुआ तो उनकी तालिम और कार्य के लिए एक सके सामान्य योजना तैयार करेंगे।

### लेकार असहयोगी।

राष्ट्र के आवाहन के अनुसार जिन बकीलों ने वकालत छोड़ दी है और जिन शिक्षकों, और यूरे सरकारी नौकरों ने अपनी सरकारी नौकरियाँ छोड़ दी हैं, मैं समझता हूँ कि उनके उद्देश्य करनेका योग्य स्थान अब आ गया। मैं जानता हूँ कि बहुत से शम्स ऐसे हैं जिन्हें अपनी गुजर करना मुश्किल हो रहा है। वे हर तरह से राष्ट्र की ओर से सहायता पाने के योग्य हैं। खादी मंडल और राष्ट्रीय विद्यालय ये दोनों कार्य ऐसे हैं जिसमें करीब करीब असंख्य ईमानदार मिहनती लोगोंका सिलसिला लग सकता है, जोकि काम सीखने और मिहनत करने के लिए तैयार हैं और जिन्हें थोड़ी तनख्वाह से सतोष है। मैं देखता हूँ कि राष्ट्रीय कार्य के विमित बिना कुछ लिए काम करनेकी प्रवृत्ति कुछ लोगों के अन्दर है। हाँ, उनकी अवैतनिक काम करनेकी इच्छा अवश्य ही सराहनीय है, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। जो शम्स किसी काम को करता है वह जरूर उसके मिहनताना पाने के लायक है। कोई भी देश दिन-रात काम करनेवाले अवैतनिक कार्यकर्ताओं को हजारों की तादाद में पैदा नहीं कर सकता। इसलिए हमें ऐसा बायुमंडल तैयार करना चाहिए कि जिसमें कोई भी स्वयंसेवक देश की सेवा करने और उस के बदले वेतन स्वीकार करने में अपनी इज्जत समझे।

### जशीली चीजे

इस के अलावा दूसरे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं आशीम और शराब का न्यापार। सन १९२१ में देश में जो उस्ताह की लहर इस छोर में उम छोर तक फैली हुई थी वह यदि शान्तिपूर्ण बनी रहती तो हमें आज इन में दिन-ब-दिन बढ़ती हुई तरकी दिखाई देती। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा शराब की दुकानों का पहरा छिपे छिपे हिंसात्मक हो उठा, क्योंकि खुल्लम खुल्ला तो हिंसा कम नहीं सकते थे। इसलिए पहले का तिलसिला बन्द कर देना पडा और अकीम और शराब की दुकानें फिर पहले की तरह फूलने-फलने लगी। लेकिन यह मुन कर आपको खुशी होगी कि यह दर्शवाजी को रोकने का काम बिल्कुल बन्द नहीं हो गया है। बहुत से कार्यकर्ता आज भी शान्ति के साथ निःस्वार्थ-भाव से सुपचार नशेबाजों को रोकनेका काम कर रहे हैं। इतना होते हुए भी हमें यह जान लेना चाहिए कि जबतक स्वराज न मिलेगा हम इस गुनाह की दूर न कर सकेंगे। हमारे लिए यह कोई फल (अभिमान) की बात नहीं है जो ऐसे अनैतियूलक कार्यों की आमदनी से हमारे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। धारामभा में गये हुए महासभा के सदस्य यदि साहस दिखा कर इस आमदनी को एकदम बिल्कुल ही बन्द कर देंगे—फिर भले ही उसकी आमदनी के अभाव में शिक्षणसंस्थाओं को एक भी पैसा न मिले, तो मैं उनके भारागमनों में जाने की बात को प्रायः भूल जाऊंगा। और यदि वे उतनी ही कमी फौजो खर्च में करने पर जोर देते रहेंगे तो शिक्षा-संस्थाओं को कुछ भी नुकसान न पहुँच सकेगा।

### संगीला क। इमन

आपसे यह उम्का होगा कि जबतक मैंने जो कुछ कहा सिर्फ देश के आंतरिक विकास के संबंध में ही कहा है।

लेकिन बाहरी परिस्थित और उसमें भी सात कर हमारे राज्यकर्ताओं के कामकाज पर हमारे ध्येय पर उतना ही निर्भर होता है जिसना कि आंतरिक विकास का, हाँ कि यह जरूर विपरीत होता है। यदि इन चाहें तो उनके कार्यों से फायदा उठा सकते हैं; पर यदि हम उन के आगे झुक गये तो अपना ही नुकसान कर लेंगे। हमारे राज्यकर्ताओं का सब से ताजा काम है मंगवा में कुछ किया इमन। सदैवक परिवर्त के साथ साथ शर्तों में उस की



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—श्रीइनवास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक २१ ]

मुद्रक—प्रकाशक  
 वैनीलाल छगनलाल दूब

अहमदाबाद, पौष सुदी ७, संवत् १९८१  
 गुरुवार, १ जनवरी, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 सारंगपुर सरकोपरा की बाड़ी

## बेलगांव के संस्मरण

जब कि बहुतेरे विचार मन में उठ रहे हों और वे सब प्रकाशित होने के लिए कोलाहल ( शोरगुल ) मचा रहे हों तब उन्हें प्रकाशित करनेवाले का काम ऐसा हो जाता है जिससे लोग किनाराकशी करते हैं। बेलगांव के अपने संस्मरणों को जाहिर करने के लिए पेन्सिल हाथ में लेते समय मेरी हालत ऐसी ही हो रही है। मैं भिन्न उन्हें प्रकाशित करने की कोशिश भर कर सकता हूँ।

गंगाधररावजी देशपांडे और उनके साथियों की टोली ने वैसा ही काम किया जैसा कि इस मौके के अनुरूप करना चाहिए था। उनके विजयनगर को तो बस पूरी विजय—सफलता ही समझिए—स्वराज्य की अभी नहीं; पर सगठन की। हर छोटी बात भी विचार के बाद की गई थी। डाक्टर इर्डीकर के स्वयंसेवक तेज-तर्रार और अपने काम पर मुस्तंज थे। सबके चौड़ी और साफ सुवरी पोंचे और भी चौड़ी आसानी से की जा सकती थी जिससे कि वहाँ के हुकानदारों और हवारी तमाशाबानों की भीड़ के आवदरपत्त में सहूलियत हो जाती। रोशनी का इन्तजाम पूरा पूरा था। विशाल सभा—मंडप और उसके सामने खड़ा संगमरमरी फव्वारा तमाम प्रवेश करनेवालों को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखाई देता था। मंडप में कम से कम १७०००, आदमियों की गुंजायश की गई थी। सफाई और तन्दुरस्ती का इन्तजाम यद्यपि बहुत अच्छा था, फिर भी इससे ज्यादा बाकायदा इन्तजाम की जरूरत थी। इस्तेमाल किये हुए पानी को निकालने का तरीका बहुत पहले जमाने का था। मैं कानपुर के लोगों का ध्यान इस तरफ आँखना चाहता हूँ, जिन्हें कि १९२५ की महासभा की बैठक अपने यहाँ करने का सांभाग्य प्राप्त होनेवाला है। उन्हें चाहिए कि वे ऐसे पदार्थों की सफाई और तन्दुरस्ती कायम रखने के निहायत कारगर तरीकों पर अभी से गौर करते रहें और इस बड़े अच्छी काम को ऐनवकत पर करने के लिए न रक्त छोड़ें।

एक ओर जहाँ मैं बिला बटके बेलगांव महासभा के बहुत कुछ कामिक इन्तजाम की तारीफ करता हूँ तहाँ दूसरी ओर मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि गंगाधररावजी इस मोह से अपने को न बचा सके कि बाहरी डाट-बाठ में खूब खर्चा खर्च किया जाय

और बड़े माने जानेवाले लोगों के ऐशो-आराम के साधन सुरैया करके को पुरानी परिवारी बचम रखली जाय। सभापति की झोंपड़ी को ही लीजिए। मैंने तो एक खादी की 'झोंपड़ी' का ही बीड़ा बिना था; पर खादी का एक खासा महल ही तैयार कर के मेरी हतक की गई। सभापति के लिए त्रितनी लंबी चौड़ी जमीन रखली गई थी, बड़ बेशक जरूरी थी। उस 'महल' के आसपास जो हाता बीँबा गया था वह भी बिल्कुल अच्छी था, क्योंकि उसके "बदौलत" उन लोगों की भीड़ से मेरी रखा होती थी जो मेरे प्रति प्रेम और आदर के कारण मुझे बहुत दिक और परेशान करने का बाइस होती है। लेकिन मैं निश्चय के साथ कहता हूँ कि अगर उसका टीका मेरे बिन्ने रहता तो इससे आगे खर्च में सभापति के लिए उतनी ही जगह और उतने ही आराम का इन्तजाम कर देता। ऐसी फजूलखर्ची की मैं और भी मिसालें दे सकता हूँ। विषय समिति के सदस्यों तथा और सज्जनों की निहारी और जल-पान में भी ऐसी ही गैरजरूरी ज्यादाखर्ची दिखाई देती थी। जो जो चीजें परोसी जाती थीं उनमें तादाद की कोई कैद या लिहाज नहीं रक्खा जाता था। इसके लिए मैं किसीको दोष देना नहीं चाहता। इधर फजूलखर्ची का उगम दर्यादिली से हुआ है। यह सब शुभ हेतु से किया गया था। जालीस बरसों का पुराना रबाज एक दिन में नहीं टूट सकता—जबतक कि ऐसा शक्य जिसकी बात लोग सुन सकें, लगातार उसपर टीका-टिप्पणी न करता रहे। मैं जानता हूँ कि जब १९२१ में मैंने बल्लभभाई से कहा था कि गुजरात ही इस बारे में आगे कदम बढ़ावे तो उन्होंने अवाब दिया था कि जहाँ मैं सादगी दाखिल करने और फजूलखर्ची न हाने देने की कोशिश करूँगा तहाँ मैं अपने प्रिय गुजरात को कंजूस कहलाने का अवसर भी न दूँगा। मैं उन्हें यह बात न समझा सका कि यदि वे कई हजार रुपये खर्च कर के फव्वारा न लगावेंगे तो कोई उन्हें कंजूस न कहेगा। मैंने उनसे यह भी कहा था कि आप जो कुछ करेंगे उसका अनुकरण और जगह भी होय। पर बल्लभभाई कंजूस कहलाने का कलंक अपने घिर केने को तैयार न हुए। अब मैं कानपुर को सलाह देता हूँ कि वह इसमें आगे बढ़ कर रास्ता बोक दे। कानपुर की कंजूझी दूसरे दिन कंजूष-

बर्षी मानी जा सकती है। हाँ, बलभमाई ने भी बहुत सी बातें छोड़ दी थीं। और उन चीजों की निम्नत जिनकी जरूरत दर बलक न महसूस हुई कोई शिक्षायत मेरे कान पर न आई।

हमें यह बात याद रखना चाहिए कि महासभा की मन्शा उन लोगों को प्रतिनिधि बनाना है जो गरीब से गरीब हैं, मिहनत मशकत करते हैं और जो कि भारत के जीवन-प्राण हैं। सो हमारा पैमाना ऐसा होना चाहिए जो उनके मुभाफिक आ सके। इसलिए कम खर्च की ओर अपना कदम दिन ब दिन आगे बढ़ाना होगा; पर इतना कि न तो हमारे कान में खराबी पैदा हो और न जरूरी बात में आगा-पीछा करें।

मेरी राय में रहने और खाने का खर्च जो अभी देना पड़ता है बहुत भारी है। हमें इस बारे हमें स्वामी अज्ञानद्वो से नसीहत लेनी चाहिए। मुझे याद है कि उन्होंने अपने गुरुकुल के १९१६ के वार्षिकोत्सव में आनेवाले मिहमानों के लिए किस तरह के छपर बलनाये थे। उन्होंने, मैं समझना हूँ, कोई २०००) में फूस के छपर बनवा डाले थे। उन्होंने भोजन के लिए दुकानें अन्दर बुलवा ली थी और रहने का कुछ भी दाम किसीसे नहीं लिया था। उस इन्जाम पर किसीको कुछ शिक्षायत न हो सकती थी। वे जानते थे कि हमें किन किन चीजों की उम्मीद रखनी चाहिए।

इस तरह कई ४०,००० लोग गुरुकुल के मैदान में बिना किसी तरह की दिक्कत और प्रायः बिना किसी प्रकार के खर्च के रह सके थे। और इससे अधिक बात और क्या हो सकती थी कि हर शकल जो चाँच चाहता था मिल जाती थी और वह अपनी मरजा के मुताबिक थोड़ा या ज्यादा खर्च उठा कर रह सकता था।

मैं यह नहीं कहता कि स्वामीजी की तजवीज की हरफ-ब हरफ मकल की जाय। पर मैं यह जरूर कहता हूँ कि बेहतर और ज्यादा सस्ते इन्जाम की निहायत जरूरत है। प्रतिनिधियों की कीमत के १० से १) कर दिये जाने पर सब लोग उछल पड़े थे। और मुझे यकीन है कि रहने और खाने के खर्च में फर्क करना लोगों के दिलों को और भी ज्यादा पसन्द होगा।

तो फिर आमदनी की तदबेर क्या हो? हर एक प्रेक्षक के लिए एक छोटी प्रवेश-फौस रखनी जाय। महासभा को एक तरह का साखाना मेला न हो जाना चाहिए जिनमें दर्शक लोग काफियाव आवें और दिल-बहाला के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें झाँक कर जायें। महासभा का विचार या बर्नावाला हिस्सा एक ऐसी मद हानी चाहिए जिन के साथ साथ दिखाना वाला हिस्सा चलता रहे। और इसलिए इस साल की तरह वह ठीक वक्त पर होजाना चाहिए और उसकी पाबन्दी धार्मिक भाव से होनी चाहिए। मैं निश्चय के साथ नहीं कह सकता कि तमाम सभा-सम्मेलनों—(जलसों) को एक ही सप्ताह के अन्दर भर देने से कोई कौमी काम बनता हो। मेरी राय में सिर्फ वही जल्द महासभा-सप्ताह में रखने चाहिए जिनसे महासभा की ताज्ज बहती हो। सभापति (सदर) और उनके मन्त्रिमण्डल से यह उम्मीद न रखना चाहिए कि वे महासभा के काम के अलावा और बातों में भी ध्यान दे सकेंगे। मैं जानता हूँ कि अगर मेरा वक्त और और बातों में न लगाना पड़ता तो मैं अपने सौंपे काम को ज्यादा अच्छी तरह कर पाता। मुझे सोचने-विचारने के लिए एक कक्षा (क्षण) वक्त नहीं बच रहा था। इसीसे मैं कताई के द्वारा सत्ताधिकार को सफल बनाने के लिए जरूरी सिफारिशों का आका तैयार न कर सका। बात यह है कि दूसरी परिषदों के व्यवस्थापक अपने

काम में मंजीवगी के साथ नहीं लगते। वे उन परिषदों को केवल इसीलिए करते हैं कि यह एक फेशन हो गया है। मैं जुदे जुदे क्षेत्रों के तमाम कार्यकर्ताओं (कारकुनों) से इसरार (आग्रह) करूँगा कि वे हर साल की अपनी शक्ति की इस फजूलबर्फी से बाज्र आवें।

उषी हुनर और उद्योग की सुमाइश एक ऐसी चीज है जिस की बढ़ती साल हरमाल होनी चाहिए। संगीत के जलसों ने हजारों लोगों का मजोरजन किया होगा। चित्रों के द्वारा किये गये भाषण, जिनमें हमारे देश के सबसे बड़े कौमी धन्धे—बलकका के सत्यानाश के शोकान्त इतिहास का तथा उसके पुनरुद्धार की संभावनाओं का दिग्दर्शन कराया जाना एक यथा-रयान, उपदेशप्रद और मनोरंजक चीज थी। सतीश बाबू ने जिसतरह विचार-पूर्वक और भलीभाँति उन व्याख्यानों की तजवीज की थी, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। कताई की बाजी भी एक विश्रस्थायो भग हो जाना चाहिए। यह बाज्रा लोगों को कितनी पसन्द हुई यह बात उसमें शरीक होनेवाले लोगों की तादाद और उसके उम्दा नतीजों से तथा उसे आश्रय देनेवालों की संख्या से भलीभाँति जानी जाती है। इस खरखा-आन्दोलन के बदौलत भारत को जिया अपने एकान्तवाश से जिसतरह बाहर निकल रही है उस तरह किनी और उपाय से न निकल पाती। ११ इनाम पानेवालों में से ४ जिया थीं। इससे उन्हें जो गौरव (हुरमत) और आरम-विश्वास मिला वह किसी भी विश्व-विद्यालय की उपाधि से न मिल पाता। वे इस बात को जानती जा रही हैं कि हमारी सक्रिय सहायता भी उतनी ही अरिहार्म (जरूरी) है जितनी कि पुशों की सहायता और इससे भी अधिक बात यह कि उनके द्वारा यह सहायता, यदि क्यादह नहीं तो कम से कम पुशों के जैसी ही आनामी से दी जा सकती है।

इन विचारों को खतम करने के पहले मैं एक बात का जिक्र किये बिना नहीं रह सकता। महासभा की छावनी में मेला उठाने के काम में कोई ७५ स्वयंसेवक लगे हुए थे, जिनमें ज्यादातर तर ब्राह्मण थे। हाँ, म्युनिस्पल्टी के भेग भी जरूर लिये गये थे; परन्तु इन स्वयंसेवकों का रखना भी जरूरी समझा गया था। काका कालेलकर जिनके कि जिम्मे दूढ़ काम सौंपा गया था, कहते हैं कि मेला-मफाई का काम उतनी अच्छी तरह न हो पाता अगर यह स्वयंसेवकों की दुश्की न खलों को गई होती। उन्होंने यह भी कहा कि स्वयंसेवकों ने यह काम बड़े खुशी खुशी किया। उस काम को करने में किनीमें भी आगा-पीछा न किया, हालाँकि मामूली तौर पर उसके लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। और एक निहाज से तो यह काम दूसरे तयाम कामों से कहीं ऊँचे दरजे का है। इसमें कोई शक नहीं कि सफाई और तन्पुस्तती संभवो काम स्वयंसेवकों की तमाम तालीम की बुनियाद समझी जानी चाहिए।

( स. दं. )

महासभास करमर्षद गांधी

पंजाब में 'हिन्दी-नवजीवन' मुफ्त

मिहानी के श्रीयुत मेनाराम वेद्य सूचित करते हैं कि पंजाब के सार्वजनिक पुरतहालयों और बाचनालयों को 'हिन्दी-नवजीवन' उनकी तरफ से मुफ्त दिया जायगा।

नीचे लिखे पते पर वे अपना नाम और पूरा पता छाक साफ लिख कर भेजें—

व्यवस्थापक 'हिन्दी-नवजीवन'

## टिप्पणियाँ

## दो वचन (बादे)

तामिल के एक प्रतिनिधि ने एक वचन दिया है। वह यह है—“मैं, ३० अप्रैल १९२५ के पहले, मद्रास शहर में दस हजार चरके बलवा दूंगा।”

आपका सदा का भक्त  
एल. के. तुलसीराम

तामिल के प्रतिनिधियों की एक सभा में श्री. तुलसीराम ने यह विद्दी सुने ही थी। दस हजार चरके चलवाने के दरअसल मानी हैं उतने सदस्य बनाना। यदि मद्रास शहर ही से दस हजार सदस्य निकल सकते हैं तो सारे तामिल-नाड से कितने सदस्य मिल सकेंगे ?

दूसरा वचन जो इससे भी अधिक महत्व का है श्री० जाफरअली खां की तरफ से मिला है। उन्होंने बड़ा गंभीर वचन दिया है कि आपका कार्य—काल खतम होने के पहले मैं २५००० मुसलमान क्रांतनेवालों को सदस्य बना दूंगा। यदि मौलाना का इसमें सफलता मिली तो वे बड़ी से बड़ी मुबारकबादी पाने के हकदार होंगे—इसलिए नहीं कि पंजाब में २५००० मुसलमान सदस्यों को संख्या कोई बड़ी संख्या है, बशर्ते कि लोगों को इस का स्वाद लगे, बल्कि इसलिए कि जब कि इतने लोग कताई से किसी आफत के आ जाने का घुरा भविष्य करते हैं तब उनका इस प्रकार गंभीर वचन देना मेरी राय में अत्यंत अरुणत बात है। मैंने मौलाना से कह दिया है कि यदि आप अपना बंधा तकेगे तो इसके लिए मुझे उपवास करना होगा। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं चाहता कि आप खूबकुशी (आत्महत्या) कर लें। यदि मैं उसे पूरा करना न चाहता हूँ तो और उसका पूरा करना मुझे असंभव मालूम होता तो मैं यह वादा ही न करता। मैं चाहता हूँ कि हर एक प्रान्त से ऐसे वचन मिलें। लेकिन जोश में आ कर कोई वचन न दें। जब तक बादे के साथ अटक निश्चय—बल न हो तब तक वचन देने का कुछ भी अर्थ नहीं होता। मैं यह जानता हूँ कि लडाई के वक्त अधिकारियों की तरफ से प्रत्येक प्रान्त का हिस्सा मुक़र्रर किया जाता था और प्रान्तों को उतना धन—खज देना पड़ता था। उसमें उनको कितना देना होगा यह मुक़र्रर था और न देने पर उसके साथ सजा भी लगी रहती थी। परन्तु, क्या इसलिए कि प्रान्तों को खूद ही अपना हिस्सा आप मुक़र्रर करने के लिए कहा गया है और इसलिए कि वादा तोड़ने पर कोई सजा तजवीज नहीं की गई है, उन्हें थोड़ा काम करना चाहिए ?

(४० इ०)

श्री० क० गांधी

एक नमूना

बाबू हरदयाल नाग ने गांधीजी को एक खत भेजा था, जिस में उन्होंने अपने बेलगांव न आ सकने के कारण इस प्रकार बताया था—एक तो मैं परिवर्तों से घबड़ा गया हूँ। दूसरे मैं महज ‘दिली बातें करने के लिए’ अपना खाड़ी का काम छोड़ने के लिए अपने दिल को तैयार नहीं कर सकता। तीसरे मैं आपके खिलाफ़ राम नहीं देना चाहता। चौथे, बलकलेवाले समझौते को अब खूब ही समझना चाहिए। पाँचवें, मैं असहयोग को मुस्तवी कराने में साथ नहीं दे सकता। कहर असहयोगियों का नाम—विधायन भिटा देने के बिना असहयोग को मुस्तवी करने की जरूरत मुझे नहीं दिखाई देती। छठे, हिन्दू—मुस्लिम—एकता के बारे में मेरे विचार बिल्कुल जुड़े हैं जो कि कितने ही महासभा के अगुओं के नहीं मिलते हैं। आठवें, रागों का नतीजा यह है कि आज

‘काजल की कोठरी’ में रहते हुए भी अपने को बलवा न लगाने दे सकते हैं—पर मेरी हालत ऐसी नहीं। आठवें, मैं बहुमत के नियम के पक्ष में हूँ। और बेलगांव में, मुझे मालूम हुआ है कि ऐसे किसी नियम की पाबंदी नहीं होगी। और नवें बेलगांव जाने की बलिस्वत यहाँ रह कर खादी पैदा करने में मेरे रुपये और समय का अधिक सदुपयोग होगा। बंगाल की प्रान्तिक समिति जोकि स्वराजियों के हाथ में है, कताई और बुनार के प्रकार में शासक ही कुछ मदद देती है। बंगाल से प्रायः सब सूत मेजनेवाले लोग कहर असहयोगी और उनके मित्र ही हैं।

अन्त में नाग बाबू जनवरी में किसी समय बंगाल आकर कहर असहयोगियों से मिलने और बंगाल के कुछ हिस्से में दौरा करने का अनुरोध करते हुए अपना पत्र खतम करते हैं।

इस पर गांधीजी सं. इ में इसतरह टिप्पणी करते हैं—

“बाबू हरदयाल नाग एक बाँके असहयोगी हैं। उनके मनोवृत्ति की कितने ही अपरिवर्तनवादियों का नमूना समझिए। उनके इन विचारों को पठकर मैं उनके बेलगांव न जाने के फैसले का समर्थन किये बिना नहीं रह सकता। हाँ, असहयोग को मुस्तवी तक रखने के बारे में उनकी बाराजगी ही में ज़रूर कहर करता हूँ। अच्छा होता, यदि यह बाराजगी और भी होती। सारे राष्ट्र के कार्यक्रम के तौरपर मैं जो इसे मुस्तवी कर रहा हूँ सो इसलिए नहीं कि यह मुझे अच्छा मालूम होता है, बल्कि परिस्थिति ने मुझे मजबूर कर दिया है। अब यह व्यक्तियों के जिम्मे रह जाता है कि वे अपने आचरण के द्वारा और अहिंसात्मक बने रह कर उसकी सफलता दिखावें और यदि जरूरत हो तो फिर उसे राष्ट्रीय स्वरूप दें। मैं बाबू हरदयाल से तथा उन लोगों से जो उनके से जवाबदाय रहते हैं, कहूँगा कि वे अपने प्रतिपक्षियों पर दुष्टता का आरोप करने में बहुत सावधानी से काम लें। “आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्” यह सर्वोत्तम नियम है। जिनपर हम दुष्टता का आरोप करते हैं वे उलट कर आम तौरपर हमपर भी बड़ी आरंभ करते हैं जो हमने उनपर किया था। पर नहीं भी मैं यह बात ज़रूर मानता हूँ कि यदि कोई किसीको बलकलेप दुष्ट मानते हों तो फिर उसे या असहयोग किये बिना बारा नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती से दुनिया में बहुतेरी बातें अपनी अपनी मनोदशा के अनुसार ही करनी पड़ती हैं। यदि मैं रस्ती को गलती से साँप समझ लूँ तो मुमकिन है कि घबड़ाहट के मारे मेरी हवाश्यां उड़ने लगे, और मैं अपने साथ लके लोगों के मनोरंजन का साधन बन बैठूँ जो कि जानते हैं कि वह दरअसल रस्ती है। “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयोः।” अब बंगाल की महासभा—संस्थाओं की शिकायत से जहाँतक तालुक है, आज जो कुछ भी हालत हो, यदि हाथ—कताई मताधिकार का हक हो जाय तो महासभा की ऐसी कोई संस्था कायम नहीं रह सकती जो हाथ—कताई को प्रोत्साहित न करेगी और उसका संगठन न करेगी।

और मेरे बंगाल आने के संबंध में, ज्योंही मौका मिलेगा मैं जुड़े जुड़े जिलों में भ्रमण करने के लिए आऊँगा। पर वक्त मुक़र्रर कर देना मेरे लिए मुश्किल है। २३ जनवरी के बाद कोहाट के आश्रित हिन्दुओं का काम मेरे जिम्मे है। और उसके पहले का कोई दिन खाली नहीं है। और यह कहना कठिन है कि पंजाब की यात्रा पूरी हो जाने के बाद भाग्य मुझे कहाँ कहाँ के आश्रय देगा।”

**बक इनाम**

मेरे अवरोध करने पर भी, रेवाशंकर जगजीवन जवेरी ने 'बरखा और कादी का सन्देश' इस विषय पर सब से बढ़िया निबंध लिखने वाले को (१०००) पुरस्कार देना स्वीकार किया है। निबंध में इस उद्योग के बाधा का इतिहास शुरू से देना होगा और उसके पुनरुद्धार की क्या संभावना है, इसपर बहस करनी होगी। आगे की और बातें अगले अंक में प्रकाशित की जायेंगी। मो० क० गांधी

**हिन्दी-नवजीवन**

गुरुवार, पौष सुदी ७, संवत् १९८१

**कैसे करना होगा ?**

महासभा ने एक बहुत ही बड़ा कदम आगे बढ़ाया है या बीधा कि कुछ लोग कहते हैं, उसने एक पाण्डु आदमी के कहने से बड़ी भारी बेवकूफी कर डाली है। महासभा के सदस्यों को, चाहे वे इच्छापूर्वक हों या अनिच्छापूर्वक, कातने की शर्त को पूरा करके इस कदम को सही शक्ति करना होगा। जो काम अब तक कुछ ही लोग कर रहे थे वह अब महासभा के तमाम सदस्यों को करना होगा। महासभा अपने हर एक सदस्य से व्यवस्थित तौर पर मजदूरी करने की आशा रखती है। यदि वह उस मजदूरी को करने के पर राजामन्द नहीं है तो उसे दूसरे की मजदूरी खरीद कर—दूसरे से सूत कता कर, देनी होगी।

पर यह काम स्पष्टतः बड़ा मुश्किल है। यदि वह आसान होता तो इसके सफल होने पर जिस बड़े नतीजे की आशा रखी जाती है उसका रक्षना ही संभव न होता। जब साल में सिर्फ बार बार आगे इकट्ठा करने पड़ते थे तब भी तो वह काम मुश्किल ही मान्य हुआ था। और आज सब प्रान्तों में मिला कर ५०,००० की ऐसे सदस्य महासभा के रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं। अब महासभा अपने हर समासद से यह उम्मीद रखती है कि वह माहवार २००० गज सूत कातेगा या अपनी तरफ से दूसरों से कता कर उतना ही सूत देगा। इसतरह कार्यकर्ताओं की कातनेवालों के संबंध में लगातार आना होगा और मेरी राय में सदस्यता की इस शर्त का जो कुछ भी बक है वह इसीमें है। इससे लोगों को बड़े ऊंचे ढंग की राजनीतिक (समाजी) शिक्षा मिलती है।

अब हर एक प्रान्त के लिए मकीनन् सफलता प्राप्त करने का रास्ता यह है कि जितने मतदाताओं की उम्मीद वह रखता हो उनकी कम से कम तादाद सुरक्षित कर ले और जबतक इतने मतदाता न मिले तबतक दम न ले। अब सारे हिन्दुस्तान में कम से कम तादाद मिलने पर भी कोई ५०,००,००० बरखे तो बलते ही होंगे। वे सब कातनेवाले आसानी से महासभा के सदस्य बन सकते हैं। जो लोग सबसे काम केसे हैं वे अब उन्हें कह सकते हैं कि काम के लिए बाध अपना सिर्फ आधा चण्टा कताई में सफ करे। इस के लिए किसी नये संगठन की जरूरत न होगी। रुई, पुनिया, आदि तो तैयार ही हैं। इन्तजाम सिर्फ इतना ही करना होगा कि स्वेच्छा-पूर्वक कातनेवालों या सदस्य बनने के लिए कातने वालों को जितनी पुनियां चाहिए वे महासभा को भेंट में मिलें। कातने वालों से तो सिर्फ २००० गज सूत कातने की मजदूरी ही मुफ्त मिली गई है। फिर ऐसे लोग भी हैं जो सूत कातने का पेशा तो

नहीं करते हैं पर जो अपनी खुशी से सूत कातते हैं। अब जो लोग आज कात रहे हैं उन्हें अपने मित्रों और पड़ोसियों से कातने के लिए और महासभा के सदस्य बनने के लिए कहना होगा। हर एक कार्यकर्ता २० कातने वालों की मंडली—कलबबर बना कर यह काम कर सकता है। यह कलब पर छोटे और भरे-पूरे होना चाहिए जिससे कि वे अच्छा काम कर सकें। उसको शुरू करनेवाले सदस्य को धुनकना और कातना अच्छी तरह आना चाहिए; क्योंकि पहले-पहल कई इकट्ठा करना, धुनकना, पुनियां बनाना और कलब के सदस्यों में उन्हें बांट देना, इन कामों का सारा बोझ उसीपर रहेगा। तीसरे किस्म का काम है जो लोग इच्छा न होने के कारण नहीं कातते उनके लिए इन्तजाम करना। जो लोग सच्चे हैं और कातना नहीं चाहते वे तो कुदरती तौर पर अपने घर में से ही किसीको अपने बजाय कातने के लिए ढूँढ निकालेंगे। इससे वे मकीनन् अच्छा और सचमुच ही हाथ से कता सूत दे सकेंगे। इससे दूसरे दरजे के लोग जिन्हें कातने की इच्छा नहीं है, अपने बजाय कातने के लिए एक कुशल कातनेवाले को ढूँढा रखेंगे। और आखिरी दरजे के लोग वे हैं जो बाजार से सूत खरीद कर देंगे और इस तरह हाथ से कते सूत के बजाय दूसरे सूत को भी खरीदने की जोखिम उठावेंगे। महासभा के जो सदस्य कातना नहीं चाहते उन्हें हमारे सर्व-सामान्य 'येम की पुहाई' दे कर मैं यह चेता देता हूँ कि वे इस आखिरी तरीके से बाज रहें। इस आखिरी दरजे के लोगों का सदस्य बनना आसान बात है और यदि बहुतेरे लोग इससे फायदा उठावेंगे तो इससे रणाबाजी सरे आम चल पड़ेगी और इस वरेख धंधे के साथ जो इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है, बड़ा अन्याय होगा। मुझे तो यह आशा है कि ऐसे बहुत ही थोड़े लोग होंगे जो महासभा और देश के लिए कातना न चाहेंगे। सदस्यता की इस शर्त में 'अनिच्छा' शब्द को सिर्फ इसलिए स्थान मिला है कि जो महासभा के पुराने सदस्य हैं और जो यदि महासभा को छोड़ना चाहें तो भी मैं उन्हें छोड़ने नहीं देना चाहता उनकी मुश्किलें हल हो जायें। लेकिन मैं तो यह उम्मीद रखना कि इस (कातने की) 'अनिच्छा' को प्रोत्साहन न मिलेगा और सिर्फ हाथ से कता सूत पैदा होने से बालसी और जंगे-भूले काम नहीं करने लग जायेंगे। लोगों को बरखा बनाने के लिए उत्पाहित करने की शारीरिक मिहनत करने का और वह भी हाथ से सूत कातने की मिहनत करने का बायुमंडल आवश्यक है। और ऐसा बायुमंडल तैयार करने का यही सबसे उत्तम तरीका है कि महासभा के सदस्य स्वयं कातने में अपनी इच्छत समझने लगे।

( ब० इ० ) मोहनदास करमचन्द गांधी

रु. १) में

१ जीवन का सहाय	॥)
२ लोकमान्य को भ्रष्टाचरि	॥)
३ जयन्ति अंक	॥)
४ हिन्दू-मुस्लिम तनाव	॥)

डाक बर्ष १-) सहित मनीआर्डर सेजिए ।

चारों पुस्तके एक साथ खरीदने वाले को रु. १) में मिलेगी। मुख्य मनीआर्डर से भेजिए। जो. पी. नहीं भेजी जाती। डाक बर्ष और पेकिंग बर्गरह के ०-५-० अलग भेजना होगा।



## देव और असुर

महासभा की बैठक शुरू होने के पहले यह देख में किन्नर रहा हूँ और इस समय बहुतेरे स्याक मेरे दिमाग में उमड़ रहे हैं। आज एतवार—मेरा मौन दिन है। अभी महासभा की बैठक के चार दिन बाकी हैं। निरंकुश सुबह का बफ है। खुदा और शैतान—(पारखियों के) अहुरमज्द और अहरिमान की हमेशा की लड़ाई मेरे दिम में और-और के साथ हो रही है, और वह उनके दूसरे बेगुमार रण-भेदों की तरह एक साधा मैदाने-जंग हो रहा है। दो दिन तक मैंने 'अपरिवर्तनवादियों' से बातचीत की। उन्हें मैं बड़े कीमती दिन मानता हूँ। सरोजनी देवी फरमाती हैं कि 'अपरिवर्तनवादी' एक खराब लफ्ज (शब्द) है। मैंने उनकी बात को मान लिया और ज्यादा मीठा शब्द लोगों के सामने पेश करने का बोझ उनकी काब-प्रतिभा (सावरी) पर छोड़ दिया। एक आवाज मेरे दिम में कहती है कि "तुम्हें जो अपना फर्ज (कर्तव्य) दिखाई दे उचीको अगर तुम अदा (पालन) करते रहें और दूसरी फजूल बातों की चिन्ता (किन्ता) न करते रहे" तो सब काम ठीक ही होगा।" दूसरी आवाज उठती है "तुम महज बेवकूफ हो। तुम्हें न तो स्वराजियों की बात माननी चाहिए और न अपरिवर्तनवादियों का भरोसा करना चाहिए। स्वराजी लोग तुम्हारे मुँह पर बात बना देते हैं—वे करना बरबा कुछ नहीं चाहते। और अपरिवर्तनवादी तुम्हें ऐन मौके पर आफत में फसा कर अलग हो जायेंगे। इन दोनों में बेचारे तुम्हारे बरजे के धुरें उड़ जायेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी सीख मानो—और महासभा से अलग हो जाओ।" लेकिन मैं उस मुद्दी बात को मानूँगा। अगर स्वराजियों ने मुझे बोखा दिया या अपरिवर्तनवादियों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो क्या मुजायका है? मुकसान उन्हींका होगा, मेरा नहीं। पर अगर मैं भीमान् व्यवस्था—रखपुर महासभा की बखीहत पर ध्यान दूँ तो मैं पहले से ही सब को बैठा हूँ। मैं कल के खान हो अभी से देख केवा नहीं चाहता। मेरा मतलब सिर्फ आज की चिन्ता रखने से है। ईश्वर ने मुझे आनेवाली चखियों पर कब्जा नहीं दे रखा है। ऐसी हालत में मुझे अगर स्वराजियों की बात पर इत्मीनान रखना होगा जैसा मैं चाहता हूँ कि वे मेरी बात पर ऐतबार करें। मैं अपरिवर्तनवादियों पर भी कमजोरी का इजाम लगाने का साहस नहीं कर सकता; क्योंकि मैं नहीं पसंद करता कि वे मुझे कमजोर ख्याल करें। इसलिए मुझे स्वराजियों की इमानदारी और अपरिवर्तनवादियों की ताकत दोनों पर ऐतबार (विश्वास) रखना होगा।

हां, यह बात सब है कि बहुत बार लोगों ने मेरे साथ दगाबाजी की है। बहुतां ने मुझे बोखा दिया है और कितने ही कबे साबित हुए हैं। लेकिन उनके संसर्ग (सोहबत) पर मुझे पछतावा नहीं है। क्योंकि जिस तरह मैं सहयोग करना जानता था उसी तरह असहयोग करना भी जानता था। इस दुनिया में रहने और बरतने का सबसे ब्याह्र अमली और शरीफाना (गौरवपूर्ण) तरीका यही है कि लोग जो मुँह से कहें उसपर ऐतबार करें—जब तक कि उनके खिलाफ पक्के बज्रहात (कारण) आपके पास न हों।

जो, मेरी दिवत नहूँ कि किसपर ऐतबार करूं और किस पर न करूं। मेरी कठिनाई तो यह है कि दरअसल आगे दूँज भी ऐसे अपरिवर्तनवादी मुद्दिक से होंगे जो सोलहों आना, या कुछ मिलाकर मेरे और स्वराजियों के दरम्यान समझौते से खुश हों। उन्हें सबे दिम से अपने मनमें झुबह (सन्वेह) है। मेरी उनके साथ हमदर्दी है; फिर भी मैं समझता हूँ कि उस समझौते पर कायम रहना मैं ठीक ही कर रहा हूँ। अगर उनसे हो सकता तो वे मुझसे

अलग हो जाते; पर वे ऐसा नहीं कर सकते। हम एक दूसरे से इस प्रकार बंधे हुए हैं कि छुटाये-छूट नहीं सकते। अपने विश्वासों को एक ओर रक्कर वे मेरे फैसले पर विश्वास रखना चाहते हैं। यह हालत सबमुब उल्लान बवानेवाली है। यह मेरी किम्मेवारी को हजार गुना बडा देती है। पर मैं उन्हें बकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी जान में उनके साथ विश्वासघात (दगाबाजी) न करूँगा। मैं ऐसा कोई काम न करूँगा जिससे देव के हित या ध्यान को बका पहुँचता हो। सब से ज्यादा तसल्ली तो मैं उन्हें यह कह कर दे सकता हूँ यदि वे खुद अपनेतरई सच्चे बने रहेंगे तो सब काम ठीक ही होगा। हर अपरिवर्तनवादी अपना शुरूवाती फर्ज अदा कर चुकेगा, अगर वह हिन्दू-मुस्लिम-एकता का बालन करेगा, अपना तमाम फुरसत का बफ सूत कातने, खादी-विद्या को जानने में लगावेगा और खादी पहनेगा तथा हिन्दू धर्मन अपने अछूत भाई को अपने ही जैसा चाहेगा। इतना काम तो हममें से हर शख्स बिना किसी की हमदाय के कर सकता है। खुद अमक करने से बचकर कोई तकरीर (बजूता) और प्रचार का साधन (जर्नी) नहीं। यह हर शख्स दूसरे की तरफ से बिला दिवत और तवाकल के कर सकता है। दूसरों की चिन्ता न करना अहुरमज्द—बैब—का रास्ता है। अहरिमान हमें अपनेसे धुर के बाकर अपने जाक के काँच केता है। ईश्वर न काबा में है, न काषा में है। वह तो बट बट में ब्यास है—हर दिम में मौजूद है। इसतरह स्वराज्य भी अपना ही दिम कोजने से मिलेगा—औरों के—अपने साबियों के भी बरोसे बैठ रहने से नहीं।

( ४० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## महासभा के प्रस्ताव

दास-गांधी-समझौता

(१) यह महासभा महात्मा गांधी और स्वराज्य-दक की ओर से देसबन्धु दास और पं. जोतीकाल मेहक के दरम्यान हुए नीचे लिखे समझौते को बरकरार रखती है।

(२) महासभा को यह उम्मीद है कि इस समझौते के बदीकत महासभा के दोनों दलों में सच्ची एकता हो जायगी और दूसरी राजनैतिक (सयासी) संस्थाओं (जमातों) के लोगों को भी महासभा में शरीक होने की सहूलियत होगी।

महासभा स्वराजियों को तथा दूसरे लोगों को जो कि १८१८ ई. के कानून इ या नये परमान की क से पकडे गये हैं, बपाई देती है और यह राय बाहिर करती है कि ऐसी गिरफ्तारियाँ तबतक नहीं रक सकती जबतक कि हिन्दुस्तान के लोगों में अपनी आजादी और अपने बरजे को संभालने की ताकत नहीं आ जाती और उसकी वह भी राय है कि मुल्क (देस) की मौजूदा हालत में यह कृबत (क्षमता) तमाम बिदेसी कपडे के, जिसने कि एक बरसे से अपने पाँव यहाँ जमा रक्के हैं, छोडने से ही आ सकती है। अतएव इस राष्ट्रीय हेतु (कौमी बरज) को पूरा करने के हक निबय (इस्तकनाक) और सरगर्मी के बिह-स्वख्य (बतौर निवान के) हाब-कताई के मताधिकार में शरीक किये जाने का स्वागत (इस्तकनाक) करती है और हर शख्स से प्रार्थना (अपीक) करती है कि वे इसको अपना कर महासभा में शरीक हों।

(३) ऊपर लिखी बातों को मद्देनजर (ज्याब में) रकते हुए महासभा हर हिन्दुस्तानी बई और औपन से नम उम्मीद

रखती है वह तमाम विदेशी कपड़े को छोड़ दे और महज हाथ-कती-बुनी खादी को ही पहने और हस्तैमाल करे। और इस परब (हेतु) को बिना घेरी पूरा करने के अथवा से महासभा अपने तमाम सदस्यों (मैम्बरों) से उम्मीद करती है कि वे हाथ-कताई तथा उससे पहले ही तमाम विधियों में तथा खादी की पैदावार और बिक्री में मदद देंगे।

(४) महासभा हिन्दुस्तान के तमाम राजों-महाराजों, बनी-रहसों आदि और उन तमाम राजनैतिक (सयासी) तथा दूखरी संस्थाओं (जमैयत) से जो कि महासभा में शामिल नहीं हैं, तथा म्युनिस्पैलिटीयों, लोकल बोर्डों, पंचायतों तथा दीगर (अन्य) ऐसी संस्थाओं से दरखास्त करती है कि वे खुद हाथ-कती-बुनी खादी हस्तैमाल करके तथा और तरीके से और साथ कर उन कारीगरों को अच्छा आश्रय दे कर जोकि अब भी बच रहे हैं और नफीज खादी पर बढिया कारीगरी कर के बिका सकते हैं, हाथ-कताई और खादी के प्रचार में सहायता करें।

(५) महासभा उन व्यापारियों से जो कि विदेशी कपड़े और सूत की तिजारत करते हैं, दरखास्त करती है कि वे राष्ट्र के हित की कदर करें और अब आगे विदेशी कपड़ा व सूत न मंगाने और खादी का रोजगार करके कौमी बरैद धंधे को मदद करें।

(६) महासभा पर यह बात जाहर हुई है कि मिलों में और हाथ-करवों पर ऐसा तरह तरह का कपडा तैयार किया जाता है जो कि हिन्दुस्तान में खादी बताकर बेचा जा रहा है। इसलिए महासभा ऐसे तमाम मिल-मालिकों तथा दूसरे कपडा बनानेवालों से प्रार्थना करती है कि वे इस बुरे सिस्तेम को बन्द कर दें और वह भी प्रार्थना करती है कि वे सिर्फ उन्हीं हिस्सों में अपना काम जारी रखें जिनतक महासभा का असर अभी नहीं पहुंचा है और उनसे दरखास्त करती है कि विदेशी सूत मंगाना बन्द कर दें।

(७) महासभा हिन्दु-मुसलमान तथा दूसरे पंथों के बर्म गुरुओं (उकेमा) और नेताओं से प्रार्थना करती है कि वे अपने अपने पंथवालों को खादी का पैगाम सुनावें और उन्हें सलाह दें कि विदेशी कपड़े का हस्तैमाल बन्द कर दें।

#### कताई द्वारा मताधिकार

महासभा के संगठन की दफा ७ मन्सूख की जाय। उसकी अगह नीचे लिखी धारा कायम की जाय।

(१) हर शकस जो कि दफा ४ की रू से 'अ-पात्र' न हो, महासभा की किसी प्रान्तीय समिति (सूबा कमिटी) के मातहत महासभा की किसी भी शुक्वाती (प्राथमिक) संस्था का समासद (मैम्बर) हो सकता है। पर जो शकस तमाम राजनैतिक या महासभा के जल्लों में या महासभा के काम में रुगे रहते हुए हाथ-कती और हाथ-बुनी खादी न पहने और जो २४००० गज एकसा खुद अपना कता या अगर बीमार हो, रजामन्द न हो या ऐसी ही कोई बजह हो तो उसका ही दूसरे का कता सूत हर साल न देगा वह समासद नहीं हो सकता। कोई शकस एक ही साथ महासभा की किसी दो समितियों का समासद नहीं हो सकता।

(२) महासभा का साल १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक माना जायगा। समासदी का यह चन्दा पेशगी एकमुस्त किया जायगा या हरमाह २००० गज की किल्लों में पेशगी दिया जा सकता है। जो शकस साल के बीच में सदस्य होंगे उन्हें साल का पूरा चन्दा देना होगा।

इस साल के किय सङ्कलित—१९२५ के लिए २०,००० गज सूत चन्दा देना होगा और यह १ मार्च तक या उसके पहले के देना

होगा या ऊपर लिखे मुताबिक किल्लों में अदा किया जा सकेगा।

(३) जिस शकस ने अपना चन्दा (सूत) एकमुस्त या किल्लों में अदा न किया हो वह किसी भी महासभा-संस्था के प्रतिनिधियों (जुमायन्दों) के या किसी समिति (कमिटी) या उप समिति (सब कमिटी) के चुनाव में राय देने का मुस्तहकबन होगा और न वह उनमें जुने जाने या महासभा की या किसी भी महासभा-संस्था की या समिति की या उप-समिति की बैठक में शरीक होने का मुस्तहक होगा।

जिस किसी सदस्य ने अपना चन्दा (सूत) देने में गफलत की हो वह फिर से अपना वह चन्दा (सूत) तथा चल्द माह की किल्ल देने पर अपने गये हुए अधिकारों (अक्वाररत) को वा आयगा।

(४) हर प्रान्तीय समिति (सूबा कमिटी) को, मन्सामति (आ. इं कां. कमिटी) को हर माह सदस्यों का और इस दफा के मुताबिक आये सूत का खोरा भेजना होगा। प्रान्तिक समितियां चंदा में आये सूत का १/४ या उसकी कीमत महा-समिति को देंगी।

#### प्रवासी-भारतीय

(अ) महासभा को प्रवासी भारतवासियों की दिन-ब-दिन बढती हुई लाकारियों पर बडा खेद है और वह अपनी यह राय जाहर करती है कि भारत तथा साम्राज्य-सरकार ने प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा नहीं की है जिसे कि बार बार उन्होंने अपना 'ट्रस्ट' कहा है। महासभा प्रवासी भारतीयों की तकलीफों पर अपनी हमदर्दी जाहिर करती है, पर साथ ही उसे इस बात पर अफसोस है कि जबतक हिन्दुस्तान में स्वराज्य नहीं हो जाता तबतक वह उन्हें कोई कारगर सहायता करने से मजबूर है।

(आ) महासभा दक्षिण आफ्रिका की यूनियन के गवर्नर जनरल के नेटाल के प्रान्तीय धारासभा के उस फरमान को मंजूर करने पर अपना अत्यन्त (निहायत) असन्तोष जाहिर करता है, जिसके द्वारा वहाँ बसे हुए लोगों के म्युनिस्पैलिटी के मताधिकार जोकि उन्हें बहुत अरसे से हासिल थे, छीन लिये गये हैं।

(इ) महासभा इस मताधिकार के छीने जाने को न सिर्फ साफ तौर पर अन्यायपूर्ण (ना-इन्साफाना) बल्कि १९१४ में यूनियन सरकार और हिन्दुस्तानियों के बीच हुए ठहराम तथा नेटाल सरकार के पिछले एलानों के खिलाफ भी मानती है।

(ई) महासभा की यह राय है कि केनिया के सवाल का जो फैसला कहा जाता है वह मामों केनिया-निवासी भारतीयों के कुदरती और न्यायपूर्ण हकों का छेन लेगा ही है।

(उ) महासभा श्रीमती सरोजिनी देवी के द्वारा की गई प्रवासी भारतीयों की महान् सेवाओं की कदर करती है, जिन्होंने कि अपनी कार्यशक्ति और लगन के द्वारा अपनेको प्रवासी भारतीयों का प्रीति-पात्र बना लिया है और अपनी बकतताओं (तकरीरों) के बल पर वहाँ के योरपियनों को भी अपनी 'बाह' हमदर्दी के साथ सुनने पर तैयार कर लिया था।

(ऊ) महासभा भारत-सेवक-समिति वाले भी बड़े प्रथा पं. बनारसीदास चतुर्वेदी के द्वारा केनिया-निवासीयों की की गई सेवाओं का उल्लेख कृतज्ञतापूर्वक करती है।

#### बर्मा में दमन

(क) महासभा बर्मा-निवासीयों (बासिदों) के दुखों के प्रति आदर के साथ अपनी प्रबन्धी जाहर करती है और

उसे भरोसा है कि वे उस समय के दौरदौरे से जो कि आजकल उनके वहाँ हो रहा है, व किसी तरह हरेगे, न हवेंगे।

(क) महासभा बर्मा में जाकर बसनेवाले कुछ हिन्दुस्तानियों के इस दावे की प्रवृत्ति (रगवत) पर कि हमारे प्रतिनिधि (युवा मन्दा) अफसोस जाहिर करती है और जोर के साथ उन्हें सलाह देती है वे ऐसा न करें; क्यों कि ऐसी अलग-अलग सिपाही पकाने की प्रवृत्ति सिद्धान्ततः (उसूलन) बुरा है।

(ग) महासभा बर्मा में बसनेवाले हिन्दुस्तानियों को यह भी सलाह देती है कि वे बर्मा के लोगों को बिनके कि मुल्क में वे बुनियादी कार्यों के लिए आबाद हुए हैं, हर न्यायोचित (बना) तरीके से सहायता (इमदाद) करना अपना कर्ज समझें।

#### अस्पृश्यता-निवारण

(अ) अस्पृश्यता-निवारण के लिए हिन्दुओं के विचारों में भी प्रगति हुई है, उसपर महासभा सन्तोष प्रकट करती है, पर उसकी राय है कि अभी इसके लिए बहुत-कुछ काम करना बाकी है और समस्त महासभा-संस्था के हिन्दू-सदस्यों से प्रार्थना की जाती है कि वे इस विषय में और भी अधिक प्रयत्न शील हों।

(आ) महासभा इस प्रस्ताव के द्वारा महासभा की प्रांतीय समितियों के सदस्यों से प्रार्थना करती है, कि वे अछूत-भाइयों की अचरता जैसे कुबों, मन्दिरों तथा पढाई की सहूलियतों, आदि की जांच करके उन्हें दूर करने की कोशिश करें तथा उनकी बेहदारी की ओर अपना ध्यान दें।

(इ) महासभा बाङ्कोम के सत्याग्रहियों का जो कि ऊंचे दरजे के हिन्दुओं के लिए खुले धाम रास्ते से जाने के अछूतों के हकों को जतमाने के काम में लगे हुए हैं, उनकी अहिंसा, धीरज हिम्मत और सहिष्णुता पर बधाई देती है और आशा रखती है कि ट्रायनकोर राज्य जो कि एक आगे बढ़ी रियासत मानी जाती है, सत्याग्रहियों के दावे की न्यायवता (इन्साफ) को कबूल करेगा और शीघ्र उनके हक में फैसला कर देगा।

#### राष्ट्रीय शिक्षालय

महासभा की यह जोरदार राय है कि देश का भविष्य उसके नवयुवकों (नौजवानों) पर अवलम्बित (मुनहसिर) है और उसे भरोसा है कि प्रांतीय समितियाँ तमाम राष्ट्रीयशिक्षा-संस्थाओं को जीवित रखने के लिए अब और भी अधिक कोशिश करेंगी। पर जहाँ महासभा की यह राय है कि मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षालय (तालीमगाह) कायम रखे जाय और नये लोके जाय तब महासभा उन संस्थाओं को राष्ट्रीय (कौमी) नहीं मानती है जो अपने कामों के द्वारा हिन्दू-मुस्लिम-एकता को न बढ़ाती हों, जो कि अछूतों का न आने देती हों, जो कि हाथ-कटाई और जुनाई को खाजिरी न करार देती हों और जिनमें कि शिक्षक (उस्ताद) और १२ साल से ऊपर के विद्यार्थी (तुल्ला) कम से कम आध षण्टा रोज (हर काम के दिन) सूत न कातते हों और जिनमें शिक्षक और विद्यार्थी खासी पहनने के भादी न हों।

#### अकाली-दमन

महासभा अकालियों को, उनके धीरज, सहिष्णुता और हिम्मत पर बधाई देती है जिसके कि साथ वे अपनी गुरुद्वारा सुधार-संबंधी लड़ाई को चला रहे हैं और आशा रखती है कि उनके ये गुण उनकी धीरता और हिम्मत को कुचलने के लिए की गई पंजाब-सरकार की कुटिल कोशिशों के मुकाबले में अटल रहेंगे।

महासभा को नामा जेठ में हुई १०० से ऊपर अकाली कैदियों की मौत पर बड़ा सन्ताप होता है और उसे यह भी बय समझती

है और नामा के हकियों के महासभा की कार्य-समिति की सुकरर की गई अकाली-दमन-आँच-समिति को जेठ के अन्दर जाने की इजाजत न देने पर, अपनी सख्त मापसंदी जाहिर करती है।

महासभा की यह राय है कि कैदियों की ये अद्भुत (हेरत अगेज) मौतें इस बात का सबूत है कि हाकियों का सख्त कैदियों के साथ कितना अमानुष (इन्सानियत के खिलाफ) है। उन सूत अकालियों के कुटुम्बियों के प्रति महासभा जाबर-पूर्वक अपनी सहायुभूति प्रदर्शित करती है।

#### देश-सेवा का मिहनताना

महासभा को यह बात माखम हुई है कि कितने ही और बातों में काबिल लोग इसकिए महासभा में काम करने के लिए नहीं मिल रहे हैं कि वे अपनी सेवा के लिए कुछ मिहनताना लेना पसन्द नहीं करते हैं। इसकिए महासभा अपनी यह राय देती है कि कौम के लिए की गई अपनी सेवाओं के लिए मिहनताना लेने में न सिर्फ इतक नहीं होती है बल्कि महासभा को यह आशा है कि देश-प्रेमी युवक और युवतियाँ बफादारी के साथ की गई मुल्क की सेवा के बदले अपनी गुजर के लिए कुछ रकम लेना एक इज्जत की बात समझेंगे और जो लोग काम की किराक में हों या जो करना चाहते हों वे और जगह के बजाय कौमी नोकरी को ब्यावह पसन्द करेंगे।

#### कोहाट-दुर्घटना

महासभा देश के जुदे जुदे हिस्सों में जो हिन्दू-मुसलमानों का तनाजा हुआ है तथा दगे हुए हैं उनपर अफसोस जाहिर करती है।

महासभा उस दगे पर जो कि हाक ही में कोहाट में हुआ और जिसमें बहुसंख्यक जानोमाल जाया हुआ है और जिसमें मन्दिर भी शामिल हैं, खेद प्रकट करती है और उसकी यह राय है कि स्थानिक हाकियों ने जानोमाल को हिकाजत करने के अपने प्राथमिक कर्तव्य (शुल्कारी फर्ज) का पालन नहीं किया है।

महासभा हिन्दुओं के कोहाट छंड़ कर अन्यत्र चले जाने के लिए मजदूर होने पर भी अपना अफसोस जाहिर करती है और कोहाट के मुसलमानों से जोर देकर इसरार करती है कि वे अपने हिन्दू भाइयों को उनके जानोमाल की पूरी हिकाजत का मकीन दिखा कर उन्हें बतौर अपने सम्मानित मित्र और पड़ोसी के बुलावें।

महासभा कोहाट के आभित हिन्दुओं को यह सलाह देती है कि वे तबतक कोहाट वापस न लौटें जबतक कोहाट के मुसलमान उन्हें न बुलावें और हिन्दू-मुसलमान नेता ऐसी सलाह न दें।

महासभा सर्व-साधारण से-फिर वे चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, यह सलाह देती है कि वे भारत-सरकार तथा सूदरों की कोहाट-दुर्घटना संबंधी बार्ता को (फैसलों को) न मानें और तब तक उसपर अपना निर्णय मुस्तबी रखें जबतक एकता परिषद् की सुकरर की हुई समिति तथा सूदरी बैसी ही प्रातिनिधिक समिति उस दुर्घटना की जांच न करके और उसपर अपना निर्णय न बना के।

(पृष्ठ १७० से आगे)

न करेंगे तो मैं कहूँगा—'ईश्वर के लिए मेरी मदद स्वीकार करो। पर अगर मुझसे यह कहा जाय कि मैं खानगी में कहूँ कि आपकी नीति अच्छी है, तो मैं यह खलमखला कहता हूँ कि मैं उसका यह अर्थ नहीं करता हूँ। पर मैं आपसे खानगी में यह कहलाना चाहता हूँ कि यद्यपि अरबों में हमारा विश्वास नहीं है तथापि तुम जरूर बरखा पाओ। आप कहते हैं कि आपका अरबों में अविश्वास नहीं है। पर अगर आप उसे न मानते हों और फिर भी इस समझौते को बामंजूर न करें तो आप अपने धर्म से भूँकेने।" (अपूर्ण)

## अहिंसा का मर्म

गत २५ दिसंबर को निषय-समिति का काम खतम करते हुए गांधीजी ने महासभा में पेश होनेवाले कताई के प्रस्ताव के संबंध में प्रतिनिधियों के कर्तव्य पर जो भाषण किया वह इस प्रकार है—

“मौलाना इस्मत मोहम्मदी इस प्रस्ताव का विरोध (मुखातिकत) करने वाले हैं। आप प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि हैं। इसलिए मैं आपको चेतावनी देता हूँ कि आप बिना अच्छी तरह गौर किये इस प्रस्ताव को हरगिज मंजूर न कीजिएगा। अगर आप - सारा बोज़ मेरे ही कंधों पर रख देना चाहते हों तो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे कंधे इस बोज़ को उठाने से लाचार हैं और मैं सिर्फ मुस्क की सहायता के बल पर ही उसे उठाना चाहता हूँ। सो अगर आपमें से हरएक शकस तहे दिर से इसमें पूरी पूरी मदद करने के लिए तैयार न हों तो हम अपने मंजिलेमकसूद पर न पहुंच पावेंगे। हमारा उद्देश है विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना और यह हम सिर्फ अपने देश के गरीब से गरीब, अमीर से अमीर ली, पुरुष और बच्चों की सहायता पर ही कर सकते हैं। हम अपनी कौम की तरफ से उसके लिए ईमानदारी के साथ मुत्सद्दिक कोशिश कर रहे हैं। इस बहिष्कार के पूरा हो जाने के बाद-और मौजूदा हालत में यही एक बात हम कर सकते हैं—हम दूसरी हजारों बातें कर सकेंगे, उसके पहले नहीं।”

राष्ट्रीय-शिक्षा-संबंधी प्रस्ताव पर भी ओपउकर ने एक ऐसी तरमीन (संशोधन) पेश की थी कि बड़े भी सिर्फ राजनैतिक और महासभा के मौकों पर जादी पहनें। इसपर गांधीजी ने कहा—“इस तरमीन ने मेरे दिर को चोट पहुंचाई। कताई-शर्त में तो महासभा के हर सदस्य से कम से कम चीज मांगी गई है। अगर आप उसे भी पूरा न कर सकें तो फिर आपको राय देने का हक न रहेगा, जो कि एक पवित्र चीज है। पर इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि ज्यों ही आप महासभा से पर जावें जादी उतार कर रख दें। मैं आपसे कहता हूँ कि आप समझौते और प्रस्ताव को बार बार पढ़ें। इसके द्वारा वे महासभा से चाही गई कम से कम और देश से उम्मीद की गई ज्यादा से ज्यादा चीज दे रहे हैं। महासभा ने तो सिर्फ बच्चों से ही नहीं बल्कि बड़े-बूढ़ों से भी हर जगह और हर मौके पर जादी पहनने की उम्मीद चाही है। और कताई के बारे में तो, अनिच्छावाला हिस्सा, उन लोगों के लिए ठाका गया है जो अपनी तबीयत से ही अनिच्छुक हैं। वह बच्चों पर नहीं पड़ सकता। मैं चाहता हूँ कि आप इस मताधिकार और प्रस्ताव पर इस तरह असल करें जिससे विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना मुमकिन हो जाय। अगर आप यह विश्वास करके जायेंगे कि इसके लिए हम ईमान के साथ काम करेंगे तो आपको देहस्त में कैल जाना होगा और लोगों को चरके का पैगाम पहुंचाना होगा। इसमें हमारे अच्छे से अच्छे लोगों की सारी शक्ति काम आ जायगी और अगर ऐसा हो तो मुझे कोई सन्देह नहीं कि हमें पहले की सफलता मिले बिना न रहेगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि कल आप उस प्रस्ताव पर बहुत विचार के साथ, नतीजे का अच्छी तरह सोच-समझकर हाथ उठाइएगा। मैं आपसे यह भी कहे देता हूँ कि आपने जो राय यहाँ दी है उससे आप अपने को बंधा न समझें, यदि कल आप इसे मंजूर न करना चाहें तो आप उसके खिलाफ हाथ उठाने के लिए आजाद हैं।”

इस पर भी केशकर ने उठ कर कहा—‘यह तो आपने स्वराजियों से कहा। जब आप समझौते के दूसरे हिस्से पर जिसका तात्पर्य

धारासभा के काम में मदद देने से है, अपरिवर्तनवादियों की भी कुछ कह दें तो अच्छा हो।’ तब गांधीजी ने कहा कि—

“मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कल अपने पवित्र काम के लिए एकत्र होने के पहले अपरिवर्तनवादियों को उनके कर्तव्य की याद दिला देना चाहिए। मेरी यह दर-स्वास्त अकेले स्वराजियों से नहीं थी। मुझसे हमेशा यह कहा जाता रहा है कि अपरिवर्तनवादियों में भी ऐसे लोग हैं जिसका विश्वास कताई की शर्त पर नहीं है। इसलिए अपरिवर्तनवादियों से मेरी यह प्रार्थना है कि इस समझौते को वे उसी भाव में ग्रहण करें जिसमें मैंने उसे करना चाहा है और जिसमें करना वे चाहते होते। मैं स्वराजियों को अपनी पूरी शक्ति भर मदद करना चाहता हूँ—जितनी मदद करना एक शकस के बूते की बात है उतनी मैं उन्हें उनके काम में करना चाहता हूँ। मैं ‘उनका काम’ जानबूझ कर कहता हूँ। हाँ, यह सच है कि उनका काम सिर्फ उनका या महासभा का ही नहीं है, बल्कि सारे देश का है। मैं कोई न्यायाधीश नहीं। उन्हें यह कहने का पूरा हक है—‘यह क्या चरखा चरखा लगा रक्खा है?’ मुझे भी यह कहने का पूरा अधिकार है ‘यह क्या धारासभा, धारासभा लगा रक्खा है?’ वे कहते हैं कि मौकरशाही के साथ कताई में वे धारासभायें हमारे बड़े महत्वपूर्ण इधियार हैं। मैं उनके तरीके से सहमत नहीं। पर हालाँकि मुझे उनके तरीके पर संदेह है, फिर भी मैं स्वराजियों का मदद कर सकता हूँ और उनकी धारासभा संबंधी नीति को महासभा में निश्चित स्थान दे सकता हूँ। मैंने बहुत विचार कर के देखा कि मैं किसतरह उन्हें मदद दे सकता हूँ। यह समझौता मुझे सूझा। मैंने देखा कि मैंने उनके साथ कोई महारानी नहीं की। लेकिन हाँ, कुछ समय के बाद यह बात मेरे ध्यान में आई कि यह उनका हक था। और जब कि यह उनका हक है तो फिर मुझे अपने मन से भी उनके कार्यक्रम में दहाबट न डालनी चाहिए, बल्कि उलटा अपने अन्दर यह विश्वास जमाने की कोशिश करनी चाहिए कि वे जो कुछ कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप भी ऐसा ही करें। यही कारण है जो मैं अपनी हद से आगे बढ कर हर स्वराजी से संबंध बढाता हूँ। मैंने अपने दिमाग को उनकी दलीलों के लिए बिस्कुल खुला रखने की कोशिश कर देखी। यही तरीका है जिससे मैं स्वराजियों को इसदाद दे सकता हूँ। पर अगर इसका यह मतलब किया जाय कि मैं उनके प्रस्तावों का समर्थन करके या समा-मंचो पर उनके लिए व्याख्यान दे कर उन्हें सहायता करूँ, तो मुझे अफसोस है, मैं ऐसा न कर सकूँगा। क्योंकि मेरा दिर उसमें नहीं है। मैंने इस अर्थ में यह समझौता नहीं किया है। इसका कारण यह नहीं कि मैं इसके लिए राजमन्द नहीं हूँ, बल्कि अभी मैं उसका कायक नहीं हुआ हूँ। ज्योंही मैं उसका कायक हुआ नहीं कि दुनिया का कोई ताकत मुझे अपनेको पूरा पक्का स्वराजी ऐंकाव करने से नहीं रोक सकता। उक्त हालत में वे मुझसे तमाम मौकीसों घण्टे—हाँ, नींद का बक छूट कर—की उम्मीद रख सकेंगे। आज मैं अपने तहे दिर से उनका साथ नहीं दे सकता। पर हाँ, अपने दायरे के अन्दर मैं उन्हें जरूर उत्साहित करूँगा और पूरी मदद दूँगी। मिसाल के तौर पर, जब सरकार आपको और आप के नाम को मुकसान पहुंचाना चाहे तो आप मुझे हमेशा अपने साथ पावेंगे और आपकी सहायता के लिए उत्सुक देखेंगे। मैं आपके साथ कल सहना चाहता हूँ और यदि आप मेरी प्रार्थना को कुछ (शेष पृष्ठ १६९ पर)



# हिन्दू नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
 विकीलाक प्रकाशक भूष

अहमदाबाद, पीथ सुबो १०, सप्तर १९८१  
 सुबवार, ८ जनवरी, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान-नरमोपग मुद्रणालय,  
 बारंगपुर सरकावरा का नाली

## काठियावाड राजनैतिक परिषद्

(काठियावाड राजनैतिक परिषद् ने ता. ८ जनवरी १९२५ का प्रभाषित-मंच से किये जाधोत्र के भाषण के महत्वपूर्ण अंश नीचे दिये जाते हैं।)

### महात्मा और देशी राज्य

“मैंने अनेक बार कहा है कि महात्मा को देशी राज्यों से संबंध रखनेवाले सचाली से आम तौर पर अलग रहना चाहिए। ब्रिटिश हिन्दुस्तान के लोग खुद ही आर्थिक-व्यवहारिक करने की कशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त में अगर वह देशी-राज्यों के कारबार में दखल देना चाहे तो यह भागों छूटे हुए बक बात होगा, या बड़े आदमों का मूँगे का पकाना होगा। जिस तरह देशी-राज्यों और ब्रिटिश सरकार के संबंधों के विषय में महात्मा साफ हा कुछ कहना या करने से मजबूर है वही बात देश राज्यों और कम्पनी रियासा के संबंधों पर भी लागू होती है।

हस्तगत होते हुए भी ब्रिटिश हिन्दुस्तान तथा देशी राज्यों के लोग तो एक ही हैं। हिन्दुस्तान भी एक ही है। अहमदाबाद के हिन्दुस्तानियों की जल्दगी, रीतिरिवाज में कोई फर्क नहीं। आबनगर और राजकोट का प्रजा का विषय संबंध (जहाका तात्पर्य) है। फिर भी भावनगर और राजकोट का राजनैतिक का खुदा खुदा होना कृत्रिम स्थिति है। आजकल के वायुमण्डल में वह बात कि जहाँ लोग एक हैं वहाँ राजनीति अनेक ही, ज्यादा बक तक बक नहीं सकती। इसके महात्मा के बीच में पड़े बिना भी आधुनिक वायुमण्डल के अदृश्य दबाव तक ही हिन्दुस्तान में अनेक राज्यों के होते हुए भी राजनीति तो एक ही होगी। उसमें हिन्दुस्तान की शोभा और परीक्षा है।

परन्तु मेरी यह मजबूत राय है कि जबतक ब्रिटिश हिन्दुस्तान पराधीन है जबतक ब्रिटिश हिन्दुस्तान के लोगों के पास सच्ची सत्ता नहीं है अर्थात् जबतक ब्रिटिश हिन्दुस्तान के पास आत्मविकास के लिए शक्ति नहीं—योंके मुँहें कड़ू तो जबतक ब्रिटिश हिन्दुस्तान में स्वराज्य नहीं तबतक लोगों हिन्दुस्तान की हालत किम-मिम जरूर रहेगी। उनकी किम-मिमलत पर ही तीखरी सत्ता की हस्ती का आरोपधार है। इसलिए ब्रिटिश हिन्दुस्तान की स्वराज्य-शक्ति में घारे हिन्दुस्तान की राजनैतिक सु-व्यवस्था समझी हुई है।

### देशी रियासतों की हालत

यह मुख्यवस्था कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे की मासक नहीं, बल्कि पक्षक। स्वराज्य-प्रसन्न हिन्दुस्तान देशी राज्यों का विनाश न चाहिए, उल्टा देशी राज्यों का भेदवगीर खेतागत होगा। परन्तु जो नीति देशी राज्यों का स्वराज्य हिन्दुस्तान के प्रो. होगा। देशी रियासतों की मजूरी हालत मर राय में दयाल क... (काथिल १२५) है। कपलक में खुद परामात (वेबल) जैसे २। रयत का बहात दंड (आत का सजा) दन क अख्तमार बाना काई सत्ता सत्ता का लक्षण नहीं, बल्कि सत्ता सत्ता ता है सारे संसार क मुहाबले में अपन प्रजा-जन का रक्षा करने का ताकत। आज देशी-रियासतों के पास ऐसी सत्ता (हुकूमत) नहीं और इसमें जबकि उपचार क अभाव में (इस्तमाल न हान स) इच्छा ना मर-सा गई है। बल्कि इसके तस्लाफ रयत का तस्लाफ करने को सत्ता जला ली गई है और प्रजा पर जुल्म (रम का ताकत बढ़ा हुई देखाई ली है। जैसा हुए में होता है वही सब में आता है। साम्राज्य में अराजकता है, इससे म.राज्य के मातहत देशी-राज्यों में भी अराजकता है। इस कारण देशी रियासतों की इस अराजकता की जम्मेवारी राजा-महाराजाजा पर ही नहीं, बल्कि वस्तुस्थिति (हुकूमत) पर भी बहुत-कुछ है।

समस्त हिन्दुस्तान का वस्तुस्थिति कुदरती अर्थात् इंसारी नियम के विपरित (खिलाफ) है अर इसके चारों ओर अव्यवस्था और असंतोष दिखाई देता है। यदि एक भी अंग व्यवस्थित हो जाय तो मेरी मजबूत राय है कि चारों ओर मुख्यवस्था फैल जायगी।

### आगे कौन चले?

तब इसमें आगे कौन चले? यह सफ़्त का दिखाई देता है कि पहले ब्रिटिश हिन्दुस्तान ही का जाना बचना चाहिए। परन्तु प्रजा की अपनी अयंकर स्थिति का ज्ञान हो गया है तथा उससे आजाद होने की इच्छा आम लगी है और अज्ञानता के धाक ही हान हो सकता है उस प्रकार इस भय से छूटने की इच्छा रखनेवाली प्रजा

को ही मुक्ति (मुक्तकार) या उदाय मूलेगा और वर उससे काम भी लेगी। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि ब्रिटिश हिन्दुस्तान का स्वाधीन होना ही मातो देशी राज्यों का स्वाधीन होना है। जब ब्रिटिश हिन्दुस्तान के स्वाधीन होने का शुभ अवसर आयेगा तब राजा प्रजा का संबंध भिन्न नहीं जायगा, अधिक निर्मूल हो जायगा। मेरे कल्पनागत स्वराज्य में राजसत्ता का नाश नहीं है। मेरी कल्पना में धन-संचय का नाश नहीं है। धन-संचय में ही राजसत्ता है। मैं धनिक, मजदूर आदि में मद-व्यवहार चाहता हूँ। मैं अकेले मजदूरों का या अकेले धनी लोगों का साम्राज्य नहीं चाहता। मैं इन वर्गों (जमात) को स्वभावनः (बुद्धतन्त्र) एक दूसरे का विरोधी (मुखात्फिक) नहीं मानता। दुनिया में अमीर और गरीब दोनों रहेंगे ही। हाँ, उनके पारस्परिक (बाह्य) संबंधों में परिवर्तन (फेर-फार) होता रहेगा। फ्रान्स प्रजासत्ताक है, परन्तु वहाँ सब किसम के लोग हैं।

हमें शब्द-ज्ञान में न फँस जाना चाहिए। जो जो वृष्ण (पुराणों) हमें भारतराज्य में दिखाई देते हैं न सब बड़े उन्नत और आगे बढ़े हुए माने जाने लगे पश्चिमा देशों में भी पाये जाते हैं। हम उन्हें दूसरे नाम से जानते हैं। पहाड़ जिस तरह वर से छुड़ावने मालूम होते हैं उसी तरह पश्चिम की कितनी चीजें हमें वर से सुन्दर मालूम होती हैं। यदि राखी बात की लोज करें तो वहाँ भी राजा-प्रजा में अन्तर हुआ ही करते हैं। वहाँ भी लोभ राज को सोचते हैं; पर दुःख भोगते हैं।

**देशी-राज्यों के संबंध में**

देशी-राज्यों की राजनीति पर बराबर आक्षेप होगे रहते हैं। राजा महाराजों को एक शिकायत आम तौर पर होती है। उनका दिन पर दिन ब्य़ार आने का शोक बढ़ता जा रहा है। काम से अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिलायत माना समझ में आ सकता है परन्तु जागेद-गमय के लिए जाना मागवार मालूम होना है। जिस राज्य के राजा बहुत बक तद-कार रहते हैं उसकी हालत दयाजनक हो जाती है। इस लोक-गता और व्यवहार-ज्ञान के प्रकार के युग में जो राज्य या तम लोक-प्रिय और लोक-कल्याणकारी न हो, उसकी हस्ती रह नहीं सकती। यह बात हम देख ही रहे हैं। सम्राट् पद्म जय प्रधान मन्त्री की सम्मति के बिना इंग्लैंड छोड़कर नहीं जा सकते, हालाँकि सम्राट् की जवाबदारी देश-राज्यों के बराबर नहीं होती।

हम तरह बाहर जान में जा करने देता है वह भी असम्यक् है। राजाओं की हस्ती का भार बढ़ि नाति-धन पर हाँ तो वे खुदमुस्तार (स्वतन्त्र) मालिक नहीं, प्रजा के धन के दूस्ते-रक्षक हैं। उनका आमदन्, प्रजा से मिलने वाला कर है। वे दूस्ते का ही तरह उसका खर्च कर सकते हैं।

तन्मुहस्ती के लिए बिलायत जने की दलील शक्य-जनक है। हमारे हम महान् देश में जहाँ माल्य जैसा पर्वतगज अचन शासन कर रहा है और जिसकी काख से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु आदि महान् नदियाँ निकली हैं, उस देश से तन्मुहस्ती की खोज में विदेश जाने की जरूरत हा ही नहीं सकती। कराँकी लोग जिस देश में अपना जीवन सुख से बिता सकते हैं वह राजाओं के आदेश के लिए बस होना ही चाहिए।

पश्चिम की संस्कृति से हमें बहुत कुछ सीखने और लेने कायक है, परन्तु उसका बहुतांश तः त्याग्य ही है। पश्चिम के रस्य-रक्षक पूर्व की हजम नहीं हो सकते। पूर्व की रति-नीति को पश्चिम हजम नहीं कर सकता। पश्चिम में स्त्री-पुरुष संयमपूर्वक

एक साथ नाच सकते हैं और शराब पीकर भी मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। हम यदि इसका अनुकरण करने लगे तो क्या परिणाम होगा, यह कहने की जरूरत नहीं। हमारे एक सुवराण के मुकद्दमे की जो चर्चा इन दिनों अखबारों में हो रही है वः हों कितना शरमिन्दा कर रही है ?

राजाओं की फजूलखर्ची की भी शिकायत है। उन्हें एक हद क अन्दर रह कर मोग-विलास के लिए खर्च करने का अधिकार अके ही हो परन्तु निरंकुश अधिकार नहीं हो सकता।

लगान के बारे में अंगरेजी तरीके को अपना कर उन्होंने प्रजा का बहुत नुकसान पहुँचाया है। उन्हें न तो कभी फौज की जरूरत है और न अपनी हस्ती के लिए प्रजा की अर से कोई दर है। प्रजा के सामर्थ्य से अधिक लगान वसूल करने की प्रथा लोगों को बहुत खटकती है। कर लोक-कल्याण के लिए है। वह हमारा पुराना परंपरा है। चारो अर में इसका त्याग देखा रहा है।

भगवदों बनाने के लिए अंगरेजी मुकद्दमे आबकारी का अनुकरण करना दुःस्वभाविक है। प्राचीनकाल में भी चाहे आज की तरह मुकद्दमा आबकारी हो; परन्तु जितनी पुगनी बातें हैं सब अच्छी हैं वह मोग मुझे नहीं। जितनी बातें हिन्दुस्तानी हैं सब अच्छी हैं, वह मोग मुझे नहीं है। नशीली चीजों का व्यापार करना पाप है। देशों राज्यों का सागवखाने बंद कर के अंगरेजी अधिकारियों के सामने मिलाव पेश करनी चाहिए।

**शरखा और खादी**

वा विषय ऐसे है कि जिनमें देशी-राज्यों की तरह से पूरे प्रोत्साहन की आशा रखनी जा सकती है। इस देश की आर्थिक नीति यह थी कि हम अपना अनाज पैदा करते थे और खाते थे, तथा कपास पैदा कर के उसका सूत अपने घर में कातते और कपडा बुनवा कर पहनते थे। अब इनमें से एक स्थिति मोजूद है और दूसरी प्रायः नष्ट हो चुकी है। खाने के खर्च से पहनने का खर्च दसवाँ हिस्सा होता है। सा स' में इन कथना हम अपने देश में धार धरने आपस में खर्च करने के बख्शे-विदेशों में और मिलों में कर रहे हैं। अर्थात् हम अपनी मिहनत खा रहे हैं और इस घटी के साथ कपडे का खर्च उठाते हैं और परिणाम में दुहेरा बार उठाते हैं। कपडे के विषय में हम ऐसा उल्टा काम कर रहे हैं। अपने कपडे हम या तो बिलायत से उगाते हैं या मिलों से खरीदते हैं। जनी दशाज में हमारे उदात्त आर प्रजा-जन क्षीण होते जा रहे हैं।

माजकल बाय-हताई और शक-बुनाई की कला दिन पर दिन बिलवती जा रही है; गदी की महिमा बढ़ता जा रहा है। क्या उसमें राजा महाराजानों का मदद न होना चाहिए ? वे किसानों को तैयार करें, अपने राज्य के लिए जरूरी कपास बना रक्खें, खुद खाद-पहनने और खादी का प्रचार करें। इसके उनको शोभा हो बड़ेगा। हर तरह की खादी के मोटा होने की जरूरत नहीं। राजा-महाराजा हाथ-कटाई और बुनाई की प्रोत्साहन दे कर अनेक प्रकार की वस्त्र-संचय कला और कारीगरी को फिर से जोवित कर सकते हैं। रानी महारानियाँ सुंदर, रंग-बिरंगे और पुंघरदार चरखे पर महान् सुत कात कर उसकी शबनम खादी बुनवा कर उसके द्वारा सुशोभित और सुरक्षित रहें। ऐसी कला की सहायता देना राजाओं का काम होना है।

**अनुपहृतता**

राजा पय-बुख-नजन माने जाते हैं। उन्हें तो दुर्बल का बख होना चाहिए। वे क्या अछूतों को पुहार न सुनेंगे ? राजा प्रजा की आशीष से जीते हैं। वे अछूतों के आशीर्वाद के अधिकारी हो कर

क्या अपने जीवन को सुसंभल न करे? राजा चाहे तो अन्यजों को धार्मिक मान्य से छुकर अछूतपन को निर्मूल कर सकता है। अन्यजों के लिए बखिया महरसे, कुबे आदि बनवा कर उनका इश्वर के स्वामी हो सकते हैं।

**रामराज्य**

वैश्या-राज्य की कल्पना रामराज्य से ली गई है। राम ने एक घोषी की बात सुन कर प्रजा को सन्तुष्ट करने के लिए प्राण-सम प्रिय अंगवन्ध सती-शिरःमणि साक्षात् कल्या-मूर्ति सीताजी का स्वामि किया। रामने कुबे के साथ भी न्याय किया। राम ने सत्य के पालन के लिए राजपाट छोड़ कर बनवास भोगा और दुनिया के समस्त राजाओं का उची काँटि के सहायक का पदाभिप्राय पठाया। राम ने अखण्ड एकपक्षपत का पालन कर के राजा प्रजा सर्वो इस बात का शान्त कराया कि सुस्थायी में भी संयत-धर्म का पालन निरतन किया जा सकता है। राम ने राज्यासन को सुसंभल कर के, राज्य-व्यवस्था को लोकप्रिय बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि रामराज्य स्वराज्य ही परिसंभल है। राम का लोकमत जानने के आजकल के अति अधूरे साधनों की जम्मत नहीं, क्योंकि वे प्रजा के हृदय के स्वामी हो गये थे। राजा प्रजापत को आज के इशारे से समझ लेता था। प्रजा राम-राज्य में आनन्द-सागर में डिलोरेँ उठती थी।

ऐसा रामराज्य आज भी हो सकता है। राम का बंध लुप्त नहीं हुआ है। यह कह सकते हैं कि आधुनिक युग में पहले खलीफाओं ने भी राम-राज्य स्थापित किया था। इजरत अयुधकर और इजरत उमर करके से नरु वसूल करते थे, फिर भी लुप्त करके थे। सार्वजनिक कोष से वे एक कौड़ी भी न लेते थे। यह देखने का महा जागरूक रहने थे कि प्रजा के साथ न्याय होना है या नहीं। उनका गजान्त था कि दुश्मन को भी दया न देना चाहिए। उसके साथ ही छुट्ट न्याय करना चाहिए।

**प्रजा के प्रति**

‘जैसा राजा वैसी प्रजा’ यह लोक-वाक्य अथस्त्य है। अर्थात् जिस तरह तक यह कथन सच है उन्ही राजे तक ‘जैसी प्रजा वैसा राजा’ यह कथन भी सच है। जहाँ प्रजा जाति है, वहाँ राजा की इत्नी महज प्रजा पर ही आधार रखती है। जहाँ प्रजा सातो रहती है वहाँ राजा के रक्षक न रहकर भक्षक हो जाने की पूरी संभावना रहती है। गोभी हुई प्रजा का अधिकार नहीं कि राजा का कुमूर निकाले। राजा-प्रजा जोमा परिस्थिति के अधीन होते हैं। साहसी राजा-प्रजा परिस्थिति का अपने जीवन कर लेते हैं। परिस्थिति को अपने अधीन कर देने का नाम पुनर्गर्भ है। पुनर्गर्भहीन का नाश होता है और वह यथार्थ है। जो इन सिद्धान्त को समझते हैं वे धीरे-धीरे नहीं खोते हैं, अरों का कुमूर नहीं निकालते हैं। वे तो अपना ही कुमूर पतारते हैं और देखते हैं। इस सिद्धान्त के सहारे मैं हिंसा का अथवा अकारण का विरोध करता हूँ। जब कि दोष का कारण हमारे ही अन्दर है तब अरों पर दोषारोपण करके उसका नाम बान्धन या करने से कारण कर नहीं होता, यही नहीं बल्कि वह जब और मजबूत करता है और रोग बढ जाता है।

**सन्ध्याग्रह**

राजसंस्थानों का जिस जिन खासियत पर मैं गजर कास गया हूँ उसका कारण जिस तरह तक राजा लोग खुद हैं उसी तरह तक तथा अधिक विचार करें तो अधिक तरह तक खुद प्रजा ही प्राप्त होगी। प्रजा-पत यदि किसी कार्य के खिलाफ हो तो राजा उसे नहीं कर

सकते। प्रजा-पत का विरोध तभी प्रदर्शित किया जा सकता है जब विरोध के साथ बल भी हो। बेटा जब बाप के काम के खिलाफ होता है तब क्या करता है? वह पिता से प्रार्थना करता है, अर्थात् विवेक के साथ दरखास्त पेश करता है, कि बाप विरोधकार कार्य को छोड़ दोड़िए। अनेक बार प्रार्थना करने के बाद भी जब पिता नहीं मानता है तब वह पिता के साथ सहयोग छोड़ता है। यही तब कि पिता का घर भी छोड़ देता है। यह छुट्ट न्याय है। जहाँ पिता-पुत्र अंगली होते हैं वहाँ दुर्नों में लड़कई होती है। गाली-गल्ला करने के और अन्त में भाग-पोट तक नीचा जा पहुँचती है। समय और आकांक्षित पुत्र करते दम नरु विनय, शांति, अहिंसा और प्रेम का स्वामि नहीं करता। उसका प्रेम ही उन असहयोग के प्रेरणा करता है। ऐसे प्रेममग अन्ध-धर्म को पिता खुद पहचान सकता है। पुत्र के त्याग या नियम को वह सहन नहीं कर सकता। उसको अन्तगारता का दुष्ण होता है और वह पश्चात्प करता है। हाँ, जैसे ऐसा दिखाई नहीं देता है कि हमेशा ऐसा ही होता है; पर पुत्र ने तो असहयोग कर के अपने धर्म का पालन किया।

उस तरह का अग्रहयाम राजा प्रजा के दमनिक हो सकता है। स्वामि स्वामि मर्तों पर वह प्रजा का कसब्य हो जाता है। पर ऐसे धर्मों का आना कम मान सकते हैं। तबो जब कि प्रजा में स्वतन्त्रता और निर्भयता के भाव हो। राज्य के कानूनों का वह संस्थापूर्वक, दण्ड के मय के बिना, शां-पूर्वक भावता है। राज्य के कानून का मादर और विवेक-पूर्वक पालन असहयोग का प्रथम पाठ है।

दुष्ण पाठ निरिच्छा है। राज्य के कितने ही कानून हमें अनुधिपाजनक मान्य होतें हैं, फिर भी हम उन्हें सह लेते हैं। पुत्र का पिता को किनमी ही गालीयें मरकती हैं। फिर भी वह उनकी शिरोनी करके अपना पुत्रत्व सिद्ध कर देता है। जब वह अग्रज मान्य हो, अतीतिमय जाय वटे तभी वह उसका विनय-पूर्वक निरादर रहेगा। ऐसे निरादर को पिता तुल्यत राजा समझेगा। उसी प्रकार राज्य के अनेक कानूनों को मान कर प्रजा जय अपनी साथ-सम कर का हुँद दफादारी स्थापित कर लेती है तब उसको सादर निगदर करने का अधिकार होता है।

तत्सा पाठ है सन्धिपुता का। जिस अहसहन करने की शक्ति नहीं है वह अहसहन नहीं कर सकता। जिनके अपनी पतन-दौलत और कुटुम्ब के त्याग की शक्ति नहीं प्राप्त हो वह कभी असहयोग नहीं कर सकता। विदुल संभव है कि अग्रहयाम से कृपित होकर राजा अनेक प्रकार के दण्ड दे। यहाँ हमारे प्रेम की परीक्षा का अवसर है। यह हमारे भोरे और बीने को अग्रहयाम का नकार है जो नरु सहन करने के लिए तैयार नहीं बढ अग्रहयाम नहीं कर सकता। यदि एक दो व्यक्ति इन पाठों का नीख ले तो उसके प्रजा असहयोग के लिए तैयार नहीं माननी जा सकता। प्रजाकय असहयोग शुरू हो सकने के लिए प्रजा का एक बका भाग तैयार होना चाहिए। यदि हम बात पर ध्यान न रहे तो हुँद परिणाम पैदा होने को संभावना रहता है। इन बात से ध्यान दृष्ट जाने के कारण कितने ही स्वदेशानिवासी युवक धीरे-धीरे जाद उठते हैं। हुँदरी बर्तों की ताक्या की तरह असहयोग की ताक्या के लिए भी तैयारी को अन्त रहता है। केवल एकका होने से कोई अग्रहयाम नहीं हो सकता। उसके लिए ताक्या की जरूरत अवश्य है।

इस दिन क्या काठियावाड में और क्या हिन्दुस्तान में मैं ता व्यक्ति को तैयार को आवश्यकता देखता हूँ। व्यक्तियों में

सेवाभाव, त्याग-इति, सत्य, अहिंसा, भ्रम, धर्म, इत्यादि गुण हाने चाहिए। यदि हम चुपचाप बहुत-कुछ काम करेंगे तो कितने ही सुधा अपने आप हो जायेंगे।

**राजकाजी वर्ग**

देशी राज्यों के राजकाजियों में उम, भीष्मा, मुगलमद इत्यादि दोष पैठ गये हैं। यह सब मिश्रित है। इससे हममें सुधार होने की जरूरत है। यह था यदि प्रजा का कल्याण चाहे तो बहुत कर सकता है। राजकाजी यदि जनसचय के लिए नहीं पर सेवा के लिए राज्यों में जीवित रहें तो भी हमें नजारा पैदा हो सकता है।

**राज लोग**

जो लोग राजा नहीं, स्वयंसेवा करने हैं उन्हें बहुतसी बातें अनुकूल हैं। उनके अन्दर उन लोगों के कुछ तत्वों के लिए भी प्रयत्न हो रहा है। सुधारण सेवा करनेवाले प्रजा के सचय विचारों को जरूरत है, उनके प्रजा के अन्दर प्रवेश करने का जरूरत है।

**चरखा**

यह मेरा दिम तरफ से था। हमें मे नरने ने पशु (मान केता) चरखे का अवहंसा मने बहुत देली है। तिम चीज थी आज निन्दा का रती है जवन सुधारण-वक ममथ का पूजा करने का दिन मुझे नजरीक आता हुआ देखा देता है। मुझे हठ विश्वास है कि हमेशा में हम जो जी कर रहे हैं वही ठीकर खाकर, मजबूर होकर करेंगे। तिमनुमान का प्रथेभास हम चक के एक एक पक्ष पर प्रिया हुआ है। आम्य-भोजन का पुनरुद्धार एकमथ इती पर अवलम्बित है। गुन सातने के काम का एक धन्धे नहीं समझता। वह वा मम है। और वह धर्म हिन्दू, मुसलमान समाम धर्मवालो का, राज वापों का है। इस चक का चलाते हुए पण्यव द्वादशमन्त्र पण, केच पंचाङ्गी जर करे, मुसलमान क्लास पढ़ें, पारसी भाषा पढ़ें, ईगार्ई हमी की बनाइये गर्थना करें।

एक अमेरिकन लेखक ने लिखा है कि वर्तमान युग सामाजिक-भ्रम-राजद्वी का युग है। मूक मन्त्र के गुणाकार से मन्त्र को पूजा करने वाली कौम उकतायी जा रही है। हम शरीर-रूपी अद्वितीय ब्रह्म को छोड़ कर मूक यम से काम ले कर शरीर-यन्त्र का नाश कर रहे हैं। शरीर से पूरा पूरा काम उना हैश्वरी कानून है। उसे हम भूल ही नहीं सकते। चरखा शरीर-यन्त्र का सामाजिक चिह्न है। यह मूक किये जिना जों भोजन करता है वह चोरी या भ्रम काया है। हम यज्ञ का त्याग कर के हम सेवा-प्रदीही बन गये, हमने कृषी देवी का देम निका । दे दिया। हिन्दुस्तान के ये असत्य स्त्री-पुरुष जो हठी और चमकी भर के बालिस रट गये हैं हम बात का मबूत दे रहे हैं। जी निवास प्राणयोग, जा गेरे लिए बन्धा हैं, कहते हैं कि आप तो राष्ट्र की पागाक की पगदमी में भी दबल देना चाहते हैं। बात वि-कुल मय है। ऐसा करना हर एक सेवक का धर्म है। लोग यदि फललन की अपना लेना में जरूर उनके लिनाक अपना आवास उठावगा। में देस रहा है कि फललन हमारे यहाँ की आधहवा के सुआकिर नहीं। लोग जो अपनी विदेशी कपड़े इस्तेमाल करते हैं उसके खिलाफ भावज उठाना हर हिन्दुस्तानी का धर्म है। यह आजाज मय पूछिए ता काउ के विदेशी होने के खिलाफ नहीं है; बल्कि हममें पदा होनालो केवाली के खिलाफ है। यदि यहाँ का प्रजा अपनी प्यार मजरी छोड कर रकाटलेक से 'अंश' मंगाने या कम की राईसु मंगाने तो है जरूर उसके रखाई-धर में दखल दूग और लोगों को गैट भय क पूरा कहुंवा और

उनके दरवाजे बंद कर उपवास करके अपना आर्सेनाद सुवाकंगा। इतिहास में ऐसा हुआ भी है। योरप के पिछले आधुनी युद्ध में वहाँ की प्रजा खास खास अंजाज पैदा करने पर मजबूर की गई थी। प्रजा के खान-पान पर राज्य का अंकुश रहता था।

जिन्हें देशत की सेवा करनी है उन्हें चरखा-वास का अभ्यवस किये बिना गुजर नहीं। इस कार्य में संकड़ो ही नहीं, बल्कि हमारी युवक और युवतियां अपनी आजीविका पैदा कर सकते हैं और दुगुना बढ़ा दे सकते हैं। उसके द्वारा हम संयुक्त कर सकेगे। हर एक गाँव से परिचय हो सकेगा। उसके द्वारा देशत को सहज ही अर्थशास्त्र तथा राजनीति का ज्ञान दिया जा सकता है। उसमें बालकों के शुद्ध शिक्षा का समावेश होता है और यह काम करते हुए देशत को अनेक जरूरतें, सामग्री आदि दिखाई दे सकती है।

इस खास कार्य में राजा-प्रजा के बीच विरोध होना की संभावना नहीं। यदि नहीं, बल्कि दोनों का संबंध भीटा ही होने की आशा रखना जा सकती है। इस आशा का फलीभूत होना सेवक की विवेकबुद्धि पर अवलम्बित है। इसीसे चरखे का प्रधानपद देने की सलाह हम परिषद को देने हुए मैं न लजाता हूँ, न विवचिषता हूँ।

अभ्युत्थता संबंधी काम भी ऐसा ही है। अभ्युत्थता कर करना हिन्दू-मन्त्र का परम कर्तव्य है। इसमें भी कोई राजा बाधा न डालेगा। अंत्यज की सेवा कर के, उनकी दिल्ली हुआ के हर हिन्दू यदि आत्म-शुद्धि करें ता उसके अद्भुत शक्ति पैदा होगी। यह कार्य करते हुए भी सेवक प्रजा के साथ प्रेम की गाँठ बांधेगा। जो हिन्दू अंत्यज की सेवा करेगा वह हिन्दू-धर्म का तारक होगा और अद्भुत भाई-बहन के हृदय का सन्नाट बनेगा।

राज्य दो तरह के हैं। एक दण्ड के भय से मिलता है और दूसरा प्रेम के मन्त्र से। प्रेम-मन्त्र से सिद्ध हुआ राज्य दण्ड-भय से प्राप्त राज्य की अपेक्षा हजारों गुना अधिक कारगर और स्थायी है। अब इस राजकीय परिषद के सम्भव ऐसी सेवा कर के तैयार होंगे तब उन्हें प्रजा की तरफ से बोलने का अधिकार होगा और उस ममथ प्रजा-मत के खिलाफ होना किसी भी राजा के लिए असंभव हो जायगा। उसी अवस्था में प्रजा का असहयोग संभव-नीय है।

परन्तु राजाओं के विषय में मेरा विश्वास है कि वे ऐसे धार्मिक प्रजा-मत को तुंगन्त पहचान लेंगे। आशिर राजा भी तो हिन्दुस्तानी ही है। यही देश उनका सर्वस्व है। उनका हृदय जल्दी द्रवित हो सकता है। हमने जन-सेवा कराना में बहुत सहज सामता हूँ। हमने सच्चा प्रयत्न ही नहीं किया, हम अलदबाज हो गये हैं। हमारी शुद्ध तैयारी में ही हमारी विजय है—राजा-प्रजा दोनों की विजय है।

हिन्दू-मुसलमानों में एकता होनी ही चाहिए। इस विषय में अधिक कहने की जरूरत नहीं। कोई सेवक प्रजा के किसी अंग को नहीं भूल सकता।

**मेरा श्रेय**

मेरा श्रेय निमित्त हो गया है। यह मुझे प्रिय भी है। मैं अहिंसा के मन्त्र पर गुण्य हो गया हूँ। मेरे लिए वह पारसमणि है। मैं जानता हूँ कि तुखी हिन्दुस्तान को अहिंसा का ही मंत्र शान्ति देखा सकता है। मेरी दृष्टि में अहिंसा का रास्ता काबर या नामदे का रास्ता नहीं है। अहिंसा क्षत्रिय-धर्म की परिचीना है। क्योंकि उसमें असभ्य की सोलहों कर्मायें सोलहों आने विक निकलती हैं। अहिंसा-धर्म के पावन में परायण या द्वार के लिए (श्रेय पृष्ठ १७५, काव्य २ में)

हुँ कम में पैदा होये वाका एक प्रकार का अजाज, कीदी से मिसला-शुद्धता।



# हिन्दी-नवजागरण

गुरुवार, पौष सुदी १४, संवत् १९८१

## कार्य-समिति

महासमिति में कार्य-समिति के सदस्यों की पसंदगी का भार आखिर भी देशबन्धु दास पं. मोतीलाल नेहरू और मुझपर डोक दिया था। मुझपर यह आक्षेप किया जाता है कि मैंने स्वराजियों के लिए सब कुछ छुड़ दिया है। यदि मैंने ऐसा किया है तो मुझे इस बात पर फल है। जब कि पूरे झुके हैं तो पूरा ही झुकना चाहिए। फिर भी इकीफत यह है कि अपरिवर्तनवादियों के नाम वापस ले लेने के लिए मुझ पर किसी प्रकार का दबाव न डाला गया था। मैंने जानबूझ कर ही श्री राजगोपालाचार्य, श्री बलब्रभाई पटेल और श्री शंकरलाल बेनरु के नाम निकाल लिये थे। समिति में भी सरोजनी देवी और सरदार मंगलसिंह का होना एक सम्मान की बात है। श्री केलकर इस बात के लिए उत्सुक थे कि वे श्री अणे के लिए अपनी जगह खाली कर दें। लेकिन मैं उनकी एक भी सुनना न चाहता था। श्री अणे का नाम लेते ही मैंने हाँ कहा। पाठक इत्मीनान रखें कि यह साठ चुनाब सोलहों जाने मित्र-भाव से किया गया था। मान लीजिए (और यह मान ही लेना चाहिए) कि दोबो पक्ष ईमानदार हैं। सब तो दोनों का काम काको मुश्किल है। हाँ! उनके विश्वास ही भावनों में फके हैं और इतीलिए उनका और जुदी जुदी बातों पर रहता है। फिर भी दोनों ही को अपने सामान्य कार्यक्रम को पूरा करने के लिए एक सामान्य तरीका ईद निकालने का प्रयत्न करना है। वैशक, अपरिवर्तनवादियों की बहुमति रखनेवाली कार्यसमिति में आदी संबंधी बड़े जोरदार प्रस्ताव पास हो सकते हैं। लेकिन उन लोगों के नजदीक जिन्होंने कि खादी की शर्त को बड़े बे-मन से कुचल किया है, उसका कुछ भी बचन न होगा। और जिस समिति में स्वराजियों ही बहुमति होगी उसके प्रस्ताव यदि कमजोर होंगे तो भी स्वराजियों पर उसका ब्रजव पड़ेगा। और मेरा तो काम है कि स्वराजियों का तह दिख से इस काम में अपना साथी बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना असर उनपर डालूँ और वे अपना असर मुझपर डालें। इस लिए इससे वे तर कई बात नहीं हो सकती कि स्वराज-पक्ष के नेता और उनमें भी सबसे अधिक कामिक और कताई की शर्त के बड़े से कटे विरोधी, और मैं एक ऐसे वायुमण्डल में रहूँ जिसमें हम एक ही साथ गांधी जीव ले जायें। लेकिन जिनको खुद ही इस बात का शोक और उत्साह है उनके साथ वैसा लगाव रखने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती। उन्हें काम करने का उत्साह दिखाने के लिए प्रस्तावों या विचारों की जरूरत नहीं। उनके अपनी अज्ञान के अनुसार पूरी ताकत के साथ काम करने की आशा रखी जाती है। इसलिए यदि हम यह चाहते हैं कि इस एक साल में महासभा के दोनों पक्षों में स्थायी ऐक्य स्थापित हो जाय तो मेरी राय में कार्य-समिति का चुनाव एक आदर्श चुनाव है। जो है; कम से कम इसके अनुकूल वायुमण्डल तो तैयार हुए बिना न रहेगा। मैं अक्षय पर पहुंचने के लिए अपनी तरफ से कुछ न उठा रहा हूँ। इसलिए इस साल में किसी भी एकपक्षीय प्रस्ताव को पास कराना नहीं चाहता। यदि खुद महासभा में ही घोर विरोध

होता रहे तो चरखा, और बिदेही कपड़ों के बहिष्कार का कार्य सफलता-पूर्वक नहीं चल सकता। और तो ठीक, पर हमें इस राष्ट्रीय रचनात्मक कार्यक्रम के लिए महासभा के बाहर के लोगों से भी सहायता प्राप्त करने की कशिधि करनी चाहिए। वे चाहे मेम्बरी की शर्त के वीर पर कताई को या खादी पहनने को पसंद न करते हों, लेकिन विनीति दलवालों में भी जिन जिन से मैं सिका हूँ ऐसे बहुत नहीं हैं जिनका चरेख धन्वे के तार पर कताई में और सवस्वता की शर्त के अलावा खादी पहनने में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो। हाँ, सफलता है कि सब पक्षां के लिए महासभा के वर्तमान ध्येय को या सवस्वता का नई शर्त की कुचू करके महासभा के सवस्वत बनना असंभव हो—महासभा के विधि-विधान की कठिनाइयाँ उनके रास्ते में पावें। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि महासभा का वर्तमान ध्येय और सवस्वता की नई शर्त उन कामों में रुकावट न डालेंगी, जिन्हें सब मिन कर कर सकते हैं।

( वं ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## धर्म-धर्म

बंगलाय की महासभा का भाग कल है कल ई के द्वारा भताधिकार। उसके लिए कितना भी त्याग, किसी भी तरह का समझौता ब्यापक नहीं। यदि हम इस बात का अच्छी तरह जान लें तो गांधीजी की आज की यह बड़ा हुई जाति तुरंत नमस्त में आ जायगी। जब कि जान पर खतरा हो तब हम उसे बचाने के लिए बदन के दूसरे हिस्से काट डालते हैं। हिन्दुस्तान की आजादी की हलक एक सजीव ( जिन्दा ) चीज है। चरखा उसका मर्मस्थान है। उसीको बचाने के लिए गांधीजी ने बिना खटके, बिना हिचके अपने कार्यक्रम के दूसरे सामान हिस्सों को काट डालना कुचल किया है। वही सच्चा धर्म-वैद्य ( मर्ज ) है, जो यह जान कर कि बीमार जगह ही नहीं है। बह आत्मा का धर्म है। इसलिए दुःसाध्य नहीं। जो समझता है उसमें रहज ही स्फुरित होता है। मुझे विश्वास है कि भारतभूमि को हमके सिवा दूसरा धर्म अनुकूल नहीं आवेगा। चरखा भारतभूमि के लिए इस अरि-धर्म का निशान है। क्योंकि बड़ा दुखिया का सहाग है, वही कंगाल की कामधेनु है। प्रेम-धर्म का न देश की मर्यादा है, न काल की। इससे मेरा स्वराज्य भंगो, चमार, पातो, बलाई और दीन से दीन लोगों का खयाल रखता है। चरखे के सिवा इसका दूसरा साधन मैं नहीं जानता।

मेरा तो क्षेत्र है ऐसे इलाकों की खोज करना और उन्हें काम में लाना जिससे प्रजा को शक्ति प्राप्त हो। क्योंकि यदि प्रजा के अन्दर ताकत आ जाय तो वह अपना मार्ग खोज लेती है। राजा को मैं सेवक-राज के ही रूप में सदन करता हूँ। प्रजा मालिक है। पर अगर मालिक सोता रहे तो सेवक क्या करेगा? इससे प्रजा-जागृति के लिए प्रयत्न करने में सब बातें आ जाती हैं।

मेरी कल्पना ऐसा है। इसलिए मेरे कल्पजगत स्वराज्य में देशी राज्यों के लिए और प्रजा के हक को पूरी रक्षा के लिए स्थान है। हक का बीज है कर्म। इसीसे हम भाषण में मने दोनों के धर्म की ही, दोनों के कर्तव्य को ही बात की है। यदि हम सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर तो हक हमारे पास ही है। यदि कर्तव्य को छुड़ कर हक के पीछे पड़ेंगे तो वह सुग-जल की तरह है। उधों उधों हम उसके पीछे दौड़ते हैं त्यों त्यों वह आगे भागता है। यही बात श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य वाणी के द्वारा गाई है—'हे राजा, तुझे कर्म का ही अधिकार है, फल का नहीं।' कर्म धर्म है और फल हक है।

की जान अब इससे बच सकती है, तुरन्त ऐसा करने का फैसला कर लेता हो।

गांधीजी ने १९२० में जो भारी आन्दोलन (सहयोग आन्दोलन) शुरू किया था वह राजनैतिक सुदनीति (सुवासि जहोज़ाद) का एक अपूर्व प्रयोग (आजमावज़) था। उसी तरह यह कताई के द्वारा मताधिकार (वर्तमान में मताधिकार) का एक अपूर्व प्रयोग है। हिन्दुस्तान का तरह-तरह का २० करोड़ लोगों का मुहक मुहक विदेशियों के द्वारा इतनी खासोशों के साथ-साथ आज तक जीता गया है और कौमी मुहक पर इतना शान्ति का साथ जुगुप्स हो हो पाये हैं। और इसीलिए ऐसी अमूल्य पदार्थ (पहले कभी न सोचे हुए) अन्त का मुकामिला करने के लिए शांतात्म्य आन्दोलन (पुनर्भवन तर्क आन्दोलन) का अमूल्य-पूर्व (पहले न देखे न हुआ) कार्यक्रम (प्रोग्राम) पेश किया गया। हमारे इस मुलामी का असली मकसद है सत्कार के साथ हमारा ही सहयोग (मालात) और आन्दोलन उसका एक ही इलाज है। इसी तरह हमारे रचनात्मक (तामीरी) काम में तारी कौम की प्रवृत्तियों के हमारी सुधी, हमारा निरन्तर-पथ; और उसकी दवा है काम करने, मिहनत करने की आज्ञा बालन। अगर हम अपने कौमी अव्यवस्था (नजाय की कमी) और कमजोरी की जड़ का खोजना चाहे तो हमें पता लगेगा कि आर्थ-जाति के पतन (तनजली) का मूल कारण (पसली बाइस) है मिहनत और उद्योग का नष्ट हो जाना। हाँ, दिवान संस्कृति, साहित्य और धर्म का जन्म दे सकता है, परन्तु इसमें कोई एक नहीं कि शरीर का आकस्मात् रहना हमेशा कौम की आजादी का नाश करता है। कौमी हस्ता (राष्ट्रीय अस्तित्व) की निहृवत ज़रूरी शर्तें क्या हैं? जिन्दगी की ज़रूरियात का पूरा करने के लिए काम करने का लगन, सतत उद्योग तथा एकामत। हिन्दुस्तान के ली-पुठव आज काम करने, मिहनत करने का उस आदत का सा बडे है जो कि उनसे बाय-दाईं हो। इसीसे हिन्दुस्तान की हालत अस्तव्यस्त (तितर-बितर) हो गई है। आप किसी भी ऐसे शासन के पास जाइए जिनमें कर्म की सदायता से किसी भी एक सस्या को बचाना चाहा हो। वह आपसे अपना तज़रिबा कहेगा कि हिन्दुस्तान के मर्द-औरत एकामत और सतत उद्योग, इन गुणों से खाली हैं। यही हमारी इस मुलामे, दूसरे लोगों के परिश्रम पर आधार रखने की हालत का कारण और दुष्परिणाम (मकस और बुरा नतीजा) दोनों हैं। अगर आप किसी भी पेशावा (मजदूर) देश में आर्यनता मजसे पहली बाज जो आपका अपनी तरफ मुखातिब-अरेगी, वहाँ के लोगों से सारा और काम और मिहनत करने की लगन और धुल। पर हिन्दुस्तान में आपका यह नज़ारा न दिखाई देगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र (कौम) फिर से पन आय तो इसके लिए अपनी उद्योग करने की आदत का बनाना होगा।

अगर गांधीजी हिन्दु-धर्म का पुनः संगठन कर सकते होते तो वे आज एक नई रसूति हो बना डालने, जिसमें शारीरिक श्रम (मिहनत-सजदूरी) करना इन शासन या धर्मव्यवस्था बना दिया जाता। परन्तु चूँकि आधुनिक युग (जमाने मूल) में नई रसूतियाँ बनाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारे लिए यह कताई के द्वारा मताधिकार की तज़वीज का है। वे चाहते हैं कि इस धर्म-धर्म को सब लोग कुबूल करें। तभी भारतवर्ष अपनी आजादी हासिल कर सकेगा और उसे कामस भी रख सकेगा। धर्म महज गौरव की बात ही नहीं है; यह तो हमारे राष्ट्र के अस्तित्व के

लिए भी परम आवश्यक है। आप देश के जीवन में सचाई और धर्म करने का आदत का फिर से कायम कीजिए, और फिर देखिए कि दुनिया में कौम आपकी आर ह्योरी क्या कर देख सकता है?

अब आप समझ गये होंगे कि इस कताई के द्वारा मताधिकार की मन्दा और मतलब क्या है? क्या ऐसी भारी चीज के लिए दूसरी तमाम बातों को छूट देना ठीक नहीं है? इसपर अच्छी तरह अमल होने के लिए ऐसे कसु-पकल की ज़रूरत है जो हर किसम के जगदों-दखेदों से खाली हो। यह एक नई बाज है और सा भी एक अजब और कारिन्कारी। इसकी आजमावज़ ऐसी परिस्थिति (मालत) में हुआ बेहतर है जिसमें न तो किसी किसम का दुखन और न क्लेश के लिए जगह है। कलकत्ते के समझोते का यही रहस्य है। इसे एकक अज्ञान के लिए क्या यह टीक नहीं है कि भारतीयों का जगद कायम किया जाय-इतना ही नहीं कि स्वराज्य जो कुछ मांगे वह भी दिया जाय और उन्हें महासभा का नाम भी इस्तेमाल करने दिया जाय? और क्या वे इस उद्योग के पहले भी महासभा के नाम का इस्तेमाल नहीं करते थे? हम उमें रोक नहीं सकते थे। ऐसी हालत में हमें चाँदनी के हम लर्जनों को दाय न दे। कभी कभी तो उसे किसी प्राणघातक जखम का अकल कराने और प्राण बचाने के लिए रंगी के अन्ते-चंग और काम के हिस्सों को भी काट डालना पड़ता है।

इसपर कुछ लोग कहेंगे, 'अच्छा साहब, यह तो माना, पर उन लोगों के साथ काम करना कैसे मुमकिन है जिनका कि विश्वास (ऐतकाव) हम उसमें नहीं है।' जब कि ६३ भारी वज़ और शक्ति वाला भाग्यकम शुरू किया जाता तो सब २३ ज़रूरी है कि देश के काम विश्वास-पान लेता इसमें शारीर किये प्राय। यही प्राण है जो गांधीजी ने १९२० में भारत के तमाम बडे बडे नेताओं को असहयोग में शामिल किया था। उन्होंने गांधीजी का विरोध किया था, उनके खिलाफ राब दी थी। पर उनका डर हुई। फिर भी जबकि कार्यक्रम की महासभा ने कुबूल कर लिया तो वे सब लोग कार्य-संभेति में गांधीजी के साथ रहे। क्या किसीने भी यह कयाल किया था कि उजोहा कलकत्ते का बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ तो उन लोगों ने जिन्होंने कि गांधीजी की जग और के साथ मुखातिब की थी, एकदम अपनी रय या अपना भिजाज बदल डाला है? फिर भी काम चलाने में कोई टिकत न देस हुई। क्यों? इसलिए कि उन्होंने गांधीजी का सचाई के साथ सहायता की और उनका साथ दिया।

इसी तरह अब भी गांधीजी आशा करते हैं कि दूसरे नेताव्य असाई की शर्त के महत्व को समझ कर उन्हें उसका आगे बढ़ाने में मदद देंगे। कम से कम-उनसे यह उम्मीद तो हर हालत में की जाती है कि वे उस भारी आजमावज़ के लिए पूरा पूरा अवसर देंगे। आशा, इस अविश्वास और डर छोडे और काव में जुट जायें।

अप इमें जरा भी रुक न सर्वाथा चाहिए और तुरन्त इस नये मताधिकार को कार्य-रूप में परिणत (अमलकरामद) करने में लग जाना चाहिए। यह एक भारी अंजन है, जिसके लिए हमारी तमाम बाय और तमाम आब दरार होगी। हमें बिना रुक गवाँये उसके लिए पकी सजक बना देनी चाहिए, नहीं तो इस अंजन से हमारा कुछ काम न बनेगा। हर कार्यकर्ता को, फिर बड़े बड़े महासभा के पद पर प्रतिष्ठित हो या न हो, इस काम में मदद देनी चाहिए। आपके गाँव में अच्छे घरके हैं? यदि न हों, तो नभूने के लिए

एक अच्छा बरखा होगा कीजिए और अपने गाँव के बड़े से और बसका कीजिए तथा अपने मित्रों की बातों पर रजामंद कीजिए । क्या आप पुनरुत्थान जानते हैं ? इस गाँधी-कार्यक्रम में पुनरुत्थान एक बातों की बुनियाद है । यदि आप खुद जानते होंगे तो आप अपने पड़ोसियों को भी सहानुभूति पहुँचा सकेंगे और आपका घर एक बरखा-इन्कें का केन्द्र हो जायगा । अगर न जानते हों तो फौरन साबरमती आश्रम या ऐसी ही किसी जगह जाकर इस विहायत जकरी चीज को सीख लें ।

अगर हम इस देश में मैदू की पैदावार करना शुरू करें तो हमारे राजा का यह फरमान निकालना उचित ही होगा कि प्रजा-जन को कर का इतना हिस्सा इतना मैदू दे कर अदा करना चाहिए । उस हालत में अवश्य ही हर शासक को मैदू पैदा करने को विद्या सीखनी होगी और इससे शीघ्र ही उसका पुनरुद्धार हो जायगा । इसीतरह जबकि हम भी अपनी कताई की कला को गवाँ चुके हैं, जिसका कि पुनरुद्धार हमारे देश की बहुवृद्धी के लिए निहायत जरूरी है, तब तमाम म्युनिसिपलिटियों और ककल बोर्डों के लिए यह बिल्कुल उचित होगा कि वे मकान-कर या दूसरे करों आदि का एक अंश हाथ-कते सूत के रूप में देने का नियम बनावें । तब इसमें मला कई सन्देश रह जाता है कि ऐसा नियम बन जाने पर लोगों के इस नये उद्योग के पुनरुद्धार में कुछ भी समय न लगेगा ? हाँ, यह सब है कि आज हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हम ऐसा कानून बना सकें । पर जो कुछ नियम हम बना सकते हैं वे तो जल्द ही बना लें और उनका अमलद्वारा शुरू कर दें । हम लोगों के लिए चाहे कानून न बना सकते हों पर खुद अपने लिए तो जल्द ही बना सकते हैं ।

यदि हम चाहते हैं कि महासभा ऐसी संस्था हो जो कोरे प्रस्ताव पास कर के गाँव परी दिखावा दिखा कर न रह जाय, बल्कि अपने निर्णयों के अनुसार काम कराने की शक्ति भी रखे तो हमें व्यवस्था के लिए कड़े नियम बनाना होंगे और उनके अनुसार चलना भी होगा, जिससे कि हम सामूहिक शक्ति प्राप्त कर सकें । मुमकिन है कि इस कताई की शर्त का अभी लोक-प्रिय होने में कुछ समय लगे और उससे भी अधिक देर में यह पूरी हो सके । पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह विशिष्ट रूपके क बहिष्कार की सही बुनियाद है । और यह बहिष्कार एक ऐसा बोज है जिस पर देश के समस्त राजनीतिक एक सहमत हैं और यही सरकार क मुकाबले में हमारे पास अस्त्र है ।

इसलिए, आइए, हम न ता इस अविश्वास को दृष्टि से देखें, न इसे देख कर दर जाय कि अ, यह कहाँ की अजीब चीज का कर रख दो है । गांधीजी की महत्ता इसी बात में है कि वे लोग का ठीक और असली कारण खोज कर उसका सचा इलाज बताते हैं । इलाज की विशिष्टता या दवा के कवनेपन से तो हमें उसका अधिक सहाय मिलना चाहिए, न कि दोषा-कुशंका पैदा हो ।

ख. राजगोपाका-वाच्य

और एक अहिंसा-परायण मनुष्य की जान तो हमेशा उस शस्त्र के आगे ही रहती है जो उसे लेना चाहता हो । क्योंकि वह जानता है कि इस शरीर के अन्दर बसनेवाला आत्मा का नाश कभी नहीं होता । और यह हाथ-पाँव का पित्रवा क्षणभंगुर है । मनुष्य मितजा ही अधिक अपनी जान देता है । उतना अधिक वह से बचाता है । इस तरह अहिंसा के लिए युद्ध के सैनिकों से बचकर बसोपदी की जबरत होता है । गीता कहती है, सिपाही बह है जो जल में पीठ दिखाया नहीं जानता । (चं. इ.) मो० क० पाँची.

मारना कब ठीक है ?

देहली से लम्बा शेरका कहे हैं कि ऐसा छपा है कि आपने हिंदुओं को यह सलाह दी है कि कुछ खास मौकों पर तु । मुसलमानों को मार सकते हैं—जो अब कि वे गाय का बंध कर रहे हों । मैंने इस रिपोर्ट का पढ़ा नहीं है । पर चूँकि यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण ( अहम ) है, इसीलिए इसके बारे में बिल्कुल ठाक ठाक और निश्चित बात नहीं कही जा सकती । मेरा यह मत है कि सारी दुनिया या मुसलमानों में जगहा माल लेकर गाय की रक्षा करना हिन्दू-धर्म का अंग नहीं है । अगर हिन्दू लोग इस किस्म की कोई कार्रवाई करेंगे तो वे जन्म दूसरे से अपना मत मानवाने के अपराधी ( कुमुरदार ) होंगे । उनका कर्तव्य सिर्फ इतना ही है कि वे गाय का अच्छी तरह प्रेम के साथ खालमपालन करें । पर मुझे यहाँ चलते चलते यह भी कह देना चाहिए कि हिन्दू इस कर्तव्य का पालन करने में बहुत गफलत करते हैं । हिन्दू लोग के पास सारी दुनिया को गो-रक्षा के पक्ष ( एक ) में कर देने का सिर्फ एक ही उपाय ( तदवीर ) है—खुद उन्हें सब प्रकार से गोरक्षा का पदार्थ-पाठ पढ़ावें । लेकिन हाँ, दुनिया का हर शासक, और इसलिए हर हिन्दू इस बात के लिए बाध्य ( जबरूर ) है कि वह अपना जान दे कर भी अपनी माँ, बहन, बीबी, और लकड़ी और सब पूछिए ता जिन जिन की रक्षा का भार खास तौर से उसपर है, सब का हिफाजत करे । मेरा धर्म मुझे सिखा देता है कि औरों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दो-दूसरे का मारने के लिए हाथ तक न उठाओ । पर मेरा धर्म मुझे यह कहने की भी छुटी देता है कि अगर ऐसा मोका पेश हो कि एक ओर अपने जिम्मे क लोगों का या काम का छोट कर भाग जाने या हमला करनेवाले का मारने में से किसी बात का पसन्द करना हो ता यह हर शस्त्र का कर्तव्य है कि वे मारते हुए वहीं मर जायें, अपना जगह का छोट कर भागे हरगिज नहीं । मुझे ऐसे हई-कई पछते लोगों स मिलन का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है जा साथे-सरक भाग से आकर मुझसे कहते हैं, और जिसे मैंने बड़ी सरक क साथ सुना है कि बदमाश मुसलमानों को हिन्दू अबलाओं पर बलात्कार करते हुए हमने अपनी जानों देखा है । जिस समाज में जवाबद लोण रहते हों वहाँ बलात्कार की आँखों रक्षा गवाहियाँ देना प्रायः अयोग्य ( गैरमुमकिन ) होना चाहिए । ऐसे जुर्म को खबर देने के लिए एक भी शस्त्र जिन्दा न रहना चाहिए । एक माका-भाका पुजारी, जा कि अहिंसा क मतलब का नहीं जानता था, मुझसे खुशी खुशी आकर कहता है साहब, जब दुकानदारों का भांड मोन्दर में मूर्ति ताडन का घुसा ता मैं बड़ी हाशियारी करके छप. रहा । मेरा मत है कि ऐसे लोग पुजारा होने के बिल्कुल लायक नहीं हैं । उसे वहीं मर जाना चाहिए था । तब अपने खून से उसमें मूर्ति को पवित्र कर दिया जाता । और अगर उसे यह हिम्मत व थी कि अपनी जगह पर बिना हाथ उठाये और मुँह से यह प्रार्थना करते हुए कि ' ईश्वर इस खूनी पर रहम कर ! ' मर भिटे तो उस हालत में तब मूर्ति ताडनेवालों का सहार करना भी उसके लिए ठीक था । परन्तु अपने इस मन्थर शरीर को बचाने के लिए छिव रहना मनुष्योचित न था । सब बात यह है कि कायरता खुद ही एक सूक्ष्म और इसलिए भीषण प्रकार की हिंसा है और शारीरिक हिंसा की अपेक्षा उसे निर्मूल करना बहुत ही मुश्किल है । कायर मनुष्य हरगिज अपनी जान का जोखान में नहीं डालता । पर जो शस्त्र दूसरे को मारता है वह कमी कमी उसे जोखान में डालता है ।

## अहिंसा का मर्म

[ २ ]

इसपर श्री केलकर ने कहा—'पर काम तो हमारे मन की शिथिलता के अनुसार होना न? क्योंकि स्वराजियों की थड़ा आपके जैसी तो है नहीं; नके मनमें कुछ दर्जे तक छिपी लभ्रद्धा तो है ही।'

गांधीजी—'हाँ, पर यदि थड़ा इस हद तक है कि चरखे से देश का अकल्याण ( सुखान ) हाता है तो फिर आपका यह सुलहवामा फाट फेंकना चाहिए।'

श्री केलकर ने कहा—'नहीं, इस दर्जे तक तो नहीं।'

गांधीजी आगे कहने लगे—'चरखे के लिए मैं आपसे जो सहयोग चाहता हूँ वह वैसा नहीं है जसा आप मुझसे चाहते हैं और यह बात हमारे ठहराव में साफ साफ दर्ज है। आपसे मैं असंभव ( गैर सुमर्षित ) बातों की उम्मीद नहीं रखता। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप अपनी थड़ा और शक्ति के अनुसार त्रितनी सहायता कर सकते हैं, करें, पर करें बहुत ही ईमानदारी के साथ। मैं चाहता हूँ, सब लोग इस भाव में ठहराव को देखें। अगर इस भाव में न देखेंगे तो मैं पहले से कह देता हूँ कि समझ रखना, यह हलचल सफल होने की नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि आप एक दूसरे के प्रति किसी तरह का दुर्भाव और मनमुटाव न रखें। इस ठहराव को स्वीकार करते समय अपारवर्तनवादियों के दिल के तह तक में ऐसे भाव न होने चाहिए कि स्वराज्यी देश के दुश्मन हैं।

'अपरिवर्तनवादियों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपका विश्वास चरखे में न हो तो आप असीर में जा कर देखेंगे कि हिंसात्मक आन्दोलन के सिवा दूरा। कई साधन ( तश्बीर ) आपके पास नहीं हैं। श्री स्टूडेंट्स का आज पशु हो रहे हैं इसका कारण क्या है? बहिया आदमी है, कुछ कुम्हानी कर चुके हैं। पर विदेशी ठहरे। उनकी चरखे की बात लोगों ने न सुनी। बस, अब उन्हें दूसरा कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता। वे कहते हैं कि धारासभा के सिवा दूसरा रास्ता नहीं। क्योंकि धारासभा के द्वारा लोगों का छाटा छटा शक्यते और दुख-दर्द तो दूर हो सकते हैं, असहयोग के द्वारा यह कैसे हो सकता है? इसलिए आपसे भी कहता हूँ कि यदि चरखा आपके देश-भक्त आत्मा का तृप्त करने के लिए काफी नहीं है तो आपका धारासभा में जाना ही होगा; क्योंकि वहाँ जा कर और कुछ नहीं तो कुछ धूम-धाम तो कर सकते हैं और कुछ फेरियाँ तो लुका सकते हैं। मैंने बार बार कहा है और आज फिर कहता हूँ कि अगर चरखे में थड़ा न हो तो धारासभा में जाना ही पड़ेगा। वहाँ कुछ तो कर सकेंगे। धारासभा में गये लोग बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि हैं। वे ठोंकर ब्याये हुए पत्ते सिपाही हैं। पंडित मालवीयजी को ही लीजिए। ऐसे आतंकवादी पुरुष आपको कहाँ मिलेंगे? उन्होंने बहुत सेवार्थे की हैं, फिर भी धारासभा में उनका विश्वास बना हुआ है। वे कुछ बेवकूफ नहीं हैं। जब जब उन्हें देखता हूँ मेरा सिर उनके सामने झुक जाता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कौन हैं? आज वे ऐसा लिखास पहन कर क्यों बैठे हैं? एक जमाना था कि मोतीलालजी राजा की तरह रहते थे। जब वे अमृतसर की महासभा में गये थे तब अपने साथ अपनी मोटर और नकरों की फौज ले गये थे। उनका बागीचा एक दिन गुलाब और जेला की बहार से महका करता था—आज वह वीगल हो गया है और उसमें पार्स खबी है। क्या वे देश-द्रोह हैं? मेरा सिर हमेशा उन्हें नम्र

करता है और जब जब मैं उन्हें देखता हूँ तब तब मेरे मनमें यह कपाल उठता है कि मेरे अन्दर कोई गुस्सा जपर होना चाहिए कि जिससे मैं कुछ बातों में उनसे सहमत नहीं होता हूँ। और केलकर भी कौन हैं? वे उस महापुरुष के प्रतिनिधि हैं जिन्का नाम इतिहास में अमर रहेगा और एक ईश्वर की सत्ता के नीचे उड़ करोड़ देवताओं को माननेवाले इस देश में देवता की तरह पूजा जायगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने दिल साफ कीजिए, प्रेम करना सीखिए और अपने हृदय को समुद्र की तरह विशाल बना लीजिए। क्या कुरान-शारीक और क्या गीता, दोनों का यही उपदेश है। आप काजी न बनना-अगर बनने ता आप तो ऐस देखने वाले भी हजारों निकल पड़ेंगे। ईश्वर ही एक न्यायमूर्ति है। आपके अन्दर अनेक शंका धर किये बैठे हैं, अनेक शत्रुओं ने आपका घेर रक्खा है। फिर भी वह उनसे आपकी रक्षा करता है और आपको अपने करुणा-कटाक्ष से शोशल करता है। इस यह क्यों कर कहें कि स्वराज्यी कुटिल हैं, दगाबाज हैं। ईश्वर हमें मनुष्य-स्वभाव की इस निन्दा से बचावे।

'मत्-मेद तो जबतक बुनिया फायम रहेगी तबतक होता ही रहेगा। और अपरिवर्तनवादियों का बड़ा से बड़ा काम तो सब माना जायगा जब वे अपने माने जानेवाले विरोधियों को मित्र बना कर चरखे पर उनको थड़ा बैठे देंगे। वे चरखे को इसीलिए नहीं घृण कर रहे हैं कि उन्हें उसकी उपयोगिता नहीं दिखाई देती। आपको वह सांगित कर दिखानी चाहिए। मैं चरखे के पीछे प्राणल हूँ। क्योंकि जसीमें मुझे देश का उद्धार दिखाई देता है। थड़ा क्या हिन्दू और क्या मुसलमान दोनों धर्म का सनातन सिद्धान्त है। जब मैं जैल में था तब मौलाना इसगत मोहानो ने एक पुस्तक मुझे दी थी। उसमें एक शक्ति को कहानी पढ़ी थी कि उसने हुका भग्ने जैसे धुंध काम को भी दम, बीस नहीं पचास बार थड़ा से किया और उससे उसे लाभ हुआ। मैं हिन्दू और मुसलमान दोनों से कहता हूँ कि ऐसी ही निस्वार्थ निष्काम सेवा करो। चरखा औरों के लिए चाहे अच्छा हो वा न हो; पर मेरे लिए तो इई है। इस थड़ा से काम करना होगा। काशा-विश्वनाथ की मध्य मूर्ति मौ० हसरत मोहानी के नजदीक एक पत्थर का टुकड़ा हो पर मेरे लिए तो वह ईश्वर की प्रतिमा है। मेरा हृदय उसका दर्शन कर के इवित होता है। यह थड़ा की बात है। जब मैं गाय का दर्शन करता हूँ तब मुझे किनी भक्ष्य पशु का दर्शन नहीं होता, उसमें मुझे एक कण काश्च दिखाई देता है। मैं उसकी पूजा करूँगा और फिर कर्माना और यदि सारा जगत् मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो तो उसका मुकाबला करूँगा। ईश्वर एक है। पर वह मुझे पत्थर की पूजा चरखे की थड़ा प्रदान करता है। बड़ी मुझे पशु में, मेरे सामने की प्रत्येक वस्तु में, अंगरेजों में, अधिक कथा, देश-द्रोही तक में अपने को—ईश्वर का-देखने की शक्ति देता है। मेरे दिल में तो देश-द्रोही के प्रति भी तिरस्कार का भाव नहीं। इसलिए मैं हर असहयोगी से कहूँगा कि यदि आपकी विद्या अहिंसा-धर्म में हा तो आप स्वराजियों की गले लगावेंगे, उन्हें कहेंगे कि 'हमसे भूल हूँ हो तो आपकी कीजिए।' किसीके प्रति घृणा या द्वेष-भाव रखने का अधिकार ही आपको नहीं है। किसीका भी दुर्वचन कहने का हक आपको नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इस उच्च-हृदयता के चरखे का सेवन करें। इससे बहिया गुस्सा में आपको नहीं दे सकता। ईश्वर आपको उसके सेवन करने की शक्ति दें और आप देखेंगे कि माल के अन्त में सब तरह कुशल ही होगा।'



वार्षिक मूल्य - (१)  
 एक मास का " २)  
 एक प्रति का " ३)  
 विदेशों के लिए " ४)

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—माइनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक २३ ]

मुद्रक-प्रकाशक बेबीकाक छपनखाल बूच	अहमदाबाद, माघ वही ५, संवत् १९८१ गुरुवार, २५ जनवरी, १९२५ ई०	मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय, सारंगपुर सरसीगरा की बाजी.
--------------------------------------	---	--

## अस्पृश्यता का पाप !

[ काठियावाड राजनैतिक परिषद् में समाप्ति के बाने किया गांधीजी का मौखिक प्रारंभिक भाषण नीचे दिया जाता है— ]

“मैंने सोचा था कि इस परिषद् में एक ही बात को प्रधानता दूंगा। परन्तु कुशलस्मृती से अब दो बातों को प्रधानता देनी पड़ेगी। एक बात है खादी, जिसके बराबर चारी मुझे कोई चीज नहीं। कितने ही लोग मुझे बरखे के पीछे—खादी के पीछे—पागल मानते हैं। और यह बात सच है। क्योंकि आशिक को ही माशुक की कीमत ही पकनी है। माशुक ही वह सकता है कि मुद्रणत, प्रेम, इतक क्या है। मैं आशिक हूँ, इसीसे मैं जान सकता हूँ कि मेरा प्रेम क्या चीज है और मेरे अन्दर कौनसी आग धधक रही है। पर उस आग के बारे में मैं महा कुछ नहीं कहना चाहता।

यह राजनैतिक परिषद् है और आप राजनैतिक बातों की चर्चा करने की आशा रखते होंगे। पर मेरे अन्दर तो किसानों के श्वाभ मरे हुए हैं—हालां कि जन्म हुआ है मेरा बगिक् (बनिये) के घर और मेरे पिता तथा दादा राजकाज करते आये हैं। फिर भी मेरे पास राजकाजीपन नहीं है, अथवा हो तो मैं काकार हूँ। मेरे पास एक और चीज है, जो मुझे विरासत में नहीं मिली है, मैंने खुद हासिल की है। वह है किसानपन, अंगीपन, डेकपन—खंठार में जो जो कुछ नीचपन समझा जाता है वह। मेरी यह विशेषता है। इससे मैं 'राजनैतिक' का अर्थ आपकी तरह 'राजकाजीपन' नहीं करता हूँ, 'राज्य-विधान' नहीं करता हूँ। क्योंकि किसान अपने खेतों की देख-भाल व्याख्यानों के द्वारा नहीं कर सकता, केवल हल से हो कर सकता है, कहीं धूप में भी वह हल को नहीं छू सकता। बुवाई का पेशा करनेवाला तभी खेती का पेशा कर सकता है जब वह उद्यम करता रहे। 'राजनैतिक' का आधारेण अर्थ है व्याख्यान देना, आन्दोलन करना, राजा के जुबान बोलना। पर मैं इससे उलटा अर्थ करता हूँ। हिन्दुस्तान के बाहर मैंने २२ वर्ष के कार्य-जीवन में भी मैंने इससे उलटा अर्थ किया है। पर जिस तरह धर के पर्वत मुझसे माखन होते हैं, लोग मुझे भी राजकाजी मानते आये हैं। हाँ, मैं 'राजकाज' समझता हूँ, पर वह दूसरे ढंग का है। उसमें विवेक और प्रेम है, धन्यत्व और कुचक के लिए बड़ा अग्रह नहीं है। धन्यत्व और कुचक से जितना काम निकलता है उससे चौगुना काम विवेक और

प्रेम से निकला है। और उसमें किमान, अमी, डेन सबके हित का विचार आ जाता है। आप जानते हैं कि मैंने मुद्रणत में 'राजनीति' की यही व्याख्या की थी और उसमें मुझे जरा भी मान न माखन हुई। इसी दृष्टि से मैंने खादी का समावेश राजकाज में किया है। मेरा दावा है कि मेरी बात आज और समझदारी से कही हुई है और मैं कह सकता हूँ कि एक दिन आप कहेंगे कि गांधी की बरखे की बात अत्यन्त चतुराई, ज्ञान और समझदारी से युक्त थी। आज जब लोग मेरी बात पर हंसते हैं और कहते हैं कि बरखा तो गांधी का किलोना है, तो मुझे ननपर रहम आता है। वे मेरो चाहे कितनी बंसा उढावें, मैं खादी की बात को छोडने वाला नहीं हूँ।

अब दूसरी बात पर आता हूँ। जब से 'नवजीवन' में मैंने लिखा था कि यदि परिषद् में दोनों के लिए अलहदा जगह रखी जायगी तो मैं भी उनमें जाकर बैठूंगा, तब से भाधनगर में बड़ी खलबली मच रही है। काठियावाड में अस्पृश्यता कैसी है, यह मैंने अपनी आंखों देखा है। मेरी पूजनीया माता भगी से एना पाप समझती थीं, पर इससे उनके प्रति मेरे दिल में घृणा नहीं; पर मैं मा-बाप के कुए में डूब मरना नहीं चाहता। मेरे मा-बाप ने तो मुझे स्वतंत्रता विरासत में दी है और यद्यपि मैं आज उनसे उल्टे विचार रखता हूँ, तो भी मुझे विश्वास है कि मेरी माता की आत्मा कहती होगी—'धन्य है बेटा, मुझे धन्य है।' क्योंकि तूने जो प्रतिशायें मुझसे की थीं उन्हें यह प्रतिज्ञा नहीं थी कि किसी से छुना पाप है। बिलायत मेंजते समय उन्होंने मुझसे तीन प्रतिज्ञायें कही थीं, पर उनमें ऐसी कहीं प्रतिज्ञा न थी कि बिलायत में अस्पृश्यता को धर्म मानना। मैं जानता हूँ कि भाधनगर में आज कुछ (अथवा बहुत, मैं नहीं जानता) खलबली मच रही है और नामर तथा वेड्य और दूसरे लोग सन्तप्त हो रहे हैं। उनमें से जो लोग यहाँ मौजूद हों वे यदि यह मानते हों कि गांधी ब्रष्ट हो गया है और सनातन-धर्म को जब उखाडने बैठा है, तो उन्हें मैं विवेक और हठतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि गांधी सनातन-धर्म की जब नहीं उखाड रहा है, यह जो कुछ कहता है उसीपर सनातन

धर्म की जब कायम रहेगी। आपमें भले ही कोई पण्डित हों, वेद के एक एक शब्द को रट डाला हो, तो भी मैं उनसे कहूंगा कि आप बड़ी भूल कर रहे हैं। सनातन-धर्म की जब वही लोग उखाड़ रहे हैं जो अस्पृश्यता की हिन्दू-धर्म का मूल मानते हैं। मैं आदरपूर्वक यह बात कहता हू कि इस विश्वास में न तो दुर्देशी है, न विचार है, न विवेक है, न विनय है, न दया है। और यदि ऐसे विचार रखनेवाला मैं अकेला ही रह जाऊं तो भी मैं अन्त तक कहूंगा कि आज हम अस्पृश्यता का जो अर्थ कर रहे हैं उसे यदि हिन्दू-धर्म में स्थान देने को हिन्दू-धर्म को क्षयी-रोग हो जायगा। और उसका नतीजा होगा उसका विनाश। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों से मैं कहना हू कि हिन्दुरतान का उद्धार मुसलमानों पर उतना अवलम्बित नहीं, इंसानों पर उतना अवलम्बित नहीं, जितना इस बात पर है कि हिन्दू अपने धर्म की रक्षा किस प्रकार करते हैं। क्योंकि मुसलमानों का काशी-विश्वनाथ नहीं नहीं, मक्का में है, इंसानों का जेरुसलेम में है। पर आप तो हिन्दुरतान में ही रह कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह युधिष्ठिर की भूमि है, यह रामचन्द्र की भूमि है। ऋषि-मुनियों ने हमसे यह रक्षा दे कि यह कर्म-भूमि है, भोग-भूमि नहीं। इस भूमि के निवासियों से कहता हू कि हिन्दू-धर्म आज तराई पर खड़ा हुआ है और सत्तार के तनाम धर्मों के साथ उसकी तुलना हो रही है और जो घात बुद्धि के बाहर होंगी, दया-धर्म के बाहर होनी उसका समावेश यदि हिन्दू-धर्म में होगा तो उसका नाश निश्चित समझ रखना। दया-धर्म का मुझे मान है और उसीके कारण मैं देख रहा हू कि हिन्दू-धर्म के नाम पर कितना पाखण्ड, कितना अज्ञान फैल रहा है। इस पाखण्ड और अज्ञान के खिलाफ यदि जबरन पंटे तो मैं अकेला लड़ूंगा, अकेला रह कर तपधर्म करूंगा और उसका नाम जपते हुए मरूंगा। शायद ऐसा भी हो कि मैं पागल हो जाऊं और कहूँ कि मैंने अपने अस्पृश्यता-संबंधी विचारों में भूल की है, और मैं कहूँ कि अस्पृश्यता को हिन्दूधर्म का पाप कह कर मैंने पाप किया था तो आप मानना कि मैं डर गया हूँ, सामना नहीं कर सकता और दिक हो कर मैं अपने विचार बदल रहा हूँ। उस दशा में आप ऐसा ही मानना कि मैं मूर्खित दशा में ऐसी बात कर रहा हूँ।

आज जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसमें मेरा स्वार्थ नहीं, उससे मैं कोई उपाधि नहीं लेना चाहता। उपाधि तो मैं 'भगी' की चाहता हूँ। सफाई करना कितना पुण्य-कर्म है? यह काम या तो ब्राह्मण कर सकता है या भंगी कर सकता है। ब्राह्मण ज्ञानपूर्वक करता है और भंगी अज्ञानपूर्वक। मुझे दोनों पुण्य हैं, आदरणीय हैं। दोनों में से यदि एक का भी लोप हो तो हिन्दू-धर्म लोप हुए बिना न रहेगा।

और मुझे सेवा-धर्म प्रिय है। इसीसे भंगी प्रिय है। मैं तो भंगी के साथ बैठकर खाता भी हूँ। पर आपसे नहीं कहता कि आप भी उसके साथ बैठ कर खाओ, रोटी-बेटी-व्यवहार करो। आपसे कह भी किस तरह सकता हूँ? मैं एक फकीर जैसा हूँ—सच्चा फकीर हूँ या नहीं, सो नहीं जानता। मैं सच्चा सन्यासी हूँ या नहीं सो भी नहीं जानता। पर सन्यास मुझे पसंद है। ब्रह्मचर्य मुझे प्रिय है, पर नहीं जानता कि मैं सच्चा ब्रह्मचारी हूँ या नहीं। क्योंकि ब्रह्मचारी के मन में यदि दूषित विचार आते हों, वह अपने में भी स्वभिवार करने का विचार करता हो तो मैं कहूंगा कि वह ब्रह्मचारी नहीं। मेरे मुद्दे से यदि मुझे में एक भी शब्द निकले, द्वेष से प्रेरित हो कर कोई काम हो, जिसे लोग मेरा कह कर दुश्मन मानते हों उसके खिलाफ भी यदि क्रोध में कुछ बचन कहूँ तो

मैं अपनेको ब्रह्मचारी नहीं कह सकता। सो मैं पूर्ण सन्यासी हूँ कि नहीं, यह नहीं जानता। पर हाँ, मैं जरूर कहूंगा कि मेरे जीवन का प्रवाह इसी दिशा में बह रहा है। ऐसी अवस्था में मैं यह नहीं कह सकता कि किसी भंगी की लडकी या कोई कोठी आदमी मेरी सेवा चाहते हों तो मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता, मुझे यदि अपने हाथ का खाना खिलाना चाहें तो मैं नहीं खा सकता। फिर ईश्वर की इच्छा हो तो मुझे बचावे अथवा मार डाले। पर मैं तो कोठी की सेवा किये बिना नहीं रह सकता। ऐसा करते हुए यह भी दावा करूंगा कि यदि ईश्वर को गरज हो तो मुझे रखे। क्योंकि मैं अपना यही धर्म समझता हूँ कि भंगी को कोठी को, टेंड को खिला कर ब्लाक। पर मैं आपसे नहीं कहता कि आप व्यवहार-धर्म की मर्यादा को तोड़ डालो। आपसे तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप पांचवाँ वर्ण न बनाओ। ईश्वर ने चार वर्ण की रचना की है। इसका अर्थ मैं समझ सकता हूँ। पर आप पांचवाँ—अछूतों का वर्ण न पैदा करो। मैं अछूतपन को गवारा नहीं कर सकता। इस शब्द को सुनकर मुझे चोट पहुंचती है। जो लोग मेरा विरोध करते हैं उनसे कहता हूँ कि आप विचार करो। आप मेरे साथ आकर चर्चा करो समझ जाओ कि मैं क्या बक रहा हूँ। आज विवेक और विचार को छोड़ कर बात कर रहे हो। उसका फल नहीं निकल सकता। आज मुझे दो पण्डित महाशयों के दस्तखतों तार मिले हैं। उन्हें मैं नहीं पहचानता। पर वे लिखते हैं कि हिन्दू-धर्म का सहाय ले कर हमारे पण्डितों के नाम पर आप पर जो आक्षेप हो रहे हैं वे मिथ्या हैं। हम अपनी भेणी के लोगों के दस्तखत भेजेगे जिससे आपको मालूम हो जायगा कि अनेक शास्त्री लोग आपका साथ दे रहे हैं। हाँ, यह सच है कि आप जिस जोर-शोर के साथ काम कर रहे हैं उस तरह हमसे नहीं होता; क्योंकि आज तो टहरे निडर अफ़्दमी। हमें बहुत आगा-पीछा मोचना पड़ता है। शोणाचार्य और भोष्णाचार्य से आकर धीकृष्ण ने कहा कि आप पांडवों के खिलाफ लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करें? हमारे सामने आजीविका का सवाल है। हमारे अन्दर कितने ही शोणाचार्य और भोष्णाचार्य हैं। जबतक पेट पीछे लगा हुआ है तबतक वे बेचारे क्या करें? उनसे जो कुछ नहीं हो सकता है, इसमें उन विद्वानों का दोष नहीं, विधि का दोष है, परिस्थिति का दोष है। पर वे दिक में तो समझते हैं कि गांधी अच्छा काम कर रहा है और उनका दिक मुझे दुआ दे रहा है। पर इसके साथ मैं एक और बात भी कहता हूँ। मैं तो सत्याग्रही हूँ। 'मारना नहीं, पर मरना' मेरा धर्म है। सो मैं तो अपने ही तरीके से काम लूंगा। इसलिए आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। अगर आप ऐसा समझते हों कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्म की जड़ है तो आप ऐसा समझते रहिए। पर मुझे भी यह कहने का अधिकार दीजिएगा कि यह हिन्दू-धर्म का पाप है। आपसे हो सके तो आप हिन्दू-सत्तार के हृदय को जाग्रत कीजिए। पर मुझे भी ऐसा करने का उतना ही अधिकार दीजिएगा। सत्याग्रही तो एकमात्र होता है। उसे—दुन्दरे के साथ सफाई-मसजद नहीं करना है, न किसी के साथ मुकहनामा करना है। इसलिए मैं आपको बचन देता हूँ कि आपके साथ प्रेम-भाव से बरतूंगा। यदि मैं अकेला रह गया तो भी 'बचना, बचना' कह कर मैं ही आवाज उठाऊंगा।

जो लोग आज अस्पृश्यता के विषय में मेरा साथ दे रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ—टेंड-भंगियों से भी कहता हूँ—जो लोग आपको गालियाँ देते हों उनके प्रति सहनशील रहना। तुलसीदास कह गये हैं—दशा धर्म का मूल है। सो अगर प्रेमभाव को छोड़ोगे तो धार्मी

होगे जाओगे। जिस प्रकार आप अस्पृश्यता को पाप मानते हैं उसी प्रकार आप अपने विरोधियों के तिरस्कार के पाप में भी न पड़ना। जो आपको गालियाँ दें उनसे हँस कर बँकना। सच्चे दिल से उनके साथ प्रेम करना और शुद्ध आचार और विचार रखना। ऐसा करोगे तो यह अस्पृश्यता-रूपी पाप मिट जायगा।

जानते हैं, नारणदास संचाली कौन है? वह मेरा लडका ही है। एक बच्चा ऐसा था कि वह मेरा पिलाया पानी पीता था, केवल मेरा सेबक बन कर रहता था, अपनी सारी लायमरी उसने मुझे दे डाली थी। पर परमात्मा ने अब उसे कुमति दी है। (मैं सच मानता हूँ कि भगवान ने उसकी मति बिगाड़ दी है) पर अब भी मेरे नजदीक तो वह लडका ही है। मैं मानता हूँ कि इसका उपद्रव बहुत दिनों तक न चलेगा। जो प्रतिज्ञा उसने की है वह संभव है, न फलेगी। और अगर वह मुझपर हाथ उठावे और हमला करे तो मैं कहुंगा 'निर, जो किया सो किया' और उस समय भी उसे आशीर्वाद करूँगा। प्रह्लाद ने अपने पिता का कहना न माना। वह बड़ी कहता रहा कि मेरे पिता तुझसे अचम कराना चाहते हैं, मुझे तुरे रास्ते ले जाना चाहते हैं। सो पिता का अनादर करना मेरा धर्म है। आज अगर नारणदास संचाली यह मानता हो कि वह मेरे पहले पहल का लडका है, फिर भी यदि वह मानता हो कि मैं भ्रष्ट हो गया हूँ और मेरा संहार करना चाहिए तो यह जरूर मेरा संहार करे। मुझे यकीन है कि वह संहार करते करते उसकी आँखें खुलेंगी और फिर आपके पास आकर नोवा सिर किये प्रायश्चित्त करेगा। वह अभी लडका है, अज्ञान है; और मैं हुआ बूढ़ा। मुझपर अबतक अनेकों ने हाथ उठाये हैं, फिर भी मैं बच गया हूँ। मुझे अपेंडिसाइटिस की बीमारी हुई, आपरेशन करते समय विजकी बुझ गई। पर ईश्वर को मुझे बचाना था? कुछ नहीं हुआ। उपनिषद् में एक कथा है, किसमें हुँगा से कहा जाता है तू तिनके को हिला दे, आग-से पूछा जाता है कि तू तिनके को जला दे। परन्तु वायु और अग्नि 'नहीं कर सकते' कह कर भाग जाते हैं। यदि ईश्वर न चाहेगा कि मेरी जीत आवे तो मुझे कौन मार सकता है? यदि मेरी आयु कम होगी तो मैं इस तरह, बोलता हुआ, मूख से बैठे हुआ होने पर भी प्राण उड़ जायँगे और किसीको मात्स्य नष्ट न होगा। और उसे कोई रोक भी न सकेगा। पर मुझे व्यवहार का थोड़ा-बहुत अनुभव है, कुछ ज्ञान है। सो आरसे प्रार्थना है कि मेरी बात मानना और नारणदास पर दया करना। अपने लिए मैं आरसे दया नहीं चाहता। दया तो एक ईश्वर से चाहता हूँ। पर आपसे चाहता हूँ सच्चे सैनिक की प्रतिज्ञा। और आपसे कहता हूँ कि आप जो कुछ प्रतिज्ञा करेंगे उसे आपको पालना जरूर होगा। यदि बिना विचारे प्रतिज्ञा करोगे तो मैं बहुत मारी साबित हूँगा। भूत बन कर भी मैं आपसे अपनी प्रतिज्ञा का पालन कराऊँगा। सो कुछ सोच-विचार कर यहाँ आना।"

## एजेंटों के लिए

"हिन्दी-नवजीवन" की एजेंसी के नियम नीचे लिखे जाते हैं—

१. बिना पेशगी दाम आने किसीको प्रतिज्ञा नहीं भेजी जायगी।
२. एजेंटों को प्रति कापी )। कमीशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम से अधिक लेने का अधिकार न रहेगा।
३. १० से कम प्रतिज्ञा भंगाने वालों को डाँक कर्ष देना होगा।
४. एजेंटों का यह लिखना चाहिए कि प्रतिज्ञा उनका पास डाँक से भेजी जाय या रेलवे से।

व्यवस्थापक

## स्वराज्य के व्यापारी

मताधिकार में जो नवीन परिवर्तन हुआ है वह अब भी बहुतों को भयानक मात्स्य होता है, इसपर मुझे तज्जुब नहीं होता। नई नोज बहुतों को कईबार घपले में डालती है, कितनी ही बार हर पैदा करते हैं। मुझे आशा है कि ज्यों ज्यों बच्चा जाता जायगा त्यों त्यों यह डर भी चला जायगा और लोग मताधिकार में चरबे को स्थान मिलने का महत्व समझ जायगे। यह समझने में मदद करने के लिए इतना आवश्यक है कि जिन लोगों का विश्वास चरबे पर है वे उसपर अटल रूढ़ कर अपना विश्वास साबित करें। प्रान्तिक समितियों की राह न देख कर जो पहले से कात रहे हैं वे ब्यादह नियम-पूर्वक काते और जो न कातते हों वे कातना शुरू कर दें। ज्यों ज्यों दो दो हजार गज की आटियाँ तैयार होती जाय त्यों त्यों वे अपनी अपनी प्रान्तीय समितियों में देते जाय और अपने नाम दर्ज कराने जायें। इसके लिए प्रान्तिक समिति की हिदायत की राह देखने की जरूरत नहीं।

जो लोग कातते हैं उन्हें अरों को समझाने का भी काम शुरू कर देना चाहिए। और जो बात कताई पर घटती है वही खादी पर भी घटती है। खादी का प्रचार अभी बहुत होने की जरूरत है। सफर में मैंने देखा है कि अभी बहुत थोड़े लोग खादी पहनते हैं। यह भी सुनना है कि बहुतेरे लोग सिर्फ सभा समितियों में खादी पहनते हैं। इस तरह कहीं विदेशी कपडे का बहिष्कार हो सकता है? जिनमें मैं तो बहुत ही कम खादी देखी गये। जो स्वयंसेवकों से मेरी सिकारिय है कि वे पर घर जाकर खादी के इस्तेमाल की जरूरत और फनाई का कर्तव्य लोगों को समझावें।

व्यापारी जिसतरह रातदिन अपने व्यापार की बढ़ती की तजवीजें और तदबीरें सोचा करता है उसीतरह हमें भी करना चाहिए। हम स्वराज्य के व्यापारी हैं। हम जानते हैं कि विदेशी कपडे का बहिष्कार हो सकने पर ही स्वराज्य का व्यापार बढ सकता है।

हर एक स्वयंसेवक को अपनी जिम्मेवारी समझ लेनी चाहिए। हर शासक डायरी रखें और रात को अपने मन से नीचे लिखे सवाल पूछें और उनके जो जबाब मिलें उन्हें उसमें लिखें—

१. आज मैंने कितना गज सूत काता?
२. आज मैंने कितनी को रूा कातने के लिए समझाया?
३. आज मैंने कितनी को खादी पहनने पर राजामन्द किया?

जो शासक ईमानदारी के साथ इन सवालों के जबाब हमेशा अपनी डायरी में लिखते रहेंगे उन्हें तुरन्त मात्स्य होगा कि हमारी काम करने की शक्ति घट रही है। सजुष्य-भाग में थोड़ा बहुत पुख्तार्थ तो रहता ही है। और हमेशा अपनी हार को बाँटें लिखना उसे पसन्द नहीं आता। इस कारण ईमानदार आदमी उरा हार को हरा देता है और फतह हासिल करता है। अच्छे व्यापारी अपने काम की डायरी रखते हैं और उनके अमृत्य लाभ का अनुभव करते हैं। जहाज के कप्तान के लिए ना राजनामचा रखना लाजिमी होता है। फिर स्वराज्य के व्यापारी क्यों न राजनामचा रखें? इतना देश यदि आशावाज बनना चाहे तो उसके लिए महासभा ने सिधा रास्ता दिखाया है। हम यदि आत्मस्य का छोड़कर वद्यम पर कमर कतेंगे तो तुरंत उसका मीठा फल चकसेंगे। यह समय न तो टीका-टिप्पणी का है, न शंका-कुशका का है। सिर्फ मुह बंद कर के नुप-चाप काम करने का, अर्थात् सूत कातने का, खादी पहनने का और पहनाने का समय है।

( नवजीवन )

माहन्यास करमचन्द गांधी

## हिन्दी-नवजीवन

गुरुवार, माघ वद्य ५, संवत् १९८१

### नोटिस ?

नीचे लिखा नोटिस मुझे बेलगाँव में दिया गया था—

“कुलाबा जिला ( महाराष्ट्र प्रान्त ) की महासभा-समिति के हम नीचे राही करनेवाले हमारे जिले की वास परिस्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाते हैं। कुलाबा जिले में न तो कपास ही पैदा होती है और न यह कपास पैदा होने के लिए सुगम केन्द्र कही है। इसलिए स्वभावतः कताई की तरफ यह के लोगों का झुकाव नहीं है। यहाँतक कि असदयोग के कुछ दिनों में भी बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ कुछ चरखे चलाये गये थे, सा भी कुछ ही महीने चल पाये।

घो इन सब बातों पर एर अच्छी तरह विचार कर के कुलाबा जिला समिति ने पिछले सितम्बर में यह प्रस्ताव पास किया था जिसका आशय यह था कि इस जिले में कताई के द्वारा मताधिकार की शर्त रखने से काम नहीं हो सकता और महासभा के विधान में उनका समावेश हो जाने से जिले की प्रायः तन्नाम समितियों की हस्ती क्षतरे में पड़ जायगी। इसलिए महासभा के द्वारा कताई-मताधिकार के स्वीकृत हूँते ही हम, बिना विलय, आपको सूचना किये देते हैं कि हमने से बहुतरे लोगों ने जो उम प्रस्ताव के हक में राय दी है, या उनके खिलाफ राय देने से अपने-भी रोका है उसकी वजह यह है कि एक तो खराब-दल ने इसे अपने दल का सवाल बना लिया है और दूसरे महासभा में एरता करने के खयाल ने भी इस बात को लाजिमी बना दिया था। तो हमारे लिए हमपर अमल करना मुश्किल है। हम आपके से आपकी खबर दिये देते हैं जिरासे आपका इलाक न होना पड़े।”

इस पर ता० २७ दिसंबर लिखी है और १२ सदस्यों के दस्तखत हैं। जिनमें सभापति और मंत्री भी हैं। मुझे आशा है कि ये महासभा अपनी धमकी का कार्यक्रम में परिणत न करेंगे। अगर इन सबजनों ने तंत्रनिष्ठा ( डिस्टिन्शन ) या एरता के खयाल से कताईवाले प्रस्ताव के खिलाफ राय न दी हो या तटस्थ रहे हों तो मैं उन्हें यह पताना चाहता हू कि खिलाफ राय न देने या तटस्थ रहने से ही तंत्रनिष्ठा या एरता की शर्त पूरी नहीं होती। तंत्रनिष्ठा तभी कारगर हो सकती है जब अपनी बुद्धि और तर्क के सहमत न होते हुए भी सच्चे सिपाही की तरह आशा-पालन के भाव में प्रस्ताव पर अमल किया जाय। ‘लाइट विंगड’ ने जिसकी बोस्टा का टैनिशन ने अमर कर दिया है, ऐसे ही भाव से काम लिया था। बोअर-युद्ध में उन सिपाहियों ने भी इसी भाव का परिचय दिया था, जो यह जानते हुए भी कि हम मौन के मुह में जा रहे हैं—करीब अपने जनरल के पीछे पीछे गये और जोअरों की बोलियाँ खाने हुए स्वायेंगकप पर खेत रहे। उनके जनरल के इस प्रस्ताव पर कि पर्वत पर कब्जा कर लिया जाय, यदि वे एक काठ की पुतली की तरह हाँ-हूँ कर देते तो उसके कुछ मात्री न होते, उल्टे शर्म की बात होती। उनके उस कार्य ने ही, जो कि यद्यपि वे मन से तो भी उसमें दृढ विश्वास रखनेवालों के जैसा ही दिलोजान से किया गया था, उन्हें बर के पद पर प्रतिष्ठित करा दिया। और यह बात याद रखने लायक है कि उन्हें ऐसी लड़ाई लड़नी थी जिसमें पराजय बिल्कुल निश्चित थी। हार के ही मौके पर तो धीरों का जन्म होता है। इसीलिए

एक ने कहा है कि सफलता क्या है? एक के बाद दूसरी गौरवपूर्ण पराजय। सो अगर साल के अन्त में मताधिकार की यह नई शर्त बिकल साबित हो जाय तो हर्ज क्या है? यदि महासभावादी बलादमी के रहते हुए भी और राजी और नाराज के होते हुए भी यदि उसे सफल बनाने के लिए अपनी पूरा शक्तिभर कार्य करें और उसके बाद भी वह बिकल होतो यह हार एक गौरवपूर्ण हार होगी।

और न यही कहना मुनासिब है, जैसा कि उसपर दस्तखत करनेवाले महासभाओं ने कहा है कि बहुतों ने सिर्फ एकता के खयाल से उस प्रस्ताव के हक में राय दी है, यद्यपि उनका इरादा उसके अनुसार काम करने का न था। एकता के लिए इससे कहीं अधिक पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसका प्रस्ताव महज कागज पर लिखा रहे और नतीजा कुछ न नजर आवे। एकता तभी वायम हो सकती है जब कि प्रस्ताव के अनुसार ठोस काम कर के दिखाया जाय। आसपासों में मेरा विश्वास नहीं। पर मेरे दूसरे साथियों को उनमें विश्वास है। इसलिए मैंने उन्हें महासभा के नाम का इस्तेमाल करने की आज्ञा दी है। पर अब अगर मेरा दिल मेरे मुँह या कलम का साथ न दे तो मैं एक पाकण्डो साबित हूँगा, न कि एकता में विश्वास रखनेवाला। परन्तु उस प्रस्ताव के हक में, जिसके द्वारा धारासभा-पक्ष का अधिकार दे दिया गया है, राय देने के बाद मुझे चाहिए कि मैं स्वराजियों का भला मनाऊँ, मुझे अपने किसी भी काम के द्वारा उनके कार्यक्रम का लुप्तान न पहुँचाना चाहिए। यही नहं, बल्कि जहाँ कहीं मुझसे हो सके अपनी पूरी शक्ति के साथ उन्हें मदद भी पहुँचानी चाहिए। और इतना करते हुए भी यदि उन्हें असफलता मिले तो वे यह नहीं कह सकते कि हम इसलिए नाबाबयाब हुए कि आपने उस मर्यादा के अन्दर रहकर जो कि पहले से आपस में तय कर ली गई थी, उन्हें मदद न दी। फर्जे कंजिए कि अपरिवर्तनबदो किसी भी तरह ने स्वराजियों के काम को न बिगड़े तो भी स्वराजियों का असफलता—यदि असफलता हो—भी एक तरह की सफलता होगी; क्योंकि उसके अन्त में जाकर हमें अपना रास्ता नापने का कई दूसरा रास्ता मिल जायगा। ठक इमी तरह यदि देश का तमाम दूध कतई की शर्त का सफल बनाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते और फिर अगर सफलता न मिले तो हम सब कहेंगे कि हौं, बात सच है, और साफ शर्तों में अपनी हार को कुचल कर लेगे तथा सब मिल कर सफलता के लिए काँड़ और सबक तैयार कर लेगे। यदि हम सभसुच तुके हुए हैं तो हम अवश्य ही अपने भवेय का रास्ता पा जायगे।

और इन कुलाबा के मजजनों की कठिनाई क्या है? यह खुद उनकी पैदा की हुई है। अगर खुद उनके जिंठे में कपास नहीं पैदा होती है तो वे करीब ले। कुलाबा मैजिस्टर की अपेक्षा बंबई से नजदीक है। पर क्या उन्हें यह जानकर ताबजुब होगा कि मैजिस्टर के आसपास कपास का एक टेंडुआ भी नहीं फलता; पर वहाँ के लोगों को कपास बाहर से मगाने, चुनकने और कातने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। मैं इन कुलाबावाले मित्रों की यकीन दिलाता हूँ कि आर इसे मैजिस्टरवालों से आधा भी मुश्किल न पावेंगे। और मैं उनका दिल बहाने के लिए यह भी कह देता हूँ कि यदि सगुँ कपास मगाने और चुनकने तथा कातने की इच्छा न हो तो महासभा के प्रस्ताव ने उन्हें यह छुट्टी दे रखी है कि वे आवश्यक हाथ-कता मूँग खरीद कर महासभा को दे दें। आप सूत खरीदना भी चाहते हैं या नहीं? यदि सूत हाथ कता हो और एकसा तथा मजसूत हो तो यह भी जुरा न होगा।

( ब० इ० )

मोहनदास करमचन्द गांधी



## टिप्पणियाँ

### शाबाश !

देशबन्धु ने लार्ड क्रिडन पर फटक क्या पाई, अपना खासा बरकरार ही उन्हें दिखा दिया है। वे बीमार थे, और उसी हालत में कोली में बैठकर धारासभा—भवन में आये। इस दृश्य से उस महान् विजय को एक सहज अभिनय को होना प्राप्त हो गईं। बीमारी की हालत में उनके जहाँ आ जाने ही ने किसी बहिया बकसुता से अधिक काम किया। यदि लार्ड क्रिडन के अन्दर काफी कल्पना—शक्ति और एक खिलाड़ी के भाव हों तो उन्हें चाहिए कि इन तमाम एक के बाद दूसरी शिकस्तों के बाद आरिक्मण्ड को बोपिस ले ले, गिरफ्तार—शुदां लोगों को छुड़ दें और उन पञ्चयन्त्रों की तदबीर करने का चार, जिन्हें वे मानते हैं कि बंगाल में फँडे हुए है, उन लोगों पर डाल दें जिन्होंने देशबन्धु के हक में राय दी है। और इसलिए कि बंगाल धारा-सभा की बहुमति ने उनके खिलाफ राय दी उन्हें उसकी शिफायत न करनी चाहिए। लोकप्रिय धारासभाओं का तात्पर्य यही है कि जा सरकार उनके सामने जबाबदेह है, उसकी हस्ती उनके युक्तियुक्त समर्थ पर ही अवलंबित रहे। हो सकता है कि कभी कभी वे जिद कर बैठें, बुद्धिहीनता का परिचय दें या सन्देशवापद मालूम हों। उस हालत में सरकार को धीरज रखकर उनके विचार बदलने तक इन्तजार करना चाहिए, कुशासन अथवा इससे भी अधिक खराबों की ओलियम ठठाने को तैयार रहना चाहिए। किसी लोकप्रिय सभा—संस्था से भी यह उम्मीद क्यों रखना चाहिए कि वह स्वैच्छाकार की मर्यादा से मुक्त है। लार्ड क्रिडन यह तो दावा करने ही नहीं हैं कि मेरे इस उपाय में राजनैतिक अपराध समूल मिटा देने की शक्ति है। पर मुझे बहुत डर है कि हमारे भारतीय पत्रकारों की तमाम जबरदस्त दलीलें यद्यपि वे एकमत से लार्ड क्रिडन की दलीलों को धुरा बताते हैं, फजूल जायगी। क्योंकि हमारी सरकार तो लोकमत का तिरस्कार करने की आदी हो गई है। इसीलिए मैं देश के सब लोगों से कहता हूँ कि अगर आप अपनी दलीलों में बल खाना चाहते हों तो आप चरखा अवश्य काँटें। देश के पास इस समय यही एक उत्पादक शक्ति मौजूद है। देशबन्धु दास ने बंगाल की धारासभा में जो सन्धु-निष्ठा कायम की है वह, चरखे के घर घर में जब पटकते ही और इस प्रकार विदेशी कपड़े का बहिष्कार सिद्ध होते हो, अपना प्रताप बतावेगा। अहा ! क्या अच्छा हो, यदि राष्ट्र-समष्टि—एक से एक ही प्रत्यक्ष कार्य कर दिखावे !

### प्रान्तिक समितियों के लिए

मुझे आशा है कि प्रान्तिक समितियाँ नये मताधिकार के अनुसार संगठन करने के कार्य को शुरू करने में व्यर्थ समय न गंवावेंगी। मैं यह जानता हूँ कि म.सभा के कुछ कार्यकर्ता कार्यसमिति की तरफ से इसकी सूचना पाने को आशा में समासद बनाने के कार्य को करने से रुक रहे हैं। यह जानने के लिये कि किस तरह कार्य किया जाय इस तरह रुकने को कोई आवश्यकता नहीं है। छुड़ कार्य—समिति का तो नये मताधिकार के अनुसार कोई कार्य संगठित करना नहीं है। सारा भार प्रान्तों पर ही है। और वे जितना उम्हरी काम शुरू करेंगे उतना ही अधिक लाभ उस उद्देश को पहुंचेगा जिससे कि नया मताधिकार दाखिल किया गया है। महात्माबादियों को यह स्मरण रखना चाहिए कि आकाल जो सदस्य हैं उनकी भीवाह फरबरी के अंत में पूरी हो जायगी। यदि प्रान्तिक समितियाँ तबतक सदस्य बनाने का काम मुस्तबी रखें तो उन्हें मालूम होगा कि काम चलाने के लिए भी उस बच उनके पास काफी सबस्य न होंगे। इसलिए अभी से सदस्य बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए। संगठन करने

के तरीकों के संघ में भी सर्तेश दास पुस्त ने कीमती सूचनायें दी हैं। सर्तेश दास की लिखी हुई और खादी प्रतिष्ठान की स-क से प्रकाशित खादी कार्य पर प्रकाश डारनेवाली दो जिल्द अगर्जी पुस्तकें जो मेरे पास आई हैं, पहली जिल्द में कर्तार और दुमरी के कार्य का संगठन करने के तरीके बयान किये गये हैं और दूसरी जिल्द में कई से सके खानेवाली जानने लायक जितनी बातें मिल सकती थी दी गई हैं। दोनों पुस्तकें समझोपयोगी हैं। इनके देखक न बड़ी मिहनत कर दोनों को आसानी से ज्ञान प्राप्त कराने के लिए बहुतेरी बातें इकट्ठा की जाओ खरीद सकते हैं उन्हें इन रिताओं को खरीद ले चाहिए। वे इन जिल्दों के लिए खादी प्रतिष्ठान, १५, हाउस स्टोर, कलकत्ता की लिखें। पहली जिल्द की कीमत दो रुपया है और दूसरी जिल्द की एक रुपया।

### कातनेवालों से

कुछ कातनेवाले, जो अबतक अपना सूत अधिक मात्रा में खादी मंडल को या मेरे पास भेजा करते थे पूछते हैं कि हम अब क्या करना चाहिए। दिसम्बर मास का सूत तो उन्हें उसी तरह भेजना चाहिए जिस तरह भेजते आये हैं। साल के शुरू होने के बाद बालिम लग जितना भी काँटें अपने ही पास रखें और सदस्यता के माहवर्ती सन्देश के तौरपर अपनी अपनी प्रान्तिक समितियों को भेज दें। अबतक कातने वाले जितना कातते, भेज देते थे और बहुत से लोगों ने तो २००० गज से कम सूत भी भेजा है। यदि वे चाहें तो ज्यादा सूत भेज सकते हैं। उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जितना सूत भेजें उसकी बराबर रसीद ले लें। २००० गज से जितना अधिक सूत भेजेंगे उतना दूधरे महीने के हिसाब में गिन लिया जायगा। छोटी उम्र के लड़के लड़कियाँ प्रान्तिक समितियों को सूत भेज कर सकते हैं। वे सदस्य नहीं बन सकते। मुझसे कहा जाता है कि फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जो मुझको सूत भेजने में उन्हें अपनी अपनी समितियों को सूत भेजने की सलाह दूँगा, लेकिन यदि वे ऐसा न करें तो मैं खुशी से उनके सूत को स्वीकार करूँगा और उधका अच्छे से अच्छा उपयोग करूँगा।

### काठियावाड़ राजनैतिक परिषद

काठियावाड़ राजनैतिक-परिषद को यह सलाह देना कोई ऐसी बेसी बात न थी कि उन शिकायतों और तकलाफों के लिए बहुतेरे प्रस्ताव पास न करो, जिनपर अमल कराने का कोई उपाय आपके पास न हो, फिर मछे ही लोगों को प्रस्ताव देने कायक सबूत उनके पास क्यों न हो। मैंने उनसे कहा कि परिषद में पहले सार्वजनिक सेवा और त्यागभाव को बढ़ाएँ और फिर शिकायतों का दूर कराने की व्यवस्था कीजिए। तब आप बहुतेरी शिकायतों और तकलाफों को दूर कराने में ज्यादा समर्थ हो सकेंगे। शान्त प्रतिरोध का यही तरीका है। विषय—समिति ने इसे खिला दिक्कियाहट के स्वीकार कर लिया। पहनु परिषद के संखालकों के तैयार किये कर्तार—मताधिकार—संबन्धी प्रस्ताव पर विकस्य बहस हुई। फिर भी वह बहुत भारी बहुमति से पास हुआ। यह प्रस्ताव महासभा के प्रस्ताव से एक बात में भिन्न था। इस प्रस्ताव के द्वारा हर सदस्य के लिए महान् राज्य के कामों पर ही नहीं बल्कि सदासर्वदा खादी पहनना लाजमी किया गया है। यहाँ तंत्र निष्ठा के अभाव से राय देने की कोई बात हो न थी। हर सदस्य अपनी मरना के मुताबिक राय देने के लिए आकाद था।

अब यह देखना है कि इस प्रस्ताव के अनुसार काम किस तरह होता है। हर शकस इस बात को तत्काल करता हुआ दिखाई

केता था कि इसकी फलता उन मुख्य कार्यकर्ताओं के उत्साह, उमंग, सरगर्मी और कामता पर अवलम्बित है जो इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए तैयार हैं।

सर प्रभाशंकर कांतेंगे

परिषद् में सबसे अधिक आश्चर्य पैदा करनेवाली बात तो यह थी कि सर प्रभाशंकर पड़नी (भावनगर—राज्य के एडमिनिस्ट्रेटर) सर आना खाने के पहले कम से कम रोजाना आधा घण्टा खाने की प्रतिज्ञा थी—सिवा उम बच के जबकि वे इतने बीमार हों कि चरखा ही न चला सकें। उन्होंने सफर का अपवाद नहीं रक्खा है। उनका कहना है और यह ठीक है कि जब वे सफर करते हैं, पहले दर्जे में करते हैं और इसलिए चरखा साथ ले जाने में और सफर दरम्यान कातने में भी उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आ सकती। सर प्रभाशंकर के लिए यह एक बड़ा भारी कदम है। मुझे आशा है कि वे अपने निश्चय पर जबर अमल कर सकेंगे। काठियावाड़ में उनके इस दृष्टांत से कातने की हलचल को बड़ी उत्तेजना मिलेगी। यह कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं कि काठियावाड़ सभा में शामिल होने की उनसे कोई आशा नहीं। मैं यह सुलासा करने के लिए उत्सुक था कि यद्यपि कातने की एक राजनैतिक बाजू है तो भी हर एक कातनेवाले को उससे संबंध रखने की जरूरत नहीं है। यदि राजा कोष और उनके मंत्री मिसाल पेश करने के लिए और जिनपर वे राज्य करते हैं उनसे अपनी एकता के सिद्ध-स्वरूप कांतेंगे तो मेरे लिए इतना ही काफी है। काठियावाड़ के किसानों को खूब समय रहता है। लोग गरीब हैं। यदि राजा-रजबाहों और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा कातने का रिबाज टाका जाय तो लोग भी उन्हें अपना लेंगे और राष्ट्र-धन में अच्छी वृद्धि करेंगे। व्यक्तियों पर चाहे इस धन-वृद्धि का असर मालूम न हो लेकिन लोगों पर समष्टि-रूप से उसका खूब असर होगा।

यह जानना पाठकों को बड़ा दिलचस्प मालूम होगा कि सर प्रभाशंकर ने यह प्रतिज्ञा किस तरह की थी। वे दर्शक क हैसियत से विषय-समिति में निर्मित होकर आये थे। कातने का प्रस्ताव पास हो जाने पर मैंने सदस्यों का कातनेवालों में नाम लिखाने के लिए निर्मित किया। मैंने उनसे कहा कि बेलगाँव में दूसरे लोगों के साथ, पहली मार्च के पहले माहवार २००० गज सूत कातने वाले १०० सदस्य बनाने का भार मैंने भी उठाया है। मैंने यह भी कहा कि जो कातना नहीं चाहते हैं उनमें से भी मैं चाहता हूँ कि दो कातनेवाले मुझे मिलें। मैंने भोतर्भों से यह भी कहा कि बेलगाँव में जब मैंने यह बीड़ा उठाया, मुझे यह आशा थी कि वे १०० सदस्य मुझे काठियावाड़ से मिल जायेंगे और इच्छा न होने पर भी कातनेवाले या सदस्यों में एक सर प्रभाशंकर मेरे खयाल में थे। यह सुनते ही फौरन सरप्रभाशंकर उठ खड़े हुए और लोगों की सुशी के दरम्यान बटो गंभीर ध्वनि में उन्होंने अपना पूर्ण निश्चय प्रकट किया।

सर प्रभाशंकर का शिक्षक मुझी को होना था। यह लिखते समय उन्हें सिर्फ तीन बार पाठ पढ़ाया गया था। तीसरे दिन २ घण्टे से कम समय में ८ नम्बर का अच्छा कता हुआ ४८ गज सूत कात सके थे। सब बात तो यह है कि आध घण्टे के पहले ही पाठ में वे तार निकालने लगे थे। फिर उन्होंने स्वयं ही चरखे के साथ अकेले यह लेना चाहा। मुझे आशा है कि दूसरे राज्याधिकारी और मंत्रीलोग भी सर प्रभाशंकर के लक्ष्य अपनेको और अपने राज्य के लोगों को कायदा पढ़वानेवाले इस निश्चय का अनुकरण करेंगे।

रुई का संग्रह

भावनगर रुई का केन्द्र होने के कारण उन गरीब कातनेवालों को जो आधा घण्टे की मजदूरी देने पर राजी हैं लेकिन रुई नहीं दे सकते और न माँग सकते हैं, रुई पढ़वाने के लिए रुई संग्रह करने का भा निश्चय हुआ। नतीजा उलका यह हुआ कि २५५ मन से ज्यादा रुई इकट्ठा हो गई। दो दिन के माँगने पर इतनी रुई का इकट्ठा हो जाना कोई बुरा नहीं। यदि जोश ऐसा ही रहा तो काठियावाड़ में कातने की हलचल खूब चल पड़ेगी।

(यं० इं०)

मो० क० गांधी

‘हम मूछवाले भी चरखा कातें?’

यह दलील काठियावाड़-राजनैतिक-परिषद् की विषय-समिति में कताई के प्रस्ताव पर पेश की गई थी। इसके उत्तर में गांधीजी ने कहा था—‘लंगों के हृदय पर साम्राज्य स्थापित करने का आज एक ही उपाय है—चरखा। जहाँ जहाँ अधर्म का राज्य छाया हुआ है वहाँ वहाँ आज चरखा ही फिर से ‘धर्म-संस्थापन, कर सकता है। आज हम सबकी हालत त्रिपाकु की तरह हो रही है। और इस अव्यक्त स्थिति से निकलने का उपाय चरखे के सिवा और कुछ नहीं है। इसीके द्वारा हम प्रजा पर प्रभाव डाल सकेंगे और इसीके द्वारा राजा के मनमें धर्म-जागृति होगी। एक सज्जन ने पूछा है, हम मूछवाले भी चरखा कातें? उन्हें मैं याद दिलाया चाहता हूँ जब मूछे मुटा डालने का समय आ गया है। जो लोग आज लैंकाशायर में कल-कारखाने चला रहे हैं, और उनके द्वारा सारे साम्राज्य को हिला रहे हैं वे मूछवाले हैं या बिना मूछवाले? उस विषय पर साहित्य तैयार करनेवाले भी पुस्तक ही है। चरमें खिर्वा आम तौर पर खाना पकाती है, पर जब बड़े बड़े भोज होते हैं तब मूछवालों के बिना काम चार नहीं चलता। और कोई उच्च वर्ण—ब्राह्मण—होने का कारण न पेश करें। हाँ, वर्णाश्रम का अर्थ ‘कार्य-विभाग मुझे मंजूर है। परन्तु कार्य से अभिप्राय है प्रभाज कार्य। उसके सिवा बहुतेरे कार्य सबके लिए एक सा हो सकते हैं और आज तो होने ही चाहिए। श्री सतीशचन्द्र दास गुप्त ने चरखा-शान्ति बनाया है। पालाताना से एक बहिषटदार का एक बटिया पत्र मुझे मिला है—वे कहते हैं कि मैं रोज नैम से चरखा कातता हूँ। दीवान साहब या ठाकुर साहब की ओर से कोई रुकावट नहीं। ज्याँ ज्यों उसका महावरा व्याहृत होता जाता है त्यों त्यों शक्ति का संवाज अधिक होता जाता है। मैं समझता हूँ कि अपने पीछे पर यदि छोटा सा चरखा ले जाया करू तो भी हर्ज नहीं। ऐसे बहिषटदार यदि कोकप्रिय हो तो कौन ताज्जुब है? प्रजाधन किस बात पर आपके पीछे पागल हो? राजा जानें जब पहले-पहल जहाज पर काम सीखने के लिए भेजे गये थे तब वहाँ वे दूसरे कलातियों की तरह ‘ब्लैक कार्पी’, ‘ब्लैक वेड’ और ‘चीज’ खाते थे। उनके रहने और खाने-पीने के लिए कोई खास इन्तजाम नहीं किया गया था। कपड़े भी उन्हें खलाशियों जैसे मिलते थे। यह जानने पर आपको मालूम होगा कि क्यों इंग्लैंड की प्रजा राजा जार्ज के पीछे पागल होती है। राजा और प्रजा, कार्यकर्ता और लोग चरखे के तार से एक दूसरे के साथ जुड़ सकेंगे।’

गांधीजी को अभिनन्दन

काठियावाड़-राजकीय-परिषद् के दिनों में भावनगर प्रभाशंकर की तर से गांधीजी का अभिनन्दन-पत्र दिशा गया था। श्री महादेव हरिभाई देशे इ उसके संग्रह से मञ्जीवन में इस प्रकार लिखते हैं—

‘प्रजाप्रेम का अभिनन्दन-पत्र नगरसेठ ने पकड़र बुवाया। सर प्रभाशंकर उसे देने के लिए मंच पर आ खड़े हुए। पहले

दिव गांधीजी के हाथ से राजकोट के ठाकुर साहब को अभिबन्धनपत्र दिया गया और आज पट्टणी साहब के हाथ से गांधीजी को अभिबन्धन-पत्र दिया गया। दोनों प्रसंगों की महत्ता समान थी, फिर भी आज के प्रसंग में कुछ विशेष रस था। गांधीजी को अभिबन्धनपत्र देनेवाले श्री पट्टणी केवल काव्य ही में खादी-भक्त न थे, बल्कि व्यवहार में भी खादी-भक्त जादिर हुए थे। ठाकुर साहब को तो अपनी स्थिति का ह्याल रखते हुए अपना व्याख्यायक बनना पड़ा था। लेकिन पट्टणी साहब ने तो प्रसंगों के अनुकूल धीरे धीरे बोलना शुरू किया और बोलते बोलते इतने ऊंचे चढ़ गये कि धोताओं का आश्चर्य पट्टणी साहब की प्रवृत्ति-एक प्रौर उनकी गांधी-भक्ति, दोनों के दरम्यान विभक्त हो गया। यह कोई भी आशा नहीं रख सकता कि इसमें जातुर्य न होगा। उसमें राजनैतिक कौशल न होगा, इसकी भी आशा थोड़े ही लोगों ने रखी होगी। लेकिन इसमें इतनी अधिक सरलता होगी, इसकी आशा शायद ही किसीने रखी हो। 'मुझे गांधीजी के चरणस्पर्श करने का काम मिला इसलिए आज मैं अपनेको बहुत भाग्यशाली मानता हूँ'। इस वाक्य ने सबको मुग्ध कर दिया। गांधीजी का एक वाक्य लोगों के मुँह खूब चढ़ गया है। 'कट्टे बिकिंदरन कहा करते थे कि हिन्दुस्तानियों में 'नहीं' कहने की हिम्मत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपमें यह हिम्मत हो। पट्टणी साहब ने एक सरल वाक्य में ही गांधीजी के और अपने चरित्रभेद को प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा—'ऐसे हृदयवाला मैं

जन्तुजीव हूँ। जो 'नहीं' नहीं कह सके।' यहाँ स्वच्छन्द हो कर और यथेच्छ बोलने की आपको स्वतंत्रता यहाँ अर्थात् विषय-समिति में गांधीजी ने मुझे आने की इजाजत यह क्या उनकी कम उदारता है?' फिर बोले—'गांधीजी के व्याख्यायक में राजा-प्रजा के संबंध के बारे में जो उद्गार हैं, उन पर राज कैसा होना चाहिए, इसका अभाव कयाल होता है। सारे जमान का मूल-मंत्र मुझे तो यही प्रतीत हुआ—' जो संयमी अपने सामने सबको झुका सकते हैं—राजा को दंड न उठाना और प्रजा को प्रेम-भाव से अपनी माँग पेश करनी चाहिए। चरखा को विश्व तरह प्रहण करना चाहिए, यह कहते हुए उन्हें महाभारत से एक हृदयगम प्रसंग सुनाया। 'श्री कृष्ण तो बड़े रंगती थे। वे पांडवों के साथ संधि की बात करने आनेवाले थे। सब से पूछने लगे—संधि के लिए यदि गया और मेरी बात ही किसीने न सुनी तो? भीम से पूछा,—'बसने अभाव दिया, उनसे कहना कि यदि संधि न करोगे तो सर तोड़ डालेंगा। अर्जुन ने कहा, कह देना कि संधि न करोगे तो गांधीजी का अमृतकार देख लेना। द्रोपदी से पूछा तो वह कहने लगी कि कौरवों को याद दिलाना कि यदि न मानोगे तो सती के श्राप से जल कर भस्म हो जाओगे। लेकिन युधिष्ठिर ने क्या कहा? उसके मुख से एक ही उद्गार निकला—'जन्तुभ्यं रोचते कृष्ण जन्तुभ्यं च रोचते' आपको जो अच्छा लगे कह देना, कृष्ण, आपको जो अच्छा लगे कह देना। यह ऐसी बात है। महात्माजी को यह पसंद है, इसलिए करो।'

## नवंबर का सूत

अनुक्रम नंबर	प्रान्त	नधि	अप्रतिनिधि	रु	कुल देय	दिया	मुकलान	महासमिति के सहाय
१	अजमेर	३	४	७	१३,०००	१	०	०
२	आन्ध्र	*	*	१०१७	१८ लाख	*	*	*
३	आसाम	२२	५५	७७	३२,०००	४२	१	०
४	बिहार	१००	२८७	३८७	६। लाख	४४	२४	१६
५	बंगाल	१७४	६७७	८५१	२६॥ "	१०६	५२	३
६	ब्रार	४	३१	३५	६६,०००	६	०	०
७	बंबई	३१	११८	१४९	३॥ लाख	४९	४	१
८	बर्मा	४	३२	३६	१ लाख	१०	०	०
९	म० प्रा० ( हिंदी )	५४	४५	९९	१॥ लाख	६	४	६
१०	म० प्रा० ( मराठी )	६३	६८	१३१	२॥ "	२२	१	३
११	मेहलौ	१२	२५	३७	०॥ "	०	२	१
१२	गुजरात	९२	१३४८	१४४०	३५॥ लाख	२६१	५८	९
१३	करनाटक	६९	२२७	२९६	५॥ "	६६	२	५
१४	केरल	१२	६९	८१	१। "	७२	२	१
१५	महाराष्ट्र	१४५	२२०	३६५	७ "	६४	६	४
१६	पंजाब	१४	३८	५२	१ "	*	*	२
१७	सिन्ध	४७	७४	१२१	२ "	५०	५	३
१८	तामिलनाड	१०३	५४६	६४९	१६॥ "	९३	२०	१०
१९	संयुक्त प्रान्त	२६	१५४	२५०	२ "	६	४	७
२०	हरकल	७१	१२५	१९६	२॥ "	८	२	८
कुल जोड़		१११६	४१४३	६७६	१,०१,३६०,००	९१२	१८७	७४

सबसे ज्यादा लम्बाई (अंक १४) गुजरात की एक कल है। सूत गुजरात के श्री पूजाभाई मन हरभाई पटेल की ओर से मिला है। गुजरात की संख्या में कमी होने का कारण शायद यह है कि ५ ता० के बाद आया सूत उसमें नहीं जोड़ा गया है।

## बेलाव के संस्मरण

[ २ ]

नामधारी शिक्षक

छोटे बच्चे भी थे मुलाकात कर उन्हें सन्तुष्ट करने में मुझे बड़ी मुश्किल पड़ती थी। नामधारी शिक्षक कागजों का एक ढेर मेरे पास आये। उन्होंने आशा रखी थी कि मुझे शिक्षक उनकी शिक्षायत को मैं गौर से सुनूँगा। अकस्मात् और पीराम को देखकर मेरी अनिच्छा (भावार्थ) भी गी रही। लेकिन उनकी शिक्षायतों को न सुनने की बजाय मेरी अनिच्छा के बलिस्वत मजबूरी अधिक थी। उनकी प्रवृत्ता को देखकर कहीं समय भी रुक सकता है? स्वयं वे भी यह देख सकते थे कि मैं मजबूर था। मैं उनको सिर्फ यही तसल्ली (संतोष) दे सका कि जब मैं फिर कभी लाहौर जाऊँगा, उनके कागजों को पढ़ूँगा और इस बात का खयाल रखूँगा कि महासभा की तरफ से उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय (गैर-इन्माफ) न हो। मैंने उनसे कहा, अगरचे मैं बहादुर अकादमी के प्रति पक्षपात रखता हूँ फिर भी उनके किये अन्याय या अत्याचारों में मैं कभी शामिल नहीं हो सकता। सरदार मंगलमिंद ने मेरे इस भाव को दुर्लगाया और कहा कि अकाली लोग यह दिखाने के लिए हमेशा तैयार हैं कि वे सिर्फ मुद्दारों का नैतिक सुधार ही चाहते हैं।

### मौजूदाकाल स्वयं की शिक्षायत

लडा (सी-गेन) के भी व हा मुझे यह चाहत थी कि मैं नर भा को मुद्दगया के मन्दिर के प्रथम पर गौर करने के लिए। वाठकों को शायद यह याद होगा कि कुछ साल से ऐसी हलचल हो रही है कि मुद्दगया का बटा और ऐतिहासिक मन्दिर बौद्धों के हाथों कर दिया जाय। लेकिन मालूम हाता है अभी वह ठीकठीक भागे नहीं बच पाई है। कोकानावा को महासभा ने बाबू राजेन्द्रप्रसाद को इस मामले की जांच करने के लिए और उसपर रपट करने के लिए मुकर्रर किया था। इस महासभा का बंटक तक वे ऐसा न कर सके थे। महासभा-सप्ताह के दरम्यान इस बात पर स्वयं बहस करने के लिए लडा से बौद्धों का एक शिक्ष-मंडल आया था। श्री परैरा कुछ नेताओं से मिलकर फिर मुससे मिले। मैं तो पहले से उन्हींके मत का था। कार्यभार मैंने उठा लिया था उसके सिवा और कार्य करने की मुझे फुरमत ही न थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी उनकी बात में उतना ही विश्वास है जितना कि उन्हें स्वयं है। लेकिन महासभा उन्हें बहुत मदद न कर सकेगी। आखिर मुससे उन्होंने यह बचन ले लिया कि मैं उन्हें विषय-समिति में अपना बक्ष्य सुनाने का मौका दूँ। उनके मोठे बरताव और छोटी लेकिन फलीह तकरीर की छाप समिति पर अच्छी पड़ी और उसी बफ उस पर विचार करने का निधय उसने किया। लेकिन, अफसोस! बहस चलने पर समिति को मालूम हुआ कि वह श्री परैरा को कोई ऐसी मदद नहीं कर सकती। क्योंकि उसे अपने मेले प्रतिनिधि की रपोट अभी न मिली थी; पिछले साल इस विषय पर बहुत-कुछ बर्बा हो चुकी थी। लेकिन तीव्र मतभेद होने के कारण उसे छोड़ देना पडा था। समिति इसलिए सिर्फ इतना ही कर सकी कि उसने बाबू राजेन्द्रप्रसाद से कहा कि अपनी जांच जल्दी खतम करके इसी महीने के आखिर तक अपना रपट कार्य-समिति में पेश करें। हाँ, इसमें तो शक नहीं कि मन्दिर का कब्जा बौद्धों के हाथों में होगा चाहिए। पर इसमें कुछ कानूनी मुद्दिकले पेश आ सकते हैं। उन्हें दूर करवा होगा। यदि यह कबर सब है कि उस मन्दिर में बौद्धों का बलिदान दिया जाता है तो बेसक यह अर्थ है। और

यदि, जैसा कि कहा जाता है, पूजा भी उस तरीकों से की जाती है जिनसे बौद्धों का दिल दुखे, तो यह भी उतना ही अर्थ है। हमें इस बात में फल मानना चाहिए कि हम मन्दिर के हकदारों को मन्दिर का कब्जा दिखाने में सहायता दें। मुझे आशा है कि राजेन्द्र बाबू इस विषय का सारा साहित्य इकट्ठा करेंगे और उसपर अपना रपट तैयार करेंगे, जिससे कि इस मामले में बौद्धों की सहायता करनेवाले लोगों को मदद मिले। मुझे यह भी आशा है कि श्री परैरा भारत ही में होंगे और राजेन्द्र बाबू को मदद करेंगे।

### शिक्षकों को परिषद्

राष्ट्रीय शिक्षकों की भी आपस में एक परिषद् हुई थी। वे निश्चित परिणाम (नतीजे) पर पहुँच भी सके हैं। बहस खासो दिखलस्य हुई थी। सागी बहस का मध्य-बिन्दु बरखा ही था। अच्छे अच्छे विद्वान् परिषद् में आये थे। मुझे आशा है, शिक्षक लोग अपने ही लिए किये गये उन प्रस्तावों पर ठीक ठीक हुरफ ब हुरफ अमल करेंगे। प्रस्तावों को पास करके उनपर कभी अमल न करना राष्ट्रीय जीवन के नाश का कारण हो गया है। बौद्धों की फजूल बचन देना तो शिक्षकों को कभी गुनासिम ही नहीं। देश के युवकों को बनाने का काम उन्हींके हाथों में है। उन्हें यह बत अच्छी तरह जानना चाहिए कि विद्यार्थी लोग इन प्रस्तावों की पवित्रता पर उनके किये बड़े बड़े प्रवचनों के बलिस्वत उनके बचन-भग के तुरे उदा रण का ही ज्याबद् अनुकरण करेंगे। राष्ट्र के लिए यह साल एक आचमाहल और इम्तदान (परीक्षा) का साल है। महासभा ने एक ही काम में अर्थात् खादी पैदा करने और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने में ही अपना सब कुछ लगा दिया है। राष्ट्रीय शालाओं में तभी राष्ट्रीय कहलावेंगी जब वे राष्ट्रीय कार्य में मदद करेंगी। इसके लिए उनके शिक्षकों को, लडाके और लडाकियों को वे तमाम काम धीकने होंगे जिनकी जल्द खादी पैदा करने में है। उन्हें स्वयं खादी पहननी होगी, जितना कात सके कातना होगा। पर इसके लिए यह जरूरी नहीं कि वे अपनी दूसरी पढाई को भूल ही जाय। लेकिन उन्हें उन बातों को तो हरगिज न भूलना होगा जो राष्ट्र के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। शिक्षकों ने बहुत बड़ी बहुमत से इस बात को स्वाकार किया है। मैं आशा करता हूँ कि वे अपने बचन के अनुसार कार्य करके इसका सफल बनावेंगे।

### विद्यार्थी

विद्यार्थियों की भी परिषद् हुई थी। उनमें केवल राष्ट्रीय शाला और विद्यालयों के ही विद्यार्थी नहीं, बल्कि अधिकांश में सरकारी शालाओं के ही विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों के छुटी के दिनों का और दूसरे खाली समय का उपयोग करने की एक योजना श्री रेडी-सभापति ने तैयार की थी। उनकी योजना में विद्यार्थियों को (वे बकील को भी उनमें शामिल करते हैं) कम से कम एक साल में २८ दिन राष्ट्र को देने के लिए प्रतिशब्द होना पडता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने कार्यक्षेत्र के पडोस के चार गांवों में काम करना होगा। श्री रेडी ने जुदे जुदे विषयों पर व्याख्यान देने की सलाह दी थी। मैं अभी तो इन स्वयंसेवकों के फुरसत का समय खादी के प्रचार में ही रुक कराना चाहता हूँ। लेकिन सेवा का यही एक मार्ग तो नहीं है जिसे विद्यार्थी और बकील लोग कर सकते हों। आखिर ये इतना तो कर ही सकते हैं कि स्वयं खादी पहनें और रोज आवा घण्टा कातें। उन विद्यार्थियों और बकीलों को जिनकी उम्र २१ साल से अधिक है महासभा का सदस्य बन जाना चाहिए और जिनकी उम्र कम हो उन्हें अपना सूत भेट के तौर पर अपनी समिति को या अखिल-भारत-खादी-मण्डल को भेजना चाहिए।

( यं. इ. )

माहनबास करमचंद गांधी



# हिन्दी नवजीवन

लेपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

अंक ४ ]

[ अंक २४

मुद्रक-पकाशक बेनीकाल छगलर...	अहमदाबाद, माघ बही १३, संवत् १९८१ शुक्रवार, २२ जनवरी, १९२५ ई०	मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय, सारेगपुर सरकीगरा की बाड़ी
---------------------------------	---	--

## अस्पृश्यता

[वैलगाव में अस्पृश्यता-विचारण परिषद में मैंने जो भाषण किया था उसकी रिपोर्ट श्री महाशय देसाई ने ली थी। उसमें मेरे विचार प्रायः पूरे तरह समाविष्ट हो गये हैं। इसलिए उमें यहाँ देता हूँ—

मो० क० गांधी]

"मेरे लिए अस्पृश्यता के विषय में कुछ कहना फजूल है। मैं बार-बार कह चुका हूँ कि यदि 'स जन्म में मुझे ब्राह्मण न मिले तो मेरी आकांक्षा है कि अगले जन्म में, भंगी के घर में जन्म हो। मैं वर्णाश्रम की मानता हूँ और उसके विषय में जन्म और कर्म दोनों की मानता हूँ। पर मैं इस बात को नहीं मानता कि भंगी कोई पतित व्यक्ति है। ऐसे कितने ही भंगी देखे हैं जो पूज्य हैं और ऐसे कितने ही ब्राह्मण भी देखे हैं जिनकी पूजा करना मुश्किल पड़ता है। ब्राह्मण के घर में जन्म ले कर ब्राह्मणों की या भंगी की सेवा कर सकने के बजाय मैं भंगी के घर पैदा हो कर भंगी की सेवा ज्यादा कर सकूँगा और दूसरों जातियों की भी समझा सकूँगा। मैं भंगियों का अनेक तरह से सेवा करना चाहता हूँ। मैं उन्हें यह सीख देना नहीं चाहता कि वे ब्राह्मण से घृणा करें। घृणा से मुझे अतन्त दुःख होता है। भंगियों का मैं स्पर्श चाहता हूँ; पर मैं अपना यह धर्म नहीं समझता कि उन्हें पश्चिमी तरीकों से दूक भोगने की सलाह दूँ। इस तरह कुछ भी हासिल नहीं होगा। धर्म नहीं। मार-पीट से प्राप्त की हुई चीजें हासिल नहीं रह सकती। मैं अपनी जातियों के सम्पर्क में उभरने का आता हुआ वैसता हूँ कि जब मार पीट के बल पर कोई भी काम सिद्ध न हो सकेगा।

मैं हिन्दू-धर्म की उन्नति चाहता हूँ और अस्पृश्यों को अपना बना। चाहता हूँ। इसके अर्थ कोई भी अछूत अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में मिलता है, तब मुझे भारी पका पहुँचता है। पर इस बारे में क्या? इस हिन्दू पतित हो गये हैं। हमारे दिलों से त्वाग-भाव बका गया। प्रेम-भाव जाता रहा, सच्चा धर्म-भाव नष्ट हो गया। योता में तो कहा है कि ब्राह्मण और शूद्रात्मको समान समझो। समान के यानी क्या हैं? यह नहीं कि ब्राह्मण और भंगी के धर्म एक ही काले हैं। पर इस हर तक दोनों में समानता जरूर होनी चाहिए कि हम दोनों के साथ एकसा न्याय

कर सकें। मुझे भंगी की जरूरतें रफा करनी चाहिए। भंगी की तकलक तो यह है कि हम उनकी मामूली से मामूली जरूरतें भी पूरी नहीं करते। भंगी को भी सोने की जगह तो चाहिए ही, साफ सुथरी हवा और पानी तो चाहिए ही, भोजन तो चाहिए ही। इतनी बातों में तो वे ब्राह्मण के समान ही हैं। जिस भंगी को सेवा की जरूरत थी, उसे कि किसी भंगी को साँप ने काटा हो, तो मैं जरूर उसकी सेवा करूँगा। भंगी को यदि मैं अपनी सच्ची सेवा करता तो मैं पतित हूँगा। इसीसे मैं कहता हूँ कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्म का महापाप है।

एक प्रकार की अस्पृश्यता के लिए हिन्दू-धर्म में त्वाग है। एक शब्द है 'स्पर्श'। यह शब्द जबतक त्वाग न कर के अस्पृश्य बने ही रहे। "मेरी माँ जब मर-मृत श्राद्ध करती तब नहावे बिना किसी शोक को भुली न थी। मैं देवदास-संस्कार का अनुयायी हूँ, इसीलिए इतनी अस्पृश्यता—कर्म की शक्ति अस्पृश्यता को मैं मानता हूँ। परन्तु जन्म की अस्पृश्यता को मैं नहीं मानता। जब मैं अपने मर-मृत को उठानेवाली अपनी माता की पति का स्पर्श करता हूँ तब यह मुझे अधिक पूज्य मानता होती है। इसी तरह जब भंगी की सेवा का विचार करता हूँ तब मेरी दृष्टि में वह पूज्य हो जाता है।

मैंने यह कभी नहीं कहा कि अस्पृश्यों के साथ रोटी-बेटी व्यवहार रफा जाय, इसका कि मैं रोटी-व्यवहार रखता हूँ। बेटी-व्यवहार के लिए मेरे पास सुझाव नहीं। मैं बाल्यस्थावस का-पोसक करता हूँ—संन्यास का प्रत्यक्ष करता हूँ, या नहीं, सो नहीं कह सकता। क्योंकि कश्मियुग में संन्यास कर्म का पावन करना बड़ा कठिन है। मैं तो प्राणत प्राणी हूँ। मैंने वेदाध्ययन नहीं किया और मैं मोक्ष के कर्मक हूँ या नहीं, इस विषय में सन्देह है। क्योंकि मैं राधेव का पूज्य मानता हूँ और पाया हूँ। मेरे काँ उभार पश्चिम भारतीयों की तरह नहीं कर सकता। उसके कारण मोक्ष न मिलता हो तो बात क्या। पर जबतक मेरे अन्दर राय-द्वेष मौजूद है तबतक मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। इससे मैं संन्यासी बाई न होऊँ पर इस तरह मैं कुछ भी होय नहीं विचार करता कि मेरी स्थिति का हिन्दू धर्म संसार

के साथ रोटी-व्यवहार रखते । परन्तु जिस खोप के दूर होने की आवश्यकता है वह है अछूतपन । उसमें रोटीव्यवहार का समावेश नहीं है ।

अस्पृश्यता-निवारण को मैंने जो महासभा का एक कार्य माना है वह केवल राजनैतिक हेतु पूरा करने के लिए नहीं है । यह हेतु तो तुच्छ है, स्थायी नहीं । स्थायी बात तो है हिन्दू धर्म में, जिसे कि मैं सर्वोपरि मानता हूँ, अस्पृश्यता का बलक न रहे । स्थूल स्वराज्य के लिए मैं अन्यजनों को फुसलाना नहीं चाहता । इस लालच में उन्हें फसाना नहीं चाहता । मैं तो मानता हूँ कि हिन्दुओं ने अस्पृश्यता को अगीवार बर के भारी पाप किया है । उसका प्रायश्चित्त उन्हें करना चाहिए । मैं अस्पृश्यों की 'शुद्धि' जैसी किसी चीज को नहीं मानता । मैं तो अपनी ही शुद्धि का कायल हूँ ।

जब मैं स्वयं हो अशुद्ध हूँ तो दूसरे की शुद्धि क्या करूँगा ? जबकि मैंने अस्पृश्यता का पाप किया है तो शुद्ध भी मुझे ही होना चाहिए । इसलिए हम जो अस्पृश्यता निवारण बर रहे हैं वह केवल आत्मशुद्धि है, अस्पृश्यों की शुद्धि नहीं । मैं तो हिन्दू-धर्म की इस सैतानियत को निर्मूल करने की बात कर रहा हूँ, अस्पृश्यों को फुसलाने की बात मेरे पास नहीं है ।

परन्तु हिन्दू-जाति के लिए खान-पान का सबाल जुदा है । मेरे कुटुंब में ऐसे लोग हैं जो मर्यादा-धर्म का पालन करते हैं । वे और किसी के साथ भोजन नहीं करते । उनके लिए खाने-पीने के बरतन और चूल्हा भी अलहदा होता है । मैं नहीं मानता कि इस मर्यादा में अज्ञान, अंकार, या हिन्दू-धर्म का क्षय है । मैं खुद इन बाहरी आचारों का पालन नहीं करता । मुझसे यदि कोई कहे कि हिन्दू-संसार को इसका अनुकरण करने की सलाह दो, तो मैं इनकार करूँगा । मालवीयजी मुझे पूज्य हैं, मैं उनका पाद-प्रक्षालन भी करूँ । पर वे मेरे साथ खाना नहा खाते । ऐसा करके वे मेरे साथ घृणा नहीं करते हैं । हिन्दू धर्म में इस मर्यादा को अटल स्थान नहीं है, परन्तु एक खास स्थिति में यह स्तुत्य मानी गई है । रोटी-बेटी व्यवहार का संबंध जिस दरजे तक संघम से है उस दरजे तक वे भले ही रहे । पर यह बात सब जगह सच नहीं है कि किसीके साथ भोजन करने से मनुष्य का पतन होता है । मैं नहीं चाहता कि मेरा लडका जहां चाहे और जो चाहे खाना खाता बिरे; क्योंकि आहार का असर आत्मा पर पड़ता है । पर यदि राग या सेवा की सुविधा के लिए वह किसीके यहाँ कुछ खास चीजें खायें तो मैं नहीं समझता कि वह हिन्दू-धर्म का त्याग करता है । मैं नहीं चाहता कि खान-पान की जो मर्यादा हिन्दू-धर्म में है उसका क्षय हो । संभव है कि इस मर्यादा का भी छोड़ देने का युग आ जाय । ऐसा होने से हमारा विनया नहीं हो जायगा । आज तो मैं वहीं तक जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ तक मेरा दिल मानता है । मेरी विचारधरणा में इस युग में रोटी-बेटी के व्यवहार को मर्यादा का लोप नहीं या सकता । मेरी इन दृष्टि के कारण मेरे कितने ही मित्र मुझे दम्भी मानते हैं, पर इसमें किसी तरह का डोंग नहीं है । स्वामी सत्यदेव और मैं अलोगक जा रहे थे । उन्होंने मुझे कहा—'आज यह क्या करते हैं ? स्वामी साहब के यहाँ जावेंगे ।' मैंने कहा, मैं खाऊँगा, आपके लिए मर्यादा है तो आप न खावें । मेरे लिए स्वामी साहब के यहाँ खाद्य वस्तुयें न खाना पतितता है । पर यदि आप खायेंगे तो पतन होगा, क्योंकि आप मर्यादा का पालन करते हैं । स्वामी सत्यदेव के लिए ब्राह्मण बुझाया गया, उन्होंने उनके लिए रसाई बनाई । मौलाना

अन्दुल बारी के यहाँ भी ऐसा ही इतजाम होता है, यहाँ तक कि हम जब जाने हैं तब ब्राह्मण बुझाया जाता है, और उसे हुकम होता है कि तमाम चीजें भी बाहर से लावे । मैंने मौलाना से पूछा कि इतने पहतियात की क्या जरूरत ? तो कहते हैं कि मैं कमरों को भी यह मानने का मौका नहीं देना चाहता कि मैं आप को अष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिन्दू धर्म के अनुसार बहुत से लोगों को हमारे मन्त्र खाना खाने परहेज होता है । मौलाना का न आदर की दृष्टि से देखना हूँ । मैं संघे-सांघे भोले आदमी हूँ । कभी कभी भूल कर डालते हैं, पर मैं खुदा-परस्त और ईश्वर से डरनेवाले ।

बहुतेरे लोग मुझे बतें कि आप सन्तनी कहां से हो गये ? आप न तो पाशा-विश्रमध के दर्शन करते हैं, यही नहीं उल्टा देह को लडकी का गोद ले लिया है । मुझे इन सवाज पूछनेवालों पर रहम आता है ।

अन्त्यज भाइयो, आपके साथ बहुत बातें बरने नहीं आया था, फिर भी कर गया, क्योंकि आपके साथ मुझे प्रेम है । आपके साथ जा पाप बिये गये हैं उनके लिए मैं आपसे भी मफी चाहता हूँ । पर आपको अपनी उन्नति की शाने भी समझ लेना चाहिए । मैं जब पूना गया था तब एक अन्त्यज भाई ने उठकर कहा था—'हिन्दू जाति यदि हमारे साथ न्याय न करेगी तो हम भाग-काट से बाम लेने ।' यह सुन कर मुझे दुःख हुआ था । क्या इससे हिन्दू-जाति का या आपका उद्धार हो सकता है ? क्या इससे अस्पृश्यता दूर हो सकती है ? उपाय तो लिके नहीं है कि धर्मग्रन्थ हिन्दुओं की सर्वज्ञाने-मुझावें और जो कष्ट न दें उन्हें रहन बरे । आप यदि मद्दसे में जाने का हक चाहें, चाहे दण जहाँ जहाँ जा सकते हों वहाँ जाने का हक चाहें, जो जो स्थान और पद प्राप्त बर सकते हों उनको पाने का हक चाहें तो वह बिकूल ठीक है । अस्पृश्यता निवारण का अर्थ है कि आपके लिए कंड भी ऐहिक स्थिति आया न हो । पर आप उन सब बानों का पालन भी तरीको से नहीं प्राप्त कर सकते । हिन्दू-धर्म में जो बान कल्याणकारिणी बताई गई हैं उसके द्वारा कर पाते हैं । यदि यह माने कि शरीर-बल के द्वारा कार्य निद्ध होना है तो इसका अर्थ यह होता है कि आगुरी भाग्यों के द्वारा हम धर्म-कार्य निद्ध करना चाहते हैं । मैं आपसे चाहता हूँ कि आपके अन्दर यह आगुरी भाव न पड़े और आप सच्चे भाववत धर्म का पालन करें ईश्वर हमें तैमी सन्नते दे कि जिसमें अस्पृश्यता-निवारण एक क्षण में हो जाय ।

मान और ज्ञान-पूर्वक ब्राह्मणपालन का दान होना चाहिए । और बरके का लुगी खुज आजापालन और पाना प्रायश्चित्त का साक्षात् गुरि हो समझिए । इसलिए स वनय मुझावें, पदके बरके को सककता अवश्य मिलनी चाहिए । मैं बरके बरे और नवराजियोंको और इसलिए हमसे संबर स्वतया और तनाम कुरों का मन्-कुछ के देने पर, फिर चाहे कार्यकर्ताओं को गेहूँ पृष्ठ रथ की टालियों पर गिनने लायक ही क्यों न हो जाय, इतना जरूर दे रहा हूँ । उमका कारण यही है कि मदिनय भंग के लिए आवश्यक चायुंडल तैयार होने के पहले मदिनय मग शुक्र करने के खयाल-मात्र से मुझे रत्न के मन्थ मेल खेलने का बडा डर हो रहा है । सविनयभंग की आट में हमें हिमातनक भंग इरगिन न कर बैठना चाहे । चौरा चौरा का सबक मेरे दिल में बहुत गहरा पेट गया है । वह आसानी से नहीं निकल सकता । बाबालोवाले निणय के संबंध में मेरे दिल में अफमोस का जरा चिन्ह नहीं है, यही नहीं, उल्टा मैं तो उसे अपनी तरफ से दश की एक बको से बडी सेवा मानता हूँ । मो० क० गांधी ]

## मेरी भ्रष्टा

पिछली २८ जून की अहमदाबादवाली महासमिति की बैठक के बाद, महात्माजी ने भिन्न भिन्न प्रान्तों से आये अपने नजदीकी अपरिवर्तनवादी साथियों के साथ सत्याग्रहाश्रम साबरमती में दिल खोल कर बातें की थी। उस समय कुछ लोगों ने यह मुझाया था कि अपरिवर्तनवादियों का महासभा के तमाम पद स्वराजियों को दे देने चाहिए, और महात्माजी का अपना सबंध महासभा से तब कर, बाहर रह कर ही स्वतंत्र-रूप से खादी तथा अन्य रचनात्मक काम करना चाहिए। मैं इस विचार के खिलाफ था। अन्त को महात्माजी ने भी इन विचार को नाभंजूर कर दिया। उनकी मुख्य दलील यह थी कि इस तरह महासभा से हटना अत्याचार होगा और स्वराजियों का बहुत नुस्खान पहुँचंगा, जिनकी कि सेवा अपने सिद्धान्त को छोड़े बिना में भरसक करना चाहता हूँ। उसके बाद कितनी ही साके की घटनायें ही चुगी हैं और अब हाल में यह हुई है कि एक ओर महात्माजी महासभा के सभापति और कार्य-समिति के मुखिया हैं, और दूसरी ओर कार्य-समिति में, जिसके कि जिम्मे महासभा का माग काराधार है स्वराजियों की प्रधानता है। एक अर्थ में महात्माजी का तल्लुक किसी दल से नहीं है। पर यह बात माने बिना नहीं रह सकने कि कुछ मूल बातों में स्वराजियों से उनका मत नहीं भिन्नता है। स्वराजियों और अपरिवर्तनवादियों का सबंध कलकत्ता के उद्धार के अनुसार तय हुआ है। आपस के सम्बन्धों के द्वारा और दोनों दलों की रायों की गिनती किये बाँगर, महासभा ने स्वराजियों को धारासभा में काम करने के लिए अपनी सत्ता दे दी है और इस उद्धार के अनुसार स्वराज्यी महात्माजी-निर्मित कताई के मताधिकार के अनुसार काम करने पर राजी हुए है।

अब इस सान महासभा के लिए मुख्य काम है नये मताधिकार के अनुसार सदस्य का संगठन करना। यह तथा खादी की पदावार करने का काम इस क्रिम का और इतना भारी है कि जिसके लिए उन तमाम लोगों की तमाम संगठन-क्षमता, एकाग्रता और अभावसाथ की जरूरत होगी, जिनकी श्रद्धा चरखे पर अनत है। इसलिए देखते ही यह खयाल हो सकता है कि इस साल महासभा की कार्य-समिति के पदाधिकारी पक्षे अपरिवर्तनवादी-चरखावादी हने चाहिए थे और स्वराजियों को, जिनकी कि श्रद्धा और समय चरखे के लिए बहुत परिमित है, वास्तव में महासभा की मुख्य कार्य-समिति में न आना चाहिए था, फिर उसमें उनकी प्रधानता की ता बात ही दूर है। पर जरा और विचार करने पर इस प्रबन्ध का तब मालूम हो जायगा। यह व्यवस्था जबरदस्ती महात्माजी के गले नहीं मट्टी गई है बल्कि खुद महात्माजी ने जान-बूझ कर और अपने अपरिवर्तनवादी सहायकों की पूरी पसंदगी के साथ, को है।

इस नये मताधिकार को सफलता का दारोमदार उसकी जजोर की आखिरी कानियों पर-रूपों और देहात में ईमानदारी और होशियारी के साथ काम करेवाले विनीत स्वयंसेवकों के काम पर जो घर-गृहस्थी की जजालों को, लोगों की उदासीनता को, चारों ओर की छी: भू: और ताने उलहने को सहते हुए भी तांत, रूई-फूट की मरम्मत और कमास के साथ सिर पचाते हैं—है, न कि ऊपर से होनेवाले कार्य-समिति के प्रस्तावों पर। महात्माजी ने केवल इस नीति का ही गृहीत नहीं करवाया है बल्कि उसके कार्यान्वित होने के अनुकूल शांत वायु-मण्डल भी तैयार किया है। उन सखे परिश्रमी लोगों के लिए, जो धीरज और श्रद्धा रखते हैं, यह काफी है। मैं यह नहीं कहता कि महात्माजी और तह के

काम करने वाले बस होंगे और जिला तथा प्रांनिक समितियों और महासमिति की कुछ परवाह न की जाय। वे राह दिखाए, मदद करने और हियायने देने का काम देंगी।

परन्तु शारीरिक धम की भीव पर जब हम महासभा के काम को शुरू और संगठित करते हैं तब हम क्यों क्यों नीचे से ऊपर ठेठ कार्य-समिति तक जाते हैं, कार्यकर्ता कम ही कम कार्यभार उठाते हुए पाये जाते हैं। और ऐसा ही होगा; क्योंकि यह काम ही ऐसा है, यह दिमागी काम नहीं है, शारीरिक धम है।

तो अगर हम इस बात को हमारे सामने खडे असली काम के सिलसिले में याद रखें और यह भी याद रखें कि यदि और जब जरूरत हो अपरिवर्तनवादियों को महासभा के तमाम दफतर और सत्ता स्वराजियों को सौंप देनी है, जिन्हें कि अपरिवर्तनवादियों की अपेक्षा उनकी, अपने धारासभा संबंधी वास्तविक कार्यक्रम के लिए, ज्यादा जरूरत हो सकती है, और एक और बात को याद रखें कि हमारा लक्ष्य यह हो कि इस कार्य-भार को स्वराजियों को इस तरह शान्ति के साथ चुपचाप सौंप दें कि मालूम तक न हो, ताकि इसका सुकल दोनों दल को मिले और दोनों इसके कुफल से बच रहें—तो महात्माजी की वर्तमान कार्य-समिति की रचना और उनकी मौजूदा कार्य-प्रणाली का रहस्य हमारी समझ में आ जायगा।

अब, जो असहयोगी यह महसूस करते हैं कि देश की मुक्ति, उनकी आशा का आधार स्तम्भचरखे पर ही अवलंबित है,—हरगिज न इधर देखे न उधर, बस ईश्वर का हृदय में धारण कर हम भार को उठा लें। हमारे लिए न आराम है, न थकावट। यह चक ही हमारी आशा, हमारा आनन्द, हमारा मित्र, हमारा देव है। जबतक हम जगें उसीका काम करें जब इन सोचें तो उसीके सने देखें। शुरू में मैं इन सब बातों का मतलब न समझा था। सो मैंने सोचा कि महात्माजी ऐसे रास्ते आ रहे हैं जहाँ मुझे न तक पहुँचाता था, न प्रकाश। पर अब सब बातें मुझे साफ साफ दिखाई देती हैं और आशा करना है कि मेरी तरह जो शंका-कुशकाओं में से इधर-उधर भटकते थे उन्हें भी दिखाई देंगे। 'कातो, कातो, कातो और दूसरों से कताओं, यहाँ हमारा एकमात्र मंत्र, हमारी गायत्री है।

यह सब देखते हुए भी, साथ ही, मैंने यह भी महसूस किया कि इसमें किसी न किसी तरह की बनावट है, किसी न किसी तरह सत्य के साथ राजनैतिक खेल है, जोकि सत्याग्रह की घोषणा पर अंधकार की छाया फैला रहा है। पर इस बात में मैं अपने गुह के निर्णय पर अपनी हस्तो रखता हूँ, जिनकी कि सत्य-ज्ञान की स्वाभाविक स्फूर्ति मुझसे कितनी ही बढी हुई है। बस, अब मेरा चित्त शान्त है।

च० २१०

[राजगोपालाचार्य की इस स्वयं-स्फूर्त घोषणा को पा कर मुझे बहुत तसल्ली होती है। उनकी समझदारी और निर्णय-शक्ति के प्रति मेरा आदर-भाव पाठक जानते ही हैं। और यह देख कर कि शंका-कुशका और भय से उनका दिल दक दक हो रहा है, मेरे दिल को बड़ा रंज होता था। चरखा कार्यक्रम में 'सत्य के साथ खेल खेलने' की गुजायश नहीं है, क्योंकि सत्याग्रह प्रधानतः सविनय भंग ही नहीं है, बल्कि शान्ति और आग्रह के साथ सत्य की शोष है। हाँ कभी कभी, बहुत कम मौकों पर ही, वह सविनय भंग होजाता है। परन्तु यदि कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बढी जा ता सविनय भंग करने के पहिले उनकी तरफ से रजामन्दी के (शेष पृष्ठ १८८ पर)

## हिन्दी-नवजावन

गुजरात, माघ बंदो १३, संवत् १९७१

### एक प्रार्थना

पाठक अन्यत्र काली परज के बारे में कुछ पढ़ेंगे। गुजरात के बाहर बहुतेरे लोग न जानते होंगे कि काली परज के मानी क्या है। 'काली परज' का अर्थ है 'काले लोग'। यह नाम गुजरात के कुछ लोगों का उन लोगों के द्वारा रक्खा गया है जो अपनेको उनसे ऊंचा और भेष्ट मानते हैं। जहांतक रंग से तात्पर्य है काली परज के लोग दूसरे लोगों से ज्यादा काले या भिन्न नहीं हैं। पर आज वे दलित-पीडित हैं, असहाय हैं, अन्धविश्वासी और भयभीत हैं। शराब पीने की उन्हें भीषण चाट लगी हुई है। बड़ौदा-राज्य में उनकी आबादी बहुत ज्यादा है।

तीन बरस पहिले इन लोगों में भारी जागृति फैली। हजारों लोगों ने शराब पीना और मांस खाना भी छोड़ दिया था। शराब के दुकानदारों को यह बात बड़ी खली। इनमें ज्यादातर लोग पारसी थे। कहते हैं कि इन लोगों ने इन्हें फिर से शराब पीने की ओर प्रवृत्त करने में कोई बात न उठा रखी, और बहुत दूद तक उन्हें सफलता भी मिली। कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी भी दुधारकों के खिलाफ इस साजिश में शामिल हुए थे। और अब चाहे इन कोशिशों के फल-स्वरूप हो, चाहे और किसी कारण से, इन लोगों में एक ऐसा दल पैदा हुआ है, जो उन्हें उपदेश देता है कि शराब न पीना वाप है और जाति से बाहर कर के तथा दूसरे तरीकों से वे उन लोगों की हिंमत और उमंग को तंड रहे हैं जो इस पुस्तैनी बंदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

काली परज की सभा का जिक्र मैंने अन्यत्र विस्तार किया है। उसमें एक प्रस्ताव यह भी पास हुआ कि बड़ौदा, धर्मपुर और बांसवा की रियासतों तथा अगरेजी सरकार से भी अनुरोध किया जाय कि वे शराब की दुकानें बन्द कर दें। इसपर शायद कोई कहे कि यह तो बड़ा मरी हुजम है। यह भी कहा जाय कि शराबखोरी बन्द करने की सारी कौम की कोशिश बुरी तरह असफल हो चुकी है। ऐसी हालत में मुझी भर असहाय लोगों को बेकार प्रार्थना से क्या होगा? हां, इसमें कोई शक नहीं कि इस दलील में भारी बल है। पर इन दोनों कोशिशों का रूप जुदा जुदा है। १९२१ की कोशिश असहयोगियों की थी और वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थी। वे उसके हाथ से अधिकार छीन लेने पर तुके हुए थे। फिर वह उन लोगों की ओर से की गई थी जो शराब की दुकानों के शिकार न हुए थे। पर अब यह प्रार्थना उन लोगों की तरफ से की जा रही है जो खुद ही इस बंदी के चंगुल में फंसे हुए हैं। यह निर्वल निरीह लोगों की प्रार्थना सत्ताधारियों से है। यह केवल ब्रिटिश सरकार से ही नहीं बल्कि उससे संबंध रखनेवाली तमाम सरकारों से की गई है। वे लोग असहयोगी नहीं हैं। वे सहयोग या असहयोग का फर्क नहीं जानते। वे बे-मन से और कभी कभी तो जोराजुम्ह से औरों के लिए काम कर कर मरते हैं। वे नहीं जानते कि स्वराज्य क्या चीज है? उनके लिए तो स्वराज्य है शराबखोरी छोड़ देना और शराब की दुकानों के रूप में शराब पीने का प्रकोपन हटा लिया जाना। इसीलिए उनकी यह प्रार्थना दया-धर्म के आधार पर है और वह कबरदस्त आविष्ट हुए बिना न रहेगी।

समापति के नाते मैं उनसे उन प्रस्तावों को जो भिन्न भिन्न सरकारों के नाम पस किये गये हैं, कार्यान्वित करने के लिए बाध्य हूं। ब्रिटिश सरकार से यह प्रार्थना शराबखोरी की ही मार्फत की जा सकती है। शराबखोरी के सदस्य शराब की आमदनी को ठोकर मार सकते हैं। फिर भले ही उन्हें शिक्षा विभाग को भूखे मरने देने की जखों क्यों न उठानी पड़े। मैं उन्हें नेवता देता हूं कि वे आकर अपनी आंखों देखें कि यह बंदी एक सारी जाति का किस तरह चपट कर रही है। अगर वे अपने इन देश-माइया का उद्धार करना चाहते हों तो उन्हें यह माइस जरूर दिखाना होगा।

पर बड़ौदा, धर्मपुर और बांसवा राज्यों की बात जुदी है। यदि वे चाहें तो अवश्य ही शराब की दुकानें बंद कर के अपने प्रजाजन को तथा खुद अपनेको बिनाश से बचा सकते हैं। 'खुद अपनेको' इस सर्वनाम का प्रयोग मैंने जान बूझ कर किया है; क्योंकि छोटी रियासतों में बड़ी तादाद में लोगों का तहस-नहस होना खुद उन्हीं का तहस-नहस होना है। क्या वे उन लोगों की प्रार्थना पर ध्यान न देंगे जो खुद अपनी ही बंदी से अपनी रक्षा करने में सहायता चाहते हों?

और शराब के दुकानदारों-पारसियों के विषय में? मैं जानता हू कि उनके लिए यह रीटी का सवाल है। लेकिन उनका जाति दुनिया में एक बड़ी उद्योगी जाति है। वे बुद्धिमान और उद्यमी हैं। वे बड़ी आसानी से अपने निर्बाह का दूसरा अच्छा पेशा खोज सकते हैं। अबतक कई लोगों ने बुरे पेशों को छोड़ कर अपनी रामान की नैतिक उन्नति के अनुकूल पेशा और काम अस्तवार किया है। मैं पारसियों से यह बात कहने का हक रखता हू क्योंकि मैं उन्हें जानता हू और चाहता हू। मेरे कुछ अच्छे अच्छे साथी पारधी रहे हैं और अब भी हैं। उन्होंने भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने दादाभाई और फिरोजशाह को देश के अर्पण किया है। और जो ज्यादा करते हैं उन्हीं से ज्यादा करने की उम्मीद की जाती है। पारसी शराब के दुकानदार जरूर इस मुधार-कार्य में दखल देनेसे (उनपर लगावे इन्जाम को सही मानते हुए) बाज आकर इसका धींगणेश करें।

( य. इ. )

माहनवास्त करमचंद गांधी

२५,००० नहीं

मौलाना जफर अली खान ने नीचे लिखा तार मुझे भेजा है—

“मेरे लाहौर पहुंचने पर मैंने यहां के अखबारों में 'यंग इंडिया' के आधार पर यह खबर पढ़ी कि मैंने आप से इस साल के भीतर २५,००० मुसलमान सूत धाननेवाले कार्यकर्ता देने का वादा किया है। तो मुझे अन्देश है कि इसमें कोई गलतफहमी हुई है। शायद मेरी बात ठीक ठीक न समझी गई हो। मैंने तो सिर्फ इतना ही वादा किया था कि मैं १०००० मुस्लिम स्वयंसेवक आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हर तरह से कोशिश करूंगा, और मैं इस वादे पर कायम हूँ।”

इस तार को मैं बड़ी खुशी के साथ छापता हूँ। जहां तक मुझ से तात्पर्य है किसी किसम की गलतफहमी न हुई थी। मौलाना साहब की प्रतिज्ञा पर मुझे इतना ताजुब हुआ था कि मैंने मौलाना साहब को अति उत्साहित न होने के लिए चेतावनी दी। और यह अभिवचन था भी ऐसा कि जो सर्व-साधारण से छिया न रक्खा जा सकता था। यह वादा तो एक तोहफा था। और कोई भी दूरन्देश आदमी धर्म की गाय के बात नहीं देखता। और अब १०००० स्वयंसेवक भी अच्छी और बस्ताह



दिलानेवाली तादाद है। पर मैं मौलाना साहब को याद दिलावे देता हू कि स्वयंसेवक बड़ी हो सकता है जो सूत कातता हो। यह पुराना देहली का प्रस्ताव है—जिसकी ताईद १९२१ में अहमदाबाद में हो चुकी है। इसलिए मैं १०,००० मुम्तमान स्वयंसेवकों पर ही सत्र कर लूंगा, जो कि घड़ी के कांटे की तरह नियम के साथ हर मास दो हजार गज अच्छा सूत कातते हों। अगर मौलाना साहब १०,००० स्वयंसेवक भी जमा कर पाये तो मुझे कोई शक नहीं कि उन्हें २५,००० मिलने में भी कोई दिक्कत न होगी। क्योंकि एक बार वहाँ चरखे के आन्दोलन का रग जमा नहीं कि बर्फ के ढेलों की तरह उसका फैलाव हुआ नहीं।

श्री क.० गांधी

### कुछ परिषदोंमें

पिछले सप्ताह में मुझे किन्नरों की जगहों में शरक होने का सौभाग्य मिला था, जिनके विषय में यहाँ कुछ लिखना जरूरी है। उनके नाम हैं पेटलाद-जिला-किमान-पारद, धाराला अर्थात् वारिया क्षत्रिय परिषद्, स्त्री-परिषद् और अछूत-परिषद्। ये सोजिन्ना में हुई थीं। किसान परिषद् के अध्यक्ष थे डाक्टर गुमन्त मेहता। बारडोली के नजदीक वेढछी में कालोपरज-परिषद् भी हुई थी। इन सवाम जगहों में खादी बहुत-कुछ दिखाई देता था। किमान-पारपद् की एक विशेषता थी डाक्टर गुमन्त मेहता का अभिवचन कि यदि अपना पूरा समय देने वाले ४० स्वयंसेवक मुझे मिल जाय तो मैं एक साल तक पेटलाद जिले में नजरबन्द हो जाने के लिए तैयार हूँ। उनके कहन की देर थी कि ४५ स्वयंसेवक पूरे साल भर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गये। इस परिषद् में दर्शकों के चार दर्जे रखे गये थे। उनमें एक थे एक निश्चित तादाद में सूत कात कर देने वाले। स्वागत समिति का परिषद् का बहुत कम खर्च उठाना पडा। सभा-मंडप विशाल और आरंभ से खाली था। लकड़ी और कपडा, खास कर पुरानी खादी मगनी मिल गई थी। मिहन्त लोगों ने स्वच्छता से मुफ्त कर दी थी। गांव के एक सज्जन ने बाहरी यात्रियों के भोजन-पान का इन्तजाम अपनी तरफ से कर दिया था। एक दूसरे महापाय ने मिहमानों का और तीसरे साहब ने प्रतिनिधियों के भोजन का भार अपने ऊपर ले लिया था। यह इन्तजाम सौलहों आना सन्तोषदायक साबित हुआ।

प्रोफेसर माणिकराव बडौदा, की व्यायामशाला के वागिदों के इन्तजाम से सभा में खूब शान्ति रही थी। सभा की कार्रवाई सुस्तमिर थी और उसमें मतलब की हो बातें हुईं। स्वागत-समिति के सभापति के भाषण में सिर्फ १५ मिनट लगे। उन्होंने अपने छपे हुए भाषण के महत्वपूर्ण अंशों को पढ सुनाया। सभापति ने ३० मिनट से ज्यादा अपने भाषण के लिए न लिये। सभा में एक भी फजूल अपज बढ़ा बोला गया। सभा के पदाधिकारी नेता की बनिस्वत सेवक अधिक मात्स्य होते थे। प्रस्ताव महत्र उन्हीं बातों के किये गये जिन्हें लोगों को ही खूद करना था।

### धाराला लोग

गुजरात में धाराला एक उग्र और लडाका कौम है। उनका मुख्य पेशा है खेती। लेकिन रुपये-पैसे की तकलीफों से उन्होंने खट-मार को भी अपना पेशा बना लिया है। खूब करना उन में कोई असाधारण बात नहीं है। १९२१ में आत्म-शुद्धि की जो लहर उठी थी उसका असर उनपर भी हुए बिना न रहा। जो कार्यकर्ता तैयार हुए हैं वे उनके अन्दर इसी इरादे से काम कर रहे हैं कि उनका भीतरी सुधार हो। १९२३ में भी बहम-

मई ने जिस उज्वल सत्याग्रह-संग्राम को शुरू किया था और जिसमें उन्होंने सफलता भी प्राप्त की थी, उसने उन लोगों के अन्दर एक जबरदस्त जागृति पैदा कर दी। सोजिन्नावाली यह परिषद् इसी सुधार का एक कल था। वे हजारों की तादाद में एकत्र हुए थे। उन्होंने पूरी शान्ति और खामोशी के साथ सभा की कार्रवाई को देखा और सुना। जो प्रस्ताव पास हुए उनका सवन्ध था शराब और नशीली चीजों का सेवन न करने से और अपनी लकड़ियों को खादी के लिए न बेचने से तथा लकड़ियों को न भगा ले जाने से। उनमें यह बुराई बहुत फैली हुई है।

### अछूत लोग

उसी सभा-मंडप में सोजिन्ना तथा आसपास के अछूत भी एकत्र हुए थे। उनके नेतालोग सभा-मंडप पर बिठाये गये थे। छूत लोग अछूतों के साथ आजादी से मिल कर बैठे थे। शराब न पीने और खादी पहनने के प्रस्ताव पास हुए। सभा के संचालकों ने अपना सभा-मंडप अछूतों को दे कर अपने साहब का परिचय दिया है। क्योंकि मैंने देखा कि पेटलाद जिला कुशाछूत के भागों से खाली नहीं है।

### स्त्रियों की परिषद्

इस परिषद् का उद्योग दिनांक को हिला देता था। पाटीदार स्त्रियां कभी कभी धुंघट निकाला करती हैं। सोजिन्ना की जन संख्या छः हजार से ज्यादा नहीं है। पर सभा में कोई १० हजार स्त्रियां जमा हुई थीं। बड़े बड़े शहरों में भी मैंने शायद ही इतनी बड़ी स्त्रियों की सभा देखी और सुनी हो। स्त्रियों ने भाषणों को बड़े ध्यान से बिना शोरोगुल के सुना। मैंने अक्सर देखा है कि स्त्रियों की सभा में शान्ति रखना बड़ा कठिन होता है। सो इस सभा का हाल देख कर सबको-सभा के व्यवस्थापकों को भी बड़ा आनन्द और ताज्जुब हुआ। इस सभा में कोई प्रस्ताव न हुआ। व्याख्यान भी खास तौर पर खादी और चरखे पर ही हुए।

किसानों की परिषद् दो दिन में मिलाकर पांच घण्टे में पूरी हुई। दूसरी परिषद् एक एक घण्टे में खतम हो गई।

### काली परज

सोजिन्ना में तो सभा का प्रबन्ध सादा और कारगर था ही, पर वेढछी ने तो कमाल कर दिया। मेरे मुँह से हठात् वे उद्गम निकल पडे कि वेढछी परिषद् जैसी मध्य और फिर भी खादी, स्वाभाविक और सुन्दर सभा मैंने कहीं नहीं देखी। जिसने उस जगह को तजवीज किया और सारी व्यवस्था की नींव बाली यह जरूर ही कोई कला-रसिक और कुदरत की गोद में पला हुआ होगा। परिषद् का स्थान एक नदी के किनारे चुना गया था। नदी पेठों और पौधों से ढके छोटे छोटे टीलों की कतार के बीच में बहती थी। नदी का पाट रेतिला था, मटीला नहीं। मुख्य सभा-मंच नदी के पानी पर खडा किया गया था। वह कोई ८ फीट लंबा था। रेत से भरा हुआ थैला पहली सीढी का काम देता था। सभा-मंच के सामने सारी सभा जुटी हुई थी। सामने की टेकड़ियों के सिरो पर भी लोग बडे हुए थे। बाँध और हरे पत्तों से सारा मंडप सजाया गया था। कहीं भी कोई चित्र नहीं लटकवाया गया था। सजावट में न तो एक कागज के टुकड़े से और न एक सूत के धागे से काम किया गया था। ऐसी सजावट में सूत का कोई काम नहीं है और उसके दाम को देखते हुए फजूल मुकसान करना है। मंडप पर छत्र बरसों और हरी बालियों का था। उसका असर बढिया और शांतिदायी था। रास्ते के दोनों ओर कोई १२०००

शान्त और स्वामोक्ष स्त्री-पुरुषों का जमाव था। किसी किस्म की प्रवेश फीस न थी। सब प्रतिनिधि ही प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधियों और दर्शकों में कोई भेद-भाव न था। (मैं अनुसरण करने के लिए यह बात नहीं कह रहा हूँ। यहाँ ऐसा भेद-भाव रखना एक तरह की निष्पक्षता होती। हालाँकि सु-प्रगठित सभाओं में उसका रखना अनिवार्य है।) सभास्थान से कुछ ही दूर टीलों की कतार की तरफ किनारे पर एक लंबी पट्टी चरखा-नुमाश के लिए रफती गई थी। बूटे पुरुष, बूटी स्त्रियाँ और ५ से १० साल तक के छोटे छोटे लड़के-लड़की चरखे चला रहे थे। बूटे स्त्री-पुरुषों और छोटे बालकों को ही उसमें लगाने में खास हेतु था। अचेत लोग स्वयंसेवक बन कर सेवा कर रहे थे। वे सब कालीपरज के लोग थे। चरखे की कतार के पास ही गुजरात में बनी खादी रखने की जगह थी। इसीलिए वहाँ आन्ध्र की बहिया खादी लेने का सबाब ही न था। कालीपरज के जो लोग खादी पहने थे वे मोटी ही खादी पहनते थे। एक छंटे से हिस्से में देश-नेताओं के चुने हुए चित्र रक्खे गये थे। इसमें खन्ने एक कौड़ी न हुआ। बाँस और लता-गन्ध तो लोगों की ही दौलत थी। वे सब चीजें ले आये और व्यवस्थापक जैसा बताने गये बिना कुछ लिये सब ठाठ बना दिया। इजार्त आदिभियों के खान-गान आदि के लिए किसी इन्तजाम की जरूरत न थी। वे या तो पैदल आये थे या बैलगाड़ी में। सबसे नशदीकी रेलवे स्टेशन सभा-स्थान से कोई १२ मील था। लोग घर से अपने लिए पका खाना या सूखा अनाज बाँध लाये थे। लुळे ही मैदान में जहाँ जो काहा उन्होंने अपना पकाव बाँध दिया। हर काम बिना शोरोगुन्ध और चिन्तनों के हुआ।

धारी कार्रवाई बड़ी स्वाभाविक और हृदयस्पर्शी तक सादगी से भरी हुई थी।

लोगों के सामने ऐसी कोई बात नहीं पेश की गई जो उनकी जकरत के अनुकूल न थी।

#### उनकी दृष्टि प्रतिज्ञायें

उनकी यह तीसरी वार्षिक परिषद् थी। परिषद् में थोड़े ही प्रस्ताव स्वीकृत किये गये थे। एक प्रस्ताव धारा न थी, खादी पहनने और औरतों को पत्थर के गहने न पहनाने के विषय में हुआ। धाराबखोरी तो इन लोगों की एक घातक आदत हो गई है। धाराब न पीने और खादी पहनने के लिए जो प्रस्ताव हुए वे प्रतिज्ञा के रूप में थे। लोगों ने बड़ी गम्भीरता और धर्म-भाव से खुद धाराब न पीना और नश्रता से अपने सहवासियों को भी ऐसा समझाना सज्ज किया था। दूसरी प्रतिज्ञा उन्होंने की खुद चरखा कातने तथा हाथ-कती खादी के अलावा सब किस्म के कपडे से विमुख रहने एवं औरों का भी ऐसा ही करने के लिए समझाने की। मैंने खास तौरपर कोशिश की कि वे उन तमाम बातों का मतलब समझ लें जकि उनसे कही जाती थी और जिनकी प्रतिज्ञा उनसे कराई जाती थी। दूर दूर के सिरों पर स्वयंसेवक भेज भेज कर यह दिन्जमई करा ली जाती थी कि वे सभा की कार्रवाई को समझ रहे हैं या नहीं। इका का रुख अनुकूल था। इससे आवाज उन तक अच्छी तरह पहुँच जाती थी। क्या स्त्रियों और पुरुषों दोनों ने ईश्वर का साक्षी रख के प्रतिज्ञा की। पाठक इस बात को जान लें कि वे दो साल से ऐसे प्रस्ताव पास कर रहे हैं। सब लोगों के बदन पर कुछ न कुछ खादी जरूर थी। उन्होंने तत्परता से और समझ-सोच कर उसे अंगीकार किया है। सैकड़ों लोगों ने कातना सीख लिया है। कुछ लोग तो बारबोली आश्रम में रह कर चुनकना कातना और हुनना

सीख गये हैं। कुछ लोग तो कपडा बुन कर अपना पेट भी पालने हैं। उपस्थित जन खादी और चरखे की प्रतिज्ञा के लिए वास्तव में उनी तरह तैयार थे जिन तरह कि नशीली चीजों की प्रतिज्ञा के लिए थे।

मैंने ६० साल के एक बूढ़े से खूब अच्छी तरह पूछा कि दिन भर खेत में कड़ी मिहनत करने के बाद क्यों वह चरखा कातता है। वह रोज ४-५ घण्टे सूत कातता है। वह सोता बहुत कम है इसलिए रात का भी कातना है और तडके ही उठ कर फिर चरखे के साथ बैठ जाता है। मैंने मोचा था कि वह मुझसे कहेगा मैं मन-बहलाव के लिए या किसी और के लिए कातता हूँ। पर उसने मुझे उसका आर्थिक कारण बताया, जिससे मुझे आनन्द और आश्चर्य दोनों हुए। उसने कहा मैं अपना सूत खुद कातता हूँ। अपने लिए कपाम भी वो लेता हूँ। अब हम अपने ही घर में अपने कपडे बुन लेते हैं और फी इसम १०) साल बचाते हैं। इन लोगों की अपने लिए कपास की तमाम विधियों को व्यवस्था का देख कर हाथकताई और खादी की जरूरत में अविश्वास करनेवाले दों भी उसका धायल हो जाना चाहिए। यहाँ इन भारी से भारी अर्थ और अनजान टिप्पणियों में, मन्त्रों से सचचे नमूने का ग्राम-संगठन सुपचाप हा रहा है। वह उनके जीवन के हर भाग में क्रान्ति कर रहा है। वे अपनी बात पर खूब ही विचार करना सीख रहे हैं।

#### सभा के बाद

परिषद् हो जाने के बाद मैंने बूढ़े लोगों की सभा की। ३० से ऊपर लोगों ने बतौर कार्यकर्ता के अपने नाम लिखाये। उनमें औरतें भी थी। उन्होंने आप हा कर कातने, खादी पहनने और कनई धाराब न पीने की प्रतिज्ञा की। पाँच हफ्तों के भीतर हर गन्ध पाँच पाँच ऐसे कार्यकर्ता बनावेगा और उसके अंत में उनकी एक सभा होगी, जिसमें इन बात पर विचार किया जायगा कि अब यह मुधारकार्य किस तरह आगे बढ़ाया जाय।

#### राम-नाम

जोश के प्रभाव में प्रतिज्ञा कर लेना काफी आसान है। पर उपर कियाम रहना और खास कर प्रताभनों के बाँध, महा मुश्किल है। मैंने हालत में एक ईश्वर की सद्दर्शन होता है। इसीलिए मैंने सभा में राम-नाम सुझाया। राम, शलाह, गाँव सब मेरे नजदीक पुराणिक शब्द हैं। मैंने देखा कि सीधे-भोले लोगों ने घसे से अपना यह खभाव बना लिया है कि मैं मुसीबत के समय उनको दिखाई देता हूँ। मैं इन बदन को दूर कर देना चाहता था कि मैं किसीको दर्शन नहीं देता था। एक नश्वर शरीर पर, भरोसा रखना उनका महज भ्रम था। इसलिए मैंने उनके सामने एक सादा और सरल सुरापा रक्खा जो कि कभी बेकार नहीं जाता-अर्थात् हर रोज सुबह मूरज निकलने के पहले और शाम का सामने के वक्त अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए ईश्वर की उहायता माँगना। लोगों दिन्द् उछे राम के नाम से पहचानते हैं। जब मैं बसा था तो जब जब डरता राम नाम लेने को कहा जाता था। मेरे चित्तने ही साथी ऐसे हैं जिन्हें मुसीबत के वक्त राम-नाम से बड़ी तसल्ली मिली है। मैंने धराला और अछतों को भी राम-नाम बताया। मैं अपने उन पाठकों के सामने भी इसे पेश करता हूँ जिनकी दृष्टि धुंधली न हुई हो और जिनकी श्रद्धा बहुत विद्वता प्राप्त करने से मद्द न हो गई हो। विद्वता हमें जीवन की अनेक अवस्थाओं से पार के जाती है पर संकट और प्रलोभन के समय वह हमारा साथ बिल्कुल नहीं देती। उस हालत में अकेली श्रद्धा ही उबारती है।

राम नाम उन लोगों के लिए नहीं है जो ईश्वर को हर तरह से फुसलाना चाहते हैं और हमेशा अपनी रक्षा की आशा उससे लगाये रहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो ईश्वर से डर कर चलते हैं, और जो संयमपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं, और जो अपनी निर्दोषता के कारण उनका पालन न कर पाते हों।

**नमूना-रूप पाठशाळाये**

उन शिक्षकों और विद्यार्थियों की हिम्मत बचाने के लिए जो महासभा की राष्ट्रीय पाठशाला और विद्यालय की ध्याय्या मून चबरा रहे हैं, मैं दो ऐसी पाठशाळाओं का जिक्र करना चाहता हूँ जिनके शिक्षकों और विद्यार्थियों से मैं उन परिषदों के दिनों में मिला था। एक सुणाव तर्जाल भाणद में है और दूसरी बराड-बारडाली तर्जाल में है। बराड में लड़के अपने लिए खुद ही धुमक लेते हैं। हर महीने ७० भा० खारीभण्डर का नियम-पूर्वक कुछ मून भेजते हैं। येने सुणाव के लड़कों से बहुत बेर तक यानों की थीं। वे असाधारण बुद्धिमान् माखम हुए। वे जानते थे वे कर्ण मून कात रहे हैं। उन्होंने कहा हम महामाग का प्र मून देते हैं वद गरीबों के लिए देते हैं और उनके अलावा जा म्ना कानने हैं वद अपने कपड़ों के लिए, कपड़ों के बारे में स्वामलम्बी रूने के लिए। जिन्हें जिज्ञासा दो उन्हें में नियमन देता है कि वे इन महामो को जा का देखें और खुद जान ले कि किस तरह काम कर रहे हैं।

जब कि गुजरात विद्यापट में अउन लड़कों का भरती करने पर जोर दिया तब उनकी शक्त विपम हो गई थी। पर शिक्षकों ने हिम्मत के साथ लूकान का सामना किया। कुछ लड़के गिरल गये, किन्तु महारमे फल-फल रहे हैं। बराड में जिन मां-बाप ने अछूतों के लड़कों को भरती करने के कारण अपने लड़के उठा लिये थे, अब फिर उनकी राष्ट्रीय पाठशाळाओं में भेजना अंगीकार किया है। यदि राष्ट्रीय शालाओं के शिक्षक और प्रबधक दटना के साथ ही नवता, श्रुता और मरिष्णता का अवगहन करे तो महासभा को न्याय्या के कारण राष्ट्रीय संस्था को हानि पहुंचने का डर रखने का जकान न रहेगी।

(१० ई०)

मोहनदास करमचन्द्र गांधी

**विद्यार्थि-धर्म**

भावनगर के मामलदास कालेज में विद्यार्थियों के सम्मुख गोधीजी ने इस प्रकार भाषण किया था -

विद्यार्थियों की स्थिति को हिन्दू-धर्म में ब्रह्मचर्य की स्थिति कहा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है हरएक इन्द्रिय का संयम। परन्तु उसके द्वारा विद्या प्राप्त करने के मारे नाल का समावेश ब्रह्मचर्य में हो जाता है। ब्रह्मचर्य के इस निर्दोष-जीवन में देने की बातें कम और देने की बातें ज्यादा होती हैं। इस दशा में लड़ मां-बाप से, शिक्षकों से, ससार से ग्रहण ही करता है। पर यह किस लिए? इमीलिए कि पौका पढ़ने पर वह वागम दिया जाय-वक्रवृद्धि त्याग मदिन लौटाया जाय।

ब्रह्मचर्याश्रम और सन्यास्याश्रम दोनों के कार्य हिन्दू-धर्म में एक से बताये गये हैं। विद्यार्थी इच्छा के द्वारा नहीं, बरिक्त स्वभावतः ही सन्यासी है। आज तो विद्यार्थियों के मन भी खराब हो गये हैं। १२ साल की उम्र में मेरो मति बिगड़ी थी। मुझे विकारों का ज्ञान हुआ था। विद्यार्थी जीवन स्वभावतः निर्विकार होना चाहिए। परन्तु मेरा पतन तो इतनी मोहों उम्र में हो गया था। मेरे सुजार्तों उदाहरण मिलते हैं। मैं भिंक अपना ही उदाहरण देकर इसका दिग्दर्शन करा रहा हूँ। विद्यार्थी-जीवन स्वभावतः ही सन्यासी-जीवन है। पर सन्यासी स्वेच्छा से उस दशा को प्राप्त करता है।

आज तो तमाम आश्रम छिन्नभिन्न हो गये हैं, सिर्फ बसीटन बाकी रह गई है।

विद्यार्थि-धर्म का ज्ञान आज किस तरह हो सकता है? आज तो माता-पिता भी उल्टा पाठ पढ़ाते हैं। जान बूझ कर नहीं, बरिक्त हम गरज से कि लड़का पढ़ लिखकर धन कमावे, पद-प्रतिष्ठा प्राप्त करे, वे उसे बिधा पढ़ाते हैं। इस तरह हमारी वास्तविक स्थिति उल्टी बना दी गई है। जो हमारा धर्म होना चाहिए उसे छोड़ कर हम विद्या का व्यभिचार कर रहे हैं। फलतः विद्यार्थि-जीवन में जो परम शान्ति, जो सुख, जो निर्दोषभाव होना चाहिए वह हमें नहीं दिनाई देता। केवल प्रदण करना, लेते रहना और लेने में विवेक-बुद्धि से कान लेना इतना ही काम विद्यार्थी का है। अनेक प्रयोग दिखा कर शिक्षक हमें प्रदण करने में विवेक बुद्धि की शिक्षा देता है। वह बताता है कि कौन खंज प्राण दे, कौन त्याग्य है। यदि हमें यह विद्या ज्ञान न हो तो हम एक यज्ञ बन जाते हैं। हम तो सजीव मूर्ति हैं, चेतन-रूप हैं। और चेतन का स्वभाव है यह समझ लेना कि कौन वस्तु प्राण्य है और कौन त्याग्य। इस कारण इस अवस्था में हम सत्य का प्रदण, असत्य का त्याग, मधुमन्थानों का प्रदण, कठोर और दुःखकर बाणा का त्याग, आदि बातें सीखते हैं और उनके सीखनेसे जीवन सरल ही जाता है। पर आज तो हमने धर्म का संकर कर डाला है। अब हमें इसी-संकर के जिलाक लड़ना है। यदि माता पिताओं ने शिक्षा हमरी तरह ही होती और वायुमण्डल बिगाडा न होता तो विद्यार्थियों को इस वायुमण्डल का मुकाबला करने की जरूरत न रहती। प्राचीन काल में विद्यार्थि-जीवन ऋषियों के आश्रमों में व्यतीत होता था। पर आज हालत उल्टी है। जहाँ मनुष्य की स्वच्छा हवा प्राता ही बड़ी दिल कोल कर हवा खानी चाहिए। पर जहाँ बबू आती दो बड़ी मुँह बन्द कर केना चाहिए। यहाँ वायुमण्डल बदबू से भरा हुआ है। इसीलिए मुझे उसके खिलाफ आवाज उठाये गिना चाग नहीं। इस कसौटी के अनुसार आप देखेंगे कि आज आपको बहुतेरी चीजें त्याग करना पड़ेगी। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो महज लुधमानदद है। प्राचीन-काल में भौतिक शिक्षा दी जाती थी। मत्र ही सिखाये जाते थे। मत्र क्या है? मक्षिण भाषा में कठिन तत्व। इसके बाद उपपर टीकाये हुई। आज तो पुस्तकों का डेर लग गया है। मैं यदि अपने ही काल की बात करू, तो मुझे बहुतैरा बाने त्याग करने लायक मलूम हती है। छडी-सातवीं श्रेणी के विद्यार्थियों में कौन रेनारडस के उपन्यास को न पढता हो, वह कहना बठिन है। पर ने ता था मंद-बुद्धि। मैं महज पाप होने का ही लयाल करता था, पिता की सेवा करता था। पिता की सेवा करना और पाप होने के लायक किताबें पढ केना, यह मेरा काम था। उसे मैं उन उपन्यसों से बच गया। औरों पर हमका क्या भ्रम होता है जो मैं नहीं जानता। पर खिलायत में देने देना कि अच्छे अच्छे मटनों में वे पुस्तकें पढी न आता थीं। उनका पढना अच्छा नहीं समझा जाता था। सो देने दखा कि उनके न पढने से मेरी कुछ शानि न हुई।

इसी प्रकार आज अनेक चीजें ऐसी हैं जिनसे मुह माहने की जरूरत है। हम बड़ी विपम स्थित में आ फरे हैं। आज तो १२ साल की उम्र से आजीविका का विचार करना पढता है। यह विद्यार्थि-आश्रम के साथ गृहस्थाश्रम का संकर हुआ। गंगा-जमना का संगम तो सुन्दर है; पर यह संगम नहीं, संकर है। अतएव विद्यार्थियों का आज यह जान लेना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है। आज शायद ही कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जो असबाब न पढता हो। मैं किस तरह कहूँ कि आपको असबाब न

पढ़ना चाहिए ? पर विद्यार्थियों से मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि अखबारों के क्षणिक साहित्य की ओर आंख उठाकर न देखना । उसमें सच्चा साहित्य, सुगठित शिष्ट भाषा नहीं मिलती । उनसे जो बातें मिलती हैं वे क्षणिक होती हैं । हालांकि हमें जरूरत तो है स्थायी भाषा ग्रहण करने की । विद्यार्थी-जीवन जीवन की बुनियाद है, जीवन की तैयारी है । इस काल में हम अपने लिए अखबारों से विचार-सामग्री किम तरह ले सकते हैं ? यदि आप कहेंगे कि हम अखबार न पढ़ेंगे, तो यह आप बना कर ही कहेंगे । क्योंकि आप तो दास या गांधी का भाषण पढ़कर कहेंगे कि फलां भाषण बड़िया था और फलां यों ही था । यह स्थिति इयाजनक है, भयंकर है । इससे हमें बाहर निकलना ही होगा । यह बात मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैंने शिक्षा के बारे में अनेक प्रयोग कर देखे हैं । अपने लड़के-बच्चे, और औरों के लड़के-लड़की था जबान लड़के-लड़कियों को साथ रख कर शिक्षा देने की भयंकर जोखिम मैंने उठा देखी है । पर मैं पार हो गया, क्योंकि मेरी आंख चारों ओर फिरा करती थी, जिस प्रकार माता-पिता की आंख अपनी जवान लड़की की गतिविधि पर तैरती रहती है । मैंने उन लड़के-लड़कियों के मा-बाप का स्थान लिया था, डिटेक्टिव होकर बैठे था । राजा भी था और गुलाम भी था । इस बात से मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि शिक्षा क्या चीज है ? वह कैसी होनी चाहिए ? और इसका विचार करते करते मैंने सत्याग्रह को पाया, असहयोग का दर्शन हुआ । और इसलिए मुझे इन प्रयोगों का साहस हुआ । आप यह न समझना कि इन प्रयोगों से मुझे पश्चात्प हुआ है । यह भी न मानिएगा कि यह केवल स्वराज्य के लिए किया गया है । मैंने तो सत्कार के सामने एक विरतन सनातन धार्मिक वस्तु रख दी है । इसकी जड़ें गहरी पड़ चुकी हैं, इसलिए लड़कों के सामने भी इसे पेश करते हुए मुझे अन्देशा नहीं होता । इसकी निर्दोषता को मैं किस प्रकार प्रकट करूँ ? मैंने जब देखा कि मेरे शान्ति के प्रयोग से अर्शाति फली, मैंने तुरन्त अपने हथियार रख लिये और सिर्फ एक ही शान्ति का हथियार—चरखा—देश के सामने रख दिया । इसे देख कर परले तो लोग दूँसे, फिर तिरस्कार प्रकट करने लगे और अब उसका स्वागत करने का काल आ रहा है । और अब मैं विद्यार्थियों से कह रहा हूँ कि इसे अपनाओ । महासभा में भी चरखे का प्रस्ताव हुआ और यदि मिलने का समय आवे तो मैं तो लाई रॉडिंग से भी कहूंगा कि जनाब चरखा काटिए यह सुनकर आपको टंभी आदे, पर मैं गमीरता के साथ कह रहा हूँ । मैं उन्हें यह कहते हुए जग भी न टिचकूंगा और यदि वे न मानें तो नुकसान उनका है, मेरा बिल्कुल नहीं । जो भिक्षा मांगता हो उसका क्या नुकसान होगा ? उनका तो बड़ धर्म ही है, पेशा ही है । मेरा यह धर्म है कि उनके सामने हाथ फैलाकर पुण्य करने का अवसर उन्हें दूँ । उन्हें अच्छी से अच्छी चीज ग्रहण करने का मौका उनके सामने उपस्थित करूँ । अगर वे उसे न अपनावें तो बिगाड़ उनका होगा । कलकत्ते के बड़े पादरी सोहब से मैंने अपनी भजन-गण्डली में बैठने का अनुरोध किया । वे बैठे और उन्होंने भजन गाया । हमसे उनके और मेरे बीच प्रेम की गाँठ बंध गई । पर इतने ही से मुझे सन्तोष न हुआ । मैंने उनसे चरखे की बात कही । कर्नल मैडक ने मेरी जान बचाने के लिए मेरे पेट में नदर लगाया । अनेक औजारों के द्वारा प्रयोग किया । मैंने उनके सामने भी चरखे की बात पेश की । श्रीमती मैडक जब बिलायत जाने लगी तो मैंने उन्हें कादो का तौलिया दे कर चरखे का संदेश वहाँ भेजा । उन्होंने उसे प्रमपूयक ग्रहण

कर लिया और कह गई हैं कि घर घर इस तौलिये का संदेश पहुंचाऊँगे ।

यह चीज बिल्कुल निर्दोष है । इसमें स्वाद नहीं हो सकता । आरोग्यप्रद भोजन चटपटा और तेज नहीं होता । अनेक चीज ऐसी होती हैं जो नीरस माखम होती हैं पर दर असल होती सरन हैं । इसी कारण गीता का यह मशयवन है जो बात आरंभ में कड़वी परन्तु परिणाम में अमृतमय हो उसे ग्रहण करो । ऐसी अमृतमय वस्तु सूत का तार है । आत्मा को शान्ति देने के लिए, विद्यार्थी-दशा में जीवन को शान्ति दिलाने के लिए, जीवन में धर्म को स्थान देने के लिए, इसके १२१ सामर्थ्यवान् बह दूरा नहीं है । हिन्दुस्तान के लिए आज मैं दूसरी चीज नहीं दे सकता—गायत्री को भी सारे हिन्दुस्तान के सामने पेश नहीं कर सकता । क्योंकि यह युग व्यावहारिक युग है, तत्काल परिणाम देखना चाहता है । मैं गायत्री जरूर उपस्थित कर सकता हूँ, पर तत्काल परिणाम क्या दिखलाऊंगा ? पर इसके विपरीत चरखा ऐसी चीज है कि आप सूत का तार निकालते जाइए, राम का नाम लेते जाइए तो आपको सब कुछ मिल जायगा ।

ट्युबर ऑवन साहब यहाँ एक बड़े हाकिम थे । आज वे पंचमहाल ( गुजरात का एक जिला ) में हैं । उन्हें मैंने अपनी पाँत में मिला लिया । उसका छूपा भेद मैं आज प्रकट कर रहा हूँ । उन्होंने मुझे लिखा है कि चरखा मुझे बड़ा प्रिय हो गया है । मेरी अंग्रेजी 'कामनरोस' ( व्यवहार-बुद्धि ) हनी है कि वह मेरी बड़िया 'हाबी' ( जोक ) है । मैंने उनसे कहा कि आपके लिए यह 'हाबी' होगी, हमारे लिए तो यह कल्पद्रुम है । अंगरेजी जीवन मुझे पसंद नहीं । पर उसके कितने ही 'रस का स्वाद मे लेता हूँ—क्यों कि मधु-मधिस्रियों की तरह मैं तो मधुरता की खोज करता रहता हूँ । इन लोगों की 'हाबी' में बहुत रक्ष्य भरा रहता है । कर्नल मैडक एक आंख से अन्धा था । नदर नगाने हुए ही एक आंख खली गई । उनकी उम्र भी कोई साठ साल की इंधी, फिर भी वे क्षतिक्रिया में बड़े निपुण थे । बाकू से सीधा नदर लगाते, पर खबर तक न होती । वे खौब-सौ घण्टे नदर नहीं नगाया करते थे । परन्तु दो घण्टे वे अपनी 'हाबी' बागोचे में काम करना—वे करते थे । और इससे उनका जीवन रसमय हो रहा था ।

मैं आपके सामने चरखा इसलिए रख रहा हूँ कि आपका जीवन रसमय हो, आपको धर्म मिले, कर्म मिले, शान्ति मिले, विवेक मिले । विद्यार्थी-जीवन में थका बड़ी जखरी चीज है । किसी बात को बुद्धि न कृपून करती हो तो भी उसे मान लेना पड़ता है । मेरे पारसी मित्र कुवून करेंगे, क्योंकि भूमिति में वे मेरे मन्श शून्य होते हैं—कि कितनी ही बातें मान लेना पड़ती हैं । भूमिति में मेरी मनि रुक जाती थी । २४ वीं साभ्य समझ में जाता ही न था । पर मैं किसी तरह गादो खींचता । आज वह विषय मुझे बड़ा आनंदमय माखम होता है । आज अगर भूमिति की पुस्तक हाथ में आ जाय तो उसमें गरबाह हो सकता हूँ । विद्यार्थी-जीवन में मेरा चित्त अस्वामय होने के कारण ही मैंने यह मान लिया था कि किसी न किसी दिन इसका मर्म समझ में आ जायगा । आपमें भी यदि थका होगी तो आपको माखम हो जायगा कि एक शब्द जो कहता था, उसकी बात सब थी । चरखे पर खूब विचार करके ही एक शाली ने शोक रखा है—

नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्ययायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रायते महता भयात् ॥  
चरखे पर यह बात सोखदो आना चटती है ।”



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक २५ ]

मुद्रक-प्रकाशक वैणीकाक कलकत्ताक रूप	अहमदाबाद, माघ सुदी ५, संवत् १९८१ बुधवार, २९ जनवरी, १९२५ ई०	मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय, सारंगपुर सरकीबरा की, बली
--	---	---

## गो-रक्षा का अर्थ

[ बेलगाँव ]: गा-परिषद् में सभापति के आसन से गांधीजी ने नीचे लिखा भाषण किया था ]

मेरे विचार के अनुसार गो-रक्षा का प्रश्न स्वराज्य के प्रश्न से कम नहीं है और इसे मैं स्वराज्य के सफल से कई अर्थों में बहुत बड़ा मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार अस्पृश्यता के दोष से दुःख हुआ, हिन्दू-मुसलमान-ऐदय हुए बिना और जाही पहने बिना हम स्वराज्य न प्राप्त कर सकेंगे उसी तरह, मुझे यह भी कहना चाहिए, कि जबतक हम यह न जानेंगे कि गो-रक्षा किस तरह करनी चाहिए तबतक स्वराज्य कंई बीज नहीं है। क्योंकि ऐसा करने में हिन्दू-धर्म की सीटी है। मैं सनातनी हिन्दू होने का दावा करता हूँ, कितने ही भाई हंसते होंगे कि जो ब्रह्म मुसलमानों में घूमता फिरता है, जो बाइबिल की बातें करता है, जो मुसलमानों की पकड़ें रटी खाता है, जो अन्याय की लकड़ी को मोड़ केता है, उसका अपने लिए सनातनी हिन्दू होने का दावा करना मानों भाषा के साथ अत्याचार करना है। फिर भी मैं सनातनी मनवाने का दावा करता हूँ और मुझे विश्वास है कि एक समय ऐसा आवेगा जब—मेरी मृत्यु के बाद—सब कुबूल करेंगे कि गांधी सनातनी था। क्योंकि गो-रक्षा मुझे बहुत प्रिय है। बहुत समय पहले 'हिन्दूत्व' पर मैंने य. ई. में एक लेख लिखा था। वह लेख बहुत विचार-पूर्ण लिखा गया है। उसमें हिन्दूत्व के लक्षणों का विचार करते हुए मैंने वेदादि को मानना, पुनर्जन्म की मानना, गीता-गायत्री आदि को मानना, इन लक्षणों के अतिरिक्त 'गो-रक्षा के प्रति प्रीति' ही, सर्व-सामान्य हिन्दुओं के लिए हिन्दूत्व का लक्षण ठहराया था। कोई सवाल करेगा कि १०,००० वर्ष पहले हिन्दू लोग क्या करते थे? बड़े बड़े विद्वान् और पण्डित कहते हैं कि वेदादि ग्रन्थों में गो-मेघ का वर्णन है। उन्हीं वरजों में पढ़ते हुए संस्कृत पाठशाला में मैंने यह वाक्य पढ़ा था—'पूर्वें ब्राह्मणाः गवां मांसं भक्षयामासुः', मैंने अपने मन से पूछा 'क्या यह बात सच होगी?' इस वाक्य के रहते हुए भी मैं मानता आया हूँ कि यदि वेद में ऐसी बात लिखी हो तो भा उसका अर्थ शायद यह न हो जो हम करते हैं, शायद दूसरा अर्थ हो। मेरे अर्थ के अनुसार, मेरी आत्मा की

प्रतीति के अनुसार—मेरे कर्तव्य पाण्डित्य अथवा शास्त्रीय ज्ञान आधार-रूप नहीं है, आत्मा की प्रतीति ही आधार-रूप है—पूर्वक जैसे कर्तव्यों का दूसरा अर्थ न हो तो ऐसा होना चाहिए कि वही ज्ञान गो-रक्षण करते ही जो गाय को मार, इन लो को मार सजीव कर सकते थे। परन्तु ऐसे वाद-विवाद से हिन्दू-जनता का संबंध नहीं। मैंने वेदादि का अध्ययन नहीं किया, बहुतेरे संस्कृत-ग्रन्थों को अनुवाद के द्वारा ही मैं जानता हूँ। इसलिए मुझे ज्ञान प्राप्त मनुष्य इस विषय में क्या कह सकता है? पर मुझे आत्म-विश्वास है, और इसलिए मैं अपने अनुभव की बात सब जगह किया करता हूँ। यदि हम गो-रक्षा का अर्थ खोजने जायेंगे तो शायद हमें कहीं एक भी अर्थ न मिले। क्यों कि हमारे धर्म में कस्मा की तरह सर्व-मान्य बात एक भी नहीं है, और न कोई पैगम्बर ही है। इससे कदाचित् हमें अपना धर्म-रहस्य समझने में कठिनाई होती हो, किन्तु इससे सरलता भी हो जाती है। क्योंकि अनेक बातें हिन्दू-जनता के अंदर स्वाभाविक तौर पर पैठ गई हैं। एक बारक भी समझता है कि गाय की रक्षा करनी चाहिए, न करें तबतक हिन्दू कैसे?

परन्तु गो-रक्षा करने का वर्तमान तरीका मुझे पसंद नहीं। हमारी गो-रक्षा की विधि का देख कर मेरा हृदय रो उठता है। रोना मुझे पसंद नहीं। किसीको रोता हुआ देख कर मुझे दुःख होता है; क्योंकि हमें तो अभी बड़े बड़े बलिदान करना है और भारी बलिदान करनेवाले रो कर क्या करेंगे? फिर भी मेरा हृदय गो-रक्षा के अर्थ को देख कर रोता है। कुछ वर्ष पहले 'हिन्दू-स्वराज्य' में मैंने लिखा है कि हमारी गो-रक्षणो मण्डलियों को गो-भक्षण मण्डलियाँ कह सकते हैं। उसके बाद १९१५ में मैं भारतवर्ष आया। तबसे अबतक मेरा यह मन और अधिक दृढ़ होता गया है। मेरे ऐसे विचार होने के कारण मेरे दिल में यह भाव उठा कि मैं क्या गो-रक्षा-परिषद् का सभापति हुंगा, और लोगों को किस तरह अपने विचार समझाऊंगा? परन्तु गंगाधररावजी ने मुझे तार किया कि 'आप अपना शरीर पर

समापति होंगे। श्री विक्रोही आपके विचार जानते हैं और उनसे बहुत-कुछ सहमत हैं। इसलिए मैंने आना कुबूल किया। यह तो भूमिका हुई।

व्यवस्था में एक जगह गोरक्षा-संबंधी आने विचारों को प्रकट करते हुए मैंने कहा था कि जो गोरक्षा करना चाहता हो उसे यह बात भूल जानी चाहिए कि गोरक्षा हमें मुसलमानों से या ईसाइयों से करानी है। आज हम ऐसा समझते हुए दिखाई देते हैं कि दूसरे धर्म के लोग गो-मांस छोड़ दें अथवा गोवध बन्द कर दें तो सब कैलाश गोरक्षा की परिधमाप्ति हो जाती है। पर मुझे इंस बात में कुछ अर्थ नहीं दिखाई देता। इससे आप यह न समझिएगा कि दूसरों के द्वारा गोवध का होना मुझे पसंद है अथवा गोवध का मैं बरदाश्त कर सकता हूँ। मैं किसीके भी इस दाने का कुबूल नहीं करता कि गो-वध से किसी को भी आत्मा को मुझसे अधिक दुःख होता है। मैं नहीं समझता कि दूसरे किसी भी हिन्दू को गो-वध से मुझसे अधिक चोट पहुंचती हो। पर मैं क्या करूँ? अपने धर्म का पालन मैं खुद करूँ या औरों से कराऊँ? मैं औरों को ब्रह्मचर्य का उपदेश देता किन्तु और खुद व्यभिचार करता हूँ तो मेरे उपदेश का क्या अर्थ होगा? मैं खुद तो गो-मांस-भक्षण करूँ और मुसलमानों को रोकूँ यह कैसे हो सकता है? पर यदि मैं गो-वध न करता हूँ तब भी मुसलमानों को जबरदस्ती गो-वध करने से रोकना मेरा धर्म नहीं। मुसलमानों को जबरदस्ती गो-वध से रोकना मानो उन्हें जबरदस्ती हिन्दू बनाना है। हिन्दुस्तान में यदि हिन्दू-राज्य हो तो भी उस शासक को जो गोवध को अवर्म न मानता हो, गोवध के लिए दण्ड की आयोजना न होनी चाहिए। मेरे विचार में गो-रक्षा कोई परिमित बात नहीं है। मेरी गोरक्षा की प्रतिज्ञा का यह अर्थ नहीं है कि हिन्दुस्तान की ही गायों की रक्षा करें। मैं तो सारी दुनिया की गायों की रक्षा की टेक रखता हूँ। मेरा धर्म मुझे यह शिक्षा देता है कि मुझे अपने आचरण के द्वारा यह बताना चाहिए कि गोवध या गोभक्षण पाप है, और उसे छोड़ देना चाहिए। मेरा मनोरथ तो इतना बड़ा है कि सारी पृथ्वी के लोग गाय की रक्षा करने लें। पर उसके लिए पहले तो मुझे अपना घर अच्छी तरह साफ करना चाहिए।

दूसरे प्रान्तों की बात जानें देता हूँ। गुजरात की ही बात करूँ कि गुजरात में भी हिन्दुओं के हाथों गोवध होता है। आप शायद न मानींगे, पर आपको पता न होगा कि गुजरात में बैलों को बाड़ी में मोत कर, गाड़ी में मन-माना बोल कादकर, बैल को नुकीली आरी से गोदते हैं। जिससे बैल को भार बढ़ने लगती है। मैं तो इसे गोवध ही कहूँगा, क्योंकि बैल गाय की सन्तान है। पर शायद आप कहें कि यह तो ताड़ना है, वध नहीं। हिंसा की व्याख्या है दूसरों को दुःख देना, यन्त्रणा पहुंचाना। यदि बैल का बाधा हो तो यह बकर कहे कि आप जो रोज मुझे आरी जुमा जुमा कर सताते हो इससे तो बहुत है कि एकबारगी करक कर बाँडो। इस प्रकार बैल पर जुल्म करना मेरी राय में गाय की हिंसा है। एक हिन्दी मुझे कलकत्ते में मिले थे, ने मुझे सुनाया करते थे कि कलकत्ते में गाय पर कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं। एक बार मुझे उन्होंने कहा कि ग्वालों के घर जाकर उनकी फूँक फूँक कर रूप दुहने की विधि को देखिए। इस खूबी दृश्य को मैंने खुद अपनी आँखों देखा। मुझे विश्वास है कि वह आज भी जारी है। इसके करनेवाले हिन्दू हैं। दुनिया में किसी भी जगह गाय बौद्धों की बैली दुर्गत नहीं है जैसी हमारे यहां होती है। हमारे बौद्धों के बहान पर हठी और बमली के सिवा कुछ नहीं होता; फिर भी

हम उनपर बेहद बोल काद देते हैं। जबतक हमारा यह हाक है तबतक हम गोवध बन्द कर देने का मताकषा औरों से किश तरह कर सकते हैं। भागवत में भारतवर्ष के हाथ के अनेक कारण बताये गये हैं। उनमें एक कारण यह भी है कि हमने गोरक्षा छोड़ दी है। गोरक्षा करने के हमारे अक्षमर्त्य के साथ विश्रुता का बनिष्ठ संबंध है। आप और खुद मैं भी शहर में रहते हैं। इससे गरीबों की स्थिति की कल्पना हमें नहीं हो सकती। करोड़ों लोगों को एक जून पेट भर खाना नहीं मिलता। करोड़ों लोग सड़े जावत तथा आटा, नोन और मिर्च खाकर गुजर करते हैं। ऐसे लोग गाय की रक्षा किस तरह कर सकते हैं? हिन्दुस्तान में अनेक पीजरापोले जैना के हाथों में हैं। इनमें बोधार जानवर रफके जाते हैं। वहाँ व्यवस्था या सुविधा जैसी चाहिए वैसी नहीं होती। हमारे यहां केवल पीजरापोले ही नहीं, बल्कि अच्छी अच्छी दुधशालायें भी होनी चाहिए। बड़े बड़े शहरों में बच्चों के लिए साफ-स्वच्छ दुध नहीं मिलता। गरीब मजदूरों को औरतें बच्चों को दुध के बड़े पानी में आटा चोल कर पिखाती हैं। २३ करोड़ हिन्दुओं के हिन्दुस्तान में स्वच्छ दुध न मिलने का अर्थ इतना ही हो सकता है कि हमने गो-रक्षा छोड़ दी है।

यदि गोरक्षा के बारे में मुझसे कुछ पाठ लेना हो तो मेरा पहला पाठ यह है कि मुसलमानों और ईसाइयों को भूल जाओ और अपने धर्म का पालन करो। भाई शोकतअली को मैं साफ तौर पर कहता आया हूँ कि मेरी गाय तभी बचेगी जब मैं खिलाफत-गाय को बचाऊँगा। मैंने मुसलमानों के हाथ में अपनी गर्दन क्यों दे दी है? गाय की रक्षा करने के लिए। 'मुसलमानों से मैं गाय की रक्षा करना चाहता हूँ' इसका अर्थ यह है कि मैं उनपर अस्त्र डाल कर उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। मैं तबतक वीरव रक्षणा जबतक उनके दिल में यह समझ न पैदा हो कि हमें हिन्दू भाइयों के खातिर गो-वध न करना चाहिए। अपने कार्यों के द्वारा, अपनी गो-रक्षा और गोभक्ति के द्वारा मैं उनके हृदय को बदल सकूँगा। मेरे नजदिक तो गोवध और मद्रम्य-वध दोनों एक ही चीज है। इन दोनों को बन्द करने का वही उपाय है कि इन अहिंसा की वृद्धि करें, मारनेवाले को प्रेम से अपना लें। प्रेम की परीक्षा तपश्चर्या से होती है। तपश्चर्या का अर्थ है कष्टसहन करना। मैं मुसलमानों के लिए जो हृदय करने तक कष्ट-सहन करने का तैयार हुआ उसका कारण स्वराज्य तो था ही—यह तो छोटी बात था—पर गाय का बचाना भी था—यह बड़ी बात थी। बर्हातक मैं समझा हूँ, कुरानशरीफ में ऐसा लिखा है कि किसी भी प्राणी की जाहक जान केना पाप है। मैं मुसलमानों को यह समझाने की सक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में हिन्दुओं के साथ रह कर गो-वध करना, हिन्दुओं का खून करने के बराबर है। क्योंकि कुरान कहती है कि जो शासक निर्दोष पशोही का खून करता है उन्हें जन्नत नहीं मिलता। इसलिए मैं आज मुसलमानों का साथ दे रहा हूँ, इस तरह पेश आ रहा हूँ कि उन्हें दुःख न पहुंचे, उनकी सुखान्द करता हूँ। यह इसलिए कि उनका धर्मभाव ज्ञात हो, उनके साथ बनिधायन वा सौदा करने के लिए नहीं। अपने कर्तव्य-पालन के फल में वारे में मुसलमानों के साथ बातें नहीं करता। उसके लिए तो ईश्वर से ही बातें करता हूँ। अपने गीता-पाठ से मैं इतना समझता हूँ कि अच्छे कर्म का बुरा बतीजा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मुसलमानों से वादा कराये बिना उनका साथ देना मेरा कर्तव्य है। वही बात अंगरेजों के भी विषय में है। आज उनके लिए जिसकी गायें कटती हैं उसकी मुसलमानों के लिए भी नहीं कटती। पर मैं तो उनके भी दिमाग में ही विश्वास

चाहता हूँ और तो भी उनका यह समझा कर कि पश्चिम की सभ्यता जितने अंश में विरोधी हो उतने अंश में उसे भूक जायें और जबतक यहां रहें यहां की सभ्यता सीख लें। हम यदि अपने स्वार्थ के योग्य अहिंसा को भी सीख लेंगे, और उसका पालन करेंगे तो गो-रक्षा हो सवेगी, अंगरेज हमारे मित्र हो जायेंगे। अंगरेज और मुसलमान दोनों को मैं मरकर अर्थात् अपनी कुरबानी के द्वारा खरीदना चाहता हूँ। आज अंगरेज हाकिमों के दिम में बड़ा बमण्ड भर रहा है। इससे मैं किस तरह मुसलमानों के सामने रीम बनकर जाता हूँ उस तरह उनसे पेश नहीं आता। मुसलमान तो हिन्दुओं की तरह गुजाम हैं। इसीलिए उनके साथ सच्चा-भाव से बात करता हूँ। अंगरेज लोग तो मेरे इस सच्चा-भाव को न समझ कर मुझे लाचार मान कर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे मेरी मदद नहीं चाहते। वे तो बुजुर्ग बनना चाहते हैं। इससे मैं उनके प्रति खामोश रहता हूँ। शान पात्र को ही मिलता है, ज्ञान विद्यासु को ही मिलता है। यह नियम है। मैं अंगरेज हाकिमों से इतना ही कहता हूँ कि आपकी बुजुर्गी मुझे दरकार नहीं। इससे मैं आपके साथ महज प्रेममय असहयोग करता हूँ। चोरी-चौरा के समय, बंबई के उपद्रव के समय, अहमदाबाद और बिरमगांव के दंगे के समय जो मैंने अत्यामह बन्द किया उसका कारण यही है कि मैं यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि मैं करक कर के नहीं, अंगरेजों को बचा कर, अर्थात् प्रेममय व्यवहार से स्वराज्य लेना चाहता हूँ। आज यदि मैं यहाँ से अंगरेजों या मुसलमानों का संहार कर के, उन्हें हरा कर के गोरक्षा करूँ तो उससे मुझे क्या सन्तोष हो सकता है? मुझे तो सन्तोष तभी हो सकता है जब सारे दुनिया में सब लोग गाय की रक्षा करने लगे और यह शुरू अहिंसा के पालन से ही हो सकता है।

अब मेरा गोरक्षा का अर्थ समझ में आ गया होगा— गोरक्षा का स्थूल अर्थ है स्थूल गाय की रक्षा करना। गोरक्षा का सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ है प्राणि-मात्र की रक्षा करना। आज हम अहिंसा-नीति के परिणाम और शक्ति का नहीं देखते। मुसलमान, ईसाई और हिन्दू नहीं जानते कि उनकी धर्म-पुस्तकें अहिंसा से भरी हुई हैं। हमारे ऋषियों ने मंत्रों का अर्थ करने के लिए भारी तपश्चर्या की। गायत्री का अर्थ जा सनातनी करते हैं वह सच्चा है या जो आर्यसमाजी करते हैं वह सच्चा है, यह कौन कह सकता है? मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर-प्रेरित किसी भी बही का—किसी भी मूत्र का—अर्थ ज्यों ज्यों हम सत्य और अहिंसा के प्रयोग में आगे आगे बढ़ते जाते हैं ज्यों त्यों अधिक स्पष्ट होता जाता है। ऋषि लोग कह गये हैं कि गोरक्षा हिन्दुओं का परम कर्तव्य है, क्योंकि उससे मोक्ष मिलता है। मैं नहीं मानता कि केवल स्थूल गाय की रक्षा करने से ही मोक्ष मिल जाता है। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो राग-द्वेष को छोड़ने की जरूरत है। इसलिए गोरक्षा का अर्थ हमारे साधारण अर्थ से व्यापक होना चाहिए। यदि गोरक्षा से मुक्ति मिलती हो तो गोरक्षा का अर्थ केवल गाय की रक्षा ही नहीं बल्कि प्राणिमात्र की रक्षा होनी चाहिए। इस कारण हर किसीकी हिंसा—कट्ट बचन से जो भाई, रिश्तेदार आदि को दुःख पहुँचाना—हर किसी प्राणी को दुःख देना, गोरक्षा-धर्म का उल्लंघन है, मोक्षहानि है। इसलिए कि हिन्दू-धर्म में गाय की रक्षा करने का उपदेश दिया गया है, क्या गाय को न मारे और बकरी को मारे? अथवा गाय को बचाने के लिए मुसलमान की जान लें! गाय का संकल्पित अर्थ करने से ऐसे कितने ही अनर्थ ही जागे की संभावना है। गोरक्षा करनेवाके

कितने ही हिन्दू बुजुरे प्राणियों का मांस खाते हैं। मेरी व्यक्तियति है कि वे गोरक्षा का दावा नहीं कर सकते।

काका बनपतराय नामक एक मुसलमान जेठा पागल आदमी मुम्बई काहोर में मिलने आया था। उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर गोरक्षा चाहते हो तो हिन्दू लोग जो पाप कर रहे हैं उससे उन्हें बचाइए। उन्होंने कहा कि यदि कोई हिन्दू गाय को बेचे ही नहीं तो उन्हें कत्ल कौन करेगा? ईसाई को गाय ही न दे तो वे गाय कावेंगे कहा से? इसके अंदर आर्थिक प्रश्न समझा हुआ है। हमारी गोशर जमीन सरकार ने छेड़ी। फलतः जहाँ गाय ने दूध देना बंद किया कि हिन्दू पुरान्त उसे बेच काकते हैं। इसका अभाव बनपतरायजी ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी मांस को बेचने की जरूरत नहीं। गाय का उपयोग बैल की तरह क्यों न करें? हमारे धर्म में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि गाय के बोझा उठाने का काम न किया जाय। हम अपनी माताओं पर जितना बोझा रख सकते हैं उतना उनपर भी रखें। गाय को चारा खिला कर सुबह पूजा कर के, उससे थोड़ा काम के लिया जाय तो क्या बुरा है! यह उन्होंने मुझसे पूछा। उनके पास बहुतैरी गायें हैं। वे उन्हें खूब इष्ट-कष्टी रख कर गाड़ी में जोतते हैं और हल में भी जोतते हैं। वे फिर से बच्चा देती हैं और गो सन्तान बढ़ती है। मैंने यह आँखों से नहीं देखा, बनपतराय की कही बात है। मुझे इसे न मानने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। मैं समझता हूँ की यह बात विचारने लायक है। इस तरह भी यदि कोई गाय की रक्षा करता हो तो उसकी निंदा न होनी चाहिए।

मेरी इच्छा थी कि इस परिषद् में कुछ प्रस्ताव सूचित करूँ। पर अब प्रस्ताव का समय नहीं। और आज मैंने जो बातें आपके सामने पेश की हैं उनमें से कुछ बातें आप समझ भी न पाये होंगे। फिर भी प्रस्ताव पर हाथ जंभा उठा देने से क्या शर्म है? इसलिए मेरी यह सलाह है कि मेरी यह व्याख्यान सुनकर आप एक समिति बनाइए। कुछ साधु-वरिष्ठ, गोरक्षा—अथ हिन्दुओं को उसमें रखिए। वे सभा के संगठन की रचना कर के मेरी सूचित बातों में से जो बातें मानने लायक हों उन्हें स्वीकार कर के सभा को स्थायी रूप देने के लिए आगामी परिषद् के सामने सभा का संगठन-विधान पेश करें।

### गवर्णन की हालत में

आन्ध्र-देश से एक सज्जन लिखते हैं—

“ बहुत से लोग यह समझ कर कि महासभावाके अदालतों में गलिश तो करते ही नहीं, महामभा—समितियों और खादी-मंडलों का रूपया नहीं देते हैं, और गवर्णन कर जाते हैं। आप तो पढ़के ही गवर्णन के मामले में अपनी राय दे चुके हैं और अब तो अदालतों की संकाबट भी बुर हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि महासभा—समितियाँ ऐसी हालत में अदालतों में दावा दावर कर सकती हैं। ”

ऐसे मामलों के लिए मैं अपनी राय पहले ही दे चुका हूँ। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि उन दिनों में भी जब कि बहिष्कार खड़ा था महासभावालों का यह कर्तव्य था कि वे दगाबाजों और पावनज देने से इनकार करनेवालों पर दावे करें। बहिष्कार इसलिए नहीं शुरू किया गया था कि महासभा अपना सर्वनाश कर के। उसके मूल में यह भाव पहले से ही दृष्ट कर लिया गया था कि महासभा से केर-देन करनेवाके लोग ईमानदारी से बरतेगे।

# हिन्दी-नवजावन

गुरुवार, माघ सुदी ५, संवत् १९८१

## शंका-समाधान

पिछले महीने में एक अंगरेज मित्र के साथ गहरी चर्चा हुई थी। वे मित्र हिन्दुस्तान की बातों में खूब दिलचस्पी रखते हैं और अपने बस भर उसकी सेवा करने की अभिलाषा रखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि हमारी बातचीत का साथ आप छाप दें तो अच्छा हो। मैंने तुरत 'हां' कह दिया, और कहा कि आपने जो जो शकयें उठाई हैं उन्हें लिख कर दे दीजिए। उन्होंने खुशी के साथ लिख दिया। मैं उनका नाम पकट नहीं करता, क्योंकि उससे कुछ लाभ नहीं है। अमली बात है मेरे बिचारों का प्रकट होना, क्योंकि इन दिनों वे लोगों में दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं। यदि मैं अंगरेजों का मित्र हूं, जैसा कि मेरा दावा है, तो मुझे जरूर उनकी तमाम शका-कुशंकाओं का जो उनके दिल में पैदा हों, उत्तर धीरे-धीरे के साथ देना चाहिए। इन मित्र ने वे तमाम सवाल अपनी ही तरफ से नहीं किये थे, बल्कि ब्याहृद तर उन अंगरेजों की तरफ से किये थे जिन्होंने असल में उनसे किये थे।

अब उनके सवाल और मेरे जवाब लीजिए—

स०—खादी-कार्यक्रम का जो आप स्वराज्य का साधन कहते हैं और उसपर इतना जोर देते हैं उसका मतलब क्या है ?

ज०—मैं स्वराज्य सिर्फ अहिंसा और सत्य के द्वारा प्राप्त करना चाहता हूँ। यह तभी मुमकिन हो सकता है जब खादी-कार्यक्रम उमंग के साथ आगे बढ़े और सफल हो। शान्तिमय उपायों से स्वराज्य तभी मिल सकता है जब हिन्दुस्तान की सारी जनता एक दिल होकर काम करे—थोड़ा ही अच्छा और रचनात्मक काम करे, थोड़े समय तक ही लेकिन हमेशा के लिए करे। ऐसी कोशिश के फल में पहले ही यह बात प्रकट कर ली जाती है कि राष्ट्र में जागृति—चेतन्य है। यह सिर्फ चरखे के ही द्वारा साध्य हो सकता है। हाँ, लोग इस के अर्थ आपनी अजीबिका नहीं पैदा कर सकते। इसलिए जो शक्य केवल आजीबिका के लिए इसे ग्रहण करना चाहता हो उसे इसके लिए उत्साह नहीं होता है। फिर भी यह एक हद तक राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए अच्छे तौर पर काफी होगा। फी आदमी १) साल बढ़ती एक आदमी के लिए चाहे कुछ न हो। परन्तु ५००० आदमों वाले गाँव में ५०००) साल का आमदना से लगान और दूसरे कर तथा अवकाश अदा किये जा सकते हैं। इस तरह चरखे का अर्थ है राष्ट्रीय जागृति होना और देश के हर व्यक्ति की तरफ से राष्ट्र के लिए एक निश्चित रचनात्मक काम का किया जाना। यदि भारतवर्ष अपनी ही स्वेच्छाप्रेरित काशिश से ऐसा कार्य साधने की क्षमता का परिचय दे तो समझिए कि वह राजनैतिक स्वराज्य के लिए तैयार है। फिर अपने ऐसे संकल्प के साथ जब राष्ट्र की ओर से कोई भी मतलबा पेश किया जायगा तो उसकी गति को कौन रोक सकेगा ? चरखे के तथा इसके बनी खादी के मारी आर्थिक मूल्य का तो जिक्र ही अभी नहीं किया है। क्योंकि वह स्पष्ट है। भारत के आर्थिक उत्कर्ष का अजर अप्रत्यक्ष-रूप से उसके राजनैतिक इतिहास की गति

पर भी राजनैतिक शब्द का प्रयोग सक्रिय अर्थ में करने पर भी हुए बिना न रहेगा। और सबसे आखिरी बात यह कि जब लकाशावर के द्वारा भारत की यह आर्थिक छूट चरखे के द्वारा अपना कपड़ा तैयार करने और फलतः विदेशी कपड़े—और इसलिए लकाशावर के कपड़े के त्याग करने की भारत की योग्यता के बंदोबस्त, बढ़ हो जायगी, तो इंग्लैंड भारत को हर उपाय से अपनी अधीनता में रखने के बिन्ता-बन्ध से मुक्त हो जायगा।

स०—इसका तो मतलब है सारे राष्ट्र की हवि में ही कान्ति पैदा कर देना। क्या आप उम्मीद करते हैं कि अपने देश-वासियों से विदेशी कपड़े का इस्तेमाल छुड़वा देंगे।

ज०—जरूर। क्योंकि मैं देश से चाहता भी तो बहुत पंटा हूँ। लाखों लोगों का ध्यान इस बात की तरफ नहीं है कि हम कौनसा कर पहनते हैं, वे सिर्फ सस्ताई की तरफ देखते हैं। रुचि बदलने की जरूरत सिर्फ मध्यम श्रेणी के लोगों में ही है। मैं नहीं समझता कि उनके लिए विदेशी कपड़े की जगह खादी को अंगीकार करना अमभव बात है। फिर भी यह बात याद रखना चाहिए कि आजकल खादी एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की हवि के अनुकूल आ रही है। और दिन दिन पर वह अधिकाधिक नफाज होती जाती है। इसीलिए मेरी राय है कि यदि कोई भी रचनात्मक काम सफल होने योग्य है तो वह है यह खादी-कार्यक्रम।

स०—स्वराज्य से आपका क्या अभिप्राय है और उसमें किन किन भावों का समावेश होता है ?

ज०—स्वराज्य से मेरा अभिप्राय है लोकसम्मति के अनुसार होनेवाला भारतवर्ष का शासन। लोकसम्मति का निश्चय देश के बालिग लोगों की बड़ी से बड़ी तादाद के मत के अर्थ से हो, वे चाहे त्यों हों या पुरुष, इसी देश के ही या इस देश में आकर बस गये हों। वे लोग ऐसे हों जिन्होंने पने शारीरिक श्रम के द्वारा राज्य की कुछ सेवा की हो और जिन्होंने मतदाताओं की सूची में अपना नाम लिखवाया हो। यह सरकार पूर्ण सम्मानयुक्त और बराबरी की शर्तों पर ब्रिटिश-सबध से मुक्त हो। खुद मैं अतृप्तक इस बात से नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ कि मौजूदा गुलामी काल के बजाय बराबरी के हिस्सेदार या साथी की हालत बनाई जा सकती है। पर अगर जरूरत पेश आ जाय अर्थात् यदि हम सबध के कारण भारतवर्ष की सर्वांगीण उन्नति में रुकावट पड़ती हो तो मैं उससे बिल्कुल गंभव तोड़ने में जरा न द्विचकूंगा।

स०—आपने किस दरजे तक स्वराज्य-दल के कार्यक्रम या कार्य-नीति को कुबूल किया है ?

ज०—मैंने खुद न तो स्वराज्य-दल के कार्यक्रम को न नीति को कुबूल किया है। एक महासमावादी की हैसियत से मैंने उसके देश पर रहनेवाले प्रभाव को और इसलिए महासभा के प्रतिनिधि बनने के उसके हक को सखलीय किया है। यह हक उसे इस समय बाइमी ठहराव के द्वारा प्राप्त हुआ पर जिसे वह अपने दल के मतों की गिनती करके भी प्राप्त कर सकता।

स०—आपके और उस दल के नेताओं के संबंध कैसे हैं ?

ज०—निहायत ही उम्दा। मैं उन्हें अपने देश की सेवा करने और उसके लिए कुर्र करने का वैसा ही प्रेर्य देता हूँ जो कि मैं खुद अपने लिए पसंद करता।

स०—यह कहा जाता है कि आपने श्री. दास के लिए सब कुछ छोड़ दिया है ?



ज०—एक अर्थ में यह बात सच है कि मैंने महासभा के भीतर होनेवाले झगड़े को बचा लिया है। परन्तु अगर इसका यह मतलब है कि मैं अपने सिद्धान्त से एक इंच भी हटा हूँ तो यह सच नहीं है।

स०—साहाबके प्रस्ताव के समय जो इस आपका था उससे आज का सब भिन्न नहीं है ?

ज०—जरा भी नहीं। साहाबके प्रस्ताव के समय मैं हमारी भीतरी गलती का विरोध कर रहा था। अब मैं सरकार की कार्रवाई का, जो कि गलत अनुमानों के सहारे की जा रही है, प्रतिकार कर रहा हूँ। इसके सिवा महासभा के अंग्रेजों का कच्चा एक ही दल के हाथ में रहने और अपने प्रस्तावों के अनुसार व्यवहार करने का कोशिश को साहा-प्रस्ताव सबधी मेरी वृत्ति के साथ न मिला देना चाहिए। ये दोनों बातें बिल्कुल जुदा जुदा थीं और न उनका एक-दूसरे से कुछ ताल्लुक ही था। ज्यों ही मैंने देखा कि एक ही दल के हाथ में कच्चा रखने की कोशिश से आपस में कटुता फैलती है, मैंने कदम पीछे हटाये और मैंने स्वराज्य दल के मुकामके अपनी हार का ऐलान कर दिया।

स०—कहते हैं कि इस तरह झुक जाने से आपकी नैतिक सत्ता चली गई है ?

ज०—नैतिक सत्ता कभी काशिश कर के नहीं रक्षी जाती है। वह बिना चाहे जाती है और बिना प्रयास रहती है। मुझे नैतिक सत्ता के चले जाने का पता नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि मैंने कोई एक भी ऐसा काम किया है जिससे मेरे नैतिक आचरण को घका पहुंचता हो।

स०—अब आप असहयोग पर क्यों जोर देते हैं जब कि उस का हर एक अंग असफल हुआ है ? उसके मुलतबी रखने की बात करने में आपका क्या हेतु है ?

ज०—अब मैं जोर नहीं देता। पर मैं इस बात को नहीं झुनूल करता कि हर एक अंग असफल हुआ है। बल्कि इसके खिलाफ एक इंच तक असहयोग का एक एक अंग सफल हुआ है। मैं इसके मुलतबी रखने की बात सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मेरे नजदीक असहयोग जीवन का एक मूल सिद्धान्त है और उसके द्वारा हिन्दुस्तान को, और आप कहलाना चाहें तो सारी दुनिया को, काम पहुंचा है, जिसका कि अभी हमको पूरा जमाना नहीं है। और इसलिए भी कि यदि फिर दृढ़ अहिंसा और देश के लोगों में परस्पर सबे सहयोग का वायुमंडल तैयार हो जाय और फिर भी हम अपने ध्येय से दूर ही रहें, तो मैं राष्ट्र को उसे फिरसे ग्रहण करने का सहाइ देने में न हिचक पाऊँ।

स०—हिन्दू मुस्लिम समस्या को आप किस तरह दल करना चाहते हैं ?

ज०—दोनों जातियों पर लगातार इस बात का जोर दे कर कि आपस में आदर भाव और विश्वास पैदा करो, और हिन्दुओं को इस बात का आग्रह करके कि वे हर दुबियबी बात में मुसलमानों को अपनी शक्ति के बल पर सब कुछ दे दें, और यह दिखला कर कि जो लोग अपनेको देशाहिंसी कहलवाते हैं और जिनकी तादाद बहुत भारी है वे धारासभाओं या सरकारी पदों की भरी प्रतिस्पर्धा में योग न दें। मैं यह दिखला कर के भी इस उद्देश्य को सिद्ध करना चाहता हूँ कि सच्चा स्वराज्य थोड़े लोगों के द्वारा सत्ता छीन लेने से नहीं, बल्कि सब सत्ता का दुसपयोग होता हो तब सब लोगों के द्वारा उसके प्रतिकार करने की क्षमता को प्राप्त करके हासिल

किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में स्वराज्य जनता में इस बात ज्ञान पैदा करा के प्राप्त किया जा सकता है कि सत्ता कच्चा करने और उसका निबमन करने की क्षमता उनमें है।

स०—अंग्रेजों के प्रति आपका सच्चा इच्छा क्या है ? अंग्रेजों से आप क्या आशा रखते हैं ?

ज०—अंग्रेजों के प्रति मेरा मनोभाव बिल्कुल मित्रता की आदर का है। मैं उनके मित्र होने का दावा करता हूँ। क्योंकि यह मेरी प्रकृति के विरुद्ध है कि मैं एक भी मनुष्य-प्राणी के अविश्वास की दृष्टि से देखूँ या यह मानूँ कि दुनिया की कोई भी शक्ति उदार के नाकाबिल है। मुझे अंग्रेजों के प्रति आदर है। क्योंकि मैं उनको बहादुरी का, उस ज्ञान के लिए जिसको वे अपने लिए अच्छा समझते हैं, कुरबानी करने की वृत्ति का, उनकी एकत्रता और उनकी विद्यालय व्यवस्था शक्ति का कायल हूँ। उनसे मुझे यह आशा है कि वे थोड़े ही समय में अपने कदम पीछे हटावेंगे और अव्यवस्थित तथा अस्तव्यस्त जातियों को सूटने की नीति को बदलेंगे, एवं इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे कि मावी ब्रिटिश राष्ट्रसंघ में भारतवर्ष एक बराबरी का मित्र और हिस्सेदार है। ऐसी घटना का होना मुख्यतः मुझे हमारे ही व्यवहार पर अवलंबित है। अर्थात् मुझे इंग्लैंड से आशा इसलिए है कि मुझे हिन्दुस्तान से आशा है। हमेशा के लिए हम अस्तव्यस्त और नकलबी न बने रहेंगे। वर्तमान अस्तव्यस्तता, कर्तव्यच्युति और कार्याग्म करने की शक्ति के अभाव की तह में मुझे व्यवस्था, नैतिक बल और कार्याग्म की शक्ति अपने आप संगठित होती हुई दिखाई देती है। वह जमाना आ रहा है जब कि इंग्लैंड, हिन्दुस्तान की मित्रता से जुदा होगा और हिन्दुस्तान उसके आगे बढ़ाये हुए हाथ से हाथ न मिलाने के लिए रजामन्द न होगा—इस बिना पर कि एकबार उसने उसकी अवहेलना की। मुझे माखम है कि इस आशा के लिए कोई प्रमाण मेरे पास नहीं। वह तो केवल अटल अद्वा पर अपनी इस्ती रखता है। जो अद्वा प्रमाण पर निर्भर रहता है वह दुर्लभ है।

( य० इ० )

मोहनदास करमचन्द गांधी

मियां फजलीहुसैन

अभी जब मैं लाहौर गया था, मेरी मुलाकात मियां फजली-हुसैन के साथ हुई थी। उसकी जो छाप मुझपर पड़ी उसे प्रकाशित करने के लिए एक मज्जम लिखते हैं। मैं खुशी के साथ इसे स्वीकार करता हूँ। मियां साहब के साथ मेरा समय बड़ी अच्छी तरह गुजरा। उनका व्यवहार हृदयहारी था। बातचीत में वे समझदार और जैसे होने चाहिए बसे रहे। उनपर हिन्दुओं की तरफ से किये गये पक्षपात के आरोप का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ न्याय करने का ही प्रयत्न करता था और वह भी मुसलमानों के प्रति पूरा पूरा नहीं। मैं सब से मिलता था और जो लोग इस प्रश्न पर अधिक विचार करना चाहते थे उन्हें मैं अपनी स्थिति समझाने के लिए सदा उत्सुक रहता था।' इससे अधिक आशा रखने का किसीको अधिकार नहीं। मैं यह नहीं जानता कि मियां साहब की नीति के खिलाफ सब-कुछ कहा जा सकता है या नहीं। मैंने इस प्रश्न पर दोनों तरफ से विचार नहीं किया है। जब मैं यह कर सकूंगा तब मैं मियां साहब के इस दावे पर कि उन्होंने मुसलमानों के साथ पूरा पूरा न्याय नहीं किया है, अपनी राय बड़ी खुशी से जाहिर करूंगा। तबतक तो मेरे लिए इतना ही कहना काफी है कि मियां फजलीहुसैन, शान्त, गंभीर, मानास्पद और समझदार सज्जन हैं।

( य० इ० )

मो० क० गांधी

## टिप्पणियाँ

### इच्छा रास्ता

जमैयतुल-तमलीम इस्लाम ने मुझे अपनी बैठक में हाल ही में हुए नीचे लिखे प्रस्ताव का अनुवाद मेजने की कृपा की है।

“यह निम्न किया गया कि कोहाट में हाल ही हुए दलों के बीच एक शोचनीय घटनाएँ हुई हैं और जिनके फलस्वरूप वहाँके लोगों के जानोमाल को निहायत नुकसान पहुँचा है, उनकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने कोहाट में ऐसे परचे शाबा किये जो लोक और गुस्ता दिखानेवाले थे और जिनमें इस्लाम पर बुरी तरह हमला किया गया था तथा मुसलमानों के जजबात को गहरी चोट पहुँचाई थी। जिन हिन्दुओं ने गोलियाँ चलाई और मुसलमानों की जानें लीं वे भी उसके बाद हालत को और नाशुक बना देने के जिम्मेदार हैं। यह जमैयत उन तमाम कोहाट के नाशियों के साथ, बिका जस्त-पांत के भेद-भान के, हमदर्दी जाहिर करती है, इन दलों के दरम्यान जिनके जानोमाल आया हुए हैं। एक मजहबी जमात की हैसियत से यह जमैयत महात्मा गांधी को तथा दूसरे राजनैतिक नेताओं को यह बतावा चाहती है कि जबतक मजहब और मजहबों के प्रवर्तकों तथा मजहबी इकतलों के नेताओं पर ब्याख्यान और लेखों के द्वारा किये जानेवाले हमले पूरी तरह बन्द किये जायेंगे तबतक हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम-एकता की कायमी और पुकतगी हमेशा गैर-मुमकिन होगी।”

मैं इस जमैयत को इस प्रस्ताव पर बधाई देने में असमर्थ हूँ। अभीतक कोहाट की दुर्घटना की कोई जांच निष्पक्षरूप से नहीं हुई है। फिर भी ऐसा माहूम होता है कि दोनों पक्ष के लोगों ने अपना अपना मत बना डाला है। क्या यह बात साबित हो चुकी है कि कोहाट की तमाम शोचनीय दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी उस या उन लोगों पर है जिन्होंने कोहाट में वे जोश और गुस्ता पैदा करनेवाले परचे-किये? क्या यह बात भी साबित हो चुकी है कि 'जिन हिन्दुओं ने गोलियाँ चलाई और मुसलमानों की जानें लीं वे भी उसके बाद हालत को नाशुक बना देने के जिम्मेदार हैं?' यदि पूर्णतः दोनों बातें असम्बन्ध रूप से साबित हो गई हों तो कम से कम वहाँ के हिन्दू अपनी जानोमाल की हानि के लिए जमैयत को और से प्रवर्धित की गई किसी तरह की हमदर्दी के मुत्तहक नहीं हैं। क्योंकि यह तो उनकी करनी का फल उन्हें मिल गया। ऐसी अवस्था में जमैयत का हिन्दुओं के साथ हमदर्दी जाहिर करना असंगत है। और जमैयत के मुझे और दूसरे राजनैतिक नेताओं को यह दिखाने में उसकी मन्ना क्या है कि 'जबतक मजहब और मजहबों के प्रवर्तकों तथा मजहबी इकतलों के नेताओं पर ब्याख्यान या लेखों के द्वारा किये जानेवाले हमले बिल्कुल बन्द न किये जायेंगे तबतक हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम-एकता की कायमी और पुकतगी हमेशा गैर-मुमकिन होगी।' जमैयत का ख्याल अगर सही है तो क्या एकता की असीभावना ऐसी बात नहीं जिसपर राजनैतिक नेताओं के साथ, खुद उसका भी ध्यान जाना चाहिए? और क्या इसीलिए कि कुछ व्यक्ति मजहब पर-हमला करते हैं, हिन्दू-मुस्लिम-एकता जरूर ही अमभव हो जानी चाहिए? जमैयत के मतानुसार एक अविधारी हिन्दू या अविधारी मुसलमान हिन्दू-मुस्लिम-एकता को अमभव बना देने के लिए काफ़ी है। सद्भाग्य से हिन्दू-मुसलमान-एकता धार्मिक और राजनैतिक नेताओं पर अवलंबित नहीं है। उसका आधार है दोनों जातियों की जनता के उच्च स्वार्थ-भाव पर। हमेशा के लिए उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। पर मैं आशा करता हूँ कि जमैयत का मूल प्रस्ताव कृतना करार ब होना जितना कि यह अनुवाद माहूम होता है।

### सूत की बरबादी

कुम्मकोणम् से एक सचन लिखते हैं—

“आप जानते ही होंगे कि देश में आजकल नेताओं का सत्कार सूत की भांति पहना कर करने का रिवाज पक गया है। हर एक राजनैतिक समारोह के अवसर पर ऐसी बेधुमार मात्रा में पहनाई जाती है। पर कोई उनकी संभाल नहीं रखता। इधरतह बहुतेरा हाथकटा सूत योंही बरबाद हो जाता है। इसके नमूने के तौर पर मैं एक सूत का पर्सल आपकी सेवा में भेज रहा हूँ। यह सूत कुम्मकोणम् में हाल ही हुई तामील नाड की बिकाकत परिषद् में से संग्रह किया है, जिसके कि समापति मौ. शौकत अली थे। यदि मैं इस सूत को न संभालता तो यह २६० गज सूत योंही बरबाद हो जाता। मुझे यकीन है कि उस परिषद् में इसके कहीं ज्यादा सूत खराब गया होगा। इसलिए निवेदन है कि आप 'म. इ.' के द्वारा यह दियामत दें कि जो माकायें बनाई जायें उनको एक निश्चित तादाद—जैसे २००० हज़ार गज—हो, जिससे कि वे २००० गज की माकायें बटार ली जायें और उनका सवुपयोग उस तरह किया जाय जिस तरह कि पहननेवाले चाहें।”

सूत की बरबादी के बारे में इन महात्तय ने जो कुछ लिखा है, बिल्कुल ठीक है। नेताओं को सूत की माकायें अर्पण करने का रिवाज अच्छा है पर माकायें सुन्दर होनी चाहिए और इनमें सूत बहुत न लगाया जाना चाहिए। यदि नेताओं को सूत भेट करने का आशय हो, माका पहनाने का नहीं, तो पत्र-केसक की सूचना का अवश्य पाठन होना चाहिए और एक आकार की फालकियाँ अर्पण करनी चाहिए। क्योंकि यदि सूत की माकायें अर्पण करने का रिवाज देशव्यापी हो गया और इस बात की संभाल न रखी गई, तो बहुतेरा अच्छा सूत नष्ट हुआ करेगा, जो यदि बच रहे तो गरीबों के लिए सस्ती खादो बनाने में काम आ सके।

### अ०श्या० खादी मण्डल के प्रस्ताव

महासभा के मताधिकार के अनुसार कार्य करने के बारे में अ०श्या० खादीमण्डल के नीचे दिये हुए प्रस्ताव पर मैं उन सब लोगों का ध्यान दिखता हूँ जिनका कि संबंध उसके साथ है। प्रस्ताव इस प्रकार है—

“महासभा ने हाथ-कटाई को मताधिकार का अंग मान लिया है। सो इस मामले में प्रांतिक समितियों की सुविधा कर देने के लिए, अ०श्या०खा० मण्डल प्रस्ताव करता है कि वह प्रांतिक मण्डलों के अर्थ या सीधे ही नीचे लिखी सहायता करने को तैयार है—

( १ ) किसी भी प्रांत को जहाँ आसानी से कई नहीं मिल सकती, मंडल कई देने के लिए तैयार है

( २ ) उधार मांगने के लिए जो अर्थियाँ आवेंगी उनपर विचार करने के लिए मंडल तैयार रहेगा। इसकी बातें उची बफ तय की जावेंगी।

( ३ ) यह मण्डल प्रांतिक खादी-मण्डलों को यह सलाह देता है कि वे सदस्यों को अच्छे चरके और तांत के नमूने प्राप्त करने में हर तरह से मदद करें और जबतक सस्ती अपनी-ब्यवस्था स्वयं न कर लें तबतक तैयार पूनी प्राप्त करने में भी उन्हें सहायता पहुँचावे।

( ४ ) जहाँ तक मुमकिन होगा मण्डल पुनकना, कातना, इत्यादि कार्यों में शिक्षा देने के लिए कुशल कारीगरों का इन्तजाम करेगी। इसके लिए मंडल के साथ व्यवस्था करनी होगी।

( ५ ) किसी भी प्रांतिक समिति से बाजार भाव पर मण्डल सूत खरीदने के लिए तैयार रहेगा या समिति की तरफ से उसे पुनवा देगा।

(६) मताधिकार के अनुसार आवश्यक हाथकता सूत यदि बरकरत हुई तो उचित भाव से देने के लिए मंडल तैयार है।

(७) मंडल व्यक्तियों को और समितियों को चेता देता है कि वे मताधिकार के लिए बाजार से हाथकता सूत न खरीदें। क्योंकि मुमकिन है बाजार का सूत मिक का सूत हो या मिक की पूर्वी का कता हो और अच्छा कता भी न हो। (केवल कुचाल कातनेवाले ही हाथकसे और मिक के कते सूत का फर्क समझ सकते हैं और यह कह सकते हैं कि सूत अच्छा कता है या बुरा। जब मिक की पूर्वी का सूत हाथ से कता गया हो तो कुचाल कातनेवाले भी उसे नहीं पहचान सकते।)

(८) अन्त में, मंडल व्यक्तियों को और समितियों को जो कुछ भी समाचार और मदद हरकार हो वह यदि उसके बस की बात हुई तो देने के लिए सदा तैयार रहेगा।

समय का प्रवाह हमसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि नये मताधिकार के अनुसार प्रांतिक समितियाँ अपनी व्यवस्था कर रही होगी। यदि ठीक ठीक काम किया गया तो इससे भारी नतीजा पैदा होगा। लेकिन इसका काम करने के लिए छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देना होगा। और एक भरतबा कार्य करने योग्य संगठन बन गया कि वह दिन प्रतिदिन वगित के हिसाब से बडे बिना न रहेगा और इससे महासभा अपने पैरों पर खड़ी हो कर बनोरपादक संस्था बन जायगी।

(सं० ६०)

मो० क० गांधी

## गुजरात में छः दिन

बडौदा-राज्य में अभिनन्दन-पत्र

विक्रमी १५ से २० जनवरी तक गांधीजी ने सोमिया, पेटकार, और बारकोला तहसील में यात्रा की। अभिनन्दन-पत्रों और स्वागत-सरकार की क्या पूछिए? पोज नामक गांव से ही, जहाँ से गायकवाड के राज्य की हद्द शुरू होती है, अभिनन्दन-पत्र आरंभ हुए। एक गांव में एक नहीं बनेक अभिनन्दन-पत्र। बडौदा राज्य के अधिकारियों ने यह हुक्म छोड़ रक्खा था कि गांधीजी का अभिनन्दन-पत्र जरूर दिने जावे। सो कितनी ही संस्थाओं और मंडलों की ओर से अभिनन्दन-पत्र दिने गये थे। राज्य-कर्मचारी भी उसमें बडे उत्साह से सरीक हो रहे थे। अभिनन्दन-पत्रों की भाषा पर भी राज्य ने कोई अंकुश न रक्खा था।

उल्टा पदार्थ पाठ

पीन में कितनी ही बहनों ने एक गीत गाया था—'स्वराज केतुं सहेल छे—उन्होंने 'जाही जाही पहेरो, परदेही कापड छोडो, मारी प्हेनो! स्वराज केतु ल्हेक छे!' गाया पर वे खुद पहने हुए थी विदेशी कपडा। इसके ध्यान में रख कर गांधीजी ने एक अभिनन्दन-पत्र के उत्तर में कहा—

'आपने अभिनन्दन-पत्र में जो स्तुति मेरी की है उसके योग्य मैं कर्हातक हूँ, इसका मिश्रण नहीं हो सकता। जिन गुणों का आरोप मुझपर किया गया है यदि उन्हें हम सब प्राप्त करने का प्रयत्न करें, उनके अनुसार आचरण करें तो क्या अच्छा हो? परन्तु हम बहनों के गीत से तो उल्टा ही पदार्थ-पाठ मिला है। जो देखना, इस अभिनन्दन-पत्र के वर्णन के संबंध में भी कहीं ऐसा न हो। मेरी यात्रा में मैंने देखा है कि स्तुति करने की कुटुब हमें पड गई है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें दम्न ही होता है, पर यह बात सच है कि बहुत बार हम केवल मुंह से उद्गार निकालने में ही सार्थकता मान लेते हैं। मैं तो ठहरा जाही और वरके पीछे पागल जायगी। इसलिए मुझे यहाँ जाना अच्छा

नहीं लगता जहाँ वरके की निन्दा होती हुई देखता हूँ। इन वाकिकाओं के मन में तो निन्दा-भाव क्या होगा? पर यह सोच उन लोगों का है जिन्होंने इन वाकिकाओं से यह गीत बनाने की तबजीब की हो। इसलिए अभिनन्दन-पत्रों में समय न गंवा कर हम कर्तव्य-पालन में ही अपना समय लगावें।'

स्वयंसेवक कैसा हो?

किसान-परिषद् में स्वयंसेवक होने की शर्तों पर गांधीजी ने भीखी लिखा विवेचन किया—

'समाप्ति महाशय की यह मिष्ठा (४० स्वयंसेवक देने की) न ही जा सके तो मैं इस परिषद् को निरर्थक कहूंगा। यदि उनकी मांग मारी होती, आवकी शक्ति के बाहर होती, तो मैं कुछ न कहता। यदि इस परिषद् में ४० स्वयंसेवक न मिलें तो आपके लिए शर्म की बात होगी, जितनी आपके लिए उतनी ही मेरे लिए भी होगी; क्योंकि पाटीदारों से मेरा निकट संबंध है। जब वे मैंने यहाँ आकर काम करना शुरू किया तब वे नहीं, बल्कि दक्षिण आफ्रिका से ही। और इस संबंध की वृद्धि में आशा रकता हू कि ४० स्वयंसेवक तो अवश्य ही मिल जाना चाहिए। पुरुष ही नहीं, बल्कि स्त्रियाँ भी मिलनी चाहिए। उनके लिए यदि इस संग्राम में स्थान न हो तो हमारा काम आधा ही बनेगा। हाँ, एक लिहाज से यह बात ठीक है कि वे स्वयंसेवक वैतनिक न हों। जो वैतन केने के लिए वैतन केना चाहता है, वह स्वयंसेवक नहीं। परन्तु जो समाज स्वयंसेवक की सेवा केना चाहती है वह स्वयंसेवक के निर्वाह की व्यवस्था करने के लिए बाध्य है। ४० सेवक हवारे काम के लिए बस नहीं हैं। हिन्दुस्तान में तो ४० काक स्वयंसेवक भी मिले तो दरकार है। हमने जो काम उठाया है उसके लिए कम से कम ५-७ हजार स्वयंसेवक तो अवश्य ही चाहिए। और इस निर्धन देश में इतने स्वयंसेवक बिना कुछ किये काम कर सकें, यह असंभव है। सोरप जैसे देशों में भी ऐसे स्वयंसेवक प्राप्त करना असंभव है। इश्वर ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया है कि हम खाते तो रहें पर काम न करें। हमने प्रकृति के सर्व-साधारण नियम का मंग किया है। लोग खाते हैं पर उनके लिए काम नहीं करते। इससे हजारों लोग अपना काम करते हैं और हजारों भूखों मरते हैं। हिन्दुस्तान के अंगरेजी इतिहासकार इष्टर साहब कहते हैं कि १० करोड मनुष्यों को एक जून मुश्किल से खाने को मिलता है और वह भी रोटी और नमक। महासभा ने भी प्रस्ताव किया है कि बिना कुछ दिये स्वयंसेवक मिलने की इच्छा न रखनी चाहिए और मिलाक पेश करने के लिए अग्रगण्य लोगों को सबसे पहले कदम बढाना चाहिए। मुझे भी जरूरत पडने पर केना चाहिए, बलभभाई को भी केना चाहिए, हाकां कि मैं तो मित्रों से बहुत सी चीजें ले लिया करता हूँ। भाव बाड़े मुझे और बलभभाई को इसकी जरूरत न हो, पर ऐसा समय आयेगा जब वैतनिक स्वयंसेवकों के मैं और बलभभाई भरती होंगे। तिलक महाराज और गोखलेजी का ही उदाहरण लीजिए। जब फर्गुसन काकेन खुला तब दांभों ने उसमें सिर्फ ४०) वैतन पर खन्नुड रह कर शिक्षा-क्षेत्र में सेवा करने की रीझा की थी। पीछे से तिलक महाराज ने कुछ कारणों से काकेन छोड दिया, पर जबतक वे रहे तबतक वैतन केने में गौरव समझते थे। गोखलेजी ने २० साक पूरे किये, धारा—समा के सभ्य थे, अनेक कमिटियों में काम करते थे, उनमें से भी कुछ अपना मिलता था। जब वे 'महान्' बन गये थे और १०००० मासिक वैतन मिल सकता था तब भी उन्होंने ७५) मासिक की जितनी इज्जत की उतनी बडी रकमों की नहीं। अपनी पेन्शन की वह बौडी रकम से बडे बाहर के साथ स्वीकार करते थे।



स्वयंसेवकों को संसार की निन्दा का विचार करना उचित नहीं। मित्रों को और काम ही क्या? वे स्वयंसेवकों की निन्दा करें तो उल्टे पहराने की जरूरत नहीं। स्वयंसेवक निन्दा को ही अपनी चूराक समझे, जो दुनिया की निन्दा नहीं रसहन सकता वह स्वयंसेवक नहीं हो सकता। स्वयंसेवक की आँखों की हो जानी चाहिए। वह नीचा सिर रख के अपना काम ही किये जाय, आगे पीछे न देखे, सिर्फ अपना और अपने काम में ही मगन रहे। वह ऐसा योगी ही होना चाहिए। जो स्वयंसेवक यह मानता हो कि वह जनता के हाथ निकल चुका है उसे अपने काम के ही सपने दिन-रात आने चाहिए। उसे आजीविका के योग्य रकम लेने में सकोच न रखना चाहिए—खीर-पूरी नहीं, परन्तु ज्वार बाजरी लेते हुए। ऐसे पक्के स्वयंसेवक भरती होने चाहिए और सभापति जी को निश्चित कर देना चाहिए। यदि आप सभापति जी को यहाँ केंद्र करना चाहते हैं तो आ जाओ, नाम लिखाओ। इतने कम स्वयंसेवकों पर संभ्रम हो जानेवाले दूसरे सभापति आपको शायद ही मिलेंगे।

### चेतो और जागो

आगे चल कर चरखे के संबंध में उन्होंने कहा—‘हिन्दुस्तान में आज जो बड़ी से बड़ी प्रौढ हल-चल चल रही है उसके संबंध में कुछ कहे बिना नहीं रह सकता—वह हलचल है। खारी-बरखा। ज्यों ज्यों लोग चरखे का विरोध करते हैं त्यों त्यों उसके बारे में मेरा विश्वास दृढ़ होता है। इसका अर्थ यह न कीजिएगा कि मैं मूर्ख और भिदी हूँ और बिना समझे-बूझे ही एक चीज को कबूट कर बैठ गया हूँ। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वह तो मैंने देश के सामने चार-पाँच साल पहले उपस्थित की है। परन्तु उसके नियम में अपनी इच्छाओं तो मैं पहले कभी चरखे का दर्शन किये बिना ही ‘हिन्द-स्वराज्य’ में पेश कर चुका हूँ। और ज्यों ज्यों उसका विरोध होता है त्यों त्यों मैं देखता हूँ कि विरोध के मूल में अनुभव और विचार नहीं है और अपनी इच्छाओं में मुझे गहरा विचार और अनुभव दिखाई देता है। मैं अपने को धीमा आदमी समझता हूँ। भूल करना अपना धर्म समझता हूँ। गंदगी मुझे पसंद नहीं। शरीर में, मन में, हृदय में गंदगी रखना बीमारी है। अर्थात् भूल न कुबूल करना भी रोग है। जो मनुष्य ईश्वर के सामने अर्थात् संसार के सामने भूल नहीं कुबूल करता—हालाँकि वह तो सब कुछ देखता रहता है, पर वह खेळ खिलाता है और चुकावे में चल देता है—उसे क्षयी रोग होता है, आध्यात्मिक क्षय होता है। यह क्षय उस शारीरिक क्षय से अधिक हानिकर है। उससे तो केवल शरीर का नाश होता है, पर दूसरे से तो आत्मा ही नष्ट हो जाती है। आत्मा तो अमर है, अक्षय है। इसलिए उसका नाश नहीं पर नाश की आन्ति होती है। इसलिए अमर आत्मा के नाश की कल्पना करने में दुहेरा रोग होता है। इससे अपनी भूल को कुबूल करने में मुझे बरा भी सकोच नहीं होता। फिर मेरी भूल कुबूल करने के फल—स्वरूप यदि सारे चरखे बंद हो जायँ और मेरी गिनती पागलों में होने लगे तो हर्ष नहीं। पर मैं जानता हूँ कि ऐसा समय नहीं आया है। मुझे चरखे के संबंध में इतना दृढ़ विश्वास है कि यदि मेरी पत्नी, मेरे लड़के, और मेरे लड़कों से भी ज्यादा मेरे साथी चरखा छोड़ दें तो भी मैं अकेला रह कर भी चरखे का मंत्र जपूँगा और उसे चलाता रहूँगा। हिन्दुस्तान को आत्मस्य की बड़ी बीमारी लग गई है। यह स्वाभाविक नहीं। किसानों के लिए तो यह स्वाभाविक हो ही जाती है। यदि हो तो उसकी खेती बरबाद हो जाय। हमारे यहाँ चरखे के विनाश होने से ही आत्मस्य ने अपना पशुत्व

जमा लिया। करोड़ों लोगों का पेशा छिन गया। अब करोड़ों के लिए छोटे छोटे धन्धे नहीं हो सकते। कोई कहते हैं हम बलिया बनावेंगे, कोई कहते हैं ताके बनावेंगे, कोई दियासली और कोई साबुन। इनमें करोड़ों लोग नहीं लग सकते और यदि करोड़ों लोग इन्हें करने लगे तो इतने खरीदेगा कौन? इस तरह यदि हम काम करेंगे तो इससे राष्ट्र-सच नहीं हो सकता, व्यक्ति-संघ होगा। ऐसे कामों से उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिन्दुस्तान में एक सहायक धन्धे की जरूरत है। खेड़ा में ऐसे बहुत कम गाँव होंगे जहाँ मैं चूमा न हूँगा। इन्हीं से बहुतेरों के पास बहुत बचक बच रहता है। पर जब मैं यह कहता हूँ कि इस बचक के उपयोग करने का साधन चरखा है तो यह सब को पसन्द नहीं होता। इससे कितने ही खोरी करते हैं, कितने ही कर्ज करते हैं और कितने ही भूखों मरते हैं। ऐसी दयाजनक स्थिति में पड़ी हुई—अबरबस्ती आलसी बनी हुई जनता का नाश न हो तो क्या हो? यदि वह कुछ न जगे और औरों को न जगावे तो उसका नाश ही समझिए—यह समाज-शासन का नियम है। हाँ, करोड़ों लोग इसके द्वारा आजीविका नहीं प्राप्त कर सकते और इसे मैंने आजीविका के साधन के तौर पर पेश भी नहीं किया है। बल्कि मैंने इसे अजपूर्ण कहा है। अजपूर्ण का अर्थ है धी-रूख। असंख्य गरीबों को धी-रूख नहीं मिल सकते, गेहूँ की राब (एक किस्म की पतली रबड़ी) में आलस के लिए रूख का बूँद या धी का कण नहीं मिल सकता। यह भयानक स्थिति है। इसका एक ही इलाज है, चरखा। एक एक आदमी यदि एक एक रुपये का काम करता है तो मासूम नहीं होता; परन्तु सात हजार की आबादीवाला बड़ो गाँव यदि इस तरह सात हजार रुपये पेश करे तो यह नजर में आ सकता है। फिर इस चरखे की साधना से साथ ही साथ दूसरे भी कितने ही गुण आने हैं। सादगी आती है, सरलता आती है, नियमितता आती है और एक बात की नियमितता से सारी भिदगी में नियमितता आ जाती है आज अगर आप चरखा न चलावेंगे तो पीछे मुझे याद करेंगे। परन्तु जबतक बंद खोटा हो टूटा है तबतक बंद बाँध कर पानी का रोक रक्षिए। जब पानी बहने लगता है तब उसका प्रवाह रोके नहीं रुक सकता और बंद और पानी दोनों चले जाते हैं। आज भी समय है। इसलिए आपसे कहता हूँ कि चेतो, जागो। बचिये की तरह लगेकियाँ न गिनो। चरखे से आप अकेले को कितनी आमदनी हो सकती है, इसका विचार करते हुए ही इस बात का विचार करो कि देश को कितनी आमदनी होगी। त्राज जैसे छोटे गाँव में जब लोगों को हिसाब करके दिखा दिया गया तब वे चकित हो गये। मैंने त्राज के लोगों को समझाया कि आप किस तरह आसानी से दस हजार रुपये बचा सकते हैं। एक सेर रई पर ज्यादा से ज्यादा खर्च तो कताई का ही है, हुमाई का नहीं। रई पर को, घर ही में साफ कर लो और फल लो तो सिर्फ चुनाई का ही खर्च पड़ेगा। और अगर केवल चुनाई की ही खर्च पड़े तो हम दुनिया की भिलों के साथ बाजी ले सकते हैं क्योंकि चुनाई का खर्च तो यिलों में भी प्रत्यः हाब-कथे के बराबर हो जाता है। हिन्दुस्तान के लोग इस कुंजी को जानसे थे। इसलिए उन्होंने चरखे की तरह चरखे को अपनाया था। चरखे के जाने ही हमारा जीवन अपवित्र हो गया, नास्तिक हो गया, ईश्वर का धर भला रहा। आप अगर अस्तिक होना चाहते हों, पवित्र होना चाहते हों, अपनी बहनों के सतीत्व की रक्षा करना चाहते हों, तो चरखे का अंगीकार करो। चरखे से देश की जागृति होगी, हिन्द-मुसलमानों की एकता होगी, देश को कंगाली दूर होगी, सारे देश के किसानों का उद्धार होगा। हिन्दु समाज-शासन के पालन का आधार इसीपर है।



25  
 1925  
 अंक १६  
 अंक १६  
 एक प्रा. का  
 विदेशों के लिए

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक १६ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
 बेनीकाक कृष्णकाक पूव

अहमदाबाद, माघ सुदी १२, संवत् १९८१  
 बुधवार, ५, जनवरी, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
 ससियपुर सरकीगरा की बाटी

## टिप्पणियाँ

### एकता की आर

महा-दल-परिवर्त की समिति परिवर्त के द्वारा मांवे अपने काम के निमित्त बंटी थी। उसने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कई प्रश्न सत्रों की एक उपसमिति बनाई। उपसमिति ने एक छोटी समिति बनाई और उसके किर्तन यह काम किया गया कि यह स्वराज की ऐसी योजना तैयार करे जो सब को मजबूर हो सके और उसकी चर्चा की रपॉर्ट उपसमिति को करे। विदुषी बेनेट इस छोटी समिति में अपनी सदा की उत्तरदाता, एकाम्रता और उत्साह के साथ काम कर रही है, जिसे देख कर युवकों और युवतियों को शर्म आनी चाहिए। परन्तु हिन्दू-मुस्लिम-अधरत पर स्वभावतः ही ज्यादा ध्यान एकाग्र हुआ है। इसलिए नहीं कि वह मुसलमानों को छोड़ कर औरों के नजदीक दर असल ज्यादा महत्व पूर्ण है, बल्कि इसलिए कि उसकी वजह से स्वराज्य का रास्ता ही बन्द हो रहा है। इस समिति के लिए अपने बाजायता रूप में काम करना मुश्किल होने लगा। इसीलिए यह जरूरी मामल हुआ कि समिति की अपेक्षा में ही आवश्यकता में मिल कर चर्चा करें जिससे दिक साल कर बातें हो सकें और उसमें और भी कम लोग शरीक हों। तदनुसार हकीम साइब के मकान में हर जाति के कुछ सज्जन अवसर में मिले। उसका नतीजा सज्जित मोतीलालजी महेश ने संक्षेप में प्रकाशित किया ही है। हां, मैं भी मानता हू कि चिन्ता या निराशा का कोई कारण नहीं है, क्योंकि सब लोग इस सवाल को हल करने के फिक में ही हैं। कुछ लोग आज ही इसका फसला कर लेना चाहते हैं, कुछ कहते हैं अभी बच नहीं आया है। कुछ तो इसे हल करने के लिए सब कुछ छोड़ देने को तैयार हैं। कुछ होशियारी से कदम रखना चाहते हैं और जबतक उन्हें उनकी कम से कम और अपरिहार्य बातें न मंजूर हो जायें तबतक इन्तजार करना चाहते हैं। पर इस बात पर सब लोग सहमत हैं कि इसका हल हो जाना स्वराज के लिए परम आवश्यक है। और स्वराज तो सभी को दरकार है, इसीलिए इसका उपाय उन लोगों की पहुँच के बाहर न होना चाहिए जो इसकी सहायता में रुके हुए हैं। जिस दिन हम लोग आखिरी बार मिलें और फिर २८ जनवरी को इकट्ठा होने का निश्चय किया, उस दिन हम एकता की संभावना

जितनी थी उतनी पहले से न हुई थी। इस बीच हर शकल दोनों के मिलाप के नये नये खोजेंगे।

जातिगत प्रतिनिधित्व के इस में लोग मेरा मन जानना चाहेंगे। मैं तबे दिल से हर एक कोलाफ हू। परन्तु मैं तबतक किसी भी बात को मान ले के लिए तैयार हूँ जबतक उससे कुछ हानी रहेगी और वह मेरे जातियों के लिए सम्मान-पूर्ण है। पर अगर दोनों जातियों की और से पराधीनता के लिए पर मिलाप न हो तो मेरा गुस्ताखी उपाय काम दे सकता है। पर अभी मुझे उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि दोनों जातियों के जिम्मेदार लोग चाहे खानगी में बातें कर के अथवा सर्वसाधारण में अपनी रायें जाहिर कर के एकता की साधने में कोई बाधा न उठा सकेंगे। मैं यह भी आशा रखता हूँ कि अन्धकारवादी मालूमों की कोई बाधा न लियेने-सिधे एक-विधेय को उद्वेग है, और जहाँ वे अपनी तरह राक्षसता में तर पावें वहाँ मिश्रणपूर्वक रूप रहेंगे।

### दक्षिण आफ्रिका के हिन्दुस्तानी

दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों के शिष्ट-मण्डल का जो उत्तर दक्षिण साइब ने दिया है वह सदानुभूति से तो युक्त है परन्तु उसमें उन्होंने कितनी बात का नादा नहीं किया है। उसमें उन्होंने युनियन सरकार की कठिनाइयों पर अनावश्यक ध्यान दिया है। एक सरकार के लिए दूसरी सरकार की कठिनाइयों पर ध्यान देना ठीक ही है, परन्तु इसमें जबरत से ज्यादा भी कदम आताभी से बच सकता है। जब युनियन सरकार के सामने मौका था तब उसने बारीकियों पर ध्यान न दिया। और भारत-सरकार के सामने उसे पसंद करने का मौका बहुत बार आया। एक रफा को छाँड़ कर हरबार वह युनियन सरकार के सामने झुकी। सिर्फ आठ हाँकिंग इसमें अपवाद रहे, जिन्होंने ६० आफ्रिका की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और ६० आफ्रिकावासी भारतीयों का पक्ष लिया। इसके कारण से भारतवासी सब रहे-व। उन्होंने सीना गद्दार किया था। तरीका नया था। उन्होंने पातकार और कण्ट-सहन की अपनी लम्पता को गिद्ध कर दिखाया था। जिसपर भी वे पूजन्य और प्रशंसक रूप से आहुँसात्मक बने रहे। पर इस समय ६० आफ्रिका के हिन्दुस्तानी नाशकहीन हैं। खोराखी, कलकलिया, पी. के. नाथू और अब पारसी उत्तमजी

की श्रुति हो जाने के कारण अब उनकी समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या कर सकते हैं। शान्तिपूर्ण मार्ग के लिए अवकाश तो पूरा पूरा है, परन्तु इसके लिए पूरा विचार करने और विचार के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल यह शाब्द ही मुमकिन हो। फिर भी मुझे दो नवयुवकों से जो कि द० आफ्रिका में रहते हैं भारी आशा है। इनमें से एक सोराबजी है, जो कि बहादुर पारसी हस्तमजी के लायक बेटे हैं। युवक साराबजी रुद्र गतामद के भुक्तभोगी सिपाही हैं। वे जेल जा चुके हैं। श्री० करोजिनी देवी का जो भारी स्वागत नेटाल में किया गया उसका प्रबन्ध उन्होंने किया था। द० आफ्रिका के हमारे देशवासियों को जान लेना चाहिए कि उन्हें अपने उद्धार की कोशिश खुद ही करनी होगी। उम्बर भी उन्हींकी मदद करता है जो कि खुद अपनी मदद करते हैं। अगर उन्होंने अपनी उसी दृढ़ता, जोश और त्याग-भाव का परिचय दिया तो वे देखेंगे कि भारत के लोग और भारत सरकार भी, उनकी मदद करेंगे और उनकी तरफ से लड़ेंगे।

बड़े लाट साइब की बर्ताना में एक अंश ऐसा है जिसकी पूर्ति करने की आवश्यकता है। "आपके प्रार्थना-पत्र में यह कहा गया है कि नेटाल सरकार ने जब कि १९२६ में भारतवासी पार्लियामेंट के मताधिकार से वंचित रखे गये, उन्हें यह बार-बार प्रतिज्ञा के साथ आश्वासन दिया गया है कि उनका म्युनिसिपल मताधिकार सुरक्षित रहेगा। परन्तु हमको अपने इस आश्वासन के स्वरूप या उसके आधार का विगदर्शनी नहीं किया है। इस बात की जांच करने के लिए मेरी सरकारें सहायता कर रही है।" शिष्ट-मंडल ने जो बात पेश की है, ठीक है, पर यह आश्वासन १९२६ में नहीं, बल्कि शब्द १९२४ में दिया गया था। मैं यह स्थिति के आधार पर लिख रहा हूँ। इतना ही मेरी फरक नहीं है। १९२४ में नेटाल असेम्बली में मताधिकार छीन लेनेवाला पदका बिल पास हुआ था। जबकि यह उस असेम्बली में पेश था हिन्दुस्तानियों की तरफ से एक दरखास्त दी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि हिन्दुस्तानियों का भारत में म्युनिसिपल मताधिकार और अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक मताधिकार भी प्राप्त है। और यह अधेशा भी प्रकट किया गया था कि यह राजनैतिक मताधिकार का छीना जाना नहीं म्युनिसिपल मताधिकार के छीने जाने का मंगलाचरण न हो। इस दरखास्त के जवाब में नेटाल के प्रधान मंत्री स्वर्गीय सर जोन रागिनन ने या अटार्नी जनरल स्व० श्री एस्कचे ने यह आश्वासन दिया था कि हमसे आगे बढ़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है और म्युनिसिपल मताधिकार भविष्य में हिन्दुस्तानियों से नहीं छीना जायगा। यह मताधिकार को छीन लेनेवाला बिल तो बड़ी सरकार के द्वारा नामंजूर कर दिया गया; पर उनकी जगह एक दूसरा बिल पास किया गया जो कि जाति-मत भेदभाव से रहित था। यह पूर्वोक्त आश्वासन श्री० एस्कचे के द्वारा बारबार बुहराया गया था जिनके कि चाहे ने तमाम बिल थे और जो कि वस्तुतः जबतक पारलमट रहे नेटाल की राजनीति के एकमात्र परिचालक रहे।

### हमारी लाचारी

साधारणती आश्रम में चरने, तकली, पूजा इत्यादि के लिए फर्मायश पर फर्मायश आ रही है। यदि हम अच्छी तरह संगठित हो गये हों तो हमारी ऐसी धनदाय अवस्था होना असंभव था। एक समय था कि हर एक देशी बड़े चरखा बना सकता था। आज तो शहर का बड़े भी नहीं जानता कि चरखा क्या है और नमूने पर तैयार करने से इन्कार भी कर देता है।

इसी प्रकार पहले हर एक पुनिया पुनिया बनाना जानता था। लेकिन आज तो उसका नाम गुनते ही वे मुंह बनाते हैं या बड़े दाम मांगते हैं। हाथ-कताई की सफलता का आधार हमारी कार्य-कुशलता और हिन्दुस्तान के कारीगरों के सहयोग पर है। चरखा और उसके साथ संवय रखनेवाली चीजों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति कोई भी एक संस्था नहीं कर सकती। सद्भाग्य से अब हालत सुधरती जा रही है, लेकिन उतनी जल्दी नहीं जितनी कि होना चाहिए। जिन्हें जरूरत है उन्हें आश्रम से चीजें मंगाने के पहले अपने शहर में या जिले में उन्हें बनवा लेने का सब तरह प्रयत्न कर लेना चाहिए। बेशक, उनके लिए अनिश्चित समय तक राह देखने से तो आश्रम से मंगा लेना ही बेहतर है। जहातक पुनियों से संबंध है मेरा श्री. सन्तानम् की राय से इसफाक है, जिन्होंने कि अपने उत्तम नियम में दिखाया है कि हर एक कातनेवालों को खुद अपने लिए पुनिया बना लेना चाहिए। छोटी तांत पर धुनकना इतना सीधा और आसान काम है कि किसीकी भिश्वास हो न होगा। कताई को अपेक्षा धुनाई बहुत जल्दी सीखी जा सकती है। अच्छा धुनकना आ जाने पर अधिक सूत निकालने में बहुत ही मदद मिलती है और सूत अच्छा एकसा निकलता है। जो लोग मजदूरी लेने के लिए कातते हैं, वे यदि धुनक भी लें तो इससे उनकी आदमी बढ़ती है। अच्छा धुनकनेवाला दिन में बारह आना कमा सकता है। अच्छा कातनेवाला इतना नहीं कमा सकता। हर एक प्राणिक समिति में चरखे और उससे संबंध रखनेवालों दूसरी चीजें बनाने और देने के लिए एक भण्डार होना चाहिए।

### खादी का आदी होना

बंगाल के एक शिक्षक लिखते हैं—“मैं एक राष्ट्रीय पाठशाला का शिक्षक हूँ। बलगांव में राष्ट्रीय पाठशालाओं के सबंध में आ प्रस्ताव पास हुआ है उसने राष्ट्रीय पाठशालाओं के शिक्षकों और विद्यार्थियों में बड़ी खलबला मचा दी है। कुछ लोग अपने ही हित का दृष्टि में रख कर उसके अनुसार उसका अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं। 'विद्यार्थी खादी पहनने के आदी हों' इसका अर्थ कुछ लोग ऐसा लगाते हैं कि इसके द्वारा खादी पहनना अनिवार्य नहीं किया गया है और इसलिए वे कहते हैं कि जो लोग बिना खादी पहने पाठशालाओं में आते हैं वे रके न जायें। शिक्षकों को सिर्फ इतना ही करना चाहिए कि वे लड़कों से कहें कि खादी पहनें और धीरे धीरे खादी से उनका परिचय करा दें। वे कहते हैं कि अगर हमें अनिश्चित समय तक लड़के खादी पहने न दिखाई दे तो भी हम अपनी रायशालाओं को बलगांव के प्रस्ताव की मर्यादा का उल्लंघन किये बिना 'राष्ट्रीय' कर सकेंगे। वे ताकते हैं कि यदि माट को सदी लड़के भी मिल के कपड़े पहन कर आयें तो भी हम अपनी पाठशालाओं का राष्ट्रीय करते रहेंगे, बशर्ते कि पाठशालाओं के शिक्षक खादी की उपयोगिता और औचित्य की शिक्षा उन्हें देते रहें और यह आशा करें कि वे धीरे धीरे उसे पहनने लेंगे, चाहे छः महीने में, चाहे एक साल में, चाहे और ज्यादा पक में। हमारी राय में उस प्रस्ताव का यह अर्थ नहीं हो सकता। उसका अर्थ तो यह है कि विद्यार्थी बिना खादी पहने पाठशालाओं में आ हो नहीं सकते। हाँ, आपत्काल में या लाचारी की अवस्था में विद्यार्थी कभी कभी बिना खादी पहने भी आ सकें। हम समझे हैं कि हम प्रस्ताव के द्वारा वे सब लोग रोके गये हैं जो लगातार भंगम से अपना खादी पहने पाठशालाओं में आते हैं। अपने क्षेत्रों में हम इसी तरीके पर अपनी संस्थाओं के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना

करता है कि आप मुझे तथा यदि जल्दत समझें तो 'धंग इण्डिया' में उस प्रस्ताव का भसली अर्थ स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा में लिखें जिससे कि हम प्रथम पर आपके विचार सब लोगों को गालम हो न सके।"

मु: 'आदी होने' के अर्थ के समझ में अग भी गलत नहीं है। पत्रपत्र महासभा ने उसका जो अर्थ किया है वही अर्थ उसका हो सकता है। महासभा के प्रस्ताव के अनुसार वह पाठशाला राष्ट्रीय नहीं कहला सकती जिसके विद्यार्थी नियमपूर्वक खादी न पहनते हों। लेकिन शब्दों का अर्थ ठटने के लिए तो सबसे अच्छा मार्ग है कोव देखना। आक्सफोर्ड डिक्शनरी में 'हेबिन्थुअल' (आदी होने) का अर्थ है 'राज्य' 'निरन्तर' 'कमबन्द'।

**क्या वे सरकार से संबंध रखेंगे?**

तब यह सवाल पैदा होता है कि क्या वे पाठशालाये जो हम सार को पूरा नहीं करती है सरकारी विश्वविद्यालयों से अपना संबंध कर लें? निश्चय ही जिस पाठशाला ने असहयोग किया है उसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देश में महासभा तथा सरकार दोनों के आश्रय में चलनेवाली पाठशालाओं के लिए काफी जगह है। ऐसी पाठशालाये हो सकती हैं जिनका विश्वास सरकार के आश्रय, नगण्यण या हस्तक्षेप में न हो और फिर भी वे खादी या देशीभाषा या हिन्दुस्तानी पढाने की भी कायल न हों। अगर ऐसी पाठशालाये सर्वसाधारण से सहायता पाती हों या सचालक रण्य ही इनने धनी हों कि वे उबको मला सके तो क्यों वे जरी न रहें? महासभा ने जो कुछ किया है वह सिर्फ यही कि उनमें एक सीमा बांध दी है जिसके अंदर ही वह शिक्षा-संस्थाओं का सहायता दे सकती है। और महासभा के लिए दूसरी कौनसी बात स्वाभाविक हो सकती है, जिसे इसके कि वह अपनी संस्थाओं पर वही शर्तें लगावे जो कि उबको राय में देश का हिन साधन करती हों।

**सब हो तो क्या बात?**

एक सज्जन पत्र लिख कर मुसलमानों की इन चिन्ताएँ पर कि मुसलमानों में शिक्षा की बुरी हालत है, बुरी तरह फटकार बताते हुए कहते हैं कि इस मामले में आपको धोखा दिया जा रहा है। मेरी जानकारी के लिए उन्होंने कुछ अन्तरे अक भी एकत्र करके भेजे हैं जिनसे दोनों जातियों की साक्षरता का पता चलता है। उन्हें मैं यहाँ देता हूँ—

प्रांत	मुसलमान को हजार	हिन्दू को हजार
बर्मा ...	... ३०२	२८८
म. प्रां. और बरार ...	... ६२५	८५
मद्रास ...	... २०१	१७०
गुजरात ...	... ७३	७१
बड़ौदा ...	... १०९	२३४
म. प्रां. (हिन्दी) ...	... १६९	७५
मैसूर ...	... २३८	१३३
सिक्किम ...	... ८३३	९१
ग्वालियर ...	... १४२	६०
हैदराबाद ...	... १४०	४७
राजपूताना ...	... ६६	५७
<b>स्त्रियाँ</b>		
बर्मा ...	... ८७	८६
देहली ...	... ३१	२६
म. प्रां. और बरार ...	... २७	८

अजमेर, मारवाड ...	... १८	१६
बिहार ...	... ८	६
गुजरात ...	... ८	६
गोधर ...	... ६२	१६
बड़ौदा ...	... ४८	४२
हैदराबाद ...	... ३५	४
ग्वालियर ...	... २६	६
म. प्र. भारत ...	... १०	४
राजपूताना ...	... ९	३

हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे यह पता न था कि मुसलमानों के हक में ऐसी अक होंगी। फिर भी मेरा बकाब कामम रहता है। प्रतिस्पर्धा छोटे लोगों में-मद्रास मामली पत्र लिखों में नहीं है बल्कि दोनों जातियों के उच्च शिक्षित लोगों में है। और मैं समझता हूँ कि यह निषिद्धाद काज है कि उन्नी पढरानेवाली शिक्षा मुसलमानों में उतनी प्रचलित नहीं है जिनकी जो हिन्दुओं में। मैं चाहता हूँ कि पत्र-लेखक उच्च शिक्षा सर्वथी जकों की छान-बोन करके कहें कि मेरी बात टक है या नहीं। इस बीच अक के व्यौरे से प्रेम रखनेवाले मगका विेषण कर के अगर उनमें कोई गलती पावे तो मुझे मृषिग करे। जिन प्रांतों के अक पत्र-लेखक ने नहीं दिये हैं उनके विषय में भेने मान लिया है कि वहाँ के अक पत्र-लेखक के आक्षेप के अनुकूल नहीं हैं। जहाँ तक स्त्रियों की साक्षरता से संबंध है यह देख कर मुझे लुडी होता है कि बहुतेरे प्रांतों में मुसलमान बड़ने हिन्दू स्त्रियों से ज्यादा आगे बढ़ी हुई हैं। इससे यह माखम होता है कि परदा साक्षरता के रास्ते में रुकावट नहीं है। मैं परदे का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं तो उसके 'गिल्लुकुल' खिलाफ हूँ। मैं तो इस बात को सिर्फ आक्षेपजनक समझ कर उसका यदा उल्लेख करता हूँ। क्योंकि मैं यह तो जानता था कि बहुत ही मुसलमान बड़ने परदे में रहने पर भी पढी-लिखी हैं। पर यह नहीं जानता था कि साक्षरता में उनकी संख्या हिन्दू-इदनों से बढी-बढी है।

**क्या स्वराजी महासभायादी है?**

मेरे मामले एक अजब खत पैदा हुआ है, जिसमें लेखक लिखते हैं कि बिन में स्वराजियों और महासभायादियों को एक दूसरे से जुदा माना जा रहा है और महासभायादी स्वराजियों के काम में बाधा डाल रहे हैं। भेने तो यह आशा का भी कि जेठान-महासभा के बाद, जिसने कि स्वराजदल का महासभा का एक अभिन्न अंग मान लिया है और अनहयोग कार्यक्रम को मुांवा कर दिया है ऐसी बातें नामुमकिन हो जायंगी। इर स्वराजी जिसने कि महासभा के श्रेय-पत्र पर हस्तक्षेप किये हैं और जो नचे मताधिकार को मानता है उतना ही महासभायादी है जितना कि एक स्वराजी अर्थात् यह धम्म जो कि धामसभा-प्रवेश को नहीं मानता। और यह बात भी याद रखनी चाहिए कि स्वराज-दल ने अपने विधि विधान बदल कर हरेक सदस्य के लिए जंग महाधिकार को मानना लजिमी कर दिया है। ऐसी अवस्था में न केवल परस्पर एक दूसरे का विरोध न परे बल्कि जहाँ जहाँ मुसलमान हो और किसीकी अन्तरात्मा के विरुद्ध न हो वहाँ वहाँ एक दूसरे को मदद भी पहुचवे।

(थं० इ०)

म० ए० गांधी

**ग्राहक होनेवालों को**

यादिह कि वे सालाना बन्दा ४) मनीआर्डर द्वारा भेजें। बी. पी. मैजने का रिवाज हमारे यहाँ नहीं है।

# हिन्दी-नवजीवन

गुरुवार, माघ सुदी १२, संवत् १९८१

## दूसरे की जमीन पर

एक महाशय कहते हैं—“आप हर बार हमसे कहते हैं, मुसलमानों के सामने हर तरह से झुक जाओ। आप कहते हैं, उनके खिलाफ अदालतों में भी किसी तरह न जाओ। आपने कभी इस बात पर भी विचार किया है कि आप या कुछ कहते हैं उसका नतीजा क्या होगा? अच्छा, बनाएँ, जब हमारी जमीन पर कोई हममें बिना पूछे मसजिद खड़ी करने लगे तो दस क्या करें? जब कि बेईमान लोग हमपर रुपये लेंगे या सजा दिला दें और हमारी मिलिक्रयत जबरदस्ती हमसे छीने तो हम क्या करें? अपना जवाब देते समय आपको उन गरीबों का गो-ध्यान रखना चाहिए। आप तो कहीं नहीं चरते कि आप हमारी हालत को जानते नहीं हैं। और इतने पर भी अगर आप हमारा कुछ भी खयाल न रखते हुए अपना फतवा देगे तो फिर आप हमें दोष न दीजिएगा, अगर आपको उन्नी ऊंची मलाह के अनुगार हम न चल सकें। मैं यह जरूर कहूंगा कि बहुत बार आप ऐसी बातें कहते हैं जिनका करना असंभव होता है।”

जिन सज्जनों ने मुझसे हम लहजे में बातचीत की उनसे मेरी हमदर्दी है। मनुष्य-स्वभाव की कमजोरियों को तसलीम करने के लिए मैं तैयार हूँ। और इसका सीधा कारण यह है कि मैं अपनी कमजोरियों का फायदा हूँ। लेकिन ठीक जिन तरह कि मैं अपनी सीमा का कायल हूँ, इसी तरह मैं 'क्या करना चाहिए और मैं क्या नहीं कर पाता हूँ' इनके भेद को भुला कर अपनेको पाला भी नहीं देता। इसी तरह मुझे औरों को भी इस भेद को न मान कर तथा उन्हें यह कह कर कि आप जो कुछ करना चाहते हैं वह केवल ठीक ही नहीं उचित भी है धोखा न देना चाहिए। कितनी ही चीजें असंभव होती हैं पर फिर भी बड़ी ठीक और उचित होती हैं। सुधारक का तो काम ही ठहरा असंभव को संभव बना देना—अपने धारण के द्वारा उसको प्रत्यक्ष कर दिखाने के। एडिसन के आविष्कार के पहले सैकड़ों मील पर बैठ मान करमा जिसे संभव माना जाता था? मारकोनी और एक करम आंग बटा और उसने वेतार की तारबर्की को सम्भव बना दिया। हम रोज ही इस चमत्कार को देख रहे हैं कि कल जो चीज असंभव थी आज यही संभव हो रही है। जो बात भौतिक शास्त्र में चरितार्थ होती है वही मानस-शास्त्र पर भी घटित होती है।

अब प्रत्यक्ष सबालों को लीजिए। दूसरे की जमीन में बिना इजाजत के मसजिद खड़ा करने का सबाल निहायत ही आसान है। अगर 'अ' का बच्चा अपनी जमीन पर है और कोई शरत उसपर कोई इमारत बनाता है, चाहे वह मसजिद ही हो, तो 'अ' को यह अस्वीकार है कि वह तुरन्त उसे उखाड़ कर फेंक दे। मसजिद की शकल में खड़ी की गई हर एक इमारत मसजिद नहीं हो सकती। वह मसजिद तभी कही जायगी जब उसके मसजिद शाने का धर्म-संस्कार कर लिया जाय। बिना पूछे किसीकी जमीन पर इमारत खड़ी करना सरासर टाकेजनी है। टाकेजनी पवित्र नहीं हो सकती। अगर 'अ' को उस इमारत को, जिसका नाम मूठ-मूठ मसजिद रख दिया गया हो, उखाड़ डालने की इच्छा या ताकत न हो तो उसे यह बराबर कहें कि अदालत में जाय और उसके द्वारा उसे उखाड़वा डालें। अदालतों में जाना

उन असहयोगियों के लिए मना है जो उसके कायल हो चुके हैं उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें अभी कायल करने की जरूरत है फिर पूरा असहयोग तो हम अभी कायल में लाये ही नहीं हैं हर एक नियम में टूट तो रहती ही है, जब कि वह केवल असहयोग के ही नहीं बल्कि हमारे अगली उद्देश पर भी कुन्दापी चलाता है। जवाब में पूरे संज में कोई मिलिक्रयत है तबतक मुझे उसकी दिकाजत अगर करना होगी—चाहे अदालत के बल के द्वारा, चाहे अपने गुन—बल के द्वारा। अदालत में कार्य पूरा हो है। सारे राष्ट्र की तरफ से किया गया असहयोग एक प्रणाली के खिलाफ है, या था। उनके मुल में यह बात गृहीत कर ली गई थी कि आम तौर पर हमारे अन्दर एक-दूसरे में सहयोग रहेगा। पर जब कि हम आपस में ही एक दूसरे से असहयोग करने लगे हैं तब राष्ट्र की तरफ से असहयोग एक धोखे की टंगी हो जाता है। व्यक्तिगत असहयोग तभी सुमरिन है जब कि हमारे पास एक धुर भी जमीन न हो। और यह अबके संगीनी के लिए ही सुमरिन है। इधीलिए धार्मिकता की पराकाष्ठा पर पहुचने के लिए हर तरह की सम्पत्ति का त्याग आवश्यक है। इस प्रकार अपने जीवन के धर्म का निश्रय हो जाने पर अब हमें अपनी शक्ति भर उसका पालन करना चाहिए, ज्यादा नहीं। यही मध्यम—मार्ग है। जब कि कोई हाकू 'अ' को मिलिक्रयत छीनने आये तो वह उसे सब कुछ दे देगा—अगर उसे वह अपना सारा भाई मानता हो। अगर ऐसा भाव उसके दिल में न पैदा हो पाया हो अगर वह उससे डरता हो और चाहता हो कि कोई आकर इसे मार-भगाने ना अच्छा हो, तो उसे उसका पछाड़ देने की कोशिश करना चाहिए और नतीजा भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वह हाकू से लड़ना तो चाहता हो पर ताकत न हो तो उसे हाकू को अपना काम करने देना चाहिए और फिर अदालत में जाकर अपनी मिलिक्रयत को पाने की कोशिश करे। दोनों हारतों में उस के खली जाने और मिल जाने की पूरी पूरी संभावना है। अगर वह मेरी तरह विचारशील पुरुष हो तो वह मेरी तरह इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि यदि हम दर अमल सुखी रहना चाहें तो किसी हिस्से को मिलिक्रयत न रखते, या तभीतक रखते जबतक हमारे पड़ोसी उसे रखने दें। इस आखिरी स्थिति में हम अपने शरीर बल के द्वारा नहीं रहते बल्कि उनके मौज्जय पर रहते हैं। इसीलिए हृद दरजे तक नम्रता और ईश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। इसीको कहते हैं आत्मबल के द्वारा रहना। यही आत्म-भाव को प्रकट करने का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तरीका है। आइए हम इस विद्वान्त को अपने हृदय में स्थान दें—यह समझ कर नहीं कि कागज पर लिख रखने को यह एक अच्छा बौद्धिक और वित्ताकषेक मन्तव्य है, बल्कि यह समझकर कि यह हमारे जीवन का एक नियम है, धर्म है, हमें निरन्तर उसका साक्षात्कार करना है। और, आइए, हम उस धर्म के अनुसार और उसतक पहुंचने के उद्देश से अपनी शक्ति भर उसका पालन करें।

( गं. इं. )

माहनदास करमचंद मांधो

र. १) में

- |                        |      |
|------------------------|------|
| १ जीवन का सत्य         | III) |
| २ साहचर्य का धडाकिल    | II)  |
| ३ अयत्निक अंक          | I)   |
| ४ हिन्दू-मुस्लिम तमाजा | —)   |

डाक खर्च 1- सहित मनीआर्डर मेंजिए।

१11-)



## कुछ उचित प्रश्न

'कुछ दिन हुए मेने अस्पृश्यता के बारे में बंगाल से प्राप्त एक विचारपूर्ण पत्र छापा था। नगके लेखक आज भी उस विषय में बड़ी सरगर्भा से खोज कर रहे हैं। अब मद्रास की तरफ से भी एक राजन ने पत्र लिख कर नमकी बेरी ही खोले। भरने के लिए कितने ही प्रश्न पूछे हैं। इन जटिल प्रश्नों की खोज करने के लिए कदर हिन्दू लोग भी प्रयत्न हुए हैं यह बड़ा शुभ चिह्न है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रश्न पूछने वाले को सती उत्कंठा है। प्रश्न समूहानुसृत हैं। क्योंकि इतनी दली सूची में एक भी प्रश्न ऐसा न होगा जो मेरे प्रवास दरम्यान मुझसे पूछा न गया हो। इन सज्जन के पूछे इन जटिल प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न इसी भाषा से करता हूँ कि मेरे जवाब से पत्र लिखनेवाले सज्जन को—जो एक कार्यकर्ता और सच्चे बोधक होने का दावा करते हैं और दूसरे कार्यकर्ता गण और शोषकों को कुछ रास्य दिखाई दें।

१ अछूत-पन को दूर करने के लिए अमली उपाय क्या क्या करने चाहिए ?

(अ) अस्पृश्यता के लिए सब सार्वजनिक शालाएँ, मन्दिर, रास्ते, जो अत्याचारों के लिए सन्ते हैं और जो किसी खास जाति के लिए नहीं होते, खले कर दिये जाय।

(ब) ऊंची जातिवाले हिन्दुओं को चाहिए कि उनके बच्चों के लिए अदरसे पढे, जहाँ जरूरत हो। वहाँ उनके लिए कुआँ ब्योदे और सन्द सब प्रकार आवश्यक मदद पहुँचावे—जैसे उनकी नश का आदत छुड़ाने और शफाई के नियम पालन करने का निवारण दालना और उन्हें दवा-दरपन की मदद पहुँचाना।

२ जब कि अछूत-पन बिल्कुल दूर हो जायगा तब अछूतों का धार्मिक दर्जा क्या होगा ?

उनकी धार्मिक स्थिति वैसी ही मानी जायगी जैसी कि उच्च हिन्दुओं की मानी जाती है। और इसदिगि वे शरू कहे जायेंगे अतिशय नहीं।

३ जब कि अछूत-पन दूर कर दिया जायगा तब अछूतों और ऊँचे दर्जे के कट्टर ब्राह्मणों का क्या संबंध रहेगा ?

जैसे कि अ-ब्राह्मण हिन्दुओं के साथ है।

४ क्या आप जातियों को मिला देने का प्रतिपादन करते हैं ?

मैं रास जातियाँ तोड कर सिर्फ चार ही वर्ण रक्षूंगा।

५ अछूत लोग मौजूदा देव-मन्दिरों में हस्तक्षेप न करते हुए अपने लिए नये मन्दिर क्यों न बना लें ?

ऊँची कदरवाले जातियों ने मेसे राहस के लिए उनमें अधिक शक्ति ही नहीं रहने दी है। यह कहना कि ये हमारे मन्दिरों में दखल करने हैं इस सवाल पर गलत तौरपर विचार करना है। हमें ऊँची हिन्दू जातियाँ पहने वालों को इन्हें हिन्दुओं के सर्वसाधारण मन्दिरों में आनेदेना चाहिए और इस तरह अपने इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए।

६ क्या आप जातिगत प्रतिनिधित्व के पक्षपाती हैं, और क्या आपका यह भी मत है कि अछूतों को तमाम शासन-संस्थाओं में प्रतिनिधि भेजने का हक होना चाहिए ?

नहीं, मैं यह नहीं कहता। लेकिन यदि प्रभावशाली जातियों की तरफ से जानबूझ कर अस्पृश्यता को अलग रक्षना जाय तो इसतरह उन्हें अलग रखना अनुचित होगा और यह

स्वराज्य के रास्ते में रुकावट डालेगा। जुरी जुदी जातियों के प्रतिनिधित्व को मैं रक्षीकार नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी एक जाति को प्रतिनिधित्व न मिले, लेकिन इससे तो उल्टा प्रतिनिधित्व रखनेवाली जातियों पर यह भार डाला जाता है कि वे उन जातियों के प्रतिनिधित्व की ठीक ठीक रक्षा करें, जिनके प्रतिनिधि न हों या जिनके प्रतिनिधि कम हों।

७ क्या आप वर्णाश्रम-धर्म को मानते हैं ?

हां, लेकिन आज तो वर्ण का रासका उठाय जाता है, आश्रम का टिकाना नहीं और धर्म का विपर्यय हो रहा है। गारी व्यवस्था का ही पुनः मार्जन होना चाहिए और धर्म के संबध में हुई नयी नयी खोजों के साथ उसका एक्य स्थापित करना चाहिए।

८ क्या आप यह नहीं मानते कि भारतवर्ष कर्म-भूमि है और इसमें जन्म पाये हर शास को अपने भले-बुरे पूर्व-कर्म के ही अनुसार विद्या-बुद्धि, धन और प्रतिष्ठा मिलती है ?

पत्र लेखक सज्जन जैसे मानते हैं वैसे नहीं। क्योंकि हर शास कहीं क्यों न हो जैसा करेगा वैसा पावेगा। लेकिन भारतवर्ष खास कर्मके भोग-भूमि के विपरीत अर्थ में कर्म-भूमि है, कर्तव्य-भूमि है।

९ अछूतपन के दूर करने की बात करने के पहले क्या अछूतों में शिक्षा-प्रचार और सुधार होना लाजिमी शर्त नहीं है ?

अस्पृश्यता दूर किये बिना अस्पृश्यता में सुधार या प्रचार नहीं हो सकता।

१० क्या यह बात कदरती नहीं है, जसो कि हमो चाहिए, कि शराब न पीनेवाले शराब पीनेवाले से परहेज रखते हैं और शाकाहारी अ-शाकाहारी से ?

यह आवश्यक नहीं है। शराब न पीने वाला अपने शराब पीने वाले भाई को उस जुरी आदत से बचाने के लिए उसके पास जा कर अपना कर्तव्य करेगा। और इसी प्रकार मांस न खाने वाला खानेवाले को हूँगा।

११ क्या यह बात सच नहीं है कि एक शुद्ध (इस अर्थ में कि वह मद्यपी नहीं है और शाकाहारी है) आदमी आसानी से अछूट (इस अर्थ में कि वह मद्यपी और अशाकाहारी हो जाता है) हो जाता है जब कि यह उन लोगों में भिन्नता-लुलता है जो शराब पीते हैं, हिंसा करते हैं और मांस खाते हैं ?

यह कोई आवश्यक बात नहीं कि वह शास जो उसकी बुराई नहीं जानता है यदि शराब पीवे या मांस खावे तो वह अपवित्र (नापाक) है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पुरे आदमी की संगत कराने से बुराई होना संभव है। इस मामले में तो अस्पृश्यता के साथ किसीकी संगत कराने की तो कोई बात ही नहीं की गई है।

१२ कुछ कदर ब्राह्मण जो दूसरी जातियों से (जिनमें अछूत भी शामिल हैं) नहीं मिलते-जुलते हैं और अपनी एक अलहदा जात बना कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते रहने हैं, उनका कारण क्या यही नहीं है ?

यह नैतिक विधित्त जिसकी रक्षा के लिए चारों तरफ से बन्द रहना पडता है, बड़ी कमजोर होना चाहिए। और अलावा इसके वे दिन भी गये जब कि मनुष्य सदा एकान्त में रह अपने गुणों की रक्षा करता था।

१३ अछूत-पन को दूर करने का प्रतिपादन कर के क्या आप भारत के धर्म और वर्णव्यवस्था (वर्णाश्रम-धर्म) में दखल नहीं देते हैं—फिर यह धर्म और व्यवस्था चाहे अछूतों का हो या जुरी ?

सिर्फ एक मुझर की हिमायत करने ही से मैं कैसे किसीको दखल करता हूँ? दखल करना तो तभी कहा जाता जब कि मैं जो लोग अप्रसृत्यता कायम रखते हैं उनपर जोरो जुम करके अप्रसृत्यता-निवारण का पक्ष समर्थन करना होगा।

१७ पुराने बर ब्राह्मणों को हमका विश्वास करायें बिना ही उनके धर्म में दखल करने से क्या आप उनके प्रति हिंसा के दोषी न होंगे?

मैं कष्ट ब्राह्मणों के प्रति हिंसा का दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बिना विधाय उपपन्न भिये उनके धर्म में कोई दखल नहीं करता।

१८ ब्राह्मण लोग जो और दूरी जानियों को गपरा नहीं करते, उनके साथ खाना नहीं खाने, शादी नहीं करते, अप्रसृत्यता दोष के दोषी हैं या नहीं?

दूरी जाति के लोगों को स्पर्श करने से यदि वे इन्कार करते हैं तो वे अवश्य दोषी हैं।

१९ मनुष्यत्व के हक का अमल करने के लिए अप्रसृत्यता ब्राह्मणों के अपहरण में घूमें तो इससे क्या उनकी शुद्धा नृसत्ता मनुष्य सिर्फ रंटी खाकर ही नहीं जीता है। बहुत से लोग खाने से आत्म-इम्मान को अधिक पसंद करते हैं।

२० अप्रसृत्यता लोग इतने शिक्षित नहीं कि वे आदिशात्मक असहयोग के सिद्धान्त को पूरी तरह समझ सकें और ब्राह्मण लोग राजनीति के बनिस्वत धर्म की ज्यादा चिन्ता करने हैं, सो क्या इस बारे में सत्याग्रह करने से वह हिंसात्मक न हो उठेगा?

यदि हमसे बामकेम के प्रति इशारा किया गया है तो अनुभव से यह बात मालूम हुई है कि अप्रसृत्यों ने आधर्म्य-जनक आत्म-संयम दिखाया है। खाल का दूसरा भाग यह सूचित करता है कि ब्राह्मणलोग जिनका इससे संबंध है, समन है मारपीट कर बैठें। यदि वे ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। मेरी राय में तो तब वे धर्म के प्रति सम्मान के बदले धर्म का अज्ञान और उसके प्रति नकार ही जाहिर करेंगे।

२१ क्या आरका करना यह है कि जान-पात धर्म और विश्वास के किसी प्रकार के भेद के बिना ही सब को समान हो जाना चाहिए?

मनुष्यत्व के प्राथमिक हकों के बारे में पान्न की नजरों में तो यही होना चाहिए, जिस तरह की जात पान और वर्ण का विहाज रखें बिना हम लोगों में भूय ध्यास इत्यादि सर्वसामान्य है।

२२ यह देखते हुए कि केवल महान् आत्मार्थ ही, जो कि अपना कर्म-जीवन समाप्त कर चुकी है, ज्य दार्शनिक सिद्धान्त को पहचान सकती हैं, और उसका पालन कर सकती हैं, मामूली गृहस्थ नहीं, क्योंकि वे तो ऋषियों के बताये मार्ग का अनुसरण करते हैं और ऐसा करते हुए संयमार्थक होकर जन्म मरण के फेर से लुटकारा पाते हैं, क्या वह सिद्धान्त एक मामूली गृहस्थ के लिए व्यवहार में किसी मसरफ का होगा?

इस सीधे-साधे सिद्धान्त को मानने में केवल जन्म के कारण कई प्राणी मनुष्य अछा नहीं मान जा सकता—कोई उच्च दार्शनिक सिद्धान्त वीच में नहीं आता। यह सिद्धान्त इतना सरल है कि अकेले बर हिंदुओं को छोड़कर सारी दुनिया उसकी कायल है। और इस बात पर कि ऋषियों ने कैसे अज्ञतपन की शिक्षा दी है जसा कि हम पाल रहे हैं, मैंने आपत्ति ही उठाई है।

( सं० ६० )

भोहनदास करमचकर गांधी

## एक अनर्थ

एक टांगनीका से लिखते हैं—

“कितने ही हिन्दू-मुसलमान भाई यहाँ बरसों से आ रहे हैं। उनमें से कितने ही लोग हबशा औरतों के साथ लक-छिप कर शादी कर लेते हैं। इस समय कितने ही लोगों की सन्तति शादी करने के लायक होगई है। कितनों ही की उम्र अभी कम है, पर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब मुसलमान-भाइयों की तो ऐसी सन्तान को ले जाने में कोई बाधा नहीं है। परन्तु हिन्दू-भाइयों को उनकी जाति, धर्म और आबरू की बाधा, उन्हें देश में लेजाने से रोकती है। फल यह होता है कि अपने बाल-दुश्नों को यों ही भटकाते हुए छोड़ कर, बिना कुछ नजाम भिये चोर की तरह देश चले जाते हैं। भारत की कितनी जातियों के पुरुषों की सन्तान बढ़ी लावारिस है। अपने पिता की निर्दयता के बदौलत बेचारे दुःख भोगते हैं। मैं समझता हूँ, आपको भी यह सुन कर दुःख होगा। इस दुखी सन्तति को रोकने का कुछ उपाय बतलाएगा। इसके उद्धार के लिए यहीं कुछ उपाय भिये जायें या देश में, यह भी लिखिएगा।”

इस वर्णन के बिल्कुल सच होने की समाचना है। पोर्तुगीज राज्य में, अर्थात् डेला गोआ में, ऐसा मैंने अपनी आँखों देखा है। वहाँ मुसलमानों ने अपने बच्चों के लिए एक यतीमखाना खोल रखा है। हिन्दू अपनी सन्तति को मुसलमानों के हाथ सौंप देते हैं। वे मुसलमान बनकर तैयार होते हैं। यह है एक रास्ता। मैं इसे पसंद नहीं कर सकता। मेरी दृष्टि में दोनों निन्दनीय हैं। पहले तो ऐसे संबंध को शादी मानना ही दाष है। मैं इसे महज विषय-लालसा की तृप्ति कहता हूँ। बिदेश में बहुतेरे नीति-धंधन शिक्षित हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ लोक-लाज नहीं रहती। परन्तु दोनों के दोष में कमोबेशी है। मुसलमान ऐसे विषय-भोग से उत्पन्न सन्तति का पालन करते हैं और अपने धर्म में पबंदिता करते हैं। हिन्दुओं के लिए यदि मुसलमानों की बनाई सुविधा न हो तो उनकी सन्तति भूखी-प्यासी मरती रहती है। यह सन्तति केवल विषय-भोग का परिणाम-स्वरूप है। इससे हिन्दू मा-बाप को उसके धर्म की तो चिन्ता ही नहीं। मेरी दृष्टि में तो ऐसे विषयांध पुरुष ने धर्म का ही त्याग कर दिया है। नीति और सदाचार के नियमों का बिल्कुल पालन न करनेवाले को धार्मिक मानना मेरे लिए तो मुश्किल बात है। किसी धर्म में जन्म पानेवाले को शक्या की कानिअर भले ही उस धर्म का अनुयायी मान ले, पर सच पूछिए तो वह धर्मन्युत ही है। आचरण से भिन्न ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे धर्म की व्याख्या कह सकते हैं। वेदधर्मी वह नहीं जो गायत्री जपता हो, जो वेद पढ़ता हो, परन्तु वही शक्य है जो वेद-वाक्य के अनुसार व्यवहार करता है। कितने ही ईसाई वेदादि का बहुत गहरा अध्ययन करते हैं इससे वे वेद-धर्मी नहीं हो जाते। और न वही शक्य वेदधर्मी है जो हाँग बना कर या बरम के बर्कभूत होकर गायत्री-पाठ करता है। उसका उस धर्म के अनुयायी होने का दावा उधी अवस्था में माना किया जा सकता है जब उसे उस धर्म के आदेशों का बाध हो और वह अर्थ, शक्ति उनका पालन करता हो। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि टांगनीका के हिन्दुओं ने हिन्दू-धर्म को छोड़ दिया है।

यह निगाकरण तो स्वतन्त्ररूप से हुआ। व्यवहार में ऐसे हिन्दू मुसलमान बाप हिन्दू-मुसलमान माने जायेंगे। इसलिए हमें व्यवहार-दृष्टि से इसका कुछ निराकरण करना चाहिए। हिन्दू-बाप

को चाहिए कि वह ऐसे संवध को विवाह का रूप दे दे और बच्चों का प्रेम-पूर्वक लालनपालन करे तथा उनके लिए मद्रसे आदि को समान सुविधायें करे। यह उपाय तो हुआ उन बच्चों के लिए जो उत्पन्न हो चुके हैं। भविष्य के लिए तो हर एक विदेशगमन करनेवाले को अपने बाल-बच्चों को साथ ले जाना चाहिए। जहां बाप बिल्कुल ही निर्दय है वहां अनाथालय खोले बिना दूसरी गति नहीं। इन अनाथालयों को उन उन देशों में खोलना ही उचित होगा। यह मान सकते हैं कि इनमें मा अपने बच्चों के सहित रहेंगी। माता आजीविका के लिए अपने को इसका शिकार बनाती है। उसे विषय-भोग की सुध नहीं होती। क्योंकि हवशियों में शादी का रिवाज तो है, फिर भी औरतें रुपये के लिए अपने शरीर पुरुषों को बेचती हैं और इसमें नीतिभंग नहीं माना जाता। फिर भी मातृप्रेम तो रहता ही है। इस प्रेम का पोषण करके माताओं से उनके धर्म का बालन कराना उचित है। ऐसी दुःखद घटनाओं में बालकों के लिए मातृभाषा और पितृभाषा जुड़ी जुड़ी होती है। तो बालकों को कौनसी भाषा पढाई जाय? साधारण तौर पर बाप को इस तरह उत्पन्न हुई सन्तति के साथ प्रेम कम होता है। इससे बालक माता की ही भाषा सीखता है। इसलिए अनाथालयों के बच्चालकों को चाहिए कि वे ऐसे बालकों को उनकी मातृभाषा ही सिखावें। अगर दोनों भाषायें मिखाई जायें तो बालकों को भविष्य में राजी कमाने का एक ज्यादा साधन हो जायगा।

धर्म का सवाल अधिक गूढ़ है। मुसलमान बाप के विषय में तो, हम देख हो चुके हैं कि, कोई सवाल नहीं उठता। हिन्दू बाप से उत्पन्न सन्तति हिन्दू मानी जाय, यह नियम है। सो हिन्दू बाप के बालकों को हिन्दू धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए, इस विषय में मुझे जरा भी शक नहीं है। बालक बेचारा लाचार है। जिस अनाथालय में वह रक्खा जायगा वहीं के वायुमण्डल को वह ग्रहण करेगा। यदि धार्मिक संचालकों के हाथ में उसका आरोपण होगा तो बालकों के अन्दर धर्म-सेवन हो सकेगा।

मैं आशा करता हूँ कि दार्शनिक तथा उसके जैसे देशों में रहनेवाले हिन्दू अपने कर्तव्य का विचार करके उसका पालन करेंगे। विषय-वृत्ति को छुटना यह प्रथम धर्म है। यह भविष्य का विचार है। उत्पन्न सन्तति का पालन करना, उसके लिए धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध करना और हर तरह से पिता के धर्म का आचरण करना, ये नियम हर स्थिति पर घटते हैं। जो कर सके वे अपनी पत्नी को साथ ले जायें। पुरुषों की तरह स्त्री की भी स्थिति रामरत्नना चाहिए। पुरुष जिस प्रकार बहुत काल तक वियोग सहन नहीं कर कर उसी तरह स्त्रियाँ की भी हालत समझना चाहिए। उचित उम्र में शादी होने के बाद स्त्री-पुरुष को अधिक समय तक जुदा न रहना चाहिए। यह बात स्वयंसिद्ध है। इसीसे दोनों के चरित्र की रक्षा हो सकती है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द्र गांधी

## एजेंटों के लिए

- “हिन्दी-नवजीवन” की एजेंसी के नियम नीचे लिखे जाते हैं—
१. बिना पेशगी दाम आने किसीको प्रतिभा नहीं भेजी जायगी।
  २. एजेंटों की प्रति कापी )। कमीशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम से अधिक लेने का अधिकार न रहेगा।
  ३. १० से कम प्रतिभा भगाने वालों को काक काब रना होगा।
  ४. एजेंटों को यह लिखना चाहिए कि प्रतिभा उनके पास बाँक से भेजी जाय या रखे से।

अध्यक्षवाचक

## गुजरात में छः दिन

[२]

अन्त्यज-देव

इस यात्रा में गांधीजी ने अछूत-पन के सवाल को हर जगह जुदी जुदी रीति से उपरिधन किया। पीज में उन्होंने पूछा यहाँ कोई अछूत है? मास्टर सा० ने कहा जी हाँ, वे दूर बैठे हुए हैं। गांधीजी ने अपने सामने रक्खा हुआ फल तथा मेवे का थाल उन्हें बाँट देने को कहा। ‘यह मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से आपके प्रेम की और उनके साथ अच्छा बरताव करने की इच्छा की निशानी के तौर पर इसे बाँट दो।’ एक सज्जन ने कहा ‘थोड़ा प्रसाद मुझे न मिलेगा? मैं आपका चला हूँ।’ गांधीजी उत्तर देते हैं—आप फूल ले जाइए, फल और मेवा अन्त्यजों के लिए हैं।

किसान परिषद् में उन्होंने अछूतों के संवध में ये धार्मिक बातें थी—

“मैंने सुना है कि आप पाटीदार लोग अन्त्यजों के साथ अच्छा बरताव नहीं करते हैं। अगर आप अपने को क्षत्रिय मानते हों तो आप अन्त्यजों पर जुल्म नहीं कर सकते। उन्हें मार-पीट नहीं कर सकते। बहुत काम लेना और थोड़ा दाम देना यह राक्षसी न्याय आप नहीं रख सकते। गीताजी कहती हैं कि देवों को सन्तुष्ट रखना चाहिए। देवों को यदि सन्तुष्ट कर सकेंगे तो देवता पानी नहीं बरसावेंगे। देवता आरमान पर नहीं हैं। आपके देव अन्त्यज हैं। आपके देव दूसरे असृष्ट्य हैं। हिन्दुस्तान के देव कंगाल लोग हैं। दया-धर्म से हीन धर्म पाखण्ड है। दया ही धर्म का मूल है। और उनका त्याग करनेवाला ईश्वर का त्याग करता है। रंक का त्याग करनेवाला सबका त्याग करता है। यदि अन्त्यजों को हम अपना कर न सकेंगे तो हमारा धर्म निश्चित समाप्त है।”

## महिला-परिषद्

मैं गांधीजी ने अपने राम-राज्य-मन्थनी विचारों का पुनरावर्तन किया। कहा—यदि सीताजी की तरह सतिमां देश में हीमी तभी देश में राम-राज्य की स्थापना होगी। जबतक हिन्दुस्तान की स्त्रियाँ सार्वजनिक जीवन में भाग न लगी तबतक उसका उद्धार नहीं हो सकता। सार्वजनिक जीवन में भाग नही ले सकती हैं जो तन और मनसे पवित्र हैं, जिनके तन और मन एक ही दिशा में—शुद्ध दिशा में जा रहे हों। जबतक ऐसी स्त्रियाँ हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन को पवित्र न करें तबतक राम-राज्य अथवा स्वराज्य अमंभव है। अगर स्वराज्य समभव हो तो भी वह स्वराज्य येरेलिए किसी काम का नहीं जिसमें स्त्रियों का पूरा पूरा हिस्सा न हो। ऐसी पवित्र हृदय और मन रखनेवाली सती सदा साष्टांग नमस्कार करने लायक हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसी स्त्रियाँ सार्वजनिक जीवन में हाथ बटावें। सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने का अर्थ यह नहीं है कि सभाओं में आया वरें बहिक यह है कि पवित्रता के सिद्ध स्वरूप शादी पहन कर भारत के स्त्री-पुरुषों की सेवा करें। हमारे लिए राजा-महाराजाओं की सेवा तो क्या होगी? महाराजा सा० के पाप भग्न जायें तो गायक द्वारपाण्डु हमें कनक पहचने भी न दें। और हमारे लिए करोड़ पाने की भी सेवा क्या होगा? हिन्दुस्तान की सेवा का अर्थ है गरीबों की सेवा। इश्वर ईश्वर क्या है? गरीबों की सेवा। यही हमारे सार्वजनिक जीवन का अर्थ है। सर्वमाधारण की सेवा करना ही तो ईश्वर का नाम

लेकर गरीबों में जाकर चरखा कातो । दान उसोका नाम है जिससे कंगाल को सुख हो । हर किसी को दान देने में स्वच्छन्दता का दोष लगता है । जिसे देव ने दो हाथ, दो पाँव और तन्दुरुस्ती बरूही है उसे दान देना, उन्हें कंगाल बनाने का पेशा है । मन की पवित्रता की पहली निशानी है इनके अन्दर जाकर खादी का काम करना । दूसरी निशानी है अंत्यज-सेवा करना । सेवा के लिए उनसे स्पर्श करना । रामअन्त्यज ने क्या अन्त्यज का तिरस्कार किया था ? जिस शशरी के जुटे बेर उन्होंने खाये थे और जिस निषाद से वे मिले थे वे दोनों अस्पृश्य थे । तीसरी बात है मुसलमानों के साथ मित्रता । ये तीन बात जब आप करेगी तब कहा जायगा कि आप सार्वजनिक जीवन में हाथ बंटा रही है और आर चिरस्मरणीय हो जायेंगी ।

### क्षत्रिय क्षत्रिया सभा

इस सभा में शराब न पीने, कन्याविक्रय न करने और नियों का अपहरण न करने के प्रस्ताव इन लोगों ने स्वयं ही किये । थाराला अपनेको थाराला कहने में बदनामी समझते हैं और क्षत्रिय कहलवाते हैं । इसीलिए गांधीजी ने उनके क्षत्रियत्व के लक्षण—अपलायन, रंक, शरणागत और लो की रक्षा तथा वचन—पालन—ममझावे । वचनभंग के सपथ में चलते हुए उन्होंने कहा—

“ वचनभंग करने का अर्थ है, पीछे हटना, पीठ दिखाना । सो अगर यहाँ हाथ ऊँचा उठा कर आर अपना वचन भूल जाओगे तो क्षत्रिय न रहोगे और आपको शर्मिन्दा होना पड़ेगा—आप ही को नहीं मुझे भी होना पड़ेगा । शर्मिन्दा होने की अपेक्षा भी यह बात मुझे बहुत खलेगी । आपके अन्दर जो रविशंकर काम कर रहे हैं उन्हें आप अगर थोड़ी न करने का वचन दे कर फिर भी थोड़ी करो तो वे क्या करेंगे ? सरकार आपको सजा देगी पर रविशंकर खुद भूल-उपवास सह कर कष्ट उठावेंगे और इस तरह आपको जनायेंगे कि वचन भंग करने की अपेक्षा तो इस तरह आप मुझे मरने दो यह बेहतर है । इन्हीं रविशंकर के सामने आपने वचन दिया है । अब वचन तोड़ोगे तो मानों इनसे उपवास कराना आपको कुबूल है । मुझे भी रविशंकर के पाठे चलना पार है । मैं मारना नहीं जानता, पर मरना जन्म जानता हूँ । और आप यह भी न समझना कि रविशंकर अकेले हैं—उनकी तो बड़ी फसल पकेगी । इतनी चंतापनी देने के बाद आपसे पूछता हूँ कि जो प्रतिज्ञा आप लोगों ने की है यह आप की भंजूर है ? यह नाटक नहीं है । मैं नाटक करना जानता भी नहीं । और न कोई जाति नाटक दिखा कर उनति ही कर पाई है । हम पढ़े-लिखे लोगों ने आपलोगों के सामने नाटक दिखा दिया कर आपलोगों को बिगाडा है । सो अब बहुत सोच-विचार कर हाथ ऊँचा करना ।” सब लोगों ने हाथ उठाये ।

### अन्त्यज परिषद्

अन्त्यजों को संबोधन कर के गांधीजी ने जो भाषण किया उसका कुछ अंश अंत्यज भाइयों के लिए देना जरूरी है—

“जब मैं उन लोगों से दलील करता हूँ जो आपसे छूते नहीं हैं, तब वे मुझसे कहते हैं कि अन्त्यज बहुत गन्दे रहते हैं, शराब पीते हैं, मास खाते हैं । उन्हें जवाब देना कि ब्राह्मणों, वैश्यों और दूसरी जातियों में भी ऐसे लोग होते हैं, फिर भी उनके बच्चों महरमों में क्या है, जा सकते हैं, फिर यह उन्हा न्याय कैसा ? परन्तु उनके साथ ऐसी बशुहात पेश करते हुए भी आपसे तो यही कहेंगा कि आपके खिलाफ जो जो बातें कही

जाती हैं उससे आर अपनेको बचा लो, जिससे फिर उन्हें भी कुछ भी कहना बाकी न रह जाय । अपना काम करने के बाद रोज आपको नहाना जरूर चाहिए । भंगी का काम मैंने बहुत किया है, आपके राजकी भाई ने भी किया है । इसमें बदनामी जरा भी नहीं है, यह तो पवित्र काम है । जो शकम गद्गी हटाता है वह तो पवित्र काम करता है । आप यदि चमड़ा साफ करो तो कर तुकने बाद नहाया करें । गले आदमी हमेशा दस्तान करते हैं, दात साफ रखते हैं, और नहा धोकर शरीर साफ रखते हैं । आप इतना सभ करना और हाथ में माला लेकर राम-नाम जपना । माला न हो तो उगलियों पर राम-नाम जपना । इस राम-नाम लेने से आपके व्यसन छूट जायेंगे, आप स्वच्छ हो जाओगे । और सब आपकी पूजा करेंगे । मुबट उठकर राम-नाम लेने से और सोते समय राम-नाम लेने से दिन अच्छी तरह बीतेगा और रात को सुने रापने भी न आवेंगे । किसी की जूटन न लेना, सडा और खराब खाना न लेना, मेवा मिठाई भी यदि जूटन मिले तो मुँह फेर लेना और खुद हाथ से बनाई रोटी खाना । आपका जन्म जूटन खाने के लिए नहीं हुआ है । आपके भी आँख हैं, नाक है, कान हैं, पूरे पूरे मनुष्य हैं, सो आप मनुष्यत्व की रक्षा करना सीखो ।

“ आपको बहुतरे लोग कहने आवेंगे कि तुमारा काम गंदा है, तुमको महरसे जाने की, मंदिर जाने की छुट्टी नहीं मिल सकती तो उनसे कहना कि हम अपने हिंदू भाइयों से सभ हिस्साय सयस लेते हैं । भाई-भाई या भाप-बेटे यदि लडे तो जिन तरह उगने थोड़े बीच में नहीं पडते उती तरह आप भी हमारे बीच न पडिए—यह जवाब उन्हें देना और अपने धर्म पर आरुध रहना । मैं खुद जात-बाहर हूँ, मेरे जैसे कितने ही जात-बाहर हैं, तो इनसे क्या मैं अपना धर्म छोडूँ ? कितने ईसाई मिम मुझसे कहते हैं कि तुम ईसाई हो जाओ । मैं उनसे कहता हूँ मुझे अपने धर्म में कोई हानि नहीं मात्म होती, क्यों मैं उसे छोडूँ ? मैं भले ही जात-बाहर रहूँ, पर यदि मैं पवित्र होऊँ, स्वच्छ होऊँ तो मुझे किय बात का दुःख हों ? यदि कोई हिन्दू इसलिए कि मैं आरजों से हटा हूँ, मुझे पीठे तो पया मैं हिन्दू न रहूँगा ? हिन्दू-पन मेरे अपने लिए है, मेरी आत्मा के लिए है । ईसाई और मुसलमान दोनों से आप यह बात कहना और हिन्दू-धर्म में रह रहना । अंत्यज लोग गतरज को माहरे या पाजी नहीं है कि जो चाहे उनसे लेला करें । मैं जो आपका भाई-बहन कहना हुआ आपके पास आता हूँ—सो मेरी गरज से—इसमें मेरा स्वार्थ है कि मेरे पूर्वजों ने आपके साथ जो पाप किया है उसे मैं धो दालूँ । पर आपके प्रति मैंने जो कुछ पाप किया हो उससे आपको क्या ? इससे आप किसलिए धर्म का त्याग करें ? प्रायश्चित्त तो मुझे करना है । आप राम-नाम क्यों छोडे ? राम का यह न्याय है कि जो राम का सेवक है, राम का दास है, उसे वह दुःख दिया ही करता है और इततरह उसकी आजमाइश करता है । मैं चाहता हूँ अप इय आजमाइश में पूरे उत्तरे । अन्त को आपसे कहना हूँ कि मन में दया रखना क्योंकि हम सब दुनिया कीम मुबन्धन पर जीते हैं । और अन्त में चरखा बलाओं, और खादी जुन कर खादी ही पाँदो ।”

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देशाई

पत्रों को

अब '५० ३०' में लिखे गांधीजी के लेख 'हि० नवजीवन' में उसी दिन अप कर प्रकाशित हो जाते हैं । पत्रों को 'हिन्दी नवजीवन' के प्रचार में यह एक नया सुभीता हुआ है ।



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

बंद ४ ]

[ अंक २७

मुद्रक-प्रकाशक श्रीजीलान कानकाळ बूच	अहमदाबाद, फ. ए. लुन घड़ी ४, संवत् १९८१ गुरुवार, २ फ. वरी, १९२५ ई०	मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय, सारंगपुर सरकोगरा की बाडी
--	--	---

## देहली में मुलाकातें

सर्वदल-परिषद्-मियुक्त समिति की बैठक के साथ ही देहली में गांधीजी के समापतित्व में मोरक्षा-पध्दति की भी बैठक हुई। गांधीजी ने एक अखिल भारतीय मोरक्षा-मण्डल का योजना तयार की है, जो कि सबका पसंद हुई है। पण्डित मानसोयजा को राय आ जाने पर वह सर्वसाधारण के सामने बर्बा के लिए पेश होगी।

इन समितियों की बैठकों के कारण गांधीजी घर पर छायद ही रह पाते थे। फिर भी मुलाकात करनेवाली की तो खाली नहीं बनी रहती थी। आज—कल अमेरिकन यात्रियों का जमघट चल रहा है। फिर आज—कल देहली में भाराधमा का सत्र शुरू है। अनायास गांधीजी से मिलने का अवसर कौन बनाने लगा? केवल अमेरिकन ही नहीं, बल्कि एक दो आस्ट्रेलियन, चार पांच अंगरेज (जिनमें कांडे कर्जन के दामाद भी थे, जो कि मजदूर दल के हैं) और एक स्त्री भी थे।

श्री मोसली ने मजदूर-दल की बहुतेरी बातें की और कहा कि हिन्दुस्तान के प्रति उनकी कितनी सद्भावना है। परन्तु गांधीजी ने उनसे कहा कि हिन्दुस्तान मजदूर-दल पर आशा नहीं बांधेगा, क्योंकि बात यह है कि जब मजदूर-दल अधिकारपट्ट होगा तब भारत के हित-साधन की अपेक्षा अपने अधिकार पर बने रहने की उसे विशेष जिन्ता बनी रहेगी। श्री मोसली ने गांधीजी से पूछा 'गरीब-अमीर का भेद मिटा देने के ध्येय के संबंध में आपकी क्या राय है?' उन्होंने जवाब दिया 'मैं यह जवाब नहीं करता कि सब किसके भेद मिट जायेंगे और अनुष्णमान की स्थिति समान हो जायगी। ऐसी समानता में कुछ जान भी नहीं। मैं तो असमानता और विविधता के रहते हुए भी अनुष्णत्व स्थापित करना चाहता हूँ। यह नहीं कि समानता काई जा सकती हो तो वह मुझे अभिप्रेत होगी; पर मुझे वह अकल्प्य अक्षय्य हाती है। मैं तो यह चाहता हूँ कि राजा और रंक में प्रेम हो, मजदूर और मालिक में प्रेम हो, राजा और प्रजा में प्रेम हो। मुझे धर्म का द्वेष नहीं, धर्मके दुसपयोग का द्वेष है। सत्ता का द्वेष नहीं, सत्ता के दुसपयोग का द्वेष है। मैं चिन्तित इतना ही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मजदूर और अमीरों को अपनी स्वतन्त्रता का बोध हो जाय।

'हिन्दू-मुसलमान-सवाल से आप उकताते नहीं न गये?'  
 'नहीं, जरा नहीं। आज चाहे हमें सफलता न मिले पर हम सफल हुए बिना नहीं रह सकते।

'ब्रिटेन दोनों का एक नहीं करता?'  
 'दृष्टा से नहीं, अनिच्छा से।'  
 'ता क्या जो भूले हमन की है। उसका प्रायश्चित्त हम न कर सकेंगे

'करेंगे तो। पर अभी नहीं। इसमें भी हमें आपको मदद करना होगी। यह कहने से कि इसारे साथ आपके साथ कामना चाहिए, आप माननेवाले नहीं हैं। हमारी ताकत और क्रियाकलाप आपकी मजदूरों में मजदुरी पैठनी चाहिए। आज आपके वहाँ इन्साफ के लिए लड़नेवाले कहाँ है? एक भी नहीं। ब्राइट और ब्रेवका आज एक भी नहीं दिखाई देते। इसलिए अब हमीको लड़ लेना होगा।'

कितनी ही बहने भी आई थीं। पर मौनवार था, जो काफ़ी मिल कर चला गईं। एक महिला 'सेटारडे रिव्यू' की संवाददात्री थीं। उनकी बातचीत बड़ी रंगतवार रह। उनका खयाल था कि अस्पृश्यता और ब्राह्मण-अमाहण के जगड़े मिटना असंभव है।

'ये जगड़े और अछूतपन कभी मिटेगा?'  
 'क्यों नहीं? बिल्कुल निमूल हो जायेंगे। मुझे इसमें रसी भर संदेह नहीं।'

'ब्रिटिश यदि हिन्दुस्तान को छोड़ कर चले जायें—और भारतीयों को ता पार्लियामेंटरी स्वराज्य सरकार है, सेना तो अपनी बनानी नहीं है—तो फिर बाहरी हमले रोकने के लिए आप सेना खड़ी कर सकेंगे?'

'आपकी दोनों बातें गलत है। हिन्दुस्तानियों को फौज की जरूरत जरूर है और वे अपनी फौज भी जरूर खड़ी कर सकेंगे। आज तो उन्हें कहीं जिम्मेदारी की जगहें भी मिलती हैं?'

'वे खुद ही आगे नहीं बढ़ते हैं?'

'उन्हें बड़ी बड़ी जगहें तो कहीं नहीं मिलती। हिन्दुस्तानी आज कहीं कमान्डर-इन-चीफ हो सकते हैं? कोई भूला-भटका कैप्टन हो जाय तो बहुत समझिए। सिविल सर्विस को ही देखिए न। उसमें भी कितनी हद्द बांध दी है?'

'क्या हिन्दुस्तानी हाईकोर्ट के जज नहीं होते?'

‘होते हैं। परन्तु हाईकॉर्ट के जज की जिम्मेवारी एक कलेक्टर के बराबर नहीं होती। कलेक्टर तो सरकार के बराबर हुकूमत चला सकता है। जज को क्या सत्ता होती है?’

ये महाशया तो सरकार की तरफदारी करने लगीं। ‘ब्रिटिश लोग शांत होते हैं। हिन्दुस्तानी फरालीसियों की तरह जरा ही धर में अघात हो जाते हैं। इससे सेना में उन्हें बड़ी जगह नहीं दी जाती है १० इ०।’ गांधीजी उनके खुलासे पर हसत रहे। तब उन्होंने एक ओर हसने लायक बात कही—

‘स्वराज्य मिल जाने के बाद हिन्दुस्तान फिर से वातवध और सती की प्रथा शुरू न करेगा?’

‘इस हास्यास्पद सवाल के पूछने की अपेक्षा तो आप अपना पहला सवाल ही जारी रखती तो अच्छा था। आप पूछ सकती हैं—‘आप अपनी रक्षा कर सकेंगे?’

‘हां, हां, यह सवाल तो इंद है। आप सीमा प्रान्त पर शक्ति किस तरह रख सकेंगे?’

‘सीमा प्रान्त पर भी और देश में भी, सब जगह शक्ति रख लगे। सीमा-प्रान्त पर तो स्वामत्त्वा का उद्भव मचा रखा है। वही जो लडाइयां होता है वे उपजाई हुई होती हैं। यह मेरा नहीं पर एक कुशल ब्रिटिश अधिकारी का मन है। उन्होंने गणित किया है कि सीमा-प्रान्त पर का गई एक भी चटाई का समर्थन नहीं किया जा सकता। ये लडाइयां और नडाइयां भिर्पे, ब्रिटिश सिपाहियों का लडाइयों के लिए हमेशा तैयार स्थान के हैं। आप की जाती हैं।’

‘यह मानने लागू नहीं मालूम होता। सीमा-प्रान्त के लोग हमेशा खूट-मार करते रहते हैं।’

‘पर ये लडाइयां खूट-मार बंद करने के लिए नहीं होती हैं। यदि सत्ता हमारे हाथ में हो, हमें प्रणाम निगटारा कर लेने दिया जाता हो तो हम उन लोगों के साथ तुरन्त सुलह कर ले। वे आखिर करेंगे क्या? वे राज्य तो कायम करना चाहते ही नहीं?’

‘क्यों, मुगलों ने नहीं कायम किया? उसीतरह उत्तर में दूसरे लोग आ सकते हैं। उत्तर की पहाड़ी टालियां मैदान में आ कर रहने के लिए लाकायित रहती हैं।’

‘कुछ नहीं रहती, और फर्ज कोजिए कि रहती भी हों तो इससे क्या बनता बिगड़ता है? और अगर हम हार जायें और मुगल जैसे लोग आकर अपना डेरा जमावें तो इसमें भी क्या बुराई? आज से पुरी हालत में हम मुगलों के जमाने में न थे। मुगल हमारे घर के अंदर नहीं घुस गये थे, हमारे पैदान में नहीं पैठ गये थे, हमारे चरखे का सत्यानाश उन्होंने नहीं किया था, शराब और अफीम का रोजगार कर के उन्होंने हमें भ्रष्ट नहीं किया था।’

‘अहांगार अफीमची नहीं था?’

‘होगा, पर इससे क्या। आज की तरह व्यापार नहीं होता था, अफीम और शराब के कर से आमदनी नहीं पैदा की जाती थी। आज तो यह सब नाकायदा हो रहा है। अनेक नवधे, शराब की दुकान के नवधे, शराब बिक्री के अंक, बगैरह तमाम सार्वना के जईं यही बात हो रही है कि इसका व्यापार किस तरह बढ़ाया जाय। मुगलों में व्यवस्था-शक्ति थी, न हा सा बात नहीं। पर जब व्यवस्था-शक्ति का साम बिनाशक-शक्ति के साथ हो जाता है तब संरक्षणका क्या न हा? आज यही हालत है। यह बात नहीं कि मुगल हमारे साथ प्रेम रखते थे, या हमारे हितैषी थे, पर उनके कुलम ब्रिटिशों के कुलम न आगे कुछ नहीं।’

‘पर अफीम का व्यापार दूसरे लोग करेंगे, फिर हिन्दुस्तान ही क्यों न करे?’

‘दुनिया दुगचार से आमदनी पैदा करती है या करेगी इसलिए हिन्दुस्तान का भी करनी चाहिए?’

‘अफीम का रोजगार तो हिन्दुस्तान का पुराना रोजगार है न?’

‘हमारी आदत चाहे पुराना हो, पर व्यापार नहीं। हो सकता है कि ब्रिटिशों ने हमें यह आदत न लगाई हो, परन्तु उसने इस दुर्व्यसन को शास्त्र का रूप जन्म दिया है। अभी क्यादा क्या कहें—आपके सामने कठने हुए संकीच होता है—वेदयाचार के भी कानून बनाने गये हैं। फौज के लिए वेदयाओं की तजवीज की जाती है। इससे बड़ कर कोई बहनामी की बात हो सकता है?’

ये देवांजी तो झुकी भा सकाई देने लगीं। ‘इसतरह सिपाहियों की विषय-जातना तृप्त करने का कोई साधन न रक्खा जाय तो बीमारियां बढ़ती है और सेना में खराबी पैदा होती है।’ पर शिष्टता के खयाल से उनकी इस पूरी इलीक का बर्हा नहीं देता हूं। गांधीजी ने बकित हो कर कहा—

‘ताज्जुब होता है कि आप एक खीं हो कर स्त्रीत्व पर होनेवाले दम अमद्य अत्याचार की सफाई दे रही हैं! आपके तो ‘शु खंडे हो जाने चाहिए!’

‘नहीं म न ए-पक्ष की बात आपके सामने पेश कर रही हूं।’

‘क्या एक पक्ष की बात करती हैं! जहां आपका खून उबल उठना चाहिए था तहां आप एक पक्ष की तरफ से बातें कर रही हैं! पक्ष तो मनुष्य का पशु बना देना और फिर उसकी पशु-वृत्ति को तृप्त करने के साधन पहुंचाना? मैं यही नहीं समझ सकता कि क्या के बचाव के नाम पर क्या युवकों को निकम्मा रस कर उन्हें महज शरीर बचाने का प्रोत्साहन दिया जाता है? आपका—एक खीं को त—इसका चर विरोध करना चाहिए था—

स. आपकी, उल्टा उसकी सफाई देते हुए देख कर मैं डराम हूं। (जरा, खिसियाई) मैं सफाई नहीं दे रही हूं, मैं-ता अपना खुलासा पेश कर रही हूं।’

(नवजीवन)

मोहनदास करमण्डल

## सच्ची शिक्षा

कलेक्टर हुमत महेता का नीचे लिखा पत्र मुझे इस बार की हल-पलाम मिला—

‘मैं गुजरात बचापाठ को नियामक समाम में तथा कार्यवाहक मंडल में था। दूसरे कामों में लग जाने से उनमें से हट गया हूं।

बंबई-व्यवस्था-विद्यालय अजय तरह की शिक्षा देता है उसी तरह की शिक्षा उनके लिए हमारा महाविद्यालय नहीं खडा हुआ है। फिर भी जान में वा अनजान में हम उसकी नकल कर बैठे हैं।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय तैनिक अथवा समाज-सेवक तैयार करना चाहिए।

मानिक—राजनैतिक कार्य के लिए।

समाज-सेवक—दूसरे तमाम कामों के लिए।

(राजनैतिक आर सामाजिक काम में कोई फकी हीवार नहीं है, यह कुचूल करना ह्याग)

खादी-काम के लिए हमारे शिक्षित लोग जो देहात में पढाव डाल कर बैठ गये हैं, यह मेरी दृष्टि में बड़े से बड़ा काम हुआ है। जा सेवक ऐसी छावणियों में जायेंगे उन्हें महाविद्यालय की विचार-तमक (थियारिटिकल) शिक्षा की सचमुच ही आवश्यकता नहीं है। उनको—

(१) खादी—कातना धुनना और बेचना

(२) सांसारिक रीत-रिवाजों में होने वाले खर्चे

(३) मद्रगीय मंडली—हर तरह की

(४) राष्ट्रीय शिक्षा—व्यापार

(५) जन-सेवा—असहज छात्र, मद्यनिषेध आदि

कार्य के लिए जिस समाज-सेवा की शिक्षा दी जानी चाहिए, उसकी याजना नहीं की गई है। अर्थात् जो शिक्षा दी जाती है उसकी जरूरत नहीं, जो नहीं दी जाती है उसकी जरूरत है।

अब इस प्रकार की शिक्षा का किये हुए विद्यार्थी का भविष्य में काम निकल रहेगा। ऐसे युवक मद्य, अश्लील, आशीषज या साधारण देहात में काम कर सकते हैं।

यदि ऐसे मद्य और मद्यविद्यालय के साथ सब रहे तो हर एक स्नातक को काम में लगाने में असमर्थता है। आज गुजरात में हालत क्या है? जैसे आदिवासी भूमि और मेवक नहीं मिलते, महाविद्यालय उन्हें तैयार करने और रखने उन्हें सुखी से अपने काम में लगाने में।

इस तरह हम 'मिशनों' को स्थापना कर सकते हैं। राजनीतिक कार्यों के लिए हम छात्र-निर्माण कर सकते हैं।

उन्हें सेवा—जीवन का छात्र-निर्माण कर सकते हैं। वैश्विक लैटिन शिक्षा, राष्ट्र है। परन्तु ऐसी शिक्षा देने के लिये हम तो व्यापार, मरकत, तन्त्रज्ञान, प्रयोग, साहित्य की शिक्षा देते हैं। मैं आपका यह उद्देश्य कदम देना चाहता हूँ कि मेरी गाँव में महाविद्यालय का काम गुजरात कलेज से अच्छा चल रहा है।

- ( १ ) शिक्षकों और विद्यार्थियों का मनन प्रगाढ़ है
- ( २ ) शिक्षा का प्रति-विन्दु जुगा है
- ( ३ ) वायुमण्डल स्वच्छ है।

इसका इंतजाम भी मैं मानता हूँ कि हमें प्रतिभयता में पढ़ने की जरूरत नहीं, उससे लाभ भी नहीं। भाषणा या मे विचार स्वकार नहीं तो मैं मजबूर हूँ। यदि किसी अर्थ में आप इसे पसंद करेंगे तो ऐसा पाठ्यक्रम रचने में मैं सहायता दूंगा। क्योंकि मुझे इसका अनुभव है।

डाक्टर साहब के इस पत्र का मैं स्वागत करता हूँ। आज्ञा शिक्षावाणी ने उसके मूल विचार पर अमल किया था। अर्थात् उन्होंने स्नातकों का निम्न भिन्न जगहों में समाज-सेवा के लिए भेजा था और उनके साथ सम्बन्ध कायम रखा था। यह बात पाठ्यक्रम के अग्रभूत न थी, व्यक्तित्व थी। परंपरा के तौर पर थी। डाक्टर साहब जो उसे स्थायी रूप देना तथा पाठ्यक्रम बनाना चाहते हैं वह बिल्कुल ठीक ही है। इस पत्र में यह प्रति-मिलकली ही दिखाई देती है कि वर्तमान काम की जगह डाक्टर साहब की योजना रखनी चाहिए।

मुझे तो यह भी पसंद होगा कि मैं महाविद्यालय का वर्तमान कार्यक्रम बिल्कुल ही निकालना तथा आपस में नहीं और यदि ही तो सम्भवतः नहीं। वर्तमान पाठ्यक्रम की रचना में विद्यार्थियों की मन-प्रति पर ध्यान देना गया है। और प्रान्तों के मुकाबले में गुजरात में सेवा मात्र देर में आगत हुआ है। हमें सेवा के लिए आवश्यक जगहों में इच्छा हर विद्यार्थी के हित में एकाएक नहीं होती। फिर समाज-सेवा के साथ ही आजीविका का मवाल है। अभी यह विचार प्रधान माना जा रहा है कि विद्यालयन आजीविका के लिए है। फिर अनेकी आजीविका ही लक्ष्य लेता तो भी क्षान्त्य समझा जाता; परन्तु विद्यार्थी के साथ ह्योपाजन करें, अधिकार मिले, यह विचार भी लोग को रहता है। अतः इस विचार में परिवर्तन नहीं होता तब तक मिद्वान्त-दृष्टि में हमारे अध्ययनक्रम में सुधि ही रहेगी। उभय-पक्षक परिवर्तन माना सुधिल्ल माह्रम होता है। फिर भी धीरे धीरे उस विचार को गौणत्व देना आवश्यक और बिल्कुल संभव्य मानता हूँ।

विद्यार्थियों का समाज-सेवा का कार्य करने के लिए विद्यापीठ को क्षेत्र तैयार कर देने होंगे और उसमें से उन्हें आजीविका प्राप्त

हो, जैसे सामन तैयार करने होंगे। आजीविका, विद्या का लक्ष्य न हो लेकिन हमका यह फल तो होना ही चाहिए। विद्या का लक्ष्य है आत्म-विकास। जहाँ आत्म-विकास होगा वहाँ आजीविका तो है ही।

यह भी देखा गया है कि विद्यार्थियों को अंगरेजी के ज्ञान के बिना सुधि नहीं होती। वे साहित्य के ज्ञान की भी अपेक्षा करते हैं। इसमें कुछ सुझाव नहीं। हमें सिर्फ गद्दी देखना चाहिए कि उनकी सुधि-पूजा न हो, वही ध्येय न बन जाय और वह एक प्रकार की स्वच्छन्दता न हो जाय। अपने स्थान पर तो वह बड़ी शाभा देगा और उसके लिए स्थान तो है ही।

यह नहीं कह सकते कि सरकारी विद्यापीठों का पाठ्यक्रम महज दानिकारक ही है। मुझे कभी ऐसा नाम न हुआ कि उनकी सब भाँति त्याज्य है। हाँ, हमकी तोता रटन, मातृभाषा या अनादर, अंगरेजी का आडंबर, इतिहास का एकपक्षीय ज्ञान, प्राचीन संस्कृति की अनदेखना, लय का अभाव—यह और ऐसी सब बातें त्याज्य हैं।

गद्दी स्वयं है कि मैं यह मानता हूँ कि विद्यापीठ के पाठ्य-क्रम में सुधार को महत्-मुक्त सुझाव है। लेकिन यह कहना तो असंभव है पर यह सुधार कर कौन? अनुभव तो एक भी नहीं। जिन लोग के हाथ में पाठ्यक्रम की लगाम है वे सब सरकारी विद्यार्थी ही छात्रवाले हैं। उनमें से किसी दिमा के मन में इन विद्यार्थियों में प्रति-विरक्ति हुई है, किन्तु नया ज्ञान और नया अनुभव वे लवे गद्दा से? इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में सुधियां दिखाई देती हैं। आचार्यों ने प्रत्येक स्थल में उचित रहोषदक करने का गंधाशक्ति प्रयास किया है और उसमें कर्मोपेक्षी करने में मैं सफल ही हूँ।

अब डा. सुमन्त महंता की योजना के बारे में दो शब्द कहता हूँ। मैं मानता हूँ कि उनकी योजना के अनुसार कार्यक्रम बनाना चाहिए। उसमें कितने ही विषय ऐसे हैं कि जो महाविद्यालय के आरम्भ के प्रथम काल में ही पढाये जा सकते हैं। कितने तो उसके भी पहले दिखाये जा सकते हैं। कितने सामान्य अध्ययन पूरा होने पर शिक्षार्थी जाने लायक माह्रम होते हैं। मैं डा. सुमन्त महंता का अपना योजना तैयार करने का निमंत्रण देता हूँ। इतना तो मैं उन्हींको पत्र लिखकर कर सकता था। लेकिन इन विषय पर जहाँ चर्चा करने का कारण तो यह है कि उपपर शिक्षक और शिक्षित लोग विचार करें, उसी चर्चा के जौन डा. सुमन्त महंता को मदद करें। इस लगे क पाठ्य-क्रम में अन्तर्गत है और जा है वे अपने अपने क्षेत्र में बंधे पड़े हैं। दिन प्रति दिन यह स्थिति दृढ होती जा रही है और हमको भी चाहिए। हर एक मनुष्य यदि हर एक विषय में चतुर्पात करे तो वह न अपने काम के साथ और न उस विषय के साथ अच्छी तरह न्याय कर सकता है। क्षेत्र पराद कर के उसको साधना देना। वना हम उमर इस फल नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए योजना का सफल बनाने का भार तो डा. साहब का ही उठा देना होगा। विचारशील शिक्षक और विद्या-प्रिय समाज-सेवक उन्हें मदद करेंगे। मेरा कार्य तो इन दोनों की भाँति कर दे और कुछ अपना संशय काटि करना था। डाक्टर साहब स्वयं यह वर्ष का क्षेत्र-संनय ले कर पेटप्राद में बैठ गये हैं। वहाँ उन-अपनी याग। का प्रयास करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। उसमें उन्हें अपनी योजना का विकान करने में कुछ आसानी होगी।

योजना परिपक्व हो जान पर उसके अनुसार कार्य करनेवाले शिक्षकों की जरूरत होगा। यह दुमरा ही खवाल है। मेरा विश्वास है कि प्रसंग जाने पर वे भी मिल जायेंगे।

# हिन्दी-नवजावन

गुरुवार, फाल्गुन वदी ४, संवत् १९८१

## कोहाटी हिन्दू

मैं जानता हूँ कि पाठक इस सलाह के य. इ. के पत्रों में, कोहाट की पिछले खितबर् को शोकमय घटना के विषय में मौ० शौकतअली के और मेरे निर्णयों को लोजेंगे। पर खेद है कि जिज्ञासुओं को उसे देख कर निराश होना पड़ेगा। क्योंकि मौ० शौकतअली मेरे साथ नहीं हैं और उन्हें दिखावे बिना इस विषय में कोई बात छापना उचित न होगा। फिर भी मैं पाठकों से इतना तो कहीं देता हूँ कि मैंने जो रायें कायम की हैं उनपर पं० मोतीलालजी, पं० मालवीयजी और इकीम साहब अजमलखान, डा० अनसारी और अलीभाइयों से भी चर्चा कर ली है। साक्ष्यमती आते हुए रास्ते में मैंने उन्हें अभी लिख कर खतम किया है। सुरन्त ही वे मौ० शौकतअली का मेजी जायगो और उन्हें मौ० शौकतअली की पुष्टि अथवा कम-वेशी के साथ प्रकाशित करने की आज्ञा रखता हूँ। परन्तु हमारे निर्णयों को छुट कर, मैं हिन्दुओं को फिर यही सलाह देता हूँ कि यदि मैं उनकी जगह होता तो जबतक बिना सरकार के दखल दिये मुसलमानों से इज्जत के साथ मुकदम न हो, मैं बर्दा न जाता। यह हम मौके पर मुमकिन नहीं है; क्योंकि बदकिस्मती से मुस्लिम कमिटी के लोग, जो कि कोहाट के मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं, न ता हमसे मिलने आये और न आना जरूरी समझते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ कि हिन्दुओं की हालत बाजुब है। वे अपनी मिस्कियत का गवाना नहीं चाहते। मोलाना साहब और मैं दोनों मुकदम कमाने में कामयाब न हुए। हम तो कोहाट के कास कास मुसलमानों का बातचीत के लिए भी बुलाने में समर्थ न हो सके। और न मैं यही कह सकता हूँ कि हम आगे भी जल्दी सफल हो सकेंगे। ऐसी हालत में हिन्दू लोग जो मुनासिब समझे करें। हमारे नाकामयाब होते हुए भी मैं तो उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता बता सकता हूँ—जबतक मुसलमान भावको इज्जत और गौरव के साथ न ले जाय, कोहाट न लौटेगा, पर मैं जानता हूँ कि यह सलाह दे कर सिवा उन लोगों के जो कि अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं और जिन्हें किसीकी सलाह की जरूरत नहीं है, मैंने औरों का कुछ कुछ ज्यादा नम नहीं किया है। और कोहाट के आश्रितों की हालत भी ऐसी अच्छी नहीं है। मैंने अपने विचार पण्डित मालवीयजी तक पहुँचा दिये हैं। वही शुरुआत से उनके पथ-दर्शक रहे हैं और उन्हें उन्होंनेकी सलाह के अनुसार चलना चाहिए। मालवीय पिण्डी आये थे, पर बद-किस्मती से वे बोमार हो गये। मेरी अपना राय जो बहुत विचार के बाद मैंने कायम की है, अपने वक्तव्य में दे दी है जो कि मौ० शौकतअली के आसपास पहुँच गया होगा। मगर यह बात ता मैं पहले ही से कुबूल कर लेता हूँ कि उससे उन्हें कुछ भी सहाय न मिलेगी। मुझे तो अब एक टटो नाव ही समझिए। वह भरोसा करने लायक नहीं।

परन्तु इस बारे में कि वे जबतक कोहाट के बाहर हैं क्या करें, मैं उन्हें निःसंकोच सलाह दे सकता हूँ। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हठकट और मजबूत हाथ पैर रखनेवाले लोगों का दान की रकमों पर बसर करना अपने सत्व को गवाना है। उन्हें न कि वे खूद अथवा वहाँके लोग की मदद से कुछ

न कुछ काम अपने लिए हूँट लें। मैंने उन्हें धुनकने कातने और बुनने का काम सुझाया है। पर वे कोई भी अपनी पसंद का अथवा जो उन्हें दिया जाय काम ले सकते हैं। मेरे कहने का भाव यह है कि किसी भी स्त्री पुरुष को जो काम करने की ताकत रहता है, दान पर पेट न भरना चाहिए। एक सुव्यवस्थित राज्य में काम करने की इच्छा रखनेवाले हर एक शरूब के लिए काफी काम हमेशा होना चाहिए। आश्रित लोगों को, जबतक कि राष्ट्र उनका भरण-पोषण कर रहा है अपनी एक एक मिनट का अच्छा हिसाब देना चाहिए। 'निकम्मा आदमी गैतान को निमंत्रण देता है' यह मज्ज लडकों की कहावत नहीं है। इसमें काफी सत्यांश है और उसकी गवाहों हर शरूब दे सकता है। इसमें न तो गरीब अमीर का, न ऊँच-नीच का भेद-भाव है। मगर पर एक ही मुसीबत छाई है—सब मुसीबत के मारे साथी हैं। और धनी और खुदाहाल लोगों को तो खुद भागे बच कर अच्छी तरह मिःनत वरके मिसाल पेश करनी चाहिए, फिर चाहे वे खाना दाना न भी लेते हों। यदि एक राष्ट्र के लोग मुसीबत के दिनों में ऐसा काम करना जानते हों जिससे उन्हें सहारा मिले तो इससे नितना भारी लाभ होगा? यदि वे आश्रित लग धुनना, बुनना या कातना जानते तो इनकी जिन्दगी इस हालत से कहीं बेहतर और ऊँची रही होती। उस हालत में आश्रितों का वह पडाव एक मधु-मक्खियों का छता ही बन गया होता जिसे ब जितने दिन तक चाहते रह पाते। यदि वे लोग इसी समय न जाने का निश्चय करें, तो अब भी बच नहीं गया है। सूखा आट-वाल देना गलत है। हाँ, व्यवस्थापक लोगों के लिए ऐसा करने में आसानी है, पर इससे आश्रित लोगों में बड़ी बेतरतबी फैलती है और इसमें बजै बहुत बरबाद होती है। उन्हें चाहिए कि वे विधिकों की तरह संयम और नियम-पालन अङ्गवार करें—नियम से बँटें, नियम से नहानें—भयें, नियम से ईश्वर-भजन करें, नियम से खाना खावे, नियम से काम करें और नियम से मरें। कई बजह नहीं माछम होती कि क्यों उनके अन्दर रामायण का अथवा और किसी धर्म पुस्तक का पाठ आदि न हो। इन सबके लिए विचार करने की, चिन्ता रखने की, ध्यान देने की और त्तरगता रखने की बड़ी जरूरत है। ऐसा करने पर यह मुमकिन एक आनन्दमय घटना के रूप में बदली जा सकती है।

(नवजवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

## होशियार रहना

गंजाम जिला समिति ने एक ब्यापारी का लिखा एक पोष्ट कार्ड जिसमें बाजार में बेचने के लिए २००० गज की आठियों का भाव पूछा है, मेरे पास अंजा है। ऐसे सुले हुए ब्यापार पर ऐतगज करना मुमकिन नहीं है। लेकिन उन लोग को जो कातना नहीं चाहते और सूत करीब कर अपना चन्दा देना चाहते हैं, बाजार से सूत करीबने से सावधान रहना चाहिए। उन्हें अपना हिस्सा अपने कुटुम्ब में कतवा लेना चाहिए। यदि यह मुमकिन न हो तो उन्हें एक विश्वासपात्र कालनेवाला रखना चाहिए और उससे सूत लेना चाहिए। अकंसा के जो महासभावादी कातना नहीं चाहते वे उन्होंने इस मुश्किल को श्री. महासभावादी को, जो हाथ-कताई में बड़ा विश्वास रखते हैं, जितना सूत चाहिए उतना देने पर राजी कर के, हल कर लिया है। इससे सूत की तादाद और किस्म दोनों के संबंध में विश्वास रहेगा। किसी भी प्रान्त को दूसरे प्रान्त से सूत न मंगाना चाहिए।

(पं० इ०)

मोहनदास करमचन्द गांधी



## टिप्पणियाँ

### महाराज मैसूर

मैसूर के महाराजा साहब ने चरखा कातना शुरू किया है। किन्तु लोगों ने कताई को धर्म मान लिया है उन्हें यह समाचार प्रिय मान्य हुआ बिना ब रहेंगा। संवाददाता यह भी सूचित करते हैं कि सर प्रभाकर पट्टण के कातना शुरू करने के बाद का यह परिणाम है। इन सब उदाहरणों से हमें फूल न जाना चाहिए। फिर भी हमसे यह तो सूचित होता ही है कि चरखा कातने में कितना और कैसा सामर्थ्य है। फिर बड़े भादवियों की मित्राल का असर सर्व-साधारण पर भी पड़ता है। मैं मैसूर महाराजा साहब को धन्यवाद देता हूँ और आशा रखता हूँ कि वे अपने आरम्भ किये के मरण-पर्यन्त न छूटेंगे। यह आरंभ उनके और प्रजाजन दोनों के लिए कल्याणकारी है। उसका परिणाम राज मके ही कम दिखाई दे। परन्तु मुझे इस विषय में जरा भी सन्देह नहीं कि अन्त में वह एक विशाल दल के रूप में सुशोभित हो जायगा, सूत-कताई महाराजा और प्रजा दोनों का जोड़नेवाली सुनहली जंजीर हो जायगी। इससे इस नियम का पुनरुद्धार होगा कि राजाओं को उपयोगी और प्रजा-पोषक उद्यम करना चाहिए और यह ज्ञान कि रक से रक प्रजा के उद्यम के लिए भी महाराजा के मदद में स्थान है, हमेशा प्रजा-जन को प्रोत्साहित करता रहेगा एवं यह बात सिद्ध होगी कि राजा और रक के दरम्यान वस्तुतः जाति-भेद नहीं है। बोड़े दिनों के उद्यम से ऐसे नतीजे नहीं निकला करते। उसके लिए निरंतर, निरन्तरित आभ धन्यमय उद्यम की आवश्यकता है।

### पैसा ही चाहिए

हमनाक शहर कर्नाटक में है। वहाँके तालुका समिति के मंत्री लिखते हैं—

यहाँ म्युनिसिपल्टी में राष्ट्रीय पक्ष के लोगों की बहुतायत है। इसलिए वह रचनात्मक कार्य सफल बनाने के लिए पूरी मदद कर रहा है। म्युनिसिपल शालाओं में चरखा चलाना अनिवार्य कर दिया गया है। म्युनिसिपल्टी के लोगों को खादी के कपड़े दिये गये हैं। अस्पृश्य लोगों के मन्तानों को सुपुत्र और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रस्ताव हुआ है। दूसरे हिन्दू बालकों के साथ ही उनको पढाया जाता है। माबजनिक् तालाब में से उन्हें पानी भरने में कोई रुकावट नहीं है। पूज्य देशभक्त गंगाधरगव देशपांडे को यहाँ अभिनन्दन पत्र दिया गया था। समासर्दा के प्रयत्न से यहाँ हिन्दू-मुसलमान, ब्राह्मण-प्राज्ञपेतर, सबमें एकता है और किसी भी प्रकार का लड़ाई झगडा नहीं है। मजिस्त्र में नशीली चीजों के त्याग के लिए बड़ी भिन्नत से काम लेने का निश्चय हुआ है। और इसी प्रकार प्रत्येक कार्य में जिससे देश का कल्याण होता हो वे मदद करते हैं।”

यह म्युनिसिपल्टी धन्यवाद की पात्र है। यदि पूर्वोक्त कार्य के अलावा वहाँ शहर-सफाई पर पूरा ध्यान दिया जाता हो, तालाब साफ रहता हो, उसमें मवेशी पानी पीते और नहाते न हों, रस्तीमें स्त्री-पुरुष नहाते-धोते न हों, बच्चों को लिए साफ और सस्ता दूध मिलता हो—तो यह म्युनिसिपल्टी आदर्श म्युनिसिपल्टी बनी जायगी। इसका यदि सब जगह अनुकरण हो तो यह स्पष्ट है कि बहुत से प्रश्न इससे दूर हो जायेंगे और सार्वजनिक जीवन बहुत कुछ आगे बढ़ जायगा।

### अनुकरणीय

पाकीताना से एक महाशय एक पत्र लिखते हैं, उसमें से बन्दरी अंश नीचे देता हूँ—

“मैं पाकीताना रियासत का निवासी हूँ। राज्य कारोबार में २५ साल से नौकर हूँ। अपने फुरसत के समय मैंने सूत कातना शुरू किया। तकला अच्छा तरह सीख लेने पर अब चरखा कातना भी जान लिया है। इसका अलावा बुनाई भी सीख ली है।

अपनी धर्मपत्नी का भी कातना बुनना सिखाया। मेरे घर में मेरे छोटे बच्चे भी कातने हैं। यहाँ मठियाँ भी मिलती हैं। उससे ऊँचे नंबर का सूत नहीं निकलता। इससे मैंने टिरवणी नामक कपाम बनाया। उसके तीन पाँधे तैयार हुए हैं। देव कपास को भी बाने आर तैयार करने का प्रयोग किया है। अभी तीन पाँधे एक एक साल के हुए हैं। इसके उपरान्त ऊन कात कर भी देख लिया है। ऊन में बहुत अच्छा कात लेता हूँ। एक बुनने वाले को भी उत्साहित कर के तैयार किया है। अभी हम ऊन के ही कपड़े पहनते हैं और जो बच जाते हैं तो बेचना भी हूँ। नौकरी के काम से छुट्टी पाकर रात को दो दो तीन घण्टे तक सूत कातने में मेरा बड़ा मन लगता है। चरखा कातने हुए मुझे बड़ा ही आनन्द आता है। थकावट तो मान्य ही नहीं होती। मेरा अनुभव हाता जाता है कि चरखे में देवीक शक्ति है।

“इरादा हुआ कि जब जब मुफस्सिल में दौरे पर जाता हूँ तब तब चरखा साथ रखूँ। परन्तु यहाँ का बड़ा चरखा मकान में नहीं जा सकता। सो ‘जीवन बक’ मंगा कर साथ रखता हूँ। वह गाड़ी के सफर में साथ रखता जा सकता है। जब थके पर जाता हूँ तब तकला साथ रखता हूँ। अब ऐसा छोटा चरखा मंगा रहा हूँ जो पाँधे पर रह सके। मुफस्सिल में बक मिलने ही फोरन कातना शुरू कर देता हूँ। किमाना से मेरा बहुत साबका पड़ता है। उनका कताई के फायदे समझता हूँ और खुद कात कर दिखलाता हूँ। सेवा करने का यह मुझे बड़ा अच्छा मौका है। कपास की जुदी जुदी किस्में बुना कर उसे अच्छा बनाने की कोशिश किमानों के मार्फत करता हूँ। कताई में दिन पर दिन सुधार हाता जाता है। ऊन रेशरी, भरवाड लोगों से अच्छी कीमत दे कर खरीद करता हूँ। उनका धौन के लिए खुद महनत कर के उन्हें धुताता हूँ। उन्हें यह भी रात कर दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि महीन ऊन किम तरह कातना चाहिए। वे लोग अगर चाहें तो थको कीमत में बहुतसा बाहर जानेवाला ऊन रोक सकते हैं। इस तरह ज्यादा पैसा कमा सकते हैं।

“नौकर के साथ ही साथ ऐसा काम करने में राज्य भी और से रुकावट नहीं डाली जाती, बल्कि प्रोत्साहन मिलता है। श्रवान् ठाकुर साहब तथा दिवान साहब कते आर बुना ऊन का नमूना देख कर खुश हुए हैं।”

इसी तरह यदि दूसरे राजकर्मचारी भी करें तो कितना सुधार हो सकता है? इससे राजा और प्रजा दान की सेवा हो जाती है। और उसके साथ खुद हमें भी लाभ हाता है। परन्तु कते आखिर ये दम्पती अपने तमाम कपड़े अपने ही कते कपाम और ऊन के बना लेंगे। कालीपरज में कपड़ों का सालाना खर्च की इसमें १० पड़ता है। इन महाशय के यहाँ तो ज्यादा होना चाहिए। उसमें से वे बहुत-कुछ बचा लेंगे और साथ ही एक हुनर भी सीख लेंगे, गरीबों को बुना लेंगे आर कई तथा उन ही किस्में तथा उन्हें अच्छा बनाने की विधिगं जान लेंगे। काठियावाड में इन दिनों चरखे आदि का काम ठोक दा रहा है। ऐसे समय में मैं चाहता हूँ कि छोटे बड़े राजकार्मचारी, जिन्हें जतना क अन्दर बहुत काम पड़ता है वे उन्हें खादी और चरखे की तालाब इन सज्जन की तरह दें। ये सज्जन पाँधे पर चरखा रखना चाहते हैं। दूसरों के मनमें संभव है कि यह इच्छा पैदा हो। इसका अच्छा

रास्ता यही है कि हर गांव में चरखे पहुंचा दिये जायें। क्या काठियावाड़ में और क्या अन्यत्र यत्र जगह ऐसे देहात मिलने ही न जायें कि जहाँ चरखा मिल ही न सके। जहाँ न हो वहाँ काखिल जगह चाहिए। फिर 'रयत से माँग कर कर्मचारी उसपर मूल कान सकने ?'। हर एक चोरा, ये दो-तीन चरखे हों जिसपर पटेल भी मूल काते, गराम रियाया और सरकारी कर्मचारी भी जब जाय कात लिया करें। फिर भी जबतक गेखा न हो तबतक छोटा सा चरखा चोरे पर ले जाने की तजवीज तो बढिया हुई है।  
(नवजीवन) **मौ० क० गांधी**

**बिहार का अत्याज**

बिहार में एक संवाददाता के पत्र से मैं नीचे लिखी बातें प्रकाशित करता हूँ—

गत २५ जनवरी को बिहार प्रांत समिति की बैठक हुई थी। सदस्यों ने बहु-संख्या में खुद कात कर मूल देनेवालों के नाम लिखाया था। भिन्न भिन्न प्रांतों के कार्यकर्ताओं ने ३१ मार्च के पहले ३०-३५ खुद कातनेवाले सदस्य प्राप्त करने का बीड़ा उठाया। इस साल भर में कम से कम १२,००० खुद कातनेवाले सदस्य बना लेने का कार्यक्रम बनाया गया है। यह उम्मीद की जाती है कि उन सदस्यों का जो रुई अपने घर से लगाने की ताकत नहीं रखते हैं, रुई देने के लिए बतौर दान के काफी कपास मिल जायगा। मैंने देखा है कि सूत और खादी में अच्छा तरका हुआ है और खादी-मजल के द्वारा जो सब काम एक-सूत से हो रहा है उससे कान अच्छा और ठीक तरह से होने का यकीन हो गया है। नीचे लिखे उत्पादक केन्द्र हैं, जिनमें तैयार हुई खादी का मासिक औसत भी दिया गया है—

पटाल	३०००)
भगल	१५००)
हानीपुर	५००)

यहाँ तीन मण्डार हैं, जहाँ से खादी विक्री होती है—

सुनभरपुर	२५००)
हानीपुर	५००)
पटना	२०००)

और इस तरह आप देखेंगे कि पैदावार बिक्री बराबर होती है। पर गह मांगी पैदावार और सारा बिक्री के अंक नहीं हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं जो खुद ही अपना सूत कात लेते हैं और कपड़ा बुनना लेते हैं। इस तरह कते सूत और बुनी खादी का नाप बर्तानवाले भ्रम में घेर पास नहीं है, ता मा मेर कयाल में सैकड़ों लोग ऐसे होंगे। गांधी-आश्रम चरखा-कटाई का ममूना-रूप केन्द्र है। बाहर बाहर साल के उखल को बड़ी खूबी के साथ काम करते हुए यत्र यत्र में बकित हो गया। वे बिक्री कातने और धुनकते ही नहीं हैं, बल्कि वे मजदूरी दे कर सूत कातवाते भी हैं, उसकी जाँच करते हैं, मजदूरी देते हैं और मूल जुलाहों के यहाँ ले जाते हैं। वे गह सब काम कुशलतापूर्वक और एक तरीके के साथ करते हैं। उनकी खादी १९२२ से जबर बढिया हो गई है। आश्रम के अधीन नीचे लिखे उत्पादक केन्द्र काम कर रहे हैं—

मधुपुर	७००)
मालकछक	६००)
मधुपुर	५००)
नीचे लिखे बिक्री मण्डार हैं—	
मधुपुर	१५००)
भगलपुर	११००)
मालकछक	५००)
जुमाई	५००)

प्रान्तिक समिति की कोशिश है कि इस साल कम से कम ५ लाख शरने की खादी पैदा करे। अभी मासिक पैदावार १३०००) की है। ५ लाख का खादी पैदा करने के लिए मासिक पैदावार इसके तिगुनी होनी चाहिए। गवर्नेट बाबू इस बारे में खूब उत्साह से काम कर रहे हैं। बिहार में कुदरती सक्षमिती मारी हैं। सो कीई ताज्जुब नहीं है। यह कार्यक्रम सफल हो जाय। यहाँ लोग आपके पचारों की राई बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। यदि आप आ सकें तो बिसेस राग जर से आने बड़ जायगा।”

मे आशा करना है कि अन्य प्रान्त भी अपना अपना कार्यक्रम बना लेने में समर्थ न भवेंगे। जितनी जल्दी हो सके बिहार जाने की आशा न कर रहा हूँ। पर मेरा जाना-आना मेरे बस का नहीं रहा है। यहाँ संवाद के जाता है वहाँ मुझे जाना पड़ता है। इसलिए पहले से वनन दे रखना फखूल है।

**कानपुर में**

हाल अनुसूच्यमाद लिखने के "इसी २ ता. को कानपुर में एक प्रगल्भ हो गया। कानपुर में महासभा की आगामी बैठक होनेवाली है। इसलिए मुनासिब है कि इसकी अवलियत आपके माध्यम हो जाय। और अगर इसको ताईद यहाँ की महासभा समिति के समारंत डा. सुराडालजी की तरफ से भी हो जाय तो बेहतर हो कि आप उसे ५०-६० में प्रकाशित कर दें। अंगरेजी अखबारों में हाली ता. इवारा छया है वह बिलकुल भ्रम पैदा करनेवाला है। आशा है आप इसकी अवलियत जान कर उसे प्रकाशित करेंगे।

इन दिनों स्वामी सदानन्द का बार्बिकोत्सव मनाया जा रहा है। भजन-मण्डलियों के सहित शहर में जलूस घूमते रहते हैं। २ फरवरी को एक मण्डली मेस्टन रोड से आंकि एक थोड़ा सड़क है, प्रधान इन्सपेक्टर की ओर आ रही थी। वह एक भजन गा रही थी जो कि धुन ही धुननिजबक था। आपके मुलाहिजे के लिए यत्र: एक बड़ी दर्ती दिता हूँ।”

एक दिखते जोर व नी उन्नीने एक ऐसा ही भजन गाया था। पर इस बार जब कि गड का एक बड़ा हिस्सा तय कर चुके थे कुछ नौजवान नुसुल्मानों ने उनकी अजायें लोग की ओर हमला किया। उन लोग, न मा जवान में प्रहार किया। पर सुस्वात की था मुसलमान युवकों ने। सुरमा ही आर्यसमाज के नेता बड़ी आ पहुंचे, क्योंकि उनका अप्तर मजदीक ही था। भजन की बात उनमें बड़ी पर उन्नीने अकथीय जाहिर किया और यह बात मन पाई कि जब आ गउन हुए गजन ही गाये जायेंगे और वह तमाम मण्डलियों का गनुषक जलूस शहर में घुमा। समाजियों के अजुदीय पर कुछ एक गा उकारद, मैं ठोक नहीं कर सकता। सुसुल्मान जलूस के साथ रहे और नर काम शान्ति-पूर्वक समाप्त हुआ। सारा कित्सा गज: है।

अब इस शहर के हिन्दू-मुस्लिम ताल्लुकात के बारे में भी दो शब्द लिखे जाता हूँ। जब कि सारे उत्तरा भारत में तनाका छया रहा था डा० मुगल-माल तथा कुछ सुसुल्मानों ने अपने मन में यह अहसस लिया था कि बा०पुर है ता ये शर्मनाक वाक्यात हरगिज न हो पायें। एक एहत-मण्डल कायद किया गया था, उसके द्वारा यत्रा काम हुआ। ज्यादा काम तो उन कुछ कार्यकर्ताओं ने किया जिन्होंने शमदे के किसी कारण के पैदा होते ही सुरमा बसे अपने हाथ में ले लिया। बतोजा यह हुआ कि सदा सब तरह से बच रहा, हाजी कि कुछ 'तासमान' कुछ व कुछ अपनी करामत 'बहाली' रहे, और उनके मजनी था ब्यासधानों के बदौलत शान्ति में जोका

\* नहीं छाया।

बहुत खलक पड़ता रहा। अभी महात्मन का १० महाने हैं और इस दम्यन यहाँ कोई दुर्घटना न हानी चाहिए, जिससे कि हमारी राष्ट्रीय सभा सबसुब ही राष्ट्रीय हो। मैं आशा करता हूँ कि आप इस शहर के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का ऐमः प्रेरणा करेंगे कि जिससे इस शहर के जीवन में ऐसी घटनाओं का होना अभभव हो जाय।”

मैंने इसकी ताहिद के लिए डा. मुरागीलाल का नहीं लिखा, क्योंकि डा० अबदुससमाद का वक्तव्य खुद ही निर्दोष और निर्दोष मान्य होता है। यदि डा० मुरागीलाल का वक्तव्य इससे भिन्न होगा तो उसे मैं खुशी से प्रकाशित कराना। इनके ने अच्छे अच्छे व्यवस्थित समाज में भी हो जाते हैं पर इनके के बाद दाना तरफ के लोगों ने जिस सद्भाव से काम लिया वह ग्राहनीय है। अब रही कुछ आर्थ-समाजियों के इन्जाग को बात, जो मैं नहीं कह सकता, वे कहातक इसे पुसूल करेगा। मैं आशा करता हूँ कि कानपुर के हर समाज के लोग अधिक से अधिक संयम रखने का और अपत्रों लोगों को अपने मनु में रखने का भरसक प्रयत्न करेंगे एवं हमेशा अपनेम भिन्न धर्म मत या राज-नैतिक विचार रखनेवाले प्रतिस्पर्धियों के प्रति उदारता रखने के लिए सदा तैयार रहेंगे।

**एक चुपचाप कार्यकर्ता**

चटगांव से एक मजदूर एक चुपचाप कार्यकर्ता का नाम इस तरह लिखते हैं—

“श्रीयुत कालीशंकर शकवर्ती चटगांव से एक चुपचाप और अधिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने हाल ही में कानपुर का प्रत्यक्ष प्रयोग दिखाना शुरू किया है। उन्हें शक्यों का जवाब देने विश्वास नहीं है। वे रोज सुबह अपना बड़ा चरखा लेकर घर जाते हैं। वहीं बैठकर चरखा कातते हुए उन्हें शिक्षाने भी है और सूत उनसे मांग लेते हैं। मुमकिन है कि कुछ लोगो को यह बात अनर्थक मान्य हो, परन्तु चरखे को मधुर तान धार उसके साथ ही प्रातःकाल में मजदूर की धुन चरखे पर शका करनेवालों के भी मन को क्षण कर लेता है। वे चरखे को फरमायदा करते हैं और सूत मेजने का वादा करते हैं। एंड ऐसे लोग भी जो चरखे का मजाक उठाते हैं इससे द्वारा चरखे के वशाभूत बात जा रहे हैं। कालीशंकर बाबू की इस व्यवस्थित तत्परता से सफलता की बहुत आशा है। उन्होंने दूसरे लोगों के सामने एक मंजूर मिसाल पेश कर दी है जिसका अनुसरण कर के लोग चाहे तो अपना और देश का हित साधन कर सकते हैं।”

मैं कार्यकर्ताओं का ध्यान इसकी ओर दिखता हूँ। इसमें कोई सन्देह नहीं कि फोरी बार्ने से काम कर के दिखा देना कहीं ज्यादा अच्छा होता है।

**वायकोम**

वायकोम सत्याग्रह-आश्रम की नीचे लोगों को दिखाने में दिख अस्पी पैदा किये बिना नहीं रह सकता—

“मुझे आशा है कि कताई की स्पष्टी वाला हमारा तार आपको मिल गया होगा। दो स्वयंसेवकों ने ८ नमर का—एक ने ५७८ गज इस्फे ने ५०९ गज सूत—काता था। हमारा तुनाई का काम अभी जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ लहके जो तुनाई का काम जानते थे खुशी पर चले गये हैं। विनोबा जी की सूचना के अनुसार हम लोगों ने अपनी संरक्षा घटा कर सिर्फ ५० रकसी है। लेकिन इससे बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि हवा

खराब है और इसलिए यहाँ रहनेवाले स्वयंसेवक ६ घण्टे सत्याग्रह करने के लिए समर्थ नहीं होते। इसलिए हमें दूसरे दम या पन्द्रह स्वयंसेवक रखना जरूरी हो गया है ताकि सब मिला कर हमारी शक्ति ६० स्वयंसेवकों की कायम रहे। मुझे आशा है आप इसका आवश्यक होना स्वीकार करेंगे।

“२४ घण्टे में ८ घण्टे नींद के, ६ घण्टे सत्याग्रह के, २ घण्टे कानने के, एक घण्टा हिन्दी का, २ घण्टा आश्रम के काम के, (शाह गुहारा करना, घोंना इत्यादि) २ घण्टे नहान धोना, खाने पीने इत्यादि, शारीरिक आवश्यकताओं के लिए एक घण्टा धाननालय का और २ घण्टे राताना प्रार्थना और मना के लिए रहते हैं। मना में आमतौर पर अच्छे अच्छे विषयों पर प्रवचन होता है। यह प्रवचन या ता से करता हूँ या प्रसिद्ध प्रसिद्ध मिहनाल लोग जो अक्सर आश्रम में आते हैं।”

“नारायण गुरु की आज्ञा पाकर अब हमारे कोषाध्यक्ष सत्याग्रह युद्ध के स्मरणार्थ एक साला बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप किस तरह यहाँ जल्दी आवेंगे यह मोचने हो से बहुतेरे लोग चिन्तित रहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर आपका यहाँ जल्दी आने के लिए तन्बुस्ती और समय दोनों दे।

वायकोम के सत्याग्रही जिम तरह विचारपूर्वक ध्यान दे कर सबब का इन्तजाम कर रहे हैं इससे सफलता का पूरा पूरा भकीन होता है। इसमें अधिक समय लगता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन मेरा यह बुद्धिपूर्वक विश्वास है कि यह जल्दी से भी जल्दी पहुचने का रास्ता है। अछूतपन को मिटाफ लहना एक धार्मिक युद्ध है। यह एक सच्चा रास्ता है। यह युद्ध मनुष्यत्व के सम्मान को स्वीकार कराने के लिए है। यह युद्ध हिन्दू-धर्म के एक महान गभार के लिए है। धर्मान्ध लोगों के किले पर यह ताबा है। इनमें जोत व पाना, जो यकोनन् मिलेगा, उम धर्म और त्याग के साथ ही है जो हिन्दू-युवकों का यह मण्डक भक्ति-पूर्वक दिखाने वाला है। प्रतीक्षा करना उनके लिए अपनी आत्मशुद्धि करने का रास्ता है। यदि वे इसमें बराबर लगे रहें तो वे भाभी भारतवर्ष के बनानेवालों में गिने जायेंगे।

उस सत्याग्रहियों को जो यह चाहते हैं कि मैं वायकोम जाऊँ मैं सिर्फ यकीन दिला सकता हूँ कि मैं उनके वहाँ पहुचने के लिए उत्सुक हूँ। मैं मौका देख रहा हूँ। मुझे समय देने के लिए अब इतने निमंत्रण मिल रहे हैं तब उनमें से पसन्द करना मुश्किल नासूभ होता है। मेरा दिल और प्रार्थना उनके साथ है। यह कौन कह सकता है कि वे मेरी उनके दरम्यान शारीरिक उदस्थिति से अधिक नहीं हैं।  
(गं० इ०) मै० व० गांधी

**ग्राहकों को सूचना**

जिन ग्राहकों को मध्यम महीने के अन्त में पूरी इतना है उनके पत्र की वित्त पर इतना के लिए महीने के अन्त में महीने के अन्त में पूरी होने की सूचना की जायेंगी। ग्राहकों को चाहिए कि जिस महीने के अन्त में उनका चन्दा पूरा होता है उस महीने में मनीऑर्डर द्वारा चन्दा पहल ही भेज दें।

यह छाप महीने के अन्त तक, अर्थात् वार १५ तक, पर्यन्त पत्रों की वित्त पर लगाई जायगी और यदि उसे गाल के चन्दा मनीना खतम होने के पहल न मिलेगा तो बिना किसी नोटिस के पत्र बंद कर दिया जायगा।

चन्दा मेजने के वक्त मनीऑर्डर के कूरन में अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखना चाहिए।

व्यवस्थापक—“हिन्दी-जबलीवन” अहमदाबाद

## दिसंबर का सूत

क्र.	प्रान्त	प्रतिदिनि	काप्रतिदिनि	₹	₹	₹	₹
१	अजमेर	१	४	५	२,०००	१	०
२	आन्ध्र	२२६	१२३	४१९	२ लाख	०	०
३	आसाम	१२	५४	७३	०।। लाख	४१	१
४	बिहार	६५	१७४	२३९	४।। लाख	२	४
५	बंगाल	११८	४६९	५८७	१२।। लाख	५६	३७
६	ब्रार	५	२५	३०	०।। लाख	६	०
७	बम्बई	२३	९७	१२०	३ लाख	३२	४
८	बर्मा	१	४६	४७	१ लाख	१०	०
९	मध्य प्रांत (हिन्दी)	२०	३६	५६	०।। लाख	४	०
१०	मध्य प्रांत (मराठी)	४२	४७	८९	१।। लाख	१७	३
११	देहली	२	३३	३५	०।।। लाख	०	०
१२	गुजरात	८८	११६७	१२५५	३० लाख	१३५	५
१३	कर्णाटक	०	२	२	५,०००	०	०
१४	केरल	०	१	१	२,००	०	०
१५	महाराष्ट्र	६२	१२७	१९६	३।।। लाख	२९	२
१६	पंजाब	१०	१२	२२	०।। लाख	१	१
१७	सिंध	३६	४९	८५	१। लाख	०	०
१८	तामिल नाडु	७१	४८४	५५५	११।।। लाख	८२	११
१९	संयुक्त प्रांत	६९	६५	१३४	२ लाख	८	५
२०	उत्कल	२५	३०	५५	१। लाख	६	२
	कुल	८९०	३११५	४०८५	८५ लाख	४३०	७५

## समयानुसूक्त अंक

जब कि हिन्दू-मुसलमान का उबार पर देश का ध्यान लगा हुआ है नीचे लिखे अंकों का बबोरा मसजिदों के लिए उपयोगी होंगे । ये १९२१ की मनुष्य-गणना के विवरण से लिखे गये हैं—

प्रांत	हिन्दू	सिक्ख	जैन	बौद्ध	मुसलमान	ईसाई	कौमी धर्म	दुसरे
हिन्दुस्तान (समस्त)	६८.४१	१.०३	३.७	३.६६	२१.७४	१.५०	३.०९	२.०
बंगाल	४३.२७	...	०.३	५.७	५३.९९	३.१	१.८१	०.९
बिहार और उड़ीसा	८२.८२	०.१	०.१	...	१०.८५	७.६	५.५३	०.९
बम्बई	७६.५७	०.४	१.११	०.१	१९.७४	१.३७	६.४	५.२
मध्य प्रांत और ब्रार	८३.५३	०.१	४.९	...	४.०५	३.०	११.६०	०.३
पंजाब	३०.८४	११.०९	१.७	०.१	५५.३३	१.५९	...	०.७
महाराष्ट्र	८८.६४	...	०.६	...	६.७१	३.२२	१.३७	...
संयुक्त प्रांत	८४.६४	०.३	१.५	...	१४.२८	४.४	...	४.६
आसाम	५४.३३	०.१	०.५	१.७	२८.९६	१.६८	१४.७९	०.१
बलुचिस्तान	८.६९	१.८२	...	०.४	८७.३१	१.५९	...	५.५
ब्रह्मदेश	३.६८	०.४	०.१	८५.०६	३.८०	१.२५	५.३४	१.३
देहली	६४.१७	५.७	९.६	...	२२.०४	२.७३	...	३.५३
झीमाका प्रांत	६.६६	१.२५	...	...	९१.६२	४.७	...	...



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक २८

मुद्रक-प्रकाशक  
 वैनीकाक उगनकाक रूप

अहमदाबाद, फाल्गुन बखी ११, संवत् १९८१  
 बुधवार, ९ फरवरी, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
 धारंगपुर सरकीगरा की बाड़ी

## टिप्पणियाँ

### पहली मासिक को याद रखो

पाठक इस बात को भूले न होंगे, कि बेलगांव में महासभा की बैठक के बाद ही कुछ कार्यकर्ताओं ने १ मासिक के पहले स्वयं कातनेवाले तथा अन्य सदस्यों की संख्या घटाने का वादा किया था। वह दिन अब नजदीक आ रहा है। मेरे सामने उन सदस्यों की नामावली मौजूद है जिन्होंने ऐसा वादा किया था। मैं आशा करता हूँ, वे अपने वचन का पूरापूरा पालन करेंगे। लोगों की जानकारी के लिए मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उस समय उपास्यता जनों ने सारे देश के लिए ६८०३ सदस्य बनाने का वादा किया था। फिर भी उस समय सब प्रान्तों के कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे। पर, उदाहरण के लिए, बिहार और गुजरात ने बेलगांव के बाद से अधिक संख्या वर्ज करने का निश्चय किया है। यदि सिद्ध सिद्ध प्रान्तों के मंत्री कृपा करके स्वयं कातनेवाले तथा अन्य सदस्यों की संख्या इस मास के अन्त तक यंगदानवादी के नाम तार के अर्थ में घटा दें तो बड़ी अच्छी बात हो। कार्यकर्ता लोग सब अगह स्वच्छापूर्णक कातनेवाले सदस्य प्राप्त करने के काम को चार आना देनेवाले सदस्यों की अपेक्षा मुश्किल पा रहे हैं। मेरे नजदीक कताई के मताधिकार की कोमत उसकी कठिनाई में ही है। इस कठिनाई का कारण योग्यता की कमी नहीं बल्कि निश्चय और एकामता की कमी है। क्योंकि यह बात ध्यान में रहे कि इस कठिनाई का अनुभव सिर्फ चरके में अविश्वास रखनेवाले लोगों को ही नहीं हो रहा है बल्कि विश्वास रखनेवाले लोगों को भी हो रहा है। वे सहसा चार कर केते हैं और यदि अधिक नहीं तो उतनी ही अरही तोड़ भी जाकते हैं, जैसा कि दिसम्बर के सप्त के अंकों से माहम होता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि बिना सदस्यों ने चार किये हैं वे अब इसके लिए अतिराम प्रयत्न करेंगे।

### बंगाल के अछूत

बंगाल से एक सज्जन पत्र लिख कर पृष्ठते हैं—

(१) बंगाल में अछूतों को कुंभों से पानी नहीं लेने देते और सिद्ध जगह पीने का पानी रक्का हो वहाँ उन्हें जाने भी नहीं देते।

इस बुराई को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? यदि हम उनके लिए अलग कुंभें खुदवाने और अलग शालाये स्थापित करें ता इसके माने इस बुराई से लिए छूट देना होगा।

(२) बंगाल के अछूतों का झुकाव इस बात की तरफ है कि ऊंची जातिवाले उनके हाथ का पानी पीयें। लेकिन वे खुद अपने से मोची जातिवालों के हाथ का पानी लेने से इन्कार करते हैं। उनकी इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए?

(३) बंगाल की हिन्दू-महासभा और आमतार पर हिन्दू लोग लोगों से यह कहते हैं कि अछूतों के हाथ का पानी पाने का विचार आपको पसंद नहीं है।

मेरे उत्तर ये हैं—

(१) इस बुराई को दूर करने के लिये हमें अछूतों के हाथ का पानी पीना। मैं यह नहीं कयाक करता कि उनके लिए अलग कुंभें खुदवाने से यह बुराई कायम रहेंगी। अछूतपन के परिणामों का दूर करने में बहुत समय अगेगा। इस दर से कि सार्वजनिक कुंभों का उन्हें उपयोग न करने दिया जायगा, अछूतों को अलग कुंभें बनवा देने से जो मदद मिलती हो उसे रोक रचना ठीक न होगा। मेरा विश्वास तो यह है कि उनके लिए यदि हम अच्छे कुंभें बनावेंगे तो बहुत से लोग उनका इस्तमाल करेंगे। ऊंची जातिवाले हिन्दू उनके प्रति अपने कर्तव्य का खयाल करके उनके संबंध में अपने बन्पों को दूर करते रहेंगे और इसके साथ ही साथ अछूतों में सुधार होता रहना चाहिए।

(२) अब ऊंचे कहलाने वाले हिन्दू अछूतों को छूना शुरू कर देंगे तब अछूतों में भी अछूत-पन ऊदरती तौरपर ही नष्ट हो जायगा। अछूतों में भी जो सबसे नीचे दर्जे के हैं उन्हीं से हमारा काम शुरू होना चाहिए।

(३) मैं यह नहीं जानता कि बंगाल की महासभा मेरे नाम से क्या कहती है। मेरी स्थिति तो बिल्कुल साफ है। अछूतों को दूरों में गिनना चाहिए और उनके साथ जैसा ही व्यवहार रखना चाहिए जैसा कि हम दूरों के साथ रखते हैं और चूंकि हम दूरों के हाथ का पानी पीते हैं, हमें अछूतों के हाथ का पानी पीने में भी न शिक्का चाहिए।

**जेल से लाभ**

आचार्य गिदवाणी ने नाया जेल से आनी धर्मपत्नी के नाम एक पत्र भेजा है। उसे पाने का सीमाय मुझे प्राप्त हुआ है। उसका कुछ अंश नाचे रता हू—

“बच्चे कैसे हैं ? उनकी आर अपनी चाय की आदत को छुटा दो। और जितना दूध मिल सके उन्हें दो। गुन्दारी पढाई का क्या हाल है ? जबतक तुम लिखाई आर रचना पर ध्यान न दोगी, तबतक आगे न बढ़ सकोगी। मुझे भरासा है कि तुम हिन्दी आर चरके के सबध में कापरवाही न रखती होगी। दिन का सारा बफ धूप में आर सुली हवा में रहो। हाँ कि मेरा बजन कम बढ़ा है पर हालत यकीनन् अच्छी हैं। पर जब तुम फिर मिलने आओगी जबतक मैं खूब खगा हा जाऊंगा। ‘मूलर्स सिस्टम’ का मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, जो कि पं. जवाहरलाल ने मुझे बताया था जब कि वे यहाँ थे। मेरी तन्दुस्ती में जो खराबी हुई है वह ऐसा नहीं है कि आराम न हो। उध जो महाने का काम कोठरी में मैं बराबर आसाच्छाम आर शाररिक व्यायाम करता रहा था। मैंने उस पद्धति का पूरा पूरा अभ्यास कर लिया है। यदि तुम भी उसको शुरू कर सकी और बर्बा का भी सिखा सकी तो अच्छा। हर हालत में पावेता से कहना कि मैं चाहता हूँ कि वह घर के तयाम छाटे-बर्बों को सिखा दे। उनका किताब बुक-शेकरों के यहाँ मिलती है।

पिछला खत भेजने के बाद मैं ज्यादा किताबें नहीं पढ़ पाया हूँ। किताबों के न होने से मेरी सस्कृत पढाई रुक रही है, तुम किताबें भेज दो।

अब मैं बढेका काम सोच रहा हूँ। कुछ दिन के बाद तुमने की शुरुवात करूंगा।”

पुराना कैदा होने के कारण दूसरे कैदियों के साथ अपने अनुभवों का भिन्नान करना बड़ा अच्छा मादम होता है। आचार्य गिदवाणी ही अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्हें जेल में जाकर चाय से अहमि हुई हो। मैं खुद भी राज चाय और काफी पिया करता था। लेकिन मेरी पढी जेल-यात्रा ने ही वह आदत छुटा दी। बड़ी चाय नहीं दी जाती थी और चाय की गुलामी से छूटने का खयाल मुझे अच्छा मादम होने लगा। हिन्दुस्तान में जो हम इस भोग को कर ही नहीं सकते। मगर चाय का सबसे बड़ी खराबी यह है कि वह दूध का स्थान नहीं रहने देती। चाय में पोषक शक्ति सिर्फ उतनी ही है जितना कि दूध और चीन उसमें होती है जिस तराक से हिन्दुस्तान में चाय नई जाती है वह तो दूध और चीनी का अमर भी मार देता है। बर्बा चाय की इतना उबालते हैं कि उसकी पत्तियों का दूधित ब दामिहर रन—टेनेन भा उसमें उतर आता है। यदि चाय पनी ही हो तो उसका पत्तियाँ दामिहर न उबाल नी चाहिए। बकि उन्हें कन्ना में रख कर घामे घामे उपपर कोन्ता हुना पाने उबलना चाहिए। इन तराक पा पाना बरतन म येरता हूँ वह घास के रंग का ना चाहिए। परन्तु सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आचार्य गिदवाणी का अनुकरण करें—चाय पीना बिल्कुल छुट ही दें। जो चाय को अपनी खराक न बनाना चाहते हों, सिर्फ शकिया पीना चाहते हों वे महज जौलना हुआ पानी ठेकर उसमें थोडा दूध-चीनी मिला कर और रंग क लिए थोडा दालचीनी को चुकनी डाल कर ले सकते हैं। ‘मूलर्स सिस्टम’ के संकेत में आचार्य गिदवाणी के विचारों का भोग दिलचस्पी से पढ़ने। मेरी राय में आचार्यजी इस मामले में ‘बये शागिर्दों’ का कपवरी से बरी नहीं हैं। इन तयाम तरीकों का काम शुरू में बिलना

दि नहीं रता है उतना वास्तव में होता नहीं है। ‘मूलर्स सिस्टम’ में -इ नात कुछ नहीं है। इठ-याग को कुछ क्रियाओं का वह अथूरा आर ऐषा हा वना रूप है। सिर्फ तन्दुस्ती के ही हवाक से दखे ता इठयाग का क्रियायें प्रायः पूर्णता का पहुंच गई हैं। उनमें अनेक हिन्दुस्तानी बार्ता की तरह सिर्फ दाब इतना ही है कि उनका जन्म हिन्दुस्तान में हुआ है। उसका रहस्य जो कुछ है वह है ग.रा आर नयमित आसाच्छाम केना आर हलके हलके रगा का तानना मूलर की आर हमारा ध्यान इसीलिए दौड जाता है कि उसन अपन व्यायामा क शाररिक काम बताये है। मूलर सिस्टम का ना उपयाग तो ई है। जो शरक इठ-याग की शुत्थया का समझन - हागडे में न पढना चाहते हों वे अमर हा न्युलर का आसान। ी घ काम -ठा सकता है। और आधिक क्या हमार यहा इठ ग क झाता इतन नहीं है कि हमें वे मिल सकें आर जो कुछ थोडे है वे स्वभावतः और यथार्थतः शाररिक कामा क फेर में नहीं पडते और इस लिए वे अघ्यात्म के प्रेमी लागों का हा बतलात रहते हैं।

चाय के प्रेमी आचार्य का खरका-भक्ति तथा हिन्दी और सस्कृत के प्रेम का कत्र किये बिना न रहेंगे। बहुत दिनों के बाद आचार्य गिदवाणी से इस उलासपूर्ण पत्र को छपते हुए मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है; क्योंकि आचार्यजी की तन्दुस्ती अब पहले से बहुत अच्छा है।

एक नई बात  
पण्डा से मेरे कोठने के बाद मैंने बोरसद ताल्लुके के कोई १० गावों में यात्रा की है। यह वही तहसील है जहाँ कि १९२२ में आ. बकमभाई पटेल के नेतृत्व में शानदार सत्याग्रह हुआ था और उसमें विजय भी प्राप्त हुई थी। उसके बाशिब बुद्धिमान, सुधाय आर अपेक्षाकृत अम-सहिष्णु है। पर मुझे यह देख कर बड़ा खेद हुआ कि कुछ गावों में दुरानार और अणःपात फैला हुआ है, जिसका कि मूल कारण है एक मात्र दरिद्रता। कक सर्दी के कारण फसल अक गई था। कुछ गावों में तो काम रात दिन इसा खतर में रहते हैं कि कहीं उनक असकी जमींदार अपने में पा का उनक खेती पर न सु दें। उन्हें न ता अपने जाबन में स्थिरता मादम हाता थी और न व बही महसूस करत थ कि हमारा कोई जमीन पर है जिसका उन्. आममान हा। इसका नतीजा है निराशा और इस लिए कार्-अदृत्त का भार उद नती। ऐष लागों सदा चरके के सना आर कुछ न था। पर खरका भी धारे धारे अपना काम आग बढा रहा है। व कुछ भा करना बड़ा चाहत। व सिर्फ किमी न किमी तराक पेट भर कना चाहते हैं उनको खासकी आर विश्वासवान राष्ट्र में इसका यह उत्तर मलखा हुआ था ‘बरमा से हमारा बड़ा हाल हा रहा है। हमी तरह हमारी जिन्गी खतम हा जान वा।’ याद कई उन्हें कुछ दूसरा उद्योग या काम बतावे तब भा दोनों उनके नबदाक एक से हैं। वे इसलिए काम करना नहीं चाहते कि अबतक वे गुलाम का तरह काम करते आये हैं। आर अब तक वेसा ही करते आये हैं। इसलिए गुलामी की तरह काम करने के हा वे कामक है, काम करने में उनका विश्वास नहीं। मेरे लिए यह एक नई बात थी। मुझे हमपर बड़ा दुःख हुआ पर अकेले बर्बों ऐसी हालत में न बर्बों देख। बरपान में भी यी हात देना था और उड़ीमा का तो हाल न पूछए। पर बर द तयाम में बडे अजब तब के है और और के साथ हमना अनु न हुआ। मुझे खयक न था कि बरमर तहसील में एम अनुभव गीना बकि उन्ना में न घन बमीद कर रहा था कि बर्बा उत्साह देकतरोरी और आसा दिवाई

होगी। अतः बात नहीं कि सभी लोगों का यह मान हो। यद्यपि वे एक दूसरे के बहुत नरम हैं, पर एक के लिए अपना अनहदा सवाल है और हर एक की जुदा खासियत है। जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है उनके लिए आशा का यदि कोई साधन है तो वह एक-मात्र बरखा ही है। उसे न तो भेदबिषी कर सकते हैं, न आजाज जवा सकता है। कुदरत के निष्पूर उद्वेगता से बचने का, तथा मनुष्य के उपद्रवों से भी कुछ रक्षा करने का यही साधन है।

जा देशप्रेमी युवक ग्रन्थ-जीवन की कठिनधर्मों का क्याक नहीं करते, और जा सुपचाप तथा निरन्तर क परिश्रम से जा कि बहुत भारी त नहीं जाता है, फिर भी अपनी एक-रूपता के कारण काफी मारी है, आनन्द प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए काम का पड़ना पडा हुआ है। जीवनदायी उद्योग का एकविधता को कर कर पने के लिए काफ़ निश्चय और एकाग्रता की जरूरत है। संगत का नया विद्यार्थी उसका आरंभिक पाठों को रखा पाता है; पर ज्यों ही वह इस कला में प्रवीण हो जाता है, उसको एकविधता उसके लिए आनन्ददायिनी हो जाता है। यही बात ग्राम-कार्यकर्ताओं पर चटती है। ज्यों ही वे शहर-जीवन के नशे की उन्मत्तता से बरी हो जायेंगे और अपने काम में लग जायेंगे, शारीरिक श्रम की एकविधता उन्हें बल और आशा प्रदान करेगा; क्यों कि उसमें उत्पादक शक्ति है। सूर्य-मण्डल के अक्षूक और नियम-पूर्वक परिवर्तन को देखकर किस का जी ऊब उठा है? काल के धरावर पुगतन होने पर भी वह नित नये आश्चर्य और स्तुति को उत्तेजना देता है। और उसकी सम-गति और कार्य-विधि से गहबहट होने से सारा मनुष्यजाति का सर्वनाश हो सम्झिए। यही बात ग्राम-सूर्य-मण्डल पर भी चटती है। जिसका कि मध्यविन्दु है बरखा। (२० इ०)

**दो मस**

एक महाशय लिखते हैं,—“खादी पहननेवाले आपको धूलते हैं, आपको खुश करने के लिए आपके नामने खादी पहन लेते हैं। कितने ही लोग आपको खुश रखने के लिए कातते हैं। पर न तो उन्हें खादी में विश्वास होता है न चरखे में। आप क्यों सिधाई में आकर मुफ्त में अपना और दूसरों का समय बर्बाद करते हैं?” यह उनके पत्र का भावाथ है।

यदि मैं किसीसे कहूँ कि शराब न पीना और वह सदा के लिए नहीं पर बड़े समय के लिए उसे छूट दे अथवा शराब न पीने के लाभों का कायल न हूँ तो हुए भी वह मेरे खानि-या मुझे खुश करने के लिए शराब छूट दे तो मुझे उसका अनोकार करना चाहिए या नहीं? इस तरह थोड़े समय के लिए छूट देना कामदायक हो सकता है? यदि इसमें लाभ हो तो इस तरह सूत कातने और खादी पहनने में भी लाभ हो कना है। अच्छा काम बड़े समय के लिए अथवा धर्म के मारे करने से भी लाभ तो ही है। आज तो काम मुराबत में होता पर बल ही खुद अपने लिए हो सकता है। यही सत्के की बलिहास है। कुछमें ही, न तो धार्माधार्मी, न हर से, न क्षण के लिए हो सकते हैं।

परन्तु एक आर जहाँ बरखे को सन्देह की दृष्टि से देख वाले हैं तहाँ दूसरों और भद्रा के साथ उसे बलानेवाले भी हैं। एक नमूना लीजिए—

‘बरखे को और लंग वाहे कितने ही छूट दें, पर मैं उसे किन्दगी भर नहीं छोड़ सकता। यह सुभय घषणा मैं अपने हृदय और बुद्धि की सुनता हूँ। यहाँ मैं बरखा तो साथ ही रखता हूँ। यहाँ के लोग खादी पहनते हैं। सारे सिधाई इलाके में खादी

का अच्छा पचार है। बरखे अथवा दूसरी ऐसी ही नगरियों के माफत ज अछना यी जाती है उसे छूट दे तो साक दिखाई देता है कि यहाँ खादी का काफी इस्तेमाल होता है। किन्तु ही बरखे से मेरे ‘जीवन बक’ के घूमने के साथ कितनी ही बड़ने मेरे मुकाम पर आत है और मुझे कानते हुए देख कर विस्मित होती है। जान बूझ कर दलके दिल से जब मैं उनके आश्चर्य-चकित होने का कारण पूछता हूँ और वे निष्कपट भाव से कहती हैं ‘आप बरखा क्यों कातते हैं? यह तो औरतों का काम है।’ मैं उनकी समझ में आने लायक सीधी-सारी भाषा में अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें इसका रहस्य समझाता हूँ।

खेती में खा-पुरुष दोनों काम करते हैं। अर्थात् अमाज पंदा करने में खा-पुरुष दोनों अपना अपना हिस्सा देते हैं। उसी तरह कपडा तैयार करने में भी दोनों का जरूरत है। कपास पकाना काम हमारा है। और उसके बाद उसे जोड़ना, चुनकना, कातना, भांटी बनाना यदि काम आपका है। आपके सूत को चुन कर कपडे बना देना काम हमारा है। आज तो आपने भी अपना काम छोड़ दिया है और हम भी प्रमादी हो गये हैं। इससे अधिक पराधीन हो गये हैं। आज विवाह जैसे शुभ अवसर पर कपडे के लिए हमें कहां कहां दौड़ना पड़ता है? और यदि दुकानदार के पास कपडा न हो तो हमारी अवस्था कैसी असहाय हो जाती है? कैसे दीन-बदन दिखाई देते हैं? इसका अर्थ यह है कि हमें अपना कपडा तैयार करना चाहिए। जब हम जेवरारें करते हैं तब पकान बरखे के किसी हलवाई के यहाँ से क्यों नहीं लाते? खुद अपने ही घर उन्हें तैयार कराते हैं और निर्मम्रित जनों को भाजन कराते हैं। अपनी गरीब की खापडों हमें मुफारक रहे। दूसरों की हवेकियां हमारे काम की नहीं। इस भावना का पोषण करनेवाले आपसे क्यादह क्या कहूँ? जबसे आपने सूत कातना छोड़ दिया तभीसे यह दशा उदस्थित हुई है। आप कहेंगी कि हमें समय नहीं मिलता। जब गण-शप मारने का ता अवकाश मिलता है तब यह दल ल बिलकुल लचर है कि काम करने के लिए बक्त नहीं मिलता। यदि आपको बारीक कपडे चाहिए तो बारीक कातो। मुझे पतली रोटी की जरूरत हो तो मैं रोटी पतली बनाऊंगा और मोटी रोटी खाना हूँ तो उसके लिए बैगा हो भाटा गुंधुंगा और मोटी रोटी तैयार करूंगा। आप मेरा १२-१४ नबर का सूत देख कर आश्चर्य क्यों करती हैं? इससे तो बीस गुना बढ़िया बारीक सूत कातनेवाले हिन्दुस्तान में मौजूद हैं। आपको रंगीन कपडे चाहिए तो खादी भी रंगी जा सकता है। आप उसे रंगाले और जैसा जो चाहे उसे पहना ओढो, लेकिन पहनो अपना ही कपडा। यह तो आप समझ ही सकते हैं कि इससे अपना पया बव रहता है।

यदि घर में औरतें रसोई नहीं बना सकतीं अथवा वे रसोई नहीं बनाती तो क्या पुरुष भूले रहेंगे? यदि आप इससे इन्कार करती है तो जब आपमें से बहुतों ने चरखे एक कोने में रख दिए हैं तो मुझ जैसों को क्या करना चाहिए?”

यह पत्र जरा लंबा है लेकिन उसमें बरखा-मण के शुद्ध उद्धार होने के कारण उसे यहाँ देने में मुझे जरा भी संकोच नहीं होता। इस प्रकार काम करनेवाले जहाँ तहाँ सेवा कर रहे हैं; हमका हमें खयाल तक नहीं है।

कार्यकर्ताओं को ता तटस्थ रहना चाहिए। पहले अधिपत्य को पहार नराश न होना चाहिए और दूसर से फूल न जाना का र। रास्त लंबा है, बीच में नदियां हैं जि-पर पुल नहीं हैं, जंगल हैं; लेकिन फिर भी बरखा-कपी मुव पर दृष्ट नक कर प्रथक अधिपत्य मंजिक तय करना होगी। (नवजीवन) मी० क० गांधी

# हिन्दी-नवजीवन

गुरुवार, फाल्गुन वदी ११, संवत् १९८१

## हिन्दू-मुस्लिम-प्रश्न

एक सज्जन लिखते हैं :—

“ आपने यं. इ. में एक पत्र-लेखक की इस पुकार को स्थान दिया है कि तालीम के बारे में मुसलमान लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। पर अब मैं आपके सामने एक और ऐसी पुकार पेश करना चाहता हूँ जो कि तालीमवालों पुकार से भी ज्यादा बेतुकी है। यह यह कि 'हिन्दुस्तान में मुसलमानों को राख्या कम है।' कितनी ही बार यह बात कही गई है और कितनी ही बार राजनैतिक बातों में यह दलील चुपचाप मान ली गई है। पर क्या दर असल यही अल्प-संख्या है? अगर उनके भिन्न एक ही फिरके, सुन्नी ह. को ले ले तो क्या यह हिन्दुओं के किसी भी एक फिरके संख्या में बढ कर नहीं है? बल्कि भारत के ईसाई, पारसी, सिक्ख, जैन, बहूनों और बुद्ध किसी भी धर्मवालों से बढ कर नहीं है? और क्या यह बात सच नहीं है कि हिन्दू लोग कितनी ही जातियों और फिरकों में बँटे हुए हैं जो कि सामाजिक बातों में उतने ही एक दूसरे से दूर हैं जितने कि मुसलमान गैर-मुसलमान से? अच्छा ता फिर अछूतों का क्या होगा? क्या उनकी तादाद 'मुस्लिम अल्पसंख्या' के बराबर नहीं है? हिन्दुस्तान के मुस्लिम जब पृथक् और विशेष व्यवहार, रक्षा और गैरट्टी चाहते हैं तब अछूतों का दावा कितना मजबूत होगा? वे तो सदियों से दलित-पीडित होते आये हैं। उनकी अवस्था से तो कितनी भी मुस्लिम या स्पृश्य लोगों की अल्पसंख्या के 'अविश्व की आशंका' को नुल्ल हो सकती। साठव के तौर पर दायकीम सत्याग्रह, पालघाट का झगडा, और बर्इ के 'टुक टुक कर देन' की प्रतिज्ञा करवालों का छीजिए। उन आदिम जातियों का तो यहाँ में भिन्न ही नहीं करता हूँ प्रिनकी कि गिन्ती हिन्दुओं में की जाती है। तब क्या सचमुच अकेले मुसलमानों की ही अल्प-संख्या है? ”

यह पत्र सरगर्मी से मरा हुआ है, इसलिए इसे छापा है। फिर भी मेरी, एक निष्पक्ष निरीक्षक की, दृष्टि में लेखक की यह दलील कब्र है जिसके कि द्वारा वे यह दिखलाना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में मुसलमानों की अल्पसंख्या नहीं है। लेखक इस बात को भूल से हैं कि दावा तो सारे मुसलमानों का सारे हिन्दुओं के खिलाफ है। लेखक दही और मही दोनों नहीं खा सकते। यद्यपि हिन्दुओं के आपरा में बहुत कुछ इलादक है, तथापि वे अकेले मुसलमानों का ही भी नाम अ-हिन्दुओं का कम-उयादह एक हो कर मुकाबला कर रहे हैं जि. प. मान भी यद्यपि आपस में अनेक दलों में विभक्त है ता भी कुदरती तौर पर तमाम गैर-मुस्लिमों का मुकाबला एकदल से कर रहे हैं। इकीकत को आंखों के ओट कर के या अपनी तजवीजों के मुआफिक उनको बैठा कर हम कभी इस मवाल को इल नहीं कर सकते। इकीकत यह है कि मुसलमान सत्त करार हैं और हिन्दू वाइस करार। हिन्दुओं ने इस बात को कभी नामंजूर नहीं किया। अब हम यह भी देखें कि मामला दर असल क्या है? अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों से हमेशा नफ़रत इसलिए नहीं करते कि उनकी बहुसंख्या

है। मुसलमान हिन्दुओं की बहुसंख्या से इसलिए डरते हैं कि उनका कहना है, हिन्दुओं ने हमेशा ही हमारे साथ इन्साफ नहीं किया है, हमारे मजहबों जजबात की इज्जत नहीं की है और उनका कहना है कि हिन्दू लोग तालीम और धन-दौलत में हमसे बड़े बड़े हैं। ये बातें ऐसी ही हैं या नहीं इस सवाल से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं। हमारे लिए इतना ही काफी है कि मुसलमान इन बातों पर विश्वास रखते हैं और हिन्दुओं की बहुसंख्या से डरते हैं। मुसलमान लोग इस डर का इलाज कुछ अंश में पृथक् निर्वाचन और विशेष प्रतिनिधित्व के द्वारा—कुछ जगहों में तो अपनी संख्या से भी ज्यादा—करना चाहते हैं। हिन्दू लोग मुसलमानों की अल्प-संख्या को तो मानते हैं पर उनके इन्साफ न करने के इल्जाम से इन्कार करते हैं। इसलिए इसकी तसदीक करने का जरूरत है। मैंने हिन्दुओं को इस कथन का खंडन करते नहीं देखा है कि वे तालीम और धनदौलत में मुसलमानों से बढ कर हैं।

इधर हिन्दू भी मुसलमानों से डरते हैं। उनका कहना है कि जब कभी मुसलमानों के हाथ में हुकूमत आई है उन्होंने हिन्दुओं पर बड़ा बड़ी उयादतिया की हैं और कहते हैं कि हालां कि हमारी बहु-संख्या है तो भी मुस्लीमर मुसलमानों के हमले हमारे छोके छुडा देते हैं। हिन्दुओं के सामने उन पुराने तजरिबों का खतरा हमेशा खडा रहता है, और अग्रगण्य मुसलमानों की नेक-नीयती के होते हुए भी वे मानते हैं कि मुसलमान जनता किसी भी मुसलमान गुंके का साथ दिये बिना ब रहेगी। इसलिए हिन्दू मुसलमानों की कमजोरी के उज्र को नामंजूर करते हैं और लखनऊ के ठहराव के तत्व को ध्यापक करने के विचार को दिम में स्थान देने से इन्कार करते हैं। यहाँ भी यह दवाल नहीं उठता के हिन्दुओं का यह डर नहायिक ठोक है। हमें यही मान कर चलना होगा कि यह वस्तुस्थिति है। किसी भी जाति या नेता की नीयत को बुरा बताना अनुचित होगा। मालकीयजी या मिर्जा फजलीहुसैन पर अविश्वास करना मानों इस प्रश्न के निपटारे को स्थगित करना है। दोनों अपने दिम के विचारों को ईमानदारी के साथ पेश करते हैं। ऐसी हालत में अवकलमही इसी बात में है कि तम ब छोटे बड़े सवाल को एक ओर रख दें और स्थिति ऐसी कुछ है उसका मुकाबला करें और न कि अपनी कल्पना के अनुसार चाही हुई स्थिति का।

इसलिए मेरी राय में लेखक ने, चाहे अनजान में ही हो, अपने पक्ष का जरूरत से ज्यादा सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। हाँ, उनका यह कहना सच है कि खुद हिन्दू ही परस्पर विरोधी दलों में विभक्त हैं। उनमें ऐसे दल हैं जो अपने लिए भलग भलग व्यवहार का दावा ले कर खड़े होते हैं। उनका यह कहना भी ठीक है कि पृथक् प्रतिनिधित्व के लिए मुसलमानों की अपेक्षा अछूतों का पक्ष कहीं मजबूत है। लेखक ने मुसलमानों की अल्पसंख्या की इकीकत के विरोध में आवाज नहीं उठाई है बल्कि जातिगत प्रतिनिधित्व और पृथक् निर्वाचन के विरोध में उठाई है। उन्होंने यह दिखलाया है कि लखनऊ के ठहराव के सिद्दांत का विस्तार करने से असेकव उपजातियों और दूसरी जातियों के लिए जातिगत प्रतिनिधित्व का सवाल खडा हुए बिना न रहेगा। ऐसा करना स्वराज्य के शीघ्र आगमन का अनिश्चित समय तक स्थगित करना है। लखनऊ ठहराव के सिद्दान्त का विस्तार करना या उसको कायम तक रखना भयावह है। और मुसलमानों के दुःख-दर्दी पर ध्यान ब देना भी, मानों उन्हें हम महसूस ही न करते हों, स्वराज्य को मुसलमानी वा है। ऐसी हालत में स्वराज्य के प्रेमी तबतक हम नहीं के



कहते जबतक कि इस सवाल का ऐसा निपटारा न हो जाय जैसे एक ओर मुसलमानों की आशाका दूर हो जाय और दूसरी ओर स्वराज्य के लिए भी अंतरा न रह जाय।

ऐसा निपटारा असंभव नहीं है। एक तो यहीं सुन लीजिए— मेरी राय में मुसलमानों के इस दावे को कि बंगाल और पंजाब में उनकी बहुमति उनकी सहाय्य के अनुसार रहे, माने बिना नहीं रह सकते। उत्तर या उत्तर-पश्चिम के दर के कारण इस दावे को रोक नहीं सकते। हिन्दू अगर स्वराज्य चाहते हों तो उन्हें आन्ध्र के ओके के सामने सिर देना चाहिए। जबतक हम बाहरी दुनिया से बरते रहेंगे तबतक हमें स्वराज्य का ह्याल छोड़ देना होगा। पर स्वराज्य तो हमें लेना ही है, इसलिए मैं मुसलमानों के न्यायोचित दावों का विचार करते समय हिन्दुओं के दर की दलील को खारिज करता हूँ। अपनी भावी सहोसलामती को अन्तरे में डाल कर जो हमें इन्साफ पर कायम रहने की हिम्मत होनी चाहिए।

मुसलमान जो पृथक् निर्वाचन चाहते हैं वह पृथक् निर्वाचन के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वे धारासभा—मंडल में तथा दूसरे निर्वाचक मंडलों में खुद अपने सवे प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं। यह तो कानून के जैसे अनिवार्य करने की अपेक्षा खानगी तौर पर तजवीज कर लेने से अच्छी तरह ही रहता है। खानगी तौर पर हुई तजवीज में घटा-बढी की गुंजाइश रहती है। अगर कानूनी कार्रवाई के ब्याहस सक्त हो जाने की संभावना रहती है। खानगी तजवीज निरंतर दोनों दल के पागस्परिक आदर और विश्वास की परख करती रहेगी। पर कानूनी कार्रवाई ऐसे आदर और विश्वास की आवश्यकता का मौका ही नहीं आने देती। खानगी तजवीज के माना हैं, परैदु झगडे का वरैदु निपटारा और दोनों के दुइमज अर्थान विठेवां हुकुमत का सबकी तरफ से मिल कर मुकाबला। पर कहते हैं कि जो खानगी तजवीज में सुझा रहा हूँ उस मुताबिक काम करने में कानून बाधक होता है। यदि ऐसा है तो हमें उस कानूनी विघ्न को दूर करने की काशिश करनी चाहिए, न कि नई पैदा करने या जोड़ने की। इसलिए मेरी तजवीज यह है कि पृथक् निर्वाचन का ह्याल छोड़ दिया जाय और इसके-विशेष में दोनों को संयुक्त समिति में आड़े हुए और तथ सुदा तादाद में मुस्लिम तथा दूसरे अम्नीदवारों के चुनाव की मुरत पैदा को जाय। मुस्लिम उम्मीदवार पहले से प्रसिद्ध मुस्लिम संस्थाओं के द्वारा नामजद किये जायें। इस मौके पर नियत से अधिक तादाद में प्रतिनिधि रखने के सवाल में पढ़ने की जरूरत नहीं। जबकि खानगी ठहराव के उमूल का सब लोग कुबूल कर लेंगे तब इसके रास्ते की तमाम दिक्कतों पर विचार कर लिया जायगा।

हां, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे इस प्रस्ताव में पहले से यह बात सुदीत कर ली जाती है कि इस सवाल में लगे हुए तमाम लोग स्वराज्य के अ्यान में रख कर इसको हल करने की काशिश सच्चे और साफ दिल से चाहते हैं। यदि जातिगत प्रभुता हमारा मकसद ही तो हर तरह की खानगी तजवीज बेकार होगी। पर अगर स्वराज्य ही हम सब का लक्ष्य ही और दोनों पक्ष के लोग महज राष्ट्रीय दृष्टि-बिन्दु से ही उसे हल करना चाहें तो फिर उसके बेकार होने के अंधेरे की मुस्कक जरूरत नहीं। उस्ता दर फरीक नेकनीमती के साथ उसके अनुसार चलने में अपना हित समझेगा।

फिर भी कानून के द्वारा अगर कुछ करना है तो वह यह कि अताधिकार न्यायोचित हो जिससे कि हर जाति के लोग यदि चाहें तो अपनी तादाद के लिहाज से मतदाताओं का नाम दर्ज करा सकें। मतदाताओं को सूची देनी चाहिए जिससे संख्या-के लिहाज से

प्रतिनिधि पहुंच सकें। पर इसके लिए वर्तमान अताधिकार की कार्य-नीति की छान-बीन करना होगी। मेरी नजर में तो वर्तमान अताधिकार किन्ना भी स्वराज्य योजना में स्थान पाने योग्य नहीं है।

(यं० ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

## विज्ञापनबाजी से अनर्थ

आज मैं हिन्दी-संसार का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर खींचना चाहता हूँ जिसपर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है और जिन्होंने दिया है वे उसके पूरे अनर्थ और अयुक्तता को या तो उनके अखली रूप में देख नहीं पाये हैं या दिखा नहीं पाये हैं। वह है विज्ञापनबाजी से होनेवाला अनर्थ। विज्ञापनबाजी हमारे देश में एक नई चीज है, एक नई आपत है। अंगरेजी राज्य और पश्चिमी संस्कृति से जो जो बुरा चीजें हमने ग्रहण की हैं उनमें एक यह भी है। यह एक सामान्य नियम है कि विजित या मुक्त देश अपने आर्थिक की ऊपरी ओर बुरी बातों को जितना अल्दी अपना लेता है उतना उसकी अच्छी बातों का नहीं। पर देश के सामान्य से अब हमें आत्म-ज्ञान डाला जा रहा है और हमारा सारासार-विवेक भी जाग्रत हो रहा है। अतएव मुझे आशा है कि पाठक इसे गौर से पढ़ेंगे, इसपर विचार करेंगे और यदि इसमें उन्हें कुछ सार दिखाई दे तो इसके लिए यथोचित आन्दोलन भी करेंगे।

विज्ञापनबाजी के दो हिस्से हैं—एक विज्ञापन छापना और दूसरा विज्ञापन छापना। पहले हिस्से में ज्यादातर दुकानदार लोग आते हैं, दूसरे में ज्यादातर अखबारवाले। कितने ही अखबारवाले भी अपनी दुकानें रखते हैं या यों कहे कि कितने ही दुकानदार भी अपने अखबार—फिर वे मासिक हों, या साप्ताहिक हों, या दैनिक हों,—रखते हैं। कितने ही—पायः सब—अखबारवाले अपने अखबार को चलाने के लिए, बतौर एक सहायक साधन के, दुकानें रखते हैं, कितने ही दुकानदार अपनी दुकान चलाने के लिए अखबार निकालते हैं। दोनों तरह के अखबारवालों में एक बड़ा हिस्सा पुस्तक-प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रेताओं का है और एक बहुत छोटा हिस्सा दवाइयाँ बेचनेवालों का है। पुस्तक-प्रकाशन और पत्र-संचालन दोनों से अहां-नक संबंध है, वे दोनों संस्थायें एक दूसरे की पूरक हैं और यद्यपि इन कामों को करनेवाले कुछ व्यक्ति हमें घनाढप होते हुए दिखाई देते हैं तो भी इन संस्थायों का प्रेरक हेतु साहित्य-सेवा ही है। हिन्दी के पुस्तक-प्रकाशक विशेष कर वे जिनके पास अपना छापखाना है, और पत्र भी है, बहुतांश में अपने छापखाने का बदौलत ही धन एकत्र कर पाये हैं। पर ये इने गिने हैं। अधिकांश पत्र-संचालक तो बेचारे ज्यों त्यों कर के अपनी संस्थायें चलाते हैं—बहुतेरे तो कर्ज पर या अपनी मित्रों की सहायता पर जीते रहते हैं और कितने ही तो अकाल ही में चल देते हैं! अस्तु।

मैं यह मानता हूँ कि विज्ञापन एक जरूरी चीज है—प्रचारक और व्यापारी दोनों के लिए। पर साथ ही बहुत विचार के उपरान्त मेरा यह मत भी दृढ़ हुआ है कि विज्ञापन-बाजी ने हमारे देश में इस समय जो स्वरूप धारण किया है, वह महा अनर्थकारी है। उसका बहुत ही दुुरूपयोग हो रहा है। उससे देश की भारी अ-सेवा हो रही है। इस कुप्रवृत्ति के प्रवाह का रोकने की सक्त जरूरत है। क्यों और किस तरह? आगे पहिये।

आजकल हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में छपनेवाले विज्ञापनों में हम मुख्यतः तीन किस्म की चीजें देखते हैं—(१) साहित्य-कला-संबंधी, यथा पुस्तक, पत्र, चित्र, आदि (२) दवाओं के—विशेष कर, वीर्यवर्द्धक कामादीषक दवाओं के (३) ऐसा आराम या मनोरंजन की

बीजों के, जैसे खुशबूदार तेल, इत्र, हार्मीनियम, सख्त, खेल-तमाशे आदि के और (४) स्टेशन-भाड़े जैसे मागज, स्पाही, कसरत और मर्दाना खेलों की चीज आदि। विज्ञान छपवानेवालों की इलीज इन दो में से कोई एक हुआ करती है। (१) प्रचार के लिए या (२) रोजगार के लिए। छापनेवालों अर्थात् पत्र-संचालकों की (छापखाना भी विज्ञापन छापता है पर यहाँ में अखबारों का ही जिक्र करूँगा; क्योंकि यहाँ विज्ञापनवालों के जबरदस्त अखाड़े बन रहे हैं और दूसरे सेवा करने का दावा अखबार जितना करते हैं उतना छापखाने नहीं) इलीज होती है पत्र का चढ़ाने के लिए-जिवित रखने के लिए। प्रचार के लिए विज्ञानों का छपाना और छपाना सब समझ में आ सकता है। पर उसके लिए न तो छापनेवालों का छोपाई देने की जरूरत होती चाहिए, न छापनेवालों का लेने की। 'सेवा' ही जब दोनों का दावा अर हेतु है तब छोपाई थक और ले कर 'सेवा' का सहारा क्यों बनाना चाहिए? मेरी राय में जिन बातों का बीजों के प्रचार की जरूरत देश-सेवा या समाज-सेवा के लिए है उनके लिए विज्ञान की छोपाई बना और लेग दोनों यदि अनौचित्य-युक्त नहीं, तो अनुचित जन्म है। साहित्य और कला-संघों तथा अन्य ऐसी ही चीजों और बातों के विज्ञापनों की छोपाई देना और लेना दोनों बन्द होना चाहिये। जबरदस्त पत्र गपारक से निवेदन कर और संपादक या संचालक जिन वस्तु या बात को देश के हित के लिए आवश्यक समझे उसके विज्ञापन, एक या अधिक बार, जैसा वे मर्चित समझें, बिना छोपाई लिए छाप दें। इससे एक तो प्रचारक सत्या को बचत होगा और दूसरे पत्र का नैतिक आधार मजबूत होगा। फलतः इसके प्रादक भी बढ़ेंगे और उसकी घटी निकल जायगी।

अब राजगार के लिए जो लम्बे विज्ञापन छापने से और पत्र की पेट-पूति के लिए जो विज्ञापन छापने से, उन्हें छोड़िए। खाने-पाने, पहनने-आँकने, तनबुझती रखने, ज्ञान बढ़ाने आदि के लिए आवश्यक चीजों के नाति-नियम के अनुकूल व्यापार के लिए स्थान है, न ही सो बात नहीं। पर इनकी तात्कालिकता प्रादक खुद ही रहता है। जब प्रादक के विज्ञापन के साधन न थे तब भी लोग जकरी चीजों को पा लेते थे और व्यापार का माल पका न रहता था। फिर भी यन्त्रे विज्ञापन आवश्यक ही हो तो उनमें वस्तु के यथाय वर्णन और दर दास तथा पत्ते के उल्लेख के अनिश्चित प्रादक के फुमलायवाली यत्ने न टानी चाहिए। और जो अखबार उन्हें छोपें वे इतनी गाली प भयम स्पष्ट (१) विज्ञापन गदा या हानिकारक चीज का ता नहीं है (२) प्रादक फुमलाय ता नहीं जाते हैं (३) चीजों के दर दास ज्यादा तो नहीं उगाय हैं और (४) वे खुद भी विज्ञापन की छोपाई, कमान और छोपाई प्रादि के खर्च में ज्यादा ता नहीं ले रहे हैं। मालक सख्त अच्छा तराका तो यह होगा कि अखबार का भागों में बट जाय (१) सेवक और (२) विज्ञापक। 'सेवक' पत्रों में विज्ञापन पतई न रहे—जा छों वे केवल देश-सेवक-प्रचारक सत्याओं की तरफ से भेजे हुए हों और मुफ्त में छपें। 'विज्ञापक' पत्र देश सेवा सस्थाओं के विज्ञापन मुफ्त में छपें और दूसरे अखड़े और उच्चि; विज्ञापन दास ले कर छपें। 'सेवक' पत्र राष्ट्र की चज हा और वे समाज के गत्रय के पात्र समझे जायें; समाज उनके भरण-पोषण के लिए अपनाको बाध्य समझे। 'विज्ञापक' पत्र अन्य व्यवसायों की तरह समाज की सहायता पर जिवित रखने में अपना समझे। आज 'सेवा' और 'रोजगार' की खिचड़ी हो रही है। फरक यह होता है कि एक और बहुत बार 'सेवा' के नाम पर रोजगार होता है और दूसरे और रोजगार का साथ होने से 'सेवा' की गति कुण्ठित होनी है। पाक्षण्ड बकता है और सेवा पंगु होती है।

आज पत्र इस खयाल से विज्ञापन छापते हैं कि पत्र जी बच रहे या कमसे कम रख सकें जिससे वह आधिक लगी तक पहुँचें, प्रादकों का लाभ हो। पर इस माद में वे ऐसी ऐसी चीजों के छपाने विज्ञापन उनके सामने रखते हैं जिनके बहाभूत हाकर अखबार के मूल्य से भी ज्यादा रुपया बचाव कर रहे हैं और अपनी धारीरिक और नैतिक हानि भी कर बैठते हैं। पत्रकार वे 'सेवा' और काम के हेतु से अ-सेवा और हानि करने के ही साधनमूत होते हैं। 'काम-कला-रहस्य' जैसी पुस्तकों और अनेक प्रकार की और वीर्यवर्द्धक दवाइयों, तेलों आदि के विज्ञापनों से काम के बजाय हानि ही सिद्ध होती है। फिर जितने ही विज्ञापनों का ढंग और भाषा भी रुचि का भ्रष्ट करनेवाली हाता है। खास करके वीर्यवर्द्धक दवाइयों के सामन तथा और जगह भा खिाँ के—विशेष कर सुन्दरियों के—भटकले चित्र बना तो मानी उन्हें अपने व्यापार का साधन बनाना है। हमारा माताओं और बहनों का यह कम अपमान नहीं है।

अब हम कुप्रवृत्ति न रहने और राकन की आवश्यकता अपने आप भिद्ध हाती है। यदि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन इसका अपने हाथ में ले तो बहुत काम हा सकता है। हमारे संपादक बन्धु स्वयं भी इसके महत्व को समझ कर इस अनर्थ को रोक सकते हैं। समझ है कि बहुतसे संपादक इस छोपाई का दर करना चाहते हैं, पर लाचार रहते हैं। उनके जबरदस्त यह पत्र के जीवन-मरण का सवाल हा। मैं उनकी कठिनाइयों को महसूस कर सकता हूँ। पर इसका उपाय यही है कि एक त वे शुद्ध जावन का हा सथा ज बन समझें। और दूसरे इस बात पर श्रद्धा रखें कि यदि हम समाज की शुद्ध सेवा करने हैं तो हमारे पत्र के पेट की चिन्ता हमें न टानी चाहिए। हमारी यह श्रद्धा समाज के दिल में यह भाव भागत और प्रज्वलित करेगी कि 'सेवक' की सेवा करना उसके भरण-पोषण का चिन्ता रखना हमारा काम है, धर्म है। पत्रकार इस बात को भूल जाते हैं कि विज्ञापन की आनदनी का सहारा ले कर एक तो वे उसके पोषण की जिम्मेवारी अपने सिर ले लेते हैं और दूसरे समाज को उसकी तरफ से उदासीन बना देते हैं। या तो हम 'सेवक' रहे या 'व्यापारी'। 'सेवक' समाज की सेवा करता है, 'व्यापारी' अपनी। जा गया पाता है वह सेवक का ध्यान रखता है और उसे रखना चाहिए न रखना अपने कर्तव्य से चूकना है। अपनेका सेवा का अनधिकारी साधित करना है। अखबारों ने देख का बहुत सेवा की है, अब भी करते हैं; यदि वे इस छोपाई से बच जायें तो उनके द्वारा बहुत शुद्ध और सच्ची सेवा हागा और वे समाज में पत्र-संपादन का बहुत उच्चल नमूना पेश करेंगे।

हरिभाऊ गपार

हिन्दू धर्म के तीन सूत्र

भादरण ( बडौदा-गज्य ) की आर से अर्पित अभिनन्दन-पत्र का उत्तर देते हुए गांधीजी ने कहा—

“ आपके प्रदर्शित प्रेम और अभिनन्दन-पत्र का उत्तर देने के पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि मैं यह कहूँ तो मानी आपके प्रति मैं अपराध ही करूँगा। गांधीजी इतनी गत भये इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ एकत्र हुए हैं य देख कर मुझे बहुत आनन्द हाता है, पर साथ ही मुझे दुःख भी होता है। इस गमा के व्यवस्थापकों ने जो व्यवस्था की है वह जान बूझ कर की है या अनजान में सो में नहीं जानता। पर हर समा-स्थान में जानेवाले काम अब मेरी साम्यित्त का कसे हैं। इनमें एक यह है कि यदि किसी भी अखड़े में मैं अस्थानों

इ लिए अलग विभाग रखें तो मुझे भारी चोट पहुंचे और कुछ भी सोचना मेरे लिए असंभव हो जाय। पर आपने (अपने अभिनन्दन में) कहा है और दूसरे लोग भी कहते हैं कि अहिंसा मेरे जीवन का परम सूत्र है। अहिंसा का मैं अपने जीवन में श्रुत रहा हूँ। यदि यह बात सच हो तो मुझसे यह नहीं हा सकता कि मैं आपके दिल को चोट पहुंचाना चाहूँ। मैं यह भी नहीं चाहता कि आप बिना सोचे-समझे कुछ करें। रोष में भी मैं आपम कुछ करना नहीं चाहता। मैं जो कुछ आपसे करा सकता हूँ वह आप हृदय और बुद्धि की ही शिक्षा कर करा सकता हूँ। अतएव मेरी प्रार्थना है कि यदि आप अस्पृश्यों को हिन्दू-धर्म का कलंक मानते हों तो आप इस विषय में सहमत हों कि जो यह वास की टहो हमें अस्पृश्य भाइयों से जुदा कर रही है, वह निमूलक हो जाय।”

ये शब्द मुझ में से निकल ही रहे थे कि कुछ लोग समा से उठ कर शान्ति के साथ वास की टहो के बंद छोड़ने लगे। यह देख कर गांधीजी कहने लगे—

“मैं यह नहीं कहता कि आप टहो को अभी तोड़ डालें या र्शमा में गड़बड़ कर के आप कोई काम करें। मैं तो आपको समझि केना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि यह टहो न रहे और हमारे अस्पृश्य भाई-बहन हमारे साथ आकर बैठें? (बहुतेरे हाथ ऊपर उठे, सिर्फ एक हाथ खिझाक उठा।) टहो टहो, अस्पृश्य भाव के साथ आकर बैठ गये।

“आपने मुझे अभिनन्दन-पत्र तो दिया ही है। आपने जित्त बौकड़े में मडा कर कागज पर अथवा खादी पर छाप कर जो अभिनन्दन-पत्र दिया उसका कोई मूल्य मेरे नजदीक नहीं, अथवा उतना ही है जितना आप खुद अपने आचरण के द्वारा आंक दें। पर अभी आपने इस टहो को तोड़ कर जो अभिनन्दन मेरा किया है वह हमेशा के लिए मेरे हृदय में अंकित रहेगा। ऐसा ही अभिनन्दन-पत्र मैं अपने हिन्दू-भाई बहनों से चाहता हूँ। आप यदि मुझे पांडा-बहुत सूत लाकर दे देंगे, मेरे सामने तरह तरह के फल फूल मेवे ला कर रख देंगे, या अस्पृश्य बालिका के हाथ से कुंकुम-तिलक करावेंगे (यां कराया गया था) तो इससे मुझे खशी नहीं हो सकता। ये सब तो मुझे सब जगह मिल जायंगी; पर अभी आपने जो बाज दी है उसके लिए तो प्रेम की जजोर बरकार है। और मैं इस प्रेम का जजोर के सिवा आपसे और कुछ नहीं चाहता। क्योंकि प्रेम अहिंसा का अंग है। अहिंसा का समावेश प्रेम में हो जाता है।

“सनातनी भाई शायद यह मानते हों कि मैं हिन्दू ससार के दिल पर आघात पहुंचाना चाहता हूँ। मैं खुद अपनेको सनातनी मानता हूँ मैं जानता हूँ कि मेरा दावा बहुत कम भाई-बहन कुबूल करते होंगे- पर मेरा यह दावा है और रहेगा और मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि आज नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद समाज बरकर इस बात का कुबूल करेगा कि गांधी सनातनी हिन्दू था। ‘सनातनी’ के मानी है ‘प्राचीन’। मेरे भाव प्राचीन हैं— अर्थात् वे भाव मुझे प्राचीन से प्राचीन ग्रन्थों में दिखाई देते हैं और उन्हें मैं अपने जीवन-रूप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी कारण मैं मानता हूँ कि मेरा सनातनी होने का दावा बिल्कुल ठीक है। बसा बना कर शास्त्रों की कथा कहनेवालों को मैं सनातनी नद कहता। सनातन त बही है जिसके रगोरेशे में हिन्दू-धर्म व्याप्त हो। इस हिन्दू-धर्म का धर्म शकट भगवान् मैं एक ही शक्य में कर दिया है ‘ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या’। दूसरे कृषियों से कहा है ‘सत्य से बड़ कर दूसरा धर्म नहीं।’ और तीसरे ने

कहा कि हिन्दू-धर्म का अर्थ है अहिंसा। इन तीन में से आप चाहे किसी सूत्र का ले लीजिए, इसमें आपको हिन्दू-धर्म का रहस्य मिल जायगा। ये तीन सूत्र क्या हैं? मानों हिन्दू-धर्म-शास्त्र को डूब डूब कर निकाला उनका नवनीत ही है। इस धर्म का अनुयायी, सनातन-धर्म का दवा करनेवाला मैं किसी भी शक्य के दिल को चोट पहुंचाना न चाहूंगा। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप अन्त्यजों से स्पर्श करें। क्योंकि अन्त्यज मनुष्य हैं। और चाहता हूँ कि उनकी सेवा हो; क्योंकि वे सेवा के लायक हैं। माना जा सेवा बालक की करती है वही सेवा वे समाज को करते हैं। उनको अछूत मानना, उनका तिरस्कार करना माना अपना मनुष्यत्व गवाना है। हिन्दुस्तान आज संगार में अछूत बन गया है। इसका कारण यह है कि वह अनेक कोटि अर्थात् असंख्य लोगों को अस्पृश्य मानता चला आया है। और इसका फल यह हुआ है कि हमारा सत्संग करनेवाले मुसलमान भी संसार में अस्पृश्य हो गये हैं। ऐसा उलटा परिणाम क्या पैदा हुआ? इसका एक ही जबाब है। ‘जिसा करतगे बसा पाशोने’ यह ईश्वर का न्याय है। संसार के द्वारा ईश्वर हमें इस न्याय की शिक्षा दे रहा है। यह कठिन समझा नहीं है, सीधा न्याय है। ‘ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्मिन्नेव भजाम्यहम्’ भगवान् कृष्ण ने कहा है कि तुम तिमतरह मुझे भजगे त्सातरह मैं तुम्हें भजूंगा। इसलिए यदि आप उम बात का बराब लेंगे जो मैं आपसे चाहता हूँ तो आपका रुठ न उठाना पड़ेगा। मैं आपका पांडा बना नहीं चाहता। मैं आपसे जकरत से ज्यादा बात करना नहीं चाहता। मैं यह भी नहीं चाहता कि आप अन्त्यजों के साथ उट-पेटो-व्यवहार करें। यह तो आपकी इच्छा की बात है। परन्तु अस्पृश्यता अस्पृश्य मानना इच्छा का विषय नहीं। जिसका स्पर्श करना चाहिए उसे अस्पृश्य मानना और जो अस्पृश्य हैं उनका स्पर्श करना, इच्छा का विषय नहीं है। यदि आप अस्पृश्य भाइयों के दुःखों को महसूस न कर सकें तो फिर ‘गर्वं कल्पिदं ब्रह्म’ किस तरह कह सकते हैं? उनिषद् के रचयिता एक भा पाखण्डो न थे। उन्होंने जगत का ब्रह्ममय कहा है। अतएव हम यदि अस्पृश्य के दुःख से दुखी न होंगे तो हम उनके जानवर में भी बदतर मानित करेंगे। हमारा धर्म पुखर पुकार कर रुठ रहा है कि जो जीव जानवर के अन्दर है वही हम सब लोगों का अन्त है। और आज हमने उम धर्म की गर्दन मरोड़ दी है। मैं तो दया-भाव से, प्रेम-भाव से, भ्रातृभाव से कहिए तो भ्रातृभाव से अस्पृश्यता का नाश करना चाहता हूँ। यदि ऐसा करेंगे तो हिन्दू-धर्म का शोभा बड़ जायगी। इसमें हिन्दू धर्म की रक्षा भी आ जाती है। हेतु यह नहीं है कि अन्त्यजों का मुसलमान बनना या ईसाई हावा हकेगा। किसी भी धर्म का आधार उसके अनुयायियों की संख्या पर अवलंबित नहीं रहता। इस खयाल से बड़ कर कि धर्म-बल वा भा तर गंधरा है, एक भी पाखण्ड नहीं। यदि एक भी शक्य जा हिन्दू रहे तो हिन्दू-धर्म का नाश नहीं हो सकता, पर यदि करवां हिन्दू पाखण्डो बन कर रहे तो उनसे हिन्दू-धर्म सुरक्षित नहीं, उसका विनाश ही निश्चित मयक्षिण। मने जा यह कहा कि हिन्दू-धर्म सुक्षित रहेगा उसका भाव यह है कि इस समय हम प्रायक्षित कर चुकेंगे, अनेक युगा का चला हुआ ऋण त्याग कर चुकेंगे, और इस नाहारी से छूट चुकेंगे।

“अस्पृश्यता में घृणा-भाव स्पष्ट-रूप से है। कोई यदि कहे कि अस्पृश्यता को मैं प्रेम-भाव से मानता हूँ तो मैं इस बात को कभी न मानूंगा। मुझे न उसके अन्दर कही प्रेम-भाव प्रतीत नहीं होता। यदि प्रेम हो तो हम उन्हें जूठन नहीं खिलवावेंगे। प्रेम हा तो हम उपांतरह उन्हें पूजने जिस तरह मातापिता को

पूजते हैं। प्रेम हो तो हम उनके लिए अपनेसे अच्छे कुर्से, अच्छे बरसे बना देंगे, उन्हें मन्दिरों में आने देंगे। ये सब प्रेम के चिह्न हैं। प्रेम अगणित सूर्यों से मिल कर बना है। एक छोटा सा सूर्य जब छिप नहीं रहता तब प्रेम क्यों छिपा रहने लगा? किसी माता को कहीं यह कहना पड़ता है कि मैं अपने बच्चे को चाहती हूँ। जिस बच्चे को बोलना नहीं आता वह माता की आंख के सामने देखता है और जब आंख से आंख मिल जाती है तब हम देखते हैं कि वे किसी अलौकिक चीज को देख रहे हैं।

“इतना कहने के बाद मैं समझना हूँ कि कोई यह न मानें कि दक्षिण अफ्रीका से आया एक सुधारक हिन्दू अपना सुधार हिन्दू-धर्म में बुझा देना चाहता है। मैं कह सकता हूँ कि सुधार की अभिलाषा मुझे नहीं। मैं तो स्वार्थी आदमी हूँ और खुद ही अपने आनन्द में मग्न रहता हूँ। मैं तो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। इसलिए मैं तटस्थ, निश्चिन्त बन कर बैठा हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि जिस आनन्द का अनुभव मैं कर रहा हूँ उसका उपयोग आप भी करें। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अन्धजों का स्पर्श करके, उनकी सेवा करके जो आनन्द प्राप्त होना है उसका उपयोग आप कीजिए।”

## विद्यार्थियों के बारे में

एक माई लिखते हैं :—

“गुजरात महाविद्यालय के आंग आपके दूसरे व्याख्यानों की पढ़ने पर भी जो बात खूब है उसका जयाल खर नहीं होता। विद्यार्थियों ने असहयोग कर के अपना फर्ज अदा किया है, किसी पर उपकार नहीं किया; फिर भी इस बात पर से नजर न हटानी चाहिए कि किसी भी शास्त्र से उन्हें अधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ी है।

आजकल असहयोग मुस्तबी कर देने पर और हलचल का जोश कम हो जाने के कारण, समाज की नजरों में स्नातकों की हजत और उनका रुतबा कुछ भी नहीं है, और यदि है तो बहुत ही कम। भावनाओं में कितने ही तल्लोण क्यों न हो जायें सबकी पेट की किक तो करना ही पड़ती है। और यह तो आप जानते ही हैं कि हमारे विद्यार्थियों का अपने कुटुम्ब का भी पालन करना होता है।

यह तो आप मानते हैं कि आजादिका विद्या का फल होना चाहिए लेकिन आज तो उसमें भी बड़ा मुश्किले हैं।

असहयोग मुस्तबी रख कर सब कोई अपना मूल व्यवहार फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी इच्छा होने पर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं।

असहयोग करने से, उन बकीलों की जिन्दे पहले मुकदमे न बिछते थे, प्रसिद्धि हो जाने के कारण अब अच्छा कमाई हो रही है। विद्यार्थियों के तरफ तो कोई देखता भी नहीं। उल्टा उनका दृष्टि की दृष्टि से देखते हैं।

आप १५ ता. का राजकट पधारेंगे। देशी-राज्यों को तो काबिल लोगों से ही काम है। बबई यूनिवर्सिटी का ही स्नातक रक्खा जाय, ऐसा उन्हें कोई बन्धन हो ता मैं नहीं जानता। क्या आप देशी राज्यों को यह सलाह नहीं दे सकते कि विद्यार्थी के स्नातकों को भी वे अपने यहाँ रखें? मेरा खयाल है, आप और नहीं तो राजकोट और भावनगर की प्रजा-प्रतिनिधि-सभा में इसके बारे में प्रस्ताव पास करा सकते हैं और राज्य-कर्ता की सम्मति भी प्राप्त कर सकते हैं। आप राजकट राष्ट्र-बाला की नींव बालने जाते हैं तो यह प्रसंग इस काम के लिए भी खूब अनुकूल यदि राजा लोम विद्यार्थी को परेश सहायता पहुंचाने

तो भी हममें कोई शक नहीं कि यह प्रश्न बड़ा सरक हो जाय।”

विद्यार्थियों के त्याग का उल्लेख तो मैंने अनेक बार किया है। यह नियम है—और इसका कुछ अपवाद भी नहीं—कि जो स्वयं अपने त्याग का उल्लेख करता है उसके त्याग का उल्लेख दुनिया नहीं करती। जिस त्याग का त्याग करनेवाले को स्वयं ही उल्लेख करना पड़ता है वह त्याग नहीं है। आत्म-त्याग स्वयंप्रकाश्य होता है। विद्यार्थी अपने त्याग की कीमत करने के बजाय खुद अपने जो कुछ प्राप्त किया है उसीका हिसाब क्यों न करे?

जो यह नहीं जानता कि राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करना ही उसकी कीमत है, वह कुछ भी नहीं जानता। स्नातक को यह मानने की कुछ भी आवश्यकता नहीं कि आजकल स्नातकों का भाव बट गया है। इस प्रकार स्नातक अपना भाव क्यों घटावें? राष्ट्रीय विद्यापीठ के स्नातकों में आत्म-विश्वास होने की मैं आशा रखता हूँ। बड़ दीन याचक न बने, वह ईश्वर पर विश्वास रखे। स्नातक अपने लिए देशी राब्यों से मेरे पास शिक्षा मगाना क्यों चाहेंगे? स्नातक अपने ज्ञान और चरित्रबल पर संद्वेध क्यों न हों? ऐसा समय आ सकता है जब राष्ट्रीय स्नातकों की ही मांग हो। ऐदा समय जाना स्नातकों के ही ऊपर आधार रखता है। कांच के केर में पड़ा हुआ होरा बिना परखाये नहीं रहता। राष्ट्रीय स्नातकों के बारे में भी गद्दी बात हो सकती है। मैं तो काठियावाड में, अपने व्याख्यानों में स्नातकों के बारे में एक शब्द भी बोलना नहीं चाहता। मैं तो काठियावाड में खादी और चरखे के प्रचार के कालच हो जाता हूँ, राब्याधिकारियों को खादी-प्रेमी बनाने जाता हूँ, नरेशों को उनके धर्म के प्रति ध्यान देने की विनय करने के लिए जाता हूँ। यदि खादी की और चरखे की प्रतिष्ठा बढ़ी तो स्नातकों की भी प्रतिष्ठा बड़ी मान लेना। क्योंकि जा चरखा-शास्त्र को थोक कर पी नहीं गया है वह राष्ट्रीय स्नातक नहीं है। जैसे अधिकारी-बर्ग को अंगरेजों जाननेवाले कुसल मंत्री की आवश्यकता होती थी उसी प्रकार उन्हें कुसल चरखा-शास्त्री की आवश्यकता हो, ऐसा हा वायुमण्डल पैदा करने के कारण से मैं काठियावाड जा रहा हूँ।

अब लेखक को दो तीन भूले सुधारने की इजाजत चाहता हूँ। असहयोगी विद्यार्थी हमरों की तरह असहयोग मुस्तबी नहीं रख सकते, यह मानना गलत है। शर्म और दुःख की बात तो यह है कि हजारों विद्यार्थी असहयोग करने के बाद फिर से सहयोगी बने हैं। और यह अब भी हो रहा है। शर्म और दुःख की बात तो यह है कि कितने ही असहयोगी कहकानेवाले विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय-प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने पर भी फिर से सरकारी परीक्षायें दी हैं। इससे उल्टा, कितने ही बकीलों की सनद अदाकर्तों ने छीन ली हैं और वे मनचूरन् असहयोगी जैसे बन गये हैं। और कितने ही सरकारी नौकर जो अपनी नौकरी छूट बैठे हैं उनको दशा तो बड़ी दीन कही जा सकती है। लेकिन उनमें से कितने ही लोगों को यह ऐसी नहीं मालूम होती, वे तो उसमें बाइसाही मानते हैं। क्योंकि सरकारी नौकरी हाने पर वे पराधीन थे और अब नौकरा छूट जाने पर स्वाधीन है, स्वतंत्र हैं और इसलिए वे अपनेको बड़भागी मानते हैं।

इसलिए जा विद्यार्थी इतोत्साह हो गये हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि उन्हें इतोत्साह होने का कोई कारण नहीं है। इतना ही कहें इसमें तो वे आगे ही बढ़ेंगे। हां, उसमें एक शर्त है। असहयोगी विद्यार्थी के बारे में यह माना जाता है कि वह प्रासायिक, निर्भय, संयमी, उद्यमी और देससेवक होता है। ऐसे विद्यार्थी की कमी भी निराश होने का कारण नहीं होता। उन्हीं पर विश्वास उद्धार निर्भर है। स्वतंत्रतादेवी का सुवर्णमन्दिर उन्हींपर रक्षित। (नवजीवन) मोहनदास करमचन्द गांधी



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक २९ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
शेणैलाल छगनलाल शूब

अहमदाबाद, फाल्गुन सुदी ४, संवत् १९८१  
गुरुवार, २६ फरवरी, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान नवजीवन मुद्रणालय,  
सारंगपुर सरकीगरा की बाड़ी

## टिप्पणियाँ

### ० फरवरी

संघ-परामर्श-समिति की तरफ से मुकर्रर की गई समिति को बैठक देहला में २८ फरवरी को फिर होगी। किसी भी समिति के जिम्मे इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता। इस समिति ने अपने का दो हिस्सों लया है। एक को स्वराज्य-योजना का मसविदा तयार करके काम सोंपा गया है और दूसरा को हिन्दू-मुस्लिम-पैगम्बर का योजना तयार करने का। स्वराज्य-समाज की प्रमुख बातें मजन्द थीं और उन्होंने अपनी रपाट सामाजिक सामने विचार के लिए पेश भी कर दी है। समाज का बचक इसलिए मुलतवा कर दा गइ था कि उस समय हिन्दू-मुस्लिम-पैगम्बर का प्रश्न का समझौता ही न सजा और जो सदस्य हाजर थे उन्होंने चाहा कि उन्हें भी सदस्य हाजर न थे उनस, और जो लाग सदस्य ती नहीं हैं लेकिन इस काय में मदद कर सकत हैं उनसे मशवरा करने का अवकाश मिले। यह आशा की जाती है कि जो लाग आ सकत हैं वे समिति का इस बचक में जरूर ही आवेंगे। लाला लाजपतराय ने मुझे तार किया है कि इस बैठक को मार्च के तिसरे हफ्त के बाद किसी भी तारीख तक मुलतवा रक्खा जाय। कुछ सदस्यों ने उन्हें खबर दी है कि वे उस बैठक में हाजर न रह सकेंगे। मैंने उन्हें खबर दी है कि समाज से पूछ विना मैं इस बैठक को मुलतवा नहीं कर सकता। यदि जरूरत मालूम होगी तो समिति की बैठक हाने पर यह स्वयं उसे मुलतवा कर देगी। हर हालत में जबतक यह निश्चय ता कर ही लिया होगा कि जब क्या करना चाहए। इस बैठक में शायद इस प्रश्न पर अब कोई नया प्रकाश नहीं आका जायगा। सिर्फ विचार करने का सवाल तो यही हागा कि आखिरी बैठक में देहली में जो दोनों तरफ से मिरे की बातें का गई थी उसके बीच में कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। इससे एक दूसरा सवाल भी पैदा होता है—दोनों पल इस प्रश्न का तत्काल निपटारा करना चाहतें हैं या नहीं? स्वराज्य की योजना भी बड़े महत्व का प्रश्न है। सिर्फ हिन्दू-मुस्लिम सवाल ही सब तरफ की प्रगति को रोक रहा है। मैं आशा करता हूँ कि 'जा लोग आ सकें वे जरूर ही आवेंगे और इस प्रश्न के हल करने में मदद

करेंगे। लालाजी की सूचना के अनुसार यदि बैठक मुलतवा न स्वकी जाय और यह इस प्रश्न का विचार करना ही पसंद करें तो जो सदस्य हाजर न हो सकें उन्हें मैं अपनी राय समिति को लिख भेजने की सलाह देता हूँ।

### 'संगसारी'

अहमदिया किंग के दो मनुष्यों की अफगानिस्ताव में संगसारी की सजा दी गई है। संगसारी का मतलब है पत्थर मारते मारते मार जाना। इस विषय में महासभा के समारोहिक तार पर भरे नाम एक बड़ा जम्हा तार आया है। इससे पहले निशामतुल्लाखान का भा यही भाषण दण्ड दिया जा चुका है। उस समय भत जान-बूझ कर इस बारे में कुछ टोका-टिप्पणी नहीं की था। पर अब तो मुझसे खास तौर प्रार्थना की गई है कि मैं इसपर अपनी राय दूँ। ऐसी अवस्था में मैं इस दुषंडना की उपेक्षा नहीं कर सकता। मैंने गुनाह कि कुरान में खास खास मौको के लिए संगसारी की सजा का हुकम दिया गया है। मगर इस मामले पर यह जायद नहीं हो सकता। परन्तु एक पाप-भीड़ (खुदा-तरस) मनुष्य की हेतियत से मैं यह आपत्ति उठाये बिना नहीं रह सकता कि किसी भी मौके पर ऐसे कृत्य का करना कहाँ तक नातिसंगत है? पैगम्बर साहब के जमाने में जो कुछ जायज था जा माना गया हो, मगर महज कुरान में जिक्र होने का बिना पर इस रूप में दा जानेवाला सजा का समर्थन किसी तरह नहा किय जा सकता। इस तर्क-युग में हर धर्म की हर बिधि का, यदि सांख्यिक-कर्म में उसकी स्वीकृति चाही जाती हो तो तक और सामान्य न्याय की कठिन कसौटी पर कसना ही होगा। मूल अयबाद हाने का दावा नहीं कर सकती—फिर यह भले ही सारी दुनिया के धर्म शास्त्र के द्वारा अनुमादित हो। उस फिकर के प्रति मैं उसकी इस मुसीबत में अपनी हमदर्दी आहिर करता हूँ। और यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं कि मैं इस मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दे सकता। मुझे यह मानने की जरूरत नहीं मालूम होती कि लोगों के सामने उसपर राय कायम करने के लायक सामग्री मौजूद है। सजा का यह तरीका मनुष्य की अन्तरात्मा में गहरे घाव कर देता है। कैसे भी भयकर अपराध के लिए ऐसी भीषण यन्त्रणा की युक्तता का स्वीकार करने के लिए हृदय और बुद्धि दोनों तैयार नहीं होते।

## टेडे प्रश्न

‘एक हितचिंतक’ नीचे लिखी सतरों मेरे चिन्तन के लिए भेजते हैं—

“बाइबिल को लोग ५६६ भाषाओं में पढ़ सकते हैं। पर उपनिषदों और गीता को कितनी भाषाओं में पढ़ सकते हैं ?

पादरी लोगों ने कितने कुष्ठालय खोले हैं और कितनी सत्साधे इल्लित-पोषित लोगों के लिए खोल रखी हैं ?

आपने कितने खोले हैं ?”

ऐसे टेडे प्रश्न मुझसे आम तौर पर इमेक्षा पूछ जाते हैं, ‘एक हितचिंतक’ का जवाब देने की जरूरत है। पादरियों के उत्साह, समन और त्याग के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर-भाव है। पर मैं उन्हें यह बताने में कभी न हिचका हूँ कि आप को ये दोनों चीजें अक्सर अस्थायीय हुआ करती हैं। दुनिया की हर एक जगह में अगर बाइबिल का तरजुमा हो जाय तो इससे क्या ? पेटेंट दवाओं का विहापन बहुतेरी भाषाओं में किया जाता है, इसलिये क्या उनकी महत्ता उपनिषदों से बढ सकती है ? कई गलती अपने बहुलप्रचार के कारण सत्य का स्थान नहीं ग्रहण कर सकती, और न सत्य इसलिए कि उसपर किसीकी दृष्टि नहीं पडती, मिथ्या हो सकता है। जिन दिनों बाइबिल का उपदेश पूर्वकालेन ईसाई उपदेशकों के द्वारा दिया जाता था तब उसका सामर्थ्य आज से कहीं अधिक था। अगर ‘एक हितचिंतक’ यह संमझते हों कि उपनिषदों की अपेक्षा बाइबिल का अधिक भाषा में अनुवाद होना उसकी श्रेष्ठता की कसौटी है तो कहना होगा कि उनको पता नहीं है कि सत्य किसतरह अपना काम करता है। सत्य का फल सभी हो सकता है जब तदनुसार आचरण किया जाय। परन्तु यदि मेरा उत्तर पाने से ‘एक हितचिंतक’ को कुछ संतोष हो सकता है तो मैं उनके सुझावों के साथ कट्टीग कि, हाँ, बाइबिल को अपेक्षा उपनिषदों और गीता का अनुवाद बहुत कम भाषाओं में हुआ है। मुझे कभी इस बात का जिज्ञासा न हुई कि उनके अनुवाद कितनी भाषाओं में हुए हैं।

अब, दूसरे सवाल के बारे में भी, मुझे यह क्यूँल करना चाहिए कि पादरियों ने कुष्ठ-चिकित्सालय तथा अन्य संस्थानें बहुतेरी खोली हैं। मैंने एक मा नहीं। फिर भी मेरी स्थिति अच्छी है। ऐसी बातों में मैं पादरियों अथवा और किसी जागों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जिस तरह ईश्वर राह दिखाता है नम्रभाव से मनुष्यजाति की सेवा करने को कोशिश कर रहा हूँ। कुष्ठालय इत्यादि खोलना मनुष्य-जाति को सेवा का एक साधन है और सो भी शायद सर्वोत्तम नहीं। परन्तु ऐसा उच्च सेवाओं की भी उच्चता उच्च अवस्था में बहुत-कुछ बढ जाती है जबकि शर्मान्तर करना उनका प्रेरक हेतु होता है। वहाँ सेवा सर्वोच्च होती है या केवल सेवा के लिए ही काँ जता है। हाँ, यहाँ कोई मेरे आशय को गलत न समझ ले। जो पादरी निःस्वार्थ भाव से ऐसे कुष्ठालय में सेवा करते हैं वे मेरे आदर के अधिकारी हैं। यह क्यूँल करते हुए मुझे बहुत शर्म मालूम होता है कि हिन्दूजाग ऐसे निष्ठुर हो गये हैं कि दुनिया की बात ता दूर, अपने देश के ही दक्षिण-पतित लोगों की भी वे बहुत कम परवा करते हैं।

## एक बहम

बंगाल के एक जमींदार ने हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, अस्पृश्यता और स्वराज्य के विषय में चर्चा करते हुए मुझे एक बड़ा लम्बी चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी इतनी लम्बी है कि प्रकाशित नहीं की जा सकती और उसमें कोई नई बात भी नहीं कही गई है। फिर भी नमूने के तौरपर उसमें से एक वाक्य यहाँ पर दिये देता हूँ—

“पाँचवीं बारह हुए, हिन्दुओं का और मुसलमानों का संघर्ष दुश्मनों का सा रहा है। ब्रिटिशों का राज्य होने के बाद एक नीति के तौरपर हिन्दू-मुसलमान उच्च जातिगत द्वेष को भूल जाने पर मजबूर किये गये थे और अब उन दोनों जातियों में वैसी कटुता और दुश्मनी नहीं रही। लेकिन इन दोनों जातियों के स्वभाव का स्थायी-भेद अब भी मौजूद है। मेरा विश्वास है कि हिन्दू-मुसलमानों का वर्तमान सु-संघर्ष ब्रिटिश राज्य के कारण ही है और नवीन हिन्दू-धर्म का उदाराता के कारण नहीं”

मैं इस सिर्फ एक बहम मानता हूँ। मुसलमानों के राज्य में दोनों जातियाँ आपस में सुलह-शान्ति के साथ रहती थीं। यह रमरण रखना चाहिए कि मुसलमानों के राज्य-काल के पहले भी कितने ही हिन्दुओं ने इस्लाम को अंगीकार किया था। मेरा यह विश्वास है कि यदि ब्रिटिश राज्य यहाँ न होता तो भी जिस प्रकार यहाँ ईसाई लागू होत ही, उसी प्रकार मुसलमानों का राज्य यदि न हुआ होता तो भी यहाँ मुसलमान तो जरूर ही होते। मेरा विश्वास है कि ब्रिटिशों का इस “भेद उत्पन्न करके राज्य करने” की नीति ने हमारे भेदों को और भी बढा दिया है। और अब तक, इस नीति के हाते हुए भी, हम यह न समझ जायें कि हमें एक ही जाना चाहिए तबतक वह हमारे भेदों का बढाती ही रहेगी। लेकिन यह तबतक मुर्मांकन नहीं जबतक हम अधिकार और जगहों के लिए झगडते रहेंगे। आरम्भ हिन्दुओं को ही करना चाहिए। (पं. ६.)

## उत्कल में खादी

उत्कल अर्थात् उड़ीसा के राज्य में भी जो कुछ बैंकर कलकत्ते से लिखते हैं—

“१९२२ में उत्कल को ६० लाख के तौर पर दिया गया था। इससे कोई ४० करोड़ रुपये गये थे। परन्तु काम नवीन था। किराया उसकी विवेक जानकारी न थी। और कितने ही कार्यकर्ता बिना नीति-नीति और देख-भाल के काम करते रहे। ऐसा मालूम होता है कि दो चार कार्यकर्ताओं ने तो धेड़ैमानी भी का है। इस तरह काम करते हुए कुछ रुपये हूब गये, कुछ रुक गये और जब रुपये की तंगी होने लगी तब केन्द्र बंद होने लगे। पिछले साल अभिकांश में समेट लेने का हो काम हुआ। दी हुई रकम में से पाँच एक हजार नकद, कोई पन्द्रह हजार की रई-सूत खादी वगैरह माल मौजूद है। इसके अलावा कोई २ हजार मकान वगैरह में लगे हैं। और बालास इजार से ब्यादह रकम लेनी है। लेनी रकम में से कोई १५ हजार बसूल हो सकती है और आपकी सलाह के अनुसार यदि कानूनी कार्रवाई की गई तो वह बसूल हो जायगी। बाकी रकम नहीं आ सकती। ऐसी हालत में वहाँके कार्यकर्ता नवान काम का विचार करते हुए करते हैं। परन्तु वहाँके खादी के काम के अनुकूल परिस्थिति को देखते हुए मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह वहाँ काम जरूर शुरू होना चाहिए। वहाँका सूत और कपडा आस-पास के प्रांतों-के मुकाबले अच्छा मालूम होता है। और अब अगर चिन्ता के साथ काम किया जाय तो अच्छे नतीजों का आशा की जा सकती है। कार्यकर्ताओं में से भी अब दगाबाज लोग निकल गये हैं। और जो हैं उनमें इतना सामर्थ्य नहीं कि अपनी हिम्मत के बल पर साहस कर के काम खिर पर लें। पर वे बताया काम अच्छी तरह कर सकेंगे। इसलिए नये धिरे से खादी तैयार करने के काम की सलाह दी है। और जो तबतक नवाई है वह अगर मंजूर हो जायगी तो उत्कल में एक साल में कोई ६० हजार की खादी तैयार हो सकेगी। एक बार यदि इतना काम संतोषजनक रीति से हो सके तो फिर आगे उसे बढाने में कठिनाई न होगी।

सहायिका का काम इससे ज्यादा मुश्किल मालूम होता है। इस प्रान्त में वही की सुविधा बहुत कम है। 'वही उगाहने का' कार्यक्रम वहाँ संभवनीय नहीं मालूम होता। इसलिए वही एकत्र कर रखनी पड़ेगी। परन्तु इसके अलावा काम करनेवालों की भी कठिनाई है। ऐसा मालूम होता है कि काम करनेवाले मिल तो आसंगे। पर इनकी गुजर के लिए कुछ प्रबन्ध हो तब (१५) महीने से ज्यादा न देना पड़ेगा। परन्तु १०-१५ लोगों के लिए इतनी रकम एकत्र कर लेने की भी ताकत नहीं मालूम होती। यदि इतनी सुविधा हो सके तो हर जिले से ५०० खुद कातने वाले और दूसरे मिल कर कोई २००० सदस्य एक ही महीने में मिल आसंगे। इस मामले में जो कुछ भरसक हो सकता है, करने की सज्जीज करता हूँ।

यहाँ (कलकत्ता में) लगभग सारा दिन सतीश बाबू के साथ था। आपकी सलाह के अनुसार देशबन्धु दास ने इन्हें स्टाडीमण्डल में नियुक्त किया है। और उन्होंने भरसक सहायता देने का वचन दिया है, यही नहीं बल्कि सबसे अच्छी तरह कोशिश भी कर रहे हैं। उक्तल के बराबर कंगाल प्रान्त दूसरा नहीं। उसमें खादी का काम तो सबसे ज्यादा हो सकता चाहिए। परन्तु हम पत्र से मालूम होता है कि वहाँ सबसे कम हो रहा है। इसका कारण पसिद है। वहाँ लोगों को खाने-पीने की यासता है वहाँ काम करने की शक्ति और उत्साह लोप हो जाता है। यदि वहाँ कार्यकर्ता मिल जायेंगे तो वह धारणा की जा सकती है कि उक्तल सबसे आगे बढ़ जायगा।

**हम क्या करें !**

जंतपुर (काठियावाड़) निवासी दो भाइयों ने भूले जंतपुर मुकाम पर नीचे लिखा हुआ पत्र भेजा था—

आपका चरखे का मिश्रान्त हमें इत्य मे स्वीकृत है। परन्तु वर्तमान समय ही ऐसा विकट हो गया है कि आजीविका के लिए कपड़े नियमों का महान् और बिरुदाल पहाय मार्ग में बाधा डालता है। इससे निश्चित स्थान पर पहुँचने में असफल हों तो या क्या ? अनुभव से तो केवल इतना ही देख सके है कि सच्चा रास्ता तो भूख मरने है और दौब-पेच, प्रपच, दगा इत्यादि के जयें रूप पैदा करना और गृह-संसार चलाना रुक हो गया है। यदि मैं सफल न हों तो मोहरी के लिए भीख माँगनी पडती है। इससे हृदय-बल घट गया और यही मकद है कि निश्चित लक्ष्य भ्रूक जाना है।

से दल देने में हमारी मुश्किलें ये हैं: खेती करने से सब बात रल ही सकती है; किन्तु पचाहयना में पडे हुए होने के कारण शरीर ल सब नष्ट हो गया है; यहाँ तक कि अब जिन्दगी भर सामथ्य और दिम्मत नहीं हो सकती।

किसानों की संख्या बहुत है। वे अपना काम नला लेते हैं। लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के साधन ही नहीं मिलते। इसलिए आज तो वे भी अधागति को प्राप्त माने जा रहे हैं। उनके बाद, हम जैसे अर्धदम्ब मनुष्यों की संख्या अधिक है। उनके लिए क्या मार्ग होगा ? हृदय यह किस प्रकार जान सकते हैं ? यदि कभी आपके सत्य सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करने की कोशिश करते हैं तो हम जैसे शक्तिहीन मनुष्यों को हर प्रकार के साधनों को प्राप्त करने के लिए दूसरों की मदद देने की जरूरत रहती है। यदि ऐसी मदद प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवाय ही को देना पडता है। ऐसा भी अनुभव हुआ है। अब हमें कोई सरल मार्ग दिखाई नहीं देता। हम आशा करते हैं कि आप हमें जरूर ही सरल मार्ग बतावेंगे।"

यह वर्णन सशर्ष है। ऐसे निर्बल वायुमण्डल में से बिना सामयिक बल प्राप्त किये कोई निकल नहीं सकता। वे भाई जिस वर्ग

के हैं उसे आलस्यकी महारोग ने घेर रक्खा है। साक्षात् वे इत्य प्राप्त करने के आदत पड जाने के कारण उन्हें मिहनत करके कमाना मच्छ नहीं मालूम होता। आदर्शकृतार्थे बड पड़े हैं। बिना कपड़े जो कुछ बिना है उतने पूरा नहीं होता। विवाह, मरण इत्यादि के तमिम खर्च इतने बड गये हैं कि वे बिना कर्ज लिये या बेजा तौरपर कमाये चक नहीं सकते। खेती करने लायक शरीर नहीं रह गये और उसके लिए पूंज और आवश्यक जानकारी भी नहीं रही। इसलिए अब चरखा ही बाकी रह जाता है। यहाँ चरखे के मानी सिर्फ कातना नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे पर होनेवाली ममस्त क्रियायें समझनी चाहिए। यही एक पेशा है जिसमें पूंजी और शारीरिक समृद्धि दोनों की कम जरूरत है यदि हम रुठ आडम्बर से बचते रहें और सारी रहनसहन एकडे तथा आलस्य का प्रान करे तो उनके द्वारा आजीविका भी मिल रहेगी। पूर्णतः दोनों भाई यदि कुछ मानसिक बल प्राप्त करें तो बोके ही परतन से कतने और बुनने का काम सीख सकते हैं और वे बुनाई के काम से ही अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। अपनी लागों को खादी का शोक नहीं लगा है इसलिए बुनाई के जयें आमदनी कम होती है। लेकिन अब खादी का अच्छा प्रचार होगा तब हममें से अधिकतर लोग बुनने का काम करेंगे या खादी के नानियुक्त व्यापारों के द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त करेंगे। यदि इन भाइयों के नजदीक कुछ सामान्य पुस्तकालय की भी गुंजाइश हो तो उन्हें खादी के किताबें शिवालय में भरती हो जाना चाहिए। काठियावाड़ में ऐसी मस्था मडहा में है। अब तो काठियावाड़ रामकीय बरिपडू ने चरखे के प्रचार के कार्य को अपना प्रधान कार्य बना लिया है। इसलिए उसके मंत्रों के साथ सलाह करके उन्हें अपना मार्ग हूड लेना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि एक कमाये और दूसरे लोग बड कर खावें ह न्धे में नहीं हो सकता।

**पक्ष बार्द की कठिनाई**

एक सज्जन लिखते हैं कि मैं एक बहू, खादी पहनने के लिए समझाने गया था। उन्होंने जवाब दिया—“यदि मैं खादी पहनने लगूँ मेरे पति मिल के कपडे पहननेवाली स्त्री पर मोहित हो हर चरित्रभ्रष्ट न हो जायेंगे ?” ऐसे जवाब की आशा में किम पवित्र बाई से नहीं रख सकता। पर जब यह सवाल मूठा हो गया है तब उसका निवार कर लेना उचित है। अपनी पत्नी के सादगी का पबलंजन करने पर अथवा स्वधर्म-पालन करने पर यदि किना पति के चरित्रभ्रष्ट होने की संभावना हो तो उसके विषय में पवित्र स्त्री को निश्चित रहना चाहिए। जिस पुष्य की पवित्रता किता और की पत्नी के लिबास को देख कर भंग हो सकती हो उसकी पवित्रता में कुछ मार होने की संभावना नहीं। लिबाम के फेरफार से जो पति भ्रष्ट हो सकता है वह क्या स्व-वता स्त्री को देख कर अपवित्र नहीं हो सकता ?

पर मेरा अनुभव इन बाई की बात से उल्टा है। मैं ऐसे सेंडों पतियों को जानता हूँ जो अपनी पत्नियों के खादी पहनने से प्रसन्न हुए हैं। उनके घर का खन कम हुआ है और खादी धारण करनेवाली अपनी पत्नी के प्रति उनका प्रेम बढा है। यह भी हा सकता है कि इन बहन को वास्तव में खादी पहनना ही नहीं था और इसलिए अनजान में ऐसा अनुचित विचार उनके मन में उठ आया। ऐसी बहनों से तो मेरी यह प्रार्थना है कि उन्हें दृढतापूर्वक खादी पहननी चाहिए और समझना चाहिए कि गृहस्थ लिबास में नहीं, बल्कि पवित्रता में ही और लिबास गृहस्थ के लिए नहीं है बल्कि सर्वांगी से शरीर की रक्षा करने और बदन ठडने के लिए है। (नवजीवन) सौ० क० गांधी

# हिन्दी-नवजीवन

पुस्तक, फाल्गुन सुदी ४, संवत् १९८१

## फिर मनाई

बाइसराय सा० के ग्राइवेट सेक्रेटरी और मेरे दरम्यान तार के अर्थों जो लिखावटी हुई है उसे मैं नीचे देता हूँ—

मेरा तार

ता. ९-२-२५

“मार्च के आरंभ में मुझे और मेरे साथी को कोहाट जाने की इजाजत अब बाइसराय साहब दे सकेंगे ?”

बाइसराय के मंत्री का उत्तर

ता. १३-२-२५

“श्रीमान् बाइसराय ने मुझे कहा है कि मैं आपको आपके तार के लिए और तार करने की शिष्टता के लिए धन्यवाद दूँ। आपके इच्छानुसार आपकी इजाजत देने में श्रीमान् को बड़ी खुशी होती। लेकिन उनका ध्यान कोहाटो हिन्दुओं को योग इंडिया में ही गई आपकी इस सलाह की ओर गया है कि सरकार को मध्यस्थता के बिना ही जबतक मुसलमान लोग उनके साथ बाइजान झुके न करें तबतक वे कोहाट वापस न जायें। इस लेख से वे सिर्फ यही तात्पर्य निकाल सकते हैं कि यदि आप कोहाट गये तो वे आगल करते हैं कि आपके प्रभाव का मुझका हाल ही हुए उस समझौते को तोड़ने की ओर ही रहेगा जिसे कि बाइसराय साहब का महत्वपूर्ण मानते हैं और जिसके द्वारा वे मानते हैं कि परस्पर स्थानी समझौता हो जायगा। अतएव बाइसराय सा० को यह यकीन है कि आप खुद ही इस बात को ठीक ठीक समझ सकेंगे कि आपकी इच्छा के अनुकूल होना उनके लिए किन असम्भव है।”

मेरा दूसरा तार

१९-२-२५

“तार के लिए धन्यवाद। आपके तार में ‘यं००’ के जिस लेख का उल्लेख है उसमें मैंने आदर्श सुझाया है। परन्तु जो मुझसे उठा लिये गये हैं उनमें मैं बिल्कुल दखल देना नहीं चाहता। सभी शान्ति स्थापित करना मेरा उद्देश है और मैं मानता हूँ कि सरकार की मध्यस्थता के अथवा सब विचार करें तो गैर-सरकारी और स्वयंस्फूर्त प्रयत्न के बिना वह प्रायः असंभव है। जिस दरजे तक सरकारी यत्न के द्वारा पक्षों सुलह हातो होगी उस दरजे तक तो मेरी और मेरे साथियों की मध्यस्थता उसमें सहायक हो सकती है। उत्तर साबरमती दीजिएगा।”

इसका उत्तर

२२-२-२५

“आप के तार के लिए श्रीमान् बाइसराय सा० धन्यवाद देने को आशा करते हैं। जो सुलह आम बड़ी कठिनाई के साथ हुई है वह दोनों जातियों के गैर-सरकारी लोगों को अपने आप मिली सहयोगिता के फल-स्वरूप ही हो पाई है। निधय ही वह दोनों जातियों में हुआ ठहराव है। और यदि उनकी बातों में कुछ-भी मजबूत की जाय तो सारा ठहराव छिन्न-भिन्न हो जायगा। और फिर इस ठहराव के आधार पर ही श्रीमान् बाइसराय सा० आत्यन्त आत्मपरीक्षा के बाद मुझसे उठा लेने पर राजी हुए हैं।

ऐसी हालत में, यद्यपि बाइसराय सा० भी समझते हैं कि आप शान्ति-रक्षा करना ही चाहते हैं, तथापि वे समझते हैं कि यदि आप वहाँ जायेंगे तो फिर से सारा मामला नये खिरे से खोलना पड़ेगा। इस कारण निहायत अकसोस के साथ उन्हें अपने पड़के निधय पर ही काम करना पड़ता है।”

यह बात बिल्कुल सच है कि मेरे कोहाट जाने से वहाँके हिन्दू-मुसलमानों के समझौते का मामला जहाँतक वह मूलतः ही खराब होगा, फिर से खुले बिना न रहेगा। पर वह समझौता दशाव का फल है; क्योंकि मुझमें खलने की धमकी तो दोनों पक्षों के खिर पर खड़ी ही थी। यह ठहराव दोनों के स्वेच्छामुवक नहीं हुआ है जिससे कि दोनों का पसंद हो। हिन्दू और मुसलमान दोनों ने, जो कि रावलपिण्डो में मौ० शौकतअली से और मुझसे मिले थे, ऐसा ही कहा था। परन्तु मेरे कोहाट जाने से चाहे कुछ भी नतीजा निकले या न निकले, उससे दोनों फीफ की अनबन में बढ़ती तो हरगिज नहीं हो सकती। ऐसी हालत में यदि मुझे अपने मुसलमान-मित्रों के साथ कोहाट जाने दिया जाता तो शान्ति-स्थापना का शेष जिनका कि दावा मेरे बावजूद ही बाइसराय सा० भी करते हैं, बहुत अर्थात् तक सिद्ध हुआ होता उस समय जब कि कोहाट में आग धबक रही थी, मेरा न जाने दिया जाना कुछ कुछ अन्याय में ला पाया था, परन्तु इस समय की मनाई समझ में नहीं आती। किन्तु जो मित्रों ने मुझे सूचित किया कि बिना इजाजत लिये अथवा खबर किये ही मुझे कोहाट पहुंच कर मुमादियती हुकम की शक्ति खिर पर ले लेना चाहिए था। पर यह मैं उसी दायन में कर सकता था जब किसी भी हुकम का अनाश्र कर के जिक्र जाने की जगह देने का इच्छा मुझे नहीं। पर मैं मानता हूँ कि देश में आज ऐसी किसी कार्रवाई के योग्य वायुमण्डल नहीं है। इसलिए मैं इस शक्ति को खिर नहीं ले सकता। मुझे आशा है कि जिन मानवानों के साथ मैं सविनय भाग के किमी भी कदम से रह रहा हूँ, उसको कदर मरकार करेगा। और इस प्रावधानों में भी मेरा हस्त यह है कि जहाँतक हा. सके ऐसा कोई भी काम न किया जाय जिससे लोग अपत्यक्ष-रूप से भी हिंसा में प्रवृत्त हो सकें। पर हौं, ऐसा समय आये बिना न रहेगा जब कि भ्रष्ट परिणामों का लेखनाप विचार किये बिना सविनय-संग करना मेरा धर्म हो जायगा। मैं नहीं जानता कि यह समय कब आ सकेगा, या आवेगा। पर मैं इतना जरूर मानता हूँ कि वह आ सकता है। जब वह बक आ जायगा तब मुझे आशा है मेरे मंत्र मुझे पोट दिखाते न देखेंगे। तबतक वे मुझे विवाह लें। (य० ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

## गिदवाणीजी कुटे

आचार्य गिदवाणी नामा जेठ से रिशहर दिये गये हैं।

## एजेंटों के लिए

“हिन्दी-नवजीवन” की एजेंटों के नियम नीचे लिखे जाते हैं—  
 १. बिना पसगी नाम आये किसीको प्रतिपत्तियाँ नहीं भेजी जायगी।  
 २. एजेंटों को प्रति कापी १। कमोद्यन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखा हुए नाम से अधिक कने का अधिकार न रहेगा।  
 ३. २० सं. कम प्रतिपत्तियाँ भेजने वालों को बाक अर्थ देना होगा।  
 ४. एजेंटों का यह लिखना चाहिए कि प्रतिपत्तियाँ उनके पास कीक से भेजी जाय या रोकने से।



### राजकोट का आतिथ्य

राजकोट के ठाकुर साहब ने मावनागर में ही गांधीजी को राजकोट आने का निमंत्रण दिया था। गांधीजी ने उसे यह कह कर स्वीकार भी किया था कि मेरी खादी की झोली भर सके तो आऊंगा। गांधीजी के प्रति ठाकुर साहब का अत्यन्त आदर-भाव, स्थान स्थान पर उनका खूब स्वागत-सत्कार करने की उत्कण्ठा देख कर उनके प्रति बड़ा आदर-भाव पैदा होता था। गांधीजी के स्वागत-सन्मान के लिए उन्होंने अनेक प्रसंगों की तजवीज की थी। प्रत्येक प्रसंग पर समय और तंत्र-निष्ठा का पालन ठाकुर साहब ने गांधीजी की तरह ही निश्चय-पूर्वक किया। यह देख कर गांधीजी भी दंग रह गये।

प्रजा-प्रतिनिधि-मण्डल की ओर से अभिनन्दन-पत्र देते हुए ठाकुर साहब ने गांधीजी की बड़ी स्तुति की। यही नहीं, बल्कि महात्मता के कार्य-क्रम को भी स्तुति की और उसे उत्तेजन देने का वचन दिया। अभिनन्दन-पत्र का उत्तर देते हुए गांधीजी ने जो भाषण किया उसका सार इस प्रकार है—

“ आज मुझ दरबारगत में प्रवेश करते ही मुझे पहरे की एक पवित्र घटना की याद हो आई। पिकले ठाकुर साहब से एक बार रो कर हम दो भाइयों ने अपना काम बना लिया था। आज भी मे रो कर अपना राज-पक्ष लेना चाहना हूँ। शास्त्रीजी ने आशीर्वाद करते हुए कहा कि कीर्ति तो कुवारो है। वह कुमारो ही रहे तो अच्छा। यदि कहीं उमरे मेरे साथ शादी की तो मैं कहीं का न रहूँगा। इसलिए मुझे कीर्ति की चाह नहीं। मैं तो दूसरी एक दो चीजें चाहता हूँ और उनके लिए मुझे रोना ही पड़ेगा। अभिनन्दन-पत्र में मेरी बहुत स्तुति की गई है। श्रीमान् ठाकुर साहब ने भी बहुत-कुछ कहा है। पर इनमें मे आँसू में नहीं आ सकता। मैं यह नहीं मान लेता कि मैं इस सबके लायक हूँ। ठाकुर साहब ने मुझे अपने दाहिने हाथ बैठाया—पर इसमें मैं यह नहीं मान सकता कि मैं राजा हूँ याग। मैं राजा नहीं होना चाहता मैं तो रैयत हूँ और रैयत हो रहना चाहता हूँ। हाँ, ठाकुर साहब ने जो विमर्श-दर्शित किया है उसका त्याग मैं नहीं कर सकता। मैं अपना हृदय खोल कर नहीं आऊंगा—पागल न बनूँगा।

अभिनन्दन-पत्र में अहिंसा और सत्य को जो मेरा जीवन-संज्ञ कहा गया है वह बिल्कुल ठीक है। वह ये दोनों मेरे जीवन से चले जायें। मुर्दा हो जाऊँ और शेष जीवन व्यतीत करना मेरे लिए मुठिकल दुःसाय। पर जिन दो साधनों—खादी और अस्पृश्यता-निवारण—के द्वारा मैं सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहता हूँ उनका उल्लेख अभिनन्दन-पत्र में न देख कर मुझे आश्चर्य होता है। इन दो बातों की साधना में जो सामर्थ्य है वह हिन्दू-मुस्लिम एकता में भी नहीं। बल्कि इन दो में से एक की भी साधना किये बिना हिन्दू-मुसलमान-ऐक्य भी असंभव है। एक मुसलमान-विद्वान् ने मुझसे कहा कि आप जबतक यह मानते रहेंगे कि हिन्दू-धर्म में अछूतपन के लिए स्थान है तबतक हिन्दू-मुसलमान-ऐक्य किस तरह हो सकता है? वे भाई पवित्र मुसलमान हैं। मुसलमान को अपवित्र माननेवाले लोग भी हैं; पर मैं समझता हूँ कि वे अधर्म करते हैं। गीताजी और हिन्दूधर्म-शास्त्र हमें शिक्षा देते हैं कि हिन्दू और मुसलमान अलग अलग दो खण्डित विभाग नहीं हो सकते। हिन्दू-धर्म को मैं गंगोत्री कहता हूँ। उसकी अनेक शाखें हैं। पर उनका मूल एक ही है। और मूल की तरह मुख भी एक ही है।

देव, भरी अन्ततः हो तो इससे क्या? चाण्डाल नाम को कोई जाति नहीं, देव काई जाति है? यह शब्द धर्मशास्त्र में है?

देव का अर्थ कपड़ा बुननेवाला, भगो का अर्थ है पालाना साफ करनेवाला। पर मैं तो आज ही भगो हूँ। बन्या यदि मेला कर दे तो मैं इसे साफ कर दूँ। मेरी माना भी भगो थी। उसके हाथ हमारा मेला साफ कर कर के छिप गये थे। आपकी माता भी यदि खोता की तरह मरी होगी, रीयता होगी तो उन्होंने भी बर्षों का मेला साफ किया होगा। मता खोता प्रातःस्मरणोप थी। पर उन्होंने भी बहुत मेला साफ किया था और व भी भगो बन गई थी। जिस तरह इन माताओं का स्पर्श नहीं किया जा सकता उसी तरह भगो का भी स्पर्श करने किया जा सकता है? तो यदि हिन्दू-धर्म में अस्पृश्यता जैसी कोई अहित वस्तु हो तो मैं हिन्दू कहलाने में अभिमान न मानूँ। चाण्डाल का भी उद्धार हो कर कहना कि हिन्दू-धर्म में अस्पृश्यता के लिए स्थान नहीं है और निरंतर कहता रहूँगा कि नहीं है।

जब आज का अर्थक्य पाने उठा कि शान्ति लोभ मुझे आशीर्जन देने तो यह सब हर मुझे हय का दुःख और खेद न हुआ। खुशी इस बात ने हुई कि मेरे अस्पृश्यता-निवारण-संज्ञो काम के लिए भी मेरे आँसू का सौं उ राशीर्वाद मिलेगा। खेद इन बातों से कि राजा हो आज मैं खेद का कारण लोभ कुछ भी बचन करेगा। उनका क्या पूरा? उन लोभ हय वान का जानने हैं कि उ कय न बार नारि नारि करे। पर तु मुठ ता प्राणितान न दाना और मेरे मुठ ठाकुर साहब को भूत मानना हो तो मैं राजकोट का तजवीज हय क कारण, प्रजा के अधिकार का उरयो करने हुए ठाकुर साहब को कहूँ कि प्रजा भूत कर रहे हैं। वे जाने बनने के शक्ति ही हयन मानता हूँ। जितनी ही बार उन्हें बक्त हो देव कर यो करवा पड़ते यो। मैं न माना कि ठाकुर साहब ने कृपण दिग्गज हयवा के राजा का शारीर्वा से आशावाद देखाया न पाने नहीं तो उ यो यो यो यो का पाने आशीर्वा से लगे? इस तरह भिडे आशीर्वाद का क्या लाभ? मना यह चाहना हूँ कि गांधीजी लोभ में यह नेत्र हय कि यदि मुझे हिन्दू न माना ही, चाण्डाल न माने हय ना चाण्डाल हय। मैं तो शास्त्रिया का अय मिटाना चाहता हूँ। उनसे कहना चाहता हूँ कि जो अहिंसा-धर्म का पालन करना है वह किसीको अस्पृश्य नहीं मानता। इस कारण मुझे दुःख होता है कि गांधीजी लोगों के द्वारा आशीर्वाद दिलाते हुए भी मेरी अस्पृश्यता-सेवा का उल्लेख अभिनन्दन-पत्र में नहीं है। इसके बारे में मैं जरूर ठाकुर साहब से फर्याद करूँगा—ठाकुर राज्य खगा- उनसे कहूँगा कि जो अधिय-दृष्टि आय प्रजा के दूसरे भागों पर रखते है वही अस्पृश्यता पर भी रक्षित। नया अयका यह छोटा-छा राज, मन्शाया हाते हुए भा सारो पृथ्वो का शोभित करेगा और राय-राज्य योगे। बाल्मीकि करि ने कहा है कि श्री रामचन्द्र ने कुते के साथ भी इत्साक किया था और तुलसीदास ने कहा है कि राम ने चाण्डाल कदनेवाडे के साथ मित्रता की, भरत निपाद-राज के पोछे पागल हा गये, उनके चरण जोये। आप उन्हीं भरत के वंशज हैं, गरीब का न भूलेएव; रात का यून कर पना के दुःखों को देखेएगा, अन्तर्गत के तिमिरे विन कर भापसे यह मांग लेता हूँ कि आप पूँटुरा कि राठशाकाओं में अस्पृश्यता का स्थान है य नहीं, यदि हो ना अस्पृश्यता का पेश उतन कराएगा और यदि ऐसा करने से वे नृप राज न हो ना उन्हीं खाली रहने दाजिएगा।

यहाँ मैंने शब्दसादृश्य का देवा। मेरे मन में यह भाव उठा कि स्काट्स का यूनानियों भी खादी का नहीं? इनका खादी की बरकी भिडे ता मेरे अस्पृश्यता भाइयों का कुछ काम चले, प्रजा का कुछ काम चले। आपने

मेरा बहुत सम्मान किया। पर मेरी शिक्षा मेरे बताये अमोघ रास्ते के लिए है। आप मुझे खादी दाजए। सब लोग खादी पहनें, प्रजा-प्रतिनिधि मण्डल में खादी के प्रस्ताव कराइए। आपने तो मुझे सुवर्णजटिन अभिनन्दन-पत्र दिया। इसके लिए मैं निजारी कहाँसे लाऊँ ? और यदि निजारा माँगू तो उनके लिए स्थान भी माँगना पड़े, और रक्षक कहां से लाऊँ ? मेरा रक्षक तो राम है। तो ऐसे अभिनन्दनपत्रों का रखनेवाले जमनालाल बजाज जैसे धनवान् पुरुष है, जोकि मेरे पुत्र बन कर बैठे हैं। मेरे यहाँ तो केवल खादी ही स्थान है। और खादी में हर किताबे माँगूंगा। मैं तो लार्ड रिंग से भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप और आपके दरबान खादी-भूषित हों। यही शब्द मैं आपसे और आपकी प्रजा के प्रतिनिधियों से कहता हूँ। और इस कारण मुझे यह बात खटकती है कि आपने अभिनन्दन-पत्र में मेरे दो मुख्य कार्यों का उल्लेख नहीं किया है।

ठाकुर साहब की सखी शादी तो प्रजा के साथ होगी। और उस शादी के लिए मेरी माँग है खादी और अन्त्यजोद्धार। प्रजा तो कुमारिका है। उसका कुंवारापन यदि दूर करना चाहते तो तो उससे विवाह कीजिए, उसे सुखी बनाइए, उसका निरीक्षण कीजिए, रात को घूम घूम कर उसके लो आँसु सुखाने जाँजिए। राम ने धोधा का उठते हुई बात सुन कर सोता का छोट दिया। आप भी प्रजाभक्त का जान कर उसके अनुसार चलने का यत्न कीजिए। राजा को तलवार से हार करने का विन्दि नहीं है। यह तो इस बात का सखी-रूप है कि राजा का धर्म है तलवार को धार पर चलना। खादी हमेशा याद दिलाता है कि गाँवों को धार पर चलिए, सीधे रास्ते जाइए। टेढ़े रास्ते न जाइएगा। इसका अर्थ कि राजकाट में एक भी आदमी व्यक्तिगत रूप से, एक भी शास्त्र धारण पोनेवाला न है, दरएक को माता का स्थान देनेवाली हो।

मुझे अपने पिताजी का स्मरण हो रहा है। मेरे पिताजी में ऐसे थीं, पर गुण भी बड़े बड़े थे। भूतपूर्व ठाकुर का० में भी ऐसे थीं, गुण भी थे। उनके नाम गुण गणमें पाये। ऐसी का कोशिश करके दूर करना। आपका धर्म है। दुर्भेद्यता को जगह सबलता, मैल की जगह परिशुद्धता, का स्थान दिखाना आपका धर्म है। इसलिए गरीबी पर दया राखिएगा, उन्हे जिला कर खाइएगा। आपकी तलवार आपके अपने गले के लिए है। प्रजा को आप कहिएगा कि यदि अधिकार की मर्यादा से न्यून होकर तो यह तलवार मेरी गर्दन पर चलाना। मैंने उस दरबारगढ़ में नमक खाया है। इसलिए यदि आज आपसे कुछ न कहूँ तो बेवफा कहाजगा। सारी पृथ्वी यदि मेरा भादु करे तो भी मैं फूलंगा नहीं आपका दिया ज्ञान मुझे बहुत सना है। क्योंकि मैं राजकाट में छोटे से बड़ा हुआ, अनक लड़कों के साथ यहाँ खेला, अमरुच खियों ने मुझे खेलाया और आशावादी शिक्षा। परन्तु यदि असह्य खिया मुझे आशोप दें और और मेरा माता न है तो मुझे वह किस तरह अच्छा माखम हो ? मुझे दूध को जगह शराब मिले, ऊँच चाहें तो सिगरेट मिले, तो यह किस काम के ? मैं तो ५, गरीबी और अन्त्यज का दुःख का निवारण करना चाहता हूँ। अन्त्यजों के साथ मैं अन्त्यज हो गया हूँ। खीरों से मैं कहता हूँ कि मैं आपके लिए खाँदा हो गया हूँ। आपको परिव्रता की रक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर पर्यटन कर रहा हूँ। मैं यहाँ बतौर एक कंगाल के आया हूँ। संसार में मुझे भिन्न मानादर के बरु पर है। मैं एक प्रजा-जन को हींसवत से आया हूँ। मुझे यदि आप खबर देंगे कि राज्य में इतने चरखे चलन लगे हैं, इतनी

खादी आ गई है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यदि मुझे खबर दोगे कि रानी सहिबा भी खादी पहनती हैं और सारे राज्य में, दरबार के कोने कोने में खादी व्याप्त हो गई है तो मैं नगे पैर आ कर आपसे प्रणाम करूँगा। आपका भला हो और ईश्वर आपकी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ करें।

### ब्रह्मचर्य

भादरण मुहाम पर एक अभिनन्दन-पत्र का उत्तर देते हुए लोगों के अनुरोध से गोधोजी ने ब्रह्मचर्य पर लंबा ब्रह्मचर्य किया। उसका मार यहाँ दिया जाता है—

आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य के विषय पर कुछ कहूँ। कितने ही विषय ऐसे हैं कि जिनपर मैं 'नवजीवन' में प्रसंगोपात्त ही लिखता हूँ। और उनपर व्याख्यान तो शायद ही देता हूँ। क्योंकि कि यह विषय हो ऐसा है कि कह कर नहीं समझाया जा सकता। आप तो मामूली ब्रह्मचर्य के विषय में पूछना चाहते हैं। 'समस्त इन्द्रियों का संयम, यह विस्तृत व्याख्या जिस ब्रह्मचर्य की है उसके विषय में नहीं। इस साधारण ब्रह्मचर्य की भी शास्त्रकारों ने बड़ी कठिन बताया है। यह बात १९ को सदा सच है, १ को सदा इसमें कमी है। इसका पालन इसलिए कठिन माखम होता है कि हम दूररी इन्द्रियों को संयम में नहीं रखते। उनमें मुख्य है रसनेन्द्रिय। जो अरुनी शिक्षा को कठने में रक सकता है उसके लिए ब्रह्मचर्य सुगम हो जाता है। प्राणेशस्त्र के ज्ञाताओं का कथन है कि पशु जिन दरजे तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है उस दरजे तक मनुष्य नहीं करता। यह सच है। इसका कारण देखने पर माखम होगा कि पशु अपनी जिह्वेन्द्रिय पर पूरा पूरा नियंत्रण रखते हैं—इच्छा पूर्णक नहीं, स्वभावतः ही। केवल चारे पर अपनी मुत्र करतें हैं—सा भी महज पेट भरने लायक ही खाते हैं। वे जेन्दगी के लिए खाते हैं, खाने के लिए जाते नहीं हैं। पर हम तो इसके विरुद्ध विपरीत करते हैं। माँ बने की तरह तरु के सुन्दाडु भोजन कराती है। वह मानती है कि बालक के साथ प्रेम दिलाने का यही सर्वात्मन रास्ता है। ऐसा करने हुए हम उन चीजों में स्वाद ढाकते नहीं बल्कि ले लेते हैं। स्वाद तो रहता है भूत्र में। भूख के बरु सूखी राटों भी मोठी लगनी है और बिना भूखे आदमी को लडू म फोके आर अस्वाडु माखम होंगे। पर हम तो अनक चीजों को खा खा कर पेट को ठवाडन भरते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता। जो शीखे हमें ईश्वर ने देखने के लिए दा हैं उनको हम मलिन करते हैं और देखने का बस्तुर्भा का देखना नहीं सीखते। 'माता का क्यों गायत्री न पठना चाहिए और बालकों का यह क्यों गायत्री न सिखावे ?' इसकी छानबीन करने की अपेक्षा उसके तरु-सूर्योपासना-को समझ कर सूर्योपासना कराने ता क्या अच्छा है। सूर्य को उपासना तो सनातना और आर्यसमाजो दार्शनिक कर सकते हैं। यह तो मैंने स्कूल अर्थ आपक सामने उपस्थित किया। हम उपासना के मानी क्या है ? अपना चिर ऊँचा रख कर, सूर्य-नारायण के दर्शन करके, आँख को शुद्ध करना। गायत्री के रचयिता ऋषि थे, रचा थे। उन्होंने कहा कि सूर्योदय म जो नाटक है, जो सौन्दर्य है, जो लाला है, वह और कहाँ नहीं दिखाई दे सकता। ईश्वर के जेसा सुन्दर सुन्दर अन्धय नहीं मिल सकता, और आकाश से षड कर मन्म दग-भूमि कहाँ नहीं मिल सकती। पर कौन माता आज बालक की आँखें धा कर उसे आकाश दर्शन कराती है ? बल्कि माता के माँसों में ता अनेक प्रपंच रहते हैं। बड़े बड़े चरों में जो शिक्षा मिलती है उसके फल-स्वरूप ता

उसका धारण बड़ा अधिकारी होगा, पर इस बात का कौन विचार करता है कि घर में जाने-बै जाने जा शिक्षा बच्चों को मिलती है उससे कितनी बातें बह प्रश्न कर लेता है। मा-बाप हमारे शरीर को ठकते हैं, सजाते हैं, पर इससे कहीं कोभा बह सकती है? कपड़े बदल को ठकने के लिए है, सर्दी-गर्मी से रक्षा करने के लिए है, सजाने के लिए नहीं। जाके से ठिठुरते हुए लड़के को जब हम मंगीठी के पास धकेलेंगे, अथवा मुझसे में खेलने-कूदने, खेल देंगे, अथवा खेत में काम पर छोड़ देंगे, तभी उसका शरीर बज्र की तरह होगा। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसका शरीर बज्र की तरह बचर हाना चाहिए। हम तो बच्चों के शरीर का नाश कर डालते हैं। हम उसे जो घर में रख कर गरमाया चाहते हैं उससे तो उसकी चमड़ी में इस तरह की गर्मी आती है जिसे हम छाजन की उपमा दे सकते हैं। हमने शरीर को दुसरा कर उसे बिगाड़ डाला है।

यह तो हुई कपड़े की बात। फिर घर में तरह तरह की बातें करके हम उनके मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। उसकी शादी की बातें किया करते हैं, और इसी किस्म की चीजें और हस्य भी उसे दिखाये जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम महज जं जो ही क्यों न हो गये। अर्थात् लोडने के अनेक साधनों के होते हुए भी अर्थात् की रक्षा हो रहती है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इसतरह से की है कि पतन के अनेक अवसर आते हुए भी वह बच जाता है। ऐसी उसकी लोला गहन है। यदि ब्रह्मचर्य के रास्ते से वे सब विघ्न हम दूर कर दे तो उसका पालन बहुत आसान हो जाय।

ऐसी इच्छत होते हुए भी हम दुनिया के साथ शारीरिक मुकाबला करना चाहते हैं। उसके दो रास्ते हैं। एक आधुनी और दूसरा पुराना। आधुनी मार्ग है—शरीर बल प्राप्त करने के लिए हर किस्म के उपारों से काम लेना—हर तरह की चाये खाना, शारीरिक मुकाबले करना, गोमांस खाना, इत्यादि। मेरे कह-रूपन में मेरा एक मित्र मुझसे कहा करता कि मांसाहार हमें अवश्य करना चाहिए, नहीं तो अंगरेजों की तरह दृष्टे-कष्टे हम न हो सकेंगे। जापान को भी जब दूसरे देश के साथ मुकाबला करने का समय आया तब वहाँ गो-मांस भक्षण का ध्यान मिला। सो यदि आधुनी प्रकार से शरीर को तैयार करने की इच्छा हो तो इन चीजों का सेवन करना होगा।

परन्तु यदि देवी साधन से शरीर तैयार करना ही तो ब्रह्मचर्य ही उसका एक उपाय है। जब मुझे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता है तब मुझे अपने पर दया आती है। इस अभिनन्दन-पत्र में मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा है। सो मुझे कहना चाहिए कि जिन्होंने इस अभिनन्दन-पत्र का मजमून तैयार किया है उन्हें पता नहीं है कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य किस चीज का नाम है। और जिसके बालबन्धे हुए हैं उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी को न तो कभी खुशार आता है, न कभी पिर दर्द करता है, न कभी खाँसी होता है न कभी अपेंडिसाइटिस हाता है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि नारंगी का बीज आंत में रह जाने से भी अपेंडिसाइटिस होता है। परन्तु जिसका शरीर स्वच्छ और गिरामी होता है उसमें ये बीज टिक ही नहीं सकते। जब आँतें विशिष्ट पद आती हैं तब वे ऐसी बीजों को अपने आप बाहर नहीं निकाल सकती। मेरी भी आँतें विशिष्ट हो गई होंगी। इसीसे मैं ऐसी कोई बीज इजम न कर सका हूँगा। बच्चे ऐसी अनेक चीजें खा जाते हैं। माता इसका क्या ध्यान रखती है? पर उसकी आंत में इतनी शक्ति स्वाभाविक तौर पर ही होती है।

इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के पालन का आरोग्य कर के कोई मिथ्यावारी न हो। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का लेब तो मुझसे अनेकगुना अधिक डाना चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं। हाँ, यह सच है कि मैं बैसा बनना चाहता हूँ। मैंने तो आपके सामने अपने अनुभव की कुछ बूँदें पेश की हैं, जो ब्रह्मचर्य की नीना बताते हैं। ब्रह्मचारी रहने का अर्थ यह नहीं कि मैं किसी स्त्री को स्पर्श न करूँ, अपनी बहन का स्पर्श न करूँ। पर ब्रह्मचारी होना का अर्थ यह है कि स्त्री का स्पर्श करने से किसी प्रकार का विचार न उत्पन्न हो जिस तरह कि कागज का स्पर्श करने से नहीं होता। मेरी बहन बीमार हो और उसकी सेवा करते हुए, उसका स्पर्श करते हुए ब्रह्मचर्य के कारण मुझे हिचकना पड़े तो वह ब्रह्मचर्य तान कीडो का है। जिस निर्विकार ब्रह्म का अनुभव हम मृत शरीर का स्पर्श कर के कर सकते हैं उसका अनुभव जब हम किसी भारी सुन्दरी युवती का स्पर्श कर के कर सकें तब हम ब्रह्मचारी हैं। यदि आप यह चाहते हो कि बालक ऐसे ब्रह्मचर्य का प्राप्त करें, तो इसका अन्यास-कर्म आप नहीं बना सकते, मुझ जैसा अधूरा भी क्यों न हो पर ब्रह्मचारी हो बना सकता है।

ब्रह्मचारी स्वाभाविक संन्यासी होता है। ब्रह्मचर्याश्रम संन्यास-धर्म से भा बट कर है। पर उसे हमने गिरा दिया है। इससे हमारा वृत्तस्थान भी बिगड़ा है, ध्यानप्रसाधन भी बिगड़ा है और संन्यास का ता नाम भी नहीं रह गया है। तेना हमारी असहाय अवस्था हो गई है।

ऊपर जो आधुनी मार्ग बताया गया है उसका अनुकरण करके तो आप पाँचवीं वर्षी तक भा पठानों का मुकाबला न कर सकेंगे। देवी मार्ग का अनुकरण था आज हो तो आज ही पठानों का मुकाबला हो सकता है। क्योंकि देवी साधन से आवश्यक मानसिक परिवर्तन एक क्षण में हो सकता है। पर शारीरिक परिवर्तन करते हुए युग पाल जाते हैं। इस देवी मार्ग का अनुकरण तभी हमसे होगा जब हमारे पहले पूर्वजन्म का पुण्य होगा, और माता-पिता हमारे लिए उचित सामग्री पैदा करेंगे।

**श्री भक्त्या का रोज रमना**

श्री भक्त्या के कार्य का कुल व्यय इस प्रकार है—  
“पूर्व खानदेश में श्री दस्ताने और वेब के साथ मैं धूम रहा हूँ। मेरा राजनामचा इस प्रकार है —

- १३-२-२५ गुमानवल—खादी ३५०) की, खासकर बकीलों को बेची। और १२ मन रुई इकट्टा की।
- १४-२-२५ जामनेर—१६। मन रुई इकट्टा की।
- १५-२-२५ चाणसगांव— ३ ०) को खादी बकीलों को बेची और ४५०) को कपड़े के व्यापारियों को। १ मन रुई इकट्टा की।
- १६-२-२५ पाजारा—१२ मन रुई इकट्टा की और सोन्दुरनी में पक्के ५ मन रुई इकट्टा की।

१७-२-२५ आज हम लीग यपाल में हैं। श्री दस्ताने खानदेश में तीन दिन अर्थात् २३ तारीख तक रहना चाहते हैं।

दूसरे कार्यकर्ताओं का उन्माद दिखाने के लिए मैंने श्री भक्त्या के पत्र का यह अंश यहाँ उद्धृत किया है। व्यापारी को तरह लगातार कोशिश किये बिना रुताई और खादी के प्रचार में सफलता मिलना संभव नहीं। मेरा अनुभव तो यह है कि जहाँ कहीं भी काम किया जाता है वहाँ से अनुकूल जवाब तो फोरन ही मिलता है। (पं०६०)

## सत्याग्रही की कसौटी

वाइकोम से एक सत्याग्रही अपने पत्र में लिखते हैं—“त्रावणकोर की धारासभा ने २१ खिलाफ २२ मत से दूरियों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। खुद अन्वर्जा के एक प्रतिनिधि ने भी सरकार के हक में राय दी थी। अब लोग 'सीधे प्रहार' की भी हिमायत करने लगे हैं और जबरदस्ती मन्दिरों में घुस जाने की सूचना दे रहे हैं। सत्याग्रह छावनी में चेचक का प्रकोप बुरी तरह हो रहा है। केवल प्रान्तिक समिति का उत्पाह में पड़ना जा रहा है। हर बात के लिए हमें आपकी समूल्य सहायता और सलाह का आधार रहना है। हमारा खजाना अब खूटता चला। आपके पधारने से हमें अनमोल मदद मिलेगी।”

यह पत्र अच्छा है; क्योंकि इसमें साफ साफ बातें हैं। यदि इसमें वर्णित समाचार सच हों तो मैं त्रावणकोर सरकार को मुबारकबादी नहीं दे सकता। पर असली हालत मुझे मालूम नहीं है। इसलिए जबतक मैं जाकर सबो हालत न जान लूं तबतक इसपर अपनी राय कायम करना सुलतवी रहता हूँ। मैं जितना जल्दी हो सके वाइकोम जाने के लिए भातुर हूँ और आशा रखता हूँ कि इसमें विलम्ब न होगा।

इस साथ सत्याग्रही निराश तो हो ही नहीं सकते। निराशा के सामने वे दब ता हरगिज नहीं सकते। मैंने जा कुछ तामिल भाषा मीकी है उसमें से एक कड़ावत मुझे अबतक याद है उसका भाव है 'गरीब का रखवाला ईश्वर है।' इस सत्य के प्रति विश्वास ही सत्याग्रह के महान् विद्वान्त का मूल है। इसके प्रमाणभूत उदाहरणों से अकेले हिन्दू-धर्म का ही साहित्य नहीं बल्कि दूसरे तमाम धर्मों का साहित्य भरा पड़ा है। त्रावणकोर-दरबार ने भले ही सत्याग्रहियों के साथ विश्वासघात किया हो—मैं भी विश्वासघात करूँ तो इसमें क्या? ईश्वर ऐसा न करेगा—यदि उसपर उन्हें अड्डा होगा। यदि मेरे भरोसे रहने हों तो उन्हें जान लेना चाहिए कि वे सड़े जाम का भरोसा रख रहे हैं। इतने फासके पर बंटे हुए मैं उनका भला-बुरा करने में असमर्थ हूँ। मैं चाहे उनका आसू पीछ सके; पर कष्ट सहन करने का साहस तो उन्हें ही है। और यदि उनका कष्ट-सहन शुद्ध होगा तो उसके द्वारा उन्हें विषय मिले बिना नहीं रह सकती। ईश्वर अपन भक्तों को अन्त तक कसौटी पर खड़ाता है पर उनकी सहनशक्ति का हर ख बाहर हरगिज नहीं। जिस तपस्वर्षा का आदेश वह करता है उससे बच निकलने का शक्ति भी वह दे रखता है। वाइकोम के सत्याग्रहियों का सत्याग्रह ऐसा प्रयासक्रमक महा है कि कुछ समय में सफल न हो तो अथवा एक हदतक कष्ट सह लाने के उपरान्त उसे छोड़ देंगे। सत्याग्रहों के लिए काल-मर्यादा नहीं हाता। उसी प्रकार कष्ट सहने की भी मर्यादा नहीं हाती। इसीलिए सत्याग्रह में पराजय के लिए जगह ही नहीं है। जिस बात का लोग सत्याग्रहियों की हार मानन-ही वह उनका विजय का उद्देश्य-चिह्न क्यों न हो—प्रभृति के पहले का वेदना क्या न हो?

वाइकोम के सत्याग्रहियों का युद्ध स्वराज्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है। युग से प्रचलित अराध और अन्व्याय का मुकाबला वे कर रहे हैं। सनातनधर्मी, वहम, लुडी और दलील उसके पृष्ठपोषक हैं। यह एक ऐसा पुण्य-युद्ध है जो साक्षरता के नाम पर प्रचलित अज्ञान और धर्म के नाम पर प्रचलित अधर्म के खिलाफ शुरू किया जाते हैं। यदि उनके युद्ध में रक्षपात को स्थान न होगा तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्हें धीरज ही रखना उचित है। आग की चपकती ज्वालामुखों के मुकाबले में भी उन्हें अटल रहना होगा।

हो सकता है कि प्रान्तिक समिति उन्हें कुछ भी मदद न दे। उन्हें किसी किस्म की आर्थिक सहायता न मिले। उन्हें लंघन भी करना पड़े। फिर भी इन अयंकर कसौटियों में उनकी अड्डा देदीप्यमान दिखाई देने चाहिए।

सत्याग्रही जो कर रहे हैं वही 'सीधा प्रहार' है। परन्तु प्रतिपक्षियों पर वे विगड नहीं सकते। वे अज्ञान हैं। वे सब बगवान् नहीं हैं जिस तरह कि सभी सत्याग्रही भी साफ-पाक नहीं होते हैं। जिसे वे अपने धर्म पर आक्रमण समझते हैं उका मुकाबला कर के वे अपनी रक्षा कर रहे हैं। वाइकोम का सत्याग्रह कष्टसहन की दलोल है। क्रोध-रहित, द्वेष-रहित कष्ट-सहन के उदीयमान सूर्य के सामने कठोर से कठोर हृदय पिघले बिना नहीं रह सकता, धार से धार अज्ञान दूर हुए बिना नहीं रह सकता।

सत्याग्रह छावनी में शोतला के प्रकोप को बात सुन कर मैं चौंक उठा हूँ। यह रोग गंदगो से उत्पन्न हाता है और तन्दुरुस्ती-सकंधो भामूलो उपार्जा से दूर हा सकता है। चेचक के रोगियों को दूसरों से अलग रख कर उसके प्रकोप का कारण खोजना चाहिए। छावनी में सफाई तो पूरी पूरी रहती है न? डाक्टरों के पास चेचक की कोई दवा नहीं रहती। जल-चिकित्सा ही उनका उपाय इलाज है। सूक्ष्म आहार अथवा अनाहार सबसे अच्छा रास्ता है। पर सबसे बड़कर महत्व का बात तो यह है कि रोगी अथवा दूसरे लोग दो में से काई भी हिम्मत न हारें। रोगियों की पीडा भी उनके कष्ट-सहन की विधि का एक अंग है। सैनिकों की छावनिया राग से बिल्कुल भङ्गनी नहीं हातीं। यद्वातक कि, कहते हैं, गोलियों खा कर मरनेवाले सैनिकों—“अपेक्षा रोग से मर जानेवाले सैनिक हो ज्यादा हाते हैं” रुपये-पैसे की चिन्ता वे बिल्कुल न करें। उनकी अखण्ड अड्डा उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता दिना देना। मैंने अबतक एक भी काम ऐसा नहीं देखा है जो इन के अभाव से अन्त तक न पहुंचा हो।

(य० ई०)

मोहनदास करमचन्द्र गांधी

सच हो तो अमानुष

शिव गु० प्र० समिति की ओर से मुझे नाचे लिखा तार मिला है—

“नामा से हाल ही बड़े अमानुषी अत्याचारों की खबरें आई हैं। कैदियों को केश, बाड़ी पकड़ कर खींचा गया है और ऐसी मार मारी गई है कि वे बेहोश हो गये हैं। उनसे पानी में गाते लगवाये गये हैं। बदन के भिन्न भिन्न हिस्से लाह के लाल गरम सोकरासे दागे गये हैं और सिर नाचे भार पाव ऊपर बांध कर लटक दिये गये हैं, जिससे कितने ही लोग मर भी चुके हैं। बहुतों को हालत चिन्तन हा रही है। कितनी ही का सखा जल्म पहुंचे हैं। कुछ जत्यों को तो ता. १३-१४ को खाना-पाना ही नहीं दिया गया। बड़ी सनसना फैल रही है। हालत गिहानत गभीर है। तुरन्त कुछ उपाय करना जरूरी है।”

मैं इस तार को छाप तो देता हूँ—पर अफसोस! तुरन्त उपाय क्या किया जा सकता है? इन लोगों की हमदर्दी का तो कैदी लोग बिल्कुल यकीन रखेंगे। मुझे इस बात में भी कोई शक नहीं कि बड़ी धारासभा में प्रश्न तर भो होंगे; पर इससे उन दुखियों को क्या तसली मिलेगी! मैं तो सिर्फ वही आशा कर सकता हूँ कि यह चित्र अतिरंजित होगा और कर्मचारी लोग आरोपित अमानुषता के अपराधी न होंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि नामा के राक्षस-धिकारी इन अयंकर इल्जामों का खुलासा पेश करेंगे, जो कि जेल के कर्मचारियों पर लगाये गये हैं और निष्पक्ष तौर पर उनकी तहकीकात करावेंगे।

(य० ई०)



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

नं० ४ ]

[ अंक ३-

मुद्रक—महाशय  
कैलीदास जगन्नाथ शुभ

अहमदाबाद, फाल्गुन सुदी १०, संवत् १९८१  
गुरुवार, ५ मार्च, १९२५ ई०

मुद्रकालय—ममजीवक मुद्रकालय,  
धारंगपुर सरकीगरा की काली

## महासभा के नये सदस्य

१ मार्च तक हुए सदस्यों का केसा, जिसकी सूचना 'यं. ई.' दफ्तर में पहुंची है, इस प्रकार है—

अ ३०८३  
ब १६५७

कुल ६६४४

(इनमें से सदस्य भी शामिल हैं जिनके 'बंग' की सूचना नहीं मिली है)

यह तादाद सब प्रान्तों की सही तादाद नहीं है। क्योंकि कुछ प्रान्तों ने अभी अपना ज्योरा भेजा ही नहीं है और कुछ प्रान्तों ने केवल उतने ही जिलों के अंक भिजवाये हैं जितने की सूचना उन्हें १ मार्च तक मिल पाई थी।

संलग्न बजट के अनुसार प्रान्तों की नामावलि

	अ	ब	कुल	
१. गुजरात	१६४९	७८	१७२७	अभी और अंक मिलने की आशा है
२. बंगाल	२०४	२६२	१२१६	" ३२ जिलोंमें से सिर्फ १६ ही जिलों के अंक हैं "
३. कर्नाटक	४००	२००	६००	" कुल तादाद पीछे से भेजी जावगी । "
४. पंजाब	तफसील नहीं		५७५	" और ज्योरा मिलने की आशा है "
५. बिहार	४१८	१४६	५६४	" बहुतेरे जिलों से ज्योरा अभी मिला नहीं है । "
६. मध्यप्रान्त ( हिन्दी )	तफसील नहीं			
७. युक्तप्रान्त	तफसील नहीं		४००	" जिलों से अधूरा ज्योरा मिला है । "
८. बंबई	२३१	१३३	३६४	
९. आंध्र	तफसील नहीं		२८५	" जिलों से ज्योरा नहीं आया । २० ता. तक आजाने की कमीद है "
१०. सिन्ध	तफसील नहीं		१३२	
११. उत्तरक	७३	३३	१०६	
१२. महाराष्ट्र	२७	६९	९६	
१३. मध्यप्रान्त ( मराठी )	२९	२१	५०	नागपुर नगर के ही अंक हैं ।
१४. अजमेर	२	१५	१७	
१५. वरार	तफसील नहीं		१२	" अनरावती जिले के अंक हैं । और तरकी की आशा है । ज्योरा २० ता० तक मिल जावगा "
	३०८३	१६५७	६६४४	

अब जिन प्रान्तों की ओर से खबर नहीं मिली है वे ये हैं—

१ तामिलनाडु २ बर्मा ३ केरल ४ वेहली ५ सीमाप्रान्त

"अ" से मतलब उन सदस्यों से है जिन्होंने खबर सूत कात कर भेजा है। "ब" से मतलब उन सदस्यों से है जिन्होंने खबरें भेजकर सूत भेजा है।

प्रत्येक प्रान्त की रिपोर्टें उसके सामने लिखी गई है। जहां तक मुमकिन हो सका मूल रिपोर्ट के तार की भाषा ही कायम रखी गई है। यह रिपोर्टें कुछ आखिरी रिपोर्टें नहीं हैं। मराठी मध्य प्रान्त के अंक ५० केवल नागपुर नगर के ही अंक हैं। इसी प्रकार वरार के अंक केवल अनरावती जिले के अंक हैं। साथ ही बंगाल और बिहार तो आगे से व्यापक जिलों के अंक अभी नहीं प्राप्त कर सके हैं। साथ ही आंध्र भी अज्ञात पूरा रिपोर्टें यदि जकरत हुई तो तार से मिल जावगी।

## टिप्पणियाँ

### फरीदपुर परिषद्

मेरे पास तार पर तार आ रहे हैं कि मैं बंगाल प्रान्तिय-परिषद् में उपस्थित होऊँ। पर अत्यन्त खेद है कि मैं उसमें शरीक न हो पाऊँगा। मैं खूब वहाँ जाने के लिए आकांक्षित था, इसलिए मेरा खेद और भी बढ जाता है। मैंने फरीदपुर के मित्रों को चेता दिया है कि मेरे भरोसे न रहें। मैंने उनसे कह दिया है कि आजकल मेरा आना-जाना अभिहित रहता है। मेरी दशा ईर्ष्या करने योग्य नहीं है। बिहार, बर्मा, उड़ीसा, आन्ध्र तथा किलमी ही दूसरी जगहों से मुझे बुलवा आया है। मैं सब जगह जाना पसन्द करूँगा। पर मैं सब जगह एक ही साथ नहीं जा सकता। इसीलिए मुझे यह निर्णय करना होगा कि कहाँ पहुँच कर मैं व्यापक से व्यापक सेवा कर सकूँगा। मैं मसूख करता हूँ कि अभी किलहाक मेरा स्थान बाइकम के वीर सत्याग्रहियों के नजदीक है। यह बड़ा पुराना वादा है। वे छोटी से छोटी बात में सत्याग्रह-सिद्धान्त का पालन करना चाहते हैं। उनकी तादाद बोधी है। वे हर नारी विद्रो-बाधाओं के रहते हुए भी लड़ाई कर रहे हैं। अबतक मैंने उनके बाहर से आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता देने में दखल दिया है। अब यह उचित है कि मैं बतौर एक सत्याग्रह के विशेषज्ञ के उनके पास जाऊँ, उन्हें राह दिखाऊँ और उनकी तमाम दिक्कों में उनका हिम्मत बंधाऊँ। आशा है, दूसरे प्रांतों के मित्र मेरे या उनके इस मिलाप के औभान्य पर मिस्रहे कि हम बहुत दिनों से वचित थे—नाक भौंह न सिकोड़ेंगे।

एक बात और। मैं समझता हूँ कि बाइकोम जा कर तो मैं हम सत्याग्रहियों की कुछ सहायता कर सकूँगा; पर मुझे यकीन है कि अन्य प्रान्तों में सिवा दरस-परस के और किसी उपयोग में न आ सकूँगा। उनके लिए मेरा जुस्सा बहुत आसान है। अपने स्थानीय शायकों को निबटा लीजिए—वे चाहे हिन्दू-मुसलमानों में हों, चाहे ब्राह्मणों-अब्राह्मणों में हों। जितना आपसे हो सके उतना चरखा काटिए, हर मौके पर चादी पहनिए और महासभा के लिए जितने आपसे हो सके सूत कातनेवाले सदस्य बनाइए। इसके साथ ही ऐसे सदस्य भी बनाइए जो खूब २००० गज हर माह न कातेंगे लेकिन दूसरे का कता सूत देंगे। अपने जिसे या प्रान्त के दक्षिण-पीठित भाइयों की जिस तरह हो सके मदद लीजिए। अपने मुकाम को शरान और अकीम की बंदी से बरी कर लीजिए; और फिर आगे की कार्रवाई के लिए मुझे पुकारिए। अगर हम यह चाहते हों कि अगले साल आशा के युग का उदय हो तो हमें चाहिए कि इस शान्ति के वर्ष में हम अपनी तमाम शक्ति राष्ट्र के इस रचनात्मक कार्यक्रम की पूर्ति में लगावें। सरकार चाहे कुछ भी करे या न करे और बंगाल आर्थिकन्यस मो भले ही रहे, हमें अपना कदम न रोकना चाहिए। यदि हम चाहते हों कि यह आर्थिकन्यस रद्द हो जाय तो उसके लिए हमें काफी बल उत्पन्न करना चाहिए। इसका मेरे नजदीक एक ही उपाय है—हम अपनी पूरी शक्ति के साथ रचनात्मक कार्यक्रम में लग जायें।

### हिन्दू-मुस्लिम-समस्या

अधिकांशों में छपे बक्तव्य से पाठकों को माहज होगा कि सर्व-दल-परिषद् नियुक्त उप-समिति इस महा समस्या का कुछ निपटारा करने में सक्षम न हो पाई है। लेकिन मैं कुछ न कर सकता

था। शायद यह अच्छा ही हुआ जो कुछ निपटारा न हो पाया। ऐसे निपटारे के अनुकूल वायुमण्डल अभी नहीं है। हर फरीक दूसरे का अविश्वास की दृष्टि से दखता है। ऐसी हालत में दोनों की एक-सामान्य भित्ति पर कोई काम नहीं किया जा सकता। हर फरक अपने से जितना कम हो सके छोड़ना चाहता है। और न दो में से किसीके जो दिल में ऐसे निपटारे की सच्ची उत्कण्ठा किलीको दिखाई देती है। फिर भी निराशा का कोई कारण नहीं है। हो सकता है कि इस असफलता के ही आधार पर आगे की सफलता की बुनियाद पड़े—मसलत कि वे लोग जो एक-दूसरे पर विश्वास रख सकते हैं और जिन्हें एक-दूसरे का डर नहीं है अपने अकोदः पर बराबर अटक रहें और निपटारे के लिए उद्योग करते रहें। कई निपटारा राष्ट्रीय तभी होगा जब वह सरकार पर अवलम्बित न रहता हो अर्थात् वह स्वयं कार्य-रत हो और उसकी कार्य-पूर्ति सरकार की सदृच्छा पर अवलम्बित न हो।

### मेरा अपराध

मौ० जफरअली खान ने पंजाब खिलाफत समिति के समापति की हैसियत से एक खत मुझे भेजा है जिसे मैं खुशी के साथ छाप रहा हूँ—

“ता. २६ माह हाल के यंग इन्डिया में काबुल की संगसारी के विषय में आपने आ अपना बक्तव्य प्रकाशित किया है उसे मैंने दुःख और आश्चर्य के साथ पढा। आप फरमाते हैं कि ‘महज इस बिना पर कि इसका जिक्र कुरान में है इस सजा का समर्थन नहीं किया जा सकता।’ इसके सिवा आपने यह भी कहा है ‘इस तर्कयुग में हर धर्म के हर बिचि को, यदि तार्बजिक-रूप में उसकी स्वीकृति चाही जाती हो तो तर्क और सामान्य न्याय की कसौटी पर कसना ही इच्छा।’ अखीर में आप नार के साथ फरमाते हैं कि ‘भूल अपवाद होने का दावा नहीं कर सकते— फिर वह अले ही सारी दुनिया के धर्मशास्त्र के द्वारा अनुमोदित हो।’

“मैंने हमेशा आपकी महत्ता के आगे सर झुकाया है और आपको बराबर उन थोड़े आदमियों में मानता आ रहा हूँ जोकि आधुनिक इतिहास का निर्माण कर रहे हैं; पर अगर मैं यह बात आप पर राखन न रू, कि कुरान के अपने अनुयायियों के जीवन को अपने ढंग पर नियमित बनाने के हक को चुनौती दे कर आपने अपने प्रति आदर रखने वाले लाखों मुसलमानों का विश्वास उनके रहनुमा होने की अपनी शक्ति से हिला दिया है, तो मैं एक मुसलमान की हैसियत से अपने कर्तव्य से द्युत होऊँगा।

“आप इस बात पर अपनी राय जाहिर करने के लिए तो पूरी तरह आजाद हैं कि धर्मपतित लोग शरीयत के मुताबिक संगसारी की सजा पा सकते हैं या नहीं। परन्तु यह मानना कि यदि कुरान भी ऐसी सजा की ताईद करती हो तो वह मलामत के काबिल है यह इस किस्म की विचार-सरणी है जो मुसलमानों का नहीं बच सकती।

‘मूल आखर एक सापेक्ष चीज है और मुसलमानों के यहाँ उसका अपना अलग अर्थ है। उनके नजदीक कुरान एक अटक काबून है जो कि खूब मानवजाति की सदा परिवर्तनशील व्यवहार नीति और समनजाति की सीमा से परे है। ईश्वर अच्छा करता यदि भारत के नेता की हैसियत से प्रवर्तित आपकी बहुविध कार्यमाला में कुराने शरीक की शिक्षाओं की प्रतिकूल आलोचना करने का बालुक काम और न धार्मिक हुआ होता।’

मौकामा साहब ने मेरी उक्त टिप्पणी पर, ऐसा अर्थ प्रदाना है

जो कि अक्षर नहीं घटता है। मैंने 'कुरान शरीफ के उपदेशों के विपरीत (वा और किसी तरह की) आलोचना' नहीं की है। लेकिन हाँ, मैंने उपदेशकों की अपात्त उसके भाष्यकारों की आलोचना पहिले से यह समझकर की है कि वे इस सजा की कुछ सफाई देंगे। मुझे भी कुरान और इस्लाम की तारीख का इतना इतम जरूर है जिसके अर्थ में जानता हूँ कि कुरान के ऐसे कितने ही भाष्यकार हैं जिन्होंने अपने पूर्व कल्पित विचारों के अत्युत्कृष्ट अर्थ अर्थ पटाया है। इसमें मेरा उद्देश यह था कि ऐसे किसी अर्थ का मानने के विषय में चेतावनी दे दूँ। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि खुद कुरान की शिक्षाओं को आलोचना से बरी नहीं रह सकती। आलोचना से तो हर एक सच धर्मग्रन्थ को लाभ ही होता है। आखिर अपने तर्क-बल के अनिश्चित हमारे पास और कोई रहस्य नहीं है जो हमें बतावे कि कौन जीव अपवित्र (इस्लामी) है और कौन जीव नहीं। शुरू में जिन मुस-मानों ने इस्लाम को अस्वीकार किया उन्होंने इसलिए नहीं किया कि वे इसे इस्लामी समझते थे बल्कि इसलिए कि वह उनका तारी बुद्धि को जंच गया। हाँ, मौलाना साहब का यह कहना ठीक है कि भूल एक सावध शब्द है। लेकिन हकीकत में देखा जाय तो कुछ बातें तो ऐसी हैं जिन्हें सब लोग मानते हैं। मैं मानता हूँ कि यन्त्रियों के द्वारा प्राण लेना ऐसी ही भूल है। मौलाना साहब की बताई मेरी उन तीन बातों में मैंने सिर्फ अर्थ लगाने का तीन विधियों का जिक्र किया है जिनके खिन्नाफ कोई उलगा नहीं उठा सकता है। हर हालत में मैं तो उन्हीका पालन हूँ। और अगर मुझे इस बात को जाहिर करने की पूरी आजादी है कि 'आया इस्लाम की शरीयत के मुताबिक धर्मपसित लोग संगसारी की सजा के कारिब है या नहीं' तब मैं इस बात पर भी क्यों न अपनी राय जाहिर करूँ कि शरीयत के मुताबिक संगसारी की सजा भी दी जा सकती या नहीं। मौलाना साहब ने इस्लाम संबंधी गैर-मुस्लिम की आलोचना का बरदास्त न करने की शक्ति जाहिर की है। मैं उन्हें सूचित करता हूँ कि खुद अपने प्राण की तरह प्रिय वस्तु की भी आलोचना का बरदास्त न करना सार्वजनिक-साधुदायिक जीवन-बुद्धि का साधक नहीं है। और यदि कोई आलोचना बेजा भी हो तो उसे निश्चय ही इस्लाम का करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं मौलाना साहब को सूचित करता हूँ कि काबुल का इस दुर्घटना में जिन अब दस्त प्रकाश का समावेश होता है उसपर मेरी आलोचना के प्रकाश में विशद दृष्टि से चिन्तन करना उचित है।

**सिलहट की पुकार**

सिलहट जिले में दारा करने के लिए निमंत्रण देते हुए उसके समर्थन में नीचे लिखी कथन प्रार्थना की गई है।-

यद्यपि हमारे वर्तमान काल को देखकर आपकी तकलीफ देना ठीक नहीं मालूम होता लेकिन हमारा भूतकाल तो आपकी सहाय्युत्ति प्राप्त किये बिना नहीं रह सकता। हमारी तो कुछ अजीब शान्त है। राजनैतिक दृष्टि से तो हम लोग आसाम सरकार की हुकूमत में हैं लेकिन भाषा में, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभी बातों में हमारा बंगाल से ही घनिष्ठ और अभिन्न संबंध है। हमारी जिला समिति बंगाल प्रान्तीय समिति के मातहत है।

जब असहयोग पुरजोश में था उन दिनों में आसाम प्रांत को ही जिसमें हमारा जिला भी शामिल है, पंजाब के बाद जोधरशाही के क्रोध का सबसे अधिक सहन करना पड़ा था।

हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में यह जिला बाय के बागों के मजदूरों के चले जाने के, मैजी भाग में कुरान के टुकड़े किये जाने के और अंत में काकीबाद की दुर्घटना के कारण महादूर हुआ है।

'कानून और व्यवस्था' ने इस जिले के करीब करीब २६ लाख निवासियों से करीब करीब २ लाख से भी अधिक रुपया महसूल के तौरपर बसूल किया है।

कमलग २०० राष्ट्रीय कार्यकर्ता यहाँ कैद किये गये थे।

इस अमर्णित सक्षती ने महासभा के कार्यों को बड़ी हानि पहुंचाई है। बहुत से लोग तो अपने कार्यों को संभालने के लिए बापिस चले गये और इसीलिए आज हमारी संख्या में बड़ी कमी दिखाई देती है।

एक राष्ट्रीय छात्राओं में से आज सिर्फ एक ही छात्रा मुस्लिम से बल रहा है। करीब २०००० रुपये बल रहे हैं लेकिन कुछ बोले ही को छोड़ कर सब विदेशी सूत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जिले से साल दर साल विदेशी वस्त्रपतियों के द्वारा काफी सूत बाहर भेज दिया जाता है।'

सिलहट का भूतकालीन इतिहास बड़ा अपछा था। लेकिन कोई राष्ट्र सिर्फ अपने भूतकाल पर ही जिन्दा नहीं रह सकता। गौरव और प्रकाशवान् भूतकाल, वर्तमानकाल को प्रेरणा दे सकता है, उसे प्रेरणा देना ही चाहिए, लेकिन भविष्य का निर्णय तो हमारे वर्तमान कार्य से ही होगा। इसलिए सिलहट जिले के लोगों को जाग्रत हो जाना चाहिए और जहातक उनके जिले से तात्पर्य है उन्हें रचनात्मक कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। यह विचार बड़ा ही दुःखद है कि देशभर में लोग सजा पा कर अपग हो गये हैं। यदि हम दुःख सहन करने का रहस्य समझे होते तो उससे अपंग होने के बजाय हमारे अन्दर क्या जोश आना चाहिए था जैसा कि आम तौर पर उससे हुआ भी है। उनके जिले से जो रुई बाहर जाती है उसे रोकना और अपने ही जिलों में कते हुए सूत के कपडे बुनने के लिए जुलाहों को राखी करना, यह सिलहट के लोगों की ताकत के बाहर न होना चाहिए। तभी वे मुझे उनके जिले की मुलाकात करने के लिए कहने के हकदार होंगे, उसके पहले नहीं।

**हमारी मजबूरी**

रविवार में ता २२ फरवरी को शहर के मध्य विभाग में पुलिस स्टेशन के पास रात के दस बजे एक बड़ी हिम्मत का डाका पड़ा था। उसके वर्णनका एक लम्बा तार मुझे मिला है। तार में लिखा है कि साहूकार लोग अपनेको सहीसलामत नहीं समझते और अभीतक डाकू लोग तो पकड़े ही नहीं गये। तार का उद्देश तो बेशक यही है कि उससे प्रजा की सहाय्युत्ति प्राप्त हो और दुनिया में जो सरकार सबसे अधिक खर्चीली है और फिर भी जो जानोमाल की रक्षा तक नहीं कर सकती उसपर आक्षेप किये जायें। सरकार के नागरिकों यह सहाय्युत्ति तो मिलेगी ही। सरकार पर आक्षेप भी मनो किये जा सकते हैं। लेकिन अधिक महत्व का प्रश्न तो यह है कि जब डाकू आये, साहूकार लोग क्या कर रहे थे? तार से मालूम होता है कि आत्मरक्षा के लिए उन्होंने कमोबेशी-सफलता पूर्वक प्रयत्न किया था। जो लोग मानदार हैं उनमें आत्मरक्षा के लिए अधिक शक्ति नहीं होती। डाकेजनी की साकार पुकार अब मेरे कानों को सुनई देती है तब मैं सरकार की रक्षा करने की शक्ति के अभाव का उतना विचार नहीं करता जितना कि लूटे गये लोगों की मजबूरी का विचार करता हूँ। कानून में आत्म-रक्षा करने का हक दिया गया है। आत्म-रक्षा करने वाले की हिम्मत ही अनुप्य का गौरव है। यदि लोग जान, माल और इज्जत की रक्षा के लिए अधिकारियों का मुंह न ताकेंगे और आत्म-रक्षा का आधार स्वयं अपने ऊपर ही रखेंगे तो यह स्वराज्य के लिए बड़ी भारी शिक्षा होगी।

(पृ० ६०)

मौ० क० गांधी

# हिन्दी-नवजीवन

गुस्वार, काश्गुन सुप्री १०, संवत् १९८१

## महासभा और ईश्वर

एक मित्र लिखते हैं—

“आपका सुझावा जानने के लिए मैं एक विषय पर आपसे विवेचन करना चाहता था और वह विषय है ‘ईश्वर’ शब्द। एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता के तौर पर, ‘नंग इंडिया’ के एक अभी ताजे ही शब्द में लिखे गये इस वाक्य के खिलाफ कि “मैं इसे (राम-नाम को) उब पाठकों को नेट करता हूँ जिनकी कि दृष्टि अधिक विद्वता के कारण मंद नहीं हो गई है और जिनकी भ्रष्टा अभी वह नहीं हो पाई है। विद्वता जीवन के कितने ही विभागों में से हों उच्चतमपूर्वक भिन्नता के जाती है लेकिन, भय और सात्वत के अन्तःकरण पर वह कुछ काम नहीं आती, उस अवसर पर तो केवल भ्रष्टा से ही रक्षा होती है” (य. इ. २२-१-२५, प. २७) मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि आपने इसमें अपना व्यक्तिगत विश्वास व्यक्त किया है और मैं यह भी जानता हूँ कि जोके जोके पर उन लोगों की सतीक में जो अंतःकरण से ईश्वर को नहीं मानते हैं, कुछ शब्द उनके कार्यक करने में आप बूके नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर नीतिधर्म का यह वाक्य लीजिए— “इमें ऐसे बहुतोरे महामात्र मिलते हैं जो अपनी धार्मिकता का अपनेतरई अभिमान रखते हैं और जुरे से जुरे नीति के कार्य करते हैं। जुरे सरक ऐसे भी सरक देखे गये हैं जैसे कि स्वर्गीय मि. मेडला जो कि बड़े नीतिमान् और उद्युगी होने पर भी अपनेको वास्तिक कहाने में ही अभिमान मानते थे।”

“यह और सात्वत के अवसर पर जिससे रक्षा होती है—उम राम नाम के प्रति भ्रष्टा रखने के संबंध में तो मैं केवल राष्ट्रीय क्रान्तीको केन्द्र का नाम काव दिखाना हूँ जो स्पेन में उन लोगों के हाथ लड़ीह हो गया किन्हे ईसा—मसीह के नामपर—उनके राम नाम पर विश्वास था। मैं धार्मिक सुद्धों के बारे में, परधर्मियों को बचाने और उनके हाथ-पैर तोड़ बचाने के बारे में और बलिदान के तौर पर पशुओं और कमी कमी तो मनुष्यों को भी पीडा देने और उनकी इत्या करने के बारे में अधिक नहीं कहता; यह सब उसके नाम पर और उसका अधिक सम्मान करने के लिए किया गया था। खर, यह तो पुरी ही बात हुई।

एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता की दृष्टियत से मैं आपको यह वाद दिखाना हूँ कि जब आपने यह कहा था कि केवल ईश्वर से करनेवाके ही अपने अछुद्धोमी बन सकते हैं तब भी—ने (अपने एक राष्ट्रीय मित्र की तरफ से) उसका विरोध किया था और आपने उस समय उन्हें यह यकीन दिखाना था कि राष्ट्रीय कार्य के इस कार्यक्रम पर अमक करने के लिए मनुष्य को अपने धार्मिक विश्वासों को त्याग करना कोई जरूरी नहीं है (देखिए पं० इ० ४ मई १९२१, पृ० १३८)। महासभा के स्वयंसेवकों को जो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है उसकी शुरुवात ही “ईश्वर को साक्षी रखकर” इस वाक्य से होती है। इसलिए अब यह पढ़के की दलील अधिक जोर के साथ देक की जा सकती है। आप तो जानते ही होंगे कि बौद्ध (जैसे कि कर्मा के—और जब हिन्दुस्तानी और आपके मित्र प्रो० कर्मानंद जीवानी) और जैन और जुरे हिन्दुस्तानी जो इस पुराने

संप्रदाय को नहीं मानते हैं, उनका धर्म अज्ञेयवादी है। यदि वे चाहें तो भी क्या यह संभव हो सकता है कि वे उस प्रतिज्ञापत्र पर जिसका आरंभ ही उसके नाम से होता है जिसे वे नहीं मानते हैं, अंतःकरण पूर्वक हस्तक्षत कर के महासभा के स्वयंसेवक बन सकेंगे? यदि नहीं, तो क्या उन्हें सिर्फ उनके धार्मिक विश्वास के कारण ही बाहर रहने देना ठीक होगा? ऐसे शब्दों को सुभोता कर देने के लिए क्या मैं यह सुचना कर सकता हूँ कि ईश्वर के नाम से प्रतिज्ञा करने के बजाय (कुछ लोग जो ईश्वर को मानते हैं वे भी उसका तो विरोध करते हैं) उन्हें अंतरात्मा को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा करने दिया जाय अथवा जो कोई भी स्वयंसेवक होना चाहें उन सबको बिना किसी भेद के ईश्वर के नाम के बिना ही प्रतिज्ञा देने का विषय कर दिया जाय।

मैंने आपसे यह निवेदन इसीलिए किया है कि आप इस प्रतिज्ञापत्र के रचयिता हैं और आप महासभा के प्रमुख भी हैं। १९२२ में आपकी ऐतिहासिक गिरफ्तारी होने के पहले मैंने यह निवेदन आपके पास भेजा था। लेकिन उस समय उसपर ध्यान देने का समय आपको समय न मिल सका होगा।”

जहांतक अंतःकरण के उज्र से संबंध है यदि जरूरत हुई तो महासभा के प्रतिज्ञा-पत्र में से, जिसे कि तैयार करने का मुझे अभिमान है, ईश्वर का नाम निकाल दिया जा सकता है। यदि वह उज्र उसी समय पेश किया गया होता तो मैं कौरव स्वीकार कर केता। हिन्दुस्थान जैसे स्थान में ऐसे उज्र के लिए मैं जरा भी तैयार न था। यद्यपि शास्त्रों में जासोकि मत भी मान किया गया है तथापि मैं यह नहीं जानता कि उसके माननेवाके भी हैं। मैं यह नहीं मानता कि बौद्ध और जैन लोग अज्ञेयवादी या नास्तिक हैं। वे अज्ञेयवादी तो हरगिज नहीं हो सकते। जो लोग आत्मा को शरीर से भिन्न मानते हैं और शरीर के मष्ट हो जाने पर भी उसकी स्वतंत्र हस्ती रहना स्वीकार करते हैं वे नास्तिक नहीं कहे जा सकते। हम सब ईश्वर की जुदी जुदी व्याख्यायें करते हैं। हम सब यदि ईश्वर की व्याख्यायें अपनी मरजी के मुताबिक करें तो उसकी उतनी ही व्याख्यायें होंगी जितने कि लो या पुरुष होंगे। लेकिन इन जुदी जुदी व्याख्याओं के मूल में भी एक किस्म की अज्ञानता सादस्य होगा, क्योंकि मूल तो सबका एक ही है। ईश्वर तो वह अविचंचनीय (ज्ञा-कलाम) वस्तु है कि जिसका हम सब अनुभव तो करते हैं लेकिन जिसे हम जानते नहीं। वैशक बार्त्सी प्रेडला ने अपनेको नास्तिक कहा है, लेकिन बहुतोरे ईसाइयों ने उन्हें ऐसा नहीं माना है। मुझसे अपनेको ईसाई कहनेवाके बहुत से लोगों के मुकाबले में उन्हें प्रेडला में अपनेतरई अधिक समानता सादस्य हुई थी। भारतवर्ष के उस मके मित्र की अन्तर्वेष्ट किया के समय मौजूद रहने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय मैंने बहुत से पादरियों को बर्हा देखा। उनके जमाने के साथ कुछ मुसलमान और बहुतोरे हिन्दू भी थे। वे सब ईश्वर को माननेवाके थे। प्रेडला ने जैसे ईश्वर के अस्तित्व से इन्कार किया था जैसा कि वे जानते थे कि उसका वर्णन किया जाता है। उस समय जो शास्त्रीय विचार प्रचलित थे उसके तथा आचार और विचार के अन्तःकरण के खिलाफ उनका पंक्तिपूर्ण और तेज विरोध था। मेरा ईश्वर तो मेरा सरव और प्रेम है। नीति और सदाचार ईश्वर है। निमंयता ईश्वर है। ईश्वर जीवन और प्रकृता का मूल है। और फिर जो यह इन सबसे परे है। ईश्वर अंतरात्मा ही है। वह तो नास्तिकों की नास्तिकता भी है। क्योंकि यह अपने अनर्वाचित प्रेम से उन्हें भी भिन्ना रखने देता है। यह



इसकी वजह से है। यह बुद्धि और वाणी से परे है। हम स्वयं जितना अपनेको जानते हैं उससे कहीं अधिक यह हमें और हमारे दिनों को जानता है। जैसा हम कहते हैं वैसा ही यह हमें नहीं समझता। क्योंकि यह जानता है कि जो हम जबान से कहते हैं अक्सर वही हमारा भाव नहीं होता और यह कुछ कोय तो जानकर करते हैं तो कुछ अनजान में। ईश्वर उन लोगों के लिए एक व्यक्ति ही है जो उसे व्यक्ति-रूप में स्मरित देखना चाहते हैं। जो उसका स्पर्श करना चाहते हैं उनके लिए वह शरीर धारण करता है। वह पवित्र से पवित्र तत्व है। जिन्हे उसमें भद्रा है उन्हींके लिए उसका अस्तित्व है। सब लोगों के लिए वह सभी चीज है। वह हम में व्याप्त है और फिर भी हम से परे है। "ईश्वर" शब्द महासभा के प्रतिज्ञापत्र से निकाल दिया जा सकता है, लेकिन यह ईश्वर को तो कोई कहीं से नहीं निकाल सकता। ईश्वर के नाम पर भी कई प्रतिज्ञा और केवल प्रतिज्ञा यदि एक वस्तु नहीं है तो फिर प्रतिज्ञा होगी क्या चीज? अंतरात्मा तो निश्चय ही ईश्वर शब्द की ही एक जीवजानी अर्थ है। उसके नाम पर मयंकर अनीतियुक्त काम किये गये हैं और अमानुष अत्याचार भी हुए हैं लेकिन इससे कुछ उसका अस्तित्व नहीं मिट सकता। वह बड़ा सान्नील है, वह बड़ा धैर्यवान् है, लेकिन वह बड़ा मयंकर भी है। उसका व्यक्तित्व इस दुनिया में और भविष्य की दुनिया में भी सबसे अधिक काम करानेवाली ताकत है। जैसा हम अपने पौखी —मनुष्य और पशु—दोनों के साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही बर्ताव वह हमारे साथ भी करता है। उसके सामने अज्ञान की बलीक नहीं चल सकती। लेकिन वह सब होने पर भी वह बड़ा रहमरिक्त है क्योंकि वह हमें पलायन करने के लिए मौका देता है। दुनिया में सबसे बड़ा प्रयातंत्र-वादी नहीं है; क्योंकि वह सुरे-मछे को पसंद करने के लिए हमें स्वतंत्र छोड़ देता है। वह स-से बड़ा जाकिम है, क्योंकि वह अक्सर हमारे मुह तक आये हुए कौर को छीन लेता है और इच्छा स्वातंत्र्य की ओर में हमें इतनी कम छूट देता है क हमारी मजबूरी के कारण उसके सिर्फ उधकी आनंद मिरता है। यह सब हिन्दू-धर्म के अनुसार उसकी कला है, उसकी भाषा है। हम कुछ नहीं है, सिर्फ वही ह और अगर हम ही तो हमें सदा उसके गुणों का गान करना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। आइए, उसकी बंधी के बाव पर हम नाचें। सब अच्छा ही होगा।

लेखक ने मेरी एक पुस्तिका 'नीति-धर्म' का भी जिक्र किया है। जो पाठकों का ध्यान इस बात की ओर खींचना जरूरी है कि लेखक ने जिसका उल्लेख किया है वह अंगरेजी पुस्तक है। मूल पुस्तक गुजराती में लिखी गई है। और गुजराती पुस्तिका की सूचिका में यह बात साफ़ और पर कही गई है कि यह मौखिक पुस्तक नहीं है। नरिह एक अमेरिका में प्रकाशित 'नैतिक-धर्म' नामक पुस्तक के आधार पर लिखी गई है। यह अनुवाद बरबदा जेल में मेरी जबरों से गुजरा और मुझे यह देखकर अफसोस हुआ कि उसमें मूल पुस्तक का कहीं उल्लेख नहीं है। मुझे माखम हुआ है कि यह अनुवादक ने भी गुजराती नहीं बल्कि उसके हिन्दी अनुवाद का अनुवाद किया है। इस तरह अंगरेजी अनुवाद को एक 'शामिली प्राणात्म' ही समझिए। उस मूल अमेरिकन पुस्तक के प्रति यह खलासा देना मुझे जरूरी था। और खुशी की बात है कि इन पत्र-लेखक ने मुझे उसकी याद दिला कर उसके मूल को बचा करने का अपसर दिया।

(वि० इ०)

मीहकवास करमचण्ड नांधी

काटों में फूल

खर के संभव में जब कि बंबई के खिलाफ बड़ी शिकायतें हो रही हैं तब समय यदि वह माखम हो कि लियका एक मंडल चुपचाप खादी का अच्छा प्रकार कर रहा है तो यह बड़ी ही खुशी की बात है। मेरे सामने एक पत्र पड़ा है उसमें लिखा है कि इस महीने में २००) से ज्यादा की खादी की बनियानें स्कूलों और काम र-सेव में और कुछ भावनगर भी भेजी हैं। इसमें रोमाना भामूकी बिक्री के दाम और जोड़ धीजिए। सेवासदन में एक नया बर्ग इस घात पर खोला जा रहा है कि उसमें वही बने वास्तिक किये जावेंगे जो कातना सीख लेने के बाद रोमाना कुछ कातना स्वीकार करेंगे। उन्हें माहवार २००० गज सूत देना होगा। इसका अखर मौजूदा बर्गों पर भी पड़ा है। कुछ बर्गों की कड़कियां कातना शुरू करनेवाली हैं। एक-दूरे मित्र ठीक कहते हैं कि 'यह नहीं कि लोगों में सहायभूति नहीं है। नेताओं में, कार्यकर्ताओं में ही उसका अभाव है। वे इस धर्मसूत्र के प्रकार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी खादी का बाव लोगों में इतना नहीं बढ़ा है कि वे स्वयं खादी प्राप्त करने का प्रयत्न करें लेकिन यदि उनके दरवाजों पर खादा के कर जाय तो वे उसे कुछ से खरीद लेते हैं। सचमुच फसलें तो ऐसी ही हैं लेकिन काम करनेवाले बहुत थोड़े हैं। इरएक कार्यकर्ता यह निश्चय क्यों न कर ले कि वह हर मदाने में एक मुकर्र तादाद में खादा लेवेगा। मैं यह जानता हूँ कि खादा बनाने में हमने काफी प्रगति करली है और हर तरह के शाकान लोगों की रचि के अनुक्य भा खादी तैयार कर ली है। मुझे एक राज एक धना दुकहन का जाना दिखाया गया था। वह सब खादा का बना हुआ था और उसमें साने खादी का जरा क काम किया गया था। भामसूत्र की इच्छि में इसमें कुछ नहीं था। जैसा खाई वैसा खादी का साजियां बन सकती है। पाणिग्रहण के समय आठने के लिए आवश्यक अच्छा रंगीन दुशाका भा खादा का ही बनाया गया था। इसलिए कोई वह बहाना नहीं निकाल सकता कि जैसी चाइए वैधी बारीक और रंगीन खादी नहीं मिलती है इसलिए वह खादी नहीं पहनता है। क्या हिन्दुस्तान के सब कार्यकर्ता जिन बहनां के कार्य के प्रति मैंने उनका ध्यान दिखाया है उनके कार्य पर गौर करेंगे और उनका अनुकरण करेंगे?

(वि० इ०)

मा० क० नांधी

हिन्दी-नवजीवन की

पुरानी फाइलें (जिन्हें वधों हुए) में मिल सकती है। रुपये मनीबाबर से मोजिए। वा. पा. का नियम नहीं है। डाकबखे अलग लिया जावेगा।

व्यवस्थापक  
हिन्दी-नवजीवन

आमम अजनाबली

चीथी आइति छपरर तैयार हो गई है। पृष्ठ संख्या ३६८ होते हुए भी कीमत सिर्फ ८-३-० रफकी गई है। डाकबखे बरीदार को देना होगा। ८-४-० के टिकट भेजने पर पुस्तक डुकपोस्ट से कौरनू रवाना कर दी जावगी। बी. पी. का निवम नहीं है।

व्यवस्थापक  
हिन्दी-नवजीवन

## जन्मभूमि-दर्शन

पोरबंदर पुण्यतीर्थ है। उसके दर्शन करने के लिए हृदय काणागत हो रहा था। बापूजी के पुगने घर के दर्शन किये। उस घर में बापूजी का जन्मस्थान भी दिखाया गया। उस कमरे का चार अंधकार देखकर मन में स्वभाविक सदी ख्याल होता था कि परमात्मा ने चार अंधकार दूर करने के लिए ही बापूजी को क्यों न भेजा हो? इस चार अंधकार-युक्त कमरे में जन्म लेने के कारण ही मानों चार अंधकार-युक्त झोपड़ों की दक्षिणा का ख्याल उन्हें एक निमिष मात्र में हो जाता है और वे उस एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते। उस अंधेरे कमरे को देख कर कुछ नवीन भाषा का अनुभव हुआ, नवीन प्रकाश दिखाई दिया। पोरबंदर में दोपहर को दो बजे एक सार्वजनिक सभा रक्खी गई थी। उसमें जो व्याख्यान दिया उसके एक एक शब्द में जन्मभूमि—पोरबंदर और भारतभूमि—का प्रेम अवर्णनीय माधुर्य प्रकट करता हुआ सुनाई देता था। पोरबंदर-निवासियों ने अभिनन्दन-पत्र ता। दया। लेकिन, उसे चांदी के बक्स में रक्ख कर नहीं दिया। उन्होंने बक्स की कीमत का—अर्थात् २०१) रुपये का एक चेक उन्हें अर्पण कर दिया। गांधीजी ने इन्ही छाटी-सी बात का लेकर अपने व्याख्यान की मध्य जमीन बना ली। उन्होंने अपने व्याख्यान का आरंभ करते हुए कहा:—

“पोरबंदर की प्रजा की तरफ से मुझे यह अभिनन्दन-पत्र दीवान साहब के हाथों दिखाया गया, इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ। और चांदी की या संदक की बक्स में रक्ख कर अभिनन्दन-पत्र देने के बजाय आपने मुझे २०१) रुपये का चेक देने में जिस विवेक का परिचय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यदि पोरबंदर के नागरिक ही मेरी अभिलाषाओं को न समझें और उसे पूरा न करें तो फिर हम पृथ्वी तल पर मैं इसकी कहाँ आशा रखूंगा? अनेक बार मैंने यह कहा है कि चाँदा बगैर रहने के लिए मेरे पास साधन नहीं हैं। ऐसे साधन रखना उपाधि है। ऐसी वस्तुओं के त्याग से ही मैं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता हूँ। और इसीलिए मैं हिन्दुस्तान से कहता हूँ कि जिसे सत्याग्रह का पालन करना है उसे निधन बनने के लिए और हर समय मृत्यु से भेंट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाँदी का बक्स रखने के लिए मेरे पास स्थान कहाँ? इसलिए उसके बजाय आपने मुझे जो चेक दिया उससे तो मुझे आनंद ही होता है। लेकिन, एक तरफ जहाँ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तहाँ दूसरी तरफ मुझे अपनी कृपणता पर हया आती है। मेरी भूख बहुत बड़ी है। इस कागज के टुकड़े से मेरा पेट नहीं भर सकता, २०१) मेरे लिए बाका नहीं हो सकते। मे यह इसलिए कहता हूँ कि मैं आपको यह यकीन दिला सकता हूँ कि जितना भी आपसे छुगा उससे दुगुना या उससे भी अधिक आप मुझसे बढ़के में पा सकेंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसा एक भी पैसा नहीं आता जिसमें से रुपये का वृक्ष पैदा न हो—व्याज से नहीं लेकिन उसके उपयोग से, टगाज लेकर जने से तो करना ही वे तर है—एक पैसे में से जितना भी रस छूटा जा सकता है उसका रस मैं छुटा-गा। हिन्दुस्तान की परंप्रता की रक्षा करने में, हिन्दुस्तान के नम स्त्री-पुरुषों को दखने में ही उसका उपयोग होगा। जिसका एक एक पाई का रहेगा। अजतक मुझे एक भी शक्य ऐसा नहीं मिला जिसे मैं कहूँ कि आपने मुझे बहुत दिया है। इसलिए मेरे बारा मित्र तो मुझसे दूर भा-से हैं। बर्ना उमर शही आम्द ओहरी तो जा वहाँ होने ही चाहिए। वे कहते हैं कि तुम जब मिलते हो

छटने की ही बातें करते हो। इस प्रकार आज के काठिन काल में मेरे साथ मित्रता रखना भी नयंकर है। आज के काठिन समय जो भाई हिन्दू हो कर अपने रुपये भंगियों को छुटवाना चाहत हो, जो भाई देश के स्वातंत्र्य के लिए अपनी तमाम शक्ति, या अपना सब धन, खर्च करने के लिए तैयार हो, वही मेरी मित्रता कर सकता है। राजकाट के ठाकुर साहब ने मुझपर प्रेम की वर्षा की थी, उसमें मैं डूब-सा गया था। लेकिन मैं कांप रहा था और अपने हृदय से पूछ रहा था कि इस राजा की मित्रता कबतक रख सकोगे? मेरे पिता जिस राज्य में दीवान थे उस राजा के हाथ से अभिनन्दनपत्र लेना मुझे क्यों न अच्छा मालूम हो? आज जो महाराणा सा० हैं उनके पितामह के राज्य में मेरे पितामह दीवान थे, उनके भी पिता के राज्य में मेरे पितामह दीवान थे। राजा साहब के पिता मेरे मित्र थे, मेरे मवकिल थे। मैंने उनका अन्न खाया है—इसलिए महाराजा साहब का निमन्त्रण मुझे क्यों न पसंद हो? लेकिन सबकी मित्रता निबाहना मुश्किल है। मैं अंगरेजों की मित्रता न निबाह सका। मुझे तो इस संसार में केवल एक ही की मित्रता निबाहना बहुत जरूरी मालूम होता है। और वह ईश्वर की मित्रता है। ईश्वर का अर्थ है अपनी अन्तरात्मा। उसका नाद यदि सुनाई पड़े और मुझे मालूम हो कि सारी दुनिया की मित्रता छान देनी चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप लोगों की मित्रता का मैं भूखा हूँ। आपके तमाम रुपये-पैसे ले जाऊंगा। और फिर भी मुझे तृप्ति न होगी। आपसे तो मैं माँगता ही रहूँगा और जब आप मुझे देश निकाला दे देंगे तब मैं ईश्वर के घर में अपनी जगह कर लूँगा। मैं आज हिन्दुस्तान में ही रुका हुआ पड़ा हूँ। कबतक हिन्दुस्तान में मुझ का दायानक मुलम रहा है तबतक मुझे कहाँ भा जाना पसंद न होगा। दक्षिण आफ्रिका में मुझे स्थान मिल सकता है लेकिन आज तो मुझे वहाँ जाना भी पसंद नहीं है क्योंकि चाँदी अग्नि बुझाने पर ही वहाँ की अग्नि बुझ सकती है। मैं सब राजाओं से प्रायना करता हूँ कि वे इस अग्नि के बुझाने के काम में मदद करें, और यदि उसमें मैं पोरबंदर से अधिक से अधिक आशा रखूँ तो गुराई क्या है?

प्रजा की तरफ से भी मैं ऐसी ही आशा रखे बैठा हूँ। मैं आपका सबका सहयोग चाहता हूँ। शायद इसका परिणाम यह भी है कि हम अंगरेजों से भी सहयोग करने लगे। हमका यह मतलब नहीं कि हम लोग अंगरेजों के पास दौड़ जायें। वे हमारे पास ही दौड़ते आँवेंगे। वे मुझसे कहते हैं कि तुम तो मले हो; लेकिन तुम्हारे साथी लोग तो बदमाश हैं, चोरी चोरा तुम्हें धक्का देगा। लेकिन मैं तो मनुष्य-स्वभाव में विश्वास रखता हूँ। प्रत्येक मनुष्य के आत्मा है और प्रत्येक आत्मा को शक्ति मेरी आत्मा के बराबर ही है। आप मेरी शक्ति को देख सकते हैं क्योंकि मैंने अपनी आत्मा को प्रार्थना कर के, डोक बना कर और उसके समक्ष नाम कर भी जाग्रत रक्खा है। आपके आत्मा का मद उसनी जाग्रत न होगी लेकिन हम स्वभाव में तो एक से ही हैं। राजा-प्रजा, हिन्दू-मुसलमान लड़ते रहते हैं लेकिन यदि ईश्वर की मदद न हो तो वे एक लृण भी नहीं हिला सकते। प्रजा यदि यह माने कि हम बलवान् होकर राजा को मताँवेंगे और राजा माने कि मैं बलवान् होकर प्रजा को पीस डालूँगा, हिन्दू यदि माने कि सात करंड मुसलमानों को पीस डालना कोई मुश्किल नहीं है और मुसलमान माने कि चाँदिस करोड़ सरकारों का हिन्दुओं को हम पीस डालेंगे तो राजा-प्रजा, हिन्दू-मुसलमान चारों मुस हैं। यह कदा का कलाम है, वेद का नाश है। वादिक में लिखा है कि

मनुष्यमात्र एक दूसरे का मित्र-भाई है। हर एक धर्म पुकार पुकार कर कहता है कि प्रेम की प्रणिव से ही जगत् बंधा हुआ है। विद्वान् लोग यह सिखाते हैं कि यदि प्रेम-बंधन न हो तो पृथ्वी का एक एक परमाणु अलग अलग हो जाय और पानी में भी यदि स्नेह न हो तो उसका एक एक बिन्दु अलग अलग हो जाय। इसी प्रकार यदि मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम न होगा तो हम मृतमाय ही होंगे। यदि हम स्वर्गस्थ चाहते हैं, रामराज्य चाहते हैं तो हम सबको प्रेम की प्रणिव से बंध जाना चाहिए।

यह प्रेम की प्रणिव क्या है? हाथ से कसे हुए सूत की प्रणिव। सूत पर तैला होगा तो वह लहे की बेलियाँ हो जायगी। आपके देशता के साथ, उदारता के साथ, बरबा के मेरों के साथ आपकी एकसूत्रता होनी चाहिए। उसके बजाय यदि वह लंकासागर और लहमहाबाह के साथ हो तो उससे पोरबन्दर का क्या लाभ? प्रजा की सखी माँग ता यह है कि हमारी मिहनत का उपयोग करो हमें साको रखकर भूलो न मारो। राजाबाब के पत्थरों के बजाय आप इटली से पत्थर मंगायें तो कैसे काम चलेगा? यदि आप अपने ही देशता में बने मिट्टी के रामपत्र और अपनी गाय और भैंसों का भी छोड़ कर कलकत्ते से मंगायें तो कैसे निबाह होगा। यदि आप अपने ही बजों का उपयोग न करेंगे और उन्हें दूसरी जगहों से मंगायेंगे तो मैं कहूँगा कि आप बेलियों से जकड़े हुए हैं। जबसे मुझे यह छद्म स्वदेशी का मंत्र उपलब्ध हुआ है जबसे मैं यह समझा हूँ कि गरीब से भी गरीब के साथ मेरी एकसूत्रता होनी चाहिए, तभीसे मैं मुक्त हो गया हूँ और मेरा आनन्द मुझसे छूट लेने में न राजा साहब शक्तिमान हैं, न लाले रीतिग न मजदूर जाज।

बहनों से कहूँगा कि आपके बर्सानों से मैं सभी पावन होऊँगा जबकि आप साहो से विभूषित होंगे। आप मन्दिरों में जाकर धर्म की रक्षा करना चाहती हैं। लेकिन जो फातती हैं उनका तो हृदय ही मन्दिर बन जाता है। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि जब मैं हिमालय के चमत्कारों की बातें कल्पना तभी क्या आप मेरी बातें सुनेगी? और जब मैं कहूँगा कि बूढ़े के साथ चरखा भी रखो तो क्या यह कहोगी कि बूढ़े की अल्ल गुम हो गई है? मैं पागल नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। मैं पुकार पुकार कर अपना अनुभव ही कह रहा हूँ।

मुझे एक शकस ने पूछा था कि तुम पोरबन्दर का अभिनन्दन पत्र लेकर क्या करोगे? पहले यही तो जान लो कि वहाँ के सादी पहनने वाले कैसे हैं? लेकिन यह पूछने के बदले कि पोरबन्दर में सादी पहननेवाले कैसे लोग हैं, मैं यही पूछता हूँ कि वहाँ सादी पहननेवाले कहाँ हैं? आप महीन कपड़े पहना चाहती हो? करवाभिय त्यों ने मुझे यह सुनाया है कि करोडभियतियों को भी हमेशा बारीक कपड़ा खरीदना मुश्किल मालूम होता है। लेकिन जिस प्रकार घर में आप बाराक सेव बनाती हैं उसी प्रकार यदि बारीक कातो तो बारीक कपड़े पहन सकोगी।

जबतक इस सूत का इलाज न करेंगे तबतक प्रेम की गाँठ न बंधेगी। यदि समस्त जगत् को आप प्रेम-गाँठ से बांध लेना चाहते हो तो दूसरा उपाय ही नहीं है। हिन्दू-मुसलमान-प्रभ के लिए भी दूसरा उपाय नहीं है। भाई शेष कुरैशी भी मेरे साथ राजकट आवे थे। उन्हें वहाँके मुसलमानों ने कहा कि गांधी आपको धोखा देता है, सादी का प्रचार कर के, बिलायती कपड़ों का ध्यापार करनेवाले मुसलमानों को भिखारी बनाया चाहता है। लेकिन शेष कुछ सुननेवाले यके ही थे? वे जानते हैं कि परदेशी कपड़ों का ध्यापार करनेवाले मुस्लीमर मुसलमानों की तरफ मैं दुरी बजार

नहीं कर सकता। वे खुद सादी के भक्त हैं और वे यह भी जानते हैं कि अितनी सेवा में इस्लाम की कर रहा हूँ उतनी सादी की और देश की नहीं कर सकता हूँ। मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए कि उनको जन्मभूमि यही है और उसे स्वतंत्र किये बिना इस्लाम के स्वतंत्र होने की आशा नहीं।

मेरी काठियावाड़ की यह शायद भाकिरी मुलाकात हो सकती है। छावण मेरी बीदगो अब बहुत कम बरों के लिए हो। मैंने बड़ी मुश्किल से महासभा का प्रधान-स्थान स्वीकार किया है। अब सिर्फ दस महीने बाकी हैं। मैं आप लोगों के पास इसीलिए आया हूँ कि यदि आप मुझे विशेषतः अपना भाई समझते हो—यद्यपि मैं तो जीवमात्र का भाई हूँ—तो मेरी इस प्रार्थना को समझ लेंवा और रंज आवे घण्टे के लिए चरखा कातना। उससे आपका कुछ न बिगड़ेगा और देश की दरिद्रता दूर होगी। आप मुझसे कितना दुःख कलाना चाहते हैं? यदि आप लोग अस्पृश्यता दूर न कर सकेंगे तो धर्म का नाश होगा। सच्चा वैष्णव धर्म तो वही है कि जिसमें पोषक शक्ति अधिक से अधिक हो। आज तो वैष्णव-धर्म के भाग से अंत्यजों का नाश हो रहा है। हिन्दू-धर्म का रहस्य अस्पृश्यता नहीं है। मेरी त्रिवेणी अस्पृश्यता-निवारण, हिन्दू-मुसलमान-ऐक्य और सादी है। राजा और गरीब सभी भाई-बहनों से पाष में बही माँग रहा हूँ।”

अंत में अस्पृश्यता-निवारण के विषय में कुछ कह कर मय-पाव-निषेध पर मैं कुछ विस्तार से बाले—

“शराब की बंदी का नाश होना ही चाहिए और यह प्रजा के प्रयत्नों से ही होना चाहिए। इसमें मुझे कुछ भी संका नहीं है कि प्रजा प्रयत्नों से ही यह बंदी दूर होगी। कुछ मूर्ख मनुष्यों ने जबरदस्ती से काम लेना शुरू न किया होता तो आज यह पुराई हिन्दुस्तान से कभी की नष्ट हो गई होती। मैंने सुना है कि पोरबन्दर में कुछ मज्जाहो ने शराब छड़ दी है। मैंने यह भी सुना है कि राजा साहब उसमें सम्मत हैं और मजबूत करने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग जबतक शराब की गुलामी से न छूटेंगे तबतक स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्रता के लिए योरप के उपाय हमारे काम नहीं आ सकते। वहाँके लोग और आबोहवा, और हमारे लोग और आबोहवा में जमीन-आस्मान का अंतर है। वहाँ के लोग दया का त्याग कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। विदेशों के मुसलमान मुझसे कहते हैं कि वहाँके मुसलमानों के शरीर उनके मुकाबले में कमजोर हैं। यह अच्छा है या पुरा, यह केवल हिन्दू-मुसलमान और जगत् ही कह सकते हैं। लेकिन मेरा खयाल तो यह है कि वे कमजोर हैं इसलिए उन्हें कुछ भी बिगड न देना। दयालु बनने के मानो यह नहीं कि मनुष्य डरपोक बन जाय, लाठी का त्याग कर दे। लेकिन उसके मानो हैं लाठी होने पर भी उसका इस्तेमाल न करना। लाठी का इस्तेमाल करनेवाले से जो लाठी का इस्तेमाल नहीं करता लेकिन सीमा निहाल कर दुश्मन के सामने जाता है वही अधिक बलवान है। पदलवान का मंत्र, क्षात्रधर्म का रहस्य अपने स्वाम का त्याग न करना, पीठ न दिखाना है और इस गुण को प्राप्त करने के लिए नष्टों की चीजों का त्याग आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पोरबन्दर की प्रजा शराब का सर्वथा त्याग कर दे। राजकाट में यह बंदी बहुत फैल रही है। सिविल स्टेशन के दुकाबदार के साथ स्पर्धा कर रहा है। और इसलिए वहाँ पागल सोडा के घाम बिकती है। लेकिन जिन्हें इतनी सस्ती शराब मिल रही है वे लून के आंसू बहा रहे हैं। मजदूरी करनेवालों की अँरतें मुझसे कहती हैं “अप ठकुर साहब से इसके बाब (और कुछ २४२ स्तम्भ २ के नीचे)

## काठियावाड के संस्मरण

### प्रजा-प्रतिनिधिमंडल

ता. १५ से २१ तक के काठियावाड के संस्मरण मेरे दिल में इनेसा ताजे बने रहेंगे। राजकोट के ठाकुर सा० की स्वतंत्रता पर मैं मुग्ध हो गया। प्रजाप्रतिनिधि-मंडल की उपवागिता के बारे में मुझे कुछ शक था, लेकिन उसको एक बैठक में तीव्र चोटें बैठने के बाद मेरा वह शक भी जाता रहा। यह तो भविष्य की बात है कि यह मंडल आखिर कितना उन्नयोनी साबित होगा। लेकिन यह कह सकते हैं कि जो कुछ है वह आज भी उपवागी है। उसे अधिक उपयोगी बनाने का शारोमदार प्रतिनिधियों पर ही है। प्रतिनिधियों को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और वे उसका पूर्ण उपयोग करते हुए भी देखे गये। किसीको भी यह कथार न इता या कि श्री. ठाकुर सा० को क्या पसंद होगा। प्रतिनिधि इन विचारों को भी, जो ठाकुर सा०को अप्रिय मान्य हो सकते थे, प्रकट करते थे।

सब कामकाज गुजराती में होने के कारण बड़ी शोभा देता था। अंग्रेजी व्याख्याओं में जो कृत्रिमता, आडंबर इत्यादि पाये जाते हैं, यहाँ वे देखने को भी न मिलते थे। कुछ व्याख्यान तो बड़े प्रभावपूर्ण और अच्छे उद्देश्य जा सकते हैं। व्याख्यान लंबे न थे और धामान्य तौर पर सब लोग बड़ी बातें कहते थे जो जरूरी थी। यह मंडल अपनी दलील करने की शक्ति में, मर्यादा की रक्षा करने में, और बाकायदा काम करने में, किसी भी दूसरे प्रतिनिधिमंडल से कम हैं, यह मैं इरागम न कहूंगा।

### मद्यपान-निषेध

इस मंडल में मद्यपान-निषेध पर ही मुख्यतः चर्चा हुई थी। प्रतिनिधिमंडल ने यह प्रस्ताव किया कि राज्य की तरफ से शराब की दुकानें और शराब का बनना बन्द कर दिया जाय। प्रतिनिधि लोग यह जानते थे कि ठाकुर साहब का आमप्राय इसके विरुद्ध है। यह प्रस्ताव तो दूसरी बार पेश किया गया था।

### विचार-दोष

श्री ठाकुर सा० ने स्वयं प्रतिनिधियों के सामने अपनी दलील पेश की थी। इसलिए उनके विचार जाने जा सकते थे। उनकी दलील यह थी कि यदि शराब की दुकानें बन्द कर दी जाय तो व्यक्तिस्वातंत्र्य को हानि पहुँचेगी। मेरा कथार है कि इसमें बड़ा भारी विचारदोष है। यह समझना मुश्किल है कि यदि राज्य की तरफ से शराब को दुकानें बन्द कर दी जाय तो इससे व्यक्ति-स्वातंत्र्य की क्या हानि होगी? प्रजा की मांग यह न थी कि शराब का पाना लुप्त माना जाय। लेकिन उनकी मांग तो यह थी कि राज्य में शराब का बनना और बेचना बन्द कर दिया जाय। व्यक्ति या समाज जिस चीज को दोषयुक्त मानता है उसे बनाना या बेचना समाज या व्यक्ति पर लाजिमी नहीं। शराब से हानेवाली हानि को तो सब काँई जानते हैं। जिस प्रकार शरीर करने का स्वातंत्र्य नहीं मिल सकता उसी प्रकार शराब बनाने और बेचने का स्वातंत्र्य भी नहीं मिल सकता। जो लोग बिना शराब के नहीं रह सकते वे चाहें तो उस हद को छाँड़ दें। व्यक्तिस्वातंत्र्य के पूजक देशों में भी ऐसी रोकटोक के दृष्टांत बहुत पाये जाते हैं। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों एक नहीं हो सकते। किसी भी व्यक्ति का स्वच्छंद हो कर काम करने का अधिकार नहीं हो सकता। बड़ा ऐसा अधिकार होता है वहाँ स्वतंत्रताप्रेमियों का निवास होगा संभवतया नहीं। अत्येक महत्त्व को उतनी ही स्वतंत्रता के उपयोग करने का अधिकार

है जिससे कि किसी दूसरे को मुक्याम न हो। नीतिशास्त्र का अंगरेजी में एक बचन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी चीजों का ऐसा उपयोग करना चाहिए कि जिससे किसी दूसरे को हानि न हो। मुझे अधिकार है कि मैं अपनी शारीर जमीन खोद जाऊँ। लेकिन उसे यहाँ तक नहीं खोदना चाहिए कि मेरे पड़ोसी के घर की नींव ही कमजोर हो जाय।

प्रजा का कोई हिसा यदि शराब पीता हो तो उसका लगीया केवल पीनेवाले को ही नहीं मुगतना पड़ता बल्कि उसके बालबच्चों को, उसके पड़ोसियों को भी सहना पड़ता है। अमेरिका ने शराब की दुकानें और शराब बनाने के कारखाने बन्द कर दिये। इसके बड़ा व्यक्तिस्वातंत्र्य का लोभ नहीं हो गया। इस समय जब शराब के व्यापार के विरुद्ध सारी दुनिया में हलचल हो रही है, यदि राजकोट-नरेश शराब के लिए व्यक्तिस्वातंत्र्य की दलील पेश करें तो यह बड़े दुःख की बात है।

### प्रजामत

यदि यह मान भी लें कि शराब के व्यापार को बन्द करने से व्यक्तिस्वातंत्र्य की हानि होती है ता भी यह सिद्धान्त तो जगन्मान्य है कि जहाँ स्पष्टतया प्रजा का एक ही मत हो वहाँ राजा का चर्म है कि उसको नशावर्ती हाकर रहे। प्रजा-प्रतिनिधिमंडल में ऐसा कोई भी न था जो शराब के व्यापार को बन्द करना न चाहता था। ऐसे भी प्रमाण मौजूद हैं कि स्वयं शराब पीनेवाले ही उसे बन्द कराना चाहते हैं। उनके कुटुम्ब का मास ही रहा है। ऐसे विषयों में भी यदि राजकोट के ठाकुर साहब प्रजामत का आदर न करें तो यह बड़े खेद की बात है। जिस नरेश ने प्रजा-प्रतिनिधि-मंडल बनाने में प्रयत्न कर्म बढाया है उनसे मैं यह जरूर आशा रखता हूँ कि वे शराब के लिए दूषित सिद्धान्तों के कायक हो कर प्रजा-मत का तिरस्कार न करेंगे और शराब के व्यापार को बन्द कर के गरीबों का दुआ लेंगे।

### निश्चितता

राजकोट के ठाकुर साहब निश्चितता के पुजारी हैं। सब काम निश्चित समय पर करते हैं और स्वयं दिये हुए और मुकर्रर किये हुए समर्था पर बड़े गौर से जमक करते हैं और दूसरों से भी कराते हैं। वे "इंसिप्लिन" संयमन के भी पुजारी हैं। वे मानते हैं कि हमारा बड़ा भारी दोष संयमन का अभाव है। इसमें बहुत कुछ सत्यास है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। निश्चय और संयमन के अभाव के कारण ही प्रजा अपनी इमेच्छामा को पूरा नहीं कर सकती है।

( नवमीवच )

मोहनदास करमचंद गांधी

( पृष्ठ २४१ से आगे )

मैं कुछ न कहूँगे? इस पुराई में हमारे घर का सत्यावाच्य कर दिया है। हमारे घर वादवस्फूर्ती हो रहे हैं। हमारे पति व्यक्तिवारी हो गये हैं और हमारे घर में दरिद्रता फैल रही है।" हम गरीब, स्त्रियों से यदि आशीर्वाद लेना हो तो हम सबको कटिबद्ध होना पड़ेगा और राजा को कहना होगा कि यह इस दुःख से रैवत को बचावे। इससे कुछ आसानी होती हो तो भी क्या भीड़ इससे कुछ क्षणिक आनंद मिलता हो तो भी क्या? यदि यह पुराई फैलेगी तो देश की स्थिति ऐसी भयंकर हो जायगी कि उसका सुद-बहुद नाश हो जायगा। किसीको भी उसके नाश करने का प्रयत्न न करना होगा। ईश्वर आप लोगों का करवाण करे, मेरे हीन बच्चों को सुनने और समझने की शक्ति यह आपकी दे और इससे शरीर जगत् का भी कथारण हो।" अ० इ० इ०



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द्र गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ११ ]

मुद्रक—भकाशोक  
 वैष्णोलाल कृष्णनारायण बूच

अहमदाबाद, वैश्व कदो २, संवत् १९८२  
 शुक्रवार, १२ मार्च, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 कारंगपुर सरकीगरा की बाड़ी

## काठियावाड़ के संस्मरण

(२)

### दूसरे राज्य

जो लोकप्रियता मैंने राजकट के ठाकुर नाथ के संबंध में अनुभव की थी पौरुष, शोकाने और बहाण के नरेश के संबंध में भी थी। हर एक अपनी प्रजा का हित चाहते हुए दिखाई दिये। मेरे दिल पर यह छाप पड़ी कि सब राजा प्रजा को संतुष्ट करने की कावश कर रहे हैं। पर मैं एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। एक राज्य में ज्यादाधिक परिमाण में राज्य का सर्व आमदना से बहुत बड़ा हुआ दिख रहा है। मुझे निश्चय है कि जबतक राजा अपने अधिकार पर अक्रिया नहीं करते तबतक वे अपना रक्षकत्व सिद्ध नहीं करते। राजा प्रजा को भ्रमगत आमदना में से हस्ता लेता है और उनके बदले में वह उसका सेवा करता है। जिसको सेवा के बिना प्रजा का नाम नहीं चल सकता वह सरदार बनता है; पर वह जबतक बकादार होता है तबतक सच्चा सरदार रहता है। राजा की बकादार में दो गुण होने चाहिए— एक तो प्रजा को सुख देना, उसका रक्षण और नीति-सदाचार को रक्षा करना और दूसरा प्रजा से मिले हुए संप्रदाय करना। यदि राजा अपने लिए अनुचित स्वयं चरना है तो वह उस स्वयं का संप्रयोग नहीं करता। प्रजा को रक्षा कुछ दोजे वह भले ही ज्यादा स्वयं करे, भले ही अमोद-समद करना चाहे तो कुछ करे पर उसका एक हद अवश्य होनी चाहिए। मैं तदर्थ रह कर यह मनीमति देख रहा हू कि प्रजा-जायत के इस युग में मर्यादा की पूरी पूरी आवश्यकता है। एक भाषा ऐसी संस्था जो अपनी लोकप्रियता सिद्ध न कर सकती हो, अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। एक सप्ताह में काठियावाड़ के चार राज्यों का जितना निरीक्षण हो सकता है उतने के द्वारा काठियावाड़ राजनीतिक परिषद् में किये मेरे रक्षकत्व के समर्थन का पुष्टि मिली है। पर उसके साथ ही मैं उन संघ की कमजोरियों का भी देख पाया हू। राजाओं के एक शुभैषी की दृष्टिगत से मैं नमतापूर्वक कहना चाहता हू कि यदि वे पूर्वोक्त बातों में स्वेच्छापूर्वक सुधार कर देंगे तो अपने राजापन को अधिक सुशोभित करेंगे। वही सहायक संस्था है जो अपनी सत्ता की मर्यादा खुद ही बांध

केता है। ईश्वर ने अपनी सत्ता को विधित कर दिया है, हुकायोक करने की शक्ति होने हुए भी उसने उसका त्याग कर दिया है। शरीर को जीवित रखने का सामर्थ्य रहते हुए जो उसका त्याग करत है वह मोक्ष प्राप्त करता है। छद्मतम ब्रह्मचारी स्वेच्छा से अपना शक्ति का संप्रदाय करना हुआ ऐसी पराकाष्ठा को पशुच जाता है कि अन्त को शीघ्र ही तरह हो जाता है। यह स्थिति अर्णनाग है, यह स्थिति छद्मतम का है। यह जब की तरह होते हुए भी छद्म निर्विधर चेतन्य है। इसीसे अगरजी में कहावत है कि राजा स दास होता ही नहीं। भागवतकार कहते हैं कि तेजस्वी को बंध नहीं होता। सुक्रीवास ने अपनी मधुरी हृदय में कहा है—'समर्थ को नहीं बंध मुझी'। इस काल में इन तीनों बचनों का अर्थ हो रहा है। अर्थात् यह कि बलवान् क दोष करते हुए भी यह मानना और मानना चाहिए कि वह दास नहीं करता। सत्य बात उससे उठता है। बलवान् बही है जो अपने बल का दुस्प्रयोग नहीं करता, अपनी इच्छा से वह बल का दुस्प्रयोग का त्याग कर देता है—वह इस हद तक कि यह दुस्प्रयोग करने के लिए अक्षक हो जाता है। हमारे नरेश ऐसे क्यों न हों? क्या ऐसा होना उनकी शक्ति के बाहर है?

### राष्ट्रीय पाठशाला

दो राष्ट्रीय पाठशालाओं के खोलने की क्रिया का साक्ष्य मैं था। एक राजकट की। वह खाली गई थी श्रीमान् ठाकुर साहब के ही हाथों—मैं तो उपस्थित मात्र था। दूसरी बहाण की। उसके खोलने की क्रिया मेरे हाथों हुई। दोनों पर काले बावल मँडराये थे। दोनों के लिए अक्षरों का सवाल बाधक हुआ। दोना अब उसको मर्यादा को बांध गई हैं। फिर भी अमो वे निःशक नहीं हुई। निःशक हो जाने से शिक्षकों की शक्ति का नाप याकम हो जायगा। यदि शिक्षक विवेक, शान्ति और मर्यादा तथा तिलिस्कापूर्वक अपना कार्य करते रहे तो अन्त्यजों को अपनाते हुए भी लोगों के विरोध-पात्र न होंगे और शाळाओं में इतर वर्णों के बालक अवश्य आ जावेंगे। शाळाओं की राष्ट्रीयता अर्थात्कों के वास्तिव बल पर, उनके देश-प्रेम पर, उनके त्याग-भाव

पर और उनकी दृष्टता पर अवलंबित है। दोन की इमारतों को मैं सीधी देख-दृष्टी से देखता हूँ। इनमें यदि लपटों का ध्यापक ही रहे तो तो डीक, नहीं तो संभव है उनके द्वारा हमारी अधोगति हो। ब्रह्मदेश में एक काल ऐसा था कि हर गाँव के बहियाँ मकानों में, सुंदर पाठशालाओं में बर्दा के साथ उद्यम के साथ शिक्षा देते थे। अब मकान बर्दा है; पर अब मैं उनमें गया तो मैंने बर्दा बर्दा में पड़े हुए आकली साधुओं को देखा। पाठशाला का नाम-मात्र रह गया था। उनका वाण निकल गया था। अंत्यो को मरती करना जिनसाह राष्ट्रीय शाला का आवश्यक अंग है उसीसाह चरखा भी है। इस चक्र की नियमित गति पर भारतवर्ष के चक्र की गति अवलंबित है। हम चक्र का पूर्ण रूप से विकसित तो राष्ट्रीय शालाओं के द्वारा ही हो सकता है। हर एक पाठशाला में मैं उसकी साधना की आशा रखता हूँ। इसके प्रति आदर पैदा करना शिक्षकों के लिए अपनी सेवा-सेवा की मात्रा का परेचय देना है। आत्मस्व की नींव में सोये इस देश को उद्यमी बनाने का एक ही साधन चरखा है। चरखा एक निष्काम उद्यम है और इसीसे पूर्णतः कर्मदायी है। वह उद्यम का एक उत्कृष्ट स्वरूप है। आज वह भले ही नीरस माखन हो; पर उसकी नीरसता में ही रस है। उस रस को प्रकट करने का काम शिक्षकों का है। मैं बर्दा आशा रखता हूँ कि दानों शालायेँ आदर्श बनें।

**तीन झरने**

इन दिनों काठियावाड़ में खादी के तीन झरने हैं—बडवाण, महडा और अमरेली। अधिक झरने उदाम करने की योजना कार्य-समिति ने तैयार की है। पर ये तीनों कन्ड एक दूसरे से अपने अनुभवों का देन-केम करके एक दूसरे के साथ पाषक स्पर्धा करें यह वास्तविकीय है। राज्यों की अंदर से खादी का प्रत्यागमन मिलने की पूर्ण आशा है। इस लए खादी की पैदावार करने में उन्हें मिलने की जरूरत न पड़े। प्रजा-जन में सतत खादी प्रचार करने के लिए युवा-सब कार्यवाही होना चाहिए। वह कार्य मुख्यतः कार्य-समिति का है। मैं तो बर्दा बर्दा हूँ कि कार्य-समिति तमाम खादी को लागत के दाम पर खादी के और समझकर के समिति की खादी का इमारा के लेना चाहिए। अमेरिका में जा बात धनवान् लोग जय। बग बढाने के लिए करते हैं वह हम जनहित के लिए करें। किसी एक चीज के व्यापार का अपने हलगत करने के लिए वे उठे सारा का सारा खर्च डेट हैं और अपना इच्छा के अनुसार दर दाम तय करते हैं। हम लोक-संमर्द क भव स खादी के लिए ऐसा क्यों न करें? अमेरिका में वे एकदमया संमर्द दर बढाने के लिए करते हैं हम दर बढाने के लिए करें। हर जगह का परता एकसा नहीं पडता क्योंकि कताई आदि का दर में कुछ फर्क रहा करता है फिर हम तो कपास का मोख मांग रहे हैं। वह खादी के लिए बर्दा बर्दा—उत्पन्न-के है। इसके समिति जुकसाम खा कर खादी बेंच मरती है। पर खानगो संमर्दमें ऐसा नहीं कर सकता। समिति हर तरफ की दर को एक में मिलाकर उसमें कपास की शिक्षा जकर जा परता पडे उस मांग से खादी बेंच सकता है। खानगो संस्थाओं को दर क्या तजवीज हो, इसका निर्णय उनके मिलकर हो सकता है। इतनी बातें उन्हें ध्यान में रखना चाहिए,

१-ऐसा प्रयत्न कर लेना चाहिए कि कुछ मास तो खादी का ही बर्दा बर्दा जाय। अर्थात् मिस मिस संस्थाओं को अपने स्वार्थ पर इसके लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए।

- २-संस्था को सूत के सुधार की ओर ध्यान देना चाहिए; बक तथा महीनी पर ध्यान रखना चाहिए,
- ३-दुनाई में सुधार करना चाहिए।
- ४-समेते से उतना ही दाम ले जितना परता बँटा हो और इसका यकीन समिति को दिला दे।

यह काम तभी हो सकता है जब सब लोग उद्यम, परिश्रम, और ईमानदारी के साथ परस्पर विश्वास रखकर काम करें। अभी बहुतेरे लोगों को परमार्थ दृष्टि से एक-साथ मिल कर काम करने का उद्यम और आनकारी नहीं हो पाई है। इसीसे हमारे कामों में बहुत रुकावट आती है। पूर्वोक्त संस्थायेँ इन तमाम दोषों से मुक्त रह सकती हैं। क्यों कि उनके कार्य-कर्ताओं में परमार्थ दृष्टि का विकास अच्छी मात्रा में हो गया है। उनके अन्दर कर्म-भाव है और बाधा बहुत अनुभव भी है। सिर्फ एकत्र हो कर काम करने की और एक दूसरे के स्वभाव को सहन करने की तालीम की कुछ कमी कही जा सकती है। जहाँ भावना शुभ है वहाँ अनुभव ही उस खादी को दूर करेगा।

**चरखे सुधारों**

सामान्य तौर पर मैं अपना चरखा अपने साथ ही रखता हूँ। लेकिन इस समय काठियावाड़ पर मेरी अट्टा होने के कारण और बहुत सी चीजों को साथ रखने की अनिच्छा के कारण भी, मैंने चरखा अपने साथ नहीं रखा था और जहाँ जाता वहीं से चरखा मांग लेने का निश्चय किया था। इससे मुझे परीक्षा करने का भी डीक डीक काम मिला। मैंने राजकाट में ता बडे अच्छे चरखे की आशा रखी थी। लेकिन जो मिला उसे मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता। बहियाँ चरखा तो बड़ी है जा बराबर चलता हो, जिसकी सादी माक इत्यादि सब अच्छे हैं और खिचकी तकिया पतला और मोबा दा। मैं उसे इन सब परेक ओं में पाव हुआ नहीं गिब सकता। लेकिन चरखे पर जा धून नहीं हुई थी वह ता निष्कल असल माखन हुई। कारीगर अपने औजार का बरी अच्छी हालत में रखता है। चरखे पर धून क्यों लगी हो? जेतपर ने तो हद कर दी। उरसाह ने भाकर देवचंदभाई ने हद दिया कि "मेरे पास अच्छा चरखा है, अभी नेत्रता हूँ।" वे मुझे मोटर में बिठाकर जेतर ल गय। रात के उचारह बजे थे। लेकिन बिना काते कैसे सा मकते थे? चरखा ता मिला, लेकिन वह चलता ही न था। तबवा तो गिरनार की ओर थी, खादी की जग। जैसा तैसा लपेटा गया सूा था, माख ता भाती बर्दा मोटी रसी थी। चरखा चलत हुए भाचारण तार पर मेरा कन्धा नदी थकता। लेकिन इस कार ता मुझे चरखा इतना जर से चलाना पडा कि आंचे घण्टे में इमेरा कन्धा थक गया। ऐसा अच्छा चरखा देवच.भाई का था। ऐसे हद अनुभव के बाद मानो उस चरख का मनाक उठाने के लिए हो देवचंदभाई ने सभा निभाकरत क्या न की दो? मैंने उस सभा में उस चरखे का और उसके मालिक का बदनाम करने में कुछ उठा नहीं रखा। लेकिन ऐसा कि मैं ऊपर कह गया हूँ बकवान् का दाप नहीं लगता। देवचंदभाई के चरखे क दूध कौन मिलाकेगा? देवचंदभाई ता मन्ना ठहरे। दूध ता उनके चरखे में हो हो रहा सते। उन्होंने जा बड़ी जान लिया था। इसलिए इसके जयेँ मैं आज बर्दा आदर इतना देता हूँ कि यदि देवचंदभाई अपने चरखे को न सुधारेंगे ता वे पदमर्द कर दिये जायेंगे।

लेकिन मैं विनोद को छोडे देता हूँ। विनोद में भी तो कटकार हैं। इसलिए उनके चोट तो लगेगी, लेकिन वह मठो लगेगी। १. दम.ई जैसे साफ-दिल और चारित्रवान् मन्त्री मिलना शुभिक

है। उन्हा जितना भी उपयोग हम कर सकें, हमें कर लेना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि प्रजा सोती हो और राजा जगता हो। इसी कारणवाह रहे तो फिर देवचंद्रभाई जैसे सावधान रह सकेंगे? देवचंद्रभाई चरखे का शास्त्र तो समझते हैं लेकिन चांगी तरफ बायुमण्डल में स्थितिगत होने के कारण उन्होंने उसका सुधार नहीं किया है, उसे सजाया नहीं है। यदि उन्हें केवल चरखे को ही साधना करना हो तो उनके चरखे की यह अपूर्णता अक्षुण्ण ही। पोरबंदर में कुछ कम असंतोष रहा, बांकापूर में तो उतना ही असंतोष हुआ। इस अपूर्णता को देखकर मुझे काठियावाड़ में चरखे को प्रगति का नाप मिल गया है। चरखे का जो आधार बना चाहिए अर्थ उसका घंटा आर नहीं होता है। चरखे को छंग सहन कर लेते हैं लेकिन उसका स्वागत नहीं करते हैं। वह अभी अश्यागत है, माननीय अतिथि नहीं बना है। और जबतक उसका अतिथि ऐसा स्वागत न होगा, काठियावाड़ की भूख न मिटेगी।

चरखे की अपूर्णता के बारे में मैंने जो इतना विस्तार से लिखा है उसमें कुछ मनन्य है। चरखे या दोष नि-कलना बड़ा सख्त है मेरी सूचना यह है:—

(१) मंत्रों चरखों की गिनती करावें।

(२) चरख को जांच करने के लिए एक या अधिक निपुण कारीगर मुहरंर किये जायें।

(३) चरख के मातृका को अपने अपने चरखे की शिक्षायात करने के लिए निमंत्रित किये जायें।

(४) चरखे हुए चरखों के तकवे, लुहार दिये जायें। बड़े तकवों का बदल दें और तकवे के दमनों में भी उसके लिए आवश्यक सुधार कर दें। जांच करनेवाला चरखे के मातृकों को उसमें किये गये सुधारों की समझावें।

(५) जांच करनेवाला जिस जिस गांव में जायें उन उन गांव में बड़े एक स्थानिक निरीक्षक तैयार करे और उसका नाम दर्ज कर ले।

(६) यह इसका भी हिसाब रखव कि किस चरखे से कितना सूत निकलता है और उस पर कबतक काम होता है।

इस प्रकार व्यवस्थित काम करने से थोड़े ही समय में चरखे में और उससे उत्पन्न होनेवाले सूत में बड़ा सुधार होगा। मैंने अनुभव किया है कि जब मैं अपने चरखे पर आये घण्टे में १०० गज सूत आसानी से कात सकता हूँ तब इन चरखों पर तो मैं शायद ही ५० गज सूत निकाल सकता हूँगा। और अच्छे चरखे पर कातने का जो आनंद मिलता है वह मुझे राजकोट के सिवा और कहीं भी न मिला। इस वर्ष के अन्त तक काठियावाड़ में कारी की कीर्ति पड़ी हो जाय—इतना ही नहीं बल्कि खादो की साधियां भी बनाई जा सकें, इतना बारीक काम हमें करना चाहिए। मैंने देखा है कि श्री यशदा बहन ने अपने पति श्री बाबूभाई के लिए हाथकते सूत की धोती बुनवाई थी। ये धोती आन्ध्र की धोती की धोती के साथ तुलना में आ सकती थीं। सैकड़ों माइ-बहन इतना बारीक सूत क्यों न काते?

### राजनीति

परिषद् के समय ऐसे विचार किये गये थे कि प्रजा चरखा चलावे और खाला पहने और मैं राजनीय मामलों का देखू। इनका अर्थ तो मैंने समझाया है लेकिन फिर भी उसे राज करने की आवश्यकता महसूस होती है। उनका अर्थ यह है यदि प्रजा जाग्रत रहेगी और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेगी तो मैं भी जाग्रत रहूँगा और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूँगा। प्रजा यदि जाग्रत रहे तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके सफल हो सकती है

क्योंकि सफलता प्राप्त करना उसके हाथ की बात है। लेकिन मैं तो जाग्रत रहने पर भी, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने पर भी, सफल हो कि सफल न होऊँ; क्यों कि मेरा सफल होना न होना दूसरों के हाथ की बात है। प्रजा के प्रतिज्ञा-पालन पर मेरी सफलता का आरोपण है। बड़े दुःख की बात तो यह है कि आज भी सूत का राजनीति से क्या संबंध है, यह समझाना पड़ता है। सूत कातने में प्रजा की संघर्षक प्रतीत होती है। मुझे विश्वास है कि उस शक्ति का अदृश्य प्रभाव सर्वत्र पड़ेगा। यह हो या न भी हो, लेकिन यह आवश्यक है कि प्रजा मेरा प्रतिज्ञा को समझ ले। यह नहीं कि मैं कुछ कर सकूँगा ही। जिसे मैं उत्तम माने समझता हूँ वह मैंने प्रजा को दिखा दिया है। केवल दुःख्यल करने से ही प्रजा कुछ नहीं प्राप्त कर सकती। राजाओं की स्थिति भी समझ लेनी चाहिए। निरा करने से या टीरु करने से ही कुछ नहीं बनता। यह स्थिति समझ लेने के लिए ही मैंने परिषद् का राजनीतिक प्रस्ताव न करने की सलाह दी थी। प्रमुख की हेतुवत से मुझसे जितना भी बन पड़े, मैंने इसकी जांच करने की प्रतिज्ञा की थी। उसका पालन करने के लिए मेरा पदत्व तो हो ही रहा है। मैं निश्चित हो कर न घंटा हूँ और न बंदूंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिसे दर्द है वह अपने दर्द का इलाज ही न करे। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना ही था कि पूर्वोक्त सहायता ही परिषद् की तरफ से मिले। यह समझ लेना चाहिए कि न्याय प्राप्त करने के लिए किनी भी सत्य और ज्ञान उपाय का व्यापक प्रयोग किया जाय तो उसमें मेरी तरफ से कोई शकटक न होनी। परिषद् से जितनी जो मदद हो सकेगी वह करेगी। आज वह मदद इस रूप में प्रकट हो रही है कि जिन जिन राज्यों के बारे में शिकायतें हो रही हैं उनके संबंध में मैं अपनी विनय, अनुभव करने की शक्ति का उपयोग करूँ। फल का आधार तो वस्तु और पाव की शुद्धता और प्रजा के प्रतिज्ञा-पालन पर है। प्रजा को भी अपनी कार्यक्षमता की छाप डालनी चाहिए। प्रजा यदि रचनात्मक कार्य करेगी और (मान की रक्षा करेगी तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज तो जिस प्रकार दूसरे भागों में है उसी प्रकार काठियावाड़ में भी प्रजा आत्म-विश्वास खो बैठी है। लेकिन मेरा अनुभव मुझसे कहता है कि हर अमल स्थिति तो यह है कि काठियावाड़ के बहुतेरे राज्यों में प्रजा जितनी चाहे प्रगति कर सकता है। जिटिश विचार में प्रजा का जो सुविधाये नहीं हैं वे काठियावाड़ के राज्यों में हैं। इन सुविधाओं से प्रजा रचनात्मक कार्य कर के ही लाभ उठा सकती है।

### १ अप्रैल

काठियावाड़ की तरफ से मुझे इतना आलस मिला है कि मैंने अप्रैल में फिर काठियावाड़ जाने की सुविधा कर सकी है। बेटाद की अंत्यज शाला, अमरेली आदी-कार्यालय का काम और मददा का आश्रम देखने के लिए मुझे जाना तो था ही। लेकिन उस समय मैं वहाँ न जा सका। अप्रैल में मुझे कहीं कहीं जाना चाहिए इसका विचार वे लोग ज मुझे कहीं भी ले जाना चाहते हो देवचंद्रभाई और अमरेला कार्यालय के साथ कर लें। मैं चाहता हूँ कि जहाँ कारी का लाकव न हो वहाँ मुझे ले जाने का कोई भी लंभ न रखें। अप्रैल में, सभासदों की एक बड़ी संख्या को वे आशा रखेंगे और यह भी आशा रखेंगे कि लिपि हुई हुई इकट्ठा कर ली जायगी, दूसरी लिख ली जायगी और जिन केन्द्रों के लाले जाने के बारे में राजकोट में विचार हुआ है वे सब केन्द्र काम करने लगेंगे।

( नवनीत )

वीरभद्रदास करमचंद गांधी

# हिन्दी-नवजीवन

गुरुवार, चैत्र बसो २, संवत् १९८१

## स्वदेशी और राष्ट्रीय धर्म

मैंने कितना पत्र बहुत दिनों से मेरी फाइल में रक्खा हुआ था—

“विश्व-देह आपने १०० रोमां रोलों की ‘महात्मा गांधी’ नामक पुस्तक पढ़ी ही होगी। उसके पृष्ठ १७६ पर लिखा है— ‘बड़े राष्ट्र-धर्म—मनमस्त संकुचित और निराले देश-भक्ति, नहीं तो और क्या है? घरमें बड़े रह’, तबाम दरबजे बन्द कर लो, किसी चीज में परिवर्तन न करो, हर बात पर जो के त्यों जहाँ के त्यों बिक रहो! कोई चीज बाहर न भेजो, कोई चीज खरीदा नहीं, देह और आत्मा को शुद्ध और उन्नत बनाते रहो! कापी मध्ययुगन साधुओं की ही शिक्षा है। और बड़े उदरचेता गांधी अपना नाम इस पुस्तक के साथ जुड़ने देने है। (२० वां कांसेलर के ‘स्वदेश धर्म’ की भूमिका के तौर पर), ये बचन आपके एक बड़े भावकर्ता के लिखे हुए हैं। इसलिए इनपर आपका उत्तर मिलना जरूरी है। यं. इ. के २७ वें खंड में एण्ड्रयूज साहब के एक के लेख के बच्चे आपकी एक टिप्पणी इस पाठ्य की प्रकाशित हुई है कि भारत की स्वदेशी अण्डर या आतिथ्य मुक्त-नहीं हो सकती। क्या आप कितना अगले खंड में इस आशय को पकड़िये कर के इस अशुभ पुस्तक के रचयिता और उसके असेक्य पाठकों का यह मय बुर न करेंगे?’

जहाँतक भी कांसेलर की पुस्तिका से संबंध है बालत इस सत्य है। वह पुस्तिका पुस्तिका का अगरेजी अनुवाद है जो रामा रत्न महाशय ने देखा। मैंने प्रस्तावना मूल पुस्तक के लिए लिखी थी। श्री कांसेलर मेरे बड़े कोमली साथी हैं। इसलिए मैंने पुस्तक की नीचे से देखे बिना ही ५-६ सतरें प्रस्तावना के तौर पर लिख दीं। मैंने सिर्फ उसके कुछ वाक्य इधर-उधर से देख लिये थे। मैं स्वदेश-सुवर्षी उनके विचारों को जानता था। इस कारण मुझे अनेकाने उनके साथ साम्य करने में विकृत न थी। केकेन एण्ड्रयूज साहब के कहने पर मैंने अगरेजी अनुवाद को पढ़ा और मैं कुबूल करता हूँ कि उसके प्रतिपादन में कहीं कहीं संकीर्णता का भ्रम है। मैंने भी कांसेलर से भी उनकी चर्चा की और वे इस बात का मानते हैं कि हाँ, अनुवाद में संकीर्णता दिखाई देती है, पर उसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं। जहाँतक मेरे विचारों से संबंध है, मेरे यं० इ० के लेख इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि मेरी स्वदेशी, और इस कारण भी कांसेलर की स्वदेशी वैसा संकुचित नहीं है जैसा कि उस पुस्तिका से कयालक हो सकता है।

यह तो पुस्तिका की बात हुई।

मेरी स्वदेशी का व्याख्या तो सुपमिद्ध है। मैं अपने नवजीवी पढ़ौछों को हानि पहुँचा कर बुराती पाना की सेवा न करूँगा। इसमें सीना या इच्छ की बात जरा भी नहीं है। बड़े संकुचित भी किसी भाषी में नहीं है; क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वे सब मैं दुनिया के हर हिस्से से खरीदता हूँ। मैं किसीसे भी ऐसी कितना बज के लेने से इन्कार करता हूँ—फिर वह कितनी ही नकीज और खसूरन हो—ता मेरी या उन लोगों की उन्नति में जिनका स्थान कुदरत ने

इस तरह निर्माण किया है कि मुझे सबसे पहले उनकी खबर रखनी चाहिए, बाधा डालती हो। मैं उपयोगी और स्वास्थ्यदायी साहित्य दुनिया के हर हिस्से से खरीदता हूँ। मैं अन्तर लगाने के अन्तर इंग्लैंड में, पिन और पेन्सिल आस्ट्रिया से और बर्लिन स्विट्जरलैंड में मंगाता हूँ। पर मैं उम्दा से उम्दा कपास का एक इंच १२६३ अ इंग्लैंड से या जापान से या दुनिया के और किसी हिस्से में न लूँगा—क्योंकि सबसे भारत के लाखों बावियों को हानि पहुँचा रहा है। भारत के लाखों कंगाल और अकृतमन्द लोगों के द्वारा कते—बुने कपड़ों को न लेकर विदेशी कपड़े का खरीदना न पाप मानता हूँ—फिर वह चाहे भारत के हाथ-कते कपड़े से बँडय ह क्यों न हो। इसतरह स्वदेशी का मध्यावन्दु पधानतः शायद ना खाद्य है और उनकी परिधि उन तमाम चीजों तक पहुँचना है न इन्दु नाम में पैदा होती है या को जा सकता है। मेरा राष्ट्रीय धर्म भी उतना ही विचाल है जितना कि मेरी स्वदेशी है। मैं भारत का रयान इन्कार चाहता हूँ कि जिससे मारे ससर को काम हो। मैं भारत का उताने हुए राष्ट्रों के बिनाश पर नहीं चाहता। सा यद्ये भारतके मशक और सुयोग्य होगा तो बड़े दुनिया का आना कला और स्वास्थ्यदायी ममाला का खजाना मेरा होगा जोर अनाम या नशीली चीजें मेरने से इन्कार करेगा—कले उर्दके व्यापार के बदीलत उसका आर्थिक काम हाने की समावना है।

(५० इ०)

मोहनदास क मन्वेद गांधी

## जन्म-मर्त्यादा

निहायत शिक्षक और अनिच्छ के साथ मैं इस विषय में कुछ लिखने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। सबसे मैं भारतके हा जोड़ा हूँ तथा से नाम कृत्रिम साधनों के द्वारा सन्नति की मर्यादा मर्यादित करने के प्रयत्न पर मुझसे बिकर का रहे हैं। मैं आसानी तप पर हा अवगत उनकी जवाब देता रहा हूँ। आम तौर पर कभी मैंने उनका चर्चा नहीं की। आज से मैं तब तक पक जब मैं इंग्लैंड में पठता था तब इस विषय को आर मेरा जान गया था। उन समय बं एक संवत्पादी और एक इच्छर के दरम्यान बड़ा वाद-विवाद चल रहा था। संवत्पादी कुदरत सावनी के ‘सवा किमी बूपरे साधनों का मानने के लिए नैवार न या अर बाह्य कृत्रिम साधनों का हामो था। उसी समय में कुछ समय तक कृत्रिम सावनी की आर प्रवृत्त हो कर कि उनका क्ला का भी हो गया अब मैं देन्ता हूँ कि कुछ हिन्दी पत्रों में कृत्रिम साधनों का वर्णन बड़े ब्यावर्ती तप से आर खुले तौर पर किया गया है। जिसे देखकर सुकृति का बड़ा आघात पहुँचता है। और मैं देखता हूँ कि एक लेखक ने तो मेरा भी नाम बेटके जन्म-मर्त्यादा के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग करने के हामियों में लिख मारा है। मुझे एक भी ऐसा मोका याद नहीं पड़ता जबकि मैंने कृत्रिम साधनों के उपयोग के पक्ष में कोई बात कही या लिखी हो। मैं देखता हूँ कि जो और पतिद्ध पुरुषों के नाम इसके ममर्त्यादा के दिये गये हैं। बिना उनके साक्षिकों से पूछ नाछ कैसे मुझे उनका नाम प्रकट करने में संकोच होता है।

सन्नति के जन्म का मर्यादित करने की आवश्यकता के बारे में हा मय हो ही नहीं मयत। प तु हमला एक ही उपाय है आत्म-संयम या जग्नबर्ष, जो कि युवा से हमें प्राप्त है। यह शमबाण और सर्वोपरि उपाय है और जो उसका सेवन करते हैं उन्हें लाभ ही लाभ होता है। डॉक्टर लोगों का मानन-आति पर बड़ा उपकार होगा, यदि वे जन्म-मर्त्यादा के लिए कृत्रिम साधनों की सज्जा करने की अगद आत्मसंयम के साधन निर्माण करें। श्री-पुस्तक के मिलाप का बहुत अनन्द-भोग नहीं बल्कि संस्तानोत्प है।



और जब कि प्रत्याभूति की इच्छा नहीं है तब संशोधन करना बिल्कुल अपराध है, पुनाह है।

कृत्रिम साधनों की सहाय देना मानों बुराई का होसका बहाना है। उनसे पुरुष और स्त्री उत्पन्न हो जाते हैं। और इन कृत्रिम साधनों का जो सन्ध रूप दिया जा रहा है उससे तो, संयम के शास की गति बड़े बिना न रहेगी जो कि लोकमत के कारण रहने वाले। कृत्रिम साधनों के अवलंबन का फलक होगा नपुंसकता और क्षीणवीर्यता। पुनाह दवा मर्ज से भा ज्यारह बरतार साबित हुए बिना न रहेगी। अपने कर्म के फल का भागने से दुःख दवाना बाध है, अनीति-पूर्ण है। आ शासक जकरत से ज्यादह का लेता है उसके लिए यह अच्छा है कि उसके पेट में दर्द हो और उसे संभन करना पड़े। जनान को काबू में रख कर अनाप-शनाप का लेना और फिर बलवर्द्धक या पुरा दवाइयाँ खाकर उसके मर्जा से बचना बुरा है। पशु की तरह विषय-भंग में गर्क रह कर फिर अपने इस कृत्य के फल से बचना और भा बुरा है प्रकृति बका कठर शासक है। यह अपने बान्ध-भंग का पूरा बदला बिना भागा पछा देखे चुकती है। नैतिक संयम के द्वारा ही हमें नैतिक फल मिल सकता है। हमारे समाज प्रकार के संयम-भाजन अपने हेतु के ही विनाशक सिद्ध होंगे। कृत्रिम साधनों के समर्थन के मूल में यह युक्ति या धारणा गभित रहती है कि भग-विलास जीवक की एक आवश्यक चीज है इससे बढ़कर देवभास-गलत तक हो ही नहीं सकता। अतएव जन्म-मर्यादा के लिए उत्सुक है, उन्हें चाहिए कि वे प्राचीन लोगों के मत से जायज उपायों को ही विशद करें, और इस बात की कक्षा करें कि उनका जो बौद्धिक निरंतर है। उनके सामने बुनियादी काम का पहाक खडा हुआ है। बाल-विवाह लोक-सहय की वृद्धि का एक बडा सफल कारण है। हमारी वर्तमान जीवक-विधि भी वैराक प्रजोत्पत्त के दोष का बडा कारण है। यदि इन कारणों की छात्रनीन करके उनको दूर करने का उपाय किया जाय तो नैतिक दृष्टि से समाज बहुत कंवा उठ जायगा। यदि हमारे इन अहदबाज और अति उत्साही लोगों ने उनको ओर ध्यान न दिया और यदि कृत्रिम साधनों का ही दर-दारा चारों ओर हो गया तो सिवा नैतिक अंधता के दूसरा कोई नतीजा न निकलेगा जो समाज पहले ही विषय कारणों से निःसत्व हो रहा है, इन कृत्रिम साधनों के प्रयोग से और भी अधिक निःसत्व हो जायगा। इसलए वे शासक जो कि इसके दिल से कृत्रिम साधनों का प्रचर करते हैं वे नये सिरे से इन विषय का अध्ययन-मनन करें, अपनी हाविकर कारवाइयाँ से बाज आवेँ और क्या विवाहित और क्या अविवाहित दानों से प्रश्नचर्च को निग्रा जाग्रत करें। जन्म-मर्यादा का बही उष और सीधा तरीका है।

(य० इ०) श्रीहनुमान् करमचन्द्र गांधी

**दिया सूत खरी ना**

एक जिला समिति के मन्त्री लिखते हैं कि कुछ सूत कातने वाले मरने सूत के इतने शोकम हो गये हैं कि वे फिर अपना सूत खरीद कर अपने लिए उसीके कपडे पुनाना चाते हैं। वे मुझसे पूछते हैं कि जिन लोगों ने अपना सूत बतौर सदस्य होने की फीस के मेरा है वे पूर्वोक्त उद्देश से फिर अपना सूत खरीदें या नहीं? सा आदमी तो बही है कि लोग अपने कपडों के लिए फु मल के वक में सूत कात लिया करें। कपडे के विषय में स्वबलबो होने का बही सबसे अच्छा और सुगम उपाय है। इसक्रिए मे समाज महासभा-समितियों के मन्त्रियों का सलाह दूंगा कि वे जकर सूत देनेवालों का अपना सूत खरीद लेने के लिए उत्साहित करें; पर इसका यकीन कर लें कि वे फिर उसीको अपनी कीमत के तौर पर जमा न करवाँ। (य० इ०) मी० क० गांधी

**टिप्पणियाँ**

**और सदस्य**

इस सप्ताह में कुछ और सदस्यों के अंक प्राप्त हुए हैं। पिछले सप्ताह कुल तादाद ६६४४ थी। अब वह ७०५१ हो गई है। पिछले सप्ताह से इस सप्ताह में सिर्फ पांच सूनों में तरकी दिखाई देती है। इस सप्ताह के मिलाकर उनके अंक इस कार हैं—

	अ	ब	कुल
१-गुजरात	१८४७	८०	१९२७
२-संयुक्तप्रान्त	१२९	२५४	१०९४
			( बिना व्यौरे के अंक भी शामिल है )
३-बिहार	४१८	१४६	५६४
			( बिना व्यौरे के अंक भी शामिल है )
४-महाराष्ट्र	४८	१२३	१७१
५-मिन्ग	तकसीक नहीं		१६८
६-ब्रह्मदेश	२६	३	२९

**सभासदों की सूची**

पिछले सप्ताह सभासदों की जो सूची प्रकाशित की गई थी उसमें बहुत सी बातें जो होना चाहिए थी नहीं हैं। कुछ प्रान्तों ने तो अपनी सूची ही नहीं भेजी। उनमें से बहुतों ने तो उषका बर्गीकरण ही नहीं किया है। कुछ सप्ताह पहले मैं ने जो पत्र प्रकाशित किया था उससे यह आशा होती थी कि बरार कम से कम सूत देनेवाले सभासद देने में तो बडी बहादुरी दिखायेगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि वह तो सबसे नीचे ही नजर आता है। यदि अजमेर चाहे तो आसानी से एक हजार कातनेवाले दे सकता है। लेकिन उसने तो दो कातनेवाले और १५ सूत देनेवाले से ही आरंभ किया है। मैं आशा करता हू कि बंगाल, आंध्र, करनाटक, बिहार और तामिल नाडु जहाँ कातने के अच्छे केन्द्र हैं, गुजरात को दुरा देंगे। उनकी कातने की प्राचीन हयाति भी ऐसी है कि आवश्यक नसका स्मरण बना हुआ है।

**“संगसारी” कुरान में नहीं है**

मै डाक्टर महम्मदअली, सदर अहमदिमा अंजुमन इगभावे इस्लाम का नाचे लिखा तार बडी सुशी के साथ प्रकाशित करता हू:—

“कैसे भी पुनाह के लिए कुरान संगसारी की इजाजत नहीं देती है। आपकी टिप्पणी से इस्लाम और नबी के साथ अन्धाय होता है और उससे इस्लाम के खिलाफ बुनिषा में बहुत कुछ गलतफहमी होने का अंदेशा है। मैं कहता हू कि यकीनन वह आपकी साची हुई पुख्ता राय नहीं है। आपने यों ही चुनकर यह लिख दिया है। इस विषय पर कुरान के मेरे अंगरेजी तंजुमे को आप देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि जिन्होंने आपको यह खबर दी है वे गलती पर हैं। इसलिए आपसे यह प्रार्थना है कि आप इसपर विचार करें और इस गलतफहमी को दूर कर दें।”

डा० महम्मदअली मेरी टीका को ठीक ठीक नहीं समझ सके हैं। मैं यह जानता था कि कुछ लोग किसी किसी मौकों पर “संगसारी” की सजा का “कुरान” में लिखी हुई मान कर जा समझते हैं। मैंने इस बात पर कि “कुरान” या “हदीस” में ऐसी सजा लिखी है या नहीं, अपनी राय बाहिर नहीं की है लेकिन सिर्फ इतना ही कहा कि यदि कुरान शीक में भी ऐसी सजा लिखी हो तो भी उसपर कोई आधार नहीं रखना जा सकता। मुझे बडी सुशी है कि

डा० महम्मदअली मुझे इस बात का बकान दिखाते हैं कि "कुरान" में संगसारी के लिए इजाजत नहीं दी गई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि काबुल में किस आधार से यह सजा दी गई और हिन्दुस्तान में मुसलमानों के एक वर्ग ने किस आधार पर उसका समर्थन किया। मैं यह चाहता हूँ कि सब मुसलमान एक हो कर संगसारी की सजा की निंदा करें। यदि यह हाँ सका तो फिर ऐसा सजा का इस्लामी दुनिया में दुबारा कहीं भी होना नामुमकिन हो जायगा।

**मैं राज-काजी ?**

एक अंगरेज मित्र ने एड्यूक साहब को एक पत्र भेजा है जिसे उन्होंने मुझे भेज दिया है। उनकी समस्या यह है—

"हाक ही के एक लेख में गांधीजी के द्वारा सूत और अक्षत के वर्तमान घेदा-व्यवहार होने का विषय देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। यही सवाल मुझे इसकी कसौटी मालूम होती है। यह बात नहीं कि मैं चाहता हूँ कि गांधी व्यक्तियों के परस्पर संबंध से आगे बढ़कर एक जाति के साथ दूसरी जाति के विवाह करने की हिमायत करें। और यह बात तो बर्कनज है कि जहाँ ली पुरुष पूरे पूरे एक-दिल है वहाँ उत्तम मातृक संबंध और उत्तम सन्तति पाई जाती है। क्या यही कथ्य गांधीजी का भारत में नहीं है? और जिस अंश में वे इस कथ्य तक पहुँचेंगे उस अंश में भिन्न भिन्न जातियों में अन्तर्विवाह, इफेसस में हुए यहूदियों और यूनानियों के वर्तमान विवाह की तरह, कुररती न हो जायेंगे ?

मैं जानता हूँ कि "गांधीजी" एक राजकाजी हैं और मैं जान सकता हूँ कि लोगों की मारामी से बचने के लिए उन्होंने यह बात लिख ली होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनके ऐसे बक्तव्य के राजनैतिक महत्व के कारण उनके प्रधान कथ्य को "ज्ञानि पहुँचे बिना न रहेगी। यदि ब्राह्मण लोग भंगियों को, महज जाति की बिना पर, बराबरी के अधिकार देने से इनकार करें तो केनिया के योरपियन किसानों से यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वे हिन्दुस्तानी हुकानदारों से यथाचित व्यवहार करें ?"

मैंने कई बार जाति-भेद और अन्तर्विवाह के संबंध में अपने विचार प्रकाशित किये हैं—मेरे नजदीक विवाह मित्रता की कसौटी नहीं है, पति-पत्नी की जाति की बात तो ठीक छुप उनकी मित्रता की भी आवश्यक कसौटी नहीं है। मैं अपनी आँखों के सामने उस जमाने का चित्र नहीं खड़ा कर सकता जब कि सारी मनुष्य-जाति का धर्म एक ही हो जाय। ऐसी अवस्था में धार्मिक भेद आम तौरपर रहने ही। लोग अपने ही अपने धर्म में विवाह करेंगे। उसी तरह देस-मर्यादा भी रहेगी। जाति-मर्यादा उसी सिद्धान्त का व्यापक रूप है। यह एक प्रकार की सामाजिक मुविधा है। किसी अंगरेज कुलीन व्यक्ति का कहना आम तौरपर किसी पंसारी की लड़की से शादी नहीं करता। आम तौरपर उसके कुछ की बिना पर ही उससे संबंध न किया जायगा। मैं अक्षतपन के खिलाफ इसलिए हूँ कि उसकी बदौलत सेवा-क्षेत्र संकुचित होता है। विवाह एक प्रकार सुख-साधन है, जिसे ली-पुरुष अपने लिए चाहते हैं। और यदि ऐसे जीवन के सिस्के में आराम की परिधि संकुचित कर दी जाय या चुनाव से कास लिया जाय तो मुझे इस बात में जो हाँ नहीं दिखाई देती। यदि कई केनिया का वाकिन्हा मेरा का मैं न केवल इसी बिना पर बरद सूत नहीं कर सकता कि अपनी या की शादी उसके साथ नहीं करता या उसकी क क पाणिग्रहण अपने लड़के के साथ नहीं दान देता, तो मुझे

इस बात पर खेद न होगा, और मैं कनिया से निकाल दिए जाने में समता मानूँगा, बजाय इसके कि ऐसे असंगत धार-बधन का उद्धार करने पर यत्नूर हूँक। मैं तो यह भी कहूँगा कि केनिया-वासी तो मुझे ऐसे संबंध का कयाक तक न करन देंगे। और यदि मैं ऐसा कोई दावा खड़ा भी ता वह उसे अपने स्थान से मुझे हटाने का एक और रण समझेगा। यद्यपि यह विषय मेरी दृष्टि में बहुत साफ है और यद्यपि विवाह सारी दुनिया में जाति, बंध इत्यादि मर्यादाओं से बंधा हुआ है, तथापि एड्यूक साहब के मित्र का संभव है, मेरे उत्तरी स संत. न हो। पर मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूँ कि मैंने खिलाकी मारामी के खयाल से खयाल को टाकमटोक नहीं किया है। केवल मैं राजकाजी शब्द का प्रयोग जिस संकुचित अर्थ में किया है उसमें मैं राजकाजी नहीं हूँ। मैंने यही बात लिखी है जिसका कि मैं मानता हूँ। मैंने किसी राजनैतिक लाभ के लिए सिद्धान्त को छड़ा नहीं है। यदि मैं अन्तर्विवाह संबंधा हिन्दू-धर्म के संयम-विधान का न मानूँ ता कायद मैं उन कार्गों में ज्यादा कोकभियता प्राप्त कर लूँगा जिनमें मैं जाता जाता हूँ। और मेरा मुख्य कथ्य क्या है? मनुष्य-मात्र क साथ समान व्यवहार। और समान-व्यवहार का अर्थ है सेवा की समानता। सेवा के कर्तव्य से किसीको बचित नहीं रक्त सकते। विवाह संबंध में गुण-क्षीक की समानता होनी चाहिए। यदि कई ली किसी लक रंग के पुरुष से विवाह करने से इनकार कर दे ता यह कई गुनाह न होगा। पर अगर वह उसके लक रंग के कारण उसकी सेवा करने के अपने कर्तव्य को उपक्षा करेगा ता वह पापभागिनी होगी। विवाह अपना दृष्टि का विषय है। सेवा एक ऐसा आवश्यक कर्मे है जिससे विमुक्त नहीं हो सकते।

**एक मधुना-रूप खान**

"एक प्रतिद्ध भारतीय कार्यकर्ता ने एक प्रतिद्ध अंगरेज को मुकाफत के लिए एक पत्र लिखा था। उस अंगरेज ने उसका जो जवाब दिया था वह नीचे दिया जाता है—

"आपके पत्र के जवाब में मुझे अफसोस है कि मैं आपसे निक न सकूँगा। इसका कारण तो सिर्फ यही है कि मेरी राय में भारतीय प्रभ को आज जो हाकत है उसको देखते हुए मेरे साथ आपकी मुक कात से कुछ फायदा न हो सकेगा। मैं भारतीय जनता के नेताओं के कार्यों को और उनके इरादे को न समझ सकता हूँ और न उनसे सहायुक्ति रख सकता हूँ। आम कार्गों को जिस जाति के लोग से काम ले। है उनके स्वभाव को अवश्य जान लेना चाहिए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत-कुछ किया गया है। उसका क्या आप पूरा पूरा उपयोग नहीं कर सकते? मताधिकार की शक्ति को व्यवस्थित कर के और उत्तम लगी का चुनाव और उनके कार्यों का समाकोचना कर के यह संभव है कि आप लोग वर्षों के बाद यह साबित कर दिखें कि आप नागरिकता की मारी और गंदीर जवाबदे.) के लायक हैं और बड़े से बड़े कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। मुझे बडोम है कि राजकीय शाक्त का यह प्रमाण मिलने पर आपके भावा राजकीय विकास क लिए मेरे बडे से बडे देस-वा। आपका माव देंगे और आरहा उनका कायस कुछ उत्तम सहायुक्ति प्राप्त होगी। यदि अंगरेजो राजकीय दलों के साथ सीधा करने में आपका विश्वास हा तो उसका नताजा बडा निराशाजनक होगा।"

यह पसंद करना मुश्किल है कि केवल को उद्वेगता देस कर अकसोख करना चाहिए या अपने विश्वास को प्रगट करने में उसकी सचाई को देख कर उसकी कप्र करना चाहिए। उसन ता अपने भन

में वही विषय कर किमा है कि अपने उस मुलाकात करनेवाले से उसे कुछ भी सीखना नहीं है। उसे तो केवल देना ही देना है। ऐसे अंगरेज को कौन समझने पट्टुचावेगा जो अपनेको चारों तरफ से बन्द रखता है और वह समझने के लिए इन्कार ही करता है कि हलीके करने की कौसी भी शक्ति क्यों न हो उससे हम नागरिकता की बड़ी जवाबदेही के कायक नहीं हो सकते? ऐसे अंगरेज को वह कौन साबित कर दिखानेगा कि नागरिकता की जवाबदेही के लिए प्रथम यह आवश्यक है कि आत्म-रक्षा करने की ताकत हो और वह ताकत बड़स करने की कला सीख लेने से नहीं मिल सकती? उसे वह कौन दिखा सकेगा कि खुद उसकी ही जाति ने जाने देना ही रक्षा करने की ताकत का विकास करके ही स्वराज्य की सिधा हासिल की है और अंगरेजों को स्वराज्य मिल चुकने के बाद ही जैसी कि आज है उन्हें बहल करने की ताकत प्राप्त हुई है। इस लेखक को और उसके हमक्याकों को यह कौन समझा सकेगा कि हम भारतीय काम यह क्याक नहीं करते है कि भ्याय के तौर पर हमें बहुत कुछ दे दिया गया है बल्कि जो कुछ थोडा हम लोगों को दिया गया है वह बहुत ही कम है और वह परिस्थिति के दबाव के कारण दी दिया गया है। अन्त में उन्हें यह कौन समझा सकेगा कि हम लोग अंगरेजों के राजनैतिक बलों के साथ सौदा करने में अधिक विश्वास नहीं रखते है बल्कि हम तो हमारी ताकत पर ही अधिक विश्वास रखते है। अंगरेजों का ऐसा जहाज और सब तरह से अलग रहने का उनका प्रयत्न बड़े ही दुःख का विषय है। आखिरी बात से तो हमें एक सबक भी मिलता है। जिन्हें हम जानते नहीं उनके साथ मुलाकात करने का प्रयत्न हर के हमें अपना अपमान नहीं करा केना चाहिए। हमारा बर्ताव ही सारी दुनिया के साथ हमारे संबध को उचित रूप देगा।

**एक क्रांति कागी महाशय ।**

मुझे अंधा है कि आपकी इस सलाह का पालन करना कि मैं सावजनिक जीवन से हट जाऊँ, उतना आसान नहीं है जितना कि उचहा देना। मेरा दावा है कि मैं भारत का और उसके द्वारा मानव-जाति का सेवक हूँ। मैं हमेशा ही उस सेवा को अपनी मरजी के सुतानक नहीं कर सकता। अगर मैंने अपनी बड़ता का जमाना देखा है तो मुझे घटती के जमान का भी सुकाबला करना चाहिए। जबतक मुझे यह प्रतीत होता है कि मेरा अरुत है तबतक मुझे अपना समय-क्षेत्र छडना न हगा। जब मेरा काम खतम हो जा-गा और मैं एक असमर्थ या जीर्ण सिपाही रह जाऊँगा तब तक मुझे खुद ही उठाकर ताक पर रख देंगे। तबतक मैं कान्ति-कारी हलचलों के अरु को मारने का हर उपाय अपनी शक्तिभर करने के लिए बाध्य हूँ। ऐसे समय जब कि रांगी का अंगूर का ताका रस पिलाने की जरूरत है यदि कोई डाक्टर संखिने की मस्म उसे खिलाता हो तो, फिर उसका उद्देश चाहे कितना ही अच्छा हो और वह कितना ही आरमत्यागी हो, उसे नमस्कार ही करना चाहिए। मैं कान्तिकारियों से कहता हूँ कि आप अपने हाथों अपनी बात न करो और अपने साथ आनखुक लोगों को अपना शिकार न बनाओ—उन्हें उसमें न लौंचो। हिन्दुस्तान की मुफे का रास्ता रोप का स्वीकृत रास्ता नहीं है। हिन्दुस्तान कलहाता या बंबई नहीं है। हिन्दुस्तान का निवास तो करने सत काक देहात में है। यदि कान्तिकारीयो का संख्या बहुवेरी है तो आप अपने को देहात में फका दें और अपने मासों देशबधुओं की अंधेरी काक-कठर्यों में प्रकाश की किरणे पट्टुचावे। अंगरेज अधिकारियों के तथा उनके अन्य सहायक लोगों के खूब की

उत्तेजक और अतुप्त पिपासा की अपेक्षा यह काम आपकी महत्वाकांक्षा और देश प्रेम के अधिक योग्य हगा। उनका प्राणभन करने की अपेक्षा उनके मनोभाव को बदलना कहीं उच्य, कहीं उदात्त है।

**एक बहान की भाषना**

(य. द.)

भाई विठ्ठलदास जेरामाणी लिखते है—

‘एक घटना यही हुई थी जिससे वह मादम होता है कि अपने हाथ के काते सूत के कपडे कितने प्रिय होते हैं। मण्डार की तो भगवान् ने काज ही रख ली।

‘एक महाराष्ट्रीय बहम अपने हाथ से काते सूत की दो साडियां रंगने के लिए हमारे खादी-मण्डार में दे गईं। देते समय उन्होंने हमें चेता कर कह दिया था कि ‘देखना कहीं गुम न हो जानं, खूब संभाल कर रखना।’ इस विश्वास पर कि मण्डार में गुम न होनी ने अपनी साडियां दे गईं। रंग कर साडियां आईं; पर कहीं लो ग। अब हम असमंजस में पडे कि वह आयेगी तो क्या जवाब देंगे। निश्चित दिन वे साडियां लेने आईं। जब उन्हें यह बात निदिता की गई तब उनके चेहरे की रेशमों बदलने लगीं। पर उन्हें हमने कहा, उसके बदले ऊंची से ऊंची आन्द्र की खादी हम आपको देते हैं। पर उस बाई ने बरा झुंझला कर जवाब दिया, दस महोने तक मिहनत कर के मैंने सूत काता था। वह किसी भी अंक का हो। उसके जवाब आपकी महीन खादी से मेरा बिक कैसे भर सकता है? इतने शब्द निकलते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे उनके उस भाव का वर्णन मैं लिख कर नहीं कर सकता।’

‘अब उन्हें मनाने के लिए हम तरह तरह की खादी बताने लगे। उन्होंने दो साडियों के बदले एक साडी रख ली; पर जाते समय कह गई कि मैं इसको पहनूंगी नहीं। एक माह तक रख छोड़गी। तबतक मेरी कती खादी मिल जाय तो मुझे जरूर पट्टुचा देना।

‘उनके जाने के बाद ही एक दूसरी महाराष्ट्र बाई आई। वे हमारे यहाँ से खादी खरीद कर ले गई थीं। उनके मण्डाल में वे साडियां भूल से बंध गई थीं। उन्होंने ला कर हमें वापिस की। हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्हें उन बाई के यहाँ भिजवाया ता खबर मिली कि उन बाई को इतना दुःख हुआ था कि उन्होंने खाना भी न खाया था। अपनी साडियां मिलते ही आनन्दित होकर खाना खाया।’

यह रस तो अनुभवगन्ध है। जिसने खुद अपने हाथ से कते सूत का कपडा बुन-बुना कर पहना है वही इस बहम की आंख से करनेवाले मोती की कीमत समझ सकता है। एक शस्त्र का टुजाल अपने हाथ का कता लो गया था। जब तक वह न मिला तबतक उसकी बिकलता कम न हुई। हम बिनासलाई या पिन की कुछ कीमत नहीं समझते; पर यदि वे बीजे खुद हमारे हाथों से बनी हों तो? जो मिठास और भाव अपने हाथ से पकाई रसाई में है वही हाथ से कती-बुनी खादी में है।  
(नवजीवन)

मा० क० गांधी

**आजम अजनाबखटा**

जैसा आइति छपकर तैयार हो गई है। पृष्ठ संख्या ३६८ होते हुए भी कीमत सिर्फ ०-३-० रखी गई है। डाकखर्च खरीदार को देना हगा। ०-४-० के टिकट भेजने पर पुस्तक बुकपोस्ट से फौरन् रवाना कर दी जायगी। बी. पी. का निबधन नहीं है।

व्यवस्थापक

हिन्दी-नवजीवन

## राष्ट्रीय शाला का आदर्श

काठियावाड़ की यात्रा में गांधीजी ने वडवाण के बालमन्दिर का उद्घाटन किया। चांदी के ताके को चांदी की कुंजी से खोला। साथ ही एक पुस्तकालय की नींव भी रखी। वहाँ आपने अपना भाषण चांदी के ताके-कुंजी से ही शुरू किया—

‘ये चांदी की नींवें मुझे अपने राख ले जानी हैं। इनका अर्थ है। इस देश में अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। किये पता उनके अन्दर कितना सत्य, कितनी कुरबानी, कितना भाव है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि बहुत खोबी संस्थाओं में आत्मा और जीवन है। एक अंगरेज कवि ने स्वर्ग का वर्णन करते हुए कहा है—पीटर स्वर्ग के दरवाजे पर बैठा है और उसकी चाबी सोने की नहीं, बल्कि लोहे की है। इसका खुलासा करते हुए दूसरा कवि कहता है—स्वर्ग का दरवाजा लकना खटक काम नहीं है, वह खाने की चाबी से नहीं खुल सकता; क्योंकि कि खोना कमजोर होता है। लोहा एक सख्त से सख्त धातु है। इसलिए वह लोहे से ही खुल सकती है। जो चाँक बहुत मुश्किल होती है उसके लिए हम कहते हैं लोहे के खने खनाना। वी ऐसी संस्थाओं की सुन्यवस्था लोहे के खने खनाने के बराबर है। पुस्तकालय को बनाने के लिए चांदी के औजार काम नहीं आते लोहे के ही चाहिए और उसे बन्द करने में चांदी का ताका काम नहीं दे सकता, लोहे का ही होना चाहिए। अर्थात् हमने इस क्रिया के करते हुए आरंभ क्रमिता से ही किया है। मैंने तो सिर्फ खोबी की मही डालकर पत्थर रखा दिया, इसे बांधने का सारा काम तो बबई ही करेंगे और मन्दिर का उद्घाटन तो शिक्षक ही करेंगे। पुस्तकालय का अर्थ पुस्तकों का मकान या पुस्तकें नहीं और न केवल उद्यमों जानेवाले और कितानें पढ़ने वाले काम है। यदि ऐसा ही हो तो कितना बँचनेवाले अनेक लोग हीलवान होने चाहिए। बालमन्दिर क्या अब के बल पर चल रहा है? वह चल तभी सकेगा जब खनाने वाले पके होंगे और उसमें आत्मा होगी। साधारण तौर पर ऐसी संस्थाओं का उद्घाटन करने की क्रिया मुझे अच्छी नहीं मालूम होती; क्योंकि इनमें खोलकर मैं क्या करूँगा? पर इस संस्था को खोलना जो मैंने कुबूल किया है उसका कारण यह है कि इसमें काम करनेवाले लोगों पर मुझे विश्वास है। वहाँ आप न समझना कि मेरे हाथों खोलने को किया होने से कुछ मला होगा। मैं तो उबता पछी हूँ। आज यहाँ तो कल अहमदाबाद और परसों देहली। फिर भी मेरा नाम लेकर कितना भला किया जा सकता है उतना करने से मैं ना नहीं कहता। इस मन्दिर की हस्ती का आधार न तो बच्चानों पर है, न बालकों पर है, और न छात्रों अकारियों पर, यदि कोई दे। उलटा वे अकारियाँ तो बाबक भी हो सकती हैं। मैंने खुद अपने अनुभव से देखा है कि जब जब बहुत आर्थिक सहायता मिली है तभी तब मेरे कामों में विज्ञ आये हैं। दक्षिण आफ्रिका का सत्याग्रह जब चल रहा था तब क्यों ही यहाँ से रुपये-पैसे की वर्षा होने लगी त्योंही, मेरे कार्यों की शक्ति न जाने कहाँ चली गई थी—उसी तरह जिस तरह कि युधिष्ठिर ने ‘नरो वा कुंजरो वा’ कहा था और उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। ईश्वर ने सबके लिए २४ घण्टे का ही इन्तजाम किया है। और ८ घण्टे की मजदूरी से २४ घण्टे के लिए कच्ची चीजें मिल जाती हैं। इतने ही पर सबको सन्तुष्ट रहना चाहिए। इस कारण मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस संस्था की आर्थिक अवस्था अच्छी हो। इस संस्था के पास सब सिर्फ

इतना ही हो कि जिससे काम करनेवाले यहाँ प्राप्त धारण कर के रह सकें और अचरत हो तो उसे त्याग भी कर दे।’

जिस संस्था के पास बहुत धन हो और कुछ कार्यकर्ता माँ मिल जायें उसे तो मैं ‘मशरूम’ (कुकुरमुत्ता) कहूँगा वह वह चार दिन रह कर नष्ट हो जायेंगी। मेरे इस कथन का तात्पर्य यह है कि जो भाई यहाँ आये हैं और जिन्होंने इस संस्था के लिए अपने माणों की आहुति देने की प्रतिज्ञा की है उन्हें चाँहए कि वे परमात्मा पर भरोसा रख कर बैठ जायें और जब ऐसा मालूम हो कि अब तो खनने में कसर नहीं है तब भी भ्रमा रख कर काम करते रहें। नहीं तो आप निश्चिन्त रूप से याद रखना कि आप हिन्दुस्तान के शापभागी होंगे। यह मध्य बड़िया भवन हमें साँभा न गया। ऐसे मकान तो रामा-महाराजाओं को शोभा देते हैं—हिन्दुस्तान की इस गरीबी में तो बिल्कुल नहीं देते—यदि हम जनता को इसका मायजा न दें, जबतक यह मायजा संस्था के संचालक जनता को न दे दें तबतक यह मकान उन्हें खाने को न दौड़ता होता। जिस तरह जनक राजा महलों में रहते हुए भी त्यागी मने गये उल्लेखरह यदि फूलचन्द भाई और उनके साथी त्यागी रह कर इसमें थें तो फिर हर्ज नहीं कि यह संस्था कायम हुई और उसकी नींव मेरे हाथों डाली गई। पर यदि त्याग-भाव उठ गया और वहाँ भाँग को प्रधानता दी गई तो इसका नाश निश्चित समझना। राष्ट्रीय शाला यही है कि जिसके द्वारा हम स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे, वही कि जिसके शिक्षक तमाम नियमों का पालन करते ह, त्याग-भाव रखते हों, कठिन जीवन व्यतीत करते हों।’

‘स्थानिक लोगों ने इस संस्था से संबंध टटा किया, यह देख कर मुझे दुःख होता है। जिस संस्था को जातिक बलाने की अचरत हो तर्हातक उनके लिए धन स्थानिक लोगों से मिलना चाहिए और संचालकों को भी स्थानिक लोगों को अपने कार्य से प्रसन्न रखना चाहिए। हम जैसे स्वराज्य-वादी जन-सेवकों की स्थिति विरम है। क्योंकि वे सुश्राक भी हैं। सुधारक की स्थिति विचित्र हो जाती है। क्योंकि वह वायु गडक में प्रवेश नहीं कर सकता और बाहर से जो कुछ पालन के हो के केता है।’

‘राष्ट्रीय शाला का अर्थ है राष्ट्र के जीवन की पोषक शाला। राष्ट्रीय का अर्थ यही नहीं कि केवल सरकार से संबंध छूट दे—राष्ट्रीय संस्था की बुनियाद तो है चारित्र्य। यदि लड़कों का खेर लगा हो और पढ़ कर उन्हें जीविका मिलने लगे तो उससे वह राष्ट्रीय नहीं हो सकती। आजीविका मिले भले ही, परन्तु शिक्षण का यह हेतु नहीं है कि आजीविका पैदा करने को बला मिलावे। उधरा हेतु तो है बालकों की आत्मा का जाग्रत करना, उसे प्रकाशित करना, बालक के शरीर, बुद्धि और आत्मा को विकसित करना। राष्ट्रीय शालाओं की हस्ती इसीलिए है कि केवल परीक्षा कर के कुत्रिम शिक्षा-माप से हम मुक्त हो जायें। विद्यापीठ की स्थापना इसीलिए हुई है। और इसीलिए मैं माँ-बापों से कहता हूँ कि ऐसी शालाओं को सहायता दीजिए और शिक्षकों से कहता हूँ कि आप अपने ध्येय पर दृढ़ रहना, तपस्यार्थ करना और अपने चरित्र-बल पर बालकों को आकर्षित करते रहना। ऐसा होने पर ही मेरा यहाँ आना और इस भवन का खोलना सार्थक कहलावेगा।’

(अवजीवन)

महादेव हरिभाई देवारी





काई ऐसा मार्गदर्शक मिले ता अच्छा हो जा मेरी भ्रष्टा बँठा दे । साधुसंता पर एकरम भ्रष्टा नहीं बँठा । जिनका जीवन ऐसे गोरखपन्थे से निकल नहीं पाता है वह मला देहात में समाज की क्या सेवा करके संतोष पहुंचा सकता है ?”

इस पत्र के लेखक निर्मल-हृदय हैं । वे ज्ञान की शोध में हैं । पर ज्यों ज्यों वे ज्ञान का खोजते हैं त्यों त्यों वह उनके पुर आगता हुआ दिखाई देता है । जो नीज बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती उसके लिए वे बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं । जिस नीज के लिए वे अटक लडा रहे हैं उसके फल के लिए वे स्वर्ध ही प्रयत्न कर रहे हैं । कर्म के फल की आशा न रखने का अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा नहीं । आशा न रखने का अर्थ नहीं है कि कोई कर्म निष्फल नहीं जाता, और संसार की विविध रचना में ऐसी गूँथन है कि यही पहचान नहीं पवती कि तना कौनसा है और शाखा कौनसी है । तो फिर जो अनेक लक्ष्मणों के अनेक कर्म के समुदाय का फल है उसमें वह कौन लाभ सकता है कि एक व्यक्ति के कर्म का फल कौनसा है ? यह जानने का हमें अधिकार भी क्या है ? एक राजा के सिपाहो को भी अपने किये कर्म का फल जानने का अधिकार नहीं होता तो फिर हमें जो कि इस संसार के सिपाही हैं अपने कर्म के फल को जानकर क्या करना है ? क्या यही ज्ञान काफी नहीं है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है ?

पर इन लेखक को न तो राम-नाम में भ्रष्टा है, न ईश्वर में भ्रष्टा है । मैं उनसे सिकाशिश करता हूँ कि वे करोड़ों के अनुभव पर भ्रष्टा रहें । संसार ईश्वर की इस्ती पर कायम है । राम-नाम ईश्वर का एक नाम है । राम-नाम से घृणा हो तो वे शोक से ईश्वर के नाम से वा अपने रने किसी नाम से पूजे । अनामिक के स्थापन को गप मानने का कोई कारण नहीं । सवाल यह नहीं है कि अनामिक हुआ या नही; पर यह है कि ईश्वर का नाम कैसा हुआ वह पार हो गया या नहीं । पौराणिकों ने मनुष्य-जाति के अनुभवों का वर्णन किया है । उनकी अवहेलना करना इतिहास की अवहेलना करना है । माया के साथ युद्ध तो बना ही हुआ है । अनामिक जैसी ने युद्ध करते हुए नारायण-नाम का गप किया है । गीताबाई सोते-बैठते, खाते-पीते, गिरिधर का नाम गपती थी । युद्ध के बएवज यह नाम नहीं है बल्कि युद्ध करते हुए उस नाम को के कर युद्ध को पवित्र बनाने की विधि है । राम-नाम, द्वादश मंत्र अपनेबाके माया के साथ युद्ध करते हुए बहते नहीं, बल्कि माया को बका देते हैं । इससे कवि ने गाया है—

‘माया सब को मोहित करती हरिजन से वह हारी है ।’

राज्य रावण का दृष्टान्त तो शाश्वत है । इससे सन्तोष न होने का अर्थ इतना ही है कि असन्तुष्ट होनेबाके ने राम-रावण को ऐतिहासिक नाम मान लिये हैं । ऐतिहासिक राम-रावण तो बके लिये । परन्तु मायावी रावण आज भी मौजूद हैं और जिनके हृदय में राम का निवास है वे रामभक्त आज भी रावण का संहार कर रहे हैं ।

जो बात मृत्यु के बाद ही जानी जाती है उसको आज जान लेने का लोभ रखना कितना अवरयस्ता मोह है ? पाँच साल का क्या पचासमें साल में क्या हो जायगा, यह जानने का लोभ रखने ती क्या हासन होगी ? परन्तु जिसतरह ज्ञानी बालक औरा के अनुभव से अपने संबंध में कुछ अनुमान कर सकता है उसीतरह हम भी औरों के अनुभव से मृत्यु के बाद की स्थिति का कुछ अनुमान कर के सन्तुष्ट रह सकते हैं ।

अथवा मृत्यु के बाद क्या होगा, यह जानने से क्या लाभ ? सुख का फल मीठा और दुःख का कटवा होता है, यही विश्वास क्या बस नहीं ? अच्छे से अच्छे कृत्य का फल मक्ष है, यह क्याका मोक्ष की मैं पूर्वोक्त लेखक को सूचित करता हूँ ।

लेखक मूर्ति का स्थूल अर्थ कर के मुलावे में डालनेवाली उपमा के कर खुद ही मुलावे में पड गये हैं । मूर्ति परमेश्वर नहीं है । बल्कि मूर्ति में परमेश्वर का आरोपण कर के लोग उसमें तल्लीन होते हैं । लकड़ी के मनुष्य बनाकर मनुष्य का काम लकड़ी के पुत्रों से हम नहीं के सकते । परन्तु चित्र के द्वारा अपने मा-बाप की स्मृति ताजा रखने के लिए चित्रों का प्रयोग करके लाखों सुपुत्र और सुपुत्री क्या बुरा करते हैं ? परमेश्वर सर्वव्यापक है । जर्मदा के एक पत्थर में भी उसका आरोपण कर के परमेश्वर को मक्ति हो सकती है ।

अन्त में लेखक यदि यह जानते हो कि देहात में राकर चरखे के द्वारा देहातियों की सेवा करने में उन्हें संतुष होगा तो उन्हें तुरन्त देहात में चले जाने की तैयारी करनी चाहिए ।

( नवजीवन )

मोहनदास करमचंद गांधी

## राजपूताने में खादी-कार्य

श्री शंकरलाल बेकर श्री जमनालालजी के साथ हाल ही राजपूताने में प्रमण कर के आये हैं । उन्होंने वहाँ के खादी-काम के संबंध में नीचे लिखा विवरण गांधीजी को भेजा है—

राजपूताना में खादी-काम के लिए असाधारण अनुकूलता है । हमारे आन्दाजन की शुक्रभात के साल में इस प्रान्त में खादी-काम के लिए महासमिति के तरफ से २५ हजार रुपया मंजूर हुआ था । इनमें से पहले पदक कोई ६ हजार रुपये इस प्रान्त की समिति को खादी-काम के लिए दिये गये थे । इस रकम से अजमेर में श्री गौरीशंकर भागीव के द्वारा खादी मण्डल खोला गया था । परन्तु उसका काम सन्तोषजनक न दिखाई देने से वह बन्द किया गया । इस मण्डल के संबंध में इस समय राजपूताने में जो बातचंत हुई उससे जना जाता है कि इसके काय-काम के संबंध में कार्या में कुशाकार्ये फल रहा है । इसके विषय में तद्दीक्षात करके जितनी हो सके हकीकत जानने की तजवीज हो रही है ।

इस मण्डल के बाद १९१३ में वहाँकी समिति की तरफ से एक खादी का कारखाना शुरू किया गया था । उसकी देखभाल अजमेर के वैदिक प्रे-बाके श्री. मधुगणसाद शिवदारे के जिम्मे थी । इस कारखाने का काम भी सन्तोषजनक न साकूम होने से वह भी थोड़े ही समय में बंद कर दिया गया । इस कारखाने में कोई ५ हजार की रकम लगाई गई थी । इसमें से बचे ४२००) फिर प्राप्त कर लिये गये हैं ।

१९२४ में जबकि भारत खादी-मण्डल के खादी-काम को अपने हाथ में के लेने के बाद श्री जमनालालजी ने इस प्रांत के नेता तथा कार्यकर्ताओं के साथ सलाह-मशवरा कर के इस प्रांत के लिए एक खादी-मण्डल स्थापित किया था । और महासमिति के द्वारा मंजूर २५०००) की रकम में से बचे १५०००) में से इस मण्डल का अवतक इस हजार रु. दिये गये हैं । इस मण्डल के काम का केन्द्र व्यावर है और श्री नूनिहदास तथा श्री. दूगड उसके मुख्य कार्यकर्ता हैं ।

राजपूताना में खादी को उत्पत्ति का मुख्य केन्द्र तो है जयपुर । जयपुर के आसपास के गाँवों में सैकड़ों चरखे चलते हैं । और सूत के द्वारा बाँके जुवाहे शुद्ध तथा मिश्र खादी बुनते हैं । खादी हर रविवार को जयपुर के बाजार में बेची जाती है । कुछसे अपने बने कपड़ों के बाज बाजार में के आते हैं और जयपुर के

व्यापारी उन्हें खरीद लेते हैं। इन्हें जगादहर मिश्र खरीदी होती है। परन्तु कुछ खादी की मांग के मुताबिक कुछ खादी के बाव भी आया करते हैं। अभी हर-इफते हमसे कम ६०० से ८०० का मास आता होगा। जयपुर में सास करके खादी का काम करनेवाले दो ही व्यापारी हैं। एक का नाम भी कपूरचंद और दूसरे का भी केशरचंद। वे सज्जन बाजार में आई खादी जितनी हो सकती है, खरीद लेते हैं। सत्तईम इंच अंज के १२ अंक तक के खादी के बाव का बाव खादी की सिस्म के अनुसार साठे टोन में साठे बार तक होता है। एक बाव में आम तौर पर चौदह नम खादी होती है। वे महाशय जो खादी खरीदते हैं वह अधिकांश में और प्रान्तों को जाती है। जयपुर में उसका बाव नहीं के बराबर मासूम होता है। श्री कपूरचंद ने पिछले साल में कोई २५) हजार की खादी बेची थी। इन्हें उसमें कुछ बुनाया भी हुआ था। जयपुर की खादी अधिकांश में १२ अंक के भीतर के सूत की और २७ इंच अथवा उससे कम अंज की होती है।

जयपुर के आया खादी का एक और विश्वासरात्र केन्द्र बोरानव माना जाता है। यह जोधपुर राज्य में है। वहां एक हंशियार और साहवी गुवाहा, वहांके ठाकुर साहब की मदद से खादी का कारखाना चलता है। गुणाह साईं खुद अछुत जाति के हैं। गुनाह में नियुक्त माने जाते हैं। इनके कारखाने में अभी १/ करके खादी है। उन्होंने इन करकों के लिए १२ से ३८) तक वेतन के करके खादी करने हैं। करकों के लिए सूत सामान्य के गांवों की कारखानों से जमा कर लेते हैं। इसकी मदद से कोई २००-३०० करके खादी होने लगे। पहले तो वे जिन तथा जिन सूत का करके खादी बुनते थे। परन्तु जिन म्हात्म्या में आने के बाद उनका खादी है अब मजदूर कुछ खादी का ही काम करने का निश्चय किया है। कुछ खादी-मण्डल के कार्यकर्ताओं के प्रयास का भी यह फल है। इन कारखाने की मौजूदा क्षमि को देखते हुए मासूम होगा कि हर मास हजार रुपये की खादी बन सकती है। इस कारखाने की खादी कुछ महगी पड़ती है। परन्तु उपमें बड़े अंज की खादी बुनी जाती है तथा बुनायत प्रचलित और निर्यात होती है इससे खादी की पैदावार से मांग ज्यादा है।

खादी-मण्डल किलहास जयपुर, बोरानव से खादी खरीद करता है और राजपूताना तथा दूसरे प्रान्तों में बेचता है। जयपुर में बनने वाली खादी का अंज कम होता है और धातुजंठे तथा बड़े अंज की खादी की मांग ज्यादा है। इससे व्यापार में शुल्कात में बड़े अंज के करके खादी करके गुणाहों से बड़े अंज की खादी बुनाने की अपरत दिखाई दी थी। इन करकों के लिए सूत बहुत-कुछ व्यापार में ही कतवाना शुरू किया था। परन्तु जयपुर के गांवों से महीन और कुछ सस्ता सूत मिलने से व्यापार में कतवाने की अकरत नहीं मासूम होती। आजतक मंडल की तरफ से कोई १८) हजार की खादी बिकी होगी। उसमें से कोई आधी बिकी राजपूताना में हुई होगी।

इस मण्डल के कार्यकर्ताओं के लिए खादी-काम नवीन होने पर भी शुक्रभात में वे भरसक जानकारी प्राप्त कर के विचार-पूर्वक अच्छी तरह काम करने का प्रयत्न करते थे। परन्तु पीछे जाकर उनमें मत-भेद उत्पन्न हुआ और उससे काम में भी फल पड़ने लगा। धीरे धीरे यह विरोध बढ़ातक बढ गया कि यह हर हुआ वहां का काम बंद आया। अन्त को भी जमनालाकजी को जाने की अकरत मासूम हुई। उन्होंने वहां के नेता तथा गांवों के साथ खूब बर्बा कर ली है। मतभेद के कारण तथा अज्ञान लिये हैं। वहां के काम की अनुकूलतायें तथा अति उन्होंने देखा की है। सधतरह से विचार

करने हुए उन्हें यह मासूम होता है कि ज० मा० खादी मण्डल की तरफ से वहांके काम की व्यवस्था होने पर ही सन्तोषजनक रनि से काम हो सकता है। और इसीतरह हमारे इच्छित परिमाण में खादी की वरसि तथा प्रचार हो सकता है। उन्होंने अपने विचार वहांके नेता तथा कार्यकर्ताओं के सामने पेश किये हैं। और ऐसा मासूम होता है कि वे भी बहुत करके उनकी समस्या के अनुसार ही काम करेंगे। यदि ऐसा हो तो पूजा की अनुविधा भी दूर हो सकती और वहां काम की अनुकूलता तो ही है, इच्छित वहांके कार्यकर्ताओं की सहायता मिलने से अच्छा काम हो सकेगा।

खादी के काम के खिल्ले में कार्यकर्ताओं का विरोध दूर कर देने के उपरान्त श्री० जमनालाकजी ने खादी के प्रचार के लिए आवश्यक साधुमण्डल तैयार करने का भी प्रयत्न शुरू किया है। राजपूताना में कुछ खादी भी बहुत-कुछ पैदा हो सकती है। परन्तु वहां उसकी बिक्री आसानी से हो जाने योग्य साधुमण्डल नहीं और इस कारण जो कुछ भी खादी बाव पैदा होती है वह भी अधिकांश में और प्रान्तों को ही भेजनी पड़ती है। जबतक यह हालत है तबतक यह नहीं कहा जा सकता कि खादी का कुछ खास काम हुआ है। खादी के संबंध में सबा काम तो तभी हुआ माना जायगा जब जितनी खादी वहां उत्पन्न होती है, बा हो सकती है, उतनी सुरन्त वही बाव जाय। यह बात से वहां सब लोगों को अन्धाने की कोशिश कर रहे हैं।

व्यापार में तो इस सिर्फ एक ही दिन रहे। वहां हमारा दिन शगवे की बातें सुनने में ही गया। परन्तु जयपुर में हमें काम के लिए कुछ समय मिला। वे वहां के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से मिले और उनकी सहायता प्राप्त करने की तकलीफ की। हम वहां भी एकत्र हो कर उनके साथ खूब बर्बा की। और अब उन्हें यह निश्चय हो गया कि यह काम निर्दोष है, करने कायक है, इससे गरीबों का दुःख दूर होगा, इसलिए धर्म-रूप है, तब उ होने जितनी हो सके सहायता देना स्वीकार किया है। इससे यह आशा होती है कि जयपुर में खादी का प्रचार बढ़ेगा। इस अवस्था में जयपुर के खादी के व्यापारी भी कपूरचंद जयपुर में ही कम से कम हर साठ पांच हजार की बिक्री करने का जिम्मा देने को तैयार हुए हैं। आज तो एक हजार की भी न होती होगी। जयपुर के अन्धाने राजपूताना के दूसरे शहरों में तथा उन जगहों में वहांके रहनेवालों पर कुछ असर हो सकता है, जाकर खादी-प्रचार करने का कार्यक्रम जमनालाकजी ने तैयार किया है। इस मास की २५ ता. को कतेहरपुर में अन्धाने महाशय की बैठक होनेवाली है। उस मौके पर राजपूताना के तथा अन्य स्थानों के प्रतिष्ठित अन्धाने के आने की संभावना है। जमनालाकजी खुद भी वहां जायेंगे और उन्हें आशा है कि वे इस अवसर पर खादी के लिए जितना हो सके प्रबंध कर लेंगे। श्री जमनालाकजी को राजपूताने के विषय में सास ममत्व है और उन्होंने वहां पूरा पूरा प्रयत्न करने का निश्चय किया है। जो यदि वहांके प्रतिष्ठित सज्जनों और समिति के कार्यकर्ताओं की अंर से पूरी सहायता मिले तो बहुत अच्छा मतीजा मिलने की आशा रखी जा सकती है। छोटे अंज की और मोटी खादी तो आज बहुत पैदा होती है। समिति के कार्यकर्ता और सास कर के भी विशेषर बिरला जयपुर के गांवों में सूत सुधारने तथा बड़े अंज का कपवा बुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार श्री जमनालाकजी ने खुद शहरों में तथा महत्त्व के स्थानों में खादी-प्रचार तथा खादी-संगठन का काम करना शुरू किया है। इन सब कार्य कर्ताओं का प्रयास सफल हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, यदि राजपूताना अपनी ही खादी से खादीमय होने लगे।

# हिन्दी-नवजीवन

अध्याय, खंड नवो ९, संख्या १९८१

## कठिन समस्या

आज के एक पत्रलेखक अपनी मुद्रिकों की ओर इस प्रकार ब्याज की बातें हैं—

“मत्त सप्ताह के 'यंग इंडिया में' एक बंगाली सज्जन के अस्पृश्यता-विषयक पत्र के जवाब में आपने कहा है 'जब कि शूद्रों के हाथ का पानी हम पीते हैं तब अस्पृश्यों के हाथ से भी पानी पीने में हमें शिक्का न चाहिए।' 'हम' से मतलब उच्च वर्ण के हिन्दुओं से है। मैं उत्तर हिन्दुस्तान में प्रचलित रिवाजों की नहीं जानता। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आंध्र देश में और हिन्दुस्तान के इससे भी अधिक दक्षिण के दूसरे विभागों में केवल यह नहीं कि ब्राह्मण लोग अमात्यों (दूरे तीव्र वर्णों) के हाथ का पानी ही नहीं पीते बल्कि जो लोग अधिक कष्ट सनातनी हैं वे तो उन्हें संख्या अस्पृश्यता भी मानते हैं और उनके साथ वैसा ही व्यवहार भी रखते हैं।

आपने अक्सर यह बात कही है कि आप जातिगत उच्च नीच भाव को दूर करने के लिए रोटीव्यवहार रखने की आवश्यकता का प्रचार करना नहीं चाहते हैं। एक मतेबा आपने इस बात को साबित करने के लिए माकबीबजी का उदाहरण भी पेश किया था और कहा था कि आपमें परस्पर आवर और सद्भाव होने पर भी यदि माकबीबजी आपके हाथ का पानी या दूसरी कोई चीज पीने या खाने से इन्कार कर दें तो आपके हृदय से यह आपका तिरस्कार न होगा। मैं इसको मान लेता हूँ। लेकिन आप यह नहीं जानते कि इस प्रान्त के ब्राह्मण १०० गज के फालसे से भी यदि कोई अमात्य उनका खाना देख ले तो उसे न खायेंगे। खाना खाने की बात तो दूर रही, क्या मैं आपको यह बताऊँ कि रास्ते में यदि कोई शूद्र एक या दो लफज बोल दे तो उतने से ही भोजन करते हुए ब्राह्मण को गुस्सा आ जायगा और फिर वह दिन भर कुछ न खायगा। यदि यह तिरस्कार नहीं तो फिर क्या हो सकता है? क्या यह ब्राह्मणों की अकड़ नहीं है? क्या आप इस विषय पर प्रकाश डालेंगे? मैं स्वयं एक ब्राह्मण-युवक हूँ और इसलिए अपने अनुभव से ही ये बातें लिख रहा हूँ।”

अस्पृश्यता बहुमुखी राक्षस है। यह धर्म और नीति की दृष्टि से बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। मेरी दृष्टि में रोटीव्यवहार एक सामाजिक प्रश्न है। वर्तमान अस्पृश्यता की ओट में अनुष्य-जाति के एक अंश के प्रति तिरस्कार-भाव अवश्य छिपा हुआ है। समाज के मर्म-स्थलों में यह एक प्रकार का घुन लगा हुआ है, अनुष्यत्व के हकों का यह इन्कार है। रोटी-व्यवहार और अस्पृश्यता समाज नहीं हो सकते। समाज-सुधारकों से मेरी प्रार्थना है कि वे इन दोनों को एक न कर दें। यदि वे ऐसा करेंगे तो वे अस्पृश्यों और दुरितों के हित को हानि पहुंचावेंगे। इस ब्राह्मण पत्रलेखक की कठिनाई सभी कठिनाई है। इससे प्रतीत होता है कि यह शूरवीर किसने गहरी पंड गई है। ब्राह्मण शब्द तो नम्रता, अपने आपको भूल जाना, त्याग, पवित्रता, हिंस्रता, क्षमा, और सत्य-ज्ञान का पर्यायवाची होना चाहिए। लेकिन आज तो यह पवित्र-भूमि ब्राह्मण अमात्य के विभागों से दुःखी हो रही है। बहुतेरी बातों में ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति को बह कर दिया है। उन्होंने अपनी

ऐसी महत्ता का कभी दावा नहीं किया था; लेकिन विसंशय उनकी सेवा के कारण उ का सेहरा उन्हींके सिर बंधा था। ब्राह्मण का अस्विकार आज दावा नहीं कर सकते हैं उसीको प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं और इससे हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में अमात्यों को उनके प्रति ईर्ष्या हुई है। हिन्दू-धर्म और देश के सद्भाव से पत्रलेखक जैसे ब्राह्मण भी मौजूद हैं जो इस दुरी प्रवृत्ति के खिलाफ अपनी पूरी तागत के साथ लड़ रहे हैं और जो अमात्यों को त्याग-भाव से बरबर सेवा कर रहे हैं। यह उनके उच्च भूतकाल के अनुकूल है। जहाँ कहीं देखो अस्पृश्यता के खिलाफ आज ब्राह्मण लोग आगे आ कर लड़ रहे हैं और अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए वे शक्तों का आधार भी पेश कर रहे हैं। पत्र-लेखक ने दक्षिण के जिन ब्राह्मणों का वर्णन किया है उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे समय के प्रवाह को देखें और क्रम-नीच के गलत हयाल को छोड़ दें और वे इस बहम को भी छोड़ दें जिससे कि उन्हें अमात्य को देख कर पाप की गन्ध आती है और उनकी आवाज सुन कर उनका खाना अपवित्र हो जाता है। ब्राह्मण ने ही ब्रह्म का सर्वत्र देखने की शिक्षा संसार को दी है। वेदान्त, तब फिर अपवित्रता कहीं बाहर से नहीं आ सकती। वह अन्दर ही होती है। आज ब्राह्मण यह संदेश फिर सुन दें कि अछूतपन का खयाल बुग खयाल है। उमने संसार को यह शिक्षा दी है "आत्मैव ब्राह्मणो बन्धुरात्मैव विपुलात्मनः" मनुष्य स्वयं ही अपना उच्चांक है और अपना शत्रु और नाशक भी बड़ी है \*

इस आंध्र पत्र-लेखक की बातों से अ-ब्राह्मणों को क्षुब्ध न होना चाहिए। इस पत्र-लेखक के जैसे कितने ही ब्राह्मण उचकी तरफ से अस्पृश्यता के खिलाफ इसीतरह लड़ेंगे जिसतरह कि वे लड़ लड़ रहे हैं। कुछ थोड़े लोगों के पापों के कारण ब्राह्मणों की सारी जाति को ही, भिखारना न चाहिए। मुझे डर है कि यह दृष्टि बढ़ रही है। वे इतने उदार बनें कि जो लोग उनके प्रति बुग व्यवहार करते हैं उनसे अच्छे व्यवहार की आशा ही न करें। कोई राहगीर यदि मेरी तरफ दृष्टि न करे अथवा वह मेरे स्पर्श से मेरी उपस्थिति से या मेरी आवाज से बापक हो जाय तो उससे मैं अपना अस्मा, नहीं समझता। इतना ही काफी है कि उसके कहने से मैं अपने रास्ते से न हटूँगा या वह मुन लेगा इस डर से बोलना बन्द न करूँगा। जो अपनेको उच्च मानता है उसके अज्ञान और बहम पर मुझे दया आ सकती है लेकिन मैं उसपर क्रोध और उसका तिरस्कार नहीं कर सकता। क्योंकि यदि मेरा तिरस्कार किया जावेगा तो मुझे बुरा माहूम होगा। संयम को देने से तो अ-ब्राह्मण लोग अपना मुद्दा ही खो बैठेंगे। सबसे महत्व की बात तो यह है कि समाज से अधिक आगे बढ़ कर वे अपने ब्राह्मण यज्ञियों को दिव्य में न डल दें। ब्राह्मण तो हिन्दू-धर्म और मनुष्य समाज का उत्तम पुष्प-अंग है। ऐसा एक भी काम मैं न करूँगा तबसे उसे मुझसेना पडे। मैं यह जानता हूँ कि वह अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ है। अपने अवतक बहुत से तुफानों को देख लिया है। लेकिन अ-ब्राह्मणों के बारे में यह न कहा जाना चाहिए कि उन्होंने इस पुष्प की सुगन्ध और काँति को छूट लेने का प्रयत्न किया है। मैं नहीं चाहता कि ब्राह्मणों के सर्वनाश पर अ-ब्राह्मण लोग उत्पत्ति करें। मैं तो यह चाहता हूँ कि वे उस उच्च स्थान को पहुंच जाय जिस को अवतक ब्राह्मण लोग पहुँचे हुए थे। ब्राह्मण जन्म से होते हैं लेकिन ब्राह्मणत्व कर्म से नहीं होता। यह तो वह गुण है जिसको कि एक छंटे से छोटा आदमी भी अपना विकास कर के प्राप्त कर सकता है।

(पृ० ३०)

मोहनदास करमचंद गांधी



## सत्याग्रही का कर्तव्य

बाइकोम के सत्याग्रहाश्रम में एक रोज मैं बड़ाके लोगों से जो बातचीत की उसका प्रायः शब्दशः विवरण नीचे दिया जाता है। आश्रम में इस समय कई ५० स्वयंसेवक हैं। वे बाइकोम के मन्दिर के चारों तरफों के सामने लगाई रोक की जगह या तो खड़े रहते हैं या हाथ-पाँव गसर कर बैठ जाते हैं। वे एक बार में छः घण्टे तक बहाँ रहते हैं और सूत कातते हैं। वे दो टुकड़ियों में भेजे जाते हैं। मैं सर्वसाधारण के तथा विद्वेष्ट करके सत्याग्रहियों के कामार्थ उसे प्रकाशित करता हूँ—

शेव है कि मैं आपसे पूरी पूरी और सन्तोषजनक बातचीत किये बिना ही आ रहा हूँ। पर मैं देखता हूँ कि इससे अधिक करने की सुझाव नहीं है। मेरे कार्यक्रम की व्यवस्था जिन लोगों के बिचमे है उनका जवाब है कि इस काम के लिए मुझे बाइकोम के अलावा और मुकामों पर भी जाना चाहिए। मैंने उनकी सलाह को मान लिया है; पर पिछले अनुभवों ने मुझे यह निश्चय करा दिया है कि इस हलचल की सफलता बाहरी लोगों की सहायता की अपेक्षा आप ही लोगों पर ज्यादा अवलंबित है। यदि आपके अंदर कुछ दम नहीं है, या ज्यादा दम नहीं है तो मुझ जैसे लोगों की उकती हुई मुलाकात से मिलनेवाला उत्साह आपको काम न देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ न आया होता और यहाँ लोगों में उत्साह न बढा होता और यदि खुद आप अपनेतरफ सब दब बने रहे होते तो किसी बात की उम्मीद नहीं रहती। तो भी आप के कार्य में उसके योग्य प्रोत्साहन जरूर मिल रहा है। हाँ, यदि मैं यहाँ कुछ ज्यादा समय रह पाता तो ज्यादा कामदा होता। पर जो मित्र यहाँ मेरा कार्यक्रम तक करते हैं उनकी सलाह के अनुसार मैं ऐसा न कर सकूँगा।

पर मैं जितना संक्षेप में हो सके, आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे क्या क्या उम्मीदें रखता हूँ। मैं आपसे कहूँगा कि आप इस कार्यक्रम के राजनैतिक स्वरूप को भूल जाएँ। इस युद्ध के राजनैतिक मतीजे तो हैं, पर आप लोगों से उनका कुछ तात्कालिक नहीं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो आप इसके सारे मतीजों से दूर रहेंगे और साथ ही राजनैतिक फल से भी विमुख रहेंगे। और जब लड़ाई का सच्चा रस जमेगा तब आप लोग कबे सामिल होंगे। इसलिए मैं इस लड़ाई का सच्चा स्वरूप आप लोगों के सामने प्रकट करना चाहता हूँ, भले ही उससे आप लोगों के दिम्ल घबक उठें। हिन्दुओं के लिए यह एक गहरी धार्मिक लड़ाई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हिन्दुधर्म के सिवा से यह जबरदस्त कलंक मिट जाय। जिस दूषित धारणा से हमें लड़ना है वह युगों से चली आ रही है। मन्दिर के आनपास की जिन सबक को हम दूरियों के लिए सुलभाना चाहते हैं वह तो बड़ी लड़ाई में एक छटी-सी लड़ाई है। यदि हमारी लड़ाई का अन्त सबक के सुले हो जाने के साथ ही हो जाता तो आप बकीर मानिए, मैं इस झगड़े में न पडा होता। सो यदि आप यह मानते हों कि बाइकोम मन्दिर की सबके दूरियों के लिए सुल जाने से इस लड़ाई का अन्त हो जायगा तो आप चलती कर रहे हैं। सबके तो जरूर सुलनी न दिए—वे सुले बिना न रहेगी। पर वह तो अन्त का आरंभ होना। अन्त तो होगा ट्राइकोम में ऐसी तमाम सबकों को दूरियों के लिए सुलभाना और भड़ी नहीं बल्कि हम तो यह भी उम्मीद रखते हैं कि हमारी कंधियों का परिणाम होगा अज्ञुतों और दूरियों की शांति का सुलभाना। इसके लिए धीरे बलिदान की आवश्यकता होगी। क्योंकि

हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि कोई कार्य प्रतिपक्षी के प्रति हिंसा का प्रयोग करके किया जाय। ऐसा करना मागों हिंसा या जबरदस्ती के द्वारा उन्हें अपने मत में मिलाया है। और यदि हम धार्मिक मामलों में जबरदस्ती से काम लेंगे तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम अपना बात-आप-कर बैठेंगे। हमें इस युद्ध का संवालय निष्कलुष अहिंसा के कर्तव्य के नियम के अनुसार अपना खुद कष्ट-सहन-करके करना चाहिए। यही सत्याग्रह का अर्थ है। अब सवाल यह है कि हमारे उद्देश्य तक पहुँचने के लिए रास्ते में आपको जिन जिन तकलीफों का सामना करना पड़े या आपको दो कार्य, उन सबको सहन करने की ताकत आपमें है या नहीं। अब कि आप कष्ट-सहन कर रहे हों तब भी आपके दिलों में प्रतिपक्षी के प्रति जरा भी दुःख-माय-कटुता न हो। और मैं आपसे यह देता हूँ कि यह कोई धार्मिक कार्य नहीं है। बल्कि इसके विपरीत में चाहता हूँ कि अब प्रतिपक्षी को जाने नई की तरह प्यार करें और ऐसा करने का उपाय यह है कि उन्हें अपने हेतु की प्रामाणिकता का उतना ही भेद हीमिए-जितना कि आप खुद अपने लिए दाना करते हैं। मैं जानता हूँ कि यह काम मुश्किल है। मैं कृपक करता हूँ कि जब कि मैं उन सबकों से जो दूरियों को मन्दिर की सबकों से अलग रखने के अपने अधिकार पर जोर दे रहे थे, बातचीत कर रहा था तब मेरे लिए यह काम, मुश्किल हो गया था। हाँ, मुझे कृपक करना चाहिए कि उनकी बातों में स्वार्थीयता था। तब मैं उन्हें हेतु की प्रामाणिकता का भेद कैसे दे सकता हूँ? मैं कल और आज भी इस बात का विचार कर रहा था और मैंने जो किया वह यह है मैंने अपने दिम्ल से पूछा—किस बात में उनका स्वार्थीयता न स्वार्थ था? हाँ, यह सब है कि वे अपना काम बना केना चाहते हैं। पर हम भी तो अपना काम करना चाहते हैं। सिर्फ इसना ही कि हम अपने सबक को सुल और इसलिए स्वार्थ-रहित मानते हैं। पर इसका निश्चय बोन करे कि स्वार्थ-हीमता कदा कतम हो जाती है और स्वार्थीयता कदा से सुल हो जाता है। स्वार्थहीमता स्वार्थीयता का सुल से सुल कम भी हो सकता है। यह बात में महज दलील के लिए नहीं कह रहा हूँ। पर वह मैं दर-असल महसूस कर रहा हूँ। मैं उनके मन की स्थिति का विचार उनकी दृष्टि से कर रहा हूँ, मेरी दृष्टि से नहीं। यदि वे हिन्दू न होते तो वे कल की तरह बातचीत नहीं करते। और उर्दा ही हम उन बातों पर उसीतरह विचार करने लगे कि तब तरह हमारे प्रतिपक्षी उनपर करते हैं तो हम उनके साथ न्याय कर सकेंगे। मैं जानता हूँ कि इसके लिए मन की अकिस-अवस्था होनी चाहिए, और इस अवस्था में पहुँचना बहुत मुश्किल है। फिर भी एक सत्याग्रही के लिए यह बिल्कुल आवश्यक है। यदि हम अपनेको प्रतिपक्षियों के स्थान पर बैठा कर उनके दृष्टिबिन्दु का समझें तो दुनिया की ३/४ तकलीफें और गलतकारियाँ कम हो जायें। तब हम अपने प्रतिपक्षी के साथ बसदी सहमत हो जायेंगे और उसे उदारतापूर्वक सम्बोध देंगे।

हमारे मामले में उनके साथ जल्दी रजामन्द हो जाने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि हमारे उनके आदर्श मूलतः सिल है। पर हम उनके साथ उदारता से पेश आ सकते हैं और यह विश्वास रख सकते हैं कि वे जो कहते हैं वही सचमुच चाहते भी हैं। वे दूरियों के लिए अपनी सबके सुको करना नहीं चाहते। अब यह उनका स्वार्थ है या अज्ञान है जो उनसे ऐसा कहलवाता है। हम बाकी-यह मानते हैं कि उनका यह कहना ठक नहीं है। इसलिए हमारा काम-यह है कि हम उन्हें दिखायें कि आप गलती कर रहे हैं और हम यह खुद आपसे कष्ट-सहन के सब पर कर सकते हैं। मैंने देखा है

कि जहाँ दूधित कारवायें बहुत पुरानी और कल्पित धार्मिक प्रमाणों पर स्थित होती हैं वहाँ कोरी बुद्धि को समझाने से काम नहीं चलता। कष्ट-सहन के द्वारा युक्ति-बाध को पुष्ट और दृढ़ करना पड़ता है। और कष्टसहन ग्रहण-शक्ति को आँखें खोल देता है। इसलिए हमारे कार्यों में किसी प्रकार की जबरनस्ती का लेश-मात्र न होना चाहिए। हमें आतुर न हो जाना चाहिए और हमें अपने स्वीकृत साधकों पर अमर भ्रष्टा होनी चाहिए। किन्तु जिन साधकों को हमने ग्रहण किया है वे वे हैं—हम उन चार दृष्टांतों तक जाते हैं और जब वहाँ लोक िने जाते हैं तो वहीं बैठकर दिन भर चर्चा कातते हैं। तो हमें विश्वास होना चाहिए कि इसके द्वारा हमें कष्ट-सहन का ज्ञान मिलेगा। मैं जानता हूँ कि यह सुविद्ध और भीनी विधि है। पर यदि आप सत्याग्रह के गुण में विश्वास करते हैं तो आप इस भीनी संज्ञा और कष्ट-सहन में आनन्द पायेंगे और इसलिए कि आपको हररोज बहरके की धूप में बैठना पड़ता है, उसको आप तकलीफ न महसूस करेंगे। यदि आपको अपने अस्वीकृत कार्य और उसके साधकों पर और ईश्वर पर भरोसा हो तो यह कभी धूप आपके लिए शीतल ठाँह हो जायगी। कभी कब कर न कहना चाहिए कबतक सहेंगे? और न कभी झुंझकारो। हिन्दूधर्म के इस पाप के लिए आपकी तरफ से यह एक छोटा-सा प्रयत्न है।

मैं आपको इस लड़ाई के सैनिक मानता हूँ। आपके लिए यह समय नहीं कि आप अपने दिल में हलोलें कर लें। आप इस आश्रम में इसलिए आये हैं कि आपको उसकी व्यवस्था पर विश्वास है। इसका मतलब यह नहीं कि आपका मुसपर विश्वास है; क्य कि मैं व्यवस्थापक नहीं हूँ। मैं तो बसतक आदेश और सामान्य सूचनाओं से संभव है इस आन्दोलन का संवाहन कर रहा हूँ। इसलिए आपका विश्वास उन लोगों पर होना चाहिए जो यहाँ अपनी व्यवस्थापक हैं। आश्रम में आने के पहले आना न आना आपके अधिकार का; पर आश्रम में आने के बाद पूछना, 'क्यों?' आपका काम नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाय तो आपको उचित है कि आप उन तमाम दिदायतों की पाबन्दी करें जो समय समय पर आपको दी जाय। यही एक मात्र विधि है जिसके अनुसार राजनैतिक या धार्मिक जीवन निर्माण हो सकता है। जब आपने अपने दिल में कुछ सिद्धान्तों का निश्चय कर लिया होगा और उनके बंधनों को कर ही आप इस युद्ध में सम्मिलित हुए होंगे। जो लोग आश्रम में रहते हैं वे सत्याग्रह में उतना ही हिस्सा ले रहे हैं जितना कि वे जो दृष्टांत की जगह आकर सत्याग्रह करते हैं। किसी लड़ाई के संभव में हर एक काम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरा काम है और इसलिए आश्रम की आरंभ-व्यवस्था का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दृष्टांत की जगह बैठकर चर्चा कातना। और यदि इस जगह टिप्पणियों का या हाँसे को शांतना चरबा क तने से ज्यादा अरुचिकर हो ता यह और भी अधिक महत्वपूर्ण और कामदानी समझा जाना चाहिए। कज्जक पक्षपात में एक भी मिथित न शोभा चाहिए बल्कि हमें अपने काम में मशगूल रहना चाहिए और यदि हर शक्ति इसी मात्र से काम करेगा ता आप देखेंगे कि कुछ उसी काम में कितना आनन्द मिलता है। आश्रम की एक एक चीज को आप अपनी समझें। गैर की नहीं कि जी चाहे उस तरह चरबा कर दें। आप न तो एक दाना चावल, न एक टुकड़ा कानन न एक मिथित समय व्यर्थ नवायें। यह हमारा धर्म है। यह राष्ट्र का है, हम तो उसके रक्षक-मात्र हैं।

मैं जानता हूँ कि यह सब आपको सुविद्ध और सकत माध्यम

होगा। मेरा धर्मय च है सहायता पर दूसरे तरफ से पेश करना मेरे लिए असंभव था। क्योंकि यह मानना कि यह आश्रम का है, आपको और खुद अपनेको बँसा देना है।

हमारे धर्म में बहुत सी जड़ता आ गई है। वैदिकयत एक राष्ट्र के इस आलसी हो गये हैं, समय का लयाभ इस भूय गये हैं। हमारे कार्यों में स्वाधरता प्रधान रहनी है। हमारे बड़े से बड़े लोगों में पगहार ईर्ष्या-द्वेष है। हम एक दूसरे के प्रति अनुहार हैं। और यदि मैं इन तमाम बातों पर आपका ध्यान न दिलाता तो हमारे लिए इन लोगों से बरी होना संभवनीय न होगा। सत्याग्रह क्या है? सत्य की अचिरत शोध और उस तक पहुँचने का निश्चय। मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग अपने कार्यों का महत्व समझ लेंगे। और यदि आप समझ लेंगे तो आश्रम का पथ सुगम हो जायगा। क्योंकि आप कठिनाइयों में आनन्द मानेंगे और जब कि और तमाम लोग निराश हो जायेंगे तब भी आप आशा पूर्ण हृदय से मुसकाने रहेंगे। धार्मिक ग्रन्थों में जो इशान्त कृषिओं और कृषियों ने दिये हैं उन्हें मैं मानता हूँ। मैं इस कथा पर सन्देश: विश्वास करता हूँ कि सुधन्वा हुआ था और जब वह लोकात हुए तब के बड़ाह में बुकोया गया तब भी ईशाना रहा। क्योंकि उसके लिए अपने प्रभु को भुगना देना खींभते हुए लेक में रहने की अपेक्षा ज्यादा कष्टदायी था। और यदि उस सुधन्वा की भ्रष्टा का कुछ भी तैत्र इय लड़ाई के अन्दर होगा तो यहाँ भी चाहे परिमाण में वैसा ही अनुभव हो सकता है।

### अहिंसा का धर्म

- एक सज्जन नीचे लिखे सवाल करते हैं—
- १ क्या यह बात सच है कि विदेशी नीति में हिंसा तथा खून आदि अपवित्र चीजें शामिल जाती हैं?
- २ अहिंसा मत का पालन करनेवाला मनुष्य विदेशी सरकार का सहायता है?
- ३ जब शत्रुप िया की दृष्टि से जाती पहनते हैं वे स्वराज्य के मिलने के बाद भी जाती पहनेगे?
- ४ जाती पहनना अहिंसा का सवाल है या राजनैतिक सवाल है? हिंसा की दृष्टि से देखें तो मिल् के कपड़े में अधिक हिंसा है या बिलायती कपड़े में, हालाँ कि दोनों के वंश एकसे होते हैं?
- ५ अहिंसा मत का पालन करनेवाला चाय पी सकता है? यदि न पीना चाहिए तो उसमें हिंसा किसतरह होता है?
- ऐसे सवालों का जबाब देते हुए मुझे संकोच होता है। क्योंकि कि ऐसे सवाल अज्ञान-सूचक हैं। कितने ही पाठक ऐसे सवाल किया करते हैं इसलिए उनका निर्णय कर सकना उचित माध्यम होता है। पर इन सवालों के जबाब के निमित्त मैं अहिंसा-तत्व को भी किसतरह कि मैं समझता हूँ, विषय करना चाहता हूँ?
- विदेशी नीति के अन्दर हिंसा आदि नहीं रहते; पर हाँ; ऐसा सुना है कि उनका उपयोग नीति छाप करने में किया जाता है। यह मानने का कोई कारण नहीं कि ऐसा प्रयोग देशी नीति के लिए नहीं होता है।
- इस कारण अहिंसा की दृष्टि से चायद लोगों प्रकार की सरकार स्थाप्य है अथवा यदि केना ही हो तो सरकार की दृष्टांत की जांच करना उचित है। इसलिए विदेशी सरकार का स्थाप्य स्वदेशों के उत्तेजन के लिए ही करना उचित है। पर सरकार मात्र के स्थाप्य के लिए अहिंसा की एक सुझन दृष्टि है। प्रत्येक प्रक्रिया में हिंसा है। अतएव प्रत्येक चाय पदार्थ पर कितनी कम प्रक्रिया हो

उत्तमा ही अच्छा है। जना पूसना सबसे उत्तम है; गुण उसके कम और नीची सबसे भी कम। परन्तु सर्व-साधारण के लिए इस सुक्ष्मता के अन्दर पड़ने की मैं बिल्कुल जरूरत नहीं समझता।

बादी पहचानेवाला अहिंसा और स्वराज्य दोनों दृष्टे से स्वराज्य मिलने के बाद भी बादी ही पहचानेगा। स्वराज्य जिन साधनों के बल पर मिलेगा उन्हीं साधनों के बल पर वह कायम रह सकेगा। जो राष्ट्र अपनी अकारिगत के लिए विदेशों पर हथकड़ियाँ रखता है वह परतंत्र होता है अथवा औरों को गुलाम बनाता है।

बादी पहचानने में अहिंसा, राजकाज और अर्थशास्त्र तीनों का समावेश हो जाता है। पूर्वोक्त नियम के अनुसार बादी पर प्रक्रियायें कम होती हैं इसलिए उसमें हिंसा कम है।

इसके अतिरिक्त विदेशी या स्वदेशी मिल के कपड़े का मुकाबला करते हुए, दोनों में एक ही प्रकार के रंगों के रहते हुए भी, स्वदेशी मिल के कपड़े पहचानने में कम हिंसा है। क्योंकि ऐसा करते हुए प्रेम-भाव हमारे हृदय में अपने पड़ोसी-भाइयों के प्रति रूपा है। परन्तु विदेशी कपड़े का इस्तेमाल करने में प्रेम का अभाव होता है। यही नहीं, बल्कि बिल्कुल रक्तरंजिता, स्वार्थ या अपनी ही सुविधा का समर्थक रहता है और परमार्थ का, प्रेम का अर्थान् अहिंसा का अभाव रहता है।

अहिंसा-व्रत का पालनेवाला चाय पी भी सकता है और न भी पी सकता है। चाय में भी प्राण है। वह निरपराधी वस्तु है। इस कारण उसके डेने से होनेवाली हिंसा अनिवार्य नहीं है। अतएव उसका त्याग इष्ट है। जहाँ जहाँ चाय के बगीचे हैं, वहाँ वहाँ गिरमिटिया लोगों से झगड़ी कराई जाती है। गिरमिटिया लोगों के दुःखों से हिन्दुस्तान नाशिक है। जिस पदार्थ की बनावट मजदूरों के लिए कष्टदायी होती है वह भी अहिंसा की दृष्टि से त्याग्य है। व्यवहार में हम इतनी बारीक बातों का खयाल नहीं करते। इस कारण जिसतरह दुमरी चीजों को अहिंसा की दृष्टि से निर्दोष समझते हैं उन्हींतरह चाय को भी मान सकते हैं। वैद्यक की दृष्टि से चाय में गुण की अपेक्षा दाह अधिक है, चास कर जब वह उबाली जाती है।

हम प्रश्नों से यह जाना जाता है कि अहिंसा की बातें करनेवाले अहिंसा को कितना कम पहचानते हैं। अहिंसा एक मानसिक स्थिति है। जिसने इस स्थिति को नहीं समझा है वह चाहे कितनी ही चीजों का त्याग दे तो भी उसे उनका फल शान्द ही मिलता हो। रोमी रोग के लिए बहुतेरी चीजों से परहेज करता है। इससे उसके इस त्याग का फल रोग दूर करने के अतिरिक्त नहीं मिलता। दुष्कास-पीड़ित को यदि भोजन न मिले तो इससे उसे उपवास का फल नहीं मिलता। जिसका मन संयमी नहीं है उसकी कृति में चाहे अनेक ही संयम दिखाई दे; पर वह संयम नहीं है। चास-मसाह के विषय में अहिंसा का समावेश नहीं होता। अहिंसा क्षत्रिय का गुण है। बायर उसका पालन नहीं कर सकता। दया तो शूबोर ही दिखा सकते हैं। जिस कार्य में जिस अंश तक दया है उस कार्य में उसी अंश तक अहिंसा हो सकती है। इसलिए दया में ज्ञान की आवश्यकता है। अंध प्रेम को अहिंसा नहीं कहते। अंध प्रेम के अधीन हो कर जो माता अपने बालक को अनेक तरह से दुकराती है वह अहिंसा नहीं बल्कि अज्ञानमातृ हिंसा है। मैं चाहता हूँ कि जाने-पाने की मर्यादों को महत्व न दे कर कम उसका पालन करते हुए भी अहिंसा के विराट रूप को, उसकी सुक्ष्मता को, उसके अर्थ को समझें। यही के बल बर्ती हो कर गोमंसि खानेवाला पश्चिम का कोई माधु प्रसव रक्त के अधीन हो कर गोमंसि को डोकने वाले पाकण्डी क्रूर मनुष्य से कोविण्डा

अधि-अहिंसक है। मुझसे प्रथम पूछनेवाले क्षर अपने को कहे करें-मैं विदेशी शकर, विदेशी कपड़े और चाय को छोड़ता तो हूँ, पर यदि मैं अपने पड़ोसी पर दया न करता हूँ; गैरों के कपड़ों को अपने सड़के के बराबर न मानता हूँ, अपने व्यवसाय में मैं सचाई का पाबन्द न रहता हूँ, अपने नौकर-वाकिलों को मैं अपना कुटुम्बी न मानकर उनके साथ प्रेम-भाव न रखता हूँ तो मेरी जाने-पाने की मर्यादा का कुछ मूल्य नहीं। मेरी यह मर्यादा केवल आडम्बर है। नरसिंह महेता का पवित्र वचन है 'ज्यां जगी आतमा तत्त्व चीन्वो नहीं त्यां जगी साधना सर्व शक्ती।' आत्म-तत्त्व को पहचानने के आधी है अहिंसामय हीन। अहिंसामय होने का अर्थ है विरोधी के प्रति भी प्रेमभाव रखना, अपकारी का भी उपकार करना, अशुभों का बुरा गुण के द्वारा देना और ऐसा करते हुए यह मानना कि वह तो मेरा कर्मण्य है कोई बलीमात नहीं कर रहा हूँ।

(मनजीवन)

श्रीहरमहाल करमचन्द्र गांधी

## टिप्पणियाँ

महात्मा के सदस्य

अवगत को विवरण मिला है उसके अनुसार नये सदस्यों की संख्या २१२४ तक पहुँची है।

जुलिया में कैसे रहे ?

एण्ड्रयूज साहब का एक लेख मं. द. में पढ़ कर एक सख्तन में नीचे लिखा प्रश्न एण्ड्रयूज साहब से पूछा। उन्होंने कुछ महीने पहले मुझे उत्तर के लिए यह दिया था—

“मेरा जन्म और काकन-पाकन देहात में हुआ है। मेरे पिता 'अहिंसा परमो धर्मः' का उच्चार अपने मित्रों के साथ दार्शनिक वाद-विवाद के समय किया करते थे। मैंने कि आपने कहा है वह अद्वैत-तत्त्व से कलित होनेवाला उसका सहायक स्वरूप है। धार-रूप में मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अद्वैतम् की परिसमाप्ति आध्यात्मिक जीवन की एकता में ही नहीं हो जाती है। मैंने कि आप भी मानते हुए दिखाई देते हैं, अखिल विश्व के भूतमात्र के प्रति, बिना किसी अपवाद के आत्मभाव ही अद्वैतम् है।

ज्यों ही मनुष्य अहिंसा को अपना मार्गदर्शक बनाने की अवस्था में पहुँच जाता है त्यों ही उसकी प्रगति विहित हो जाती है। उस अवस्था में तमाम मेद-भाव विकीव हो जाते हैं। जब हम सब में एकता का अनुभव करने लगते हैं तब हम किसी भी बस्तु का संहार किसतरह कर सकते हैं, जो कि हमारा ही एक अंग है ?

यही अन्वेष्ट उठने लगता है। क्या अहिंसा के भाव को व्यवहार में डेठ उसके अन्त तक—आखिरी मर्यादा तक निवाहना होगा यदि ऐसा करना पड़े तो क्या उस अवस्था में वह एक सङ्घ रह जायगा ?

मेरे पिता, "अहिंसा परमोधर्मः" का उच्चारण जब तक किया करते थे। परन्तु जब हमारे घर की भैर दूध देते समय एक जगह खड़ी नहीं रहती थी तब उन्हें से मार कर उसे पीपी कर देते थे। अपने बच्चों के दूध के लिए दया उनका ऐसा करना ठीक था ?

हिन्दू भोग राम के अवतार को वर्म का अवतार कहते हैं। राम ने रावण को मारा था। क्या राम ने यह पुरा किया ? राम ने बाकि का बंध किया। जब बाकि ने उसका विरोध किया तब उन्होंने उत्तर दिया—

सुख बंधू भगिनी सुतमारो ।  
 उठु घट ये कन्या सन चारी ॥  
 इन्हें कुट्टि बिकोकिदि जोई ।  
 ताहि बंधे कहु पाप न होई ॥

देखिए, यहाँ 'उन्हीं बंधे के अवतार के सुंद में 'इन्से को हुनिए कपकोप ना भगिने' का सिद्धान्त दृष्ट किया गया है ।

और नीचे उतर कर हम जनमान् कृष्ण के समय में आते । अगलहीता को लीनिए, अर्जुन अपने सगे-संबंधियों का वध करने के लिए तैयार नहीं होता है । जनमान् कृष्ण उसे युद्ध करके कलका-भया करने का आग्रह करते हैं और अहिंसा-सिद्धान्त पीछे हिन-जाता है ।

ऐसी अवस्था में वह पूछना पड़ता है कि अहिंसा के आचार की कोई बर्तन मौ है ? एक स्त्री पर अत्याचार हो रहा है । क्या उसे उस बराबर को मार कर उसके पंजे से अपनेको सुखाना उचित नहीं है ? क्या उसे अहिंसा का पाकन करना चाहिए ?

सबकी पकडना हिंसा है । शाक के लिए वनस्पतियों को उखाड़ना हिंसा है । जन्तुनाशक प्रयु पापी में जाकरा हिंसा है । अन्न बचाव, दुनिया में कैसे रहे ?

**एक ब्राह्मण "**

यदि केवल के पिता ने उस अतिशुद्ध मैत्र को न दुहा होता तो दुनिया की कुछ शक्ति न हुई होती । तुलसीदास ने राम के सुंद में केवल ही बातें कही हैं । जिनका मतलब में नहीं समझता । बाकि-संबंधी बारा प्रसंग ही ऐसा है । तुलसीदास ने राम के सुंद से कहा है- इन पंक्तियों के सन्दर्भ के अनुसार कहने से यदि कोई कभी पर न बनेगा तो बड़ी सुखीबत में बकर के बालना । रामायण और महाभारत में हर महात्मा न्याय के संबंध में जो कुछ कहा गया है सबको मैं संक्षेप में ही प्रण करता हूँ और न मैं इन प्रश्नों को ऐतिहासिक संग्रह मानता हूँ । हमें 'मित्र मित्र कर्षो में आश्रयक सिद्धान्तों का वर्णन मिलता है । और न मैं राम तथा कृष्ण को अस्वकनधीन-इमी गलनी न करनेवाले मानता हूँ, जैसा कि इन दो महाकाव्यों में उनका अहिंसा-विषय मिलता है । वे अपने अपने युग के बिचारी और आर्थात्मियों की प्रतिनिधित्व करते हैं । केवल अस्वकनधीन व्यक्ति ही अस्वकनधीन प्रश्नों के अहिंसा का सकार्य विवण कर सकता है । ऐसी अवस्था में उनका आशय मात्र हारे लिए पर्य-प्रदसक का शरम है- संकोत है । उनके अक्षर अक्षर का अनुकरण करने से हमारा वध सुंद में लगेगा और सब तरह की उन्नति रुक जायगी । अहिंसा-विषय से संबंध है, मैं उसे कोई ऐतिहासिक संवाद नहीं मानता । 'आध्यात्मिक सिद्धान्त समझाने के लिए अपने नैतिक उदाहरण लिये गये हैं ।' यद्यपि भाइयों के दरम्यान हुए युद्ध का नहीं-अहिंसा-विषय की अक्षर-प्रवृत्ति और अक्षर-प्रवृत्ति में होनेवाले युद्ध का वर्णन-कर्म है । मैं 'एक ब्राह्मण' महाकाव्य से कहता हू कि वे इन उदाहरणों को छोड़कर अहिंसा के सिद्धान्त का पदचालन करें । 'अहिंसा बरको बर्तन' जीवन का एक उन्नत सिद्धान्त है । उसके फलन है 'यदि बरा भी हम प्युत ही तो उसे हमारा पतन समझना चाहिए ।' भूमिति की सरत रेखा काके तकते पर जाहे न कौनो जा संकती हो । परन्तु उस कार्य की असंभवता के कारण वह व्याख्या नहीं बरकी जा सकती ।

यदि इस काली पर-कसे तो एक पंजे को उखाड़ना भी बुरा है । और-किसी-अपसृत प्रकाश के प्रकाश को तोड़ते हुए बिके देना नहीं होनी ? किसी पास-पास को तोड़ते समय हमें धैर्य नहीं होनी इससे नहीं सिद्धान्त में बाधा पड सकती है ? इससे नहीं

सुचित होता है कि हमें पता नहीं है कि प्रकृति में पास-पास का क्या स्वाभ है । अतएव किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना अहिंसा सिद्धान्त का उल्लंघन करना है । अहिंसा के पूर्ण पाकन की अवस्था में अनश्य ही जीवन की स्थिति असंभव हो जाती है । अतएव हम सब मर जायें तो परवा नहीं, सत्य को कायम रहने देना चाहिए । प्राचीन ऋषिमुनियों ने इस सिद्धान्त को आकिरी बर्दादा तक पहुंचाया है और यह कह दिया है कि भौतिक जीवन एक दोष है, एक जगल है । माझ देहादि के परे का ऐसी अवेद-सुख अवस्था है जहां न जाना है न पीना और इसीलिए जहां न रूप बुझने की आवश्यकता है और न पास-पास तक को तोड़ने की । संभव है कि इस तत्व को समझना या ग्रहण करना कठिन हो, संभव है कि पूर्वतः उसके अनुकूल जीवन व्यतीत करना असंभव हो, और है भी । फिर भी मुझको इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि सत्य यही है और इसलिए कलाई इसी बात में है कि हम अपने जीवन को अपनी पूरी सफिभर उसके अनुकूल बनायें । सकार्य ज्ञान का हो जाना मानों आधी कलाई को जीत देना है । इस भव्य सिद्धान्त का हम जितना ही पाकन अपने जीवन में करते हैं उतना ही वह जीवन रहने और प्रेम करने कायक होता है । क्योंकि उस अवस्था में बर्बाद हुए बड़ा शरीर के बंध में रहने के हम अपने शरीर को अपने बंध में रकते हैं ।

**अबोध के किसान**

कैलाबाद से श्री. मणिलाल डाक्टर ने पंजे लिखा मजमून अपने के लिए भेजा है ।

"हजारों किसानों के अनुरोध पर मैं गया से कैलाबाद हुआया गया हूँ ।

बिहार में-संपारन में-मेरी आंखें खुल गईं । भारतवर्ष केतो पर काम करनेवालों के लिए सुखदायी देश नहीं है । कोई आश्रय की बात नहीं है जो आसाम, कलकत्ता, कानपुर, अहमदाबाद, बर्मा तथा ब्रह्मपुत्र उपनिवेशों में आवर्षित हो कर मजदूर बने जाते हैं । अबोध की शक्त तो और भी ज्यादा बराबर दिखाई देती है । यहाँ यही आवाज सुनाई देत है कि "एक बार इस विश्वी हुकूमत के जूर से हमारा कंधा रुकका हो जाय ता मजदूरों की उन्का अनीह निक जायगा ।" मुझे अपने दिम में यकीन नहीं होता कि ब्रिटिश सरकार के बाद जानेवाले हाकिमों से मजदूरों और किसानों के साथ इन्साफ होगा ।

फिर भी मैं जिसतरह काम करना चाहता हूँ वह यह है । मजदूरों और किसानों को चाहिए कि वे किसीतरह अपनों को न तो हिन्दुस्तान के पूंजीवालों के और न अंगरेजी सरकार के हाथों की कटपुनकी बनायें । उन्हें खुद अपने हितों पर ध्यान रखना चाहिए और उनके अनुकूल-उन्हें सहयोग या असहयोग करना चाहिए ।

हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बरखा उनमें अवश्य बरकना चाहिए और साल में फुसत के दिनों में आमके-सुकदमे कबने की बलिस्वत बर में बरखा कातना चाहिए । क्योंकि भारत में सिर्फ बार बहीने बारिश होती है ।

भारतवर्षे जन्धा देश है । परन्तु क्या देसी और क्या बिकेकी-मानव-प्राणियों ने निक कर उसे नरक बना जासा है !!! कबतक है प्रभो ! कबतक यह दशा रहेगी ?"

मैं आशा करता हूँ कि श्री. मणिलाल डाक्टर किसानों के बर बर में बरखा बका पायेंगे और ऐसा करते हुए किसानों की आर्थिक स्थिति का खूब मजन कर लेंगे । जिसतरह कि अंग्रेज मेनन ने कुछ समय पहले दक्षिण के कुछ गांवों का अध्ययन करके उसे प्रकाशित किया है उसीतरह हिन्दुस्तान के गांवों के लुटे सुंदे नपुनों को जोक डीक और जेन-पूर्वक अध्ययन करने की अपेक्ष है ।



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचंद गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ३३ ]

मुद्रक-प्रकाशक बेनीलाल जगनलाल शुभ	अहमदाबाद, चैत्र सुबो २, संवत् १९८१ गुरुवार, २३ मार्च, १९२५ ई०	मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय, सारांगपुर सरकीपरा की बाड़ी
--------------------------------------	--	---

## कोहाट की जांच

कोहाट की दुर्घटना के संबंध में मैं अपना और मौलाना साहबकी का बक्तव्य अब प्रकाशित कर सका हूँ। इससे पहले इसे प्रकाशित करना संभव न था क्योंकि मैं और मौलाना दोनों सफर में रहते थे और हमेशा दोनों एक जगह नहीं ठहरते थे। मैं यह निश्चित रूप में नहीं कह सकता कि इस अवसर पर इन बक्तव्यों को प्रकाशित करने से कोई बड़ा लाभ होगा, इसका इसके बिना इससे बेरा बादा पूरा होगा, जो मुझे किसी न किसी तरह पूरा करना चाहिए था। लेकिन उनके प्रकाशित हो जाने से प्रकारान्तर से एक कायदा उत्पन्न होगा। हम लोगों ने बड़ा प्रमाणों पर से जो अनुमान निकाले हैं उनमें बड़ा वास्तविक भेद है। गवाहों का गवाही पर विश्वास रखने के हमारे परिमाण में भी भेद है। जब हमने इस मतभेद को महसूस किया तो हमें बड़ा दुःख हुआ और इस मतभेद को जितना भी हो सके दूर करने का कोशिश की। हमारे इस मतभेद का हमने हकाम साहब और डॉ० अन्तारा के सामने पेश किया और उनसे भेद मांगा। मद्रास में उस समय जब हमें इसपर विचार करने में, फाँटन मोतीलालजी भी वहाँ मौजूद थे। इस वादाबिवाद में हमें कोई बात ऐसा न मिली जो हमारी दृष्टि में वास्तविक परिवर्तन कर दे। यह बक्तव्य लिखने में हुई था। हमने फिर यह निश्चय किया कि कुछ प्रश्नों साथ साथ सफर करें और अपने अपने का इस दृष्टि में परीक्षा करें कि हम अपने बक्तव्यों को फिर बतलाने में सक्षम हैं या नहीं। कुछ बातों को बतलाने के सिवा हमारा मतभेद दूर नहीं हो सकता है। हम लोगों ने हकाम साहब का हमें सूचना पर भी विचार किया कि हमारा बक्तव्य प्रकाशित ही न किया जाय। कुछ जगह तक फाँटन मोतीलालजी ने भी इसका समर्थन किया था। लेकिन हम, कम से कम न तो इस नतीजे पर पहुँचा है कि जनता, जो मुझे और अली भाइयों को कुछ सांख्यिक प्रश्नों पर हमेशा एक मानती थी उसे यह भी ज्ञान देना चाहिए कि कुछ प्रश्नों पर हममें भी मतभेद हो सकता है। लेकिन हमें एक दूसरे के प्रति पर भरोसा नहीं हो सकती कि हममें से कोई जानकर पक्षपात करता है या गलत प्रमाणों को साँस मरोड़ कर उनमें अपना मनच्छव्य निबाल रहा है। और हमारे परस्पर के प्रेम में भी कुछ बाधा नहीं आ सकती है। हम यदि लगे तौर से अपने मतभेदों का स्वाकार कर लेंगे तो उसमें जनता का आपस में सहजसहल बनने का सबक भी मिलेगा। जनसमाज से मैं यह कह देना चाहता हूँ कि इस मतभेद को दूर करने के प्रयत्न में मैंने या मौलाना साहब ने कोई धान लड़ा नहीं रखी है। लेकिन अपनी राय को छिपाने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। हमारे असल बक्तव्य में हमने कुछ रद्दापदल की है लेकिन दो में से एक ने भी किसी बात में अपने निश्चित मत का त्याग नहीं किया है। हम दोनों ने कुछ जगहों में किसीकी तरफ न मालूम हो इसलिए भाषा को कुछ मुलायम बनाई है लेकिन इसके सिवा असल बक्तव्यों का कुछ भी वास्तविक रूपान्तर नहीं किया गया है।

## गांधीजी का वक्तव्य

मौलाना साकतअली और मैं कोहाट के हिन्दू आधितो को और उन मुसलमानों को मिलने के लिए, जिन्हें मौलाना ने पत्र लिख कर बुलाये थे और जो रावलपिंडी आनेवाले थे, ता. ४ की रावलपिंडी पहुँचे। एक दिन बाद लाला लाजपतराय भी आ पहुँचे। लेकिन दुर्भाग्य से वे बुखार लेकर ही आये थे और अतएव हम लोग रावलपिंडी रहे उन्हें बिछौने में ही रहना पड़ा।

जिन मुसलमानों की हमने गवाही ली उनमें मौलवी अहमद गुल और पंजर साहब कमाल मुख्य थे। हिन्दुओं ने तो उनके पहले ही अपना लिखा और छपा हुआ बक्तव्य प्रकाशित कर दिया था। उन्हें उससे अधिक कुछ नहीं कहना था। कोहाट में जो मुस्लिम कार्यवाहक समिति काम कर रही है वट न आना ही चाहती था और न आयी। उसने मौलाना साहब को इन मतलब का तार भेजा कि "हिन्दू और मुसलमानों में समाधान हो गया है। हमारी राय में इस रावाल को फिर उठाना उचित नहीं है। इसलिए यदि मुसलमान लोग अपने प्रतिनिधि रावलपिंडी न भेजे तो उन्हें आप क्षमा करेंगे।"

मौलवी अहमद गुल और जो दूसरे सज्जन रावलपिंडी आये थे वे इस कार्यवाहक समिति के सदस्य थे। लेकिन उन्होंने कहा कि वे खिलाफत कमिटी के सदस्य नहीं हैं। हमें यत में आने थे, इन कार्यवाहक समिति के सदस्य की गिनतन से नहीं।

ऐसी हालत में प्रत्यक्ष स्थान का पूरा निराधरण किये बिना और दूसरे भी बहुत से गवाहों की गवाही लिये बिना, सभी बातों का निश्चित परिणाम निकालना बड़ा ही मुश्किल है। हमलोग यह न कर सके। हम कोहाट न जा सकें और न हमारा यह इरादा ही था कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे कर गठे मुकदमे उधाड़ें। हमारा मकसद तो यह था कि यदि मुमकिन हुआ तो दोनों दलों में ऐक्य स्थापित कर दें। इसलिए हम लोगों ने मुख्य मुख्य बातों की ही जितना बन सका स्पष्ट करने की कोशिश की।

मौलाना साहब के साथ सब बातों का मयावरा किये बिना ही मैं यह लिख रहा हूँ। इसलिए इनमें तिरफें मैंने अपना ही निर्णय प्रकाशित किया है। मौलाना चाहें तो उसका समर्थन करे या अपना वक्तव्य अलग ही प्रकाशित करावे।

ता. ९ गितंबर और उसके बाद जो घटनाएँ हुई उसके कई कारण थे। उनमें एक यह भी था कि हिन्दू मुख्य और विवाहिता स्त्रियों की मुसलमानों द्वारा गण्य धर्मनिरास हो जानेसे भयभीत न हो कर गये। हमने तो हिन्दू लोग बिगड़े तार उन्होंने उससे तबूद जा करवाई का उसमें मुसलमान लोग उनमें भा उयादह बिगड़ उठे। कोहाट के हिन्दू व्यापारियों का निकाल देने का पराबाओं (हुम मान व्यापारी) का इच्छा दूसरा कारण था। और तीसरा कारण यह अफवाह थी कि सरदार साखनसिंगजी के पुत्र ने किसी अवहित मुसलमान लडकी का हरण किया था। उसे मृत कर मुसलमानों कोम बड़ी बिगड़ी हुई थी।

इन सब कारणों का एकत्र परिणाम यह हुआ कि दोनों कौमों में बड़ा घमनम्य और कटुता फैल गई। जिस कारण से यह आम भडक उठी वह कारण तो रावलपिंडी में प्रकाशित की गई और कोहाट में दार्जिल ही नहीं श्री जीवनदास की उस लिख पत्रिका

की एक कविता थी। उसमें प्राकृष्ण और हिन्दू-मुस्लिम गण्य की तारीफ में कितने ही भजन और कविताएँ छपी हुई थीं। लेकिन उसमें एक बड़ी अपमानकारक कविता भी थी, जो मुसलमानों के दिलों को निस्सन्देह दुखानेवाली समझी जा सकती है। श्री जीवनदास उसके राबयता न थे। उन्होंने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए उसे कोहाट में दार्जिल नहीं किया था। जब मनातन धर्मसभा का इस बात पर ध्यान दिलाया गया उसने उस कविता के लिए उख कर माफी मांगी और बची हुई पत्रों में से उसे निकलवा दिया। उससे मुसलमानों को संतोष हो जाना चाहिए था लेकिन उन्हें संतोष न हुआ। बची हुई प्रतियाँ मुसलमानों के हथाल के मुताबिक ५०० से कुछ अधिक और हिन्दुओं के हथाल के मुताबिक १०० से कुछ अधिक टाउन हाउस में लाई गई और डिप्टी कमिश्नर और मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ के सामने सार्वजनिक तौरपर जला दी गई। पत्रिका के पुट्टे पर प्राकृष्ण की तस्वीर भी थी। श्री जीवनदास को गिरफ्तार किया गया। यह घटना ३ सितंबर १९२४ को हुई। ११ तारीख को ये अदालत में पेश किये जानेवाले थे। हिन्दुओं ने अदालत छोड़ कर आपस में ही मित्रभाव में मियटारा कर लेने की कोशिश की। इसके लिए पेशावर में खिलाफतवालों का एक शिष्ट-मण्डल भी आया था। मुसलमान गरीयत के मुताबिक जीवनदास का इन्साफ करना चाहते थे। हिन्दुओं ने इससे इन्कार किया लेकिन खिलाफतवालों के निर्णय का कुबूल करने के लिए वे राजी हो गये। लेकिन अब कोशिशें बेकार गइ इसलिए हिन्दुओं ने श्री जीवनदास को छोड़ देने के लिए अरजों की। ता. ८ गितंबर को जमानत ले कर और इस शर्त पर कि वे कोहाट छोड़ कर चले जायेंगे उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने तो कोहाट एकदम छोड़ दिया। लेकिन इस प्रकार उनके मुकदमे से बच जाने के कारण मुसलमानों का क्रोध भडक उठा। ता. ८ गितंबर की रात में उनकी एक सभा हुई। उसमें बड़ा जोश फैला हुआ था, और बड़े जोशीले स्थाव्यान हुए थे। उसमें यह निर्णय हुआ कि वे सब मिलकर डिप्टी कमिश्नर के पास जाय और जीवनदास को फिर गिरफ्तार करने के लिए और मनातन धर्म सभा के कुछ और सदस्यों की भी गिरफ्तार करने के लिए कहें। यदि डिप्टी कमिश्नर उनका बातें न सुने तो हिन्दुओं में पूरापूरा बदला लेने की धमकी भी दी गई थी। सुबह इन लोगों में आकर शामिल होने के लिए आसपास के गांवों की संदेश भेजे गये थे। दूसरे दिन, पंजर कमाल साहब के कहने के मुताबिक, गुन्ने में भरे हुए कोष्टों की हजार मुसलमान टाउन हाल की तरफ खाना हुए। डिप्टी कमिश्नर ने उनसे प्रार्थना की कि उनमें से कुछ थोड़े लोग आ कर उनमें मिलें। लेकिन उन्होंने न माना और उन्हें सजपुरा घाट आ कर इतनी बड़ा भीड़ का सामना करना पड़ा। उनका माँगों का उन्होंने खीकार कर लिया। और अपने विजय पर खुश होती हुई भीड़ हटने लगी।

अगले हफ्ते में ही हिन्दू लोग डर के मार मगडा गये थे। उन्होंने ६ सितंबर को एक पत्र लिख कर मुसलमानों में फैले हुए जोश की डिप्टी कमिश्नर को खबर दी थी। लेकिन उनकी विवाह के लिए डिप्टी कमिश्नर ने कुछ भी तैयारी नहीं की। ८ तारीख को रात में जो सभा हुई थी उसकी उन्हें खबर थी। इसलिए उन्होंने ९ तारीख की सुबह को अपना भय अधिकारियों पर प्रकट करने के लिए कितने ही तार भेजे और श्री

जीवनदास का फिर गिरफ्तार न करने के लिए अंग्रेजी अधिकारियों ने फिर भी कुछ ध्यान न दिया। टाउन हाल ने बापस आ कर भीड़ को क्या किया इनपर बड़ा ही मतभेद है। मुसलमान कहते हैं कि हिन्दुओं ने ही पहली गोली चलाई थी। उससे एक मुसलमान लठका भर गया और दूसरे को चोट लगी। इससे उस भीड़ का गुस्सा मटक उठा और उसका नेता यह हुआ कि उस रोज लूट, घरों का जखाना इत्यादि ज्यादातया हुई। हिन्दुओं का कहना है कि मुसलमानों ने ही पहली गोली चलाई थी और हिन्दुओं ने बाद को आत्मरक्षा करने के लिए गोलियाँ चलाई थीं। वे कहते हैं कि यह लूटना, आग लगाना इत्यादि कार्य पहले ही से निधिन और नियंत्रित किया हुआ था और उन्हीं प्रकार पहले से ही निधियाँ किये हुए उधारों जाने पर ही मरना बाम किया गया था।

इसका कोई एक प्रमाण नहीं मिलता है इसलिए मैं कोई निश्चित निर्णय नहीं दे सकता हूँ। मुसलमानों का कहना है कि यदि हिन्दुओं ने पहले गोली न चलाई होती तो कुछ भी मुसलमान न मरता। मैं इसे नहीं मान सकता। मेरा क्या कहना यह है कि हिन्दुओं ने गोलियाँ चलाई होती या न भी चलाई होती तो भी कुछ मुसलमान तो मर ही जाते। किसीने भी पहले गोली क्यों न चलाई हो, मैं यह निश्चय मानता हूँ कि हिन्दुओं ने गोली छोड़ी उसके पहले ही सरदार मालनसिंग जी का बाग भीड़ के लोगों ने उजाड़ दिया था और उनके मकान न आग लगा दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुओं ने कुछ भीड़ों पर गोलियाँ जबर चलाई थीं। उनमें कुछ मुसलमान मारे गये और कुछ ज्यादा जखमी हुए थे। मेरा क्या कहना यह है कि अपनी विजय पर इतराती हुई जब वह भीड़ चारों तरफ विस्तारने लगी तब जाने जाते उसने हिन्दुओं के घरों और दुकानों के सामने कुछ उद्यान जबर ही किये होंगे। जैसा कि मैं ऊपर कह गया हूँ हिन्दु गमना हा रहे थे और उन हरदम आफत के आने का उर लगा हुआ था। इसलिए कोई आशंका ही बात नहीं यदि वे उनके उपवासों को देकर कोप उठे हों और उनमें से किसीने गोली चला कर उन्हें मराने का वादा ही। लेकिन मुसलमानों का गुस्सा तो इससे जरूर ही बढा। क्योंकि उन्हें हिन्दुओं के तरफ से होनेवाले मुताबले का देखने का आनन्द ही न थी। यह माहय कहते हैं कि तीसरा प्रांत के मुसलमान अपने को 'जायक' (रक्षक) और हिन्दुओं को 'हमसाया' (गधत) मानते हैं। इसलिए हिन्दुओं ने जितना अधिक डक होकर मरवा-बला किया उनका ही उस भीड़ का क्रोध अधिक बढता गया।

इसलिए इस घटना के लिए कौन किनसे जिम्मेवार है इसका निर्णय करते समय मेरी दृष्टि में पहले गोला किसने चलाई इस बात का कुछ अधिक महत्त्व नहीं है। वेशतः, यदि हिन्दुओं ने आत्म-रक्षा के लिए भा उनका सामना न किया होता अथवा उन्होंने पहले गोली चलाई न होती-यदि चलाई ही तो—तो मुसलमानों का उपद्रव जल्दी ही शान्त हो गया होता। लेकिन जिनके पास हाथियार थे और जो उनका भोटाबहुत उपयोग करना भी जानते थे उन हिन्दुओं से यह आशा नहीं रखी जा सकती थी। मुसलमान गवाहों को ९ तारिन का मारे गये या जखमी हुए हिन्दुओं की संख्या के संबंध में शंका है। लेकिन मैं यह निश्चय मानता हूँ कि उस रोज मुसलमानों के हाथ बहुत से हिन्दु मारे गये थे या जखमी हुए थे। रताहत्तों का कुल-संख्या देना मुश्किल है। मुझे यहाँ इस बात के लिखने में बड़ी खुशी होती

है कि कुछ मुसलमानों ने हिन्दुओं के दाख बन कर उन्हें आश्रय दिया था।

यह तो आम तौर पर स्वीकार कर लिया गया है कि ता. १० मितंबर को मुसलमानों के क्रोध की कुछ सीमा न थी। वेणक, हिन्दुओं के हाथ से मारे गये मुसलमानों के शत्रु के समाचार बहुत बड़ा कर फैलाये गये थे और आसपास के गांवों में रहनेवाले देहाती मुसलमान दिवालों में छेद करके या दूसरे रातों से शहर में दाखिल हुए। सारे शहर में कल और लूट शुरू हो गई। सरहद की पुलिस भी इधर शामिल हुई और अधिकारी लोग जो इसे रोक सकते थे, देखते ही खड़े रहे। यदि हिन्दुओं को उनका जगहों में न रटाया जाता या छावनी में उन्हें न पहुँचा दिया जाता तो उनमें से शायद ही कोई बच सकता था। इस बात पर बड़ा भार दिया जाता है कि मुसलमानों का भा नुकसान हुआ है और देहाती मुसलमानों ने तो जब एक मरणा नटना शुरू किया कि फिर वे यह नहीं देखते कि यह हिन्दु न ही मुसलमान। जहाँ के यह बात मर है, फिर ना में जो न ही मरना कि हिन्दुओं के बराबर प्रमाण ने मुसलमानों का कुछ भी नुकसान पहुँचा हो। मैं मुझे मानपर्वक यह भी कह देना चाहिए कि खिलाफत के कुछ स्वयंसेवकों ने, जिनका कर्तव्य ऐसे समय में हिन्दुओं को अपना भाई मानकर उनकी रक्षा करना था, अपना फर्ज भदा नहीं किया। वे सिर्फ लूट ही में शामिल नहीं हुए बल्कि उभाटने के लिए की गई कोशिशों में भी शामिल थे।

लेकिन सबसे ज्यादा बुरी बात तो अभी कहना ही बाकी है। सगडे के दिनों में मन्दिरों को भी, जिसमें एक गुरुद्वारा भी शामिल था नुकसान पहुँचाया गया था और मूर्तियाँ तोड़ दी गई थीं। बहुत से जबरदस्ती धर्मान्तर किये गये थे या कहने भर को ही धर्मान्तर किये गये थे अर्थात् अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने धर्मान्तर किया था। दो हिन्दुओं को सिर्फ इसलिए बुरी तरह से कल किया गया था क्योंकि वे (एक लखनवा, दूसरा अनुमान से) मुस्लाम का स्वीकार करना नहीं चाहते थे। मैं धर्मान्तर का एक मुसलमान गवाह इस प्रकार बर्णन करता हूँ। हिन्दु मुसलमानों के पास आये और उन्होंने अपनी निम्न बातें कहे और जनेऊ तोड़ लाते क कि मैंने उन्हें कहा। जहाँ जिन मुसलमानों के पास वे जायत पाने के लिए गए उन्होंने उन्हीं को कहा कि यदि तुम अपने न मुसलमान जाहिर करा दोगे हिन्दु धर्म के चिह्न निकाल फेंक दो तो तमारा रक्षा हो सकती है। यदि हिन्दुओं के कहने पर विश्वास किया जाय तो सत्य तो, इससे भी अधिक भयकर है। इस मुसलमान मित्र को न्याय करने के लिए मुझे यहाँ यह कह देना चाहिए कि वे ऐसे धर्मान्तर के कार्य का नहीं होना स्वीकार ही नहीं करते हैं। इसके सौम्य रूप में भी यदि इसका निवारण किया जाय तो यह हिन्दु-मुसलमान दोनों का नीचा दिखानेवाला काम है। मुसलमानों ने यदि उन नामर्द हिन्दुओं को हिम्मत ही दी, और हिन्दु रहने पर भी और हिन्दु-धर्म के चिह्न पाठ रखने पर भी उनकी रक्षा की होती तो वे उनकी बरी तरीक करता। हिन्दुओं ने भी यदि, सिर्फ जिन्दा रहने के लिए बाधाचार में भी अपने धर्म का इन्कार करने के बजाय मर जाना अधिक पसंद किया होता तो अविध्य की प्रजा, सिर्फ हिन्दु ही नहीं सारा मानव जाति, उन्हें दीर और शहीद समझ कर उनका आदर करती।

मुझे अब सरकार के बारे में भी कुछ कहना चाहिए। मुझे कहना चाहिए कि स्थानिक अधिकारियों ने अपने कर्तव्य के प्रति हृदयहीन उदासीनता, अयोग्यता और कमजोरी दिखाई है।

उस अपमानकारक कविता के निकाल देने के बाद पत्रिका का जखाना भूल थी ।

श्री जीवनदाम को पकड़ना ठीक था लेकिन उन्हें ११ सारीक के पहले छोड़ देना एक भूल हुई । छोड़ देने के बाद उन्हें फिर पकड़ना एक जुर्म था ।

मिस्र को भी हुई थी और फिर ११ ना. को पकड़ने गई हिन्दुओं की इस संतापना पर कि उनके जान व माल खाने में है नरका ध्यान न देना जुर्म था ।

आखिर जब दंगा हुआ उस समय उनकी रक्षा न करना भी बड़ा जुर्म था ।

आश्रितों को वहांसे हटाने के बाद उन्हें खाना न देना और उन्हें राबलपिटी पहुंचाने के बाद उनको उन्हीं के साधनों के शरो में छोड़ देना एक अमानुष कार्य था ।

भारत सरकार ने इस मामले की, थी इसमें संबंध रखनेवाले अधिकारियों के व्यवहार की जांच करने के लिए एक निष्पक्ष कमिशन नियुक्त नहीं किया इसमें उसने अपने कर्तव्य के प्रति बड़ी लापरवाही दिखाई है ।

अब रहीं अविध्य का मान । मुझे अफसोस है कि वह अल्प अन्ध नटी दिखाई देता । यह बड़े ही दुःख की बात है कि मुस्लिम कार्यवाहक समिति ने हमारी जांच के समय अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा । जिन समाधान का तिक्र किया गया है वह समाधान दोनों के खिलाफ मुकदमें चलाने की धमकी दे कर किया गया है । यह समझ में नहीं आता कि ऐसी बलवती सरकार ऐसी मुल्ह में कैसे शांति हुई । यदि देहाती मुसलमान फिर दंगा मचावेंगे इस डर से सरकार मुकदमें चलाना नहीं चाहती थी तो उसे यह बात साफ साफ कह देनी चाहिए थी और फिर मुकदमें उठा लेने थे । और बाद की दोनों कौमों में बाइबल मुल्ह व मैत्री कराने का हमें प्रयत्न करना चाहिए था ।

यह मुल्ह के मूल में ही दोष है । क्योंकि इसमें ज्ञाना हुआ और नरप्राय माल वापस दिलाने का कोई यकीन नहीं दिलाया गया है । और वह इसलिए भी बुरी है, क्योंकि श्री जीवनदाम पर, जो इसके व्यर्थ ही निकार हो रहे हैं अब भी मुकदमा चलाया जानेवाला है ।

इसलिए यदि सचमुच दिलों की सफाई करना है और सभी मुल्ह करना है तो यह आवश्यक है कि मुसलमान हिन्दू-आश्रितों को निमंत्रण दें और उन्हें उनकी हिकाजत के लिए यकीन दिलावें और उनके मन्दिर और गुद्वाराओं को फिर से बनाने में मदद करने का यत्न दें ।

लेकिन सबसे महत्व की जमानत तो उन्हें इस बात की देनी होगी कि जबदस्ती किसीका भी धर्मान्तर नहीं किया जावेगा और दोनों कौमों में धर्मान्तरों को कबूल भी न रखेगी । यिर्क बड़ी धर्मान्तर कबूल रक्खा जायगा जिसके लक्ष्मी दोनों कौमों के अगुआ रहेगे और जिसका धर्मान्तर हो रहा हो वह यह समझता हो कि वह क्या कर रहा है । मैं स्वयं तो यहाँ पसंद करूँगा कि धर्मान्तर और मुक्ति सब बन्द कर दिये जाय । किसी भी व्यक्ति के धर्म का संबंध स्वयं उसीके साथ होता है । धारिण उम्र के श्री या पुरुष जब या जितनी दया चाहें अपना धर्म बदल सकते हैं । यदि वेग बस चकता तो मैं निश्चय इसके कि मनुष्य अपने चरित्र से दूसरे पर असर डाले, और सब प्रकार के प्रचार कार्य बन्द कर देता । धर्मान्तर

का संबंध हृदय और विवेकशक्ति के साथ है, और चरित्र ही से उत्तर असर डाला जा सकता है । सीमा प्रान्त पर किसी सबे धर्मान्तर के होने का ख्याल भी मैं नहीं कर सकता हूँ । हिन्दू लोग वहाँ निको व्यापार की गरज से रहते हैं, मंध्या में बहुत ही अल्प हैं और हथियार चलाने की बेसी शिक्षा भी उन्हें प्राप्त नहीं है, फिर भी वे ऐसे बहुसंख्यक लोगों के साथ रहते हैं जो शारीरिक शक्ति में और हथियार चलाने में उनसे कहीं बढ़ कर हैं । ऐसी परिस्थिति में दुर्बल हृदय के मनुष्य को सांसारिक लाभ के लिए भी हजाम की अंगीकार करने का मोह अनिर्वास्य होता है ।

ऐसी जमानत उनकी तरफ से मिले या न मिले, हृदय का सच्चा परिवर्तन नभव हो या न हो, मुझे तो जो रास्ता देना चाहिए वह स्पष्ट ही दिखाई देता है । जबतक यह परदेसी सत्ता कायम रहेगी उनके साथ कहीं न कहीं संबंध रखना भी अनिर्वास्य होगा । लेकिन जहाँ मुमकिन हो वहाँ हमें सब प्रकार का ऐच्छिक संबंध ब्याग कर देना चाहिए वही एक रास्ता है जिससे कि हम लोग स्वतंत्रता का स्विच कर सकते हैं और उसका विकास कर सकते हैं । जब मुझे बहुत बड़ी संख्या में लोग स्वतंत्रता का अनुभव करने लगे, तब स्वराज के लिए तैयार हो जायेंगे । स्वशासन की परिभाषा के अनुसार ही मैं इसे मवालों का जवाब दे सकूँगा । इमाला में अविध्य के राष्ट्रीय काम की तैयारी पर व्यक्तिगत कामों का बहिष्कार देना चाहता हूँ । यदि मुसलमान हिन्दुओं के पालन विधवा से जाने के लिए इन्कार करे और कोहाट के हिन्दुओं का सब कुछ खो कर मुकदमान उठाना पड़े तो मैं तो यही कहूँगा कि जबतक उनमें और मुसलमानों में पूरी पूरी गुल्ले न हो जायें और जबतक वे यह महसूस न करें कि वे उनके साथ अतिशय सरकार की बन्दूकों की मदद के बिना ही शांति के साथ रह सकेंगे तबतक, उन्हें कोहाट वापस भौटने का विचार भी न करना चाहिए । लेकिन मैं यह जानता हूँ कि यह तो आदर्श की बात हुई और इसलिए यह नभव नहीं कि वे उसके अनुसार चल सकें । फिर भी मैं दूसरी भलाह नहीं कर सकता । मैं तो निरर्थक ही एक व्यावहारिक सलाह दे सकता हूँ । यदि वे हमका कदर नहीं कर सकने तो उन्हें अपने ही ख्याल के अनुसार काम करना चाहिए । वे ही अपनी शक्ति का अच्छी तरह नाप निकाल सकेंगे । वे देशभक्त या देशसेवक की हैसियत से तो कोहाट गये न थे और न वे अब देशसेवक की हैसियत से वहाँ वापस लौटना चाहते हैं । वे तो अपने माल का फिर कब्जा लेने के लिए ही वहाँ जाना चाहते हैं । इसलिए वे बड़ी काम करें जो उन्हें लाभदायी और कारभानद मात्स हो । उन्हें निरर्थक दो बाने एक साथ नहीं करना चाहिए, अर्थात् मेरी सलाह पर उभल करना और साथ ही साथ सरकार से मुल्ह की शर्तों के लिए लिखापत्री भी करना । मैं जानता हूँ कि वे अयहयोगी नहीं हैं । उन्होंने अतिशयों की मदद पर हमें बुरा भरोसा रक्खा है । मैं तो उन्हें परिणाम पर ध्यान देने की कहता हूँ और अपना रास्ता पसंद करने का भार उन्हीं पर छोड़ देता हूँ ।

मुसलमानों के लिए भी मेरी सलाह तो वैसी ही सरल है ।

जबरदस्ती किये गये या ऐसे ही नाम मात्र के धर्मान्तर होने से हिन्दुओं को उन्मत्त हो और कुछ व्यक्तियों अपनी कौमों की विवाहित स्त्रियों को तारक लाने का प्रयत्न करें तो इसमें मुसलमानों के नाराज होने की कोई बात नहीं है ।



मैं यह जानता हूँ कि सरदार माखनसिंग का पुत्र अदालत से जी-हरण के दोष से निर्दोष होकर छूट गया, फिर भी बहुत से मुसलमान उसे निर्दोष नहीं मानते हैं। लेकिन यदि यह मान भी लें कि उसने यह कुसूर किया था तो भी उसके, एक के दोष के कारण सारी आत्मा पर उसका ऐसा भयंकर बैर लेना उचित नहीं है।

उस पत्रिका को, जिसमें यह अपमान करनेवाली कविता छपी थी भंगाना और गमन कर कोहाट जमा जगह से उन्नी भंगाना हरअसक सुरा था। परन्तु सनातन धर्म सभा ने तहरीरी माफी माँग कर उसका प्रायश्चित्त कर लिया था। लेकिन मुसलमानों को उससे संतोष न हुआ और उन्होंने उस पत्रिका को श्रीकृष्ण की तस्वीर के साथ ही, जला देने पर सभा को मजबूर किया। उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने किया वह सब आश्चर्यकता से बहुत ही अधिक था। मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि पहले गोलों किसने चलाई थी। लेकिन यदि यह मान भी लें कि हिन्दुओं ने ही पहले गोलो चलाई थी तो उन्होंने दर कर, गभडा कर आत्म-रक्षा के निमित्त ही गोली चलाई थी। इसलिए यदि इसे उचित नहीं कह सकते तो यह क्षम्य तो अवश्य ही था। इसलिए जितनी भी उपादितियाँ की गईं थी सब अनुचित और अनावश्यक थी। इस हासन में मुसलमानों का स्पष्ट कर्तव्य है कि वे जिम कदर बन पड़े हिन्दुओं को इस मुकमान की भरपाई कर दें। इसकी कोई बजह नहीं दिखाई देती कि वे हिन्दुओं के खिलाफ सरकार की मदद और हिकाजत पर भरोसा रख कर लें। यदि हिन्दु चाहें तो भी उन्हें कुछ मुकमान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यहाँ फिर मेरी बात निर्मूलक हो जाती है। मुझे अबतक कोहाट के उन मुसलमानों से परिचय करने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है जो मुसलमान जनता के सलाहकार हैं। इसलिए इस बात को तो वे ही अच्छी तरह जान सकेंगे कि मुसलमानों के लिए और हिन्दुस्तान के लिए लाभदायी क्या होगा।

यदि दोनों पक्ष सरकार की दरम्यानी चाहते हैं तो मेरी नेवा बिल्कुल ही बेकार होगा क्योंकि मुझे ऐसा दरम्यानी की आवश्यकता में विश्वास ही नहीं है। और सरकार के साथ समाजवादी के लिए जो बानबीत की जायगी जगमें मैं किसी प्रकार में भी भाग न ले सकूंगा। यह सत्य है कि मुसलमानों में अच्छा व्यवहार पाने और माँगने का हिन्दुओं को हक है। लेकिन दोनों कौमों को मिश्रकर सरकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि एक कौम को दूसरी के खिलाफ कर देना ही उनकी नीति है। सीमाप्रान्त की हुकुमन खुद सुखमार है। अधिकारी की इच्छा ही वहाँ कानून है। उदा हासन में दोनों कौमों को हाथ से हाथ मिलाकर राजकाज में प्रति-निधित्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और उसमें जम्बिमान लेना चाहिए। लेकिन अबतक दोनों कौम एक दूसरे का विश्वास न करे और ऐसा प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की आकांक्षा कौम में व्याप्त न हो जाय तबतक बेह होना संभव नहीं।

मौ० क० गांधी

**आश्रम मजदूरवालों**

कौमों का हकित उपर तैयार हो गई है। एच संख्या ३६८ होसे हुए भी सीमित सिर्फ ०-३-० रफकी गई है। बाकसबे शरीदार को देना होगा। ०-२-० के टिकट भेजने पर पुस्तक मुकबोस्ट में कौरम रवाना कर दो जायगी। को. पी. का निबन्ध नहीं है।

व्यवस्थापक

हिन्दी-मजदूरजीवन

**मौलाना शौकतअली का वक्तव्य**

कोहाट के कमनलीव मामले के बारे में जब मैंने पहले पहल सुना तबसे, देहली में ऐक्य परिषद हुई और महात्माजी ने २१ रोज का उपवास किया उस दरम्यान और राबलपिंडी में हिन्दु मुसलमान, दोनों के साथ जो अखिर दिन बिताया, तबतक इस मामले पर मैं बराबर दिल में गौर करता चला आया हू। इस हासन में जितनी भी जांच मुझसे बन पड़ी मैंने की है और उसपर से मैंने कुछ अपनी राय भी कायम की है। यद्यपि मेरी राय सामान्य तौरपर महात्माजी की राय से भिन्ना जुलती है फिर भी कुछ अर्थों में वह उनको राय के गिल्दाफ है, और क्योंकि कुछ बातों पर मैंने बड़ा जोर दिया है, यही बेहतर है कि मैं अपनी रिपोर्ट अलग पंथ करू। यह दिग्गम के लिए कि मैंने अपनी यह राय कैसे कायम की है छोटी छोटी बातों के त्रिक करने की और लंबा चौड़ा ध्यान पंथ करने की कोई जरूरत नहीं दिखाई देती है।

(१) यह तो सब कोई जानता है कि जहाँ कहीं हिन्दु मुसलमान आपस में लड़े हैं या लड़ रहे हैं वहाँ जाने के लिए मैंने हमेशा इन्कार किया है। मेरी गय में ऐसा जगहों में रहनेवाले हिन्दु-मुसलमानों ने बाह्य के हिन्दु-मुसलमान, जो आपस में भातु भार के साथ अमन स रहना चाहते हैं उनकी मदद और सहयोग प्राप्त करने का सारा हक गुमा दिया है। हरएक पक्ष इतफाक करना तो नहीं चाहता लेकिन अपने मसदगारों को ही कृपता फिरता है। दंगे करानेवाले दोनों पक्ष के गुणत दूसरों को भी अपना सा बनान चाहते हैं।

एक बटना के हो जाने पर फिर उसकी किनारों भी जांच क्यों न की जाय उसका नतीजा कुछ भी नहीं होता। बड़ी होशियारी के साथ वे अपना मामला पेश करने हैं और हमारी देखल कुछ काम नहीं आती। प्रत्येक दल अपने विपक्षियों का ही दोष निकालता है और उसके खिलाफ यदि एन्साफ किया जाय तो वह उसे कुबूल नहीं करता। बहुत से मामलों में तो दोनों पक्षों का ही दोष होता है। अब किधका कितना और कैसा दोष है यह दिग्गम यद्यपि मुश्किल है—करीब करीब अमभव है—फिर भी यदि ऐसा प्रयत्न किया जाय तो उससे कुछ फायदा नहीं होता। सब पृछों तो इससे गडे मुबदे फिर उखाडे जाते हैं और अखबार और ध्यातवानों के जर्जे वे फिर बार बार लडा करते हैं।

यह कोहाट के मामले ने—सिफे हसीमे मैंने भाग लिया है—मुझे यह स्पष्ट तौर से साबित कर दिखाया है कि मेरा यह हयाक सही था। शुरूआत में निष्पक्ष हिन्दु और मुसलमान मित्री के जर्जे मैंने जो कुछ सुना था उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अखबारवालों के एक विभाग ने इस मामले को जितना एकतरफा बना दिया है उतना एकतरफा यह नहीं है। कोहाट में उस समय जो खोग मौजूद थे उनसे अधिक परिचय होने के बाद और उसके मुताबिक अधिक बातें जानने के बाद मेरी यह राय और भी पुख्ता (हक) हो गई है। मैं दूसरी जगहों के बारे में कुछ नहीं कह सकता लेकिन कोहाट में तो यदि मुसलमान बहुत ही बातों के लिए जिम्मेवार हैं तो हिन्दुओं को भा ता बहुत ही बातों के लिए जबाब देना होगा। नीचे लिखी बातों पर ध्यान देना जरूरी है।

(अ) पंजाब और संयुक्त प्रान्त में कौम कौम के बीच जो द्वेष और कटुता फैली हुई है उसका कोहाट पर भी असर पडा जो

और वहाँ रहनेवाले हिन्दू-मुसलमानों का आपस में पहले जसा अच्छा रिश्ता न रहा था। सब बातों को सुनने पर यह बात तो सब स्थापित होती है कि वहाँ भी हिन्दू-मुसलमान दोनों अत्यन्त ही कर-आपस में गालीगलाम कर रहे थे।

(ब) सोमा प्रान्त के जाहिल और कम शिक्षा पाये हुए खानों को अपनी इज्जत और मरनम का बड़ा ख्याल रहता है। और वे अपनी भ्रष्टता और गलतियों के कारण बरबाद हो गये हैं फिर भी ऊपर ऊपर वे बड़ा ठाठ दिखाते हैं। हिन्दुओं का जब वहाँ उनकी मितव्ययिता और व्यापार-कुशलता के कारण खासा बजन पड़ता है। उन्होंने ठीकठीक घन इकट्ठा कर लिया है और कमी कमी वे अपना श्रीमन्नाई की अकड़ भी दिखाने दे। दोनों बंधों का यह पुराना रिश्ता अब बदल रहा था और अधिकारीगण यद्यपि हिन्दुओं का ताकान बढाने देना नहीं चाहते थे फिर भी मुसलमानों को कमखोर बनाने के लिए वे इस स्थिति का लाभ उठा रहे थे। उस प्रान्त में सरकार को मुसलमानों ने ही खतरा था हिन्दुओं से नहीं। कोहाट में अकेले मुसलमानों ने ही तर्क-मबाहल (असहयोग) शुरू किया था और उन्हींको इसके लिए सहज भी करना पड़ा था। इसलिए, इस प्रान्त के लिए तो सरकार के अधिकारी लोग ही अधिक खतरनाक हैं और हिन्दू-मुसलमानों को इनसे अपनी रक्षा करनी चाहिए।

(क) जब इस प्रकार दोनों बंधों में एक दूसरे के प्रति द्वेष फैला हुआ था उस समय यह पत्रिका कोहाट में आयी जिसकी कि एक कर्मिता में काबा और फाक पैगम्बर की बेइज्जती की गई थी। यह पत्रिका कोहाट सनातन धर्मसभा के मंत्री, जीवनदास के लिए खाल छापी गई थी। यह कहना न होगा कि कोहाट के मुसलमान तो क्या, किसी भी जगह के मुसलमानों पर उसका कैसा खतरनाक असर हो सकता है। हम संवेध में मुझे एक बात याद आती है। "इन्डियन टेली न्यूस" के एक लेख पर कलकत्ता के और सारे हिन्दुस्तान के मुसलमान गुस्से से जल उठे थे। वह उसके पेरिस के एक संवाददाता का पत्र था। उसमें उसने लिखा था "अफ्रीका के अरब जिन्हें लड़ाई के बहुत गटर साफ करने का काम सौंपा गया था वे भेजे की उतने ही प्यार और इज्जत की नजर से देखते थे जिन्हीं कि इज्जत के साथ वे अपने पैगम्बर की कद्र को देखते हैं"। इसपर मुसलमानों ने आग बबूला हो कर सारे हिन्दुस्तान का विरोध जाहिर करने के लिए कलकत्ते में एक सभा थी। सरकार ने यह सभा रोक दी और जलूस बना कर आनेवाले मुसलमानों पर गोलियाँ चलाई, जिससे बहुत ने मुसलमान मारे गये और बहुत से जखमी हुए। उससमय मुसलमानों के दिलों में क्या हों रहा था उसका मैं खुद अन्दाजा लगा सकता हूँ। ऐसे केस डिपॉज नहीं छिपने। इसलिए इसमें मैं मौलवी अहमद गुल का दोष नहीं निकाल सकता।

(ख) हिन्दुओं का पक्ष पूरा है और उन्होंने बड़ी जोशियाँ से उसे तैयार किया है। कोहाट में बहुत से अच्छे लोग पाये हिन्दु हैं, उनमें कुछ बेरीस्टर और वकील भी हैं। इनके अलावा हिन्दु जाति के दूसरे भी समर्थ और प्रसिद्ध हिन्दुओं को उन्हें मदद मिलती है। लेकिन मुसलमानों का पक्ष हमें पूरा नहीं मालूम हुआ है। वे दो हिस्सों में बँटे हुए हैं। पहले वे दोनों असहयोगी थे लेकिन अब वे अलग अलग एक दूसरे के विरोधी हो गये हैं। इसका एक होना संभव नहीं था और उन्हें बाहर के मुसलमानों की भी सहाय और मदद नहीं मिली थी। मेरे बुलाने पर वे

लोग आये इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। दूसरे सरकारी मण्डल की तरह त्रिसं मुसलमानों की प्रतिनिधि कार्यवाहक समिति कहते हैं—वे भी इन्कार कर सकते थे। लेकिन वे आये और उन्होंने अपनी गवाही दी। सैयद पीर जेलानी और मौलवी अहमद गुल की गवाही में वास्तविक फाँके कुछ ज्यादा न था। उन दोनों ने हम बात का इन्कार किया कि ता. ९ सितंबर को हिन्दुओं के खिलाफ जेहाद शुरू करने की या सामान्य तौर पर उनपर हमला करने की कोई तैयारी की गई थी। भी जीवनदास को बकायक छीट देने पर—जिसका किसी को भी ख्याल न था—मुसलमानों ने ता. ८ की रात को डिप्टी कमिश्नर के पास जाने का निश्चय किया। डिप्टी कमिश्नर की हीसुची नीति पर उन्हें निश्चय ही बड़ा काँप हुआ था। वे मुसलमानों से एक बात करने थे तो हिन्दुओं से दूसरी ही बात कहने थे।

(ग) हिन्दुओं का मैगड पीर कमाल जेलानी से कोई शिकायत न थी। वे खिलाफत समिति के मंत्री मौलवी अहमद गुल का दोष निकालने थे। दोनों तरफ के ध्यान से यह स्थापित होता है कि २५ अगस्त १९२४ तक उनका व्यवहार अच्छा था। उस पत्रिका का मामला हो जाने के बाद वे अपने को संभाल न सके, और सरकार तरफ चले गये। मौजूदा बिगनी हुई हालत में जानिगत द्वेष के कारण बहुत से पुराने और कसे हुए हिन्दू-मुसलमान कार्यकर्ता भी तां पंजाब और दूसरे प्रान्तों में अपने को संभाल नहीं सके हैं। मौलाना अहमद गुल भी सामान्य मुस्लिम जनता की सार्वजनिक राय के सामने टिक न सके। वे इतक गये और हिन्दू-मुसलमान इत्फाक में उन्हें कुछ भी नकीम न रहा। यदि वे चाहते तो वे भी दूसरों की हिन्दुस्तान नेता हम झगड़े को रोक सकता था लेकिन उस समय ऐसा शकस कोई भी न मिला। दिवान अनन्तराम ने हम लोगों से कहा कि वे बड़े बीमार थे और इसलिए कुछ काम न आ सके करना यह कमनसेंस घटना होने ही न पाती। हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों का जो मुझे ज्ञान है उसपर मैं भी मौलवी अहमद गुल जैसी स्थिति के आदर्शों में कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकता था। फिर भी यदि वे जनता को अपने हाथ में नहीं रख सकते थे तो उन्हें स्वयं अलग रहना चाहिए था, अधिकारियों के पक्ष में न जाना चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही उनके बारे में हिन्दुओं ने जो कुछ भी कहा है उन सबका मैं स्वीकार भी नहीं कर सकता हूँ।

हमें हमारे ही ख्याल के मुताबिक कोहाट के मामले पर विचार नहीं करना चाहिए। यह अन्वय्य होगा। वहाँ की हालत वैसी नहीं जैसी कि हमारी है। खाली मार्फा मार्ग केने पर हम लोगों को संतोष हो सकता था, फिर पुस्तके जलाने की कोई जबाबदारी न थी। लेकिन कोहाट के मुसलमानों को उनकी तहरीरी भाषी से और पत्रिका के खलाने से भी संतोष न हुआ। कोहाट में दोनों बंधों में सभी मुलह करानेवाला एक एक भी आवनी होता तो सब बात मित्रभाव से खान्ति के साथ तय हो जाती। पेशावर के खिलाफत के छिट-मण्डल में, जिसके श्री. हाजी जानमहम्मद, जमीरबंद बन्नाल, मेहद लाल बादशाह और अही गुल सदस्य थे, मुलह कराने के लिए भरसक कोशिश की लेकिन बलीजा कुछ की न हुआ।

मैं हिन्दुओं की इस कल्पना पर विश्वास नहीं रखता कि ९ सितंबर का दिव जेहाद के लिए शुरू किया गया था और उसके

लिए पहले ही से नियंत्रण भेजे गये थे। सीमा प्रान्त के देहाती पट्टन लखना ज्ञानसे हैं लेकिन वे स्वयं ही अपनी जान बचाने के लिए उत्सुक नहीं रहते। यदि दरअसल वे हिन्दुओं को बल करना चाहते थे तो दिन का प्रकाश उनके अनुकूल न था और उनके विरोधियों को सुकरंर तारीख भी मासूम नहीं हो सकती था। उस समय उन्होंने यकायक हमला करने का ही प्रबन्ध किया होता। अलावा इसके ९ सितंबर अर्थात् पहले दिन की लड़ाई दोनों तरफ से करीब करीब बराबर रही थी। दोनों तरफ के जवान ने यही मासूम होता है कि यदि ज्यादा नहीं तो जितने हिन्दू मारे गये या जख्मी हुए उतने ही मुसलमान भी मारे गये और जख्मी हुए थे। मैं मुसलमानों को इस कल्पना पर भी, जो खैरती में मेरे सामने रखी गई थी, विश्वास नहीं रखता कि हिन्दू मुसलमानों को सबक सीकाने के लिए उनपर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। यह कहा जाता था कि इधियांगे से सजकर और भाड में रह कर यदि वे लड़ेंगे तो एकही अकस्मात किए गए हमले से यह दिखा देंगे कि वे मुसलमानों से शक्ति में कहीं अधिक हैं। पर आगे जब पुलिस और फौज आ जायगी मामले का निपटारा करने के लिए उसे कानून की व्यवस्था पर छोड़ दिया जायेगा। कोहाट के मुसलमानों ने तो यह स्पष्ट कह दिया है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है।

मेरी राय ने ९ तारीख को जो लड़ाई हुई और गोली बली वह अकस्मात ही हुई थी। इसके लिए पहले से तैयारी नहीं की गई थी। ता. ८ सितंबर को बीबनदास को अचानक छोड़ देने पर हिन्दुओं के उस गमसिंजाम लोगों के वर्ग को बड़ी खुशी हुई होगी और उन्होंने अपनी मुस्लिमों पर विजय जताने के लिए कुछे तौरपर यह खुशी जाहिर का होगी। लेकिन दूसरे ही दिन सुबह जब डिप्टी कमिश्नर ने मुसलमानों का घरगरीमी देखा उन्हें बीबनदास की छोड़ देने में जो भूल हुई थी वह मासूम हुई और बीबनदास और दूसरे सनातन धर्म तथा के सदस्यों को पकड़ने के लिए उन्होंने हुकूम जारी किया। तब मुसलमानों का अपने विजय पर खुशी जाहिर करने की बारी आई और इसपर लड़ाई छिड़ गई।

(ब) पहले किसने गोली चलाई? मुसलमान कहते हैं कि बाजार में सरदार माकनसिंग के मकान के पास एक मुसलमान लकड़ा और एक दूसरा आदमी मरा पाया गया था। हिन्दू कहते हैं कि पहले 'पराबाओ' ने तीन 'फेर' किये थे जिससे एक हिन्दू औरत मर गई और एक दूसरा घबरा जख्मी हुआ। वे इसके आगे यह भी कहते हैं कि ये तीन 'फेर' पहले से ही निश्चित किया हुआ हमला करने के लिए मुसलमानों को द्यारा था। मैं इस आखिरी बात को नहीं मानता क्योंकि यह हिन्दुओं की एक कल्पना मात्र है और उमका एक भी प्रमाण मुझे नहीं मिला है।

८ सितंबर की रात को मुसलमानों ने एक बड़ी भद्र गुस्से में बरी हुई मभा में यह नियंत्रण किया था कि वे दूसरे दिन सुबह कमिश्नर के पास अपनी मांग पेश करने के लिए जायेंगे। लेकिन यदि डिप्टी कमिश्नर ने उनके खिलाफ फैसला किया तो फिर वे यह भी देख लेंगे कि वे इस बारे में दमग क्या कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने उनकी मांग को पूरा स्वीकार कर लिया था। सिर्फ बीबनदास ही नहीं बल्कि दूसरे सनातनधर्म समा के सदस्य भी गिरफ्तार किये गये थे। बीड ने जो मांग था वह उसे मिल गया और इसलिए वह बड़ी खुश हो रही थी। उनके खयाल से उनके धर्म के मान और श्रद्धा की रक्षा हो गई थी।

इसलिए अब उन्हें हिन्दुओं के कत्ल करने से कोई मतलब न था। मेरा तो यही एक विश्वास है कि ९ तारीख का गोली चलना, मकान जलाना इत्यादि सब काम इत्तफाक से ही हुआ था। वहाँ दाक तो डेर की डेर लगी हुई थी। उसमें इत्तफाकन बर्ती लगी गई और एकदम आग भडक उठी। न मुसलमानों का न हिन्दुओं का ही ऐसा कुछ श्रावा था। और मुसलमानों की तो-कत्ली जीत हुई थी इसलिए स्वाभाविक तौरपर यह इच्छा हो ही नहीं सकती थी।

(ब) हिन्दू और मुसलमान दोनों से यह सुन कर मुझे बड़ी खुशी होती है कि वे इस प्रश्न को फिर उठाना नहीं चाहते क्यों कि इससे कुछ भी लाभ न होगा। हमसे दोनों दलों के लोगों ने यह बार बार कहा है और मेरा खयाल है कि किसीपर दोष लगाये बिना बाइबल और मित्रतायुक्त मुल्ह अब भी हो सकता है। मुसलमान कहते हैं कि ता. १० सितंबर को वे यह हरगिज नहीं चाहते थे कि हिन्दू कोहाट छोड़ कर चले जायें और न उन्होंने उन्हें कोहाट छोड़ने के लिए मजबूर ही किया था। पुलिस, सरहद की पुलिस और तमाम ब्रिटिश अधिकारी वहाँ मौजूद थे और ता. १० की लड़ और लड़ाई के लिए वे ही जिम्मेवार थे। यदि वे चाहते सब बन्द करा सकते थे लेकिन वे इसे बन्द करना नहीं चाहते थे। सीमा प्रान्त पर हिन्दू-मुसलमानों की यह लड़ाई उनके लिए ईश्वर प्रेरित लड़ाई थी, ताकि उससे सीमाप्रान्त के मुसलमान और पंजाब के और सारे हिन्दुस्तान के हिन्दुओं में वैमनस्य अधिक बढ़ जाय और वे दुनिया में यह ऐलान कर सकें कि हिन्दू और मुसलमान अब खुले तौर पर लड़ रहे हैं और मुल्ह शान्ति की रक्षा के लिए तो ब्रिटिश सरकार के मजबूत हाथों की ही मदद होगी।

(घ) मुसलमानों का यह शिकायत है कि प्रभावशाली हिन्दू नेताओं की मदद से हिन्दुओं ने ब्रिटिश सरकार को उनके साथ कुछ खास नियायतें करने के लिए मजबूर किया है। भविष्य में अब पुलिस में आधे हिन्दू रहेंगे। मुसलमान ली या पुरुष हिन्दुओं के सहोक्ति में हो कर न जा सकेंगे। कृयाबन्दी का जायगी। अधिकारियों में एक तिहाई हिन्दू अधिकारी रहेंगे। ऐसी ही कुछ और नियायतें उन्हें मिली हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुओं की मदद से सरकार ९७ फी सैकड़ा मुसलमानों की बस्ती की आजादी छीन लेना चाहता है। सयद पार कमाल जेलानी और दूसरे तीन शख्सों के पास से सरकार ने ८०,००० के मुचलके मांगे हैं और यह केवल इसलिए कि पार सादर और उनके दोस्त कोहाट की मुस्लिम कार्यवाहक समिति का मुसलमानों की प्रतिनिधि समिति नहीं मानते। सीमा प्रान्त के मुसलमानों की हालत गुलामों से कुछ ही ज्यादा अच्छी होगी। और हिन्दुस्तान के दूसरे विभागों के समान अधिकार प्राप्त करने में उन्हें राष्ट्रीय हिन्दुस्तान का मदद सरकार है। उनके प्रतिनिधित्ववाला और चुनाव में पसद किये गये सदस्यों की संख्यायें जंगे धारासभा, म्यूनििसिपलिटि, जिला बोर्ड और क्विनवर्गामिट इत्यादि सब कुछ चाहिए। उनकी शिक्षा के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं किया जाता है और उनकी जहालत तो दिख रहवानेवाली है। कोहाट में, पेशावर में और तमाम सीमा प्रान्त की म्यूनििसिपलिटि में सरकार-नियुक्त सदस्य होते हैं और ९७ फी सैकड़ा मुसलमानों की बस्ती को उतना ही प्रतानिवित्व मिलता है जितना कि ३ प्रति सैकड़ा हिन्दुओं को मिलता है अर्थात् सरकार की तरफ से ५० फी सैकड़ा प्रत्येक कौम के सदस्य चुने जाते हैं।

(क) मेरी राय में बाइबलत सुलह करना मुमकिन है और दोनों कीमें यह चाहती भी है। तमाम देश को इन बहादुर लोगों को स्वतन्त्र करने के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए और जहालान से और जगला तारपर काम करने के तरीको से जो उन्हें और सारे देश को मुक्तान करनेवाला है उनको रक्षा करने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। हिन्दुस्तान के मुसलमानों का इस बातपर ध्यान न देना दरअसल एक जुर्म है।

दुर्गे के दिनों में इन लोगों का कहने भर को ही धर्मान्तर हुआ है उनके संबंध में मेरी स्थिति स्पष्ट है। जबदस्ती धर्मान्तर करने के काम की भी नफरत की निगाह से देखना है। यह इस्लाम के तत्व के खिलाफ है। यदि ऐसे धर्मान्तर हुए हों तो उनकी सब तरह से निन्दा होनी चाहिए। लेकिन ऐसे धर्मान्तर होने के संतोष-कारक प्रमाण मुझे नहीं मिले हैं। माशूम जीना है यह हुआ होगा कि कुछ हिन्दू अपनी जान बचाने के लिए अपने मुसलमान मित्रों के पास गये और उन्हें अपनी चोटों काट डालने को और दूसरे हिन्दू धर्म के बाध बिना निकाल डालने को कहा होगा। मुसलमान गवाहों ने सही तौर पर उनका धर्मान्तर होना स्वीकार नहीं किया है। बहुत से मुसलमानों ने अपने हिन्दू पड़ोसी को बचाने के लिए शहमूठ भीड़ के लोगों से यह भी कह दिया था कि वे मुसलमान हो गये हैं।

ऐसे धर्मान्तरों को सीमा प्रान्त में भी धर्मान्तर नहीं माना गया है और वे वास्तविक धर्मान्तर हैं भी नहीं। मयूर पार कयाल जेकाबी और मौलाना अहमद मुल दोनों ने यह कहा था कि धर्मान्तर करने की सबसे इच्छा होने पर भी जबतक अमल के दिनों में और किसी प्रकार का खतरा न हो उस समय फिर वह दुहराई न जाय तबतक उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता।

बेगुनाह और बिना हथियार वाले दो शहस कत्ल कर दिये गये थे। पीर साहब को टसवी जो मयूर मिली उसपर से यह मालूम होता है कि वे इस्लाम कुचल नहीं करते थे इसलिए उन्हें कत्ल किया गया था। यह बड़े ही दुःख की वान थी और इस काम के करनेवालों की जितनी भी निन्दा की जाय थोड़ी है। विवाहित स्त्रियाँ और दूसरे के धर्मान्तर के सामान्य प्रश्न के संबंध में अधिकारी मुस्लिम उद्देमा और दूसरे नेताओं से ही निर्णय करा लेना चाहिए। मुझे इसमें अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका तो सब लोग स्वीकार करते हैं कि इस उमे के दिनों में विवाहित या दूसरी कर्म भी खोने जान कर या जबदस्ती से इस्लाम को अंगीकार नहीं किया है। कोंहाट के मुसलमानों से, जिनकी संख्या बहुत बड़ा है, मेरी अपेक्षा है कि वे अपने हिन्दू भाइयों से मेल कर लें। मैं हिन्दू भाइयों से मा यही अपेक्षा करूँगा कि वे भी अपने मुसलमान पड़ोसियों का साथ दें और उन्हें यह दिखा दें कि वे उन्हें अपने साथ मेल और पड़ोसी मानते हैं।

जब कि मैं पहले कह गया है यह अक्षतरफा मामला न था। मैं हिन्दू और मुसलमान दोनों का कुमुर निकालता हू। फिर भी मुसलमान होने के कारण वे मुसलमानों का ही अधिक दाय निगाहना। वे संख्या में और ताकत में भी हिन्दुओं से अधिक है। उन्हें कितने ही क्यों न चिन्तित गये हों उन्हें तो सत्र रखना चाहिए था और सब बरदास्त करकेना चाहिए था। मुझे अफसोस है कि उन्होंने इस कामबला लड़ाई के जोश में नफरत पैदा नहीं किया।

आखिर मुझे यह कहना चाहिए कि इस मामले में महात्माजी और मेरे जैसे निष्पक्ष शक्तों के फैसले में भी जब इतना फर्क पड़ता है तो फिर दूसरे लोग इससे अधिक क्या कर सकेंगे। इसलिए हमें तो कार्रवाई बनने में बजाय बिक सुलह के निपाही बनना चाहिए।

शौकतअली

**महासभा के नये सदस्य**

अबतक मिले अंकों का ब्योरा

	अ	ब	कुल
१ गुजरात	२०९५	१११	२१९६
२ संयुक्त प्रान्त	१५७	३५७	१३६६*
३ बंगाल	३५४	१६७	१२१६
४ बिहार	६१५	२५५	१५७०
५ तामिलनाड	४७२	४६४	१३६६
६ आंध्र	५००	२२०	७२०
७ पंजाब	तफसील नहीं		६३३*
८ करनाटक	२८३	२७१	५५४
९ मध्यप्रान्त (हिन्दी)	तफसील नहीं		५००*
१० महाराष्ट्र	२३०	२३८	४६८
११ बंबई	२३१	१३३	३६४
१२ सिंध	७०	२०१	२७६
१३ उहली	८३	६२	१४५
१४ आसाम	११३	१	११४
१५ उत्कल	७३	३३	१०६
१६ मध्यप्रान्त (मराठी)	२५	२१	४६
१७ बर्मा	२६	३	२९
१८ अजमेर	३	१५	१८
१९ पंजाब	तफसील नहीं		१३
	५३१८	३११७	१०४३५

\* इनमें वे सदस्य भी शामिल हैं जिनके नाम की सूचना नहीं मिली है।

२१ मार्च के 'हिन्दू' में आंध्र और तामिलनाड के क्रमशः १२०० और १००० अंक लिखे पाये गये हैं। लेकिन अबतक हमें इनका खबर नहीं मिली है इसलिए वे यहाँ नहीं दिये गये हैं। सब प्रान्तों में प्रार्थना की जाती है वे बराबर अपनी रिपोर्ट भेजते रहें।

**भ्रमा-याचना**

कोंहाट सबर्वा गांधीजी और मौलाना शौकतअली के बयान कुछ टेर से मिले इसलिए अनुवाद कर उन्हें छापने में इस अंक का एक दिन का खिलेब हुआ है। जाया है पाठक इसके लिए हमें क्षमा करेंगे।

—उपसंजी

**हिन्दी-नवजीवन की**

पुरानी काहूके (हिन्दू संधी डूरे) में किब लफ्फा है। स्पये मन्नीभाबर से भेजिए। को, पी, का नियम नहीं है। बालकरी लफ्फा किया जायेगा।

व्यवस्थापक  
हिन्दी-नवजीवन





पर आक्रम होगा कि आज इसके सिवा स्वराज के लिए दूसरा कोई कार्य नहीं है। इसने ही कार्य के करने से स्वराज प्रायः बनी मिले लेकिन इसपर अमल किये बिना तो स्वराज नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा। यदि कोई अशुभालु किनोद करने के लिए कहे तीन बार 'नहीं' लिखने से क्या सिद्ध हुआ? तो उसके लिए यह उत्तर है कि तीनबार 'नहीं' लिख कर मैं साधन की योग्यता सिद्ध करना नहीं चाहता हूँ लेकिन 'नहीं' को इस प्रकार तिगुना कर मैं अपनी दृढ़ भ्रष्टा और निश्चय प्रकट करता हूँ।

सब वृत्तों तो उपरोक्त तीन चीजों की आवश्यकता के संघर्ष में ऐसा प्रथम होना ही न चाहिए। इस सप्ताह में और उसमें उत्पन्न ज्ञान और जसाह के कारण सन् १९१९ में इन तीनों वस्तुओं ने तीव्र रूप धारण किया था और वे महासभा के आवश्यक अंग बने थे। उन दिनों में ही तो स्वदेशी, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और अस्पृश्यतानिवारण की प्रतिज्ञा ली गई थी। उसके बाद फौरन ही यह बात समझ ली गई कि स्वदेशी के पालन में स्वदेशी का अर्थ चरखा और सादी होता है, और चरखे के प्रचार के लिए नियम बनाये गये। इसलिए जिसे हम स्वराज-प्रवृत्ति का आवश्यक अंग मानते हैं उसके संघर्ष में आज शंका कैसे हो सकती है?

लेकिन उस समय यदि भूल हुई हो तो? तो हमें उसे जरूर सुधारनी चाहिए। लेकिन महासभा ने उसे भूल नहीं माना है। यही नहीं उसने तो उसे उत्तेजन देने का प्रस्ताव भी किया है, इसलिए भूल की है यह कहने का अवकाश ही नहीं है।

अब रही एक बात। असहयोग गया, सविनयभंग गया, अब सादी इत्यादि को क्या करें? नहीं नाचनेवाले के लिए आग्न देना होता है, ऐसी ही कुछ यह दलील है। उपरोक्त वस्तुओं के बिना सविनयभंग करना असंभव है यह यदि हम समझ गये हों तो फिर यह दलील ही कैसे हो सकती है? मैं कहूँ कि सादी इ० त्रिद्वेषी-संपन्न के बिना सविनय-भंग नहीं हो सकता और प्रजा कहे कि सविनयभंग के बिना सादी इ० नहीं हो सकते तो तेली के बैल का सा अपना हाल होगा। लेकिन जो भी या पुष्प ऐसी दलील में गोल नहीं फिरा करते और सूत के तार पर सीधी गति करते हैं वे ही आगे बढ़ सकेंगे और उस रास्ते पर चलते हुए अपना मार्ग कभी न भूलेंगे। क्योंकि सूत का तार उनका मार्गदर्शक है। उन्हें आसपास चारों ओर देखने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए उन्हें मार्ग भूल जाने का भी डर नहीं है।

यदि उन्होंने हिन्दू-मुसलमान ऐक्यादि का पाषेय साथ लिया होगा तो उन्हें भूल इत्यादि का दुःख होना समझ नहीं है। लेकिन यदि यह पाषेय साथ न होगा तो उपवास अर्थात् उसके लिए तपश्चर्या करके उसका पाषेय तैयार करना होगा।

सस्ता तप करते हुए उन्हें मद्यपान-निषेधादि विहार दृष्टि-मोचर होंगे। उनमें वे रमण करेंगे। मद्यपीतियों का दुःख भी वे उन्हें सूत के तार का सरल मार्ग दिखा कर दूर करेंगे और प्रायश्चित्त करके छुड़ बने हुए भूतकाल के मद्यपी को वे अपना साथी बनावेंगे।

रास्ते में उन्हें जीवित जैसे लेकिन मृतक के समान अस्थि-कंकाल मिलेंगे। वे उनके सूत के तार को देख कर नाच उठेंगे और उन्हें चक्र को चलाते देख कर चक्र चलाने के लिए दौड़ेंगे और अपने अस्थि-कंकाल में दधिरादि भर कर, चक्र के पाश के बंध कर, स्वराज्य में अपना हिस्सा देंगे। आगामी सप्ताह में मेरा शुभ स्वराज्य करने के लिए मेरी प्रत्येक भई बहने की प्रार्थना है।

(महासभा)

मीहनाबास करमचंद गांधी

## 'संगसारी' की सजा

अहमदिया पंथ के कुछ भादवियों को जो संगसारी की सजा मिली थी उसपर मैंने एक छोटी सी टिप्पणी लिखी थी। उसपर से मुझे बहुत से पत्र मिले हैं। मैं उन सब पत्रों को तो प्रकाशित नहीं कर सकता हूँ लेकिन जितने से उन पत्रों का मर्म पाठकों की समझ में आजाय उतना ही यहाँ देना काफी होगा। इस विषय में मौलाना जफरअलीखान के पत्र का सार यह है—

“महासभा के प्रमुख की हैसियत से और अपनी तरफ देख कर भी अच्छा होता कि आप यह न लिखते। कुरान में किसी भी गुन्हा के लिए संगसारी की सजा नहीं फरमायी गई है। इस प्रकार जो कुरान में नहीं है आपने मान लिया है। लेकिन आपका यह कहना तो इससे भी अधिक काबिले ऐतराज है कि आपके नीति के ख्याल से जो बात आग्राह्य हो वह कुरान में या बुनिया के दूसरे सब शाखों में भी क्यों न हो उसे अमान्य कार्य मान कर सबको उसकी निन्दा करनी चाहिए। कुरान में अभिचार के लिए फटके लगाने की और चोरी करनेवालों के अंग-विच्छेद करने की सजा फरमायी गई है। क्योंकि ये सजायें अन्तरात्मा की आघात पहुचानेवाली हैं इसलिए उसका यही अर्थ निकलता है, कि कुरान जिसे इस्लामी कानून का आधार माना जाता है, उसे एक गलतियों का सञ्चय ही मान लेना चाहिए। इस्लाम के किसी हितशत्रु ने ऐसी टीका की होती तो मैं उसकी कुछ भी परवाह न करता। लेकिन आरक्षी बात और है। आप महासभा के प्रमुख हैं इसलिए तीस करोड़ प्रजा आपकी तरफ से अपनी मान्यताओं के प्रति आपकी आशा रखती हैं। महात्मा गांधी के नाम से और खिलाफत की मदद करने के कारण आज करोड़ों मुसलमान आपको अपना मार्गदर्शक और सच्चा मित्र मानते हैं। ऐसी हालत में यह बड़े ही ताज्जुब की बात है कि शरीयत में जिस सजा का उल्लेख किया गया है उसकी आप इस प्रकार निन्दा करें। मुसलमान मनहरी बातों में क्या ही नाजुक विल रखते हैं। वे आपकी ऐसी बातों को अपनी मनहरी बातों में व्यर्थ ही हस्तक्षेप करना मानेंगे। आप खुद जो चाहें मानने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन इस प्रकार आपका अपना अभिप्राय जाहिर करना कि जो इस्लाम के स्पृष्टिकारो के जैसा मात्स्य होता है, आपकी हालत को बड़ी नाजुक बना देता है। इस्लामी आलम में आपकी जो इज्जत है उसे रक्षित रखने के ख्याल से ही मैं आपको यह लिख रहा हूँ। कुरान शरीफ, पैगम्बरसाहब का व्यवहार और इस्लामी आलम का एकत्र अभिप्राय, यह तीनों मिलकर शरीयत बनती है। कोई भी सच्चा मुसलमान उसके हुकम के खिलाफ कुछ भी न कर सकेगा। शरीयत के मुताबिक यह स्पष्ट है कि मुर्तियों को मौत की सजा होनी चाहिए। कुरान शरीफ में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है फिर भी इस्लाम के उपरोक्त दूसरे दो अर्थों से यह बात स्पष्ट हो जाती है।”

जो सफ़्दर सिबालकोट से इस प्रकार लिखते हैं।

“आप सब कहते हैं कि कुरान में 'रजम' (परपर मारकर प्राण लेने) की सजा कहीं भी नहीं फरमायी गई है। कुरान में यह शब्द सिर्फ दो मरतबा आता है (सुरा हद आयत : ११, सुरा मुफा आयत : २०)। उसमें पुरानी प्रथा का उल्लेख है कुरान की आज्ञा नहीं है। अतः यह कहना बिल्कुल सही है कि आज की बुनिया की नीति यह है यह अंगली सजा असत्य है। और यह कह कर आप कुरान की आज्ञा के खिलाफ या मुसलमानों के दिलों को दुकाने लायक कोई बात नहीं कहते हैं। मुझे डर है कि मौ०

प्रभारंजली की का 'रजम' को इस्लामी शरीयत मानना सही नहीं है। कुरान इस बारे में कुछ नहीं कहती है और सब उस्माओं का अभिप्राय भी एक नहीं है।"

बोकिंग के मुस्लिम मिशन के नेता ख्वाजा कमाखुद्दीन लिखते हैं:—

"कुरान इस दुनिया में मुर्तियों को किसी भी प्रकार की सजा नहीं फरमाती है। उसमें मजहबी बातों के लिए अंतरात्मा की संपूर्ण स्वतन्त्रता दी गई है और जबरदस्ती की मना की गई है। खूद पैगम्बर साहब के जमाने में भी मुर्तियों के अनेक दृष्टांत पाये गये हैं। लेकिन कहीं भी इस कारण उन्हें सजा नहीं दी गई थी। किसी भी प्रकार का व्यवहार या परंपरा कुरान से अधिक नहीं दी सकती है। स्वयं पैगम्बर साहब ने कहा था कि मेरे नाम पर बहुत की बातें चलेंगी लेकिन यदि वे कुरान के मुताबिक हों तो उन्हें मेरी मानना करना मे मेरी नहीं है वही मान लेना। पैगम्बर साहब के व्यवहार में से सत्य को ब्रह्म निकालने की यही एक कुञ्जी है।"

मुझे यह जान कर बड़ी खुशी होती है कि 'कुरान' में संगसारी की सजा नहीं है। यह मैंने नहीं कहा था कि निश्चय ही 'कुरान' में ऐसी सजा लिखी है। मैंने कहा था "मैंने सुना है कि संगसारी इत्यादि" लेकिन मौलाना जकरअलीका यद्यपि यह कहते हैं कि 'कुरान' में ऐसी सजा नहीं लिखी है फिर भी वे बड़े उस्माह के साथ उरका समर्थन करते हैं और इस्लाम में उसका स्थान है यह साबित करने के लिए दलीलें पेश करते हैं। चाहे पैगम्बर के व्यवहार में किसी कार्य का समर्थन किया जाता हो या इस्लामी दुनिया के सामुदायिक निर्णय से किया जाता हो, लेकिन जबतक वह इस्लाम का एक अंग माना जाता है तबतक मेरे जैसे बाहर के आदमी के लिए तो उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता है। मैं अपने मुसलमान मित्रों से यह चाहता हूँ कि वे, ऐसे कार्यों की जिसे मसार के बुद्धिमान पुरुष दयाधर्म के विनाश मानते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कतवाहट के बिना निन्दा करेंगे, फिर चाहे उसका मूल कहीं भी क्यों न हो। इसलिए मुझे यह देखकर बड़ी खुशी होती है कि मौलाना सफ़्दर और ख्वाजा कमाखुद्दीन संगसारी की सजा की सब प्रकार से निन्दा करते हैं और मुर्तियों को मौत की सजा देने के कार्य की भी निन्दा करते हैं। मैं तो यह चाहता हूँ कि वे मेरे साथ यह भी कहें कि यदि संगसारी की सजा पैगम्बर के व्यवहार से अथवा इस्लामी दुनिया के सामुदायिक निर्णय से साबित भी हो सके तो भी यह उनके मनुष्यत्व के ह्यक के खिलाफ होने के कारण में उसका समर्थन न कर सकेंगे। मैं मौलानासाहब का 'इस्लामी दुनिया में मेरी इज्जत' के बारे में विन्ता करने से बरी किये जाता हूँ। इस्लाम के नाम से जिन कार्यों का समर्थन किया जाता है उनके बारे में यदि मैं अपनी प्राज्ञात्मिक राय जाहिर करूँ और वह इज्जत नष्ट हो जाय तो फिर वह एक दिन की शरीयत के लायक भी नहीं है। लेकिन सच जान तो यह है कि मुझे इज्जत की दरकार नहीं है। यह तो राजा महाराजा के दरबार की वस्तु है। मैं तो जैसा हिन्दुओं का सेवक हूँ वैसा ही मुसलमान, पारसी, बहूदी, इत्यादि का भी सेवक हूँ। सेवक को तो प्रेम की दरकार होती है, इज्जत की नहीं। और जबतक मैं निन्दामान सेवक बना रहूँगा तबतक यह प्रेम तो मुझे मिलेगा ही। मैं भीखाना से मेरी इज्जत के बजाय इस्लाम की इज्जत की विन्ता करने के लिए चहुँगा और उसमें मैं उनका हाथ भी बटाऊँगा। मेरी राय में तो जिस कार्य का किसी प्रकार भी समर्थन नहीं हो

सकता है उसका समर्थन करके उन्हें भी अज्जाम में ही उसकी इज्जत को बहुत कुछ घटा दिया है। कितनी भी दलीलें पेश की जाय, किसी भी दोष के लिए संगसारी की सजा देने के कार्य का समर्थन नहीं हो सकता है और धर्मत्याग के गुन्हा के लिए तो संगसारी करके या किसी दूसरे प्रकार से भी मौत की सजा देने का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

मेरी स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है। इस्लाम के संबंध में लिखते समय मैं उसकी इज्जत का उतना ही खयाल रखता हूँ जितना कि मैं हिन्दुधर्म की इज्जत का खयाल रखता हूँ। दोनों का अर्थ करने की मेरी पद्धति भी एक है। शास्त्र में यह बात लिखी है यह प्रमाण लेकर मैं हिन्दुधर्म की किसी भी बात का समर्थन नहीं करता हूँ। उसी प्रकार 'कुरान' में लिखी होने के कारण किसी भी बात का समर्थन मैं नहीं कर सकता। सब बातों की विवेक दृष्टि से आलोचना होनी चाहिए। लोगों की विवेकबुद्धि को इस्लाम बंधता है तभी वह उन्हें पसंद आता है। और कलाखन्सर में यह मास्टर हो जायगा कि दूसरे किसी तरीके से उसकी आलोचना करने पर बड़ी मुश्किलें पेश आयंगी। मेशक संसार में ऐसे पदार्थ भी हैं जो बुद्धि से परे हैं। यह बात नहीं कि इन बुद्धि की कसौटी पर उनकी परीक्षा करना नहीं चाहते हैं लेकिन वे स्वयं ही उसकी मर्षादा में नहीं आते हैं। वे अपने सहज रूप के कारण ही बुद्धि को थका देते हैं। ईश्वर के अस्तित्व का रहस्य ऐसा ही है। वह बुद्धि के खिलाफ नहीं है, उसके परे है। लेकिन इमान रखने की और कमम खाने की बात जैसे बुद्धि से परे नहीं हो सकती है वैसे ही संगसारी भी बुद्धि से परे नहीं हो सकती है। धर्मत्याग का ध्यापक अर्थ लिया जाय तो उसके माने "अपने धर्म का त्याग होता है"। क्या यह बहुत बड़ा गुन्हा है कि इसकी सजा मौत होनी चाहिए! यदि है, तो हिन्दू जो मुसलमान हो गया है वह फिर यदि हिन्दुधर्म में आ जाय तो उसका यह कार्य वैसा ही एक गुन्हा होगा जिसकी कि बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। मौलाना साहब सूचना करते हैं कि मैं महासभा का प्रमुख हूँ और मुसलमानों का दोस्त हूँ इसलिए मुझे इस्लाम के किसी भी कार्य पर टीका नहीं करनी चाहिए और 'कुरान' के बारे में कुछ न कहना चाहिए। लेकिन मुझे डर है मैं इसका स्वीकार न कर सकूँगा। यदि मैं ऐन वस्तु पर अपना निर्णय दूँ और उसे प्रकट न करूँ तो मैं इन दोनों प्रकार के मान के लिए जालामक साबित हूँगा। यह संगसारी का मामला ऐसा है कि इसके साथ तमाम प्रजाकीय कार्यकर्ताओं का संबंध है। यह मामला सामाजिक नीति और सामान्य मनुष्यत्व के साथ संबंध रखता है, जो तमाम सत्य-धर्मों का आधार है।

( य. इ. )

मोहनदास करमचंद गांधी

सिक्खों का बलिदान

अकालियों की स्थिति अब भी अनिश्चित मालूम होती है। सेन्ट्रल सिक्ख लीग के प्रबुद्ध की हेरियत से सरदार मंगलसिंहजी ने जो चौरा प्रकाशित किया है उसमें सिक्खों के बलिदान का हिसाब इस प्रकार दिया गया है:— "३०,००० पकड़े गये, ९०० मारे गये या मर गये, २००० जखमी हुए, पेशन यापता कौजी सिपाहियों के बन्द किये गये पेन्शन का हिसाब लगा कर कुल १५ लाख रुपये का जुरमाना वसूल किया गया।"

यदि यह अंक साबित किये जा सकते हैं तो इसपर से सिक्खों के शौर्य और बलिदान की जितनी भी तारीफ की जाय थोड़ी है। और इससे उस सरकार का जो उनके दुःखों के प्रति इतनी बेपरवाह रही है अथवा भी उतना ही होगा। ( य. इ. )

## हिन्दी-नवजीवन

अखबार, सैत्र सुबो १, संवर १९८१

### अखिल भारतीय गोरक्षा मंडल

पाठकों को यह बाद होना कि वेकगांव में जो अनेक परिषदें हुई थीं उनमें एक गो-रक्षा परिषद् भी थी। अनिच्छा होते हुए भी प्रेम के बंध होकर मैंने उसका प्रमुख-पद स्वीकार किया था। मेरी यह मान्यता है कि इस युग में हिन्दू-धर्म के बालक-बालों का गो-रक्षा एक आवश्यक कर्तव्य है। मेरी यह भी मजबूत मान्यता है कि अपने तरीकों से मैं इस कार्य को क्यों से करता चला आया हूँ। इस बात को तो सारा हिन्दुस्तान जानता है कि मैं जो जानबूझ कर मुसलमानों की मैत्री चाहता हूँ उसका पोरक्षा भी एक प्रबल कारण है। लेकिन मुसलमानों के हाथ से पशु को बचाना मेरी दृष्टि में गो-रक्षा का सबसे बड़ा अंग नहीं है। उसका सबसे बड़ा अंग तो हिन्दुओं से गाय की रक्षा करना ही है। गो-रक्षा की मेरी व्याख्या में गाय बेलों पर किये जानेवाले छुम्बों से उनकी रक्षा करना भी शामिल है।

लेकिन इस महान् रक्षा के कार्य में मैंने अभीतक सीधा कार्य बहुत ही कम किया है। ऐसा कार्य करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए मैंने तपस्विया की है लेकिन वैसी योग्यता अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए प्रमुख बनने में मुझे संकोच होता था, फिर भी प्रमुख बना। परिषद् में एक यह भी प्रस्ताव पास हुआ था कि एक स्थायी मण्डल स्थापित किया जाय।

इस कार्य में भी तो मुझे योग्य देना जरूरी था। इसलिए यत जलदगी मास के आखिरी सप्ताह में परिषद्-नियुक्त समिति की बैठक हुई। उसमें अखिल-भारतवर्षीय गो-रक्षा-मण्डल स्थापित करने का निश्चय हुआ। उसके संगठन के नियम बनाने गये और उसे समिति ने मंजूर किये। यह मंडल इस हद तक पहुंचना इसका मुख्य कारण बाई के प्रख्यात गो-सेवक बाँके महाराज हैं। उन्होंनेकी इच्छा और साहस से मैं खींचा चला जा रहा हूँ। सादरताह्व करदीकर, लाला लाजपतराय, बाबू मगवानदास, श्री कैलकर, डाक्टर मुंजे, स्वामी भ्रजानन्द इत्यादि इस समिति के सदस्य हैं। परन्तु भारत भूषण मालवीयजी के बिना इस मंडल के अस्तित्व को मैं असंभव मानता हूँ। इसलिए मैंने यह सूचना की कि उसे बाहिर करने के बड़े उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लेना आवश्यक है। उन्होंने इसका स्वीकार किया और उन्हें उसके विधि-विधान को दिखाने का काम मेरे जिम्मे हुआ। उन्हें यह दिखाना गया और उन्होंने उसे पसंद किया है।

लेकिन इसे प्रकाशित करने में मुझे संकोच होता है क्योंकि उसका प्रमुख-पद अभीतक मेरे पास ही है। मूल संस्थापकों की इच्छा उसे मेरे ही पास रखने की है। मुझे अपनी योग्यता के बारे में हमेशा संका बनी रहती है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक इस महान् कार्य में अगुआ गिने जानेवाले हिन्दुओं की सम्मति न होगी तबतक इसमें शोभास्पद प्रगति न हो सकेगी। मुझे अपने दिल में हमेशा यह भय बना रहता है कि कहीं मेरे अस्पृश्यता विषयक विचारों के कारण मेरा प्रमुख होना इसके लिए हानिकारक प्रकृत न हो। मैंने अपनी इस नीति को बाँके सुबा के सामने

प्रकाशित की। उनका मानना यह है कि मेरे अस्पृश्यता विषयक विचारों को इस कार्य से कुछ भी संबंध नहीं है और यदि है यह मानकर कोई उससे अलग भी रहे तो यह जोखिम उठाकर भी इस कार्य को आगे बढाना धर्म है।

यह धर्म है या नहीं मैं नहीं जानता। लेकिन समिति ने जिस विधिविधान का स्वीकार किया है उसे मैं प्रजा के समक्ष रखता हूँ।

श्रोपदी के सहायक ! मेरी सहाय्य करना। तू ही मुझ अनाथ का माथ बनना। यह तू ही जानता है कि मुझे गोरक्षा से किसना प्रेम है। यदि यह प्रेम छुड़ हो तो तू इस अयोग्य सेवक को योग्य बना लेना। तेरी डाली हुई अनेक उपाधियों को मैं अपने सिर लिए बैठा हूँ। उसमें यदि यह एक और बढानी हो तो बढा देना। मेरी धर्म को तू ही ठक सकता है।

पाठक, मेरा दर्द तुम नहीं समझोगे। प्रातः काल मैं मैं यह लिख रहा हूँ और लिखते हुए मेरी कलम कांप रही है। बहुत आर्द्र हो रहे हैं। कल ही कन्या कुमारी के दर्शन कर आया हूँ। जो विचार हृदय में उमड़ रहे हैं उन्हें यदि समय मिला तो तुम्हारे सामने रखूंगा। जित प्रकार एक बालक खूब खाना चाहता है लेकिन खाने की शक्ति न होने के कारण अन्न से आँसू बहाता है; मेरी स्थिति कुछ वैसी ही है। मैं बका ही कोभी हूँ। मैं धर्म का विजय देखने और दिखाने के लिए बड़ा अर्धर हो रहा हूँ। उसके लिए आवश्यक कार्य करने की मुझे बड़ी अनिच्छावा रहती है। मुझे हिन्दू-एवराज्य भी इसीलिए चाहिए। गोरक्षा, चरखा, हिन्दू-मुसलमान-एक्य, अस्पृश्यता-निवारण, और मद्यपान-निषेध सब इसीलिए चाहिए। इसमें से मैं क्या करूँ और क्या न करूँ? इसी प्रकार इस शुद्ध समुद्र में मेरी मैया डोळ रही है।

एक समय समुद्र में एक बड़ा भयंकर तूफान आया था। सब यात्री ध्याकुल हो गये थे। सबने नरसिंह मेहता के स्वामी का धरण ली। मुसलमान अल्लाह पुकारने लगे। हिन्दुओं ने राम राम कहना शुरू किया। पारसी भी अपना पाठ करने लगे। मैंने सभीके चेहरों पर उदासीनता देखी। तूफान बन्द हो गया और सबके सब सुप्त हो गये। कुछ होने पर ईश्वर को भी भूल गये और ऐसे ही दिखने लगे जैसे कभी तूफान आया ही न था।

मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है। मैं तो सदा तूफान ही में रहता हूँ और इसलिए सीतापति को नहीं भूल सकता। लेकिन जब कभी बहुत बड़े तूफान का अनुभव करता हूँ तब तो मैं मेरे उन साथियों से भी अधिक गमका जाता हूँ और "पाहिमाम् पाहिमाम्" पुकार उठता हूँ। इसी प्रस्तावना लिखने के बाद मैं गोमाता का स्मरण करके, परमात्मा का ध्यान करके, इस मण्डल के विधिविधान को प्रजा के समक्ष पेश करता हूँ।

#### उद्देश

हिन्दू-जाति का धर्म गो-रक्षा होने हुए भी हिन्दू गो-रक्षा-पालन में शिथिल हो गये हैं और भारत की भाँये और उनकी प्रजा दुर्बल होती जाती है और गो-बध बढ़ता जाता है, इसलिए गोरक्षा धर्म का मलीमांति पालन करने के लिए यह अखिल भारतवर्षीय गोरक्षा-मंडल स्थापित किया जाता है।

इस मंडल का उद्देश्य सब धार्मिक प्रकारों से गोरक्षा करना होगा।

गोरक्षा का अर्थ गौ और उसकी प्रजा को निर्दयता से और बध से बचना है। जिन जातियों में गो-बध अर्धम नहीं माना जाता है या गो-बध की आवश्यकता मानी जाती है उनका किसी प्रकार खबरदस्ती करना इस मण्डल की नीति से विपक्ष होगा।



**साधन**

विभिन्न लिखित साधनों के द्वारा मण्डल अपना उद्देश्य सकल करने की कोशिश करेगा।

१ गाय बैल इत्यादि को भी कोई कट देते हों तो उन्हें प्रेमनाथ से समझाना और समझाने के लिए कैबल लिखना, प्रचारक भेजना, व्याख्यान देना इत्यादि।

२ जिनके गाय बैल बीमार या अशक्त हो जायं और उनका पालन करने के लिए वे असमर्थ हों तो उनसे जानवरों को ले केना।

३ मौजूदा पिंजरापोलों और गौशालाओं की व्यवस्था का निरीक्षण करेगा, उनकी सुव्यवस्था का प्रबन्ध करने में व्यवस्थापकों को सहाय देगा, नई पिंजरापोलों और गौशालायें नियत करना, गांशाला और पिंजरापोलों के मार्फत या दूसरे रास्तों से आदर्श पशु रक्वना और अच्छी गोधें रखकर सस्ते दूध का प्रचार करना।

४ दूत जानवरों के लिये बमारखाना रखना और उसके मार्फत दुर्बल जानवरों का हिन्दुस्तान के बाहर भेजा जाना रोकना।

५ बारिशवान् गो-सेवकों को शिष्यवृत्ति देकर गो-सेवा के लिए तैयार करना।

६ गोवराधि का नाश होता जाता है इसलिए उसके कारणों का शोध करना और उससे जो हानि लाभ होते हों उसकी तलाश करना।

७ बैलों को लस्ती करने की आवश्यकता है या नहीं इसका शोध करना, क्योंकि लस्ती करने की क्रिया में निर्देयता है। और लस्ती करना आवश्यक और उपयुक्त माना जाय तो उस क्रिया के करने का कोई निर्दोष उपाय है या नहीं उसकी तलाश करना। आवश्यक हो तो इस क्रिया की सुधारणा करने के उपाय लेना।

८ मण्डल के कार्यों के लिए द्रव्य इकट्ठा करना और,

९ गौरक्षा के लिए दूसरे साधन जो आवश्यक या योग्य माने जायं उनका उपयोग करना।

**सदस्य**

अठारह वर्ष की उम्र के ऊपर के जो कोई स्त्री या पुरुष इस मंडल के उद्देश्य का स्वीकार करे और

१ प्रतिवर्ष ५ रुपया दे

२ या प्रतिमास इतने समय तक चरखा धांते कि जिससे प्रतिमास २००० गज सूत इस मंडल को दे सके

३ या इस मंडल के लिए इमेद्या एक बण्टा मण्डल का पसाद किया हुआ कार्य करे, वह मण्डल का सदस्य माना जायगा। जो सदस्य माहवार २००० गज सूत कातेगा उसकी मण्डल की तरफ से रई दी जायगी।

**व्यवस्था**

प्रत्येक मण्डल का सभापति वह होगा जो सदस्यों की बहुमति से चुना जायगा। सभापति का प्रतिवर्ष चुनाव होगा। इस मण्डल के मंत्री और सजानची का चुनाव सभापति करेगा।

सदस्यों में से ५ सदस्यों की एक समिति होगी जिसका नाम कार्यवाहक समिति रक्खा जायगा।

सदस्यों की सामान्य सभा कम से कम प्रतिवर्ष एक भरतवा होगी और उसकी जिम्मेवारी सभापति के ऊपर रहेगी।

सजानची मण्डल के शिक्षा के लिए जिम्मेवार रहेंगे। एक हजार रुपये से ज्यादा जिसना भी रुपया होगा सजानची की पसंद की हुई बैंक में रक्खा जायगा।

(नवजीवन)

मीहनदास करमचंद गांधी

**सुवर्ण-बाग**

प्रायणकोर एक प्रान्त नहीं है बल्कि एक बड़े शहर के सामान्य है। उसके नागरिक बंबई की तरह बड़े बड़े मकानों में एक दूसरे की भीत से भीत सटा कर नहीं रहते हैं लेकिन छोटे घास के छप्परवाले सुन्दर मकानों में एक एक मादक या उससे कुछ कम दूर अपने अपने खेतों से या बागीचों से धिरे हुए रहते हैं। मछवार या उसके आसपास केरल प्रान्त के बाहर ऐसी स्थिति कहीं भी मेरे देखने में नहीं आयी। प्रायणकोर एक सुन्दर बागीचा या बागी है। उसमें नारियल के, केले के, काजी मिरच के और आम के पेड़ दिखाई देते हैं। लेकिन नारियल के वृक्ष और सबको हँक देते हैं। इन कुजों में से हो कर मुसाफिर अपना रास्ता तय करता है। दो रास्ते टे सफर हो सकती है एक नहरों और खादियों के रास्ते से और दूसरे मोटर के रास्ते से। रेलगाडी भी है लेकिन वह बहुत ही कम हिस्से में पहुँचती है। झाड़ी के रास्ते का दृश्य बड़ा ही अर्थ है। दोनों किनारे तो दिखाई देते हैं लेकिन दोनों किनारों पर जहाँतक दृष्टि पहुँच सकती है, बारहो महिना एक बड़ा बागीचा ही दिखाई देता है। मैंने सुवर्णबाग के नाम से इसका वर्णन किया है। सूर्य के अस्त होने के पहले यदि मनुष्य खाड़ी के रास्ते से धीरे धीरे बला जाय और इस बागीच के तरफ देखे तो यही मासूम होगा कि मानों पेड़ों पर कुंदन के ही पत्ते लगे हों। उन पत्तों में से मूर्ध्न शक्ति का हुआ मासूम होता है। वह सोने के चलते हुए पहाड के समान दिखाई देता है। उसे देख कर और ईश्वर की धीला की स्तुति करते हुए मनुष्य शकता ही नहीं। उसे चित्रकार चित्रित भी नहीं कर सकता है। जो दृश्य क्षण-क्षण में बदलता है और क्षण क्षण में सौन्दर्य में बढ़ता जाता है उसे कौन चित्रित कर सकता है? इस कृति के सामने मनुष्य की कृति तुच्छ मासूम होनी है। और इस दृश्य को लाखों मनुष्य बिना जैसे देख सकते हैं।

प्रायणकोर और आसाम के दृश्य देखने बाद मुझे यह महसूस होने लगा है कि सृष्टि सौन्दर्य देखने के लिए तो हिन्दुस्तानियों को दिव्य के बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इना के लिए तो हिमालय, नीलगिरी, आधु इत्यादि पहाड हिन्दुस्तान में पडे हुए है। ऐसे सुन्दर देश में जहाँपर जिसे जैसी आबखवा चाहिए वैसी यदि मिल सकती है तो फिर मनुष्यों को संतोष क्यों न होता होगा! अथवा स्वगैस्थ मछवारी की भाषा में कहें तो मनुष्य जबतक अपने घर के, गली के, शहर के और देश के इतिहास भूगोल के सौन्दर्य का अवलोकन नहीं कर लेता है तबतक वह दूसरे देशों की किसी भी चीज को जानने और देखने के लिए कैसे शक्तिमान हो सकेगा। उसके पास तबतक तुलना करने के लिए कोई माप ही नहीं हो सकता है और इसलिए वह देख कर भी कुछ नहीं देख सकता है। परजी, मोची इत्यादि, जबतक उनके पास गज नहीं रहता है तबतक वे माप नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार सृष्टि सौन्दर्य इत्यादि के हीकीन भी जबतक उन्हें अपने देश की खबर न हो तबतक वह दूसरे देशों को देख कर भी नहीं देख सकते हैं। उनके ख्याल से तो सुन्दर अर्थात् आँख और मुँह खुला रख कर कुछ देखना है और दूसरों ने जो उन देशों के बारे में लिखा है उसे गोल जाना है।

कैसा प्रायणकोर राज्य का प्राकृतिक सौन्दर्य है वैसा ही सौन्दर्य मुझे उसके राज्य का भी मासूम हुआ। 'धर्म ही हमारी शक्ति है' वह उसका सूत्र है। वहाँके रास्ते जैसे रास्ते

मैंने हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं देखे हैं। राज्य में अन्धाधुन्धी चकती मुझे ब दिखाई दी। कितने ही वर्ष हो गये प्रजा को राजा की तरफ से कुछ भी दुःख नहीं पहुंचा है। राजतंत्र में राजा नियम के बाहर बाहर कुछ नहीं करता है। प्राणकोर के राजा की उत्पत्ती ब्राह्म-क्षत्री के विवाह से ही होती है। स्वर्गस्थ महाराजा धर्मपुत्र और विद्वान माने जाते थे। कितने ही वर्ष हुए प्राणकोर में ब्राह्मण भी है। वहाँ हिन्दू, मुसलमान और ईसाई की बस्ती ही अधिक है। छयालीस लाख की बस्ती में करीब करीब आधी ईसाइयों की बस्ती है। सबको बिना किसी पक्षपात के नोकरी इत्यादि मिलती हुई दिखाई दी। प्रजा अपने बिचार बिना किसी रुकावट के प्रकट कर सकते हैं। प्राणकोर में जितना शिक्षा का प्रचार है उतना शाब्द ही दूसरी जगह होगा। जैसा लड़कों में उसका प्रचार है वैसा ही लड़कियों में भी है। राज्य की व्यवस्था में से एक अच्छा हिस्सा शिक्षा के लिए खर्च दिया जाता है। प्राणकोर में बिना पढ़े लिखे की पुस्तक मिलना मुश्किल है। उसकी राजधानी त्रिवेन्द्रम में कन्याओं के लिए एक शासक काठेज है। सब शालाओं में और खाने में अस्पृश्यों को दाखिल होने में कोई रुकावट नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि उनके लिए दरसाल एक खास रकम खर्च की जाती है।

### महारानी

बड़ी महारानी जो बाल महाराजा की तरफ से राज्य चला रही है, और छोटी महारानी जिनके बाल महाराजा पुत्र हैं उनके दोनों के मुझे दर्शन हुए। दोनों को मिलकर मैं उनकी मध्य सादगी पर मुग्ध हो गया। दोनों ने केवल श्रेतबद्ध धारण किये थे। आभूषण में एक भारीक मंगलमाल के सिवा और मैं कुछ न देख सका। न कुछ कान में था और न नाक में। और न मैंने उनके हाथ में हीरा या मोती का छल्ला ही देखा। एक मध्यमवर्ग की स्त्री में भी इतनी सादगी मैंने नहीं देखी है। जैसा उनका पोशाक था वैसी ही सादी उनके घर की सजावट थी। हमारे घनाड़ियों के मकान की सजावट के साथ यदि इन महारानियों के घर की सजावट का मुकाबला करें तो मुझे अपने घनाड़ियों पर दवा आयेगी। हम क्यों इतने मोह में पड़े हैं ?

दोनों महारानियों में मैंने आडम्बर न देखा। बाल महाराजा मुझे अत्यंत सरल स्वभाव के मालूम हुए। उनके पोशाक में बिना काछ की धोती के और कुचले के डैने और कुछ भी न देखा। महाराजा का कोई खास चिह्न हो तो वह भी मैंने नहीं देखा। इन तीनों ने मेरे मन का हरण कर लिया। संभव है अधिक अनुभव होने पर मुझे मेरे इस वर्णन में दोष दिखाई दे। मैंने दूसरी से इसके बारे में पूछा भी। लेकिन मुझसे किसीने यह न कहा कि मुझपर जो छाप पड़ी है वह गलत है। मेरे कहने का यह आशय नहीं कि इनकी सादगी होने पर, सामान्य राजदरबार में जो सजवट होती है वह वहाँ नहीं है। है या नहीं मैं नहीं जानता। दोष देखने का तो मेरा धर्म ही नहीं है। मैं तो गुणों का शोधक और पूजारी हूँ। जहाँ मैं उन्हें देखता हूँ वे मुझे शक्ति और शक्ति कर देते हैं। मुझे गुणों का मान करना पसंद है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें दोष न हो। जब वे मुझे दिखाई देते हैं मैं उनका उल्लेख करता हूँ और दुःखी होता हूँ और दुःखित हृदय से कभी कभी प्रणम होने पर मैं उनका वर्णन भी करता हूँ।

जिसे ईश्वर ने कुछ रुपये दिये हैं उनसे मैं प्राणकोर को चीन की भाँसा करने की सिफारिश करता हूँ।

### रैयत की शाही

जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है। राजा प्रजा के पोशाक में जितना साम्य मैंने यहाँ देखा उतना साम्य मैंने कहीं नहीं देखा था। रैयतवर्ग और राज्यवर्ग का पोशाक करीब करीब एक ही दिखाई दिया। जहाँ मैंने फर्क देखा वहाँ फर्क रैयत में था। कितने ही अधिक पढ़े हुए अंगरेजी पोशाक पहननेवाले और कुछ रैयती सादी पहननेवाले औरतें मिलती हैं। लेकिन सामान्य तौरपर मलबारियों का पोशाक बिना काछ की धोती और कुचला होता है। औरतों के पोशाक में धोती तो पुरुषों की सी होती है लेकिन ऊपर के भाग को वे पछेडी से ढक लेती हैं। उन्होंने अब कुचला और धोती भी पहनना शुरू किया है।

इस देश में खादी का आसानी से प्रचार हो सकता है क्योंकि औरतों को न रंग चाहिए न किनारी चाहिए और न उन्हें अपने इस तरह जैसी होती हैं वैसी लम्बी साड़ी या लम्बे घाघरे ही चाहिए। यह होने पर भी केलिको और जेनसुख ने सत्यानाश कर डाला है। इस हलचल के बाद ही वहाँ खादी का प्रवेश हुआ है। लेकिन फिर भी उस देश में कातने और बुननेवाले असंख्य हैं। कन्याकुमारी के पास नागरकोदल नामक एक गाँव है वहाँ प्रतिस्त्राह हाट बैठनी है और उसमें हाथकता सूत बिकता है।

### बायकोम सत्याग्रह

मेरे मुक्त में जहाँ शिक्षा का इतना प्रचार है, जहाँ राजतंत्र अच्छा चल रहा है और जहाँ प्रजा को बहुत से हक मिले हैं वहाँ अस्पृश्यता ऐसे भयंकर रूप में क्यों कर रहती होगी ? इस पुराने रिवाज की यह बलिहारी है। अज्ञान को भी जब प्राचीनता की रक्षा मिलती है तब वह ज्ञान के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ मैं ऐसे लोगों से भी मिला जो बड़े कुछ भाव से मानते हैं कि मन्दिरों के आसपास के रास्तों पर से ईसाई तो जा सकते हैं लेकिन अस्पृश्य नहीं जा सकता अर्थात् अस्पृश्य जाति का कोई बकील बेरीस्टर भी नहीं जा सकता है। यहाँ अस्पृश्यों के एक स्वामी है। वे सध्या स्नान इत्यादि करते हैं और अच्छी संस्कृत जानते हैं। उन्होंने संन्यासी का वेष धारण किया है। उनके हजारों शिष्य हैं। उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। उन्होंने अद्वैताश्रम की स्थापना की है। यह स्वामीजी भी उम रास्ते से नहीं जा सकते हैं। यह मन्दिर भी कैसे होते हैं ! उनके आसपास सड़कें होती हैं। उनपर से गाड़ी भी जा सकती है। लेकिन उनपर से कोई अस्पृश्य नहीं जा सकता। ऐसे अधिकार को, ऐसे अन्याय को दूर करने के लिए बायकोम में सत्याग्रह चल रहा है। जो इसका आकाश करते हैं उन चुस्त सनातनियों से भी मैं विनयपूर्वक मिला। उन्होंने उसके समर्थन में अनेक दलोंके पेश की लेकिन उनमें बहुत कुछ भी न था। आखिर मैंने तीन सूचनायें की जिसमें से वे किसीको भी कुचल रख सकते थे और यदि उसका परिणाम सत्याग्रहियों के खिलाफ हुआ तो सत्याग्रह बन्द करने का भी मैंने स्वीकार कर लिया था। ये सूचनायें भी वे कुचल करने के लिए तैयार न हुए।

इस प्रकार यह लड़ाई आज तो यहाँपर अटक रही है। राज्यवर्ग के लोग मेरी सूचनाओं को पसंद करते हैं। इसलिए मैं आशा रखता हूँ कि थोड़े ही दिनों में इस युद्ध का शुभ परिणाम दिखाई देगा। लेकिन सत्याग्रहियों के सभे और विनय-युक्त आग्रह पर ही सब आधार रहेगा। मेरी खबर भ्रष्टा यह है कि यदि वे उन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे जिनका कि उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया है, तो उसका शुभ परिणाम आये बिना न रहेगा।

(संस्कृत)

महाशय्यक कर्मकाण्ड भाष्य

## कन्याकुमारी के दर्शन

काश्मीर से कन्याकुमारी और कराची से आसाम यह हिन्दुस्तान की सीमा है। वहीं पर हिन्दुस्तान की चारों दिशाओं का अन्त होता है। ऊपर की तरफ हिन्दुकुश का पर्वत-शिखर हिन्दमाता को सुशोभित और सुरक्षित रखता है। नीचे की तरफ अरब का समुद्र और बंगाल का उपसागर अपने शुद्ध जल से हिन्दमाता का पादप्रक्षालन करते हैं। कन्याकुमारी अर्थात् धर के समान अवधूत परन्तु सख्ता देवस्वरूप विभूति के साथ विवाह करने के लिए तपश्चर्या करती हुई पावती। हिन्दुस्तान का यह एक छोर है इसलिए तीन दिशाओं में तो हमें समुद्र ही समुद्र दिखाई पड़ता है। दो प्रकार के जल यहाँ मिलते हैं इसलिए दो रंग का भी कुछ आभास होता है। दक्षिण के तरफ मुख करके हम देखें तो एक ही स्थान पर लगे रहकर बायें और दायें तरफ सूर्य के उदय और अस्त को, दोनों को हम देख सकते हैं। यह दृश्य देखने का हमें समय न था। लेकिन हम हमारी कल्पना में तो सूर्य को प्रातःकाल में ताराओं की निस्तेज कर बंगाल के महासागर में स्नान करके उदय होते हुए और शाम को सुवर्णमय आकाश में से नीचे उतर कर पश्चिम के रत्नाकर में घायन करने के लिये जाते हुए देख सकते हैं। वहाँ रहनेवाले दरबारी अतिविग्रह के रक्षक ने तो आखिर सूर्यास्त के लक्ष्य दृश्य को देखने के लिए भी हमें रुक जाने की बड़ी सलाह दिखाई। लेकिन हम थोड़े नड कर-नहीं मोंटर पर चढ़ कर-आये थे तो कैसे रुक सकते थे? मैंने तो हिन्दमाता के पादप्रक्षालन से पवित्र हुए समुद्र के मोर्चों से अपने पैरों को पवित्र करके ही संतोष माना।

कैसी अद्भुत कवि की रचना और कैसा अद्भुत पौराणिकों का रस! यहाँ, जहाँ हिन्दुस्तान की सीमा है और जो अपनी दुनिया का एक छोर है वहीं पर कवियों ने कन्याकुमारी के मन्दिर की स्थापना की है और पौराणिकों ने उसमें रंग भर कर उसे सजाया है। वहाँ मुझे दृष्टिसौन्दर्य का रस छूटने की अभिलाषा न रही—यद्यपि वहाँ तो उस रस के कूड़े के कूड़े के छुट्टाये जा रहे थे। मुझे तो वहाँ चर्म के रहस्य का अनुत्पान करने की मिला। जैसे ही मैंने वहाँके सुन्दर घाट पर पैर रख कर समुद्र में उन्हें भिजाये ही थे कि मेरे सावधानों में से किसीने कहा कि सामने उस टेकड़ी पर जा कर विवेकानंद समाधिस्थ हुआ करते थे। यह बात सच हो या न भी हो लेकिन यह सर्वथा शक्य था। अच्छा तैरनेवाला बहाक तैर कर जा सकता है। उस टेकड़ीरूपी द्वीप पर अपार शान्ति ही होनी चाहिए। समुद्र के उछलते हुए मोर्चों का मंद और मधुर गीणगान तो समाधि को पुष्ट करता है। इसलिए मेरी धर्मविज्ञासा अधिक तीव्र हो गई। सीढ़ियों के लजदीक ही एक चबुतरा बना हुआ है। उसपर करीब एक सौ आदमी आसानी से बैठ सकते हैं। मुझे वहाँ बैठ कर गीताजी का पाठ करने की इच्छा हुई। लेकिन आखिर को मैंने उस पवित्र इच्छा को भी दबा दिया और गीता के गानेवाले की मूर्ति को हृदय में स्नान दे कर मैं शान्त हो रहा।

इस प्रकार पवित्र हो कर हम मन्दिर में गये। मैं तो अस्पृश्यता-निवारण की हिमायत करनेवाला था और मैं अपनी बहुबाह्य भंगी के नाम से देता था, इसलिए उसमें मेरा प्रवेश हो सकेगा या नहीं इसपर मुझे कुछ शंका थी। मैंने मन्दिर के अधिकारी से कह दिया कि उसकी दृष्टि में जहाँ मुझे जाने का अधिकार न हो वहाँ वह मुझे न ले जाय। मैं उसके प्रतिबंध का अक्षर-कर्मता। उन्होंने कहा कि देवी के दर्शन तो साधेपाँच

बजे के बाद ही हो सकते हैं और आप लोग तो चार बजे आये हैं। लेकिन और जो कुछ है मैं आपको सब दिखा दूँगा। आपको सिर्फ देवी विराजती है वहीं ठेठ जाने के लिए प्रतिबंध होगा। लेकिन यह प्रतिबंध तो विलायत जा कर वापस आये हुए सब लोगों के लिए है। मैंने कहा 'मैं इस प्रतिबंध का सुखी से पालन करूँगा'। इतनी बातचीत होने पर वह अधिकारी मुझे अन्दर ले गया और उसके अंदर होनेवाली प्रदक्षिणा मुझसे करवायी।

उस समय मुझे मूर्तिपूजक हिन्दू के अज्ञान पर क्या न आयी बल्कि उसके ज्ञान की मुझे विशेष प्रतीति मिली। मूर्तिपूजा का भागी दिखाने पर उसने एक ईश्वर के अनेक ईश्वर नहीं बनाये हैं लेकिन उसने जगत को यह वस्तु हँड कर दिखा दी है कि मनुष्य एक ईश्वर की उसके अनेकानेक रूपों द्वारा पूजा कर सकते हैं और वे उसकी ऐसी ही पूजा किया करेंगे। ईसाई और मुसल्मान अपने को मूर्तिपूजक मते ही न माने लेकिन अपनी कल्पना की पूजा करनेवाले भी तो मूर्तिपूजक ही हैं। मस्जिद और गिरजाघर भी एक प्रकार की मूर्तिपूजा है। वहीं जाकर मैं अधिक पवित्र हो सकूँगा इस कल्पना में भी मूर्तिपूजा है। और उसमें कोई दोष नहीं है। कुरान में या बाइबिल में ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है इस कल्पना में भी मूर्तिपूजा है और वह निर्दोष है। हिन्दू उससे भी आगे बढ़ कर यह कहते हैं कि भिसे जो रूप पसंद आये उसी रूप से वह ईश्वर की पूजा करे। पत्थर या सोने चाँदी की मूर्ति में ईश्वर को मान कर उसका ध्यान कर के जो मनुष्य अपनी चित्तशुद्धि करेगा उसको भी मोक्ष प्राप्त करने का संपूर्ण अधिकार होगा। यह सब प्रदक्षिणा करते समय मुझे अधिक स्पष्ट दिखाई दिया।

लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ में दुःख तो था ही। ठेठ तक मुझे नहीं जाने देते थे उसका कारण तो यह था कि मैं विलायत हो आया था। लेकिन अस्पृश्यों को तो उनके कर्म के कारण वहाँ जाने की मनाई थी। यह कैसे सहा जा सकता है? क्या कन्या कुमारी धरपवित्र हो जायगी। क्या पुरातन काल से ऐसा ही होता चला आता होगा। अंतरमाद हुनाई दिया कि ऐसा ही ही नहीं सकता। और ऐसा ही होता चला आता हो तो भी, पुरातन होने पर भी वह पाप है। पाप पुरातन होने से पाप भिद कर पुण्य नहीं बनता। इसलिए मेरे दिल में यह बात और भी अधिक दृढ़ हुई कि इस कलंक को दूर करने के लिए महायज्ञ करना प्रत्येक हिन्दू का धर्म है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

### बंगाल

२ मई को फरिदपुर में होनेवाली बंगाल प्रांतीय परिषद् में हाजिर होने की मैं आशा रखता हूँ। मुझे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि सखर, चरका और अस्पृश्यता-निवारण का कार्य करने की लालच ही मुझे वहाँ खींचे लिये जा रही है। यही लालच मुझे बंगाल के दूसरे भागों में भी ले जायगी। जो लोग मुझे दूसरे भागों की मुलाकात करने के लिए ले जाना चाहते हैं वे इस यात्रा की व्यवस्था करनेवालों के साथ पञ्चव्यवहार करें। देवबन्धु दास इस यात्रा की व्यवस्था करनेवालों में से एक जरूर ही होंगे। लेकिन मुझे अभी आचार्य राय का सार मिला है। उसमें वे लिखते हैं कि देवबन्धु दास पटना में हैं और वे (डा. राय) यह चाहते हैं कि मैं उनके कारी के मुख्य मुख्य स्थानों की मुलाकात करने के कार्य को अपने कार्यक्रम में स्थान दूँ। इस लि मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस यात्रा के संबंध में जिन्हें कुछ सोम हो वे डा. पी. सी. राय के साथ पूरा व्यवहार करेंगे। (पं. ई.)



## टिप्पणियाँ

### मिल की पुनियाँ

मैंने सुना है कि बहुत सी जगहों में मिल की पुनियाँ कातने में इस्तेमाल की जाती है। मुझे यह कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं मालूम होती है कि मिल की पुनियाँ बड़े मोटे कटे हुए सूत के समान होती हैं और उनका उपयोग करने से तो जिस उद्देश से कातना शुरू किया गया है वह, अर्थात् हिन्दुस्तान के ७०० देहातों में कताई शक्ति करने का उद्देश ही पूरा नहीं होता है। इन देहातों में मिलों की पुनियाँ मेजना असंभव और निरूपयोगी भी है। बंबई से गांधी में भर कर मिल की पुनियाँ पंजाब में भी जाय तो यह इलाज रोग से भी अधिक हानिकारक होगा। धुनकने का धंधा अभी मिट नहीं गया है। धुनकने का काम करने वाले लोग तो सब जगह पाये जा सकते हैं। शहर और देहात में दोनों जगह इस धंधे में आमदनी हो सकती है। इसलिए युवकवर्ग इस धंधे को एक व्यवसाय के तौरपर भी सीख सकते हैं। लेकिन यह बात तो हरगिज न होनी चाहिए कि अपने नाम के योग्य किसी भी महासभा समिति में धुनकने का काम करने या सीखने के लिए सुधीता न मिल सके। महासभा के दफ्तरों में ईमानदार कर्क की या एक हिसाब रखनेवाले की जितनी जरूरत होती है उतनी ही जरूरत एक अच्छे धुनके की भी होती है।

### दो प्रश्न

मेरी दक्षिण की यात्रा में मुझे यह बात मालूम हुई कि महासभा की कुछ समितियाँ सदस्यता के बंधे के तौर पर सूत के बजाय रुपये भी ले रही हैं। मैंने यह भी सुना कि यह रिवाज करीब करीब सार्वभौमिक हो गया है। एक सदस्य और संपादक की हैसियत से मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि यह कार्रवाई खिलाफ कानून है। यह बात दरअसल खिलाफ कानून है या नहीं इसका महासभा समिति निर्णय करेगी। ऐसे मामलों में मुझे प्रमुख की हैसियत से एकबारगी अपना निर्णय दे देने की इच्छा नहीं है। लेकिन एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य की तरह सामान्य बुद्धि के मनुष्यों के लिए लिखते समय मैं महासभा के सदस्यों को यह बात याद दिलाना चाहता हूँ कि सूत के बंधे में रुपयों के रूप में चन्दा देने के सवाल पर बहस की गई है और उसे नामंजूर किया गया है। चन्दे के तौर पर सूत देने का नियम रखने में जो ब्याज रक्खा गया है वह यह है कि हरएक शख्स जो महासभा में शामिल होना चाहे वह स्वयं ही खराब और अच्छे सूत की पहचान करना सीख के और उसे खरीद करने की तकलीफ भी स्वयं उठावे। महासभा की किताबों में तो सिर्फ सूत मिलने का ही उल्लेख रहना चाहिए। उसमें रुपयों के रूप में किसीका भी चन्दा जमा नहीं करना चाहिए। रुपयों के रूप में चन्दा लेना नियम का भंग करना है। मैं तो एक कदम आगे बढ़ कर यह भी कहूँगा कि हमारे सम्झौते पर तात्त्विक दृष्टि से विचार किया जाय तो महासभा-समितियों को सिर्फ खूद कातनेवाले सदस्य प्राप्त करने की ही कोशिश करनी चाहिए। जो खूद कातना नहीं चाहते हैं वे अपना चन्दा (सूत) तो किसी तरह मेज सकते हैं लेकिन समितियों को तो खूद कातनेवालों को ही सदस्य बनाने की जरूरत कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मेरी राय में तो समितियों का यह कर्त्तव्य है कि वे चन्दे का सब रुपया वापस कर दें। जो सूत खरीदना चाहें, उन्हें आवश्यकता सूत पूरा पाने की खानगी संस्थाओं को व्यवस्था करनी चाहिए। जबतक इन प्रश्नों की रक्षा नहीं की जायगी

तबतक हम यह नहीं कह सकेंगे कि सदस्यता की इस नयी धरत की पूरी पूरी आवश्यकता की गई है। ऐसे खूद कातनेवाले कुछ सौ सदस्य भी यदि महासभा में रहेंगे जिन्हें किसी बाहरी दरवाह की आवश्यकता नहीं है लेकिन जो सिर्फ महासभा के सदस्य हैं इस अभिमान से ही उत्साहित होकर कातते हैं तो तबतक खूद मुझे तो उसकी कुछ भी परवाह न होगी। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वे समितियाँ जिन्होंने सूत के बजाय रुपये लिए हैं सब रुपये लौटा देंगी और सदस्यों को यदि वे सदस्य रहना चाहें तो हाथकता सूत मेजने की सलाह देंगी। यदि इससे वे सदस्य नाराज हो जायें तो उन्हें हक है कि वे महासमिति का निर्णय प्राप्त करें।

और दूसरा प्रश्न तो अभी सिर्फ मैं बंबई पहुंचने पर ही जान सका हूँ। मैंने सुना कि कुछ सज्जन ऐसे हैं जो सब खादी के कपड़े पहने बिना ही महासभा-समिति की बैठक में बराबर शामिल हो रहे हैं। मेरी राय में ऐसे शख्सों को जबतक वे हाथकता और हाथपुनी खादी नहीं पहनते हैं समिति की बैठक में शामिल होने का कोई हक नहीं है। इस दशा में वे न कुछ बोल सकते हैं और न अपना मत ही दे सकते हैं।

### मेरी जवाबदेही

अखबारों में मेरे ब्याख्यानों की रिपोर्टें छपती हैं उसके संबंध में मुझसे कितने ही प्रश्न किये जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का जवाब देना मुझे अशक्य मालूम होता है। मैं अखबार नहीं पढ़ता क्योंकि मैं उन्हें पढ़ नहीं सकता हूँ। बहुतसा समय तो सफर ही में बीत जाता है। इसलिए मेरी डाक भी मुझे बहुत देर से मिलती है। और सफर करते हुए ब्याख्यान भी खासे देते पढ़ते हैं। ऐसी दशापात्र स्थिति में मैं किसको जवाब दूँ और किसको न दूँ यह एक सवाल है। अपने देश में ब्याख्यानों का रिपोर्ट के लक्ष्य ऐसे शांतिपूर्ण जाननेवाले लेखक भी बहुत कम मिलते हैं। इसलिए मैंने अखबारों में मेरे ब्याख्यानों की जितनी भी रिपोर्टें पढ़ी हैं उनमें से शायद ही कोई मुझे पसंद आयी होगी। एक शब्द के कर्क से भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए मेरी सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि यदि वे मेरे ब्याख्यान अखबारों में पढ़ें और वे उन्हें मेरे प्रसिद्ध विचारों के विकृत मालूम हों तो वे यही मान लें कि मैंने ऐसा कहा ही न होगा। जितना भी संभव करने योग्य है, सब "नवजीवन" में देने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अलावा जो कुछ मैं कहता हूँ स्थान विशेष के भोताओं को उद्देश्य कर कर कहता हूँ। इसलिए उसको लिपिबद्ध कर उसका संग्रह न किया जाय तो उससे मुझे कुछ भी दुःख न होगा। लेकिन जिन्हें मेरे विचार प्रिय हैं उन्हें भी तो उसमें कोई दुःख का कारण नहीं है। जुदे जुदे प्रकार से सजाये गये वही विचार उन्हें मिले तो भी क्या और न मिले तो भी क्या! आज जिस बात की अधिक आवश्यकता है वह तो यह है कि जो कुछ भी सुना हो या पढ़ा हो उसे अच्छी तरह हजम कर लिया जाय और उसके मुताबिक व्यवहार रक्खा जाय। ज्यादा पढ़ने से संभव है कि लक्ष्य के बंधे हानि भी हो।

(य. ई.)

जी० क० चौधरी

### आजम अकनाबली

चौधरी आशुति उपकर तैयार हो गई है। छठ संख्या ३६८ होते हुए भी कीमत सिर्फ ०-२-० रखी गई है। डाकघर खरीदार को देना होगा। ०-२-० के टिकट भेजने पर पुस्तक बुकपोस्ट से खरीद रक्खाना कर ही जायगी। बी. पी. का विसय नहीं है।

व्यवस्थापक

हिन्दी-नवजीवन



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

पृष्ठ ४ ]

[ अंक ३५ ]

मुद्रक-प्रकाशक केपीलाक छापाखाना दूब	अहमदाबाद, क्षेत्र सुधी १५, संचत् १९८१ गुरुवार, ९ अगस्त, १९२५ ई०	मुद्रणस्थान-नवजीवन, मुद्रणालय, खारंगपुर सरकीपरा की बाड़ी
--	--	---

## दो संवाद

बहुतेरे विद्यार्थी मुझसे तरह तरह की बातें पूछते हैं। कितने ही तो मुझे खूब रिक भी करते हैं। कितने ही शान्तभाव से कुछ पूछ कर बड़े जाते हैं। दोनों तरह के संवाद इधर कुछ दिनों में हुए हैं। वे पढ़ने योग्य हैं।

### संवाद पहला

देन की बात है। मदर्शत से लौट रहा था। थका हुआ था। थका हुआ काम लिख कर पूरा कर रहा था। इतने में देन एक हटोकान पर खड़ी हुई। एक विद्यार्थी इजाजत के कर बिन्बे में आया हाल ही उसने अपनी पढाई कतम की थी। अन्दर आकर मुझसे पूछा—

‘आप वाइकोम से आते हैं?’

‘जी हाँ।’

‘वाइकोम में क्या हुआ?’

मुझे यह सवाल ठीक न मालूम हुआ। मैंने पूछा—‘आप कहाँ रहते हैं?’

‘मलाबार में’

उसके हाथ में दो अखबार थे। मैंने पूछा—‘आप अखबार पढ़ते हैं?’

‘मुझे सफर करना पड़ता है। कैसे पढ़ सकता हूँ?’

‘आपके हाथ में ‘हिन्दू’ जो है। उसमें वाइकोम के समाचार मिलेंगे।’

‘पर मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ।’

‘आपकी तरह यदि सब लोग मुझसे पूछें और सभीको जवाब देना पड़े तो मुझे और काम करने का समय ही न रहे। आपने इसका विचार किया है?’

‘पर मुझे तो आप खबर दे सकते हैं।’

‘आप यं. इ. पढ़ते हैं?’

‘नहीं, मुझे तो पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। मैं ‘टार्निंग’ पढ़ता हूँ। क्योंकि मुझे बड़ मिल सकता है।’

‘तो मैं आपको अपना समय नहीं दे सकता। आप न ‘हिन्दू’ पढ़ते हैं न ‘यं० इ०’ तो इस तरह इस मिनिट में अखबारक दुई भेट में मैं: हाल आपको सुनाऊँ? मुझे माफ कीजिए।’

‘तो आप मुझे कुछ हाल न सुनाइएगा।’

‘मुझे माफ कीजिए। आप खादी तक तो पहनते नहीं। मुझे फ्यूल दिक् करते हैं।’

‘पर आपका कर्तव्य है कि आप मुझे खबर दें।’

‘आपका कर्न है कि खादी पहनें।’

‘मेरे पास छपया नहीं।’

‘आपने खोने के बटन पहने हैं। मुझे दे दीजिए, मैं आपको खादी पहुँचवा दूंगा।’

‘बटन तो मैंने अपने चौक के लिए पहने हैं। मैं क्यों दूँ?’

‘तो अब मुझे माफ कीजिए।’

‘यदि इस तरह मैं खादी न पहनूँ तो क्या आप मुझे हाल न सुनाइएगा?’

‘आप चौक से ऐसा मानिए, पर अब छपया मेरा पीछा छोड़िए।’

‘आप नों ही कहिए न, आप मुझे खबर सुनाना नहीं चाहते?’

‘अच्छा ऐसा ही सही।’

‘पर आपके इस व्यवहार को मैं अखबारों में प्रकाशित करूँगा।’

‘चौक से कीजिए; पर अब आप मुझे अपना काम करने दीजिए।’

‘मुझसे कितना होता है उतना करता हूँ। मैंने मलाबार फंड के लिए सौ-एक रुपये भी एकत्र किये थे।’

‘इतना होने पर भी गरीब लोगों की बुनी खादी पहनने को आपका जी नहीं चाहता।’

‘जब कि वहाँ लोग भूखों मरते हैं तब आपको कातने की सुझती है, यह बात मैं कहाँ नहीं जानता हूँ?’

‘इसकी चर्चा हम यहाँ न करें।’

‘तो मैं जाऊँ ही।’

‘हाँ, जरूर।’

मुझे अंधेसा है कि इस भाई को मैं समझा न सका कि जिस बात को वे आसानी से अखबारों में पढ़ सकते थे उसके लिए मुझसे सवाल पूछ कर उन्हें मेरा अर्थात् देश का समय न केना चाहिए। उनके बड़े जाने के बाद मेरे मन में ये भाव उठे कि यदि उनके साथ गंभीरता से पेश आने के बदले मैंने विनोद भाव से काम लिया होता तो मैं उन्हें कुछ कर सका होता। हाँ, मेरा

समय अकबरो व्यावृत्त जाता। किन्तु मुझे डर है कि अपनी गंभीरता से तथा उससे उत्पन्न कठोरता से मैंने एक सेवक गंवा दिया। अहो! अहिंसाधर्म कितना कठिन है! चाहे किसी काम में हो; पर हमें सावधान रहना चाहिए। हमारी बातें सुननेवाले या हमें देखनेवाले के हृदय में प्रवेश करने का प्रयत्न प्रतिक्षण होना चाहिए। अहिंसाधर्म का पालन करनेवाले के लिए समय क्या चीज है, सुविधा कौन वस्तु है? सुविधा हो या न हो, समय हो या न हो। अहिंसावादी तो दास है, सेवक है, सेवा के लिए वह संघार के हाथ बिक चुका है। मैंने अपना समय बचाया, अपनी सुविधा का काल किया, मैं शिक्षक बनने गया और शिक्षा देते हुए शिष्य को गंवा दिया! कैसा मैं शिक्षक? विवेकहीन मनुष्य पशु के बराबर है। तुलसीदास ने तथा तमाम संतों ने यही साया है।

### पूखरा संवाद

शिक्षक मैं शिक्षक बनने गया वह मेरा शिक्षक हुआ था। उससे सावधान हो कर मैं पूखरे सेवक को गंवाना न चाहता था। मैं बहुत सावधान था। यह विद्यार्थी पंजाबी था। पंजाबी जितने मिले हैं सब दिनगी ही मिले हैं। इस विद्यार्थी के विनय के सीमा न थी। इसलिए मुझे अपनी सावधानता का उपयोग ही न करना पड़ा।

‘कोई पांच सास से मैं आपके श्रान्त करने की कोशिश कर रहा था। आज मनोरथ पूरा हुआ।’

‘भले आये। कुछ खास पूछना है?’

‘बदि इजाजत हो तो एक-दो बातें अपने चिन्तन के लिए पूछना चाहता हूँ।’

‘कौक से पूछो।’

‘क्या आप मानते हैं कि मैं चरखे के द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त कर सकता हूँ?’

‘नहीं। मैंने आप जैसों के लिए आजीविका के साधन के तौर पर चरखे की सिफारिश नहीं की है। आप जैसों के लिए तो चरखे बतौर एक यज्ञ के हैं।’

‘तब मुझे क्या करना चाहिए?’

‘बदि मैं आपको समझा सकूँ तो मैं यह अस्तर कहूँगा कि आप निर्वाह के लिए धुनकने और धुगने का काम करें। इसे आप सीख भी आसानी से सकते हैं।’

‘पर उससे मैं अपने कुटुम्ब की गुजर कर सकूँगा?’

‘हां, यदि सब लोग उस काम में हाथ बटावें।’

‘यह मुझ जैसे के कुटुम्ब के लिए असंभव है। आप देखते ही हैं कि मैं खादी पहनता हूँ। कातता भी हूँ। मैं उसका कामका भी हूँ। पर अपने कुटुम्बियों को उसके प्रति विश्वास कैसे पैदा करा सकता हूँ? और विश्वास हो भी जाय तो वे इस काम को करने के लिए तैयार न होंगे।’

‘आपकी इस कठिनाई को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। फिर भी आप और मुझ जैसे अनेक लोगों को अपना रहन-सहन बदलना होगा। नहीं तो हमारे देश के सात लाख देहात के लिए सिंवा निराशा के और कुछ भी न दिखाई देगा।’

‘मैं इस नीति को समझता हूँ; पर उसके ग्रहण करने की शक्ति आज नहीं। ऐसा आशीर्वाद कीजिए कि वह मुझे आ जाय। परन्तु तबतक मुझे क्या करना चाहिए?’

‘इसकी खोज करना काम है आपका और आपके घर वालों का। मैंने अपनी आदर्श आपके सामने रख दिया है।’

‘मैं बदि ‘पाटरी’ (कुम्हारगिरी) सीखूँ तो।’

‘वह है तो उपयोगी। उससे आपको आजीविका मिलेगी और यदि पूंजी होगी और कारखाना खड़ा करोगे तो उससे औरों की भी गुजर चकेगी। पर आप कुबूल करेंगे कि उसमें आपको कितने ही मजदूरों का दुष्प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें कम दाम देकर अपने लिए व्यावृत्त रखा रखना पड़ेगा।’

‘हां, यह सच है। पर मैं ठहरा एक शहर में रहनेवाला आदमी। फिलहाल तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं और कुछ न कर सकूँगा। फिर भी आपकी बात को मैं कभी न भूलूँगा। आपकी आशीर्ष तो है न?’

‘हां, हरएक शुभ कार्य में हरएक विद्यार्थी को मेरी आशीर्षाई हुई है।’

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गंधी

### राजस्थान में खादी-कार्य की सुविधा

भाई श्री शकरलाल बैंकर यह बात अपने पत्र में प्रकट कर ही चुके हैं कि राजस्थान में खादी पैदा होने की कितनी आशा है। इस सप्ताह मुझे उनके ल्था भाई श्री मगनलाल गंधी के साथ खादी उत्पाति के एक केन्द्र में खादी-उत्पाति के प्रत्यक्ष कार्य को देखने तथा कार्यकर्ताओं से मिलने का सु-अवसर मिला। उस केन्द्र का नाम है अमरसर। यह जयपुर-राज्य के अन्तर्गत है। जयपुर झुण्डू लाइन पर गोविंदगढ स्टेशन से कोई १६ मील है। जंट या बेल-गाडी पर आना पड़ता है। हम लोग जंट पर गये थे। अमरसर के आस-पास अजीतगढ, मनोहरपुर, बीमू, गोविन्द गढ, वैराट, सामोद आदि गांवों में कोई १० हजार चरखे और कोई १ हजार चरखे आज भी चलते हैं। इनमें फिलहाल कोई २०० चरखे मुम्बिकल से तानी बानी दोनों में हाथ-कता मूल बुनते होंगे। बाकी में या तो एक मूल हाथ और एक मिल का अथवा दोनों मिल के लगाते हैं। ये अंक अमरसर के आसपास के ही हैं। यों तो जयपुर-राज्य के सारे तुंडाड इलाके में कताई-बुनाई का काम बहुत होता है। हम लोग दो-तीन दिन रहे। उसमें सारे इलाके के अंक न प्राप्त हो सके। हम सिर्फ मलिकपुर, गोविंदगढ और अमरसर का ही दौरा कर पाये।

मलिकपुर गोविंदगढ से कोई एक मील है। गांव में कोई २०० घर होंगे। कोई दस-बारह घर बलाइयों के हैं, जो बुनने का काम करने हैं। बलाई एक अछूत जाति है। मगर इस तरह मश्रस तो दूर, काठियावाड और गुजरात की तरह भी अस्तुदयता का राक्ष्य नहीं है। यहाँ इन्हें अर्ध-अछूत समझिए। इस एक बलाई के घर गये। बूटा और उसकी बुडिया सिर्फ दो प्राणी थे। छोटे से अंधेरे घर के एक कोने में करघा लगा हुआ था। हम पांच आदमियों के बैठने लायक जगह भी उसके घर में न थी। हम घुटने लगता था। बूटे की कमर में कच्छ और सिर पर फटी पगड़ी के सिवा कुछ न था। पेट अन्दर धंसा हुआ था। चरखे पर तानी धिक के मूल की थी। तानी का ऊर्ज कोई २७ इंच था। चरखे के ऊपर एक मिल की ओठनी और मिल के मूल की धोती लटक रही थी। बुडिया के बदन पर भी मिल की ओठनी थी। कोई दो घंटे तक बूटे और उसकी बुडिया तथा एक और बलाइन के साथ बडी मनोरंजक, बोधवर्धक और शिक्षाप्रद बातचीत हुई। तरह तरह के कोई १०० प्रश्न पूछे गये होंगे। उनके उत्तर में जो आमकारी हमें मिली, उनके जिन भावों, धारणाओं और कठिनाइयों तथा अन्त को उनकी जिस प्रतीति का परिचय मिला उसका अस्तर मेरे दिल पर बड़ा गहरा हुआ। यह सारी बातचीत यहाँ देना असंभव है।

मेरी जिन्दगी में उस दृश्य के देखने का वह पहला दिन था। सावगी, सरलता, भोलापन, सबकुछ का परिचय उनके उत्तर से पद पद पर मिलता था। हर सबाल को वे समझते थे, समझने की कोशिश करते थे और उसका सीधा-सही जवाब देते थे। उनकी बातचीत का सार इस प्रकार है—

स०—सूत कहां से खरीदते हो ?

ज०—गोविंदगढ़ या जयपुर से।

स०—वहां सूत तैयार होता है ?

ज०—नहीं; सुनते हैं, वहां के बनिये ब्याबर, अहमदाबाद, बंबई आदि के कारखानों से लाते हैं।

स०—तो इस सूत का पैसा कहां जाता है ?

ज०—कारखानों में।

स०—वे इस रुपये से क्यादह सूत और कपड़ा बनाते हैं, हमसे तुम्हारा फायदा है या नुकसान ?

ज०—फायदा काहे का ? ( गर्दन पर उंगली फेर कर ) हमारी तो गर्दन कट गई—सारा धंधा डूब गया !

इस समय बूढ़े के चेहरे पर विषाद की एक गहरी छाया बिल पड़ी।

स०—तो फिर तुम कारखाने का सूत क्यों लगाते हो ?

ज०—क्या करें, रिवाज ही ऐसा पड़ गया है।

स०—पर जिस सूत में तुम्हारे धन्धे की जड़ कटती है, तुम्हारे बालबच्चों की रोजी जाती है उसका बरतना कहाँ तक ठीक है ?

ज०—बिल्कुल ठीक नहीं।

स०—तो फिर आज से कल-कारखाने का सूत छोड़ दोगे न ?

ज०—हां, क्यों नहीं; पर चग्गे का मूल अच्छा मिलना नहीं और मेरे पाम कणा भी बेसी नहीं।

स०—अच्छा इसकी सुविधा की कोशिश की जायगी; पर समझते हो न, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा ?

ज०—हां, महाराज! हमारा धन्धा फिर सजीवन हो जायगा। इस समय बूढ़े का चेहरा ऐसा खिल गया था मानों हूबते को किनारा दिखाई दिया हो।

एक मोर्चा सिर करने के बाद सबालों की दिशा बदली। “तुम्हारे पास कुछ धन है ?” बूढ़ा इस अजीब और अनोखे सबाल पर चकराया उसने चौंक कर कहा—“धन, महाराज ! ( सिर पीट कर ) माथे है माथे ! ( अर्थात् उल्टा सिर पर कर्ज है )।

स०—तो फिर हम धोनी और ओढ़नी का रुपया कारखाने में क्यों भेजते हो ?

ज०—मूरखता है महाराज। हमारे पास बड़े अज के सांचा नहीं है।

स०—उसका तो इन्तजाम हो सकता है, पर सोचने की बात है कि तुम्हारा धन्धा डूबते हुए भी, तुम खुद कपड़ा बुनते हुए भी, कितने ही साइरों के फैशनेबल लोग तो तुम्हारे धन्धे के उद्धार के लिए मलमल छोड़ कर रेजी पहनते हैं और तुम कारखाने का पहनते हो, यह कैसी उल्टी बात है ?

ज०—हां, महाराज ! अब भी न कारखाने का सूत बुनना न पहनना। यह तो हमारे ही फायदे की बात है।

अब बुढ़िया से और दूसरी बलाइन से बातें होने लगीं। कौनों कारखाने के सूत की ओढ़नी छोड़ कर चरखे की कती और अपने घर की बुनी रेजी पहनोगी न ?

ज०—अकेली के पहनने से क्या होता है ? सब पहनें तब न ?

स०—सब लोग कोई बुरा काम करते हों और हमें माखम हो जाय कि वह बुरा काम है तो क्या हम औरों के छोड़ने की राह देखेंगे ? दूसरे लोग गैर होकर तुम्हारे बाल-बच्चों की रोजी के लिए खादी पहनते हैं और तुम मां होकर इस बच्चे का पेट काटती हो। घर की रोटी छोड़कर बनिये से रोटी खरीदना उचित है ?

ज०—नहीं महाराज ! अच्छा, अब से न पहनेंगी। पर जो कपड़ा हमारे पास है उसको क्या करें ?

वही सबाल एक दूसरे बलाई ने भी किया जो वहां खड़ा हुआ बड़े चाव से बातें सुन रहा था।

‘ कोई बुरी चीज घर में हों तो यह माखम होने पर कि वह बुरी चीज है, क्या करोगे ? यह कहोगे कि अच्छा, इतनी खतम हो जाने पर फिर न बरतेंगे ? ’

यकीन हो जाने की प्रफुल्लता उनके चेहरों पर छिटक उठी। बड़े आनन्द के स्वर में दोनों ने कहा—

‘ हां, महाराज समझ गये—आज से प्रतिज्ञा करते हैं कि न कारखाने का कपड़ा पहनेंगे, न बुनेंगे । ’

‘ देखो, थोड़े दिन बाद फिर हम यहाँ आवेंगे। तब हम तुमको खादी पहने हुए देखेंगे । ’

‘ जरूर, जरूर ! ’

इस बातचीत ने यह असर मेरे दिल पर छोड़ा कि जिस समस्या को समझने और समझाने के लिए बड़े बड़े अर्थशास्त्री दिमाग छीलते रहते हैं वह कितनी सरल और सीधी है और वे लोग उसे किस तरह इशारे में समझ लेते हैं जिनकी जीविका विदेशी और मिल के कपड़ों ने छीन ली है। यदि हमें यह देखना हो कि कपड़े और सूत के बड़े बड़े कल-कारखानों ने देश के निर्धन लोगों को किस तरह तबाह किया है, तो इसका दृश्य लाइब्रेरियों में और अर्थशास्त्रियों के दिमाग में नहीं बल्कि इन दीन-हीन जुलाहों और कातनेवालों के निराधार दुर्जीवन के एक एक परमाणु में अलीभांति दिखाई दे सकता है। ( अपूर्ण )

जयपुर

२-४-२५ ।

हरिभाऊ उपाध्याय

### पति का कर्तव्य

एक महाशय प्रश्न करते हैं—यदि संयम-धर्म के पालन में पत्नी की सहायता न हो तो पति को क्या करना चाहिए ? मेरा अनुभव तो यह कहता है कि संयम के पालन में एक को दूसरे की अनुमति की जरूरत नहीं। भोग के लिए दोनों की रजामन्दी होनी चाहिए। त्याग तो प्रत्येक का सास क्षेत्र है। परन्तु ऐसी बातों के लिए विवेक की बहुत आवश्यकता रहती है। संयम सच्चा संयम होना चाहिए। पुरुष को अपने मन की खूब जांच कर लेनी चाहिए। विवेक और छुद्र प्रेम से पति पत्नी को अपने कार्य में सम्मत रख सकता है। हां, यह संभवनीय है कि पति ने जितना ज्ञान प्राप्त किया है उतना पत्नी ने न किया हो। अतएव पति का धर्म है कि पत्नी को भी वह अपने ज्ञान में भागी बनावे। इस तरह जहां घर-संसार विवेक-पूर्वक चलता हो वहां संयम के पालन में कठिनाई नहीं पड़ती। मेरा यह अभिप्राय है कि संयम के पालन में श्री ही आगे रहती है। पति ही उसे उससे रोका करता है। इस कारण यह प्रश्न मुझे वैतुका माखम होता है। फिर भी यह समझ कर कि जवाब देना उचित है, कुछ सकोच के साथ दिया है। ( न० जी० ) जी० क० गांधी

## हिन्दी-नवजीवन

धुलवार, पत्र बुंदी १५, संवत् १९८१

### क्रान्तिकारी के प्रश्न

पिछले किसी अंक में मैंने एक क्रान्तिकारी महाशय को उत्तर देने की कोशिश की थी। उन्होंने मेरे उत्तर से उत्पन्न होनेवाले कितने ही प्रश्न पूछे हैं और उनका जवाब मांगा है। मुझे उनका आह्वान खुशी के साथ मंजूर है। ऐसा मान्य होता है कि वे भी मेरी तरह अधिक प्रकाश की खोज में हैं। उनकी हलकों का अंग भी अच्छा और बहुत-कुछ विकार रहित है। जबतक वे शांत चित से विचार करना चाहेंगे तबतक मैं इस चर्चा को जारी रखूंगा। उनका पहला सवाल यह है—

“क्या आप वाकई यह मानते हैं कि भारत के क्रान्तिकारी स्वराजियों, विनीत तथा राष्ट्रीय हलकों से कम स्वार्थवागी, कम उच्चहृदय और कम देश-भक्त हैं? क्या आप किसी स्वराजी, या विनीत आदि हलकों में से कुछ नाम ऐसे पेश करने को अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो चुके हों? आप और हलों के साथ तो समझौता करने की हमेशा तैयार रहते हैं; पर हमारे एक से दूर भावते हैं और उनके भावों को 'जहर' बताते हैं। उन्हें आप क्यों नहीं 'गुराह देशभक्त' और 'जहरीले साप' कहते?”

मैं भारत के क्रान्तिकारियों को और लोगों की अपेक्षा कम स्वार्थवागी, कम उच्चहृदय या कम देश-भक्त नहीं मानता। पर मैं यह बात बड़े आदर के साथ जरूर कहूंगा कि उनका यह स्वभाव, उच्चहृदयता और प्रेम केवल अर्थ प्रदान ही नहीं है बल्कि अज्ञान-मूक और विपश्यामी भी है और उसके बदौलत दूसरी तमाम हलकों की अपेक्षा अधिक हानि देश को पहुंची है। क्योंकि क्रान्तिकारियों ने देश की प्रगति का कदम रोक दिया है। प्रतिपक्षी के प्रार्थों की उच्छ्वसल अवहेलना ने ऐसे दमन का आवाहन किया है जिससे उनकी युद्ध-रीति में शारीक न होनेवाले लोग पहले से ज्यादा भीड़ हो गये हैं। दमन केवल उन्हीं लोगों को कामवा पहुंचाता है जो उसके लिए अपनेको तैयार कर लेते हैं। परन्तु क्रान्तिकारियों की हलकों के बदौलत होनेवाले दमन के लिए जवता तैयार नहीं है। उनकी हलकों जिस सरकार को मटियामेट कर देना चाहती हैं उसीके हाथ दमन के लिए मजबूत बना देती है। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि यदि चौरीचौरा में वह हत्याकाण्ड न हुआ होता तो बारबोली में जो प्रयोग किया जा रहा था उसके बदौलत स्वराज्य की स्थापना तो गई होती। ऐसी हकत में यह क्या कोई आश्चर्य की बात है जो मैं क्रान्तिकारियों की गुराह और इसलिए खतरनाक देशभक्त कहना हूँ? मैं अपने उस छबके को जरूर गुराह और खतरनाक परिचारक कहूंगा जो अपने अज्ञान या अंध प्रेम के कारण उन वेशों से प्राण की बाजी लगा कर लबा हो, जिनकी चिकित्सा प्रणाली से निस्तन्हेह मुझे हानि पहुंची है परन्तु जिससे मैं अपनी हल्का या योग्यता के अभाव में बच नहीं सकता था। इसका फल यह होगा कि मैं अपने शरीक लडके को गवा बूंगा और वेशों की नाराजगी अपने सिर लूंगा यही नहीं बल्कि देश इस बात के ऊपर कि मेरा भी हाथ अपने बेटे की कारवाहियों में होगा, मुझे

सजा देना चाहेंगे, और उनकी वह हानिकर चिकित्सा जो जारी रहेगी सो तो अलग ही। यदि उस पुत्र ने उन वेशों को उनकी गलती या मुझे अपनी कमजोरी-मह कि उनकी दवा लेता हूँ-का कायल करने की कोशिश की होती तो संभव है कि वेशों ने अपने तरीके में सुधार किया होता, या मैंने उनका इलाज छोड़ दिया होता या कम से कम उनके रोष से तो जरूर बच गया होता। हाँ, मैं जरूर दूसरे दलवालों से समझौते करता हूँ; क्योंकि यद्यपि मैं उनसे सहमत नहीं होना तथापि मैं उनकी हलकों को बंदी निश्चयात्मक हानिकर नहीं समझता जैसी कि क्रान्तिकारियों की हलकों को समझता हूँ। मैंने क्रान्तिकारियों को 'जहरीला साप' क नहीं कहा है। परन्तु जिस तरह कि पूर्वोक्त उदाहरण। अपने गुराह पुत्र की कुरबानी की मैं तारीफ नहीं करूंगा सी तरह मैं क्रान्तिकारियों के आत्मत्याग पर भी चिन्न-पों मचाऊंगा। मुझे इस बात का निश्चय है कि जो लोग बिना अच्छी तरह विचारे या निश्चया भावुकता से दबे-छुपे या खुले आम क्रान्तिकारियों की या उनके आत्मत्याग की प्रशंसा करते हैं वे उनकी और अपने प्रिय कार्य की हानि ही करते हैं। लेखक ने चाहा है कि मैं अ-क्रान्तिकारी हलकों में से ऐसे देशभक्तों का नामोल्लेख करूँ जिन्होंने देश के लिए अपना प्राण-त्याग कर दिया है। इस पत्तियों को लिखते समय मुझे दो पुरे उदाहरण याद पड़ने हैं। गोखले और तिलक ने अपने देश के लिए प्राण दिये। उन्होंने अपनी तन्दुरुस्ती का प्रायः कुछ भी ख्याल न रखते हुए देश की सेवा की जिससे वे आवश्यकता से बहुत पहले ही सुरपुर की जल बटे। फाँसी के तहते पर ही मरने में कोई आस बहार नहीं है। रोगोत्पादक स्थानों में कहीं मिहनत और मशकत करनेवाले एक आदमी के जीवन से मेरी इस मीने कहीं आसान है। मुझे इसी बात पर पूरा सन्तोष है कि स्वराजियों तथा दूसरे दलवालों में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें यदि सकीन हो जाय कि हमारी मृत्यु से देश का उद्धार हो जायगा तो वे उसी क्षण अपने प्राण दे देगे। मैं अपने इन क्रान्तिकारी मित्र से कहता हूँ कि फाँसी पर चढ़ कर मरने से देश की सेवा तभी होती है जब कि चढ़ने वाला 'निर्दोष निष्कलक' हो।

“क्या यह कहने से कि भारत का रास्ता योरप का अंगीकृत मार्ग नहीं है, आपका यह अभिप्राय है कि भारत में पहले युद्ध-रीति और सेना-संगठन या ही नहीं। सरकार के लिए युद्ध क्या भारत के भाव के विकस है? 'विनाशाय च दुष्कृताय' क्या योरप से आया बचन है? क्या योरप को अच्छी नीज भी आप न लेगे?”

मैं यह नहीं कहना कि योरप के संपर्क में आने के पहले भारत में सेना, युद्धरीति आदि न थे। पर मैं यह जरूर कहता हूँ कि वह भारतीय जीवन का साधारण अवस्था इरगिज न थी। जनता योरप के विकास युद्ध-वृत्ति से अछुती थी। मैं इन प्रश्नों में पहले ही कह चुका हूँ कि मैं गीता का भाग्यी प्रचलित अर्थ से बिल्कुल मित्र ही अर्थ करता हूँ, जिससे कि लेखक ने वह प्रसिद्ध बचन उद्धृत किया है। मैं उसे शारीरिक युद्धों का वर्णन या प्रतिपादन नहीं मानता। और हर हालत में पूर्वोक्त श्लोक के अनुसार तो वह सर्वज्ञ ईश्वर ही दुष्टों के विनाश के लिए पृथ्वी पर अवतार लेता है। और यदि मैं हर क्रान्तिकारी को सर्वज्ञ ईश्वर या अवतार न मानूँ तो मुझे इसकी माफी मिलनी चाहिए। मैं योरप की हर चीज को हर समय के लिए बुरा नहीं कहता। पर हाँ, मैं अच्छे काम के भी लिए की गई युद्ध हत्याओं की तथा अन्यायपूर्ण शासनों को सदा सर्वदा के लिए बुरा कहता हूँ।



“क्रान्तिकारी इस भौगोलिक बात को जानते हैं कि भारतवर्ष कलकत्ता और मंबई नहीं है। पर हम यह भी मानते हैं कि सुडानर सूतकार मिलकर भारत राष्ट्र नहीं हो जाता है। हम देहात में जा रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। क्या आप नहीं खयाल करते कि किसी शैतानियत या नीचता के प्रतिकार के लिए आपके अहिंसा-प्रचार के गलत अर्थ से उत्पन्न क्रियाशून्यता या सैद्धान्तिक भीरुता की अपेक्षा गुप्त बध्यन्त्र कहीं बेहतर है? अहिंसा कमजोर और असहाय का सिद्धान्त नहीं, बलवान् का है। हम देहात में ऐसे लोग पैदा करना चाहते हैं जो किसी भी अनसर पर शत्रु से न डरें—जो नेक काम करें और मरें। क्या मैजिनी की तरह आप मानते हैं कि शहीदों के खून का भोजन मिलने से कल्पना और भाव जल्दी परिपक्व होते हैं?”

कलकत्ता और रेलवे के बाहर के गांवों की भौगोलिक भिन्नता का ही ज्ञान काफी नहीं है। यदि क्रान्तिकारी इन दोनों की रचना का भेद जानते होते तो वेगी तरह सूतकार हो जाते। मैं यह स्वीकार कर बैठा हूँ कि यंत्रे सूतकारों से जो हमारे पास हैं भारत राष्ट्र नहीं बनता है पर मेरा यह दावा है कि पहले की तरह सारे हिन्दुस्तान का सूत कानने लगना सम्भवनीय है और जहाँ तक सहाजुभूत से तात्त्विक है, लाखों लोगों का सहाजुभूत इस हलचल के साथ है, हाँकि क्रान्तिकारियों के साथ वे कभी न रहेंगे। मुझे क्रान्तिकारियों के इस दावे पर शक है कि देहात में उन्हें सफलता मिल रही है। पर यदि बाकई यह बात सच है तो मुझे इस पर खेद है। मैं उनकी कोशिशों को तोड़ने में कोई बात न उठा सकूँगा। किसी शैतानियत के मुकाबले में मध्याह्न बध्यन्त्र रचना भागों शैतान को शैतान से निष्का देना है। पर चूँकि एक ही शैतान मेरेलिए बहुतेरे शैतान के बराबर है इसलिए मैं उसकी शंका ब्रह्म न होने दूँगा। मेरी हलचल क्रियाशून्य है या पूर्ण क्रिया-मय है, यह तो सायद अभी मात्तम होना बाकी है। तबतक यदि एक गज की जगह दो गज सूत कता तो उससे उतना ही लाभ होगा। भीरुता फिर बह चाहे सैद्धान्तिक हो वा और तरह की हो, मैं उससे घृणा करता हूँ। यदि कोई मुझे यह समझा दे कि क्रान्तिकारियों की हलचल से भीरुता दूर हो गई है तो इससे मेरी घृणा गुप्त साधनों की तरफ बहुत कम हो सकती—सिद्धान्त का दृष्टि से मैं उनका विरोध क्यों न करता रहूँ। लेकिन यह बात तो कोई सरसरी नजर से देखनेवाला भी जान सकता है अहिंसात्मक हलचल के कारण देहात के लोगों में वह साहस और डीढ़ता आ गई है जो कुछ ही साल पहले उनमें न थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि अहिंसा सबल का शक्ति है। मैं यह भी मानता हूँ कि अक्सर लोग भीरुता को भी गलती से अहिंसा मान लेते हैं।

ये क्रान्तिकारी महाशय जब यह कहते हैं कि क्रान्तिकारी यह है जो नेक काम करता है और उसके लिए मरता है, तब वे उसी बात को गृहीत कर लेते हैं जिसे उन्हें साबित करना है। और इसी बात पर तो मैं आपत्ति उठा रहा हूँ। मेरी राय में तो क्रान्तिकारी घुरा करता है और घुरा करते हुए मरता है। मैं बध, हत्या या भय-प्रदर्शन को किसी भी हालत में अच्छा नहीं मानता। हाँ, मैं यह बात मानता हूँ कि शहीदों के खून के भोजन से कल्पना और भाव बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। परन्तु जो शकस सेवा करते हुए जंगल के कुबार से धीरे धीरे मरता है उसका भी खून उसी तरह निश्चय पूर्वक बहता है जिस तरह कि किसी घर बहनेवाले का। और यदि किसी घर बह कर मरनेवाला

दूसरे के खून से बरी न हो तो उसमें वे भाव ही न ये जो परिपक्व होने योग्य हो।

“आपका एक ऐतराज यह है कि क्रान्तिकारियों के दल से जनता को बहुत कम लाभ होगा। अर्थात् हम को ज्यादा लाभ होगा। तो क्या हम निष्काम कर्म की भावना से भरे क्रान्तिकारी इस क्षुद्र जीवन के लाभ के लिए अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात करेंगे? हम अभी नहीं, पर तैयारी हो जाने पर जरूर जनता को अपने साथ खींचेंगे। हम जानते हैं कि ये अपनेको शिवाजी, रणजीत, प्रताप और गोविंदसिंह के वंशज सिद्ध करेंगे।”

मैं न तो यह कहता ही हूँ और न मेरा यह आशय ही है कि यदि जनता को लाभ न होगा तो क्रान्तिकारी लाभ उठावेंगे। बल्कि इसके विपरीत सामान्यतः क्रान्तिकारी को कमी लाभ नहीं होता। यदि क्रान्तिकारी जनता को अपनी ओर 'खींच' नहीं बल्कि आकर्षित कर सके, तो वे देखेंगे कि यह खूनी आन्दोलन विल्कुल अनावश्यक है। शिवाजी, रणजीतसिंह, प्रताप और गोविन्दसिंह के वंशजों का नाम लेना तो बड़ा सुहावना और उत्साहदायी मात्तम होता है किन्तु क्या यह सच है? क्या सचमुच हम उन शूरवीर पुरुषों के वंशज उसी अर्थ में हैं जिस अर्थ में लेखक ने उसे समझा है? हम तो उनके देश-भाई हैं। उनके वंशज तो हैं क्षत्रिय लोग-कौजी जातियाँ। आगे चलकर चाहे भले ही हम जाति व्यवस्था को तोड़ डालें पर आज तो वह मीजूर है और इसलिए लेखक की यह शिकायत मेरी राय में मानी नहीं जा सकती।

‘अन्त में मैं ये सवाल और आपसे पूछता हूँ—शुभ गोविंदसिंह सरकारों के लिए युद्ध करना ठीक समझते थे—इसलिए क्या वे गुमराह देशभक्त थे? वाशिगटन, गैरीबाण्डी और लेनिन के बारे में आप क्या कहेंगे? कमाल पाशा और जी बेलेरा के निस्वत आप क्या खयाल करते हैं? क्या आप शिवाजी और प्रताप को सदुरेश रखनेवाले और आत्मत्यागी वैद्य कहेंगे जिन्होंने कि अंगूर का रस देने की जगह संखिया दिया? क्या आप कृष्ण को यूरोपियन बना कहेंगे, इसलिए कि वे 'दुष्कृतों के बिनाश' के कायल थे?’

यह एक कठिन बल्कि कुछ विषम प्रश्न है। पर मैं इसका भी जवाब देता हूँ। पहली बात तो यह कि शुभ गोविंदसिंह तथा दूसरे उल्लिखित व्यक्ति गुप्त इत्याकाण्ड के कायल न थे। दूसरे, वे लोग अपने काम और अपने आदर्शों को खूब जानते थे। पक्षान्तर में आधुनिक क्रान्तिकारी नहीं जानता कि मेरा काम क्या है? उसके पास न आदर्श हैं, न वायुमण्डल है, जो कि पूर्वोक्त देशभक्तों के पास थे। यद्यपि मेरे विचार जीवन-विषयक मेरे सिद्धान्तों से निकले हैं फिर भी मैंने उन्हें इसके सहारे देश के सामने नहीं रक्खा है। मैं तो सिर्फ समझौपयोगिता के लिहाज से ही क्रान्तिकारियों का विरोध कर रहा हूँ। इसलिए उनकी कार्यवाहियों की तुलना शुभ गोविंदसिंह या वाशिगटन या गैरीबाण्डी या लेनिन से करना बहुत अप्रोत्पादक और भयावह होगा। परन्तु अहिंसा-सिद्धान्त की कसाँटी के अनुसार तो यह कहने में मुझे कुछ भी संकोच नहीं होता कि यदि मैं उनका समकालीन होता और उन उन व्यक्तियों के देशों में होता तो बहुत संभव था कि मैं उन सबको गुमराह देशभक्त कहता—हालाँकि वे निश्चय और वीर योद्धा थे। पर वर्तमान स्थिति में मुझे उनके विषय में कोई फँसला न करना चाहिए। अर्थात् कि इतिहास का संबंध वीर पुरुषों की हकीकतों के व्योरे से है, मैं इतिहास की स्थूल और सारक बातों को मानता हूँ और उनसे अपने आचरण के लिए —

पर सबक लेता हूँ। इतिहास की वे व्यापक बातें जहाँ तक जीवन के उष निर्यातों के विरुद्ध हैं वहाँ तक मैं उनको अपने आचरण में गुहराना नहीं चाहता। परन्तु इतिहास के द्वारा उपलब्ध अल्प सांख्यिकी के आधार पर मैं किसी व्यक्ति के विषय में निर्णय नहीं करता। मृत आत्मा के तो गुणों का ही गान करना चाहिए। कमालपाशा और डी वेलेरा के संबंध में भी मैं निर्णय नहीं कर सकता। पर वे, जहाँ तक युद्ध-संबंधी उनके विश्वास से संबंध है, मुझ जैसे एक दृढ़ अहिंसा-धर्मी के जीवन में पर्यदर्शक नहीं हो सकते। कृष्ण को मैं शायद इन लेखक से भी ज्यादा मानता हूँ। पर मेरा कृष्ण है जगन्नाथक, अखिल विश्व का उत्पादक, सरक्षक और विनाशक। वह संहार भी कर सकता है क्योंकि वह उत्पत्ति करता है। पर यहाँ मैं कोई दार्शनिक या धार्मिक युक्ति नहीं पेश करना चाहता। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि अपने जीवन-तन्त्र की शिक्षा दे सकूँ। मैं शायद ही अपने भंगीकृत सिद्धान्त के पालन के योग्य हूँ। मैं तो एक नकुल प्रयत्नशील व्यक्ति हूँ जो कि मन, वचन और कर्म में पूर्णतः शुभ, पूणेतः सत्य और अहिंसा परायण होने के लिए लाभायिन है पर जो अपने आदर्श तक पहुँचने में सदा असफल होता रहता है। मैं मानता हूँ और अपने क्रान्तिकारी मित्र को बकीन दिलाता हूँ कि यह बड़ाई बड़ी कष्टमय है पर यह कष्ट मेरे लिए एक निश्चयात्मक आनन्द ही हो गया है। एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए मैं अपनेको अधिकाधिक सहाक और अगली सीढ़ी पर कदम रखने के योग्य पाता हूँ। पर यह तमाम कष्ट और आनन्द मेरे अपने लिए है। क्रान्तिकारी लोग चाहें तो मेरे सारे सिद्धान्त को शोक से नामंजूर करें। मैं उन्हें एक साथी के तौर पर अपने अनुभव पेश करता हूँ जैसा कि मैंने अली-भाइयों को तथा दूसरे कितने ही मित्रों को किया है और उसमें सफलता-लाभ भी किया है। वे मुस्तफा कमालपाशा और शायद डी वेलेरा और केनिन के कार्यों पर उनका अभिनन्दन कर सकते हैं, पर वे मेरी तरह जानते हैं कि भारतवर्ष तुर्कस्तान, जायसिंह या रूस को तरह नहीं है और कम से कम देश के जीवन की वर्तमान अवस्था में क्रान्तिकारी आन्दोलन आत्मघात के समान है; क्योंकि हमारा देश इतना विशाल है, इतना मतभेदों से भरा हुआ है और यहाँ की जनता इतनी दरिद्रता से भरीपूरी और भयभीत है कि जिसकी हद नहीं।

( ५० ई० )

मोहनदास करमचंद गांधी

### पिता-पुत्र-मेघ

पिता धनवान् है और भोगी है। पुत्र त्यागी है, सादा जीवन बिताना चाहता है। पिता रोकता है। पुत्र को क्या करना चाहिए? मेरी अल्पमति के अनुसार मैं समझता हूँ कि पुत्र अपने त्याग-भाव को न छोड़े। विनय के साथ पिता को समझावे। मैं मानता हूँ कि जहाँ पुत्र में विवेक और दृढ़ता होते हैं तहाँ पिता बाधक नहीं होते। पुत्र बहुत बार उद्धत हो कर त्याग को स्वच्छंदता का रूप दे कर पिता को विजलाता है। ऐसे त्याग को मैं त्याग नहीं कहता। शुद्ध त्याग में इतनी नम्रता होती है कि पिता को यह दिखाई भी नहीं देता। त्याग को बड़ा स्वरूप देने की आवश्यकता नहीं होती। स्वाभाविक त्याग प्रवेश करने के पहले बाजे नहीं बजाता। वह अदृश्य रूप से आता है और किसीको खबर तक नहीं पड़ने देता। वह त्याग धोमित होता है और कायम रहता है। वह त्याग किसीको मारभूत नहीं होता और संक्रामक साबित होता है।

(नवजीवन)

मो० क० गांधी

### कुछ आक्षेपों पर विचार

‘जनन-मर्यादा’-संबन्धी मेरे लेख को पढ़कर, जैसा कि श्याल था, कुछ लोगो ने कृत्रिम साधनों के पक्ष में बड़े जोरों के साथ चिह्नियाँ भुके लिखी हैं। उनमें से सिर्फ तीन पत्र बतौर नमूने के मैंने चुन लिये हैं। एक और पत्र भी है पर वह बहुतायात में धर्मशास्त्र से संबंध रखता है ना उसे छोड़ देता हूँ। एक पत्रप्रेषक लिखते हैं—

“मैं मानता हूँ कि ब्रह्मचर्य ही सब से बड़ा और अच्छा उपाय है। लेकिन यह संयम का विषय-है, जन्म-मर्यादा ना नहीं। इसपर हम दो दृष्टियों से विचार कर सकते हैं—एक व्यक्ति की और दूसरी समाज की। कामविकार को मारना व्यक्ति का फज है, लेकिन इसमें वह जन्म-मर्यादा का विचार नहीं करता। संन्यासी मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करता है जन्ममर्यादा की नहीं। लेकिन यह गृहस्थों का प्रश्न है। एक मनुष्य कितने बच्चों को पाल सकता है यह सवाल है। आप मनुष्य-स्वभाव को तो जानते ही हैं। कितने मनुष्य प्रजोत्पत्ति की आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद सभोग सुख को छोड़ देने के लिए तैयार रहेंगे? स्मृतिकारों की तरह आप संयम में रह कर सभोगच्छा पूरी करने की इजाजत तो देंगे ही। लेकिन इससे जन्ममर्यादा का सवाल हल न होगा क्योंकि योग्य प्रजा अयोग्यप्रजा से अधिक शीघ्र बढ़ती है।

सन्तानोत्पत्ति को इच्छा में कितने मनुष्य सभोग करते हैं? आप कहते हैं सन्तानोत्पत्ति की इच्छा के बिना सभोग करना पाप है। यह संन्यासी के लिए ही ठीक है। आप यह कहते हैं कि कृत्रिम साधनों का प्रयोग बुराई को बढ़ाता है। उससे स्त्री-पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं। यदि यह सच हो तो आप यह बड़ा भारी दोष लगाते हैं। सभोगच्छा को संयम में रखने के लिए मार्बजनिक अभिप्राय इतना जोरदार कभी नहीं हुआ था। लोग कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से सन्तान होती है, जिसने दान दिये हैं वह दूध भी देंगा। और अधिक सन्तति होना मर्दानगी ममता जाती है। क्या निश्चय ही कृत्रिम साधनों के प्रयोग से शरीर और मन निर्बल हो जाते हैं? लेकिन आप तो किसी प्रकार भी उसका उपयोग करने देना नहीं चाहते। क्योंकि अपने कर्म के फल में मुह छिपाना बुरा है और अनोति भी है। इसमें आप यह मान लेते हैं कि ऐसी भूल को थोड़ा भी बुझाना अनोति है। यदि हर संयम का कारण हो तो उससे नैतिक परिणाम अच्छा न होगा। मातापिता के पाप के भागी सन्तति किस नियम से होनी चाहिए? बनाकटी दांत, आंख इत्यादि के इस्तेमाल को कोई कुदरत के खिलाफ नहीं समझता है। वही कुदरत के खिलाफ है जिससे हमारी भलाई नहीं होती। मैं यह नहीं मानता कि मनुष्य स्वभाव से ही बुरा है। हमें बच्चों को भी न भूल जाना चाहिए। उनकी आवश्यकताओं पर हमने बहुत दिनों तक ध्यान नहीं दिया है। वे प्रजोत्पत्ति के लिए जमीन के तौर पर अपने शरीर का इस्तेमाल करने से पुरुष को इजाजत नहीं देती। कुछ रोग भी ऐसे हैं जिन्हें मजातनुओं के निर्बल हो जाने की जोखिम उठा कर भी दूर करना चाहिए।”

पढ़ते ही मैं यह बात साफ किये देता हूँ कि मैंने यह लेख न तो संन्यासियों के लिए और न एक संन्यासी की हैसियत से लिखा था। मैं प्रबलित अर्थ के अनुसार संन्यासी होने का दावा भी नहीं करता। मैंने जो कुछ लिखा है अपने आज तक के अक्षिप्त निजी अनुभव के बल पर लिखा है, जिसमें, २५

साक के बीच कहीं कहीं नियम-बंध हुआ है। यही नहीं, मेरे उन मित्रों का अनुभव भी इसमें शामिल है जिन्होंने इस प्रयोग में बरसों मेरा साथ दिया है जिसके कि बंदोस्त कुछ परिणाम निश्चित किये जा सकते हैं। प्रयोग में क्या युक्त और क्या बूढ़े दोनों प्रकार के स्त्री पुरुष सम्मिलित हैं। मेरा दावा है कि यह प्रयोग कुछ अंश तक तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी यथावत् था। यद्यपि उसका आधार बिल्कुल नैतिक था, तथापि उसका उद्गम जनन-मर्यादा की अभिलाषा से हुआ था। इस प्रयोग के लिए खुद मेरा ही एक विलक्षण उदाहरण था। उसके पश्चात् विचार करने पर उससे भारी भारी नैतिक परिणाम निकले-पर निकले वे बिल्कुल स्वाभाविक कम से। मैं यह दावा करता हूँ कि यदि विचार और विवेक से काम लिया जाय तो बिना क्यादह कठिनाई के संयम का पालन करना बिल्कुल सम्भवनीय है। और यह मुझ अकेले का ही दावा नहीं बल्कि जर्मन तथा दूसरे प्राकृतिक चिकित्सकों का भी है। उनका तो कहना है कि जल तथा मिट्टी के प्रयोग से हनायुये संकुचित होती है और सादे तथा विशेष कर फल-भोजन से स्नायुओं का वेग शमन होता है, एवं विषय विकार को मनुष्य आसानी से जीत सकता है, पर साथ ही उससे स्नायु पुष्ट और बलवान् भी होती है। राजयोगियों का कहना है कि केवल यथाविधि प्राणायाम करने से भी यही लाभ होता है। न तो पश्चिमी और न पूर्वी प्राचीन विधियाँ अकेले संन्यामियों के लिए हैं, बल्कि इसके विपरीत खास कर गृहस्थों के लिए हैं। यदि यह कहा जाय कि जन-मर्यादा की अतिवृद्धि के कारण कृत्रिम साधनों के द्वारा जनन-मर्यादा की आवश्यकता है तो मुझे इस बात में पूरा शक है। यह बात अबतक साबित ही नहीं की गई है। मेरी राय में तो यदि भरती का प्रघ्न समुचित कर दिया जाय, कृषि की दशा सुधारी जाय और एक सहायक धन्धे की तजवीज कर दी जाय तो हमारा यह देश अपनी जन-संख्या से दूने लोगों का अरण-पोषण कर सकता है। मैंने तो देश की मौजूदा राजनैतिक अवस्था की दृष्टि से ही जनन-मर्यादा चाहनेवालों का साथ दिया है।

मैं जब यह बात कहता हूँ कि मनुष्य की सन्तानोत्पत्ति की अभिलाषा पूरी हो जाने पर उसका काम विकार अवश्य शमन होना चाहिए। आत्म-संयम के उपाय लोकप्रिय और फलदायी किये जा सकते हैं। शिक्षित लोगों ने कभी उसकी आजमाइश ही नहीं की। संयुक्त कुटुम्ब-प्रथा को धन्यवाद है कि उसकी बंदोस्त अभी शिक्षित लोगों को उसका भार मालूम नहीं हुआ है। जिन्होंने मालूम किया है उन्होंने उसके अन्तर्गत नैतिक सबकों पर विचार नहीं किया है। ब्रह्मचर्य पर कुछ इधर-उधर व्याख्यानों के अलावा सन्तानोत्पत्ति को मर्यादित करने के उद्देश्य से आत्म-संयम के प्रचार के लिए कोई भी व्यवस्थित प्रयत्न नहीं किया गया है। बल्कि उसके प्रतिकूल यह अन्ध विश्वास कि बृहत् कुटुम्ब का होना एक शुभ लक्षण है, और इसलिए वह वाञ्छनीय है, अब भी प्रचलित है। धर्मोपदेशक आम तौर पर यह उपदेश नहीं देते कि प्रसंग उपस्थित होने पर सन्तानोत्पत्ति को परिमित करना भी उतनी ही धार्मिक क्रिया है जितना कि प्रसंग-विशेष पर सन्तानवृद्धि करना हो सकता है।

मुझे भय है कि कृत्रिम साधनों के हिमायती लोग इस बात को गृहीत मान कर चलते हैं कि विषय-विकार की तृप्ति जीवन के लिए एक आवश्यक और इसलिए स्वयं ही वाञ्छनीय वस्तु है। अजन्म-जाति के लिए जो चिन्ता प्रदर्शित की गई है वह तो अत्यन्त कर्णजनक है। मेरी राय में तो कृत्रिम साधनों के द्वारा जनन-मर्यादा की पुष्टि के लिए नारी-जाति को सामने लाना

उनका अपमान करना है। एक तो यों ही मनुष्य ने अपनी विषय-तृप्ति के लिए उसका काफी अध्यात कर डाला है और अब वे कृत्रिम साधन, उनके हिमायतियों के सवुदेश के रहते हुए भी, उन्हें और गिराये बिना न रहेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि आजकल ऐसी स्त्रियाँ भी हैं जो खुद ही इन साधनों की हिमायत करती हैं। पर मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि स्त्रियों की एक बहुत बड़ी तादाद इन साधनों को अपने गौरव के खिलाफ समझ कर उनका निरादर करेंगी। यदि पुरुष सचमुच नारी-जाति का हित चाहता है तो उसे चाहिए कि वह खुद ही अपने मन की बधा में रखे। स्त्रियाँ पुरुषों को नहीं ललचानीं। सच पृष्टि तो पुरुष ही खुद क्यावती करता है और इसलिए वही सच्चा अपराधी और ललचानेवाला है।

मैं कृत्रिम साधनों के हिमियों से आग्रह करता हूँ कि इसके नतीजों पर गौर करे। इन साधनों के क्यादह उपयोग का फल होगा विवाह-बंधन का नाश और मनमाने प्रेम-संबंध की बढ़ती। यदि मनुष्य के लिए विषय-विकार की तृप्ति आवश्यक ही हो जाय तो फिर फल कीजिए यदि वह बहुत काल तक अपने घर से दूर हो, या दीर्घ काल तक युद्ध में लगा रहे, या वह विधुर हो जाय या उसकी पत्नी ऐसी बीमार हो जाय कि कृत्रिम साधनों का प्रयोग करते हुए भी उसकी विषय-तृप्ति के अयोग्य हो तो ऐसी अवस्था में उसे क्या करना होगा ?

लेकिन दूसरे लेखक कहते हैं—

“जनन-मर्यादा संबंधी आपके लेख में आप यह कहते हैं कि कृत्रिम-साधन बिल्कुल हानिकारक है। लेकिन आप उसी बात को मान लेते हैं जिसे कि सिद्ध करता है। जनन-मर्यादा सम्मेलन (लंदन १९२२) में यह प्रस्ताव १६४ विरुद्ध ३ मत से स्वीकार कर लिया गया था कि गर्भ को न उठरने देने के स्वास्त्यकर उपाय नीति, न्याय और शरीर-विज्ञान की दृष्टि से गर्भपात से बिल्कुल ही भिन्न है और ऐसे उत्तम उपाय हानिकारक या कथ्मत्व के उत्पादक हैं। यह बात किसी प्रमाण से साबित नहीं हो पाई है। मेरे ख्याल से ऐसी संस्था का अभिप्राय कलम के एक मूटके से रद्द नहीं किया जा सकता। आप लिखते हैं बाध्य साधनों का उपयोग करने से तो शरीर और मन निर्बल हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए ? मैं कहता हूँ कि योग्य उपायों के इस्तेमाल से निर्बलता नहीं आती। हाँ। हानिकारक उपायों से जरूर आती है और इसीलिए पुस्तक उग्र के लोगों को इसके योग्य उचित उपाय सिखाना आवश्यक है। संयम के आपके उपाय भी तो कृत्रिम साधन ही होंगे। आप कहते हैं, संभोग करना आनंद के लिए नहीं बनाया गया है। किसने नहीं बताया है ? ईश्वर ने ! तो संभोग की इच्छा किसलिए बनाई गई। कुदरत के कानून में कार्यों का फल अनिवार्य है। लेकिन आपकी यह दलील, जबतक आप यह साबित न करें कि कृत्रिम साधन हानिकारक है, किसी काम की नहीं है। कार्यों के अच्छे बुरे होने की पहचान उसके परिणाम से होती है। ब्रह्मचर्य के लाभों का वर्णन करने में बड़ी अतिशयोक्ति की गई है। बहुत से डाक्टर २२ साल की या ऐसी ही कुछ उम्र के बाद उसे हानिकारक मानते हैं। यह आपके धार्मिक आग्रह का परिणाम है कि आप प्रजोत्पत्ति के हेतु के बिना संभोग को पाप मानते हैं। इससे सबपर आप पाप का आरोपण करते हैं। शरीरविज्ञान यह नहीं कहता। ऐसे आग्रहों के सामने विज्ञान को कम महत्व देने के दिन अब चले गये हैं।

लेखक शायद अपना समाधान नहीं चाहते। मैंने यतो हूँ दिखाने के लिए कि यदि हम विवाह-बंधन की पवित्रता को कायम रखना चाहते हैं तो भोग नहीं बल्कि आत्म-संयम ही जीवन का सर्व समझा जाना चाहिए, काफी उदाहरण दे दिये हैं।

जिस बात को सिद्ध करना है उसीको मैंने गृहीत नहीं किया है। क्यों कि मैं तो यही कहता हूँ कि कृत्रिम साधन चाहे कितने ही उचित क्यों न हों पर वे हानिकर ही हैं। वे खुद चाहे हानिकर न हों पर वे इस तरह हानिकर जरूर हैं कि उनके द्वारा विषय-विकार की क्षुधा उद्दीप्त होती है और क्यों क्यों उसका सेवन किया जाता है त्यों त्यों बढ़ती जाती है। जिसके मन को यह मानने की आदत पड़ गई है कि विषय-भोग केवल विधि-विहित ही नहीं बल्कि बांछनीय भी है, वह भोग के ही भोजन में सदा रत रहेगा और अन्त को इतना निर्बल हो जायगा कि उसकी तमाम सकल्प शक्ति नष्ट हो जायगी। मैं पुनः पुनः कहता हूँ कि प्रत्येक बार किये गये विषय-भोग से मनुष्य की वह अनमोल शक्ति कम होती है जो क्या पुरुष और क्या स्त्री दोनों के शरीर, मन और आत्मा को सशक्त रखने के लिए बहुत आवश्यक है। इससे पहले मैंने इस विषय में आत्मा शब्द को जान बूझ कर छोड़ दिया था; क्योंकि पत्र-लेखक उसके आस्तित्व का खयाल करते हुए नहीं दिखाई देते और इस बहस में मुझे निके उनकी दलीलों का जवाब देना था। भारतवर्ष में एक तो यों ही विवाहित लोगों की संख्या बहुत है। फिर वह निःसत्व भी काफी हो चुका है। यदि और किसी कारण से नहीं तो उसकी गई हुई जीवनी शांति का नापिश काने के ही लिए उसे कृत्रिम साधनों के द्वारा विषय-भोग की नहीं बल्कि पूर्ण संयम की शिक्षा की जरूरत है। हमारे अन्धकारों को देखिए। किस तरह दवाइयों के अनीतिमूलक विश्वास उन्हें झुकाने बना रहे हैं। कृत्रिम साधनों के हिमायती उन्हें अपने लिए नेतावनी समझें। कोई लज्जा या झूठे सकोच का भाव मुझे इसका खर्चा से नहीं रोक रहा है; बल्कि यह ज्ञान कि इस देश के जीवन शक्ति से हीन और निर्बल युवक विषयभोग के पक्ष में पेश की गई सवोध बुद्धियों के शिकार कितनी आसानी से हो जाते हैं, मुझसे संयम करा रहा है।

अब शायद इस बात की जरूरत नहीं रह गई है कि हमारे पत्र-लेखक के उपस्थित किये जाइयारी प्रमाणपत्रों का जवाब दूँ। मेरे पक्ष से उनका कोई संबंध नहीं। मैं इस बात की न तो पुष्टि ही करता हूँ और न उससे इनकार ही करता हूँ कि उचित कृत्रिम साधनों से अस्वभावों को हानि पहुंचती है या मन्थ्यापन होता है। डाक्टर लोग चाहे कितनी ही उत्कृष्टता के साथ व्यूह-रचना क्यों न करें, उनके बदौलत उन सैकड़ों नौजवानों के जीवन का सत्यानाश आसिद्ध नहीं हो सकता, जो और तो ठीक खुद उन्हीं की पत्नियों के साथ अति भोग-विलास के बदौलत हुआ है और जिसे मैंने खुद देखा है।

पहले लेखक की दी हुई कृत्रिम दांत की उपमा फर्ती हुई नहीं जान पड़ती। हाँ, बनावटी दांत जरूर ही मनुष्य फल और अस्वभाविक होते हैं; पर उनसे कम से कम एक आवश्यक प्रयोजन की पूर्ति तो हो सकती है। पर इसके खिलाफ विषय-भोग के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग उस भोजन की तरह है जो मूल भुजाने के लिए नहीं बल्कि स्वादेन्द्रिय को तृप्त करने के लिए किया जाता है। केवल जिज्ञा के आनन्द के लिए भोजन करना वही तरह पाप है जिस तरह कि विषय-भोग के लिए भोग-विलास करना।

इस आखिरी पत्र में एक नई ही बात मिलती है—

“वह प्रश्न संसार के सब राज्यों को चिन्तित कर रहा है। मैं आपके ‘अन्न-मर्यादा’ संबंधी लेख के बारे में लिख रहा हूँ। आप निश्चय ही यह सो जानते ही होंगे कि अमेरिका इसके प्रचार

के खिलाफ है। आपने यह भी सुना होगा कि जापान ने इसकी कुछेक आम इजाजत दे दी है। इसका कारण सबकी विदित है। उन्हें प्रजातन्त्र रोकनी थी। इसके लिए मनुष्य-स्वभाव का भी उन्हें विचार करना था। आपका मुझसे आदर्श ही सकता है, लेकिन क्या वह व्यावहारिक भी है? क्या मनुष्य भोग-आनन्द को छोड़ सकते हैं? थोड़े मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं लेकिन क्या जनता में इसके संबंध में की गई किसी हलचल से कुछ मतलब हल हो सकता है? भारतवर्ष में तो इसके लिए सामुदायिक हलचल की ही आवश्यकता है।”

मुझे अमेरिका और जापान की ये बातें मालूम न थीं। पता नहीं, जापान क्यों कृत्रिम साधनों का पक्ष ले रहा है। यदि लेखक की बात सही है और यदि सचमुच जापान में कृत्रिम साधन एक आम चीज हो रही है तो मैं साहस के साथ कहता हूँ कि यह उत्कृष्ट राष्ट्र अपने नैतिक सत्यानाश की ओर ढीला जा रहा है।

हो सकता है कि मेरा खयाल बिल्कुल गलत हो। संभव है मेरे निर्णय गलती सामग्री के आधार पर निकले हों। लेकिन कृत्रिम साधनों के हानियों का धीरज रखने की जरूरत है। आधुनिक उदाहरणों के अतिरिक्त उनके पक्ष में कुछ भी सामग्री नहीं है। निश्चय ही एक ऐसे निग्रह साधन के विषय में जो कि यों देखने में ही मनुष्य-जाति के नैतिक भावों के नजदीक ऐसे धृष्टास्पर्द है, किसी भी अंश तक निश्चय के साथ कुछ भविष्य कथन करना बड़ी जल्दबाजी होगी। नौजवानों के साथ खिलाफ करना तो बहुत आसान है; परन्तु ऐसे छिछोरपन के दुष्परिणामों को मिटाना टेढ़ी खीर होगा।

(य. इ.)

मोहनदास करमचंद गांधी

### हिन्दुओं की ज्यादाती

एक मुसलमान पत्र-लेखक मेरे “दूसरे की निजी जमीन पर मस्जिद बनाने” वाले लेख के बारे में मुझसे उलझना देते हुए हिन्दुओं की बैठे ही मान ली गई जरूरतों के आधार-रहित उदाहरण देते हैं। फिर भी वे एक उदाहरण का सच्चा आधार भी पेश करते हैं। मैंने उन्हें अपने दूसरे उदाहरणों का भी समर्थन करने के लिए निमन्त्रित किया है और उनसे वादा किया है कि यदि वे उनका समर्थन कर सकेंगे तो मैं उन सबको प्रकाशित कर दूंगा और उनकी जांच भी करूंगा। मैं सिर्फ उसी बात को पेश करता हूँ जिसका लेखक ने प्रमाण के द्वारा पुष्ट किया है।

“लोहानी के मुसलमान अपनी पुरानी कच्ची मस्जिद की जगह पकी मस्जिद बनाना चाहते हैं। हिन्दू लोग मुसलमानों के इस हक को शायद कुचल करना नहीं चाहते। हमारे उन भाइयों ने अपने हफदार देखवासियों के खिलाफ उसी बहिष्कार के शर्तों का प्रयोग किया है जिसका कि प्रयोग उन्हें विदेशी ज्यादातियों के खिलाफ करना सिखाया गया है। नमाज और आजाज सब बन्द कर दी है।”

लोहानी के हिन्दुओं ने यदि वैसा ही किया है जैसा कि ऊपर कहा गया है तो निश्चय ही ज्यादाती करने का अपराध उन्होंने किया है। मैं उन्हें अपने पक्ष का ख्याल प्रकाशित करने के लिए और यदि उनके खिलाफ कही गई बात सच हो तो बिना किलब इसका निपटारा करने के लिए निग्रह देता हूँ। जो लोग खुद ख्याल चाहते हैं उन्हें, अपने हाथ पाक साफ रखना चाहिए।

(य. इ.)

मौ० क० गांधी





मेरी शक्ति के बाहर हो गया है। अब भी चार से छः महीने और यात्रा का कार्यक्रम निश्चित हो चुका है। अतएव यदि मैं अपने पत्र-प्रेषकों को समय पर उत्तर न दे पाऊँ, या बिल्कुल न दे सकूँ तो वे मुझे क्षमा करेंगे और यह समझेंगे कि देरी का उत्तर न मिलने का कारण मेरी इच्छा या शिष्टता का अभाव नहीं है।

यं. ई. और नवजीवन के लिए जो पत्रादि भेजते हैं उनपर भी वे उद्गार घटित होते हैं। उनके लिए मैं उससे अधिक समय देना पसंद करूँगा जितना दे रहा हूँ। पर मैं निश्चय हूँ। मुझे कभी कभी तो महत्वपूर्ण पत्रों को यों ही रखे रहने देना पड़ता है। इतनी ज्यादा लिखा-पढ़ी आधुनिक जीवन का एक दोष है। और मुझे ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों पर तो बह बुरा उलट पड़ता है। मेरे कुछ परमप्रिय मित्रों ने तो मुझे सलाह दी है कि मैं अपने कुछ कार्यों को ताक पर रखूँ और आराम करूँ। पर मैं रोम अपनी हानि पर इस कदावन की सत्यता का अनुभव कर रहा हूँ कि मनुष्य परिस्थिति का पुतला है। यद्यपि इसमें अर्धसत्य है तथापि वह अर्धसत्य ही मुझसे यह क्षमा-याचना कानों के लिए काफी है। पर मैं उन्हें यह कह देना चाहता हूँ कि मैं अपना सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ और पत्रों के लिए अधिक समय देने का आग्रह कर रहा हूँ। सप्ताह में एक से अधिक दिन मुझे उपवास करने का भार फिर अपने ऊपर लादना होगा। बंगाल के मित्रों से मैं अनुरोध करूँगा कि वे इसमें आगे कदम बढावें।

#### बंगाल-यात्रा

वह कंपनी क्षमा-याचना मुझे बंगाल-यात्रा पर ले आती है। मेरे सामने जो तार पड़े हुए हैं वे कहते हैं कि कोई पांच सप्ताह का कार्यक्रम वहाँ रचका गया है। आशा है कि कार्यकर्ता सोमवार को व भूके होंगे। आमतौर पर ये दिन मीन के हैं और इन दिनों बहुत काम-काज बंद रहता है। पर मैं चाहता हूँ कि संभव हो तो व्यवस्थापक लोग बुधवार को भी बतौर मीनवार के एक छोटे जिससे कि मैं हर सप्ताह लेख इत्यादि समय पर लिख कर भेज सकूँ। मैं अपना बरखा अपने साथ यात्रा में ले जाया करता था। अब मैंने वह तजवीज बतल दी है। अब जो लोग मेरे ज्ञान-पान का प्रयत्न करेंगे उन्हीं को एक अच्छे चलते हुए बरखे का भी इस्तजाम करना होगा। इस नयी व्यवस्था के द्वारा मुझे जगह जगह के बरखों की जांच भी करने का अवसर मिल जायगा। और चूंकि मेरे यजमान मेरे लिए अच्छे से अच्छा बरखा रखते हैं इससे मुझे यह अंदाज करने का अवसर मिल जाता है कि उस स्थान में सूत कैसा कतता है। क्यों कि जब मैं देखूँगा कि वहाँ का अच्छे से अच्छा बरखा भी ऐसा ही वैसा है तो मैं जान जाऊँगा कि यहाँ सूत की वैश्याय भी ऐसी ही बसी होती है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हर जगह मेरे लिए एक उत्तम बरखा और उसे कातने के लिए समय की व्यवस्था रहेगी। तीसरी बात यह कि ऐसी हिदायतें निकलनी चाहिए कि लोग जमा हों तो शोरगुल न करें और पेट-कार्य पर जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया करें। इन चीज-सबब से निकलने में अक्सर समय का बहुत दुर्घन्य होता है। स्वयंसेवकों का जंजीर बना कर खड़े रहना इस परिस्थिति में सख्त है कि लोग जमीन नहीं करते हैं। यदि परिस्थिति में सविस्तर हिदायतें लिख कर पहले से बाँट दी जायँ और समा का काम शुरू होने के पहले जमानों भी उन्हें सूचित कर दिया जाय तो भीड़ में व्यवस्था हो सकती है। यह

भी हिदायत दे दी जानी चाहिए कि लोग मेरे बरण न लुगें। मुझे ऐसे अभिवादन की कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे उन लोगों से जो मेरा आदर करना चाहते हैं जिस अभिवादन की जरूरत है वह यह कि वे मेरे जिस काम को पसंद करते हों उसका अनुसरण करें। यदि वे छाती तान कर सीधे खड़े रहें और यदि वे चाहें तो सलाम करें या प्रणाम करें तो काफी है। यदि मेरा बस खड़े तो मैं तो उमे भी धना बताना हूँ। प्रेम तो आँखों में ही आपानी से झरक जाता है। इससे अधिक हावभाव की कोई आवश्यकता नहीं। पर हाँ, मैं जरूर यह देखने के लिए लालायित हूँ कि बंगाल में मुझे खादीधारी लोग ही मिलें। पर ऐसा एक भी शहर निकाला न जाय जो खादी न पहना हो। जो लोग खादी के कायल नहीं हैं वे विदेशी या मिलकते सूत का या मिल-बुना कपडा पहन कर शौक से आवें। परन्तु मैं समझता हूँ कि बहुतांश में लोगों का खादी पर विश्वास है। अतएव उन्हें तो उसके अनुसार व्यवहार करना ही चाहिए। उन्हें खादी पहन कर अपने विश्वास को सिद्ध कर दिखाना चाहिए। अन्त में मुझे आशा है कि सब दल के लोग सभाओं में एकत्र होंगे। हर दल, संप्रदाय और जाति के लोगों को—अगरेजों तक को—देखना मुझे प्रिय होगा। मैं इतना और सूचित कर देना चाहता हूँ कि यदि व्यवस्थापक लोग बड़ी बड़ी सभाओं में व्याख्यान देने की अपेक्षा गानगी (ग्राम नदी) बातचीत करने की व्यवस्था करेंगे तो अच्छा होगा। वह समारोह भी आवश्यक है; पर उसके लिए बहुत धोखा समय रखना चाहिए। विद्यार्थियों से तो मैं मिलूँगा ही। जिन्यों की सभायें तो आजकल मंथन होती ही हैं और मैं चाहता हूँ कि हर जगह अछूतों की भी सभायें रखी जायँ और यदि इधर की तरह बंगाल में उनके मुहल्ले अलहदा हों तो उनमें मैं जाना भी चाहता हूँ। एक शब्द में कहूँ तो यह यात्रा एक कार्योपयोगी यात्रा हो और शान्ति और सद्भाव इसका कार्य हो।

#### काठियावाड में खादी

काठियावाड राजकीय परिषद् की कार्य-समिति ने खादी-प्रचार के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। उसने यह निश्चय किया है कि काठियावाड के भिन्न भिन्न स्थानों से कपास एकत्र की जाय और सूतकारों को बाँट कर उसका मूल कतवाया जाय। ३०० मन कपास मिलने का बादा पहले ही मिल चुका है। अब उसने ८०० मन कपास या उसकी कीमत १९,२००) और इकट्ठा करना तय किया है। इस कपास का सूत कताकर खादी बनवाई जायगी। काठियावाड एक दरिद्र प्रदेश है। वहाँ बारिश बहुत थोड़ी होती है। कहीं कहीं तो अकाल आये दिन पड़ते ही रहते हैं। हजारों औरतें अपनी आय बढ़ाने के लिए कातने लगेगी। अछूत लोगों में हजारों जुलाहे भी वहाँ हैं। उनका पुस्तैनी पेशा हूब जाने से अब वे बर्बई या दूसरे शहरों में मैला उठाने का काम करके अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। अभी खादी उतनी सस्ती नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। इसलिए समिति ने यह भी निश्चय किया है कि ऐसे कुटुंब खोजें जो अपने कपड़ों के लिए सूत कातना कुबूल करें। पुनी उन्हें सस्ते दामों में भी आय और उनका सूत सस्ते दामों में भी पचा जाय। ऐसे कुटुंबों को नदीन के लिए परिषद् ने ६ आना पौंड के भाव से पुनिया देने की तजवीज की है। एक साल में १० पौंड से ज्यादा पुनी किसी कुटुंब को न दी जायगी। पुनाई का भी सिर्फ आधा खर्च उनसे लिया जायगा। इसतरह उन्हें करीबी से कोई ३ रुकम अधिक पड़ेगी अर्थात् काठियावाड की मामूली दर ९ आना गज की अपेक्षा सिर्फ ३३ गज खादी उन्हें पड़ेगी। इस

तरह यदि वे खुद कातना और अपने सूत का कपड़ा बनवाना कुछ करें तो ५० फी सदी रिआयत उनके साथ हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो इन १९०००) कीमत के कपास से कम से कम २७५० कुट्टे (एक मर्द, एक औरत, एक बच्चा) के लायक कपड़ा तैयार करने की तजवीज हुई है। कपास के खारी रूप में परिणत होने तक नीचे लिखी रकम मजदूरी के रूप में दी जायगी या बच रहेगी—

खोटाई	८०० मन की	१०००)
धुनकाई	,,	४०००)
कटाई	७०० मन की	७०००)
धुनाई	१७५ ,,	६७५०)
	कुल	१८,७५०)

धुनकाई में कपास ८०० से १०० मन और कटाई में ६७५ मन रह जायगा। खादी की लंबाई होगी ६७५०० गज और अज्र होगा ३० इंच। कोई आठ नंबर का सूत होगा। इस प्रयोग के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक परिणामों के निकलने की संभावना है। ध्यान रहे कि कपास हाथ से छुटाया जायगा। इन उसके परिणाम की मूचना समय समय पर देता रहना। यहाँ मुझे यह बात जरूर कहनी चाहिए कि यह प्रयोग यहाँ इसीलिए पूर्ण होने की संभावना है कि काठियावाड़ में तीन मुख्यस्थित खादी-केन्द्र हैं जिनमें सधे और सीखे हुए कार्यकर्ता हैं। वपया अभी जुटाना बाकी है। दो महीने में जुट जायगा। आशा है कि काठियावाड़ी धन या परिधम के रूप में सहायक होंगे।

### खादी कार्यकर्ता की काठियावाड़

श्री आदिनारायण चेटसरने जिनके कि जिम्मे तामिल नाड में महासभा के सदस्य बनाने का काम है, मुझसे कितने ही सवाल किये हैं और उनका उत्तर चाहा है। पहला प्रश्न यह है—

“अब से क्या आप ‘क’ दर्जे के सदस्यों को भरती करने की प्रवृत्ति कम करना चाहते हैं या बिल्कुल ही बंद कर देना चाहते हैं?”

मुझे कोई हक नहीं है कि मैं ‘क’ दर्जे के अर्थात् वे जो सूत खरीद कर देते हैं, सदस्यों की भरती की प्रवृत्ति को कम करूँ। मौजूदा संगठन के अनुसार उन्हें भी सदस्य होने का उतना हक हासिल है जितना कि ‘अ’ दर्जे के अर्थात् खुद कातनेवाले लोगों का है। पर मैं ऐसे लोगों को भरती के लिए उत्साहित नहीं करना चाहता। यदि भरती का काम मेरे जिम्मे होता तो मैं सिर्फ ‘अ’ दर्जे के सदस्यों की भरती में ही अपनी सारी शक्ति लगाता और दूसरे दर्जों के जो सदस्य खुद भरती होने आते उन्हें खुशी से भरती कर लेता।

दूसरा प्रश्न इस तरह है—

“कितनी ही स्त्रियाँ अपनी रोजी के लिए सूत कातती हैं। क्या आपकी राय में ये ‘अ’ दर्जे में सदस्य हो सकती हैं यदि उन्हें यह समझा दिया जाय कि महासभा में शरीक होने पर उन्हें अपने आध घण्टे की मजदूरी राष्ट्र के भिक्षा-पात्र में देनी पड़ेगी? मेरा प्रस्ताव है कि २००० गज सूत कातने लायक हई उन्हें महासभा से दी जाय।”

हाँ, जरूर मैं ऐसी बहनों को सदस्य बनाऊँगा, यदि वे यह समझती हों कि महासभा क्या है और खादी पहनती हों।

तासरा सवाल—

“हाथ कटाई तथा बेल्गाँव के प्रस्ताव के अनुसार सूतकारों की भरती के लिए वैतनिक प्रचारक रखे जाय या नहीं?”

जहाँ वपया हो वहाँ जरूर वैतनिक प्रचारक रखे जाय; पर वन्दा कपास के रूप में माँगा जाय।

अब चौथा सवाल लीजिए—

“कुछ लोग चरखा और कपास उधार माँगते हैं। मेरा अनुमान है कि यह उधारी अन्त को ‘मुफ्त’ में परिणत हो जाती है। पर कुछ लोग तो दर-असल गरीब हैं। आपकी सलाह है कि उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाय? यदि हाँ, तो किन शर्तों पर?”

जहाँ जहाँ जरूरत हो, चरखे वगैरह जरूर उधार दिये जाय, पर यह इश्टीमान कर लिया जाय कि वे वापस लिये जायेंगे। चरखे किस्तों में खर्चा बसूल करने की शर्त पर देने की भी तजवीज की जा सकती है। (थ-ई=)

### युगधर्म

पालीताना में मुनि श्री कपूरविजयजी गांधीजी से मिलने आये थे। उनसे जो बातचीत हुई थी वह इस प्रकार है। एक दिन व्यक्ति लालमजी भी वहाँ उस समय बंटे थे, उन्होंने मुनिजी से पूछा “साधुओं को चरखा चलाने में कोई दोष है क्या?”

मुनिजी—“दोष तो है। अहिंसा का अर्थव्यतिकार पालन करने वाले अप्रमत्त और आप्रत रहनेवाले मुनि चरखा नहीं चला सकते हैं। लेकिन जो ऐसा दावा नहीं करते हैं वे चला सकते हैं?”

गं०—“अर्थात् लालमजी यदि ऐसा दावा न करते हों तो क्या वे चरखा चला सकते हैं? मैं यह नहीं समझ सकता कि इसमें अहिंसा-धर्म का त्याग कहाँ होता है। ग्रहण की तरह साधु स्वार्थ के लिए कुछ भी न करे, यह बात तो समझ में आ सकती है। लेकिन परमार्थ के लिए तो उसे चरखा भी चलाना चाहिए। एक उदाहरण लीजिए। साधु रात को बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मान लो कि रात में पड़ोसी का घर जलने लगे तो क्या साधु घर में बंठा रहेगा और पड़ोसी को पानी की कुछ भी मदद न करेगा? यह अहिंसा का पालन नहीं है। मैं तो इसे हिंसा मानता हूँ। इसी प्रकार दुष्काल के अवसर पर भी यदि अनाथ पीछितों को कोई खास काम करने पर ही जाना मिल सकता है तो उस काम को कर दिखाना भी धर्म होगा। पानी के बिना यदि लोग छटपटाते हों और कुदाली लेकर खोदने की किसीकी इच्छा ही न हो तो साधु को कुदाली लेकर खोदने का बोध उन्हें देना चाहिए। खोदो कहने से कुछ काम न होगा। आप पानी का एक घूँट भी पीना न चाहते हों फिर भी यदि कुदाली ले कर तैयार हो जाओ और पानी निकाल कर लोगों को पिलाने के बाद ही आराम लो तो यह अहिंसा होगी। आपकी पानी पीने की इच्छा मुक्तक न हो फिर भी सबको पानी पिला कर पीओगे तो कुछ दोष न होगा। इस प्रकार साधु परमार्थ दृष्टि से अनेक कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार कार्य करना उबका धर्म हो जाता है। इसी प्रकार आज हिन्दुस्तान में लोग भ्रम को तरस रहे हैं। चरखा चलाने से गरीबों को रोटी मिल सकती है। इसलिए प्रत्येक निरुद्यमी मनुष्य को कातने में लगा देना धर्म हो गया है। लेकिन ऐसे समय में यदि साधु न कातें और सिर्फ कातने का उपदेश ही करें तो काम कैसे चलेगा? जिस काम को वे करना नहीं चाहते हैं उसे लोग क्यों करेंगे? इसलिए साधुओं का तो यह धर्म है कि वे चुपचाप चरखा लेकर बैठ जायँ और उसे चलाया ही करें। कोई यदि उनके पास आवे और उपदेश माँगे तो ज्यादा ही न दें। एक बार पूछें, दो बार पूछें, तीन बार पूछें, तो भी उत्तर न दें और आखिर को मौन तोड़ कर कहे कि यह करने के सिवा मुझे दूसरा कुछ भी उपदेश देना नहीं है। इसलिए अप्रमत्त आप्रत साधु का यही धर्म है।

## हिन्दी-नवजीवन

पुष्पार, बंशाक्त नदी ८, संवत् १९८२

### मेरी स्थिति

अभीतक मैंने महासमिति की कोई बैठक नहीं की है। पर अभी बंबई में पहली बार मैंने इस बात की शिकायत सुनी। एक पत्र-प्रतिविधि ने मुझसे इस बात पर सवाल किया और उसे वे अत्यन्त मरुत देते हुए दिखाई दिये। उनके इस आन्दोलन को कुछ भिन्न तर्क तो मैं न समझ पाया; क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं कि इस विषय पर पत्रों में कुछ चर्चा हो रही है। मुझे लगातार सफर में रहना पड़ता है। इससे अखबारी दुनिया से मेरा सम्पर्क टूट ही गया है। उस दिन मदरास में जब शास्त्रीजी ने सर अब्दुररहमान के एक के मन्सूख किये जाने की बात कही तब जाकर, उस घटना के कई दिन बाद, मुझे उसका हाल मालूम हुआ। पर मुझे ऐसी प्रचलित घटनाओं के भारी अज्ञान पर अफसोस नहीं होता। क्यों कि मैं जानता हूँ कि मैं उनपर कुछ असर डालने के लिए निरक्षम हूँ। ऐसी बुराइयों की कोई तत्काल फल देने वाली दवा मेरे पास नहीं है। इसलिए प्रचलित घटनाओं संबंधी मेरे अज्ञान से कुछ कसता बिगड़ता नहीं है। मुझे तो अपनेको ऐसे कार्यकर्ताओं की शिकारी में लगाना है जो कार्यरत हों, अहिंसापरायण हों, आत्म-त्यागी हों, जो अरबा और जादी पर तथा हिन्दू-मुस्लिम-एकता पर और यदि वे हिन्दू हों तो अस्पृश्यता-निवारण पर भी विश्वास रखते हों। सबसे कम इस साल के लिए तो राष्ट्र का कार्यक्रम नहीं है, दूसरा नहीं।

मुझे अब निरे राजनैतिक कार्यक्रम की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं मालूम होती जिसे कि महामभा ने स्वराज्यदल की सौंप दिया है जो कि महासभा का एक अंग है। एक समय की वकालत करनेवाले की हस्तियत से मैं एक बेवकूफ आदमी हूँगा, अगर अब बातों के लिए अपना सिर खपाऊँ जिन्हें मैंने खूब सोच समझ कर और पूरे विश्वास के साथ उन लोगों को सौंप दिया है जिन्होंने कि खूब ही अपने लिए उस क्षेत्र को चुन लिया है और जोकि अधिक नहीं तो कमसे कम उतने ही समर्थ हैं जितना कि मैं खूब हूँ। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं दूर से आकर-पूर्वक यह निहाक कि किस तरह बड़ी धारा-समा में पण्डित मोतीलाल नेहरू अर्जुनजी के साथ कोशिश कर रहे हैं, किस तरह वैद्यबन्धुदास अपनी तन्दुरुस्ती गंवाकर भी शांति शांति के साथ इस सर्वशक्तिमान सरकार से भिड़ गये और अर्जुनजी जहाँ सरकार ने उनसे सुठनेक की उन्होंने उसे पछाड़ा, किस तरह मध्यप्रान्त के स्वराज्य अपनी एकदिली का परिचय दे रहे हैं और किस प्रकार श्री जयकर शिष्टा के साथ चुपचाप सरकार के घर में अपना कदम आगे ही बढ़ा रहे हैं। मैं उनके काम पर महासभा के एक पदाधिकारी की हस्तियत से या ऐसे-वैसे ध्यान देकर इन महान् कार्यकर्ताओं का अपमान न करूँगा। अपनी ईश्वर-प्रार्थना के द्वारा और देश की भीतर से पैदा करने के अनवरत उद्योग के द्वारा मैं उनकी सहायता कर रहा हूँ। मैंने महासभा के अन्दर फूट नहीं सुनी। मैं फूट से अपना कोई धातुक न रखूँगा। कार्य-समिति में ऐसे सबकों का बहुमत है जो कर्त्तव्य में मेरे मतों को नहीं मानते हैं। उनका काम है मुझे सौंपा रहना। इस साल मैं एक भी ऐसा काम नहीं करूँगा

चाहता जिसकी पुष्टि मेरे वे बहुमूल्य साथी न करें। मैं उन लोगों से लिखा-पढ़ी कर रहा हूँ कि कार्य-समिति की कोई बैठक करना जरूरी है या नहीं। मैं नहीं चाहता कि उनका समय बिला-जबरत खर्च कराऊँ। महासमिति की बैठक का आयोजन भी मैं इसी कारण से नहीं कर रहा हूँ। जब कोई नई बातें बतानी हों, या नया कार्यक्रम रचना हो तभी महासमिति की बैठक की जा सकती है। हमें न तो नई बातें बतानी हैं, न नया कार्यक्रम रचना है। कोई ४०० सदस्यों की दर दर से बुलाना खेल नहीं है। उनमें से अधिकांश तो दरिद्र ही हैं और सब अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे या होने चाहिए। इसलिए मैंने आज्ञा कर दी महासमिति की बैठक नहीं करवाई है। पर अगर बहुतेरे सदस्य यह चाहते हों कि बैठक हो और यदि वे उसका प्रयोजन मुझे लिख भेजें तो मैं जरूर बिना विलम्ब बैठक करा दूँगा।

पर हर प्रान्त के लिए जो सबसे जरूरी बात है वह है खूब अपना संगठन करना। उनकी कमिटियाँ बार बार हों। हर प्रान्त को काम के लिए तो प्राणिक स्वतन्त्रता ही है। हर प्रान्त ईमानदारी और परिश्रम के साथ नये मताधिकार के लिए काम करें। अगर कुछ लोगों का ऐसा खयाल भी पैदा जाता है कि यह मताधिकार असफल हुए बिना न रहेगा। सो मैं निराशावादियों और भयभाषियों को सूचिन करता हूँ कि कताई की हलचल की जब मजबूत हो रही है, कमजोर नहीं। सारे देश में कार्यकर्ता चुपचाप, निश्चयपूर्वक काम कर रहे हैं और उसका असर भी हो रहा है। जादी की उत्पत्ति और किम्म में बहुत सुधार हो गया है। जादी की सस्ता और ब्यादह टिकाऊ बनाने के किन्नै ही अच्छे अच्छे प्रयोग हो रहे हैं। तिरुपुर सासद सबसे आगे हैं। लेकिन तिरुपुर तो एक नमूना-मात्र है। गुजरात में भी प्रयोग अभी शुरू हुआ है। उसमें अनेक शक्तियाँ गभिन हैं। जादी की कीमत को ९ आना से घटा कर ३ आना गन्ना कर देने और साथ ही उसकी किम्म सुधारने की कोशिश हो रही है। नये मताधिकार का प्रत्यक्ष असर तो पहले ही बहुत-कुछ हो चुका है। प्रत्यक्ष परिणाम उन लोगों की क्षमता और अखण्डता पर अवलंबित है जो उसके लिए काम कर रहे हैं। उन्हें मेरी सलाह है—

१—मिफं उन्हीं लोगों को खोजो जो काले और उनमब लोगों को भरनी कर लो जो अपनी तरफ का सूत लाते हों।

२—परन्तु स्वयं कातनेवालों से भी अलिप्त रहो। उनकी मिश्रत-आरजू न करो। यह मताधिकार एक मौभाग्य की बात है। उन्हीं लोगों का मून्व होगा जो इस मौभाग्य का मून्व समझेगे और उसे कायम रखने के लिए काम करेंगे।

३—थोड़े ही सदस्य यदि हों तो जबरतक कि वे सभे हों निराश न होओ।

४—रुपया लेकर उसके बदले में सूत देने के चक्र में न पड़ो। जो सक्ष्य बनना चाहते हैं उन्हीं पर सूत लाने का भार पड़ने दो। हाँ, उनके लिए चाहो तो सूत के मन्धार खोलो। प्रान्तीय जादी-मन्धल इस काम को करें।

अब यहाँ मैं अपनी स्थिति स्पष्ट किये देता हूँ। मैं इस त्रिविध कार्यक्रम को अपना चुका हूँ। मैं हिन्दू-मुस्लिम एकता को सता सता कर उसे जीवन नहीं दे सकता। सो उसके लिए मुझे कोई बाहरी उपाय करने की जरूरत नहीं। एक हिन्दू की हस्तियत से मैं उन तमाम मुसलमानों की सेवा करूँगा जो करने देंगे। मैं उन लोगों को सलाह दूँगा जो मेरी सलाह खाहेंगे। औरों के लिए, मैं उस बात की चिन्ता करना छोड़ देता हूँ जिसे मैं बना



मही सकता। लेकिन मेरे दिल में यह मजबूत विश्वास है कि सब बने बिना न रहेगी। चाहे कुछ समाप्त लड़ाइयों के बाद ही क्यों न हो वह सिद्ध जरूर होगी और यदि लड़ने की उमर रखनेवाले लोग नहीं हैं तो दुनिया में किसीकी ताकत नहीं जो उन्हें रोक सके।

अछूतपन बिना मिटे न रहेगा। संभव है यह कुछ समय ले, पर जो तरकी उसने की है वह बिल्कुल अद्भुत है। अभी वह विश्वास-संसार में ही अधिक है। पर कृति में भी उसका असर चारों ओर दिखाई देता है। उस दिन मांगरोल (काठियावाड़) में अछूतों को अपने साथ बैठाने के खिलाफ एक भी औरत ने हाथ ऊंचा न उठाया। और जब वे दरअसल उनके साथ बैठ गये तब किसी ने श्क तक न किया। वह दृश्य सख्त था। ऐसा यह एक ही उदाहरण नहीं है। पर ही, इस चित्र का कृष्ण पक्ष भी है। हिन्दुओं को इस मुद्दे के लिए अधिरत परिश्रम करना होगा। जितने ही अधिक कार्यकर्ता होंगे उतना ही पक्का नतीजा निकलेगा।

परन्तु सबसे बड़कर उन्साहवासी परिणाम तो कर्ताई में दिखाई देगे। देहात में उसका प्रसार हो रहा है। मे सहस्र के साथ कहता हूँ कि देहात की पुनर्रचना का यह सबसे अधिक कारगर तरीका है। हजारों बियाँ कानने की राह देख रही है। उन्हें अपने खाने-पाने के लिए कुछ पैसे दरकार है। हाँ, ऐसे गाँव भी हैं जिन्हें किसी सहायक पैसे की जरूरत नहीं। फिल हाल में उन्हें हाथ न लगाऊंगा। जिस तरह कि मैं मताधिकार के लिए स्वयं काननेवालों की मिन्नत न करूंगा उभी तरह मैं पैसे के लिए काननेवालों की भी खशामद न करूंगा। यदि उन्हें गरज हो तो कर्ताई वनी नहीं। कार्यकर्ता के रास्ते में सबसे बड़ी दिक्कत है श्री-मुखों को उन्हें किसी न किसी काम की जरूरत रहते हुए भी कानने या दूसरा काम करने के लिए राजी करना। वे या तो भीख मांगकर पेट भरते हैं, या भूखों मर जाने पर सन्तुष्ट रहते हैं। हिन्दुस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए जीवन में कुछ रस नहीं रह गया है। हम खुद कात कर ही उनके हृदय तक पहुंच सकते हैं। मेरा तो मन कर्ताई का वायुमण्डल बनाने में ही लगा हुआ है। जब बहुतेरे लोग किसी एक काम को करते हैं तब उसके द्वारा एक सूक्ष्म और अदृश्य परिणाम होता है जो आसपास फैल जाता है और सन्नाहक सिद्ध होता है। मैं ऐसा ही वायुमण्डल चाहता हूँ जिससे कि पूर्वोक्त काहिल लोग चरखा कानने के लिए बिचने चले आवें। मैं तभी सिचेंगे जब वे देखेंगे कि जिन लोगों को चरखा कानने की आवश्यकता नहीं है वे लोग भी चरखा कात रहे हैं। इसीलिए इस नये मताधिकार की उत्पत्ति हुई है। परन्तु यदि महासभा के कार्यकर्ता इस कार्य में हाथ बटाना न चाहते हों तो वे शोक से अगले साल कार्यक्रम को बदल दें। मैं अगले साल भी निधम-पूर्वक लड़ाई से रहूंगा। यदि कुछ थोड़े से लोग भी सदस्य बनने के लिए मूत काँतेगे तब भी मैं इस मताधिकार पर अटक रहूंगा। पर मैं ये केन प्रकारेण महासभा पर अपना अधिकार कायम रखना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ अपनी मर्यादितता बताये देता हूँ। मैं सुधारों के अनुसार बिना किसी शक्ति के काम नहीं कर सकता। वह शक्ति आ सकती है लोगों को हिंसा या अहिंसा के लिए सुसंगठित करने से। मैं उन्हें सिर्फ अहिंसा के ही मार्ग पर संगठित कर सकता हूँ, या फिर मुझे असफल समझिए। पर अभीतक असफलता का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। चारों ओर सफलता की ही आभासे है। अहिंसा के मार्ग पर लोगों को संगठित करने के मानी हैं देहात के लोगों

को ऐसा काम दिया जाय जिससे उन्हें दो पैसे की आमदनी हो, उनकी कुछ बुरी आदतें सुदवाने के लिए उन्हें राजी करें, और अछूतपन को मिटाकर अछूतों के मन में हिन्दू-धर्म का अभिमान पैदा करते हुए तथा हिन्दुओं, मुसलमानों और दूसरों के दिल में सब लोगों के सामान्य लक्ष्य के प्रति विश्वास पैदा करते हुए तथा उसके लिए सबे दिल से काम करते हुए उनमें एक राष्ट्रीयता का भाव जाग्रत कर दें। जबतक ये तीनों बातें पूरी न हो जायं तबतक राजनैतिक दृग पर किसी काम को करने की ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। जितना जल्दी हो सके स्वराज्य स्थापित करने के लिए मैं उतना ही उत्सुक हूँ जितना कि हमारे बड़े से बड़े लोग हैं। हमपर होनेवाले अन्यायों को मिटाने के लिए मैं उतना ही अधीर और आतुर हूँ जितना कि कोई सरगम से सरगम देशभक्त हो। पर मैं राष्ट्र की मर्यादितता को देख रहा हूँ। उन्हें दूर करने के लिए मुझे अपनी ही मूँ-बूँस के अनुसार काम करना होगा। हो सकता है, यह एक लंबा और खी उबा देनेवाला रास्ता हो। पर मैं जानता हूँ कि यही सबसे छोटा रास्ता साबित होगा। पर सब क्यों एक ही किस्म के विश्वास रखने लगे और रखने भी नहीं हैं? यदि देश में ऐसी भारी बहुजन-संख्या हो जो इसी साल में महासभा की कार्य-प्रणाली और मताधिकार में परिवर्तन चाहते हों तो वे ऐसा कर सकते हैं, यदि वे यकीन दिलावें कि महासमिति में सब सदस्य उपस्थित होंगे और उनकी भारी बहु मति उनके पक्ष में होगी। यद्यपि ऐसा करना महासभा के संगठन के अनुकूल न होगा, फिर भी महासमिति की भारी बहुमति यदि संगठन को भी बदलना चाहे तो मैं उसके रास्ते में बाधक न होऊंगा। महासमिति ऐसा तीव्र उपाय कर सकती है यदि उसकी जरूरत दिखलाई जा सके और भारी बहुमति उसे चाहती हो। पर यदि ऐसे परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है तो हम सब लोगों को उचित है कि महासभा के स्वराज्य-दल मथधी काम में किसी प्रकार, किसी रूप में हस्तक्षेप न करते हुए हम अपना ध्यान नये मताधिकार की ओर लगावें। महासभा का हर सदस्य चरखे के लिए ईमानदारी के साथ आध घण्टा रोज दे और जिन लोगों का रुचि उसमें है वे पूरा समय उनके संगठन में लगावें, यह देश-कार्य के लिए उनसे कोई जबरदस्त मांग नहीं की गई है।

(य. ई.)

मोहनदास करमचंद गांधी

#### आथम भ्रमनावली

श्रीश्री आरुति छपरर तैयार हो गई है। पृष्ठ संख्या ३६८ हते हुए भी कीमत सिर्फ ०-३-० रखी गई है। डाकखर्च खरोदार का देना होगा। ०-६-० के टिकट भेजने पर पुस्तक मुद्रपोस्ट से फ्रीरू रखाना कर दी जायगी। श्री. पी. का नियम नहीं है।

व्यवस्थापक

हिन्दी-नवजीवन

#### एजेंटों के लिए

“हिन्दी-नवजीवन” का एजेंटों के नियम नीचे लिखे जात हैं—  
 १. बिना पेशगी दाम आबे किसीको प्रतिग्या नहीं भेजी जायगी।  
 २. एजेंटों को प्रति कागो (। कमोशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम से अधिक खने का अधिकार न रहेगा।  
 ३. १० से कम प्रतिग्या भेगाने वालों का डाक खर्च देना होगा।  
 ४. एजेंटों का यह लिखना चाहिए कि प्रतिग्या उनके पास डाक से भेजी जाय या रोकें से।

## राजस्थान में खादी-कार्य की सुविधा

२

शाम को गोविंदगढ़ के बलाइयों का मुहल्ला देखने को हम लोग निकले। बलाइ लोग काम से वापिस नहीं लौटे थे। कुछ लोगों के लहकों ने उनके बुने धान ला ला कर दिखाये। बुनाई अच्छी थी। सूत प्रायः एक हाथ का एक मिल का। दो-एक बलाइयों के घर तो हमें इतने साफ-सुधरे मिले कि कितने ही छूत माने जानेवाले लोगों के यहाँ भी उत्तनी सफाई न रहती होगी। राज्य की ओर से तो नहीं, पर एक खानगी अन्यज-रात्रि-बाठशाला वहाँ देखी, जिसमें कुछ सहायता एक ईसाई पादरी देते हैं। इसमें भंगी बमार-बलाइ सबके लहके-लहकी आते हैं। गाँववाले मास्टर माहब से हम धान के लिए नागज थे कि वे अन्यजों को पढ़ाने हैं।

रात को कोई १० बजे हम कुछ व्यापारियों से उनके घर जाकर मिले। बातचीत आरम्भ होते ही हम लोगों के दिल पर यह असर हुआ कि यह बायुमण्डल ही दूसरा है। हाथ का सूत बुनने में बुननेवालों का तो उच्चार है पर व्यापारियों को उसका क्या चिन्ता? उन्हें तो अपने मुनाफे में और इसलिए गाहक जो चीज माँगे उसे रखने और देने से मतलब। मलिकपुर के बलाइयों ने हमारी बातें इस तरह सुनी मानो रोगी वैद्य की बात सुनता हो। इन व्यापारियों ने इस तरह सुनी जैसे मुरजिम पुलिस के सिपाहियों की। बातें भी खादीमबंधी उनके कर्तव्याकर्तव्य का। ऐसा माखम होता था मानो वे हमसे बातें करना चाहते थे, हमारा समागम तो उन्हें अप्रिय नहीं था, पर वे इस विषय में अपनेको दूर रखना चाहते थे, उनके उत्तर और उत्तर का दग मानो यह कहते थे कि साहब और कुछ बातें काजिग, इनसे हमारा कोई हित-संबंध नहीं। अन्त का जब खुद उन्हींके खादी पहनने और खादी ही बेचने की बात आई तब तो उनके जबाब मानो हमें अपने घर जाने की सिफारिश करते थे। मेरे मन में पद पद पर मलिकपुर के बलाइयों और इन महाजनों की मनःस्थिति पर तुलना हो रही थी और मैं उत्पादक और विक्रेता के इस मनोमेद पर चक्रित और दुर्गमन हो रहा था। उत्पादक लोग देश का बल होते हैं, केवल अपने नफे के लिए नौते बेचनेवाले वे मध्यस्थ दलाल उत्पादकों और प्रादकों के लिए 'अमरबेल' साधिन होते हैं।

अमरसर श्री विभेश्वर बिरला की खादी छपनी है। उनके मार्केट १८ करघे चल रहे हैं जिनमें दोनों सूत हाथ के बुने जाने हैं। यह कोई १५०० घर की बस्ता है जिसमें १५० करघे और ५०० घरघे चलते हैं। बिरलाजी के घर के आसपास चलते हुए घरखों ने हमारा स्वागत किया। बिरलाजी के पढ़ते यहाँ कोई शुद्ध खादी न बुनता था। २५ इंच के करघे ज्यादा है। बड़े अर्ज के बहुत ही कम।

अमरसर में दो-तीन बार घर के कई बलाइ एकत्र हुए थे। हमारे वहाँ पहुँचने से तो सोने के समय तक हम एक तरह से बलाइयों से घिरे ही रहे। कुछ बलाइ तो इतने साफ-सुधरे नजर आये कि उन्हें अछूत समझना ही मुश्किल मालूम होना था। ऐसे बलाइ वही थे जो बिरलाजी के मार्केट में आ चुके थे।

\*यह बेल जो अक्सर पेंडों पर ऊपर ही ऊपर छा जाती है। वह उन्हींका रस पीकर जीती रहती है और पेड़ को पनपने

उनके बुने तरह तरह की खादी के नमूने हमने देखे। बुनावट बढिया और खादी सस्ती। ४५ इंच के अर्ज की ८ गज की घोंती बहाँ ३११- में पड़ती है। १६ गज २९ इंची अर्ज के १४ नं. के सूत की खादी का धान ६११ में पड़ता है। यदि वहाँकी उपजा खादी वहीं आसपास विक्रती रहे तो मिल का कपडा उमका मुकाबला नहीं कर सकता। बिरलाजी के पास रुपया कम है। इसीसे वे ज्यादा करघों से शुद्ध और इससे भी अच्छी खादी बनवा नहीं पाते हैं। उन्होंने खादी की बुनावट में उन्नति भी कराई है। खादी-मण्डल उन्हें ज्यादा रुपया देने की व्यवस्था कर रहा है। ऐसा हो जाने पर निश्चय ही ज्यादा करघों पर शुद्ध खादी बनने लगेगी।

अबतक बिरलाजी को खादी पैदा करना और बेचना दोनों काम करना पड़ते थे। इससे उनकी शक्ति और रुपया दोनों बँट जाते थे। अब खादी-मण्डल यह इन्तजाम कर रहा है कि बिरलाजी सिर्फ पैदावार का काम करें और हर आठवें रोज उनका बना माल मध्यवर्ती खादी-मण्डल तकद रुपया दे कर खरीद ले। इससे वे थोड़े रुपये में भी ज्यादा माल तैयार करा सकेंगे और उनकी मारी शक्ति एक ही अर्थात् उपज के काम में लगेगी। राजस्थान में शुद्ध खादी तैयार कराने की ही ज्यादा जरूरत है। हम यहाँ जहाँ बुननेवालों से मिले उन्हें मान पडा रहने की शिकायत बिल्कुल नहीं थी। उनकी कठिनाइयाँ सिर्फ तीन थीं। १—हाथ का सूत अच्छा नहीं मिलता, २—कणी हाथ के सूत के लायक उनके पास नहीं। ३—लंबे अर्ज के करघे नहीं। इनमें खादी-मण्डल को सिर्फ पहली कठिनाई को दूर करने का भार अपने ऊपर लेना होगा। दूसरी दोनों कठिनाइयों तो सिर्फ आर्थिक सहायता दे कर दूर की जा सकती हैं।

अजपुर के आस-पास कपास अच्छी पैदा होती है। मजबूरी हर किस्म की सस्ती है। इसमें कपास और खादी स्वभावतः सस्ती पड़ती है। पिंजारे तो हैं; पर कातनेवालों की शिकायत है कि धुनकाई अच्छी नहीं होती—पूनी अच्छी नहीं मिलती। इसका प्रबंध भी खादी-मण्डल को करना होगा।

यहाँ भी बलाइयों से उनी तरह बातचीत हुई जिस तरह मलिकपुर में हुई थी। प्रायः सब लोगों को यह बात मुरत जंच जाती थी कि कारखाने के सूत को बुनने और कारखाने का कपडा पहनने से उनका धन्धा किस तरह मडियामेट हो रहा है और हो जायगा। जब उन्होंने हाथकता सूत अच्छा न मिलने की शिकायत की तब उनसे पूछा गया कि पहले ताँ हाथकता सूत बहुत मिलता था, वही सूत आप लोग बुनते थे, फिर वह कतना बन्द क्यों हो गया? एक बूटे ने उत्तर दिया—“महाराज, हमी लोगों के बंदीलन वह बन्द हुआ। जब हम चीण का (कारखाने का) सूत बुनने लगे तब कातनेवाली अपने आप बंद हो गईं।” अहा! इस उत्तर में कितनी ब्यार्थता और कितनी सच्चाई थी। इस उत्तर ने अपने आप उन लोगों के मन में यह भाव जाग्रत कर दिया कि हमने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तब उन्हें यह समझाने की जरूरत ही न रह गई कि अब यदि तुम्हें फिर हाथ का कता जैसा मिले वैसा सूत बुनने लगे तो अपने आप ज्यादा और अच्छा सूत कतने लगेगा। वे खुद ही समझ गये कि अच्छा सूत कतवाना हमारे ही हाथ में है। फिर भी उन्हें खादी-मण्डल की तरफ से सहयोग मिलने का आश्वासन दिने जाने पर तो उनके उत्साह और आनन्द की सीमा न रही। प्रायः सब लोग इस बात को महसूस कर के और प्रतिज्ञा कर के आये।

पहलेंगे। उन्होंने अपनी विरादरी में भी इस विचार का फैलाव करने का अभिव्यक्त किया। उनकी पचायत तो है। पर उसमें नवजीवन का संसार करने की जरूरत है। भाई शंकरलाल बेंकर बहुत ठीक कहते हैं कि यदि हम सारे देश में सिर्फ जुलाहों का एक वृहत् संगठन कर सकें और उनको यह समझा सकें कि शुद्ध खादी बुनना किस तरह उनके धन्धे का बीमा कर देने के बराबर है तो खादी की जब भारत में फिर आगामी से जन्म सकती है, और अकेला राजपूताना ही बेशुमार खादी भारत को दे सकता है।

हरिभाऊ उपाध्याय

### टिप्पणियां

#### खादी न पहननेवाले

महासभा के मताधिकार में महासभा के काम के समय तथा ऐसे दूसरे अवसरों पर खादी पहनना अनिवार्य है। ऐसा होते हुए भी खबर मिली है कि कहीं कहीं सभ्य खादी नहीं पहनते। मेरी दृष्टि से तो यह महासभा के कानून के खिलाफ है। यदि हम खुद ही अपने बनाये कानूनों का पालन न करेंगे तो मेरी रामझ में नहीं आता कि हम स्वराज्य किस तरह प्राप्त कर सकेंगे? शायद कोई यह दलील पेश करे कि महासभा के उन कानूनों को जो हमें प्रिय नहीं हैं, न मानना ही उचित है। पर यह कहना बेजा है: क्योंकि यदि हर क्षण उस धारा की अवहेलना करने लगे जो उसे अच्छी न मालूम होती हो तो फिर सब लोग किसी भी एक धारा का पालन नहीं कर सकते और फलतः संगठन का अर्थात् तंत्र का नाश ही संभवनीय है। धाराओं की रचना होने के पहले जितना चाहे विरोध किया जा सकता है, पर उसके पास होने के बाद उसका भंग करना मानो अंधाधुन्धी का प्रवेश करना है। इसपर कोई यह न ख्याल करे कि मेरी यह युक्ति सविनय भंग के खेलाफ जा रही है। क्योंकि सविनय भंग तो सभी हो सकता है जबकि भंग न करना अनीति हो। यहाँ तो अनीति की स्थान ही नहीं है। खादी पहनना अनीति का विषय नहीं। ऐसी दलील मैंने आज तक नहीं सुनी कि खादी पहनना अनीति-मूलक है। तब यह सवाल उठता है कि यदि कोई सभ्य खादी न पहन कर सभा में भाग ले तो क्या हो? तो सभापति उन्हें विनवपूजक सभा-स्थान छोड़ देने के लिए कह सकते हैं। यदि सभ्य उसका निरादर करें तो वे उन्हें सभा में बोलने की मनाही कर सकते हैं। उनके मत की गिनती हरगिज़ न होनी चाहिए। मैं अब अभिप्राय में महासभा के सभापति की हैसियत में दे रहा हूँ या खानगी तौरपर? सभापति की हैसियत से अभिप्राय देने का कोई इरादा ही मैं नहीं रखता। यदि कार्यके के निर्णय करने का समय आने तो मैं उसे करना नहीं चाहता। मैं तो निर्णय का भार कार्य-समिति पर ही सौंपना चाहता हूँ। मताधिकार में परिवर्तन मैंने ही सूचित किया है, नियमों की रचना भी मैंने ही की है, इसलिए सभापति की हैसियत से फैसला करना मैं उचित नहीं समझता। कार्य-समिति के द्वारा ही उसका निर्णय होना उचित है। पर मुझे यकीन है कि ऐसी सीधी सी बात में कोई महासभ्य कार्य-समिति का कायदा मिथ्य न चाहेगा।

(नवजीवन)

#### चरखे पर पड़णीजी

काठियावाड़ की एक सभा में सर पड़णीजी भी आये थे उन्होंने कहा - चरखे में क्या मजा आता है यह यदि समझाना हो तो मैं एकत्रित सब लोगों से कहता हूँ कि आपको इक चलाने में जो मजा आता है वही मजा चरखे में भी आता है। दोपहर को चरखे बजे हों, किसान इक चलाता हो और उस समय उसका

फल रोड़े में अटक जाय और किसी प्रकार से भी वह बाहर न निकले और आखिर बड़ी मुश्किल से इक चले तो उस समय इक चलाने में क्या मजा है, आप न समझ सकोगे। लेकिन वर्षा हो, बहुत सा अनाज पके और जब अनाज खलिहानों से लाकर घर में भरा जाता हो तब उसमें जो मजा आता है वही मजा चरखे में भी आता है। पहले तो मुझे भी ऐसा ही मालूम हुआ था। चरखा किसी प्रकार चलता ही न था, बार बार सूत टूट जाता था। फिर भी यदि मैं न कातना तो मुझे उपवास करना पड़ता। मैंने ऐसी ही प्रतिज्ञा की थी इसलिए या तो उपवास करना पड़े या प्रतिज्ञा भंग हो तो जीवन निष्फल हो जाय। इस प्रकार करते करते हाथ थैठ गया। और अब मेरा चरखा जहाँ मैं माना हूँ वहीं रहता है। वृद्धावस्था और कार्य की उपाधि के कारण यदि रात को नींद नहीं आती है तो बिछाने में झोटा नहीं पड़ा रहता हूँ बल्कि फौरन उठकर दिया जलाता हूँ और कातने बैठता हूँ। दो दो घण्टा कातता हूँ फिरभी चकाबट नहीं मालूम होती और आप जिस प्रकार इकको चलाते चलाते गाते हैं उसी प्रकार मैं भी चरखे से सूत निकालता हूँ और गाता जाता हूँ। इससे अनायास ही ईश्वर का नाम लिया जाता है। सब झकड़ें सहज ही भे दूर हो जाती हैं। कहने हैं कि जिन्हें उपयों का जरूरत नहीं उन्हें चरखा चलाने की जरूरत नहीं। मैं कहना हूँ कि उम्मीको कातने की व्यादह जरूरत है। बड़े बड़े कामों की चिन्ता मुलाने के लिए उन्हें इसकी जरूरत है। महात्माजी ने चरखे के जैसे गुण गाये हैं जैसे गुण मैं नहीं गा सकता। मैं तो इनका ही जानता हूँ कि आप लोग कपाम चोते हैं, बैल को मारते हैं, दई उपन्न करते हैं और फिर उमे विदेश भेज देते हैं और बिदेशी कपड़े पहनते हैं। यह जुल्म है। मैं विलायत जा रहा हूँ। लेकिन मैं जैसा वहाँ हूँ वैसा ही वहाँ भी रहूँगा। मैं कातूँगा और आप लोग न कातोगे तो यह लज्जा की बात है। केवल वही बात नहीं कि मैं अकेला कातने लगा हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी भी कातने लगी है और ४० बच्चों को इकड़ा करके वह उनसे कताती भी है। बहूयें भी कातती हैं। रात के बारह बजे मुझे इठ बोलने का शौक नहीं हो सकता। इसलिए देखो, कातना शुरू कर देना। नहीं तो मैं वापस आकर आप लोगों से हिसाब लूँगा।'

#### सेवक का धर्म

महडा ( काठियावाड़ ) में व्याख्यान देते हुए गांधीजी ने सेवक का धर्म इस प्रकार समझाया था—

कार्यपरायणता में मैंने अटल विश्वास की भी कल्पना की है। थोड़ा कभी थकता ही नहीं। वह लड़ने लड़ने ही मरना चाहता है। उसका यह विश्वास होता है, कि यदि विजय न मिली तो मर कर भी मैं विजय प्राप्त करूँगा। तपधर्या करते हुए यदि प्राण छूट जाय और सारा आश्रम मटियामेट हो जाय तो भी यह श्रद्धा रखनी चाहिए कि गांधी का बताया हुआ आत्म-विश्वास का मंत्र सच्चा है और अभीष्ट-सिद्धि तो दूसरे जन्म में भी हुए रहेगी।

बहुत भरतबा तो जब हम थक जाते हैं और सब लोग हम से कूटे हुए मालूम होते हैं, उस समय अकस्मात् रुपयों की वर्षा होती है। मैं अपने जीवन के ऐसे बहुत से कड़वे और मीठे अनुभव उदाहरण के तौर पर पेश कर सकता हूँ। एक वर्ष में ही स्वराज्य हासिल करने की जब मैंने बात की तब ईश्वर ने मुझे पछाड़ दिया। उसने मुझसे कहा ' ऐसी भीयाद देनेवाला तू कौन है ' यह सच है कि मैंने धैर्य रख कर भीयाद दी थी। लेकिन धैर्य करने पर भी मुझे यह तो समझना चाहिए था कि हिन्दुस्तान की शक्ति कितनी है। इस शक्ति का अंदाज लगाने में मैंने भूल की। यह दोष तो मेरा ही

है दूसरे का नहीं कहा जा सकता। फिर भी १९२०-२१ के साल में जो विश्वास और भ्रष्टा मुझमें थी उससे कहीं अधिक आज है। उसीके द्वारा मैं सुख और शान्ति प्राप्त कर रहा हूँ। मेरी शान्ति और सुख मैं जिन्हें भाग लेना हो वे मुझे ही भ्रष्टा प्राप्त करें। आपने मुझे शान्ति का सरदार कहा है लेकिन मेरे भ्रष्टा शाही और सरकार मुझे अध्यात्म का सरदार मानते हैं। अहिंसा का भ्रष्टा है लेकिन मेरे नाम से यदि बहुत सारा लोग धर्म करें और गालीपलाज करें तो मेरी अहिंसा का क्या अवयव होगा? मैं देखता हूँ कि जिस बात को मैं कहता और करता आया हूँ उसका ऐसा प्रतिफल पड़ता है कि देखने में फिर उसका स्वरूप विचित्र मालूम होने लगता है। इसलिए मैं अपने दिल से पूछता हूँ कि मेरी अहिंसा कैसी होगी? ऐसे विषय आने पर मैं अपने अहिंसा के भ्रष्टा को कैसा जब की तरह पकड़ कर बैठा हूँ। दूसरा क्या कहते हैं इसका विचार किये बिना ही काम करते रहना मुझे माद है, इसलिए पागल कहलाने के भय के बिना ही मैं अपना काम करता रहता हूँ।

भोक्ष प्राप्त करने के लिए कितने धैर्य की आवश्यकता है इसका वर्णन करते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि एक तिनके से समुद्र खानी करने के लिए जितने धैर्य की आवश्यकता है उससे भी अधिक धैर्य होने पर भोक्ष प्राप्त कर सकोगे। यहापर पंडित लालन और शिवजीभाई भाक्ष प्राप्त करने की इच्छा से बैठे हैं। उन्हें उससे भी अधिक धैर्य रखना चाहिए। यदि वे यह चाहते हों कि कपड़ों की बर्बादी हो तो मैं उनसे कहूंगा कि कपड़ा तो हाथ का मैल है। सद्भाव आत्मा का एक उत्तम गुण है और उसे प्राप्त करना मुश्किल है। जब शिवजीभाई और लालन को यह मालूम हो कि लोग कपड़े नहीं देते हैं तो उन्हें यह मानना चाहिए कि उनकी दृष्टता में, आत्म-दर्शन में कुछ न्यूनता है। उन्हें आत्मदर्शन हुआ है यह न मान कर यह मानना चाहिए कि उन्हें सिर्फ आत्मा का भास ही हुआ है। थोड़े से ब्रह्मचर्य के पालन से हम अभिमान करने लगे, थोड़े से अपरिग्रह के पालन से हम संसार को उपदेश देने के लिए निकल पड़े तो बड़ा अनर्थ होगा। मुझे तो ब्रह्मचर्य की व्याख्या और विस्तार क्षण क्षण पर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मैं पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हूँ कि आज मैं उसकी व्याख्या कर सकूँ। सत्य का व्याख्या के बारे में भी यही कहा जा सकता है। मैं अभी उतना सत्यदाता नहीं बना हूँ कि उसकी पूर्ण व्याख्या कर सकूँ। अहिंसा भी ऐसी ही वस्तु है। जिस शास्त्रकार ने इस वस्तु को बूझा है उसे 'न' कारात्मक शब्द ही न मिला। क्योंकि उसने कहा है कि इस गुण की कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए उसने अहिंसा शब्द का प्रयोग किया। 'नेति नेति' पुकारनेवालों के जैसी ही उसकी हालत हुई थी। किसी वस्तु की साधना करनेवाले को पहले यह बात को समझ कर फिर साधना करनी चाहिए।

### अनुकंपनीय

'विज्ञापन-बाजी से अनर्थ' नामक मेरे लेख की ओर बहुतेरे सबकों का ध्यान गया है, जिनसे कि उसका संबंध आता है। मुझे यह प्रकट करते हुए खुशी होती है कि 'प्रताप' पर कृष्ण-भार होते हुए भी और 'प्रभा' के छात्रों में चलते हुए भी श्री गणेश शंकरजी विद्यार्थी लिखते हैं कि 'मैं दबाइयो के भेदे विज्ञापनों के निकाल देने का निश्चय पहले ही कर चुका हूँ। जिन लोगों के इस प्रकार के विज्ञापनों के लिए हम लोग बचनबद्ध हैं, उनका समय—जो बहुत थोड़ा है—समाप्त हो जाने पर, आप प्रताप के विज्ञापनी कार्यों को अधिक गंदा न पावेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी शिकायत बहुत बड़े अंश में सदा के लिए

दूर हो जायगी।' इसी प्रकार 'तरुण राजस्थान' के संपादक महाशय ने भी आपत्तिजनक विज्ञापन निकाल डालने का वचन मुझे दिया है। 'तरुण' भी घटी में ही चल रहा है। 'हिन्द-संसार' के संपादक महोदय ने भी ऐसा ही आश्वासन दिया है। ये सब सचन पाठकों के धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे आशा है, कि हिन्दी के अन्य प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिका भी पूर्वोक्त पत्रों का अनुकरण कर के शुद्ध सेवा के यत्न के भागी बनेंगे। जो पत्र-पत्रिका स्वावलंबी हो गये हैं, या जिन्हें थोड़ी घटी उठानी पड़ रही है उन्हें तो सबसे पहले इसके लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जितना ही वे विज्ञापनों की आमदनी से मुंह मोड़ेंगे अथवा गंदे, भेदे और विलासिता बढ़ानेवाले विज्ञापनों को निकाल देंगे उतना ही वे अपनेको समाज के अधिक आदर-पात्र बनावेंगे, उतना ही अधिक वे समाज के मन में यह प्रेरणा करेंगे कि ऐसे पत्रों को अपनाना और जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। जो समाज के लिए कुछ भी त्याग करता है समाज उसकी जरूर कर करता है। भेदे विज्ञापनों को निकाल देना तो पत्रों की आत्म-शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। जबतक पत्र-पत्रिका स्वयं ही शुद्ध नहीं है तबतक वे समाज को शुद्धता की प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? पाठकों को भी चाहिए कि वे भेदे और विलासिता-बंधक विज्ञापनों को स्थान देनेवाले पत्र-पत्रिकाओं को चेतावनी दे दें और दाम अधिक दे कर भी केवल उन्हीं पत्र-पत्रिकाओं को अपने घर में आने दें जो उनके सामने धैर्य और निर्मल सामग्री पेश करते हों—जो उनके जीवन को उच्च और पवित्र बनाने में सहायक होते हों। सस्ते परन्तु बुरे विज्ञापनों से युक्त पत्र-पत्रिका अन्त को केवल महंगे ही नहीं, बल्कि जीवन के लिए हानिकर भी साबित हुए बिना न रहेंगे।

३० उ०।

( पृष्ठ २८५ से आगे )

ऐकान्तिक अहिंसा की बात मुझे स्वीकार है। लेकिन यह ऐकान्तिक अहिंसा कैसी होनी चाहिए? आज तो साधु गृहस्थ की तरह खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं और गृहस्थों ने जो उनके लिए अपासरे बनवाये हैं उनमें रहते हैं। तो उन्हें राष्ट्र के जीवन में भी भाग लेना चाहिए। आज जिस काम के करने में राष्ट्र की बड़ी से बड़ी सेवा होगी उस काम के करने में उन्हें भाग लेना ही चाहिए।

मुनिजी:—तो यह आपत्तिधर्म हुआ!

गाँ:—नहीं, आपत्तिधर्म नहीं लेकिन युगधर्म। आज युगधर्म है कातना और जबतक मुनि अपनी जीवनयात्रा के लिए समाज पर आधार रखता है उसे युगधर्म का प्रचार अपने आचार-द्वारा करना चाहिए। आज तो आपलोग लोगों के पैदा किये हुए चावल, उनका तैयार किया हुआ भात खाते हैं और उनके पैदा किये हुए कपड़े पहनते हैं। जो मुनि अनायास ही कहीं पड़ा हुआ अन्न खाता है, कपड़ों की कुछ परवाह नहीं करता और समाज का सम्पर्क छोड़कर किसी अगम्य, अगोचर गुफा में पका रहता है उसकी बात निराली है। वह भले ही युगधर्म को पालन न करे। लेकिन समाज में रहनेवाले और उसके आधार से जीनेवाले संन्यासियों को भी मैं तो यही कहूंगा। प्राणिकोर में शीयाओं के गुरु, जो संन्यासी हैं उनसे यह कह आया है कि उनके पास जो खादी पहन कर न आवे उसे वे अपना धर्म ही न बनायें, इससे उनके पास भीड़ भी कम होगी। आप से भी मैं यही चाहता हूँ।

मुनिजी:—इस विषय में मैंने इतना सूक्ष्म विचार नहीं किया है। विचार करके फिर आपसे चर्चा करूँगा।



# अभी तक लक्षण नहीं

वारिक  
 डा: वाच का  
 एक प्रति का  
 विदेशों के लिए

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

व्य ४ ]

[ अंक १७ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
 देवीदास जगनदास चूष

अहमदाबाद, विशाख पट्टी ३०, संपत् १९८२  
 बुधवार, २३ अप्रैल, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
 चारंगपुर धरकीगरा की बाड़ी.

## टिप्पणियां

### फिर बंगाल

मैं बंगाल-यात्रा की ओर बर्बा आशा-पूर्ण दृष्टि से देख रहा हूँ। बंगाल की कल्पना-शक्ति तो उत्कृष्ट है। बंगाली युवक कुशाग्र बुद्धि होते हैं। वे आत्मत्यागी भी होते हैं। बंगाल के हर प्रांत से जो पत्र मुझे मिले हैं वे बड़े उभावर्ण हैं। क्या अच्छा हो यदि मेरा स्वास्थ्य इस लायक हो कि मैं इस सफर कीसारी मिहनत को बरदास्त कर पाऊँ। काठियावाड़ की सफर में मुझे फल्लूजी बुखार ने आ घेरा। वह बला गया है पर फिर भी उसने मुझे बहुत कमजोर बना दिया है। अभी रवाना होने के लिए ९ दिन बाकी है। इनमें मैं फिर शक्ति प्राप्त कर लेने की आशा रखता हूँ। परन्तु बंगाल-यात्रा के व्यवस्थापकों को मैं सूचित कर देना चाहता हूँ कि वे ऐसा कार्यक्रम रखें जिससे मुझे रोज जितनी हो सके कम मिहनत पड़े। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि यह यात्रा यदि सब तरह कार्यायोग्य होगी तो मुझे अच्छा मालूम होगा। लोग कहते हैं बंगालियों में कामकाजीपन नहीं है। उन्हें चाहिए कि वे इस हलजाम को श्रुत साधित कर दें। यदि कुशाग्र बुद्धि और कल्पना-शक्ति के साथ कामकाजीपन की भावना का संयोग हो जाय तो सफलता उसके बायें हाथ का खेल है। भगवान् करें, बंगाल में यह संगम मुझे दिखाई दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि बंगाल में हर जगह अंकों-सहित पूरी पूरी जानकारी मिलेगी। अभिनन्दन-पत्रों में यदि मेरे मुण-गान की अपेक्षा अपने जिले या कस्बे के सेवा-कार्यों का सभा वर्णन हो तो इससे मुझे किमती जानकारी हो जायगी? जैसे—हर अभिनन्दन-पत्र में स्वयं कातमेवाले तथा अन्य सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट की जा सकती है, हर चरके पर औसतन कितना सूत कतता है, कितने अंक का कतता है, हर माह कितना सूत और खादी तैयार होती है, हाथ-कते तथा दूसरे सूत का कपडा बुननेवाले कर्षण कितने हैं, हर जगह कितने खादी-मण्डार हैं और जन्में कितनी बिक्री होती है, आदि बातें लिखी जा सकती हैं। हाथीम-पाठशालाओं तथा महाविद्यालयों की ओर उनमें पढ़ने वाले छात्रों-छात्रिकों की संख्या भी उसमें दर्ज की जा सकती है। अङ्कतों में क्या क्या काम हो रहा है, सुसंगठित रूप से उनके अन्दर काम करने के पद्धतें उनकी हालत क्या थी और अब क्या

है, इनका उल्लेख भी कर सकते हैं। उसमें हिन्दू-मुसलमान-संबंध की दशा का और अन्त में धराब तथा अफीम की विचारत का वर्णन भी किया जा सकता है। यदि अब इन तमाम बातों का समावेश अभिनन्दन-पत्र में करने का समय न रह गया हो तो अच्छा हो कि अलहदा कागज पर ही यह ध्वीरा मुझे दिया जाय। एक बात और कह दूँ? मुझे बड़े बड़े कीमती कार्केट और फेम में अभिनन्दन-पत्र न दिये जायें। यह बुरा है। सिर्फ हाथ के बने कागज या एक खादी के टुकड़े पर हाथ से लिख कर दे दिये जायें तो अच्छा। मुझे इससे सन्तोष होगा। बंगाल को यह कहने की जरूरत नहीं कि बिना बहुत रुपया लगाये का बहुत लंबा-चौड़ा बनायें भी वह अभिनन्दन पत्र को कला-सुन्दर बना सकता है। ट्रावनकोर में कई जगह बड़े छोटे कोमल ताकपत्रों पर लिखकर दिये गये थे। सारे भारत की तरह मैं बंगाल के भी हृदय का परिचय कर लेना चाहता हूँ। और जहाँ हृदय हृदय से बातें करना चाहता हो वहाँ बेशकीमती चीजें और लच्छेदार बातें सहायक नहीं उस्ता बाधक ही होती है। मैं कार्यों का भूला हूँ, सत्रों का नहीं। भारी सोने या चांदी की चीजों की अपेक्षा डोस खादी-कार्य मुझे बहुत प्रिय है।

### सिक्कों की दु:खकथा

सिक्कों के दु:खों का अन्त अभी नहीं आया है। अश्रुनसर का एक तार कहता है—

“वि०गु०प्र० समिति को दिल दहलानेवाली खबर मिली है कि नाभा कैप जेल में मूयरे शहीदी जन्मे के लोग पीटे गये हैं और उनके हाथों और केश उखाव लिये गये हैं। १८ अप्रैल को इसलिए उन्हें पीटा गया कि वे माफी मांग लें। कुछ उम्मादी गई डाढ़ी और केश भी समिति को मिले हैं। नाभा में कोई ११४ लोगों पर ऐसी मार पड़ी है। इनमें दात को हालत गंभीर है, दो के मिर, आठ के चेहरे, दस के हाथ, सात की जांघ, आठ की पिंजली, आठ के गुदा स्थान, पांच की पीठ पर गहरी चोट लगी है और कोई ५१ के साधारण। हुपा करके नामा कैप जेल की मुलाकात का इन्तजाम शीघ्र कीजिए।”

यह वर्णन या तो सही होगा या गलत। यदि यह सब हो तो इसके लिए एक निष्पक्ष तहकीकात की जरूरत है। सरकार इस मामले में तटस्थ नहीं रह सकती। क्योंकि उसीका एक

अफसर राज्य का कारोबार कर रहा है। सिविय भाइयों से मैं इनना ही कह सकता हूँ कि हर अन्धाय की ओपनि दोषी है। अर यदि ये बातें सब सापित हुई तो यह अन्धाय भी बहुत समय तक घिना इन्ज के नहीं रह सकता। एष पत्रकार तथा महासभा के सभापति का दासपन से मैं पाठकों से कहता हूँ कि मैं मिथ्याय हूँ। आज मैं सिर्फ इरा बान को छाप कर सिवनों के प्रति अपना हमदर्दी भर जाहिर कर सकता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि ईश्वर ने चाहा तो मेरी यह लाचारी आंशक दिनों तक न रहेगी। एक एक निर्दोष व्यक्ति को जो जो धाव लगे है उन्हें हर महासभावादा और हर पत्रकार के बदन पर लगे धाव समाप्त। और ये धाव क्या है? वे पत्रकारों दल हैं जो अपनी कथा पृथिवी के चारों कोन में ले जाते हैं और आकाश-मार्ग में होकर न्याय के उस शुभ्र नगर महान् मिशसन तक जा पहुँचते हैं।

**सूतकारों की इनसम**

मेरठ से मिला यह पत्र प्रकाशित करने हुए मुझे खुशी होती है—

‘मेरठ जिला-समिति ने जिला बोर्ड मेरठ को (७७) उम्तिए दिये थे कि उनमें से १०), ६) और ४) के तीन इनाम सर्वोत्तम हाथ लते सूत पर और २५) १५) और १०) के तीन इनाम उभ सूतकारों को दिये जाय जो कि नानचण्डी मेले की कलाई-बाजी में सर्वोत्तम हों। तदनुसार २४ मार्च को यह बाजी मेले के दरबार-मण्डप में हुई। ३२ सज्जनों ने अपने नाम भेजे थे। उनमें से २१ हाजिर हो पाये। मण्डप चारों ओर दर्शकों से भर गया था। लाला राजपतराय और लाला रामप्रसाद, लाहौर, भी पधारे थे। देहली के लाला शंकरलाल,—बाबू कीर्ति चाधरी, श्रीनाथसिंह और श्री महम्मद अस्म राईहा एम्. एल्. ए. परीक्षक थे। नीचे लिखे सज्जनों ने पारितोषिक पाया—

श्रीधरी रघुवीर नारायणसिंह, ३५६ गज, १९ अंक का सूत काता। पहला इनाम पाया।

पण्डित हरमोविद भागेश, मेरठ, ३१० गज १० अंक का काता। दूसरा इनाम मिला।

पण्डित गौरीशंकर शर्मा, मेरठ, ३०० गज १६ अंक का काता और तीसरा इनाम पाया।

सावरमती आश्रम के श्री दीवानचद लखी ने ४५० गज २६ अंक का काता। पर वे बाजी में शरीक न हुए थे। श्रीधरी रघुवीर नारायणसिंह ने उन्हें अपनी आंर से ५) का खाम इनाम दिया।

**देहली में खादी**

एक संवाददाता अपने पत्र में लिखते हैं कि पिछले सप्तमास-छप्ताह में देहली में कुछ कार्य-कर्ताओं ने खादी भर भर जा कर बेची थी। जब काठ छुप दिया तो उन्हें दिल में बड़ी बद्दशात और अदशा था। क्योंकि देहली में इन दिनों हिन्दू मुसलमान में फूट फैली हुई है और उन्हें यकीन न था कि लोग हमारा बात भी पूछेंगे। पर यह देखकर आनन्द और आश्चर्य हुआ कि उनकी केरी और भजन की लोंगों ने कर का। लोंगों ने बड़ी खुशी के साथ खादी खरीदी और फेरवाशों की रोजाना अपनी खादी बेच लेने में जरा दिव्रत न हुई। इस घटना से हमें रासक लेन की है। यदि ये सब बातें सब हों तो मानना पडेगा कि सर्व-साधारण लोग अब भी सजगृत हैं। पर मुझे इस विवरण पर सन्देह करने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। क्या बहा के कार्यकर्ता अब से और अधिक विश्वास और सम्मत्था के साथ महासभा के सदस्य बनाने का

पयत्न करेंगे? यदि देहली अपनी आज की हालत से उठ कर फिर तीन साल पुरानी हालत पर पहुँच जाय तो हकीम गान्ध का उसकी गेरहाजिरी में इससे बढ़कर और क्या सम्मान होगा? (स.८७)

मो. क. गंगाधी

**अन्त्यजों की ना समझी**

जिस प्रकार सौरा में अन्त्यजों के प्रति निर्दयता का मुझे विशेष अनुभव हुआ उसी प्रकार अन्त्यजों की ना-समझी का भी खाया अनुभव हुआ। ठमा, इलाहा और मणिल के अन्त्यजों के साथ बातचीत करने पर भाङ्गन हुआ कि वे सरे हुए लोगों का मांस खाते हैं। इस गण्य का वे धूल के नाम से पुकारते हैं। इस बुरी जादा का छोट गे के लिए मने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि बहुत दिनों से यह रिवाज चला आ रहा है और इसलिए वह छूट नहीं सकता। उन्हें बहुत समझाया लेकिन वे एक के दो न हुए। उन्होंने यह तो स्वीकार कर लिया कि इस इस छोड़ देना चाहिए। लेकिन छोड़ने की तकत नहीं है यह कहकर वे स्थिर हो रहे। अन्त्यजों को यह समझाने पर जो मुझरे मांस खाने बागों के पात उनकी घृणा बिकारना बहुत ही मुश्किल होगा। शायद उनकी इस बुरी आदत को वे सन्न कर लेंगे लेकिन प्रेम से वे उन्हें गळे न लगायेंगे। मेरी तो ख्यालियों में न हों, अन्त्यजों को यह बुरी आदत छोड़ने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। उन्हें और उनके साधुओं का वाटिए एक एक बड़ी हलचल करके भी इस बहुत ही बुरी आदत को दूर कर दें। एक अन्त्यज ने अपनी कमजोरी का बयान करने हुए गन्वाई के साथ कहा ‘यदि हमको मरे हुए लोग उठाने की ही न क्षमता पाय तो हम उमे क्षमता अह दे।’ मने कहा ‘दरबार सादर गार् एसा कायदा बनाये कि कोई यमार् मरे हुए लोग को न उठावे तो गया तुमको यह स्वीकार है?’

‘हम लोगों को यह स्वीकार है।’

‘तो फिर जाजीविका कहा से प्राप्त करेंगे?’

‘कुछ भी करने। युनाई करने लेकिन आपके पास कोई शिकायत न करेंगे।’

मैं जो समझता था कि चमार के धर्म का अभ्यास करना चाहिए और उसमें जो बुराईयाँ हैं उन्हें दूर करना चाहिए, उससे अधिक इस बवाल-बजाल से मैं कुछ न समझ सका।

अन्त्यजों में इसमें बुराई यह है कि देह चमार को नहीं छुना उ तोर बना भगा से नहीं छुता है। इस प्रकार अस्पृश्यता ने उनमें तो प्रवेश किया है। इसका कार्य भी यह होगा कि चमार देह, भोगी इत्यादि के लिए अलग अलग कृण, अलग अलग सामान्य बनानी होगी। छ कंगड माने जानेवाले अन्त्यजों के विभागों को सन्तुष्ट रखना पडा मुश्किल होगा। इसका तो केवल यही उपाय है कि उनमें जो सबसे हलका कौम गिनी जाती है उसीके लिए या उसकी सुविधा जहाँ हो सकती है वहाँ कार्य करना चाहिए। इससे और रास बातें अपने आप साफ हो जायंगी।

इन दोषों के लिए उब अर्थ के माने जानेवाले हिन्दू लोग ही जिम्मेवार ह। उन्होंने अन्त्यजों का सर्वथा त्याग किया था और आगे बढ़ने के संयोग के अभाव में वे बहुत ही गिर गये। उन्हें सहारा दे कर खड़ा करने में ही हमारी उन्नति होगी। खुद नीचे उतरे बिना मैं किसीको नहीं उठा सकता। उन्हें खड़ा से हिन्दू-जाति ऊपर चढेगी। (न.७) मो. क. गंगाधी

### हसा में गांधीजी

श्री महादेव भाई अपनी काठियावाड़ के पत्र में लिखते हैं—  
 'हसा को आज कौन नहीं जानता ? गांधीजी वहाँ गये तो, पर वहाँ के लोगों ने उन्हें मन्तोष न हुआ। क्या दरबार गीपालदास भाई के चरित्र को ही वे तेजोहीन हो गये ? उन्होंने गांधीजी से प्रार्थना की कि हम बड़े दुःख में हैं, हमारे दरबार में फिर दिला दीजिए। गांधीजी ने जवाब दिया, आप लोगों ने दरबार को वापिस बुलाने का एक कदम नहीं किया, मैं क्या करूँ ? आप दरबार के पीछे हैं। किये क्या ? राम के पीछे तो मारो अयोध्या पागल होकर चल पड़ी थी। आप लोगों ने क्या किया ?'

सावजनिक सभा में आपने कहा—'दरबार साहब का सरकार ने परदेष्टुत किया क्योंकि उन्होंने काम की सेवा की। पर क्या वे परदेष्टुत हो सकते हैं ? हसा का राज्य गया तो उन्हें चोरमह का राज्य मिल गया। आज मारा मारा उन्हें जानता है, आज वे बोरसद के लोगों के हृदय पर राज्य कर रहे हैं। बहुतेरे लोगों ने भग्न के स्वराज्य-यज्ञ में बहुत-कुछ बलिदान किया, पर राजाओं ने तो उन्हें बली निकले। क्या उन्होंने हसा का स्वयं गये दिया है ? वह तो नहीं जा सकता है जब आप उन्हें निकाल दो और कलौ कि चले जाओ, हमारे हृदय में आपके लिए स्थान नहीं। पर मुझे तो यह है कि आपकी ने उन्हें परदेष्टुत किया है। जो मन्त्र आपने उन्हें दिया था वह आपसे नीचे टापा। अतः आपने उनसे दिया था कि हम पिछेकी मूल न पुनर्गते। सराव-मांस तो न हूँ। उन्होंने अपने मन्त्र का पालन न किया। पृथ्वी बड़े म्नामल तो नहीं जान, पर दिव्य हुआ बचन वही हट सकता है। फिर जो राजा को दिया बचन तोड़े उसका तो मरण उत्तर जाय। पर आज न तो मन्त्र के लिए कि कौन बांधे हरिश्चन्द्र रहे, न गर्दन लेने का हक करने वाले राजा ही रहे। अन्तर्गत ने भी अपना बचन तोड़ टाका और आपने भी तोड़ डाला। आपने यदि राममुच दरबार साहब की जकृत हो तो आपके ऐसे हाल तो सकते हैं ? किन्ती बहनों ने खात्री पहनी ? किन्ती बहनें कामती हैं ? सरकार भले ही दरबार का स्वागत हीन ले, पर आप ही हसा में बड़े हुए, उन्होंने हकम मानो, सरकार का यदि लगावन देने जाओ, पर दूसरे हकम दरबार के ही माना तो दरबार परदेष्टुत हो सकते हैं ? राम जक बचन का भ्रंश तो तब मात्र प्रजा उनके साथ होने के लिये भूत गये, उन्हें तपस्या की। मरण जैसे भाई ने मन्त्रिप्राम में तप किया और रामवन्धुजी की चरणशुद्धा विनाशन पर रखकर उन्होंने ध्यान दिया। पताजा आपने क्या किया ? यदि बोरसद से हकम निकले और आप उसको पाले तो दरबार फिर आपको मिल जाय। तो गुना

#### मेरी प्रतिज्ञा

हर पुण्य और ही स्वाच्छे पदमं लगे, चरणा कदमे लगे, क्षम्यत दाध-कला मृत् पुन अहं तद प्राणे, भद्रजनो भद्रपत्नी पर न भिद्ये, उन्हें पानी भाई की प्रतिज्ञा कहते, उन परदेष्टुत न माने-इतक करने फिर मुझे पृथ्वी के लाने दरबार नहीं है ? आपके बुद्धिवादी भाई या न आते, पर मैं तो हिन्दुस्तान के स्वराज्य-संग्राम को छोड़कर आपके पास चला आऊँगा और आपके साथ तपस्या करूँगा

'आप बैठे बैठे क्या फैसल रहे हैं ? आपने एक बार जा कर मुझसे दरबार सा० के प्रम की बातें की थीं, वे सब कहाँ चली

गई ? आप कहते हैं, काठी लाग हमारे खेतों में जानवर छोड़ देते हैं। क्या दरबार ने आपसे यह नहीं कहा था कि अपने खेतों की टिकावत रखना। ब्रिटिश सरकार भी इस बात की इत्तजान देती है कि आपके खेत का नुकसान करनेवाले चोर-डाकू और जानवरों को मार-पीट कर निकाल दो। आप ऐसे अपना क्यों हो गये ? आपने किस तरह सभी प्रतिज्ञाएँ तोड़ डाली ?

'पर मगर जो हुआ तो हुआ। आज भी क्या आप जहाँ से उठे वहाँ से लौटने को तैयार हो ? आपने तो दरबार को पगड़ी और अर्क चर्क पोशाक पहने देखा था। आज तो वे खादी का मोटा कुरता पहनते हैं, टोपी तो रखते ही नहीं और छोटी-सी सीटी भोती कमर को बाँध लेते हैं। बताओ, आर क्या करना चाहते हो ? आपने अपनी पगड़ी त्तरा दी ? क्यों, क्या पगड़ी उतार देने से जवाबदारी चला जायगी ? आपने ऐसा कौनसा काम किया है जिसके लिए मैं आपको इस लायक समझूँ कि दरबार को फिर बुलाऊँ। फिर भी आज एक वर्ष के लिए प्रतिज्ञा करो। अत्यन्त शराब और गोस्त का न लुये, पिछेकी कपड़े यदि जलाओ नहीं तो बाँध कर रख दो और यदि इसतरह एक साल बाँधने पर मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करूँ फिर से अपने ये कपड़े पहनने लगना। आप हर एक के घर में चरखा जरूर चलाना चाहिए। पूरे कपड़े न मिले तो लंगोटी ही सही, नहीं तो खादी का टुकड़ा ही कमर पर बाँध लेना, अन्त्यज से निगाना, जो पागी ईश्वर ने आपको दिया है वह लन्दे भी लेने देना, नहीं तो यह समझना कि पृथ्वी रसातल को चली जायगी, जिन गडहों से आप पानी पीने के लिए तैयार न हो उसमें मैं उन्हें पिलाने की बात न करना।

'तुम्हीं सीधी और आपके ही मन्त्रजन की बातें करो। अर फिर यदि दरबार न आवे तो मुझे लिखना। मैं असहयोगी हूँ—फिर भी सरकार में प्रार्थना करूँगा कि हसा को उसके दरबार वापस चला जाए। और इनके पर फिर भी अगर मैं न मिलूँ तो आपसे नाथ रह कर तपस्या करूँगा। ईश्वर आपको अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का सामर्थ्य दें। मुझे अपनी प्रतिज्ञा पालन करने का बल दें। तो अब मैं अपना दुःख आपके सामने ही डाला और अपनी भाषा भी आपको सुना दूँ। अब जो करना ही सो करोगा।'

#### बाह-पीछियों के लिए चरखा

बाह के कारण जिन लोगों को अपना सर्वस्व खो देना पड़ा है उन्हें मदद करने का कार्य मन्त्रद्वार में तो आज भी चल रहा है। उसमें मेरी तरफ से जो हथके भेजे गये थे उनका प्रयोग चरखे के द्वारा मदद करने में हो रहा है। वहाँ की औरतों को इतनी जानकारी न होने के कारण उन्हें सब पिखाना पड़ता है। पजाब में तो हमें उल्टा हुआ है। वहाँ भी कितने ही हिस्सों में बड़ा नुकसान हुआ था। इन लोगों के लिए चरखा एक रक्षण का धनु तो गई है। पहले पहल तो उन्हें मदद के तौर पर आग दिया जाता था। लेकिन बाद में किसीको चरखे बनवाने की मूर्खता। प्रत्येक घर में चरखा लाया था ही। बहनें बातना भी जानती थी। उन्हें बाजार भाव से अधिक भयभीत होने का लक्षण हुआ। यह कार्य अब अच्छी तरह चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि चरखाखाने जाले के हाथ में यदि यह काम होता तो आज जो नुकसान उठाना पड़ता है वह नुकसान न होता। यदि खादी का सार्वजनिक उठाव हो तो दुखी लोगों को चरखे से मदद करने का काम बड़ा आसान हो जाय।

## हिन्दी-नवजीवन

बुधवार, बंशाख बंदो ३०, सितंबर १९६२

### अभीतक लक्षण नहीं

दक्षिण-प्रायः के समय मुझे कितने ही अभिनेदन पत्र दिये गये थे। एक में नीचे लिखा वाक्य था—

“यद्यपि आपने बारडोली में कदम रोक दिया है, तथापि हमें यह आशा लगी हुई है कि आप निकट भविष्य में हमें उस समर क्षेत्र में ले जायेंगे जहाँ कि हम सब स्वराज्य-संग्राम में जूझते हुए अपने मन-मेदों को भूल जायेंगे। उस युद्ध में हमारा इशियार होगा वही युद्ध, स्वच्छ शान्तिमय सामूहिक भंग जिनके बिना उस राष्ट्र से जोकि महा लालची है और हमें स्वराज्य नहीं देना चाहता, और जिनका कि साम्राज्यवाद और कुछ नहीं मन्मानी छूट है, स्वराज्य लेना असम्भव-सा है।”

इसमें बारडोली वाले निर्णय पर कुछ निराशा प्रकट की गई है। हाँ, बहुतेरे लोग उस समय भी ऐसा मानते थे और अब भी मानते हैं कि बारडोली का निर्णय एक भारी से भारी राजनैतिक झूठ की ओर उसने यह दिखला दिया कि मैं किस तरह राजनैतिक नेता होने के अ-योग्य हूँ। परन्तु मेरी राय में बारडोली का निर्णय क्या था, मेरी ओर से देश का भारी से भारी सेवा थी। उससे मेरी राजनैतिक जिम्मे-शक्ति का अभाव नहीं सूचित होता, उल्टा राजनैतिक दूरदृष्टि की प्रचुरता ही प्रदर्शित होती है। तब से अबतक जो जो सबक हमने सीखे हैं वे सीखने के बहुत योग्य थे। यदि हम उस समय कोई सस्ती विजय प्राप्त कर लेते तो वह हमें अन्त में बहुत महंगी पड़ती और ब्रिटिश साम्राज्य-शक्ता ने नवीन उत्साह के साथ अपनी जड़ को और मजबूत बना लिया होता। वह बात नहीं कि अब भी वह काफी मजबूत नहीं है। पर उस अवस्था में वह मजबूती बहुत ज्यादा कारगर होती। हाँ, इसपर यह कहा जा सकता है कि ये सब दलीलें सम्भावनाओं के आधार पर की गई हैं। लेकिन मेरे नज़रीक तो यह सभावना निश्चिन्ता के ही करीब पहुँच जाती है। जो ही; लेकिन बारडोली का यह निर्णय मुझे उस दिन के लिए आशावान बनाता है जब कि निकट भविष्य में किसी लड़ाई की भारी संभावना हो। अब जो लड़ाई छिड़ेगी वह अन्त तक चलेगी-किसका करने पर ही बन्द होगी।

पर आज मुझे यह बात कुबूल करना पड़ती है कि भारत-वर्ष के इतिहास पर आज कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता जिनसे शीघ्र ही सामुदायिक सविनय भंग की आशा मन में उदय हो सके। ऐसे संग्राम का संगठन करने के योग्य काफी कार्यकर्ता एक भी काम के लिए नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए जरूरत है जनता से गहरा संघर्ष जोड़ने की—अबतक हम अपनी इस शक्ति का जो कुछ परिचय दे पाये हैं उससे कहीं अधिक संघर्ष जोड़ने की। अबतक हमने जनता की सेवा की और उसके साथ एकजीव हो जाने की जो इच्छा अनुभव की है उससे कहीं अधिक भारी, कहीं अधिक उत्साह और उमंग-युक्त, कहीं अधिक लगातार सेवा और उनके साथ एक-रूपता की जरूरत है। हमें उनके साथ एक-रस हो जाना चाहिए—एकात्मता का अनुभव होना चाहिए—तभी जा कर हम उनका अगुआपन सफलतापूर्वक कर सकते हैं और उनके शान्तिमय विजय के द्वार तक ले जा सकते हैं। अ.

इसमें कोई शक नहीं कि जब हम उस अवस्था को प्राप्त हो जायेंगे तब सामूहिक भंग की आवश्यकता वायद ही रहे। पर यह विश्वास तो हमारे अन्दर जरूर ही होना चाहिए। आज तो कम से कम मुझे ऐसा विश्वास जरा भी नहीं है। आज की हालत में सामूहिक भंग करने की कांक्षि का आवश्यक परिणाम होगा बुरी तरह जगहजगह बेतरतीब मार-काट का फूट निकलना, जिसे कि सरकार उसीदम दबा देगी। परन्तु सविनय भंग में तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरह के हिंसा-कृत्य या उसके इरगुजर करने की गुंजाइश ही नहीं है। इसके लिए आवश्यक गंभीर निश्चय का शान्त और स्थिर वायुमण्डल तैयार करने के लिए ही इस चरखा-हकचल की सृष्टि हुई है। उच्चतम कोटि की समाज-सेवा का प्रतीक ही इसे समझिए। हम राष्ट्रीय सेवकों को जनता के साथ एक-सूत्र में बांधने की श्रृंखला ही इसे कहिए। लोगों के अन्दर ज्ञान-पूर्वक परस्पर सहयोग पैदा करनेवाला—ऐसे पैमाने पर कि जिसे दुनिया ने अबतक न देखा हो—अग्रदूत ही इसे जानिए। यदि चरखा-कार्यक्रम असफल हो तो समझ लीजिए कि फिर जनता को चारों ओर निराशा और काकेकशी के सिवा कुछ दिखाई न देगा। चरखा तथा उसके कार्यों से बचकर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके बल पर जनता इतनी जल्दी अपने पैरों के बल बड़ी हो सकती हो। उतकी गति किसीके रोकें नहीं रक सकती। निर्दोषता की वो इसे साक्षात् मूर्ति ही समझिए। जनता की दरिद्रता का वह भूषण है—उसके द्वारा उसकी दरिद्रता के बुरे भंग विगलित हो जाते हैं। और चरखा अपना कदम आगे भी बढा रहा है—अलबते उस सेवा के साथ नहीं जितनी कि हमारी प्रयोजन-पूर्ति के लिए आवश्यक है। जितनी कि विदेशी कपड़े को देश से हटाने के लिए जरूरी है।

पर निराशा का ता कोई कारण ही नहीं। देखिएगा, ऐसे तमाम संकटों, आपत्तियों, दुकानों और बाइलों को चीर कर वह चरखा साबित कदम आगे निकल आयेगा। और मेरे पास तो भारत के स्वातन्त्र्य-संग्राम में जूझने के लिए सत्य और अहिंसा के सिवा सरे कोई शकाल नहीं है। इसलिए मैं तो चरखे पर ही अटा रहूँगा। सो आज यद्यपि सामुदायिक भंग व्यावहारिक दृष्टि से अमंभव है तथापि व्यक्तिगत भंग तो किसी भी दिन किया जा सकता है। पर उसके लिए भी अभी समय नहीं आया। अभी तो श्वातज पर बहुतेरे काले और डराने वाले छाये हुए हैं जो कि भीतर से ही हमें घेर लेने की धमकी दे रहे हैं। जो लोग चरखा, अप्रसृत्यता-निवारण और हिन्दू-मुस्लिम-एकता पर हर तरह से अटल विश्वास रखते हैं, उनकी ऐसी परीक्षा अभी होना चाकी है जिससे यह अच्छी तरह मालूम हो जाय कि कौन कैसा है।

( २० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

### वायकम

पाठक यह सुनकर लुभा होंगे कि ट्रावनकोर दरबार ने श्री कर्कर नायडीपाद को छोड़ दिया है और श्री रामस्वामी नायकर के नाम जो प्रवेश-विषेय का हुकम निकाला था उसे वापस ले लिया है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि ट्रावनकोर दरबार मेरे और मुस्लिम कमिश्नर के बीच हुए ठहगव पर पूरा पूरा असहकारण कर रहे हैं। मैं ट्रावनकोर दरबार की धन्यवाद देता हूँ कि वे इस पुरातन दोष का सुधार करने के लिए बड़े अच्छे भाव से काम ले रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि बहुत शीघ्र ही अहमदी के लिए निर्दोषों की सबके भी खुल जायेंगी। मुझे सत्याग्रहियों को तो यह बात बताने की वायद ही जरूरत ही कि उनकी तरफ से यह ठहराव के पालन में पूरा पूरा ध्यान रक्खा जाना चाहिए।



## अभागिनी बहनें

दक्षिण-यात्रा में मुझे जितने अभिनन्दन-पत्र मिले उन सभमें अत्यन्त हृदयस्पर्शी या बड़ जो देवदासियों की ओर से दिया गया था। देवदासी को वैश्या शब्द का सौम्य पर्याय ही समझिए। वह अभिनन्दन-पत्र उन लोगों ने तैयार और समर्पण किया था जो उसी जाति से संबंध रखते थे जिसमें से कि वे हमारी अभागिनी बहनें देवदासी बनाई जाती हैं। जो शिष्ट-मण्डल मुझे अभिनन्दन-पत्र देने आया था उससे मुझे बड़ आश्चर्य हुआ कि उन लोगों में सुधार तो हो रहा है पर उसकी गति मन्द है। उस शिष्ट-मण्डल के मुखिया ने मुझसे कहा कि लोगों का ध्यान हम सुधार की तरफ नहीं है। पहले पहले कोकनाडा में मुझे यह आघात पहुंचा। और उस मुकाम के लोगों से मैंने इस विषय पर अपने विचार साफ धारों में प्रकट किये। दूसरी चोट पहुंची मुझे बरीसाल में जहाँ कि इन वदकिस्मत बहनों का एक दल मुझसे मिलने आया था। उनका नाम बाहे देवदासी हां, बाहे और कुछ, समस्या एक ही है। यह अत्यन्त लज्जा, परिताप और ग्लानि की बात है कि पुरुषों की विधाय-भूमि के लिए कितनी ही बहनों को अपना यतीत्व बंध देना पड़ता है। पुरुष ने, विधि-विधान के विधाता पुरुष ने, इस अवला कहीं जानेवाली जाति को बरबस जो पतन की राह दिखाई है उसके लिए उसे भीषण दण्ड का भागी होना पड़ेगा। जब स्त्री-जाति हम पुरुषों के आल से मुक्त हो कर अपनी आवाज बुलन्द करेगी और जब वह अपने लिए बनाये पुरुष के विधि-विधानों के खिलाफ बगावत का झण्डा खड़ा करेगी तब उसका बड़ बलवा-शान्तिमय बलवा किसीतरह कम कारगर न होगा। भारत के पुरुषों, आओ! अपनी इन हज्जों बहनों के नकदीर पर विचार करो। भरे वे बहनें तुम्हारे ही अघमें और अनीतियूलक भोग-विलास के लिए ऐसी शर्मनाक जिन्दगी बसर कर रही हैं! और सभसे बड़ कर कण्ठता तो यह है कि इन धातक और सक्कामक पापागार पर संभरानेवाले अधिकांश लोग होते हैं विवाहित, और इसलिए वे दुसरे पाप के अधिकारी होते हैं। वे अपनी धर्मपत्नियों के प्रति भी पापाचार करते हैं, क्योंकि उनके साथ बेवफा न होने के लिए वे प्रतिज्ञाबद्ध हैं और अपनी इन बहनों के प्रति भी पाप-भागी होते हैं; क्योंकि उनके सतीत्व की रक्षा करने के लिए वे उतने ही बाध्य हैं जितने कि अपनी सगी बहन के लिए। यदि हम, भारतवर्ष के पुरुष, स्वयं अपने ही गौरव का क्षयाल करने लगे तो यह पाप एक दिन भी यहाँ नहीं ठहर सकता।

यदि हमारे अधिकांश गण्य-मान्य लोग इस पाप में न फसे होते तो इस तरह का दुराचार, भूखे आदमी के द्वारा चुराये गये केले के या एक दरिद्र गिरहकट लडके के अपराध से कहीं भारी अपराध माना जाता। समाज के लिए ज्यादा बुरी और ज्यादा हानिकर बात क्या है—रुपये पैसे का चुराया जाना या एक महिला के सतीत्व का चुराया जाना? परन्तु इसपर किसीको बहू न कहना चाहिए कि वैश्या तो खुद अपने सतीत्व की बिक्री में शामिल रहती है, पर एक धनी मनुष्य जिसकी जेब गिरहकट काट लेते हैं, उस अपराध में भागी नहीं होता। तो न पूछना हूँ कौन ज्यादा बुरा है—एक धनीर छोड़ना जो जेब काट लेता है या एक बदमाश दुराचारी जो अपने शिकार को नशा पिलाकर उसके दस्तखत करा उसकी सारी जायदाद हथ कर लेता है? क्या पुरुष अपनी मंत्री बालों और हिकमत अमली से बड़े रसयियों की उच्च सद्गति को नष्ट करके फिर उसे अपने

पाप की भागिनी नहीं बनाता है! या क्या कुछ बियाँ जैसे कि पंचमों की, पतित जीवन व्यतीत करके के ही लिए पैदा हुई है। मैं युवा पुरुषों से फिर बड़ विवाहित हों या अविवाहित, कहता हूँ कि मेरे इस कथन के भाषार्थ पर जरा विचार करो। इस सामाजिक रोग, इस नैतिक कुष्ठ के संबध में मैंने जितना कुछ सुना है, वह सब मैं नहीं लिख सकता। वे अपनी कल्पना के बल पर शेष सब जान लें और जो लोग इस अपराध के अपराधी हैं वे उसमें धारम और भय खा कर बाज आवें। और हर शुद्ध व्यक्ति को उचित है कि वह अपने सहवामी को इस पाप से शुद्ध करने का अपनी पूरी शक्ति भर प्रयत्न करे। मैं जानता हूँ कि यह दूसरी बात लिखने की अपेक्षा करना बहुत कठिन है। विषय बड़ा नाजुक है। पर इसी कारण क्याहूँ उम बात की आवश्यकता है कि तमाम विचारशील लोग इसकी ओर ध्यान दें। इन अभागिनी भगिनियों के सुधार का काम केवल बड़ी लोग करें जो इसके लिए विशेष रूप से योग्य हों। मेरी यह सूचना उन लोगों के अन्दर काम करने से संबंध रखनी है जो इन पापानागों में जा कर पापाचार करते हैं।

( यं. इं )

मोहनदास कर्मचंद गांधी

## खादी-कार्यकर्ता के गुण

खादी-कार्यक्रम का संबंध देश के हर व्यक्ति से है। किसान कपास पैदा करता है, लोडनेवालियाँ उसे लोडती हैं, पिंजारे धुनकर कर पूनी बनाते हैं, काननेवालियाँ सूत कातती हैं, जुलाहे कपड़ा बुनते हैं, रंगरेज रंगते हैं, छीपे छापते हैं, लोबी धोते हैं, दरजी सीते हैं, व्यवसायी कपास की खरीदी तथा बिक्री करते हैं और अमीर से गरीब तक स्त्री-पुरुष बालक-बूढ़े सब उसे पहनते हैं। कपड़े के अतिरिक्त धन्न ही एक ऐसी चीज है जिसका इतना घनिष्ठ और व्यापक संबंध देश के प्रत्येक व्यक्ति से आता है। अत्र के संबध में अभी हम ईश्वर-रूपा से परमुखापेक्षी नहीं हुए हैं। कपड़े के लिए हम कारखानों के—फिर वे देशी हों या विलायती—गुलाम हो रहे हैं। हमारी राजनैतिक गुलामी का मूल, बहुत उद तक, यह कारखानों की गुलामी ही है। इसीलिए खादी-कार्यक्रम का आज इतना महत्व है और इसीलिए गांधीजी तथा उनके अनुयायी आज खादी-प्रचार और खादी उत्पत्ति को स्वराज्य से भी ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसीलिए यह कहा जाना है कि चरखे के बिना स्वराज्य असंभव है। चरखा हमें केवल देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं ले जाता, उनसे हमारा संबध ही नहीं जोड़ना, बल्कि हमें यह अवसर भी देता है कि किस तरह हम उन्हें देश के काम में प्रयत्न करें, किसतरह हम उनके काम आवें और किस तरह हम उनसे काम लें। जब एक आदमी को भिन्न भिन्न प्रकार और धन्ये के अनेक आदमियों से संबध और श्वबहार रखना पड़ता है तब व्यवहारकुशलता के साथ ही संयम, चियेक, सहिष्णुता, उदारता आदि गुणों की वृद्धि होनी है। दूसरे शब्दों में कहें तो सत्ता के बिना शासन-कला के ज्ञान की वृद्धि होती है। काम लेने और काम करने की क्षमता या गुण जबतक हमारे अन्दर उद्वय न होगा तबतक न तो हम स्वराज्य के किले को सर करने के लिए ससुचित व्यूह-रचना ही कर सकते हैं और न स्वराज्य प्राप्त होने पर उसका संचालन ही कर सकते हैं। स्वराज्य-प्राप्ति और स्वराज्य-संचालन के मानी ही हैं मनुष्य मनुष्य के साथ किस तरह रहे, मनुष्य किस तरह दूसरे मनुष्य के काम आवे। और इस बात की तात्कीम आज हमें खादीमंगलन के द्वारा जिसनी मिल सकती है उतनी और किसी बात से नहीं।

जो काम जितना ही अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है उतने ही अधिक योग्य और गुणी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा उसके लिए रहती है। खादी-संगठन वर्तमान तमाम संगठन-कार्यों से भिन्न प्रकार का है। अनेके प्रचारक की योग्यता रखनेवाले व्यक्ति इसमें सफलता-साम नहीं कर सकते। मेरी समझ में नीचे लिखे गुण हर खादी-कार्यकर्ता में अवश्य होने चाहिए—

पहली बात यह कि हर कार्यकर्ता खादी के काम को अपने घर का काम समझे। होना तो यह चाहिए कि देश के काम की चिन्ता हों अपने घर काम से ज्यादा ही। घर काम के लिए हम स्वयं अपने प्रति जिम्मेवार हैं-घर के व्यक्तियों के प्रति जिम्मेवार हैं; पर देश के कार्य के लिए तो २० करोड़ जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। अपने घर के कामों में हम जिस तरह छोटी छोटी बातों पर बारीकी के साथ ध्यान रखते हैं उससे कहीं अधिक ध्यान हमारा खादी के काम में रहना चाहिए। जब हमारे घर काम में अड़चनें आती हैं, समय पर रुपया या आदमी या अन्य सहायता न मिलने पर जिस तरह हम उसे सफल बनाने के लिए नामा प्रकार से अकल लडा कर तरकीबें निकालते हैं उससे अधिक बुद्धि हमारी खादी-काम में आवेनी चाहिए। जब हमारे घर काम में सुकसान पकने लगता हो, हमारी चीज पड़ी रहती हो, बरबाद हो रही हो, तब हम जिस चिन्ता के साथ अपने को सुकसानी और बरबादी से बचाने की कोशिश करते हैं उससे कहीं अधिक उद्योग हमें देश-कार्य के लिए करना चाहिए। जब तक हम खादी-कार्य का काम से काम उम्मी चाव और चिन्ता के साथ न करेंगे जिसके साथ अपना निजी कारोबार करते हैं तब तक न तो हम सच्चे कार्यकर्ता ही हैं और न हम अपने कार्य में सफलता के सुस्तहक ही हैं। जबतक बर्ही पसक, बर्ही कलक, बर्ही धुन, बर्ही लगन, बर्ही चाव, बर्ही उमंग, बर्ही बेदनी और बर्ही चिन्ता हमारे मन में न होगी जो कि हमारे निजी काम के करने में होती है तबतक हम अपनेको खादी कार्य-कर्ता नहीं कह सकते, स्वराज्य के सिपाही नहीं कह सकते।

दूसरा गुण होना चाहिए-व्यवसायीपन। अर्थात् हमारे अन्दर प्रचारक-पन तो बहुत है, व्यवसायी-पन कम है। खादी-संगठन का संबंध व्यवसाय से ही अधिक है। खरीद करना, बँचना, औरों से काम लेना-इसमें व्यवसाय और व्यवस्था दोनों के गुण दरकार होते हैं और बढ़ते हैं। साधारण व्यवसायी अपने लाभ और मुनाफे के लिए जिस तरह इस बात की बेहद चिन्ता रखता है और उद्योग करता है कि माल सस्ता पड़े, उम्दा बने और माहक सुख रहे, इसीतरह बल्कि उसमें भी अधिक चिन्ता और कोशिश एक देश-सेवक व्यवसायी की खादी के लिए होनी चाहिए। देश-सेवक व्यवसायी साधारण व्यवसायी से उच्चा और भेद होता है, इसीलिए उसकी जिम्मेवारी और कर्तव्य का ख्याल भी ज्यादा और पुस्ता होना चाहिए। साधारण व्यवसायी अपने मुनाफे के लिए जान देना है, देश-सेवी व्यवसायी देश के हित के लिए जान लडावेगा। जब हम यह समझ बैठते हैं कि हम तो खादी के प्रचारक हैं, व्यवसायी नहीं, तब अज्ञान-रूप से हम इन बात के लिए अपनेको निश्चिन्त बना लेते हैं कि यदि खादी न बिकी, तुलान हुआ, तो चिन्ता नहीं, आखिर ह्यारा काम है खादी का प्रचार करना। इससे बुराई यह होती है कि खादी महंगी पकती है, उम्दा नहीं बन पाती, बिकी का बरामर इन्तजाम नहीं हो पाता और फलतः हमारा काम चौपट हो जाता है। हम खादी का रोजगार चाहे न करें, अपने जाती मुनाफे के लिए, और केवल मुनाफे की ही बरज से उसमें न पड़ें; पर हमारे अन्दर खादी के व्यवसायी

के वे गुण तो जरूर होने चाहिए जिनके बहीलत चीज सस्ती और उम्दा बने और दुरत चिक जाय। हममें हमारा हर काम देश-सेवा के भावों से प्रेरित रहेगा, इसलिए न तो हमारे हाथों दूसरे लोगों-यथा कातनेवाले, बुननेवाले, धुनकनेवाले आदि के साथ अन्याय होगा और न अपने ही स्वार्थ का ख्याल प्रधान रहेगा। हम हिसाब-किताब भी सीधा-सही रखेंगे और उसके बताने में कभी न झगड़ेंगे।

दूसरे घोषक या विचारक के गुण भी हमारे अन्दर होना चाहिए। बौन चीज कहीं सस्ती और अच्छी बनती है, बन सकती है, किस चीज में क्या सुधार करने के लिए, किन किन साधनों की जरूरत होगी, वे किन तरह प्राप्त होंगे, या बन सकेंगे, आदि बातों पर उसे जब जब मौका पेश आवे विचार और उसकी योजना करनी चाहिए। छोटी से छोटी और बारीक से बारीक बात का विचार उसे करना चाहिए, जान रराना चाहिए और उसके लिए उद्योग करना चाहिए।

तीसरा गुण है परस्पर सहयोग का भाव। यह भाव तबतक उदय नहीं होता जबतक लुदी का बीज दिल में से जल नहीं जाता। जो देश-सेवक है, जिनमें अपनेको देश के हाथ बँध दिया है, देश-सेवा में ही जिसे प्राणार्पण करना है उसके अन्दर लुदी रनी नहीं सकती। सेवक जितना ही बड़ा होता है उतना ही उसे अपनी योग्यता का, अपने बढप्पन का ख्याल भूलता जाता है। यह बढप्पन का ख्याल अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता को तीन कौड़ी का बना देता है और उनकी इच्छा रहते हुए भी उनके हाथों देश का हित नहीं होता। कार्यकर्ताओं में और देश के भिन्न भिन्न इतों और जातियों में जबतक परस्पर सहयोग करने की लालसा पैदा न होगी तबतक खादी-संगठन में सफलता-लाभ न होगा। यह खादी-संगठन एक तरह से हमें इस सहयोग-बुद्धि में सहायक भी होगा। पर हमारे खादी-कार्यकर्ताओं में परस्पर इस गुण का अभाव रहा तो फिर समुदाय में उसका विकास हमको कैसे दिखाई दे सकता है ?

मेरी समझ में इन गुणों की तरफ हमारे खादी कार्यकर्ताओं का सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए और जो इनमें से किसीका अभाव अपने अन्दर पावे उन्हें डाँचत है कि स्वयं अपने तथा देश के हित के लिए वे उनको प्राप्त करने का उद्योग करें। किसी गुण का विकास अपने अन्दर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके अभाव पर निरंतर ध्यान रखने, उसे दूर करने की प्रतिज्ञा और दृढता-पूर्वक उसका पालन करने से वह सड़क ही प्राप्त हो सकता है। अरे! मनुष्य के लिए, मनुष्यी मनुष्य के लिए, संसार में कौन बस्तु दुर्लभ है ?

हरिभाऊ उपाध्याय

#### अन्यत्रों की मुश्किलता

काठियावाड का ह्य प्रवास में मुझे अन्यत्रों के दुखों का विशेष अनुभव हुआ। उन्हें पानी के कुओं से पानी नहीं मिलना है। जलमें जलबरी को पानी पिलाने है उसमें से पानी लेने की उन्हें दुश्मन है। बहुतसी जगहों में उन्होंने मुझे इस दुःख के बारे में शिकायत की। यह दुःख कुछ कम नहीं है। यह संभवनीय नहीं है कि प्रत्येक गाँव में उनके लिए अलग कुएँ बनवाये जायें। काठियावाड की काठन भूमि में जहाँ पानी बहुत गहरा रहता है एक कुआँ बनवाने में तीन हजार रुपये खर्च हो सकते हैं। इस हालत में नये कुएँ कितने बनये जा सकते हैं ? पानी पर सबका हक होता है। उससे भा अन्यत्रों को दूर रखना तिरस्कार की हद है। लोग यदि स्वयं से अपवित्र होते हैं तो वे अपने लिए पानी भरने का अलग समय रख सकते हैं। वे नहीं समझ सकते कि ऐसी कठोरता में धर्म कहाँ रहता है ? (न० जी०)

## मांगरोल का भव्य दृश्य

'मेरी स्थिति' नामक लेख में गांधीजी ने मांगरोल के भव्य दृश्य का जिक्र किया है। श्री महादेव भाई के पत्र में उसकी शलक इस तरह मिलती है—

“परन्तु अभी मांगरोल की सार्वजनिक सभा होना बाकी थी। वह रात को हुई। छोटा गांव; पर डेढ़-दुआर आठमी जमा थे। स्वागत का आरम्भ इतना संघा था कि कितनों ही को सन्नेह होने लगा कि इसका अन्त गी होगा या नहीं। गांधीजी का भी धीरज छूटता जा रहा था। इतने ही में वह भंभ जिसपर गांधीजी बैठे थे टूट गया। जोड़ बरारह किलीको न आई। गांधीजी ने विनोद में कहा 'भच्छा हुआ' यह छोटा-सा भू-कंप हो गया—सार्नों उनके ये उद्गार अभी आगे होने वाले भू-कम्प की आशाही दे रहे हैं। दर एक कमारे अन्यज लडकियां गांधीजी का स्वागत-गान गाने के लिए खड़ी की गई थी। वे शुरू करना ही चाहुं थीं कि गांधीजी ने कहा—

'मनुष्य के धीरज की आखिर हद होती है। मेरा भी धीरज अब जागा रहा। जब मैंने देखा कि अन्यज बालिकाओं को वहीं दूर रह कर गाना पड़ेगा तब मुझसे नहीं रहा जा सकता। आप लोगों ने देखा होगा कि हर पांच पांच मिनिट पर मेरी नजर उन दूर बैठे अन्यजों की ओर जा रही थी। मुझे यह गबारा नहीं हो सकता कि अन्यज वहीं बैठें। यदि अन्यज-लडकियां यहां खड़े खड़े गाने तो मुझे महासभा-मिति की ओर से मिम्मा अभिनन्दन-पत्र आठम्बर-मात्र भावित हो। मैं कह चुका हूँ कि मैं डेढ़ हूँ, अन्यज हूँ, भंगी हूँ। इन विशेषणों का प्रयोग मैं अपने लिए कर के अपनेको भंग्य मानता हूँ, अपनी आत्मा को प्रमन्न करता हूँ। जब मुझसे पूछा गया कि तुम्हारा पेशा क्या है तब मैंने जवाब दिया किसान और जुलाहा; परन्तु मदरास म्युनिसिपल कारपोरेशन के अभिनन्दन-पत्र के उत्तर में मैंने और आगे बढ़ कर कहा-मैं भंगी हूँ। ऐसी अवस्था में जिन्हें मैं अपना मानता हूँ उन्हें आप दूर रखें और मुझे अपनी गोद में रखना चाहें, यह कैसे हो सकता है? मेरी स्तुति में तो आप गीता के श्लोक गाने और उन्हें मैं अपनेसे दूर रखूँ, यह कैसे हो सकता है? पर आपने मेरी जो स्तुति का है वह यदि सच हो, जो मेरा गुण वर्णन आपने किया है वह यदि सच ही तो हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ उन बालिकाओं को बंठना चाहिए। हाँ, इससे आप लोगों के दिल को चोट पहुँचेगी, आप कहेंगे कि यह कहाँ से रंग में भंग करने आ गया? तो जिसतरह उन्हें दूर देख कर मेरे दिल को आघात पहुँचा उसीतरह उन्हें यहाँ पा कर यदि आपके दिल को चोट पहुँचती हो तो मुझे कष्ट हीजिएगा। अवतक हम प्रस्ताव तो बराबर करते जाते हैं। आपके स्वागत-समारोह में मेहरावों पर अष्टव्ययता-निवारण-सूचक सूत्र भी मैंने पढ़े। सो या तो वह आठम्बर-मात्र है या इससे आपकी कमजोरी स्पष्ट होती है। आज के इस अवसर पर मेरा यह काम है कि मैं आपकी वह कमजोरी दूर कर दूँ। इसी लिए कहना हूँ कि आप अपने दिने उस अभिनन्दन-पत्र को वापस ले लीजिए, या मुझे उन डेड़ों के पास जा कर बैठने दीजिए। यदि आप सभ्य दिल से यह चाहते हैं कि अन्यज-भाई-बहन आपके साथ आ कर बैठें तो ऐसा कह दीजिएगा। मेरा धर्म है अहिंसा, और शपथका भी वही धर्म है। अहिंसा का सिद्धान्त हर धर्म में है। हाँ, उसकी पालन-विधि के परिमाण में अलगते भेद है। सो मैं आपको दुःख पहुँचाना किसी तरह नहीं चाहता। यदि

मेरे मुलाहिजे से डेड़ों को यहाँ आने देंगे तो इससे मेरा अहिंसा-धर्म छूट होगा। मेरे मुलाहिजे से नहीं, बल्कि हजार बार यदि आपको गरज हो कि मैंने जो धर्म की रक्षा करने की बात आपसे कही है वह सच है और उसे मानना चाहिए, तो अंत्यजों को आने दीजिएगा। आप यदि उनके यहाँ आने के खिलाफ भी हाथ ऊँचे उठाएगा तो मुझे दुःख न होगा। 'अरे जीव! हिन्दू-धर्म को लोग फब और किस तरह समझेंगे?' यह कह कर मैं कभी सांस छोड़ूँगा। अतएव जिसकी जैसी इच्छा हो निबर हो कर मे-मुलाहिजे हाथ उठावें।

हाथ ऊँचे उठे। हजार से ऊपर हाथ डेड़ों को अन्दर बुलाने के पक्ष में थे। २५-३० लोग खिलाफ थे। यह बात कास तौर पर जाननेलायक थी कि इन मुखालिफ लोगों में कियों का एक भी हाथ न था। तब गांधीजी फिर कहने लगे—

'मेरे लिए अब धर्म-संकट आ खड़ा हुआ है। जब कि अंत्यजों को अलग रखनेवालों की संख्या बहुत थोड़ी है, मैं उनसे विनयपूर्वक सिफारिश करना हूँ कि वे सभा से अलग हो जायें। यदि वे मेरे विनय को न समझें और उन्हें दुःख माहूम हो तो बेहतर है कि मैं ही अन्यजों में जा बैठूँ।'

इन वचनों के निकलते ही जिस ब्राह्मण ने आरंभ में गांधीजी की स्तुति-गान किया था वे बोले—मैं ब्राह्मण हूँ और अपने जैसे विचार रखनेवाले सब लोगों की तरफ से कहता हूँ कि यह बात ऐसी है कि हम सबको दुःख हो। सो मैं आपसे कहता हूँ कि आप ही अन्यजों में जा कर बैठ जाएँ।'

तब गांधीजी बोले—'अवसर माजुक उपस्थित हो गया है। हम यहाँ सभा के न्याय के अनुसार व्यवहार नहीं कर सकते। बेहतर है कि मैं ही अन्यजों में जाकर बैठ जाऊँ।'

तब एक सज्जन दुःख के साथ कहने लगे—'भारी बहु संख्या ने आपके पक्ष में राय दी है। ऐसी हालत में आपको यहाँ जाने देना शूक कर चाटना है।'

तब गांधीजी ने कहा—'आपको दुःख न होना चाहिए आपने कुछ पहले से तो विज्ञप्ति निकाली ही न थी कि अन्यज शामिल किये जायेंगे। आपने तो सबको अलहदा बैठने दिया और यदि मैं न बोला होता तो वे वहीं बैठे रहते। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे समय सभा के हक पर अमल करना, उन लोगों को दुःख पहुँचाना है। और मुझे तो जरा भी दुःख नहीं होता, उल्टा उससे आपकी मर्यादा की रक्षा होती है। आपका काम आसान हो जाता है। यह कह कर गांधीजी उठे और अन्यजों में जा कर बैठने वाले वे फि एक और सज्जन उठे और उन्होंने संजीवनी के साथ उन ब्राह्मण विरोधी से कहा—'देखना, गांधीजी गये तो उनके पीछे हम सब लोग जायेंगे। तो आप तो क्यों भी अलहदा ही रहेंगे। ऐसी अवस्था में आप ही हट जायें तो क्या बुराई है?'

वे ब्राह्मण समझे और दो-तीन भाइयों के साथ अलहदा चले गये। शेष लोग जिन्होंने अन्यजों के खिलाफ हाथ उठाये थे यह कह कर बैठ रहे कि घर जा कर नहा लेंगे और क्या? 'अन्त्यज बालिकायें अन्दर आईं और स्वागत गीत गाया।

अन्त में गांधीजी का आचरण हुआ। अन्यजों के प्रश्न पर आपने कहा—

'अन्त्यजों के सवाल ने यहाँ अचानक ही बड़ा रूप धारण कर लिया। इसमें यहाँ जो दो भाग हो गये उसे मैं शुभ मुहूर्त मानता हूँ। जो भाई विवेक-पूर्वक यहाँसे चले गये उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। यह कह कर कि 'घर जा कर नहा लेंगे'

जो सब्जन यहां बैठे रहे उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने यदि मुझे वहां जाने दिया होता तो अच्छा होता। पर जो हुआ वो भी कुछ बुरा नहीं। यह सभा का हक है और यदि मैं आपपर दबाव डालता तो भी अहिंसा का लोप होता। जो लोग मेरे साथ सहमत हैं उनपर भी मैं इतना अंकुश नहीं लगा सकता। इसलिए मैं उन लोगों के आग्रह को जिन्होंने मेरा पक्ष लिया था, समझ गया और यह समझ कर बैठ रहा कि जो हुआ सो ठीक हुआ।

अब मेरा विरोध करनेवालों से दो शब्द कहना चाहता हूँ। इतने सालों से इस बात की चर्चा हो रही है फिर भी आप लोग नहीं चेतते। यह कितनी दुर्दशा है! यदि कोई डेड इसी सभा में बैठा होता तो आपको कोई आपत्ति न होती; पर इस सवाल को उठाने से यह आपत्ति खड़ी हुई। (एक शख्स ने यहां एक विरोध किया। कहा-स्वयंसेवकों ने अन्त्यजों को भीतर बैठाया था।) किसी स्वयंसेवक ने अन्त्यज को अन्त्यज समझ कर बैठाया होता तो ठीक था, परन्तु अन्त्यज नहीं, यह कहकर बैठाया हो तो उन्होंने दया किया है। उन्होंने मुझे धोखा दिया है और जो लोग अस्पृश्यता को धर्म मानते हैं उन्हें भी धोखा दिया है। हम किसी से जबर्दस्ती धर्म का पालन नहीं करा सकते। धर्म में जबर्दस्ती नहीं हो सकती। यदि हो तो वह अधर्म हो जाता है। यदि किसी स्वयंसेवक ने ऐसा किया हो तो उसे पश्चात्ताप करके माफी मांगनी चाहिए।

मैंने जो बात कही थी उसे ये बीच में देखल डालनेवाले महाशय नहीं समझे। आप ट्रेन में, दफ्तरो में, मिलों में तथा दूसरी संस्थाओं में जहां हम अन्त्यजों को छूते हैं वहां उनका बहिष्कार नहीं करते हैं। मिलों में तो अन्त्यजों से काम लेते हैं, बहिष्कार की तो बात बुर रही। फिर भी जो लोग यह मानते हैं कि अस्पृश्यता पाप है और उसको दूर कर देना चाहिए, उन्हें बेवकूफ मानना, अपनी आंख पर पट्टी चढ़ा देना—यह न तो अनुभूत है, न व्यावहारिकता है, न बुद्धिमत्ता है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप कुछ व्यवहार-कुशल बनिए। वैष्णव लोग प्रेम का दावा करते हैं। यहां अन्त्यजों के प्रति वैष्णवों ने कौनसा प्रेम प्रदर्शित किया है? कितने ही अन्त्यजों से मैं रास्ते में मिला था। उन्होंने कहा-हमें कुओं पर पानी नहीं भरने दिया जाता। हमें गडहों में से पानी भरना पड़ता है? इसे दया कहते हैं! जिससे पशु पानी पीते हैं, हम कभी नहीं पीते, उनसे से लोगों को पानी पीने पर मजबूर करना क्या दया है? यह तो निरी निर्दयता है, अधर्म है, पाप है, राक्षसता है। यह भाव न तो वैष्णव धर्म में है, न भागवत में है। यदि यह साबित हो कि ऐसी बात इन ग्रन्थों में लिखी है तो मुझे ऐसे वैष्णव धर्म की जरूरत नहीं, इस हिन्दू-धर्म की जरूरत नहीं। जिस अन्त्यज को हमारी ही तरह पांच इन्द्रियां हैं, जो हमारी ही तरह पाप करता है, पुण्य करता है, उसे ईश्वर-निर्मित पानी पीने की भी सुमानियत। वह मांसाहार करता है! वह तो बेचारा सरे दस्त मांसाहार करता है। जो लोग चुपके चुपके मांसाहार करते हैं, उनका हम क्या इलाज करते हैं? हम कन्या-विक्रय करके गोदत्या का पातक करते हैं और अस्पृश्यता-धर्म का पालन करते हैं। इन 'धर्म'-पालने वालों के मन में दया नहीं, रगो-रेसो में पाखण्ड है, निर्दयता है। अनुसूति शीघ्र का नियम इतना ही बगती है कि रजस्वला को तबतक न छूना चाहिए जबतक वह रजस्वल हो, चाण्डाल को तब तक न छूना चाहिए जबतक वह अपना काम करता हो। बहुत से

बहुत हुआ तो सूतकी, चाण्डाल, रजस्वला को छू कर नहा लें—यह शास्त्राज्ञा है। फिर यह ऐसा लुम्ब किसलिए! डेड-भंगी का चारों ओर से बहिष्कार क्यों? फिर भी—ऐसा करते हुए भी हम नरसिंह मेहता के संघर्ष होने का दावा करते हैं, जबकार मन्त्र अपने का स्वांग करते हैं। जबतक आपका हृदय कीमल नहीं हुआ तबतक आपका कोई दावा काम नहीं आ सकता। मुझे यदि सारा हिन्दुस्तान कहे कि मैं बड़ा हिन्दू हूँ, तो भी मैं कहूंगा कि मैं बड़ा हिन्दू हूँ, अस्पृश्यता को जो लोग धर्म मानते हैं वे हैं बड़े। मरते मरते भी मैं इस बात को पाप कहता हुआ मरूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि हिन्दू-धर्म में से करता चली जाय, अस्पृश्यता निकल जाय, व्यभिचार हट जाय, पाप नष्ट हो जाय। यह अच्छा बनी हुई है और उसीको प्रदर्शित करता रहता हूँ। जब विचार-मात्र से मैं यह कर सकूंगा तब हिमालय की गोद में जा बैठूंगा। पर आज तो मेरा जीवन प्रवृत्तिय है। और इतनी प्रवृत्ति होते हुए भी मुझे बुरा अशांति नहीं, मैं शांति से जा कर लौ आऊंगा। आपका धर्म तराजू पर तोला जा रहा है। आपको पता नहीं कि संसार के कोने कोने में पारसी, ईसाई मुसलमान जानना चाहते हैं कि कौनसा धर्म सबा है, किसमें अधिक दया है, प्रेम है, किसमें एक ईश्वर की पूजा है। ऐसे समय में यदि आप यह माने कि हिन्दू-धर्म को गंदले गडहों में रख कर हम उसको रक्षा करेंगे तो वह व्यर्थ है, आपके ये तिलक-कण्ठी, ये मन्दिरे सब मिथ्या है, जबतक कि आपका हृदय प्रेम से—मानव-मात्र के प्रति प्रेम से सिक्त न हो। इसीसे बहनों ने अन्त्यजों को यहाँ बुलाने के खिलाफ हाथ ऊंचे न उठाये। यह दिखाता है कि हमारे अन्दर सतीत्व अभी बाकी रहा है। हिन्दुस्तान में मैंने बुर जगह देखा है कि सीधे रास्ते चलनेवाली हमारी बहनें ही हैं। पर आप क्यों नहीं समझते? (यहाँ फिर उन विपक्षकर्ता ने कुछ सवाल पूछ कर गांधीजी का रोका, तब गांधीजी उन्हें संबोधन कर के बोलने लगे) ये सब्जन मानते हैं कि मैं अज्ञान की बातें कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ये अज्ञान की बातें कर रहे हैं। अब इसका इन्साफ कौन करे? हमारा मृत्यु के बाद ही इसका इन्साफ हो सकता है। मैं कुबूल करता हूँ कि मैं अपूर्ण आत्मी हूँ। तत्त्व का जो व्याख्या मैं करता हूँ उसके अनुसार सब का पालन मुझसे नहीं होता। नहीं तो मुझे कहीं इतनी दलील करनी पड़े? यदि मेरे अन्दर पूर्णरूप से अहिंसा व्याप्त हो तो इन भाई के अन्दर वैर-भाव हो सकता है? इन्हें कोप आ सकता है? (इसपर वे महाशय बोले—मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं तो शान्ति के साथ बोल रहा हूँ।) भाई, मैं तो कहना चाहता था कि मेरी अहिंसा अधूरी है, क्योंकि आपको गुस्सा आ गया है। पर यदि आपकी बात सच हो कि आपको गुस्सा नहीं आया तो यह सिद्ध होता है कि मेरे अन्दर धांडी-बहुत अहिंसा है और मैं मानता हूँ कि थोड़ी अहिंसा मेरे अन्दर जरूर है। मैं जो कह रहा हूँ वे प्रेम के विन्दु हैं। लो टक्का का सोना है। (यहाँ फिर शख्स ने खसल डाला। तब गांधीजी ने कहा—यहाँ कोई भी मर्यादा छोड़ कर न बोले और मेरे हक में राय देनेवालों का इहेरा कर्तव्य है कि वे इस भाई की हालत को बरदास्त करें।) इतनी बातें जो मैंने कीं तो मेरे पक्ष में मत देने वालों को शान्त करने तथा विरोधियों को कुछ समझाने के लिए। पर यह कहीं एक रात में हो सकता है? मैं तो इतना ही कहूंगा, जबतक हम अपने हृदय को आहिंसे की तरह स्वच्छ न करेंगे तबतक स्वराज्य नहीं निकल सकता।



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ३८

मुद्रक-प्रकाशक	अहमदाबाद, वैशाख सुदी ७, संवत् १९८२	मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,
वैश्विक उपायकाल सूच	गुरुवार, ३० अप्रैल, १९२५ ई०	वाराणसी सरकीगरा की गली.

## टिप्पणियां

### ईश्या के योग्य

बारडोली सहकारी की एक राष्ट्रीय पाठशाला के एक शिक्षक लिखते हैं कि पिछले चार महीनों में मैंने कोई ७ मन कपास के टुकड़े खुदे, उनकी कपास को लोडा, धुंका, और १८ पौंड रई का सूत काता जिसकी लंबाई हुई ३ लाख गज। पढ़ाई का काम करते हुए भी चार महीने तक लगातार इतना काम करना भारी बात है। मैं कहते हैं कि देश दिनों में मैं इससे भी अधिक और अच्छा सूत कातूंगा। इस उद्योग का अर्थ और फल तो अमरीकी के एक कार्यकर्ता की मेजी रिपोर्ट से बड़ी अच्छी तरह मालूम होता है। उन्होंने एक साठ घण्टे के बूट की बात लिखी है। वह चार घण्टे पैदल अपने लिए पुनियां लेन गया था। उगक मनभाव सुनिश्च—'आपलोगों ने हमको यह एक बरदान ही दिया है। लगातार तीन साठ घण्टे पराब निकले। हमारे पास कोई काम नहीं था। और बिना काम के गुजर कैसे हो! अब मुझे यह काम मिल गया है। अब मैं आशाम से रहूंगा।' पूर्वोक्त शिक्षक के पास काम न था सो बात नहीं। उन्हें इस गांधी मिशन का कोई जरूरत नहीं। परन्तु उनकी यह मिहनत और उदाहरण अन्त को उन लोगों को जो कि फाइल बने बैठ हैं, काम की प्रेरणा किये बिना न रहेगी और वे इस धर्मोत्पादक आवश्यक और राष्ट्रीय उद्योग में अपनेको लगाने बिना न रहेंगे। इस बूट के उदाहरण को एक नमूना ही समझिए। ऐसे हजारों-लाखों जी-पुरुष काम के अभाव में भूखों मर रहे हैं। बहुत लोग तो, जैसे कि उदास्ता में, काम करने की अवस्था का ही पार धर गये हैं और फाहली उनकी एक आदत ही बन गयी है। इस आपस का पूर करने का उपाय सिवा चरको के और कोई नहीं है। इस देश के लाखों दुःखी लोगों से सुख के प्रवेश करने का यही एक साधन है।

### शरीर धन-दीकत

लोग मुझसे तरह तरह की अजीब बातें पूछते हैं। ऐसी ही कुछ बातें गन्तू जिले से एक सज्जन पूछते हैं। सुनिश्च—लोग कहते हैं कि गांधीजी जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं हैं। वे लोगों को उपदेश करते हैं दूरिद बनीं, पर खुद आयदाद छुटा कर रखते हैं। मैं शरीर को शरीर बचाना चाहते हैं, पर खुद गरीब बनीं हैं। वे

शरीरों से कहते हैं प्रादा और कम खर्च का जीवन व्यतीत करो -- पर वे खुद बहुत खर्च करते हैं। सो इन सवालों का जवाब दीजिए—अपनी गुजर-बसर के तथा सफर के खर्च के लिए आप गुजरात प्रान्तिक समिति या महासमिति से कुछ लेते हैं या नहीं? यदि लेते हों तो कितनी रकम? यदि नहीं, जब कि आपके कुछ धन-दौलत नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं कि नहीं है, तो फिर अपनी लम्बा लम्बी सफरों का तथा खाने और कपड़े का खर्च किस तरह चलाते हैं? उनके हात में और भी ऐसी ही बातें हैं। मैंने उनमें से मुख्य मुख्य बातें चुन ली है।

मेरा जरूर यह दावा है कि मैं जैसा कहता हू वैसा ही करने का कांशस करता हू। लेकिन हाँ, मैं कुबूल करता हू, कि मेरा खर्च-बर्च उतना कम नहीं है जितना कि मैं चाहता हू। बीमारी के नाद से मेरा खाना खर्च यथेष्ट से ज्यादा बढ़ गया है। मैं उसे गरीब आदमी का खाना किसी तरह नहीं कह सकता। मेरे सफर में भी बीमारी के पहले से अब ज्यादा खर्च होता है। जब मैं लंबी लंबी सफरों तीसरे दर्जे में नहीं कर सकता। और न अब मैं बिना किसी साथी के, पहले की तरह, अकेला ही जाता-आता हू। ये सब सादगी और दरिद्रता के चिन्ह नहीं, बल्कि उसके विपरीत हैं। मैं महासमिति या गुजरात प्रान्तिक समिति से कुछ नहीं लेता। मेरे मित्रगण मेरी यात्रा का तथा खाने-कपड़े का खर्च बलाने हैं। अकसर यात्रा में रेलवे किराया वे लोग दे देते हैं जो मुझे निमंत्रित करते हैं और जो सज्जन मुझे अपने घर ठहराते हैं वे सब मेरी सब जरूरतों पर ध्यान रखते हैं—इतना अधिक कि वह मुझे जंजाल मालूम होने लगते हैं। यात्रा में लोग मुझे मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा खादी दे देते हैं। जो नच जाती है वह उन लोगों का दे या जाता है जिनको उसकी जरूरत होती है। वह आश्रम के खादी-मण्डार में रख हा जाती है। वह भण्डा छोड़-हित के लिए ही चल रहा है। मेरे पास कोई धन-दौलत और आयदाद नहीं। पर भी मैं समझता हू कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा धनी आदमी हू। क्योंकि मुझे कभी रुपये पैसे की कमी न रही—न खुद अपने लिए, न अपने सार्वजनिक कामों के लिए। परमात्मा ने हमेशा समय पर मुझे मदद भेज दी है। ऐसे कई मौके मुझे याद पड़ते हैं जब कि एक एक पैसा मेरे सार्वजनिक कामों में खर्च हो चुका था। पर उस समय

ऐसी जगह से अपना आ पहुँचा जिसकी मुझे कोई आशा न थी। इस आकस्मिक सहायताओं ने मुझे बहुत नम्र बना दिया है और मेरे हृदय में ईश्वर के तथा उसकी दयालुता के प्रति ऐसी अमूल्य भ्रष्टा वे दी है कि यदि कभी मेरे जीवन में अत्यन्त मुसीबत का दिन आया तो वह उस समय भी टिक रहेगी। ऐसी अवस्था में संसार चाहे तो शोक से मेरे अपरिग्रह पर बहकहा सगा सकता है। मेरे लिए तो यह अपरिग्रह एक लाभ ही हो बैठा है। क्या बात ही, यदि लोग मेरे इस सम्बोध में मेरा मुकाबला करें। मेरा यह अत्यन्त समृद्ध खजाना है। इसलिए शायद यह कहना ठीक ही है कि यद्यपि मैं दरिद्रता का उद्देश्य वेता हूँ तो भी मैं धनवान् हूँ।

**सहभोज**

एक महाशय लिखते हैं—

“मान लीजिए कि कोई सद्भाववाले मनुष्य, सब वर्गों में सद्भाव पैदा करने के लिए आंतरांगीय, आंतरजातीय और आंतर्राष्ट्रीय भोज का निमन्त्रण दें और उसमें शाकाहार और अ-मादक वस्तुओं का ही उपयोग किया जाय तो क्या यदि कोई हिन्दू आपकी जाति का हो या कुटुम्बी हो— इस भोजन में निमन्त्रण मिलनेपर (और बेशक अबरहस्ती नहीं) शामिल हो और आपसे राय मांगी जाय तो सनातन धर्म की दृष्टि से आपको ऐतराज होगा? उसी प्रकार आप ही किसी सनातन (या मर्यादा) धर्म की दृष्टि रखनेवाले ब्राह्मण को निज्जन स्थान में बका हुआ भूखा, और प्यासा (यह कहें कि मूर्च्छित हो जाने की तैयारी पर हो) पा कर यदि कोई बाण्डाल, मुसलमान या ईसाई स्वच्छ चावल का खाना और पानी दें तो उसे वह स्वीकार करना चाहिए या नहीं? नक्षेत्र में प्रथम यह है एक सार्वजनिक भोजन दे कर अपनी मरिच्छा का प्रकट करना और एक अस्पृश्य का स्पृश्य हिन्दू को खाना देना एवं उसका स्वीकार करना आपके सनातन वर्णाश्रम और मर्यादा-धर्म के अनुकूल है या नहीं?”

यदि कोई ब्राह्मण संकट में है और यदि वह चाहे कि मेरा शरीर कामर रहे, तो किसी का भी दिया स्वच्छ भोजन कर लेगा। मैं न तो सहभोज की हिमायत करूँगा, न उसपर ऐतराज ही। क्योंकि ऐसे कर्तव्य से मित्रता का सद्भाव की वृद्धि अवश्य ही होता हो सो बात नहीं। आज हिन्दू और मुसलमान के सहभोज की संजीवनी की जा सकती है; पर मैं साहस के साथ कहना हूँ कि ऐसे भोजन से इन दोनों जातियों में एकता न हो सकेगी, क्योंकि ऐसे भोजन के अभाव के ही कारण ये एक-दूसरी से दूर नहीं है। मैं ऐसे जानी दुश्मनों को जानता हूँ जो एक-साथ खाना खाते हैं, गप-शप लडाते हैं और फिर भी दुश्मन बने हुए हैं। देखक होनी विभाजक रेखा कहाँ खींचेंगे? वे शाकाहार और अ-मादक वस्तुओं के भोजन तक ही क्यों ठहरते हैं? जो शल्लस मांस खाना अच्छा समझता है और शराब चखना एक निर्दोष और आनन्ददायी तकरीह समझता है उसे तो अपने गो-मांस के टुकड़े और शराब प्याले का सारी दुनिया के साथ येन-केन और खान-पान करने में सिवा सद्भाव की वृद्धि के और कुछ न दिखाई देगा। किन्तु महाशय के प्रश्न में गनिता दलील के आधार पर कोई विभाजक-रेखा नहीं हो सकती। इसलिए मैं अन्तर्भोज को सद्भाव की वृद्धि करने में सहायक नहीं मानता। मैं सुद तो इन खान-पान के बंधनों को नहीं मानता हूँ और मैं ऐसा खाना भी कि अमादक और निषिद्ध न हो, साफ-सुथरा हो हर शकल के हाथ का खाता हूँ, पर जो लोग इन बंधनों को मानते हैं उनके मनोमार्गों में विहास में अन्तर्भोज है और मैं इसलिए अपने जीक भ्रष्टा उद्देश्य

और दूसरे के मुँह पर 'संकुचितता' की मुहर ही लगाता हूँ। मैं आहिरा तौर पर मेरे द्वार और व्यावहारिक होते हुए हो सकता है कि मैं संकुचित और स्वार्थी होऊँ और मेरे दूसरे मित्र आहिरा तौर पर संकुचित दिखाई देते हुए भी उदार और निस्वार्थ हों। सो इसका गुण और दोष हेतु पर अवलंबित रहता है। सुदभाव की वृद्धि करने के साधन के तौर पर अन्तर्भोज के उदाहरण से मेरी राय में सद्भाव की वृद्धि की गति कुण्ठित होगी; क्योंकि उसके द्वारा एक तो मिथ्या प्रश्न खड़े होंगे और दूसरे मिथ्या आश्वासनों भी उठेंगे। मैं जिस बात को दूर करने का उद्योग कर रहा हूँ वह है भ्रष्टा या उच्छता की धारणा। आरोग्य की तथा आध्यात्मिक दृष्टि से इन बंधनों का महत्व है। परन्तु उनके पालन न करने से मनुष्य रसातल को नहीं चला जा सकता, जिस तरह कि उनके पालन करने से वह सातवें आसमान पर नहीं चढ़ सकता। यह भी हो सकता है कि खान-पान के बंधनों का पालन बड़े नियम-पूर्वक करने वाला मनुष्य अधम, पापी और समाज में न रहने के योग्य हो और एक सहभोजी तथा सर्वभक्षी मनुष्य सदा पाप-भीरु हो और उसको संगति करवा एक सौभाग्य की बात हो।

**रामनाम**

काठियावाड़ में एक स्थानपर भावण में गांधीजी ने राम-नाम के संबंध में नीचे लिखे उद्गार और स्वानुभव प्रकट किये—

‘अमरभाई की पहचान आज मुझसे पहले-पहल हुई। इन्होंने मुझसे कहा—‘हम लोग पापी हो गये हैं, हम कर्मियों को बेचते हैं, अत्यजों को अस्पृश्य मानते हैं। इस वाक्य से हम किस तरह बच सकते हैं? केवल राम-नाम से। इसलिए आप जहाँ जाय वहाँ सबको राम-नाम का मंत्र दें।’ अमरभाई रामायण के पीछे पागल हैं। इसलिए, मैं समझता हूँ, उन्होंने यह बात सुनाई है। मैं भी रामायण के पीछे पागल हूँ, पर मैं तो सादी-दीवाना भी हूँ। और दो दीवानेपन एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए मैं तो अपनेको सादी-दीवाना ही कहता हूँ। ये सब जगह राम-नाम चाहते हैं। यदि केवल हिन्दू-धर्मियों की बात होती तो भी मैं उनकी सूचना पर कुछ अमल कर सकता; पर मेरे धोताओं ने तो ईसाई भी होते हैं, पारसी भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। वहाँ मैं राम-नाम किस तरह जपाने? हम पापों का प्रथमिल तो तपस्वर्यों के द्वारा कर सकते हैं। पाप का प्रक्षालन भायत्री के जप से ही सकता है। पर उसके लिए मैं अवकाश नहीं देखता। इन तमाम महा जंगलों से छूटने का रामायण उपाय तुलसीदास ने बताया—रामनाम। अमरभाई भी कहते हैं कि रामनाम का जप कराते जाओ। इसके लिए रुचि होनी चाहिए, वृद्धि चाहिए, योग्यता चाहिए। बरते बरते मैंने अन्त्यज-भ्रात्यों और कपटी परब के लोगों को यह मंत्र बताया। परन्तु उजली परब से मैं इसकी बात कैसे करूँ? अत्यज और कपटी परब के लोग तो मैंने मानते हैं कि हम पातक हैं। सो वे तो मेरा कहा खान सकते हैं। हाँ, मैं उनसे अकर कहता हूँ कि तुमको शराब पीने की इच्छा हो तो राम-नाम जपना। पर भास लोगों से किस तरह कहूँ? परन्तु अमरभाई के कहने से आपके सामने उसे पेश करता हूँ।

राम-नाम के प्रताप से पत्थर तैरने लगे, रामनाम के बल से धानर-सेना ने रावण के कंठे छुड़ा दिये, राम-नाम के सहारे हनुमान् ने पर्वत उठा किया और राक्षसों के घर अनेक बर्ष तक पर भी सीता अपने सत्यत्व को बचा सकी। भारत में चौदह लाख लाख ब्राह्मण-काय-धर्मियों, कर्तव्य-धर्मियों, कर्तव्य-धर्मियों के साथ-साथ

के बिना दूसरा कोई शब्द न निकलता था। इसलिए सुकसीबास ने कहा कि कलिकाल का मूल शो बालक के लिए राम-नाम जपो।

इस तरह प्राकृत और संस्कृत दोनों प्रकार के मनुष्य राम नाम के अरु प्रविष्ट होते हैं। परन्तु पहन होने के लिए राम-नाम इष्ट है केना चाहिए, जीभ और हृदय को एक-रस कर के राम-नाम केना चाहिए। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं मंसार में यदि व्यभिचारी होने से बचा हूँ तो राम-नाम के बर्दाशत। मैंने कबो तो बडे बडे किये हैं, परन्तु यदि मेरे पास राम-नाम न होता तो तीन कियों को मैं बहन कहुने के कायक न रहा होत। जब जब मुझपर त्रिकट प्रसंग आवे हैं, मैंने राम-नाम लिया है और मैं बच गया हूँ। अनेक संकटों से राम-नाम ने मेरी रक्षा की है। अपने इकीस दिन के उपवास में राम-नाम ने ही मुझे शान्ति प्रदान की है और मुझे जिलाया है। इसतरह राम-नाम के गीत गाने के लिए यदि कोई मुझसे कहे तो मैं नारी रात गाना करूँ। सो यदि आप अपनेको दुःखी और पतित मानते हो—और हम सब पतित हैं—तो सुबह, शाम और सोते समय राम-नाम का रटन करो और पवित्र होओ।”

**मैले कपडे**

इस बार गुजरात की यात्रा में मैंने राष्ट्रीय-पाठशालाओं में बहुतेरे विद्यार्थियों को देखा। उनमें कितने ही अगवड और मैले थे। किसी किसी की टोपी तो पसीने से इतनी मैली हो गई थी और इतनी बूँ करती थी कि उसे छूना भी कठिन था। कितने ही लडकों की पोशाक भी विचित्र थी। किसीने अपने बदन पर इतने सारे कपडों का बोझ लाद लिया था जो इस मौसिम में सहन नहीं हो सकता। कोई लडका पतलून पहन कर भाषा तो उसके बदन नहीं लगाये थे। किसी किसी के कपडे फटे हुए थे। मैं समझता हूँ कि जिसतरह छूत की बीमारीवाले बालकों को मदरसे आने की मुमानियत होनी चाहिए उसीतरह जिन बालकों के शरीर या कपडे मैले हों, फटे हुए हों, उन्हें भी मदरसे आने की बन्दी होनी चाहिए। इसपर यदि कोई यह कहे कि ऐसा करने पर बालक सुधरता और सफाई कहाँ और कब सीख पावेगा तो इसका हलका महल है। जो लडका ऐसी हालत में जावे उसे पहले तो पाठशाला की नहाने की जगह भेजकर नहलाना चाहिए, उसके कपडे उसीके हाथ में धुलवाना चाहिए और जबतक कपडे न सुखे उसे मदरसे से कपडे देने चाहिए। अपने कपडे सुखने पर वह उन्हें पहन ले और मदरसे के कपडे भी, सुखो, तहाकर लौटा दे। यदि ऐसा करने में खर्च ज्यादा होने की संभावना हो तो बालक को विट्टी दे कर उसके घर भेजना चाहिए और जब सफ-सुधरा हो कर आवे तो फिर आन दिया जाय। बाहरी सफाई और सुधरता यह पहली पाठ होना चाहिए। सब लडकों को पाठशाला के लिए एक ही किस्म की पोशाक पहनाना मुदिकल हो तो भी जिसतरह और जो जो चाहे कपडे पहन कर आना तो बरदास्त नहीं हो सकता।

साफ-सुधरे कपडे की तरह कबायद भी होनी चाहिए। बालकों को चक्का, बैठना, उठना और हजारों का बल बनाकर जाना जाना आना चाहिए। कोई लडका कमर झुका कर बैठता है तो कोई पैर दाम कर, कोई अंगुडई ही लेता रहता है तो कोई बैठे बैठे रोना करता है। और एक साथ चलने की तो बात ही दूर है। इन बातों की शिक्षा भी बालकों को आरंभ में ही मिलनी चाहिए। इनके बालक भी सुशोभित होंगे, अपनी पाठशाला की भी सुशोभित होंगे और उनके अन्दर एक तरह का उत्साह पैदा होगा। फिर

कबायद जाननेवाले बालकों को हजारों की संख्या में जहाँ बाहें तहाँ बिना गोलमाल के घुमा-फिरा सकते हैं। मुझे इस समय एक-दो पाठशालाएँ ऐसी याद आती हैं कि जहाँ सीटी बजाने के बाद तीन मिनट में नौ लडके बिना शोरगुल किये हाजर हो गये थे और अपना काम पूरा होने पर उतने ही मिनट में फिर अपने अपने दरजों में चले गये—मानों दरजों से बाहर निकले ही न हों ?

पोशाक में तो मेरी समझ में एक आधा जांघिया ( निकर्स ) अथवा बौती और कुरता तथा टोपी-बन्दी के बस हैं। और जब के धुले हुए होते हैं तब हजारों बालकों का उस पहनाव में दृश्य बड़ा सुन्दर माखम होता है। कितने ही लडके इतने कपडों के अलावा वास्कुट तथा आधा या पूरा कौट पहन कर आते हैं। ऐसे लडके और लडकों में साफ अलग दिखाई पडते हैं। उन्हें अब दयनीय दशा से मुक्त करना चाहिए।

मैं जानता हूँ कि स्वच्छता, सुधरता और कबायद आदि में ही बालकों की सारी शिक्षा का समावेश नहीं होता। उन्हें चारित्र्य-बल मिलना चाहिए, अक्षर-ज्ञान मिलना चाहिए। परन्तु बच्चों की शिक्षा के एक भी अंग के संबंध में हम लापरवाही नहीं कर सकते। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों अंग हमें संभालने चाहिए। हमें से जो अंग अधूरा रहेगा वही बालक को भविष्य में दुःख होगा और जब उसे इन त्रुटियों का ज्ञान होगा तब वह उसे बहुत खलेगा। वही नहीं, बल्कि समाज पर भी उसका असर बहुत बुरा होगा। आज भी तो हम अपनी शिक्षा की न्यूनता का फल भोग रहे हैं। हमारे अन्दर गद्गी इतनी ज्यादा है कि उसके कारण हम छूत की बीमारियों को निमूल नहीं कर सकते। शहरों में स्वच्छतापूर्वक जीवन व्यतीत करना प्रायः असंभव हो गया है। हम सुधरता के मूल तत्वों को भी नहीं जानते और जो जानते हैं वे उनका पालन नहीं करते।

( नवजीवन )

मौ० क० गांधी

**एजेंटों के लिए**

- “हिन्दी-नवजीवन” की एजेंसी के नियम नीचे लिखे जाते हैं—
१. बिना पेशगी दाम आवे किसीकी प्रतिष्ठा नहीं भेजी जायगी।
  २. एजेंटों को प्रति कापी ( कमिशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम से अधिक लेने का अधिकार न रहेगा।
  ३. १० व कम प्रतिष्ठा भंगाने वालों को डाक खर्च देना होगा।
  ४. एजेंटों को यह शिक्षना चाहिए कि प्रतिष्ठा उनके पास ही से भेजी जाय या देखे से।

व्यवस्थापक—हिन्दी-नवजीवन

**आशुभ भजनावली**

बौधी आशुति छपकर तैयार हो गई है। पृष्ठ संख्या १६८ होते हुए भी कीमत सिर्फ ०-३-० रखी गई है। बाकखर्च करीदार को देना होगा। ०-४-० के त्रिकट भेजने पर पुस्तक बुकपोस्ट से फौरन् रवाना कर दी जायगी। बी. पी. का निम्न नहीं है।

व्यवस्थापक  
हिन्दी-नवजीवन

## हिन्दी-नवजावन

पुरवार, बंगाल सुदी ७, चैत्र १९६६

### गुण बनाम संख्या

इन दिनों देश में महासभा के सदस्यों की संख्या पर निरुत्साह की स्थिति सुनाई पड़ती है। शिकायत यह की जाती है कि महासभा के सदस्यों की इतनी कम संख्या पहले कभी न हुई थी। यदि सत्ताधिकार बही रहता तब तो यह शिकायत करना वाजिब था कि लोगों ने कम ध्यान दिया है। और यदि महासभा के प्रभाव की नाप सदस्यों की संख्या के द्वारा करी हो तब भी यह शिकायत उचित थी। हाँ, इस बात में भ्रम मन हो सकते हैं कि महासभा के प्रभाव का अनुमान किम बात से किया जाय। मेरे नजदीक उसकी नाप एक ही है। मैं तो गुण ही को सबसे अधिक महत्त्व देता हूँ—मैं संख्या का प्रायः कुछ ख्याल नहीं करता—खाम कर हमारे देश के संबंध में तो और भी ज्यादा। आज हमारे अन्दर सन्देश, मित्र-भाव, हित-विरोध, अन्धविश्वास, भय, अविश्वास, आदि दोष विद्यमान हैं। ऐसी अवस्था में संख्या-बल में न केवल सुरक्षितता का अभाव है बल्कि अन्तरे का अन्देश भी हो सकता है। कौन नहीं जानता कि इन पिछले चार सालों से यह संख्या-बल हमें किस तरह बड़बुदा परेशान कर रहा है। हाँ, उस अवस्था में संख्या-बल एक दुर्दमनीय शक्ति हो सकती है जब कि सब लोग एक आवसी की तरह पूरी पाबन्दी के साथ काम करें। पर जब कि कोई आदमी किधर गीचना हो और कोई किधर या कोई यह भी नहीं जानता हो कि किधर गीचना चाहिए, तो उस हालत में संख्या-बल को एक विनाशक शक्ति ही समझिए।

मैं इस बात का पूरा कायल हो चुका हूँ कि जबतक हमारे अन्दर एकादली, यथोचित काम करने की क्षमता, मोच-समझ का किया सहयोग और जो कुछ चाहा जाय उसके लिए 'हाँ' कहने की तैयारी, ये गुण उदय न होंगे तबतक संख्या का फायदा ही हमारी भलाई है। सौ कूपरों से एक कूपर अच्छा होता है। सौ कौबों के लिए पांच पाण्डव काफी हुए थे। कितनी ही बार बुने हुए कुछ ली आदमियों की नियमबद्ध सेना में अत्यन्त बेतरतीब लोगों के जगमग के धुंके उड़ा दिये हैं। मदस्य चाहे धोखे हो पर वे महासभा की शक्तों का पूरा पालन करनेवाले हों तो अपने काम का अच्छा हिताव दे सकते हैं। पक्षान्तर में नाम-मात्र के होनेवाले १० लाख भी मदस्य किसी मस्यफ के नहीं हो सकते।

इसमें कोई यह ख्याल न करें कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि अब जो मदस्य हमारे रजिस्टर में दर्ज हैं वे पके हैं या कम से कम पहलेवालों से पके हैं। इसकी तसदाक तो हम साल के अन्त में हो सकती है।

पर मैं जो बात आपको ज्ञानना चाहता हूँ वह यह कि हम अपनी आवश्यकता को समझ लें। हम सम्मुख बदले के स्वार्थी मदस्य को मानते हैं या नहीं? यदि हाँ, तो फिर हमारा काम है कि हम उनके पीछे पड़ जाय—परवा नहीं, हमारा तादाद कम हो या ज्यादा। स्वराज्य के लिए हम अस्पृश्यता-निवारण की आवश्यकता के कायल हैं या नहीं? यदि हाँ, तो फिर हम एक

इस नहीं झुक सकते—भले ही हम पर पहाड़ उमड़ पड़े। हमारा इस बात पर विश्वास है या नहीं कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता स्वार्थ-प्रति के लिए परम आवश्यक है? यदि हाँ, तो फिर हमें उसे प्राप्त करने के लिए बहुत-कुछ गर्वाना होगा। हम बराम नाम की एकता से सन्तुष्ट न हों—हमें या तो सभी एकता स्थापित करनी होगी या भों ही रहेंगे।

पर कुछ भ्रम न करने हैं—'इसमें राजनैतिक बात तो कोई नहीं। इसमें सरकार में दो दो राय करने की तो कोई बात नहीं।' इतना मेरा काना है कि जबतक हम इन बातों को शामिल न कर लें तबतक हम सरकार से काबिल और कारगर तौर पर मुठभेड़ नहीं कर सकते। इसपर कुछ लोग कहते हैं—'पर स्वराज्य प्राप्त करने तक तो हम इनमें से किसी भी बात को न पा सकेंगे।' तो मेरा उत्तर है—सरकार के खुले या छिपे विरोध या आंदोलन के होने हुए भी इन बातों के प्राप्त करने की क्षमता और योग्यता पैदा किये बिना हमारा काम नहीं चल सकता। मेरे नजदीक तो इन बातों की प्राप्ति मानों परा गरीबी की आभा स्वराज्य प्राप्त कर लेना है।

तब, वे पूछते हैं, स्वराज्यों के कार्यक्रम का क्या होगा? हमारी भीतरी शक्ति बढाने के इस कार्यक्रम के साथ साथ वह भी जरूर चलता रहे। स्वराजी महासभा के एक अभिन्न अंग हैं। वे सुयोग्य हैं, वे सदा जागरूक हैं, वे समय की आवश्यकता के अनुसार अपनी नीति-रीति बदलते रहेंगे। जिन लोगों की रुचि उरानी तरफ हो वे उस कार्यक्रम के अनुसार भी काम करें। पर वे भीतरी काम को न भूल जायें। यदि १२ हजार, नहीं जी २ ही हजार री-पुण्य रचनात्मक कार्यक्रम में जोरखोर से काम करने लगे, हालत तुरन्त बदल जायगी। अपनी तमाम यात्राओं में मैंने बड़े दुःख के साथ देखा कि अच्छे साहसी, ईमानदार, स्वार्थत्यागी, स्वाधत्तवी तथा स्वयं अपने आपसे और अपने काम पर विश्वास रखनेवाले कार्यकर्ता की बड़ी कमी है। कसल तो निबन्ध ही तैयार है, पर काटनेवाले मजदूर ही बहुत थोड़े हैं।

मदस्य की बात है। शीघ्रतः प्रतिवाच आयुगर तथा में एक सभा में गये थे। लोग उताह से उमड़ रहे थे। दूसरी सभा में जाने के लिए रवाना हुए। परन्तु मेरे वे 'कहरदा' लोग मुझे एक गली में ले जाने का आग्रह कर रहे थे, जिसे कि कार्यक्रम में स्थान न था। मैंने कहा समय नहीं है। श्री आयुगर ने मेरी तन्मुस्ती की इलीक गेश की। पर यह सब निष्फल हुआ। हम — क्या जबरदस्ती से कहें—लेके जा रहे थे। हम दोनों ने उस समय इस बात की अनुमति किया कि वे लोग हमारे कार्य के साधक नहीं स्पष्टतः बाधक हैं। और यदि वे कानून अपने हाथ में न लेता, आगे बढ़ने से इन्कार न कर देता और सचमुच मोर्च से उतर न जाता और लोगों से यह न कहता कि मेरे शरीर को चाहो तो उठाकर ले जाओ, तो बात न बनती। गंग्याल के अन्तरे का यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। लोगों का उद्देश अच्छा था; पर उन्हें ज्ञान और विश्वास न था। मस्य में ऐसी कितनी ही मातायें हैं जिन्होंने संकुश आर सद्भाव से अपने बच्चों को अंतर्गत स्वादिष्टी पिला विला कर भगवान के घर पढ़ाया दिया है।

हमें आज की हाथत में उत्तेजना—जोश की जरूरत नहीं, बल्कि धारित के साथ सुपचाप रचनात्मक काम करने की है। हाँ, यह सच है कि यह धम-माध्य है, बहुत भारी है। पर वह हमारी शक्ति के नदर नहीं। इसके लिए क्यादह समय की जरूरत नहीं, यदि हमारी प्रति में बाधक कोई बात है तो वह है हमारी



अनिश्चितता। काम करने का हमारा इरादा नहीं होता, फिर भी हम कौरी जवानी ही कर लेते हैं। यही सबसे ज्यादा सता रही है। इसीलिए मैं तो गुण और अकेले गुण की बात करता हूँ। ऐसी अवस्था में जबतक महासम्मेलन की बैठक के लिए माँग न पेश हो, मैं उसका आयोजन न करूँगा। माँझवा कार्यक्रम इसीलिए नियत किया गया है कि वे गुण हममें आवें, और जबतक वह मौजूद है मैं तो हर एक महासभा के कार्यकर्ता की यही सलाह दूँगा वे अपनी सारी शक्ति उसीकी सफलता में लगावें जिससे कि यदि संभव हो तो साल के अन्त में हमारे पास आवश्यक गुणों से युक्त स्त्री-पुरुषों का एक पक्का दल बन जाय, फिर उसकी संख्या कम हो तो चिन्ता नहीं।

(पृ० ६०) मोहनदास करमचन्द गांधी

### ‘क्रान्तिकारी बनने के उम्मीदवार’ से—

भाऊ कीजिए, मैं आपका पत्र न पढ़ा पाया। यदि वह छापने योग्य होता तो मैं उसे जरूर छापना। यह बात नहीं कि आपका पत्र कुर्बान-पूर्ण था या हिंसा-भाव से युक्त था। चर्कि इसके विपरीत आपने अपने पक्ष की शान्ति के साथ ठीक ठीक उपस्थित करने का इरादा किया है; परन्तु क्योंकि आपने उस तरह पेश की है जो लगर मालूम होती है और बाधक नहीं कर पाती। आपके कहने का आशय यह है कि क्रान्तिकारी जब किसीका खून करता है तो यह हिंसा नहीं करता, क्योंकि वह तो अपने प्रतिपक्षी के अर्थ में उसकी आत्मा के हित के लिए ही ऐसा करता है—जैसे कि एक सज्जन रोमी के हित के लिए उसके शरीर में नक्षत्र लगा कर चीर-काट करना है। आपका कहना है कि प्रतिपक्षी का शरीर नष्ट होना है जो कि उसकी आत्मा को विगाड़ता है और इसलिए वह जितनी ही जल्दी नष्ट हो जाय अच्छा है।

पर आपकी यह सज्जनवादी उपमा फलती नहीं। क्योंकि सज्जन तो सिर्फ शरीर में काम करता है। वह शरीर के काम के लिए शरीर पर नक्षत्र लगाता है। उसके विज्ञान में आत्मा के लिए जगह नहीं है। फल यह सकता है कि सज्जनों ने आत्मा को दानि पट्टा कर इतने शरीर की रक्षा की है? परन्तु क्रान्तिकारी तो शरीर का नाश इसलिए करता है कि वह उसके द्वारा प्रतिपक्षी की आत्मा का हित मानता है। सं. एक ता में अबतक बिना ऐसे क्रान्तिकारी को नहीं जानता जिसने यही अपने प्रतिपक्षी की आत्मा का विचार किया हो। उनका एक-मात्र उद्देश्य यह रहता है कि हमारे देश का लाभ हो—फिर प्रतिपक्षी का शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाय तो परवा नहीं। दूसरे, आत्म-निर्वाण के कायल हैं। जो अक्षरमूर्ती प्रणपात का फल होगा उसी विराम के दूसरे शरीर का निर्माण। क्योंकि जो शस्त्र इस तरह मरता है वह अपनी मालग के अनुसार ही शरीर प्रदण करता है। मेरी समझ में किसी सुराई या अपराध के मजबूत रहने का यही कारण है। जितना ही अधिक हम दण्ड देने में सतना ही अधिक वे सकते हैं। उनका रूप-रंग भले ही बदल जाय, पर मरती वस्तु वही होगी। प्रतिपक्षी की आत्मा की सेवा करने का उपाय है उसकी आत्मा को आश्रय करना। उसका नाश तो नहीं परन्तु उसकी आश्रय करने के योग्य उपायों का उत्सव असर होता है। आत्मा आत्मा पर रासुर किये बिना नहीं रहती। और अहिंसा आत्मा का ही एक गुण है। इसलिए आत्मा को आश्रय करने का फलदायी साधन है अहिंसा ही। और क्या अपने प्रतिपक्षी को सजा देने की बात करना मानों स्वयं अपनेको अस्वकृतशील—कभी

भूल न करनेवाला—मानने की अहन्ता को अपनाना नहीं है? हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि वे भी हमें समाज के लिए उतना ही हानिकारक न मानते हैं जितना कि हम उन्हें समझते हैं। श्रीकृष्ण के नाम को बीच में घसीटना फल है। या तो हम उन्हें साक्षात् ईश्वर मानें या न मानें। यदि हाँ, तो फिर वह हमारे लिए सर्वज्ञ और सर्वशक्तमान—‘कतुमकतुममयथाकर्तुम्’ है। ऐसा व्यक्ति अत्यन्त संहार कर सकता है। पर हम तो ठहरे न—कुछ मर्त्य लोग हमेशा भूलें करते रहते हैं और अपने विचार और राय बदलते रहते हैं। हम यदि कृष्ण की—गीता के प्रेरक की बकल करने लगे तो दुःख हमारे हिससे आये बिना न रहेगा। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि मध्ययुग के ईसाई कहलानेवाले लोग भी ठीक वैसा ही विचार रखते थे जैसे कि आपकी समझ में क्रान्तिकारी लोग रखते हैं। उन्होंने हिरेटियस लोगों को उनकी आत्मा के हित के रखा से मरम कर डाला। आज हम उन अज्ञान ईसाइयों की मूर्खता भार जवाबतियों पर हँसते हैं। अब हम जानते हैं कि वे अपराधी लोग सही थे और उनके धार्मिक न्यायदाता गलती पर थे।

शुशी की बात है कि आप चरखा कात रहे हैं। उसकी मौन गति में आपके चित्त का शान्ति मिलेगी और स्वाधीनता, जिसे कि आप अपना चाहते हैं, आपके अन्दर से भी ज्यादा बजलगा आ जायगी। उन आँख मित्रों का कुछ क्याल न कीजिए जो आपके लिए खराब पुनियां छोड़ कर चले गये हैं। यदि आपकी अग्रह में होता तो मैं उन पुनियों को फिर तैयार करता आप धुलाई न जानते होंगे। यदि न जानते हों, तो आप किसी नजदीकी पिजारे या अन्य धुनकने के ज्ञाता से उसे छील लें। यह बड़ी बालिया कला है। जो धुनकना नहीं जानता वह कच्चा मूतकार होता है। आप इस बात से न घबराइए कि अहिंसा की रीति बहुत पीली, और देश से सफल होनेवाली किया है। यह तो इतनी तेज वेगवती है कि दुनिया ने आज तक न देखी होगी; क्योंकि वह अच्छा है, निश्चयपरेक फलदायी है। आप देखेंगे कि यह उन क्रान्तिकारियों पर अपना रस जगा देगा, जिन्हें कि आप समझते हैं कि मैं ठीक समझ नहीं पाया हूँ। किसीकी गलती बताया उसे ‘ठीक क्याल नहीं करना’ नहीं है। मैं इतनी जगह क्रान्तिकारियों के लिए इनी हेतु से दे रहा हूँ कि मैं उनकी अधिक कार्य-शक्ति को सीधे और गति राने में लगाना चाहता हूँ।

(पृ. ६)

मोहनदास करमचन्द गांधी

### विद्यार्थियों से—

मेरी धागामी बंगाल-यात्रा ने बिहार में बड़ी बड़ी आत्मायें उत्पन्न कर दी हैं। जग में लोग मुझे सूचनायें दे रहे हैं कि जब बिहार आइए तो हमारे यहाँ जरूर आइए। उन्हें अलहदा अलहदा जवाब देने के अनुरोध मैं इसीके द्वारा उन्हें यह खबर कर देना चाहता हूँ कि अभी मेरी बिहार-यात्रा की कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है। यदि बंगाल-यात्रा के बाद मेरी तन्दुरस्ती ठीक रही (मैं वात इसलिए चाहता हूँ कि इस फसली युद्ध के बाद मैं अभीतक पहले की तरह सहायक नहीं हो पाया हूँ) तो मैं बिहारी मित्रों की इच्छा-मूर्ति की चेष्टा करूँगा। परन्तु जबतक बंगाल-यात्रा बहुत-कुछ तय नहीं हो जाती तबतक कोई तारीख सुकरर नहीं की जा सकती। और हर हालत में यह अच्छा होगा कि जो मित्र बिहार में मुझे अपने अपने स्थानों में ले जाना चाहते हैं वे राजेन्द्र बाबू से लिखा-पढी करे। मेरे कार्यक्रम का भार उन्हींके जिम्मे रहेगा। और तीन-दिन आदि संशुभी मेरी शर्तें नहीं होंगी जो कि बंगाल-यात्रा के लिए हैं।

## युक्त-प्रान्त में खादी

भाई संकरलाल बँकर लिखते हैं—

हिन्दुस्तान के अन्य प्रान्तों की तरह इस प्रान्त में भी खादी-काम के लिए अच्छी अनुकूलता है और वहाँ आज भी कितनी ही जगह कुछ कुछ अच्छा काम हो रहा है। फिर भी प्रान्त के विस्तार पर ध्यान देना हुआ कान कम ही मालूम होता है। कुछ अंश में संगठन और कुछ अंश में धन के अभाव से इस प्रान्त में मन्तोषजनक काम न हो सका। वहाँ के काम के विकास के लिए कुछ समय पहले वहाँ के खादी-मण्डल की ओर से वहाँ के काम देखने का निमन्त्रण मिला था। उसके अनुसार हम अभी वहाँ काम देखने के लिए गये थे। वहाँ के काम की मौजूदा हालत तथा भविष्य के लिए योजना के संबंध में नीचे लिखी बातें जानने लायक हैं।

इस प्रान्त में खादी-काम के लिए प्रान्तिक समिति की तरफ से हर साल खादी-मण्डल नियुक्त होता है। इस मण्डल के अध्यक्ष डा. मुरारीलाल तथा मंत्री श्री रामस्वरूप गुप्त हैं। पण्डित जवाहरलाल, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन तथा संयुक्त महमूद आदि सभासद हैं, इस मण्डल का दफ्तर कानपुर में है। इसके अधीन अभी दो खादी-मण्डल चल रहे हैं। एक प्रयाग में और दूसरा कानपुर में। प्रयाग के मण्डल में वहाँ की समिति ने (५,०००) से ऊपर रकम लगाई है। इसके अलावा अ० भा० खा० मण्डल ने (५,०००) कर्ज दिये हैं। कानपुर के खादी-मण्डल की पूंजी (२,५००) की है और उसके लिए भी अ० भा० खा० मण्डल ने (२,०००) कर्ज दिये हैं। इन मण्डलों में अभी मासिक बिकरी इस प्रकार होती है—

कानपुर २,४००)

प्रयाग १,३००)

इन मण्डलों के लिए जहाँ तक हो सके अपने ही प्रान्त की कमी खादी करीबने का स्वागत-योग्य नियम रक्खा गया है। इसी प्रान्त में उत्पन्न होनेवाली खादी को प्रोत्साहन मिलता रहता है। इन मण्डलों की मौजूदा हालत से उनके मण्डल तथा नेताओं को सन्तोष नहीं है। इन दोनों शहरों के अलावा प्रान्त के तमाम शहरों में वे मण्डल खोलना चाहते हैं। परन्तु धन के अभाव से वे अपने काम नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए सेठ जमनालालजी ने तथा पण्डित जवाहरलालजी ने कानपुर में कुछ सहायता प्राप्त करने की चेष्टा की थी। उसके फलस्वरूप समस्त भविष्य में कोई योजना हो जाय। अभी तो उनके तथा पं. जवाहरलालजी के प्रयाग से कानपुर के एक प्रसिद्ध अग्रवाल व्यापारी सेठ रामस्वरूप नेत्रदिया ने दूबरे दो तीन व्यापारियों के साथ मिल कर (१०,०००) की पूंजी और एक खादी-मण्डल खोलने की तजवीज की है। और इसके लिए उन्होंने अ० भा० खादी-मण्डल से भी सहायता चाही है। यदि यह योजना सफल हो तो थोड़े समय में कानपुर में खादी के लिए एक अच्छा मण्डल स्थापित हो जायगा। इस योजना के संबंध में बातचीत करते हुए, ऐसा विस्तृत योजना बनाने की बात भी सुझाई गई थी कि जिनसे प्रान्त के दूबरे शहरों में भी मण्डल खोले जा सकें। पर यह तय हुआ कि इस योजना का फल देखने के बाद उसपर विचार करेंगे।

खादी की पदावस्था के संबंध में वहाँ के खादी-मण्डल की ओर से सीधे कोई खास काम नहीं होता। बयुलास में यह काम खादी-संस्थाओं तथा व्यापारियों की माफत होता है। परन्तु खादी-मण्डल के मन्थी इन संस्थाओं इत्यादि के साथ खत-किताबत के द्वारा खादी बिकरी की वहाँ व्यवस्था कर उनके काम से

वाकफ रहते हैं तथा उनकी जरूरतें आदि को जान कर, कपास, रुपया आदि के संबंध में जल्दी सलाह तथा भरसक सहायता मिलाने का प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा वे इस उद्योग के संबंध रखनेवाली तमाम बातों का अध्ययन करते हैं और कानपुर में 'लद्दा' नामक हिंदी-पत्र में लेख आदि के द्वारा ठीक सहायता कर रहे हैं।

बड़े पैमाने पर केवल खादी की ही उत्पत्ति तथा बिकरी आदि का काम करनेवालों में बनारस आश्रम का स्थान सबसे पहला है। इस संस्था के माफत कोई २० विद्यार्थी काम करते हैं। उनमें कितने ही पहले हिन्दू विश्व विद्यालय में बढते थे। परन्तु असहयोग कर के काशी विद्यापीठ में भरती हुए और वहाँ आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में आकर उनही प्रेरणा से उन्होंने खादी काम शुरू किया। इनको इस काम के लिए महासभा की कार्य-समिति की ओर से (१,०००) मिले हैं। इसके अलावा इस संस्था के कार्यकर्ताओं के खर्च के लिए अलहदा इन्तजाम है। इस संस्था की तरफ से सिलहाल तीन जगह काम हो रहा है। एक अकबरपुर (फैजाबाद) दूसरा रानीगंज (बलिया) और तीसरा सैदपुर (बलिया)

अकबरपुर—इस जगह कामनेवालों को कई प्रकार बदले में या रुपया देकर मृत सौगंद दिया जाता है और फिर वर जुलाहों से बुनवाया जाता है। सूत का एक माधारणतः ८ से १२ तक होता है। सूत वहीं के जुलाहों से बुनाया जाता है। इस तरह अभी वे हर माह कोई (१५००) की खादी तैयार कराते हैं। धीरे धीरे बढ़ाकर साल के अन्त में (२५००) तक ले जाना चाहते हैं। खादी की मुनाई में भी पिछले दो सालों में अभि-नन्दनीय परिवर्तन हुआ है। वहाँ के अज्र-का कपडा ठीक मूल्य में बुना जाता है। और बुनाई में भी सुधार होता हुआ दिखाई देता है। यदि वहाँकी पैदावस्था (२५००) तक पहुँच जायगी तो इस स्थान का खर्च इस खादी में ही निकलने लगेगा। सेठ जमनालालजी आचार्य कृपलानी के साथ यहाँ गये थे और उन्हें वहाँ के काम से सन्तोष हुआ था।

रानीगंज और सैदपुर : रानीगंज में काम शुरू हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है। वहाँ अभी वे सूत ही तैयार कराते हैं। प्रति मास (६००) से (८००) का सूत आता होगा। यह सूत सैदपुर भेज कर बुनाया जाता है। रानीगंज में भी कुछ ही है, पर अभी उनके द्वारा बुनवाने की तजवीज न हो पाई है।

अभी पैदा की खादी को बेचने के लिए इस संस्था की ओर से बनारस में एक मण्डल खला हुआ है। उसमें मासिक बिकरी कोई (७००) की होती है। शेषमाल आश्रम के मुख्य केन्द्र बनारस में दूबरे मण्डल तथा व्यापारी आदि ले आते हैं। इस संस्था की तरफ से तैयार हुई खादी के बिकने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

इस संस्था के कार्यकर्ताओं की संस्था देखते हुए उनका काम कम मान्य होना है। पूंजी भी उनके पास काफी है। खादी काम के लिए महासभा की कार्य-समिति की तरफ से सिधे (१५,०००) के अलावा गुजरात प्रान्तिक समिति की ओर से भी (५,०००) कर्ज मिला है। फिर उनके लिए कपास जमा करने की व्यवस्था भी अ० भा० खा० मण्डल ने की है। सो आर्थिक कष्ट उन्हें किसी प्रकार का नहीं है। खोज करने पर उनके काम की कमी का कारण यह मालूम होता है कि जो जगह उन्होंने काम करने के लिए पसंद की है वहाँ बड़े पैमाने पर काम करने की काफी अनुकूलता नहीं है। अकबरपुर में यदि वे अपनी धारणा के अनुसार काम कर सकें तो हर साल (१५,०००) का माल तैयार हो सकता है। रानीगंज में काम शुरू करने के पहले उन्होंने बनारस के

वज्रवीर्य कराता आदि गांधी में काम किया था। परन्तु वहाँ काफी मूल्य के मिर्चों से उन गांधी को छोड़ देना पड़ा। रानीगंज में कोई दो महीने से शुरू हुआ है। वहाँ मूल्य ठीक परिमाण से मिलता हुआ दिखाई देता है। फिर भी मूल्य १०००-१५००) से अधिक काम नहीं आ सकता। अर्थात् साल भर में २००००) की खादी-उत्पत्ति मानी जा सकती है। इस संस्था की पूंजी तथा कार्य-कर्ताओं की शक्ति का विचार करते हुए इससे प्रायः द्वा. काम होना चाहिए। और उनके लिए ऐसी अनुकूल जगह खोज निकालने की जरूरत है जिससे उनकी शक्ति का पूरा उपयोग हो सके। इस सिद्धिके में इस संस्था के विद्यार्थियों के साथ पं० जवाहरलालजी तथा आचार्य कृपलानीजी ने बातचीत की थी। उसके फलस्वरूप विस्तृत रूप में काम करने योग्य अनुकूल स्थान खोज कर वहाँ काम शुरू करने का निर्णय हुआ था। श्री कृपलानीजी के गुजरात विद्यापीठ में आ जाने के बाद विद्यार्थियों को सलाह और सहायता देनेवाला कोई न रह गया था। इससे भी कठिनाइयाँ उपस्थित होती थीं। परन्तु अब पं० जवाहरलालजी ने उन्हें पूरी पूरी सहायता देने का बचन दिया है और विद्यार्थियों ने भी उनकी सहायता से पूरा काम उठा कर उनकी रहनुमाई में ही काम करने का निश्चय किया है। अतएव यह आशा की जा सकती है कि इस साल काम सन्तोषजनक दिखाई देगा।

गांधी-आश्रम के इन स्थानों के अलावा और भी एक-दो जगह खादी का काम ठीक ठीक होता हुआ माहूम हांता है। कासनग स्टोर के मालिक तथा गहोबा में श्री शंकरलाल जैन खादी का काम ठीक मात्रा में कर रहे हैं। ये दोनों महाशय पहले खादी का ही काम करते थे। पर अब वे कुछ समय से खादी के साथ दूसरे कपड़ों का भी काम करते हैं। दोनों से अवरोध किया गया है कि वे दूसरे कपड़े को छोड़कर सिर्फ खादी का ही काम करें। वे इसपर विचार कर रहे हैं। यदि वे इसके अनुकूल निर्णय कर सकें तो उनके द्वारा ठीक मात्रा में खादी तैयार कराई जा सकती है। इन दो जगहों के अतिरिक्त चौरगांव में भी वहाँ की महासभा-समिति के मंत्री के प्रयत्न से खादी बनती है। वहाँ का काम देखने पर यदि ठीक ढंग से चलता माहूम हुआ तो उन्हें उचित सहायता देने की तजवीज हो सकेगी।

युक्त-प्रान्त के खादी-मण्डल की इच्छा है कि वहाँ खादी-उत्पत्ति विशेष मात्रा में करन की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस विषय में भी इस बार कुछ पूछताछ की गई थी। युक्त-प्रान्त के बहुतेरे जिलों में खादी-काम के लिए थोड़ी-बहुत अनुकूलता हुई है। परन्तु इनमें से एक-दो ऐसे स्थान हैं जहाँ विशेष अनुकूलता ही और जहाँ बड़े पैमाने पर खादी-काम हो सके और वहाँ ५०-६० खादी-मण्डल की तरफ से काम शुरू हो तो अच्छा। इस सम्बन्ध में भी चर्चा हुई थी। हुदेलसण्ड का नाम सुझाया गया था और इसलिए बाँदा जा कर वहाँ कुछ पूछताछ की गई थी। उससे इतना तो माहूम हुआ कि इस भाग में खादी ठीक मात्रा में उत्पन्न हो सकती है। परन्तु विशेष न्यारे की आवश्यकता माहूम होने से वहाँके एक सज्जन श्री लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री के साथ गांधी-आश्रम के एक अनुभवी विद्यार्थी श्री राजाराम को वहाँ जा कर खोज करने का भार सौंपा गया है। इसीतरह गोरखपुर में भाटपार रानी तथा उसके आसपास के देहात में भी खादी-काम के लिए कितनी अनुकूलता है इसकी जांच करने का काम वहाँके खादी-प्रेमी श्री महावीरप्रसाद पौडार ने अपने जिम्मे ले लिया है। यदि वहाँ काम शुरू किया जाय तो इन्होंने उचित सहायता देने का भी बचन दिया है। इस जांच के फल-

स्वरूप यदि अनुकूल क्षेत्र मिल जायगा तो वहाँ बड़े पैमाने पर काम करने की तजवीज हो सकेगी।

युक्त-प्रान्त की इस यात्रा में यह आशा थी कि श्री पुष्पोत्तम दास टण्डन तथा पण्डित जवाहरलाल नेहरू दोनों का साथ होगा; परन्तु पुष्पोत्तमदासजी को हिन्दू-महायभा के काम के लिए कलकत्ता जाना था—तो वे हमारे साथ न आ सकें। फिर भी उन्होंने भविष्य में इसके लिए भरमक सहायता देना स्वीकार किया है। पं० जवाहर लाल ता सारे सफर में हमारे साथ रहे और उन्होंने सब तरह से पूरा सहायता दी। खादी-सम्बन्धी उनके प्रभावशाली भाषणों तथा चर्चाओं से ऐसा माहूम हुआ कि वे अन्य राजनैतिक कर्तव्य-सदस्य ही खादी में दिलचस्पी लेते हैं। आगे भी आपने खादी मण्डल को पूरी पूरी सहायता देने का बचन दिया है। इसकी सहायता से अर्थात् है कि संयुक्त-प्रान्त में खादी-काम सन्तोषजनक गति से आगे बढ़ सकेगा।

### मनोरंजक संवाद

गांधीजी जहाँ कहीं जाते हैं लोगों से चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा के प्रधान विषय सिर्फ दो ही होते हैं—अछूतपन और खादी। एक दो स्थानिक विषय भी गटा करते हैं। वहाँ में मौजूब की बात करना है। इन विषय पर लोगों के साथ संभाषण करने की तजवीज की गई था। यहाँकी चर्चा खास तौर पर रंगतरार रही। इसलिए नहीं कि लोग आवेश में आ कर सवाल करते थे; पर इसलिए कि वहाँ उनकी बातें कुछ अजीब और गैरमानुसी थी। एक और कारण भी था। अस्पृश्यता-निवारण-संघर्षी कार्यक्रम पर आपत्ति उठानेवाले लोग अक्सर पुराने कहर रहा करते हैं। यहाँ एक नययुवक थे, काटीमूँछ सुकाचट, मोरपियब लिबास, ऐसा माहूम हांता था, हाल ही मोरप से बौटे हैं। उनकी दलों अनिश्चिन हांती थी और उनसे कुछ नतीजा न निकलता था। इससे सारी बातचीत बड़ी रोचक हो गई।

उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा—

‘अछूतपन के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता?’

‘आपका मतलब साफ समझ में नहीं आता। जरा साफ कीजिए। क्या आपका यह मतलब है कि मैं इस सवाल को हल करने का कोई दूसरा या बेहतर तरीका ढूँढ निकालूँ?’

‘जी हाँ, सही।’

‘आप कोई खास तरीका सुझाना चाहते हैं?’

‘जी हाँ। मेरी राय में मौजूदा मैला उठाने का तरीका मिटा देना चाहिए।’

‘आपका यह अभिप्राय है कि मंगी से यह काम न किया जाय?’

‘जी हाँ।’

‘और हर शकम अपने अपने हार्थों से साफ कर लें। खड़ी न? मैं हमसे बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छा ही हम बेचारे मंगी का पिण्ड इससे छुड़ा दें और सुद करने लग जाय।’

‘जी नहीं, मेरी मन्शा यह नहीं कि ऐसा जबरदस्त रद्दो बदल कर दें। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हू कि उसकी जगह और अच्छा तरीका जारी करें—जैसा कि विलायत में ‘फ्लूश-सिस्टम’ है। नल से पानी मिरा और मैला बह गया। इसीसे तो वहाँ अछूतपन नहीं है।’

इसपर कुछ लोग हसने लगे।

गांधीजी—‘पर भाई मोरप में तो इस सिस्टम के आने के पहले भी अछूतपन न था।’

‘न ही; पर मुझे तो यही सबसे छोटा रास्ता माझम होता है। बस हर नगर, कस्बे और गाँव में प्रश-सिस्टम चला दीजिए।’

‘पर देहात में न तो पैखाने ही हैं और न भगी ही है। फिर भी वहाँ अछूतपन तो मौजूद ही है। डेड (जुलाहा) जिसका संबंध पैखाना उठाने से उतना ही है जितना कि आपका या मेरा है, वहाँ भगी के बराबर ही अछूत माना जाता है। और मैं राम-कृता हूँ कि आपको यह माझम ही होगा कि हाँकि कि देहात में न पैखाने हैं न भगी हैं फिर भी अछूतपन का जोर वहीं सबसे ज्यादा है।’

अब उनके पास कोई जवाब न रह गया। और लोगों के कहफदे में वे भी शामिल हो गये। अबतक तो उन्होंने बातें इस तरह से कीं मानों वे अछूतों के पैरोकार हैं। पर आगे के सवालों ने उनकी कलाई कोल दी।

‘पर क्या आप वह नहीं मानते कि जहाँ अछूतपन इटा कि अछूत लोग रोटी-बेटी-व्यवहार के बंधनों को तोड़ने का जोर मचावेंगे?’

‘मैं नहीं समझता।’

‘पर मैं जरूर ऐसा मानता हूँ। देखिए, मैं इंग्लैंड गया था, वहाँ नई नई आदतें पक गईं, टाट-बाट से रहने लगा। अब घर छोटा तो उन पुरानी आदतों पर नहीं जा सकता। अब कि जरूरतें कम थी और टाट-बाट से रहने की लालसा न थी। अब दिनपर दिन ज्यादा टाट-बाट से रहने की इच्छा होती है।’

‘इसी तरह—?’

‘इसी तरह जहाँ आपने अछूतों को छूतों में शामिल किया नहीं कि उन्होंने आगे पाँव फैलाये नहीं।’

‘फैलाने दो।’ कहते ही लोग थिलथिला कर हँस पड़े।

‘पर इससे गोलमाल न होगा?’

‘बिल्कुल नहीं। वे ज्यादा माँगेंगे, पर आप देंगे नहीं। जिसतरह कि सरकार ने कुछ शासन-सुधार किया।’ अब वह और नहीं बेली क्योंकि वह ज्यादा नहीं देना चाहता।

‘मैं निश्चय के साथ कहता हूँ कि वे रोटी-बेटी व्यवहार के लिए जोर देंगे।’

‘अच्छा तो’ अब गाँधीजी अपनी हँसी का न नेक सके—  
‘अबतक आपकी बारी रही—अब उनकी ही सही।’

तब एक मित्र ने उनसे कहा—‘अच्छा अब आगे कुछ पूछना है? यदि नहीं तो खादी-संबंधी अपनी शक्याएँ ही बुर कर लो।’

‘खादी के मामले में मुझे जग भी शक नया। इयमें गाँधी जी का कहना अकाव्य है।’

आगत लोगों में से एक ने आवाजा कला—‘इसी उगू जाय खादी नहीं पहनते?’

इस तरह उनकी बारी पूरी हुई और अब दूसरे महाशय आगे बढे।

‘इस खादी ने तो देश का नबाह कर डाला है।’

‘कैसे?’

‘हमारी स्त्रियाँ मुनहलीं कितारी और सोने-चाँदी के बेस-बूटे वाली साडियाँ चाहती हैं जो कि (६०-७५) तक पकती हैं।’

‘सो यह तो खादी का कसूर नहीं, आपकी औरतों का, बल्कि नहीं खुद आपका ही कसूर है। उन्हें ऐसी साडी न खरीदिए—बस झगडा मिटा।’

‘नहीं, यह असंभव है। आपने यह चाल चलाई है। वे क्यों लिये बिना मानेंगी? तब उनके कपडे के सएक लचके बिना सूने न रहेंगे? वे कहने को तो खादी की ही साडियाँ हैं पर दर असल रेशमी में भी महंगी है।’ सब लोग बेतहाशा इस पडे और गाँधीजी भी कहकहा लमाने लगे।

उन्होंने कहा—‘क्या यह सच है? क्या धीमती ... .. भी वैसी ही फजूल खच है जैसी कि आप और स्त्रियों को बताते हैं?’

‘ओहो, वह तो मेरी भतीजी है, वह तो अपवाद है।’

‘और धीमती ... ..?’

‘उन्हे भी अपवाद ही समझिए।’

‘मैं आपके यहाँकी ज्यादा स्त्रियों को नहीं जानता। पर मुझे उनसे खुद बातें कर के जानना होगा कि आपका इल्जाम कहाँ तक सही है। पर फर्ज काँजिए कि वे वैशकीमती कपडा चाहती हों तो इससे क्या मुजायफा? उमका रुपया जाता तो आखिर हमारे ही देश के गरीब लोगों के घर न? यदि सूत बहुत महंग होना तो सूतकार को ज्यादा पैसा मिलेगा। और तमाम कलाबत का और रालमे-सितारे का काम बंबई जैसे शहरों की गरीब औरतें करती हैं। हर रालत में वह मिल के कपडे से तो उतना कम ही विवेधा है।’

इससे वे छिड कर बाले—

‘आप वो शेयर-होल्डरों को क्या मुकसान पहुँचाते हैं?’

‘ना, मैं न तो शेयर-होल्डरों को मुकसान पहुँचाता हूँ, न महायता करता हूँ। क्योंकि उन्हे मेरा सहायता दरकार नहीं। मेरा खादी-कार्यक्रम का तो, आप यकीन भानिए, कि मिलों की मौजूदा विषम और विकट स्थिति से कोई तास्तुक नहीं है। हमने मिलों को तो छुआ तक नहीं है। मेरी या महासभा की आवाज तो भिक कुछ लाम लोगों तक ही पहुँचती है और शेष लोग तो मिल का कपडा पहनने के लिए जाजाद है और वे पहनते भी हैं। और सच पूछिए तो कुछ मेरे मिल-मालिक मित्रों ने भी मुझे यह यकान कराया है कि खादी ने मिल के उद्योग को हानि के बदले लाभ पहुँचाया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस आन्दोलन के आशय को समझ लें। मिलों का पायदा पाने वाले शेयर-होल्डर होते हैं। मिलों का कपडा खरीद कर तो आप धनी लोगों की तिजारियाँ भरते हैं। शेयर-होल्डर तो बहुत थोडा भल पाता है और यदातक कि जो शकस उसमें मेहनत-मजदूरी करता है वह भी आपके दिव्य हर चार आने पर एक पाई से ज्यादा नहीं पाता। पर यदि आप खादी खरीदेंगे तो उसका साम रुपया गरीब जुलाहों और कातनेवालों को मिलेगा, नीच के वजालों के हाथ शायद ही कुछ रकम लगती हो। इस तरह हमारी दिन दिन बढनेवाला दाँवइना की समस्या अपने आप हल हो जाती है।’

श्री जयकर का चरखा

पाठकों को यह पढ कर खुशी होगी कि बंबई के बैरिस्टर श्री जयकर नियम-पूर्वक सूत कातने लगे हैं। उन्होंने अपने सूत की दुयरी कित्त मुझे भेजी है और अब एक अच्छा चरखा माँगा है। जमी जो चरखा उनके पास है वह बहुत खराब है। फिर भी वे उपपर नियम-पूर्वक कात रहे हैं। श्री जयकर को मैं सुबारकबादी देता हूँ। उनका यह निश्चय हमेशा के लिए कायम रहे।



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक १८ ]

सुरक-अक्षांक  
वैशिककाल उमानकाल पूर

अहमदाबाद, वैशाख सुदी १४, संवत् १९८२  
गुरुवार, ७ मई, १९२५ ई०

सुरगणेश्वरान-नवजीवन सुरगणेश्वरान,  
वाराणसपुर वरकीपरा की बाड़ी

## अखिल भारतीय गोरक्षिणी सभा

गत १८ मार्च को बंबई—साधवनाग में इस सभा के संघटन को स्वीकार करने के लिए एक भारी सभा हुई थी। श्री रामा-जुजाबाई ने आ कर सभा के प्रांत सहायभूति प्रदर्शित की थी और आशीर्वाद किया था। दूसरे धर्मोपायों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। श्री० लोकतन्त्री काष्ठ तीर पर उपस्थित कवि थे। संघटन को उपस्थित करने हुए श्री० काष्ठ तीर के कवि उपस्थित किया

### सिर पर आ पड़ी

अपनी जिन्दगी में मैंने बहुत से काम अपने सिर लिये हैं; परन्तु मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी काम के अंगीकार करते समय मुझे ऐसा भय और रोमांच हुआ हो जैसा कि आज के काम के लिए हो रहा है। आज तार पर मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं खतरों और जाखनों को सिर कले धिक्कता नहीं हूँ। मैंने अपनी जिन्दगी में ऐसे कई काम भी किये हैं जो भयकर थे। पर गोरक्षा में कठकपन से ही दिलचस्पी रखता हूँ और ३० साल से उसका अध्ययन करता आया हूँ। इसके संबंध में मैंने धारणा-बहुत लिखा भी है। फिर भी मैंने यह नहीं माना कि मैं गोरक्षा के काम में कूद पड़ने की शक्ति रखता हूँ। और आज भी मैं ऐसा नहीं मानता। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं यह काम करना नहीं जानता। जानता तो हूँ; परन्तु यह केवल युद्ध के प्रयोग से नहीं होता। इसके लिए बहुत संघर्ष और तपस्वियों की आवश्यकता है। आज जो संघर्ष और तपस्वियों मेरे पास है उससे अधिक की आवश्यकता इसके लिए है। मैं चाहता हूँ कि वह मुझ में हो। पर बात यह है कि मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मैंने आधुनिक जिन जिन कामों को अंगीकार किया है वे सब बिना मेरे खोजे मेरे सिर आ पड़े हैं। जबसे मैं यहाँ बिकायत से आया तभी से मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ। मैं जानता ही न था कि बिकायत में गोरक्षिणी-परिषद का प्रभावांत मुझे बनना होगा। वहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रेम के अर्पण होकर ही मैंने उसे ग्रहण किया था। उस समय मुझे अपने में भी यह शक न आया था कि स्वामी संस्था जायागी भी मेरे ही मान्य में बसा होगा। परन्तु वहाँके कार्यकर्ताओं ने जो समाज कालों की आवश्यकता का स्वर

था। इसलिए इसमें मुझे सहज ही अंगीकारना पड़ा और कार्य-कारिणी समिति नियुक्त हुई। उसकी प्रेरणा देहली में करवी एकी। वहाँ बहुत-कुछ बर्बादी हुई। बर्बादी के कारण ही मेरे मन में आया कि यह महाभारत काम कहीं अपने सिर पर लेना पड़ेगा। पर मेरे महाभारत मुझे कहीं छोड़ने काके नहीं थे। मैं तो सोच ही यह था—तब मैंने सोचा कि मुझसे जो-कुछ भी-सेवा हो सकती है उतनी कर देनी चाहिए। तो मैंने यह संघटन बनाया और उसे वहाँ उपस्थित नेताओं के सम्मुख उपस्थित किया। इन समस्त नेताओं ने—काकाजी, नालवीवजी, स्वामी भद्रानंदजी, डा. मुंजे, आदि ने उसे पढा और पसन्द किया। उस समय भी मैं हका। मैंने विचार किया कि अभी इतने छोटे लोगों से नहीं, बल्कि देहली में सामाजिक सभा कर के यह संघटन सर्व-साधारण से स्वीकार कराना चाहिए। तो वह देहली की सभा आज यहाँ हो गयी है; क्योंकि इस समय में देहली न जा सकता था और मुझे अपने कार्य के अनुकूल हो कर चलना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं। तमाम अग्रगण्य नेताओं ने इस संघटन को देखा है। यही नहीं, बल्कि नामदेवी में छोटे सभ्यों की काम-बलाक समिति ने भी उसे साधारण पेर-फार के बाद स्वीकार किया है, बहुत विचार-पूर्वक रूप छीनरीन के बाद एक-दो सुधार करके स्वीकार किया है।

### महाभारत काम

आज मैं जिस काम के लिए आयकी सम्मति और सहायता चाहता हूँ वह महाभारत काम है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि स्वभाव का काम इससे बड़क है। क्योंकि यह धार्मिक कार्य है, और यदि धार्मिक भूल हो तो मैं उसे महाभारत मानता हूँ। स्वभाव के काम में मैंने भूलें की, उनके लिए पश्चात्ताप किया, उन्हें सुधार किया और मैं पार हो गया। परन्तु इसमें यदि भूल हो तो उसका सुधार करना होगा। जो-माता की सेवा ऐसी ही बिकट है। डेड को यदि दुःख हो तो वह कह सकता है, प्राण-अवधारण के क्षणों में अवधारण को दुःख हो तो वह कह सकता है, हिन्दू-मुसलमान भी अपना दुःख कह सकते हैं और एक-दूसरे का फिर पीन चले हैं। परन्तु जो-माता तो मृती है, जोखनी नहीं, उसे

जाया नहीं। उसपर जितना बोझ डाल दोगे उतना उठा लेगी, उसे आस्ट्रेलिया भेज दो तो वहाँ चली जायगी, अपने स्वार्थ के लिए हम उसके बच्चों को आरी से गोदे तो वे भी सहमते हैं, धूप में बोझ लाद कर बलावे तो चलते हैं। उसकी सेवा करनी महाभारत काम है। परन्तु यह कार्य-भार मने केवल कर्तव्य-भाव से ग्रहण किया है।

### मेरी शक्ति की मर्यादा

परन्तु इसमें मेरी शक्ति एक मर्यादा रखता है। पहली है व्यावहारिक मर्यादा। मैं इस काम के लिए घर घर जा कर रुपया न ला सकूँगा। मैं वंदा बसूल करना जानता हूँ, जब जब मैंने जन मांगा, भारतवर्ष ने अत्यन्त उदारता से मुझे दिया है। पर इस समय मेरे पास इतना समय और शक्ति नहीं कि घर घर जा सकूँ। इसलिए द्रव्य एकत्र कर के ईमानदारी के साथ उसके विनियोग करने का जिम्मा आपका है। ऐसे धर्म-कार्य में यदि हम असत्य, पाखण्ड, को स्थान देंगे तो यह भयंकर हो जायगा। इस काम बुरा करेंगे तो गाय कहीं हमें नींग मारने न आवेगी। भार इस युग में इस बात की तो किसीको परवा ही नहीं है कि भविष्य में अपने काम का फल हमें क्या भोगना पड़ेगा, भगले जन्म में क्या भोगना पड़ेगा? इसलिए दंभ और पाखण्ड को जितना दूर रख सकें उतना ही रक्षणा। यह सब आपको करना है। यह मेरी मर्यादा है।

### गोरक्षा का अर्थ

बेलगांव वाले अपने मापण में मैंने गो-रक्षा का पूरा अर्थ बताया था। गाय की रक्षा का अर्थ केवल गाय नाम के पशु की रक्षा नहीं, बल्कि जीव-मात्र की, प्राणिमात्र की रक्षा है। प्राणिमात्र में मनुष्य तो आही जाते हैं। गो-गाय की रक्षा के लिए मुसलमानों या अंगरेजों को मारना अधर्म है। जिस जगह में यह कह रहा है उसका मुझे इयाक है, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं सनातनी हिन्दुओं के धर्म रखने का दावा करता हूँ और वह धर्म मुझे सिखाता है कि गाय की बचाने के लिए मैं अंगरेज या मुसलमान का बंध नहीं कर सकता। गोरक्षा का अर्थ है प्राणि मात्र की रक्षा। परन्तु पावर मनुष्य की शक्ति के बाहर की यह बात है कि वह प्राणिमात्र की रक्षा कर सके। इसलिए इस संघटन में केवल स्थूल नाम की ही रक्षा का उद्देश बताया गया है। यदि हम इतना भी कर सके तो बहुत समाधान। और इतना कर चुकने पर तो हम बहुत-कुछ कर लेंगे। 'गधा पिण्डे तथा नद्याण्डे' यह सिद्धान्त व्यवहार में अक्षरशः सत्य है। एक अंगरेज ऋषि ने कहा है—और मैं मानता हूँ कि अंगरेजों में भी ऋषि हुए हैं—कि मनुष्य खुद अपनेको ही पहचान के तो बस है। इसलिए यदि हम विवेक, विचार और बुद्धि तथा हृदय से अपना काम करेंगे तो सफलता हमारे हाथ है। गाय की रक्षा का अर्थ यह नहीं कि हम उन्हें कड़ाई के हाथों से बचावें; बल्कि हम खुद ही जो उसका सहार कर रहे हैं उससे उसे बचावें। गो-रक्षा की सारी कल्पना में इसी बात का विचार रहा है कि हिन्दुओं का स्वयं अपने प्रति क्या कर्तव्य है।

### गोरक्षा का अर्थशास्त्र

यदि हम गो-रक्षा का अर्थशास्त्र समझें तो आज हम जितनी गायों की हत्या होने देते हैं उतनी न होने देते। इस देश में पौ आदमी गाय का औसत जितना कम है उतना दूसरे किसी देश में नहीं। हमारे भारतवर्ष में गाय जितना कम दूध देती है उतना और कहीं की गायें नहीं देती। हमारे यहाँ गाँवें जितनी दुबली-पतली मिलती हैं उतनी और कहीं नहीं। इन बातों में

जरा भी अत्युक्ति नहीं, यह वस्तुस्थिति है। मैं आपके दिल को उभाड़ने के लिए यह बात नहीं कह रहा हूँ। मुझे निश्चय है कि जितना अत्याचार हिन्दुओं के द्वारा होता है उतना दूसरी जगह कहीं नहीं होता। इसलिए उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी भी हिन्दुओं पर ही होनी चाहिए। मैं खिलाफत के संग्राम में जो शरीक हुआ था सो मुसलमानों की सेवा करने के लिए—उनका पाद चुंबन करने के लिए—क्योंकि उनके द्वारा मुझे गाय की रक्षा भी निश्चयपूर्वक करनी है। हमारे देश में गाँवें इस बुरी तरह दुड़ी जाती हैं कि दूध का आखिरी बूँद भी निकल जाना है। इसका फल यह होता है कि तीन साल में ही गाय दूध देना बंद कर देती है और फिर वह कसाई के घर चली जाती है। बौंटे महाराज जैसे कुछ गो-सेवक ऐसी गाय को बचाते हैं, पर यह तो समुद्र को चुल्लू से उलीचने में सन्तोष मानने के बराबर है।

### संघटन की कुंजी

इस संघटन को समझने के लिए आपके सामने दो बातें पेश करता हूँ। पहली तो यह कि हमें दूध पहुंचाने और चमड़े के उद्योग पर पूरा पूरा कब्जा करना चाहिए। यह बात आपको बहुत व्यावहारिक मालूम होगी। परन्तु वह बात धर्म नहीं जिसमें व्यवहार न हो। जनकराजा के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस धर्म को व्यवहार का रूप न दे सकें वह धर्म नहीं, शायद अधर्म ही हो। इसलिए मैं आपके सामने व्यावहारिक रूप में यह धार्मिक प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। दूध निकालने की प्रथा को हमें अपने हाथ में लेना होगा। इसमें कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए इतना ही काफी है कि हम कुछ से छुड़ें ही और दूध देने का प्रस्ताव करें। पर मरे जानवरों का हम क्या करें? उसका चमड़ा उतार कर अच्छा उपयोग करें, आप कहेंगे यह विकामत हो कर आया है, इसलिए ऐसी बातें करता है, पर यह बात नहीं। मेरी इस सूचना में हमारे चमारों की भी रक्षा हो जाती है। हमारे चमार क्या करते हैं? मरे घोड़ों की इस तरह नोक-नाच करते हैं कि हमसे देखा नहीं जाता। चमारों ने ही यह बात मुझसे कही है। और जब कि हमारी जिन्दगी इस तरह नोक-नाच में हो जाती है तब हम स्वामयिक तौर पर उसे खाते हैं, यह उनकी सफाई थी। मैंने उन्हें उस मांस को खाने से मना किया। किसीने कहा पुरानी आदत पक गई है, कैसे छूट सकती है? किसीने कहा, हमारा पेशा छुड़वाए तो वह छूटे। कुछ लोगों ने कहा, छोड़ने की कोशिश करेंगे, पर है मुश्किल। यह सब देख कर मैं समझता हूँ कि चमारखाने का व्यवसाय हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। मैं तो गाय का इस हद तक पूजक हूँ कि जब मैंने दक्षिण आफ्रिका में गुना कि गाय को दुहने में कितनी जबरदस्ती की जाती है सभी से मैंने गाय और भैंस का दूध पीना छोड़ दिया। पर नहीं मैं यह मानता हूँ कि मरे जानवर के चमड़े का उपयोग करना अधर्म नहीं है। आज हमारे यहाँ जीवित गाय का चमड़ा, चरबी और मांस लेनेवाले मौजूद हैं। ऐसे ऐसे वैष्णव मौजूद हैं जो 'बीक टी' (गोमांस की चाय) पीते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप 'जीवन' का 'गोमांस-सत्व' क्यों खाते हैं? तब मैं मुसकै कहते हैं कि विश्वामित्र ने भी गो-मांस खाया था। विश्वामित्र ने तो धर्म-सकट के समय गोमांस सिके अपने हाथ में लिया था, खाया न था। वे डाक्टर की सलाह की बातें करते हैं। आस्ट्रेलिया में अपनी गायें भेज कर हम इन चीजों को खाने लगे हैं। इसके यदि बचना हो तो हमें चमड़े का संग्रह करना, उसे

बनाना सीखना पड़ेगा। वहाँ से हम गोमांस तक बाहर भेजते हैं। गो-मांस को सुखा कर बर्मा भेजते हैं। क्योंकि बरमी लोग गाय का बंध नहीं करते, पर चाते अच्छे हैं। इसलिए मुझे बमार-खाने की बात संघटन में डालनी पड़ी है। हमारे बमारों को जब तक बन्धों को सुधारने की शक्ति-पद्धति हम न सिखायेंगे तब तक वे सुरदार मांस बराबर खाते रहेंगे।

इसके अलावा जो बातें निर्विवाद हैं उनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करता। हमारा तात्कालिक काम है अच्छी दूधशालायें खोली करना। इसमें यदि मुझे वैष्णव महाराजों, रामानुजाचार्य आदि की मदद मिले तो मुसलमानों की मदद तो मेरी जेब में है। (तालिमों) इसमें ताली बजाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज आपकी मदद मेरी जेब में नहीं है।

इस प्रकार मेरा उद्देश्य है—शुद्ध रूप देना, अच्छे चीलों की मार्केट खोली करवाना, और आपको जूते पहनाना। दूधशालाओं के काम में मैं सरकारी कर्मचारियों की भी सहायता लेना चाहता हूँ। क्योंकि इन लोगों के पास इस कार्य में निष्ठात लोग हैं और वे लोग गाय को कष्ट दिये बिना अधिक दूध लेने के तरीके जानते हैं।

समाजजी की जगह मुझे ऐसे आदमी को जरूरत है जो हर कहीं से रुपये ले आये, उसका हिसाब रखे और न हो तो खुर भी अपने घर से लाकर रख दे। सर मुद्रोत्तम दास के साथ मैं बात-चीत कर रहा हूँ। पर जब वे कुचल करे तब सही। मन्त्री भी आवर्ष होना चाहिए। वह ब्रह्मचारी हो। देवी भाषायेँ जानता हो और अंगरेजी का ज्ञाता हो। सब जगह जा कर सबसे मिल सके, बोल सके, ऐसा होना चाहिए। पवित्र काम के लिए पवित्र ब्रह्मचारी की बहुत आवश्यकता है, हाकिम कि आज ऐसा ब्रह्म ब्रह्मचारि मिलना कठिन है। ब्रह्मचारी तो हमारे पास हैं। पर वे रोष करनेवाले हैं, पाँचों इन्द्रियों पर कब्जा रखनेवाले नहीं। हमें तो चाहिए पाँचों इन्द्रियों पर कब्जा रखनेवाले ब्रह्मचारी। यदि ऐसा न मिले तो कोई भी शुद्ध सहाचारी हिन्दू काम दे सकता है। मुझे तो मदद देनेवाले मुसलमान भी हैं। पर उनके नाम मैं नहीं देता; क्योंकि यह काम ही विशेष करके हिन्दुओं का है। इसलिए मैं उनकी सेवा विशेष-रूप से चाहता हूँ।

अन्त में मैं यह कहता हूँ कि यह संस्था प्रेम से बनी हुई है और मैं आशा रखता हूँ कि इसमें किसीके प्रति विरोध तो दूर विरोधाभास भी न होना चाहिए और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हुआ कि वह हमें इस सेवा के करने का बल दे, अपना भाषण समाप्त करता हूँ।”

संघटन पर रायें ली गईं तो ३-४ शकस ने विरोध में हाथ उठाये। हजारों की सम्मति से वह पास हुआ। उसके बाद मौ० चौकतवाली साहब ने मुद्दासिर तकरीर की थी—“ऐसा कोई हिन्दू न होगा जिसके दिल में गो-माता के प्रति प्रेम न हो। हमें उनके पक्षी, उनके भाई बनकर रहना है, इसलिए मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपने भाई के दिल को न दुखाऊँ और गाय के बचाने का कोई रास्ता ढूँढ निकालूँ। हम गाय को माता नहीं मानते। परन्तु पवित्र तो बरकर मानते हैं। इसलिए हमें ऐसी राजनीति प्रवृत्त करनी चाहिए जिससे २४ करोड़ हिन्दुओं के दिल न दुलें। सब पूछिए तो तमाम हिन्दुओं के दुखों का, मुसलमानों के दुःखों का, हिन्दुस्तान के दुःखों का इलाज है स्वराज्य और उसका रास्ता है एकता। आज मुसलमान खिलाफत का दुखवा रोते हैं, हिन्दू गाय का दुखवा रोते हैं; पर मुसलमान न इस्लाम के लिए कुछ करते हैं, न हिन्दू गाय के लिए। ख़ुदा हमें समझ दे, सब है; हिम्मत दे। आज देश में काले बादल छाये हुए हैं, पर खड़ा करने तो, एक साल से ज्यादा वह रंग न चलेगा।”

दिन ऐसा देखेंगे कि जब हिन्दुस्तान में स्वराज्य होगा, इस्लाम आजाद होगा और गाय आजाद होगी।

डा० मुंजे ने कहा—अंगरेजी फौज के लिए जितना गो-मांस इस्तेमाल किया जाता है उसका सौवाँ हिस्सा मुसलमान नहीं इस्तेमाल करते। और गाय को हम मुसलमानों से लडकर नहीं बचा सकते। अपनी गोरक्षा के द्वारा हम उसे अंगरेज और मुसलमान दोनों से बचा सकते हैं।

दूसरे दिन, २९ अप्रैल को, कार्यसमिति की बैठक हुई थी। उसमें श्री रेवाशंकर जयजीवन जवेरी (जवेरीबाजार, बंबई) काम-चलाऊ सजांची और श्री नगीनदास अमलखराय (३० इन्डियन बिल्डिंग, होमजी स्ट्रीट, सरकम रोड, बंबई) कामचलाऊ सजांची चुने गये। समस्त सभ्योंने संघटन की क से तीन मास के अंदर कुछ कुछ राक्षस बनाने के धन भी दिये थे।

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देसाई

‘दुखी दिल से’

एक काठियावाड़ी लिखते हैं—

“आपने फिर काठियावाड़ में रुपया मंगाने की शुरुआत की है। पर आज शायद यह न जानते होंगे कि आपको ये रुपये लोग किस भाव से देते हैं। गरमा-धरमी और दुखी दिल से लोग रुपया देते हैं। आप एफही—व्यापारी-वर्ग को फुसला कर रुपया लेते हैं और वह भी आपकी इच्छा के अनुसार गरीबों में नहीं बाँटे जाते। यदि ऐसा होता तो फिर ७५-८०) मासिक सेवा करनेवाले ले सकते हैं?”

मैं कैसे समझूँ कि जो शकस हंसी-मुर्खा से रुपया देता है और औरों से दिखता है वह दुखी दिल से देता है? लेखक को सब के दिल की खबर कैसे पड़ी? व्यापारी-वर्ग को फुसलाने की बात ही क्या है? यदि उनसे रुपया न मिले और न लिया जाय तो फिर किससे मिले? देश की आर्थिक स्थिति यदि व्यापारी-वर्ग के हाथों न सुधरे तो फिर किस के हाथों सुधरेगी? भले व्यापारी इस बात को कुचल करते हैं कि देश की स्थिति व्यापारियों के हाथों बिगड़ी है। और इसलिए कुछ लोग तो प्रायश्चित्त का तार पर भी रुपया देते हैं। फिर सारी का गरीबों में प्रचार करने का प्रयोग तो अभी होनेवाला है। फिर यह कैसे कह सकते हैं कि गरीबों में रुपया नहीं फैलता? परिवर्त के सूत्र-संचालक निस्वार्थ आदमी है। यह मेरा निश्चित मत है। मैं मानता हूँ कि उनके हाथों तथा उनकी निगरानी में जो देन-लेन होगा वह ध्यानपूर्वक और इमानदारी के साथ ही होगा। ये जान-बूझ कर भूल तो कभी करेंगे ही नहीं। फिर ‘यदि ऐसा होता तो कहीं ७५-८०) मासिक सेवा करनेवाले ले सकते हैं?’ इसका गरीबों में धन का उपयोग होना है या नहीं, इससे कोई संबंध नहीं। लाखों रुपयों का देन-लेन यदि बैतनिक आदमी करे तो क्या आश्चर्य है? इसके अलावा सेवा करने वाले को ७५) काठियावाड़ में मिलते हैं या कितने इसकी खबर मुझे नहीं। हाँ, मैं यह जानता हूँ कि कहीं कहीं सेवकों को इतने रुपये दिये जाते हैं। तो उनका द्वेष किरा लिए? सेवक धनवान् नहीं होते। जो अपना सारा समय लोक-कार्य में देता है उसे धन लेने का अधिकार है। हाँ, पूछा कि नहीं सवाल जा सकता है कि जो मिलता है कि उतनी उसकी जरूरत है या नहीं? वही शकस दूसरी जगह इतना पा सकता है या नहीं? और अन्त को वह इमानदार है या नहीं और लोगों को उसकी सेवा की जरूरत है या नहीं? इन सबका जवाब सन्तोषजनक हो तो सेवा करनेवाले को दरमाह ७५) मिलता है, यह उसका गुनाह नहीं है। देश को तो हजारों सेवक दरकार होंगे।

# हिन्दी-नवजावन

गुजरा. वैशाख सुदी १४, संवत् १९८२

## प्रत्यक्ष प्रमाण

कलकत्ते आते हुए यह लेख लिख रहा हूँ। यह यात्रा पग, खानी कर्नाटी ही है। जेल से छूटने के बाद पहल ही बार मैं अन्धकार से गुजरा हूँ। लोग हर स्टेशन पर हम तरफ भीक करते थे कि परेशानी होगी थी। थके-मोटे आदमी के लिए आराम मिलना मुश्किल था। खादी का पारंगान रूक दिखाई देता था। बहुत थोड़ी खादी टोपियों के अलावा मुझे हर जगह प्रायः हर सिर पर विदेशी काली टोपियां दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर विश्व उद्विग्न हो जाता है। एक मित्र ने बड़े दुःख के साथ मुझसे कहा कि हजार में मुश्किल से एक आदमी होगा जो खादी का खादी हो। हम बात का प्रत्यक्ष दृश्य में रहते भर देख रहा हूँ। हजार में भी उन एक खादी पटनमेवाले को धन्य है जो कि समान विभिन्न बाधाओं के मुकाबले में भी अपने विश्वास पर खड़े रहे हैं। खादी के प्रति यह विरोह यदि नहीं तो उदासीनता अवश्य है। इसे देखकर खादी के प्रति मेरी श्रद्धा तो और भी बढ़ती जाती है।

नागपुर में तो इस दुखदायी सत्य का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया। वह वही नागपुर है जिसने कलकत्ते के असहयोग प्रस्ताव को पुनः मान्य रक्खा था। यह प्रान्त का केन्द्र है। रेशन पर बड़ी भीड़ थी। महासभा के अधिकारियों ने तो स्टेशन के बाहर एक सभा का भी आयोजन किया था। धूप खूब कड़ी थी। कोलाहल भबंकर था। किसीका शब्द किसीके कान पर न पडता था, और न कोई किसीकी सुनता ही था। स्वयंसेवक तो थे, परन्तु निग्रम-निष्ठा या बत न था। मेरे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रक्खा गया था। मैंने जोर देकर कहा-यदि हम आध घण्टे में जबतक ट्रेन नहीं है, मुझे सभा-स्थान तक पहुंचाना हा तो रास्ता बनाओ। रास्ता मुश्किल से बनाया गया। मैं किसी तरह, बहुत संभलते हुए, उसमें से गुजरा। समा-मन पर पहुंचने में पांच मिनिट लगे। यदि चारों ओर यह भीड़-भ्रमण न होता तो मैं आधे मिनिट में पहुंच जाता। अपना पैगाम सुनाने में मुझे एक मिनिट से ज्यादा न लगा। जाने में जाने से भी ज्यादा समय लगा; क्योंकि अब तो हजारों लोग मनबाड़े-से हो गये थे। प्रेम की उन्मत्तता अब अपना पूरा बल प्रकट कर रही थी। '—की जय' के शोर ने आकाश भर उठा था। उस कोलाहल और धूल को सह सकने लायक मेरी हालत न रही थी। मेरा दम घुट रहा था। मेरे हृदय से भीतर ही भीतर उस अगतिशयता के प्रति यह प्रार्थना निकल रही थी-भगवन, इस क्रम से मुझे मुक्त कर। मैं सही-सलामत देना पर पहुंचा। देरी लगी हो रही थी कि तबीयत सुसलामती थी। मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा रहा-इस आशा और इच्छा से कि यदि लोग एक क्षण के लिए धूल-गण्डा रद्द कर दें तो मैं उनसे कुछ बातचीत करूं। महासभा के अधिकारियों ने कोशिश की, एक डोल-डोलवाले अकाली ने भीड़ को चुप करने की कोशिश की। पर सब व्यर्थ हुआ। वे मेरा व्याख्यान सुनने न आये थे। वे मेरा दर्शन करने आये थे। और उसे मैं बड़े स्वाद और आनन्द के साथ प्राप्त कर रहे थे, पर उनका दर्शन मेरी व्यथा थी। जवाब पर

नो मेरा नाम और सिर पर काली टोपियां। कैसा भीषण विरोध? कितनी असत्यता! उस भीड़ को साथ लेकर मैं स्वराज्य की लड़ाई न लड़ सका होता। फिर भी, मैं जानता हूँ कि मौलाना शौकतअली कहेंगे-जबतक यह प्रेम आपके लिए है तबतक आशा है-मैं ही यह प्रेम अन्धा हूँ। मुझे ऐसा यकीन नहीं है और इसलिए मेरा हृदय वेदना से भरा हुआ था।

आखिरकार लोग मेरी बात सुनने को तैयार हुए। मैंने काली टोपियां उतार देने को कहा। लोगों ने इसका उत्तर दिया तो तुरन्त पर बह उदार न था। उस उतने बड़े विचारक जवा-समुदाय में से, मैं नहीं समझता कि, १०० से अधिक लोगों ने अपनी टोपियां फेंकी होंगी। उनमें से चार उनके मालिकों ने नहीं फेंकी थी। उन्होंने वापस वाही और वे टें दी गई। इस दृश्य से दो शिक्षाये मिली—यदि संगठन ठीक ठीक हो तो लोगों से विदेशी का मिल का रूपका छुड़वाया जा सकता है। दूसरा यह कि, ऐसे लोग भी बहां थे जो अब भी आरों की टोपियां निकाल कर फेंकते हैं। इस कारवाये में दबाव का भीयोगेश ही समझना चाहिए। लेकिन और बातों की तरह खादी में भी जरा भी दबाव से काम न लेना चाहिए। जो लोग उन्हें पहनते हैं वे खुद ही उन्हें या तो स्वेच्छा से फेंके, या मुत्तक नहीं।

परन्तु स्थिति पर सबसे अधिक प्रकाश डालनेवाली बातें तो मुझे कुछ कागजात से मालूम हुईं जो कि मुझे वहां के कामकाजी अधिकारियों ने दिये थे। वे कागज वहां के महासभा के कार्य की सभी सीधी और बिना रंगी कहानी कहते हैं। एक कागज में प्रा० सं० के कामों की लखरे हैं। पिछले मार्च में उसके सदस्यों की संख्या २-४ थी; जिनमें से ११४ स्वयं कातनेवाले थे और ९० ने आरों का कता सून दिया था। अप्रैल में सदस्यों की संख्या घटकर १३२ तक पहुंच गई जिनमें स्वयं कातनेवाले ८० और दूसरे ५२ रह गये। इस तरह एक ही माह में दोनों प्रकार के लोगों में इतनी कमी हो गई। अब देखना चाहिए आगे क्या होता है! समिति की रिपोर्ट है कि प्रान्त में ४ राष्ट्रीय-पाठशाळाएँ हैं और ५,०००) का खान स्व० इरिडोर व्यास के दृष्टियों की ओर से अछूतों के लिए मिला है। अछूतोंद्वारा के लिए एक योजना तैयार करने के लिए एक उप-समिति बनाई गई है। कागज में पण्डित मोतीलाल नेहरू और मौ० अबुल कलाम आजाद को धन्यवाद दिया गया है कि उनकी कोशिशों से अब वहां 'हिन्द-सुसम्मान बहुत शान्ति और मिलाप के साथ रहते हैं।

दूसरे कागज में नागपुर नगर महासभा-समिति के कामों का खोरा है। उसमें लिखा है कि अगस्त १९२४ में १,१२३ सदस्य थे। मार्च १९२५ में संख्या हम प्रकार थी—

अ	ब	कुल
२५	७०	१००

अप्रैल में इतनी रह गई—

२९	३०	५९
----	----	----

जिसे एक ही महीने में नग करनेवालों की संख्या ४८ रही। वद वरतों की संख्या 'कोई' ४० है। सून कोई ६०-७० हजार तक हर माह निकलता है। सून का अंक कोई १०-१४ होगा। हाथ-कते सून का इस्तेमाल एक भी करवा नहीं करता।

एक खादी-भण्डार है (समें कोई २-०) की खादी प्रति मास बिकती है।

धोरे में लिखा है कि 'अफीम और धारण के बारे में कोई बात नहीं बताई जा सकती।' और फिर इस अधाधारण संज्ञित और सचे विचार का अन्त इस प्रकार होता है—



“पूर्वोक्त अर्थों से कताई-मताधिकार का भविष्य अच्छी तरह माहूम हो जाता है। कुछ कातनेवाले सदस्य अधिकांश में अपरि-  
वर्तनवादी हैं। ‘ब’ भेगी के सदस्य अधिकांश में स्वराज्य-इल  
के हैं। एक भी स्वराजी स्वयं सूत नहीं कातता है। इस नगर में  
महासमिति के ५ सदस्यों में सिर्फ १ स्वयं कातते हैं; एक ने खरीदा सूत  
नियम-पूर्वक भेजा है; दो ने नागा किये हैं और एक ने मार्च का  
भी सूत नहीं दिया है और इसलिए महामभा के सदस्य नहीं है। कुछ  
प्रान्तीय समितियों के सदस्यों ने भी भाग लिया है उनमें से कुछ तो  
प्रान्तीय समिति में जिम्मेवारी के पदों पर हैं। इससे जाना जायगा  
कि यह मताधिकार कर्तात्मक बल सकेगा। अपरिवर्तन-वादियों की  
संख्या, जिनकी कि भ्रष्टा कसाई और खादी पर है, दिन पर दिन  
कम हो रही है और वह इन गिने रह गये हैं। नागपुर के स्वराजी  
तो इस मताधिकार को फेंक देने के लिए उत्सुक है और यही  
हाक स्वतन्त्र दल का है जिसके कि हाथ में इन दिनों प्रान्तिक  
समिति है।

← आशा की कारण—आम तौरपर लोग उन लोगों को प्रेम  
और आदर की निगाह से देखते हैं जो नियमपूर्वक कातते हैं और  
जिन्होंने महामभा के काम के लिए अपने सारे भविष्य को छोड़  
दिया है।

**काम की दिशा के कुछ कारण—**

(अ) मताधिकार में विश्वास रखनेवाले कार्यकर्ताओं में संगठन  
का अभाव

(आ) बड़े बड़े महामभा के नेताओं के दिल में इस मता-  
धिकार के प्रति सहायभूति का अभाव और मताधिकार के प्रवर्तक  
तमाम विघ्न-बाधाओं के रहते हुए भी मताधिकार पर अटल  
रहने का मुकदमा का काम। यद्यपि कि अपरिवर्तनवादी भी इस  
बात को मानने लगे हैं कि यह मताधिकार भी आगामी महामभा  
में बदल ही दिया जायेगा है और इससे उनका धारज-पूर्वक  
और फलदायी काम करने का तमाम उत्साह नष्ट हो गया है।

खिलाफ प्रचार—अधिकांश महामभा के तथा दूसरे सार्व-  
जनिक कार्यकर्ता इस मताधिकार के दोष बताते रहते हैं और  
अन्यान्य बातों पर जोर देते रहते हैं और बड़ी सावधानी से उनके  
पक्ष में कुछ कहने से बचते रहते हैं। और उनके खिलाफ कुछ  
कहा-सुना नहीं जा सकता। हम जानें कि बाद-विवाद छिडेगा  
जिससे बाहुमण्डल विघ्न जायगा और जिसमें कि महामभा गांधी  
की तरफ से समर्थन मिलने की कोई आशा नहीं।

सुझे इसमें एक मुख्यम फटकार बताई गई है—कहा गया है  
‘कि हर तरह की विघ्न-बाधाओं के रहते हुए इस मताधिकार को  
कायम रखने का मुकदमा मुझमें नहीं है।’ पर इस रिपोर्ट के  
रिवायिता से मैं कहता हूँ कि मैं अपने लिए तो इस मताधिकार  
पर हर हालत में कायम रहूंगा। पर यदि मेरे अन्दर प्रजासत्ता के  
भावों की एक खिन्ना भी होगी तो मैं महामभा के लिए उसे  
कायम नहीं रख सकता। वह काम है महामभा के सदस्यों का।  
उसकी जिम्मेवारी संयुक्त और अलग अलग दोनों चाहिए। पर  
जो लोग इस मताधिकार के—रामू के लिए चरखा कातने के  
कार्यक हैं वे ठण्डे और उदासीन लोगों के मुकाबले में और ज्यादा  
क्यों हठ नहीं रहते? और फर्क कीजिए कि महामभा अगले साल  
इस मताधिकार को बदल नी दे, तो उसमें विश्वास रखनेवाले  
कोय क्या करेंगे? क्या वे चरखा कातना छोड़ देंगे? या वे खुद  
अपने लिए तो कातेंहीगे पर दूसरे के लिए भी कातेंगे?

हां, रिपोर्ट के लेखकों का यह कहना ठीक है कि मैं उस  
काम के लिए चरखा कातना न करता ‘जिससे कि बुरा बाहु-

मण्डल पैदा हो।’ पर यदि कोई ठण्डा या उदासीन है, तो  
इसका उपाय यह नहीं है कि उसके खिलाफ या उसके सबध में  
कुछ कहे या लिखें, बल्कि यह कि हम अपने समते चले जायं और  
जिस बात को हम मानते हैं उसका संगठन करें। जो लोग कताई  
को मानते हैं उन्हें उसका संगठन करने से कौन रोक सकता है?  
रिपोर्ट के लेखकों को मैं प्रताये देता हूँ कि देश में ऐसे सामोस  
काम करनेवाले पैदा हो गये हैं जो कारगर तौर पर बिना आडंबर  
के खादी और चरखे का पैगाम देश में फैला रहे हैं।

अभी दो और कामजों का जिक्र करना बाकी है जो कि  
भागपुर में सुझे दिये गये थे। तीसरा कामज है तिलक विद्यालय  
की रिपोर्ट। यह सन् १९२१ में १००० विद्यार्थियों और ८०  
से ऊपर शिक्षकों को ले कर खड़ी हुई थी। यह भारी संख्या  
कर १९२३-२४ में १५० रह गई। जुलाई १९२४ में वह ५५  
तक पहुंच गई। अब वह ८५ है और उसमें ८ शिक्षक हैं।  
कताई निकाल दी गई थी, अब वह फिर जारी की गई है।  
बड़ईसीरी, जिन्द बंधाई, मिलाई आदि सिखाई जाता है। मासिक  
खर्च ३५५) है। आमदनी पीस को मिला कर १८०) है। स्व.  
हरिशकर व्यास बैतूल की सम्मान से दान के रूप में उसे ५,०००)  
मानों आकाश से टपक पड़े थे।

कहने हैं उसमें धार्मिक और शारीरिक शिक्षा भी दी  
जाती है।

अपने शास्त्रीय विभाग के लिए (१०००) बतौर पूंजी के और  
पाठशाला को छः साल तक चलाने के लिए (१०,०००)  
उधे चाहिए।

इस विद्यालय के भाग्य की गथा बिली ही है जैसी कि देश के  
प्रायः और राष्ट्रीय विद्यालयों की है। विघ्न पड़ने से यद्यपि  
क्या अनुत्साह बढानेवाली मालूम होती है फिर भी हतोत्साह  
होने का कोई कारण नहीं है। यदि शिक्षक लोग निष्कामी, सुयोग्य  
और आत्मत्यागी हैं तो वे अपनी छोटी-सी संस्था को राष्ट्रीय  
दृष्टि से उगायेंगी और कारगर बना सकते हैं। संस्था की कोई  
कीमत नहीं यदि वह आवश्यक शर्तों को पूरा न करती हो।  
जो कुछ हो, यदि नागपुर तिलक-विद्यालय के शिक्षकों के अन्दर  
निष्काम-शक्ति है तो वे महामभा का शर्तों का पालन कर सकते  
हैं और मैं समझता हूँ कि उसे आर्थिक सहायता की कमी न  
रहेगी। मैं ऐसी स्थिति संस्था को नहीं जानता जो पन के अभाव  
में टूटी हो। मैं ऐसी कितनी ही संस्थाओं को जानता हूँ जो  
शिक्षकों के अंदर आवश्यक गुणों के अभाव से भंग गई हैं।

मैंने अत्यन्त आशापूर्ण कामज का तो अभी जिक्र ही नहीं  
किया है। यह उन लोगों का नामावलि है जिन्होंने सुझे भेद  
करने के लिए सूत काता है। यह सदस्यता के चंटे के सूत के  
अवकाश था। उसमें ४१ नाम हैं जिनमें २ संस्थाओं के हैं।  
इसलिए ११ से अधिक व्यक्ति बताने वाले हैं। उसमें गारबाड़ी  
भी है, महाराष्ट्र भी है। ४ पारसी भी हैं। एक मुसलमान और  
४ सिखा हैं। नामावलि में सूत का अंक, बज्रन, गज सब  
दिया गया है। कुल सूत ती लबाई ७५,३९७४ गज है, अंक  
९५ से ६ तक है। सूत की जाँच अभी मैंने नहीं की है; पर  
यदि यह सारा बुनने लायक है, तो यह इतना है कि जिसपर  
माज हो सके। और यदि वे तमाम सदस्य चरखे पर सजीब  
थड़ा रखते हों तो सुझे उचित समय में सफलता से निगाह होने  
का कोई कारण नहीं।

( बं. इं. )

मोहनदास करमचन्द गांधी

## फिर और

उन क्रान्तिकारी महापुरुषों ने फिर पत्र लिखा है। पर जब की मुझे कहना होगा कि इनके मजमून में पहले की तरह उन्होंने धीरज से काम नहीं लिया। उसमें उन्होंने बहुत-सी असम्बद्ध बातें लिख डाली हैं और अपनी दलीलों में अकारण विस्तार से काम लिया है। जहाँसक मैं देखता हूँ उनकी दलीलों का खजाना खूट गया है और कोई नई बात कहने की नहीं रह गई है। पर यदि वे फिर लिखना चाहे तो बेहतर हो कि वे अपने पत्र की और भी सावधानी के साथ लिखें और विचारों को छान डालें। अब की उनका यह काम मैंने किया है। पर वे तो प्रकाश पाने के उत्सुक हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे मेरे लेखों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। फिर वे शान्त चित्त से उनपर विचार करें और तब साफ तौर पर और संक्षेप में लिखें। यदि वे सिर्फ प्रथम ही पृष्ठना चाहते हैं तो सिर्फ प्रथम ही लिख कर भेज दें—दलील देने या मुझे उनका कायल करने की कोशिश न करें। क्रान्तिकारी-हलचल के संबंध में मैं सब कुछ जानने की चीज नहीं हाँकता; पर उसके संबंध में मुझे बहुत-कुछ विचार और निरीक्षण करना तथा लिखना पडा है। अतएव मेरे लिए पत्र-लेखक के पास नई बातें बहुत ही कम हो सकती हैं। अतएव जहाँ कि मैं उनकी बात पर मुझे दिल से विचार करूँगा तहाँ मैं उनसे यह भी अनुरोध करूँगा कि कृपया राष्ट्र के एक कार्यव्यस्त सेवक को और क्रान्तिकारियों के एक सच्चे मित्र को उन सब बातों के पढ़ने के परिश्रम से बचाएँ, जिनके पढ़ने की जरूरत उसके लिए नहीं है। हाँ, मैं क्रान्तिकारियों की बातों से वाकफ रहने के लिए जरूर उत्सुक हूँ और यह मैं इन्हीं पत्रों के द्वारा ही कर सकता हूँ। उनके लिए मेरे हृदय के एक मुलायम कोने में जगह है; क्योंकि उनके और मेरे बीच एक चीज सामान्य है और वह है बाल-सहन की क्षमता। पर चूंकि मैं उन्हें बड़ी नज़रता के साथ गलती पर तथा गुमराह मान रहा हूँ, मेरी अभिरूपा है कि मैं उन्हें उनकी गलती से धुलाऊँ या ऐसा करते हुए खुद अपनी गलती को ठुस्त करूँ।

मेरे क्रान्तिकारी मित्र का पहला पत्र है—

“क्रान्तिकारियों ने देश की प्रगति को पीछे हटा दिया है। आपने खुद ही बंग-भंग के सिक्किम में लिखा था—‘बंग-भंग के बाद लोगों ने देखा कि हमारा प्रार्थना के पीछे बल भी होना चाहिए और हमें कष्ट-सहन की क्षमता होनी चाहिए। इसी भावकां बंग-भंग का मुख्य फल समझना चाहिए। × × × जिस बात को लोग कांपते हुए और चुपके चुपके कहते थे उसीको वे खुले आम लिखने लगे। × × अंगरेजों का मुँह देखते ही लोग भागते थे, तो यह भय लोगों को न रह गया। वे किसी गोलमाल या जल जान से भी न डरने लगे। ‘देश के कुछ सर्वोत्तम पुत्र’ आज देश के बाहर निकले हुए हैं।” वह आन्दोलन क्रान्तिकारी आन्दोलन ही था और वे ‘सर्वोत्तम पुत्र’ अधिकांश में क्रान्तिकारी या अर्ध-क्रान्तिकारी थे। तब कैसे ये अज्ञान और गुमराह लोग देश की नीरुता कम कर पाये? क्या इसलिए कि क्रान्तिकारी आपके विचित्र अहिंसा-सिद्धान्त को नहीं समझ पाते, आप उन्हें अज्ञान कहेंगे?

हिन्द-स्वराज्य में प्रदर्शित विचारों में जिन्हें कि लेखक ने उद्धृत किया है तथा मेरे अब प्रकाशित इन विचारों में कोई भेद नहीं है। जिन लोगों ने बंग-भंग का आन्दोलन उठाया था, फिर वे कोई ही और कैसे ही हों, निरसन्देह अंगरेज लोगों के बुरे का अगा दिवा था। यह देश की स्पष्ट सेवा थी। परन्तु बारता और

आत्मस्याग को किसीका संहार करने की जरूरत नहीं रहती। क्रान्तिकारी महापुरुष यह रक्ते कि हिन्द-स्वराज्य लिखा गया था एक क्रान्तिकारी की ही दलीलों और साधनों के जवाब में। यह पुस्तक इस अभिप्राय से लिखी गई थी कि क्रान्तिकारियों को उस चीज से जो उनके पास है अगणित भेद चीज दी जाय, जिसमें उनकी तमाम वीरता और आत्म-स्याग के भाव भी हैं। मैं क्रान्तिकारियों को केवल इसलिए अज्ञान नहीं कहता कि वे मेरे साधनों को नहीं समझते या उनकी कदर नहीं करते; पर इसलिए कि वे तो मुझे बुद्ध-कला के ज्ञाता भी नहीं मानते। जिन जिन वीरों का उल्लेख उन्होंने किया है वे बुद्ध-कला का ज्ञान रखते थे और उनके पास अपने आदर्शों भी थे।

दूसरा पत्र यह है—

जब कि टैरेन्स मैक्लिन्नी ने ५१ उपवास कर के प्राण छोड़ दिने तब क्या वह निर्दोष और साफ-पाक था? वह अवीरताक गुप्त पंडितों, लूणों और भय-प्रदर्शन का दाम्नी रहा और अपनी प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘स्वतन्त्रता के सिद्धान्त’ में लिखित विचारों का प्रतिपादन करता रहा। यदि आप मैक्लिन्नी को निर्दोष और साफपाक कह सकते हैं तो क्या गोपीबंशदास साहा के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग करने को तैयार होंगे?

खेद है कि मैं मैक्लिन्नी का जीवन-चरित इतना नहीं जानता कि कोई राय दे सकूँ। पर यदि उसने गुप्त पंडितों, लूण और भय प्रदर्शन की हिमायत की हो तो उसके साधनों पर भी बड़ी आक्षेप किये जा सकते हैं जो कि इन पृष्ठों में किये गये हैं। मैंने उन्हें कभी निर्दोष और साफ-पाक नहीं माना है। जब उसके उपवास की बात प्रकाशित हुई थी तभी मैंने उसपर अपनी यह राय दी थी कि मेरी दृष्टि से उसकी यह गलती था। मैं हर प्रकार के उपवास का समर्थन नहीं करता।

तीसरा सवाल यों है—

आप वर्ण-व्यवस्था को मानते हैं। इसलिए यह स्वयंसिद्ध है कि आप क्षत्रियों को भी अन्य वर्णों की ही तरह उपयोगी मानते हैं। इस निःक्षत्रिय युग में, भारत वर्ष में, क्रान्तिकारी लोग अपने को क्षत्रिय कहलाने का दावा करते हैं। ‘क्षत्रात् प्रायते इति क्षत्रियः’ में भारत को आज बड़े से बड़े क्षत्र की अवस्था में देखता हूँ और इसलिए आज देश को क्षत्रियों की असंख्य आवश्यकता है। मनु ने क्षत्रियों के लिए चार साधनों की व्यवस्था की है—साम, दान, बण्ड, मेद। इस सिक्किम में मैं स्वामी विवेकानन्द के ग्रन्थ से कुछ बचन उद्धृत करता हूँ—“तमाम महान आचार्यों ने कहा है ‘न पापे प्रतिपादः स्यात्,’ शिक्षा दी है कि अप्रतिहार सर्वोच्च नैतिक आदर्श है। हम सब जानते हैं कि यदि संसार की वर्तमान अवस्था में लोग इस सिद्धान्त का पालन करने लगे, तो समाज का विनाश हो जायगा, हिंस्र और दुरात्मा लोग हमारे धन-जन और प्राणको हरण कर लेंगे, देश तहस-तहस हो जायगा।” उसीके आगे वे कहते हैं—आपमें से कुछ लोगों ने तो गीता को पढा होगा और (पश्चिम के) बहुतों को पढ़े अभाव में यह देख कर ताज्जुब हुआ होगा कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को, जब कि वह अपने प्रति क्षत्रियों में अपने आत्मा और सर्वोच्चों की देखता है और अप्रतिहार को एक प्रेम का सर्वोच्च आदर्श बताकर मोह को प्राप्त हो जाता है और बुद्ध से इन्कार कर देता है तब उसे पाखण्डी और भीरु कहा है। इससे हम एक बड़ी शिक्षा ले सकते हैं—तमाम बातों में दोनों सिरे एक ही होते हैं; आत्यन्तिक भाव और आत्यन्तिक अभाव दोनों हमेशा एक-साँ होते हैं; जब कि

प्रकाश की छत्रे बहुत मंद होती हैं तब हम उन्हें नहीं देख सकते और जब वे बहुत तेज होती हैं तब भी हम नहीं देख सकते। यही बात शब्द पर बटती है। जब वह बहुत धीमा होता है तब भी हम उसे नहीं सुन सकते और जब बहुत ऊँचा होता है तब भी नहीं सुन सकते। इसी तरह प्रकृति प्रतिकार और अप्रतिकार का शेष-कल है। × × × सबसे पहले हमें इस बात की चिन्ता करनी चाहिए कि हमारे पास प्रतिकार की शक्ति है भी या नहीं। पर जब कि वह हमारे पास हो और फिर हम उसका प्रयोग न करें तो वह हमारा काम प्रेम का काम होगा; परन्तु यदि हम मुकाबला नहीं कर सकते और फिर भी हम वह विखाने या अपनेतरफ़ मान लें कि हम तो उच्च प्रेम-भाव से प्रेरित होने हैं, तो हम नीति की दृष्टि से जो बात श्रेष्ठ है उसके ठीक विपरीत आचरण करेंगे। अर्जुन अपने सामने सबल सेना को देखकर डर गया, उसके 'प्रेम' ने उसके देश और राजा के प्रति उसके कर्तव्य को भुला दिया। इसीलिए श्रीकृष्ण ने उसे पाखण्डी कहा—'अशोच्या मन्वशोवस्त्वं प्रहावादांश्च भावसे। इसीलिए उद्यो और युद्ध करो।' अब सिवा कुछ प्रश्नों के मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। क्या आप समझते हैं कि आपके वे पूरे पके शान्तिमय कहलाने वाले शिष्य इस विदेशी नीकरशाही का मुकाबला शरीर-बल के द्वारा कर सकते हैं? यदि हाँ, तो किस तरह? यदि नहीं तो फिर आपकी यह अहिंसा सबल का शब्द किस तरह है? इन प्रश्नों का असंदिग्ध उत्तर दीजिए जिससे कि कोई उसका जुदा अर्थ न लगा पायें।

इसके साथ ही मैं इसने प्रथम और आपसे पूछ लेना हूँ, क्या आपके स्वराज्य में सेना का स्थान है? क्या आपकी स्वराज्य-सरकार कोब रखेगी? यदि हाँ, तो क्या वह लड़ेगी, या वह अपने प्रति-पक्षी के मुकाबले में सरयाग्रह करेगी?

हाँ, मेरे जीवन-सिद्धान्तों में क्षत्रियों के लिए जरूर स्थान है पर मैंने उनका लक्षण गीता से प्राप्त किया है। जो समर से अर्थात् कतरे से पलायन नहीं करता वह क्षत्रिय है। ज्यों ज्यों संसार प्रगति करता जाता है त्यों त्यों पुराने शब्द नया मूल्य ग्रहण करते जाते हैं। मनु तथा अन्य स्मृतिकारों ने आचार के शाश्वत—सर्वकालीन सिद्धान्त नहीं निर्धारित किये हैं। उन्होंने जीवन के कुछ शाश्वत सिद्धान्तों का निरूपण किया और बहुत-कुछ तन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार अपने समय के लिए आचार-नियमों की सृष्टि की। मैं तो स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए भी घूस और छद्म-कपट के साधनों को अपमान के लिए असमर्थ हूँ, फिर भारत की स्वतन्त्रता की तो बात ही दूर है। क्योंकि यदि ऐसे साधनों से स्वतन्त्रता या स्वर्ग मिला तो न वह आजादी आजादी होगी, न वह स्वर्ग स्वर्ग होगा।

स्वाधीनियेकान्त्य के जो वचन उद्धृत किये गये हैं उनकी लसदीक मैंने नहीं कर ली है। उनमें न तो वह नवीनता है न वह संक्षिप्तता है जो कि उस महापुरुष के अधिकांश ग्रन्थों में पाई जाती है। पर वे वाहे उनके ग्रन्थों से किये गये हैं या न ही, उनसे मुझे समतोष नहीं हो रहा है। यदि बहु-संख्यक लोग अ-प्रतिकार के सिद्धान्त का पालन करने लगे तो संसार की दशा वह न रहे जो आज है। जिस व्यक्तियों ने उसका पालन किया है उन्होंने संशया कुछ भी नहीं है। हिंसाकारी और दुष्टात्माओं ने उन्हें कत्ल नहीं कर सका है। बल्कि इसके विपरीत अहिंसा और सौजन्य के समक्ष उनकी हिंसा और दुष्टता दोनों दूर हो गई हैं।

गीता का मेरा अपना अर्थ मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूँ। उसमें पुण्य और पाप के शाश्वत युद्ध का वर्णन है। और, जब कि पुण्य और पाप की विनाशक रेखा बहुत सूक्ष्म हो जाती है, और जब कि कर्तव्य का निर्णय इतना कठिन हो तब अर्जुन की तरह किसे मोह प्राप्त नहीं होता?

फिर भी मैं इस बात का हृदय से समर्थन करता हूँ कि सच्चा अहिंसा-परायण बही है जो कि प्रहार करने की क्षमता रखते हुए भी अहिंसात्मक बना रहता है। इसलिए मैं यह जरूर दावा करता हूँ कि मेरा शिष्य (और मेरा शिष्य निर्गुण एक ही है—मैं) जरूर प्रहार करने की काबलियत रखता है। हाँ, वह मैं मानता हूँ कि वह इसमें प्रवृत्त नहीं है और शायद कारण तौर पर प्रहार न भी कर सके। पर उसे ऐसा करने की जरा भी अभिलाषा नहीं है। मेरे जीवन में मुझे अपने प्रतिपक्षियों को गोली से उड़ा देने के और शहीदों के सिंहासन पर बैठने के क्लिप्तने ही गौके मिले थे; पर मेरे दिल ने उनमें से किसी पर गोली झाड़ना न चाहा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वे मेरा संहार कर डालें, फिर भले ही मेरे साधनों को वे कितने ही ना-पसंद क्यों न करते हों। मैं चाहता था कि वे मुझे अपनी गलती समझा दें और मैं उन्हें उनकी गलती समझाने की कोशिश कर रहा था। 'आत्मनः प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्।'

अफसोस! आज के मेरे स्वराज्य में तंत्रिकों के लिये स्थान है। मेरे ये कान्तिकारी मित्र दूर बात को जान लें कि मैंने ब्रिटिश लोगों के द्वारा इस सारे देश के निःशक्तीकरण की और तजात पोष्य-नाश को ब्रिटिशों का महा जघन्य अपराध बताया है। मैं देश को सार्वत्रिक अहिंसा का उपदेश करने की क्षमता नहीं रखता। इसलिए मैं अहिंसा का सार्वात्म्य रूप में उपदेश करता हूँ। वह देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उद्देश तक और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को शान्तिमय साधनों से नियमित करने के उद्देश तक परिमित है।

परन्तु यहाँ मेरी अक्षमता का कोई गलत अर्थ न समझें—उसे अहिंसा-सिद्धान्त की अक्षमता न समझ लें। वह मुझे अपनी बुद्धि में अक्षमता दिखाई देता है। मेरा हृदय उसपर मुग्ध है। परन्तु अभी मैं अपने जीवन में उसको इतना नहीं उतार सका हूँ जितना कि अहिंसा के सार्वत्रिक और सफल प्रचार के लिए आवश्यक है। इस महान् कार्य के लिए आवश्यक प्रगति अभी मेरी नहीं हो पाई है। अभी मेरे अन्दर क्रोध मौजूद है—अब भी मेरे अन्दर द्वेष-भाव बना हुआ है। मैं उन्हें अपने अधीन रखता हूँ, परन्तु अहिंसा के सार्वत्रिक और सफल प्रचार के लिए मुझे विकारों से पूर्ण रहित हो जाने की आवश्यकता है। मेरी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए कि कोई पाप मुझसे न बन पड़े। इसलिए कान्तिकारी लोग मेरे साथ और मेरेलिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि मैं शीघ्र ही उस अधस्या को पहुँच जाऊँ। परन्तु तबतक वे मेरे साथ एक कदम बढ़ें जो कि मुझे मृत्यु-प्रकाश के सदृश स्पष्ट दिखाई पड़ता है; अर्थात्—भारत की स्वाधीनता बिल्कुल शान्तिमय उपायों से प्राप्त करना। और फिर आप और मैं ऐसी पुलिस-सेना रखेंगे जो कि निर्दोष, बुद्धिमान और नियम-पालक होगी, जो कि देश के अन्दर शान्ति की रक्षा करेगी और बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ेगी—यदि तबतक मैं या और कोई इसे इन दोनों बातों की व्यवस्था करने का बेहतर तरीका न बता दें।

## गो-रक्षा

हम एक कदम आगे बढ़े हैं। बम्बईवाली सभा ने माभव बाग में उस सभ्यता का बहुमत से स्वीकार किया है जोकि 'हिन्दी-नवजीवन' में प्रकाशित हो चुका था। उसमें चार लोगों ने खिलाफ हाथ उठाये थे। एक सभ्यता ने उसके एक नियम का विरोध करना चाहा था। न उन्हें हजाजत पड़े सका। मैं सिर्फ इतनी ही विफारिश कर सका कि यदि सिद्धान्त का विरोध हो तो उन्हें सारे सभ्यता का विरोध करना चाहिए, यदि सिद्धान्त का भेद न हो तो उन्हें सभ्यता मन्जूर करना चाहिए। इस तरह की सभाओं में दूसरे प्रकार से काम हो ही नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि इस निर्णय का कारण सब लोग समझ लें। यह सभा इसलिए थी कि एक संस्था का धीमंश किया जाय। बिना सांजानेक सभा किये भी उसका धीमंश हो सकता था। क्योंकि यह सभ्यता गो-परिषद् की नियुक्त की हुई सभागत ने बनाया था और वह सभागत उसे स्वीकार कर के तुरन्त अ० भा० गोराक्षणा सभा का धीमंश कर सकता था। परन्तु ऐसा न करते हुए उसे अधिक महत्व देने के उद्देश से सभ्यता का स्वीकार करने के लिए यह सांजानेक सभा का गई थी। ऐसी सभा में किसी नियम-व्यवस्था के प्रति विरोध नहीं प्रदर्शित किया जा सकता। पर हा, जो ऐसी संस्था को न चाहता हो अथवा जिसे यह सभ्यता न पसन्द हो तो वह सारा संस्था या सारे सभ्यता के खिलाफ अपनी राय जाहिर करने का हक रखता है और सभापति को दृष्टिगत करे यह हक नेम विरोध करनेवाले महाशय को दिया भी था।

मेरा भाषण अन्यत्र दिया गया है। उसकी ओर में पाठकों का ध्यान आकषिप्त करना चाहता हूँ। मेरे लिए गो-रक्षा मेरा सबसब है। मेरा यह मत है कि गो-रक्षा जैसे महत्त्व-पूर्ण प्रश्न पर हमने पुस्तक विचार नहीं किया है। गो-रक्षा के नाम पर प्रचलित अधर्म किस तरह रोका जा सकता है? जब न यह विचार करने लगता है तब मेरा मात कुण्ठित होन लगता है। गो-रक्षा के नाम पर लाखों रुपया हिन्दू लोग देते हैं और उनकी रक्षा तो होती नहीं। जहाँ गो-रक्षा धर्म माना जाता है वहाँ गाय का कम से कम रक्षा होती है—न गाय का बध न होता है, न गाय पर दानवाके अत्याचार। बध के लिए गाय को बंधन वालों में हिन्दू का उपर अत्याचार करनेवाला भी हिन्दू। रक्षा के अनेक उपाय तर्जोब किये जाय और उनमें से एक भी फलभूत न हो, एक भा ऐसा नहीं हो सकल होने लायक हो, यह हालत क्या है?

इस अ० भा० संस्था को उसका विचार करना होगा। पर विचार करेगा कौन? सभापति, या मन्त्री, या समिति? इस विचार के लिए अध्ययन की आवश्यकता है। गाय की क्या दशा है? देश का कैसी हालत है? उनका रक्षक कितना? वे सबसुख भारतवर्ष में मारेंगे? या उनका उपवास होता है? बध के कारण क्या है? दुर्बलता के कारण क्या है? इस अनेक प्रश्नों का विचार करना होगा।

इतना समय कौन दे? देशीय मन्त्रालयों को जान ले। बिना दिलचस्पी के काम कैसे करे हो सकता है? इसलिए मन कहा जाय। गो-रक्षा के लिए तपस्वी, गायम, अध्ययन इत्यादि की आवश्यकता है। इसलिए जो लोग, जो सबक जाना चाहते हो उनसे न केवल धनका ही आशा नहीं रखता हूँ, बल्कि विचार के अन्वयन की भी आशा रखूंगा।

( नवजीवन )

मोहनदास करमचंद गांधी

## 'मूर्ति-पूजक' और 'भंजक'

अपने एक भाषण में मैंने प्रसंगोपात् कहा था कि मैं मूर्ति-पूजक हूँ पर मैं मूर्तिभंजक भी हूँ। मेरा यह भाषण यदि पूरा छापा गया होता तो इसका अर्थ अच्छी तरह समझ में आने लायक था। मैंने भाषण की रिपोर्ट देखी नहीं है। एक सभ्यता उनको उद्धृत करके लिखते हैं—

'मुझे जैसे लग कि जिनका भ्रष्टा मूर्तिपूजा से उठ गई है, पर फिर भी कितनी ही बार मूर्ति-पूजा के रूप को (जिस तरह कि मृत पिता के चित्र या मृत मित्र के पत्र को) आदर की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें आप इन शब्दों का अर्थ समझा कर यदि मार्ग-सूचक होंगे तो बड़ा उपकार होगा।'

यहाँ मूर्ति शब्द के अर्थ खुदे खुदे हैं। मूर्ति का अर्थ यदि मृत लिया जाय तो मैं मूर्तिभंजक हूँ। मूर्ति का अर्थ यदि ध्यान करने अथवा मान प्रदर्शित करने या स्मृति कराने का साधन लिया जाय तो मैं मूर्ति पूजक हूँ। मूर्ति का अर्थ केवल आकृति ही नहीं। जो एक पुस्तक की भाँ पूजा भक्ति मूढ कर करते हैं वे मूर्तिपूजक अथवा बुतपरस्त हैं। बुद्धि का प्रयोग किये बिना, मात्रासार विधिक के बिना, अर्थ की छान-बीन किये बिना, वेद में जो कुछ लिखा है सबको मानना मूर्तिपूजा है और इस लिए बुत परस्ता है। जिस मूर्ति को देखकर तुलसीदास पुलकित-मात्र होते, ईश्वरमय बनते-राममय बनते उसका पूजन करने से वे बुद्ध मूर्तिपूजक थे और इसलिए बर्दानाथ तथा अनुकरणीय थे।

जितने बड़म हैं—अन्ध विश्वास है, सब बुतपरस्ता अथवा निन्ध मूर्तिपूजा है। जो हर तरह के रिवाज को धर्म मानते हैं वे निन्ध मूर्तिपूजक हैं। अतएव ऐसी जगह मैं मूर्तिभंजक हूँ। मैं साक्ष के प्रदर्शित कर असत्य को सत्य, कठोरता को दया, वैराग्य को प्रेम बनाकर नहीं दिखा सकता। इसलिए और इस तरह मैं मूर्तिभंजक हूँ। विजयी या क्षेपक श्लोक बताकर अथवा धर्मको बंदर असत्यों का तिरस्कार या त्याग या उसकी अस्पृश्यता मुझे कोई नहीं शिक्षा सकता, इसलिए मैं अपनाको मूर्तिभंजक मानता हूँ। माँ-बाप की अमीनि को भी अनीति के रूप में देख सकता हूँ और इस उद्देश पर अथाह प्रेम होते हुए मैं इस के भी दोष ग्योल कर बना सकता हूँ और इसलिए मैं मूर्तिभंजक हूँ।

मेरे दिल में जेहादि के प्रति पूरापूरा आध्यात्मिक और पर आदरभाव है। मैं पाषाण में भी परमेश्वर को देख सकता हूँ। साधु पुरुषों की प्रतिमाओं के प्रति मेरा मस्तक अपने आप झुकता है। इसलिए मैं अपने को मूर्तिपूजक मानता हूँ।

इसका अर्थ यह कि पुण-दोष बाटा कार्य की अपेक्षा आंतरिक भाव में विशेष रूप से होता है। किसी भी कार्य की परीक्षा कर्ता के भाव से होता है। उगी माता का सविकार स्वसे पुत्र को नरकवाय प्राप्त कराता है, उगी माता का निर्विकार स्वसे पुत्र को स्वर्ग पहुँचाता है। द्वेषभाव से बलाई छुरी प्राण लेती है, प्रेम-भाव से लगाइ छुरी प्राण छाता है। विद्वों के बंदो दान चूहे के लिए घानक होते हैं पर अपने बंदो के भक्षक होते हैं।

दाप मूर्ति में नहीं है दाप धान-हीन पूजा में है।

( नवजीवन )

मोहनदास करमचंद गांधी

आध्यात्म मजनाखली

श्रीजी आदरति छपकर नैवार हो गई है। पूरा संख्या १६८ हाते हुए भी कीमत सिर्फ ०.३० रखी गई है। काकभर्ष करीदार को देता होगा। ०.३० के विक्रम भेजने पर पुस्तक दुर्दुपलब्ध से फौजत उभाना कर दी जायगी। बी. पी. का सिक्क नहीं है।

व्यक्तकथापक- हिन्दी-नवजीवन



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ४० ]

संपादक—प्रकाशक वैष्णोलाक छाननलाल मुख	अहमदाबाद, वैशाख सुदी ६, संवत् १९८२ गुरुवार, १४ मई, १९२५ ई०	मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय, सारंगपुर सरकीबरा की बाली
---	---	---

## अन्त्यज साधु नंद

[ नंद की यह कथा दक्षिण के साहित्य से माई महारथ ने सार-रूप में ली है। मैं चाहता हूँ कि सब इसे अनुराग के साथ पढ़ें। किसीको यह समझने की जरूरत नहीं कि यह कथा कपोल-कल्पना मात्र है। हाँ, संभव है उसमें मयुक्ति आ गई हो। परन्तु नंद नामक एक साधुचरित अन्त्यज छः गो साल पहले दक्षिण में हुआ था। उसके अपने चारित्र्य-बल के द्वारा मन्दिर में जाने का अधिकार प्राप्त किया; और आज भी उसका पूजा हिन्दुओं के यहाँ अवतारी पुरुषों में होती है। "सर तो सन्देह किया ही नहीं जा सकता। नंद की यह पवित्र कथा हमें शिक्षा देती है कि यद्यपि जन्म कर्म का फल है। 'सर्वार्थ नामक वस्तु विधाता ने हमारे लिए रख ही छोड़ी है, और नंद जैसा अन्त्यज चारित्र्य-बल पर इसी जन्म में पवित्र हो सका। और पवित्र माना गया। अन्त्यजों के पेशे के साथ उसे अपनाया। यदि नंद इसी जन्म में पवित्र हो सका तो हमें यह रचना बिलकुल चारा नहीं कि सब लोगों में यही गाथा है। इसलिए हर अन्त्यज की पूजा के लिए हमारे मन्दिरों के बाली करने का अधिकार देना चाहिए। ]

मैं आशा रखता हूँ कि कोई यह उग्र पेश न करे कि नंद न तो अग्नि-प्रवेश किया था और ऐसा कर के अन्त्यज लोग शोक से मन्दिरों में जावें। आग्नि-प्रवेश की बात कान्य है। यदि सब मानें तो भी वह हुआ नंद की इच्छा से। बहुतेरे ब्राह्मण तो नंद को स्नान-साध करके मन्दिर में दर्शन करने देने के लिए तैयार थे। इस कथा से हमें यही सार ग्रहण करना चाहिए कि अन्त्यज अपने पुण्यार्थ से इसी जन्म में पवित्र हो सकता है। अर्थात् जिस शर्त पर दूसरे हिन्दू मन्दिर में जा सकते हैं उसी शर्त पर अन्त्यज को भी मन्दिर में जाने की आजादी होनी चाहिए।

यह तो हुई हिन्दू कहलाने वालों से।

अन्त्यजों को तो नंद की कथा प्रोत्साहन देने वाली है, उन्हें पावन करने वाली है। मैं चाहता हूँ कि हर अन्त्यज के घर में इसका पाठ हो। पर केवल पढ़ कर ही वे गृष्ट न हो जायें। जो बात नंद ने की है उसे प्रत्येक अन्त्यज कर सकता है। नंद की पवित्रता प्रत्येक अन्त्यज में दिखाई दे। उसका धीरज, उसकी क्षमा, उसका सत्य, उसकी हठता भी उनमें आने। नंद सत्याग्रह की मूर्ति था। नंद ने नारिकों को आस्तिक बनाया। प्रत्येक अन्त्यज नंद का आश्रयण पढ़कर अपने दोषों को दूर करने के लिए उत्सुक और समर्थ हो।

मो० क० गांधी ]

१

इस धार दक्षिण-बांग्ला में जगह जगह नंद साधु की कथा सुनी — पढ़ते तो श्री राजगोपालाचार्य की जगहों और फिर औरों के मुँह से। स्थान स्थान पर प्रचलित कथाओं का दोहन करके श्री माधवधरा ने एक पुस्तक लिखी है। उसके आधार पर यह इतान्त यहाँ वे रहा हूँ।

नंद के जन्म का समय निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कहते हैं, छः सा साल पहले संजावर जिन्हे के आशुर गाँव में अन्त्यज माता-पिता के घर उसका जन्म हुआ। उसके माता-पिता की जाति थी 'पराया'। 'पराई' का अर्थ है डोब और 'पराया' मानी डोब बजायेवाली अस्पृश्यों की जाति। अस्पृश्यों को यह एक अन्त्यज माना जाता है।

इनके मुँहों की, घर की और जीवन की कथा क्या कहें ? जमा भगी और चमारों का जीवन होता है वैसा ही इनका समक्षिए। जितना धिनौनापन यहाँ देखा जाता है उतनी ही वहाँ भी समझ लोजिए। भंगी चमार जिस तरह मुरदार मांस खाते हैं उसी तरह पराया भी खाते हैं और शराब पी कर अपने दुखी जीवन का दुख भूलते हैं। पराया तो गो-मांस भी खाते हैं, इससे वे और भी हीन माने जाते हैं।

नन्द पढा-लिखा तो कहां से हो ! और लडकों की तरह वह पशु चराता था। परन्तु एक दो बातें उसमें अ-साधारण थीं। बाल्य में मृत्तिका की देवी-देवताओं की मूर्ति बना कर, उनकी पूजा करने का शौक उसे था। और उसके सगे-संबन्धी जब अपने देवों को प्रसन्न करने के लिए बकरों या मुर्गों का बलिदान करते

तब उनकी कातर चीकारों से नन्द का हृदय फटने लगता और उसकी आँखों से आँसू बहने लगते । वह मांस खाता था । परन्तु पशु को कटता हुआ वह अपनी आँखों न देख सकता था ।

नन्द ने एक नन्हासा मेमना पाल रक्खा था । नन्द जहाँ जाता वहीं वह भी जाता । नन्द उसे कोमल पाँपयां खिलाता, पाना पिलाता और नचाता । एक बार नन्द को बायीं गो-मांस गाना पडा इससे उसे जोर का बुखार आया । जितने दिनों तक नन्द बिछौने में पडा रहा उतने दिनों तक वह मेमना उसके पास बैठे बैठे में में करता रहा । अन्त का नन्द चंगा हुआ । उसकी मा ने गाँव की कटेरी नामक देवी से मनौती मनाई थी कि नन्द चंगा हो जायगा तो माता को बकरा चढाऊंगी । जिस दिन वह मनौती की उसी दिन से नन्द अच्छा होने लगा । इससे माता का विश्वास मिश्रत पर हट हो गया । नन्द के चंगा होने पर बकरा चढाने का सवाक खाया हुआ । बकरे खरीदने के लिए रुपया घर में था नहीं और नन्द के मेमने को चढावें किस तरह ? पर इधर मनौती पूरी न हो और माता रुष्ट हो जायें तो ? इसलिए सुपह नन्द के उठने के पहले ही माता-पिता उस मेमने को ले जा कर देवी को चढा आये । नन्द की जिन्दगी में उसे यह पहला भयंकर आघात पहुँचा । कई दिनों तक नन्द अपने प्यारे मेमने के लिए रोया करता । एक दिन उसने अपना शोक-मार इलका करने के लिए अपनी माँ से क्लिप्तनी ही बातें पूछी । नन्द के माँ-बाप एक ब्राह्मण के खेत में मजूरी करन जाया करते । नन्द ने पूछा—

‘क्यों अम्मा, हमारे ब्राह्मण मालिक का लडका जब बीमार पडता होगा तब वे लोग क्या करते होंगे ? बकरा काटते होंगे ?’

‘नहीं नहीं, वे तो दवा-दरपन करते हैं अथवा मन्दिरों में प्रार्थना करते हैं । वे कहीं बकरे काटते हैं ? वे बहुत हुआ तो नारियल चढाते हैं ?’

‘तब फिर हम किसलिए बकरे और मुरगे चढाते हैं ?’

‘बेटा, उनके देव जुदे हैं, हमारे देव जुद हैं । हमारे देव तो भयंकर होते हैं । खून लिये बिना वे तृप्त नहीं होते ।’

‘पर हम भी ब्राह्मण की तरह मंदिरों में जा कर प्रार्थना करें तो ?’

‘पागल तो नहीं हुआ ? हम कहीं मंदिरों में जा सकते हैं ? हम भला उनकी तरह प्रार्थना कैसे कर सकते हैं ? हम गोमांस खाते हैं, मुरदार मांस खाते हैं, घराब पीते हैं । अरे, हम तो उनके मकान के पास तक नहीं जा सकते, फिर मन्दिर की ता बात ही बूढ़ है ।’

नन्द की धंका का समाधान न हुआ, पर उसने अपने मन के साथ इतना निश्चय जरूर कर लिया कि अब अगर बीमार पडा तो माता-पिता को खबर ही न करूँगा और यदि हाँ सके तो ब्राह्मणों के देव का प्रार्थना करूँगा । पर उसकी माँ के वचन कि ‘हमारा जीवन ऐसा बदतर है, हम ऐसे पापा हैं, हम ब्राह्मणों के देव की प्रार्थना किसतरह करें ?’ उसके दिल से द्रिलते न थे । नन्द जानता था कि खेत पर जिस कुच से उसका मालिक पानी लेता था उससे वे नहीं ले पाते थे, बंदले तालाब से पानी लाना पडता था । मालिक का लडका भी वैसा साफ-सुधरा और सुहावना मालूम होता था ? नन्द को याद आया कि मेरे माँ-बाप तो घराब-ताड़ी पी कर घर में लडते भी हैं, मालिक-मालकिन तो ऐसे साफ-सुधरे नजर आते हैं कि कभी लडते-झगडते न होंगे । उसके मन में यही विचार घुटता रहता था कि हम इतने भंरे रहते हैं इसीसे ब्राह्मणों के देव हमारी प्रार्थना क्यों सुनने लगे ? अन्त को उसने निश्चय किया कि ताड़ी-घराब न पीऊँगा—

मांस न खाऊँगा । पर यदि मांस न खाय तो किसी दिन भूखा रहूँगा पडता, और दूसरा कुछ खानेको न मिलता । इसीलिए उसने इनकी छुट रक्खो कि मांस तभी खाऊँगा जब और कुछ खाने को न मिलेगा । इस संकल्प के बाद भी नन्द विचार तो करना ही रहता— ‘ब्राह्मणलोग बाहर से इतने साफ-सुधरे और सुपह नजर आने हैं, क्या उनका खून और हाडियाँ भी हम से अलग किस्म की होंगी ? अलहदा रंग की होंगी ? ये ब्राह्मण क्यों जन्मे और हम पराया क्यों जन्मे ? ताड़ी-मांस छोडने के बाद भी क्या देवताओं का प्रीति-पात्र बनने और ब्राह्मण जैसा होनेके लिए, जैसा कि अम्मा कहती है, हजारों जन्म की जरूरत होती होगी ? अम्मा कहती है, ब्राह्मणों के कर्म कैसे, और हमारे कर्म कैसे ? तो हम ऐसे कर्म किस तरह कर सकते हैं ?’

एक दिन नन्द ठोर चरा रहा था । वहाँ से कुछ दूर कुछ ब्राह्मण-बालक गुली-डण्डा खेल रहे थे । इनमें एक नन्द के मालिक का लडका भी था । एक बार गुली गद के पास आ कर पडी । पर नन्द जानना था कि मैं इसे छू नहीं सकता । मालिक का लडका दौडता हुआ आया । नन्द ने उसे गुली दिखाई । लडका उसे ले कर दौडा । और दौडते हुए गिर पडा । पत्थर ने उसका घुटना छिल गया । खून बहने लगा । नन्द उसके पास दौड गया । लडका उठ नहीं सकता था । पर नन्द मदद कैसे कर सकता था ? मालिक के बेटे ने मोकर के बेटे से कहा— ‘भाग यहाँ से कुते ! मेरे पास क्यों आया है ? मुझे छूना चाहता है ?’ यह कह कर उसने एक पत्थर नन्द पर फेंका । पत्थर नन्द की कनपुटी पर लगा । खून निकलने लगा और वह गधा खा कर गिर पडा । दूसरे लडके आ कर उस मालिक के लडके को उठा ले गये; पर नन्द को कौन उठा ले जाता ? थोड़ी देर में कनपुटी को हाथ से दबा कर तालाब पर गया, मुह थोथा और घर चला गया । नन्द ने यह पक्षी बार मनुष्य का खून देखा । ब्राह्मण और पराया दोनों के खून में तो फर्क था ही नहीं, पर पशु के खून में भी फर्क न मालूम हुआ । और जिस तरह पशु चीख मारत है उसी तरह ब्राह्मण के बालक ने भी चीख मारी थी । तब फिर ब्राह्मण के कर्म और पराया के कर्म में फर्क क्या रहा ? और मैं तो प्रेम और दया से मालिक के लडके की ओर दौडता हुआ गया; पर उसने तो उल्टा निर्दय हो कर पत्थर मारा, यह क्या बात है ? ब्राह्मण के लडके इतने बे-रहम हात होंगे ? और ऐसे ब्राह्मणों की प्रार्थना तो देव सुनता है और पराया की नहीं ? यह नई विचारश्रेणी नन्दको असमंजस में डालने लगी ।

२

नन्द अब बडा हुआ और, जितनी बातें वह समझता था उनका प्रचार करने लग । बीमार हों तो पशु का बलिदान हरगिज न करने देना, ताड़ी घराब न पीना, मांस न खाना । ये बातें अपने साथियों से कहने लगा । इसी अरसे में आधनूर के पराया लोग काली देवी को भैसा चढाकर खूब मांस खाकर आये । भैसा था बीमार, इससे बीमारी हुई और कितने ही मर गये । अब रोग पैला और बहुतेरे लोग मरने लगे । इस सपाटे में नन्द का बाप भी आ गया । शोक में डूब जाने की अपेक्षा नन्द ने सेवा-संघ खडा किया और घर घर जाकर सेवा-शुभ्रपा करने, शव को स्पर्शन में ले जाकर दाह-कर्म आदि करने की तजवीज करने लगा । पर इस सेवा से प्रसन्न होने के बदले गाँव के बूढ़े-बड़े उसपर बिगडे । वे कहने लगे—यह नन्द बकरे और भैसे नहीं काटने देता है । इसीसे देवी इतनी नाराज हुई है ।

परन्तु इतने ही में नन्द की बीमारी के चपेट में आ गया । बूढ़े बड़े सुषा हुए । उससे कहने लगे— देवी को मरपेट बलिदान

दे कर खड़ा कर। उसकी माँ भी कहने लगी 'तेरे बाप भी तेरे पाप के बदीलत चल बसे और तू भी जायगा। जिद न कर, मिथत मनाने दे।' पर नद का निश्चय निश्चल था। वह कहता—  
 ✦ 'बकरा काट कर ही यदि जी सकते हों तो जीने के बड़े मरजाना क्या बुरा है? नद के साथी भी खिंचित हुए। नद मर जायगा तो फिर पीछ काम किस तरह चलेगा? और कुछ नहीं तो मन्त्रिष्य में काम करने के लिए ही नद को जीना चाहिए।  
 ✦ इस तरह वे आपस में बात करने लगे। नद ने उन्हें समझाया कि ईश्वर हमारी परीक्षा कर रहा है। मरते दम तक जब निश्चय न छोड़ें तभी हम मनुष्य हैं, तभी हमारे निश्चय का मूल्य है। तुम सब मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो, बस मैं जी जाऊँगा। तुम लोगों की प्रार्थना से यदि मैं जी गया तो तुम सिद्ध कर सकोगे कि बकरो के बलिदान से नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रार्थना के बल पर जी उठा हूँ।

अब उन लोगों को हिम्मत आई। वे शिव शिव पुकारने लगे और प्रार्थना करने लगे। दुमरी और बड़े-बूढ़े भी अपनी करतूत कर रहे थे। वे नद की माँ को समझाने लगे। वह बेचारी भोली-भांगी, रनके चहर में व्यागई, कहने लगी रुपये तो घर में हैं नहीं, न, कुछ बरतन हैं, मो ले जाओ और बकरे खरीद लाओ। नहीं तो मेरा बच्चा मर जायगा।

नद ने एक रात धिलौने पर पड़े पड़े भजन किया। एक क्षण भी नींद न लिये बिना किये उस भजन के फलरूप उसे पासके निरुपकर मंदिर के देव आकर उसके मस्तक पर हाथ रखने हुए दिखाई दिये। नद के आनन्द का शिवागना म रहा। मुबह वह भला बंगला हो गया, और दो ही दिनमें घूमने-फिरने लगा। उसके साथियों ने हरहर महादेव के हर्षनाद से सारा गाँव गुंजा मारा।

(अपूर्ण)

### जाति 'बंधन'

जातियों को मैंने इस बात के लिए मान्य किया है कि वे मयम की वृद्धि में सहायक हैं। परन्तु आजकल जातियाँ मयम-रूप नहीं बल्कि बंधन-रूप दिखाई देती हैं। मयम मनुष्य को सुशोभित करता है और स्वतन्त्र बनाता है। बंधन एक तरह की बेड़ी है। आजकल जाति का जो अर्थ होता है वह कुछ चाच्छनीय और शास्त्रीय नहीं। जिन अर्थ में आज उसका प्रयोग होता है उस अर्थ में शास्त्र जाति-शब्द को नहीं पहचानता। हाँ, बण है, पर वे सार ही हैं। लेकिन अब तो इन अगणित जातियों में भी तब पड़ गये हैं और बेटी-व्यवहार बढ़ होता हुआ दिखाई देता है। ये लक्षण तन्त्रित के नहीं, अन्नत के हैं।

ये विचार नीचे लिखे पत्र को पढ़ कर पढ़ा हो रहे हैं—

"आप जहाँ एक ओर सब जातियों का एकत्र करने का उपदेश करते हैं, तहाँ हमारी जाति में साधारण सभापति जैसे पद की बात में जाति-भाइयों का मत-मेद इस हद तक पहुँच गया है कि जाति-सभा में कुश्तम-कुश्ता करने तक की नीबत आ जाती है।"

✦ हमारी जाति लाड कहलानी है। उसमें खमाती, आग्री, इमणा, पेदलादी और सुरती तथा अन्य लाड बन्धुओं का समावेश होता है। बेटी-व्यवहार पहली बार श्रेणियों में है। पिछले २० से ३० वर्ष में सभापति का पुनाव पहली ४ श्रेणियों में ही होता आया है और होता है। इस साल जाति-सभा में एक ऐसा प्रस्ताव पूर्वोक्त ४ श्रेणियों की तरफ से लाया गया था कि सभा-पति तथा मंत्री हूँ, मे का हक सिर्फे उन्हीं लोगों को है जो बेटी-व्यवहार

तथा बचई की लाड-जाति कि सर्वोपरि सत्ता को मानते हैं इसपर सूरत के लाड-भाइयों को बड़ा बुरा मालूम हुआ और कीई २५०-३०० लोगों ने दस्तखत कर के कमिटी को अपना नक्तम्य भेजा था। परन्तु कमिटी अभीतक किसी बात का निर्णय न कर सकी। फिलहाल तो वायुमण्डल इतना खराब हो गया है कि यदि जाति में तब पड़ जाय और अदालत में भी मामला जाय तो आश्चर्य नहीं।"

यह खबर यदि सच हो तो दुःखद है। फिर अध्यक्ष-पद और मन्त्रि-पद के लिए झगडा किम बात का? सुरती, आग्री, इमणी, इत्यादि मेद किसलिए? लाड-युवक-संखल की समा में जब मैं गया था तब मेरे दिल पर अच्छी छाप पड़ी थी। सभापति-पद सेवा के लिए होता है मान के लिए बिल्कुल नहीं। मन्त्री तो समाज का नौकर होता है। इस स्थान के लिए यदि स्पर्धा हो भी तो वह भीटी होनी चाहिए। बणिकमात्र की मिलकर एक जाति क्यों न हो? ऐसा धर्म कहीं नहीं समझा गया कि वणिकजाति में कन्या का देन-लेन नहीं हो सकता। मैं उपजातियों को जो कुछ हद तक मानता हूँ उसका कारण केवल समाज की सुविधा है। पर जब पूर्वोक्त घटनाओं का अनुभव होता है तब यही विचार उठता है कि जान-बूझ कर ऐसे बंधनों को तोड़ कर उनमें मुक्ति प्राप्त करें और करावें।

(नवजीवन)

मो० क० गांधी

### बाल की खाल निकालना

उम दिन एक महासभावादी मुझसे मिले थे—पर उनके बदन के सब कपड़े खादी के न थे। मैं उनको बड़े आदर की दृष्टि से देखता हूँ और वे तो तन्त्रिणा के बड़े कायल भी हैं। मैंने तो समझा था कि वे सब कपड़े खादी के ही पहने हुए थे। पर जो लोग उन्हींके नगर में रहते थे वे उनको ब्यादह जानने बूझते थे। वे मुझसे कहने लगे, 'साहब, जरा इनको समझाए कि वे महासभा के प्रस्ताव का तो पालन करें।' उन महासभ्य ने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि मेरे बदन पर सब कपड़े खादी के नहीं हैं—पर यह उज्र पश किया कि इस समय मैं आपसे मिलने आया हूँ—महासभा के काम के लिए नहीं आया हूँ। यह बाल की खाल खींचना था। खासकर एक तन्त्रिण मनुष्य के मुँह से ऐसी बात सुनने के लिए मैं तैयार न था। उनके साथ मेरा कोई खानगी ताल्लुक न था। वे मुझसे सार्वजनिक मामलों में बातें करने आये थे और इसलिए मैंने कहा—मुझसे मिलने के लिए आना महासभा का या सार्वजनिक कार्य नहीं तो और क्या है? पर उन सब्बन ने, इसके खिलाफ, कहा—नहीं मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ महासभा के काम पर नहीं। तब मैंने उनसे कहा कि ऐसे बाल की खाल निकालने से ही स्वराज्य के आने में देरी हो रही है। मेरी राय में महासभा का प्रस्ताव अपवाद रूप में महासभा के सदस्य को थह छुड़ा देना है कि वह अवस्था-विशेष में खादी न पहनने पर भी महासभा का म द्य बना रहा सकता है। उसके द्वारा कोई बन्धन-रामदा खादी पहनने के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। परन्तु जो लोग खादी न पहनने के पक्ष में ऐसे सूभ्य मेद प्रमेद खोजने लगे तो जन-साधारण के लिए खादी पहनने को तैयार हाना असंभव होगा जबतक कि खादी विदेशी मलमल ने ब्यादह सस्ती न हो जाय और आमतानी से न मिल सके। व उम्मीद तो यह रखने हैं कि हमारे नेता लोग पूरी दौढ़ दौड़ें जिम्मे कि उन्हें चौथाई दौढ़ दौड़ने की हिम्मत आ जाय।

(शं० हं०)

मो० क० गांधी

## हिन्दी-नवजीवन

शुक्रवार, वैशाख सुदी ६, संवत् १९८२

### बंगाल के संस्मरण

#### देशबन्धु का महल

फरीदपुर से लौटकर सोमवार को ये संस्मरण में लिख रहा हूँ। देशबन्धु दास के पुगने महल की छत पर बैठा हुआ हूँ। बंगाल में आये आज मुझे चार रोज हुए हैं। परन्तु इस महल में मेरे दिवस को पहले-पहल जो खोटे लगी वह अभी तक मुझे छोड़ नहीं रही है। मैं जानना था कि यह मकान देशबन्धु ने मायजिनिक काम के लिए दे दिया है। मुझे पता था कि उनके सिर पर काज था। पर उसके साथ ही मुझे इस बात का भी ज्ञान था कि वे यदि बकालत करें तो थोड़े ही समय में यह कप अदा करके अपने महल पर कब्जा कर सकते हैं। पर उन्हें बकालत तो करनी थी नहीं, या यों कहें कि वे तो बिना फीस लिये देश की बकालत करना चाहते थे। इसलिए महल के महल मकान को दे डालने का ही निश्चय उन्होंने किया और उसका कब्जा प्रसिद्धियों को दे दिया। उनकी इच्छा थी कि इस यात्रा में मे कलकत्ता में तो उन्हींके इसी पुराने मकान में ठहरूँ। इसीसे यहाँ आ कर रहा हूँ।

परन्तु जानना बात एक है, और देखना बात दूसरी है। घर में प्रवेश करते समय मेरा दृश्य तो उदा। आँखें उलझल उठीं। इस महल के मालिक के बिना और उनकी माहिनी के बिना यह मुझे जेलखाना मालूम हुआ। उसमें रहना मुश्किल हो गया। और अभी तक इस भाव का प्रभाव मूँहपर बना हुआ है।

मैं जानता हूँ कि यह मोह है। मकान का कब्जा दे कर देशबन्धु ने अपने सिर में एक मोह कम किया है। उस मकान से जिनमें वे व्यक्ति न जाने कहीं लो जाय, उन्हें क्या लाभ?

यदि वे मन में लावें तो झोंपड़ी को राजमहल बना सकते हैं। दोनों ने स्वेच्छा से उसे त्यागा है। इसपर खेद किमलिए? यह तो हुई ज्ञान की बात। यह ज्ञान यदि मुझे न हो तो मुझे आज से ही महल बनाने का उत्पन्न शुरू करना पड़े।

परन्तु देशबन्धु कहीं जाता है? मसूर कहीं दास की तरह करता है? बुनिया तो यदि महल हो तो उसे चाहनी है। पर इस पुरुष ने उसका त्याग कर दिया। धन्य है इसे! मेरे आसुं प्रेम के हैं। चोट भी यह प्रेम ही लगाना है। और स्वार्थ क्यों न हो? यदि देशबन्धु के साथ मेरा कुछ भी संबंध न होता, इस मकान में उनके राज्य करने की बात मने न मनी होनी तो यह आघात न पहुँचता। बहुतेरे महल बने हैं, जिनके मालिक उन्हें छोड़कर दुनिया से ही चले गये हैं। परन्तु उनमें प्रवेश करते हुए आँखों से आसूँ नहीं गिरे। इसलिए यह रोना स्वार्थ-मूलक भी है।

चिन्मयन दास ने महल को परित्याग मले ही किया हो: पर उनकी सेवा की कीमत बट गई है।

#### दीवाने बंगाली

बंगाली लोग दीवाने हैं। जिनमें दास दीवाने हैं उसी तरह प्रकुलचन्द्र राय भी दीवाने हैं। जब वे मंच पर व्याख्यान देते हैं तब मानों माचते हैं। कोई नहीं मान सकता कि वे ज्ञानी हैं। हाथ पछाड़ते हैं, पैर पछाड़ते हैं। जैसा जी चाहता है अपनी

भूल जाते हैं। अपने विचार के आदेश में ही मग्न होने हैं। इस बात की शायद ही परवा हो कि लोग हमें, या क्या कहेंगे। जब तक उनकी बातें न मूँनें, उनकी आँख से अपनी आँख न मिलाव तब तक उनकी महत्ता का कुछ भी पता हम नहीं लग सकता। मुझे याद है कि जब मैं कलकत्ता में गोखले के साथ रहता था और आचार्य राय उनके पड़ोसी थे, तब एक समय हम तीनों स्टेशन पर गये थे। मेरे पास तो अपने नीमरे बरजे का टिकट था। वे दोनों मुझे पहचाने आये थे। तीसरे दर्जे के ससाफियों को पहचानेवाले तो भिखारी ही हो सकते हैं। परन्तु गोखले का भग्न हवा चेहरा, रेशमी पगरी रेशमी किनारी की चोरी, उनके लिए टिकट-बाज की दृष्टि में कामी थी। परन्तु यह दबला पनला ब्रह्मचारी, गैलाया कर्मा पटना हुआ, भिखारी जैसा दिखाई देने लगा। इन्हे बिना टिकट कौन अन्धर जाने देने लगा? मेरी याद के मनाविक वे बिना तथ्य के बाहर लड़े रहे। और मेरे खनामब भरे हृदय में किसी तरह धमने पर मेरी हठगर्मी की टीका करने हुए गोखले अपने साथी से ज़ा मिले। आचार्य राय क्यों बहुमह्यक विद्यार्थियों के हृदय में साम्राज्य करते हैं? वे भी त्थानी हैं। और अब तो हो गये हैं स्वामी-दीवाने। शिक्षा-विभाग की एक बगर्दिन अभिप्रायी से यह कहते हुए उन्हें ज़रा समीच न हुआ— 'भार खारी न पड़नें तो किस काम की?' एसा न करे तो उनके खलना के भिखारियों की थनारै त्थानी को कौन त्थरीवेगा?

रत्नी राय को हम फरीदपुर खाना हुए। भाई शकरलाल ने मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समीच ज़ाबु को बहुत डरा मारा था। वे मेरे लिए क्या क्या न करते? वे भी तो इन्हीं दीवानों के डल के हीन? छोटी से छोटी बातों की पसणाल कर त्थकी की-। मेरी पीठ को आगम देने के लिए जहाँ घंठ नहीं एक पीठिया तैयार रहनी थी। यह भी सारी और वे-चिन्त। यह तो बरदापन हो सकता है। पर स्टेशन पर जो पहचाने हैं तो मेरे और मेरे मायियों के लिए पहले दर्जे का सलन तैयार। इसमें फरीदपुर के स्वागत-मण्डल का भी हिस्सा था। अभी हाल ही तक मैं 'य इ. में पूछा था— आप खपीर है या गरिब? मानों बंगाल इसका जबाब ही न दे रहा हो? मने पूछा— दपरा दरजा मेरे आराम के लिए काफी न समझा गया, इसलिए क्या इस पहले दर्जे की तजनीज हई? जबाब मिया— 'पर हमने तो दूसरे दर्जे का किरागा दे कर पदला दरजा स्थिल किया है।' किन्तु इससे कहीं मझे मन्तो हो सकता है? मेरे मुख के अनुसार तो अनुचित वस्तु कोई मुफ्त भी दे तो हम उसे नहीं हस्तगत कर सकते। यदि कोई मुख या दीवाना मझे हीरे की मात्रा मयम पहनावे तो मुझे उसे पहनना चाहिए? मेरे साथ रहनेवाले मेरे साथी जो लेखक का काम करते हैं और समय पर पाखाना भी माफ करते हैं— क्या वे भी मुख जैसे ही नाजूक-बदन? ऐसे कि उनके लिए भी हमने दर्जे के भाव से पहला दरजा लें? फिर यह काम रेखवे-विभाग की महरधानी के बिना नहीं हो सकता। तमा निजी महमान हम करा सकते हैं? इसमें मुझे प्रम का पागलपन और अतिशयता ही दिखाई दी।

अब इसका उपाय करना मेरी तरफ रहा। हरि करें सो सही। परन्तु यह पागलपन एकनर्फी न था। हम फरीदपुर जाने के लिए रात को खाना हुए। मने ममझा था कि रातने मैं मुझे कुछ शान्ति मिलेगी और मैं अपनी नींद की मुख को मूम कर सकूँगा। पर यह होनहार न था। 'आलो, आलो' तथा दूसरे शोरगुल से नींद मुश्किल से ही आ पाई। गाही भी प्रायः हर





## टिप्पणियां

## 'पहले दरजे का लाइन'

गुजरात समझता है कि वह और प्रान्तों की अपेक्षा मेरे शरीर की ज्यादा चिन्ता रख सकता है। पर बंगाल की धारणा उसके खिलाफ है। बंगाल कहता है— 'आपको पहले दरजे के खजाने में घूमना होगा।' मतीशबाबू कहते हैं, फरीदपुर की स्वागत-समिति इससे लिए जिम्मेदार है। उनके दूरे कारण ये थे कि रात में गाड़ी बदलने की दिक्कत से बचने के लिए पूरा हब्बा कर लेना बेहतर था और पूरे हब्बे में पहले दरजे का हिस्सा जरूर ही रहना है; फिर रेलवे-कम्पनी ने उदारतापूर्वक पहले दरजे की बेंचों का किराया दूसरे दरजे के बराबर ही लिया। पाठक इस बात को जान लें कि एक हब्बे का किराया दूसरे दरजे के किराये से कम से कम १० गुना होता है। यह कहा गया कि इस सब की जरूरत थी मेरी तन्दुरुस्ती की हिकाजत के लिए, जिगसे कि व्यवस्थापकों की किसी कमी या ज्यादाती से मेरी तन्दुरुस्ती को किसी तरह भंग न लगने पावे।

लेकिन मेरा खयाल तो यह है कि यदि मैं इस तरह गाड़ी-गाड़लों में लोट-पोट होता रहा तो मेरी इस यात्रा में कुछ ज्यादा लाभ नहीं हो सकता। या तो मुझे जहां तक हो सके दमन रहना और घूमना-फिरना चाहिए जिस तरह कि हमारे लानों गरीब भाई-बहन रहते हैं या फिर लोक-हित के लिए यात्रा करना बंद कर देना चाहिए। मुझे इस बात का कामिल यकीन है कि मैं दूने-पहले तो ठीक, बल्कि दमगुने पहले दरजे में घूम कर लाखों लोगों को अपना पैगाम उससे अधिक नहीं सुना सकता जितना कि वाइसराय अपने अलंघ्य सिमला-ऑल पर रहते हुए लाखों भारतवासियों के हृदय पर अपना अधिकार कर सकते हैं। अकेला दूसरा दरजा तो करीब करीब सहन हो सकता है। गरीब-गुरबा मुझे शान-बान के साथ पहले दरजे में सवार देख कर अपने गिरोह का आदमी नहीं मान सकते। इसलिए जब जब वे उसके नजदीक आते हैं भयभीत होकर झुकते रहते हैं। मैं भी उन्हें एक अजीब नजर से देखता हुआ मालूम होता हूँ। हाँ मेरे शरीर को चाहे ज्यादा आगम मिला हो, परन्तु मेरी आत्मा तो विकल थी। मुझे यकीन हो चुका है कि जबतक हम गरीबों के साथ तकलीफ उठाना न सीकेंगे तबतक हम उनके हृदयों में प्रवेश नहीं कर सकते। जबसे मैंने तीसरे दरजे में सफर के लायक अपनेको न माना, या मैं लायक न रह गया तब से गरीब-गुरबा की सेवा करने की अपनी आधी उपयोगिता में मे गवांदा। यदि मैंने तीसरे दरजे में यात्रा न की होती तो कभी मैंने अपनेको गरीब न महसूस किया होता—उन्हींका एक आदमी न माना होता। अपने तमाम अनुभवों में मैं अपने तीसरे दरजे के सफर को निहायत कीमती मानता हूँ। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि मेरे लिए दूसरा दरजा हद है—इसके आगे न जाना चाहिए। मित्रलोग इससे आगे मुझे न ले जावें—न ललचावें, यदि वे चाहते हो कि भ्रमण के द्वारा मुझसे देश की सेवा हो। जब कि मैं दूसरे दरजे के सफर के भी लायक न रह जाऊँ तो मुझे यात्राओं के द्वारा सेवा करना बंद कर देना चाहिए। परमेश्वर सीधे नोटिस नहीं देता। वह हमें इशारा करता है और जो लोग चाहें वे उसे समझ सकते हैं। स्वामन-समिति की इस तजवीज में हम समय तो न बहुत गलबड नहीं कर रहा है; पर अब से मैं अपने मित्रों को नोटिस दे रखता हूँ कि वे अपने प्रेम की अतिशयता से मेरा गला न दबावें। हाँ, वे मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सावधानी से काम लें—पर बहुत मात्रा

न बढ़ने पावे। और कुछ बातें तो उन्हें ईश्वर पर भी छोड़ देना चाहिए। यदि ईश्वर की इच्छा होगी कि मैं यात्रा न करू तो किसी तरह की हमारी सावधानी काम नहीं आ सकती और यदि वह चाहेगा कि मैं भ्रमण कर के कुछ सेवा करू तो हमारे सावधान न रहने हुए भी मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। मैं उन्हें यह भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं खुद ही अपने शरीर की बहुत कुछ चिन्ता रखता हूँ—आवश्यक शारीरिक जरूरतों की मैं उपेक्षा नहीं करता। मैं यह बात भी बड़ी कृतज्ञता के साथ कह देना करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रान्त ने—बर्दातक कि गुजरात ने भी मेरे साथ बंगाल में अधिक प्रेम नहीं प्रदर्शित किया है। यह मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि किसी प्रान्त में मैं अपनेको पराया न महसूस कर पाया—बंगाल ने तो आर भी नहीं।

## 'चरखा-यज्ञ'

फरीदपुर की प्रदर्शनी की तरह मिरजापुर पाक (कच्छला) में भी खाशी-प्रतिष्ठान की तरफ से एक चरखा-यज्ञ की व्यवस्था की गई थी। एक प्रसिद्ध जमींदार गय यतीन्द्रनाथ चांधुरी और एक नामी स्त्री-कवि श्रीमती कामनी राय, ने उमम योग दिया था। पण्डित जयामुन्दर चक्रवर्ती, प्रा० समिति के मंत्री लतफाईबाबू भी उसमें शामिल हुए थे। और तो क्या, खर आचार्य राय भी शरीक थे। वे कोठेबारह अंक का अरखा, बराबर सूत कातते हैं। वे कहते हैं चरखा दिन दिन मेरे हृदय में घुस कर जाता है और कातते हुए मुझे बड़ा आनन्द मिलता है। मैं नहीं समझता कि भारत के दूसरे किसी प्रान्त में उक्त मध्यम वर्ग के इतने स्त्री-पुरुषों का एसी प्रदर्शनी में भाग लेना और ऐसी चरखाई और कानीगिरी के साथ सूत कातना मुमकिन होगा। यहाँ मैं यह बात भी कह देता हूँ कि बहुतेरे स्वराजी भी खुद नियम-पूर्वक आर उमम से कातते हैं। विश्वाम बाबू की धर्मपत्नी की कताई का वर्णन मैं अन्यत्र कर ही चुका हूँ। परन्तु मुझमें कहा गया है कि अपनी इस यात्रा में अभी मैं बंगाल के खाशी-काम के और बढ़िया नमूने देखूँगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि बंगाल चाहे तो वह आर अनेक बानों की तरह खाशी में भी सबसे आगे बढ़ जायगा। उसके पास बुद्धि है, उत्तम कल्पना-शक्ति है, कविता-शक्ति है, उमका आत्म-त्याग भी महान है, उसमें आवश्यक कारीगिरी भी है, उसके पास साधन-सामग्री भी है। क्या वह इन सब गुणों के साथ खाशी-काम करने की इच्छा का भी योग करेगा? परमात्मा वह उमे दे।

## 'अन्दर कुछ नहीं'

कितने ही लोगों ने मुझमें पूछा 'आग्विर देशबन्धु के इस घोषणा पत्र की अन्दरूनी बात है क्या?' मैंने उन पूछनेवालों की तरफ से यही बान उनसे पूछी। उनका उत्तर था जोगदार और अपनी विशेषता लिए हुए—'चिन्ता उसके बाहर है उतना ही अन्दर है।' मेरे घोषणा-पत्र और मेरा भाषण योरपियन मित्रों की चुनांती के जवाब में था। मैंने बार बार उनसे कहा कि मैं हिंसा में पृणा करता हूँ। मैं मानता हूँ कि हिन्दुस्तान को आजादी अहिंसा-के ही द्वारा मिल सकती है। उन्होंने मुझसे कहा कि यही बात आप सर्वसाधारण में जोर के साथ और अमृदिग्ध भाषा में कह दीजिए। मुझे इसपर न तो कोई आपत्ति थी, न कोई द्वि-पिचाहट ही। मेरी घोषणा और भाषण का सारा इतिहास यही है। उनमें मैंने दोनों की—काम्तिकारियों के हिंसाभाव की और सरकार के दमन की, जो कि हिंसा का ही दूसरा नाम है, निंदा की है। मैंने उसमें वे बातें भी पेश कर दी हैं जिनपर कि एक आत्माभिमान

मनुष्य के तौर पर मैं सहयोग कर सकता हूँ। कोई भी ममज्ञहार भादमी शान्त चित्त से उसपर विचार करें और यदि उनमें उसे दोष दिखाई दें तो वह मुझे बतायें। अज आगे की कार्रवाई करना काम है योरपियनों का और सरकार का।' यही देशबन्धु का आशय था जैसे कि मैंने उन्हें समझा है। उनकी माया का उपस्थित करने में मैं समर्थ न हो पाया हूँ — मैंने तो सिर्फ उनके मावों को — विचारों को ही प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। उनका भाषण बड़ा ही संक्षिप्त, रोचक और सत्य है। उसमें जान-बूझकर इस बात का ध्यान रखा गया है कि किसीका दिल न दुखने पावे। हिंसाकाण्ड की जो निन्दा उन्होंने की है वह मीन-मेख से परे है। मेरी राय में उन्होंने उस खाई पर जो कि अगरेजों से हमें जुदा रख रही है, सुनहला पुल बना दिया है। अज यह उनका काम है, कि वे चाहें तो उसका उपयोग करें।

### बारकपुर के ऋषि

बारकपुर जा कर मुझे मर सुरेन्द्रनाथ बैनरजी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने सुना था कि उनका तबीयत अक्षीर है और उनके हठकठे फौलादी बदन पर बुढ़ापे का असर होता जा रहा है। भो मैं उनके दर्शनों के लिए उत्सुक था। यद्यपि वे मेरे कुछ कामों को पसन्द न करते हों तो भी मेरे हृदय में उनके प्रति जो आदर-भाव है वह किसी कदर कम नहीं हुआ है। उन्हें मैं आधुनिक बंगाल का निगाता और भारतीय राजनीति का महारथी मानता हूँ। मुझे वह समय याद है जब भारत के सुआक्षत लोग उनके मुह के बचन सुनने के लिए उत्काण्ठ रहते थे। इसलिए वह ही हृदय के साथ मैं बारकपुर की तीर्थयात्रा को गया। सर सुरेन्द्र का आलाशान महल गंगा के किनारे पर है। चारों ओर सुंदरता छाई हुई है। शान्ति का ताँ बहाँ राज्य ही समाधि है। जल-संकुलित, कालाहल कल्पित कलकत्ते में अपने दैनिक कार्य-भ्रम से फारिग हो कर अपने इस शान्ति-सदन में लौटना, उन्हें कितना सुखदायी होता होगा? मैंने तो सोचा था कि वे विधानों पर थके-माँदे लेटे हुए सिंघों — पर क्या देखता हूँ कि मैं अपनी बँठक से उठ कर क्षीप खड़े और अपने अतिथि का आमनन्दन करते हुए पुरुष के सामने खड़ा हूँ — और बोलते भी वे व मुझसे एक युवक के उल्हास के। साथ हमारी बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरी स्मरण-शक्ति अभी तक ज्यों की त्यों ताजा बनी हुई है। मैं अपने लटकपन के हृदयों को अब भी चित्रित कर सकता हूँ। उनके जो पूर्व-स्मरण अभी प्रकाशित हुए हैं वे इन्हीं ही बरभो में लिखे गये हैं। उन्होंने उसकी सुन्दर हस्त-लिखित प्रतिमा मुझे उचित अतिमान के साथ दिखाई। वे विधिपूर्वक स्पष्ट, बड़ और स्थिर हरफों में लिखी हुई थीं। सर सुरेन्द्रनाथ की उम्र अभी ७७ साल की है परन्तु मालवीयजी की तरह उन्हें अपन ३५२ बड़ी श्रद्धा है। वे कहते हैं— अभी मैं ९९ साल तक जाऊँगा और मुझे आशा है कि तबतक मेरी कार्य-शक्ति बराबर कायम रहेगी। जब मैंने उनसे पूछा कि आजकल आप पढ़ते क्या हैं; तो उन्होंने जवाब दिया कि अपने पूर्व-स्मरण को दोहरा रहा हूँ; क्योंकि इसी साल उनका दूसरा स्मरण निकलने वाला है। वे अपने आसपास की तमान बातों में जिन्दादिली के साथ दिलचस्पी लेते हैं। उन्होंने मुझसे यह वादा करा लिया है कि बंगाल छोड़ने के पहले मैं उनसे फिर एक बार मिलूँ। उन्होंने कहा कि यदि आपको बारकपुर आने का समय न मिले तो खुद मैं ही आपसे मिलने आये बिना न रहूँगा। मैंने जवाब दिया— 'नहीं, मैं आपको आने की तकलीफ

न दूँगा, मैं लौटती बार फिर जरूर आपसे मिलूँगा।' सर सुरेन्द्रनाथ की इस जीवन-शक्ति का मूल है उनका अटल नियमित जीवन। कोई बात उन्हें रात में कलकत्ता नहीं ठहरा सकती। कह सकते हैं कि वे बारकपुर की आखिरी गाड़ी प्रायः कभी नहीं चूके। वे कहते थे कड़े परिश्रम का तरह यह नियमित जीवन भी भारत की सेवा के लिए उतना ही आवश्यक है।

### महल से झाँपड़ी में

ईश्वर को धन्यवाद है कि गरीब लोग मेरा साथ नहीं छोड़ते। इन महान पुरुष के महल में भी वे मेरी खोज में आ पहुँचे। उनमें एक नम्र बिहारी मुहर्षि था। बड़ मुझे अपने घर में ले जाना चाहता था। वहाँ छः बरखे चलते थे और वह गरीबों की खादी बेचता था। उसके अनुरोध को न मानना मेरे लिए अक्षय था। बाटर बर्क के कुन्नी लैन में उसका घर था। हम गये। उसने मुझे बरखे दिखाये। बिहार से बंगाई खादी का भण्डार भी दिखाया। मैंने पूछा — 'तुम यहाँ की बनी खादी क्यों नहीं लेते?' उसने कहा — 'मैं बिहार की बची हुई खादी बेचने में मदद कर रहा हूँ। मैं इसमें मुनाफा नहीं लेता। उस खादी का बर्क कुन्नी लोग अपनी जेब से फी रुपया एक पैसा देकर चलाते हैं। वह कोई २५००) की खादी कुलियों में बेचता है जो कि बिहार और संयुक्तप्रान्त से यहाँ जाते हैं। बरखे और खादी की इतनी पहचान का हवाल हमें न था। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, देखना हूँ कि ऐसे ऐसे अज्ञान, स्वयं-नियुक्त प्रामाणिक युवक इस महान और गौरवपूर्ण कार्य में जोकि सफल हुए बिना नहीं रह सकता हाथ बटा रहे हैं और आराम और सहूलियत से साथ उनसे जितना हो सकता है जनता को मजदूरी का साधन देकर देश की चोर दरिद्रता की समस्या हल करने में अपने लायक योग दे रहे हैं।

### मुझे देखता न बसाहट

इगरगढ स्टेशन पर एक मुस्लिम मित्र ने कहा कि मुझे देवता पद पर बिठाने की कार्रवाई, और सोनी गोंड लोगों में, बामिजाज जारी है। कई बार ऐसी सुनपरस्ती पर मैं अपनी चोर ध्यक्षा और जवरदस्त ना-पमेदी जाहिर कर चुका हूँ। मैं तो एक मामूली मर्त्य प्राणी हूँ और मानवी शरीर में पाई जानेवाली लगाम कम कमजोरियाँ मुझमें है। मुझे निरर्थक देवता-पद पर प्रतिष्ठित करने की अपेक्षा तो गोंड लोगों को मेरे सीधे-साँदे पैगाम का मतलब समझाया जाय जो बहुत अच्छा होगा। मुझे देवता बनाने से न तो गोंड लोगों को ही लाभ होगा, न मुझे ही; उल्टा उनके सदस सीधे-साँदे सरल लोगों का बहमी स्वभाव बढेगा। इस मामले में मैं हर महासमावादी की सहायता चाहता हूँ कि गोंडों को इस भूल से सावधान कर दे और धोखे में न आने दें।

### अछूत

कलकत्ता जाते हुए रास्ते में एक स्टेशन पर कितने ही अछूतों को जमा देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुझे अपने हाथों का कता-बुना खादी का थान भेंट किया। कार्यकर्ताओं ने मुझसे कहा कि ठीस और मजबूत काम तो वास्तव में इन अछूतों के द्वारा हो रहा है। वे शराब और सुरदार मांस खाना छोड़ रहे हैं और खादी को अपना रहे हैं। यदि मुझसे कोई यह नहीं कहता कि उस मरलिगड स्टेशन पर मिलने वाले वे लोग अछूत हैं तो मैं उन्हें और लोगों में पहचान ही न पाता।

### खादी

मैं यह सुनकर रंग रह गया कि रायगढ (मध्यप्रान्त) में एक भी बरखा नहीं चल रहा है। जो लोग मुझसे मिलने आये

ये उन्होंने मुझसे कहा कि हम तो मुफस्सिल के लोगों का लाया कपड़ा पहने हुए हैं। उन्होंने बताया कि गाँव के लोगों में तो खादी बहुत प्रिय हो गई है और यदि उनके अन्दर काम में ज्यादा अनुपयोग लिया जाय तो वह आसानी से घर पर पहुँच सकती है और करपे के लिए छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रान्त के लोग खास तौरपर अनुकूल हैं, बस जरूरत है सिर्फ संगठन की।

(यं ई)

मो० क० गांधी

अकाल में मदद

अकाल के समय में चरखा क्या काम कर सकता है इसकी एक मिसाल पंजाब से इस तरह मिली है—

“कस्बा कोटअब्दु जिला मुजफ्फरगढ़ की एक तहसील है और शेरशाह-कुन्दिवा लाइन पर एक रेलवे स्टेशन भी है। इस कस्बे की आबादी ५००० नफरी और एक हजार घर हैं। यहाँ इस इलाके में पैदा होती है। मगर जब तुंगयानी आ जाये तो कपास की फसल खराब हो जाती है। चुनाव इस साल तुंगयानी के बाइस इस इलाके में कपास बहुत कम पैदा हुई है। यहाँ पिजारे आम तौरपर मिल सकते हैं। खास कोटअब्दु में चार पिजारे हैं। निरख पिजारे ०-२-६ फी सेर (८० तोले) है। तकरीबन दर घर में कम से कम एक चरखा मौजूद है। पहले तो यहाँ पत्र के पत्तों की पच्छियाँ वगैरह बहुत आला बनती थी और चरखा बहुत कम चलता था। मगर इस साल पच्छियों की माँग बहुत कम है। इसलिए चरखा चल रहा है। यहाँ तकरीबन ३० जुलाहों हैं जो बाजार से मिल का सूत खरीद कर उसका कपड़ा बुन कर बेचते हैं और लोगों के घर के कते हुए सूत का कपड़ा भी उनको बुन देते हैं। बुनवाई १८ १/२ गज से २४ गज तक की रूपया है। आम तौर पर ६०० तार का कपड़ा १८" में बुन देते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से एक हाईस्कूल है।

सिंध नदी के बढ़ाव के कारण यहाँ मुजफ्फरगढ़-कांथल-रिजीफ कमिटी की ओर से रिजीफ सेंटर खोला गया। पहले तो वह कनक गेहूँ और आटे की मूरत में रिजीफ देते रहे हैं। मगर जनवरी १९२५ में आटा और कनक की मूरत में रिजीफ देने की इजाजत नहीं, ऐसा समझ कर तरीका रिजीफ बदल दिया गया। आम काम दे कर सूत कतवाने का तरीका जारी किया गया। आम तौर पर कताई का भाव ०-१-० से ०-६-० फी सेर (८० तोले) है मगर रिजीफ सेंटर की तरफ से उनको ०-१-० फी सेर दिया जा रहा है। यानी उनको ०-२-० फी सेर बतौर रिजीफ दिया जा रहा है। मगर मुझसे यह है कि हर किस्म के सूत के लिए ०-१-० फी सेर दिये जाते हैं, हालाँकि सूत की किस्म के मुताबिक कताई कनोवेश दी जानी चाहिए थी। इसतरह से कई बहनों को हक तलफो होती है और कई बहनों हक से ज्यादा ले जाती हैं।

कपास मुलतान से खरीद की जाती रहीं हैं और सूत स्थानीय दुकानदारों और जुलाहों के पास बेचा जाता है। सूत की फरोखत के लिए उनको और मशी की जरूरत है, मुस्तकिल प्रादक होना चाहिए।

६ से १२ अंक का सूत काता जाता है। व्यवस्थापक को हिदायत की गई कि वह बारीक सूत कतवाने की कांशिश करें; क्योंकि सूत आमतौर पर जल्दी फरोखत हो सकता है और यह भी उनको कहा गया कि कताई देते वक्त सूत की किस्म का खयाल जरूर रखना चाहिए।

आज कल नीचे लिखी जगहों पर रिजीफ सेंटर की तरफ से चरखे चल रहे हैं :

(१) कोटअब्दु	(२) महमूदकोट	(३) सनावा	(४) दायरादीनपनाह
१००	८	२६	२२
(५) गुजरात	(६) सुधारी	(७) अहसानपुर	कुल १८८ बखें।
१०	१०	१२	

अब काम बढ़ाने का इरादा है। पिछले दो मास की औसत पैदावर ३२ मन मारिक है।

अबतक तकरीबन ३० घाटा हुआ है। घाटे की वजह भी साफ है।

लागत फी सेर	१-१-०	कपास	= १-१-९
		पिजारे	= ०-२-६
		कताई	= ०-१-०
		कुल	१-१३-३

और औसतन वह १-१२-६ फी सेर फरोखत करते रहे हैं। यानी एक सेर पीछे ०-०-९ का घाटा और ४ मन १४ सेर ८ छटांक के पीछे ९-० के करीब झुटा हुआ। बाकी मुतफरिफ खर्च और मफर खर्च है। व्यवस्थापक का गुनारा अभी तक बैश बुक में जमा पार्च नहीं हुआ। इसलिए घाटे का ठीक अदाजा लगाया जावे तो ३०+१५ (गुजारा दर २५) = ८५ हुआ। यह कोई तीन माह की घटी है।

इस मूरत में यह भेंटर स्वायत्तबी हो सकता है कि ०-५-० में ०-१-० फी सेर तक कताई ८ से १५ अंक के सूत तक दी जाये और सूत बारीक और ज्यादा मिकदार में कतवाने की कांशिश की जाये।

अहसानपुर में चर्खाजान बनाये जाते हैं। कीमत ३-८-० से ५-०-० है।

एक काबिल अफमोस बात यह है कि जब से सूत की कताई का काम शुरू हुआ है किसी जिम्मेवार साहिब ने यहाँ हिसाब-किताब की परताल नहीं की।”

अ० भा० ग्या० मण्डल को मिली रिपोर्ट से पूर्वीक पत्र मेंने लिया है। उसके संबंध में जानने योग्य बात तो यह है कि जहाँ लोगों को पहले अनाज दिया जाता था तहाँ अब उनसे काम लेकर पैसे दिये जाते हैं। यह भी हम देखते हैं। काम लेने से काम करने वाले को काम सोचना पड़ता है — यदि व्यवस्थापक को सूत की किस्म के खपव में चिन्ता हा तो सब को जो बिना सूत की किस्म लेने दाम दिये जाते हैं ने न दिये जाय, अकारण फजूद खर्च न हा और गरीबों के माथ जो अभी अन्धाय होता है वह न हाने पावे। फिर ऐसे कामों में हिसाब-किताब तो साफ जरूर रखना चाहिए। पर देखते हैं यह नहीं रहता। इसका कारण अय्यापिका नहीं मालूम होता; बल्कि ज्ञान का अभाव और व्यवस्था-विभाग को लापरवाही मालूम होती है। दो पैसे ज्यादा देकर भी काम गाफ रखसा जाय तो ऐसे काम बहुतांश में स्वावलंबी हुए बिना नहीं रह सकते।

( नवजीवन )

मो० क० गांधी

आश्रम भ्रमनावली

चौथी आयुति छपकर तैयार हो गई है। छठ संख्या ३६८ हाते हुए भी कीमत सिर्फ ०-३-० रखी गई है। डाकखर्च खरीदार को देना होगा। ०-४-० के टिकट भेजने पर पुस्तक बुकपास्ट से फौरन रवाना कर दी जायगी। बी. पी. का नियम नहीं है।

व्यवस्थापक — हिन्दी-नवजीवन



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ११ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
 वैणीलाल ज्ञानलाल शर्मा

अहमदाबाद, वैशाख सुदी १४, संवत् १९८२  
 गुरुवार, २१ मई, १९२५ ई०

मुद्रकस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
 अहमदाबाद सरकीगरा की बाड़ी

## रामनाम महिमा

एक सज्जन पूछते हैं—

‘आपने एक बार काठियावाड़ की यात्रा में किसी जगह कहा था कि मैं जो तीन बहनों से बच गया तो केवल ईश्वर-भ्रम के भरोसे। इस सिलसिले में ‘सौराष्ट्र’ ने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो समझ में नहीं आती। कुछ इस अर्थ का लिखा है कि आप आत्मिक प्राप्ति से न बच पायें। हमका अधिक खलासा करेंगे तो क्या होगी।’

पत्र-लेखक से मेरा परिचय नहीं है। जब मैं बंबई से रवाना हुआ तब उन्होंने यह पत्र अपने आई के हाथ मुझे पहुंचाया। यह उनकी तीव्र जिज्ञासा का सूचक है। ऐसे प्रश्नों की नवीन सर्व-साधारण के सामने आम तौर पर नहीं आ सकती। यदि सर्व-साधारण जन मनुष्य के खानगी जीवन में गहरे पेटने का रिवाज बालें तो स्पष्ट बात है कि उसका फल बुरा आये बिना न रहे।

पर इस उचित अथवा अनुचित जिज्ञासा से मैं नहीं बच सकता। मुझे बचने का अधिकार नहीं। इच्छा भी नहीं। मेरा खानगी जीवन सावजनिक हो गया है। दुनिया में मेरे लिए एक भी ऐसी बात नहीं है जिसे मैं खानगी रख सकूँ। मेरे प्रयोग आभ्यासिक हैं। कितने ही नये हैं। उन प्रयोगों का आधार आत्म निरीक्षण पर बहुत है। ‘बया पिण्डे तथा ब्रह्मण्डे’ इस सूत्र के अनुसार मैंने प्रयोग किये हैं। इसमें ऐसी धारणा समाविष्ट है कि जो बात मेरे विषय में संभवनीय है वही अती के विषय में भी होगी। इसलिए मुझे कितने ही गुप्त प्रश्नों के भी उत्तर देने की जरूरत पड़ जाती है।

फिर पूर्वोक्त पत्र का उत्तर देते हुए रामनाम की महिमा बताने का भी अवसर मुझे अनायास मिलता है। उसे मैं कैसे खो सकता हूँ ?

तो अब सुनिए, किस तरह मैं तीनों प्रयोगों पर ईश्वररूपा से बच गया। तीनों प्रयोग वार-मधुओं से संबंध रखते हैं। दो के पास भिन्न भिन्न अवसर पर मुझे भिन्न लोग ले गये थे। पहले अवसर पर मैं झूठी धरम का मारा वहाँ जा फसा और यदि ईश्वर

न न बनाया होता तो जरूर मेरा पतन हो जाता। इस भंके पर जिन घर में मैं ले जाया गया था, वहाँ उस ली ने ही मेरा तिरस्कार किया। मैं यह विष्कूल नहीं जानता कि ऐसे अवसरों पर किस तरह, क्या बोलना चाहिए, किस तरह बरतना चाहिए। इसी तरह ऐसी छियाँ के पास तक बैठने में मैं लांछन मानता था। पहले इस घर में सांख्यिक होते-समय भी मेरा इसका मकान में जान के बाद उसके नेहरे की तरफ मैं न देख सका। मुझे पता नहीं, उतका चेहरा था भी क्या ? ऐसे मूढ़ की वह चपला क्यों न निकाल बाहर करती ? उसने मुझे दो-चार बातें मुनाकर रवाना कर दिया। उस समय तो मैंने यह न समझा कि ईश्वर न बनाया। मैं तो निज होकर दबे पाँव वहाँ से लौटा। मैं शर्मिंदा हुआ और अपनी मूढ़ता पर मुझे दुःख भी हुआ। मुझे आताम हुआ मानों मुझमें कुछ राम नहीं है। पीछे भनने जाना कि मेरी मूढ़ता ही मेरी बाल थी। ईश्वर ने मुझे बेवकूफ बनाकर हँसवा लिया। नहीं तो मैं जोकि बुरा काम करने के लिए गंधे घर में चुसा था, कैसे बच सकता था ?

दूसरा प्रयोग इससे भी भयंकर था। यहाँ मेरी बुद्धि पहले अवसर की तरह निर्दोष न थी, हालांकि मैं सावधान ज्यादा था। फिर मेरी पूजनीया माताजी की दिलाई प्रतिज्ञा-रूपा बाल भी मेरे पास थी। पर इन अवसर पर प्रदेश था विलायत। मैं भर-जवानों में था। दो भिन्न एक घर में रहते थे। थोड़े ही ए के लिए उम गाँव में गये थे। मकान-मालकिन आधी देता। ऐसी थी। उसके साथ हम दोनों ताश खेलने लगे मैं समय मिल जाने पर ताश खेला करता था। सभा में रहने से मेरा भी निर्दोष-भाव से ताश खेले सकते लाम तो नहीं है। समय भी हमने ताश का खेल रिवाज, लोगों की नाटक हुआ होगा, आरम्भ तो विष्कूल निर्दोष था, यह सहायुभूति दिखाने को भी मकान-मालकिन अपना शरीर सन्व रहकर जितना काम हो सके पर ज्यों ज्यों खेल अगले साल यदि उन्हें यह भी दरकार न उस आई ने विषय तो फिर हम कताई-मण्डल कायम करेंगे; पर था। उन्होंने ही होगा इस वर्ष के कार्य का परिपक्व फल। अच्छा।

‘जिसे कि महासमा में रहने से कुछ लाभ नहीं है, तो हानि ... नहीं है।’



देखना चाहते थे कि अन्दर रामनाम है या नहीं? अपनेको समझदार समझनेवाले सुभटों ने उनसे पूछा — गीताजी की मणिमाला का ऐसा अनादर?' हनुमान् ने जवाब दिया 'यदि उसके अन्दर राम-नाम न होगा तो वह सीताजी का दिया टाने पर भी यह हार मेरे लिए भार-भूल होगा।' तब उन समझदार सुभटों ने मुह बनाकर पूछा — 'तो क्या तुम्हारे भीतर रामनाम है।' हनुमान् ने छुरी से तुरत अपना हृदय चीर कर दिखाया और कहा — 'देखो अन्दर रामनाम के सिवा अंगर और कुछ ही तो कहना।' सुभट लज्जित हुए। हनुमान् पर पुष्पवृष्टि हुई और उग दिन से रामकथा के समय हनुमान् का आवाहन आरम्भ हुआ।

हो सकता है यह कथा-काव्य या नाटक कार की रचना हो पर कि उमका मार अनन्त काल के लिए सक्ता है। जो हृदय में है वही सब है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

कार्यकर्ताओं के प्रश्न

बंगाल के दौरे में एक जगह गांधीजी से कार्यकर्ताओं ने दो सवाल किये थे — (१) अनेक कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा हो गई है। क्योंकि देहात की ओर से यथोचित जवाब नहीं मिलता। यह भ्रष्टा कि चरखे से ही स्वराज्य मिलेगा, बहुत कम लोगों को है। क्या आप यह समझा सकेंगे कि चरखे से ही स्वराज्य मिलेगा? (२) महासभा में रहने से लोग क्या? हम लोग महासभा से अलग हो कर अपना कताई-मण्डल कायम करें और सूत कातने रहें तो हममें कौन बुराई है?

इन दो सवालों के जवाब में गांधीजी ने प्रवचन किया —

'पहली बात तो यह कि मैंने यह नहीं कहा कि कातने से ही स्वराज्य मिलेगा, हालां कि मैं यह बात मानता हूँ। हाँ, मैंने यह बात जरूर बार बार कही है कि काते बिना स्वराज्य न मिल सकेगा। पर मैं तो दोनों बातों को गारिबत कर देने के लिए तैयार हूँ। कातने के मानी क्या है? कताई तो घर घर में फैला देना। कातने का अर्थ है ल्याइ, पुनई और कताई की तमाम मियाओं को कर जानना और कते सूत को पुनवा लेना। इन सब बातों को मुह करने और करोड़ों आर्दापियों से कराने में कितने भगोरथ प्रयत्न की जरूरत है। यह भगोरथ प्रयत्न क्या है, सारे देश में एक सजीव तंत्र ही खडा कर देना है। जिस तरह बड़े जहाजों के कप्तान का हुकम जहाज का एक एक आदमी मानता है और न माने तो उसे गोली चलाने का अधिकार होता है वैसे तंत्र-व्यवस्था बांध देना क्या ऐसा-बैसा काम है? और करोड़ों लोग यदि कातने लग जायें तो अस्पृश्यता का सवाल अपने आप हल हो जाता है, हिन्दू-मुसलमान का भी फैसला हो जाता है। अस्पृश्यता का फैसला किस तरह होगा? अस्पृश्य लोग आज ब्यादी काम में जो कुछ हाथ बैठाते हैं वह मेरी खातिर। मंत्रालय में अस्पृश्यों ने मुझसे कहा कि जब लोग हमें अछूत मानते हैं तब उनकी मजूरी करने की क्या गरज हमें पड़ी है? उनके लिए हम क्यों क्रादी युनें? फिर भी वे मेरे खतिर युनेते हैं। जब अछूतपन उठ जायगा तब वे अपनी मरनी से लुशी खुशी उसमें अगुराग लेने लगेगे। और वे दिलचस्पी लेने लगेगे तो अछूतपन भी दूर हो जायगा। और हिन्दू-मुसलमान ए-न हो कर जबतक काम न करें तबतक क्या क्रादी की गागना हो सकती है? इस तरह समस्त जातियों को कताई में लगाने के लिए आप लोगों को ऐसी (पूर बंगाल जैसी) नम जमीन में जीवन बिताना पड़ेगा।

'पर आप कहेंगे, कातने का अर्थ स्वराज्य किस तरह? मैं कहता हूँ कि जब आप कताई को घर घर में पचना देंगे तो

महासभा के इन तीन महाप्रश्नों का निराकरण हो जायगा। और यह होने पर बाकी क्या रहेगा? इन तीन बातों के हो जाने पर हम अपने बाकी अर्थें भांग सकेंगे। इसके बाद अंगरेजों को चला जाना ही तां चके जायें। रहना हो तो हमारी शर्तों पर रहे। आप कहेंगे कि जिन अंगरेजों के साथ इतना युद्ध किया, जिन्होंने इस युगी तरह हमें सताया, उनके साथ आप सहयोग करेंगे? मैं कहता हूँ कि हाँ, जबर कसगा क्योंकि मैं तो दुश्मन को भी दोस्त बनाना चाहता हूँ।

'जब यह बात समझ लेने के लिए कि कताई के अर्थ ही स्वराज्य मिल सकता है, आपको एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यह यह कि आप जिन साधनों से स्वराज्य लेना चाहते हैं? यदि हिंसा के द्वारा कातने हों तो आपको कातने का तिनार छोड़ देना चाहिए। पर यह बात मैं प्रत्यक्ष देख सकता हूँ कि आप हिंसा के बल पर अंगरेजों से नहीं आत मचाने। आज बाजी के तमाम पाम उनके पाम है, गिरफ एक मेरे हाथ में और यह दे अहिंसा। सूनी पासे में हम उन्ने जीत सकते हैं, यदि आप इस बात को स्वीकार करेंगे तो काते बिना दूसरा चारा नहीं। क्योंकि आप समझ लेंगे कि अहिंसात्मक साधनों का केन्द्र चरखा ही है। उगीके आस पाम तमाम यस्तुयें घूम रही हैं।

'वायुमण्डल खराब नहीं हुआ। सरकार का सगडे चाहिए और उसे विन सतोपी लाग मिल ही जाते हैं। पर आप तो यही कहेंगे कि चाहे कितने ही विन आये हम तो कातने पर ही कटिबद्ध रहेंगे। सब लोग चाहे कातना छोड़ दे तो क्या इससे आप लोग छुट सकेंगे? सब लोग यदि ब्रह्मचर्य छोड़ दें तो क्या हमसे आपर्भा छोड़ देंगे?

'इस तरह के जो सचे कातनेवाले हैं वे समय आने पर जरूर आगे जा पायेंगे। यदि न कातनेवाले ३ करोड़ सभ्य होंगे तो उनसे मैं काम न ले सकूंगा, पर यदि ३०० जन भी सचे होंगे तो उनसे मैं देश को जगा सकूंगा। आप यह पूछेंगे कि समय आने पर ये लोग किस तरह आगे आ जायेंगे तो मैं न कह सकूंगा। इतना ही कह सकता हूँ कि ईश्वर उन्हें आगे कर देगा। ईश्वर पर मेरा इतना विश्वास है कि मैं उगीपर आभार रखकर बैठा हूँ कि मौका आनेपर वह सचो जाग्रत कर देगा। ट्रान्गकाल में क्या हुआ था? अखिर नरु दिगीमे न उठा गया था। पर जब कुलियो ने देखा कि हम सब जेल में जा बैठे हैं, तो वे भी निकल पडे। हरबतबिह तो मुक्त था, उगे कर देने की जरूरत न थी। पर उमका भी दिल मचला, वह भी जेल गया और वहाँ जाकर मर गया। खानों को जेल बनाना पडा, उसमें उन्हें रखना पडा, अनेक दुख भोगे। मुझे कुछ सवाल थोडा ही था कि इतना सब होगा? पर शेर भ्रष्टा का बात ऐसी है। इसलिए जब लोग हमसे पूछते हैं कि सविनयदाग क्या करने तो मैं उन्हें कुछ जवाब नहीं देता। मैं कहता हूँ, आप ईश्वर भौका लवेगा।

अब मैं उस सवाल पर आता हूँ कि महासभा में रहने से क्या लाभ? मैं ज़बूल करता हूँ कि बहुत लाभ तो नहीं है। पर यदि हम उसमें न रहे तो स्वराजियों को नाहक दुःख होगा, यह अर्थ होगा कि हम उनके साथ सहानुभूति दिखाने को भी तैयार नहीं। इस साउ नो सभ्य रहकर जितना काम हा सके किये ही छुटकारा। अगरे साल यदि उन्हें यह भी दरकार न हो तो देख लेंगे। तो फिर हम कताई-मण्डल कायम करेंगे; पर वह मण्डल तो होगा इस वर्ष के कार्य का परिपक्व फल। अच्छा भान लीजिए कि महासभा में रहने से कुछ लाभ नहीं है, तो हमान भी बच नहीं है।"

## हिन्दी-नवजावन

शुक्रवार, वैशाख सुदी १४, मंसिर १९८२

### 'किनारे पर'

एक पत्र लेखक कुछ प्रश्न पूछ कर अन्त में लिखते हैं—

“ मैं आशा करता हूँ कि आप इन विषयों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे और जबतक हैं, बाही-तबही न पूछने लग्य, मेरे साथ खर्चा जारी रखेंगे। मैं आपका अनुयायी हूँ, आपके नेतृत्व में जेल जा चुका हूँ। जब कि मैं आपके बहुत नज्दाक था और बहुत मौका भी था तब भी मैंने आपसे कोई बात-चीत नहीं की, क्योंकि मैं आपका समय बरबाद करना नहीं चाहता था। मैंने आपके चरण-स्पर्श तक नहीं किये। पर अब आपके युक्ति-वाद और राजनैतिक विचारों में मेरा विश्वास टिक रहा है। मैं कोई कान्तिवादी नहीं हूँ, पर मैं उसके किनारे पर हूँ। यदि आप इन प्रश्नों का जवाब सन्तोषजनक देंगे तो आप मुझे बचा लेंगे। ”

अब मैं क्रमशः उनके सवालियों को लेता हूँ—

“ अहिंसा क्या है? चित्त का एक शान्त है या प्राण का नाश न करना, है? यदि यह दूसरी बात हो तो क्या यह संभवनीय है कि हम इसके अन्त तक जा कर इमा। पालन कर सकें। क्योंकि हम अपने भोजन इत्यादि में रोज असंख्य प्राणियों की हिंसा करते हैं और उन अवस्था में हम बनस्पति का भी नहीं छू सकते। ”

अहिंसा चित्त की एक शान्त भी है और तज्जान कम भा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बनस्पति में भा प्राण है परन्तु बनस्पति का उपयोग किये बिना हम नहीं रह सकते। यह जोष के नाश से तो किसी तरह कम नहीं है। सिर्फ उसे धर्म्य मानना चाहिए।

“ यदि हम जीव-हिंसा से बच नहीं सकते, तो हमके यह मानी नहीं कि हम बिना आगा-पाँछा गोचे उसकी हिंसा करते ही रहें; पर उन हालत में, आवश्यकता भावित होने पर, सिद्धान्त की दृष्टि से उसपर आपत्ति नहीं की जा सकती। कार्य-साधकता की दृष्टि से भले ही आक्षेपार्ह हो। ”

ऐसे अवसर पर भी जहाँ कि हिंसा की आवश्यकता सिद्ध होना हो, सिद्धान्त की दृष्टि से हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते। कार्य-साधकता की ही दृष्टि से उनका बचाव लिया जा सकता है।

“ यदि अहिंसा का अर्थ है प्राण का नाश न करना, तो फिर किसी शस्त्र को अपना प्राण देने के लिए किये तरह कह सकते हैं— ऐसे काम के भी लिए जो कि कितना ही पवित्र और धार्मिक हो क्या वह खुद, उसकी अपने प्रति हिंसा न होयी? ”

हाँ, मैं किसी आदमी से बग़वत यह कह सकता हूँ कि किसी काम के लिए अपनी जान दे दो, पर अपनी हिंसा का दोषा न बनाओ। क्योंकि अहिंसा का अर्थ है— लोगों का तकलीफ न देना।

“ अपने प्राण से प्यार करना मनुष्य-स्वभाव है। जब कि एक आदमी अपने देश या समाज की आवश्यकता के लिए अपनी जान देता है तो आवश्यकता पड़ने पर वह लोगों का जान कुर्बान क्यों नहीं कर सकता? हमें सिर्फ इतना ही यादना करना होगा कि उसकी जरूरत थी। तो वह भी कार्य-साधक भा ही माना है। ”

जो अपनी जान से मुह्यवत करेगा वह उसे खोवेगा। जो अपनी जान को गनवेगा वह उसे पावेगा। आवश्यकता की बिना

पर दूसरे की जान को कुर्बान करने का समर्थन नहीं कर सकते; क्योंकि आवश्यकता का साबित करना असंभव है। हमें खुद उसमें काजी न बनना चाहिए। बल्कि वही एक-मात्र काजी होंगे जिनकी जान लेना हम चाहते हैं। अहिंसा के पक्ष में एक अच्छा कारण यह है कि हमारा निर्णय गलत भी हो सकता है। मध्ययुग के उन ईसाई लोगों का यह अटल विश्वास था कि हमारा कार्य धर्म्य है, पर अब हम जानते हैं कि वे बिल्कुल गलती पर थे।

“ कुर्बानी और खून में क्या भेद है? ”

कुर्बानी के मानी है खुद कष्ट सहना, जिससे कि दूसरे को लाभ पहुँचे। खून के मानी है दूसरे की तकलीफ देना — मार डालना जिससे कि खूनी या जिसकी तरफ से खून किया गया है उसे लाभ हो।

“ क्या जो डाक्टर आपको गहरा लगाता है वह आपको कुछ समय के लिए तकलीफ पहुँचाने के कारण गिरा योग्य है? पर क्या हम उसकी चित्त की शूल अर्थात् बीमार को लाभ पहुँचाने के हेतु पर ध्यान रख कर उसके हिंसात्मक कार्य पर ध्यान न दे, उसकी आँ भी अधिक प्रणता नहीं करते हैं? ”

यह हिंसा शब्द का अप-प्रयोग है। हिंसा का अर्थ है किसीको बिना उसकी रजापदी के या बिना उसे किसी तरह का लाभ पहुँचाये, चोट पहुँचाना। मेरी बात तो मर्जन मेरे ही हित के लिए, मेरी लिखित रजामन्दी से मुझे कुछ समय के लिए तकलीफ पहुँचाना है। पर एक कान्तिवादी अपने शिकार को उसको भले के लिए नहीं छूटता है, भले के लिए नहीं बंध करता है, — उसे तो वह चोट पहुँचाने के ही फाबिल समझता है — शक्ति समाज के कल्पित हित के लिए

“ क्या और बलों की तरह शारीरिक बल भी जीवन का प्रबल अंश नहीं है? जिस प्रकार अहिंसा का आश्रय भीड़ लोग अपनी भीड़ता को छिपाने के लिए ले सकते हैं उसी तरह हिंसा का भी दुरुपयोग पशु और जालिम कर सकते हैं। इससे यह साबित नहीं होता कि हिंसा खुद कोई बुरी चीज है। ”

शारीरिक बल निस्सन्देह जीवन का प्रबल अंश है। हाँ, जालिमों ने जरूर ही हिंसा का दुरुपयोग किया है। परन्तु हिंसा का जो लक्षण मैंने किया है उसमें तो उनका सवुपयोग कल्पनातीत है। इससे पहले वाले सवाल के जवाब में उसकी परिभाषा की देखिए।

“ पागलों तथा भयंकर अपराधियों को तो, जो कि समाज को हानि पहुँचाते हैं, आप जेल में भेजेंगे। तो क्या आप इन सभ्य अपराधियों को जो कि सरकारी अफसरों के रूप में काम कर रहे हैं, मारने के बजाय गिरफ्तार करने तथा हिमालय की किसी गुहा में ले जाकर कब्र रखने की इजाजत देंगे? ”

मैं नहीं कह सकता कि पागलों और मुजरिमों को फिर वे भयंकर हों या नहीं, जेल में रखना अर्थात् सजा देना, ठीक है। पागल तो अब भी इन तरह नहीं रखे जाते हैं। पर हम तेजी से उन समय के नजदीक पहुँच रहे हैं जब कि मुजरिमों को भी सजा के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए संयम में रखना पड़े। पर हाँ, मैं उस संयम में खुशी से शामिल होऊँगा जो कि जान में या अनजान में भारत का खून चूने वाले वायतराय, हरणक मिथिलियन अगरेज अथवा हिन्दुस्तानी को जेल भेजने के लिए कायम होगा; पर शर्त यह कि एक तो हमें उनके आराम को पूरी गुंजा मश रहें, दूसरे एमों नजदीक मेरे सामने पेश हो जो हर तरह काम में आने लायक हों। और मैं तो उच्च अवस्था में भी उसमें रीक होने के लिए तैयार हूँ जब कि बंदीबाव मेरे हिंसा के लक्ष्य में भी आ जाता हो।



“कौनसी बात अधिक असामान्य और भयंकर है? बल्कि कौन अधिक हिंसात्मक है? ३३ करोड़ आदिमियों को तकलीफ होने दें, सब और मिट जाने दें या कुछ हजार लोगों का बध होने दें? आप किस बात को ज्यादा अच्छा समझेंगे? अधःपात होते होते ३३ करोड़ जनता का धीरे धीरे विलय को प्राप्त हो जाना या कुछ सौ लोगों का संहार हो जाना? हाँ, यह जरूर साबित करना होगा कि कुछ सौ लोगों के बध से ३३ करोड़ का अधःपात रुक जायगा। पर तब यह तकलीफ का सवाल रहेगा, सिद्धान्त का नहीं। यह कार्य-साधक है या नहीं, इसकी चर्चा फिर करेंगे। पर अगर यह साबित हो जाय कि कुछ लोगों के संहार से ३३ करोड़ लोगों का अधःपात रोक सकते हैं, तो क्या आप हिंसा पर सिद्धान्त की दृष्टि से एतराज करेंगे?”

कोई सिद्धान्त सिद्धान्त नहीं है यदि वह सब तरह अच्छा न हो। मैं अहिंसा की दुहाई इसलिए देता हूँ कि मैं जानता हूँ अकेले उन्हींके बल पर मनुष्य-जाति संबंधित श्रेय को पहुँचती है—अगले जन्म में ही नहीं, इस जन्म में भी। मैं हिंसा पर आक्षेप इसलिए करता हूँ कि जब उससे हित हाना हुआ दिखाई देता है तब वह तो अस्थायी होता है; पर उससे जो बुराई होती है वह स्थायी होती है। मैं नहीं मानता कि एक भी अंगरेज का खून करने से भारतवर्ष को जरा भी लाभ होगा। यदि किसी एक शब्द ने तमाम अंगरेजों को कल ही मार डालना सम्भवनीय न लिया तो लाखों लोग, आज की तरह ही, उससे दूर रहेंगे। मौजूदा हालत के लिए अंगरेजों की बनिश्चत हमारी जिम्मेवारी ज्यादा है। यदि हम निर्दोष अच्छा ही अच्छा करते रहे तो अंगरेज बुरा करने के लिए अवकाश हो जायेंगे। इसीलिए मैं आन्तरिक सुधार पर इतना जोर दे रहा हूँ।

परन्तु क्रान्तिकारी के सामने तो मैंने अहिंसा को नीति के सर्वाधिक आधार पर पेश नहीं किया है बल्कि कार्य-साधकता की नीची बिना पर किया है। मैं कहता हूँ कि क्रान्तिकारी तरीके भारतवर्ष में सफल नहीं हो सकते। यदि ब्रह्ममखण्डा लड़ाई सुप्रसिद्ध हो तो मैं शायद मान सकूँ कि हम हिंसा-पथ को ग्रहण करें ऐसा कि दूसरे देशों ने किया है और कम से कम उन गुणों को ही प्राप्त करें जो किरण-क्षेत्र में जाने से उदय होने हैं। पर युद्ध-कांड के द्वारा भारत के स्वराज्य की प्राप्ति को तो हम, जहाँ तक नजर पहुँचती है, किसी समय में अर्थात् देखते हैं। युद्ध के द्वारा हमें चाहे अंगरेजी शासन की जगह दूसरा शासन मिल जाय, पर आत्म-शासन—जनता की दृष्टि से आत्म शासन नहीं। स्वराज्य की तीर्थ-यात्रा बड़ी कठिन, बड़ी कष्टप्रद बड़ाई है। उसके मानी हैं उदाहरणों की सेवा करने के ही उद्देश से वेहात में प्रवेश करना—दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है राष्ट्रीय शिक्षा—जनता की शिक्षा। इसका अर्थ है जनता के अन्दर राष्ट्रीय चेतन्य और जागृति उत्पन्न करना। वह कोई आदम के आम की तरह अज्ञानक नहीं टपक पड़ेगा। वह तो बट-बूझ की तरह प्रथम से-माहूम बड़ेगा। खूनी क्रान्ति कभी चमत्कार नहीं दिखा सकती। इस मामले में जल्दी मर्यादा निस्सन्देह धरवादी करना है। चरखे की क्रान्ति ही, जहाँतक कल्पना दौड़ती है, सबसे ब्रूत क्रान्ति है।

“जब कि जीवन के परम सार्थक सवाल खड़ा होता है तब क्या तर्क और युक्ति को ताक पर नहीं रख दी जाती है? क्या यह बस्तुस्थिति नहीं है कि कुछ स्वार्थी, जालिम और आग्रही लोग तर्क और युक्ति की बात को नहीं सुनते हैं और हुकूमत करने तथा सत्ताते रहते हैं और एक जन-समाज के साथ अन्याय करते

रहते हैं। आग्रही कौरवों तथा पांडवों में शान्ति-पूर्वक मेल कराने में भगवान् श्री कृष्ण भी सफल न हो सके, महाभारत चाहे उपन्यास हो, बेचारा कृष्ण चाहे आध्यात्मिकता में बड़ा-बड़ा न हो। पर खुद आप भी तो अपने उन न्यायाधीश को इस्तीफा देने के लिए और अपने को सजा न देने के लिए न समझा सके। हालाँकि धारों की तरह वह भी आपको निरपराध मानता था। ऐसी बातों में आत्म-यज्ञ के द्वारा समझाने से कहाँतक सफलता मिल सकती है?”

यह बात दुःखपूर्ण, पर सत्य, है कि जहाँ स्वार्थ का सम्बन्ध आता है, तर्क और युक्ति को लोग ताक पर रख देते हैं। जालिम, टाँ बेशक, बड़ा आग्रही होता है। अंगरेज जालिम का तो आग्रह का अवतार ही समझिए। पर वह राहस्यमुखी राक्षस है। वह नहीं चाहता कि उसका बध हो। उन्हींके शस्त्रों से वह परास्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारे पास उसने ऐसा कोई शस्त्र रहने ही नहीं दिया है। मेरे पास एक इन्धियार है, जो उसके कारखाने में नहीं बनता और उसे वह हथियार भी नहीं कर सकता। उसने अत्यन्त जितने शस्त्रास्त्र पैदा किये हैं उनमें यह बढकर है। वह क्या है? अहिंसा, और चरखा है उसका प्रतीक इसलिए मैंने उसे देश के सम्मुख पूरे विश्वास के साथ उपस्थित किया है। कृष्ण जो कुछ करना चाहते थे उगमें, महाभारतकार कहते हैं, वे असफल न हुए। वे सर्वशक्तिमान थे। उन्हें अपने उस पद से उतार कर बसीटना फजूल है। पर यदि उनके बिच में हम उन्हें सिंग मर्त्य मनुष्य समझ कर, विचार करें तो उनका पलटा ऊंचा उठ जायगा और उन्हें पीछे की तरफ आसन मिलेगा। महाभारत, जैसा कि आमतौर पर कहते हैं, न तो उपन्यास है और न इतिहास है। वह मानव-आत्मा का इतिहास है, जिसमें ईश्वर दूषण के रूप में मुख्य पात्र—नायक है। उग महाशय्य ने ऐसी कितनी ही बातें हैं जिन्हें मेरी अल्प बुद्धि अवगाह्य नहीं कर पाती। उगमें कितनी बातें ऐसी हैं जो स्पष्टतः झेक हैं। वह सुना हुआ न्यजागी नहीं है। वह तो एक खान है, जिसके लोदने की जगह है, जिसमें गहरे पेटने की जरूरत है, तब कच्चे-परथर निकालने पर हीरे हाथ आने हैं। इसलिए मैं व्रतधारी शान्तवादियों, या उसके उम्मीदवारों अथवा उसके किनारे खड़े, मित्रों से आग्रह करता हूँ कि वे अपना पैर पृथिवी-माना पर ही जमा रक्ने और हिमालय के शिखरों पर उठानें न मारें, जहाँ कि कवि अर्जुन तथा दूसरे वीरों को ले गये हैं। हर हालत में मैं तो उसपर चढ़ने का कोशिश करने से ही इन्कार करूँगा। मेरे लिए भारतवर्ष का मेशन ही काफी है।

अच्छा तो अब मैदान में उतर पर, प्रश्नकर्ता इस बात को समझ ले कि मैं अदालत इसलिए नहीं गया था कि न्यायाधीश को समझाऊँ कि मैं निरपराध हूँ; बल्कि मैं गया था अपनेको पूरा अपराधी कुबूल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सजा माँगने के लिए। क्योंकि मैंने तो जान-बूझ कर मनुष्य-कृत दान्त का तोड़ा था। न्यायाधीश मुझे निरपराध नहीं मान सकता था, नहीं माना भी। जेल जाने से कोई ज्यादा दुःखवाना नहीं। सचो दुःखवानी का लोहा इससे कहीं मजबूत होता है। मेरे ये मित्र आत्मा के फलिताथे को समझ लें। यह मतान्तर की एक विधि है। मुझे इस बात का यकीन हो चुका है, और यह कड़ने के लिए क्षमा किया जाऊँ, कि मेरी हठ अटल आहवा ने हिंसा की कितनी ही भयंकरियों और कृतियों को अपेक्षा ज्यादा अंगरेजों को अपने विचार का कायल किया है। मैं कहता हूँ कि जिस दिन ज्ञानयुक्त अहिंसा भारत में आम चीज हो जायगी, स्वराज्य हमारे सामने होगा।

(पं. ई.)

मोहनदास करमचंद गांधी

## अन्त्यज साधु नन्द

( गंगाक से आगे )

बड़े-बूढ़े लोगों में से एक तो यह गंगा रूढ़ा था कि नद गंग जाय ना अन्धरा, पर नद ना जा गया। इधर मनमो भा बरतन बेंच कर बकने चला चली थी।

किन्तु नद का साथ ना बटने लगा। जो सुबह से खोद कर भग गये वे उनकी भा थोड़ा उमपर गयी और व फिर उनके साथ हो गिये।

अब नंद का भगवत्थ बटा। तिन तिरहुकर मंदिर न महादेव ने इस तरह दर्शन दिये क्या वे प्रत्यक्ष दगन न देग ? उनके मंदिर में नहीं जा सकते। पराया लोग मंदिर को पीछे-बहुत सेवा तो करने थे। मंदिर की जमीन में वे मजदगी करने थे। मंदिरों के नगारों और नगरों के लिए चमड़ा ले जाते थे। गोरौचन नामक सुगन्धित लव्य जो कि पशुओं की हड्डियों में निकलता है, उसे भी वे मंदिर में ले जाते। नद ने विचार किया कि तिरहुकर के महादेव के लिए यह बहुतेरी सामग्री ले कर एक दिन जाऊ। पहले तो वह वे सब सामग्री ले आया था। अब उन्हें उन का समर्पित करने का विचार किया। नद तथा उसके साथियों ने एक दिन शनिवार को खूब तेल मल कर स्नान किया, नाक-मुथरे हुए, ललाट पर सौर लगा कर, भद्र-सामग्री ले तिरहुकर को रवाना हुए। वहां जा कर तीन बार मंदिर की परिक्रमा की और पुजारी तक अपनी पुकार पहुंचाई। दो नौकरों ने आकर भद्र-सामग्री लेने की कृपा की। शाम हो गई थी। आगती और दक्षिण का समय हो गया था। नंद और उसके साथी दाहि दरवाजे के सामने जाकर खड़े रहे। परन्तु तिरहुकर ने जहां वही मूर्ति के सामने एक बड़ा भारी नदी था। सब मंदिरों में बड़ा नन्द ही था। जयमे मूर्ति छिप जाती थी। दरवाजे के बाहर किसी स्थान में मूर्ति के दर्शन न हो पाते थे। नद के दुःख की सीमा न रही। वह तो सिद्धि चण्डा प्रेष तथा प्रथम करनेवाले कुछ ब्राह्मणों को ही देस सकता था। पर मूर्ति के दर्शन किसी तरह नहीं हो सकते थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। गोरौचन तोर धूप की सुगन्ध से आर्तित होन की जगह उलटा उसका दमन घमन लगा।— 'मैं पराया, पापी—कहां से महादेव के दर्शन हों ? मेरे पाप नदी एतन्न मेरे सामने राते है।' यह कहता हुआ वह फूट फूट कर रोने लगा। रो रो कर उसे मूर्छा आ गई। गिर पडा और बेहोश हो गया। वह भोले मुह था हुआ था और दोनो हाथ प्रणाम करने के लिए जोड़े हुए थे। उनके साथी यह सब हाल देख रहे थे, पर किसीने उसे जांचन न किया। थोड़ी देर के बाद वह होश में आया— 'ता मन्ने एक अवस्था देखा। नदी की मूर्ति एक और छुट गइ जा तोर महादेव के दर्शन साफ नौर पर होने थे।' नंद के आनंद और आशा का ठराना न रहा। पर दर्शनसा हो नाचने लगा और भगवान के प्यान में भीन नंद तो देग कर, नदी की मूर्ति को देनना भूल कर, अब नद के हा दर्शन करने लगे ! आज भी नदी की यह मूर्ति तिरहुकर में एक आम मुकी हुई दिखाने होती है !

३

ईश्वर के इस अनुग्रह का बदला किस तरह दे ? तिरहुकर के मंदिर के पास तालाब न था और लोग पानी के बिना दुख पाते थे। नद तथा उसके साथियों ने तालाब गोदना शक किया। यह भव्य तालाब आज भी मौजूद है और नदस्था प्रचलित है कि महादेव ने गणेशजी को नद की सहायता के लिए भेजा था। नहीं तो ऐसा विशाल तालाब किस तरह खुद सकता था !

हम लोग यह मानकर कि गणेश ने आकर नंद को मदद दी, भले ही मनोप गांन है— नद अपना काम करके गांव चला गया। वहां महादेव का भजन करते हुए अपने मालिक के घर फिर मजदगी करने लगा। पुगना मालिक भग गया था। और अब वही लडका जिसने नद की कनपुटी पर पत्थर मारकर जिन्दगी भरके लिए निशाबी कर दी थी, उसका मालिक हो गया था। इस नये मालिक ने नदी के झुक जाने की बात न मानी। 'कौन देखने गया है ? मूर्ति पहले मे छुकी हुई होगी। हम तो इतना जानते है कि नद बटा मिहनती है। करता रहे न अपने यहाँ भजदगी देंगे उसे खाना कपडा।' बस यही मनोभाव उस मालिक के थे। नद की हालत भी सुधरी। उसे मजदगी भी बहुत मिलने लगी और चमड़े तथा गोरौचन की भेट तो जारी ही थी। इसी बीच वैश्वेश्वरन कोटल (मंदिर) में एक उत्सव हुआ। खबर मिलते ही नद अपने साथियों सहित रवाना हुआ। उस उत्सव के समय मूर्ति एक स्थान में रखकर घुमाई जाती है और पराया लोगों को दर्शन करने की लुझी रहती है। नद ने दर्शन किया। वहाँ एक ब्राह्मण कथा करता था। नद मुनने खडा रह गया। वे शब्द उसके कान पर पड़े— 'चिदंबरम पवित्र से पवित्र स्थान है—काशी और रामेश्वर से भी अधिक पवित्र। वहाँ नटराज की भव्य मूर्ति है। नटराज के हाथ में डमरू है और डमरू के नाद से अनेक लोक उत्पन्न होते है।'

'नटराज के हाथ में डमरू' हमारे जैसा पराया ही है वह भी। हम भी होल बजाते है और वह भी बजाता है।' वह कर नंद जानेंद से पुलकित हो गया।

कथा आगे चली— 'नटराज का चमरा हाथ तमाम भुवनों को ठीक रखता है। बायें हाथ में अमि है, इससे वह नाष्ट तथा अशुष्टि को भस्म कर सकता है। क्योंकि सृष्टि, रिकान, और लय तीनों बातों का कर्ता वह है। नटराज के जो दर्शन करता है वह फिर चाण्डाल हो या पराया, एक क्षण में भवसागर पार हो जाता है।'

नद एक एक शब्द का पी रहा था। उसकी आंखों के सामने नटराज की मूर्ति खड़ी होती थी। उसने विक्ल और अंधार हो कर कथाकार से पूछा— 'भला यह तो बताइए, यह चिदंबरम् कहाँ है ?'

'कालसुन नदी के उत्तर की ओर। एक दिन का रातगा है यहाँ से उत्तर की ओर।'

'नटराज चाण्डाल को भी तार देने है ?' नद ने पूछा।

'हां, जरूर। कौन है ? जरा इधर आओ। सब बातें कहता हूँ।'

एक ने कहा— 'यह तो आपनुर का पराया नद है। इसे छुड़ायो नहीं। यह शिवजी का भक्त है, हमेशा चमड़ा और गोरौचन भेजता है।'

नद नजदीक तो चली गया, परन्तु फिर पूछा— 'सुन जैसे पराया को भी नटराज मोक्ष दिला देते है !'

'हां हां, स्थल पुराण में ऐसा लिखा है। वह कहीं मिथ्या हो सकता है ?'

नद ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और उसी दम उत्तर की ओर बेतहाशा कदम बढ़ा दिया।

उसके साथियों ने कहा— 'हमें तो पश्चिम की ओर जाना चाहिए, यह उत्तर की तरफ कहाँ चले ?'

नद— 'चिदंबरम् चलने है न ?'

'अरे पर साह, बिना रास्ता जाने—कूसे अंधेरे में कहाँ जाओगे ?'

‘उत्तर की ओर चले चलेंगे, और सुबह होने पर रास्ता पूछ लेंगे।’

‘पर, इस तरह कहीं जा सकते हैं? हम रात को तो इसलिए आ सके कि काम-काज से छुटी थी। सुबह होने ही तो हमको अपने काम पर जाना है। हम कुछ मालिक नहीं, गुलाम हैं। हम अपना काम छोड़ेंगे तो यह ईश्वर को भी मजूर न होगा।’

नंद रुका; इस तरह ईश्वर का नाम सुना तो पुरत खड़ा रह गया, और कहा — ‘हाँ, चलो गुलाम तो हैं ही। मालिक से छुटी लेकर चिदंबरम् चलेंगे।’

(अपूर्ण)

## टिप्पणियां

### कातनेवालों से

मैं कितनी ही बार लिख चुका हूँ कि कातने का मतलब ज्यों स्थो करके तार निकालना नहीं। ऐसे-वैसे आटे को किसी तरह पानी में मिलाकर टेढ़ा-मेढ़ा रोट आग पर कच्चा-पत्रा कर लेना रोट्टी पकाना नहीं कहा जा सकता और उसे रोट्टी समझ कर यदि खावेंगे तो बवहजमी होगी। इसी तरह ऐसी-वैसी रुई का भली-बुरी तरह धुनक कर मोटे-पतले तार सीकने का गुन नहीं कह सकते। मूल तो उर्माओं का कह सकते हैं जो आसानी से बुना जा सके। इस बारे में लिख के मूल को अपने लिए नमूना मानना चाहिए। जबतक हाथ ऐसा मूल न कातने लगे तबतक उसे हमारी खार्पा समझनी चाहिए। उम्र तक पहुँचाना तो ठीक, यह अनुभव-निष्ठा है कि हम उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छे मिल के मूल से ठाथकना अच्छा मूल लगना बढकर होता है। उसके बने कपडे में जो मुलायमी होती है वह मिल के कपडे में कभी नहीं आती। परन्तु जबतक हम उम्र तक नहीं पहुँच सकते तबतक खादी के खिलाफ विचारों हमारे पास आती ही रहेंगी और धुननेवाले को भी खादी गुनने में कठिनाई पनी रहेगी।

हाल में प्र० भा० खादी-मण्डल के नाम एक कार्यकर्ता का पत्र आया है। उसपर ये विचार लिखने पड़े हैं। कताई-मताधिकार के पहले महात्म्या के तमाम पदाधिकारियों को प्र० भा० खादी मण्डल के पास मूल भेजना पड़ता था। उस मूल की खादी बुनाने में जो जो तजरिने हुए हैं वे बड़े कीमती हैं। पूर्वोक्त रिपोर्ट इसी तजरिने का फल है। उसमें वे कार्यकर्ता लिखते हैं, मूल इतना कच्चा कमजोर था कि धुननेवाले मही गुन सकते। फिर मूल की फालकियों की नाप सब का बराबर नहीं है और वह इस तरह लोटा गया है कि कोकटे बनाने में बहुत समय देना पड़ता है। ये दोनों खामियां दूर होना जरूरी हैं। पदाधिकारी लोग तो इस बारे में कुछ सावधानी रख सकते थे। पर उन्होंने चिन्ता ही नहीं रखी मालूम होती। फलतः या तो मूल की गुनाई बंद रखनी पड़ेगी या उसे ऐसे-वैसे काम में लगाना पड़ेगा।

मेरे जो हाता था सो हुआ।

अब तो कताई मताधिकार में शामिल हो गई है। इससे कातने वालों संख्या बढनी चाहिए। इसलिए पूर्वांक अनुभव से हर कातनेवाले का काम उठाना चाहिए।

हर एक कातनेवाला इन दो बातों को याद रखे—

१—बलदार और एकसा मूल हो

२—मूल बार फुट की फालकी पर उतारा जाय और हर १० गज पर आंटी लगाई जाय।

ये दो गुण जिसमें न हो वह मूल माने जाने लायक नहीं। अधिक सावधानी रखनेवाले रुई की किरम को समझ, ठीक ठीक धुनके या धुनकावे और उससे जिन अक का मूल निकल सकता हो वह कात तथा हरबक मूल को निकालने के पहले उसे

फुकारें। इतना करने पर कहना चाहिए कि उसने अपने तथा देश के साथ परा इन्साफ किया। यदि हम आम तौरपर २० अंक का मूल कातने लगे तो खादी की कीमत बहुत कम हो सकती है और लियों का विरोध बन्द हो सकता है।

मताधिकारी यदि अपने धर्म को समझ लें तो हमें सबसे अच्छा मूल रुई के दान में मिल सकता है। यदि हम इतना कर लेंगे तो खादी-संबन्धी तमाम मुद्दों पर अपने आप दूर हो जायेंगी। मताधिकारियों का प्रामाणिक परिश्रम खादी की रक्षा है, महात्म्या है राज्याश्रय है। मताधिकार गण इतनी प्रायना सुनेंगे।

(नवजीवन)

मी० क० गांधी

### अभिनन्दन पत्र देनेवाले ध्यान दें

ये बार बार यह कह चुका हूँ कि मुझे दिये जानेवाले अभिनन्दन-पत्र पर जब चाँखटा लगा हुआ होता है या जब वे कामती करण्डक में रखे जाते हैं तब यात्रा में उनकी रखना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मुझे भारी भारी चीखते और अभी अभी कीमती करण्डक लोग देने ही रहते हैं। जहाँतक देश कीमती से भय है वलकत कांपोरेशन इगमें सबसे ज्यादा गुनद्वार है। जब मुझे बड़ा अभिनन्दन पत्र दिया गया तब उपार के सुवर्ण-पत्र में दिया गया था। उनकी फर्मायश का तबक जेथान न हो पाया था। अब इस यात्रा में देशवन्द ने मेरे हाथों में एक बड़ा बड़िया सुवर्ण-पत्र रक्खा जिन्पर कि तमाम अभिनन्दन-पत्र खुदा हुआ था। ज्यों कि बड़े मुझे दिया गया मैं हँगा हुआ कि 'से रसगु कदा? और यही हालत उनकी भी थी, हाथों के बर दिया गया था उनके उसी पुराने मटल में। जब वे जाने लगे तो ये महारब तैमारे की अलदता खुलाकर कह गये कि सुवर्ण-पत्र रिफाजत की जगह रखाता। सीभाग्य से बाबू सतीश मुखर्जी मेरे पास थे। मैं उनसे उस सुवर्ण-पत्र की बात पहले कह चुका था और उन्होंने उसे अपने जिम्मे ले लिया। यह पत्र भी वहीं आया जहाँ और मेरी कीमती भेद की चीजे गई है। जिन लोगों को मैंने ये सब चीजे दी थीं वे अब इस यात्रा का पैसला नहीं कर पाये हैं कि उन्हें बेच डालें या किसी अजायब घर में रख दें। क्या धन्डा हो, यदि वे जाग जाँ मुझ अभिनन्दन-पत्र देना चाहते हो यह जानकर कि मैं देश कीमती चीजों को नहीं रख सकता, ऐसे ही अभिनन्दन-पत्र दिया करे जिनमें कम खर्च लगे। और चीखटे? उनकी तो यात्रा में उठाने फिरने में बहुत ही अशुविधा होती है। यहूतरे भिद्यो ने तो इस हालत को जान लिया है और अब वे खादी पर छे अभिनन्दन-पत्र देने लगे हैं। मेरी समझ में यह सब से ज्यादा सीधा सादा आर उतम तरीका है। खादी तो मैं अपने साथ जितनी हो, ले जा सकता हूँ। जितने भी अभिनन्दन-पत्र उसपर लगे उतनी ही खादी का पैसाल होगा। पर अगर खादी अभिनन्दन-पत्र के साथ भाँ करण्डक देना जरूरी हो तो मैं फर्गदपुर के लदाहरण को और उनका ध्यान दिलाता हूँ। म्युनिसिपल्टी और जीवनाव-मिशन ने बांस की नालियों में अभिनन्दन-पत्र दिये थे। एक नला चित्तूरसो या और दूसरी पर चटाई चटाई हुई थी और सिरों पर चाँदी। पर चाँदी भी आसानी से उखाड़ी जा सकती थी। सादी से सादी नीत्र भी जरा ही कला का रपश होने से गुल्ल हो सकती है और उसमें हम अपने आसपास के जीवन का अनुकरण कर सकते हैं। हिन्दुस्तान का ग्राम जीवन यद्यपि लिख-भद्र हो गया है, तथापि अब भी उममें इतनी कला और कावता मौजूद है

कि हम उसका अनुकरण कर सकते हैं। प्राबलकोर में तो उन्होंने ताड़ के पत्तों से खूब काम लिया था। हाँ, यह तो मैं तमाम अभिनन्दन पत्रों के लिए कहूँगा कि उनमें सादगी हो—कला—युक्त सादगी हो। पर अपने लिए तो सास तौरपर जोर देना चाहता हूँ: क्यों कि न तो हममें मुझे सुविधा है और न मुझे असिलाषा ही है कि कीमती और भारी करण्डक और चौखटे अपने पास रखूँ।

### मेरठ में कताई

चांगरी रघुवर नागपणसिंह मेरठ से लिखते हैं कि मैंने बेलगाव में ५०० नये सदस्य बनाने का वादा किया था, पर मैं आने छोटे भाई की भारी बीमारी और अन्न को मृत्यु के कारण मीयाद के अन्दर उसे पूरा न कर सका। पर अब स्वराजी वकील बा० ज्योतिप्रसाद तथा दूसरे मित्रों की सहायता से ६४७ सदस्य बना पाया हूँ जिनमें २०० खुद कातनेवाले हैं। हाँ, यह तो जितना कुछ हुआ ठीक है पर मैं चौधरीजी को याद दिलाता हूँ कि उन्होंने तो ५०० खुद कातनेवाले सदस्य बनाने का वादा किया था। आशा है कि वे तथा उनके साथी इस बात को ध्यान में रखकर तबतक दम न लेंगे जबतक उलनी गेहूँया पूरी न हो जाय। चौधरीजी यह भी लिखते हैं कि हम यहाँ मर्दों-औरतों की कताई की बाजियाँ भी रखते रहते हैं और लोग उनमें खूब हिस्सा लेते हैं। सब मिलाकर वे कहते हैं, कि यद्यपि तरकी धीरे धीरे हो रही है पर वह मजबूत होती जा रही है। कताई और धुनाई सिखाने की भी तजवीज उन्होंने की है।

### एक महाशय की दुबिधा

“मैं ‘य. इ.’ में प्रदर्शित आपके विचारों पर कुछ समय से मनन करता हूँ। मुझे उनमें एक भारी अनगति दिखाई देती है। एक ओर तो आप मनुष्य के सामने सन्यासी का आदर्श रखते हैं जिसके भानी होते हैं दुनियाँ की चीजों का त्याग और ईश्वर-भक्ति। पर दूसरी ओर आप भारत के स्वराज्य के लिए प्रयत्नशील हैं, जिसकी कि आवश्यकता सन्यासी के लिए नहीं है। समझ में नहीं आता इन दोनों बातों की समाति कैसे लगायें? एक सन्यासी को अपने दश की राजनैतिक हालत की चिन्ता नहीं करनी चाहिए? बल्कि अगर वह अपना ध्यान स्वराज्य जैसी धुर बाँतो पर लगायेगा तो वह सन्यासी नहीं है, क्योंकि उसका अनुराग दुनियाँ की लाभ में बना हुआ है। अतएव सन्यासी को अपने लिए स्वराज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर वह दूसरे के लिए प्राप्त करता हो तब भी वह गलती करता है। क्योंकि उनका मनोविकास पूरा नहीं हो पाया है। तो फिर लोगों को मध्या आदर्श की ओर ले जाने से क्या काम है?”

यह है लेखक की समस्या। मुझे पता नहीं कि मैंने ‘मनुष्य के सामने सन्यासी का आदर्श रखना है। मैं तो भारतवर्ष के सामने स्वराज्य का आदर्श रखना हूँ। हाँ, ऐसा करते हुए मैंने सादगी का उपदेश जरूर किया है। मैंने सदाचार का भी उपदेश दिया है। परन्तु सादगी, सदाचार और ऐसा गुण अकेले सन्यासियों की सम्पत्ति या सौभाग्य नहीं है। फिर मैं यह जरा दूर के लिए नहीं मानता कि सन्यासी एकान्तवासी हो जिसे दुनियाँ की कुछ फिक्र न हो। बल्कि सन्यासी तो वह है जो अपने लिए किसी बात की चिन्ता न करता हो, चौखटों घण्टे औरों की फिक्र करता हो। वह तमाम स्वार्थ-भाव से मुक्त हो जाता है। पर वह निस्वार्थ कामों में लगा रहता है, जिस तरह कि ईश्वर निस्वार्थ भाव से लगा रहता है, सोला तक नहीं, इसलिए एक सन्यासी तथा सच्चा त्यागी-विरक्त कहा जायगा जब वह अपने लिए नहीं (क्यों कि उसे ता

वह प्राप्त ही है।) बल्कि औरों के लिए स्वराज्य की चिन्ता करे। उसे अपने लिए कोई दुनियाँ की महत्वाकांक्षा नहीं रहती है। पर इसके यह मानी नहीं है कि वह औरों को दुनियाँ में अपना स्थान जानने में मदद न दे। यदि प्राचीनकाल के सन्यासी समाज के राजनैतिक जीवन में दिमाग लटाते हुए नहीं देखे जाते हैं तो उसका कारण यह है कि उस काल की समाज-रचना मित्र प्रकार की थी। पर आज तो राजनीति जीवन की प्रत्येक बात पर शासन करती है। हम चाहें या न चाहें, सैकड़ों बातों में हमारा माबका राज्य से पड़ता है। सन्यासी के नैतिक जीवन पर राज्य का असर पड़ता है। इसलिए समाज का सब से बड़ा हितैषी होने के कारण सन्यासी का ताल्लुक राजा-प्रजा के संबंध से हुए बिना नहीं रह सकता—अर्थात् उसे प्रजा को स्वराज्य का रास्ता दिखाये बिना चारा नहीं। इस तरह से विचार करने पर स्वराज्य किसी के लिए गलत आदर्श नहीं है। लोकमान्य ने इससे बढकर सत्य बात कही नहीं कही है, जब कि उन्होंने हमसे से अत्यन्त हीन मनुष्य को भी मंत्र दिया—स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सन्यासी तो स्वयं स्वराज्य-प्राप्त होता है इसलिए बड़ी सभ से योग्य पुरुष होता है उसका रास्ता दिखाने के लिए। सन्यासी दुनियाँ में रहता है पर वह दुनियाँदार नहीं होता। जीवन के तमाम महत्वपूर्ण कार्यों में उसका आवरण साधारण मनुष्यों के जैसा होता है, सिर्फ उसकी दृष्टि जुड़ी होती है। हम जिन बातों को राग के साथ करते हैं उन्हें वह विराग के साथ करता है। विराग प्राप्त करना हम सब लोगों के लिए ईश्वरी प्रसाद है। निश्चय ही हर शक्य के लिए यह एक उत्तम उर्ब आकांक्षा है।

(य. इ.)

सी० क० गांधी

### महासभाके सदस्य

१६ मई तक महासमिति के दफ्तर में सदस्यों की संख्या १५३५५ तक पहुँचने की खबर है।

	अ-वर्ग	ब-वर्ग	कुल-
१ अजमेर	२	१५	१७
२ आंध्र	०	०	१९६५
३ आसाम	११३	१	११४
४ बिहार	७१८	२६१	९७९
५ बंगाल	३५४	१९१९	२२७३
६ बरार	६	२०	२६
७ ब्रह्मदेश	३३	२८	६१
८ मध्यप्रान्त(हिन्दी)	०	०	५००
९ ,, (मराठी)	८०	५२	१३२
१० बम्बई	२४२	२०१	४४३
११ देहली	२४३	६४७	८९०
१२ गुजरात	२०९५	१०१	२१८६
१३ करनाटक	३७६	३०४	६८०
१४ केरल	—	—	—
१५ महाराष्ट्र	४०८	२९२	७००
१६ पंजाब	५०	७१४	८०४
१७ सिन्ध	१०७	२३४	३४१
१८ तामिलनाडु	—	—	—
१९ रायप्रांत	२३७	४६७	७०४
२० उत्कल	०	०	३१०
	५२६४	५१९६	१०४६०



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक २१ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
वैणीकाल छानकाल दूध

अहमदाबाद, जेट नुही १२, सितम्बर १९८२  
गुरुवार, ४ अक्टूबर, १९२५ ई०

प्रकाशस्थान—नवजीवन प्रकाशकाल,  
वाराणसीपुर वाराणसी की बारी

## बाढ़-संकट-निवारण

यह मेरे लिए ना-सुमकिन था कि मैं बंगाल तो जाता पर वहाँ के बाढ़-पीड़ित प्रदेशों को और जहाँ मैं किसे आचार्य राय की संकट-निवारण-समिति के काम को न देखता। मेरे लिए यह एक तीर्थ-यात्रा थी। क्योंकि एक तो आचार्य राय ने मेरा समाधान देठ १९०१ से है और दूसरे, उन्होंने बड़ी सफलता के साथ यह दिखा दिया है कि बरखा किस तरह संकट निवारण के लिए उपयोगी थी है और बाढ़ी संकट के समय किस तरह बतौर एक हीमा के है। यदि वेहाल के लोगों को यह ज्ञान दिया जाय कि बाढ़ और अकाल के मौकों पर किस तरह से काम करना चाहिए और साथ ही वे जेती के अकाला एक ऐसे पेशे की भी भावत हाल है — क्योंकि जेती तो बाढ़ या अकाल के समय असमन हो जाती है — तो बहुतेरा समय, धन और परिश्रम जो कि अग्र तौर पर ऐसे पेशे पर द्रकार होता है, बच सकता है। पर जब कि ऐसे मौकों पर लोगों को दान और चन्दे पर अर्पित रहना निश्चया जाता है तो एक तो वे आत्म-सम्मान से हीन हो जाते हैं और दूसरे अपने अंगों का उपयोग करना मूल जाते हैं। तब सत्वहीनता उनके अन्दर प्रवेश करती है और अन्त को वे लोग मरुज नीची धेणी के पशुओं की हालत को पहुँच जाते हैं। पशु अपने जीवन में कम से कम आनन्द का अनुभव तो करते हैं; परन्तु उन मनुष्यों को तो जीते हुए मरे के समान समझिए। ऐसी अवस्था में मैं जितना हो सके छुड़ अपनी आँखों से यह देखना चाहता था कि इस बरखा-पीडाने रसायनाचार्य ने बाढ़-पीडित प्रदेशों में क्या काम किया है।

मैं पहले बांगला और वहाँ से तल्लोरा गया, जहाँ कि आचार्य राय को मैंने उनके असली रंग में देखा। 'यह कुटिया मुझे उस आलीशान 'सायन्स कालेज' से उवाह क्रीमती है। वहाँ मैं और सब जगह से ज्यादा शान्ति और समाधान पाता हूँ। और बरखा तो मुझपर अपना रंग दिन पर दिन जमाता जा रहा है। पुस्तकों के अध्ययन से बड़े दिमाग को वहाँ खूब आराम मिलता है।' तल्लोरा एक छोटा-सा गाँव है जहाँ कि संकट-निवारण-समिति का एक केन्द्र है। समिति ने कोई २० बीघा जमीन खरीदी है और बाँस की झोपड़ियाँ बना कर उनपर छपर डाले हैं। आराम का कुदरती दृश्य बड़ा रमणीय है। पूर्व बंगाल में फसली

बुझार की फसल खूब रहती है। अपने निबनों के उत्पन्न का यह दृश्य कुदरत लोगों को दे रही है। परन्तु पूर्व बंगाल में मजरी ऐसी छई हुई है और उससे उसकी शोभा ऐसी बड़ गई है कि उसका मुकाबला करना मुश्किल है। मजुम्य उस भूमि को बुझार वाली छो बना पाया है पर उनके प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट नहीं कर पाया है।

इस विश्रान्तिदायक स्थान में मैंने संकट-निवारण-संबंधी कामों की सारी क्या सुनी। वहाँ जो अभिनन्दन-पत्र मुझे दिया गया उसमें एक भी स्तुतिवाचक शब्द न था। उसके अः टक्ष्य किसे पूज्यकैप पने बलुस्थिति और अकों के विवरण है मरे से। पाठकों के लोम के लिए उनका सार यहाँ दे रहा हूँ।

सितंबर १९२२ में राजशाही और जेयबा किल्लों में अक्षरक्ष्ण बौध आई। उत्तरी बंगाल की कोई ४००० वर्ग बीघा जमीन व उगने जुकसान पहुँचाया। जुकसान कोई १ करोड़ का आँका था। पड़ली कठिनाई तो पाई गई थी संकट-निवारण का प्रबंध करने की और उसके निमित्त काम करनेवाले अनेक दलों को एक सूत्र में बांधने की। जिन्हें संकट-निवारण के कामों का मरा भी ज्ञान है वे जानते हैं कि खाली सेवा करने की इच्छा या लपटे से ही काम नहीं चल सकता। उसके लिए ज्ञान और योग्यता की भी जरूरत है जिसका कि अभाव पाया जाता है। यथोचित काम-प्रणाली के द्वारा दो बुराइयों रोकी गई — एक तो एक ही अगह बुझारा काम का करना और दूसरे अज्ञानयुक्त व्यवस्था। सारा बाढ़-पीडित प्रदेश ५० केन्द्रों में बाँट दिया गया था। इस विभाग समठन के अन्वक्ष और कोई नहीं श्रियुन सुभाषचन्द्र बोस थे, जोकि आज मण्डाले के किले में सभाद् सहायक के मिहमान हैं। डा० इन्द्रनारायण सेनगुप्त उनके सहायक थे। इस समिति ने २५,६०६ का अनाज और ५५,९००) के कपडे बाँटे। इसके अलावा ८०,००० कपडे के टुकडे ७५,००० पुराने कुबते और जाकट बाँटे गये सो अलग ही। उसने १,२०४ का मूसा और ५२ वागन (waggon) बाँस की बाँटा, जो कि उधे दान में मिला था। उसकी देख-भाल में १०,००० श्रौपडियाँ बनाई गई थीं। सामान गाँववालों के दरवाजे पहुँचाया गया था। मजदूरी खर्च भी उन्हें दिया गया था। जब एक बार दो रकम खर्च हो जाती थी और उसकी जाँच हो कर

रपोट मिल जाती थी तब फिर मजदूरी खर्च दे दिया जाता था। निगरानी इतनी कड़ी थी कि सिर्फ तीन बार कमरा. — १,५००), ३५०) और २००) गबन हुए। फौरन ही पता लगाया गया और एकम वापस हासिल की गई। ज़ोपड़ियों की बजवाई में १,१२,७५७) खर्च हुए। यदि कालिकापुर में जमीन की रक्षा करनी हो तो बांध बांधने की बहुत ही जरूरत थी। खर्च पूछिए तो यह काम है जिला बोर्ड का। पर वह उसका बोझ उठाने में असमर्थ थी। सो इस समिति ने कोई एक मील लम्बा बांध बाधा जिससे ६,००० बीघा जमीन की रक्षा जत हुई। उसमें ५,७७५) खर्च हुआ। फिर भी धीरे धीरे जब काम जम गया, समिति ने गांववालों को कुछ काम देने की तजवीज की। उसका मिहिनताना उन्हें खाने और कपड़े के रूप में दिया गया। उन्हें धान कूटना का काम दिया गया। कुछ धान बाढ-पीड़ित कुटुम्ब को दे दिया जाता था वे कूट कर चावल नियत केन्द्र को ले आते थे। हर कुटुम्ब को यह अख्तियार दे दिया गया था कि वह नियत दिकदार में चावल अपने खाने के लिए रख ले। इस काम के १४ केन्द्र थे। इन केन्द्रों से महीने तक २०,००० पेट को खाना मिला। ५०,००० मन धान में से २७,४०० मन चावल मिला। नाग किछीने नहीं किया। इस काम में ४३,०००) खर्च हुए। खाने और कपड़े के अलावा दवा-दरपन की भी काफी मदद पहुंचाई गई थी।

परन्तु इतने ही पर समिति की आकांक्षा पूरी न हुई। उसने कुछ स्थायी काम कर के उस रकम के योग्य अपनेको बनाना चाहा जो कि उसे सर्व-साधारण की आर से उदारता-पूर्वक मिली थी। उसने लोगों को ऐसे कष्ट के समय में स्वावलम्बी और स्वाश्रयी बनाना चाहा। यहाँ में अभिनन्दन-पत्र की भाषा में ही इस बात की तफसील देता हूँ कि किस तरह उनके अन्दर चरखे का प्रवेश किया गया—

“जब कारिदा हुई तो धान कूटना मुश्किल हो गया। पर पीड़ितों को प्रायः सभी केन्द्रों में सहायता की तो जरूरत थी ही। अच्छी फसल के मौके पर भी ऐसे मुकाम थे जहाँ ध्यान देने की जरूरत थी। उन्हें न तो उस समय जमीन जोतना होती है, न फसल काटना होती है। और औरतों के लिए तो उखकी आंग भी ज्यादा जरूरत होती है। और हमारे उस रकबे में ऐसे लोग कम न थे। तब चरखा प्रवेश करने की बात सोची गई और कुछ केन्द्रों में वह धीरे धीरे दाखिल किया गया। सबसे पहले खमरगांव में चरखा शुरू किया गया जहाँ बूढ़ी औरतों को अब भी चरखा-कताई के दिन आद थे। पर १९२३ के मध्य के पहले जबतक कि चरखा प्रचार के लिए मगोरथ प्रयत्न न किया गया, बहुत तरकी न हो पाई। परन्तु पिछले तमाम कामों से कार्यकर्ताओं को कताई का संगठन करना बहुत मुश्किल मालूम हुआ। उनके लिए यह अभि-परीक्षा ही थी। अबतक तो उरकगडा थी लोगों को, परन्तु अब उनके अन्दर उसे पैदा करना पड़ता था। कताई-काम तभी जारी हो सकता था जब कि काम करनेवाले खुद निपुण सूतकार हों। बहुतेरे कार्यकर्ता जिन्होंने अबतक काम बड़ी खूरी के साथ किया था, इस कमाठी पर पूरे न उतरे। १९२३ के उत्तरार्ध में शुरामपुर नामक केन्द्र में कुछ चुने हुए कार्यकर्ताओं को चरखे की अमली तालीम दी गई। इस समय तक अबतक पड़े तमाम केन्द्र शुद्ध हो चुके थे—१९२४ में खुके तीन केन्द्र को श्रेय कर। तीन केन्द्र अबतक बंद हुए हैं—स्थानिक लोगों की सहानुभूति के अभाव से। १९२३ में शुरुआत के पांच महीनों में ९ केन्द्रों में ९१ मन सूत निकला, उससे १०,००० गज

नपका तैयार हुआ और उस साल में कुल खादी बिकी ४,६७६) की हुई।

१९२४ में ९ केन्द्रों में ३९० मन सूत हुआ, ९६,३०० गज कपड़ा बुनाई केन्द्रों में तैयार हुआ और ७६,२२५) की कुल खादी उस साल बिकी।

इस वक्त १० कताई केन्द्रों और ३ बुनाई केन्द्रों के द्वारा खादी-काम हो रहा है। १९९ गांवों में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। २,९८७ चरखे इतने ही लोगों में बाँटे गये हैं। कातनेवालों में सुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है, हिन्दुओं की तादाद इग प्रदेश में बहुत ही कम है कुल कातनेवालों के ३ भी वे न होंगे।

३ कताई केन्द्रों में २०० बख्तकार हैं जिनमें सिर्फ १२ हिन्दु हैं। १०४ बख्तकार केवल शुद्ध खादी बुनते हैं और उनकी आमदनी ११० से १५०) साल होती है। फोयजान बीबी नामक एक कातनेवाली की ज्यादा से ज्यादा आमदनी ७-१३-३ और एक जुलाहा युसमत की ३१) एक माह में हुई है।

तल्लोरा केन्द्र में निमाइदीधी नाम का एक गांव है। अभी वहाँ १३० चरखे चल रहे हैं पिछले साल के छः महीने में उस गांव की कुल आमदनी १२२ चरखों के द्वारा १,२८८) हुई अर्थात् १-११) की सूतकार की माह पड़ी। तिलकपुर केन्द्र के अंतर्गत श्योल नाम का गांव में ११ जुलाहों ने छ, महीने में १,१७४) पैदा किये अर्थात् १८) की जुलाहा माहवार पड़े। एक देहाती के लिए अबतक ही यह अच्छी आमदनी है।

#### चरखा अकाल का बीमा

अतराई के आग पास के प्रदेश की अपेक्षा बोगडा के लोगों की दिकते कम न थी। बाढ के बाद में मन्त मूखा पहा—कहाल और भूपर्वाचया धानों में कोई ६० फी सदी फसल मारी गई, सकट निवारक कार्य तुम्हत् ही शुरू किये गये। बोगडा जिला के मजिस्ट्रेट की संकट-निवारण के लिए चरखा अच्छा जवा और उन्होंने यह काम हमारी निगरानी पर छोड़ दिया। हमने अपने तल्लोरा, चम्पापुर, दुर्गापुर और तिलकपुर केन्द्र से यह काम शुरू किया।

	गांव	चरखे	कताई	बुनाई	लुवाई	कुल
तल्लोरा	३३	४२७	९,३४४	४,९१९	४६५	९३९८
चम्पापुर	२६	३५८	३,७२७	—	—	३७९७
दुर्गापुर	१८	१३५	१,४१५	—	—	१,८१५
तिलकपुर (बुनाई)	८	६७ चरखे	—	२८१०	—	२८१०

इस तरह इन चार केन्द्रों से ७ महीने में मार्च से १९२४ सितम्बर तक कताई बुनाई लुवाई में कुल १७,४२०) दिया गया। इससे यह जाना जायगा कि चरखा पिछला काम दे सकता है, अकाले अकाल के ही समय नहीं बल्कि बेकारी के मौसम में भी उससे आमदनी में बढ़ती की जा सकती है।

ये केन्द्र या तो समिति की अपनी जमीन में या जमींदारों से किराये मिली जमीन में खोले गये थे। हमारी जमीन का कुल रकबा ४३ बीघा है जिनमें २५ बीघा अकाले अतराई में है। हर केन्द्र में औसतन ३ छप्पर हैं— एक काम करने वालों के रहने के लिए, दूसरा रसाई-घर और तीसरा सामान-घर। हर एक केन्द्र कोई २५ से ३० वर्ग मीट के अन्दर १० से ३० गांवों में काम करता है। गांवों का एक हलका बना लिया गया है और एक कार्यकर्ता के जिम्मे एक हलका कर दिया गया है। यह एक सप्ताह में १०० चरखों को देखता है और १६ से २० सूतकारों के काम को देखने की उरसे उम्मीद की जाती है। उ्यों ही एक सूतकार कताई में कुछ निपुण हुआ सोही उसे एक सप्ताह के लिए पुनियाँ दी

जाती हैं और ठीक आठवें दिन कार्यकर्ता वहाँ पहुँच जाता है, मून लेता है, और पुनिया दे देता है, फी तोला १ पैसा १० अंक के मून के हिसाब से मजदूरी दे देता है । तमाम मून लेबल लगाकर, मुख्य कार्यालय में मेज दिया जाता है जहाँ उसका मेक सिखाया जाता है, अंकों के हिसाब से विभक्त किया जाता है और बुनाई-केन्द्र में मेज दिया जाता है । मुख्य कार्यालय के आदेश के अनुसार बुनाई-केन्द्र के लोग उसे बुनवा लेते हैं और फिर कपड़ा मुख्य कार्यालय को मेज दिया जाता है वहाँ से वह धुल कर तथा कर, कलकत्ते विक्री के लिए मेज दिया जाता है ।

इस समय हमारे यहाँ ६२ कार्यकर्ता हैं । प्रायः सब फताई तथा उससे संबन्ध रखने वाली क्रियाओं में खासे निपुण हैं । उनमें से ४८ तो फी घण्टा ४०० गज या हमसे अधिक १५ अंक का मून कात सकते हैं । अधिक गति का हाल तो पहले ही बुनाया जा चुका है । उसमान काजी ने २० अंक का ८२० गज और मीजान इमरानिक ने २० अंक का ७९० गज गाना है ।

यद्यपि ये परिणाम बहुत बढ़िया हैं फिर भी अभी और जो जो हो सकता है उसके मुकाबले में कुछ नहीं है । एक एमी अवस्था आजायगी जब कि कई लोगों के दरवाजे ले जाने की जरूरत न रहेगी, बल्कि वे खुद ही कई लेबर मामूली तौर मून बचा करेंगे, जैसा कि वे धगाज के फेनी जिले में तथा पंजाब, राजपूताना और दूसरी जगह के किल्ले ही गाँवों में करते हैं । धरखे का संगठन मुझे इतना कामिल मजर आता है कि मुझे उस काम में पूर्णतः दिशा में तरकी करने के माग में किसी दिक्कत या अश्वेशा नहीं मालूम होता ।

इस प्रयोग के द्वारा हिन्दू-मुस्लिम-एकता की सच्ची प्रगति भी दिखाई देती है । एक मुख्यतः हिन्दू लोगों का संगठन मुख्यतः मुस्लिम लोगों की बफरी को इमदाद कर रहा है — महज उनकी माली हालत सुदृढ़ करने के लिए । उसमें मुसल्मान कार्यकर्ता भी हैं जिन्हें कभी यह ख्याल नहीं होने दिया जाता कि वे हिन्दू-कार्यकर्ता से किसी तरह कम हैं । और महज अग्नी लियकत के बदीलत उनमें से दो मूनकार सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त किये हुए हैं । मुझे ३२ स्वयंसेवकों को मून कातते हुए देखने का अवसर मिला था । सब फी घण्टा ४०० गज से ज्यादा गति से कात रहे थे; परन्तु मुसल्मान मूनकारों ने ७२० गज के हिसाब से काता । मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि इन स्वयंसेवकों को बाजार दर के हिसाब से कताई दी जाती है । सर्तीश बाबू ने जिनका धाँजना-शाक्ति के बदीलत यह सारा संगठन हुआ है मुझसे कहा है कि तजरिबे ने पाया गया है कि पूरा समय काम करनेवाले स्वयंसेवकों को, यदि हम उनसे पूरी नियम-निष्ठा चाहते हों तो पूरा मिहनताना देना बेहतर होता है । हर स्वयंसेवकों को वे २५) मासिक के हिसाब से मिहनताना देते हैं ।

(यं. इं.)

मोहनदास करमचन्द्र गांधी

### एजेंटों के लिए

“हिन्दी-नवजीवन” की एजेंसी के नियम नीचे लखे जाते हैं—

१. बिना पक्षी दाम भाये किसीका प्रतिमा नहीं भजी जायगा ।
२. एजेंटों को प्रति मास १) कमीशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम से अधिक रकम का अधिकार न रहेगा ।
३. १० से कम प्रतिमा संगान वालों को डाक खर्च देना होगा ।
४. एजेंटों को यह लिखना चाहिए कि प्रतिमा उनके काम का है जो अभी काम था रकम से ।

व्यवस्थापक—हिन्दी-नवजीवन

### एंग्लो-इंडियन

डा० मोरेनो से मैंने कहा है कि अल्प भारतीयों की तरह एंग्लो-इंडियन लोगों-अधगैरों-को भी मून कातना और खादी पहनना चाहिए । कुछ लेखकों ने इस सूचना को हसकर उठा दिया है । इसी में टाल देना है तो बड़ा आसान, पर मुझे अपनी दबा पर कामिल यकीन है और मैं जानता हूँ कि यह हसी शीघ्र ही खामी पमदी के रूप में बहल जायगी । अधगैरों भाइयों के प्रति मेरे दिल में कोई दुर्भाव नहीं है । मेरी स्वराज्य-कल्पना में उनके लिए भी उनना ही स्थान है जितना कि किसी भी भारत में पैदा हुए या भारत की अपनी भूमि बना लेनेवाले राष्ट्र की है । इसलिए आरम्भ में चाहे भले ही कुछ लोग कुछ समय के लिए मेरी बात का गलत अर्थ लगावें पर मैं जानता हूँ कि अन्त को उनकी गलतफहमी न रहेगी । मैं हिन्दुस्तानियों और अधगैरों में कोई लमीज करना नहीं चाहता, पर मैंने अधगैरों गरीब लोगों को भी देखा है । उनसे भी मिला हूँ । उन्हें आराम से रहने के लिए हमारे गरीब हिन्दुस्तानियों की तरह रहने की जरूरत है । उन्हें उनके दुःखमुख में शरीक होना चाहिए और अहाँ-तक हो सके उनके जमा जीवन खरीत करना चाहिए । और खादी तो सब लोगों के लिए सामान्य हो सकती है, फिर क्यों वे अँगो के साथ खरखा भी न फाँते ? देश के गरीबों और अपने दरभ्यान हमदर्दों के इस हृदय और सब-व्यापी वचन को स्वीकार करने में शर्म की कोई बात नहीं है । अपनी जन्मभूमि के दीन-दरिद्र लोगों के साथ अपनेको तत्प करने में अधगैरों भाई क्यों पीछे रहे ? मामूली हिन्दुस्तानी से अपनेको बड़ा और ऊँचा समझने की शूरी शिक्षा उन्हें दी गई है जिसने उन्हें दर असल अपने ही घर में विदेशी बना रक्खा है । और अधगैरों के साथ तो वे अपनेको मिला नहीं सकते । किसी हमरे देश को अपना घर समझना उनके लिए नामुमकिन है । यदि वे किसी उपनिवेश में जाने का कोशिश करें तो वहाँ उनके नसीब में वही दुर्गत और वहाँ लाचार बदी होगी जो कि एक मामूली हिन्दुस्तानी वाशिनटन को बदी होती है । इसलिए मैंने कभी नम्रता और शुद्ध हृदय से कहा है कि उन्हें अपने जीवन सक्ती विचार बदलने चाहिए । उन्हें बसा ही होना चाहिए, जैसा कि वास्तव में वे हैं अर्थात् भारत के लाखों लोगों की तरह । तब जा कर, जब कि उनकी स्थिति सम-समान हो जायगी, वे अपने माता-पिता दोनों के सद्गुणों को ग्रहण कर पावेंगे और खुद अपनी, अपने देश की तथा अपने योरपियन माता या पिता की भागी सेवा कर पावेंगे । उस अवस्था में, अपनी उचित स्थिति को प्राप्त करने के बाद, अधगैरों से वे जो कुछ कहेंगे उम्का असर उनपर होगा और अपने जाती तजरिबे से वे ताकत के साथ उनसे बातें कर सकेंगे । मैंने डाक्टर मोरेनो से यह नहीं कहा, नहीं कहता कि गरीब अधगैरों भाई खरखा कातकर उसपर गुजर करें । पर इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि राष्ट्रीय दृष्टि से उनके बच्चे से बड़े लोग क्यों न काम ? हाँ, मुझे यह बात कहते हुए जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती कि उनमें जो लोग अजहद गरीब हैं वे बुनाई जरूर सीख लें । यह एक सहायक घन्था है और जो लोग इसे सीख सकें वे ईमानदारों की रोटी खाने के लिए इसे सीख लें । क्योंकि अच्छे और कुशल कुलुह (४०) से ५०) मासिक तक पैदा कर सकते हैं ।

(यं. इं.)

मो० क० गांधी

# हिन्दी-नवजीवन

शुक्रवार, जेठ सुदी १२, संवत् १९८२

## खादी प्रतिष्ठान

बाह्य और अकाल के सफट को दूर करने के लिए चरखा कंसा काम दे सकता है इसका वजन देने अन्यत्र किया है। यह प्रयोग एक स्वतंत्र बीज है। परन्तु उससे जो अनुभव आचार्य राय तथा उनके रहने हाथ सतीश बाबू ने प्राप्त किया है उसका खातमा इस प्रयोग तक ही नहीं हो जाता है। वे दोनों स्वतंत्र-शास्त्री हैं। उनके वैज्ञानिक दृष्टांत उन्हें मजबूर करते हैं कि वे हम बान को विश्वास कर दिखाने कि बंगाल के किसानों को बतौर एक सहायक धन्धे के चरखा और खादी किस तरह उपयोगी हो सकते हैं। एक छोटे से प्रयोग से बढ़ते बढ़ते वह एक बड़ी सस्था - खादी प्रतिष्ठान - के रूप में परिणत हो गई है। बंगाल के कितने ही हिस्सों में उसकी शाखें फैल गई हैं, और भी खोलने की कोशिश हो रही है। उसका उद्देश्य है पुस्तक आदि के प्रकाशन के द्वारा, मजिदक लिटरेचर के प्रयोग सहित व्याख्यानों आदि के द्वारा खादी और चरखे को लोकप्रिय बनाना। अधिक स्थायी बनाने के लिए उसे एक सार्वजनिक ट्रस्ट का रूप दे दिया गया है। मेरे सामने ट्रस्ट का दस्तावेज और उसका लेखा मौजूद है। मैं इन बातों का जिक्र यहाँ इसलिए करता हूँ कि मैंने पटना की एक सभा में एक सचिव से वादा किया था कि मैं यहाँ में प्रतिष्ठान के काम का जिक्र करूँगा। खादी प्रतिष्ठान के चरखे को मैंने बंगाल में सर्वोत्तम देखा। उसमें और सुधार करने की कोशिश भी दिन पर दिन होती जा रही है। तो मैं उसके व्यवहार की सिफारिश करता हूँ। इसपर एक महाशय ने खादी प्रतिष्ठान की खादी के महाने होने की शिकायत की। और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उस शिकायत को निस्वतः लिखूँगा। एक मानी मैं यह इज्जाम सब कहा जा सकता है। वे चाहते हैं कि खादी बड़े से बड़े पैमाने पर तैयार हो और चरखा घर घर में चके। ट्रस्ट के संस्थापक खादी को स्वावलम्बी और मूल को अच्छा बनाना चाहते हैं। इसलिए उन क्षेत्रों में भी उसी व्यवस्था के अनुसार काम करना चाहिए जो कि खादी-पैदावार के अनुकूल नहीं हैं। इस तरह वह तमाम खादी को इकट्ठा कर के सब पर आसतन् कीमत लगाते हैं। मैं इससे हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि केवल बड़ी खादीप्रतिष्ठान से सस्ती खादी बेच सकते हैं जो अनुकूल क्षेत्रों में काम करते हों। अभी हाल तो यह बात दिक्कत तल्ल नहीं है; क्योंकि जो कुछ थोड़े क्षेत्र अभी कुछ खादी तैयार करते हैं उनके प्राइडक ऐसे बने-बनाये हैं कि जो कीमत आदि की परवा नहीं करते। प्रतिष्ठान तो अब भी घटी उठाकर खादी बेच रहा है; पर वह घाटे को कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। वह हमेशा ही हाल के बल पर नहीं चलाया जा सकता। प्रतिष्ठान के द्वारा बचा जानेवाली खादी की कीमत कम करने की कोशिश हर तरह से की जा रही है, इस बात की दिक्कत मुझे हो गई है। और यह बात हर शरक नहीं जान सकता कि प्रतिष्ठान में किसीका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। उसके मुख्य पात्र तो अपने घर का खा कर उसमें काम करते हैं। उन्होंने प्रतिष्ठान को अपनी जीवन अर्पण कर दिया है। वे उससे

एक पाई नदी लेते। अन्तक मैंने खादी पैदावार के ५ और सुसंगठित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। वे ये हैं- अमर्य आश्रम, कोमिला; डॉ॰ प्रफुल्ल घोष का आश्रम, मलिकाण्डा, प्रवर्तक संघ, चटगांव; सन्सग आश्रम, पटना; द्वादन्दी खादी आश्रम। इस आखिरी आश्रम को मैं खुद नहीं देख पाया, पर उसके मुख्य कार्यकर्ता लोगों से हुमती में मिल्य हूँ उनकी खादी देखी है और उनके काम का हाल सुना है। प्रवर्तक संघ अन्तक आधी-खादी अर्थात् मिश्र खादी भी तैयार करता रहा है। पर अब प्रवर्तक चटगांव से संबंध है उसने केवल कुछ खादी ही रखने का निश्चय कर लिया है। एक जगह तो उन्होंने पहले ही से प्रयोग शुरू कर दिया है परन्तु व्यवस्थापकों ने आखिरी निर्णय, सारे चटगांव जिले के लिए, मेरी यात्रा के समय किया है। उनके कलकत्ता भण्डार में तथा मुख्य कार्यालय बन्धुनगर में अब भी आधी-खादी है। पर वे जितनी जाँची हो सके इस आधी-खादी को निकाले डालना चाहते हैं। वे इस सिद्धान्त को कृपक करते हैं कि आधी-खादी से खादी आन्दोलन को लाभ नहीं है। ये सब मस्यार्थे अच्छा काम कर रही हैं। महासभा की मस्यार्थों के द्वारा भी कहीं कहीं कुछ काम हो रहा है। मैं तो इन तमाम मस्यार्थों के काम की, नाम से चाहे नहीं पर भावकप में, महासभा का ही काम मानता हूँ। यदि किसी बात की जरूरत है तो इस बात की कि तमाम बख्शी हुई धारिकाएँ एक सूत्र में बंध जाय जिनमें समय, युद्ध, शक्ति, और रुपया कम खर्चे हो और काम उदाहा निकले। इन संस्थाओं के अध्यक्ष आपस में मिलें, अपनी योजनाओं का परस्पर मुकाबला करें और एक गयक कार्यक्रम बनाएँ। और यह काम समय पर ही हो जाना चाहिए। सवाल यही है कि इसमें अल्दा की जा सकती है या नहीं। खादी-प्रतिष्ठान को एक लाभ यह है कि उसके पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने को चरखे का पैगाम पहुँचाने के लिए मनपित कर दिया है। उसके पास बड़े व्यवस्था-पट्ट लोग हैं। एक विश्वात व्यक्ति का नाम उसके साथ है। इसलिए उसके पास विस्तार के लिए असीम गुंजाइश है। इसीलिए मैं आम तौर पर सारे भारत का और खासतौर पर बंगाल का ध्यान उसकी ओर दिलाता हूँ। मैं समालोचकों की निमंत्रण करता हूँ कि वे उसकी जाँच-परताल करें और जो कमियाँ दिखाई दें उनकी प्रकट करें। और सहानुभूति रखने वालों को मेरा निमंत्रण है कि वे उसके हिसाब-किताब को देखें—जो कि खुली पुरनक है—और उसकी सहायता करें। जो लोग उदासीन हैं उन्हें मैं दावत देता हूँ कि वे अपनी उदासीनता छोड़ें, उसके काम-काज को देखें और या तो उसका विरोध करें या सहायता दें। एक विज्ञानवेत्ता की हृदयित से आचार्य राय की कीर्ति सारे मसर में व्याप्त है। परन्तु उनके लाखों देशवासी उन्हें न ता उनके बनाये उम्दा साधुन के बदीलत और न उनके तैयार किये कितने ही नवयुवक बंगाली विद्वान् बदीलत आनेंगे। पर वे उन्हें आनेंगे उम प्रकाश और शुरू के बदीलत जो कि उनका खादी-हाल सारों लोगों के टूटे-फूटे स्रोतों में पहुँचा सकता है। परमात्मा करें यह सस्था उस विशाल बटवृक्ष की तरह हो, जो उन तमाम छोटी छोटी सस्थाओं की वह आश्रयदाता हो जाय जिन्हें कि उससे सहायता और रहनुमाई मिलें। रासायनिक कारखाने निश्चय ही महान् हैं। पर खादी प्रतिष्ठान उनसे भी बड़ कर है। क्योंकि इसकी अब देश की भूमि में है। कहीं बाहर ने लाकर उसकी कलम नहीं लगाई गई है। उसकी परवरिश के लिए धार भी एहतिवात की जरूरत है। जब उसके कार्यकर्ता अपने सर्वोत्तम गुणों और शक्तियों को आगत कर के उसमें लगावेंगे



तभी वह एक विशाल राष्ट्रीय सस्था बनेगी। परमात्मा करें वह उर तमाम आत्माओं को पूरा करे जिनको जन्म देना हुआ वह मुझे दिखाई देता है।

(५० ई०)

मोहनदास करमचंद गांधी

### ग्राम-प्रवेश

जहाँ देखता हू वहाँ सुख से दुःख ज्यादा दिखाई देता है। जहाँ देखता हू वहाँ इस दुःख का कारण खुद ही दिखाई देते हैं।

बंगाल के किलने ही अभिनन्दन-पत्रों में फसली बुखार, काला अजार आदि बीमारियों की कथा तो रहती ही है। बंगाल के कार्यकर्त्ताओं ने मेरे अनुरोध की बड़ी अच्छी तरह स्वीकार किया है। मने खाहा था कि अभिनन्दन-पत्रों में मेरी स्तुति की प्रशंसा से अपनी स्थिति का बणन है। देखता हू कि महुतेरे अभिनन्दन-पत्रों में निर्मल भाव से उसकी स्वीकृति की गई है। इससे मुझे बहुतेरी आनकागी मिल जाती है। किसी किसी जगह आबादी की तादाद कम होती जाती है, क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारियों से लोग मरते जाते हैं। शारीरिक व्याधियों के साथ फसल को नुकसान पहुंचानेवाला एक उपद्रव शब्द हुआ है। वह एक पानी का पोथा है। उसे पानी का 'हायैसिथ' कहते हैं। देष्पी नाम सुना नहीं। कहते हैं, कोई आदमी अनजान में इसे पश्चिम में ले आया है। आया कहीं से ही, पर पश्चा नदी में गीलों तक फैला गया मिलना है। यह अनाज की फसल को नष्ट कर देता है। जिस जिन हिस्से में यह फैलीला पाया देखा जाता है वहाँ नदी किनारे के खेतों में धान की फसल लगभग नष्ट हो जाती है। सरकार ने उसे निम्न करने के उपाय तो किये हैं, पर एक का भी उपयोग सफल हुआ नही दिखाई देता।

एसे विविध तापों से पीड़ित प्रदेश की सहायता कौन कर सकता है? किस तरह कर सकता है? देहात की पीर को अनुभव किये बिना इसके उपाय होती नहीं सकते। आज के ग्राम्य जीवन में जो अज्ञान है उसमें जब ज्ञान का प्रवेश होगा तभी हालात सुधर सकती है। लोगों को आरोग्य के नियमों का ज्ञान नहीं। एक ही तालाब में नहाते हैं, मल साफ करते हैं, बरतन धोते हैं। नमी तलाब में मवेशी पानी पीते हैं और मनुष्य भी पीते हैं। ममी हर जगह है। उसे बर कर के पानी निकाल डालने का उपाय किसीको नहीं सूझता, और सूझना भी हो तो थोड़े उसे अपना काम नहीं समझता। सो करेगा कौन?

लोग इतने बंगाल हैं कि उन्हें खाने के लिए अच्छा और पौष्टिक भोजन संश्लेष नहीं मिलता। फिर दवा के खर्च का तो पछना ही क्या? अबहदा बदलना तो ग्रामीण लोगों के लिए होता ही नहीं।

कुछ रीति-रिवाज तो इतने क्षरान हैं कि उनसे शरीर और आत्मा दोनों का इनन होता है। अति कोमल वय की बालिका का विवाह हो जाता है! तेरह वर्ष की बालिका बालक की माता हो जाती है!!! सात वर्ष की लड़की विधवा हो जाती है!!! कितनी ही तो अपने पति को पहचानती भी नहीं। पति किस बीज को कहते हैं, इसकी खबर सात साल की बालिका को क्या हो सकती है?

इसके इलाज के लिए सरकार से मिश्रत करें? इन कु-प्रथाओं को दवा स्वराज्य मिलने पर होगी, या इनकी दवा हुए बिना स्वराज्य ही न मिलेगा?

इसका एक अवली उपाय है। शिक्षित लोगों को सेवा-भाव से नम्रतापूर्वक देहात में प्रवेश कर के लोगों की हालत जाननी चाहिए। ऐसा करते हुए बहुतेरे बीमार पड़ेंगे; कितने ही मर भी जावेंगे। जब हम यह सब सहन करना सीखेंगे तभी इसका उपाय हमें मिलेगा। तभी लोग हम उपाय को पहचानेंगे और उसका स्वागत करेंगे। लोगों की बुद्धि को समझाना यदि असभव नहीं तो कठिन अन्व मालुम होना है। लोग तो अपने हृदय के द्वारा रामझंगे। हृदय के द्वारा केवल वही लोग बोल मरेंगे जिन्होंने सेवा में, प्रेम से, त्याग से लोगों का मन हरण किया होगा। ससार के और विशेष कर के भारतवर्ष के इतिहास के एक एक पन्ने में आम तौर पर लिखा हुआ है कि जो लोग भावना-प्रधान होते हैं उनके सामन बुद्धि काम नहीं करती। क्या यह तो त्याग न हो कि पहले हृदय और फिर बुद्धि? हृदय की गंगा से ध-सम्पन्न बुद्धि बेकार तो न हो? रावण की बुद्धि सदृश्य न होने से बहन मायावी होने पर भी बेकार गई और राम की बुद्धि हृदय के सत्कारों से पवित्र होने के कारण महज ही अजेय रही।

देहातभू कहते हैं कि देहात को समगठित किये बिना स्वराज्य नहीं। और लोग भी यही बात कहते हैं। बंगाल का अनुभव मुझे तो बड़ी शिक्षा देता है कि हम जबतक देहात में प्रवेश न करेंगे तबतक टिन्टुकान की हालत को न जान सकेंगे।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

### निराधार अभियोग

मने यह अभियोग सुना है कि बंगाल में महात्म्यावालों ने अर्थात् स्वराजियों ने चरखे को मार डाला है। यह अभियोग निराधार है। पहले तो चरखा बंगाल में मरा नहीं है। दूसरे चरखा-हलचल को जो कुछ ठकावट मिली होगी उसके कारण स्वराजी लोग उतते ही हैं जिनने कि आर हमरे दल है। मैं तो उल्टा यह क्वच करता हू कि चरखा-प्रदर्शनों की सफल बनाने में हर जगह स्वराजियों ने सहयोग दिया है। उन्होंने उनकी व्यवस्था करने में तथा चरखा कातने में योग दिया है। कुछ स्वराजी तो अपने मारे परिवार-सहित नमम उत्साह दिखाने हैं। फरीदपुरवाले विधाम बाबू की निश्चल में पहले ही लिख चुका है। उनकी धर्मपत्नी आर बच् सब चरखा कातते हैं। वे आर घर के कपड़ों के लिए मूल कातते हैं। श्री वसन्तकुमार सुजमर की धर्मपत्नी भी चरखे के पति बटा उत्साह रखती है। उन्होंने कुमिल्ला में एक भारी प्रदर्शन की व्यवस्था की थी। दिनाजपुर के जोगेन बाबू स्वद नियमित रूप में कातते हैं और उनके परिवार को सफाई के साथ कातते हुए देवना एक विशेष प्रकार के आनन्द का अनुभव करना था। दिनाजपुर का प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा था। मैं आर भी एसी मिसालें दे सकता हू। पर हां, यह बात सच है कि स्वराजियों को चरखे पर उतनी थडा नहीं है जितनी कि, कहिए, मेरी है। और यह बात उन्होंने छिपा भी नहीं रखी है। यदि रचनात्मक कार्यक्रम पर उनका पूरा पक्का विश्वास होता तो वे धारामभाओं से जाते ही नहीं। उनकी स्थिति बहुत सरल है। वे रचनात्मक कार्यक्रम को और चरखे को भी मानते हैं। वे यह भी मानते हैं कि उसके बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता। पर साथ ही वे यह भी मानते हैं कि धारामभाओं तथा दूसरी तमाम प्रातिनिधिक और अर्द्ध प्रातिनिधिक संस्थाओं पर भी कब्जा कर लेना चाहिए जिनके कि द्वारा सरकार पर दबाव डाला जा सकता है। उनकी स्थिति प्रामाणिक है और उसके निश्चल कोई शिकायत नहीं हो सकती। और कमसे कम मेरी गय में तो बंगाल के स्वराजी अपने विश्वास के अनुधार काम कर रहे हैं। (५० ई०)

## टिप्पणियाँ

### नीति-भ्रष्टता

स्वराजियों पर नीति-भ्रष्टता का भी एक इल्जाम लगाया जाता है। उसका भी विचार यहाँ कर लेना ठीक होगा। कुछ प्रसिद्ध समाज-सेवकों ने आकर मुझसे कहा और मुझे चेताया कि देखना स्वराजियों के हाथ की कटपुतली न हो जाना और मुझसे आग्रह किया कि आप बंगाल के राजनैतिक जीवन को निर्मूल बनाने में अपना प्रभाव लगाइए। मैंने उनसे कहा—मुझे इन इल्जामों पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। पर यदि आप नामठाम और सपूत दें तो मैं खुशीसे उनकी तहकीकात करूँगा और यदि उन्हें सब पाऊँगा तो बिला शिक्षक के सुझाव खुदा उसकी मर्यादा करूँगा। मैंने उनसे यह भी कहा कि मैंने पहले भी वे इल्जाम मुझे थे और मैंने देशबन्धु दास का ध्यान उनकी ओर खींचा था। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि उनमें मर्यादा नहीं है और कहा कि यदि आपको खबर देनेवाले लोग सुराई और युगाई करनेवालों के नाम ठाम बतावेंगे तो मैं जरूर उनकी तहकीकात कराऊँगा। उन महाशय ने मुझसे कहा कि यह विश्वास एक आम बात हो गई है और कानूनी सबूत देना हमेशा आसान नहीं होता है। तब मैंने कहा ऐसी अवस्था में तो हमें इसी सुवर्ण-मूत्र का पालन करना चाहिए कि जबतक इल्जाम साबित न हो हम उसे न मानें, नहीं तो मार्क्स-जनिक कार्यकर्ताओं का सु-नाम कायम रहना मुश्किल होगा।

इन बातचीत के बाद मैं इन अभियोगों की सब बातें भूँन गया था। पर चांदपुर में हरदयाल बाबू ने इन इल्जामों को बड़े जोर के साथ उपस्थित किया। पर मैंने उनकी बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया, न वे ही उम्मीद रखते थे। यद्यपि मैं और हरदयाल बाबू एक ही सम्प्रदाय के अन्दर हैं तथापि देश-सेवकों और सामाजिक कार्यों की ओर देखने का मेरा और उनका तरीका जुदा जुदा है। मेरे असहयोग के मूल में, थोड़े भी निमित्त पर बुरे से बुरे प्रतिपक्षी से सहयोग करने की तैयारी रहती है। मैं एक अधुना मर्याद मनुष्य हूँ, हमेशा ईश्वर के अनुग्रह पर अवलम्बित रहता हूँ। मेरे नजदीक कोई आदमी ऐसा नहीं जिसका सुचारु न हो सके। हरदयाल बाबू के असहयोग के मूल में भीषण अविश्वास और सहयोग की ओर परावृत्त होने की अ-प्रवृत्ति है। उन्हें बड़े बड़े लक्षणों की आवश्यकता है जहाँ मेरे लिए कुछ उद्गार ही काफी होते हैं।

पर फिर यह इल्जाम मेरे सामने एक ऐसे शस्त्र के द्वारा उपस्थित हुआ, जहाँ से इसकी कोई उम्मीद न थी। मेरे कान खड़े हो गये और मैंने सजीदगी अस्तित्वार की। मैंने साधारण पूछ-ताछ शुरू की। पर मेरे कलकत्ता पहुँचने पर स्वराज्य-दल के मुख्य 'विद्य' बाबू नालिनी सरकार, बाबू निर्मलचन्द्र, बाबू किरण शंकर राय और बाबू हीरेन्द्रनाथ दासगुप्ता ने मेरी चिन्ता कम की। उन्होंने स्वराज्य-दल की तमाम कार्यवाहियों के संबंध में मेरे पूँछ सवालियों के जवाब देना स्वीकार किया। तब मैंने उन तमाम इल्जामों का जिक्र किया जो उनपर लगाये गये थे। उन्होंने जो बातें मुझसे कहाँ उनसे मुझे पूरा मन्नाप हुआ। उन्होंने तो यह भी कहा कि आप और भी तहकीकात कीजिए—हमारे कामजात की भी जांच कर लीजिए। पर मैंने कहा, जबतक इन आरोपों के सम्बन्ध में और ज्यादा प्रमाण न पेश किये जायँ तबतक फक्ताओं की जांच करना अनावश्यक है। फिलहाल तो इल्जाम ही इल्जाम है, उनका

मैं उन लोगों से प्रार्थना करता हूँ जो कि जल्दी से दोषारोप कर बैठते हैं, कि वे अपने प्रतिपक्षियों के संबंध में जो बातें कही जाय उनपर बिना द्विचिन्ताये विश्वास न कर लें। क्या हम नहीं जानते कि खुद सरकार के लोगही उसकी बदनामी नहीं करते फिरते हैं? क्या हम नहीं जानते कि रानडे और गोखले तक के पीछे खुफिया पुलिस पड़ी रहनी थी। क्या वे नहीं जानते कि सर फेरोजशाहा मेहता और यद्वांतक कि सर सुरेन्द्रनाथ बेनरजी तक पर लांछन लगाये जा चुके हैं? और तो ठीक भारत के पिनारुह — दादाभाई मोरोशी — तक को लोग नहीं छोड़ते थे। लन्दन में एक माहब ने मुझसे उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि आखिर मुझे खूब उस महान् पुरुष के पास जाना पड़ा था। मैं बहुत डरते हुए खोर कापते हुए गया। मैं उनके चरणों में जा कर बैठे और मुझे बड़ अवसर याद हूँ जब कि मैंने उनकी सौम्य मूर्ति की ओर देखते हुए बड़े पकोच से पूछा कि यह बात कहांक सही है। क्रिक्सटन में वे अपने दफ्तर में गोखले पर बैठे हुए थे। मैं उस दृश्य को कभी न भूँगा। मैं इस भाव को ले कर वापस आया कि वह आरोप बिल्कुल मिथ्या लांछन था। अलीभाइयों पर भी तो लोग 'स्वार्थ-साधुता और विश्वासघात' का इल्जाम लगाते हैं। यदि इन्हें मैं मानने लग तो मेरा क्या हाल हो? पर मैं तो जानता हूँ कि अली-भाई विश्वासघात और नीति-भ्रष्टता में परे हैं। अभी जो मत-भिन्नता हमारे अन्दर है वही हममें फूट डालने के लिए काफी है। तब फिर हम अपने प्रतिपक्षियों के खिलाफ लगाये गये निराधार इल्जामों को झट से मान कर क्यों उन्हें और बढ़ावें? प्रामाणिक मत-भिन्नता बिल्कुल न्यायोचित होती है। तब हमें अपने प्रतिपक्षियों को भी उतना ही देशभक्त और सद्देश रखने वाला मानना चाहिए जितना कि खुद अपनेको मानते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। एक सक्कन ने तो जिन्होंने कि स्वराजियों की नीति-भ्रष्टता की बातें मुझसे कही, यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि यह सब होते हुए भी बंगाल में चित्तरजन दास के विषय कोई देता नहीं है। देश में सेवा के इतने क्षेत्र हैं कि हर शहर के लिए काफी गुजायश है। पर जब कि सब श्रम सेवा ही करना चाहते हैं तब ईर्ष्या-द्वेष की गुजायश कैसे रह सकती है? मैं तो विश्वास रखने का कायल हूँ। विश्वास से विश्वास पैदा होता है और सन्देह एक सड़ी गलीज चीज है जिससे बढ़व पैदा होती है। जिसने विश्वास किया है उसने दुनिया में अबतक कुछ भी नहीं खोया है। पर सन्देह-प्रस्त मनुष्य न अपने काम का रहता है न दुनिया के काम का। अतएव जिन लोगों ने अहिंसा को अपना धर्म माना है वे रंग जाय और अपने प्रतिपक्षियों को शक की नजर से न देखें। संशय की हिंसा का ही आईबन्द समझिए। अहिंसा तो विश्वास किये बिना नहीं नहीं सकती। जो जबतक कि मेरे सामने पूरा पूरा सबूत न हो मुझे किसीके भी खिलाफ कही हुई बातों को मानने से इनकार करना पड़ेगा और मेरे सम्मान्य साधियों के खिलाफ की गई बातों के लिए और भी ज्यादा। पर हरदयाल बाबू कहेंगे 'तब क्या आप चाहते हैं कि हम अपना आँसू देखे और कानों सुने सबूत को न मानें?' मैं कहता हूँ हाँ भी और नहीं भी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी आँसू और कान उन्हें धोखा देते हैं। वे सिर्फ उन्हीं बातों को देखने और सुनते हैं जिन्हें वे देखना और सुनना चाहते हैं। उनसे मैं कहता हूँ कि उस अवस्था में आप अपनी आँसू और कानों पर भी विश्वास न करें जब कि उनके खिलाफ निष्पक्ष प्रमाण आपके सामने मौजूद हों। जो लोग कि

पर साबित नहीं कर सकते उन्हें चाहिए कि वे अपने ही विश्वासों पर हथ रहें, भले ही सारी दुनिया उनके खिलाफ हो जाय। सिर्फ उनसे मैं इतना ही आग्रह करूँगा कि वे जरा उन लोगों के प्रति सहिष्णुता आख्यार करें जो कि सच्ची बात को जानने के उत्सुक होते हुए भी उसे उस तरह देखने में सफल नहीं हो पाते जिस तरह कि और देख पाते हैं। स्वराजियों पर जो नीति-भ्रष्टता का आरोप किया जाता है उसकी निस्वत अभी तक मुझे यकीन नहीं हो पाया है। और जो लोग कि इसके खिलाफ विश्वास रखते हैं उन्हें चाहिए कि वे जब तक मुझे कायल कर लेते मेरे साथ सबर रखें।

**हकीम साहब**

मार्सेल्स से हकीम साहब ने नीचे लिखा उर्दू खत मुझे भेजा है—

“बम्बई से १० एप्रिल को सवार हो कर आज २२ एप्रिल को मार्सेल्स पहुँचा। रास्ते में मेरी तन्दुस्ती किसी तरह अच्छी रही।

चरखे वक्त आपसे न मिलने का अफसोस है। बहुत दिल चाहता था कि रवानगी से पहले आपसे मिलने का मौका मिलता। अब खुदा को मंजूर है तो सफर से वापसी पर यह खुशी हासिल होगी। उस वक्त मुझे बहुत धारम आवेगी, जब मुझसे इस सफर में कोई शरूख हिन्दुस्तान का हाल दरयाफ्त करेगा। इसलिए कि मेरा जबाब इसके सिवा और क्या हो सकता है कि आजकल हिन्दुस्तान बहुत पस्त हालत में है आर उसकी दो सदाहुर मगर बद्किस्मत कामें हिन्दू और मुसलमान आपस में खूब दिल सोल कर लड़ रही हैं। काश कि वह भाई जो इस खाबो को बन्दी (चौका) कर रहे हैं हिन्दुस्तान और एशिया पर बत्कि खुद अपनी अपनी कौमों पर रहम करें और अपनी कौशियों का रख नेकी की तरफ फेर कर बेजान कांग्रेस में जान डालें।

डानटर अनसागी साहब अच्छे हैं-और इस सफर से खुश मालूम होते हैं। उनका मुहब्बतभरा सलाम आप कबूल कीजिए।

मेरी तरफ से अपने सब साथियों को बराह मेहरबानी पूछ लीजिए आर उन्हें मेरी मुहब्बत मिजश दाजिए।”

जो लोग हकीम साहब का नेकदिली से बाकि है वे जकर हमारे आपस के झगडों पर उनकी तरह ही दुकित होंगे।

**सिन्ध की बेदिली**

एक गुजराती महाशय लिखते हैं कि मेने कराची में कुछ गुजराती लोगों के बदन पर खादी देखी। श्री रणछोडदास की देख-भाल में कताई सिक्खाने का भी सम्बन्ध है। पर खुद सिन्धियों के अन्दर नहीं था बहुत कम खादी देने देखी। वे आगे चलकर लिखते हैं कि हुदराबाद में इने-मिने महासभावादियों के सिवा किसी भी सिन्धी क बदन पर खादी नहीं दिखाई देती। यह आनन्द और आश्चर्य करने लायक बात है। क्योंकि सिन्ध में उम्दा और नेकनीयत खादी-भक्त है। इसका कारण यही हो सकता है कि हिन्दू आसिल लोगों में तो लोग इतने अधिक पढ-लिख गये हैं और उन्होंने थोरथियन तौर-तरीक को इतना अपना लिया है कि चरखे के रूँधे-सादे पैगाम पर उनका विश्वास नहीं जभता। और भाईबन्द लोग तो अपने विदेशी रेशम के ब्यापार में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें खादी का ख्याल करने की फुरसत ही नहीं होगी, तथा वहाँ के मुसलमानों को तो राष्ट्रीय भावना अभी छ तक नहीं गई है कि जिससे वे हिन्दुस्तान से संबंध रखनेवाली किसी बात की कद्र करें। सिन्ध के जैसे खादी के प्रति-

कूल वायुमण्डल में भी जो कुछ लोग खादी और कताई का आग्रह रख रहे हैं उन्हें धन्य है। मैं इस बात में जरा भी शक नहीं रखता कि यदि उनकी श्रद्धा इन धर्म-परीक्षा से पार हो गई तो वह उच्च और 'सम्भव' आसिलों पर, अपने ही काम में मगन भाइबन्दों पर और राष्ट्रीय भाव से हीन मुसलमानों पर अपना असर डाले बिना न रहेगी।

**चरखे से फाँसी पसन्द**

बंगाल में एक जगह विद्यार्थियों से बातें हो रही थीं। एक ने कहा—‘आप जानते हैं, हम चरखा क्यों नहीं कातते? चरखे में न जोश है न गरमी। हमारी शिक्षा ने हमें गंदे कामों के लिए अयोग्य बना दिया है। हम बहुतेरे लोग चरखा कातने से प्राण उत्सर्ग कर देना बेहतर समझते हैं। फाँसी पर चढ़ कर मर जाना तो हम खुशी खुशी कुबूल कर लेंगे; पर चरखा कातना हमारे लिए ना-मुमकिन है। हमें कुछ भारी-भव्य चीज दीजिए। हम लोग पराक्रम के, शौर्य-वीर्य के प्रेमी हैं। और चरखे में इसका पता तक नहीं।’ मैंने उस पराक्रम-प्रेमी मित्र से कहा—जितना आप समझते हैं उससे कहीं ज्यादा पराक्रम चरखे में है। और आप इसके लिए बंगाल पर इल्जाम क्यों मढ़ते हैं, जिसने कि बसु और राय जैसों को जन्म दिया है, जिन्हें कौन पराक्रमी भ कहेगा—इस मानी में कि वे अध्यावहारिक और क्वाबी माने जाते हैं। मैंने उन्हें बताया कि जो चरखा न कातने के लिए कोई न कोई बहाना निकाल लेते है वे सचमुच देश के प्रेमी नहीं हैं। यदि किसी पिता का बच्चा मौत से बच सकता हो तो क्या वह बेघों की बताई हास्यास्पद बातें भी नहीं कर गुजरता? मैं और मेरा श्रोतवर्ग इस बात को तो मानते थे कि भारतवर्ष के लाखों लोग मौत के मुँह में फसे हुए हैं और चरखा ही उनकी भीषण दरिद्रता की समस्या को हल कर सकता है। और मेरी बंगाल-यात्रा में तो एक आश्चर्यजनक और आनन्ददायक अनुभव यह हुआ कि वहाँ किसी भी दल की तरफ से कताई का प्रतिकार नहीं किया गया। मुझसे जो जो लोग मिलने के लिए आते उनसे मैं कहता कि यदि चरखे को आप न मानते हों तो उसका विरोध कीजिए। पर तीन आदमियों के अलावा किसीने विरोध न किया। और वे तीन आदमी भी खादी पहने हुए थे। बड़े बड़े जमींदारों, वकील-बैरिस्टर्स और पहाड़ी सत्तारों को एक साथ बैठ कर चरखा कातने हुए देखना बड़े हर्ष का विषय था। ऐसी अवस्था में वह पराक्रम का आक्षेप निराधार था। यह दुर्दैव की बात है कि मामूली विद्यार्थियों में परीक्षा को छोड़ कर आर बातों के लिए निश्चय और कार्यशीलता का अभाव पाया जाता है। परीक्षा पास हो जाने के प्रशंसापत्र की अपेक्षा देश का तथा प्रेम ही उनकी कार्यशीलता का अधिक प्रेरक होना चाहिए। भूमिति के कठिन साध्यों को हल करने में या अंकगणित के लंबे लंबे जोड़ और गुणाकार करने में जितना पराक्रम है उतना ही चरखे में भी है। और यदि बंगाली विद्यार्थी अपनी परीक्षाओं के लिए पराक्रम या शौर्य की दलील नहीं पेश कर सकते तो चरखे के लिए उसे पेश करने का तो और भी कम कारण है; क्योंकि चरखा राष्ट्र के पोषण के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि परीक्षा किसी व्यक्ति के पोषण के लिए हो सकती है।

**‘चीन से भूमध्य-समुद्र तक’**

एक बड़े अच्छे पुराने मुसलमान मित्र मुझे भैमनसिग में मिले और कुदरती तौरपर ही हमारी उनसे खदर के संबंध में बात-चीत होने लगी। मैंने कहा आपने खादी नहीं पहनी है और फिर विन्ध्य के साथ पूछा-आपको खादी पर विश्वास है या नहीं?

उन्होंने कहा कि मैं खादी को मानता हूँ। मैंने खादी की अपनी व्याख्या उन्हें समझाई। लेकिन उससे कुछ भी फायदा न हुआ। मि. ने कहा कि आप समझ सकते हैं मैं इंग्लैंड का संकल्पित अर्थ नहीं करता हूँ। चीन से भूमध्य-समुद्र तक के देशों में बना हुआ कपड़ा मेरे लिए खर है। मैंने उन्हें यह व्यर्थ ही समझाने की कोशिश की कि उनका पहला फर्ज हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों के प्रति है जिनसे कि उन्हें अपनी आजीविका प्राप्त होती है। हिन्दुस्तान अपने लिए तयाम कपड़ा तैयार करने में समर्थ है और करोड़ों लोग खेती के साथ कोई सहायक उद्योग न होने के कारण भूखों मर रहे हैं। पर बर्हस्वधे की दृष्टि की तरह वे तो सपूर्ण आत्म-संतोष के साथ अपनी ही बात पर जमे रहे। उन्होंने पहले ही अपना एक ह्याल बना लिया था। और इसीलिए किसी भी दलील का उनपर असर न हो सका। यदि मैंने यह कहा होता कि अंगरेजी उपनिवेशों ने यद्यपि वे उसी जाति के और धर्म के लोग थे, फिर भी दूसरे उपनिवेशों में और इंग्लैंड से भी अपने व्यापार की रक्षा बड़े बड़े कर लगा कर की थी और प्रत्येक मनुष्य का यह स्वभावतः प्रथम कर्तव्य है कि वह दूर रहनेवाले मनुष्य की अपेक्षा अपने पड़ोसी ही की प्रथम सेवा करे तो भी परिणाम बही होता। लेकिन मुझे समय भी न था। दूसरी मुलाकात का निश्चय करके हम लोग जुदा हुए। उन्होंने मानों अपनी बात पर जोर देने के लिए और फिर भी यह दिखाने के लिए कि मतभेद होने पर भी हम लोग मित्र थे हंसते हुए मेरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कुछ रुपये मेरे हाथ में रखे। लेकिन वे चीन से भूमध्य-समुद्र तक की बात तो सुझाते ही गये। यदि उन्हें यह पढ़ने का मौका मिले तो मैं उन्हें कदावा चाहता हूँ कि यदि उनके इस सिद्धान्त के अनुसार सब बल्ले तो कुछ सहज मुसलमान बहनें आज जो बंगाल में कात कर अपने पति की आमदनी में कुछ हिस्सा देती हैं वे भी अपनी थोड़ी आमदनी में यह भाउश्यक हिस्सा न दे सकेंगी। (१०००)

### बंगाल में कानाई

बंगाल की यात्रा का इला भाग निर्विघ्न पूरा हुआ। निर्विघ्न इसलिए लिखना पड़ता है कि कितने ही मित्रों को शक था कि मेरा स्वास्थ्य इस परिभ्रम को सहन कर सकेगा या नहीं। बंगाल में मैंने जो कुछ देखा है वह तो मेरी धारणा से अधिक मालूम हुआ है। वहाँ बड़े बड़े जमींदार सज्जुब कातते हैं। यहाँ मैंने जमींदारों, बकील-बेरिस्टर्स, अपूर्णों और हिन्दू-मुसलमान को भरी सभा में एक साथ बैठ कर कातते हुए दीनाजपुर में तथा और जगह देखा। यहाँ मैंने ऐसे सैकड़ों स्त्री-पुरुषों को जो खा-पी कर सुखी हैं, बढिया सूत कातते हुए देखा। वे सब लोग हमेशा नहीं कातते हैं। मुझे तो इतनी ही बात मन्तोष दे रही है कि इतने स्त्री-पुरुष अच्छी तरह से कातना जानते हैं और प्रसंगोपात कात लेते हैं। कानाई से इतना परिचय मैंने भारत में और कहीं नहीं देखा। दूसरी जगह जिस यात की स्त्री-पुरुष प्रयास के साथ सीखते हैं उसे मैंने यहाँ स्वाभाविक देखा। जिस तरह विवाह इत्यादि के लिए अलहदा पोशाक होती है; जिस तरह घर की और दफ्तर की जुड़ी जुड़ी पोशाक होती है उसी तरह बहुतांश ने खादी की भी अपनी पोशाक में स्थान दिया है। यह हाल बहुतांश में हिन्दुस्तान में अन्यत्र नहीं देखा जाता।

यहाँ मैंने खादी का विरोधी सामावरण बिल्कुल नहीं देखा। अपरिवर्तनवादी और स्वराज्यवादी दोनों खादी का कम-ज्यादा उपयोग करते हैं। चरखे की निरूपयोगिता सुचित करने वाले मैंने सिर्फ तीन ही जगहों यहाँ देखे। वे भी प्रथम पंक्ति के न थे।

यहाँ नरम गरम सब दल के लोग खादी का बोझ-बहुत उपयोग करते हैं।

यहाँ की पूनियाँ का मुकाबला कोई प्रान्त नहीं कर सकता। पूनियाँ में कीटी मुलक नहीं होती। बहुतेरी जगह तो देवकपास को जाति की कपास का सूत काता जाता है। उसे धुनकने की भी जरूरत नहीं होती, न लोदने की ही होती है। ऊपर से ही वही अणुलियों के द्वारा निकल आती है। और उसके रेशों को जमा कर के पूनियाँ बना ली जाती है एवं महीन से महीन सूत काता जाता है। दूसरी कपास जो पहाड़ पर होती है, वह बहुत हलके दर्जे की है। उसके रेशे बहुत छोटे होते हैं। वह छुदावनी भी नहीं होती। उसे धुनकना पड़ना है; पर उधमें भी कीटी तो नहीं होती। उसकी ताँग हलके किस्म की होती है पर साफ धुनकने की आदत पक रही है, इससे कोई सराब धुनकता ही नहीं। बाजार में जो सूत दिखाई देता है उसमें भी कीटी नहीं होती। दस से कम अक का सूत सायद ही कहीं दिखाई दे।

### देशीराज्य

“आप देशी राज्यों की हस्ती चाहते हैं। पर सच पूछिए तो एक तन्त्री हुकुमन से जुलम हुए बिना नहीं रह सकता। सजा शराब के नशे की तरह है। फिर कोई राजा अच्छा निकलता है तो उसका पुत्र शराब। वही राजा एक दिन अच्छा और दूसरे दि बुरा साबित होता है। ऐसी अवस्था में क्या राजाओं का अस्तित्व वांछनीय है?”

एक सज्जन यह सवाल करने है। कैलक की बात में बहुत-कुछ सन्यास है। पर इस सवाल में एक दूसरी बाजू भी है। जिस प्रजा में सत्त्व होता है उसका राजा अन्यायी नहीं हो सकता। सत्त्वहीन प्रजा के लिए राजा हो तो क्या और प्रजा-भक्ता हो तो क्या? जिसे सत्ता के उपयोग करने का शक्ति नहीं है उसके पास सत्ता रह कैसे सकती है? इसीलिए मैंने कहा है कि किसी प्रजा होती है जैसा राजा होता है। जहाँ जहाँ मैंने अन्याय होता हुआ देखा है वहाँ वहाँ प्रजा का दोष अर्थात् प्रजा की कमजोरी भी देखी है। प्रजासत्ताक राज्य में भी अन्याय देखा है। पृथिवी में आज ऐसे प्रजासत्ताक राज्य मौजूद हैं जहाँ मनमाना अधाधुनी चल रही है और जहाँ हरएक हाकिम राजा बन धर बैठ गया है।

मैंने यह नहीं चाहा है कि सिंगुण राज्य कायम रहे। अक्षुध देखा और कितना होना चाहिए इसका विचार राजा और प्रजा का कर लेना चाहिए। जहाँ प्रजा जाग्रत है वहाँ अन्याय अमंभव होता है। जहाँ प्रजा निद्रित है वहाँ राज्यतंत्र कैसा भी हो अन्याय नहीं रुक सकता। देशी राज्य निर्भर और पूरी तरह न्यायवान् हो सकते हैं। उसके लिए हमारे पास रामराज्य का सदाहरण मौजूद है। आजकल के देशी राज्यों में जो अपूर्णता दिखाई देती है वह एक ओर प्रजा की अपूर्णता और दूसरी ओर अंगरेजी राज्यतंत्र की अपूर्णता की कृतज्ञ है। इससे देशी राज्यों की अधाधुनी पर आश्रय नहीं हो सकता। परन्तु इस तरह दोनों अपूर्णताओं का असर होते हुए भी जो कितने ही देशी राज्यों का राज्यकार्य चमक उठता है, क्या यह देशी राज्य की नीतिमत्ता का सूचक नहीं है? मेरे इस लिखने और कहने का आशय सिर्फ इतना ही है कि यह ह्याल ठीक नहीं है कि देशी राज्यों में कोई बात संग्रह करने योग्य नहीं है, सब का नाश ही कर देना उचित है। देशी राज्यों में सुधार के लिए पूरी गुंजाइश है और उनमें सुधार होने से वे आदर्श राज्य बन सकते हैं। मेरे कहने का यह आशय हरगिज नहीं है कि जिस हालत में वे आज हैं उसीमें वे बने रहें। (नवजीवन) भा० क० गांधी



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक २४ ]

मुद्रक-पकाशक  
 धर्मजीलाल छापखाना लखनऊ

अहमदाबाद, जेट बंदी ५, संवत् १९८२  
 गुरुवार, २१ जून, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 खारंगपुर सरकांमरा की बाड़ी

## बंगाल में

बंगाल को मैं नहीं छोड़ सकता; बंगाल मुझे नहीं छोड़ता। एक महीना तो बीत गया और अभी एक महीना और कितना पड़ेगा। दरम्यान आगाम में भी गये बिना काम न चलेगा। श्री फूकन ने मुझे लिखा है 'आसाम ने कुछ अधिक नहीं किया है फिर भी खाड़ी के संबन्ध में बट बना कर सकता है यह दिग्गम का मौका आपको उठे देना ही पड़ेगा। कुछ नहीं तो आखिर एक सप्ताह का समय तो उठा अवश्य ही दीजिएगा।' यह सब न लिखा होता तो भी जरा से निर्बंधन पर ही मैं तो वहाँ चला जाता। क्यों कि मुझे आगाम से आशा तो है ही। दूसरे आगाम इतना दूर है कि बार बार वहाँ जाना नहीं बन सकता है। लेकिन आगाम जाने के कारणों में सबसे अधिक महत्व का कारण तो यह है कि १९२१ में आसाम ने जितना सहन किया है उतना शायद ही किसी दूसरे प्रान्त ने सहन किया होगा। आगाम का उमूर यह था कि उसमें अफीम बंध कर दिया। इसके लिए मेकलों नवयुवकों की जेल भुगतना पड़ी और दूसरे अनेक कष्ट सहन करने पड़े। उसका परिणाम यह हुआ कि लोगों की आतिशय भंग लगने लगा और वे इस व्यापक न रहे कि सार उखा कर सके। इन प्रान्त में जाने के लिए तो मुझे कुछ भी खींचातानी करने की जरूरत नहीं। मैंने फौरन ही श्री फूकन के आमंत्रण का स्वीकार कर लिया। अब मुझे १५ ताराख तक आसाम पहुंच जाना चाहिए। वहाँ करीब करीब दो सप्ताह लगेंगे। फिर वापस आ कर बंगाल का बाकी बचा मफर पूरा करूँगा। फिर भी बंगाल का कितना हिस्सा तो रह ही जायगा।

बंगाल नहीं छोड़ा जाता क्योंकि बंगाल के विषय में मुझे बड़ी आशा बंधी है। जैसे जैसे मैं बंगालियों के संबन्ध में आता जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं उनकी सरलता और उनके त्याग पर मुग्ध होता जा रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ त्यागी युवक मुझे दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देश-सेवा करने की बड़ी आकांक्षा लगी रहती है। वे यही ब्रह्मा करते हैं कि यह सेवा किस प्रकार की जाय। कितना ही ऐसा काम होता है कि उसका उल्लेख भी नहीं होता है और न कभी होगा। क्यों कि उनका रसमय वर्णन नहीं किया जा सकता है। मरल जीवन खुद रसिक तो है लेकिन जसा वह रसिक है वसा ही उसका वर्णन निरस होना है। शुद्ध शान्ति में

ही सबसे बटकर आनंद है। इस शान्ति का, इस आनंद का नित्यनूतन वर्णन क्यों कर किया जा सकता है? जो शाल्स एक गांव में बालकों को ले कर बैठ जाता है और नित्य उन्हें पिता का सा प्रेम करके पढ़ाता है उसके आनंद का, उसकी शान्ति का कौन वर्णन कर सकेगा? उसके आनंद की तुलना भी कौन कर सकेगा? और उसके आनंद का छीन भी कौन सकता है। उसका नित्य वृद्धि होती जाती है क्यों कि पढ़ाने में ही उस शिक्षक को उसका फल मिल जाता है। उसको इस बात की फाक नहीं होती कि उसके पास एक बालक है या अनेक। उसको तो केवल पढ़ाने की ही चिन्ता लगी रहती है। और यह कार्य तो उसीके हाथ में है। इसलिए यह अपने आनंद का स्वयं ही कर्ताहर्ता बन जाता है। मेरे ऊपर कुछ ऐसी ही छाप पड़ी कि इस प्रकार के सेवक बंगाल में अधिक दिखाई पड़ने लगे। वे सब युवक बहुत से म्यानों पर फैले हुए हैं और उनका एक दूसरे के साथ बहुत कम संबन्ध रहता है। सभी अपने अपने काम में गन्मथ बने हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के दर्शन करने में अनेक प्रमत्त मुझे मिल रहे हैं और जैसे जरा ये प्रमत्त आते जाते हैं वैसे वैसे न इस प्रान्त को छोड़ने के लिए कम अधीर बगना जाता हूँ। ऐसे ही सेवकों में मैं स्वराज का बाज बंध रहा हूँ। भारतवर्ष की आशा उन्हींमें लगी हुई है। वे बोलते नहीं हैं उनका काम ही बोल रहा है।

## हाथकी भाषा

ऐसे कार्यकर्ताओं को देखकर ही एक सभा में 'हाथकी भाषा' इस शब्द का प्रयोग हो गया। यह सभा कलकत्ते में हुई थी। मैं बराबर नियमित समय पर पहुंच गया था। उसमें बहुत से स्त्री-पुरुष तो अभी आ ही रहे थे। सभा का कार्य संगीत से शुरू होनेवाला था। संगीतार्थ अभी आये नहीं थे। इसलिए मेरे भाषण को होने में कुछ विलंब था। मैंने अपनी तकली निकाली। मेरी तकली मेरे साथ ही रहती है और फुरसत मिलने पर उसे चलाकर थोड़ा कात लेता हूँ। तकली चलाने में मैं सबसे मन्द साधित हुआ हूँ। जबकि जैसा चाहिए बिना मेरा हाथ नहीं बंटा है। अभी तक कोई यह नहीं बना सका है कि 'भूल' कहाँ हो रही है। लोकन में नहीं तकली से हारनेवाला थोड़ा ही है। हम दोनों में युद्ध तो चलता ही रहता है। जैसा भी हो मैं उसपद

से सूत ताँ निकालता ही हू इसलिए तकली चलाने में मैंने उस समय का उपयोग किया। मेरे पास जितनी भी पूनियाँ थी सब खतम हो गईं लेकिन मेरे बोलने में अभी देर थी। इसलिए इस दरम्यान में क्या बोलना चाहिए यह सोच लिया और प्रेक्षकों को कुछ हम प्रकार कहा—

‘अब मुझे भाषण देने की जरूरत ही कहाँ रही है? सामान्य प्रकार के भाषण जीभ से किये जाते हैं और कानों से सुने जाते हैं। लेकिन मैंने अपना भाषण हाथ से किया है और यदि आपने अपनी आँखों का उपयोग किया हो तो आँखों से सुना होगा। जीभ से किये गये भाषण में अक्सर हृदय और वाणी का मेल नहीं होता है। दिल में एक होती है तो वाणी से दूसरी ही बात बोली जाती है। हाथ के भाषण में ऐसे दोष को स्थान नहीं है क्योंकि मन के साथ उसका संबंध नहीं है। उसे तो देखकर आप जो चाहें उसका अर्थ निकाल सकते हैं। हाथसे सूत निकल रहा हो तो वह धूँसा न होगा। मैंने जीभ से तो बहुत सुनाया है और आपने भी कानों से बहुत सुना है। लेकिन बंगाल ने मुझे हाथों से भाषण करना सिखाया है। फरीदपुर के विद्यार्थियों ने प्रथम पाठ पढाया। उसे मैं भूला नहीं हूँ। उसके बाद मैंने बहुतों की सभाओं में चरखा चलाता हूँ और कहीं कहीं तो चलाते हुए मुह से भी बोलता जाता हूँ। और इस प्रकार हाथ और जीभ का मेल कर दिखाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अब केवल मौन का जमाना आ रहा है। हाथ की भाषा ही सबी भाषा गिनी जायगी। गूंगे और निरक्षर भी इस भाषा को बोल सकेंगे। और बहरे यदि देखते होंगे तो सुन सकेंगे।

मेरे सूत के तार निकालने का अर्थ सिर्फ यहाँ नहीं है कि केवल सूत ही निकाला जाय। सूत कातकर मैंने आपको यह दिखाया है कि यद्यपि मेरा शरीर तो आप लोगों के कब्जे में है फिर भी मेरा हृदय तो बंगाल के गाँवों के झोपड़ों ही में रहता है। कात कर मैंने उनके साथ अनुसंधान किया है क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि करोड़ों भूखों मरते कंगाल हिन्दुस्तानियों का जीवन रेखा यह सूत का तार ही है। उनके लिए यदि हम लोग चरखा न चलावेंगे तो उनकी हड्डियों पर चरबी न चढ़ सकेगी। वस्त्र होने पर भी वे बन्धहीन रहेंगे और उद्यम होने पर भी उद्यमहीन रहेंगे। उन्हें तो अन्नपूर्णा समस्त कर चरखे को चलाना चाहिए और हमें उनकी यथार्थ मार्ग दिखाने के लिए साति देने के लिए और खादी सस्ती करने के लिए, यज्ञ समझकर चलाना चाहिए। मैं जितने भी घंटे खाली रहे चरखा चलावें और हम उनके लिए अर्थात् यज्ञार्थ भले ही सिर्फ आधा घंटा ही चलावें। लेकिन यदि हम चरखा ही नहीं चलावेंगे तो चरखे के दोषों को कौन दूर करेगा, चरखा शाख कौन बनावेगा और चरखे की शक्ति का माप कौन निकालेगा? उसका भाव हम लोगों के हाथ में ही हुआ है इसलिए उसका मण्डन भी हम लोगों के हाथ में ही होना चाहिए। यह सब अर्थ और बहुत से दूसरे भी अर्थ मैंने जो हाथ से भाषण किया है उसमें है। गरीब किसानों से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है इसलिए धर्म इसीमें है कि चरखा चलाकर उन्हें उसमें से कुछ वापस करें।

#### शांतिनिकेतन

लेकिन बंगाल में मेरे लिए कुछ एक ही साम्य छोड़े है। अनेक पंडीत हैं। यह सब मैं शांतिनिकेतन में ही मौनवार के दिन लिख रहा हूँ। शांतिनिकेतन चाही मुझे बड़ा शांति दे रहे हैं। वह मैं यशुर गीत सुनाती है। काव्या के साथ घण्टा पेट भरकर बातचीत की। अब मैं उन्हें कुछ अधिक समझ सका हूँ और यह कह सकता हूँ कि वे मुझे भी कुछ अधिक समझने लगे हैं। उन्होंने मुझपर

अपना प्रेम बताने में कोई कसर नहीं रखी। उनके बड़े भाई द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर जो ‘बड़े दादा’ के नाम से पहचाने जाते हैं उनका तो पिता का जैसा पुत्र के प्रति प्रेम होता है वैसा ही मुझपर प्रेम है। वे मेरे दोष देखने के लिए साफ इन्कार करते हैं। उनके खयाल से तो मैंने कोई गलती ही नहीं की। मेरा अछड़योग मेरा चरखा, मेरा सनातनीपन, हिन्दू-मुसलमान ऐक्य की मेरी कल्पना, अस्पृश्यता का मेरा विरोध सब यथायोग्य है, और इसीमें स्वराज्य है यह मेरी मान्यता उनकी भी मान्यता है। पुत्र पर मोहित पिता उसके दोष नहीं देखता है उसी प्रकार बड़े दादा भी मेरे दोष देखना नहीं चाहते हैं। उनके मोह और प्रेम का तो भला मैं यहाँ पर उल्लेख ही कर सकता हूँ उसका वर्णन मुझसे होही नहीं सकता। उस प्रेम के योग्य बनने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। उनकी उम्र ८० से भी ज्यादा है। लेकिन छोटी से छोटी बात की वे खबर रखते हैं। उन्हें यह भी खबर है कि हिन्दुस्तान में आज क्या चल रहा है। वे दूसरों से पढाकर सुनते हैं और यह सब सबरें प्राप्त करते हैं। दोनों भाइयों का वेदादि का गहरा अभ्यास है। दोनों संस्कृत जानते हैं। दोनों का बातचीत में उपनिषद् और गीता के मंत्र और श्लोक बराबर सुनाई देते हैं।

शांतिनिकेतन में चरखे के पुजारी भी पड़े हुए हैं। कुछ तो नियमपूर्वक चरखा चलाते हैं और कुछ लोग अनियमित रूप से। बहुत से खादी पहनते हैं। मुझे तो यह आश्चर्य है कि इस जगत्विख्यात सस्था में चरखे को और भी अधिक अच्छा स्थान प्राप्त होगा।

#### सन्दिनी बाल्या

इस बात का तो थोड़े ही गुजरातियों का पता होगा कि यहाँपर भी कितने ही गुजराती बालक रहने हैं। उनमें से कुछ बालकों का तो कुटुम्ब भी यहीं रहता है। ऐसा ही एक माटिया कुटुम्ब यहाँ रहता था। उसमें एक बाला का जन्म हुआ। उसकी मा बहुत बीमार हो गई और पागल बन गई। इसलिए गुरुदेव की पुत्रवधू ने उसे गाढ़ ले लिया था और अब उसका वहीं पालन हो रहा है। यह कोई २॥ वर्ष की होगी। गुरुदेव की वह बच्ची लाडली है। सब लोग उसे उनका पोत्री ही मानते हैं। गुरुदेव अभी आगम कर रहे हैं। हृदय का दर्द होने के कारण बापूतों ने उन्हें घूमने फिरने की मना कर दी है। और ऐसा मानसिक काम करने की भी कि जिससे उन्हें थम पहुंचे मनाकर दी है इसलिए दिनमें वे मौन चार दफा इस बाला के साथ विनोद करते हैं और उसे अनेक प्रकार की कथायें सुनाते हैं। यदि उसको वे कथा कहानियाँ न सुनावे तो वह रूट जाती है। इसी तरह वह अभी मुझसे भी नाराज हो गई है। मेरे पाससे फूल का हार लेने का तो वह तैयार हो जाती है लेकिन मेरे पास जाने के लिए वह साफ इन्कार करती है। मानों उसके कहानियों के समय पर मैं गुरुदेव के प्राण बातचीत करता हूँ उनका बदला वह क्यों न देती हो? बालक और राजा की नाराजा का काम पहुंच सकता है? राजा यदि नाराज हो जाय तो मेरा जैसा सत्याग्रही शायद उसे पहुंच भी जाय लेकिन बालक को नाराजा के सामने तो मेरा मेकन्दी रणियार भी मिलेज पतीन होता है। दरम्यान ध्यानध्यान आ पढ़ना है। इसलिए सन्दिनी का जीत सिधे बिना ही मुझे शांतिनिकेतन छोड़ना होगा। अपना इस झंझके दुख को कहानी में किसकी सुनाऊँ?

## आयुर्वेद

कविराज गणनाथ सेन लिखते हैं:—

“मैं इस बातपर आपका ध्यान दिखाना हूँ कि अष्टांग आयुर्वेद विद्यालय की नींव रखने समय आपने जो भाषण दिया था उसका कलकत्ते के वैद्यों ने और जन-समाज ने भी बजाती विपरीत अर्थ किया है। क्या आपको यह सूचना कर सकता हूँ कि आप बराय महरबानी इस बात को स्पष्ट कर दें कि आयुर्वेद और उसको दिल से माननेवालों पर आक्षेप करने का आपका मतलब नहीं था। आपने जो उन वर्ग पर आक्षेप किये हैं जो लोगों को पोखा देकर इगमे से आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। मुझे तो यह अत्यन्त आवश्यक मालूम होता है क्योंकि करीब करीब नवम बंगाली अस्पारों में उस भाषण का अनर्थ किया है और उसका विरोध न करने के कारण मैं इस लोगों को दोष दे रहा हूँ।”

मैं बड़ी खुशी के साथ उनकी प्रार्थना का स्वीकार करना हूँ। उन्नादातर तो इसलिए कि मुझे इससे आयुर्वेद संबंधी अपने विचारों को प्रकट करने का मौका मिलता है।

मुझे शुरूआत में ही यह कह देना चाहिए कि तीसरी कालेज खुला रखने की क्रिया करने के लिए जिस कारण से मैंने आनाकानी की थी उसी कारण से मैंने उग क्रिया के करने में भी, जिसका के जिक्र किया गया है, आनाकानी की थी। वह कारण है मेरे दवाओं संबंधी साधारण विचार, जो मैंने हिन्द-बराज में प्रकट किये हैं। १७ वर्ष के अनुभव के बाद भी आज उसमें कोई यथार्थ भेद नहीं पडा है। यदि आज मैं उस पुस्तक को फिर लिखू तो यह सुनिश्चित है कि मैं उन्हीं विचारों को कुछ जुदी ही भाषा में लिखूंगा। लेकिन जिस तरह मैं अपने दिल्ली होस्प हकीम साहब को इनकार न कर सका उसी तरह मैं मेरी इस यात्रा के निगामकों को भी इनकार न कर सका। परन्तु मैंने उनसे यह कह दिया था कि मेरा भाषण उन्हें प्रतिकूल सा मालूम होगा। यदि मैं उस हलचल के सर्वथा विन्द होता तो कुछ भी बर्षों न होता मैं इस इज्जत को स्वीकार करने से साफ इनकार ही कर देता। लेकिन जो घंटे मैंने उस समय सभा में जाहिर की थी उन घंटों पर मैं ऐसे समारंभों के भी अनुकूल हो सकता हूँ। मुझे आशा है कि जिस कालेज की मैंने नींव रखी है और जिसके संस्थापन में जो स्वयं एक कविराज हैं एक बड़ी भागी रकम उसके लिए दी है वह सब दर्द को दूर करने में अपना हिस्सा बख्श देगी। वह आयुर्वेद का प्रत्यक्ष अभ्यास, संशोधन और नयी शोध भी करेगी और इस प्रकार इस मुक्त में जो सबसे ज्यादा गरीब हैं उन्हें मामूली देशी दवाओं का ज्ञान प्राप्त करने का सुभीता कर देगी और लोगों को रोग दूर करने के उपाय सीखाने के बजाय रोगों को रोकने के उपाय सीखावेगी।

मेरा जो सामान्य तौरपर इस धर्म से विरोध है उसका कारण यह है कि उसमें आत्मा के प्रति कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है और इस शरीर जैसे नाजुक यंत्र को सुधारने का प्रयत्न करने में जो श्रम किया जाता है वह कुछ नहीं जैसी वस्तु के लिए हो किया जाता है। इस प्रकार आत्मा का ही इनकार करने से यह धंधा मनुष्यों को दशा के पात्र बना देता है और मनुष्य के गौरव और आत्म-संयम को घटाने में मदद करता है। सधन्यवाद में इस बात का उल्लेख कर सकता हूँ कि पश्चिम के देशों में धीरे धीरे ऐसे विचारों के लोग पैदा हो रहे हैं जो रोगग्रस्त शरीर को अच्छा करने के अपने प्रयत्न में आत्मा का भी विचार करते हैं और इसलिए वे दवाओं पर उतना आधार नहीं रखते हैं जितना कि वे आरोग्यप्रद

महान शक्तिसाली कुदरत पर रखते हैं। आयुर्वेद के विद्वानों से मेरा विरोध इसलिए है कि उनमें से बहुत से या उनका बहुत बड़ा भारी हिस्सा तो नीमहकीम ही होता है। वे जितना जानते हैं उतने कहीं अधिक जानने का दावा करते हैं। वे अपने-पै-पै उन बात का दावा करते हैं कि वे सब किन्हीं रोगों को जितना किसी शक व श्रद्ध के दूर कर सकते हैं। उन लोगों में जितना नदी होती है। वे आयुर्वेद का अभ्यास नहीं करते हैं और उसके रहस्यों का ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं। इन रहस्यों को आज कोई नहीं जानता है। वे लिपि हुए हैं। वे कहते हैं कि आयुर्वेद में सब कुछ है लेकिन यह बात नहीं है। यह कह कर मात्र वे उसे एक दिन व दिन प्रगति करनेवाली यथास्वी पद्धति बनाने के बजाय उसे केवल एक रिधर पद्धति बना रहे हैं। मुझे एक भी ऐसी महत्व की शोध का पता नहीं है जो आयुर्वेद जाननेवाले वैद्यों ने की हो और जो, पाथल्य डाक्टर और सर्जनलोग जिन शोधों के लिए अभिमान के रहे हैं उनका चक्राचोष उपपन्न करनेवाला मूची के सामने रखी जा सकती हो। आयुर्वेद जाननेवाले साधारणतया नाडी देख कर रोग पहचानते हैं। मैं बहुत से ऐसे वैद्यों को जानता हूँ जो इस बात का दावा करते हैं कि वे रोगी की नाडी देख कर ही यह जान सकते हैं कि उसे 'अपेडिसायटिस' का ध्याधि हुआ है या नहीं। यह तो आज कोई नहीं कह सकता है कि पुराने जमाने में कभी नाडीविज्ञान इतना बड़ा हुआ होगा कि उस जमाने के वैद्य नाडी गेरु कर ही प्रतिज्ञा प्रतीज्ञा रोगों को पहचान लेते होंगे। लेकिन यह तो निश्चित ही है कि आज यह दावा मानिन नहीं किया जा सकता है। आज तो आयुर्वेद जाननेवाले सिर्फ इतना ही दावा कर सकते हैं कि उन्हें कुछ ऐसी बनस्पति और घातु में बनी दवाओं का ज्ञान है जो बड़ी सासर्भवात् होती है। और उनमें से कुछ यदि रोगी को दी जाय तो बड़ा फायदा पहुंचाती है। वे सिर्फ अनुमान ही करते हैं और इससे वे गरीब रोगियों को नुकसान पहुंचाते हैं। दवाओं के वे विज्ञापन जो पशुत्रियों का भडकाते हैं असामर्थ्य के साथ अनिती को भी जोड़ देते हैं और जो उनका उपयोग करते हैं वे समाज के लिए दरअसल भयकर नाशित होते हैं। जहांतक मुझे मालूम है आयुर्वेदाचार्यों का ऐसा कोई मण्डल नहीं है जो इस अनिती के प्रवाह को जिससे कि हिन्दुस्तानियों का मनुष्यत्व नष्ट हो रहा है और बहुत से यज्ञ सिर्फ अपनी कामपिपासा तृप्त करने के लिए राक्षस बन कर जी रहे हैं, उसे रोकने का या उसका विरोध करने का किसी भी प्रकार से प्रयत्न कर रहा हो। येशक मैं जानना हूँ कि ऐसे वैद्यों का बला-मण्डल में बड़ा ही सन्मान होता है। इसलिए जब कभी मुझे मौका मिलता है मैं यही सत्य वैद्यों को या हकीमों को समझाने का प्रयत्न करता हूँ और हमेशा सत्य, नम्रता, और बड़े गर्व के साथ खोज करने के गुणों को धारण करने के लिए उन्हें गमशाता हूँ। मैं जितना भी बातें पुरानी और अच्छी हैं उन्हें चाहता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि एक समय था कि जब आयुर्वेद या वृत्तानी दवाओं का ध्येय बड़ा अच्छा था और वे प्रगति कर रही थी। एक ऐसा भी समय था कि जब मैं वैद्यों में बड़ा विश्वास रखता था और उन्हें मदद करता था। लेकिन अनुभव ने मेरे भ्रम को दूर कर दिया है। बहुतेरे वैद्यों का अज्ञान और घृष्टता देख कर मुझे बड़ा दुःख हुआ है। ऐसा गौरवपूर्ण चन्धा विगडकर मात्र रुपये कमाने का धंधा बन गया है यह जानकर तो मुझे बड़ा ही कष्ट होता है। मैं व्यक्तिओं को दोष देने के लिए यह नहीं लिख रहा हूँ। मैंने सिर्फ आयुर्वेदाचार्यों की चिकित्साप्रणालि को देखकर इतने दीर्घ समय के बाद उसकी जो मुझ पर छाप पड़ी है उसीको यहाँ लिख दिया है। यह कहना

कि उनके पाश्चात्य दायर भाइयों की नकल करके उन्होंने यह सीखा है, कोई उत्तर नहीं हो सकता। बुद्धिमान् मनुष्य जो वस्तु-सुखी है उसका अनुकरण नहीं करता है परन्तु जो चीज अच्छी है उसीका अनुकरण करता है। हमारे कथिराज, नैय और इकॉम उन वैज्ञानिक भावना या अनुकरण को जो कि आज पश्चिम के टाकटों में दिखाई दे रही है। वे उनकी नकल हो या ग्रहण करें। वे ऐसी दवाओं को यह निकालने के प्रयत्न में आर्थिक काट घात करे और निरंकुल गरीब बन जायें। पाश्चात्य शास्त्र का जो भाग हमारा शास्त्रों में नहीं है उसका वे स्पष्टतया स्वीकार कर लें और उसे अपना लें। लेकिन पाश्चात्य वैज्ञानिकों की धर्महीनता से उन्हें बचते रहना चाहिए। वे शरीर को सन्दुस्त रखने लिए विज्ञान के नाम पर छोटे प्राणियों को बग ही तकलीफ देते हैं जो 'विविसेकशन' के नाम से पहचानी जाती है। कुछ लोग शायद यह कहेंगे कि आयुर्वेद में भी यह है। यदि यह सच है तो मुझे बड़ा ही अफसोस होगा। नार धर्मों की आज्ञा से भी प्रण बन्तु पवित्र नहीं हो सकती है।

(५० २०)

मोहनदास करमचंद गांधी

## हिन्दी-नवजायन

बुधवार, जेठ वती ५, संवत् १०८२

### धर्म कि अत्याचार

गुजरात में डाढ़ बणिक जाति में जो झगडा चल रहा है उसके संबंध में एक बड़ा लंबा पत्र मुझे मिला है। लेखक का प्रयत्न बड़ा निर्मल है। उन्होंने मुझे झगडे से सम्बन्ध रखनेवाली बहुतसी खबरें दी हैं और यह भी लिखा है कि समझौते के लिए जितने भी प्रयत्न किये जा सकते थे किये गये हैं। उनकी बात का मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा इरादा यह नहीं कि मैं डाढ़ जाति के विषय में कुछ लिखूँ या सूचित करूँ। मैं तो सिर्फ उसपर से जो विचार मुझे आये हैं वही हिन्दूधर्म के सामने पेश करना हूँ।

एक तरफ से तो हिन्दू धर्म की रक्षा करने के लिए 'समठन' का काम हो रहा है और दूसरी तरफ से हिन्दू-धर्म में जो दुर्बलतायें — कमजोरियाँ हैं वे उसे अन्दर ही अन्दर में कुतर कर कमजोर बना रही हैं। जिस प्रकार लकड़ा का एक मोटा टुकड़ा, चाहे उसे ऊपर से मड़ लो या रोगान लगा कर रक्खा, फिर भी यदि उसके अन्दर कोई कीड़ा हो जो उसके गर्भ को खाये डालता हो तो उसका नाश अवश्यभावी है। उसी प्रकार हिन्दू-जाति के गर्भ में घुसा हुआ कीड़ा उसे खा रहा है। यदि उसका नाश न होगा तो हम हिन्दूधर्म की कूड़ा से चाहे कितनी भी रक्षा क्यों न करें उसका केवल नाश ही होना संभवनीय है।

वर्णबंधन के नाम से वर्ण का संकर हो गया है और हो रहा है। वर्ण की मर्यादा नष्ट हो गई, उसका अतिरेक ही साक्षात् रहा है। धर्म की रक्षा के लिए वर्णबंधन रक्खा गया था। यज्ञी आज एक बन कर उर्माका नाश कर रहा है। वर्ण तो केवल चार ही है। लेकिन आज तो उसके बदले अग्रहय और अगणित वर्ण बन गये हैं। वर्ण तो भिन्न गये लेकिन उसके बजाय जाति के अहाते खिंच गये हैं। जिन प्रकार आबारा और लावारिस लोगों को इन्हीं में बंद कर दिये जाने हैं उसी प्रकार हमलोग भी लावारिस

बन कर इन अहातों में कैद हो कैंदी बने हुए हैं। वर्ण प्रजा के पोषक थे, जाति प्रजा को नष्ट करनेवाली बनी है। हिन्दू-प्रजा की या हिन्दुस्तान की सेवा करने के बजाय हम अपने अहातों की, अपनी बेटी की रक्षा करने में ही मशगुल रहते हैं और उससे जो मङ्गल पैदा होत है उनका निर्णय करने में ही अपने समय, बुद्धि और धन को खर्च करते हैं। चाय जब चाय की बिक्रियों के छेद का नाश करने के लिए सामने लाया है उस समय केवल मन्थिना एक टुकड़े के पर का कच्चा करने के लिए पंचायते कर रही है। जहाँ विवाहका का भेद ही नाश करने योग्य है तहाँ बीजा बने या दूरा बडे यह सवाल ही कहाँ रहता है। जहाँ समस्त हिन्दुस्तान के बणिकों को एक कौम बन जाना चाहिए, वहाँ दशा-धिया, मोह-लाह इत्यादि भेद और उनके झगडों के लिए अवकाश ही कैसे हो सकता है।

वर्ण कर्मानुसार थे। लेकिन आज जाति तो केवल रोटीपेटी व्यवहार पर ही आधार रखती है। जयतक मैं रोटीपेटी व्यवहार की मर्यादा की रक्षा करता हूँ तबतक मैं कलाल की पूजान करूँ, या रामशेर बहादुर बनूँ या परदेश से उधवे में बंध गोमास भगा कर बेचूँ तो भी क्या? यह सब करने पर भी मैं बणिक जाति में पजा जा सकता हूँ। मैं एक परनीयत का पालन करूँ या अनेक मुदरियों के साथ लीला करूँ लेकिन उसकी चिन्ता मेरी जाति को नहीं करनी पड़ती। यही नहीं उतना करने पर भी मैं जाति का पटेल बन कर रह सकता हूँ। उसके लिए नहीं रमतिवर्गों को बना सकता हूँ और जाति से उनाम भी प्राप्त कर सकता हूँ। मैं कहाँ सातापीता हूँ या वे अपने पुत्रादि का विवाह कहाँ करमा हूँ इसीकी चाकोदारी मेरी जाति नहीं है। लेकिन इससे मेरे आचरण या चारित का निरीक्षण करने की जरूरत नहीं मालूम होती। आज तो मैं विधायन हो आया हूँ इसलिए कन्याकुमारी के गर्भागार में नहीं जा सकता। लेकिन मैं खुले खुले व्यभिचार करता हूँ तो भी उस गर्भागार में जाने से मुझे कोई न रोक सकेगा।

इस चित्र में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं की गई है। यह धर्म नहीं है; यह तो अधर्म की परिचीमा है। इससे वर्ण की रक्षा न होगी उसका नाश होगा। वर्णधर्म धर्म की रक्षा करने का मैं प्रयत्न करता हूँ लेकिन यदि यह अधर्म दर न होगा तो मैं उसकी रक्षा करने में समर्थ न हो सकूँगा। इससे तो वर्ण के नाम से वर्ण का अतिरेक ही पहचाना जाता है और इस अतिरेक का नाश होने के बजाय वर्ण का ही नाश हो जाने का भय रहना है।

अब यह देम कि ऐसी अग्रहय जातियों की रक्षा किस प्रकार होती है। अहिमा प्रदान धर्म हिमा से जाति की रक्षा करता है। जिसने जाति के कर्मिण बन्धनों को तोड़ डाला है उन्हें समझाने का, उन्हें उनकी 'भूल' बताने का तो प्रयत्न होता ही नहीं। परन्तु उसका फौरन ही बहिष्कार कर दिया जाता है। बहिष्कार करना अर्थात् सब प्रकार से उसको सताना। उसका भोजन बंध, उसके साथ बेटी-व्यवहार बंध और उसका हममान व्यवहार भी बंध कर दिया जाता है। और यह सजा बहिष्कृत व्यक्ति के लडके बगैरों पर भी उतरती है। इसका नाम है च्यूटी पर फौज भेजना और यदि इस जमाने की भाषा में कहें तो बायरवाही। ऐसे अत्याचारों से तो हजार दो हजार मनुष्यों की जातियाँ टिकने के बजाय नष्ट ही हो जायेंगी। और इनका नाश ही इष्ट है। लेकिन जोरोकुल करने से जो नाश होगा वह दानिकारक होगा। यदि उनका इच्छापूर्वक नाश किया जायगा तभी उससे समाज को पुष्टि मिलेगी।



सबसे अच्छा उपाय तो यह कि छोटी छोटी ज्ञातियों के महाजन मिलकर एक ज्ञाति बन जायें और यह बड़ी ज्ञाति दूसरे सधों के साथ मिलकर चारों वर्णों में से एक में अपना स्थान प्राप्त कर लें।

लेकिन आज भी शिक्षितता की हालत में तो तत्काल ऐसा सुधार होना कठिन करीब नामुमकिन सा मालूम होगा।

धर्म का पालन करना जितना कठिन है उतना ही आसान है। जिस प्रकार हर एक मंद (ज्ञाति) धर्म की रक्षा कर सकता है उसी प्रकार हर एक व्यक्ति भी कर सकता है।

व्यक्तियों को चाहिए कि वे निर्भय बनकर जिन्हें वे गर्म मानते हों उनपर अमल करें और यदि उन्हें बहिष्कृत किया जाय तो उन्हें कुछ भी फिकर न करनी चाहिए। ज्ञाति की तीनों प्रकार की गजाओं का विनय पूर्वक सम्कार करके उसे अपने गुण मानना चाहिए। ज्ञाति भोजन करने में कोई लाभ नहीं है और न करने में तो बहुत भार लाभ ही होता है। मृत्यु के समय के भोजन को मैं पाप मानता हूँ। पुनादि के लिए कन्या और कन्या के लिए पाँद बन्दा उनी ज्ञाति में से न मिले तो यह कोई चिन्ता का विषय नहीं है। क्योंकि जिसको सजा का गई है उसके लिए वह सजा नहीं है क्योंकि वह ऐसा छोटी छोटी आंतरज्ञातियों के अहितत्व को ही नहीं मानता है। कन्या और लड़का यदि लायक हैं तो दूसरे सुधारकों में न लायक जोड़ी मिलने में कोई मुश्किल न होगी। लेकिन यदि ऐसा जोड़ी मिलना मुश्किल हो तो भी उसे सहन करना ही धर्म है। चारित्रवान और संयमी पर ऐसी उपाधियाँ कुछ अधिक असर नहीं करनी हैं। वह उन्हें उपाधि ही नहीं मानता। वह तो प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है। क्रियाके मृत्यु के समय भी ज्ञाति की तरफ से यदि सहाय न मिले तो उसमें भी दुःख मानने की बात क्या हो सकती है? दूसरे मदद करनेवाले मिल जायेंगे। गाँधी के विषय में तो मैं लिख चुका हूँ। उसका उपयोग करने से थोड़ी ही मदद इरकार होगी। और जिसका उतनी भी मदद न मिल सके वह मजदूर रख सकता है। जिसके पाम मजदूरी देने के भी पैसे नहीं हैं इतना जो दीन है और जो ईश्वर पर आधार रखता है उसे तो यही विश्वास रखना चाहिए कि परमात्मा चाहे जहाँ से भी मदद भेज देगा। सजा का भय छोड़ देना ही सत्याग्रह है। जिन प्रकार सरकार के साथ लड़ने में मृत्युग्रह का शत्रु सुवर्ण-शत्रु है उसी प्रकार ज्ञाति सरकार के साथ लड़ने में भी यह है। क्योंकि दर्द एक ही है इसीलिए दोनों की दवा भी एक ही है। सत्याग्रह जुलम का औषध है। हिन्दू-धर्म का — धर्मेमात्र का — रक्षण केवल सत्याग्रह से ही हो सकता है।

मैं प्रत्येक धर्म-प्रेमी को बड़े विनय के साथ यह सलाह देता हूँ कि वे ज्ञाति विषयक नाना प्रकार के झगड़ों में न पड़ें और अपने कर्तव्य में रुढ़ रहें। यह कर्तव्य है अपने धर्म का और देश का रक्षण करना। छोटी छोटी ज्ञातियों का अयोग्य रक्षण करने में धर्म का रक्षण न होगा, लेकिन धार्मिक व्यवहार से ही उसका रक्षण हो सकेगा। धर्म का रक्षण अर्थात् हिन्दुमात्र का रक्षण। स्वयं चारित्रवान बनने से ही हिन्दुमात्र का रक्षण होगा। चारित्रवान बनने के मानी हैं; मत्स्य, ब्रह्मचर्य अहिंसादि व्रतों का पालन करना और निर्भय बनना — अर्थात् मनुष्यमात्र का भय त्याग करना, ईश्वर पर श्रद्धा रखना, उससे डरना, वह हमारे सब कामों का, सब विचारों का साक्षी है यह मानकर गंभीर विचार करने से डरना, जीवमात्र की सहाय करना, दूसरे धर्म के मनुष्य को भी मित्र मानना और पर्योपकार करने में ही कालक्षेप करना इत्यादि। छोटी

छोटी ज्ञातियों का अहितत्व तो सभी क्षन्तव्य माना जा सकता है जब कि उनके सब काम साधारण तौर पर धर्म और देश के पोषक हों। जो ज्ञाति सारे विश्व का उपयोग अपने ही लिए करती है उसका नाश होगा। जो ज्ञाति संसार के कल्याण के लिए अपना गुद का उपयोग होने देती है या करती है वह भले ही जिन्दा रहे।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

## क्या पुरुषों का काम नहीं?

एक प्रोफेसर साहब इस प्रकार लिखते हैं—

‘स्वयं मुझे तो चरन्वे में और खादी में पूर्ण विश्वास है। मैं यह खूब अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि शांति खास वर्ग के लोग और आम लोगों में खर के गिवा और कोई दूसरा सामान्य बंधन ही ही नहीं सकता। और क्रिया सामान्य बन्धन के बिना और एकत्व का अनुभव किये बिना कोई भी देश किसी भी प्राप्त्य वस्तु का प्राप्त नहीं कर सकता है, हिन्दुस्तान तो कर ही नहीं सकता। इसके अलावा मैं यह भी अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि कार्पा नादाद में गादी पैदा हो जाने पर तो उम्मीद यही परिणाम होगा कि विदेशी कपडा आना बन्द हो जायगा। यदि हिन्दुस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उसे खादी का कार्यक्रम पूरे तौरपर सफल करना चाहिए।

लेकिन मेरी राय यह है कि आपने गलत निरे में काम करना शुरू किया है। सशक्त मनुष्यों को श्रियों की तरह वांछित बैठने को कहना बहुतेरे मनुष्यों को निचित्र मालूम होता है। मैं इस क्याल को अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि आजकल हम लोग औरतों से किसी प्रकार भी बढ़कर नहीं हैं। फिर भी यह बात सच है कि हम लोग उस कार्य को करना स्वीकार नहीं कर सकते हैं जिसका कि सैकड़ों वर्ष हुए स्त्रियों के साथ ही संबंध रहा है। यदि मुझको कम से कम यह विश्वास दिलाया जा सके कि भारत-वर्ष की औरतों ने कातने को अपना लिया है और फिर भी पुरुषों को उसमें कुछ मदद करने की जरूरत है तो मैं अपने इस क्याल को छोड़ देने के लिए राजी हो जाऊंगा। बारीक विदेशी साड़ियाँ पटन कर औरतें तो इटलाती हुई फिरें और पुरुषों को कातने के लिए कहा जाय यह तो घोड़े के आगे गाड़ी रतने के बराबर ही होगा। अलावा इसके, विदेशी कपडों के सवाल को जिम्मेवारी पुरुषों पर उतनी नहीं है जितनी कि स्त्रियों पर है और इसलिए मेरा यह क्याल है कि खर और चरन्वे का उपयोग करने के लिए स्त्रियों के बजाय पुरुषों पर दबाव डालना गलत निरे से काम शुरू करना है।

मेरी नया राय है कि आपको पुरुषों को तो उनकी अनेक प्रकार की राजकीय प्रवृत्ति में ही लगे रहने देना चाहिए था और अपना गदेशा इस देश की स्त्रियों को ही सुनाना चाहिए था। अब आपके चरन्वे और खादी के महान कार्यक्रम को आप स्त्रियों के क्षेत्र में ही मर्यादित कर दें और पुरुषों को तो दूसरे पुरुषोचित हथियारों से ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने दें।”

यह पत्र कुछ लंबा था लेकिन मैंने सार खींच लिया है पर उसकी मापा नहीं बदली है। यह तो स्पष्ट है कि ये विद्वान प्रोफेसर हिन्दुस्तान की स्त्रियों की हालत को नहीं जानते हैं। अगर वे जानसे होते तो उन्हें यह भी खबर होती कि साधारण तौर पर पुरुषों को अपना भाषण स्त्रियों को सुनाने का अधिकार या मौका नहीं मिलता है। जेशक मेरे सद्भाग्य से कुछ अक्षतक में उन्हें अपना वक्तव्य सुनाने में समर्थ हो सका हूँ। लेकिन मुझे

## बुरी फटकार

एक बकील मित्र लिखते हैं—

“१४-५-२६ के रंग इण्डिया में १०० वें सफे पर 'बुनने-वालों की शिकायत' इस विषय के लेख में इन प्रकार लिखा हुआ पाया गया है।

'यह शिकायत काननेवाले सभों की बड़ी भारी उदासीनता का मुद्रत है। लेकिन दिल लगावे बिना कानना अपने को और राष्ट्र को दोनों को धोखा देना है।'

मैंने आपको २८-३-२५ को एक चिट्ठी लिखी थी और मेरा कानना हुआ १०० बार मृत भ्रमों के तौर पर भेजा था। उसमें मैंने आपसे प्रार्थना की थी आप उनकी उनके ज्ञाताओं से परोक्षा करावे और उसमें यदि कोई दोष हो तो मुझे लिख भेजें। लेकिन अबतक मुझे उसका उत्तर नहीं मिला है। उस पत्र में मुझे जो भय था वह मैंने साफ शब्दों में लिख दिया था। और वग इण्डिया की उपयोग शिपथा में यह मामूली भी होता है किमेरा भय साधारण था।

मैंने उस पत्र में यह भी लिखा था कि हर एक काननेवाला यह नहीं जान सकता कि उसके कानने हुए सूत में क्या दोष है। और इसलिए कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि उन्हें उनके सूत के दोष बताये जा सकें और वे यह समझ जाय कि किस जगह उसे सुधारने की जरूरत है। मैं आपके इस कथन से सहमत नहीं हो सकता हू कि हर एक काननेवाला जो अच्छा नहीं कात सकता है वह बिना दिल लगावे और उदासीन हो कर ही कातता है और इस प्रकार वह अपनेको और राष्ट्र को धोखा देता है। जो सूत काननेवाले कातते हैं उसके अच्छे या बुरे होने पर से कानने-वालों की सच्चाई का माप निकालना उन्हें अन्याय करना है। कानने का पूरा ज्ञान न होने के कारण भी सूत में दोष रह सकते हैं। मैं तो यह भी कह सकता हू कि सभासद भिगमपर्वक कात कर अपना सूत का चन्दा देते हैं इसीसे यह बात साबित हो जाती है कि वे सच्चे और दिल लगा कर काम करनेवाले हैं। क्योंकि उनपर कोई जबरदस्ती तो की ही नहीं जाती है। वे जितना भी काम करते हैं सब स्वेच्छा से और अपना कर्तव्य समझ कर ही करते हैं। इसलिए यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि वे दिल लगा कर काम नहीं करते हैं। लेकिन उसके खिलाफ वे तो स्वभावतः ही उत्तम और बड़ा उपयोगी सूत भेजने के लिए आनुर होते हैं। मेरा यह हयाल है कि यह कहना कि वे अकारण ही कानने का यज्ञ लेते हैं और इसलिए उसमें दोष रहते हैं, बहुत ही बुरी फटकार है।

मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा यदि आप हम लोगों को (विशेष काननेवालों को) कोई उपाय देखा देंगे कि जिससे हम यह जान सकें कि हमारा सूत जैसा होना चाहिए, वैसा कता है या नहीं।”

इस मित्र का यह मानना कि बुननेवाले और कताई के पूर्ण ज्ञाता न होने के कारण वे सूत का अच्छा या बुरा होना पहचान नहीं सकते हैं, यदि सच होता तो मेरी फटकार बड़ी सख्त गिनी जा सकती है। लेकिन सच बात तो यह है कि सूत का बुनाई के योग्य होना या न होना पहचानना बड़ा सीधा काम है। देखते ही यह बात मालूम हो जाती है कि सूत सब जगह से बराबर है या नहीं या गेंगटेदार है। और हाथ से जरा खिंचने पर यह मालूम हो जायगा कि वह अच्छा बलदार है या नहीं। इसलिए साधारणतया सूत की जाल पहचानने के लिए किसीको

अनेक सुभीतायें मिलने पर भी गेरा संदेशा जितना पुरुषों के पास पहुंच सका है उतना उनके पास नहीं पहुंच सका है। उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि शिगा पुरुषों की हजाजत लिए बिना कुछ भी नहीं कर सकती है। मैं ऐसे बहुत से उदाहरण पेश कर सकता हूँ कि जिसमें पुरुषों ने स्त्रियों को चरखा और खादी पहन करने में रोका है। सीधे यह कि जो भी पुरुष कर सकते हैं वे शिगा नहीं कर सकते। यदि कानने की हलचल सिर्फ औरतों ही में मर्यादित रही होती तो गत चार वर्षों में चरखे में जो सुधार हुए हैं और जिस प्रकार आज वह हलचल सगठित हो सकी है वैसा होना नामुसकिन था। चौथे किसी भी काम के बारे में यह शिगों का है या पुरुषों का ही है वह कदना अनुभव के ब्यवहार है। खाना पकाना मुख्यतः स्त्रियों का ही काम है। लेकिन जो शिगाएँ खाना नहीं पका सकती हैं वह किसी भी काम का नहीं। लडाई की छायाओं में खाना पकाने का जितना भी काम है सब पुरुषोंलाय ही करते हैं। परमेश ता स्वभावतः स्त्रियों ही खाना पकानी हैं लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर व्यवस्थित तौर से खाना पकाने का काम तो सारे नसार में पुरुषोंलाय ही करते आये हैं। लडाई में लडना मुख्यतः पुरुषों का ही काम है लेकिन इस्लाम के सुदआत के मुद्दों में आरब स्त्रियाँ अपने पतिशों के साथ खड़ी रहकर बहादुरों की तरह लडा थीं। गदर के जमाने में झांसी की रानी ने अपनी बहादुरी के लिए नाम पाया और यह तो बहुत ही थोड़े पुरुष कर सके थे। और आज यूरोप में हम स्त्रियों को बकील, डाक्टर और मुन्तजोम बनकर बड़ा अच्छा काम करती हुई देख रहे हैं। सुहरिों का धंधा तो शार्डून्ड और टाइपराइटर जाननेवालों औरतों ने कबील कराय अपने ही कब्जे में कर लिया है। कानना पुरुषों का काम क्यों नहीं है? क्या जो काम हिन्दुस्तान की आर्थिक और आभात्मिक उत्थिति कर सकता है (और प्रोफेसर के मतानुसार चरखा ऐसा है) वह पुरुषों के लिए काफी पुरुषोचित नहीं है? क्या प्रोफेसर यह नहीं जानते कि पहले पहल जिसने कानने का चरखा हठ निकाला था वह पुरुष ही था। यदि उसने उनकी धोष न की होती तो आज मनुष्यों का इतिहास कुछ जुटे प्रकार से ही लिखा गया होता। मिलाई और मूड़े का वसग काम तो स्त्रियों का ही काम है लेकिन संसार के जितने भी प्रसिद्ध और अच्छे दरजी हैं वे सब पुरुष ही हैं। और मिलाई का गचा हठ निकालनेवाला भी पुरुष ही था। यदि सीगर ने मूड़े से नफरत की होती तो आज वह मनुष्य समाज के लिए कुछ भी न छोड़ गया होता। यदि औरतों के साथ साथ युजर हुए जमाने में पुरुषों ने भी कताई पर ध्यान दिया होता तो कपती सरकार के दबाने पर हमने आज जो कताई का काम छोड़ दिया है वैसा उसे कभी न छोड़ होता। राजनीतिज्ञ लोग जितना भी चाहे शुद्ध राजनीति का कान करने में अपने को लगा सकते हैं। लेकिन यदि करोड़ों के एकत्रित प्रयत्न से हमें अपना कपडा आप तैयार करना है तो राजनीतिज्ञ कवि—पंडित—सभीको फिर वह स्त्री ही या पुरुष ही, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी हो, उसे देश के लिए धर्म भावना के साथ आधा घण्टा अवश्य ही कानना चाहिए। मनुष्य का धर्म किसी एक वर्ग का या केवल स्त्रियों का या पुरुषों का ही अधिकार नहीं है। वह तो सभीका अधिकार है, नहीं, फर्क है। हिन्दुस्तान के मनुष्यों का धर्म उन सब लोगों से जो अपने को हिन्दुस्तानी कहलाते हैं इस बात की अपेक्षा रखता है कि वे कम से कम आध घण्टा अवश्य ही कानने


जुलाहा बनने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जिसको इस बात का अधिक ख्याल है वह जुलाहे के पास जा कर भी अपने सूत की परीक्षा करा सकता है। हजारों कातनेवाले जो आज अच्छा सूत कात रहे हैं वे जुलाहे नहीं हैं और बिना कुछ अधिक कठिनाई के वे अच्छे और बुरे सूत को पहचान सकते हैं। यह हो सकता है कि इस पत्र के लेखक ने जो सूत भेजा है वह आश्रम में पहुँचा होगा। लेकिन मैं तो बराबर सफर में रहा हूँ इसलिए वह मुझे नहीं मिला है। लेकिन अब उन्हें मेरी उररोफ सूचना को ही मान लेना चाहिए। जेल में हमें मिल-कते सूत का दो बार का एक नमूना दिया जाता था और उस नमूने के मुआफिक कातने को कहा जाता था। जो शाल्स इस प्रकार सूचनाओं से समझ नहीं सकते हैं वे मिल-कते सूत का जिस नंबर का कातना चाहें उन्ही नंबर का एक नमूना ले लें और उन्ही नंबर का और जानि का सूत कातने का प्रयत्न करें। अब शायद यह बारा साफ हो गई है कि मैंने सभासदों को शेष क्यों दिया था। लेकिन मेरी इच्छा किसी भी कातनेवाले को अन्याय करने की नहीं थी यह दिखाने के लिए भी मुझे तौरन ही इस बातका स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस वकील मित्र के जैसे बहुत से ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने युग मृत एसभिए भेजा क्योंकि उनको कुछ इसका अधिक ज्ञान नहीं था। लेकिन वे बहुत ही न होंगे क्योंकि इन पत्रों में बार बार विनायनिया और सूचनाये प्रकाशित की गई हैं और आ०भा०खा० मण्डल में भी जब सूत उसके पास भेजा जाता था तब अलग सूचनाये प्रकाशित की थी।

(य. इ.)

मो० क० गांधी

### ब्रह्मदेश का चर्चा

यहां जो चित्र दिखा गया है वह ब्रह्मदेश के चर्चों का है। रगून के पास के एक गांव में रहने वाले एक गुजराती सिप ने ऐसा एक चर्चा हमें भेंट दिया था। जिन्होंने बौद्ध मंदिरों के चित्र देखे हैं उनकी यह चर्चा देखते ही इतने ब्रह्मदेश की छाया सी नजर आयेगी। यह बहुत हलका और सुजीक है। इसके चक्र के आगे मजबूत बाँध की चौपों के बने हुये हैं। आरों के ऊपर चारों ओर गोल पत्र भी छोटी-२ बाँध की चौपों को जड़कर बनाया हुआ है। इसका चक्र का व्यास १५ इंच है। पटली की लंबाई २ १/२ फुट है। चक्र की ऊँचाई के परिमाण में चर्च की लंबाई बिल्कुल ठीक मालूम होती है। चक्र के ऊपर गाय के सींग की सी एक आकृति दोनों पिछले खंभों के ऊपर जड़ी हुई है। अगले खंभों की चोटियों स्तंभों के शिखरों के जैसी और उलाक व नोकाली है इसमें चर्चा बड़ा खूबसूरत लगता है।



इस चर्चमें खाम खूबी यह है कि तकला अगले खंभों के बाँधर होने के बदले अदर की तरफ रहता है। अगले खंभों के मुराखों में चमरखों की जगह रस्सी के नाकू अदर की ओर पिरोये हुये हैं। पिछाड़ी मोटीमी एक गाँठ होने के कारण ये नाकू खिय नहीं आते। इन दोनों नाकूओं में रहनेवाले तकले पर जब माल चटती है तो वह चक्र की तरफ खिचकर मजबूती से अदर लटकता हुआ तकला इतना हटका घूमता है और किसी भी प्रकार का कर्कश शब्द न निकालते हुए इतनी मधुर ध्वनि सुनाता है कि कांतनेवाले का उसपर से शेट उठने की दिल नहीं करता। इन रस्सियों के चमरखों से एक विशेष लाभ यह है कि तकला कांतते समय आगे पीछे झलता हुआ रहते हुए भी थरता नहीं है। और इसमें सूत को झटका बिल्कुल नहीं लगता। जिस प्रकार स्पिंगवाली गाड़ी को गद्दी पर बैठा हुआ आदर्मी गाड़ी को झटके लगने हुये भी खुद झटकों से सुरक्षित रहता है वैसे ही सिंभ का काम देनेवाले इन रस्सियों के चमरखों में रहनेवाले इस चर्चों के तकले का सूत झटकों से बचा हुआ लगातार निकला करता है और उटता बहुत कम है। खूबी यह है कि तकले में थोडा सा बाँक हो तो भी उसका अमर सूत पर बहुत कम पड़ता है। और यदि तकला बिल्कुल सीधा हो तब तो कांतने में अपूर्व आनन्द आता है।

रस्सियों की जगह धनुर्व में से हटे हुए ताँत के टुकड़े लगाये जाय तो वह बहुत टिकनी है और उसपर तकला कुछ विशेष सरलता से फिरता है। ताँत का टुकड़ा तकले के दबाव से रस्सी के टुकड़े की तरह दब कर पोला न हो जाने से तकले को घर्षण कम पड़ता है और तब तक तकले पन में बतवारी होती है। इन चमरखों में तेल नहीं डालना पड़ता ऐसा तो नहीं है। तेल से घूमने में सरलता बढ़ती है और रस्सी या ताँत के टुकड़े का आयुष्य भी बढ़ता है।

जिम मित्र ने यह चर्चा भेंट किया था उन्होंने यह चर्चा एक बर्मी ली के पा लसे वा स्पे में खर्गदा था। दिखाने में बहुत पुगना मालूम होता है लेकिन तो भी उसका कोई भी अंग जाण हुआ नहीं दिखता। यह चर्चा इस बात की साक्षी देता है कि ब्रह्मदेशीय चर्चों के बननेवाले कैसे रचिया होंगे और कांतनेवाली खिया कैसी रसीली होगी।

तकले की इस प्रकार की व्यवस्था हर किसी चर्चों में हो सकती है यह भी इस चर्च के ऊपर के एक छोटे चित्र से मालूम हो सकता है। सिर्फ चर्चा जग लेबा अवश्य होना चाहिए। लंबाई कम हो ऐसे चर्चों में यह व्यवस्था नहीं हो सकती ऐसा नहीं है। उसमें तकला सिर्फ चक्र के बहुत ही नजदीक आ जावेगा, इससे माल तकले पर जितना जगह पर लगनी चाहिये उससे कम-जगह पर लिपटेगी और इससे तकले पर माल का जिनता नाकू रहना चाहिए उतना नहीं रहेगा। चर्च की लंबाई २ फुट हो तो बिल्कुल काफी होगी। तकले के मोटे पतले पने के अनुसार रस्सी या ताँत के टुकड़े भी मोटे पतले लगाना जरूरी है। जिस चर्च की लंबाई कम हो उसमें यह व्यवस्था करने का एक उपाय है। वह यह कि चमरखे खाने के रूपाय में जगह के अनुसार लंबा बाँध की चौपे चमरखा की तरफ लगा दी जाय और इन बाँध की दोनों चौपों में सुगंध कर के उनमें रस्सी के नाकू नीचे की ओर लटकते हुए पिरो लिये जाय। इन नाकूओंमें तकला डाल कर बदलने से आवश्यक लंबाई प्राप्त हो

कांतनेवाले पाठक इस व्यवस्था का प्रयोग अवश्य करेंगे ऐसी आशा है। बिना खर्च के यह व्यवस्था हो सकती है और इस व्यवस्था से कांतने में मृत दृढ़ता बहुत कम होने से ज्यादा मजदूर निकलता है। इसमें मृत स्वाभाविकतया कुछ बारीक निकलता है। यह लाभ भी कुछ कम नहीं है। तकले की नोक पर थ्रॉट बिस्कुल नहीं लगने से तार को टूटने से बचाने की सभाल कांतनेवाल को बहुत कम लेनी पड़ती है और इससे पूनी में से ज्यादा रेश छोड़कर मोटा तार निकालने की जरूरत न रहने से पतला तार बिना कठिना के निकाला जा सकता है।

मगनलाल सु० गांधी

### अभय आश्रम

१०२० में कलकत्ते में असहयोग की नींव डालकर गांधीजी को चार दिन के लिए गान्धिनिकेतन गये थे। उस समय तीन या चार युवक एक आश्रम या मण्डल की योजना लेकर आये थे। उनमें एक तो कलकत्ते की वैद्यकीय कालेज की उपाधि प्राप्त किए हुए और लडाई में काम करके वापस आकर असहयोग के कारण अपनी जगह से इस्तिफा देकर निवृत्त बने हुए डाक्टर थे। उनके साथ कोई दो तीन युवक और थे। वे कलकत्ता यूनीवर्सिटी के एम. ए. और एम.एस.सी. थे। गांधीजी ने उनसे बड़ा जिरह की। पहले तो आश्रम जैसी मस्था खोलने में जो मुश्किल आती है उनका जिक्र किया, प्रथम पर आधार स्वनेनाला आश्रम निकालने की आवश्यकता और उगमें जो मुश्किल होता है उनका भी जिक्र किया। और बहुत कुछ चेता करके ही उन्हें आश्रम निकालने की इजाजत दी थी। 'आश्रम का नाम क्या रखोगे?' इसके उत्तर में उन्होंने अनेक नाम दिये थे। एक नाम अब भी याद है। एक भाई ने पूछा था "सविताश्रम नाम रखें तो कैसा?" गांधीजी को यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ था। उसका हेतु पहले पर उन्होंने कहा कि 'सविता ही सारी सृष्टि का आधार है वही उसको टिका रखा है। सविता सर्व प्रकार के अंधकार का नाश करती है हमारा आश्रम देश को सवितारूप हो।' इसमें जो मगनलाल मनोरथ है वह गांधीजी को पसंद था लेकिन यह मनोरथ नाम में नहीं परन्तु काम में प्रकट करने की उन्होंने मनाह दी थी। बाद जब १९२१ में फिर कलकत्ते में मिला तब एक भाई उताका 'अभय आश्रम' नाम लेकर आये थे और गांधीजी ने उसे कुचल रक्खा था। यह आश्रम शुरूआत में ठाके में था और अब कुमिल में है। आश्रम के प्रथम सभ्यों में तीन डाक्टर थे। पहले के सभ्यों में से बहुत से अब नहीं रहे। शायद इसका कारण यह ही सकता है कि अभय आश्रम ने जितनी निभयता प्राप्त की है उतना विनय भी प्रम प्राप्त नहीं किया होगा। बरना दीक्षाबद्ध ब्रह्मचारी दीक्षा छोड़कर चले क्यों जाय ?

फिर भी आज जितने हैं—अगरा तो हैं—उतने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बंगाल के त्याग के उदाहरण स्वरूप यह आश्रम आज मज्जु है। जो लोग बाहर निकल गये हैं वे भी देश का स्वतंत्र काम कर रहे हैं। आश्रम में जो डाक्टर हैं वे कुमिल में काम करते हैं और अपनी सब कमाई आश्रम की ही देते हैं। इसीसे आश्रम के दूसरे सर्व चलते हैं। आश्रम के साथ एक अस्पताल निकालने का भी उनका विचार है। आश्रम का उद्देश्य खादी पैदा करना है इसलिए खादी का ही काम मुख्य है। इसके अलावा एक शिक्षामंदिर भी है। उसमें आसपास के गांधी के बालक शिक्षा पा रहे हैं। थोड़ी खेती भी होती है।

बंगाल में खादी के पुनरुद्धार का आरम्भ करनेवाले भाई प्रफुल घोष अभय आश्रम के ही हैं। प्रतिवर्ष २० हजार की खादी आश्रम उत्पन्न करता है।

गांधीजी का सत्कार करते हुए आश्रमवासीओं ने एक अभिनन्दन पत्र दिया था। उसके साथ आश्रम के सभ्यों के करते हुए सूत का एक धोती जोड़ा भी था। इस अभिनन्दन पत्र के जवाब में गांधीजी ने इस प्रकार भाषण किया था।

'इस अभिनन्दनपत्र के लिए आप को धन्यवाद है तो यह केवल शिष्टाचार ही होगा। क्यों कि आप लोगों ने भी तो इस बात का स्वाकार किया है कि इस आश्रम की हस्ती में मेरा भी कुछ हाथ है। जब मैं बंगाल आने की तैयारी कर रहा था उग समय आपके जैसे युवकों को मिलने की और आप लोगों का काम देखने की मुझे बड़ी इच्छा थी। ऐसे नवयुवकों के स्वार्थ-त्याग का मुझे पूरा पता है। मैं यह जानता हू कि जबतक ऐसे बहुत से स्वार्थत्यागी भारत में न होंगे तबतक स्वतंत्रता की आशा नहीं है। प्रत्येक नौजवान के लिए त्याग ही भोग होना चाहिए। त्याग को भोगे कभी दुःख की अवस्था नहीं मानी है। जो मनुष्य त्याग को दुःख मानता है उगका त्याग बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता है। इसलिए जब मुझे अपने प्रवास में त्याग के बड़े बड़े उदाहरण दिखाई पड़े हैं, और ५००-१००० रुपया मासिक वेतन छोड़ कर छोटे ही रुपये ले कर अपना आजीविका प्राप्त करते हुए युवकों को मैं देखता हू तब मुझे कोई दुःख नहीं होता है। लेकिन मैं तो यह महसूस करता हू कि ऐसे नवयुवकों ने कुछ भी नहीं खोया है क्योंकि वे प्रथम प्राप्त करने के बंधन में तो पड़े गये हैं।

लेकिन ये एक और बन्धु पर और देना चाहता हूँ। जब हम लोग सेवा के लिए किसी वस्तु का त्याग करते हैं तब हम किसी न किसी वस्तु का प्रदूषण भी करते हैं। यह मैं जानता हू कि नवयुवक लोग यह मानते हैं कि उन्होंने किसी वस्तु का त्याग किया कि उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन इस स्याद में बड़ी भूल होती है। त्याग के साथ कतथ्य का भी भान होना चाहिए। तभी जीवन सतोषपूर्ण हो सकता है। अर्थात् अपनी सब प्रवृत्तियाँ विवेकपूर्ण से ही छोड़नी चाहिए। मेरे म्याल से तो आज हिन्दुरतान की सेवा करने के लिए जितने भी युवक तैयार हों उनकी दृष्टि के सामने एक ही धारणा रहना चाहिए। कंगडो निकलनी को किस प्रकार उधमी बनाये जाय ? और बरखा ही उसका एक मात्र साधन है यह स्वीकार करना होगा। जिस युवक में काम करने की शक्ति है, सेवा और स्वार्थ त्याग की जिम्मे दौड़ा ली है उसे तो जो-प्रवृत्ति कठिन से कठिन है, व्यापक से व्यापक है और सबसे अधिक फलदायी है उगीमें प्रवृत्त होना चाहिए।'

( नवजीवन )

महादेव हरिभाई देशाई

### एजेंटों के लिए

"हिन्दी-नवजीवन" की एजेंसी के नियम नीचे लिखे जाते हैं—  
१. बिना पचासी दाम आये किसीको प्रतिष्ठा नहीं देनी जायगी।  
२. एजेंटों को प्रति कापी १। कमीशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम से अधिक लेने का अधिकार न रहेगा।  
३. १० से कम प्रतिष्ठा संगाने वालों को डाक खर्च देना होगा।  
४. एजेंटों को यह लिखना चाहिए कि प्रतिष्ठा उनके पास डाक से भेजी जाय या रेषे से।

व्यवस्थापक—हिन्दी-नवजीवन



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ४६ ]

मुद्रक-मकाबक  
बेगोलाल अंगनवाल मूल

अहमदाबाद, आर्वाड सुवी ४, मसत १९८२  
सुकवार, २५ मून, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
सारांगपुर सरकोगरा की बाड़ी

## टिप्पणियां

### धक और रंगकट

मेरी प्रेमिकाओं को फीज दिन ब दिन बड़ रही है। जेशक उन सबमें रानी तो सुलतार ही है। जब जब और जितनी दफा मुझे निमेष्रण मिलने पर सरकार के मिहमान बनकर जाना पडा है तब तब और जतनी ही मरतबा वह मेरी गिरहाजरी में सब मरात्मक कुर्मी पर अपना अधिकार जमाती है। लेकिन छोटे छोटे तारे जो हमारे अंगिका हैं, जिन्होंने हमारे अंगिका में आने से पहले अभी उनमें जो एक और भरती हुई है वह है बदेवान की रानीबाला। वह छामद दस वर्ष की है। मुझे उसकी उम्र पूछने की हिम्मत ही न हुई। मैं उसके साथ मुवाफिक के मामूल खेल रहा था और उसके छः भारी सोने के कडो पर तिरछी नजर डालना जाना था। मैं धीरे धीरे उसे यह समझा ही रहा था कि उपकी फामल कलाई पर ये भारी कडे बडे टी बजनदार मालूम होते होंगे कि- उसने उन कडों पर अपना हाथ रख दिया। उसके जाना 'सबेट के मपादूर सम्पादक बोल उडे " हाँ, महारमजी को ये कडे दे दो " मुझे हयान हुआ कि किसी दूसरे ही पर बोझ डालकर यह उदारता प्रकट की जा रही है। लेकिन ग्याम बाबू धांके "आप मेरी लडकी और दामाद की पहचानसे नहीं है। मेरी लडकी यह सुनकर कि रानीबाला ने आपको कडे दे दिये हैं बड़ी प्रसन्न होगी। और मेरे दामाद तो उनके बिना अच्छी तरह चला सकेंगे। वे बडे उदार दिल के आदमी हैं। वे गरीबों को बड़ी मदद करते हैं।" वे धोलते जाते थे और रानीबाला को कडे उतारने में उत्साहित और मदद करने जाते थे। मुझे यह कुबूल कर लेना चाहिए कि मैं कुछ अकरायया अदर। मैं तो सिर्फ चिनोद ही कर रहा था। जर कभी मैं छोटी लडकियों को देखता हूँ तो मैं सबसे सदा ऐसा ही चिनोद करता हूँ और चिनोद ही चिनोद में उनके दिल में बहुत गहने पहनने का तिरस्कार उत्पन्न करता हूँ, और गरीबों के लिए अपने गहने त्याग देने की इच्छा पैदा करता हूँ। मैंने कडे वापस करने का प्रयत्न किया। लेकिन इशाम बाबू ने जो यह कह कर बात बीच में ही काट डाली कि उनकी लडकी कडे वापस लेने के कार्य को अजुगन मानेगी। मैंने अपनी एक शर्त उन्हें सुनाई कि लडकी ने

मुझे जो कडे दे दिये हैं उनके बरडे में वह एपरे कडे न मांगेगा। यदि उसे पैसद हो ता वह शम्न की बनी गदर मफेद शूरिया पदन सकती है। लडकी और उसके नाना दोनों ने मेरी यह शर्त स्वीकार कर ली। यह दान उस कुदुब के लिए छुम शकुन था या नहीं, मैं नहीं जानता लेकिन गरीबों के और मेरे लिए तो वह बडा अच्छा छुगन साधित हुआ। क्योंकि कि इनका सुमों पर भी अच्छा अतर हुआ। और बदेवान में जिस खियों की राभा में मैंने प्याहवान दिया उसमें से १९ कडे अर को भांडे काम को बालिया बिना मोगी ही अल गये। यह कडे की तो कोई आवश्यकता नहीं है। बंगाल में करका और कादी के प्रचार के काम में उनका उपयोग किया जायगा, मैं जितनी भी छोटी लडकिया है उनपर भार उनके मानापिता, और उनके बूद दादादादी या नानीनानी पर यह जाहिर अरता हू कि जो मुझसे रानीबाला की शर्त पर प्रेम करना चाहती हैं उन सबकी फिर ये कितनी भी हों मैं अपनी प्रेमिका बनाने के लिए तैयार हूँ। इस हवाल से कि उन्होंने अपने बीमती गहने गरीबों की सेवा के लिए दे दिये हैं वे अधिक सुदर साधित होंगी। हिन्दुरतान की छोटी छोटी लडकियों को यह कयन हमेशा याद रखना चाहिए कि "वही सुंदर है जो सुदर काम करता है"।

### अध्याय अभीष्ट नहीं

"आप कहते हैं कि मेरे मदेश की ओर मैं शिक्षित भारतवातियों का आकर्षित न कर सका। यह कह कर क्या आप भारत के शिक्षित समुदाय के साथ अध्याय नहीं करते? आपके दाहने हाथ राजभोपाचार्य को हाँ देमिए, औरों की बात तो दूर, जो कि निरसाथ है, शिक्षित है, देश के कोने कोने में बिखरे हुए हैं और जिनका नाम तक आप 'म.द.' में नहीं देखें, वे न होने तो आपकी क्या इच्छा होती? प्रामप्रवेश की बात करना तो ठीक है; परन्तु यह भी आप उ-हीकी मदद से कर रहे हैं"।

इस प्रश्न से एक मिथ्या विषय उपस्थित होता है। यह तो दरिया में खसखस है। जो मुझीमर शिक्षित लोग चुपचाप सेवा कर रहे हैं और चरखे का पैगास पहुचा रहे हैं वे भारतव में अपने और देश के लिए भूषण हैं। उनके बिना मैं बिल्कुल अमहय हूँ। परन्तु वे शिक्षित समुदाय के सबसे अधिक प्रतिनिधि नहीं हैं

जितना कि मैं हू। एक वर्ग के रूप में शिक्षित भारतीयों की चर्च से बुर खड़े हैं; इसलिए नहीं कि वे चाहते नहीं हैं बल्कि इसलिए कि वे कायल नहीं हो पाये हैं। जब मैंने वह बात लिखी तब मेरे ध्यान में श्री धाली, जिना, चितामणी, सपरू आदि समस्त लोग थे, जो कि हमारे देश के प्रसिद्ध शिक्षित व्यक्ति हैं। छोटे बड़े लोग चाहें भी मुझे चाहते हों, पर मेरे विचारों और कार्य-प्रणाली से भयभीत हैं। कुछ लोग तो कभी कभी सरगर्भी के साथ मुझे अपना दण्ड सुधारने की सूचना करते हैं जिससे कि वे मेरे साथ मिल कर काम कर सकें। और मैंने उस अंश को बतौर विधायक के ही लिखा। मैंने तो सिर्फ वस्तुस्थिति को प्रकट किया— इस उद्देश से कि अपनी मर्यादितता बता दूं और यह भी दिखला दूं कि उनकी भी आवश्यकता राष्ट्रीय उत्थान में उतनी ही है जिनकी भी चर्च के बड़े से बड़े प्रतिनिधि की है। मैं यह भी मानता हूँ कि महासभा का नेतृत्व उन्हीका है और महाज राय की गिनती के आगे पर यह प्रश्न उनके सिर न मढ़ा जाना चाहिए। बल्कि उल्टा मुझे धीरज रख कर देखना चाहिए, जब तक कि मैं उन्हें भारत के राजनैतिक उद्धार के लिए भी चर्खा और खादी की अत्यंत आवश्यकता का कायल उन्हें न कर लू।

### तीन सवाल

एक सज्जन ने बरीवाल में मुझसे तीन सवाल पूछे थे जिन्हां उत्तर नीचे देता हूँ—

१. क्या हमारी 'पतित बहनों' जिला या प्रांतीय परिषदों तथा अन्य प्रातिनिधिक मण्डलों के लिए प्रतिनिधि चुनी जा सकती हैं? यदि नहीं तो फिर ऐसे प्रतिनिधि बरीवाल से फरीदपुर और जसोर की परिषदों में कैसे भेजे जा सकें?

महासभा के मौजूदा संघटन-विधान के अनुसार एक चरित्र-हीन पुरुष भी महासभा का प्रतिनिधि बनने का अधिकार रखता है, यदि कोई सदस्य उसे चुननेवाले मिल जाय। परन्तु जो सदस्य 'पतित बहनों' को, उन्हें जानते हुए भी और उनके अपने गरे धन्धे को जारी रखते हुए भी, चुनते हैं वे गरे नजदीक अधिक विचार करने लायक नहीं हैं।

२. यदि कोई एक व्यक्ति या सुसंगठित मण्डल महासभा के रुपये ला जाय या बही-खाते आदि के कामजान और जिला-समिति के रुपये तथा अन्य सम्पत्ति नहीं चुनी कार्य समिति को, जिसे कि ३० प्रा० समिति मान्य कर चुकी है, न दे तो रुपये-पैसे बसूल करने तथा किताबें और महासभा की अन्य सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई करना चाहिए?

यद्यपि मैं अबतक एक दृढ़ अहसयोगी हू, तो भी मैं यदि मेरी मित्रत खुशामद से काम न निकला तो उसपर दिवानी या फौजदारी दावा करने में न हिचकूंगा— फिर बंद चाहे मेरा पिता हो या पुत्र हो। महासभा का विधान और प्रस्ताव उसके उद्देश को मटियामेट करने के लिए नहीं बनाये गये हैं।

३. आपके पास इस बात की क्या बयान है कि जो हिन्दुस्तानी और योरोपियन, जिनमें सरकारी उच्च अधिकारी भी शामिल हैं, अब तक आपके उच्च कार्य के विरोधी रहे हैं और अब भी हैं और जो आपकी पिछली बगाल-यात्रा के समय उन कार्यों में शरीक न होते थे जहां कि आप जाने थे, अब आपके स्वागत में इतना उत्साह दिखाते हैं? क्या इसका यह कारण है कि अब उन लोगों

ने अहिंसात्मक असहयोग के उच्च भाव को अपना लिया है या इससे यह साबित होता है कि आपकी देश के बड़े से बड़े राजनैतिक नेता के तौरपर शक्ति यदि विस्तृत नष्ट नहीं हो गई है तो कम जरूर होती जा रही है?

मुझे पता नहीं कि सरकार ने मेरे पिछले बगाल के दौरे में क्या क्या बाबाये डाली। परन्तु अब इस यात्रा में जब कि देश के सबसे बड़े राजनैतिक नेता के तौरपर मेरी शक्ति यदि नष्ट नहीं हो गई है तो कम जरूर होती जाती है। यदि सरकारी कर्मचारी मेरे स्वागत में उत्साह दिखा रहे हैं—तो पत्र लेखक यह अनुमान निकालने के लिए आजाद हैं। पर मैं समझता हूँ कि पत्र लेखक अभिजातियों के संबन्ध में यह मानने की गलती न करेंगे कि वे उनकी भारणा के अनुसार जगा समझ रहे हैं। क्योंकि एक सत्याग्रही की शक्ति उस 'फिनिक्स' पक्षी की तरह है जो कि अपनी राख में से फिर पैदा होने की क्षमता रखता है।

(५० इ०)

मो० क० गांधी

(पृष्ठ २७० से आगे)

गामारिक मजदूरों में विजय पाने के लिए गोरप ने पिछले मुद्द में जो कि स्वयं ही एक नाशमान् वस्तु है मिलने ही करोड़ लोगों का बलिदान कर दिया तब यदि आभ्यात्मिक मुद्द में करोड़ों लोगों को हमके प्रयत्न में मिट जाया पड़े तब तब कि सगार के सामने एक पूर्ण उदाहरण रह जाय तो क्या आश्चर्य है? यह हमारे अपील है कि हम असीम नयता के साथ इस बात का उद्योग करें।

इन उच्च गुणों की प्राप्ति ही उनके लिए किये परिश्रम का पुरस्कार है। जो उसपर व्यापार चलाता है वह अपनी आत्मा का नाश करता है। सद्गुण कोई व्यापार करने की चीज नहीं है। मेरा मत, मेरी अहिंसा, मेरा तत्त्वचर्च ये मेरे और मेरे कर्ता से संबंध रखनेवाले विषय हैं। वे विकरी की चीज नहीं है। जो युवक इनकी मिजारत करने का माहस करेगा वह अपना ही नाश कर बैठेगा। संसार के पाप कोई बांड ऐसा नहीं है, कोई साधन नहीं है जिससे कि इन बाणों की तौल की जा सके। छान-बीन और विश्लेषण की वही गुजर नहीं। इसलिए हम कार्यकर्ताओं को चाहिए कि हम उन्हें केवल अपने शुद्धिकरण के लिए प्राप्त करें। हम बुनिया से कह दें कि वह हमारे कार्यों से हमारी पहचान करे। जो संस्था या आश्रम लोगों से सहायता पाने का दावा करता हो उसका लक्ष्य भौतिक-सांसारिक होना चाहिए जैसे—कोई अस्पताल, कोई पाठशाला, कोई कताई और खादी-विभाग। सर्व-साधारण को इन कार्यों की योग्यता परगने का अधिकार है और यदि वे उन्हें प्रसन्न करें तो उनकी सहायता करें। शर्तें स्पष्ट हैं। व्यवस्थापकों में नेकनीयती और योग्यता होनी चाहिए। वह प्रामाणिक मनुष्य जो शिक्षा-शास्त्र से अपवित्र हो शिक्षक के रूप में लोगों से सहायता पाने का दावा नहीं कर सकता। सार्वजनिक संस्थाओं का दिशा-निर्देश टी.टी.के. रक्षक जाना चाहिए जिससे कि लोग जब चाहें तब देख-भाल सकें। इन शर्तों की पूर्ति सचालकों को करनी चाहिए। उनकी मर्यादितता लोगों के आदर और आश्रय के लिए भार रूप न होनी चाहिए।

(कं. इ.)

मोहनदास करमचन्द गांधी

## देशबन्धु के गुण

देशबन्धु के अवसान के शोक समाचार मिलने के बाद गांगीजी का पहला भाषण सुलना में इस प्रकार हुआ—

“ आप लोगों ने आचार्य राय से सुन लिया कि हम लोगों पर कैना भीषण वज्र-प्रहार हुआ है। परन्तु मैं जानता हूँ कि अगर हम सच्चे देशसेवक हैं तो कितना ही बड़ा वज्र-प्रहार हो, हमारे दिल को तोड़ नहीं सकता। आज सवेरे यह शोकसमाचार सुना तो मेरे सामने दो परस्पर-विरुद्ध कर्तव्य आ खड़े हुए। मेरा कर्तव्य था कि पहले जो गाड़ी मिले उसीसे मैं फलकते चला जाता। पर मेरा यह भी कर्तव्य था कि आपके निर्धारित कार्यक्रम को पूरा करूँ। मेरी सेवावृत्ति ने यहाँ प्रेरणा की कि यहाँ का कार्य पूरा किया जाय। यद्यपि मैं दूर दूर से आये हुए लोगों से मिलने के लिए उठर गया हूँ तथापि उनके सामने महासभा के कार्य की विवेचना न कर के स्वर्गीय देशबन्धु का ही स्मरण करूँगा। मुझे विश्वास है कि कलकत्ते दौड़ जाने की अपेक्षा यहाँ का काम पूरा करने से उनकी आत्मा अधिक प्रसन्न होगी।

देशबन्धु दाम एक महान पुरुष थे। (यहाँ गांगीजी ने पड़े और एक दो मिनट तक कुछ बोल न सके) मैं मन छः वर्षों से उन्हें जानता हूँ। कुछ ही दिन पहले जब मैं दार्जिलिंग में उनसे विदा हुआ था तब मैंने एक मित्र से कहा था कि जितनी ही पनेछा उनसे बढती है उतना ही उनके प्रति मेरा प्रेम बढता जाता है। मैंने दार्जिलिंग में देखा कि उनके मन में भारत की भलाई के विचार और कोई विचार न था। वे भारत की स्वाधीनता का ही सपना देखते थे, उसीका विचार करते थे और उसीकी बातचीत करते थे और कुछ नहीं। दार्जिलिंग में मेरे विदा होते समय भी उन्होंने मुझसे कहा था कि आप विद्युत् हुए दलों को एक करने के लिए बंगाल में प्रतिक समय तक उड़गिए, ताकि सब लोगों का शक्ति एक करने के लिए संयुक्त हो जाय। मेरी बंगाल-यात्रा में उनसे मतभेद करनेवालों ने और उनपर वे-तरह नुफासीनी करनेवालों ने भी बिना छिपिचाहट के इस बात को स्वीकार किया है कि बंगाल में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उनका स्थान ले सके। वे निर्भीक थे, वीर थे। बंगाल में नवयुवकों के प्रति उनका निस्सीम स्नेह था। किसी नवयुवक ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि देशबन्धु से सहायता मांगने पर कभी किसीकी प्रार्थना खाली गई। उन्होंने लाखों रुपया पैदा किया और लाखों रुपया बंगाल के नवयुवकों में बाँट दिया। उनका त्याग अनुपम था, और उनकी महान् बुद्धिमत्ता और राजनीतिज्ञता की बात मैं क्या कह सकता हूँ? दार्जिलिंग में उन्होंने मुझसे अनेक बार कहा कि भारत की स्वाधीनता अहिंसा और सत्य पर निर्भर है।

भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों को जानना चाहिए कि उनका हृदय हिन्दू और मुसलमान का भेद नहीं जानता था। मैं भारत के सब भगवदों से कहना हूँ कि उनके प्रति उनके मन में बुरा भाव न था। उनकी अपनी मानृभूमि के प्रति यही प्रतिज्ञा थी—‘मैं जोऊंगा तो स्वराज्य के लिए, और मरूँगा तो स्वराज्य के लिए।’ हम उनकी स्मृति का कायम रखने के लिए क्या करें? आर्यु बहाना सहज है; परन्तु आर्यु हमारी या उनके राजनपरिजनों की सहायता नहीं कर सकता। अगर हममें से हर कोई—हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई उस काम को करने की प्रतिज्ञा करें जिसमें वे रहते थे, अच्छे थे और जिसे वे करते थे तो समझा जायगा कि हमने कुछ किया। हम सब ईश्वर को मानते हैं। हमें जानना

चाहिए कि शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है। देशबन्धु का शरीर नष्ट हो गया परन्तु उनकी आत्मा कभी नष्ट न होगी। न केवल उनकी आत्मा बल्कि उनका नाम भी—जिन्होंने इतनी बड़ी सेवा और त्याग किया है—अमर रहेगा और जो कोई जवान या बूढ़ा उनके आदर्श पर जरा भी चलेगा वह उनके यादगार बनाये रखने में मदद देगा। हम सबसे उनके असी बुद्धिमत्ता नहीं है; पर हम उस भाव को अपनेमें ला सकते हैं जिससे वे देश को सेवा करते थे।

देशबन्धु ने पटने और दार्जिलिंग में चरखा कातने की कोशिश की थी। मैंने उनको चरखे का सबक दिया था और उन्होंने मुझसे वादा दिया था कि वे कातना सीखने की कोशिश करूँगा और जबतक शरीर रहेगा तबतक कातूँगा। उन्होंने अपने दार्जिलिंग के निवासस्थान को ‘चरखाकलब’ बना दिया था। उनकी नेक पत्नी ने वादा किया था कि बी-ारी की हालत छोड़ कर मैं रोज आध घण्टे तक स्वयं चरखा चलाऊँगी और उनकी लडकी, बहन और बहन की लडकी तो बराबर ही चरखा कातती थीं।

देशबन्धु मुझसे अक्सर कहा करते—“मैं समझता हूँ कि धारासभा में जाना अच्छी है मगर चरखा कातना भी उतना ही अच्छी है। न सिर्फ अच्छी है, बल्कि बिना बगवे के धारासभा के काम को कारगर बनाना असम्भव है।” उन्होंने जब से क्रांती की घोषणा पहनना शुरू किया तबसे मरण दिवस तक पहनते आये।

मेरे लिए यह कहने की बात नहीं है कि उन्होंने हिन्दू मुसलमानों में मेल करने के लिए कितना बड़ा काम किया था। अछूतों से वे कितना प्रेम रखते थे। इसके विषय में सिर्फ बड़ी एक बात कहूँगी जो मैंने बरीसाल में कल रात को एक नामशूर नेता से सुनी थी उस नेता ने कहा—मुझे पहली आधिक सहायता देशबन्धु ने दी और पीछे डाक्टर राम ने। आप सब लोग धारासभाओं में नहीं जा सकते। परन्तु उन तीन कामों को कर सकते हैं जो उनको प्रिय थे। मैं अपनेको भारत का भक्तिपूर्वक सेवा करने वाला मानता हूँ। मैं आम तौर पर घोषणा करता हूँ कि मैं अपने विद्वान्त पर अटल रहकर आगे से संभव हुआ तो देशबन्धु दास के अनुयायियों को उनके धारासभा-कार्य में पहले से अधिक सहायता दूँगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनके काम को जरूर पहुँचाने वाला काम करने से मुझे बचाये रखे। हमारा धारासभा संबन्धा मतभेद बना हुआ था और है। फिर भी हमारा हृदय एक हो गया था। राजनैतिक साधनों में सदा मतभेद बना रहेगा। परन्तु उसके कारण हम लोगों को एक-दूसरे से अलग न हो जाना चाहिए या परस्पर शत्रु न बन जाना चाहिए। जो स्वदेशप्रेम मुझे एक काम के लिए प्रेरित करता था वही उनको कुछ दूसरा काम करने को उत्साहित करता था। और ऐसा पवित्र मत-भेद देश के काम का बाधक नहीं हो सकता। साधन-संबन्धी मतभेद नहीं बल्कि हृदय की मलिनता ही अनर्थकरी है। दार्जिलिंग में रहते समय मैं देखता था कि देशबन्धु के दिल में उनके राजनैतिक विरोधियों के प्रति ममता प्रति दिन बढती जाती थी। मैं उन पवित्र बातों का वर्णन यहाँ न करूँगा। देशबन्धु देशसेवकों में एक रत्न थे। उनकी सेवा और त्याग वे-जोड़ था। ईश्वर करें उनकी याद हमें सदा बनी रहे और उनका आदर्श हमारे सदुद्योग में सहायक हो। हमारा मार्ग लम्बा और दुर्गम है। हमको उसमें आत्मनिर्भरता के सिवा और कोई सहारा नहीं देगा। स्वावलम्बन ही देशबन्धु का मुख्य मूल्य था। वह हमें सदा अनुप्राणित करता रहे। ईश्वर उनकी आत्मा की शान्ति दे।”

## हिन्दी-नवजीवन

गुणवार, आषाढ मृदी ४, संवत् १९८२

### चितरंजन दास

मनुष्यों में से एक दिग्गज-पुरुष उठ गया! बंगाल आज एक विषय की तरफ हो गया है। कुछ सप्ताह पहले देशबन्धु की समालोचना करनेवाले एक सज्जन ने कहा था 'यद्यपि मैं उनके दोष बताता हूँ, फिर भी यह सच है, मैं आपके सामने मानता हूँ कि उनकी जगह पर बैठने लायक दूसरा कोई शक्य नहीं है। जब कि मैंने छटना की सभा में, जहाँ कि मैंने पहले पहल यह दिव्य दृष्टान्तवाली दुर्वाता सुनी, इस प्रसंग का जिक्र किया — आचार्य राय ने छटते ही कहा — 'यह बिल्कुल सच है। यदि मैं यह कह सकूँ कि रवीन्द्रनाथ के बाद कवि का स्थान कौन लेगा तो यह भी कह सकूँगा कि देश-बन्धु के बाद नेता का स्थान कौन ले सकता है। बंगाल में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो देशबन्धु के नजदीक भी कहीं पहुँच पाता हो।' वे कई लडाइयों के विजयी वीर थे। उनकी उदारता एक दोष की हद तक बढ़ी हुई थी। बकालत में उन्होंने लाखों रुपये पैदा किये, पर कभी उन्हें जोड़ कर वे धनी न बने। यहाँतक कि अपना घर सहल भी बे डाला।

१९१९ में, पंजाब महामन्त्रा-जाँव-समिति के सिलसिले में पहले-पहल मेरा पत्रपर परिचय उनसे हुआ। मैं उनके प्रति मशय और भय के भाव ले कर उनसे मिलने गया था। दूर से ही मैंने उनकी धुआँधार बकालत और उससे भी अधिक धुआँधार बकनूर का हाल सना था। वे अपनी मोटरकार ले कर सपत्नीक सपरिवार आये थे और एक राजा की शान-बान के साथ रहते थे। मेरा पहला अनुभव तो कुछ अच्छा न रहा। हम १९२२-कमिटी की तहकीकात में गवाहियाँ दिलाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए बैठे थे। मैंने उनके अन्दर तमाम कानूनी बागिकियों का तथा गवाह की जिम्मे में लौट कर फौजी कानून के राज्य का बहुतेरा शरारतों की कलहें खोलने की वकीलान्वित तीव्र रुझा देखा। मेरा प्रयोजन कुछ भिन्न था। मैंने अपना कथन उन्हें सुनाया। दूसरी मुलाकात में मेरे दिल को तमली हुई और मेरा तमाम हर दर हो गया। उनकी मैंने जो कुछ कहा उसे उन्होंने उत्सुकता के साथ सुना। भारतवर्ष में पहली ही बार बहुतेरे देश-सेवकों के घनिष्ठ समागम में आने का अवसर मुझे मिला था। तबतक मैंने महामन्त्रा के किसी काम में वाम कोई हिस्सा न लिया था। वे मुझे जानते थे — एक दक्षिण आफ्रिका का योद्धा है। पर मेरे तमाम साक्षियों ने मुझे अपने घर का भा बना लिया — और देश के इस विख्यात सेवक का नबर हममें सबमें आंग था। मैं उस समिति का अध्यक्ष माना जाता था। 'जिन बातों में हमारा मत-मेद हासल उनमें मैं अपना कथन आपके सामने उपस्थित कर दूँगा, फिर जो फैसला आप करेंगे उसे मैं मान लूँगा। इसका यकीन मैं आपको दिलाता हूँ।' उनके इस स्वयंसेवा आश्रमन के पहले ही हममें इतनी घनिष्टता हो गई थी कि मुझे अपने मन का शय्य उनपर प्रकट करने का साहस हो गया। फिर जब उनकी ओर से यह आश्रमन मिक गया तब मुझे ऐसे मित्रनिष्ठ साथी पर अभिमान तो हुआ, किन्तु

साथ ही मुझे कुछ संकोच भी मालूम हुआ। क्योंकि मैं जानता था कि मैं तो भारत की राजनीति में एक नौसिखिया था और शायद ही ऐसे पूर्ण विश्वास का अधिकारी था। परन्तु तंत्र-निष्ठा छोटे-बड़े के मेरे को नहीं जानती। वह राजा जो कि तंत्र निष्ठा के मूल्य को जानता है, अपने त्रिदमतगार की भी बान उस मामले में मानता है जिसका पूरा भार उसपर छोड़ देता है। इस जगह मेरा स्थान एक त्रिदमतगार के जैसा था। और मैं इस बात का उल्लेख कृतज्ञता और अभिमान के साथ करता हूँ कि मुझे जितने मित्रनिष्ठ साथी वहाँ मिले थे, उनमें कोई इगना मित्रनिष्ठ न था जितना चितरंजन दास थे।

अगृतसर धारासभा में तंत्रनिष्ठा का अधिकार मुझे नहीं मिल सकता था। वहाँ हम परस्पर योद्धा थे, हर शक्य को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार शक्य-हित सबधी अपने मुँह की रक्षा करनी थी। जहाँ तर्क अथवा अपने पक्ष की आवश्यकता के अलावा किसीकी बात मान लेने का सबाल न था। महामन्त्रा के मन पर पहली लडाई लड़ना मेरे लिए एक पूरे आनन्द और तृप्ति का विषय था। बड़े सम्प, उसी तरह न सकनेवाले, महान् मालवीय जी बलाबल को समान रखने की कोशिश कर रहे थे। कभी एक के पास जाते थे, कभी दूसरे के पास। महामन्त्रा के अध्यक्ष पंडित मोतीलालजी ने सोचा कि खेल खतम हो गया। मेरी तो लोकमान्य और देशबन्धु से खासी जम रही थी। सुधार-सबधी प्रस्ताव का एक ही सूत्र उन दोनों ने बना रखा था। हम एक दूसरे की समझा देना चाहते थे, पर कोई किसीका कायल न होता था। बहुतों ने तो सोचा था कि अब कोई चारा नहीं है, इसका अन्त युग होगा। अलीभाई, जिन्हें मैं जानता था, और चाहता था, पर आज का तरह जिनसे मेरा परिचय न था, देशबन्धु के प्रस्ताव के पक्ष में मुझे प्रसन्नाने लगे। महामन्त्रा अपनी ने अपनी लभावनी वप्रता से कहा 'जाँव समिति में आपने जो महान् कार्य किया है, उसे नष्ट न कीजिए।' पर वह मुझे न पटा। तब जयरामदास, वह दंडे दिमागवाला सिन्धी आया, और उसने एक चिट में समझाते की सूचना और उनकी दिमागत लिख कर मुझे पहुँचाई। मैं शायद ही उन्हें जानता था। पर उनकी आँखों और चहरे में कोई ऐसी बात थी जिसने मुझे लुभा लिया। मैंने उस सूचना को पढ़ा। वह अच्छी थी। मैंने उसे देशबन्धु को दिया। उन्होंने जवाब दिया — 'ठीक है, बशर्ते की हमारे पक्ष के लोग उसे मान लें।' यहाँ स्थान दीजिए उनकी पक्षनिष्ठा पर। अपने पक्ष के लोगों का समाधान किये बिना वे नहीं रहना चाहते थे। यही एक रहस्य है लोगों के हृदय पर उनके आध्ययनक अधिकार का। वह सब लोगों को पगड हुई। लोकमान्य अपनी मूठ के सदृश तीव्री आँखों में बहाने जो कुछ हो रहा था सब देख रहे थे। व्याख्यात मन्त्रमे पण्डित मालवीयजी की रागा के सदृश बाग्धारा बढ़ रही थी — उनका एक आँख सभामेंध की ओर देख रही थी जहाँ कि हम साधारण लोग बैठ कर राष्ट्र के भाग्य का निर्णय कर रहे थे। लोकमान्य ने कहा — 'मेरे-देखने की जरूरत नहीं। यदि दास ने उसे पसन्द कर लिया है तो मेरे लिए वह काफी है।' मालवीयजी ने उसे वहाँ से मुना, कामन मेरे हाथ से छीन लिया और घोर करतलखनि में घोषित कर दिया कि समझौता हाँ गया। मैंने इस घटना का समित्तर वर्णन इसलिए किया है कि उसमें देशबन्धु की महत्ता और निर्विवाद नेतृत्व, कार्य-विषयक दृष्टता, निर्णय-संबंधी समझदारी और पक्षनिष्ठा के कारणों का संग्रह का जाता है।



अब और आगे बहिए । हम जुहू, अहमदाबाद, देहली और दार्जिलिंग को पहुंचते हैं । जुहू में वे और पण्डित मोतीलालजी मुझे अपने पक्ष में मिलाने के लिए आये । दोनों जुड़े भाई हो गये थे । हमारे दृष्टि-बिन्दु जुड़े जुड़े थे । पर उन्हें यह गवारा न होता था कि मेरे साथ मतभेद रहे । यदि उनके बस का होता तो वे ५० मील चले जाते जहाँ मैं सिर्फ २५ मील चाहता । परन्तु वे अपने एक अत्यन्त प्रिय मित्र के सामने भी एक इंच न झुकना चाहते थे, जहाँ कि देश-हित जोखिम में था । हमने एक किस्म का समझौता कर लिया । हमारा मन तो न मरा; पर हम निराश न हुए । हम एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए तुले हुए थे । फिर हम अहमदाबाद में मिले । देशबन्धु अपने पूरे रंग में थे और एक चतुर खिलाड़ी की तरह सब रंगरंग देखते थे । उन्होंने मुझे एक शान की शिकस्त दी । उनके जैसे मित्र के साथ ऐसी किनारी शिकस्त मैं न खाऊँगा ! — पर अफसोस ! वह शरीर अब दुनिया में नहीं रहा ! कोई यह ह्याल न करे कि साहायके प्रस्ताव के बर्दाश्त हम एक-दूसरे के शत्रु हो गये थे । हम एक दूसरे को गलती पर समझ रहे थे । पर वह मतभेद स्नेहियों का मतभेद था । वफादार पति और पत्नी अपने पवित्र मतभेदों के हथियारों को याद करें—किंग तरह वे अपने मतभेदों के कारण कष्ट सहते हैं, जिससे कि उनके पुनर्मिलन का सुख अति बढ जाय । यही हमारी हालत थी । गो हमें फिर देहली में उस भीषण जबड़े वाले शिष्ट पण्डित और नम्र दास से, जिनका कि बाहरी स्वरूप किमी सरमरी तौर पर देखनेवाले को अशिष्ट मालूम हो सकता है, मिलना होगा । मेरे उनके ठगव का ठाना वहाँ तैयार हुआ और पतल हुआ । वह एक वादट प्रेम-बधन था जिसपर कि अब एक दल ने उनकी मृत्यु की मुहर लगा दी है ।

अब दार्जिलिंग को फिलहाल यहाँ मुस्वती करता हूँ । ये अकस्मर आभ्यासिकता की बातें करते थे और कहते थे कि भयं के विषय में आपका मेरा कोई मतभेद नहीं है । पर यद्यपि उन्होंने कहा नहीं तथापि उनका भाव यह रहा हो कि मे दतना कौट्य-हीन हूँ कि मुझे हमारे विश्वासों की एकात्मता नहीं दिखाई देती । मे मानता हूँ कि उनका खयाल ठीक था । उन बहुमूल्य पांच दिनों में मैंने उनका हर कार्य धर्म-मय देखा और न केवल वे महान थे, बल्कि नेक भी थे, उनकी नेकी बढ़ती जा रही थी । पर इन पांच दिनों के बहुमूल्य अनुभवों को मुझे किसी अगले दिन के लिए रख छोड़ना चाहिए । जब कि क्रूर देव ने लोकमान्य को हमसे छीन लिया तब मैं अकेला अमहाय रह गया । अभी तक मेरी वह चोट गई नहीं है — क्योंकि अब तक मुझे उनके प्रिय शिष्यों की आराधना करनी पड़ती है । पर देशबन्धु के वियोग ने तो मुझे और भी पुरी हालत में छोड़ दिया है । जब कि लोकमान्य हमस जुदा हुए देश आका और उमग से भग हुआ था, हिन्दू-मुसलमान इमेदा के लिए एक हाँते हुए दिखाई दिये थे, हम युद्ध का शंख फूंकने की तैयारी में थे । पर अब ?

( १० जून—२० इ० ) मोहनदास करमभेद गांधी

**आश्रम अज्ञानावली**

कौथी आश्रित छपकर तैयार हो गई है । पृष्ठ संख्या ३६८ इते हुए भी कीमस सिर्फ ०-३-० रकबी गई है । डाकबन्द लकीदार को देना होगा । ०-४-० के टिकट भेजने पर पुस्तक मुकपोस्ट से कौगन रवाना कर दी जायगी । बी. पी. का प्रियम नही है ।

व्यवस्थापक

हिन्दी-नवजावन

**देशबन्धु चिरायु रहे**

कलकत्ते ने कल दिखाया दिया है कि देशबन्धु दास का बगाल पर, नहीं सारे भारतवर्ष के हृदय पर कितना अधिकार था । कलकत्ता बम्बई की तरह पञ्चरणी प्रजा का नगर है । इसमें हर प्रान्त के लोग बसते हैं और इन तमाम प्रान्तों के लोग, बगालियों की तरह ही अपने दिल से उस जुलूस में योग दे रहे थे । देश के कोने कोने में तारों की जो झड़ी लग रही है उससे भी यही बात और जोर के साथ प्रगट होती है कि गारे देश भर में वे कितने लोक-प्रिय थे ।

जिन लोगों का हृदय कृतज्ञता से भर रहा है उनके संबन्ध में इससे भिन्न अनुभव नहीं हो सकता था । और देशबन्धु इस सारे कृतज्ञता-ज्ञापन के पात्र भी थे । उनका त्याग महान था । उनकी उदारता के गोमा न थी । उनकी मुट्टी सदा सबके लिए खुली रहती थी । दान देने में वे कभी आगा-पीछा न सोचते थे । उस दिन जब कि मैंने बड़े मीठे भाव से कहा—'अच्छा होता आप दान देने में अधिक विचार से काम लेते ।' उन्होंने तुरन्त उत्तर दिया—'पर मैं नहीं समझता कि अपने अविचार के कारण मेरी कुछ हानि हुई है ।' अपौर और गरीब सबके लिए उनका रसोई-घर खुला था । उनका हृदय हरणक की मुसीबत के समय उसके पास दौड़ जाता था । सारे बगाल भर में ऐसा दान नवयुवक है जो किसी न किसी रूप में देशबन्धु का उपकार-बन्ध नहीं है ? उनकी वे-जोड़ कानूनी प्रतिभा भी सदा गरीबों की सेवा के लिए हाजिर रहती थी । मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने यदि सबकी नहीं तो बहुतेरे राजनीतिक कर्दियों की परवी बिना एक कांडी लिए की है । पंजाब की जाँच के समय जब वे पंजाब गये थे तो अपना साग खर्च अपनी जेब से किया था । उन दिनों अपने साथ वे एक राजा की तरह खवाजमा ले गये थे । उन्होंने मुझसे कहा था कि पंजाब ही उस यात्रा में उनके ५०,००० खर्च हुए थे । जो उनके दरवाजे आता उसीके लिए उनकी उदारता का हाथ आगे बढ जाता था । उनके इरी गुण ने उन्हे हजारों नवयुवकों के दिल का राजा बना दिया था ।

जैसे ही वे उदार थे वैसे ही निर्भीक भी थे । अग्रतसर में उनकी भुआंधार बक्यूओं ने मेरा दम बन्द कर दिया था । वे अपने देश की मुक्ति तुरन्त चाहते थे । वे एक विशेषण को हटाने या बदलने के लिए तैयार न थे । इसलिए नहीं कि वे जिदी थे, बल्कि इसीलिए कि वे अपने देश को बहुत चाहते थे । उन्होंने विशाल शक्ति को अपने कब्जे में रक्खा । अपने अदम्य उत्साह और अभ्यवसाय के द्वारा उन्होंने अपने दल को प्रबल बनाया । परन्तु यह भीषण शक्तिप्रवाद उनकी जान ले बैठा । उनका यह बलिदान स्वैच्छापूर्वक था । वह इय था—उदात्त था ।

फरीदपुर में तो उनकी भागी विजय हुई । उनके वहाँ के उदार उनकी अत्यन्त समझदारों और राजनीतिकता के नमूना थे । वे विचार-पूर्ण और असदिग्ध थे और ( जैसा कि मुझे उन्होंने कहा था ) उनके अपने लिए तो उन्होंने अहिंसा को एक मात्र नीति और इसलिए भारत-वर्ष का राजनीतिक धर्म ( Creed ) स्वीकार किया था ।

पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा महाराष्ट्र के तन्त्रनिष्ठ मैजिस्ट्रेटों से मेल करके उन्होंने शून्य से स्वराज्य-दल को एक महान् और वर्धमान् दल बना लिया और ऐसा कर के उन्होंने अपने निष्पक्ष-बल, मौलिकता, साधन-बहुलता और किमी धनु का अच्छा मान लेने के बाद फिर परिणाम की चिन्ता न करने के गुणों का परिचय

दिया। और आज हम स्वराज्य-दल को एक एकत्र और सु-नियमित संगठन के रूप में देखते हैं। धारासभा-प्रवेश के संबंध में मेरा मतमेव था और है। पर मैंने सरकार को तय करने और लगानार उसकी स्थिति को विषम बनाने के संबंध में धारासभा को उपभोगिता से कभी इन्कार नहीं किया। भाग-सभा में इस दल ने जो काम किया उसकी महत्ता से कोई इन्कार नहीं कर सकता और उसका ध्येय मुख्यतः देशबन्धु को ही है। मैंने अपनी आँखें खोली रखकर उनके साथ टहनाब किया था। तब से मैंने जो कुछ हो सकी उस दल को सहायता दी है। अब उनके स्वर्गवास के कारण, उनके नेता के चले जाने के बाद, मेरा यह बुद्धि कलव्य हो गया है कि उस दल के साथ रहूँ। यदि मैं उसकी सहायता न कर पाया तो मैं उसकी प्रगति में तो किसी तरह बाधक न हूँगा।

मैं फिर उनके फरीदपुर वाले भाषण पर आता हूँ। स्थानांतरण बड़े लाट साहब ने श्रीमती वामनी देवी दाम के नाम जो शोर-सन्देश भेजा है उसके गुण को राष्ट्र मानेगा। एंग्लो-हिन्दियन पत्रों ने स्वर्गीय देशबन्धु की स्मृति में जो उनका यशोमान किया है उसका उल्लेख में कृतज्ञता-पूर्वक करता हूँ। मालूम होता है कि फरीदपुरवाले भाषण की पारदर्शनी निर्मल-तटव्या ने अंगरेजों के दिल पर अच्छा असर किया है। मुझे हम बान की चिन्ता लग रही है कि कहीं उनके श्वाभाव के कारण हम विप्राचार-प्रवृत्त के साथ ही उसका अन्त न हो जाय। फरीदपुरवाले भाषण के मूल में एक मकसद उद्देश था। एंग्लो-हिन्दियन पत्रों ने चाहा था कि देशबन्धु अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दें और अपनी तरफ से भागे कदम बटावें। इसीके उत्तर में उस महान देशभक्त ने बड़े भाषण किया था और अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। पर क्रम काल ने जग उद्भूत के कर्तों को हमने छीन लिया। परन्तु उन अंगरेजों को जो अब भी देशबन्धु की नीयत पर शक रखते हैं मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जबतक मैं एंग्लिश में रहा, मेरे दिल पर जो बान सब से ज्यादा जोर के साथ अंकित हुई वह भी देशबन्धु के उन बन्दों के निर्मल भाव। क्या हम गारबमय अन्त का सदुपयोग हमारे धर्मों को भरने और अविश्वास को मिटाने में किया जा सकता है? मैं एक मामूली बान समझता हूँ। सरकार देशबन्धु चितरंजन दास की स्मृति में, जो कि अब हमारे साथ अपने पक्ष की परवी करने के लिए दुनिया में नहीं है उन महान राजनीतिक कदियों को छोड़ दे चिन्ते कि सब म उनका कर्ता था कि वे निर्दोष हैं। मैं निरपराधता की बिना पर उन्हें छोड़ने नहीं कहता। हो सकता है कि सरकार के पास उनके अपराध के लिए अच्छे से अच्छे सबूत हों। मैं तो सिर्फ उस मृत आत्मा के गुण की स्मृति में और बिना पहले से कोई मर सायाल बनावे उन्हें छोड़ देने के लिए कहता हूँ। यदि सरकार भारतीय लोक-मत के अनुसरण के लिए कुछ भी करना चाहती है तो इससे बढकर अनुकूल धारणा न मिलेगा और राजनीतिक कदियों के छुटकारे से बढकर अनुकूल वायुमंडल बनाने का अरुण मगकावरण न होगा। मैं प्रायः गारे बंगाल का दौरा कर चुका हूँ मैंने देखा कि इस बान से लोगों के दिल में चोट पड़ चुकी है — इनमें सभी लोग आक्षेपक-रूप से स्वराज्य नहीं हैं। परमात्मा करें वह आग जिनमें कि कल देशबन्धु के नभर पाँगे को भरम कर डाला हमारे नभर अविश्वास, संदेह और डर का भरममान् कर डाले। फिर यदि सरकार चाहे तो वह भारतवासियों की माँग की पूर्ति के सर्वोत्तम उपायों पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन कर सकती है।

पर यदि सरकार अपने जिम्मे का काम करेगी तो हमें भी अपनी तरफ का काम करना होगा। हमें यह दिखा देना होगा कि हमारी नोक्या एक अदमी के अगुसे पर नहीं चल रही है। श्री विनमेट चर्चिल के शब्दों में, जोकि उन्होंने युद्ध के समय में कहे 'हम कह सकना चाहिए, सब काम ज्यों का त्यों चलना रहे।' स्वराज्य-दल की पुनर्चना नुनत होनी चाहिए। पंजाब के हिन्दू और मुसलमान भी इस दली कोप-प्रहार को देख कर अपने लडाई भगते भूलो हुए दिखाई देते हैं। क्या दोनों पक्ष के लोग इनकी दृष्टा और समझारी का परिचय देंगे कि अपने लडाई-शायतों का अंत कर लें? देशबन्धु हिन्दू-मुसलमान-एकता के प्रेमी थे। उस पर उनका विश्वास भी था। उन्होंने अत्यन्त विकट परिस्थिति में हिन्दू और मुसलमानों को एक बनाये रखा। क्या उनकी चित्तानि हमारे अनैक्य को न जका सकेगी? शायद इसके पहले तमाम दलों के एक मस्या के अन्तगत होने की आवश्यकता हो। देशबन्धु हमने लिए बड़े समुक्त थे। वे अपने प्रोपक्षियों के लिए बहुत युग-मला कहा करते थे। परन्तु एंग्लिश में मैंने देशबन्धु के मूल में उनके किसी भी राजनीतिक प्रतिपक्षी के प्रति एक भी कठोर शब्द निकलने न देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि सब दलों के एक करने में आप भरमक सहायता दीजिए। गो तब हम शिथिल भारतवासियों का कर्तव्य है कि देशबन्धु के इस विचार का कापण में परिणत करें और उनके जीवन की इस एक मशकांशा को पूरा करें — यदि हम फिदहाल स्वराज्य की गीटी पर डेड ऊपर तक न पहुँच सकें तो तुरन्त उसकी कुछ सीढियाँ चढ़ कर ली गयीं। तभी हम अपने एड्यरतल से पुकार सकते हैं — 'देशबन्धु स्वर्गवासी हुए, देशबन्धु बिरायु रहे।'

(कावट)

मोहनदास कामन्ध गधी

### सरदार जोगेन्द्रसिंह का पत्र

[सरदार जोगेन्द्रसिंह का एक लंबा पत्र म.५ में छपा है। उसका सार और मीरीजी का उत्तर नीचे दिया जाता है—उपलपदक]

"जिम विषय को आप दिन-रात सोच रहे हैं उसके बारे में आपका कुछ लिखने में मुझे संकोच होगा है। मुझे गाँवों का कुछ अनुभव है और इसी बारे के कारण यह लिख रहा हूँ। मैं आपसे लार्ड में फिदा था और चरमा और बिजली से खलनेवाले पत्रों के विषय में आपने मेरी बहस भी हुई थी। मेरे विचार आपके विचार में भिन्न थे।

परमात्मा ने आपको एक प्रदेश लोगों को पहुँचाने के लिए सौंपा है। वह मदेश धुमेच्छा के भाषा पर रखापना का मन्देश है जिममें कि यज्ञान्त धार्मिक स्थापित होगी। आप अपना मदेश मूताने रहे। कुछ काल में वह मनुष्यों के हृदय तक पहुँच जाएगा। मानुषों के प्रति आपका प्रथम आशंका करने गिज्ञान्तों को अति आवश्यक समझायों पर लागू करने के लिए निमन्त्रण देता हूँ। मध्य की शोष में बटल बने रहने के अनन्तत दूरों की समझौता और समाधान की नीति का अममाश करने का मौका देने के लिए आपका राजा कर लेने का ही अधिक प्रयत्न हुआ है। वे लोगों को रोटी के टुकड़े आप में रात्रीशुभो बोट देने का कह कर एकत्र करना चाहते हैं और धारासभा के काम में लगानार कानन डालकर स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं। प्रारम्भ से ही उनके प्रयत्न अरफक हो रहे हैं। लेकिन आप तो अपने ही पक्ष पर चले, क्योंकि आपका यह धर्म नहीं है। इस बात को आप साबित कर दिखावें कि अहयोग सार-रूप में

सहयोग है और फौज की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। जब आपने श्रेष्ठ पर चरखा को स्थान दिया तब आपने उसे छोटे बड़े राष्ट्रों की आर्थिक स्वतन्त्रता का चिन्ह बना दिया है। यह चरखा भले ही व्यवहार के लिए ऐसा चिन्ह बना रहे। लेकिन हमें बिजली को कपड़े बुनने और पानी खींचने के लिए गांधी में काम में लाकर उनका नवीन रूपान्तर करना चाहिए। क्योंकि उनपर वर्तमानयुग का अरार हुए बिना न रहेगा।

आपने सबसे अधिक महत्व का काम जो अपने हाथ में लिया है वह हिन्दू मुस्लिम ऐक्य का प्रश्न है। मुझे यकीन है कि आप इस हृदय और बुद्धि के ऐक्य-कार्य में अंधे प्रजो को दूर न कर देंगे।

[ सरदार जोगेन्द्रसिंह का यह पत्र, जो कि उन्होंने अपने हृदयस्थल से लिखा है, मैं बड़ी खुशी के साथ पढ़ रहा हूँ। मैं उनकी सलाह को मूल्यवान् मानता हूँ। सरदारजी ने जिस बातचीत का जिक्र किया है उसकी उर्ध्व की त्यों स्मृति मुझे है। वे स्वराजियों के साथ टहराव के औचित्य पर आपात करते हैं। इस टहराव को अब भी महीने हो चुके। परन्तु मुझे उसपर अफसोस होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। मैंने किसी सिद्धान्त का कुरबान नहीं किया है। महात्मा किसी एक आदमी की चीज नहीं हैं। यह प्रजा-सत्तात्मक संस्था है और मेरी राय में उसका मताधिकार इतना व्यापक और इतना बुद्धियुक्त है जितना कि दुनिया में अबतक कभी न दिखाई दिया हो। क्योंकि यह शारीरिक श्रम के गौरव को नियम के द्वारा स्थगित करता है। मैं चाहता हूँ कि यही एक-मात्र कर्मांडी होती। असत्य और हिंसा को छोड़ कर उसमें सब प्रकार के बराबरी का समावेश होता है। स्वराजी लोगों को रायों की लड़ाई के अर्थ अपनी बात को स्थापित करने का पूरा अधिकार है। मैं उसके लिए तैयार न था; क्योंकि मैंने देखा है कि इस तरह रायों लेने से लोगों में नीति-प्रवृत्ता फैलती है— उस अवस्था में तो और भी, जब कि मतदाता स्वतंत्र-रूप से निर्णय करने के आदी न हों। एक विचारवान् आदमी की तरह मैं स्वराजी लोगों की बढ़ती हुई शक्ति को माने बिना न रह सकता था। वे रचनात्मक कार्यक्रम को प्रधान स्थान देने के लिए राजमन्द् थे। इससे अधिक उम्मीद उनसे न की जा सकती थी। यदि मैंने रायों के जर्गे कैसला करने पर उन्हें मजबूर किया होता तो उन्होंने भारासभा-प्रवेश को राष्ट्रीय कार्यक्रम बना लिया होता। यही नहीं बल्कि लड़ाई के आदेश में उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम की ही धता बता दी होगी या उसे एक न-गण्य स्थान दे दिया होगा। यह तो मुझे सिद्धान्त की बात।

व्यवहार में तो यह टहराव अधिकांश में परिवर्तनवादी और अपरिवर्तन-वादी लोगों का मनमुटाव दूर करने के लिए किया गया था। इसके द्वारा दोनों दल के लोग मेल-मिलाप और सहिष्णुता के साथ संयुक्त कार्यक्रम के अनुसार काम करने लगे हैं। दक्षिण में मैंने इस टहराव के लाभों को अनुभव किया। नेपाल में भी उन्हें देख रहा हूँ। मैं इस राय से सहमत नहीं कि स्वराजी असफल हुए हैं। चुनाव की भ्रम के समय दिये अभिव्यक्तियों को मैं बहुत महत्व नहीं देता। यह एक मानी हुई बात है कि शादी के समय की गई प्रतिज्ञाओं की तरह चुनाव के समय दिये गये बचनों की सजीवनी के साथ न ग्रहण करना चाहिए। यदि हम एक बार इस बात को कबूल कर लें तो फिर स्वराजियों को अपने धारा-सभा में किये काम पर शक्ति होने की कोई वजह नहीं। उन्होंने भारासभाओं में निर्भीकता के साथ अपने विचार प्रकट किये हैं। उन्होंने सरकार को बार बार हराया है। उन्होंने यह दिखाया

दिया है कि सरकार पर स्वयं उसके बनाये मतदाताओं का भी विश्वास नहीं है, उन्होंने उस तत्रनिष्ठा और एकत्र बल का परिचय दिया है जिससे कि आज तक भारासभा के सदस्य अनजान थे और सबसे बढ़कर (कम से कम मेरे लिए, उन्होंने उन किलों में खादी का प्रवेश करा दिया है और अपने रोजाना राष्ट्रीय लिबास में वहाँ जाते हुए दरे नहीं हैं, हालांकि एक जमाने में ऐसा करते हुए दरते थे, या शरमाते थे। उन्हें हम निर्भीक घर पर ही पढ़ते थे। क्या स्वराजियों की कार्यवाहियों ने सरकार को चौंका नहीं दिया है? हाँ, यह सच है कि उसने लोकमत की परवा नहीं की है। यह गब है कि उसके खिलाफ राय होते हुए भी उसने अपना ही चादा किया है। पर स्वराजी इसका कुछ इलाज न कर सकते थे। यदि उनके पास शक्ति होती तो वे सरकार के तहत को उलट देते और उसके मत का अनादर कर देते। वह शक्ति आना अभी बाकी है। वह धीरे धीरे परन्तु निश्चय-पूर्वक आ रही है। सरकार जानती है कि यह सदा-सर्वदा लोकमत के खिलाफ जाने की सुरत नहीं कर सकती। स्वराजियों ने उसे उमकी स्थिति की कमजोरी का भान पहल्लेसे अधिक करा दिया है मेरा उनके साथ राजनैतिक मतभेद है। परन्तु उनकी दिलेरी, तत्रनिष्ठा, देशभक्ति को मैं आदर-भाव से देखता हूँ। और अपने सिद्धान्त पर अटल रहने हुए मुझे उस दल के सहायक बनाने और सहायता देने के लिए मुझसे जा कुछ हो सके, करना चाहिए। मैं महासभा का मुखिया तभी तक हूँ जब तक वे मुझे वहाँ रखना पारें। जहाँ मैं उन्हें सहायता नहीं दे सकता तहाँ मुझे उनके काम में बाधा डालने से तो निश्चय-पूर्वक इनकार करना चाहिए।

खुद मेरे नजदीक तो अहिंसात्मक असहयोग एक धर्म है। मैं सरदारजी के इस कथन का हृदय से समर्थन करता हूँ कि 'असहयोग साररूप में सहयोग ही है और सेना-बल से भी अधिक प्रबल है।' और यदि मैं भारत के अधिकांश शिक्षित समुदाय को अपने मत का बना खूँ तो स्वराज्य बिना कुछ और उद्योग के मिल सकता है। मेरा यह विश्वास दिन पर दिन दृढ़ होता जा रहा है कि अहिंसा के बिना भारत की—नहीं—सारी दुनिया को शान्ति-सुख नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे नजदीक चरखा एक सादगी और आर्थिक स्वाधीनता का प्रतीक नहीं है, बल्कि शान्ति का भी प्रतीक है। क्योंकि यदि हम हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी, यहूदी सब मिलकर भारत में चरखा घर घर फैला दें तो हम न केवल सबा एकता को निद कर सकेंगे और विदेशी कपड़े को देश से हटा सकेंगे, बल्कि हम आत्म-विश्वास और सगठन-योग्यता को भी प्राप्त कर सकेंगे, जिसके कि बदीलन स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए हिंसा विलकुल अनावश्यक हो जाती है। इसलिए मेरी दृष्टि में चरखे की सफलता का अर्थ है अहिंसा की विजय— ऐसी विजय जोकि सारी दुनिया के सामने एक पदार्थ-पाठ हो जाय।

सरदारजी सलाह देते हैं कि चरखे के साथ ही गाँवों में बिजली भी दाखिल की जाय। मुझे अन्देश है कि वे पंचायत के सिद्ध कुछ ही गाँवों को जानते हैं। यदि वे मेरी तरह भारत के जीवन का ज्ञान रखते होते तो वे इस निश्चय के साथ बिजली की बात न लिखते। भारत की मौजूदा स्थिति में हमारे देहात में घर घर बिजली पहुंचाना विलकुल असम्भव बात है। हो सकता है कि वह समय भी आवे। पर वह तबतक नहीं आ सकता जबतक चरखा घर घर में अपना घर न कर ले। इसलिए मुझे दूसरे गौण या मिथ्या प्रश्नों और आवाजों को पैदा कर के लोगों के मन को दुविधा से बचाने की विन्ता बनी रहती है।

यदि चरमे का प्रयोजन सरदारजी के कथन या भाव के जितना ही हो तो भी हमें उसीके और अकेले उसीके प्रचार में अपनी सारी शक्ति लगानी चाहिए जबतक कि हमें इसमें सफलता न प्राप्त हो जाय । और जिस समय हम उसके द्वारा देहातियों का जीवन रहने लायक बना देंगे और बेकारी के मौसिम के लिए उन्हें एक प्रतिष्ठित और लाभकारक पेशा तजवीज कर चुकेंगे, उस समय उनके जीवन की खुशहाल बनानेवाली और तमाम चीजें अपने आप चली आवेंगी । मैं सरदारजी को यकीन दिलाता हूँ कि मैं सारी यन्त्रकला का विरोधी नहीं हूँ । यों तो खुद चरखा भी एक यन्त्रकला ही है । पर हाँ मैं उत तमाम यन्त्रकलाओं का आनी दुश्मन हूँ, जो कि गरीबों को छूटने के लिए तजवीज की गई हो ।

सरदारजी इस डर को अपने हृदय में जरा भी स्थान न दें कि एकता के प्रान्त से अंगरेज लोग अलग रख दिये जायेंगे । क्योंकि उसमें वे सब लोग समाविष्ट हैं जो अपनेको भारतवासी कहलाना पसंद करते हैं—फिर वे चाहें यहाँ अन्धे हों, चाहें उन्होंने उसे अपनी भूमि मान लिया हो । उनमें तमाम जातियों, पंथों का समावेश किया जाता है । और न यह एकता किसी राष्ट्र या व्यक्ति—यहाँ तक के किसी दायर के भी अहित-भाव से ही की जा रही है । क्यों कि वह लोगों के विचारों में परिवर्तन करना चाहती है, उन्हें मिटा देना नहीं चाहती ।

( पं० इ० )

मोहनदास करमचंद गांधी

( यह देशबन्धु के स्वर्णवास के पहले लिखा गया था । उपमपादक )

## नम्रता की आवश्यकता

जगल में कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए एक नवयुवक से मेरा साक्षात् पडा जिसने कहा कि लोग मुझे इसलिए भी मानें कि मैं ब्रह्मचारी हूँ । उसने यह बात इस तरह कही और ऐसे यकीन के साथ कही कि मैं देखता रह गया । मैंने मन में कहा कि यह उन विषयों की बातें करता है जिनका ज्ञान इसे बहुत थोड़ा है । उसके साथियों ने उसकी बात का सण्डन किया । और जब मैंने उससे जिरह करना शुरू की तब तो खुद उसने भी उन्मूल किया कि हाँ, मेरा दावा नहीं टिक सकता । जो शस्त्र पारारिक पाप चाहे न करता हो पर मानसिक पाप ही करता हो वह ब्रह्मचारी नहीं । जो व्यक्ति परम रूपवती रमणी को देखकर अविचल नहीं रह सकता वह ब्रह्मचारी नहीं । जो केवल आवश्यकता के बंधीभूत हो कर अपने शरीर को अपने वेश में रसता है, वह करता तो अच्छी बात है पर वह ब्रह्मचारी नहीं । हमें अनुचित अप्रासंगिक प्रयोग करके पवित्र शब्दों का गान घटाना न चाहिए । वास्तविक ब्रह्मचर्य का फल तो अशुभ होता है और वह तो पहचाना भी जा सकता है । इस गुण का पालन करना कठिन है । प्रयत्न तो बहुतेरे लोग करते हैं, पर सफल बिरले ही हो पाते हैं । जो लोग गेरुए कपड़े पहन कर संन्यासियों के वेश में देश में घूमते-रहते हैं वे अक्सर बाजार के मामूली आदमी से ज्यादा ब्रह्मचारी नहीं होते । फर्क इतना ही है कि मामूली आदमी अक्सर उसकी टीम नहीं हाँकता और इसलिए बेहतर होता है । वह इस बात पर सन्तुष्ट रहता है कि परमात्मा मेरी आज्ञाशुदा को, मेरे प्रलोभनों को तथा मेरे विजयोत्ताव और भगीरथ प्रयत्न के होते हुए भी हो जाने वाले पतन को जानता है । यदि दुनिया उसका पतन को देखे और उससे उसे तोले तो भी वह सन्तुष्ट रहता है । अपनी सफलता को वह कजूस के मन की

तरह छिपाकर रखता है । यह इतना विनयी होता है कि उसे प्रकट नहीं करता । ऐसा मनुष्य उदार की आशा रख सकता है । परन्तु वह आधा संन्यासी जो कि संयम का ककहरा भी नहीं जानता, यह आशा नहीं रख सकता । वे सार्वजनिक कार्य-कर्ता जो कि संन्यासी का वेष नहीं बनाने पर जो अपने त्याग और ब्रह्मचर्य का दिहोरा पीटते फिरते हैं और दोनों को सस्ता बनाते हैं तथा अपने को तथा अपने सेवा-कार्य को बदनाम करते हैं, उनसे खतरा समझिए ।

जब कि मैंने अपने साबरमतीवाले आश्रम के लिए नियम बनाये तो उन्हें मित्रों के पास सलाह और समालोचना के लिए भेजा । एक प्रति स्वर्गीय मर गुरुदास बनर्जी को भी भेजी थी । उस प्रति की पहच लिखते हुए उन्होंने सलाह दी कि नियमों में उल्लिखित व्रतों में नम्रता का भी एक व्रत होना चाहिए । अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि आजकल के नवयुवकों में नम्रता का अभाव पाया जाता है । मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी सलाह के मूल्य को तो मानता हूँ और नम्रता की आवश्यकता को भी सोलहों आना मानता हूँ, पर एक व्रत में उसको स्थान देना उसे उसके गरव को कम कर देना है । यह बात तो हमें गृहीत ही करके चलना चाहिए कि जो लोग अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे वे अवश्य ही नम्र रहेंगे । नम्रता-हीन सत्य एक उदत हास्य-चित्र होगा । जो सत्य का पालन करना चाहता है वह जानता है कि वह कितनी कठिन बात है । दुनिया उसकी विजय पर तो तालियाँ बजायेगी, पर वह उसके पतन का हाल बहुत कम जानती है । सत्य-परायण मनुष्य बड़ा आत्म-ताडन करनवाला होता है । उसे नम्र बनने की आवश्यकता है । जो शस्त्र सारे संसार के साथ यहाँ तक कि उसके भी साथ जो उसे अपना शत्रु कहता हो प्रेम करना चाहता है वह जानता है कि केवल अपने बल पर ऐसा करना किम तरह असंभव है । जब तक वह अपनेको एक शुद्ध रजकण न समझने लगेगा तबतक वह अहिंसा के तत्व को नहीं ग्रहण कर सकता । जिस प्रकार उसके प्रेम की मात्रा बढ़ती जाती है उसी प्रकार यदि उसकी नम्रता की मात्रा न बढ़ी तो वह किसी काम का नहीं । जो मनुष्य अपनी आंशु में तंज लाना चाहता है, जो स्त्री-मात्र को अपनी सगी माता या बहन मानता है उसे तो रजकण से भी शुद्ध होना पड़ेगा । उसे एक साई के किनारे खड़ा समझिए । जरा ही मुह इधर-उधर हुआ कि गिरा । वह अपने मन से भी अपने गुणों की कानाफूसी करने का साहस नहीं कर सकता । क्योंकि वह नहीं जानता कि इसी अगले क्षण ने क्या होने वाला है । उभके लिए 'अभिमान निनाश के पहले जाता है और मगरूरी पतन के पहले ।' गीता में सच कहा है—

विषया विनिबन्धन्ते निराहारस्य देहिः ।

रसवर्धं रमोप्यस्य परं दृष्ट्वा निबन्धते ॥

और जबतक मनुष्य के मन में अहंभाव मौजूद है तबतक उसे ईश्वर से दान नहीं हो सकते । यदि वह ईश्वर में मिलना चाहता हो तो उसे शून्यवत् हो जाना चाहिए । इस संघर्ष-पूर्ण जगत् में जीन रहने का साहस कर सकता है — 'मैंने विजय प्राप्त की है हम नहीं, ईश्वर हमें विजय प्राप्त कराता है ।

हमें इन गुणों का मूल्य ऐसा कम न कर देना चाहिए कि जिससे हम राब उनका दावा कर सकें । जो बात भौतिक विषय में सत्य है वही आध्यात्मिक विषय में भी सत्य है । यदि एक (छोप पृष्ठ २६४ पर )



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ४६ ]

मुद्रक—प्रकाशक  
केभोलाल छपनलाल शुभ

अहमदाबाद, आषाढ वही १२, संवत् १९८८  
गुरुवार, १८ जून, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
छारंगपुर करडीमरा की बाड़ी

## देशबन्धु का अवसान

जब कि इदक गहरी चोट से व्यथित होता है तब कलम की गति कुण्ठित हो जाती है। मैं यही इस तरह शोकमय वायुमंडल में हूँ कि तार-द्वारा पाठकों के लिए अधिक कुछ भेजने में असमर्थ हूँ। अभी हाजिकिंग में उस महान् देशभक्त के साथ ५ रोज तक मेरा समागम रहा। उसने हम एक-दूसरे को पहले से अधिक एक-दूसरे के गजदीक कर दिया। मैंने केवल बही अनुभव नहीं किया कि देशबन्धु कितने महान् थे, बल्कि वह भी अनुभव किया कि वे कितने भले थे। भारत का एक काक बला गया ! हमें चाहिए कि हम स्वराज्य प्राप्त कर के उसे पुनः प्राप्त करें।

कलकत्ता—जून १०

मो० क० गांधी

## मेरा कर्तव्य

एक सज्जन लिखते हैं :—

“आप मनुष्यों के प्रति तो अपना फंज अदा कर रहे हैं। लेकिन क्या आप यह नहीं देख सकते कि आज आप जिस प्राँन में भ्रमण कर रहे हैं उसमें पशु और दूसरे जीव जंतुओं के प्रति भी आपका कुछ कर्तव्य है? बंगाल में जीवों की हिंसा वेद्वद होती है। इस विषय में यदि आप गहरे उतरेंगे तो आपको यह भूमि अनार्य—सी प्रतीत होगी। जब आप गुजरात में भ्रमण कर रहे थे उस समय मैंने यह पढा था कि बेहो को आर भोक कर चलाते हुए देख कर आप गाड़ी से नीचे उतर गये थे। तो क्या आप बंगाल में छुरी चलानेवालों को कुछ भी उपदेश न देंगे? आपके उपदेश से बहुत लाभ होगा। इस कार्य के लिए आपको अलग समय न देना होगा। बल्कि इससे एक पंथ और दो काबू होंगे।”

एक तो केवलक ने इस प्रकार लिखने में वैसी सामान्य भूल की है जैसी कि बहुत से मनुष्य करते हैं। यह मानना कि उपदेश करने से इसका बहुत बड़ा परिणाम होगा हमारा मोह है, और यह इसमें भी दिखाई दे रहा है। अनन्त काल से यही अनुभव हो रहा है कि उपदेश का परिणाम बहुत ही अल्प होता है। सैकड़ों साधु आज उपदेश कर रहे हैं। सैकड़ों ब्राह्मण निरस्य गीता भागवतादि का पाठ कर रहे हैं। लेकिन यह कहा जा सकता है कि उसका कुछ भी असर नहीं होता है। हाँ किसी उपदेशक का कुछ असर होता हुआ हम देखते अवश्य हैं लेकिन वह असर उसके उपदेश का नहीं होता बल्कि उसके कार्य का होता है। और वित्तकी आचरण वह कर सकता है उससे अधिक वह उपदेश करे तो उसका कुछ भी असर नहीं होता। यह सत्य की खूबी है। उठे भाषा के आच्छादन से कितना ही ढाँकिए वह नहीं ढंक सकता। यदि हिमालय पर चढ़ने की मेरी शक्ति नहीं है और फिर भी मैं हिमालय पर चढ़ने के लिए दूसरों को उपदेश दूँ तो उसका कुछ भी असर न होगा। लेकिन यदि चुपचाप उसपर चढ़कर उन्हें दिखाऊँ तो मेरे पीछे सैकड़ों लोग उसपर चढ़ आवेंगे। मनुष्य की करनी ही सच्चा उपदेश है।

दूसरे, मनुष्य में उपदेश करने की योग्यता भी होनी चाहिए। मैं पशुहिंसा नहीं करता हूँ। फिर भी मुझे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि पशुहिंसा रोकने की योग्यता मुझ में नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि पशुओं के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। लेकिन दूसरों को कौन बताने में मैं असमर्थ हूँ। उसके लिए तो मुझमें बहुत अधिक पवित्रता, बहुत अधिक दयाभाव और बहुत ही अधिक संयम होना चाहिए। उसके बगैर मुझे बहुत सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और उस ज्ञान के बिना मुझे आवश्यक भाषा भी प्रकृत नहीं हो सकती।

बिना ज्ञान प्राप्त किये आत्मविश्वास नहीं होता। पशु-हिंसा का त्याग कराने की मुझमें शक्ति है, यह आत्मविश्वास मुझे नहीं है। लेकिन मैं तो ईश्वर को माननेवाला हूँ। पशु-सेवा की शक्ति मुझमें बड़ी तीव्र है। मनुष्य तो अपना दुःख बताने सकता है और उसे दूर करने का प्रयत्न भी कर सकता है। पशुओं में यह शक्ति नहीं। इसलिए उनके प्रति हमारा दुःख फर्न है। लेकिन यह संभव मानने पर भी, उसके लिए शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हुए भी, मुझे उनकी सेवा करने की शक्ति न होने के कारण बड़ी कच्चा माछम होती है। लेकिन उसके लिए मैं ईश्वर को दोष देता हूँ। उसने मुझे शक्ति क्यों नहीं दी?

इसके लिए मैं उसके साथ हमेशा सगढ़ा करता हूँ और हमेशा उससे प्रार्थना भी करता हूँ। लेकिन ईश्वर तो स्वेच्छाचारी है। वह किसीका भी कहना नहीं सुनता है तो मेरा क्यों सुनने लगा? ऐसा भले ही हो कि वह मेरी बात औरों से जल्दी सुन लें। लेकिन अब वह मुझे शक्ति देगा तब मैं, इन सज्जन को विश्वास दिखता हूँ कि, उनके कहने की राह नहीं देखूँगा। दरम्यान मेरी तपश्चर्या तो बराबर जारी ही रहेगी। जिस कार्य में आज मैं मशगूल हो रहा हूँ उससे ही अधिक, पशुमात्र की सेवा करने की शक्ति, मुझे क्यों न प्राप्त हो? मेरा विश्वास है कि मैं कञ्जूस नहीं हूँ। मैं अपनी सब शक्तियों को कृष्णार्पण कर चुका हूँ। इसलिए यदि मुझे पशुहिंसा को रोकने की शक्ति प्राप्त होगी तो मैं उसे भी संग्रह कर के न रक्षूँगा।

लेकिन इस दरम्यान जो अपरिहार्य है उसे तो सहन ही करना चाहिए। इस संसार में तो अनेक स्थानों पर निर्दोष मनुष्यों पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें रोकने का हम कहीं दावा करते हैं? यह हमारी शक्ति के बाहर है यह मान कर, अरे जगत् का कल्याण चाहते हुए हम चुप रहते हैं। अशक्ति के कारण ही स्वदेशाभिमान को हम एक अलग गुण मान कर उसे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो स्वदेशाभिमान धार्मिक है उससे जगत् का अकल्याण नहीं होता। संसार का अकल्याण करते हुए अपने देश का अट्टा करना मिथ्या स्वदेशाभिमान है। लेकिन स्वदेश की धार्मिक सेवा में जिस प्रकार संसार भर की सेवा का समावेश हो जाता है उसी प्रकार मेरी मनुष्य-सेवा में वसी पशु-सेवा का भी समावेश हो जाता है। यह मेरी धारणा है; क्योंकि मनुष्य-सेवा और पशु-सेवा में कोई विरोध नहीं है।

आज हमारे देश में एक प्रकार का धर्मांडबर फैला हुआ है। जो काम हम लोगों से नहीं हो सकते या जिस काम के करने का कुछ अर्थ नहीं ऐसे दवा के केवल दिखाऊँ काम हम करते हैं और जो दवा के कार्य हम कर सकते हैं उन्हें नहीं करते। धीरा भगत की भाषा में कहें तो हम लोग निहाई की चोरी करते हैं और कई का हान करने का ढोंग करते हैं। गीता की भाषा में कहें तो स्वधर्म का, जो हमारे लिए सुकर्म है, थोड़ा-सा भी पालन करना छोड़ कर हम परधर्म के पालन के बड़े बड़े विचार करते हैं और 'इतोऽप्रहस्ततोऽग्रः' हो जाते हैं। ऐसी भूलों से हमें बच जाना चाहिए। यह कहने के लिए ही मैंने पूर्वोक्त सूचना का जवाब देना और पशुहिंसा रोकने के श्रेष्ठ धर्म के पालन करने के कार्य को मैं क्यों नहीं करता हूँ यह दिखाने का प्रयत्न करना उचित समझा है।

हम लोग जगत् के कर्ता नहीं हैं। हम लोग सर्वशक्तिमान भी नहीं हैं। हम लोगों में जो शक्ति है उसका यदि हम सदुपयोग करें तो वह शक्ति आप ही बढ़ेगी और इस प्रकार इस शक्ति के बढ़ने पर यदि हम प्रामाणिक होंगे तो उसका हम अवश्य ही उपयोग करेंगे।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

## म्युनिसिपल स्कूलों में चरखा

[प्रधान के म्युनिसिपल स्कूलों में चरखे की प्रगति किस प्रकार हो रही है उसका हाल नीचे लिखे विवरण से भली भाँति माछम होता है। संपादक]

म्युनिसिपल पाठशालाओं में चरखे की जो प्रगति इन कुछ ही महीनों में हुई है वह काफी उत्साहदायक है। अकेले जनवरी १९५५ में हमारे स्कूलों के बच्चों ने २५ दिनों में ७ मन ८ सेर सूत काता। तबतक महीन सूत कतवाने के लिए

कोई खास कोशिश नहीं की गई थी और आमतौर पर १०-१२ अंक तक का सूत बतौर नाप के मांगा जाता था। उस समय तक सारे सूत का आधा तो ६ से १० अंक और आधा ११-१३ अंक तक का था। कहीं कहीं कुछ १४-२० अंक का भी दिखाई देता था। उसके बाद स्कूलों को ऐसी हिदायतें दी गईं कि वे सूत की किस्म सुधारें और बजन की जगह लंबाई में अपना मासिक सूत दें। इससे तुरन्त ही अच्छी तरकी दिखाई दी और सूत और अच्छा निकलने लगा।

पिछले साल हमें कपास की तंगी और दिकत रही। सो इस साल हमने इतनी कपास एकत्र कर ली है कि साल के ज्यादा हिस्से तक बच सके। पुनाई का प्रबन्ध पाठशालाओं में हो गया है और अब लड़के अपने मतलब की रई धुनक केते हैं। फिर भी अभी कुछ रई बाहर धुनफाना पड़ती है।

अब हमारे अधिकांश शिक्षक और शिक्षिका कताई, पुनाई और चरखे की मरम्मत करने तथा अपने दरजों के कपास और सूत का हिसाब रखने की खासी तालीम पा चुके हैं। वे अपने लड़कों के काम को देख आल करते हैं और इस बात पर जबर रखते हैं कि सूत की फालकियां अच्छी बनें और वह समाज कर चला जाय। कड़ी निजगानी के फल-स्वरूप अब हम कपास की मुकदानी को ३६ फी सदी से ६ फी सदी तक ले आये हैं।

हमारी कन्या-पाठशालाओं में इस समय तक कताई में बड़ी उमंग और आश्चर्यजनक तरकी कर दिखाई है। हमारी नई शिक्षिकाओं में इस विषय में कोई बात उठा नहीं रखी। वरिष्ठ एक ही पाठशाला में १० चरखों पर २५ दिन में २८ सेर अच्छा सूत निकला।

अब हमारे सामने सवाल यह है कि इन सूत को किस तरह काम में लायें। हम कुछ ऐसी मर्यादा से बानगीत कर रहे हैं जो या तो इस सूत को खरीद ले या कपड़ा धुनकर दे दें। हमें आशा है कि हम शीघ्र ही इन सूत को काम में ले सकेंगे। शिक्षा-प्रमिति शीघ्र ही एक पुनाई-पाठशाला खोलना चाहती है जहां कि कुछ सूत काम में आया करेगा।

अभी हमारे स्कूलों में ३३४ चरखे हैं। इनमें आधे से ज्यादा काम देने लायक नहीं होते हैं, हमेशा मरम्मत-तलब रहते हैं। इस तरह ३४०० लड़कों में से ३ से अधिक लड़के रोज पूरे ४५ मिनट तक नहीं कात पाते हैं। कताई के घण्टे में अब कि सारे दरजे के लड़कों को सूत कातना चाहिए तब ६-७ लड़के कातते हैं, दो-तीन धुनकने में या दूसरी सहायता देने में लग जाते हैं और शेष लड़के या तो बैठ रहते हैं या और किसी विषय को पढ़ते रहते हैं। इस तरह दरजे के सब विद्यार्थी कभी चरखा नहीं कात पाते हैं।

मरम्मत में देरा होने से लगातार करीब आधे चरखे बेकार रहते हैं। इससे आवश्यक ही सूत कम निकलता है। इस कारण हमारे तमाम चरखों के द्वारा जहां १६ मन सूत हर मास आसानी से तैयार किया जा सकता है वहां मरम्मत की उपेक्षा से आधा सूत निकल पाता है। हमारे शिक्षक लोग अभी चरखे को ठीक रखने और उसकी जल्दी मरम्मत कर देने में काफी उद्योग नहीं कर पाये हैं। फिर भी हालत दुस्त करने में कोई बात उठा नहीं रखी जाती है।

हमारे मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है जगह की कमी। अधिकतर मदरसे किराये के मकानों में हैं जहां कि चरखे रखने के लिए काफी जगह नहीं मिलती। अब ऐसी कोशिश की जा रही है कि मदरसे ऐसी जगहों में रहें जहां कताई बहुत आसानी से

की जा सके। इसकी सुविधा हो जाने पर कताई की कई गुना तरकी के लिए गुंजाइश हो जायगी।

हमारी दिकतों और रुकावटों के रहते हुए भी कताई का नतीजा इतना अच्छा हुआ है कि बोर्ड ने बजट की आय की मद में सूत की बिक्री से आने वाली एक अच्छी रकम बजट की है। शुरू में काम जितना आसान दिखाई देता है उतना वह वास्तव में था नहीं। उसमें अनेक भारी कठिनाइयां पैदा आईं और आ रही हैं।

हमें बहुत उम्मीद है कि यदि हमें अपनी इस कोशिश में कि तमाम चरखे नियमित रूप से चले, सफलता मिली तो हम कम से कम १० मन सूत १० से १३ अंक का हर माह कता सकेंगे। कपास की कीमत को छोड़कर केवल इतने सूत के द्वारा कोई ५ हजार रुपये साल की बचत होने की आशा की जाती है। यदि हमारे पास काफी जगह हो और कम से कम आज से तिगुने चरखे हों तो सूत भी आसानी से तिगुना निकलने लगे, जिससे कम से कम १५ हजार ६० साल असल मुनाफा रहेगा—यह रकम हमारे वर्तमान शिक्षा-व्यय की १५ फी सदी होगी। वे संख्यायें बहुत भाशा पूर्ण दिखाई देंगी; परन्तु यदि हमारे संग्रह और हिसाब पर कोई एक ही नजर डाले तो उसे, फिर वह कैसा ही शकशील हो, यकीन हुए बिना न रहेगा।

एक बात का उल्लेख खास तौर पर करने की आवश्यकता है। कताई के साथ ही इस बात की भी पूरी चिन्ता रखनी गई थी कि दूसरी पढ़ाई में किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। हमारे तजरिने ने हमें दिखा दिया है कि चरखे के प्रवेश से मदरसों का हर बात में—मामूली खर्च, निबन्ध-पालन, पढ़ाई-काम आदि में—आम तौर पर तरकी हुई है। कुमारी जे. ए. एम्-सी. डेवो, सरकारी शिक्षाविभाग की निरीक्षिका, ने अपने पिछले दौर के समय लड़कियों के मदरसे के कताई-काम को बरखा है और इस बात का खास तौर पर उल्लेख किया है कि यह काम दूसरी पढ़ाई के साथ साथ हो रहा है और उससे किसी किस्म की पढ़ाई में बाधा नहीं पहुंचती—यही नहीं, उल्टा उससे लड़कियों को हमारी काम करने के बाद अच्छी तफदी मिलती है।

### बंगाल में हिन्दी

हिन्दी के कुछ प्रेमी इस बात पर समुद्र नहीं है कि वे बंगाल में केवल लोगों से हिन्दी बोलने पर जोर देता रहें और अब तक समाजों में उसकी हिमायत करता रहें। बंगाल-साहित्य-परिषद् की सभा में कुछ चुने हुए लोग थे। पर उसमें भी अंगरेजों के विद्वानों की अनुमति ले कर मैंने हिन्दी में ही अपना भाषण किया। किन्तु हिन्दी के ये प्रेमी तो मुझ से यह भी चाहते हैं कि वे बंगाल में हिन्दी पढ़ाने का तथा हिन्दी-प्रचार में भी उद्योग करें जैसा कि मेरे द्वारा सहाय प्राप्त में हुआ है। पर मुझे दुःख है कि मैं उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। मेरी साधन-सामग्री अब खतम होने को आ गई है। फिर कलकत्ते में हिन्दी जानने वालों की एक भारी तादाद है। उच्च महलों के मजदूरों में हिन्दी के अलखार भी हैं। इसलिए कलकत्ते के हिन्दी-प्रेमियों को चाहिए कि वे उसका भार उठा लें। उनके पास धन और विद्वान्मन दोनों हैं। बंगाल के तमाम मुख्य मुख्य केंद्रों में वे हिन्दी पढ़ाई का प्रबंध कर सकते हैं। आवश्यक ही ऐसी किसी हलबल से मेरी सहायभूति होगी। परन्तु इसका संगठन स्थानीय सत्ताही लोगों के ही द्वारा होना चाहिए। यदि दक्षिण और बंगाल हिन्दी को अपना ने के लिए तैयार किये जा सकें तो सारे भारत के लिए एक-भाषा का प्रथम आसानी से हल हो जायगा। किसी जगह मैंने इस कठिनाई को अनुभव नहीं किया कि मेरी दूती-फूटी हिन्दी को समझने में लोगों को दिकत होती है। (१० ई०)

## हिन्दी-नवजीवन

धुस्मर, अषाढ वदी १२, संवत् १९८२

### क्या हम तैयार हैं ?

श्री मन्मथ ने सुप्रसिद्धा मुद्रसे प्रार्थना की है कि मैं फिर से सर्वदल परिषद् को निमंत्रित करूँ; क्योंकि उनकी सम्मति में वह समय उसके मुआफिक है। वेदावन्धु दास ने 'मरहटा' की एक प्रति मुझे दी जिसमें श्री, मैंने देखा, कि ऐसी ही प्रार्थना की गई है। मुझे मायूस है कि करोजनी देवी के भी विचार ऐसे ही हैं। पर इस संबंध में मेरी हालत बहुत-कुछ वैसी ही है जैसी कि महासमिति की बैठक के संबंध में है। यदि मुझे श्री बिना, सर मुहम्मद शफी, बकिंग मदन मोहन मालवीयजी, लाला लाजपतराय श्री श्रीवास्तवाजी, सर सुरेन्द्रनाथ, कहर बाग्यों के नेता, श्री चिन्तामणि, डा० उपरु आदि जैसों की ओर से सूचना मिले तो मैं अवश्य बड़ी खुशी के साथ परिषद् को निमंत्रण दूंगा। मेरी जिजी राय तो यह है कि एकता के लिए आज भी हम उससे ज्यादा तैयार नहीं हैं जिसके कि देहली में थे। यदि एकता को हम स्वराज्य के लिए चाहते हैं तो हम हिन्दू-मुस्लिम-प्रश्न पर लड़ पड़ेंगे। यदि एकता को हम इसलिए चाहते हैं कि महासभा के अन्दर तमाम दल आ जायें जो नई तकनीकें करने या उनपर विचार करने का कष्ट पहले कीर्तिपति का है। क्योंकि जबतक महासभा के भीखी लोग आपस में अविभाजित प्रयोग के लिए एक नहीं हो पायें हैं तबतक सब कुत्तों की साधारण परिषद् निकल जाए बिना न रहेगी। यदि अकेले कलाई-मताधिकार ही इसके रास्ते में बाधक होता हो तो उसका तरीका और भी आसान है। जिन लोगों ने पहले थिक्कर इस मताधिकार को तय किया है वे ही पहले इसके परिवर्तन के प्रश्न पर विचार करें। वे लोग कौन हैं! — स्वराज्य-दल — उसके इके-हुके संकल्प नहीं — और मैं। मताधिकार-संबंधी ठहराव स्वराज्य-दल और मेरे बीच हुआ था। मैं भी तो किसी दल का प्रतिनिधि न था, पर फिर भी मुझे जैसे विचार रखनेवाले लोगों का, जिनकी गंधवा अनिश्चित है, प्रतिनिधि था। मैं स्वराज्य-दल की राजमन्दी के बिना कोई कार्य करना नहीं चाहता। नो यदि वह दल मताधिकार में परिवर्तन करना चाहता हो तो वह अब भी जहाँतक मुझसे सम्बन्ध है, ऐसा कर सकता है — सिर्फ उसके कहने की जरूर है। और जब वह दल अपना मत निश्चित कर लेगा तब उसकी प्रति के लिए महासमिति की बैठक की जा सकती है। मैं महासभा के अन्दर अपनेकी कोई जाँच नहीं समझता। मैं मानता हूँ कि आज देश का शिक्षित समुदाय करका तथा दूसरी भागों में मेरे साथ नहीं है। भारतवासियों के शिक्षित-समाज ने ही महासभा को जन्म दिया था और उन्हींकी प्रधानता उसे रखनी चाहिए। तथा उसकी नीति की जागहोर भी उन्हींके हाथों में होनी चाहिए। मेरा दिल कहता है कि मैं जन-साधारण का प्रतिनिधि हूँ-अके ही अथकचरा होऊँ। पर मैं महासभा पर अ-प्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों का असर डालना चाहता हूँ अर्थात् रायों की गिनती कर के नहीं, बल्कि दलीलों और वस्तुस्थिति को सर्वोच्च के सामने रखकर। क्योंकि रायें तो संभव है इस विश्व के गुण-दोष-विचार के बिना भी मिल जायं।

जबतक कि जनता खुद अपने लिए सोचने लायक न हो जाय तबतक उन लोगों के कहने पर वह चलेगी जिनका प्रभाव उस समय उसपर होगा। ऐसी अवस्था में उनकी रायों का इस्तेमाल अनुचित होगा। ऐसी हालत में यदि स्वराज-दल जो कि जन्म शिक्षित समाज के एक भारी हिस्से का प्रतिनिधित्व रखता है, कलाई मताधिकार को उठा देना चाहता हो, तो वह आज भी ऐसा कर सकता है। और मेरी तरफ से उसका कोई विरोध न होगा। पर उस अवस्था में मुझसे महासभा के पथदर्शक बने रहने की उम्मीद रखना बेजा होगा। फिलहाल मैं त्रिविध रचनात्मक कार्यक्रम के अलावा दूसरे किसी काम के अयोग्य हूँ। मेरे नजदीक उसकी सफलता ही स्वराज्य है और उसके बिना स्वराज्य एक असंभावना है। ऐसी अवस्था में मुझे जरूर उन लोगों के लिए जगह कर देनी चाहिए जो कि विशाल दृष्टि रखने वाले कहे जाते हैं।

मुना है कि श्री देवमुल ने कहा है कि यदि मैं अपने विचारों को न बदल सकूँ तो मुझे महासभा से हट जाना चाहिए। मैंने उनका गिनतारे वाला आचरण पढ़ा नहीं है; पर यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो उन्हें ऐसा कहने का पूरा हक था। मैं भी किसी व्यक्ति के लिए ऐसा ही कहूँगा यदि मेरी यह धारणा हो कि उसके कार्यों से देश की हानि है। क्या तमाम अमहयोगियों ने धारासभा के सदस्यों से इस्तीफा देने का आग्रह नहीं किया था? हो सकता है कि श्री देवमुल का विचार भ्रमपूर्ण हो, पर उनके एक सार्वजनिक कार्यकर्ता का सुधारने के अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, न उन्होंने कोई नई या अजीब बात ही कही। और दरदकीकत ऐसा एक समय था जब कि मैं संकीर्णों के साथ महासभा से हट जाने का विचार करता था; पर अन्त को मैंने देखा कि उससे कुछ नहीं जा न निकलेगा। मैं मौलाना मुहम्मदअली की इस बात से सहमत हूँ कि कोई सार्वजनिक सेवक अपने दूट को तबतक नहीं छोड़ सकता जब तक वह उसमें विश्वास रखता हो। हाँ, लोग चहें तो उसे हटा दें। यदि आप जन्दी करके समय से पहले महासभा से हट जायेंगे तो आप अपने ही राजनैतिक प्रतिपक्षियों पर तथा देश पर बेजा बोझ डालेंगे। अपने पैगाम पर आपका विश्वास होने हुए भी आप तभी महासभा छोड़ें जबकि अग्रणी लोकप्रियता नष्ट हो जाय। और ऐसी अवस्था में भी यह निर्णय करना कि रहें या जलन हो जाय, बड़ा ही नाजुक विषय होता है। बात यह है कि किसी के कहने से उस सेवा कार्य से अलहदा हो जाना जो कि स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया गया हो ऐसी आसान बात नहीं है जैसी कि दिखाई देती है। परन्तु श्री देवमुल ने हिम्मत करके लोगों के लिए हम सवाल पर विचार करने का रास्ता साफ कर दिया है। जो लोग चाहते हैं कि मैं यह प्रश्न छोड़ दूँ उन्हें कमसे कम मेरे उन साधनों और विचारों के खिलाफ, जिन्हें वे मुझ समझते हैं, लोकमत तैयार करना चाहिए। मेरा महासभान पुरे सिद्धों को चमकाने का परवाना तो डई नहीं।

पर मेरे लिए चम्खा पुरा सिद्धा नहीं है। सारी दुनिया के मुक्ताबले में उसका बचाव करने की अज्जा मेरे अन्दर है। मैं सब लोगों के लिए आजादी चाहता हूँ। मैं उसका विचार अहिंसा की ही भाषा में कर सकता हूँ। यदि हमें आजादी बिल्कुल अहिंसामक साधनों से ही प्राप्त करना है तो हम उसे केवल चम्के के ही द्वारा प्राप्त कर सकते हैं जिसके कि अन्दर हिन्दू-मुस्लिम एकता, अहूतपन-निवारण और दूसरी कितनी ही चीजें शामिल हैं जिनके नामोलिख की वहाँ आवश्यकता नहीं। मेरी



राय में महासभा यदि इस मताधिकार को हटावेगी तो भीषण भूल करेगी। परन्तु प्रजा-सत्ता के अन्दर मेरा विश्वास किसी खासक न होगा यदि उसके अन्दर भीषण भूल कर बैठने के अधिकार को जगह न हो। मैं तो चरमे के अन्दर सजीव श्रद्धा और उसके फल-स्वरूप सक्रिय सहयोग चाहता हूँ। कोरी जयानी 'हाँ, हाँ' से किसीको लाभ नहीं हो सकता। और हम विषय के परिणाम का विचार करते समय मेरे व्यक्तित्व को हवाल से विरक्त हटा देना चाहिए। हमारी इस महान् प्राचीन धर्म-धरा के विकास के लिए कोई शक्य अपविहान नहीं है। संकड़ों गांधियों का नामोनिशां मिट जाय तो हज़े नहीं, पर भारतवर्ष जीता-जागता और फलता-फूलता रहे।

( ५० ई० )

मोहनदास करमचंद गांधी

### एक घरेलू प्रकरण

लाहलपुर के एक वकील ने 'थम इण्डिया' के मपाहक के नाम नीचे लिखा पत्र लिखा है—

"कोई तीन चार साल पहले कलकत्ते में 'आल इण्डिया स्टोअर्स लिमिटेड' नाम की एक कंपनी खोली गई थी। उसके डायरेक्टर थे—श्री हरिलाल मो० गांधी। लाहलपुर में उस कंपनी के एक प्रतिनिधि ने यह महासूत्र किया था कि वे महान्मा गांधी के लड़के हैं। मेरे एक मर्चण्ट ने उन प्रतिनिधि को कुछ रुपये दिये और वे उस कंपनी के शेअर होकर हो गये। मैंने तथा मेरे उन मर्चण्ट ने कंपनी के महासूत्र किये पत्र पर—२२ अक्टूबर १९१५ कलकत्ता को, पत्र लिखे। मेरे मर्चण्ट को अरेषा है कि शायद यह कंपनी बनावटी थी और उनका रुखा हूब गया। अब आइसो (महासूत्राजीकी) कीर्ति तथा इस दरिद्र देश के आर्थिक कल्याण के नाम पर मैं आशा करता हूँ, चाहता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मर्चण्ट का यह भय गलन साबित हो। डॉक्टर ने हमारे तमाम पत्र बंद केटर आफिस की मार्फत वापिस कर दिये हैं। इसलिए मेरे मर्चण्ट के इस शुबह के लिए कि वह कंपनी हूब गई, कुछ मजह जरूर मात्म होती है। क्या यह सब बात है कि महासूत्राजी के लड़के उस कंपनी के डायरेक्टर थे और क्या यह भी सच है कि ऐसी किसी कंपनी की हस्ती है और यदि है तो वह कहाँ है ?

कृपया इस कष्ट के लिए मुझे क्षमा कोजिए। मेरे मर्चण्ट का मुसलमान सज्जन है और महासूत्राजी के प्रति अपने आदर-भाव के कारण वे उस कंपनी के शेअर होकर हुए थे। वे इन बातों की तसदीक कर लेना चाहते हैं। इसीलिए यह तक्ररीक आपको दी गई।"

यदि इस क्षत में कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों का समावेश न होता तो मैं खानगी में इसका जवाब दे कर खामोश हो रटना-हालांकि कि यह पत्र छापने के उद्देश से भेजा गया है। इसे प्रकाशित करना इस खयाल से भी आवश्यक है कि बहुत संभव है कि यहूदों के हिस्सेदार इन वकील साहब के मर्चण्ट की तरह अपने भाव रखते हों। उन्हें भी उतना समाधान मिल जाना चाहिए जिस कदर कि मैं उन्हें पहुंचा सकता हूँ। हाँ, मैं अवश्य ही हरिलाल मो० गांधी का पिता हूँ। वह मेरा सबसे बड़ा लड़का है, कोई ३६ से ज्यादा उम्र है, और ५ बच्चों का पिता है, सबसे बड़ी सन्तान १९ साल की है। कोई १५ साल पहले से उसके और मेरे विचार मित्र मित्र हैं। इसलिए वह मुझसे अलहदा रहता है और १९१५ से न तो मैं उसे सहायता करता हूँ न मेरे द्वारा उसे सहायता पहुंचती है। मेरा यह प्रायः नियम रह है कि मैं अपने बच्चों को १६ साल की अवस्था के बाद अपना मित्र और बराबरी का मानने

लगतता हूँ। मेरे बाहरी जीवन में जो जबरदस्त परिवर्तन समय-समय पर हुए उनका अमर मेरे नजदीक रहनेवालों पर, खास कर मेरे सन्तानों पर, हुए बिना नहीं रह सकता था। हरिलाल इन तमाम परिवर्तनों को देखता था, उसकी उम्र भी इतनी थी कि वह उनको समझ सकता था, इससे कुदरती तौर पर वह पश्चिमी रंग-रंग से प्रभावित हुआ, जो कि एक जमाने में मेरे जीवन में रह चुका है। उसके व्यापार-मन्धी कार्यों का मुझसे कोई सम्बन्ध न था। यदि मैं अपना प्रभाव उसपर डाल पाता तो वह आज मेरे कार्यों में मदद देना हुआ और साथ ही खासी अपनी गोजी कमाता हुआ पाया जाता। पर उसने अलहदा और स्वतन्त्र रास्ता अख्तियार किया और ऐसा न करने का उसे हक था। वह महत्वाकांक्षी था और अह भी है। वह धनी बनना चाहता है नो भी आसानी से। और बहुत कर के उसे मेरे निश्चय यह शिक्षायत भी है कि जब कि मेरे पास अनुकूलता थी तब भी मैंने उसे तथा मेरे अन्य पुत्रों को उन बातों से विमुख रखा जिनके द्वारा मनुष्य धन को और धन से प्राप्त कीर्ति को पा सकता है। उसने इन पत्र में उल्लिखित स्टोअर्स को मेरी किन्ती किन्म की सहायता के बिना शुरू किया था। मैंने अपना नाम स्टोरवालों को नहीं दिया था। मैंने न तो खानगी तौर पर न जाहिरा तौर पर किसीसे उसके व्यवसाय को अपनाने की सिफारिश की। जिन लोगों ने उसे सहायता दी उन्होंने उसके काम के गुण-दोष को देख कर ही दी। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसके बेटेपन ने उसे सहायता पहुंचवाई हो। जबतक कि यह दुनिया कायम है, उसके वर्णाश्रम का विरोध करते हुए भी, वह आनुवंशिकता का लिहाज किये बिना नहीं रह सकती। बहुतों ने अपने मन में यह समझा होगा कि वह गांधी का लड़का है इसलिए गांधी की ही तरह भला, सीधा और रुपये-पैसे के मामले में अपने बाप की ही तरह सावधान और विश्वसनीय होगा। उनके साथ मेरी हमदर्दी है, पर इसमें अधिक कुछ नहीं। उन कार्यों के सिवा जो कि मेरे साथ किये जाते हैं, या जिन्हे मैं अपने नाम पर करने की इजाजत देता हूँ या जिनके लिए अपनी तरफ से प्रमाण-पत्र देता हूँ, किसी शक्य के कार्यों की नैतिक या दूसरे प्रकार की जिम्मेदारियों को मैं अपने तिर पर नहीं ले सकता, फिर वे मेरे कितने ही आस और इष्ट क्यों न हो। मेरे तिर पर यों अपनी ही जिम्मेदारियाँ बहुत भारी हैं। मेरे हृदय के अन्दर जो शाश्वत द्वन्द्वयुद्ध होता रहता है और जो कभी नहीं जानता कि अस्थायी सुलह भी क्या बोज है उसकी लकलीफो और दुर्गों को अकेला मैं ही जानता हूँ। पाठक विश्वास करें कि इसमें मेरी तमाम शक्ति लगी जानी है और यदि इस सयाम में जानने का बल मैं अपने में अधिक पाता हूँ तो इसका कारण यह है कि मैं बहुत जागरूक रहता हूँ। मैं पाठकों से यह भी कह देता हूँ कि मेरी खराब्य हलकल का भी सम्बन्ध उस दूह-युद्ध से है। मेरी आत्मा को अत्यन्त मन्तोष है कि मैं इस स्वराज्य-कार्य में लगा हुआ हूँ। इसपर एक मित्र ने कहा कि यह तो आपकी दुहेरी छनी हुई स्वायत्तापुता है। मैंने तुरन्त उनकी बात को मान लिया।

मैं हरिलाल के कारोबार को नहीं जानता। यह कभी कभी मुझसे मिलता है, पर मैं कभी उसके कारोबार की भीतरी बातों में नहीं पड़ता। मुझे यह भी मालूम नहीं कि वह अपनी कंपनी का एक डायरेक्टर है। मुझे यह भी पता नहीं कि इस समय उसके कारोबार का क्या हाल है— हाँ, इतना मालूम है कि हालत अच्छी नहीं है। यदि वह नैकनीयत है तो तमाम लेनदारों का रुपया पूरा चुकता किये बिना दम न लेगा— फिर उसका स्टोअर

बाहे लिमिटेड हो या अन-लिमिटेड। मैं तो प्रामाणिक व्यवसाय हसीको कहता हूँ। पर हो सकता है कि उसके विचार जुड़े हों और वह दिवाले के कानून का सहारा ले। मेरी तरफ से सर्व-साधारण को इतना ही यकीन दिला देना काफी है कि किसी भी ठेकी बात का समर्थन मेरी ओर से कभी नहीं हो सकता। मेरे नवजीवक सत्याग्रहधर्म, प्रेम-धर्म एक शाश्वत सिद्धान्त है। मैं तमाम अच्छी बातों के साथ सहयोग करता हूँ। मैं तमाम बुरी बातों के साथ असहयोग करने की इच्छा रखता हूँ। फिर उनका संबंध मेरी पत्नी के साथ हो, लड़के के साथ हो, या खुद मेरे ही साथ हो। मैं इन दो में से किसीकी भी डाल बनना नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि दुनिया हमारे तमाम दोषों और बुरी बातों को जान लें। और जहाँतक क्षिप्रता के साथ हो सकता है मैं, दुनिया को कौटुम्बिक रहस्य मानी जानेवाली अपनी तमाम बातें बता देता हूँ। मैं उन्हें छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं करता; क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके छिपाव से हमारी हानि ही होगी।

हरिकाल के जीवन में बहुतेरी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं ना-पसंद करता हूँ। वह उन्हें जानता है। पर उसके इन दोषों के रहते हुए भी मैं उसे प्यार करता हूँ। पिता का हृदय है। ज्यों ही वह उसमें प्रवेश पाना चाहेगा, उसे स्थान मिल जायगा। फिलहाल तो उसने अपने लिए उसका द्वार बंद कर रखा है। अभी उसे ओर जंगल-झाड़ी में भटकना है। मानवी पिता के संरक्षण की भी एक निश्चित मर्यादा होती है। पर देवी पिता का द्वार उसके लिए सदा खुला हुआ है। वह उसे खोजेगा तो जरूर स्थान पावेगा।

वे बकील साहब तथा उनके मजदिल इस बात को जान लें कि यदि एक बयस्क पुत्र की गलतियों से, जिनके कि लिए मैंने कभी उसको उत्साहित नहीं किया, मेरी कीर्ति में कलक लगत हो तो फिर वह कायम रखने योग्य ही नहीं है। 'इस करिब देश का आर्थिक कल्याण' तो ऐसी निजी कम्पनियों के हूब जाने पर भी अलीभांति सुरक्षित रहेगा, यदि महासभा के समापति और उसकी भिन्न भिन्न समितियों के सदस्य अपने ट्रस्ट के प्रति सचेत बने रहें और एक पैसे का भी दुरुपयोग न करें। मुझे उन मुबकिल पर तरस आता है जो कि मेरे सन्मान के खातिर एक कंपनी के हिस्सेदार हो गये, जिसके नियम और संगठन को पढ़ने की उन्होंने कभी चिन्ता न की। इन मजदिल के इस उदाहरण को देख कर वे लोभ होशियार हो जाय जो कि बडेनामों को देख कर अपना कारोबार चलाते हैं। मनुष्य अच्छे हो सकते हैं—पर यह कोई जरूरी नहीं है कि उनके सन्मान भी अच्छे ही हों। मनुष्य कुछ बातों में अच्छे हो सकते हैं, पर सभी बातों में आवश्यक रूप से अच्छे नहीं हो सकते। एक मनुष्य जो एक बात पर प्रमाण माना जा सकता है, हर बात पर नहीं माना जा सकता। हरएक को अपना सौदा ठोक-पीटक करना चाहिए।

( यं. इ. )

मोहनदास करमचन्द गांधी

## आश्रम भ्रमनावली

बौधी आश्रित रूपकर तैयार हो गई है। पृष्ठ संख्या ३६८ होते हुए भी कीमत सिर्फ ०-३-० रखी गई है। डाकखर्च बरीदार को देना होगा। ०-४-० के टिकट भेजने पर पुस्तक बुकपोस्ट से कौरन रवाना कर दी जायगी। बी. पी. का नियम नहीं है।

व्यवस्थापक

हिन्दी-नवजीवन

## शान्ति-निकेतन में

'नवजीवन' में श्री महादेव भाई लिखते हैं—

'शान्तिनिकेतन के संबंध में कुछ तो गांधीजी खुदही लिख चुके हैं। जब से गांधीजी कलकत्ते आये तभी से उनका मन हुआ करता था कि कब 'बडा दादा' से जाकर मिलेंगे। पर जब सुना कि बडा दादा की तबियत कुछ अलीक रहा करती है तब तो उन्होंने जाने का निश्चय ही कर लिया। कथिबर का भी आग्रह था। रात को शान्ति-निकेतन पहुंचे और दूसरे दिन सुबह ही बडा दादा के दर्शन किये। अति प्राचीन बडा दादा जब देखिए तभी निरत्य नवीन मालूम होते हैं। इस समय उनके आनन्द और उल्लास का ठिकाना न था। गांधीजी को जेठ हो जाने के बाद शब्द उन्होंने उनसे मिलने का आशा न की हो, पर अब तो गांधीजी उनके दरवाजे पर खड़े थे। उनका हृदय इतना गदगद हो रहा था कि आवाज मुंह से स्पष्ट न निकलती थी। क्यों त्यों करके उन्होंने कहा—'मेरा हृदय गदगद हो रहा है, मुझमें बोल नही आता।' गांधीजी ने कहा—'पर मैं जानता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। तब जरा रहकर बोले—'आपकी विजय के विषय में मुझे जराभी सन्देह नहीं। मैं यह जानता हूँ कि आपका ब्रह्म के सदृश हृदय कभी विचलित नहीं होता। ऐसा मालूम होता है मानों आज मुझे नवीन जन्म मिला। अबतक गांधीजी कुरसी पर बैठे थे, पर वहां बैठना उन्हें अनुचित मालूम हुआ। उतर कर उनके चरणों के पास बैठ गये, जिस तरह कि ३५ साल पहले स्वर्गीय दादाभाई के चरणों के पास जाकर बैठते थे। आशीर्वाद की वृष्टि हो रही थी। आशीर्वाद करने का अधिकार उन्हें था, पर वे यह जेचाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें यह अधिकार न था। पर आशा रोके न रहनी थी। फिर कहने लगे 'यं. इ.' के लेख, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य विषयक विचार, अस्पृश्यता किसी बात में मेरा मतमेद नहीं है। पर उनकी इस बातचीत में बकाबट मालूम होती थी, इसलिए उस दिन तो उससे बिदा ली। बिदा करते करते भां बोले—

विगतसंपदिवा भाति नृ नृताःवृतायते ।

शून्यमापूर्णतामेति भगवज्जनसगमात् ॥

अर्थात्—भगवज्जन के रंग से निर्गलित साम्प्रति हो जाती है, मृत्यु अमृत-रूप हो जाता है, शून्य पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। गांधीजी के जाने पर मुझसे कहने लगे—'आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। इससे गांधीजी को अच्छी तरह देख न सका।' मैंने कहा—'आपको बाहरी शरीर देखने की अब क्या आवश्यकता है! आपको तो अन्तर्देष्टि प्राप्त हो गई है। 'तस्मिन्नुष्टे परावरे' किंमं बात की कमी हो सकती है!' तब बडी नम्रता से कहने लगे—'पर उनके दर्शन न हुए; इगी बात खयाल बना रहता है।' इन थोड़े दिनों में तीन बयोवृद्ध सत्पुरुषों के दर्शन हुए—आचार्य राय, सर सुरेन्द्र और बडा दादा। पर तीनों में सागर के बराबर फासला है। डा० राय बूढ़े होते हुए बालक नहीं हो गये हैं। बूढ़े होते हुए भी बालक बने हुए हैं। उनके तो कंधे पर चढ़ कर बैठने को जी चाहता है। बडा दादा बूढ़े होते हुए भी ज्ञान के द्वारा बालक बन गये हैं। उनके चरण में लोटने को जी चाहता है। सर सुरेन्द्र न तो बालक बने हैं, न रहे हैं। उनसे जरा दूर खड़े रह कर ही प्रणाम कर सकते हैं। जरा देर में बडा दादा ने अपना बाल-स्वरूप प्रकट किया। मुझसे कहने लगे 'भगवज्जन सगमात्' यह पाठ मेरा बखला हुआ है। मूल तो है 'विद्वज्जन समागमात्।'।

यह कह कर हंस पड़े। मैंने कहा—'विद्वान् का अर्थ ब्रह्मविद् नहीं?' 'हां, ब्रह्मविद् ही; पर आज विद्वान् का अर्थ समझता कौन है? विद्वान् का अर्थ है किताबी पण्डित। उसे देख कर कहीं मनुष्यमय जीवन अमृत हो सकता है?' फिर खिलखिला कर हंस पड़े।

इसके बाद गांधीजी कविवर से मिले। कविवर बहुत समय तक विदेशों में रह कर आये हैं, और अगस्त में फिर विलायत आवेंगे। अतएव वे गांधीजी से बहुतेरी बातें समझ लेना चाहते थे। वर्णाश्रम-धर्म की आवश्यकता, अस्पृश्यता, खादी और स्वराज्य की स्थापना इत्यादि के विषय में गांधीजी के साथ उन्होंने बड़ी देर तक बातचीत की। ये बातें खानगी थीं और कविवर की इच्छा है कि कोई उन्हें प्रकाशित न करे।

परन्तु बड़ा दादा के पास कोई बात खानगी न थी। शाम को फिर बड़ा दादा के पास लोग जमा हुए। उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता। अतएव उनके पास एक आदमी है या अनेक, इसकी क्या परवा? शाम को बड़ा दादा लंबी बातचीत के लिए तैयार थे। उनकी आवाज भी अधिक स्पष्ट थी। निरवधि प्रेम की निरर्गल धारा बहती थी। उन्हें कौन रोक सकता था? 'हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान की पहली सीढ़ी है श्रद्धा। फिर वीर्य, फिर स्मृति, फिर बुद्धि और तत्पश्चात् प्रज्ञा। परन्तु श्रद्धा के बिना तो प्रज्ञा की सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं सकते। गीताजी में भी कहा है कि श्रद्धावान् को ही ज्ञान मिलता है। और प्रणिपात, परिश्रम और सेवा ये श्रद्धा के तीन भाग किये हैं। यह जान लेने पर सारे संसार का मुकाबला कर सकते हैं 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विमेलि कदाचन' 'आप आनन्द और ब्रह्म को जानने की दशा में हैं; इसलिए आप मय जैसी किसी चीज को नहीं जानते।' इस वचन का उच्चारण उन्होंने कई बार किया। फिर कहने लगे—'आपमें मेरी अबल श्रद्धा है। आपकी एक भी बात के विषय में मुझे जरा सन्देह नहीं। ईश्वर-विषयक श्रद्धा के बाद दूसरा नंबर आपके ही प्रति मेरी श्रद्धा का है।' अब गांधीजी से न रहा गया। हंसते हंसते उन्हें रोकने के लिए बोले 'बस, अब यही तक बस नहीं? अभी और आगे बढ़ेंगे?'

फिर प्रवाह आगे बढ़ा—'देख की दशा को देख कर कितने ही बड़ों से मैं सोचा करता था कि क्या कोई कर्णधार न मिलेगा? मुझे चिन्ता रहा करती थी कि किसी कर्णधार को देखे बिना ही यहाँ से कूच कर जाना होगा। परन्तु ईश्वर परम कृपालु है। आप आये और आपका मेरा समागम भी हुआ। आपकी विजय निश्चित है। समस्त अविद्या ज्ञान के घामने नष्ट हो जाती है। अविद्या का अर्थ है वर्तमान साम्राज्यवाद, आधुनिक तमाम बाह्य ही कहिए न! सत्य का बम गिरा नहीं कि इनके टुकड़े टुकड़े हुए नहीं। यह आप निश्चित जानिए। आपपर चाहे कितनी ही टीका-टिप्पणियाँ हों, लोग श्रद्धा न करें, कोलाहल और हत्याकाण्ड हों, तो भी मेरी यह श्रद्धा है कि आप अविचल रहेंगे। सत्य और अहिंसा उस अमरकारी पंखी 'फिनिक्स' की तरह हजारों बार आग में गिरते हुए भी नित्य मवीन और सजीवन होते रहेंगे। यह पंखी कभी हार कर बैठनेवाला नहीं है। और आपका किया काम क्या कभी व्यर्थ जायगा? बुद्ध भगवान् का किया काम क्या भूषा गया है? हिन्दुस्तान में बहुतेरे बौद्ध भले ही न हों, परन्तु बुद्ध भगवान् के मन्त्र तो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं।'

इसके बाद महाराष्ट्री राजनीतिज्ञों की, हिंसावाधियों की बात बलाई और आवेश के साथ कहने लगे—'वे लोग अंगरेजों को

अंगरेजों की रीति से हराना चाहते हैं। अंगरेज कहीं इस तरह हार सकते हैं? आपने आ कर नये दृष्टिकार निर्माण किये। सत्य आपका शास्त्र है इनका नहीं; अहिंसा आपका शास्त्र है, इनका नहीं; चरखा भी आपकी का शास्त्र है। इन शास्त्रों के मुकाबले में वे कुछ नहीं कर सकते। आज सारा दिन मैं यही विचार कर रहा था कि जब आप आवेंगे तो आपसे क्या बात करूँगा? आपको आपका ही लिखा और कहा सुनाऊँगा। शास्त्र के वचन सुनाने का भी मुझे क्या अधिकार? उनका उद्धारण भी आप ही कर सकते हैं। फिर भी मन रोके नहीं सकता। मैंने ईश्वर से क्षम प्रार्थना की और सोचा क्या कहूँ। तब ईश्वर ने जो प्रकाश दिया—ही आपके सामने पेश करता हूँ। आपकी श्रद्धा अविचल है। मेरे कहने से उसमें क्या विशेषता होगी? पर फिर एक बार कहे बिना नहीं रहा जाता—'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विमेलि कदाचन' 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् विमेलि कदाचन'

पता नहीं चलता था कि यह धारा कहां तक चलती रहेगी। गांधीजी भी घबड़ाये। एण्ड्यूज सा० को इशारा किया। उन्होंने भी कहा कि हाँ अब प्रवाह रोकना चाहिए।

गांधीजी ने पूछा—'आपको थकावट नहीं मालूम होती?' बड़ा दादा कहते हैं—'नहीं, दूसरी बातों से जितनी थकावट मालूम होती है उतनी तो हरगिज नहीं।' इसपर सब लोग हंस पड़े। फिर कहने लगे—'आज मेरे आनन्द की सीमा नहीं है। इसलिए इतना बोल रहा हूँ। आपने मेरा अंधकार हटा दिया है। आपके जाने के बाद फिर क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि इन दो तीन दिनों का स्मरण मुझे इस संसार-अरण्य के शेष विकट पथ में बल और धीरज दें।'

दूसरे दिन तो कैट. और पश्चिमी तत्वाभ्यासियों और ईसाई धर्म-शास्त्र की बातों में उतरे। 'हमें पाल के वचन मानने चाहिए या ईसा-मसीह के? यदि ईसा केही वचन मानें तो फिर पाल की टीका पढ़ने की क्या आवश्यकता? कैट बुद्धि का भी मंचन करने गया। शकराचार्य ने कहा है कि ईश्वर से आग को हराने का प्रयत्न करने गया। और आस्तिक होने के लिए उसे नींदि का मूल खोजना पड़ा। किसलिए यह इतना झगड़बड़? बाइबिल में कहा है—'दाहने गाल पर कोई चप्पट मारे तो तुम बायाँ भी उसके सामने कर दो।' क्या इसका शब्दार्थ ही ईसामसीह को अभिप्रेत होगा? उस समय बेह महुदी इतने जब थे कि उन्हें इसी रीति से समझा सकते थे। पर हमारे शास्त्रों ने कहा—

न पापे प्रतिपापः स्पात्

और इतने ही में सारी नीति और व्यवहार का सार निचोड़ कर रख दिया।

अन्तिम बिदाई का दिन तो पवित्र स्मृति से पूर्ण था। इन संस्मरणों को कागज पर लिखने का दिल नहीं होता। 'शान्ति-निकेतन को छोड़ते हुए अपार दुःख होता है' गांधीजी ने कहा—बड़ा दादा को दुःख न होता हो सो बात नहीं, पर हृदय को कड़ा करके बोले 'आपके लिए तो संसार शान्तिनिकेतन रूप है। यह तो एक छोटा-सा शान्तिनिकेतन है।'

बीच बीच में कविवर के साथ बातें होती रहती थीं। चरखे पर उनकी श्रद्धा अधिक बैठी हुई मुझे दिखाई दी। सारी के संबंध में क्षम बारीकी के साथ खवाल मुझसे पूछे। मैंने कहा—'बंगाल में चरखे ने अपनी जड़ जमा ली है। बंगालियों के लिए तैरना जितना स्वाभाविक है उतना ही कातना भी है।' आनन्द और आचार्य के साथ कहने लगे—'गांधीजी ने भी मुझसे यही

बात कही। बंगालियों में मंगोल रुचि है इसलिए कला उन्हें सहज सिद्ध है। स्वास्थ्य खराब रहते हुए भी वे सांस्कृतिकतन में लड़कों को दो घंटा पढ़ाते हैं। मैं बंगाली दर्जे में जाकर बैठ गया। उस दिन मेरे जाने के कारण अथवा और किसी कारण से जो कविताओं वहाँ पढ़ाई गईं उनमें मानों बड़ा दादा की भविष्य वाणी की ध्वनि सुनाई देती थी। बड़ा दादा ने अमर पक्षी फिनियस के साथ गांधीजी के संदेश की तुलना की थी। कवि ने अपनी कविता में आत्माएँ पक्षी को किसी भी विध-वाधा की परवा न करते हुए सागर पार जाने का आग्रह रखने वाला कल्पित किया है। उसका भाव यह है—भयानक दृश्य है। देश-देशान्तर में अन्धकार व्याप्त है, भय और निराशा वहाँ गहरा दिखाई देते हैं, बन की मधुर मर्मरध्वनि नहीं बल्कि सागर लहरों की तरह गर्जन धर रहा है। न तो कोई घोंसला है, न पेड़ की डाली। मरण अधीर होकर गगनव्यापी हिलोरो में उछल रहा है; फिरभी ओ मेरे पक्षी, निर्भय रह कर, अन्ध-धुंध के बणीभूत न हो, उस पार जाने का निश्चय रखते हुए कभी पख को बन्द न करना। इस प्रकार कवि का यह संदेश और बड़ा दादा की आशाओं के कर गांधीजी शांति-निकेतन से विदा हुए।

शान्तिनिकेतन तथा दिव्य-भाषा की शिक्षकों और छात्रों के होते हुए भी वहाँ शेष रहे विद्यार्थियों से गांधीजी ने खूब बातें कीं। 'मैं न तो आपसे यह कहता हूँ कि आप अपनी कविता छोड़ दीजिए, न यही कहता हूँ कि साहित्य या संगीत छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप अपने इन तमाम कामों को करने हुए भी सिर्फ आप गण्टा चरखे के लिए दे दीजिए। अबतक किसीने यह दलील नहीं पेश की कि आप घण्टा भी समय नहीं मिल सकता। चरखा हमारी प्राणतीक्ष्णा को मिटानेवाला है। आज उत्तरी हिन्दुस्तान का आदमी बंगाल में जा कर अपना परिचय हिन्दुस्तानी कहकर देता है। बंगाली दूसरे प्रांतों में अपनेको परदेशी मानते हैं। दक्षिणी सांग उत्तर में जा कर परदेशी बनते हैं। चरखा ही एक मात्र ऐसा साधन है कि जिससे यह भान होता है कि हम सब एक देश के पुत्र-पुत्री हैं। हमने आजतक कुछ करके नहीं बनाया है—कुछ कर के तो बता दें। विदेशी कपड़े का बहिष्कार एक ऐसी आज्ञा है कि जिसके लिए सब एक-सा प्रयत्न कर सकते हैं, सब एक-सा हिस्सा दे सकते हैं। अस्पृश्यता तो अकेले हिन्दुओं को ही दुःख देती है; मुसलमानों के झगड़े समय न पा कर मिट जायेंगे—पर खादी के बिना सारा देश दरिद्रता में पड़ा पड़ा रहना रहेगा। मध्य आफ्रिका में निद्रा-रोग है—लोग मर्दानों तक बेहोश पड़े रहते हैं और अन्त को घर जाते हैं—हमारे देश की इस निद्रामय बीमारी की दवा सिवा चरखे के और नहीं है।' इ०-६० मैंने सुना कि कितने ही लोगों पर इन बातों का बहुत प्रभाव पड़ा और ऐसी बातें चल रही हैं कि बहुतों ने लोग चरखा मणकर नियमित रूप से काटेंगे। इस प्रकार शांति-निकेतन जाने का दूसरा फल भी अच्छा निकला।

### एजेंटों के लिए

"हिन्दी-नवजीवन" की एजेंसी के नियम नीचे लिखे जाते हैं—

१. बिना पेशगी दाम आये किसीको प्रतिभियां नहीं भेजी जायेंगी।
२. एजेंटों को प्रति वापसी)। कमी इन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर लिखे हुए दाम से अधिक करने का अधिकार न रहेगा।
३. १० से कम प्रतिभियां मंगाने वा उनको वाक खर्च देना होगा।
४. एजेंटों को यह लिखना चाहिए कि प्रतिभियां उनके पास वाक से भेजी जायें या रखें से।

### टिप्पणियां

#### दाजिलिंग में चरखा

यदि देशबन्धु दास दाजिलिंग में न होते तो मैं शायद ही वहाँ जाने का इरादा करता—शर्मा कि वहाँ के बरफीले पहाड़ों की कतार बड़ी मुदाबनी और लुभावनी है। मैंने तो खयाल किया था कि दाजिलिंग के आमोद-प्रिय लोगों को चरखे का संदेश सुनाना खासी मूर्खता होगी। पर मेरा यह डर बिल्कुल गलत निकला। एक सत्रियों की सभा में मुझे व्याख्यान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने चरखे के पैगाम को हमदर्दी के साथ सुना। स्वर्गीय व्योमेश बनर्जी की पुत्री, धीमती चैअर, वहाँकी एक शिक्षित स्त्रियों को चरखा सिखाने का प्रबन्ध करनेवाली थी। पादरियों की एक छोटी सभा में भी मुझे अपना पैगाम पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका हाल हो सका तो आगे लिखूंगा। न मैंने यही खयाल किया था कि मुझे कितने ही नेपाली, भूटिया तथा अन्य लोगों से मिलने का सु-अवसर मिलेगा। उन्होंने उस संदेश में सबसे ज्यादा अनुराग प्रकट किया। पर मुझे सबसे ब्यादह हर्ष तो हुआ श्रीमती वासन्ती देवी को चरखा कातना सीखते हुए देखकर और राज, बीमारी को छोड़कर, आध घण्टा चरखा कातने का व्रत लेते हुए देखकर। उनकी लड़की तो पहले से जानती है। पर वासन्ती देवी ने ध्यान न दिया था। अब उन्होंने उसे अभीकार किया है। और उसके साथ तकली को भी अपनाया है। तकली तो उन्होंने १० ही मिनिट में सीख ली। श्रीमती ऊर्मिलादेवी तथा उनके लड़केवाले तो कुछ समय पहले ही से नियमित रूप से कातते हैं। और खुद देशबन्धु दास ने भी तकली चलाना सीखने का उद्योग किया। परन्तु वे सरकार को बार बार पराजित करने और अपने मकसदोंको जिताने से अधिक मुश्किल चरखे को पाते हैं। अपने पति की तरफ से श्रीमती वासन्ती देवी ने कहा—'वे अपने संस्कृ की ताली भी मुश्किल से घुमा पाते हैं—मैं उनमें हमेशा मदद करती हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि चरखा कातना इनके लिए क्यों इतना कठिन है।' परन्तु देशबन्धु ने मुझे यकीन दिलाया है कि मैं जल्द चरखा सीखने का आग्रह रखूंगा। पटना में उन्होंने कुछ सीखा भी था। परन्तु उनकी बीमारी से रुक गया। उन्होंने मुझ से कहा कि चरखे का मैं पूरी तरह कामल हूँ और मैं हर तरह से उसकी सहायता करना चाहता हूँ। आमोद-प्रिय दाजिलिंग में कलकत्ते के मेजबान के मारे घर के लोगों को चरखा चलाते हुए, तथा चरखे का वायुमण्डल उत्पन्न करते हुए देख कर मुझे बहुत हर्ष हुआ। यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि मैं सब लोग खादी पहने हुए थे। देशबन्धु के लिए खादी कोई उत्तम के समय पहनने की चीज नहीं है। वे तो सदा सर्वदा खादी पहनते हैं। वे मुझसे कहते थे कि यदि अब मैं चाहूँ तो मेरे लिए मिठ का या विदेशी कपड़ा पहनना कठिन होगा।

(यं. इ.)

मी० क० गांधी

[इसके बाद अथानक अन्यन्त शोक-जनक समाचार मिले कि दाजिलिंग में मंगलवार को शाम के ५॥ बजे इष्ट की गति रुक जाने से एकएक देश-बन्धु दास का स्वर्गवास हो गया!!

देशबन्धु का शव दाह-कर्म के लिए दाजिलिंग से कलकत्ते लाया गया है। गांधीजी अत्येति-क्रिया में सम्मिलित होने के लिए खुलना से कलकत्ते पहुंच गये हैं।

संस्कारक ]



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

अंक ५ ]

[ अंक ५७ ]

पुस्तक-प्रकाशक वैजोबाबा काननराव दूब	अहमदाबाद, आषाढ सुदी १०, संवत् १९८२ गुरुवार, २ जुलाई, १९२५ ई०	मुख्यालय—नवजीवन पुस्तकालय, सारंगपुर सरकोमरा की बाड़ी
--	---	---

## कुछ संस्मरण

इस अंक में लिखने के लिए और क्या बात लिखना सूझेगी ? पहाड़ जैसे देशबन्धु उठ गये, तो अखबार उन्हींकी बातों से भरने हुए हैं। देशबन्धु की छोटी से छोटी बात अखबार वाले बड़ी उत्सुकता के साथ छाप रहे हैं। 'सर्वट' ने विशेष अंक निकाला है। 'बहुमती' बंगाल का सब से बड़ा समाचार-पत्र है। यह विशेष अंक की तैयारी कर रहा है। हजार से ज्यादा शोक-सूचक तार श्रीमती बासंती देवी दास के पास आये हैं और मुद्रकों से जा ही रहे हैं। जगह जगह समामें हुई हैं। कोई भी गांव जहाँ महासभा का झण्डा फहराता हो, गायक ही खाली होना जहां समा में दूरे हो।

कलकत्ता १० ता० की यात्रा हो गया था। अंक-शास्त्री कहते हैं कि २ लाख से कम आदमी इकट्ठा न हुए थे। रास्तों पर खड़े, तार के खंभों पर खड़े, ट्राम की छत पर खड़े, शराबखो मे राह देखते हुए बैठे भी-पुरुष इससे जुड़े हैं।

साथ सज्जन कीर्तन तो था ही। पुष्पों की वृष्टि हो रही थी। सब खुला हुआ था; परन्तु उसपर फूलों के हार का पहाड़ बिछ गया था।

रथी के जुद्ध के आगे स्पंसेबक फुलवाड़ी के कर चल रहे थे। उसमें फूलों से सुसज्जित चरक था। जुद्ध स्टेशन से ७-१० चल कर स्पशान में ३ बजे पहुंचा। :-२० बजे अग्नि संस्कार शुरू हुआ।

स्मशान-घाट पर भीड़ उमड़ी पड़ती थी। पीछे जो भीड़ उमड़ती थी उसे रोकना अति कठिन था। आरंभ में समझता हू कि यदि मुझे हट्टे कट्टे लोगों ने अपने कंधे पर बिठाकर इस उमड़ती हुई भीड़ के सामने न उठा रक्खा होता तो भयंकर दुर्घटना हो जाती। दो सशक्त आधुनिकों ने मुझे अपने कंधे पर बिठा रक्खा और उस हालत में मैं लोगों की रोक रहा था और उनमें बैठ जाने की प्रार्थना कर रहा था। लोग जबतक मुझे देखते थे तबतक तो मानते थे, पर मैं जहाँ अशांति की आशंका होती उस ओर गया कि मेरी पीठ फिरने ही लोग तुरन्त उठ खड़े हो जाते थे। सब लोग दीवाने हो गये थे। हजारों आँखें रथी की ओर लगी हुई थीं। जब दाहकर्म शुरू हुआ तब तो लोग धीरे धीरे बैठे। सब बरबस खड़े हो गये और चिता की ओर खिंच पड़े।

यदि ए. भी क्षण का विलंब हो तो सबके चिता पर गिर पड़ने का अदेशा था। अब क्या करें ? मैंने लोगों से कहा—'अब काम पूरा हुआ सब अपने अपने घर आये।' और मुझे उठायेवाके साथियों से कहा 'अब मुझे इस भीड़ से हटा ले जलो।' लोगों को मैं पुकार पुकार कर और इशारे से कहता चला कि मेरे पीछे आओ। इसका असर बहुत अच्छा हुआ, वह हजारों की भीड़ वापस लौटी और दुर्घटना होती बची।

चिता सन्दन की लकड़ी को बनाई गई थी।

लोग ऐसे मान्य होते थे मानों बन-भोजन को आये हो। गमीरना तो सब के चहरे पर थी, पर ऐसा नहीं मान्य होता था कि वे शोक-भार से दब गये हें। कुत्तियों का आरंभ बरा शोक स्वार्थ-पूर्ण शरत्कर्म होता था। हमारे तुल-ज्ञान का अन्त आ गया; लोगों का कायम रहा। क्योंकि वे तर्क थे। उनके अन्त-प्रमाण का भाव तो पूरा पूरा था। उनकी पूजा निःस्वार्थ थी। वे तो भारत-पुत्र को, अपने बन्धु को, प्रमाण-पत्र देने के लिए आये थे। वे अपनी आँखों से और चेष्टा से ऐसा कहते हुए दिखाई देते थे—'तुमने बड़ा काम किया; तुम्हारे जैसे हजारों हों।'

देशबन्धु जैसे मन्वय वे जैसे ही भले थे। दार्जिलिंग में इसका बड़ा अनुभव मुझे हुआ। उन्होंने भ्रम-संबन्धी बातें कीं। जिनकी छाप उनके दिल पर गहरी बैठी उनकी बातें कीं। वे भ्रम का अनुभव-ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। 'दूसरे देश में जो कुछ हो, पर इस देश का उद्धार तो शान्ति-मार्ग से ही हो सकता है। मैं यहाँ के नवयुवकों को दिखला दूंगा कि हम शान्ति के रास्ते स्वराज्य प्राप्त कर सकते हैं। 'यदि हम भले हो जायेंगे तो अंगरेजों को भला बना लेंगे।' 'इप अन्धकार और दम्भ से मुझे सत्य के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। दूसरे की हमें आवश्यकता भी नहीं।' 'मैं तमाम दलों में मेल कराना चाहता हू। भाषा सिर्फ इतनी ही है कि हमारे लोग भीड़ हैं। उनको एकत्र करने के प्रयत्न में होता क्या है कि हमें भीड़ बनना पड़ता है। तूम जरूर सबको मिलाने कोशिश की करना और मिलना। पत्र-संपादकों को समझना कि मेरी ओर स्वराज्य दल की क्लामवाह निन्दा करने से क्या लाभ ? मैंने यदि गूल की हो तो मुझे बताओ। मैं यदि उन्हें सन्तुष्ट न करूं तो फिर शोक से पेट भर के मेरी निन्दा करे।' 'तुम्हारे चरखे का रक्षण मैं दिन दिन अधिक समझता जाता हूँ। मेरा कन्धा यदि दर्द न करता हो और इसमें

मेरी गति कुण्ठित न हो तो मैं तुरन्त सीख हूँ। एक बार सीखने पर फिर नियम-पूर्वक कालने में मेरा जी न ऊबेगा। पर सीखते हुए जी उकता उठता है। देखो न, तार टूटते ही जाते हैं। 'घर आप ऐसा किस तरह कह सकते हैं? स्वराज्य के लिए आप क्या नहीं कर सकते?' 'हां, हां, यह तो ठीक ही है। मैं कहां सीखने से नाहीं करता हूँ? मैं तो अपनी कठिनाई बताता हूँ। वृद्धो न वासन्तीदेवी ने कि ऐसे काम में मैं कितना मन्द-बुद्धि हूँ?' वासन्ती देवी ने उनकी मद्द की 'ये सब कहते हैं। अपना कलमदान कोकना हो तो ताला लगाने मुझे आना पड़ता है।' 'मैंने कहा 'यह तो आपकी चालाकी है। इस तरह आपने देशबन्धु को अपंग बना रक्खा जिससे उन्हें सदा आपकी सुशामद करनी पड़े और आपपर सहारा रखना पड़े।' इसी से कमग गूँज उठा। देशबन्धु मध्यस्थ हुए। 'एक महीने बाद मेरी परीक्षा लेना। उस समय मैं रस्मियाँ निकालता व भिखंगा।' मैंने कहा—'ठीक है आपके लिए सतीश बाबू शिक्षक भी भेज देंगे। आप जब पास हो जायेंगे तो समझिएगा कि स्वराज्य नजदीक आ गया।' ऐसे सब चिन्तनों का वर्णन करने लगे तो आत्मा नहीं हो सकता।

कितने ही संस्मरण तो ऐसे हैं जिनका वर्णन मैं कर ही नहीं सकता।

मैं जिस प्रेम का अनुभव वहाँ कर रहा था उसकी कुछ सलक यदि यहाँ न दिखाऊँ तो मैं कृतज्ञ माना जाऊँगा। वे छोटी छोटी-सी बात की संभाल रखते थे। मेरे खुद कलकत्ते से भंगवाते। डाकिलिंग में बकरी या बकरी का दूध मिलना मुश्किल पड़ता है। इसलिए ठेठ तलहटी ने पाँच बकरियाँ भंगवाकर रक्कीं। मेरी जकरत में एक एक चीज का इन्तजाम किये गौर न रहते थे। मेरे कमरे के दरम्यान सिर्फ एक दीवार थी। सुबह होते ही छत्र-काज से फारिग हो मेरी राह देखते बैठते। बारपाई पर ठठे थे, बारपाई अभी नहीं झूटी थी। पत्नी मारकर बैठने की ही आदत से धाकिल थे। सो फुरती पर नहीं बैठने देते थे तटिया पर ही अपने सामने मुझे बैठते। यद्द पर भी कुछ तल तीर पर बिलगाने और कुकिम्पू की कम्पाते। मुझसे दिक्की को जिना न रहा गया—'यह इश्य तो मुझे चालीस बरस पड़के बाद दिखता है। जब मेरी शादी हुई थी तब हम हुलहे-हुलहिन इ तरह बैठे थे। अब यहाँ पाणिमहन की ही कसर है।' मेरे इने की बेर की कि देशबन्धु के कहइहे से सारा घर गूँज ग। देशबन्धु जब झंखते तो उनकी आवाज दर तक पहुंचने ला न रहती।

देशबन्धु का हृदय दिन पर दिन कोमल होता जाता था। मेरे के अनुवार मांस-मछली खाने में उन्हें कोई विधि-निषेध न। फिर भी जब अमहयोग शुरू हुआ तब मांसाहार मद्यपान र खुरट तीनों चीजें उन्होंने छोड़ दी थीं। पीछे जाकर फिर हमें अपना जोर जमाया था। परन्तु उनका शुकाव इनको छोड़ने जोर ही रहता था। अभी कुछ दिनों से राधास्वामी-संप्रदाय के साधु से उनका सवागम हुआ। तब से निरामिष भोजन की इकता बढ गई थी। सो जब से वे दार्जिलिंग गये निरामिष भन शुरू किया था और मेरे रहने तक घर में मांस-मछली न ने दिया। मुझसे अनेक बार कहा— यदि मुझसे हो सका तो से मैं मांस-मछली को खुजंगा तक नहीं। मुझे वे पसंद भी और मैं समझता हूँ कि इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति में ह पहुंचना है। मेरे गुरु ने मुझसे खाम तीरपर कहा है कि ना के खातिर तुम्हें मांसाहार अवश्य छोड़ देना चाहिए।

६० ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

## श्रीमती वासन्ती देवी

कुछ वर्ष पूर्व मैंने स्वर्गीया रमाबाई गानडे के दर्शन का वर्णन किया था। मैंने आदर्श विधवा के रूप में उनका परिचय दिया था।

इस समय मेरे भाग्य में एक महान् धीर की विधवा के वैधव्य के आरंभ का चित्र उपस्थित करना बड़ा है।

वासन्ती देवी के साथ मेरा परिचय १९१९ से है। गाढ परिचय १९२१ में हुआ। उनकी सरलता, चातुरी और उनके अतिथि-सरकार की बहुतेरी बातें मैंने सुनी थीं। उनका अनुभव भी ठीक ठीक हुआ था। जिस प्रकार दार्जिलिंग में देशबन्धु के साथ मेरा संबध घनिष्ठ हुआ उसी तरह वासन्ती देवी के साथ भी हुआ। उनके वैधव्य में तो परिचय बहुत ही बढ गया है। अब से मैं दार्जिलिंग से शव को ले कर कलकत्ते आई हूँ तब से मैं, कह सकते ह, कि उनके साथ ही रहा हूँ। वैधव्य के बाद पहली मुका-कात उनके दामाद के घर हुई। उनके आस-पास बहुतेरी बहनें बैठी थीं। पूर्वाश्रम में तो जब मैं उनके कमरे में जाता तो खुद बही सामने आती और मुझे बुलातीं। वैधव्य में मुझे क्या बुलातीं? पुतली की तरह स्तम्भित बैठी अनेक बहनों में से मुझे उन्हें पहचानना था। एक मिनट तक तो मैं सोजता ही रहा। मार्ग में सिंदूर, लुकाट पर कुंकुम, मुह में पात्र, हाथ में बूडियाँ, और साडी पर लैस, हँस-मुख चेहरा—इनमें से एक जी बिल मैं न देखू तो वासन्ती देवी को किस तरह पहचानूँ? वहाँ मैंने अनुमान किया था कि वे होंगी वहाँ जा कर बैठ गया और गौर से मुख-मुद्रा देखी। देखना असह्य हो गया। चेहरा तो पहचान में आया। रुदन रोडना असंभव हो गया। छाती को पत्थर बना कर आश्वासन देना तो पुर ही रहा।

उनके मुख पर सदा-शोभित हास्य आज कहीं था। मैंने उन्हें सान्त्वना देने, रिझाने और बातनीत कराने की अनेक कोशिशें कीं। बहुत समय के बाद मुझे कुछ सफलता हुई।

देवी जरा हँसीं।

मुझे हिम्मत हुई और मैं बोला—

'आप रो नहीं सकतीं। आप रोओगी तो सब लोग रोनेगे मोना (बड़ी लडकी) को बड़ी मुश्किल से चुपकी रक्खा है। देवी (छोटी लडकी) की हासत तो आप जानती ही हैं। सुजाता (पुत्रधू) फूट फूट कर रोती थी, सो बडे प्रयास से शास्त हुई है। आप दया रक्षिएगा। आपसे अब बहुत काम लेना है।'

वीरांगना ने रहता-पूर्वक जवाब दिया:

'मैं नहीं रोकगी। मुझे रोना आता ही नहीं।'

मैं इसका मर्म समझा, मुझे सतोष हुआ।

रोने से दुःख का भार हलका हो जाता है। इस विधवा बहन को तो भार हलका नहीं करना था, उठाना था; फिर रोती कैसे?

अब मैं कैसे कह सकता हूँ—'लो बलो, हम भाई-बहन पेट भर कर रो लें और दुःख कम कर लें?'

हिन्दू विधवा दुःख की प्रतिमा हैं। उसने संसार के दुःख का भार अपने सिर के लिया है। उसने दुःख को दुःख बना डाला है। दुःख को धर्म बना डाला है।

वासन्ती देवी सब तरह के भोजन करनी थीं। १९२० तक के समय में उनके वहाँ छपन भोग होते थे और सैकड़ों लोग भोजन करते थे। पात्र के बिना वे एक मिनट नहीं रह सकती थीं। पात्र की बिबिया पास ही पडी रहती थी।



## हिन्दी-नवजीवन

धुलवार, आषाढ सुदी १२, संवत् १९८२

### दीर्घायु देशबन्धु

जब लोकमान्य गये तब मुझे बंबई में होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। देशबन्धु के देह का जब अग्नि-संस्कार हुआ तब भी देव ने मुझपर कृपा की, अथवा मानो येघाता तबतक रुक रहे जब तक मेरी यात्रा का शुरु हुआ एक भाग परा न हो गया। क्योंकि यदि अग्नि-संस्कार एक दिन पहले होता तो जो दृश्य मैंने कलकत्ते में देखा वह न देख पाता।

जिस तरह लोकमान्य के अहसान के समय बंबई पागल हो गई थी उसी तरह देशबन्धु के समय कलकत्ता पागल हो गया था। उस समय जिस तरह अगणित स्त्री-पुरुष दर्शन करने, आसू बहाने, प्रेमवृष्टि करने उड़ पड़े थे उसी तरह इस समय भी हुआ। उस समय की तरह अब भी एक भी जाति या पथ ऐसा न था जिसके लोग जमा न हुए हों। स्टेशन पर जब गाड़ी आई तब एक इंच जगह खाली न रही थी। लोकमान्य के मृत देह को कन्धा लगाने के लिए जिस तरह लोग एक-दूसरे के आगे बढ रहे थे उसी तरह इस समय भी अधीर थे।

दोनों समय प्रजासत्ताक राज्य हो गया था। लोग पुलिस के अधीन न थे; बल्कि पुलिस स्वच्छता में लोगों के अधीन हो गई थी। सरकारी अमल जान-बूझ कर मुत्तबी रक्खा गया था, लोगों का अमल बल रहा था। उन किनों लोगों ने अपना काहा किया। जिस बात को देशबन्धु जीते जी करना चाहते थे उसे लोगों ने उनके परलोक जाने के समय कर दिखाया।

ह' घटना में क्या कम पार्थ-पाठ है! प्रेम-पाश क्या नहीं कर सकता! लोगों ने उस दिन भूख, प्यास, गरमी मथ को भुला दिया था। उस कष्ट को सहने के लिए उनसे प्रार्थना नहीं करनी पड़ी थी।

छत्रपति के देहान्त के समय इस तरह जनता का समुद्र नहीं उमड़ पड़ता। सन्धाची नागभारी लोगों के देहान्त पर लोग ध्यान नहीं देने, अस्वभाव लेख नहीं लिखते, न तार ही मेजे जाते ह। परन्तु किस धर्म के अनुसार बड़ा छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, राजा-रंक, हिन्दू-मुसलमान बिना बुलाये पलक भाँजते में एकत्र हो गये! वह राष्ट्रधर्म है। जो शरय इस धर्म का अवलंबन करता है लोग आज उसीको धार्मिक मानने के लिए तैयार हैं। जो मनुष्य हम एक धर्म का पालन करता ह उसके दोष भी ये भूल जाने के लिए तैयार ह। इसके अन्दर रहस्य है। लोग बेचकूकी से ऐसा नहीं करते हैं। निर्दोष एक ईश्वर है। मनुष्य-मात्र के हाथों दोष हो सकता है। पर मनुष्य भी यदि पूरी तरह स्व-धर्म का पालन करे तो उसके दोष छिप जाते हैं और अन्न को स्व-धर्म का पालन करते हुए दोष क्षय होने लगते हैं।

राष्ट्र-धर्म ही आजकल धर्म हो गया है। क्योंकि उसके बिना अन्य धर्मों का पालन ही अगम्य हो गया है। आज राज सत्ता सब जगह लोगों के एक एक अंग में व्याप्त हो रही है। जहाँ राजसत्ता लोकसत्ता है वहाँ लोग कुल मिलाकर सुखी हैं। जहाँ राजसत्ता प्रजा के प्रतिकूल है वहाँ लोग दुःखी हैं, निःसत्त्व हैं। वहाँ वे धर्म के नाम पर अधर्म का आचरण करते हैं। क्योंकि

भग के अधीन रहनेवाले मनुष्य से धर्माचरण हो ही नहीं सकता इस भय से मुक्त होना अर्थात् आत्म-दर्शन करने का पहला पाठ सीसना यही राष्ट्रधर्म है। राष्ट्र-प्रेमी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? तुम चक्रवर्ती से भी गत करो। तुम मनुष्य हो। मनुष्य का धर्म है एक-मात्र ईश्वर से डरना। उसे न तो पन्ध्रम जाज डरा सकते हैं न उनके एलची। लोकमान्य ने राजदण्ड का भय गर्भशा त्याग दिया था। इस कारण लोग और धर्मशास्त्रों भी उन्हें पूजते थे; क्योंकि उनसे उन्हें जीवन मिलता था। देशबन्धु ने भी राजसत्ता का डर बिल्कुल छोड़ दिया था। उनके नजदीक वायसराय और दरबान दोनों एक जैसे थे। उन्होंने अन्तःचक्र से देख लिया था कि अन्त को जाकर दोनों के अन्दर कुछ भेद नहीं है। जिस प्रकार वायसराय का डर नामर्दा है उसी तरह दरबान को डराना भी नामर्दा है। इसके अन्दर सूक्ष्म आत्म-दर्शन है। यही राष्ट्र-धर्म है। इस कारण लोग जान-अनजान में, अनिच्छा से भी, राष्ट्र-धर्म के पालन करनेवाले को पूजते हैं। लोकमान्य ब्राह्मण थे। उनका धर्म-ग्रन्थों का ज्ञान पण्डितों का मूढ उतारनेवाला था। परन्तु उनकी पूजा का कारण उनका वह ज्ञान न था। देशबन्धु तो ब्राह्मण न थे। वैश्वदर्शन के थे। परन्तु लोगों को उनके वर्ण की पबहि न थी। देशबन्धु को सङ्कत का ज्ञान न था। उन्होंने धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन नहीं किया था। सिर्फ उन्होंने राष्ट्र-धर्म का पालन किया था। उन्होंने विभयता मिट्ट कर ली थी। इस कारण शास्त्रज्ञ लोग भी मुक्त थे। और ऐसे दिन उन्होंने लोगों के साथ आने आसू बहाये जिसे कोई गुला नहीं सकता। राष्ट्रधर्म का अर्थ है-ध्यायक प्रेम। वह विश्व-प्रेम नहीं है; पर उसका बड़ा अंश है। वह प्रेम का भव-गिरि नहीं, परन्तु प्रेम का दार्जिलिंग है। वहाँ से भवलगिरि की स्वर्ण-कान्ति दिखाई देती है, और देखनेवाला मन में सोचता है-यदि प्रेम का दार्जिलिंग इतना सुहावना है तो यह प्रेम का भव-गिरि जो यहाँ से मेरे सामने जगमगा रहा है कितना सुहावना होगा! राष्ट्रप्रेम विभ्रम का विरोधी नहीं, बल्कि उसका नमूना है। राष्ट्रप्रेम अन्न में मनुष्य को विश्वप्रेम के शिखर पर ले जाता है। इसलिए लोग राष्ट्र-प्रेमी की बलिया लेते हैं। लोगों ने कुटुम्ब-प्रेम का स्वाद ना चस्त रक्खा है। इसलिए उससे वे मोहाधीन नहीं होते। प्राम-प्रेम को वे कुछ ही समझते हैं। परन्तु राष्ट्र-प्रेम को तो लोकमान्य या देशबन्धु ही समझते हैं। और लोग खुद भी ऐसा होना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पूजते हैं।

देशबन्धु की उदारता दीवानी थी। लाखों रुपये कमाये और खरचे। किसीको उन्हीं रुपये देने से इन्कार न किया। कर्ज करके भी रुपया दिया। गरीबों के मामले मुफ्त लड़े। कहते हैं कि श्रीयुत अरविन्द घोष के मुकदमे वे ५ महीने खराब हुए, अपनी गाँठ के रुपये खरचे, खुद एक पाई न ली। इस उदारता में राष्ट्र-प्रेम था।

मुझसे भी लड़े। पर क्या मुझे दुख देने या जीबा दिसा ने के लिए! लड़े भी देश सेवा के लिए, उसीके सिस्सिके में। जो वायसराय से नहीं डरता सो क्या मुझसे डरता! उनकी विचार-धरणी थी 'बाद सगे भाई का भी काम मुझे राष्ट्र-प्रगति के खिलाफ दिखाई दे तो मैं उसका भी विरोध करूँगा।' यही सबकी विचार-धरणी होनी चाहिए। हमारा विरोध सगे भाई के विरोध की तरह था। दो में से एक भी एक-दूसरे से जुदा होना नहीं चाहते थे। चाहते तो वह राष्ट्र-प्रेम की न्यूनता होगी। इस कारण जुदा होसि हुए भी हम नजदीक आ रहे थे। यह हमारे इश्य की परीक्षा थी। देशबन्धु इस कमाटी में पास हुए। मुझे होना बाकी है। जो प्रेम देशबन्धु के साथ मेरा था वही और साथियों के साथ निबाहना



१ जुलाई, १९२५

हिन्दी-नवजीवन

है। यदि उसमें मैं निष्फल साबित होऊ तो मुझे परीक्षा में पास हुआ न समझिए।

देशबन्धु की पिछले तीन-चार मास की प्रगति अद्भुत थी। उनकी नम्रता का अनुभव मुझे जो फरीदपुर से हाने लगा तो विस्मय ही पाता गया। फरीदपुर का भाषण बिना विचारे नहीं लिखा गया था। वह विचारों की परिपक्वता का सुन्दर पुष्प है। उसमें भी मैंने प्रगति होती हुई देखी है। दार्जिलिंग में इद हो गई। इन पांच दिनों के संस्मरण का वर्णन करते हुए मैं यकता ही नहीं। उस समय इनके हर कार्य में, हर बात में, प्रेम ही प्रेम टपकता था। उनका आशावाद तीव्र होता जाता था। वे अपने प्रतिपक्षियों पर कटाक्ष कर सकते थे; परन्तु इन पांच दिनों में मुझे उसका कुछ भी अनुभव न हुआ। उल्टा उन्होंने जो बहुतों के संबंध में बातें कीं उनमें मैंने एक भी कड़वी बात न सुनी। सर सुरेन्द्रनाथ का तो विरोध वे बराबर करते थे। फिर भी उसमें मिठास ही दिखाई दी। उनके हृदय पर भी वे विजय प्राप्त करना चाहते थे। मुझसे यही काम लेना चाहते थे। उनकी सिकारिषा थी कि जितनों को मिला सको मिलाने की कोशिश करना।

अब आगे बताई किस प्रकार लड़े, स्वराज्य-दल को क्या करना चाहिए, चरले का क्या स्थान है, इत्यादि बातें भी पेट भर के हुईं। हमने बंगाल के कार्य के लिए योजना भी तैयार की। उसपर शायद अमल भी हो; पर अमलवाद कहाँ है ?

मैंने अपने दिल को हलका करके दार्जिलिंग छोड़ा था। मैं निर्भय हो गया था। अपना मार्ग, स्वराज्य का मार्ग, मुझे निश्चित दिखाई दे रहा था। अब दृष्टि-मर्यादा पर बादल फिर गये हैं। लोकमान्य के जाते समय मैं विन्ताकुल हो गया था। एक से प्रार्थना करने की जगह अनेक से प्रार्थना करने की अवस्था हो गई थी। लोकमान्य से अपना दुःखड़ा रो कर मैं उसे दूर करा सकता था। उसकी जगह मुझे अनेक के धामने दुःख राने की बानी आई, फिर भी मैं जानता था कि वे उसे दूर नहीं कर सकते थे। मुझे उनके आँसू पोंछने का समय आ गया।

देशबन्धु के चले जाने से मैं अधिक विपत्ति में पड़ा हूँ। देशबन्धु क्या थे, सारा बंगाल थे। उनकी सही मुझे मिली कि चलनी हुण्डी मेरे हाथ आई। यहाँ तक तो दोनों के वियोग का दुःख बराबर है। परन्तु लोकमान्य के जाने के समय रास्ता सीमा था। लोगों के मन में नई आशाएँ थीं। अपनी शक्ति उन्हें आजमाना थी। नये प्रयोग करने थे। हिन्दू-मुसलमान एक हो गये मात्स्य होते थे।

पर अब ! अब तो ऊपर आकाश और नीचे धरती। नये प्रयोग मेरे पास नहीं। हिन्दू-मुसलमान तो लड़ने की तैयारियाँ कर रहे हैं। ऐसा मात्स्य होता है कि धरत के नाम पर राष्ट्र-धर्म को खो बैठे हैं। ब्राह्मण और अब्राह्मण भी लड़ रहे हैं। सरकार मान बैठी है कि अब मैं हिन्दुस्तान में जनवाहा कर सकती हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि संधिनय-संग तो मानों दूर चला गया हो, ऐसे समय एक मामूली योद्धा का भी गमन शक्यता है। दया भूषणाले दास का गमन तो असंभव हो गया है।

फिर भी मैं ठहरा आस्तिक, इससे हिम्मत नहीं हारा हूँ। ईश्वर जो जी चाहे खेल खेले। उसका दुःख क्या और सुख क्या ? जो बातें अपने अधिकार में नहीं हैं वे यों बनें तो क्या और त्यों बनें तो क्या ? मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान है। भले ही वह गलत हो। जबतक वह मुझे सब मात्स्य होता है तबतक यदि मैं उसपर चढ़ तो मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हुआ। ऐसे तत्त्वज्ञान का

सहारा ले कर मैं आश्वासन प्राप्त कर रहा हूँ। मेरा स्वार्थ देशबन्धु के वियोग से मूलने ही नहीं देता।

परन्तु देशबन्धु के लिए मृत्यु ही कहाँ है ? देशबन्धु दास का वेड गया है। गुण तो मौजूद हैं। उन गुणों को यदि हम अपने अन्दर उदय करें तो देशबन्धु हम सबके अन्दर जीवित ही हैं। जिस मनुष्य ने इस ससार की सेवा की है वह मरता नहीं। राम और कृष्ण गये यह बात भी मिथ्या है। राम-कृष्ण अपने असंख्य पुजारियों के हृदय में जी रहे हैं। वही तरह हरिश्चन्द्रादि। हरिश्चन्द्र का अर्थ उनका धारीर नहीं उनका सत्य है। वे सत्य के अनेक पुजारियों के अन्दर जीवित हैं। यही बात देशबन्धु की है। देशबन्धु का क्षणिक देह गया; उनका सेवा-भाव, उनकी उदारता, उनका देश-प्रेम, उनकी निररता कहीं गई है ? थोड़े या बहुत संस में ये गुण समाज में बढ़ते ही जायेंगे।

इसलिए देशबन्धु मरते हुए भी जीवित हैं। जबतक हिन्दुस्तान है तबतक देशबन्धु भी हैं। इसीसे कहते हैं 'देशबन्धु निरकीर्ति'।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द्र गोधी

## मेरी अ-क्षमता

यदि मैं सहायता के अभिलाषी हर ध्यात्मिक को उसके इच्छानुसार सन्तुष्ट कर पाता तो इससे मेरे अनिमान को बड़ी ही मसहला होती। पर मेरी आन्तरीक अक्षमता का यह नमूना लीजिए— 'यदि आप मुसलमानों से गो-धध बन्द करा के गो-रक्षा नहीं कर सकते तो फिर आपका नेतापन और महात्मापन किस मर्जे की दशा है ? जरा देखिए, बलघर के अत्याचारों के संबंध में आप किस तरह जान-बूझकर चुप हैं। और पण्डित मात्स्यजी को जो निजाम सरकार ने अपनी रिवाजत में आने से रोक दिया है उसके संबंध में आपकी चुप्पी ताँ बस दण्डनीय-सी है। पण्डित मात्स्यजी को आप अपना आदरणीय बडा माई मानते हैं। उन्हें पहले दरजे का लोक-सेवक कहते हैं और खुद आपही ने उन्हें मुसलमानों के प्रति किसी प्रकार का मत्सर या वैर-भाव रखने के दोष से बरी किया है। एक नहीं अनेक लोगों ने एह दलील पेश की है। इसमें पहली फटकार अन्त को मिली और वह 'आग धधकान वाली आँखी लकडा' ही साबित हुई। मेरे सामने एक तार पडा है जिसमें कहा गया है कि मैं मुसलमानों से अनुरोध करूँ कि वे आगामी बकरीद पर गाय की कुर्बानी न करें। मैंने सोचा कि यह समय है कि मैं कम से कम अपनी आमोशी की कैफियत तो दे दूँ। पण्डितजी-सबधी इत्जाम को तो मैं हजम कर जाने को तैयार था, हालाँकि उसके लगाने वाले मेरे एक प्रिय मित्र हैं। उन्हें मेरी कीर्ति को धक्का पहुचाने का बडा ठर था। उन्होंने सोचा इससे मुझे लोग मुसलमानों से डर जाने का खोपी ठहरावेंगे और क्या क्या न कहेंगे। परन्तु मैं अपने इस विचार पर हठ रहा कि पण्डितजी के प्रवेश-निषेध पर अपने पत्रों में कुछ न लिखूँ। मुझे इस बात का जरा भी डर न था कि पण्डितजी की इससे गलतफहमी होगी। और मैं जानता था कि पण्डितजी को मेरी रक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्निवधी शक्ति के द्वारा की गई तमाम निषेध-आज्ञाओं को वे पार कर जायेंगे। उनका तत्त्वज्ञान उनका जीवट है। मैंने कितने ही कठिन अवसरों पर उन्हें बहुत नजदीक से देखा है। वे ज्यों के त्यों अविचल रहे। वे अपने काम का जानते हैं और उधे करते हुए न अनुकूल समय में फूल उठते हैं न प्रतिकूल समय में बिचलित होते हैं। इसलिए अब मैंने उस निषेध-आज्ञा को सुना ताँ पेट भर कर हँसा। राजाओं के दग अनोके हाते हैं। मैं जानता था कि

मेरे 'यंग इंडिया' में कुछ लिखने से श्रीमान निजाम अपने फरमान को वापस न करलेंगे। यदि मेरी उनसे जान-पहचान होती तो मैं हैदराबाद के नवाब साहब को सीधा पत्र लिखता और उनसे विनय-पूर्वक कहता कि पण्डित जी के रोकने से आपकी रियासत का कोई फायदा नहीं हो सकता और इस्लाम का तो और भी नहीं। मैं तो उन्हें यह भी सलाह देता कि यदि पण्डितजी हैदराबाद जावे तो उनको अपना मिहमान बनाइएगा। और हजरत पैगम्बर तथा उनके साथियों के जीवन से ऐसी मिसालें पेश करता। परन्तु मुझे उनसे परिचय का सौभाग्य प्राप्त नहीं। और मैं जानता था कि पत्रों में लिखी बात फायदा उनके कान तक भी न पहुंच पावे। ऐसी अवस्था में सिवा मौजूदा मन-मुटाब को बढ़ाने के उससे और कुछ हासिल न होता। और यदि मैं उस मनमुटाब को घटा नहीं सकता तो उसे बढ़ाना भी नहीं चाहता था, सो मैंने चुप रहना ही उचित समझा। और इस समय जो मैं लिख रहा हूं उसका उद्देश्य उन हिन्दुओं को, जो कि मेरी बात सुनना चाहते हैं, यह सलाह देना है कि वे इस घटना पर चिढ़ न उठें और इसे इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ शिकायत करने का साधन न बनावें। इस निषेध-आज्ञा का जिम्मेदार निजाम साहब मुसलमान-पन नहीं है। मनमाने कारंवाई स्वेच्छाचार का एक गुण है— फिर वह हिन्दू हो या मुसलमान। देशी राज्यों को नष्ट करने का प्रयत्न न करते हुए हमें उनकी मनमानी तरंगों को रोकने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। वह यह है कि प्रबुद्ध और प्रबल लोक-मत तैयार किया जाय। जिस तरह ब्रिटिश भारत में यह कार्य आरम्भ हुआ है उसी तरह वहां भी होना चाहिए। वहां देशी-राज्यों से स्वभावतः ज्यादा आजादी है; क्योंकि वहां का शासन-कार्य सीधा पार्लियामेंट के हाथ होता है, देशी-राज्यों की तरह सम्राट के मन्त्रियों के द्वारा नहीं। इस कारण वे ब्रिटिश प्रणाली के दोष तो अपने वहां के लेते हैं; पर सीधा ब्रिटिश शासन अपने लिए जो खिलकिशी रख लेता है उसे वे नहीं ले पाते। इसलिए भारत के देशी-राज्यों में मुख्यतः का आधार रहता है ज्यादातर राजा के चरित्र और लहर पर— बलिष्ठत शासन-विधान के या जो कहें कि देशी-राज्यों की सरकार के नियम-विधानों के। इससे हम हम नतीजे पर पहुंचते हैं कि देशी-राज्यों में सच्चा सुधार तभी हो सकता है जब कि ब्रिटिश भारत में लोगों को सुव्यवस्थित शासन के द्वारा प्राप्त आजादी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के ठण्डे नियंत्रण में कम से कम हस्तक्षेप तो हो। पर इसलिए यह आवश्यक नहीं कि सब पत्रवाले अपना मुह बंद कर लें। राज्यों के दोषों का उल्लेख पत्र-संपादन का एक आवश्यक अंग है और वह लोक-मत उत्पन्न करने का एक साधन है। पर हां, मेरा क्षेत्र बहुत मर्यादित है। मैंने पत्रों का सम्पादन-भाग पत्र-संचालन के लिए नहीं ग्रहण किया है, बल्कि जिसे मैंने अपने जीवन-कार्य समझा है उसकी सहायता के लिए। मेरा जीवन-कार्य है— अत्यन्त संयत उपदेश और संयमपूर्ण जीवन के द्वारा सत्याग्रह के अद्भुत अस्त्र का व्यवहार सिखाना, जो कि सीधा सत्य और अहिंसा से फलित होना वाला सिद्धान्त है। मैं यह प्रत्यक्ष दिखलाने के लिए उत्सुक हूं, नहीं अभीर हूं कि अहिंसा के सिवा जीवन की कितनी ही बुराइयों की कोई दवा नहीं है। यह एक ऐसा प्रबल दवाकर रस है कि जिसमें वज्र-तिवज्र हृदय भी पानी-पानी हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए मुझे अपनी श्रद्धा की रक्षा के लिए क्रोध या मरसर से प्रेरित हो कर कुछ न लिखना चाहिए। मुझे यों ही कोई बात न लिखनी चाहिए। मुझे केवल लोगों के मनोविकारों को अग्रत करने के लिए कुछ

न लिखना चाहिए। पाठकों को इस बात की कल्पना नहीं हो सकती कि हर सप्ताह विषयों और शब्दों के चुनाव में मुझे कितना संयम से काम लेना पड़ता है। यह मेरे लिए खासी तालीम है। इसके द्वारा मुझे अपने अन्तःकरण में झांकने और अपनी कमजोरियों को देखने का अवसर मिलता है। अक्सर मेरा मिथ्याभिमान मुझे तेज बात लिखने की और क्रोध कबा विशेषण लगाने की प्रेरणा करता है। यह एक भयंकर अग्नि-परीक्षा है, पर साथ ही इस गदगियों को दूर करने का बढिया मुहावरा भी है। पाठक यं. इ. के पृष्ठों को सु-लिखित देखते हैं, और रोमां रोमां के साथ फायदा कहना भी चाहते हैं कि 'बाह! बूढ़ा क्या ही बढिया आदमी होगा।' अच्छा तो दुनिया इस बात को जान ले कि यह बढियापन बड़ी चिन्ता और प्रार्थना के साथ लाया गया है। और यदि इसे कुछ लोगों ने, जिन की रायों को मैं अपने हृदय में रखता हूँ, स्वीकार किया है तो पाठक इस बात को समझ रखें कि जब यह बढियापन बिल्कुल एक स्वाभाविक वस्तु हो जायगी अर्थात् जब मैं किसी भी बुराई के लिए अक्षम हो जाऊंगा और जब किसी तरह की कठोरता या मगरूरी, फिर वह क्षण-भर के ही लिए क्यों न हो, मेरे विचार-मसार में न रह जायगी, तब और तभी मेरी अहिंसा दुनिया के तमाम लोगों के हृदयों को प्रेरित कर देगी। मैंने अपने या पाठकों के सामने कोई असंभव आदर्श या अग्नि-परीक्षा नहीं रख दी है। यह तो मनुष्य का विशेषाधिकार और अन्वसिद्ध अधिकार है। हमने उस स्वर्ग को जो दिया है; पर उसे फिर प्राप्त कर सकते हैं। यदि इसमें बहुत समय लगता है तो वह तो सारे मन्वन्तर का एक अणु-मात्र है। गीता में मगवान् कृष्ण ने यह कह कर कि हमारे करोड़ों दिन ब्रह्मा के सिर्फ एक दिन के बराबर हैं, इसी बात को प्रकट किया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अभीर न हों और अपनी कमजोरी के कारण यह न झगल करें कि अहिंसा विद्या की नरमी का चिन्ह है। नहीं— यह बात नहीं है।

पर अब मुझे यह लेख जल्दी समाप्त करना चाहिए। अब पाठक समझ गये होंगे कि मैं क्यों अलवर के विषय में चुप था। मेरे पास इतना व्योरा नहीं है कि कुछ लिखूं। मेरी बात या लेख पर निजाम साहब की तरह अलवर महागज भी तिरस्कार के साथ हंस सकते हैं। अबतक जो बाने प्रकाशित हुई हैं वे यदि सच हैं तो वे उसे दुहेरी छनी बायरशाही ही समझना चाहिए। पर मैं जानता हूं कि फिलहाल मेरे पास इसकी कोई दवा नहीं है। इन भीषण आरंभों के संबंध में कम से कम उत्तम सुली जांच कराने के निमित्त पत्र वाले जो उद्योग कर रहे हैं उन्हें मैं आभार की दृष्टि से देख रहा हूं। मैं पण्डितजी की राज-नीति-पूर्ण कारंवाई को भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते देख रहा हूँ। तब फिर मेरे चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है? जो सज्जन मेरे पास तुम्हें के लिए जाते हैं वे इस बात को जान लें कि मैं कोई अशोष कविराज नहीं हूँ, और न मेरे पास भारी औषध-मण्डार ही है। मैं तो एक टटोलते हुए जानबाला विशेषज्ञ हूँ और मेरी छोटीसी जेब में मुश्किल से दो रसायन हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकतीं। और वह विशेषज्ञ फिलहाल इन बुराइयों को दूर करने की अपनी अक्षमता को स्वीकार करता है।

और गो-प्रेमियों को तो मैंने पहले ही कह दिया है कि अब मैं हिन्दुओं और मुसलमानों पर अपना प्रभाव रखने का कोई दावा नहीं करता जैसा कि कुछ समय पहले करता था। जबतक मैं उल्लेख पुनः प्राप्त न कर लूं गो-माता अपने इस बच्चे को माक कर देगी। उसके प्राण के साथ ही मेरा प्राण भी अक्षय होता है। वह जानकी

है कि मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। पर यदि उसके दूसरे भक्त नहीं सम्मते हैं तो वह अवश्य मेरी अक्षमता को समझती है।

(पं० ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

### देशबन्धु

१५ जून को जब दार्जिलिंग छोड़ा तब किसी कब्र भी कि १५ को देशबन्धु के देहान्त का तार मिलेगा ? हर सोमवार को उन्हें पुकार आता, परन्तु मंगलवार को वह अरुण हो जाता। हमारे दार्जिलिंग जाने के अगले सोमवार को भी ध्वर आया था और मामूल की तरह उतर गया था। हम वहाँ रहे उन दिनों में तो देशबन्धु हमारे साथ झूमने निकलते। शनिवार को उन पादरिज बच्चों की सभा में गांधीजी का आचरण हुआ। उसमें वे भी गये थे। रास्ते में एक ऊंची टेकड़ी पकती थी। उसपर वे आराम से बैठ गये थे। लौटते समय गांधीजी एक तरफ गये देशबन्धु और हम दूसरी तरफ। 'रिखा' साथ ही थी—यदि बकाबट साहस हो तो बैठ जाये। एक ऊंची बडाई आई। वे रिखा में बैठे, पर क्या देखते हैं कि एक बका-सा पत्थर रास्ता तोके पड़ा है। दोनों तरफ जाने का रास्ता न था। अब क्या करें? निश्चय किया कि रिखा को पत्थर के ऊपर से आधर में उठा उस पार के जायें। 'रिखा' बसि भूतियों ने इनकार कर दिया। तब देशबन्धु ने कहा, बसो हम दोनों भी मदद करेंगे। तब वे तैयार हुए। हमने बड़ी धुक्क से रिखा को उठाकर दूसरे पार रक्खा। इतने बल का रिश्तम देनेवाले और उसके बाद दो मील चलनेवाले देशबन्धु का देहान्त आठ ही दिन में हो जायगा—यह क्या किसे स्वप्न में भी पामा होगा ?

हम मंगलवार को बिदा होने वाले थे। सोमवार रात को उन्हें था-नियम काटा साहस होने लगा और पुकार आया। पुकार जाने पर उनका चेह्र खरफने लगता। गांधीजी उनका बदन दबाने लगे। कुछ देर के बाद मैंने अनुरोध किया कि अब मुझे दबाने लिये। तब देशबन्धु हंसते हंसते कहते हैं—'हां, अब मुझे दबा करनी पड़ेगी कि देखें कौन बढ जाता है। मैं समझता हूँ अपरिवर्तन-बादियों में सबसे बढिया पर और बदन दबाने के हैं अथिहाल कोठारी। हजरत कहते हैं—'मेरे प्राण के लीजिए, मोट नहीं !' " जहाँ तो जोर से बढ रही थी परन्तु भी डाल का पधनिष्ठा का जिक्र कर के खूब हंसे और सबको खूब हँसा। शरीर में अल्प बचना होती; परन्तु आस-पास वालों को छकर और हंसाकर उसे भुका देते। मंगलवार को यह जोर फिर आकर बका गया था। गांधीजी मिछौने में कामने ही थे। गांधीजी को देखकर बहुतेरे लोग उनके छोटे से कमरे में आते। उनपर वे विगडते जरा नहीं—हंसते हंसते उन्हें अपने से आने देते और गांधीजी से कहते 'ये भफ आये हैं। लीजिए न बेचारी को पुण्य।' उस सुबह गांधीजी के बढाये लुतेरे रुपये आये। देशबन्धु कहते हैं—'मेरे बरवाजे आकर अपने कमाये हैं। मुझे कमीशन मिलना चाहिए।'

गांधीजी—'आपका कमीशन वह फूकों का डेर।' 'आखिर कही न।' यह कह कर देशबन्धु ने फिर अपने अट्टहास्य से भर मुंका हिस। किले अपने में भी पता था कि आठ ही में यह महाहास्य हिमालय की शानि में मिल जायगा, और लका काकी की प्रेम पुष्पाजलि ले कर कैलास को सिधारेगा ? सिधपुर में उनके चेहरे पर बंभारी दिखाई देती थी। मैं उनके चेहरे पर काल नजर आती ५. उनकी बहन

जो दो महीने से उनके साथ थी उनके स्वास्थ्य के विषय में निश्चित होकर कलकत्ते लौट आई थी। पर इस हफ्ता पुकार उनको सोमवार के बढे रविवार को आया। और बडे जोर का आया। सोमवार को न उतरा। सोमवार को वे अपने गुरु के पास जाने की बातें करने लगे। मुझे अपने गुरु के पास पबना न के आओ ?' उन्हें मालों पहले से अगाही हो चुकी थी। बारबार कहते थे मुझे भोला बुलाता है। भोला देशबन्धु का एक छोटा भाई था। और दार्जिलिंग में कोई २० साल पहले गुजरा था। सारा दिन गुरु के १५ मंत्र का रटन करते रहे। इस रटन का अर्थ तो उनके स्वजन उनके देहान्त के बाद ही समझे। मंगलवार सुबह वह रटन बन्द हुआ। शरीर ठण्डा पकता गया, बाका भी बन्द हो गई, तब सब चबडाये, डाक्टरों के लिए तार दिये, पांच बजे कीला समाप्त हो गई। दूसरे दिन दार्जिलिंग से उनकी शव-यात्रा निकली। गवर्नर ने रेल्वे कंपनी को हुक्म दिया कि शव को ले जाने का पूरा पूरा इन्तजाब रक्खा जाय। सैकड़ों अधिकारी और मित्र एकत्र हुए। आचार्य जगदीशचन्द्र बसु पागल की तरह रोये। परन्तु तपस्विनी बासंती देवी ने अपने शोक को अपने हृदय में दबा रक्खा, हृदय को बज्र बना लिया और दार्जिलिंग छोडने के पहले कर्षों को इकट्ठा करके ईश्वरपूजा की—

तुमि बधु, तुमि नाथ, निशिदिन तुमि आमार;  
तुमि मुख, तुमि आंगि, तुमि हे अमृतपाधार १  
तुमि तो आनंद लोक, जुदाओ २ प्राण, नाशो शोक,  
तापहरण सोमार नरण, अगीम शरण दान जनार. ३

देशबन्धु हमेशा अपने सिरहाने राधास्वामी मत की एक पुस्तक रखते थे। मैंने एक बार एकान्त में भजन करते हुए भी देखा था। उनकी सरलता के दर्शन तो मुझे दार्जिलिंग ही में हुए। इससे पहले उनसे बहुत देर तक बातें करने का अवसर न मिला था। कितनी ही बार उनके सिंह-सदृश प्रतापी मुख के सामने जाकर बातें करने की हिम्मत भी न होती थी। परन्तु दार्जिलिंग में तो उन्होंने अपने पिछौने के पास बुलाकर मुझसे बहुतेरी बातें की 'कहो तो भला कहाँ कहाँ हो आये ! गांधीजी का स्वागत-सत्कार सब जगह अच्छी तरह से हुआ न ? डाका में दोनों दल वालों के झगडे के कारण उनकी आव-भगत अच्छी नहीं हुई यह मुझे मासम हो गया है ! मैं सब बातों की तन्नाह रखता हूँ। पबना में हमारे गुरु से मिले थे ? गांधीजी के साथ उनकी कुछ बातें हुई ?'

'नहीं, वे तो मौन ही रहे।'

'तभी गांधीजी पर कोई छाष न पडी। परन्तु इस मौन ही में सारी बात-चीत थी। मैं कहता हूँ, किल तरह उनके समागम में आया। कीर्तन में जाने का मुझे शौक है। जेल से छूटने के बाद एक बार मैं पबना गया। इस गुरु के आश्रम में कीर्तन सुनने गया। एक दो दिन तक तो उन्होंने बात तक न की। एक दिन बातें हुई। यही कहो न कि उन्होंने मेरे हृदय पर 'सर्च-लाईट' डाली। अन्तर्बानी की तरह वे मुझे जान गये और उनकी तरफ अद्भुत आकर्षण मेरा हुआ। दूसरे दिन मैंने मंत्र दीक्षा ली। मैंने पहले राधास्वामी मत के विषय में सुन रक्खा था, पर उसका कुछ असर मेरे दिल पर न हुआ था। उनको देखकर मेरी अन्तर्दृष्टि खुल गई।

बंगाल के युवकों के त्याग की बात निकली। खुद ही इस त्याग को उन्होंने पराकाष्ठा को पहुंचा दिया था, इसलिए उन्हें मानों

१ अमृत-सागर २ शान्त करो ३ दान-जन के।

यह मामूली बात मालूम हुई और कहने लगे — 'हां, त्याग तो है; परन्तु सब लोग अलग अलग दिशाओं में प्रयत्न करते हैं, सबको एक दूसरे के प्रति अविश्वास और ईर्ष्या है, इसका क्या इलाज! मैं समझता हूँ यह अविश्वास हिंसा-नीति का ही फल है। महात्माजी बंगाल में ही रह कर सबको एकत्र करें तो क्या अच्छा हो! महात्माजी और मैं सब से मिलें, सबको एक लक्ष्य के लिए एकाम करें।' अहिंसा-नीति की तात्त्विक स्वीकृति उनके एक एक वाक्य से टपकती थी।

फिर बंगाल के अनेक लोगों के सबंध में बातें कीं— आश्वय-जनक निर्मल भाव से बातें कीं। गांधीजी को दो दिन रहना था। उन्होंने तथा वासंती देवी ने अनेक तार भेज कर उनका कार्यक्रम बदलवाया। और उन्हें तीन दिन ज्यादा बर्हा रक्खा। तब गांधीजी ने उनसे कहा कि बंगाल में खादी की बुनियाद को पुस्तक कर दीजिए। और यह तय पाया कि इसके लिए देशबन्धु और सतीश बाबू मिलकर योजना करें। गांधीजी ने पूछा—सतीश बाबू के रहने का प्रबन्ध कहाँ करें?—तुरंत उत्तर मिला—'हमारे ही यहाँ' गांधीजी—'फिर तो भीड़ हो जायगी। एक इंच जगह खाली नहीं रही है।' 'भीड़ कैसी? मैं एक कमरा कहिए तो खाली कराये देता हूँ। नहीं तो हम सब के साथ बने रहेंगे।' शाम को सतीश बाबू को जरा सरदी मालूम होती थी। वे नीचे बैठे थे। उन्हें अपना गरम कोट चाहिए था। देशबन्धु खुद ही ऊपर गये, मुझसे कोट तलाश करा के खुद ही बर्हा ले गये। रात को मुझसे कहते हैं—'हमारे पास पलग ज्यादा नहीं है, मेरा यह पलंग सतीश बाबू के कमरे में पहुँचा दो। मैं तो जमीन पर भी सो सकता हूँ।' सारा दिन बिछौने पर कटता था; फिर भी मिहमान के लिए अपना पलंग पहुँचाने की कितनी उत्सुकता! परन्तु यह अतिथि-संस्कार उनके लिए प्रकृति-सिद्ध था। आतिथ्य की बातें करते हुए एक दिन गांधीजी से कहा—कोई मिहमान हमारे दरवाजे से लौट नहीं सकता। मेरे एक बड़दादा का किस्ता सुनने लायक है। उनका हुक्म था कि चौबीसों घण्टे दरवाजा खुला रहे और चौबीसों घण्टे आनेवालों का आगत-स्वागत होना चाहिए। मेरी दादी को बहुत बार सोने तक का समय न मिलता था। कभी कभी उनका भी ऊब उठना। एक बार हमारे दादा इस बात की परीक्षा करने के लिए कि उनके हुक्म की पाबन्दी बराबर होती है या नहीं, परगांव चले गये। कोई दो बजे रात को साधु के घेरा में घर आये और वहाँ ठहरना चाहा। दादी बेचारी को उसी समय सोने की फुरसत मिली थी। उसने कहा—'दो बजे भी मुए मिहमान!' 'मुआ' शब्द सुनते ही बूढ़े को जो गुस्सा क्या तो ५ साल तक घर न आये! हमारे पूर्वजों का अतिथि-संस्कार ऐसा था! उनके बाप-दादों की उदारता भी असीम थी। खुद जिस तरह लाखों कमाये, लाखों खर्चे फिर भी दो लाख का कर्ज सिर पर रख गये इसी तरह उनके पिता भी ६७ हजार कर्ज छोड़ गये थे। पिता का कर्ज किस तरह चुकाया, इसका इतिहास बड़ा प्रेम-शौर्य-अकित है। १८९३ ईसवी में विलायत से आकर बकालत शुरू की। कठिनाइयों की हद न थी। पिता का ऋण था ६७ हजार का। पिता तो दिवालिया हो चुके थे। पितृभक्त पुत्र १५ साल तक बड़ा क रवर्ती से काम चला कर रुपया जोड़ता रहा। और एक दिन बाबू सुरेन्द्रनाथ मल्लिक को विद्वां किम्बी कि आपके २४० पिताजी ने मेरे स्व० पित को जो कर्ज दिया था उसे मैं आज ईश्वर-रुपा से उतारने में समर्थ हो रहा हूँ।' सुरेन्द्र मल्लिक अवाक रह गये। कर्ज की मीयाद तो रही न थी। किम्बीने उनसे तकाजा भी नहीं किया था। सर कारेन्स

जेकिन्स उस समय कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। और कहते हैं कि हाईकोर्ट में उन्होंने इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा था कि 'इतिहास में ऐसे उदाहरण थिरले ही हैं।' किसी बात में उनके पास मजबूत मार्ग न था। वे हर बात में सिरे पर पहुँचते थे। इस तरह पितृभक्ति की पराकाष्ठा दिखाई, वैभव-काल में राजा को चकित करने वाली शान से रहे और अन्त को गोपीचन्द्र की तरह निमिष-मात्र में सारे वैभव का त्याग कर दिया।

लाखों पुजारियों के 'हरि बोलो' 'हरि बोलो' की धुन में उनकी शवयात्रा बुधवार को निकली। शव के आगे फुलवाड़ी में चरखा या रहा था और आस-पास फूलों के मोटे अक्षरों में लिखा था—'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।' यही मंत्र मानों उस दिन उनके क्षणिक धरती को पंचमहाभूत में मिलाने वाली अग्नि ने सबके हृदय में अंकित कर दिया था।

( नवजीवन )

महादेव हरिभाई देशाई

## अखिल भारत-स्मारक

मुझ से कहा गया है कि जिस तरह मैंने बंगाल के मित्रों की सलाह से अखिल बंगाल-देशबन्धु-स्मारक का भोगणेश किया है उसी तरह अखिल भारत-स्मारक की भी योजना कीजिए। मैं पाठकों को यकीन दिलाता हूँ कि वह बात मेरे ध्यान के बाहर बिल्कुल नहीं रही है। मैं अपने उन मित्रों से जो यहाँ हैं सलाह-मशवरा कर रहा हूँ। पर अभी तक इस कोई मूर्त तैयार नहीं कर पाये हैं। अखिल बंगाल-स्मारक के निर्णय में कोई कठिनाई न थी। देशबन्धु ट्यूटोडिक ने हमारे लिए धुब-तारा का काम दे दिया। परन्तु अखिल-भारत-स्मारक इतनी आसान बात नहीं है। बेरी अनिवार्य है। संभव है कि इस अंक के प्रकाशित होने तक किसी निर्णय पर पहुँच जायें। इसमें रती भर शक नहीं कि देशबन्धु का अखिल-भारत-स्मारक अवश्य होना चाहिए। देश के हर कोने कोने से जो शोक-सन्देश आये हैं वे देशबन्धु की सार्वत्रिक लोकप्रियता के सार्वत्रिक प्रमाण हैं।

( य० इ० )

मी० क० गांधी

## एजेंटों के लिए

"हिन्दी-नवजीवन" की एजेंसी के नियम बीच किये जाते हैं—  
१. बिना पेशगी दाम आये किसीको प्रतिष्ठा नहीं भेजी जायगी।  
२. एजेंटों को प्रति काफी ( ) कमीशन दिया जायगा और उन्हें पत्र पर किये हुए दाम से अधिक लेने का अधिकार न रहेगा।  
३. १० से कम प्रतिष्ठा भंगाने वालों को डाक खर्च देना होगा।  
४. एजेंटों को यह लिखना चाहिए कि प्रतिष्ठा उनके पास डाक से भेजी जाय या रेलवे से।

व्यवस्थापक

हिन्दी-नवजीवन

## आजकल भङ्गनाचली

चौधी आहुति छपकर तैयार हो गई है। पृष्ठ संख्या ३६८ होते हुए भी कीमत सिर्फ ०-३-० रखी गई है। अक्षरार्थ करीदार को देना होगा। ०-४-० के विकट भेजने पर पुस्तक बुकपोस्ट से फौरन भ्रान्त कर दी जायगी। बी. पी. का नियम नहीं है।

व्यवस्थापक

हिन्दी-नवजीवन



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ४८ ]

मुद्रण-महापाठ

अहमदाबाद, आषाढ वारी ४, संवत् १९८२

मुद्रणस्थान—महाजीवन मुद्रणालय,  
 धारंगपुर धरणीगरा की बाड़ी

वैश्वानरक एकादशक शुक्र

शुक्रवार, ९ जुलाई, १९२५ ई०

## टिप्पणियां

### देशबन्धु की महायात्रा

शास्त्री में कहा है कि जिस प्रकार मृदा अपने मृद के जीर्ण होने पर नये मृद में प्रवेश करता है उसी प्रकार देशबन्धु आ-मा एक देश के जीर्ण होने पर उसका त्याग करता है दूसरा नया सैयार करती है और उसमें रहती है। पुराना टूटा-फूटा मकान भी जिस तरह सहवास के कारण छोटना अच्छा नहीं लगता उसी तरह जीव को भी इस देश का सदवास होने के कारण उसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता। फिर भले ही पैर फूल कर खरमे बन गये हों, वे भी नया घर बन बन कर पुराने को हथ मूल जाते हैं। उसी प्रकार जीव को नया घर मिल जाने पर पुराने घर की याद तक नहीं रहती। ऐसी यह मृत्यु और जन्म का फल है। इस स्थिति में भय और शोक के लिए कारण ही कहा है? मौत को मौत न समझते हुए महायात्रा समझना अधिक भोज है।

इस यात्रा में यदि हमें देशबन्धु की आत्मा को ध्यान्त दिखाना हो तो हमारे पास एक ही इलाज है। उनके तमाम सदगुणों को हम अपने अन्दर पैदा करें। कितने ही सदगुण तो अवश्य पैदा कर सकते हैं। उनके सदश अंगरेजों वाले हमें न आ सकें, उनकी तरह वहील हम सब न हो सकें, धारासमा में जाने की शक्ति उनके सदश हमारे पास न हो, पर हमारे अन्दर उनके जैसा देश-प्रेम तो हो सकता है। उनके बराबर उदारता हम सीख सकते हैं। उनके बराबर धन हम चाहें न दे सकें, परन्तु जो यथाशक्ति देते हैं उन्होंने बहुत-कुछ दे दिया। विधवा के एक तन्नि के छले की कीमत महाराज के करोड़ों में से दिये हजार की कीमत से ज्यादा है। देशबन्धु ने खादी पहनने के बाद फिर सामग्री में या बाहर उसका त्याग नहीं किया। क्या हम खादी पहनेंगे? देशबन्धु ने महीन खादी कभी न चाही। उन्होंने तो मोटी खादी को ही पसंद किया था। देशबन्धु ने कातने का प्रयत्न किया। जिन्होंने छुन नहीं किया क्या वे अब करेंगे? (नवजीवन) मो० क० गांधी

### एक सामोश कार्यकर्ता

आचार्य सुशील रूद्र का देहान्त गत ३० जून को हो गया। वे मेरे एक आदरणीय मित्र और सामोश समाज-सेवी थे।

उनकी मृत्यु से मुझे जो दुःख हुआ है उसमें पाठक मेरा साथ दें। भारत की मुख्य बीमारी है राजनीतिक गुलामी। इसलिए वह उन्हींको मानता है जो से बुर करमे के लिए कुले आम सरकार से लड़ाई करते हैं, कि अपनी जल और बल सेना तथा धन-बल और कूट-नात के द्वारा अपनी मजबूत मोर्चाबंदी कर ली है। इससे स्वभावतः उसे उन कार्यकर्ताओं का पता नहीं रहता जो निश्चय्य होते हैं, जो जीवन के दूसरे निभानों में जो कि सच-निष्ठा से कम उपयोगी नहीं होते हैं, अपनेको व्यस्त देते हैं। सेठ स्टीफन कालेज, देहली, के प्रिन्सिपल सुशील-कुमार उग्र ऐसे ही विनीत कार्यकर्ता थे। वे पहले दरजे के शिक्षा-शास्त्री थे। प्रिन्सिपल के नाते वे चारों ओर लोकप्रिय हो गये थे। उनके और उनके विद्यार्थियों का चरन्धाम एक विश्व-प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान था। यद्यपि वे ईसाई थे, तथापि वे अपने हृदय में हिन्दू-धर्म और इस्लाम के लिए भी जगह रखते थे। हमें वे बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। उनका ईसाई धर्म औरों से फटक कर अलग रहने वाला न था, जो अकेले ईसानसीह को बुनिया का तारनहार न मानता हो उसके सर्वनाश की दुहाई देने वाला था। अपने धर्म पर दृढ़ रहते हुए भी वे औरों का सहन करते थे। वे राजनीति के बड़े तेज और चिन्ताशील स्वाध्यायी थे। अग्रगामी कहे जातेवाले लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति की वयायद जहाँ वे न दिखाते थे तहाँ उसे वे छिपाते भी न थे। जगसे—१९१५ से—मैं अफ्रीका के लौटा मैं जब कभी देहली जाता उन्हींका अतिथि होता। रौलट कानून के मित्सिले में जब तक मैंने सत्यग्रह नहीं छोड़ा तब तक यह कार्य निरन्तर जारी रहा। ऊंचे हलकों में उनके कितने ही अंगरेज मित्र थे। एक पूरे अंगरेजी मिशन से उनका संबंध था। अपनेकालेज के वे पहले ही हिन्दुस्तानी प्रिन्सिपल थे। इसलिए मेरे दिल ने कहा कि मेरा उनके साथ समागम रहने और उनके घर में ठहरने से शायद लोगों का यह गलत अर्थ हो कि मेरा उनका मतैक्य है और उनके साथियों को अनावश्यक संकट का सामना करना पड़े। इसलिए मैंने दूसरी जगह ठहरना चाहा। उनका जवाब अपने हंग का था—'मेरा धर्म लोगों के अनुमान से अधिक गहरा है। मेरे कुछ मत तो मेरे जीवन के घनिष्ठ अंग हैं। वे गहरे और दीर्घ काल के मनन और प्रार्थना के बाद निश्चित हुए हैं। मेरे अंगरेजी मित्र उन्हें जानते हैं। यदि अपने सम्माननीय मित्र और अतिथि के रूप में मैं आपको अपने घर में रखू तो वे इसका

गलत अर्थ नहीं कर सकते । और यदि कभी मुझे इन दो बातों में से कि अंगरेजों के अन्दर जो कुछ मेरा प्रभाव है वह चला जाय या आप किसी एक को चुनना पड़े तो मैं जानता हूँ कि, मैं किस चीज को पसंद करूँगा । आप मेरे घर को नहीं छोड़ सकते ।' तब मैंने कहा— 'लेकिन मुझसे तो हर किस्म के लोग मिलने के लिए आते हैं । आप अपने मकान को सराय तो बना नहीं सकते ।' उन्होंने उत्तर दिया— 'सच पूछो तो मुझे यह सब अच्छा मालूम होता है । आपके मित्रों का आना-जाना मुझे पसंद है । यह देख कर मुझे आनन्द होता है कि आपको अपने मकान में ठहरा कर मेरे हाथों कुछ देश-सेवा तो रही है ।' पाठकों को शायद मालूम न हो कि खिलाफत के दावे को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए जो पत्र मैंने वाइसराय को लिखा था उसका विचार और मसविदा प्रिन्सिपल कन्न के मकान में तैयार हुआ था । वे तथा बार्ली एण्ड्यूज उसमें सुधार सुझाने वाले थे । उन्हींके घर की छाँह में बैठ कर असहयोग की कल्पना उत्पन्न और प्रवर्तित हुई । मौलानाओं, दूसरे मुसलमानों तथा अन्य मित्रों और मेरे बीच जो जानगी सलाह-मशवरा हुआ उसकी कार्रवाई को वे बड़ी दिलचस्पी के साथ चुपचाप देखते थे । उनके तमाम कार्य धर्म-भाव से प्रेरित होते थे । ऐसी हालत में दुनियावी सत्ता छिन जाने का कोई डर न था—तथापि बड़ी धर्म-भाव उन्हें सांसारिक सत्ता के अस्तित्व और उपयोग तथा मित्रता के मूल्य को समझने में सहायक होता था । जिस धार्मिक भाव से मनुष्य को विचार और आचार के सुन्दर मेल का यथार्थ ज्ञान होता है उसकी सत्यता को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाया था । आचार्य कन्न ने अपनी ओर इतने उच्च-चरित्र लोगों को आकर्षित किया था जिनके कि सहवास की इच्छा किसीको हो सकती है । बहुत लोग नहीं जानते हैं कि भी सी. एफ. एण्ड्यूज हमें प्रिन्सिपल कन्न के ही वकीलत्व प्राप्त हुए हैं । वे जुड़े आई जैसे थे । उनका स्नेह आदर्श मित्रता के अन्वयन का विषय था । प्रिन्सिपल कन्न अपने पीछे दो लड़के और एक लड़की को छोड़ गये हैं । सब बयस्क हैं और अपने काम में लगे हुए हैं । वे जानते हैं कि उनके लोक में उनके उच्च हृदय पिता के कितने ही मित्र धरीक हैं ।

**दो विद्वानें**

एक प्रसिद्ध व्यक्ति ने हम दोनों के एक दोस्त के मार्फत नीचे लिखे सवाल मुझे भिजवाये हैं कि मैं ५० ६० में उनका बयान हूँ—

१. आप मानते हैं कि अछूतपन अकेले हिन्दू-धर्म पर ही नहीं बल्कि सारी आदम-जाद पर एक धन्धा है । तब फिर आप उसके सुधारकों का दायरा सिर्फ हिन्दुओं तक ही महदूर क्यों रखते हैं ? हिन्दुओं की तरह मुसलमान भी उसके सुधारक क्यों न बनें ?

२. आप सुतवातिर हिन्दू-मुस्लिम-एकता पर जोर देते हैं । पर क्या आप महरबानी कर के यह बतावेंगे कि अपने इस्लाम या मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष काम क्या किया है ?

पहले सवाल के बारे में तो, यद्यपि अछूतपन का पाप अकेले हिन्दू-समाज पर ही कलंक नहीं है सारी मनुष्य-जाति पर है, तो भी यह एक ऐसा सवाल है जिसे हिन्दू-धर्म से संबंध रखने वाले अन्य सवालों की तरह खुद हिन्दुओं को ही हल करना चाहिए । मिसाल के तौर पर देवदामियों के सवाल को ही लीजिए । उनकी हस्ती कोई ऐसी-वैसी पुराई नहीं है । वह भी मनुष्य-जाति पर एक लान्छन है । पर कोई अहिन्दू उनके लिए आगे कदम बढ़ाने का इरादा नहीं करता—उस आशय में जिस

आशय में कि हिन्दू कर रहे हैं । कारण स्पष्ट है । इन पुराइयों की दूरी भीतरी सुधार के द्वारा होनी चाहिए — बाहर से जबर-दस्ती लाद कर नहीं । और यह काम अकेले हिन्दू ही कर सकते हैं । हाँ, मुसलमान, ईसाई तथा अन्य अहिन्दू सज्जन हिन्दू-धर्म की और पुराइयों की तरह उसपर भी टीका-टिप्पणी चौक सें करें । वे सुधारकों को अपनी नैतिक सहायता भी दे सकते हैं । परन्तु यदि वे इससे आगे बढ़ना चाहेंगे तो अपने ऊपर हिन्दू-धर्म के लिए कुछ बंदिशें बांधने का इत्जाम मोड़ लिये बिना वे ऐसा न कर सकेंगे ।

दूसरे इत्जाम के संबंध में, मुझे सिर्फ उसका उल्लेख करके ही सत्र रखना होगा । औचित्य का भंग किये बिना मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता । यदि मुझे मुसलमानों के नजदीक यह साबित करना हो कि मैंने एकता के लिए प्रत्यक्ष क्या काम किया है तो इससे यही पाया जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया है । और इसलिए मुझे इस प्रश्न से उत्पन्न होने वाले धिक्कार को शिरोधार्य किये बिना चारा नहीं जबतक कि मेरी नेकनीयती अपने आप साबित न हो जाय । पर सर्व-साधारण मुसलमानों के साथ इत्साक करने के लिए मुझे इतना जकर कहना चाहिए कि यह पहली इफा मुझसे अपनी सेवा का प्रमाण-पत्र तलब किया गया है । फिर भी मैं कहता हूँ कि वे लोग भी सेवा ही करते हैं जो कि सत्र रखकर इन्तजार करते हैं और खुदा से दुआ कर रहे हैं । और यदि बहुसंख्यक मुसलमान इन प्रसिद्ध पुरुष की तरह मेरी सेवा के रजिस्टर की जाँच करना चाहते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप इसमें क्यों अपना मिर कपाते हैं ? मेरे इसी आश्वासन पर सन्तुष्ट रहिए कि यदि मैं सक्रिय रूप से उनकी सेवा नहीं कर रहा हूँ तो कम से कम एक तरफ सदा रह कर देख रहा हूँ, इन्तजार कर रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ ।

**कतारई-प्रस्ताव**

अहमदाबाद वाली महासमिति का कतारई-प्रस्ताव पाठक भूके न होंगे । उसके अनुसार जो सूत ४० भा० खादी-मण्डल को प्राप्त हुआ है उसके उपयोग का नीचे लिखा म्योरा मुझे उक्त मण्डल की तरफ से मिला है—

	मन	सेर	तोळा
सूत जो आया	१५१	१०	१६
सूत जो बुना गया	७८	३९	३९
बाकी रहा	९२	१०	१५
सूत जो बुन लिया गया है या बुना जा रहा है	७५	८	९
सूत जो बेचा गया	३	३१	३०
	७८	३९	३९

कोई १० मन सूत जो बच रहा है आश्रम में काम में के लिया जायगा । क्योंकि यह इस लायक नहीं है कि आसामी से बुना जा सके । और आश्रम में भी उसका अधिकांश तो दूरी और निवार बुनने के काम में आवेगा । कुछ बहुत महीन सूत भी हैं जो उम्दा बुनाई के लिए रक्खा गया है । आशा तो यह की गई थी कि अबतक सारा सूत बुन जायगा; परन्तु एक तो सूत हलके दरजे का था और दूसरे कोकडे अच्छी तरह सोके न गये थे । इस कारण से देर हुई । बाकी रहे सूत को काम में के केने की कोशिशें जारी हैं ।

जो खादी बुन कर तैयार हुई है उसका अर्ज कोई ३० इंच है और वह निमास्तीन और आक्रेट के लिए बहुत अच्छी है। उसे मामूली दर पर आश्रम में ही बेचने की तजवीज की है। थोड़े माल को बाहर भेजने से योही अर्ज पड़ता। ३० इंच अर्ज की खादी (३)॥ गज और ४५ से ५० इंच की (३३-१) से १) गज तक बेची जाती है। बड़े अर्ज की खादी के सिर्फ ८ धान है। बहुत ही महीन और आला दरजे का सूत जुमाइशों में भेजने के लिए रक्खा गया है और वह बेल्गांव तथा बंबई की प्रदर्शनियों में भेजा भी गया था।

इस छोटे से व्योरे में हमारे लिए सबक है। जितना माल तैयार होना चाहिए था, या हो सकता था उसके मुकाबले में यह माल कुछ नहीं है। परन्तु इस प्रयत्न से यह जरूर जाना जाता है कि सफरीक की बातों में थोड़ा भी ध्यान छूट जाने से हर बात में सरको को कितनी तकवाठ पहुंचती है। सगठन एक यन्त्र की तरह है। यन्त्र में एक भी कील डीली पड़ जाय तो मारा कारखाना डीला हो जाता है और गिर भी पड़ता है। उसी तरह सगठन में जरा भी ढिलाई होने से उसके काम और नतीजे में घुसाई पैदा हो जाती है। जो लोग कताई-मताथिर का काम कर रहे हैं उनको हम तीन महीने के प्रयोग ने शिक्षा लेनी चाहिए। खादी की कीमत इसी कारण से कम न हो सके कि माल की तादाद बहुत कम थी। और यह निर्णय करना कठिन था कि सस्तेपन का लाभ किसको मिलना चाहिए। तनेवाले सावधान हो जाय। आप इस विवरण से देख सकते हैं कि विदेशों कपड़े को देश में न आने देने और सारे देश के योग्य खादी तैयार करने का बारोबदार आपके ही ऊपर है।

### राष्ट्रीयता बनाम अन्तर्राष्ट्रीयता

दाजिलिय में एक महाशय ने एक परिचारिका की कथा सुने मनुगई कि उसने औरों को हानि पहुंचा कर अपने राष्ट्र की सेवा न करना भुनासिब समझा। मैंने तुरंत जान लिया कि यह कथा सुने खुश करने के लिए कही गई थी। मैंने सौम्य भाव से उन्हें बताया कि यद्यपि आप मेरे लेखों और कथों का समझने का दावा करते हैं फिर भी आप उनको समझ नहीं पाये हैं। मैंने उनसे यह भी कहा कि मेरी देश-भक्ति संकुचित नहीं है और उसमें केवल भारत का ही नहीं सारी दुनिया का कल्याण समाहित है। मैंने उनसे और यह भी कहा कि मैं एक विनीत मनुष्य हूँ। मैं अपनी मर्णाओं को जानता हूँ, इसीलिए मैं खुद अपने देश की सेवा पर ही मनुष्य हूँ — हाँ, मैं इस बात की चिन्ता जरूर रखता हूँ कि मेरे हाथ से किसी भी दूसरे देश को कुछ हानि न पहुंचे। मेरी समझ में किसी व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय बने बिना अन्तर्राष्ट्रीय बनना असंभव है। अन्तर्राष्ट्रीयता उसी अवस्था में संभवनीय है जब कि राष्ट्रीयता एक वास्तविक वस्तु हो जाय अर्थात् जब कि भिन्न भिन्न देशों के लोग सुसंगठित हो जाय और एक आत्मी की तरह सारा काम कर सकें। राष्ट्रीयता बुरी बात नहीं है, बुरी बात तो है संकुचितता, स्वार्थ-साधना, तथा औरों से फटक कर रहने की प्रवृत्ति, जो कि आधुनिक राष्ट्रों की जहमत है। हर राष्ट्र दूसरे को हानि पहुंचा कर अपना फायदा करना चाहता है, दूसरे को तबाह कर के अपनेको आबाद करना चाहता है। मेरा ह्वाला है कि भारत के राष्ट्र-धर्म ने एक जुदा ही रास्ता दिखाया है। वह सारी मनुष्य-जाति के लाभ और सेवा के लिए अपनेको सुसंगठित करना चाहता है, अपना पूर्ण आत्म-कथन करना चाहता है। मेरी अपनी राष्ट्रीयता और देशभक्ति के विषय में तो मुझे कोई सन्देह

नहीं है। ईश्वर ने मुझे भारतवर्ष के लोगों में जन्म दिया है, इसलिए यदि मैं उनकी सेवा में गफलत करूँ तो मैं उसका अपराधी हूँगा। यदि मैं यह नहीं जान पाया कि उनकी सेवा कैसे करूँ तो मैं यह कभी नहीं जान सकता कि मनुष्य-जाति की सेवा किस तरह करूँ। और जबतक मैं अपने देश की सेवा करने में किसी दूसरे राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाता तबतक मैं कुपयगामी नहीं हो सकता। (यं. ई.) मो० क० गांधी

### ६० आफ्रिका के सत्याग्रह से शिक्षा

गांधीजी 'नवजीवन' में दक्षिण-आफ्रिका के सत्याग्रह का इतिहास कमशः लिख रहे हैं। पूर्वार्द्ध समाप्त हो चुका और अब उत्तरार्द्ध शुरू किया है। हिन्दी पाठकों के लिए पूर्वार्द्ध सस्ता-साहित्य-प्रकाशक मण्डल, अजमेर की ओर से प्रकाशित करने की और कागत-मात्र के मूल्य पर देने की व्यवस्था की गई है और वह १ अगस्त के लगभग प्रकाशित भी हो जायगा। इसलिए 'हिन्दीनवजीवन' में उसका अनुवाद नहीं दिया गया है। उत्तरार्द्ध भी पुस्तकाकार प्रकाशित करने की तजवीज की जायगी। परन्तु उत्तरार्द्ध को आरम्भ करते समय गांधीजी ने दक्षिण आफ्रिका के सत्याग्रह से मिलने वाली शिक्षा और प्रेरणा का उल्लेख 'नवजीवन' के एक लेख में किया है। उसका वह अंश नीचे दिया जाना है—

“इस इतिहास की स्मृति से मैं देखता हूँ कि हमारी वर्तमान स्थिति में एक भी बात ऐसी नहीं है जिसका अनुभव छोटे पैमाने पर दक्षिण आफ्रिका में मुझे न हुआ हो। आरंभ में बड़ी उरसाह, बड़ी एकता, यही आग्रह; मध्य में यही निराशा, यही अश्वि, बारम्बारिक जगड़े और द्वेषादि, ऐसा होते हुए भी सुडीवर लोगों में अविचल प्रथा, दृढ़ता, त्याग, सहिष्णुता और अनेक प्रकार की बानी और बे-जानी हुई मुसीबतें। भारत के स्वराज्य-संग्राम का अन्तिम काल बाकी है। इस अन्तिम काल की जिस स्थिति का अनुभव मैंने दक्षिण आफ्रिका में किया है उसीकी भांजा में यहाँ भी रखता हूँ। दक्षिण आफ्रिका की कबाई का अन्तिम काल पाठक अब देखेंगे। उसमें किस तरह बिना मीने मदद मिली, लोगों में किस तरह अनायास उत्साह आया और अन्त को किस तरह भारतवासियों की सोलहों आना विजय हुई, ये बातें पाठक आगे के प्रकरणों में देखेंगे।

और यह मेरा एक विश्वास है कि जिस प्रकार आफ्रिका में हुआ वही यहाँ पर भी होगा; क्योंकि तपधर्मा पर, सत्य पर, अहिंसा पर, मेरी अत्यंत श्रद्धा है। मैं अक्षरशः मानता हूँ कि सत्य का सेवन करने वाले के सामने सारे विश्व की समृद्धि आकर खड़ी हो जाती है और वह ईश्वर का साक्षात्कार करता है। 'अहिंसा के साधन्य में धर-भाव नहीं रह सकता,' इस बचन के भी एक एक अक्षर को मैं सत्य मानता हूँ। कष्ट सहन करने वालों के लिए कोई बात असंभव नहीं होती, इस सूत्र का मैं उपासक हूँ। इन तीनों बातों का मेल मैं कितने ही सेवकों में देख रहा हूँ। मेरा यह निरपवाद अनुभव है कि उनकी साधना निष्फल नहीं जा सकती।”

### आश्रम भजनावली

चौथी आवृत्ति छपकर तैयार हो गई है। पृष्ठ संख्या ३६० होते हुए भी कीमत सिर्फ ०-३-० रखी गई है। डाकघर के खरीदार को देना होगा। ०-४-० के टिकट भेजने पर पुस्तक बुकपोस्ट से फौरन रवाना कर दी जायगी। बी. पी. का नियम नहीं है। व्यवस्थाक

## हिन्दी-नवजीवन

धुबवार, आषाढ वरी ४, संवत् १९८२

### 'त्याग-शास्त्र'

कलकत्ते की सभा में मैंने कहा था कि 'देशबन्धु ने मुसलमानों के संबंध में त्याग-शास्त्र को पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया था मेरे इन उद्गारों पर आपत्ति की गई है। इस आपत्ति का कारण यह है कि मेरे त्याग शब्द का आशय यह समझा गया है कि देशबन्धु ने मुसलमानों पर बड़ अग्रुग्रह किया है जिसके लक्षण वे न थे। आक्षेपकर्ता ने अपनी यह राय बना ली है कि हिन्दू-लोक मुसलमानों के साथ बहुत-कुछ बैसा ही बरताव करते हैं जैसा कि अंगरेज लोग हम सबके साथ करते हैं—अर्थात् पहले तो हमसे सब कुछ छीन लिया और अब उसे अनुग्रह के नाम पर भिक्षा के रूप में देते हैं।

मैंने उस दिन सभा में जो कहा था उसका मुझे ज्ञान है। मैंने अपने उस भाषण की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, तो भी उस सभा में मैंने जो कुछ कहा है उसपर मैं हठ हूँ। मे माहस के साथ कहता हूँ कि बिना पारस्परिक त्याग के इस छिन्नभिन्न देश के लिए कोई आशा नहीं है। हमें चाहिए कि हम हृद दर्जे तक अपने दिल को छुई—मुझे न बना लें, कल्पना—शक्ति से हाथ न धो लें। त्याग—किसी के लिए कुछ छोड़ देने—का अर्थ अनुग्रह करना नहीं। प्रेम जिस न्याय को प्रदान करता है वह है त्याग और कानून किस न्याय को प्रदान करता है वह है सजा। प्रेमी की ही हुई वस्तु न्याय की मर्यादा को लांघ जाती है। और फिर भी हमेशा उससे कम होती है जितनी कि वह देना चाहता है। क्योंकि वह इस बात के लिए उत्सुक रहता है कि और दू और अधिक कर सकता है कि अब क्या कह नहीं है। यह कहना कि हिन्दू लोग अंगरेजों की तरह बर्तते हैं उनकी मानहानि करना है। हिन्दू यदि चाहें भी तो ऐसा नहीं कर सकते और मैं यह कहता हूँ कि दूर के मजदूरों की पशुता के होते हुए भी। क्या हिन्दू और क्या मुसलमान, दोनों, एक ही नाक में बँटे हुए हैं। दोनों गिरे हुए हैं। और वे प्रेमियों की हालत में हैं—उन्हें मना होगा—वे चाहें या न चाहें। इसलिए हर एक हिन्दू और मुसलमान का कार्य एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना से होना चाहिए, न कि इन्साफ की भावना से। वे अपने कार्यों को सोने के कंठ में तील कर उसपर दूसरे से विचार नहीं कर सकते। हमेशा एक को अपनेको दूसरे का देनदार समझना होगा। इन्साफ के नाने से तो क्यों किसी मुसलमान को गैर मेरी आँसुओं के आमने एक गाय न मारनी चाहिए! पर मेरे साथ उसका जो प्रेम है वह उसे ऐसा नहीं करने देता और यहाँ तक कि वह तो अपनी हृद से आगे बढ़ कर मेरी मुहब्बत के खातिर गो-मांस भी खाने से बाज आता है और फिर भी समझता है कि मैंने सिर्फ वह काम किया है जो कि करना उचित था। इन्साफ तो मुझे इजाजत देता है कि मैं महामदराली के कान में जा कर, जब कि वे नमाज पढ़ रहे हों, बाजे बजाऊँ और गाना गाऊँ; पर मैं अपनी हृद से आगे बढ़ कर उनके मजबूत का ख्याल करना हूँ और फिर भी समझता हूँ कि यह मैंने मौलाना साहब पर कोई महारबानी नहीं की है। बल्कि इसके प्रतिकूल यदि मैं जास कर उनके निमाज के समय अपने घण्टा-घोष के न्याय्य हक का प्रयोग करूँ तो

मैं एक धृष्टि आदमी माना जाऊँगा। यदि देशबन्धु ने कुछ जगहों पर मुसलमानों को नियत न किया होता तो न्याय को सन्तोष हो गया होता; पर उन्होंने अपनी हृद से आगे बढ़ कर मुसलमानों की इच्छा का विचार किया और उनके मनोभावों को समाधान पहुँचाया। उनको समाधान पहुँचाने का जो कोमलभाव देशबन्धु के दिल में था वही उनकी मृत्यु को जल्दी ले आने का कारण है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब उन्होंने देखा कि धर्मधन्त जमीन पर गाडे गये मुर्दों को न गाडने देने पर न्याय को अनुग्रह कर रहा है तब उनके दिल को कितना धक्का लगा था और वे मुसलमानों के भावों को जरा भी धक्का पहुँचाने देना न चाहते थे—फिर भले ही बड़ मुक्तिमगत न भी हो। यह सब वे हृद से बाहर जाकर कर रहे थे—अपनी हृद से नहीं, बल्कि दुनिया की रूढ़ से। और फिर भी उन्होंने कभी खयाल न किया कि मुसलमानों के भावों का इतनी कोमलता के साथ विचार कर के मैं उनके साथ कोई महारबानी या अमान कर रहा हूँ। प्रेम कभी दावा नहीं करता वह मोहमेदा देता है। प्रेम हमेशा कह सकता है। न कभी झगलाना है, न बदला देता है।

इसलिए यह न्याय और करे न्याय की बातें एक दिख का उफान है विचार-हीन, क्रोधयुक्त और अज्ञान-पूर्ण उफान है—फिर वह चाहे हिन्दुओं की तरफ से हो चाहे मुसलमानों की तरफ से। जब तक हिन्दू और मुसलमान इन्साफ के गीत गाते रहेंगे तब तक वे कभी एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकते। 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' यह न्याय का और महज न्याय का आखिरी नवम है। अंगरेजों ने जिस त्नीज की विषय के द्वारा हानिल किया है उसे एक इंच भी वे क्यों छोड़ दें! और क्यों हिन्दुस्तानी लोग जब उनके हाथ में राज्य की बागडोर आ जाय, अंगरेजों से वे तमाम चीजें न छीन लें जो उनके बापदादों ने उनसे छीन ली है? फिर भी जब कि हम आपस में निपटारा करने बैठेंगे, और किसी दिन हमें बैठना ही होगा, तो इस न्याय के नाम से पुकारी जानेवाली तुला पर नाप-जोख न करेंगे। बल्कि हमें 'त्याग' का यह महकानेवाला अर्थ, जिसे कि दूसरे शब्दों में प्रेम, सौहार्द या भ्रातृभाव कहते हैं, अपने अहंजर रखना पड़ेगा। और यही बात करनी होगी हम हिन्दुओं और मुसलमानों को भी जब कि हम एक-दूसरे का सिर काफ़ी छोड़ चुके, निर्दोषों का मनो खून बहा चुके और अपनी बेवकूफी को समझ लेंगे। तब यह तराजू की और घाँट की बात हमारी नजदों से गिर जायगी और हम समझेंगे कि न तो बदला निचालना, न न्याय, मित्रता का नियम है, बल्कि त्याग, अथवा त्याग, देश का नियम है। तब हिन्दू गो-कुशी को अपनी आँसुओं के गामने बरदाश्त करना सीख जायेंगे। और मुसलमानों को मान्य होगा कि हिन्दुओं का दिल दुखाने के लिए गो-कुशी करना इस्लाम की शरीयत के खिलाफ है। जब वह सुदन आवेगा तब दोनों एक दूसरे के गुण ही देखेंगे, हमारे दोष हमारे दृष्टि-पथ को न रोकेँगे। वह दिन बहुत दूर हो, चाहे बहुत नजदीक, मेरा दिल कहता है कि वह जल्दी आ रहा है। मैं तो सिर्फ उसी दिन के लिए काम करूँगा, दूसरे के लिए नहीं।

मेरे लिए, सातवाली के तौर पर, यह कहने की शायद ही आवश्यकता होगी कि मेरे त्याग का अर्थ सिद्धान्त का त्याग नहीं है। मैंने उस सभा में इस बात को साफ कर दिया था और फिर यही उस बात पर जोर देता हूँ। पर अभी हम जिस बात के लिए लड़ रहे हैं वह सिद्धान्त किसी हालत में नहीं है; बल्कि मिथ्याभिमान और पूर्व संनित कल्पित विचार है। हम हृद के लिए मरते हैं और समुद्र को खो देते हैं।

(५० इ०)

मोहनदास करमचंद गांधी



### पतित बहनों

मदारीपर में स्वागत-समिति ने पतित बहनों के द्वारा एक कताई-प्रदर्शन का आयोजन किया था। उस दृश्य को देख कर तो मुझे आनंद हुआ, परंतु मैंने इस बात की ओर व्यवस्थापकों का ध्यान खींचा कि इन प्रश्नों के हल करने में क्या क्या कठारे हो सकते हैं। परंतु बरीमाल में तो जहाँ कि उनके शुद्धि-कार्य को पहले-पहल निश्चित स्वरूप प्राप्त हुआ, उसके गुणकारी काम पकड़ने के बजाय, निश्चित रूप से भ्रष्ट रूप मिला है। वहाँ इन अभागिनी बहनों की एक समस्या कायम हुई है। उस समस्या को एक भ्रष्टोत्पादक नाम दिया गया है। उसके 'वर्तमान ध्येय और उद्देश' नीचे लिखे प्रकार बनाये गये हैं—

१. "गरीबों की मदद करना और बीमार भाई-बहनों की सेवा-सुधारा करना।
२. (अ) अपने अंदर शिक्षा प्रचार करना।  
(ब) एक नारी शिक्षाश्रम की स्थापना कर के कताई बुनाई, मिलाई, दस्तकारी तथा अन्य कारीगरों की उन्नति करना।  
(क) उच्च नशील की शिक्षा देना।

३. उन तमाम संस्थाओं में शरीक होना जिनका धर्म स-याग्य और अहिंसा है।

यदि और कुछ न कह तो यह घोड़े के आगे गाड़ी रखने जैसा है। इन बहनों को खुद खाना मुगल करने के पढ़ने की जन-सेवा करने की सलाह दी गई है। उच्च नशील की शिक्षा देने का विचार यदि दुर्लभ न हो तो कम से कम परिणाम में भारी शिली जमा माहस हांगा। क्योंकि यह मानना होगा कि ये बहनों नाचना और गाना तो जानती ही हैं और अपने व्यवसाय के द्वारा सब समय सत्य और अहिंसा का भंग करते हुए भी सत्य और अहिंसा को अपना धर्म मानने वाली संस्थाओं में शरीक हो सकती हैं।

मेरे सामने जो कागज पड़ा है वह तो और भी कहना है कि वे महाशय की सहायता भी बनाई गई है और अपनी स्थिति के योग्य राष्ट्रीय काम करने की छुट उन्हें दी गई है। वे महाशय की प्रतिनिधि भी चुनी गई हैं। उनके नाम से किया गया एक बोधना-पत्र भी मने देखा है जिसे कि मैंने भी पढ़ा और गंदा समझता हूँ।

इसमें हेतु जो कुछ हो मैं इस कारकाई को महाशय माने बिना नहीं रह सकता। हाँ, कताई की तो मैं चाहता हूँ परन्तु उसे पाप का परवाना देने से नहीं चाहता। मैं जल्द चाहता हूँ कि हर महम सत्याग्रह-धर्म को स्वीकार करे। परन्तु एक पत्नी धर्म को जिम्मा कि व्यवसाय ही धर्म करने का रहा हो और जिसपर उसे पर्याप्त भी नहीं है, उस धर्म-पत्र पर सत्याग्रह करने से रोकने में अपनी नारी शक्ति लगाएगा। मैं अपने पूरे हृदय के साथ इन बहनों की तरफ हूँ। लेकिन बरीमालियों ने जो तरीके अहितकार किये हैं उन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इन बहनों को ऐसा सामाजिक दर्जा वहाँ मिल गया है जो कि समाज के नैतिक पल्याण के लिए उन्हें हरगिज न मिलना चाहिए। जिस संगठन से उन्होंने अपनी सहायता बनाई है उससे क्या हम जाने-बूझे चारों का समावेश करेंगे? और ये बहनों तो चोरी से भी स्यादह बनना चाहें। इसलिए उनकी ऐसी सहायता की और भी कम आवश्यकता है। चोर तो रुपया पैसा ही चुराते हैं पर वे तो मनुष्य के सदगुणों को चुराती हैं। हाँ, यह बात सब है कि समाज में इन अभागिनी स्त्रियों के अस्तित्व के लिए सब से पहला

जिम्मेवार पुरुष ही हैं। परंतु हमें यह बात हरगिज न भुलानी चाहिए कि इन्होंने समाज में बुराई फैलाने के लिए महा भयकर शक्ति प्राप्त कर ली है। बरीमाल में मालूम हुआ कि वहाँ इन स्त्रियों के सामाजिक कार्य ने इन्हें इतना बुरा बना रखा है कि जिम्मा अपर गुण हो रहा है। और उनमें बरीमाल के युवकों का सदाचार भी उनके प्रभाव से नहीं बचा है। अच्छा हो यदि यह सत्याग्रह टूट जाय। मेरा यह हठ मत है कि जबतक वे इस जमानाक जिद्दी को अख्यार की हुई है तबतक उनसे किसी विम्व का चर्चा या सेवा लेना या उन्हें महाशय के प्रति-निधि चुनना और समाज बनने के लिए गौतमाहित करना बेजा है। महाशय का कोई नियम तो ऐसा नहीं है जिसके अनुसार वे महाशय में आगे से रुकें, परंतु मैंने यह आशा थी की लोक-मत ही उन्हें महाशय से दूर रखेगा और खुद उनमें भी इतना विम्व तो जरूर होगा कि वे भी आपसी अपनेकी दूर रहेंगी।

मैं चाहता हूँ कि मेरे ये शब्द उन तक पहुँचें। मैं उनसे आग्रह करूँ कि वे महाशय में अपना नाम हटा लें। भूल जाँच कि उनकी बोझें गंदा ह। और जो ही निश्चयपूर्वक अपने इस अनीति-मूलक व्यापार में मुँह मोड़ लें। तभी वे खरबे को बतौर साधना के औष' बनाई या दूसरे किसी अच्छे रोजगार को अपनी गार्डी के नाम पर अख्यार करें, उसके पढ़ें नहीं।

(य. ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

### समस्यायें

एक मित्र लिखते हैं—

"सत्याग्रह-सभा की दिनेश्वर परने हुए, आपने कहा है कि सत्याग्रही यदि असुविधा तौर पर सत्याग्रह करे तो भी चिन्ता नहीं, क्योंकि उसके फल-स्वरूप कष्ट या सकट तो खुद उसीको भोगना पड़ना है। हम विषय में अनेक शक्यों पैदा होती हैं। ऐसे भी अवसर आते हैं जब सत्याग्रह करने से अकेले सत्याग्रही को ही दुःख नहीं भोगना पड़ना बल्कि जिसके साथ सत्याग्रह किया जाता है वे भी भोगना पड़ना है। ऐसे प्रसंग पर यदि सत्याग्रह गलत तौर पर किया गया तो सत्याग्रही के सिर भीषण जिम्मेवारी रहती है।

"उदाहरण १-एक-जन के एक बड़ा लड़का है। उनके माँ-बाप वीरिन हैं। माँ-बाप ने अपने इस पौत्र की सगाई उससे चार-पाँच साल बड़ी कन्या के साथ कर डाली। इसीसे उन महाशय का सगा हुआ हुआ है। उन्होंने खुदमें से धारण अपने माँ-बाप से कहा कि यह सगाई तोड़ डालिए। माँ-बाप कहते हैं कि सगाई तोड़ने से हमारे धर्म में फल आता है। हमारी जिद्दी मटियामेट हो जाती है। इसलिए सगाई छोड़ने की बात मुँह से न निकालो। अगर हमारी मन्ती के निशान सगाई तोड़ने तो हम कुछ में गिर कर तो अपनी खातर आत्म-दया पर लेते। इसका पाप तुम्हारे सिर है। लक्ष भजना ने माँ-बाप का सपत्ताने के बहुतेरे उपाय किये, पर वे न समझे और आत्मघात करने की जिद्द पर अड गये हैं। अब मेरे गोक पर क्या करना चाहिए—सत्याग्रह करके माँ-बाप को समझ देना चाहिए या क्या / कोरी धरुंकी लेकर रह जाने वाले माँ-बाप की सान नहीं है; बल्कि मनुष्य की प्राण-त्याग कर डालने वाले पुराने संस्कार के माँ-बाप की बात है।"

उस गाथा में सुगर करने की आवश्यकता है। मुझे यह कहा याद नहीं पड़ता कि खल तौर पर सत्याग्रह करने से भी चिन्ता की बात नहीं। गलत तौर पर की गई बात के विषय में भय अवश्य है। पर हाँ, मैंने यह जरूर कहा है कि सत्याग्रही के

आग्रह में यदि भूल हो तो उसका दुःख खुद उसीको भोगना पड़ेगा, और वह यथार्थ है। जिसके साथ सत्याग्रह किया गया हो उसे यदि दुःख हो तो उसका जिम्मेवार सत्याग्रही नहीं हो सकता। सत्याग्रही का यह उद्देश ही नहीं होता कि प्रतिपक्षी को दुःख दे। प्रतिपक्षी यदि अपने आप दुःख मान ले या दुखी हो तो सत्याग्रही को उसकी विन्ता न करनी चाहिए। मैं यदि शुद्ध भाव से उपवास करूं और उससे मेरे साथियों को दुःख हो तो उसे मुझे सहन कर लेना लाजिमी है।

इस उदाहरण में कहा गया है कि 'बाप ने गुस्से में आकर...' जो सत्याग्रही को गुस्सा आता नहीं, अनिच्छा से आ जाय तो जब तक क्लम न जाय तबतक वह गुस्सा पैदा करने वाले के खिलाफ वह कोई कार्रवाई नहीं करता। फिर बहुत विचार करने के बाद भी यदि मां-बाप का काम दोषगुण मालूम हो तो अवश्य उसे सुधारे और ऐसा करते हुए—सोलहों आना विनय का पालन करते हुए—भी यदि मां-बाप आत्मघात करे तो सत्याग्रही निःशंक रहे। मां-बाप यदि आह्वान के अधीन होकर सुदकुशी करे तो उसके लिए जिम्मेवार वे खुद हैं। मां-बाप जब खुद ही आप होकर दुःख मोल लेते हैं तो उनके लिए बेटा जिम्मेवार कैसे हो सकता है? मां-बाप जब बेटे को पापावरण के लिए कहते हैं और लड़का उसके अनुसार नहीं करता है और इसके फलस्वरूप मां-बाप आत्महत्या करे तो लड़के का क्या दोष? प्रह्लाद राम-नाम जपता था। इससे हिरण्यकशिपु नागम हुआ और अन्त को नाश को प्राप्त हुआ। इसकी जिम्मेवारी प्रह्लाद पर नहीं। राम ने पिता के वचन का पालन किया। उससे दशरथ की मृत्यु हुई। उसका दोष राम के सिर नहीं। प्रजा दुःख-सागर में डूब रही थी, फिर भी राम ने अपना हृदय कठिन करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। सत्यवती को वैदू रोते हुए भी भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। इमने याद रखने लायक बात यह है कि सत्याग्रही का धर्म किसीका निखाया नहीं सीखा जा सकता। वह स्वयं स्फुरित होना चाहिए। राम ने गुरु जनों से पूछ कर वनवास स्वीकार नहीं किया। यह कहने वाले धर्माचार्य भिन्न जाते कि वनवास को जाना पाप है, न जाना पाप नहीं। फिर भी उन्होंने वन जाने के धर्म का पालन करके अपना नाम अमर किया। हमारे इस दुखी देश में कायरता इस हद तक बढ़ गई है कि बात बात पर लोग मरने की धर अन्नजल-त्याग की धमकियां देने हैं। ऐसी धमकियों की परवाह नहीं की जा सकती। भले ही हम यह क्यों न जानते हों कि धमकी के मच हो जाने की गमावना है। सत्याग्रही उपवास और सुराग्रही उपवास का मेढ में "नवजीवन" में बहुत बार बता चुका है।

वही मित्र नीचे लिखे अनुसार दूसरा उदाहरण पेश करने है।

"एक दंपती सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाई को विदेशी वपडों से बड़ा प्रेम है। पति को उससे बड़ी घिन है। बात यहाँ तक बढ़ गई कि पत्नी कहती है मुझे ५०० के विदेशी कपडे न ला दोगे तो मैं प्राण दे दूंगी। अब दंपति को क्या करना चाहिए? बाई किसी तरह समझाई नहीं समझती। वह कहती है कि मेरी इतनी बान भी आप न मानेंगे।"

पति का धर्म है कि वह मर्यादा के अनुसार और यथा शक्ति पत्नी के रहने, खाने और पहनने का प्रबन्ध करे। अनिक्त अवस्था में पति जो एश-आराम करा मक्का हो वह शरीर होने पर नहीं करा सकता। मुर्छित अवस्था में यदि पति नाक-रंग, आगोद-प्रथोद करे-करावे, शराब पीये-पिलावे, विदेशी वस्तुये पहने-पहनाने तो हान हो जाने पर वह खुद सुधार करे और करावे। यहाँ

विवेक के लिए स्थान है। दुनिया में यह सामान्य व्यवहार देखा जाता है कि पत्नी को पति के विचार के अनुकूल रहना चाहिए। परन्तु पति पत्नी पर अथवा पिता अपनी सन्तति पर बलान्कार नहीं कर सकते। जब खुद खादी पहने लब यदि अपनी पत्नी को अथवा बालिग पुत्र को जबरदस्ती खादी पहनावे तो यह पाप है। परन्तु खुद विदेशी वस्त्र खरीदकर खाने के लिए बाध्य नहीं है। जबान पुत्र तो यदि न बनता हो तो अलग हो सकते हैं।

परन्तु पत्नी का प्रश्न नाजुक है। पत्नी एक अलग नहीं हो सकती। अपनी जीविका प्राप्त करने की शक्ति उसमें नहीं होती। अतएव ऐसे प्रसंग की कल्पना में कर सकता हूँ जब कि पत्नी न समझे तो उसके लिए विदेशी वस्त्र खरीदने का धर्म प्राप्त हो। विदेशी वस्त्र का त्याग धर्मान्तर करने के बग़र है। पति जितनी बार धर्मान्तर करे उतनी बार पत्नी को भी धर्मान्तर करना चाहिए यह नियम नहीं, न होना चाहिए। पति का उचित है कि वह पत्नी का और पत्नी को उचित है कि वह पति का विधर्म सहन करे। इसलिए यहाँ पति-पत्नी के लिए विदेशी वस्त्र खरीद दे तो वह धमकी से डरकर नहीं बल्कि यह समझ कर कि पत्नी पर बलान्कार नहीं किया जा सकता। फर्ज कीजिए कि पत्नी केवल खुद ही विदेशी कपडा पहनना नहीं चाहती, बल्कि यह भी चाहती है कि पति भी पहने और यदि पति उसकी बात न माने तो वह मरने की धमकी देती है तो पति को चाहिए कि उसकी धमकी को हरगिभ न माने।

तीसरा उदाहरण इस तरह है—

"एक पिता पुत्र से कहते हैं कि मेरे जीते जो तू अछूत से न छू। अछूतों के मुहं में न जा। नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। पुत्र बेचारे को क्या करना चाहिए? 'ब्रह्मावधि कडोराणि' की तरह हृदय करके पिता को मरने दे?"

मेरे मन में इस बात पर जरा भी संदेह नहीं है कि पिता को अपार दुःख होता हो तो भी पुत्र को उचित है कि अछूतपन को छोड़ दे। यहाँ भी उस चेतावनी को याद रखना चाहिए जो मैं ऊपर कह चुका हूँ। मुझ जैसे के लेखों को पढ़कर अस्पृश्यता को महापाप मानने वाले के लिए यह वज्र वाक्य नहीं लिखा गया है। पर उनके लिए जिन्हें खुद ही यह सिद्ध हो गया है कि अस्पृश्यता एक महापाप है। इसका यह अर्थ हुआ कि जबतक अकेली बुद्धि हमारी इस बात की कायल हो पाई है तबतक पिता की आज्ञा के पालन में, जो कि हृदय का गण है, मुद्द नहीं मोड़ा जा सकता। यदि किसीके कहने से प्रह्लाद ने राम नाम जपा होता तो उसका धर्म या कि पिता के मना करने पर उसका जप छोड़ देता।

चौथा और आखिरी उदाहरण यह है—

"एक सुखी दंपती के चार पुत्र हुए। चारों मर गये। अन्त को पति ने ब्रह्मचर्य रखने का निश्चय किया। पत्नी ने एक पुत्र और होने की इच्छा प्रदर्शित की, पति को अपनी अभिलाषा पूर्ण करने प्रायश्चना की। दोनों हो तो गये हैं निर्विकार; परन्तु बाई को सन्तान की वासना रह गई है। पति को इसमें दोनों का अ-कल्याण दिखाई देता है। परन्तु यह वासना इतनी तीव्र है कि पति यदि उसकी इच्छा का पालन न करे तो वह शरीर छोड़ देगी। हमेशा उदास रहती है, प्यास बहाती है, शरीर को सुखा रही है। इस स्थिति से बचने के लिए पति को क्या करना चाहिए? जब प्रयत्न कर चुकने के बाद यह भावना रखकर सन्तोष धारण करे कि ईश्वर कभी न कभी उसे (पत्नी को) सद्बुद्धि देगा, या पत्नी के शरीर को क्षीण होता हुआ देखे और

उसके साथ अपना भी शरीर सुखावे ? यदि कहीं पत्नी मर गई तो उसकी हड्डियों का पातक-भागी पति होगा या नहीं ?”

मैं यह नहीं मानता कि पति-पत्नी का यह धर्म है कि एक के विकार के अधीन हो कर दूसरा भी विकार के बधीभूत हो । एक के विकाराधीन होने पर वह दूसरे को भी विकार में सम्मिलित करे तो वह बलात्कार है । पति या पत्नी का बलात्कार का अधिकार नहीं है । विकार भाग की तरह है । वह मनुष्य को घास की तरह जलाता है । घास के ढेर में एक तिनके को सुलगा दीजिए, बस सारा ढेर सुलग जायगा । हर एक तिनके को अलहदा अलहदा जलाने का कष्ट हमें नहीं उठाना पड़ता । एक के मन में विकार उत्पन्न हुआ तो उसका स्पर्श दूसरे को होता है । दंपती में एक के विकार उत्पन्न होने पर जो दूसरा निर्विकार रह सकता हो उसे मैं हजार बार प्रणिपात करता हूँ ।

( नवजीवन ) मोहनदास क. मन्धन गांधी

### सुलह का अवसर

कलकत्ते के श्री बी. सी. चेंटरजी नामक एक सज्जन ने गांधीजी का एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देशबन्धु का आशय फरीदपुर वाले भाषण में यह था कि यदि सरकार मुडीमैन कमिटी के अल्पमत वाले सदस्यों की राय मान ले तो वे सहयोग के लिए तैयार हैं । वे गांधीजी से बड़ी श्रमर्षी के साथ अपील करते हैं कि यदि आप इस समय देशबन्धु की इस स्थिति का ग्रहण कर लें तो आपके व्यक्तित्व में एक युगान्तर हो जायगा और देश के सब दलों के लोग आपके रूप से जीव्य भा जायगे । गांधीजी ने मं. ३. में इसका उत्तर इस प्रकार दिया है—

“ फरीदपुर के सन्देश का जैसा आशय श्री चेंटरजी ने समझा है वैसा मैं नहीं समझता । देशबन्धु ने इस हद तक अपनी स्थिति को साफ कर दिया था कि मैं १९२९ तक पूर्ण दायित्व-युक्त स्वराज्य के लिए इन्तजार करने की तैयार हूँ; पर शर्त यह है कि सरकार के द्वारा एक सम्मान-पूर्ण समझौता पेश किया जाय, जिससे कि लोक-प्रतिनिधियों के लिए सुधार के अनुसार कार्य करना सम्भव हो जाय । वे शर्तें क्या हों, इसका निर्णय सब-दल-परिषद् में सब मिल कर सहृदभाव से चर्चा कर के करें । देशबन्धु के लिए यह असंभव था कि पहले ही से बिना ठीक ठीक जाने ही कि मुडीमैन कमिटी के अल्पमत वालों की सिफारिशें क्या हैं उन्हें मंजूर कर लेते । मेरा मत तो विस्फुल सीधा-सादा है । सुधारों से मेरा तो संबंध है मेरे स्वीकृत और अधिकृत हस्तकों—स्वराजियों—के द्वारा । उन्होंने इस विषय में विशेषज्ञता प्राप्त की है और वे इसमें जो कुछ करेंगे वह मुझे मंजूर होगा । मैं फिलहाल तो ब्रिटिश सरकार के सामने सिवा अपनी कमजोरी के और कुछ नहीं पेश कर सकता । अपनी इस कमजोरी की हालत में तो मैं इस बात का इन्तजार भर कर सकता हूँ कि इंग्लैंड सच्चे दिल से अपने मुंह से ‘हाँ’ करे । जब वह ऐसा करेगा तो मैं अपनी तरफ से बिना शर्त के खलम कर दूंगा । पर इस कमजोरी की हालत में भी मैं अपने अन्दर इतनी ताकत जहर पाता हूँ कि मुझे पता है कि क्या बात हमारे लिए जीवनदायी है और क्या नहीं है, किसे स्वीकार करना चाहिए और किसे अस्वीकार । मैं अपनी तरफ से इनकार नहीं कर सकता । मैं तब तक किसी सार वस्तु की उम्मीद नहीं कर सकता जबतक मेरा निरीह देश शक्तिशाली नहीं हो जाता । इसलिए मुझे तो शक्ति एकत्र करना होगी । और चूंकि मैंने अपने शत्रुओं में हिंसा को स्थान नहीं दिया है मेरा सहारा है चरके

या उसके जैसी वस्तु पर, देशबन्धु के अधिक व्यापक शब्दों में कहे तो देहात के पुनः संगठन पर, और यदि तथा जब आवश्यक हो सविनयभंग पर ।

अब देश के भिन्न भिन्न दलों की एकता को लें, तो मुझे डर है कि स्वराजियों और नरमदलवालों के मत-मेद कुछ बातों में आयुलाम है । कुछ हालतों में सुधार होजाने के बाद सुधारों को कोरा स्वीकृत करलेने से मतमेद आवश्यक-रूप से नष्ट नहीं हो जाता । यदि मैं इस मेद को अपनी धारणा के अनुसार एक वाक्य में कह तो वह यह है-यदि सरकार लोगों की युक्ति-संगत मांग को स्वीकार न करे तो स्वराजी लोग एक नियत समय के बाद उसपर प्रहार करने की आशा रखते हैं और नरम दलवाले सरकार को समझा-बुझाकर जो कुछ मिल सके वही पाने की-उम्मीद करते हैं । इसलिए नरम दल के लोग स्वराजियों के साथ एक हद तक ही चल सकते हैं । पर हो सकता है कि मैं गलती पर होऊँ-शायद मैं हूँ भी । प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक टिकन्स के पात्र बारकिश की तरह मैं तो सदा राजामन्द हूँ ।”

### भीषण नैतिक पतन

बंगाल के दौरे में एक सज्जन ने गांधीजी को एक पत्र दिया जिसमें उन्होंने देशागमन, मद्यपान, नाटक-सिनेमा, गंदे विहापन आदि के द्वारा होनेवाले बंगाल के भीषण नैतिक पतन का भयकर चित्र खींचा है और अंत में गांधीजी से पूछा है कि (१) कामलिप्ता बढानेवाले नाटक-सिनेमा देखने के लिए महासभा के सदस्य या स्वयंसेवक को जाना चाहिए या नहीं ? (२) ऐसे नाटक-ग्रहों में सर्वजनिक सभायें हों या नहीं ? (३) भारतीय राष्ट्रधर्मवादी पत्रों को नाचने-गानेवाली वेदयाओं या उनके द्वारा संचालित नाटकों आदि के तथा शराब और नशीली-चीजों के विहापन छापने चाहिए या नहीं ? (४) क्या तमाम विद्यार्थियों और महासभा के कार्यकर्ताओं को तम्बाकू और शराब पीने से विस्फुल परहेज न रखना चाहिए ? (५) क्या तमाम म्युनिसिपलिटियों और स्थानिक बाजों को मद्यपान, देशागमन को मिटाने के लिए अजहद कोशिश न करनी चाहिए तथा इन सामाजिक दोषों को दूर करने के लिए जोरोंजोर से प्रचार न करना चाहिए ? गांधीजी ने इसपर अपने विचार इस तरह ये० इ० में प्रकाशित किये हैं—

“ पाठक (अन्यत्र प्रकाशित दूसरे लेख से) इस बात को जान जायेंगे कि पतित बहनों को उनके दोष से छुड़ाने के प्रयत्न का परिणाम किस तरह स्पष्टतः पाप का परवाना देने के रूप में हो गया है । मैं जानता था कि वेदयावृत्ति एक महा-भीषण और बड़ते जानेवाला दोष है । दोष में भी गुण देखने की और दया अथवा दूसरी किसी मिथ्या भावना के पवित्र नाम पर बुराई को आयज मानने की प्रवृत्ति ने इस अधःपातकारी पाप-विकास को एक प्रकार के सूक्ष्म आदर-भाव से सज्जित कर दिया है और वही इस नैतिक कुष्ठ के लिए जिम्मेवार है । सरसरी तौर पर देखने वाला भी इसे जान सकता है । नास्तिकता के या बरायनाम की आस्तिकता के इस युग में, आमोद-प्रमोद और भोग-विलास की वृद्धि के इस युग में, जो कि प्रायः रोम के अधःपात की ही भाँति दिलाता है, जब कि वह यों देखने में अपनी बढती की परम सीमा पर पहुंच गया था, किसी उपाय की योजना करना आसान नहीं है । कानून बनाकर उसका निवारण नहीं कर सकते । लंदन इस दोष से खौल रहा है । वैरिस तो इस पाप के लिए प्रसिद्ध ही है । वहाँ तो यह एक फैशन ही बन गया है । यदि कानून के द्वारा यह रुक सकता होता तो इन महा-सुसंगठित राष्ट्रों ने अपनी राजधानियों को इस पापाचार से मुक्त कर दिया होता ।

इस महा-पाप-कर्म का निवारण मुझ जैसे सुधारक के केशों से एक अच्छे धागे में नहीं हो सकता। एक तो इंग्लैंड का राजनैतिक आधिपत्य ही काफी युग है। फिर सांस्कृतिक आधिपत्य तो अनंत गुना हानिकार है। क्योंकि एक ओर जहाँ हम उसके राजनैतिक आधिपत्य से नाखुश हैं और इसलिए उसका प्रतिकार करने का प्रयत्न करते हैं तहाँ दूसरी ओर हम उसके सांस्कृतिक आधिपत्य को बुलाते हैं—अपनी महामूर्खता के वश इस बात को नहीं समझते कि जब सांस्कृतिक आधिपत्य पूर्णता का पहुँच जायगा तब राजनैतिक आधिपत्य हमारे प्रतिकार भी कुछ न चलने देगा। मेरे कहने का कोई गलत अर्थ न करें। मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि अंग्रेजी राज्य से पहले भारतवर्ष में देश-वृत्ति थी ही नहीं, पर मेरे यह अर्थ कहना है कि वह आज की तरह प्रबल नहीं। वह ऊँची श्रेणी के इनेगिने लोगों तक परिमित थी। अब तो वह बड़े पैमाने के साथ मध्यम श्रेणी के युवकों के जीवन को नष्ट कर रही है। मेरी आशा के आधार देश के नवयुवक ही हैं। हम पाप-कर्म के शिकार हो जाने वाले युवक स्वभावतः पाप-निष्ठ नहीं होते। वे तो अविचार-पूर्वक और असहाय हो कर उसमें पड़ जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि हमसे स्वयं उनको तथा समाज को कितनी हानि हुई है। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि एक-मात्र कठिन संयम और नियम-पूर्ण जीवन ही उनको तथा देश को सर्वनाश से बचा सकता है। वर इन सबसे बढकर, जबतक व ईश्वर को अपनी दृष्टि के सामने न रखेंगे और इस मोह-जाल से अपनेको दूर रखने के लिए उससे सहायता की प्रार्थना न करें तबतक कोर सूर्ये संयम और नियम-पालन से उन्हें विशेष लाभ नहीं हो सकता। गीता में योगेश्वर ने ठीक ही कहा है:—

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य चेतनः ।

रसवर्ध रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तत ॥

यह ईश्वर-साक्षात्कार क्या है? यह अनुभव करना कि उसका आसन हमारे हृदय में है। यह अनुभव हमें उसी तरह ही जिसतरह कि बालक बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के माता के बतसत्य का अनुभव करता है। क्या बालक माता के प्रेम के अस्तित्व में युष्क और प्रमाण खोजता है? तर्क-वितर्क करता है? क्या वह उसे दूसरे को सिद्ध कर के बता सकता है? वह तो निरुत्कटा कर कहता है—'बह अवश्य है'। यही अर्थात् ईश्वर के अस्तित्व के विषय में हो जानी चाहिए। ईश्वर तर्क से परे है। पर उसकी प्रतीति अवश्य होती है। हमें चाहिए कि हम तुलसीदास, चैतन्य, रामदास तथा अन्य आध्यात्मिक पुरुषों के अनुभव को घटा न बताएं, जिरा तरह कि हम सांसारिक पुरुषों के अनुभव को नहीं बताते हैं।

पत्र-लेखक ने पूछा है कि महासभा के लोग नाटक-सिनेमा देखना आदि बहुतेरी बातें करें या नहीं? मेरे पहले ही कह चुका है कि नियम-विधान का के हम मनुष्य को सन्मार्ग पर नहीं ला सकते। यदि उन्हें समझाने की शक्ति मेरे पास होती तो मैं अवश्य वेद्याओं का नाटकों में अभिनय करना रुद कर देता। मैं लोगों को तम्बाकू और धराब पीने से रोक देता। मैं जरूर ही तमाम चरित्र-नाटक विज्ञापनों को जो कि हमारे नामांकित पत्र-पत्रिकाओं के कलेवर को कलकित करते हैं, रोक देता। और मैं बहुत निश्चयपूर्वक तमाम अश्लील साहित्य और विप्र जाँ कि हमारे कुछ मारिक-पत्रों को गद्दा करते हैं, बंद कर देता। पर, अफसोस! मुझमें वह समझाने की शक्ति नहीं। परन्तु इन बातों को राज्य अथवा महासभा के द्वारा रोकने का फल शायद असली बुराई से अधिक बुरा हो। जरूरत है ज्ञानयुक्त, विवेकयुक्त, शुणकारी और शुद्ध लोकमत की। ऐसा कोई कानून नहीं है कि ग्लोई-वर से

पैवाने का या अंत-पुर से चुड़साल का काम न लिया जाय। परन्तु लोकमत अर्थात् परिमार्जित लोग-एचि ऐसी कृति का सहन न करेगी। हाँ, कभी कभी लोकमत को बनाता बड़ा कठिन होता है पर वही एकमात्र रामबाण दवा है।

## राष्ट्रीय शिक्षालय काशी-विद्यापीठ बनारस

बनारस के महानगर देशभक्त श्री शिवप्रसाद गुप्त ने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए १० लाख रुपये दान दे कर अभी एक ट्रस्ट गठित कराया है, जिसकी अध्यक्षता श्री ५ हजार रुपये मारिक होती है बनारस के काशी विद्यापीठ को दी जाती है जो कि एक ऐसी संस्था है जहाँ देश के बच्चों को प्रेम-पूर्वक सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा ऊँचे से ऊँचे पैमाने तक मातृभाषा में दी जाती है, जिसे पाकर वे अच्छे सदाचारी, विद्वान, देशभक्त और स्वतन्त्र जीविका पैदा करने वाले आजाद नागरिक बन सकें। इस संस्था को असहयोग आन्दोलन में श्री महात्मा गांधी ने १० फरवरी सन् १९२१ को खोला था और उन्हींके उम्लों को लेकर वहाँ काम हो रहा है।

विद्यापीठ में चार विभाग हैं। १-पाठशाला विभाग, २-विद्यालय विभाग, ३-प्रकाशन विभाग, ४-शिल्प विभाग।

**पाठशाला विभाग**—इस विभाग में छोटे बच्चों से लेकर साधारण स्कूलों के इन्टेंस के पैमाने तक शिक्षा दी जाती है। यहाँ हिन्दी, इतिहास, स्वास्थ्यशास्त्र, रामायण-शाल और आम राजनैतिक जानकारी इन विषयों की पढाई का प्रबन्ध बहुत अच्छा और मुनासिब किया गया है।

**विद्यालय विभाग**—पाठशाला की पढाई समाप्त कर लेने पर विद्यार्थी विद्यालय में भरती किये जाते हैं, यहाँ चार वर्ष का कोर्स है। नीचे लिखे विषय पढाये जाते हैं:—

१. हिन्दी २. इतिहास, अर्थशास्त्र, राजशास्त्र, और कानून ३. गणित और ब्योतिष ४. दशमशास्त्र ५. संस्कृत।

पहले वर्ष में विद्यार्थी को तीन कामना, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी और ऊपर के विषयों में से कोई एक विषय पढना होता है और जेप तीन वर्षों में उसके लिए इस एक विषय की विशेष (गहरी) पढाई और अंग्रेजी रहती है।

**शिल्प विभाग**—पाठशाला की पढाई के साथ कोई एक शिल्प सीखना जरूरी है। शिल्पों में लकड़ी का काम, घेत का काम और बुनाई के काम सिखाये जाते हैं। पूरा ध्यान इस समय हम लोग लकड़ी के काम पर दे रहे हैं। आशा की जाती है कि काम सीखने पर महनत करने से ४०) या ५०) रुपये मासिक कमा लेना कुछ मुश्किल बात न होगी।

**हिन्दी मिडिल पास और इन्टेंस पासों के लिए अच्छा मौका है**

कि वे बेकार पड़े रहने के बजाय काशी विद्यापीठ बनारस जाकर इस लकड़ी के काम को सीख ले और गुलामी से बचकर आजाद तरीके से जीवन निर्वाह करें।

**विद्यापीठ में खर्च और रहने का प्रबन्ध**

मामूली तौर से आठ का ना रुपये महासभियों में एक विद्यार्थी का गुजर हो सकती है। अगर वह अपने आप या किसी विद्यार्थी के साथ शामिल हो कर रोट्टी बना लिया करे, कोई फीस नहीं ली जाती। कुछ योग्य विद्यार्थियों को बजोका भी दिया जाता है।

**विद्यापीठ का पता और खुलने की तारीख**

हर साल की पहली जुलाई को विद्यापीठ के विभाग खुल जाते हैं। जिन विद्यार्थियों को भरती होना हो वे मन्त्री शिक्षाविभाग काशी विद्यापीठ से पत्र व्यवहार करें।

**संयोगात्क शिल्प-समिति, काशी-विद्यापीठ**



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ४२

मुद्रक-प्रकाशक बेणोलाल जगन्नाथ बूच	अहमदाबाद, भात्रण पदी ११, सप्तम् १९८२ गुरुवार, १६ जुलाई, १९२५ ई०	मुद्रकस्थान-नवजीवन मुद्रकालय, सारंगपुर सरकीगरा की बाड़ी
---------------------------------------	--	--

## दार्जिलिंग के संस्मरण

मैंने पाठकों से एक तरह से वादा ही किया था कि मैं उन पांच दिनों के पवित्र संस्मरण, जो कि देशबन्धु के साथ मैंने दार्जिलिंग में प्रताप, उनके सामने उपस्थित कलंगा । उन्होंने मैंने अपने जीवन में अत्यन्त बहुमूल्य बताया है । ज्यों ज्यों समय बीतता है उनकी बहुमूल्यता बढ़ती जाती है । इसका कारण भी मुझे पाठकों को बता देना चाहिए । यद्यपि मैं अब से पहले देशबन्धु के घर में रह चुका था, तथापि वे मुलाकातें किन्तु एक ऐतिहासिक थीं । इस दोनों अपने अपने अतीत कर्मों में दूरे रहते थे । पर दार्जिलिंग में 'दालस' और 'अनन्त' का देवबन्धु मेरे थे । वे वहाँ आराम के लिए गये थे पर मैं तो सिर्फ उनकी साथ दृश्य का वातावरण बनने गया था । आराम के लिए दार्जिलिंग जाना तो मेरा एक निर्भय-साधन था । यदि देशबन्धु वहाँ न होते तो भवलयगिरि का आकर्षण छोड़ें हुए भी मैं वहाँ न जाता । अपनी एक पेंसिल से लिखा चिट्ठा में—इन दिनों उन्होंने मुझे पेंसिल से चिट्ठा लिखना शुरू किया था—उन्होंने लिखा था—'याद रखना, तुम मेरे इलाके में हो । मैं स्वतन्त्र-समिति का मनापति हूँ । तुम्हें अपने दारे में दार्जिलिंग भी रखना होगा । यह मेरा हुक्म है ।' अहा ! क्या अच्छा होता, यदि मैं उनकी इन प्यारी चिट्ठों को गमाल कर रखता, पर अफसोस ! वे उठी रातें बली गईं जिस रातों में ऐसे संकटों कायम चले गये हैं । मैंने उत्तर दिया—यहाँ कार्य-समिति की बैठक होने वाली है । उन्होंने तार किया: 'तो समिति यहीं होने दो न । स्थान का प्रबन्ध मैं करूँगा । बंगाल के आने-जाने का राय देगा । मैं सतकौड़ी को ऐसा तार दे रहा हूँ ।' मैं कार्य-समिति का तो दार्जिलिंग न ले जा सका, पर मैंने यह वादा किया कि समिति की बैठक के बाद जितना जल्दी हो सकेगा आऊँगा । और तो मैं गया । मैं सिर्फ दो दिन के लिए गया था । उन्होंने पांच दिन अपने साथ रक्खा । वासन्तीदेवी से श्री फूफन को कहलवा कर आसाम का दौरा और छह तीस दिनों के लिए बंगाल का दौरा मुस्तवी कराया । मैं इन सब बातों को यह दिखाने के लिए लिख रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कितने उत्सुक थे । पर जान पड़ता है, जैसा कि अब टाण्डार हुआ है, देशबन्धु की दिन दिन मजबूत आनेवाली दार्जिलिंग हमें एक दूसरे के इरादों के अन्तर्गत आने के लिए तैयार कर रही थी ।

वे रोग-दरम पर तो न थे, आराम हो चले थे । उनके शरीर की बहुत संभाल रखने की आवश्यकता थी । पर वे मेरे तथा मेरे साथियों के आराम के लिए छोटी से छोटी बात पर ध्यान देते थे । उनके अतिथि-सत्कार का तो पूछना ही क्या ? दर्गा-दिल टहरे ! उन्होंने नीचे तलहटी से पांच बकरियाँ भेजा कर रक्खी थीं । उन्होंने कभी एक भी जून मेरे दूध का नामा न होने दिया । वासन्ती देवी के बहुनोचित सत्कार का तो अनुभव मुझे पहले से था; पर दार्जिलिंग में तो मेरी देख-भाल छूट केवल मुझे अपने भ्रमों में थी । और क जर्मन मुझे किसी किसम की बनावट ही मालूम होती थी । अतिथि-सत्कार तो उनके कुल का विद्या ही था । उन्होंने कई अपने मुक्त-हस्त अतिथि-सत्कार की कथाएँ सुनाई थीं । दार्जिलिंग में मुझे उनके अपरिचित जनों अथवा राजनैतिक प्रतिपक्षियों के प्रति आदर-भाव का परिचय मिला । उन्होंने कहने से खादी प्रतिष्ठान वाले सतीश बाबू वहाँ मुलायम गये—इसलिए कि उनके साथ वे पंगाड़ में हाथ-कटाई और खादी का काम करने का जो तजवीज हम गीन चुके थे उसके संबंध में विचार करें । सतीशबाबू को उन्होंने अपने ही घर में आग्रह के साथ ठहराया । कहा 'मुझे पता है कि सतीशबाबू समजते हैं, मेरा खयाल उनके निश्चय अच्छा नहीं है । उनसे मेरा परिचय भी नहीं है । आप जानते ही हैं, मैं अपने और मित्रों की चिन्ता नहीं करता । उनकी गलत-कहणी नहीं हो सकती । सतीशबाबू को हम जरूर इसी घर में ठहराएँ ।' उन्होंने बंगाल के भिन्न भिन्न राजनैतिक दलों का भी वाते निकाली और एक मौके पर मैंने स्वराज्य-दल पर लगाये जाने वाले घृण के तथा नाजायज तरीके अत्याचार करने के इन्जाम का जिक्र किया । मैंने उनसे यह भी कहा था कि सर सुरेन्द्रनाथ ने मुझे बंगाल से विदा होने के पहले एक बार फिर मिल जाने का न्यौता दे रक्खा है । उन्होंने कहा—'जरूर जाओ, और उनसे ये सब बातें कहना जो तुम्हारे-मेरे बीच हुई हैं । कहना कि घूम आदि के तमाम आरोपों से मैं जोर के साथ इन्कार करता हूँ । अगर स्वराज्य-दल के जगमें एक भी ऐसा इन्जाम रूप जाय तो मैं सार्वजनिक जीवन से हट जाने के लिए तैयार हूँ । बात यह है कि बंगाल का राजनैतिक जीवन आरक्षणिक ईर्ष्या-द्वेष और शिष्टे बार करने की प्रवृत्ति से भरा हुआ है । स्वराज्य-दल की यह

एकाएक उन्नति और सफलता कुछ लोगों के लिए असंभव हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन तमाम इल्जामों की तहकीकात करो और अपना निश्चित राय दो। मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि बेइश्वारी पर मेरा उतना ही विश्वास है जितना कि तुम्हारा है। मैं जानता हूँ कि हमारा देश अप्रामाणिक साधनों से आजाद नहीं हो सकता। यदि तुम तमाम दल वालों को एकत्र कर दो या कम से कम आपसका मनमुटाव ही हटा दो तो देश की भारी सेवा करोगे। तुम श्याम बाबू और सुरेश बाबू से खास तौर पर कहना। यदि उन्हें किसी बात का सन्देह है या अविश्वास हो तो वे मुझसे आकर क्यों नहीं कहते? इनारे विचार बाँटें जुड़े जुड़े हों पर इसके लिए हमें एक-दूसरे को गालियाँ देने की आवश्यकता नहीं है।' मैंने बीच ही में कहा— 'फारवर्ड के भी खिलाफ धिकायत है। उनके निस्वत? मैं तो अस्वकारों को पढ़ना नहीं हूँ; पर मेने 'फारवर्ड' की निरयत भी एसी शिकायतें सुनी हैं।' 'हाँ, 'फारवर्ड' का अपराध हो सकता है। तुम जानते ही हो कि मैं उस तरह फारवर्ड में नहीं लिखता हूँ, या उसकी देख-भाल करता हूँ जिस तरह कि तुम 'संघ' की करते हो। पर अगर ऐसी बातें लोग मेरी नज़रों में लावेंगे तो मैं जरूर खुशी से उनकी तहकीकात करूँगा और शिकायत रफा कर दूँगा। मैं समझता हूँ कि तुम फारवर्ड को हमेशा अपने बचाव में लिखते हुए देखोगे; पर हाँ बचाव में भी आदमी अपनी मर्यादा को उल्लंघन कर सकता है। तुम जानते ही हो, इन दिनों मैं 'फारवर्ड' की एक अत्युक्ति के मामले की खोज कर रहा हूँ। जो बात मेरे सामने पेश हुई है वे यदि सच है तो वह अत्युक्ति अक्षम्य है। पछीन मानो, मैंने बड़ी कड़ी चिट्ठी इस संबंध में लिखी है। अर्थात् कि मैंने लेखक को भी सुनाया है।' इस तरह बातों का निराला चलता रहा। मैंने उसके दरम्यान देखा कि प्रतिपक्षी के साथ न्याय करने के लिए तथा प्रतिपक्षी के साथ तमाम दल वालों की एकता के लिए देशबन्धु ध्यान से बड़ी चिन्ता रखते थे।

मैंने पूछा— 'सब दलों की परिषद या जैसा कि श्री केलकर की सूचना है, महासमिति की बैठक करने के संबंध में आपका क्या राय है?' उन्होंने जवाब दिया— 'फिलहाल मैं ये राय नहीं चाहता। महासमिति का बैठक फजूल है। क्योंकि हम स्वराजियों को यह खेद दिलाना ही होगा। हमें नये मताधिकार को पूरा पूरा मौका अवश्य देना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूँ, चरखे के संबंध में मेरा मत तुम्हारे ही जैसा होता जा रहा है। मुझे डर है कि हम स्वराजियों ने सब जगह इस गैल को नहीं खेला है। बंगाल में तो, तुम कहते ही हो, किसी दल ने तुम्हारा विरोध नहीं किया। पर अगर मैं बिर्छाने पर न पड़ा होता तो मैं चरखे की जबरदस्त सफलता कर के दिखा देता। मैं कहता हूँ, मैं दिव्योमान से चरखे का प्रचार करना चाहता हूँ और मैं उसके संगठन के लिए तुम्हारी मदद भी चाहता था। पर तुम देखते ही हो मैं किस तरह बे-बस हो रहा हूँ। इस साल तो मताधिकार में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। उन्हा हम सब लोगों को उसे पूरा मौका देना चाहिए। मैं इसके लिए महाराष्ट्रीय मित्रों का लिखने वाला हूँ।'

और प्रस्तावित सर्व-दल-परिषद के संबंध में उन्होंने कहा— 'इसी वक्त हम यह परिषद न करें। मैं लाउ बर्कनेहड से किसी भारी चीज की आशा रखता हूँ। वह एक मजबूत विचारों का आदमी है और मैं ऐसे आदमी को पसंद करता हूँ। वह ऐसा बुरा नहीं है जैसा कि उसके मापणों से मालूम होता है। यदि हम परिषद की आयोजना करेंगे तो हमें मौजूदा हालत पर कुछ

जरूर कहना होगा। मैं नहीं चाहता कि हम अपनी मांगों को उससे कहीं अधिक गढ़ कर जितना कि अभी देने के लिए वह तैयार हो, उसे उल्लंघन में डाल दें। मैं नहीं चाहता कि हमारी मांगों को हम कम बता कर उसे निराश कर दें। अभी हमें धर कर देखना चाहिए। इससे हमारा कुछ फुफमान न होगा। यदि उसका वक्तव्य सन्तोषजनक न होगा तो उस समय सब दलों की परिषद करना और सब का मिल कर एक रास्ता निश्चित करना ठीक होगा।' मुझे परिषद न करने का यह एक नवीन कारण मालूम हुआ और यह मैंने उनसे कहा भी। मैंने कहा जब तक आप या भानोलालजी न चाहेंगे या सब दलों के प्रतिनिधियों की ओर से उसकी मांग न की जायगी तब तक मैं उसका आयोजन न करूँगा। पर मैं यह बात आपसे कतल करता हूँ कि मुझे कैसा विश्वास नहीं है जैसा कि आपका तो रहा है। हिन्दू-मुसलमानों के अनवय को देखिए— बट्टा ही जा रहा है। प्राणियों और अजातियों के झगड़े का स्थाल काँजए। बंगाल के राजनैतिक दलों को देखिए। यह साफ जाहिर हो रहा है कि जितने कमजोर हम आज हैं उतने कभी न हों। और क्या आप मेरी इस बात से सहमत नहीं होते कि अंगरेज लोगों ने यमजोरी के हक में कभी कुछ नहीं दिया है? मैं समझता हूँ कि गैल से किसी भारी चीज की उम्मीद रखने के पहले हमें अपनेको इतना बलवान बना लेना चाहिए कि किसीके रोके न रुक सके' देशबन्धु आनुरता से बोले— 'तुम तो किसी तार्किक की तरह बात कर रहे हो। मैं तुमसे यह बड़ रहा हूँ जो मेरा दिल कहता है। भीतर ही भीतर मेरे दिल में यह प्रेरणा हो रही है कि हमें कोई भारी चीज मिलने वाली है।' इसपर मैंने आगे बढ़ना न चलाई। ऐसी धृष्टा के सामने मैंने अपना रार शुका दिया। मैंने उनसे कहा कि अंगरेजों के शील के प्रति मेरे हृदय में बड़ा आदर-भाव है। उनके अन्दर मेरे ऐसे ऐसे मित्र हैं कि जितना अन्दाज नहीं किया जा सकता। पर मैंने देखा कि अंगरेजों पर उनकी धृष्टा मुझसे भी अधिक थी। अंगरेज लोग जान लें कि देशबन्धु की सृष्टि के द्वारा उन्होंने अपना कैसा भारी दोषन खो दिया है।

चर्चा और खादी की चर्चा में ही हमारा आधिक समय जाता था। खास तौर पर देशत के पुनः संगठन के सिन्धिले में। इसके लिए उन्होंने कोई बैठ लाख रूपया भी जुटा रखवा था। मैंने उनसे कहा कि आपकी योजना इतनी भारी है कि एकाएक अमल में नहीं लाई जा सकती। प्रचार बाबू का तैयार किया बाँचा मेने देगा है और मुझे यह विचार पसंद नहीं है। वह बिल्कुल अव्यवहार्य मालूम होता है। देशबन्धु उमे न देख पाये थे। उन्होंने भी कहा कि हाँ, वह योजना नहीं चल सकती। और सब पूछिए तो प्रणाम बाबू ने भी उनके न चल सकने की बात को मान लिया। मैंने देशबन्धु से कहा कि माय-मायन्धी तमाम कामों का मध्यनिन्दु चरखे को बनाना चाहिए। उसके आगपाम तमाम बातें मूनी रद और ज्यो ही चरखे के पैर जम जाय त्यों ही उनकी सुकवात कर दी जाय। मैंने यह भी सुनाया कि यह ग्राम-संगठन का काम राजनैतिक धांधली से मुक्त रहे और एक ऐसे लोगों की समिति के बिम्बे कर दिया जाय जो उसके विशेषज्ञ हों। उसे तथी रूप से अधिकार दे दिये जाय; उसका एकमात्र काम रहे ग्राम-सेवा करना। मैंने सूचना की कि सतीश बाबू से कहा जाय कि वे ऐसी समिति बनावे और महासभा का तरफ से इस काम का जिम्मा ले लें। मैंने अपने कथन का सार-मान यहाँ ही दिया है। देशबन्धु ने केवल उससे सहमता ही हुए, बल्कि उन्होंने उन बातों को नोट भी कर लिया। वे तुरन्त ही उसके अनुगार काम

करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे दार्जिलिंग में रहने ही सतीश बाबू ने उनके सम्बन्ध में बातचीत कर लेना चाहता हूँ। और फिर राहासभा की गति में उनके लिए आवश्यक प्रस्ताव करने को हिदायत दे दूँगा। तब तुम्हें सतीश बाबू बुलाये गये। वे आये। पहले तो हम तीनों ने साथ बैठ कर सलाह-मशवरा किया, फिर मैं दूसरे काम में लग गया और देशबन्धु अकेले सतीश बाबू से बात करते रहे। तब हुआ कि सतीश बाबू सत्या के पहले सदस्य हों। रातकोटी बाबू दूसरे और दोनों मिल कर एक तीसरे सदस्य को चुन लें। आम-कोर का एक दृष्टिा तुरन्त उनके दृष्टिकोण कर दिया जाय और मैं उल्फण्डपुरी में मिलने वाली पैंली का एक अंश उगमें दूँ। यदि आवश्यक हो तो संस्था लोक-निर्धारण संस्थाओं के कानून के अनुसार रजिस्टर करा ली जाय जिससे कि उसकी गतिपद भङ्गन हो जाय। देशबन्धु इस काम के लिए उम कामन को देखनेवाले भी हैं। देशबन्धु ने प्रस्ताव याचू से इस भाग चर्चा और इस निर्णय का क्रिय किया है और उन्हें इनके अनुसार काम करने का सूचनाये भी दे दी है।

यह भी चर्चा के प्रति और उनके द्वारा आम-गठन करने की उनकी पुनः। यदि लाउ बरकनहेड जैसे निराश कर दें तो मैं नहीं जानता कि हम भारतीयों में क्या करेंगे, पर मैं यह अवश्य जानता हूँ कि हम आपके चर्चा के कार्यक्रम को जल्द आम बटाना चाहिए और अपने गांधी का गठन करना चाहिए। हमें अपने राय को फिर उपमणील बना लेना चाहिए। हमें धारासभाओं के लिए शक्ति उत्पन्न करना चाहिए। मुझे बंगाल के नवयुवकों की सहायता करनी चाहिए। मुझे यदि सम्भव हो तो सरकार की सहायता से और आवश्यक हो तो उसके बिना यह प्रत्यक्ष दिखाने चाहिए कि बिना हिंसा के स्वराज्य प्राप्त हो सकता है। हमारे देश के उदार के लिए अहिंसा जितना तुम्हारा धर्म है उतना ही मेरा अन्तिम धर्म ही भया है। अहिंसा के बिना गतिनय भंग नहीं हो सकता। और साधनय भंग को शक्ति के बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता। शय पृथक् जाय तो हमें गतिनय भंग शायद कभी न करना पड़े, पर हमें उसकी योग्यता अवश्य आ जाना चाहिए। अपने अन्तर्गत जीवनियों के लिए मुझे काम जल्द सौजन्य चाहिए। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ कि यदि हम उसकी शक्ति न करेंगे तो एक पधच्युत हो जाने का डर है। मेरे मुँह से मैंने अपने तमाम कानों में सत्य का मूल्य सीखा लिया है। तुम कम से कम कुछ दिन उनके साथ रहो तो अच्छा। तुम्हारी और मेरी आवश्यकतानें मित्र मित्र हूँ। पर उन्होंने मुझे बह बल प्रदान किया है जो मुझमें पहले न था। मैं पहले जिन बातों को अस्पष्ट रूप में देखता था, वे अब मुझे साफ साफ दिखाई देने लगे।

पर अब इस बातचीत को मैं आगे नहीं ले जा सकता। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि यह बातचीत अन्त को आधिकारिक चर्चा आयवा सभापण में परिणत हो गई। उनके मुँह से इन बातों की धारा चल रही थी कि आजकल वे क्या कर रहे हैं और सशक्त हो जाने के बाद क्या करना चाहते हैं। उस संभाषण से मुझे उनकी गम्भीर आ साहिक प्रकृति का आन्तरिक ज्ञान हुआ, जो कि मुझे पहले न था। मुझे पता न था कि कितने ही गम्भीर नानी बगालियों की तरह यह उनकी जी जबरदस्त धुन थी। जबसे कोई चार साल पहले जब उन्होंने गंगा किनारे एक कुटी बनाकर रहने की बात मुझसे की, और सागून अस्पताल में मैं उन्होंने उसे दुहराया था,

तब मैं अपने दिल में हवा और उनसे दिल्ली में कहा—जब आप कुटी बनावेंगे तो मेरा भी उममें हिस्ता रहेगा। पर दार्जिलिंग में मैंने अपनी इस गलती को देखा। अपनी राजनीतिक बातों की जगह अपनी कुटी की लगन उन्हें बहुत ज्यादा लगी हुई थी। राजनीति में तो वे पारस्विक से मजबूर हो कर पड़े थे।

**भादवन्द्यास करमचन्द गांधी**

[ ये गस्परण ८ जुलाई को बाकुठा में लिखे गये थे। कलकत्ते में लाई बरकनहेड का भाषण १ तारीख को हुआ और उसी दिन मैंने उसे अवलोकन किया। ये पत्रिका १० तारीख को लिख रहा हूँ। जब मैंने उनके भाषण को गौर से पढ़ लिया है। उससे इन गस्परणों का मूल्य और भी बढ़ जाता है। मैं कह सकता हूँ कि लाई बरकनहेड के इस भाषण से देशबन्धु को कितनी चौख पट्टी मिली। किसी न किसी तरह उन्होंने अपना यह खवाल बना दिया था कि लाई बरकनहेड को भारी बात कर दिखाने वाले हैं। मेरा नाकिल राय में यह भाषण जबरदस्त निराशाजनक है। इस कारण से नहीं कि उसके द्वारा उन्हें कुछ मिला नहीं है, बल्कि इस बात से कि उसमें नाकिल-मंत्री ने बिल्कुल अंगभंग बातें कहा सारी हैं। उनकी हर एक मुत्तय मुत्तय बात का देश के हर एक बाबू ने जण्डन किया है। सबसे भारी दुःख की बात तो यह है कि शायद वे उन सब बातों पर जो कि उन्होंने कही हैं, विचार भी करते हैं। अगरेज लोगों में आत्म-बगला करने की गजब की शक्ति होती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इससे वे कितनी ही दिवत-तलब हालतों में से निकल जाते हैं; पर उ से दुनियाँ को, जिसके कि एक बड़े भाग पर उसकी हुकूमत है, अपरिमित हानि पहुंचती है। वे अपना भ्रमपूर्ण विश्वास बना लेते हैं कि हम यह सब बिल्कुल यदि नहीं तो मुख्यतः दुनिया के कामों के लिए करते हैं। यदि हो सका तो मैं इस अनोके अभिनय की समीक्षा अगली संख्या में करने की चेष्टा करूँगा। इस बीच हमारा कुछ कर्तव्य उस नृत आत्मा के प्रति है जिसने अगरेजों को भारतवर्ष के संबंध में पहले से अधिक विचार करने पर मजबूर किया है। अगर वे जीवित होते तो इस समय क्या करते? निरन्तर होने का कोई कारण नहीं, गुस्ता करने के लिए तो और भी कम। लाई बरकनहेड से कुछ उम्मीद रखने की कोई कारण-नामगी हमारे सामने न था। भारतवर्ष में अगरेजों कासन का प्रस्ताव में उन्होंने जो कुछ कहा है वह कोई नई बात नहीं है। कोई परिश्रमों उपरापादक यदि अपने कतरनों की किताब लेकर बैठ जाय तो वह लाई बरकनहेड के द्वायातनामा पृथिविकारियों के भाषणों से भंसी ही बातें प्रायः इन्हीं शब्दों में ला कर रख देगा। यह भाषण पया है, हमें अपने घर को सु सुवस्थित बनाने की नाटिस है। मैं तो अपनी तरफ से इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना हूँ। मेरे सामने देशबन्धु का मुस्ता भी मौजूद है। मैंने पाठकों के सामने भी उसे पेश कर दिया है।

( य० ६० )

मो० क० गांधी ]

**आश्रम भङ्गनायली**

चौथी आश्रम उपकर तैयार हो गई है। पृष्ठ संख्या ३६८ होते हुए भी कीमत सिर्फ ०-३-० रखनी गई है। आश्रम खरीदार को देना होगा। ०-४-० के टिकट भेजने पर पुस्तक युक्तोस्ट से फौरत रवाना कर दी जायगी। बी. पी. का नियम व्यवस्थापक

हिन्दी-नवजीवन

## हिन्दी-नवजीवन

उत्तार, भावण वरी ११, संवत् १९८२

### शंका-निवारण

आजकल मुझे देवबन्धु-स्मारक के लिए अग्र्य इकट्ठा करने कई सज्जनों के यहाँ जाना पड़ता है। ऐसे धनिक महाशयों में श्री साधुगाम नुलारामजी हैं। उनके यहाँ मे चन्दा तो अच्छा मिला ही; परन्तु यहाँ कुछ धर्म की चर्चा भी हुई। चर्चा ने अस्पृश्यता का विषय भी था। किमी महाशय ने मुझसे कहा कि अस्पृश्यता में ऐसी मजबूती है कि मैं कहना हूँ कि जिनको हम अस्पृश्य मानने हैं उनसे रोटी-ब्रेडी-व्यवहार भी होना चाहिए। इस शंका का निवारण उन भाइयों को जिन्होंने प्रश्न किया था आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ। और उन्होंने मुझसे कहा कि जो बान आपने यहाँ कहीं है उसका सारांश आप हिन्दूजी० में दे दीजिए। मैंने उनकी सलाह को मान लिया। उसका सारांश मैं यहाँ देता हूँ।

प्रथम तो जनता को माहूम होना चाहिए कि मैं अल्पतरु नहीं पढ़ता हूँ; और यदि पढ़ भी लेता हूँ तो जिनकी भर गलतियाँ मेरे नाम पर छपती हैं सबको दुःखत करना मैं अभिभव समझता हूँ। इसलिए प्रथम मनुष्य जिसको कुछ भी शंका हो मुझे पूछ लें कि मैंने क्या कहा था। इसी अस्पृश्यता के विषय में यदि किसीने ऐसा छाप दिया है कि मैं अस्पृश्य भाइयों के साथ रोटी-ब्रेडी व्यवहार चाहता हूँ, या मैं उसको उत्तेजना देता हूँ तो वह गूढ करता है। मैंने हजारों बार स्पष्टतया कह दिया है कि अस्पृश्यता-भाव का यह अर्थ कभी नहीं है कि रोटी-ब्रेडी-व्यवहार की मर्यादा तोड़ दी जाय। रोटी-ब्रेडी-व्यवहार किमके साथ किया जाय और किसके साथ नहीं, यह एक अलग बात है। उसका निर्णय करने की कोई आवश्यकता मुझे इस समय प्रतीत नहीं होती। मेरा तो यह भी विश्वास है कि दोनों प्रयों को साथ मिलाने से जिस गुबार को हम आवश्यक मानते हैं वह भी एक जायगा। अस्पृश्यता को दूर करना प्रत्येक हिन्दू-धर्मावलम्बी का कर्तव्य है। इसके साथ किमी भी दूभरे विषय को मिला कर हम उसे हानि पहुँचावेंगे।

हां, जन्म-ग्रहण करने के विषय में मुझे कुछ कहना है। यदि हम शूद्र के हाथ से खन्ड जन्म ग्रहण करें और करते हैं और करना चाहिए तो हम अस्पृश्य के हाथ से भी स्वीकार करें। मेरे नजदीक चार वर्ष हैं। जन्म जन्मा कोई पांचवाँ वर्ष नहीं है। इसलिए हम अस्पृश्यता का भिदा कर अस्पृश्य माने जाने वाले हिन्दुओं का दुःख दूर करें, हिन्दू

धर्म की आदि करें और हम मुक्त बनें। दूसरे जन्मों में इसी बात को फट्टा ता किमी धर्म में निन्दा और मृणा के लिए स्थान नहीं है। अस्पृश्यता के अन्तर मृणा-भाव है। इस मृणा-भाव को हम भिदा दें। हिन्दू-धर्म सेवा-धर्म है। अस्पृश्य को जाने वाले लोगों को हम सेवा में क्यों बंधित रखें ?

मोहनदास गांधी

### सत्य पर कायम रहो

बकरोद के दिन त्रिदिरपुर में जो हिन्दू-मुसलमानों का दंग हुआ उसका छान सुनने का उत्तर में मैंने पाठकों को नहीं बाला, हाल कि मैंने एक कुछ घण्टे बाद खुद मौके पर पहुँच गया था। पर हाँ, रणा रोड को वापस लौटते ही एसोसियेटेड प्रेस के प्रतिनिधि से मैंने उच्च वचन लिया था। उसमें मैंने विचार के तरगत अपनी यह राय दी थी कि हिन्दू कुलियों का सारा दोष था। इस बात को पढ़ कर कुछ हिन्दू सज्जन मुझ पर बड़े बिगड़े हैं और इस बात पर कि मैंने हिन्दुओं का दोष बताया, मुझे बहुत बुरा-भाळा कहा है। चिट्ठियों में मुझे खूब मालियाँ दी गई हैं और उनका स्वर और उग कोशोत्पादक भी है। यहाँ तक कि एक ने तो मुझे मुसलमान नाम भी प्रदान कर दिया है! मैं इन पत्रों का उत्तर यहाँ यह विचारने के लिए करता हूँ कि हमारे कुछ लोग अपने मजहब के अवाच्य जोश में किस एत तक पहुँच गये हैं। हम इस बात का देखना और सुनना ही नहीं चाहते कि हमारे अंदर भी, हमारा भी कुछ दोष है। जब किसी धर्म-विशेष के बहुसङ्ख्यक अनुयायियों की यह रोजमर्रा की शकल हो जाती है तब समझ लेना चाहिए कि वह धर्म इन रहा है; क्योंकि धर्मरथ की नींव पर स्थित कोई बात अधिक समय तक नहीं टिक सकती।

मैं तो यह कहने का साहस करता हूँ कि मैंने बिना किसी क-विभायत के हिन्दू कुलियों के दोष का प्रकट कर के हिन्दू-धर्म को सेवा ही की है। मेरी इस स्पष्टीकरण पर कुछ कुलियों ने भी अपनी नाराजगी न प्रकट की। बल्कि उलटा वे तो उसके लिए कृतज्ञ होते हुए दिनाई दिये। उनके दिल में पश्चात्ताप की प्रेरणा हुई, उन्होंने अपने कुम्भ को कुबूल किया और सबेरे दिल से उनके लिए मुआफी मागी।

अच्छा तो अब मैंने खुद जो कुछ अपनी आँखों से देखा और अपने दिल में अनुभव किया उसे न कहता तो क्या करता? क्या मैं गुनहवार लोगों को छिपाने के लिए झूठ बोलता? जब कि आधी रात को हर बक हर जगह जा पहुँचने वाले सेवाददाता मेरे पास पहुँचे तो क्या मैं घाम-चीन करने से इन्कार कर देता? उस समय भी जब कि कहने का प्रसंग था, यदि मैं सब सब कहने में आगा-पीछा करूँ तो मेरा अपनेको हिन्दू कहलाने का अनिकार नष्ट हो गया होता, मैं महाशय के समापति-पद के अयोग्य जगमको गणित करता और एक सत्याग्रही के तौर पर अपने नाम को धव्या ऊठाता। हिन्दुओं को चाहिए कि वे खुद उस इज्जत के अपराधी अपनेको न बनायें जोकि वे बिना किसी मुसलमानों पर लगाते हैं — अर्थात् यह कि पहले तो बुरा काम करना और फिर बुरा बोल कर उसे छिपाना।

एक पत्र-लेखक कहते हैं कि जब कि देहली में हिन्दुओं ने आपका सहायता माही तब तो आपने कह दिया, क्या कर,



निर्णय हूँ, कुछ बस नहीं है: जब लखनऊ में आपको बुलाया गया तो आपने टाल-टल कर दिया और अब जब कि हिन्दुओं पर छी: भू: करने का मौका आया तो फौरन आप मौके पर जा धक्के और उनके संबंध में बिना विचारे राय कागम कर डाली! तो पाठक इस बात को जान लें कि मैं हिन्दुओं की तरफ से, एक हिन्दू के द्वारा निर्बंधन मिलने पर, तथा श्री सेनयुक्त के बुलाये जाने पर, बर्दा गया था। मेरी बेचसी के रटते हुए भी जब कि खास लड़ाई ही हो रही हो और खास कर जब कि किसी भी एक पक्ष की तरफ से मुझे बुलाया आये तो मुझे अवश्य उनकी सहायता के लिए उहाँ पहुंच जाना चाहिए। मैं अपनी लाचारी तो उम हालत में प्रकट करता हूँ जब कि एक पक्ष के लोग मुझे किसी प्रगवे को निपटाने के लिए या उसे रोकने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि कुछ किस्म के हिन्दू और मुसलमानों पर अब मेरा प्रभाव नहीं रह गया है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों दालतों का अन्तर इतना साफ है कि उसे गोल कर बतलाने की आवश्यकता नहीं।

परन्तु पत्र-लेखक कहते हैं और हिन्दुओं के एक विष्ट-मण्डल ने भी, जो कि मुझसे मिलने आया था, कहा कि आपने जो हिन्दुओं को बुरी तरह फटकारा है उससे मुसलमानों को निर्दोष लोगों पर हमला करने का बड़ा उरमाह मिल गया है और मुसलमान गुणों को बाजार में हिन्दू दुकानों को छूटने का मौका मिल गया है। तो यदि मेरे हिन्दुओं के कु-कृत्यों की गिन्दा-फटकार करने का फल यह हो कि मुसलमान लोग कु-कृत्य करने लगें, तो इससे मुझे बड़ा रज होगा। पर इतना होते हुए भी मैं उचित काम करने से पीछे न हूँगा। और हिन्दू लोग मुसलमानों के हमले से डरें क्यों? यदि हिन्दू लोग मेरे अहिंसात्मक और त्यागात्मक उपाय का अवलम्बन न कर सकें, और मैं मानता हूँ कि धन-दौलत रखनेवाले व्यक्तियों के लिए वह मुश्किल है, तो हिन्दुओं के लिए अवश्य ही यह ठीक होगा कि अपनी आत्मरक्षा का हर तरह से उपाय करें। हम चाहे हिन्दू हों वा मुसलमान, अबतक अपनी मोहता न छोड़ेंगे और आत्म-रक्षा करने की विद्या न सीख लेगे तबतक हम मनुष्य नहीं कहला सकते। जो लोग खुद अपनी रक्षा करना नहीं सीखन, लेकिन बोरों के द्वारा कराना पनाद करते हैं उनके लिए पर जा निश्चित खतरा हमेशा संभराता रहता है उसे कुछ छिप कर किसी तरह नहीं टाल सकते। खिहरपुर के हिन्दुओं की जो भागेना भेजे की है उसमें उन लोगों की गर्सना अग्रश ही नहीं है जो कि अपनेपर होने वाले आक्रमणों से अपनी रक्षा करते हैं। यदि हिन्दू लोगों ने खुद ही कर मार-पीट करने के बजाय, आत्म-रक्षा के लिए हर तरह के संकट का मुकाबला किया होता और उसमें प्राण भी दे दिये होते तो मैंने उनकी शरता की सारीफ की होती। परन्तु खिहरपुर में, जहाँतक मुझे पता है, उनकी तादाद बहुत ही भारी थी और खुद होकर उन्होंने हाथ भलाया था। मुसलमानों की ओर से मार-पीट का कोई कारण नहीं दिया गया था। जिस तरह कि मैंने गुलबर्गा और कोहाट में किये मुसलमानों के कु-कृत्यों को, जो कि मेरी राय में बिल्कुल अनावश्यक थे, बिला रिक्त विचार था, उसी प्रकार मैं उत्तेजना का कारण मिले बिना ही मैं मार-पीट को जरूर बिला शिक्तके बुरा कहूँगा। एक बार पर दो बार करने को भी मैं समझ सकता हूँ; परन्तु बिना किसी किस्म की उत्तेजना, या खास मौके के लिए पंदा की गई उत्तेजना के, की नहीं खन-खराबी के इत में मैं अपनी राय कैसे बना सकता हूँ?

(यं० हं०)

मोहनदास करमचंद गांधी

## कुछ प्रसंग

(१)

मैमनसिंह में गांधीजी महाराज के मटल में ठहराये गये थे। मटल में ठहरने हुए गांधीजी को शम हांता है। नूबनकोर के महाराज के अतिथि-गृह में प्रवेश करते हुए वे ठिठकते थे। वहाँ तथा मैमनसिंह में भी उन्होंने इसका कारण बताया — 'मुझे आप लोग ऐसे नकानों में ठहराते हैं जिसमें मुझे भी पसोपश होता है और लोगों को भी होता है। मुझसे तो मुझ जैसे ऐरी-गैरी लोग भी मिलना चाहते हैं। महलों में कालीन का पर्श खराब हो इससे तो बहतर हो कि मैं मामूली घरों में टहरूँ। और दूसरा बर तो यह है कि गरीब लोग आपके मटलों से चौक कर शायद मिलने भी न आवें।' महाराज ने कहा— 'इस मटल के सब दरवाजे सब से शाम तक खुले रहेंगे। और किसी आने-जाने वाले की रोक-टोक न होगी।' दूसरे दिन गांधीजी का स्वास्थ्य कुछ खराब रहा। इधर गेह जोर का बरस रहा था। सभा तो हो ही कैसे सकती थी? इसलिए यह तय किया गया कि जिला बोर्ड की तरफ से अभिनन्दन-पत्र बगले ही में दिया जाय। पर ऐसा करने से लोगों से किस तरह मिल सकते थे? महाराज ने तजवीज की कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको तकलीफ तो होगी, पर एक काम किया जाय तो हो सकता है। आप बरामदे में एक सोफा पर लेटे रहिए और लोग आपके दर्शन करते हुए एक दरवाजे से होकर दूसरे दरवाजे से चले जायें। गांधीजी ने कहा 'पानी तो इस तरह बरस रहा है। लोग होंगे तब न?' लोगों का क्या पूछिए, हजारों की भीड़-छाते सहित और छाते-रहित-खड़ी थी। गांधीजी ने इस तजवीज को पसंद किया। सोफा बरामदे में पहुंचाया गया और उनपर चरखा रक्खन-रक्खन दोपहर के तीन बजे से ले कर शाम के छः बजे तक महाराज के बगले में हजारों आदमी गांधीजी का दर्शन करते हुए गये। कितने ही लोग चौतरे की सीटियां चढ कर चरखे को स्पर्श कर जाते थे और कितने ही सोफा की। क्योंकि सब लोग जानते थे कि गांधीजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कुछ समय तक तो गांधीजी कातते रहे; पर फिर लेट जाना पडा। हजारों लोगों के भ्रमण में और जोर की बारिश में भला आराम तो क्या मिल सकता था? पर शाम तक वे इसी तरह लेटे रहे। शाम को बदन दुदने लगा। महाराज ने तथा अन्य मित्रों ने कहा— 'आज आपको बड़ी तकलीफ हुई।' गांधीजी उत्तर देते हैं— 'तकलीफ तो आर सचमुच की रही। पर चरखे के लिए खितने नान आप नचावेंगे उतने नाचने के लिए तैयार हूँ। इतना करते हुए भी यदि लोग मेरे खादी के पैगाम को कबूल कर लें तो मुझे यह भी भजू है।'

(२)

एक दूसरे म्यान पर सभा का समय हो गया था। एक दो बार समय न मिलने से गांधीजी जाना न खा सके थे। इसलिए उध दिन सतीश बाबू ने सभा के समय की खबर न ही। पांच सात मिनिट को देर हो गई। भोजन कर के गाडी में बैठे। घड़ी की ओर देख कर पूछा, सभा कै बने है? यह जानकर कि सभा का समय हो गया, बिगडे। सतीश बाबू ने कैफियत पेश की— 'आपके भोजन के समय को खयाल में रखकर सभा का समय न रक्को तो फिर क्या करें?, गांधीजी बोले 'मुझे चाहे भूखों मार डालो, पर समय को न भूखों मारो।' ये समास सभाये एक ही बात के लिए हैं और उस बात की सिद्धि के लिए समय की भी पूरी पाबन्दी रखना चाहिए।'

(३)

दिनाजपुर में चरखा-दर्शन बड़ा घटिया था। स्त्रियों की सभा भी खूब थी। परन्तु समय की कुछ अवस्था रही। रात की घुन में बैठते समय स्वागत-समापति ने कहा—'कुछ अव्यवस्था हुई है, उसके लिए माफी चाहता हूँ।' गांधीजी ने कहा—'चरखे के काम को पूर्णता तक पहुंचादोगे तो जो कुछ क्रमों से सब माफ कर दूंगा।' चरखे तथा चरखा कातने वाले के प्रति उनके पक्षपात की यह पराकाष्ठा है। पर इससे कोई यह न समझे कि वस एक चरखा कात ले तो खूब पाप माफ। हम बात को स्पष्ट करने का अवसर बरीसाल में आया था। बरीसाल में गांधीजी १९२१ में पतित बहनों से मिले थे, और एक-दो कार्यकर्ताओं को उनके दफ्तर का काम भी बसा आये थे। उसके बाद तो महासभा के कार्यकर्ताओं में दो दल हो गये—अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी के झगड़े चले। इन दलों ने बरीसाल में जितना वृत्त स्वरूप धारण किया है उतना और करी-ही। कार्यकर्ताओं ने तो बत धारण किया था पतित बहनों की सेवा के लिए; पर उनके पञ्चायत राजनैतिक बातों में उनसे लान उठाया जाने लगा, वे महासभा की सदस्य हुईं; प्रतिनिधि भी बनकर गईं और उनकी रायों से काम भी लिया जाने लगा। जिस दिन गांधीजी वहाँ गये उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि गांधीजी हमारे मुहंज में आये, हम गांधीजी को अभिनन्दन-पत्र समर्पित करें और एक सज्जन उसका खूब समर्थन भी करने लगे। गांधीजी ने पहले तो अपने रोंब को समन करके दतना ही कहा—'मुझे कहलवा दीजिए कि मुझे मिलना चाहती हों तो यहाँ आँवें। मैं उनके यहाँ मिलने नहीं जा सकता।' पर वे मतलब नहीं समझे। वे उनकी तरफ से बकायत करने लगे 'आपने तो उपदेश दिया था इन बेकारी अभावियों की सेवा करने का। और आज आप उन्हें अपने दर्शन से भी वंचित रखते हैं। आपको तो वे अभिनन्दन पत्र भी अर्पित करना चाहती हैं।' गांधीजी इसे न सह सके—'मेरे कहने का यदि ऐसा अर्थ होता तो मुझे इस भ्रमना होगा। मैंने आपका इनकी सेवा करने के लिए कहा था। इन्होंने अपना पेशा तो छोटा ही नहीं। और जिन्होंने अवतक अपना व्यवसाय छोड़ा नहीं है उनका उपयोग आप आज राज-काज में करते हैं? यदि कोई चरखा कातनी हो तो क्या हुआ? इनका सूत मेरे लिए बेकार है। चरखा कहीं पाप का डकन हो सकता है? और मैं उनका अभिनन्दन-पत्र स्वीकार करूँ? उनके घन्घे को 'मान्य' घन्घा बनाऊँ? इसपर हमें धर्म होनी चाहिए। वे लोग अपना पेशा बिचकुल छोड़ दें, यही उनकी सेवा की पहली सीटी है। अवतक वे अपना पेशा नहीं छोड़ती तबतक उनके द्वारा सेवा होना असंभव है। और मेरे पास आते हुए उन्हें संकोच होता है? १९२१ में संकोच हुआ था? मुझे मान-पात्र देकर वे खुद मन और सत्ता प्राप्त करना चाहती हैं यह कभी नहीं हो सकता।' इससे पहले दो बार पतित बहनों का प्रश्न खड़ा हुआ था। वह इस समय याद आ रहा है। बेलगाँव में तिलक-स्वराज्य-फोप का चंदा लेने के लिए एक मंदिर में स्त्रियों की एक सभा की गई थी। दो पतित बहनों बड़े संकोच से मंदिर के पास आकर स्वयंसेवक की झोली में (५०-५०) डाल गई थी। इस प्रसंग के थोड़े दिन पहले दयई में एक मित्र ने एक प्रसिद्ध गाने वाली से स्वराज्य-फोप के लिए बहुतेरी रकम मिलने की समावना बताई थी। गांधीजी ने उनपर साफ इनकार कर दिया था। 'यह तो मानों उनके पेशे की कदर करना है। हा, व ना यह भ्रमना छोड़कर भले ही वे लाखों रुपया देकर प्रायश्चित्त करें।'

इसलिए बेलगाँव में यह रावाल उठा था कि वे रुपये लिये जाँच या नहीं? गांधीजी ने कहा—'यह रुपया उन बाद्यों ने प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि प्रायश्चित्त के कामों के साथ दिया है, इसलिए ले सकते हैं। उन्हें सभा में आने की भी इच्छा न हुई—इसीसे यह जाना जाता है कि इसका उन्हें अभिमान नहीं हो सकता। इसलिए स्मारक के लिए यहाँ गांधीजी से पूछा गया था कि यदि पतित बहनों के मुहंज में चंदा लेने जाये तो बहुतेरा रुपया मिल सकता है। पर गांधीजी ने साफ इनकार कर दिया।'

(४)

टाटा में शाम को एक ७<sup>१</sup> मिनट का बूटा गांधीजी के सामने आ कर खड़ा हुआ। ३०-४० मील से आया था। और दर्शन के लिए रो रहा था। गांधीजी के सामने आते ही उसने कहा—'मेरे गिर पर हाथ रख दीजिए। गांधीजी ने जिना कुछ पूछे-ताले गिर पर हाथ रख दिया, इन रावाल से कि यह जल्दी बिदा हो जायगा। बग हाथ रखने ही की डेर थी कि वह तो बड़े आवेश में आ कर गांधीजी के चरणों में धोतने लगा और रोने लगा। कुछ समय में नहीं जाता था कि बत पया है। उसके गले में गांधीजी और था (धीमगा गांधी) की तस्वीर लटक रही थी। जब उसके हृदय का उफान निकल गया तब कहा—'मैं नासुख हूँ। मुझपर आपकी दतनी हुआ। दत साल पहले मेरे पैर रह गये थे। बीसो दवायें की, पर जिन्हीने से न उठा जाता था। भगवान् से मत की प्रार्थना करता रहता था। फिर आपका नाम लेने लगा और अब चलने-फिरने लगा हूँ। कोई दवा-दरपन नहीं किया। यह कह कर फिर पैरों में लोटने लगा। गांधीजी ने उसे मना कर के कहा 'भाई, भगवान् का भजन करो। उसने मुझे चंगा किया है। गांधी के पास किसीको चंगा करने की करामत नहीं।' परन्तु वह किन्हीकी क्यों हुजने लगा? अन्न को गांधीजी ने कहा—'भाई अब जाओ, और मेरा कहना मानो तो गले से वह तस्वीर निकाल डालो।' उसने तस्वीर निकाल कर हाथ में ले ली और चला गया। मैं समझता हूँ कि वह ऐसा निश्चय मन में करता हुआ गया होगा कि जिस गांधी महाराज ने मेरा लकवा बुर कर दिया नहीं यह गांधी होगा, जिसकी तस्वीर मे गले में लटकाये फिरता हूँ वह नहीं। परन्तु जिस दास को गांधीजी समझा न सके उसके तो गिर पर जो हाथ भी रखें, परन्तु समझदार लोगों का क्या करें? दर्जितग आते समय एक बकील हमारे साथ थे। राते में एक स्टेशन पर उतरे। वापस चढ़ते ही थे कि गांधी वाली आर वे पटरी से फिसल कर नीचे गिर पड़े। उनके लटकने ने उन्हें गिरते देखा और सो-दोसी गज ऊपर जा कर गांधी कड़ी रती। उन्हें किन्ही किसम की कोठ बंधवह न आई थी। दूसरे स्टेशन पर आ कर गांधीजी के पैर पूजने लगे और कहने लगे—'आज आप इस गांधी में थे इसीसे मैं बन गया, नहीं तो मर जाता।' यह कह कर दुर्घटना का किस्ता सुनाने लगे। गांधीजी ने कहा—'और यह क्यों न कहे कि मैं इस गांधी में था इसीसे यह दुर्घटना हुई? मैं व होया तो धायद दुर्घटना होती ही नहीं।' मैं नहीं कह सकता, इन मजाक का रहस्य वे सबसे या नहीं। पर यह मैंने देखा है कि बहुतेरे लोग नहीं समझते हैं। जब ऐशबन्धु की रथी को कथा लगा कर गांधीजी जा रहे थे तब भी भीड़ में लोग उनके धरण-स्पर्श करने के लिए लड़-पटा रहे थे। चरण-स्पर्श तो असंभव था, इसलिए केवल शरीर-स्पर्श कर के ही पावन हो जाना चाहते थे। उन्हें प्रसंग का भी जयाल न था। बिंबक और पिनाह दोनों को छोड़ कर वे काल कर रहे थे। यह अन्यायता के कर तो अवहितक हो जाने की

जी चाहता है। गांधीजी ने कुंझला कर एक मित्र से कहा - 'इस बहम को कि चरण-स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है, और जन्म सिद्ध हो जाता है किम तरह दूर करें? इन बहम का जरा भी समर्थन न कर के विवेकवान लोग इसे दूर कर सकते हैं। मेरा जीवन यदि पण्डित हो तो मेरा काम करो और उसे कर के मेरे प्रति अपना आदर प्रकट करो। यह तो असत्य है।'

(५)

एक बहन आदर्श भक्त देखने को मिली। 'तू तो कम थी; पर उसकी समझदारी का ठिकाना न था। अनेक बहनों के साथ उसने गांधीजी के दर्शन किये। गवने चरण-स्पर्श किया, पर उसने नहीं। दूसरी बहनों को कुछ नसीहत देने तथा अपने इस व्यवहार से यदि गलतफहमी होती हो तो उसे न हाने देने के खयाल से उसने गांधीजी से कहा - 'मैंने आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए चरण-स्पर्श नहीं किया है। आपने अनेक बार 'हिन्दू-नवजीवन' में लिखा है।' सुन कर गांधीजी को बड़ा आनन्द हुआ। दूसरे दिन यह बहन और बहनों के साथ फिर आई। ये बहनें अपने मोठ-धुक में गांधीजी से कुछ शिक्षा लेना चाहती थीं। 'ऐसा कुछ उपदेश लिख कर ले जाऊँ कि भूल होते समय इसे देखे तो भूल न हो। चरणों के गंध से कुछ लेना लिख दीजिए कि यदि चरखा कातने का खयाल न रहे तो रहने लग जाय'। गांधीजी कहते हैं - 'तुम लोगों के लिए यह पाठ्यपत्र फटा से साधार हुआ है। यह तो कलकत्ते जैसे शहरों में कुछ विद्यालयों पर जो पाठ्यपत्र सदा से उगीका अनुकरण है।' पर ये बहनें इस बात को समझने के लिए तैयार न थीं। कल वाला उस समयदात बहन ने गांधीजी को सहारा दिया - 'बलो, बलो, समझने की बात है। लिखा हुआ उपदेश के दिन के लिए। नवजीवन सा पढती ही है। परन्तु नवजीवन की भी क्या जरूरत? मैं तो सब कहती हूँ, चरणों को देख कर ही मेरा दिल चाटता है कि काग़। भंगी और दीन-दुग्गी को देख कर ही मुझे गांधीजी का उपदेश मिल जाता है। गर्रावों की करणा-पूर्ण आंखों से ही गांधीजी का संदेश टपकता है।' ये बहनें कुछ खिसियाई, मान गईं और लौट गईं।

(६)

इस प्रकार मेरे दृश्य देखने को मिलते रहते हैं जिनसे बहनों की तरफ कुदरती तौर पर पक्षपात होता है। बहन जयर्षा देवी बड़ा उम्दा मृत कारणी है। सभी इस बात को जानते हैं। जब हम महा कलकत्ता अथे ये १५१ से १०१ अंक तक का सूत गांधीजी को देने के लिए आई। हर महीने आनी स्वर्गीया माता के निमिष २००० गज सूत गांधीजी को भेजनी है। गांधीजी ने कहा - अब सारा सूत एक ही अंक का कातने की कोशिश करो न, जिससे कि इन सूत का एक-सा बाँधना कपड़ा बना जाय। अंक एक महीने बाद इस बहन ने १८६ अंक की पांचसौ पांचसौ की चार कालकियाँ गांधीजी के सामने रख कर उन्हें लका दिया। यह बहन तो बेचारी आधुनिक शिक्षा-शिक्षा से वंचित, संस्कृत के अध्ययन में अनुराग रखने वाली, भोली-भाली, धड्ढामयी है परन्तु फरीदपुर में एक जबरदस्त आधुनिक बहन मिली थी। सरकारी काम देखने का निमग्न था। और वहाँ सरकारी कर्मचारी भी एकत्र हुए थे। ये बहन भी वहाँ आई थीं। गांधीजी अपनी तकली चला रहे थे। पहले तो उस बाई ने तकली की दिखगी उड़ीई, गांधीजी की सादगी का भी मजाक उड़ाया। एक ओर बातें हो रही थीं, दूसरी ओर गांधीजी की तकली भी चल रही थी।

गांधीजी तो दौरा जग और फ्लेक्टर को भी समझा रहे थे कि आप-लोग मुकदमों की गुनवाही करते समय भी तकली कात सकने हैं। और सेवान्व जज ने तो कहा भी - मैं कुचल करता हूँ कि बकीलों की जी उवा देने वाली लयी लयी तकली सुनने की बनिवत तो यदि तकली चलाया करें तो अहर आनन्द मिल सकता है।' तब तो उन बहन का मा दिल पिघल गया। जाते जाते उन्होंने बतौर एक खिलौने के गांधीजी से तकली मांगी। गांधीजी ने कहा - घर जा कर मेज देंगे, और घर आये। मुझसे कहा - मेरी तकली उन्हें मेज दो। मैंने कहा - बाधुजी, आप यह तकली फजूल मिजवाते हैं। उसकी मेज पर यों ही पडी रहेगी। और औरों के सामने आपका मजाक उठाने में उससे मदद ली जायगी।' गांधीजी हुंने - 'कुछ दर्जे नहीं। इससे हमारा पया नुखसान है।' २०-२५ दिन बाद वही बाई बरीसात में मिली। सरकारी पाठशालाओं की निर्गुशिका थी। मैं क्या देखता हूँ कि वह अपनी तकली और उगपर अपना काता बढिया सूत ले कर आई। यही नदी, नद और बहनों को कातने के लिए ललचा रही थी। गांधीजी को अपनी कातने-धुनकने के ज्ञान की शक्ति का प्रत्यक्ष परिचय दे कर कहा - मैंने कन्माशालाओं में इसके प्रवेश करने का निश्चय किया है। गुरुआत में मैं ६० तकलियाँ बनवाने वाली हूँ। गांधीजी ने कहा - 'हां, गो तो ठीक; पर अब तुम खादी पहनने लगे।' उसने गरल भाग से कहा - 'आप लोभी है। पर मैं आपकी तरह सादा रहन-सहन वाली नहीं। मुझे महीन कपड़ा पसंद है। और अपना भरे पात बहुत है नहीं। यदि २०) में महीन साडी दिलाते हो तो मैं सुधी से खादी की साडी पहनूंगी।'

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देसाई

### बाल-पूर्वक संयम

एक बाल विधवा ने गांधीजी के नाम एक बड़ा ही कल्याण-जनक पत्र भेजा है जिसमें उसने इस बात का हृदय-द्रावक चित्र खींचा है कि बालविधवाओं की फिली अनुकम्पनीय बुद्धि है, किंतु तबहु दुःख में उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, किन्तु तबहु उनसे बाल-पूर्वक संयम रखाया जाता है, जिससे कुलीन विधवायें बुराचार में प्रवृत्त हो जाती हैं। गांधीजी ने उसपर नीचे लिखे विचार 'नवजीवन' में प्रकाशित किये हैं -

'ऐसे पत्र भेरे नाम बराबर आते रहते हैं। यही नहीं बल्कि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ बाल विधवाओं की दशा को देखा करता हूँ। अस्वस्थ बहनों के समागतन में आता हूँ। उससे उनके दुःख को समझ सकता हूँ। दुःख उनके दुःख में जितना अधिक ले अधिक हाथ बटा सकता है, उतना बटाने के लिए मैं अपनेको छाँ-सम बना रहा हूँ—अधिक बनाने के लिए प्रयत्न करता हूँ। किन्तु ही बहनों के माँ के स्थान की पूर्ति करने की बोधिका करता हूँ। इस कारण इस बहन के दुःख को मैं पूरा पूरा समझता हूँ।

मेरा यह सब मत होता जाता है कि दुनिया में बाल विधवा जैसी कोई प्रकृति-विरुद्ध वस्तु होनी ही न चाहिए। वैयध्य कोई धर्म नहीं, धर्म तो संयम है। बल-प्रयोग और संयम ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं—एक के बढ़ोतत मनुष्य की अधोगति होती है और दूसरे से उन्नति। बल पूर्वक पालन कराया गया वैयध्य पाप है, स्वेच्छा से पालित वैयध्य धर्म है, आत्मा की शोभा है, समाज की पवित्रता की ढाल है। यह कहना कि परब्रह्म बाल की बालिका समझ-बूझ कर वैयध्य का पालन करती है, अपनी उन्नतता

और अज्ञान को प्रकट करना है। पन्द्रह वर्ष की बालिका क्या जान सकती है कि वेध्या की वेदना क्या चीज है? माता-पिता का धर्म है कि उसके विवाह के लिए हर तरह की सहायतें कर दें। कुरीति के अधीन होना पामरता है। उनका विरोध करना पुण्यार्थ है।

युवती विधवाओं को भी क्या सलाह दूँ? इसका विचार करते समय मुझे अपनी अक्षमता का पता लग जाता है। उन्हे विवाह करने की सलाह देना सो आसान है पर वे विवाह किसके साथ करें? पति की खोज कौन करे? घर-पिराएरी में शादी कर ले? पति खोजने से कहीं मिलने लो है? क्या विनायन देकर विवाह करें? विवाह कोई सौदा है? जहां लोकमत खिलाफ अथवा उदासीन है वहां बाल-विधवाओं के लिए पति की खोज करना कमभय असंभव है। और यदि सुयोग्य पति न मिले तो हर किसी के साथ बंध जाने की सलाह मैं कैसे दूँ?

इसलिए मैं तो इन बाल-विधवाओं के माता-पिताओं तथा पालकों से ही प्रार्थना कर सकता हूँ। परन्तु 'नवजीवन' उनके हाथों में कदा पहुंचता है? इन लोगों तक 'नवजीवन' की पहुँच अधिकांश में नहीं होती। ऐसा धर्म-संकट उपस्थित है।

परन्तु विधवाओं का मैं इतनी सलाह तो जरूर दे सकता हूँ कि वे शांति के साथ अपने दुःख को सहन करें। वे अपने पुत्र या ली पालक के सामने अपने हृदय को खोलें और अपनी तमाम इच्छायें उन तक पहुँचावें। यदि वे न मानें या न समझें तो निश्चिन्त रहें। और यदि योग्य पति मिल जाय तो शादी कर लें। ऐसा पति पाने के लिए जिस तरह दमयन्ता, सानित्री, पार्वती ने तपश्चर्या की उसी तरह वे भी इस युग के अनुकूल, इस युग में होने लायक तपस्या करें। वह तप क्या है—अभ्यास। विधवा के लिए अभ्यास—शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक—से बचकर दूसरी वस्तु मन को स्थिर करने वाली नहीं। वे अपना एक एक क्षण बरखे को देकर शारीरिक तप करें; अक्षर-ज्ञान प्राप्त करके मानसिक तप और आत्म शुद्धि करके, आत्मा को पहचान करके आध्यात्मिक तप करें। इन तीन कार्यों में उन्हें उनके पालक नहीं रोक सकते। और यदि रोकें भी तो वह निरर्थक है। इन बातों का अधिकार हर शास्त्र को है। यदि वह अधिकार न दिया जाय तो निम्नवा अवश्य सत्याग्रह करें।

मैं जानता हूँ कि यह उपाय भी कठिन है। पर बात यह है कि सद्उपाय दिखाई पड़िन देते हैं, पर वास्तव में कठिन होते नहीं हैं। यह भगवद् वाक्य है।

विधवाओं के पालक यदि न समझेंगे तो पछतावेंगे। क्योंकि हर जगह मैं दुर्गचार को देख रहा हूँ। विधवा को जबरदस्ती रोकन में न तो उसकी, न कुटुम्ब की, उन धर्म की रक्षा हो सकती है। मैं अपनी आँखों के सामने इन तीनों का नाश होता हुआ देख रहा हूँ।

पुरुष वगैरे जिसके कि आश्रय में बाल विधवायें हैं, समझ जाय।"

लिए नहीं था जो लोग नरतापूर्वक अपनी दानि का विचार किये बिना वैज्ञानिक रीति से खोज कर रहे हैं। उनका सहया उगलियों पर गिनने लायक है। मैं उनकी श्रद्धा देखना चाहता हूँ।

## टिप्पणियाँ

### गुरुद्वारा कानून

अकाली-गान्धोलन को शुभ समाप्ति पर सिक्ख और पंजाब सरकार दोनों बधाई के पात्र हैं। वेद के सैकड़ों बड़े से बड़े वीरों के आत्म-बलिदान की जरूरत इसके लिए हुई थी। हजारों वीर अकालियों को इसके लिए जेल जाना पड़ा है। जेल में उन्हे क्या क्या दुःख भोगना पड़ा उसकी कथा से पाठक परिचित ही हैं। ऐसी अदभुत कुबानी ग्रथा नहीं जा सकती थी। आइए अब हम आशा करें कि यूरुद्वारों का सुधार अब बिला खरखशा स्थिरता के साथ होता रहेगा। सरकार ने अकाली कैदियों को भी छोड़ दिया है और अखण्ड पथ-संघर्षी दलों की सहायता भी उठा ली है। इसके लिए भी वह बधाई की पात्र है। मैं देखता हूँ सरकार ने अखण्ड पथ तथा कैदियों की रिहाई पर जो शर्तें लगाई हैं उनसे कुछ अमनोप हो रहा है। अभी मेरे लिए इसके संबंध में कोई राय देना मुश्किल है। इन टिप्पणियों को लिखते समय (११-७-२५) मैं गिना एक छोटा-सा तार ही पढ़ पाया हूँ। परन्तु यदि वे बातें तैजोभय करने वाली न हो और सिर्फ बर्नार मात्रधानी के ना सरकार को शान रखने के लिए लगाई गई हों तो मैं आशा करता हूँ कि अकाली मित्र उनपर अनावश्यक आपत्ति राही न करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य था गुरुद्वारों का सुधार। वह पूरा पूरा सिद्ध हो गया है। दूसरी बातों को मैं यदि ऐसी-बैसा नहीं तो गौण मानता हूँ। ऐसी हालत में अच्छा होगा कि अकाली लोग सरकार को लगाई कैदियों की रिहाई की तथा अखण्ड पथ के दहन करने संबंधी शर्तों का अर्थ बहुत लीज कर न लगावें।

### बच्चों की शिक्षायत

मेरे बच्चों और हकीमों की आलोचना करने पर बच्चों के दिल पर बहुत खोट पहुँची है। वे मुझपर मस्तिष्क की दुर्बलता का दोष लगाते हैं और अपने प्रति मुझ अहिंसक नहीं मानते। मुझे खेद है कि मेरे कारण उनके दिल को इतनी खोट पहुँची। परन्तु मैं अपराध स्वीकार नहीं करता। मेने आयुर्वेद पर कटाक्ष नहीं किया है। कटाक्ष उनपर किया है जो बंध बनने का पाखण्ड रखते हैं। मेने उनको दोष दिया है। ऐसी दवाओं और वनस्पतियों की जांच पडताल के प्रस्ताव का समर्थन करने और कुछ बच्चों के अस्तित्गार किये हुए दग की सिद्धा करने में कोई विरोध नहीं है। यहाँतक कि मेरे कलकत्ते में आयुर्वेदिक कालेज का नाव डालने और कविराजों को संस्थापनी देने में भी कोई विरोध नहीं है। पूने के वैद्य मेरे मित्रभाव से किये हुए आक्षेप को अस्वीकार कर सकते हैं। इसपर मुझे खेद होगा; परन्तु इस अस्वीकृति से मेरा निश्चय नहीं बदलेगा; क्योंकि वह अनुभव युक्त है। मेने जो कुछ कहा है उसका लिए मेरे पास बहुत से प्रमाण हैं। मैं प्राचीन और उच्च बातों का पसन्द करता हूँ परन्तु मैं उसकी नकल बहुत नापसंद करता हूँ, और मैं इस बात का मानने से नरतापूर्वक इनकार करता हूँ कि प्राचीन पुस्तकों में जिस विषय पर जो कुछ लिखा है वही उस। अन्त है, उसके अतिरिक्त और कुछ ही हो नहीं सकता। प्राचीन वस्तुओं के समझदार उतगापकाय की हेमिगत से मैं यह चाहता हूँ कि अपनी विरासत का बटाऊ। प्रतिवादि्यों को जानना चाहिए कि कुछ कविराजों ने मेरे कटाक्ष को पसंद किया है और वे उसपर विचार कर रहे हैं। यह कहने की जरूरत नहीं कि वह आक्षेप उनके



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ५०

मुद्रक-प्रकाशक वैष्णोदास जगनकाक बूच	अहमदाबाद, भाषण सुदी ३, संवत् १९८२ बुधवार, २३ जुलाई, १९२५ ई०	मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय, सारंगपुर सरकोमरा की बाकी
--	--	---

## अखिल भारत स्मारक

हम नीचे दस्तखत करनेवाले लोगों की यह राय है कि देशबन्धु चित्तरजन दास की स्मृति के लिए अखिल-बंगाल स्मारक की तरह अखिल-भारत-स्मारक की भी उतनी ही आवश्यकता है। जिस तरह वे अखिल-बंगाल के पुरुष वे उसी तरह अखिल-भारत के भी थे। जिस तरह हम जानते थे कि अखिल-बंगाल स्मारक के लिए वे हमसे क्या कराना चाहते, उसी तरह हम यह भी जानते हैं कि अखिल-भारत स्मारक के लिए भी वे क्या कराना चाहते। कोई एक साल पहले उन्होंने अपना विचार स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया था और करीबपुर वाले भाषण में उसे दुहराया भी था। भारत के पुनरुज्जीवन और शान्तिपूर्ण विद्यासात्मक विधि से स्वराज्य प्राप्त करने के लिए देशांत का पुनः संगठन करना उनके हृदय को बड़ा प्रिय था। हम जानते हैं कि वे मानते थे कि इस काम का अर्थ ही देश-संगठन का अर्थ है। हमें उम्मीद है कि हमें इस काम के लिये भी सहायता मिलेगी। यही काम-संगठन की मध्यवर्ती वस्तु है। यही एक-मात्र ऐसा काम है जो कि सारे देश के लिए सब-साधारण हो सकता है और फिर की-काम को छोटे से छोटे कर्तव्य में कर सकते हो। यही एक-मात्र ऐसा काम है जिससे तुरन्त फल दिखाई देने की आशा है, फिर वह चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो? देश के तमाम लोग फिर वे चाहे अमीर हों या गरीब, बूढ़े हों या जवान, पुरुष हों या स्त्री, यदि चाहे तो कुछ इसमें सहायता दे सकते हैं और इसमें लग सकते हैं। शहर के लोगों को देहातियों से एक-रस बनाने या तथा शिक्षित लोगों को उनसे परिचय प्राप्त कराने का इससे बढकर उपयोगी तरीका दूसरा नहीं है। यही एक ऐसा काम है जो कि भारत के तमाम प्रान्तों और पन्थों के लिए सामान्य हो सकता है और बड़े से बड़ा आर्थिक फल उत्पन्न करता है। और अन्त को, यद्यपि इसका राजनैतिक पक्ष भी है, तथापि यह स्वभावतः इनमें स्पष्ट रूप से आर्थिक और सामाजिक वस्तु है कि इसे उन सब लोगों की, विद्या-यत्न-संबन्धी मेह-भाव के, सहायता मिलनी चाहिए, जो कि स्वयं को एक महान आर्थिक अंग और प्राप्त-संगठन का एक अंग मानते हों। ऐसी अवस्था में हम स्वयं और खादी के सार्वत्रिक प्रचार से बढ कर उनका समुचित स्मारक नहीं तजवीज कर सकते और इसलिए हम इस काम के निमित्त चन्दे की प्रार्थना करते हैं। हम इस स्मारक के लिए आवश्यक रकम की तादाद नियत नहीं कर रहे हैं; क्योंकि इसमें तो जितनी रकम मिलेगी सब की सब काम आ सकती है। सब-साधारण की ओर से जो चन्दा इसके लिए मिलेगा वह इस बात का सूचक होगा कि उनका कितना आदर-भाव देशबन्धु के प्रति है, उस महान देशभक्त के स्मारक के लिए वे कितने उत्सुक हैं, इस स्मारक के रूप की उपयोगिता को वे कितना मानते हैं, तथा उन लोगों पर उनका कितना विभाव है जो कि इस कोष के कर्ता-धर्ता होंगे। वे लोग ये हैं— मो० क० गांधी, पण्डित मोतीलाल नेहरू, मौलाना शौकतअली, आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय, श्रीमती सरोजिनी देवी, धीमुत जमनालाल बजाज और पण्डित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें और लोगों को भी शामिल करने का अधिकार रहेगा। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने टूरिस्टों की तरफ से अवैतनिक मन्त्री का और श्री जमनालाल बजाज ने खादीची का काम करना स्वीकार किया है। चन्दा या तो जमनालालजी बजाज के नाम ३९५ कालबादेवी बगई के पते पर या पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नाम १०७ हिबेट रोड, प्रयाग के पते पर भेजा जाय। चन्दा-दाताओं की सूची हर हफ्ते पत्रों में प्रकाशित की जायगी।

- |                    |                   |                      |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| मो० क० गांधी       | सरोजिनी नायडू     | दयापसुन्दर चक्रवर्ती |
| मोतीलाल नेहरू,     | जे. एम. सेनगुप्त  | सतीशचन्द्र दासगुप्त  |
| रबीन्द्रनाथ ठाकुर  | नीलरतन सरकार      | बिभमचन्द्र राय       |
| अबुल कलाम आजाद     | सी. एफ. एण्डर्युज | शरच्चन्द्र बोस       |
| प्रफुल्लचन्द्र राय | वह्दुभाई पटेल     | नटिनी रंजन सरकार     |
| जमनालाल बजाज       | बी. एफ. भूषा      | सन्धानन्द शान        |

( देश के तमाम मुख्य मुख्य नेताओं के दस्तखत मिलने की आशा है )

## लार्ड बरकनहेड को उत्तर

स्वराज्य-कौमिल तथा कार्य-समिति की बैठक और महा-समिति के वहां मौजूदा सदस्यों के साथ आपसी सलाह-मसखरे के बाद गांधीजी ने नीचे लिखा पत्र पण्डित मोतीलाल जी के नाम भेजा—

कलकत्ता, १९ जुलाई

प्रिय पण्डितजी,

इन कुछ दिनों से मैं यह सोच रहा हू कि देशबन्धु की यादगार में और लार्ड बरकनहेड के भाषण से उत्पन्न स्थिति पर मैं अपने अकेले की तरफ से कौन-सा काम करूं और मैं इस परिणाम पर पहुंचा हू कि मैं स्वराज्य-दल को पिछले माल के ठहराव के बन्धन से मुक्त कर दूं। इस कार्य का फल यह होगा कि अब आगे महासभा के मुख्यतः कताई-सच रहने की आवश्यकता नहीं। मैं मानता हू कि उस भाषण से उत्पन्न परिस्थिति में स्वराज्य-दल की सत्ता और प्रभाव बढ़ाने की आवश्यकता है। और यदि मैं अपने बस भर उस दल को मजबूत बनाने के लिए एक भी काम से विमुक्त रहूंगा तो मैं अपने कर्तव्य से च्युत होऊंगा। यह तभी हो सकता है जब महासभा मुख्यतः राजनैतिक संस्था हो जाय। मौजूदा ठहराव के अनुसार महासभा का कार्य रचनात्मक कार्यक्रम तक ही परिमित है। मैं समझता हू कि अब परिवर्तित दशा में जो कि देश के सामने है, इन कैद के कायम रहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं खुद ही आपको इस बंधन से मुक्त नहीं करता बल्कि मैं आगामी महासमिति से भी कहना चाहता हू कि वह भी ऐसा ही करे और महासभा की सारी सत्ता आपके हवाले कर दे जिससे कि आप उसमें ऐसे राजनैतिक प्रस्ताव ला सकें जिन्हें आप देश-हित के लिए आवश्यक समझें। और जिन जिन मामलों में मैं अपनी अन्तरात्मा को सामने रखकर आपकी और स्वराज्य-दल की सेवा कर सकता हू उन उनमें मुझे सदा आप ही का समझौता।

आपका स्नेहकृत  
मौ० कौ० गांधी

### पण्डितजी का उत्तर

कलकत्ता,  
२१ जुलाई

प्रिय महात्माजी

स्वराज्य-दल के महान् नेता देशबन्धु चित्तरंजन दास की असामयिक मृत्यु से होने वाली हानि पर, जिसकी कि पूर्ति नहीं हो सकती, आपने जो सहायता उसे उदारता-पूर्वक दी है उसके लिए स्वराज्यदल आपका अत्यन्त ऋणी है। और अब तो आपने अपने १९ जुलाई के पत्र में जिस शरीफाना दैन का जिक्र किया है, उसके द्वारा उस ऋण को और सुगुना कर दिया है। मैं समझता हू कि आपके इस ऋण को अदा करने का यही एक-मात्र रास्ता है कि आपकी उस दैन को विनय-पूर्वक स्वीकार कर लें और आपकी सहायता से उस स्थिति का मुकाबला, फरीदपुर वाले देशबन्धु के आखिरी ऐलान की सामने रखकर, करने का यत्न करें जो कि लार्ड बरकनहेड के भाषण से उत्पन्न हुई है।

ऐसा जान पड़ता है कि लार्ड बरकनहेड ने देशबन्धु दास के सम्मान-पूर्ण सहयोग को दूरदुर्लभ दिया है, और यह बात स्पष्ट कर दी है कि हमारी इस आजादी के संग्राम में हमें अभी और कितने ही अनावश्यक विधियों और बहुतेरे शक्य खर्चों पानेवाले विरोधियों का सामना करना बाकी है।

इसलिए इस मौके पर हमारा यही स्पष्ट कर्तव्य है कि हम अपने लिए निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ने वाले जाय और देश को इस गैर-जिम्मेदार और गुस्ताख हुकूमत को खासी कारगर चुनौती देने के लिए तैयार करें। फरीदपुरवाले उस भयंकर भाषण के शब्दों में—'हमारी लड़ाई जारी रहेगी, पर होगी वह साफ-पाक' हम इस बात को न भूलेंगे कि 'जब कि निपटारे का समय आवेगा और जोकि आये बिना रह नहीं सकता, हम सन्धि-परिषद् में उद्घन बनकर नहीं बल्कि समुचित नम्रता के साथ प्रवेश करेंगे' जिससे कि लोग कहें कि विकलता के दिनों की अपेक्षा सफलता के समय में हमने ज्यादा बड़ापन दिखाया। अब आपने महासभा की सारी सयुक्त शक्ति हमारे हाथ में दे कर देशबन्धु के उस सदेश को पूरा करने का अवसर दे दिया है। ऐसे मंगलाचरण को देख कर हमें इसके परिणाम के विषय में कोई संदेह नहीं रह सकता—अर्थात् वही जो कि प्रायः हर देश और हर समय में ऐसे मौकों पर हुआ है—पशु-बल पर न्याय और स्वत्व की विजय।

जिस ठहराव के बंधनों से आपने स्वराज्य-दल को उदारता-पूर्वक मुक्त कर दिया है उसके संबंध में मैं दो शब्द कहना चाहता हू। आप जानते ही हैं कि देशबन्धु और मैं दोनों यह नहीं चाहते थे कि इस साल के भीतर वह बदला जाय। हम चाहते थे कि इसकी आजमाइश के लिए आपको पूरा और अच्छा मौका दिया जाय और हम खुद भी इसे हर तरह से सफल बनाने के लिए आपको सहायता देना चाहते थे। परन्तु अस्वास्थ्य तथा दूसरे पहलू से निश्चित जरूरी कामों ने हम दोनों को उतनी सहायता न करने दी जितनी कि हमने चाही थी, पर हां, मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हू कि इन हाल की घटनाओं के कारण ऐसी नई स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस हालत में महासभा अपनेकी मुख्यतः राजनैतिक संस्था बनाकर तुरन्त स्थिति के अनुकूल बना ले। इसलिए मैं आपकी इस दैन का स्वागत करता हू। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि महासभा रचनात्मक कार्यक्रम को किसी भी तरह से छोड़ दे। हमारी तमाम कोशिशें बेकार होंगी यदि उनके पीछे देश की सुसंघटित शक्ति न होगी।

अब हम धारासभाओं के अन्दर तथा बाहर देश में अपना काम करने के लिए पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और यदि देश की संगठित शक्ति को लेकर लड़ने का मौका किसी समय आया, तो मुझे आपको यह यकीन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कि स्वराज्य-दल उस कार्य में आपको तटस्थ रहने से मदद देगा।

आपका स्नेहकृत  
मौ० कौ० गांधी

(पृष्ठ ३९७ से आगे)

की शक्ति रखनेवाले इतने समय सकेने। इसलिए होड़ की परीक्षा में आन्तरिकी बताये हुए गणन के नियम का और उसके सिवा ऊपर सूचित की हुई दृष्टि-परीक्षा का उपयोग किया जावेगा तब परीक्षा ठीक विधियुक्त हुई मानी जायगी।

कानूनी की परीक्षा की विधि के बारे में बहुत दफा सूचनाये मांगी जाती है, और इसकी शर्तें आजकल जगह जगह होती रहती हैं। इसलिए आशा है कि यह चर्चा उपयोगी होगी।

अ० भा० खादी-समाचार } मंगललाळ सु० गांधी  
विभाग, साबरमती, २४-७-२५ }

## कातने की शर्तों में परीक्षा की विधि

बारडोलो की कालीपरज में चर्खा-प्रचार का जो काम हो रहा है उसके संबंध में वहाँ के एक खादी कार्यकर्ता लिखते हैं:—

“वेदछी कार्यालय (महादाता जहाँ काम करते हैं उस गांव का नाम) से आसपास के सब मिल कर ११ गांवों में चर्खे पहुंचे हैं, कुल ४०० चर्खे पहुंच चुके हैं। ३२५ चर्खों के दाम नकद बसूल हो गये हैं। ७५ के बाकी रहे हैं। सो अगली फसल के पीछे मिल जावेंगे। आज तक सब मिला कर, लोगों का अपने ही लिए कांता करीब ६ मन पक्का सूत कार्यालय को बुनने के लिए मिला है। एक गांव ऐसा उत्साही है कि चर्खे पहुंचने की अभी मुश्किल से ३ ही महीने बीते होंगे तो भी वहाँ के प्रायः हरेक कातनेवाले ने एक-एक थान के लयक सूत कातकर बुनने के लिए कार्यालय को भेज दिया है।

“एक महीने पहले आसपास के ४५ गांवों की कातने की स्थानिक होडों में अच्छे निकले हुए काननेवालों की एक बड़ी होड वेदछी में रकवाई गई थी। उसमें ३१ गांवों के लोग शामिल हुए थे। सब मिल कर २५६ लोग थे। इन ३१ गांवों में से सिर्फ ४ गांवों को छोड़कर जहाँ कातने की तालीम हालही में शुरू हुई है, सब गांवों का सूत उगदा था। १५ से २० अंक का सूत काननेवालों की संख्या अच्छे तादाद में थी। होड में शामिल होनेवालों में से आधी संख्या स्त्रियों व लड़कियों की थी। आधे मर्द थे। होड खतम होने पर सभा की गई थी। सभापति श्री बलभभाई थे। अच्छे से अच्छे कातनेवालों को इनाम बांटे गये थे। पहला इनाम पानेवाले ने १,१५७ गज काता था। वह ७५ अंक का सूत था। दूसरा इनाम लेनेवाले ने १८ अंक का ७१२ गज और तीसरा इनाम पानेवाले ने ९४५ गज काता था। उसका अंक ११ था। होड ३ घंटे चली थी। तीनों जनों के सूत बलवार और सफाईदार थे।”

जिस जगह एकाध बरस पहले कातने की कुछ भी जानकारी न थी वहाँ इनाम प्रचार और कातने की इतनी अच्छी तालीम से दोनों बातें वहाँ की प्रजा के मरल स्वभाव का तथा वहाँके उन कार्यकर्ताओं की कार्यनिरता का जन्म है। जहाँ कातने का जानकारी भी वहाँ सूत गुजारने में अभी तक काफी सफलता नहीं मिली है। लेकिन इन कालीपरज के लोगों में जहाँ कातने की कुछ भी जानकारी न थी और जो अधिाधिकत है इतना अच्छा परिणाम निकला। सो बिल्कुल अनजग की सिखाना आसान रहा और थोड़ा बहुत जाननेवाले को सिखाना मुश्किल खात्री की सारी हलचल के बारे में वहाँ तो उसमें भी वही हुआ कि जो अर्थशास्त्र कुछ भी नहीं जानते थे तथा अर्थशास्त्र आसानी से समझ जाते हैं मगर जो अर्थशास्त्र के हाता माने जाते हैं उनसे सब्बा अर्थशास्त्र अन्तक दूर ही रहा है।

क्षैर, अब परीक्षा की विधि की चर्चा सुनिए। पिछले साल मद्रास में वहाँ के कातनेवालों की होड हुई थी। उसके योजक य परीक्षक श्री. सी. बी. रगमचेटी नामक एक खादी कार्य के उत्साही महाशय थे। उनकी पद्धति यह थी कि साधारणतया जो सूत अच्छा हो उसकी लम्बाई तथा अंक का गुणाकार करने में जिसकी संख्या बड़ी हो वह पहले नंबर और जिसकी दूसरे नंबर हो वह दूसरे नंबर समझा जाय। इस रीति से वेदछी की होड की परीक्षा की जाय तो जीतनेवालों की संख्यायें कमशः इस प्रकार होंगी:—

गज	अंक
१. ११५७ × ७३ =	८६७८
२. ७१२ × १८ =	१२८१६
३. ९४५ × ११ =	१०३९५

इन संख्याओं को देखते हुए दूसरे नंबर आनेवाले को पहला स्थान, तीसरे को दूसरा और पहले को तीसरा मिलेगा।

इस प्रकार की परीक्षा में परीक्षक ने एक नियम पर चलने का प्रयत्न किया है, परन्तु इसमें एक बात छूट जाती है कि अंक की संख्या की बढ़ती के परिमाण में कातने की तेजी बढ़ती नहीं है; बल्कि उस संख्या के वर्गमूल के परिमाण में तेजी बढ़ती है। वेदछी की परीक्षा जिस पद्धति से की गई है उससे लम्बाई पर विशेष ध्यान दिया गया मालूम होता है और लम्बाई को अंक के साथ साथ रख कर चुनाव करने की कोशिश की गई है।

सफाई की दृष्टि से सब सूत सरीखे ही हैं, ऐसा मान लिया जाय तो गणित के नीचे लिखे नियम का आसरा लेने से परीक्षा यथार्थ हुई कही जा सकेगी:—

“सूत की लम्बाई के साथ, उस अंक के प्रत्येक इंच में गणित के अनुसार जितनी ऐंठन निकलती है उसका गुणाकार किया जाय।”

ऐसा करने से कातनेवाले के वेग का अच्छा परिमाण मिल सकेगा। मिल-कटे सूतों में फी इंच ऐंठन की तादाद जानने के लिए बिधि यह है कि उस अंक के वर्गमूल का चार से गुणाकार किया जाय। जो जवाब आवेगा वह उस अंक के सूत में एक इंच के अन्दर की ऐंठन की संख्या होगी। हाथ के कटे हुए सूत में यही तादाद बनी रहती हो सो पात नहीं। परन्तु हाथ के कटे व सूत कि जो परीक्षा के लिए पसंद किये गये हों, यदि मान लिया जाय कि, देखने में एक-ही ऐंठनवाले हैं, तो होड के परिणाम इस प्रकार निकलेंगे:—

गज	अंक
१. ११५७ × (√७५ × ४ -) ११ =	१२७२७
२. ७१२ × (√१८ × ४ -) १७ =	१२१०४
३. ९४५ × (√११ × ४ -) १३ =	१२२८५

वर्गमूल के साथ चार का गुणाकार करने से अक्ष छोट दिखे गये हैं।

इस विधि से पहले नंबर वाला पहले नंबर ही रहेगा, तीसरा दूसरे नंबर, और दूसरा तीसरे नंबर।

यानी इस रीति से वेदछी व मद्रास के फंसले से एक अलग ही फंसला होता है।

इसके सिवा भी सूत में देखने की दूसरी बातें होती हैं। सूत परिमाण में सरीखे व गोल होने चाहिए। और अड़ियों के तारों में मोटे पतले सूतों का फर्क कम से कम होना चाहिए। यह फर्क सूत जितना मोटा होगा उतना अधिक नजर पड़ेगा। बारीक सूत में फर्क का परिमाण अधिक हो तो भी नजर कम पड़ता है। इसलिए मोटे सूत में यदि फर्क कम नजर में आवे तो समझना चाहिए कि उसमें कातने वाले की अधिक कला है। परीक्षक ने यदि शास्त्रीय दृष्टि से गणित का सहारा लिया हो तो भी इतनी बात तो अपनी आंखों से ही जांचनी पड़ेगी। वह जांच ठीक होती है कि नहीं यह तो निरीक्षण करने

# हिन्दी-नवजीवन

शुक्रवार, भाद्रपण सुदी ३, संवत् १९८२

## कताई-मताधिकार

गत १७ जुलाई को स्वराजियों का तथा और लोगों का आपस में सलाह-मशवरा हुआ। उपस्थित जनों में सब विचारों के लोग थे। सब लोगों को और मुखको भी यह जचा कि मताधिकार में परिवर्तन कर देना आवश्यक है और महासभा के मताधिकार में खुद-कताई बतौर आजमायश के नहीं, बल्कि धन के दूसरे रूप के तौर पर सदा के लिए रक्षणी जाय। इसका अर्थ यह हुआ कि मजदूरी के प्रतिनिधियों को सीधे महासभा में पहुंचने का अधिकार स्वीकृत कर लिया गया। सब लोग इस बात पर सहमत हुए कि मताधिकार में औरों का कता सूत लेना बंद कर दिया जाय। इसके द्वारा चालाकी और बेइमानी की बढती हुई है। खुद-कता सूत या धन कितना दिया जाय यह अभी विचाराधीन है। इसपर भिन्न भिन्न रायें थीं; बहुत भारी तादाद ने इस बात को पगद किया कि खादी का पहनना मताधिकार का स्थायी अंग माना जाय। यह मेरी राय में एक निश्चित लाभ हुआ है। तीसरी बात जो सर्व-सम्मति से तय हुई वह यह कि एक अखिल-भारत सूतकार-मण्डल कायम किया जाय। वह महासभा का एक अभिन्न अंग रहे। उसे इस बात का पूरा अधिकार दे दिया जाय कि वह महासभा के कताई-काम का संचालन करे और महासभा के हस्तक के तौर पर कताई के रूप में मिलनेवाली वस्तु को प्राप्त करे और उसकी जांच करे। यदि ये सिफारिशें मंजूर हो गईं तो इनका फल यह होगा कि स्वराज्य महासभा का कार्य-संचालन करेंगे और अखिल भारत सूतकार-मण्डल स्वराज्य-दल का स्थान ग्रहण करेगा।

इस प्रस्तावों पर विचार करने के लिए महा-सम्मिति की बैठक १ अक्टूबर को होगी। इस बैठक के लिए सदस्यों की आसानी पर किसी किसम की केंद न रहेगी। यहाँ तक कि वे लोग भी जो कि इस आपस के मशवरे में शरीक थे आनी यहाँ की राय से बंधे न रहेंगे। यदि आगे और विचार करने पर उनकी राय बदल जाय तो वे इन प्रस्तावों के खिलाफ अपनी राय देने के लिए आजाद रहेंगे। महासम्मिति के सदस्य इनमें सुधार की सूचना करने और अपनी इच्छा के अनुसार आलोचना करने के लिए भी स्वतन्त्र रहेंगे। हर शस्त्र एक महासभावादी की हैमियत से नहीं, बल्कि अपनेको एक हिन्दुस्तानी समझ कर, बिना किसी दल या पक्ष के लिहाज के अपनी राय देंगे। प० मोतीलालजी के नाम मेरे पत्र से पाठक देखेंगे कि मैंने स्वराज्य-दल को अपने पिछले साल के ठहराव के बंधन से मुक्त कर देना अपना कर्तव्य समझा है। महासम्मिति में उपस्थित होनेवाले प्रस्तावों पर गुण-दोष की दृष्टि से ही विचार किया जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी सदस्य फिर वह स्वराज्यी हो वा अपरिवर्तनवादी मुखे खुश करने के लिए अपनी राय दे। हम प्रजासत्तात्मक संगठन का विकास करने में प्रयत्नशील हैं। मनुष्य को अपनी अन्तरात्मा को मुक्त करने की आवश्यकता है, किसी और व्यक्ति का नहीं—चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो। मेरे नजदीक न कोई परिवर्तनवादी है और न अपरिवर्तनवादी। वे लोग जो कि घारामभावों में जाने के हामी हैं तथा वे लोग जो कि उसके खिलाफ हैं, दोनों एक-ती देश की सेवा करते हैं, यदि उनका कार्य वा अकार्य देशप्रेम से प्रेरित हो। और मैं तो उन लोगों से जिनकी अन्तरात्मा

मना न करती हो यह भी कहूंगा कि सुरत स्वराज्य-दल में शरीक हो जाय और उसको मजबूत बनावे।

मैं आशा करता हूँ कि महासम्मिति का हर सदस्य अगली महासम्मिति की बैठक में उपस्थित होगा और उसकी कार्रवाई में शरीक हो कर अपनी राय जाहिर करेगा। मैं खुद अपनी तरफ से यह नहीं चाहता कि किसी मयाल का निपटारा कसरत राय के जोर पर हो। जो कुछ तय हो वह प्रायः पूरे एक-मत से हो।

यह तजवीज क्या है, महासभा के संगठन में भारी परिवर्तन है। भागूल के मुआफिक महासम्मिति को उसमें दखल देने की जरूरत नहीं। पर ऐसा समय भी आता है जब कि ऐसा न करना वफादारी के खिलाफ हो जाता है। यदि देश की भारी संख्या उसमें परिवर्तन करना चाहती है और जिनके लिए कि समय खोना ठीक नहीं है तो महासम्मिति के लिए निहायत मुनासिब होगा कि वह उस परिवर्तन को कर दे और अपने इस परिवर्तन के फल की जिम्मेवारी को ले ले एव यदि महासभा इसपर उसको भला-बुरा कहे तो उसको भी अर्थाकार कर ले। जब कोई कारिन्दा अपने मालिक के हित के लिए काम करता है तब हमेशा उसे इस बातका हक होता है कि अपने सर्वनाश को दांव पर लगा कर वह अपने मालिक के मन की बात को पहले से अन्दाज कर के उसके अनुसार काम कर डाले। ऐसी अवस्था में मैं यह देखकर कहता हूँ कि यदि महासम्मिति के सदस्यों की बहुत भारी तादाद पूर्ण परिवर्तन करना चाहती हो तो उनके लिए यह अनुचित होगा कि वे राष्ट्र का तीन महीने का कीमती समय अपनी हिक्किवाइट में व्यर्थ लौबें। कानपुर की महासभा उस बात की लंबी चर्चा से जिसका फैसला महासम्मिति ही भलीभांति कर सकती है, मुक्त रहनी चाहिए। बड़े बड़े प्रश्नों के निपटारे के लिए उसका समय बचा रहने देना चाहिए। और यह बात भी ध्यान में रहे कि मेरी पूर्ण तजवीज के अनुसार मुख्यतः महासभा राजनैतिक संस्था हो जायेगी, उस अर्थ में जिसमें कि सामूहिक तौर पर राजनैतिक शब्द प्रचलित है। स्वराज्यी लोग बजाय उसके राजनैतिक हस्तक के खुद महासभा ही बन जायेंगे जैसा कि उन्हें बन जाना चाहिए। यहाँ महासम्मिति की ओर से कोई बर्हनहेठ था छोटा से छोटा जवाब है।

(य० इ०)

मोहनदास करमचंद गांधी

## सबके सब ब्रह्मचारी

मेरे अभिमान के कारण कहिए, वा अज्ञान के कारण अथवा दोनों के कारण कहिए, मैं यह स्वयाल करता था कि अपने तमाम लड़के-लड़कियों को ब्रह्मचारी रखने का प्रयत्न करने वाला मैं ही हूंगा अथवा मेरे कुछ साथी ही होंगे। पर मेरा अभिमान चूर हो गया है, मेरा अज्ञान दूर हो गया है। मेरे साथ जो स्वयंसेवक बंधा हैं उनमें एक यहाँ की प्रांतिक समिति के मंत्री का भतीजा है। वह खुद ब्रह्मचारी है। यही नहीं, बल्कि उसके तमाम भाइयों को ब्रह्मचारी रखने का इरादा उसके पिता ने किया है। लड़के यदि खुद विवाह करना चाहे तो उनके लिए योग्य कन्या खोजने का तैयार है; पर वे उनपर जबर करना नहीं चाहते। अपने लड़कों को वे अभी ऐसी ही तालीम दे रहे हैं कि जिससे वे ब्रह्मचारी ही बनकर रहे। उनके तमाम पुत्र अज्ञान हैं। और अपने काम-धंधे में लगे हुए हैं। अब तक श्रेष्ठता से ब्रह्मचारी है। मैं देखता हूँ कि बंगाल में इसी तरह कन्याओं को भी तालीम दी जाती है। उसकी मात्रा बंधिप कम है तथापि यत्न अवश्य हो रहा है। यह प्रयत्न पश्चिमी सुधार के प्रवेश का फल नहीं है, बल्कि ऐसी चेष्टा करने वाले माता-पिता केवल धार्मिक भाव से आकर्षित हो कर ऐसा कर रहे हैं।

(नवजीवन)



## धोखादेह भाषण

लार्ड बरकनहेड का ऐलान दो मानों में धोखादेह है। दुबारा पठने पर वह उतना कठोर नहीं मालूम होता जितना कि पहली मर्तबा पठने पर मालूम हुआ। परन्तु दूसरी मर्तबा वह उससे कहीं अधिक निराश करता है जितना कि पहली मर्तबा किया था। उसकी कठोरता अनिश्चित है। भारत-मंत्री खुद कुछ न कर सकते थे। उन्होंने बड़ी कहा है जो कुछ उन्होंने मद्सूस किया है या उन्हें मद्सूस कराया गया है। परन्तु उनके अभिध्वनों से, जब उन्हें ध्यान से देखते हैं, यह छाप पड़ती है कि उनका दिल इस बात को जानता है कि मुझे कभी उनके पूर्ण करने के लिए न कहा जायगा। अच्छा, हम उसीको लें जो कि सब से अधिक प्रलोभनकारी है। उसका भाव यह है—'तुम अपनी तरफ से संगठन तैयार कर के पेश करो और हम उसपर विचार करेंगे।' तो क्या हमें यह ३५ साल का अनुभव नहीं है कि हमने ऐसे प्रायनापत्र भेजे हैं जिन्हें हमने कामिल समझा है और वे 'गौर से विचार करने के बाद अस्वीकार कर दिये गये हैं?' ऐसा अनुभव होने पर हमने १९२० में मिथा-नीति को छोड़ दिया और अपने ही परिश्रम के बल पर रहने का निश्चय किया—फिर भले ही उस कोशिश में हमारा सर्व-नाश क्यों न हो जाय। लार्ड बरकनहेड साहब हमसे 'मुन्शीपन' नहीं चाहते हैं। वे तो हमें 'तलवार-बहादुरी' के लिए न्योता देते हैं—यह अच्छी तरह जानते हुए कि इस निमंत्रण को कोई स्वीकार न करेगा—नहीं कर सकता। खुद उस भाषण में ही इसका सबूत मौजूद है। मुन्शीपन समिती के अल्पमत की रिपोर्ट उनके सामने मौजूद ही थी। वह भी डा० सपू और श्री जिनाह जैसे दो निहायत होशियार बकीलों की, जिन्होंने कि कभी असहयोग करने का कुमूर नहीं किया है, और इनमें से एक तो वाइसराय की कैबिनेट के ला मेंबर भी रह चुके हैं। उन्हें तथा उनके साथी को यह अवाह मिला है कि तुम्हें अपने काम की सूझ-बूझ न थी। तब क्या उस संगठन विधान पर जिसे पण्डित मोतीलाल नेहरू तैयार करे और मान लीजिए माननीय शास्त्रीजी और मियां फजलीहुमेन उसकी पुष्टि करें अधिक अनुकूल विचार होने की सम्भावना है? तब क्या लार्ड बरकनहेड की यह तैयारी गफिल लोगों की पंखाने का जाल नहीं है? फर्ज कीजिए कि मौजूदा हालत की जहरम रफा करने के लिए एक प्रामाणिक संघटन तैयार किया जाय तो क्या उसे नेहरू न कह दालेंगे और उसके बजाय बहुत ही कम वस्तु न ही जायगी? मैं जब कोई २५ साल का भी न हुआ हूंगा तब मुझे यह मानना सिखाया गया था कि यदि हम आने पर अनुष्ठ रहना चाहते हों तो हमें १६ आने की मांग पेश करनी चाहिए। मैंने कभी उस सबक को नहीं सीखा; क्योंकि मेरा यह मत था कि जितने की जरूरत हो उतना ही मांग और न मिले तो उसके लिए लड़ें। पर हां, यह बात मेरे ध्यान में आये बिना न रही कि पूर्वोक्त व्यावहारिक सलाह में बहुत-कुछ सत्यांश था।

यदि शक्ति और बल—फिर वह हिंसात्मक हो या अहिंसात्मक—साथ हो तो नेहरू से नेहरू संघटन पर भी तुरन्त विचार करना पड़ेगा—क्या कर ब्रिटिश लोगों को जो कि अबतक कम से कम एक प्रकार के बल का तो मूल्य जानते हैं।

भारत की वह अथक सेविका डा० बेजेंट एक बिल तो इंग्लैंड ले ही गई हैं। उसपर कितने ही प्रसिद्ध भागतवासियों के दस्तखत हो चुके हैं, और यदि कुछ और लोगों ने उसपर दस्तखत नहीं किये हैं

तो उमका कारण यह नहीं है कि वे उससे सन्तुष्ट न होंगे, बल्कि यह कि वे जानते हैं कि रही की टोकरी में बाले जाने के सिवा दूसरी कोई गति उसकी न होगी। उसपर दस्तखत इसलिए नहीं किये गये हैं कि दस्तखत न करनेवाले राष्ट्र के उस अयमान में भागी नहीं होना चाहते जो कि उसके एकबारगी रद्द किये जाने में गर्भित रहेगा। जरा लार्ड बरकनहेड कहे तो कि मैं उस युक्ति-संगत संघटन को मंजूर कर लूंगा, जिसे कि भारत के लोकमत को बहुतांश में प्रदर्शित करने वाला कोई एक या एकाधिक हल तैयार करेगा, और वे देखेंगे कि एक सप्ताह में वह संघटन बन कर तैयार है। वे सार्वजनिक रूप से डा० बेजेंट को यह आश्वासन दे दें कि यदि पण्डित मोतीलाल नेहरू आदि के दस्तखत करा के लाओ तो उसके स्वीकृत होने की पूरी पूरी सम्भावना है तो मैं इस बात को अपने जिम्मे लेता हूँ कि उनके दस्तखत उसपर करा के ला दूंगा। पर बात यह है कि लार्ड बरकनहेड की इस बात में सच्चाई की गंध नहीं है।

पर यह भारत-मंत्री का कुमूर नहीं है जो उसमें सच्चाई नहीं दिखाई देती। हम अभीतक किसी बात का मतालषा करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। इसलिए आप ही यह ब्रिटिश सरकार का काम है कि वह दे और हमारा काम है कि अगर वह हमें फिल-हाल काफी न नजर आवे तो उसे नामंजूर कर दें। हमारे लिए तो वही एक चीज ऐसी है जिसे कि नये कमान्डर-इन-चीफ साहब ने अप्राप्य कहा है—वही चीज है जिसके लिए हम जीना, लड़ना और मरना चाहते हैं। किसीका अन्म-जात हक कभी अप्राप्य नहीं हो सकता और लोकमान्य ने हमें बताया है कि हमारा जन्मसिद्ध हक है स्वराज्य। स्वराज्य का कक्षण यह है—खुद अपना शासन करना—यद्यपि कुछ समय के लिए हमारा शासन पुरा ही हो। हम क्या अंगरेज और क्या हिन्दुस्तानी, इस समय भारी बनचक्र में हैं। लार्ड बरकनहेड समझते हैं कि ब्रिटिश सरकार हम भारतीयों के कल्याण की दूस्ती है। हम मानते हैं कि उसने हमें अपने स्वार्थ के लिए गुलामी में जकड़ रक्खा है। दूस्ती कभी अपने प्रतिपाकित की आमदनी का ७५ फी सदी अपने महनताने के तौर पर नहीं बसूल करता। लार्ड बरकनहेड कहते हैं कि भारत में ९ मजहब और १३० भाषायें हैं, वह एक राष्ट्र कैसे हो सकता है? हमारी धारणा है कि तमाम व्यावहारिक बातों के लिए और बाहरी लोगों से अपनी रक्षा करने के लिए हम जरूर एक राष्ट्र हैं। वे समझते हैं कि असहयोग एक भयंकर गलती थी। हमारे बहुसंख्यक लोग मानते हैं कि उसीने इस सोते हुए राष्ट्र को—घोर निद्रा से जगाया, इसीके बर्दाश्त राष्ट्र को एक ऐसी शक्ति मिली है जिसकी नाश नहीं हो सकती। स्वराज्य—इस उची बल का सीधा फल है। वे कहते हैं कि हिन्दू-मुसलमान-झगड़ों में ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ 'साफ-पाक रक्के हैं।' पर प्रायः हर भारतवासी का यह निश्चित विश्वास है कि ब्रिटिश सरकार ही हमारे अधिकांश झगड़ों के लिए जिम्मेवार है। वे मानते हैं कि हमें उनके साथ जरूर सहयोग करना चाहिए। हम कहते हैं कि जब वे भारत का हित करना चाहेंगे या जब उनका हृदय-परिवर्तन होगा, वे हमारे साथ सहयोग करेंगे। वे कहते हैं कि कोई गुणी नेता सुधारों का उपयोग करने के लिए उठ खड़ा न हुआ। हम कहते हैं, धी शास्त्रीजी और चिन्तामणिजी औरों को जाने दीजिए, सुधारों को सफल बनाने के लिए काफी गुणी पुरुष थे; परन्तु दुनिया के तमाम सद्भाव के रखते हुए भी उन्होंने अनुभव किया कि वे

ऐसा नहीं कर सकते। देशबन्धु ने इससे निकलने का एक रास्ता निकाला है। वह अब भी हमारे सामने है।

पर उनकी बात को उभी भाव से सुनने को कोई आशा है भी जिस भाव में उन्होंने उसे पेश किया है? अंगरेजों को और हमको एक-दूसरे की बात उल्टी नजर आती है। तब भला कहीं किसी ऐसी बात के पैदा होने का सूरत है जहाँ हम दोनों मिल सकें? हाँ, है।

अभी हम दोनों कामों की हालत अस्वाभाविक है—एक शासक है, दूसरा शासित। हम भारतवासियों को यह स्वीकार करना छोड़ देना चाहिए कि हम शासित हैं। यह हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास किसी क्रिस्म का बल हो। हम मानते हुए दिखाई देते थे कि १९२१ में वह बल हमारे पास था। इसीसे हमने सोचा था कि स्वराज्य एक साल में दिखाई दे देगा। पर अब तो किसीको भविष्यवाणी करने का साहस नहीं हो सकता। अतएव, आइए, अब हम फिर शक्ति सग्रह करें—सत्याग्रह की शान्तिमय शक्ति एकत्र करें और हम एक दूसरे के बराबर हो जायेंगे। यह कोई थमकी नहीं है, कोई भय नहीं है। यह तो अटल वस्तु-स्थिति है। और यदि इन दिनों में हमारे 'शासकों' की कार्रवाइयों की आलोचना नियमित रूप से नहीं करता हूँ तो इसका कारण यह नहीं है कि सत्याग्रह का जवाब मेरे अन्दर मुझ गड़े है। बल्कि, बात यह है कि मैं बाणी, लेखनी और विचार में परिमित व्यक्त हूँ। जिस दिन मैं तैयार हो जाऊँगा खुले मुँह बातें करूँगा। मैंने लार्ड बरकनहेड के इन उद्गारों की आलोचना करने की धृष्टता केवल स्वाम कर बंगाल के और आम तौर पर भारत के विद्योग-व्यथित लोगों को यह कहने के लिए की है कि लार्ड बरकनहेड के भाषण की अनिच्छित आर मुझे भी उसी तरह सुभ रही है जिस तरह कि उनकी, और पण्डित मोतीलालजी जहाँ एक ओर बड़ी धारामभा में लड़ेगे और देशबन्धु की जगह स्वराज्य-दल के अग्रणी होंगे, तहाँ मैं अपनी तरफ से सत्याग्रह के लिए वायु-मण्डल तैयार करने में कोई कोर-कसर न रक्खेगा। इसी काम के लिए मैं और अन्तों में अधिक योग्य हूँ। गीता के गायक ने नहीं कहा है—

स्वधर्मो रक्षणं श्रेयः परधर्मो भयावहः।

( ग० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

५. आप जानते ही हैं कि हमारी अधगोरी-जाति में इन दिनों दो क्रिस्म की प्रवृत्तियाँ हैं—कूट लोग तो योगपियनों ही झुक रहे हैं और कुछ हिन्दुस्तानियों को थोर। आप मारी अधगोरी-जाति को (अ) अपने लोग के लिए (२) तथा भारत के काम के लिए क्या सलाह देते हैं?

मुझे इस दुःखदायी प्रवृत्ति के अस्तित्व का पता है। मेरी राय में तो अधगोरी भाइयों के लिए एक ही गौरवपूर्ण प्रवृत्ति हो सकती है और वह यह कि वे अपना भ्रम्य उन लोगों के साथ जोड़ लें जिनके अन्दर ये पैदा हुए हैं और जिनके अन्दर उन्हें रहना और जीवन बिताना है। अंगरेजों का मुल्ला बन कर रहने का उनका निरर्थक प्रयत्न उनकी स्थिति के स्थायी रूप ग्रहण करने की तथा उसकी उन्नति की रात को पीछे ही इटाता है। योगपियन बनने की आकांक्षा अस्वाभाविक है। अपने भारतीय माता या पिता की तरफ तथा भारतीय स्थिति की तरफ झटाना उनके लिए अत्यंत स्वाभाविक और गौरवपूर्ण स्थिति है। और स्वाभाविक और गौरवपूर्ण बात का करना उनके तथा उनकी मान्यता, भारतवर्ष, दोनों के लिए हर मानी में लाभदायक होगा।

( थं. ६ )

मोहनदास करमचंद गांधी

## अध-गोरे भाइयों के लिए

डाक्टर मोरेनो ने मुझे नीचे लिखे प्रश्न उत्तर के लिए दिये हैं—

१—अधगोरी की वर्तमान विपत्ति शोचनीय है और ज्यों ज्यों दिन जाते हैं त्यों त्यों ज्यादा खराब होती जा रही है। जो लोग बेकार हैं वे दान नहीं चाहते, काम चाहते हैं। मेरी समझ में औद्योगिक काम-धन्धे उन्हें सबसे ज्यादा मुआफिक होंगे। आप क्या उपाय बताते हैं?

मुझी का बात है कि बेकार लोग दान नहीं चाहते। पर यह कहने के लिए मैं माफी चाहूँगा कि बेकार लोग हाथ बुनाई को एक औद्योगिक धन्धा पा सकेंगे। पर मैं यह सुलभसुलझा कुबूल करता हूँ कि अध-गोरे भाई अपनी मौजूदा तालिम के कारण बुनाई के योग्य नहीं रहे हैं—जब तक कि उनमें असाधारण दृष्ट सकन्य न हो। अनुमानित दान पर सलाह देना मुश्किल है। उत्साही और उपकारशील अधगोरे भाइयों का काम है कि वे बेकार लोगों की गिनती करे और फिर इस बात पर विचार करे कि उनके लिए कौनसा धन्धा मुआफिक होगा और तब उसकी तालिम उन्हें दे।

२—अधगोरी जाती जाति को कताई और चरखे के संबध में आपकी विचार-प्रणाली के अनुकूल बनाने के लिए बहुत समय तक बहुत सरममं प्रचार-कार्य करने की आवश्यकता है। पर यदि वे लोग अपनी प्रवृत्ति आपके तैयार किये कार्यक्रम की विरोधक न प्रदर्शित करे तो यह आपकी इच्छा पूर्ति के लिए बंध होगा।

हाँ, मैं इन बात में सहमत हूँ कि एक विधि के तौर पर भी कताई को पसंद करने के लिए अध-गोरे भाइयों के समुदाय को कुछ समय लग सकता है; परन्तु खादी पहनने में तो देरी करने का कोई कारण ही नहीं है। खादी की बनी जाकेट जतना ही काम देती है जितना कि विदेशी कपड़े की बनी जाकेट, और विछौने की चारों, तो मामूली मिल-बनी चादों से होने में कहीं अस्सी टोती है। अध गोरे भाइयों को खादी पहनने को ललचाने के लिए यदि किसी बात की आवश्यकता है तो वह है जनता के साथ जाम्बीय भाव को अनुभव करना। मेरी राय में राष्ट्रीय धर्म के सच्चे भाव की पहली मंटी यही है।

३—अधगोरी जाति भारतवर्ष की एक छोटी जाति है। आपके समान दलों के समवेदन के कार्यक्रम में इसे आप किस तरह शामिल कीजिएगा?

जो रायदार दुगरी लोगी जातियों के साथ किया जायगा, वही बड़ा अधगोरी जाति के साथ किया जायगा।

४—आप भारत में भविष्य में एक संयुक्त महामन्ना बनाना चाहते हैं। तो फिर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अधगोरी प्रतिनिधियों को किस तरह शामिल करेंगे?—(अ) आपका कताई-मताधिकार (आ) अबतक अधगोरी का महासभा में शामिल न किया जाना।

हाल ही जो परिवर्तन लज्जील हुआ है उसके अनुसार मूल को रद कर के रूपया लिया जायगा। यदि अबतक अध-गोरे भाई महामन्ना में शरीक नहीं हुए हैं तो इसका बड़ा कारण है उनकी अनिच्छा ही। यदि इससे यह सूचित किया जाता हो कि महामन्ना उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए खाल तौर पर उद्योग करे तो मैं इतना ही कह सकता हूँ उन लोगों के संबंध में ऐसा करना मुश्किल है जो कि अपनेको हिन्दुस्तानियों से श्रेष्ठ और विश्वी समझते हैं, जैसा कि अबतक अध-गोरे भाई करते आये हैं।

## उद्धार कब हो ?

एक 'सेवक' लिखते हैं—

'एक जगह पढ़ा था कि मनुष्य की तरह जन समाज को भी कर्म के अनुसार अच्छा या बुरा फल मिलता है। जब समाज में असत्य, अन्याय, अनीति और दुराचार की मात्रा बढ़ जाती है तब उसके फलस्वरूप अकाल, अतिवृष्टि, भू-कम्प, आदि दर्शन देते हैं। सेवक कर्म-फल को मानता है। इसलिए स्वराज्य में भी उसकी भ्रष्टा कैसे रहेगी? समाज के कर्म ही खोटे हैं तो फल अच्छा कहाँ से मिलेगा?

"हमारे देश की आन्तरिक स्थिति, हमारे नरेशों की स्थिति, को ही न देखिए न? जिस पवित्र भारत-माता के ललाट पर श्रीरामचन्द्र, वीर विक्रम, शूरवीर शिवाजी और प्रताप जैसे अपने उज्ज्वल चरित्र के द्वारा सुनहला तिलक लगाते थे उसीपर आज राजेन्द्र नामधारी अन्याय, अनीति, जुल्म और हत्याकाण्ड का कलंकित, काला और अमंगल तिलक लगा रहे हैं।

"इसके बाद यदि आप देश का वातावरण और सामान्य सामाजिक व्यवहार देखेंगे तो मालूम होगा कि यह दुर्भाग्य देश तो दुर्भाग्य के रास्ते दौड़ा जा रहा है। और मैं मानता हूँ कि कु-पथ-गामी की मन्मार्ग दिखाना भर ही हमारा धर्म है। हाथ पकड़ कर खींचना हमारा धर्म नहीं। उसी प्रकार प्रलयकाल को बुलाने वाले, दुर्भाग्य-देवी का दरवाजा खटखटाने वाले हमारे वर्तमान नरेश जबतक अपने अत्याचार से इस भारत-भूमि को हत्याकाण्ड की भूमि न बनावेंगे, उनके बेउद त्रास से कलंकित भूमि को उनकी निर्दोष प्रजा के निमल रक्त से न धोवेंगे, अपनी पाप-बुद्धि को अपनी निरीह प्रजा की चित्त की गरम ज्वालाओं और जलते हुए हृदय से निकलने वाली गरम हाथ-उसाम से जलाकर भस्मीभूत न कर देंगे तबतक इस देश को, इन नरेशों को, इस राष्ट्र की शुद्धि या नवजीवन अशभव है। यदि होगा तो वह अकार और हानिकार साबित होगा।

"आज अपना हृदय खोलकर सच सच कहने दीजिए, कि मेरी तो भ्रष्टा हमारे देशी राजाओं का वर्तमान इतिहास देखते हुए उनकी अपेक्षा ब्रिटिश सरकार में अधिक है। देशी राज्यों से कुछ तो अच्छा न्याय, कुछ तो अधिक आजादी यह सरकार देती है। आपकी विश्वास और भ्रष्टा जो कुछ हो; परन्तु जबतक एक बलबन् भाई अपने निमल भाई को पीड़ित करता है, जुल्म कर के सताता है तबतक उस निमल को किसीके आश्रय की जरूरत जरूर होगी, या फिर वह उस जुल्मी भाई के हाथों अपना सर्वनाश करा ले।

"सेवक आपका, आपके आत्मबल का, आपकी अटल भ्रष्टा का प्रदासक है। आपके बराबर भ्रष्टा तो हमें नहीं रह सकती। इसीसे शायद इस समय स्वराज्य के प्रति भ्रष्टा लोप हो रही होगी। परन्तु इस समय भी इतनी भ्रष्टा तो है कि यदि आप इस अश्रद्धा का समाधान करें तो वह ठीक ही होगा। अतएव आशा है कि आप इस अश्रद्धा का समाधान करेंगे।"

इसमें से मैंने वह भाग निकाल बाला है जिसमें 'सेवक' ने देशी राज्यों के संबंध में सविस्तर बातें लिखी थीं।

भ्रष्टा किसीकी दी नहीं दी जाती। इसलिए 'सेवक' को अपनी चाही भ्रष्टा खुद ही प्राप्त या अनुभव करनी होगी। पर मैं उनका विचार-दोष बता सकता हूँ। राष्ट्र के कार्य-फल का अर्थ है उसके समस्त कर्म के योग का परिणाम। फिर स्वराज्य का अर्थ यहाँ संकुचित किया गया है। स्वराज्य का अर्थ है राजतन्त्र अंगरेजों

के हाथ से जनता के हाथ में आ जाय। अतएव यहाँ तो दोनों का सामाजिक अथवा राजनैतिक कर्म-फल निकालना होगा। सामाजिक नीति में हमारी सघनशक्ति, सामाजिक निर्भयता इत्यादि गुणों का समावेश होना है। ये गुण जब प्रजा में आते हैं तब हम अपना तत्र अपने हाथ में ले सकते हैं। फिर यहाँ तो स्वराज्य का अर्थ 'ब्रिटिश भारत की स्वाधीनता' इतना ही है। उसका अन्तर देशी-राज्यों पर बेहद होगा, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी देशी राज्यों का प्रश्न अलग रहेगा और ब्रिटिश हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के बाद अपने आप हल होगा। बहुतांग में तो वह ब्रिटिश भारत की स्वतन्त्रता के बाद अपने आप हल हो जायगा। देशी राज्य-नीति चाहे कितनी ही खराब हो फिर भी यदि ब्रिटिश भारत में शक्ति हो तो वह आज स्वाधीन हो सकती है। इसलिए कर्म-फल निकालने में हमें ब्रिटिश भारत की प्रजा के कर्म का हिसाब लगाना होगा। उस हिमाच में यदि देशी राज्यों को जोड़ेंगे तो फल गलत निकलेगा। वास्तव में तो देशी-राज्य भी अंगरेजी सत्ता के अधीन रहते हैं। वे उस सत्ता के प्रति जबाब देते हैं भी और नहीं भी। कर देने और उस सत्ता के प्रति बफादार रहने से जहाँतक संबंध द तहाँ तक वे उसके नजदीक जवाबदेह हैं। धार प्रजा के और उनके ग्रंथों से जहाँ तक तल्लुक है वे अशभव स्वतन्त्र हैं। और प्रजा के नजदीक तो वे जवाबदेह बिल्कुल नहीं हैं। इससे उनके आस-पास के बाधुमण्डल में दाय ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है। अथवा दूसरी भाषा में कहे तो उन्हें अन्यायी बनाने के अनेक प्रलोभन रहते हैं। वे जो कुछ न्याय करते हैं उसका भी कारण है उनकी बची-खुची स्वतन्त्र नीति। खूबी तो यह है कि देशी राज्य बिल्कुल निरंकुश होते हुए भी और अंगरेजी सत्ता के अनीति के अनुकूल होते हुए भी अब तक जो कुछ है उस नीति-सदाचार की रक्षा कर रहे हैं। यह स्थिति हिन्दुस्तान की प्राचीन सभ्यता की सभ्यता की कृतज्ञ है।

मैं देशी राज्यों का बचाव नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल वस्तुस्थिति को पहचान कर 'सेवक' के विचार-दोष दिखा कर उसकी निराशा दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देशी-राज्य चाहे कितने ही खराब हों पर यदि ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहने वाले करोड़ों भारतवासी अपने योग्य सामाजिक गुणों को प्रदर्शित कर लें तो स्वाधीन तत्र प्राप्त कर सकते हैं। इन गुणों की प्राप्ति में यदि देशी-राज्य बहुत मदद कर सकते हैं। पर यदि वे न करें, मुखातिफ न करें, तो भा राष्ट्र उन गुणों को प्राप्त कर सकता है।

ये गुण क्या हैं, इसका विचार हम समय समय पर कर चुके हैं—सरखा-खादी, हिन्दू-मुसलमान-पेकय, अस्पृश्यता-निवारण। इन गुणों की आवश्यकता शान्ति के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने के लिए है। यदि तलवार-बल से स्वराज्य प्राप्त करना हो तो फिर इनमें से किसीकी जरूरत नहीं। पर फिर वह स्वतन्त्रता जनता की न होगी, एक बाहु-बलवाले की होगी। जनता तो कड़ाई से निकल कर चूल्हे में गिरेगी। गेहूँ-बर्णी डायर श्वेत-बर्णी डायर से अधिक प्राण न होगा। तो तो फिर देशी-राज्य की जिस स्थिति पर 'सेवक' आसू बहा रहे हैं वहाँ सारे भारत की होगी; क्योंकि जो राध तलवार के जयें अंगरेजों से सत्ता छीनेगा वह कहीं प्रजा के प्रति जवाबदेह रहेगा? अग्नि, तलवार, शमशीर, 'सोड' सब एक ही वस्तु के वाचक हैं।

देशी राज्यों से अंगरेजी राज्य जरूर नरम मालूम होगा। यही तो अंगरेजी राज्य की खूबी है। अंगरेजी राज्य को तो

दल-विशेष को प्रसन्न रख के ही अपना काम चलाना पड़ता है। इसीसे मध्यम वर्ग के लोगों को निरंतर अन्याय सहन नहीं करना पड़ता। अंगरेजी अन्याय का क्षेत्र बड़ा है। इससे उसकी भाषा बहुत डोते हुए भी व्यक्तिगत कम मालूम होता है और सहवास के कारण उसे हम जान भी नहीं पाते। दक्षिण अमेरिका के गुलामों को सहवास से गुलामी इतनी भीठी लगती थी कि जब वे गुलामी से मुक्त किये गये तब कितने ही लोग रोने लगे। कहाँ जायें, क्या करें, किस तरह रोजी कमायें, ये महाप्रश्न उनके सामने आ करे हुए। यही हालत हम बहुतेरों की है। अंगरेजी राजनीति की सूक्ष्म परन्तु जहरीली मार हमें जान नहीं पड़ती। क्षय के रोगियों को वैद्य के सचेत करते हुए भी, गाल की लाली मुलावे में डाल देती है। वे नहीं जानते कि यह लाली अक्षली नहीं नकली है। अपने पैर के पीलेपन पर उनकी नजर नहीं आती।

मैं फिर पाठकों को सावधान करता हूँ। मैं देशी राज्यों की हिमायत नहीं करता हूँ। मैं भारत की वृद्धि का वर्णन कर रहा हूँ। देशी राज्य भले ही खराब हों, पर उस खराबी की टाल अंगरेजी राज्य है। उथला विचार करने से अंगरेजी राज्य भले ही देशी राज्यों से अच्छा मालूम हो, पर वास्तव में वह देशी राज्यों से अच्छा नहीं है। अंगरेजी राज्य-पद्धति प्रजा के शरीर का, मन का, आत्मा का नाश करती है। देशी-राज्य मुख्यतः शरीर का नाश करता है। यदि अंगरेजी राज्य आ कर प्रजा-राज्य हो तो मैं देशी-राज्य के सुधार को हस्तामलकवन् मानता हूँ। अंगरेजी राज्य यदि स्वतंत्रियों के बाहु-बल के राज्य की जगह स्वतंत्रियों के बाहु-बल का राज्य हो तो उसके न तो प्रजा को कुछ लाभ होगा, न राज्यों का सुधार। इन दोनों उदाहरणों का मेक शांति-पूर्वक विचार करने वाला हर जी-पुंस अपने आप मिला सकता है।

बाहु-मण्डल के डाँडाडोल रहते हुए भी मैं चरखे की और लादी-प्रगति को स्पष्ट-रूप में देख रहा हूँ। अस्पृश्यता दूर होती ही जा रही है और हिन्दू-मुसलमान राजी-खुशी से नहीं तो लड़-मर कर ठिकाने जरूर आ जायेंगे। इस कारण स्वराज्य की शक्यता के विषय में मेरी श्रद्धा अविचल है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

अबतक चाहे हिन्दी-भाषी इससे किसी कारण उदासीन रहे हों; पर उनकी देशभक्ति, धर्म-भाव और सेवा-शक्ति का जो कुछ परिचय मुझे है उससे मैं यह आशा किये बिना नहीं रह सकता कि जिस किसी हिन्दी-भाई बहन के हाथ में मेरी यह अपील पड जायगी वे तुरन्त 'हिन्दी-नवजीवन' की प्राहकधेणी में अपना नाम लिखवा लेंगे और 'हिन्दी-नवजीवन' को चिरकाल तक हिन्दी-संसार की सेवा करने देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप 'हिन्दी-नवजीवन' को प्रेम से पढ़ेंगे और उसके अनुसार चलने का प्रयत्न करेंगे तो आप अन्त को देखेंगे कि आपने अपना जीवन सुधार लिया, अपने और अपने देश के उद्वार की कुजी आपके हाथ लग गई। इति।

वर्षा

श्रावण म. १०

जमनालाल बजाज

## हिन्दी-भाषियों से निवेदन

प्रिय भाइयो,

आज आपसे एक निवेदन करना पड़ता है। मेरे साग्रह अनुरोध से पू० महात्माजी ने 'नवजीवन' को हिन्दी में प्रकाशित करना मंजूर किया है। आप यह जानते ही होंगे कि उसमें 'यं० इ०' और 'नवजीवन' दोनों के महात्माजी-लिखित लेखों का जुना हुआ संग्रह रहता है। कभी कभी अबकाश और आश्रयकता के अनुसार वे खुद हिन्दी में भी लिखते हैं। 'हिन्दी-नवजीवन' प्रकाशित कराने में मेरा उद्देश केवल यही था कि हिन्दी-भाषी भाई-बहन महात्माजी के पवित्र विचारों और सन्देशों से लाभ उठावें, जिनसे कि अंगरेजी और गुजराती भाषी तो उठा रहे थे पर हिन्दी-भाषी नियमित और आधिकारी-रूप से न उठा पाते थे। पर ऐसा मालूम होता है कि हिन्दी-प्रेमी उसके साथ काफी सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप जान कर दुःखी होंगे कि वह पाठ में चल रहा है। यदि महात्माजी के बार बार लिखते हुए भी आप लोगों को अबतक किसी तरह यह न मालूम हो पाया हो तो मैं मालूम किये देता हूँ कि महात्माजी दो विशेष सिद्धान्तों का पालन करते हुए अपने पत्रों को चलाना चाहते हैं। एक तो यह कि पत्र के इतने ग्राहक हों कि उसका खर्च निकल जाय और पत्री न उठाना पड़े। दूसरे यह कि विज्ञापन के कर आमदनी न की जाय। वे विज्ञापन की आमदनी को नाजायज मानते हैं। 'हिन्दी-नवजीवन' को चलाने के लिए विशेष रूप से सहायता देनेवालों की कमी महात्माजी के लिए नहीं है। पर महात्माजी को यह मंजूर नहीं है। वे पाठकों के ही बल पर उसे चलाना चाहते हैं। क्योंकि उन्हींके लाभ के लिए वह निकाला गया है। और इसीलिए मुझे जैसे की आपके समक्ष यह अपील के कर उपस्थित होना पडा है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि करोड़ों हिन्दी-भाषियों के रहते हुए, महात्माजी के प्रेमियों और भक्तों के होते हुए, मुझे यह कभी क्यास न हुआ था कि यह अपील लेकर आपके दरवाजे मुझे हाजर होना पड़ेगा।

भाइयो, महात्माजी जैसी विभूति युगों में सत्कार में आती है। सारा सत्कार आज महात्माजी के सन्देश का प्यासा हो रहा है और विश्व के महान् विचारक उनके सन्देश का पा कर, उनके पत्रों को पढ कर, अपनेको धन्य मानते हैं। भारत के तो वे कर्णधार ही हैं। हिन्दी का उन्होंने अपरिमित सेवा की है और आज भी कर रहे हैं। हिन्दी को महासभा के मंत्र पर, राष्ट्र-भाषा के सिद्धान्त पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय उन्हींको प्राप्त है। मद्रास में हिन्दी-प्रचार, अहिन्दी-भाषियों में हिन्दी का आदर बढ़ाना, यह उन्हींकी हिन्दी-सेवा है। उनके विचार और सन्देश अनमोल हैं। उनको पढ कर मुझे जो शान्ति लाभ होता है, जो उत्साह मिलता है, जो सन्मार्ग दिखाई पड़ता है, उसका आनन्द कह कर नहीं बताया जा सकता। समस्तुव हम बढमागी हैं जो उनके समय में रह रहे हैं और उनकी अप्रिय वाणी और प्रसन्न लेखनी का प्रसाद हमारे लिए इतना सुलभ है। हम बडे मन्दमागी होंगे, अपनेको महात्माजी के अयोग्य साबित करेंगे, यदि वह सुलभ साधन हमारी क्षुद्रबुद्धि, उपेक्षा, उदासीनता, अज्ञान, या नाकदरदानी के कारण हमारे लिए दुर्लभ हो जायगा।



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ५१ ]

मुद्रक-मकायाक पैसा-काले इमानलाल दून	अहमदाबाद, श्रावण सुदी ९, संवत् १९८२ गुरुवार, ३० जुलाई, १९२५ ई०	मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय, कारंगपुर सरकोमरा की बाड़ी
--	---	--

## मृत्यु का रहस्य

देशवासियों के अहसस पर कलकत्ते में गांधीजी से गाथा पर प्रवचन करने के लिए कहा गया था। उसका अनुवाद 'नवजीवन' से यहाँ दिया जाता है—

"गीता मेरे लिए साधन मांगदशिका है। अपने हर कार्य के लिए मैं शरीर को आधार बनाता हूँ और यदि नहीं मिलता है तो उस कार्य को करते हुए एक जोता हूँ या अनिच्छित रहता हूँ। इसलिए अब मैंने हिचकिचाहट के साथ कुछ कहना स्वीकार किया। सब विचारों कि मृत्यु और जन्म के रहस्य पर कुछ कहूँ। जब जब मेरे कुटुम्बियों की या स्नेहियों की मृत्यु का अवसर आया है तब तब मैंने गीता की ही याद किया है। और यह बात गीता में ही मिलती है कि मृत्यु के लिए शोक न करना चाहिए। मेरी आँखों से यदि कभी किसी समय आँसू निकले हैं तो वे अनिच्छा से और उमका कारण हैं मेरी निर्बलता। जब मैंने शेषबन्धु की मृत्यु के समाचार सुने तो रतम्भिन हो गया और मेरी आँख से आँसू बह निकले। जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ तो मुझे यह निर्बलता का ही परिणाम मालूम होता है। आज हम गीताजी से कुछ आश्वासन प्राप्त करें।

मैंने बहुत बार कहा है कि गीताजी एक महाकारक है। मैं नहीं समझता कि इसमें दो पक्षों के युद्ध का वर्णन है और जब मैंने जेल में महाभारत पढ़ी तब मेरी यह धारणा और मजबूत हो गई। महाभारत खुद ही मुझे तो एक महाधर्मग्रन्थ मालूम होती है। उसमें ऐतिहासिक घटनाएँ तो हैं; पर वह इतिहास नहीं है। सर्प-सत्र जैसी कथा को पढ़ कर यदि शक्य करने लगे तो कैसे सम्मोह हो सकता है? तब तो यद्म से हमारा दम घुटने लगेगा। कवि खुद ही डिहोरा पीठ कर कहता है कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ; परन्तु गीताजी में तो हमारे हृदय के अन्दर प्रचलित युद्ध का वर्णन है और उस युद्ध का वर्णन करने के लिए ऐच्छक कितनी ही रम्य ऐतिहासिक घटनाओं का उपयोग करता है; पर उसका उद्देश्य तो है हमारे हृदय के अन्दर प्रवेश कर हमसे उसका भोगान करवाना। जब दूसरे आश्रय के अन्त में आप आते हैं तब ऐसी भका तक रहता कि ऐतिहासिक

युद्ध की बात बल रही है, असम्भव हो जाता है। अर्जुन का स्थितप्रज्ञ के लक्षण जानने की इच्छा प्रकट करना और युद्ध में प्रवृत्त अर्जुन को भगवान् का उन लक्षणों को कहने लगना विचित्र मालूम होता है।

पर मेरा विषय तो है मृत्यु का रहस्य। यदि आप यह मानने में मुझसे सहमत हों कि गीता एक रूपक है तो गीता के अनुसार मृत्यु का रहस्य भी समझ सकेंगे।

नासतो विद्यते भावो नामासौ विद्यते सतः।

उपशौरिणो ह्यतोन्तस्त्वनवास्तव्योऽपि विधिः॥

इस श्लोक में सत्ता रहस्य मरा हुआ है। अनेक श्लोकों में फिर फिर कर कहा है कि शरीर 'असत्' है। 'असत्' का अर्थ 'भावा' नहीं, ऐसी वस्तु नहीं जो कभी किसी रूप में उदगम न हुई हो, बल्कि उसका अर्थ है क्षणिक, नाशवान् परिवर्तनशील। फिर भी हम अपने जीवन का सारा व्यवहार यह मान कर ही करते हैं मानों हमारा शरीर शाश्वत है। हम शरीर को पूजते हैं, शरीर के पीछे पड़े रहते हैं। यह सब हिन्दू-धर्म के खिलाफ है। हिन्दूधर्म में यदि कोई बात चांदनी की तरह स्पष्ट कही गई हो तो वह है शरीर की और दृश्य पदार्थों की असत्ता। फिर भी हम जितने मृत्यु से डरते हैं, रोते-पीटते हैं, उतने शायद ही कोई करते हों। महाभारत में तो उल्टा यह कहा है कि कदन से गूत आत्मा को सन्ताप होता है। और गीता इसीलिए लिखी गई है कि लोग मृत्यु की कोई भीषण वस्तु न मानें। मनुष्य का शरीर काम करते करते शक्यता है। अनेक शरीर तो मृत्यु के द्वारा दुःख से मुक्त होते हैं। मैं क्यों क्यों शेषबन्धु के दिन-रात कार्य-मय जीवन पर अधिकाधिक विचार करता हूँ क्यों क्यों मुझे प्रतीत होता है कि वे आज जीवित हैं। जब उनका शरीर था तब वे जीवित न थे, आज सोलहों आना जीवित हैं। हमने तो अपने स्वार्थ के कारण मान लिया कि उनका शरीर ही महत्व की वस्तु थी। वह हमें सिखाती है और मैं प्रतिदिन इस पाठ को समझता जाता हूँ कि -- अशाश्वत वस्तु के लिए की गई सारी चिन्ता व्यर्थ है, व्यर्थ कालक्षेप है।

'असत् का भाव' इसका अर्थ है अस्तित्व का न होना। और जो सत् है उसका नाश कभी नहीं हो सकता। शेषबन्धु

जाने वाली सादगी और सख्ती बरदाश्त करने के नाकायिल हैं तो हर हालत में, मुझे आशा है कि, यह बात साफ हो जायगी है कि क्यों अखिल भारत देशबन्धु स्मारक उस स्वरूप को नहीं ग्रहण कर सकता जिससे दुखी लोगों की सहायता की जा सके, या महासभा के कार्यकर्ताओं को वेतन दिया जा सके। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से इस स्मारक के द्वारा दोनों बातों के होने का खयाल कर सकते हैं।

( ५० इ० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## हिन्दी-नवजीवन

प्रस्ताव, भाषण सुदी ९, संवत् १९८२

### महासभा और राजनैतिक दल

श्री सत्यानन्द बोस का नीचे लिखा पत्र मैं लुणी के साथ छाप रहा हूँ। बोस महासभा एक भारी महासभायारी हैं और मेरा उनसे परिचय तभी से है जब मैं दक्षिणी अफ्रिका में था। उन्होंने मेरे स्वर्गीय मित्र सोराबजी अदाजन की सहायता पहुंचाई थी।

“आपके इस प्रस्ताव के सिद्धिसे मैं कि महासभा का कारोबार स्वराज्य-दल के जिम्मे कर दिया जाय, लोगों के मत में कुछ आशंका पैदा हुई है।

यह कहा जाता है कि जब से महासभा स्वराज्य-दल की संस्था की दुम हो जायगी और देश के आर्थिक जीवन में उसका यह प्रधानपद न रह जायगा। पिछले साल आपका जो ठहराव उसके साथ हुआ है उसमें कहा गया है कि स्वराज्यदल बड़ी धारासभा में तथा ग्रान्तीय धारासभा-मण्डल में महासभा की तरफ से काम करेगा। इससे यह सन्देह और भी मजबूत हो जाता है।

हाँ, निस्सन्देह, आपने उस ठहराव को रद्द कर दिया है। पर यह सन्देह होता है कि एक नये ठहराव के द्वारा स्वराज्य-दल को खुले शब्दों में महासभा के कार्य-संचालन और नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया जायगा।

मैं खुद तो इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि आप या पण्डित मोतीलाल नेहरू ऐसा करना चाहते होंगे।

यह बात निर्विवाद है कि क्या महासभा और क्या उसके बाहर स्वराज्य-दल का बहुमत है। इसलिए अभी तो अंधतः महासभा पर उसीका कब्जा होगा। परन्तु यह बात उस ठहराव की बात से मिन है जिसके कि द्वारा उल्ल दल को और बातों और विचारों का लिहाज किये बिना ही, प्रधानपद मिल जाता है।

ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह महासभा हानी चाहिए। पार्लियामेंट में हर दल के लोग रहते हैं और मिनका बहुमत होता है उनका कब्जा और देखरेख उसके कामों पर रहती है। यह चुनाव के फल-स्वरूप होता है, उसके अतिरिक्त किसी ठहराव के द्वारा नहीं। हमारी राष्ट्रीय महासभा में भी इसी विधान की आवश्यकता होनी चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि आप अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दें। अ-स्वराज्यियों में यह इच्छा प्रकट हो रही है कि महासभा में आ

जायें। भाषा है, उनके रास्ते में किसी किसम की रुक बट न डाली जायगी।

पिछले समय की तरह महासभा सबसे प्रधान राष्ट्रीय संस्था रहनी चाहिए—फिर कुछ समय के लिए चाहे किसा दल के हाथ में उसकी शानडोर हो।”

#### “पुनश्च

कागज पर लिखे ठहराव छत्रिम होते हैं और उनका फल मत-भेद और फुट ही होता है। हाँ, ठहराव को बदल भी सकते हैं। पर मैं कहता हूँ ठहराव की जरूरत ही क्या है?”

मैं नहीं समझता कि पण्डित मोतीलाल नेहरू के नाम लिखे मेरे पत्र में ऐसी कोई बात है जिससे सत्यानन्द बापू के पत्र में प्रदर्शित आशंका हो सकती हो। मेरे उस पत्र का आशय सिर्फ इतना ही है कि बेलगाँव में महासभा के बिल्कुल राजनैतिक कामों में मेरे बदौलत जो रुकावट डाली गई थी वह हट जाय।

खुद मेरी तो बड़ी राय बनी हुई है जो कि पिछले साल थी। अर्थात् यह कि यदि भारत का शिक्षित-समुदाय अपनी सारी शक्ति रचनात्मक कार्यक्रम में एकत्र कर दे और उसे अपना प्रधान कार्य बना ले तो हम स्वराज्य के बहुत मजदीक पहुंच जायेंगे। पर मैं कृपुल करता हूँ, कि मैं उन्हें यह बात बंधाने में सफल न हो पाया। ऐसी हालत में मुझे यह उचित नहीं कि मुझ जैसे अकेले आदमी के द्वारा, जिम्मे कि अपने आपका जनता के समर्पित कर दिया है और जिसका अग्रगण्य मत-भेद शिक्षित-समाज के साथ है, महासभा का कार्य-संचालन हो और मैं शिक्षित समाज के द्वारा महासभा के विकास और मार्गदर्शन में बाधक हों। मैं अब भी उनपर अपने विचारों का असर डालना चाहता हूँ। परन्तु महासभा का अग्रणी बनकर नहीं, बल्कि इसके विपरीत जहाँ तक संभव हो चुपचाप उनके हृदय पर अपना असर डालूँगा, जैसा कि १९१५ और १९१९ के बीच करता था। शिक्षित समाज के द्वारा देश की जो महान् सेवा बिकट अवसर पर हुई है उसकी मैं मानता हूँ। उनकी अपनी एक कार्य-प्रणाली है। राष्ट्रीय जीवन में उसका अपना एक स्थान है। मैं इस बात की तरफ से अपनी आंखें नहीं मूंद सकता कि स्वराज्यदल के नियम-बद्ध प्रतिकार ने अपना मिका हमारे शासकों के दिलपर जमा दिया है, फिर और लोग इसके विपरीत जो कुछ राय रखते हों। इस कार्य की मैं सबसे अच्छी सहायता इसी तरह कर सकता हूँ कि मैं उसके रास्ते से अपनेको हटा लूँ और अपनी सारी शक्ति एकमात्र रचनात्मक कार्य में लगा दूँ। जहाँतक शिक्षित समाज मुझे करने देगा इसे मैं महासभा की सहायता से और उसीके नाम पर करूँगा।

मैं इस बात को मानता हूँ कि महासभा की गति का संचालन करनेवाले शिक्षित लोग हैं न कि मैं या वे जिन्होंने किल्लाक राजनैतिक दृष्टि से विचर करना बंद कर रक्खा है। मेरी राय में हमारे राष्ट्रीय विकास में दोनों के लिए स्थान है और हर दल अपने अपने हाथों में रहते हुए एक दूसरे के कार्य का पूरक ही सकता है और सहायता कर सकता है। बरसे और खादी पर मेरी भ्रमा ज्यों की त्यों है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें देश के बहुत से बहुत आगे बढ़े हुए नीजवानों की सारी शक्ति कम सकती है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जिसके लिए एक नहीं सौ नहीं बल्कि हजारों जी-पुरुषों के एकाम-चित्त की आवश्यकता है। मैं बरसे और खादी की आवश्यकता और उपयोगिता को बहुत और लम्बे में अपना बंध नहीं लगाना चाहता। अब यह

समय आ गया है कि खादी के लिए देने जो जो बातें कही हैं वे कर के दिखा दी जायें और ऐसा करण में मैं उन सब लोगों के सहयोग और सहाय को चाहता हूँ जो कि इस कार्य में देना चाहेंगे। और यह तभी हो सकता है जब कि मैं चरखे को महासभा के राजनैतिक अखाड़े से हटा दूँ। अतएव चरखा और खादी महासभा में अपने उस स्थान पर कायम रहेंगे जो कि राजनैतिक शक्ति के लोग खुशी के साथ उसे देंगे। ऐसी अवस्था में यदि आगामी महासमिति ने मेरी सलाह को मान लिया तो राजनैतिक प्रचार की दृष्टि से बिल्कुल दूर हो जायगी और फलतः स्वराज्य-दल अपनी पृथक संस्था के द्वारा नहीं बल्कि छद्म महासभा के द्वारा ही अपना काम करेगा और यह वह किसी नये ठहराव के बंदोबस्त नहीं, बल्कि उसके और मेरे बीच मौजूदा ठहराव के तोक दिये जाने के बंदोबस्त, और उसके फल-स्वरूप महासभा के विधान और महासभा के उस प्रस्ताव में सुधार हो कर जिसके प्रति बल पर वह ठहराव कायम हुआ था। उस ठहराव ने असहयोग को स्थगित कर के तमाम राजनैतिक दलों के लिए महासभा का दरवाजा खोल दिया था। उस ठहराव के तोक दिये जाने से अब यह दरवाजा और ध्यादृष्ट खुल जायगा। क्योंकि राजनैतिक शक्ति के लोग रचनात्मक कार्यक्रम तक ही महासभा के मर्यादित रहने की बाधा से बंचित हो जायेंगे। स्वराज-दल में शामिल होने से वे हिचकते थे और उनकी राय में महासभा के अन्दर उनकी शक्ति और बुद्धि के लिए काफी अवकाश न था। पर अब जब कि वह दृष्टावट दूर हो गई है वे चाहें तो दिल खोल कर महासभा में शरीक हो सकते हैं और महासभा के मंच से जिन चाहे राजनैतिक प्रस्तावों को उपस्थित कर सकते हैं और स्वराजियों से दो दो हाथ कर के उनपर तथा देश पर अपने मतों का प्रभाव डाल सकेंगे।

अब अनिवार्य कताई-मताधिकार उनकी गति को न रोक सकेगा। एक ही बाधा उनके रास्ते में हो सकती है और वह है खादी को अपना आवधिक राष्ट्रीय ध्वज बनाना। पर संभव है कि महामति मताधिकार के गादी-अंध को भी रद्द कर दे। यदि ऐसा अवसर आ भी जाय तो मैं उसके रास्ते में बाधक न होऊँगा—हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इससे मुझे बहुत दुःख होगा। क्योंकि इस अवस्था में शिक्षित भारतवासी उस एकमात्र दृश्य और प्रत्यक्ष बंधन को भी तोड़ डालेंगे जो कि उन्हें आज जनता से बांध रक्खा है। इसलिए मैं आशा रखता हूँ कि महासमिति खादी को महासभा के मताधिकार में निरस्थायी स्थान देगी। क्या हम परैद उद्योग-धंधे और इन्हीं कारीगरों को प्रोत्साहन देना नहीं चाहते हैं? क्या हम उन लाखों बहनों को जो बेकार रहती हैं चरखे के द्वारा कुछ पैसे की आमदनी कराना नहीं चाहते हैं? और मैं समझता हूँ कि धन के साथ ही हाथ कताई तो महासभा के मताधिकार में कायम रहेगी। मैं समझता हूँ कि इसपर तो किसी तरह की आपत्ति नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में यदि मेरे प्रस्तावों को महासमिति मंजूर कर लेगी तो हर शिक्षित भारतवासी के लिए महासभा में सम्मिलित होना और एक ऐसा संयुक्त राष्ट्रीय राजनैतिक कार्यक्रम बनाना शक्य हो जायगा जो कि देशबन्धु की मृत्यु और लार्ड बरकनहेड के शासन से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए आवश्यक होगा।

## टिप्पणियाँ

अखिल-भारत-सूतकार-मण्डल

जब कि महासभा मुख्यतः राजनैतिक संस्था बन जायगी और फिर भी वह किसी न किसी रूप में जनता का प्रतिनिधित्व रखना चाहेगी तो भारत में सूतकार-मण्डल स्थापित किये बिना काम न चलेगा। वह मताधिकार के कताई-संबंधी अंध को नियमित और विकसित करेगा तथा कताई-सदस्यों के दिये सूत को ग्रहण करेगा। और एकमात्र हाथ-कताई और खादी पर अपनी शक्ति केन्द्रित करेगा।

यह मण्डल, यदि उसकी स्थापना हुई, तो बिल्कुल एक व्यवसायिक तत्व पर चलने वाला कारोबार होगा। वह एक स्थायी मण्डल होना चाहिए और महासभा की राजनीति के चढाव-उतार का उसपर किसी तरह कुछ असर न होना चाहिए। इसलिए उसका कार्याधिकारी-मण्डल भी काफी स्थायी होना चाहिए। उसे खादी-सेवा-मण्डल भी कायम करना होगा। वह दूर दूर के देशों में चरखे का सन्देश के जाकर ग्राम-संगठन का प्रतिनिधि होगा और उसे विकसित करेगा तथा पट्टीदार देहातियों में धन को उनसे खींच ले जाने की बजाय, बाँटेगा। इसके द्वारा हम शक्ति के साथ देहात में प्रवेश करेंगे और कुछ समय के बाद वास्तविक राष्ट्रीय जीवन वहाँ से बह निकलेगा। यह एक ऐसा जबरदस्त सहयोग-प्रयत्न होना चाहिए जिसे कि दुनिया अभी तक न देख पाई हो। यदि इसमें एक अच्छी तादाद में बुद्धि का प्रयोग किया गया, साधारण त्याग से काम लिया गया, मामूली ईमानदारी का अवलंबन किया गया और धनवानों और मध्यवर्ग के लोगों की तरफ से साधारण सहायता दी गई तो इसकी सफलता निश्चित है। देखना चाटिए, भारत का भविष्य क्या कहता है।

चीन की युगत

मैं आशा करता हूँ कि पाठकों ने कैंटन (चीन) की राष्ट्रीय सरकार के पर-राष्ट्र-विभाग के अधिकारी का मेजा वह लंबा तार अन्य पत्रों में पढ़ ही लिया होगा। और यह तो स्पष्ट ही है कि वह तार दुनिया के कई हिस्सों में भेजा गया है।

मैं नह कह सकता कि चीन को उसकी इस विपत्ति में भारतवर्ष क्या सहायता दे सकता है। यहाँ तो हम खुद ही सहायता की अभिश्यकता हैं। यदि अपने घर के काम-काज में हमारी कुछ चलती-हलती होती तो हम भारतीय सिपाहियों की बंदूकों से चीन के निर्दोष विद्यार्थियों तथा अन्य लोगों को खर-खाश की तरह भूने जाने के इस तेजोनाशक और अपनेको गिराने वाले दृश्य को—यदि तर में बणित कथा को सच मानें तो—कभी सहन न कर सकते थे। ऐसी हालत में हम तो निर्फ परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वह उन्हें इन तमाम विपत्तियों से छुटावे। परन्तु चीन की स्थिति हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारी यह गुलामी अकेले हमीको हानि नहीं पहुंचा रही है, हमारे पड़ोसी को भी पहुंचा रही है। इससे यह बात भी बड़े जोर के साथ प्रत्यक्ष होती है कि भारतवर्ष केवल उसके अकेले की लड़ के लिए ही पराधीनता में नहीं रक्खा जा रहा है बल्कि वह तो प्रेट्रिटेन को महान और प्राचीन चीन को लूटने में भी समर्थ बनाता है।

यदि किसी जिम्मेदार चीनवासी के हाथ में वे पंक्तियाँ पहुंच जायं, तो मैं उसका ध्यान उन साधनों और उपायों की ओर दिखाना चाहता हूँ जिनका उपयोग हम यहाँ भारत में कर रहे हैं वे हैं अहिंसा और सत्य। चीनी इस बात को समझ रखें कि

होगी ! परन्तु परिणाम तो हम देख ही रहे हैं कि बहुतेरे कामों में बायें हाथ का उपयोग नहीं किया जाता, इससे वह बे-काम हो गया है और हमेशा दाहने से कमजोर भी रहता है।

जापान में यह बात नहीं। वहाँ लड़कपन से ही दोनों हाथों से एक-सा काम केना सिखाया जाता है। इससे आपानियों के शरीर का उपयोगता हमारे शरीर से बट जाती है।

ये विचार मैं अपने वर्तमान अनुभव के फलस्वरूप पाठकों के लाभार्थ उपस्थित करता हूँ। जापान की इस बात को पढ़े कोई २० साल से अधिक हो गया। जब से मैंने यह बात सुनी तभीसे बायें हाथ से लिखना शुरू किया और थोड़ी बहुत आदत बाल ली थी। यह मानकर कि अबकाश नहीं है, दहने के बराबर तेजी से लिखने का महानुरा न डाला। इसपर इस समय अफसोस हो रहा है। मेरा दहना हाथ मेरी इच्छा के अनुसार लिखने का काम नहीं देता। बहुत लिखने से वह दर्द करने लगता है। और अभी यह लोभ मुझे बना हुआ है कि जहाँ तक हाँ सके अपने हाथ से लिखने की शक्ति का कायम रखूँ। इस कारण अब फिर मैंने बायें हाथ से लिखना शुरू किया है। अब मुझे इतना समय तो हई नहीं कि मैं अब कुछ बायें हाँ हाथ से लिखूँ और दहने हाथ की तेजी उममें ला दूँ। फिरभी वह कौन समय में मुझे मदद दे रहा है। इस कारण अपना यह अनुभव मैं पाठकों के सामने पेश करता हूँ। जिन्हें अबकाश और उम्माह हो वे बायें हाथ को भी तालीम दें। समय बीतने पर उसकी उपयोगिता हरएक पर साबित हो जायगी। केवल लिखने का ही नहीं दूसरी क्रियाओं का अभ्यास भी बायें हाथ कर केना चाहिए। क्या हम कितनों ही का यह अनुभव देखते नहीं देखते हैं कि जब किसी बोट आदि के कारण दहना हाथ काम नहीं देता तब बायें से खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है? इस लेख का सार कोई यह तो हरगिज न निकालें कि वे बायें हाथ को तालीम देने के पीछे पागल हो जायें। साधारण तौर पर बायें हाथ को जितना अभ्यास कराया जा सकता है उतना ही कराने की सलाह इस टिप्पणी के द्वारा मैं दे रहा हूँ। शिक्षकों के लिए यह बाँलनीय मालम होना है कि वे इस सूचना से बालकों को लाभ पहुँचावें।

( नञ्जीवन )

मा० क० गांधी

### विज्ञापनों का नियंत्रण

२० जुलाई के 'प्रताप' में उसके संपादक ने अपने पाठकों को यह आश्वासन दिया है कि इस पत्र में ऐसे विज्ञापन न छापे जायेंगे जो मन में कु-प्रवृत्ति उत्पन्न करें और जिनसे लोग ठगे जायें या उनके ठगे जाने की संभावना हो। बाजीकरण ओषधियों के विज्ञापन प्रताप में न छापे जायेंगे। शिलाजीत मकरध्वज आदि शास्त्रीय ओषधियों के संवेदन में भी इस बात का सदा विचार रक्खा जायगा कि उनका वर्णन अश्लीलता की सीमा तक न पहुँचने पावे। इस निश्चय के कारण प्रताप के कुछ विज्ञापन-दाता उससे नाराज हो गये हैं और उन्होंने अपने विज्ञापन और रुपया भी वापस भगा लिया है। अन्त में ये कहते हैं कि 'इस प्रकार विज्ञापनों के नियंत्रण की बुनियाद डाल कर हम समाचार-पत्रों में विज्ञापन-संबंधी जो दूषण है उसे कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि इस काम में पत्र के पाठक और विज्ञापन-दाता हमें सहायता देने की कृपा करें।'

प्रताप-संपादक इस शुभ संकल्प के लिए अपने पाठकों के धन्यवाद के पात्र हैं। इस निर्णय के द्वारा उन्होंने अपने पाठकों की बड़ी सेवा की है। उनके सामने से उन्होंने यह प्रलोभन-सामग्री, अर्थात्क उनसे हो सका, हटा लेने का कौशिक

की है जिनके व-दौलत उनके धन और जीवन दोनों के बरबाद होने की संभावना रहा करती है। हिन्दी-पत्र-संचालकों के सामने भी उन्होंने पाठकों की सेवा का यह स्वागत-योग्य नमूना पेश किया है। गंदे और धोखा देनेवाले विज्ञापनों की हानियाँ इतनी स्पष्ट हैं, और प्रत्येक पत्र-संचालक उनसे इनना परिचित होता है, कि यदि वह जग ही अपने पाठकों के हित का अधिक विचार करे तो उर विज्ञापनों से अपने पत्र को फलकित करना कभी ग़रारा न करे। परन्तु पत्रों में विज्ञापनों का लेना एक ऐसा मामूल पड़ गया है कि पत्रकारों की दृष्टि सहसा उसके कृष्ण-पक्ष को ओर नहीं जाती। कुछ लोग तो अपने पत्रों की इनी-जागुनी ग्राहक संख्या बता कर भी विज्ञापन-दाताओं से विज्ञापन झटकने में तुराई नहीं समझते। वे पत्र के पोषण के मोह में जागुनी झूठ का आश्रय लेते हैं ना उनके विज्ञापन-दाता आठ गुना झूठी बातें लिख कर उनके ग्राहकों से विज्ञापन की रकम खमीट लेते हैं। दोनों की इस छीना-झपटी में मरण है बेचारे पाठकों का। अ प्रकाश पत्र इस विज्ञापन की धीमारी के मरीज होते हैं - इसलिए पाठकों को इस विषय में उनका हानि-लाभ भला वे कैसे विख्या सकते हैं! पर सभी पत्रकार इस ध्रुणी के नहीं होते हैं। प्रताप-संपादक की इस घोषणा को इस बात का मंगलाचरण समझना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि 'प्रताप-संपादक' ही अकेले इस क्षेत्र के बीर न रहेंगे। हिन्दी में ऐसे पत्र-पत्रिका भी हैं जो विल्कुल विज्ञापन नहीं लेते, ना नाम-मात्र के लिए लेते हैं, फिर भी किसी न किसी तरह जी ही रहे हैं। अनीतियुक्त जीवन से क्या दुर्जीवन-दृष्टि जीवन अच्छा नहीं है? हिन्दी में ऐसे प्रसिद्धि पत्र-पत्रिका भी हैं जिनपर मेरी दृष्टि है और जो भी समझना हूँ कि यदि चाहें तो इस विषय में अग्रणी हो कर पाठकों का बड़ा हित-साधन कर सकते हैं।

'प्रताप' के सुसचि और सुविचारवान् संपादक से मेरा एक निवेदन है। वे समय समय पर इस कुप्रथा पर अपने विचार प्रकाशित कर के इस नियंत्रण की आवश्यकता का प्रतिपादन भी करते रहें। मैंने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति के पास एक इस आग्रह का प्रस्ताव भेजा है कि पत्र-संचालकों से अनुरोध किया जाय कि वे गंदे और चरित्रनाशक विज्ञापनों को अपने पत्रों में स्थान न दिया करें। स्थायी-समिति ने वृन्दावन-सम्मेलन के लिए उस प्रस्ताव को भेज दिया है। यदि 'प्रताप' के तथा अन्य देश-सेवेत्तु पत्रों के संपादक इस विचार का समर्थन करें तो इस विषय में हम बहुत प्रगति कर सकते हैं।

मैं प्रताप-संपादक को बकीन दिलाना चाहता हूँ कि 'विज्ञापन बाजी से अनर्ग' नामक लेख मैंने बहुतेरे पत्र-पत्रिकाओं में छपे विज्ञापनों को ध्यान में रख कर लिखा था-अकेले 'प्रताप' की ओर मेरा संकेत हरगिज न था। ये 'प्रताप' के शुभ धरकार हैं जिन्होंने उसे सब से पहले इस विषय में जाग्रत और शुद्ध किया और सार्वजनिक-रूप से इस नियंत्रण का बीड़ा उभारे उठवाया है।

ह० उ०

### अखिल-भारत-देशबन्धु-स्मारक

इसकी अगील पर गतांक में प्रकाशित नामों के अलावा नीचे लिखे सज्जनों के दस्तखत और आये हैं—

मौ० महम्मदशरीफ, पं. मदनमोहन मालवीय, श्री सी. राज-गोपालाचारी, श्री गंगाधरराव देशपाण्डे, श्री कौंडा वेकटपुत्रया, बाबू गजेन्द्रप्रसाद, श्री एम. श्रीनिवास आयंगर, श्री रमस्वामी आयंगर, श्री वरदागजल नायडू, श्री अम्बास रंगनजी, श्री ई० पी० रामस्वामी नायकर, श्री गोविंददास, श्री अग्रामोदय दौलतराम, श्री डॉ. प्रकाश, श्री पी. बी. दास्ताने।



# मैं अंगरेजो से द्वेष करता हूँ?

वार्षिक  
क.सा.का  
एक प्रति या  
द्वितीय के लिए

मूल्य  
(१)  
(२)  
(३)

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ४ ]

[ अंक ५९ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
बैजोकाक इण्डियाकाक दूर

अहमदाबाद, भाद्रपद वही २, संवत् १९८९  
गुरुवार, ६ अगस्त, १९२५ ई०

मुद्रकस्थान-नवजीवन मुद्रकालय,  
बाराणसी शरकीपरा की बाड़ी

## क्या यह विसंगति है ?

जांचे लिखा पत्र कलकत्ते के 'स्टेट्समैन' को भेजा गया था, जो कि उन्हें ? अगस्त के अंक में प्रकाशित हुआ है। सर्व-साधारण को जानकारी के लिए उनका अनुवाद यहां किया जाता है।

"आज के 'स्टेट्समैन' में 'सिविल रेजिस्टन्स' नामक जो लेख निकला है उसके उत्तर में मैं यह पत्र भेज रहा हूँ। आपसे मैं आप उसे स्थान देने की प्रार्थना प्रदर्शित करूँगा। आपको मेरी इस अभिलाषा में कि देश में सविनय भंग का वायुमण्डल फैलाने का और योरपियन एसोसियेशन वाले उस मापन के इन बयानों में कि 'मैं सहयोग के लिए तैयार हूँ' विसंगति दिखाई देती है। योरपियन एसोसियेशन में मैंने यह मापन २४ जुलाई को किया था। गुरुवार के य. इ. के लिए मैं उससे पहले के सविनय भंग को लेख लिखता हूँ। यं० इ के जिस लेख में सविनय भंग का उल्लेख हुआ है, और जिसे आपने उद्धृत किया है वह २३ जुलाई को प्रकाशित हुआ है। अतएव वह लेख उसके पहले के सविनय भंग की अर्थात् १९ जुलाई को लिखा गया था। मैंने ये तारीखें इस लिए दी हैं कि आपको यह ज्ञात हो जाय कि सविनय भंग का क्या योरपियन एसोसियेशन वाले मापन के बाद नहीं पैदा हुआ था।

मुझे सविनय भंग और सहयोग की इच्छा में कोई विसंगति नहीं दिखाई देती। आपको शक होगा कि योरपियन एसोसियेशन में मैंने एक पुरानी कहानी के लिखित में ये बयान कहे थे। असहयोग के दार-दार के अन्तर्गत में एक अंगरेज ने ताना मारते हुए कहा था कि बसकि आप असहयोग असहयोग पुकारते हैं फिर भी आप सहयोग के लिए तैयार रहे हैं। मैंने जोरों के साथ उनसे कहा— हाँ, यह बिल्कुल ठीक है। और मैं कहता हूँ कि आज भी मैं उसी जगह मौजूद हूँ। अन्याय का सविनय प्रतिकार मेरे नवजीवन की ही अन्याय विरोधता या नया कार्य नहीं है, यह तो मेरा आ-जीवन सिद्धान्त और आ-जीवन आचरण रहा है और है। देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करने का अर्थ है अहिंसा के लिए तैयार करना। देश को अहिंसा के लिए तैयार करने का अर्थ है उसे रचनात्मक कार्यों के लिए अंगरहित करना। और रचनात्मक कार्य और करवा दोनों मेरे लिए पर्यायवाची शब्द हैं। यह साफ साफ है कि आप मानते हैं कि मुझे असहयोग या

सत्याग्रह पर पछतावा हुआ है। पर यह बात हरगिज नहीं है। मैं अब भी अतल असहयोगी हूँ। यदि मैं भारत के शिक्षित वर्ग को अपने साथ रख सकूँ तो मैं आज पूरा पूरा असहयोग घोषित कर दूँ। पर मैं ठहरा अमली आदमी। जो हकीकत मेरी आँखों के सामने है उसे मैं देखता हूँ। मैं अपने कुछ अत्यन्त आदरणीय साथियों को बड़ा बात बचाने में सफल नहीं हुआ हूँ कि हमने १९२० में जो एक प्रकार का असहयोग शुरू किया, वह बढ़ करतमान अवस्था में भी देश का हिता-सामान्य नरक करता है। पर मैं अपने साथियों को फिर से काबल कर सकूँ तो मैं अतल ही सहा-सहा से कहूँ कि फिर से लड़ाई का शक फूट दो।

मैं अपनी इस कमजोरी की हालत में खुद अपनी तरफ से सरकार से सहयोग करने की इच्छा नहीं रखता, वह तो एक मुलाम का सहयोग होगा। मैं अपनी कमजोरी को तत्कालीन करता हूँ। और इसलिए केवल सहयोग की इच्छा पर ही संतुष्ट रहता हूँ। अपनी शक्ति को संग्रह करके उस इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूँ। यदि मैं हिंसात्मक साधनों का कायम होता तो मैं इस बात की कृपा न रखता और उसका जो कुछ नतीजा होता उसे भोग लेता। मैं देश को पुकार पुकार कह देता और असंविध्य भाषा में कह देता कि इस देश के लिए तत्काल आजादी या सम्मान-पूर्ण सहयोग का रास्ता कुछ नहीं है जबतक वह अंगरेजी संगीत को हिन्दुस्तानी संगीत का स्वाद न चखा दे। पर बात यह है कि मैं तो तत्काल के पंथ का अनुयायी ही नहीं। मैं तो उस्टा इसके आगे बढ़ कर यह भी मानता हूँ कि दुर्भाग्य से हो या सहभाग्य से, तत्काल भारतवर्ष में कदापि सफल नहीं हो सकती। जो इसके लिए एक दूसरे शत्रु की आवश्यकता है, और वह है सत्याग्रह।

आपकी राय में यह हिंसा की ही तरह अतर्नाक है, और यदि नहीं सरकार की भी राय हो, तो उसे मुझे खाना होगा; क्योंकि मेरे जेब से सूटके के बाद एक क्षण मैंने इसकोशिका के सिवा नहीं बिताया है कि मैं अपनेको या देश को सत्याग्रह के लिए योग्य बनाऊँ। मैं आपको अत्यन्त नम्रतापूर्वक सूचित करता हूँ कि यदि मैं सिर्फ अपने मानिकारी मित्रों का पूर्ण सहयोग उनसे अपनी कारंवाइनों को पूरा पूरा बन्द करा के प्राप्त कर सकूँ और यदि मैं आम तौर पर अहिंसा का वायुमण्डल

उत्पन्न कर सके तो मैं आज ही सामुदायिक सत्याग्रह की घोषणा करूँ और इस तरह सम्मानपूर्ण सहयोग के लिए रास्ता तैयार करूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि १९२१ में मैं ऐसा न कर पाया और जब मैंने देखा कि चौरा-चौरा ने मुझे दगा दे दिया तो सत्याग्रह की घोषणा के चौबीस घण्टे के अन्दर मुलतवी करने में मैंने किसी तरह आगा-पीछा न किया और उसके बाद उसके फलस्वरूप देश में जो सर्व-सामान्य तिरस्ताह फैला उसको अगोकार करने में न क्षमता।

और मैं जो हिन्दू-मुस्लिम-एकता, ब्रह्म और आदी पर इतना जोर दे रहा हूँ कि लोग तंग आ जायें, वह इसलिए कि सत्याग्रह के लिए आवश्यक अहिंसा की स्थिति का इत्मीनान कर लूँ। मैं कुबूल करता हूँ कि मैंने इस बात की आशा छोड़ दी है कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता बहुत नजदीक भविष्य में हो जायगी। हाँ, अछूतपन धीरे धीरे परन्तु निश्चय के साथ जा रहा है और बरखा भी धीरे धीरे परन्तु निश्चय के साथ रास्ता तय कर रहा है। परन्तु इस बीच देश की मनमानी छूट तो कदम तेजी के साथ आगे ही बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं किसी न किसी तरह के अ-व्यर्थ व्यक्तिगत सत्याग्रह की तजवीज सोच रहा हूँ जिससे कि यदि इस दरिद्र देश को कुछ आराम न मिले तो कमसे कम लोगों को तो जिन्होंने कि अहिंसा को अपना मिशान्त मान लिया है, यह तजवीज हो कि इमने अपनी तरफ से देश को उन बेडियों से छुड़ाने में जो कि सारी कौम को निःसत्त्व बना रही हैं अपनी तरफ से कोई बात उठा न रखी।

मैं फिर यह कुबूल करता हूँ कि अभी मेरे पास इसकी कोई तैयारी तजवीज नहीं है; क्योंकि यदि होती तो मैं उसे अपने या देश से छिपा कर न रखता। पर हाँ, मैं अपने मन की सारी गति-विधि आपके सामने रख रहा हूँ। बड़े बड़ाने बना कर अंगरेजों का सद्भाव कायम रखने या प्राप्त करने की इच्छा मुझे नहीं है। जिस तरह कि सरकार भारत के राजकाजियों के सामने धर्म पेश करते समय अपने अस्तित्व और स्थिरता के इत्मीनान के लिए किसी किस्म के एहतियात या तैयारी की कोशिश में कमी नहीं करती उसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरा देश भी उन राजाओं से सजित होने में कसर न रखे किनका कि प्रयोग वह उस समय शुरू कर दे जब कि सरकार उसकी इच्छा का सम्मान न करे।

आप जानते ही होंगे (क्योंकि अब वह पत्र-ध्वजद्वारा प्रकाशित हो चुका है) कि देशबन्धु ने डा० जेजेण्ट के बिल वाले घोषणा-पत्र पर दस्तखत नहीं किये हैं। उसका एक कारण यह था कि उसमें उस हति या बल का समावेश न था जो कि उसके अस्वीकृत किये जाने की अवस्था में काम में लाई जा सके। वह बल वा सत्याग्रह। क्या आप यह पसन्द करेंगे कि जब देश का धारा पौरुष नष्ट हो जाय और हिंसात्मक या अहिंसात्मक किसी तरह के प्रतिकार के लिए वह किसी काम का न रहे तब कहीं जा कर ब्रिटिश सरकार सुलह की शर्तें पेश करे या स्वराज्य-दल या किसी दूसरे दल के प्रस्ताव पर विचार करे? यदि यही बात है तो मैं आपको थकीन दिखाता हूँ कोई भी आत्माभिमानी भारतवासी ऐसी नीचा गिरानेवाली शर्तें को स्वीकृता से कुबूल न करेगा।

## महासभा में सविनय भंग

'नवजीवन' में हम कई बार देख गये हैं कि सविनय भंग केवल उसीके खिलाफ नहीं कर सकते जिसे हम अपना शत्रु मानते हैं अथवा जो हमें अपना शत्रु मानता हो बल्कि जिन्हें हम अपना मित्र अथवा बड़ा समझते हैं उनके खिलाफ भी हो सकता है। महासभा के संबंध में यह बताने का समय आ गया है। इस अंक में दूसरी जगह महासभा के विधान में किये जाने वाले आवश्यक सुधार दिये गये हैं। परन्तु आम तौर पर महासमिति को सुधार करने का अधिकार नहीं। ये सुधार विधान में परिवर्तन कर के ही किये जा सकते हैं। इन्हें महासभा को ही करने का अधिकार है। महासमिति को जो अधिकार दिये गये हैं उनमें इसका समावेश नहीं होता। इसके लिए महासमिति को अपनी असाधारण सत्ता का उपयोग करना पड़ेगा। इस असाधारण सत्ता का दूसरा नाम कानून का सविनय भंग लिया जा सकता है। ऐसे भंग करने का अधिकार सब को और सब संस्थाओं को मौका पड़ने पर है; यही नहीं बल्कि वह उनका धर्म ही जाता है। यदि हम मेरे सूचित सुधारों की आवश्यकता मानते हैं तो वह धर्म इस समय प्राप्त हुआ है। महासभा की बैठक में तो इस बात की चर्चा होनी ही चाहिए। दूसरे का काता सूत मोल ले कर देने का नियम अवश्य बद होना चाहिए। क्योंकि इस शर्त से कुछ भी लाभ न हुआ; बल्कि उल्टा दम्भ और असत्य की बढ़ती हुई है। यदि महासमिति यह आवश्यक परिवर्तन न करे तो वह धर्मभ्रष्ट मानी जायगी; क्योंकि देश के दो-चार मास व्यर्थ जायेंगे। यदि देशबन्धु का अवसान न हुआ होता, 'लाई बरकनहेब' का भाषण न हुआ होता, तो शायद इस विषय में मत-मेद के लिए जगह रहती, पर अब जगह नहीं। सम्भव है कि महासमिति के कुछ सदस्य तात्कालिक आवश्यकता को स्वीकार न करें। तो उन्हें सविनय भंग करने का अधिकार नहीं। और इसीलिए मैंने अपनी यह राय प्रकट कर दी है कि महासमिति ऐसा परिवर्तन तभी कर सकती है जब यदि पूर्ण सर्वाजुमत नहीं तो लगभग पूर्ण एकमत अवश्य हो।

ऐसा परिवर्तन करने में उसकी आवश्यकता मात्र सविनय भंग का पूरा कारण नहीं है। जिसके खिलाफ सविनय भंग किया जाता हो उसे भी इस भंग से लाभ अवश्य पटुचना चाहिए। वहाँ तो इस शर्त का पूरा पालन होता है; क्योंकि महज महासभा के लाभ के ही लिए इन परिवर्तनों की आवश्यकता है। दूसरी शर्त यह है कि भंग करने वाले के मन में द्वेष-भाव न होना चाहिए। यह शर्त तो 'सविनय' शब्द के ही अन्वय है। क्योंकि 'विनय' द्वेष का विरोधी है। और जहाँ महासभा का भला चाहा गया है वहाँ द्वेष कहा से हो सकता है? यह लेख में इसलिए नहीं लिखता हूँ कि मैं किसी से अनजान उसकी इच्छा के खिलाफ कहकर कि महासमिति को विधान में परिवर्तन करना ही चाहिए। इसमें भी सब अपने अपने स्वतंत्र विचारों का उपयोग करें। इस प्रकार विधान में परिवर्तन करने से जो अधिक हानि देखते हैं — वे यदि परिवर्तन की आवश्यकता स्वीकार करते हैं तो भी — उनका फर्म है कि महासमिति के द्वारा परिवर्तन करने का विरोध करें। सविनय भंग किसीके कहने से नहीं होता — न होना चाहिए। सब ही किसीको जब वह बात अनुकूल मालूम हो उभरी होना चाहिए। तभी वह जीवा दे सकता है, तभी वह हो सकता है। क्योंकि जो बात इतनी पक्की नहीं उसे करने की शक्ति भी हमारे अन्दर नहीं होती और सविनय भंग की सफलता का आधार तो केवल स्वयंशक्ति पर है।

इस केश का मुख्य श्रेष्ठ यह दिखाता है कि सविनय भंग किस परिस्थिति में हो सकता है। मैं अपनेको सविनय भंग का शास्त्री मानना हूँ। मैं मानता हूँ कि उसका आविष्कार भी मैंने स्वतंत्र-रूप से किया है और यह अपना धर्म मानता हूँ कि उसकी प्रामाणिकता, उसकी मर्यादा, आदि समय समय पर दिखाता रहूँ। परिवर्तन हो वा न हो, इसके विषय में मैं बिल्कुल तटस्थ हूँ। यही नहीं बल्कि यदि सब लोग अपने अपने स्वतंत्र विचारों का उपयोग न करें तो मैं इस परिवर्तन को हानिकारक समझता हूँ। जो अपनेको मेरा 'अनुयायी' मानते हैं उनपर ये विचार विशेष रूप से पड़ते हैं। मुझे अब भी पसंद नहीं। मैं उसे सख्त नापसंद करता हूँ। अन्धभक्ति से स्वराज्य नहीं मिल सकता। और मिले भी तो रह नहीं सकता। इसलिए मैं अपने 'अनुयायियों' की भी बुद्धि को अपने साथ रख कर उनसे काम लेना चाहता हूँ। यदि हम बुद्धि-पूर्वक प्रयोग परिवर्तन करेंगे और प्रामाणिकता-पूर्वक उनपर असर करेंगे तो उससे बहुत अच्छे परिणाम उत्पन्न होने की मैं आशा रखता हूँ।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

### दादाभाई शताब्दि

दादाभाई तीर्थोजा की सौ अजन्ती आगामी ८ सितंबर को पड़ती है। श्री भूबा ने समय पर ही उसकी याद हमें दिला दी है। हम दादाभाई को भारत का पितामह कहते थे। दादाभाई ने अपना सारा जीवन भारत के अर्पण कर दिया था। दादाभाई ने भारत की सेवा का एक धर्म बना डाला था। स्वराज्य शब्द उन्हींसे हमें मिला है। वे भारत के मरीचों के मित्र थे। भारत की दरिद्रता का दृशन पहले पहले दादाभाई ने ही हमें कराया था। उनके तैयार किये अंकों को आमतक कोई मकत साबित न कर पाया। दादाभाई हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई किसीमें भेद-भाव न रखते थे। उनकी दृष्टि से वे सब भारत की भन्तान थे। और इसलिए सब समान-रूप से उनकी सेवा के पात्र थे। उनका यह स्वभाव उनकी दो पंक्तियों में मोलकों आना दृष्टि पड़ता है।

इस महान् भारत-सेवक की शताब्दि हम किस तरह मनायें ? सम्राज्य तो होगी ही; वह भी अकेले शहरों में नहीं, बल्कि देहात में भी, जहाँ जहाँ तक महासमा की आवाज पहुँची है वहाँ सब जगह। वहाँ करेंगे क्या ? उनकी स्तुति ? यदि यही करना हो तो फिर भाट-वरणों को बुलाकर उनकी कल्पना-शक्ति का तथा उनकी बाणी के प्रवाह का उपयोग करके क्यों न बैठ रहें ? पर यदि हम उनके गुणों का अनुकरण करना चाहते हों तो हमें उनकी ज्ञान-बीन करनी होगी और अपनी अनुकरण-क्षमता की नाप निकालनी होगी।

दादाभाई ने भारत की दरिद्रता देखी। उन्होंने हमें सिखाया कि 'स्वराज्य' उसकी ओषधि है। परन्तु स्वराज्य प्राप्त करने की कुंजी लक्षात् करने का काम वह हमारे जिम्मे छोड़ गये। दादाभाई की पूजा का मुख्य कारण दादाभाई की देशभक्ति थी और उस भक्ति में वे बड़े लीन हो गये थे।

हम जानते हैं कि स्वराज्य प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन चरखा है। भारत की दरिद्रता का कारण है भारत के किसानों का झालमें छः या चार मास तक बेकार रहना। और यदि यह अनिवार्य बेकारी ऐच्छिक हो जाय अर्थात् काहिकी हमारा स्वभाव बस बैठे तो फिर इस देश की भुक्ति का कोई ठिकाना नहीं। यही नहीं, बल्कि सबनाश इसका निश्चित भविष्य है। उस काहिकी को भगाने का एक ही उपाय है—चरखा। अतएव चरखा-कार्य को

प्रोत्साहित करने वाला हर एक कार्य दादाभाई के गुणों का अनुकरण है।

चरखे का अर्थ है खादी; चरखे का अर्थ है विदेशी कपडे का बहिष्कार; चरखे का अर्थ है गरीबों के झोंपडों में ६० करोड़ रुपयों का प्रवेश।

अखिल-भारत-देशबन्धु स्मारक के लिए भी चरखा ही तजवीज हुआ है। अतएव इस कीर्ष के लिए उस दिन प्रत्य एकत्र करना मानों दादाभाई की जयन्ती ही मनाना है। इसलिए उस दिन एकत्र हो कर लोग विदेशी कपडों का सर्वथा त्याग करें, मिफ हाथ कते सूत की खादी पहनें निरंतर कम से कम आधा घंटा सूत कातने का निश्चय दृष्ट करें और खादी-प्रचार के लिए धन एकत्र करें। कपास पैदा करने वाले अपनी जहरत का कपास घर में रख लें।

परन्तु जिसे चरखे का नाम ही पर्यट न हो वह क्या करे ? उसके लिए मैं क्या उपाय बताऊँ ? जिसे स्वराज्य का नाम तक न मुहता हो उसे मैं शताब्दी मनाने का क्या उपाय सुझाऊँ ? उसे अपने लिए खुद ही कोई उपाय खोज लेना चाहिए। मेरी सूचना सामाजिक है। यही हो भी सकता है। दादाभाई के अन्य गुणों की खोज करके कोई उनका अनुकरण करना चाहे तो जुदी बात है। जैसे दूसरे तरीके से जयन्ती मनाने का उसे हक है। अथवा फंज कीजिए शहरों में स्वराज्यवादी दल कोई जास बात करना चाहें तो वह अवश्य करे। मैं तो सिर्फ वही बात बता सकता हूँ जिसे क्या शहराती और क्या देहाती, क्या बूढ़ और क्या बालक, क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या हिन्दू और क्या मुसलमान, सब कर सकते हों।

यदि हम जंग मेरी तजवीज के अनुसरण ही दादाभाई जयन्ती मनाना चाहते हों तो हमें आज ही ही तैयारी करनी चाहिए। आज से हम उसके लिए चरखा चलाने लग जायें। आज ही से हम उसके निमित्त खादी उत्पन्न करें और ऐसी समर्थ स्थान स्थान पर करें जो हमें तथा देश को जेबा दें।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

गांधीजी-रिखित

### दक्षिणी अफ्रिका का सत्याग्रह

(पूर्वांश)

इस सप्ताह प्रकाशित हो गया। मुख्य सर्वसाधारण से ॥१॥

नवजीवन संस्था, अहमदाबाद

मूचना

मस्ती-साहित्य-माला, अजमेर के स्थायी प्रादकों को लगन-मात्र मूल्य (३५) पर मिलेगा। माला के स्थायी प्रादक इस पते पर परमायक करें—

सकता साहित्य-प्रकाशक-मण्डल,

अजमेर

हिन्दी-पुस्तकें

लोकमान्य की श्रद्धांजलि	...	...	...	॥
दक्षिणी अफ्रिका का सत्याग्रह (पूर्वांश) जे० गांधीजी	...	...	...	॥१॥
आश्रमाजनावलि	...	...	...	५)
जयन्ति अंक	...	...	...	१)
डाँक खंच अलददा। राम मनी आँदर से मेजिए अथवा बी. पी. मंगाइए—				

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर  
अहमदाबाद

पाठकों से—

‘हिन्दी-नवजीवन’ का यह ५२वाँ अंक आपके हाथ में है। इस अंक से उसका चौथा वर्ष समाप्त होता है। अगले सप्ताह में जन्माष्टमी भी है। इसलिए ‘हिन्दी नवजीवन’ एक सप्ताह विधाम लेना चाहता है। अपने चार वर्ष के जीवन में पहली बार यह इच्छा ‘हिन्दी नवजीवन’ को हुई है। आशा है, पाठक उसके इस विचार की कदर करेंगे।

पाँचवें वर्ष का पहला अंक आगामी २० अगस्त को प्रकाशित होगा।

उप-संपादक

## हिन्दी-नवजीवन

पुस्तक, भाद्रपद वदी २, संवत् १९८२

### मैं अंगरेजों से द्वेष करता हूँ!

जुलाई १९२५ के सं. सं. में ‘त्यागशास्त्र’ नामक मेरा लेख प्रकाशित हुआ है। उसके नीचे लिखे वाक्यों के काले अक्षरों वाले बचनों पर कुछ आदरणीय अंगरेज मित्रों ने आपत्ति की है—

“मैं साहस के साथ कहता हूँ कि बिना पारम्परिक त्याग के इस छिन्न-भिन्न देश के लिए कोई आशा नहीं है। हमें चाहिए कि हम हर दरजे तक अपने दिल को खुरे-खुरे न बना लें, कल्पना-शक्ति से हृष्य न थोड़ें। त्याग—किसी के लिए कुछ छोड़ देने—का अर्थ अनुग्रह करना नहीं। प्रेम जिस त्याग को प्रदान करता है वह है त्याग और कानून जिस न्याय को प्रदान करता है वह है सजा। प्रेमी की दी हुई वस्तु न्याय की मर्यादा को लांघ जाती है। और फिर भी हमेशा उससे दम होती है जितनी कि वह देना चाहता है। क्योंकि वह हम बात के लिए उन्मुक्त रहता है कि और दूँ और अफसोस करता है कि अब ज्यादा नहीं है। वह कहना कि हिन्दू लोग अंगरेजों की तरह बर्तते हैं उनकी सामंजस्य करना है। हिन्दू यदि चाहें भी तो वेसा नहीं कर सकते, और यह मैं कहना हूँ खिदिरपुर के मजदूरों की पशुता के हाँते हुए भी। क्या हिन्दू और क्या मुसलमान, दोनों एक ही नाव में बँटे हुए हैं। दोनों गिरे हुए हैं। और वे प्रेमियों की हालत में हैं—उन्हे होना होगा—वे चाहें या न चाहें।”

वे मित्र समझते हैं कि इन बचनों को लिख कर मैंने अंगरेजों के साथ भारी अन्याय किया है। क्योंकि वे कहते हैं कि इसमें जो निन्दा गमिंत है वह तमाम अंगरेजों पर बटाई गई है। मुझे दुःख है यदि इन बचनों से किसी तरह ऐसा अर्थ निकल सकता हो। मेरा यह आशय हरगिज न था। मैं उन मित्रों को यकीन दिलाता हूँ कि मेरा भाव यह न था। सन्दर्भ से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मेरे उद्धार सारे अंगरेज समाज पर नहीं बट सकते। उदाहरण के लिए वे सी०एफ० एड्यूज पर नहीं बट सकते जिन्होंने कि भारत-वासियों के लिए अपनेको खपा दिया है।

मुसलमानों का इल्जाम यह था कि हिन्दू लोग मुसलमानों को उसी तरह दबाते और गुलामी में रखते हैं जिस तरह कि अंगरेजों ने हिन्दू और मुसलमान दोनों को रखा छोड़ा है—इसमें जरूर उनका आशय अधिकांश हिन्दुओं और अंगरेजों से था।

ऊपर उद्धृत वाक्यों में मैंने यह दिखलाने की कोशिश की थी कि हिन्दू यदि मुसलमानों को दबावा चाहे भी तो उनके पास शक्ति नहीं है। यदि मेरी यह उक्ति सिर्फ उन अंगरेजों के लिए हो जो कि हिन्दुस्तान में रहते हैं तो उन्हें उसपर आपत्ति नहीं है, इसलिए नहीं कि वे इस दर्जे तक भी मेरी राय की पुष्टि करते हैं, बल्कि इसलिए कि उससे उनको धक्का नहीं लगता; क्योंकि वे बरसों से मेरी इस राय को जानते हैं। पर उन्हें धक्का इसलिए पहुँचा कि उन्होंने समझा कि मैंने धिक्कार में तमाम अंगरेजों को और उन मित्रों को भी शामिल कर लिया है जो कि सच्चाई के साथ अपनी पूरी शक्ति भर भारत की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने समझा कि यह अंश द्वेष और क्रोध से प्रेरित होकर लिखा गया है। पर सब बात तो यह है कि उस वाक्यांश के लिखते समय न तो मेरे दिल में द्वेष-भाव था न रोष ही था। और यदि उस अंश से यह अर्थ निकलता हो, जिसे मैं अब भी मानता हूँ कि नहीं निकलता है, तो मैं सिवा इसके क्या कहूँ कि मैं अंगरेजी भाषा लिखना नहीं जानता, क्योंकि वह मेरी मातृभाषा नहीं और उसकी बारीकियों और उल्लानों पर मेरा काबू नहीं हो पाया है। मैं मानता हूँ कि मुझसे तुनिया में किसीका द्वेष नहीं हो सकता। बरसों के संयम और साधना के फल-स्वरूप मैंने कोई २० साल से किसीसे द्वेष रखना छोड़ दिया है। मैं जानता हूँ कि यह एक भारी दावा है। फिर भी मैं इसे पूरी नम्रता के साथ पेश करता हूँ। पर हाँ, सुराई से, वह जहाँ कहीं हो, मैं द्वेष अवश्य करता हूँ। मैं उस शासन-प्रणाली से द्वेष करता हूँ जिसे अंगरेजों ने भारतवर्ष में स्थापित किया है। अंगरेज-बर्ग जो भारत में अपनेको बड़ा लगाते हैं, उनके इस ढंग से मैं द्वेष करता हूँ। प्रेम की जो वैतदशा बट हो रही है उससे मैं द्वेष करता हूँ। जिस तरह कि मैं तबे दिल से हिन्दुओं की अछुनपन की घृणित प्रथा से द्वेष करता हूँ। परन्तु मैं उन अंगरेजों से द्वेष नहीं करता जो यहाँ बने बने हुए हैं जिस तरह कि ऊँचे बने बँटे हिन्दुओं से द्वेष नहीं रखता। मैं हर तरह के प्रेम-पूर्ण साधनों से ही उनका मुधार करना चाहता हूँ। मेरे असहयोग का मूल द्वेष नहीं, प्रेम है। मेरा व्यक्तिगत धर्म मुझे खोर के साथ मना करता है किसीसे द्वेष न करो। अपनी एक पाठ्य पुस्तक से मैंने यह मरल परन्तु भव्य सिद्धान्त सीखा था, जब कि मेरी उम्र १२ साल की थी। और वह विश्वास अबतक बना हुआ है। वह दिन दिन मुझपर अपना रंग जमाता जा रहा है। मुझ पर उसकी धुन सवार है। अतएव मैं उन हर अंगरेज भाई को यकीन दिलाता हूँ जिनकी कि गलतफहमी इन मित्रों तरह हुई हो, कि मैं कभी अंगरेजों से द्वेष रखने का अपराधी न होऊँगा फिर भले ही १९२१ की तरह मुझे उनसे उम्रता के साथ क्यों न लड़ना पड़े। वह लड़ाई होगी शांतिमय, वह लड़ाई होगी स्वच्छ, वह लड़ाई होगी सन्धमय।

मेरा प्रेम परिमित नहीं है। मैं अंगरेजों से द्वेष रखते हुए हिन्दुओं और मुसलमानों से प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि यदि मैं सिर्फ हिन्दुओं और मुसलमानों से प्रेम करूँ—इसलिए कि इनका रंग-ढंग मुझे यों खुश करता है, तो मैं उनसे उसी क्षण द्वेष करने लगूँगा जिस क्षण उनके तौर-तरीक मुझे नाराज कर देंगे, और यह किसी भी समय हो सकता है। जो प्रेम आपके प्रेम-पात्र लोगों की भलाई पर अवलंबित रहता है वह किरामे की शीब होती है। सच्चा प्रेम तो वह है जो अपने आपको खपा देता है और फिर भी नहीं चाहता कि उसका कोई खयाल करे। वह एक आदर्श हिन्दू परनी, जैसे सीता, के प्रेम की तरह होता है।



राम ने सीता की अग्नि-परीक्षा की। फिर भी राम के साथ उसका प्रेम कम न हुआ और सीता का उससे कल्याण ही हुआ। क्योंकि सीता जानती थी कि न क्या कर रही है। उसका आत्म-समर्थन-मूलक था, अशक्ति-मूलक नहीं। राम-समर्थन में प्रबल से प्रबल शक्ति है। और फिर भी उसके ऐसा नही कोई नहीं है।

( अं० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

### शैतान का जाल

एक परम खादी-प्रेमी के पत्र से नीचे लिखा अंश उद्धृत करता हूँ। पाठक उसे दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे—

“ मेरा खादी पर विश्वास है। खादी का उद्दिष्ट कार्य मुझे आहिने की तरह स्पष्ट दिखाई देता है। वह जीवन को सादा और इसलिए शुद्ध बनाती है। वह सेवा के सूत्र के द्वारा हमें गरीब लोगों के साथ बांधती है। दरिद्रता की, जो कि भारतवर्ष के शरीर और आत्मा का विनाश कर रही है एक-मात्र रामबाण दवा यही है। कम से कम जहाँ तक करोड़ों निराश्रितों से संबंध है, शरीर को छोड़ कर आत्मा का प्रथम ही नहीं है। पहुंचे हुए पुरुष और योग के उपासक चाहे आत्मा की बातें करें; परन्तु करोड़ों लोगों के लिए तो शरीर को छोड़ कर आत्मा की बातें करना उनकी दिक्कत उठाना है—अन्त को चरखा उन तमाम सामाजिक अत्याचारों का निरोधक है जो कि आज योरप में शून्य और जोश के साथ फैल रहे हैं। चरखा जनता और शिक्षित वर्ग को नजदीक लाता है और जबतक भारतवर्ष उसे अपनाता रहेगा सोलोवियम तथा उसके सदृश हिंसात्मक प्रकृति असंभव रहेंगी। ये बातें मुझे चरखे की परम आवश्यकता का कायल करती हैं। पर इसमें सिर्फ एक ही दुश्मन है। क्या यह चल सकता है? सफल हो सकेगा? क्या हम फिर चरखे को हर घर में उसकी अपनी पुरानी पवित्र जगह पर प्रतिष्ठित कर सकेंगे? अब क्या हम बहुत पिछड़ नहीं गये हैं? आपके जेल जाने के पहले मैं इसपर कभी सवाल न उठाता। तब आशा के लिए जगह थी। पर अब वह आशा नहीं है। इसके अलावा बट्टेड रसेक (योरप के विख्यात विचारक और कैलक) कहते हैं कि उद्योग-वाद—कलकारखाने—प्राकृतिक शक्ति की तरह है और भारत भी उसमें गर्क हुए बिना न रहेगा—हम चाहें या न चाहें। ये लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हमें इन उद्योग-वाद को अपने दग पर हल करना होगा। उनकी बात सच है। उद्योग-वाद की बाढ सारी दुनिया में आ गई है और बाढ के बाद वे अपने अपने दग से उसका उपाय सोच रहे हैं। योरप को ही छोड़िए। मैं नहीं मानता कि योरप विनाश को प्राप्त हो जायगा। मेरा मानव-प्रकृति में बहुत अधिक विश्वास है और वह आगे-पीछे उसका उपाय खोज निकालेगा। क्या भारतवर्ष यदि चाहे भी तो उद्योग-वाद से अपनेको अलहदा रख सकता है या उसके पजे से अपनेको मुक्त कर सकता है? ”

ये खादी-प्रेमी अनिच्छा—पूर्वक और बै-रोक जिस दलील को जानने पर मजबूर हुए हैं वह शैतान की पुरानी तरकीब है। वह हमेशा आगी हर तक हमारे साथ चलता है और फिर एकाएक चुपके से सुझाता है कि कि अब आगे चलने में कुछ लाभ नहीं और हमें दिखाता है कि किस तरह अब आगे बढ़ना असंभव है। यह असंभवता वास्तव में ऊपर से दिखाई देती है। वह सद्गुण का जयजयकार करता है; पर दुरन्त ही कहता है, पर मनुष्य के बस की बात नहीं कि उसे प्राप्त करे।

जो कठिनाई इन मित्र के सामने पेश हुई है वह सुधारक के एक एक कदम पर आनी है। क्या असत्य और दुम्भ हमारे समाज में अपना घर नहीं कर बैठे हैं? फिर भी जो लोग मानते हैं 'सत्यमेव जयते नातुतम्' वे उसीका आग्रह करते हैं—इस पूर्ण आशा से कि अवश्य सफलता होगी। सुधारक कभी समय को अपने प्रतिकूल नहीं जाने देता, क्योंकि वह इस पुराने शत्रु की बात नहीं मानता। हाँ, अवश्य ही उद्योग-वाद एक प्राकृतिक बल की तरह है। पर यह मनुष्य का काम है कि वह प्रकृति पर अपनी प्रभुता जमाने और उसकी शक्तियों पर विजय प्राप्त करे। उसका गौरव चाहता है कि वह पर्वतप्रान्त विघ्नों के मुकाबले में हलकत्व से काम ले। हमारा दैनिक जीवन ऐसी ही विजयों का दृश्य है। कृषिकार तो इससे भलीभांति परिचित होता है।

एक छोटी अल्प संख्या के द्वारा बहु-संख्या के नियन्त्रण के अतिरिक्त उद्योगवाद और क्या है? उसमें कोई बात आकर्षक नहीं है और न उसमें कोई बात अनिवार्य ही है। यदि बहु-संख्या सिर्फ अल्प-संख्या की लला-चपो पर 'नाही' कह दे तो अल्प-संख्या कुछ बिगाड़ नहीं सकती।

मानव-प्रकृति में विश्वास रखना अच्छी बात है। मैं इसी विश्वास पर जीवित हूँ। पर यह विश्वास इतिहास की हकीकत की ओर से मेरी आँखें नहीं मूढ़ सकता। वह यह कि जहाँ कि अन्त में सब तरह मंगल ही होता है वहाँ व्यक्ति और व्यक्ति-समाज जिन्हें कि राष्ट्र कहते हैं, इनसे पहले नष्ट हो चुके हैं; रोम, यूनान, वेबिकान, मिसर तथा अन्य राष्ट्र इस बात का सबीब प्रमाण हैं कि इससे पहले राष्ट्र अपने कुहियों के बढ़ीकत नष्ट हो चुके हैं। हाँ, यह आशा की जा सकती है कि योरप के पास उम्दा और वैज्ञानिक बुद्धि है, इसलिए वह इस स्पष्ट बात को समझ लेगा और अपने कदम पीछे हटा लेगा तथा इस सत्त्वनाशकारी उद्योगवाद के चशुल से अपना रास्ता खोज लेगा। यह कोई आवश्यक बात नहीं कि वह पुरानी परी सादगी को ही पुनः प्रदण करे। पर एसी कोई अवस्था अवश्य कभी होगी जिसमें प्राम्य जीवन की प्रधानता रहेगी और जिनमें पार्श्विक तथा गार्तिक बल आभ्यात्मिक बल के अधीन रहेगा।

अन्त को, हमें शिघ्रा तुलनाओं के जाल में न फंस जाना चाहिए। योरपियन कैलकों के पास अनुभव और ठीक ठीक बाक्ययुक्त का अभाव होता है। इससे उनका मार्ग तंग होता है। जब वे योरप के उदाहरणों से, जो कि भारतवर्ष की अवस्था पर पूरी तरह नहीं बैठते, किसी सामान्य सिद्धान्त की स्थापना करते हैं, वे एक हद से आगे हमें मार्ग नहीं दिखा सकते। क्योंकि योरप में भारत की दशा की सूचक कोई बात नहीं है—इस की दशा—दर्शक भी नहीं है। ऐसी अवस्था में जो बात योरप के विषय में सच हो सकती है वह सब तरह भारत के विषय में सच नहीं हो सकती। हम यह भी जानते हैं कि हर राष्ट्र अपनी अपनी विशेषताओं, अपना अपना व्यक्तित्व रखता है। भारतवर्ष भी अपनी विशेषता रखता है; और यदि हमें उसके अनेक रोगों की दवा खोजनी हो तो हमें उसकी प्रकृति की तमाम विलक्षणताओं को ध्यान में रखकर दवा तजवीज करनी होगी। मेरा दावा है कि भारतवर्ष को उद्योग-मय—कल कारखाने—सच बनाना, उसी अर्थ में जिस अर्थ में कि आज योरप उद्योग-मय है, असंभव बात के लिए प्रयत्न करना है। भारतवर्ष अबतक कितने ही तूफानों की खपट को देख चुका है। हाँ, यह सच है कि हर चपेट ने अपना अमिट चिन्ह उसपर छोड़ दिया है। फिर भी वह अबतक अपने व्यक्तित्व को बिना डगमगाये काम

रख रहा है। भारतवर्ष दुनिया के उन थोड़े राष्ट्रों में है जिन्होंने कि दुनिया की कितनी ही सभ्यताओं के पतन को देखा है पर खुद ज्यों के ज्यों बने हुए है। भारत-भूमि पृथिवी के उन थोड़े राष्ट्रों में है जिन्होंने कि अपनी कुछ पुराने मर्यादों कायम रख छोड़ी है—हालां कि उनपर अन्धविश्वास और प्रमाद की गर्द चढ़ गई है। पर उसने अब तक अपने प्रमाद और अन्धविश्वास को निकाल डालने के अपने स्वभावगत सामर्थ्य का परिचय दिया है। उसके करोड़ों सन्तान के सामने जो आर्थिक समस्या उपस्थित है उसे हल करने के उसके सामर्थ्य पर मेरी भ्रमा कभी उतनी उबकल न थी जितनी कि आज है, स्वयं कर बगाल की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद।

( सं. ६. )

मोहनदास करमचंद गांधी

## टिप्पणियां

### साम्राज्य के अस्तित्व

कहीं हम साम्राज्य-व्यवस्था में अपने दर्जे को और अपने लायक स्थान को भूल न जायं, इसलिए हमें लगातार कभी इंग्लैंड से, कभी दक्षिण आफ्रिका से या ऐसे ही किसी दूसरे मुकाम से इस बात की याददिवानी होती रहती है कि हम क्या हैं। भारत मन्त्री हमें 'ब्रिटिशों की तीखी तलवार' की याद दिलाते हैं। भोमान् सम्राट के सेनापति अपनी निश्चित राय देते हैं कि हम जिस बात को अपना लक्ष्य बना रहे हैं वह 'अप्राप्य' है। इधर दक्षिण आफ्रिका के यूनिवर्सल मिनिस्टर श्री मैलन हमें कहते हैं कि बीरपिबनों और हिन्दुस्तानियों में समानता हो ही नहीं सकती। और वे वहाँ के भारतीय निकासियों को जड़-मूल से न उखाड़ फेंकेंगे तो ऐसा पीस डालेंगे कि वे दक्षिण आफ्रिका से भाग जावेंगे और उनकी हालत ऐसी कर छाड़ेंगे कि वे फिर समानता का नाम न लेंगे। शहर का कोना उनके रहने की जगह है और मिहनत-मजदूरी उनका उचित कार्य-क्षेत्र। अर्थात् हम दुनिया की दलित जाति बन कर रहें। परन्तु हम सुगई का नामांतरण करना मानो उससे न छूट पाना है। 'अछूत दरखास्त न मेजे' यह श्वासी पठरी लगी हुई है साम्राज्य के हर एक सेक्रेटरियेट में। सवाल यह है कि अब करें क्या? सर परोजगहा मेहता ने तो मेरा दक्षिण आफ्रिका जाना भी पसन्द नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि जबतक कि भारत में हमारी सुस्थिति नहीं हो जाती तबतक दक्षिण आफ्रिका में कुछ नहीं हो सकता। लोकमान्य ने भी इसीसे मिलती-जुलती बात कही थी—'पहले स्वराज्य प्राप्त कर लो—फिर और बातें अपने आप आ जायंगी।' यह उनका धु—पद था। परन्तु स्वराज्य है भारत-वर्ष की शक्ति के योग का फल। पर आजकल भीतरी और बाहरी दोनों कोशिशों की भूमि है। यह एक दीर्घकालिक वेदना है; परन्तु बिना श्रम-रूपी आवश्यक कष्ट के सहन किये पुनर्जन्म नहीं हो सकता। इस अनिवार्य ज'वनदागो, जीवन-पोषक संयम-साधना के बिना, यद्यपि वह अग्नि-धना है, हमारा काम नहीं चल सकता। दक्षिण आफ्रिकावासी हमारे देशबन्धुओं को बिना एक कदम पीछे हटे सर्वश्रेष्ठ उपाय करना चाहिए। यदि उनके अन्दर वह पुराने युद्ध-शक्ति है, वह एकदली है और यदि वे समझते हों कि समय आ पहुंचा है तो वे अवश्य कष्ट-सहन का भार अंगीकार करें। खुद उन्हींको अपनी योग्यता का तथा खुद पढ़ने के योग्य प्रसंग का निर्णय करना चाहिए। वे यह तो जान ही रखें कि भारत का लोकमत उनके साथ है। पर वे इस बात को भी

समझ लेंगे कि यह लोकमत ऐसा है जो उन्हें महायत्ना देने की शक्ति नहीं रखता है। इसलिए उन्हें खुद अपनी ही शक्ति पर, बरदास्त करने का अपनी क्षमता पर तथा अपने पक्ष की व्यापकता पर आधार रखना चाहिए।

### देश-सेवकों के भरण-पोषण का प्रश्न

देश-सेवा में दुख उठाने वाले एक ऐषक का हाल सुनिए—

“क्या आप एक देश के लिए दुख भोगने वाले के निर्धन और भुधा-प्रपीडित परिवार की कुछ सहायता करेंगे? आप हमारे पूज्य नेता स्व. देशबन्धु दास के स्मारक के लिए लाकड़ों रुपये आसानी से एकत्र कर सकते हैं पर आप मेरे कुटुम्ब वालों के भरण-पोषण तथा देहात में बरखा-प्रकार के लिए कमसे कम ५०००) देकर मेरे दरिद्र परिवार की सहायता नहीं कर सकते। यदि आप पूज्य ..... (यहां कुछ नाम दिये हुए हैं) को दो शब्द मेरे लिए कह देंगे तो मुझे निश्चय है कि ५०००) नहीं तो २०००) अवश्य मिल जायेंगे। आपने मुझे लिखा है कि कपड़ा बुनना साख लो। उसमें १५) महीना मिलेगा। मैं बुनना नहीं जानता। आपका सूत्र है 'काम नहीं तो खाना नहीं।' क्या आप मुझे ऐसा काम देंगे जिससे मुझे कमसे कम १००) मासिक मिले? क्या आप मुझे डेय्यूटी मेयर या वीक एक्सेक्यूटिव आफिस से कह कर कारपोरेशन में कोई अच्छी जगह नहीं दिला सकते?”

इसमें हमारे नवयुवकों की मनोवृत्ति पूरी पूरी प्रदर्शित होती है। हजारों नवयुवकों को ३०) मासिक पर गुजर करना है। पर ये तुम्ही देश-सेवक १००) मासिक या २०००) एक मुश्त चाहते हैं। दोनों प्रस्तावों में कोई संबंध नहीं है। परन्तु वे बड़े विश्वास के साथ और इस आशा से कि भ्रूर हो जायेंगे पैस किये गये हैं। ऐसी आकांक्षा को पूर्ण करना अवभव है। कलकत्ता कार-पोरेशन बेकारों के लिए नौकरी खोजने का साधन नहीं बनाया जा सकता। बस्तर में देखा जाय तो सरकारी महकमों में और खानगो दफतरो में जरूरत से ज्यादा नौकर भरती है। इसलिए इसका उपाय यह है कि एक तो हम देश की दरिद्रता के अनुसार अपनी आकांक्षाओं को कम करें और दूसरे नौकरी के लिए नये क्षेत्र खोजें। हार्जम जरूरत कम कर दें, कुप्रथाओं को नष्ट कर लें। यह स्वाभाविक है कि पर का एक ही आदमी कमावे, हालां कि दूसरे लोग कुछ न कुछ काम करने लायक हों, मिटा देना चाहिए। तब ३०) महीने पर काम चलाना संभवनीय हो जायगा। बंगाल के कितने ही नवयुवकों ने अपने निचारों को नये रूप में ढाल लिया है और वे ३०) में गुजर कर रहे हैं जहां कि पहले ४००-६००) मासिक तक कमाते थे। ऐसा नया साधन जो कि सैकड़ों युवकों और युवतियों को काम दे सकता है एक सुसर्गाट-बादी-सेवा-संघ ही हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा नियोजित अ०भा० सूतकार-मण्डल शीघ्र ही स्थापित हो जायगा। मैं यह भी आशा कर रहा हूँ कि अ० भा० देशबन्धु स्मारक में भी लोगों की ओर से विशेष द्रव्य मिलेगा। अतएव वे तमाम प्रामाणिक स्त्री-पुरुष जो नौकरी को तलाश में हों धुनकाई, कताई और हो सकें तो युनाई भी सीखकर उस्ताद हो जायें। उनसे यह नहीं छोड़ा जायगा कि बरखा कात कर और कपड़ा बुन कर पेट भर लो, बकि उन्हें बादी की उत्पत्ति और बिक्री के काम में लगाया जायगा। परन्तु इस समझन का इस बात की जरूरत होगी कि उसके कार्यकर्ता कताई और युनाई में प्रवीण हों और उन्हें कपास के अच्छे बुनने लायक सुत के रूप में परिणत होने तक की तमाम विधियों का यथावत् ज्ञान हो। ( सं. ६. ) श्री० क० गांधी

## अखिल भारत देशबन्धु-स्मारक

इस स्मारक के बन्दे की अपील पर अभी दस्तखत आ ही रहे हैं। कविबर रवीन्द्रनाथ के दस्तखत मिलने से मुझे स्वभावतः आनन्द हुआ है। पाठकों को भी हो। मैंने उन्हें आस तौर पर कहलवाया था कि अपील में निर्दिष्ट बर्खास्त भ्रष्टा यदि चरखे पर आपकी हो तो ही दस्तखत कीजिएगा। जब मेरे मन में यह बात स्पष्ट रूप से जमी कि अखिल भारत स्मारक चरखा और खादी-संबंधी ही होना चाहिए तब यह विचार मैंने पहले यहल कविबर पर ही प्रकट किया था। इस अपील में उन लोगों की सही केने का इरादा किया ही नहीं गया है जिन्हें चरखा और खादी पर भ्रष्टा न हो या जो स्मारक के संबंध में उसकी योग्यता के फायल न हों। अपील पर केवल खादी और चरखे पर भ्रष्टा रकनेवालों की सही केने का निश्चय किया गया था—केवल यही नहीं, बल्कि यह भी निश्चय था कि यदि देशबन्धु के आस अनुयायी इस तरह के स्मारक को नापसंद करें तो इस स्मारक को चरखा-खादी का रूप न दिया जाय। जिन जिन लोगों के इस अपील पर सही करने की संभावना थी वे यदि बिना सकोच के सही न करें तो भी इस प्रकार का स्मारक बनाने का आग्रह न रकना गया था। मैं जानता हू कि चरखे और खादी की उपयोगिता के संबंध में मत-भेद है। और बहुतेरे लोग इस बात को भी एकाएक स्वीकार न करेंगे कि देशबन्धु जैसे महान् नेता के स्मारक को ऐकान्तिक स्थान दिया जाय। परन्तु मुझे तो देशबन्धु के प्रति उनके मित्र और साथी की ईशियत से अपने धर्म का पालन करना था और यदि अखिल-बंगाल-स्मारक के संबंध में मैं स्वतंत्र-रूप से विचार कर सकता होता तो मैं अवश्य अस्वताल को पसन्द न करता। मैंने कभी बहुतेरे अस्वतालों की आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया है। पर मैंने इस बात का अत्यन्त तक अपने दिमाग में न आये दिया कि यदि मैं स्वतन्त्र होऊँ तो क्या करूँ। देशबन्धु का बचाना ट्रस्ट मेरे सामने था—वह मेरे लिए सब तरह नागर्भक था और मुझे वह अपना धर्म दिखाई दिया कि यदि उनके अनुयायी पसंद करें तो वही उनके स्मारक का हेतु बनाया जाय, और उसीके लिए इस आस रूपे एकत्र करने को अब मैं बंगाल में उतरा हुआ हू। ट्रस्ट तो एक साल पहले ही गया था, हालाँकि मैं यह जानता हूँ कि उसमें प्रदर्शित विचार देशबन्धु के मरण तक कायम थे। क्योंकि मकान पर जो कर्ज था उसके लिए रुपया एकत्र करने में उन्होंने मेरी सहायता चाही थी। चरखे और खादी संबंधी उनके अन्तकाल के विचारों को जितना मैं जानता हूँ उतना उनकी यमपत्नी के सिवा शायद और कोई न जानता होगा, वह कह सकते हैं। अपील प्रकाशित करने के पहले मैंने श्रीमती बालन्ती देवी के विचारों को जान लिया था। उसी प्रकार देशबन्धु के परम सखा और उनके साथी पंडित मोतीलालजी के भी विचार मैंने जान लिये थे। और फिर देशबन्धु के बंगाल के अनुयायियों के भी जान लिये थे। इतनों के विचार जान केने के बाद ही अपील तैयार करने का निश्चय किया। हाँ, मैं यह अकर कुबूल करता हूँ कि इस स्मारक का कार्य मुझे आस तौर पर असुकर है। परन्तु पाठक कदाचित् मुश्किल से मानेंगे कि यद्यपि यह स्मारक-कार्य मुझे विशेष रूप से असुकर है तथापि इसकी सफलता के संबंध में मैं तटस्थ हो रहा हूँ। हाँ, अखिल बंगाल-स्मारक के विषय में यह नहीं कह सकते। उसे सफल बनाने के लिए मैं अथाह परिश्रम कर रहा हूँ। यह भेद-भाव सकारण है। चरखे की शक्ति के संबंध में मत-भेद है। पर उसके प्रति मेरी भ्रष्टा अनन्त है। ऐसा स्मारक खीचातानी से नहीं

हो सकता। यदि चरखे में शक्ति हो और मयमुन चरखे पर भारतवर्ष की भ्रष्टा हो तभी मैं देशबन्धु के नाम पर अक्षय्य प्रय की इच्छा करता हूँ। इस कारण जितना सतोष मुझे कविबर की सही से हुआ है उतना ही भारत-भूषण पंडित मालवीयाजी की सही से हुआ है। मैंने श्री जवाहरलाल नेहरू को सूचित किया है कि वे और सहियाँ बंगवावें।

आशा है कि 'हिन्दीनजीवन' के पाठक और खादी-प्रमी किसीके बसूल करने की राह देखे बिना अपन हिस्सा जेब देंगे।

## ज.त-पात की स्थिति

कलकत्ते में मारवाडी भाइयों का सम्मेलन था। वहाँ मुझे लिखा ले गये थे। वहाँ विषय था जाति-सुधार और उससे संबंध रकने वाले प्रधों की चर्चा ही वहाँ हो रही थी। ऐसी जगह मैं कैसा भाषण करता! जाति-सुधार के संबंध में कुछ कहने की जगह मैंने बहिष्कार के ही सिद्धांत पर मुस्य्याः कहा। मैं जानता था कि बहिष्कार ने उनके अन्दर भयंकर रर धारण कर लिया था और आपस में जहर फैल गया था। वह भाषण हिन्दू-मात्र पर बरितार्थ होता है। इसलिए उसका सार यहाँ देना हूँ।

बहिष्कार का शस्त्र जब शुद्ध मनुष्यों के द्वारा प्रयुक्त होता है तब उसका सदुपयोग होता है। नहीं तो वह निरी हिंसा का रूप धारण करके प्रयोगकर्ता का सखा शायद उसका भी जिसपर प्रयोग किया गया हो, नाश कर बैठता है।

आज-कल हम बहिष्कार करने के लायक नहीं रहे हैं। क्या यदि कोई पिता अपनी इस साल की विधवा लडकी का पुनर्विवाह करे तो इस कारण उस लडकी को, उससे विवाह करने वाले को, जाति-बाहर करना पुण्य है? क्या जो लोग दुराचार करते हैं, सुलमलुला व्यभिचार करते हैं, मांस-मिठी खाते और सराब पीते हैं, उनका कोई बहिष्कार करता है? जो लोग विचार के द्वारा व्यभिचार करते हैं उनकी कुछ पूछ-ताछ होती है! मतलब यह कि जब तक खूद हमारी शुद्धि नहीं हुई है तब तक कैम किसका बहिष्कार करने लायक है! कोई नहीं।

बहिष्कार का परिणाम यह होता है कि नई नई जातियाँ पैदा होती हैं। आज जिन्हें हम 'तब' कहते हैं कल वही जातिवा हो जायगी। इस लिए इस युग में जहाँ जातिवा सकर हो रही है वहाँ बहिष्कार सर्वथा अनिष्ट है।

वर्णाश्रम धर्म है; अनेक जातियाँ धर्म नहीं। वर्णाश्रम की रक्षा इष्ट है। इसलिए सुधारकों को प्रोत्साहन देना चाहिए। किसी तरह भी इस तरह के सुधार रोके नहीं रुक सकते। क्यों कि हिन्दू-धर्म में बहुत-कुछ भैल पुस गया है और अब चारों ओर जाण्टि हो गई है।

समझदारी तो इस बात में है कि सुधारों को धर्म का रूप दिया जाय। परन्तु जहाँ सुधार अप्रिय साक्षम हो वहाँ भी बहिष्कार तो अनिष्ट ही है।

मारवाडी जाति में कुट्टि है, साइस है। उसने भारतवर्ष का उपकार किया है और अपकार भी किया है। मित्र के नाते मेरा धर्म है कि अपकार की बात भी कह सुनाऊँ। ईश्वर उसमें से उसे बचावे और उसका कल्याण करे।

जिनका बहिष्कार किया जाय उनको चाहिए कि चर्चावा में रट कर विवेक के द्वारा बडे हुए जहर को कम करें और अपनी नीति पर अटल रहे। यह कह कर बहिष्कार का प्रकरण पूरा किया।

(मजदूरीयन)

श्री० क० नरंजी

**मेरे प्रस्ताव का अर्थ**

बलवान् दुर्गम को रू करके पु... पत्र मा... न... य...  
मोनीलाका को विभा है... उन्हा... न... प... के...  
के... में... प्रकार... बताया है—

“ मेरी सलाह को मानने का अर्थ इतना ही हुआ कि आज  
जिन प्रान्तों में स्वराजियों की सहाय्य अधिक होगी उन उन प्रान्तों  
में वे प्रांतिक समिति के द्वारा राजनैतिक विषयों से संबंध रखने  
वाले इच्छित प्रस्ताव उपस्थित कर सकेंगे और उनकी चर्चा कर  
सकेंगे। जहां समिति में गुजरात की तरह बहुतेरे अपरिवर्तनवादी  
होंगे वहां इस परिषद का बहुत असर न होगा। पर ऐसी  
जगह भी मैं स्वराज्य-दल को प्रितना हो सके बलवान् बनाना पसन्द  
करूंगा। जिस दल का असर अगरेज अधिकारी पर पड़ता  
है, ऐसा हम जानते हैं उसका सदुपयोग करना हमारा धर्म है।  
इस दल में बहुतेरे स्वार्थ-स्योगी स्त्री-पुरुष हैं। उनके मन में  
पूरी पूरी देश की कलक है। ऐसे स्त्री-पुरुष चाहे किसी दल में  
हों, वर्जनीय हैं। सबको अपने स्वतन्त्र विचार रखने का अधिकार  
है। यह स्वतन्त्रता सग्रह करने योग्य है।

महासभा का द्वार खोलने किसीके लिए बंद नहीं किया जा  
सकते। जबतक हम शिक्षितवर्ग में खादी आर चरम्य के सामर्थ्य  
पर विश्वास न उत्पन्न कर सकेंगे तबतक चरम्य को प्रथम-पद नहीं  
मिल सकता। मेरे शर्मिष्ठी या मुझे महासभा में रखने के लिए  
चरम्य को स्थान मिलना मैं निरर्थक मानता हू। चरम्य को वहां  
स्थान मिलना तभी जेबा दे सकता है जब शिक्षित दल उसका  
कमल हो अथवा चरम्यवादी को स्थान देना चाहता हो।  
स्वराज्य-दल के मध्यों की सभा में तो किसीने चरम्य को  
हटाने का विचार नहीं किया। वे यदि इत्ना चाहते तो भी मैं  
'हां' करने के लिए तैयार हो गया था; पर वे लोग उस बात को  
सुनने तक के लिए तैयार न थे। उन्हें इसी बात पर पूरा  
सन्तोष था कि जो लाभ न काते वे रुपया दें। खादी लिबाय  
की आवश्यकता को निकाल डालने के लिए भी वे तैयार न थे।  
यदि इस हद तक भी स्वराजियों का यह स्वतन्त्र विचार हो तो  
मैं इसे खादी की बहुत उन्नति मानता हू।

स्वराज्य और अपरिवर्तनवादी नाम ही मिट जाना चाहिए।  
धारासभा में जानेवालों की सहाय्य इमंशा बहुत छोटी रहेगी।  
उन्में सब लोग नहीं जा सकेंगे। मैं उनके विरोध करने का इस  
समय कोई कारण नहीं देखता। यदि धारासभा में न जाने वाले  
सविनय भंग का वायुमण्डल उपस्थित कर सकें तो जानेवाले अपने  
आप वहां से निकल आवेंगे अथवा धारासभा में रहकर यथाशक्ति  
सहद करेंगे। या यदि सविनय भंग किटने कर वे सुमालिकन  
करेंगे तो उनका विरोध करना पड़ेगा। पर यह बात मेरे खयाल  
के बाहर है कि स्वराज्य सविनय भंग का विरोध करेंगे।

जो लोग सविनय भंग का रहस्य समझ गये हैं वे तो चरम्य  
का ही स्तवन चौकीलों घण्टे करेंगे। इस कारण मैंने यह सूचना  
दी है कि जो स्थान आज स्वराज्य-दल को है वह सब चरम्य  
को मिले अर्थात् महासभा का छत्रच्छाया में एक चरम्य संघ  
स्थापित हो कि जिसका कार्य हो केवल चरम्य और खादी का  
प्रचार करना। महाधिकार का सूत भी वह सब एकत्र करे और  
अपने पाम रखे। यह सब अपने विधि-विधान की रचना स्वतन्त्र  
रूप से करे। इस तरह यदि कार्य हो तो दोनों दल-बल एक दूसरे  
के साथ लड़ना बिना रहेगी और एक दूसरे की सहाय्य लेगी।”  
भोजन था उपहार ?

पिछले समाह में मरी गया था। मैं गरीबों का दास  
माना जाता हूँ, इसलिए मुरी के महाजनों ने मेरे विमिश्र कंगालों

को खाना खिलाया था। उनके भोजन का समय वही रहता था  
था जो मेरी गाड़ी पहुंचने का समय था। रातों के दोनों  
ओर कंगाल भोजन कर रहे थे। उनके पास से मुझे मोटर में  
बिठा कर ले गये। मैं शर्मिन्दा हुआ। अविनय का भय यदि न  
होता तो मैं वहीं उतर पड़ता और भाग खड़ा होता। भोजन करने  
वाले कंगालों के मध्य मोटर में बिराजमान् उनका यह उद्वत हास  
खूब रहा। इस संबंध में मुरी ही सभा में मैंने अपने हृदय का दुख  
प्रदर्शित किया। यही दृश्य मैंने कलकत्ते के एक पुराने भनिक  
कुटुम्ब के यहां देखा। मुझे वहां देशबन्धु-स्मारक के लिए नदा  
लेने लिया ले गये थे। इस कुटुम्ब का महल 'मारबल पैलेस' के  
नाम से विख्यात है। वह है भी केवल मगमर्भर का बना हुआ।  
इवेली मध्य ओर देखने लायक है। इस महल के आंगन में हमेशा  
गरीबों के लिए सदावर्त रहता है। वहां गरीबों को खाना  
खिलाया जाता है। यह दानशीलता मुझे दिखाने के निर्दोष  
भाव से तथा मुझे आनन्दित करने के शुभ हेतु से उनके भोजन  
के समय ही मालिकों ने मुझे बुलाया था। मैंने बिना विचारे 'हां'  
कह दिया था। पर वहां का मध्य देख कर मुरी में भी अधिक  
दुखी हुआ। भोजन करने वाले के खान से मुझे मोटर में तो न  
खिला ले गये, पर मेरे पीछे जहां जाता हू एक भारी भोजन  
रहना है। सारी रात उन भोजन करने हुए कंगालों के शब्द से  
घमा। बेचारा भोजन करने वालों का उनके पांव का स्थान तो  
तोता ही था। जरा तेर तो बेचारी का खाना भी बन्द रहा।  
उनकी आत्मा मे यदि मुझे आशीर्ष दी हो तो धन्य है उनकी  
समता और उदारता को! कहां गंधवाला आंगन और कहां बरफ की  
तरह उजला ऊंचा महल! मुझे तो ऐसा मालूम हुआ गानों यह  
महल उन गरीबों का उपहार कर रहा है और उनके बीच में  
ऐसी लापरवाही के साथ जाने वाले से दीर्घों के निवाज मेरे  
हृदय को उस उपहास न हाथ बटाने वाले दिखाई दिये।

इस तरह लोगों को भोजन कंगालों की पुण्य है ? मुझे तो  
यह शब्द से शब्द भाव रहते हुए भी अविचार और अज्ञान के  
कारण होने वाला पाप ही दिखाई दिया। मैंने सदावर्त देश में  
जगह जगह है। हमसे कंगाली, काहिली, पाखण्ड, चोरी इत्यादि  
कहते हैं। क्योंकि बिना मिहनत खाना मिलने से मिहनत न करने  
की उद्य वाले आदमी काहिल बन जाते हैं और फिर कंगाल  
बनते हैं। 'बेकार क्या न करता ?' इस श्लोक के अनुसार  
मैंसे कंगाल चोरी इत्यादि भीखते हैं। दूसरे लुट अपने  
साथ अनाचार करने दे गते तो जुते ही। इन सदावर्तों  
का अन्त मैं तो पुरा ही देखता हू। भनवान् लोगों को अपने  
दान के भाजनों का विचार करना उचित है। यह दिखाने की  
आवश्यकता नहीं कि हर तरह के दान से पुण्य नहीं होता है। हां,  
लंगड़े लुटे और रोगी धार्मिकों के लिए अवश्य सदावर्त उचित  
है। उन्हें भोजन करने में विशेष से काय लेना चाहिए। हजारों  
के देखते हुए अनाक को भी भोजन न कराना चाहिए। उन्हें  
जिखाने की जगह एकान्त, शांत और अच्छी होनी चाहिए।  
वास्तव में तो ऐसी के लिए खाः आश्रम होने चाहिए। हिन्दुस्तान  
में ऐसे इके-दुके आश्रम हैं। अनाक लोगों को जिखाने की इच्छा  
रखने वाले उदार-चरित लोगों को या तो अच्छे आश्रमों की  
खपना पान देना चाहिए अथवा जहां न हों वहां आवश्यकता  
नुसार ऐसे आश्रम स्थापित करना चाहिए।

अनाक गरीबों के लिए कोई न कोई भोजन चाहिए।  
लाखों का उपकार जिससे हो सकता हो ऐसा साधन तो एक साधक  
करना ही है।  
(अध्यापन)



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५

अंक ५२

मुद्रक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

अहमदाबाद, भावण सुदि ४, संवत् १९८०  
 बुधवार, १२ अगस्त, १९२६ ई०

मुद्रकालय—नवजीवन मुद्रकालय,  
 धारंगपुर जयश्रीवा की बाड़ी

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्म-कथा

भाग २

अध्याय १३

कौपीयन का अनुभव

ट्रान्सवाल और ऑरेंज फ्रीस्टेट के हिन्दुस्तानियों की स्थिति का पूरा ज्ञान देने का यह प्रयास नहीं है। उनकी पूरी हालत जानने की जिन्हें इच्छा हो उन्हें मेरा "दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह" का इतिहास पढ़ना चाहिए। परन्तु उनकी स्थिति की मोटी र भाँते दे देना यहाँ आवश्यक है।

ऑरेंज फ्री स्टेट में तो सन् १८८८ ई.—या उससे भी पहले—एक कानून पास कर के हिन्दुस्तानियों का सारा हक छीन लिया गया था। कैम्प होटल के वेटर वा मजदूर बन कर रहने वाले हिन्दुस्तानियों को ही छोड़ दिया गया था। वहाँ जो हिन्दुस्तानी व्यापारी थे उनकी नाम मात्र का हरजाना दे कर वहाँ से निकाल बाहर किया गया था। इन व्यापारियों ने इसके विरुद्ध अज्ञिया भी की थी, परन्तु नकारखाने में मूली की कौन सुनता है?

ट्रान्सवाल में १८८५ में एक सख्त कानून बना। १८८६ में कुछ सुधार भी हुए। उनके अनुसार लिखन हुआ कि उस देश में प्रवेश करने के साथ ही हर एक हिन्दुस्तानी को ३ पाउन्ड का कर देना पड़ेगा। वे अगर जमीन भी खरीदना चाहें तो अपने लिए खास नियत स्थान में से ही उसे खरीद सकते थे, हर अगह से नहीं। इस जमीन के ऊपर भी उनको पूरा स्वत्व न मिलता था। उनकी सत्ताधिकार भी नहीं प्राप्त था। यह कानून खास एशियावासियों के लिए था। इसके अनुसार बच्चों के दिवारे की पगडन्धी तक पर चलने का हिन्दुस्तानियों को हक न था। रात को नी बजे के बाद बिना परवाना लिये कोई बाहर नहीं निकल सकता था। इस अन्तिम कानून का प्रयोग हिन्दुस्तानियों पर थोड़ा बहुत ही होता था। जो अरब कहला पाते थे वे बतौर मेहरबानी, इस कानून के बाहर गिने जाते थे। इतनी मेहरबानी करना पुलिस के हाथ में था।

मुझे देखना पड़ा कि मुझ पर कहीं तक ये दोनों नियम लागू ही सकेगे। निरंतर कोर्ट के साथ मैं रात को घूमने निकलता था।

हर जाते २ दस बज जाते थे। इस बीच मैं यदि पुलिस पकड़े तो इसका भय जितना मुझे नहीं था उससे कहीं अधिक स्वयं कोर्ट का था। क्योंकि अपने हकसियों की तो बड़ी परवाना दे सकते थे। लेकिन मुझे वे परवाना क्योंकर दे सकते थे? सेठ को सिर्फ अपने नौकर ही को परवाना देने का अधिकार था। यदि मैं योग्यता और कोर्ट से उसे देने की तैयारी भी हो जाते तभी वे दे नहीं सकते थे, क्योंकि यह तो सरासर भोका होता।

कोर्ट के एक मित्र (उनका नाम मैं भूल गया हूँ) मुझे वहाँ के सरकारी बकील काउंसेलर काउजे के पास ले गये। हम दोनों एक ही 'इन' (पाठशाला) के बरिस्टा निकले। रात को नी बजे के बाद बाहर निकलने के लिए मुझे परवाना लेना पड़ता है, उन्हें यह बात असह्य मालूम हुई। उन्होंने मुझे एक उपाय बताया। परवाना देने के बदले उन्होंने मुझे अपनी ताफ से एक पत्र दिया। उसमें लिखा था कि 'यह आदमी जहाँ और जिरा समय जाना चाहे वहाँ और उस समय बिना पुलिस की छेड़ छाड़ के जा सकते हैं।' इस कागज को मैं हमेशा अपने साथ ही ले कर बाहर निकला करता था। उसका उपयोग मुझे कभी नहीं करना पड़ा था। उसका काम नहीं पड़ा — यह एक संयोग ही था।

काउंसेलर ने मुझे अपने पर पर आने का नियन्त्रण दिया। बर्किंग अथ यों भी कहा जा सकता है कि हमारे उनके बीच में मित्रता हो गयी। कभी २ में उनके यहाँ जाता भी था। उनकी सारफन उनसे भी अधिक प्रसिद्ध उनके भाई से मेरा परिचय हो गया। वे पहले जोहान्सबर्ग में 'पब्लिक प्रोसेक्यूटर' रह चुके थे। बोअर लड़ाई के समय, जोहान्सबर्ग के एक अंग्रेज अफसर को मरवा डालने का प्रयत्न करने का अभियोग उन पर चला चुका था और तत्पश्चात् उन्हें उसमें सात वर्ष के जेल की सजा भी हुई थी। उनकी बकायत की सनद भी छीन ली गयी थी। जेल से छूटने के बाद यह महाशय काउंसेलर, ट्रान्सवाल की कचहरी में सम्मान के साथ भर्ती हुए। वही उन्होंने अपना बग्या फिर शुरू किया। इस सम्बन्ध का उपयोग मैं आगे बतल कर अपने शार्वनिक जीवन में कर सका था। और उससे मैंने कितने बैसे ही कामों में मुझे सुविधा भी हो सकी थी।

पगडंडी पर चलने के नियम का नतीजा मेरे लिए कुछ खतरनाक हुआ। मैं हमेशा ही प्रेसिडेंट स्ट्रीट से हो कर एक मैदान में घूमने आया करता था। इस मुहल्ले में प्रेसिडेंट क्रॉस का घर था। इस घर में कुछ भी आश्चर्य का सामना न था। इसके इर्द गिर्द चहारदीवारी तक नहीं। उन्नीस पाव के और मकानों में तथा इसमें कुछ भी फर्क नहीं रहना होता था। मिटोरिया में और सब लक्षपतियों के घर, इस घर की वनिष्ठत अधिक सुन्दर और बागों से घिरे हुए थे। प्रेसिडेंट की सारंगी मशहूर थी। यह घर किसी अफसर का है—इसका पता केवल एक सिपाही को सामने घूमते देख कर ही लग सकता था। इस सिपाही के पास से हो कर मैं बराबर ही जाता था, परन्तु मुझसे वह कुछ नहीं बोलता था। समय समय पर सिपाही पहरा च लते थे। एक दिन एक सिपाही ने मुझे चिन्तये बिना— यह भी वही बिना कि पगडंडी पर से नीचे उतर जाओ, मुझे धक्का दिया और लात मार कर उतार दिया। मैं अचम्भे में आ गया और सोच में पड़ गया। सिपाही से मेरे लात मारने का कारण पूछने के पहले ही मि० कोट्स ने, जो उस राते से बोटे पर जा रहे थे, मुझे पुकार कर कहा:

“गोंधे, मैंने सब देखा है। यदि तुम मुकदमा चलाओगे तो मैं गवाही दूंगा। मुझे इसका बहुत अफसोस है कि तुम्हारे ऊपर इस प्रकार की चोट की गयी।”

मैंने कहा—“इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं है। वह सिपाही बेवारा क्या जाने? उसके लिए तो सभी काले आदमी काले ही हैं। वह इन्सिगो को पगडंडी से इसी प्रकार उतारता हीगा, इसलिए उसने मुझे भी धक्का लगा दिया। मैंने यह नियम कर लिया है कि जो अन्याय मुझे कुछ ही भुगतना पड़े उसके लिए मैं अदालत में न जाऊंगा। इसके लिए मुझे मुकदमा नहीं लड़ना है।”

“यह तो तुमने अपने स्वभाव के ही माफिक बात कही है परन्तु फिर भी विचार कर देखो। इस आदमी को कुछ न कुछ शिक्षा तो देनी ही चाहिए।” इतना कह कर उन्होंने उस सिपाही से बाँट की और उसे टाँटा। मैं सब बातें नहीं समझ सका। सिपाही डब था और उसके साथ डब में ही बातें हुईं। सिपाही ने मुझसे माफी माँगी। माफी तो मैं दे ही चुका था।

उमके बाद से मैंने वह रास्ता ही छोड़ दिया। दूसरे सिपाही को इस घटना की खबर क्योंकर होगी? मैं क्यों नाइक लात खाने के लिए फिर वहाँ जाना? इसलिए मैंने घूमने जाने के लिए दूसरा ही कूचा परान्द किया।

इस घटना से हिन्दुस्तानियों की मेरे प्रति महानुभूति और भी बढ़ गयी। उनके साथ मैंने बातें की कि ब्रिटिश एजन्ट से इस कानून के विषय में बातें कर के, बतौर नमूने के ऐसा मुकदमा क्यों न चलाया जाय।

इस प्रकार पड़, मुन और स्वय अनुभव कर के हिन्दुस्तानियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों की मैंने काफी आभकारी हासिल की। मैंने देखा कि अपने स्वाभिमान का क्याल रखने वाले हिन्दुस्तानियों का दक्षिण आफ्रिका ऐसे देश में रहना उचित नहीं है। यह हानत क्योंकर बदल सकती है, इस बात की चिन्ता में ज्यादा मन लगाने लगा। परन्तु अब तक तो मेरा मुख्य कसब्य था दादा अन्दुल के मुकदमे की ही फिकर रखना।

(बनजीवन)

मौजुदास करमचंद गोंधी

## पुराना रोग

अस्पृश्यता के समर्थक, यह दलील पेश कर के कि यह प्रथा बहुत दिनों से चली आती है इसका समर्थन करते हैं। अचमुच में तो इसे दलील ही कैसे कह सकते हैं, यही कहना कठिन है। यह ठीक है कि अपने पूर्वजों से हमें जो प्रथा विगतत में मिली है उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। परन्तु हम रक्षण में, उस उत्तराधिकार को बढाना, उस में सुधार करना, इत्यादि कितनी और बातें भी आ जाती हैं। पुराने घर का अच्छा मालूम होना स्वाभाविक है। परन्तु पुराना घर भला भी मालूम होवे तो इससे क्या? क्या उस घर के चूदे के बिलों को भी सुन्दर मानना पड़ेगा। पेट का लकड़ा प्यारा होता है इसलिए क्या किसी को पेट का रोग भी प्यारा होता है? और यह रोग पुराना है इसलिए क्या इसका इलाज भी नहीं करना होगा? जीर्णोद्धार को रोकने वाली इस जीर्ण भक्ति को क्या कहा जायगा? स्वयं उपनिषदों के लेखक ऋषियों ने भी कहा है—“यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि।” हमारे जो सुचरित होवे उन्हीं का तुम अनुकरण करो, दूसरों का नहीं। उनकी तो ऐसी ही आज्ञा है। उनकी इस आज्ञा का नितान्त भग कर विवेक बुद्धि की एक किनारे कर, और एसा करना ही शाखाज्ञा का पालन करना है, ऐसा मानना आत्मवचना नहीं है तो और क्या है?

इसके आकाश भी जब शैतान शस्त्र के प्रमाण पेश करता है तो आत्मवचना की पराकाष्ठा हो जाती है। कहते हैं कि अस्पृश्यता का आदि शंकराचार्य ने समर्थन किया था। अद्वैत के सिद्धान्त का प्रतिपादन करना ही जिनके जीवन का एक मात्र कार्य था उन्हींने इस अयोग्य मेदामेद करी भ्रम को सहारा दिया। यहि मतों का प्रमाण देना है तो उनके जीवन के उत्तर भाग में से देना चाहिए, पूर्वचरित में से नहीं। शंकराचार्य के चरित में चाण्डाल की जो बात है, वह उनके उनके जीवन के पूर्व भाग में ही है। यदि इसी आधार पर अस्पृश्यता को मान्य मानना है तो शान्ति के पूर्वचरित के आधार पर ब्रह्महत्या को भी उचित मानना होगा तथा और भी बहुत सी बातें उचित उदरंगी। इसका कारण यह है कि जो सत है, साधु है, वे साधुत्व के पद पर पहुँचने के पहले तो साधु नहीं थे। उस समय के उनके जीवन-चरित में बहुत घुी बातें भी मिलेंगी। यह कहावत भी है कि ऋषियों का कुछ नहीं पूछना चाहिए। यदि देखना ही है तो उनका उत्तरचरित देखिये और वह भी विवेक रण से। केवल पूर्वचरित देखने से क्या लाभ होगा?

शंकराचार्य के चरित में चाण्डाल की जो बात आती है, वह यह है—आचार्य एक समय काशी आ रहे थे। रास्ते में एक चाण्डाल मिला। उसे उन्हींने दूर ही रहने को कहा। इस पर चाण्डाल ने उन्हें कहा “महाराज, अपने अन्नमय शरीर से मेरे अन्नमय शरीर को आप दूर करना चाहते हैं या अपने चैतन्य से मेरे चैतन्य को दूर करना चाहते हैं?” वेद की बात हो तो वह तो रङ्गों में से ही उत्पन्न हुई है न? आर्या तो सब की एक ही है और अत्यन्त शुद्ध है। इस दशा में यह परस्पर का मेर क्यों? यह प्रश्न उस चाण्डाल ने किया था। केवल इतना कह कर ही वह चाण्डाल चुप नहीं रह गया। उसने शंकराचार्य की ओर भी बहुत कुछ सुनाया। “गंगाजल में चंद्रमा की जो छाया पड़ती है, उसमें और मेरे साकार के समीप में जो पड़ती है, उसमें क्या कोई अन्तर है? सोने के कलश में जो आकाश है,

और मिट्टी के बड़े में जो आकाश है, इन में कुछ फर्क है क्या ? सब में आकाश तो एक ही है न ? तब, यह अज्ञान है और यह अन्त्यज है यह मेद आपने कहां से निकाला ? ”

—विप्रोऽयं भगवोऽयमित्यपि महान् कोऽयं विवेकप्रभवः ।

इतना सुनना या कि आपाटर्ष के काम ही नहीं परन्तु आंखें भी खुल गयीं और अग्रभाव से साण्डाल को नमस्कार कर के आनन्द्य बोले :—

सांडालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु शुभ रित्येवा मनीषा मय

“ भग्य ओ कोई मनुष्य हो, साण्डाल हो वा अज्ञान होने, मेरे शुभ के समान है । ”

अब इस बात से पाठकों को जो नतीजा निकालना हो वे निकाल लें ।

मनु से भी कहाँ है कि जिस मार्ग से बाप गये, दादा गये, उस मार्ग से आप भी जाना चाहिए—परन्तु यदि वह सम्मार्ग ही तब । यही उनकी भाषा है । यह उनका शोक है :—

येनास्य पितरो याता येन याताः पिनामहा ।  
तेन यायात् 'सतां मार्गं' तेन गच्छन् नरिष्वपि ॥

( ' महाराष्ट्र धर्म' से ) " विनो " "

### सात समुद्र पार का न्याय

यदि विजित जाति के मन पर अधिकार नहीं कर लिया, यदि विजित लोग अपनी दासता की श्रृंखला को तोड़ न करने लें और विजेताओं को अपना उपकारी न समझने लें तो वैदिक शास्त्रों के बल पर पायी हुई विजय का कोई मूल्य नहीं रह जाता है । भारतवर्ष के सिन्धु २ रधानों के किके, अंग्रेजों ताकत की हमें बराबर याद दिलाते रहते हैं । सर हरिब्रह्म गौड़ के इस बहुत ही मजबूत प्रस्ताव—कि सब से बड़ा न्यायालय दिल्ली में ही का कर रखा जाय—के सम्बन्ध में हमारे प्रमुख वकीलों की जो सः रती इन्डियन वेली मेल में छपी है, अगर उसी को हम अपने शिक्षितों के दिमाग का नमूना मान लें तो कहना पड़ेगा कि इन किलों के आभार पर अंग्रेजी राज्य नहीं बना है बल्कि हमारे शिक्षित पुरुषों के दिमागों पर उसने जो यह चुपचाप विजय पायी है उस पर बना है । इन मशहूर वकीलों का खयाल है कि यहाँ से छ हजार मील दूर की प्रिवीकाउन्सिल के फैसलों पर लोगों की अधिक श्रद्धा होगी और वहाँ अधिक निष्पक्षता से न्याय हो सकता है । मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि इस अव्ययजनक सः रति का आभार सत्य पर नहीं है । परन्तु दूर का राजा सुहावना होता है । प्रिवीकाउन्सिल वाले भी आखिर मनुष्य ही हैं । राष्ट्रनीतिक प्रक्षपात की गन्ध उनमें भी पायी गयी है । हमारी रीति रस्मों के मुकद्दमों के सम्बन्ध में उनके फीसके प्रायः सत्य की तोह मरोह ही होते हैं । इसका कारण उनकी विपरीतता नहीं है परन्तु नवर मनुष्य सब कुछ तो नहीं जान सकता है । कानून का बहुत अधिक ज्ञान क्यों न होवे परन्तु मुकामी रस्मोरिवाज से जिन्हें वाकफियत न हो; उनकी बनिस्वत कम पढ़ा लिखा वकील भी जिसे मुकामी रीतिरस्मों से पूरी वाकफियत हो, रीतिरस्म के सहायक वाले मुकद्दमों पर जो वकीलों की उपादे अच्छी तरह से जान कर सहेगा । वे प्रमुख वकील यह

भी कहते हैं कि दिल्ली में अन्तिम न्यायालय ला कर रख देने से ही सर्व में कुछ कमी न हो जायगी । यदि उनका यह मतलब है कि धनी इंग्लैंड में जो फीस ली जाती है, वही गरीब हिन्दुस्तान में भी ली जाय तो उनकी देखा-भक्ति के लिए यह कुछ शोभा की बात नहीं है । एक स्काटलैण्डवासी मित्र ने मुझसे कहा था कि सम्भवतः अंग्रेज लोग ही अपने शौक और जकरियात में दुनिया भर में सब से अधिक खर्चाले होंगे । उन्होंने कहा था कि स्काटलैंड के अस्पताल, इंग्लैंड के अस्पतालों से किसी बात में कम न होते हुए भी उनकी अगोष्ठा बहुत ही कम खर्च में चलाने जाते हैं । या फीस बढ़ जाने के साथ २ कानूनी बहस की कीमत भी बढ़ जाती है क्या ?

इस प्रस्ताव के विरोध में जो तीसरी दलील पेश की गयी है वह यह है कि हिन्दुस्तानी जजों की व्हाइट होल में बैठने वाले जजों के बराबर इज्जत नहीं होगी । यदि प्रसिद्ध वकील लोग इस दलील को पेश न करते तो, यह हँसी में उड़ जाती । फंगलों की इज्जत तथा जजों की निष्पक्षता पर निर्भर है वा कचदरी के मुकाम वा जजों की जाति वा चमड़े के रंग पर ? यदि सबकुछ में मुकाम वा जजों के जन्म वा वर्ण पर ही उनके फैसले की प्रामाण्यिकता निर्भर हो, तो क्या अब तक भी वह समय नहीं आ गया है कि इस भ्रम को मिटाने के लिए ही दिल्ली में अन्तिम न्यायालय लाया जाय और हिन्दुस्तानी जजों को ही नियुक्त किया जाय ? वा इन दलील में, ऐसा पहले से ही मान लिया गया है कि हिन्दुस्तानी जजों में प्रक्षपात होता है । कभी २ बेचारे गरीबों की बात हम सुनते हैं कि अज्ञान के बंध हो कर वे यूःःपियन कम्पटर को ही चाहते हैं । परन्तु अनुभवों वकीलोंसे तो कुछ अधिक बुद्धिमानी और निर्भयता की आशा अबर ही की जा सकती है ।

मेरी मजबूत समझ में यद्यपि इन तीन दलीलों में से एक में भी कुछ सार नहीं है, तथापि हमें केवल इसलिए अपना आखिरी न्यायालय दिल्ली में ही रखना चाहिए कि हमारा स्वाभिमान इसी में है । दूसरों के फेफड़े चाहे काँध अचछे हों परन्तु हम जिस प्रकार उनसे साँघ नहीं ले सकते उसी प्रकार इंग्लैंड से भैंगनी वा मोल ले कर न्याय नहीं ले सकते हैं । हमें तो जो कुछ हमारे अपने ही जज कर दिखायें, उसी पर अभिमान करना होगा । सारे संसार में यह देखा जाता है कि जूरियों का किया हुआ न्याय कभी २ गलत ही होता है । परन्तु इसलिए सभी जगह सब कोई इस कठिनाई को खुशी से स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार प्रजा में स्वतन्त्रता के मत का प्रसार होता है और अपनी बराबरी वालों के ही द्वारा न्याय पाने की न्याय्य अभिलाषा की पूर्ति होती है । वकीलों के मण्डल में भावना की इज्जत कुछ कम होती है परन्तु भावना ही संसार वा शासन करती है । जब भावना सर्वप्रधान होती है तो अर्थशास्त्र तथा और बातों को कौन पूछता है ? भावना का निर्भर सम्भव है और होना चाहिए । न तो इसका नाश सम्भव ही है और न करना ही चाहिए । यदि देश की भक्ति करना कोई पाप नहीं है तो अन्तिम न्यायालय को दिल्ली में ही ला रखना कुछ पाप नहीं है । जैसे स्वराज के स्वयं पर सुगम से नहीं चल सकता है वैसे ही विदेशी सुन्याय हमारे अपने घर के न्याय का काम नहीं दे सकता ।

# हिन्दी-नवजीवन

पुस्तक, प्राण सुदि ४, संवत् १९८१

## सत्याग्रह की विजय

प० मालवीय जी की विजय, राष्ट्रीय जीत है। आज हम में अनेकता और अनति भले ही घुब गयी हों परन्तु पण्डितजी ने दिखका दिया है कि अभी भी हम में मजबूत से मजबूत सायाज्य की ताकत की अवहा करने का साहस बाधी है। हिन्दुस्तान के एक सब से पुराने, सब से अधिक सम्मानित, और सुप्रसिद्ध नेता के विरुद्ध हलके मन से ऐसी नोटिस निकालना, मगबरी के साथ अपनी ताकत को दिखलाना है। अभी थोड़ी देर के लिए यदि हम मान भी लें कि मालवीय जी के कलकत्ते जाने में सरकार का डरना उचित ही था, जब कि वह शान्ति स्थापन के लिए प्रयत्नवान् हो जाँते यही कहना पड़ेगा कि हिन्दुस्तानी लोगों में, मालवीयजी के ऐसे प्रतिष्ठित पुरुष के साथ ऐसा बर्ताव करना अनुचित ही है। यदि वहाँ के स्थानापन्न गवर्नर मालवीय जी को एक खास पत्र लिख देते वा उन्हें तुलाने और सब बातें बतला कर उन्हें समझा देते कि इस समय आपको कलकत्ते में बुर ही रहना चाहिए, क्योंकि इसी से शान्ति हो सकेगी और शान्ति के लिए जितनी मुझे विता है, उतनी ही आपको भी है तो, गवर्नर साहब के लिए यह कोई तनजुनी की बात नहीं होगी। अपने सभी भाषणों में पण्डित जी ने शान्ति की आवश्यकता पर जोर दिया है। परन्तु सरकार तो जनता की इच्छा का इस उपेक्षा से देखती है कि इस विष्ट व्यवहार का वह विचार भी नहीं कर सकती। उसे उम्मीद थी कि मालवीय जी और डाक्टर मुंजे इस दुकम को बटी ही आजिजी से मान लेंगे। सरकार को स्पष्ट विश्वास था कि असहयोग मर गया, सचिनय अवज्ञा इससे भी पहले मर गयी और बारडोशी में उसे ठक टिकाने से गाड़ भी दिया गया, और सचिनय अवज्ञा के सम्बन्ध में कमिस कं प्रस्ताव केवल करी भमकिया मर ही है। मगबक सरकार की जब अपनी मूल मालूम हो गयी है।

पण्डित जी का पत्र आत्मसंयम के साथ दृढता का नमूना है। पत्र लिखने के बाद वही काम करना, मैजिस्ट्रेट के साथ मुकामत करने से इनकार करना, कलकत्ते में उनका विजय प्रवेश, अपने पहले के कार्यक्रम के अनुसार शान्त भाव में सब काम करते जाना मानो कुछ हुआ ही नहीं है, लोगों को यह पलाह देना कि दिमाग ठंडा रखो, कोई दिखावा मत करो, इत्यादि बातें, सही सत्याग्रह का नमूना है। यह उमेद की जा सकती है कि सरकार अब यह बात समझ जायगी कि सत्याग्रह के निदान्त का इस देश में नाश नहीं होगा और जब कभी जरूरत पड़ेगी, उसे करने को अनेक आदमी तैयार हो जायेंगे।

हिन्दू और मुसलमान, दोनों की ही यह भूल होगी, यदि वे समझ कि मालवीयजी और डाक्टर मुंजे पर नोटिस दे कर सरकार ने हिन्दुओं के विपक्ष में वा मुसलमानों के पक्ष में कोई काम किया है। सरकार की चप्पी में, जो कुछ आता है सभी पीसने का सामान समझा जाता है। सरकार को यदि अपनी जरूरत मालूम हो कि प्रकर एक प्रमुख हिन्दू पर उसने नोटिस दी

है उसी प्रकार कलह एक जैसे ही प्रमुख मुसलमान पर भी उसकी वही नमरे इनायत पड़ेगी। सरकार के इस कथन से कि सचमुच में वह शान्ति चाहती है, कोई शोका नहीं जायगा। मैं तो यह कहने का भी साहस करूंगा कि तलवार के बल पर हिन्दुस्तान को ब्रिटिश राज में रखने की इच्छा के साथ २ हिन्दू मुसलमानों में मेल की सची कामना रह नहीं सकती। जब अंगरेज अफसर इन दो दलों में मेल के लिए कोशिश करने लगे तब वे हमारी रमा-मन्दी से ही यहाँ रह सकेगे। हिन्दुस्तान का शासन मेद-नीति से ही होता है, आखिर इस बात का तो पता, यदि मैं भूलता नहीं हूँ तो, किसी हिन्दुस्तानी ने नहीं बरिह एक अंगरेज ने ही पहले पहल जगाया था। या तो ऐलम ओकटेवियन "छूम ने या जॉर्ज यूल ने ही हमें सिखाया था कि सम्प्राज्य का आधार मेद-नीति पर ही है। हमें इस पर न तो आश्चर्य करना चाहिए और न इसे कुछ बुरा ही मानना चाहिए। रोम की बादशाही ने भी और कुछ बुरा नहीं किया था। बोअरों के साथ इन अंगरेजों ने ही कुछ बुरा व्यवहार नहीं किया। कुछ लोगों पर विशेष दयादृष्टि रख कर बोअरों में मेद उत्पन्न करने की कोशिश की गयी। भारत सरकार का आधार ही अविश्वास पर है। अविश्वास करने से कुछ लोगों की तरफदारी करनी ही पड़ेगी और तरफदारी करने से भिन्नता उत्पन्न होगी ही। ऐसे स्पष्ट वक्ता अंगरेज भी कितने हैं जिन्होंने यह बात स्वीकार कर ली है। भारत में इतिहास का कोई भी मजबूर पाठक, बागसराय वा गवर्नरों के शान्ति के सम्बन्ध के हाल के कथनों को मान नहीं सकता। मैं यह मानने को तैयार हूँ कि बागसराय महोदय ने जो कुछ कहा है सच दिल् से कहा है। सरकार की नीति को मेद नीति कहने के लिए यह कुछ जरूरी नहीं है कि बड़े २ सरकारी अफसरों को भी बेईमान कहना ही पड़े। मभवतः वह मेद नीति हमें: जानबूझ कर ही काम में नहीं लायी जाती है। हिन्दुओं के विरुद्ध मुसलमानों, अफ्राइणों के विरुद्ध ग.इणों, दोनों के ही विरुद्ध निरुद्धों, तीनों के विरुद्ध मुर्खों की रटने का श्रेत जब से अंग्रेजी राज्य शुरू हुआ है, हो रहा है और तबतक होता ही रहेगा जब तक सरकार को यह विश्वास रहेगा कि उसका हित प्रजा के हित के विरुद्ध है वा उसकी स्थिति प्रजा की इच्छा के विरुद्ध है। इस लिए राष्ट्रीय उन्नति के लिए स्वराज का होना परमावश्यक है। इसी लिए धीयती बिसेन्ट ने भी बहुत जोर दे कर कहा है कि स्वराज के बिना हिन्दू-मुसलिम ऐक्य भी अमभव ही है। दुर्भाग्यवशानः इसका तो हम लोगों को रोज ही प्रमाण मिलता जाता है कि हिन्दू-मुसलिम ऐक्य के बिना स्वराज भी वैसाही अमभव है। और, मैं तो यह सब होने पर भी इतना आशावादी हूँ कि विश्वास करता हूँ कि हमारे उकटे प्रयत्नों के होते हुए भी एकता होगी ही क्योंकि मैं लोकमान्य के इस आदर्श वाक्य में पूरा और वक्ता विश्वास करता हूँ कि — "स्वराज मेरा अन्वसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लूंगा ही"। जहाँ मनुष्य की कोशिश बेकार हो जाती है, वहाँ ईश्वर की कृपा फभीभूत होती है क्योंकि उसके दरबार में "मेद-नीति" का प्रचार नहीं है।

( ४ - ६० )

**मोहनदास करमचंद गांधी,**  
आश्रम भवनाथकि

पंचनी आश्रम खत्म हो गयी है। अब जितने आर्डर मिलते हैं, उन्हें कर लिए जाते हैं। आर्डर मिलनेवालों को, जब तक छठी आश्रम प्रामित न हो तब तक, धैर्य रखना होगा।

मोहनदास करमचंद गांधी



## अनीति की राह पर

(६)

विवाह के पहले और बाद भी ब्रह्मचर्य के साथ, और शक्यता की लक्षण कर, आजीवन ब्रह्मचर्य कहीं तक संभव है और उसका क्या महत्व है, अब इस विषय पर केवल लिखते हैं:

“कामवासना की गुलाबी से मुक्ति पाने वाले शरीरों में सबसे पहले उन युवक युवतियों का नाम लिया जायगा जिन्होंने किसी महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिए आजीवन अविवाहित रह कर ब्रह्मचर्य पालन का निश्चय कर लिया है। उनके इस दृढ़ निश्चय के अलग २ कारण होते हैं। कोई अलहाब माता-पिता की सेवा को अपना कर्तव्य मानता है, तो कोई अपने मातृ-पितृ-हीन छोटे भाई-बहनों के लिए स्वयं माता-पिता का स्थान ग्रहण करता है तो कोई आनार्जन में ही जीवन बिताना चाहता है, तो कोई रोगियों वा गरीबों की सेवा तो कोई धर्म वा जाति वा शिक्षा की सेवा में ही जीवन लगा देना चाहता है। इस निश्चय के पालन में किसी को तो अपने मनोविकारों से भयानक युद्ध करना पड़ता है तो किसी के लिए कभी २ मान्यवशतः पहले से ही रास्ता बहुत साफ हुआ रहता है। वे अपने मन में अपने सम्मुख वा परमेश्वर के सम्मुख प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जो भोग उन्होंने चुन लिया वह चुन लिया और अब फिर विवाह की बात करना व्यभिचार होना। प्रसिद्ध चित्रकार माइकेल ऐंजेलो से किसी ने कहा कि तुम विवाह कर लो तो उसने जवाब दिया कि ‘चित्रकारी ही मेरी ऐसी पत्नी है जो सौत का रहना बरदाश्त नहीं करेगी।’”

अपने यूरोपीय मित्रों के अनुभव से मैं, महाशय यूरो के बतलाये हुए प्रायः सभी प्रकार के मनुष्यों का उदाहरण दे कर उनकी इस बात का समर्थन कर सकता हूँ कि बहुत मित्रों ने आजीवन-ब्रह्मचर्य का पालन दिया है। हिन्दुस्तान को छोड़ कर और किसी भी देश में बचपन से ही विवाह की बातें बालकों नहीं मनायी जाती हैं। यहाँ तो माता-पिता की एक ही अभिलाषा रहती है, लड़के का विवाह कर देना और उसकी आजीविका का उचित प्रबंध कर देना। पहली बात से तो असमय में ही बुद्ध और शरीर का नृस हो जाता है और दूसरी बात से आलस्य आ पेरता और कभी २ दूसरे की कमाई पर जीने की आदत लग जाती है। ब्रह्मचर्य और स्वेच्छा से लिये हुए दारिद्र्य व्रत की हम अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। वध, ये काम तो केवल योगियों और महात्माओं से ही सम्भव हैं और यह भी कहते हैं कि योगी और महात्मा असाधारण पुरुष होते हैं। हम वह भूल जाते हैं कि जिस समाज की ऐसी गिरी हाकत होवे उसमें सचे योगी और महात्मा का होना असम्भव है। इस सिद्धान्त के अनुसार कि सदाचार की चाल यदि वल्लुवे की चाल के समान भीसी और अबाध है तो दुःखान्तर करके की तरह दौकता है, हमारे पास पश्चिम के देशों से व्यभिचार का सौदा विजकी की चाल से दौबा आता है और अपनी मनोमोहिनी चमकचमक में हमारे आँसों को बहकका देता है और हम सत्य को भूल जाते हैं। क्षण क्षण में पश्चिम से तार के द्वारा जो वस्तु पहुंचती है और प्रतिदिन परदेशी माल से लदे हुए जो जहाज पहुंचते हैं, उनमें ही कर जो जगमगाहट आती है उसे देख कर हमें ब्रह्मचर्य व्रत केने में धर्म तक जाने लगती है और निश्चयता के व्रत को हम पाप कहने को तैयार हो जाते हैं। परन्तु आज हिन्दुस्तान में हमें भी पश्चिम का दर्शन हो रहा है, पश्चिम ठीक ठीक वैसा ही नहीं

है। जिस प्रकार दक्षिण आफ्रिका के गोरे वहाँ के रहने वाले थोड़े से हिन्दुस्तानियों के आधार पर ही सभी हिन्दुस्तानियों के चरित्र का अनुमान करने में मूल करते हैं उसी प्रकार हम भी इन थोड़े से नमूनों पर सारे पश्चिम का अनुमान लगाने में अन्याय करते हैं। जो लोग इस भ्रम का परदा हटा कर भीतर देख सकते हैं, वे देखेंगे कि पश्चिम में भी धर्म और पवित्रता का एक छोटा सा परन्तु अदृष्ट झरना है। यूरोप की हम महा मरुभूमि में भी ऐसे झरने हैं जहाँ जो कोई चाहे जीवन का पवित्र से पवित्र जल पी कर सन्तुष्ट हो सकता है। ब्रह्मचर्य और स्वेच्छापूर्वक निर्धनता के व्रत, - वहाँ - कितने लोग लेते हैं और फिर कभी मूल कर भी इसके लिए गर्व नहीं करते, कुछ शोर नहीं करते। वे यह सब कुछ मरुता के साथ किसी स्वजन की वा स्वदेश की सेवा के लिए करते हैं। हम लोग धर्म की बातें इन प्रकार करते हैं मानों धर्म में और व्यवहार में कोई सम्पर्क नहीं हो और यह धर्म केवल हिमालय के एकाग्रवासी योगियों के लिए ही हो। जिस धर्म का हमारे दैनिक आचार-व्यवहार पर कुछ असर न पड़े वह धर्म एक हवाई खयाल के सिवाय और कुछ नहीं है। वे नवजवान पुरुष और जियाँ, जिनके लिए यह पत्र प्रति सम्राट लिखा जाता है, समझ लें कि अपने पास के वातावरण को छोड़ बचाना और अपनी कमजोरी को दूर करना तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना उनका कर्तव्य है और वह भी जान लेना चाहिए कि यह काम उतना कठिन नहीं है जितना कि वे सुनते आये हैं।

देखना चाहिए कि केवल अब और क्या कहते हैं। उनका कहना है कि हम यह मान भी लें कि विवाह करना आवश्यक ही है तभी न तो सब कोई विवाह कर ही सकते हैं और न सब के लिए इसे आवश्यक और उचित ही कहा जायगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं कि जिन्हें ब्रह्मचर्य पालन के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं रह जाता है:—(१) अपने रोजगार वा गरीबी के कारण लाचार जिन्हें विवाह करने से रुकना पड़ता है (२) जिन्हें अपने योग्य वर वा कन्या मिलती ही नहीं है (३) अन्त में वे लोग जिन्हें कोई ऐसा रोग हो जिसके सन्तान में भी हो जाने का भय हो वा वे जिन्हें किसी और कारण से विवाह का विचार ही बिल्कुल छोड़ देना पड़ता हो। किसी उत्तम कार्य वा उद्देश्य के लिए, सशक्त और सम्पन्न श्री पुरुषों के ब्रह्मचर्य-व्रत से उन लोगों को भी जो लाचार ब्रह्मचारी बने रहते हैं, अपने व्रत के पालन में मदद मिलता है। स्वेच्छा-पूर्वक ब्रह्मचर्य-व्रत को जिधने कारण किया है उसे तो उसका वह ब्रह्मचारी का जीवन अपूर्ण नहीं साध्य होता बल्कि इसे ही वह ऊंचा और परमानन्द से भरा हुआ जीवन मानता है। अविवाहित और विवाहित दोनों प्रकार के ब्रह्मचारियों को उनके व्रत पालन में उससे उरसाह मिलता है। उनका वह पथप्रदर्शक बनता है।

महाशय फोर्डेर का मत ग्रन्थकर्ता देते हैं:—“ब्रह्मचर्य व्रत, विवाह संस्था का बड़ा भारी सहायक है क्योंकि यह तो विषयेच्छा और विकारों से मनुष्य की मुक्ति का विह स्वल्प है। विवाहित की पुरुष इसे देख कर यह समझते हैं कि वे परस्पर एक दूसरे की विषयेच्छा की पूर्ति के केवल साधन ही नहीं हैं। बल्कि विषयवासना के रहते हुए भी वे स्वतंत्र और मुक्त आत्मा हैं। ब्रह्मचर्य का मजाक उठानेवाले लोग यह नहीं जानते कि उसका मजाक उठा कर के वे व्यभिचार और बहु विवाह का समर्थन करते हैं। यदि विषयेच्छा की पूर्ति करना परमावश्यक है, यह मान लिया

जाय तो फिर विनाहित स्त्री पुत्रों से किस प्रकार पवित्र जीवन की आशा की जा सकती है! वे भूल जाते हैं कि रोगवश वा किसी और कारण से कभी २ दम्पति में से एक की अशक्तता से दूसरे के लिए आजीवन ब्रतचर्य का पालन अनिवार्य हो जाता है। केवल एक इसी कारण से ब्रह्मचर्य की जितनी महिमा हम स्वीकार करते हैं, उतने ही ऊँचे पर एक पत्नीमत के आदर्श को चटाते हैं।”

( गं० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## ‘ ऋद्धिसिद्धि की जननी ’ गायमाता

(३)

अनादेयं तृण जग्वा अवन्त्यनुविन पयः ।

तुष्टिद देवतादीनां धन पूज्य कथं नहि ॥

अर्थात् मनुष्य के काम न आने वाली घास को खा कर देवताओं तक के लिए नित्य तुष्टिदायक दूध देनेवाली गौ पूज्य क्यों न समझी जावे ?

[ मि. हेन अब बछड़ों को पालने पोसने की पद्धति का जिक्र करते हैं ।

पृ० ६० ]

यदि उत्तम गाय चाहिए तो अच्छा तरीका यही

है कि उसे बचपन से ही खूद पाले ।

अच्छी गायों में से अच्छी से अच्छी छांट ले । अच्छी गाय की पहिचान उसके दूध तोकने तथा मसखन की सिद्धदार मालूम करने से हो सकती है । अच्छी नस्ल के बाँध से उसे गाभिन कराना चाहिए । यदि हम इतना करें तो अच्छे गोपाल कह जा सकते हैं और हमारी गायें इतनी अच्छी बन सकती हैं कि जिन पर हमको अभिमान हो सकता है । घास ही साथ हमारा उनके साथ कुटुम्बियों के मार्निद परिचय हो जाता है ।

बछड़े के जन्म से कुछ काल पूर्व से ही प्रारम्भ कीजिये बछड़े के जन्म के लिए स्वच्छ बाघ का स्थान उत्तम है । और गोशाला के एक भाग में अर्धा घास बिछी हो और जो बिल्कुल रोगानुरहित कर दिया गया हो, बछड़े का जन्म होना चाहिए ।

बछड़े के जन्म के बाद शुरू के कुछ दिन बहुत महत्त्व के होते हैं ।

अगर जन्म के बाद शुरू के कुछ दिनों तक बछड़े की पूरी भ्रंशाल न की जावे तो बछड़ा पेट की व्याधि से पीड़ित होता है, वह पनपना नहीं है और उसके हाथ पैर ऐंठ जाते हैं तथा पेट फूल जाता है । नाभि के द्वारा बीमारी को प्रवेश होने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि बछड़े के पैदा होते ही उसकी 'नार' के उपर गा ती आयोडीन या कोई दूसरी रोगानुनाशक दवा लगा दी जाय । कुछ घंटे बाद नार के ऊपर आयोडीन लगाना और उसको सुखाने के लिए फिटकरी का मसूक या बोरिक पाउडर छुरकना ही उचित है ।

अगर बछिया पैदा हो तो उसका धन देखना चाहिए । एक दिन की बछिया को देख कर यह बतला दें कि आगे चल कर यह बर्सी गाय निकलेगी — यह काम तो परीक्षक लोग ही कर सकते हैं । अगर बछिया के स्तन बड़े २ तथा अलग अलग हों और होशियारी के साथ उसकी सेवा की जाय तो सम्भव है कि वह अच्छी गाय निकले । और फिर, यदि चार के अलावा और कोई धन हो जिससे आगे चल कर दुग्धने में अद्वयन पढ़ने का भय हो तो जब तक बछिया एकाध दिन की ही हो तभी उस विशेष धन को काट कर उसकी जगह पर कोई रोगनाशक दवा लगा देनी चाहिए ।

यदि गाय तन्दुस्त हो तो जन्म के चार दिन बाद तक बछड़े को उसकी माँ के पास ही रहने देना ठीक होगा क्योंकि इन दिनों में उसके लिए चार २ दूध पीना जरूरी है । ऐसा करने में गाय को भी लाभ है और बछड़े को भी — क्योंकि व्याधी हुई गाय का पहले पाँच दिनों का दूध पीने के लायक नहीं होता है । जमाने के दो तीन दिन बाद तक गाय को यदि पूरे तौर पर न दुहा जाय तो उसे सुखार नहीं आता है । इतना ही काफी है कि बरवा चारो थनों से दूध पीता रहे ।

बछड़े का दूध पीना सीखना

बछड़े को उसकी माँ के पास से हटा कर एक स्वच्छ सूखे और उजले स्थान पर रखना चाहिए । सुबह के वक्त उसे घुमा फिरा कर शाम को सब से पहले बास्ती में से दूध पिलाना चाहिए । उसे भूख लगी ही होगी—बस, तुरन्त पीना सीख जायगा । पहले एक दो दिन यदि साधारण तौर पर भूखा होगा तो दूध पीना ठीक तरह सीखेगा । और अगर एक वक्त भी ज्यादा पी जायगा तो उसे दस्त आने लगेंगे । उसके लिए ताजा और धार ही का गरम दूध (करीब २० तोले) बिल्कुल स्वच्छ बाल्टी में डालना चाहिए । दूध डालने वाले के हाथ भी बिल्कुल साफ होने चाहिए । बछड़े को भटकने वाला न बना देना चाहिए । धीरे धीरे उसे एक कोने में ले जा उसके पास सटे रह कर उसके मुँह में दो अंगुलियाँ डालना चाहिए । जब वह अगुनी चाटने लगे तब उसके नथने नीचे किये हुए ही उसे दूध के सामने ले जाना चाहिए । दूध जब चखेगा तब आप ही पीने लगेगा ।

पहली चार दो सेर से अधिक दूध न देना चाहिए । जब बछड़ा दूध पीना सीख जाय तब उसे ४ से ६ सेर तक जैसा उसका शरीर हो—देना चाहिए । और ज्यों ज्यों बछड़ा बड़ा होता जाय त्यों त्यों उसका दूध भी बढ़ाने जाना चाहिए ।

कितने ही अच्छे गवाके शुरू के तीन चार अठवारी तक बछड़े को प्रति दिन तीन बार दूध पिलाने हैं और तीनों समयों के बीच में समान अन्तर रखते हैं । यदि उसे तीनों वक्त गरम दूध दिया जा सके तो यह ठग बहुत ही अच्छा होगा । यदि दो पहर को दूध गरम करने की सुविधा न हो और यदि ठंडा दूध देना पड़े तो दो बार ही देना अच्छा है ।

दिन में दो बार दूध पाने से बछड़ा बड़ा अच्छा निकल सकता है । सेपेरेटर (दूध में से मलाई तनारने का यंत्र) लगाने से दूध में जो फेन उठता है वह बछड़े को न देना चाहिए, क्योंकि फेन से बछड़े को अफरा लगने लगता है ।

आज सन्नेरे ल. बजे और कल आठ बजे — इस प्रकार से नहीं बन्दि नियमित रूप से बछड़े को दूध पिलाना चाहिए । अनियमितता से माँदगी आती है ।

बछिया या बछड़े को अगर ठोक तौर से दूध न दिया जायगा तो फिर वह अच्छी गाय या अच्छा बैल न हो सकेगा ।

बछड़े के लिए एक छोटी सी नाँद बना कर उधमें थोड़ी घास डाल देनी चाहिए । उसके उठने बैठने की जगह उजली और सूखी होनी चाहिए । पानी से तर या नम जगह में रखने से बछड़ा बड़ नहीं सकता है ।

जितनी खगरदारी गवाकों को दूध बाँटने के लिए बाधन धोने उसे तपाने या धूप दिखाने के लिये जरूरी है उतनी ही होशियारी बछड़े को दूध पिलाने के बर्नन को साफ रखने के बारे में रखना चाहिए । नहीं तो अच्छे गाय या बैल की आशा न रखनी चाहिए ।

**मलाई निकाले हुए दूध का कब से देना चाहिए ?**

तीन अठ्ठारों तक बछड़े को बिना मलाई उतारा हुआ दूध देना चाहिए — उसके बाद क्रमशः मलाई उतारा हुआ दूध पिनाग शुरू कर देना चाहिए और थोड़ा थोड़ा कर के अन्न में मिला मलाई रहित दूध पर ही उसको रखना चाहिए । दुबले या उंचे बछड़े की बनिबान बड़े और मजबूत बछड़े को एक आध इंचते पछले ही से बिना मलाई के दूध पर रक्खा जा सकता है ।

दूध अगर काफी हो तो जब तक बछड़ा सवा महीने का न हो जाय तब तक वह ७-८ सेर दूध रोज पीता रहता है । ठेक से दो मास तक का होने के बाद बछड़े को बड़ी या ठठा दिया जा सकता है । लेकिन यह तबदीली धीरे २ ही करनी चाहिए ।

दूध दही या ठंडे गर्म दूध देने में एका एक फेरफार न करना चाहिए । एका एक फेरफार करने या बहुत खिन्ना देने से बछड़ा मंदा पड़ जाता है । अगर कभी गर्म और कभी ठंडा दूध दिया जायगा और उसे अस्पष्ट स्थान में रक्खा जायगा तो डेढ़ दो मास का हो चुकने पर भी उसके बीमार पटने की सम्भावना है बछड़ा चाहे जितना बड़ा क्यों न हो जाय लेकिन उसे कण्ठ तक दूध कभी न पी लेने देना चाहिए ।

सेपरेटर से ताजा, गर्म मलाई उतरा दूध चाहे जिस उम्र का बछड़ा क्यों हो—गब के लिए अच्छा होता है ।

**बछड़े को नाज, चारा या घास देना**

दो या दो से अधिक बछड़े अगर एक स्थान पर हों तो उनके दूध पीने या अनाज खाने के समय उनको जुदा रखने के लिए उनके सामने एक लंबा खटा कर देना चाहिए ताकि वे नाज की उलट न दें और एक दूसरे की नाद में चारा नहीं खा सकें । जब बछड़ा दो सप्ताह का हो जाय तब उसे अनाज देना शुरू कर देना चाहिए । दूध देने के बाद सूखा नाज तलग से देना चाहिए दूध के साथ नहीं ।

मकई भूसा और थोड़ी खली देना चाहिए । पहले मकई को दल कर और फिर साबित ही देना चाहिए । मकई की जगह जी या और किसी हमरे नाज से भी काम चल सकता है । जब बछड़ा दो माह का हो जाय तब से दिन में उसके लिए पावभर नाज काफी है । उसके बाद आध घेर देना चाहिए । दूध अगर खूद न हो तो नाज थोड़ा अधिक देना चाहिए । तीन अठ्ठारों या एक मास का होने पर उसे हरा ताजा चारा दिया जा सकता है । परन्तु यह चारा मक्का हुआ न हो और स्पष्ट हो । शुरू में इस प्रकार की काम थोड़ी देनी चाहिए । और धीरे २ बढ़ानी चाहिए । साथ ही साथ थोड़ी सूखी घास और अनाज भी दिया जा सकता है ।

**दूध बन्द करने का समय**

बछड़े को अच्छी तरह अगर पालना पूरा हो और अगर मजबूत गाय बल तैयार करना हो तो छः या आठ मास तक दूध बन्द रखना चाहिए ।

**किस प्रकार चरे ?**

शरद ऋतु या गीतकाल के पैदा हुए बछड़े को अगली गर्मी में चरने भेजना चाहिए । बसंत या ग्रीष्म ऋतु में पैदा हुए बछड़े को तीन महीने तक तो गोशाला में रखना ही चाहिए । बछड़े को चरागाह में हरा घास और काफी छाया तथा पानी चाहिए । गर्मी अगर अधिक हो या बनिबान बहुत हो तो बछड़े को बड़ी तकलीफ होती है । इसे बनिबानों से बचाने के लिए उसके खूँटे के पास टाट का परदा बाँध देना चाहिए ।

**दूध बन्द कर देने के बाद**

जब तक बछड़े दूध पीते रहने हें तब तक वे अच्छी हालत में रहने हें और चार को उनकी पूरी तौर पर ताक न ली जाने के कारण वे दुबले पड़ जाते तथा सूख जाते हैं । इसलिए दूध धीरे २ बन्द करना चाहिए । आज बालटी भर दूध दिया—कल बिलकुल नहीं — ऐसा नहीं करना चाहिए ।

गर्मी के दिनों में पानी और छाया वाले चरागाह में उसे चरने भेजना चाहिए । चरी पर पानी की कुडी रखनी चाहिए । पहली गर्मियों में उसे रोज थोड़ा २ अनाज देना चाहिए । जाड़ों में अच्छी देखभाल रखना चाहिए और सूखी घास ताजा हरा घाव और थोड़ा नाज उमे देना चाहिए । जब वह आठ महीने का हो जाय तो दाना बिना भी काम चल सकता है ।

**गाभिन करवाने का समय**

हफ्तेपछ बलिया, १४ महीने से २० महीने की उमर में गाभिन हो सकती है ।

**बछड़े को खलना सिखाना**

छोटे बछड़े को जो कि हाँके २ दाँव सके खलना सिखाना चाहिए । उसे सीधा खलना सिखाना चाहिए । गाय को घर में बन्द कर देने पर भी बछड़ा शान्तिपूर्वक आप के पीछे २ दाँव कर चला आवे — यह कोई कम मन्गोप की बान नहीं है ।

**पानी और नमक देना**

जब बछड़ा तीन चार दिनों का हो तबसे उसके पास पानी और नमक रक्खा रहना चाहिए । जब वह दूध दूध पीता हो तब भी उमे पाने तो चाहिए हो । नमक मिला हुआ पानी जब त्रिप समय लेना चाहे तब उसी समय बड़ ले सके — इसकी भी व्यवस्था रखनी चाहिए ।

**(नवजीवन) बालजी गोविन्दजी नेमाहं क्या अहिंसा की भी कोई हद है ?**

एक मजदूर ने, अपना पूरा नाम पता दे कर एक लम्बा पत्र भेजा है । उसका कुछ भाग नीचे दिया जाता है ।

“आप शायद जानते होंगे कि मद्रास में इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है । गत दो दिनों में अस्टिस पार्टीवालों ने उनके साथ दुर्जनना की हद कर दी है । कांग्रेस के समीपवार धीयुत . . . के लिए धीयुत . . . के साथ धीयुत . . . मन्दाताओं से तैरवी कर रहे थे । अस्टिस पार्टी का एक टुक इन के पीछे पीछे लगा फिरता था । जब ये लोग अस्टिस पार्टी के समीपवार के घर के पास पहुँचे तब अस्टिस पार्टीवालों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अत्यान्तक धेर लिया और के और के मुँह पर बन्द दिया । आप ही इस बात को सब से अधिक जानते हैं कि मुँह पर थकना केंसी बेइज्जती है । क्या साम्प्रदायिकता ने साम्प्रजिनिक जीवन और काम को इतना नीचे गिरा दिया है । आप के पास यह बात लिखने का मन्तव्य बड़ी है कि आप अपने अहिंसातत्व का सुलासा, ऐसे गभीर अपमान की स्थिति में कांग्रेसवादियों का क्या कर्तव्य है, इस संबंध में करें । धीयुत . . . पर मार भी पड़ी है । हम यह बान मानत हैं कि जहाँ तक सरकार से संबंध है, अपने कामों में हमारे लिए अहिंसा का पालन समयानुसूल है । परन्तु क्या हम अपने उन भ्रान्त और निन्द्य भाइयों से भी उसी अहिंसा का व्यवहार करें जो शान्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी मारना पीटना, उन पर थकना और भेला फेंकना शुरू करते हैं ! मैं आप को यह भी बतला दू कि कांग्रेस के भेमी बहुत हैं और ये भाडे के गूदे उगलियों पर गिन लिये जा सकते हैं और यदि हम लोग जोर जब से काम ले तो बात की बात में यह गुंशाही बिलकुल बन्द कर दे सकते हैं । परन्तु हम लोग एक ऐसी संस्था के सदस्य हैं जिसका मूल सिद्धान्त है अहिंसा ।

उनका यह चिन्ता दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है और कांग्रेस वालों के लिए शायद किसी दिन अपने नौजवानों को हिंसा के मार्ग से रोकना असंभव हो जायगा। इस लिए मैं आप में पूछता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से आपका चरित्र से अपना बचाव करना क्या अहिंसकत्व के विरुद्ध है? और फिर जिन जर्मों पर यह सभ्य है? अहिंसक पार्टी की गुणवत्ता में हमारी अहिंसकता की कमी आंच हो रही है। इसलिए, हम जालक मौके पर, आप की सलाह में हम मद्रासवालों को बड़ा लाभ होगा। आप अपनी राय जितना शोध संभव हो प्रकाशित कर दें। इस प्रार्थना का एक कारण यह है कि हम सुनते हैं कि अहिंसक पार्टीवाले गुणवत्ता का प्रयोग कर के देखना चाहते हैं कि हममें उन्हें कितनी सफलता मिल सकती है जिसमें फिर वे हमें राजनीतिक युद्ध का स्थानियम अन्त करना कर के, आध्यात्मिक नवंबर मास में, अमेरिका और कान्तिमल के चुनाव के समय हमसे काम ले सकें।"

आदिमियों और स्थानों का नाम मने जानबूझ कर हटा दिया है क्योंकि उनसे मने यहाँ कोई काम नहीं है। प्रमोचित अहिंसा का जमाना बहुत दिन हुए बीत गया। जो मन में अहिंसक नहीं रह सकते हैं, उन्हें पत्र-लेखक की बनलागी हुई स्थिति में भी अहिंसक बने रहने के लिए कोई साधन नहीं करता है। अहिंसा, कांग्रेस का मन्त्र है। सही परन्तु आज अहिंसक बने रहने के लिए किसी को कांग्रेस के मन्त्र की पर्वा नहीं है। हर कांग्रेसवादी जो अहिंसक है, वह इसलिए अहिंसक है कि वह कभी दूसरा हो नहीं सकता। इसलिए मेरी प्रेरणा सलाह है कि किसी कांग्रेसवादी को मेरे पास या किसी दूसरे कांग्रेसवादी के पास, अहिंसा के प्रश्न पर सलाह लेने जाने की जरूरत नहीं है। सब किसी को अपनी ही जिम्मेदारी पर काम करना होगा और अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार कांग्रेस के मन्त्र का अर्थ लगाना होगा। मैंने प्रायः देखा है कि, उन्हीं निबल मनुष्यों ने, जो अपनी कार्यरता के कारण अपनी या अपने आश्रितों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सके हैं, कांग्रेस के मन्त्र की या मेरी सलाह की आड ली है। मैं यहाँ वेतिका के निकट की एक घटना उदाहरण करता हूँ। उस समय असहयोग जोर पर था। कुछ गांववाले लूटे गये थे। लूटेरों के हाथ में अपनी छियाँ और बच्चों, और पर में के सामान को छोड़ कर वे भाग गये। अपना भार इस तरह छोड़ कर भाग जाने की कार्यरता के लिए जब मैंने उनकी भर्त्सना की तो उन्होंने निरालसता से अहिंसा की पुर्ण दी। मैंने सांख्यिक रूप में उनके इस व्यवहार की निन्दा की और कहा कि मेरी अहिंसा के अनुसार उनकी हिंसा भी जायज है जो अहिंसा की रक्षा नहीं रख सकते हैं और जिनकी रक्षा में छियाँ और बच्चे हैं। कार्यरता को छिपाने की आड अहिंसा नहीं है, बल्कि जीने का यह सब से बड़ा गुण है। अहिंसा के पालन में, तलवार चलाने से कहीं अधिक पीरता की जरूरत है। कार्यरता और अहिंसा का कुछ मेल है ही नहीं। तलवार को छोड़ कर अहिंसा ग्रहण करना संभव है। कभी-कभी तो यह भी है। इस लिए, अहिंसा के अन्त यह बात पहले से ही मान ली जाती है कि उसे माननेवाले में चोट करने की ताकत भी होगी ही। बदला लेने की प्रवृत्ति पर जाब बूझ कर लगाया हुआ यह लगाम है। परन्तु निष्क्रिय हो कर औरतों के ऐसे असहाय बन कर आप समर्पण करने से तो बदला लेना ही कहीं अच्छा है। समा उससे भी बड़ा चीज है। बदला लेना भी कमजोरी ही है। बदला लेने की इच्छा, इस अर्थ से उत्पन्न होती है कि शायद कोई हानि - वास्तविक या काल्पनिक - होगी। जब कुत्ता बरता है तभी भूकता और काटता है। उस आदमी को, जिसे संसार में किसी से भय नहीं है, उस आदमी पर क्रोध

करना भी एक जवाल ही मालूम होगा जो उसे हानि पहुंचाने की निकल चेरा कर रहा हो। छोटे लड़के सूर्य पर धूल फेंकते हैं परन्तु वह तो उनसे बदला नहीं लेता। इस से उनकी अपनी ही हानि होती है।

मुझे इसका पता नहीं कि अहिंसक पार्टीवालों के दुष्कृत्यों का नाम जो पत्र-लेखक ने किया है, ठीक ही है। शायद, इस परसद का एक और रूप भी होगा। लेकिन, सभी बातें सभी मान लेने पर, मैं तो उन लोगों को बचाई ही दूंगा जिनके ऊपर थूका गया है, मला फेंका गया है या मार पड़ी है। यदि अपमान सह कर मन में भी बदला लेने के भाव न जाने का उनमें साहस या तो इसमें उनको कोई हानि नहीं पहुंची है। परन्तु यह उनकी भूल कही जायगी, यदि उन्होंने क्षुब्ध होते हुए भी कैबल हवा की नख देखा कर ही बदला न लिया था। स्वभिमान का भाव सभी प्रसंगों को भूल जाता है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेसवाले, जो उन गुणों से भिन्नी में इतने अधिक थे, उन्हें सजा ही कौन ली है? सकते थे? क्या वे भी मले का जवाब मंके से, भूक का भूक से और गाली का गाली से देते? या इस बहुसंख्यक दल के स्वभिमान की रक्षा उन थोड़े से गुणों की उपेक्षा करने में ही होती? असहयोग की जिस समझ लूरी थी, उस समय की बात में जानता हूँ कि जो गुण सभाओं में गड़बड़ करना चाहते थे उनके साथ क्या व्यवहार होता था। उन्हें स्वयंसेवक पकड़ कर बँटाये रहते मगर कुछ चोट नहीं पहुंचाने थे और यदि वे शोर करते तो उनके मुल्ल सपाटे की उपेक्षा ही की जाती थी। मैं जानता हूँ कि उस जमाने में भी बहुत बार अहिंसा का नियम तोड़ा जाता था और जो लोग सभाओं में विघ्न करते थे वे विरोध में कुछ बोलते थे, उन्हें जबर्दस्त बहुसंख्यक शोर कर के बँटा देनी भी या कभी-कभी तो उन्हें बलात्कार बँटा दिया जाता था। इसमें उस बहुसंख्यक और उस आन्दोलन का अपमान ही है। उस आन्दोलन को वे इस प्रकार विना सोचे हुए धंसा देते और अर्थ का अनर्थ करते थे। इस लिए मैं, इस कांग्रेसवादी पत्र-लेखक से तथा उन कांग्रेसवादियों से जिनके ये प्रतिनिधि हैं, यह कहना चाहता हूँ कि यदि अहिंसक पार्टी या किसी और पार्टी को यदि उन्हें अपनी ओर कर लेना मंजूर हो तो उनके साथ रक्षता का ही व्यवहार करना होगा, वे भले ही उच्छ्वसना दिखायें। यदि सभी विरोधियों को दबाना ही इष्ट है तो फिर दोनों ओर से कार्यवाही का व्यवहार ही उचित दया है। उससे स्वराज के निकट हम पहुंच सकेंगे कि नहीं, यह एक दूसरा ही सबाल है।

बड़ा दिवाना ही नहीं हो, बड़ा मेरी सब सलाह बेकार है। इसलिए सभी कांग्रेसवादियों को सभी तर्कों वितर्कों पर विचार कर लेना चाहिए और तब एक निश्चय कर के उसी के अनुसार काम करना चाहिए। इसका क्या नतीजा होगा, इसकी कुछ भी पर्वा नहीं करनी चाहिए। इसमें भूल होना संभव है, परन्तु तब भी उनका आवरण ठीक ही कहा जायगा। अज्ञानवश की हुई हथारों भूले, उस घिबकुल सही और शुद्ध काम से अच्छी है जिसके पीछे विचार का आधार न होवे। यह संकेतपत्र की की हुई कोरी होगी। सब से बड़ी बात तो यह है कि यदि हमें देश के साथ सच्चे बन कर रहना है और उसे उसके अभीष्ट स्थान पर पहुंचाना ही इष्ट है तो हमें अपने आप के साथ भी सत्य का ही व्यवहार करना होगा। अहिंसा के विषय में — मैं नहीं कर सकता — ऐसे वाक्यों का व्यवहार नहीं होना चाहिए। यह कोई पोशाक नहीं है कि जब चाही पहन ली और जब चाही उतार ली है। इसका स्थान हमारे हृदयों में है और हमें अपने जीवन के साथ इसका अटूट सम्बन्ध जोड़ना होगा।



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ५१ ]

सूदक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

अहमदाबाद, आश्विन यदी १९, संवत् १९८।  
 बुधवार, ५ अगस्त, १९२३ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 वाराणसी

## सत्य के प्रयोग तथा आत्म-कथा

भाग २

अध्याय १२

### हिन्दुस्तानियों का परिचय

क्रिस्ताली के मयूर के सम्बन्ध में और अफिर कहने के पहले उस समय के और अनुभवों की भी खबर देनी तो आवश्यक है।

मेराल में भी स्थान सेठ अरजुन का था, प्रिटोरिया में भी वही स्थान हाजी साँमुहम्मद का था। उनकी सहायता के बिना वहाँ एक भी सार्वजनिक काम नहीं चल सकता था। उनसे तो मैंने पहले सभा में ही जान गढ़वान कर ली। मैंने उनके कदा प्रिटोरिया के सभी हिन्दुस्तानियों से मैं परिचय प्राप्त कराया था। वहाँ के हिन्दुस्तानियों की हालत जानने के काम में मैंने उनकी मदद माँगी। उन्होंने खुशी से मदद देना शुरू किया।

मेरा पहला काम हुआ हिन्दुस्तानियों की एक सभा करना और उनके सामने उनकी सच्ची हालत की तस्वीर खींचना। सेठ हाजी महम्मद हाजी जुमरा ने जिनके नाम मुझे परिचयपत्र मिले था यह सभा की। उसमें मुख्यतः मेमन व्यापारी ही आये थे। थोड़े हिन्दू भी थे। प्रिटोरिया में हिन्दुओं की संख्या ही बहुत कम थी।

मेरे जीवन में यह पहला ही आषण बिना जा सकता है। तैयारी तो मैंने ठीक की थी। मेरे आषण का विषय था सत्य। व्यापारियों से मैं सुनता आया था कि व्यापार में सत्य बोलने से नहीं चलता। मैं यह बात तब नहीं मानता था। आज भी नहीं मानता हूँ। व्यापार में और सत्य में नहीं पड़ती है, ऐसा कहने वाले अभी भी मेरे कितने व्यापारी मित्र पड़े हुए हैं। वे व्यापार को व्यवहार कहते हैं, और सत्य को धर्म, और जो बहस करते हैं कि व्यवहार एक धर्म है और धर्म दूसरी। व्यवहार में सत्य कभी नहीं चलता है। इसमें तो उनका

ख्याल है कि यथाकृति ही सत्य माना जा सकता है। अतः अतः आषण में मैंने इस बात का मझी भाँति विरोध किया। और व्यापारियों को बतलाया कि इस बारे में तुम्हारा कौन सुझाव हो जाता है। उनको समझाया कि परदेश में आने पर तुम्हारी अदाबेदी भी बंद करनी है, क्योंकि तुम थोड़े से आरमियों की बालबलन के ऊपर ही तो हिन्दुस्तान के करोड़ों आरमियों की बालबलन का यहाँ अन्दाजा लगाया जाता है।

अंग्रेजों की अपेक्षा उनका रहन-सहन मैंने ज्यादा देखा था। इसकी ओर भी मैंने उनका ध्यान खींचा।

इस बात पर भी ओर दिया कि उन्हें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, क्रिस्तान का गुजराती, पंजाबी, मद्रासी, सिंधी, कच्छी इत्यादि का भेद भूल जाना चाहिए।

मैंने वहाँ एक समिति भी स्थापित की और कहा कि इसके द्वारा हिन्दुस्तानियों की कठिनाइयों का उपाय अकसरों को अर्थात् मेरा कर होना चाहिए। मैंने यह भी कहा कि मेरा जो समय बचेगा मैं इस सभा के काम में बिना कुछ वेतन लिये ही दूँगा।

मैंने देखा कि मेरी बातों का समा में ठीक जबर हुआ।

इस बात की चर्चा होने लगी। कितनों ने मेरे सामने सर बातें रखना स्वीकार किया। मेरी भी हिम्मत बढ चली। मैंने देखा कि इस सभा में अंग्रेजी के जानेबाके थोड़े ही हैं। इस परदेश में अंग्रेजी का ज्ञान हो जाय तो बहुत अच्छा यह सोच कर मैंने उन लोगों को जिन्हें फुरसत हो अंग्रेजी सीखने की सलाह दी। मैंने यह भी कहा कि कभी उमर में भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और इसके उदाहरण भी दिये। यदि कुछ लोग मिल कर कोई अंग्रेजी बोल लें तो उसका वा कुछ शक दुक ही जबर अंग्रेजी सीखनेवाके मिल जाय तो उन्हें भी सिखाने का भार मैंने अपने सिर लिया। कोई अंग्रेजी तो नहीं बन सही परन्तु तीन आरमी इस धरत पर राखी हुए कि मैं उनके बर जा कर उन्हें सिखाऊँ। उनमें दो मुसलमान थे। एक हनाम, और दूसरा कलक और तीसरा था एक छोटा हिन्दू दुकानदार।

सब को मैं अनुकूल हुआ। मेरी अपनी पढ़ाने की शक्ति में तो मुझे जरा भी अविश्वास तो था ही नहीं। मेरे विद्यार्थी भले ही कह दें कि वे थक गये हैं परन्तु मैं तो थकनेवाला नहीं था। कभी कभी तो मैं उनके यहाँ ऐसे समय भी पहुँच जाता था कि वे तैयार ही न होते थे। परन्तु मैंने हिम्मत न हारी। उनमें से किसी को अंग्रेजी का कोई गहरा अध्ययन तो करना नहीं था। कोई आठ महीनों में ही, अंग्रेजी बोलने चलने में उनमें से दोफा आसी योग्यता हो गयी। दो को हिसाब लिखने का और थोड़ा बहुत चिट्ठी पत्रों भी लिख लेने का ज्ञान हो गया। हुआम ने तो अपने गाइकों के साथ बोलने भर सीख लिया और दो आदमियों ने भी इतना सीख लिया कि मजे में वे खासी आमदनी कर सकें।

सभा के इस काम से मेरे मन में सतोंप हुआ। अब प्रति मास वा प्रति सप्तह इसकी बैठके करने का निश्चय हुआ। यह बैठके प्रायः नियमित रूपसे हुआ करती थीं और उनमें परस्पर बिचार विनिश्चय हुआ करता था। इसका फल यह हुआ कि प्रिटोरिया में एक भी हिन्दुस्तानी न रह गया जिस को मैं नहीं जानता वा जिसकी सखी हासन मुझ से छिपी हो। वहाँ के हिन्दुस्तानियों के परिचय का यह फल हुआ कि प्रिटोरिया के ब्रिटिश एजेंट से मिलने की मेरी इच्छा हुई। मैं मि० जेम्स डिवेट से मिला। उनको हिन्दुस्तानियों के प्रति सहानुभूति थी। उनका प्रभाव जरा कम था। तो भी उन्होंने मुझे कहा कि— "मुझ से जो हो सकेगी सहायता दोगा और जब कभी जरूरत हो मुझ से मिलना।" रेलवे वालों से भी मैंने खन क्लिवाब की और उनको बतलाया कि उन्हीं के कानून के अनुसार हिन्दुस्तानियों की कहीं गोक नहीं हो सकती। परिणाम में मुझ को उनका एक पत्र मिला कि अगर ठीक २ कपडे पहने हुए हो तो हिन्दुस्तानियों को भी ऊँचे दरजे के टिकट दिये जायेंगे। इससे पूरा समाधान तो न हुआ क्योंकि किसने ठीक २ कपडे पहने हैं इत्यादि निश्चय तो आगिर स्टेशन मास्टर हो को न करना था।

ब्रिटिश एजेंट ने मुझे और भी कितने कामज पढ़ने के लिए दिये जो कि उनको हिन्दुस्तानियों से मिले थे। जैसे हागज तैयब सेट ने भी मुझे कुछ दिये थे। उनमें मैंने यह भी देखा कि ऑरिन्ज फ्रण्ट से किस निदेशता से हिन्दुस्तानियों को निकाल बाहर किया जा रहा था। मतलब यह है कि रून्मवाल और फ्रॉस्टे के हिन्दुस्तानियों की भी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का पूरा अध्ययन प्रिटोरिया में ही मैं कर सका। इस ज्ञान का मुझे पूरा उपयोग करना होगा, इनकी तो उस समय मुझे बिलकुल ही खबर न थी। मेरा तो निश्चय था एक वर्ष के बाद या अभी मेरा मुकदमा खतम हो जाय देश लौट जाना।

परन्तु भगवान के मन में तो दूसरी ही बात थी।

( जनजीवन )

मोहनदास करमचंद गांधी

**आश्रम भजनावलि**

पाँचवीं आश्रम खतम हो गई है। अब जितने आर्द्धर मिलते हैं, दर्ज कर लिए जाते हैं। आर्द्धर मंत्रनेवालों को, जब तक छठी आश्रमि प्रकाशित न हो तक, भोग रमना होगा।

संस्थापक,

हिन्दी-जनजीवन

**पशुवध**

**उसके कारण और उपाय**

(८)

मि० आइमा ट्वीड " काउन्सिलिंग इन इन्डिया " नामक पुस्तक में लिखते हैं:—

बिस्फी गायों को कसाई या शहर के व्यापारी के हाथ कमी न देना चाहिए, बल्कि गाँव के ऐसे लोगों के हाथ देना चाहिए जिनके पास चारे का साधन हो और जो गायों की संभाल कर सकते हों।

अच्छी गाय सुलभ नहीं है। और यदि अच्छी गाय किसी के हाथ जाय तो उसे ले ही लेना चाहिए फिर चाहे कितना ही मूल्य क्यों न देना पड़े। अविष्य में वह उसका बदला पूरी तौर पर चुका देगी। मली चगी दुधार गाय कसाई को देना दुस्प्रद तो है ही साथ ही साथ इससे देश की भी हानि है और यह अपराध है।

किसी को अच्छी गाय बेचना हो तो उसका विज्ञापन निकालना चाहिए। सामान्य रूप से कसाई उस गाय के लिए जितना मूल्य देता है उतना मूल्य देनेवाले बहुत से मिल जायेंगे और इस प्रकार गाय बच जायगी।

मैंने इस विषय में बहुत से लोगों से बातचीत की है और उन सब लोगों ने यही कहा कि कसाई लोगों का हम अच्छी गाय न देंगे। परन्तु उनमें से बहुत कम लोगों ने अपना वचन पाला। कसाई उनको बिस्फी गाय के लिये अधिक से अधिक ६०) देता है— जब कि वह आम तौर पर ३०) या ४०) की होती है। जो कुछ कसाई दे रहा था; उससे १०) अधिक लेने के लिए मैंने उनमें बार बार कहा परन्तु उन्होंने मुझ से दूती कीमत माँगी और अन्त में जो दाम मैं देने को तैयार था उससे कम दामों में ही उसे कसाई के हाथ बेच डाला।

उसी पुस्तक में ट्वीड ने स्थान पर मि. ट्वीड ने यह सिद्ध किया है कि गाय को दूधरे वर्ष रखने में पहले वर्ष की अपेक्षा तिगुना लाभ होता है।

बिस्फी गाय का यदि बेच दिया जाय तो

जमा	उधर
दूध की उत्पन्न ३०० दिन की	गाय का मूल्य २५०)
जब कि यह रोज ६ सेर	दस महीने के चारे का
दूध के और दूध का भाव	दाम २५०)
४ सेर का हो १५०)	
१० महीने के बछड़े की कीमत ४०)	कुल ४९०)
कसाई के हाथ गाय बेचने से ६०)	

कुल ५५०)

कुल आमद ५५०) कुल खर्च ४९०) नफा ६०)

अब दूसरे बार गाभिन होने तक रखने का —

जमा	उधर
दूध और बछड़े की कीमत (उपयुक्तानुसार) ४५०)	गायकी बिक्री का मूल्य और चारे की कीमत (उपरोक्तानुसार) ४९०)
गाय के प्याने के पचाव	बिस्फी के बाद चार महीने का चारा ३२)
उधरकी कीमत २४०)	कुल आमद ५३०) कुल खर्च ५२२) नफा २०८)

उसके उपरान्त यह कहता है—व्यवसाय अन्तही होनी चाहिए; कसाई को गाय देना हमें लाभदायक नहीं है। कितने तुम्हारे आसकल बैठते जा रहे हैं इसका कारण यह है कि वे बछड़े को मरने देते हैं और गाय को कसाई के हाथ बेच डालते हैं। इसका कारण है व्यवस्था का अभाव तथा सब काम नौकरों पर डाल देना।

अन्त में यह लिखता है:

“पहले तो ग्वाला गाय को सीधे कसाई के हाथ बेच देता था; परन्तु आजकल व्यापारी को देता है। और यह व्यापारी उसे कसाई के हाथ बेच देता है। व्यापारी दुधार गाय को ग्वाले के हाथ बेच देता है और उसके दाम में बिस्कुकी गाय के कर उसे कसाई के हाथ बेच देता है। ग्वाला कहता है कि मैं गाय या बछड़ा कोई भी कसाई को नहीं देता, बल्कि देश में भेज देता हूँ। यह सरासर झूठ बात है। गाय देश को तो नहीं भेजी जाती या तो वह कसाईखाने जाती है और या कटने के लिए रंगून या सिंगापुर जाती है।

“सरकार को या ग्युनिसिपैलिटी को अच्छी गाय का बंध रोक्वाना चाहिये।”

लेफ्टिनेण्ट कर्मल मटम ने इलाहाबाद वाले “पाथनियर” में तीन वर्ष पूर्व यह लेख लिखा था कि दूध के बारे में जो स्थिति है वह वहाँ ही गंभीर है। हम देश में कोई लः करोड़ गाय भैंस होंगी, परन्तु इनमें से बहुत ही कम तरतना दूध देती हैं जिनका कि लोगों के लिये काफी होता है। अधिकांश गाँयें तो अपने बच्चों का भी मुश्किल से पेट भर सकती हैं इससे यह साफ जाहिर होता है कि शहरों में दूध की अत्यन्त कमी रहती है। यही दशा शोचनीय है। लेकिन भविष्य में उससे भी भयंकर स्थिति का उत्पन्न हो जाना सम्भव है। वन, इसी बात की जिन्ता है।

पन्द्रह बीस वर्ष पहले दूर सस्ता और काफी मिष्ठाना या परन्तु आज तो हजारों बंध ऐसे होंगे कि जिन के लिए उनके माँ बाप ‘दूध दूध’ पुकारते हैं। दूध के धंधे में जरा भी व्यवस्था हो तो भी ठीक लाभ होता रहे। मुद माँगा दाम देने का ग्राहक तैयार रहता है लेकिन जिस पर भी ठीक २ दूध नहीं पाता। कमी तो इतनी है कि इसका कारण दूध में कटा ही मिश्रण किया जाता है जिसके सबब से दूध का मूल्य माथ माथ भी बेहद बढ़ गया है। अगर ज्वपत ज्यादा हो जाय और भाव बढ़ जाय तब तो आमद ज्यादा होना चाहिए। लेकिन पूरा नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि जोवाये पैदा करनेवाले प्रदेशों में से कितने चाहिये उतने जानवर मिलत नहीं है।

पन्द्रह बीस वर्ष पूर्व शहरों की आवश्यकता पूरी करने के लिए होर मुहयतः पञ्जाब में मिलते थे। अमृतसर में साहीवाल गाँयें काफी तादाद में बिका करती थीं और हरियाने से भी बहुत सी गाँयें सामूची भाव पर आती थीं। लोगों के ये दोनों शरणे अब सूख गये हैं। सिंध में भी गाँयें हैं, लेकिन काफी नहीं हैं फलतः आजकल शहरों में भैंस आने लगी है। लेकिन अच्छी भैंसे तो आती ही नहीं हैं। सन् १९११ ही में मैंने रोहतक हिस्सार और फकील के इर्द गिर्द के भागों से तीन महीनों में १५०० दुधार भैंसे (१००) बीसल की दर से मोक ली थी। आज उतनी ही कंशिया से मुश्किल से कहीं ५००-६०० भैंसे मिल सकती हैं दाम तो १००) के बजाय २००) या ३००) देना पड़े।

हिन्दुस्तान के शहरों में दूधों की छोछाकेदर हो रही है। ऐसी बुद्धेशा संसार के किसी देश में नहीं है। इस कारण स्थिति गंभीर हो गयी है।

यदि दार बहुतायत से पैदा हों तो उनकी यह स्वागी न हो। लेकिन उनकी तो पैदाइश ही कम है। जिन देशों में दार बहुत होते हैं वे हैं तो खूब, लेकिन दूध देनेवाले पशु दिन पर दिन घटते जाते हैं। अच्छे पशु शहर में खिच भाते हैं और वहाँ से काट डाले जाते हैं। दुबल दार बच जाते हैं और उन्हीं की सन्तान बढ़ती जाती है।”

(जबजीवन)

बालजी गोविन्दजी देसाई

जून के अंक

जून मास में खादी की उत्पत्ति और बिक्री के अंक नीचे दिये जाते हैं।

प्रान्त	उत्पत्ति	बिक्री
अजमेर	२,९९०)	४,६६३)
आन्ध्र	१६,३०५)	२२,०१८)
बिहार	१६,२०४)	८,०२५)
बंगाल	४,१,४५२)	३४,३९८)
बम्बई	...	२३,३४५)
बर्मा	...	१,५९३)
मध्यप्रान्त (हिन्दी)	...	१२५)
दिल्ली	१,३७५)	१,८५८)
करनाटक	३,१३०)	६,०१९)
दक्षिण महाराष्ट्र	...	८१)
मध्य	...	३,१५१)
उत्तर	२,०१०)	५,२३०)
पञ्जाब	८,९८८)	५,६०९)
तामिलनाडु	३९,७५६)	६३,१२५)
मैसूरप्रान्त	६,११५)	८,५३१)
उत्कल	१,९७९)	२,९००)

कुल १,८१,२९३) १,९८,८१७)

इन्हीं प्रान्तों के अंकों के अंक ये थे।

प्रान्त	उत्पत्ति	बिक्री
अजमेर	१,१५०)	२,६६०)
आन्ध्र	१५,९६८)	२६,१७९)
बिहार	२१,६८८)	११,५३०)
बंगाल	३८,८११)	३०,५६६)
बम्बई	...	२,०५०)
बर्मा	...	१,३५७)
मध्यप्रान्त हिन्दी	...	२८५)
दिल्ली	१,२१२)	१,६४७)
करनाटक	३,१५६)	५,०४०)
दक्षिण महाराष्ट्र	...	३८१)
मध्य	...	३,१९९)
उत्तर	१,९१५)	९,०९४)
पञ्जाब	५,५१७)	५,६२१)
तामिलनाडु	६०,०४३)	६६,०६४)
मैसूरप्रान्त	५,५४४)	१६,३३४)
उत्कल	३,००१)	१,८४८)

१४६७२७) २१४२६१)

सो० क० गाँधी

## हिन्दी-नवजीवन

पुस्तकार, धारण नदी १२, संवत् १९७६

### अस्पृश्यता रूपी रावण

किसी विद्वान् पंडितजी ने दक्षिण के देशों भाषा के पत्रों में एक लेख लिखा है। अछूतपने के समर्थन में उनकी जो दर्शकें हैं उनका साराण, एक मित्र यों लिखते हैं।

(१) आदि शंकराचार्य ने किसी जाण्डाल को दूर हटाया था और जब त्रिशंकु को जाण्डाल हो जाने का शाप मिला था तो सब कोई उससे बचें २ दूर ही रहते थे। ये बातें यह सिद्ध करती हैं कि अछूतपने की पैदायश हाल की नहीं है।

(२) आर्यजाति में जाण्डालों को जाति-बहिष्कृत गिनते थे।

(३) स्वयं अछूत भी तो इस अछूतपने के दोष से बरी (मुक्त) नहीं है।

(४) अछूतों को अछूत तो हम इस लिए न मानते हैं कि वे जानवर मारते हैं और उन्हें हाड, मांस, लहू, पायखाना पेशाब तथा और और तरह की गन्दगियों से बराबर ही काम पड़ता रहता है।

(५) अछूतों को भी उसी प्रकार से अलग रखना होगा जिस प्रकार कसईखानों वा कसाईखानों, पागल-ताड़ी की बूकानों और वैश्यालयों को दूर रखा जाता है वा रखा जाना चाहिए।

(६) उनके लिए तो यही काफी है कि परलोक के इक तो उन्हें प्राप्त है।

(७) गान्धी ऐसे कोई आदमी भले ही उन्हें छू सकें पर वे तो उपवास भी कर सकते हैं। हम लोगों को न तो उपवास ही करना है और न उन्हें छूने की ही जरूरत।

(८) मनुष्य की उन्नति के लिए अछूतपने का माना जाना अत्यन्त ही आवश्यक है।

(९) मनुष्य के पास कुछ विशुद्ध शक्ति रहती है। यह शक्ति दूब के सरण है। इसमें यदि गुरी जामें मिला दो तो सम्भवतः यह शक्ति जाती रहेगी। इसलिए यदि कहीं व्याज और कस्तूरी का एक साथ मिला कर रक्षना संभव होने तो वहीं हम प्राण्य और अछूत को भी एकत्र मिला सकते हैं।

पत्र-लेखक ने इन्हीं मुख्य २ बातों का साराण दिया है। अछूतपना इमार सिरों वाला रावण है। इस लिए जब कभी यह अपना सिर उठावे तभी हमें उसे कुछक देना होगा। हमारा आज की स्थिति का उन कथाओं से क्या लगाव है, यदि यह बात हमें मास्म न होवे तो पुण्य को कुछ कथायें तो बहुत ही अतरनाक लही जायेंगी। शाखों में कही हुई यदि दरेक छोटी ही बात के अनुसार हम अपना जीवन बनायें वा उसमें वर्णित पत्रों का ठीक २ हम अनुकरण करने लमें तो वे शाख ही हमारे लिए प्राण-घातक जाल सिद्ध होंगे। उनसे तो हमें केवल मुख्य २ सिद्धान्त की बातें दृष्ट करने वा उन्हें ठीक २ समझने में सहायता मिलती है। यदि किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि किसी प्रसिद्ध पुष्य ने कोई पाप किया था तो क्या हमें भी पाप करने की आशा उस ग्रंथ से मिल गयी? यदि हमें केवल एक बार ही कह दिया गया, कि केवल सत्य को ही इस ससार में सत्ता है और सत्य परमेश्वर के तुल्य है, तो हमारे

लिए इतना ही बहुत है। यह कहना अनुपयुक्त होगा कि युधिष्ठिर को भी झूठ बोलना पड़ा था। बहिन उसकी अपेक्षा उपयुक्त बात यह होगी कि जब वे झूठ बोले, उन्हें उसी समय उसी क्षण, कष्ट होकर पड़ा था और उनकी प्रसिद्धि और बड़े नाम सजा पाने के समय उनके कुछ भी काम न आये। उसी प्रकार हमारा यह कहना भी वे-मौके होगा कि आदि शंकराचार्य ने अपने पास से किसी जाण्डाल को दूर हटा दिया था। हमें तो केवल यही जानना यथेष्ट होगा कि जिस धर्म में यह सिखाया जाता है कि प्रणिमात्र के साथ वैग ही व्यवहार करो अर्थात् अपने साथ करते हो अर्थात् पाणि-त्रात्र को अपने ही समान समझो, उस धर्म को एक जीव के प्रति भी निष्ठुर व्यवहार असह्य है, बिल्कुल निर्दोष मनुष्यों के एक पूरे समाज की तो बात ही दूर है। इसके अलावे हमें वे सब बातें मालूम भी तो नहीं हैं कि जिनसे हम जानें कि आदि शंकर ने क्या किया था और क्या नहीं किया था। यही जाण्डाल शंकर का जिस अर्थ में व्यवहार हुआ है उसका तो हमें और भी कम ज्ञान है। यह तो सभी मानते हैं कि इसके अनेक अर्थ हैं जिन में एक अर्थ है पापी। परन्तु यदि सभी पापियों को अछूत माना जाय तो यह भी नय होना है कि हम सब कोई, हमारे पंडितजी भी नहीं बच सकेंगे, वे भी, अछूत बन जायेंगे। अछूतपने की प्राचीनता को कौर करी इनकार नहीं किया है। परन्तु यदि इसे दोष मान्य तो फिर प्राचीनता के नाम पर इसका समर्थन नहीं जा सकता।

आर्यजाति ने अछूतों को यदि जाति-बहिष्कृत माना था तो उनके लिए यह कोई शोभा की बात तो नहीं है। और यदि आर्यजाति ने अपने विकास के किसी काल में कुछ लोगों के समाज को बतौर समा के जातिव्युत् माना था तो अब फिर कोई कारण नहीं है कि वह समा उन लोगों के बंशजों पर भी लागू होवे और इसका विचार भी न किया जाय कि किस दोष के लिए, उनके पूर्वजों को गमा ही गयी थी।

अछूतों में भी अछूतपने का होना तो केवल यही सिद्ध करता है कि पाप को हम बंद कर के नहीं रख सकते हैं बल्कि उसका जहर सर्वत्र ही फैल जाता है। इस अछूतपने का अछूतों में भी पाया जाना तो इसका एक और कारण है कि सभ्य हिन्दू समाज को इस महत्वाचि को शीघ्र से शीघ्र नष्ट कर देना चाहिए।

यदि अछूतों का अछूतपन इस कारण है कि वे जानवर मारते हैं और उन्हें मांस लहू हाड तथा पायखाना पेशाब और और गन्दगियों से काम पड़ता है तो सभी डाक्टरों और दाइयों (परिवारिकाओं) को अछूत बन जाना चाहिए और इसी प्रकार किसानों, मूषलमानों और बड़ी २ छोटी जाति के नामवाले हिन्दुओं को भी जा खाने के लिए वा बलि देने के लिए जानवरों को मारने से, अछूत बन जाना चाहिए।

इस दलील से तो पार द्वेष की गन्ध आती है कि भूकिक कसाईखानों, ताड़ी की बूकानों और वैश्यालयों को अलग रखा जाना है इसीलिए अछूतों को भी अलग रखना चाहिए। कसाईखानों और शराब की बूकानों को अलग रखा जाता है और रक्षना चाहिए ही परन्तु कसाइयों और कलाकों को तो कोई अलग नहीं करता है। वैश्याओं को अलग रखना चाहिए क्योंकि उनका पेशा पृणित है और समाज की उन्नति के लिए बाधा स्वक्य है। परन्तु इधर अछूतों का पेशा तो न केवल इष्ट ही है बल्कि समाज के हित के लिए परमावश्यक है।



यह कहना तो पुस्ताकी की हू है कि अछूतों को परलोक के इक लो प्राप्त है । यदि परलोक के अधिकार भी छीन केना अपने ही श्राव में होता तो बहुत कुछ संभव है कि अछूतपने की राजकी प्रथा के समर्थक उनको वहाँ भी अलग ही छांट देने ।

यह कहना तो लोगों की आंखों में धूल झांकना है कि गान्धी अछूतों को छू सकता है और और लोग नहीं माने अछूतों को छूना या उनकी सेवा करना इतने बड़े दोष है कि जिस के लिए बेसे ही आह्वानों की जरूरत है जो अछूत कवी रोगाणुओं से अपने को बचा लेने की विशेष शक्ति रखते होंगे । मुसलमानों, ख्रिस्तानों को तथा और लोगों को जो अछूतपने को नहीं मानते हैं, कौन सी नरकवासना ही आपसी यह तो मगवान् ही जानें ।

शारीरिक सुन्दरत्व की दलीक को तो अचिन से अधिक दूर तक खींचा गया है । ऊंची जाति के सब आदमी न तो कस्तूरी के ऐसे सुगन्धवाले हैं और न अछूत ही पात्र के ऐसे दुर्गन्ध करते हैं । ऐसे हजारों अछूत हैं जो कमी भी ऊंची जाति के नामशालों से हजार गुने अच्छे हैं ।

यह देख कर कष्ट होता है कि अछूतपने के विरुद्ध ५ बरसों के लगातार प्रचार के बाद भी आज कितने पढ़े लिखे विद्वान् गुरु ब्रिक्ते हैं जो इस अनीति मूलक और दुर्पिन रिच.ज का समर्थन करते हैं । विद्वानों में भी अस्पृश्यता के भाव का रहना, अस्पृश्यता को कोई प्रतिष्ठा नहीं दिला जाता है बल्कि इससे तो निराशा हो जाते हैं कि नारियल और समझदारी की केवल विधा से ही कुछ वृद्धि हा सकता है ।

( पं० इ० )

मोहनदास करमचंद गांधी

### बलात्कार वैधव्य

सर गंगाराम ने हिन्दुस्तान में और अल्प अलग प्रान्तों में विधवाओं की संख्या के अंक प्रकाशित किये हैं । वे अंक काम के और प्रत्येक सुधारक के हाथ में रहने चाहिए ।

सर गंगाराम के मसालुवार सुधार का जो काम है उससे तो बहुत काम आदमी सहमत होंगे । वे यह काम देखें हैं—

पहले सामाजिक सुधार

पीछे अधिक सुधार

अन्त में स्वराज व. राजनीतिक उद्धार ।

पहले कामाने के सर गंगाराम के ऐसे ही और उन्माही समाज-सुधारकों का विस्फुल हुबहु ऐसा ही मत नहीं था । राजके, गोखले, चन्द्रावरकर ने स्वराज की समाज-सुधार के समान महत्व दिया था । लोकमान्य तिलक भी समाज-सुधार में किसी से कम सत्साही नहीं थे । परन्तु उन्होंने वा उनके पहले के लोगों ने सभी प्रकार के सुधारों का साथ न होना उचित और आवश्यक माना था । सब पूछो तो लोकमान्य और गोखले तो राजनीतिक सुधार को और सभी सुधारों से अधिक आवश्यक मानते थे । सबका मत था कि हमारी राजनीतिक गुलामी ने हमें और किसी काम के काम ही नहीं रख छोड़ा है ।

बात यह है कि राजनीतिक उद्धार का अर्थ होता है सार्व-जनिक जीवनता की अर्पति । राष्ट्रीय प्रगति के और सभी अंगों पर इसका प्रभाव पके बिना रह नहीं सकता । सभी सुधारों का अर्थ अर्पति ही है । एक बार जाग्रत हो जाने पर केवल एक विद्वान में सुधार कर के ही राष्ट्र का पुन वैठक, असम्भव है । इसलिए सभी आन्दोलनों को चलना ही चाहिए और साथ न चलना चाहिए

सुधारों के काम को ले कर सर गंगाराम से सहजने की जरूरत तो किसी को है नहीं । राजनीतिक वा आर्थिक उद्धार के लिए उनके बतलाये हुए उपाय को चाहे भठे ही न मानें परन्तु सामाजिक सुधार में सर गंगाराम के उत्साह की तो प्रशंसा ही करनी पड़ेगी । जो अंक उन्होंने दिये हैं वे सचमुच ही भयंकर हैं । वे पूछते हैं कि इन अंकों को देख कर, जिनसे बाल्य-विवाह और बलात्कार वे द्य से फली हुई दुर्दशा का पना लगता है, कौन नहीं रो देगा ? १९५१ ई० की मनुष्य गणना के अनुसार उस साल के हिन्दू विधवाओं की संख्या के ये अंक हैं:

५ वर्ष तक की विधवायें	११,८९२
५-१० " "	८५,०३०
१०-१५ " "	२३२,१४०
	<hr/>
	३२९,०७६

पिछली दो मनुष्य गणनाओं के भी अंक दिये गये हैं । उन दो गणनाओं की संख्याओं से यह संख्या कुछ बड़ी ही है । दूसरी जाति की विधवाओं की भी संख्या दी हुई है । उससे तो इनका और भी अधिक पता चलता है कि हिन्दू बाल-विधवाओं पर कितना अत्याचार किया गया है । धर्म के नाम पर हम गंरका के लिए शोर करते हैं परन्तु मनुष्य रूप में इन बाल-विधवा हवी गायों की हम रक्षा नहीं करते । धर्म के लिए हम जबरदस्ती भी करेंगे परन्तु धर्म के ही नाम पर हम ३ लाख ऐसे बाल-विधवाओं को बलात्कार वैधव्य देते हैं जिन्होंने विवाह-मंस्कार का अर्थ भी नहीं समझा है । छोटी बच्चियों को जबरन विधवा बना देना गेमा पाप है जिसका कहरा फल हम बराबर खा रहे हैं । हमारी आत्मा यदि कृपित न होती तो १५ वर्ष से पहले हम विवाह ही नहीं होने देते, वैधव्य की तो बात ही दूर है और यह कह देते कि हम तीन लाख लड़कियों का तो कभी भी आर्थिक रीति से विवाह हुआ ही नहीं । इस प्रकार के वैधव्य का निदान किमा भी शास्त्र में नहीं है । जिस महिला ने अपने पति के प्रेम का अनुभव कर लिया है और तब स्वेच्छा से वैधव्य स्वीकार किया है उसके वैधव्य से उसका जीवन पवित्र होता है और चमक उठता है, उसका घर पावन बन जाता है और धर्म की भी उन्नत होती है । धर्म वा रिवाज का जबरन दिया हुआ वैधव्य असद्य हो जाता है और तब गुप्त पाप से अपावधता फैलती है और धर्म की अवनति होती है ।

और जब हम देखते हैं कि ५० वर्ष के वा उससे भी अधिक उमर के बूढ़े और रोगी मनुष्य छोटी बच्चियों से विवाह करते हैं वा बहा ऊपरी कर के उन्हें खरीदते हैं, तब भी क्या हमें यह वैधव्य असद्य नहीं मालूम होना ! जब तक हमारे यहां हजारों विधवायें पड़ी हुई हैं, हम दल-दल में बंटे हुए हैं, जो न जाने कब वेंग जाय । यदि हमें पवित्र बनना है, यदि हमें हिन्दू-धर्म की रक्षा करनी है तो बलात्कार वैधव्य कवी इत विष से मुक्त होना ही होगा । जिनके यहां बाल-विधवायें हैं, वे पूरी हिम्मत कर के अपनी बाल-विधवाओं का—पुनर्विवाह नहीं बल्कि अच्छी तरह से ठिकाने से—विवाह कर दें । पुनर्विवाह तो यह नहीं है क्योंकि पहले उनका कभी सचा विवाह हुआ ही नहीं था ।

( पं० इ० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## बालिका हत्या

नवजीवन के एक पाठक लिखते हैं:—

“अगले सोमवार, आषाढ सुदि ९ भी के दिन १२ वर्ष की एक निर्दोष बालिका की वृद्ध विवाह की बेदी पर बलि होने वाली है। वर महाराज नागर ब्राह्मण हैं। उमर ५५ वर्ष की होगी। साल में ३६५ दिन दवा के भरोसे जीते हैं। उनके लडके लडकियाँ भी हैं। लडकी बेचारी ने मायाप की है। क्या आप इस विवाह को रोक नहीं सकते? क्या उस बुढ़े को आप कुछ बसीहत नहीं के सकते? या किसी भी प्रकार, इस बालिका-हत्या को क्या आप रोक नहीं सकते?”

उन्होंने नाम और पता सब कुछ लिखा है। तो भी मैं इस विवाह को रोकने में असमर्थ हूँ। पत्र पिछले सप्ताह में ही मुझे मिला। वर को वा लडकी को वा उनके किसी सम्बन्धी को मैं जानता नहीं। उनके गाँव में कभी गया नहीं। इस बेटी भीड़ना कहे वा विवेकबुद्धि परन्तु इस मामले में पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं होती है। पत्र की सब बातें सही मानने पर तो मन में अवश्य ही ऐसी इच्छा हुई कि मैं स्वयं उस गाँव में जाऊँ और इस बुढ़े की जान-पहचान वालों से मिलूँ वा लडकी के ही सम्बन्धियों से मिल कर उन्हें समझाऊँ। परन्तु इतना पुरुषार्थ मैं नहीं कर सका। तब सोचा कि नाम गाँव छोड़ कर और सब बातें लिख दूँ और आगे कभी कोई अगर ऐसा विचारात्मक काम करने समय मेरा लिखा देखा कर दक जाय तो उसीमें सन्तोष मारूँ।

विषयवस्तु के विषय, इस शाही का और क्या दूसरा कारण हो सकता है? धर्म तो यों कहता है कि मनुष्य के लिए एक ही विवाह ठीक है। श्री अगर वधो भी हो मगर विधवा हो जाय तो ऊँची जातियों में तो उठे जन्म भर विधवा ही रहना होगा। परन्तु बूढ़ी उमर में भी पुरुष, छोटी बालिका से विवाह कर सकता है। यह कैसी अज्ञान और दुःखजनक स्थिति है। जाति-व्यवस्था का समर्थन यदि किसी बात से हो सके तो वह नहीं है कि वह ऐसे क्रियाचारों को रोक सके।

जाति के यदि बड़े बूढ़े वा युवक वर्ग हिम्मत करें तो ऐसी दयाजनक स्थिति न होगी और न देखने में आवेगी। दुर्भाग्य से बड़े लोग तो अपना धर्म भूल गये हैं। अपनी जाति की नैतिक प्रतिष्ठा के रक्षक होने के बदले वे तो प्रायः उसके मक्षक ही देखने में आते हैं। उनकी दृष्टि सेवा-भाव वा परमार्थ के बदले स्वार्थ की हो गयी है। जहाँ स्वार्थ न होता है, और सुमेच्छा भी होती है वहाँ उनकी हिम्मत ही नहीं होती। परन्तु भिन्न २ जातियों की और हिन्दुस्तान की सारी आशा युवक वर्ग पर ही सगी हुई है। यदि युवक अपने धर्म को समझे और उसीके अनुसार चलें तो वे बहुत काम कर सकते हैं और बेजोड़ विवाह को तो वे असम्भव कर दे सकते हैं। उसमें लोक-मार्ग को बचा लेने के अलावा और कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता है। लोकमत बन जाने पर उसके विरुद्ध जाने की वृद्ध पुरुषों की हिम्मत नहीं हो सकेगी। और अपनी लडकियों का इस प्रकार पानी में फेंकने की पिताओं को भी हिम्मत नहीं होगी।

वृद्ध और अज्ञान-विवाह करने वाले सब धर्म-रक्षा, गो-रक्षा, और अहिंसा के बातें करते हैं तो हँसी आती है। बात की बात में करने लायक पुत्रादों को लाश पर रख कर स्वराज्य इत्यादि की बड़ी २ बातें करना, आकाश-कुसुम तोड़ने के समान है। जिनमें

स्वराज्य लेने का जोश आ गया है, उनमें साधारण सामाजिक सुधार कर लेने की योग्यता तो उससे पहले ही आ जानी चाहिए। स्वराज्य लेने की शक्ति तन्दुरुस्ती की निशानी है और जिसका एक भी अंग रोगी होवे उसे तन्दुरुस्ति नहीं कहते हैं। प्रत्येक नवयुवक को, और प्रत्येक देशहितचिंतक को यह बात याद रखने की आवश्यकता है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

## प्रतिज्ञा का रहस्य

एक विद्यार्थी लिखते हैं—

“हम जिस काम को कर सकते हैं और करने की इच्छा भी करते हैं परन्तु फिर भी कर नहीं पाते और जब उस कार्य के करने का समय आता है तो मन की कमजोरी से या तो हमें अपनी प्रतिज्ञा स्मरण ही नहीं रहती वा स्मरण रहने पर भी हम उसकी अवहेलना कर देते हैं। ऐसा उपाय बताइये कि हम उस कार्य करने के लिए बाधित हो जाँ और अवश्य करें।”

ऐसा प्रश्न किसके मन में उत्पन्न न होता होगा? परन्तु प्रश्न में गलतफहमी भी है। प्रतिज्ञा मनुष्य की उन्नति करती है इसका केवल एक मात्र कारण यह है कि प्रतिज्ञा करते हुए भी उसके भंग होने की गुंजाइश होती है। प्रतिज्ञा कर चुकने के बाद अगर उसके भंग होने की गुंजाइश न हो तो पुरुषार्थ के लिए कोई स्थान न रहे। संकल्प तो संकल्पकर्ता रूपी नाविक के लिए दीप कपी है। दीप की ओर लक्ष्य रखने से अनेक तूफानों में से गुजरते हुए भी मनुष्य उबर सकता है। परन्तु जिस प्रकार यह दीपक यद्यपि तूफान को शान्त नहीं कर सकता है—तो भी वह उस तूफान के बीच से उसके सुरक्षित रूप से निराला जाने की शक्ति प्रदान करता है उसी प्रकार मनुष्य का संकल्प हृदय रूपी समुद्र में उछाल मारती हुई तरंगों से बचाने वाली प्रबल शक्ति है। ऐसी शक्ति में संकल्पकर्ता का पतन भी न हो—इसका उपाय आज तक न बूढ़े मिला है और न वह मिलने वाला ही है। यही बात उचित भी है। यदि ऐसा न हो तो जो सत्य और यमनियमादि की महत्ता है वह जाती रहेगी। सामान्य ज्ञान प्राप्त करने में अथवा लाख दमलाख रुपया एकत्रित करने में मनुष्य भारी प्रयत्न करता है, उत्तर भ्रुव जैसी साधारण वस्तु का दर्शन करने के लिये लगेक मनुष्य अपनी जान-माल को जोखन में डालने में भय नहीं आते हैं तो राम द्वेष इत्यादि कहीं महा शत्रुओं को जीतने के लिए उपयुक्त प्रयत्नों की अपेक्षा महत्तगुना प्रयत्न करना पड़े तो उसमें आश्चर्य और क्षोभ क्यों हो? इन प्रकार की अमर विजय प्राप्त करने के प्रयत्न करने में ही सरलता है। प्रयत्न ही विजय है। यदि उत्तर भ्रुव का दर्शन न हुआ तो सब प्रयत्न व्यर्थ ही माना जाता है किन्तु जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक राग-द्वेष इत्यादि को जीतने में जितना प्रयत्न किया जाय उतना हमारी प्रगति का ही सूचक है। ऐसी वस्तु के लिए स्वल्प प्रयत्न भी निष्फल नहीं होता है—ऐसा भगवान का बचन है।

इसलिये मैं इस विद्यार्थी को तो इतना ही आश्रय दे सकता हूँ कि उनको प्रयत्न करते हुये हर्षांगन निराश न होना चाहिए। और न संकल्प को छोड़ना चाहिए—नैतिक ‘अशाक्य’ शब्द को अपने शब्द-कोष से पृथक कर देना चाहिए। संकल्प का स्मरण यदि भूल जाय तो प्रयत्नविहीन करना चाहिए उसका पूरा ह्याक रखना चाहिए कि जहाँ भूले नहीं से फिर चले या मन में दृढ विश्वास रखे कि अन्त में जीत तो उसीकी होगी। आज

तक किसी भी ज्ञानी ने इस प्रकार का अनुभव नहीं बतलाया है कि असत्य की कभी विजय हुई है। बरन् सब ने एक-मत हो कर अपना यह अनुभव पुकार २ कर बतलाया है कि अन्त में सत्य ही की जय होती है। उस अनुभव का स्मरण करते हुए तथा शुभ काम करते हुए जरा भी संकोच न करना चाहिए और शुभ संकल्प करते हुए किसीको करना भी न चाहिए। प. रामनजदत चौधरी एक कविता लिख कर छोड़ गये हैं। उसका एक पद यह है:—

“ कधि नहिं हारना भांवे साधी जान जावे ”

मोहनदास करमचंद गांधी

## अनीति की राह पर

(५)

प्रज्ञावर्धन से होने वाले शारीरिक लाभों का विचार हो चुका। अब लेखक हमके नैतिक और मानसिक लाभों पर प्रो० मोन्टेगजा का अभिप्राय व्यक्त करते हैं:—

प्रज्ञावर्धन से तुरत ही होने वाले लाभों का अनुभव सभी कर सकते हैं—नवयुवक तो विशेष कर के। प्रज्ञावर्धन से तुरत ही स्मरण-शक्ति स्थिर और संप्रादक, बुद्धि उर्ध्वरा, और इच्छा-शक्ति अक्षय हो जाती है। मनुष्य के साधे जीवन में वह परिवर्तन आ जाता है जिसका अनुभव स्वच्छाचारियों को कभी दो नहीं सकता। प्रज्ञावर्धन नवयुवकों की प्रकृति, चित्त की शक्ति और धर्म और उच्च इन्द्रियों के दामों की अशान्ति नैवेनी और धर्ममार्ग में आकाश पालाक का अंतर होता है। भन्ना इन्द्रिय-मयम से भी कोई रोग होता हुआ सा कभी सुना गया है? परन्तु इन्द्रियों के अमंयम से होने वाले रोगों को कौन नहीं जानता? घोर तो यह ही जाना है। उनमें भी मुरा होता है मन और बुद्धि का विगड जाना। स्वार्थ का प्रचार, इन्द्रियों की उदाम प्रवृत्ति, चारित्र्य की अवनति ही तो सर्वत्र घुनने में आती है।

इतना होने पर भी वे लोग जो धोयनाश को आवश्यक मानते हैं कहते हैं कि इस पर रोक लगा कर तुम हमारे इस अधिकार पर कि हम अपने शरीर का मन-माना व्यवहार करें रोक लगाते हो। इसका भी उत्तर लेखक ने हम प्रकार दिया है कि समाज की उन्नति के लिये यह रोक आवश्यक है।

उनका कहना है—समाज-शास्त्री के सामने कर्मों के परस्पर आघात प्रतिघात का ही नाम जीवन है। इन कर्मों का परस्पर कुछ ऐसा अनिश्चित और अज्ञात सम्बन्ध है कि कोई एक भी ऐसा कर्म दो नहीं सकता जिसको हम अकेला कह सकें। उसका प्रभाव सर्वत्र पड़ेगा ही। हमारे छिगे से छिपे कर्मों का, विचारों का, मनोभावों का ऐसा गहरा और दूर तक प्रभाव पड़ सकता है कि उसका अन्दाजा लगाना भी हमारे लिये असम्भव हो जावे। यह कोई ऊपर से हमारा जोडा हुआ नियम नहीं है। यह मनुष्य का स्वभाव है—प्रकृति है। मनुष्य के सभी कर्मों के इस अखण्ड सम्बन्ध का विचार न कर के कभी २ कोई समाज कुछ विषयों में व्यक्ति को स्वाधीन बना देना चाहता है। उस स्वाधीनता को स्वीकार करने से ही व्यक्ति अपने को छोटा बना लेता है—अपना महत्व खो देता है।

इसके बाद लेखक ने यह दिखाया है कि जब हमें सब जगह सबक पर धुनने तक का अधिकार नहीं है तो मला बीये रूप इस महा शक्ति को मन-माना करने का अधिकार हमें कहाँ से मिल सकता है? क्या यह काम ऐसा है जो ऊपर के बतलाये हुए समस्त कर्मों के पारस्परिक अखण्ड सम्बन्ध से अलग

है? बल्कि सब पूछो तो इसकी गुहता के कारण तो इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। देखो अभी एक नवयुवक और लड़की ने यह सम्बन्ध किया है। उसमें वे समझते हैं कि वे स्वतन्त्र हैं—उस काम से और किसीको कुछ मतलब नहीं—वह केवल उन दोनों का ही है। वे अपनी स्वतन्त्रता के मुकामे में पड़ कर यह समझते हैं कि इस काम से समाज को न तो कोई सम्बन्ध है और न समाज का उस पर कुछ नियंत्रण ही है। यह बर्बों का लडकान है। वह नहीं जानता कि हमारे गुह्य और व्यक्तिगत कर्मों का अत्यन्त दूर के कर्मों पर भी अमानक असर पड़ता है। इस प्रकार समाज को तुम नष्ट करना चाहते हो। चाहे तुम चाहो वा न चाहो परन्तु जब तुम केवल आनन्द के लिये अल्प स्थायी वा अनुपादक ही सही परन्तु यौन सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार दिखलते हो तो तुम समाज के भीतर मेद और भिन्नता के बीज डालते हो। हमारे स्वार्थ वा स्वच्छन्दता से हमारी सामाजिक स्थिति बिगडी हुई तो है ही परन्तु अभी भी सभी समाजों में ऐसा ही समझा जाता है कि उत्पादिका शक्ति के व्यवहार सुख में जो जिम्मेदारी आ पड़ती है उसे सब कोई खुशी २ उठावेंगे। इस जिम्मेदारी को भूल जाने से ही आज पूनी और भ्रम, मजदूरी और विरासन, कर और सैनिक-सेवा, प्रतिनिधित्व के अधिकार इत्यादि पेचाले सवालियों का जन्म हुआ है। इस भार को अस्वीकार करने से एक बार में ही वह व्यक्ति समाज के सारे संगठन को हिला देता है। और इस प्रकार दूसरे का बोझ भारी कर आप हल्का होना चाहता है, इसलिए वह किसी चोर टाकू वा लुटेरे से कम नहीं कहा जा सकता। अपनी इस शारीरिक शक्ति के व्यवहार के लिये भी समाज के सामने हम जैसे ही जिम्मेदार हैं जैसे अपनी और शक्तियों के लिए। हमारा समाज इस विषय में निरख है और इसलिये उसे हमारी अपनी समझदारी पर ही उसके उन्नित उपयोग का भार रखना पडा है, इस कारण इसकी जिम्मेदारी तो और भी कुछ बड़ी ही रहनी चाहिए।

स्वाधीनता काहर से तो सुख ही मादम होती है परन्तु सचमुच में वह तो एक भार ही है। इसका अनुभव तुम्हें पहले बार में ही हो जाता है। तुम समझते हो कि मन और विवेक दोनों में एकता है परन्तु दोनों में तुम्हारी ही शक्ति है और दोनों में बहुत मेद देखने में आया करता है। उस समय किसकी मानोगे? तुम्हारी विवेक बुद्धि से जो उत्पन्न होता है वह या तुम्हारी नीची से नीची इन्द्रिय-कालसा से? यदि विवेक की इन्द्रिय-कालसा के ऊपर विजय होने में ही समाज की उन्नति है तब तो तुम्हें इन दोनों में से एक बात चुन लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। परन्तु तुम यह भी कह सकते हो कि मैं शरीर और आत्मा दोनों का साथ २ पारस्परिक विकास चाहता हूँ। ठीक। परन्तु वह भी याद रखो कि आत्मा के कुछ भी विकास के लिए कुछ न कुछ तो समय तुम्हें करना ही होगा। पहले इन विचारों के भावों को नष्ट कर दो तो पीछे तुम जो चाहोगे हो सकोगे।

महाशय गैररियक सीलेख भी कहते हैं कि हम बार बार कहते फिरते हैं हमें स्वतन्त्रता चाहिए—हम स्वतन्त्र होंगे। परन्तु यह स्वतन्त्रता कर्तव्य की कभी कटोर बेडी बन जाती है यह हम नहीं जानते। हमें यह नहीं मादम कि हमारी इस नकली स्वतन्त्रता का अर्थ है इन्द्रियों की गुलामी जिससे हमें न तो कभी कष्ट का अनुभव होता है और न हम कभी इसलिए उसका विरोध ही करते हैं।

संयम में शान्ति है और अमयम तो अशान्ति रूप महासयु का पर है। कामेच्छाएँ तो कभी भी कष्टदायी हो सकती हैं परन्तु युवावस्था में तो यह महाव्याधि हमारी बुद्धि को बिलकुल बिगड़ दे सकती है। जिस नवयुवक का किसी ल' से पहले पहल संबंध होता है वह नहीं जानता कि वह अपने नैतिक मानसिक और शारीरिक जीवन के अस्तित्व के साथ खेल रहा है। उसे यह भी नहीं मालूम कि उसके इस कार की बाद उसे बार २ आकर सतायेगी और उसे अपनी इच्छियों की बड़ी बुरी गुलामी करनी पड़ेगी। कौन नहीं जानता कि एक से एक अच्छे लड़के, जिन से आगे बहुत कुछ आशा की जा सकती थी, चौपट हो गये और उनके पतन का आरम्भ उनके पहली बार के नैतिक पतन से ही हुआ था।

मनुष्य का जीवन तो उस बरतन के समान है जिस में तुम यदि पहली बूद में ही मैला छोड़ देते हो तो फिर लाख पानी डालते रहो सभी का सभी गंदा होता जायगा।

इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध शरीर शास्त्री महाशय केम्ब्रिक ने भी तो कहा है कि कामेच्छा की सतृप्ति केवल नैतिक दोष भर ही नहीं है। उससे शरीर को भी हानि पहुँचती है। यदि इस इच्छा के सम्मुख तुम झुकने लगे तो वह तुम्हारे ऊपर और भी अत्याचार करने लगेगी और यदि तुम्हारा मन सदोष है तो तुम इसकी बाँसें छुनोगे और उसका बल बढ़ाते जाओगे। ध्यान रखो कि प्रत्येक बार का नया काम, तुम्हारी गुलामी की जर्जर की एक नयी कड़ी बन जावेगी।

फिर तो इसे तोड़ने की तुम्हें शक्ति नहीं रहेगी और इस प्रकार तुम्हारा जीवन, एक अज्ञान जनित अभ्यास के कारण नष्ट हो जायगा। इसका सब से अच्छा उपाय है ऊँचे विचारों को पैदा करना और सभी कामों में संयम से काम लेना।

महाशय व्यूगे ने इसके बाद डाक्टर फ्रैंक का मत दिया है कि कामेच्छा के ऊपर मन और इच्छा का पूरा अधिकार है क्यों कि यह कोई आवश्यकता नहीं है, हाजत नहीं है। यह तो केवल एक इच्छा भर है जिस का पालन हम जानबूझ कर अपनी राखी से ही करते हैं न कि स्वभाव से।

( ब० इ० )

मोहनदास करमचंद गांधी

अपना धर्म समझ जाय, आत्मस्य को उत्तेजना न दे और उन भिक्षारियों को अन्न न दे कर उद्यम ही दे तो चरखे का साम्राज्य आज ही स्थापित हो जाय। परन्तु धनिक लोगों से ऐसी आशा क्यों कर रखी जा सकती है? धनिक लोग औरों के मुकाबले में साधारणतया आलसी रहा करते हैं और आत्मस्य को उत्तेजना तो देते ही हैं। उनसे जाने या अनजाने आलसी भिक्षुओं को उत्तेजना मिल जाती है। इसलिए केसक ने सूचना तो अच्छी ही की है, परन्तु इस पर अमल करना बहुत कठिन है— इस बाब पर उसने विचार नहीं किया। ऐसा कहने के यह आशय नहीं है कि हम प्रयत्न न करें बल्कि प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। यदि एक भी धनवान व्यक्ति, समझबूझ कर आलसी लोगों को दाम देना बन्द कर दे— यदि एक ही साधु को अंगम नहीं है उद्यम के बिना भोजन न करने का संकल्प कर के तो इतना हिन्दुस्तान का लाभ ही है। इसलिए जहाँ २ इस प्रकार का प्रयत्न हो सकता है वहाँ बढ़ा करना ही उचित है। हाँ, कठिनाई को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जिसमें तात्कालिक फल न मिलने से निराशा न होने पावे और अपने साधन को हम निरर्थक ही समझें।

( नवजीवन )

मोहनदास करमचंद गांधी

## भिक्षारी साधु

लोग ऐसा कहा करते हैं कि 'भिक्षारी साधु' शब्द में विरोध का आभास होना समभव है। लेकिन आजकल तो साधु यही कहलाते हैं जो गेहआ बख पहनते हैं—चाहे उनका हृदय भी गेहआ हो या न हो स्वच्छ हो या मैला हो। साधु शब्द का सच्चा अर्थ तो यह है कि जिसका हृदय साधु या पवित्र हो। परन्तु ऐसे सभ साधु तो हम को शायद ही मिलते हैं। भगवा ब्रह्मवाक्य असाधु साधु भीख मांगता तक बजर आता है। इसलिए इस प्रकार की भीख मांगनेवालों के लिये 'भिक्षारी साधु' शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्हीं के विषय में एक आई लिखते हैं:

"आज चरखे की प्रवृत्ति से अनेक बातें सिद्ध करने की इच्छा रखते हैं। सभी धर्म के लोगों में से क्या छोटे क्या बड़े नेद मिटाने का साधन आप चरखे को समझते हैं और यह सब ठीक है लेकिन आज शक्ति होते हुए भी बहुत भिक्षुमग केवल प्रमाद वश हिन्दुस्तान में बट रहे हैं उनको आज चरखा क्यों नहीं बताते हैं? कोई ऐसी संस्था क्यों न खोलते है कि जिसमें जो भिक्षारी आने वह कुछ उद्योग कर के अन्न पा सके? ऐसी कोई संस्था होगी तो दान देने की शक्तिवाले लोग भिक्षारियों की चिन्ती दे कर उसी संस्था में भेज देंगे और उन्हें वहाँ उद्यम और अन्न मिलेगा। यह बात तो सुन्दर है पर उस पर अमल कौन करेगा? गरीब लोगों में चरखे का प्रवेश करने में जितनी कठिनाई है उससे अधिक कठिनाई भिक्षारी साधुओं में चरखा फैलाने में है। क्योंकि उद्यम धर्मभावना बदलने की बात आ जाती है। ये धनवान लोग यह समझते हैं कि माँसीवालों की झोली में थोड़ा बहुत जो कुछ पैसे डाल दिये-बस उतना परोपकार हो गया। पुण्य हुआ। उनको कौन समझावे कि ऐसा करने में उपकार के बड़े अपकार और धर्म के स्थान पर अधर्म होता है। पास्तब बढता है। छात्रमाला नामवारी साधुओं में सेवाभाव जादत हो जाय वे उद्यम कर के ही रोटी खावें, तो हिन्दुस्तान के स्वयसेवकों का एक जबरदस्त लहर बना तैयार मानो। गेहआ बखवारी लोगों को यह बात समझाना लगभग दुःसाध्य है। उनमें भी तीन प्रकार के लोग हैं। उनका एक बहुत बड़ा भाग पालंकी और कैवल आलसी बन मलगुआ खाने की इच्छा रखता है। दूसरा भाग कुछ जड़ है और यह माननेवाला है कि भगवाबख और पवित्रम ये दोनों बातें आपस में मेल नहीं खाती। तीसरा भाग जो कि बहुत छोटा है— वह सभ त्यागियों का है परन्तु ये लोग बहुत समय से यही समझते बले आये हैं कि सन्यासी से परोपकार के लिये भी उद्योग नहीं हो सकता। यदि यह तीसरा, छोटा भाग उद्योग का मूल्य समझ जावे तो भूतकाल में चाहे जो भी हुआ हो— "इस धुा में तो सन्यासी को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये उद्योग करना आवश्यक है"—यदि यह बात यह छोटा वर्ग समझ जाय तो मान लो कि दूसरे दोनों खण्ड भी सुधर जावेंगे। परन्तु इस वर्ग को ऐसा समझाना बहुत कठिन है। कार्य धैर्य से तथा उस वर्ग की अनुभव प्राप्ति के साथ होगा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि जब हिन्दुस्तान में चरखे का करीब करीब साम्राज्य हो जावेगा तब यह वर्ग इसकी शरण जावेगा।

चरखे के साम्राज्य के अर्थ हैं हृदयसाम्राज्य और हृदयसाम्राज्य के अर्थ हैं धर्मवृद्धि। धर्मवृद्धि होने पर यह छोटा सन्यासी वर्ग उसे बिना परिह्राने रहेगा ही नहीं।

जितनी कठिनाई सन्यासी वर्ग को समझाने में रही है लगभग उतनी ही धनिक लोगों को समझाने में रही है। धनिक लोग यदि



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ५०

सूत्रक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

महमदाबाद, आश्विन वही ५, संवत् १९८।  
 बुधवार, २५ जुलाई, १९२६ ई०

सुप्रसन्नान-ववजीवन सुप्रसन्नान,  
 धारंगपुर सरकोपरा की बाजी

## लगन का पुरस्कार

इदिबा (पश्चिम बंगाल) के एक राष्ट्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक लिखते हैं—

“ मैं नहीं इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक हूँ। इस विद्यालय में मातृभाषा की १ टी टैप्री तक की पाठ्ये होती हैं। उन दिनों जब कि असहयोग आंदोलन पर था, यह संस्था कलकत्ता फूलती हालत में थी, परंतु लहर उतर गई। आन्दोलन के संचालनकर्ता लोगों के दिल पर से उस पर से विश्वास जाता रहा। किसी उमाने में इसमें १५० विद्यार्थी और ६ शिक्षक थे— ३५ विद्यार्थी तथा ३ शिक्षक हैं। इन विद्यार्थीओं में भी— आधे से अधिक तो लड़े बच्चे था १० वर्ष से नीची उम्र वाले बालक हैं।

पुमाने प्रधानाध्यापक ने इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर मुझे जनवरी कन् १९२६ में इस संस्था को चलाने के लिये चुनाया गया। मैं गुजरात विद्यापीठ का प्रेस्युयेट हूँ। जब मैं यहाँ आया, तब मैंने किसी भी विद्यार्थी को खादी पहनते हुये नहीं देखा, कोई बरके चलते हुये नहीं पाये और न किसी भी शिक्षक को अ० मा० बरखा-गंध का सदस्य ही पाया। मैंने यह भी देखा कि विद्यालय की प्रबन्धकारिणी-समिति में केवल ध्यापारी लोग ही बसे हुये थे और कोई शिक्षा-विशेषज्ञ न था और वे सदस्य न तो इस संस्था के कामों में कोई उत्साह दिखाते थे और न ध्यापकतया राष्ट्रीय आन्दोलन में ही। वे विद्यालय को इस लिये चला रहे हैं कि प्रतिष्ठा में बड़ा न लगाने पावे। मैं इस उदासीनता को दूर करने का उपाय बराबर कर रहा हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे इस काम में मुझे मार्ग दिखायें। मैंने समझा कि पहले पहल कातना अनिवाय कर दिया जाना चाहिये और खादी एवं स्वदेशी की महत्ता विद्यार्थियों को खूब समझा देनी चाहिये। मैंने चर्चा चलवाना शुरू किया, लेकिन असफल रहा। चर्चा बहुत कम तथा असमर्थोपपन्नक थी। देखनाल मुश्किल थी। महमदाबाद के (मजदूरों के) स्कूलों में तकली द्वारा सूत कातने की खबर ने मेरी आशा बसाई। मैंने अपने विद्यालय में तकली से सूत निकलवाने की बात निश्चय कर ली। मैंने तकली पर कमी नहीं काता था। मैंने उसे सीखा किया। और अब मैं तकली पर

१२५ गज की घण्टे की रफ्तार से काफी अच्छा सूत कात लेता हूँ। मुद चीज बुकने के बाद मैंने यहाँ के मालपु/निवासी श्री० आप्ते से तकलियां तैयार करवा ली और अभी एक माह हुआ, उनको विद्यालय में दाखिल कर दिया। २८ तकलियां चल रही हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यह काम तुरन्त पकड़ रहा है। जो कुछ मैं कर पाया हूँ, उसका कुछ हाल यह है—

वे सब अशाहसो लड़के विद्यालय लमने पर प्रार्थना के बाद बड़े कमरे में एकत्रित होते हैं और वे आधे घंटे तक सूत कातते हैं। (इस आधे घण्टे में वे सूत जतना ही कात-लेते हैं) दैनिक काम की सूची रखी जाती है। पहले सप्ताह के अन्त में नीकत में प्रत्येक लड़के की गति आधे घंटे में २० गज थी। दूसरे सप्ताह में २३ गज तक पहुँची—तीसरे में २७ और अब २० गज की है। बानी वे ६० गज की घंटे के हिसाब से कातते हैं और इसी समय के अन्दर सूत को लपेट भी लेते हैं। इस प्रकार काता हुआ अधिकांश सूत सन्तोषजनक है। शेष कमरा: अच्छा हो रहा है। ५ विद्यार्थी तो १०० गज की घंटे के हिसाब से कातते हैं, ५, ८० के हिसाब से और ६, ४० के। केवल ३ ही लड़के ऐसे हैं जो १ घंटे में ४० गज से कम कात पाते हैं।

ये विद्यार्थी छुट्ट खादी मार्न से पहिने लगे और वे अखिल भारत बरखा संघ के उत्साहपूर्ण सदस्य हो गये हैं। तीब और खादी पहिने लगे हैं। और उनका काता हुआ सूत आपके माल से सावरमती पहुचने लगेगा। तीनों अध्यापकगण (मैं भी शामिल हूँ) तकली के द्वारा कातते हैं।

विद्यालय के बाहर भी हमने तकली फैलायी है और अब ५ अखिल-भारत-बरखा-संघ के 'अ' दर्जे के सदस्य हो गये हैं। इनमें से एक तो निरंतर तकली का सूत संघ को भेजता रहता है। उनमें से एक ध्यापारी है और एक आधुनिक चिकित्सक। तीनों कहते हैं कि बरखा चलाने के लिये हम को अवकाश न मिलता था। और चूंकि अब हमारी जेबों में तकली पड़ी रहती है, इसलिए हमने में १००० गज सूत भेजना कोई कठिन बात न होगी।”

इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि लगन क्या क्या कर सकती है। १५० लड़कों के साथ यह विद्यालय केवल इसीलिये

राष्ट्रीय नहीं कहा जा सकता था कि सरकार की छाया में नहीं था। किसी विद्यालय को, राष्ट्रीय कहलाने के लिये, कांग्रेस के द्वारा ही हुई परिभाषा के अनुसार होना चाहिये। इसके अनुसार, अन्य बातों के साथ, उसमें कताई भी होनी चाहिये और बालकों तथा बालिकाओं को खादी जहर पहिनना चाहिये। मातृ-भाषा के अतिरिक्त, पाठशाला में उन्हें हिन्दी लेना चाहिये। परन्तु अनेक ऐसे विद्यालय, जो कि यद्यपि कांग्रेस की इन शर्तों के अनुसार नहीं चलते हैं—राष्ट्रीय कहे जाते हैं। इसलिये अपने विद्यालय में खादी और कताई को दाखिल करने के उपलक्ष्य में प्रधानाध्यापक महोदय हमारी मुबारकबादी के पात्र हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस विद्यालय का बोर्ड इन प्रधानाध्यापक के प्रयत्न को सहारा देगा। और प्रधानाध्यापक जी को यह जान लेना चाहिये कि यदि वे कताई का काम सफल होते देखना चाहते हैं, तो उनके विद्यालय में लड़कों द्वारा ही की पुनाई का काम दाखिल होना निहायत जरूरी है। जबतक वे कताई के परदे वाले सब प्रयोग न जानते हों, तब तक वे सच्चे कर्तव्य नहीं कहे जा सकते।

( सं० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## अनीति की राह पर

(४)

प्रथाचार तथा कृत्रिम साधनों के द्वारा उसकी वृद्धि एवं उसके अर्थर परिणामों की चर्चा कर चुकने के बाद लेखक उनके निवारण करने वाले उपायों का निरीक्षण करता है। मैं उस हिस्से को छोड़ देता हूँ जिस में कायदे कानून, उनकी जरूरत तथा उनके सर्वथा अवाक्य होने का जिक्र है। आगे चल कर वह लोकमत को शिक्षित करने के द्वारा विवाहित पुरुषों के लिये ब्रह्मचर्य धर्म-स्वरूप अस्त्यार काने की आवश्यकता पर विचार करता है। वह उस बड़े मनुष्य-समुदाय के विवाह करने के कर्तव्य पर भी विचार करता है, जो कि सदा के लिये अपनी पशु-वृत्ति को दमन नहीं कर सकते, परन्तु जिन्हें एक बार विवाह कर लेने के बाद यह समझ लेना चाहिये कि हम दम्पति आपस में एक दूसरे के साथ बराबारी का बर्ताव रखेंगे और विषयभोग में अनिश्चयता न करेंगे। वह सुझाचार के विरुद्ध इस दलील की परीक्षा करता है कि वह उपदेश "पुरुष या स्त्री की प्राकृतिक प्रवृत्ति के विरुद्ध एवं उसकी तन्मुरस्ती में फरक डालने वाला है और यह उपदेश किंगी व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके सुख से रहने तथा अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने के हक पर असह्य आक्रमण है।

लेखक इस सिद्धान्त का विरोध करता है कि जननेन्द्रिय भी अन्य इन्द्रियों की भांति अपना भोग चाहती है। उसका कथन है कि यदि ऐसा होता तो हम सङ्कर-बल की उस निर्विवाद शक्ति को कैसे बता सकते, जो कि उस पर पूर्ण अंकुश रखती है? इच्छा का आग्रह होना, जिसे कि कहर बहुरी एक दिग्ग-सम्बन्धी आवश्यकता बतलाते हैं, उन अगमित उत्तेजनाओं का फल है, जिन्हें हमारी मर्यादा युवकों और युवतियों के सामने उनके सामान्य हर से बालिग होने के कुछ वर्ष पहले ही प्रस्तुत कर देती है। मैं वहाँ डाक्टरों की एक बहुमूल्य सम्मति भी जरूर देना चाहता हूँ, जो कि व्यारो की पुस्तक में इस मत के प्रतिपादन में दी गई है कि आरम-निग्रह न केवल हानिरहित है, बल्कि स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिये अत्यावश्यक तथा नितान्त संभव भी है।

दुबिगन विश्वविद्यालय के अस्टर्लन का कथन है कि काम-कासना इतनी प्रबल नहीं होती कि विवेक या नैतिक बल से रोधी

या पूर्वतया दमन न की जा सके। किसी युवा या युवती को उचित अवस्था पाने के पूर्व तक संयम से रहना सीखना चाहिये। उसे जान लेना चाहिये कि उसका हृष्ट पुष्ट शरीर तथा उसकी दिन पर दिन बढ़ती हुई स्फूर्ति उसके आत्मत्याग का पुरस्कार होगी।

"यह बात जितनी बार कही जावे, थोड़ी है कि नैतिक तथा शरीर-सम्बन्धी संयम और पूर्ण ब्रह्मचर्य का एक साथ रहना भली प्रकार सम्भव है और यह भी कि विषयभोग न तो उपरोक्त एक भी पक्ष से और न धर्म की दृष्टि से न्यायवर्णित है।

लन्दन के रायल काउन्सिल के प्रोफेसर मि० सर लायनस विली कहते हैं कि भ्रष्ट से भ्रष्ट और शरीर से शरीर पुरुषों के उदाहरण ने यह अनेक बार सिद्ध कर दिया है कि बड़े से बड़े विकार भी धर्म और मजबूत दिल से तथा रहन-सहन और पेशे के बारे में उचित सावधानी रखने से रोके जा सकने हैं। जब कभी संयम का पालन कृत्रिम साधनों से ही नहीं, बल्कि उसे स्वेच्छा से आदत में दाखिल कर के किया गया है, तब तब उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। सक्षेप में अविवाहित रहना अति दुष्कर नहीं है, लेकिन तभी जब कि वह किसी मनोवृत्ति का स्थूल रूप हो। पवित्रता के अर्थ कोरे विषय-निग्रह के ही नहीं हैं, बल्कि विचारों में युजिता तथा उस शक्ति के भी हैं, जो कि अटल विश्वास का ही परिणाम है।

तन्ववेत्ता फोर्ल कहता है कि व्यायाम से प्रत्येक प्रकार का शारीरिक बल बढ़ता और मजबूत होता है—उसके विपरीत, किसी प्रकार की अकर्तव्यता उसके उत्तेजित करने वाले कारकों के प्रभाव को दबा देती है।

"विषय-सम्बन्धी सभी उत्तेजक बातें इच्छा को अधिक प्रबल कर देती हैं। उन बातों से बचने का फल यह होता है कि ये मन्द हो जाती हैं और इस प्रकार इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है। युवक लोग यह समझते हैं कि विषय-निग्रह असाधारण एवं अमंभव है। लोग वे जो संयम से बच रहते हैं, सिद्ध करते हैं कि पवित्रता का जीवन बिना तन्मुरस्ती बिगाड़े रहा जा सकता है।

एक दूसरा विद्वान कहता है कि कि मैं २५ या ३० वर्ष तथा उससे भी अधिक आयु वाले लोगों को, जिन्होंने पूर्ण संयम रक्खा है, और उन लोगों को भी जिन्होंने अपने विवाह के पूर्व उसे कायम रक्खा है, जानता हूँ। ऐसे पुरुषों की कमी नहीं है; हाँ, यह जरूर है कि वे अपना छिटोरा नहीं पीटते हैं।

मेरे पास बहुत से निराश्रितों के ऐसे अनेक सानगी पत्र आये हैं, जिन्होंने इस बारे में आपत्ति की है कि मैंने उस बात पर काफ़ी ध्यान नहीं दिया है कि विषयसंयम संभव है।

डा० एक्टरन का कथन है कि विवाह के पूर्व युवकों को पूर्ण संयम से रहना चाहिये और वे रद्द भी सकते हैं।

सर जेम्स वेगट की धारणा है कि पवित्रता, जैसे कि आत्मा को क्षति नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार शरीर को भी नहीं—और संयम सब से उत्तम आश्रण है।

डा० पेरिस्टर कहते हैं कि पूर्ण संयम के बारे में यह कल्पना करना कि वह खतरनाक है—बिचकल अर्थः हयाल है और उसको निर्मूल करने की चेष्टा करनी चाहिये, क्योंकि यह बच्चों ही के मन में नहीं घर करता है, बल्कि उनके माता पिताओं के भी। नवयुवकों के लिये ब्रह्मचर्य शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक-तीनों दृष्टियों से, उनकी रक्षा करने वाली चीज है।

मि० गॉर्डन कहते हैं कि संयम से कोई नुकसान नहीं पहुंचता—और न वह बरत को रोकता है, वरन् बल बढ़ाता और बुद्धि तीव्र करता है। असंयम से आरम-शासन जाता रहता

है, आलस्य बढता और काया कुटित एवं पतित होती जाती है और शरीर ऐसे रोगों का शिकार बन जाता है, जो कि पुस्त-पर-पुस्त बसर करते हैं। यह कहना कि असंयम नवयुवकों के स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है—केवल भूल ही नहीं है, बल्कि कठोरता भी है। यह स्रुठ भी है और हानिकारक भी।

डा० ब्रुन्डेज ने लिखा है कि असंयम के दुष्परिणाम तो निर्विवाद और सर्वविधित हैं, परन्तु संयम के दुष्परिणाम कपोल-कल्पित मात्र हैं। उपरोक्त दो बातों में पहली बात का अनुमोदन तो बड़े २ विद्वान करते हैं, लेकिन दूसरी बात अपने सिद्ध करने वालों की प्रतीक्षा अब तक कर रही है।

डाक्टर मोंटेगुना अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य के द्वारा उत्पन्न रोग पैने नहीं देखे। आम तौर पर सभी रोग और विशेष रूप से नवयुवक गण ब्रह्मचर्य के तारुण्यिक लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं।

डाक्टर ब्यूबाय इस बात का पुष्टिकरण करते हुए कहते हैं कि उन आइसियों की बनिस्वत, जो कि पशु-वृत्ति के जगल से बचना जानते हैं, वे लोग नामर्दा के अधिक शिकार होते हैं, जो कि विषय-शमन के लिए अपनी लगाम बिल्कुल डोली किये रहते हैं। उनके इस वाक्य का समर्थन डाक्टर फोरी पूरे तौर पर करते हैं और कहते हैं कि जो लोग शारीरिक संयम के योग्य हैं, वे अपने स्वास्थ्य के बारे में किसी प्रकार का भय न किये हुए पैना कर सकते हैं। और न स्वास्थ्य विषय-भोग की इच्छा को शांत करने के ऊपर निर्भर ही रहता है।

प्रोफेसर एफ्रेड फोर्नियर लिखते हैं "कुछ लोगों ने, युवकों के आरम्भ-मयम के क्षणों के बारे में महो और गाम्भीर्यहीन बातें कही हैं।" परन्तु वे विभाव सिखाता है कि यदि इन विषयों का अस्तित्व कही है, तो वे उनसे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। और यद्यपि अपने पैने में उनके बारे में जानकारी पैना करने का पूरा मौका रखता था, तो भी एक चिकित्सक की हेमियत से उन के अस्तित्व का मेरे पास प्रमाण नहीं है।

इसके भौतिक, शारीरिक-शक्त के ज्ञाता होने की हेमियत से वे तो यह कहेंगे कि २१ वर्ष या उसके लगभग अवस्था के पहले सभी वीर्य-मुष्टना आती ही नहीं है और विषय-भोग की आवश्यकता उसके पहले उठती हुई प्रतीत नहीं होगी—और शायद तौर पर उस हालत में जब कि उचित काल से पूर्व ही कुत्सित उत्तेजनाओं ने उग्र कुवासना को उत्तेजित न किया हो। विषयमान प्रायः बुरे रास्ते पर किये हुए लासन-पासन का फल है।

कैर कुछ भी हो, यह बात तो निश्चित ही है कि इस प्रकार का खतरा, स्वामाधिक प्रवृत्त के अनुसार चलने की अपेक्षा नयको रोकने में बहुत कम है। मेरा आशय आप समझ ही गये होंगे।

"अन्त में,—इन विश्वस्त प्रमाणों के पश्चात् हम उस प्रमाण का उद्धरण यदा करना चाहते हैं, जो कि सन् १९०२ ई० में प्रबाल नगर में एक कमिस अधिवेशन के अवसर पर १०२ सदस्यों की उपस्थिति में, जिसमें कि संसार भर के विशेषज्ञ आये हुए थे, स्वीकृत हुआ था। यह यह है कि नवयुवकों को यह शिक्षा सर्वोपरि देना चाहिए कि ब्रह्मचर्य यह चीज है, जो कि न केवल हानिप्रद ही नहीं है, बल्कि जिसकी सिफारिश शरीर-रक्षा-सम्बन्धी उद्देश्यों को दृष्टिगत में रख कर करनी चाहिए।"

कुछ वर्ष पूर्व एक ईसाई विश्वविद्यालय के चिकित्सा-विभाग के सभी आचार्यों ने सर्व-सम्मति से यह घोषित किया था कि "हम सब लोगों के अनुभव में यह आया है कि यह कहना

कि ब्रह्मचर्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, निराधार है। हमारी जानकारी में, इस प्रकार के जीवन से कोई हानि होती है—यह नहीं आया है।"

दोस्रो आगे चल कर लिखता है कि अच्छा, मामले की सुनवाई हो गई और सुनीति-वेत्ता और समाज-शास्त्र-पुराण भी बड़ी खूली हुई बात कह सकते हैं, जो कि कसिन ने लिखी है—कि भोजन या व्यायाम की तरह विषय-भोग की इच्छा थोड़ी ही अनिवाय वृत्ति की दरकार नहीं रखती है। यह एक सच बात है कि दो-चार असाधारण व्यक्तियों की बात छोड़ कर पुण्य या ज्ञे विना किसी बड़ी उथल-पुथल के—यहाँ तक, बिना किसी पीकापूर्ण असुविधा के अनुभव किये हुए ब्रह्मचर्य-मय जीवन रह सकता है। यह कहा गया है—और यह जितना कहा जाय उतना ही कम है, क्योंकि साधारण शारीरिक दशा में संयम के कारण कभी भी कोई रोग नहीं उत्पन्न होता है, और सामान्य शारीरिक दशा वाले लोग अधिक शक्ति का उचित प्रबन्ध कर दिया है, जिसे कि हम मामिक-धर्म या अनायास स्थलन के रूप में पाते हैं।

"डा० वीरी इसलिए यह ठीक कहते हैं कि यह प्रथम वास्तविक आवश्यकता या प्रकृति का नहीं है।" "यह सभी जानते हैं कि अगर मूख की वृत्ति न हो और शक्त की वृत्ति बन्द हो जाय, तो नया दुष्परिणाम होगा। लेकिन कोई भी देखक यह नहीं लिखता कि अस्थायी या स्थायी संनय के कम स्वरूप वीन सा इच्छा या भारी-रोग पैदा हो गया। अपने नैतिक जीवन में हम ब्रह्मचर्य से रहने वाले लोगों को देखते हैं जो कि न तो चारित्र्य-बल में किसी से न्यून हैं, न कम स्फूर्ति-वान हैं, न कम बलवान हैं, और न यदि वे विवाह करें, तो सन्तान पैदा करने में ही कम योग्य हैं। यह आवश्यकता, जो कि इस प्रकार परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है, वह अभिज्ञ जो वृत्ति के अभाव पर शान्त बनी रहती है, न तो आवश्यकता कही जा सकती है और न प्रकृति ही।"

"जो पुरुष का सम्बन्ध यह हरगिज नहीं है कि बढती हुई उम्र की शारीरिक आवश्यकता पूरी की जावे—वरन् उसके बिल्कुल विपरीत। शरीर की साधारण बढत के लिए यह परमा-वश्यक है कि पूर्ण समय का पासन किया जाय, और जो ऐसा नहीं करते, वे अपने स्वास्थ्य को गहरी क्षति पहुंचाते हैं। सयानी उम्र होने पर बहुत सा फेरफार हो जाता है—शरीर के भिन्न २ अंगों के कार्य-सम्पादन में भारी उलट फेर होने लगता है और सामान्य उन्नति भी होने लगती है।

युवावस्था को प्राप्त बालक को अपनी समस्त शक्ति चाहिए, क्योंकि इस काल में प्रायः बीमारी को रोकने की शक्ति कम होती है, रोग और मृत्यु का इस अवस्था में, छुटपन की अपेक्षा आधिक्य रहता है। सामान्य बढत में या आत्ययिक विकास अथवा और किसी प्रकार के शारीरिक रक्षोबल में, जिसके अन्त में बालक पुण्यत्व को प्राप्त होता है, प्रकृति को बहुत परिश्रम करना पडता है। उस अवसर पर विषय-भोग में अतिशयता करना आपत्तिजनक है और विशेषतया समनेन्द्रिय का अकारण उपयोग।

## हिन्दी-नवजीवन

गुरुवार, प्रायण वरी ५ संवत् १९८३

### शास्त्रज्ञा यनाम बुद्धि

बह शिक्षक, जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को बरखा चलान इच्छिते सिखाया था कि महात्माजी की आज्ञा है, लिखते हैं:

“२४ जून सन् १९२६ के 'यंग इन्डिया' में 'महात्माजी का हुक्म' शीर्षक आपका लेख पढ़ कर निम्न-लिखित शक्यों मेरे मन में उत्पन्न हुए:

आप विवेक को बहुत प्राधान्य देते हैं। क्या आरने 'यंग इन्डिया' अथवा 'नवजीवन' में यह भी नहीं लिखा था कि विवेक इंग्लैंड के राजा की तरह इन्डियन रूपी अपने मंत्रियों के हाथ में सोलहो आने है? क्या आदमी प्रायः उसी दिशा में तर्क नहीं करता, जिस दिशा में उसकी इन्द्रियां उठे ले जाती हैं? तब फिर आप बुद्धि की पक्ष-प्रदर्शक कैसे करार दे सकते हैं? क्या आप ने यह नहीं कहा है कि तर्क, विश्वास के बाद आना है? इसलिये नहि किसी व्यक्ति में कातने की शक्ति नहीं है, तो उसे न कातने के पक्ष में द्वायक भी मिल जावेगे। छोटे बच्चों की विचारशक्ति पर अधिक जोर डालना बड़ा तर्क बाञ्छनीय है? उम महान् सुधारक कसो ने कहा था कि बचपन बुद्धि की सुपुरवास्था है। इसलिये वे बाल्यकाल में अच्छी आदों को गृह्य सिखाने के पक्ष में थे। और विस्मयवह, लड़कों को किसी महात्मा के हुक्म के समुचित काम करना सिखाना—और फिर सास तौर पर तब, जब कि उस महात्मा के उपदेश में शारीरिक भ्रम के लिये स्थान हो—तो एक सुट्टे का ही उल्लाना है। जब बच्चे बड़े होंगे, तब वे कातने के पक्ष में बहुत सी बातें कह निकालेंगे। लेकिन तब तक के लिए क्या अन्ध वीरोपसना का भाव (जैसा कि आप उसे कहना चाहते हैं) उनमें जाप्रत करना ठीक न होगा? क्या हम लोगों ने आजकल बुद्धि की एक झिलवाह मा नहीं बना रखा है? उसी घड़ी की बातों के लिए हम लम्बी चोरी दलील इडने में माबासी करते हैं और तब भी सन्मुख नहीं होते। बुद्धि का बेशक एक स्थान है, परन्तु जो स्थान आज कल हम लोगों ने उसे दे रखा है, उससे कहीं नीचा।

जब तक कि किसी व्यक्ति को पंके तौर पर यह न याद हो कि वह पहले अनुक सम्बन्ध में बह क्या कह चुका है और किस परिस्थित में, तब तक अपने ही विरुद्ध वाक्य न्कत कर टोक नहीं है।”

जो जो बातें उक्त सञ्जन मेरे द्वारा लिखित बतलाते हैं, वे बेशक मेने किसी न किसी समय लिखी हैं—परन्तु बिल्कुल दूसरी ही परिस्थिति में। जब कि कोई बात कारण सहित 'बहुकुल अच्छी तरह से बतलाना सम्भव है, यहाँ तक कि बच्चे भी बह अच्छी तरह से उसे समझ सकते हों, तो किसी विज्ञान के नाम पर उसे बतलाने और तदनुसार कार्य करने की शिक्षा देने का कोई कारण नहीं है। अरुहर करके तो यह विधि अनारमक हुआ करती है। हरएक व्यक्ति अपनी शक्ति भोर अरुधि रकता है। और जब कि कोई व्यक्ति 'वीर' में भ्रडा रखने लगे, तब वह अपने विवेक को बिदा कर देता है और उसका बह झिलवाह बना केता है। उसी को मैं अन्ध वीरोपसना कहता हूँ। वीरोपसना एक उत्तम गुण

है। कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति बिना आदर्श के उन्नति नहीं कर सकता है। उसके लिये 'वीर' प्रकाश और उदाह बर्षक हुना करता है। वह भाव को कार्य में परिणत करना सम्भव करता है और धायद बिना उरके, लोग अपनी कमजोरी के कारण कार्य करने पर उद्यत न होते। वह हम को निराशा की इच्छल से उबारता है; उसके कृत्यों का स्मरण हम में अमीन स्वाम करने का बक भरता है। परन्तु यह कदापि न होना चाहिये कि वह विवेक को नष्ट कर दे और हमारी बुद्धि को पशु बना दे। हम में से उरकष्ट से उरकष्ट आत्माओं के बधनों तथा कार्यों तक को हूयै अच्छी तरह कसैटी पर कस लेना चाहिये, क्योंकि वे 'वीर' आखिर मनुष्य और नाशवान् हैं। वह भी ठीक उसी तरह गलती कर सकते हैं जैसी कि हम में से अधम से अधम। उनकी उत्तमता तो उनके निर्णय तथा काम करने की उनकी शक्ति में है। इसलिये जब वे गलती करते हैं, तब परिणाम बडा भयकर होता है। वे उस व्यक्ति या राष्ट्र का नाश मार देते हैं जो कि अन्ध वीरोपसना करने की आदत में है और बिना कोने समझे तथा बिना शका तक किये उसकी सब बातों को मान लेते हैं। इसलिये वीरोपसना के प्रति अंधमर्षिक विवेक की अन्धभक्ति से बचावा करार है। सब बात तो यह है कि विवेक की अन्धभक्ति कोई कीज है ही नहीं। परन्तु उक्त शिक्षक की, विवेक-सम्बन्धी चेतावनी से एक काम हुआ है: यह देखते हुये कि अधिकांश रूप से विवेक ध्वंशर का एक मात्र पक्ष-प्रदर्शक है, यह आवश्यक है कि उसके सभी आकांक्षी एवं सुद्ध हों। इसलिये इन्द्रियों को बठोर गमम द्वारा पक्ष में कर लेना चाहिये, ताकि विवेक का आज्ञापालन वे सुशी से किया करें, न कि यह कि उलठे, विवेक को उनका निस्वहाय मुकाम होना पड़े।

माना, कि बच्चों की विवेक-शक्ति सुपुरवास्था में होती है, परन्तु एक सचेत शिक्षक उसे प्रेम से आभन कर सकता तथा उसे शिक्षित बना सकता है। वह बच्चों में गमम की टेव डाल सकता है, ताकि उनकी बुद्धि उनकी इन्द्रियों के कशीपूत न हो कर, बचपने से ही उनकी पक्ष-प्रदर्शक बन जावे। बच्चों से किसी वीर के उपदेश के अनुसार चलने को कहना कोई सम्भव न हुआ। उससे किसी आदत का जोआरोपण नहीं होता। वे बच्चों, जो कि किसी काम को बिना संयं मन्झे ही करना सिखाये जाते हैं, काहिल ही बाने हैं। और यदि देवान् कहीं दूयग शिक्षक उन बच्चों के नित रूपी विहासन से उम वीर रूपी लय रामा को न्यून काम है, जिसकी पहला शिक्षक बड़ा शासीन कर गया था, तब तो जानो वे अपने भावी जीवन में किसी काम के न रहे। और यदि शुरू से ही, जो कुछ उनकी बतलाया जाय, अच्छे तरह समझाया जाय और उसके बाद उनके सामने उन पुरुषों के उदाहरण पेश किये जाय, जिन्होंने महान् काम किये हैं ताकि उनके मकल्प में प्राथम्य आने या विवेक की पुष्टि हो, तो सम्भव है कि वे वाशिक्षाली और चारिन्वयान नागरिक बनें और कठिन अवधरों पर उड रह कर अपना सुख सञ्चल करें।

(गं. इ.)

मोहनदास करमचंद गांधी

### आमम भजनावलि

पांचवीं आहुति काल हो गई है। अब जितने आर्द्धर सिद्ध हैं, दर्क कर लिए जाते हैं। आर्द्धर मेजनेवलो को, जब तक छठी आहुति प्रदासित न हो तब तक, धर्य रखना होगा।

भावस्वापक, हिन्दी-नवजीवन



## सत्य के प्रयाग तथा आत्म-कथा

भाग २

अध्याय ११

क्रिस्तानी सम्बन्ध

एक दिन एक बजे मैं मि० बेहर की प्रार्थना समाज में गया। वहाँ मि० हेरिस, मि० गेब, मि० कोट्स आदि लोगों की जान पहिचान हुई, सब ने पुस्तकों के बक बेट कर प्रार्थना की—मैंने भी उनका अनुकरण किया। प्रार्थना में—जिसके मन में जो आत्मा रही ईश्वर से माँगता—‘हमारा दिन शान्ति से व्यतीत हो, ईश्वर हमारे हृदय के द्वार खोले—इत्यादि प्रार्थनायें तो की ही जाती थी।’ मेरे लिए भी प्रार्थना की गई। ‘हमारे बीच में जो नया भाई आया है, उसको तु सम्मान देना; जो शान्ति तुने मुझे दी है, उसे भी दे प्रदान कर—जिस ईश्वर ने हमको मुक्त किया है, वह उसे भी मुक्ति प्रदान करे। वह जब हम ईसा के नाम पर तुझसे माँगते हैं।’ इस प्रार्थना में मन्त्र-कीर्तन कुछ भी न था—सिर्फ ईश्वर से, विशेष भाव से, वाचना करना तथा आने २ घर जाना—बस। सब का यह दोपहर का भोजन करने का समय होता। इसलिए सब खाने के लिए चले आया करते। प्रार्थना में पाँच मिनट से अधिक शब्द ही लगते होंगे।

मि० हेरिस और मि० गेब—दोनों परिवर्तन अवस्था की कुमारियाँ थीं—मि० कोट्स क्वेडर थे। वे दोनों पहिले साथ ही रहते थे। उन्होंने मुझे अपने महा प्रत्येक रविवार को साथ पीने का म्यौता दे रखा था। मि० कोट्स और मेरा जब इसकार की मुलाकात होती, तब मैं उन्हें अपनी दिन-रागी मुनाया करता था। और कौन सी पुस्तकें मैंने पढ़ीं—उनका मेरे बिल पर क्या असर हुआ—इत्यादि २ के बारे में हम लोग आपस में चर्चा करते थे। वे कहते अपने रोचक अनुभव मुनातीं और अपनी परम शान्ति की बातें करती थीं।

मि० कोट्स एक बड़े साफ दिल के कट्टा क्वेडर युवक थे—उनके साथ मेरा सम्बन्ध अब गाढा हो गया। हम लोग अनेक बार साथ २ टहलने जाने और वह कभी २ मुझे अपने किरानी मित्रों के यहाँ के जाते।

मि० कोट्स ने मेरी अकमारी पुस्तकी से सर दी—ज्यों ज्यों वह मुझे जानते पहिचानते जाते थे, त्यों त्यों वह मुझे अपनी सच्चय की पुस्तकें पढ़ने के लिए दिया करते थे। मैंने भी केवल भ्रष्टा के कारण ही उन पुस्तकों को पढ़ना कुबूल कर लिया था। और इन पुस्तकों के बारे में हम बातलाप भी किया करते।

ऐसी पुस्तकें सन् १८२२ से मैंने बहुत सी पढ़ीं। उन सब के नाम आज तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनमें “सिटीटेम्पल” वाले डा० फार्कर की टोका, पियर्सन की “मैनी इनकेलिबल प्रूपस” और “बटलर्स एनालोजी” अकर थीं। इनमें से कुछ को तो कहीं कहीं मैं समझ न सकता था और वे कहीं कहीं पसन्द पड़ती थीं और कहीं कहीं नहीं थीं। मैं अपनी राय मि० कोट्स से साफ २ कह बिया करता था। “मैनी इनकेलिबल प्रूपस” का आशय “इसीके से उल्लेखित धर्म के सम्बन्धका अकात्म प्रमाण” था। इस पुस्तक का मेरे बिल पर कुछ भी असर न हुआ। फार्कर की टीका नीति-वैपक्ष कही जा सकती है, लेकिन क्रिस्तानी धर्म के प्रकृतित मत के बारे में सांकाशिक मनुष्य को उससे लाभ होना सम्भव न था। “बटलर्स एनालोजी” बहुत ही मधीर और कठिन प्रतीत हुई। पूरे सौर पर समझने के लिए उसे पाँच, छः बार पढ़ना जरूरी है। ऐसा मालूम होता था कि वह

पुस्तक नास्तिक को नास्तिक बनाने के लिए रची गई थी। उसमें लिखित ईश्वर के अस्तित्व के समर्थन में दी हुई दलीलों का मेरे लिए कोई उपयोग न था, क्योंकि यह समय मेरी नास्तिकता का न था। लेकिन ईसा के अद्वितीय अवतार होने के बारे में, तथा मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध करानेवाले होने के बारे में दो दलीलें दी गई थीं। उनका भी असर मेरे ऊपर न पड़ा।

लेकिन मि० कोट्स आसानी से हार मानने वाले युवक न थे—और इनके प्रेम की भी सीमा न थी; उन्होंने मेरे गले में शैल्य की कण्ठी देखी, उनको वह नष्ट भक्षण हुआ—तथा उससे उनको खेद भी हुआ। वे बोले:—वहम आरपी शोभा नहीं देता—लड़के, इस कण्ठी को तोड़ जातू।

मैंने कहा—यह कण्ठी टूट नहीं सकती। यह तो माताजी की प्रसादी है।

उन्होंने उत्तर दिया—क्या तुम उसको मानते हो? इसका गूढार्थ तो मैं नहीं जानता। हाँ, मैं यह नहीं मानता हूँ कि यदि मैं इसे न पढ़तूँ तो मेरा कोई अनिष्ट होगा। परन्तु जो माला मुझे मेरी माता ने प्रेम-पूर्वक पहिनाई है, जिसके पहिनेने में उन्होंने मेरा हित सम्झा है, उसको अकारण ही मैं टूट नहीं सकता। एक यदि यह जीत होने पर लुपित हो जायगी, तो दूसरी माला पहिनेने का लोभ मेरे मन में न होगा। लेकिन यह कण्ठी नहीं टूट सकती है।

मि० कोट्स मेरे नर्क की कदर न कर सके, क्योंकि उनको तो मेरे धर्म के विषय में विश्वास ही न था। वह तो मुझे अज्ञान-रूप से निकालने की आशा रखते थे। “अन्य धर्मों में चाहे कुछ सत्य क्यों न हो, परन्तु पूर्ण सत्य के रूप क्रिस्ती-धर्म को स्वीकार किये बिना मुझे मोक्ष मिल ही नहीं सकती और ईसा के माध्यम के बिना पाप नहीं धुलते, तथा सब पुण्य-कार्य निरर्थक हैं”—यह वे मुझे बतलाना चाहते थे। मि० कोट्स ने जिस प्रकार पुस्तकों का परिचय कराया, उसी प्रकार उन्होंने उनका, जिनको कि धर्म में वे दृढ़ किस्ती मानते थे, भी परिचय मुझ से कराया। उन क्रिस्तीयों में ‘प्लीमथ प्रदा’ संप्रदाय का एक कुटुम्ब था।

मि० कोट्स के कराये हुए अनेक परिचय मुझे अच्छे लगे। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वे सब लोग ईश्वर से बरनेवाले थे। परन्तु इस कुटुम्ब में मेरे साथ ऐसी आधर्म-कारक बातें करने वाला मुझे एक व्यक्ति मिला, कि ‘हमारे धर्म की विशेषता आा नहीं गमना सकते—आपकी बोल-चाल से मैं देखता हूँ कि आपकी हमेशा अपनी मूर्खों पर ही विचार करना पड़ता है। उनको बुर करने का प्रयत्न और असफल होने पर पश्चात्ताप या प्रायश्चित्त करना पड़ता है—इस क्रियाकांड से आप किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं? आपको शान्ति तो मिल ही नहीं सकती। हम लोग पापी हैं, यह तो आप स्वीकार करते ही हैं। अब आप देखिये हमारे मत की परेपूर्वता को। हम सब का प्रयत्न व्यर्थ तो है, लेकिन मुक्ति तो हमको चाहिए—या का जोशा हम नहीं उठा सकते हैं; तब उसे ईसा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वह तो ईश्वर का एक मात्र निष्ठाप पुत्र है। उसका बरदान है कि देखो, जो मुझे मानता है उसके पाप धुल जाते हैं। वह ईश्वर की अगाध उदारता है। हम लोगों ने ईसा की मुक्ति की योजना को स्वीकार किया है, हम अपने पापों में लिप्त नहीं होते हैं। इस क्षण में पाप के बिना कोई कैसे रह सकता है? इसीलिए ही सारे संसार के पाप का प्रायश्चित्त ईसा ने एक साथ ही कर लिया था। जो उसके महा-बलिदान को मानता है, उसी को ही

शान्ति मिल सकती है। भला, कहां आगकी अशान्ति और कहां मेरी शान्ति।”

यह दलील मेरी समझ में न समाई। मैंने नम्रता-पूर्वक उत्तर दिया—“यदि यही सर्वमान्य किरानी-धर्म है, तो वह मुझे नहीं चाहिए। मैं पाप के परिणाम से मुक्ति नहीं होना चाहता, मैं तो पाप-वृत्त में से, अथवा पाप-कर्मों से, मुक्त होना चाहता हूँ। जब तक वह मुझे न मिलेगी, तब तक मेरी अशान्ति मुझे प्रिय लगती रहेगी।”

लीमथ ब्रदर ने उत्तर दिया: “मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी चेष्टा व्यर्थ है—मेरे कहने पर जरा विचार तो करना।”

इस भाई ने जो कुछ कहा, बड़ी अरुने व्यवहार से बन-लाया—ज्ञान-वृद्ध कर अनीति करने का प्रयोग दिखलाया।

परन्तु यह बात तो इस परिवर्ष के पहले ही जान सका था कि सभी किरानियों की ऐसी मान्यता नहीं हुआ करती। कोट्रा स्वयं ही पाप से बचनेवाला आदमी था। उसका हृदय निर्मल था—और वह हृदय-शुद्धि की शक्यता को मानता था। वे बहने भी उन्हीं की तरह थीं। मेरे हाथ में आई हुई पुस्तकों में से कुछ भक्तिपूर्ण थीं। इसलिए अगवें कोट्रम को मेरे इस लीमथ ब्रदर के अनुभव से परावृष्ट हुई, तो भी मैंने उसको शान्त किया और उसको इतनीमान दिलवाया कि एक लीमथ ब्रदर के अनुचित मत के कारण मैं किरानी-धर्म को किसी प्रकार की शंकात्मक दृष्टि में नहीं देख सकता। मेरी निजी कठिनाइयाँ तो दलील और उसके सट अर्थ के बारे में थीं।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

## राष्ट्रीयता और ईसाई मत

यूनिजन क्रिश्चियन कॉलेज आलवाई (द्रावनकोर) के मिस्टर भैलकम मैगरिज का दिया हुआ भाषण मेरे पास प्रकाशनार्थ भेजा गया है और वह सक्षेप में नीचे दिया जाता है: यह भाषण लाभदायक है, क्योंकि इससे यह प्रकट होता है कि ईसाई मत के मानने वाले हिन्दुस्तानियों में राष्ट्रीय जाग्रति हो रही है। आश्चर्य तो इस बात का है कि यह काम इतने दिनों तक क्यों रहा? यह बात हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आती कि कोई भी धार्मिक पुरुष अपने निवृत्त पत्रोपिधों के मनोरथ से सहानुभूति रखने बिना किस प्रकार रह सकता है।

अन्तर-राष्ट्रीयता में राष्ट्रीयता का भाव विद्यमान है—लेकिन वह राष्ट्रीयता नहीं जो कि सकीर्ण, स्वाभिमय या लोभपूर्ण है और जो प्रायः “राष्ट्रीयता” के नाम से पुकारी जाती है—बल्कि वह राष्ट्रीयता जो कि, अपनी अन्नति और स्वतंत्रता के प्राप्त करने पर हक रहने लुये, दूसरे राष्ट्रों को नुकसान पहुंचाने द्वारा उनको हानिल करने से परहेज करेगी। यो क० गांधी

“लोग यह बराबर कहा करते हैं कि ईगई को राष्ट्रीय अन्वयाय सहन कर लेने चाहिए—खास तौर पर तब जब कि वे अन्वयाय पूर्वीय देशों में किये जाते हों। इसका कारण यह है कि चूंकि बेहिजयम देश का राजा ग-गता का बड़ा भारी पोषक था, इसलिए उसकी दूसरी ही बात थी। ईसाई मत की प्रचार-संघर्षनी मस्थानों के लिए यह नियम है कि कोई भी प्रचारक राजनीति में भाग न ले। इसके अर्थ तो यह है कि उन लोगों को यह मान लेना चाहिए कि इस देश में ब्रिटिश शासन परमात्मा की निधित की हुई एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन मेरे अनुभव में तो यह आया है कि इस देश में हमारा ‘ईसाई’ नाम साधिक होना तब

ही सम्भव हो सकेगा, जब कि हिन्दुस्तान आजाद हो आवेगा। इसका कारण यह है कि केवल स्वतन्त्र पुरुष ही ईसा मसीह के रूप को समझ सकते हैं और तब भला कहीं उसकी बतई राह पर चल सकते हैं। लेकिन, ब्रिटिश शासन इस देश में महेज नकल करने वाले गुलाम पैदा कर रहा है,—ऐसे लोग जो कि न केवल परतन्त्र हैं, बल्कि जो कि अपनी शक्यता को प्रसन्नता के साथ अंगीकार किये हुए हैं; इसलिए उस शासन-पद्धति को स्वीकार करना ईसाई मत के प्रतिकूल होगा।

ईसा स्वतंत्रता के अवतार थे—पवन की सदृश स्वच्छ और चेतनदायी थे। उनका भारतवर्ष के प्रति यह राईषा है:—प्रत्येक मनुष्य को अपने को स्वतंत्र समझना चाहिये। जब तुम अपने २ मन में स्वतंत्र हो जाओगे, तब तुम स्वराज पा जाओगे।” यदि हम ईसा के इस कथन को मानेंगे तो हम अपनी बेडियाँ बिल्कुल काट गिरावेंगे।

ईसा स्वतंत्रता की भाँति में से थे और यही हाल उनके शिष्यों का भी था; उनके “शाहिब” तो रोमन लोग थे। उन्होंने रोमन राज्य के प्रथम एक बार ही में हाथ डाला था—यह भी उन्होंने तब किया था, जब कि उनके विरोधी लोगों ने आकर उनसे यह प्रश्न पूछा था कि क्या सीसर को कर देना न्यायगत है? वे यह चाल चल कर उन्हें फाँसना चाहते थे, लेकिन ईसा ने यह कह कर उन्हें चकर में डाल दिया कि सीसर तो वे नहीं हैं वे जो जिनके बड़ गोम है। इसके अर्थ यह नहीं है कि उनको कर देना चाहिये था। सब ही सरकारी का—बाहे में मली हों या पुरी—कर देना हक नहीं है।

शासक देश के राष्ट्रवारी होने में किसी को सन्देह हो, क्योंकि वे किसी गुलाम देश के लिये, राष्ट्रवादों का क्या कर्तव्य है, इस पर निश्चय रूप से कोई सन्देह नहीं दे गये हैं। लेकिन यह बात भी तो है कि वे ससार के स्थूल भगठन में मगध रखने वाली किसी चीज पर कोई निधनार्थक उपदेश नहीं दे गये हैं। उन्होंने कब कहा था कि वेत्यागमन मन करो, उन्होंने कब कहा था कि नाम मात्र का वेतन दे कर क्यों वे प्रति सप्ताह १५ घंटे काम लेना अनीति-पूण है, उन्होंने यह नहीं कहा था कि किसी अनजल जाय की अज्ञा पर हम को पेट के बल न रेंगना चाहिये। और न उन्होंने यह ही कहा था कि विनापीष लोगों के लिये यह पाप है कि जब कि वेनारे उपांग धधा करने वाले लोग अत्यन्त गरीबी से निर्वाह करें, वे स्वयं बड़े २ मुनाफे लगें। उन्होंने तो गुलामी की दशा तब का सुदृष्टता विरोध नहीं किया था। इतना होते हुये भी हम में ऐसे लोग, निश्चय ही, बहुत कम होंगे जो कहेंगे कि चूंकि ईसा ने इनके बारे में कुछ कहा नहीं था, इसलिए वे ठीक हैं। उन्होंने तो हम को बड़े २ सामान्य सिद्धान्त दे किये थे उन सिद्धान्तों के अनुसरण करने का कर्तव्य हम लोगों पर छोड़ रक्खा था। उनका तो यह सन्देश था कि एक दूसरे के साथ प्रेम करो और आर्थिक चिन्ताओं का बोझ अपने घर पर न रक्को।

उन्होंने कहा था कि यदि कोई आदमी तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे—तो तुम, उसके प्रति दूसरा गाल भी कर दो, ताकि वह उसमें भी मार ले। निम्नन्देह वे ऐसे सिद्धान्तों को छोड़ गये हैं कि जिन पर अमल करने से यह मानव-जीवन मनेदर, परिष्कृत और सुखमय हो सकता है। लेकिन उनका तात्पर्य यही था कि हम लोग उन सिद्धान्तों पर चले और उनके अनुसर चलने के द्वारा ही इस देश के शासन में अपनी ताबेदारी से उबरे। तथा हमको ईसा के बतलाये हुये मार्ग पर चलने के लिये बन्धनमुक्त होने के अभिप्राय से उस शासन का विरोध करना चाहिये।

किस्ती-धर्म-संघ ने ईसा के इन सिद्धान्तों के प्रति एक विचित्र सी वृत्ति कर रखी है, उधने इनकी उपदेश के निमित्त भंगीकार कर लिया है, लेकिन उसने इस बात पर विष्कूल ध्यान नहीं दिया कि समाज के वर्तमान संगठन के कारण उन सिद्धान्तों पर अमल करना नितान्त असंभव है।

हमारे पादरी लोग उपदेश देते हैं कि एक दूसरे के साथ प्रेम करो; और तुरन्त ही नवयुवकों से प्रेरणा करते हैं कि जाओ और जर्मन लोगों के ऊपर जहरीली गैस छोड़ो। हमारे पादरी कहते हैं कि आपस में प्रेम करो और फिर वे ही आगुर हो कर ब्रिटिश साम्राज्य का साथ देने पर भाषण देते हैं। हालाँकि उगहो यह बात जाननी चाहिए आज का ब्रिटिश साम्राज्य जब तक दुनिया में है, तब तक इस व्यापारी दुनिया में शान्ति कहाँ? हमारे पादरी कहते हैं कि प्रेम रखो और तुरन्त वे ही बड़े सन्तोष से, किन्ती अत्यन्त प्रतिष्ठित किस्ती के साथ बैठ कर भोजन करते हैं; और यही प्रतिष्ठित महाशय अपने "शेयरी" पर करारा मुनाफा खा कर मौज उठाते हैं, जिसके फल-स्वरूप ग्लासगो में कुटुम्ब-व्यभिचार फैला है, मंचेस्टर में लोग भूखों मरते हैं, और मधर के सभी औद्योगिक मुन्कों में मरणान तथा पतन होने लगता है।

और फिर, जिसे कि लोग व्यापार के नाम से पुकारते हैं, यह अधिकांश छूट है। लेकिन हमारा किस्ती मध ऐसी छूट बनाने वालों को आर्श-वाह देता है और कभी कभी तो वह इस प्रकार के व्यापार से मोटा होता है। जब कि मेरे देसनासी यह कहने लगते हैं—और मैं स्वयं भी भूतकाल में वह चुका हूँ—कि पूर्व-रष्ट्र है, परन्तु पश्चिमी देस नहीं, तब मुझे हंसी आती है। हिन्दुस्तान में आदमी अपनी बेची हुई चीज पर न्यायविद्वद् कमीशन पाता है, जिस पर कि हम ईसाई लोग उसे चिकारते हैं, और पश्चिम में बेचने वाले आपस में मिल कर बेचारे जहरतजदे खरीदार से "न्यायपूर्वक" करारा मुनाफा कसते हैं और इस प्रकार धनी होने वाले वे सौदागर लोग गिरजाघरों के संरक्षक बनाये जाते हैं। द्रावनकोर में कम वेतन पाने वाला पुलिस का सिपाही दिव्यन लेता है और हम जैसे साम्बिक रोष के साथ उधे पेश आते हैं। एक बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष और गिरजाघर में बिरा जागे जाने वाला एक बड़ा दयूक उध कोयले से, जो कि खदानों के भीतर से मजदूरों के कठिन परिश्रम से निकाला जाता है, मालों रूपसे बतौर करारों के प्रति साक लेता है, हालाँकि वह यह बात जानता है कि खदान में काम करने वालों को मजदूरी इतनी कम मिलती है कि वे प्रायः भूखों मरा करते हैं। और यही साहब हाउस आफ कार्ड्स में (दीवान साध में) शान से बैठ कर हम पर शासन करने में भोग देते हैं।

तो क्या ईसा एक मूर्ख पुरुष थे? क्या उन्होंने अपना साग जीवन अव्यवहार्य शिक्षा देने में लगाया था? हरगिज नहीं। वह तो यह कहा करते थे कि "जैसा तुम दूसरों से व्यवहार अपने प्रति कराना चाहते हो, वैसा ही उनके साथ तुम किया करो" — और वे हम से यह आशा करते थे कि हम लोग अपने जीवन में यह मौकिक-केरकार कर लेंगे। ऐसा करने की शक्ति भी ईश्वर की कृपा से हम को उन्होंने दी थी। परन्तु इस सत्य को हम केवल जिहा से ही उच्चारण करते हैं और अपने व्यवहार में, हम उध करकार का साथ देते हैं जो कि मनुष्यों को शुकाम बना रही है। हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं कि हमारा वह काम नहीं है कि हम इसमें दस्तबाजी करें; हमारा काम महज, व्यक्तियों को अपने

दीन में मिलाना है। अब हम साहसपूर्वक इस बात का निरीक्षण करना चाहते हैं कि ईसा ने कौन-से उपाय हमारे मार्ग की अडचनें मिटाने के लिये बतलाये थे। और यदि हम ऐसी बातें पावे जैसी कि पूंजीपतियों की संसार भर में सर्वोपरिता, या ब्रिटेन की हिन्दुस्तान पर सर्वोपरिता, तो हम को तन मन और आत्मा से उनका विरोध तब तक करते रहना चाहिये, जब तक कि वह सर्वोपरिता नष्ट न हो जाय-या सत्य के प्रबल तेज में भस्म न हो जाय, क्योंकि वह अनृत रूप है। मैंने अभी कहा है कि ईसा के उपदेशों का पालन करने लिये यह आवश्यक है कि हम आर्थिक तथा राजनैतिक रूप से स्वतंत्र हों। मैंने यह भी कहा है कि हम एक ही ईश्वर की भगत होने के कारण दूसरों के सामने समानता का अनुभव करते हुये पुरुषों की भाँति मस्तक ऊँचा कर के तथा आत्मविश्वास के साथ संसार की ओर देख सकें। नभ्रता से ईसा का उद्देश दाम्बिक नभ्रता नहीं था, बल्कि उनका आशय यह था कि अपनी योग्यता और सफलताओं के बारे में हम को, यह जानते हुये, नभ्र होना चाहिये कि वे तो ईश्वर ने ही प्रदान की हैं और वे उन्हीं की सेवा के लिये हैं। उनका अभिप्राय यह था कि हम लोगों में इतनी नभ्रता आ जानी चाहिये कि हम गरीब से गरीब गेदतर के साथ भी ब-धुत मानने लगे — जो भी अपना बहूपन विस्तार हुये नहीं, बल्कि दाम्बिक रूप से—उम प्रकार जिस प्रकार कि हम अपने नकदीकी रिस्तेदार को मानते हैं। साथ साथ हममें इतनी धीरता भी होनी चाहिये कि हम बड़े से बड़े साहिबों या धनी से धनी राजाओं से भी बराबरी का दावा कर सकें।

अब हम अपनी व्यक्तिगत हेसियत से कोई पाप करते हैं, तब हम में से अधिकांश लोगों के आत्मा में ग्लानि पैदा होती है—या यों कहें कि अनृत का विचार हमें सताने लगता है, तब फिर किसी क्रूर सरकार के अत्याचार पर अथवा बड़े भारी असत्य पर—हम क्यों न चिंतित हों! मुझ से किसी होटल में "साहब" लोगों का ठसक से भरा हुआ बर्तन नहीं देखा जाता; मैं किसी गैरोपियन की बातचीत को, जब कि वह भोजन करते समय जाति-आभिमान के साथ करता है, बिना बड़े क्षोभ के, बिना यह ह्याल किये हुये, नहीं सुन सकता हू कि मैं उस असत् के द्वारा पहुचाये हुये आघात को मिटाने के लिये कितना कम प्रयत्न कर रहा हूँ। जब मुझे वह इतना बुरा लगता है, तब भला वे लोग, जो कि यहाँ की मिट्टी और धूप में पले हैं, इसी भूमि में उत्पन्न हुआ नाम ज्ञाया है और इसी देश के खेतों में पसीना गिराया है, कितना बुरा न मानते होंगे?

लेकिन इस मामले में तुम खुद परम दोषी हो। ब्रिटिश राज की भाँति स्वयं तुम्हारी संस्थाओं भी प्रेम तथा सौन्दर्य के राज्य को रोक रही हैं: एक उदाहरण तो अधर्म-पूर्ण जाति-प्रथा तथा अस्पृश्यता का ही है, जिसके कारण एक मनुष्य अपने भाई के साथ भोजन करने से इंकार करता है और एक आदमी अपने भाई को अस्पृश्य मानता है। ईसा के नाम पर बनाये हुये गिरजाघर भी ऐसे हैं जहाँ अस्पृश्य लोग नहीं घुसने पाते हैं। वे बानें भी दुनिया को बरबाद कर रही हैं। हमें को चाहिये कि हम केवल इन बातों के बारे में ईश्वर से प्रार्थना ही न करें—क्योंकि यह सुलभ है, इनकी चर्चा ही न करें—क्योंकि यह भी बहुत आसान है—बल्कि निरन्तर काम करें। हम घटे बजाते और गिरजाघरों में जाते हैं, भजन—प्रार्थना करते हैं, गाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उन संस्थाओं को भी मदद देते रहते हैं या अप्रकट रूप से उनको स्वीकार किये रहते हैं, जिनके कारण वह सत्य अवर्धनित होता है—जिसके लिये ईसा जिंसे और मरे।

जो भारतवासी यह कहता है कि हम अमुक जाति के — अपने झगड़े मिटा नहीं सकते — अपने मुल्क पर शासन नहीं कर सकते, पक्षपातरहित और अग्रह न्याय-व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते, ऐसा व्यक्ति कौड़े मकोड़े की तरह है और ईसा उस पर जानत पुकारता है ।

एक हिन्दुस्तानी अपने दासपने से न केवल अपने को ईश्वर का साक्षात्कार करने से बहित रखता है, बल्कि अपने "साहब" को भी ।

सब मनुष्य एक रंग हैं — मुझे तो यह आश्चर्यजनक भाव्यम होता है कि लोग अपने को ऐसा नहीं मानते ।

एक देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि यह समझते हैं कि वे पश्चिम से आये हुये उनसे अधिक गुलाबी आदर्शियों से कम अच्छे हैं । इसी तरह वे यह भी मानते हैं कि वे उन लोगों से अधिक अच्छे हैं जो कि उनसे काले हैं । कैसी मूर्खता है !

( ५० ई० )

### टिप्पणियाँ

#### कताई का प्रचार

धीरुत वरदावारी लिखते हैं—

"पारसाल 'यंग इंडिया' में जायद इकी मास में कनूर और उसके कर्तव्यों का सक्षिप्त विवरण प्रकाशित हुआ था । उसका धीरुत था 'गाँव का प्रयोग' । तब से जो उन्नति हुई है यह सराहनीय है । अब प्रयोग-श्रेणी से कहीं अच्छी दालत है । कनूर की देखा देखी अ.स.रास के सभी बम्मा गाँवों में कताई का प्रचार हो गया है और यदि आप उनसे उनका मूल देखने का माँगें, तो प्रत्येक घर वाले बड़े आश्चर्य के साथ अपना मूल जट्ट दिखाला देंगे । स्वयं कातना, जो कि अन्य सब प्रकार के कातने से बढकर है, रोकड़ों धरों में मजबूत जट्ट पकड़ गया है । यह महेंद्र एक जति-विशेष आन्दोलन नहीं है ( यद्यपि यह सब द कि इस प्रकार का कातना जानीय आधार पर ही फैल सकता है ) क्योंकि गोर लोग अपने कम्मा भाइयों के इस काम में अनुकरण करने में पिछड़े नहीं हैं । गौडर लोगों के कई ब्रास धरों ने तो इसे दृष्टना से अपना रक्खा है । और एक से अधिक गौर गाँवों (जैसे श्री चेलापलायम, जो कि कनूर से ५ मील दूर है ) में आसानी से १०-१२ धर ऐसे जट्ट मिलेंगे, जो हाथ का कता पुना वल्ल पहिरते हैं ।

एक मामूली दशक भी इस बढते हुये अन्तर को प्रतीत कर सकता है । कोई ऐसा धर नहीं है, जिसके धर पर चरखा चलता है—लेकिन जिसमें कम से कम १० सेर स्वच्छ और मुन्दर सूत तैयार न हो । कपास की पहली फसल सब पुन की जाती और बेव दी जाती है । लेकिन प्रत्येक धर के लिये, फसल उतारने समय कातने के बन्ते थोड़ी कपास अलग कर ली जाती है । उसकी उंटई, पुनाई और कताई सब धर में ही जाती है । कते हुये सूत में तनिक भी कीरी, पत्ती, जिनीला या मैलापन नहीं रहने पाता और वह रूथ के माफिक सफेद दीखता है । गत वर्ष के अनुभव भी उपयोगी थे, क्योंकि इस साल महीन और अधिक सूत काता जाने लगा है । उनका मूल २० अंक का एकछा होता है । कुछ ऐसे भी धर हैं जिनमें १० अंक का और उससे भी महीन—सूत कतता है । गत वर्ष किराँ गद शिक्षायत किया करती थीं कि जो साठियाँ हम लोगों ने बनाई थीं, वे नदी थोटी

और मारी थीं वार इपलिये इस साल हरने पड़के से महीन सूत काता है । इस साल १६ हाथ की छाडी का वजन वेद पौंड से कम होता है और इसके फैशन बन जाने में विकल्प न लगेगा । २५ या ३० अंक के सूत की कीर्तियाँ बनती हैं और प्राचीण फैशन जिसमें कि पीरे २ पुननिर्माण हो रहा है, सन्तुष्ट हो जाता है । जुलाहा भी पर्याप्त मजहुरी पा जाता है और सब से बढ कर तो उसे कार्य की स्वच्छन्दता मिल जाती है । वह स्थानीय मूल की पुनाई जरा ज्यादा करता है, लेकिन जिन धरों में मूल काता जाता है, उनको कुछ ज्यादा पुनवाई देना अवसरता नहीं । सर्वत्र सन्तुष्टता का राज्य है और एक नया वायुमण्डल धीरे धरे बन रहा है । कनूर में रगरेजी तथा लीपीगीरी-सम्बन्धी सुविधाओं के फल स्वल्प बढा ही लाभ पहुंचा है । अपने काले सूत की रंगी लपी छाडी सिर्फ इसी साल बनाई गई और इसका बनाया जाना अवश्य फेलेगा । कुछ जुलाहियों ने भी इसे अपना लिया है । उन्नति कारों और बिछाई पढ रही है । धनूर 'टाविक' का काम कर रहा है । और वह हम लोगों में से बढे से बढे शंकाशील लोगों का नैराश्य दूर कर सकता है ।

#### क्यों कातते हैं ?

एक बकीक मित्र, जिनको कि मैंने उनके मूल के एकछापन पर बघाई दी थी—यद्यपि वे नये कर्तव्य हैं—लिखते हैं—

मैं अपना इस भ्रम में नहीं डालना चाहता हूँ कि मैंने किसी देशकीक के ह्यान से या मनुष्य-प्रेम के भाव से प्रेरित हो कर चरखा चलाना शुरू किया है । सन् १९२४ में अमुक मनुष्य को कातते हुये देख कर मैंने एक विशुद्ध ऊपरी उद्देश से कातना शुरू किया था । मुझे दुःख है कि मैं उस उद्देश की पूर्ति में असफल रहा । और मेरी यह दृष्ट धारणा हो गई कि चाहे जितने दिन तक मैं क्यों न कातता रहूँ—अधिव्य में मेरी बढ उद्देशपूर्ति होना सम्भव नहीं । लेकिन जिन दिन से मैंने कातना शुरू किया उस दिन से मेरी रुनि उसके प्रति बढ गई है ।

मैंने देखा कि कातना तो चितित वित्त के लिये सर्वमुक्त शान्तिदायक है और इसलिये मैंने उसे जारी रक्खा तथा ज़ी रक्खना भी । मुक्ति में उद्देशहीन हो कर कल के पुर्न की तरह कातना पसन्द नहीं करता, इधरलिये मैं आर को यह कड वे रहा हूँ ताकि मेरा सूत अच्छा होने लगे । क्या मैं यह भी लिख दूँ कि मैंने आप के चरखा-सम्बन्धी उपदेश को हमेशा व्यवहार में एवं खल्ले रूप से धीरे निस्सहाय देखावासियों को उनकी वर्तमान शोचनीय अवस्था से उधारनेवाला माना है ?

#### परिभ्रमशील कताई

एक पत्र प्रेषक यह लिखते हैं कि पचोरा (महाराष्ट्र) में एक व्यापारी की ली ने जो महीनों में ३४ पौंड सूत काता—तब जब कि वह रोज धर का सब काम—काज करने के अतिरिक्त ५ घंटे रोज कातती थी । जो सूत उसने काता था, वह ५, ६ अंक का था ( कते को उसके पति ने पुनक दिया था ) उस व्यापारी का कपडे का सालाना खर्च १५०) था, लेकिन जब से धर में चरखा चलने लगा, तबसे वह का वार्षिक व्यय केवल ५० रुपया रह गया । इसका कारण, जैसा कि प्रत्यक्ष है, जट्टरत से ज्यादा कपडों से पिंड लुका केना है ।

( ५० ई० )

मौ० क० गांधी



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

नंबर ५ ]

[ अंक ५९ ]

सुपक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

अहमदाबाद, भायाट सुरी १२, संचत् १९८१  
 गृहकार, २२ जुलाई, १९२६ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 धारंगपुर बरकीपरा की बाड़ी

## मेवाड में खादी

भाई जेटालाल और जीवन्दास कांई में चलकर रामेश्वर पाण्डे । बदां कपास बुनने से ले कर मूत बुनने तक सब कर्तव्य सीख कर उन्होंने रामेश्वर से प्रार्थना किया । तब वे स्वामी-चार्य के लिये अनुकूल क्षेत्र ढूँढने लगे । घूमने जाते वे राजपूताने के मेवाड राज्य में पहुँचे । यह देश उन्हें बहुत ही पसंद आया । आज वहाँ वे न-उद्योग निवास कर रहे हैं ।

राजपूताने में नरखा कोई नयी काम नहीं है । अकेला राजपूताना ही यह खादी उद्योग करने में लगे हुई लागत के जो अंक शिबे हैं, यदि उसी के अनुसार राजपूताने में खादी की उन्नति में प्रगति होती रहे, तो उस देश में इस प्रकार उत्पन्न होनेवाले माल के सामने अपने वेसे ही माल की आपत करने में किसी कि शकल बना नहीं है, उन्हें निराशा होना पड़ेगा । इस उद्देश की सिद्धि के लिए कार्यप्रवृत्ति वैसी होनी चाहिए—भाई जेटालाल के निम्न-लिखित विवरण से मालूम हो सकेगा:

### लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम

“ चारों ओर से जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ, शहर से और रेलवे स्टेशनों से १५-२० कोस दूर उपरमाल-बिर्गोलिया की यह ६० गाँवों की बस्ती है ।

इस कारण यह स्थान पशुपत प्रभाव और शहरों के वायुमण्डल से प्रायः सुरक्षित है । और उसके लकड़ों में एक यह भी है कि कताई वहाँ अब भी जीवित्तावस्था में है ।

परन्तु चरखा कुछ विधिलावस्था को अवश्य प्राप्त हो गया था । अर्थात् धुनकों के जोर और आलस्य के कारण पोनिया मही होती थी और पोनियों के इस दोष के कारण तथा कातने शक्तियों की लापरवाही और अधिज्ञता के कारण सूत भी बुरा कतने लगा और इससे फिर कपडे का तो भदा होना ज़ांजिमी ही था ।

एक तरफ इस प्रकार कराव कराव होता जाता था और दूसरे तरफ विकासवादी तथा मिलों में तैयार किया हुआ कपडा उपर

चलाई करने के लिए तैयार था । इसलिए हाथ से काते और बुने कपडे की बुद्धि पर दो भाँसू डालनेवाला भी कोई न था । मोती साँवियाँ और माफो इत्यादि के अरिये मिलों का कपडा भीरे भीरे अपने पैर जमा रहा था । सूत अधिक भदा कतने लगा था, इसलिए कुर्तों और लहंगों के कपडे में भी मिक के बख का उपयोग होना बहुत कुछ आरंभ हो चुका था । तीन अंक के भड़े सूत के काटे तीन चार महीने में पट जाते थे, फिर भी लोगों में यह जप-जेशास पैठा-हुआ था कि किरानों के किले तो बही कपडा अधिक टिकाऊ और मजबूत है । यदि उनकी धारणा यह न होती तो उन्होंने भी चरखे की कमी का विदा कर दिया होता ।

तेसे समय में पथिक जी ने यहाँ कार्य किया था और वे लोगों के विश्वासपात्र बन गये थे । उन्होंने अपने स्वयंसेवक के प्रभाव से चरखे का पुनरुद्धार करना चाहा । विदेशी और मिल के कपडे की हाली भी चलई गई थी । पन्तु पथिकजी का प्रधान कार्य तो दूसरा ही था और इसलिए उन्हें इस काम के लिए बहुत ही कम मददशास था । परिणाम यह हुआ कि चरखे की शोचनीय अवस्था तो वैसी ही बनी रही, परन्तु उसकी धारणासभ दशा में कुछ जीवन अवश्य आ गया ।

कूते लहंगे इत्यादि उसी कपडे से बनाये जाते थे और कहीं कहीं साँवियाँ भी इसी भदे, मोटे कपडे की २२-२४ पन्डे की—तीन पाट कर के—बनायी जाने लगी ।

यह उन्नति पंचायत के सुसंगठन के कारण हो सकी थी—परन्तु यह भी निम नहीं सकता था—खादी महंगी पकती थी । और उसके ज़रम से मावा और मिल का मोटा कपडा बल निकला । यहाँ जाने पर सोचा कि आवश्यकतानुसार कपडा यहाँ कैसे तैयार कर सकते हैं ? हम, लोगों को उनके घर जा आ कर खादी की विशेषताओं समझाते थे और घर में काती जाने के लिये कपास संग्रह करने की आवश्यकता समझाने का भी भरसक प्रयत्न करते थे । हमारा यह अनुमान है कि इससे कपास ओटने की कंई लो चाँदियाँ बही होंगी ।

इसके बाद हमारा दूसरा प्रधान कार्य धुनाई में सुधार करना था। स्थानिक धुनिये लोग कई अच्छी धुन देने के लिए राजी न हुए। इसलिए हम नये धुनिये तैयार करने थे और लोगों को भी धुनना सिखाते थे। बांस के धनुष बना कर और बड़ी धुनकी से धुनने का काम सिखाना और बारीक मूल कातना कितना आसान है—यह दिखाने के लिए हमने गांवों में भी प्रमण किया।

आज तीन गांवों में बड़ी धुनकी और चार गांवों में बांस के छोटे धनुष दाखिल हो गये हैं। धुनाई सीखने के लिए तो बहुत से गांवों के लोग तैयार थे, परन्तु हम को समय का अभाव था। बहुतेरे घर तो ऐसे हैं कि जो कतारें और धुनाई—दोनों ही काम यदि घर में करें तो वे काफी कपड़ा तैयार नहीं कर सकते थे। इसलिए जो लोग अपनी इच्छा से सीखने के लिए आते थे, उन्हें सिखाने का प्रबन्ध था।

परन्तु इतने से भी धुनाई पर अच्छा प्रभाव पड़ा। लोग भी अच्छी और बुरी धुनाई में अन्तर समझने लगे और धुनके लोग भी कई अच्छी धुन देने लगे।

### कताह

यहां विशेषतः तीन अंक का मटा सूत काता जाता था और सूत देकर उसके बराबर बजन का, कोई भी कपड़े का धान, तौल कर, जुलाहे को उसकी धुनाई देकर वे ले लिया करते थे। अपना ही सूत धुन जाने पर अपने काम में न आ सकता था—दयालु अन्धा सूत कातने पर कोई ध्यान न देता था। उन्हें तो हर तरह के सूत के बड़े में कपड़ा मिल जाता था। सूत बुरा कातने का यह भी एक प्रधान कारण था। सूत में सुधार करने में इस पुराने रिवाज के कारण बड़ी अड़चनें सामने आईं।

हमें लोगों को यह समझाना पड़ा कि जिसका काता सूत होगा, उसीको वह मिलेगा। उनके कंधे तथा कमजोर तन्तुओं के बड़े पकें तकिए बनवाकर दिये गये। उसकी व्यवस्था और बारीक गाड़ी बनाना गांवों में जा कर लोगों को सिखाया। पानी कैसे पकड़नी चाहिये—यह भी घर घर जा कर बतलाना पड़ा। पंचायत होने के कारण सब गांव एकअंग हो रहे थे और इसलिए हम जो काम एक जगह करते थे, वह हमारे गांवों में भी करने पड़ते थे। प्रथम उत्साहपूर्वक बस्तियों ने सूत को सुधारने का प्रयत्न करना आरंभ किया। छोटे और बुरे सूत के कपड़े प्रेम से नहीं, परन्तु पंचायत के दबाव से पहनने वाले लोगों को अपना सूत सुधारने में अच्छी सफलता मिली। अब ३ अंक के सूत से ले कर वे ८-१० और १५ अंक तक का सूत कातने लगे हैं।

### धुनाई

अपना सूत अपनी इच्छा के अनुसार, उचित धुनवाई दे कर, धुनवाया जाय और वह कपड़ा अपने ही को मिले—इसके बारे में जो ज्ञान होना चाहिए था, वह वहां के किसानों में न था। इसलिए अब तक प्रचलित रिवाज बन्द न हो, तब तक हमें यह कार्य करते रहना आवश्यक था। धुन जाने के उपरान्त अपना २ सूत अपने २ पास आया करे—यह सोच कर सब लोग अपनी २ सूत की गठरियों पर नम्वर डाल कर हमारे पास रख जाते थे हम उन्हें जुलाहों से धुनवा कर उन्हें लोगों को दे देते थे।

ऐसा करने का कारण यह था कि पधिकारी के समय में देश की हुई खादी की हठबल के बाद से जुलाहों ने धुनाई का

भाव बहुत कुछ चढ़ा रक्खा था। प्रचार-कार्य करते समय काटा मोल देने के बनिश्चत उसे धुनवा देने में कितनी बचत होनी है—यह तो जब कि धुनाई की दर उचित हो, तभी दिखाया जा सकता है।

इसलिए हमने इस स्थान के जुलाहों को उचित धुनाई पर काम करने के लिए प्रेरित किया। पहले भी लोगों ने धुनाई की दर घटाने के लिए थोड़ा बहुत प्रयत्न किया था, परन्तु उसका कुछ भी परिणाम न हुआ। इस समय भी धुननेवालों को हमारा यह प्रयत्न पूर्वानुसार ही प्रतीत हुआ। उन्होंने उचित भाव (पाने के ६०० तार १ आने में) पर काम करने की हमरी बात को स्वीकार न किया। हमसे हमें अन्त में बाहर जा कर बैठूत से (यहां से कोई २० कोस दूर) जुलाहों को लाने का प्रयत्न करना पड़ा। हमारा दिवा हुआ निरखे उन्हें स्वीकार था, इसलिए वहां से तीन कुटुम्ब यहाँ चले आये।

जब बाहर से इतने जुलाहे आ गये, तब स्थानीय जुलाहों ने भी उस निरखे को कुबूल कर लिया।

करीब एक महीने तक हमारे द्वारा धुनाई का काम करा चुकने के बाद मोटे सूत की धुनाई का हिसाब लोग समझने लग गये। यह बात उन्हें एक मदती भभा कर के और गांवों में जा कर प्रभावित गई थी।

अब तक मोटा और बारीक सूत धुनने के लिए ८-१० ही जुलाहे तैयार हुए हैं। यहाँ जब तक अधिक जुलाहे तैयार न होंगे, तब तक तंग धोती और साड़ियां उन्हीं हमारे भारफत ही धुनाना पड़ेगी।

x x x x

उपरोक्त की कुल आबादी ११००० है। यहाँ जब तक जो कार्य हो सके है, वह सब पंचायत के जरिये हुआ है, तथा पंचायत की छाया में यह काम ही किया जा सकता था।

आबादी के प्रमाण हित्से इस प्रकार है—

(१) ४००० पाकड़ — प्रधानतः इन्हीं लोगों में काम हुआ है।

(२) ९००० भील १५-२० दिन बाद इन लोगों के बीच में कार्य आरम्भ किया जावेगा।

(३) १५०० कराड बलाई, गुडर। इनमें अभी अभी ही काम हुआ है। पूरा कार्य करने में १५-२० दिनों के बाद प्रयत्न करेंगे। हमारा हयाल है कि धाकड़ों की देखरेखी इन लोगों में भी सीप ही पूर्ण प्रचार हो सकेगा।

(४) ३५० नाई, खाती बोली } इन लोगों में कार्य करने के लिए उत्पत्ति और प्रचार विभाग दोनों के खोलने की आवश्यकता है। इसलिए प्रथम तो उत्पत्ति-विभाग खोलने की आवश्यकता अनिवार्य प्रतीत होती है।

परन्तु स्थानीय मनुष्यों की सहयता के बिना जल्दी कपड़ा धुनवाना संभव न था। छाधुजी अभी तक ही से जेल से मुक्त हुए हैं और हम लोगों ने उनका हृदय से स्वागत किया है। हमारा अनुमान है कि मजदूरी पर कातनेवाली कोई २०० स्त्रियां तैयार हो सकेंगी। व्यवस्था का संचालन तय भी उद्यम से निकल सकेगा—यह बात नीचे दिये हुये अंकों से साक्ष्य हो जायगी।

६४ तोले के सेर का भाव	४ अंक	६ अंक	८ अंक	१० अंक
रई	०=॥	०।=॥	०=॥	०=॥
धुलाई	=)	=)	=)	=)
कलाई	=।	=॥	=॥	००॥
सुकसान	-।	-।	-॥	-॥
<hr/>				
एक सेर सूत का भाव	०॥	०॥०॥	०॥१।	०॥३॥
मिल के भाव से तो यह कह' अधिक घटना पड़ता है ।				
धुलाई	०।	०।॥	०॥	०॥८
<hr/>				
व्यवस्था-व्यय	-)	-)	-।	-।
	१-)	१=)	१।=॥	१।॥

(४ गज २२" का पनहा) (५ गज २४" का पनहा)  
(४ गज ३६" का पनहा) (५ गज ३८" का पनहा)

जितना माल तैयार होता है सब जगह बिक जाना नितान्त संभव है ।

उपरमाल के साथ मांडलगाढ, सिंगोली, वृदी, बेगु, कोटा, आंगरी इत्यादि ६०० गांघ वैवाहिक सम्बन्ध के कारण आपस में मिले हुए हैं । यहाँ का प्रचार तथा उत्थान का कार्य स्थिर होने पर तबका अगर सब जगह फैलेगा । हम यथावकाश वहाँ जायेंगे प्रचार कार्य की व्यवस्था में कुछ मुर्तियाँ होंगी तो उसके सम्बन्ध में थोड़ी बहुत सूचनायें भी देते रहेंगे ।

हां, हमें यह अवश्य कह देना चाहिए कि दूसरे किसी स्थान पर हम अब तक नये ही बने रहने । वहाँ हमको पंजाबन की तथा श्री माणिकलानबी, सावनी और कन्हैयालालजी इत्यादि की सहायता प्राप्त थी—तब ही हमसे जो कुछ भी बत पडा है, हम कर सके हैं ।"  
( नवजीवन )

### ३०० वर्ष पूर्व पिंजरापोल

कलकत्ता विश्वविद्यालय वाले प्रोफेसर भण्डारकर ने शशोक के रूप में व्याख्यान देते हुए कहा था कि पिंजरापोल का सबसे पुराना हाल उस पिंजरापोल का वर्णन है जिसके लेखक हेमिल्टन थे और जो कि सूरत शहर में १८ वीं शताब्दी के अन्त तक थे । इसी प्रकार मेरे मित्र लेड मूलजी भोमजी बरद ने इस बात की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है कि सम्भ्रात पिंजरापोल का पदम सुन्दर वर्णन, जैसा कि वह ३०० वर्ष से कुछ पहले था, उन पत्रों में पाया जाता है कि जो साधन पेरी केम्बेवेली नामक इटैली निवासि वात्री ने अपने मित्र मेरेस शिपानो के नाम लिखे थे । और इन पत्रों में उसकी हिंदुस्तान-यात्रा का वर्णन था । अंग्रेजी में उसका अनुवाद सन् १६६५ ई० में प्रकाशित हुआ था । हमारे राष्ट्रीय जीवन का वह वर्णन आश्चर्यजनक अलकावद्धता का दाना रोचक प्रमाण हमारे सामने रखता है कि उसे यहाँ विस्तार उद्घृत करने में मुझे कोई हर्ष नहीं भासता है । " जिस दिन इतलोग वहाँ पहुँचे, उसी दिन भोजन और कुछ देर आराम कर केने के पश्चात् हमलोग एक प्रसिद्ध पिंजरापोल को देखने के लिए किसीके साथ गये । वह सब तरह की चिड़ियों का साकाशाया था; जो चिड़ियाँ बीमार, लंगडी, साधियों से बिलुडी हुई या अन्य किसी प्रकार से आप्रय-हीना होनी हैं, वहाँ ध्यान से रक्की और पाकी जाती हैं तथा वे लोग जो इन चिड़ियों की देखभाल रखते हैं सार्वजनिक शिक्षा-

दान पर निर्भर रहते हैं । इस अस्पताल की इमारत छोटी है और बहुत सी चिड़ियों के लिए सिर्फ एक कमरा काफी होता है जिस पर भी मने उस अस्पताल की तरह २ की आश्रयार्थिन चिड़ियों से भरा हुआ पाया । उसमें मुर्तियाँ, मुर्गे, कबूतर, मोर बसक और छोटे पक्षी—सभी थे, जो कि लंगडे, बीमार साधीहीन होने के कारण वहाँ रखे जाते हैं । लेकिन जब वे अच्छे हो जाते हैं, तब जंगली पक्षी तो उडा दिये जाते हैं और पालतू पक्षी घर में रखने के लिए किसी धार्मिक सज्जन की से दिये जाते हैं । इस अस्पताल में जो सबसे विचित्र बात हम लोगों ने देखी वह छोटे २ कुछ बूटे थे—वे बेचारे बिन माँ बाप के या अनाथ होने के कारण वहाँ पोषणार्थ रखे गये थे । एक बयोवृद्ध, पुरुष जो उमरा लगाये हुए था और जिसके कि एफेर दाडी थी उन चूड़ों को रई के भीतर रखे हुए बूँट रई के साथ उनकी देखभाल करना था, वह उन्हें एक पर के सहारे दूध पिलाता था, क्योंकि वे इतने छोटे बच्चे थे कि वे और कुछ खा न सकते थे । और जमा कि उसने हमलोगों से कहा, वह चाहता था कि जब वे चूहे बडे हो जायेंगे तब वह उन्हें उोड देगा ।

दूसरे दिन सधेरे हमलोगों ने दूसरा स्थल देखा जिसमें कि बकरी, भेड, गेडे, मोर, मुर्गे इत्यादि पशु देखे जो कि आश्रयहीन, लंगडे या बीमार थे । ये सब एक बडे सहन में, जहाँ कि सब आग्नि रहनी थी, रखे जाते थे । उसी इमारत के छोटे २ कमरों में इन पशुओं की देखभाल रखनेवाले थी—पुरुष रहते थे । इस अस्पताल से बहुत दूरी पर एक दूसरा मकान बना हुआ था जिसमें कि गाय तथा बछडे रखे गये थे । इनमें से कुछ की टांगे टूटी हुई थीं, कुछ बहुत कमजोर या दुबले हो गये थे --- इन सब की वहाँ दवाई की जाती थी । जंगली जानवरों के बीच में एक मुसलमान चोर भी था जिसके, उसे पकड़ते समय दोगों दूध काट डाले गये थे । लेकिन दर्याश सज्जन, यह सोच कर कि वही उसकी मृत्यु पुर्वशा के साथ न हो, और यह सोच कर कि वह अब अगनी गोजी तो कमा न सकेगा, उसे अपने घर ले गये और उन्होंने उसे बिल्कुल सीधे पशुओं के बीच रखा । शहर के फाटक के बाहर भी हमलोगों ने गायों, बछडों तथा बकरियों का एक बडा गिरोह देखा जो कि जनता के पैसे पर खास इसी काम के लिए रखे गये गहरियों के द्वारा चरने के वास्ते, भेजे गये थे । इनमें वे गायें और बछडे थे, जिनकी दशा सम्भल चुकी थी, या यह सुन्दर चरानेवाले की गिरहाजिरी में इधर-उधर न भटक जाने के मय से एघ्रित हुआ था और मुसलमानों से, उन्हे करवा के कर छुडाये हुए पशु थे नहीं तो वे मुसलमान लोग गायों और बछडों को छोड कर उन्हें हलाल कर के खा जाते । और इस प्रकार वे रखे जाते हैं और जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं तब किसी ऐसे नागरिकों को सौंप देते थे जो कि उन्हें यी ही पालने में समर्थ थे । मैंने जिबह होते बक्त जाते हुए पशुओं में से गायों और बछेडों को इसलिए निकाल दिया ता कि सम्भ्रात शहर में गायों, बछडों या बेलों को कोई हलाल नहीं करते थे । हिन्दू-समाज के कुलीन लोगों के प्रयत्न से जो कि सुन्तान को इस मद में बहुत सा रुपया देते थे, इसकी मना ही थी—यदि कोई मुसलमान या अन्य कोई शरूम उन्हें काटता हुआ पाया जाता, तो उसे सख्त सजा दी जाती --- और कभी २ मृत्यु-दण्ड भी भिक्त जाता था ।

( अ. इं ) बालजी गोविंदजी देसाई

## हिन्दी-नवजीवन

गुरुवार, भाषाद सुदी १२, संवत् १९८३

### वह राउण्ड-टेबल कान्फ्रेंस

आखिर, यह घोषणा निकाली गई है कि दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों की स्थिति से बारे में होने वाली कान्फ्रेंस कोटाउन में होगी और यह भी सूचित किया गया है कि दक्षिण अफ्रीका से एक कमीशन हिन्दुस्तान का लोकमत समझने के लिये यहाँ आनेवाला है। उस कमीशन के सदस्य मिस्टर मलान, जो कि आनकल एडवोकेट हैं और मि० डकन जो कि भूतपूर्व मंत्री हैं, होंगे। यह सब अच्छा ही है।

यह उत्तम है कि वह कान्फ्रेंस दक्षिण अफ्रीका में होने जा रही है। वहाँ की यूनियन गवर्नेट, जो कि उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार है, इसलिये उसे अपने प्रत्येक काम में लोकमत का इतना बल होना चाहिए कि जितना भारतीय सरकार ने कभी माहूम करने की जरूरत नहीं समझा है। और फिर, भारतवर्ष में हिन्दुत्वानियों की मांगों के बारे में लोकमत पैदा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वह वहाँ मौजूद ही है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की हस्तक्षेप की औचित्यपूर्णता के सम्बन्ध में यूरोपीय लोकमत को सुभारने के लिये जो कुछ किया जाय, सो ही थोड़ा है। इसलिये यदि यूनियन सरकार नेकनियती से काम लेगी और यदि हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियों को विवेक के साथ चुना जायगा, तो उसमें जो प्रस्ताव पास होंगे उनको अलग रख कर भी यह कहा जा सकता है कि यह कान्फ्रेंस यूरोपीय मत को ठोक दिया में ले जाने का काम कर सकती है।

और यह भी शुभ है कि दक्षिण अफ्रीका से एक कमीशन हिन्दुस्तान आने वाला है। उस कमीशन को, तब तो वे बातें माहूम होंगी जो कि केवल खुद आने से ही माहूम की जा सकती हैं। पुस्तक या समाचारपत्र चाहे जितने ही क्यों न पढ़े जाय, और प्रतिनिधियों से मुलाकातें चाहे जितनी क्यों न की जाय, उतनी जानकारी इरगिज नहीं प्राप्त हो सकती है जितनी कि असुक्त जगह में जा कर और वहाँ के लोगों को स्वक देख कर की जा सकती है।

यह बात भी अच्छी है कि इस कमीशन में ऐसे भ्रमण्य लोग होंगे जो इस मामले का अध्ययन किये हुए माने जाते हैं। हमारा केस इतना न्यायपूर्ण है कि जितना हो इसके अन्दर पीटा जायेगा, उतना ही हमारा हित है। इस सम्बन्ध में चाहे जितनी जानकीय क्यों न की जाये, चाहे जितना विद्वान क्यों न पीटा जाये, हमारा कोई नुकसान नहीं। समझाते के मार्ग में सब से बड़ी कठिनाई तो यही है कि भारतीय प्रश्न के बारे में नेक से नेक दक्षिण-अफ्रीका-निवासी भी अभिज्ञ हैं। उनको तो केवल इतना माहूम है कि स्वार्थी गौरे व्यापारियों की मांगें क्या हैं। वे हिन्दुवासियों के पक्ष की बात तो जरा भी नहीं जानते। यदि इस कान्फ्रेंस के फलस्वरूप इस प्रश्न पर समीक्षा से विचार होने लगेगा, तो यह भय कि हिन्दुस्तानी लोग अफ्रीका में आ कर भर जायेंगे या यह कि जो भारतवासी वहाँ पढ़के से ही बसे हुये हैं वे हार्थ करने लगेंगे, क्षण भर में जाता रहेगा।

लेकिन इस कान्फ्रेंस के बारे में सब शुभ ही शुभ चिह्न नहीं हैं — जनरल इंटेंजिग के भाषण चिन्तनार्थक हुये हैं। यदि

वहाँ के निवासियों (इन्डियनों) के साथ इन्साफ न किया गया तो मुझे यह सम्भव नहीं माहूम होता कि हिन्दुस्तानियों के साथ न्याय बर्ता जायगा। दोनों बातों के सम्बन्ध में उनकी मनो-वृत्ति तो एक ही है — बल्कि निस्सन्देह हिन्दुस्तानियों के बारे में कहीं ज्यादा जायस। कहा जाता है कि इन्डियनों को तो गोरों की कृपा-दृष्टि पर कुछ हक खते हैं — हिन्दुस्तानी लोग तो महेज बाहर से आ आ कर कुछ काये हैं। लोग यह तो मुना ही बते हैं कि पहलैपहल तो हिन्दुस्तानी लोग ही गोरों के निमित्त मेहनत का काम करने के लिये दक्षिण अफ्रीका जाने की फुलाये गये थे, और उनसे यह वादा भी किया गया था कि वहाँ तुम लोग सुविधा के साथ बसा के लिए रह सकोगे। लेकिन अब प्रश्न यह नहीं है कि उनको क्या २ बचन दिये गये थे, बल्कि यह कि इस समय वहाँ के हिन्दुस्तानी-निवासियों के प्रति गोरों की वृत्ति क्या है।

और चूंकि गोरों का हिन्दुस्तानियों के प्रति अधिक द्वेष है, इस लिये यदि इन्डियनों के साथ अन्याय किया गया तो हिन्दुस्तानियों के साथ इन्साफ किये जाने की आशा न करनी चाहिये। इसी बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वहाँ के निवासियों के साथ न्याय करने की इच्छा स्वार्थ पर आधारित है और यदि हम जरा नीचे तह में पड़ेंगे तो हमको माहूम होगा कि गोरों के हक छीन कर एक के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। "सर्वेष्टि सुखिनः मनुः" यह वाक्य जब गुरुओं ने उबारा था तब उन्होंने एक मूल तत्त्व को अनायास ही धमका लिया था।

(ग-६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

### सत्य के प्रयाग अथवा आत्म-कथा

भाग २

अध्याय १०

#### प्रिटोरिया में प्रथम प्रिजन

प्रिटोरिया स्टेशन पर दटा अन्दुल के बकील की ओर ले आये हुए किरी आदमी से मिलने की आशा होने कर रखी थी। वे यह जानता था कि कोई सम्भव तो मेरा सामल करने के लिए आया ही न होगा। किसी मरतंग के नहीं न जाने के लिए मैं भी बभनबद्ध था। बकील ने स्टेशन पर कोई आदमी न मेजा था। बाद को मैं यह समझ गया कि मेरे वहाँ पहुँचने का यह दिन एतवार था, इस कारण यदि वे किसी को मेजते भी, तो उन्हें बड़ी असुविधा होनी। मैं घबड़ा गया — सोचा अब कहाँ जाना चाहिए। इसी का विचार करता रहा। मुझे भय था कि किसी भी होटल में मुझे स्थान न मिलेगा। सन् १८९३ का प्रिटोरिया स्टेशन सन् १९१४ के प्रिटोरिया स्टेशन से भिन्न था। बसगा मन्द मन्द जल रही थीं। मुलाकिया भी बहुत नहीं थे। सब मुलाकियों को मैंने मिल जाने दिया और यह सोचा कि टिक्ट-कलेक्टर को उनसे कुछ फुरसत मिलने पर मैं अपना टिक्ट देा और यदि वह कोई छोटा सा होटल या मकान बतायेगा तो वहाँ चला जाऊँगा जयवा रात वहीं स्टेशन पर बिता दूँगा। मुझे उससे यह पूछने के बारे में कोई बड़ा उत्साह न था, क्योंकि अयमावित होने का डर लगा हुआ था।

स्टेशन खाली हो गया। मैंने टिक्ट-कलेक्टर को अपना टिक्ट दिया और उससे प्रश्न करना शुरू किया। उसने बड़े विदय से मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, परन्तु मैंने यह समझ लिया कि वह मुझे अधिक मदद नहीं पहुँचा सकता है। उसके पास एक



अमेरिका का निवासी आया हुआ था। उसने मुझसे बातचीत करना आरम्भ किया।

“ मैं समझता हूँ कि आप यहाँ एक बिल्कुल अजनबान आदमी हैं और न यहाँ कोई आपका मित्र ही है। मेरे साथ बलिए। मैं आपको एक छोटे से होटल में ले चलूँगा। उसका मालिक अमेरिकन है और उससे मेरा खासा परिचय है। मेरे ख्याल से वह आपको अपने यहाँ जगह देगा। ”

मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, परन्तु मैंने उसे धन्यवाद दे कर उसके साथ जाना स्वीकार कर लिया। वे मुझे जोन्स्टन के ‘फेमिली होटल’ में ले गये। उन्होंने जोन्स्टन को एक तरफ ले जा कर उससे कुछ बातचीत की। मि० जोन्स्टन ने मुझे अपने यहाँ एक रात रहने देना स्वीकार किया, सो भी इस शर्त पर कि मेरे टहरने के कबरे में ही मुझे खाना भोज दिया जावेगा।

मि० जोन्स्टन ने कहा:—

“ मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं काले-गोरे के भेद को बिल्कुल ही नहीं मानता, परन्तु मेरे प्राइड सब गोरे हैं। अतएव, यदि मैं आपको भोजन ग्रह में भोजन कराऊँगा तो मेरे प्राइड चिरेगे और फायदा कौन भी जाय। ”

मैंने जवाब दिया:—“ आप मुझे एक रात यहाँ रहने देंगे, यह भी तो आपका मुझ पर उपकार ही है। इस देश की स्थिति से अब मैं कुछ कुछ वाकिल होने लगा हूँ। मैं आपकी कठिनाई को भी समझ सकता हूँ। आप मुझे ही मुझे यही खाना भोजन कर लो तो मुझे यह आशा है ही कि मैं अपना दूसरा बन्धोबस्त कर लूँगा। ”

मुझे एक कमरा मिला। मैं उसमें जा कर बैठा। एकान्त मिलने पर खाना आने की राह देखना हुआ मैं अपने विचारों में डूब गया। इस होटल में बहुत धुमांकि नहीं रहते थे। कुछ समय के बाद खाना लिये हुये आते वेदर को देखने के बदले मैंने मि० जोन्स्टन को आते हुए देखा। उन्होंने कहा: “ मैंने जो आपकी यही खाना परोसने को बात कही थी; उसमें मुझे बड़ी शर्मा मालूम हुई। मैंने अपने गाइको से आपके विषय में बातचीत की और उनसे पूछा भी। उन्होंने कहा कि भोजन-ग्रह में पार्सी के खाना खाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वे यहाँ जा रहे जितने दिन रहे, इसको कोई एतराज नहीं। इसलिए अब यदि आप भोजन-ग्रह में खाना खाइए तो बिल सफल है और जितने दिन चाहें, आप यहाँ टहर भी सकते हैं। ”

मैंने उन्हें फिर धन्यवाद दिया और भोजन-ग्रह में जा कर निश्चिन्त हो भोजन किया।

दूसरे दिन सुबह को बकीस के जा गया। उनका नाम था ए० बबलू० बेकर। जा कर उनसे मिला। अब्दुल्ला बेठ ने उनका मुझसे कुछ मिक किया था; इसलिए हमारी प्रथम मुलाकात पर मुझे कुछ भी लाभ्य न हुआ। वे मुझसे बड़े प्रेम के साथ मिके और उन्होंने मुझसे कुछ मेरी बात भी पूछी — जो मैंने उन्हें बतला दी। उन्होंने कहा: “ रेगिस्टर के तौर पर तो आपका यहाँ कुछ भी उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस मामले में हमने पहले से अच्छे रेगिस्टरों को कर लिया है। केश बड़ा लम्बा और उल्ला हुआ है। मुझे आश्चर्यक समाचार और जानकारी आप से प्राप्त हो, वह यही काम मैं आप से ले सकूँगा। परन्तु अपने मन्त्रिक के साथ पत्र-व्यवहार करना अब मुझे सुगम ही आसना; और वह भी खान ही है कि उनके पास से जो जान-

कारी मन्त्रिकी की आवश्यकता होगी वह आपके जरिये मंगा सकूँगा। आपके लिए अब तक मैंने मकान तो नहीं ढूँढा है, क्योंकि आपसे मिक लेने के बाद ढूँढने का मैंने विचार किया था। यहाँ रंग-रूप बहुत ही अधिक है, इसलिए यहाँ घर ढूँढना कोई आसान काम नहीं। परन्तु एक खो को मैं जानता हूँ। वह गरीब है, भटियारे की पत्नी है। मैं ख्याल करता हूँ कि वह आपको अपने यहाँ टहरने देगी। इससे उसको भी कुछ मदद मिलेगी। बलिए, उसके यहाँ चले। ”

यह कह कर वे मुझे उसके घर ले गये। उस खो के साथ मि० बेकर ने एकान्त में थोड़ी देर तक बातचीत की और तब उस खो ने मुझे अपने यहाँ रहने देना स्वीकार किया। और प्रति सप्ताह १५ शिल्लिंग किराया ले हुआ।

मि० बेकर बलीक थे और वे बड़े धर्मिष्ठ पादरी थे। आज भी वे जीवित हैं और अब केवल पादरी का ही काम करते हैं—पकावत का धंसा छाँड़ दिया है। सपने पंसे से सुखी है। उन्होंने अब तक भी मेरे साथ पत्रव्यवहार कायम रक्खा है। उनके घरों का विषय एक ही होता है। मुझे मुझे रूप से ईसाई धर्म की उत्तमता सिखाने के लिए वे उन पत्रों द्वारा अपने विचार प्रकट किया करते हैं और इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि ईसायतीय को ईश्वर का एक मात्र पुत्र और तारनहार माने बिना परम ज्ञानि कभी न मिल सकेगी।

प्रथम मुलाकात के समय ही मि० बेकर ने मेरी धर्म-सम्बन्धी स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मैंने उन्हें यह जना दिया था कि मैं जन्म के लिहाज से हिन्दू हूँ; सो भी उन धर्म का मुझे अधिक ज्ञान नहीं है। दूसरे धर्मों का ज्ञान तो बहुत ही कम है। मैं बड़ा हू, बरा मानता हूँ और मुझे क्या मानना चाहिए— इत्यादि में कुछ भी नहीं जानता। मैं अपने धर्म का महारा निरीक्षण करना चाहता हूँ। यथाशक्ति दूसरे धर्मों को भी अध्ययन करने का मेरा विचार है।

यह सुन कर मि० बेकर बड़े ही खुश हुए और मुझसे बोले: “ मैं स्वयं ‘साउथ आफ्रिका अनरल मिशन’ का एक डिरेक्टर हूँ। मैंने अपने स्वयं से एक गिरजाघर बनवाया है। उसमें समय समय पर मैं धर्म-विषय पर व्याख्यान देता हूँ। मैं रंग-भेद को नहीं मानता। मेरे साथ काम करने वाले अन्य मित्र भी हैं। हमलोग हमेशा एक बजे बन्द मिनटों के लिए एकजिन होते हैं, और आत्मा की भाँति तथा पकावत पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप उसमें सँभोग तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यहाँ मैं आपका अपने साथियों से भी परिचय कराऊँगा। आप से मिक कर वे सब बड़े खुश होंगे और मुझे विश्वास है कि आपको भी उनका समागत बड़ा प्रिय लगेगा। मैं आपको कुछ धर्मपुस्तकें भी पढ़ने को दूँगा। परन्तु सभी पुस्तक तो दज्जोल ही है। उसे पढ़ने के लिए मैं आपसे खास सिकांरिष करता हूँ। ”

मैंने मि० बेकर को धन्यवाद दिया और, जहाँ तक बन पड़ेगा, उनकी मददगी में एक बजे प्रार्थना के लिए जाया करना भी स्वीकार किया।

“ तो आप कल एक बजे यही आवें, हम लोग प्रार्थना-मन्दिर साथ साथ चलेंगे। ”

बहुत विचार करने की मुझे फुरसत न थी। मैं मि० जोन्स्टन के पास गया और बिल चुका आया। तब मये घर में गया, वहाँ भोजन किया। उस घर की गृहिणी बड़ी अली खी थी। उसने मेरे लिए निरामिष भोजन तैयार किया था। इस कृत्य में हिलमिल जाने में मुझे देर न लगी। खाना खा कर रात अब्दुल्ला ने अपने

जिस मित्र के नाम मुझे चिन्ही दी थी, उनसे मिलने के लिए गया। उनका परिचय किया। उनसे भारतीयों के कष्ट की और भी अधिक बातें मालूम हुईं। उन्होंने मुझे अपने यहाँ टिकाने का बड़ा आमह किया। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और मेरे लिए जो व्यवस्था की गई थी, उसे कइ सुनाया। उन्होंने मुझसे बड़े ही आग्रहपूर्वक कहा कि आपको जित चीज की जरूरत हो भगवा लीजिएगा।

संन्या हुई। ब्याज करके मैं अपने कमरे में जा कर विचार-सागर में गोते लगाने लगा। तुरत तो मैंने अपने लिए कोई काम न देखा। हाँ, दादा अरुण सेठ को समाचार लिख दिये। मि० बेकर की मित्रता का क्या अर्थ हो सकता है? उनके धर्मबन्धुओं से मैं क्या प्राप्त कर सकूँगा? मुझे ईसाई धर्म का अभ्यसन कहाँ तक करना चाहिए? हिन्दू-धर्म का साहित्य कहाँ से प्राप्त हो? उसे जाने बिना ही ईसाई धर्म का स्वरूप मैं क्योंकर जान सकता हूँ? वे प्रश्न मेरे मन में उठने लगे। एक ही विषय कर सका। मुझे जो अभ्यसन प्राप्त हो, निष्पक्ष हो कर उसे करना चाहिए और परमात्मा उस समय जो मूस दे, उसी के अनुसार मि० बेकर के सगुहाय को अवाम दे देना चाहिए। जब तक मैं अपना धर्म पूरा न कर सकूँ, मुझे दूसरे धर्मों के स्वीकार करने का विचार भी न करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते करने मैं निद्रावश हो गया।

(संजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

## अनीति की राह पर

(३)

विवाहित पुरुषों का, आत्मसंयम द्वारा सन्ताननिग्रह करना एक बात है और संभोग के साथ २ तथा उस संभोग के परिणाम से बचानेवाले साधनों की सहायता से सन्ताननिग्रह करना अत्यन्त दूसरी। पहली मृत में मनुष्यों का लाभ ही लाभ है और दूसरी मृत में नुकसान के अलावा और कुछ नहीं। यूरो ने शो और मानचित्रों की सहायता से यह दिखाया है कि पश्चिम कृषियों की लगाम ढीली करने और फिर संभोग के स्वाभाविक परिणामों से बचने के अभिप्राय से गर्भाधान रोकने के कृत्रिम साधनों के बढ़ते हुये प्रयोग का फल बड़ी दुःखा है कि न केवल पेरिस में, बल्कि समस्त फ्रांस में, मृत्यु-मरणा की अपेक्षा जन्म-मरणा में बहुत कमी हो गई है। ८८ जिलों में से, जिनमें कि फ्रांस विभाजित है, ६८ में पिछले शताब्दी की औसत फल की औसत से कम है और वहाँ प्रत्येक १०० जन्मों के पीछे १६८ मृत्यु होती हैं। उसके बाद टार्नेगरी नामक एक जिले में प्रत्येक १०० जन्मों के पीछे १५६ मृत्यु होती हैं। उन १९ जिलों में, जिनमें कि कहीं २, औसत से, मृत्युओं की अपेक्षा जन्म अधिक होते हैं यह अन्तर बहुत ही थोड़ा है। ऐसे केवल दस ही जिले हैं जहाँ कि जन्म और मृत्यु की सख्या में खासा फरक है। अन्य से अन्य मृत्यु संख्या, जिसका कि जन्म-संख्या के साथ ७२:१०० का माबन्ध है, मोरिबिहान और पासटिकेले में पायी जाती है। यूरो य प्रदर्शित करता है कि आबादी कम होनी जाने का यह काम जिसे कि वह आत्महत्या कहता है, अभी तक यासा नहीं गया है।

तदुपरान्त यूरो फ्रांस के प्रान्तों की दशा का, प्रत्येक अंग के कर, निरीक्षण करना है और सन् १९१४ ई. में लिखे हुये एक ग्रन्थ से नारमैदी के बारे में निम्न-लिखित वाक्य उद्धृत करता है: "नारमैदी में सन् ५० वर्षों में २ लाख जन कम हो गये हैं—इसका अर्थ यह है कि उतनी आबादी कम हो

गई है जितनी कि समस्त अंग्रेजों जिले की है। प्रत्येक बीस वर्षों में फ्रांस की जन-संख्या इतनी घट जाती है जितनी कि उसके एक सूर्य की होती है। और चूंकि उसमें केवल पांच ही सूर्य हैं, इन्हिये सौ वर्षों में तो उसके इरेभरे खेत फ्रांस निवासियों से खाली ही हो जायगे—मैं यहाँ "फ्रांसनिवासी" शब्द का जानबूझ कर प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे लोग अवश्य ही उसमें आ कर बस जायगे—और यदि ऐसा न हुआ तो वह शोचनीय स्थिति होगी। जर्मन लोग केन के आसपास वाली कोड़े की खादों, चला रहे हैं और हमारे देखते ही देखते यनी (यह उनका पहला ही अवसर है) धर्मजीवी लोगों ने उस स्थान में पक्षार्थ किया है, जहाँ से कि विजेता मिलियम ने इंग्लैंड के लिये प्रस्थान किया था।" यूरो उक्त वाक्य पर टिप्पणी स्वयं लिखता है कि अन्य अनेक प्रान्त इससे अच्छी दशा में नहीं हैं। वह आगे चल कर यह दिखाने का प्रयत्न करता है कि जनसंख्या में इस हाथ के फलस्वरूप राष्ट्र की सैनिक शक्ति का पतन हुआ है। उमड़ी यह भारणा है कि फ्रांस से लंग जो माजकल कम बाहर जाने लगे हैं, सो भी इसी का परिणाम है। तदुपरान्त वह फ्रांस के जातिगत विद्वान, उस देश के व्यापार, उसकी भया और सभ्यता के अक्षय का भी बड़ी कारण बतलाता है।

इसके अनन्तर यूरो पूछता है कि क्या फ्रांसीसी लोग, जिन्होंने प्राचीन पिपय-संयम को त्याग दिया है, नासिक सुख, अधिक उरकप, शारीरिक स्वास्थ्य तथा संस्कृति प्राप्त करने में पहले की अपेक्षा अधिक उन्नतिशील हो गये हैं? वह उत्तर में कहता है कि स्वस्थ-वर्ग के विषय में दो बार शब्द ही पर्याप्त होंगे। सभी दक्षिणों का, नियमबद्ध कर से, नत्त देने की हमारी इच्छा चाहें जितनी प्रबल क्यों न हो, फिर भी यह कहना कि निरकुश पिपय-भोग से कमी शारीरिक स्वास्थ्य मुश्किल संभव है—ठीक नहीं। जागे और से युवकों तथा पुरुषों दोनों की शक्ति की कमी मनाई देनी है। युद्ध के पहले सैनिक-विभाग के अधिकारियों की कई बार रगहटों की शारीरिक योग्यता की शले कीर्ती कमी पड़ी थी और साथे राष्ट्र भर में सहज-शक्ति में बहुत कमी आ गई है। निम्नोद्देश यह क्या करना अन्धश्रम होगा कि अमरम ने ही यह हीनावस्था उत्पन्न की है, परन्तु हाँ, उसका इस मामले में बड़ा हाथ जरूर है। साथ ही साथ मरणान, अस्वच्छ रहन-सहन इत्यादि भी तो इसके जिम्मेवर हैं। और यदि हम क्याकरनेक सोचेंगे, तो यह बात हमारी समझ में आसानी से आ जायगी कि यह प्रशासन और उसकी परिणाम बननाये इन अन्य बलाओं से धार्मिक संरक्षण रखती है। युद्ध-भंग-सम्बन्धी रोगों के भयंकर प्रसार ने जन-साधारण के स्वास्थ्य को बड़े भारी क्षति पहुंचाई है। कुछ लोग इस विचार के पोषक हैं (जैसे कि माकधम) कि यह समाज में जिसमें जन्म-मरणा का क्याक रक्खा जाना है, उसी अनुपात से सम्पत्ति बढ़ती जानी है कि जिन अनुपात में जन्म-मृत्यु पर बर अंकुश रखता है। किन्तु यूरो इस विचार के लोगों की बात नहीं मानता। वह अपने इस विषय का समर्थन जर्मन और फ्रांस की हालतों को लेकर करता है—बात यह है कि जर्मनी में जहाँ औद्योगिक से, मृत्युयें जन्मों की अपेक्षा कम होती हैं, आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ता जाता है और फ्रांस में, जहाँ कि जन्म का संख्या मीलों की ताबाद की कतिबहुत कम है, धन का अभाव बढ़ता जा रहा है। उसका कथन है कि जर्मनी के ध्यापार का आश्चर्यजनक फैलाव वहाँ के सख्त लोगों के बुद्धिमान से ठीक जैसे ही हुआ है जैसे कि अन्य देशों में—जर्मन मजदूरों का कोई अधिक बुद्धिमान नहीं हुआ

है। वह रोलोड के एक वाक्य को उद्धृत करता है:—“जर्मनी में जिस समय उसकी आबादी केवल ४१,०००,००० थी, लोग भूखों मर गये। जब से उसकी आबादी ६८,०००,००० हुई है, तब से यह दिन पर दिन घनवान होता जा रहा है” उषादा यह भी कथन है कि वे लोग (जो कि किसी भी प्रकार से संयमी नहीं हैं) सेविंग बैंकों में प्रति वर्ष रुपया जमा करने में समर्थ हुये। और सन् १९११ ई० में यह रुपया पाइस अरब फ्रैंक (फ्रांस का सिक्का) हो गया था, लेकिन सन् १८९५ ई० में उनका बैंकल ८ अरब जमा था—यानी प्रतिवर्ष उनके हिसाब में साठे आठ करोड़ अधिक जमा होते गये।

ज्योरी ने इस बात को जरूर कुबूल किया है कि जर्मनी की यह सब आश्चर्यजनक उन्नति केवल इसी कारण नहीं हुई है कि जन्म की संख्या मृत्युसंख्या से अधिक है। उसका यह अग्रह है—और वह ठीक है—कि अन्य प्रकार की सुविधाओं के हाते हुये यह तो निःकुल स्वाभाविक ही है कि जन्म-संख्या के बढ़ने के कलस्वरूप राष्ट्रीय उन्नति भी हो। वास्तव में जो बात वह सिद्ध करना चाहता है, वह यह है कि जन्म-संख्या के बढ़ते जाने से आर्थिक तथा नैतिक उन्नति का कना लाभमयी नहीं है। जहाँ तक जन्म-प्रतिशत से सम्बन्ध है, वहाँ तक हम हिन्दुस्तानी लोग फ्रांस की स्थिति में हरगिज नहीं हैं। परन्तु यह कहा जा सकता है कि जर्मनी की तरह हिन्दुस्तान में जन्म-प्रतिशत का बढ़ते जाना हमारे राष्ट्रीय जीवन के लिये सहायक नहीं है। परन्तु मैं ज्योरी के अंकों, उनके सतर्क विचारों तथा निष्कर्षों का दृष्टि-पथ में रखते हुये हिन्दुस्तान की परिस्थिति पर फिर कमी विचार करूँगा।

जर्मन परिस्थितियों पर, जहाँ कि जन्म-प्रतिशत का आधिपत्य है, विचार करने के अनन्तर ज्योरी कहता है: “क्या हमको यह नहीं ज्ञात है कि मोर में फ्रांस वस्तुस्थिति पर है और राष्ट्रीय सफल के लिहाज से तुनीय स्थान वाले देश से बहुत नीचे है! फ्रांस राष्ट्र की अपनी सालाना आमदनी ७.६ हजार करोड़ फ्रैंक की है और जर्मन लोगों की पांच हजार करोड़ फ्रैंक है। हमारे राष्ट्र ने तीस वर्षों में—यानी १८७९ से १९१४ तक—चार हजार करोड़ फ्रैंक की कमी खरी है। देश के समस्त विभागों में कर्मियों में काम करने वाले आदमियों की कमी है और किन्हीं २ अंशों में तो पुराने आदमियों को छोड़ कर कोई भी आदमी नहीं दिखे देना। वह और आगे लिखता है कि अष्टाचार और प्रयत्न-मुक्त बंधपरव के अर्थ यह है कि समाज की स्वाभाविक शक्तियाँ क्षीण हो जावे और सामाजिक जीवन में युद्ध पुरुषों का निर्देशक प्राधान्य रहे। फ्रांस में केवल प्रति सहस्र १७० बच्चे तथा युवक भेजा कर है, जब कि जर्मनी में २२० और इंग्लैंड में २१० है। युवा पुरुषों की अपेक्षा युद्ध पुरुषों का अनुपात उचित परिमाण से घटा हुआ है और जन्म लोगों में भी, जिन्होंने अपने अष्टाचार से जवानी में ही बुढापा गुला लिया है, नैतिक रूप से अक्षय्य जाति की सब प्रकार की कापुरुषता विद्यमान है।

लेखक यह भी कहता है कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी लोगों का अधिकार अपने सासक वर्ग की इस विधिल नीति के प्रति उदासीन है; क्योंकि वे यह मानते हैं कि लोगों को—आदमी की आत्मगी जिन्दगी कैसी है, कैसी नहीं—इसके जानने की क्या गरज पड़ी है? वह कियोपोल्ड मोनो का यह निम्न-लिखित कथन बड़े लेख के साथ उद्धृत करता है:

“अस्याचारियों पर गन्दी गालियों की बौद्धार करने तथा उनके द्वारा पीड़ित लोगों के सम्बन्ध काटने के लिए युद्ध करना सराह-

नीय अवश्य है, लेकिन क्या किया जावे उन लोगों के बारे में जो कि भय के कारण—या तो कालव से—अपने आत्मा की रक्षा नहीं कर सके हैं—उन लोगों के बारे में जिनका साइस पीठ टोके जाने या तयारी बदलने पर बड़ घट सकता है—उन आदमियों के बारे में, जो कि शर्म और लिहाज को ताक पर रख कर उलटे अपने कृत्यों पर प्रसन्न होते हुए उस क्षम्य को तोड़ते हैं, जो कि उन्होंने अपनी यौवनावस्था में खुशी और मंजीदगी के साथ अपनी पत्नी से की थी—तथा उन आदमियों के बारे में जो कि अपनी गृहस्थी को अपने निरकुश स्वार्थ का शिकार बना कर उसको दुःखमय बनाते हैं? ऐसे मनुष्य भला प्राण-दाता क्यों कर हो सकते हैं?”

लेखक और आगे कहता है:

“इस प्रकार से, चाहे जिधर हम दृष्टि डाल कर देखें, हम को एक तो यह मालूम होगा कि हमारे नैतिक असंयम के कारण व्यक्ति, गृह तथा समाज को भारी चोट पहुंचनी है और दूसरे यह कि हमने अपने माथे बड़ी भारी आफत मोल ले रखी है। हमारे युवकों के व्यभिचार ने, गन्दी पुस्तकों तथा तख्तियों ने, धन के अभिप्राय से विवाह करनेने मिथ्याभिमान विलासिता तथा तलाक ने, कुत्रम बंध्यत्व और गर्भपात ने राष्ट्र को अपंग कर दिया है तथा उसकी बढ़त मार दी है। व्यक्ति अपनी शक्ति को संचित नहीं रख सका है और बच्चों की जन्म-संख्या की कमी के साथ २ क्षीण और दुर्बल सन्तान उत्पन्न होने लगी है।” “यदि पैदाशं कम हों तो बच्चे अच्छे होंगे” यह उक्ति किसी कारण से उन लोगों को प्रिय लगा करती थी, जिन्होंने कि अपने को वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के स्थूल भाग में परिमित मान कर यह समझ रक्खा था कि वे मनुष्यों के उत्पादन को मेक-बकरी की उत्पत्ति की भांति मान सकते हैं। जैसा कि आगस्ट कौन्ट ने बड़े तीव्र कटाक्ष से कहा है कि वे सामाजिक दोषों के नकली चिकित्सक यद्यपि वे व्यक्तियों तथा समाज के मानस की गूढ जटिलता को समझने में सर्वथा असमर्थ हैं, लेकिन यदि वे पशुओं के सर्भन होते तो अच्छा होता।

“अब तो यह है कि उन तमाम मनोवृत्तियों में, जो कि आदमी ग्रहण करता है, उन सब निर्णयों में जिन पर वह पहुंचता है, उन सब आदनों में जो कि वह बनाता है, कोई ऐसी नहीं है जो कि मनुष्य की शक्ती और जमाभनी जिन्दगी पर उतना असर डालती हो जितना कि विषयभोग के साथ सम्बन्ध रखने वाली वृत्ति, निर्णय इत्यादि डालते हैं। चाहे वह उनकी रोकथाम करे चाहे वह स्वयं उनके प्रवाह में बहने लग जाय, उसके कृत्यों की प्रतिध्वनि सामाजिक जीवन के कोने २ में भी सुनाई पड़ेगी, क्योंकि यह प्राकृतिक नियम है कि गुप्त से गुप्त कार्य भी अपना अक्षर डाले बिना नहीं रह सकता। इसी रहस्य के ही बल पर हम अपने को किसी प्रकार की अनैति करते समय इस भुलावे में डाल लेते हैं कि हमारे कृत्य का कोई दुष्परिणाम न होगा।

अब रही अपने सम्बन्ध की बात—तो अपने विषय में पहले तो हम निर्दग्ध हो बैठते हैं, (क्योंकि हमारे कृत्यों का हेतु हमारी ही इच्छा रही है) परन्तु जब हम समाज के विरय में ख्याक दौड़ते हैं, तब उसे अपने से इतना उच्च समझते हैं कि वह हमारे कृत्यों की ओर देखेगा भी नहीं; और फिर ऊपर से हम गुप्त रीति से इस बात की भी आशा रखते हैं कि दूसरों में पवित्र और सदाचारी रहने की बुद्धि रहेगी। सबसे भरी बात तो यह है कि इस प्रकार का पोष विचार उच्च समय, जब कि

हमारा व्यवहार वैवल असाधारण और अपवाद स्वरूप होता है प्रायः सब निकल जाता है और फिर सफलता के मद् में आ कर हम अपना व्यवहार वैया ही कायम रखते हैं और जब मौका लगता है, तब हम उसे न्यायसंगत ठहराते हैं। परन्तु ध्यान रहे कि यही हमारी सब से बड़ी सजा है।

लेकिन कोई दिन ऐसा आता है जब कि इस व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाला उदाहरण अन्य प्रकार से हमें हमको धर्म-च्युत करने का कारण बनता है — हमारे प्रत्येक कुकृत्य का यह परिणाम होता है कि हमारा सदान्तर के प्रति वह प्रेम अधिक दुर्गम और साहसयुक्त बन जाता है जिसे हम 'इशरों' में विद्यमान समझते आये हैं। फल यह होता है कि हमारा पड़ोसी भोखा खाते २ ऊब कर हमारी नकल करने के लिये उतावला हो उठता है। बस, उसी दिन से अक्षयतन प्रारम्भ हो जाता है और प्रत्येक मनुष्य तुरन्त अपने कुकृत्यों के परिणामों का अनुमान कर पाता है और वह वह भी जान सकता है कि उसका उत्तर-दायित्व कहाँ तक है।

“वह गुप्त कार्य अपनी उस कन्दरा से निकल पडा है कि जिसमें हम उसे मन्द समझते थे। एक प्रकार की नैतिक स्फूर्ति से अपने निराके ढंग से सम्पन्न होने पर वह सम्स्त लक्षों में फँस चुका है। सबको एक के कारण सहना पड़ता है, “और ‘इक जल मछली सब जल गन्दा’ वाली क्लेशक चरितार्थ होती है। और प्रत्येक कृत्य का इस प्रकार सामाजिक जीवन के दूर होने कोने में भी अनुर प्रतीत होता है कि जमे किसी अलाशय में (उसमें पत्थर फेंकने से) मण्डल समस्त धरातल में क्रमशः फैल जाते हैं।

अनीति तुरन्त ही जाति के रस-मोर्तों को सुझा देती है। वह पुण्य की श्रेष्ठ क्षीण कर डालती है और वह पुण्य का नैतिक और शारीरिक सार वृत्त लेती है।

( यं० इ० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## एक महान हृदय

समाधारणता से हमका विहित हुआ है कि कुमारी एमिली हावहाउस की मृत्यु हो गई है। वह एक बहुत शरफ और बड़ी बहादुर स्त्री थी। वे पुरस्कार का कभी न त्याग करने हुए सेवा किया करती थीं। उनकी सेवा ईश्वरार्पण की हुई मानव-समाज की सेवा थी। वे शरीफ अंग्रेजी कुल में उत्पन्न हुई थीं। वे अपने देश के प्रति प्रेम रखती थीं। और इसी कारण वे उसके द्वारा किये गये किसी अन्याय को सहन नहीं कर सकती थीं। उन्होंने बोर-युद्ध के घोर अत्याचार को समझ लिया था। उन्होंने विचार किया कि उस युद्ध के सुलगाने में इंग्लैंड का सरासर दुरूर है। उन्होंने ऐसे समय में उस युद्ध की निन्दा अत्यन्त कड़ी भाषा में की थी, जब कि इंग्लैंड उसके पीछे दीवाना हो रहा था। वे दक्षिण आफ्रिका गईं और वहाँ उनकी आत्मा ने उन शिबिर-कारागारों के लड़े किये जाने तथा उनमें पराजित वीरों के बालबच्चों को कबर्दस्ती ला कर रखने की पशुना का घोर विरोध किया, जिन शिबिर-कारागारों को लार्ड किचनर ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक ठहराया था। यह उसी समय की बात है जब कि विलियम स्टेड ने अर्मजों की पराजय के लिए ईश्वर-प्रार्थना करवाई थी। एमिली हावहाउस, यद्यपि वे दुर्बल थीं; शारीरिक अशुविधाओं का कुछ भी न त्याग कर के दक्षिण

आफ्रिका फिर गईं और वहाँ उन्होंने अपने प्रति अपमान तथा उससे भी गये गुजरे बर्ताव का आक्षान किया। वे वहाँ कद कर ली गईं और वापिस लौटा दी गईं। उन्होंने इन सब को एक सच्ची बहादुर स्त्री की भाँति सहन किया। उन्होंने बोर-प्राप्ति की क्रियों के दिल मजबूत किये और उनसे कहा कि आत्मा-को कदापि न त्यागो। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि मज्जापि इंग्लैंड मर में चूर है, तथापि इंग्लैंड के अनेक पुत्रों तथा क्रियों में बोर लोगों के प्रति सहाय्युक्ति है और किसी न किसी दिन उनकी बात सुनी जायगी। और यही हुआ। सर ह्वेरी कैम्पबेल बेनरमैन जनसाधारण-पुत्राव में बड़े बहुमत से लिबरल (उदार) दल के नेता चुने गये और उन-बोर-लोगों के सुकसान की पूर्ति यथासम्भव की गई, जिन्होंने युद्ध में क्षति उठाई थी। युद्ध के समाप्त हो जाने पर — उस अवसर पर जब कि दक्षिण आफ्रिका का सरमाग्रह जारी था — मुझे मिस हावहाउस से परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो आग पहिचान हुई थी, वह क्रमशः जीवन पर्यन्त की मैत्री बन गई। हिन्दुस्तानियों तथा दक्षिण आफ्रिका की सरकार के बीच सन् १९१० ई० वाले समझौते में उनका भाग कोई मामूली भाग न था। वे जनरल बोटा की मेहमान थीं। उस समय जनरल बोटा ने कई बार मुलाकान विषयक मेरे प्रस्तावों पर टाला वाला बर्ताव था, उन्होंने हर मरतबा 'एडसचिव' के सामने अपनी बात पेश करने की कहा था, परन्तु मिस हावहाउस ने जनरल बोटा के साथ यह आमह किया कि वे मुझ से अवश्य मिलें। इसलिए उन्होंने 'केपटाउन' (एक शहर) में जनरल साइब के निवास-स्थान पर जनरल तथा उनकी पत्नी, स्वयं वे तथा मैं — इनके बीच में सार्तालाप के निमित्त एकत्रित होने का प्रयत्न कराया। उनका नाम बोर लोगों में एक ऐसा नाम था जिसके लेने मात्र से उन लोगों में विश्वास का सिका कम जाता था। और उन्होंने अपने सारे प्रभाव को हिन्दुस्तानी मामले में लगा कर मेरा मार्ग सरल बना दिया था। जब मैं हिन्दुस्तान में आया — (और जब कि) राउलेट ऐक्ट का आन्दोलन चल रहा था — उन्होंने मुझे यह लिखा कि मुझे यदि काँची के तख्ते पर नहीं, तो कारागार में अपना जीवन अन्त करना पड़ेगा, और मैं इस बान से चिन्तित नहीं हूँ। उनमें इस त्याग की शक्ति पूर्ण रूप से मौजूद थी। यह तो उनकी अटल धारणा थी ही कि कोई भी आन्दोलन, बिना उसके पोषक के बलिदान के सफल नहीं हुआ करता। अभी पारसाक ही उन्होंने मुझे लिखा था कि मैं दक्षिण अफ्रीका-निवासी भारतवासियों के पक्ष में अपने मित्र जनरल हाईजोय से सब लिखा पढ़ी कर रही हूँ। उन्होंने मुझे यह भी लिखा था कि आप उनके (जनरल के) प्रति कुपित न हों और आप उनसे जो आशा रखते हों, उसका हवाल मुझे दें।

हिन्दुस्तान का क्रियों को चाहिये कि वे इस अंग्रेज महिला को याद रखें। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया। उनका जीवन एकटिक की भाँति स्वच्छ था। उन्होंने अपने को ईश्वर-सेवा के लिये अर्पित कर रक्खा था। उनका स्वास्थ्य तो विशुद्ध गया होता था — उनको लकवे की बीमारी थी। परन्तु उनके उस दुर्बल और रोगप्रसिद्ध शरीर में वह आत्मा दीप्यमान थी जो कि राजाओं और शाहंशाहों के ससैन्य बल को भी लककार सकती थी। वे किसी मनुष्य से डरती न थी, क्योंकि उनको केवल ईश्वर का भय था।

( यं० इ० )

मोहनदास करमचंद गांधी



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ४८

सुरक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

अहमदाबाद, आपाठ सुदी ५, संवत् १९८१  
 शुक्रवार, १९ जुलाई, १९२६ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 धारंगपुर सरकोमरा की बाड़ी

## सत्य के प्रयाग अथवा आत्मकथा

भाग २

अध्याय १

और भी अधिक वृद्ध

जन्मदिन में सुबह को देन पहुंचती थी। जन्मदिन से जोहासकर्म करने के लिए उस समय रेल न थी। परन्तु धोके को गिराम में जाना पड़ता था और स्टेशन में एक रात रहना पड़ता था। मेरे पास सिंकरम का टिकट था और एक दिन का विचार हो जाने के कारण वह रद्द भी नहीं हो गया था। सैठ अन्दुना ने गिरामवाले को तार दे दिया था। परन्तु उसे तो केवल बहाना बनाना था। मुझे अनजान मनुष्य समझ कर उबने लगा: "तुम्हारा टिकट तो अब रद्द हो गया है।" इसका मैंने उचित जवाब दिया। परन्तु मेरा टिकट रद्द हो गया यह कहने से उसका अभिप्राय तो दूसरा ही था। मुझफिर सब गिराम के अन्दर ही बैठते थे। परन्तु मैं तो कुभी था और अनजान था। इसलिए गिरामवाले का उद्देश्य यह था कि जहाँ तक हो सके मुझे गोरी के पास न बैठने दिया जाय। सिंकरम में बाहर की तरफ हांकनेवाले के दिये-बांधे दो जगह थी। उनमें से एक पर सिंकरम की बम्पनी का एक गोरा अधिकारी बैठता था। वह अन्दर बैठ गया और मुझे हांकनेवाले के साथ बिठा दिया। मैं यह समझ गया कि यह बेवक अन्याय है, अमान्य है। परन्तु इस घुंठ को निगल जाना ही मैंने उचित समझा। यह तो हो ही नहीं सकता था कि मैं अकरदस्ती अन्दर बैठ जाता। यदि मैं इसपर झगड़ने बैठता तो सिंकरम निकल जाती और एक दिन का और भी विलम्ब होता। और फिर भी परमात्मा ही जानें कि दूसरे दिन और क्या गुजरती? इस प्रकार सौय समझ कर सुदिमान मनुष्य की तरह मैं बाहर ही बैठ गया परन्तु विल में बड़ा ही दुख हो रहा था। तीन बजे सिंकरम पारदोकोर पहुंचा। अब उस गोरे अधिकारी को जहाँ मैं बैठा था वहाँ बैठने की इच्छा हुई, उसे सिगरेट पीने की इच्छा हुई थी और सामद कुछ हवा भी खानी होगी।

उसने एक भेला सा टाट जो वहाँ पड़ा था हांकनेवाले से लिया और पर रखने के तबते पर उसे बिठा कर मुझ से कहा: "ममो, तुम यहाँ बैठो, मुझे हांकनेवाले के पास बैठना है," इस अपमान को सहन करने में मैं असमर्थ था। इसलिए मैंने टूटने उरते उरते कहा "आपने मुझे यहाँ बिठाया, यह अपमान तो मैंने सहन कर लिया। मेरी जगह तो अन्दर होनी चाहिए थी परन्तु आप अन्दर बैठे और मुझे यहाँ बैठाया। अब आपकी इच्छा बाहर बैठने की है और आपको सिगरेट पीना है इसलिए आप मुझे अपने पैरों के पास बैठाना चाहते हैं। मैं अन्दर जाने के लिए तैयार हूँ परन्तु मैं आपके पैरों के पास बैठने की तैयार नहीं हूँ।"

अपनी यह बात मैं पूरी भी न कर सका था कि इतने में मुझ पर धपड़ों की मार पड़ने लगी और उस गोरे ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे उतार देने का प्रयत्न किया। मैंने बैठक के नजदीक के पतल के शीकनों को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया और यह निश्चय कर लिया कि हाथ हट जाय तो भी उन्हें मैं ब छोड़ूँगा। मुझ पर जो बात रही थी वह सब मुझफिर देख रहे थे। वह मुझे गालियाँ दे रहा था, खींच रहा था और मारता भी जाता था परन्तु मैं चुप था। वह बलवान और मैं बलहीन था। मुझफिरों में से कुछ लोगों को मुझ पर दया आई और उनमें से किसी किसी ने यह भी कहा: "दे मनुष्य, इस बेवारे को वहाँ बैठने दो, उसे फिजूल मत मारो। वह सच बड़ा है, यदि वहाँ नहीं तो उसे वहाँ बैठने दो।" लेकिन वह बोला 'कभी नहीं,' फिर भी वह थोड़ा सा सकुचा गया। उसने मुझे मारना बन्द कर दिया, मेरा हाथ छोड़ दिया, मगर दो चार गालियाँ अधिक दीं। उसने दूसरी तरफ एक हांटेस्टोट नोकर बैठा था उसे पैरों के पास बैठाया और आप उसकी जगह पर बाहर बैठा, मुझफिर लोग अन्दर बैठे, सीटो हुई और सींकरम चलने लगी। मेरा विल चकक रहा था और मुझे अन्देह हो रहा था कि मैं जिन्दा अपने स्थान पर पहुंच सकूँगा या नहीं। यह गोरा मेरी तरफ आंके निकाल कर घूर रहा था और कहता था। 'स्टाम्बरटन पहुंचने दो, फिर तुम्हारी खबर लूँगा।' मैं चुपचाप बैठा रहा और परमात्मा से अपनी रक्षा की प्रार्थना करता रहा।

रात हुई और हम स्टान्डरटन पहुँचे । कुछ हिन्दुस्तानी चेहरे देखने में आये और उससे कुछ मुझे टालस बंधा । मेरे नीचे उतरते ही उन्होंने मुझसे कहा: 'हम आपको ईगा रेंट की दुकान पर के चलने के लिए आये हैं । हम लोगों को दाश अच्युला का तार मिला है ।' मुझे बड़ी खुशी हुई । सेठ ईगा हाजी सुमार की दुकान पर गया । सेठ और उनके गुनीनों ने मुझे धर लिया । मैंने अपने पर जो वीनी थी उन्हे बंद गुनाई । गुन कर उन्हें बड़ा रंज हुआ, पन्नोंने अपने कितने ही बट्ट अचुमब ग्यान किये और मुझे सान्बना दी । मैं तो अपने पर जो वीनी थी सिद्धरम कम्पनी के एजण्ट के कानों तक पहुँचाना चाटता था । मैंने एजण्ट को चिट्ठी लिखी, उसमें उस गोरे ने मुझे जो भसनी दी थी वह भी लिख दी और सुबह जब सफर शुरू हो तब मुझे अन्दर दूसरे मुसाफिरो के साथ जगह मिलने का बगान दिलाने की भी लिखा । चिट्ठी एजण्ट को भेज दी गई । उसने मुझे सन्देशा भेजा: 'स्टान्डरटन से वही सफरम जाती है और हांकनेवाले बगैरा भी बदल जाने हैं । जिसके खिलाफ आने सिक्कामत की है वह बल न होगा और आसका खरि मुसाफिरो के साथ ही जगह दी आवेगी ।' यह सदेशा पा कर मे कुछ निश्चिन्त हुआ । अपने मरनेवाले उस गोरे पर कोई मुकद्दमा चलाने का तो मैंने विचार ही नहीं किया था इसलिए यह मार खाने का अभ्याय तो नहीं खतम हुआ । सुबह ईगा सेठ के आदमी मुझे सिक्काम के पास ले गये । मुझे उचित जगह दी गई और बिना किसी प्रकार की टंगनी के मैं रात को जोर-मयों पहुँच गया ।

स्टान्डरटन एक छोटा सा गाँव है । जोड़-जमना यहाँ रहते हैं । अच्युला सेठ ने वहाँ भी तार भेजे थे । मुझे मसूद कासम कमरुद्दीन की दुकान का नाम और पता भी मिला था । वहाँ सिक्काम ठहरती थी वहाँ उनका आदमी भी आया था, परन्तु मैंने उसे देखा न उराने मुझे पहिचाना । तब मैंने होटल में जाने का विचार किया । होटलों के दो चार नाम भी यादम कर लिए थे । गाड़ी ली और येन्त जेभनक ट्रान्क में ले चलने के लिए हाकनेवाले से कहा । वहाँ पहुँच कर जेभनक से लिखा और जगह मांगी । उसने एक ठण भर मुझे गौर में देखा, फिर सम्भला से कहा: 'मुझे अफमास है, मैंने अपने घर भेजे हैं' यह कह कर मुझे दिशा कर दिया । मैंने गाड़ीवाले से महमद कासम कमरुद्दीन की दुकान पर गाड़ी ले चलने का कहा । अच्युल गनी सेठ मेरी राह ही देखे रहे थे । उन्होंने मेरा स्यामा किया । होटल में सुझ पर जो बीनी थी मैंने उन्हे बंद गुनाई । के खिलाखिला कट हंग पडे और नांक " क्या वे हमें होटल में ठहरने देंगे ? "

मैंने पूछा: 'क्यों नहीं ।'

'यह तो जब कुछ दिन यहाँ रहेंगे तब मालूम होगा । इस देश में तो हमलोग ही रह सकते हैं क्योंकि हमें तो रुपये पानाने है और इसलिए हम बहुत से अपमान सहन करने हुए भी पडे हुए हैं' यह कह कर उन्होंने ट्रान्सवाल के कर्षों का इतिहास कह सुनाया ।

आगे चल कर अच्युल गनी सेठ से हमें निजोष परिचय करना होगा । उन्होंने कहा: " यह मुक्त आप जैसे लोगों के लिए नहीं है । आपको बस प्रीटोरिया जाना है । आपको तीसरे दर्जे में ही जगह मिलेगी । नेटाक की अनिल्वत ट्रान्सवाल में

हमें अधिक कष्ट भोगना पड़ता है । यहाँ तो हमलोगों को पहके या दूसरे दर्जे का टिकट ही नहीं दिया जाता । "

मैंने कहा: "आपने इसके लिए काफी प्रयत्न नहीं किया हो । "

अच्युल गनी सेठ बोले: " हम-जनों ने पत्रव्यवहार तो सब किया है । परन्तु हमलोगों में से बहुत से तो पहले या दूसरे दर्जे में बैठना ही क्यों पसन्द करेंगे ? "

मैंने रेल के नियमों की पुस्तक मांगी । उसे पढ़ा । उसमें से एक रास्ता निकल सका था । ट्रान्सवाल के पुराने कानून मूसम विचार कर के नहीं बनये जाते थे । फिर रेलों के नियमों का तो पूछना ही क्या था ।

मैंने सेठ से कहा: " मैं तो पहिले दर्जे में ही जाऊँगा और चले यह न देना तो चिट्ठी लिखा गइँ मे ३७ ही भील तो बुर है । मैं वहाँ धोलापाटी में ही चला जाऊँगा । अच्युल गनी सेठ ने उसमें जो धन और सामन नष्ट होना, उसका मुझे भ्यान दिलाया । मन में उन्होंने मेरी राय मान कर स्टेशन-मास्टर को मेरी चिट्ठी भेजी । मैंने मे मास्टर हू बट भा उसमें लिखा और लिखा कि मैं हमेशा पहिले दर्जे में ही सफर करता हू और मुझे प्रीटोरिया जदो पहुँचाना है । यह भी लिख दिया कि आपके उतर की राह देखने का समय नहीं है इसलिए मैं स्वय ही उतर लेने के लिए स्टेशन पर पहुँच जाऊँगा और पहिले दर्जे का टिकट पाने की आशा रखूँगा । इन्को मेरी जोड़ी ली चालकी भी थी । मैंने यह सवाल किया कि स्टेशन-मास्टर तहरीरी जवाब लिखने में तो इन्कार ही करेगा । और उरानो इस बात का ग्याल न हो सकेगा कि मुझे मास्टर केसे रहने है । इसलिए यदि मैं कुछ जमरेजी सभाक पहन कर उसके आगे जाऊँगा और उसके साथ मास्टर को मैं तो इन्को वह फीज्व सभस जाऊँगा और मासद मुझे फिर से देगा । मैं फीज्व, नेकटई इत्यादि पहन कर स्टेशन पर पहुँचूँगा । उराने सभने पांडेब का एम दिया रख दिया मैं पहिले दर्जे का टिकट माँगा ।

उसने कहा: " क्या आप से मुझे यह चिट्ठी लिखी है ? "

मैंने कहा: " हाँ, मैं हूँ । आप मुझे टिकट दे देंगे तो मैं जाऊँगा उरकर सभना । मुझे आज ही प्रीटोरिया पहुँचना है । स्टेशन मस्टर बोला: " से देगा आरै । उसने कहा, ' मैं सुन पाऊँगा ता गाड़ी हूँ, होटल हूँ । मैं आप के भावों को समझ सकता हूँ । मेरी आसके प्रति सन्मानुभूति है । मैं आपको टिकट देना चाहता हूँ परन्तु एक दर्जे है । यदि रास्ते में गाँव आकरा उतर से और तीसरे दर्जे में बैठे है तो आर मुझे दोष न दें । प्रथम आप मेरे के विरुध कोई दाश दायर न करे । मैं यह चाहता हूँ कि आपको यह सफर निश्चि पूरा हो । मैं यह समझता हूँ कि आप भटे आउगी है ।' यह कह कर उसने टिकट दे दी । मैंने उराने सभने दे दिया और उन्हें निश्चि रहने के लिए कहा । अच्युल गनी सेठ स्टेशन पर पहुँचाने के लिए आये-ये । वे यह डीक देख कर बडे खुश हुए, उन्हें आश्चर्य भी हुआ और उन्होंने मुझे चेताया । ' कुशलता के साथ प्रीटोरिया पहुँचोगे तभी बिना बुर होगी । मुझे भय है कि गाँव आसको पहिले दर्जे में आराम से न बैठे देगा और गाँव में बैठने भी दिया तो मुसाफिर लोग न बैठने देंगे । "

मैं तो पहिले दर्जे के खिन्ने में जा बैठा । गाड़ी चली । जर्मीटन पहुँची । वहाँ गाँव टिकट देखने के लिए निकला । मुझे देखाते ही चिट गया । अंगुली से इशारा करते हुए कहा:

'तीसरे दर्जे में बसा जा।' मैंने अपना पहिले दर्जे का टिकट दिखाया। उसने कहा 'कुछ परवाह नहीं' तीसरे दर्जे में जाओ।'

इस विन्ने में एक ही अंगरेज मुसाफिर था। उसने उस गाँव से कहा 'तुम इस गृहस्थ को क्यों सनाने हो? क्या तुम यह नहीं देखते कि उसके पास पहिले दर्जे का टिकट है? तुमसे उसके यहाँ बैठने से कोई तकलीफ नहीं पहुँचती है।' यह कह कर उसने मेरी तरफ देखा और कहा "आप आराध से बंटियोगा।"

गाँव यह कहना हुआ चला गया 'तुम्हें कुली के पास बैठने में मजा आता है तो मेरा क्या विगड़ना है?'

गाड़ी रात को अठ बजे प्रिंसेरिया पहुँची।

(मनजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

### अनीति के राह पर

(२)

जोगें कहना है कि गभैगत के साथ २ बालक हत्या, कुल के अन्दर ही व्यवहार और ऐसे २ ही बहुत ही पाप बह गये हैं कि जिनमें देखा कर आती पटनी है। यद्यपि अविनाशिक मानाओं की यह प्रकर से गर्भ विधर न होने देते हैं और मना-पात करा देने में सहायता पहुँचाई जाती है परन्तु 'पर भी बालक हत्या बहुत बड़ गंभीर है। सत्य बालक हत्या के कान पर जो भी गद्दी रेंगनी और अदालतों से घडापड 'बैकग्रेड बैकग्रेड' के फसले हुए जाते हैं। बालक हत्या करनेवाली माताओं में कुछ भी दण्ड नहीं मिलता।

जोगों एक अंगरेज केवल अश्लील सारित्र पर ही लिखता है। उसका कहना है कि साहित्य, भावना और चित्र इत्यादि का जो मनुष्य के मन की जानन्द और स्वस्था देने के लिये है उनका अश्लील श्रेय रमनेवाले मनुष्य बड़ा दुःखरोग कर रहे है। इस स्थान पर ऐसा साहित्य बिक रहा है। इस आगे में सभी की बर्बादी हो रही है। यह 'दुःखान्त मनुष्य' का साहित्य के निरने की निवारण करती है और करोड़ों रुपये इस अन्तरे में खर्च हुए हैं। मनुष्यों के हत्या पर इस - 'साहित्य' का यह विपरीत प्रभाव हुआ है और उनके मन में विचारों की 'पुनः' और बड़े व्यवस्थारी दुनिया इस साहित्य ने बना कर खड़ा कर दी है।

फिर जोगों मोंशियों कक्षन का यह दर्दना हुआ वाक्य उद्धृत करता है कि:--

"अश्लील साहित्य लोगों को बड़ी हानि पहुँचा रहा है। इस साहित्य की विपरीत से पना चलता है कि लाखों करोड़ों मनुष्य ऐसे साहित्य का अध्ययन करते हैं। पागलपानों से बाहर भी करोड़ों पागल रहते हैं। विभिन्न प्रकार पागल अपनी एक निरासी ही दुनिया में रहता है उसी प्रकार पढ़ते समय मनुष्य भी एक नई दुनिया में रहता है और इस समाज की सारी बातें भूल जाता है। अश्लील साहित्य पढ़नेवाले अपने निजाओं की अश्लील दुनिया में भटकते फिरते हैं।"

इन सब दुःखारिणानों का सब एक ही कारण है। लोगों का यह विचार ही कि 'विषयभोग तो मनुष्य का अन्तर्निहित अधिकार है। बिना विषयभोग के मनुष्य का पूर्ण विकास नहीं हो सकता' इस सबकी अड़ है। ऐसा विचार हृदय में आते ही मनुष्य की दुनिया ही पलट जाती है। जिसको यह अवसर चुराई समझता था अब भलाई समझने लग जाता है और अपनी पाशाबिक इच्छाओं की पूर्ति के लिये नई २ तरकीबें ढूँढने लगता है।

आगे चल कर जोगों यह साबित करता है कि किस प्रकार दैनिकपत्र, मासिक पत्रिकाएँ, पुस्तिकाएँ, उपन्यास और तस्वीरें इत्यादि दिन ब दिन लोगों की इच्छा नीच प्रवृत्ति के पूरा करने के लिये ही प्रकाशित किये जा रहे हैं।

जमी तक तो जोगों ने केवल अविवाहित लोगों की दुःखा दिखाई है अब आगे चल कर यह विवाहित लोगों के अष्टाचार का दिग्दर्शन कराता है। यह कहता है कि अमीरों, किसानों और औषध दर्जे के लोगों में विवाह अधिकतर दिखावे या तो लोडाना के कारण होते हैं। कोई अमीर, जौहरी या व्यापार मिला जाने के अवसर पुढाप में या बीमारी में देखभाल के लिये एक साथी इत्यादि के भिन्न उद्देश्यों से विवाह किये जाते हैं। व्यवहार से यह काम भी मनुष्य अपने व्यवहार को स्थायी और स्थिर बनाने के लिये निराह कर लेते हैं।

आगे चल कर जोगों अपने २ प्रमाण दे कर यह दिखाता है कि जोगों विचारों से व्यवहार नम होने के अतिरिक्त बढ़ता और है। इस पत्र में यह कृत्रिम उपाय और साधन और भी सहायता करते हैं जो व्यवहार को तो नहीं रोकते परन्तु व्यवहार के परिणाम को रोक देते हैं। मैं उन मनुष्यवक भाग को उदाहरण के लिये उदाहरण देता हूँ जिन्होंने कि परस्त्रीगमन का इति अथवा कपहरियों द्वारा ही गई मत २० वर्ष के अन्दर लक्षाओं के लक्ष्य दुर्गा ही गई इत्यादि बातों का वर्णन आया है। 'मनुष्य के व्यक्त विचारों के अधिकार भी होने चाहिए' इस सिद्धांतानुसार जो विचारों को विषयभोग करने की स्वतन्त्रता दे ता यह है उसके सम्बन्ध में जो मैं एक ही शब्द ही कहूँगा। यद्यपि यह न होने देने व्यवस्था सम्पात करा देने की क्रियाओं में जो समाज हासिल कर लिया गया है उससे मनुष्य और विचारों को किसी को भी श्रेय के बन्धन की आशयकता ही नहीं रही है। फिर यदि श्रेय विचार के नाम पर इसे तो अन्वय ही क्या है? जोगों एक कृत्रिम तन्त्र के यह वाक्य उद्धृत करता है, 'मेरे विचार से विवाह ही प्रथा बड़ी जगली और क्रूर है। जब मनुष्य प्रति बुद्धि और न्याय की तरफ कदम बढ़ायें तो इस क्रिया को अवश्य मनुष्यवक चलाकर बर आलेगी ... परन्तु मनुष्य दत्ते बुद्धि और विवेक इतनी कायर है कि वह किसी कंचे सिद्धान्त के लिये जोर ही नहीं दे सकने'।

अब जोगों इन दुःखारणों के कर्मों पर और उन सिद्धान्तों पर चिन्ते इन दुःखारणों का सदन किया जाता है मनुष्य विचार करके कहता है कि, 'यह अष्टाचार दर्जे एक नई दिशा में ले जा रहा है। वह दिशा कैसी है? वहाँ क्या है? हमारा भाविय प्रकाशमय होगा या अन्धकारमय? उत्पत्ति होगी अथवा अवनति? हमारी आत्मा को सौन्दर्य के दान होने या कुम्पता और पशुता की भयानक गति दिखाई देगी? यह तो कान्ति फेली हुई है। क्या यह बर्ती ही कान्ति है जो मनुष्य २ पर देश और जातियों के उत्थान से पहिले बना करनी है और जिस में उत्पत्ति का बीज रहता है? अथवा यह बड़ कान्ति है जो आदम के हृदय में उठी थी और जो हमें अपने जीवन के बहु-मूल्य और आवश्यकीय सिद्धान्तों के तोड़ डालने को उच्छाती है? क्या हम साहित्य और जीवन के संरक्षक बन्धनों के विरुद्ध लड़ाई का सामना कर रहे हैं? फिर जोगों यह दिशाता है और सब प्रमाणों के सहित दिखाता है कि अबतक इन सब बातों से समाज को अक्षय हानि पहुँची है। यह दुःखारण हमारे जीवन के उपवन को उन्नाह रहे हैं।

(चं० ई०)

मोहनदास करमचंद गांधी

# हिन्दी-नवजीवन

शुक्रवार, भाषा:६ जुली ५, संवत् १९८२

## कातने का अर्थ

एक महाशय ने उर्को ल्यों कता हुआ, पैसा और तुरी तरह लपेटा हुआ सूत मेरा है। उसकी संस्था का म.प भी खब नही निकाला और लिखते हैं कि: "बरखासंघ में आप बहुत से कातनेवालों को चाहते हैं इसलिए मैं भी कातना चाहता हूँ। अपना सूत मेज रहा हूँ। जितने गर हो लिखियेगा। कम होगा तो और मेज कर पूरा कर दूंगा। यहाँ पोनिया मिलने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। आप ही पोनियां मेज दिया करें तो अच्छा हो।"

मान लो कि हमारे इस मुष्क में लोग रोटियां बना कर न खाते हों, परन्तु जापान से छोटी छोटी रोटियां मंगा कर खाते हों। मान लो कि मेरे जैसा कोई दूरदर्शी इसमें हिन्दुस्तान का नास ही देख रहा हो और हम सब रोटियां बेचना, बनाना और पकाना शुरू मये हों और वह रोटियां बनावे और हम सब से इस यज्ञ के लिए रोटियां मांगे और कोई हिन्दू का सेवक प्रेम की उमंग में आ कर किसी से आटे की लोई मांग कर त्रिकणाकार, कधी पक्का, कधी थोड़ी जल्दी हुई, कहीं गाले में कभी होने के कारण फंकुचन नही हुई रोटियां मेजे और उसके साथ पत्र लिखे: "रोटियां यज्ञ का आपका आह्वान सुन कर मैंने भी उसमें अपना हिस्सा देना निश्चय किया है। आज कुछ मेज रहा हूँ। उधका तौल निकाल कर मुझे कीलिया। कम होगी तो पूरी कर दूंगा। यहाँ आटे की लोइयां प्राप्त करने की सुविधा नहीं है। क्या आप मुझे लोइयां भेज सकेंगे?" यदि कोई रोटियां यज्ञार्थी यह लिखे तो रोटियां न को जानने के सब इस यज्ञार्थी के यज्ञ पर हलंगे और कहेंगे कि ऐसे भाई को हिन्दुस्तान के प्रति प्रेम है परन्तु उसे कार्यरूप में व्यक्त करने की उसे युक्ति ज्ञात नहीं है। रोटियां के सम्बन्ध में जो यह लिखा है उसका उचित होना तो सब को स्वीकार होगा। परन्तु बरखे के यज्ञार्थी भाई ने जो काम किया है वह ठीक उस काल्पनिक रोटियां-यज्ञार्थी के जैसा ही है, इसकी सब शोभ स्वीकार न करेंगे। यह पडी हुई आदत से बहुत अज्ञान का चिह्न है। बरखे के विषय में हम सब कुछ भूल गये हैं और जैसे रोटियां बनाने की कला को यदि हम मूल कार्य तो भूलो मरेंगे यह फौरन सब के समक्ष में आ जाता है परन्तु बरखे के अभाव से हम आज भूलों मर रहे हैं वह आसानी से सब की समक्ष में नहीं आता। एक बात तो यह है: कातने से मतलब यह नहीं कि कपों ल्यों कर के केक करते हुए जब कभी चाहे सूत के जैसे जैसे तार निकाले जायें। परन्तु कातने से यह मतलब है कि कातने के पहिले की आवश्यक श्रम क्रियायें सीख ली जायें और स्वस्थान्त हो कर अच्छा समान कता हुआ सूत निरमपूर्यक आसन्नद्ध हो कर कता जावे। उसे साफ कर लेना चाहिए, उसकी रगई म हलम बननी चाहिए, व का बजन भी माहम करना चाहिए, उसकी अच्छी अच्छियां बनानी चाहिए और यदि कहीं मेजना हो तो उसे अच्छी तरह बांध कर उस पर कपास की जत, सूत का अंक, कंवाई और बजन की चिह्नी भी लगा देनी चाहिए। और यज्ञ करनेवाले का नाम पता इत्यादि अच्छे सुवाच्य शब्दों में लिख कर उसके साथ बांध देना चाहिए।

इतना करने पर उस दिन का बरखा यज्ञ पूरा हुआ गिना जा सकेगा। कातने के पहिले कपास ओटने की और धुनने की क्रियायें आवश्यक होती हैं। बरखा-यज्ञ की रोटियां-यज्ञ के साथ धुलना की जाय तो कपास ओटना अर्थात् गेहूं पीसना तो जहाँ कहीं हो रहन किया जा सकता है। परन्तु आटा गूँब कर लोई बनाना कई धुनने के बराबर है। आटे की लोइयां बनाने की क्रिया दूसरी जगह नहीं की जा सकती, यह तो जहाँ रोटियां बेती जाती है और मँकी जाती है वहाँ होनी चाहिए। उसी प्रकार कई धुनने की क्रिया भी वहाँ की जानी चाहिए कि जहाँ कातने का काम होता है। केवल इतनी ही स्वतंत्रता ही जा सकती है कि एक धुनने के लोगों में से एक भाई या बहन आटा गूँब कर तैयार करे, उसकी लोइयां बनावे और दूसरे सब लोग रोटियां बेले और लेंके। इससे अधिक स्वतंत्रता की जाय तो रोटियां बिगड़ जायंगी और यज्ञ भी दूषित हो जायगा। नती तरह सुविधा के लिए धुनने का काम भी जहाँ कातने का काम होता है वहाँ किसी एक ही मनुष्य द्वारा किया जाय, परन्तु इससे अधिक स्वतंत्रता देने में तो सूत खराब होगा और बरखा-यज्ञ भी दूषित होगा। धुनने की क्रिया बड़ी ही सरल है। धुनने का हथियार बड़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है और आसानी से प्राप्त भी हो सकता है। जहाँ बांध मिक्का सहज है वहाँ घर में काम लायक धुननी फौजन बना ली जा सकती है। परन्तु कितने बरखा-यज्ञ की कानी नहीं लगी वह भले ही धुनी हुई गई भेगा के। लेकिन हर एक कातने-वाले को धुनने की क्रिया तो सीख ही लेनी चाहिए। यह कहने की तो शायद ही कोई आवश्यकता होगी कि धुनने की क्रिया में धुनी हुई गई से पोनियां बनाने का काम भी शायिक होता है। धुन कर तैयार की गई गई गूँब हुए आटे का पिंडा है और पोनियां उससे तैयार की गई लोइयां दे। ये धनशता ह कि उपरोक्त लेखक के जैसे ही भाव तिन भाई बहनों के है वे कातने का अर्थ अब समझ मये होंगे।

( नवजीवन )

सोहनचरण करमशेद जी

## मनुष्यता से पहिले पशुता

२४ जून की रात इन्डिया में जो 'स्वामित्वक मया है!' शीर्षक लेख निकला है उसके संसंध में एक शब्दा महाशय लिखते हैं कि:—

"जन्म में ही हिंसामयक प्रवृत्ति जन्म करने का प्रयत्न किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में हिंसा का उपजीव बन्ध करना अर्थभव है और मैं तो समझता हूँ कि ऐसी अवस्था में इसे रोकने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। यह तो बिल्कुल मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य भी तो पशु ही है। उसमें मनुष्यता से पहिले पशुता रहती है। आस्ट्रेलियावासियों के जंगली पूर्वजों का ही उदाहरण के लीलिए। कला, साहित्य, इत्यादि से उन्हें कोई सम्बन्ध नहीं था। जनवरी को मार कर खाने में और संकेतो से बातचित करने से। हममें अभी तक पशुता मरी है। नैतिक आचरणों का तो केवल दिखावटी रुपड़ा ओवर रक्खा है। मनुष्य स्वभाव से ही परमात्मा को पाया समझ नहीं सकता है। न स्वभाव से ही मनुष्य परमात्मा की आराधना कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति गेहूँ अवस्था में पाया जाय कि धर्म, ज्ञान, या रामनाम की भजक उसके कान में भी न गये तो ईश्वर आराधना का उसे कभी ज्ञान भी न जायगा। काहों और करोहों मनुष्य संसार में कभी किसी मन्त्र, गिरवा या मन्त्रिद में काम तक नहीं रहते। ईश्वराराधना तो एक आवस्य



की बात है। तुराई भलाई का नीति अनीति के और परमात्मा से कोई सम्बन्ध नहीं। नीति की आवश्यकता तो समाज और संघटित जीवन के लिये पड़ती है कोई परमात्मा उन्मत्त में आ कर बोधे ही नीति के लक्ष्य की आशा भ्रम देता है। परमात्मा ने मनुष्य नहीं बनाया। मनुष्य ने परमात्मा बनाया है। यदि आप बाहर से अपना सम्बन्ध मांक के तो इसके आपके नीतिशास्त्र पर क्या असर पड़ता है? आत्मा-पीना और विषय-भोग करना तो मनुष्य के लिए निरन्तर स्वाभाविक ही है। हाँ, इस सब की सीमा अवश्य है परन्तु वह सब सीमामें सीमावर्ती और स्वास्थ के कारण रहनी गई है और कुछ सीतिलसम के कारण बन्प गई है। आर विषयभोग से निरन्तर सुंदर केर लेने का उपदेश कैसे दे सकते हैं? आप यह नहीं सोचते कि विषयभोग से प्रवृत्ति भी तब ही दूर हो सकती है जब कि हमारी इच्छामें सब पूरी हो जावे। आप कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति से अहिंसात्मक है हिंसात्मक नहीं। परन्तु यदि आपका भ्रिटिमा मांक का बहिष्कार ही पूरा हो जाता तो आपने इच्छा के मजदूरों पर कितनी हिंसा की होती? कौन-किसी का घर सड़ से फोड़ डालना ही तो हिंसा नहीं है उसको भूलो मारना भी तो हिंसा ही है। आपकी 'जाससफि' अथवा प्रेषाफि केवल मन के लक्ष्य है। अहिंसा सम्भता का तकावा है। मनुष्य की प्रकृति नहीं।"

मैंने डाक्टर साहब के पत्र को संक्षिप्त कर लिया है। जिस पूर्ण विभाग से उन्होंने लिखा है उसे देख कर तो मेरे दोष उठ जाते हैं। परन्तु हमारे डाक्टर महोदय जिन्होंने विज्ञापन में लिखा पाई है और जो बहुत दिनों से बचपरी कर रहे हैं वही बातें कहते हैं जो कि प्रायः पंडे लिये लोग विचारा और कहा करते हैं। परन्तु मेरी समझ में उनही बातें नहीं आती। आहवे! उनके तर्क की बरा कसौटी पर कलें। वह कहते हैं कि जनता में अहिंसा का भाव नहीं आ सकता। इस देखते हैं कि संसार के सारे कार्य प्रतिदिन प्रेम से ही चलते हैं। अगर मनुष्य प्रकृति से ही हिंसात्मक हो तो संसार क्षणभर में ही नष्ट हो जाय। सिद्धा मुलिन या और किसी दबब के ही लोग जाति से रहते हैं। जब बुरे लोग आ कर जनता में अस्वभाविक विकार फैला कर उसका दिमाग करब कर देते हैं तभी जनता हिंसा की तरफ चल पड़ती है अन्तर्गत नहीं। परन्तु फिर भी सारी इत्सा कर कर कर फिर लोग हिंसात्मक को भूल जाते हैं और अपने प्राकृतिक सत्त्व भाव से काम में लग जाते हैं। जब तक बुरे लोग उन्हें उकसाते रहते हैं तब ही तक उनमें हिंसा का भाव जागृत रहता है।

अभी तक तो हमने नहीं सीखा है कि किसी प्राणी का जातिभेद दूसरों से केवल उसके गुणों पर निर्भर रहता है। इसलिए यदि हम यह कहे कि भोजा पहिले 'पशु' है और फिर 'घोडा' तो यह ठीक न होगा। यह तो ठीक है कि घोड़े में और अन्य पशुओं में कुछ समानता है परन्तु घोडा अपने 'घोड़ेपन' को छेड़ कर पशु नहीं रह सकता। अपनी विशेषता छुट जाने पर वह अपनी पशुपन की सामान्य अवस्था भी स्थिर नहीं रह सकता। इसी प्रकार यदि मनुष्य अपनी मनुष्य अवस्था को छोड़ दे, पूछ उगा के, सारी शक्तियों पर कलमें लग जाय और अपने हाथों और अपनी बुद्धि को प्रयोग में न लावे तो वह केवल मनुष्य ही कहाने का अधिकारी नहीं रहेगा बल्कि पशु भी कहाने का अधिकारी नहीं रहेगा। बक, गध, भेड़ या कहीं वह किसी में परिमलित नहीं हो सकेगा। इसलिए डाक्टर साहब से कहता हूँ कि मनुष्य

उसी समय तक पशु कहला सकता है जब तक उसमें मनुष्यता है।

आस्ट्रेलिया के हथियारों का उदाहरण भी यहाँ ठीक नहीं बैठता। पशु पशु ही है हमसी फिर भी मनुष्य है। हथियार से उन सब उदगुणों के विकास की सम्भावना है जो मनुष्य में होते हैं परन्तु पशु में उन गुणों का विकास सम्भव नहीं है। और फिर आस्ट्रेलिया के हथियारों के उदाहरण की आवश्यकता ही क्या है। हमारे पूर्वज स्वयं इनसे कुछ अधिक अन्धे नहीं थे। मैं डाक्टर साहब की यह बात अवसरान मान लेता हूँ कि सभ्य पुकारे जानेवाले राष्ट्रों में भी अपनी तक लोग बहसियों की तरह ही बर्ताव करते हैं। डाक्टर साहब भी यह तो मानते हैं कि यदि हमारे पुरखा जंगली थे परन्तु हम से कम हम सभ्य लोगों को तो पशु सृष्टि से भिन्न रखना ही पड़ेगा। पशु का प्राकृतिक व्यवहार करना स्वाभाविक है परन्तु हम तो इस विशेषण को अवश्य पचन्द नहीं करेंगे। डाक्टर साहब क्षमा मांग कर बहुत दिवसते हुये मुझसे कहते हैं कि यदि मैं जान से अपना दू का सम्बन्ध मान लूँ तो इससे मेरे नीतिशास्त्र पर क्या असर पड़ता है? मैं जिस नीति पर चलता हूँ वह नीति बाहर, पेडा और भेड़ ही नहीं शेर चीता और ऊप विच्छ सब से नाता और सम्बन्ध रखने की मुझे न केवल इनामत देती है, आज्ञा करती है; चाहे यह मेरे नातेदर मुझे अपना सम्बन्धी न समझे हों। जिन नीति के कठिन सिद्धान्तों की मैं स्वयं मानता हूँ तथा जिनको मानना मैं हर व्यक्ति का कर्तव्य समझता हूँ उनके अनुसार यह पद तरफा नातेदारी निराहने का बर्त आवश्यक है। यह सब कर्तव्य हम पर इसीलिये है कि केवल मनुष्य ही परमात्मा के स्वरूप के अनुसार बनाया गया है। हमसे से बहुत से अपने इस स्वरूप को चाहे न पहिचाने परन्तु इससे इसके अतिरिक्त और कोई अन्तर नहीं पड़ता कि हम उस काम को न उठा सकें जो हमें अपना वास्तविक स्वरूप पहिचानने से हो। है जिन प्रकार भेड़ों में पला हुआ शेर भरना स्वरूप भूल कर नहीं पहिचानना और इसीलिये उसे उसका काम भी नहीं मिलता। परन्तु फिर भी उसका स्वरूप शेर का स्वरूप ही है और जिस समय वह अपना स्वरूप पहिचान लेता है उसी समय से वह भेडा का राग हो जाता है परन्तु कोई भेड छिटना भी प्रयत्न करे वह शेर कभी नहीं हो सकती। यह साबित करने के लिये कि मनुष्य परमात्मा के स्वरूप के अनुसर बना है इस बात की आवश्यकता नहीं है कि हर मनुष्य में हम परमात्मा का स्वरूप दिखा दे यदि हम एक में भी परमात्मा का स्वरूप दिखा दें तो हमारी बात सिद्ध हो गई। और क्या इस बात से कोई इनकार करेगा कि जो जो धार्मिक गुरु न नेता हुये हैं उनमें परमात्मा का स्वरूप नहीं था? परन्तु हाँ हमारे डाक्टर साहब तो यह कहते हैं कि मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान अथवा प्राप्त होना अस्वाभाविक है और इसीलिये यह कहते हैं कि मनुष्य ने अपने स्वल्प के अनुसार परमात्मा बनाया है। इसके उत्तर में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अभी तक संसार में ज्ञमण करनेवालों की जो साक्षी है वह सब इसके विरुद्ध है। प्रतिदिन इसी बात पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि किसी वेदंग से वेदंग स्वरूप में क्यों न हो परन्तु ईश्वराराधना ही मनुष्य को पशु से पृथक् करती है। इसी गुण के कारण वह परमात्मा की सृष्टि में राक्ष्य करता है। इससे कोई मतकन नहीं कि कौनों मनुष्य कभी मन्दिर गिरना और मत्तमिद में कदम नहीं रखते। ईश्वराराधना के लिये वहाँ जाना न स्वाभाविक ही है न आवश्यक। भूत पत्नीत और परस्पर पूजनेवाके भी अपने से महान शक्ति ही की पूजा

करने हैं। आराधना का यह ढंग अवश्य ही बहुत बेढगा और बुरा है परन्तु फिर भी है यह भी ईश्वराराधना ही। मिट्टी से बना हुआ सोना सोना ही है। तब कम और साफ हो कर चमक उठता है और फिर हर एक उसको पहिचान लेता है कि सोना है। परन्तु कितना ही तबादले और साफ कीजिये लोहा सोना नहीं बन सकता। हाँ ईश्वराराधना का सुन्दर ढंग निकाल ले। अवश्य मनुष्य के प्रयत्न का फल है। बेढगी ईश्वराराधना आदम के समय से चली आती है और ऐसी ही स्वभाविक है जैसी कि रोटी खाना या पानी पीना। बिना खाने तो मनुष्य दिनों जीवित रह जागा है परन्तु बिना ईश्वराराधना किये एक पल भी जीवित नहीं रहता। न हे कोई मनुष्य यह बात न माने जिस प्रकार कि कोई बेसमझ आदमी अपने शरीर में फेफड़ों का रोग अथवा रक्त का प्रवाह न माने।

डाक्टर सादर विषयभोग और खानेपीने की आवश्यकताओं को एक ही प्रेणी में मराने है। यदि उन्होंने मेरा लेख ध्यान से पढ़ा होगा तो वह हवाला देते समय ऐसी विचारों की गड़बड़ न दिखाते। जो कुछ मैंने कहा है और जो अब मैं फिर उदराना हूँ वह यह है कि केवल स्वाद या आनन्द के लिये खाना मनुष्य के लिये स्वाभाविक नहीं है। जादि। रहने के लिये खाना स्वाभाविक है। इसी प्रकार विषयभोग भी आनन्द के लिये नहीं केवल सन्तानोत्पत्ति के लिये ही स्वाभाविक है।

मैं तो मरने दम तक विषयभोग से दूर रहने ही का प्रचार करता हूँ। यह पहिले डाक्टर महाशय है जो कहते हैं कि विषयभोग से तबतक प्रवृत्ति नहीं हट सकती जबतक कि पुरे इच्छाओं का पूर्ति न हो जाय। अन्य डाक्टरों ने तो मुझे यही बताया है कि खर इच्छाओं की पूर्ति करने से विषयभोग से प्रवृत्ति तो नहीं हटती बल्कि नारा कर डालनेवाली नपुंसकता आ जाती है। विषयभोग से बिलकुल प्रवृत्ति हटाने के लिये बहुत प्रयत्न ही आवश्यकता है। परन्तु फिर लाभ भी तो बहुत मिलता है। यदि हम अपना जीवन विज्ञान आदि की सोच में बिटा सकते हैं जो केवल मष्टि के एक दम का हमें ज्ञान कराता है तो फिर क्या हम अपने जीवन की शुद्धी सुलझाने के लिये अपने अन्तर्ज्ञान और ईश्वर के ज्ञान के लिये अपना जीवन बालसंयम के लिये नहीं दे सकते।

जो आत्मनिग्रह के मार्ग पर कुछ दूर चल चुका है उसे यह बताने की तो आवश्यकता ही नहीं रहती कि जड़िया (द्रव्य) न कि हिंसा (द्रव्य) से ही मनुष्यमात्र अथवा जो कहिये कि संसार बधा हुआ है। कुछ उदाहरण दे कर डाक्टर साहब भी हिंसा सिद्ध करना चाहते हैं। परन्तु इससे केवल उनकी मेरे लेखों से अनभिज्ञता प्रकट होती है। यह कोई जरूरी बात नहीं कि सब लोग मेरे लेख पढते ही रहा करें परन्तु हाँ कम से कम वह लोग तो पढ लिया करें जो मुख पर आक्षेप करने का साहस करते हैं। मैंने केवल विदेशी कपडे का बहिष्कार करने को कहा है। इसमें ब्रिटिश मजदूरों के प्रति हिंसा कैसे हो जाती है? हम उनका बनाया कपडा नहीं पहिनते, अपना बनाया स्वयं पहिनते हैं। हमने कोई ठेका ले लिया है कि उन्ही का बनाया कपडा पहिनते रहेंगे। हमारे उनके बनाने कांडे के न पहिन से ही यदि वे भूलों माने लग जाय तो हममें हमारा क्या दोष? हिंसा तो उलटी बही काने है। ब्रिटिश मजदूरों का बनाया हुआ और उन्ही के नाम पर विदेशी कपडा भारत के शिर जबरबस्ती मचा जाता है। यदि कोई शराबी शराब पीना छोड देता है तो क्या वह शराब की दुकानवाले के प्रति हिंसा करता है? वह तो अपना और उसका

दोनों का भला करता है। भारत भी जिस रोज विदेशी कपडे का व्यवहार छोड देगा अपना और विदेशियों का दोनों का भला करेगा। विदेशी कारीगर भूलों नहीं भरेंगे। उन्हें दूसरे उपयोगी धन्धे मिल जायेंगे। यदि वे स्वयं ही भारत के लिये कपडा बनाना बन्द कर दें तो संसार के एक बड़े उपयोगी आन्दोलन में वे महायक होंगे।

(१-३०)

मोहनदास करमचंद गांधी

## मुमुक्षु जमनालाठजी

(२)

पछराजजी ४१ लाख रुपया छान गये थे परन्तु जमनालाठजी ने अपने प्रापारक्षता से जो उन्होंने किसी विद्यालय में पढ कर नहीं परन्तु उगुभा से प्राप्त की थी चाहे जोवीस लाध कमये। और इन चौबीस लाख कमाने में अत्यन्त से जितने दूर यह रहे उरना कदाचित ही छोड़े दूर रहूँगा। सज्जन बणिक के सम्बन्ध में शामिल भट्ट का छापय जमनालाठजी को देख कर हर मनुष्य को याद आ जाता है:—

नगिक लेख नाम, जेह जुटु नव बंके  
वर्णिक लेख नाम, तोल जांखु मय बंके,  
वर्णिक लेख नाम, चापे बीन्धु से पंके,  
वर्णिक लेख नाम, दयाक रहित धन बंके,  
विवेक तोल ए वर्णिकुं—

वर्णिक मादि गुण वश, रंश भडे नदि अगे,  
चोरो नागी जग पुड अकार आने नदि सगे,  
अपर्म अन्ना अमिम-म, मान तान तो न गगे,  
निंदा नीच स्वभाव नउ कोटिपु म भणे,  
माया कोई एक दे घणी, पछी बाटो नव जपीओ  
गुड नव बंके परकी बेवार पंके से वपीओ।

जिज्य विवेक से उन्होंने धन कमया उसी विवेक से उन्होंने अपने धन का दान किया। लाखों रुपया दे कर के 'सम' हो सकते थे। प्रवाह के अनुसार युक्तिगिटा में स्कोलरशिप दे कर और सरकार को सरकारी राखाओं के रखापनाथ बन दे कर ने मान पा सकते थे। परन्तु असहयोगी होने के पहिले ही से उनमें सच्ची विवेकबुद्धि से व्यवहार चलाने का स्वभाव था। हाँ यह बात ठीक है कि असहयोग ने उनका क्षेत्र बढा दिया। उन्होंने कुल अपने ११ लाख रुपये के दान में से केवल असहयोग में ही करीब छ लाख रुपये का दान दिया होगा। परन्तु असहयोग से पहिले के भी आपके दान बहुत विवेकपूर्ण रहे हैं। सर जगदीशचन्द्र बोस की विज्ञानशाला के लिये (३५,०००) दिया और काशी विश्व-विद्यालय के पुस्तकालय के लिये (५१,०००) का दान दिया। इसी से उनके विवेक और दूरदृष्टि का पता लग जाता है। ११ लाख रुपये के दान में से केवल दो लाख के करीब, उन्होंने अपनी समाज के लिये दिया। जीव आठ या नव लाख रुपया कुल देश और धर्म के लिये दिया। केवल मुसलमानों को ही २१ हजार का दान दिया।

असहयोगी होने से पहिले ही आप बड़ी निमंयता का व्यवहार करते रहे हैं। गवर्नर ने एक बार आप को दरबार में बुलाया और इस अवसर पर एक विशेष पोशाक ही पहिन कर जाने की आप को सूचना मिली। आपने वह पोशाक पहिनने से इनकार कर दिया। आखिरकार आप से कहा गया कि आप विश्व तरह जाईं आवें। गवर्नर को पार्टी देने के समय भी आपने कसबटर को साफ कहला मेजा कि अंडे, मांस या घराब न दिया जाय।

भारतसचिव मिस्टर मोटेयु जिस समय भारतवर्ष में आये थे सब दशमंश के महाराजा सनातनधर्मियों का एक डेप्युटेशन उनके पास ले आना चाहते थे। जमनालालजी ने उनको लिखा कि यदि आप लोग भारतसचिव के सामने यह मांग रखें कि लखर के लिए जो गोवध होता है वह बन्द हो जाय तो मैं डेप्युटेशन में सम्मिलित हो सकता हूँ। महाराजा दरभंगा ने यह बात स्वीकार नहीं की और इसलिये आप डेप्युटेशन में सम्मिलित नहीं हुये। बदवान के महाराजा ने अमीरों के डेप्युटेशन में सम्मिलित होने का आपको न्यौता भेजा परन्तु इसकी शूशामदियों का डेप्युटेशन समझ कर आप उसमें सम्मिलित नहीं हुये। रेलमें सफर करते समय भी 'टोभियो' से न डर कर उन्हें डाट दिया करते थे और एक असभ्य यूरोपीयन के तो एक हफा कात मारने का भी तैयार हो गये थे। यह सब आपकी असहयोग के पहिले की निश्चरता के नमुने हैं।

सेवादाता मंडल पाने की इच्छा आप की पहले ही से थी। एक श्रमभारी संन्यासी का सम्राग कई वर्षों से आप करते आये हैं और अब भी आप उनका सेवा करते हैं। आप भी अक्सर हर शुभ कार्य में आप उनका आशिर्वाद मांग कर ही हाथ डालते हैं। उनमें निष्कलता, कीर्ता परबुद्धि और सेवाभाव तो पहिले ही से मौजूद था परन्तु गान्धीजी के सन्सग से वह और विस्तृत हो गया है—भारत के प्रत्येक व्यवहार में हर काम को वे धर्म का तराजू में तोल लेते हैं। असहयोगी होने पर नये नये सिद्धान्तों के पालन करने का भाग बटा और उनकी मत्पनिष्ठा ने उनके सम्मुख कई एक नयी नयी समस्यार्थ खडा कर दीं। टाटा कम्पनी मुल्गी पेटाबाली पर आगान्तर कर रही है तो फिर उस कम्पनी के शेयर में कैदो रख सकता हूँ? कलकत्ता के व्यापार के कारण बार बार अदालत में जमा पडता है तब फिर वहाँ का काम बन्द ही क्यों न कर दूँ? मैं अगुरयता में निस्वास नहीं रखता हूँ यह लोगों को किस तरह ब्याक? जलन से रीतिरिवाजों को मैं युग समझता हूँ तो फिर लखी के विवाह में ही लखी निलालजी क्यों न दे दूँ? आप गरीब से गरीब के साथ एक सा व्यवहार करते हैं और भजनक गरीबी से रहने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे ही बहुत से प्रश्नों को उन्होंने स्वयं अपने कष्ट सहन कर के हल किया। ऐसे प्रयत्नों के कई एक वर्णन इस जीवनपरिचय में आये हैं। और ऐसे सैकड़ों प्रश्नों उनके भविष्य जीवनपरिचय में लिखे जा सकते हैं। एक छोटी सी बात है परन्तु यहाँ बिना लिखे जा नहीं मानता। लखी का मत लखर पहिलेने में है; परन्तु जो नरखासंग के सभ्य हैं, और मत दिन लखर का प्रचार करते हैं, वह दूसरे कामों के लिए भी लखर को छोड कर और दूसरे कपडे का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? वर्षों में एक नया टी प्रश्न खडा हुआ। घरमें ५०-१०० निवाड के पलंग थे। बड़े घर में भीमनी जानकीबाई और बालक सभी मन्त्रसिख लखर पहिलेते थे और मृत भी कांतते थे परन्तु उनको किसी को इस निवाड का कभी स्थान नहीं आया। जमनालालजी ने कहा कि यह मिल के मृत की निवाडवाले पलंगों को काम में लाने की क्या जरूरत है? व्यवहार कुशल जानकी-देवी ने कहा कि: 'आप के लिए हाथों से काते हुये मृत की निवाड का पलंग आया जाता है, परन्तु घरमें बहुत से पलंगों की निवाड है उसको व्यर्थ नष्ट न कीजिये। परन्तु जमनालालजी ने निश्चय कर लिया था कि घरमें मिल के मृत की निवाडवाले पलंग नहीं रखेंगे।

इस पुस्तक का परिचय मैं अधिक लम्बा बनाना नहीं चाहता हूँ। इसी प्रकार के बहुत से वदाहृत्य जो पुस्तक में नहीं आये हैं

दिये जा सकते हैं परन्तु उनके लिए यहाँ स्थान नहीं। उनकी असहयोग प्रवृत्ति साज संसार को विदित है। राय-बहादुरी और ओनररी मेजिस्ट्रेटो को तिलाकली दे कर देश के राजाजी बन कर महाशमा की कार्यकारिणी समिति में काम किया। अपना व्यापार-धन्धा कम कर के तीन वर्ष तक देश में भ्रमण किया। नागपुर सत्याग्रह का संचालन करते हुए स्वयं जेल में गये। हिंदू-मुसलमानों के झगडे में मुसलमानों को बनाने में स्वयं जरूरी हुए। लखर के काम का मत धारण किया और गोरक्षा का प्रश्न हाथ में लिया। गोरक्षा और लखर का वाणिज्य—इन दोनों बंधु के धन्धे को उत्साहपूर्वक उठा लेने के लिए मारवाडी समाज से आग्रह किया—यह सब बातें सब समाचारपत्र पढनेवाले अच्छी तरह जानते हैं। इन सब बातों का इस पुस्तक में वर्णन आ गया है परन्तु उनके जीवन की सारी जटिल समस्याओं अथवा अपनी धर्मपत्नी के प्रति व्यवहार की सारी कहानी तो उनके विस्तृत जीवन-चरित्र में ही लिखा जा सकती है। परन्तु भविष्य में जमनालालजी क्या करेंगे यह जानने के लिए यह छोटी सी पुस्तक भी काम-दायक हो सकती है। हमारी सब की यही प्रार्थना है कि जिस भ्येय के लिए जमनालालजी ने अपना जीवन समर्पण किया है उसमें उन्हें दिन प्रतिदिन सफलता हो।

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देसाई

### एक महान देशभक्त

श्री उमर सुभानीजी की बीबी अचानक और अकाल मृत्यु हो गई। हमारे बीच से एक महान देशभक्त और कार्यकर्ता उठ गया। एक समय बम्बई में श्री उमर सुभानी की तुली बोलती थी। बम्बई का कोई सार्वजनिक कार्य उमर सुभानी के दिन चिगडने से पहिले ऐसा न होता था जिसमें उनका हाथ न हो। फिर श्री उमर कभी सामने मन पर नहीं आते थे। मंच की तय्यार कर देते थे। बम्बई के सौदागरो में वे बहुत प्रिय थे। उनकी मृत प्रायः बहुत तीक्ष्ण और बेलग होती थी। उनकी उदारता दोष थी हद तक पहुच जाती थी। पात्र-कुपात्र सब ही को वह दान दिया करते थे। प्रत्येक सार्वजनिक कार्य के लिए उनकी थैली का मुँह खुला रहता था। जैसा उन्होंने कहाया वैसा ही दान भी किया। उमर सुभानी हर काम की हद कर देते थे। उन्होंने आठन के काम में भी हद कर दी और इसीसे उनपर तबाही आ गई। एक महीने में ही उन्होंने अपनी आमदनी को दुगना कर लिया और दूसरे ही महीने में दिवाला पीट लिया। उन्होंने अपनी हानि को तो बहादुरी से सह लिया परन्तु उनके अभिमान ने उन्हें सार्वजनिक कार्यों से हटा लिया क्योंकि अब उनपर इन कामों में सारतो रुपया खर्च करने की नहीं था। वह माध्यमिक रास्ते पर चलना जानते ही नहीं थे। यदि चन्दे की किहरिस्त में सबसे पहिले वह नहीं रह सकते तो बस फिर वह उस किहरिस्त की तरफ मुह मोड कर भी न देखेंगे। इसीलिए गरीब होते ही वह सार्वजनिक कार्यों से हाथ डैच कर बैठ गये। जहाँ कहीं और जब कभी कोई सार्वजनिक कार्य होगा उमर सुभानी का नाम थिका याद आये न रहेगा और न उनकी देश की सेवा ही कोई भूल सकता है। उनका जीवन हर अमीर नौजवान के लिए आदर्श और आगाही दोनों है। उनका जोशभरा देशभक्ति का कार्य आदर्श योग्य है। उनका जीवन हमें बत ता है कि दरया रख कर भी एक मनुष्य काबिल हो सकता है और उस रुपये की सार्वजनिक कार्यों की मेट कर सकता है। उनका जीवन अमीर नौजवानों को जो बडे र काम करने की धुन में रहते है आगाही भी देता है।

उमर सुभानी कोई निर्दुख सौदागर नहीं था। जिस समय उनको हानि हुई उस समय और भी बहुत से सौदागरों को हानि हुई थी। उन्होंने जो बहुत सी कई मर की थी उसको हम पूर्वता नहीं कह सकते। वह बम्बई के सौदागरों में अच्छा स्थान रखते थे कि: भी उन्होंने इस प्रकार और काम के ध्यान से रग्या क्यों कहाया? परन्तु वह तो देशभक्त की हैसियत से होसका बढाये रखना अपना कर्तव्य समझते थे। उनका जीवन और उनका नाम जनता की आभोर था और उन्हें बहुत सोच-समझ कर काम करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि काम विफल जाने के बाद सबको अहममन्दी की बातें बताया करते हैं परन्तु मैं उनके दोष हूँने के अनिग्रह से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हम सब इस देशभक्त के जीवन से शिक्षा लें। आनेवाली सन्तान को किसी काम के विफल जाने से शिक्षा लेनी ही चाहिए। दूसरों की गलतियों से भी हमें कुछ सीखना ही चाहिए। हम सब को उमर सुभानी की तरह अपने हृदय में देशप्रेम रखना चाहिए। हम सबको दान देने में उमर सुभानी होना चाहिए। हम सबको उमर सुभानी की तरह धार्मिक द्रेष से दूर रहना चाहिए। परन्तु हम सबको उमर सुभानी की तरह बेपरवाह और असाधधान होने से बचना चाहिये। यही इस देशभक्त ने हम सबके लिए वसीयत छोड़ी है और हम सबको उस वसीयत से लाभ उठाना चाहिए।

मेरी उमके पृष्ठ पिता और उनके परिवार के साथ अत्यन्त सहायुभूति है और मैं उनके साथ उनके शोक में ममिमलित हूँ।

( व. इ. )

मोहनदास करमचंद गांधी

### टिप्पणियाँ

#### बिहार में खादी प्रदर्शनियाँ

बिहार में होनेवाली खादी-प्रदर्शनियों की मेरे पास एक रूमि-चौड़ी रिपोर्ट आई है। इस वर्ष दिल्ली में आमनाक महासभा ने एक ऐसी ही प्रदर्शनी की थी। उसको देख कर राजेन्द्र बाबू के दिल में विचार उठा कि बिहार में भी ऐसी खादी-प्रदर्शनियाँ की जावें तो बड़ा काम हो। प्रथम प्रदर्शनी जो बिहार में हुई उसका प्रारम्भिक संरकार कलकत्ते के खादी-प्रतिपान के बाबू सतीशचन्द्र दासगुप्त ने किया। इसमें स्वयं सकलता हुई और इस कारण ऐसी प्रदर्शनियाँ बिहार के और स्थानों में भी की गईं। पहिली प्रदर्शनी गंगा के किनारे बिहार विद्यारीठ की जमीन पर पटना से करीब तीन मील की दूरी पर हुई। दूसरी बिहार नवयुवक मण्डल ने की और उसका प्रारम्भिक संस्कार द्विध प्रदेश के सधु वस्वानी ने किया। तीसरी आरा और चौथी गुजफरपुर में हुई और मौलवी मुहम्मद शफी ने उसका उद्घाटन किया। पाँचवीं छपरा में हुई और मौलाना मजबूक हुक ने उसका उद्घाटन किया। छठी छपरा के निकट मैरनिया नामी एक छांटे से गाँव में हुई और अन्तिम सातवीं गया में हुई। गरमी बहुत पब रही थी परन्तु फिर भी गया में सबसे ज्यादा भीड़ हुई। लगभग ७००० मनुष्य आये और उनमें बहुत सी शियाँ भी थीं। कम से कम उपस्थिति २००० की रही।

इन प्रदर्शनियों में कांसवाके, कामिष से बाहरवाके, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, बकील, छोटे बड़े सौदागर और कहीं ९ तो बोरुपियन भी आते हैं। मैरनिया में अधिकतर ग्रामवासी ही आये। खादी की औसत बिक्री करीब १०००) की दर प्रदर्शनी में रही। सबसे अधिक २०००) की गया में और

सबसे कम ४००) की मैरनिया में बिकी। इन प्रदर्शनियों में हिंदू-मुस्लिम या दलबन्दी के द्रेष के कहीं बिन्द भी नहीं दीकते थे।

काम इस प्रकार आरम्भ किया जाता है कि पहिले किसी जगह या दर वहाँ के मुख्य १ लोगों से मिलते हैं और इनसे एक खादी प्रदर्शनी खोलने की प्रार्थना करते हैं। किसी विशेष पुरुष के हाथों उसका उद्घाटन कराते हैं। साथ १ लोगों की निमन्त्रण भेज कर बुकते हैं। प्रदर्शनी का स्वयं विहापन करते हैं। शाम को प्रदर्शनी के स्थान पर वैदिक काकटेज से व्याख्यान दे कर खादी आन्दोलन लोगों को समझाते हैं। मीठों की मीठों इन व्याख्यानो को सुनने के लिए आती हैं। प्रदर्शनी समाप्त हो जाने पर जिस नगर में प्रदर्शनी होती है वहाँ घूम २ कर खादी बेचते हैं। आगे भी और ऐसी ही प्रदर्शनियाँ खोलने का इरादा है और ८००००) का जो माल इकट्टा हो गया है उसे बेच बाकने की वहाँ के कार्यकर्ता भशा रखते हैं। बडे २ प्रतिष्ठित लोग खादी बेचने में भाग लेते हैं।

#### मई के अंक

नीचे दिये गये अंकों में तीन और प्रान्तों के अंक भी शामिल है। जुड़े जुड़े प्रान्तों के जगवरी से पाँच महीने के खादी की उत्पत्ति के अंक इस प्रकार हैं।

प्रान्त	मई		जगवरी से पाँच महीने के अंक	
	उत्पत्ति	बिक्री	उत्पत्ति	बिक्री
अजमेर	११५०)	२६६४)	५४८४)	८५४०)
आन्ध्र	१५९९८)	२६५५९)	४४४०९)	१०२५९४)
बिहार	२१३२८)	११५३०)	९८५६३)	८२४८०)
बंगाल	३८२११)	३०५६६)	१६९८०३)	१५७३९२)
बम्बई	...	२७६५०)	...	१७५४१६)
बर्मा	...	१३५७)	...	९६३३)
दिल्ली	१२४२)	१६४७)	५४०९)	७८९८)
गुजरात	९३६६)	६४९६)	३८७१९)	५३६२३)
करनाटक	३४५६)	५०४०)	१४५४०)	२६२८२)
दक्षिण महाराष्ट्र	...	३२७)	...	६२५७)
मध्य महाराष्ट्र	..	३१२९)	४२६)	१७४६४)
उत्तर महाराष्ट्र	१९९५)	९०९४)	५४६३)	३४९२२)
पंजाब	५५१७)	५६२९)	४४३५६)	४१४७८)
तामिलनाड	४००४९)	६६०६४)	२७९७८५)	२९१८८६)
संयुक्तप्रान्त	५५४४)	१४३६४)	२८४६९)	६०८५५)
उरकल	३००१)	१८४८)	१५२९७)	९०२०)*१
मध्यभारत (हिन्दी)	...	२८५)	...	२८५)*२
केरल	...	...	१४९५)	६१०२)*३

कुल १४९७९७) २१४२६१) ७५२१९८) १०२२५७४)

- \* १ अंग्रेक के अंक नहीं मिले
- \* २ गत मास के अंक नहीं मिले
- \* ३ मई के अंक नहीं मिले

( व. इ. )

मो० क० गांधी



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ५७

सुरक्ष-प्रकाशक स्वामी आनंद	अहमदाबाद, जापाट बंदी १५, संपत् १९८३ गुरुवार, ८ जुलाई, १९२६ ई०	सुरक्षस्थान—नवजीवन सुरक्षाद्वय, शारंगपुर बरकोबरा की बंदी
-------------------------------	--	---

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

भाग २

अध्याय ८

प्रीटोरिया के रास्ते में

हरबन के बासी ईसाई लोगों से मेरा परिचय शीघ्र ही हो गया। हरबन की अदालत का इभायिया मी. पाक कैथेड्रिक संप्रदाय का था। उनसे परिचय हुआ जैसे ही प्रोटेस्टन्ट संप्रदाय के मी. सुभान गोड फ्रे जो एक शिक्षक थे उनसे भी मेरा परिचय हुआ। सरहूम मी. गोड फ्रे के पुत्र जेम्स गंड फ्रे, दक्षिण आफ्रिका के हिन्दुस्तानियों के प्रतिनिधियों में से एक थे जो सत् वर्ष हिन्दुस्तान में आये थे। इन्हीं दिनों सरहूम पारसी कस्तमजी से भी मेरी पहिचान हुई। और ठीक उसी समय सरहूम आदमजी मीयाकान से भी परिचय हुआ। ये सब भाई बगैर कुछ कार्य के ए०-दूसरे से मिलते न थे। हम देखेंगे कि वे भविष्य में मिलनेवाके हैं।

एसी तरह मैं लोगों से जान-पहिचान बढ़ा रहा था। इतने ही में दादा अब्दुल्ला की कम्पनी के बकील के-तरफ से एक खत मिला। बकील ने लिखा कि मुकदमे के लिए तयारियां होनी चाहिए और अब्दुल्ला सेठ को प्रीटोरिया जाना चाहिए अथवा किसी और बकील को मेजना चाहिए।

सेठ ने यह बात मुझको सुनाया और पूछा, 'क्या प्रीटोरिया आओगे?' मैंने उत्तर दिया, 'यदि मुझको मुकदमा समझाया जाय तो मैं बतला सकूंगा।' अबतक मुझे कुछ पता नहीं था कि वहाँ जा कर क्या करना होगा। सेठ ने अपने कर्मचारियों को मुकदमा मुझको समझाने का हुक्म दिया।

मैंने देखा कि मुझे श्रीगणेशाय से आरम्भ करना होगा। जब मैं जेम्बीबार में था तब अदालत की कार्रवाई देखने के लिए एक दिन चला गया था। एक पारसी बकील गवाहों से खिरह कर रहा था और जमा-कर्ष के प्रश्न पूछता था। मैं तो जमा-कर्ष के बारे में कुछ भी न जानता था। वही जाते का काम न स्कूल में सीखा था न विलायत में।

मैंने समझ लिया कि मामला हिजाब-किताब पर निर्भर है। अब जो हिजाब-किताब समझता है वही मुकदमा समझ और समझा सकेगा। कर्मचारी जब जमा-कर्ष की बातें करते थे तो मैं बड़ा चबराता था। पी. नोट का अर्थ मैं नहीं जानता था।

सर्व-ज्ञ में यह शब्द ही नहीं था। अपना अज्ञानता मैंने कर्मचारी को बताई तब उसने मुझे बतलाया कि पी. नोट का अर्थ प्रोमिजरी नोट है। हिजाब-किताब की एक पुस्तक बोक के कर पढ़ ली। इससे कुछ आत्मविश्वास हुआ कि अब मामला समझ सकूंगा। मैंने यह भी देखा कि यद्यपि अब्दुल्ला सेठ हिजाब किताब नहीं जानते थे परन्तु उन्हें व्यवहारिक ज्ञान इतना हो गया था कि हिजाब-किताब की गुथियों शीघ्र ही सुलझा डेते थे। मैंने उनसे कहा कि मैं प्रीटोरिया जाने के लिए तयार हूँ।

सेठ ने पूछा "वहाँ ठहरोगे।"

मैंने उत्तर दिया "आप जिस जगह कहेंगे वहीं।"

"मैं अपने बकील को लिखना बंदी आपके रहने का प्रबन्ध कर देगा। प्रीटोरिया में मेरे मेसन दोस्त हैं उनके भी मैं अवश्य लिखूंगा किन्तु आपका वहाँ ठहरना अनुचित होगा। प्रीटोरिया में मुर्शिदा का प्रभाव बहुत ही है। आपको जो कुछ साध २ सत में लिखूंगा वह यदि उन लोगों को बहने को मिल गये तो हमारे मुकदमे के लिए यह बात हानिकारक होगी। इसलिए उनसे अधिक सम्बन्ध रखना उचित न होगा।

मैंने कहा: 'आपके बकील जिस जगह मुझको रखेंगे वहीं मैं ठहरूंगा। अथवा मैं कोई अरकन मकान हूँ लेना। आप निश्चित रहिये। आपकी एक भी गुप्त बात प्रगट न होनी। परन्तु मैं सबसे मिल-जुल कर रहूंगा। मैं आपके प्रतिद्वन्दी से मित्रता करना चाहता हूँ। यदि हो सका तो मैं इस मुकदमे में समझौता करने का भी प्रयत्न करूंगा क्योंकि आखिरकार सेठ तय्यबजी भी आपके रिस्तेदार ही हैं।

प्रतिद्वन्दी स्वयंवासी तय्यब हाजीकान मुहम्मद अब्दुल्ला सेठ के नजदीक के रिस्तेदार थे।

मैंने देखा अब्दुल्ला सेठ कुछ चोंक उठे, परन्तु हरबन में मेरे पहुंचने के छःसात दिन के पश्चात यह बात हुई थी। हम एक दूसरे को समझने लगे थे। मैं अब कोरा सफेद हाथी ही न रहा था सेठ बोले 'हाँ...हाँ...हाँ, यदि समझौता हो सके तब तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आप यह भी समझ लीजिये कि हम लोग आपस में रिस्तेदार हैं और इसलिए एक दूसरे को सब पहिचानते हैं। तय्यब सेठ सहज में माननेवाके वही हैं। मिलनेजुलने से वह हमारी बातें जान सकते हैं और फिर पीके हम को पंछा सकते हैं। इसलिए जो कुछ किया जाय वही सावधानी से किया जाय।"

मैं बोला: 'आप बेफिकर रहिये। मुझसे की बातें मैं न तय्यब सेठ से, न किसी और ही से करना चाहता हूँ। मैं तो उनसे इतना ही कहूँगा कि आपसे मैं बैठ कर आप लोग समझौता कर लें और बकीलों का घर भरने से बच जायें।'

छातमें आठवें दिन मैंने बरबन छोड़ा। पहले दरजे की टिकट मेरे लीए जारी दी गई। बिछौना पाने के लिए पांच शिफिंग की और टिकट केनी पकती थी। अब्दुला सेठ ने उसका टिकट लेने का भी आग्रह किया किन्तु मैंने हठ से, पांच शिफिंग बनाने के इरादे से बिछौने के लिए टिकट लेने से सेठ को रोक लिया। सेठ ने मुझसे कहा कि बेकिये यह हिंदुस्थान नहीं है। यह मुझसे कुछ और भीक है। बुरा की महारानी है, आप कजूस न बनें। आनन्दक आराम का प्रबन्ध अवश्य करना चाहिये।

मैंने सेठ के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और उनसे बेफिकर रहने की कहा। ट्रेन जेटाक की राजधानी मेरिसबर्ग जब बजे पहुंची। वही बिछौना दिया जाता था। किसी कर्मचारी ने आ कर मुझसे पूछा "आप को बिछौना चाहिये?" मैंने कहा 'मेरे पास बिछौना है।'

वह चला गया। इतने में एक मुसाफिर आया उसने मुझे घूर कर ताका और मुझ को भारतीय देख कर चकराया। बाहर निकल कर चला गया और दो एक कर्मचारियों को बुला लाया। उनमें से किसीने मुझसे कुछ न कहा। आखिरकार एक और कोई अधिकारी आया वह बोला "बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए आखिर का डब्बा है।"

मैंने कहा: "मेरे पास पहिले दरजे का टिकट है।" वह बोला: "कुछ परवाह नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें आखिर के डब्बे में जाना होगा।" मैंने कहा कि 'मैं कहता हूँ मुझको बरबन से ही इस डब्बे में बिठाया गया है और मैं इसी में अपना सफर खत्म करना चाहता हूँ। अधिकारी ने कहा "यह नहीं होगा। तुम्हें उतरना पड़ेगा, अगर इन्कार करोगे तो सिपाही को उतारना पड़ेगा।" मैंने कहा 'तब तो फिर सिपाही ही को बुलाइये अपने आप तो मैं उतरता नहीं। सिपाही आया उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझ को धक्का दे कर बाहर निकाल दिया। मेरा असबाब भी निकाल लिया। मैंने दूसरे डब्बे में जाने से इन्कार कर दिया। ट्रेन रवावा हो गई। मैं बेठिन कम में गया, मेरा दस्तीशोका मेरे साथ था। बाकी और असबाब मैंने नहीं छुगा। रेलवालों ने कहीं रक दिया।

समय शरदकाल का था। दक्षिण आफ्रिका के ऊंचे प्रदेशों में जाड़ा बहुत सख्त होता है। मेरिसबर्ग ऊंचाई पर था। उन्च बहुत पक रही थी। मेरा ओवरकोट मेरे असबाब के साथ था। असबाब बांगने की मुझ में हिम्मत न थी। जाड़ा बहुत लग रहा था। कमरे में बत्ती न थी। आधीरात को एक मुसाफिर आया उसने मुझसे कुछ बातें करनी चाहीं। किन्तु मैं बातें करना नहीं चाहता था।

मैंने अब अपना कर्तव्य सोचा। क्या मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूँ या वापस चला जाऊँ? अथवा जितना उपमान हो उसको सह्य और प्रीटोरीया पहुंचूँ और मुकदमा खत्म करने के बाद अपने देशमें की लौट जाऊँ? मुकदमा छोड़ कर भाग जाना बुरा होगा। मुझको जो दुःख हुआ वो एक बाधा दर्य था परन्तु यह एक गहरी व्याधि का लक्षण था और वह व्याधि रंगरेष था। मैंने सोचा कि इस रंगरेष को मिटाने की यदि मुझ में कुछ शक्ति है तो मुझे उसका उपयोग करना चाहिये और उस प्रयत्न में दुःख

सहने को तय्यब रहना चाहिये। और रंगरेष दूर करने को जिस २ हलाक की आवश्यकता हो वह सब करना चाहिये।

ऐसा निश्चय करके दूसरी ट्रेनसे किसी तरह आगे बढ़ने का इरादा कर लिया।

मुझ को मैंने जनरल मेनेजर को एक लम्बा तार भेज कर शिकायत की। दादा अब्दुला को भी तार दिया। अब्दुला सेठ जनरल मेनेजर से मिले। उन्होंने अपने कर्मचारियों का पक्ष लिया। किन्तु साथ साथ यह भी किया की स्टेशन मास्टर को भी आज्ञा भेज दी कि मुझ को अच्छी तरह अपने स्थान पर पहुंचा दिया जाय। अब्दुला सेठ ने मेरिसबर्ग के हिंदी तज्जारों को तार दे दिया कि वे मुझको मिलें और मेरा स्वागत करें। और ऐसे ही तार उन्होंने दूसरी जगह भी भेज दिये। मेरिसबर्ग के चौदागर मुझसे मिले। उन्होंने अपने दुखों का वर्णन सुनाया और मुझसे कहा कि जो कुछ आप पर हुआ है इससे हम लोगों को कुछ भी आश्चर्य नहीं होता। पहिले या दूसरे दरजे में जो हिन्दुस्तानी सफर करते हैं उनको रेल के कर्मचारी और मुसाफिर तग करते ही हैं। ऐसी बातें सुनते २ दिन गुजर गया। रात आई, ट्रेन का समय हुआ। मेरे लिए जगह तय्यब थी। बिछौना पाने के लिए जिस टिकट को मैंने लेने से इन्कार कर दिया था वही टिकट अब ली।

ट्रेन मुझ को चार्लस्टाउन के चली।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

## अनर्थों का नाथ

नरके के खिलाफ अनेक दलीलों में से एक यह भी है कि यदि गांव गांव में या विशेष २ भागों में कपड़े के मिल हो जायें तो हिन्दुस्तान में आवश्यक कपड़ा सहज ही उत्पन्न हो सकता है।

अमरदाबाद मिलों से भरा हुआ है। नजिबाद में भी एक मिल है। वहां की कातनेवालों की स्थिति आपने जान ही ली है। अब पेटलाद की कातनेवालों का भी हाल सुनिये।

पेटलाद में दो मिलें हैं। दो कपड़ा रंगने के कारखाने हैं। बहुत से गांवों के बीच में यह गांव बसा हुआ है। तब भी निदेशी कपड़ा इत्र जिके में बहुत आता है। स्वाभाविक मिलों के होने पर भी उसकी आवश्यक नन्द नहीं होती और न उसका इस्तेमाल कम होता है।

कपड़ा बनाने के साधनों में निक एक है। मिलों के राक्षसी यंत्रों में नौजवानों के जीवन नष्ट कर के देर कपड़ा तय्यब किया जाता है। परन्तु जो कपड़ा इस देश में घर में बैठे ९ जेतों की रक्षवाली करसे हुए और धूमिले किरसे उत्पन्न हो सकता है और जो इस देश की कुसत की आसानी हो सकती है, जो बच जेवक में काम आवे और जिससे किसानों के घर भरे रहें और जो सात वर्ष के बच्चे से के कर मो वर्ष का मुझ भी बना सके ऐसा कपड़ा हमारे सीधे साथे साधन परखा और तकली द्वारा ही बन सकता है, इस नरका और तकली के अभाव से आज हमलोगों में आवश्यकता पुन गया है और उल्लापन हमारा भाव धर रहा है। एक तरफ तो हम विखस और न्यसनो के शिकार हो रहे हैं और दूसरी तरफ रोटियों के झाले पक रहे हैं। बेकिये पेटलाद की कातनेवालों के आवश्यक के कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं।

एक बहिन ने जिसकी उम्र करीब ५० वर्ष की होगी कहा:—  
"मेरा नरका कातने के सिवाय और दूसरा कोई काम नहीं है नरके की आसानी के सिवाय मेरी और कोई दूसरी आसानी

नहीं है। चरखे से जो कुछ मिल सकता है उसीसे मेरा गुजारा चलता है। चरखा न चले तो मैं मूर्खों सकूं। मेरे एक लकड़ा था। उसके घर जाने के बाद मैंने मजदूरी कर के कुछ दिन गुजारा किया। अब मजदूरी करने की सामर्थ्य नहीं है इसलिए चरखे का ही आश्रय है। उससे मेरा पूरा गुजारा तो नहीं होता है। चारे चिन कातने का काम करती हूं तब भी महीने में २) से २।) ही पैसा कर पाती हूं। यदि चरखा बन्द हो जावे तो मैं आज ही मूर्खों मरने लगूं। अल्लाह के सिवाय मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है। पर भी गिराऊ हो रहा है। उसकी परम्परा किस तरह कराऊं? कैसे वाली क्यवाऊं?"

यही बातें करते २ हफ्ता का कण्ड लंघ बना और आंकों में से आसू बहने लगे।

दुखरी जी ने जिसकी उम्र करीब ४० वर्ष होगी कहा— 'मेरे एक लकड़ा है। वह पान की दुकान करता है। वह साधारण गुजारे के लिए काम करता है। मैं चरखा चलाती हूं उससे जो कुछ मिलता है उससे तरकारी नोन तेल के आती हूं और जो कुछ बच जाता है वह अपनी लकड़ी को दे देती हूं। यदि चरखा बन्द न रहसूं तो डेढ़ रुपया महीना कमा लेती हूं।'

तीसरी जी ने जिसकी उम्र करीब ६० वर्ष की होगी कहा कि, 'मेरा लकड़ा अहमदनगर में शिक्षक है, कुटुम्ब बड़ा है, लकड़ियों का खर्च अधिक है। कातने से एक डेढ़ रुपया मासिक कमा लेती हूं। उससे नमक, मिर्ची का तेल इत्यादि कानी हूं। अन्धों के दिन काम बन्द रखना पड़ता है। अन्धों बहुत आते हैं। कई महीने बैठा रहना पड़ता है। मेरी बेसी बुढ़ी बेट कर क्या करे? जो थोड़ा बहुत उद्यम हो जाय अच्छा ही है। आलस में दिन नहीं कटता। फातने से जो मैं उभंग रहती हूं। और कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। फिर क्यों न काटूं।'

चौथी जी ने जिसकी उम्र करीब ५५ वर्ष की होगी कहा: 'मैं और मेरी दो लकड़ियां सब मिला कर घर में तीन जीव हैं। मासिक खर्च अन्धावन आठ रुपये होता है। यह मैं चरखा चलाकर और मेरी लकड़ियां बटन बना कर पैसा करती हूं। राते रिपते में जब किसीकी मृत्यु हो जाती है या किसीका क्याह होता है तब सवा महीने तक कातना बन्द रखना पड़ता है। बंटेन बनाने में या मजदूरी करने में या और कोई दूसरा काम करने में यह रुकावट नहीं आती है। चरखा चलाने में ही यह अन्धवन पड़ती है। जिस महीने में चरखा बन्द रखना पड़ता है उसमें गुजारा चलाना कठिन हो जाता है। चरखा बन्द रखने की कोई कइता तो नहीं है परन्तु खर्च ही बन्द रखना पड़ता है। हम मुझे से बाहर नहीं आ सकती हैं इसलिए दूसरा कुछ धन्धा या रोजगार नहीं कर सकती। कतानेवालों का भका होने कि जिससे हमको रोजगार मिलता है। कइती की मिहिरवानी से आजकल हमारा इसी चरखे से गुजारा हो रहा है। कइती उनकी रोनी में अरकत देवें और हमारा धन्धा सदैव चले, बस यही हमारी दुआ है।

पांचवीं जी ने जिसकी उम्र करीब ६० वर्ष की होगी कहा कि, 'मैं और मेरी लकड़ी मिल कर घर में हम दो प्राणी हैं। मेरे पास डेढ़ दो बांभे मनीन थी। उसे बेच कर मैंने लकड़ी की शारी की। लकड़ी बिचवा हो गई और घर में बैठी हूं। हम दोनों मिल कर दो दिन में एक डेढ़ सूत कात लेते हैं। उसकी पांच से सत्पिपांच आने तक मजदूरी मिल जाती है। उसीसे हम अपना गुजारा चलाती हैं। अन्धों के दिनों आने की मुश्किल बढ जाती है। हम घर से बाहर नहीं निकलतीं परन्तु अब पेट

के लिए पोमिया इत्यादि लेने के लिए बाहर चली जाती हैं। यदि कतवाने का काम बन्द हो जावे तो हमें रोटी निकाना बची मुश्किल हो जाय। एक वर्ष से पहिले कताने का काम नहीं होता था तब हम इधर उधर भटक कर अनिश्चित स्थिति में पेट भरते थे। अब चरखा चलने लगा है। इसलिए पेट भरने की चिंता नहीं है।

छठी जी की उम्र बह्र औ वर्ष बतायी थी परन्तु कम से कम ८० वर्ष जो होगी ही। उनसे यों बातचीत हुई:

कतानेवाला—क्यों माजी, सूत कात लिया?

माजी—क्या करूं? गुजार आता है, बरी कबरागा है। दो दिन तक पडी रही। परन्तु खाने को कुछ नहीं था इसलिए कल उठ कर जितना बना उतना काता है, अब आज सेर पोनी मेरे पास पडी होगी।

प्रश्न—माजी, गुजार होने पर भी आप क्यों चली आईं? किसी को भेज दिया होता?

माजी—क्या करूं? घर में अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। मुझे में मुझ यरीब की बीन पुने?

प्रश्न—वह लोग मृत लेने के लिए जाने तब दे देती।

माजी—जाने को भी तो चाहिए। इस पैसे से बाबरा लाऊंगी तब खाना बनेगा। यह लोग देने और लेने के लिए आते तो हैं परन्तु जब हमारा कातना खत्म हो जाय तब ही तो नहीं पहुंच सकते। वे तो आठ दिन में एक ही दफे आते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि खुद में ही आ कर दे जाऊ और पैसे ले जाऊं।

प्रश्न—यह लोग जब कतवाते नहीं थे तब क्या खाती थीं?

माजी—यह बात मत पूछो, धूल फाक के रहती थी।

'क्यों भाई, इस दफे एक पैसा कमा दिया? बाबरा किस तरह का के खाऊंगी?' बुढ़िया के इन सन्धों ने कतानेवाले का दिल पिचला दिया। 'अब दुखरी इसके ऐसा मत कातना' इसना ही कह कर बुढ़िया के हाथों में पैसा दे दिया। पैसा मांड में बांध पोनी की गडरी छानी से रबा हइता प्रसन्न हो आश्विर्वाद देती उभंग से लकड़ी टेकती टेकती घर की ओर चली गई।

पेटलाह में एंसी ही १९५ औरसें आज कातने का काम कर रही हैं।

(नवमीवन)

लक्ष्मीदास पुस्तकालय

आकबर के समय में गोधन

अनुसन्धक लिखते हैं:

"छारे हिंदुस्थान में गाय पवित्र मानी जाती है और सम्मान पाती है। साम्राज्य के हरएक भाग में जात जात के पशु हैं, परन्तु उनमें गुजरात के उत्तम हैं। गुजरात के बस एक दिन और एक रात में ८० कोष का लकर करते हैं और तेज घोड़े से भी जागे निकल जाते हैं.....किधी समय बैक की कोष १०० मुहर में बिकती है। परन्तु साधारण दाम १०-२० मुहर है... बहुत ही गार्ने दिन में जाया मन दूज देती हैं। गाय के साधारण तौर पर १० रुपया दाम है। सुदुष्कन्द के पास एक जोडी बैक की थी उसका उन्होंने ५०००) रुपया दिया था।"

आकबर के समय में दू. २५ दरिम से एक मन मिलता था। ४० दरिम का—१ रुपया और मन ५५ सेर के बराबर था। इस हिस्सा से १ रुपया का ८९ सेर दूज हुआ। एक मन पी के १०५ दरिम होते थे। इस हिस्सा से भी एक रुपये का २१ सेर से ज्यादा हुआ।

बा० दे०

## हिन्दी-नवजीवन

प्रथम, भाषा वही १४, संवत् १९८३

### त्याग की सीमा

एक राष्ट्रीय महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रार्थ लिखते हैं—

“ आप का आत्मत्याग शीर्षक लेख पढ़ कर हृदय पर चोट लगती है। जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर वार रक्खा है और जो सदा सब कुछ देश पर निष्ठावर कर देने को तैयार रहते हैं उन्हें से तो आप और त्याग की आशा रखते हैं परन्तु अपने उन चेहों को, जो आप के अनुयायी होने का बहाना करके आर्तीय आन्दोलन से अपना निजी फायदा उठाते हैं, आप कभी नहीं फटकारते। यदि आप ऐसे अमीर आदमियों को जुटा लें जो प्रत्येक कमसेकम छः सप्ते प्राय संगठन का कार्य करनेवालों का कर्वा उठाने का आप से वायदा करें तो यह अधिक देससेवा होगी। ”

उनके बहुत सभे पत्र में से मैंने यह छोटासा ही भाग लिया है। मैं तो यह मानता हूँ कि त्याग की कोई सीमा नहीं है। त्याग यदि सोचबचार और हिस्साब लगा कर सौदे की भाँति किया जाता है तो वह त्याग नहीं है। हमारे देशों में लोगों ने स्वतन्त्रता के लिए जो जो त्याग किये हैं उससे अधिक तो मैंने कुछ नहीं माँगा है। हमारे देशमें ऐसे अपूर्व आत्मत्याग के अगणित उदाहरण हैं। त्याग विश्वास से होता है और आज हमारे देशवासियों में विश्वास है नहीं।

बहानेबाज चेहों से क्या करें। उनसे तो कोई आशा ही नहीं। संसार का यह नियम है कि त्यागी ही त्याग करते हैं, किसी के दबाव या कहने सुनने से नहीं बल्कि स्वेच्छा से उनको तो त्याग करने ही में आनन्द आता है। सब कुछ त्याग कर चुकने पर भी उनको यही पछतावा रहता है कि हाय। इस कुछ और त्याग न कर सकें।

मुझे अभी तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला है कि कोई सच्चा, मिहनती और बुद्धिमान कार्यकर्ता काम न मिलने से भूखी मर रहा हो। कठिनाई तो तब आ पड़नी है जब कि कोई कार्यकर्ता शर्तें रखता है अथवा उसकी आवश्यकतायें ऐसी होती हैं कि यदि वह चलनचवहार की परवाह न कर के भावुकता को छोड़ दे तो उन आवश्यकताओं का नाम निशान ही मिट जाय। थोड़े ही से अमीर आदमी कितने ही सामाजिक आन्दोलन चला रहे हैं। मेरा निजी अनुभव है कि यदि किसी अच्छे काम में सभे और योग्य आदमी लग जाते हैं तो फिर सपना तो आ ही जाता है। दिन प्रति दिन गावों में कार्य करनेवाले नौजवानों की संख्या बढ रही है परन्तु फिर भी अभी दस गुने कार्यकर्ताओं की और आवश्यकता है। कार्य और रुपये की कोई कमी नहीं है। हाँ, ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता भी है जो देश की दशा के अनुसार अपने गुणों के लिए जोड़ा वेतन के कर काम कर सकें। मेरी देखभाल में ही खादी, अछूतोद्धार, राष्ट्रीय शिक्षा, गोपालन और बमके इत्यादि के कई काम होते हैं और उसी में बहुत से कार्यकर्ता त्याग पा सकते हैं।

( अ० ई० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## मुमुक्षु जमनालालजी

(१)

एक लेखक ने कहा है कि मानवजाति के दो विभाग हो सकते हैं — रोगी और निरोगी। जो रोगी है उनका विकास नहीं होता है, दिन प्रति दिन क्षय ही होता है। आत्मा और शरीर दोनों का क्षय। जो निरोगी है उनका दिन प्रति दिन विकास होता है, देह का एक साधु मर्त्या के अनुसार और आत्मा का मुक्ति मिलने पर्यन्त। उनकी कथा सदा कामदायक ही होती है। इस लेखक ने जिसको निरोगी वर्ग में रक्खा है गांधीजी उसको आत्मार्थी या मुमुक्षु कहते हैं। श्री जमनालालजी के जीवन-चरित्र के लेखक ने जब गांधीजी से पूछा कि उनका जीवनचरित्र लिख सकते हैं कि नहीं, तब गांधीजी ने उत्तर दिया कि सामान्य नियम तो यही है कि जीवित मनुष्यों की जीवनी लिखना उचित नहीं समझा जाता है परन्तु मुमुक्षु की जीवनी तो लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ न कुछ नीति की शिक्षा मिलती है और श्री जमनालालजी को मैं मुमुक्षु या आत्मार्थी मानता हूँ।

यह आज्ञा मांगनेवाले श्री. रामनरेश त्रिपाठी से। उन्होंने सोचा कि अथवा महासभा की इस वर्ष की बैठक के जमनालालजी प्रमुख हैं और इस अवसर पर जमनालालजी का जीवन परिचय मारवाडी भाइयों को करा देना अच्छा होगा। यह अवसर अच्छा था। और समयानुसार किया गया वह कार्य अवश्य प्रशंसनीय है। त्रिपाठीजी को जमनालालजी का टोका २ परन्वय है और उन्होंने जितना हाक इकट्ठा किया है वह सब सप्रमाण है और परिश्रम से इकट्ठा किया है। तब भी इस पुस्तक को जीवन-चरित्र का बड़ा नाम नहीं दे सकते हैं। जमनालालजी की अवस्था ३० वर्ष की है। कम में कम ४०-५० वर्ष की लोक-सेवा तो उनकी राह देख ही रही है। और अबतक के थोड़े से जीवन में भी जितनी लोक सेवा अथवा लोक-सेवा द्वारा जो मोक्ष साधन उन्होंने किया है इतना अधिक है कि इस थोड़े से परिचय में उसकी केवल भूमिका मात्र ही आ सकती है। इनका पूरा २ इतिहास यदि लिखने लगे तो गौ पृष्ठों की पुस्तक कम से कम ५०० पृष्ठों की तो बन ही जाय। उदाहरणार्थ इनकी मारवाडी कौम की सेवा ही के लीजिए। यदि उसीका उल्लेख करने का जाय तो मारवाडी कौम की १० वर्ष पीछे की दशा और आज की दशा का सारा इतिहास ही बताना पड़ेगा। उन्होंने महासभा की सेवा किस प्रकार से शुरू की, किस काम से उन्होंने अपना सेवा का छोटा क्षेत्र विस्तृत कर दिया इसका सारा रोचक इतिहास देना पड़ेगा।

परन्तु जमनालालजी के जीवन की दृष्टि से ऐसे छोटे परिचय की भी आवश्यकता है। उनका कारण स्पष्ट है। जमनालालजी के जीवन का आरम्भ से के कर अब तक जो ज्ञान और स्थिर प्रवाह रहा है उसने भावी जीवन की भी सलक निकती है। जिस सिद्धान्त को उन्होंने आज अपना लिया है उसको कार्य में परिणित करने का प्रयत्न तो वह शुरू करेंगे, परन्तु उन सिद्धान्तों से इटने का मौका कदाचित ही आवेगा; इसलिए यह छोटा सा परिचय भी अनुचित नहीं है। जमनालालजी का जीवन दूसरे पुरुषों के समान बदलता नहीं रहा है। एक समय बिकारी और ब्यसनी रहने के बाद पीछे फिर यकायक संसमी

\* छैठ जमनालाल बजाज — लेखक: रामनरेश त्रिपाठी; प्रकाशक: हिंदी मंदिर, प्रयाग; की. नं. १-०-०



बन गये हों और जीवन बिल्कुल बढ़ गया हो ऐसा जमना-लालजी के विषय में कोई नहीं कह सकता। उनके जीवन ने किसी भी समय पर यकायक पकटा नहीं रखा। उन्हें ईश्वर ने धर्मरूढ़ि जन्म से ही दी थी। इस धर्मरूढ़ि का दिन प्रति दिन अधिकाधिक विकास होता गया। जो दूँबी संपत्ति मोक्ष देनेवाली होती है उस दूँबी संपत्ति के बहुत से लक्षण उनमें थोड़े बहुत अंश में सदा ही से दिखाई देते थे। अवसर आने पर और भी अधिक पकट होने लगे और वे उनमें विशेष रूप से दृढ़ होने लगे।

यह बात कुछ विस्तार से मैं इसलिये लिखता हूँ कि कोई ऐसा न समझे कि असहयोग में जमनालालजी, १९२१ में शामिल हुए तब से ही वे प्रसिद्ध हो गये। अथवा असहयोग में आ जाना ही उनके जीवन की बड़ी घटना है। यह बात तो इस छोटे से परिचय में भी बड़ी जल्दी रीति से बतलाई गई है। १९२१ पर्यंत का यात्री जमनालालजी का ३०-३२ वर्ष की आयु तक का इतिहास भी बहुत रोचक है और बड़ा शिक्षाप्रद है। बचपन में गरीब माँ बाप के यहाँ सीकर नाम की रियासत में एक बगैर कुवावाके निर्जल गाँव में बचपन गुजारा। बड़ी मुश्किल से बछराज सेठ ने उनको गोद लिया। लड़का गोद देने पर उनके मात-पिता ने जनकल्याण के लिये यह सोचा किया और बछराज सेठ ने यह बालक लेने के बदले में गाँव में एक बड़ा पका कुआँ बनवा दिया। तब से यह बालक बछराज सेठ का हुआ और वर्षों चला गया। बचपन में रोज इनको एक रुपया दुकान से मिलता था। इसी में से बचा २ कर इन्होंने जो पन इकट्ठा किया उसमें से १०० रुपये का उन्होंने सोलह वर्ष की छोटी उम्र में ही एक छापाखाने को दान दिया। उन्होंने एकदफ़ा कदा था कि यह छोटे देने में मेरी छाती ऐसी फुली कि बैची कभी फिर लाख देने में भी नहीं फुली। इस समय भी योग विकास में इनकी रुचि न थी। सत्रह वर्ष की छोटी उम्र में किये हुए उनके एक ही कार्य में दूँबी संपत्ति के करीब २ सब लक्षण — अमय, अहिंसा, सत्य, शान्ति, तेज, धृमा और धृति — मौजूद थे, यात्री जमनालालजी का उषी एक प्रसंग में पूरा पूरा दर्शन होता है। उनके यह नये पिता बड़े मोक्षी थे। जरा २ बात में उनका मिजाज बिगड़ जाता था और हर किसी आदमीका अपमान कर बैठते थे। एक दिन इन्होंने जमनालालजी का भी वैसा ही अपमान किया और अपनी दी हुई पन दौलत के छीन लेने की धमकी दी और घड़े बटोर बचन कहे। इस पर इन्होंने पिता को जो पत्र लिखा वह पैसा का वैसा प्रसूत करने योग्य है और उसमें ऊपर कहे गये सब लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। पत्र मारवाडी भाषा में है इसलिये मारवाडी में ही देते हैं।

“सिद्ध भी वर्षों गुमास्थान पूज्य भी बछराजजी रामधन-दाससूँ किसी वि. जमना का पाँचाधिक बाँचीजो। अठे उठे श्री लक्ष्मीनारायणजी महाराज सदा सहाय छे। उपरंज समाचार एक बाँचीजो। आपकी तबीयत आज दिन हमारे उपर निहायत नाराज होय गई सो कुछ हरकत नहीं। श्री ठाकुरजी की मरजी और गोद का लियोका वा जब आप इस तरह कही। सो आपको कुछ भी कसूर नहीं, जिंको हमनि गोद दियो जिनेको कसूर छे। बाकी आप क्यो कि पुन नालिस करो सो ठीक। बाकी हमारी आपके उपर कुछ कर्जो छे नहीं। आपकी कसामडो पीसो छे। आपकी सुखी आवे सो करो। हमारी कुछ आप ऊपर अधिकार छे नहीं। हमना आपसो आज मिति ताई तो हमारे बारे में अथवा जो हमारे ताई जो कर्ष हुयो सो हुयो, बाकी आज

दिनसूँ आप कनेसूँ एक छशम कोडी हमना लेवांगा नहीं, अथवा भंगवांगा नहीं। आप आपके मनमां कोई रीत का विचार करणे मतना। आपकी तरफ हमारो कोई रीत का हक आजदिन मो रखो छे नहीं और श्री लक्ष्मीनारायणजीसूँ अर्ज ये है कि आपको शरीर ठीक राखे और आपनो हाल बीच पचीस बरस तक कायम राखें। और हमना अठे नावांगा, बडेरूँ पाके ताई इस माफिक ठाकुरजी से विनति करेगा। और म्हारेसूँ जो कुछ कसूर काज ताई हुयो मो सब माफ करजो। और आपके मनमें होकि सब पीसाका साथी है, पीसा के ताई सेवा करे छे सो हमारे मनमां तो आपका पीसाकी बिलकुल छे नहीं, और भी ठाकुरजी करेगा तो आपके पीसेकी हमारे मनमां आगे भी आवेगी नहीं। कारण हमारो तगदीर हमारे साथ छे और पीसो हमारे पास होकर हमना काँडे करेगा? म्हाने तो पीसा नजीक रहने की बिलकुल परवा छे नहीं। आपकी दया से श्री ठाकुरजी का भजनसुधरम जो कुछ होवेगा तो करेगा सो इस जनममांही भी सुख पावेगा और भगवा जनममां भी सुख पावेगा। और आप आपके विदमर्मा प्रसन्नता राखियो कोई रीतकी फिकर करजो मतना, सब छूटा नाता छे। कोई कोई को पोतो नहीं, और कोई कोई को दादो नहीं सब आप आपका सुख का साथी छे। सब झटो पवारो छे। आप हाल ताई माया-जालमांही फंस रछा छो, हमना आजदिन आपके उपदेशसूँ माया-जालसूँ छूट गयां छो। आगे श्री भगवान संसारसूँ बचावेगा। और आपके मनमां इस तरह बिलकुल समजजो मतना कि हमारे ऊपर नालिस करियाद करेगा। हमना हमारे राजीसुखी सो टिकट लगा कर सही कर दीनी छे कि आपके ऊपर अथवा आपकी स्टेट पीसा दपया गूना गाँटा और कोइ भी सामान उपर आजसे बिलकुल हक रखे नहिं मो जाणजो और हमारे हाथ का कोइ को करजो छे नहिं। कोइने भी एक भी पीसो देने छे नहिं सो जाणजो। और समाचार छे नहिं, और समाचार तो बहुत छे परंतु हमारे से लेखो आवे नहिं। संवत १९२४ मिति वैशाख बदी २, मंगलवार।

एक भाने का टिकट

पूज्य श्री १०५ दादाजी १०५ बछराजजी  
सूँ जमनाका पाँचाधिक बाँचीजो

घणों घणों मानसेतो आपकी तरफ हमारो कोई रीति को लेनदेन रही नहीं। भीटाकुरजी के मंदरको काम बराबर चलाजो और आपसुँ दान करम बनेसो सब करता जाइयो और ब्राह्मण साधु ने माली बिलकुल दीजो मतना और कोइने भी हाथका उत्तर देइजो, सुँइको उत्तर दीजो मतना। क्याश काई लिखा? इनना माँहे समज लीजो। और हमना आपकी चीजाँ साथे ल्यांगा नहिं, सो सब अठेह आपका छोड गया छो। जाली आंग तपर कर्जो पहुरिया छो।”

इस पत्र का असर क्या हुआ होगा यह बताना कुछ कठिन नहीं है। सेठ बछराजजी का कण्ठ रुध गया और वह बम्बई जा कर बड़े प्रेक्ष से जमनालालजी को मना लाये। गया हुआ रत्न फिर पा लिया। “म्हाने तो पीसा नजीक रहने की बिलकुल परवा छे नहीं” — यह बचन ‘अधमनर्थ भावय नित्य’ समझ के चलनेवाले का बचन है, और इस बात को समझनेवाले का जीवन कैसा बनेगा इसकी आज कल्पना करना मुश्किल है।

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई शिंदे

### पशुवध

उसके कारण और उपाय

(७)

हम पिछले प्रकरण में यह देख चुके हैं कि बड़े शहरों में पशुओं की कच्ची जुरी हालत होती है। इसका महत्त्व इतना है कि इसके बारे में जो कुछ भी प्रमाण में प्राप्त कर सकता है उनका पूरा संग्रह कर देने का मैंने निश्चय कर लिया है। भिखरे सरकार तथा प्रजा का महान् पातक एक एक मासूम हो जाय। सरकार से हमें कुछ कहना ही नहीं क्योंकि वह जनक राजा की तरह — परन्तु उनकी योग्यता के बिना ही — कह रही है कि 'मिथिला नगरी जल जाय तो भी मेरा क्या बिगड़ता है' परन्तु देश के अमूल्य धन का नाश होते हुए प्रत्यक्ष देखनेवाले हमारे लिए यह लज्जा की बात है।

मद्रास की पशु सम्बन्धी रिपोर्ट में मि. सेम्पसन लिखते हैं— एक वर्ष में मद्रास में कम से कम ५००० दूध देनेवाली गायें जाती हैं। जब उनका दूध सूख जाता है तब उनमें से अधिकांश कसाई के हाथों बेची जाती हैं और बछड़े भूलों मर जाते हैं। इस तरह उत्तम दुग्ध गायों के वंश का क्षय हो जाता है।

इसके के और दूसरे शहरों के बनिस्वत मद्रास में ज्यादा दुग्ध गायें लीची जाती हैं। दुग्ध की बात है कि ओगोक की गाय— जो उत्तम मानी जाती है—जब मद्रास लायी जाती है तब उसके बछड़े बहुत छोटे होते हैं मानी उनकी दूध देने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। यदि वे ही जब कम दूध देने लगती हैं तब कसाई के हाथों बेची जाने से रोक दी जाय और उन्हें केहर बरहायी जाय तो आश्चर्य देहातों से जो गायें शहर में लीची गयी जाती हैं वह रुक जायगा। मि. राबर्टसन ने मद्रास के एक ग्वाले से निकम्मी मानी गई एक गाय मोल ली। थोड़े ही दिनों में वह सब से अधिक दूध देनेवाली गाय साबित हुई। कौन जाने इस तरह बितने हजार अच्छी गायें युवावस्था के पड़के ही निकम्मी समझी जा कर कसाई के हाथों नष्ट हो जाती होंगी! म्युनिसिपालिटी मेंके यानी की खेतों के साथ इस काम को कर सकती है। शहर को दूध पूरा करने के लिए दुग्धालय भी खोल सकती है और बछड़ों को पाल कर शहर के काम में उनका उपयोग कर सकती है। इससे खानगी काम करनेवालों को कुछ हानि हो सकती है परन्तु आम लोगों की तन्दुरुस्ती खानगी लोगों की हानि की अपेक्षा महत्त्व की है। ऐसे प्रयत्न के सफल होने से मद्रास के बनिस्वत छोटे शहर की म्युनिसिपालिटियाँ भी इसका अनुकरण कर सकती हैं और ऐसे दुग्धालयों में गायों की सम्मान-अभिवृद्धि के साथ दूध का परिभाषण बढ़ाने का काम भी हाथ में लिया जा सकता है।

मेजर मीथर और बोचकी लिखी हुई दुग्धालय से सम्बन्ध रखनेवाली जो किनास सरकार की तरफ से प्रकाशित की गई है उसमें लिखा है:

“ बहुत करके कोसी निके से प्रतिवर्ष कई हजार दुग्ध गायें कलकत्ते आती हैं। जाड़े के अंत में जब गौंर दूध देना बंद कर देती हैं और दूध की आपत भी कम होती है तब ग्वाले लोग ऐसी गायों को कसाई के हाथों बेच देते हैं क्योंकि बारे की कमी और भाड़े की महंगी के कारण गरमी के दिनों में गायों को खिलायाम उनको बहुत भारी हो जाता है। और भी एक बात है। यहाँ के जवाबानी के अन्ध से बरवाने से भी गाय गाम नहीं

चरती। गायों को इस तरह निकम्मी कर देने से वे बटती जाती हैं और उनकी कीमत भी बंद जाती है। इससे यह एक आहिर होता है कि दूर के अच्छी गायवाले प्रदेशों से गायों को लाकर छोड़ कर यहाँ से हो सके यहाँ स्थानीय गायों को पालने की बड़ी आवश्यकता है। यह बात ठीक है कि स्थानीय गाय कम दूध देती हैं इसलिए उनकी सतानों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता परन्तु सुधार के बारे में प्रथम उद्योग करने के लिए तो इसी पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जैसे सरकार अपनी कच्ची जात की घोड़ियों को उत्तम घोड़े ही दिखाने की पद्धति रखती है वैसे ही गायों के लिए भी होना चाहिये। ”

कलकत्ता कारपोरेशन के प्रमुख के निबंध से नीचे का अंश लिया गया है:—

“ कलकत्ते के ग्वाले देश की उत्तम गायों का सत्यानाश करते हैं। अच्छी गाय दुर्लभ हो रही हैं और कीमत भी बढनी ही जाती है। गाय को जब दूसरा बच्चा होनेवाला होता है तब वह कलकत्ते भेजी जाती है। यहाँ उन पर ऐसा जुल्म किया जाता है कि वे छः आठ पाख दूध देती हैं इतने में वे पूरे तौर पर बाँझ न बन गयी हों तो भी दो तीन सालतक गाम न भर सके ऐसी दुबली हो जाती है और कसाई के चरों में पहुँचती है। इसका परिणाम यह होता है ८, १० वर्ष उपकारी जीवन बिताने की जगह वे गाम दो वर्ष दुग्ध रहती हैं और दो ही बछड़े पैदा हैं जिनमें एक तो आवश्यक कसाई के हाथ लगता है। यह अत्याचार देश की उत्तम गायों पर निरंतर होता रहता है। ”

कलकत्ता कारपोरेशन के दूध के बारे में विचार करने के लिये एक खास समिति बनाई थी जिसके अध्यक्ष मि. पेडन थे और ३ यूरोपियन, १ मुसलमान तथा १ हिन्दू सदस्य थे। समिति की रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है:— “ ग्वाले कसाई की गाय बेचते हैं इसके कई कारण हैं। एक तो उसके पाख जगह की कमी है, और उसमें अमुक्त संख्या तक की ही गायें रखी जा सकती हैं और उतनी ही गाय वे रकते हैं। जब गाय का दूध देना बंद होता है तब उसे कसाई को बेचते हैं और दुग्धालय भाँटे हैं। ग्वाले के पाख पृथी भी कम ही होती है, इसलिये जब दुग्धालय भाँटा है तब उसे दूधसूकी गाय की बेचना पड़ता है। ऐसी ही कारणों से वे बछड़ों को भी पाल नहीं सकते इसलिए उन्हें भी कसाईखाने में बेच देते हैं। इस देश की गाय बहुत दुग्धालय नहीं होती और बछड़े के बिना दूध नहीं देनी इसलिए ग्वाले फुक कर दूध निकालने की बड़ नींव किगा करते हैं कि जिससे गाय को बड़ी वेदना होती है, इतना ही नहीं बरिब यह सदा के लिए न ही तो भी अधिक समय तक बाँझ बन जाती है। इससे जो मध्य रुक जाती है उसको बेचने में ग्वाले को लाभ है यद्यपि दूसरे तरफ से जो गाय कई बछड़े और बहुत दूध पैदा करने के इस तरह कतक हो जाने से गायों की सम्मान विजयविधिय विराधती जाती हैं और देशमें यों ही जो दूध कम और खराब मिलता है उस पर इसका बुरा असर पड़ता है। उत्तम गाय प्रति वर्ष शहरों में लीची की जाती हैं इससे उनका अभाव बढ़ता जाता है। ”

दुग्धालय के कुशलता (केरी एकरपेट) मि. सिम्थ ने कलकत्ते के विजरापोरवाले को जो खत लिखा था उसमें वे लिखते हैं:

“ बड़े शहरों में अथवा गाय और भैरा के कतक को रोकना सर्वे प्रथम और सब से अधिक आवश्यक काम है। ... ..

पिछले २५ वर्ष में इस तरह ४ बड़े शहरों में २,५०,००० जवान गाय भैरा का बंध हुआ। इससे रोकने के लिए व्यापारी

उपर से दूध पुरा करने की व्यवस्था करनी चाहिये। जहाँ गाय अपनी पूरी रिकम्पनी बिना सबेरे उठती है वहाँ तक दूध उत्पादन करना चाहिये। दूध को संयुक्त (केन्द्रीकृत) और ठंडा कर के सड़ने से रक्षा चाहिये। बर्तन बिल्कुल साफ और बंद होने चाहिये।

शहर में दूध उत्पादन होता ही तो वह अच्छा कैसे हो सकता है। जहाँ बस्तीवाले 'गलीकूनों' में अच्छा और स्वच्छ दूध उत्पादन नहीं हो सकता है इतना ही नहीं परंतु जहाँ जमीन बहुत ही सड़ती होती है, जहाँ महसूल, मजदूरी वगैरह का बोझ देहातों के कंधे गुना ब्यादा होता है जहाँ गाय रखकर दूध उत्पादन करें तो वह सड़ना ही निकल सकता है। व्यापारी व्यापारी लोग इस प्रश्न को हाथ में ले और देहातों में स्वाभाविक परिस्थिति के बीच में दूध उत्पादन करें और उसे बड़े सड़ने से बचा कर बेचने की व्यवस्था करें तो शहर के गवाले उनके साथ बराबरी नहीं कर सकेंगे और इसलिए दूध कम काम पर बेचेंगे और जैसे लंडन, कोपनहेगन, न्यूयार्क, वगैरह सड़ने में हुआ है वैसे ही जहाँ भी सड़ने से गवालों को निकाला जा सकेगा।

इस प्रकार यदि हो तो गाय की रक्षा तो होगी ही इसके साथ २ सस्ता और स्वच्छ दूध निकल सकने के कारण मनुष्यों की भी रक्षा होगी।

कलकत्ते का पिम्बरापोल २,००० बूढ़े पशुओं को और कुछ बड़े जिन्दा रखने के लिये १,२०,००० रुपये खर्च करता है। पिम्बरापोल के आध्यात्मिकानाथ १० वर्ष की मजदूरी के जितनी पूंजी केवल इकट्ठा कर दुग्धालय खोलें तो प्रतिवर्ष २,००० जमान गायों की इत्यादी होती हुई एक जायगी और कलकत्तावासियों को सस्ता, ताक और स्वच्छ दूध भी मिलेगा और पूंजीवाले भी अच्छा ब्याज पा सकेंगे।

(नवजीवन)

बालकी गोविंदजी देसाई

### अनीति के राह पर

कृत्रिम उपायों से सन्तानवृद्धि रोकने के सम्बन्ध में जो केवल देशी समाचार पत्रों में निकलते हैं कृपण मित्र उनको पत्रों में से काट कर मेरे पास भेजते रहते हैं। जोखानों से उनके चारित्र के सम्बन्ध में पत्रम्बहार भी मेरा बहुत होता रहता है। परन्तु यह सब समस्याओं को इस पत्रम्बहार से उठती है मैं इस पत्रों में हक नहीं कर सकता। यहाँ तो कुछ ही की समालोचना हो सकती है। अमेरिकन मित्र मेरे पास इस सम्बन्ध का साहित्य भेजते हैं और कुछ तो मुझसे इस कारण नाराज भी है क्योंकि मैं कृत्रिम उपायों का विरोध करता हूँ। उन्हें दुःख है कि मैं ऐसा बड़ा बड़ा सुधारक होते हुए भी सन्तानोत्पत्तिनियमन के सम्बन्ध में पुराने विचार रखता हूँ। और फिर मैं यह भी देखता हूँ कि कृत्रिम उपायों के तरफदारों में सब देशों के कुछ बड़े २ विचारकान पुस्तक भी हैं।

यह सब देख कर मैंने विचारा कि अल्पकाल कुछ न कुछ विशेष बात ही कृत्रिम उपायों के पक्ष में होगी और इसलिए मुझे इस पर अधिक विचार करना चाहिए। मैं इस अवस्था पर विचार कर ही रहा था और इस प्रश्न पर साहित्य पढ़ने के लोभ ही में था कि मुझे एक अंगरेजी पुस्तक पढ़ने को मिली। इस पुस्तक में इसी प्रश्न पर विचार किया गया है और मुझे प्रतीत होता है कि बहुत सुझाव रूप से विचार किया गया है।

यह पुस्तक फ्रान्सीसी भाषा में है और उसके केवलक है पाक ज्योरो। किताब का जो नाम फ्रेन्च भाषा में है उसका सन्दर्भ है 'अज्ञान'।

पुस्तक पढ़ कर मैंने यह सोचा कि केवलक के विचारों पर अपनी सम्मति देने से पहिले मुझे उचित है कि इन उपायों के पोषक जो मुख्य मुख्य ग्रन्थ हैं उन सब को पढ़ लें। इसलिए मैंने सर्वेन्ट और इन्डिया मोसाइटी से जो कुछ इस विषय पर साहित्य मिल सका मंगा कर पढ़ा। काका काकेकर ने जो इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं मुझे एक पुस्तक ही और एक मित्र ने 'दी प्रेस्टीजर' का एक विशेषांक मेरे पास भेज दिया जिसमें इस विषय पर विख्यात हापटरी ने अपनी सम्मति का प्रकट की है।

मेरा इस विषय पर साहित्य इकट्ठा करने का केवलक यही प्रयोजन था कि जहाँ तक कि प्राकृत व्यक्ति की शक्ति में है ज्योरो के सिद्धान्तों की जांच कर ली जाय। अकसर देखा जाता है कि जैसे आचार्य ही किसी प्रश्न पर विचार क्यों न कर रहे हों प्रश्नों के दो पक्ष रहते ही हैं और दोनों पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसीलिए मैं पाठकों के सम्मुख ज्योरो की यह पुस्तक रखने से पहिले कृत्रिम उपायों के पक्षवालों की घारी युक्तियाँ छुन केना चाहता था। बहुत सोच विचार कर मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि कम से कम भारतवर्ष के लिए तो कृत्रिम उपायों की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भारतवर्ष में इन उपायों का प्रचार करना चाहते हैं वह या तो इस देश की सभ्यता का ज्ञान नहीं रखते या जानबूझ कर उसकी परवाह नहीं करते। और फिर यदि यह सिद्ध हो जाये कि इन उपायों का काम न जाया जाना पाश्चात्य देशों के लिए भी हानिकारक है तब तो फिर भारतवर्ष की दशा पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं रहती।

आइये! इसके ज्योरो क्या कहते हैं। उसने सन्ध की दशा ही पर विचार किया है। परन्तु यह भी हमारे मतलब के लिए बहुत काफी है। फ्रान्स संसार के सब से अगुमा देशों में गिना जाता है और जब यह उपाय नहीं सफल न हुए तो फिर और कहाँ हो सकते हैं?

असफलता क्या है? इस सम्बन्ध में मित्र मित्र रायें हो सकती हैं। इसलिए अच्छा है कि 'असफल' शब्द से जहाँ मेरा अर्थ है उसकी व्याख्या कर लें। यदि यह बात सिद्ध कर दी जाये कि इन उपायों के कारण लोगों के नैतिक आचार भ्रष्ट हो गये, व्यभिचार बढ़ गया और कृत्रिमसंततिनियमन केवल अपनी स्वास्थ्यरक्षा अथवा सुवस्थियों की आर्थिक दशा ठीक रखने के लिए ही नहीं किया गया बल्कि अपनी कुचेष्टाओं की पूर्ति के लिए किया गया तो इन उपायों का असफल रहना सिद्ध मान केना चाहिए। यह तो है कम से कम सिद्धान्त की बात। उत्कृष्ट नैतिक सिद्धान्त तो कृत्रिमसन्तानविमोह अथवा दम्भ को स्थान ही नहीं देता। उसके अनुसार तो विषयभोग केवल सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से ही करना चाहिए जैसे कि भोजन केवल शरीर रक्षा के लिए ही करना चाहिए। एक तीसरे श्रेणि के मनुष्य भी हैं। उनका कहना है कि 'नैतिक आचारविचार सब फिजूल है और यदि नैतिक आचार कोई वस्तु है भी तो यह आवश्यकता नहीं है कि संयम से रखा जाय। स्व विषयभोग करो, विषयभोग ही जीवन का उद्देश है। सब इतना ध्यान रहे कि विषयभोग से स्वास्थ्य न बिगड़ जाय जिससे कि हमारा उद्देश जो विषयभोग है उसी की प्राप्ति में अवलमन पड़ जाय।' ऐसे लोगों के लिए मैं समझता हूँ ज्योरो ने यह पुस्तक नहीं लिखी है क्योंकि उनकी पुस्तक के अन्त में डोमैम के यह शब्द आये हैं: 'भविष्य सचरित जातियों के लिए है।'

इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में मोंसियो न्योरो ने ऐसी ख़ासी २ बातें हमारे सामने रक्खी हैं कि जिन्हें पढ़ कर हमारा हृदय कांप उठता है। कैसी २ संस्थाएँ फ्रान्स में उठ खड़ी हुई हैं कि जो लोगों की केवल पशुशक्ति को पूरा करने का काम करती हैं। सब से बड़ा दावा जो कृत्रिम उपायों के पक्षपाती करते हैं वह यह है कि लड़क छिप कर गर्भपात न होने और धनहत्या बच जायगी। परन्तु उनका यह दावा भी गलत साबित होता है। ज्योरो लिखता है कि यद्यपि फ्रान्स में पिछले २५ वर्षों से गर्भस्थिति न होने के उपाय लगातार काम में लाये गये परन्तु फिर भी गर्भपातों के ख़ुमों की संख्या कम न हुई। ज्योरो कहता है कि गर्भपात बढ़ गये। उसका विचार है कि २७५००० से ३२५००० तक के करीब गर्भपात प्रतिवर्ष होते हैं। अफसोस तो यह है कि लोग अब ऐसी बातें सुन कर उनसे डर नहीं होते जैसे पहिले होते थे।

( यं- ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## टिप्पणियाँ

### गारियाधार में खादीकार्य

गारियाधार में माई शंभुशंकर परिषद की तरफ से काम कर रहे हैं उनका कार्य जानने योग्य है। गारियाधार के आसपास के ४१ गांवों में ११०० कुटुम्बों में कपास का संग्रह करवाया और इनको खादी बुनने तक की सारी आवश्यक चीजों का सुभीता कर दिया। कपास का संग्रह ३००० मन के करीब हुआ। उसमें से ८०० मन हाथ से आँटा हुआ था। यहाँ धुनाई पर महमूल लगता है परन्तु जो धुन कर रुई की पोनी भी स्वयं ही बना देते हैं उन्हें यह महमूल नहीं देना पड़ता है। इन कुटुम्बों में से ११२ कुटुम्बों ने परिषद की शर्तों के अनुसार मक्दर की अर्थात् धुनाई और धुनाई में आधा हिस्सा पाया। इसमें आमतक केवल १६४ रुपये खर्च हुए हैं। इस जिक्रे में अकाल धा इस्लिय चरती पोनी भी काम में लाई गई। करीब ५० कुटुम्बों में आठ मन पोनी हुई और वह छ आने सेर के हिसाब से बिकी। इसमें मुख्यतः खियों के ही बज्र हुए हैं। हमने हिसाब लगाया है कि इसमें ५० रुपये से अधिक लगाने की आवश्यकता न रहेगी। इससे अधिक उत्पत्ति के लिए अकाल के कारण कपास की और खरीद की गई और मूल कतवाया गया। आमतक २९५ मन कार्यालय में ही आँटा गया। उनकी पोनी बनाई गई और अब उसका भी कताना बुनवाना हो रहा है। आँटाई का खर्च ११०) रुपये हुआ। कपास में ९३।।। मन रुई निकली और १९० मन बिनौला। मूल ४ से ८ अंक तक निकलता है। उसका दाम प्रति अंक पाँच पाई दी जाती है। धुनाई और पोनी बनवाने का दाम २।।।) मन दिया जाता है और धुनाई का ८) मन। खादी का अर्ज २४ से २७ इंच है। एक मन खादी की लम्बाई ११० से ११५ गज तक होती है। जो खादी तैयार होती है उसे माई शंभुशंकर अपने क्षेत्र में ही बेचने का प्रयत्न करते हैं। इस तरह उन्होंने ९६२ गज खहर ससरह आने के छः हाथ के हिसाब से बेचा है— इस हिसाब से गज के पाँच आने हुए। हमेशा एक मन सूत बुना जाता है। इसके अतिरिक्त अमरेली खादी कार्यालय के लिए भी इसी स्थान में खादी बुनी जाती है। यह जोलाई में ३० इंच होती है। इस कार्यालय का काम बहुत थोड़े खर्च से ही चलता है और उसका खास कारण माई शंभुशंकरजी का काननेवालों,

धुननेवालों और बुननेवालों इत्यादि के साथ का सहवास और निकट परिचय है। मेरे हाथ में जितने खादी कार्यालयों के अंक आते हैं मैं उन्हें छापता रहता हूँ। इससे मेरा अभिप्राय यह है कि सब कार्यालय एक-दूसरे से शिक्षा लें और सब में आपस में स्वस्थ और काम बढानेवाली होव हो। यह क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसमें हजारों सेबक अपना बकिदाव दे सकते हैं और हजारों अपनी आजीविका कमा सकते हैं। जिनको इस कार्य से प्रेम हो जाय, और जो यह समझते हैं कि ग्रामीण जीवन इससे काव्यमय बन सकता है वे इस कार्य में असीम आनन्द उठा सकते हैं।

रजस्वला क्या करे ?

एक विधवा बहिन लिखती है कि, " मुझसे ऐसा कहा गया है कि रजस्वला जी की पुस्तक, कागज, पेन्सिल, स्केट इत्यादि वस्तुओं को छूना नहीं चाहिए। क्या आप भी यह बात मानते हैं ? "

ऐसा प्रथम सुआखुत के कलक से कलकित भारतवर्ष में ही उठ सकना है। रजस्वला जी के लिये सुआखुत सम्बन्धी बहुत से नियम हैं परन्तु वह आरोग्यता और नीति की दृष्टि से रक्खे गये हैं। इस समय की बहुत मिहनत करने के अयोग्य होती है। इस समय वह सबसे अलग रहे यह अभ्यन्तावश्यक है। सधवा को पति का संग इस समय त्याग्य है। उसे शान्ति भाव से रहना चाहिए। परन्तु इस समय अच्छी २ पुस्तकों का पढ़ना और पढ़ने-लिखने का अभ्यास करना इत्यादि अनुचित नहीं है। बल्कि मेरी समझ में ऐसा करना योग्य और आवश्यक है। बैठे बैठे भाराम से करने के और भी बहुत से गृह-कार्य हो सकते हैं जो रजस्वला जी सुखपूर्वक कर सकती हैं।

( बबर्जावन )

माँ० क० गांधी

माई मास के अंक

अभी तक जो अंक हमें खादी की पैदावार तथा बिक्री के सम्बन्ध में मिस्र २ प्रान्तों से मिले हैं वह इस प्रकार हैं:—

प्रान्त	पैदावार	बिक्री
अजमेर	११५०)	२९६४)
आन्ध्र	१५९६८)	२६२७५)
बंगाल	३८२९९)	३०५६६)
बम्बई		२७६५०)
बर्मा		१३५७)
सी. पी. (हिन्दी)		२८५)
दिल्ली	१२४२)	१६४७)
करनाटक	३४५६)	५०४०)
दक्षिण महाराष्ट्र		३२७)
मध्य महाराष्ट्र		३१२९)
उत्तर महाराष्ट्र	१९१५)	९०९४)
पंजाब	५५१७)	५६९९)
तामिलनाडु	४००४९)	६६०६४)
संयुक्तप्रान्त		

कुल ११३०५२)

१९४३८७)

( यं. इं. )

माँ० क० गांधी



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ४६ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

अहमदाबाद, आषाढ वही ६, संवत् १९८३  
 बुधवार, १ जुलाई, १९२६ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 धारणपुर सरकीकरा की बाड़ी

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

भाग २  
 अध्याय ७

धनुभवा के कुछ नमूने ।

नेपाल का बन्धुगाह हरबन के नाम से भी मशहूर है । मुझे लेने के लिए सेठ अब्दुल्लाह आये थे । जब नहाज बाँह पर पहुँचा तब नेपाल के बाँसिन्दे अपने २ दोस्तों को लेने के लिए आये । तभी मैं लाठ गया कि यहाँ हिन्दियों का आधर अधिक नहीं है । सेठ अब्दुल्लाह को पहचानने वाले उनके साथ जिस तरह का सलूक करते थे वसमें मुझे एक किस्म की हीमता मजर आती थी जो मेरे दिल में ज्वलती थी । मगर वे इसके आदी हो गये थे । मेरी तरफ नजर बालनेवाले मुझे बड़ी कुतूहल से निहार रहे थे । मैं अपनी पोशाक के सबसे फुट अंश में दूसरे हिन्दियों में से तर आता था । मैं उस बक प्राक काँट वगैरह पहने था, और सर पर बगाली टग की पगड़ी थी ।

मुझे घर ले गये । अब्दुल्लाह सेठ ने अपने पासवाले कमरे में मुझे उतारा । न वे मुझे समझते और न मैं उन्हें समझता । उन्हें उनके भाई का किस्सा हुआ खत दिया । वह पत्र कर और बचकाये । उसकी यह माखम हुआ मानों उनके भाई ने दरवाजे पर एक श्वेत-दहली बांध दिया । मेरी रदनसहन उन्हें साइबों की सी खर्चीली माखम हुई । उस बक मेरे लायक कोई लास काम न था । उनका मुकद्दमा तो ट्रान्सवाल में चलता था । मुझे वहाँ अट मेज कर करे तो क्या करे ? और फिर मेरी हौशियारी और प्रामाणिकता का किस्सा हद तक बकीन करते ? प्रीटोरिया में वे खुद मेरे साथ तो रह नहीं सकते थे । प्रतिवादी वही था । इस हालत में उसका गैर मुनासिब अक्षर अगर मुझ पर पड़े तो ? अगर इस मुकद्दमें का काम मुझे न सोंपे तो दूसरे काम तो उनके मुनीम मुझ से हर हालत में अधिक अच्छा कर सकते थे । अगर मुनीम भूल करे तो उन्हें धमकी ही जा सकती थी । लेकिन मैं कहां तो ? बस मेरे लिए दो काम थे मुकद्दमे का या मुनीमी का । इसके सिवाय तीसरा काम न था । इसलिए अगर मुकद्दमा का काम मुझे न सोंपा जाय तो मुझे घर बैठे खिलाना रहा ।

अब्दुल्लाह सेठ को अक्षर-ज्ञान बहुत कम था, मगर अनुभव-ज्ञान खूब था । उनकी जेहन तेज थी । और इसका उन्हें इसकी था । अंग्रेजी का ज्ञान उन्हें महाबरे से हो गया था । बातचीत के लायक-अंग्रेजी का ज्ञान उन्होंने महाबरे से हासिल कर लिया था लेकिन अंग्रेजी के माफत वे अपना सारा काम चला डेते थे । बैंक के मैनेजर और योरोप के व्यापारियों के साथ लौदा कर सकते थे और बकीलों को अपना मुकद्दमा वगैरह भी समझा सकते थे । हिन्दियों में उनका खूब मान था । उनकी आवत दूसरी सब हिन्दी आवतों में बड़ी थी । अथवा बड़ी में से एक तो थी ही । स्वभाव बहमीला था ।

उन्हें दीन-इस्लाम का अभिमान था । तत्वज्ञान की बातों का शौक रखते थे । हालाँकि अर्बी न जानते थे, मगर कुरान-शारीक और आमतौर पर इस्लाम धर्म के साहित्य से अच्छी जानकारी रखते थे । सिमलें तो उनकी जवान पर नाचता थी । उनके सहवास से मुझे इस्लाम का व्यवहारिक ज्ञान खूब हुआ । जब इस एक दूसरे को समझने लगे तब वे मेरे साथ खूब धर्म बर्बा करते थे ।

दो तीन दिन के बाद मुझे हरबन की कचहरी दिखाने के लिए ले गये । वहाँ बहुतों के साथ मेरा परिचय कराया और अदालत में मुझे अपने बकील के साथ बैठाया । मैजिस्ट्रेट मेरी तरफ देखा करता था । उसने मुझे अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा । मैंने इन्कार किया और अदालत छोड़ कर चला गया ।

मेरी किस्मत में तो यहाँ भी मुझे लड़ाई बड़ी थी ।

पगड़ी उतारने का भेद अब्दुल्लाह सेठ ने मुझे समझाया । जो मुस्लिमानी पोशाक में हो वह अपनी मुस्लिमानी पगड़ी पहन सकता था । मगर दूसरे हिन्दुस्तानियों को अदालत में दाखिल होते ही पगड़ी उतारनी पड़ती थी ।

इस बारीक भेद को समझाने के लिये मुझे कुछ गहरा उतरना पड़ेगा ।

मैं इस दो तीन दिनों में ही समझ गया था कि हिन्दी लोग अपना २ गिरोह बना कर बैठ गये थे । एक हिस्सा मुसलमान सौदागरों का था । वे अपने को अरब के नाब से पुकारते थे । दूसरा हिस्सा हिन्दू और पारसी शिक्षकों का था । हिन्दू मुनीम

बीच में लटकते ही रह गये थे। कोई "अरब" में पुस जाते थे। पारसी लोगों ने अपने को परशियन के नाम से मशहूर किया। म्य.पार से बाहर इन तीनों का आपस में घटते बढ़ते प्रमाण में संबंध था सही। एक बंधा और बड़ा दल तामीक, तेलुगु और उत्तर हिन्दुस्तान के गिरमिटिया और गिरमिटमुक हिन्दीयों का था। गिरमिटिया से मतलब उन लोगों से है जो गरीब हिन्दी पाँच साल का करार—एग्जीमेन्ट कर के मजदूरी करने के लिये उठा बक नेटाल जाते थे। एग्जीमेन्ट का विगडा हुआ रूप गिरमिट, और उस पर से गिरमिटिया हुआ। इस समूह के साथ दूसरे लोगों का संबंध सिर्फ काम के लिए था। इन गिरमिटियों को अंग्रेज लोग "कुली" के नाम से पुकारते थे। और चूँकि इनकी संख्या सब से ज्यादा थी इसलिए दूसरे हिन्दीयों को भी अंग्रेज कुलो कहते थे। 'कुली' के बदले सामी भी कहते थे। तामीकनाम के अन्त में सामी शब्द का उपयोग करते हैं। सामी यानी स्वामी। स्वामी का अर्थ तो मालिक है इस से कोई २ हिन्दी इस शब्द से चिन्न जाते थे। और अगर किसी में कुछ हिम्मत हुई तो उस अंग्रेज से कहता—आप मुझे सामी कहते हैं पर आप को मालूम है कि इसके माने मालिक के होते हैं? मैं आप का मालिक नहीं हूँ। ऐसा सुन कर कोई २ अंग्रेज शरमाता और कोई खीझता और सब गाली दे। और कोई कोई तो मार भी बैठते थे। क्योंकि उसकी समझ में तो 'सामी' शब्द निन्दक था। उसका अर्थ मालिक करना गया उसका अपमान करना था।

इसलिए मैं 'कुली' बैरिटर और बेपारी लोग कुली बेपारी कहलाये। कुली का अर्थ मजदूर तो मिट सा गया। बेपारी लोग इस शब्द से गुस्सा करते और कहते कि मैं कुली नहीं हूँ। मैं तो अरब या बेपारी हूँ। अगर कोई जरा बिनयी अंग्रेज हुआ तो भाकी माँगता। इस हालत में पगडी पहनने का समाज कुछ पडा हो चला। पगडी उतारली यानी मानभंग का सहन करना था। मैंने विचार किया कि हिन्दुस्तानी पगडी को बिदा करूँ और अंग्रेजी टोपी को अपनाऊँ जिससे उसे उतारने का मानभंग सहन न करना पड़े और इस संझट से बच जाऊँ।

अब्दुल्लाह सेठ की यह हयाल पसंद न आया। उन्होंने कहा कि अगर इस मौके पर इस किसम का फेरफार करोगे तो उनका अनर्थ होगा। दूसरे जो देशी टोपी ही पहनना चाहते होंगे उनकी बुरी हालत होगी और आपको तो देशी पगडी ही मुह मेगी। अगर आप अंग्रेजी टोपी पहनेंगे तो आपकी गिनती 'वेटर' में होगी।

इस बात में दुन्धबी होशियारी थी, देशामिमान था और कुछ तंगदिली भी थी। संसारी चतुरता तो साफ जाहिर है। देशामिमान के बिना पगडी का इतना आग्रह मुमकिन न था। गिरमिटिया हिन्दी में हिन्दू मुसलमान और ईसाई ऐसे तीन हिस्से थे। ईसाई वे गिरमिटिया थे जो हिन्दी ईसाई हो चुके थे और उनकी औजाद।

उनकी संख्या १८९३ में भी काफी थी। वे सब अंग्रेजी लिबास ही पहनते थे। उनमें से काफी तादाद होटल में नौकरी कर के अपना निर्वाह चलाते। इस दल की हयाल में रख कर अब्दुल्लाह सेठ ने अंग्रेजी टोपी की टीका की थी। उनके होटल में बतौर वेटर के रहने का सकेत भी उस में था। आज भी यह मेह बहनों के दिलों में कायम है।

अब्दुल्लाह सेठ की दलील मुझे पसन्द आई। मैंने पगडी के किस्से के मुताबिक अपना तथा पगडी का बचाव करते हुए अल्लमों में एक पत्र प्रकाशित कराया। जब चर्चा हुई। 'बिन

बुलावा महामान' (अन्वेलकम मिमिटर) इस शीर्षक से मैं अल्लमों में मशहूर हुआ। और अनिच्छा से तीन चार दिन के भीतर २ दक्षिण आफ्रिका में शहरत हो गई।

किमीने मेरा पक्ष लिया और किसी ने मेरी डीकता की खूब निन्दा की।

मेरी पगडी लगाव आखिर तक बनी रही। कब बिदा हुई इसका किस्सा आखिर के भाग में पढेंगे।

( नन्धीबन )

बेहानबाक करमथथ गार्थी

## अकबर की उदारता

जब हिन्दू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और क्षमा और सब का नाम तक भूल गये हैं तब ऐसे समय में हिन्दू-मुसलमानों की परस्पर सहिष्णुता और उदारता के स्मरणों का यदि हम यहाँ कुछ विचार करेंगे तो यह अनुचित नहीं गिना जावेगा। मुसलमान बादशाहों में अकबर सहिष्णुता का — उदारता का मजूना था।

अकबर के पुस्तकालय में कितनी ही अच्छी पुस्तकें होंगी! जब उसकी मृत्यु के बाद उसके आगरा के किले के अन्दर के कमाने की फिरिस्त तैयार की गई तो ऐसी पुस्तकों की संख्या जो सभी हस्तलिखित थी, जिनकी सुन्दर जिह्वे बंधी हुई थी और जिनमें बहुतेरों में सुन्दर चित्र भी थे, २४,००० थी, जिनमें ४००० तो फौजी की जमा की हुई पुस्तकों में से उसके मरने के बाद बगवा की गई थी और जिनकी कीमत ६४३८३१, प्रत्येक पुस्तक की कीमत २००) थी। उस पुस्तकालय के "कई विभाग थे और प्रत्येक विभाग में पुस्तकों की कीमत और जिन विषय की पुस्तकें थी उन विषय के महत्व के अनुसार कई और विभाग थे। गद्य, पद्य, हिन्दी, फारसी, गोक, कश्मीरी, अरबी सभी के अलग २ विभाग थे।

विद्या के साथ अकबर का प्रेम इतना अधिक और उदार था कि उसकी आज्ञा के अनुसार उसके दरबार के विद्वानों ने संस्कृत के बहुत ग्रन्थों का फारसी उल्था किया। अब्दुलकादिर बदाऊनी जो अत्यन्त बृहत् मुसलमान थे, दो और विद्वानों के साथ महाभारत के उल्था करने में लगे थे। यह अपनी राम कहानी को लिखते हैं:— "मेरा भाव्य ऐसा है कि मैं ऐसे काम में लगाया गया हूँ। तथापि मैं अपने को यही सन्तुष्ट करता हूँ कि जो भाग मैं बचा दे रहा हूँ।" अन्य पुस्तकों के अतिरिक्त अथर्ववेद, हरिवंश और श्रीलाक्ष्मी का उल्था कैजी ने किया। ताजक का उल्था मुकम्मलका गुजरानी ने और राजतरंगिणी तथा महाभारत का अनुवाद भी कैजी ने किया।

संगीत का पृष्ठ पोषक होने के अतिरिक्त अकबर संगीत में स्वयं बड़ा गुणी था और उसने २०० से अधिक नये तारों को चलाया जो अबुलफजल के शब्दों में सुननेवालों को आनन्दित कर देते थे।

बादशाह घर पर और सफर में बराबर नगावक पिया करते, "कुछ विश्वासपात्र अनुभूत गंगा के किनारे नियुक्त हैं जो नदी से पानी भर कर बरतनों के मुँह को बन्द कर, के मुहूर लगा देते हैं, जब दरबार आगरा या फतहपुर में होता है तब पानी सौरों से लाया जाता है; आनकक जब बादशाह पकाव में हैं तब जल हरिद्वार से लाया जाता है। रसोई घर के लिए जलना का अथवा पंजाब का जल कुछ गंगाजल मिला कर कास में लाया जाता है।"

तीनों बंटों में वे केवल एकवार लाया करते थे और हमेशा कुछ नूज रहते ही खाना छोड़ देते थे। यह याद रखने योग्य बात है कि अबुलफजल जो यह सब करते लिखा करता

या स्वयं प्रायः ३० पौण्ड प्रतिदिन भोजन करता था। "पहले दर्वेणों का भाग अलग कर दिया जाता है जब बादशाह पूर और दही के साथ सोहन आरम्भ करते हैं। जब वे खा चुकते हैं तब प्रार्थना करते हैं।"

पर सब से बड़ी बात यह है कि अकबर एक दवाइत पुरुष था। अनुकमल कहता है—

"बादशाह मांस से बहुत अकलि रहते हैं और वे प्रायः ब्रह्म करते हैं— 'ईश्वर ने मनुष्य के लिए बहुत प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाये हैं पर मनुष्य अपने अज्ञान और पेटपन से जीते मनुष्यों का नाश करता है और अपने पेट को जानवरों की कबर बना देता है। यदि मैं राजा नहीं होता तो मैं तुम्हें मांस खाना छोड़ देता और मेरी इच्छा है कि इसे आदिस्था २ छोड़ दूँ।' कुछ दिनों तक उन्होंने लुककार की मांस खाना छेड़ दिया था, सब रविकार की और फिर अन्न अथवा मूट्य ग्रहण के दिन। और ऐसे दिनों में भी जो दो मांस छोड़नेवाले दिनों के बीच में पड़ जाता। और फिर रजब महीने के सोमवार की और तीर परब के महीने में और करवरदिन के पूरे महीने में और अपने जन्म के पूरे महीने में जो अनास का महीना था। फिर जब यह हुकम हुआ कि मांस-धजन इतने दिनों तक जारी रहे जितने वर्ष की बादशाह की उमर हुई तब अन्न महीने के भी कुछ दिन इममें जोड़ दिये जाते और अब जो करार महीना ही "मुक्तिर्वाच" (मांस नहीं खाने का दिन) रहा है। अपनी धर्म-निष्ठा के कारण इन दिनों को वे प्रत्येक वर्ष मनाते ही जा रहे हैं और किसी वर्ष में पांच दिन से कम नहीं बढ़ाते।

अकबर ने मोक्ष एकदम बन्द कर दिया था। और इसके जानवरों का भी सब इसने दिनों बन्द रहना जो पूजा के दिनों को (मांस के अन्तिम छः दिन) मिलाकर प्रायः आधा वर्ष ही जाता था। डीरविषयद्वारा के कहने से उसने कंदियों का और पिंजरे में बन्द चिड़ियों को लुहवा दिया, शिकार खेलना छोड़ दिया जिसे वह बहुत ही पसन्द करता था और केवल मछली मारना जारी रखा। यह विशेष कर जानने योग्य बात है कि अकबर ने तीर्थयात्रियों से सब प्रकार के कर लेना बन्द कर दिया और कहा करते कि "जब सब रीति से की हुई पूजा एक ही के लिए है तब भक्त की किसी रीति की पूजा में बाधा डालना, उसे अपने जाननेवाले से मिलने में अडबन डालना, पाप है।" यह वही सिद्धान्त है जो इस लोक में दिया हुआ है—

आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति क्षणम् ।  
सर्वदेवमस्कारः केसवं प्रति गच्छति ॥

अकबर ने जवानी के परछे विवाह बन्द कर दिया और विधवाओं को पुनर्विवाह की इजाजत दी। यह इस बात पर जोर देता था कि विवाह के लिए बर-कन्या और उनके पिता-भ्राता की सम्मति आवश्यक है। वह अपनी प्रजा को धर्म संबन्धी पूरी स्वतन्त्रता देता था। "यदि कोई हिंदू बचपन में अपना किसी अन्य प्रकार से अपनी इच्छा के प्रतिभूत मुसलमान बना लिया गया हो तो उसे स्वतन्त्रता थी कि यदि वह चाहे तो अपने पूर्वजों के धर्म में फिर लौट जाय।" "किसी आदमी के साथ उसके धर्म के कारण इस्तेफेप नहीं किया जाता और प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार वह जो धर्म चाहे रखने की स्वतन्त्रता थी।"

उनकी कुछ मुक्तियों के साथ मैं इसे अंतिम कहनाः—

"यह मेरा धर्म है कि सब मनुष्यों के साथ मैं सजाय रखूँ। यदि वह ईश्वर के बताये पथ पर चलते हों तो मेरा इस्तेफेप ही आपत्तिजनक होगा। और यदि ऐसा न हो तो उन्हें अज्ञान का रोग है और वे दया के पात्र हैं।"

"उदारता और दया सुख और दीर्घ जीवन के साधन हैं। ऐसी मेटियाँ जो एक या दो बच्चे प्रति वर्ष पैदा करती हैं बहुत हैं पर कुत्ते जो बहुत कामातुर हैं कम ही हैं।"

"किसी ज्ञानी पुरुष से गिद्ध के दीर्घजीवन और बाज के लघु-जीवन का कारण पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि गिद्ध किसी को हानि नहीं पहुंचाता और बाज दूसरों का शिकार किया करता है।"—

(नवजीवन) बालजी गोविंदजी देसाई

**गोशाला के व्यवस्थापकों को**  
बड़े रोज पहले अखिल भारतीय गोरक्षण मंडल के मन्त्री ने मुख्य २ गोशाला और पीजरापोल के व्यवस्थापकों को एक प्रश्नावली के साथ पत्र भेजा था। बहुत कम लोगोंने उसका उत्तर दिया है। प्रश्नावली हमारे पास तैयार है। जो चाहें वे गोरक्षण मंडल के मन्त्री, लाहौरवाली के पते पर लिख कर भेजा सकते हैं। श्री जैने महाराज ने महाराष्ट्र की गोशालाओं को देख कर विरगुत विवरण मंडल को भेजने का भार उठा लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ के व्यवस्थापक लोग उनको जरूरी बातें बता कर पूरा विवरण भी उन्हें देंगे। मुझे यह कहने की तो कोई जरूरत नहीं है कि अखिल भारतीय गोरक्षण मंडल उन गोशालाओं पर किसी प्रकार का अधिकार जमाने की तनिक भी इच्छा नहीं रखता है। मंडल की यही इच्छा है कि वह संपूर्ण विवरण भिजा कर खाना पूरी के साथ प्रकाशित कर सब टुस्टी और व्यवस्थापकों के पास भेजे और उनकी मुनासिब सलाह से कर मददगार बने। यदि उनकी इच्छा हो तो वे मंडल से सबन्ध जोड़ सकते हैं, उससे सलाह भी ले सकते हैं। इसके साथ २ गौशिक्षा विचारदो भी सीप ही सेवा प्राप्त करने की मंडल जो आशा रखता है उससे भी लाभ उठा सकते हैं। परन्तु वे गोशालाएँ तथा पिंजरापोल संबन्ध जोड़ें या न जोड़ें मंडल यह भरना कर्तव्य समझता है कि उनके पास गोरक्षा संबंधी जो कुछ खबर या विवरण आवें उन्हें इन गोशालाओं को वह पहुंचावें। यह लिखने की जरूरत नहीं है कि यदि वे १५०० गोशालाएँ अपने प्रयत्न के फल को इकट्ठा करें और अपनी व्यवस्था को कार्यसभक बनायें तो आज जितने जानवर बचते हैं इन्से बहुत ही ज्यादा बन सकेंगे। यह सब है कि मंडल के साथ संबन्ध रखनेवाली संस्थाओं पर कुछ जवाबदारी आवेगी। अपने हित और व्यवस्था के लिये बनाये हुए नियमों का पालन करना होगा और अपना आय का एक हिस्सा अ. मा. गो. मंडल को देना पड़ेगा। परन्तु वे मंडल के साथ संबन्ध जोड़ें या न जोड़ें यह उनकी खुशो की बात है। उनका विवरण प्राप्त करने के उद्देश्य से ही यह टिप्पणी लिखी गई है।

(नवजीवन) मा० क० गांधी

**आत्मम भजनार्थक**  
पांचवीं जादुति अंतिम हो गई है। अब जितने आर्द्धर मिलते हैं दर्ज कर लिए जाते हैं। आर्द्धर मीठनेवालों को अतक छठी जादुति प्रकाशित न हो तबतक धैर्य रखना होगा।  
व्यवस्थापक, हिन्दी-नवजीवन

## हिन्दी-नवजीवन

प्रचार, आषाढ वदी ६, संवत् १९८३

### वर्णभेद और स्वदेशी

मि० स्पेन्डर से लिखने हैं:

“ गांधी चाहते हैं कि योरोप के माल का बहिष्कार करें: दक्षिण अफ्रिका निवासी एक कदम आगे बढ़ कर चाहते हैं कि हिन्दुस्थानियों का बहिष्कार करें। स्वदेशी और वर्णभेद का कानून एक ही भाव के दो पक्ष हैं। दोनों का मूल कारण वह निराशात्मक भाव है जिसके अनुसार पूरव और पश्चिम एक दूसरे के जीवन की विशेषताओं का नष्ट किये बिना हिलमिल नहीं सकते। गांधी एक साधु पुरुष हैं, दया से भरे हुए हैं। और मैं उनकी इस व्याख्या को सुनता रहा जब उन्होंने बड़े उत्साह से यह बताया कि वर्तमान परिस्थिति को दिसात्मक अथवा बल-प्रयोग की रीति से तोड़ने में उन्हें कोई सहजुभूति नहीं है। तो भी जब वे यह बयान करने लगे कि पश्चिमीय व्यवसायवृद्धि ने हिन्दुस्थान के गाँवों को किस प्रकार नष्ट भ्रष्ट कर दिया है तो मेरी यह धारणा हुई कि यदि वे भारत के राजा होते और उनका पूरा अधिकार होता तो योरोपवासियों के हिन्दुस्थान में बासिक होने और वहाँ बसने के संबंध में बड़ी नियम बनाने को उन नियमों से क्यादा करके नहीं रखते होते जो आज दक्षिण अफ्रिकावासी हिन्दुस्थानियों के खिलाफ बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं गांधीजी की सभी प्रसिद्धि करता हूँ और यह मे अत्यन्त जानता हूँ कि वह उन दोनों प्रकार की अनुदारता को बहुत नापसंद करते हैं। तथापि यह सब मानना ही पड़ेगा कि स्वदेशी और वर्णनियम दोनों एक ही आध्यात्मिक कुल के संतान हैं। ”

मि० स्पेन्डर के लेख का यह अंश उस भाव का एक आश्चर्यकारक उदाहरण है जिसे टॉल्स्टॉय “ जादू ” कहा करते थे। भारत में अंगरेज अफगरी को निर्धारित विचार पद्धति के जादूभरे प्रभाव में पक कर मि० स्पेन्डर दक्षिण अफ्रिका के काले कानून और भारत के छद्मवाले स्वदेशी में कुछ अन्तर नहीं देख सकते हैं। मि० स्पेन्डर एक सच्चे उदार हल के आदमी हैं। भारतीय अभिलषाओं के साथ उनको सहजुभूति भी है। पर वह अपने चारों ओर के उपस्थित वास्तुस्थल के प्रभाव से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जो उनके विषय में गवर्नर वृद्ध हम सब के विषय में भी कहा जा सकता है। इसीलिए अग्रहयोग की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे चारों तरफ का वास्तुस्थल स्वभाव हो जाता है, तब हमें उस वास्तुस्थल से अलग हो जाना चाहिए — कम से कम जहाँ तक हमारा सम्बन्ध उसके साथ हमारी इच्छा से हो, वह तो अवश्य तोड़ देना चाहिए।

पर चहे मि० स्पेन्डर के भाव वास्तुस्थल के जादूभरे अन्तर के प्रभाव से हों अथवा वह उनके स्वयं विचार हों, हम उन पर विचार करें। वर्णभेद का कानून मनुष्यों के विरुद्ध है। किसी कार्य वस्तु के विरुद्ध नहीं है। स्वदेशी केवल वस्तुओं के विरुद्ध है। वर्णभेद का कानून बिना विचार किये ही मनुष्य की मानि अथवा रंग का विरोध करता है। स्वदेशी में ऐसा कोई भाव नहीं है। वर्णभेद का कानून के पक्षपाती अपनी इच्छा को बलपूर्वक भी आवश्यकता पड़ने पर पूर्ण कर देंगे। स्वदेशी हर

प्रकार के बलप्रयोग का — मानसिक बलप्रयोग का भी विरोधकार करता है। वर्णभेद का कानून में कुछ भी सुविधा नहीं है। अन्तर के रूप में स्वदेशी एक वैज्ञानिक सूत्र है जिसकी विवेकबुद्धि प्रत्येक पग पर पुष्ट करती है। वर्णभेद के अनुसार प्रत्येक भारतवासी चाहे वह कितना ही शिक्षित क्यों न हो और चाहे वह रहनसहन में पूरा पश्चिमीय मनुष्य जैसा क्यों न हो गया हो तो भी दक्षिण अफ्रिकावासियों के विचार में वह वहाँ रहने देने योग्य नहीं है। वर्णभेद का कानून का उद्देश ही हिंसा है क्योंकि वह चाहता है कि वहाँ के आदिम निवासियों को और एशिया के नवागत लोगों को बराबर अधिकृत मजदूर ही बना रखे और उस स्थिति से वह कभी ऊपर न निकलने पाये। वर्णभेद सम्भ्रता के नाम में और सम्भ्रता की रक्षा के नाम में बड़ी करना चाहता है — और उसमें भी अधिक विषम रीति से — जो हिन्दुओं ने हिन्दू धर्म के नाम में उन लोगों के साथ किया है जिनको वे अछूत कहते हैं। पर यह जानने योग्य बात है कि अछूतान — चाहे इसके विरुद्ध जो कुछ कहा जाय — बहुत देर के साथ हिन्दुधर्म से उठता जा रहा है। जो लोग अछूतान हटाने में लगे हैं वही लोग बड़े उत्साह के साथ धर्मों को भी सर्वव्यापी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अछूतान को बुरा मान लिया गया है। पर वर्णभेद दक्षिण अफ्रिका में धर्म का दर्जा पाता जा रहा है। वर्णभेद का कानून बेगुनाह स्त्रियों और बच्चों को बिना किसी कारण के लुकसान पहुँचाने हैं और उनका धन हर लेते हैं। स्वदेशी एक प्राणी को भी लुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। यह इस देश के सबसे अधिक दुःखी लोगों का वह वाचक करना चाहता है जो उनसे जबरदस्ती छीन लिया गया है। वर्णभेद का कानून लोगों को अलग करना चाहता है। स्वदेशी में इस प्रकार किसी को अलग करने का भाव नहीं है। स्वदेशी उस विद्वान के साथ सहजुभूति नहीं रखता है कि पूरव और पश्चिम कभी मील नहीं सकते। स्वदेशी सभी विदेशी अथवा योरोपीय वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करता। न वह सगरी कर्तों के द्वारा बने हुए माल का ही बहिष्कार चाहता है। न वह देश में कभी सगरी वस्तुओं को ही चाहता है। स्वदेशी ऐसी सभी विदेशी वस्तुओं को आसक्त का स्वागत करता है जिनको हिन्दुस्थान में तैयार नहीं कर सकते अथवा नहीं करना चाहते और जिनसे हिन्दुस्थान के लोगों को लाभ है। उदाहरणार्थ सगरी सुन्दर आशिय की विदेशी पुस्तकों को, विदेशी चित्रों को विदेशी मर्त, मिल डे के विदेशी कल, विदेशी आकषीय को पद से लेता है। पर स्वदेशी सभी मादक वस्तुओं का चाहे वह भारत में भी बनी हो — वर्जन करता है। स्वदेशी सभी विदेशी वस्तु का अंग भारत के पुतलीघरों में भी प्रस्तुत कपड़ों का बहिष्कार कर के चरखा-खर पर ही स्थान जमाता है। इसका बहुत सीना काफी धनोद्योगिक और नैतिक कारण यह है कि चरखे के नाश से भारत के करोड़ों आदिमियों के एक-मात्र न्यूनता पूरक धन्य का नाश हो रहा है जिसका स्थान कोई दूसरा धन्य नहीं ले सकता है। इसलिए स्वदेशी जिसका कप खर और चरखा है भारत के करोड़ों दरिद्र आदिमियों के जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। पर वर्णभेद का कानून उन चन्द योरोपवासियों की लोभपूर्ति के लिए है जो एक ऐसे देश के धन को चूम रहे हैं जो उनका धरना नहीं है पर दक्षिण अफ्रिका के आदिम निवासियों का है। अतः जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ वर्णभेद का कानून का कोई भी नैतिक आधार नहीं है। दक्षिण अफ्रिका से नवागत एशियावासियों का निकाल दिया जाना



अथवा नाश कर दिया जाना किसी प्रकार आवश्यक नहीं है न यह प्रमाणित किया जा सकता है कि ऐसा करना दक्षिण अफ्रीका के योरोपवासियों के जीवन के लिए जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका के आदिम निवासियों को परदलित करने का तो नैतिक प्रमाण इससे भी कमजोर है। इसलिए मि० स्पेन्डर जैसे अनुभवी विद्वान का इस प्रकार खतराणी स्वदेशी को और वर्णाश्रमिणी कानून को एक श्रेणी में रखना आश्चर्यजनक और दुःखद है। वे दोनों एक जाति के नहीं हैं—एक व्यापारिक जाति की तो शान ही नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न विजे हैं—वह जैसे ही एक-दूसरे से दूर है जैसे उत्तर और दक्षिण ध्रुव एक-दूसरे से अलग है।

मि० स्पेन्डर अनुमान करते हैं कि यदि मैं भारत का निरंकुश अधिकार—युक्त राजा होता तो क्या करता। मुझे ऐसा अनुमान करने का शायद कुछ अधिक अधिकार है। यदि मैं भारत का राजा होता तो मैं दृष्टी के सभी मनुष्यों के साथ पिना धर्म धर्म और जाति का भेद दियो हुए भेदो करता क्योंकि मैं दावा रखता हू कि समस्त मानव-जाति एक ईश्वर की सन्तान है जिसके प्रत्येक व्यक्ति को उनसे से बड़े से बड़े के समान मुक्ति-साधन का अधिकार प्राप्त है। भारत पर कब्जा रखने के लिए जो सेना रखी गयी है उसे मैं प्रायः एकबारगी हटा देना। केवल अपनी पुलिस रखना जिसकी यहाँ के नागरिकों की चोरों और डाकूओं से रक्षा करने के लिए आवश्यक हो। मैं समा प्रसन्न वासियों को भूम नहीं देता जैसे उन्हें आज वस दी जा रही है। पर मैं उनके साथ मैत्री करता और इस उद्देश से उनके पास सुधारकों को भेजता जो उनको अच्छे धर्म सिखाने के साधन आश्रय निकालने। भारत में रहनेवाले प्रत्येक योरोपवासी और उनके समे और और उद्योगों की रक्षा का मैं पूरा प्रबन्ध करता। सब विदेशी कपड़े की आमद पर मैं इतना कर बैठाता कि वह भारत के अन्दर न आ सके और शासन के अधीन खर्च को का कर ऐसी व्यवस्था करना कि प्रत्येक प्राम-वासी को भी सूत न कातना चाहे वह विश्वास हो जाय कि उसके बरके से निराला माल बिक जायगा। मैं आमद एकबारगी रोक देता और हर मछी को जहाँ शराब चुलाई जानी है बन्द कर देता—इतनी ही शराब और अफीम तैयार होने देता जिसकी की रक्षा के लिए आवश्यक प्रमाणित होती। हर प्रकार की नैतिक पूजा की जो मनुष्य मात्र के नैतिक संस्कार के विकसित नहीं पूरी रक्षा करता। जिसको हम अष्टन समझते हैं उसको प्रत्येक पारमार्थिक मन्दिर में, पाठशाला में जहाँ दूसरे हिन्दू या मुसलमानों के अगुओं को मैं बुलवाता उनकी जेबों की तलाशी ले कर जो कुछ उनके पास खाने की वस्तु और धानक हथियार होते उनसे छीन कर उनको एक घर में मैं बन्द कर देता और उसके दरवाजे को उस समय तक नहीं खोलता जब तक वह आपस के झगड़ों को तय नहीं कर लेते। उनके अतिरिक्त बहुतेरी और बातें हैं जिनको मैं यदि भारत का राजा होता तो करता। पर मेरे राजा होने की संभावना बहुत कम है। जो मैंने ऊपर कहा है वह उन चीजों का संक्षेप उदाहरण है जो एक ऐसा आदमी जिसे लोग मूलतः तरीके से कपाली पुनः पकानेवाला आदमी कहते हैं पर जो अपने को एक सिद्धहस्त काम करनेवाला समझता है करता यदि उसका अधिकार होता।

( सं० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## अन्य देशों में चर्खा

न्युयुंक्टर के श्रीयुत बालाजीराव ने Peoples of All Nations नामक पुस्तक में से अन्य जातियों में पुराने चर्खे का स्थान सम्बन्धी सूचनाएँ एकत्र कर के उसे छाप कर बाँटा है। मैं उसीको थोड़ा संक्षेप करके उद्धृत करता हूँ—

**अबिसीनिया:**—अबिसीनिया के घनी-लोग में चर्खे का सूती कपड़ा और यार्कसायर का कनी कपड़ा पसन्द करने है। पर वहाँ का यह स्थ तो सभी कारखानों से मुकाबला कर रही है। वह स्वयं अपने खेतों में रुई पैदा करता है—उसे साफ करता है, कातता है और अपने पुराने करघे पर कपड़ा पुन बना है। वहाँ के बने हुए गरम सुन्दर और गर्म कपड़े का ही प्रामा बनता है जो वहाँ की जातीय पोशाक है।

**वेल्डियम:**—बूट लोम किसी न किसी भूवे धर्म में लगे रहते हैं। पर की मुख्यवस्था करने ही में वेल्डियम की जिंदा अपनी बड़ाई मानती है। प्रायः प्रत्येक होपडे में चर्खा है। प्रत्येक यह स्थ लगे अपने खेतों में उपजाये हुए और पर पर साप दिये हुए पाट को कात कर मूल बना लेते हैं।

**बलगेरिया:**—टिग्नोयो में बाभार के दिन बलगेरिया के लोगों को नित्ययता और अभ्यवहार को आप देख सका है। शाक खरीदनेवाले शाक के इन्तजार में बैठी हुई शिवां सूत कातती रहती है।

**जेकोस्लवाकिया:**—कपड़ा बनाने की सब विधियों का—अर्थात् साक करना, कातना, पुतना और धोना, प्रायः सभी काम यह स्थों के घरों में ही होते हैं और यह सब चर्खाले ही पर लेते हैं।

**चीन:**—गरीबों के करघे के पांच हिस्सों में बार हिस्से पर में ही तैयार होते हैं। सूत कातना और पुतना आज भी खियों का काम है क्योंकि कलों ने चीनियों की कपड़े बनाने की पुरानी कृति का स्थान अभी तक नहीं ले लिया है।

**एक्वेडर:**—सूत कातने का सामान खियों के साथ साथ वे जहाँ जाती है जाता है और जब वे किसी दूसरे काम में नहीं लगी रहती हैं तब उनकी तेज अंगुलिया सूत कातने और गठने में ही लगी रहती हैं। कल की तरह जो कातने में लगे रहने से उनके किसी दूसरे काम में रुक नहीं पकता है। बहुत ही सारे करघों पर बहुत सुन्दर सूती और कनी कपड़े तैयार किये जाते हैं जिनसे तरह तरह की गर्म पोशाकें बनती हैं।

**फिजिया** खिये जहाँ जाती है डडा और तकली साथ ले जाती हैं—डडा एक मोटी लकड़ी का बना रहता है और तकली एक वेत के टुकड़े को आलू में गूँथ कर बना ली जाती है—और जहाँ उनके हाथों को कुमल मिलती है कि वे सूत कातने लग जाती हैं।

**इक्वेडर के बने हुए देशी कपड़े सामान और कारीगरी दोनों के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं।**

**ईंग्लैण्ड भी:**—विक्टोरिया के गांव में चर्खों की सुन्दर धनपनाहट सुनायी है। सालिखरी के समतल के एक कोने में विन्टरस्को एक गांव है जो वहाँ के रहनेवालों के हाथों से कते और पुने कपड़े के लिए मशहूर है। वह कपड़ा वहाँ के मेडों से निकले हुए सबसे बारीक ऊन का बनता है। इस काम को हैमिल्टन की डचेन ने आरम्भ किया था और गांववाले इसे बड़े उत्साह के साथ करते हैं। छोटी से छोटी लकड़ियों को भी यह पाठशाला में तिकला दिया जाता है और वह घर पर अपना सूत कातती हैं।

**एस्थोनिया:**—एस्थोनिया की स्त्रियों का चरखा चलाना एक कहावत सी हो गयी है। ओसेलद्वीप में जहाँ बहुत सर्द रहा रहती है ऊनी कपड़े की बहुत जरूरत रहती है। गर्मी के दिनों में वहाँ की सुन्दर स्त्रियाँ अपने झोंपड़े के बाहर धूप में बैठ कर ऊन का सूत कातती हुई देखी जाती हैं। अपने और कुटुम्ब के लिए गम्भी कपड़े वे तैयार कर लेती हैं।

**फ्रान्स:**—बिना के बाहर गाँव की बूढ़ी स्त्रियाँ तकली बजाती रहती हैं और कैलिटिक भाषा में चरखा सम्बन्धी गीत अपनी दर्द-भरी आवाज़ में गाती रहती हैं। ब्रिटेन में आज तक हाथ से सूत काता जाता है और वहाँ की स्त्रियाँ अपने देश के कपड़े पर उचित ध्यान करती हैं। पर में काता हुआ और बहुत सावधानी से धोया गया वह कपड़ा बहुत टिकता है और बहुत झोंपड़ों में ऐसा कपड़ा बहुत जमा किया जाता है। जर्मनी जिनोखी टॉपियों को घर पर और सुन्दर कपड़े देह पर पहनती हुई और तकली हाथ में लेनी हुई वहाँ की स्त्रियाँ पुरानी दुनिया की मितव्ययता और अभ्यवसाय के मानों विश्व की मान पकती हैं। टेडीनाफ और ट्यूरी और टबलो के कर अभ्यवसाय की बुनी स्त्रियाँ परियों की कहानियों के तिलम के फिरे के बाहर की डाइनों की तरह हीकती हैं।

**चीन:**—“बसकर रातों की काचट को मिटा देना है।” दृश्य—डेली पर्वत के नजदक का एक रास्ता—और कुछ नहीं तो अपने न्यायन में शोक स्त्रियों का वह दृश्य जब वह राँडे पर सवार हो कर भी अपनी पूनी और तकली से सूत निकालती हैं अपना जोड़ नहीं रखता। पर ऊपर की चढाई में अपने घोड़ों के कदमों के शोक बैठने में और उनकी अज्ञान करने की आदत में उनका चेहरा विश्वास है कि जोपर के समूहों को वह एक ऐसे चन्दा में लगती हैं जिसके लिए भीम की स्त्रियाँ बहुत दिनों से मसहूर हैं।

“जहाँ घर ही कारखाना है”—जब कैलाशावर का माल इनके मुँहों में मिलने लगा है यह एक अर्थों की बात है कि कोई आदमी ताजा तानने और कपड़े बुनने के नाजुक हुनर के सीखने और अभ्यास में बहुत समय लगाने। तथापि प्रायः में यह एक जीता-जागता धन्दा है और जो माल तैयार होता है वह अनुमान से कहीं अधिक उपयोगी होता है।

**हंगेरी:**—हाथ में पूनी और तकली के साथ नंगे पैर हंगेरी की लकड़ियाँ वहाँ की हरी पहाड़ियों पर फिरा करती हैं। उनकी अंगुलियाँ कभी बेकार नहीं रहती। सादे तरीके से हंगेरी ने बहुत पुराने धन्धों को इस प्रकार बचा रखा है।

**आयरलैंड:**—गाँवों में पुराना चरखा अभी भी उपयोग में आता है। इन्हीं सादे चरखों पर वहाँ का देशी हाथ का कता हुआ कपड़ा बनता था जिसे देख कर आज के कारखानेवालों को भी लज्जा आनी चाहिए।

**पेलेस्टाइन:**—उस रंगभिरंगे जमात में जो जेरुजलेम में जमा होती है पगडीवाला बूढ़ा सरदार मेडी की साल का कौट पहने हुए और चुपचाप बौरा ऐंठते हुए देखने योग्य है।

**पेरगामुस:**—पेरगामुस के आदमी केवल एक धन्धा अपने कसर में लपेटते हैं। ऊन स्त्रियों द्वारा घर ही पर काता और बुना जाता है और कभी कभी बहुत बारीक होता है। रंगे हुए जमूने भी मिलते हैं। सफेद और काले से प्राकृतिक रंग के ही; लाल कोबीनिकल रंग में बनता है; पीला और खाकी पेशों की लाल से बनते हैं। पेरगामुस की स्त्रियाँ प्रायः घर के कामे हुए सूत के चाकरा बजाती हुई देखी जाती हैं।

**पेरू:**—पेरू के चोला प्रदेश की स्त्रियाँ चाहे जो कुछ करती हों—जैसे बच्चों की देखभाल करना अथवा अपने मेडों और बकरियों की चरवाही करना—पर साथ साथ वे सूत भी कातती रहती हैं। मोटे ऊन की एक गोली के कर एक छोटी तकली से जिसे वे बराबर मचाती रहती हैं वे सूत निकालती हैं। पहाड़ों के सुबु प्रदेशों में जहाँ कपड़े की पूनी आसप नही है वहाँ की स्त्रियाँ इस प्रकार सूत बनाती हैं जिससे उनके प्रायः सभी कपड़े बनते हैं।

**पोलैण्ड:**—वारमा जिले के ग्रहस्थों के घरों में चरखा और कपड़े को एक महत्व का स्थान है। घर में बने कपड़े पहनने में वे फिरे हैं और बहुत कम अपने कपड़े को बदलते हैं।

**रुमैनिया:**—रुमैनिया की गोशालाओं की लकड़ियाँ दो नाम एक साथ करती हैं। अपनी काम में लगी हुई अंगुलियों से कर्न-ब्यापी तकली को चलाती हैं और साथ ही गोधुली के नाम गौओं को हाँक कर घर लाती हैं। रुमैनिया की ग्रहस्थ स्त्रियाँ अपनी प्राचीन रीतियों की भक्त हैं; आज भी चरखा चलाना वहाँ के विशेष धन्धों में है। बेकारी के समय भी सायद ही कोई बिना पूनी के देख पकती है।

**स्कॉटलैण्ड:**—सुन्दर काम जब अच्छी तरह से अंजम पाता है तो उससे आनन्द और लाभ दोनों मिलते हैं। नरमी और टिकाऊपन के लिए इरिश ट्रीड जो हाथ से कात और गुन और रंग कर हेबरेजीज में तैयार किया जाता है दुनियाभर में मसहूर है। शुष्क में झोंपड़ों के करणों से निकल कर दुनिया के बाजार में पहुँचना और वहाँ भी एक नया बेमकाला काम समझा जाना बहुत मुश्किल से हो सकता है पर पूर के हेबरेजीज में यह होता है और इरिश ट्रीड का धन्दा वहाँ के स्त्रियों के लिए एक न्यायन है। टारबाट में लोगों को धन्दा देने के लिए ऊन धुनने के दो कारखाने बनाये गये हैं और एक भण्डार खोला गया है। वहाँ इरिश ट्रीड जिसे उन्होंने घर पर बुन और रंग कर तैयार किया है ले लिया जाता है। लताओं से लुगी हुई ओसरियों के बाहर बड़ी हुई कोटलैण्ड की गाँत स्त्रियाँ नरम और गरम ऊन को गुनती और कातती हैं, जिसके लिए वह पूर का टागू मसहूर है।

**स्वित्जरलैंड:**—युगो स्लोविया में सूत कातना और बुनना तथा घर के दृश्य धन्धे विशेष कर जाड़े में दिखे जाते हैं जब ग्रहस्थ स्त्रियों के लिए बाहर का काम नहीं रहता है। ओरचिवा में बहुत पुराने धन्धे चलते हैं पर स्त्रियाँ जितना सूत कातना पसन्द करती हैं उतना और कुछ नहीं।

यदि ऊपर के उद्भूत बाक्यों को हम प्रमाण मान लें तो केवल ऐसे आदमी चरखों की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके दिमाग में गलत हयाल भरा हुआ है। सब से अधिक यह गलत हयाल पैदा हुआ है कि चरखा कातनेवालों की बहुत कम मजदूरी मिलती है। यदि हम अपने को भूल जाय और भूल से मरते हुए उन चरखों लोगों के स्थान में अपने को मान कर विचार करें तो स्पष्ट हो जायगा कि जिसे हम बहुत कम समझते हैं वह उन शरीरों के लिए त्रिपुल धन है। यह भी मासूम हो जायगा कि जहाँ आँकों की बात है, वे केवल कुछ पैसे ही अपनी रोजाना की आसपनी में जोड़ सकते हैं जो वे देखने से कुछ फिरे मात्र हैं। हद से हद यह साल में ४०) हो सकते हैं अर्थात् रोजाना सात पैसे।

## “महात्माजी का हुक्म”

एक अन्वयक लिखते हैं:—

“मेरी पाठशाला में लड़कों का एक छोटा गिरोह है जो नियमित रूप से कई महीनों से चर्खाघर को १००० गज अपने हाथों का कता हुआ सूत बेना करता है और वे इस पुष्क सेवा को आप के प्रति अपने प्रेम के कारण ही करते हैं। यदि उनके चर्खा चलाने का कोई कारण पूछता है तो वे उत्तर देते हैं कि ‘यह महात्माजी का हुक्म है। इसे मानना ही पड़ता है।’ मैं समझता हूँ कि लड़कों में इस प्रकार की प्रवृत्ति को इस तरह से प्रोत्साहन देना चाहिए। गुलामी के भाव में और इस प्रकार की बीरपूजा अथवा निःशक आज्ञापालन में बहुत अन्तर है। इन लड़कों की बड़ी कालझा है कि उनको अपने हाथों लिखा हुआ आप का संदेश मिले जिससे वे उत्साहित हो सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कहीं यह प्रार्थना स्वीकृत होगी।”

मैं नहीं कह सकता कि जो मनीषित इस पत्र से झलकती है वह मनुष्य है अथवा अन्वयक। मैं ऐसे अक्सरों को समझ सकता हूँ जब किसी आज्ञा के पालन करने के कारणों की जरूरत पर तर्क बितर्क न कर के उसे मान लेना ही आवश्यक हो। यह मीपगद्दी के लिए अत्यन्त आवश्यक गुण है, कोई जाति उस समय तक विशेष उन्नति नहीं कर सकती जब तक उसकी जनता में बहुतायत से यह गुण वर्तमान न हो। पर इस प्रकार के आज्ञापालन के अवसर सुमनसि समाज में बहुत कम होते हैं और होना चाहिए। पाठशाला में बच्चों के लिए सब से बुरी बात जो हो सकती है वह यह है कि जो कुछ अन्वयक उन्हें उसे उन्हें आंसू बंद कर के मानना ही पड़ेगा। बात यह है कि यदि अपने अधीन के लड़के और लड़कियों की तर्क शक्ति को अन्वयक ठेक करना चाहता है तो उनको चाहिए कि उनकी बुद्धि को हमेशा काम में लगाना रहे और उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार करने का मौका देवे। जब बुद्धि का काम खतम हो जाता है तब भ्रष्टा का काम आरम्भ होता है। पर दुनिया में इस प्रकार के बहुत कम काम होते हैं जिनके कारण हम बुद्धि द्वारा नहीं निकाल सकते। यदि किसी स्थान में कुआ का जल मरदा हो और वहाँ के विद्यार्थियों को गर्म और साफ किया हुआ जल पीना पड़े और उनसे इस प्रकार के जल पीने का कारण पूछा जाय और वे कहें कि किसी महात्मा का हुक्म है इसलिए हम ऐसा जल पीते हैं तो कोई शिक्षक इस उत्तर को पसन्द नहीं कर सकता। और यदि यह उत्तर इस कल्पित अवस्था से निकलता है तो चर्खा चलाने के सम्बन्ध में भी लड़कों का यह उत्तर बिल्कुल गलत है। जब मैं अपनी महात्माई की गद्दी से उतार दिया आज्ञा—अज्ञा में जानता हूँ कि बहुतों ने भरी में उतार दिया क्या हूँ। (बहुतेरे पत्रप्रेषकों ने कृपा कर मेरे प्रति अपनी भ्रष्टा चट जाने की सूचना मुझे भी दे दी है)—तब मुझे यह है कि चर्खा भी उसके साथ ही साथ नष्ट हो जायगा। मैं यह है कि कार्य मनुष्य से नहीं बना होता है। सबकुछ चर्खा द्वारा से अधिक महत्व का है। मुझे बड़ा दुःख होगा यदि किसी किसी मही गलती से अथवा मुझ से लोगों के रंज हो जाने से लोगों का मेरे प्रति सद्भाव कम हो जाय और इस कारण चर्खा को भी नुकसान पहुँचे। इसलिए बहुत अच्छा ही यदि लड़कों को जब जब विषयों पर स्वतंत्र विचार करने का मौका दिया जाय और पर वे इस प्रकार विचार कर सकते हैं। चर्खा एक ऐसा शिक्षक है जिस पर उनको स्वतंत्र विचार करना चाहिए। मेरे विचार में इसके अन्तर्गत भारत की जनता की भलाई का अत्यन्त बड़ा

हुका है। इसलिए लोगों को यहाँ की जनता की रहरी दरिद्रता को जानना चाहिए। उनको ऐसे गाँवों को अपनी आँखों से देखना चाहिए जो तितर बितर होते जा रहे हैं। उनको भारत की कितनी आबादी है जानना चाहिए। उनको यह जानना चाहिए कि यह कितना बड़ा देश है और यहाँ के करोड़ों निवासियों की छोटी आबादनी में हम योही बहती किस प्रकार कर सकते हैं। उनको देश के गरीबों और पदकियों के साथ अपने को मिला देने की सीखना चाहिए। उनको यह सीखना चाहिए कि जो कुछ गरीब से गरीब आदमी को नहीं मिल सकता है वह वहाँ तक हो सके के अपने लिए भी न केवें। तभी वे चर्खा चलाने के पुण को समझ सकेंगे। तभी उनको भ्रष्टा प्रत्येक प्रकार के हदके को जिसमें मेरे सम्बन्ध में विचार परिवर्तन भी है—बर्दाश कर सकेंगी। चर्खा का आदेश इतना बड़ा और महान है कि उसे किसी एक व्यक्ति के प्रति सद्भाव पर निर्भर नहीं रखा जा सकता है। यह ऐसा विषय है जिस पर विज्ञान और अर्थशास्त्र की युक्तियों द्वारा भी विचार किया जा सकता है।

मैं जानता हूँ कि हमलोगों के बीच इस प्रकार की अन्वयक बहुत है और मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय पाठशालाओं के शिक्षक लोग मेरी इस चेतावनी पर ध्यान रखेंगे और अपने विद्यार्थियों को इस आज्ञा से, कि वे किसी काम को केवल किसी ऐसे मनुष्य के करने के कारण ही किया करें जिसे लोग बड़ा समझते हों, बचाने का प्रयत्न करेंगे।

(सं० ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

## “आप ही के लाभ के लिए”

शास्त्रों में परोपकार मनुष्य-जीवन का मुख्य धर्म माना गया है। परोपकार करने से मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने भविष्य के सुख के लिए परोपकार करना चाहिए यह हमारी भावना है। आज-कल के जमाने में और नयी तरह के परोपकारी लोगों की अभाव हो गयी है; वे लोग अलखारों में इस्तेहार दे कर समझा रहे हैं कि “हमारा काम आपके ही लाभ के लिए है, आप तर्क पेसा दे कर लाभ लें, लाभ को हफ्ता रखनेवाले नगद रुपया दे कर भविष्य में लाभ मिलने की आशा रखें रहें। पूर्व-काल के परोपकारी जन स्वयं परोपकार पढ़के करते थे और उसके लाभ की आशा भविष्य पर छोड़ते थे परन्तु वर्तमान समय के परोपकारी लोग नगद रुपया लेते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि सबको अपने २ नसीब के मुताबिक लाभ मिलेगा। अचक छटेरे छूटने आते। वे हमलोगों को यही समझाते कि “आपके पास धन का कोश बहुत हो गया है उसे हलका करने के लिए ही हम आये हैं।” इन उठेरी में और उपर्युक्त परोपकारी जन्तुओं में क्या फरक है यह मैं समझ नहीं सकता। अथवा यह भी सम्भव है कि जैसे इस सुधार के जमाने में हमलोगों को और सब भावनाएं बदलती जाती हैं उसी तरह परोपकार की भावना भी बदलती जाती होगी।

“आप ही के लाभ के लिए” जीनेवाले परोपकारियों के कुछ नमूने देखें तो बड़ा आनन्द होगा।

सबसे पहले अन्वयक है। हमने आपके ही काम के लिए अन्वयक निकाले हैं। स्व प्रादक बनिए और इस्तेहार सीलिए आपकी ही भलाई होगी।

हमारे बहानों में सुझाफेरी कोलिए और साक चढाए; आजको कान्यदा मिलेगा।

हमारी कम्पनी में बीमा कराइये तो आप सुखी होंगे ।

हमारे पास आ कर अपना भविष्य देख लीजिये, आना पाई तक की बात बतायेंगे । हम को नगद नारायण चत्रा कर आप भी खूब कमाइये ।

हमारी दवाई खाइये । धानुपुष्टि होगी, ताकत बढ़ेगी, बुद्धि मिलकूल नहीं आवेगा, खांसी आप के पास फटकने नहीं पावेगी, लोह सुधरेगा, फोड़ा नहीं होगा, कबजियत नहीं होगी, कड़ी भूख लगेगी । घाराश आप को कोई रोग नहीं होगा ।

हमारे होटल में खाइये, घर की रसोई को भूल जायेंगे ।

हमारा चप्पा पहने तो आप की आंखें तेज हो जायेंगी, आप अच्छी तरह देख सकेंगे ।

हमारे सिगरेट पीजिये, स्वर्ग आप के नजदीक आ जायगा ।

मारी शराब पीयें तो स्वर्ग पृथ्वी पर ही उतर आयगा ।

वकील, डाक्टर, इंजिनियर तथा यंत्र बेचनेवाले भी सब आप ही के लिए दिन रात मायापट्टी कर रहे हैं । आप के धन के भार को हलका करने की चिंता से निवृत्त हो नहीं होते ।

आखबार पढ पढ के थक गये लेकिन कोई लाभ नहीं देखते । रोजबरोज टूटे-झगड़े ही बढते हैं । बहानों में मुसाफरी कर के भी थके पर हमारी मुसाफरी पूरी ही नहीं होती । बीमा कर २ के थके लेकिन झंझट कम नहीं होता । शक्तिर काम किया तो भी कोई लाभ नहीं दिख पडता । दवाई लेने पर भी उसकी ज़रूरत कम नहीं होती । चप्पा पहनने लगे तो चप्पा की खराब ही बढती जाती है । सिगरेट पीने लगे उसके भाव ऐसी हालत हुई है कि उसके बिना चैन नहीं है । शराब पी तब और उसके बगर पृथ्वी नरक के बराबर लगती है । होटलों में खाने से जोभ की लालसा बढी और चाहे रोटी हाल से धुणा होने लगी । डाक्टरों की दृष्टि के साथ रोग भी बढने लगें और तन्दुरुस्ती बिगडी । वकीलों की संख्या ज़रूर बढी पर लोगों में ऐक्य भिंट गया और टूटे-फिसाई भी बढ जये । इंजिनियरों की दृष्टि के साथ २ आकस्मिक घटनायें भी खूब होने लगी । यंत्रों की बहुलता से काम घटा नहीं पर बढ गया है, आराम कम हुआ और महंगी बढी ।

आखबार और स्टीमरवाले लक्षणयति हो गये । बीमा कम्पनीवाले मालदार बन बैठे । दवाई बेचनेवाले और बनानेवाले भी नारों हरने कमा लुके । सिगरेटवाले, डाक्टर, वकील, इंजिनियर और यंत्रवाले अमीर और राजा हो गये हैं पर इन सब से लाभ लेनेवाले महान दुःख में पड कर आर्तनाद कर रहे हैं । 'आप के ही लाभ के लिए' बिलानेवाले खूद आप का लोह चूस कर आप का सत्यानाश कर रहे हैं ।

हमारे बचने के लिए कोई उपाय है ? दूसरों का जितना आश्र लिया जाय उतना दुःख ही बढना है । पराधीन मनुष्य स्वप्न में भी सुख नहीं पा सकता । यदि प्रत्येक मनुष्य खेती करे, पशुओं को पाले और अपने घर में कातने बुनने का काम खुद करे और दूसरों से भी करा सके तो वह पूर्ण स्वतंत्र और सुखी हो सकेगा । ऊपर के तीनों काम हरएक आदमी एकदम न कर सके तो भी हर एक किसान अपने काम के साथ कातने बुनने का काम अरु कर सकता है । बड़े ही दूसरे लोग अपने कार्य के बीच कात और बुन भी सकते हैं । बड़े शहरों में रहनेवाले अपनी फुरसत में सूत कात कर सूत के बारे में स्थावकबी बन सकते हैं । इसके सिवाय सादा जीवन, सादा खुराक, साफ हवा-जानी, कररत, ईश्वर-भजन और शांत स्वभाव, इन बातों पर

भी ध्यान दें तो वे सुख और स्वर्ग को इसी पृथ्वी पर सहज ही पायेंगे ।

दूसरे लोग नहीं करते, हम आपके क्या कर सकेंगे ? इस विचार से कोई डक न जाय । जो करेंगे वे सुख पायेंगे । दूसरे लोग भी खुद करेंगे । यह मुन्त की सलाह भी 'आप के ही लाभ के लिए' है । केवलक पैसा नहीं मांगता है इतना ही करक है ।

( नवजीवन )

प०

अ० भा० गोरक्षा मण्डल का आय-व्यय का ब्यौरा

१९२६ के ३० अप्रैल तक का अ० भा० गोरक्षा मण्डल का आय-व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

आय	व्यय
चन्दा, दान या भेट	६,१००-१५-०
की रकम	६,१००-१५-०
बन्धे में और दान या भेट में मिले सूत की बिक्री से	२६-६-६
भ्याज	२७-३-०
मण्डल का आरम्भिक खर्च	१३६-७-०
अवैतनिक कोषाध्यक्ष का खर्च	८-१०-९
मन्त्री का खर्च	१३१६-०-०
सफर खर्च	६०-८-३
पुस्तक बगैरा	२०-१५-६
छपाई का खर्च	२१-०-०
हाक खर्च	१२-४-६
हाजम इत्यादि स्टे-भनरी खर्च	३-४-३
सेंटर बेंक में डीरोजिट	३७७६-११-०
सत्याग्रह आश्रम में कोषाध्यक्ष के पास मन्त्री के पास	५०५-१४-० १-१३-१ १०३-१०-०
	६१५४-८-६

यह ध्यान देने योग्य बात है कि सूत के बेचने से बहुत थोड़े काम मिले हैं क्योंकि बहुतेरा सूत तो बहुत ही खराब था । यदि चन्दा देनेवाले अपने सूत का सुधार करेंगे तो बिना किसी विशेष तकलीफ और खर्च के वे अपनी ही हुई रकम को स्वयं ही बढा सकेंगे ।

मान्य कौन करे ?

यह प्रश्न पूछा गया है कि गोशालाओं को मान्य करने की अखिल भारत गोरक्षा मण्डल की शर्तें क्या हैं ? समिति ने अभी तक उसके लिए कोई नियम नहीं बनाये हैं परन्तु मैं चाँदे महाराज की इस सूचना का स्वीकार करता हूँ कि जो मण्डल मान्य होना चाहे वह अपनी आय से १) प्रति सैकड़ा मण्डल को दे । मान्य करने के समय उसे अपना सम्पूर्ण ब्यौरा देना होगा उसे मण्डल का उद्देश स्वीकार करना होगा और मण्डल को गोशाला और उसके हिसाब-किताब की जाँच करने देना होगा । २) सूत की गई संस्था या मण्डल को मण्डल के कुशल हाताओं की सलाह प्राप्त करने का और उसके अधिकार में जो साहित्य हो उसका सुपुत उपयोग करने का और उसकी शक्ति में हो ऐसी दूसरी मदद या सलाह प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना । अ० भा० गोरक्षा मण्डल की समिति की मंजूरी पर ही इन नियमों का आधार रहेगा । समिति के सामने ये नियम पेश किये जायें उसके पहले यदि कोई सूचनायें प्राप्त होगी तो मैं उनका स्वागत करूँगा ।



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ६९ ]

मुद्रक—मकाशक  
 स्वामी आनंद

महमदाबाद, ज्येष्ठ सुदी १४, संवत् १९८३  
 बुधवार, २४ जून, १९२६ ई०

मुद्रकस्वामि—नवजीवन मुद्रकालय,  
 धारंगपुर सरकोपरा की बाडी

## टिप्पणियां

### वाचकचंद्र की

मुझे हमेशा दुःख रहा है कि मैं हिन्दी नवजीवन में कुछ नहीं लिख सकता हूँ, न उसे देख सकता हूँ। जो हरिभाऊ उगाधाय के खादी कार्य में नियमित होने के पश्चात् हिन्दी नवजीवन की भाषा के बारे में मेरे पास बहुत परिचय आये। काहू कहते हैं 'भाषा बिगड़ गई है, व्याक अदोष बहुत ही आने है और उसमें परनाया का धरि रहना है।' कोई कहते हैं 'अर्थ का अर्थ ही होता है।' ये सब बातें समझित हैं। अनुवादक अपना कार्य बड़े प्रेम से और उद्यम से करते हैं नदधि गुतरानी होने के कारण उनकी भाषा में त्रुटियां होने का पूरा सम्भव है। मैं कई हिन्दी-प्रेमी गजान की खोज में रहता हूँ, ऐसा सख्त मिलने से त्रुटियां दूर होने की आशा रहता हूँ। परन्तु साथ-साथ यह भी कहना अनुचित नहीं होगा कि हिन्दी नवजीवन आशिर अनुवाद के रूप में ही प्रगट होता है। अत्रहानि कहीं भी न होने पाय ऐसी कोशिश में अवश्य रहना। किन्तु सब तो यही है कि हिन्दी में नवजीवन प्रगट करने की योग्यता ही नहीं रखना हूँ, न मुझे निरीक्षण करने का समय है, न मुझ में हिन्दी का भावस्वक ज्ञान है। केवल मित्रों के प्रेम के बश हो कर और मेरे विचारों से हिन्दी भाषा जाननेवाले भी अनजान न रहे ऐसे मोह के कारण मैंने हिन्दी नवजीवन प्रगट करने का स्वीकार किया है। वाचकचंद्र की सहाय से ही यह कार्य चल सकता है। दो प्रकार की मदद वे दे सकते हैं। एक तो त्रुटियों को बता कर और दूसरी जब त्रुटियां असह्य होने पाय तब नवजीवन लेना बन्द कर के। नवजीवन अर्थ—लभ की दृष्टि से नहीं निकलता है। प्रगट करने में केवल पारमार्थिक दृष्टि ही सामने रखी गई है। यदि भाषा के या तो दूसरे किसी दोष के कारण नवजीवन से सेवा न हो सके तब उसकी बन्द करना कर्तव्य ही आयागा।

इस अंक में जो अनुवाद छापे गये हैं सब उन्हीं अनुवादकों से हुए हैं जिनकी हिन्दी मातृभाषा है।

नवजीवन प्रेमी इस अंक के दोषों को बताकर मुझे कुनार्थ करें।  
 श्री० क० गांधी

### मरणोत्तर भोज

मृत्यु होने पर जो भोज दिया जाता है उसे मैंने जंगली माना है। इस विषय पर एक सज्जन इस प्रकार अपने विचार बताने हैं—

“जब समाजनी हिन्दू होने का दावा करते हैं, आप भोताजी व रामायण के पूजारी हैं, फिर भी यह समझ में नहीं आता कि आप मृत के बाद जो भोजानादि दिया जाता है उसे जंगली क्यों कर कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं कि मरण के पीछे ब्राह्मणों को खिलाते से भोजन की सज्जते होती है, उन्हें सावित्र मिलता है। इस बात में हम इसको सब मानें ?”

मैं कई बार लिख चुका हूँ कि जो कुछ संस्कृत में लिख बाया गया है वह सब ही की धर्मवाक्य नहीं माना जा सकता है। उसी प्रकार धर्मशास्त्र के नाम पर चलनेवाले मनुस्मृति आदि प्रमाण ग्रन्थों में जो आज हम पढ़ते हैं वह सब मूलकर्ता की श्रुति है, न ही तो, वह सब आज अक्षरशः प्रमाण रूप है ऐसा नहीं मानना चाहिए। मैं खुद तो कतई नहीं मानता। अमुक सिद्धान्त समाजतन है; उन सिद्धान्तों को माननेवाला समाजतनी कहा जायेगा। मगर सिद्धान्तों के ऊपर से जो जो आचार जिन जिन युग के लिए चड़े गये हो वे सब अन्य युग में भी चले ही होने चाहिए, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। स्थल, काल और संयोगों को के कर आचार बदला करता है। पहले जमाने में मरण के बाद दिये जानेवाले भोज में चाहे कुछ अर्थ मले ही हो, इस जमाने में हमारी बुद्धि उसे नहीं समझ सकती। जिस विषय में बुद्धि का प्रयोग किया जा सकता है वहाँ केवल अज्ञा से हम नहीं चल सकते हैं। जो बातें बुद्धि से पर हैं उन्हींके लिए श्रद्धा का उपयोग है। इस विषय में तो हम बुद्धि से देख सकते हैं कि मरण के पीछे भोज देने में धर्म नहीं है। अनुभव से हम जान सकते हैं कि दूसरे धर्मों में इस वस्तु की स्थान नहीं है। ऐसे भोज देने के लिए हिन्दूधर्म में संस्कृत श्लोकों के सिवाय हमारे पास और भी दूसरे सबल प्रमाण होने ही चाहिए। हिन्दूधर्मशास्त्र के अधवा यों कह सकते हैं कि सर्वधर्मशास्त्रों के सिद्धान्तों के साथ भी, ऐसे भोजनों का मेल जरा भी नहीं जाता।

ऐसे भोजनों से होनेवाली हानियाँ हमें स्पष्ट नजर आती हैं। ऐसे प्रत्यक्ष सबूत के सामने संस्कृत श्लोक क्या काम के सकते हैं? मरण के पीछे के भोज को बुद्धि भी कबूल नहीं करती, हृदय भी कबूल नहीं करता और न सम्य देशों का अनुभव कबूल करता है। ऐसे भोजनों को जंगली मनाने के लिए इससे ज्यादा सबल कारण मेरे पास नहीं हैं। और किसी के पास से आशा भी नहीं रखी जा सकती। प्राचीन सब गुरा ही हैं ऐसा मानने-वाले, और उसे अच्छा माननेवाले दोनों मूल करते हैं। प्राचीन हो या अर्वाचीन, सब बातें बुद्धि की ऐन के ऊपर कसी जानी चाहिए। जो बातें उस पर नहीं चढ़ सकती उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए।

(नवजीवन)

बो० क० गांधी

## मदिरासुर की मोहिनी।

(१)

चक्रपुर में बकासुर नामक एक राक्षस रहता था। हर रोज अपनी इच्छा के मुताबिक नगरवासियों को मार कर चट कर जवा करता था। उसका अत्याचार कम और मर्यादित करने के लिए चक्रपुर के मुखियों ने उसके साथ एक करार किया। उस शर्त के मुताबिक गांव वाली की हर रोज एक गाड़ी भर के खाना बकासुर के बास्ते में जमा पड़ता था। गाड़ी के दो बैल और गाड़ीवान भी उसकी भोजन-घासमें भी शामिल थे। बस इस तरह होते-२ सभी चक्रपुरवासी बकासुर के आहार बने। यह कहानी महाभारत की है।

शराब अगर कलियुग का बकासुर नहीं तो और क्या है? महाभारत के गरीब लोग ताड़ी और शराब में जितना कर्क हर खाते हैं उतने में एक जिन्हे के लिए १००० बोरे खाल मिल सकते हैं। यानी हर एक जिन्हे पीछे एक बकासुर तैनात है और उसके लिए हर रोज १००० बोरे खाल हमें तय्यार रखना ही चाहिए। गांव के गरीब ली, मर्दे और बच्चे, कुछ न कुछ अपने भोजन में से बकासुर के लिए बलिदान करते हैं। महाभारत का बकासुर तो सिर्फ एक बार प्राण के डेटा था और संताप मानता था पर यह मदिरासुर इतने से तसल्ली नहीं पाता है। वह जेता २ कर मूता से प्राण हरता है। प्रजा के पेट पर पर जमा कर गला बोट कर पृथ्वी धर्म, सदाचार धर्म से प्रष्ट कर के आसुर में शरीरधन का नाश करता है और इस तरह उसकी आत्मा का नाश करता है। इस नये बकासुर के पंजे से छुड़ानेवाला कृन्तिपुत्र कहा है।

(२)

महाभारत में थोड़ी बात छुट गई है, उसे हम पूरी कर ले। कृन्तिपुत्र ने कहा: " मैं बकासुर को मार कर नगरवासियों को सुखाऊंगा? पर लोगों ने इसका विरोध किया।

उन्होंने कहा: ' यह राक्षस बड़ा बलवान है। इसका वध करना नामुमकिन है एक बार उसे छेड़ा नहीं कि उसने उत्पत्त मचाया नहीं। और फिर न जाने उसके लुप्त की इस कहीं तक जायेगी। फिजुक सांप के बिल में हाथ क्यों डालें? और माना कि हमने इसे मार डाला तो क्या दूसरे राक्षसों की कमी है जो इसकी जगह न लें? हमारा मुल्क ऐसे राक्षसों से मरा है। एक मरा नहीं कि दूसरा जागा नहीं और कौन कह सकता है कि पहले से दूसरा बंध बंध कर न होगा?'

आज कल संपूर्ण मदिरा-बहिष्कार के खिलाफ विरोध करने वालों की तरह ही उन चक्रपुरवासियों का विरोध था। ' लोच छिप छिपा कर ताड़ी उतारेगे, कार लुकावेंगे। हाक छोड़ना तो सोलह भागा नामुमकिन है। परेशानी आवेगा उसे जका है ही अटकावेंगे? भ्रमा चलता है चलने दो। क्यों उधर में भीज फेरते हो।'

(३)

एक चक्रपुरवासी बडा हलीलवाज था। उसने फिर अरुण आजमाई। बडी होशियारी से बोला: ' माना कि बकासुर बडा अत्याचारी और फिादी है। अगर उसकी पेट भरने के लिए एक गाडी खाल, दो बैल और एक गाडीवान, बस इतना ही देना पड़ता है न? पर उससे कायदा कितना पढुचता है। अगर उस पर भी तो गैर कीजिए। उसका मलयज पहाड इतना है। उससे हमारी केती की जाद की हानत पूरी होती है। अगर इस राक्षस का नाश करेंगे तो जाद रकिये हमें जाद से हाथ धोना पडेगा। इसलिए उसको नाश करने के पहिले हजार बार विचार लेना चाहिए।'

आजकल सम्पूर्ण दाहनिधेय के विरुद्ध हमारे राजनीति-पुंरंधर-गण इस किम की दलील पेश करते हैं। इनका कहना है कि: ' करोड़ों रुपये की आमदनी हमें शराब के महसूल में से होती है, अगर यह सोना बंद हो जाय तो सबको को तालीम किस के बर देंगे?'

यह मिसाल जंगली है, मुझे कबूल है कि इसमें से कुछ आती है। पर अगर हम एक पन्डे पर शराब से होते हुए कुलनाश, सदाचारन घ, जिमों का अंश उरुना और ऐसे अनेक अत्याचार रक्के और दूसरे पर पाप से लिपटा हुआ नहीं या कुछ कायदा रक्के-इनकी तुलना के लिए और क्या मिसाल मिल सकती है मला?

(४)

एक दूसरी भी कहानी है। केशका अत्याचार करनेवाला केशीराज बहुत जमाना पहले काशी-जा को मचाई में हरा कर और सुषर्वा नामक अशुर को राज्य का प्रतिनिधि बना कर गया था। उसे प्रजापालन कामा आता न था। शहर में महामारी की बीमारी फैली हुई थी, और लाखों आदमी बलिदान दिये जाते थे। मंग के किलारे मुर्तों का ढेर लग गया, और लाखों औरतें निधवा हो गईं। उस वकत के रज्म के मुताबिक बेबाएं अपने बाल कटवा काखी थी और इस बाल का भी गज लगता था।

राजा ने इन बातों को जमा करवा के तिकारत करना छुट किया। जब उसको माहम पडा कि महामारी ने शहर में भर जमा लिया है तब उसने बाल बेचने के एक को स्वीकार करा कर राज्य की आमदनी बढ़ाने का मुन.सिब बन्दोबस्त किया।

इस बीच में काशी के बंधमंडल की एक जमी सभा हुई और उसमें इस महामारी को दूर करने के लिए उपाय सोचने का प्रस्ताव पास किया। उसके मुताबिक बंधमंडल पहाडी और जंगलों में निकल पडे। एक दवा हाथ लगी। यह लेशर सुषर्वा की सेवा में हाजिर हुए और बोले: ' महाराज! अगर इस दवा को हर एक नगरवासी को ही जाय तो रोग शतिया नष्ट हो जाय। कृपा कर के इसको बंटाने की तजवीज करें'। राजा को यह बात मल्ले न उतरी। उसने अपने बन्दी को मुकना कर पूजा 'अगर रोग इस नगर में से नाश हो जायगा तो बाल कहां से मिलेंगे?'

और अगर बिक न मिले तो उसकी आमदनी से हमें हाथ धोना पड़ेगा। फिर राज्य का कार्य कैसे चलेगा? राज्य के कार्य का कोई दूसरा अधिकारी शोध कर भेजे ही इसे नष्ट करने की योजना करो। लेकिन पहिले ही से इस सचित्र को के कर चले हुए राज्यतंत्र को बंद कर देने की बात मत करो।

बमीरी ने कहा: "सत्य बचन महाराज"।

अजकल शासन से जो आमदनी होती है उसे देना ब्यापार की आमदनी कहें या बकायत का मुक? ये दोनों विचार मुझे दुबलत माहम होती हैं। स्मथान जैसे समय पति की जुबाई के दुःख से विचवाओं की अकाकमैही चिन्ताइत, वृषवर्मा के ऊपर कुछ भी भय देना न कर सकी! वह आमदनी बंद हो जायेगी तो? यही विचार उसे सता रहा था। आजकल शासन से देना हीनेवाकी आमदनी औरतो के आम् और लोहू में से जाती है। अति-शयता न होगी अगर यों कहें कि यह आम् और लोहू से बनी हुई रकम है।

(५)

एक गुडी की धारा बिन कुँवे में से पानी खींचनी थी, लेकिन बोल में पानी किसी भी तरह जाता ही न था। बोल में छेद था। वह बुझिया छेद न देख सकी और फिक में पड़ी। "इसमें पानी क्यों नहीं आता है?" पास में कुवा जोरनेवाला खड़ा था, वह बोल उठा: "क्यों कुड़ी यह तुम्हारा कुवा है? मैं कुवा जोरनेवाला हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं कुवा जोरने के लिए तैयार हूँ। कुवा खूब खाने से पानी ऊपर आयेगा। अभी पानी बहुत जोड़ा है। बोल कुवती ही नहीं है!" बिचारी बुझिया के पास कपड़े भला कहाँ से हों! और कुँवे में भी धर के ऊपर धर जमा था। लेकिन उसने जयली उपाय के बदले कुवा जोरने का ही उपाय बताया। आज सरकार कहती है कि दगाव-तादी की मरमूल बन्द हो उसके पहले कोई दूसरा महमूल लगाना चाहिए। बोल में जो बड़ी भौंक है उसे कोई बलजाता ही नहीं है—बड़ा लकड़ी फर्क, बेहुमार उपायियाँ, इतनी धर्म ओहदे भोगनेवाले अमलदार बुंद बाँधे बैठे हैं, ऐसी हालत में इन्हें बन्द करें या महमूल बपी कुवा अधिक गहरा बाँधें! मुँद ही क्यों न बन्द करें?

मंत्री ने कहा: "यह क्या बिना जाने—बुझे बकवाद करता है? तुम चिन्तित हो कि 'लकड़ी कर्क बन्द करो, लकड़ी कार्य'। लकड़ी खरने भला कैसे बन्द हो? आजकल का राज्यतंत्र तुम नहीं समझते हो। फौज के बिना तन्त्र चल ही नहीं सकता है। देश की हिकागत के बारे में सरकार जायती है या तुम? राज्य सरकार की बलावा है न कि तुम्हें। और इस कार्य के लिए दूसरा सीधा और सरल साधन कहाँ से मिले? इसलिए बराब सिहरवायी इस आमदनी में दखल न दें!"

कोई कहता है: "ऐसी नयाक आमदनी में हाथ न डालो। आप जैसे सज्जनों को भी ऐसी नयाक आमदनी में से तन्हब-ह न लेनी चाहिए, ऐसे राज्य की नांररी न करनी चाहिए।" लेकिन मंत्रियों को यह बात भला कब बन्द हो सकती है? मंत्रियों को वह कदवाली बोल के लिए परस्पर लड़ना है इसलिए वे किन्हीं मुँहों से उन्हें अपनी जगह कायम रखनी है, छेद कायम रखना है और महमूल का कुँवा ज्यादा गहरा बाँधना है।

(नवजागरण)

ज० राजगोपालाचार्य

### गौरक्षा

कारकाड कर के गाय का पालन करना धर्म का फरमान इन्हीं नहीं माहम होता है।

माहम अपने तब के बक से, अत्रिम राजा दिलीप की नहि अपनी कुर्बानी कर के, गाय का रक्षण करें। लेकिन गौरक्षा का कर्तव्य धर्मशास्त्रों ने वैश्यकर्म ही बताया है।

'वैश्यकर्म स्वभावज्ञम्।'

आज की हालत में सिर्फ वैश्य लोग ही गाय का रक्षण करें ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन पशुओं का पालन वैश्य-रीति से ही करना चाहिए ऐसा ऊपर के बचन का अर्थ है। सारा समाज गाय और बैक का एक जातीय ट्रस्ट करे और गाँवों को अपने ताबे में ले कर उनका रक्षण करें यही एक धर्म्य मार्ग है।

गौरक्षा दूसरों का काम नहीं है सिर्फ वैश्यों का ही है। जहाँ तक गौरक्षा करे वहाँ तक दूसरे उसमें न पड़े ऐसा मनु भगवान ने अपनी स्मृति में साफ़ कहा है। आज इसका अर्थ हम यों करें कि वैश्य-रीति से गौरक्षा हो सके वहाँ तक दूसरे जावनों का उपयोग इरागज न करें।

वैश्य की मुक्ति से गौरक्षा हो सकती है। यह रहा मनु भगवान का बचन:

प्रभापति हिं वैश्यस्य लुह्वा परिवदे पशून्

[ अ. १ को. ३२७ ]

बिचाना से पशुओं को पैदा कर के उनका रक्षण करने के लिए वैश्यों को सुपुई किया है। इसलिए वैश्य को

वार्तायां नित्य युक्तः स्यात् पशूनां चैव रक्षणे

१. ३२६.

वैश्य को खेती, गौरक्षा और ब्यापार में हमेशा मगानूक रहना चाहिए और काम कर पशुओं के पालन में। दूसरी रीति से निर्वह और धनप्राप्ति उत्तम होती हो तो भी वैश्य को गो-पालन में संदरकार न होना चाहिए। और जहाँ तक वैश्य पशु-रक्षण में तैयार हो वहाँ तक दूसरों को उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए।

न च वैश्यस्य कामः स्यात् "न रक्षेयं पशून्" इति।

वैश्ये चैच्छति नान्येन रक्षितध्याः कथंवन ॥ १. ३२८

(खेती वर्गह में अच्छी आमदनी होती हो तो भी) वैश्य को यह न समझना चाहिए कि मैं पशु-पालन न करूँ। अर्थात् पशु-रक्षण जरूर करना ही चाहिए। और जहाँ तक वैश्य इस काम को पूरा करने की इच्छा रखता हो वहाँ तक दूसरों को इसमें नहीं पडना चाहिए।

इसके बाद मनु भगवान ने वैश्य गण को कौन कौन सी बिधा जाननी चाहिए इसका महम बतलावा है। आज के युग में भी ये बिधाओं महम की गिनी जायगी। उसमें "पशूनां परिवर्धने (cattle breeding) को स्थान है। इसका जर्ब टीकाकार से यों किया है।

अग्निम् वेद्ये, काले, अनेन च तृण-उदक-यवादिना पशुनां वर्धन्ते, अनेन क्षीयन्ते इति एतत् अपि जानीयात्।

पशु-पालन के लिए अमुक स्थल अमुक मनु और अमुक किस्म का घास पानी और अनाज बगैरह अनुकूल हो तभी पशु पुष्ट होते हैं, सुधरते हैं, और बढ़ते हैं। और ऐसे ही अमुक संयोग में पशु कमबोर हो जाते हैं और बिवाक को प्राप्त होते हैं—ये सब जानना चाहिए।

(नवजागरण)

का०

# हिन्दी-नवजीवन

गुब्बार, वृषेष्ठ सुदी १८, वैशख १९८१

## आत्म-त्याग

मुझे बहुत से नौजवान पत्र द्वारा सूचित करते हैं कि उन पर कुटुम्बनिर्वाह का बोझ इतना ज्यादा पड़ा हुआ होता है कि सेवा-सेवा के कार्य में से जो वेतन उन्हें मिलता है वह उनकी जरूरतों के लिए बिल्कुल काफी नहीं होता। उनमें से एक महाशय कहते हैं कि मुझे तो अब यह काम छोड़ना पड़ेगा तब ही ठीक ठीक काम करके युगोद काम पड़ेगा जिससे कि हमें ज्यादा कमाई मिल सके; दूसरे महाशय किसी पूरे वेतनवाली नौकरी को तलाश में हैं; तीसरे कुछ पंजी चाहते हैं कि जिससे ज्यादा कमाई करने के लिये कुछ व्यापार खड़ा हो सके। इनमें से इरेक नौजवान संगीन, सचरित्र व आत्मत्यागी हैं। किन्तु एक उम्दा प्रवाद चल रहा है। कुटुम्ब की आवश्यकताओं बढ़ गई हैं। खर्च या राष्ट्रीय-शिक्षा के कार्य में से उनका पूरा नहीं होता है। वेतन अधिक मांग कर ये लोग देशसेवा के कार्य पर भाव रखना पसन्द नहीं करते। परन्तु ऐसा विचार करने से अगर सभी ऐसा करने लगे तो नतीजा यह होगा कि या तो देशसेवा का कार्य ही बिल्कुल बंद हो जायगा, क्योंकि वह तो ऐसे ही जी-पुरुषों के परिश्रम पर निर्भर रहा करता है, या, ऐसा हो सकता है कि सब के वेतन खूब बढ़ाये जायें तो सबका भी नतीजा तो वही होगा।

असहयोग का निर्माण इसी बुनियाद पर हुआ था कि हमारी सरकारें हमारी परिस्थिति के मुताबिके में हम से ज्यादा वेतन सँकलती हुईं मालूम हुईं थीं। आशय यह होने लगे थे यह स्पष्ट है कि असहयोग कोई व्यक्तियों के साथ नहीं, बल्कि उस मनोवशा के साथ होना चाहिये था कि जिन पर वह संत कथम है जो नागरिकों की तरह हमें अपने पैसे में बाँटे हुए हैं और जिससे हमारा सर्वनाश होता चला आ रहा है। इस तन् में उसमें फसे हुए हम लोगों के रहन-सहन का खर्च इतना बढ़ा पड़ा दिया था कि वह देश की आम हालत के बिल्कुल प्रतिकूल था। हिन्दुस्तान दूसरे देशों के भीतर जिनवाला देश था नहीं, इसलिए हमारे यहाँ के बीच के दूजों के लोगों का जीवन अत्यन्त खर्चीला हो जाने से कमाल दूजों के लोग तो बिल्कुल मारे गये क्योंकि उनके कार्य के हलाल तो ये बीच के दूजवाले लोग ही थे। इसलिए छोटे २ कस्बे तो इस जीवनविषय में खूब रहने के सामर्थ्य के अभाव से ही मिटते चले जा रहे थे। सन् १९२० में यह बात साफ २ नजर आने लग गई थी। इसमें अठकड़ानेवाला आन्दोलन अभी आरंभ की हालत में है। जहाँ की किसी कार्रवाई से हमें उसके विकास को रोक न देना चाहिए।

हमारी सरकारों की इस कृत्रिम बढ़ती से हमें विशेष नुस्खान हम बमब से हुआ कि जिन पाश्चात्य प्रथा से हमारी सरकारें नहीं हैं वरु हमारे यहाँ की पुगने जगाने से बली आवेवाली सयुक्त कुटुम्ब की प्रथा के अनुकूल नहीं है। कुटुम्ब-प्रथा निर्जीव हो चली इसलिए उसके दोष ज्यादा साफ २ नजर आने लगे और उसके फायदों का लोप हो गया। इस तरह एक विपत्ति के साथ १६ आ लिकी।

वैश की ऐसी दशा में इतने आत्मत्याग की आवश्यकता है कि जो उसके लिए पर्याप्त हो। बाहरी के बनिस्वत भीतरी सुधार की ज्यादा जरूरत है। भीतर अगर पुन लगा हुआ हो तो उसपर बनाया हुआ बिल्कुल दोषहीन राजविधान भी सफेद कम्र प्रा होगा।

इसलिए हमें आत्मत्याग की किया पूरी २ करनी होगी। आत्मत्याग की भावना बढ़ानी पड़ेगी। आत्मत्याग बहुत किया जा चुका है सही, अगर वैश की दशा को देखते हुए वह कुछ भी नहीं है। परिवार के सजाक ली या पुरुष अगर काम करना न चाहें तो उनका पालनपोषण करने की हिम्मत हम नहीं कर सकते। निरर्थक व शिथिल बहसवाले हीलिक्वाजों, जालि-भोजन, या विवाह आदि के बडे २ खर्चों के कारण एक पैसा भी खर्च करने को निकाल नहीं सकते। कोई विवाह या मौत हुई कि वैशारे परिवार के मंचालक के ऊपर एक अभावग्रस्त भार भयंकर बंझा आ पड़ता है। ऐसे कार्यों की आत्मत्याग मानने से इनकार करना चाहिए। बल्कि इन्हे तो अनिष्ट समझ कर हिंसत और दहना से हमें इनका विरोध करना चाहिए।

शिक्षा-प्रणाली भी तो हमारे लिए बेहद महंगी है। करोड़ों को जब पेटभर अनाज भी नहीं मिलता है, जब कि लाखों आदमी मरने के मारे मरते चले जा रहे हैं ऐसे वक्त हम अपने परिवारवालों को ऐसी भारी महंगी शिक्षा दिलाने का क्यों कर विचार कर सकते हैं? मानसिक विकास तो कठिन अनुभव से ही होगा, महंगे या कालिच या पढ़ने से ही हो गया नहीं है। जब हमसे से कुछ लोग खुद अपने और अपनी संतान के लिए ऊँचे दर्जे की माना अनैवाली शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा तो सभी उच्च दर्जे की शिक्षा पाने व देने का उपाय हमारे हाथ लगेगा। प्रयास में कोई मार्ग नहीं है या नहीं ही खोजना है कि जिससे इन्के उन्नत अपना सर्वे सुद विकसल सके। ऐसा कोई मार्ग पाये न हो, किन्तु हमारे सामने खनुन उन्नत यह नहीं है कि ऐसा मार्ग खोजे जा सके। इसमें अलक्षता कोई शक नहीं है कि जब इस उन्नत महंगी शिक्षा-प्रणाली का त्याग करेंगे तभी, अगर उन्नत दून का अक्षा पाने की अनिच्छा इष्ट वस्तु मान ली जाये तो, हमें अपनी परिस्थिति के सादक उन्नत प्राप्त करने का मार्ग मिल सकेगा। ऐसे किसी भी प्रयत्न पर काम करनेवाला महा मन्त्र यह है कि जो वस्तु करोड़ों आदमियों को न मिल सकती हो उसका हम खुद भी त्याग करें। इस तरह का त्याग करने की योग्यता महंगा तो हमें नहीं आ सकती। पहले हमें ऐसा मानसिक प्रयास पैदा करना पड़ेगा कि जिससे करोड़ों को न प्राप्त हो सके वैसी अन्न और वैसी सुविधाये देने की इच्छा ही हमें न रहे। और उसके बाद हमें खिन्न ही हमारे रहन-सहन के हरा उन्नी प्राण के अनुकूल बना हालना चाहिए।

ऐसे आत्मत्यागी व निवृत्त कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भारी मेन की सेवा के बिना आमलोगों की तरफ से मुझे अत्यन्त विश्वास है। और उस तरफ से शिक्षा स्वराज्य पेशी कोई कीज नहीं। गरीबों की सेवा के दितायें अपना सर्वश्रम त्याग करनेवाले कार्यकर्ताओं की संख्या जितनी बढ़ती जायेगी उतने ही दूजें तक हमने स्वराज की ओर विशेष ध्यान की ऐसा मानना चाहिए।

(ग-४०) **जोहानदाज करमचन्द गांधी**  
**आश्रम भवनवालि**  
 पाँचवीं आवृत्ति खतम हो गई है। अब अगले आठर मिशले है वर्ष कर लिए जाते हैं। आठर मेजनेवालों को अबतक कुछी आवृत्त प्रकाशित न हो तबतक धैर रहना होगा।  
 व्यवस्थापक, हिन्दी-नवजीवन



## सत्य के प्रयोग तथा आत्मकथा

भाग २

अध्याय ६

नेटाल पहुँचा

विलायत जाते समय जो वियोग-दुःख हुआ था वह दक्षिण आफ्रिका जाते न हुआ। मा तौ बल बसी थी। मैंने दुनिया का और मुसफिरों का कुछ अनुभव लिया था। राजरीट व बम्बई के बीच में आनाजना तो होता ही था। इसलिए इस बारी सिर्फ पत्नी की जुदाई का रज था। विलायत से आने पर एक दूसरा बालक पैदा हुआ। हमारे प्रेम में अबतक विकार तो था ही पर उसमें निर्मलता आने लगी थी। विलायत से आने के बाद हम बहुत कम बकत साथ रहे। छुट, कैसा ही क्यों न होकर, पर मैं पत्नी का शिक्षक बना था। और उसमें कुछ सुधारणा भी करा सरा।, उसको निभाने के लिए हमें माय रदने की जरूरत जकनी थी। मगर आफ्रिका मुझे जीव रहा था, उसने जुदाई की गहने लायक बना दिया। "एक साल के बाद हम मिलने ही न" ऐसा कह, विलायत से घर में राजरीट छोड़ बम्बई पहुँचा।

बम्बई आने पर दादा अबदुल्ला के बम्बईवाले एजेन्ट के मार्फत मुझे टिकेट कटानी थी। पर जहाज में कोई कैबिन खाली न मिली। मगर इस मौके को चूकना तो फिर मुझे एक माह तक बम्बई में रुका जानी पकनी। एजेन्ट ने कहा कि भाई, हमने तो गनी मिहनत की मगर टिकेट मिल न सकी। हा, अगर आप देर में अपना बगुनो भेजे तो भले ही। जाने की तजवीज तो सलत से हो सकती है। उर टिकेट न पहुँचे दर्जे में ही मुसफिरी किया कर। थ। देर का उताव हो कर भला पंजे धरिस्टर जाता है। मैंने देर में जाने से इन्कार किया। एजेन्ट के लपर यह आया। पहुँचे दर्जे की टिकेट मिल ही नहीं सकनी यह न मान सका। एजेन्ट की इजाजत ले कर मुझे टिकेट हागिल करने की कोशिश की। जहाज पर पहुँचा। वहाँ उसके भकर से मिला। मैंने उसमें पूछा तो उसने मुझे निबाला भाव से जवाब दिया। "हमारे यहाँ इनकी भीक धारण ही कभी होती है। लेकिन मौजबिक के गबरनर जनरल इस जहाज से जाते है इसलिए सब गगह भर गई है।"

"तो क्या आप मेरे लिए किसी भी तरह से जगह नहीं बना सकते?"

अफसर ने मेरी तरफ देखा। उसने हंस कर कहा— "एक उपाय है। मेरी कैबिन में एक जगह खाली रहनी है। उसमें हम उतावलों को बहाँ लेते हैं पर आपको अपनी कैबिन में जगह देने के लिए तैयार हूँ।" मैं खुश हुआ। अफसर का एहसास माना। सेट से बात कर के टिकेट कटनी करी। १८९३ के अग्रेल महीने में मैं दक्षिण आफ्रिका में अपनी किरमत आजमाने के लिए होसिला के साथ रवाना हुआ।

पहला बन्दरगाह कामु था। वहाँ पहुँचने में कोई तेरह दिन लगे। रास्ते में केप्टन के साथ साठी मुदरत जमी। उसे कर्तारज खेलने का शौक था। मगर वह नबयिका था। उसे अपने से ठीक खेलाडी की गरज थी इसलिए मुझे न्यौता दिया। मैंने कतरंज का खेल कभी देखा न था। पर मैंने खेलाडियों से सुना था कि वह एक ऐसा खेल है कि जिसमें अकल का काफी काम पकता है। केप्टन ने मुझे सिखाने का वादा किया। मैं उसी एक भला खेला मिला। क्योंकि मुझमें धीरज

थी। मैं तो द्वारा ही करता था। और इधर उस्ताद महाशय को सिखाने का शर चकता जाता था। मुझे शतरज का खेल पसन्द पडा। लेकिन मेरा शौक जहाज से आगे न बडा। राज रानी बगैरह कैसे बकायें जाय इसके सिवाय घोडा आगे न बडा।

कामु बन्दरगाह आया। वहाँ जहाज तीन बार बण्टा टकमे-वाला था। मैं बन्दर देखने नीचे उतरा। कप्तान भी गये थे। उन्होंने मुझे कह रकका था कि "यहाँ की खाडी दवापर है। आप जन्दी वापस छौटियेगा।"

गर्ब तो बिल्कुल छोटा था। वहाँ के डाकखाने में गया और वहाँ हिन्दी नौकरों को देख कर राशी हुआ। उनके साथ बानें की।, इबमियों से मिला। उनही रहनी-करनी की रज लगा। दूसरे कितने ही डेक के उताव थे उनसे जान पहचान की। वे रसोई कर के शान्ति से आने के लिए नीचे उतरे थे। मैं उनकी नाव में बैठा। खाडी में भरती काफी थी। मेरी नाव में भार भी काफी था। बहाव इतना था कि जहाज की हीटो के साथ नाव की डोरी बधानी ही न थी। नाव सीडी के पास आ कर सरक जानी। जहाज की रवानगी की पहली छीटी हुई। मैं बधाराण। कप्तान ऊपर से देख रहा था। उसने ५ मिनिट जहाज रोकने का हुकम दिया। पास ही एक मछुवा का। एक मित्र ने उसे इस रूपे पर भावा किया और मछुवे ने मुझे उपा नाव में से उठा लिया। जहाज की सीडी रुठ गई थी। रसी के जरिये मुझे ऊपर लींच लिया और जहाज चलता हुआ। दूसरे उताव रुट गये। कप्तान की खेलावनी का रहस्य अब नमला।

कामु से मोम्बासा और वहाँ से कांशवार पहुँचा। कांशवार में तो अधिक रुकना था। आठ या दस दिन। वहाँ से रवा जहाज लेना था।

कप्तान के प्रेम का पार न था। इस प्रेम ने मेरे लिए एक नया रग पकडा। उसने मुझे अपने साथ लेर करने के लिए न्यौता दिया। एक अग्रेज मित्र को भी साथ ले लिया था। हम तीनों कप्तान के मछुवा में उतरे। इस लेर का मरी मैं बिल्कुल समझ न सका था। कप्तान को क्या खबर मिले विषयों में मैं लिंग अज्ञान आदमी होजगा। हम इन्ही औरतों के मुहले में पहुँचे। एक दलान हमें वहाँ ले गया। हममें से ट्रेक एक एक कोठरी में बन्द हुआ। लेकिन मैं तो मारे फी के कमरे में बन्द ही रहा। वह औरत बिनारी क्या खेलाडी होगी बही जाने। जेप्रा गया था बेशा ही बाहर निकल आया। कप्तान मेरा भेलापन समझ गया। पहले तो मुझे बहुत ही शरम लगी। पर यह काम मैं किसी तरह से पसन्द कर सकूँ ऐसा न था। इससे शरम उतरी। उस बहिन को देख कर मेरे मन में विकार का लेश भी पेश न हुआ इसलिए मैंने बिल से ईश्वर को धन्यवाद दिया। मुझे अपनी कमजोरी पर नफरत आये। उस कमरे में न घुसने की मैं हिमत क्यों न बता सका?

यह मेरी जिन्दगी में इस किरम की तीसरी कसौटी थी। कितने ही नबजवान पवित्र होते हुए भी ऐसी सखी शरम से पुनाह कर बैठते होंगे। मैं बच गया उसमें मेरा अपना पुरपार कोई न था। अगर मैंने कोठरी में घुसने से साफ इन्कार किया होता तो बेशक वह पुरुषार्थ मिला जाता। मेरे बचने के लिए एहसास सिर्फ ईश्वर का ही मान सकते हैं। इस बनाव से ईश्वर पर मेरा विश्वास बडा और सखी शरम खेचने की हिमत भी कुछ भाई।

सांझीवार में एक हफ्ता बिताना था, इसलिए शहर में एक मकान भाड़ा पर ले कर रहा। शहर खूब देखा-नाका और भटका। वहाँ की हरियाली का हवाक सिर्फ मकानवार में ही आ सकता है। वहाँ के तुलसी पेड़ और बड़े बड़े फल देख कर मैं हैरान था।

सांझीवार से मौसमिक और वहाँ से आखिर में मई माह के सपभग नेटाक पहुचा।

( नवजीवन )

गोहनशासक करमचंद गांधी

### नेपाल में यज्ञचक्र

अगर चरखा यज्ञ का साधन हो, इस युग का और देश का सब आति, और सब वर्णों के वास्ते यज्ञ (कुशानी) हो तो उसे यज्ञचक्र कहने में कोई दोष नहीं है। यह नाम, नीचे का सब पढते समय महज कसम पर आ गया। इस पत्र का लेखक एक नेपाली आभनवासी है। आभन में हासिल होने के लिए उसे बहुत तपश्चर्या करनी पड़ी थी। उसने चर्खाशास्त्र का बखबी अभ्यास कर के नेपाल में आ कर वहाँ के गरीबों में नसका प्रचार करने का इरादा किया। उसे वहाँ पहुँचे हुए अब करीब तीन माह हुए होंगे। इस बीच में उसने जो काम किया है उसके बारे में उसने मुझे एक खत लिखा है। वह यह है:

“मुझे आशा है कि आप सब आभनवासी परम-स्वामी की कृपा से आनन्द में होंगे। आप लोगों के आजीवन से मेरा आनन्द दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि मुझे प्रतिदिन चर्खा के काम में सक्रमता मिलनी जा रही है। मेरे आने के बाद परगना-कुपल महाराजा के साथ चर्खा के विषय में आज चौथी बार मुलाकात हुई। वहाँ पर तैयार किया हुआ “श्री चन्द्र कामधेनु चर्खा” और १७-१८ नंबर वाले दो चरखे और एक बड़ी व एक मध्यम धुनकी के साथ आठ आदमियों के साथ श्री महाराजा साहब की सेवा में प्रवेशन कराने के लिए हाजिर हुआ था। विद्य विद्यों के सब काम अतिशय भद्रपूर्वक देखने के बाद उन्होंने खूब तारीफ की। इसी सुअवसर पर गोर्खा (नेपाल राज्य का एक गाँव) से लाये हुए एक ८३ बरस के पूज्य वयोवृद्ध सज्जन के हाथ से कते हुए मून से बना खादी का एक धान श्री महाराजा के करकमलों में रख कर प्रार्थना की: ‘महाराजा साहेब! ८३ साल के बूढ़े आदमी के पास से भला आप कुछ काम ले सकते हैं?’ महाराजा बोले ‘कुछ नहीं।’ फिर मैंने अर्ज किया, ‘ऐसे अशक्त बूढ़ों को भी सहाय बनानेवाला दुनिया में मात्र एक चर्खा है। जिसके मुकाबिले की दूसरी कोई चीज नहीं है। इससे साबित होता है कि मून खानना और कसका बुनना कितना सरल और कुदरती वस्तु है। क्या ऐसे साधारण और आवश्यक कार्य को हम सब न करेंगे? ऐसी खादी ले कर गरी २ में भटकना हमारा कर्तव्य नहीं है? ऐसे काम को आगे बढ़ाने के लिये क्या सरकार और रियाया को मिल कर उपाय न सोचना चाहिए?’ इन शब्दों का महाराजा के कामक हृदय पर बहुत बड़ा असर पड़ा। उन्होंने आदरपूर्वक कहा: ‘जो कुछ तुम कहते हो सब सुस्त है। इसमें जरा भी शक नहीं है। मैं तुमको कहता हूँ कि तुम बिल्कुल निश्चित हो कर जितना तुम से हो सके इस काम को आगे बढ़ाओ।’ इतना बड़ कर श्री राजगुरु की तरफ इशारा कर के फिर फरमाया— “तुलसी मेहेर जो कहता है उसमें कुछ भी शक नहीं है। इसके काम में सरकार और प्रजा की तरफ से जितनी मदद चाहिए उतनी देनी चाहिए। इसके साथ अन्य विशेष चर्खा करें।” ऐसा कह कर मुझे बिदा किया। श्रीमान राजगुरु के साथ विशेष चर्खा

करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा—“सब से पहले इस बारे में तुम्हारा चेका में बनूँगा।” कहते हुए चर्खा खोलने लगे।

मेरी सूचना के मुताबिक चर्खा प्रकार के बास्ते मुझे २० रुपये माहवारी मिलते हैं और १०० चर्खा तथा १०० मध्यम धुनकी के लिये ७५० रुपये मिले हैं। और हुजम हुआ है कि अस्तित के मुताबिक आगे सर्वे भिका करेगा। मैं तो जितना सम्भाल सकूँगा उतना ही काम उठाऊँगा।..... छोटे बड़े सब इस काम में अनुकूल होने लगे हैं। १२१ बजे रात को यह खत लिख रहा हूँ। लिखते हुवे मुझे बहुत खुशी होती है कि महाराजा साहब ने वहाँ के जेल के कारखाने के नाम पर हुजम भेजा है कि खाम मेरे लिये चरखे के रूण का बाना और तानावाला छुट्टे मन्देशी अमुक ढंग का बख तय्यार करे। इसलिए कामना और धुनना सिखाने के लिए मैं जेल के कारखाना में जाता हूँ। सबेरे के पढत में एक वर्ग खोला है। जब कुछ लोग कातने और धुनने में निपुण हो जायेंगे तब भी महाराजा महब से विवेदन करनेवाला हूँ कि वे एक बखविद्यालय खोलें। फिर तो परमात्मा की इच्छा।

चर्खे का नाम श्री चन्द्रकामधेनु और बखविद्यालय का नाम श्री चन्द्रकामधेनु रखने का कारण यह है कि महाराजा का नाम श्री चन्द्रकामधेनु बहादुर है।

मैंने घर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रक्खा है। परिसर कायमती के तन पर एक बर्सेवाला में गुमारा कर रहा हूँ।

हरेक चर्खा श्रेणी की बलीर टर्गत यह काम है। इस खादी-सेवक में त्याग है, सिधय है, अपने फायर का ज्ञान है, विवेक है, लगन है। ये गुण जिसमें हों उसे दूसरी सम्पत्ति खूब प्रप्त होती है।

( नवजीवन )

गोहनशासक करमचंद गांधी

### पशुवध

उसके कारण और उपाय

(६)

अब, बड़े शहरों में पशुओं पर जो जुल्म होता है और जिसके कि कारण वे अस्त में कड़ाई के पास पहुँच जाते हैं उसे देख।

सन् १९१९ में बंबई के दूध देनेवाले पशुओं के तबिलों के बाबत लिखे हुए अद्वाल में डॉ० (अब डॉ०) हर्सेल्मेन लिखते हैं: “अगर बहुत सारे जानवर इकट्ठे रके जायें, गोड़े गेटे तक भी गोबर इकट्ठा पठा रहे, खनी बरतों में संग जगह में बहुत से जानवरों की मौत होने से अत्यन्त दुर्गंध निकले, और शहर की धूल व शायद रोग के अन्तुबोवाली हवा में दूध जमा किया जाय तो इन सब बातों से मतीमा अवश्य यह प्रोगा कि अथवा दूध बनेगा ही नह, आसपास के लोगों को कष्ट होगा और पशुओं के तबिलों में अविशर्वा तो होगी ही, इसलिए उनके कसिये रोग भी फैलेगा।”

पशुओं की हालत अपाकृतिक व दयानमक होती है। वे निरोगी या सुखी नहीं रह सकते। और तिल पर भी सबसे जहाँ तक बने अथिक दूध पाने के लिए उन पर तरह-तरह के जुल्म किये जाते हैं इसके वे बाँझ हो जाते हैं और कड़ाई के सिवा उनका कोई माहक नहीं बनता।

आहौर के स्वास्थ्य विभाग के अफसर डॉ० स्पुबेल ने सन् १९१४ में अ० मा० आरोग्य परिषद में व्यवधान देते हुए कहा था: “अब पर जोर पक कर जयादा दूध निकले इस वस्ती पशु

के पिछके भाग में उल्टी पूछ सकते हैं। यह मैंने कुछ अपनी भाँकी देखा है।"

कलकत्ते के जीवदया मंडल के सभासद नेत्र बाबू लिखते हैं: "बंगाली के दूधवाले गाय की यीनि में फुंक मांते हैं, और उसमें उल्टी पूछ, आदमी का हाथ या च सूत न्यासवाला व १२ सूत संघा पास का पूजा रखते हैं। यह बहुत ही घातकी कार्र है। इससे पशु बिगड़ उठते हैं, आरोगियों के बकीकों ने दलील की कि इस क्रिया से फूरता नहीं है। किन्तु न्यायाधीशों ने यह बात नहीं मानी। जहाँ यह जीव क्रिया की जाती है वहाँ कपड़ा दण प्रकर अक्षर होता हुआ मैंने देखा है, कि जिसको सुन कर किसी भी मनुष्य की कल्पना हो सकती है कि जानवर को इससे कितना अच्छा दुःख होता होगा:—(१) पशु इस तरह कराहते हैं कि पास वाले आदमी को उस पर क्या जाने बिना न रहेगी, (२) पीठ झुक जाती है; (३) आँखें फट जाती हैं; (४) कंठ हुआ करता है; (५) ऐसे पशुओं की पूँछ के पास कोई आदमी जाने तो वे कमरुते हैं।

"कलकत्ता शहर व आसपास के कस्बों में ३०० तबेलों के अन्दर करीब १,००० गायें हैं। इनमें से ५,००० गायें रोज पूछी जाती हैं। आखिरी १५ महीनों में स्यालदा विभाग में ४५ कैब्र पकड़े गये थे।"

डा० मोरीनो ने कलकत्ता पार्लियामेंट के सामने भी निबंध पढ़ा था यहाँ वे लिखते हैं: "पीरी नामक रंग बनाने के लिये गडगिये लोग गायको सिर्फे जान के पंसे छिन्का कर रखते हैं, दूधग कुल भी जाने या पीने को पानी तक नहीं देते और बघ गाय का पेशाब बाजार में खूब दाम लेकर बेचते हैं। बेचारी गाय पूँछ से तबल २ कर मर जाती है।

ऐसा हाल यह सुन कर अवश्य ऐसी कल्पना हो सकती है कि हिन्दुस्तान में मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य देहधारी राक्षस हो सकते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तरह तबेले में दिनों तक तबल २ कर मरने के बानसकत कड़ाई के हाथ से एकबारगी कट कर मर जाना पशु ज्यादा पसंद करेंगे। और तबेले के मालिक जलोप, जो कि हिन्दू होते हैं, तबेलों की अपेक्षा कतलखाने रखें तो कम पाप के मानी होंगे।

यह तो हुई शहर के ऊँचे रङ्ग के पशुओं की बात लेकिन उनके बच्चों की क्या हालत होती है? कदा दूधवाले बछड़ों को कड़ाई को बेच देते हैं, कहीं कूके मैदान में घूब ठक व गरिबा में उन्हें भूखों मारते हैं। अपनी मा का दूध तो बेचारी को निके ही कहां से? और उनके लिए तबेले में किराये पर जगह कौन रहे? बंगई की म्युनीसीपलिटो बछड़े को सींग व आँखें हों तो बछड़ा सुई उठाने के आठ आने और आँखें हों तो डेड वपया किया करती है इसलिए बंगई के दूधवाले बछड़ों का, सींग उगने के पहले ही, काम खतम कर डालते हैं। हरसाक करीब २०,००० बछड़े, पादों के मुँह कूडे में जाते हैं।

जुमा.४ के प्रंसद दवाप्रचारक श्री. कामाक्षीदेव अम्मीदास ने पूछे पत्रिका में जनरपति के दूध के लिए सिकारिका करते हुए दाहज आक इन्धिया में कथा हुआ निम्नलिखित पत्र उद्धृत किया है:—

"महाकै लोग बहूतरे बछड़ों को, दूध के बिना गिब ही व बके इतनी उम्र होते हुए भी, रास्तों में भूखों मर जाने के वास्ते छेक देते हैं और वे बकाबट के मारे गिर कर दूम, मोटर या गाड़ियों के नीचे दूध करके मर जाते हैं।

रात को इनको तबले में से बाहर निकाल देते हैं और वह केवल इसलिए कि उन्हें सब का सब दूध बेचने के वास्ते चाहिए। बड़े पौर पापों में से यह एक पाप कहने में जरा भी अत्युक्ति न होगी।"

श्री० कैरब लिखते हैं:—"मंस, पाके के बिना भी दूध देती है इसलिए पाके बुरे लगते हैं और वे भूखों मारे जाते हैं। पार पांच महीनों के पाके अम्मते समय जितने होते हैं उससे बजन में जरा भी बडे हुए नहीं होते। पशुमात्र में पादों की सबसे कम संभाल रखी जाती है। पाके दूध बर्दास्त नहीं कर सकते वह सब कोई अनता है। और जहाँ दूध खपड़े ज्यादा कमी हो वहाँ वे बधि जाते हैं। ऐसा मालूम होता है मनों ग्व के इनका जीव लेने ही बंटे हों।"

पंजाब के कुवि-विभाग के मुखिया श्री० इमिस्टन कहते हैं:—"पाके ज्यादातर छोटपन से बडे होते ही नहीं, किन्तु छोटपन में ही अरनी उम्र पूरी कर डालते हैं।"

श्री० रीष्क लिखते हैं—"इस देश के दूधवाले बछड़े-पादों को इसलिए मार डालते हैं कि उनके पाकनपीयण का बोझ न उठाना पडे। वह राक्षसी कार्य है। बम्बई में कूडे में से बछड़े पादों के मुँहें रोज गाड़ियां मर २ कर ले जाते हुये जबर आते हैं। ऊँचे रङ्ग के पशुओं का इस प्रकार नाश होना यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है और बड़ी कज्जास्पद बात है। संसार के दूसरे किसी सभ्य देश में ऐसा नहीं किया जा सकता।"

३४ वर्ष पहले सरकार ने बिलायत से श्री० डा० बोस्कर को हिन्दुस्तान की कृषि में सुधार करने के लिए उनसे सूचनायें लेने के वास्ते मुलायमे से। वे लिखते हैं:—"मैंने इस देश में जैसे बहुत देखा किन्तु पाके बहुत ही खोटे; इसलिए छोटे पादों का क्या होता है यह पूछने की मुझे बार २ इच्छा हुई।"

"गुजरात में पाके को दूध देते ही नहीं इसलिए वह भूख से मर जाता है। कहीं उसे अंगल में मगा देते हैं जहाँ बाघ-मेडिया उसे फाक खाते हैं। बंगाल में इसे अंगल में बाँध आते हैं। वहाँ वह भूख से मर जाता है, या बंगली जानवर भा कर उसे खा जाते हैं। लोग इतने निर्दय होते हुए भी अगर कोई जानवर अत्यन्त दुःखी हो तो भी उसे जान से मारने नहीं देते।"

पूजा के कृषि विद्यालय के अध्यापक श्री० मार्लिक मकरमाल पटेल के लिखने के अनुसार सन १९१५-१६ व १९१९-२० के बर्षियात सन १९१०-१८ के अकाल के कारण बम्बई इलाके में छान्द-बैलों की संख्या ४ फी सदी, गाय की १६ फी सदी और बछड़े पादों की १० फी सदी घट गई। कुल पशुओं में सरासरी ११ फी सदी कमी हुई। इससे मालूम होता है कि हमलोग बाड़े 'गाय माता गाय माता' किया करें, परन्तु अकाल आया कि हमलोग पहले उसकी गाय की ही बलि बढाते हैं। क्योंकि गाय के बिना हमारा काम चल सकता है। गायें जितनी मरती हैं उसके मुकाबले में तो पाके भी कम मरते हैं। पादों से आधी भेड़ें मरती हैं और गाय से आधाई हिस्सा बैल मरते हैं। बैल की रखा होती है क्योंकि उसके बढके हल में कौन जुते? भेड़ की भी रखा होती है क्योंकि वह खूब दूध देती है और उसके दूध में से अक्खन ज्यादा निकलता है। मनीषाके प्रवेस में पाका लेती में काम आता है इसलिए उसकी भी रखा ही जाती है। लेकिन बिचारी गाय न ज्यादा दूध देती है, और न उसके दूध में से अक्खन बहुत निकलता है इसलिए उसका सुरा हाक होता है। तिसपर भी हमलोग गौरसक कहकाते हैं। लेकिन मतीका यह होता क्या आ रहा है कि गाय की दिवो-विन दशा विगवती बनी जाती है। (बकसीबन) बरकसी गोविंदजी देसाई

## युद्ध हत्या है

मैं सैपर की लिखी छोटी छोटी कहानियों की एक पुस्तक पढ़ रहा था। अचानक मेरी दृष्टि एक लेख पर पड़ी जो मुझे बहुत ही सुन्दर जंवा। शायद टान्सटाय की लेखनी ही में युद्ध सम्बन्धी ऐसे वर्णन का लिखा जाना सम्भव था। निस्सन्देह यह सैपर का आखों देखा वर्णन है। उसे मैं क्यों का क्यों उद्धृत करता हूँ। वह लिखता है:

"सबेरे ही सबेरे एक दिन हम लोग दौड़ कर खाई की दीवार पर जा पड़े। सब काम ठीक होता गया। अपनी बिकार हमने बहुत थोड़ी जाने गवां कर ही पा ली। बैनट सबसे पहिली पंक्ति में गया था और जब मैं खाई में कूदा तो पहिले पहिल मैंने तमीको देखा। एक तरफ खाने में एक जरमन की लाश पड़ी थी। बैनट मुझसे वहाँ कोई ६० मिनट पहिले पहुंच गया था और उसे यों चुपचाप खड़े और अपने लाम के लिए कुछ न करते देख कर मुझे बड़ा क्रोध हुआ। मैं उसे कटकारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा और तब मैंने उसका चेहरा देखा। बाप रे बाप ऐसी आकृति इससे पहिले या पीछे आमतक मैंने किमीके चेहरे पर नहीं देखी। पहिले मैंने सोचा कि शायद वह घुरी तरह डर गया है परन्तु फिर तुरन्त ही मैं समझ गया कि यह बात नहीं है। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था और टकटकी लगाये उस मृत जरमन की लाश को देख रहा था। उसके चेहरे का दशा एक भय लग जाने-वाले मनुष्य की सी हो रही थी। तर्हिने हाथ में उसके रिवाल्वर था मगर हाथ जकड़ सा गया था।

मैंने उसे पुकारा तो उसने बड़ी कठिनता से मुझ मोड़ कर मेरी तरफ देखा, मानों लाश की तरफ से आके हुताने में उसे बड़ी निहलत करनी पड़ी हो। फिर उसने मुझे बड़ी शुष्क और क्रूर दृष्टि से घूर कर कहा 'मैंने इस जरमन को मार डाला;' उसके होंठ चकते तो ये मगर जकड़ से रहे थे, मानों वह बड़ा भयानक कोई सपना देख रहा हो। उसने फिर कहा 'मैंने मार डाला।'

मैंने उससे कहा, 'अजी' तुम अपना काम करो। कुछ डेर तक तो वह मेरी बात ही न समझ सका। फिर मुंह फिर कर धीरे धीरे चलता बना। मैंने एक दो बार फिर जा कर उसे देखा तो वह अपने आँसुओं के साथ घर परिश्रम कर के रेत के बोरे हटा रहा था। मगर उसकी आँसुओं की अश्रव आकृति ही रही थी। एक मनुष्य को बंध कर डालने का भयावना भाव उसके चेहरे से टपक रहा था।

पीछे उसने मुझसे इस संबन्ध में बालचित की तो कहा:

'मैंन उस आदमी को — वही जिसको मैंने मार डाला — देखा। वह बड़ा घबराया हुआ किर्तव्य विमूक्त सा हो रहा था और उसका जबड़ा लटक रहा था। मेरे हाथ में रिवाल्वर था। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ मेरे मन में एक बड़ा ही अपवित्र विचार आया परन्तु इस विचार ने मुझे बिल्कुल विवश कर दिया। मुझसे कहा कि, 'तुम इस मनुष्य को मार सकते हो।' मैंने मार डाला। मैंने अपना रिवाल्वर उसके मुँह पर राना और उसने मेरी ओर देखा। वह पहिले बिल्कुल न हिला। मैं उसकी आँसु देख रहा था। उनपर एक परदा सा पड़ गया था मानों वह ऊंध रहा हो। फिर वह एकदम हिला। और मैंने उसके हिलते ही उसपर चार कर दिया। पीछे से मेरी समझ में आया मैंने ... मार डाला।'

उसने मुझसे कहा कि "लड़ाई शुरू होने से पहिले मेरा विचार पाद्री बनने का था। मैं ईसा के दयालुता और प्रेम के सन्देश का प्रचार करना चाहता था। मैं चाहता था कि दूसरों के लिए एक सहायक बनूँ ऐसा मित्र जिससे लोग संकट के समय कुछ आशा रख सकें और जिससे मनुष्य के प्रति ईश्वर के अगाध प्रेम का लोग कुछ पाठ पढ़ सकें। तबतक लड़ाई छिड़ गई। मैंने सोचा कि ऐसे समय पर और सब काम रोके जा सकते हैं परन्तु लड़ाई का काम नहीं रोका जा सकता। मैंने सोचा कि मेरा सबन प्रथम कर्तव्य लड़ाई के लिए तय्यारी करना है। और अब... हे मेरे परमात्मा! ... जबतक मैं जीवित हूँ तबतक मेरी आँसुओं के सामने उस मृतक के चेहरे की तस्वीर नाचती रहेगी।" ऐसी ही बहुत सी बातें इसी संबन्ध में वह कहता रहा और मैं सुनता रहा।

उसको यह समझाने का प्रयत्न करना कि हमको लड़ाई जीतना आवश्यक है व्यर्थ था। यह तो वह मेरी भाँति खूब समझता था और यही तो उसको कटिगाई थी। वह व्यक्तिगत दृष्टि से विचार कर रहा था न कि जनसाधारण की दृष्टि से। वह इस जरमन को एक व्यक्ति की दृष्टि से देख रहा था। यही उसकी गलती थी। युद्ध के मैदान में इन विचारों का क्या काम। अगर हमारा मनुष्य — हमारा मनु हथियार टेक लेता है तब तो बस ठीक है हम उस व्यक्ति के दिल भर के गुण गा सकते हैं। परन्तु यदि वह हथियार नहीं टेकता तब तो फिर हमको उसे मारना ही पड़ता है। लड़ कर उसकी जान ले लेना या अपनी जान गवां देना, कितना ही विचार कर देखिये इसके सिवाय और कोई चारा नहीं।

जब मैंने यह बातें बैनट से कही तो उसने कहा "हां मेरी तुझे तो यही पड़नी है कि आप सत्य कहते हैं परन्तु मेरी आत्मा के सामने एक जरमन विषया, कुछ अनाथ बन्धे और एक जरमन घर का चित्र रक्खा हुआ है और फिर मेरे सामने उसकी बही ऊषती हुई आँसु और घबराया हुआ चेहरा आ जाता है। वह बेचारी उसकी बात देख रही होगी ... बाट .. हाय! ... मैंने क्या ... कर डाला।"

टान्सटाय के विख्यात ग्रन्थ 'युद्ध और शांति' में ऐसे दृष्टान्तों के वर्णन आये हैं जिन्होंने मुझे रोमाञ्च कर दिया है। परन्तु मैं समझता हूँ कि सैपर का वर्णित आँसुओं देखी वह घटना भी टान्सटाय के युद्ध के चित्रों के साथ मेली जा सकती है। इसमें अधिक मैं इसकी ओर क्या प्रशंसा करूँ।

जब कभी ऐसी कोई कहानी सुन कर मन में प्रश्न और समस्याएँ उठती हैं तो बस एक ही उत्तर मिले। है जिसमें सत्य की शक्ति रहती है " किसी दूसरे को मारना असम्भव है। परन्तु अपनी जान दे देना — अपने प्राण दूसरों पर निछावर कर देना सदा सम्भव है।"

"संसार में इससे अधिक कोई प्रेम निवाहने की रीति नहीं कि अपने मित्रों पर अपना जीवन बंध दो"। मित्रों ही पर नहीं शत्रुओं पर भी, क्योंकि कहा है कि 'जो तो कुं कांटा बुझे' ताहि बोय तू फुल' अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। जो तुम्हारे साथ बुराई करे उसके साथ भी तुम भलाई करो। जो तुम्हें सतावे तुम उनके लिए प्रार्थना करो।"

जो इस प्रेमयुद्ध में कुशल है वह कायर या कमबोर नहीं हो सकता। वह ईश्वरीय मार्ग पर चलता है। उसके लिए किसी की जान लेना उसी प्रकार असम्भव है जिस प्रकार झूठ बोलना, चोरी करना अथवा विधवा होना। वह तो इन तमाम बातों के ऊपर उठ चुका है।



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ४३ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
 स्वामी आनन्द

अहमदाबाद, ज्येष्ठ बन्दी ३०, संवत् १९८३  
 गुरुवार, १० जुन. १९२६ ई०

मुद्रकस्थान-नवजीवन मुद्रकालय,  
 धारंगपुर धरकीगरा की बाड़ी

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

भाग २

अध्याय ४

प्रथम आघात

बम्बई से निराशा हो कर मैं राजकोट गया। वहाँ एक अत्यायन कार्यालय था। कुछ महीने वहाँ भी। जर्मनी लिखने का काम मिलने लगा और प्रतिमास ३००) अंशत आभारनी होने लगी। यह जो अरजी लिखने का काम मिलने लगा था उसका कारण देरी कार्यकुशलता नहीं परन्तु निष्कारिता थी। बड़े भाई के साथ भाई में काम करने के बदले का न्यायान अरजी नलती थी। उनके पास यदि कोई भी मरहम की अरजी होती अथवा जैसे वे बड़े मरहम की समझने उसे तो वे किसी बड़े मारीन्टर के पास ही भेज देते थे। उनके मरहम मन्त्रीलों की अरजी लिखने का काम मुझे मिलना था।

बम्बई में कमीशन न देने का मेरा आग्रह यहाँ उदा गिना जा सकता है। इन दो विधियों का भेद मुझे समझाया गया था। यह इस प्रकार था। बम्बई में तो केवल हत्या को कमीशन देने की बात थी परन्तु यहाँ तो कमीशन बरील की देना होता था। मुझे यह समझाया गया कि जिस प्रकार बम्बई में उसी प्रकार यहाँ पर भी सब मारीन्टर, बिना किसी अपवाद के मेराके पीछे अमुक कथवा कमीशन देते हैं। मेरे भाई को इन बलीलों का मेरे पास कोई सत्तर न था। "तुम यह तो देखते ही हो कि मैं एक दूसरे बलील का साक्षेदार हूँ। हमलों के पास जो मुकदमें आते हैं उनमें से जो तुम्हें दिये जा सकते हैं उन्हें तुम्हारे मुमुर्द करने की तो हमारी इति होनी ही है परन्तु यदि तुम अपनी फीस में से मेरे साक्षेदार को कुछ दिसा न हो तो मेरी केशी बेइतब स्थिति हो। हमलों तो एक गा। रहते हैं इसलिए तुम्हारी फीस का लाभ मुझे मिलेगा ही परन्तु साक्षेदार को क्या मिलेगा! परन्तु यदि वे उस मुकदमें को किसी दूसरे को दें तो उन्हें अपना दिसा तो मिलेगा न? इस दलील से मैं उनकी बातों में आ गया और मुझे यह हत्या हुआ कि थके

मुझे मारीन्टरी करने हैं तो ऐसे मुकदमों में कमीशन न देने का आग्रह मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं पिचक गया। मैंने अपने मन को समझाया और यदि स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो उसकी प्रवृत्ता की। परन्तु इसके गिवा और दूसरे किसी भी मुकदमें में मैंने कोई कमीशन दिया हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता है।

अपि इससे मेरा अधिक काम तो चलने लगा था परन्तु दली दिनों में मुझे प्रथम आघात हुआ। ब्रिटिश अधिकारी क्या होता है यह अवगत तो मैं कानों से ही सुनता था। अरजी आंखों से उसे देखने का अवसर मुझे अब प्राप्त हुआ।

मेरे बड़े भाई पोरबन्दर के भूतपूर्व राणासाहब को गद्दी मिली उनके पदके उनके मन्त्री और मलाहकार थे। उनपर यह आक्षेप था कि नव दग्म्यान उन्होंने उन्हें कोई मलय सलाह दी थी। यह विवायत उस समय के पोलिटिकल एजण्ट तक पहुंच गई थी और उनका उनके प्रति बुरा हत्या हो गया था। इस अधिकारी को मैं विवायत से जानता था। यह भी कहा जा सकता है कि बड़ा उन्होंने मुझसे अरजी मंत्री की थी। भाई ने गोष्ठा कि इस परिषय लाभ उठा कर वे पोलिटिकल एजण्ट को कुछ कहूँ और उनपर जो बुरा असर पड़ा है उसे दूर करने का प्रयत्न करे। मुझे यह बात जरा भी पसन्द न थी। विवायत के कुछ नहीं जैसे परिषय का मुझे लाभ नहीं उठाना चाहिए। यदि मेरे भाई ने कोई दूयिन कार्य किया ही था तो फिर सिफारिश की जरूरत ही क्या थी! यदि उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया ही न था तो उन्हें नियमपूर्वक अरजी कर के, अथवा अपनी निर्दोषिता पर विश्वास रख कर निर्भय हो बैठे रहना चाहिए। यह दलील भाई को ठीक नहीं मान्य हुई। "तुम काठियावाड को नहीं जानते हो। जीवन के विषय में भी तुम्हें अब और आगे ज्ञान होगा। यहाँ तो सिफारिश से ही सब कुछ होता है। तुम्हारे जैसा मेरा भाई हो और अब तुम्हारे परिचित अधिकारी से कुछ थोड़ी सी सिफारिश करने का समय आवे तब तुम टास्कटोल करो तो यह उचित नहीं है।"

मैं भाई से इसके लिए फिर इन्कार न कर सका। मेरी इच्छा के विरुद्ध मैं पोलिटिकल एजेंट के पास गया। मुझे उस अधिकारी के पास जाने का कोई अधिकार न था। उनके पास जाने में मेरे स्वयं का भंग होता था और इसका मुझे ज्ञान भी था। मैंने मुलाकात का समय मांगा। मुझे समय दिया गया और मैं गया। पुराने परिचय की बाद विलाई, परन्तु मैंने कौरन ही यह ताक लिया कि विलायत और काठियावाड़ में मेरे पास अपने अधिकार की सुरक्षा पर बैठे हुए अधिकारी में और खुदी पर गये हुए अधिकारी में भी मेरे पास था। अधिकारी ने परिचय का स्वीकार किया और उसके साथ ही ये अधिकार अकब कर बैठे। मैंने उनके इस अकबपन में यह देखा कि मानो वे यह पूछ रहे थे कि "तुम उस परिचय का काम उठाने के लिए तो नहीं आये हो न? उनकी आँखों में भी मैंने वही बात पायी और यह समझने पर भी मैंने अपनी कथा का आरंभ किया। साहब अधीर हो उठे "तुम्हारे भाई बड़े कटपटी हैं, मैं तुम्हारी बात अधिक सुनना नहीं चाहता हूँ। मुझे समय नहीं है। यदि तुम्हारे भाई को कुछ कहना है तो वे बाजात्ता अगजी करें।" वही उत्तर बर था और यथार्थ था। परन्तु स्वार्थ अन्धा होता है। मैं तो अपनी कथा सुनावे जा रहा था। साहब उठ लड़े हुए और कहा "अब मुझे जाना चाहिए।"

मैंने कहा: "परन्तु आप मेरी बात तो पूरी सुन लें।"

साहब मुझे हो गये उन्होंने अपने चपरासी से कहा "चपरासी, इसे दरवाजा बतानो।"

'हुजूर' कहता हुआ चपरासी दौड़ आया। मैं तो अब भी कुछ न कुछ बक रहा था। चपरासी ने मुझे हाथ लगाया और दरवाजे के बाहर निकाल दिया।

साहब गये, चपरासी भी गया। मैं भी चलने लगा। मुझे बड़ा दुःख और कोप हुआ था। मैंने एक निजी लिखी। "आपने मेरा अपमान किया है, चपरासी के जर्मे मुझ पर आक्रमण किया है। यदि आप माफी न मांगेंगे तो मैं आप पर आगे बाजात्ता कार्रवाई करूंगा।" मैंने यह लिखी रोमी। साहब का सवार उसका उत्तर दे गया। उसका मतलब यह था।

"आपने मेरे साथ असभ्य बर्ताव किया था। आपको जाने के लिए कहा गया था फिर भी आप नहीं गये इसलिए मैंने अवश्य चपरासी को आपको दरवाजा दिखाने के लिए कहा था और चपरासी के कहने पर आप नहीं गये इसलिए उसने तुम्हें दरवाजे के बाहर निकालने के लिए आवश्यक बल का प्रयोग किया था। आपको जो कार्रवाई करनी हो उसे करने के लिए आप स्वतंत्र हैं।"

यह उत्तर जब मैं हाक कर और अपनासा मुह ले कर मैं घर पहुँचा। भाई से सब बातें कही। उन्हें बड़ा मुक हुआ परन्तु वे मुझे क्या सान्त्वन दे सकते थे? बकीक मित्रों को भी यह कथा सुनाई। मुझे मुकदमा दाखिल करना थोड़े ही आता था। इस समय घर फिरोजशाह रहेता अपने किसी मुकदमे के लिए रात्रकोट आये हुए थे। उन्हें मेरे जैसा जया बारीस्टर तो मिल ही कैसे सकता था? परन्तु उन्हें तुलानेवाले बकीक के जये अपने इस मामले के सब कागजपत्र मेज कर मैंने उनकी सलाह मांगी। "गांधी से कही कि ऐसी बातों का तो सनी बकीक बारीस्टरों ने अनुभव होगा। तुम अभी नये हो, अब तक विलायत का जया नहीं उत्तरा है। तुम ब्रिटिश अधिकारी को नहीं पहचानते हो। यदि तुम्हें मुक से रहना हो और दो पैसा कमाना हो तो

तुम इस विधि की काठ डालो, अपना अपमान भूल जाओ। मुकदमा दाखिल करने से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलनेवाला है और तुम्हीं खराबखस्ता हो जाओगे। जीवन का अनुभव तो तुम्हें अब मिलेगा।"

मुझे यह उपदेश जहर सा कबवा माखम हुआ। परन्तु इस कटु घंट को गठे से नीचे उतारै बिना काम नहीं चल सकता था। परन्तु मैं उस अवमान को भूला न सका। मैंने उसका अनुभव किया। "फिर कभी मैं अपने को ऐसी स्थिति में न पाऊँगा इस प्रकार किसी की भी निकारिष न करूँगा" इस नियम का मैंने कभी भंग नहीं किया। इस आघात के कारण मेरे जीवन का चल ही बदल गया।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

### अहिंसा की गुत्थी

एक भाई लिखते हैं:

'मानो कि मैं संघारी हूँ। क्या ब्याक रखने पर भी खटिया में कटमल हो गये हैं। उन्हें उठा कर रखने में भी कितने ही मर जाते हैं। घड़े के पानी में भी जीव पक गये हैं और उस पानी को फेंक देने पर भी उन छोटे छोटे जीवों की हिंसा होती है। घर में बकरी ने जाके बनाये हैं उन्हें घाक करने में भी हिंसा होती है। मान लो कि मैं एक व्यापारी हूँ। माल की पैदा में जीव पक गये हैं। यदि उन जीवों को मैं घर न ला तो मक का नुकसान होता है। मैं बाहर घूमने के लिए जाता हूँ तो उस किया में भी पैरों के नीचे थोड़े बहुत जीव आ जाते हैं। कती जलता हूँ तो वहाँ भी यही मुश्किल होती है। सिद्धादि के नियम में पूछना ही क्या है। ऐसे घड़े बनेक दृष्टाः मैं देख सकता हूँ। क्या आप उनका खुलासा कर सकेंगे? ऐसी स्थिति में अहिंसा धर्म का पालन कैसे किया जाय?'

इस प्रकार के प्रश्न बार बार उठते हैं। ऐसे प्रश्नों की तुच्छ मजस कर दर कर देने से भी काय नहीं चल सकता है। पूर्व और पश्चिम के गुरु रहस्ययुक्त ग्रंथों में भी ऐसे प्रश्नों की तो चर्चा ही गई है। मेरी अनुभवों के अनुसार तो इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है क्योंकि सनी का मूल एक ही में समाया हुआ है। ऊपर कही गई सभी कियामों में अवश्य हिंसा है क्योंकि कियामात्र हिंसामय है और इसलिए सद्यो है। मेरे ही तो मर्मत कम न बेसी परिमाण का ही है। देह का और आत्मा का सम्बन्ध ही हिंसा के आधार पर रचा गया है। पापमात्र हिंसा है और पाप का सर्वथा क्षय होता ही वेद-मुक्ति प्राप्त करना है। इसलिए देहवारी अनुप्य अहिंसा के आदर्श को रटि के समीप रख कर खितना दूर जा सके इतना दूर जाय। परन्तु अधिक से अधिक दूर जाने पर भी कुछ हिंसा का होना तो अनिवार्य ही होगा, जैसे श्वालोच्छ्वास केना अथवा आना इत्यादि में। अनाज के प्रत्येक कण में जीव है। इसलिए यदि हम मांसाहार के बड़े अमाहार करते हैं तो उससे हम हिंसा से मुक्त नहीं गिने जा सकते हैं परन्तु अमाहार में होनेवाली हिंसा को अनिवार्य समझ कर उसका आहार करते हैं और इसलिए ही जोग के लिए आहार सर्वथा त्याग्य है। जोमित रहने के लिए खाना चाहिए और आत्मा की पहचान करने के लिए भी खिता रहना चाहिए। इस पुरुषार्थ की साधना के लिए जो हिंसा अनिवार्य हो उसे हमें आचार हो कर करनी चाहिए। अब, इ वह समझ सकेंगे कि सम्पूर्ण ब्याक रखने पर भी पानी में घड़े मुक

की, सटमक इत्यादि के सम्बन्ध में जो बातें हैं अपरिहार्य माहम होती हैं। उसे हमें करना होगा। मैं यह मानता हूँ कि ऐसा कोई दिव्य नियम नहीं हो सकता है कि मनुष्य स्थिति में प्रत्येक मनुष्य एक ही प्रकार की बातें चले, दूसरी नहीं। अहिंसा इत्यादि का गुण है। हिंसा अहिंसा का नियम मनुष्य की भावना के आधार से हो सकता है। इसलिए हर एक मनुष्य को अहिंसा-धर्म को अपना क्रियेय मानना ही उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार अपने कार्य की व्यवस्था करे। मैं यह मानता हूँ कि ऐसा उत्तर देने में एक दोष है। इससे मनुष्य अपनी इच्छा से चाहे जिनको हिंसा कर के अपने मन की प्रवृत्ति करेगा, संसार को ठगेगा और अहिंसा-धर्मता का बहाना निकाल कर हिंसा का बचाव करेगा। परन्तु ऐसे लोगों के लिए वह लेख नहीं लिखा गया है। परन्तु यह उनके लिए है जो अहिंसा का आदर करते हैं परन्तु जिनके सामने समय-समय पर धर्म-संकट उपस्थित होता है। ऐसे मनुष्य अनिवार्य हिंसा भी बड़े संकोच के साथ करेंगे और अपनी प्रवृत्तिमान के निस्तार को कम करेंगे, बहालेंगे नहीं। यहाँ तक कि वे अपनी एक ही शक्ति का स्वार्थ-दृष्टि से उपयोग नहीं करेंगे; वे केवल समाजसेवा के भाव से ही ईश्वरार्पण कर के अपनी सब शक्तियों का उपयोग करेंगे। सत अर्थात् अहिंसक, अर्थात् दयालु मनुष्य की सब विभूतियाँ परोपकार के लिए ही होती हैं। जहाँ अहंकार है वहाँ हिंसा आवश्यक है। प्रत्येक कार्य को करते समय मन में यह प्रश्न कर लेना चाहिए कि यहाँ "मैं (अहंकार) हूँ या नहीं? जहाँ मैं (अहंकार) नहीं हूँ वहाँ हिंसा नहीं है।

( नवजीवन )

मोहनदास करमचंद गांधी

### प्रार्थना किसे कहते हैं?

एक डाक्टर की प्री प्राप्त होने हुए महाशय प्रश्न करने हैं-

"प्रार्थना का सबसे उत्तम प्रकार क्या हो सकता है? उसमें कितना समय लगाना चाहिए? मेरी राय में तो त्याग करना ही उत्तम प्रकार की प्रार्थना है और जो मनुष्य स्वयं त्याग करने के लिए सके दिवस से तैयार होता है उसे दूसरी प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग तो रक्षा करने में बहुत या समय लगा देते हैं परन्तु मरते-मरते २५ मनुष्य तो उस समय को कुछ भी भी बोलते हैं उसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। मेरी राय में तो अपनी मनुष्यता में ही प्रार्थना करनी चाहिए। उसका ही आत्मा पर उत्तम अक्षर पड़ सकता है। मैं तो यह भी कहता हूँ कि सभी प्रार्थना यदि एक मिनट के लिए भी की गई हो तो वह भी काफी होगी। ईश्वर को पाव न करने का आशीर्जन देना ही काफी है।"

प्रार्थना के माते हैं धर्मभावना और आधरपूर्वक ईश्वर से कुछ माँगना। परन्तु किसी भक्तिभावयुक्त कार्य की व्यक्त करने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। केवल के संकेत में जो बातें हैं उनके लिए भक्ति शब्द का प्रयोग करना ही अधिक अच्छा है। परन्तु उसकी व्याख्या का विचार छोड़ कर हम इसीका ही विचार करें कि करोड़ों हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पट्टी, और दूसरे लोग रोजाना अपने स्वयं की भक्ति करने के लिए निश्चित किये हुए समय भी क्या करते हैं? मुझे तो यह साहज्य होता है कि वह तो स्वयं के साथ एक होने की हृदय की उत्कटेच्छा को प्रकट करना है और उसके आशीर्वाद के लिए याचना करना है। इसमें मन की वृत्ति और भावों को ही महत्व होता है शब्दों को नहीं और अक्षर पुराने अमाने से जो शब्द रचना पकी जाती है उसका

भी अक्षर होता है, जो मनुष्यता में उसका अनुवाद करने पर सर्वथा महत्व हो जाता है। गुजराती में गायत्री का अनुवाद कर उसका पाठ करने पर उसका वह अक्षर न होगा जो कि अक्षर गायत्री से होता है। राम शब्द के उच्चारण से लाखों करोड़ों हिन्दुओं पर कौन अक्षर होगा और 'गात्र' शब्द का अर्थ समझने पर भी उसका उन पर कोई अक्षर न होगा। चिरकाक के प्रयोग से और उनके उपयोग के साथ संयोजित पवित्रता से शब्दों को शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सब से अधिक प्रवृत्त मन्त्र और श्लोकों की संस्कृत भाषा रखने के लिए बहुत सी दलीले की जा सकती हैं। परन्तु उनका अर्थ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए यह बात तो बिना कहे ही मान ली जानी चाहिए। ऐसी भक्ति-युक्त क्रियायें किंचित समझ करनी चाहिए इसका कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता है। इसका आधार जुड़ी जुड़ी व्यक्तियों के स्वभाव पर ही होता है। मनुष्य के जीवन में वे क्षण बड़े ही कीमती होते हैं। वे क्रियायें हमें नम्र और शान्त बनाने के लिए होती हैं और उससे हम इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, और हम तो "उस प्रवृत्ति के हाथ में मिट्टी के सिंघे हैं।" ये पंक्तियाँ ऐसी हैं कि इसमें मनुष्य अपने गुणकाल का निरीक्षण करता है, अपनी दुर्बलता का स्वीकार करता है और क्षमा याचना करते हुए अच्छा बनने की और अच्छा कार्य करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करता है। कुछ लोगों को इसके लिए एक मिनट भी बस होता है तो कुछ लोगों को २० घण्टे भी काफी नहीं हो सकते हैं। उन लोगों के लिए जो ईश्वर के अस्तित्व को अपने में अनुभव करते हैं केवल मिरलत या मजबूरी करना भी प्रार्थना हो सकती है। उनका जीवन ही सतत प्रार्थना और भक्ति के कार्यों से बना होता है। परन्तु वे लोग जो केवल पापकर्म ही करते हैं, प्रार्थना में जितना भी समय लगावेंगे उतना ही कम होगा। यदि उनमें धैर्य और भ्रष्टा होगी और पवित्र बनने की इच्छा होगी तो वे तुरन्त प्रार्थना करेंगे जबतक की उन्हें अपने में ईश्वर की पवित्र उपस्थिति का निर्णयात्मक अनुभव न होगा। हम साधारण वर्ग के मनुष्यों के लिए तो इन दो सिरे के मार्गों के मध्य का एक और मार्ग भी होना चाहिए। हम ऐसे उत्तम नहीं हो गये हैं कि वह कह सकें कि हमारे सब कर्म ईश्वरार्पण ही हैं और वाच्य इतने गिरे हुए भी नहीं हैं कि केवल स्वार्थी जीवन ही बनाने हों। इसलिए सभी धर्मों ने सामान्य भक्ति-भाव प्रवृत्ति करने के लिए अलग समय मुन्तर किया है। दुर्भाग्य से इन दिनों यह प्रार्थनायें जहाँ दार्शनिक नहीं होती हैं वहाँ मात्रिक और आत्मिक ही गई हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इन प्रार्थनाओं के समय वृत्ति भी शुद्ध और सच्ची हो।

विशय-रमक वैयक्तिक प्रार्थना जो ईश्वर से कुछ माँगने के लिए की गई हो वह तो अपनी ही भाषा में होनी चाहिए। इस प्रार्थना से कि ईश्वर हमें हर एक जीव के प्रति ग्याधपूर्वक व्यवहार रखने की शक्ति दे और कोई, बात बड़ कर नहीं हो सकती है।

( सं- ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

### आत्मनः सजनाभक्ति

पाँचवीं आदिति ज्ञातम हो गई है। अब जितने आर्दर मिलते हैं दर्द कर लिए जाते हैं। आर्दर सेजनेवलों को जबतक लड़ी आदिति प्रकाशित न हो तबतक धैर्य रखना होगा।

व्यवस्थापक, हिन्दी-नवजीवन

# हिन्दी-नवजीवन

गुरुवार, ज्येष्ठ वरी ३०, संवत् १९८३

## मुफ्त भरोसा

भात सरकार ने एक कोम्युनिक निकाल कर जनता को यह समाचार दिये हैं कि यूनिशन सरकार ने उसे इस बात का यकीन दिलाया है कि यूनिशन सरकार का रेषर वि हिस्टिक स्पीथ के मामले में बढी (सुप्रीम) अदालत के आन्धवाल प्रान्तिक विभाग के निर्णय के पहले जो स्थिति थी उससे इन कानूनों की मर्यादों को बढाने का उसका अभी कोई इरादा नहीं है। उस मामले में यह निर्णय हुआ था कि खानों में काम करनेवाले और दूसरे कार्यों से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ नियम जो १९११ से दक्षिण आफ्रिका में और कुछ प्रान्तों में तो इसमें भी कई साल पहले से लागू किये जा रहे थे कानून के स्वीकृत शर्तों के अनुसार नियम से विरुद्ध थे।

कोम्युनिक में आगे यह भी लिखा हुआ है कि "भारत सरकार को इस बात का भी यकीन दिलाया जाता है कि यदि भविष्य में कभी इन कानूनों की मर्यादा को बढाने का विचार भी होगा तो यूनिशन के सब दलों को, जिनका इस मामले से सम्बन्ध होगा जिन्हें उसमें दिलचस्पी होगी, अपना पक्ष पेश करने का सब प्रकार से उचित मौका दिया जावेगा।"

मैं इस प्रकार से दिये गये इन दोनों विश्वासी की आंखों में भूल डालने का प्रयत्न मानता हूँ। क्योंकि यूनिशन सरकार, यूनिशन की सभा में किये गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस बात को जो उसने आज भारत सरकार से कही है कई बार कह चुकी है। अर्थात् उपरोक्त निर्णय के पहले जो स्थिति थी उससे उस कानून की मर्यादा को बढाने का उसका अभी कोई इरादा नहीं है। परन्तु नये बिल का अर्थ तो उससे यूनिशन सरकार को जो शक्ति मिलनी है उसमें है। वह बिल दक्षिण आफ्रिका के मूल निवासी और प्रवासी भारतीयों के अन्तर्गत तलवार की तरह कटकर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार वह आफ्रिका के मूल निवासियों को लागू किया जा सकता है वही वही ही तरह भारतीयों को भी लागू किया जा सकता है। इसलिए यह बिल भारतीयों के लिए उतना ही अपमानजनक है जितना कि उच्च वर्तमान संभव हो सकता है। यदि भारतीयों के मौलिक हितों को उससे उनका हानि नहीं पहुंचती है जितनी कि 'ग्राम परिवर्तन बिल से होगी है, जिस पर कि समिति में विचार होना चाहता है। रंगदूषी कानून से यूनिशन सरकार की मानसिकवृत्ति का पता चल जाता है और 'टाइम्स आफ इण्डिया' का सवादात्ता बहुत ठीक कहता है कि "यूनिशन सरकार ने 'गोल्डमिडिल' के प्रस्ताव को जो स्वीकार किया है उसमें उसने केवल बाध्य विनय ही दिखाया है। इसका यह अर्थ नहीं करना चाहिए कि यूनिशन सरकार की दृष्टि में कोई परिवर्तन हुआ है।" और इस अनुमान को अभी मिट्टे हुए इन समाचारों से पुनः मिलनी है कि जनरल हट्टेजोग ने वहाँ के मूलनिवासियों के प्रति अपनी नीति का दिग्दर्शन करते हुए इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वे वहाँ के मूलनिवासियों का और रंगवाले लोगों को प्रतिनिधित्व का मर्यादित अधिकार देने के लिए तैयार हैं परन्तु भारतीयों की तो वे प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार ही न देगे। टाइम्स आफ इण्डिया का सवादात्ता इसका यह परिणाम निकालता

है और यह सही है, कि जनरल हट्टेजोग की दृष्टि में भारतीय तो वहाँ के मूल निवासी से भी गिरा हुआ है। सब बात तो यह है कि अतक दक्षिण आफ्रिका से वह निकाल नहीं दिया जा सकता है तबतक एक आवश्यक अनिष्ट के रूप में ही वे उसे सहन करते हैं। यूनिशन सरकार के लिये लुभे कार्यों से रंगदूषी कानून को अलहदा नहीं किया जा सकता है। वह उसकी निश्चित नीति का एक अंग ही है और हमें उससे उसकी कुजी भी प्राप्त हो जाती है।

यूनिशन सरकार ने जो हमारा विश्वास दिलाया है उसकी भी कुछ कीमत नहीं है। वह यह कहती है कि यदि उस कानून की मर्यादा बढाई जायेगी तो यूनिशन के सब दलों की जिन्हें उससे सम्बन्ध था दिल्चस्पी हो अपना पक्ष पेश करने के लिए सब प्रकार से उचित मौका दिया जावेगा, परन्तु इसमें क्या वह हमें कोई नया अधिकार दे देती है? खास कर जब कि उसे इस बात का हानि है कि भारतीयों के प्रतिनिधित्व के पंक्ति अंतर्गत लोगों का कोई बल नहीं होता है। और यदि कोम्युनिक में विंशरण के तौर पर जिस वाक्य का प्रयोग किया गया है उसका यह अर्थ हो कि यूनिशन के बाहर के दल अर्थात् भारत सरकार और सामान्य सरकार के प्रतिनिधित्व का स्वीकार न किया जावेगा तो निश्चय ही यह विश्वास दिलाया निश्चय ही नहीं गुरा है क्योंकि इसमें कोई विचारत का नहीं परन्तु एक हदबन्दी का ही ऐलान किया गया है।

(५० इंच)

मोहनदास करमचंद गांधी

## कताई में सहयोग

एक पिय मित्र ने उनको और उनके दुगरे मित्रों को घंटे हुए इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए मेरे पास भेजा है।

"क्या कताई में सहयोग है? क्या उससे लोग पूर्ण वैयक्तिक और स्वाधीन नहीं हो जाते और क्या वे दूसरों की तरह एक दूसरे में अलग अलग नहीं रहते हैं?"

मैं इनका सर्वथा संक्षिप्त और सब से अधिक निर्णयात्मक उत्तर तो यही दे सकता हूँ कि "आप जा कर खुद ही एक मुश्किल कताई के केन्द्र को देख आइए और स्वयं ही इसकी परीक्षा कर लीजिए। आपको तब यह आश्चर्य होगा कि कताई का कार्य सहयोग के बिना गफलत ही नहीं हो सकता है।"

परन्तु, यह उत्तर संक्षिप्त होने पर भी मैं यह जानता हूँ कि लन लोगों के लिए (और उनका संख्या ही अधिक है) जो गंभीर मुद्दा के लिए न आयेगे और उसके लिए समय भी न मिलाने, यह निश्चय ही होगा। इसलिए मुझे ऐसे एक केन्द्र का चिन्ता भी मुझ से ही इसके अन्तर्गत अपने कर के उन्हें इस बात का विश्वास करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो सब पहले उद्देश्य में एक सहयोगी प्रयत्न के सामने स्थापित होते हुए ही वे उदात्त हैं कि सहयोग के द्वारा में समार में आज तक जैसा नहीं हुआ है वैसा एक सहयोगी प्रयत्न स्थापित करना आवश्यक है। मेरा यह विश्वास कोई गलत नहीं है। उसमें सहयोगीता ही मानी है। यह इसलिए गलत नहीं है क्योंकि यदि कराबी लोग इसमें सहयोग न करे तो दाव कताई का जो उद्देश्य है वह अफस ही नहीं हो सकता है।

उसका उद्देश्य आत्मन्य और दक्षिणता को दूर करना है। आपका दक्षिणता मुख्यतः उसके आचार्य का परिणाम है। कताई इस बात का तो स्वीकार करेगा ही कि यह उद्देश्य महान है। इसलिए प्रयत्न भी उतना ही महान होना चाहिए।

उसमें आरंभ से ही सहयोग की आवश्यकता है। यदि कताई मुख्य को आत्मबलकी बनाती है तो उससे पद पद पर एक



दूसरे पर आधार रखने की आवश्यकता को भी समझने की शक्ति प्राप्त होती है। साधारण कातनेवाली को अपने बच्चे हुए मूल को बेचने के लिए, जिसमें वह कौरव ही निक जाय ऐसे एक बाजार की आवश्यकता है। वह उसे चुन नहीं सकती है। अमंज्य मनुष्यों के आपस में सहयोग के बिना उसके मूल को बेचने के लिए किये कोई स्थान ही नहीं हो सकता है। जिस प्रकार माक उत्पन्न करने में और उसे बेच देने में करोड़ों मनुष्यों का सहयोग होने के कारण ही, फिर चाहे वह कितना ही कम क्यों न हो, हमारी खेती संभव हो सकती है, उसी प्रकार कर्षी का काम भी तभी सफल होगा जब कि हम में उतना विशाल सहयोग होगा।

किसी भी केन्द्र के कार्य को लो। मुद्रा कार्यालय में कातनेवालों के लिए कपास इकट्ठा किया जाता है। भायद उसी मुख्य स्थान पर बिनौले निकालनेवाले उसमें से बिनौले निकालने हैं। फिर वह धुनों को दिया जाता है ताकि वे उसकी पूनिया बना कर दें। अब यह कपास कातनेवालों में बांटने के लिए तैयार हो गया। वे प्रतिपक्ष अपना कला हुआ मूल ले कर आते हैं और पहले से मयी पूनिया और अपनी मजदूरी ले जाने हैं। इस प्रकार जो मूल मिलना है वह धुनों को चुनने के लिए दिया जाता है और वे उसकी खादी चुन कर उसे बेचने के लिए लौटा देते हैं। और यह खादी अब उसे पहननेवालों को—अनमज को बेच दी जानी चाहिए। इस प्रकार मुख्य कार्यालय को भागांत, रंग और नमी का निवार किये बिना ही अमंज्य मनुष्यों के साथ सदा जीवन्त संयोग में रहना पकता है क्योंकि मुख्य कार्यालय को कोई नफा या धन्य नहीं मिलना पड़ता है उसे जो किसी आम बाज की फीक नहीं करनी पड़ती है, नभे तो केवल धुनों की और धुनों की ही फीक करनी पड़ती है। मुख्य कार्यालय को उपभोगी बनने के लिए सब प्रकार से शुद्ध रहना चाहिए। उसमें और इस बड़े संगठन के दूसरे हिस्सों में केवल शुद्ध आध्यात्मिक और नैतिक धर्म ही होता है। इसलिए कर्षी का केन्द्र तो एक सहयोगी मण्डल है और उसके सामाज्य है बिनौले निकालनेवाले, रई धुननेवाले, कातनेवाले, धुलाने और धरीदार - वे सब आपस की सविष्ठा और सेवा-साध के एक सामान्य ध्येय में बंधे होते हैं। इस मण्डल में हर एक चीज का, जैसे कि यह धर से उतर जाती है निष्प्रयत्नक पना लगाया जा सकता है। और क्योंकि इन कार्यालयों में सेवा के वे युक्त साधन ही कर जाते हैं, तब तक कि दुर्घने के देश-भक्ति की भाव प्रकल्पित होती है और जो इन पवित्र होने हैं कि सब प्रकार को कालों का सामना कर सकते हैं, इसलिए, वे आगे, रक्षा, और सबे रागों को दूरनिश्चिन्ता आदि का प्रवृत्त हान गार्थों के लोगों में फैलाने के, और उसकी आवश्यकता के अनुसार उनके बंधों में शिक्षा फैलाने के केन्द्र भी बनने- और उन्हें बनना भी चाहिए; वह समस्त सभी वर्गों के। आरम्भ अवश्य हुआ है। परन्तु इलकल पीरे धीरे ही विकास को प्राप्त हो सकती है। जनक खादी बाजार में भी तब ही या अच्छा तो यह है कि डाक के टिकटों की तरह बिकने में लगे हैं तब तक कोई ठोस परिणाम दिखाना संभव नहीं है। जिस प्रकार बच्चा अपनी मता के पक्षों को अपनी क्षीमन और जात पूछे बिना ही जाता है और लुप्त होता है उसी प्रकार लोगों को दूसरे कपडे के बदले खादी खरीदने के लिए साक्षाने में ही अभी तो बहुत ही शक्ति का क्षय होता है। यदि तथा उस शक्ति को जात और कीमत जानना चाहेगा तो भी उसे सही माध्यम होगा कि माता के पक्षों को तैयार

करने में लगी हुई मिहनत और प्रेम के कारण बहुत ही महंगे हैं। और एक दिन जब भारत माता के सन्तान गहरी नींद से जागे और यह अनुभव करेंगे कि उसके सन्तानों के हाथ से कला और तैयार किया हुआ मूल उसके करोड़ों सन्तानों के लिए कभी भी महंगा नहीं हो सकता है तब खादी का भी सही हाक देगा। जब यह खादी सत्य हमें माध्यम होगा तब कर्षी के ऐसे बे-योग्यने अधिक बढ़ जायेंगे, भारत के अंधेरे झोंकों में आशा का दिग्ग प्रकाशित होगा और वह भाषा हमारी स्वतंत्रता का, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं परन्तु प्राप्त करना नहीं जानते, एक निश्चित आधार होगा।

(य. इ.)

मोहनदास करमचंद गांधी

### पशुबध

#### उसके कारण और उपाय

(४)

१९२५-२३, १९२३-२४ और १९२४-२५ में भारत में मच्छरों को जो नुकसान हुआ मांस गया था उसके अंश सर टोल्क मैन का कृपा से प्राप्त हुए हैं वे नीचे दिये गये हैं:

कहाँ से	१९२२-२३	१९२३-२४	जंगल	कीमत
सेवा गया	वजन	कीमत	वजन	कीमत
	हंटरवेट	रुपया	हंटरवेट	रु. पा
कलकत्ता इत्यादि				
जगहों से	२१,६३३	१८,८९,२३६)	८०,६०३	१७,५५,०८)
बम्बई से	१,१८६	४३,४००)	२,८३०	८५,१२२)
	२२,८१९	१९,२५,६३६)	८३,४३३	१८,४०,२००)
कलकत्ता इत्यादि	१९,२३-२५			
जगहों से	१३,४५५	१८,५४,५६०)		
बम्बई से	३,२५१	८०,५००)		
	१६,६०६	१९,३५,०६०)		

पशुबध के सामान्य अर्थशास्त्र का अध्ययन हमने गहन विचार किया है। दूसरे किमी प्रकार से जिसका लोगों को ज्ञान न। इस सफलता है ऐसे बंगाल में होनेवाले पशुबध के अर्थों को मरणादि रोगों पर से उद्भूत कर के इस अध्ययन के इस विभाग की इस श्रम बन्द करेंगे।

प्रति वर्ष बंगाल में कल होनेवाले जानवरों के कुत्त जक इस प्रकार है

१	२	३	४	५
गायबल	भंस	बकरे	भेड़ें	भरर
२,८९,३१४	१८,८००	५,५७,५३८	१,६२,३२९	३१,०६६

#### (१) रायशाही जिला

रायशाही शहर में तीन कत्लगाहें हैं। गोबध २,०० ; बकरे १०,०००। इसके अलावा खास कर बकरी हिंद जैसे रोगों पर दृष्टिक गति में पशुबध होता है।

#### (२) पाबना जिला

मीराजगंज और पाबना शहर में कत्लगाहें हैं परन्तु उनके अंक अप्राप्य हैं।

#### (३) यशोहर जिला

यशोहर में एक कत्लगाह है, वहाँ २१२ गायबल और ८०० बकरे का बध होता है। गार्थों के अंक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(४) मिदनापुर जिला

मिदनापुर, साङ्गपुर और तामलुक में कलगाहें हैं। कुल बध गायबैल ४,०००, भैंस २,३४०, भैंसे ९,१२५, बकरे ३०,२००।

(५) बोगुडा जिला

नियमित कलगाह नहीं है। इसलिए उसके अंक भी नहीं मिल सकते हैं।

(६) छुलना जिला

कलगाह नहीं है। बकरी इद जैसे अवसरों पर ही गोबध होता है और बकरी का तो हर एक गाँव में हिन्दू लोग भोग देते हैं और मुसलमान कुरबानी करते हैं। लगभग ५,७३० बकरे कल होते होंगे।

(७) कलकता

पाँच कलगाहें हैं (१) टांगडा, (२) हिन्दू, (३) लेन्सबाउन, (४) हालसी बागान। कुल कल: गायबैल १,११,१५१, भैंस ७,२८६; बछड़े १०,५२८; बकरे २,०७,५४०; भैंसे १,०४,१७७। १६,३०८ मुअरों का बधस्थान (५) अलहदा है।

कलकता म्युनिसिपलिटि के नियम के अनुसार किसी का डोर मर जाय तो उसे तीन घण्टे में धाया पहचाना चाहिए। धाया पहचानने पर सब पर से चमड़ा उतारने के लिए अथवा दूसरी क्रियायें करने के लिए मेसर्स या बालिष्ठ एण्ड कंपनी ने सम्पूर्ण व्यवस्था कर रखी है। इन्डियों से तेल निकाल लिया जाता है फिर उन्हें शकर घोने के कारखानों में या चाय के बागीचों में भेज दिया जाता है। होम मारकेट से इन्डिया इकट्ठा करने का ठेका म्युनिसिपलिटि के तरफ से मेसर्स कालेण्डर एण्ड कंपनी को मिला है। खुर और नीम के भी ठेकेदार होते हैं; सींगों का अक्सर कटक में चाँदी सोने के तारों के काम में उपयोग होता है और खुशियाँ या बलेस एण्ड कंपनी के धायावाले कारखानों को भेजी जाती है। कलगाहों से आते लेने का ठेका ए. मेयर ने लिया है और लून कालेण्डर एण्ड कंपनी के जाती है और उसे गरम कर के उसकी चुकनी तैयार करती है।

(८) चट्टग्राम का पहाड़ी प्रदेश

लोग बौद्ध हैं इसलिए बधवित ही पशुबध होता है। लोगों को पशुओं के शव को छुने में भी आपत्ति होती है। नियमित कलगाह यहाँ नहीं है। यहाँ के अंक नहीं मिलने हैं।

(९) बाँकुडा जिला

बाँकुडा शहर में आर विष्णुपुर में कलगाहें हैं नहीं अनुक्रम से रोमाना २-४ डार और २-३ बकरे कल होते हैं। कुल कल गायबैल १,०१५, भैंस १५०, बकरे ५,८००, भैंसे १२५। बाँकुडा में सींग से कथिया बनाने का भी कुछ उद्योग होता है।

(१०) मात्सा जिला

हाटलोला के अगरेजी बाजार में दो कलगाहें हैं, वहाँ २,००० बकरे और १०० गायों को कल किया जाता है। दूसरे बार स्थानों को मिला कर दूसरे भी उतने ही जानवर कटते हैं।

(११) चट्टग्राम जिला

तेरह कलगाहें हैं। कुल कल: गायबैल २१,१५९; भैंस ५०, बकरे १४,६००। राणस्थान में गोबध ६०००। कटिकचडी और सातकानिया में लगभग तीन तीन हजार के। कोकच बाजार में २,०००। सहर और पाटिया में १,५००-१,५००। रणमुनिया तथा बाँसखली में हजार हजार। बवालखली और कान-कारा में ६००-६००। सीताकुंड, भीरेश्वराह और हाटाखडी में अनुक्रम से ३००, ३१० और १२०। हिन्दुओं के भोग का और मुसलमानों की कुरबानी का इस हिस्से में समावेश नहीं होता है।

(१२) मुर्शिदाबाद जिला

पाँच कलगाहें हैं। कुल कल: गायबैल ८,३००; बकरे ७,७००; साकार में गोबध ४,०००; मुर्शिदाबाद में १,८००; बरहामपुर तथा भरतपुर में हजार हजार; तालिमपुर में ५००। बन्नेश्वर के मन्दिर में ३०० बकरे कल होते हैं। कलगाहों के हिस्से में बैकालय को भी गिनाया जाता है यह कलियुग का ही प्रमाण है।

बीरभूम से एक जाति के लोग आते हैं वे खड़ा फिरसे रहते हैं। वे सींग से कथियाँ और एक प्रकार का सरस बनाते हैं।

(१३) बाकरगंज जिला

नियमित कलगाह नहीं है। गोबध १२,०००; भैंस ४००; बकरे २६,०००।

(१४) माइनेनसिंह जिला

म्युनिसिपल और साँकीहरा के, इस प्रकार के दो कलगाहें हैं। गोबध ४००; बकरे ६६,०००। बाध्यन्त्रों के तार बनाने में भाँटों का उपयोग किया जाता है।

(१५) दिनाजपुर जिला

दिनाजपुर शहर के कलगाहों में १,८०० बकरे का बध हुआ था। दूसरे अंक नहीं मिले हैं।

(१६) दार्जिलिंग जिला

कुल कल: गायबैल १३,०३४; भैंस ०,९९८; बकरे ३,७९९; भैंसे ३,०००, खुर ६,४०८। सहर में ७,५१० बैलों की कल होती है। कथियों में ३,२२५; कालिगों में १,५००, मालि-गुडा में ७५०।

दार्जिलिंग में इन्डिया अधिक होने के कारण वहाँ म्युनिसिपलिटि ने इन्डिया पीसने का कारखाना खोला है। जो हॉर फैलेक के रोग के कारण नहीं मरे होते हैं उनका मांस मुटिया और केशवा लोग खाते हैं।

(१७) बधेमान जिला

कुल कल: गायबैल २६,८५५; बकरे ३०,५००, भैंसे २५,६१८। आरुनखोल में ११,६६५ गायबैलों की कल होती है। सहर में ८,४००; कटवा २,५००; कलता ६००।

(१८) हाक्का जिला

कुल १३ कलगाहें हैं। कुल कल: गाय ३,०५०, भैंस १००, बकरे ३०,५१० और भैंसे ४,५७०; शहर के कलगाहों में १,६०० गायें कटती हैं; बाँटा में ७५०, सुनशीरहाट ४००; पंचाला २०० इकोला १००।

(१९) करीमपुर जिला

नियमित बलनेवाला कलगाह नहीं। बकरे ६,००० कटते हैं।

(२०) हुयली जिला

कलगाहें: पाँचुआ में, बोइसी में और हुयली-बिनसुरा म्युनिसिपल्टी का। कुल कल गायबैल ७,८६४ (सहर ४,५००; खीरामपुर ३,३६४); बकरे ३०,०००। भैंसे १२,३९२ कटती हैं।

(२१) जदिया जिला

कुल कल गायबैल ७,५०, बकरे ५०,०००; भैंसे १,९००। कृष्णनगर में ५०० गाय, और हागितपुर में ५० गाय कटती हैं।

(२२) नवाखली जिला

कुल कल गायबैल ६,०००; भैंस २,५०; बकरे १,२०,०००; भैंसे १०० टिकरनर में २,००० और चाँदपुर में ८,००० गायें कटती हैं। नवाखलीजिले के अंक नहीं मिलते हैं।

(२३) हाका जिला

हाका शहर में दो कलगाहें हैं (१) साबहामपुर और (२) कसैटुकी। कुल कल: गायबैल १०,८००; बकरे ३५,००० और भैंसे ५,०००। गाँवों के अंक अप्राप्य हैं।

(२५) २४ परगना

कुल करक गायबैल १९,९५०; बैल २,०००; बकरे ४०,५००; भैंसे ८००; सुभर ३,००० । सोनाबीग में ५२,००० पशु कटते हैं, बेरेकपुर में २,००० । बाराकाल में ५०० और कामसंग हाबर में ४५० गायें कटती हैं । बडानगर और कवरहारी के भागाब (बोरों के अस्थिरभाव) कलकले के मेसर्स डा बालेस कम्पनी को किराये पर दिये जाते हैं । सीत और खुरी पशुबाध के कारखानों में जाती है । खून मेसर्स कॉलेक्टर कम्पनी इकट्ठा करती है । अग्रेते यामान्यतया सरकारी कारखाने में जाती है, दा० ल० मि० मेयर के कारखाने में ।

(२६) बीरभूत बिला

कुल करक गायबैल ८,३०५; बकरे ८,६२६; भैंसे २३०

(२७) जलपाईगुडी बिला

कुल करक गायबैल ३,५१८; बकरे २,४६३; और भैंसे ३६; भैंस १,०२०; और सुभर १,८०० ।

(२८) रंगपुर

कुल करक गायबैल १३,२००, बकरे ७,५००; भैंसे ५०० । कुयीग्राम में १३,००० और तिलकामडी में २०० गायें कटती हैं । बुरे छोटे विभागों के अंक अभाव है ।

इसपर से तो सिद्धान्त रूप में यही परिणाम निकाला जा सकता है कि जबतक इन मृत पोरों का भ्रम मान कर पूरा पूरा उपग्राह न करेंगे और उसके उत्पन्न धन को गोरक्षा में नहीं लगावेंगे तबतक गोरक्षा होना असंभव है ।

(नवजीवन) बालजी गोरक्षिणी रेकार्ड

टिप्पणियां

पत्रिकायत

एक भाई लिखते हैं: "मैं बरखासब का समासद हूँ । आज तक किछ बग के कितने समासद हुए, सहायक कितने हुए, आर्थिक सहायता कितनी मिली, इत्यादि बातें जानने की मेरी इच्छा है । ऐसी अपवाद फैंडी हुई है कि बरखासब को जितनी आमदनी होती है उसके अनिश्चित उसका खर्च अधिक है । मूल देनेवाले गरीबों के लिए देते हैं इसलिए सस्ती खादी किछ कीमत की और कितनी उत्पन्न हुई और कितनी किछी यह जानने की भी मेरी इच्छा है । यदि कार्यालय सस्ती खादी नहीं बेच सकता है और कार्यालय के तरफ से बुनी गई खादी गरीबों के हाथ में न जा कर कार्यकर्ता ही उसे आपस में बाँट लेते हैं तो उसके अनिश्चित यदि प्रत्येक समासद अपना मूल आप बुनवा के और उसमें से कुछ पुस्तकान करे तो यह क्या बुरा है ?"

यदि शिकायत करनेवाले महाशय 'नवजीवन' ध्यानपूर्वक पढ़ते होते तो उन्हें यह शिकायत करने का कोई कारण न रहता । इस शिकायत का उत्तर शिकायत करनेवाले महाशय ने 'नवजीवन' में मांगा है । 'यंग इण्डिया' में प्रत्येक समासद के नाम के साथ उसका पता और भेट आदि का स्वीकार किया जाता है और 'नवजीवन' में उसका पत्र दिया जाता है । उध परन्तु ही सब को यह पता लग सकता है कि बरखासब के कितने समासद हैं । बरखासब के कारोबार से सम्बन्ध रखनेवाले समासद भी समय समय पर 'नवजीवन' के प्रकाशित किये जाते हैं । फिर भी इस स्थान पर योका का धुकाका कर देना में कथित मानता हूँ । कार्यालय में अभी उतना मूल प्राप्त नहीं हुआ है कि बीजे ही खादी सस्ती की जा सके । परन्तु प्रकारान्तर से उध मूल का

इतना अधिक प्रभाव पडा है कि सारे हिन्दुस्तान में मजदूरी दे कर जो मूल कटाया जाता था उसके गुणों में बडा मुधार हुआ है । यह बहाये मिलनेवाला मूल दूसरे सूतों की परीक्षा करने में और उन पर बजर रखने में बडा उपयोगी साबित हुआ है । परन्तु बरखासब की परिमाण में इतना कम मूल प्राप्त हुआ है कि उससे बुनी हुई खादी बहुत ही कम लोगों को पहुंच सकती है इसलिए इसमें दूसरी खादी मिलानी पडी है । परन्तु कार्यालय के कार्यकर्ताओं से उसका एक भी टुकडा नहीं बाँटा गया है । कार्यकर्ता उन्हें जितनी चाहिए उतनी खादी करीब कर लेते हैं और कुछ लोग तो अपने कते मूल की खादी बुनवा लेते हैं । यदि बहाये कानेवाके अपना मूल आप बुनवा कर उसका पुस्त दान करेंगे तो उससे उध उधेश को हानि पहुंचेगी जो संवर्षाण से सफल हो सकता है, अथवा वह निष्फल ही होगा, और मूल को सुधारने का काम जो आज हो रहा है यह भी रुक जायगा । कार्यालय का खर्च उसकी आमदनी से अधिक नहीं है । यदि ऐसा होता तो मैं बरखासब को बन्द करता या उसमें से निकल जाता । परन्तु मुझे इस बात का स्वीकार करना चाहिए कि जितना मूल आता है उससे कार्यालय का खर्च परा नहीं होता है । कार्यालय का खर्च भेट की जो दूसरी रकमें मिलती है उससे चलता है । परन्तु यदि बरखासब के समासद आज जो चार हजार हैं वे बड कर चार करोड ही जायें तो कार्यालय का खर्च उसमें से निकल सकता है । ऐकडों नवयुवक कार्यालय के द्वारा अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं, यही नहीं खादी की कीमत पर भी उसका प्रौढ और बीधा असर पड सकता है ।

ऐसे कहीं गोरक्षा हो सकती है ?

एक मोसेबक लिखते हैं:

"मैंने एक गोशाला की मुलाकात ली थी । उसमें ४५० टोर हैं । सर्वे प्रति वर्ष २०-२५ हजार है और आमदनी १५-२० हजार । अन्तिम तीन वर्षों में आमदनी से खर्च ११ हजार अधिक रहा है । ४५० टोरों में ६५ देनेवाली सिर्फ दस गाँवें हैं । छोटी बछियाओं को पालपोस कर बडी करते हैं और जब दूध देने लायक होती है तो गाँव के लोग उनका दाम दिये बिना ही उन्हें ले जाते हैं । अर्थात् दान देनेवालों के खर्च से बछिया बडी होती है और जब दूध देने लायक होती है तब वहाँ के स्थानिक लोगों को मिल जाती है और उन स्थानिक लोगों से गोशाला को तो कुछ भी नहीं मिला होता है ।"

यह बडी ही दुःखप्रद कथा है । और बडदेरी गोशालाओं में इसी प्रकार काम चलता होगा । १५०० गोशालाओं का होना यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है । इतनी गोशालाएं यदि सुव्यवस्थित तौर पर चलती हों, उसका एकतंत्र हो तो उनके जयें हजारहा जानवरों का निर्वाह हो सकता है, करोडों का धन बड सकता है और गोरक्षा की कुंडी हमारे हाथ लग सकती है । ऊपरोक गोशाला में ११ हजार का तोटा नहीं पचना चाहिए । एक भी बछिया का दान नहीं किया जा सकता है । यदि यही गोशाला आदर्श दुग्धालय बने तो उसी गाँव को उसके जयें सस्ता ही और दूध मिल सकता है; और उसके साथ ही साथ समासद भी चलता हो तो लोगों को जूते इत्यादि खमडे की आवश्यक वस्तुयें भी प्राप्त हो सकती है । आज तो रुपये के रुपये खर्चे होते हैं और एक भी गाव करकगाह में जाने से नहीं बचती है । अर्थात् गोशालाओं का कार्य बडा संकुचित हो गया है । गोशाला यह स्थान रह गया है जहाँ मधु टोरों की ज्यों त्यों रक्षा की जाती है ।

हमें यदि कोई व्यापार करना हो तो हम उसके लिए रुपये दे कर के भी कुशल मनुष्यों को रखते हैं। नुकसान होता हो तो उसके कारणों की परीक्षा करते हैं। नित्य नये सुधार करते हैं और जयन्त उसमें नुकसान दिखाई देता है तबतक निश्चित हो कर नहीं बैठते। गोशाला का संदेश कोई छोटा-मोटा व्यापार करता नहीं है परन्तु गोरक्षा का महान धर्म पालन करना है। परन्तु यह कार्य हम अनुभवहीन मनुष्यों के द्वारा उसके फुसफुस के समय में कराते हैं। इस प्रकार काम करनेवाले मनुष्य भी आत्म-प्रवचन कर के यह मान लेते हैं कि वे सेवाधर्म का पालन करते हैं, दान करनेवाले गोरक्षा होती है यह मान कर अपने मन का छल करने हैं और इस धर्म के बहाने लाखों रुपयों का निरर्थक खर्च होता है। यदि संवाददाता ने निम्न लिखित बातें भी लिगी होंगी तो इस गोशाला का अधिक अच्छा निरीक्षण किया जा सकता था।

- (१) पंगु और दुर्बल ढोरों की संख्या।
- (२) दूध देनेवाली गाय, भैंसों की संख्या।
- (३) गेजाना दूध का परिमाण।
- (४) बछड़े—नर और मादा की संख्या।
- (५) बैल और पाड़ों की संख्या।
- (६) जमीन का वर्गफल।
- (७) गोशाला गाँव में है या गाँव बाहर।
- (८) ढोरों की सूर्यु संख्या।
- (९) मृत ढोरों की व्यवस्था।

**धर्म के नाम अधर्म**

अ. ३ के अन्त्यज मन्दिर के लिए श्री रामेश्वर बिरला ने दस हजार रुपये दिये थे। उसका एक अच्छा मन्दिर बना। उसमें श्री लक्ष्मीनारायण की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराने की क्रिया की गई और वह मन्दिर खोला गया। उसके सम्बन्ध में जो रिपोर्टें मेरे पास आई हैं उसमें निम्न लिखित बातें भी हैं।

क्रिया करानेवाले आचार्य पर ब्राह्मणों ने बहुत जुल्म किया, यद्यपि यज्ञमान कोई अन्त्यजवर्ग का न था। इस अन्त्यजों के मन्दिर में क्रिया कराते समय अन्त्यजों को अलग बिठाया गया था। दक्षिणा भी अन्त्यजों के तरफ से नहीं दी गई थी। मन्दिर के रुपये भी अन्त्यज के न थे। इसलिए यह मन्दिर अन्त्यजों के लिए था यही आचार्य का अपराध था। इस अपराध के लिए उन्हें गूँठ मुँडवाती पट्टी और प्रायश्चित्त करना पडा।

हम प्रकार अपना स्वमान भूल जानेवाले आचार्य को भी धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ। यदि प्राणप्रतिष्ठा कराने की क्रिया धर्म का काम था तो यह प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त नहीं परन्तु पाप ही कहा जा सकता है। आचार्य का बहिष्कार भी होना तो उससे उनी क्या हानि होती? ज्ञाति-बहिष्कार के भूल से आज का भी दरने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने हिम्मत के साथ अपना बहिष्कार हाने दिया है उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। यही नहीं वे तेरे ऐसे श्रेष्ठ मन्थन से मुक्त हुए हैं। न. न. न. कहते हैं।

- रे समझ्या विना नव नीधरीए
- रे रणमथ्ये जहने नव डरीए
- रे प्रथम बडे शूरो यहने
- रे भांग पाछो रणमा जहने
- ते थु जीवे भंड मुख लहने ?

[ विना समझे-बूझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रण-सैदान में जाने के बाद धरना नहीं चाहिए। जो प्रथम तो शूर वज

कर निकल पड़ता है परन्तु रण में जा कर पीछे भागने लगता है वह अपना युग या युद्ध के कर क्या जीएगा। ]

ऐसे समय पर यह वचन कितना उचित मालूम होता है। मुझे यह आशा न थी कि अमरेली जैसे प्रगतिवान शहर में जाग्रण-लोग इतना अज्ञान — गैली धर्मोपता दिखावेंगे।

इस प्रकार यद्यपि अमरेली के कुछ ब्राह्मणों ने हिन्दु-धर्म की विद्वम्बना की तो दूसरों ने उसको खोभा भी दी है। क्योंकि प्राणप्रतिष्ठा के समय पर सब वर्ण के हिन्दु एकजुट हुए थे। उनमें ब्राह्मण, वैश्य, लहार, बट्टे इत्यादि सब थे। अधिकारी वर्ग भी था। अंत्यजों के सिवा दूधने लोग भी अन्त्यामन्दिर का उपयोग करते हुए देखे जाते हैं। कुछ ब्राह्मणों ने तो भागवत इत्यादि पढ़ने का भी स्वीकार किया है। अब इस बहिष्कार का उनपर कैसा असर होगा यह देखना चाहिए।

**( नवजीवन )**

मो० क० गाँधी

**भारत सेवा समिति**

समिति ने, आगसे हुई अपनी हानि के सम्बन्ध में जो नोट प्रकाशित की है उसमें छपसाने में काम करनेवालों नोकरों ने स्वच्छा से जो त्याग किया है उससे बह कर दिल पर अछर करनेवाली ओर कोई बात नहीं है। समिति के प्रति उसके नोकरों को कितना विचार है उनका यह एक प्रमाण है। यदि वे इस हानि को अपनी ही हानि न मानते होंगे तो वे आठ घण्टे के बदले दस घण्टे काम करने का और अपना बोनस छोड़ देने का स्वार्थहीन और उत्तम प्रस्ताव ही न करते, प्रिन्टर ( सूत्रक ) ने तो ६ घंटे तक बिना वेतन के ही काम करने का वचन दिया है। समिति और उसके नोकरों में, जिसे पूर्वी और मजदूरी भी कह सकते हैं, मित्रता का यह भाव होने के कारण वे दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। समिति को जो, भदर टानि हूँ दे उसकी, गैरी भावों का ध्यान होना कोई कम क्षतिपूर्ति नहीं है।

कीमती हस्तलिखित पुस्तकों को, जिसमें श्री. गोदले का जीवन चरित्र भी था और ज्ञानप्रकाश की ८० वर्षों की पुरानी फाईलों की हानि ऐसी हानि है कि जो कभी पूरी नहीं की जा सकती है। परन्तु केवल इसी प्रकार तो कुदरत हमें आघात पहुंचा कर इस बात का सम्यक दिखाना है कि परमात्मा के सिवा इस संसार में कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं रहता है और इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम आदर और सज्जता के साथ परिणाम का विचार किये बिना ही उसकी इच्छा को पूरा करें।

समिति के सभासद अब बिना विलंब के ही अपनी हलचलों का पुनः आरंभ करने का अनुभोचित प्रयत्न कर रहे हैं। प्रथम यह कि उसमें जनता कैसे मगद करेगी? भारत के बहुत से प्रान्तों से उल्लेख वचन मिले हैं। यह आशा की जाती है कि किसी प्रकार की गड़बड़ और विलंब के बिना ही ये वचन कार्यरूप में परिणत होंगे। समिति के राजनैतिक विचारों से चाहे कितना ही मतभेद क्यों न हो उसके सभासदों की प्रामाणिकता और उनके स्वार्थहीन प्रयत्नों से कोई इन्कार नहीं कर सकता है उनकी वैयक्तिक से भी कोई इन्कार नहीं कर सकता है। अपनी महान समाजिक हलचलों के कारण भी वह एक ही है, और उसकी राजनैतिक हलचलों से उनका भी कोई कम सहस्र नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि गंग इण्डिया के पाठक भी समिति की प्रार्थना के उत्तर में अपना अपना चन्दा भेज कर समिति की सेवा की कदर करेंगे और जहाँ वे समिति के राजनैतिक विचारों से मतभेद रखते हों वहाँ सहनशीलता दिखावेंगे।

( म० ई० )

मो० क० गाँधी



हों यदि कोई व्यापार करना हो तो हम उसके लिए रुपये दे कर के भी कुशल मनुष्यों को रखते हैं। जुलूसान होता हो तो उसके कारणों की परीक्षा करते हैं। निरय नये सुधार करते हैं और जबतक उसमें सुकसान दिखाई देता है तबतक निश्चित हो कर नहीं बैठते। गोशाला का उद्देश्य कोई छोटा-मोटा व्यापार करना नहीं है परन्तु गोरक्षा का महान धर्म पालन करना है। परन्तु यह कार्य हम अनुभवहीन मनुष्यों के द्वारा उसके पुरसद के समय में करते हैं। इस प्रकार काम करनेवाले मनुष्य भी आत्म-प्रयत्न-रूप के यह मान लेते हैं कि वे सेवाधर्म का पालन करते हैं, दान करनेवाले गोरक्षा होती है यह मान कर अपने मन का छल करते हैं और इस धर्म के बहाने लाखों रुपयों का निरर्थक खर्च होता है। यदि संवाददाता ने निम्न लिखित बातें भी लिखी होती तो इस गोशाला का अधिक अच्छा निरीक्षण किया जा सकता था।

- (१) पंगु और दुर्बल डोरों की संख्या।
- (२) दूध देनेवाली गाय, भैंसों की संख्या।
- (३) गोजाना दूध का परिमाण।
- (४) बछड़े—नर और मादा की संख्या।
- (५) बेल और पादों की संख्या।
- (६) जमीन का वर्णफल।
- (७) गोशाला गाँव में है वा गाँव बाहर।
- (८) डोरों की मृत्यु संख्या।
- (९) मृत डोरों की व्यवस्था।

धर्म के नाम अधर्म

अन्धी के अन्त्यज मन्दिर के लिए श्री रामेश्वर चिरला ने कोई हज़ार रुपये दिये थे। उसका एक अच्छा मन्दिर बना। उसमें श्री लक्ष्मीनारायण की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराने की क्रिया की गई और वह मन्दिर खोला गया। उसके सम्बन्ध में जो रिपोर्टें मेरे पास आई हैं उसमें निम्न लिखित बातें भी हैं।

“क्रिया करानेवाले आचार्य पर ब्राह्मणों ने बहुत गुस्सा किया, यद्यपि अजमान कोई अन्त्यजधर्म का न था। इस अन्त्यजों के मन्दिर में क्रिया कराने समय अन्त्यजों को अलग बिठाया गया था। दक्षिणा भी अन्त्यजों के तथक से नहीं दी गई थी। मन्दिर के रुपये भी अन्त्यज के न थे। इसलिए यह मन्दिर अन्त्यजों के लिए था यही आचार्य का अपराध था। इन अपराध के लिए उन्हें मृत्यु मुहूर्तानी पड़ी और प्रायश्चित्त करना पड़ा।”

इस प्रकार अपना स्वमान मूल जाननेवाले आचार्य को में धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ। यदि प्राणप्रतिष्ठा कराने की क्रिया धर्म का काम था तो यह प्रायश्चित्त प्रायश्चित्त नहीं परन्तु पाप ही कहा जा सकता है। आचार्य का बहिष्कार भी होता तो उससे उन्नी क्या हानि होती? हाति-बहिष्कार के मूल से आज जगत् तो उरने की आसन्नकता नहीं है। जिन्होंने हिम्मत के साथ अपना बहिष्कार होने दिया है उन्हें कुछ भी जुलूसान नहीं हुआ है। यही नहीं वे ते ऐसे शूटे बन्धन से मुक्त हुए हैं। आत्मार्थ कहते हैं।

- रे समझ्या विना नव नीसरीए
- रे रणमध्ये अहने नव करीए
- रे प्रथम बटे झरो मझे
- रे भागे पाछो रणमां जहने
- ते छुं जीवे भुंटे मुख लहने ?

[विना समझी-शूटे भागे नहीं बचना चाहिए। रण-मैदान में जाने के बाद बरना नहीं चाहिए। जो प्रथम तो शूर बच

कर निकल सकता है परन्तु रण में जा कर पीछे भागने लगता है वह अपना युवा या मुख के कर क्या जीएगा।]

ऐसे समय पर यह बचन कितना उचित माहसूस होता है। मुझे यह आशा न थी कि अमरेली जैसे प्रगतिवान् शहर में जायण-लोग इतना अज्ञान—ऐसी धर्मोपेक्षा दिखायेंगे।

इस प्रकार यद्यपि अमरेली के कुछ ब्राह्मणों ने हिन्दु-धर्म की विद्वम्बना की तो दूसरों ने उसको शोभा भी दी है। क्योंकि प्राणप्रतिष्ठा के समय पर सब वर्ण के हिन्दू एकत्रित हुए थे। उनमें ब्राह्मण, वैश्य, उद्धार, बड़ई इत्यादि सब थे। अधिकारी वर्ग भी था। अत्यजों के बिना दूसरे लोग भी अन्त्यजमन्दिर का उपयोग करते हुए देखे जाते हैं। कुछ ब्राह्मणों ने तो भागवत इत्यादि पढ़ने का भी स्वीकार किया है। अब इस बहिष्कार का उपपर क्या असर होता है यह देखना चाहिए।

(नवजीवन)

पी० क० गांधी

भारत सेवा समिति

समिति ने, आगसे हुई अपनी हानि के सम्बन्ध में जो नोट प्रकाशित की है उसमें छपसत्ताने से काम करनेवालों नोकरीयों ने स्वेच्छा से जो त्याग किया है उससे बच कर दिल पर असर करनेवाली ओर कोई बात नहीं है। समिति के प्रति उसके नोकरीयों की कितना विचार है उसका यह एक प्रमाण है। यदि वे इस हानि को अपनी ही हानि न मानते होते तो वे खाट घण्टे के बन्दे उस घण्टे काम करने का और अपना धोतक छोड़ देने का स्वार्थहीन और उन्मत्त प्रस्ताव ही न करते, प्रिन्टर (सूत्रक) ने तो ६ मईने तक बिना वेतन के ही काम करने का वचन दिया है। समिति और उसके नोकरीयों में, जिसे पूंजी और मजदूरी भी कह सकते हैं, मित्रता का यह मात्र होने के कारण वे दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। समिति का जो अत्यन्त हानि हुई है उसकी, ऐसे भावों का व्यक्त होना कोई कम क्षतिपूर्ति नहीं है।

कीमती हस्तलिखित पुस्तकों की, जिसमें श्री. गोरखे का जीवन चरित्र भी था और ज्ञानप्रकाश की ८० वर्षों की पुरानी फाईलों की हानि ऐसी हानि है कि जो कभी पूरी नहीं की जा सकती है। परन्तु केवल इसी प्रकार तो कुदरत हमें आघत पहुंचा कर इस बात का स्मरण दिलाती है कि परमात्मा के सिवा हम सधार में कोई भी परार्थ दिवर नहीं रहता है और इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम आदर् और सभ्रता के साथ परिणाम का विचार किये बिना ही उसकी इच्छा को पूरा करें।

समिति के समासद अब बिना मिलन के ही अपनी हलचलों का पुनः आरम्भ करने का मनुष्योचित प्रयत्न कर रहे हैं। प्रश्न यह कि उसमें सभ्रता कैसे मदद करेगी? भारत के बहुत से प्रांतों से उसे बचन मिले है। यह आशा की जाती है कि किसी प्रकार की गड़बड़ और विलंब के बिना ही वे बचन कार्यरूप में परिणत होंगे। समिति के राजनैतिक विचारों से चले कितना ही मतभेद क्यों न हो उसके समासदों की प्रयत्नशक्ति और उनके स्वार्थहीन प्रयत्नों से कोई इन्कार नहीं कर सकता है उनकी वैयक्तिक से भी कोई इन्कार नहीं कर सकता है। अपनी महान समाजिक हलचलों के कारण भी वह एक ही है और उसकी राजनैतिक हलचलों से उनका भी कोई कम महत्त्व नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि दंग इण्डिया के पाठक भी समिति की प्रार्थना के उत्तर में अपना अपना अन्दा मोन कर समिति की सेवा की कदर करेंगे और जहाँ वे समिति के राजनैतिक विचारों से मतभेद रखते ही पहा बहवधीलता दिखायेंगे।

(पी० ई०)

पी० क० गांधी

हिन्दी
नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १९३३]

[ अंक ४२

मुद्रक-प्रकाशक
स्वामी आनंद

अहमदाबाद, ज्येष्ठ वदी ७ संवत् १९८९
मुद्रणार, ३ जुन १९२६ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय
कारंगपुर बरकीपरा की बस्ती

सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

भाग २

अध्याय ३

मेरा पहला मुकदमा

बम्बई में एक लम्बे काम का जन्मदाता हुआ था।
इसकी तरफ मेरे जीवन के प्रयोग। उसमें मेरे साथ वीरचंद्र गांधी
की धार्मिक थे। और मेरे लिए सर्वप्रथम ठगने का बड़े भाई
का प्रयोग भी चल रहा था।

कानून पढ़ने का काम बहुत ही बंद गति में चल रहा था।
सिविल प्रोसीजर कोड कैसे भी समझ में नहीं आता था। वेदाओं
के कानूनों में टोक प्रयोग हो रही थी। वीरचंद्र गांधी सोलिसीटर
बनने की तैयारी कर रहे थे इसलिए वे वकीलों की बहुत सी
बातें सुनाते थे। "फिरोजशा की होखियारी का कामज मजका
कानून का अभाव जान है। 'एजिडन्स एक्ट' तो मानो उनकी
अज्ञान पर ही है। बर्लघवीं दफे से सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक
मुकदमे का उन्हें ज्ञान है, बम्बई तो ऐसे आलाक हैं कि उनके
सामने जज साहब की चीखियां आते हैं। उनकी दलील करने की
धरि कभी ही आवश्यकता है।"

और क्यों क्यों मैं ऐसे महाम और प्रसिद्ध बकों की बातें
सुनता था त्यों त्यों मैं अधिक चरबता जाता था।

पांच सात साल तक बारीस्टर कोर्ट में बैठा बैठा परपर कोबा
करे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए मैंने सोलिसी-
टीटर बनने का धोखा। तीन साल के बाद मुझे अपना सर्वे
भी निकाल सके तो यह प्रगति बहुत बढ़ती कही जा सकती है।

प्रतिभास सर्वे चल रहा था। बारीस्टर का कोर्ट आगमन में
कटकाना और घर में बारीस्टरी के लिए तैयारी करनी; मेरा
काम किसी भी प्रकार इसका मेल नहीं मिला सकता था। इसलिए
मेरा जित्त बड़ा व्यग्रता का और इस हालत में मेरी यह पकड़
ही रहने ली। 'एजिडन्स एक्ट' में कुछ मिलवली मालूम हुई।
मेरा का दिग्ग-मा बड़ी ही दिक्कतरी के साथ पड़ा। परन्तु
उसके मुकदमा बकाये की दिग्मत प्राप्त न हुई। मेरा पुत्रक में

किसकी या कर सुनता? सुनाराल में गई हुई नवी बंदू के जेबा
मेरी निधति हुई थी।

इनमें मैं मनीबाई का मुकदमा मेरे भाग्य से मुझे मिला।
स्मालकाज कोर्ट में जाना था। 'दकल को कमीशन देना
होना।' मैंने इससे साफ इन्कार कर दिया।

"परन्तु कौजदारी अदालत के काम में मजदूर थे—प्रतिभास
(नार वार वार रुपये कमानेवाले भी तो कर्मचान बने हैं।"

"मुझे कहां उनके जैसा बनना है? प्रतिभास मुझे ३००)
लिखे तो मो चक होया / पिताभी को कहां कौजदारी दे?"

"केकिन वह जमाना तो गुजर गया। 'मनीबाई का सर्वे
अधिक है, तुम्हें कुछ व्यवहार भी तो देखना चाहिए।"

मैं एक का दो न हुआ। कमीशन कुछ भी न देना परन्तु
मनीबाई का मुकदमा तो मुझे मिला ही। मुकदमा बका आगमन
था। मुझे कोर्ट के ३०) भिजे थे। मुकदमा ऐसा नहीं था कि
बढ़ एक दिन से अधिक चल सके।

स्मालकाज कोर्ट में पहले पहल ही गया था। मैं तो मुद्दाकेइ
की तरफ से बकौल था इसलिए मुझे फिरह करनी चाहिए थी।
मैं अडा तो हुआ परन्तु मेरे पैर काप रहे थे और घर घूम रहा
था। मुझे तो बड़ी मालूम हो रहा था कि मानो अदालत घूम
रही थी। कबाल पूछने की कोई बात ही नहीं रूक पड़ती थी।
जज साहब हंसे होंगे। वकीलों को तो इससे बड़ा आनन्द
मिला होगा। परन्तु मेरे बहुत शर्म से कुछ भी नहीं देख
सकते थे।

मैं बैठ गया। दकल से कहा "मैं यह मुकदमा नहीं बका
सकूंगा। उसे पटेक को दे दो और मुझे ही गई रकम बापिस
ले लो।" वही एक दिन के लिए ५२) दे कर पटेक चुकाये
गये। उसके लिए तो यह खेल था।

मैं बड़ा से भागा। मुझे यह भी स्मरण नहीं है कि मेरा
सर्विकल जित्त या हारा। मुझे बड़ी शरम मालूम हुई। पूरी
दिग्मत न आने तक मुकदमा ही न कैसे का मेरे निधय किया
और अबतक दक्षिण आफ्रिका न गया तकतक तो मैं फिर अदालत
में ही नहीं गया था। इस निधय में कोई बात नहीं थी। हारने

के लिए अपना मुकदमा मुझे देने की कितने फुरसत होगी ? इसलिए बिना इस निश्चय के भी मुझे अदालत में जाने का कोई कष्ट न देता ।

परन्तु अभी एक दूसरा मुकदमा बम्बई में प्राप्त होनेवाला था । यह मुकदमा अरजी लिखने का था । एक गरीब मुसलमान की जमीन पोरबन्दर में जप्त की गई थी । मेरे पिताजी के नाम को जान कर वह उनके बकील पुत्र के पास आया था । मुझे तो उसका मुकदमा पशु माछम हुआ था परन्तु मैंने अरजी लिख देना स्वीकार कर लिया । उसकी छपाई का खर्च वह मजबूत देनेवाला था । मैंने अरजी लिखी और उसे मित्रबगो को पढ़ने के लिए दी । वह अरजी पढ़ गई और मुझे यह विश्वास हुआ कि मैं अरजी लिखने के लायक तो हूँ — और वैसा था ।

परन्तु मेरा उद्योग बढ़ने लगा । यदि मुफ्त अरजियाँ लिख देने का काम करता तो अरजियाँ लिखने को मिल सकती थी । परन्तु उससे घर के बच्चे खिलौने से थोड़े ही खेल सकते थे !

मैंने सोचा कि मैं शिक्षक का काम कर सकूंगा । मेरा अंगरेजी का ज्ञान अच्छा था । इसलिए मैंने यह सोचा कि यदि कोई शाला में मैट्रीक ( प्रवेशिका ) के वर्ग में अंगरेजी सीखाने का कोई काम मिले तो वह करना चाहिए । उससे कुछ पेट तो भरेगा !

मैंने समाचारपत्रों में विज्ञापन देखना शुरू किया । “ चाहे, एक अंगरेजी शिक्षक, रोज एक घण्टा, वेतन ७५ ) ” यह एक प्रतिष्ठित हाइस्कूल का विज्ञापन था । मैंने अरजी की, मुझे खुद जा कर मिल जाने की आज्ञा हुई । मैं बड़े उत्साह के साथ गया । परन्तु जब आचार्य को यह माछम हुआ कि मैं बी. ए. पास नहीं हूँ तब उसने ‘ बड़े टोक के साथ ’ मुझे विदा कर दिया । “ परन्तु मैंने लण्डन की मैट्रीकुलेशन परीक्षा पास की है । लैटिन मेरी दूसरी भाषा थी । ”

“ यह तो सब है, परन्तु यहाँ तो प्रैक्टिस की आवश्यकता है । ”

मैं लावार हो गया । मेरे सब प्रयत्न निष्फल हुए । बच्चे भाई को भी अब चिन्ता होने लगी । हम दोनों ने अब यह सोचा कि बम्बई में रह कर कालक्षेप करना निरर्थक है मुझे राजकोट ही में स्थिर हो कर रहना चाहिए । बड़े भाई भी एक छोटे से बकील थे । वे मुझे कुछ न कुछ अरजी लिखने का या पेशा कोई काम दे सकते थे । और राजकोट में घर का खर्च तो था ही । इसलिए बम्बई का खर्च निकाल देने से बहुत कुछ बचत हो सकती थी । मुझे यह सूचना पसन्द आई और बम्बई का घर कुछ ६ महीने रहने के बाद तटा दिया गया ।

जबतक मैं बम्बई में रहा तबतक रोजाना मैं हाईकोर्ट में जाता था । परन्तु मैं यह नहीं कर सकता कि वहाँ मैंने कुछ सीखा भी था । खीखने जितनी मुझ में बुद्धि ही न थी । कितनी ही मरतबा अब मुकदमा कुछ भी समझ में नहीं आता था और उन्हें बिलचस्पी नहीं माछम होती थी तब मुझे नई जाने लगती थी । पहले भी इस प्रकार नई लेनेवाले मित्र मिल गये थे, इससे मेरा लज्जा का बोझ हलका हो गया था । मैं यह भी समझने लगा था कि हाईकोर्ट में बैठ बैठे नई लेने का भी फायदा मे सुभार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । इससे तो लज्जा का कोई कारण ही नहीं रहा ।

इस जमाने में भी बम्बई में यदि मेरे जैसे बेकार बारीस्टर हों तो उनके लिए मैं यहाँ पर अपने एक छंटे से अनुभव का उल्लेख करता हूँ ।

मकान गीरगाम में रक्खा था फिर भी मैं शायद ही कभी गाडीमाडा खर्च करता था । ट्राम में भी शायद ही कभी बैठता था । गीरगाम से नियमपूर्वक बहुधा पैदल ही जाता था । उसमें ठीक ४५ मिनट लगते थे । और मैं लौटते बहुत भी पैदल ही आता था । दिन में धूप लगती थी परन्तु उसे सहन करने की शक्ति प्राप्त कर ली थी । इससे मैंने टोक खन की और यद्यपि मेरे साथी लोग कभी कभी बीमार हो जाते थे परन्तु मुझे तो यह याद नहीं पड़ता कि बम्बई में मैं कभी एक दिन के लिए भी बीमार पड़ा हूँ । जब मैं कमाने लगा तब भी इस प्रकार पैदल आफीस जाने की आदत को मैंने काम रक्खा था और उसका काम आज भी मैं उठा रहा हूँ ।

( नवजीवन )

मोहनदास करमचंद गांधी

## असहयोग और राष्ट्रीय शिक्षा

‘ नवजीवन ’ के एक पठक इस प्रकार लिखते हैं ।

“ अभी कुछ समय से ‘ नवजीवन ’ में ‘ शिक्षा ’ के विषय पर बहुत ही कम लिखा हुआ होता है और इसलिए लोगों के दिलों में यह कुराल रह हो गया है कि आपने ‘ शिक्षा ’ से सम्बन्ध रखनेवाली असहयोग की नीति का त्याग किया है और विद्यापीठ में अब शिक्षा की दृष्टि से कोई काम नहीं हो रहा है ।

महाविद्यालय के लिए उचित सुधारों की सूचना करने के लिए नियुक्त ट्वि ह्यू कमिशन के अध्यक्ष बनने के लिए श्री आनन्ददास मुख को पसंद किया गया इंग्लिश कुछ लोगों का यह कहना है कि काशी के सरकार से सम्बन्ध रखनेवाले विद्यापीठ के आचार्य गुजरात के असहयोगी विद्यापीठ के आन करनेवाले मण्डल के अध्यक्ष बने इससे यह साबित होता है कि असहयोगी और स्वयं सहायी भी असहयोग को छोड़ कर पंछे हट रहे हैं । इस स्थिति का समर्थन करते हुए कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि असहयोग के सब अंग अब हीने से पक गये हैं और बड़े बड़े नेता भी उनकी अज्ञात कम हो जाने के कारण एक के बाद एक उसका त्याग कर रहे हैं । इसलिए विद्यापीठ जैसी संस्था को बला कर राष्ट्र-जन को बरबाद करने में और ‘ शिक्षा ’ विभाग में काम करने के गुजरातियों को उसमें लगाये रखने से स्वयं सुधारण ही होता है । और यह भी तो कहा जाता है कि अब थोड़े ही समय में सरकार के तरफ से गुजरात के लिए एक नया विद्यापीठ खोला जावेगा और गुजरात में ‘ शिक्षा ’ के विषय में दिलचस्पी रखनेवाले इस नयी विद्यापीठ के साथ सहयोग कर के उसमें जो सुधार वे करना चाहते हों कर सकते हैं । इसलिए यदि स्वयंज पिन्वार के और शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाले गुजराती असहयोग की दृष्टिकोण में स्वयं पके रहेंगे तो गुजरात के नये सरकारी विद्यापीठ में अच्छे योग्य मनुष्य काफी तादाद में न मिल सकेंगे और जो थोड़े बहुत मनुष्य उस संस्था में काम करने के लिए बाहर आवेंगे वे हमारी परिस्थिति के अनुकूल शिक्षा के उचित आदर्श की स्थापित कर सकेंगे या नहीं इसमें शक्य है । इसलिए यह आवश्यक माछम होता है कि वर्तमान शिक्षा से सम्बन्ध है असहयोग को छोड़ कर राष्ट्र की आवश्यकताओं को सरकारी और दूसरी संस्थाओं में दायित्व करना चाहिए । इन दलीलों का उत्तर देंगे ? ”

असहयोग के किसी भी अंग के विषय में मैं जरा भी डीका नहीं हुआ हूँ । शिक्षा के सम्बन्ध में १९२०-२१ में मेरे जो विचार थे आज भी हैं और यदि मुझमें विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को समझाने की शक्ति होती तो आज एक भी

विद्यार्थी सरकारी शाला में नहीं रह सकता था। 'नवजीवन' में बार बार इस विषय की चर्चा नहीं की जाती है तो उसका कारण यह है कि जब व्याख्यानों से और लेखों से समझा कर शालाओं का त्याग करना कर्तव्य नहीं रहा है। जब तो जो शालाओं असहयोग पर कायम है उसका पोषण करना ही कर्तव्य है। मुझे बड़े दुःख के साथ इस बात का स्वीकार करना चाहिए कि असहयोगी शिक्षा की प्रवृत्ति में छात्रों की तरह कोई प्रगति नहीं हो रही है। संख्या की दृष्टि से तो उसमें भड़ा आ रहा है। प्रसंगानुसार दृष्टका उल्लेख करने में भी मुझे कोई सकोच नहीं होता है परन्तु हमेशा उसका उल्लेख करने की तो कोई आवश्यकता नहीं होती। परन्तु उसमें ऐसा भड़ा आने पर भी मुझे कोई भय नहीं हो रहा है। यदि हम अपनी भड़ा को न छोड़ेंगे तो हम अठे के बाट खवार का भाग भी निश्चित ही है। आज जो शाला और विद्यालय असहयोग पर दृढ़ हैं वे उस पर दृढ़ भाव से दृढ़ बने रहें और असहयोगी तत्त्वों को जरा भी छोड़ा न होने दे तां परिणाम में कुशल ही होगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं यह जानता हूँ कि प्रोप्रायटरी हाईस्कूल पर बाधक मारना उद्देश्य है। उसे छोड़ कर कितने ही शिक्षक और विद्यार्थी भी चल गिरे हैं। लेकिन इससे हुआ क्या? जब असहयोग का कार्य कोई देखादेखी ना नडा करना है और न कोई पाठिसी (नोनि) अध्यापकों के बल हो कर ही करना है। जो लोग दृढ़ असहयोगी हैं वे अपने भाग्य-सम्भ्रम के बल पर ही साधारण रहते हैं। यह समझ दें कि उन्हें और भी अधिक कठिन समय में से गुजरना होगा। परन्तु यदि ऐसा हो तो जिस प्रकार मोने की परीक्षा अग्नि में जलने पर अधिकाधिक हुग्नी जाती है उसी प्रकार असहयोगियों की भी भस्म हो ही परीक्षा हो। आखिर तक जो दृढ़ रहेंगे वे ही भस्म असहयोगी गिने जायेंगे, फिर चाहे वह एक ही या अनेक, परन्तु उन्हीं के द्वारा स्वराज प्राप्त किया जा सकेगा। स्वराज प्राप्ति के लिए मैं व्याख्यात करते हुए अभी जो कहा है वह सच है। और और बकरी में सहयोग हो ही नहीं सकता है। राष्ट्रियता गले अपने समान बर्ग के समुहों से किया जाय तो वह शोभा के समुदाय है। वर्तमान स्थिति में सरकार के साथ लोगों के किसी भी प्रकार के सम्बन्ध को सहयोग मानना उस शब्द का कुहराण्य करमा है। जब हम शक्ति प्राप्त करेंगे और अपनी शक्तों का उनसे प्रयोजन करा सकेंगे तब आप ही सहयोग हो जायगा और वह शोभा भी देगा।

परन्तु असहयोग के सम्बन्ध में आज भी गन्तव्यहीन होनी है इससे यह सूचित होता है कि हम अब भी असहयोग के स्वस्व को जान नहीं सके हैं। हमारा असहयोग राक्षसी, अधीनत विनय से हीन अथवा द्वेषयुक्त नहीं है। शास्त्र असहयोग में किसी के भी प्रति तिरस्कार के लिए स्थान नहीं होता है। आनन्दसंकर भाई के ज्ञान का या शक्ति का उपयोग विद्यापीठ के कार्य के लिए किया जाय तो उसमें असहयोग का जरा भी हासि नहीं पहुंचती है। उन्हें विद्यापीठ के कर्मस्थान का भ्रमण बना कर हमने सरकार के साथ किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं किया है। बात तो यह है कि उन्हें अभ्युक्त बनने का निमन्त्रण दे कर विद्यापीठ आज आर्थर का विरुध बना है नहीं नहीं उसने असहयोग का दृढ़ स्वस्व सिद्ध किया है। क्योंकि शास्त्र असहयोगी को किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई तिरस्कार ही नहीं हो सकता है। वाइसराय में भी अनुष्ठान के जो गुण हो उनके उपयोग — यदि उसमें उनकी उपाधि का उपयोग न हो तो — हमें अवश्य करना

चाहिए। यदि हम ऐसा न करें तो असहयोगी की हैसियत से मूल ही गिने जायेंगे।

विद्यापीठ जैसी संस्था चला कर हम राष्ट्र के धन का दुष्-प्रयोग नहीं करते हैं परन्तु सदुपयोग करते हैं। जो असहयोग को पाप समझते हैं उनकी दृष्टि का यहाँ कोई विचार नहीं हो रहा है। विद्यापीठ को दान देनेवाले असहयोग के सिद्धान्तों का स्वीकार करनेवाले लोग ही हैं। उनके धन का शिक्षा के इस महाम प्रयोग में उपयोग हो रहा है यह कोई व्यर्थ व्यय नहीं हो रहा है। हाँ, इतना अवश्य होना चाहिए कि ज्यों ज्यों संख्या में कमी होती जाय त्यों त्यों शिक्षकों के और विद्यार्थियों के कारिबन्ध में वृद्धि होनी चाहिए। तभी राष्ट्र के धन का अच्छा उपयोग हुआ गिना जा सकेगा। सरकार के तरफ से खोला जानेवाला विद्यापीठ यदि हमारे अध्यापकों को खीय ले जायगा तो मैं यह समझता कि वे असहयोग के उपासक न थे। सरकार के तरफ से निकलनेवाला विद्यापीठ हमें हमारे कर्तव्य के प्रति अधिक दृढ़ और सचेत बनायें। इसमें धनलाभ या मानलाभ मले ही हो परन्तु मैं यह जानता हूँ कि वह स्वराज्य का मार्ग नहीं है। यहाँ भले हो गरीबी हो, भले ही निर्दा हो, फिर भी यहाँ तो पद पद पर हम स्वराज्य को नजदीक ला रहे हैं और मैं अपने इस विश्वास का त्याग नहीं कर सकता हूँ।

( नवजीवन ) मोहनदास करमचंद गांधी

अप्रैल के अंक

अप्रैल के महीने के कारी की उत्पत्ति और बिक्री के अंक नीचे दिये गये हैं:

प्राप्त	उत्पत्ति	बिक्री
अजमेर	१२०५)	३२१७)
आन्ध्र	९,४६५)	१९,५५२)
बिहार	२०,९१७)	१५,९९८)
बम्बई		४४,४९८)
ब्रह्म		३,००९)
देहली	८०९)	१,८६८)
करनाटक	२,५९३)	८,४३६)
केरल	३१७)	१,७०८)
उत्तर महाराष्ट्र	१,५४९)	९,१३४)
मध्य महाराष्ट्र	२,५६)	७,५५५)
दक्षिण महाराष्ट्र		२,१९२)
पंजाब	५,७००)	१४,६२५)
तामिलनाडु	४३,९७३)	६२,९५७)
सयुक्त प्रांत	५,७५८)	१४,९३९)
कुल	१२,५४२)	२०९,०८८)

आंध्र के अंक अपूर्ण है और कुछ अंकों में कर्णाटक के अंक भी अपूर्ण है। बम्बई के अंकों में अ. आ. कारी मण्डार, बरलातंभ मण्डार और सेन्ट्रलस्टे रोड की कारी की इकाय के ही अंक हैं। मैं यह चाहता हूँ कि हम सब प्रांतों के सम्पूर्ण अंक देने में समर्थ हों।

( सं० ई० ) मो० क० गांधी



# हिन्दी-नवजीवन

गुरुवार, ज्येष्ठ वदी ७, संवत् १९८२

## कुटिल कानून

दक्षिण अफ्रिका के रंगदूषी कानून पर लार्ड बर्कनहेड ने अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने उसे आतिशय दिया है। मैं तो अपनी इस राय पर अब भी दृढ़ हूँ कि आतिशय के कानूनों में जुड़े जुड़े लोगों के लिए जुड़े जुड़े स्थान सुरक्षित रखने के कानून के बलिदान, जिस पर कि आगामी समिति में विचार होनेवाला है, यह कानून अधिक बुरा है। यह समझ है कि अभी थोड़े समय के लिए अथवा कभी भी उसका एशिया-निवासियों के विरुद्ध प्रयोग न हो। यह भी समझ है कि वहाँ के मूल निवासियों के विरुद्ध भी बहुत सख्ती से उस पर अमल न किया जाय। परन्तु इस कानून पर जो आपत्ति उठाई गई है वह उसके मूल सिद्धान्त के कारण और उससे जो अनेक प्रकार की सुगर्हायें सम्भव हो सकती हैं उनके कारण उठाई गई है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उससे दक्षिण अफ्रिका के भारतीय-निवासियों में कलबलगी पक गई है और श्री एण्ड्रयूज ने उसके सम्बन्ध में ऐसे सख्त शब्दों का प्रयोग किया है। उस बिल के खिलाफ वहाँ के भारतीय-निवासियों को अपने सम्पूर्ण उदास के साथ बराबर हलचल करते रहना चाहिए और आगामी विचार समिति में अपना पक्ष पेश करने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। वे अपना पक्ष कैसे भी क्यों न पेश करें वे इस रंगदूषी कानून के प्रति इशारा किये बिना नहीं रह सकते हैं क्योंकि इस एक कानून से दूसरे का भी अन्धाधुनक उगाया जा सकता है। रंगदूषी कानून तो वहाँ के मूलनिवासी और भारतीय-निवासियों के सम्बन्ध में यूजियन सरकार की कुटिल नीति का द्योतक है। और रंगदूषी कानून के सम्बन्ध में सरकार की जो नीति हो उसके अनुसार ही जुड़े जुड़े लोगों के लिए जुड़े जुड़े स्थान सुरक्षित रखने के बिल पर हमें विचार करना चाहिए। उसको मुकरवी कर देने के यह मानी नहीं कि उस नीति में कोई परिवर्तन हुआ है। अधिक से अधिक मसका लाने यही अर्थ हो सकता है कि वह पीछा कुछ दिनों के लिए मुकरवी पर दो गई है। इसलिए जिन्हें इस विषय से दिलचस्पी हो उन्हें चाहिए कि वे पूर्ण सावधान रहें। अबतक जितना काम किया गया है सब विनाशात्मक है। अधिक कठिन रचनात्मक कार्य का तो अब आरम्भ हुआ है। परन्तु भारत सरकार की नीति पर बहुत कुछ आचार रहता है। अबतक वहाँ के भारतीय-निवासी दुर्बल हैं तबतक तो विधित सब उसी के अधिकार में है। जब वे समय दोगे तब वे अपना अविषय आप बना सकेंगे।

लेकिन मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए बड़ा दुःख होता है कि श्री मेयद राजावली का वह खयाल है कि भारत में रंगदूषी कानून का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। यद्यपि वे आरंभ में यह कहते हैं कि वह कानून भारतीयों के खिलाफ नहीं बना है फिर भी उन्हें इस बात का तो स्वीकार करना ही पड़ता है कि इस बिल से सरकार को वह शक्ति प्राप्त हो जाती है कि जिससे यदि उसे आवश्यक मालूम हो तो भारतीयों के विरुद्ध भी वह उसका उपयोग कर सके। तब उन्हें श्री एण्ड्रयूज के उसका विरोध करने पर क्यों आश्चर्य होता है? सैयद साहब की यह भी धारणा

होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रिका के भारतीय-निवासियों में इस बिल के कारण बड़ी कलबलगी पक गई है। अभी ही भिन्ने हुए एक तार में दक्षिण अफ्रिका के भारतीयों की महासभा के मन्त्री लिखते हैं:

“विश्वास है कि आपने रंगदूषी कानून का एक विरोध किया होगा क्योंकि उसे अबतक शाही संजूरी नहीं मिली है।”

यदि यह आशा रखी जाय कि श्री एण्ड्रयूज हम भारतीयों के तरफ से अपनी आवाज उठावें तो वे इस अनुभव से हीन कानून पर जो कि दक्षिण अफ्रिका के मूल निवासियों के लिए खस कर बनाया गया है अवश्य ही आपत्ति उठावेंगे। संसार के एक नागरिक की दृष्टिगत से वे हम लोगों में शामिल हुए हैं, हमारे किसी खस गुण के कारण नहीं। परन्तु उनके इस प्रकार खस करने का कारण वहाँ कोई चर्चा का विषय नहीं है। चर्चास्प विषय जो संयद साहब ने उठाया है वह यह है कि हमें अब बिल का विरोध करना चाहिए या नहीं। हम लोगों ने उसका सदा विरोध ही किया है। दक्षिण अफ्रिका के प्रवासी भारतीयों ने भी उसका विरोध किया है और अब विचार समिति का जो निश्चय हुआ है उससे भी, उसका विरोध न करने के लिए हम बाध्य नहीं हुए हैं। उसका विरोध न करने की कोई गमित शान भी नहीं थी — और हो भी नहीं सकती है। इन दो कानूनों का मेरे हम दिख सकते हैं जैसा कि हमने किया भी है। रंगदूषी कानून हम लोगों के लिए परिणाम में उतना भयंकर नहीं है जितना कि वर्णानुसार स्थान सुरक्षित रखने का कानून और इन्हीं भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने और जनता ने उस पर ही अधिक जोर दिया था। परन्तु हमरा कानून मुकरवी किया गया है इसलिए हम पहले कानून का विरोध करना नहीं छोड़ सकते हैं।

इस चर्चा में जनरल हर्टजोग की प्राबालिकता और गुमेच्छा का विचार करना उचित नहीं है। जनरल हर्टजोग दक्षिण अफ्रिका के कोई सर्वशाक्तिमान राजा नहीं है। वे उसके सदा के नेता नहीं हो सकते हैं। आज जो विधित जनरल स्मट्स की है वह बल उनकी भी हो सकती है। सरकार के जैसी इकरार का ही कुछ मूरर हो सकता है, यद्यपि हमने तो खुद अपनी हानि उठा कर के इस बात का भी अनुभव किया है कि यदि मौके पर आवश्यकता हुई तो जैसी इकरार भी कुछ सम्झ कर फेंक दिया जा सकता है। जिस कानून का विरोध करना हमारा कर्तव्य है, उसका विरोध करने से आगामी समिति को कोई भय नहीं हो सकता है। समिति का वायुमण्डल विधित रूप से शापित बनाने रखने के लिए जो करना आवश्यक है वह यह है कि हमें शिष्टाचार नहीं करनी चाहिए, किसी पर दोषे दोष नहीं लगाना चाहिए, जितना ही दुःखद विषय क्यों न हो उसको चर्चा करते समय कठोर भाषा का प्रयोग न करना चाहिए। इससे भी आगे और बुरा भाषा तो स्वयं और स्वाध्य टोका करने के और निर्णय करने के अपने अधिकार का त्याग कर देना है। यह करने में जो निश्चय सब को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा उसके मुकाबले में उसकी कीम्य ही नहीं अधिक होगी।

(जं-३०) श्रीमन्महास करमचंद गांधी

### आयम अज्ञानवर्ति

पंचमी आहुति खतम हो गई है। अब जितने आर्तिर विरते हैं वकं कर लिए जाते हैं। आर्तिर मेकनेव को को अबतक कड़ी आहुति प्र मणित न हो तबतक जैसे रखा होगा।

## ‘रिद्धिसिद्धि की जन्मी’ गायमाता

(६)

[इतना उपोद्घात लिख कर मि० हेन विषय के प्रथम में प्रवेश करते हैं: दे० भा०]

हमारे घर के आंगन में एक ही गाय हो, अथवा खेत पर तीन चार गायें हो, अथवा बीस या चासीस गायों का धन हो, परन्तु हमें अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा दूध और मक्खन मिलना चाहिए और उसके लिए हमारे पास अच्छी जातिवान गायें होनी चाहिए, गायों को अच्छा खाना देना चाहिए, उनकी अच्छी दिकान्त करनी चाहिए और दूध बगैरे की उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए।

अच्छी जातिवान गायें कैसे प्राप्त हों?

गायों को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं: (१) खरीद कर लेनी; पकीसी से भी गाय खरीद करने में मन में सन्देह रहता है (२) पाल-पोस कर तैयार करनी, हमारी आँखों के सामने उनका जन्म हो और हम उन्हें पाल-पोस कर बड़ी करें तो उसके सम्बन्ध की इतनी बात का हमें ज्ञान होगा।

जिसे गोकुल (डेरी) की स्थापना करनी हो और अपने पास एक भी गाय न हो उसे प्रथम तो गायें खरीदनी पड़नी होंगी। परन्तु हमेशा खरीद पर आधार रखनेवालों को सावधान ही कोई काम होता है। सामान्यतया अच्छी गायें तो बिकने को ही नहीं आती हैं। उत्तम गाय प्राप्त करने का उत्तम और सस्ता मार्ग यही है कि हम उसे पाल-पोस कर बड़ी करें।

गोकुल (डेरी) की स्थापना करने के लिए गाँव ले तो जो उसमें ले उसमें गायें मिले चढ़ी खरीदें।

दुर्बल गाय की ७५ डालर का तपसे भी कम कीमत देने के अनिश्चय अच्छी गाय के १५० डालर देना कहीं अधिक अच्छा है। अच्छी गाय के दूध और बहकावकृतियों से पहले वर्ष में ही कीमत का फल बसूल हो जायगा। और इसके अलावा वह आगे भी बराबर काम पहुँचाती रहती। परन्तु दुर्बल गाय को जितना अधिक पाल रखेंगे उतनी ही अधिक दरिद्रता उससे हमें प्राप्त होगी। हमारे पास यदि सामान्य गायें हो और हम अच्छी गायें न ले सकते हों तो जैसी भी गायें हमारे पास हों हमें उनकी दिकान्त करनी चाहिए। उससे वे अपनी शक्ति के अनुसार हमें काम पहुँचावेंगी और उसे अच्छा खाँद दिखावेंगे तो उनकी शक्ति आरम्भ करनी आता है अधिक अच्छी होगी; इस प्रकार हमें आरम्भ करना चाहिए।

दुर्बल और कम दूधवाली गायों से गोकुल की स्थापना करे तो अच्छी गायों का धन बनाने के लिए बहुत समय बीत जायगा और बड़ी धीरे-धीरे रखना होगी। परन्तु अच्छे खाँद के सतत उपयोग करने से चाहे कैसी दुर्बल गायों से भी, गायों का अच्छा धन तैयार किया जा सकता है। एक गाय साल में ३,८७० सेर दूध और १२३ सेर मक्खन देती थी परन्तु उसकी बछिया की बछिया गाय बन कर १२,८०४ सेर दूध और ४८३ सेर मक्खन देने लगी थी। जब गायें अच्छी नहीं होती हैं तब अच्छे जातिवान खाँद का मुख्य साधन है गायों के धन के बराबर होता है।

अच्छी गायें कैसे पहचानी जाय?

गायों की परीक्षा दो तरह से होती है: (१) उसका दूध तोड़ना चाहिए, वह जो दूध के उसे तोड़ लिख देना चाहिए, उसके दूध में मक्खन कितना है उसका हिसाब रखना चाहिए और

कितना खाना खाती है उसका भी हिसाब रखना चाहिए। अर्थात् खाने के हिसाब से वह दूध देती है या नहीं यह देखना चाहिए। इस प्रकार पूरी जाँच हो सकती है।

बहुत ही गायों के विषय में ऐसी बातों का सम्पूर्ण उल्लेख नहीं होता है इसलिए अच्छी गायें इठ निकालने के लिए दूसरे प्रकार का आशय ग्रहण करना पड़ता है।

(२) गाय की परीक्षा करनी चाहिए उसकी अमुक आकृति और कृष्ण पर से वह अच्छी है या नहीं उसका निर्णय करना चाहिए। आकृति और देखने में कितने ही शुभ चिह्न होते हैं, जो हमेशा अधिक दूध देनेवाली गायों में ही पाये जाते हैं।

[यह संभव है कि अमेरिका में जो सुचिह्न गिना जा सकता है वह वहाँ कभी कुचिह्न भी गिना जा सकता है। फिर भी सुकना के लिए अमेरिकन सुचिह्नों का उपयोग किया जा सकता है।]

सुकशरणी गाय कौन होगी?

कमी कमी बहुत ही थोड़े सुचिह्नवाली गाय बहुत दूध देनेवाली होती है और लगभग सभी सुचिह्न रखनेवाली गाय बहुत कम दूध देती है। परन्तु नीचे बताये गये सुचिह्न अक्सर बहुतेरी अच्छा दूध देनेवाली गायों में होते हैं, इसलिए गाय खरीदने के समय जितने भी हो सके सुचिह्न प्राप्त करने चाहिए। यद्यपि अन्त में गायों का मूल्य ठहराने में निश्चयात्मक साधन एक ही है और वह दूध और उसके खाने के तौल का हिसाब है।

अच्छी गाय का साधारणतया अच्छा खूबसूरत सिर तथा गरदन और प्रकाशमान आँखें होती हैं। उसका पेट बड़ा होता है, और इसलिए वह खाना बहुत खा सकती है। उसका कमर का ढाँचा चौड़ा होता है और धन बड़ा होता है।

गाय की आँखें जब हो, सर की आकृति का कोई ठिकाना न हो, गरदन मोटी हो, शरीर दुबला पतला हो, धन छोटा हो, खड़ी पीठ हो, कमर का ढाँचा संकटा हो और अगले पीछे के पैर आघस में मिल से गये हों तो उसे दुर्बल गाय समझना चाहिए।

अच्छी गाय की आँखों में प्रकाश होता है, नाक चौड़ा और उसके छेद बड़े होने हैं। उससे वह अच्छी तरह से हवा ले सकती है, मुँह बड़ा होता है जो सामान्यतया अधिक आहार का सूचक है, जबका मजबूत होता है, उससे वह खाना अच्छी तरह से चबा कर उसका दूध बनाती है। कान और घमटा मजबूत या मुलायम होता है और कान के अंदर पीला गोम या पक्का होता है।

दुर्बल गाय की आँखें संद, नाक पतला, नाक के छेद छोटे, मुँह छोटा, और जबका दुर्बल होता है। बड़ा बेडौल सिर कम दूध के होने का सूचक है, यद्यपि कमी कमी तो अच्छा दूध देनेवाली गाय का सिर भी बड़ा और बेडौल होता है।

गाय के पैर खूब अलग अलग होने चाहिए ताकि बीच में मजबूत छाती के लिए काफी जगह हो। अगले पैर मिले हुए हों तो छाती और हृदय के लिए जितनी चाहिए उतनी जगह नहीं रहती है।

अच्छी गाय के शरीर का पैरा बड़ा होता है उसकी पसलियों बाहर के तरफ निकली हुई होती है और पेट बड़ा होता है। दुर्बल गाय का पैरा छोटा, पसलियाँ चौकी और पेट छोटा होता है। अच्छी गाय की गरदन खूबसूरत, कुछ पतली और ऊपर के तरफ जरा झुकी हुई होती है। जिसकी मोटी बेडौल गरदन हो वह संभव है कि निराशा उत्पन्न करे।

गाय की पीठ कंधे से ले कर पूंछ के मूल तक सीधी होनी चाहिए और बड़ा पेट उसमें रह सके उतनी लंबी होनी चाहिए। किसी अच्छी गाय को नीचे झुकी हुई पीठ होती है परन्तु वह निर्लक्षता की सूचक है। पीठ की ऊर्ध्वरेखा एक बाजू से देखने में सीधी और लंबी होनी चाहिए। पीठ छोटी और ऊंची होती है तो साधारणतया धन भी अच्छे नहीं होते हैं।

कितनी ही अच्छी गायों को कंधे के ऊपर का भाग नुकीला होता है। परन्तु यह हिस्सा गोल होने के कारण ही गाय को नहीं निकाल दी जा सकती है।

बहुत ही अच्छी गायों के पंठ की हड्डियां बाहर निकली हुई और अलग अलग और कटिप्रदेश समान और विशाल होता है। पसलियों में इतना अन्तर रहता है कि उसके बीच में दो तीन कंगलियां तक रखी जा सकती हैं। चमड़ा मुलायम होना चाहिए। चमड़ा कठोर हो तो उससे शरीर में रूद्ध की गति बराबर नहीं होती है अथवा कोई बीमारी है यह अनुमान किया जा सकता है।

अच्छी गाय का कमर का ढांचा चौड़ा होता है और पीठ की अन्तिम हड्डी के बीच में भी खूब जगह रहती है। राम और पिछले पैर ठीक अलग अलग होने चाहिए जिसमें बड़े पंजों के लिए अवकाश रहता है।

धन बड़ा, चिकना और आगे झुका हुआ होना चाहिए उसका नीचे का भाग समानरूप से लटकना रहना चाहिए और बड़ ठीक राम की ओर ऊंचे की तरफ जाना चाहिए। घुंघा घुंघा धन काफी नहीं रहता है और उससे उसको नुपसान होना भी सम्भव हो सकता है। अच्छी गायों को भी बभी ऐसा धन होता है परन्तु वह अच्छा नहीं है।

आंचल एक दूसरे से समान अन्तर पर और आसानी से बड़े जा सके इतने बड़े होने चाहिए। ऐसा न हो कि दो आंचल बड़े और दो छोटे हो। छोटे आंचल बड़ने में बड़ी तकनीक लेते हैं। बुग्री आकृतिकाँ और नुकीले आंचलों में बहुत दुब नहीं रह सकता है। धन के सिरे पर बड़ी और बाहर दिनाई देनेवाली नस हानी चाहिए। इसमें हो कर जो लड्डू रहता है उस पर दूध के परिमाण का आधार होता है। गाव को बूढ़ कर के उसका धन और आंचल कैसे है यह मालूम कर लेना चाहिए।

सब गायें यदि एक ही प्रकार की हो तब तो ठीक है, गायों का धन दिखने में भी अच्छा मालूम होगा। बछड़े बधिया भी एक से होंगे, हम उनकी ज्यादा फिक करेंगे, आंचल विकसित करेंगे और उनसे अधिक लाभ उठावेंगे।

उत्तम मालूम करने के लिए दांत देखने चाहिए। बछिया को दो वर्ष पूरे होते ही उसके दूध के दो दांत टूट जाते हैं और उसके बड़े दो स्थायी दांत आते हैं। तीन वर्ष पूरे होने पर दूसरे दो बड़े दांत आते हैं इस प्रकार एक एक वर्ष के बाद दो दो दांत अधिक आते जाते हैं। पांच वर्ष पूरे होने पर सब बड़े दांत आ जाते हैं। उसके बाद दांत धीरे धीरे छोटे और कीलों के से होते जाते हैं।

अति सुकुमार और नालुक गाय अच्छी नहीं होती। वह बेहोश तो न होनी चाहिए परन्तु मजबूत, हठपूत्र और बहुत सा खाना खा कर उसका दूध बनाने के लिए शक्तिशाली होनी चाहिए।

## पशुवध

### उसके कारण और उपाय

(३)

पहले और दूसरे अध्याय में चमड़े, लहू, शींग और हड्डियां इत्यादि चीजों पर विचार किया गया है। चरबी का उपयोग और पुनर्योग इतना महत्व रखता है कि उसका विचार इस अध्याय में करना आवश्यक है। अन्त में सुकामि रंग मांस के व्यापार का भी थोड़ा सा विचार करेंगे।

चरबी से सालुन, मोमबत्ती और ग्लिसरीन बनाया जाता है। नीतिहीन व्यापारी अच्छी चरबी को घां के साथ मिला देते हैं। इसके प्रकार की चरबी का गलियां भर भर के मिर्चों में कपड़ों पर चढाने के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ मिल सात्विक तो चरबी के बड़े निर्दोष वस्तुओं का भी उपयोग करते हैं। केन वैश्वज, हिन्दू नामवागी हा एक निलमालिक बनका पशुवध करने का क्या हम उनसे यह आशा भी नहीं रख सकते हैं। १९१३-१४ में टेलो, स्टैयरिन इत्यादि १४,००० मन पदार्थ विदेशों को भेजे गये थे।

पञ्जाब सरकार ने १९१० में उप प्रान्त के कोर गीर वृ. के व्यापार के विषय पर अपना एक व्याज प्रकटित किया है। उसमें लिखा गया है कि "प. में बहुत कुछ निर्यात होती है और देहली के पास की कुछ जगहों में तो ची, भांसी और कुम. पदार्थ मिलाने का और उन्हें नियमित रूप से प. में भेजने का व्यापार हो रहा है।"

पञ्जाब प्रान्त के टारों के सम्बन्ध में मि. सेड ने भी कुछ लिखा है। उसमें वे कहते हैं: "सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि छोटा व्यापारी जब भी इच्छा करता है तब वह अपना धन दिखने से छुड़ दिखवा भी बनाता है। इसी लिए चरबी में कुपुम्भी का तैल और पशुओं की चरबी का मिश्रण करता है। व्यापारी माला लोगों से यह चरबी खरीदते हैं। माला लोग टार के मृत शरीर से उसे प्राप्त करते हैं। यह कहा जाता है कि जितनी मरतबा व एक के हाथ से दूसरे व्यापारी के हाथ में जाता है उतनी ही मरतबा उसके चरबी में के दिखने पा होता है और जब यह हाठ है तब माला भी ही बाल निकलने पर सारे प्रान्त के लोग उसके लिए बड़ा शीघ्री शिकायत करे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारा जितने भी की शिकायत और उसके मङ्गले होने की कोशिश की शिकायत होती है..... साइम इण्डियन रेस्वे के जनरल टॉपिंग नेनेजर उस रेस्वे की इत में सब जगहों में उनकी जांच करा कर कहते हैं कि करीब करीब सारी जाँच पर प्रतियानुसार एक गाँव से दूसरे गाँव की थोड़ी थोड़ी चरबी भेजी जाती है और जो सा थमांड कमाने इत्यादि काम में भी उपयोग किया जाता है परन्तु यह भी कहते हैं कि उसका एक उपयोग था में माल यह करने में भी होता है।

उसका भाव जुदे जुदे विभागों में प्रति थोड़ा दो सा: हा पाई से ले कर पांच आने तक का होता है।

दूध का उपयोग जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ऐसे ही चरबी में अधिक मिलावट होती जायगी। एक विष (१ ऐर. सफ़ाई) भी बनाने के लिए जितना गाव का दूध होना आवश्यक है उतना दूध यदि ताजा ही बेच जाला जाय तो उसके (१) उत्पन्न होंगे। इतने दूध का मक्खन बनाने पर उस के (२) उत्पादन का मक्खन तैयार होगा और आज सब जगह भी की "हंसाई की

शिकायत हो रही है उस समय भी एक विद्यार्थी का २॥) से अधिक कुछ नहीं लगता है।

जो बनावेवाले जिलों में आज भी बहुत सा अच्छा ची प्राप्त ही सकता है परन्तु व्यापार की वर्तमान दशा में वह बड़े बड़े बाजारों में नहीं पहुँच सकता है, और अच्छे और बुरे ची का भाव एक ही है वह देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिलाधीन का ही मान है उसना ची पहुँचाना हो तो ची में प्रिलावट का होना अनिवार्य है और सबलोग यदि इसनी ही बात समझ ले। बहुत अरुणा हो क्योंकि ऐसा होने पर उद्योगी मण्डल और ऐसी दूसरी संस्थाने, आज भी में बिना नियम के, अपने-अपनी जीजे मिलाई जाती है उनके बड़े बड़े मुद्दा ची धारणा कोई दितकारक वनस्पति के तेल का उसमें मिश्रण कर के उसे बेचने का प्रबन्ध कर सकती है।”

हमारे पूर्वज ची को आयुष्य की उपमा देते थे (आयु वै मृतम्) और तब तब का प्रश्न हमारे यहाँ तो जीवन-मरण का प्रश्न है इसलिए मृत पाठकों से यह प्रार्थना है कि वे १९१२ में प्राप्त में भरी गई दूसरी अ० भा० आरोग्य परिषद के समक्ष यह गये “जल पदार्थों में प्रिलावट” विषयक डा० नायर के निबन्ध से उद्धृत किये गये निम्न लिखित विभाग को बड़े धैर्य के साथ पढ़ें:

“जल के समक्ष फेरीवाले प्रिलावट किये हुए ची का उपचार करते हैं। वे हमेशा सर पर एक बरतन में प्रिलावट किया हुआ ची रखते हैं और साथ में तीन के डिब्बे में नमूने भी रखते हैं और इस प्रकार वे लोगों को दवा देते हैं। सायन-ए और दोपहर को दस से तीन बजे के दरम्यान जब पुष्प के सर पर नहीं होता है वे दिखाई देते हैं।

आज हर बरबी, मुगफनी, और कुसुम्बी का तेल केले और आदानी प्रिलावट की जाती है।

कड़वा ची उसके आसपास रहनेवाले चमार डोरों को और साथ ही गेद को मार कर उसकी चरबी व्यापारियों को बेचते हैं। चमार को इस में बड़ा लाभ होता है। ४० का पशु परीदा ही सा उपरकी चरबी, चमड़ा इत्यादि बेच कर वह ५०) कमाते हैं। इस कारण लोग पशुओं की कल करने के लिए और व्यापारियों को चरबी देने के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं।

यह कहा जा सकता है कि एक भैंस से तीन डिब्बे चरबी निकलती है। इस प्रकार व्यापारी चमारों से चरबी खरीद कर अपनी दुकान में ५ के डिब्बे के पास उसका संग्रह करते हैं। एनिगिस्टिज का खुराक की जाँच करनेवाले अधिकारी कहते हैं कि तेल की, कलपुरम इत्यादि स्थानों में ची की दुकानों में उन्होंने चरबी के डिब्बे देखे हैं। कड़वा जिके में जहाँ जहाँ ची बनता है वहाँ वहाँ कसाई की दुकानें अथवा चमड़े की भावत होती हैं। उससे जब चाहे तब व्यापारियों को चरबी मिलती है।

कड़वा दो प्रकार का भी मिलता है। एक पतला और दूसरा गाढ़ा। पहले प्रकार के डिब्बे में ऊपर का भाग प्रसादी और नीचे का जमा हुआ होता है। प्रवाही पदार्थ कुसुम्बी का भी होता है। और जने हुए ची में चरबी और ची का मिश्रण होता है इसलिए प्रत्येक दुकान में पशु ची देखना चाहिए तो व्यापारी डिब्बे में परमत्र भ्रम कर नीचे से जमा हुआ ची निकाल कर विशालेगा। दूसरे प्रकार के ची में चरबी और ची की ही प्रिलावट होती है। पहले प्रकार का ची दूसरे प्रकार के ची से कुछ महँगा हो। कि क्योंकि उसमें चरबी कम होती है और ची अधिक होती है।”

सर जोन वुडोक कलकत्ते में जब एक गोरक्षा-मण्डल के अध्यक्ष थे तब उन्होंने इस्ट इन्डियन रेलवे के एजेंट को सर्वे के १००) दे कर जगह जगह से हाववा स्टेशन पर आनेवाले सूकाये गये मांस के अंक प्राप्त किये थे। १९१७ में १,५०,००० मन, १९१९ में १,७५,००० और १९२० में २,००,००० मन सूकाया गया मांस हाववा आया था। दो टारों की कल करने पर १ मन सूकाया हुआ मांस प्राप्त होता है। इस हिसाब से २,००,००० मन मांस के लिए ४,००,००० डोर की कल करना चाहिए। अशदेश के महसूल विभाग के अधिकारी से कलकत्ते की एक दूसरी गोरक्षण संस्थाने निम्न अंक इंडरवेट (५६ सेर) में प्राप्त किये थे।

१९१७-१८	१९१८-१९	१९१९-२०
१,१९,३५२	१,५२,१८५	१,५७,०६२

१,५०,००० इंडरवेट = २,१०,००० मन। सूकाये हुए मांस के लिए कहा जाता है कि प्रतिवर्ष ४५ लाख डोरों की कल किया जाता है। १९१५-१६ में साडेबाईस लाख रुपये का सूकाया हुआ मांस हिन्दुस्तान से अशदेश भेजा गया था।

(नवजीवन) वालजी गोविन्दजी देसाई

### टिप्पणियाँ

**अच्छा और बुरा**  
बरहामपुर म्युनिसिपल काउन्सिल के उपाध्यक्ष अ० भा० नरखा-संघ को अपने पत्र में लिखते हैं:

“सिर्फ लड़कों की शालाओं में ५२ चरखे बालिक किये गये हैं। प्रतिमास १० तोला सूत काता जाता है। कताई के शिक्षक की मासिक १५) वेतन दिया जाता है। हरएक शाला में प्रतिदिन ४० मिनट का एक बण्डा कताई के लिए दिया जाता है।”

बरहामपुर म्युनिसिपल काउन्सिल के अधिकार में लड़कों की शालाओं में चरखे की स्थान मिला है यह अच्छा ही हुआ है परन्तु यह बात बुरी है कि इतने चरखे होने पर भी इतना कम सूत काता जाता है। एक लड़का आधे बण्डे में आसानी से १० अंक का आधा तोला सूत कात सकता है। इससे ५४ चरखे से प्रतिदिन २६ तोला सूत तैयार हो सकता है। और एक महीने के २५ काम के दिनों में उस हिसाब से ६५० तोला सूत तैयार होगा। कताई का वह शिक्षक जो ५२ चरखे से प्रतिमास १० तोला सूत प्राप्त कर के ही सन्तोष मान लेता है, राष्ट्रीय धन में से प्रतिमास १५) वेतन पाने के योग्य नहीं है। मैं यह आशा करता हूँ कि इन भेजे गये अंकों में कहीं भूल हुई होगी। क्योंकि एक चरखे के लिए भी तो १० तोला सूत बहुत ही कम निकदार है। चरखे कोई शोभा के साधन तो है नहीं। वे तो मनोत्पादक यन्त्र हैं। और उसके मालिक का यह काम है कि वह उन्हें सुस्त न पड़े रहने दे। हरएक कताई के शिक्षक को इसमें अपनी इज्जत समझनी चाहिए कि जितना वेतन उसे दिया जाता है उसके मुताबिके में काफी सूत की उत्पाति का यकीन दिला कर के वह अपनी रोजी कमावें। और यह वह आसानी से कर सकता है यदि उसके पास एक बड़ा बर्ग हो और लड़कों के लिए कई धुनकने का और पूनियाँ बनाने के काम में उसे कोई आपत्ति न हो। कताई की कला में लड़कों की दिलचस्पी बढ़ाने का और उसकी शिक्षा देने का यही उत्तम मार्ग है। यह स्मरण रखना चाहिए कि कताई में विनोके निकालने और पूनियाँ बनाने का काम भी शामिल होता है। पूनियाँ बनाना और विनोके निकालने का काम ऐसा है कि उससे कताई के बनिस्वत एक दिन में अधिक आबरवी होती है।



**अ० भा० गीरक्षा मण्डल**

मंत्री उनको प्राप्त निम्न लिखित सूत का स्वीकार करते हैं:

न सभासद का पन्दा मर

गुजरात ८-१-२०

३५	मगनभाई बाबाभाई	अविन्ना	२,०००
३६	भीरीबहन	साबरमती	८,०००
३७	शकरभाई भीखाभाई	स्वादला	२९,०००

**सिध १**

३८	सेवकराम करमचन्द	पुराना सह्यार	२,०००
----	-----------------	---------------	-------

**सिध २**

३९	डॉ. वी. नरसिंहराव	चेन्नै	२४,०००
४०	पी. यश. शशी	मकताल	१७,०००

**सर्मा**

४१	मगनलालजी पुढोत्तम	प्रोम	१०,०००
----	-------------------	-------	--------

नं ४, ६, ८, ९, ३२ और ३३ ने अनुक्रम से अपने अंक बढ़ा कर कुल २७,०००, २४,०००, १२,४००, ११,०००, २४,००० और २४,००० गज तक पहुंचा दिये हैं।

**मेट**

श्री अमृतलाल सल्लुभाई	अहमदाबाद	१,०००
” किम्मतलाल जमनादास	”	१,०००
” असुतलाल जमनादास	”	२,०००
” नाथामाई बाबाभाई पटेल	सोबीत्रा	३,०००
” गोविन्दलाल महीपतलाल ठाकोर	राजकोट	१,०००
” एच. रामोबा	बम्बई	१,०००
” अशुलमजीद खैर	बरहामपुर	१,०००
” बी. राधकैना	नेकोर	१,०००
” राजाराम एम. गोन्दाह	मडुरा	१,०००
” जी. सीताराम शास्त्री	गुन्तूर	५,०००
” जी. बी. सुब्रह्मण्यम	”	१,९२०
” बी. गणपतिराव	”	२,५००
” बी. नरसिंहम्	”	५००
” बी. आप्पाराव	”	६,०००
” एच. बी. कृष्णयागम	”	१५,०००
” सोनीराम पोदार	रंगून	} लम्बाई नहीं माखम
” केनाम्बक सुब्रह्मण्यम्	कोयम्बेदा	
” ए. एम. सुन्वाराव	बेमकोर	

मकद बन्दा और मेट की रकम कुल रु. ६१००-१५-० होते हैं और बन्दे में या मेट के तौर पर भिजे हुए सूत की बिट्टी से रु. २६-६-० भिजे हैं। जो लोग मेट के तौर पर हाथकता सूत भेजते हैं उन्हें कृपा कर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे यदि उतनी ही मिहमत, जितनी कि वे करते हैं, अधिक ध्यान दे कर और कुशलतापूर्वक करेंगे तो वे अपने बन्दे की या मेट की कीमत दूनी बढ़ा सकेंगे। जो सूत भिजा है वह बड़ी ही उदासीनता के साथ कासा गया है। कुछ तो ऐसा है कि बाजार में उसकी कुछ भी कीमत उत्पन्न नहीं हो सकती है क्योंकि उससे खादी तैयार ही नहीं की जा सकती। उसका तो रस्त्रियां बनाने में या बहुत हुआ तो रस्त्रियां बनाने के काम में ही उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार उदासीनता के साथ काटे गये सूत की कीमत नाममात्र ही होगी। इसलिए जो लोग अ० भा० गीरक्षा-मण्डल को पन्दा या मेट के रूप में

सूत भेजते हैं उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि कताई में वे जितनी भी उदासीनता दिखावेंगे, गोभी हक में उतना ही मुकदान होगा।

**साधनवान बनो,**

सत्याग्रहाश्रम के व्यवस्थापक मुझसे कहते हैं कि उनके पास तकली देनेवालों के इतने अधिक पत्र आये हैं कि वे उन सब को तकली भेजने में असमर्थ हैं। इतने लोच तकली भेजते हैं यह बड़ा आरोग्यसूचक है। परन्तु यदि कताई एक कला है, और यह है, तो उसे अनुभव को साधनसम्पन्न बनाना चाहिए। एक ही केन्द्र लाखों तकलियां बना कर मही दे सकता है। मुख्य केन्द्र से स्वतंत्र होता ही तो कताई का गुण है। जहां तक मुमकिन हो सके भीम ही, किसी भी बात में किसी केन्द्र पर किसी को आधार न रखना पके ऐसी स्थिति उत्पन्न करना ही परभासंघ का उद्देश्य है। आश्रम में तकलियां उन लोगों के लिए तैयार की जाती हैं जिनकी कि उसका प्रयत्न करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है। परन्तु यह ऐसा साधन है कि उसे हर शहर हर जगह पर बना सकता है और उसे बनाना चाहिए। एक उतम तकली बनाने के लिए इतनी चीजों की आवश्यकता है: एक सूखी बांस की तकली का टुकड़ा, सूटी हुई स्टेड-पट्टी का एक टुकड़ा, चाकू, छोटी सी हथोड़ी, रेशी और यदि संभव हो तो एक कम्पास। बांस की तकली से आधे घण्टे में एक तकली तैयार हो सकती है और यह पैलाव की तकली जैसा ही अच्छा काम देती है। जो इस कला को हस्तगत करे उसे उसकी मुक्ति भी जाननी चाहिए। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि कताई यह गरीबों की कला है, वह उनकी शक्ति देनेवाली है और इसलिए उसके साधन भी गरीबों को आसानी से प्राप्त होने चाहिए। इसलिए हर एक लड़के और लड़की को अपनी तकली आप बना लेनी चाहिए। उन्हें अपने लिए तकली बनाने में आनन्द आयेगा और अपने हाथ से बनायी तकली पर काटने में तो और भी अधिक आनन्द आयेगा।

**भारत सेवा समिति**

पूना की भारत सेवा समिति (सर्वेंट आफ इण्डिया सोसायटी) के तरफ से मुझे प्रकाशनार्थ निम्न लिखित समाचार भिजा है:

“कल दोपहर को पूना में कीने बाई में आम कमी थी और उसके आयेभूतण और ज्ञानप्रकाश मुद्रणालय किन्हीं ज्ञानप्रकाश और 'सर्वेंट आफ इण्डिया' छपते थे सर्वथा जल कर भस्म हो गये। ये दोनों पत्र भारत सेवा समिति के थे। और उसे इस आग से जो भयकर हानि हुई है उसके बाद जबतक वह अपनी स्थिति का विचार कर के उनके प्रकाशन के लिए फिर शक्तिशाली न होगी तबतक कुछ बसार्थों के लिए उनका प्रकाशित होना संभव नहीं है। इसलिए हम आपके पत्र के अर्थ अपने प्राइकों से इस अभिवार्थ बाधा के लिए क्षमा की याचना करते हैं।”

मुझे इसमें आ भी शक्य नहीं है कि प्राइकण्य दोनों पत्रिकाओं के प्रकाशन में जो अविवार्य बाधा व्यवस्थित हुई है उसे आवश्यक ही क्षमा करेंगे, नहीं नहीं, दोनों प्रेसों के बट हो जावे। वे समिति को जो हानि हुई है उसका जो कदो कि जलसमाप्त को जो हानि हुई है उसमें उसको प्राइकों की और मेरे जैसे असंख्य मित्रों की सम्पूर्ण सहाय्यता भी प्राप्त होगी। मुझे आशा है कि 'सर्वेंट आफ इण्डिया' और 'ज्ञानप्रकाश' का प्रकाशन फिर से शीघ्र आरम्भ होगा।

(नं० ६०)

जी० ए० गार्गी

# हिन्दी नवजावन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ४२

मुद्रक—प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

अहमदाबाद, पेशवा सुदी १, संवत् १९८२  
 बुधवार, २७ मई, १९२६ ई०

मुद्रकस्थान—महामनीन्द्र मुद्रकालय,  
 कारंगपुर सरकोमरा की बाड़ी

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

भाग २  
 अध्याय २  
 संसारप्रवेश

बड़े भाई ने भी मुझ पर बहुत कुछ आशयें बांध रखी थीं। उन्हें स्वर्ग का, ईश्वर का और अभिकार का बड़ा भ्रम था। उनका आदर्श ही ईश्वर था। उनकी उपासना पिन्डुलवर्ण की हद तक पहुँच जाती थी। इस कारण अथवा अपने भ्रातृपन के कारण वे जहाँ भी जाते ही बहुत ही मित्र बन पड़ते थे। इन मित्रों के अर्थ में मेरे नाम बहुत से सुकामे मिलेवाले थे। उन्होंने यह भी मान लिया था कि मैं बहुत दाने कमलैवाला हूँ और इसलिए उन्होंने परमार्थ भा उड़ा लिया था। मेरे लिए आकाश का द्वार खोल देने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं रखी थी।

ज्ञानि का झगडा तो था ही। इसकी ही विभाग हो गये थे। एक पक्ष ने मुझे फौज ही ज्ञानि में ले लिया लेकिन दूसरा पक्ष मुझे ज्ञानि में न लेने के मुद्दे पर अड़ा ही रहा। मुझे ज्ञानि में लेनेवाले पक्ष की समर्थन पहुंचाने के लिए मेरे भाई मुझे राजकोट ले जाने के पहले नासिक ले गये। वहाँ मुझे स्नान कराया गया और राजकोट पहुँचने पर ज्ञानि भोज किया गया।

इस कार्य से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। बड़े भाई का मुझ पर असाध्य प्रेम था और जहाँ तक मेरा ख्याल है उनके प्रति मेरी भक्ति भी वैसी ही थी। इसलिए उनकी इच्छा को आज्ञा समझ कर मैं अंध के तौर पर बिसा समझे उनके अनुकूल ही बरतते कार्य करता था। ज्ञानि का काम तो इतने से ही ठीक हो गया।

किस पक्ष में मैं ज्ञानि से बहिष्कृत समझा गया था उससे अवगत करने के लिए मैंने कभी भी प्रयत्न नहीं किया, और न ज्ञानि के किसी भी छेड़ के प्रति मेरे मन में कभी कोप ही हुआ। जबसे मैंने लोग भी वे जो मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे।

उनके साथ मैं नम्रता ही व्यवहार रखता था। ज्ञानि के बहिष्कार के नियम का मैं सम्पूर्ण आदर करता था। मेरे भ्रमुरगृह का न मेरी बहन के घर का पानी भी न पीना था। वे लकड़पट्टर मुझे पानी पिलाने के लिए तैयार भी होते थे परन्तु जो बात मैं बाहिरा न कर सकता था उसे लकड़पट्टर करने के लिए मेरा दिल कुचल न करता था।

मेरा इस प्रकार के व्यवहार का परिणाम यह हुआ कि मुझे आज भी ऐसा कोई स्मरण नहीं है कि ज्ञानि के अन्तर्गत मैंने कभी कोई झगडा उत्पन्न हुआ हो। यही नहीं, आज यद्यपि मैं ज्ञानि के एक विभाग से नियमपूर्वक बहिष्कृत माना जाता हूँ फिर भी मैंने तो उसके तरफ से भी आदर और वसंतता का ही अनुभव किया है। उन्होंने मुझे मेरे कार्य में मदद भी की है परन्तु उन्होंने मुझसे कभी यह आशा नहीं रखी न मैं ज्ञानि के लिए कुछ करूँ। मेरा यह ख्याल है कि मैंने अन्तर्कर का यह मधुर फल है। यदि मैंने ज्ञानि में सामिल होने का प्रयत्न किया होता, और भी अधिक पक्ष उत्पन्न किये होते और ज्ञानि के लोगों से छेड़छाड़ को होती तो अवश्य ही वे मेरा विरोध करते और बिलयत से लौटने पर मैं उदासीन और अन्तिम रहने के बदले केवल छलप्रपञ्च की जाल में फँस गया होता और भ्रमणम्ब का ही पोषक बना होता।

मेरी पत्नी के साथ मेरा सम्बन्ध अभी वैसा न हो सका था जैसा कि मैं चाहता था। विलायत जाने पर भी मैं उसके प्रति अपने हृदयमय स्वभाव का त्याग न कर सका था। हर एक बात में मेरी जिद्द और बड़म तो अब भी वैसी ही थे। इससे मैं अपनी गोची हुई सुराही को पूरा न कर सका। मैंने यह सोच रखा था कि मेरी पत्नी को अदरहाज का होना अवश्यक है और वह मैं उसे दूंगा परन्तु मेरी विधायिका के कारण मैं यह न कर सका और मेरी इध कानबोरी के कारण मुझे जो कोप हुआ उसका भोग भी मेरी पत्नी को ही करना पडा। एक समय तो मैंने उसे उसके मँके में भी भेज दी थी और बहुत सा कष्ट देने के बाद ही मैंने उसे पार अपने साथ रहने देना स्वीकार किया था। पीछे से मैं यह समझ सका था कि इसमें केवल मेरी ही मादानी थी।

बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में भी मुझे कुछ सुधार करने थे। बड़े भाई के सबेरे और मैं भी अपना एक बालक छोड़ कर विलायत गया था। अब उसकी उम्र कोई चार वर्ष की हुई होगी। इन बालकों को ध्याधान कराया, उन्हें गजबूत बनाना और अपने ही सहवास में रहने का मैने पहले ही से भाव रखता था। इसमें बड़े भाई की सहायता भी थी। इसमें मुझे थोड़े बहुत अर्थों में सफलता भी प्राप्त हुई। बालकों का समागम मुझे बड़ा ही प्रिय मालूम होता था और उनके साथ विनोद करने की भावना तो आज भी कायम है। मुझे तभी से यह प्रतीत होने लगा है कि बालकों का शिक्षण बन कर मैं शिक्षक की शोभा दे ऐसा अच्छा काम कर सकूँगा।

यह बात भी स्पष्ट मालूम होती थी कि भोजन के विषय में भी सुधार करने चाहिए। घर में चाय और काफी को स्थान प्राप्त हो चुका था। बड़े भाई ने यह सोचा था कि भाई विलायत से लौटे उनके पहले विलायत की कुछ हवा तो घर में अवश्य ही प्रवेश करनी चाहिए। इसलिए नीनी के बरतन, चाय इत्यादि बस्तुओं का, जो पहले घर में इसलिए रखी जाती थी कि दवा में या किसी सुन्दर हुए महमान के लिए उनका उपयोग हो, अब आम तौर पर घर में सब के लिए उपयोग होने लगा। ऐसे वायुमण्डल में मैं अपने 'सुधार' ले कर आया। अंटीमोल पोरिज (राब) हाथिल की गई और चाय और काफी के बड़े कोको हाथिल हुआ। परन्तु यह नाम मात्र का परिवर्तन था, इसमें सिर्फ यही हुआ कि चाय और काफी में कोको और शालिष्ठ हुआ। बूट और मोटे तो पड़े ही से घर किये बैठे थे और मैने पटलून के साथ घर को पारन किया।

इस प्रकार सब ठंडा था। नूनन्ता भी रही थी। घर में मानों संकेत हाथी बांधा गया था। लेकिन इस सब के लिए रुपये कहा से आने? राजकोट में एकदम बकालान आरंभ कर देने में तो केवल हनी ही है। राजकोट में पास हुए बकीलों के सामने सबेरे हान के लिए मिलना चाहिए जतना मुझे ज्ञान न था अगर तनमें दम मुनी फीज लेने का मैं दावा करता था। कौन मूल्य सबकाल मुझे अपना बकील बनाता? और यदि ऐसा कोई मूल्य मिल भी आवे तो भी क्या मुझे मेरे अज्ञान में उद्धारी और दगा की जाऊँ कर मेरे ऊपर गसस का करना और अधिक बढ़ाना चाहिए।

मेरे मित्रवर्ग ने मुझे यह सलाह दी कि मे कुछ समय के लिए बम्बई जाऊँ, वहाँ हईनेट्टे का अनुभव प्राप्त करूँ और हिन्दुस्थान के कानूनों का अध्ययन करूँ। और वहाँ यदि कुछ बकालात हो सके तो मुझे वह भी करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं बम्बई के लिए रवाना हुआ।

बम्बई आ कर मैने अपना घर जमाया। एक रसोई बनाने-वाले को रखा। यह भी मेरे ही जैसा था। ब्राह्मण था, मैने उसे अपना नोकर समझ कर नहीं रखा था। यह ब्राह्मण नहाता था, परन्तु धोता न था। धोती मैला, जेकर मैला; और उसे शास्त्र का कुछ भी ज्ञान न था। मैं अधिक अच्छा रसोई बनाने-वाला जाना भी तो कहाँ से जाना!

"क्यों रक्षिकर, तुम्हें रसाई करना तो नहीं आता है, परन्तु संख्या इत्यादि के बारे में क्या कहते हो?"

"भाई साहब क्या कहें, रसमातर्पण सब हल, कुहाड़ी और फावटे में ही समा जाता है। हम तो ऐसे ही बामन हैं। आप जैसे निमाते हैं और हमारा निभ जाना है, नहीं तो आसखर खेती तो है ही।"

मैं समझ गया, मुझे रक्षिकर का शिक्षक बनना पड़ेगा। समय तो बहुत था। कुछ रसोई रक्षिकर बनता था तो कुछ मैं। विलायत के निरामिष खाद्य के प्रयोग वहाँ आरंभ किये। एक प्लेट खरीद कर लिया। मैं कोई पक्षिभेद तो रखता ही न था और रक्षिकर को भी उसके लिए कोई आग्रह न था। इसलिए हमलोगों में अच्छा मेल हो सभा था। केवल एक ही शर्त—अथवा यह कहाँ कि सुविधा थी। रक्षिकर ने टंक की दोस्ती स्थाप्य करने के और रसोई साफ रखने के शर्त लिये थे। परन्तु, बम्बई में मैं चाय पीच महीने से अधिक नहीं रह सकता था, क्योंकि खर्च बढ़ता जाता था और आमदनी कुछ भी नहीं थी।

इस प्रकार मैने संसार में प्रवेश किया। बारीगटरी मुझे बड़ी ही कठिन मालूम होने लगी। आहारपर बहुत धा और ज्ञान बहुत कम। उत्तरदायित्व का जयाक मुझे कुतल रहा था।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

### 'रिद्धिलिद्धि की जननी' गायमाता

गाय को यह विशेषण किसी हिन्दू ने नहीं परन्तु मि. राफ हेरन नामक एक अमेरिकन ने दिया है। उन्होंने 'गं-पाकन' के विषय पर एक छोटा सा पुस्तक लिखा है। अमेरिकन विद्वानों ने इस बात को गिद्ध कर दिखाया है कि बहुत अदर लेकर बहुत अधिक देनेवाली गाय के समान उपकारी पशु और दूसरा कोई नहीं है। इससे अमेरिका में ज्यों ज्यों मनुष्यों की संख्या बढ़ना आनी है त्यों त्यों वृद्धे पशुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है परन्तु गायों की संख्या तो बराबर पक रही है।

मि. हेरन के पुस्तक के मूलकृत पर ये शब्द लिखे हुए हैं—

"गाय मनुष्य जाति के लिए आशीर्वाद रूप है। उसके बिना किसी भी राष्ट्र में ऊँचे प्रकार की संस्कृति का विकास नहीं हो सका है। संसार में मनुष्य के लिए सब से उत्तम गुराक वह पैदा करती है। और यह आरोग्यजनक और शांतिदायक खुराक वह पशु और इस्तेमाले पौधों से बनाती है। वह अपने बच्चों के लिए और अपने पालक के कुटुम्ब के लिए काफी खुराक उत्पन्न करती है, यही नहीं, वह अधिक भी देती है, जिसे उसका पालक बेचता भी है। उसके बिना खेती स्वार्थी और हरी भरी नहीं होती है और न साथ रोगमुक्त और सुखी हो पाते हैं। जहाँ लोग गायें रखते हैं और उनकी विभाजित करते हैं वहाँ संस्कृति का विकास होता है, अमान फलरूप बनती है, कुटुम्ब सुखी होते हैं और ऊँचे पठ जाता है। अथवा ही गाय रिद्धिलिद्धि की जननी है।"

इससे पट कर कोई हिन्दू गाय का महिम्नः स्तोत्र और क्या लिखेगा! इस चाणक्य के एक श्लोक में सात मातायें गिनायी गई हैं :

आज्ञा माता शुभोपसनी साङ्गणी रावपत्निका।

धेनुधोत्री तथा पृथ्वी पत्नी मातरः सृष्टाः ॥

इसी प्रकार मि. हेरन नामक एक अमेरिकन ने गाय को मनुष्य जाति की पालक माता की उपादा दी है।

लेकिन मि. हेरन आगे चल कर क्या कहते हैं यह हम देखें।

'गाय को प्रत्येक देश की कृषि में स्थान है?'

"जहाँ जहाँ गाय की उखा नचित स्थान प्राप्त हुआ है और मनुष्य ने अपना कर्तव्य किया है वहाँ वहाँ उत्तम से उत्तम प्रकार की कृषि देखने में आती है। किसान लोग खेत पर रहते हैं और कम से कम तैयार करते हैं।"

केत पर अनाज की कमी, सूके घास की गंजी और हरे घास की कमी भी दिखाई देगी। केत की फसल से पूरी आमदनी होती है भार उससे दिन प्रति दिन आमदनी बढ़ती जाती है।

घरों में मुक्त के साधन दिखाई देते हैं।

लोग बुद्धिगामी, करकसर करनेवाले और कर्म से मुक्त पाये जाते हैं और बारहों मास रखनेवाले व्यवसाय के कारण उनके मन-मन हमेशा जागृत बने रहते हैं।

हृषि अच्छी होती है और लोग नागरिक धर्म को भी अच्छी तरह समझ लेते हैं।

सुव्यवस्थित भोकुल (वेरी) में उत्तम प्रकार से हृषि होती है, अच्छे से अच्छी फसल आती है और सब से अधिक स्थायी आमदनी होती है।

गाय के कारण पशुधियों पर और सहज जमीन में पास कमता है और लोग बर्षा निवास कर चुकी होते हैं।

मलाई की एक गाड़ी का मूल्य कोई १,१२५ डलर (चाके तीन हजार रुपये से भी अधिक) होता है और बंद जमीन का इस वैकल सात डालर—(दरीब २२) के जितना के जाता है।

गाय की प्रत्येक देखा में उचित स्थान नहीं दिया गया है।

हमारे दक्षिण विभाग में अधिक गायों की आवश्यकता है।

बहुत दिनों तक सिन्धुने दूध के बिना काम चलाया है उन्हें दूध पट्टवाने के लिए गायों की आवश्यकता है।

मांस और शरीर के अपेक्षम को रखनेवाले कुरक के अभाव के कारण दुग्धी होनेवाले बच्चों को दूध और मखन पट्टवाने के लिए गायों की आवश्यकता है।

जमीन को फलदा बनाने के लिए और उसके रस को कायम रखने के लिए भी गायों की आवश्यकता है।

हम लोगों के इन देश में भी जो गुण्य हुआ गिना जाता है, हजारों बच्चे, मजार में सन्ने से मरता और धर्मभ्रष्ट कुरक दूध के न मिलने के कारण, नाटे, रोगी, शरीर के दुर्बल, बाराह दानवाले और प्रचमति देखे जाते हैं।

वर्ष में एक मरीने के लिए जब कि मौसम होती है तब रई की फसल बड़ी अच्छी मालूम होती है, परन्तु शेष ब्याह महीने के लिए भी उस पर आभार रखने से तो बड़ दमा देती है। परन्तु मलाई तो प्रति रासाद, सब जगहों में, बारहों महीने बेबी जा सकती है, व्यापारी का हिसाब समझे चुकाया जा सकता है और जेब में रुपये छमकते रहते हैं।

दक्षिण विभाग के क्षेत्रों में एक ही फसल उत्पन्न करने के कारण वे सहज ही निरक्षर पड़े रहते हैं वहाँ घास उत्पन्न किया जाय ता भर भी उसकी अच्छी खरी बनायी जा सकती है।

हमारे गेडु उत्पन्न करनेवाले पश्चिम विभाग में अधिक गायों की आवश्यकता है।

सहज से क्षेत्रों में गरीबों के घरों में एक फसल आती है और उनके तें अल्प में जिनमें ही महीने निकल जाते हैं। इस स्थिति को दूर करने के लिए भी गायों की आवश्यकता है।

दुमरे स्थानों से हिवों में भर भर जो थोड़ा बहुत मगाना जाता है उसके बड़े घर बैठे बहुत सा दूध और मखन प्राप्त करने के लिए भी गायों की आवश्यकता है।

क्षेत्रों में के घरों को घरने पट्ट बनाने के लिए गायों की आवश्यकता है।

जहाँ तक अधिक घास न उत्पन्न किया जाय, गंजी भार जानों में बड़ मरा न जाय तब तक गेडु का प्रदेश एक फसल के कारण हमेशा दुग्धी बना रहेगा।

हमारे मरका के प्रदेश में अधिक गायों की आवश्यकता है।

आज मरका के सठिे न्यर्थ सड़ रहे हैं। उसकी कामें खाकी करने के लिए गायों की आवश्यकता है।

जमीन फिरसे लेनेवाला उमका मलिक बन जाय इसके लिए भी गायों की आवश्यकता है।

अनाज उत्पन्न करनेवाले किसान जाड़े के दिन आरुध में बिताते हैं उसे फरदायी गाम देने के लिए भी गायों की आवश्यकता है।

प्रतिवर्ष जमीन का रस बहुत कुछ चुगया जाता है उसे रोकने के लिए भी गायों की आवश्यकता है।

प्रति वर्ष मरका के क्षेत्रों से गाड़ियां भर भर कर अनाज लिया जाता है, परन्तु उसका रस कायम रखने के लिए उसमें थोड़ा घा भी खाद नहीं डाला जाता।

हम लोगों को गाय रखनेवालों की अधिक आवश्यकता है और फसल लेनेवालों की कम।

मरका के प्रदेश में लाखों डालर की बीमता का खान जल जाता है और इत के काम में उससे बाबा उत्पन्न होती है। एक दिन संस्कृति के स्तंभ रूप घास की कमी में से गायें इन सठिों को कायमी।

जहाँ मनुष्य रहते हैं, खेत जोता जाता है, और घास कमता है वहाँ हटें अच्छी तरह से हिक जल से रकी गयी गायों की बड़ी आवश्यकता है।"

(नवजीवन) वाल्मीकी भोविन्दजी देसाई

**ऊँच या नीच**

एक महाशय लिखते हैं: "सुद्धि में मनुष्य संसार के दूसरे सब प्राणियों से उत्तम गिना जाता है फिर भी वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरे प्राणियों को मर देता है। तो क्या वह दूसरे प्राणियों से उत्तम गिना जा सकता है?" यह प्रश्न कठिन है। परन्तु अहिंसा की दृष्टि से तो जगका एक ही उत्तर हो सकता है और वह यह कि जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अन्य जीवों को दूध पट्टवाना है वह जीव बनता है। मनुष्य मरता और उखता की मिलावट में बना है। उसकी उखता तसकी मरणा की क्षति में ही होती है। यदि उसमें रस बनने शक्ति नहीं है तो वह उख हुआ नहीं गिना जा सकता है। फिर तो पुण्यार्थ के लिए कोई आवश्यक ही नहीं होता है। इसीलिए तो वह कदा मरने से भी मरने अपने लिए किसी भी जीव को मर नहीं पट्टवाना है और अन्याय के लिए रस कट उठाने के लिए तैयार होता है यदा तामदर्शन करने के योग्य बनता है।

(नवजीवन) भो० क० गांधी

**आश्रम भजनार्थक**

पंचवीं आश्रम आश्रम दा रहे हैं। अब जितने आश्रम मिलते हैं वही कर लिए जाते हैं। आश्रम में जिन लोगों की अबतक छुड़ी आवृत्ति प्रतीकित न हो तब तक धैर्य रखना होगा।

नवस्थापक, हिन्दी-नवजीवन



# हिन्दी-नवजागरण

'गुस्वार, रेवाका सुदी १५, संवत् १९८२

## उसका रहस्य

महाबलेश्वर से लौटते समय कुछ असहयोगी मित्र मेरी बात समझे बैठे थे। उनसे मुलाकात करना तो पहले से ही सुकरार किया हुआ था। अकस्मात गवर्नर साहब की मुलाकात को महाबलेश्वर जाते समय मैंने सिर्फ कुछ बीमारों को देखने तक ही अपना कार्यक्रम मर्यादित कर रखा था। और इसलिए पूना स्टेशन पर जाने के पहले मैंने प्राफेसर त्रिवेदी के घर अपने एक युवक मित्र मनु को देखने जाने का प्रबंध किया था। वे मित्र पूना के सातून अस्पताल में १९२४ में मेरे लिए सेवा के दूतों में से एक थे। इसी मुलाकात के समय को मुझे मनु और असहयोगी मित्रों में बाँट देना पड़ा था। इसमें असहयोगियों को ही बहुत बड़ा हिस्सा मिला था। मनु ने तो कुछ ही मित्रों में मुझे मुक्त कर दिया। बीमार की हैसियत से मुझे उसकी बड़ी ईर्ष्या हुई। क्योंकि शय्यवश हुए आत्र उसे ६ महीने से भी अधिक हो गया था फिर भी मैंने उसे खुशामिजाज और अपनी उस हालत में भी सन्तोष माननेवाला पाया। इसलिए असहयोगी मित्रों के साथ बातचीत करने के लिए उसे छोड़ देने में मुझे कुछ भी दुःख न हुआ।

मेरा इस प्रश्न से ही उन्होंने स्वागत किया था "आप गवर्नर के पास जा कर अपने को असहयोगी कैसे कह सकते हैं?"

"आप का कह मैं जानता था" मैंने कहा "मैं आप के प्रश्नों का सम्पूर्णतया उत्तर दूंगा, परन्तु एक शर्त है; मैं को यह उम्मीद से एक बात भी आर को प्रकाशित न करनी चाहिए। यदि मुझे उचित मात्स्य होगा तो मैं स्वयं ही इस विषय पर बंग इंडिया में कुछ लिखूंगा।"

"जी हाँ, हम उसकी कोई भी बात प्रकाशित न करेंगे। यदि आप बंग इंडिया में हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो हम उससे ही संतोष मान लेंगे।" प्रश्न पूछनेवाले ने कहा "यह बात नहीं कि आप के इस कार्य की उपयुक्तता के सम्बन्ध में मुझे कोई सन्देह है परन्तु मैं ऐसे बहुसंख्यक असहयोगियों का एक प्रतिनिधि हूँ कि जिन्हें आप अपने अर्चित कार्यों से व्याकुल कर देते हैं।"

"अच्छा तब आप अपने सब प्रश्न मुझे कह जाइए। मैं उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। परन्तु मैं इस बात का भी स्वीकार कर केता हूँ कि यह व्यर्थ समय गंवाना ही होगा। क्योंकि मुझे इस बात की प्रतीति हो गई है कि अब खलासा पेश करने का और समझाने का समय बीत चुका है; असहयोगियों को यह खोज ही समझ लेना चाहिए कि मैं हमारे अपने मित्रों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और यदि मैं प्रकृति — क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है — तो उन्हें मेरा त्याग करना चाहिए और अपने विश्वास पर उन्हें दृढ़ रहना चाहिए। मेरी तरफ से ही उन्हें असहयोग का सिद्धान्त क्यों न मिला हो परन्तु यदि वे उसे पूरी तरह समझ गये हों, वह सिद्धान्त उसके एक के अणु अणु से निकल गया हो तो उनके विश्वास का आधार मेरे विश्वास पर नहीं रहना चाहिए; वह तो मेरे ही, मेरी दुर्बलता और गलतियों से स्वतंत्र ही रहना चाहिए। यदि मैं दयावाक्य

साधित हों, और मुलायम शब्दों में कहूँ तो, यदि मैं अपनी राय बलपूर्वक तो उनमें मेरा दोष बताने का और अपने विश्वास पर दृढ़ रहने का सामर्थ्य होना चाहिए। इसीलिए मैं यह कहता हूँ कि हमारी बातचीत हमारे राष्ट्रीय समय को व्यर्थ गंवाना ही होगी। अज्ञानान असहयोगियों तो अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है। वे उसे ही पूरा करें। लेकिन अब आप अपने प्रश्न कह सुनाइये।"

"सम्बन्ध से यह समाचार मिले हैं कि आप बिना निमन्त्रण के ही गवर्नर के पास गये थे। अर्थात् आपने ही उन्हें आपकी बातों को सुनने के लिए मजबूर किया था। यदि यह बात सच है तो यह बिना प्रतिनिधित्व के ही युद्ध सहयोग नहीं हुआ? हमें आश्चर्य होता है कि आपको गवर्नर से ऐसा क्या काम ही सकता था?"

"मेरा तर्क तो यह है कि जब मुझमें शक्ति हो तब तो मैं अपने शत्रु को मेरी बात सुनने के लिए मजबूर करने का प्रयत्न भी कर सकता हूँ। मैंने उद्दिष्ट आक्रांता में ऐसा किया भी था। जब मैं युद्ध के लिए तैयार था तब मैंने जनरल स्मटन के साथ कई मुलकालें करने का प्रयत्न किया था। यदि उस महान ऐतिहासिक प्रयोग का आरम्भ करना "हा तो उससे बड़ा के भारतीय निवासियों को जो अवर्णनीय बट भोगने पड़ेंगे उनको रोकने के लिए मैंने उनसे प्रार्थना भी की थी। यह बड़ी है कि अपनी जिद में लश्कर उन्होंने मेरी एक बात भी न सुनी, परन्तु उनसे मेरी कुछ भी क्षति न हुई। मेरी नज़रता के कारण मुझे अंतर भी अधिक शक्ति प्राप्त हुई थी। यदि स्वतन्त्रता के लिए सच्चा युद्ध करने के लिए हम काफी शक्तिशाली बन जानेंगे तो मैं भारत में भी यही करूँगा। यह याद रखना चाहिए कि हमारा यह अहिंसात्मक युद्ध है। दृष्टि नज़रता का होना तो पहले से ही गृहीत कर लिया जाता है। यह तो सत्य का युद्ध है और सत्य के ज्ञान से ही हमें दृढ़ता प्राप्त होनी चाहिए। हम-योग मनुष्यों के प्राण लेने के लिए रण में बाहर नहीं निकले हैं। हमारा कोई शत्रु नहीं है। इस पृथ्वी में किसी भी मनुष्य के प्रति हमें द्वेष नहीं है। हम तो स्वयं कष्ट उठा कर उन्हें अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। स्वार्थी से स्वार्थी और बठोर से बठोर हृदय के अभेद में भी परिवर्तन करने में भी मुझे कोई निराशा नहीं मात्स्य होती है इसलिए उससे मुलाकात करने का मुझे कोई भी मौका क्यों न मिले मैं तो उसका स्वागत ही करता हूँ।"

इसका मुझे जरा सा पृथकरण करने दो। अहिंसात्मक असहयोग का अर्थ है जिस तन्त्र के साथ हमने असहयोग किया है उसके कार्यों का त्याग। इसलिए हम इस तन्त्र के अनुसार प्राण, शाला, अदाकत, उपाधि धारासभा और बड़े बड़े ओहदों के कार्यों का त्याग करते हैं। हमारे असहयोग का सबसे अधिक त्यागी और खर्चीला भाग तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार है क्योंकि वह इस दुष्ट तन्त्र का जो हमें कुचक रदा है मूलधार है। यह समझ है कि असहयोग के दूसरे कार्य भी सोचे जा सकते हैं। परन्तु हमारी दुर्बलता या शक्ति के अभाव के कारण हम लोगों ने सिर्फ इतने ही कार्यों पर अपनी मर्यादा बंध की है। इसलिए यदि मैं किसी अकारणी के पाप उपरोक्त कार्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य से आऊँ तो यह कहा जा सकता कि मैं सहयोग करता हूँ। परन्तु यदि मैं छोटे से छोटे अकारणी के पाप भी उसकी खादी के प्रति अज्ञानान बनाने के लिए, अथवा सरकारी कार्यों में अपने बर्तों को न मेरे ही के लिए समझाने के लिए लालचता तो उससे तो मैं अपना फर्क ही अदा करूँगा। यदि मैं ऐसे कोई

निश्चित और सीधे निष्पत्ति के साथ उसके पास न जाके तो मैं असमर्थ होऊँगा।

जब इस मुद्दे पर भावे। मैं गवर्नर के पास यन्ही की प्रेरणा से गया था। उन्होंने मुझे गवर्नर की हेमियत से न तो पत्र ही लिखा था और न गवर्नर के अधिकार से सम्बन्ध रखनेवाले किसी कार्य के लिए बुलाया ही था। उन्होंने मुझे महासचिव में लेती के विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। कुछ समय पहले जैसा कि मैंने नवजीवन में लिखा था, मैंने उनसे कहा कि राज्यक कमीशन के साथ मैं किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं रख सकता हूँ; मैं अब भी अपने सहयोग के विचारों पर दृढ़ हूँ और साधारण तौर पर मुझे कमीशन पर कोई धरना नहीं है। मैंने उनको यह भी लिखा था कि जब ये महासचिव की पहाड़ी से उतर कर बम्बई आँगे तब उनसे मिलना मुझे अनुकूल होगा। गवर्नर काह्न ने मुझे लिखा कि जून के महीने में मुझसे मिलना उनके भी अनुकूल होगा। परन्तु बाद को उन्होंने अपना विचार बदला और मुझे यह संदेशना भेजा कि यदि "आप मुझसे मिलने के लिए महासचिव आओ तो यह बहुत ही अनुकूल हो।" मुझे वहाँ जाने में कोई हिचकिचाहट न थी। हम लोगों में दो मरतबा बहुत देर तक और बड़ी दिलचस्पी बातें हुईं। और आप यह अनुमान कम करते हैं (आप यह मन्ही होगी) कि हमारी बातचीत का केन्द्र चरमा ही था। बड़ी मरम बात थी। और दोनों के मर्यकर प्रश्न पर चर्चा किये बिना मैं कृषि पर कोई चर्चा ही नहीं कर सकता हूँ।

उस अपरिवर्तनवादी विषय के साथ मेरी जो बातचीत हुई थी उसका संक्षिप्त माग मैंने यहाँ दिया है। वहीं वहीं मैंने अपने उत्तर का यहाँ कुछ विवरण भी दिया है क्योंकि उससे साधारण पाठक भी नसे अच्छी तरह समझ सकेंगे।

दूसरे भी कितने ही प्रश्नों पर विचार किया गया था। उसमें से एक या दो प्रश्नों का मुझे यहाँ मर्प. करना चाहिए। मुझसे उस समयोते पर अपना अग्रिम माग करने के लिए कहा गया था परन्तु मैंने एक शब्द भी जाहिर करने के लिए कहने से इन्कार कर दिया। विवाद में उतर कर मैं वर्तमान कट्टा को और भी अधिक नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं एक भी बात ऐसी नहीं कह सकता हूँ कि जो दोनों पक्षों में मेल कर सके। वे सब मेरे सहयोगी कार्यकर्ता हैं, वे सब स्वदेशभक्त हैं। यह सिर्फ परेल् शब्दा है। मेरे जैसे देश के एक नम्र सेवक को तो यही बचित है कि जहाँ मागि कुछ भी नहीं कर सकती है वहाँ मौन धारण कर के बैठा रहे। इसलिए अभी तो मैं प्रार्थना करना और समय की राह देखना ही अधिक पसंद करता हूँ। मुझसे यह कहा गया कि भरे नाम से गलत समाचार फैलाये जाते हैं। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैंने जान-बूझ कर समयोते के साहित्य को मदी पडा है। मेरे सारे जीवन में मेरे नाम से फैलायी गई अनेक गलतफहमियों का मैं लो भागी हो गया हूँ। यह तो सभी कार्मिक कार्यकर्ताओं के भाग्य में लिखा होता है। उसकी तो बड़ी घट्टन त्वना होनी जाटाए। यदि सभी गलतफहमियों का उन्मर दिया जायगा और उन्मर स्वीकरण किया जायगा तो उनसे भयान हो भाकर ही जायगा। मेरा तो यह विषय है कि जबतक कि उद्देश की रक्षा के लिए यह आवश्यक न हो तबतक किसी भी गलतफहमी का मैं स्वीकरण नहीं करता हूँ। इस विषय के कारण मेरा बहुत सा समय और विन्ता बच जाती है।

परन्तु जब सब लोग अधिकार की जगहों का स्वीकार करेंगे तब हमें क्या करना चाहिए और भागामी चुनाव के समय हमारा क्या कर्तव्य होगा?" यह अन्तिम प्रश्न था।

मेरा उत्तर था:

"जब सब दलों के लोग अधिकार के स्थानों का स्वीकार करना निष्पत्ति कर लेंगे तब उनके अन्तःकरण उसके खिलाफ होंगे मर ही न देंगे। भागामी चुनाव के समय भी उनके अन्तःकरण उनके खिलाफ है उसमें अपना मत न देंगे। दूसरे तो स्वाभाविक तौर पर महासभा के माग का ही अनुपालन करेंगे और जैसा महासभा कहेंगे वैसा ही मत देंगे। इन प्रश्नों में मैंने महासभावादी की व्याख्या दी है जो मनुष्य यह कहता है कि मैं महासभावादी हूँ यह नहीं परन्तु जो महासभा की इच्छा के अनुसार चलता है वही महासभावादी है।

(यं० ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

### पशुवध

उसके कारण और उपाय

(२)

१९१९-२० में लगभग तेरह करोड रुपये की कीमत के माय के चमड़े सख्या में १ करोड और ४४ लाख, लगभग यौने ही करोड रुपये की कीमत के भेग के चमड़े सख्या में सोलह लाख से भी कुछ अधिक और ९० लाख रुपये की कीमत के बछिया-बछियों के चमड़े, सख्या में कोई २० लाख से भी अधिक बिकेशों में भेजे गये थे। यह कहा जाता है कि सवार में चमड़े की जितनी मांग है उसका एकतिहाई हिस्सा यह कमनवीच हिन्दुस्तान ही पूरा करता है। सवार को चमड़े की ऐसी मात्रा भूल दे कि उसे कैसे भी समोष नहीं होता है और उसके अनेक पशु बलि हो जाते हैं।

१८९९-१९०० में बाहर भेजे जानेवाले चमड़े का माय एक इंडरवेट (वेड मन में कुछ कम) पर ४०॥) था, यह १९११-१४ में बढ़ कर ७३॥) हो गया था। कलकत्ते में १८९७ में इस सेर चमड़े की कीमत रु. ८-३-१ थी लेकिन १९०६ में उसकी कीमत रु. १६-०-१० हो गई।

पञ्जाब में लेती के विभाग के अधिकारी मि. हेमिस्टन ने १९१६ में 'कोर्ड आफ अग्रिवन्चर' के समक्ष व्याख्यान देते हुए यह कहा था: "कमडा, मांस, इडिया, रुह और चरबी के माय बढ़ रहे हैं इसलिए जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं मृत मंस का मूल्य जीवित मंस के मूल्य के बराबर होता जा रहा है।"

राट में जा कर पेंतीस रुपये में खरीदी हुई दो भैंसों के करल से कितना लाभ हो सकता है उसके अंक विजागापट्टम के एक माला ने मि. सेम्पसन को दिये थे, वे नीचे दिये जाते हैं:

	रु. आ. पा.	से	रु. आ. पा.
चमड़े २	१६-०-०	से	२०-०-०
चरबी ३-४ मन (स्थानिक)			
५० मन के मस में	१५-०-०	से	२०-०-०
सीय आधापन (स्थानिक)	२-०-०	से	२-८-८
इडिया	०-४-०	से	०-९-०
	३३-८-०	से	४३-०-०

मि. सेम्पसन कहते हैं इसके अलावा मांस के नाम जो मिलेंगे वह अलग ही होंगे।

दूसरे सब कारणों के अनिश्चत चमड़े के बाजार का करल पर अधिक प्रभाव पकता है, उससे कम प्रभाव, रूकाया गया मांस

(जिसे बिल्टिंग कहते हैं), चरबी, हड्डियाँ और लहू इत्यादि पशुओं के भाव का पदार्थ है।

कालमाहों में लहू को पका कर उसकी बुकनी ही तैयार की जाती है, उसका आस्रम में चाय या काफी के बेटों में खाद के तौर पर उपयोग किया जाता है और जो बाकी बचता है वह विदेशों को भेजा जाता है। १९२२ में २२४०० मन लहू की बुकनी सिलोन को भेजी गई थी। लहू की बुकनी योरप में भी भेजी जाती है और वहाँ आल्मुमन के कारों को और पोटाशम सायनाइड को बनाने में उसका उपयोग किया जाता है।

पशुओं के पैरों को पका कर उसमें से तेल निकाला जाता है और वह घड़ियों में और दूसरे यंत्रों में लगाया जाता है।

चमड़े के छोटे छोटे टुकड़े, पुराने जूते, हड्डियाँ और अति इत्यादि से सरेस बनाया जाता है।

सींग से बटन, छत्री, छुरी और छत्री की बेंट, ग्लास, मांति मांति के चम्मच, इत्यादि बनाये जाते हैं। सींग के कारखानों में उसका जो बुरादा तैयार होना है उसका खाद बनाया जाता है। १९१२-१३ के लगभग पचास लाख रुपये की कीमत की हड्डियाँ कोई १४०००० मन के करीब विदेशों को भेजी गई थीं। मि. (अब 'सर') अतुल चेटरजी ने संयुक्त प्रान्त के हुन्नर उद्योग के विषय में एक पुस्तक लिखी है। उसमें वे कहते हैं: "हड्डियाँ बनाने में भैंस के खीरों का ही उपयोग किया जाता है, गाय का सींग बड़ा सस्ता होता है इसलिए उसमें उसका उपयोग नहीं करते हैं। कर्कगाहवाके कसाइयों से सींग लेते हैं, उसकी नोक काट लेते हैं और ये नोकें योरप भेजी जाती हैं। वहाँ उससे छुरी या छत्री की बेंटें, बटन इत्यादि बनाये जाते हैं।" जर्मनी में अपने घरों में सारे भोजारों से ही काम करनेवाले कारीगर सींग से कागज काटने की छुरी, चम्मच, इत्यादि कई चीजें बनाते हैं। उसका एक छोटे से छोटा टुकड़ा भी वे ब्यर्थ नहीं जाने देते। दूसरे किसी भी काम में न आ सके ऐसा जो भाग बच जाता है उसका खाद बनाया जाता है" (आत्मा अनीफी हन इनस्ट्रुक्चरल पंचांग पृ. १२३-४)

छुरी से भी बटन, छुरी और चाकुओं के बेंट इत्यादि बनाये जाते हैं और उसका खाद भी तैयार किया जाता है।

हड्डियों से बटन इत्यादि तो बनते ही हैं, उसके अलावा उसमें छेकड़े में ५० हिस्सा फास्फेट, १२ हिस्सा चरबी और २५ हिस्सा सरेस की जाति के पदार्थ भी होते हैं। इसलिए उसके फास्फेट से खाद बनाया जाता है, चरबी से छाबुर, गोमबली और ग्नीसरीन बनाया जाता है, और सरेस की जाति के पदार्थ से जिन्कैटिन और ग्लू तैयार किया जाता है। मुरम्बा तैयार करने में और बचा की गोलियाँ एक दूसरे के साथ चिपक न जाय और स्वादरहित बनें इसलिए उसमें जिन्कैटिन का उपयोग किया जाता है। ग्लू कपड़े को लगाया जाता है और उससे छपकाने में नोडर भरे प्राते हैं। हड्डियों को पीस कर उनके आटे से खाद तैयार किया जाता है। हड्डियों का शोषण करने पर उसमें से ६१ प्रति सैकड़ा हड्डियों का कोयला निकलता है और वह बड़ा रंगमन्दाक होता है। कभी साकर को शुद्ध करने में उसका उपयोग किया जाता है। हड्डियों से ६ प्रति सैकड़ा डोलोसारा प्राप्त किया जाता है। उसपर फिर रासायनिक क्रिया करने पर उससे हड्डियों का तेल त्रिपका प्रवाही अम्ल (डिबिच पशुचल) के तौर पर उपयोग किया जाता है निकलता है, और काका बानिष बनाने में उपयोगी हड्डियों का ताल निकलता है; हड्डियों से २० प्रति सैकड़ा बसका वायु तैयार होता है, उसका यंत्र चलाने में उपयोग होता है और २९ प्रति सैकड़ा लोहा निकलता है और २६ प्रति सैकड़ा एमोनियम सल्फेट नामक क्षार तैयार किया जाता है।

१९२१ में ब्रिटिश हिन्दुस्तान में हड्डियाँ पीसने की १९ मिलें थीं, ४ बम्बई प्रान्त में, ८ बंगाल में, ३ मद्रास में, २ मध्य-प्रान्त में और एक ब्रह्मदेश में और एक संयुक्त प्रान्त में। १९२१-२२ में इस प्रकार उसका निकास हुआ था:—

	मन
कुचली हुई हड्डियाँ	१,०८,९७६०
हड्डियों के टुकड़े	५८,५०
हड्डियों की बुकनी	१,३९,६५३०
	<hr/>
	२,४९,२१४०

इसकी कीमत १२ लाख रुपये से भी अधिक थी। १९१२-१३ में ३,०८,६१९० मन हड्डियाँ भेजी गई थीं। पशुओं के पैरों की हड्डियाँ छुरी और चाकुओं के बेंट बनाने के लिए इंग्लैंड भेजी जाती हैं। वहाँ उसके एक टन के ४० पौंड (६००) उत्पन्न होते हैं। जाँच की हड्डियाँ बड़ी कीमती होती हैं। प्रति टन ८० पौंड-१२००) रुपये के भाव से बिकती है और उससे दाँतों के ब्रश के बेंट बनाये जाते हैं। अगले-पैरों की हड्डियों का भाव प्रति टन ३० पौंड है और उससे फासर-बटन; छत्री के बेंट और गहने बनाये जाते हैं। छत्री के बेंट बहुधा मेढों के पैरों की हड्डियों से बनाये जाते हैं। शोटं कृत मेन्गुअल आफ केटल एण्ड शीप पृ० ५)

(नवजीवन)

बालजी गोविन्दजी देसाई

### टिप्पणियाँ

#### त्रिमासिक अंक

बहुतेरे प्रान्तों के तरफ से आञ्जलि भारतीय चरखा संघ को जनवरी से मार्च १९२६ तक के खादी की उत्पत्ति और बिक्री के अंक प्राप्त हुए हैं। उन्हें मैं नीचे दे रहा हूँ।

प्रान्त	उत्पत्ति	बिक्री
अजमेर	३१२९)	०६५९)
आंध्र	१८९६८)	५६८६३)
बिहार	५६३१७)	५५२५९)
बंगाल	१६९३२)	९२३५६)
बम्बई		१०३३०८)
बरमा		५२६७)
देहली	३३५८)	४३८३)
गुजरात	१९६३८)	३००७५)
करनाटक	८४९१)	१२८०६)
केरल	११७८)	४३९४)
दक्षिण महाराष्ट्र		३३८)
मध्य-महाराष्ट्र	१७०)	६३८०)
उत्तर महाराष्ट्र	१९९९)	१६६९४)
पंजाब	३३१३९)	२१२३२)
तामिलनाडु	१९५७६३)	१६३५६५)
संयुक्त प्रान्त	१७१५९)	३१५५२)
उत्कल	१२२९३)	७१७२)
	<hr/>	<hr/>
कुल	४६८५२४)	६१७००३)

आंध्र प्रान्त के अंकों से वहाँ जनना कार्य किया गया है उसका पूरा पूरा पता नहीं लग सकता है। कितनी ही भरतवा खाद दिलाने पर भी उस प्रान्त की सम्पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी है। करनाटक के अंक भी बहुत अंशों में असम्पूर्ण हैं। नत बने के इन्हीं तीन महीनों के अंक नीचे किये प्रान्तों के ही

तुलना के लिए प्राप्त हो सके हैं और उस पर ही यह माहूम हो सकेगा कि बम्बई के सिवा सभी प्रान्तों के इस वर्ष के अंक बड़े हुए हैं।

	उत्पत्ति	
प्रान्त	१९२५	१९२६
बिहार	३५९८०)	५६३१७)
बंगाल	३१०४३)	९६९२९)
पंजाब	११५३४)	३३१३९)
तामिलनाड	८३७०७)	१९५७६३)
संयुक्त प्रान्त	७०१३)	१७१५९)
उत्कल	९३९)	१२२९३)
	विक्री	
बिहार	५४४६९)	५५२५९)
बंगाल	३३३२८)	९२३५६)
बम्बई	१२६०८६)	१०१३०८)
ब्रमा	६४२०)	५२६७)
पंजाब	२१९११)	२१२३२)
तामिलनाड	१२०८६४)	१६३५६५)
संयुक्त प्रान्त	१४९७२)	३१५५२)
उत्कल	८५९५)	७१७२)

पंजाब के अंकों में ८२ वर्ष की बिक्री के अंक जो अधिक दिखाई देने हैं वे केवल देखने में ही अधिक हैं क्योंकि गत वर्ष के अंकों में एक शाखा से दूसरी शाखा को बेचा गई खादी के अंक भी शामिल है परन्तु इस वर्ष के अंक तो शुद्ध बिक्री के ही अंक हैं। ब्रमा और उत्कल के बिक्री के अंकों में कुछ कमी हुई दिखाई देगी।

हर एक प्रान्त के ये अंक कुछ बटा कर ही लिखे गये हैं बटा कर नहीं, खास कर आंध्र देश के सम्बन्ध में तो यह बात विशेष कर कही जा सकती है। मैं फिर एक मरतबा हर एक प्रान्त के कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी अपनी रिपोर्टें समय पर शीघ्र ही भेज दिया करें। यदि चरखामच को, भारत के हर एक गांव से सम्बन्ध रखनेवाली एक व्यवस्थित संस्था बनाना है तो उसको उसके कार्यकर्ताओं के तरफ से व्यवस्थित और बुद्धियुक्त सहयोग अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए।

**कताई कला है ?**

मद्रास के शिक्षाविभाग की एक निरीक्षिका ने ब्राह्मण लड़कियों के चरखा कातने के विरुद्ध आका निकाली है। इस महिला के इस बिचार के कारण उन पर बड़ी टीकाएँ हो रही हैं। यह दलील की जाती है कि यदि चरखा ब्राह्मण बालिकाओं के लिए उपयोगी है तो ब्राह्मण बालिकाओं के लिए क्यों उपयोगी नहीं ? यदि जातिभेद के आधार को छोड़ दिया जाय तो यह प्रश्न बहुत अच्छा और उचित ही है। और निरीक्षिका माहूम होता है कि यह नहीं जानती कि ब्राह्मण बालिकाओं ने ही उत्तम से उत्तम सूत काता है और बहुत से ब्राह्मण कुटुम्बों में जनेऊ के लिए सूत कातने का रिवाज तो आज भी मौजूद है।

निरीक्षिका की टीका पर से एक दूसरा प्रश्न भी उठता है। क्या कताई एक कला है ? क्या यह ऐसी एक ही प्रकार की साधारण क्रिया नहीं है कि उसके करने से बसे बरा ही देर में थक जायें और उफा जायें ? अबतक जितने भी प्रमाण मिले हैं यह साबित करते हैं कि कताई एक बड़ी सुन्दर कला है और उसकी क्रिया बड़ी आनन्ददायक है। जुदे जुदे अंक के सूत कातने के लिए केवल यंत्र की तरह सूत खींचने से ही काम नहीं चलता है। जो लोग कला के तौर पर कताई को करते हैं वे यह जानते हैं कि जिस अंक का सूत कातना हो उस अंक के सूत को आँस और ऊँगलियाँ जब बराबर माहूम करती जानी है तब उन्हें क्या आनन्द

मिलता है। कला में कला बनने के लिए शान्ति उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। एक साल पहले मैंने सर प्रभाशकर पट्टणी का प्रमाणपत्र प्रकाशित किया था और यह दिखाया था कि दिनभर के थका देनेवाले काम को पूरा कर के जब वे चरखा कातते थे तब उनके हानतंतुओं को कितनी शान्ति मिलती थी और रात को उन्हें कैसी गह्र निद्रा आती थी। एक मित्र के पत्र से मैं नीच की सतरे उद्धृत कर के दे रहा हूँ। उन्होंने अपने व्यक्ति मन्नातंतुओं के लिए कताई से शान्ति प्राप्त की थी।

“अर.....मैं अपने कमरे में दौड़ गया और अंधेरे में अपने हृदय की पीड़ा के साथ, जो मुझे सर से चोटी तक जला रही थी युद्ध करता रहा। कुछ देर तक मैं प्रार्थना और प्रयत्न करता रहा और बाद को चरखा चलाना आरम्भ किया और उसमें मैंने जादू की सी शक्ति पायी। उसकी नियमित गति से मुझे शीघ्र ही स्थिरता प्राप्त हो गई और उससे होनेवाली सेवा के विचार से मैं ईश्वर के अधिक नजदीक पहुँच गया।”

यह एक मा दो कातनेवालों का ही अनुभव नहीं है परन्तु असंख्य कातनेवालों का यही अनुभव है। यह कहने की तो कोई उपयोगिता नहीं माहूम होती है कि सबको ही कताई आनन्ददायक प्रतीत होगी, क्योंकि अनेक मनुष्यों का वह आनन्द है। निम्नकारों का एक सुन्दर कला होना स्वीकार किया गया है परन्तु सब उसे सीख नहीं सकते हैं।

**स्वदेशभक्ति बनाम अर्थवाद**

ये दोनों निस्सन्देह एक-दूसरे के विरोधी हैं अथवा अबतक के वैसे थे। परन्तु अर्थ, अर्थवाद से भिन्न ही भिन्न है और अर्थवान इन दोनों से भिन्न हैं। किसी भी प्रकार के साहस का आरम्भ करने के लिए अर्थ-पूत्री की आवश्यकता होती है। मजदूरी भी एक प्रकार का अर्थ-पूत्री कही जा सकती है। परन्तु उसके सङ्कुचित अर्थ में भी धन चाहे कितना ही कम क्यों न हो, मजदूरों के साहस के कामों के लिए भी उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए स्वदेश-भक्ति और अर्थ-पूत्री में कोई विरोध नहीं है। एक अर्थवान या पूत्रीपति स्वदेश-भक्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिहार के सहयोगी मण्डलों के रजिस्ट्रार खान बहादुर भी मोहोबुद्दिन अहमद साहब ने पूत्रीपतियों को स्वदेश-भक्ति का एक मार्ग दिखाया है। ‘टाइम्स आफ इन्डिया’ लिखता है “मोतीहारी की सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक को खूना करने के उत्सव पर, खान बहादुर ने अपने व्याख्यान में इन्कारक और उपयोगी अर्थवाद का नेद बताया था। उन्होंने कहा था कि हुन्नरउद्योग की हलचल के दो विभाग किये जा सकते हैं एक तो वह जिसका काम सब पूत्रीपति के जाते हैं और दूसरा वह जिसका सहयोग की पद्धति से भारत को ९० प्रति सैकड़ा आषादी के काम के लिए आरम्भ होता है। जिस उद्योग का आधार कृषि से उत्पन्न, जैसे चने, शकर, तिल, गेहूँ इत्यादि पदार्थों पर होता है उसे सहयोग के आधार पर ही आरम्भ करना चाहिए ताकि उसके उत्पादक अपनी मिहनत का अच्छा बदला प्राप्त कर सकें। सब प्रकार के खान और छोटे के काम, चमड़ा और दूसरे महान उद्योग पूत्रीपतियों के लिए छोड़ देने चाहिए ताकि वे भी किसानों को खूने के और इस प्रकार भारत के धन के मूल को ही निचोड़ लेने के बड़े देश के धन को अधिक बढ़ाने के लिए अपने धन का उपयोग कर सकें।” यदि पूत्रीपति खान बहादुर की सलाह के अनुसार चलेंगे और अपने को और जनसमुदाय को कामगारों जैसे कामों में ही अपने धन के उपयोग को पर्याप्त



कर रखेंगे तो भारत की दरदरा शीघ्र ही भूतकाल का विषय बन जायगी। खान बहादुर की राय के अनुसार "जूट मिल, शहर की मिल और कपड़े की मिलें सब किरानों को चूमने के लिए है और इस प्रकार चूने गये ये लोग गुलामी की तरह काम करने के लिए कारखानों में और पुतली घरों में जाने का मजबूर हो जाते हैं। बंगाल का जूट का मिलों के मालिकों ने लडाई के जमाने में जब भाल का बाहर भेजा जाना बन्द था बंगाल के जूट उत्पन्न करनेवाले लोगों का जरा भी विचार नहीं किया था..... उसका परिणाम यह हुआ कि जूट उत्पन्न करनेवाले लोग बेचारे दरिद्र हो गये और जूट के मिलों के मालिकों को १०० प्रति सैकड़ा नफा मिला।"

(य- ६०)

भा० क० गांधी

**गोरक्षा मण्डल**

माई जीवगज देणशी लिखते हैं:

"आपने 'नवजीवन' में गोरक्षा के विषय पर लिखा है, और माई बालक्री गोविन्दजी की लेखमाला भी प्रकाशित हो रही है। और आपने अखिल भारत गो-मण्डल की भी स्थापना की है। भारत में आज जो पीड़ारोगों और गोशालायें हैं उनमें से कितनों का तो सार्वजनिक बन्दों से ही निभाव होता है और कितनों का धर्मार्थ, मंदिर, साधु इत्यादि के आनन्द सार्वजनिक बन से ही निभाव होता है। लेकिन उनमें व्यवस्था की बड़ी त्रुटि होती है। पंगु ढोरों की रक्षा करने के अलावा उनका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। इस प्रकार संकड़ों वष हुए सार्वजनिक द्रव्य का खर्च किया जा रहा है फिर भी परिणाम में उससे कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि उससे भरी दोरों की जात ही सुधरती है और न कलगाहें बन्द होती हैं। यही नहीं, दिन ब दिन जब दूध अधिक महंगा और अशुद्ध मिलने लगा है। बम्बई शहर में शीबरापोल, गोरक्षा-मण्डल, जीवदथा, प्राणोरक्षक-मण्डल इत्यादि अनेक मण्डल हैं। धर्म के नाम पर ये प्रतिमास लाखों रुपया खर्च करते हैं फिर भी उपरका परिणाम तो शून्य ही होता है। मेरा कथना है कि जहाँ तक हो सके इन मण्डलों का एक सामान्य उद्देश्य रहना चाहिए और उन्हें तन्दुरुस्त ढोरों को रख कर लोगों को शुद्ध दूध पहुंचाना चाहिए और उनसे जा आमदनी या उसमें पंगु ढोरों को निभाना चाहिए। इसे भैंसों के तंबड़े में या उसके जैसे दूसरे स्थानों में आंजवके छोर कम हो जायगे और ढोरों के निकम्बे हो जाने पर भी उनका कसाइयों के हाथ में बचाना बन्द हो जायगा और तभी तो कलगाहें बन्द हो सकेंगी। इसके लिए जिन मुख्य शहरों में ऐसे अनेक मण्डल हो वहाँ उनका एक सम्मेलन कर के एक मुख्य मण्डल बनाना चाहिए और वह उस शहर को सत्ता और शुद्ध दूध काफ़ी तादात्त में पहुंचाने की योजना तैयार कर के म्युनिसिपलिटि की मदद के कर अच्छी सहाय में तन्दुरुस्त ढोरों को रखने का प्रयत्न करे। मुझे तो यही बात सब से प्रथम आवश्यक मालूम होती है। इस विषय में मैं आप का अभिप्राय जानना चाहता हूँ।"

यह सूचना कोई नहीं रही है। ज० भा० गोरक्षा मण्डल इसी उद्देश्य के स्थापित किया गया है। परन्तु जैसे जैसे मैं इस विषय का अनुभव करता जा रहा हूँ जैसे जैसे मुझे सब मण्डलों को और संस्थाओं को एकजिन करने में और उन्हें एक नियम में लाने की कठनाई का अनुभव हो रहा है। जितने भी मण्डलों के नाम और पते मिले, उनसे उनकी रिपोर्ट मांगी गई है परन्तु वह बहुत ही थोड़े मण्डलों में हमें मिली है। यह नहीं कि वे अपनी रिपोर्ट भेजना नहीं चाहते हैं परन्तु आकस्मिक, कापरवाही,

अथवा शरम के कारण ही वे नहीं भेजते हैं। उन्हें अपनी अव्यवस्था के कारण कच्चा मालूम होती है। क्योंकि मैंने ऐसी संस्था देगी है कि जहाँ व्यवस्था या हिसाब कुछ भी ठीक नहीं था। कुछ स्थानों में तो व्यवस्थापक ही ऐसे अल्पवय लोग होते हैं कि उनमें सब बातों की इकट्ठा करने की शक्ति ही नहीं होती। यह सुना जाता है १५ दिग्गुप्तान में १५०० गोशालायें हैं। इतनी ही गोशालायें मुख्यवर्धित हो कर डेरिभा बन जाय तो इस देश में गोरक्षा का प्रश्न बड़ा सरल हो जाय; मुझे इसमें किसी भी प्रकार का शंका नहीं। परन्तु यह कार्य ही कैसे? विज्ञों के गले में घड़ा या कौन बांधे? मैं तो इतना ही कहना हूँ कि सभी संस्थाओं में फिर से प्राणप्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है। आदर्श दुग्धालय और चर्मालय न निकले तबतक उनके निगम बनाने भी कठिन है। ज० भा० गोरक्षा मण्डल ने इस काम का त्याग नहीं किया है। दुग्धालय की योजना पर हेरल्डमैन के द्वारा तैयार कराने का प्रयत्न किया जा रहा है और चर्मालय के लिए भी योजना तैयार करने का प्रयत्न हो रहा है। गोरक्षा की दृष्टि से ऐसे प्रयोग करने का कार्य नया है इसलिए योजना शीघ्र तैयार नहीं की जा सकती है। माई बालजी देसाई और मि. गेल्ट्री के लेख इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि ढोरों की रक्षित करने में भारतवर्ष सबसे गंभीर नीति देण है। हमें यहाँ दुग्धालय और चर्मालय के विज्ञान छात्री शीघ्र कैसे प्राप्त हो सकते हैं?

**'नेत्रिटेबल ची'**

आजकल नाम का दुर्द्वेग बहुत बढ़ गया है। हाथकते सूत से हाथ में बुने हुए कपड़े को ही कादी का नाम दिया जा सकता है, परन्तु मिलवाके अपने गहाँ बुने गये मोटे कपड़े को भी कादी का नाम दे रखे हैं। और कोई कोई 'अधकादी' नाम की योजना के मिल के गुन से हाथ के बुने कपड़े को भी कादी नाम दे कर लोगों को फंसाते हैं। ची के सम्बन्ध में भी आज यही बात हो रही है। धाँ तो केवल दूध से बना हुआ पदार्थ है। परन्तु आज 'नेत्रिटेबल ची' भी निकल रहा है। लॉपट के लेक को 'नेत्रिटेबल ची' का नाम देने से वह ची नहीं बन सकता है, उसमें ची के गुण नहीं हो सकते हैं। आजकल विदेशों से ऐसा कृत्रिम ची बहुत जा रहा है। वह अच्छी तरह बन्द किया जाता है और दिखने में भा के समान होता है इसलिए थोड़े लोग उसे खरीदते हैं। और ची के नाम से खरीदी भी बिकती है अथवा ची में खरीदी मिलायी जाती है इसलिए ची से बर कर भी कितने ही लोग इस नेत्रिटेबल ची का उपयोग करते हैं।

ची के समान जिस में गुण हो ऐसा कोई वनस्पति का पदार्थ मिले तो मैं उसका उपयोग करूँगा और प्रचार भी करूँगा। ची के उपयोग में मुझे दोष दिखाई देता है परन्तु मैं उसके गुणों का अनादर नहीं कर सकता हूँ। ची का प्रयत्न महान कर सके ऐसा पदार्थ अबतक वनस्पति से नहीं निकाला जा सका है। इसलिए जो पदार्थ नेत्रिटेबल ची के नाम से बेचा जाता है वह दोनों प्रकार से त्याग्य है, एक तो यह कि वह ची नहीं है और दूसरा यह उसमें ची के गुण नहीं हैं। तीसरी दृष्टि उससे यह है कि बहुत से विदेशी पदार्थों का आज इस उपयोग करते हैं उससे अपने अज्ञान के कारण एक और पदार्थ बहता है और उससे जो दुर्घटन होता है वह हमें ही सहन करना होता है। इसलिए नेत्रिटेबल ची का उपयोग करनेवालों को सावधान हो कर उसका त्याग करना चाहिए।

(नवजीवन)

भा० क० गांधी

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ४०

मुद्रक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

अहमदाबाद, बिशाख छुट्टी २, संपत् १९८२  
 बुधवार, २० मई, १९२६ ई०

मुद्रकस्थान-नवजीवन मुद्रकालय,  
 धारमपुर सरकीमरा की बाड़ी

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

भाग २  
 अध्याय १

रायचन्द्रभाई

गत अध्याय में मैंने यह लिखा था कि बम्बई के पास समुद्र में तूफान सा था। जून और जलाई में हिन्दमहासागर के लिए यह कोई आश्चर्य की बात न थी। सब बीमार थे। अकेला मैं ही संजे में था। तूफान देखने के लिए डेक पर खड़ा रहता था, भीग भी जाता था। सुबह का खाना खाने के समय बुकाफिरों में हम एक वा दो ही होते थे। तश्तली की पैरों पर बर कर हमें बड़ी होखियारी से ओट की राब खानों पकती थी; ऐसा न करने पर राब के पैरों पर टुक जाने का भय रहता था, बेसी ठल समय की स्थिति थी।

मेरे विचार में तो यह बाधा तूफान मेरे अन्तर के तूफान का सूचक मात्र था। परन्तु बाहर ऐसा तूफान होने पर भी मैं शांत रह सका था और यही बात, मात्स्य होता है अन्तर के तूफान के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। शांति का प्रश्न तो था ही। अपने धर्म के सम्बन्ध में मुझे जो विता थी उसे तो मैं पकड़े ही लिख चुका हूँ। और मैं तो सुधारक था इसलिए मैंने कुछ सुधार करने के भी विचार कर रखे थे, मुझे उनकी भी फिक्र थी और दूपरी भी अनेक अकल्पित चिन्तायें रख्य हुई थी।

माता के दर्शन करने के लिए मैं बड़ा अधीर हो गया था। जब इन बन्दरगाह पर पहुँचे तब मेरे बड़े भाई वहाँ हाजिर थे। उन्होंने डा० महेता और उनके बड़े भाई से पहचान कर ली थी। डा० महेता का आग्रह था कि मैं उन्हींके यहाँ जा कर ठहरूँ। इसलिए वे मुझे अपने यहाँ किया के गये। इस प्रकार विलायत में इसलोगों में जो सम्बन्ध हुआ या वह देना में जा कर भी काबल रहा और दोनों कुटुम्बों में भ्रातृ हो गया।

माता के स्वर्गवास के सम्बन्ध में मैं कुछ भी नहीं जानता था। घर पहुँचने पर मुझे यह समाचार सुनाने लगे और स्नान

कराया गया। वह समाचार मुझे विलायत में पहुँचाने का सकते थे परन्तु मेरे दिल को अधिक चोट न पहुँचे इस कारण बड़े भाई ने यही निश्चय किया कि जबतक मैं बम्बई न पहुँच जाऊँ तबतक मुझे यह समाचार ही न दिये जायें। मैं अपने दुःख पर परदा बालना चाहता हूँ। पिता के मृत्यु के मेरे दिल को जो चोट पहुँची थी उसके बलिस्वत माता की मृत्यु के यह समाचार पाने से मेरे दिल को अधिक चोट लगी थी। मेरी कई सोची हुई मुरारें बरबाद हो गईं। परन्तु मुझे इस बात का स्मरण है कि इस मृत्यु के समाचार को सुन कर भी मैं चिन्ता कर न रोया था, आँसुओं को भी सायद रोक सका था और मैंने उसी तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था जहाँ माता की मृत्यु ही नहीं हुई।

डा० महेता ने अपने यहाँ जिन शक्यों के साथ मेरा परिचय कराया उनमें एक परिचय के सम्बन्ध में यहाँ कुछ उल्लेख करना आवश्यक है। उनके भाई देवाशंकर जगजीवन के साथ तो जीवन भर के लिए मित्रता हो गई; परन्तु मैं जिनके सम्बन्ध में यहाँ कुछ उल्लेख करना चाहता हूँ वे तो कवि रायचन्द्र अथवा राजचन्द्र हैं। वे डाक्टर के बड़े भाई के साम्राट् होते थे और देवाशंकर जगजीवन की पेशी के भागीदार और कर्ताहर्ता थे। उस समय उनकी उम्र २५ वर्ष से कुछ अधिक न थी। परन्तु मैं उनकी उस प्रथम मुलाकात में ही यह देख सका था कि वे चारित्रवान और ज्ञानी थे। सातावधानी गिने जाते थे। सातावधान की परीक्षा करने के लिए डा० महेता ने मुझे सूचना की। मैंने अपने भाषाज्ञान का भण्डार खाली किया और कवि ने भी मैंने जिस कम से जिस प्रकार शब्दों को कहा था उसी क्रम में उसी प्रकार सब शब्द कह सुनाये। मुझे उनकी इस शक्ति की ईर्ष्या हुई परन्तु मैं उस पर मुग्ध न हुआ। जिस पर मैं मुग्ध हुआ था उसका तो मुझे पीछे से परिचय हुआ। वह उनका विशाल धातुज्ञान, उनका शुद्ध चारित्र और आत्मदर्शन करने की उनकी तीव्र जिज्ञासा थी। पीछे से मुझे यह मात्स्य हुआ कि वे आत्मदर्शन करने के लिए ही अपना जीवन बीता रहे थे।

गुजराती कवि मुकानन्द की यह उक्ति

हृदयतां रमतां प्रगट हरि देखुं रे  
मार्गं जीव्युं सफल तव देखुं रे  
मुकानन्द नो नाथ विहारी रे  
ओषा जीवनदोरी अमारी रे

उनके कवच तो थी ही परन्तु वह उनके हृदय में भी अंकित थी।

वे हजारी रुपये का व्यापार करते थे, हीरा, मोती और जवाहीरी की परीक्षा करते थे और व्यापार संबंधी कूट प्रश्नों का निर्णय भी करते थे परन्तु फिर भी यह उनका विषय न था। उनका विषय — उनका पुत्रपार्थ — तो आत्मज्ञान-हरिदर्शन — प्राप्त करना था। उनकी पेडी पर कोई दूसरी चीज हो या न हो परन्तु कोई धर्मपुस्तक और उनका अपना रोजनामचा तो अवश्य ही होता था। व्यापार की बात पूरी हुई कि वे उस धर्मपुस्तक को खोल कर बैठते थे या अपना रोजनामचा खोल केते थे। उनके केसों का जो संग्रह प्रकाशित हुआ है उसका बहुत सा भाग तो इसी रोजनामचे से लिया गया है। जो मनुष्य लाखों रुपये के सोने की बात पूरी कर के फौरन ही आत्मज्ञान की गूढ बातें लिखने बैठ जाता है उसकी बात व्यापारी की नहीं परन्तु मुझ ज्ञानी की ही होती है। एक मरतबा ही नहीं परन्तु अनेक बार मुझे उनका ऐसा अनुभव हुआ था। मैंने उन्हें मूर्छित अवस्था में कभी भी न पाया था। मेरे प्रति उन्हें कुछ भी स्वाहं न था। मैं उनके अति निकट सम्बन्ध में रहा हूँ। मैं उस समय मिस्सारी बारीस्टर था। परन्तु जब मैं उनकी दुकान पर जाता था तब वे मेरे साथ धर्मवार्ता के सिवा दूसरी कोई बात न करते थे। यद्यपि उस समय मुझे अपनी शिक्षा का कुछ भी ज्ञान न था और सामान्य तौर पर यह भी नहीं कहा जा सकता था कि मुझे धर्मवार्ता में कोई रिकवल्पी थी, फिर भी रायचन्द्रभाई की धर्मवार्ता में मेरा दिल झगता था। उसके बाद मुझे बहुत से धर्मवार्ता से निकले का प्रसंग प्राप्त हुआ है, हर एक धर्म के आचार्य से मुलाकात करने का मैंने प्रयत्न किया है परन्तु रायचन्द्रभाई की मुझ पर जो छाप पड़ी है वैसी छाप मुझ पर किसी की भी नहीं पड़ सकी है। उनके बहुत से बचन तो दिल के पार हो जाते थे। उनकी बुद्धि और प्रामाणिकता के प्रति मुझे बड़ा आदर था। मैं यह जानता था कि वे जान-बूझ कर मुझे गलत रास्ते पर न के जायेंगे और अपने मन में जो होगा वही कहेंगे। इस कारण मैं अपनी आध्यात्मिक कठिनाई के समय उन्हींका आश्रय ग्रहण करता था।

रायचन्द्रभाई के प्रति मुझे इतना आदर होने पर भी मैं उन्हें अपना धर्मगुरु नवा कर अपने हृदय में स्थान नहीं दे सका हूँ। उसकी तो मैं आज भी शोध कर रहा हूँ।

हिन्दुधर्म में गुरुपद को जो महत्त्व दिया गया है उसे मैं मानता हूँ। 'बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है' इस वाक्य में बहुत कुछ सत्य है। अक्षरज्ञान देनेवाले अपूर्ण शिक्षक से भी काम चलाया जा सकता है परन्तु आत्मदर्शन करानेवाले अपूर्ण शिक्षक से काम नहीं चलाया जा सकता। गुरुपद तो सम्पूर्ण ज्ञानी को ही दिया जा सकता है, गुरु की शोध में ही सफलता है, क्योंकि शिक्षण की योग्यता के अनुसार ही उसे गुरु मिलता है। योग्यता प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण प्रयत्न करने का प्रत्येक साधक को अधिकार है, नहीं उसका अर्थ हो सकता है। इस प्रयत्न का फल ईश्वरहीन है।

अर्थात्, यद्यपि मैं रायचन्द्रभाई को अपने हृदय का स्वामी नहीं बना सका था फिर भी समय समय पर मुझे उनका किञ्च प्रकार आश्रय मिलता रहा यह हम आगे बतल कर देखेंगे। यहाँ इतना ही कहना काफी होगा कि मेरे जीवन पर गहरी छाप डालनेवाले आधुनिक मनुष्य तीन हैं। रायचन्द्रभाई ने अपने जीवित संसर्ग से, बाल्यकाल में अपने 'विश्वम आफ हेवन इस विधिम यू — स्वर्ग का राज्य तुम्हारे हृदय में है' इस पुस्तक से और रस्किन ने 'अन टु दिस कास्ट — सर्वोदय' नामक पुस्तक से मुझे चकित कर दिया था। परन्तु इन प्रसंगों का अपने अपने स्थान पर फिर वर्णन किया जायगा।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

## टिप्पणियाँ

भिन्न दृष्टिकोण

चाहे कितनी और कैसी भी इच्छा क्यों न हो भारतीयों में और योरपीयनों में एक वर्ग के तौर पर हृदय का सम्बन्ध नहीं हो सकता है और उसका निर्णयात्मक कारण यह है कि हमारे दृष्टिकोण ही भिन्न भिन्न हैं। हम यह कहते हैं कि दिये गये सुधार अपूर्ण हैं, शिक्षित वर्ग जनसमुदाय का योग्य प्रतिनिधि है और हमारी भाषा और धर्म जुड़े जुड़े होने पर भी हम एक राष्ट्र हैं। इस बात को अभी सिद्ध करने से कुछ भी लाभ न होगा। यही कहना काफी होगा कि शिक्षित भारत का ऊपर लिखी इस बात पर प्रामाणिकता के साथ विश्वास है।

परन्तु योरपीयन लोग जिस बात की प्रामाणिकता के लाभ मानते हैं वह योरपीयन एसोसिएशन की तरफ से भारत के योरपी को किली गई इस पत्रिका में स्पष्ट और थोड़े शब्दों में गई है:

'सुधार की योजना एक राजनैतिक प्रयोग है। अनुभव या तर्क से भी, किसी भी कारण से इस प्रयोग को उचित ठहराना मुश्किल है। इस योजना का उद्देश्य है भारत सरकार और प्रान्तिक सरकारों के लिए स्वराज्य — स्वायत्तशासन के मार्ग को तैयार करना। उस पर सब से पहली टीका यह हो सकती है कि किसी भी प्रकार का प्रजातंत्र क्यों न हो उसमें पहले लोगों के तरफ से मत देनेवालों का होना आवश्यक है। प्रान्तिक पारासभाओं के लिए मत देनेवाले प्रति सैकड़ा दो ही मनुष्य होते हैं और बड़ी पारासभा के लिए तो २५ प्रति सैकड़ा मनुष्य मत देनेवाले हैं। पारासभा या बड़ी पारासभा जिन लोगों की प्रतिनिधि है वह तो भारत के जनसमुदाय का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है और सिर्फ जनसमुदाय ही प्रजातंत्र का दावा कर सकता है। वे किसी भी प्रकार से लोगों के प्रतिनिधि नहीं हैं। वे एक छोटे से बुद्धिमान वर्ग के लोग हैं और उनका काम बहुतांश में किसान मजदूर आदि लोगों के जनसमुदाय के लाभ के विरुद्ध है। इस देश की आबादी का बहुत बड़ा और मुख्य हिस्सा इन्हीं किसान, मजदूर आदि लोगों का बना है। इस शिक्षित वर्ग का स्पष्ट उद्देश्य तो जिसे वे नोकरशाही कहते हैं उसको बदल कर कुछ थोड़े देशी अमीरों का ही तंत्र जमाना है। दूसरी टीका (जो स्पष्ट है) यह है कि लोगों ने कभी अपने प्रतिनिधियों की सरकार-प्रजातंत्र नहीं मांगा है। यह भी तो इन्हीं शिक्षित वर्ग के लोगों ने ही सूचित किया था। पूर्वीय लोगों की मनोवृत्ति के अनुसार तो उन्हें ऐसा तंत्र नहीं मागना होता है। परन्तु यदि यह मान भी लिया जाय कि इन २ प्रति सैकड़ा मनुष्यों ने एक आबाज से प्रजातंत्र मांगा है तो क्या यह स्वराज्य की लोकप्रिय भांग नहीं जा सकेगी। तीसरी टीका, तो एक सत्य

बात का उल्लेख करना है, परन्तु उस पर कबतर ध्यान नहीं दिया जाता और वह यह कि भारत में एक राष्ट्र जैसी कोई चीज ही नहीं है। भारत का कोई भी मनुष्य अपने को भारतीय नहीं कहता है। वे अपने अपने देश के नाम से, अपनी पहचान कराते हैं। योरोप के वनिस्वत भारत में भाषा और जाति की भिन्नताओं अधिक हैं और इसके साथ साथ जातिभेद और हिन्दू और मुसलमानों की एक दूसरे के दिक् में जमी हुई दुश्मनी का भी विचार करना चाहिए। आज तक कभी किसी ने योरोप के लिए स्वराज्य हो कर स्वराज्य की योजना पेश नहीं की है, इसलिए भारत के लिए स्वराज्य प्राप्ति की योजना तैयार करना तो और भी अधिक पागलपन माना जावेगा। यह टीका बेशक मुख्यतः बड़ी चारासमा को ही लागू होती है और प्रायिक चारासमाओं को अंशतः लागू होती है। योरोपीयन एथोसिबेशन ने सुधारों के प्रयोग का एक प्रयोग के तौर पर समर्थन किया था और यह इसलिए नहीं कि वह मानता था कि उसकी रचना किसी उचित सिद्धान्त के आधार पर की हुई है या उसके सफल होने की कोई वास्तविक आशा है परन्तु इसलिए कि राज्यभक्त नागरिकों की हस्तिगत से, पाकिमानेट ने बिना नियम का स्वीकार किया है उसका उन्हें समर्थन करना चाहिए और उसे कार्य में परिणत करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वह प्रयोग उचित आजमाईया हो जाने पर असफल हो तो एथोसिबेशन सरकार की उचित कार्यवाही करने पर, अवश्य जोर देगी।”

कैसा कि इस पत्रिका से प्रकट होता है यदि दोनों ही विचार से और भावों से एक दूसरे के विपक्ष हो और उनमें जमीन आस्मान का भेद हो तो वह कैसे सम्भव हो सकता है कि वे दोनों एक सामान्य कार्य में दिल खोल कर स्वतन्त्रता के साथ मित्र के तौर पर मिल सकें। केवल नाम मात्र के सम्बन्ध या सहयोग से तो दोनों की अव्यवस्था ही होगी क्योंकि वे मिलेंगे भी तो मन में मूल और परस्पर अविश्वास रख कर ही एक दूसरे से मिलेंगे। यह स्थिति बड़ी दुःखदायक है परन्तु सच्ची है। इस कष्ट को दूर करने के लिए पहले यह आवश्यक है कि उसके सचे होने का हमें ज्ञान हो। ऐक्य चाहने योग्य है, ऐक्य होना ही चाहिए परन्तु यह तभी होगा जब हम एक का विचार करने लगेंगे। और यह तभी होगा जब कि हम भारतीय लोग हमारी सच्चाई दिखावेंगे और एक राष्ट्रीयता के अपने विश्वास को सिद्ध करेंगे और एकराष्ट्र के तौर पर काम कर के और जनसमुदाय के लिए कष्ट उठा कर उनके प्रतिनिधि बनने की अपनी शक्ति को सिद्ध करेंगे।

**आस्ट्रेलिया में भारतवासी**

आस्ट्रेलियानिवासी एक भारतवासी अपने एक पत्र में लिखते हैं।

“यहाँ आस्ट्रेलिया में हमें कुछ भी काम नहीं मिलता है। ब्रिटिशों की तरह हम से भी बड़ी आश किया जाता है परन्तु उन्हें कैसा उधम में से कुछ हिस्सा वापिस लौटाया जाता है वैसा हमें नहीं मिलता है। चाहे किसी तरह से भी हैं हमें तो पूरी रकम ही देनी होती है। जब काम या नोकरी पाने के लिए प्रयत्न करते हैं तो उत्तर मिलता है कि ‘काले लोगों को कोई नोकरी या काम नहीं दिया जा सकता है’ केवल आस्ट्रेलियनों को और दूसरी गोरी जाति के लोगों को ही नोकरी ही जाती है। हमारी थोड़ी ही जमीन भी तो हमें दूसरे के नाम पर चकानी होती है और वह हमारा ट्रस्टी बच कर उसको अपने अधिकार में रखता है। यह प्रमाणिक हुआ तो ठीक, नहीं तो आपकी जमीन आप के हाथ से गई समझियेगा, यह कहा जाता है कि इस देश में सब जाति के लोगों के प्रति बड़ी न्याय्य व्यवहार किया जाता है। परन्तु हम गरीब भारतवासियों

के प्रति नहीं। ब्रिटिश लोग हमें कोई नियमित काम और मजदूरी दे उसके उधके हमें भूलों करना पड़ता है। किसी भी बंधे में आर कैसे भी होशियार क्यों न हो, आप आस्ट्रेलिया में उतम से उतम इजोनायर भी क्यों न हो, आप की हकत कोई अच्छी न होगी। रंगवाले लोगों के लिए काम ही नहीं होता।

जब श्री साखी आस्ट्रेलिया आये थे तब उन्हें तो उस मौके पर विज्ञाने के लिए तैयार किया हुआ विभाग ही दिखाया गया था। उनसे उन्होंने हमें जो कठिनाइयाँ डेक्की पकती है उनका जिक्र तक न किया। वे जब लैटे उनपर ऐसी ही छाप पड़ी थी कि वहाँ सब कुछ ठीक ही ठीक है। पर्ये शहर में वे जिन भारतीयों से मिले वे बहुधा शराब की बोतलें उठानेवाले थे और उनमें कुछ धानधामे भी थे। उन्होंने सखी और सखत मिहनत करनेवाले लोगों को देखा ही न था। वे मुस्क के अंदर तो गये ही नहीं। तो फिर वे लोगों के तरफ से कैसे बोल सकते थे? वे भारतीयों के सम्बन्ध में यहाँ है अपने मन में गलत छाप के कर ही लौटे थे। यदि हम थोड़ी शाकशुजी तैयार न करें और उनकी फेरी न करें तो हम इस देश में भूखों मर जायें क्योंकि आस्ट्रेलियनों के तरफ से हमें कुछ भी मदद नहीं मिलती है।”

इस लेखक को काम में नोकरी पाने की अपनी अरबी के कवाय में खदान-विभाग के रबीस्टार के तरफ से जो पत्र मिला है उसकी उसने असल नकल ही मेरे पास भेज दी है। उसके में नीचे की बाने नकल कर के दे रहा हूँ:—

‘आपके गत मास की २१ वीं तारीख के पत्र के उत्तर में मैं आपको यह बात सूचित करना चाहता हूँ कि भारतवासियों को खान में काम करनेवाले लोगों के अधिकार देने में हम अतमर्थ हैं।’

यह पत्र अपनी आंखें खोल देगा। यह इयाक किया जाता था कि आस्ट्रेलिया में उन लोगों के प्रति जो वहाँ कायम निवास कर चुके हैं जातिभेद के कोई भाव नहीं है। परन्तु लेखक के इस पत्र से, उसका खदानविभाग के पत्र से समर्थन होने पर अब सन्देह के लिए कोई अवकाश ही नहीं रहता है।

**पंजाब के तुलनात्मक अंक**

इस सप्ताह को मैं पंजाब के खादी की बिक्री और उत्पत्ति के तुलनात्मक अंक दे सका हूँ।

**उत्पत्ति**

	१९२२-२३	१९२३-२४	१९२४-२५	१९२५-२६
अक्टूबर	३,३०३)	४,६०९)	५,६८१)	
नवम्बर	३,७८९)	३,६२३)	५,५४७)	
दिसम्बर	२,५५१)	२,०२६)	७,०७०)	
जनवरी	३,१४०)	१,८७६)	८,९९७)	
फरवरी	५,३६२)	४,७०४)	१३,६१४)	
मार्च	१४,०९०)	६,७९६)	१०,५२८)	
		३२,२३५)	२३,६३४)	५१,४३७)
अप्रैल		६,१९१)	५,०९६)	
मई		७,९३०)	६,४४६)	
जून	१,२४८)	६,०६१)	७,२४२)	
जुलाई	४,०१४)	४,१७५)	६,७६७)	
अगस्त	७,५५०)	३,४४०)	७,९३१)	
सितम्बर	४,२८५)	२,१६२)	८,७०६)	



	बिक्री		
	१९२२-२३	१९२३-२४	१९२४-२५
अक्टूबर	१,१९८)	३,४७९)	८,९२१)
नवम्बर	१,४८१)	६,०९६)	७,२४०)
दिसम्बर	२,५१४)	४,७०२)	७,६६७)
जनवरी	३,८९१)	७,१२७)	८,३९३)
फरवरी	१,८८१)	३,४६४)	६,४१४)
मार्च	४,६५५)	४,१८३)	६,४७५)
	<u>१४,६४६)</u>	<u>२९,५५१)</u>	<u>४५,०६०)</u>
अप्रैल	३,१६३)	५,५७९)	
मे	३,१७८)	४,९९७)	
जून	१,६४१)	५,४८०)	६,२६२)
जुलाई	२,९९१)	२,९९३)	२,४२५)
अगस्त	४,२२४)	७६१)	७,५१२)
सितम्बर	४,०७७)	४०८)	६,१७९)

इन अंकों में अभाव आभय की तरह प्रगति नहीं दिखाई देती है फिर भी १९२३-२४ या १९२४-२५ की तुलना में उन उन महीनों के अंक दुगुने हैं। यह कोई पंजाब में खादी की अवनाति का चिह्न नहीं हो सकता है।

(सं- ६०)

मो० क० गांधी

## हिन्दी-नवजीवन

गुस्वार, बैशाख सुदी २, संवत् १९८२

### अज्ञानावरण

एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है कि जब खरब का समर्थन करना हो तो उसे प्रकट करने में जो परिश्रम होता है उससे कहीं अधिक परिश्रम अज्ञानजनित भ्रम को दूर करने में करना होता है। सत्य तो स्वयंसिद्ध है इसलिए अज्ञानजनित अन्धकार को दूर किया नहीं कि सत्य स्वयं दिखाई देने लगता है। खरबे की सीधी-सादी इकलक के विषय में भी ऐसा ही भ्रम फैला हुआ है। जितना बोझ बढ़ उठा सकता है उससे कहीं अधिक बोझ खरबे पर रखा जाता है और जब वह बोझ उससे नहीं उठता है तब उसपर ही घुस जाते हैं, और दर अन्धकार में तो वह बोझ उस बोझ रखनेवाले का ही होता है। यह क्यों होता है? एक खादी-प्रेमी के लिये हुए नीचे दिये गये वाक्यों से यह जाना जा सकेगा। उसका केवल सार ही दिया गया है:

(१) अब आप खरबे को कामधेनु मनवाने का प्रयत्न करते हैं इसलिए हमें उसपर तिरस्कार होने लगा है। और इसीलिए हम पदेच्छिन्ने आपका और खरबे का त्याग करते हैं।

(२) छोटे छोटे गाँवों में शायद खरबा बलाया जा सकता है और ऐसा आप करें तो आपकी कोई टीका न करेगा और आपको उसमें शायद उत्तेजन भी मिलेगा।

(३) यदि आप यह मनाना चाहें कि खरबे से मोक्ष प्राप्त होगा तो यह प्रयत्न केवल हास्यजनक होगा। आप बड़े हैं इसलिए शायद कुछ भोके लोग इच्छा कर लेंगे परन्तु हम पदेच्छिन्ने लोग तो जब इसे कभी भी सहन न करेंगे क्योंकि आपने मर्बादा का त्याग किया है। और सबसे आपने क्षेत्र-

सत्यास लिया है तबसे तो किसी ब्रह्मचर्य का पालन करना हो उसे भी आप खरबा बताते हैं, बंगाल में कैद में पड़े हुए निरपराधी देशमर्कों को छुड़ाने के लिए भी आप खरबा ही बताते हैं; हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति का सुधार करने के लिए भी आप खरबा बताते हैं और भाला-बरछी बकादेवाके बकि सिपाही को भी आप खरबा बताते हैं। आपका यह उन्माद आप क्यों नहीं समझते हैं यही आश्चर्य की बात है।

(४) हिन्दुस्तान यदि साठ करोड़ का कपटा न खरीदे तो उससे जितन का क्या मिगडेगा? क्या उससे ब्रिटिशलोग राज्याधिकार छोड़ देंगे? खरबे की प्रवृत्ति से बढ कर दूसरी कोई राजनैतिक प्रवृत्ति नहीं है। यह कहने में आप किसी भयंकर भ्रूक कर रहे हैं?

(५) खरबे से रोटी निक प्रकती है यह भी आपको अभी सिद्ध करना बाकी है। खरबे की प्रवृत्ति से अवश्य ही हाथि हुई है। देखो न, खादी की कितनी दुकानें उठ गईं?

(६) माछम होता है आप यह भी कहते हैं कि खरबे के उद्योग के विकास के लिए दूसरे उद्योगों को भी छोड़ देना चाहिए।"

जितनी आपलियाँ में उसमें से चुन के सकता था उतनी चुन कर मैंने यहाँ अपनी भाषा में दी हैं। परन्तु इससे जहाँ तक मेरा क्याल है मैंने लेखक को कोई अन्याय नहीं किया है। यदि अन्याय किया ही हो तो उसकी कटुता तो उसमें से निकाल देने का अथवा कम करने का ही अन्याय किया है। चिह्न हुए वेदाभर्त्ता को बड़े गिने जानेवाले मनुष्यों के प्रति कठोर बचन कहने का अधिकार है। एक तरफ वेदा की गरीबी को देख कर और दूसरी तरफ उच्च स्थिति को सुधारने में अपने को लाचार पा कर वे बड़े गिने जानेवालों के प्रति कठोर बचनों का प्रयोग कर के अपना क्रोध बहुत कुछ अंधों में शान्त कर सकते हैं। मेरा यदि उस क्रोध का विहायन वेना नहीं है परन्तु उच्च क्रोध से उत्पन्न हुए सम्मोह को, किसी भी उपाय से, यदि वह दूर हो सकता हो तो दूर कर देना ही हो सकता है। इसीलिए मैंने भाषा को जितनी भी हो सके सुझाव बनाने का प्रयत्न किया है।

अब उनके ६ मुद्दों की परीक्षा करें।

(१) मैंने खरबे को कामधेनु मनवाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है परन्तु मैंने उसे अपने लिए कामधेनु अवश्य माना है। हिन्दुस्तान में करोड़ों हिन्दू आज यह कर रहे हैं। बोली की मिट्टी लेकर, उसकी गोली बना कर, उसमें ईश्वर का आरोपण करके उसको वे अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं और उसे अपनी कामधेनु बनाते हैं। परन्तु उस मिट्टी के बोकें की पूजने के लिए वे अपने पबोली को भी नहीं कहते हैं। अपनी पूजाविधि खतम हो जाने पर उच्च परमात्मास्य मिट्टी को वे नहीं के अर्पण कर देते हैं। मैं उन करोड़ों में से एक हूँ, इसलिए यदि खरबे को अपनी कामधेनु बनाकर तो उच्च पबेलिखों को तिरस्कार क्यों होना चाहिए? क्या उनसे वे सामान्य सहिष्णुता की भी आशा नहीं रख सकता हूँ? परन्तु सभी पदे लेखे लोगों ने अभी मेरा त्याग नहीं किया है। कुछ लोगों को उसके प्रति तिरस्कार हुआ है इसलिए अब को ही हुआ है यह साधना का मनवाना भी अनुचित है। परन्तु बोली देर के लिए यह साध भी तो कि सभी पदेलेखे लोगों ने मेरा त्याग किया है तो भी यदि मेरी भजा अटक होगी तो वह ऐसे समय में और भी अधिक देखेसी बन आयगी और प्रकाशमान होगी।

सन् १९०८ की शक में 'कैलजीवन केवल' का नाम पर हिन्दु-स्वराज लिखते समय जब मैंने बरखे के प्रति अपनी अज्ञा भाविर की तब तो मैं अचिन्ता ही था। जिस बरखात्मा ने उस समय मेरी कलम पर बरखा चकवा या वह क्या उस अज्ञा की परीक्षा के समय मेरा हाथ छोट दिया।

(२) छोटे छोटे गाँवों में चलने के लिए ही बरखा है। आज वह वहीं चल रहा है। मैं जो उसे उत्तेजन देने के लिए लिखा था वह वही है वह गाँवों में उसके पुनरुद्धार के लिए ही लिखा था। शिक्षित वर्ग के प्रार्थना करने की मुझे आवश्यकता है। गाँवों में लोगों की मेकैरिया इत्यादि रोगों से बचने का कोई ज्ञान नहीं है। यदि हम उन्हें वह ज्ञान देना चाहें तो हमलोगों को-शिक्षितवर्ग और मध्यमवर्ग के अनेक मनुष्यों को-इन रोगों को बह करने के नियम जानना और उनका पालना करना होगा। उसके बाद वे गाँवों में जा कर ग्रामवासियों को शिक्षा दें सकेंगे। इसी प्रकार जब हम बरखे का हाक अच्छी तरह सीक लेंगे और हमें बरखा चकवासे सभी हम ग्रामवासियों को बरखा चकवाना सीखा सकेंगे और उनकी उपर्ये को अभद्रा है उसे अपने व्यवहार से दूर कर सकेंगे। और यदि हमलोग इन बरखों से उत्पन्न होनेवाली खादी का उपयोग न करेंगे तो बरखा न बह सकेगा और यह तो ऐसी बात है कि सब कोई उसे आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैं शहर में रहनेवालों से तो वसार्थे बरखा चकवाने की ही प्रार्थना करता हूँ। गाँवों में रहनेवाले आजीविका के लिए बरखा चकवाने। ऐसी सरस और सीधी बात की टीका कैसे की जा सकती है? जो बरखे के हाई को समझता है उसे तो टीका करने का कोई भी कारण नहीं है।

(३) बरखे को मैं अपने लिए मोक्ष का द्वार मानता हूँ। दुष्टों के लिए तो मैं इतना ही कहता हूँ कि वह हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और स्वराज्य प्राप्त करने के लिए एक प्रबल शक्ति है। जो प्रवचन का पालन करना चाहता है उसको मैं बरखा चकवाने के लिए कहता हूँ, यह कोई हास्यजनक बात नहीं है परन्तु यह मेरा एक अनुभव का वचन है। जिस विचारमात्र का त्याग करना है उसे शान्ति की आवश्यकता है। उसका शोक दूर हो जाना चाहिए। बरखाचकवा एक ऐसी ठंठी और शान्त प्रवृत्ति है कि मालुका के हाथ बरखा चकवानेवालों के विचार सबसे शान्त हो गये हैं। बरखे पर बैठ कर मैं अपने शोक को शान्त कर सका हूँ और दूसरे ऐसे अनेक प्रवचनियों के ऐसे ही अनुभवों को भी मैं यथा कर सकता हूँ। ऐसे अनुभव कहने-वालों की मुझे शान्त कर उनकी हंसी करना आवश्यक है परन्तु वह है बका महंसा। क्योंकि हममेंवाला अपने विचार के बल हो कर अपने विचारों को बना कर वीर्यवान बनने के एक सुन्दर शक्त को जो बैठता है। इसे पहचाननेवाले प्रत्येक मनुष्यक और युवती से मैं यदि वे बरखे के विचार प्रम में न पके हुए हों तो, उसकी आत्मार्थता करने की सिफारिश करूँगा। वे यह देखेंगे कि बरखे पर बैठने के बाद कुछ ही समय में उनके विचार कम होने लगेंगे। मेरे कहने का आशय यह नहीं कि कातने से शान्त हुए विचार कातना बन्द कर देने के बाद भी २४ घण्टे तक वेसे ही शान्त बने रहेंगे। विचार का वेग तो वायु से भी अधिक बलवत् है। उसे शान्त करने के लिए धैर्य का होना आवश्यक है। और धैर्य का विकास करने के लिए बरखा एक बड़ा आवश्यक साधन हो सकता है। कदाच कोई यह कहेगा कि बरखे का यदि नहीं उपयोग है तो उसके बरखे में उसके अधिक काम्यमय भावों फिराने का काम करने के लिए ही क्यों नहीं कहता हूँ? मेरा उत्तर तो यह

कि बरखे में दूसरे भी सामर्थ्य है। हिमालय की गुफा में रहने-वाले और बड़ा उत्पन्न होनेवाले वृक्ष या पौधों के कंदमूल पर ही निर्वाह करनेवाले किसी अवधू के सामने मैंने बरखा नहीं रखा है। परन्तु मैंने तो अपने जन्मे अत्यन्त प्राकृत मनुष्यों के सामने, जो संसार में रहते हैं, देस की सेवा करना चाहते हैं और देशसेवा करते हुए प्रवचन का पालन करना चाहते हैं, वह बरखा पेश किया है।

और केवल मैं पडे हुए निरन्वामी बंगालियों को छुड़ाने के लिए मैं जो बरखे को पेश कर रहा हूँ उसे हसी में उठा देने का तो यह मतलब हो सकता है कि हम अपनी शक्ति से इन कैदियों को छुड़ाने के लिए जरा भी प्रयत्न करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर बरखे का अर्थ परवशी कपडे का बहिष्कार होता है। यह कैसी शक्ति है और उसके बिना किसी दूसरी शक्ति का विकास करने में हम असमर्थ है यह हम आगे के मुद्दे की परीक्षा करते समय देखेंगे। और इसीलिए मैं भाई-बरखी चलानेवाले बाँके सिपाही को भी जो बरखा देना चाहता हूँ वह मेरे पागलपन की निशानी नहीं है परन्तु वह मेरे ज्ञान की निशानी है। और वह ज्ञान किताबों का ज्ञान नहीं है परन्तु अनुभव का प्रसाद है।

(४) हिन्दुस्तान छाठ करोड़ का कपडा न करीये तो उससे मिटन का क्या विगडंगा, यह विचार करना यहाँ उचित नहीं है। उपर्ये हमारा क्या काम होगा, यही विचार करना हमारा धर्म है। खादी के जयें सठ करोड़ का विदेशी कपडा हम न करीयेंगे तो उसका अर्थ यह होगा कि उतने रुपये तीस करोड़ हिन्दुस्तानियों के घरी में बच रहेंगे अर्थात् इतनी आमदनी बडेगी। उससे हिन्दुस्तान का वह उद्योग बडेगा कि जिससे इतने रुपये उत्पन्न हो सकेंगे। और खादी के जयें इतने रुपये बचाने का मतलब यह होगा कि करोड़ों का संगठन होगा, करोड़ों लोगों की शक्ति का संग्रह होगा और करोड़ों देशसेवक ओतप्रोत हो जायेंगे। ऐसे महान कार्य को अच्छी तरह पार उतारने के मानी हैं हमलोगों को अपनी शक्ति का पूरा पूरा ज्ञान होना। अबतक बड़ी सूक्ष्म उल्लान की बातों को भी सुझाने का हमें ज्ञान न होगा, एक एक पाई का विचार रखना न सीक लेंगे, गाँवों में रहना न सीकेंगे, मार्ग में जानेवाली अनेक खादियों को दूर न कर सकेंगे, अनेक पहाड़ों को तोड़ कर दूर न कर सकेंगे तबतक यह होना असम्भव है। बरखा और खादीतो इस शक्ति की उत्पत्ति के लिए निमित्त मात्र है। थोडा सा धैर्य रूक कर बरखा और खादी का रहस्य और उसका फलितार्थ जबतक हम अपनी करुणाशक्ति का उपयोग कर के समझेंगे नहीं तबतक हमें यदि बरखे के प्रति तिरस्कार हो तो यह समझ में भी आ सकता है। परन्तु जब उसके रहस्य को हम समझेंगे तब तो फिर बरखा हमारे हाथ से कभी भी दूर न होगा। ब्रिटिश जनता बड़ी चालाक है, उसके अधिकारी अनुप और समझदार हैं, और यह मैं जानता हूँ इसीलिए तो मैंने लोगों के सामने बरखा पेश किया है। ब्रिटिश जनता को हम अपने वाक्यातुर्य से न डर सकेंगे, समाचारपत्रों में प्रकाशित हम अपनी कलम भी शक्ति से भी उसे न डर सकेंगे। हमारी धमकियों की तो वह आधी हो गई है। हमारे वाक्यबल का उसके इबाई अज्ञानों से गिरनेवाले गोलों के सामने कुछ भी विघाव नहीं है। परन्तु वे लोग धैर्य, उत्थम, निश्चय और योजनाशक्ति इत्यादि को समझते हैं और उसका आधार भी करते हैं। उसका सबसे बड़ा नद्योय कपडा है। उस वपके के बहिष्कार के साथ ही उसे हमारी शक्ति का ज्ञान हो जाना। अपने अविमान को मुक्त करने के लिए वे हिन्दुस्तान पर कब्जा

नहीं किये हुए हैं। केवल शकल से ही नहीं परन्तु अपने कौशल से ही वे हम लोगों को अपने बंध में रखते हैं। हिन्दुस्तान में वे लोग व्यापार के लिए ही राज्य करते हैं। जब हमारी स्वतन्त्र इच्छा पर ही उनके व्यापार का आधार रहेगा तब उनका राज्य भी वैसा ही हमारी इच्छा पर आधार रखनेवाला होगा। आज तो उनका व्यापार और राज्य दोनों हमारी अपनी इच्छा के विरुद्ध हैं। दो में से एक भी चीज जो हमारी इच्छा के अनुकूल होगी तो दूसरी भी आसानी से उसके अनुकूल हो सकेगी। परन्तु जबकि व्यापार हमारी इच्छा के अनुकूल न होगा तबतक राज्य भी उसके अनुकूल न होगा और यह बात बड़ी आसानी से समझ में आ सकती है।

चरखे से अधिक अच्छी दूसरी राजनैतिक हलचल यदि मेरे हाथ लगे तो मैं चरखे को फौरन ही पदभ्रष्ट कर दूँ। मुझे अबतक ऐसी हलचल का ज्ञान नहीं हुआ है और न किसीने मुझे बताया है, यदि ऐसी कोई हलचल हो तो उसे जानने के लिए मैं बड़ा ही उत्सुक हूँ।

(५) चरखे से रोटी मिल सकती है यह बात अब नवजीवन के पाठकों के सामने सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काही कार्यालय के अंको से ही यह बात काबित हो जाती है कि हजारों गरीब लोगों के जेबों में अपनी आजीपिका प्राप्त कर रही हैं। किसी ने भी जबकि इस बात से इन्कार नहीं किया है कि चरखे से दिन में कम से कम एक आना पैसा हो सकता है और इस देश में करोड़ों ऐसे गरीब लोग पड़े हुए हैं कि जिन्हें एक पैसा भी नहीं मिलता है। जहाँ यह स्थिति है वहाँ चरखा और रोटी में पैसा निकट सम्बन्ध है यह सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

चरखे की प्रवृत्ति से देश को नुकसान हुआ है यह कहनेवालों को नुकसान सिद्ध करना चाहिए। यह प्रवृत्ति ही ऐसी है कि उसमें प्रयत्न का कभी नाश नहीं होता है, उसमें विघ्न नहीं हो सकता है और उसका अल्पमात्र भी पालन करने से वह बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। काही की कुछ दुकानें उत्पन्न हुईं और उनका नाश हुआ तो उससे क्या हुआ? ऐसा तो हर एक व्यापार में हुआ करता है। दुकान करने में जो खर्च हुआ या वह देश में ही रहा है और उससे जो अनुभव मिला उससे हम आगे बढ़ेंगे। यदि कुछ दुकानें उठ गईं हैं तो कुछ अधिक व्यवस्थित तौर पर स्थापित भी हुईं हैं और ऐसे बहुत से उदाहरण भी मिल सकते हैं। जिन्हें ऐसे उदाहरण इकट्ठे करने हो उन्हें नवजीवन के पीछले पृष्ठों को देखना चाहिए।

(६) चरखे के उद्योग के लिए किसी भी पोषक उद्योग को छोड़ देने की मैंने कभी कल्पना तक नहीं की है तो फिर मैं उसके लिए गिरफ्तार कैसे कर सकता हूँ? हिन्दुस्तान में करोड़ों लोग निरक्षर रहते हैं, इसी एक बात पर तो चरखे की प्रवृत्ति का आरम्भ किया गया है। मुझे इस बात का स्वीकार करना चाहिए कि यदि भारतवर्ष में ऐसे निरक्षर लोग नहीं हैं तो फिर इस देश में चरखे को कोई स्थान ही नहीं हो सकता है। हिन्दुस्तान के गाँवों की स्थिति का जिन्हें ज्ञान है वे सब यह जानते हैं कि आज भारत निरक्षरियों से भरा हुआ है और पामाक हो गया है। यज्ञार्थ चरखा चलाने के लिए जो मैं मन्दस बग के लोगों को कहता हूँ वह भी उनके बच्चे हुए समय के लिए ही। चरखे की प्रवृत्ति किसी उद्योग की नाशक प्रवृत्ति नहीं है वह प्रवृत्ति तो पोषक है, और इतिहास में उसे अपूर्णता की उपमा दी है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

## पुरुषार्थ के दो चित्र

२

गतांक में पुरुषार्थ का पाश्चात्य चित्र दिया गया था अब इस अंक में एक आधुनिक तरुण हिन्दी का चित्र दे रहा हूँ। यदि दोनों चित्रों का कुछ थोड़े ही शब्दों में वर्णन करना हो तो मैं कहूँगा कि पाश्चात्य चित्र तो अधिक से अधिक पाश्चात्य 'यज्ञ' (यज्ञ-केसर) के सिद्धान्त का नमूना है, और यहाँ का चित्र 'गीता' के 'यज्ञ' का नमूना है। ब्रॉन्डारेफ और टालस्टाय ने इसामसीह के 'पसीना बहा कर रोटी प्राप्त करने के' उपदेश के अनुसार 'यज्ञ-केसर' का सिद्धान्त बनाया — अमुक शरीरभ्रम किये बिना मनुष्य अपने लिए रोटी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। परन्तु हमारे यहाँ तो गीताजी में यज्ञ का इससे भी विशाल अर्थ किया गया है। केवल अपनी रोटी कमाने के लिए ही शरीरभ्रम नहीं परन्तु दूसरों के लिए शरीरभ्रम करने को ही यज्ञ का नाम दिया गया है। इसी को पुण्यकार्य माना गया है। आज मैं पुरुषार्थ का जो उदाहरण देना चाहता हूँ उसे किसलिए ऊँचे प्रकार का यज्ञ माना गया है यह तो पाठक आसानी से समझ सकेंगे। गतांक में दिये गये उस चित्र में मोटर गाँवर ने अपना धंधा करते हुए पकालात की पहाई की, हजारों फ्राँक कमाये और अपने कुटुम्ब को बरद की। यह तो उसके जीवन के प्रसंग है। किसी कल्पना-कार ने तो वायद उसे मारीटर एक्कोरेट बनाया होता और उसे पुस्तकों का लेखक और भाष्यकर्ता भी बनाया होता; और इस प्रकार उसे सफल जीवन के आदर्श के रूप में भी पेश किया होता। परन्तु इस इष्टरे पुरुषार्थ के चित्र में पुरुषार्थी को हजारों रुपये कमाने की कोई अभिलाषा नहीं, बल्कि एक्कोरेट बनने का कोई मनोरथ नहीं था। उसे तो परोपकार-प्रवृत्ति को पराकाष्ठा को पहुँचा कर उस दिशा में कहीं तक पहुँच सकते हैं यही दिखाना था। उसे कुछ हजार रुपये कमा कर न कहीं भेजने से, न उसे नाटक ही देखने से और न उसे हवा काने के लिए महाशय्यर वा काश्मीर ही जाना था। उसे तो हिन्दुस्तान के गरीबों के लिए हजारों लाखों गज सूत कात कर महासभा को देने का ही एकमात्र मनोरथ था।

चरखे के भी जखेरभाई पटेल ने एक वर्ष तक सतत कात कर जब अपना महायज्ञ पूरा किया तब अनेक विचार उत्पन्न हुए थे, अनेक प्रश्न खड़े हुए थे। कुछ घण्टों में इन्कीश चेतक तैर कर पार कर जानेवालों को अथवा अमुक प्रकार के वेग से हवाई जहाज में उड़नेवालों को जिस प्रकार बोरप में समाचारपत्रों के सवादावता घेर लेते हैं उसी प्रकार भाई जखेरभाई को भी उनके यज्ञ के विषय में एक समाचारपत्र से सम्बन्ध रखनेवाले की हेतुव्यति ही कुछ प्रश्न करने का मुझे भी श्याल हुआ था। परन्तु वैबक कुत्तरक के बंध होने के बदले इस यज्ञ से सम्बन्ध रखनेवाली बातें लोगों को उपकारक होगी यह निश्चय कर के मैंने उन्हें कुछ प्रश्न लिख कर भेज दिये। उन्होंने उन प्रश्नों का बड़े विस्तार से उत्तर दिया है। और उसीको मैं प्रश्नोत्तर के रूप में यहाँ पेश कर रहा हूँ।

'आपको इस यज्ञ का कैसे विचार आया?'

'१९२४ के दिसम्बर के महीने में जब महासभा हुई थी तब पाठशाळा में तीन दिन की छुट्टी रखी गई थी। उन दिनों मैं जब रैले कातने का प्रयोग शुरू किया तो रोकाजा बरीब करीब ३००० गज सूत काता गया था। एक महीना पूरा करने का विचार किया। एक महीने के बाद एक वर्ष का यज्ञ करने का विचार हुआ।'

‘ एक वर्ष तक आप इस यज्ञ को अबाधित रूप से करते रहे यह देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है । आपने इस यज्ञ को करते हुए अपनी रहनसहन को किस प्रकार व्यवस्थित की थी । क्या वर्ष में कभी इसमें कोई बिध्न न आया ? इन सब बातों का यदि आप वर्णन करेंगे तो इसके बहुतेरे लोगों का उपकार होगा ।

‘ अबाधित ’ तो नहीं कह सकता हूँ । पौष सुदी १, १९८१ से आरंभ कर पौष बड़ी अमावस तक १३ महीने यज्ञ चलाया था । एक महीना अधिक गिना है क्योंकि पहले महीने को तो प्रगोष का महीना ही गिना गया था । कामकाज के लिए प्रतिमास एकाध दिन के लिए गाँव छोड़ कर जाना होता था । मैंने तो इसका भी हिसाब रखा था, पौष के महीने में २ दिन, माघ में १ दिन फाल्गुन में १ दिन, चारहोली गया था; चैत्र में ६ दिन मैं अपने गाँव गया था; वैशाख में १ दिन, ज्येष्ठ के महीने में ४ दिन चारहोली गया था; आषाढ में ३ दिन धान बोने में गये, भावण में दो दिन, माघपद में ३ दिन, आश्विन में १ दिन चारहोली और ११ दिन भावनगर; मार्गशीर्ष में १ दिन रायप और २ दिन चारहोली और पौष माघ में ३ दिन चारहोली और १ दिन सूत गया था । इस प्रकार ४४ दिन मेरी हज्जानुसार मैं कात नहीं सका था । हाँ, कुछ घण्टे कातता अवश्य था — वहाँ चरखा मिल जाता था वहाँ अवश्य कात केता था — जब मैं मेरे गाँव गया था तब मैंने चार दिन में १३ हजार गज सूत काता था — और भावनगर मोंडीसोरी सम्मेलन में गया था तब सफर में और भावनगर में तकली पर ४१ हजार गज सूत काता था । पाँच दिन खेती को देने पड़े थे, वे खेती के भ्रम में, धान बोना, धान काट केना इत्यादि काम में गये । उस समय बहुत कम कात सका था ।

आपने बड़ा ठीक हिमाय रक्खा है । इतने नियमित परिश्रम के दिनों में क्या कभी आप बीमार भी हुए थे ? मन से पहले यही पूछ लेता हूँ ।

‘ १३ महीने में त्रिके आषाढ के महीने में तीन दिन बुवार आया था परन्तु बुवार होने पर भी रोजाना तीन घण्टे तो अवश्य कातता था । ’

‘ परन्तु यह तो केवल आप की कातने की प्रवृत्ति की ही बात हुई । आपका कातने का औसत रोजाना का ३ से ८ हजार गज सूत का होना है अर्थात् यह कुछ नहीं तो रोजाना १० घण्टे कातने का भ्रम होता है परन्तु इसके अलावा दूसरा भी कुछ भ्रम करना पड़ता होगा । क्या उसका भी कुछ हाल सुनावेंगे ? ’

‘ बड़ी खुशी है । मेरी शाका तो थी ही । खेती के काम में कुछ दिन लगे थे यह तो ऊपर लिख ही चुका हूँ । और मैंने कितना सूत काता था उसके लिए सब आर्थिक प्रवृत्ति भी मैंने ही ही थी अर्थात् कपास चुनना, उसे साफ करना, बिनौले निकालना और धुनकना आदि । जाहों के दिनों में शाला का समय सुबह को ८ से ११ तक और दोपहर को २ बजे से ५ बजे तक होता था और गरमी के दिनों में सुबह को ७॥ से १०॥ और दोपहर को एक महीने के लिए २॥ से ५॥ तक और तीन महीनों के लिए ३ । से ५॥ तक — वर्षा के दिनों में ७॥ से १०॥ और २॥ से ५॥ का समय होता था । गरमी की छुटियाँ नहीं ही जाती क्योंकि गाँवों में रहनेवाले लोग छुटियों की उपयोगिता को नहीं समझते हैं, अर्थात् ३५ स्त्रीहारों की छुटियाँ, सोमवार की चार दिन की छुट्टी और शुक्रवार की आधे दिन की छुट्टी होती थी । बाकी के सब दिनों में ६ घण्टे तो शाला में ही जाते थे ।

‘ कताई के औसत इस घण्टे और ६ घण्टे शाला के इस प्रकार आपके १६ घण्टे तो पूरे हो गये । अब निद्रा, बहुर आना जाना, खानापीना, आराम, पढनालिखना इत्यादि के लिए समय ही कहाँ रहा, यह कुछ कल्पना में ही नहीं जाता है । और इसके अलावा कपास चुनना, बिनौले निकालना, रई धुनकना इत्यादि काम तो आप गिना गये हैं । यह तो मनुष्य की बुद्धि को सफर में डालनेवाली बात हुई । ’

नहीं, इसमें ऐसी कोई असाधारण बात नहीं है । जिस दिन दूसरे काम करने को होते थे उस दिन कम काता जाता था । निद्रा में मेरा कितना समय जाता था यह मैं अभी आपको कहता हूँ । परन्तु उसके पहले कपास चुनने का और दूसरा हिसाब दिये देता हूँ ।

जिस दिन शाला में सारे दिन की छुट्टी होती थी उस दिन कपास चुनने का काम करता था । सुबह ५ बजे बाहर निकलता जाता था । ६ बजे खेत में हाजिर हो जाता था और दोपहर को १२ बजे आधामन (रखा) कपास चुन कर लौट आता था । जब कपास अच्छा भिन्ना हुआ होता था तब अधिक चुना जा सकता था । परन्तु किसी दिन यदि कम खिला हुआ हो तो कम चुना जाता था । अर्थात् ६ मन कपास चुनने के लिए १२ दिन जाना होता था और उसमें दिन में सात या आठ घण्टे लगते थे । घण्टे में करीब करीब ५ सेर (कबा) कपास चुना जा सकता है, अच्छा खिला हुआ हो तो आठ सेर (कबा) चुना जा सकता है ।

माघ और फाल्गुन मास में ७ मन (कबा) कपास चुना और बिनौले निकाले । जिस दिन कपास चुनने का और बिनौले निकालने का काम होता था उस दिन बहुत कम काता जाता था । जैसे माघ के महीने में जब कुछ दिन तो दिन में ५॥ हजार गज सूत कातता था तब १०-१२ दिन के लिए तो दिन में केवल दो हजार गज सूत कात कर ही संतोष करना होता था । फाल्गुन के महीने में कुछ दिन तो केवल ५०० गज सूत ही कात सका था और उस महीने का कुल सूत सिर्फ ५०००० गज होता है ।

शाला का समय सुबह का और दोपहर का होने के कारण, बीच के समय में धुनकने की बड़ी सुविधा होती थी । तीन चार घण्टे धुनकने का काम करता था; शुक्रवार, सोमवार या त्यौहार के दिन ७ या ८ घण्टे धुनकने का काम करता था । माघ, फाल्गुन और चैत्र में यह काम पूरा कर लिया था । बड़ी ताँत का ही उपयोग करता था । माघ में १३ सेर, फाल्गुन में २१॥ सेर चैत्र में ५८ सेर और वैशाख में २॥ सेर इस प्रकार कुछ ९७ सेर (कबा) रई धुनक ली थी । पूनीया मेरी साली बहन दीवाली बहन बना देती थी यह मुझे यहाँ कह देना चाहिए । सवा मन कपास भी उन्होंने चुना था ।

जब कपास चुनने का और धुनकने का काम होता था तब कातने का काम कम होता था परन्तु दूसरे महीने में जब सिर्फ कातने का और शाला का ही काम चलता था तब कातने का अंक भी ठीक ठीक बढ़ गया था; जैसे वैशाख में २ लाख ११ हजार, ज्येष्ठ में १ लाख ५ हजार, भावण में १ लाख ५ हजार, दूसरे पौष में १ लाख ५ हजार गज कात सका था । सालभर के अंक इस प्रकार हैं:

काला गज	अंक	कपास चुना-	रई धुनकली
पौष	८७,०००		
माघ	८६,५००	२१	३ मन १५ सेर x १३ सेर

x इसमें कबे सेर का ही लौक लिखा गया है ।



फाल्गुन	५०,५००	२१॥	३ मज ३१॥ सेर	२१॥॥ सेर
चैत्र	४८,१२५	१५		५८ सेर
वैशाख	१,११,५००	१६		४॥ सेर
ज्येष्ठ	१,०५,५००	१६		
भाद्रपद	८०,०००	६		
आश्विन	१,०५,५००	१६		
कार्तिक	८१,०००*	१६	* (+ महीन ४५०० गज)	
मार्गशीर्ष	९९,०००*	२१	* (+ महीन ३५०० गज)	
पौष	७५,०००	२०		
चैत्र	१,०५,५००	२०		

कुल ११ लाख १० हजार ८२५ गज काता ८ लाख गज सूत महासभा को समर्पण कर दिया, ३ लाख १० हजार ८२५ गज अपने पास रक्खा। १२००० गज सूत की माक बनाई।

‘आपने तो गजब किया है आप इतने विस्तार से अपने समय का हिसाब दे सकते हैं तो आपको और भी कुछ पूछने का दिक् होता है। खानेपीने का और आराम का कहीं कुछ स्थान रक्खा भी था?’

“जी हाँ, बिना भोजन किये कहीं काम हो सकता है? पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र के महीनों में जब मेरी पत्नी घर नहीं थी तब चार महीने तक केवल दूध और रोटी दिन में तीन भरतबा खाता था। दोबाली बहन के साथ पीसने का समय ठहराया हुआ था। कमी कमी जब वे पुनियाँ तैयार करती होती थी तब मैं अकेला ही पीसना था। षण्टे में ५ सेर (कच्चा) पीसता था। बाकी के ८ महीनों में सुबह को दूध (सेरमर) अथवा रोटी (गेहूँ की या बाजरे की) शाम की बची हुई हो तो, दोपहर को दालमात शाक इत्यादि और शाम को दूध और बाजरे की रोटी। जब शाम को दाल या कुछ ऐसा ही पदार्थ होता था तब मैं दूध न लेता था। शाम को हमेशा कितनी भूख होती थी उससे अंधे भोजन करता था। उससे मुझे स्वप्नरहित निद्रा आसानी से प्राप्त हो सकती थी। सुबह को कसरत करना भी नहीं छोड़ा था। रोजाना मुगदल के पाँच छ दाव १०० दण्ड और २०० बैठक करता था। धुनकने का और कपास चुनने का काम जब होता था तब कसरत करना बन्द होता था। प्रतिमास ३६ षण्टे के दो उपवास करता था। शरीर को कुछ अस्वस्थता थी माध्यम होती थी तो ४८ षण्टे का उपवास भी करता था। ऐसे उपवास दो ही भरतबा किये थे। और वह तो मैं ऊपर लिख ही चुका हूँ कि आषाढ महीने में थोड़ा सा खुशार आ गया था।

आपने कसरत को भी नहीं छोड़ा है, और पीसना भी नहीं भूके हो, वह तो और भी अधिक आश्चर्य की बात है। सुबह अस्दी ही उठते होंगे!

“कुछ भी आश्चर्य नहीं है। मेरा जीवन बड़ा ही उग्र और स्वच्छन्दी — बड़ा मटकट — था। परन्तु असहयोग के बाद मैं कुछ ठिकाने पर आ गया हूँ, बिल्कुल ही बदल गया हूँ। मेरी दिनचर्या को यदि मैं थोड़े में कहूँ तो ४ से ४॥ बजे तक मैं सुबह उठ बैठता था और ९ बजे सो जाता था। सुबह को नहा-धो कर १००० गज सूत कातने के बाद ही मैं शाका को खाता था। दोपहर को जब धुनकने का काम होता था तो धुनकता था अथवा १५०० गज सूत कात लेता था और शाम को शाका से लौट कर १००० गज सूत कातता था। ६ षण्टे शाका के, ७ षण्टे निद्रा के, ०॥ घण्टा कसरत, ८ षण्टे चरका कातने के (धुनकना इत्यादि सब इसी में आ जाता है) २॥ षण्टे महावा पीना, खाना पीना, शर्भना इत्यादि के होते थे। स्वैहार के

दिनों में १२ षण्टे कातता था। बाकी के समय माँके बनाता था या कुछ पढ़ना था। माँके एक महीने के लिए इकट्ठी रख पंख बना कर रक्खा था। छत्री के सीकनों के १२ तकुवे बना रखे थे और उनमें से तीन चार तैयार रक्खा था। कातने का सामान्य वेग ४०० गज था परन्तु कभी कभी जब क्षायन अच्छे होते थे ५०० से ५५० गज का वेग भी होता था। परन्तु चारों वर्ष का औसत वेग ४०० से ४५० गज का गिना जा सकता है। गांधीजी की अग्रिमि के दिन २० षण्टे तक सतत काता था, उस दिन ८००० गज सूत काता गया था।

‘अब तो पूछने का शायद ही कुछ बाकी रह जाता है इसका कर के आप पढ़ने का भी समय निकाल लेते थे वह बात विश्वास करने योग्य नहीं है।’

“देने पढ़ने का बहुत लोभ नहीं किया है परन्तु ‘ज्ञानप्रचार’, ‘वक्षिणामूर्ति’, ‘पाटीदार’, ‘नवजीवन’, और ‘नवयुग’ इत्यादि पढ़ता था। एक सहयोगी शिक्षक छः मास तक मेरे साथ रहे थे उनसे गीताजी और ‘विश्वपक्षात्क’ के मूलतत्त्व पढ़वाता था और उस पर विचार करता था।

‘इस युग का आप के जीवन पर कैसा असर हुआ है?’

इस वर्ष में कितनी एकाग्रता, शान्ति और जाग्रह बढ़ सका हूँ उतना मैं अपने चारों जीवन में भी नहीं बढ़ा सका था। समस्त जीवन को नियमित बनाना मेरे लिए स्वाभाविक बात हो गई है।

जीवन में कितने ही क्षण व्यर्थ जाते होंगे, उनका मुझे प्रतिक्षण स्मरण रक्खना पड़ता था इसलिए अब ऐसा श्याक हमेशा कायम रहने लगा है।

‘भाई, आप का जीवन धन्य है। इस पर से बहुतों को आनने सीकने लायक बातें प्राप्त होंगी। यदि आप इजाजत दें तो मैं इसे प्रकाशित कर दूँ। बिना समयपत्रक के आप इतनी बातें क्यों कर कह सकते हैं?’

‘आप इसे मझे ही प्रकाशित करें। ईश्वर पीत्यर्थ जो हुआ सो हुआ; दूसरों को मझे ही उससे लाभ हो। समयपत्रक तो था ही। तेरह महीने के हर एक दिन के काम के पत्रक की एक नकल आप को भेजूंगा।’

यह पत्रक मेरे पास है उसे प्रकाशित करने का तो बड़ा जी चाहता है परन्तु स्वाभाविक के कारण उसे यहाँ नहीं ले रहा हूँ। ऊपर लिखी गई बातों में पत्रक की सब बातें आ गई हैं। यह ‘ईश्वरार्पण जीवन नहीं तो और क्या कहा जा सकता है! ‘यत्करोषि यदश्रासि . . . तत्कुरुष्वमदीयं’ इस लोक का इस पर से किसे स्मरण न होगा! इस वर्ष भर के परिभ्रम के कारण शरैरभाई के घर में हजारों रुपये इकठ्ठी नहीं हुए है परन्तु ११,१०८२५ गज सूत तैयार हुआ है (७ मज कपास चुनने और उसके बिनैके निकालने और ९७ सेर चर्बी चुनने के परिणाम में); उसमें ८ लाख गज सूत ‘स्विसभारतगज’ के प्रीत्यर्थ महासभा को अर्पण किया गया था। यह तो उसकी स्थूल बात हुई। उसका सूक्ष्म मर्म तो कैसे उस पर अधिक विचार करते हैं जैसे ही वह अधिक गहरा माध्यम होता है?

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देसाई

आजम अजमनासिक

पाँचवीं आवृत्ति सतत हो गई है। अब कितने आर्दर निकले हैं सभी कर लिए जाते हैं। आर्दर भेजनेवालों को अवतक कहीं आवृत्ति प्रकाशित न हो तबतक भेज रक्खना होगा।

अध्यक्ष, हिन्दी-नवजीवन

**बस, स्थिर रहेंगे!**

वार्षिक मूल्य ५)  
 छः मास का " २)  
 एक प्रति का " १)

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

। अंक ३९

मुद्रक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

अहमदाबाद, विद्यालय सुट्टी २, संख्या १९८२  
 १३ बुधवार, मई, १९२६ ई०

मुद्रकस्थान-नवजीवन मुद्रकालय,  
 चारंगपुर बरकोणरा की वाली

## पुरुषार्थ के दो चित्र

मैं जो पुरुषार्थ के दो चित्र यहाँ देना चाहता हूँ उनमें एक पाश्चात्य है और दूसरा यहाँ का है। दोनों में खूबी है। दोनों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है परन्तु फिर भी दोनों में अमीन आत्मान का नेत्र है। दोनों ही सच्चे चित्र हैं। कल्पना का रंग कहीं भी नहीं लगाया गया है। पहिलका चित्र पेरिस के विद्यापीठ के कानून के एक अध्यापक का लीखा हुआ है। उन्हीं के शब्दों में मैं उसे यहाँ दे रहा हूँ।

"नहीं चाहूँ, माफ़ करो, मैं बक्षीय नहीं ले सकता हूँ। मत बर्ष में आपके वर्गों में जाता था और आभासी बने की पहली तारीख को राज्याधिकारक कानूनों की परीक्षा मुझे आप ही के समक्ष देनी है।"

वे एक शोकर-मोटर हाँकनेवाले-के शब्द थे। उसकी गाड़ी में बैठ कर मैं घर आया था। मैं उसे बक्षिस देने लगा तो उसका यह जवाब मिला। मैंने जरा गौर से देखा तो यह शोकर की टोपी पहने हुए था तो भी मेरा विद्यार्थी प्रतीत हुआ। उस खंबल युवक का चेहरेरा आकर्षक था और उसे यह कहने में कि वह मेरा विद्यार्थी है बका ही आनन्द होता हुआ दिखाई देता था। उसके शौक्य के बच्चे में मैंने उसे दूसरे दिन अपने यहाँ भोजन के लिए आने का निमन्त्रण दिया।

'मुझे जरा जल्दी जाना होगा' उन्होंने बड़े विनय के साथ मुझसे कहा, "क्योंकि मुझे अपने काम पर जाना होगा।"

दूसरे दिन वह मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आया और हमने बातचीत करना शुरू की। जो बातचीत हुई वह भी यहाँ ख्यों की ख्यों दे रहा हूँ।

"मुझे बक्षीय बनना है, कानून सीखने में मुझे बड़ी वित्त-कमी है। परन्तु मैं एक परीक्षा अफलर का लडका हूँ। मेरे पिता के इस पौत्र मुझ हूँ। उसमें कुछ से बका मैं हूँ। उसे यहाँ के उनके पास कोई आशय नहीं है। मैं अभ्ययन करने के

लिए घर छोड़ कर पेरिस में कैसे रह सकता था? मेरी मातृ की करकसर और गृहम्यवस्था ऐसी अच्छी थी कि उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। फिर भी वह ख्यों ख्यों कर के घर का निमान करती थी। तो फिर मैं पढ़ने के लिए अपने मातापिता से मदद कैसे प्राप्त कर सकता था? मेडिक (प्रवेशिका परीक्षा पास) होने के बाद मैंने अपने एक रिश्तेदार से मोटर चलाना सीखा और शोकर का परवाना प्राप्त किया। एक दिन मोटर चलाते हुए मेरा, अपने जीवन का प्रथम प्रकायक हुल हो गया। मुझे यह विचार आया: "पेरिस में कानून की कालेज में जाना चाहिए। शोकर की नोकरी तो मिलेगी ही, उसके कर्ब चला केने।" बस मुझे यह कुञ्जी मिल गई।"

"परन्तु तुम्हारे इस प्रकार मोटर हाँकने से पढ़ने का और बर्ग में जाने का तुम्हें समय कैसे मिलता है?"

"मैं आपको अपना समयपत्रक ही सुनाना हूँ। मैं प्रतिदिन रात को १० से ७ बजे तक मोटर हाँकता हूँ। आप यह न समझे की मैं उससे बहुत थक जाता हूँ, मात्र नियमित भोजन और नियमित नींद लेनी चाहिए। ७ बजे मेरा काम पूरा होता है कि मैं अपने कमरे पर चला जाता हूँ, कपड़े बदलता हूँ और मजशीक के एक छोटे से होटल में अच्छी तरह खाना खा कैता हूँ और बराबर ८।। बजे 'ला स्कूल' में पहुँच जाता हूँ। वहाँ मैं बड़ी ताजगी और उत्साह के साथ सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं अपने बर्ग में हमेशा समय के पहले हाँकित होता हूँ इससे मुझे हमेशा बैठने की अच्छी जगह मिलती है और मैं अच्छी तरह 'नोट्स' ले सकता हूँ। तीन बर्गों के अध्यापकों के व्याख्यानो को सुन कर दोपहर को १२ बजे मैं घर लौट जाता हूँ, बड़े उत्साह से भोजन करता हूँ और सो जाता हूँ और बराबर ८ बजे उठता हूँ।"

"परन्तु परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करते हो?"

मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि इस सवाल मुझे जरा दीडधूप करनी पडी थी। परन्तु मेरी स्मरणशक्ति अच्छी है—क्योंकि मैं हरएक काम बिलकल जगा कर करता हूँ और मेरे 'नोट्स'

में कोई कसर नहीं होती है। रोजाना के और बाहिर तक के सब नोट्स तैयार होते हैं। उससे मुझे बड़ी मदद मिलती है। मात मात्रे और ऐसी दूसरी किताबी ही जगहों पर कई बार अधिक टड्डना होता है। ऐसे समय पर मैं किसी विजली की बत्ती के पास चला जाता हूँ और मेरे मोनू या दूसरी किताबें पढ़ना हूँ। सत्र खत्म होने के एक महीने पहले से मैं परीक्षा के लिए मोटर हाँकना बन्द कर देता हूँ और पुस्तक के कर पढ़ना आरम्भ कर देता हूँ। परन्तु कानून की परीक्षा बड़ी कठिन होती है। जोलाई में मैं अगुनर्ण हुआ था परन्तु 'उस दिन फिर जो परीक्षा दी तो उसमें उत्तीर्ण हो गया। अब दूसरे वर्ष की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा मोटर हाँकना भी ज्यों का त्यों कायम रखना चाहता हूँ।"

"तो दोनों कामों में तुम्हें पूरी सफलता मिलती है?"

"हां, कुनेर के समान मेरे पास सब इकट्ठा हुआ है। क्या आप यह मानेंगे? १९२४ के नवम्बर की पहली तारीख से १९२५ के नवम्बर की पहली तारीख तक मुझे १७००० फ्रांक मिले हैं।"

"कानून के प्रोफेसरों से भी अधिक!"

"हां, यदि परीक्षा के लिए हाई महीने तक काम बन्द न किया होता और थोड़ी छुट्टी न मनाई होती तो इससे भी अधिक फ्रांक पैदा किये होते। मुझे नाटक में जाना बहुत पसन्द है और बिगत वर्षों के दिनों में फ्रान्कवा के नये नाटक और मोल्लियेर और मसेट के नाटक देखने को मेरा दिल चका था। प्रोफेसर साहब आपने वह भव्य 'फेन्टेसिया' का नाटक देखा है? वह अद्भुत है। फ्रेन्से और बर्टिन तो कमाल करते हैं।"

"हां, मैंने देखा है। तुम जो कहते हो सब है। १७००० फ्रांक में तो तुम राजा की तरह रहते होगे।"

"नहीं, राजा की तरह तो नहीं क्योंकि मैं जन्म से ही करकसर करना सिखा हूँ और मैं अपने से गरीब विद्यार्थियों के बलिदान अधिक सुखी दिखना भी नहीं चाहता हूँ। मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह महीने में ७०० फ्रांक से काम चलाता हूँ।"

"अर्थात् ८,५०० फ्रांक तुम बना सकते हो!"

"नहीं, मैं प्रतिमास ५०० फ्रांक पर मेवता हूँ। मेरे पिता के बलिदान मेरी आमदनी अधिक है और उन्हें तीन बालकों को पालना और पढ़ाना होता है। इसलिए मुझे कुछ तो घर मेजना ही चाहिए। भक्त अकनूश में मेरे पास २००० फ्रांक बचे हुए थे उससे मैंने सरकारी बॉन्ड खरीदे थे। अर्थात् देश को मैंने उसकी लोन (करबा) दी था। जबतक सरकार को उसकी आवश्यकता है तबतक मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आप यह तो जानते ही हैं कि मुझे कुछ भी टैक्स नहीं देना होता है। इन्कमटैक्सवालों ने मुझे भाव्य होता है छोड़ दिया है।"

"और क्या इसी प्रकार काम चलाता रहेगा?"

"बेशक! परन्तु मुझे परीक्षा में फेल नहीं होना है इसलिए १५ मई से दो महीने तक मुझे अपना काम बन्द रखना चाहिए। तबतक मुझे अपना वर्ग और काम दोनों बराबर चलाते रहना चाहिए। परन्तु १५ मई के बाद मैं मरना और अपनी किताबें भन्दी। यदि मैं पास हो जाऊंगा तो मैंने अपने सब में एक छोटी सी बात तय कर रखी है— अगस्त में दो सप्ताह के लिए इटली का सफर करना है। फ्लारेन्स देखने को मेरी इच्छा है।"

"मुझे बड़ा आश्चर्य है तुम यह सब कैसे कर सकते हो?"

"इसमें क्या बड़ी बात है? यह मेरा १९२६ का बजट है १॥ महीने में मासिक १७०० फ्रांक के दिवाब से १६,१५० फ्रांक की आमदनी होगी १२ महीने के खर्च से ८,४०० फ्रांक और ६००० पर मेजूगा। मेरी इटली की मुसाफरी में १७५० फ्रांक खर्च होगा। मेरे लिए इतना खर्च बहुत काफी होगा क्योंकि इसे कोई प्रथम वर्ग के आर धोने की सुविधावाले डिब्बे में बैठने की आवश्यकता तो है नहीं। परन्तु मेरा ह्याक है कि आगामी 'लोन' में न के सऊंगा।"

साके आठ बजे और हमारी बातचीत का अन्त हुआ क्योंकि उस जोफर मित्र को कपड़े बदल कर नोकरी पर जाना था।

मैं तो दिग्भ्रम सा बन गया। एक जोफर बखिस न के, कानून का अध्ययन करे, सरकारी बॉन्ड के, उसम माटकों में दिलचस्पी के, फ्लोरेन्स देखने को जाय और प्रतिमास अपने पिता को एक अच्छी सी रकम भेजे।"

आगामी अंक में अपने यहाँ के पुरुषार्थी जीवन का विवर दूंगा।

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देसाई

ग्राहकों से निवेदन है कि वे नीचे लिखे निगमों पर ध्यान देने का कृपा करेंगे:

(१) जिनका बन्दा बी. पी. से वसूल करना होगा उन्हें उनके बी. पी. के दाम आफिस में जमा हो जाने पर ही पत्र भेजना शुरू किया जावेगा।

(२) बी. पी. छुड़ा लेने के बाद ग्राहक फौरन ही अंकों के न मिलने की शिकायत के पत्र लिखना शुरू कर देंगे है परन्तु उनके बी. पी. छुड़ा लेने के बाद उसकी रकम हमें यहाँ मिलने में सामान्यतया दस दिन लग जाते हैं और कभी कभी तो इससे भी अधिक समय लगता है। इसलिए १५ दिन तक उन्हें राह देखनी चाहिए और जब १५ दिन तक राह देखने पर भी 'नवजीवन' का कोई भी अंक उन्हें मिले तभी उन्हें शिकायत करनी चाहिए। ऐसी शिकायत का पत्र लिखने समय उन्हें अपना बी. पी. नंबर जो उनके बी. पी. के कड में होता है अवश्य लिखना चाहिए।

(३) उत्तर पाने के लिए अवामी कार्ड अथवा एक आने का टिकट भेजना चाहिए।

(४) जो हिन्दी नवजीवन के ग्राहक नहीं हैं उनसे पिछले सब अंकों की कीमत ०-२-६ प्रति क दिवाब से ली जावेगी। ग्राहकों को यदि कोई पिछला अंक चाहिए तो वे उसी महीने में जिस महीने का कि वह अंक है हमें लिखेंगे तो उन्हें वह अंक ०-१-६ (वाकखर्च के साथ) में दिया जा सकेगा। महीना बीत जाने पर उन्हें भी प्रति अंक ०-२-६ ही देने होंगे।

(५) ग्राहकों का चन्दा जिस महीने में हमारे यहाँ जाना है उस महीने की पहली तारीख से अथवा उसके आगामी महीने की पहली तारीख से ही उन्हें ग्राहक बनाया जा सकेगा। उसी महीने की पहली तारीख से जो लोग ग्राहक बनना चाहेंगे उन्हें उस महीने के जितने पिछले अंक मिल सकेंगे उतने ही अंक दिने जा सकेंगे।

व्यवस्थापक,  
हिन्दी-नवजीवन

## स्वतंत्र मजदूर दल और भारत

भारत की स्थिति के सम्बन्ध में विलायत के स्वतंत्र मजदूर दल को अपनी राय देने के लिए नियुक्त की हुई समिति की लिखी हुई रिपोर्ट सही समर्थ है। ब्रिटिश राजतन्त्र पर यह एक प्रकार से बहुत टीका है। उसमें नाग मात्र के सुधारों के सम्बन्ध में जो बातें लिखी हैं उनमें सिविल सर्विस, जातीय कृषानेक, न्यायविभाग और नाममात्र के भारतीय नाका सेन्स के सम्बन्ध में भी कुछ बात कही गयी है।

शिक्षा के विषय में जो बातें कही गयी हैं वे यहाँ उद्धृत करने योग्य हैं:

“भारत की नोकशाही का, उसको कुछ बातों में सफलता मिली है इस कारण बचाव लिया जाता है। कौमी और टैक्स बसूल करने के यन्त्र के तौर पर और एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाने में और नहरों के काम में उसका काम बड़ा अच्छा और आवश्यक होता है, परन्तु उससे अधिक महत्त्व के, जीवन के आदर्श को ऊँचा बनाने के काम में उसे कुछ भी सफलता नहीं मिली है।

शिक्षा के कार्य में उसकी असफलता तो इसीसे साबित हो जाती है कि ब्रिटिश राजकाश को आज १२० लाख गुजरे हैं फिर भी ७.२ प्रति सैकड़ा मनुष्य ही कोई एक भाषा पढ़ सकते हैं।

ब्रिटेन में मुफ्त और सार्वजनिक शिक्षा देने का आरम्भ १८७० और १८८१ के दरम्यान के वर्षों में हुआ था। कोई बारह साल में स्कूल में बच्चों की हाजिरी ४३.३ प्रति सैकड़ा से बढ़ कर १०० प्रति सैकड़ा हो गई थी। १८७२ में जापान में स्कूल जाने लायक बच्चों में २८ प्रति सैकड़ा बच्चे स्कूल में जाते थे परन्तु २४ वर्षों में यह बढ़ कर ९२ प्रति सैकड़ा हो गये और २८ वर्षों में वे सब बच्चे स्कूल जाने लगे थे। स्वीडन के वेर्ग राज्य में शिक्षा मुफ्त ही जाती है और ९५ प्रति सैकड़ा स्कूल जाने लायक बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्रान्सकोर में, एक दूधरे देशों राज्य में ८१.१ प्रति सैकड़ा लड़के और ३३.२ प्रति सैकड़ा लड़कियों पाठशाला को जाती हैं और मायसोर में ४५.८ प्रति सैकड़ा लड़कों का और ९.७ प्रति सैकड़ा लड़कियों का परिमाण है। जब बड़ी-बड़ी पाठशाला में जाने योग्य बच्चों पर प्रति बच्चा ६३ पेंस खर्च करता है तो ब्रिटिश भारत में केवल ३ पेंस ही खर्च होता है। ब्रिटिश भारत में शिक्षा विभाग खोलने के बाद कोई ५९ वर्षों में स्कूल जाने लायक बच्चों में से केवल २०.४ प्रति सैकड़ा बच्चे ही पाठशाला को जाने लगे थे। बम्बई में १९०४ में स्कूल जाने लायक लड़कियों में केवल २ प्रति सैकड़ा लड़कियाँ ही पाठशाला को जाती थीं।

भारत की सामान्य गरीबी के सम्बन्ध में रिपोर्ट में लिखा है:

“बाड़े शहर के निवासियों को देखो या गाँव के निवासियों को, देखनेवाले को प्रथम सब जगह ब्याप्त गरीबी की पीडाजनक स्थिति को देख कर बड़ी चोट लगोगी। सर विलियम हंटर जैसे एंग्लो-इन्डियन की अध्यक्षता में गरीबी के हिसाब से कोई चार करोड़ मनुष्य दिन में एक ही मरतबा का कर जीवन बीताने हैं। सर चार्ल्स हेलियट की एक और गिनती के हिसाब से भारत के खेती करनेवाले लोगों में से आधे लोग, जिन्हें मिनी की, के नामसे ही पाठशाला के लगभग माना या इमेशा भूले रहते हैं। वर्ष में कभी उन्हें, एक मरतबा भी पेट भर कर खाना नहीं मिलता है—इसमें पेट भर कर खाने की यह खुराक भारतीय देहियों को जो खुराक ही जाती है उससे कुछ अधिक नहीं मिली गयी है।

प्रोफेसर जील्बर्ट स्केटर, जिनको भारत और ब्रिटेन के मजदूरों की स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान था, भारत के किसानों की गरीबी के विषय में लिखते हैं “प्रति मनुष्य उनकी आमदनी का उचित अंशक लगाया जाय तो आजकल वह प्रति दिन प्रति मनुष्य ४३ पेंस के करीब होगा। धनवान और रंक सभी लोगों का एक बिधार कर के यह कहा जा सकता है कि जितनी आमदनी होती है उसका ३ (अर्थात् १३ पेंस प्रतिदिन) तो सिर्फ भारतीय खुराक की दृष्टि से चावल, जवारी और गेहूँ इत्यादि अनाज में ही खर्च हो जाने चाहिए। औसत वर्ग के मनुष्यों की यह हालत है या ऐसी ही कुछ हालत है। इस पर वे गरीब लोगों की हालत का विचार किया जा सकता है। मद्रास के शहर के मध्य में रहनेवाले अस्पृश्यों के मुँहों के हर एक कुटुम्ब की जीभ की गई थी जो उससे उनकी आमदनी का औसत प्रति मनुष्य २३ पेंस के करीब पामा गया था उससे वे चावल की आवश्यकता को पूरा करने के बाद सिर्फ आधा पेंस ही बच रहता है। और अभी हाल ही में गंगाबरी के भिन्दाके पर की गई जीभ के अनुभार तो वहाँ प्रति मनुष्य प्रतिदिन १ पेंस का आमदनी पामा जाती है। इन लोगों के और उनकी जाति के लोगों के सम्बन्ध में जिनकी कि सिद्दत पर दक्षिण भारत के चावल के क्षेत्रों की खेती का मुख्य आधार रहता है, यह कहा जा सकता है कि सामान्य तौर पर उनकी अनाज और स्थलों में जितनी आमदनी होती है उससे बड़ी मुश्किल से वे अपने कुटुम्ब का पीटी दर पीटी अपनी संख्या को कायम रखने के लिए जीवन-निर्वाह कर सकते हैं और उनसे जितने अधिक बचें होते हैं सब मर जाते हैं। वे हमेशा ही भूले रहते हैं। वे बच्चे हुए समय में जाने झोपड़े बनाते हैं, लकड़ियाँ बटोरते हैं, कपड़ा बहुत ही कम पहनते हैं और धूप में भूब रहते हैं इन्हींसे उनका जीवन निभ सकता है।”

खेती की स्थिति का वजन जिस विभाग में किया गया है उसमें से नीचे लिखी बात में उद्धृत कर के दे रहा हूँ।

“१९२१ की मजदूरशुमारी की रिपोर्ट में भारतीय सिविल सर्विस के सदस्य मि. अबल्यू एच थोम्पसन के मतानुसार भारत में एक एक कुटुम्ब के पास औसतन २.१५ एकड़ जमीन होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि यह जमीन भी उसके कुटुम्ब के मनुष्यों से विभाजित की जाती है। ऐसे असह्य जमीन जोतनेवाले और उनके भी आमासियों के अलावा ऐसे चार करोड़ मजदूर और हैं कि जिसके पास जमीन नहीं होती और वे आज यहाँ तो सब वहाँ खेती की मजदूरी करते हैं। इन मजदूरों को साल में ६ महीने तो कुछ भी काम नहीं होता है। बंगाल में तो जमीन के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो गये हैं कि किसानों को पूरा काम ही नहीं मिलता है और ऐसा भी कोई दूसरा काम नहीं है कि जिसको वे उसे छोड़ कर करने लगे। मद्रास में मि. गिलेवर्ट ने अभी अभी यह बात साबित की है कि औसत वर्ग का किसान जितना काम करता है वह काम बारह महीने में १०० दिन की पूरी मजदूरी से अधिक नहीं है।”

इस विभाग में औद्योगिक परिस्थिति के मुताबिक बड़े विलासता बाने कही गयी है परन्तु बाकी की विलासता बातों को जानने के लिए मैं पाठकों को उस रिपोर्ट को ही पढ़ जाने के लिए कहूँगा। इस विलासत के स्वतंत्र मजदूर दल के द्वारा प्रकाशित की गई है। उसका मूल्य ६ पेंस है और १४ प्रेस कागज स्ट्रीट लण्डन एच अबल्यू के पते पर लिखने से मिल सकती है।



# हिन्दी-नवजीवन

शुक्रवार, वैशाख सुदी २, संवत् १९८९

## बस, स्थिर रहेंगे!

पुराने काल को मन में रख ही गये हैं बड़ी मुश्किल से हुए होते हैं। नीच गिनी जानेवाली जातियों पर हिन्दुओं ने जो अत्याचार किया है, जो अन्याय किया है उसका कहर से कहर दिव्यमान भी स्वीकार करता है। फिर भी ऐसे लोग हैं जो और बातों में उदार होने पर भी इस मामले में दुराग्रह से ऐसे अन्धे हो गये हैं कि वे इन नीच गिने जानेवाले अपने देश-वासियों के प्रति किये गये अपने व्यवहार में कोई अन्धारा ही नहीं देखते हैं। एक महाशय यों किचले हैं।

“मैं आप का एक बड़ा मज्ज अनुयायी हूँ। परन्तु मैं आप का प्रथम कर्म का अनुयायी होने का दावा नहीं करता। मैं बड़े दुःख के साथ इस बात का स्वीकार करता हूँ कि अस्पृश्यता के विषय में मेरे दिल को आपकी तरह कोई चोट नहीं पहुंचती है। जो लोग यह कहते हैं कि अस्पृश्यों पर अत्याचार किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है उनसे मैं एकमत नहीं हो सकता हूँ। मैं आपके समक्ष यह बात पेश करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि वे अस्पृश्य कहे जानेवाले लोग पहले स्वतंत्रता का उपभोग करते थे और अच्छी हालत में थे। यदि मैं पंचमाशों के भूतकाल और उनके वर्तमानकाल के प्रति दृष्टिकोण करूं तो मैं उनको उनकी जाति के लिए मुबारकबादी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि उससे तो वे कहीं के भी नहीं रहे हैं। नाममात्र की शिक्षा और नोकरी के टुकड़ों की लूट्टा का ही वे अनुकरण कर रहे हैं और इससे वे और भी अधिक अस्पृश्य बन गये हैं। जो मनुष्य शारीरिक श्रम के कामों को छोड़ कर नोकरी या कोई अधिकार की जगह जाता है वह पहले में से निकल कर भूमी में ही जा कर गिरता है। यही इस लोगों का, जाइनों का दुःख अनुभव है। मुझे उन दिनों का स्मरण है जब कि पञ्जाब की कुटुम्ब का ही एक मनुष्य समझा जाता था और प्रतिपाद उसकी आजीविका और कपड़ों की व्यवस्था की जाती थी। परन्तु अब वे सब बातें भूतकाल की बातें हो गये हैं। बहुत से अस्पृश्य विदेशियों की गुलामी करने के लिए दूसरे देशों में चले गये हैं; अजबबा (वे १५) की साही तन्त्रशाह पा कर फौज की नोकरी करने के लिए नोकरीवाही के अज्ञान में ही हथियार बन गये हैं। मुझे भय है कि उन्हें दूसरी जातियों के समान बनाने का, उनकी उन्नति करने का आप का कार्य अक्षरक ही होगा। स्वयं मेरा कथारु तो यह है कि समाज में उनकी उन्नति करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है परन्तु यह कार्य कोई जादू की तरह एक ही दिन में नहीं किया जा सकता है। उन्हें शिक्षा देने के लिए, उनके आर्थिक कष्टों को दूर करने के लिए, शराबखोरी, मोहत्या और मिट्टी खाने की बर्दी को, जो उनमें अदियों का पुराना रिवाज हो गया है और इसीके कारण हर एक गांव में उन्हें अलग एक गाँव में रहना पड़ता है, दूर करने के लिए हमें करोड़ों रुपये खर्च करने होंगे। यदि यह न किया जायगा और दूसरी जाति के लोगों से अस्पृश्यों का आश्रय करने को कहा जायगा तो सबसे समाज की अवनति होगी और जहाँ तक मेरा कथारु है आप भी उसे पसंद न करेंगे।”

अस्पृश्यों को न सूझे में ही अवनति है। मनुष्य यदि शराब पीता है, मोहत्या करता है और मिट्टी खाता है तो क्या हुआ ?

यह बेशक बुराई करता है परन्तु यह समझे जो कि छिपे हुए और अधिक भयंकर पाप करते हैं, अधिक पापी नहीं हैं। इसलिए यह अस्पृश्य नहीं गिना जाना चाहिए क्योंकि गुप्त पाप करनेवाले पापी को समाज अस्पृश्य नहीं गिनता है। पापी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए परन्तु उन पर तो दया करनी चाहिए और उनको अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। हिन्दुओं में अस्पृश्यता का होना अहिंसा के सभी सिद्धान्त का हन्कार करना है बिना पर कि हमें अनिमान है। अस्पृश्यों में बिना युवावृत्तों के होने के विषय में केवल शिक्षावत् करते हैं उसकी जिम्मेदारी भी हमारे ही सिर पर है। उनको उच्च मार्ग से विमुक्त करने के लिए हमने क्या प्रयत्न किये हैं! हमारे कुटुम्ब की किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए हम क्या बहुत से रुपये खर्च नहीं करते हैं। क्या अस्पृश्य लोग हिन्दी समाज की महान कुटुम्ब का एक अंग नहीं हैं। निःसन्देह हिन्दू धर्म तो हमें यह उद्देश्य देता है कि सारी मनुष्य जाति को हम एक अधिमक कुटुम्ब समझे और हम में से प्रत्येक मनुष्य हर एक मनुष्य की की हुई बुराई के लिए अपने को जिम्मेदार समझे। परन्तु यदि यह समझ नहीं कि इस महान सिद्धान्त पर उसकी विचाररुता के कारण अमल किया जा सके तो हमें कम से कम यह ही समझना चाहिए कि अस्पृश्यों को हम हिन्दू कहते हैं इसलिए वे और हम एक ही हैं।

और क्या मिट्टी खाना अधिक बुरा है वा मिट्टी का निवार करना? हम रोबाना करोड़ों अस्पृश्य विचार करते हैं, उन्हें अपने मन में स्थान देते हैं और उनका पोषण करते हैं। हमें उन्हें दूर कर देना चाहिए क्योंकि वे ही सके अस्पृश्य हैं, तिरस्कारनीय हैं और दूर कर देने के योग्य हैं। हमें प्रेम से अपने अस्पृश्य भाइयों का आश्रय कर के उनके प्रति किये गये अन्धारा का प्राश्रित करना चाहिए। अस्पृश्यों की सेवा करने के कर्त्तव्य के सम्बन्ध में केवल वे कोई शक नहीं उठाई है। यदि उन्हें देखने से ही हमें डरा मान्य हो और हम अपवित्र हो जाते हैं तो इस जनकी कैसे सेवा कर सकेगे ?

( नं. ६. )

### राष्ट्रीय सप्ताह में जादी

परशासक को राष्ट्रीय सप्ताह में किये गये काम की कुछ रिपोर्टें मिली हैं। उसके अनुसार बाबू शिवप्रसाद गुप्ता ने, जिन्होंने कि जादी बेचने के लिए काशी में स्वयंसेवकों की व्यवस्था की थी कोई २०००) की जादी बेची है। अरुणाचल में (१२००), गाजीपुर में (१६०) से कुछ अधिक और कान्हा में (१०००) की जादी बिकी है। पंजाब में तो इस सप्ताह में क्या ही उत्साह दिखाया गया था। कोई (११०००) की जादी बेच दी गई थी। बहुत से नेता जादी की फेरी लगाते थे। तामिलनाडु में उसके सब भन्धारी को मिला कर कोई १६,६२२-११-११ की जादी बिकी थी।

मैं चाहता हूँ कि भारत के सभी केंद्र अपने रिपोर्टें भेजेंगे। अंकों के विषय में कोई आश्रय करने की बात नहीं है। परन्तु इससे यह बात साबित होगी है कि यदि सिकं मुख्य कार्यकर्ता और नेता, जो आर पुष्प दोनो, अपने अपने केंद्रों में दहतर के साथ काम करेंगे तो जितनी भी जादी उप प्राप्त में पैदा होगी तिसा किसी कठिनाई के बिना जायगी। गाइकों को कमी के कारण अच्छी जादी की उत्पत्ति पर अक्षर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जादी उत्पन्न करने में होशियारी और कवाचार प्रयत्न करने की आवश्यकता है। बिक्री के लिए प्रयास और मार्ग कर लेने की योग्यता होगी चाहिए। इसलिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वयंसेवक ही कुछ समय होने तो यह कार्य आकाशी से हो सकेगा।

( नं. ६. )

श्री० क० गांधी

### सत्य के प्रयोग जयभा आत्मकथा

अध्याय २३

मेरी पारंगता

बारीस्टर बनवाना तो आसाम या परन्तु बारीस्टरी करना बड़ा ही कठिन माध्यम हुआ। कानून की किताबें पढ़ी परन्तु प्रकाशनात करना न सका। कानून की किताबों में मैंने कुछ धर्म-सिद्धान्त पढ़े थे, वे मुझे बहुत ही अच्छे माध्यम हुए। परन्तु मैं यह न समझ सका कि उसका प्रकाशनात में कैसे उपयोग किया जा सकेगा। "तुम्हारे पास जो कुछ हो उसका इस प्रकार उपयोग करो कि उसके दूसरे की आवश्यकता को कोई नुकसान न पहुंचे।" यह तो सर्वज्ञान है। परन्तु प्रकाशनात करते समय अपने मन्त्रियों के सुझावों में उसका कैसे उपयोग किया जा सकता है यही मेरी समस्या में न आता था। जिन सुझावों में इस सिद्धान्त का उपयोग किया गया था उन्हें भी मैंने पढ़ा परन्तु उससे भी इस सिद्धान्त का उपयोग करने की युक्ति मुझे प्राप्त न हुई।

और मैंने जो कानून की किताबें पढ़ी थीं उनमें हिन्दुस्तान के कानूनों का तो नामोनिशान भी न था। मैं यह भी नहीं जानता था कि हिन्दुशास्त्र और इस्लामी कानून कैसे होंगे। श्रावणरानी तैयार करना भी नहीं सीखा था। मैं खूब पढ़ता गया। फिरोजशा महेता का नाम सुना था। वे अदालतों में फिज की तरह बर्तना करते थे। वे निलायत में यह क्यों कर सीखें होंगे? उनके जैसी योग्यता तो इस जन्म में कभी भी प्राप्त न होगी परन्तु मुझे एक बकील की हैसियत से आजीविका प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होने के बारे में भी बड़ा संदेह हुआ।

जिस समय मैं कानूनों का अध्ययन कर रहा था उस समय भी यही विचार होता था। मैंने दो एक मित्रों को अपनी यह कठिनाई कह सुनाई। उन्होंने श्रावणरानी से सलाह लेने की मुझे सूचना दी। मैं आगे यह सोच ही चुका हूँ कि उनके नाम पर मेरे पास एक सिकारिया की बिट्टी थी। मैंने उस बिट्टी का धर से उपयोग किया। ऐसे महान मुद्दों में मुलाकात करने का मुझे क्या अधिकार था? उनका जब कोई श्रावणरानी होता था तब मैं उसे सुनने के लिए जाता था और एक कोने में बैठे अपनी आंखों और कानों को तुल्य करके लौट आता था। उन्होंने विद्यार्थियों के सम्मान में आगे के लिए एक मण्डल स्थापित किया था। उसमें मैं हमेशा हाजिर रहता था। विद्यार्थियों को जो उन्हें श्रान रहता था और विद्यार्थियों को उनके प्रति जो आदर होता था उसे देख कर मुझे बड़ा आनन्द होता था। आखिर मैंने उन्हें यह सिका-रिया की बिट्टी देने की हिम्मत की और उनसे मिला भी। उन्होंने मुझसे कहा था: "तुम्हें यदि मुझसे कुछ बातचीत करनी हो और मेरी सलाह लेनी हो तो मुझसे मिलना।" परन्तु मैंने उन्हें कभी यह तकलीफ न दी। बकी गंभीर आवश्यकता के बिना ही उनका समय लेने में मुझे पाव माध्यम होता था। इसलिए उस दिन की रात के सुताबिक श्रावणरानी के सम्मेलन अपनी कठिनाई पेश करने की मेरी हिम्मत ही न हुई।

उसी मित्र ने जयभा किशोरी दूसरे ने (स्मरण नहीं है) मि. कैप्टेन पिंडट से मिलने की मुझे सूचना दी। मि. पिंडट कागज़ारवेडिग पक्ष के थे। परन्तु हिन्दुस्तानियों के प्रति उनकी विनिम और विस्वासे प्रेम था। बहुत से विद्यार्थी हमसे सलाह लेते थे। मैंने उन्हें बिट्टी सिका कर मुलाकात में लिए समय दिया। उन्होंने समय दिया और मैं उनसे मिला। मैं उनके मुलाकात को कभी भी नहीं भुला सका हूँ। मित्र की सलाह ने मुझसे मिले थे।

मेरी निराशा की बात को उन्होंने हंस कर उड़ा दी। "यथा तुम यह मानते हो कि सब को फिरोजशा महेता बनने की जरूरत है। फिरोजशा या बहुशील तो एक या दो ही हो सकते हैं। तुम यह निश्चय मन केना कि सामान्य बकील बनने के लिए बहुत बड़ी योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य प्रामाणिकता और उद्योग के होने से ही मनुष्य मुझ से प्रकाशनात का धंधा कर सकता है। सभी सुझावों कुछ उनसे हुए नहीं होते। अच्छा, तुम्हारी साधारण पढ़ाई कैसी है?"

जब मैंने अपनी पढ़ी हुई किताबों के नाम दिये तब मैंने देखा कि वे कुछ निराश हुए थे। परन्तु यह निराशा क्षणिक थी। कौन ही उनके चेहरे पर हास्य की रेखाएँ दिखाई देने लगी और वे बोले।

"जब मैं तुम्हारा दर्द समझ गया। तुम्हारी सामान्य पढ़ाई ही बहुत थोड़ी हुई है। तुम्हें संसार का ज्ञान नहीं है और बकील का उसके बिना काम ही नहीं चल सकता है। तुमने तो हिन्दुस्तान का इतिहास तक नहीं पढ़ा है। बकील को मनुष्य-स्वभाव का ज्ञान होगा चाहिए। उसे मनुष्य को देख कर उसके चेहरे पर से ही उसे पहचानना जाना चाहिए। और प्रत्येक हिन्दुस्तानी को हिन्दुस्तान के इतिहास का ज्ञान भी तो होना चाहिए न? प्रकाशनात के धंधे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु तुम्हें उसका ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। माध्यम होता है कि तुमने तो के और मेडिसन का १८५० का गहर का पुस्तक भी नहीं पढ़ा है। उसे तो अभी ही पढ़ लेना और मनुष्य की पहचान के लिए वे दो पुस्तकों के नाम देता हूँ उसे भी पढ़ना।" यह कह कर उन्होंने केवेटर और रोमकेपेनिक के मुकामानुसिकविद्या (फिजियोनामी) के पुस्तकों के नाम सिका दिये।

मैंने इन सुझावों मित्र का बड़ा ही उपकार माना। उनके समझ मेरी भीति क्षण भर के लिए तो दूर हो गई थी परन्तु ज्यों ही मैं बाहर निकला कि मेरी घबराहट फिर बढ़ने लगी। 'चेहरे पर से मनुष्य को पहचान देना' इस वाक्य को रटता हुआ और उन दो पुस्तकों का विचार करता हुआ घर पहुंचा। दूसरे ही-दिन केवेटर का पुस्तक खरीदा; रोमकेपेनिक का पुस्तक उस दुकान पर न मिला। केवेटर का पुस्तक पढ़ा परन्तु वह तो स्नेक से भी अधिक कठिन माध्यम हुआ। उसमें दिक्कतें भी नहीं सी माध्यम हुई। शेरसपीअर के चेहरे का अध्ययन किना परन्तु कम्बन के रास्तों पर जानेवाले शेरसपीअरों को पहचानने की शक्ति प्राप्त न हुई।

केवेटर में से मुझे कुछ भी ज्ञान न मिला। मि. पिंडट की सलाह का सीधा उपयोग तो मेरे लिए बहुत ही थोड़ा हुआ परन्तु उनके प्रेम का बहुत उपयोग हुआ। उनका सुझावता हुआ उदार मुझ मुझे भाद रह गया। उनके बचनों पर मैंने भ्रष्टा रक्षी कि प्रकाशनात करने के लिए फिरोजशा महेता की योग्यता, स्मरण शक्ति, इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। प्रामाणिकता और उद्योग से ही काम चल सकेगा। और इन दो गुणों की तो मेरे पास ठीक ठीक पूंजी भी थी इसलिए मेरे दिम में, गहरे से कुछ आशा भी बंधी।

के और मेडिसन का पुस्तक तो मैं विद्यापत में पढ़ ही न सका। परन्तु उसे समय मिलने पर प्रथम पढ़ने का निश्चय किया था। यह सुराद दक्षिण आश्रम में पूरी हुई।

इस प्रकार निराशा में जरा सा आशा का मिश्रण करके 'आसाम' स्टीमर में मैं कम्बई आया। उस समय मेरे पैर काँप रहे थे। बंदरगाह पर समुद्र में लूफास था, काम में उतरना संभवता था। (समजीवन) श्रीमान्वास कर्मचन्द गांधी

### ढोरों का प्रश्न

कुछ महीने पहले मजाम के कलक्टर मि० ए. गडेट्टी ने मुझे स्टेट्समेन में छपे अपने लेख की पुनः मुद्रित की हुई एक पत्रिका भेजी थी। उसमें उन्होंने अपने इटली के अनुभव के आधार पर ये बातें लिखी थीं: (१) भारत की कृषि का आधार अच्छे ढोरों पर है (२) भारत के ढोरों की रखवाली अच्छी नहीं होती है इसलिए वे और भ्रष्टों के बलिष्ठत उतारते के दम के होते हैं (३) साधारण बराक चाप पर आधार रखने के बजाय ढोरों के लिए उत्तम खाद्य उपग्र करने से वे सुख सकते हैं और (४) एक के बाद एक इस प्रकार फसल लेने के तरीके से अनाज के साथ साथ ढोरों के लिए चारा भी तैयार किया जा सकता है और उससे अनाज में भी कोई कमी नहीं होगा।

इटली की परिस्थिति को यहाँ लागू करने में मुझे कुछ कठिनाई महसूस हुई थी क्योंकि इतलोनों के पास बहुत थोड़ी जमीन होती है, इतनी कम कि वह कोई दो एकड़ के करीब या उससे भी कम होती है। मैंने अपनी कठिनाईयाँ उनके सामने पेश की। उन्होंने उमदा इस प्रकार उत्तर दिया है:

“ २६ फरवरी के आपके पत्र के लिए, जो मुझे भाग मेरी एकन्सी की पहलियों में मेरे केम्प में मिला है, मैं आपको बधाई धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने अनुभव से आपकी कठिनाईयों का उत्तर दूंगा। ”

**थोड़ी जमीन:** मेरे पिता के पास ११ खेत थे सबसे बड़ा ४८ हेक्टेयर का और छोटा १.७ हेक्टेयर का, अर्थात् वे अनुक्रम से १२० एकड़ और ४ एकड़ के थे। जब एकड़ के खेत पर से भी बारी बारी से उसी प्रकार फसल ली जाती थी जिस प्रकार की १२० एकड़ के खेत पर से ली जाती थी, एक एकड़ में गेहूँ, एक एकड़ में मका और २ एकड़ में घान जमी बारी से बोया जाता था और अग्रसे उत्तर देने के लिए हैं इसी बात को पेश करता हूँ। थोड़ी जमीन में भी बारी बारी से फसल ली जा सकती है और ली जाती चाहिए। हमारे छोटे किसान के पास एक ही आँब बैक थे परन्तु वह उसे बड़े ध्यान से खिलता खिलता था। उसी चार एकड़ सूखी जमीन पर वह अपनी की और दो तीन बच्चों के साथ गुजारा कर सकता था। वह स्थूल रूप से आराम में भी रहता था क्योंकि मेरे पिता कहा करते थे कि बुराका छोटा सा खेत एक बागीचा था, उसका एक एक इंच उसके अपने पसीने से फलदा बना था क्योंकि वही तो उत्तम में उत्तम खाद्य है। उसका बराई घर का एक छोटा सा बागीचा भी था, उसके खेत में आलिव के वृक्ष थे और उस पर अंगूर की बड़े बड़े हुई थीं, उसमें अंजीर और चेरी के वृक्ष भी थे। उसकी सा जाड़े में उसके लिए कालती थी और कपड़े बुनती थी और मरगों के तिनो में रेशम के कीड़े पालती थी। उसने कुछ मधुपक्षियों के हल भी पाल रखे थे और मोसम बोल करने पर वह अपने गाड़ी बैलों को किराये पर भी ले जाता था। उमदा मेड. सुख और पक्षियों की पाल रखता था।

१२० एकड़ के खेत की ४ भागों का एक अविभक्त कुटुम्ब बनाने किये, बचने और बूढ़ों के साथ जेतना था। गद मिला कर वे कोई ४० से ५० मनुष्य होंगे। वह खेत उसके ३० गुना बड़ा था परन्तु एक के बदले उसमें ३० बँलों की जोड़ का उपयोग नहीं किया जाता था। उनके पास बैलों की आठ जोड़ थीं। वे उसे न ३० गुना खाद्य ही देते थे न उसमें ३० गुना

पसीना ही बहाते थे। उसमें पैदावार भी ३० गुना नहीं होती थी। न गेहूँ, न मका या घान, न हाथकटा सूत न कपड़े वे ३० गुना पैदा कर सकते थे। कोई २० साल तक की इन खेतों की हर एक की पैदावारी का मुझे ज्ञान है। हम सब चीजों का पूरा पूरा और ठोक ठोक हिसाब रखते थे क्योंकि अण्डे, फल और कपड़ों से ले कर सभी चीजों में हमारा आधा हिस्सा होता था और आधामों का आधा, (हमारे आधे हिस्से में से हमें बड़े बड़े टैक्स देने होते थे, मजान की मरम्मत करानी होती थी और डोर, अंजीर और रमायनिक काद की आधी कीमतें भी देनी होती थी।) मेरे पिता की मृत्यु हो जाने पर मुझे उन्हें बेच देना पड़ा और मैंने उसकी कीमत निकालने के लिए हर एक खेत से हमें जो शुद्ध आमदनी होती थी उसको २५ गुना कर दिया। मुझे बाद है कि मैंने १२० एकड़ खेत की कीमत ६०००० लायर ठहराई थी और ४ एकड़ खेत की ६०००। अर्थात् छोटे खेत पर हमें १२० एकड़ के खेत के बलिष्ठत एकड़ पर ३ गुना अधिक उपग्र होता था। कीमत के इन अंकों का अर्थ यह है कि खेत के मालिक को २४०० और २४० लायर की शुद्ध आमदनी होती थी। आसामी का हिस्सा तो इसके दुगुने से भी अधिक होता है क्योंकि उन्हें टैक्स और मरम्मत इत्यादि में कोई खर्च नहीं करना पड़ता। इसलिए ४ एकड़ के खेत पर काम करनेवाला आसामी अपने खेत से ६०० लायर पैदा करता था और रेशम के कीड़े, गाड़ीबैल के किराये का और कताई और बुनाई का नफा अलाहवा होता था। सामान्य उसकी आमदनी २०० लायर थी जो (६००) साल के बराबर होती है अर्थात् ५०) सानिक होते हैं। वह जमीन समुद्र की सतह से १००० फीट ऊँची साधारण जमीन है। और वह इसीलिए कीमती बनी थी क्योंकि मनुष्य और जानवर की मिहमत ने उसे वही बनायी थी।

आपके मारम में भी जिनके पास थोड़ी जमीन है वे उस जमीन में अपना और अपने अच्छे आमदरों का पसीना बाले, वे रेशम के कीड़े पाले, गाड़ी किराये पर ले आय, रसोई घर के लिए धान बनायें, फल के वृक्ष बोयें और काठे बुने और अपनी आधी जमीन अपने ढोरों के पास के लिए सुरक्षित रखे। उससे किसान उन्नति कर सकेंगे और उसके ढोर भी पुष्ट होंगे। यदि जमीन ४ एकड़ से भी कम हो और बड़ी बड़ी बंट गई हो तो अधभूखे ढोरों को रखने में वह शकती करेगा। हल के बजाय जापानियों की तरह उसे अपने हथ से गेनी से ही अपना खेत साफ कर लेना चाहिए।

मेरा सारा मतलब यह है कि यदि वह ढोर रखे भी तो वह उन्हें अपने बच्चों की तरह रखे और इन बात पर ध्यान रखे कि उन्हें रोजाना उनकी पूरी खुराक मिल जाती है या नहीं। यह तभी होगा जब कि वे खपनों कम से कम आधी जमीन पास उगायें के लिए रख छोड़ेंगे। ई जमीन रखे तो और भी अच्छा ही। और जब वह इस जमीन में फिर अनाज बोवेगा तो ३ गुना अनाज पैदा होता और इन प्रकार कम जमीन बाने के कारण अनाज की पैदावारी में कोई कमी न होगी बल्कि उससे उत्तम वृद्धि भी होगी।

बारी बारी से फसल लेने के माग में भारत की गरीबी के कारण कोई बाधा नहीं उपस्थित होती है। बारी बारी से फसल लेने में स्थिर फसल के बलिष्ठत कोई अधिक खर्च नहीं होता है। जावा में जावोक के अर्थे बच सरकार ने बारी बारी के धान की फसल लेना लोगों पर अनिवार्य कर दिया। उसने

राज्यकाल में जावा की मनुमसुमारी २० लाख से ३ करोड़ के लगभग हो गई है और उन्हींके साथ उसी परिमाण से चावल और सब्जियों के खेत भी बढ़ गये हैं। यह परिवर्तन कोई पूजी उगा कर नहीं किया गया था परन्तु एक बुद्धिमान सरकार ने शक्ति का प्रयोग कर के किया था। भारत में विचार करने के लिए और लोगों को काम में लगाने के लिए आन्दोलन का प्रयोग करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हम अक्षरशः नहीं करना चाहते हैं परन्तु उनमें विश्वास उत्पन्न करना चाहते हैं। यहाँ मेरा भाषा तो यह है कि नेताजी के लोगों को दूसरे लोगों को इस विषय में समझाना चाहिए और आपकी, नेताजी के आध्यात्मिक नेता को तो सबसे प्रथम एक ही हाथ लगाना चाहिए। आपकी सहायता से बहुत कुछ हो सकेगा। दस करोड़ और आपसे मुक्त प्रायश्चित्त कर रहे हैं।”

भारत के करोड़ों लोगों की यह प्रायश्चित्त केवल मुझसे ही नहीं है परन्तु ऐसे सभी भारतवासियों से है जो खुद विचार कर सकते हैं, और चायद हिन्दुओं से विशेष कर है क्योंकि वे गो-रक्षक होने का दावा करते हैं। मुझे आशा है कि भारत में होनेवाले पशुवध पर भी बालका देसाई ने बड़े ध्यानपूर्वक जो लेख तैयार किये हैं उन्हें पाठक अवगत हो पढ़ते होंगे। भारत के नगरों में लोगों का जो हाल हो रहा है उसका उल्लेख तादृश वर्णन किया गया है। मि. गलेटी कृषि के लोगों की स्थिति का वर्णन करते हैं और उनकी स्थिति सुधारने के लिए उपाय भी विस्तार से बताते हैं। लोगों की जात सुधारने का और उनको नष्ट करने का प्रश्न जैसा धार्मिक दृष्टि से प्रथम महत्त्व का प्रश्न है वैसा ही वह आर्थिक दृष्टि से भी है। मि. गलेटी के बताये गये उपाय भारत की आज की परिस्थिति में लागू किये जा सकते हैं या नहीं यह मैं नहीं जानता। स्वयं केरी करनेवाले ही इसका अधिकारयुक्त उत्तर दे सकते हैं। परन्तु एक कठिनाई तो स्पष्ट है। करोड़ों किसान ऐसे अज्ञान हैं कि वे नये और कान्तिकारी उपायों का स्वीकार ही न कर सकेंगे। मि. गलेटी के उपायों का सर्व उपाय होना मान भी लिया जाय तो भी उस पर अमल करने के लिए भारतवासियों के एक बहुत बड़े हिस्से को कृषिविषयक शिक्षा देने के कार्य पर ही हमें आभार रखना होगा। परन्तु जो लोग कृषि के सम्बन्ध में कुछ याज्ञ भी जानते हैं और जिनके पास थोड़ी सी भी जमीन है उन्हें मि. गलेटी के उपायों को आत्ममाना चाहिए और उसके परिणामों को प्रकाशित करना चाहिए। इसके लिए मैं मि. गलेटी की मेजी हुई सशिका से उपयोगी अवतरणों को नीचे दे रहा हूँ।

“ हम लोम्बार्डी में धान के खेतों को भी और चरागाहों को भी सींचते हैं। जब भी हमारे यहाँ जोलने के लिए मजबूत बंध और महीने में १००० सेर दूध देनेवाली गायें हैं। हम उनके लिए अपने हाथों बास बोते हैं और बारी बारी से उनके लिए अपनी जमीन तो हम बास उगाने के लिए ही रख छोड़ते हैं।

जब पहले पहल धान बोना शुरू किया गया था और एक ही खेत में हर साल धान बोया जाता था उस समय गरमी के दिनों में, जब कि धान का बीजम होता है, लोगों को पहाड़ियों पर हाँक कर ले जाना होता था। परन्तु हर साल एक खेत में धान का बोना तो बहुत दिनों से बन्द कर दिया गया है। इटली को इस विषय की एक पुस्तक में लिखा है कि जिन खेतों में बास या जौ के साथ बारी बारी से धान बोया जाता है उनमें, हर साल एक ही जमीन में धान ही बोये जानेवाले खेतों के बनिश्चत अधिक बास पैदा होता है।

और उनकी ताकती के कारण उनका धान पदा करना भी अधिक होती है।

जब धान तीन साल में एक साल और पाँच साल में दो साल बोया जाता है तब धान का खेत तीन या पाँच हिस्सों में बँट जाता है और प्रति साल ३ या ६ हिस्सा खेत का दूबरी फसल उगाने के लिए काम में लिया जाता है और बहुतायत से उसमें उत्तम प्रकार का बास और जौ भी, जिनका कि इटली में लोगों को खिलाने में ही उपयोग किया जाता है, बोये जाते हैं। इससे धान के खेत के एक बड़े हिस्से का लोगों के लिए बास उत्पन्न करने में ही उपयोग किया जाता है और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोम्बार्डी के एक जोलनेवाले बँल भारत के छोटे भूखों मरनेवाले बँलों के बनिश्चत वजन में बारगुने और थिकने संतुष्ट और मोटे ताजे होते हैं। और लोम्बार्डी की औसत दूधें ही गाय भारत की गायों के मुकाबले में कितना गुना अधिक और अच्छा दूध देती है यह मुझे बर है कि मैं नहीं कह सकूँगा। कुछ दिन पहले जब मैं मिलान के नजदीक आये हुए केब स्टेटेलिनी के धान के खेत पर गया था उस समय बट मुझे अपनी गाय दिखाने के लिए ही अधिक आनुर दिखाई दिया था और उसने कहा था कि धान के बनिश्चत उससे उसे कहीं अधिक आमदनी होती थी। वह मिलान शहर की अपना दूध, मक्खन, मलाई और पनीर आदि बेजता है। बंगाल के धान के खेतों के कृषक के पाम फलकले के बाजार में बेजने के लिए न दूध होता है न मलाई, न मक्खन और न घी। गाय से उत्पन्न इन शुद्ध पदार्थों की लग उन्हें खुशी से अच्छी कीमत दे सकते हैं। केब स्टेटेलिनी की गायों को केवल उत्तम बास और धान ही नहीं मिलता था परन्तु उनके रहने के लिए भी महल से बाँडे बनाये गये थे और दूध निकालने के और सफाई के नये से नये तरीकों का उपयोग किया जाता था। जहाँ गाय कीमती समझी जाती है वहाँ उसके लिए बास और अनाज बोया जाता है उसको रखने के लिए महल से गो-दूध बनाने जाते हैं। यहाँ तो केवल यह सूखे आदर ही धनु है उन्हें ऐसी जमीनों में छोड़ दिया जाता है जिसे महल तार पर भागत का चरागाह कहा जाता है और उन्हें भूखों मरने दिया जाता है। भारत को ऐसी अत्याचार और रोग की उत्पत्ति ही जगहों को दूर कर देना चाहिए और हर एक भारतीय को अपनी जमीन का दो तिहाई हिस्सा या दो हिस्सा लोगों के लिए बास उगाने को रख छोड़ना चाहिए।

मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इससे उसे कुछ भी नुकसान न होगा। शहरों के नजदीक की जगहों में दूध की धान के बनिश्चत अधिक कीमत होती है और वह अच्छा चराक भी है परन्तु इस बात को एक और छोड़ दे तो भी बारी बारी से बोया गया और खाद पका हुआ धान, खादरहित और एक ही जगह में बोये गये धान के बनिश्चत दुगुना या त्रिगुना उत्पन्न होता है। धान उत्पन्न करने के लिए गंगा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के सिंचाई के मुकाबले में धान उत्पन्न करने के लिए लोम्बार्डी की जमीन और आबहवा मेरे स्थान में कोई अच्छी नहीं है और न चायद वह उसके बराबर ही है। जब लोम्बार्डी में काफी गरमी पकती है तब यह मौसम इतने थोड़े दिन के लिए रहता है कि एक वर्ष की फसल इकट्ठी करने में किसानों बड़ी मुश्किल पकती है। परन्तु उत्पन्न कितना होता है! उत्तर इटली के औसत उत्पन्न के बराबरी अंकों के अनुसार १ हेक्टेकर में ४५ क्वीन्टल आर्वादि



धान होता है। इस हिसाब से एक एकड़ में करीब दो टन उत्पन्न होता है। भारत के बहुत से विभागों में उत्पत्ति के सरकारी अंक प्रति एकड़ १५०० पौंड से कहीं नीचे हैं। स्वयं मेरे नक़्शान के बिके में जहाँ १५ लाख एकड़ जमीन जोती जाती है, और जहाँ धान के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है वहाँ भी १२०० पौंड धान प्रति एकड़ उत्पन्न होता है। यदि हम उसे बढ़ा कर ४००००० एकड़ अच्छी खाद वाली हुई और खाद की हुई जमीन में ही दूसरी फसलों के साथ बारी बारी से धान बोने और प्रति एकड़ १२०० पौंड के बच्के ४००० पौंड फसल उत्पन्न करे, जैसा कि इटली में किया जाता है, तो ४००,००० एकड़ जमीन से ही १०००००० एकड़ के बनिस्वत एकतिहाई धान अधिक उत्पन्न होगा और ६००००० एकड़ जमीन बची रहेगी, जिसमें हम डोरों के लिए घास, जौ और मनुष्यों के लिए मका और गेहूँ उत्पन्न कर सकेंगे।

यदि कोई भारतीय प्रवासी रेवेना को जाय — वह स्थान स्वयं ही देखने योग्य है — तो वह उस नदी के मुहाने के पास धान की उत्पत्ति का भी अध्ययन करे। वह उत्तम डोरों का और अच्छे खरागहों का देश है। वहाँ उन्हें फसल में उत्तम प्रकार का घास ही घास दिखाई देगा। धान उसका ऐसा कोई मूल्य है इसलिए नहीं बोना जाता है परन्तु जमीन को साफ करने के लिए उपयोगी उत्तम फसल वही एक है इसलिए उसको बोना जाता है। वहाँ बाधारण नियम यह है कि दो साल धान बोना जाता है तो २ से पाँच साल तक घास या जौ बोये जाते हैं अर्थात् जमीन के ठुँ हिस्से में घास होता है और जुँ में धान। भारत की स्थिति ही करीब करीब वहाँ भी दोहराई जा रही है। जमीनवाली चौड़ी जमीन अनाक की जमीन के बिली ही है। धान बोने पर कोई अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है और न बहुत खाद ही डाला जाता है और न अधिक धान पैदा करने का प्रयत्न ही किया जाता है। वहाँ भी आबादी अधिक है मनुष्यों को खाना तो चाहिए और मनुष्य के लिए खुराक उत्पन्न करने में बहुत ही जमीन का उपयोग किया जाता है फिर भी वहाँ दार एसे हैं कि उसके सामने भारत के दार शरमा जायेंगे।

भारतीय अपने डोरों के प्रति निर्दय नहीं होता है परन्तु वह बड़ा निहुर होता है। वह अपनी जमीन में से एक इंच भी उन्हें नहीं देना चाहता। वह तो अपने ही लिए सारी जमीन चाहता है। वह थोड़ी को ही खिला सकता है और बाकी को बौं ही बड़ने देता है और उन्हें खुराक के लिए सार्वजनिक खरागहों पर ही छोड़ देता है जहाँ उन्हें सूखी मरना पड़ता है। वह इस बात का विचार तक नहीं करता है कि ज़रूरी के दिनों में जब सार्वजनिक खरागहों में या पहाकियों पर घास का पत्ता भी नहीं होता है और वह सूखे घास को गभियों में जमा नहीं रखता है तो उसके दार खायेंगे क्या? भारत में पुनः डोरों की पकारी के योग्य ही होता है खाने के योग्य नहीं। भारतीय प्रवासी यूरोप में जा कर देखें। हर एक खेत के चारों और पुनः डोरों के साथ सूखे घास को गभिया भी होंगी।

इटली का कुछ भारतीय कुपकों की तरह अपने भाई के साथ एक ही कुटुम्ब में रहना है और अपने भाई पर उसे बड़ा प्रेम होता है। यदि उसका भाई मर जाय तो उसे बड़ा शोक होगा परन्तु यदि उसका बेल मर जायगा तो उसे उससे भी अधिक शोक होगा। उस देश में जहाँ बेल घर का मुख्य स्तम्भ है वहाँ डोरों का इतना आदर होता है यद्यपि घास कोई धार्मिक आदर की वस्तु

नहीं मानी जाती है। यदि इटली में गये हुए भारतीय प्रवासी की उस बेल के प्रति जिसको 'बरजीक' भी कहते थे इटली के कुपक के क्या भाव है उसका अनुभव होया तो वह भारत में जा कर डोरों की रक्षा करने के लिए एक मजबूत स्थापित करेगा; पुनः डोरों से हिन्दुओं की पवित्र गाय को बचाने लिए वही परन्तु पूर्व की निर्दयता और अज्ञान बनिस्वत निहुरता से डोरों की रक्षा करने के लिए।

(पृ- ६०) जीवनदायक करसर्वद गांधी

**भारत के कुछ अधिक अंक**

कुछ केन्द्रों के भाई के महीने के खादों की उत्पत्ति और बिक्री के अंक नीचे दिये गये हैं। मुझे आशा है कि जो लोग अब तक अपने अंक नियमित नहीं भेज रहे हैं वे अब नियमित भेजना शुरू करेंगे।

प्रान्त	उत्पत्ति	बिक्री
अजमेर	१२३१)	१०२१)
आंध्र	५९३५)	१०३६३)
बिहार	२०,५४८)	१४४६५)
बंगाल	३१,६६८)	३४,५५८)
उत्तर महासब्द	१८४)	४३२०)
	६०,३६९)	७४,७२७)

इमेसा की तरह आंध्र के अंक अपूर्ण हैं। बंगाल के अंकों में खादी प्रतिष्ठान, अजय आभय और आरामबाग खादी केन्द्र के अंक हैं।

अजयआभय के अधिकारियों ने अपने अधिकार की खादी के उत्पत्ति और बिक्री के नीचे लिखे तुलनात्मक अंक भेजे हैं।

काल	उत्पत्ति		
	१९२३-२४	१९२४-२५	१९२५-२६
अक्टूबर से दिसम्बर	१२१०)	८८२५)	३०,७४६)
जनवरी से मार्च	२१२०)	१३४०)	१९,८९१)
अप्रैल से जून	३४९४)	१५,९६९)	
जुलाई से सितम्बर	६५४४)	३२,५२४)	
		<b>बिक्री</b>	
अक्टूबर से दिसम्बर	८१७)	९७३१)	२८०१२)
जनवरी से मार्च	१९६८)	१०,७९०)	२४१४०)
अप्रैल से जून	३०१८)	१३,४१७)	
जुलाई से सितम्बर	७०१२)	१८,६४८)	

इससे यह मालूम हो जायगा कि अजय आभय के १९२३-२४ के तीन मास के उत्पत्ति के अंकों के बनिस्वत १९२५-२६ के उत्पत्ति के अंक २५ गुने हैं। यह बड़ी प्रगति देने योग्य है। भारत के सभी मुख्य केन्द्रों से मैं ऐसे तुलनात्मक अंक लेकने के लिए प्रार्थना करूँगा। यदि अजय आभय की तरह हममें भी प्रगति ही दिखाई देगी तो उन लोगों के लिए कि जो लोग यह कहते हैं कि विगत पाँच वर्षों में खादी की प्रगति होने के बड़े उम्मीदों की अपेक्षा ही हुई है वह एक सम्पूर्ण उत्तर होगा। अजय आभय के जैसे तुलनात्मक अंकों से खादी के कार्यकर्ताओं को अधिक प्रयत्न करने के लिए प्रेरणा मिलना चाहिए। क्योंकि उनके सामने खादी की खादी पैदा करने का काम ही नहीं है परन्तु उन्हें तो डोरों वगैरों की खादी उत्पन्न करनी चाहिए।

(पृ- ६०) जी- ६० गांधी

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ३८

मुद्रक-प्रकाशक  
स्वामी आनंद

महमदाबाद, वैशाख वदी ९, संवत् १९८२  
६ गुरुवार, मई, १९२३ ई०

मुद्रकस्थान-नवजीवन मुद्रकालय,  
बाराणपुर सरकीबारा की बाड़ी

## सत्य के प्रयोग, अथवा आत्मकथा

### अध्याय २२

#### बारिस्टर तो हुए लेकिन अब ?

परन्तु जिस काम के लिए अर्थात् बारिस्टर बनने के लिए मैं विकसित गया था उसका क्या हुआ ? मैंने अब तक उसका वर्णन करना मुश्किली रखा था। लेकिन अब उसके सम्बन्ध में कुछ लिखने का समय आ पहुँचा है।

बारिस्टर बनने के लिए दो बातें आवश्यक थीं। एक तो 'उम्र भरनी' अर्थात् सत्रों में आवश्यक उपस्थिति का होना और दूसरी कानून की परीक्षा में उत्तीर्ण होना। वर्ष में चार सत्र होते थे। बड़े बरह सत्रों में हाजिर रहना चाहिए। सत्र में हाजिर रहने के मानी है उसके " भोजों में उपस्थित रहना"। हर एक सत्र में २४ भोज होते थे, उनमें उः में अक्षय ही हाजिर रहना चाहिए। भोज में आने से यह मतलब नहीं कि वहाँ कुछ खाना ही चाहिए। परन्तु निश्चिन्त समय पर उसमें हाजिर हो जाना चाहिए और जबतक वह चलता रहे वहीं उपस्थित रहना चाहिए। सामान्य तौर पर तो सभी विद्यार्थी उसमें खाते हैं और पीते भी हैं। खाना अच्छा होता था और पीने में ऊँचे दर्जे की शराब होती थी। अक्षय उसका दाम देना पड़ता था वह ठाई या तीन शिल्लिंग के करीब जाता था अर्थात् दो तीन रुपये खर्च होते थे। यह कीमत वहाँ बहुत ही कम गिनी जाती थी क्योंकि बाहर किसी भोजनालय में भोजन करनेवाले को तो सिर्फ शराब पीने के लिए ही उतने दाम देने पड़ते थे। भोजन के खर्च के बनिश्चत शराब पीनेवाले को शराब के ही दाम अधिक लगते हैं। हिन्दुस्तान में यदि हम 'दुबरे' हुए न हों तो हमें यह बड़ा ही आश्चर्यकारक आश्वास होगा। निश्चिन्त आने पर मुझे तो यह देखा कर दिख को बड़ी चोट लगी। मैं नहीं नहीं समझ सकता था कि शराब के पीछे इतने रुपये खर्च करने का लोगों का जी कैसे चलता है, पीछे से मैं उसे समझने लगा। मैं तो ऐसे भोजों में अक्षय कुछ भी नहीं खाता था क्योंकि मेरे उपयोग के लिए तो वहाँ केवल रोटी, उपाँके हुए आलू या कोबी ही मिल सकती थी। आरंभ में तो

उसे खाने की रुचि ही नहीं हुई और इसीलिए मैं नहीं खाता था परन्तु उसके बाद जब मुझे उसमें कुछ स्वाद मालूम हुआ तब तो मुझे इसकी वस्तुएं प्राप्त करने की भी शक्ति प्राप्त हो चुकी थी।

विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार का खाना होता था और वेन्चरों (विद्यामंदिर के अध्यापकों) के लिए दूसरे प्रकार का और अच्छा खाना होता था। मेरे साथ एक पारसी विद्यार्थी भी थे। वे भी निराश्रितभोगी बने थे। हम दोनों ने मिल कर वेन्चरों के भोजन के पदार्थों में उन निराश्रितभोगियों के लिए उपभोग पदार्थ प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। यह प्रार्थना मंजूर रखी गई और हमें वेन्चरों के टेबल पर से फनादि और दूसरे शाक भी मिलने लगे।

शराब का तो मैं स्पर्श भी नहीं करता था। चार विद्यार्थियों को शराब की दो बातल दी जाती थी इसलिए ऐसे चार का विद्यार्थियों के सम्बन्धों में मेरी बड़ी भाग होती थी, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता था इसलिए उन्हें तीनों को ही दो बोटल शराब पीने को जो मिलती न थी? और इन सत्रों में एक बड़ी रात (फ्राइ नाइट) होती थी। उस दिन पोर्ट, शेरी के अलावा शम्पेन भी मिलती थी। शम्पेन का मजा कुछ और ही गिना जाता है। इसलिए इस बड़ी रात को मेरी अधिक कीमत आँकी जाती थी और उस रात को हाजिर रहने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया जाता था।

इस खानेपाने का बारिस्टरी से क्या सम्बन्ध हो सकता है यह मैं तब भी न समझ सका था और न आज भी समझ सका हूँ। ऐसा एक समय अवश्य था कि जब ऐसे भोजों में बहुत ही थोड़े विद्यार्थी होते थे और उनमें और वेन्चरों में बार्तालाप होता था और व्याख्यान भी दिये जाते थे। इससे उन्हें व्यवहार-ज्ञान प्राप्त हो सकता था, अच्छी या बुरी एक प्रकार की सभ्यता भी वे सीख सकते थे और व्याख्यान करने की उनकी शक्ति का भी विकास कर सकते थे। हमारे समय में तो यह सब जाना असम्भव था। वेन्चर तो पूरा व्यस्त हो कर ही बैठते थे। इस पुराने रिवाज का बाद में कुछ भी अर्थ नहीं रहा था तो भी प्राचीनता प्रेमी — धीरे — इंग्लैंड में वह अभी बना हुआ है।

बारीस्टर विनोद में

इसके नाम से ही पहचाने जाते थे। सभी यह जानते थे कि उसकी परीक्षा का कुछ भी मूल्य नहीं था। मेरे समय में दो परीक्षाएँ होती थीं: रोमन ला की और इंग्लैंड के कानूनों की। यह परीक्षा दो मरतबों में दी जाती थी। परीक्षा के लिए पुस्तक मुकर्रर किये हुए थे परन्तु उन्हें तो शायद ही कोई पढता होगा। रोमन ला के लिए तो छोटे छोटे 'नोट्स' लिखे हुए मिलते थे। उसे १५ दिन में पढ कर पास होनेवालों को भी मैंने देखा है। इंग्लैंड के कानूनों के विषय में भी यही बात होती थी। उनके 'नोट्स' दो तीन महीने में पढ कर पास होनेवाले विद्यार्थियों को भी मैंने देखा है। परीक्षा के प्रश्न आसान होते थे और परीक्षक भी उदार होते थे। रोमन ला में १५ से १९ प्रति सैकड़ा विद्यार्थी पास होते थे और अंतिम परीक्षा में ७५ अथवा उससे भी कुछ अधिक। इसलिए अनुत्तीर्ण होने का बहुत ही कम भय रहता था। और परीक्षा भी वर्ष में एक नहीं परन्तु चार बार होती थी। ऐसी सुविधाजनक परीक्षा का किसी को भी बोझ नहीं लग सकता है।

परन्तु मैंने तो उसे बोझ रूप ही बना दिया था। मैंने यह हयाक किया कि मुझे असल पुस्तकें भी सब पढनी चाहिए। उन्हें न पढना मुझे धोखा देना रतीत हुआ। इसलिए असल पुस्तकें खरीद लीं और उसमें ठीक खर्च भी किया। रोमन ला को केटीन में पढ जाने का निश्चय किया। विकायत की मेट्रीक्युलेशन में मैंने केटीन पढी थी उसका यहाँ अच्छा उपयोग हुआ। यह सिद्धान्त कुछ व्यर्थ न हुई। दक्षिण आफ्रिका में रोमन डच ला प्रमाण-भूत गिना जाता है। उसे समझने में मुझे जस्टीनियन का अध्ययन बड़ा ही उपयोगी प्रतीत हुआ।

इंग्लैंड के कानूनों का अध्ययन मैं नव महीने में ठीक ठीक सिद्धान्त कर के पूरा कर सका था। क्यों कि ज़म के 'कोमन ला' का बड़ा परन्तु रसमय पुस्तक पढने में ही बहुत समय लगा था। स्नेल की इक्विटी में दिल तो लगा परन्तु उसे समझने में बड़ी ही मुश्किल मालूम हुई। व्हाइट और टयुबर के मुख्य मुकदमों को जो पढने के थे पढने में मुझे बड़ी दिलचस्पी मालूम हुई और उधड़े ज्ञान भी मिला। विलियम्स और एडवर्ड्स का स्थायी मिलकत सम्बन्धी पुस्तक और गुडिब का अस्थायी मिलकत सम्बन्धी पुस्तक को मैंने बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ सका था। विलियम्स का पुस्तक तो मुझे उपन्यास के बसा ही मजेदार मालूम हुआ। उसे पढने में मुझे जरा भी अस्वस्थि न हुई। कानूनी पुस्तकों में हिन्दुस्तान आने के बाद मैं उतनी ही दिलचस्पी के साथ मेहनत का 'हिन्दू ला' पढ सका था। परन्तु हिन्दुस्तान के कानूनों की बात करने के लिए यह स्थान नहीं है।

परीक्षाएँ पास की। १८९१ की १० वीं जून को मैं बारीस्टर हुआ। ग्यारवीं तारीख को इंग्लैंड की हाइकर्ट में जाई क्लिपिंग दे कर मेरा नाम रजिस्टर कराया। मैं बारह जून को हिन्दुस्तान लौट आने के लिए रवाना हुआ।

परन्तु मेरी निगाशा और भीष्टि का कुछ ठिकाना न था। कानून तो मैंने पढा था परन्तु मेरे दिल में मुझे यही प्रतीत हुआ कि मैं बकाकान कर सकूँ ऐसा मैंने अबतक कुछ भी नहीं सीखा है।

इस ध्येया का पूर्ण करने के लिए एक दूसरे ही अध्याय की आवश्यकता होगी।

( जनजीवन )

पोहनदास करमचंद नाथी

## समाचार कैसे मिले

बरबन छोड़ने के पहले मैंने नित्य उद्यत रहनेवाले, काग्रेस के मंत्री श्री अबदुल काजी से यह प्रार्थना की थी कि यदि संभव हो सके तो केप टाउन में 'सिलेक्ट कमिटी' जैसे ही अपनी रिपोर्ट पेश करे कि वे मुझे आर. एम. एस. कारागुला के जहाज पर उसके समाचार भेजें। यह स्मरण रखना चाहिए कि रिपोर्ट में पहली अप्रैल के बजाय २३ अप्रैल तक विलम्ब हुआ था और इसमें भी अभी कुछ संदेह था कि उस तारीख को भी रिपोर्ट तैयार होगी कि नहीं। फिर भी डा० मकान उसे प्रकाशित करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे थे और २३ अप्रैल को समाचार पाने की उत्सुक आशा रखी जा सकती थी।

२३ अप्रैल को मुझे समाचार मिलने में एक कठिनाई तो यह थी कि उस दिन मुझे मध्य सागर में होना चाहिए था और वहाँ कराची और मोम्बासा से दोनों तरफ से मुझे रेडियोग्राम मिलना मुश्किल था। अप्रैल २३ की दोपहर को मैंने जा कर पूछा कि मोम्बासा से कुछ समाचार मिल सकता है या नहीं। उसका सम्बन्ध टूट गया था परन्तु वहाँ उसका काम करनेवाले ने मुझ से कहा कि उस रात को ही यदि वायुमण्डल ठीक रहा तो वे कराची से सम्बन्ध जोड़ सकेंगे।

२३ अप्रैल को सारा दिन जहाज बड़े जोरों से हिलता रहा, यहाँ तक कि मैं लिखने का कुछ भी काम नहीं कर सकता था। जैसे ही भयेरा बढा कि आकाश में चाँदनी लिल गई। मैंने अरब के समुद्र में से अरब के तरफ दृष्टि डाली। उसका किनारा अब कुछ दूर न था। जहाज पर सुसुल्भान आगवाले और कोयला शोकनेवालों ने अपनी शाम की नमाज पढ ली थी। वे जब शाम की बजू कर के नमाज पढानेवाले के पीछे एक के बाद एक कतार में खड़े रह कर नमाज पढते थे तब उन्हें आदर और भय के साथ मैं उन्हें देखा करता था। अरब देश इतना नजदीक था कि उस समय, जब से इस्लाम के नबी ने शाम की नमाज का नियम बनाया था तब से जिन लाखों करोड़ों लोगों ने ईश्वर पर श्रद्धा रख कर उस धर्म में जीवन बिताया था और उसी श्रद्धा में मृत्यु को प्राप्त हुए थे उनके लिए इस्लाम धर्म का जो तमाम अर्थ हो सकता था उसका मुझे स्पष्टतया विचार आया और अरब के समुद्र पर जहाज पर ही इन आगवालों को नमाज पढते हुए देख कर मुझे यही प्रतीत हुआ कि इस नमाज में युगानुयुग से वन्ही की श्रद्धा का प्रतिबिम्ब पढ रहा है। चारों तरफ फैला हुआ विशाल समुद्र यही कह रहा था कि 'अल्ला हो अकबर' 'ईश्वर महान है'।

उस संभ्रा को मैं बहुत देर तक जहाज पर एक तरफ खड़ा रहा और जल के ऊपर हिलारें लेती हुई चाँदनी को देखता रहा। मैं ईश्वर और उसके अजर अमर हानि के विषय में और मनुष्य की श्रद्धा के विषय और सब बातों में उसकी छत्रता पर विचार करता रहा। मनुष्य अपनी श्रद्धा से ही अमर बनता है।

मैं सोने के लिए गया परन्तु घण्टे दो घण्टे तक तो मुझे नींद ही नहीं आई। मैं जागता हुआ पडा रहा और केप टाउन के दरवाँ का और उन सीधे साद लाखों आफ्रिकावासियों का विचार करता रहा। भारतीयों का तरह उनका भाग्य भी तुला में जैसे ही लटक रहा है। जहाज का कमरा बड़ा गरम मालूम होता था। बाहर मुझे थोड़ी सी तन्ना आ गई कि मेरे कमरे के द्वार को किसीने सहसा खटखटाया और मैंने आँखें खोली तो एक सम्बन्धवाहक को तार लिए हुए खड़ा देखा। मैंने बड़ी आतुरता

के साथ दस्तकत कर दिये और तार के लिये। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था क्योंकि मैं यह जानता था कि उसमें हमारे भाग्य का निर्णय होगा। वह दरबान से कराची हो कर आया था। कराची की बेतार की तार बर्की की आफिस ने स्टीमर पर वह तार पहुंचाया था।

उन्में यह शब्द लिखे हुए थे: परिषद का निर्णय आने तक किस सरकारी तौर से मुसलमी कर दिया गया है ' यह समाचार ऐसे थे कि मुझे उनके सच होने का विश्वास ही नहीं हो सकता था फिर भी मेरे मुह से ये शब्द निकल पड़े " ईश्वर को धन्यवाद है " और तर्किये पर सर रख कर सोने की तैयारी की कि इतने में मुझे यह स्मरण हुआ कि जवान का तार अभी मेजा था सस्ता है। मैं सीधी चट कर बेतार की ताबकी की आफिस के पति गया। जहाज पर खींची का प्रकाश पक रहा था और उसे देख कर एक अजन के इन शब्दों का मुझे स्मरण हुआ।

"आकाश ईश्वर के प्रभाव को प्रकाशित करना है और पंचभूत उसकी कारीगरी को प्रगट करता है।"

फिर मैंने समुद्र की सतह पर जिस तरफ कि हमलोग सफर कर रहे थे उस तरफ देखा और अरब का मुझे फिर स्मरण हो आया। और जब मैं उस आफिस में गया मैंने अपने उत्तर के शब्दों की रचना कर ली थी। मैंने उन्हें इस प्रकार लिखा: ' परमात्मा महान है, उसे धन्यवाद दो '

( य. इ. )

सी० एफ० एण्डूजुल

## बंगाल में चरखा

' बंगाल में चरखा ' के विषय पर पत्र लिखते हुए बाबू हरदयाल नाम लिखते हैं:

" पश्चिम के पोशाक की उन्नतता के भय बने रहना और इसलिए यस्तुस्थिति में लकेशायर के भय बनना यह एक भारत की राजनीति में भयंकर चुन लगा हुआ है। और उसका सबसे बड़ा बिकर खादी से बनने का रोग है। साधारण स्थिति के लोगों के एक बहुत बड़े हिस्से को यह बीमारी लगी हुई। सद्भाग्य से यह रोग भयलोगों के वर्ग में ही मर्यापित है। महासभा के समासदों के लिए जब खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया तो खादी पहनने के विरुद्ध अन्तरात्मा के नाम पर आपत्तियां उठावीं जा रही हैं। यह कहा जा रहा है कि "एसे भी कुछ लोग हैं कि जो खादी पहनना अनिवार्य बना देने के नियम को एक प्रकार का अत्याचार ही मानते हैं और जबतक यह नियम बना रहेगा तबतक वे महासभा में अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध शामिल ही हो सकते हैं और न उसमें रह ही सकते हैं " जब एक देश दूसरे देश को उसे खुशने के लिए जीत लेता है तब मुक्त के जीतने के बाद सामान्यतया विजयी देश के धन से उसे लूट का व्यापार करने के लिए आवश्यक संस्कारों की विजय भी प्राप्त करनी पड़ती है। सदाहरण के लिए फेशनेबल कपड़ों का शौक बरताना लकेशायर के कपड़े के व्यापार के लिए आवश्यक है, वह उसके साथ ही रह सकता है। संस्कारों की विजय गुलाब प्रजा के मन पर अनजान ही में एक ऐसा भाव उत्पन्न कर देती है कि उसके कारण उसे अपने विदेशी मालिकों के रिवाज, आदतें, व्यवहार, बर्तान, जीवन और पोशाक का बड़ा शौक लगा जाता है और देश की चीजों के प्रति विदेश से आई हुई घृणा नहीं तो अस्विक के कारण वह भाव सुक्षित रहता है। महासभा के समासदों को खादी का पहनना अनिवार्य होने के लिकाफ अन्तरात्मा के नाम पर जो आपत्तियां उठावीं हैं वह केवल इसी अनजान ही में कर किये हुए भाव

के कारण ही उठावीं जाती है। एक समय ऐसा था कि जब साधारण श्रेणि के लोगों को अपने कपड़ों के लिए चरखे पर ही आधार रखना पड़ता था, अच्छे महीन और शोभा के कपड़ों के लिए भी। परन्तु अब चरखे के प्रति उनकी मनोवृत्ति बदल गई है और लकेशायर के कपड़ों को वे चाहने लगे हैं। भारत को जीत लेने के कारण बाद में उसके संस्कारों पर भी जो विजय उसे सदा ही में प्राप्त हुई है उसके कारण ही इस मनोवृत्ति में यह परिवर्तन हुआ है। इस उल्टी मनोवृत्ति को चरखे के काम में फिर बदल देने की आवश्यकता है। अवश्य इस माग में बाधाएँ बहुत हैं। इन बाधाओं को दूर करना होगा। सब से पहले आर्थिक कठिनाई ही पेश की जाती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि जब चरखा केवल भारत की कपड़ों की आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करता था परन्तु सारे संसार की आवश्यकताओं को भी पूरा करता था तब वह भारत की आर्थिक महत्ता का आधार-स्तंभ था और वह शोपनों में रहनेवाले गरीबों की आर्थिक समस्या का भी आधारस्तंभ था। महीन मृत निकालने में आजतक चरखे से कोई भी यंत्र नहीं बढ सका है। महीन खादी उत्पन्न करने की कठिनाई अधिकतर काल्पनिक कठिनाई है सच्ची नहीं। यह तो केवल समय की बात है। एक भरतवा जिस चरखे से सस्तर में सबसे उत्तम कपड़ा तैयार किया जा सकता था वह आज भी यदि उसकी कारीगरी का विकास होने का उसे समय दिया जाय तो महीन कपड़ा तैयार करने में असफल न होगा। चरखे का पुनरुद्धार करने में जितनी कठिनाइयां मासूम होती हैं उनमें विदेशी संस्कारों से उत्पन्न वह विरोधी भाव ही सबसे अधिक मुश्किल है।

कसाई और बुनाई के बड़े बड़े यंत्र वैज्ञानिक बनवानों की प्राप्त की हुई सब से बड़ी सिद्धि है परन्तु यह सिद्धि मजदूर वर्ग के लोगों का बहुत बड़ा बलिदान देने पर ही प्राप्त हो सकी है। कपड़े के इस गृह उद्योग का नाश कर के बनवानों ने शोपनों में रहनेवाले मजदूरों को केवल कपड़ों के लिए ही उन पर आधार रखने की मजबूर नहीं किया है परन्तु उन्हें खाना और जीवन की दूसरी आवश्यकताओं के लिए भी उन पर ही आधार रखने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत की स्थिति तो और भी अधिक बुरी है क्योंकि भारत पर विदेशी भनिक लोग राज्य कर रहे हैं। भारत के शोपनों में रहनेवाले मजदूर कपड़े, खुराक और रहने के लिए मकान प्राप्त करने को बड़ी ही मिहनत करते हैं परन्तु शरीर को ढंकेने के लिए कपड़े के दाम देने पर उनके पास पैठ भरने के लिए और रहने के लिए छोटी सी शोपड़ी बनाने के लिए बहुत ही थोड़े पैसे बाकी बचते हैं। अर्थात् वे जो मजदूरी पाते हैं उसे फटी हुई थली में रखने के लिए ही पाते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। वेही, जो खुराक उत्पन्न करते हैं और मकान बनाते हैं खुराक और मकान के बिना बड़े दुःख उठाते हैं और उनको लूटनेवाले विदेशी बड़ा जेठ उठाते हैं। इस आर्थिक लूट में बहुत से साधारण श्रेणि के लोग विदेशी लुटेरों की ही मदद करते हैं और इसमें वे प्रकृति के नियम के विरुद्ध अपराध करते हैं। साधारण श्रेणि के मनुष्यों को यह याद रखना चाहिए कि किसान और मजदूरी करनेवाले को ही उनका खाना और जीवन की दूसरी आवश्यकताओं को पूरा कर दे, उनके लिए मकान बनाते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी मदद करते हैं। इस सेवा के बदले में उन्हें वे क्या कुछ कौटाते हैं? अब बहुत दिनों तक यह नहीं चल सकेगा कि वे खुशने में मदद करें और फिर भी निर्दोष बने रहें। उन्हें अपने



रक्षा और भलाई के लिए भी ऐसे खटनेवालों को मदद करने से एक जाना चाहिए और अपने सचे द्वितैयियों की, इन शौपडों ने इन्हेवाले लंगों की उन्हें मदद करनी चाहिए। उन्हें यह जान केना चाहिए कि प्रकृति का उनसे इस पाप का बदला केने का दिन कभी का भर चुका है और इसलिए उन्हें उनकी सेवाओं के बदले में अपनी तरफ से कुछ न कुछ मदद अवश्य ही करनी चाहिए। आज तो सिर्फ वे बरखा ही बला सकते हैं। वही उन्हें उनकी भौतिक और नैतिक उन्नति करने में बहुत कुछ मदद करेगा। साधारण श्रेणि के लोगों को गरीबों को चूधनेवाले उन धनवानों के साथ सहयोग करने के बजाय उनसे भूसे गये इन गरीबों के साथ ही बरखा चला कर सहयोग करना चाहिए।

(य. इ.)

## हिन्दी-नवजीवन

गुरुवार, वैशाख मही १, संवत् १९८२

### अमेरिका से

एक महाशय ने कुछ समय पहले अमेरिका से पत्र लिख कर पूछा है कितने ही प्रश्न पूछे थे और मैंने यं. इण्डिया में उसके तर भी दिये थे। अब उन्होंने और भी कुछ प्रश्न पूछे हैं। जिन प्रश्न यह है:

“जिसे वस्तु पर आपका प्रेम है उसे ही यदि वह न बचा के तो निर्भय और बहादुर मनोवृत्ति का उपयोग ही क्या हो जाता है? यह माना कि आपको मृत्यु का जरा भी डर नहीं। परन्तु यदि आप आखिर तक अहिंसात्मक ही बने (इना) चाहेंगे उसमें ऐसी क्या बात है कि जो लुटेरों को आपकी प्रिय वस्तु छूट केने से, उसे आपके हाथ से छीन लेने से रोक सकती जो लुटेरों का भिकार बना है वह यदि हिंसात्मक प्रतिकार न जा तो उसे छूट केना लुटेरे के लिए बड़ा ही आसान काम जायगा। छूट तो बराबर हो रही है और जबतक ऐसे गार को आसानी से छूट लिए जा सकते हैं, संसार में भिकरे तब तक वह बराबर बनी भी रहेगी। प्रतिकार करें या न शक्तिशाली निर्भय को उठेगा ही। निर्भय होना ही पाप है। निर्भयता को किसी भी उपाय से दूर करने के लिए तैयार न भी एक अपराध ही है।”

लेखक यह भूल जाते हैं कि प्रतिकार हमेशा सफल नहीं है। शक यदि अधिक ताकतवर हुआ तो वह उस रक्षा शाली को हरा देगा और उसका प्रतिकार करने से उसके की भाग में भी पड़ जायगा और उस प्रवृत्तित भाग का पूर्वांगी भिकार ही बलि बन जायगा। इससे तो उसके तरफ से दूर करने से उमकी हालत और भी अधिक दुरी होगी। यह है कि रक्षक को अरनेनहीं भरसक रक्षा करने की उ करने का संतोष मिलेगा। परन्तु अहिंसात्मक रक्षक को ही संतोष प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि उसकी रक्षा करने के में वह अपनी जान दे देगा। इससे भी अधिक उसे इस में भी संतोष होगा कि अपनी दलीलों से उसने शक के जो सुझायम बनाने का भी प्रयत्न किया। लेखक ने इसी नाम किया है कि अहिंसात्मक रक्षक तो उस शक का शान्त क्रियाहीन और लाचार प्रेक्षक ही होता है और

इसलिए उनको यह कठिनाई माखम होती है। परन्तु सच बात तो यह है कि चाहे कैसी भी योजना क्यों न हो, प्रेम पशुबल की अपेक्षा अधिक क्रियारमक और शक्तिशाली होता है। जिसमें प्रेम नहीं होता और फिर भी जो शान्त क्रियाहीन बना रहता है वह कायर है। वह न पशु है न मनुष्य ही है। उसने तो अपने को रक्षक बनने के लिए अयोग्य ही साबित किया है।

यह स्पष्ट है कि लेखक ने मेरी तरह शान्त प्रतिकार की महान् शक्ति का शत्रुओं पर जो असर होता है उसका अनुभव नहीं किया है। शान्त प्रतिकार एक इच्छाशक्ति का दूसरी इच्छाशक्ति के प्रति प्रतिकार है। यह प्रतिकार सभी संभव हो सकता है जब कि उसे पशुबल के आधार से मुक्ति मिल जाय। पशुबल पर आचार रखने में तो यह बात पहले से ही प्रहित कर ली जाती है कि जब यह शक्ति कायम हो जायगी तो उसे प्रतिस्पर्द्धि के बसा होना पड़ेगा। क्या लेखक यह जानते हैं कि एक ही भी निष्ठात्मक इच्छाशक्ति होने पर अपने पर जुल्म करनेवाले का चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो सकसतापूर्वक प्रतिकार कर सकती है।

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि शक्तिशाली दुर्बल को छूट केना और निर्भय होना एक पाप ही है। परन्तु यह तो मनुष्य के आत्मा के लिए कहा गया है शरीर के लिए नहीं। यदि शरीर के लिए ही यह कहा गया होता तो हम निर्भय होने के पाप से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। परन्तु आत्मा की शक्ति, उसके खिलाफ शारी दुनिया इधियार के कर क्यों न खड़ी हो जाय वह उसकी कुछ भी परवा नहीं करती है। वह शक्ति शरीर में दुर्बल से भी दुर्बल मनुष्य को भी प्राप्त हो सकती है। दुर्बल इच्छाशक्ति का शक शरीर में राक्षस कैसा बक रखने पर भी एक छोटे से गोरे बच्चे के बरा हो जाता है। यह शरीर के गुणों को शरीर से दुर्बल अपनी माता के सामने आचार बमते हुए किसने नहीं देखा है। प्रेम पुत्र में रहे हुए पशु को जीत केता है। माता और पुत्र में जो प्रेम होता है वह प्रयोग में सर्वम्भापी है और उसके दोनों तरफ होने की भी कोई अवश्यकता नहीं है। वह स्वयं ही पुरस्कर रूप है। बहुत ही माताओं ने अपने पकल मार्ग पर जानेवाले उद्धत बच्चों को अपने प्रेम के कारण ही सुखर दिया है। प्रेम की दुर्बलता से मुक्त होने की हमें तैयारी करनी चाहिए। उसमें सकसता होने की आशा है। क्योंकि प्रेम करने में स्पष्टी का होना आरोग्यवर्धक है। संसार पशुबल का उपयोग करने में सकस बनने का सुगो से प्रारम्भ कर रहा है। परन्तु इसमें उसे दुरी तरफ से असफलता भिळी है। पशुबल उपयोग करने में स्पष्टी करना अपने आप अपनी जाति की आत्महत्या कर केना है।

लेखक लिखते हैं।

“ब्रिटिश अधिकारी क्यों मैं भी उतना ही आत्मबल है जितना कि आप मैं है परन्तु उनके पास कौकी बल भी है और इसके अलावा मनुष्य स्वभाव का उन्हें व्यवहारिक ज्ञान है, और उसका परिणाम स्पष्ट है।”

जहां कौकीबल होता है वहां आत्मबल नहीं रहता है। अन्तरिम करने की इति, निर्भयों की चूधने की इति, अनीति मूलक काम, देह के सुखों की कमी शान्त न होनेवाली सुखा जहां होती है वहां आत्मबल कभी नहीं होता। इसलिए ब्रिटिश अधिकारीसय यदि आत्मबल से सर्वथा हीन नहीं है तो उनका आत्मबल उनके पशुबल से बड़ा हुआ अवश्य है। इसके बाद लेखक एक सवालन समस्या उपस्थित करते हैं:

“संसार में कुछ लोग बड़े ताकती हैं और वे सभी दुराई कर रहे हैं। उनके हाथ में शक्ति-अधिकार है। वे सामक

को देखते हैं परन्तु फिर भी वे बड़ी शान्ति कर रहे हैं। इसलिए अब इससे काम न लेंगे कि हम हाथ बांध कर कड़े देखा करें और वे अपना सैलम का का काम करते रहें। अहिंसा का बलि दे कर के भी हमें उनके हाथ से अधिकार छीन देना चाहिए ताकि वे कुछ अधिक शक्ति न पहुंचा सकें।”

इतिहास हमें यह सिखा देता है कि हिन्दोंने जिसने प्रामा-  
निक अर्थों के साथ ऐसे लोगों मनुष्यों के विरुद्ध पशुपक का  
उपयोग कर के उन्हें हरा दिया है वे भी अपना समय आने पर उन  
हारे हुए लोगों के उच्च रीति के भोग हो गये हैं। यदि गुलामों के  
नाशक बनने के बनिस्वत गुलाम बनना ही अधिक अच्छा है और  
यदि यह कोई पोथी में के बंगन नहीं है तो गुलामों के नाशकों  
को उन्हीं कितनी भी दुर्गई हो सके हम उन्हें करने देंगे और हम  
मुझ की पञ्चांगिक कीर्त्यात्मी से जो हमारे स्वभाव के प्रतिकूल हैं,  
अब ऊब गये हैं इसलिए ऐसे लोगों चूसनेवालों के पशुपक का  
आत्मबल से सामना करने के जो साधन समझ हो सकते हैं उन्हें  
ही हटाने का प्रयत्न करेंगे।

परन्तु केसक को तो प्रयोग के आरंभ में ही यह कठिनाई  
माखम होने लगी है।

“महात्माजी, आप इस बात का स्वीकार करते हैं कि  
भारत के लोगों ने आपके धर्म का अनुसरण नहीं किया है।  
माखम होता है कि उसका कारण भी आपको माखम नहीं है।  
बात यह है कि साधारण मनुष्य सब महात्मा नहीं होते। यह बात  
इतिहास से सिद्ध है और उसमें सन्देह करने का कोई अवकाश ही  
नहीं है। भारत में और दूसरी जगहों में थोड़े महात्मा लोग हुए हैं  
परन्तु वे अपवाद रूप हैं और अपवाद नियम का ही समर्थन  
करता है। आपको ऐसे अपवादों के आधार पर अपने कार्यों का  
निर्माण नहीं करना चाहिए।”

यह बड़े विस्मय की बात है कि हम अपने आपको कैसे भ्रम  
में बांध देते हैं। हम यह ब्यास करते हैं कि हम इस आशयना  
शरीर को अमर बना सकते हैं और आत्मा की युक्त शक्ति को  
व्यक्त करना असंभव समझते हैं। यदि मुझ में इन शक्तियों में  
से एक भी शक्ति हुई तो मैं यह सिक्काने के प्रयत्न में ही लगा  
हुआ हूँ कि मेरा शरीर उतना ही निर्मल और आशयना है  
जितना कि हमारे में से किसी दूसरे मनुष्य का है और मुझ में  
ऐसी कोई विशेष शक्ति कभी भी ही नहीं और न आज है। मैं  
तो दूसरे मनुष्य प्राणियों की तरह एकता करनेवाला एक सादा व्यक्ति  
होने का ही दावा करता हूँ। फिर भी मैं इस बात का स्वीकार  
करता हूँ कि मेरे में इतना अनुभव अवश्य है कि मैं अपनी  
शक्तियों का स्वीकार कर लेता हूँ और उच्च शक्त सांग की छोक  
रता हूँ। मैं इस बात का भी स्वीकार करता हूँ कि मुझे ईश्वर पर  
शर उसकी भलाई पर अटल भ्रष्टा है और शर्य और प्रेम के  
रूप मेरे में अक्षय उत्साह है। परन्तु क्या यह युक्त प्रत्येक  
वृक्ष में छिपे हुए नहीं है? यदि हमें प्रकृति करना है तो हमें  
तेहल की नहीं दोहराना चाहिए परन्तु बने इतिहास की रचना  
भी चाहिए। हमारे पूर्वज हमारे लिए जो बातें छोड़ गये हैं  
मैं हूँ कुछ सुद्धि करनी चाहिए। यदि हम इस जगत में  
मैं नहीं छोड़ें कर रहे हैं तो क्या हमें आम्पासिक क्षेत्र में  
ने की सिक्काने साधित करना चाहिए? अपवादों की शक्ति  
के उन्हीं ही निरस बना देना क्या असंभव है? क्या मनुष्य  
होना प्रथम पशु ही होना चाहिए और फिर मनुष्य?

### काठियावाड में खादी का कार्य

श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तमदास ने राष्ट्रीय सभा में अपनी  
काठियावाड की यात्रा में तीन खादी के केन्द्रों की मुलाकात की  
और उन्होंने मञ्जीर की उसकी रिपोर्ट लेनी। वह रिपोर्ट  
मञ्जीर की बड़ी लम्बी टिप्पणी के साथ गत सप्ताह के गुजराती  
‘मञ्जीर’ में प्रकाशित किया गया था। उसमें कुछ बातें ऐसी  
भी हैं कि उनका जानना खादी की प्रगति में दिलचस्पी लेनेवाले  
सभी कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी है।

प्रत्येक केन्द्र में श्री लक्ष्मीदास ने केवल यही जांच नहीं की  
कि वहाँ कातनेवालों की संख्या कितनी है, कितना मूल और  
कितनी खादी तैयार होती है, परन्तु बहुत से कातनेवालों की  
उन्होंने परीक्षा ली, स्वयं उनके सूत की जांच की, उनके सूत  
के दोष उन्हें बताये और उसकी सुधारने लिए उन्हें क्या करना  
चाहिए यह भी सिखाया। प्रत्येक केन्द्र के अधिकारी कार्यकर्ताओं  
को कितनी ही उपयोगी सूचनायें दी।

पहली बात जो उन्होंने कही है वह यह है कि जो सूत इन  
केन्द्रों में जाता है वह उन्हीं अंक के मिल के सूत के बनिस्वत  
इसके रंग का होगा है और इसलिए उससे जो खादी तैयार होती  
है वह भी मिल के वैसे ही कपड़े के बनिस्वत इलकी होती है।  
यह बात नहीं कि इन चार वर्षों में कोई प्रगति ही नहीं हुई है।  
चार साल पहले २॥ से ४ अंक के सूत की खादी ही तैयार  
होती थी परन्तु आज ६ से १० अंक के सूत तक की खादी  
बुनी जाती है। उसका पोत भी पहले के बनिस्वत अच्छा होता  
है। परन्तु आज भी मिल के उन्हीं अंक के बुने हुए कपड़े की  
बुनना में खादी ठहर नहीं सकती है। उन्होंने कुछ लच्छियाँ  
इकट्ठी की और उनकी जांच की। उनके पास सूत की मजबूती  
की परीक्षा करने का कोई साधन न था परन्तु सामान्य मजबूती  
की जांच करने के लिए उन्होंने ४५ अंक के मिल के सूत की  
लच्छियाँ मंगाई और उसमें से १६ गार की चार फीट लम्बी एक  
लच्छी बना कर वह कितना बजन झेल सकती है उसकी परीक्षा  
की। वह लच्छी २४ पौंड बजन झेल सकी थी परन्तु हाथकते  
सूत की उन्हीं अंक की लच्छियों पर केवल १० पौंड बजन ही झेला  
जा सकता था। इसमें केवल कताई का ही दोष न था परन्तु  
रई का अराध दोष और धुनकों के द्वारा उसकी पुनाई अच्छी न  
होना ही उसके आरंभिक दोष थे। उन्होंने अपनी धुनकने की तांत  
अपने साथ रखी थी और उनकी अपनी पूनियाँ भी उनके साथ थी।  
उन्होंने कातनेवालों को अपनी पूनियाँ दी और उन्हीं जो सूत  
काता गया उसके परिणामों की उनके अपने सूत के साथ तुलना  
करने को उन्हीं कहा। वे आशानी से यह दिखा सके कि उस धुनके  
को जो ऐसा अराध धुनकता है पुनाई का एक रूपया देना फिजूल  
बर्बाद है। उन्हें कातनेवालों को यह समझाने में सफलता मिली कि  
वे अपनी एक तांत भी रके और पूनियाँ भी स्वयं बना लें। गत  
सप्ताह ‘बंग इण्डिया’ में कुछ उत्तम कातनेवालों के सूत की  
परीक्षा के परिणाम प्रकाशित किये गये थे उसके साथ साथ यदि इन  
बातों का भी विचार किया जायगा तो यह बहुत ही आश्चर्यक  
माखम होगा कि भारत के खादी के केन्द्रों में प्रत्येक में सूत  
की परीक्षा करने का एक मंत्र हो और वे समय समय पर इस  
बात का निश्चय करते रहें कि जसुक रंग से इलका सूत तो उन्हें  
नहीं मिल रहा है। इस प्रकार वे जसुक रंग की खादी मञ्जीर  
के लक्ष्य हैं। परन्तु इन्होंने भी अधिक आश्चर्यकता तो केन्द्रों में

लक्ष्मीदास ने बड़ा जोर दिया है और जिनका गांधीजी ने समर्थन किया है, अवश्य ही ।

(१) प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने कानों के लिए अपनी ही आप साफ कर लेना चाहिए, उसे धुनक लेना चाहिए और पुनिया भी आप बना लेनी चाहिए ।

(२) बड़ा मजबूत सूत कातना चाहिए ।

(३) हर एक कालनेवालों को छई साफ करना, धुनकना और अपनी पुनिया आप बना लेना छींकाने का उनमें सामर्थ्य होना चाहिए ।

(४) लन्दे खादी की फेंगी करनी चाहिए ।

श्री लक्ष्मीदास ने इसरी जो महात्त्व की बात पर प्रकाश डाला है वह यह है कि काठियावाड़ में जिन जिन जगहों में दुष्काल पड़ा है वहाँ खादी का नाम सच्चा आशीर्वादरूप बन गया है । खादी की बात इतनी अच्छी न होने पर भी उसने वहाँ घर घर लिया है और उसका एक मात्र सदा कारण यह है जिन जगहों में इसरा कोई काम नहीं मिल सकता है उन जगहों में वह ईश्वर की देन ही मरती जाती है । भूखों मरते दुष्काल पीड़ित लोगों के प्रति जिन्हें कुछ भी सहानुभूति है लन्दे तो यद्यपि खादी मिल के कपड़ों के साथ तुम्हारा मैं लाभप्रद नहीं मान्य होती है फिर भी खादी को ही खरीदना चाहिए । वे उन गांधी में भी मने जिनके कि कारण वे केन्द्र चलते हैं । बहुत से कुटुम्बों में उन्होंने मित्र भाव से खादी जांच की । उससे यह मालूम हुआ कि कुछ गांधी में औरतें दिन के तीन पैसे से अधिक नहीं कमा सकती हैं और कुछ गांधी में वे एक समाह में बारह आने पैसा करती हैं और बड़े से बड़ा किसान भी ऐसी कठिन दशा में पड़ा हुआ कि वे अपने घर की ओरतों को दिन में अठारह चण्डे तक चरखा चलाने देता है और घर के दूसरे काम पुरुष बगैरे कर देते हैं । छोटे छोटे लन्दे अपनी माताओं के काते हुए सूत की पुटकियां के कर वीलों पर इन केन्द्रों में उसे पहुंचा देते हैं और उनकी मातायें घर बैठे कातती रहती हैं और दूसरे दिन के लिए पुनिया के कर आते हुए अपने बच्चों की राह देखती हैं । जो लोग इन केन्द्रों में गये हैं या जिन्होंने इन कातनेवालों को देखा है वे प्रामाणिकता के साथ जानबूझ कर तो जिससे भूखों की भूख मिटती है ऐसे कपड़े के सिवा दूसरा कपड़ा पहन ही नहीं सकते हैं । श्री लक्ष्मीदास का खींचा हुआ यह चित्र बड़ा ही अचरकारी है और यदि दुष्काल निवारण के साधन के तौर पर खादी की उपयोगिता का यत्न कीई और प्रमाण चाहिए तो ऐसे प्रमाण मांगनेवाले को अब यही कहा जा सकता है कि " तुम खर जाओ और देखो । "

यह उचित ही है कि ऐसे लोके पर श्री अज्वास तैलबन्धी और श्री रामदास गांधी काठियावाड़ में खादी की फेंगी करते हुए फिर रहे हैं । जहाँ वे जाते हैं उनका अच्छा स्वागत किया जाता है । और इस अज्वास साहेब—यदि कोई उन्हें बूझ सकता है तो वे उसे अपमान समझते हैं क्योंकि उनका उत्साह और सामर्थ्य तो २० साक के मुक के लिए भी ईर्ष्या का कारण हो सकता है— अब यह समझते हैं कि उन्हें अपना काम मिल गया है, वे अपने तरीके पर काठियावाड़ के दुष्काल पीड़ित गांधी में आक गया हो रहा उसका बड़ा अचरकारी चित्र खींचते हैं ।

" मेरी सफेद बाटी पर आधार रखने में आपने कोई भूल नहीं की है क्योंकि जब मेरे साथी उसके प्रति इशारा करते थे तब लक्ष्मीदास आपके का पोत भी नहीं देखते थे और उसे खरीद

कि यह खादी उत्तम खादी नहीं है और मिल की खादी के साथ तुलना में मंहगी भी है परन्तु वह दुष्काल पीड़ित लोगों की बर्नाई हुई है और उनके दरिद्र पडोसी उन्हें जो दे सकते हैं उसे खरीदना ही उनका कर्तव्य है सस्ती और अच्छी चीज की तलाश में उन्हें उनको भुला नहीं देना चाहिए ।

( बं० ६० )

महादेव हरिभाई देसाई

## टिप्पणियां

दूध का जला छास फूंक फूंक कर पीना है

अधिकारी वर्ग के तरफ से जनता को इनके कट्टे अनुभव हुए हैं कि यदि वह किसी मनुष्य को जो अबतक स्वतंत्र रहा हो उनके पास जाने हुए देखती है तो डर जाती है अथवा उसे सन्देह होने लगता है । खेती के सम्बन्ध में जो कपीशन नियुक्त किया गया है उसके सम्बन्ध में कुछ बातचीत करने के लिए भन्वई के गवर्नर मुझे बुला देनेवाले हैं, यह समाचार जब से समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है तब से उसके सम्बन्ध में चिन्तावनी के और दूसरे बहुत से पत्र मुझे मिलने लगे हैं । एक भाई लिखते हैं: " आप गवर्नर के पास जा कर क्या करेंगे ? चेपते रहिएगा । गवर्नर आपको भ्रम में डालेंगे, फंसावेंगे और आखिर दबा देंगे । " परन्तु यदि हमलोग स्वराज लेने की आशा रखते हैं तो इस प्रकार करने से वा बहम जाने से हमारा काम कुछ भी न सुधरेगा हमें अधिकारीवर्ग की बखिब नहीं ग्रहण करनी चाहिए, उनका मिह्रवानी से नहीं इधना चाहिए और उनकी नोकरी नहीं करनी चाहिए; यह बातें तो सब तरह से समझ में आ सकती हैं और यह असहयोग है । परन्तु उनकी मुलाकात करने से ही हम सब तो यह उचित न होगा । यही नहीं, ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर उनकी मुलाकात न करना अनुचित ही गिना जावेगा । जो मनुष्य अपना कर्तव्य समझता है वह किससे डरेगा ? अथवा जिसे किसी प्रकार का शक नही है अर्थात् जिसकी असहयोग में अटक भरे है वह क्यों और किससे डरेगा ? और जो मनुष्य शक्ति के म से अपना काम करना चाहता है उसे तो सीधे और उचित प्रथ से मुलाकात करने के एक भी प्रसंग को जाने नहीं देना चाहिए मेरा असहयोग मनुष्यों के साथ नहीं होता है परन्तु उनके कार्यों साथ ही हो सकता है । शक्ति का मार्ग अर्थात् प्रेम-मार्ग । मुझे प्रेम मार्ग से जाना है तो मैं जब कभी मुझे मौका मिले अ विरोधियों से अवश्य ही मुलाकात करूंगा । क्योंकि उनके क में परिवर्तन कराना ही मेरा धर्म है और वह भी मुझे बलाह से नहीं परन्तु उन्हें समझा कर उनसे प्रार्थना करके और स्वयं उठा कर अर्थात् सत्याग्रह करके ही करवा चाहिए । इसलिए मैं मुझे मुला देनेगे तो मैं उनसे मिलना ही अपना धर्म समझता और क्योंकि मैं अपने सिद्धान्तों को समझता हूँ, मुझे मेरे क का ज्ञान है इसलिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन की आश फंस जाने का मुझे कोई डर नहीं है । अब मैंने लार्ड रीजिंग मुलाकात की थी उस समय भी कुछ मित्रों ने आज के जैसा ही दिखाया था । परन्तु मेरी मान्यता तो यह है कि उस समय लार्ड रीजिंग ने मुलाकात की नहीं उचित था और उससे जबर कोई हानि नहीं हुई है । स्वयं मुझ को तो उससे लाभ ही था क्योंकि उससे मैं उन्हें अच्छी तरह पहचान सका था आज मैं यह कह सकता हूँ कि लुकेट्टे करने का एक भी मौक मुझे मिला उसे मैंने अपने अभिमान या अपनी दुर्बलता के जाने नहीं दिया था । इस समय भी यदि मैं गवर्नर से कात करूंगा तो मुझे उससे लाभ ही होगा । मैं अपने विषय

उनके सामने पेश कर सकूंगा, मेरी विचारधारा में यदि कोई त्रुटि हुई तो उसे समझ कर मैं उसे सुधार भी सकूंगा और उनके कुछ सम्बन्धी विचारों को भी जान सकूंगा। मैं स्वयं असहयोगी हूँ। मुझे कमीशन में विश्वास नहीं है। वे यह जानते हैं कि मैं कमीशन में अपनी तरफ से कुछ भी मदद नहीं दे सकता हूँ, और यह सभी लोग जानते हैं इसलिए यदि मुझे गवर्नर साहब की मुलाकात करना प्राप्त हो तो उससे किसी को डरने का कुछ भी कारण नहीं है।

### गोसेबकों को

परन्तु जिस प्रकार गवर्नर के साथ मेरी मुलाकात से डरनेवाले लोग हैं उसी प्रकार उससे कुछ काम उठाने की साहस रखनेवाले लोग भी हैं। मुझे एक पत्र और एक तार मिला है। उसमें लेखक यह चाहते हैं कि डोरों को जो परदेश भेजा जाता है और उनकी जो कटल होती है उससे कृषि को बड़ी हानि होती है; इस हानि के सम्बन्ध में मैं गवर्नर के साथ बातचीत करूँ। इन गोसेबकों को मैं बड़ी नम्रता के साथ यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात गवर्नर के साथ मुझे करने का प्रसंग प्राप्त हो तो भी वे जैसा चाहते हैं वैसी कोई बात मैं न करूँगा। गोसेबकों में मैंने एक बड़ा भारी दोष देखा है और वह यह कि वे इस प्रश्न का परिभ्रम कर के शास्त्रीय रीति से कमी अध्ययन ही नहीं करते हैं। भारत के डोरों का जैसे नाश हो रहा है इसका आजकल श्री बालजी देसाई बड़ी बारीकी के साथ अध्ययन कर रहे हैं। रंग इण्डिया और नवजीवन में उनके लेख नियमित रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हें पढ़ने से भी डोरों की बर्बाद-जनक स्थिति के कुछ कारण मालूम हो सकेंगे। यद्यपि मैं यह मानता हूँ कि इस विषय में सरकार बहुत कुछ कार्य कर सकती है फिर भी जनता को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जनतक जनता ही इस विषय के प्रति जागृत न हो, उन्हें उसकी शिक्षा न दी जाय, तबतक सरकार चाहे कैसे भी कानून क्यों न बनावे डोरों की रक्षा न हो सकेगी। इसमें अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र का बहुत बड़ा प्रश्न समाया हुआ है। डोरों के विषय में अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्रों में क्या कहा गया है इसका मानों हमें विचार करने तक की फुरसत नहीं है, ऐसी हमारी व्याजजनक स्थिति है। हमलोग वर्माधता के कारण धर्म-दृष्टि को जो बैठे हैं और आत्मिक के कारण अर्थशास्त्र का अध्ययन करने में हमें अवधि होती है। गोमाता के नाममात्र का उच्चारण करने से गोमाता की या भारत-माता की कोई सेवा न होगी। उसका रहस्य समझ कर उचित उपाय करने से ही गोमाता और उसके बंध की सेवा और रक्षा हो सकेगी और उसके साथ साथ हमारी अपनी सेवा भी हो सकेगी। मुझे पत्र लिखनेवालों को मैं यह सूचित करना चाहता हूँ कि वे इस पत्र में प्रकाशित होनेवाले इसके विषय के लेखों पर विचार करें, उसमें विचार-दोष या कोई दूसरा दोष हो तो वे बतावें और उसमें कोई दोष न हो तो उसके अनुकूल अपना व्यवहार रखें।

५. (नवजीवन)

श्री० क० मांथी

### मद्रास सरकार और शराबखोरी

श्री राजगोपालाचारी ने एक सरकारी हुकम पर प्रकाश डाला है। वह हुकम बड़ा ही सादा है फिर भी उसका बड़ा विशाल अर्थ हो सकता है। उस हुकम की मकल समाचार पत्रों को देखते समय उस पर भी राजगोपालाचारी के विषय लिखित टिप्पणी की है।

“मोन्टफोर्के सुधार मिलने के बाद हमारे सहा-दरनेवाले सर्व्व से जो अभी रुझि हुई है वह नये स्वास्थ्य रक्षक अधिकारी और उनके कर्मचारियों के कारण भी है। हेमा मकेरिया इत्यादि रोगों के सम्बन्ध में लोगों को आवश्यक शिक्षा देने की उनसे आशा रखी जाती है।”

मालूम होता है कि इन कर्मचारियों में से कुछ लोगों ने सरकार से यह पूछा था कि वे शराबखोरी के विरुद्ध भी प्रचार-कार्य करें या नहीं। उसका थोड़े से शब्दों में ही उन्हें जो उत्तर मिला है वह यह है:

“सरकार का क्याल है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षक कर्मचारियों को शराबखोरी के विरुद्ध कोई प्रचारकार्य नहीं करना चाहिए।”

यह बात ध्यान देने योग्य है कि शराबखोरी के विरुद्ध प्रचारकार्य को रोकने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है। परन्तु यदि कोई लोकप्रिय सरकार होती तो उससे बड़ी आशा रखनी जा सकती थी कि वह इन स्वास्थ्य रक्षक अधिकारियों को शराब के शरीर पर होनेवाले घुने परिणामों के सम्बन्ध में लोगों को पूरे तौर पर समझाने के लिए स्पष्ट सूचनाएँ देती। वह उन्हें लोगों को यह समझाने के लिए कहती कि मनुष्य के शरीर पर शराबखोरी का कैसा भयंकर परिणाम होता है और जहाँ शराब ने घर किया है वहाँ उसने वैसी भयंकर हानि पहुँचायी है उसके चित्र ‘मेजिक केन्टन’ के द्वारा बनाने के लिए भा वह उन्हें बाध्य करती। परन्तु वर्तमान सरकार से ऐसी कोई आशा रखना पागलपन ही है। इस प्रकार तो शराब के दूकानदार से शराब के लिए आनेवाले ग्राहकों को उस मृत्यु के पजे में न फसने की वित्तवनी देने की भी आशा रखनी जा सकती है। भारत में कितनी भी शराब की दुकानें हैं उनकी क्या सरकार मालिक नहीं है? २५ करोड़ रुपया टैक्स जो उससे वसूल होता है उसी से तो हम हमारे बच्चों को विद्यापीठ की शिक्षा प्राप्त कराते हैं। इससे सरकार हमारे ऊपर ब्रिटेन की छत्रछाया लादने में समर्थ होती है। जब तक लोग अपने कर्तव्य को न समझेंगे और सरकार की उसकी शराबखोरी के पक्ष की नीति का विरोध करने की शक्ति का विकास न करेंगे तब तक भारत से शराबखोरी का उठ जाना संभव नहीं है।

### अंध्र की शाला में शरखा

पश्चिम गोदावरी जिसे के भूमावरम तालुका बोर्ड के द्वारा तैयार किये गये रिपोर्ट से यह अवतरण लिया गया है:

“बोर्ड के शिक्षकों में ता. १९-९-२५ को कर्तार की शर्त हुई थी। राजकुर्ने के गांव में यह शर्त करायी गई थी। ३० शिक्षक उसमें शामिल हुए थे और चार इनाम दिये गये थे। बोर्ड के समाजद और उससे सहायुभूति रखनेवालों ने ये इनाम दिये थे। कातनेवाले अधिक से अधिक २० अंक के सूत पर पहुंच सके थे। ता. ५-३-२६ को लंकलकोर नामक गांव में दूसरा शर्त हुई थी। १३ इनाम बांटे गये थे। तालुका बोर्ड के समाजद और उससे सहायुभूति रखनेवालों ने उसका कार्य उठाया था। इस शर्त में ५० शिक्षक शामिल हुए थे। इसमें कातनेवाले अधिक से अधिक ६० अंक का सूत कात सके थे। बोर्ड की शालाओं में विद्यार्थियों को और शिक्षकों से जादी पहनने के लिए दो परतवा सिकारिया की गई थी। आज बोर्ड के तमाम समाजद जादी पहनते हैं। प्रतिमास ३० पाँच सूत तैयार होता है। जादी की प्रगति के लिए बोर्ड एक निरोक्षक को नियुक्त करने के लिए तैयार है। बोर्ड की ४० शालाओं में आज २०० बच्चे पढ़ रहे हैं।



तिरुपति म्युनिसिपल काउन्सिल की रिपोर्ट में उसकी शाखाओं में की गई कमाई के नीचे लिखे अंक दिये गये हैं:

“म्युनिसिपल शाखाओं में तीन साल पहले कमाई द्वाखिल की गई थी परन्तु १९२४ में ही यह काम नियमित हो सका था। १९२४ के अंत में लड़कों ने इतना सूत काता था कि उससे ५४ बर्गे गज कपड़ा तैयार हो सका था। कमाई का औसत वेग घण्टे के १०० गज से अधिक नहीं है और ४ से ३० अंक तक के जुदे जुदे अंक के सूत काते जाते हैं।”

शाखाओं में कमाई की व्यवस्था करनेवालों का और शिक्षकों का मैं इस बात पर ध्यान खींचना चाहता हूँ कि बरके के बढ़ते तकली द्वाखिल करने से इस्तरह से काम ही होता है। शाखाओं में सहयोगी कमाई के लिए तकली ही अन्त में अधिक अच्छी लाभदायक और विशेष सूत उत्पन्न करनेवाली साबित होगी।

**अमेरिका में शराब की बन्दी**

अमेरिका में शराब की बन्दी का प्रयोग अस्फल होने की इतनी अधिक बातें सुनी जाती हैं कि उसके सफल होने के कुछ प्रमाण मिलने पर अवश्य ही आनंद होगा। एक महाशय ने समाचार पत्र से जो समाचार फाट कर भेजा है उससे यह माह्य होता है कि अमेरिका के दक्षिणपूर्व और मध्य-पश्चिम के १२३ हजार कॉलेज के विद्यार्थियों की प्रतिनिधि सभा 'मिडिल वेस्ट विद्यार्थि परिषद्' के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों के शराब पीने के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया है।

'कोकोनोटिन इन्फोनियरी' मासिक के फरवरी के अंक में निम्न लिखित बातें प्रकाशित हुई हैं।

“रेलरोड भ्रान्त-मण्डल और अमेरिका के मजदूरों के संघ के लाखों शान्त सुचेन और मिहंतजी मजदूर शराब के विरोधी हैं क्योंकि वे यह जानते हैं कि उससे मनुष्य कमी अधिक अच्छे नागरिक, अच्छे कारीगर और भले पति और पिता नहीं बन सकते हैं।

यदि मजदूर लोग शराबखोरी के त्याग से बची हुई अपनी बचत की रकम को जमा न करते होते तो हमें यह विश्वास नहीं है कि मजदूरों की सहयोगी बँक का इतना अधिक विकास होना कभी संभव हो सकता था। हमारा यह भी विश्वास है कि अमेरिका की मजदूरों की हलचल की प्रगति का आधार शान्त और नर्बल मस्तिष्क के नेताओं पर ही है, उन पर नहीं जिनका कि मस्तिष्क शराब के कारण भ्रमित या रहता है। यह बात ध्यान देने लायक है कि ब्रिटिश मजदूर हल के नेता, जिन्होंने कि लड़ाई के बाद आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में खासी प्रगति की है शायद सब के सब शराब को छूते तक नहीं हैं।

युनाटेड स्टेट्स (अमेरिका) में गत पांच वर्षों में इस हानि को दूर करने के उद्योग में जो प्रगति हुई है उससे उसके आर्थिक इतिहास में बड़ा आश्चर्यकारी परिवर्तन हुआ है।”

मैं पाठकों को यह नहीं मनाया चाहता हूँ कि अमेरिका में शराब-खोरी की बन्दी का प्रयोग सर्वथा सफल हुआ है। इस महान प्रयोग का भेने बहुत कुछ साहित्य पढा है और मैं यह जानता हूँ कि इस विषय की दूसरी बात भी है। परन्तु दोनों तरफ की अतिशयोक्तियों का सब तरह से स्वीकार कर केने पर भी इस में कोई सन्देह नहीं है कि शराब की बन्दी अब आश्चर्यकारी लोगों को एक आशीर्वाददायक हो गई है। निश्चयपूर्वक उसके परिणामों को आज ध्यान करना बहुत ही जल्दी होगी। भारत में तो

यह समस्या बहुत ही खादी और सीपी है। सिर्फ शराब की दुकानें और शराब बनाने के कारखाने बन्द करने मात्र का ही विवेक है।

**सूत इकट्ठा करनेवालों का धिनाधनी**

अ- भारतीय सरकार संघ की बन्दे में जो सूत मिलता है उसमें से बहुतेरा सूत तो उस उस जगह के स्वेच्छा से सूत इकट्ठा करनेवाला स्वयंसेवकों के द्वारा ही इकट्ठा किया जाता है। उन्हे बहुत सा समय, शक्ति और ऊर्ध्व का बचाना होता है। परन्तु सूत इकट्ठा करनेवाले इन स्वयंसेवकों भी स्वयं अच्छे कातनेवाले होना चाहिए। उन्हें अच्छा और जुरा सूत पहचानना जाना चाहिए और जुदे जुदे अंकों के सूतों को भी उन्हें पहचानना चाहिए। यदि वे सूत इकट्ठा करनेवाले स्वयंसेवक सूत की परीक्षा करना जानते हों और सभासदों से चन्दा वसूल करते समय पहले सूत की परीक्षा करने की तकलीफ उठाते हों तो सूत की कीमत बहुत ही जल्दी बढ़ जायगी। उन्हें ऐसे सूत का ही स्वीकार करना चाहिए कि जो एकसा करता हुआ हो और बार फुट लम्बी लच्छियों में बंधा हुआ हो। ऐसी छोटी छोटी बातों पर जितना अधिक ध्यान दिया जायगा, खादी को सस्ती और मजबूत बनाना भी उतना ही अधिक संभव हो सकेगा। कातनेवालों को यह याद रखना चाहिए कि जितना वे अच्छा कातेंगे, संघ का उनका चन्दा भी उतना ही अधिक होगा। सूत के बन्दे की यही खूबी है। यदि चन्दा वसूल करनेवाले और कातनेवाले सभासद बडे ध्यानपूर्वक अपना अपना कार्य करेंगे तो वे उनके चन्दे का मूल्य दूना बढ़ा सकेंगे और उन्हें न कोई अधिक काम करना पड़ेगा और न कोई अधिक खर्च ही होगा। यदि सूत जुरी तरह से काता जावेगा और उसकी लच्छियां भी जुरी तरह से बनावी जावेगी तो चरखा-संघ के ऊपर वह व्यर्थ का बोझ हो जायगा और वह राष्ट्रीय शक्ति और धन का अपव्यय ही समझा जावेगा।

**खादी की व्यवस्थित बिक्री**

खादी के प्रचारकार्य से सब दिशाओं में कार्यकर्ताओं की कार्य करने की शक्तियों का जिस प्रकार विकास हो रहा है वह बड़ा ही आश्चर्यकारी है। केवल खादी उत्पन्न करने से ही काम नहीं चलता है। खादी का बात भी धीरे धीरे सुधरनी चाहिए। उत्पत्ति के सर्वे को नियम में रखना चाहिए और उत्पत्ति के साथ उसकी बिक्री भी होती रहनी चाहिए। खादी प्रतिष्ठान उसका मार्ग दिखा रहा है। मैंने पहले ही इस बात को लिखा था कि बंगाल में उत्पन्न की गई खादी को वहीं बेच देने के लिए वह कितना प्रयत्न कर रहा है। जनवरी से १७ मार्च तक प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं ने १४ जिलों के ४१ गांवों में खादी की फैरी कर के कोई २५०००) की खादी बेची थी। कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्त बंगाल की यात्रा का एक नकसा तैयार किया है। वे आशा करते हैं कि कुछ ही महीनों में वह यात्रा पूरी करेंगे। इसके बड़ा की उत्पन्न अधिक न होगी परन्तु वह कम ही पड़ेगी और वे यह कह सकेंगे कि यदि अधिक कायत लगाई जाय तो अधिक खादी पैदा की जा सकेगी और बेची भी जा सकेगी। खादी का हाकत बढ़ी होगी जब कि खादी वहीं की वहीं बिक जायगी, यही नहीं कभी प्रवेश से-अर्थ के लिए अपने भी इकट्ठे किये जा सकेंगे। यह उल्लेख करना ही चाहिए क्योंकि उसकी बिक्री से साधारण बेनी के बहुत से लोगों का खादी के साथ सम्बन्ध जुड़ेगा और एक के खादी में विकल्पही केने लगेगे तो धिनाधनी के ही साम्राज्य के लिए आनन्ददायक पल भी मिल रहेगा।

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ३७ ]

सुरक-प्रकाशक  
स्वामी आनंद

अहमदाबाद, बिशाल बरी २, संपत् १९८९  
२९ बुधवार, अग्रेल, १९२६ ई०

मुद्रकाल-नवजीवन मुद्रकाल,  
बारंगपुर करकीवरा की बारी

## बंगाल दुष्काल निवारण समिति

[ एक महाशय ने मुझे 'वेकफैर' से उस लेख की कतरन ले कर मेरी है कि जिसमें बंगाल दुष्काल निवारण समिति के कार्य पर टीका की गई है। उस लेख में समिति के रिपोर्ट की समालोचना की गई है। मुझे पत्र लिखनेवाले महाशय लिखते हैं-

"पेशी दुष्काल के समय में सहर के कार्य की उपयोगिता के सम्बन्ध में उसमें गंभीर संधा उठनी गई है मैं आप से डा. पी. सी. राय अथवा खादी प्रतिष्ठान को अंक और छोटी मोटी सब बातें प्रकाशित कर के अपना खुलासा देने की विनम्रता करने की प्रार्थना करता हूँ। मुझे यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि मैं हमेशा खादी ही पहनता हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं खुद नहीं कातता हूँ परन्तु मेरे कुटुम्ब की कुछ औरतें अवश्य कातती हैं। मैं यह इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपको यह यकीन दिला सकूँ कि खादी के विरुद्ध मुझे कोई पूर्वाग्रह नहीं है।"

परन्तु इस खुलासे की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्री रामानन्द कठरजी के मासिक में जो बात प्रकाशित होगी वह स्वभावतः बचनदार और ध्याम देने योग्य होगी। इसलिए मैंने फौरन वह कतरन भी सतीशचन्द्र दास गुप्ता की मेज पर रख दी और उन्होंने भी फौरन ही अपने और डा. पी. सी. राय के दस्तखतों से मंचे किया खुलासा मेज दिया। 'वेकफैर' के लेख को प्रकाशित करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं साहस होती है। क्योंकि उसमें जो आपत्तियाँ उठानी गई हैं उसका सार डा. पी. सी. राय के कथान में आ जाता है। श्री० क० गांधी ]

'वेकफैर' के अग्रेल के अंक में बंगाल दुष्कालनिवारण समिति के मुतासिक कुछ बातें कही गई हैं। उसका खुलासा करना आवश्यक है। ग्रामवासियों की कुछ आमदनी, उनको 'उसे बाँटने में किया गया अथवा इस कार्य के करने में जो कुछ खर्च हुआ उसका ही अनुमान: उसमें निकाल किया गया है।

कुल आमदनी (२६,०००) है (१५०००) नहीं। यह आखिरी अक्षर उस स्थान पर दिया गया है जहाँ एक लाख दुष्काल पीड़ित स्थान में समिति के किये हुए कार्य का प्रारंभ किया गया है। यह

आमदनी को बाँटने में कुल २१,०००) खर्च हुए हैं और यह बात रिपोर्ट के ४ वे सफे पर स्पष्टतया लिखा ही गई है। केवल ने यह दिखाने के लिए कि खादी के कार्य में (५५,३२३) और इसके भी अधिक खर्चे खर्च हुए हैं, अंकों को जुड़े जुड़े प्रकार से दिखाया है। केवल कहते हैं कि "बंगाल दुष्कालनिवारण समिति ने कुल गाँव के लोगों को कुल २८,०००) की कमाई कराने के लिए (२२,५९५) खर्च किये हैं। १९२४ में (६०,५९५) जो खर्च हुए उसमें ऐसे खर्च भी शामिल थे, जैसे सुप्त सहायता पहुंचाने के (८०२९) डाकटरी सहायता के (६००८) जॉबों की मरम्मत और दूसरे सामान के लिए अनुक्रम से (३५९०) और (६५२६); (रिपोर्ट में जैसा कि ध्यान दिया गया है बरसात का कार्य आरंभ करने के पहले यह खर्च किया गया था और यह अनुपवादक खर्च था। (बरसे का खर्च ३६०३) ( जो उसी साल में लिखा गया है जिसमें कि यह खर्च हुआ है फिर भी समिति की दृष्टि में आम उसका पूरा पूरा मूल्य है ) और (१२,३९२) खादी और सहायता का काम करने के लिए सामान्य व्यवस्था में एक लाख परिमाण से खर्च किया गया था। इस खर्च का इस तरह विभाजन किया गया था कि ६० प्रतिशत खादी में ४० प्रतिशत सामान्य और डाकटरी सहायता में लगाया गया था। जब यह सब खर्च जो (४०,३६०) के करीब होता है, कुल खर्च के अंकों में से घटा दिया जाय तो (२२,२३५) बाकी बचे हुए खादी में लगाये गये कहे जा सकते हैं और रिपोर्ट में इसी अक्षर को मोटे दिखान से (२३०००) लिखी गई है और उसीका ऊपर निकाल किया गया है।

इस सम्बन्ध में केवल ने खादी-प्रतिष्ठान का भी नाम लिखा है। प्रतिष्ठान तो एक बिकी की आरत मात्र है इसलिए वह खर्च और आमदनी दोनों ही प्रतिष्ठान के नहीं हो सकते हैं और इसलिए इस सम्बन्ध में जो बातें लिखी गई हैं बिल्कुल गलत है। प्रतिष्ठान ने (८०,५९५) कमाने के लिए (१४३,३६४) खर्च नहीं किये हैं। रिपोर्ट के ४ वे पृष्ठ पर बिकी की आरत के तौर पर प्रतिष्ठान का सम्बन्ध स्पष्ट किया गया है।

रिपोर्ट में सब बातें स्पष्ट कही गई हैं। यह भी प्रथम लिखा गया है कि (२३०००) का खर्च उचित था या नहीं। यह खर्च

धर्मशा उचित था। समिति एक समय उनके हाथ में जितने ये उतने सब रुपये योही बांट देने में या होंवके बाँव देने में लंब कर सकती थी। परन्तु यह न कर के उसने कुछ रकम कीर् उत्पादक कार्य करने के लिए रख छोड़ी। धान देने के बदले उसने लोगों को काम देने का निर्णय किया। प्रथम तो समिति ने धान कूटने का काम दिया था। समिति को इस काम में (४३०००) खर्च हुआ था। यह १९२३ की बात है। इसके बाद समिति ने कताई और बुनाई की मजदूरी के रूप में उन्हें काम दिया था। समिति ने यह काम सफलतापूर्वक किया। बरखा की सहायता का काम केवल बड़ा मफल ही नहीं हुआ है परन्तु उसकी हलचल से बंगाल में नये युग का आरम्भ हुआ है। दुष्काल निवारण के काम में जो अनुभव मिला है उससे बंगाल के हाथ कताई के महान उद्योग का पुनरुद्धार हो रहा है। अब बंगाल में माहवार ४०,००० की खादी उत्पन्न होती है। इसका दो तिहाई गाँवों में जाता है। बंगाल के गाँवों को जहाँ कुछ भी नहीं मिलता था वहाँ अब माहवार २५,००० मिल रहा है। समिति ने बरखे की सहायता पहुँचाने का सधन बना कर बड़ा दूधिता का काम किया है। जिन स्थानों में बरखे का काम हा रहा है वहाँ के रहनेवाले लोग फसल बिगड़ जाने पर उनके परणामों का सफलतापूर्वक धामना कर सकते हैं। सदा चलनेवाले बरखे से माहवार १) से कुछ कम आमदनी होती है। फिर भी यह रकम इतने बड़े विभाग में बँटी जाय तो उन्हें गरीबों को बड़ा लाभ होता है। बरखा खूब विशाल परन्तु थोड़ी थोड़ी बँटी हुई आमदनी प्राप्त करने का साधन है।

समिति के बरखा कार्य से कुछ लोगों को कार्य करने की शिक्षा भी प्राप्त हुई है और वे खादी के कार्यकर्ताओं के भूषण हैं। इस दुष्कालनिवारण के कार्य से हमें एक ऐसा बरखा भी प्राप्त हुआ है कि जिसके कारण अति वेग से कनाई करने का कार्य अति आसान बन गया है। उससे कार्य करने का वह तरीका मालूम हुआ है कि जिससे बंगाल का खादी कार्य ठीक ठीक और उचित रूप से एक केन्द्र के अधिकार में किया जा सके। यदि इन सब बातों का विचार किया जायगा तो खर्च कुछ अधिक नहीं मालूम होगा।

बंगाल दुष्कालनिवारण समिति को बंगाल में ऐसे कार्य को आरम्भ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिससे बहुत कुछ बातें संभव हो सकती हैं। बंगाल के बहुत से जिलों में अब खादी का कार्य स्वायत्त हो गया है। दुष्कालनिवारण का कार्य जहाँ हो रहा है उस विभाग में अब तक वह स्वायत्त नहीं हो सका है। हमें ऐसी लापरवाही के साथ नष्ट किये गये उद्योग का पुनरुद्धार करने में कुछ कर भी देना होता है। समिति ने उस कर का कुछ भार अपने सिर लिया है।

लेकिन बात तो यह देखनी है कि बरखे को बाँखिल करने से गाँवों के रहनेवाले दुष्काल का धामना करने के लिए अधिक कोशिश हुआ है या नहीं। अब इस बात का विचार किया जावेगा कि जिस किरी कुटुम्ब में बरखा बाँखिल किया गया है उसमें कौन-कौनों ने सब ने बरखा चला कर कुछ आमदनी करना सीखा लिया है, तब यह निर्णय करना मुश्किल न होगा कि समिति के कार्य से ऐसे प्राकृतिक दुःखों का धामना करने की जौनों की शक्ति बढ़ गई है।

पी. सी. राय  
सतीशचन्द्र गुप्ता

## अस्पृश्यता के पंजे में

द्रावनकोर की अस्पृश्यता और दूता के संग्रह में हमने बहुत कुछ सुना है क्यों कि अभी बड़ा संशोधन किया गया था। कश्चिह्युता के दीपक के द्वारा द्रावनकोर के मैक पर प्रकाश पड़ा था। परन्तु कोचीन में द्रावनकोर के बनिस्वत उसका जोर बहुत ही अधिक मालूम होता है। वहाँ कोचीन की चारासभा में कोचीन की रिवाजत में अस्पृश्यों के लिए सार्वजनिक रास्तों का उपयोग करने की जो कनाई है उसे पूर करने के लिए रिवाजत से विनती करने का प्रस्ताव लाने के लिए बार बार प्रयत्न किये गये परन्तु वैसा प्रस्ताव पेश करने की इजाजत ही न मिली।

ऐसे परिभव से न बचनेवाले एक सभासद ने कोचीन की चारासभा में यह प्रश्न पूछा कि सरकार या म्युनिसिपल फंड से रक्षित कितने कुएँ और तालाब अस्पृश्यों के लिए बन्द रखे गये हैं? इसका उत्तर मिला ९१ तालाब और १२३ कुएँ उनके लिए बन्द रखे गये हैं। यदि उन्होंने दूसरा प्रश्न यह जानने के लिए पूछा होता कि ऐसे कितने तालाब और कुएँ हैं जिनका अस्पृश्य लोग उपयोग कर सकते हैं तो बड़ी मजे की बातें मालूम होती।

दूसरा प्रश्न जो पूछा गया वह यह है कि "सार्वजनिक कार्यविभाग के द्वारा बाँधे गये और रक्षित कुछ जगहों का उपयोग करने से अस्पृश्यों को क्या बचद है कि कनाई की रई है?" प्रश्न कर्ता ने अस्पृश्यों के लिए किसी को डुरा न मालूम हो इसलिए अहिन्दू शब्द का प्रयोग किया था। कोचीन सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार के लज्जा के भाव के बिना ही वे कारण बताये गये: "वे मन्दिर और मदल के नजदीक के मार्ग हैं। भूतकाल के सत्कारों को एकदम नहीं तोका जा सकता है। त्रिकाल से प्रचलित रिवाजों का आदर करना ही होता है।" पदक 'महक' शब्द के ऊपर ध्यान दें। इससे यह इयाक किया जा सकता है कि कोई पंचमा खुद जाकर अरज करें तो वह संभव नहीं है क्योंकि महक के नजदीक के रास्तों पर ही अब वह नहीं जा सकता है तो महक में तो वह जा ही कैसे सकता है? जिन अधिकारियों ने ऐसा निर्दय उत्तर दिया वे समर्थ, शिक्षित और संस्कारी अनुभूत हैं और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में उदार मन के भी हैं परन्तु वे एक क्रूर निर्दय और अध्यात्मिक रिवाज को प्राचीनता के नाम पर उचित बताये का प्रयत्न करते हैं।

कानून की किताबों में हमने यह पढ़ा है कि सुर्म और अनौति को प्राचीनता का कोई काम नहीं मिल सकता है। प्राचीन होने के कारण वे आदरणीय नहीं हो सकते हैं। परन्तु कोचीन रिवाजत में तो स्पष्टतः उल्टी ही बात है। अस्पृश्यता का रिवाज, अनौति का है, जंगली और क्रूर है, इसके कोन इन्कार कर सकता है? कोचीन की रिवाजत का कानून तो इस प्रकार दक्षिण आफ्रिका के कानूनों से भी बहुत बतर है। दक्षिण आफ्रिका का साधारण नियम गरी और रंगवाली जातियों की समानता का इन्कार करने से इन्कार करता है। कोचीन के साधारण नियम का आचार एक जास वर्ग में जन्म होने से मानी गई असमानता पर है। परन्तु कोचीन में जो असमानता है वह दक्षिण आफ्रिका के बनिस्वत कहीं अधिक अमानुशी है क्योंकि दक्षिण आफ्रिका में इनवाले मनुष्यों के बनिस्वत कोचीन में अस्पृश्यों के मनुष्योचित अधिकार अधिक परिमाण में छीन लिये गये हैं। अस्पृश्यों के प्रति ऐसा सख्त/असक्त व्यवहार रखने के कारण में केवल अकेले कोचीन पर ही दोष लगाना नहीं चाहता है। दुर्भाग्य से भारत के हिन्दुओं के लिए कम या अधिकतर में वह आज भी एक सामान्य बात है। परन्तु

कोचीन में धर्म की मानी हुई आशा के अलावा असुविधा को राज्य की आशा भी मिली है। इसलिए कोचीन में जनसमाज की इस विषय में राय बना लेने से भी तब तक कुछ काम न होगा जबतक कि वह इतनी दृढ़ न हो जाय कि वह राज्य को इस बंधकी दूर करने के लिए मजबूर कर सके।

( वं. ६. )

माइनरिटी करमंडल गांधी

### खुदा का बन्दा

दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों की महासभा के मंत्री के तरफ से दरबान से दक्षिण आफ्रिका की सरकार का निर्णय प्रकाशित हुआ उसके पहले ही मुझे निम्न लिखित तार मिला था।

“ महासभा की बैठक हुई। वह आपको भी एण्ड्रयूज को दक्षिण आफ्रिका देखने के लिए पत्र्यवाद देनी है और आपका उपकार मानती है। उन्होंने दोनों जातियों की परीक्षा कर के सरकार के साथ बराबरी का काम किया और यहां की स्थिति में बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया है। वे चिरायु हों और मनुष्यत्व के पोकक अपने उदार कार्य को सदा करते रहें। ”

श्री एण्ड्रयूज के दक्षिण आफ्रिका के इस उत्साही प्रवाच के दरम्यान मुझे जो ऐसे तार प्राप्त हुए वे उन्हें मैंने अचतक जनता के सामने प्रकाशित करने से रोक रक्खा था। परन्तु मैं यह क्वाक करता हूं कि जो परिणाम आया है उसे देखते हुए मैं उपरोक्त तार को प्रकाशित होने से अब नहीं रोक सकता हूं। मैं यह जानता हूं कि इस स्वार्थत्यागी अभिप्रेम की सेवा को इस अवतक ठीक ठीक नहीं समझा सके हैं। वे कोई कूटनीतिज्ञ नहीं हैं और इसलिए जो तार वे भेजते हैं उसमें बिल प्रतिदिन के अपने विचारों और भावों को वे जैसे के जैसे प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए कभी तो वे बड़े निराश हो जाते हैं और कभी बड़े अज्ञाकारी। परन्तु यदि कोई बड़े धैर्य के साथ उनके सब तारों को जो उन्होंने इन कुछ महीनों में भेजे है एकत्र करें तो उनमें सब में उसे आशा की वह झलक दिखाई देगी जो कभी भी नहीं भूरी जा सकती है, उस समय भी जब संक्राणिक दृष्टियों को आशा का कोई कारण भी न दिखाई देता था। दक्षिण आफ्रिका छोड़ने के समय उन्होंने मुझे जो अन्तिम तार भेजा है उसमें उन्होंने मुझ से आशा न छोड़ने के लिए कहा है क्योंकि वे स्वयं आशावान हैं। यदि उन्हें भारतीय पक्ष के सब और न्याययुक्त होने में भ्रम है तो उन्हें दक्षिण आफ्रिका के राजनीतिज्ञों में भी भ्रम है। श्री एण्ड्रयूज कुछ परोपकारी समझें हैं और इसलिए वह हर एक का विश्वास करने हैं। धारा संसार चाहें उन्हें थोसा वे परन्तु फिर भी वे तो बड़ी कहेंगे “ जनसमाज तुम में कितने भी दोष क्यों न हो, मैं तो तुम से फिर भी प्रेम करता हूं। ” और यह प्रेम उनके मार्ग को सब बाधाओं को दूर करने के लिए उन्हें समर्थ बनाती है और वे लोगों के दिनों में सीधा अपना मार्ग कर लेते हैं। दक्षिण आफ्रिका में जहां दूसरे लोगों को दुष्कार मिलती बड़ी कोशिशों को उन्हें सुनना पड़ा। पेडीसन प्रतिनिधि मण्डल के लिए उन्होंने मार्ग तैयार कर दिया था।

पेडीसन प्रतिनिधि मण्डल का ब्रिक आने से श्री पेडीसन की अध्यक्षता में, प्रतिनिधि मण्डल जब वहां से गया उस समय श्री राज-जीवाकावारी के दिव्य हुए प्रमाणपत्र के साथ एक और प्रमाणपत्र जो मुझे दक्षिण आफ्रिका से मिला है यहाँ जोड़ देने का मुझे अवकाश मिला है। दक्षिण आफ्रिका के एक महाशय अपने पत्र में इस प्रकार लिखते हैं। “ वह प्रेम से अंगरेज है और दिखने में भारतीय। सब बात तो यह है कि मैं उनके और एण्ड्रयूज में कोई भेद नहीं पाता

हूं। यह आश्चर्य की बात है कि उनके किसी युधि का मनुष्य मशर के केवर कमीशनर की जगह से अधिक भागे नहीं बढ़ सका है। भारतीयों के प्रति उन्हें बड़ी सहानुभूति है यह उसका कारण हो सकता है या नहीं इसके सम्बन्ध में मैं कुछ अधिक नहीं जानता हूं। ” मुझे जितनी खबरें मिली है उन सब से यह बात साबित होती है कि प्रतिनिधि मण्डल के सभी सदस्यों ने अपना धरम सचाई के साथ और अच्छी तरह अदा किया है परन्तु यह प्रतिनिधि मण्डल भी जितना उसने काम किया है तथा आशा काम भी वह नहीं कर सका होता यदि श्री एण्ड्रयूज ने आरम्भिक कार्य न किया होता और उसके लिए लगातार मिहनत न की होती।

( वं. ६. )

माइनरिटी करमंडल गांधी

मा. के अंक

जुदे जुदे प्रान्त के माने महीने के खादी की उत्पत्ति और बिक्री के अंक जो प्राप्त हुए हैं नीचे दिये गये हैं

प्रान्त	उत्पत्ति	बिक्री
बम्बई		३७६८६)
बरमा		१७१९)
देहली	५३१)	२३७०)
करनाटक	१९२२)	३९२०)
मध्य महाराष्ट्र	१२०)	२८४८)
दक्षिण महाराष्ट्र		२४६८)
पंजाब	१०८९३)	६४७५)
तामिलनाड	५८०९४)	५१५००)
संयुक्तप्रान्त	३१५९)	१९२८)
उत्कल	४३७०)	३४१६)
	७९,०७१)	१,३१,६२०)

करनाटक के अंक अपूर्ण हैं। कारवरी के अंकों की तुलना में दक्षिण महाराष्ट्र, बम्बई और उत्कल के बिक्री के अंकों के सिवा स्थिति में दूसरा कोई उन्मुख योग्य परिवर्तन नहीं हुआ है। दक्षिण महाराष्ट्र, बम्बई और उत्कल के बिक्री के अंकों में कारवरी के अंकों के बनिस्त कुछ वृद्ध हुई है। दक्षिण महाराष्ट्र में जो वृद्ध दिखाई देती है उसका कारण यह है कि श्री पटवर्धन के द्वारा जो खादी की प्रदर्शनी की गई थी उसका बिक्री के अंक भी उसमें शामिल है।

गत वर्ष के इसी महीने के अंकों के साथ, जहां ऐसे अंक प्राप्त हो सके हैं, तुलना में उत्पत्ति और बिक्री के दोनों अंकों में बहुत कुछ वृद्धि हुई दिखाई देगी। तुलना के लिए उसके अंक नीचे दिये गये हैं:

प्रान्त	उत्पत्ति के अंक	
	मार्च १९२६	मार्च १९२५
पंजाब	१०८९३)	५८५७)
तामिलनाड	५८०९४)	५२५८२)
उत्कल	४३७०)	१६९)
	बिक्री के अंक	
बम्बई	३७६८६)	२९९१८)
पंजाब	६४७५)	४९३७)
तामिलनाड	५१५००)	७८१०१)
उत्कल	३४१६)	२८४०)

तामिलनाड के १९२५ के मार्च के बिक्री के अंक अपवाद रूप है क्योंकि उस समय वहां श्री अन्वाने खादी की फेरी की थी।

( वं. ६. )

मा. क गांधी



# हिन्दी-नवजीवन

पुस्तक, नैसाक वरी २, संस्करण १९६२

## दक्षिण आफ्रिका

भारत सरकार दक्षिण आफ्रिका में अपनी कूटनीति की विजय पर अपने को हर प्रकार से बधाई दे सकती है। मैंने अन्यत्र यह दिखाया है कि यदि भी एम्बुसुम साहब की असाधारण भ्रष्टा और उनका प्रयत्न न होता तो दक्षिण आफ्रिका में कुछ भी नहीं हो सकता था। कुछ भी क्यों न हो यदि भारत सरकार भारत के हकों को पेश करने के अपने कर्तव्य में जरा भी उदासीनता दिखाती तो यूनियन परकिमानेन्ड में (गोरों के लिए) जमीन रक्षा का कानून अवश्य ही पास हो जाता। बिल मुलतवी कर दिया गया और एक विचार समिति में उसका निर्णय करने के लिए दोनों पक्ष राखी हुए हैं यह एक बड़ा काम ही हुआ है।

परन्तु इस दृष्टि में भी सफ़ाई पड़ी हुई है। यूनियन सरकार की यह शर्त कि जो प्रस्ताव हो उसमें "उचित और वैध उपायों से जीवन के पश्चिमी आदर्शों की रक्षा करनी होती" और उसे भारत सरकार का स्वीकार कर केना किसी न्यायाधीश निष्पक्ष निर्णय का होना असंभव भी बना दे सकता है। 'जीवन के पश्चिमी आदर्शों की रक्षा करने' का क्या अर्थ हो सकता है? और 'उचित और वैध उपायों' का भी क्या अर्थ हो सकता है? 'पश्चिमी आदर्शों' की रक्षा करने के माने यह भी हो सकते हैं कि भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को जो साठवार ३० शिलिंग मजदूरी पा कर खेती का काम करते हैं यूरोपीयन कारीगरों की तरह ईंट और बूने के बने हुए मकान में जिसमें पाँच कमरें हो रहना चाहिए, उन्हें घर से के कर पैर तक यूरोपीयन पोसाक पहननी चाहिए जाना भी उन्हींका सा खाना चाहिए। और 'उचित और वैध उपायों' का यह भी अर्थ हो सकता है कि जो भारतीय कुली इस 'रक्षा' के असंभव नियम के अनुकूल नहीं रह सकता है उसे बर्दा से निकाल दिया जाय। अथवा 'उचित और वैध उपायों से पश्चिमी आदर्शों की रक्षा' के यह माने भी हो सकते हैं कि उचित स्वास्थ्यरक्षक और आर्थिक दृष्टि से आवश्यक नियमों को किया जाय कि जो सब को लागू हो सकते हों और जिससे जीवन के उच्च आदर्शों का बर्दा हो सके कि जो यूरोपीयन आदर्शों के लिए आवश्यक सफ़ाई और स्वास्थ्य के नियम और व्यापार के नियमों के अनुकूल हों। यदि उसका पुररा ही अर्थ हो सकता है तो भारतीयों को उसमें कोई आपत्ति नहीं है और न होनी चाहिए। सामान्य स्वास्थ्यरक्षक और आर्थिक आवश्यकताओं के विरुद्ध कभी कोई आपत्ति नहीं उठायी गई है।

परन्तु अभी जो पत्रम्बुद्वारा प्रकाशित हुआ उल्लेख है यह बखूबी जान सकता हूँ कि यूनियन सरकार की क्या इच्छा है। वह सरकार सुधार नहीं चाहती है परन्तु भारतीयों की भारत में फिर लौटा देना चाहती है। यदि भारत सरकार इस समिति में इस विषय पर अनुकूल विचार करने के लिए राखी न होती तो यह इस समिति को बनाने के कार्य में कभी भी शामिल न होती। जार्ज रीडिंग ने बड़ी चतुरता के साथ इस कठिनाई को सुलझा दिया। उन्होंने कहा कि स्पेष्ठा से भारतीयों के भारत लौट जाने के 'भारतीय

रोलीक कानून' के द्वारा सर्वाधिक प्रश्न पर विचार करने के सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारतीयों के भारत लौट जाने की बात पर विचार करना स्वीकार कर केने के कारण से अब उल्लेखी निश्चित धर्तें नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक नया ही सूत्र बनाया और यह 'जीवन के पश्चिमी आदर्शों' के अनुकूल उसका होना। जैसे विधानों में तो यह धर्तें कुछ हानिकार नहीं मान्य होती है परन्तु जेना कि मैं ऊपर बता गया हूँ उससे कितनी ही असंभव बातें समाधी जा सकती हैं। इसलिए समिति में दोनों पक्षों की तरफ से कैसे अनुभव भेजे जायेंगे और भारत सरकार का उसमें क्या बक होगा इसी पर बड़ा आचार रहेगा। अवगत तो उसने जब कभी मतभेद या ऐंजातानी हुई है हमेशा अपना पक्ष छोड़ दिया है और उसे ही गुण मान कर यह माना दिया है कि यूनियन सरकार जितना चाहनी थी उतना उसे नहीं दिया गया है। यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कि कोई न्यायाध्यक्ष कहे कि जोर ने जितना माक पुरावा या उतना उसके पास उसने नहीं रहने दिया है।

मैंने यह कभी नहीं भूल जाना चाहिए कि जब कभी दक्षिण आफ्रिका की सरकार ने किसी उचित कारण के बिना ही दक्षिण आफ्रिका के छात्र नागरिकों की हैसियत से बर्दा रहनेवाले भारतीयों के उचित हकों को छीनना चाहा भारत सरकार का यह कर्तव्य था कि वह अपने प्रति लोगों के विश्वास को उचित साधित करने के लिए हर एक मुद्दे का ऐसा परिणाम दिखाती कि जिससे हारी बाजी जीत ली जाती। लेकिन बात तो यह है कि १९०७ में यदि भारतीयों ने कानून को अपने ही हाथों में न किया होता अर्थात् उसका भंग न किया होता तो वे सारी बाजी हर काले और भारत सरकार की उसमें शामिल होती। क्योंकि १९०७ में भारत और सायमण्डल सरकार ने दोनों ने उच्च पाशाविक 'एशियाटिक कानून' का स्वीकार कर लिया था, उसी कानून का कि जिसका १९०६ में उपनिवेशों के प्रधान सार्जे एडमिन ने अस्वीकार किया था। इसलिए बिल का मुलतवी रखा जाना और समिति का होना वर्तमान युद्ध में तो एक बड़ा काम ही है परन्तु यदि भारत सरकार उसकी अन्तिम गरमी या कर मुकाबल हो जायगी तो यह काम केवल वृथा प्रयत्न ही गिना जावेगा।

यदि इस काम की नहीं योजना है तो जनता को हमेशा की तरह अब भी सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है। यह श्राव केने के लिए अभी जो समय बिका है उसका सम्पूर्ण उपयोग कर केना चाहिए और इस प्रश्न का पूरा पूरा अध्ययन करना चाहिए और यह बात स्पष्ट दिखा देनी चाहिए कि वहाँ के भारतीय निवासियों के विरुद्ध सिर्फ यही एक अपरिहार्य साधित किया जा सकता है कि उनका जन्म एशिया में हुआ है और उनकी जमही श्वासी है। यह कानूनन अपराध है। क्योंकि दक्षिण आफ्रिका की सरकार का जिम्मेदारियत कर्मतः यह है कि "एक तरफ गोरों में और दूसरी तरफ श्वासे और एशिया-निवासियों में कोई समानता नहीं हो सकती है।" दक्षिण आफ्रिका 'जन्य से जाति में अपना ही समानता है जिसका कि भारत से हमको जानने है।

अन्त में, पहले जो बत मैंने कही है वही यहाँ मुझे दोहराना नहीं भूल जाना चाहिए और यह यह कि दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों की मुक्ति अन्त में उन्हें के हाथों में है। यदि वे अपनी जवायता करेंगे तो भारत सरकार, जनता की राय, यूनियन सरकार और दक्षिण आफ्रिका के दोरे को सब

उसकी मर्याद करने। स्वात्म की रक्षि से अथवा आर्थिक रक्षि से उनके विकासक विकास का जरा सा भी अवकाश हो तो उसे बर कर देना चाहिए। अमीति की बातों के सिवा उन्हें सब बाँट देनी ही करनी चाहिए जैसे रोम में रोमन लोग करते हैं। उनमें ऐस्य हो और वह बराबर बना रहे। और जब से अधिक महत्व की बात तो यह है कि वे सर्वसाधारण की भलाई के लिए दुःख सहन करने का निश्चय कर लें।

(ब० १०)

श्रीमन्महात्म्य कर्मचन्द गांधी

### सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

#### अध्याय २१

##### निर्बल के बच राम

मुझे परमेश्वरों का और दुनिया के धर्मों का कुछ ज्ञान अथवा ज्ञान परन्तु ऐसा ज्ञान मनुष्य की रक्षा करने के लिए काफी नहीं होता है। आपत्ति या बाधा उपस्थित होने पर जो बात मनुष्य की रक्षा करती है उसका उस समय उसे न कुछ खयाल ही होता है और न कुछ ज्ञान। नास्तिक मनुष्य जब इस तरह रक्षा पा जाता है तब वह कहता है कि अकस्मात् उसकी रक्षा हो गई। ऐसा प्रसंग आने पर नास्तिक मनुष्य तो यही कहेगा कि ईश्वर ने मेरी रक्षा की। ऐसे समय में, उसका परिणाम आ जाने के बाद वह यह अनुमान करता है कि धर्म का अनुभव करने से और संयम से ईश्वर इत्य में प्रकट होता है और ऐसा अनुमान करने का उसे अधिकार भी है। परन्तु जब उसकी रक्षा होती है उस समय वह यह नहीं जानता कि उसका संयम उसकी रक्षा करता है या कोई दूसरा ही। जिसे अपने संयमबल का अभिमान होता है उसका संयम निंदी में मिल जाता है और यह अनुभव किसे नहीं हुआ है। ऐसे समय में साक्षात्कार तो वैफल योथा साक्ष्य होता है।

धर्मज्ञान के मिथ्यात्व का यह अनुभव मुझे विकासन में हुआ। ऐसे भय से पहले मैं जो रक्षा पा सका था उसका प्रयत्न नहीं किया जा सकता; क्योंकि उस समय मेरी उम्र छोटी निमी जा सकती थी।

परन्तु अब तो मेरा बय बीस वर्ष का था और पुरुषार्थ का अनुभव भी ठीक ठीक प्राप्त किया था।

सम्भवतः मेरे विकासन बाद के अन्तिम वर्ष में, अर्थात् १८९० की शुरु में पोर्टस्मथ में निराश्रितियों का एक सम्मेलन हुआ था। उसमें जाने के लिए मुझे और मेरे एक भारतीय मित्र को निमन्त्रण दिया गया था। इस दोनों वहाँ गये। इस दोनों को एक स्त्री के यहाँ ठहरने की व्यवस्था हो गई थी।

पोर्टस्मथ असाधारण का अन्धर विषय जाता है। वहाँ भीति-भ्रम औरतों के भी बहुत से बर हैं। वे औरतें वेदवाये नहीं होतीं और न निर्दोष ही होती हैं। ऐसे ही एक बर में हम लोगों को ठहरने की व्यवस्था हो गई थी। मेरा यह आशय नहीं है कि स्वामत अन्धक ने जानबूझ कर ही ऐसे बरों की चयना की थी। परन्तु पोर्टस्मथ जैसे अन्धराष्ट्र में वहाँ मुसाफिरो को ठहराया जाना है ऐसे बरों से कौन अच्छे हैं और कौन बुरे यह मन्त्रम करणा क्या ही मुश्किल काम है।

रात्रि हुई। इस लोग बसा छोड़ कर घर आये। जाना जा कर ताप लेकने कने। विकासन में अच्छे बरों में भी महमनों के साथ मन्त्रम-माकिकम इस प्रकार ताप लेकने बैठती है। ताप

लेकने लेकने सब निर्दोष विनोद भी करते जाते हैं। यहाँ भीमस्स विनोद शुरू हुआ। मेरे मित्र इस कार्य में बड़े कुशल थे, परन्तु वह मैं नहीं जानता था। मुझे भी इस विनोद में मजा आने लगा। मैं भी उसमें शामिल हुआ। विनोद बणी से अब चेष्टा में होना आरम्भ होनेवाला हो था, ताप अब एक तरफ रक्की जानेवाली थी कि इतने में मेरे उस अके मित्र के दिल में परमात्मा प्रकट हुए और वे बोले "तुम में यह अल्लुग कैसा? यह तुम्हारा काम नहीं, तुम यहाँ से भाग जाओ"

मुझे बड़ी शरम साक्ष्य हुई, और मैं सचेत हो ग।। उस मित्र का मैंने उपकार माना। माता के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। मैं वहाँ से भागा। मैं कांपता हुआ अपने कमरे में पहुँचा। छाती बडक रही थी। काशिक के हाथ से बच कर कोई शिकार निकल जाय और जैसी उसकी स्थिति होती है, मेरी स्थिति भी वैसी ही थी।

मुझे ऐसा कुछ खयाल है कि परस्त्री को देख कर विकारबध होने का और उसके साथ खेल करने की इच्छा होने का मेरे लिए यह पदका ही प्रसंग था। उस रात की मुझे नींद न आई। अनेक प्रकार के विचारों का मुझ पर आक्रमण होता रहा, जैसे, 'बर छोड़ दूँ? भाग जाऊँ? मैं कहाँ दूँ? यदि मैं सावधान न रहा तो मेरा क्या हाल होगा?' आखिर मैंने बहुत चेत कर चलने का निश्चय किया। और यह निश्चय किया कि उस बर को नहीं छोडना चाहिए परन्तु पोर्टस्मथ ही छोड़ देना चाहिए। सम्मेलन दो दिन अधिक नहीं रहनेवाला था इसलिए जहाँतक मुझे स्मरण है वहाँतक मैंने दूसरे ही दिन पोर्टस्मथ छोड़ दिया था। मेरे वे मित्र पोर्टस्मथ में कुछ दिनों के लिए और रहे थे।

धर्म क्या है? ईश्वर क्या है? वह इन लोगों में किस प्रकार काम करता है? इसके सम्बन्ध में मैं उस समय कुछ भी नहीं जानता था। लौकिक रीति के अनुसार मैं उस समय यही समझा कि ईश्वर ने मेरी रक्षा की। परन्तु मुझे तो सब क्षेत्रों में इसी प्रकार के अनुभव हुए हैं। मैं यह जानता हूँ कि 'ईश्वर ने मेरी रक्षा की' इस वाक्य का अर्थ मैं आज बहुत कुछ समझने लगा हूँ। परन्तु उसके साथ साथ मैं यह भी जानता हूँ कि मैं इन वाक्य का सम्पूर्ण मुख्य भी नहीं आँध सकता हूँ। अनुभव से ही यह हो सकता है। परन्तु बहुत से अन्यात्मिक प्रसंगों में, बकीलात के प्रसंगों में, संस्थाओं चलाने में, राजकीय प्रसंगों में, मैं यह कह सकता हूँ कि ईश्वर ने 'मेरी रक्षा की' है। मैंने यह अनुभव किया है कि जब सब आशयें नष्ट हो जाती हैं, दोनों हाथ ठीके हो जाते हैं, तब कहीं न कहीं से मदद आ पहुँचती है। स्तुति उपासना, प्रार्थना इत्यादि कोई बहम नहीं है, परन्तु हम लोग आते हैं, पीते हैं, खलते हैं, फिरते हैं; और यह जितना सत्य है उससे भी कहीं अधिक यह सत्य है। और यही सत्य है बाकी सब मिथ्या है यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है।

ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना यह कोई क्राणी का धर्म नहीं। उसका मूल कंठ नहीं परन्तु हृदय है। इसलिए यदि हृदय को निर्मल रखने की अवस्था को पहुँच सकें, वहाँ रहे हुए एव तापों को सुसंगठित रख सकें, तो उसमें से जो सुर या ज्वालि निकलेगी वह गलतवादी होगी। उसके लिए जिहा की आवश्यकता नहीं है। वह तो स्वभाव से ही अद्भुत है। विकारदपी यल की शुरु के लिए हार्दिक उपासना रावगाथ औरथ है और इस विषय में मुझे कुछ भी खन्वेह नहीं है। परन्तु उसके लिए हमें सम्पूर्ण बनना चाहिए।

(अन्धीयन)

श्रीमन्महात्म्य कर्मचन्द गांधी

### प्रगति का अवकाश

चरखागण के शिक्षण विभाग के व्यवस्थापक ने मुझे निम्न लिखित नामों का सूची दी है। वे नियमित सूत्र लेख रहे हैं, उनका सूत्र २५ अंक के ऊपर का है और उनकी कविधियाँ भी अच्छी और साफ होती हैं।

नाम	स्थान	प्रान्त	मञ्जूरी अंक
१ श्री. भार. टी. बापसा			
चेटीयार	कुमकोनम्	तामिलनाड	८०.७ ४६
२ ,, टो. सी. चेलम	मदुरा	"	६६.६ "
३ ,, पावल्लर नरायन	मूकिया	करनाटक	५८.६ ३९
४ ,, के. वैन्डाचारी	इरोड	तामिलनाड	५८.३ ४२
५ श्रीमती सुषामा		बंगाल	५७.१ ९८
६ ,, चान्दाबाई सिरकार मन्नास		तामिलनाड	५५.८ ५३
७ श्री. रामराव	इलौर	आंध्र	५४.७ ४३
८ ,, श्री. महलिआह	मसूलीपट्टम	"	५३.४ ८४
९ ,, एस. नारायन स्वामी	मदुरा	तामिलनाड	५३.२ ५८
१० ,, एस. रामालिंगम्	"	"	४६.१ ४६
११ ,, पी. एम. मीनाक्षीसुन्दरम्	"	"	४४.६ ६४
१२ श्रीमती उषाबाणा देवी	कुलना	बंगाल	४३.३ ३७
१३ श्री. के. सुन्दररायन	राजामुन्डी	आंध्र	४१.८ ४१
१४ ,, पी. नारायनराव	पोरूर	"	४१.६ ५४
१५ ,, श्रीगन्धर् सेन	खुदना	बंगाल	३९.३ ४३
१६ ,, के. सुब्रह्मय्यम्	कायम्पेटूर	तामिलनाड	३७.५ २८
१७ ,, एम. एस. बम्बाचारी तिरुपति	आंध्र		३४.८ ८४
१८ ,, जोगेश्वर चट्टरजी	कलकता	बंगाल	३२.८ ५१
१९ श्रीमती अपर्णा देवी		"	३० ११३
२० श्री. भार. डी. सुब्रह्मण्यम् सलेम		तामिलनाड	२६.७ ६१
२१ ,, पी. वैकटंगराव	गुण्टूर	आंध्र	२६.६ ४०
२२ ,, मुहम्मद एम. चौडा- लिंगम चेट्टीअर	मेलामिवायपुरी	तामिलनाड	२६.५ ९६
२३ ,, पुलिन विडारी पाल	कुलौंगा	बंगाल	२२ ५३
२४ ,, एम. अम्बुजम	कुमकोनम्	तामिलनाड	२१.८ ८३
२५ ,, इक्ष्वाक्य वारियर	त्रिचुर	केरल	२१.३ ४७
२६ ,, सुब्बाराजू	इलौर	आंध्र	१७.५ १४०
२७ ,, छवीलदास जे. पटेल	अहमदाबाद	गुजरात	१७.१ ९८

इस सूची में ४६ अंक का सूत्र कातनेवाले को प्रथमस्थान दिया गया दिखाई देगा। सब से अधिक ऊंचे अंक के सूत्र का नंबर अन्तिम नाम के पहले आता है। श्रीमती अपर्णा देवी जो एक मरतवा प्रथमस्थान प्राप्त किये हुए थी, उनका ११३ अंक का सूत्र कातने पर भी इस सूची में १९ वां नंबर आता है। इस सूची के साथ यह सूचना भी दी गई है।

“ये सूत्र ननकी सफाई और एकसा कते हुए होने के कारण चुन लिये गये हैं। परन्तु इनमें जो सब से उत्तम कला हुआ है वह भी मिक के कते हुए सूत्र के दर्जे पर नहीं पहुँचा है।”

इसलिए बिना कटिनाई के ये बारीक अंक के सूत्र चुने नहीं जा सकते हैं। और इसलिए यह सूची दूसरे लोग उनका अनुकरण करे इसके बनिश्चय इन्हीं कातनेवालों को उत्साहित करने के लिए ही अधिकांश में प्रकाशित की गई है। क्योंकि ये कातनेवाले सूत्र लेखने में अधिक निश्चित हैं और वे उस पर अच्छी मिहनत भी करते हैं, इसलिए उन्हें अपने इस

काम में अधिक कला का उपयोग करने की विनयि की जाती है ताकि वे अबतक लेख सूत्र कात करके हैं उसके बनिश्चय अधिक मञ्जूरी तार कातना आरंभ कर सकें।

श्री लक्ष्मीदास अब यह दिखाने का प्रयोग कर रहे हैं कि अच्छी कई ही और वह अच्छी तरह चुनी गई हो तो उसके अच्छा महीन तार कत सकेगा और वह मिक के कते सूत्र के उच्च अंक के मञ्जूरी से भी मञ्जूरी तार से मञ्जूरी में बढ कर होगा। बहुत ही शीघ्र उनके प्रयोगों के परिणाम को प्रकाशित करने की मुझे आशा है। परन्तु इस दरम्यान वे २७ कातनेवाले स्वयं अपने प्रयोग करें और अबतक वे केसा सूत्र लेख रहे हैं उनके बनिश्चय अधिक मञ्जूरी सूत्र लेखें। मैं आशा करता हूँ कि उन्हें, इस बात का तो अनुभव हो गया होगा कि तार खींचने में ही उच्च बल देते जाना चाहिए, तार खींच केने के बाद अंग में नहीं। और सूत्र उतार केने के पहले उस पर पानी की छोट मरनी चाहिए और उसे नवी पकड़ने देना चाहिए।

(ब० ई०)

श्रीलक्ष्मीदास करमचंद गांधी

### संख्या सही परन्तु गुण चाहिए

कई मरतवा मुझ से यह पूछा गया है कि यदि हमारी संख्या ही इतनी कम है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। देखो न, चरखासंग में कातनेवाले कितने कम हैं? उच्चिय भंग करनेवाले कितने कम हैं? उनके असहयोगी कितने थोड़े हैं? और सराब की बन्दी चाहनेवाले भी कितने कम हैं? मुझे अफसोस है कि वे सब बातें विस्मृत ही कर दे। परन्तु जब हम उस पर विचार करेंगे तो यह मजबूत होगा कि संख्या में भरा ही क्या है। अधिक उपयुक्त प्रश्न तो यह होगा कि लेख में कते कातनेवाले कितने हैं, कते असहयोगी कितने हैं और सराब की बन्दी चाहनेवाले कते कार्यकर्ता कितने हैं? आखिर चारित्र्य, निष्ठा और हिम्मत के मूल्या का ही केसा होगा। और मैं यह आश्चर्य हूँ कि मैं यह कह सकूँ कि हमारे पास ४००० कते कातनेवाले मौजूद हैं। क्या कातनेवाला कौन कहा जा सकता है? जो केवल कातता ही है वह क्या कातनेवाला नहीं है। यदि यही होता तो ४००० कातनेवाले ही नहीं, हमारे पास ४००००० कातनेवाले मौजूद हैं। केवल कातना ही काफी नहीं है। आवश्यक बात तो यह है कि भारत के दरिद्र लोगों के लिए हमेशा मञ्जूरी और एकसा सूत्र नियमित रूप से काता जाय। अर्थात् कताई एक परिश्रम का काम ही नहीं होना चाहिए परन्तु आनंद का विषय होना चाहिए। केवल चरखा-संग के समाचार ही जाने से काम न चलेगा, दूसरों को उसके समाचार बनने के लिए कहना भी आवश्यक है। क्या कातनेवाला अपने जीवन में कान्ति उत्पन्न कर देता है। यह साक्षी के वर्ण को समझता है, सारीरिक मिहनत के गौरव की कीमत करता है और इस बात का स्वीकार करता है कि भारत को सब से बड़ी आवश्यकता स्वायत्तमन की है और इसके लिए करोड़ों जीव खादे से खादे औजारों से अपने घर में जिस काम को कर सकते हो उस काम की उच्च आवश्यकता है। यह कहा जाता है कि जापान में जो कान्ति हुई वह हमारी मजुम्यों के कारण नहीं हुई थी परन्तु उसके नेता केवल कारण ही मजुम्य के, जिन्होंने कि ५५ अधिवियों के उदाहरण को प्रज्वलित कर दिया था। और शायद इन बड़े मजुम्यों में भी एक ही ऐसा मजुम्य था जिसने उसकी सारी रचना की थी। यदि आरम्भ ही ठीक हो तो फिर बाकी सब बातें तो बड़ी सारी होती हैं। इसलिए हम इस आश्चर्यकारक परिणाम पर पहुँचते हैं, और यह कुछ कम सत्य नहीं है कि किसी भी सुधार के

लिए जाहे आरम्भ में वह कैसा भी असम्भव क्यों न मान्य हो एक ही सच्चा आधार बन जाता है। ऐसे मनुष्य को अक्सर उपहास, तिरस्कार और व्युत्पन्न का ही पुरस्कार मिलता है। परन्तु यद्यपि उसकी तो व्युत्पन्न ही आसानी फिर भी उसका आरम्भ किया हुआ वह सुधार का काम तो वैसा ही बना रहेगा और दिन प्रतिदिन उसकी उन्नति होगी। यह अपने मन से उसकी उन्नति को पकौ बना देता है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि कार्यकर्तागण कृपिक का विचार छोड़ कर संख्या का बहुत ही छोटा विचार करें और संख्यां भीती हो तो भी उनकी शक्ति का ही अधिक विचार करें। फैलाव के बड़े-बड़े ही अधिक आवश्यकता है। यदि हम एक नीब डाल सकेंगे तो अविध्य की प्रजा वसपर एक यकान की रचना कर सकेंगे। परन्तु यदि रैती की नीब ही वाली आवेगी तो अविध्य की प्रजा को नयी नीब डालने के लिए उस रैती को छोड़ कर निकालने के सिवा दूसरा कोई काम न रहेगा।

(५०-६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

### यह सुधार है ?

एक लेखक जिन्हें मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, इस प्रकार लिखते हैं:

“बार बार मन में यही सवाल होता है कि क्या प्रचलित नीति प्राकृतिक नीति है? आपने नीतिधर्म की पुस्तक लिख कर प्रचलित नीति का समर्थन किया है। क्या यह प्रचलित नीति कुदरती है? मेरा तो यह क्या है वह कुदरती नहीं है। क्योंकि वैश्विक नीति के कारण ही मनुष्य विषय में पशु से भी अधम बन गया है। आज की नीति की मर्यादा के कारण सम्प्लोचकारक विवाह आपर ही कहीं होता होगा; नहीं होता है, यह कहूँ तो भी कोई असुख न होगी। जब विवाह का नियम न था उस समय कुदरत के नियमों के अनुसार स्त्रीपुरुषों का समागम होता था और वह समागम सुखमय होता था। आज नीति के बंधनों के कारण वह समागम एक प्रकार का दुःख हो गया है। इस दुःख में सारा जगत फंसा हुआ है और फंसता जा रहा है।

जब नीति कहेंगे किसे? एक की नीति दूसरे की अनीति होती है। एक एक ही पत्नी के साथ विवाह का होना स्वीकार करता है, दूसरा अनेक पत्नी करने की इजाजत देता है। कोई काका मामा के संतानों के साथ विवाह सम्बन्ध की स्वाभ्य मानते हैं तो कोई उसके लिए इजाजत भी देते हैं। तो जब इसमें नीति क्या समझनी चाहिए? मैं तो यह कहता हूँ कि विवाह एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है, उसका धर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। पुराने जमाने के महापुरुषों ने वैश्विकानुसार नीति की व्यवस्था की थी।

जब इस नीति के कारण जगत की कितनी हानि हुई है इसकी शक्ति करें।

१. प्रमेह, (मुआक) उपद्रव (परमी) इत्यादि रोग उपज हुए। पशुओं से रोग नहीं होते हैं क्योंकि उनमें प्राकृतिक समागम होता है।

२. वाकहत्यायें करायीं। यह लिखने में मेरा हृदय कांप उठता है। केवल इस नीति के नियम के कारण ही तो एक कोयल इंसान की मत्ता छूर बन कर अपने वाकक का गर्भ में या उसके गर्भ के बाहर आने पर कात्त करती है।

३. वाकविवाह, इस पति के साथ छोटी उम्र की लड़कियों का विवाह इत्यादि पसंद न करने योग्य समागमों का होना।

ऐसे समागमों के कारण ही आज संसार और उसमें भी विशेष कर भारतवर्ष दुर्बल बना हुआ है।

४. जब, जोड़ और जमीन के तीन प्रकार के झगड़ों में भी जोड़ के लिए किये गये झगड़ों को प्रथमस्थान प्राप्त है। ये भी वर्तमान नीति के कारण ही होते हैं।

उपरोक्त चार कारणों के सिवा दूसरे कारण भी होंगे। यदि बेरी इलीक टीक है तो क्या प्रचलित नीति में कोई सुधार नहीं किया जाना चाहिए?

ब्रह्मचर्य को आप मानते हैं यह ठीक ही है। परन्तु ब्रह्मचर्य राक्षसी का होना चाहिए, जबरदस्ती का नहीं। और हिन्दू लोग कालों विषयाओं से जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इन विषयाओं के दुःखों को तो आप जानते ही हैं। आप यह भी जानते हैं कि इसी कारण से बालहत्यायें होती हैं। तो आप पुनर्विवाह के लिए एक बड़ी इत्थल करें तो क्या सुरा? उसकी आवश्यकता भी कुछ कम नहीं है। आप उसके प्रति जितना चाहिए उतना ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं?”

मैं यह क्या करता हूँ कि लेखक ने ऊपर जो प्रश्न पूछे हैं, इस विषय पर मुझसे कुछ लिखाने के लिए ही पूछे हैं। क्योंकि ऊपर के लेख में जिस पक्ष का समर्थन किया गया है उसका लेखक स्वयं ही समर्थन करते हो तो इसकी मुझे कभी पू तक नहीं मिली है। परन्तु मैं यह जानता हूँ कि उन्होंने जैसे प्रश्न पूछे हैं जैसे प्रश्न आजकल भारतवर्ष में भी हो रहे हैं। उसकी उत्पत्ति पश्चिम में हुई है, और विवाह को पुरानी, जंगली और अनीति की दृष्टि करनेवाली प्रथा माननेवालों की सहाय पश्चिम में कुछ कम नहीं है। चायद वह सहाय भी बढ रही होगी। विवाह को जंगली साधित करने के लिए पश्चिम में जो दलालों की जाती है उन सब दलालों को मैंने नहीं पढ़ा है। परन्तु ऊपर लेखक ने जैसी दलालों की हैं वैसी ही वे दलालें हों तो मेरे जैसे पुनर्निधि को (अथवा यदि मेरा दादा कुतूल रचना आवे तो समाजतनी को) उनका खण्डन करने में कोई मुश्किल या पक्षोपेक्ष न होगी।

मनुष्य की तुलना पशु के साथ करने में ही मूलतः गलती होती है। मनुष्य के लिए जो नीति और आदेश रखे गये हैं वे बहुतांश में पशुनीति से जुदा हैं और उत्तम हैं और यही मनुष्य की विशेषता हैं। अर्थात् कुदरत के नियमों का जो अर्थ पशु-योनियों के लिए किया जा सकता है वह मनुष्य-योनियों के लिए हमेशा नहीं किया जा सकता है। ईश्वर ने मनुष्य को विवेक-शक्ति दी है। पशु केवल पराधीन है। इसलिए पशु के लिए स्वतन्त्रता अथवा अपनी पसन्दगी जैसी कोई चीज नहीं है। मनुष्य को अपनी पसन्दगी होती है। वह सार-असार का विचार कर सकता है और वह स्वतन्त्र होने से उसे पाप पुण्य भी लगता है। और जहाँ उसकी अपनी पसन्दगी रखी गई है वहाँ उसे पशु से भी अधम बनने का अवकाश रहता है। उसी प्रकार यदि वह अपने विषय स्वभाव के अनुकूल चलें तो वह आगे भी बढ़ सकता है। जंगलियों में भी जंगली दिखनेवाली फौलों में भी थोड़े बहुत अंशों में विवाह का अंकुश होता है। यदि यह कहा जाय कि यह अंकुश रखने में ही जंगलीपन है क्योंकि पशु किसी अंकुश के बंध नहीं होते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि स्वतन्त्रता ही मनुष्य का नियम बन जायगा। परन्तु यदि जब मनुष्य कोबीष बण्डे तक भी स्वेच्छाचारी बन कर रहे तो सारे जगत का बाध हो जायगा। न कोई किसी की मानेगा



न सुनेगा; श्री और पुरुष में मर्त्या का होना अधर्म गिना जायगा। और मनुष्य का विकार तो पशु के बनिस्वत कहीं अधिक होता है। इस विकार की कृपाय ठोली कर दी कि उसके वेग से उत्पन्न होनेवाला अभि ज्वालामुखी की तरह ममक उठेगा और संसार को एक क्षण-मात्र में भस्म कर देगा। धोका सा विचार करने पर यह मालूम होगा कि मनुष्य इस संसार में दूसरे अनेक प्राणियों पर जो अधिकार प्राप्त किये हुए है वह केवल समय, त्याग और आत्मबलिदान, यज्ञ और कुरबानी के कारण ही प्राप्त किये हुए है।

उपदंश, प्रमेह इत्यादि का उपद्रव विवाह के नियमों का भंग करने से भी मनुष्य पशु न होने पर भी पशु का अनुकरण करने में दोषो बल माने से ही होता है। विवाह के निरदोषों का पालन करनेवाले ऐसे एक भी शस्त्र को मैं नहीं जानता हूँ कि जिसे इन मयंकर रोगों का विकार होना पड़ा हो। जहाँ जहाँ ये रोग हुए हैं वहाँ वहाँ अधिकार में विवाहनीति का भंग करने से ही वे हुए हैं अथवा उस नीति का भंग करनेवालों के स्वको से ही हुए हैं। बंदकशास्त्र से यह बात सिद्ध होती है। बालविवाह और बालइत्या का निर्वय विवाह इस विवाहनीति के कागज नहीं, परन्तु विवाहनीति के भंग से ही उस विवाह की उत्पत्ति हुई है। विवाहनीति तो यह कहती है कि जब पुरुष अपनी जो योग्य वय के हों, उन्हें प्रजोरालि की इच्छा हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो तभी वे अमुक मर्त्या का पालन करते हुए अपने लिए योग्य पत्नी या पति ढूँढ ले अथवा उनके मातापिता उसका प्रबन्ध कर दे। जो साथी बूढ़ा जाय उसमें भी आरोग्य इत्यादि के गुणों का होना आवश्यक है। इस विवाहनीति का पालन करनेके मनुष्य, संसार में चाहे कहीं भी जाओ और देखो, सुन्नी ही दिखाई देंगे। जो बात बालविवाह के सम्बन्ध में है वही वैधव्य के सम्बन्ध में भी है। विवाहनीति के भंग से ही इस रूप में वैधव्य उत्पन्न होता है। जहाँ विवाह छूट जाता है वहाँ वैधव्य अथवा विधुरता सहज सुख ठप और शोभा का होती है। जहाँ ज्ञानपूर्वक विवाह सम्बन्ध जोड़ा गया है वहाँ वह सम्बन्ध केवल दैहिक नहीं होता है, वह आरिभक हो जाता है और वेह छूट जाने पर भी आत्मा का सम्बन्ध भुलसा नहीं जा सकता है। जहाँ इस सम्बन्ध का ज्ञान होता है वहाँ पुनर्विवाह असंभव है, अयोग्य है और अधर्म है। जिस विवाह में उपरोक्त नियमों का पालन नहीं होता है उस विवाह के सम्बन्ध को विवाह का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। और जहाँ विवाह नहीं होता है वहाँ वैधव्य अथवा विधुरता जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। यदि हम ऐसे आदर्श विवाह बहुत होते हुए नहीं देखते हैं तो उससे विवाह की प्रथा का नाश करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता है। हाँ, उसे उत्तम आदर्श के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करने के लिए वह एक सबल कारण अवश्य हो सकता है।

सर्व के नाम से असत्य का प्रचार करनेवालों की संख्या को देख कर यदि कोई सत्य का ही दोष निकाले और उसकी अपूर्णता मिट्ट करके का प्रयत्न करे तो हम उसे अज्ञानी कहेंगे। उसी प्रकार विवाह के भंग के दृष्टान्तों से विवाहनीति की निंदा करने का प्रयत्न भी अज्ञान और अविचार का ही चिह्न है।

केवल कहते हैं कि विवाहमें धर्म का नीति कुछ भी नहीं है, यह तो एक रूढ़ि अथवा रिवाज है। और यह भी धर्म और नीति के विरुद्ध है और इसलिए छटा देने के योग्य है। ये

अल्पमति के अनुसार तो विवाह धर्म की मर्त्या है और उसे यदि उठा दिया जायगा तो संसार में धर्म जैसी कोई चीज ही न रहेगी। धर्म की जग ही संयम अथवा मर्त्या है। जो मनुष्य संयम का पालन नहीं करता है वह धर्म को क्या समझेगा? पशु के बनिस्वत मनुष्य में बहुत ही अधिक विकार होता है। शीनों में जो विकार रहे हुए हैं उनकी तुलना ही वही की जा सकती है। जो मनुष्य विकारों को अपने वश में नहीं रख सकता है वह मनुष्य ईश्वर को पहचान ही नहीं सकता है। इस सिद्धान्त का समर्थन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं इस बात का स्वीकार करता हूँ कि जो लोग ईश्वर का अस्तित्व अथवा आत्मा और वेह की भिन्नता का स्वीकार नहीं करते हैं उनके लिए विवाह बन्धन की आवश्यकता को सिद्ध करना बड़ा ही मुश्किल काम है। परन्तु जो आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार करता है और उसका विकास करना चाहता है उसे यह समझाने की कोई आवश्यकता न होगी कि वेह का दमन किये बिना आत्मा की पहचान और उसका विकास असंभव है। वेह या तो स्वच्छंद का भाजन होगा अथवा आत्मा की पहचान करने के लिए तीर्थक्षेत्र होगा। यदि वह आत्मा को पहचान करने के लिए तीर्थक्षेत्र है तो स्वच्छान्तर के लिए उसमें कोई स्थान ही नहीं है। वेह को प्रति क्षण आत्मा के वश में लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

जमीन, जोर और जर ये तीनों बड़ी जगहे का कारण होते हैं जहाँ संयम धर्म का पालन नहीं होता है। विवाह की प्रथा को भितने अंशों में मनुष्य आदर की दृष्टि से देखते हैं उसमें अश्लीलता में श्री जगहे का कारण होने से बच जाती है। यदि पशु की तरह प्रत्येक श्री पुरुष भी जहाँ जैसा चाहे वैसा व्यवहार रख सकते होते तो मनुष्यों में बड़ा झगडा होता और वे एक दूसरे का नाश करते। इसलिए मेरा तो यह दृष्ट अभिप्राय है कि जिस दुराचार और जिन दोषों का सेवक ने उल्लेख किया है उसका औपच विवाहधर्म का छेदन नहीं है परन्तु विवाहधर्म का सूक्ष्म निरीक्षण और पालन है।

कोई जगह रिस्तेदारों में विवाह सम्बन्ध जोड़ने की स्वतंत्रता होती है और कोई जगह ऐसी स्वतंत्रता नहीं होती। यह सब है यह नीति की भिन्नता है। कोई जगह एकपत्नीयता का पालन करना धर्म माना जाता है और कोई जगह एक समय में अनेक पत्नी करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है। यह बात चाहने योग्य है कि ऐसी नीति की भिन्नता न हो परन्तु यह भिन्नता हमारी अपूर्णता का सूचक है, नीति की अभावश्यकता का सूचक कभी नहीं। क्यों उ्यों हम अधिक अनुभव करते जायेंगे त्यों त्यों सब कौमों की और सभी धर्मों के लोगों की नीति में ऐक्य होता जायगा। नीति के अधिकार का स्वीकार करनेवाला जगत तो आप भी एकपत्नीयता को आदर की दृष्टि से देखता है। किसी भी धर्म में अनेक पत्नी करना आवश्यक नहीं है। सिर्फ अनेक पत्नी करने की इजाजत ही है। देश और समय को देख अनुकूल इजाजत ही साथ ही उससे आदर्श कुछ विपद्यता नहीं है और न उसकी कोई भिन्नता ही सिद्ध होती है।

विधवा विवाह के सम्बन्ध में मैं अपने विचारों को अनेकद्वार प्रकाशित कर चुका हूँ। अन्तिमिका के पुनर्विवाह को मैं दृष्ट मानता हूँ, नहीं नहीं, मैं यह भी मानता हूँ कि उनकी मादी कर देना उनके मातापिता का कर्तव्य है।

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ३६

मुद्रक-प्रकाशक स्वामी आनंद	अहमदाबाद, त्रितीय चैत्र सुदी १०, संवत् १९८१ २२ शुक्रवार, अप्रेल, १९२६ ई०	मुद्रकस्थान-मजलीस मुद्रकालय, चारंगपुर धरकोटरा की बाड़ी
-------------------------------	---	---

## टिप्पणियां

### खादी के विच्छेद

एक महाशय ने गुजराती में मुझे एक पत्र लिखा है उसका अनुवाद नीचे दिया जा रहा है।

“मैं एक लघुलिपिकेक हूँ। एक विज्ञापन के उत्तर में मैंने एक प्रसिद्ध यूरोपीयन पेढी में लघुलिपिकेक की व्यवस्था के लिए अरबी की और उसका यह जवाब लिखा कि मुझे स्वयं ही व्यवस्थापक के प्रोक्त या उरदिधत होना चाहिए। जैसा कि मैं व्यवस्थापक के सामने उपस्थित किया गया कि उसने मेरे कपड़ों की जांच की और उसे कुछ खादी पा कर उसने कहा: “आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आप यह नहीं जानते कि जो लोग खादी के कपड़े पहनते हैं उन्हें यूरोपीयन पेढी पर नोकरी पाने की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए।” यह कह कर उन्होंने मुझे वहाँ से बिदा कर दिया और मैं यह आश्चर्य करता ही रह गया कि मेरी कपड़ों में और लघुलिपि में कुछ भोट देने की मेरी क्षमता में क्या सम्बन्ध हो सकता है। अच्छी आराम की नोकरी पाने के लिए खादी के कपड़े छोड़ देने के आलव को दबा देने की मुझ में हिम्मत थी इसलिए मैं अपने को धन्यवाद देता हुआ घर लौट आया। मुझे आशा है कि परमात्मा मेरी यह हिम्मत हमेशा स्थिर बनाये रखेगा। यदि मैं तुरी तरह से गमगन्ना गया होऊँगा तो भी मैं खादी को न छोड़ूँगा क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि वह मेरा इस देश के गरीबों के साथ सम्बन्ध जोड़ती है। मैं आपको यह समाचार इसलिए भेज रहा हूँ कि दूसरे लोगों को भी यह चेतावनी मिल जाय कि यूरोपीयन पेढियों में सिवा इसके कि व्यवस्थापक सर्तों को कुबूल करें, उन्हें कोई नोकरी पाने की आशा नहीं रखनी चाहिए।”

इस लघुलिपिकेक सुक को उनके आत्मसम्मान के लिए कुबारकखादी देता हूँ और उनके साथ मैं भी यह आशा करता हूँ कि लघुलिपि केक की हिंसित से उनको नोकरी पाने के अपने प्रयत्नों में कितनी ही निराशा क्यों न हो परमात्मा उनकी यह हिम्मत दृढ़ बनाये रखेगा।

### खादी के पक्ष में

परन्तु सभी यूरोपीयन पेढियों के माझिक ऐसे एक ही टकसाल के उके हुए नहीं होते हैं। गत वर्ष जब मैं कलकत्ते में था तब

मैं कितने ही यूरोपीयन व्यापारियों से मिला था और उनमें कितने ही प्रधान व्यापारियों को अपने नोकरी को खादी पहनने देने में कोई आपत्ति न थी, यही नहीं, वे खादी की हलचल के प्रति अपनी सहानुभूति भी दिखाते थे और वे उन भावों की कहर भी करते थे जिनके कि कारण भारतीयों को और जो लोग भारत में आकर बन कमाने हैं उनको करोड़ों मिहनत करनेवाले लोगों के हाथ का फता और बुना हुआ कपड़ा पहनना आवश्यक हो जाता है। एक भारतीय कर्मचारी का यह एक पत्र है जिसे मैं ई. के आत्मसम्मान बड़ी खुशी के साथ पढ़ेंगे।

“मैं बम्बई की एक यूरोपीयन पेढी का एक साधारण कर्मचारी हूँ। १९१८ में मैं उसमें शामिल हुआ। लघुलिपिकेक होने के कारण मैं अपने यूरोपीयन अधिकारी के सम्बन्ध में हमेशा आता हूँ। १९२० में गांधी संस्कृति और असहयोग की हलचल को देश में फैल रही थी उसके प्रति मैं आकर्षित हुआ और धीरे धीरे परन्तु दृढ़ता के साथ मेरे विचार बदलते गये यहाँ तक कि १९२१ में मैं पक्का असहयोगी बन गया। मेरी परिस्थिति को देखते हुए देश की उन्नति और उसको किये गये अन्याय को दूर करने की मेरी प्यास बुझाने का मुझे एकही मार्ग दिखाई दिया और वह खादी का मार्ग था। दूसरा कोई कार्य न दिखाई दिया। मैं दक्षिण भारत के मेरे गाँव से गरीबों के कारण मजबूर हो कर दूसरी जगह बन कमाने के लिए आया था और अभी हाल ही मैंने छत्तीस का जीवन बीताना शुरू किया था अर्थात् मुझे जो जेतन मिलता था उसमें से मैं अपना खर्च बचा सकता था और अपनी बुद्धावस्था के लिए कुछ बचा भी सकता था। अब मेरे हृदय में महान् मुझ श्रुत हुआ। मुझ कहती थी कि खादी पहनने से यूरोपीयन अधिकारी नाताज हो जायेंगे और तुम नोकरी को बँडोगे, इदय देश और गरीबों की याद दिमाता था। उस समय देश का वायुमण्डल आत्मसम्मान, हिंसित और आत्मसम्मान के भावों से भरा हुआ था इस कारण मुझे इसकी बड़ी सरम माझम हुई कि मुझमें मेरे भूखों मरनेवाले भाई बहनों का बनाया हुआ कपड़ा पहनने की भी हिंसित न थी। मेरी आत्मा मेरी पशुता के विच्छेद गहर करने लगी और एक शुभ दिवस को मैंने खादी का कोट पहन लिया। अब आफीस गया मेरा दिवस काप रहा था और मैं यह सोच रहा था कि बिना साँडक के ही गुलाम की तरह बंधे रहने के बजाय मैं यह

जोखिम भी उठाऊंगा। मैं अपनी जगह पर जा कर बैठ गया और कुछ ही मिनटों में मेरे अफसर भी आ पहुँचे। वे मेरी मेज से कोई चार फीट की दूर बैठे होंगे। मैंने करते करते उनको खजाम किया। मैं उनके तरफ आँसू उठा कर भी नहीं देख सकता था परन्तु तीरकी नजरों से यह देखा रहा था कि मेरे बरके हुए कपड़ों पर उनका ध्यान गया है या नहीं। खोजी दूर मैं उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मैं लिखाता जाता था और उनके मनों को उनके बहरे पर देखने का प्रयत्न करता था। मैंने सारा दिन इस तरह बेचैनी में कटा और हृदय में अपनी कायरता के खिलाफ युद्ध करता रहा। परन्तु दिन के अन्त में जब मुझे यह मासूम हुआ कि उन्होंने मेरे कपड़ों पर, जो देखते ही अद्भुत के मासूम हो सकते थे कुछ भी ध्यान नहीं दिया है तब मुझे कितना आश्चर्य हुआ होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तब मैंने यह ख्याल किया कि मेरे यह अफसर बहुत ही भले हैं और उनको मुझ पर प्रेम होने के कारण वे खादी के लिए मेरे प्रति कोई बुरे भाव नहीं रख सकते हैं। धीरे धीरे मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने तमाम कपड़े खादी के ही पहनना शुरू किया। इसके मुझे बड़ा आनंद हुआ। इसका तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि मैं अपने राष्ट्रीय पोशाक पर अभिमान करने लगा और तब से मैं इसी राष्ट्रीय पोशाक में हमेशा आफीस को जाता हूँ। परन्तु अभी मेरा और भी एक भ्रम दूर होने को बाकी था। मैंने डीक का बहुत तौर पर यह ख्याल किया था कि अधिकारी मेरे कपड़ों पर इसलिए अर्पित नहीं करते हैं क्योंकि इस कारण से मुझे निकाल देने में जो बहनामी होगी उसका वे सामना करना नहीं चाहते हैं। परन्तु अब मुझे तरकी न दे कर ही वे अपनी 'नाखड़ी' जाहिर करेंगे। अनुभव से यह मासूम हुआ कि यह ख्याल भी गलत था क्योंकि उन्होंने मुझे तरकी भी दी। परन्तु मैंने यह सोचा कि मुझे बहुत खोजी तरकी दी जा रही है, यदि मैंने खादी न पहनी होती तो मुझे कुछ अधिक उत्तेजन दिया जाता। उसके बाद एक बड़ी जगह वाली हुई। उस जगह पर मैं अच्छी तरह काम कर सकता था परन्तु मुझे संकोच हुआ और मैंने ख्याल किया कि जिस अधिकारी के हाथ में यह जगह थी वह अधिकारी मेरे साथे राष्ट्रीय पोशाक को पसंद न करेंगे। क्योंकि वे स्वयं एक बहुत बड़े प्रभावशाली ध्याक से और इसलिए उनकी मुलाकात को भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोक आते होंगे और वे अपने सहकारी कर्मचारी के तौर पर गांधी के मनुष्य को रखने में अपनी प्रतिष्ठा की हानि ही समझेंगे। इसलिए उस जगह को पाने की मैंने कोई आशा न रखी थी और मुझे इस बात का संतोष था कि जब तक वे मेरे मार्ग में कोई आपत्ति न डालेंगे तब तक गुलाबी की कर्त पर मैं तरकी के पाने के लिए कोई फीक न करूँगा। एक महीना गुजर गया। कुछ बाहर के लोगों को आम-माया गया और आकर मेरे विराम में मुझ से यह कहा गया कि मुझे तरकी के साथ वह जगह ही गई है। ईश्वर की लीला अगम है। जिस जगह की मैंने कोई आशा नहीं रखी थी और जिसके लिए मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया था वह जगह मेरा पोशाक खादी का होते हुए भी बेशक यह जान कर कि मैं उस जगह पर अच्छा तरह काम कर सकूँगा मुझे दे दी गई। और ताज्जुब की बात तो यह थी कि वह उच्च अधिकारी भी बड़ा ही महेश्वरान और अपने कर्मचारियों से प्रेम रखनेवाला था। खादी के कपड़े और हिन्दुस्तानी दिवानों के प्रति उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। वे बस यही चाहते थे कि उनका काम हो। अब मुझे यह जगह दी गई तब मेरे सहकर्मचारियों ने सन्मन्त्र बड़ी माना

था कि मैं अपने खादी के कपड़े पहनने का और इस प्रकार अपने साहब की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने का अभिप्रेत न करूँगा और जब मैंने उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया कि मैंने तो खादी ही पहनने का निश्चय किया है तब भी उन्हें कुछ महीनों तक यह विश्वास नहीं हुआ। आज भी मित्रों का यह प्रश्न, कि यूरोपियन अधिकारी मेरे खादी के साथे कपड़ों को कैसे खत्म करते हैं, मेरे लिए कोई अवाधारण बात नहीं है। मेरी वर्तमान जगह पर काम करते करते मुझे दो साल हो गई हैं फिर भी मुझे ऐसा एक भी मॉडा नहीं मिला है जब कि मुझे यह मासूम हुआ है कि मेरे खादी के कपड़ों ने मेरे अधिकारी पर कोई बुरा प्रभाव डाला हो। यद्यपि मैं ऐसे दृष्टांतों को जानता हूँ कि जिसमें यूरोपियन अधिकारियों ने उस समय जब कि वे खादी से अटक जाते थे, खादी के कपड़े पहनने के कारण अपने कर्मचारियों को निकाल दिया है और इस बात का भी स्वीकार करते हुए कि किसी विशेष अधिकारी की उदारता के अभाव में नामके में भाग्य का भी कुछ हिस्सा था मुझे तो यही ख्याल होता है कि यूरोपियन आफीसों में खादी पहनने में जो मज होता है वह निराधार है और रस्सी को साँप मान कर उससे डरने के बराबर है। मुझे यह भी ख्याल होता है कि यदि भय के कारण मैंने खादी न पहनी होती तो मैंने दोहरा पाप किया होता; प्रथम तो यह कि मैंने अपने देश के प्रति अपना फर्ज अद्भुत ब किया होता और दूसरा अपने यूरोपियन अधिकारियों के प्रति मेरा गलत और अनुदार दयाल बन रहा।"

मैं उस यूरोपियन पंथी को उनकी इस विशाल दृष्टि के कारण सुबारकबादी देता हूँ, क्योंकि जब असहयोग पुर जोष में था तब बहुत से यूरोपियनों ने खादी के पोशाक को हिंसा के उद्देशों के साथ एक कर दिया था। ऐसे समय किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह न रखना उनके लिए बेशक एक बड़ी बात है।

**करबरी के डीक**

खादी की अर्पित और बिक्री के जुड़े जुड़े प्रान्त के फरवरी नहीने अंक इस प्रकार हैं।

प्रान्त	अर्पित		बिक्री	
	रु.	आ. पा.	रु.	आ. पा.
आंध्र	१,८४५	०-०	१९,९९५	०-०
बिहार	१९,०११	०-०	९२,२४१	०-०
बंगाल	२९,१००	०-०	२०,६०४	०-०
बम्बई	०-०-०		२६,०९९	०-०
हरया	०-०-०		१,५०५	०-०
देहली	६७५	०-०	५०४	०-०
गुजरात	७,०१९	०-०	१०,२१५	०-०
करनाटक	१,४९०	०-०	५,९३६	०-०
उत्तर महाराष्ट्र	०-०-०		४,७३०	०-०
मध्य "	०-०-०		१,०५०	०-०
दक्षिण "	०-०-०		४०६	०-०
पंजाब	१३,६८२	०-०	६,४३४	०-०
तामिलनाडु	५५,९१५	०-०	५३,५१९	०-०
उत्पुक्त प्रान्त	७,९३६	०-०	७,९६५	०-०
उत्तरक	४,२२५	०-०	१,५४४	०-०
<b>कुल</b>	<b>१,२४,०९३</b>	<b>०-०</b>	<b>१,८२,१७०</b>	<b>०-०</b>

जाय के अंक हमेशा की तरह समूह हैं। सिर्फ ११ संसदों में ही प्रतिष्ठित कार्यवाही की अपनी विशेषता है। बंगाल के अंक सिर्फ खादी प्रतिष्ठान के ही अंक हैं, अन्ध्र प्रदेश के अंक अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। बम्बई के अंक सेन्ट्रल रोक अन्ध्र के अंकों के सिवा समूह हैं। वेदों के अंकों में केवल हापुर के अंक ही दिखे गये हैं। पंजाब और तामिलनाडु के अंक समूह हैं और उनके विन्नी के अंकों का फिर से दोहरा कोई अंक न आ जाय इस समय से शोध भी किया गया है। अन्ध्र प्रदेश के अंकों में केवल बंगाल और बर्मा के अंकों के ही अंक दिखे गये हैं और अन्य महाराष्ट्र में सिर्फ पुना के अन्ध्र के अंक दिखे गये हैं।

उत्पत्ति और विन्नी दोनों के विहाय से कारवरी के अंक परीच करीब जनवरी के अंकों के समान ही हैं। सिर्फ बम्बई के अंकों में फर्क है। इस महीने में उसके विन्नी के अंक ४१४४८) से बढ़ कर २६०१५) हो गये हैं। परन्तु गत वर्ष के कारवरी महीने के साथ तुलना में, इस साल के अंकों में काय कर उत्पत्ति के अंकों में काय बढ़ि हुई महत्त्व होती है। मुख्य मुख्य प्राणों के खादी के उत्पत्ति के अंक नीचे दिखे गये हैं।

	कारवरी १९२६	कारवरी १९२५
बिहार	११,०११)	५,६९३)
बंगाल प्रतिष्ठान	२२,१००)	१५,९९८)
पंजाब	१३,६८२)	४,२२०)
तामिलनाडु	५५,९१५)	१३,९२९)
उत्कल	४,३२७)	४४२)
	<u>१,१४,९३५)</u>	<u>५०,२७५)</u>

विन्नी में पंजाब और उत्कल के अंक तो गत वर्ष के अंकों के समान ही हैं, बम्बई के अंक बढ़ गये हैं परन्तु बंगाल, बिहार और तामिलनाडु के अंकों में विशेष प्रगति हुई दिखाई देगी। उसके अंक नीचे दिखे गये हैं।

	कारवरी १९२६	कारवरी १९२५
बिहार	२२,२७१)	१५,९९९)
बंगाल (प्रतिष्ठान)	२०,६०४)	११,८१४)
बम्बई	२६,०२५)	४४,२२०)
पंजाब	६,४३४)	५,१५२)
तामिलनाडु	५९,५१२)	३४,८३५)
उत्कल	१,५४२)	१,६४५)
	<u>१,३०,३६९)</u>	<u>१,१५,३५९)</u>

में अपनी यह काया फिर दोहराता हूँ कि जिस कैम्बो ने अभी तक अपनी रिपोर्टें निवधित करना आरम्भ नहीं किया है वे अब बिना ही अपना आरम्भ कर देंगे ताकि आरम्भ-संघ जहाँ तक हो सके सभी अंकों को प्रकाशित कर सकें।

बम्बई के अंकों में जो बढ़ी होती जाती है और दूसरे प्राणों के अंकों में जो बढ़ हो रही है, इसकी वृद्धि ध्यानपूर्वक तुलना करनी चाहिए। एक समय या जब सारे हिन्दुस्तान में आरम्भ हुई काशी की बम्बई ही सबसे बढ़ी पाइक थी। धन भी इस विहाय से उसका स्थान ऊंचा है। तामिलनाडु से दूसरा अंक उभरता है। गत वर्ष के अंकों की तुलना में बम्बई के अंक कुछ भी नहीं है। गत वर्ष के कारवरी महीने के अंक

४४,२२०) के, इस साल २६,०२५) है और तामिलनाडु के इस साल कारवरी महीने के ५९,५१२) है गत वर्ष में ३४,८३५) के।

( न. इ. ) मो. क० गांधी

**अन्ध्रप्रदेश सेवक की कठिनाई**

एक अनन्ध्र सेवक लिखते हैं:  
 मैं एक अनन्ध्रप्रदेश का रहता हूँ। अन्ध्र प्रदेश के आन्दोलन करने की मेरी शक्ति नहीं है इसलिए निराश्रित हो कर सर्वादा में रहना ही मुझे उचित मान्य होता है। परन्तु मैं अनन्ध्रप्रदेश का बलात्ता हूँ इसलिए मुझे भय है कि मेरी ज्ञाति में मुझे कच्चा न मिक सकेंगी। परन्तु मुझे तो आजीवन अनन्ध्रप्रदेश का ही बलाना है और दूसरा कोई काम मुझे नहीं करना है। जब मैं कैसे खादी बढ़ें? दूसरी ज्ञाति में विवाह करूँ और विधवा आरंभ तो समाज मुझे श्रुति समझेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए?"

यह कुछ ऐसीवैसी उक्ति नहीं है। इस युवक को उसके निम्न के लिए जितना भी सम्यक् दया या सके कम होना। वे यदि अपने निम्न में दृढ़ बने रहेंगे औ अपनी इच्छियों पर अंकुश रखेंगे तो ईश्वर ही उनकी सहायता करेगा। ऐसे संकटों में ही युवकने से ही तो धर्म की परीक्षा और रक्षा हो सकती है।

केवल वैश्य जाति के माध्यम होते हैं। सर्वमान्य के अनन्ध्र सेवक बड़े ऊंच वर्णों में हैं। वर्णाश्रम यह धर्म है, वर्तमान अस्तित्व जातिभेद को हीना कोई धर्म नहीं है। यह एक रिवाज है। यह रिवाज कितने ही अंकों में हानिकर प्रतीत हुआ है। रिवाजों में सुधार किये जा सकते हैं, कर्म चाहिए। यदि केवल वैश्य जाति के ही हों और अपनी उपजाति के बाहर जाने की हिम्मत कर सकें तो उन्हें बहुत बड़ा सेवा प्राप्त हो सकेगा। उपजातियों में अर्थात् वैश्य जातियों में अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रादि जातियों की उपजातियों में बेटी-भयवहार का रिवाज काटने की पूरी आवश्यकता है। अर्थात् वर्णाश्रम की सर्वादा के अनुसार जहाँ रोटी-भयवहार की स्वतंत्रता होती है वहाँ बेटी-भयवहार की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह अनन्ध्रप्रदेश के अपना इतिहास और अपनी शक्ति इत्यादि का ध्यौरा अपनी उपजाति के महात्तों के सामने पेश करें। वहाँ उन्हें कोई मदद न मिले तो उससे निराश न हो कर, बिना कोच किये ही गुजरात के वैश्य महात्तों के समक्ष अपना वही इतिहास पेश करें और उनसे मदद मांगें। यदि उनमें योग्यता होगी तो मेरा हठ विश्वास है कि समाज के उचित धर्मों का उल्लंघन किये बिना ही उन्हें मदद मिल सकेगी।

यह सेवक या ऐसी कठिनाई में फसे हर लोग यह अपनी तरह याद रखें कि यदि वे अनन्ध्र-सेवा या ऐसी ही कोई दूसरी सेवा केवल धार्मिक माय से ही करते हों तो उन्हें सेवा भी कुछ फलों न उठाना पड़े उन्हें कभी अस्वस्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न कोप करना चाहिए अर्थात् हिंसा न करनी चाहिए। यदि वे इस प्रकार सत्य का और महादिव्य महिमा का पालन करेंगे तो वे अपनी, अपने धर्म की और अपने विश्वास की शोभा को बढ़ावेंगे और बहुत ही थोड़ा कुछ उठावें से ही वे सेवक का निवारण कर सकेंगे। इसलिए उपरोक्त सेवक को अपना इतिहास किसी प्रकार की अतिशयोक्ति के बिना ही प्रकाशित करना चाहिए।

( नवजीवन. ) मो. क० गांधी



## हिन्दी-नवजीवन

गुरुवार, द्वितीय चैत्र सुदी १०, संवत् १९८२

### अफीम, शराब और शैतान

शराब और अफीम इत्यादि दूसरी नशीली चीजें शैतान के दो हथियार हैं। उससे वह अपने असहाय गुलामों को मारता है और उन्हें नशे में धुंध और मूर्च्छित कर देता है। जेनेवा में हुई अफीम की दो परिषदों के कार्य पर प्रकाश डालनेवाले 'सर्व' में प्रकाशित लेख के अनुसार तो उसमें नशे की खाने की चीजों में अफीम जो मुख्य है उसी की जीत हुई है। लेखक कहते हैं: "तमाम आगे बढ़ने के वा पीछे हटने के प्रयत्नों में, तत्काल निकालने में और फिर उन्हें न्यान करने में, हार और जीत की अफवाहों में, अफीम और दूसरी नशीली चीजों के व्यापार को उसके जीवन के लिए एक नया ही इस्तावेज कर दिया गया है।" जुड़े जुड़े राष्ट्रों की विस्थित करनेवाली रिपोर्टों से ओ गोलमाल और अव्यवस्थितता उत्पन्न हुई उसमें लेखक कहते हैं: 'वे लोग जो एक या दूसरे मार्ग से नशीली चीजों के व्यापार से लाभ उठाते हैं, उन्हीं को सिर्फ इस बात का ठीक ठीक ज्ञान था कि उन्हें क्या चाहिए था और क्या नहीं। और उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया उसका उन्हें स्पष्ट ह्याल था और उन्हें उससे सन्तोष भी हुआ है। लेखक आगे और यह भी कहते हैं "बाद कर उस बड़े महाभारत युद्ध के समय में तो इसके प्रति बड़ा ही दुर्लक्ष किया गया था। उत्पात के उन पांच वर्षों में जहाँ तक आंतरराष्ट्रीय हित या कार्य से सम्बन्ध था वहाँ तक नशीली चीजों के उपयोग को स्वाभाविक मान कर उसके विरुद्ध कोई हलचल नहीं की जाती थी.....वेणक लडाई ने इस सुराई को बहुत कुछ बढ़ा दिया है। फौजों में मनुष्य की पीडा को मूला देने के लिए औषध के तौर पर और भयकर निराशा, भय, युद्ध के अहंकार और एक सा वायुमण्डल से कुछ मानसिक शान्ति पाने के लिए मोरफिया और कोकैन का जो बहुतायत से उपयोग किया जाता था उससे अन्त में बहुतेरे देशों में, ऐसे बहुत से लोग, जो उस नशे की आदत से मुक्त नहीं हो सके थे और अब उसकी आदत छोड़ना जिनके लिए असम्भव है फैल गये। वे अपनी आदत को कायम रखे हुए हैं और उसकी फैला भी रहे हैं। क्योंकि इस सुराई के साथ में बड़ी अंधकर बात तो यह होती है कि उससे एक प्रकार की उसका प्रचार करने की अनुचित प्रेरणा होती है ताकि नये नशेबाज तैयार हों और उसका उपयोग बढ़े।"

गत युद्ध का यही सब से बड़ा भयंकर दुष्परिणाम है। यदि उसने करोड़ों लोगों के जीवन बूट किये हैं तो उसने आत्मा को नष्ट करने के कार्य को बड़ा वेग भी प्रदान किया है। परन्तु लेखक भी प्रेवीट कहते हैं कि इन तेरह सालों में जबसे कि हेग परिषद में अंतरराष्ट्रीय इकरारनामा रजिस्टर हुआ था तबसे "इस महत्त्व के प्रश्न का रूप बहुत कुछ बदल गया है" मि० प्रेवीट ने सिर्फ यूरोपियनों की दृष्टि से ही इसका विचार कर सकते हैं। इसलिए वे कहते हैं "यह बड़ी अब पूर्व की विदेशी बरी, जैसे अफीम खाना, पीना और दूसरे हिन्दुस्तान, चीन और दूसरे पूर्विय देशों के निवाजों के रूप में नहीं रही है।" अब तो उसका

"सभ्य कहलानेवाले देशों की वैज्ञानिक बल से बनायी जानेवाली बड़ी मूल्यवान वस्तुओं से भरी हुई औषधखाला या प्रयोगखाला में तैयार किये गये उसके सब के रूप में, जो बड़ा ही हानिकर है" उपयोग हो रहा है। पुराने जमाने में अफीम और अफीम खाने की पूर्वदेशीय आदत पश्चिम में धीरे धीरे प्रचार को प्राप्त हो रही थी परन्तु अब उसका प्रवाह विशुद्ध दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन इतना ही नहीं वे जहाँ भी उतनी ही अंधकर है और जिन देशों में वे बनायी जाती हैं वहाँ भी भुरी तरह से फैल रही है और उसकी हद को फार फर के पट्टों के देशों में भी फैलती है। इसलिए मनुष्य-शान्ति की मलाई के लिए ही यह भयप्रव है। इस शैतान के लिए तो गीरा नशेबाज भी उतना ही उपयोगी है जितना कि काफ़ा वा पीला.....उसके राज्य में सुरज कभी अस्तावल को नहीं जाता है।

फिर लेखक 'इस बरी के मूल' का ही वर्णन करते हैं। वह मूल अधिक तादाद में उसकी उत्पात का होना है—औषध और विज्ञान की आवश्यकता से कहीं अधिक। औषध और विज्ञान के लिए प्रति मनुष्य इतनी आवश्यकता है:

अफीम ४५० मिलि ग्राम (करीब करीब ७ चावल के बराबर)  
कोकैन ७ " ( " " ११ " )

इस हिसाब से ७४४,०००,००० (दुनिया की १,७४७,०००,००० मानी गई मनुष्य संख्या में से) मनुष्य को पश्चिम के शिक्षित डाक्टरों को उपचार करने के लिए प्राप्त होंगे उनके लिए 'औषध और विज्ञान, के लिए उन चीजों का आवश्यक परिमाण यह होगा।'

औषध के लिए अफीम	१०० टन
मोरफिया	१३६ "
कोकैन	८४ "
हीरोईन	१५ "

दुनिया की कुल आवश्यकता ३३६ टन

ऊपर कोकैन का प्रति मनुष्य जो परिमाण बताया गया है उस हिसाब से उसकी कुल आवश्यकता १२ टन से कुछ अधिक होगी। परन्तु अफीम की कुल पैदाईश कम से कम ८६०० टन है। कोकैन के अंक प्राप्त नहीं हो सकते हैं परन्तु उसकी उत्पात जो १०० टन से कुछ कम नहीं। इस प्रकार दुनिया की उचित आवश्यकता के सब से अधिक उदार अन्दाज के बनिश्चत भी उनकी उत्पात जो गुना अधिक है।"

लेखक यह दिखाते हैं कि किसी भी बड़े साम्राज्य में, अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन में भी, इस प्रश्न पर गंभीरता के साथ विचार नहीं किया है। वे हेग परिषद् की ९ वीं शर्त को भंग करने का उन पर अपराध लगाते हैं। वह शर्त है: "इन चीजों की उत्पात को हम प्रकार मर्यादित की जाए कि औषध और विज्ञान के लिए उपयोगी आवश्यक तादाद ही उत्पात हो।" लेखक को इस बात का अफसोस है कि वे सभ्य कहलानेवाले राष्ट्र यह नहीं कि केवल अफीम और उससे तैयार की जानेवाली दूसरी चीजों की अत्यधिक उत्पात को ही नहीं रोक सके हैं, परन्तु प्रयोग खाला में जिनकी आँख होती है और जिनको परवाने दिये जाने हैं, उनमें तैयार की जानेवाली बड़ी अंधकर वस्तुओं की अत्यधिक उत्पात को भी उन्होंने नहीं रोक है। यदि उनकी इच्छा होती तो वे यह बड़ी आसानी से कर सकते थे।

महासभा की प्रेरणा से भी एण्ड्रयूक ने बड़ी मिहनत कर के आसाम की जो अफीम की रिपोर्ट तैयार की थी उसे जिन पाठकों ने पढ़ा है वे यह जानते हैं कि अफीम की आदत से क्या हानि हुई

है। वे यह भी जानते हैं कि इस बढनेवाली बुराई को दूर करने में सरकार ने प्रयत्नतः कुछ भी प्रयत्न नहीं किया था और सुधारकों के उन प्रयत्नों को जिन्होंने कि इसको दूर करने का प्रयत्न किया था उसने कैसे निष्फल कर दिया। राष्ट्रीय सभा के दिनों में व्याख्यातानाओं को नशीली चीजें और शस्त्रों को एवम बन्द कर देने पर जोर देते हुए सुन कर दिल को बड़ी तृप्त होती है। यह सुधार तो बहुत दिनों के पहले ही होना चाहिए था। यदि बारासभा में जाना कुछ उबरोमी हो तो चुनाव के लिए शराबखोरी की बन्दी को ही विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। हर एक सदस्य को चाहिए कि वह केवल उसका समर्थन ही न करे परन्तु शराबखोरी की बन्दी के लिए प्रेरणा करे और उसके लिए युद्ध जारी रखे। शराबखोरी को बन्द करने का यही एक मार्ग है कि इस अनीति से सरकार को होनेवाली अमदनी के बराबर फौजी खर्च में कमी की जाय। इसलिए शराबखोरी की बन्दी की मांग के साथ साथ फौजी खर्च में कमी करने की मांग भी पेश करनी चाहिए। मत लेने के उपाय से इसके निषेध में कोई विराम नहीं करना चाहिए। भारत में तो मत लेने का कोई कारण ही नहीं है क्योंकि शराब पीना वा नशे की चीजें खाना यहाँ सब अगह दुर्गुण ही समझा जाता है। पश्चिम की तरह भारत में शराब पीने का कोई रिवाज नहीं है। इसलिए भारत में मत लेने की बात करना इस प्रश्न के साथ केल करना है।

( सं. इ. )

भाइरदास करमचंद गांधी

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

### अध्याय २०

#### धार्मिक परिचय

विकायत में मुझे कोई एक साल ही हुआ होगा कि उसने में मेरा दो विभासफिस्ट मित्रों से परिचय हो गया। दोनों सगे भाई थे और दोनों ही अनिवाहित थे। उन्होंने मुझसे गीताजी का जिक्र किया। वे एडविन आरमन्ड का गीताजी का अनुवाद पढ़ रहे थे और उन्होंने मुझे संस्कृत में गीताजी पढ़ने के लिए निमंत्रण दिया। परन्तु मैंने संस्कृत में या प्रकृत में कभी गीताजी पढ़ी न थी इसलिए मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई। मुझको उनसे यह कहना पड़ा कि "मैंने कभी गीताजी नहीं पढ़ी है लेकिन मैं उसे आपके साथ-पढ़ने का तैयार हूँ। मेरा संस्कृत का ज्ञान भी कुछ नहीं के बराबर है। मैं उसे केवल यहाँ तक ही समझ सकूंगा कि अनुवाद में यदि कोई गल्ती हुई तो वह सुधारी जा सकेगी।" उनके पास घर एडविन आरमन्ड का अनुवाद था। इस अनुवाद के कारण ही घर एडविन आरमन्ड का नाम मैंने सुना था। इन दोनों भाइयों के साथ मैंने गीताजी पढ़ना आरंभ किया। दूसरे अध्याय के अन्तिम श्लोकों में

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ।

संन्यासशायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधाद्भवति समोहः समोहात्स्वप्नः ।

स्वप्नश्चात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणयति ॥

[विषय का जो चिंतन करता रहता है उसका प्रथम तो विषयों में संयम उत्पन्न होता है। सग में उग्र विषय की कामना — यह विषय प्राप्त हो ऐसी वासना — उत्पन्न होती है और उससे (यदि उसमें कोई विघ्न हुआ तो) क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से समोह (अर्थात् भाववैकल्य), समोह से स्वप्न, स्वप्नविग्रम से बुद्धिनाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर आशिर पुंस्य का भी नाश हो जाता है (धर्म, अर्थ, काम

और मोक्ष इन्हें से किति भी पुत्रार्थ के योग्य वह नहीं रहता है) ]

इन श्लोकों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मेरे कानों में उसकी मन्त्र सदा ही बनी रहती है। उस समय मुझे यह क्या हुआ कि भगवद्गीता एक अमूल्य ग्रन्थ है। जीरे भी मेरी यह मान्यता रह जाती गई और आज तरबतान के लिए उसे मैं एक सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हूँ। निराशा के समय में इस ग्रन्थ ने मेरी अमूल्य सहायता की है। उसके करीब करीब सभी अंगरेजी अनुवादों को मैंने पढ़ा है परन्तु एडविन आरमन्ड का अनुवाद ही मुझे बेह मालूम होता है। उसमें मूल ग्रन्थ के भावों की रक्षा की गई है फिर भी वह अनुवाद अनुवाद का नहीं मालूम होता है। परन्तु वह नहीं कहा जा सकता कि इस समय मैंने भगवद्गीता का ठीक ठीक अध्ययन किया था। उसके बाद कितने ही वर्षों के पीछे वह ग्रन्थ रोजाना मेरे पाठ का विषय बना था।

इन्हीं भाइयों ने आरमन्ड का बुद्ध-चरित्र पढ़ने के लिए भी मुझसे सिकासिष्ठा की थी। उसे मैंने भगवद्गीता से भी अधिक दिल-चस्पी के साथ पढ़ा। पुस्तक हाथ में लेने के बाद उसे पूरा करने पर ही जोर पड़ा था।

वे दोनों भाई मुझे एक मरतवा डेवैटस्की लाज में भी ले गये थे। वहाँ मुझे उन्होंने मेडम डेवैटस्की और मीसीस वेसन्ट के दर्शन कराये। उस समय मीसीस वेसन्ट की आसोफिकल सोसायटी में राजा ही शासक हुईं थी। उनके सम्बन्ध में अखबारों में जो खर्चा हो रही थी उसको मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ता था। इन भाइयों ने मुझे इस सोसायटी में शामिल होने के लिए भी कहा। मैंने बड़े चिन्तन के साथ इससे इंकार किया और कहा "मुझे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है इसलिए मैं किसी भी सम्प्रदाय में शामिल होना नहीं चाहता हूँ।" मुझे कुछ ऐसा भी ख्याल है कि इन्हीं भाइयों के बढने से मैंने मेडम डेवैटस्की की 'की टु थिंकासाफी' नामक पुस्तक भी पढ़ी थी। उसे पढ़ने से हिंदू-धर्म की पुस्तकें पढ़ने की मुझे बड़ी इच्छा हुई और वह ख्याल जो मिशनरियों के जबानी में सुना करता था कि हिंदू-धर्म में केवल बहेम ही बहेम भरे हुए हैं दूर हो गया।

इसी अवसर पर एक निरामिषभोजी बसतीरुह (जो) में मास्वेटर के एक ईसाई सज्जन से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने ईसाई धर्म के सम्बन्ध में मुझसे बातचीत करना शुरू किया। मैंने उनसे अपना राजकोट का वह स्मरण कह सुनाया। उसे सुन कर वे बड़े दुःखी हुए। उन्होंने कहा: "मैं स्वयं निरामिषभोजी हूँ—मैं मद्यपान भी नहीं करता हूँ। यह सच है कि बहुतेरे ईसाई मांस भक्षण करते हैं, मद्यपान भी करते हैं परन्तु ईसाई धर्म में इन दो में से एक भी चीज को ग्रहण करना कोई फर्ज नहीं है। आप बाइबिल पढ़ें, यही मेरा आप से अनुरोध है।" मैंने उनकी यह सलाह मान ली। बाइबिल भी उन्होंने ही खरीद कर दिया था। मुझे कुछ ऐसा ख्याल है कि वे भाई स्वयं ही बाइबिल खेचते थे। उन्होंने एक बाइबिल जिलमें नकसे, अनुकसणिका इत्यादि सब बातें भी मुझे देवा। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। परन्तु मैं 'तैरेस' को तो पढ़ ही न सका। 'जेनेसीस' सृष्टिरचना के अध्याय के पढ़ने के बाद आगे पढ़ने में मुझे नींद ही आने लगती थी। मुझे कुछ ऐसा स्मरण है कि यह कहने के लिए कि मैंने उसे पढ़ा है, बिना दिलचस्पी के और बिना समझे ही बड़े कष्ट के साथ मैंने कुछ दूसरे अध्याय भी पढ़े थे। 'नंबर' का अध्याय पढ़ने में तो मुझे बड़ी ही अहवि मालूम हुई।

परन्तु जब 'इजील' पठना आरंभ किया तब तो खुदा ही असर पडा। 'सरमन आन वी माउन्ड' का बडा अन्धा असर हुआ। वह दिल में भी उतर सका। बुद्धि के द्वारा गीनाडी के साथ उसकी तुलना की। "जो तेरा कुरतार भागे उसे अपना कोट भी दे दे और जो तेरे एक गाल पर बप्पक मारे उसके सामने दूसरा गाल धर दे" यह पठ कर तो मुझे बडा ही आनन्द हुआ। शामल भद्र के छप्पे का स्मरण हुआ। मेरे बालक मन में गीता 'कःइट आऊ एशिया' और ईसा के वचनों को एकत्र किया। स्मरण में ही खम है यह बात मेरे मन की बडी ही हचिकर मासूम हुई।

यह पढ़ने के बाद दूसरे धर्मग्रन्थों के जीवन चरित्र पढ़ने का दिल हुआ। कार्लोस का 'हीरोज और हीरो बक्षिप' पढ़ने के लिए भी किसी मित्र ने सिफारिश की थी। उसमें परगम्बर के विषय की सब बातें पढ गया और उससे मुझे उनकी महत्ता, बीरता और तपस्वी का कुछ ख्याल हुआ।

इतना परिचय प्राप्त कर केने के बाद मैं और आगे न बढ़ सका। परीक्षा के पुस्तकों को पढ़ने में मैं दूसरे पुस्तकों को पढ़ने का कोई समय न निकाल सका। परन्तु मेरे दिल में यह काम चल ही गया कि मुझे धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए और सभी प्रधान धर्मों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए।

यदि नास्तिकता के सम्बन्ध में भी कुछ जानकारी प्राप्त न कर लूँ तो काम कैसे चले! सब भारतीय ब्रेडला का नाम तो जानते ही थे। ब्रेडला नास्तिक गिना जाता था। इसलिए उनसे सम्बन्ध रखनेवाली भी कोई एक किताब पढी थी। नाम का मुझे स्मरण नहीं है। उसका मुझ पर कुछ असर न हुआ। नास्तिकता का 'सहरा का रेतीला मैदान' मैं पार कर चुका था। ग्रीसीस वेस्ट की उस समय भी बडी कीर्ति थी। वे नास्तिक मिठ कर नास्तिक बनी इस कारण वे भी मेरे नास्तिकवाद के प्रति उदासीन हो गया। 'मैं भीआनोकीस्ट क्यों हुई?' इसके सम्बन्ध में ग्रीसीस वेस्ट की एक पत्रिका मैंने पढी थी। इसी अवसर पर ब्रेडला का देहान्त हो गया। दक्षिण में उनकी अन्तक्रिया की गई थी। मैं भी उस समय वहाँ दक्षिण था। जहाँ तक मेरा ख्याल है उस समय एक भी भारतीय वहाँ गये बिना न रहा होगा। उनका सम्मन करने के लिए कुछ पादरी भी आये थे। छोटते समय हम सब एक जगह रेल के आने की राह देख रहे थे। इस छुट में किसी पहलवान नास्तिक ने पादरियों में एक के साथ वाद करना शुरू किया। "साहब, आप तो यह कहते हैं न कि ईश्वर है? उस भले आदमी ने धीरे से यह उत्तर दिया "हाँ मैं यह कहना जरूर हूँ।"

उसने मानो पादरी को हरा रडा हो इस तरह इस कर जवाब दिया: "पृथ्वी का घेरा २८००० मील है, इसका तो आप स्वीकार करते हैं न?"

"अवश्य"

"ता यह कहिए कि ईश्वर कितना बडा होगा और कहाँ होगा?"

"यदि हम यह समझें तो वह हम दोनों के हृदय में वास करना है।"

"आपने तो बच्चों को फुसलाने की बात कही" यह कह उस वीर योद्धा ने हम लोगों के प्रति जो चारों ओर से अपने विजयी नेत्रों से देखा।

पादरी ने नम्रतापूर्वक मौन धारण किया। इस संवाद के कारण नास्तिकवाद के प्रति मेरी अरुचि और भी बढ गई।

(अवधीयन)

गोदानदास कल्याणदास गोधी

## मेरी कामधेनु

मेरे लिए मैंने चरखे को मोड़ का द्वार बडा है। मैं यह जानता हूँ कि इस पर कुछ लोग हँसते हैं। परन्तु जो मनुष्य मिट्टी का एक गोला बना कर उसे धार्मिक चरित्रात्मण जेम्मा बडा नाम देता है और उसके ऊपर एक ध्यान हो कर परमात्मा के दर्शन करने की श्रुधदा रकता है उसकी, मूर्ति का महिमा न जाननेवाले निंदा 'भ' करते हैं परन्तु उससे ऐसे आत्म-दर्शन के लिए पायल बना हुआ यह अपना ख्याल धोड़े ही छूटैगा? और वह अवश्य ही ईश्वर का साक्षात्कार करेगा और उसकी निंदा करनेवाले रह जायेंगे। उसी प्रकार यदि चरखे के प्रति मेरे भाव शुद्ध होंगे तो मेरे लिए चरखा अवश्य ही मोक्षदायी होगा। रामनाम की मनक सुनते ही जो हिंदू होगा उसके कान उसके प्रति आकर्षित होंगे। जबतक वह धुन चलती रहेगी वह अवश्य ही विकार रहित होगा। इस धुन की अन्य धर्मियों पर यदि असर न हो तो उससे क्या? 'अल्लाह ओ अकबर' की आवाज सुन कर हिंदुओं पर भले ही उसका कुछ भी असर न हो परन्तु मुसलमान तो अवश्य ही वह आवाज सुन कर सावधान हो जायगा। अखुद अंगरेज 'गाड' का नाम देते ही अपने शोष को दबा कर थोड़ी दूर के लिए तो अवश्य ही विकारों का त्याग कर देगा। क्योंकि ऐसी जिसकी भाषना होती है वैसा ही उसे फल भी मिलता है।

इसी व्याय से चरखे में कुछ नहीं तो मैंने मनमानी धार्मिकों का आरोपण किया है इसलिए मेरे लिए यह अवश्य ही कामधेनु बन होना। मैं प्रत्येक तार को कातता हुआ हिन्दुस्तान के कंगालों का चिंतन करता हूँ। हिन्दुस्तान के गरीब लोगों का ईश्वर पर से विश्वास उठ गया है; फिर अन्धम धर्म अधमा धार्मिक धर्म पर बढ क्यों होने लगा? जिसके पेट में भूख है, जो उस भूख को मिटाना चाहता है उसका तो पेट ही परमेश्वर है। जो मनुष्य उसको राटो का नामन कर देगा वह उसका अवधाता बनेगा और उसके द्वारा वह शायद ईश्वर का भी दर्शन करेगा। इन मनुष्यों के हाथ पर स्वयं होने पर भी उन्हें केवल भ्रष्टदान देना यह स्वयं दोष में पड कर उन्हें भी दक्षिण बनाने के बगबर है। उन्हें कुछ सबधरी मिलनी चाहिए। कंगालों की मजदूरी तो केवल चरखा ही हो सकता है और उस चरखे पर मैं भाषणों के द्वारा नदी परन्तु स्वयं कात कर ही उनकी भ्रष्टा जमा - कृपा। इसलिए कातने की क्रिया का मैं तपस्वी अधवा यह के तौर पर वषेल करता हूँ। और क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि जहाँ गरीबों का शुद्ध चिंतन किया जाता है वहाँ ईश्वर है इसलिए प्रत्येक तार में मैं ईश्वर का दर्शन कर सकता हूँ।

आपको किस लिए कातना चाहिए?

यह मैंने अपनी भाषना की बात कही और यदि आप भी उसका स्वीकार करेंगे तो फिर और क्या चाहिए? लेकिन शायद यदि आप से उसका स्वीकार न हो सके तो भी आप को कातने के लिए दूसरे बहुत से कारण हैं। उनमें से कुछ मैं यहाँ से रखा हूँ:

(१) जब आप कातेंगे तभी तो आप दूसरों से दूरा रहेंगे।

(२) आप के कातने से और आप के काते हुए सूत को चरखा संघ को देने से अन्त में खाली का भाव सस्ता हो सकेगा।

(३) कातने की कला सीख लेंगे तो अविषय में अधवा तो अभी जब चाहे सब राष्ट्रीयवाद के कार्य में सेवा कर सकेंगे। क्योंकि अनुभव से यह मासूम हुआ है कि जिन्होंने इन क्रियाओं

का कुछ भी ज्ञान नहीं है वे उसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं।

आप काँग्रेस तो सून की बात गुरंगी। उसके कमाई करने के इरादे से कामनेवाले अपनी मजदूरी पाने के लिए बड़े अमीर होंगे इसलिए वे तो जिस अंक का सून चाहते होंगे उसी अंक का सून ही माता करेंगे। अंकों में सुधार करने का काम प्रोबक का है या उसका है जिसको कि उसका शौक है और यह भी अनुभव सिद्ध बात है। सेवान्वित से कातनेवाले कुछ भी पुरुष यदि एकत्र न हुए होते तो सून की जानि में जो प्रगति हुई है वह प्रगति होना असंभव था।

(१) आप काँग्रेस तो चरखे में सुधार करने में आप की बुद्धि का उपयोग हो सकेगा। यह बात भी अनुभव से सिद्ध है। चरखे में आज तक जो सुधार हुआ है और उसकी गति में जो बुद्धि हुई है वह केवल यज्ञ के तौर पर कातनेवाले मास्त्रिकों की शक्ति के कारण ही हुई है।

(२) भारतवर्ष की प्राचिन कला का लोप होता जा रहा है। कातने की कला के पुनरुद्धार पर ही बहुतांश में उस कला के पुनरुद्धार का आधार रहता है। कातने में कितनी कला है यह तो यज्ञार्थ उसे कातनेवाला ही जान सकता है। सरवासह सहाह में कातनेवाले कातते हुए थकते ही न थे। चरखे के प्रति उनका अच्छा भाव था यह उनके न बचने का एक कारण अवश्य था। परन्तु यदि कातने में कोई कला न होती, उस समय जो आवाज हाता है उसमें कोई संगीत न होता, तो २२॥ घण्टे तक स्थिर हो कर आह्लादपूर्वक कुछ घुबधों में जो चरखा काता वह असंभव हो जाता। यहा हमें इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि कातनेवालों का किसी प्रकार का भी लालच न था। कातना उसका एक श्रद्धा यज्ञ था।

(३) हमारे देश में मजदूरी करना बड़ा हलका धंधा गिना जाता है। कविओं ने तो यहाँ तक निर्णय कर दिया है कि सुन्नी मजदूर को तो इतना आवास होता है कि उसे कभी चलना नहीं पड़ता है और उसके पैरों के छलने में भी बाल निकल जाते हैं। जो उत्तम से उत्तम कर्म है और जिस कर्म के साथ प्रजापति ने प्राणीमात्र को उत्पन्न किया है उस कर्म को हम सिखावार बनाना चाहते हैं। जिसे दूसरा कोई काम नहीं मिलता वही भेट के लिए कातता है ऐसा मूलतः कयाक न केक जाय इसके लिए भी आपको कातना चाहिए। आप राजा हो या रंक, आपको यज्ञार्थ अवश्य कातना चाहिए।

**किशोर समाज की**

आप बालक हो कि बालिका, ऊपर बताये गये सब कारण आपको भी लागू होते हैं। परन्तु आपको कातने के लिए हमारे की कुछ विशेष कारण हैं। उनके प्रति मैं आपको ज्ञान सीखना चाहता हूँ।

(१) वह क्या शक्य होगा कि आप बचपन ही से परीचों के लिए मजदूरी करें। क्योंकि कातने की क्रिया बचपन ही से आपको परीचकार बुद्धि का पोषण करेगी।

(२) आप हमेशा नियमित समय पर कातते रहोगे तो उसके आपके जीवन में नियमपूर्वक कार्य करने की आपको आदत पक जायगी। क्योंकि कातने के लिए यदि आपने समय निश्चित किया होता तो और कामों के लिए भी समय समय निश्चित करोगे। और जो समय प्रत्येक कार्य के लिए समय निश्चित किया हुआ होता है उसे अनियमित काम करनेवालों के पवित्रत दूना काम करते हैं, यह सामयिक अनुभव है।

(३) आपको सफाई बडेगी। क्योंकि सफाई के बिना सून काता ही नहीं जा सकता है। आपको पूनिया साफ होनी चाहिए, आपके हाथ साफ होने चाहिए, उसमें पसीना न होना चाहिए, आसपास कहीं धूल इत्यादि न होना चाहिए, कातने के बाद आपको बड़ी सफाई के साथ सून को कालकी पर बढाना जाना चाहिए, उसे फूंक से साफ करना चाहिए और आखिर इसकी सुन्दर लच्छिया बनाना चाहिए।

(४) आपको यंत्र सुचारुने का सामान्य ज्ञान प्राप्त होगा। हिन्दुस्तान में बालकों को सामान्य तौर पर यह ज्ञान नहीं दिया जाता है। आप आकस्मी बन कर आपके यहाँ नोकर हो तो उसके जवबा अपने बड़ों से चरखा साफ कराओगे तो आपको यह ज्ञान प्राप्त न होगा। परन्तु जो बालक सून मेत्र रहे हैं अथवा सून मेत्रने उनका चरखे पर प्रेम है वह मने मान लिया है। और जो बड़े प्रेम के साथ चरखा कातता है वह अपने यंत्र के प्रत्येक विभाग पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेता है। बड़ों के इशियार बड़ों ही साफ करता है। जो कातनेवाला अपने चरखे को दुरस्त नहीं कर सकता है, बाल नहीं बना सकता है तक्रवा ठीक नहीं कर सकता है उसे कातनेवाला ही नहीं कहा जा सकता है अथवा तो यही कहा जा सकता है कि वह कातने की बेगार करता है।

( नवजीवन ) मोहनदास करमचंद गांधी

**विविध प्रश्न**

[ गांधीजी की बाक से निम्न लिखित प्रश्न लिये गये। प्रश्नों का केवल धार ही दिया गया है। उत्तर गांधीजी के शब्दों में है। म० ह० दे० ]

तो करें क्या ?

श्री. सरत बोज उलझन में पड़े हुए हैं। वे एक बड़े वेनिस्टर हैं। मांडके के जेल में कैद किये गये। तु निर्दोष सुभाष बोज के भाई हैं। कैदियों को कैसे सुझाया जाय ? क्या उन्हें मुन्नी होते हुए ही देखा करें ? सरकार के विरुद्ध क्या कोई हलचल नहीं की जा सकती है ? पारासमा में प्रस्तावों के कर भी क्या किया जा सकता है ? इस उलझन को कैसे सुलझाएँ ? श्री सरत बोज को गांधीजी ने निम्न लिखित संदेश भेजा है:

उ० भाई मनीलाल कोठारी ने मुझे आपका संदेशा दिया आपको कुछ चेतनप्रद, कुछ निष्ठात्मक और विद्युत के वेग से कुछ दे सकूँ तो क्या अच्छा हो। परन्तु आज की हालत में मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। समाएँ प्रस्ताव और पारसिमा में विरोध तो बहुत कुछ किया गया परन्तु जब तो हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे हम अपनी शक्ति का अनुभव कर सकें। इसलिए मुझे तो विदेशी कपडे के बहिष्कार के सिवा और कुछ भी नहीं सूझता है, और सारी के बिना यह बहिष्कार भी असंभव है।

इसलिए कैद इत्यादि सब हमारी तकलीफों के लिए मुझे चरखे के सिवा और कोई दूसरा उपाय ही नहीं सूझता है परन्तु लोगों को मैं यह कैसे समझाऊँ कि यह उपाय अमीर है ? मेरा तो उसमें अटक विश्वास है। मैं यह भी कह सकता हूँ कि मेरा यह विश्वास दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है। इस लिए हमलोगों के इस राष्ट्रीय सहाह में सात दिन तक चरखे दिव-रात बसाने के। और यह भी इतनी भद्रा के साथ नि



किसी न किसी दिन हमें उससे ऐतिहासिक प्राप्त होगी कि जिससे हम हमारा मनोरथ सफल कर सकेंगे।

हाँ; चरखे के सिवा भी एक और रास्ता है और वह मर-काट का है। लेकिन वह मेरी शक्ति के बाहर है और इससे भी विशेष महत्व की बात यह है कि मुझे उसमें कोई भ्रम नहीं है। और मैं तो व्यवहारकुशल हूँ। इसलिए मैं यह जानता हूँ कि हमारी सरकार का सरकार की सरकार के आगे कुछ भी मूल्य न होगा। इसलिए मैंने तो अपने दूसरे सब साधनों को फूँक कर जमा दिया है और केवल चरखे की नाव पर खार हो कर मैं सागर में उतर पड़ा हूँ। आपके समान जो लोग उल्लसन पड़े हुए हों उन्हें मैं मेरे साथ इस नाव पर सवार होने के लिए निमन्त्रण देता हूँ। मेरा यह कहना सच मानियेगा कि यह नाव उस पार के जाये बिना न रहेगी। परन्तु उसे चकाने के लिए हमारी तमाम शक्ति, व्यवस्थानक और तात्कीम की आवश्यकता है।

### जलियाँवाला बाग

इस स्मारक के लिए क्या चन्दा इकट्ठा किया गया था और उसको आज सात वर्ष भी हो चुके हैं। १९२१ में मुझे एक सिक्का भाई ने कहा था कि उसमें से कुछ हिस्सा एक शाला के लिए मठान बनवाने के लिए दिया जानेवाला है। माहब! क्या आप यह बतायेंगे कि उन राब रुपयों का क्या हुआ है? जलियाँवाला बाग की जमीन खरीदी गई है या नहीं? स्वतंत्रता का भव्य मन्दिर कब तैयार होगा?

उ० जलियाँवाला बाग के लिए जो चन्दा इकट्ठा किया गया था उसके रुपयों से बाग खरीद लिया गया है। जमीन साफ की गई है और बागीचा तैयार किया गया है। मन्दिर नहीं बनाया गया है क्योंकि आजकल हिन्दुस्तान के प्रह बबल गये हैं। स्वतंत्रता की नोब हों को हम खोद रहे हैं तो फिर उसका भव्य मन्दिर कैसे बनाया जा सकता है? मेरा कथकल है कि इसी विचार से ट्रस्टीलों को कोई मन्दिर बनवाने में संकोच हो रहा है।

जमीन की कीमत दे देने पर बाकी बचे हुए रुपयों का पक्का हिसाब रक्खा जाता है और मन्त्री समय समय पर उस हिसाब को ट्रस्टीयों के पास नियमित भेजते रहते हैं और उसे प्रकाशित भी किया जाता है।

### अहिंसा

छोटे छोटे जीवों को एक दूसरे का आहार करते हुए हम अनेक मरतबा देखते हैं। मेरे यहाँ एक छिपकली को मैं रोजाना शिकार करती हुई देखता हूँ। और बिल्ली को पक्षियों का शिकार करती हुई देखता हूँ। क्या मुझे यह देखते रहना चाहिए? अथवा उसे रोकने के लिए उस दूसरे प्राणी को हिंसा करनी चाहिए? ऐसी अनेक दिव्याँ हुआ करती हैं; ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए।

उ० क्या मनो भी ऐसी हिंसा होती हुई नहीं देखी है? कई मरतबा मैंने छिपकली को और दूसरे जीवों को शिकार करते हुए देखा है। परन्तु इस 'जीवो जीवस्थ जीवनम्' के प्राणी-जगत के कानून का रोकने का मुझे कभी कर्तव्य नहीं मानता हूँ। ईश्वर के इस अत्यन्त रहस्य का मेह खोलने का मैं दावा नहीं करता हूँ परन्तु ऐसी हिंसा को रोक कर ही मुझे वह प्रतीत होता है कि पशु भाव दूसरे हल्की कोटि के प्राणियों का नियम मानवधर्म का नियम नहीं हो सकता है। मनुष्य को तो विश्वव्यापक प्रयत्न कर के अपने अन्दर रहे हुए पशु को जीत लेने का और उसे मार कर आत्मा को जीवित रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने चारों ओर व्याप्त हिंसा के राजानक से

ही अहिंसा का महामंत्र सीखना चाहिए। अर्थात् मनुष्य यदि अपनी प्रतिष्ठा को समझने लगे और अपना जीवनकार्य समझ के तो उसे स्वयं हिंसा करने से रुक जाना चाहिए और अपने से हल्की कोटि के अथवा अपने बल में रहनेवाले जीवों को कोई कष्ट न पहुँचाना चाहिए। यह अपने लिए ही यह आदर्श रख सकता है और यदि कुछ नहीं तो अपने से कमजोर अपने भाइयों को तथालीक देने से भी बच सका जाता है। और यह भी आदर्श है: क्या कि सम्पूर्णतया उसका पालन करने के लिए उसे सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। तभी यह किसी न किसी दिन उस आदर्श तक पहुँच सकेगा। मनुष्य इसमें संपूर्ण सफलता तो तभी प्राप्त कर सकता है जब कि वह मोक्ष प्राप्त कर के वेद के तमाम बन्धनों से मुक्त हो जाय।

### सिद्धांत और प्रतिष्ठा

हिन्द-स्वराज में देउगाडी दूध, दवा इत्यादि के सम्बन्ध में आपने कुछ विद्यार्थियों का उल्लेख किया है और उनका पालन न करने पर भी आप उन पर कायम है तो यह क्या बात है? आप अपनी दुबलता का स्वीकार कर के अपना बचाव करते हैं परन्तु आप का क्या यह नहीं मानना कि बचाव करनेवाला अपना अपराध स्वीकार करता है।

उ० हिन्द-स्वराज में प्रदर्शित मेरे विचारों का मैं सर्वाथ में पालन न कर सकता हूँ तो इससे मैं यह नहीं क्याल करता कि इन विचारों को सही करने में मैं कोई गंती करता हूँ। आप जिस कहावत का उल्लेख करते हैं वह मुझ पर लागू नहीं हो सकती है क्योंकि मैं अपने को कभी माफ नहीं करता हूँ और मैं सर्वाथ में अपने अपराध का स्वीकार करता हूँ।

प्रतिष्ठा लेने के सखे केवल निभय ही किया जाय तो क्या यह काफी न होगा?

उ० प्रतिष्ठा लेने में और निभय करने में अहाँ मेह माना जाता हो वहाँ प्रतिष्ठा का ही कुछ मूल्य हो सकता है। जो निभय धो जाय जा सकता है वह निभय ही नहीं गिना जा सकता; उनका कुछ भी मूल्य नहीं है।

### एकाम्रता

आप चित्त का एकाम्र करने का कोई उपाय बतायेंगे? किसी ब्राह्म विषय में एकाम्र होने के लिए आप किस उपाय को काम में लाते हैं?

उ० अभ्यास से ही चित्त एकाम्र होता है। शुभ और इष्ट विषय में लीन होने से एकाम्र बनने का अभ्यास हो सकता है; जैसे, काँडे रागी को सेवा करने में, कोई बरखा चलाने में और कोई खादी के प्रचार में। श्रद्धापूर्वक रामनाम का उच्चारण करने से एकाम्र हो सकते हैं।

### सुधारने का ठेका

एक सुखरमान भाई लिखते हैं:

आप लिखते हैं कि मनुष्य की आत्मा पशु-गोनि में भी जाती है। आरकी कहाँ जायगी? गाय की गोनि में दासकल होनेवाली आत्मा तो किसी पापी मनुष्य की आत्मा ही होगी। तो क्या गाय की पूजा कर के पापी आत्मा की पूजा करनी चाहिए? इसका उत्तर दीजिएगा क्योंकि आपने तो महात्मा को सुधारने का ठेका लिया है।

उ० आपने तो मुझे हरा ही दिया है। मैंने तो केवल एक ही पुरुष को सुधारने का ठेका लिया है और वह स्वयं अपने को ही। और उसे सुधारने के लिए मैं किमती मुसीबतें डेकनी होती हैं उसको तो केवल मेरा मन ही जानता है। अब क्या मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देना होगा?

# हिन्दी नवजावन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ३५

मुद्रक-पकावाक  
रामजी आनंद

अहमदाबाद, द्वितीय चैत्र सुदी ३, संवत् १९८२  
१५ बुधवार, अग्रेल, १९२६ ई०

मुद्रकस्थान-नवजावन मुद्रकालय,  
सांगमपुर सरकीगरा की बाकी

## टिप्पणियां

### कैसे मदद की जाय ?

लोकम में रहेवाले एक भारतीय सज्जन लिखते हैं :

" हर साल मुझसे यह पूछता है कि जो लोग आदिवा, कर्मजो, क-प, इटली अथवा इन्ग्लैण्ड में गये हैं वे भारत को किस तरह मदद कर सकते हैं ? वे स्वराज्य के लिए हमारे युद्ध में हमारी कैसे मदद कर सकते हैं ? वे और यह भी पूछते हैं कि भारत संसार को क्या चीजा सकता है ? जो लोग युद्ध कर रहे हैं उनको धन व लिए उनके पास कोई सन्देश है ? और अगर है तो संसार में शांति की स्थापना करने के कार्य में वह क्या हिस्सा दे सकता है ? "

प्रथम प्रश्न का तो आसानी से उत्तर दिया जा सकता है । यदि ईश्वर भा बड़ी की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है, तो समुच्च तो अपूर्ण है । जब तक वे स्वयं अपनी मदद न करें तो तबतः एक दूसरे का वे कैसे मदद कर सकेंगे ? परन्तु कुछ भी क्या न डा, संसार की एक स्वास्वपूर्ण राय बनाने का भी कुछ कार्य है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस जागृताय का प्रभाव दिन प्रात दिन बढ़ रहा है । श्री पेज की पुस्तक से कुछ साक्ष्य करके 'कहाइ दोसे मुझो' के जो अध्याय में उद्धृत करके दे रहा हूं उससे यह बात स्पष्ट साक्ष्य होती है कि लोगों को गलत शिक्षा दे कर कैसे धोखा दिया गया था । लोगों को उनकी अपनी अपनी सरकारों ने कहाई के अनाथों में पूछ शही खबरें ही पेट भर कर दी थीं । इसलिए जात्रम की मुलाकात को जो यूरोपियन मित्र आते हैं उन्हें मैं यह कहता हूं कि वे हमारी हलचल का समाचार पत्रों के रिपोर्टों पर से अध्ययन न करें क्योंकि जिसमें उन्हें ( समाचार पत्रों को ) विकल्पही नहीं होती है उसके सम्बन्ध में उन्हें जो खबरें मिलती है वे अपूर्ण होती है और ठीक नहीं होती । वे उसका मूल केसों पर से ही अध्ययन करें । मुझे यह कहने में बड़ा अफसोस होता है कि ब्रिटिश सरकार का आदिरा और छिपा हुआ दोनो विभाग वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में बिल्कुल गलत ही क्या फैला रहे हैं । उक्त पुस्तक विभाग के द्वारा, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी तथ्यवादी

दी जाती है और जो बड़ा व्यवस्थित है, जो गलत खबरें फैलायी जाती है उसको कोई भी देशप्रेमी समाचार विभाग नहीं पहुँच सकता है । उस पुस्तक विभाग की दृष्टि से एशिया के क्या सुखार और के महान कवि भी नहीं बच सके हैं । लुदे शु' यूरोपियन देशों के समझदार और निष्ठा प्रतिनिधि ही आने जाये देश में विदेश सरकार के द्वारा फैलायी गई झूठे खबरों का प्रतिकार कर सकते हैं । दूसरे प्रश्न का उत्तर देना अधिक कठिन साक्ष्य होता है ।

यदि प्रश्न यह होता कि भारत ने संसार को क्या सिखाया है तो मैं प्रश्नार्थी को श्री मेक्समूलर की 'भारत हमें क्या चीजा सकता है ?' यह पुस्तक पढ़न की सिफारिश करना । परन्तु जो प्रश्न पूछा गया है वह भारत के मूलकाल को संदेश भर नहीं है परन्तु वर्तमान के सम्बन्ध में है । मुझे इस बात का स्पष्ट स्वीकार करना चाहिए कि वर्तमान काल में भारत संसार को कुछ नहीं चीजा सकता है । वह सम्पूर्ण अहिंसा और सत्य के मार्ग से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की शक्ति का विकास करने का प्रयत्न करना है । कुछ लोग जो इस हलचल में शामिल हैं उन्हें इन साधनों में अमर श्रद्धा है लेकिन एक क्षण में भारत के बाहर रहनेवाले लोगों में यह श्रद्धा उत्पन्न करना सम्भव नहीं । और यह कहना भी सम्भव नहीं कि वह श्रद्धा भारत के शिक्षण वर्ग का सामान्य धर्म है । परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि भारत अहिंसामय साधनों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल होगा तो वह उन लोगों को जो उनके लिए लड़ रहे हैं अपना सन्देश सुनावेगा और उससे भी अधिक बात यह है कि तब वह संसार को शान्त में अपना सबसे बड़ा बड़ा हिस्सा देगा कि जैसा हिस्से ने जबतक कभी न दिया होगा ।

### तकली शिक्षक

इस नाम की एक छोटी सी ८० पन्ने की पुस्तक चरखा-सच की तरफ से प्रकाशित हुई है । श्री. रिचार्ड बी. प्रेय व श्री. मथनकाल सु० गांधी इसके लेखक हैं । इसमें २३ चित्र दिये गये हैं । उनमें इस छोटे से सर्वोयोगी तथा राष्ट्रीय महत्त्व रखनेवाले चित्र की तरह तरह की आकृतियां और कातने की क्रिया की तरह

तरफ की शक्तें बताई गई हैं। इस पुस्तक में तकली से कातने की तेजी १९२२-२३ सूचनायें दी गयी हैं कि कोई भी आदमी इस पुस्तक का क्या पढ़कर तकली से कातना सीख सकता है। इस पुस्तक में तकली के जुड़े जुड़े उपयोग भी बताये गये हैं, और यह भी दिखाया गया है कि कुछ मौकों पर तकली की अपेक्षा तकली ज्यादा काम भी जाय है। तकली बनाना भी इस पुस्तक से सीखा जा सकता है। पुस्तक के अन्त में कुछ ऐतिहासिक उल्लेख भी किया गया है कि जिससे मालूम होता है कि इसी यंत्र के जयिये काका का यह बारीक से बारीक सूत कतता था कि जिसकी बरबरी आज तक दुनिया में कोई भी कल नहीं कर सकी है। तकली का बचो से किडी से भी क्यों न काता जाय, सब के लिए उपयोगी ऐसी बहुत सी उम्दा सूचनायें इसमें दी गई हैं। तालीय की दृष्टि से लेखक कहते हैं कि तकली से इतने गुणों का विकास होता है:-

- “ १ धीरज; २ दृढ़ता; ३ एकाग्रता; ४ जाग्रत-शासन; ५ स्थिरता; ६ छोटी छोटी बारीक बातों का महत्व जानना; ७ एक साथ कई काम करने की योग्यता और उनमें से एक में इतनी प्रवीणता कि वह काम तो खना प्रयास अपने आप हुआ करे; ८ स्वयं-शास्त्र की सीखना, निश्चिन्ता, ब तैजों और स्नायुओं पर काबू; ९ इस काम का अनुभव होना कि चाहे थोड़ी थोड़ी देर बीच २ में ही क्यों न काम आय मगर इकठा होने पर उस सारे प्रयत्न का मूल्य कुछ और ही होता है, इसी से वक्त की कीमत मालूम होगी; १० महार के काम मालूम हाते हैं; ११ आनी मेहनत से काम जीना कमाई करने से आत्म-विश्वास बढ़ता है। ” और इन गुणों से कातने बताये गये हैं। राज्य कताई के आन्दोलन में जोड़ काबू हा, व इस पुस्तक को मगा कर पढ़ कर के अपने आर जान सकगे। प्रकाशकी ने तकली के कातनेवालों से प्रार्थना की है कि इस विषय पर समाचारना, सलाह वा सूचना किना संकाय भेजी जावे। जिससे कि दूरी आदृष्टि में उनका समावेश कर लिया जाय। कीमत इसका ६ आने रखी गई है। डाक खर्च वा १ आना अलग देना होगा।

**खादी के मासिक अंक**

जनवरी मीने के जितने भी अंक प्राप्त हुए है नीचे दिये गये हैं, जिन संख्याओं ने अबतक अपने अंक नहीं भेजे है मुझे अज्ञात है कि वे अब शायद ही अपने अंक भेज देंगे।

पैदाइश	दिनांक
पहले स्वीकार किये गये	३०,७११)
अप्रैल	१,९१०)
मई	४१,४९२)
जुलाई	३३,१४९)
दिसम्बर	१,१३०)
तामीलनाडु	५१,४६७)
संयुक्तप्रान्त	९,१५६)
<b>कुल</b>	<b>१,४१,७१९</b>
	<b>२,२५,२२८</b>

अप्रैल के अंक अपूर्ण है, ६१ मण्डारों में केवल २५ मण्डारों ने ही प्रस्तुत कां लिय को अपनी रिपोर्टें भेजी हैं। मई के अंक में केवल प्रीम्स स्टेट मंडारों के खादी-मण्डार और १४ दार्जिलिंग अग्यारी लेन कारावादेवी रोड मंडारों के खादी-मण्डार के और राष्ट्रीय अंकों-समा के बौद्धों के अंक ही दिये गये हैं। सेन्ट्रल-मण्डारों के खादी-मण्डार के अंक प्राप्त नहीं हुए हैं।

बंगाल के अंकों में सिर्फ खादी-प्रतिष्ठान और अभय आश्रम के अंक ही दिये गये हैं। तामीलनाडु के अंक सम्पूर्ण हैं। शाखाओं की विक्री के अंक दुबारा न लिखे जायें इसका क्याल कर के छुद्र अंक ही दिये गये हैं। संयुक्तप्रान्त के अंकों में केवल बनारस के गांधी-आश्रम के और काशीपुर मण्डार के ही अंक हैं। अहमदाबाद मण्डार के अंक प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु उसमें प्रति मास ७००) की औसत विक्री होती है। वेदली के अंकों में सिर्फ श्री श्रीगोबिन्दाल प्यारेवाल हापुर के अंक ही दिये गये हैं; एरज-आश्रम और श्री विशंभर ब्याल खादी-मण्डार के अंक अभी प्राप्त नहीं हो सके हैं।

( यं. इ. )

श्री० क० गांधी

**गुरुकुल और खादी**

श्री जमनालालजी हरिद्वार से लिखते हैं:

“ दो दिन गुरुकुल कांशी में रहा। वहाँ मुझे बड़ा सन्तोष हुआ। वहाँ यह क्याल हुआ कि खादी के वायुमण्डल का अच्छा विस्तार किया जा सकता है। श्री रामदेवजी, देवशर्माजी, सत्य-केतुजी, सेठीजी आदि बहुत से महाशय खादी और बरबो के प्रकार के पक्ष में हैं। बहुत ही थोड़ा प्रयत्न करने से मैं यहाँ चर्चामंच के कुछ सभामुद् बन सका हूँ, उनके नामों की सूची इसके साथ है। मुझे आशा है कि दूसरे और भी बहुत से सभासद होंगे... गुरुकुल में आपके सिद्धान्तों के प्रति भ्रम और भ्रंश का परिमाण अच्छा है..... गुरुकुल कल्या-महाविद्यालय वेदली में भी बरबो शुरू कर दिया गया है और दिन प्रतिदिन उसमें प्रगति होने की आशा है। ”

जमनालालजी की मेजी हुई सूची में ४० नाम हैं। साथ तो यहाँ नहीं दिये जा सकते परन्तु उका पृथकरण अवश्य क्यान देने योग्य है। उसमें प्रथम सभासद तो गुरुकुल के आचार्य हैं, पांच उपाचार्य हैं, सात नये स्नातक आर वेदालंकार तथा विद्या-संस्कार उपाधिभूषित हैं। पांच अनुसंध श्रेणी के, चार द्वादश श्रेणी के और पांच एकादश श्रेणी के महाशयरी हैं; गुरुकुल में दो बहने सभासद हुई हैं और वेदली में तीन -- श्रीमती विद्यावती सेठा ( बी. ए. ) आचार्य कन्यागुरुकुल और दूरी दो अध्यापिका, श्रीमती सीतारवा और श्रीमती चन्द्रवती।

पंजाब के खादी निरीक्षक लिखते हैं:

“ आर्यसमाजियों की तरफ से मुलतान छावनी में एक गुरुकुल है। उसमें १४० विद्यार्थी हैं। उसके व्यवस्थापक ने सब विद्यार्थियों को खादी के ही कपड़े देने का निश्चय किया है। पहले देखा मिली के कपड़े उन्हें दिये जाते थे और उसमें करीब करीब ५८०) खर्च होते थे। परन्तु अब हमलाओं ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का भार अपने सिर लिया है और पहला हप्ता दे भी दिया है, और आनंद की बात तो यह है कि उनके बजट में कोई रकम बचाये बिना ही उनको पूरे कपड़े दिये जा सकेंगे।

मुसफरगढ में आर्यसमाजियों का एक अनाथाश्रम है और इसी जिले के एक गांव में गुरुकुल भी है। इन दोनों संस्थाओं को हमारी खादी एक्न्सी उनकी आवश्यकतामुद्दर खादी पहुंचाती है। ”

इस सब संस्थाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ।

( जनजीवन )

श्री० क० गांधी

### सत्याग्रहाभ्रम में राष्ट्रीय सप्ताह

सत्याग्रहाभ्रम में राष्ट्रीय सप्ताह जिस तरह मनाया गया वह काल ध्यान देने योग्य है क्योंकि सब लोगों ने इस सप्ताह में वर्ष में सबसे अधिक कार्य और प्रार्थना करने के लिए अनुपम उत्साह के साथ बड़ा प्रयत्न किया था। उसके पहले सप्ताह में ही इस सप्ताह को उत्तम प्रकार से कैसे मनाया जाय इसका विचार कर लिया गया था। यह निर्णय हुआ था कि आभ्रम का रोजाना नियमित कार्य बराबर चलते रहना चाहिए, सुबह शाम की साधारण प्रार्थना और बाला के लड़कों की विशेष प्रार्थना सामूहिक तौर पर होती रहनी चाहिए। ६ और १३ तारीख को सबको उपवास करना चाहिए और सबको (सिवा लड़कों के कि जिनको छुटी ही गई थी) अपना अपना काम भी करना चाहिए और फिर भी विशेष प्रयत्न कर के इस सप्ताह को स्पष्ट राष्ट्रीय कार्य करना चाहिए। इस उद्देश को ध्यान में रख कर पांच इण्डियों ने अपने अपने विभाग में रात दिन, ६ अप्रैल को सुबह ४ बजे से १३ तारीख की शाम को ७ बजे तक चरखा चलाने का निश्चय किया। बाकी के लोग सब अपना अपना चरखा काते और ता. ६ की सुबह से १३ की शाम तक एक करके रात दिन चलायें।

परिणाम का पृथक्करण करने से मालूम होता है कि ईश्वर ने हमारे प्रयत्नों को अनुपम सफलता प्राप्त कराई है। चरखे और करघे एक क्षण भी रुके बिना और कुछ सराब हुए बिना दिन रात चलते रहे और जो लोग उस पर रात को कातते थे उनमें से कोई न बीमार हुआ है। एक दिन एक १६ साल के लड़के ने १४ घण्टे तक चरखा चलाया और जब शाम को अपना सूत लिखाया तब विशेष उत्साह पैदा गया था। उसने ४४४४ तार अर्थात् ५२२५ गज सूत काता था। इससे दूसरों को भी उत्साह मिला और उसका परिणाम यह हुआ कि इस सूती में दूसरे पांच कातनेवाले भी शामिल हो गये। इनमें जिसे सबसे अधिक सफलता मिली उसने ९११९ तार काते थे अर्थात् १७ अंक का १२००० गज सूत काता था और उसके लिए उसने २२ घण्टे ३० मिनट चरखा चलाया था।

लेकिन वह लड़का जिसने पहले पहल बड़ी सफलता प्राप्त की थी इस तरह हा नेवाला न था। उसने आखिरी दिन को ७००० तार काते और इस तरह इस सप्ताह के व्यक्तिगत करते गये सूत के अंकों में वह सबसे प्रथम रहा। उसने कुल १७,२४४ तार अर्थात् २२,९९२ गज सूत काता था, अर्थात् प्रति-दिन ३००० गज का औसत हुई।

अपि मैंने ऊपर यह कहा है कि लड़कों को छुटी थी परन्तु वह छुट्टी नहीं तक थी जहाँ तक की उसका सम्बन्ध शाला से था। काम के लिहाज से कोई छुटी नहीं थी। उस समय जब कि वे कातते नहीं थे उन्हें सरा ही समय रही चाफ करने में और पुनर्जा बनाने में लगाना होता था और वे अर दूसरे बड़े कातनेवाले उधे कातते थे।

लेकिन अब उसके पृथक्करण के प्रते फिर ध्यान दें। तुलना के लिए इस सप्ताह के अंकों को दूसरे साधारण सप्ताह के अंकों के साथ देता हूँ।

	साधारण सप्ताह		विशेष सप्ताह	
	तार	औसत	तार	औसत
पुरुष	१,०२,०४२	२८१	१,२७,४५७	४८०
स्त्रियाँ	५४,२८८	२९५	१,५१,११४	६३८

शाला	लड़के	लड़कियाँ	कुल
कडके	५०,६०२	२६४	२,३७,०१०
बबे	११,१०२	१६०	३५,७७४
कुल	२,१८,०३४		६,११,८४९
साधारण औसत प्रति मनुष्य	२७१		६४४

आखिरी दिन की कताई के अंक ये हैं:

	तार	औसत	उस दिन का कुल
पुरुष	४४,४९३	८४०	१,४३,८९८
स्त्रियाँ	२७,४८८	८८७	
शाला			
लड़के	१५,४८५	२३३९	औसत प्रति मनुष्य
लड़कियाँ	६,४३२	५८५	१,१७० तार

करघे पर रात दिन काम करने का परिणाम न बंधे दिया गया है। पांच जी पुरुष बारी बारी से उस पर बैठते थे। काम के कुल घण्टे १८० कुल मनुष्य ४० कुल उत्पन्न १९० गज, २१" का अरज ऊपर जिन अंकों का पृथक्करण किया गया है उनमें से मैं अब कुल हिन्दी-नवजीवनी के अंक देता हूँ।

सप्ताह भर के सब से अधिक कताई के अंक

	तार
पुरुषों में	के.ए. १७,१३५
स्त्रियों में	भी. कृष्णामैथ १०,२००
शाला के लड़कों में कान्ति	१७,२४४
लड़कियों में आनन्दी	७,२८१

आभ्रम के सब से अधिक बुद्ध सदस्यों ने अर्थात् गांधीजी और कस्तूरबा ने अनुक्रम से कुल ३,८०९ और ४,२२६ तार काते हैं और सब से छोटे सदस्य ने अर्थात् सब से अधिक बुद्ध सदस्य की पोती ने ४,३२३ तार काते हैं।

५७ पुरुषों में ३ पुरुषों ने कुल १०००० से अधिक तार काते हैं और तीन पुरुषों ने ५००० से अधिक तार काते हैं। और ३२ स्त्रियों में एक स्त्री ने १०००० से अधिक और ११ स्त्रियों ने ५००० से अधिक तार काते और २९ शाला के लड़कों ने ६ लड़कों ने १०००० से अधिक और १४ लड़कों ने ५००० से अधिक तार काते हैं।

व्यक्तिगतः सब से अधिक कताई

	तार	काम के घण्टे
के.ए.	१११९	१३३
कृष्णा	७,२८५	२२३
सेमा	७,२२५	२१
कान्ति	७८००	२०
केशवाम	५,१००	१८
मकीन	४,४००	१६

कुल १३३ आभ्रमवासियों, से १८ मनुष्यों ने (उपरोक्त ६ कातनेवालों के अलावा) रोजाना दो से तीन हजार तार के हिस्से से सूत काता था।

(नवजीवन) महादेव हरिभाई देसाई



# हिन्दी-नवजीवन

गुरुवार, द्वितीय वैश्व सुदी २, संवत् १९८२

## पंडित नेहरु और खादी

'टाइम्स आफ इण्डिया' की दृष्टि में पंडित मोतीलालजी की कमी बड़े आदमी नहीं हुए। उनसे जो अभी अभी अपराध हुआ है वह यह है कि उन्होंने प्रयाग में खादी की फेरी की। वहाँ कुछ साल पहले तो वे अपनी मोटर के बिना घायब ही दिखाई देते थे परन्तु लेखक की अपनी सुन्दर भाषा में 'भारत में भी इस बात का स्वीकार किया जाना चाहिए कि पंडितजी स्वयं गंधे बन रहे हैं'। यह वाक्यें योग्य हैं कि बहुतेरे नेता पंडितजी का अनुकरण करें और 'टाइम्स आफ इण्डिया' ने पंडितजी से जो ऐसी विनय (१) से भरी हुई उपाधि दी है उसको प्राप्त करें। जिस समय विदेशियों के तमक से भाप मिल रहा हो उस समय तो साधारणतया आनंद ही मनाना चाहिए परन्तु यदि वे हमारी प्रशंसा करें तो हमें उनसे चेतते रहना चाहिए। प्रोक लोग जब भेट या पुरस्कार लाये तभी खाल कर रोगन लोग उनसे बरने लगे थे।

महासभा, खादी और महासभा के समर्थकों के प्रति अपना तिरस्कार प्रकटित करने में टाइम्स का लेखक अपने आप कहीं आगे बढ़ गया है। पाठक स्वयं ही इसकी परीक्षा करें। लेखक लिखते हैं:—

महासभा का सम्पूर्ण नाम, महासभा के ध्येय की सम्पूर्ण निष्कलता और महासभा के समर्थकों में एक भी युक्तिपूर्ण राजनैतिक विचार का अभाव अलहाबाद से सम्पूर्ण उत्साह के साथ भेजे गये इस तार से साबित हो जाता है।

लेखक आगे बढ कर कहते हैं:

'यदि ब्रिटिश जनता को यह समाचार मिले कि लार्ड बरकमहेड यूनिवर्सिटी के जाडिष्ठ पहन कर ट्राफाल्गर स्क्वैर के सिंह के नाच खड़े रह कर टोरी हल के नीचे फाँटे या फूँठ बेच रहे हैं, धी बाल्बावम पिसेडेली में ब्रिटिश लिबेलेने बेच कर सामान्य के उद्योग की उन्नति कर रहे हैं, श्री रेमसे मेडिकोनल्स सन का जूनिगा और मफ्जर पहन कर काइमहाउस में कारीगरों को लाक खंडे दे रहे हैं और स्त्रीडेमाइडू के बंखोंवाकों ने स्त्रीडेसाइड में उनके चिह्न हथोडे और हथियों धी बेचने के लिए एक दूकान खोली है तो सब लोग इस पर से यही नतीजा निकालेंगे कि उनके नेता सब पागल हो गये हैं।'

इसतर से सहज ही यही अनुमान निकाला जा सकता है कि पंडित मोतीलालजी और श्री रंगस्वामी आचंगर जैसे खादी की फेरी करनेवाके प्रतिद्व पुत्र्य पागल हो गये हैं। लेखक ने बिष भाषा का प्रयोग किया है वह केवल अपमानकारक ही नहीं है परन्तु धोखा देनेवाला भी है। खादी में लौर ब्रिटिश टोरी के टोरी-इज के फल बेचन में तुलना ही ऐसे सम्भव हो सकती है। चाहे ठक हो या गलत हो, हमारे भारतीयों की दृष्टि में खादी, शिक्षा और अधिकारमयस वर्ग और जनसमुदाय में सखा सम्बन्ध कराने के लिए एक चिह्न है और उससे जनसमुदाय को जिसे ब्रिटिश सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूछा जाता है उसका अधिकारसम्पन्न वर्ग, जिसके जवें कालों मूक किंतु मिहनत करनेवाके लोगों पर वे राज्य करते हैं वरके में

कुछ थोडा छोटा ही सकता है। क्योंकि नरपदक के राजनैतिक नेताओं ने खादी और उससे सम्बन्ध रखनेवाली सब बातों का तिरस्कार करने का रिवाज बाला है इमीसे तो ऐसा अपमान सम्भव हो सका है। यह किने बाद नहीं है कि जब लडाई शुरू हुई जवान, बुढ़े, ली पुरुष, बड़े छूटे, अर्थात् जो लडाई के सैनिक नहीं हुए थे भयवा जिम्हे सैनिक नहीं बनाया जा सकता था। उगते बखमी सैनिकों के लिए जो लुदे लुदे अस्पतालों में आये वे कपडे लीने की आशा रखी गई थी और सरय ही उन सब लोगों ने कपडे सीये भी थे? उस समय लोग इस छोटी सी सेवा करने के लिए आपस में स्पृही भी करते थे और जिसे सीना नहीं जाता था उसे यदि उसका कोई पडोसी सीना सीखा देता तो वह उसका उपकार मानता था। ब्रिटिश प्रजा के जवद जो कही अर्बंकर आकत आई थी उसके विचार से छोटे बड़े का सब ख्याल पूर कर दिया गया था। मैं बड़े साहस के साथ यह कह सकता हूँ कि जो लोग साधारणतया सीने का या ऐसा ही दूसरा कोई काम नहीं करते हैं उनका यदि सीने का या ऐसी ही दूसरे सैकड़ों काम करना उस समय आवश्यक समझा जाता था और उसका देशभक्ति में सुमार होता था तो भारतीयों के लिए विदेशी कपडों का बहिष्कार कर के खादी पहनना और इस प्रकार कताई के उद्योग को जो अकेला ही ऐसा एक है कि जिसे भारत के लाखों करोड़ों लोग अपना करते हैं प्राप्त करना हजार-गुना आवश्यक और देशभक्ति का कार्य हो सकता है।

अंगरेजी दित्तियों में हम यह पढते हैं कि जब कितने इन्वक की उसके विरोधी इसी उकाले हैं तब यह कहा जा सकता है कि वह इलचल प्रगति कर रही है। और जब उससे उन विरोधियों का कोप भडकता है तो यह कह सकते हैं उसका आसनुकूल परिणाम हो रहा है। यदि 'टाइम्स आफ इण्डिया' ब्रिटिश प्रजा की राय का प्रतिनिधि कहा जा सकता है तो यह स्पष्ट है कि उसका आसनुकूल परिणाम हुआ है।

उस लेख के लेखक पाठकों को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि "प्रयाग की प्रजा को भारत के दूसरे विभाग के अनिश्चत महासभा के कफन के कपडों की कोई अधिक आवश्यकता नहीं है।" खादी को उन्होंने यह नाम दिया है। यदि यह ठीक है तो खादी के प्रति जो तिरस्कार दिखाया गया है उसे धमसना बडा ही मुश्किल है। परन्तु महासभा के नेताओं का न कर्तव्य है कि वे यह सिद्ध कर दिखायें कि खादी महासभा का कफन का कपडा नहीं है परन्तु महासभा को जनसमुदाय के साथ जोड़ने के लिए वह एक हठ साहक है और इसलिए पहने के अनिश्चत वह ली लोगों की अधिक प्रतिनिधि सभा बनती है।

परन्तु यूरोपियनों को स्थाय करने के लिए मुझे यह कहना चाहिए कि खादी के प्रति जहर उगलने में 'टाइम्स आफ इण्डिया' का लेखक सामान्य यूरोपियन जनता का प्रतिनिधि नहीं है। मैं भारत में ऐसे कुछ यूरोपियनों को जानता हूँ कि जो खादी के सम्देश के प्रति भद्रा रखते हैं और कुछ ती स्थं इसका उपयोग मा करते हैं। उनका सम्देश तो यूरोप भी पहुँचा है। जहर के सम्बन्ध में पोखेज के पूर देश से एक प्रोफेसर का यह पत्र आया है:

"आप के ख्याल में क्या यह अच्छी बात न होगी कि यूरोप में भारत के मित्रों को भारतीय कपडा बेचने का प्रयत्न किया जाय? यदि आप मुझे कुछ हिन्दुस्तान का कपडा अंगरेजी सिक्कों में उध कर उसकी कीमत लिख कर भेजेंगे और कपडा

मेरे के लिए कोई अचरणीय बात किज जैसे तो मैं कुछ बड़ा बहुत प्रयत्न करूँगा। मेरे इरादा है, यद्यपि किसी भी कोई बड़ी रकम न होगी फिर भी प्रचार के लिए यह बड़ा उपयोगी कार्य होगा। मुझे आशा है कि योकेण्ड में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो आप के कार्य के प्रति अपनी सहाय्यता दिखाने के लिए भारतीय कपड़ा पहनने में अभिमान लेंगे और वे बड़े खुशी होंगे। भारत की मुक्ति के लिए सरकार की सहाय्यता प्राप्त करने का आग्रह यह सब से अच्छा उपाय है। मैं स्वयं काठने का भार आघाती से नहीं उठा सकता हूँ परन्तु भारतीय कपड़ा, वह अधिक खर्चीका हो तो भी, मैं घर घर जा कर उसकी बिक्री बसाने का कार्यभार अपनेप उठा सकता हूँ।"

( ५. ६. )

सोहनदास करमचंद गांधी

### विविध प्रश्न

[ गांधीजी की डाक से निम्न लिखित प्रश्न लिये गये हैं प्रश्नों का केवल उत्तर ही दिया गया है। उत्तर गांधीजी के सन्देशों में है। ]

#### भाऊ और मुक्ति

भाऊ के सम्बन्ध में आपका क्या अभिप्राय है? भाऊ करने से क्या सद्गति होती है? मृत्यु हो जाने के बाद अस्थि किसी तिर्थस्थान में ले जाते हैं; उसका क्या रहस्य होगा? समर राजा के पुत्रों का मगीरथ ने गंगाजल से उद्धार किया था इसका क्या रहस्य? अजामिल अपने पुत्र का नाम रटते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था, अर्थात् अपने पुत्र के प्रति समरव रखने पर भी केवल पुत्र का अकस्मात् एक नारायण नाम रखने से ही क्या तिर जा सकते हैं?

उ० भाऊ के सम्बन्ध में मैं उदासीन हूँ। उसकी कुछ आध्यात्मिक उपयोगिता हो तो भी उसे मैं नहीं जानता। भाऊ से मृत मनुष्य की सद्गति होती है यह भी मेरी धमका में नहीं आता है। मृत देह के अस्थि गंगाजी में ले जा कर डालने से एक प्रकार के आत्मिक भावों की दृष्टि होती होगी, इसके अलावा उससे कोई दूसरा लाभ होता हो तो वह मैं नहीं जानता हूँ।

मेरा अभिप्राय तो यह है कि समर राजा की बात एक सच है, ऐतिहासिक नहीं। नारायण नाम के उच्चारण के सम्बन्ध में जो बात कही जाती है वह केवल भ्रष्टा बसाने के लिए है। मैं इस बात का स्वीकार नहीं कर सकता हूँ कि उस मन्त्रोच्चार का अर्थ समस्त त्रिना ही जो मनुष्य अपने पुत्र का नाम नारायण होने के कारण मृत्यु के समय उसका उच्चारण करता है उसे भी मुक्ति मिल जाती है। परन्तु जिसके हृदय में नारायण का वास है और इसलिए जो मनुष्य उस मन्त्र को रटता है उसे भी मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होता है।

#### विचारहित जीपुस्तकों का धर्म

एक भाई विचारित जी-पुस्तकों के अनियमित असेवक के प्रति इशारा करते हैं और कुछ लोगों के इस प्रश्न को कि जो उसे एक अधिकार मानते हैं या कभीय मानते हैं दूर करने के लिए किससे है? क्या मनुष्यमान के बाद चौथे दिन गर्भावण करना आवश्यक है?

उ० जो सद्गति, जैसा कि भाव लिखते हैं वे ही विचारित हो कर रहते हैं। वे जीपुस्तक के धर्म का पाठन नहीं करते हैं, वे पद्य से भी बचते हैं, और यह कहने में सुझे जरा भी संकोच नहीं होता है। बारह सेरह वर्ष की लड़की जीपुस्तक का

पाठन करने में असमर्थ है। उसके साथ विषय-व्यवहार रखने-बाका बका भारी पाप-कर्म करता है।

रजस्वला जी के सम्बन्ध में आप जो बातें लिखते हैं उसे तो मैं जानता ही न था। चार दिन हो जाने पर पुत्र को उसके साथ रहना ही चाहिए ऐसे धर्म का होना मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। जब तक साव जारी रहता है तब तक उसकी उसके पति का स्पर्श त्याग्य मानता हूँ। साव बंध हो जाने पर दोनों को यदि सन्तानोत्पत्ति की इच्छा हो और इसलिए वे संगोग करें तो मैं उसे दोष न मानूँगा।

#### रजस्वला और प्रसूता

रजस्वला धर्म के पाठन करने के क्या मानी हैं? उसका पाठन न ही तो क्या हो? प्रसूता को भी क्यों अप्रवृत्त रहना चाहिए और कब तक रहना चाहिए?

मनुष्यता यह जियों के लिए आत्मिक ध्याधि है। ऐसे समय रोगी को शान्ति की बड़ी आवश्यकता होती है और कामी पुत्र का संग होना तो उसके लिए बड़ी ही भयंकर बात है।

प्रसूता के सम्बन्ध में भी यही कारण होता है। उसे कम से कम २० दिन का आराम दिया जाता है। इस रिवाज का मैं क्या अच्छा निर्वाह मानता हूँ। सम्बन्धी जी धर्म में भी कोई उसका स्पर्श नहीं करती है यह अतिशयता है।

#### शिक्षक के प्रश्न

१. उत्तम शिक्षा किध तरह दी जाय?
२. परमधेय करने के लिए क्या पठना चाहिए?
३. उत्तम भोजन क्या हो सकता है?
४. चाय पीने से सर में दर्द होता था, इससे चाय छोड़ दी और एक ही मरतवा भोजन करना आरंभ किया। शाम को भूक लगती है फिर भी सुबह को पेट भरा माछम होता है; इसकी क्या वजह?
५. चित्त को एकाग्र करने के मार्ग क्या है?
६. आपको ही आन्तरिक सन्देश प्राप्त नहीं हुआ है तो 'फर मेरे जेसों को वह कैसे मिल सकेगा?'
७. परमात्मा का दर्शन करने का उपाय क्या है?
८. प्रकृति से क्या शान्ति प्राप्त हो सकती है?

उ० १. विद्यार्थियों के साथ तन्मय हो कर ही उन्हें उत्तम शिक्षा दी जा सकती है। इसके लिए शिक्षक को जो विषय सिखाना हो उसकी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए।

२. गीताजी और रामायण यदि विचार के साथ पढ़े जायें तो उससे सब कुछ प्राप्त हो सकेगा।

३. गेहूँ, दूध और हरीयाली की चुराक ही खास कर काफी होगी। तेल और मसालों का त्याग करना आवश्यक है।

४. शाम को यदि भूक लगती है तो थोड़ा सा दूध पीओ और वह भी यदि कुछ भारी माछम हो तो संभरा, प्राक वा ऐसा ही कुछ हरा फल खाओ। सुबह ताम खुली हुई हवा में उत्साह-पूर्वक मचासर्क घूमना चाहिए।

५. हृदय को पवित्र रखने के लिए और एकाग्र बनने के लिए उपरोक्त पुस्तकों का पठन और मनन करना और जब कभी कोई शुभ-कार्य में न लगे हों उस समय रामनाम का रटना बहुत कुछ मदद करता है।

६. हमें तो प्रयत्न ही करते रहना चाहिए और इस बात की भ्रष्टा रखनी चाहिए कि प्रयत्न का फल कभी भी प्राप्त हुए बिना नहीं रहता है।

७. रामदेवादि का सर्वांग में क्षय हो जाना ही आत्मदर्शन का एक मात्र उपाय है।

८. शुभ प्रकृति करने से परम शान्ति अवश्य ही प्राप्त की जा सकती है।

( नवजीवन )

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

### अध्याय १९

#### असत्य का जहर

जातीय सार पहले भाग के अतिरिक्त बहुत ही थोड़े लोग विकसित करते थे। उनमें गढ़ राज पढ़ गया था कि वे विवाहित होने पर भी अपने को अविवाहितों में ही गिनाते थे। उस देश में शाला या कालेज में पढ़नेवाला कोई भी लड़का विवाहित नहीं होता। विवाहित को विद्यार्थीजीवन ही नहीं हो सकता है। हम लोगों में पहले तो विद्यार्थी मध्यचारी ही कहलाता था। इस जमाने में ही बालविवाह का राज पड़ा है। विलायत में, यह कहा जा सकता है कि बालविवाह जैसी कोई चीज ही नहीं है। इससे हिन्दुस्तानी युवकों को अपना विवाहित होना स्वीकार करने में शर्म मालूम होती है। विवाह की बात छिपाने का दूसरा कारण यह है कि उससे जिस कुटुम्ब में वे रहते हैं उस कुटुम्ब की युवा लड़कियों के साथ घुमना फिरना और खेल करना प्राप्त नहीं हो सकता है। यह खेल बहुधा निर्दोष होता है। मातापिता ऐसी मित्रता पसंद भी करते हैं। युवकों और युवतियों में ऐसे सहवास की वहां आवश्यकता भी मालूम होती है क्योंकि वहां के प्रत्येक युवक को अपनी सह-संचारिणा आप ही इतक लेनी होती है। अर्थात् जो संबंध विलायत में स्वाभाविक गिना जा सकता है वह सम्बन्ध यहाँ हिन्दुस्तान के युवकगण वहां जाते ही जोड़ना आरंभ कर दे तो उसका परिणाम भयंकर हो होगा। ऐसे भयंकर परिणाम आये हुए कितनी ही मरतबा सुने हैं। फिर भी इस मोहिनी माया में हमारे युवक फस गये थे। अंगरेजों के लिए वह चाहे किसी निर्दोष क्यों न हो, परन्तु हमारे लिए तो वह त्याग्य थी और एसी ही सांभल-देवा के लिए उन्होंने समस्याचरण का पसंद किया। मैं भी इस जाल में पंसा था। मुझे विवाहित हुए पांच छः साल हो गये थे और एक लड़के का मैं पिता था, फिर भी मुझे अपने को अविवाहित बताने का स्वाद तो मैंने बहुत ही थोड़ा चक्का था। मेरे लज्जाशील स्वभाव और मेरे मौन ने मेरी बड़ी रक्षा की। यदि मैं ही बातचीत न कर सकूँ तो फिर मेरे साथ बातचीत करने की किस लड़की को फुरसत होगी? मेरे साथ घुमने के लिए भी शायद ही कोई लड़की तैयार होती थी।

जैसा मैं लज्जाशील था वैसा ही मैं शीठ भी था। बेटनर में भिन्न घर में मैं रहता था जैसे जों में विवेक के लिए भी घर की लड़कियाँ मेरे जैसे मुसाफरों को घुमने के लिए के जाती थी। इस विवेक के कारण हम घर की भालकिन की लड़की मुझे बेटनर के चारों ओर भाई हुई सुन्दर पहारियों पर लिजा के गई। मेरी बाल कोई धारी न थी परन्तु लड़की बाल तो मुझसे भी सेज थी इसलिए मैं तो उसके पीछे पीछे चसीटाता हुआ चला जाता था। वह तो रास्ते भर बातें करती जाती थी और मेरे मुँह से तो केवल कभी 'हाँ' का तो कभी 'ना' का ही सुर निकलता था। यद्यपि कुछ अधिक बोलता तो "कैसा सुन्दर है" वही शब्द निकलते थे। वह तो इना में उठनी चलती थी। और मैं कब घर पहुँचूँ इसी का विचार करता था। फिर भी 'बकी अब कौटें' यह कहने तक की मेरी हिम्मत न जाती थी। इतने ही में हमलोग एक टीके के ऊपर पहुँच गये। लेकिन जब उसपर से उतरें किसे? ऊँची एडी के चले होने पर भी वह बीच-बीच साल की रमणी बिजली की तरह नीचे उतर

गई। परन्तु मैं तो अभी शरमिदा हो कर उस पर से नीचे बैठे उतरा जाय इसी का विचार कर रहा था। वह नीचे कभी कभी इसती थी, मुझे हिम्मत दे रही थी। ऊपर आ कर मुझे हाथ पकड़ कर चसीट के जाने को भी कह रही थी। लेकिन मैं ऐसा दुर्बल क्यों बनूँ? बड़ी मुश्किल से पैर चसीटते हुए और बैठते बैठते मैं नीचे आया। और उसने मजाक में 'शाबाश' कह कर मुझे शर्मिंदे को और भी अधिक शरमाया। इस प्रकार मेरा मजाक उठाने का उसे अधिकार था।

लेकिन सब जगह इस प्रकार में कैसे रक्षा पा सकता था? ईश्वर की इच्छा थी कि असत्य के जहर से मैं रक्षा पाऊँ। जैसा बेटनर है वैसा ही वाश्टन भी समुद्र किनारे हवा चानि का एक स्थल है। एक मरतबा मैं वहां गया था। जिस होटल में जा कर ठहरा था वहाँ एक विधवा और साधारण धनिक बूढ़ा भी घुमने के लिए आई थी। यह मेरे विलायत के प्रथम वर्ष की बात है—बेटनर के पहले की। वहाँ होटल में मिलने-वाली चीजों की सूची में सब नाम क्रम मात्रा में लिखे हुए थे। उसे मैं समझ नहीं सकता था। जिस मेज पर वह बूढ़ा बंठी हुई थी उसी पर मैं भी बंठा था। बूढ़ा ने देखा कि मैं अजनबी हूँ और कुछ घमकाया हुआ भी हूँ। उसने मुझसे बात करना आरम्भ किया। "आप अजबान मालूम होते हो, और कुछ जगह-धे हुए भी हो। आगने अभी तक कोई जाला क्यों नहीं मंगाया है?" मैं वह सूचि पढ़ रहा था और परोक्षनेत्र के से पूछने ही को था कि उस अजीब औरत ने यह कहा। मैंने उसका उपकार माना और कहा "मैं इस सूची में कुछ भी नहीं समझता हूँ और निराभिषाहारी होने के कारण मुझे यह मालूम करना चाहिए कि इसमें निर्दोष वस्तुयें क्या हैं?"

उस बूढ़ा ने कहा: "यदि आप मेरी सहायता का स्वीकार करेंगे तो मैं आपको मदद करूँगी; यह सूची में आपको समझाऊँगी और यह भी बता सकूँगी कि कौनसी चीजें आप का रकने हैं।"

मैंने साभार उनकी सहायता स्वीकार की। वहाँ मैं हमलोगों में नया सम्बन्ध हुआ और वह जबतक मैं विलायत में रहा जबतक और उसके बाद भी बरसों तक बना रहा। उसने मुझे लष्कन का अपना पता दिया और प्रति रविबार को मुझे अपने वहाँ जाना जाने के लिए जाने का भी निमन्त्रण दिया। अगले वहाँ दूसरे प्रसंगों पर भी वह मुझे बुलाती थी। जान-बुझकर मेरी शरम दूर करती थी और मुझा जियों से मेरा परिचय कराती थी और उससे बातचीत करने के लिए कहवानी थी। एक युवकी तो लड़कीके वहाँ रहनी थी। वह उसके साथ मेरी मूँच बार्ने कगती थी। कभी कभी हमें अकेले भी छोड़ देती थी।

प्रथम तो मुझे यह बड़ा कठिन मालूम हुआ। बातें कैसे करें यही मूँच न पड़ता था। और मैं विमोह भी क्या करता। परन्तु वह युवती मुझे कुमाल बना रही थी। मैं कुछ प्रशन्न हुआ भी। प्रत्येक रविबार की राह वेकता था और अब उस युवती के साथ बातचीत करना भी मुझे अच्छा मालूम होने लगा था।

बूढ़ा भी मुझे डरमा रही थी। उसे हमारे इस सहवास से बड़ी दिक्कत थी। उसने तो हम दोनों का मठा ही माहा होगा।

मैंने सोचा "अब मैं क्या करूँ? यदि मैंने इस बूढ़ा को अपने विवाहित होने की बात कह दी होती तो क्या अच्छा होता? तो फिर वह क्या यह चाहती कि मेरी किस्ती से शादी हो जाय? लेकिन अब भी विवेक नहीं हुआ है। यदि मैं सब कह दूँगा तो अब भी अधिक बड़े संकट से रक्षा पा जाऊँगा।" यह सोच कर

मैंने उसे एक पत्र लिखा। जैसा कुछ भी मुझे स्मरण है मैं उसका सार यहाँ देता हूँ।

“दिल्लोग, ब्राइटन में मिले तब से आप मुझ पर प्रेम रखती हैं। जिस प्रकार माता अपने बच्चे की फीक करती है उसी प्रकार आप मेरी फीक करती हैं; आपका तो यह भी कयाल है कि मुझे शादी करना चाहिए और इसलिए आप मुझियों के साथ मेरा परिचय कराती हैं। ऐसा सम्बन्ध बहुत आगे न बढ़ जाय उसके पहले मुझे आपको यह कह देना चाहिए कि मैं आपके इस प्रेम के लाभक नहीं हूँ। जब मैंने आपके घर आना शुरू किया तभी मुझे यह कह देना चाहिए था कि मैं विवाहित हूँ। मैं यह जानता हूँ कि हिन्दुस्तान के विद्यार्थी विवाहित होने पर भी अपने विवाह की बात प्रकाशित नहीं करते हैं और मैंने भी इसी रिवाज का अनुकरण किया था। लेकिन अब मैं यह समझ सका हूँ कि मुझे अपने विवाह की बात बरा भी न छिपानी चाहिए थी। मुझे तो विशेष में यह भी कह देना चाहिए कि मेरे एक लड़का भी है और बचपन में ही मेरी शादी हो गई थी। इस बात को मैंने आप से छिपाई इसलिए मुझे बड़ा दुःख होता है। सत्य बात कहने की अब ईश्वर ने मुझे सम्मत दी है इसलिए मुझे बड़ा आनन्द होता है। क्या आप मुझे क्षमा करेंगी? जिस बहन के साथ आपने मेरा परिचय कराया है उसके साथ मैंने कोई अनुचित स्वतंत्रता नहीं की है इसका मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। मुझे इस बात का सम्पूर्ण ज्ञान है कि मैं ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं ले सकता हूँ। लेकिन आपका इच्छा तो मुझे किसी क नाथ सम्बन्ध जोड़े हुए देखने की हो सकती है। आपके दिल में यह बात आगे न बढ़े इस कारण से भी मुझे आप के सामने सत्य बात प्रकाशित करनी चाहिए।

इस पत्र के मिलने के बाद यदि आप मुझे अपने यहाँ आने के योग्य न समझेंगी तो उससे मुझे बरा भी बुरा न मालूम होगा। आप के प्रेम के लिए मैं आपका सदा का ऋणी बना हुआ हूँ। मैं इस बात का स्वीकार करता हूँ कि यदि आप मेरा त्याग न करोगी तो मैं बड़ा कुश हूँगा। यदि आप मुझे अब भी अपने यहाँ आने के योग्य समझेंगी तो मैं उसे आपके प्रेम का एक नया चिह्न ही समझूँगा और उस प्रेम के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा।” इस मतलब का पत्र मैंने लिखा था।

पाठक यह समझ सकते हैं कि मैंने ऐसा पत्र कोई एक क्षण में ही न लिखा होगा। क्या माझूम कितने मखनिये तैयार किये होंगे। परन्तु ऐसा पत्र लिख कर मैंने अपने घर से एक बड़ा भारी शोक दूर किया था।

लौटती ही रात से उस विधवा मित्र का उत्तर मिला। उसने उसमें लिखा था:

“आपका साफ दिक् से लिखा हुआ पत्र मिला। उसे देख कर हम दोनों को बड़ी खुशियाँ हुईं और इसी भी आई। आपके जैसा असर तो क्षणभंग ही हो सकता है। परन्तु यह अच्छा ही हुआ कि आपने सत्य बात जाहिर कर दी। मेरा निमन्त्रण तो कायम ही रहेगा। आगामी रविवार को हमलोग आप की राह देखेंगे और आपके बालविवाह की बातों को सुनेंगे और आपको इसी स्त्राने का आनन्द भी प्राप्त करेंगे। यह निश्चय जानिये कि आपकी और हमारी मित्रता तो बेसी हो बनी रहेगी।”

इस प्रकार मुझ में जो असर का जहर दाखिल हो गया था उसे मैंने दूर कर दिया और उसके बाद मेरे विवाह इत्यादि की बातें करने में मुझे कहीं भी संकोच नहीं हुआ।

(मञ्जीवन)

वीरबहास करमचन्द गोधी

## सिर्फ एक राजकीय कार्यक्रम

अहमदाबाद में राष्ट्रीय सप्ताह के निमित्त श्री राजगोपालाचारी ने ६ अप्रैल को तिरुक्क मैदान में जो व्याख्यान दिया था उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है:

“मैं यह जानता हूँ कि आजकल सभानों के प्रति लोगों की अज्ञानि हो गई है इसलिए यदि मेरे कुछ मित्रों के सिवा और कोई भी न जाता तो भी मुझे उससे अछम्तोष न होता, परन्तु यहाँ इतने बड़े मञ्चमें जो देख कर मुझे बड़ा आनन्द होता है। और कुछ नहीं तो अभी आप लोग तो ऐसे हैं कि जो हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहने से उकता गये हैं और कुछ काम करना चाहते हैं।

### यह महापर्व

छात वर्ष के पहले इसी दिन को जो विराट सभा आपके यहाँ और देश के दूसरे स्थलों में हुई थी उसका आपको कुछ स्मरण है? मैं तो उस समय मद्रास में था। हमारे यहाँ शहर में ऐसी कोई जगह न थी जहाँ इतनी बड़ी सभा हो सके। गीर्णों तक फैले हुए समुद्र किनारे की ही हमने उस समय हमारा समारोह बनाया था और वहाँ काज डेढ़-लाक़ मनुष्य एकत्रित हुए थे। क्या आप यह जानते हैं कि देश के चारों कोनों में, सब स्थानों में इतने लोग उपवास और प्रार्थना कर के क्यों एकत्रित हुए थे? उस दिन राष्ट्रीय जागृति के उदय का नतसब हो रहा था—वह जागृति अनेक वर्षों के बाद हमलोगों में पहली ही भरतबा उदय हुई और वह यह कि हमलोग पराधीन राष्ट्र के लोग होने पर भी हम पर राज्य करनेवाली बलवान् शक्ति के विकर भी हम लड़ सकते हैं। उसके पहले तो हम यही मानते थे कि केवल फौज और फौज में ही लड़ाई हो सकता है लेकिन उस दिन हमलोगों ने इस बात का अनुभव किया कि एक शक्तिशाली सरकार के विकार भी हमलोग विरुद्ध निःशक्त होने पर भी लड़ सकते हैं। देश के लिए वह एक महापर्व था। यही नहीं वह सारे संसार के लिए भी एक महापर्व था। क्योंकि उस दिन संसार के कुचल बाले गये सभी लोगों ने, जातिधों ने यह देखा कि दासगोला और फौज न हो तो भी सत्य और अहिंसा के असाध सखों से आत्मिक के साथ लड़ा जा सकता है। इसलिए ६ अप्रैल का दिन उत्सव मनाने योग्य एक महापर्व है। संभव है किसी प्रजा को एक राज प्राप्त हो परन्तु वह उसका उपयोग ही न कर सके और उससे अधिक भाग्यशाली राष्ट्र उसका उपयोग करे। इस ६ अप्रैल के छुम दिन को हमने सारे संसार को एक नया शोक दूर कर दिया, जिसका कि वह आवश्यकता होने पर उपयोग कर सकता है। यदि पाश्चात्य लोगों को उस दिन का पता चले कि जिस दिन दासगोलों का शोष हुआ तो वे उसको एक महापर्व समझ कर ही उसका उत्सव मनायेंगे। ६ अप्रैल को हमें हमारा दासगोला प्राप्त हुआ था। लेकिन यह दिन हमारे लिए केवल दासगोले का ही दिन नहीं है, वह तो एक पावन पर्व है क्योंकि उस दिन हमने हमारे आत्मा की शक्ति का नाप निकाला था और इसीलिए तो गान्धीजी ६ अप्रैल को हमें एकत्रित होने के लिए कहते हैं।

पहले हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमें अपनी हालत के बारे में कोई ज्ञान न था। हमलोगों में कितनी शक्ति भरी हुई है उसका भी हमें कुछ क्याल न था। उसी दिन हम लोग यह जान सके थे कि हमलोग मर्द हैं, हमलोगों में भी अपार शक्ति है। हमारी इच्छा के बिना हम पर राज्य करने की किसी ने



भी शक्ति नहीं। यदि ज्ञान एक शक्ति है और यह बचन सत्य है तो सचमुच ही ६ अप्रैल के दिन हमलोग हमेशा के लिए मुक्त हो गये। हमारे ज्ञान का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं इसलिए अथवा उसका उपयोग करने की इच्छा नहीं है इसलिए हमें मुक्ति का साक्षात्कार नहीं होता है।

#### एक ही कार्यक्रम

जिस पंचम दिन को खादी और स्वराज की नींव डाली गई उस दिन को मनाने के लिए आज हम विदेशी कपड़े पहन कर इकट्ठे हुए हैं— उसी तरह जिस तरह कि निरामिष भोजन के समर्थक यदि मांस भोजन के द्वारा अपने सिद्धान्तों का उद्घाटन मनावें अथवा जैसे मधुनिषेध की सभा का उद्घाटन शराब बाँट कर मनाया जाय। हमलोग ऐसे दिन को नहीं इकट्ठे हुए हैं कि जिसकी कल्पना गांधीजी की महान् कल्पनाशक्ति के द्वारा हुई है। इस दिन का यही रहस्य है कि हम अपने स्वदेशी पोशाक को ही पहने हुए हैं। हमारे उद्धार की प्रथम सीढ़ी यही है। यदि इस पर अच्छी तरह अमल किया जाय तो यही अन्तिम सीढ़ी भी हो सकती है। लेकिन इस युद्ध को सात वर्ष हुए फिर भी दुःख की भाँति यह है कि लोग अभी यही नहीं समझ सकते हैं कि अकला एक सम्पूर्ण राजनैतिक कार्यक्रम एक खादी ही है। सरकार को अराजक करनी, शासकता में आ कर व्याख्यान देने, समारोहों में महाद्विवालय की पढाई और भदवारों में लेख लिखना कोई कार्यक्रम नहीं है। देश के समक्ष एक खादी ही सम्पूर्ण राजनैतिक कार्यक्रम है। और जो खादी नहीं पहनते हैं वे देश के इस एक ही राजनैतिक कार्यक्रम में सहाय नहीं पहुँचाते हैं, यही नहीं, वे उसके विरोधी भी हैं।

#### सरकार का अड्डा क्यों कायम है ?

आप लोग तो एक बड़े शहर में रहते हैं। आपको यह लयाल नहीं हो सकती कि हमारे देश में कितना दारिद्र्य है। इस देश में हजारों और राशियाँ ऐसे गाँव हैं जहाँ मनुष्य को मुक्ति के २१) मासिक मिलते हैंगे। यदि हम उनकी बनाई हुई कुछ गन्ना खादी लेने से भी इन्कार करें तो उनके लिए सहानुभूति के आँसू बहाने का कुछ भी अर्थ नहीं। वे यह खादी इसलिए बनाते हैं कि उसे हम करीब लें और इस बहाने उन्हें दो पैसे की रोजी दें। खादी अर्थात्, गरीबों की भूख और बेकारी की दवा है और हिन्दुस्तान के स्वराज की खादी है। आज ब्रिटिश हिन्दुस्तान पर अधिकार किये हुए हैं क्यों कि लैन्केशायर के माल के लिए हिन्दुस्तान ही सब से बड़ा बाजार है। नहीं तो यहाँ क्या बना है ? यहाँ हम बहाँ से आनेवाले कोई कलेक्टर, कमीश्नर, गवर्नर और वायसरॉय का शह देखते हुए तो नहीं बैठें हैं न ? यहाँ कुछ गर्मी भी कम नहीं है। फिर भी वे यहाँ क्यों चले आते हैं ? क्या वे यहाँ यही तनखाह का लालच से यहाँ आते हैं ? नहीं, वे तो उनका जो वह बड़ा बाजार है उसे अधिक दब कराने के लिए और उसे कायम रखने के लिए ही आते हैं। उन्होंने अपने देश में बड़े बड़े राष्ट्र-वंश छेदे किये हैं। उन्हें दिनप्रतिदिन मजदूर कर लके रखने चाहिए। हम लोग विदेशी कपड़े लेकर उस वंश-राक्षसों की भूख को संतुष्ट कर रहे हैं और उसका पंजा मजबूत कर रहे हैं। हम लोगों की हालत का, जिन्होंने कि इन सबभन्नी राक्षसों को स्थापित किया है हमें जरा भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि मान लो कि हमलोग भी वैसे ही बेवक्रुफ होते और भारतवर्ष के समस्त शहरों में २० करोड़ मनुष्यों की रोजी देने के लिए ऐसे ही राक्षस छोड़े करते तो मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि वे राक्षस इतने बड़े हो जाते कि उसके सामने सभी दुनिया ही खटनी हो जाती।

उनके लिए बड़े बड़े जीका सैन्स, एरोप्लेन, जेटप्लेन, जहरी गैस इत्यादि बड़े बड़े साधन इकट्ठे करके हमें रोज नये नये देश जीतना आवश्यक होता। क्या आपको यह स्थिति मनकर नहीं माखत होती ? नहीं, हमें तो खादी से ही अन्ततः मानना चाहिए। खादी से हम २० करोड़ की भूख मिटा देंगे। हमें दूसरे देश जीतने की कोई आवश्यकता नहीं है हम तो शान्त स्वाधिमानी जीवन बिता कर अपना देश ही संभाल कर बैठें तो यही काफी है। और जब तक २० करोड़ लोगों को इस प्राथमिक आवश्यकता रोजी नहीं देते हैं यह शान्त जीवन संभव नहीं और बरखे के उद्योग का जब तक हम पुनरुद्धार न करेंगे तब तक हम उन्हें बेकारी और भूख से न बचा सकेंगे। केवल खेती से काम न चलेगा। गांधीजी ने कई भरतना यह कहा है कि खेती और बरखा देश के दो फेफड़े हैं। आज हम एक फेफड़े से साँस लेकर जीते हैं। वह न मानना कि आप न कहेंगे तो सब जायगा। ग्रामवासियों को आप ही ने विदेशी कपड़ा पहनना सिखाया है। आज वह भूख कर उन्हें कातना और खादी पहनना भी आप ही को सिखाना होगा।

#### एक छोटा सा शक

आपकी बरखा कठिन माखत हो तो यह तकली तो है। प्रत्येक युवक और युवती इस शक का उपयोग जीवन के तो उसका कितना बड़ा असर होगा ? मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि यदि अहमदाबाद के सभी मनुष्य हाथ में पिस्तौल ले कर निकल पडे तो उधका मिताभा असर होगा। उससे भी अधिक इस शान्त निर्दोष शक का असर होगा। पिस्तौल का निधान तो बूढ़ भी जा सकता है लेकिन तकली का निधाना बूढ़ नहीं सकता। आप यह तो देख ही रहे हैं कि भाई महादेव देसाई काँत रहे हैं। बैसा एक एक पत्र कतता जाता है बैसा ही एक एक गन्ना तार लैकेशायर से आना कम हाता जाता है। हमारे सब युवक और युवतियाँ इसे अपना लें तो ब्रिटिश सरकार को उसकी अपनी स्थिति के सम्बन्ध में आँसू पुक जायगी। आपको यह बात याद ही माखत होगी लेकिन मैं यह कहता हूँ कि इसी जादू से ब्रिटिश लोग हिन्दुस्तान में आये थे और इसी जादू से वे यहाँ से चले भी जायेंगे।

#### हि. सु. चेक्य

यदि कलहों का भयंकर समाचार न मिला होता तो हिन्दु-मुस्लिम-ऐम्ब के सम्बन्ध में भी कुछ बातें करता लेकिन अब वह निरर्थक है। हम तो पागल बनने का निधय लिये बैठे हैं इसलिए अब बुद्धिमानी की बातें क्यों चुनेंगे ? हिन्दु-लोग मानते हैं कि वे हिन्दु-राज्य की स्थापना कर सकेंगे और सुसम्मान मावते हैं कि वे मुस्लिम-राज्य की नींव डाल सकेंगे। लेकिन यह उनकी भूल है। अमरीकन गोरे लोग हवाईयों को दूर नहीं कर सकते हैं ता हिन्दु-सुसम्मान को और सुसम्मान हिन्दु को कैसे दूर कर सकेंगे ? शान्त सरकार और संघ लिये मिला हमारे लिए बहुरा एक भी समाप नहीं है परन्तु बुद्धिमानी की बातें लौकिक की भी समझ-मर्दाई ईश्वर ने निश्चित कर रखी होगी, उनके पहले हम उसे कैसे जीत सकेंगे ? हममें कोई सम्बेद नहीं कि इस प्रकार कलहों हुए हमलोग बुद्धिमान बनेंगे। मिला लके ही गांधीजी ने बुद्धिमान बनाने का प्रयत्न किया था लेकिन हमें तो बड़ा बुद्धिमान उठाकर ही बुद्धिमान बनना है इसलिए इस यह क्यों समझेंगे ? लेकिन आज यह सब सौकरम और करम जके ही अर्थमय हो, खादी अर्थम ही सम्भव है इसीलिए तो मैंने यह कहा है कि देश के सामने यही एक राजनीतिक कार्यक्रम है।

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

1 अंक ३४

मुद्रक—प्रकाशक  
स्वामी जानंद

अहमदाबाद, त्रितीय क्षेत्र पत्ती २०, संचय १९८१  
८ गुडवार, अंगुल, १९२६ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
घारंगपुर छरकीघरा की बाड़ी

## जीवन में संगीत

अहमदाबाद राष्ट्रीय संगीत मण्डल का दूसरा वार्षिकोत्सव सत्याग्रहाभ्युत्थान के प्रार्थना स्थान पर गांधीजी के समक्ष हुआ था। उस समय गायनवादन इत्यादि के हो जाने के बाद गांधीजी ने प्रसन्नासुक निम्न किञ्चित् व्याख्यान किया था। यह केवल अहमदाबादियों को ही नहीं परन्तु सभी के लिए विचारणीय है:

“ हम लोगों में यह एक सुभाषित है कि जिसे संगीत पिय नहीं वह या तो योगी है या तो पशु। हम योगी नहीं हैं, परन्तु जितने अंश में हम संगीत से शून्य हैं उतने अंश में पशु के समान ही गिने जा सकते हैं। संगीत जानने के मानी जीवन को संगीतमय बना देना है। हमारा जीवन संगीत नहीं है। दुर्घटों तो आज हमारी दशा दयाजनक बनी है। जहां राष्ट्र का एक सुर न निकलता हो वहां स्वराज कैसे हो सकता है? जहां एक सुर न निकलता हो, जहां सब लोग अपने अपने अलङ्कार सुर निकालते हों अथवा सब तार टूटे हुए हों वहां अराजकता अथवा कुराज ही होगा। हम लोगों में संगीत नहीं है इसलिए स्वराज के माधन हमें प्रिय नहीं मान्य होते। और इस अर्थ में अफलातून का यह कहना कही है कि संगीत की स्थिति देश पर आप समाज की राजकीय स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। यदि हम में संगीत का प्रवेश होना तो हमें स्वराज भी प्राप्त होगा। जब करोड़ों अनुपय एकनाम हो कर मजन गाने लगेंगे, एक सुर में किर्तन पढ़ेंगे अथवा रामनाम रटेंगे और एक ही आवाज बसुरा न निकलेगा तभी हमारे जीवन में संगीत उतरा हुआ कहा जायगा। इसी ही सारी बात भी यदि हम न कर सकेंगे तो स्वराज कैसे प्राप्त कर सकेंगे!

तीन साल हुए अहमदाबाद में एक संगीत का वर्ग चलाया जा रहा है, सुप्त संगीत की शिक्षा दो बालों है और शिक्षा देने वाले पण्डितजी भी कोई मौजूद नहीं है फिर भी अधिक से अधिक ३२ विद्यार्थी ही भागे थे और आज तो केवल १० ही हैं। और जनों भी चार विद्यार्थी नियमित आते हैं और इसे हम अच्छी संख्या मानते हैं। यह तो ऐसी बात हुई जैसे 'निष्पादने देशे एरुंधीऽपि हुमायते'। परन्तु हम लोग आशावादी हैं और आशावादी तो हमें भी आज के कारण देखना। अहमदाबाद

की सैकड़ों पोलो (महके) में एक पोल (महके) में भी डा. हरि-प्रसाद दुर्गन्ध के बड़े सुगंध को पानेगे तो कहेंगे अब भी आशा है।

जहां दुर्गन्ध है वहां संगीत नहीं हो सकता है। सामान्य तौर पर जिसके कष्ट से सुरीला आवाज निकलता है उसको सुनने का हमें दिन होता है और उसीका हम लोग संगीत कहते हैं परन्तु यदि संगीत का विशाल अर्थ करेंगे तो हम यह देखेंगे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम लोग संगीत के बिना नहीं चला सकते हैं। संगीत के मानी आज स्वच्छन्द और स्वच्छन्दार हो गया है—किसी चारित्रहीन जी के नाचगान को हम संगीत कहते हैं और हमारी पवित्र मा-बहनें तो बसुरा ही राग आलाप सकती हैं। वे यदि संगीत सीखें तो शर्म की बात समझी जाती है। इस प्रकार संगीत का संरक्षण न होने के कारण ही अष्टादश को १० विद्यार्थियों से ही संतोष दिखाना पडा है।

सब पूछें तो संगीत प्राचीन और पवित्र चीज है। सामवेद की ऋचाये संगीत को खान है। कुरान्धारोफ की एक भी अक्षर बिना सुर के नहीं कही जा सकती है। और ईसाई धर्म में डेवीड के 'साम' (गीत) सुने तो नहीं मान्य होगा कि सरस्वती ने हाथ भी डाले हैं, मानो हम सामवेद सुनने के लिए ही बंटे हैं। लेकिन आज गुजरात संगीतहीन और कलाहीन हो गया है। हम दोष से यदि मुक्ति प्राप्त करनी हो तो इत मण्डल को उत्तेजन मिलना चाहिए।

संगीत में हमें हिन्दू-मुसलमानों का सम्मेलन होता दिखाई देता है। हिन्दू गानेबजानेवाले के साथ बैठ कर मुसलमान गाने-बजानेवाला गाता है और बजाना दे। लेकिन वह कुछ दिन कन आयेगा जब कि राष्ट्र के दूसरे अंगों में भी ऐसा ही संगीत उम जायगा। तभी हम राम और रहमान का नाम एक साथ लेने लगेंगे।

आपलोग संगीत की थोड़ी सी भी सहायता करने दें इसलिए आपको धन्यवाद है। आपके लड़के लड़कियों को वहां आकर भेजेंगे तो वे मजबूत किरतन करना सीखेंगे और इतना करेंगे तो जो आप लोगों ने राष्ट्रीय उन्नति की हलचल में अपना कुछ हिस्सा दिया कहा जायगा।

लेकिन इसके भी और आगे बढ़ें। यदि हमें करोड़ों को संगीतमय बनाना है तो हम सब को खादी पहनना होगा और बरखा चलाना होगा। आज खाँ साहब का संगीत बड़ा ही मधुर था। परन्तु हम जैसों को थोड़ों को ही बह मिल सकता है सब को नहीं। परन्तु चरखे का संगीत जो घर घर में सुनाई दे सकता है उसके सामने यह संगीत बड़ा तुच्छ मालूम होता है। क्योंकि चरखे का संगीत तो कामधेनु है, करोड़ों का घेठ भरने का एक साधन है। मेरे लिए वह संगीत सदा संगीत है। ईश्वर सबका कल्याण करे, सबको सम्मति दे।

### विधि प्रश्न

[ गांधीजी की टाक से निम्न लिखित प्रश्न लिखे गये हैं प्रश्नों का केवल सार ही दिया गया है। उत्तर गांधीजी के शब्दों में हैं। ]

**खादीभवन कहाँ बनाना चाहिए ?**

एक जला समिति के मंत्री लिखते हैं: यहाँ जिला आफिस के लिए एक स्थायी भवन बनाना है। रुपयों के लिए की गई यह अपील आपकी सम्मति प्राप्त करने के लिए मेजता है। मेरे प्राप्त के खादी के कार्यकर्तागण अपने को सर्वश समझते हैं और नादानी कर रहे हैं। इसलिए खादी का काम नहीं होता है। आप खादी बोर्ड से खादीभवन के लिए ५,०००) देने का प्रयत्न करें।

उ० आपका पत्र मिला, अपील भी प्राप्त हुई। आप कहते हैं कि आपके जिले में कुछ भी काम नहीं होता है और कार्यकर्ता अपने को सर्वश समझते हैं और नादानी करते हैं। ऐसी दशा में भवन बनाने से क्या लाभ? इसमें मेरी सम्मति कैसे मिल सकती है? भवन बनाने से क्या नादानी दूर हो जायगा? क्या उससे सहायता प्राप्त हो सकेगी? भवन तो वहीं बनाना चाहिए जहाँ सेवकों की संख्या में वृद्धि होती हो, मज नियमों का पालन होता हो, सब सेवकों पर लोगों का विश्वास हो, सब में आपस में विश्वास हो और अन्तरी यह संगठित हो कर रहते हों। मेरी तो आपको यही स्पष्ट सलाह है कि जब तक अच्छी तरह काम करनेवाले सेवक इकट्ठे न हों भवन बनाने का विचार तक न करो।

**इवाफेर के लिए पुरी क्यों जाऊँ ?**

एक बहन ने गांधीजी को जगन्नाथपुरी इवाफेर के लिए जाने का निमन्त्रण दिया है। गांधीजी ने उन्हें लिखा है:

समुद्र किनारे ही मुझे यदि इवाफेर के लिए जाना हो तो मैं पुरी क्यों जाऊँ? मेरे जन्मस्थान के पास ही एक छोटा सा गाँव है वहाँ क्यों न जाऊँ? वहाँ जो शान्ति और प्रायः जीवन का लाभ मिलेगा वह पुरी में जहाँ एक तरफ से बनी लोगों के और अधिकारियों के बगले आये दिखाते हैं और दूसरी तरफ यात्रियों से एक मुट्ठी घंटे चावल लेने के लिए एक दूसरे पर गिरनेवाले दुष्काल पंडित लोग हैं, वहाँ कैसे मिल सकता है? यह नहीं कि पुगी देख कर उसका एक समय का पवित्र इतिहास ही याद आता है परन्तु उससे आज जो हमारी मयंकर अव्यवस्था हुई है उसका भी क्याल होता है। क्योंकि आज तो वह हमारे स्वातंत्र्य को दबा देने के लिए हमारा वित्त खानेवाले खोजरों का आरोग्यभुवन बना हुआ है। इन सब विचारों से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जब मैं पुरी में था मित्रों ने मुझे एक बड़े सुन्दर स्थान में टिकवाया था और अगाध प्रेम से स्नान कराया था फिर भी वहाँ मुझे चैन न पड़ा। वहाँ के सोस्वरो के बरेको के,

गुले मरनेवाले उडियों के और कठोर हृदय के श्रीमन्तो के विचार से मुझे जो मनोवेदना होती थी उसका मैं क्या उपाय कर सकते थे ?

**एक लकील की हैरानी**

चौदह साल पहले मैं बकाशात करते थे लेकिन वह चली नहीं। नोकरी की। फिर भी धन प्राप्ति न हुई। उससे बड़े हैरान रहे लेकिन 'निबल के बल राम' कहकर शान्ति प्राप्त करते थे। कितने ही कार्य अनुचित माझम होने पर सेठ की तबीयत के मुताबिक अच्छी तरह काम नहीं हो सकता है इसलिए धनप्राप्ति नहीं होती और उससे धर्म कितना होता है यह भी समझ में नहीं आता है। बच्चे भी हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने का विचार होता है परन्तु उसका प्रयत्न करने पर स्वप्नदोष का नया ही उपद्रव पैदा होता है और यह स्थिति क्या बकरा निकाल कर उंट दाखिल करने जैसी नहीं है? और यदि ऐसा ही है तो फिर बकरा ही क्या पुरा? ब्रह्मचर्य के पालन में ली की सम्मति की आवश्यकता है या नहीं?

उ० रामनाम लेकर आनंद में रहो तो इसमें कोई गलती नहीं है। धनप्राप्ति नहीं होती है तो यह कोई दुःख की बात नहीं है। धर्म की रक्षा होती है या नहीं यह आप स्वयं ही जान सकते हैं। आपने बकरा निकाल कर उंट दाखिल करने की बात कही वह ठीक नहीं है। विषयभोग करने के अनिश्चित स्वप्नदोष से अधिक दुर्बलता प्राप्त होती है यह मानना बड़ी भूल है। दोनों ही दुर्बलता के कारण हैं; बहुत मरतबा तो विषयभोग से ही अधिक दुर्बलता प्राप्त होती है। परन्तु विवाह के कारण विषयभोग का हमलोग मालूम नहीं करते हैं और स्वप्नदोष से एक को चोट पहुंचती है इसलिए उससे जितनी दुर्बलता होती है उससे अधिक दुर्बलता का होना हम मान लेते हैं। यह बात तो आप के स्थान से बाहर न होगी कि विषयभोग करने पर भी स्वप्न दोष होता है। इसलिए यदि आप ब्रह्मचर्य के मूल्य का स्वीकार करते हों तब उसका पालन करने की आपकी इच्छा हो तो सतत प्रयत्न करने पर भी यदि स्वप्नदोष हो तो भी उससे निश्चित रह कर आपको उसका पालन करत रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बहुत दिनों के बाद मन पर अधिकार प्राप्त होगा। कब होगा यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सबके लिए समय की एक ही मर्यादा नहीं होती है। सब को अपनी अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत समय लगता है। कोई कोई तो जीवन पर्यन्त मन पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी आचार में पालन किये गये ब्रह्मचर्य का अनोष फल तो उन्हें मिलता ही है और अधिभ्य में मन को सदा ही में रोक सके ऐसे शरीर के वे मालिक बनते हैं।

मेरा विचार तो यह है कि ब्रह्मचर्य के पालन के लिए पुरुष को ली की और ली को पुरुष की सम्मति की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों एक दूसरे को इस विषय में मदद करे यही इष्ट है। ऐसी सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना भी उचित है, परन्तु ऐसी अनुमति मिले या न मिले जिसकी इच्छा हो वह उसका पालन करे और दोनों उससे लाभ उठावें। संग से दूर रहने के लिए सम्मति की आवश्यकता नहीं है परन्तु संग करन में दोनों की सम्मति की आवश्यकता है। यदि पुरुष अपनी पत्नी की सम्मति प्राप्त किये बिना ही उसका संग करता है तो वह बलाकार का पाप करता है। उसने ईश्वर के और संसार के दोनों के नियमों का भंग किया है।

### नाक कान छिदाना शास्त्रीय विधि है ?

किसी भी लड़की का एक भी अवयव छिदाना आपकी दृष्टि में जंगली कार्य माह्रम होता है परन्तु वैदिक संस्कार विधि में नाक कान छिदाने के कार्य का आर्यों के एक संस्कार के तौर पर वर्णन किया है। और उसको वेद का आधार भी है। इस प्रकार नाक कान छिदाने से और उसमें मोना बाँधी अगर ऊन पहनने से विद्युच्छक्ति प्राप्त होती है और वृषणवृद्धि जैसे रोग नहीं होते हैं।

उ० नाक कान छिदाने का वेद-विधि होना में नहीं जानता परन्तु वह वेद-विधि है यह साबित भी हो जाय तो भी जिस प्रकार आज नरमेघ नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार मैं यह कहता हूँ कि नाक कान भी नहीं छिदाये जाने चाहिए। कान छिदाये हुए ऐसे अनेक पुरुषों को मैं जानता हूँ जिन्हें वृषणवृद्धि का रोग हुआ है। और यह भी सब लोग जानते हैं कि जिनके कान नहीं छिदाये हैं ऐसे असह्य पुरुष वृषणवृद्धि के रोग से मुक्त हैं। और मैं यह भी जानता हूँ कि वृषणवृद्धि बिना कान छिदाये ही अच्छी हो गई है। आपने जिस वेद के वाक्य का उल्लेख किया है उसमें लिखा है कि नाक कान छिदाने का रिवाज शकिल हुआ माह्रम होता है। जब हमें तीन व्यक्तियों पर विश्वास होता है और जब उनमें मत-भेद होता है तो उस समय या तो हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और यदि ऐसा न करें तो जिस पर हमें अधिक भ्रम हो उसका ही हम अनुसरण करना चाहिए।

### अधम योनि में जन्म

धार्मिक प्रश्नों के क्षेत्र में आपने लिखा है कि आत्मा एक ही हो तो अनेक आत्मा के रूप में उसका असंख्य योनियों में भ्रमण करना असंभव नहीं गिना जाना चाहिए। तो क्या एक ही आत्मा मनुष्य के देह से निकल कर पशु-योनि अथवा वनस्पति में जन्म ले सकता है? आप यह बात स्पष्ट करेंगे?

उ० मेरी यह मान्यता अवश्य है कि मनुष्य-योनि में जन्म लेने के बाद पशु वनस्पति इत्यादि योनियों में भी आत्मा का पतन हो सकता है।

### प्रेम या धर्म

एक मुसलमान युवक है। संस्कार-दल से उसे मांसाहार के प्रति बड़ी अरुचि है। रवायत के बिना ही बहुत दिनों तक मांसाहार किया परन्तु अब उसका त्याग किया है। परन्तु माता जिसका प्रेम अगाध है उससे मांस-त्याग को खदन नहीं कर सकती है और उसे बड़ी शिला होती है। माता को नाराज करने में बड़ा पाप माह्रम होता है — और मांस खाने से आत्मा दुःखी होती है। तो अब क्या करना चाहिए?

उ० आपको जो परसंकेत है उसका आपही निश्चय कर सकते हैं। मांसाहार का त्याग यदि आप को धर्मरूप माह्रम होता हो तो दृढ़ता के साथ माता के प्रेम के बदा नहीं होना चाहिए और मांसाहारत्याग केवल एक प्रयोग ही हो तो माता को दुःखी करना पाप ही गिना जा सकता है।

### दो प्रेमी की मुश्किल

एक युवक और युवती भिन्न भिन्न वर्ण के हैं। साथ ही साथ बड़े हुए हैं और समान शीलव्यसन के हैं। उनमें एक दूसरे के प्रति शुद्ध प्रेम का होना से मानते हैं। फिर विवाह क्यों न करें? लेकिन वर्णान्तर बन्धन बाधा रण होता है उसका क्या करें? वृद्धों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं और भाषि संतति का क्या हो? और यदि बहुत दिनों तक इस त्रस का निर्णय न हो सका तो

अधीरता के कारण अनाचार हो जाने का भय है। इसलिए शीघ्र निर्णय होना आवश्यक है।

उ० जहाँ शुद्ध प्रेम होता है वहाँ अधीरता को स्थान ही नहीं होता है। शुद्ध प्रेम देह का नहीं किन्तु आत्मा का ही संभव हो सकता है। देह का प्रेम निरग्न ही है। उससे तो वर्ण-बन्धन ही अधिक है। आत्मप्रेम को कोई बन्धन बाधा रण नहीं होता है। परन्तु उस प्रेम में तपश्चर्या होती है और धैर्य तो इतना होता है कि मृत्युपर्यन्त वियोग रहे तो भी क्या हुआ? आपका प्रथम कार्य तो यह है कि आप अपनी कठिनाइयों को वृद्धों के सामने पेश करें और वे जो कुछ भी कहें उसे आपको सुनना चाहिए और उस पर बियार करना चाहिए। आखिर जब नम-नियमादि के पालन से आत्मा अन्तःकरण शुद्ध हो तब उससे जो आवाज निकले उसका आदर करना ही आत्मा धर्म है।

( नवजीवन )

## राष्ट्रीय सप्ताह

हमें हमारे अमूल्य समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। हम किसी भी बर्ष के क्यों न हो इस सप्ताह में जो अब शीघ्र ही आगम हो जायगा हमें खूब गहरा आंतरशील्य करना चाहिए। हर एक की या पुरुष अपने से यह पूछें कि उसने अपनी जम्हायति के लिए क्या किया है। सिर्फ व्याह्वान देने से, धारामभा में जान से, स्वराज पर लेक लिखने से और मजाकार पत्रों का संपादन करने से स्वास्थ्य प्राप्त न होगा; उनसे मदद मिल सकती है, उनमें कुछ तो आवश्यक भी गिने जा सकते हैं लेकिन वह कानूनी कार्य है कि जिसे बिना अधिक प्रयत्न के हर शकल कर सकता है और जिसमें भारत का धन बड़े जिससे एकता और सगठन शक्ति बढे और हम आपस में यह माह्रम करने लगे कि हम सब एक हैं। इसके उत्तर में बिना हिचकिचाहट के चरखा ही पेश किया जा सकता है। इसी लिए तो मैंने इस सप्ताह में खादी का बड़ा भारी प्रचार करने की सिफारिश की है। यदि आपने अबतक किसी भी प्रकार का खादी का कार्य करना न आरंभ किया हो तो अब भी बहुत विलम्ब नहीं हुआ है। छोटी छोटी चीजों से भी मदद मिलती है। मुख्य केन्द्रों में जैसे तामिलनाडु, बिहार, पंजाब, गुजरात, बंगाल इत्यादि स्थानों में बहुत ती खादी पड़ी हुई है। आपको किसी भास प्रान्त का विचार नहीं करना चाहिए। आप कहीं भी क्यों न हो यदि आप खादी नहीं पहनते हैं तो कुछ रुपये उसमें लगा कर खादी खरीद दीजिए। इससे आप भारत के खादी भवरो की खादी को बच करके मे मदद पहुँचा सकेंगे। यदि आपके पास काफ़ी खादी हो और आप और खरीद करना न चाहे और आप कुछ रुपये बचा सकते तो उसे चरखा-सूत का दान फण दीजिये। उसका खादी उत्पन्न करने में उपयोग किया जावेगा। यदि आप कुछ समय बचा सके (कॉन नहीं बचा सकता है?) तो आप चरखा घातने में उसे लगा दीजिए और कता हुआ सूत संघ को भेज दीजिए। यदि आप के ऐसे कोई मित्र हों जिन पर आप का प्रभाव पड़ सकता हो तो आप उन्हें उपरोक्त सब कार्य या उसमें से कुछ कार्य करने के लिए कहें। यह स्मरण रखिये कि खादी के कार्य में कुछ हिस्सा दे कर आर गरीब लोगों के साथ संबन्ध रहते हैं, यथावत् के पक्ष को मदद करते हैं, और देशभक्त का स्मरण बायम रखने अपना हिस्सा देते हैं।

( सं० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी



## हिन्दी-नवजीवन

गुरुवार, द्वितीय पैग बंदी १०, संवत् १९८२

### शराबखोरी की बन्दी चाहिए ?

पंजाब के आर्थिक विभाग के कमिश्नर मि० किंग ने यह कहा था कि स्थानिक शराबबन्दी का कानून जो एक बाल पड़के बनाया गया था वह पंजाब में सम्पूर्णतया असफल हुआ है और उसका शराबखोरी को बन्द करने के विरोधी राई का पहाक बना रहे है। कमिश्नर अपने पक्ष के समर्थन में निम्न लिखित कारण बताते है:

करीब करीब २०० म्युनिसिपाल्टी, और जिला बोर्डों में केवल १९ ने इस कानून के अनुसार अधिकार प्राप्त करने की मांग पेश की थी। १९ में केवल ६ म्युनिसिपाल्टियों ने भागे कांवाइये थी। और ६ में भी जब मतदाताओं की राय ली गई तब उसके पक्ष में बहुत थोड़े मत मिले, जैसे रावलपींडी में ७००० मतदाताओं में केवल ६ मतदाताओं ने ही मत दिये थे। लुधियाना में पहली दफा तो एक भी मतदाता नहीं आया। दूसरी तारीख रकनी गई तो केवल चार ही मनुष्य आये थे। दूसरी चार म्युनिसिपाल्टियों में केवल एक छोटे से टोहाना के कस्बे में १०५२ मतदाताओं में ८०२ मतदाताओं ने शराबखोरी बन्द करने के लिए मत दिये थे। मि० किंग ने इस पर ऐसी दलील दी, जैसी कि दलील करने का उन्हें तब तक हो सकता था जब कि वे भारत और उसकी हालत को न जानते ही होते। वे कहते हैं कि गजाय में शराबखोरी एमडम बन्द करने की कोई मांग ही नहीं है। भारत के दुर्भाग्य से हालत यह है कि लोग उन वस्तुओं के प्रति जो उदासीन रहते हैं जिनका कि उनसे सामाजिक तौर पर सम्बन्ध है। इस तरह मत देने का तरीका उनके लिए बिल्कुल ही नया था और शायद वे यह भी न जानते थे कि शराबखोरी की बन्दी के लिए ही मत लिये जा रहे थे। भारत के विषय में जो लोग कुछ भी जानते हैं वे यह जानते हैं और मि० किंग को भी यह जानना चाहिए कि भारत के बहुसंख्यक लोग शराब नहीं पीते हैं और नशीली चीजें पीना इस्लाम और हिंदू-धर्म दोनों के खिलाफ है। इसलिए जिस दिशावा असफलता के प्रति मि० किंग ने इशाग किया है उससे जो अनुमान निकाला जा सकता है वह यह नहीं कि पंजाब शराबखोरी को बन्दी के खिलाफ है परन्तु वह यह है कि पंजाबी लोग स्वयं नशे से दूर रहनेवाले होने के कारण वे उनके लिए जो कि शराबखोरी के दुष्ट दरसन से अपनी हानि कर रहे हैं कोई मायापत्नी करना नहीं चाहते हैं। वे यह अनुमान भी निकाल सकते हैं कि म्युनिसिपाल कमिश्नर और लोकलबोर्ड के समासद इस महत्त्व के सामाजिक कार्य में मतदाताओं के प्रति अपने कर्तव्य पर ध्यान न देने के अपराध के अपराधी हैं। लेकिन इन बातों पर से यह दलील करना कि पंजाब शराबखोरी की बन्दी के विरुद्ध है अज्ञान और अजनबी लोगों की आंखों में धूल डालना है। दुर्भाग्य से अधिकारियों का यही तरीका होता है। निष्पक्ष दृष्टि से या लोगों की दृष्टि से विचार करने के बदले सरकार का जो पक्ष होता है उसीकी वे बकालात करते रहते हैं अथवा उन तरीकों की बकालात करते हैं जिनका कि सरकार किसी न किसी तरह बचाव किया करती है। यह बात तो

अच्छी तरह प्रसिद्ध है कि हिंदूलोग गाब और उसकी संतति के कत्ल के खिलाफ है। मान लो कि पंजाब में जिस तरह शराबखोरी के सम्बन्ध में मत लिये गये वे ठीक उसी तरह इस विषय में भी मत लिये जायें और हिंदूलोग मत न दें तो क्या कोई शक्यता जो हिन्दुस्तान की हालत को जानता है उससे यह अनुमान निकालेगा कि हिंदुओं को जिस में गायों की कत्ल होती हो ऐसे कत्लगाहों की आवश्यकता है? सच बात तो यह है कि लोगों में उतनी जाप्रति नहीं है कि वे सामाजिक दोषों को देख कर अधीर हो उठें। निःसन्देह यह बड़े दुःख की बात है। धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। परन्तु उन बातों को दबा देना जिनसे कि उन बातों के अभाव में किये गये अनुमान से दूरा ही अनुमान निकल सकता है बहुत बुरा है जैसा कि मांथेस्टर गार्डियन ने बड़ी नम्र भाषा में लिखा है कि अमरिका और इंग्लैण्ड में जहाँ भले आदमी भी थोड़ी थोड़ी शराब पीने को बुरा या हानिकारक नहीं समझते हैं, उसके बनिस्बत भी भारत में शराबखोरी की बन्दी का पक्ष बहुत ही कमजोर है।

( मं. इ. )

मोहनदास करमचंद गांधी

### चन्द धार्मिक प्रश्न

एक भाई ने चन्द धार्मिक प्रश्न पूछे हैं। ऐसे प्रश्न बहुत मस्तका पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में हमेशा कुछ न कुछ रोकौच बना रहता है। परन्तु ऐसे प्रश्नों पर विचार किया है, निर्णय भी किया है फिर भी उनका उत्तर न देना उचित नहीं मान्य होता। इसलिए नीचे लिखे प्रश्नों का अद्यपि, यथा-याक्त उत्तर देता हूँ।

“ प्राचीन समय में होनेवाले यज्ञों के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं? उससे इबा की श्रुति होती है या नहीं? आज ऐसे यज्ञों के लिए स्थान है? कुछ संस्थाएँ ऐसे यज्ञों का पुनरुद्धार करती हैं, उससे क्या लाभ होगा? ”

यह चन्द सन्दर्भ है, शकमान् है। इसलिए इसके ज्ञान और अनुभव की श्रुति होती है अथवा युग बदलता है जैसे ही उसके अर्थ का भी विस्तार हो सकता है और वह बदल भी सकता है। यह का अर्थ पूजन, बलिदान, पारमार्थिक कर्म यह ही सकता है। इस अर्थ में यज्ञ का हमेशा पुनरुद्धार होना ही उचित है। परन्तु यज्ञ के नाम से राज्यों में जुदी जुदा क्रियाएँ ज्वाल की गई हैं उनका पुनरुद्धार इष्ट नहीं और न वह सम्भव ही है। कुछ क्रियाएँ तो धार्मिक भी हैं। उन क्रियाओं का आज जो अर्थ किया जाता है वह अर्थ वैदिक काल में होगा या नहीं इस विषय में भी संदेह बना रहता है। सन्देह को स्थान हो या न हो परन्तु उसकी बहुत सी क्रियाएँ ऐसी हैं कि उसका धार्मिक श्रुति या नीति आज स्वीकार ही नहीं कर सकती है। शास्त्र लोग यह कहते हैं कि पहले नरमेध होता था। क्या आज वह हो सकता है? कोई श्रुति अक्षमेध करने बैठे तो यह क्रिया हास्यजनक ही मान्य होगी। नश से इबा की श्रुति होती है या नहीं इस विचार के क्रमसे में पचना अनावश्यक है, क्योंकि इबा की श्रुति जैसा कुछ फल प्राप्त होगा कि नहीं, यह विचार धार्मिक क्रिया के सम्बन्ध में किया ही नहीं जा सकता है। इबा की श्रुति के लिए ता आज नीतिक शास्त्र का आधुनिक ज्ञान हमें बड़ी सहायता कर सकता है। शास्त्र के सिद्धान्त और ही है और उन सिद्धान्तों के ऊपर रचित क्रियाएँ और ही वस्तु है। सिद्धान्त सब समय सब जगह एक ही होता है। क्रियाएँ समय समय पर और स्थान विशेष के अनुसार बदलती रहती हैं।

“ हम लोगों में साधारणतया यह बात कही जाती है कि मनुष्य अवतार बार बार नहीं मिलता है इसलिए ईश्वर का भजन करो । यह मनुष्यजन्म पूर्वोक्त तो फिर लक्षशोभाही प्राप्त करनी होगी । इसमें सत्य क्या है ? कबीर भी एक भजन में कहते हैं:— ‘ कहे कबीर खेत भज हूँ नहीं, फिर कौराही जाई, पाप जन्म सुकर सुकर को भोगेगा दुःख भाई । ’ इसमें ग्रहण करने योग्य रहस्य क्या है ?

इसे मैं अक्षरशः माननेवाला हूँ । बहुत सी योनियों में भ्रमण करने के बाद ही मनुष्य-जन्म मिल सकता है और भोज्य अथवा इन्द्रादि से युक्ति भी मनुष्य-देह से ही प्राप्त हो सकती है । यदि जन्म में आत्मा एक ही है तो अनेक जन्म-रूप से उसका अर्थपूर्ण योनियों में भ्रमण करना असम्भव या आवश्यककरक प्रतीत नहीं होना चाहिए । इसका सुद्धि भी स्वीकार करती है और कुछ लोग तो अपने पूर्व-जन्म का स्मरण भी प्राप्त कर सकते हैं ।

“ प्राणायाम से समाधि तक पहुंचनेवाला योगी और इन्द्रिय-संयमी इन दो मनुष्यों में कौन मनुष्य अपने अर्थात् आत्मा का अधिक अध्ययन करना होगा ?

इस प्रश्न में संयम और योग के विरोधी होने की कल्पना की गई है । लेकिन सब बात तो यह है एक दूसरे का कारण है, अथवा एक दूसरे का सहायक है । बिना संयम के समाधि कुंठकर्म की निरा हो जाती है और बिना समाधि के संयम का होना सुदिकूल है । यहाँ समाधि का ध्यायक अर्थ लेना चाहिए, इच्छायोग की समाधि नहीं । यह नहीं कि इच्छायोग की समाधि इन्द्रियसंयम के लिए आवश्यक है । यह समाधि मजे ही सहायक हो सकती है परन्तु अभी तो सामान्य समाधि ही इष्ट है । सामान्य समाधि अर्थात् निश्चित की हुई वस्तु के लिए तन्मय हो जाने की शक्ति । यह स्मरण होना चाहिए कि इन्द्रियसंयम के बिना योग की साधना निरर्थक है ।

“ स्वाभिवी मनुष्य स्वयं लेती करके अपने लिए अनाज उत्पन्न करे, लेती के लिए आवश्यक औजार इकट्ठा इत्यादि भी स्वयं बनावे, बड़े का काम भी खुद करे, कपड़े भी खुद ही बनावे, रहने का मकान भी खुद बनावे, अर्थात् अपने लिए जिन चीजों की आवश्यकता हो वह स्वयं ही बना ले, अपनी आवश्यकता के लिए दूसरे को न रोके । स्वाभिवी यदि ऐसा करे तो क्या वह उचित कहा जायगा या अनुचित ? अपने स्वाभिव की क्या व्याख्या की है ?

स्वाभिव के मानी हैं किसी की भी मदद के बिना चीजे खड़े रहने की शक्ति । इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों की सहायता के सम्बन्ध में यह कापरवा हो जाय अथवा उसका त्याग करे अथवा वह दूसरों की मदद ही न चाहे या न मागे । परन्तु दूसरों की मदद चाहने पर भी, मागने पर भी यदि वह न मिल सके तो भी जो मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, स्वमान की रक्षा कर सकता है वह स्वाभिवी है । जो किसान दूसरों की मदद मिल सकती हो तो भी स्वयं ही इकट्ठा जोसे, अनाज बोवे, फसल काटे, खेती के औजार तैयार करे, अपने कपड़े आप ही काटे, जुँने या धीये, अपने लिए अनाज भी स्वयं तैयार करे और घर भी स्वयं तैयार करे, वह या तो वैयक्तिक होगा, अभिमानी होगा अथवा जंगली होगा । स्वाभिव में शरीरवृद्धि तो आ ही जाता है अर्थात् प्रत्येक मनुष्य को अपनी आजीविका के लिए आवश्यक कारीरिक मिहनत करनी ही चाहिए । इसलिए जो मनुष्य आठ घण्टे खेती का काम करता है उसे जुलाहा, बढई, कुहार इत्यादि

कारियों की मदद लेने का अधिकार है, उनसे मदद लेने का उनका धर्म है और उसे वह मदद सहज ही में मिल सकती है । और बढई, कुहार आदि कारीगर वर्ग किसान की मिहनत से कर उससे अनाज प्राप्त कर सकते हैं । जो आँस हाथ की सहायता के बिना ही खला लेने का इरादा रखती है वह स्वाभिवी नहीं है लेकिन अभिमानी है और जिस प्रकार हमारे शरीर में हमारे अवयव अपने अपने कार्य में स्वाभिवी है फिर भी एक दूसरे की मदद करने में परीपकारी है और उस प्रकार एक दूसरे की मदद लेने के कारण परावलंबी है; जैसे ही हिन्दुस्तान की शरीर के इतलीय त्रीध कोटि अवयव है । सबको अपने अपने क्षेत्र में स्वाभिवी बनने का धर्म पालन करना चाहिए और अपने को राष्ट्र का अंग सिद्ध करने के लिए एक दूसरों के साथ मदद का बलिदान भी करना चाहिए । यह होगा तभी तो राष्ट्र का विकास हुआ गिना जा सकेगा और तभी हम राष्ट्रवादी गिने जा सकेंगे ।

“ आजकल कम की किया, संभ्रा, यज्ञ न कीया, ईश्वर प्रायणा इत्यादि कियार्ये संस्कृत मंत्रों से कवाई जाती है । कर्माने-वाक्य मंत्र बोलता है और करनेवाला उसका रहस्य समझे बिना ही उसमें शामिल होता है । आजकल संस्कृत मातृभाषा नहीं रही है । बहुत से मण्डल लोगों को ईश्वरप्रायणा, संभ्रा, यज्ञ इत्यादि संस्कृत के मंत्रों से ही करने को कहते हैं । लोगों को उस भाषा का ज्ञान ही नहीं होता तो फिर वे उसमें एकचित्त कैसे हो सकते हैं ? और संस्कृत बड़ी ही कठिन भाषा है । इसलिए उसके मंत्रों को रटने में और फिर उसके अर्थों को याद करने में संमानता हूँ कि दुपुनी मिहनत होती है । जिस समय संस्कृत मातृभाषा थी उस समय जनसमाज का सारा ही कामकाज सहीके द्वारा चलता था और यह उचित ही था । परन्तु अब वैसी स्थिति नहीं है । हर एक अपनी अपनी कियार्ये अपनी मनुष्यता के द्वारा करें वह कामप्रद होगा परन्तु अभी तो बस्ता ही कार्य हो रहा है । जनसमाज में ऊपर गिनाये गये सब कर्म संस्कृत में ही बगये जाते हैं ।”

मेरा अभिप्राय यह है कि सभी धार्मिक हिन्दू क्रियाओं में संस्कृत होना ही चाहिए । अनुवाद कैसे भी अच्छा क्यों न हो फिर भी अमुक शब्दों के ध्वनि में जो रहस्य होता है वह अनुवाद में नहीं मिलता है । और हजारों वर्षों से जो माया संस्कारी बनी है और जिसमें अमुक मंत्र बोले जाते हैं उनको प्राकृत में ले जाने में और उतने से ही संतोष मन लेने में उरुक गामीय कम हो जाता है । परन्तु इस विषय में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि जो रट जिसके लिए बोले जाते हैं और क्रिया होती हो उनका अर्थ उन्हें उसकी भाषा में अवश्य ही समझाना चाहिए । लेकिन मेरा अभिप्राय यह भी है कि किसी भी हिन्दू की जिज्ञा अब तक उसी संस्कृत भाषा के मूलतत्त्वों ज्ञान नहीं कराया जाता अपूर्ण ही होती है । बहुत बड़े परिमाण में संस्कृत के ज्ञान के बिना हिन्दू धर्म के अस्तित्व की भी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ । हम लोगों ने अपने शिक्षाक्रम के कारण ही भाषा को कठिन बना दिया है परन्तु वह कठिन नहीं है । लेकिन यदि कठिन हो तो भी धर्म का पालन तो उससे भी अधिक कठिन है । इसलिए जिन्हें धर्म का पालन करना है उन्हें उसका पालन करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता हो वे कठिन हों तो भी उन्हें तो वे सरल ही मालूम होने चाहिए ।

( जनजीवन )

जीवनदास करमचन्द गोधी

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

### अध्याय १८

#### लज्जाशीलता—मेरी ढाल

निरामिषभोजी मण्डल की कायानी समिति का मैं समाग्रद पुना गया, और उसमें मैं हमेशा उपस्थित भी रहता था परन्तु बोलने के लिए मेरी जवान ही नहीं चलती थी। डा० ओल्डफील्ड मुझसे कहते “तुम मेरे साथ तो अच्छे भावें करते हो परन्तु समिति में तुम जवान ही नहीं खोलते। तुमको नरमस्वभावा की उपमा ही उचित है।” मैं इस निन्द के रहस्य को समझ गया। शिक्षादायक इशारा मिहनत करती रहती है परन्तु नरमस्वभावा स्वाभाविकता है लेकिन काम कुछ भी नहीं करता। समिति में जब दूसरे लोग तो अपनी अपनी राय जाहिर करने थे तब यदि मैं चुपचाप बैठा रह तो यह कैसा माहम हो सकता था। यह बात नहीं कि मेरा बोलने के लिए दिल ही न चलता था। लेकिन बोलना क्या? सभी सम्भव मुझसे कुछ न कुछ अधिक जानकारी रखने में और कभी किसी विषय पर कोई बात करने योग्य मालूम भी होती तो तबपर मैं कुछ बोलने की हिम्मत करता तबके पहले दूसरा विषय लिख जाता था। बहुत दिनों तक इसी तरह चलता रहा लेकिन इनमें मैं ही एक बड़ा गंभीर विचार समिति में उपस्थित हुआ। उसमें अपनी तरफ से कोई बात न बहनी मुझे अन्याय करने के बराबर प्रतीत हुआ। केवल मत में ही बैठे रहने में मुझे कायरता मालूम हुई। टेम्स कायन वर्क्स के इंग्लिश मि० ट्रिप्ले मण्डल के अध्यक्ष थे। वे बड़े बड़े नीतिमान थे। यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने उपयोगों से मण्डल का विभाव होता था। समिति के बहुत से सदस्य तो उनकी छाया के नीचे निभते थे। डा० एलिन्सन भी इस समिति में थे। इस समय प्रभो-स्वर्ण पर कृत्रिम उपकरणों से अंकुश रखने की हकबाल हो रही थी। डा० एलिन्सन इस हकबाल के पृष्ठोपकरण थे और मजदूरों में वे उसका प्रचार करते थे। मि० ट्रिप्ले को वे उपाम नीति के नाश करनेवाले प्रतीत हुए। उनके कयाल में निरामिषभोजी मण्डल केवल खराब से सधार करने के ही लिए न था परन्तु वह एक नीतिवर्धक मण्डल भी था, और इसलिए उनकी राय में उस मण्डल में डा० एलिन्सन जैसे समजविधातक विचार रखने-वाले सदस्य नहीं होने चाहिए थे। इसलिए समिति में से डा० एलिन्सन का नाम कमी करने की दरखास्त पेश हुई। इस चर्चा में मुझे दिलचस्पी थी। डा० एलिन्सन के कृत्रिम उपकरणों के विचार मुझे अत्यन्त मालूम हुए थे और उनके विरुद्ध मि० ट्रिप्ले के विचारों को मैं शुद्ध नीति के विचार मानता था। उनके और उनकी मददरता के प्रति मुझे बड़ा आदर था। परन्तु एक निरामिषाहार अवर्धक मण्डल एक शुद्ध नीति को न माननेवाले का उसकी अवस्था के कारण बहिष्कार करे यह मुझे स्वष्ट अन्याय मालूम हुआ। मुझे यह मालूम हुआ कि निरामिषाहार—मण्डल के वर्ण के विषय के मि० ट्रिप्ले के विचार उनके अपने विचार थे। मण्डल के सिद्धान्तों के साथ उन विचारों का कुछ भी सम्बन्ध न था। केवल निरामिषाहार का प्रचार करना ही मण्डल का उद्देश्य था, दूसरी कोई नीति का नहीं। इसलिए मेरा यह अभिप्राय हुआ कि दूसरी अनेक नीति का अनादर करनेवालों को भी मण्डल में स्थान दिया जा सकता है।

समिति में दूसरे भी कुछ लोग मेरे विचार के थे। लेकिन मुझे अपने विचारों को स्वीकार करने का जोश आया था। लेकिन उन्हें

स्वीकार कैसे किया जाय? यह बड़ा निवृत्त प्रश्न था। छोड़ने की तो मेरी हिम्मत ही न थी। इसलिए मैंने अपने विचार लिख कर उन्हें अध्यक्ष के सक्षम रखने का निवेदन किया। मैं अपने विचार लिख कर ले गया लेकिन जैसा कि मुझे स्मरण है उनके दिनों की भी मेरी हिम्मत न हुई। अध्यक्ष ने किसी दूसरे सदस्य के पास उसे पहचाया था। डा० एलिन्सन के पास की जाए हुई। इसलिए इस प्रकार के मेरे पहले युद्ध में मैं हारे हुए पक्ष में था। लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि वह सब कुछ था और इसलिए उससे मुझे पूरा मनोरंजन था। मुझे कुछ एसा भी क्याल है कि उसके बाद मैंने उस समिति से इस्तीफा भी ले लिया था।

मेरी लज्जाशीलता विलायत में अन्त तक रही। किसी की शलकायन के लिए जाता तो वहाँ भी पांच सात आदमियों को देख कर मेरी जवान बन्द हो जाती थी।

एक समय में वेचनर गया था। वहाँ मजदूर भी थे। वहाँ एक निरामिषभोजी का घर था। हम दोनों वहीं रहने थे। इसी मजदूरों में ‘गोडविस ब्राफ डायट’ के रत्नायिता भी रहने थे। हम लोग उनसे मिले। निरामिषाहार को उल्लेख देने के लिए वहाँ एक सभा की गई थी। उसमें कुछ बोलने के लिए हम दोनों को भी निमन्त्रण दिया गया था। हम दोनों ने ही उसका स्वीकार किया। मैंने यह तो जान ही लिया था कि लिखा हुआ व्याख्यान पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं। मैंने यह देखा था कि अपने विचारों को सिनेसिलेवार और भेदों में कहने के लिए बहुत से व्याख्यानकर्ता लिए हुए व्याख्यान ही पढ़ने से लेकिन मेरे में बोलने की हिम्मत ही न थी। मैं अपना व्याख्यान पढ़ने के लिए खड़ा तो हुआ पर उसे पढ़ भी न सका। भाव्यों से कुछ लिखता ही न था और हाथ पर काँप उठे थे। मेरा व्याख्यान दायक ही फूलवैप के एक पन्ने में लिखा होगा। मजदूरों ने उसे पढ़ मनाया। मजदूरों का व्याख्यान बड़ा अच्छा हुआ। मननेवाले उनके वक्तव्यों का तालियों के आवाज में स्वागत करते थे। मुझे बड़ी धरम मन्दिर हुई और बोलने की मेरी अज्ञानता के कारण मुझे बड़ा दुःख हुआ।

विलायत में जाहिरा बोलने का व्याख्यान प्रयत्न मुझे बिलकुल छोड़ने पर मजबूर पड़ा था। विलायत छोड़ने से पहले मैंने निरामिषभोजी सिद्धों को नष्ट होकर भोजनमयुद्ध में भोजन के लिए निमन्त्रित किये थे। मुझे यह मालूम हुआ कि निरामिषभोजी भोजनमयुद्धों में तो निरामिषाहार मिलता ही है परन्तु जहाँ मांसाहार होता हो वहाँ भोजनमयुद्धों में भी निरामिषाहार का प्रवेश हो तो अच्छा हो। इस मालूम से इस भोजनमयुद्ध के व्यवस्थापक के साथ खास प्रबन्ध करके वहाँ एक भोजन देने की व्यवस्था की। यह नया प्रयोग निरामिषाहारियों में प्रजाया के योग्य समझा गया परन्तु मेरी तो बड़ी फजीहत हुई। भोजन मय भोजन के लिए ही होते हैं परन्तु पश्चिम में तो उसका एक कला के तौर पर विचार किया गया है। ऐसे भोजन के समय विशेष सजावट भी जाती है विशेष आकर्षक किया जाता है, काले बजले के गार व्याख्यान दिये जाते हैं। इस छोटे से भोजन में मैं बहुत सब आश्चर्य किया गया था। मेरे व्याख्यान का समय हुआ। मैं खड़ा हुआ। बहुत देवचारों के बाद व्याख्यान देना शुरू कर के गया था। कुछ घण्टे से मैं वापस तैयार किये थे लेकिन प्रथम वाक्य से आगे ही न कह सका। एडिशन के विषय में पढ़ते हुए मैंने उनकी लज्जाशील प्रकृति के सम्बन्ध में भी कुछ पढ़ा था। यह कहा जाता है कि पाप की सभा में उनके प्रथम व्याख्यान के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उन्होंने ‘मैं खाल करता हूँ,’ ‘मैं खाल करता हूँ,’ ‘मैं

क्या कहता हूँ यह तीन मरतबा कहा परन्तु यह इसके आगे न बढ़ सके। अंगरेजी शब्द जिसका कि यह अर्थ है उसका दूसरा अर्थ 'गर्भ धारण करना' भी होता है। जब एडिसन आगे कुछ न कह सके तो एक मस्खरा सम्य बोल उठा कि 'इन महाशय ने तीन मरतबा गर्भ धारण किया परन्तु कुछ भी उत्पन्न न कर सके।' मैंने यही कथा सोच ली थी और छोटा सा विनोदपूर्ण व्याख्यान देने का निश्चय किया था। मैंने इसी कहानी से अपने व्याख्यान का आरम्भ किया। परन्तु मैं यही रुक गया। जो विचार कर रक्खा था सब भूल गया और विनोद और रहस्ययुक्त व्याख्यान देने को गया था यहाँ मैं स्वयं ही विनोद का पात्र बन गया। 'महाशय, आप लोगों ने मेरे निमंत्रण का स्वीकार किया इसके लिए मैं आप लोगों का उपकार मानता हूँ, यह कह कर ही आखिर मुझे बैठ जाना पड़ा।

यही कहा जा सकता है आखिर दक्षिण आफ्रिका में जा कर ही मेरी यह लज्जाशीलता दूर हुई। बिल्कुल ही दूर लगे हैं यह तो आज भी नहीं कहा जा सकता। बोलने के पहले कुछ ख्याल तो होता ही है। नये समाज में बोलने में सँकोच होता है। यदि बोलने से मुक्ति पा सके तो अवश्य ही उगसे मुक्ति प्राप्त कर लें। और यह बात तो आज भी नहीं है कि मण्डक में बैठे होकर तो कोई विशेष बातचीत कर सके। अवश्या कोई बातचीत करने की मुझे इच्छा ही हो। लेकिन आज में यह डेर पड़ा है कि मेरी ऐसी लज्जाशील प्रकृति का कारण मेरी कर्म-हीने के बिना और कोई दूसरी दृष्टि नहीं हुई बल्कि उससे कुछ लाभ ही हुआ है। बोलने में जो सँकोच मुझे था वह पहले दुःखद प्रतीत होता था परन्तु अब वह दुःखद मालूम होता है। सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ कि मैं धर्मों की कल्पना करना सीखा। मेरे विचारों पर उपदेश करने की आदत मुझे राज्ज ही हो गई। मे सहेज ही मैं अपने का यह प्रमाण-पत्र है मरना है कि जना-विचारों और तोले मेरा जखन से या कल-से शब्द ही कोई शब्द निकलता होगा। मुझे यह याद ना पड़ना जो मेरे व्याख्यान या लेख के किसी भी भाग-व्य के लिए मुझे यह याद था पनाताप करणा पडा हो। अनेक प्र.प. से नये से मन रक्षा पडे है और नरा बहुत सा समय बन गया है यह लाभ तो और आपक हा है।

अनुभव न मुझे यह भा मिखाया कि सत्य के उपासक को मौन का महान करना ही उचित है। अनुभव जान में या अन-जान में बहुत मरतबा आतषयार्थक करता है, अवश्या जो कहने योग्य है उसको छिपाया है या दूसरी ही तरह से कहता है। ऐसे संकटों में बचने के लिए भी अल्पभायी होना आवश्यक है। अल्पभायी बिना विचारै कुछ भी न कहेगा, वह अपने प्रत्येक शब्द का सोचगा। बहुत मरतबा तो मनुष्य बोलने के लिए अंतर ही जाता है। किस अव्यक्त को ऐसी घिड़ी म मिली होगी कि 'मुझे भी कुछ कहना है।' और उसको जो समय दिया जाता है वह उसके लिए काफी नहीं होता और अधिक बोलने के लिए वह इजाजत मांगता है और आखिर विना इजाजत के ही बोलता रहता है। इन सब के बोलने से संघार को सायद ही कोई लाभ हुआ मालूम होगा परन्तु उतने समय का क्षय होना स्पष्ट ही दिखाई देगा। इसलिए यद्यपि आरम्भ में मुझे मेरी लज्जाशीलता दुःख देती थी परन्तु आज उसका स्मरण मुझे आनन्द देता है। यह लज्जाशीलता मेरी डाल है। उससे मुझे परिपक्व होने का लाभ मिला। मुझे उससे मेरी सत्य की उपासना में सहायता मिली।

( मजजीबन ) मोहनदास करमचंद गांधी

### शंका निवारण

"आप कहते हैं कि 'पुणने जनसंख्या और युद्ध के उपाय से ही अवश्या गांधी के तमाम शोषकों में कातने का कार्य करने में अपनी तमाम शक्ति लगा देने के महात्माजी के नये और अच्छे तरीके से ही हमें स्वराज्य प्राप्त हो सकेगा'।" केवल शब्दोच्चार से-मन्त्रोच्चार से मोह उत्पन्न करने का यह एक दूसरा उदाहरण है। आपने अवश्या इससे सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे लोगों ने इन मिथ्यात्व को बार-बार दोहराने के गिवा लोगों को इन बात का विश्वास कराने के लिए कि कातने का कार्यकम संभव है, आवश्यक और इष्ट है और वह बड़ा असरकारक होगा, और दूसरे क्या प्रयत्न किये हैं? जिसमें इन प्रश्नों का और शंकाओं का उत्तर दिया गया हो ऐसा स्पष्ट, सरल, और युक्तिपूर्ण इजहार अभी मुझे देखने को प्राप्त नहीं हुआ है (१) वर्तमान कर व लगान इत्यादि के कानूनों का देखते हुए क्या यह संभव है कि कई आवश्यक परिमाण में देश में संप्रद की जा सकेगी और बाहर भेजने से रोकें जा सकेगी और जिनके हाथों में रहना चाहिए उन्हीं के हाथों में वह रहेगी (२) देश में जो दूसरे उद्योग विकास को प्राप्त हुए हैं उन पर उपका जो असर होगा उसको देखते हुए क्या यह करना इष्ट है अर अगर इष्ट है तो कहां तक इष्ट है? (३) क्या वह पुरभसर होगा और यदि हां तो क्या सीधे ही या उसके लिए दूसरे कार्यों की आवश्यकता होगी। यदि दूसरे कार्यों की आवश्यकता हो तो स्वराज्य (उमहा जो कुछ भी अर्थ हो) प्राप्त करने के लिए वे कार्य क्या होंगे? मेने बार-बार इस बात का प्रयत्न किया है कि इस दलस्य के नेता आदिना तौर पर या खानगी बहुगो में इसके गुण-रागों का सम्पूर्ण विचार करें लेकिन अबतक उमका कुछ भी पल नहा हुआ है। इस गिह्यान्त के गूल सत्पादक पुरुष महात्माजी से प्रश्न करने का भा मुझे एक मरतबा मौका मिला था परन्तु समय इतना मर्यादित था कि केवल यही एक प्रश्न पूछा जा सका कि बंद कितना संभवनीय है। उन्हीं तो केवल यह कह कर ही सन्तोष मान लिया कि 'हां, वह संभवनीय है' उस समय दूसरे बहुत से लोग बैठे हुए थे और अधिक महत्व के काम भी करने की थे इसलिए मेरा सन्देह और आशंकायें दूर न की जा सकी।

बाबू भगवानदास ने मालाना मरमदअली को लिखे हुए पत्र से जिसे मालाना ने 'कामरेड' में प्रकाशित किया था यह अवतरण किया गया है। यद्यपि यह एक पुराने अंक में (१८ दिसम्बर के अंक में) छपा था फिर भी मुझे अफसोस के साथ यह लिखना पड़ता है कि मैंने उसे इसी सप्ताह में पढा है। आरम्भ में मुझे यह कह देना चाहिए कि मुझे उस बात-चीत का जिसके कि प्रति बाबू भगवानदास ने इशारा किया है, स्मरण नहीं है। राज्यनैतिक क्षेत्र में मेरी दृष्टि में चरखे से बच कर और कई महत्व की चीज नहीं है। मुझे ऐसे बहुत से प्रसंगों का स्मरण है कि जब मने दूसरे विषयों को मुख्ती रख कर चरखे को इतर राज्यनैतिक और आर्थिक कार्यों का केन्द्र समझ कर उस पर बहस करने के लिए समय निकाला है। जब मुझे बाबू भगवानदास का महमान बनने का साभारण प्राप्त हुआ था तब उन्हीं मुझे जो प्रश्न पूछा था उसका कुछ/भी जवाब न हुआ हो, उनका मूल प्रश्न का मुझे उत्तर देना चाहिए। चरखा कितना संभवनीय है यह तो रोजाना अधिकाधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत सी बाधातः असम्भव दिखनेवाली बातों में जैसे हिंदू-मुस्लिम एक्य इत्यादि में, चरखा ही अकेला संभवनीय दिखाई दे रहा है और सामीलनाद, आन्ध्र, करनाटक,



पञ्जाब, बिहार और बंगाल में इसकी संख्यायें अधिकाधिक बढ़ रही हैं नहीं बल्कि स्पष्ट प्रमाण है। आज यदि ऐसी संख्यायें बहुत बड़ी संख्या में नहीं हैं तो उसका कारण कार्यकर्ताओं की कमी है। उनकी संख्या बहुत ही कम है। वरन् में स्वयं कोई असम्भवनीय बात नहीं है। पहले बड़ी संख्या के साथ उसपर कार्य किया गया था। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो उसे चला सकते हैं, जिन्हें उसे चलाने के लिए समय भी मिलता है और जिन्हें ऐसे गृह-उद्योग की आवश्यकता है।

केवल इस एक बात से ही कि इस विशाल देश के ७००००० गांवों के लिए यही एक सब से बड़ा अनुकूल साधन है वह बात साबित की जा सकती है कि वह कितना चाहने योग्य कार्य है।

निश्चयपूर्वक कोई भी यह बात नहीं कह सकता है कि उसका असरकारक परिणाम आयेगा कि नहीं। यदि कुछ प्रान्तों के अनुभव पर से कुछ अनुमान किया जा सकता है तो निस्सन्देह यह कह सकते हैं कि ऐसे परिणाम की बहुत बड़ी संभावना है। और यह बात भी निःसंकोच कहा जा सकती है कि इस कार्य के लिए दूसरा कोई उपाग उनना असरकारक नहीं हो सका है जितना कि यहाँ।

बाबू भगवानदास कर व लगान के कानूनों के प्रतिकूल असर की बात कहते हैं। इससे वे उसकी कठिनाइयों के प्रति भयान खींचते हैं, जिस राष्ट्रीय उद्योग ने एक सदी पहले किसानों का स्थायी शक्ति प्रदान की थी उसके पुनरुद्धार की असम्भवनीयता के प्रति नहीं। कर व लगान के कानून अपरिष्कृत नहीं हैं। कताई के उद्योग के विकास को जिनमें अन्त में ये बाधा रूप हैं उतने अंशों में उसमें परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन आप यह कहेंगे कि 'स्वराज प्राप्त किये बिना इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता' तो उसका उत्तर यह है कि इन कानूनों के होते हुए भी जबतक कताई का कार्य स्थिर रूप में नहीं किया जायगा तबतक स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि स्वराज के लिए उठना कठिनाइयों का अफर वे कहीं भी क्यों न हो सामना करना है। खनसराज लड़ाई का स्वीकृत परन्तु अगली मार्ग है। चरने का संगठन करना स्वराज्य के लिए लड़ने का नैतिक मार्ग है। शान्ति के साथ जनसमाज का संगठन करने के लिए अरखा ही सब से आसान और कम खर्च का मार्ग है। यदि कई हजारों मील दूर भेजी जा सकती हैं और वहाँ कानो जा सकती हैं और फिर उन्हीं भेजनेवालों को भेजने के लिए लड़ाई जा सकती है तो भारत में ही उसकी पैदाइश की अवधि से दूसरी जगह भेजी पूरे ले जाने में बेशक कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। खानसराज करनेवाले प्रान्त से खानसराज रहित प्रान्त को खानसराज भेजने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो फिर उन्हें को इस प्रकार भेजने में कठिनाई क्यों होती है आज भी तो यह हो रहा है। बिहार को वर्षा या कानपुर से उन्हें भेजनी पड़ती है।

परन्तु बाबू भगवान दासजी कहते हैं कि 'दूसरे उद्योग जनता कि विकास हो चुका है उन पर इसका जो असर होगा उसे देखते हुए उसका होना इष्ट नहीं है। वे दूसरे उद्योग क्या हैं? और यदि उन पर उम्मा प्रतिकूल असर हो भी तो उससे उस उद्योग की प्रगति में जो राष्ट्रीय जीवन के लिए ऐसा महत्त्व रखता है जैसा कि शरीर के लिए फेफड़ा, क्या कोई रुकावट आ सकती है? क्योंकि शरीर बनाने के स्थापित कारखानों को

जुलूसान होगा इस स्थिति से क्या हमें शराबखोली को एकदम बन्द कर देने में द्विपिबाना चाहिए? अमीन बनेवाले को जुलूसान पहुंचाने के अर्थ से क्या सुधारक की भूमिका न जाने का उपदेश करने से एक जाना चाहिए? बाबू भगवानदास चम्पारन की प्रजा का उदाहरण पेश करते हैं जो अपनी आजीविका के लिए काफी अनाज भी नहीं एक सकते हैं, उसका कारण यह है कि उसकी सब आवश्यकताओं के लिए उनके पास काफी अनाज ही नहीं होता है। अनिर्धार्य रूप से नीक उत्पन्न करने के जोर के हट जाने से उन्हें कुछ राहत मिली है। और जबतक उन्हें दूसरा कोई अधिक लाभप्रद उद्योग न मिले तबतक यदि वह कानो में अपना साग खाली समय (जो बहुत होता है) लया देगी तो उसकी हालत और भी अच्छी हो जायगी। लेकिन जबतक शिक्षितवर्ग उसका फैशन न हलेंगे और यह न दिखावेंगे कि वह जो दिन के कुतुहल का साधन नहीं है तबतक वे न काँवेंगे।

लेकिन बाबू भगवानदास कहते हैं: "यदि कताई का कार्य सज्ज ही में संभव है, बड़ा इष्ट है और पुरअसर है तो इसकी भी कोई बजह होगी कि ३० करोड़ जनता उसको एकदम क्यों नहीं अपना लेती है? महासभा के समाजद घट कर ९००० के करीब ही क्यों रह गये हैं?"

वेशक, वे ऐसी बहुत सी बातें जानते हैं जो संभव है, चाहने योग्य हैं और पुरअसर हैं फिर भी इच्छा और प्रयत्न के अभाव के कारण वे नहीं होती हैं। सार्वजनिक शिक्षा संभव है, चाहने योग्य है और पुरअसर है फिर भी लोग उसका त्वरा के साथ अमल नहीं करते हैं। और लोगों के दिलों में शिक्षा प्राप्त करने की तकलीफ उठाने की आवश्यकता को हट करने के लिए शिक्षित कार्यकर्ताओं की एक फौज की शक्ति की आवश्यकता होगी। स्वच्छता विषयक साधनानामा संभव है चाहने योग्य है और असरकारक है फिर भी गांव में रहनेवाले लोग उनके ध्यान पर यह बात लाने के साथ ही उसे क्यों नहीं ग्रहण कर सकते हैं? इसका उत्तर तो बड़ा ही सीधा है। प्रगति बहुत ही धीरे धीरे होती है, वह पशु है। उसके महत्व के परिमाण में उसके लिए प्रयत्न व्यवस्था समय और न्यय की आवश्यकता होती है। कताई की इस बड़ी इच्छा की शीघ्र प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा तो यह आठका हुआ है कि राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन की योजना में वरन् को जो उत्तम स्थान प्राप्त है उसका स्वीकार करने की जनसमाज के स्वाभाविक नेता-शिक्षितवर्ग की इच्छा ही नहीं है अथवा उसके लिए वे असमर्थ हैं। उसकी सादृश्य ही उनकी हरानी का कारण है।

(ज० इ०)

बाबू भगवानदास करमचंद गांधी

हिन्दी-पुस्तकें

लोकमान्य की श्रद्धांजलि	...	...	...	॥)
आश्रमभ्रमनावलि	...	...	...	॥)
अनन्ति संक	...	...	...	॥)

डा० कर्षे ललहरदा। राम मनी आर्सेर से भेजिए अथवा श्री. पी. संग्रह—

स्वस्थापक,  
हिन्दी-जबजीवन

# हिन्दी नवजावन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

| अंक ३३

मुद्रक-प्रकाशक  
 स्वामी भानुद

अहमदाबाद, द्वितीय चैत्र वदी ३, संवत् १९८४  
 १ गुदवार, अप्रेल, १९२६ ई०

मुद्रकस्थान-नवजावन मुद्रणालय,  
 धारणपुर दरकीगरा की बाकी

## स्नातकों का अमृत ओषधि

बिहार विद्यापीठ के स्नातकों को उपाधि वितरण महोत्सव के समय श्री राजगोपालाचार्य ने व्याख्यान देने हुए कहा था:

### शांत प्रतिकार की शक्ति

जो महान अधिकारसम्पन्न सरकार हम पर निरंकुश अधिकार चला रही है उसके साथ हमारे युद्ध का प्रतिषेध अभी सुनाई देना सम्भव नहीं हुआ है। यह सच है कि इस युद्ध में हम लोग हारे हैं परन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि अंत में राष्ट्र का जितना विकास होता है उतना ही हार से भी उसका विकास होता है। हार का हम स्वीकार करते हैं। हम लोगों में संकट सहन करने की काफी शक्ति न थी इसलिए हम लोग हारे। हम पाश्चात्त्य शक्तों को प्रहण करके सिंधान में उठने में वे परन्तु आत्मबल-संकट सहन करने की शक्ति ले कर ही युद्ध में उतरे थे। अभी लड़ाई खतम नहीं हुई है और हम लोगों के हारने का कारण यह न था कि लोकमत का हमारे पक्ष में अभाव था। यदि लोकमत हमारे भिन्न होता और हमारी हार होती तो यह हार अकीर्तिहर हार मिली जाती और सरकार अपनी जीत पर अभिमान कर सकती थी। परन्तु जो सेना बड़ी पीरता के साथ लड़ी और दातगोला काफी न होने के कारण उसकी हार हुई, उसकी कान बटु बनन कह सकता है? यह दातगोला तंगन करने के लिए ही अभी हाल तो हमलोग युद्ध में पीछे दृष्टे हैं; अभी युद्ध नहीं छोड़ा है। संकट सहन करने की शक्ति हमारा दातगोला है। उसे एकत्रित कर के हमें उसका संग्रह करना चाहिए, हिम्मत हारे बिना और अनवरत परिश्रम करके हमें उसका संग्रह करना होगा।

हमारे दातगोले का महत्त्वशाली हिस्सा तो राष्ट्रीय-शाखा और विद्यालयों का बना हुआ है — इन संस्थाओं में हमें प्राण-दायक ईश्वरभक्त, गादा जीवन, और रंक और निरक्षरों के प्रति अखंड प्रेम के साथ साथ विद्या और संस्कृति की शिक्षा प्राप्त करनी होगी। सभी तो इसको इस विद्या से और संस्कृति से संकट सहन करने की और आम-लोगों के पास शक्ति के साथ कान्ति कराने की शक्ति प्राप्त होगी। इन दो शक्तियों के बिना हमें सभी और वाञ्छित शक्ति प्राप्त न हो सकती। इसलिए

जिन्होंने आज विद्यापीठ की उपाधि प्राप्त की है उनसे मैं पूछता हूँ: आपने क्या वह सब सीख लिया है कि जो आपको सीखना चाहिए था? क्या आपने सच्चा और उपयोगी ज्ञान बना प्राप्त करने रहने की योग्यता प्राप्त की है? उच्च आदर्श के श्रेय की रचना की है और बाणी और व्यवहार का सुव्यवहार और शुद्ध विवेक के धर्मीन रखना सीखा है? क्या आपने विलास और वैभव का त्याग कर के उन्हें भूलने की, उनसे डेढ़ कंधे दूर रहने की और एक सेवा-धर्म को छोड़ कर दूसरे किसी भी प्रकार के मनोरथ के बिना केवल सारा जीवन व्यतीत करने की तालीम पाई है? क्या आज आपको यह प्रतीत होने लगता है कि, गरीब, दबे हुए और निम्नर ली-पुण्य चाहे वे किसी भी धर्म और जाति के क्यों न हों, आपके दगे भाई और बहन के समान हैं? उनकी भूल-ब्यस्त, उनकी आधर्याधि, उनका अज्ञान और दुःख दूर कर आपको इतनी ही भर्मेवेदना होती है जितनी कि अपने सगे भाई बहनों के दुःखों से दख कर आपको होती? यदि आप इसके उत्तर में 'हां' कहेंगे तो जो उपाधि आपको दी गई है उसमें आपका सर्वथा दोष है। यदि इसके उत्तर में 'ना' कहेंगे तो आपको अभी और शिक्षा प्राप्त करने की और तपधर्म की आवश्यकता है। आप यह करने पर ही विद्यापीठ के बालक बन कर बाहर निकल सकेंगे। हमें इसकी तरह स्नातक बनने पर आप लोगों ने प्रवृत्तियाँ की हैं और आपके भविष्य के व्यवहार के सम्बन्ध में आप अनवज्ञ हुए हैं। प्रति-दिन प्रातःकाल में आप ईश्वर से यह प्रार्थना करना कि वह आपको आपकी प्रतिज्ञा और मन का पालन करने का बल दे और प्रति-दिन सोते समय यदि प्रतीक्षा का भंग हुआ हो तो उसकी माफी मांग लेना। अनेक तत्कालीन उठाने पर भी आप अपने श्रेय पर दख बन रहे हैं और युद्ध में आपने हमारा साथ दिया है। इसके लिए मैं आभार धन्यवाद देता हूँ। आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि जिस शक्तिमय कान्ति के आर सन्तान है और जिसका कुछ फल नहीं हुआ है लेकिन जिसके लिए हम अविनाश अभिमान धारण कर सकते हैं, उस कान्ति का यथा और आदर आपही लोगों के हाथ में है।

### विद्यारशुक्ति

स्नातको! अपने अग्रतप बचन और तत्पर्य व्यवहार से आप अपने विद्यापीठ को कलंक न कराइयेगा। अज्ञान और गरीबी में

कोई लज्जा की बात नहीं है। आपका चरित्र शुद्ध और अच्छा होगा तो आप सब से अधिक शोभास्पद होंगे। इसके लिए तमाम व्यवहार का मूल-विचार को निर्मल रखने का प्रयत्न करना। हमारे विचार क्षणजीवी कहे जाते हैं। फिर भी उसी पर सब से अधिक मजबूत रखने की आवश्यकता है। हमी लोगों के अंतर में द्वेष पशु और असुरगण बैठे हुए हैं। वे आन्तरिक सुखवसुधा और विवेक के राज्य को बह कर देने के लिए सतत प्रयत्न करते हैं। उनके बस कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा ही इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर का आसन अक्षय रहे। अन्यथा हमें निरना होगा। बचन और व्यवहार ही का नहीं परन्तु प्रत्येक विचार का चरित्र पर असर होता है और इस चरित्र के कारण ही मनुष्य एक जन्म में से दूसरा जन्म ग्रहण करता है। प्रत्येक अनिष्ट विचार जहर का अक्षय कूप है, एक में से अनेक अनिष्ट विचार उत्पन्न होते हैं और यह आत्मा के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। इस शरीर के कारागृह में बन्द होने पर भी और कर्म का सिद्धान्त अटल होने पर भी हम मुक्त हैं। हम में, सब में देवी अंश रहता है—और उसीमें हमारे उद्धार का उपाय समायोजित हुआ है—वही हमारा दीपक है। कंसे भी आधुनी विचार क्यों न हों उनके साथ युद्ध करने की और ईश्वर का सिद्धासन अटल रखने की शक्ति हम में है। यदि हम इतना कर सकेंगे तो यह शरीर कारागृह मिट कर मानवजाति और ईश्वर की सेवा करने का उत्तमोत्तम साधन बन जायगा। यह होने पर हम जो आहार करते हैं उससे उच्च प्रकार की सेवा के लिए हमारा शरीर तैयार होगा, हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ेगा और रिपुओं का बल घट जायगा।

तामिल भाषा में बुद्ध भगवान के विषय में बड़े अच्छे काव्य बने हुए हैं। अपने ही लिए जीवन का उपयोग करने के बजाय उन्होंने अगत की सेवा के लिए अपने आत्मा का समर्पण कर दिया। कर्म के नियमों के बंध हों कर नहीं परन्तु प्राणी-मात्र की सेवा करने की अपनी इच्छा के कारण ही उन्होंने बार बार जन्म ग्रहण किया था। आपका आदर्श भी यही हो। आपके चारों ओर रहनेवाले लोग अधिक शुद्ध, परिश्रमयुक्त, मंगलमय और अच्छा जीवन बीतावे इसके लिए आप मरसक कोशिश करो। स्वयं अपने उदाहरण से उन्हें सीधे मुक्त हो कर रहने का मार्ग दिखाओ।

विचार-शुद्धि पर मैंने जो इतनी बातें कहीं उसका कारण यह है कि संस्कृति का एक अनिवार्य लक्षण आन्तरिक शुद्धि है। लोकापवाद के मय से प्राकृत और अज्ञान लोग भी बचन और व्यवहार में शुद्धि की रक्षा करते हैं परन्तु अन्तःशुद्धि के द्वारा ईश्वर के निवास-स्थान को पवित्र रखने का और विचारों को निर्मल रखने का विशेष अधिकार तो विद्यावान और संस्कारी जनों को ही प्राप्त होता है।

### यह विद्यापीठ

अब रिपोर्ट पढ़ी गई तब उसमें हमने यह सुना कि यह विद्यापीठ कुछ भ्रष्टाचार मनुष्यों के डेक और भ्रष्टा के कारण ही निम रहता है। इसकी कठिनाइयों का कोई सुधार नहीं है। सरकारी महा विद्यालय और विद्यापीठों के छात्रों की तककमटक इसमें कैसे हो सकती है? इन सरकारी संस्थाओं का तो बड़े बड़े महाराजाओं की उदारता से निभाव होता है। देखते देखते अपनी कमाई में से नियमित रूप से खुले हाथों इसके लिए रुपये देते हैं और वेचारा शराबी गौ अपने पापकर्म से ऐसी संस्थाओं

को चकाने के लिए रुपये देता है। उसकी तककमटक के आगे हमारी विद्यापीठ ऐसी माखम होती है जैसे राजा महाराजाओं के पोशाक के सामने फटापुराना कपड़ा। लेकिन हमारा यह फटापुराना कपड़ा भी गेरुआ रंग का है। उसका उद्देश नम सम्भाषी के शरीर को ढाँकने का है और अपना यह उद्देश वह सकल भी करता है। यह बड़ा शुद्ध है और इसलिए यह हमें बड़ा प्रिय है। आसपास के लोग हट गये हैं लेकिन भ्रष्टाचार कुछ थोड़े से मजबूत इस विद्यापीठ को विभा रहे है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

इस प्रान्त में प्राचीन काल में जनक, चंद्रगुप्त, बुद्ध, अशोक, इत्यादि प्रसिद्ध पुरुष हो गये हैं। परन्तु प्राचीन जमाने की बात छोड़ दें और अर्वाचीन समय की बात करें तो भी भारत में इसी प्रान्त में इस जमाने के एक महान पुरुष को प्रथम कार्य करना प्राप्त हुआ था। इसी प्रान्त में उसका सामना करने वालों ने पहली मरतबा यह देखा कि यह नया और विचित्र यक्ष कौन है? उन्हें उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। विरोध करनेवालों ने उसमें जो क्षीयापन और गरीबी देखी वह ऐसी थी कि उसकी निर्दोषता को किसी का भी डर न था। उसकी नम्रता को देख कर वे चौंधिया गये और उन्हें कुछ भी सूझ न पड़ा। उसकी भाषा ऐसी थी कि उसका मर्म वे समझ ही नहीं सकते थे—क्योंकि उसकी वाणी में सत्य का ही प्रतिघोष होता था और इस प्रतिघोष से तो लोग अब तक डरते चले आये थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बिहार में कार्यकर्ताओं की भ्रष्टा अटल बनी रही है। यह विद्यापीठ गुलामी का विरोध करने के हमारे प्रयत्नों से उत्पन्न हुआ है। यह नीच ही हमारे लिए बड़ी मूखवान है। उसके आगे बड़े बड़े मकाभात और साधन सम्पत्ति सब सुच्छ है। हमारी प्राचीन भूमि के पुनः सजीव बने हुए आदर्शों से उसे चेतना-शक्ति प्राप्त होती है। भारत के युगायुग पुराने अहिंसा धर्म के ध्वज को यह विद्यापीठ फहरा रहा है। यह विद्यापीठ लोक भाषा को हमारी कला और शास्त्र की समझी बनाना चाहता है। उसकी दृष्टि सङ्कुचित नहीं है। सब विद्याओं से ज्ञान और संस्कृति प्राप्त करने के लिए उसके दरवाजे खुले हुए हैं परन्तु यह अपनी जन्मभूमि की भाषा और संस्कृति की अवज्ञा नहीं कर सकती। अपने शिष्यों को खुदे खुदे घबे की शिक्षा दे उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बना कर बर्हा प्राप्त की हुई उनकी स्वतंत्रता की कृति को यह पुष्ट करना चाहता है। उसका प्रयत्न यह है कि उसके शिष्यों की संस्कृति और विद्या सारे देश को फलरूप बनानेवाली बर्हा के समान दूसरों को कल्याणकारी साबित हो। शिक्षितवर्ग जिन करोड़ों लोगों की सिद्धन्त और परिश्रम पर जीविन रहता है उनसे ही शिक्षित वर्ग को अज्ञान और अभिमन में मद्धमस्त बना कर दूर रखने की पद्धति की पोषक शिक्षा से अब हमारा पेट भर गया है। ऐसी शिक्षा से उसे कुछ भी निरस्थानी और संघीय तरफ प्राप्त नहीं हुआ है और इस शिक्षा के बहाने शिक्षित वर्ग को उनकी सेवा के उचित मूल्य के विधान से बितना मिलना चाहिए या उससे उन्हें कहीं अधिक प्राप्त हुआ है और इस प्रकार उन्होंने दूसरों के लिए मकल आदर्श उपस्थित किया है जो कभी भी नहीं निम सकता है।

### अम शक्ति

मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने आपकी बुद्धि के साथ आपके हाथों का उपयोग करना भी सीख लिया है। यदि क्या

शक्ति का आप उपयोग ही न करेंगे तो उसका हाथ हीना ही संभव है। शारीरिक श्रम बुद्धि को ताकत देनेवाली महान औषधि है। उसके बिना संभव है कि मन रोगी और अनुत्पादक प्रवृत्ति के तरफ ही खिंच जाय। विशेष कर यह बात हमारे नवयुवकों के लिए निश्चल ही सच है। प्रतिदिन कम से कम एक घण्टे के लिए अवश्य ही कुछ न कुछ हाथकाम करना चाहिए। जहाँ आपके बन्धु के लिए उसकी आवश्यकता हो वहाँ उतना और अधिक काम करना चाहिए। अभ्यास की हेतुव्यति से मैं आप लोगों को यह दवा लिख देता हूँ। आप उसे ले कर यहाँ से आना और उसका उपयोग करना। और सब से बड़ कर देश की महान स्वनात्मक और सहयोगी प्रवृत्ति — खादी प्रवृत्ति, करका प्रवृत्ति का पोषण करने का आपका कर्तव्य आप कभी भी न भूलें। इसी प्रवृत्ति से गांधी की बेकारी और दरिद्रता से रक्षा की जा सकेगी। इसीसे हमारे स्वराज्य का एक मात्र साधन सिपा हुआ है और इसी से संसार पशुवत् के पंजे से बच सकता है।

### कैसा स्मारक बनायेंगे ?

यह विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ की तरह १९२० के युद्ध का स्मारक है। फ्रान्स, इंग्लैण्ड, जर्मनी और इटली में अपने नागरिकों के शौर्य का अभिषेक की प्रथा को स्मरण दिखाने के लिए कीर्तिस्तंभ बने हुए हैं। तो क्या हम हमारी आध्यात्मिक उन्नति की इस प्रवृत्ति का जिसने समस्त देश को एक कोने से दूसरे कोने तक प्राणवान बना दिया था कुछ भी स्मारक न बनायेंगे ? क्या पराक्रम का स्तूप बनायेंगे या ईंट का चूने की इमारत खड़ा करेंगे ? उसका योग्य स्मारक तो स्वराज ही हो सकता था। लेकिन ईश्वर की इच्छा दूसरी ही थी। जिस राष्ट्र को स्वतंत्र उत्तरदायित्व की भाँति में उत्तीर्ण हो कर बाहर आने की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है उसे स्वराज देने की ईश्वर की भी कैसे हिम्मत हो सकती है ? लेकिन आज स्वराज के बदले, गुजरात, काशी और बिहार के विद्यापीठों से बड़ कर हम दूसरे स्मारक और बना बना सकेगे ?

बिहार के संस्कारी पुरुषगण और महिलायें ! आप असहयोगी हों या न हों, यदि आप में ऐतिहासिक कल्पनाशक्ति है तो जिस आध्यात्मिक और देशभक्ति की प्रवृत्ति ने देश को एक कोने से दूसरे कोने तक हिला दिया था। उस प्रवृत्ति में यदि आप शामिल नहीं हुए थे फिर भी आपको उसके प्रति आदर की दृष्टि रखनी चाहिए और उचित स्मारक की माँग की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। आपको हर एक को यह चाहिए कि आप इस स्वतंत्र संस्था को उसका उपयोगी कार्य करने दें और अभिषेक का राष्ट्र इस ऐतिहासिक धर्मयुद्ध का स्मरण कर के शौर्य का पाठ पढ़े इसलिए आप इस स्मारक के लिए यथाशक्ति दान दें।

आज असहयोग के प्रचार का सनका नहीं है। विद्यार्थियों को शाका या विद्यालयों को छोड़ने के लिए आज हम नहीं कह रहे हैं। परन्तु बितनी भी शालाएँ और विद्यालय नये हों उनके लिए अवकाश अवश्य है। शिक्षा की सभी और स्वास्वयंकर प्रगति हो इसके लिए स्वतंत्र अपने ही बल पर चरनेवाली अनेक प्रकार की आदर्श संस्थाएँ होनी चाहिए। जीवन अर्थात् प्रगति। वर्तमान स्थिति में ही सन्तोष मान कर बैठे रहना और कुछ भी प्रगति न करना ही सृष्टि है। वर्तमान सरकारी आदर्श को छोड़ कर शाकाशौं के दूसरे नये आदर्श तैयार

न होंगे तो शिक्षा का नाश हो जायगा। इसलिए विद्यालय और उदार मन के सभी शिक्षानुरागियों को इस विद्यापीठ का स्वागत करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, और उसे विपुल बलवाली जीवन निभाने के लिए शक्ति देनी चाहिए।

उदार लोगों से इतनी प्रार्थना कर के और आप स्नातकों के ऊपर जो उत्तरदायित्व है उसका स्मरण दिला कर, और गरीबी कोई कलंक नहीं है लेकिन यदि उसमें अपने भाइयों की सेवा मिली हुई हो तो यह एक गौरव का विषय है इस महान सूत्र की याद दिला कर और संसार के सब संग यदि आपकी अवज्ञा करें तो आप उसकी कुछ परवा न करना इतनी प्रार्थना कर के मुझे आपने इस अवसर पर जुलाया इसलिए आप सबका उपकार मायता हुआ मैं अब अपने व्याख्यान को अन्तम करता हूँ। यदि सबलोग आपकी अवज्ञा करेंगे तो इसमें आपकी क्या हानि होगी ? — एक मनुष्य तो ऐसा है कि जिसकी मजदूरों में आप बड़े प्रिय मास्टर हो रहे हो। वह एक ऐतिहासिक मूर्ति है, जिसकी कि संसार एक अविस्मरणीय मूर्ति की तरह पूजा करेगा। वह प्रेममूर्ति है। उसके खातिर भी यदि हम एकदम सहन करें और प्राणार्पण करें तो भी वह घुरा नहीं है। अनेक उपाधि वितरण उत्सवों में मैं उपस्थित हुआ हूँ लेकिन इस समय मेरे दिल पर जो असर हो रहा है वैसा कभी न हुआ था। जिस कुलनायक ने उपाधि वितरण की और जिन विद्यार्थियों ने उपाधियाँ की उनमें मैं सबीब सम्बन्ध का होना देख सका हूँ। मुझे यह आशा हुई कि आप लोगों ने जो उपाधि पत्र लिये उसके साथ साथ आपको राजेन्द्रप्रसाद के चारित्र में से भी कुछ न कुछ मिला होगा। यह स्मरण रखना कि आप महात्मा गांधी और श्री राजेन्द्रप्रसाद के आध्यात्मिक कुटुम्ब के बालक हों। उस कुटुम्ब की शोभा की रक्षा करना।

### खादी अभ्यास है

संयुक्त प्रान्त से एक भाई लिखते हैं:

“यहाँ मेरे अनुभव में बकीलों में खादी की बड़ी माँग है। मैं कुछ बेवता भी हूँ। उनकी शिकायत है कि उनके शहर में कोई खादी-भण्डार नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि हम ५००० रुपये इकट्ठे कर के एक कम्पनी बनाना चाहते हैं।”

मुझे आशा है कि वह कम्पनी बनाई जावेगी। बिहार की यात्रा में मेरे पास भी ऐसी शिकायतें आई थीं। देश में जगह जगह खादी-भण्डार नहीं खोले गये हैं इसका कारण यह है कि अभी खादी की उतनी माँग नहीं है कि भण्डार खोले जा सकें। अनुभव से तो यह मास्टर हुआ है कि जब ऐसे भण्डार खोले जाते हैं और नियमित प्रचार-कार्य के अभाव में वे स्वावृत्ती नहीं बनते और कुछ दिनों के लिए उन्हें बंद कर देना आवश्यक होता है तब उसमें जितने रुपये लगाये होते हैं वे सब हूब जाते हैं और इस हलचल को कलंक समझते हैं। इसलिए चरखा-संग के प्रतिनिधियों के लिए यही उत्तम मार्ग है कि वे खादी-प्रेमियों के परिचय में आवें, खादी के नमूने और किंमत का विज्ञापन दें और समस्त समष्ट पर जहाँ बिक्री की संभावना हो वहाँ फेरी कर आवें। अब उन्हें किसी स्थान के पारे में यह मास्टर ही कि वहाँ खादी की नियमित और काफी बड़ी माँग है तो वे वहाँ के स्थानिक धनी लोगों को खादी-भण्डार खोलने की सलाह दें। नियमित प्रचार करना ही उस भण्डार का कार्य होना चाहिए।

( पं० इ० )

श्री० क० गांधी



# हिन्दी-नवजावन

गुरुवार, द्वितीय चैत्र बदी १, संवत् १९६१

## मेरा राजनैतिक कार्यक्रम

अमेरिकन मित्रों की तरफ से १४५ डॉलर की भेंट के साथ प्राप्त हुए इस पत्र का मैं यहाँ कुतूहलपूर्वक प्रकाशित करता हूँ :-

“इस पत्र के साथ के पत्र पर दस्तखत करनेवाले कुछ कोंग्रेसियनों का एक मण्डल है और दो पश्चिमाय हैं जो आपके बहुत कृपि हैं। आपके काम में मित्राप से शामिल होने की हमारी इच्छा अपूर्णतया भी व्यक्त करने के लिए जा भेंट भेजने की हमन इम्तन की है। अपना आप स्वीकार करें। दान की रकम छोटी है परन्तु हममें से कुछ लोगों के लिए तो यह सहाय्य ही है। आपके कार्यक्रम के उभ विभाग में, जिस पर कि हमारा ध्यान खीना आकर्षित हुआ है अर्थात् अस्पृश्यता और हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य में इन रूपों का उपयोग किया जायगा तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। प्रो० टोकंग की तरह डॉन सायमन्ड और दूसरे दस्ताखत करनेवाले भी यह महामुस करते हैं कि हिन्दुस्तान की स्थिति के सम्बन्ध में उन्हें बहुत ही खोज जानकारों प्राप्त है इसलिए आपके राजनैतिक कार्यक्रम को वे पूर्णतया अधिकार करने लिए तो बशर्ति तैयार नहीं हो सकते हैं पर भी हम सब आपके उपरोक्त कार्य विभाग में दिल से अपना सहित्त देना चाहते हैं।

ईश्वर आपके साथ है और वह निश्चय ही भारत को वे अच्छे दिन दिखलायेंगे जिसकी कि था। आगाही क से है। क्या भार कभी अमेरिका के लिए भी प्राथम्यता न परेंगे? उसकी भी उदकी मसद् की कुछ कम दरकार नहीं है।”

मैंने उनको लिखा है कि उनकी इच्छानुसार इन दोनों प्रवृत्तियों में यह रकम बनकर बाँट दी जायगी। परन्तु इस पत्र के प्राप्त होने पर मुझे इस बात का दुःख हुआ कि न रहा कि यकी सहानुभूति रखनेवाले और नेतार अमेरिकन मित्र भी इस दलचल को इतना कम समझ रहे हैं। इसलिए जब अमेरिकन मित्र मेरी मुलाकात को आते हैं और मझमे यह पूछते हैं कि हम हिन्दुस्तान की कैसे मदद करेंगे तो मैं उन्हें इस दलचल का ऊपर ऊपर से नहीं समाधार पत्रों के द्वारा नहीं, संक्षिप्त-संज्ञक की तरह क्षिप्तता से नहीं परन्तु संक्षिप्त-संज्ञक की तरह ऊपर ऊपर से देखना कर और सब तरफ से, सब दलों से जाकारी प्राप्त कर के तसका अध्ययन करने के लिए अपना हूँ। मेरा राजनैतिक कार्यक्रम ता सहा ही सदा है। यदि कसतों में अस्पृश्यता निवारण और ऐक्य के साथ चरखे को भी उद प्रया होता तो यह सम्पूर्ण हो जाता। दिनप्रतिदिन मेरा यह अभिप्राय रह ही रहा है कि हम केवल अस्पृश्यता पदकों से ही अश्लि, अस्पृश्यता और अस्पृश्यता के कने अर्थात् रत्न और अहिंसा पर रह रह कर ही सब स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं। बेशक उसके मूल में ‘सविनय अवज्ञा’ का काम लक्ष्य है। परन्तु उसके लिए मदद की एक पाई हो तो आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए मजबूत दिने की आवश्यकता है जो किसी भी प्रकार के कानरे से जरा भी नहीं हिंस्रत और जो सबत से सकत कसैटी के समग ही अपना पूरा जौहर दिखाते हैं।

सविनय अवज्ञा कष्टसहन का मयप्रद और पर्यायवाची शब्द है। परन्तु यी लोग उसके दूसरे विभाग की निर्दोषता का मूल्य सही सही समझ सकते हैं तो यही अच्छा है कि मनुष्य उध वस्तु का मगानक स्वरूप भी समझ के। ‘अवज्ञा’ करने का प्रत्येक मनुष्य को हक है परन्तु जब वह सविनय होती है अर्थात् प्रेम से होती है तब वह एक धर्म हो जाता है। सुरक्षित बरक भर्माभिमानियों के विरुद्ध अस्पृश्यताविरोध सुधारक सविनय अवज्ञा का अवलम्बन किये हुए है। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के विधायकगण उन लोगों का जो लोगों को बर्ग और जातियों में विभक्त करना चाहते हैं अपनी आत्मा का सारा बल लगा प्रतिकार कर रहे हैं। जिस प्रकार उम लोगों का प्रतिकार किया जा रहा है जो कि अस्पृश्यता निवारण के कार्य में तथा हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य में बाधक है वही प्रकार उस राज्यमंत्र का भी जो भारत के मनुष्यत्व को कुचक रहा है प्रतिकार किया जाना चाहिए। इससे रोजाना इस महान देश के करोड़ों लोग पैसे जा रहे हैं। मनुष्य के परिणाम का विचार किये बिना ही राज्यकर्तान नरों की बीजों के सम्बन्ध में वह नीति अवस्थार किये हुए है कि यदि वह रोकी न जायगी तो इस भूमि में काम करनेवाले लोगों को वह अष्ट कर देगी और मनुष्य की प्रजा का हमारे कारण शर्म माहूम होगी क्योंकि हमलोग इस अनीति की आम्दनी का हमारे बच्चों की शिक्षा देने में उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भयंकर प्रतिकार—धार्मिक कट्टरता का प्रतिकार, ऐक्य के शत्रुओं का प्रतिकार और सरकार का प्रतिकार केवल रह और आवश्यकता हो तो बड़े बड़े आत्मशुद्धि और कष्ट सहिष्णुता के मांग से ही संभव हो सकता है।

(य० ई०) मोहनदास करमचंद गांधी  
शालदुशाटा या फटी गुदडी

“कटे कपडे पहने हुए तिरस्कृत लोग ही धर्म की पुढाई बेते हैं लेकिन मैं उन लोगों को समन्ध करता हूँ जो सुवर्ण के जूने पहनते हैं, प्रकाश में रहते हैं और बाहबाही खटते हैं।” इस प्रकार श्री मतलबी ने अपने व्यंग्यवान को समाप्त किया और इस लिखार की पुष्टि की कि पादरी और व्यापारी दोनों ही प्रामाणिक गिने जा सकते हैं बशर्ति पादरी अपने श्रोताओं की र्चि के अनुसार धर्मशास्त्रों के अर्थों के साथ स्वतन्त्रता लेता है और व्यापारी पादरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सत्य के साथ स्वतन्त्रता लेता है। श्री मतलबी के प्रसिद्ध मित्र रासारासुरानी बनलोभी और दूसरे लोगों ने इसमें उसका समर्थन किया है। श्री मतलबी और उनके मित्रों के ध्याहगानों से मकराज और अशास्त्रियत रोधिया गये थे फिर भी जब कटे कपडे में और तिरस्कृत रूप में धर्म आया वे दृढ बने रहे और अपने समस्त बल के साथ उन्होंने उनमें अपने विश्वास की रक्षा की। उनके सामने तो अशास्त्रियों के उत्तम कार्य आदर्श रूप थे। मिथापुरी के निवासियों द्वारा उनको मनुष्य तक का कष्ट पहुँचाया गया था फिर भी वे जरा भी न डिगे थे। इसी प्रकार श्री राजगोपालाचार्य ने बिहार विद्यापीठ के उपाध्यक्ष महोरसथ के समय फटी गुदडी में और तिरस्कृत रहनेवाले चेकप्रेम का बचाव किया था। उन्होंने कहा:

“यह विश्वास ठ कुछ अज्ञान मनुष्यों के टेक और अज्ञान पर ही निभ रहा है। इसकी कठिनाइयों का कोई सुधार नहीं है। परकारी महा विद्यालय और विद्यापीठों के साधनों की तककककक इसमें कैसे हो सकती है? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनकी तककककक के आगे हमारी विद्यापीठ ऐसी माहूम होती है

वैसे राजा महाराजाओं के पोशाक के सामने कटा पुराना कपड़ा। लेकिन हमारा कटा पुराना कपड़ा भा गेदला रंग का है। उसका उद्देश कम सज्जदगी के शरीर को ढाँचने का है और अपना यह उद्देश वह सफल भी करता है गद रङ्ग छुन्न है और इसलिए वह हमें बड़ा प्रिय है।"

अथर्व, इस विद्यापीठ के स्नातकों को रेशमी जामे नहीं मिलेंगे, सुवर्ण पादुकायें नहीं दी जाएंगी और फुल नायक के लिए पसकती हुई सोने की अञ्जर भी न होगी। उसे तो कतनेबाके और बुननेवालों की परिश्रम से सन्त भनी हुई उंगलियों से कती और बुनी हुई कुरदगी खाकी का ही बंधन उठाना होगा और स्नातकों को भी यदि वे अपने विद्यापीठ के सिद्धान्त के अनुकूल सत्य जीवन व्यतीत करना चाहते हों तो उन्हें जनसमुदाय की ऐच्छिक सेवा का बोझ उठा कर ही सन्तोष मानना होगा। वे ऐसी सिविल सर्विस के साथ सम्बन्ध रखनेवाले मनुष्य हैं जिन्हें के अन्त में उन्हें पेन्शन में केवल इमेन्सा बार बार होनेवाला इन्फ्लेन्सा ( जुड़ा का बुखार ) कम और ऐसा ही कोई दूसरा रोग प्राप्त होगा, जो गरीबों की अनवरत सेवा का जिह्व है, वे अथभूये करोंको गरीबों की सेवा का, जिन्हें कि नयी देहली बनाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को दबा देने की सिपाहियों की शिक्षा के लिए और युवाक युवतियों को महक जैसे मकानों में इन करोंको पर रक्ष्य करने की शिक्षा देने के लिये रुपये जुटाने पड़ते हैं।

विद्यापीठ के सन्यासकों ने इस वर्षिक महोत्सव के समय एक खादी की प्रदर्शनी की भी व्यवस्था की थी। गत सप्ताह मैंने सतीशबाबु के व्याख्यान से, जिनोंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था कुछ अवतरण दिये थे। इस समय राजगोपाळनाथ के व्याख्यान से कुछ अवतरण ले रहा हूँ। भारत के युवकों का इसमें निश्चय करने योग्य बहुत सी बातें प्राप्त होंगी। शिक्षकों को केवल खाने भ्रम के लिए ही मिले और विद्यार्थी उत्तम ही रह जायें जितने कि उगणों पर गिने जा सके फिर भी इन संस्थाओं को ही निभाना ही चाहिए। सिर्फ विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उसके घड़े ही राखे आदर्श के प्रति, —कबले में व्यक्त होनेवाला सत्य और अहिंसा, अस्पृश्यता के कलंक को दूर कर के हिन्दू-धर्म की शुद्धि और जुड़े जुड़े धर्म और जाति और उपजातियों में हार्दिक ऐक्य के प्रति — प्रामाणिक रहना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा को इन आवश्यकताओं को और आकांक्षाओं का पूरा करना चाहिए। जो राष्ट्रीय विद्यापीठ बनने संख्या बढ़ाने के लिए इन आदर्श का अंग करता है वह अपनी राष्ट्रीयता को न कुछ मूल्य में बेच देता है और इसलिए वह मृत्यु के ही योग्य है। बिहार विद्यापीठ बनी कठिनाइयाँ होने पर भी इन आदर्श पर रह है। मैं उसके प्रयत्नों को आनन्द हूँ। बिहार का देश गरीब है परन्तु इसके माने यह सही कि नहीं पन्थान अन्धकार बर्ग नहीं है या दूसरे प्रान्त से गये हुए साहसी शही लोग जो अपने व्यापार से बिहार के जन को दृष्टा रहे हैं, बड़ी नहीं है। उपाधिदान महोत्सव के समय पड़े गये वार्षिक विवरण में बताया गये विद्यापीठ के एक ही से सब परीक्षा करे और यदि उन्हें यह संतोष हो जाय कि उसका एक साधर है और यदि उनका अभिप्राय यह हो कि उपरोक्त आदर्श इन योग्य हैंकि उसके लिए भ्रमा या जीना व्यर्थ है और युवकों के हृदय में उसको स्थान देने से काम ही होगा तो उन्हें उपरी मर्याद करनी चाहिए।

( वं. इं. )

मीदमदास करमचंद गांधी

## टिप्पणियाँ

### प्रदर्शनी

समय समय पर जुड़े जुड़े स्थानों में प्रदर्शिनियाँ मरी जायें तो संभव है कि उसका कुछ अधिक परिणाम हो। यह कहा जाता है कि अभी अभी देहली और काशी में जो प्रदर्शिनियाँ मरी गई थी वे ठीक ठीक सफल हुई थी। उसमें अधिक खर्च नहीं होना चाहिए और उसे स्वावलम्बी भाँ बनाया जा सकता है। देहली में ज्ञाना लाजतराव को और काशी में आनन्द शंकर शुभ को प्रदर्शिनियाँ खोलने के लिए बुलाते हैं उन सर्गितियों ने कोई कम काम नहीं उठाया है। यदि प्रबन्ध अच्छा हुआ हो तो शिक्षा देने के कार्य में उसका बहुत बड़ा मूल्य है। एकही सामान्य ध्येय के लिए एकत्रित हो कर काम करने के लिए सभी दलों को और वर्गों को उसका निष्पक्ष मंत्र प्राप्त हो सकता है। मैं ऐसे एक भी मनुष्य को नहीं जानता हूँ कि जो सिद्धान्तपर से कहर के मिलाफ हो।

### बेसवाड़ा म्युनिसिपालिटी और खादी

बेसवाड़ा म्युनिसिपालिटी की निम्न लिखित रिपोर्ट बड़ी दिल-चस्पी के साथ पढ़ी जायगा:

"कोई २० प्राथमिक शालाये हैं। अब तक १९४ बरके बच्चे गये हैं और वे बराबर पलाये आते हैं। इन साल के बजेट में १०० बरके अधिक देने के लिए गुआंश २९११ गई है। मूल माहवार ८०००० से १००००० मज के करीब उतरता है। प्राथमिक शालाओं में १०३ शिक्षक हैं और ५ मुसल्मान ली-निशिकार्ये हैं। एक मुसल्मान शिक्षक इनेशा खादी ही पहनते हैं। ९० गैरमुस्लिम शिक्षकों में ८० खादी पहनते हैं। म्युनिसिपाल आफिस के फर्क और नोकर सब खादी ही पहनते हैं और खादी की टोपी धेते हैं। टिन्कपेट उच्च प्राथमिक शाला में आर काटपेट उच्चतर प्राथमिक कन्याशाला में बड़ा अच्छा सूत तैयार किया जाता है। इन कन्याशाळा की ली शिक्षिकायें प्रति सप्ताह ५० अंक का १०,००० गज सूत तैयार कर के देती हैं। इस प्रकार जो सूत मिलता है वह जमा किया जाता है और वह महारमाजी अब फिर बेसवाड़ा की मुलाकान को आवेगे उन्हें भेट किया जावेगा। म्युनिसिपाल अस्पताल, म्युनिसिपालिटी की आफिसें, शालाये और बाक बंगलों के लिए, टोथेल, डक्टर, टेबिल-कलाश रोगियों के उपयोग के लिए और कन्याशाळाओं में सिलाई इत्यादि के काम के लिए खादी ही खरीदी जाती है। इस साल पश्चिम क्रिष्णा जिले के खादी-अण्डार से कोई ६००) की खादी खरीदी गई थी। प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को बेची गई खादी के दाम हाते हट्टे वसूल करने का प्रबन्ध किया गया है। आरोग्य सप्ताह के दिनों में कताईकी शर्ते हुई थी और ७५ खादी की टोपियाँ और ४६ गज खादी इनाम में बाँटी गई थी। आगामी मई के महीने में दूसरा शाने फराई जावेगी और बजेट में उसके खर्च के लिए व्यवस्था रखी गई है। कुछ म्युनिसिपालिटी के समाजद, कुछ प्राथमिक शालाओं के शिक्षक और इन्स्पेक्टर खादी के कार्य में बड़ी दिलचस्पी के रहे हैं।"

यह विवरण बड़ा ही प्रशंसापात्र है। म्युनिसिपालिटी तकली हाखिल करेगी तो वह सूत की तादाद पाँच गुना अधिक बढ़ा सकेगी और उसके शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए फिर कोई पहाना भी न रह जायगा। तकली के कारण कोई जगह नहीं रोकना पड़ती है और उसमें कोई खर्च भी नहीं होता है और कोई हिस्सा टूट जाने के कारण कोई तकलीक भी नहीं उठानी पड़नी है।

( वं. इं. )

मी० क० गांधी

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

### अध्याय १७

#### भोजन के प्रयोग

मैं ज्यों ज्यों जीवन के तपस में गहरा डतरता गया त्यों त्यों मुझे मेरे बाह्य और आन्तरिक आचारों में परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। जिस वेग के साथ मैंने अपने रहस्यग्रहण में और सर्व्व में परिवर्तन किये थे उनमें ही वेग के साथ बलिष्ठ उससे भी अधिक वेग के साथ भोजन में भी परिवर्तन करना आरंभ कर दिया। निरामिष भोजन विषयक अगरेजी पुस्तकों में मैंने यह देखा कि लेखकों ने बड़ा गूढ़म विचार किया था। निरामिष भोजन पर उन्होंने धार्मिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक और वैदकीय दृष्टि से विचार किया था। नैतिक दृष्टि से उन्होंने बड़ा विचार किया कि मनुष्यों को पशुपक्षियों पर जो साम्राज्य प्रभु हुआ है वह उन्हें मार कर खाने के लिए नहीं, परन्तु उनकी रक्षा करने के लिए अथवा मनुष्य जैसे एक दूसरे का आपस में उपयोग करते हैं लेकिन एक दूसरे को खाते नहीं हैं उसी प्रकार पशुपक्षी भी जैसे ही उपयोग के लिए हैं खाने के लिए नहीं। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि खाना भोग करने के लिए नहीं है परन्तु जीवित रहने के लिए है। इस पर कुछ लोगों ने तो केवल मांस का ही नहीं अण्डे का और दूध का भी खाने के तौर पर त्याग सूचित किया और उन्होंने स्वयं बसा किया भी। विज्ञान की दृष्टि से और मनुष्य की आकृति को देख कर कुछ लोगों ने तो यह अनुमान किया कि मनुष्य को खाना पकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह बनपके फल खाने के लिए ही बनाया गया है। यदि दूध पीये तो केवल मांस का ही दूध पीये। दांत जाने पर तो उसे बड़ी खुराक लेनी चाहिए जिसे दांतों से चबाना आवश्यक हो। वैदकीय दृष्टि से उन्होंने मिस्र मछाले का त्याग सूचित किया और व्यवहारिक अर्थात् आर्थिक दृष्टि से उन्होंने यह माहित कर दिखाया कि जिस खुराक में सब से कम खर्च होता है वह खुराक तो केवल निरामिष ही हो सकती है। इन चारों दृष्टि बिन्दुओं का मुझ पर असर हुआ और इन चारों दृष्टिकाले मनुष्यों को मैं होटलों में मिलता भी था। विलायत में उससे सम्बन्ध रखनेवाला एक मण्डल था और एक सामाजिक भी चलता था। उस सामाजिक का मैं प्राइड बना और मण्डल का समासद हुआ। कुछ ही दिनों में मुझे उसकी कमिटी में भी ले लिया गया। वहाँ मुझे उन लोगों का परिचय हुआ जो निरामिषभोजी लोगों में स्तंभरूप गिने जाते थे। मैंने भोजन के प्रयोगों का आरंभ किया।

घर में मिठाई मसाले इत्यादि चीजें मंगाई थी उन्हें खाना बन्द कर दिया और क्योंकि दिन का रत्न फिर गया था इसलिए मसालों का शौक भी कम हो गया था और रिचमण्ड में बिना मसाले के जो भाजी फीकी माछम होती थी वही अब केवल उबाली हुई भी स्वादिष्ट माछम होती थी। ऐसे अनेक प्रकार के अनुभवों से मैंने यह सीखा कि स्वाद का स्थान जीम नहीं है परन्तु मन है।

आर्थिक दृष्टि तो मेरे सामने थी ही। उस समय एक ऐसा भी पंच था कि जो था, काफी इत्यादि को हानिकारक मानता था और कोको का ही समर्थन करता था। मैंने यह समझ लिया था कि शरीरव्यापार के लिए जो चीज लेना आवश्यक हो उसीको लेना उचित है, इसलिए मैंने का और काफी का मुख्यतः त्याग किया और उसका स्थान कोको को दिया। भोजनग्रह के

दो विभाग थे एक में जितनी चीजें खाई जाती थी उतने के ही बाम देने होते थे। इसमें एक दफा में एक सिदिम या दो सिदिम तक खर्च हो जाते थे। इसमें अच्छी स्थिति के आदमी जाते थे। दूसरे विभाग में छः पनी में तीन चीजें और एक रोटी का टुकड़ा मिलता था। जिस समय मैंने बहुत करकसर करना शुरू किया उस समय मैं इस छः पनीवाले विभाग में ही था।

उपरोक्त प्रयोग में दूसरे छोटे छोटे धार भी बहुत से प्रयोग किये गये थे। किसी समय स्टावर्नवाले काण्य पदार्थों को त्याग करने का, किसी समय केवल रोटी और फल पर ही गुमारा करने का तो किसी समय पनीर, दूध और अण्डे खाने का ही प्रयोग करता था।

यह अन्तिम प्रयोग उल्लेख योग्य है। वह पंद्रह दिन भी न चल सका। स्टावर्नरहित खाद्य का समर्थन करनेवालों ने अण्डे की बड़ी प्रशंसा की थी और यह साबित किया था कि अण्डे मांस नहीं। उसको खाने में यह बात तो अवश्य थी कि किसी जीवित जीव को दुःख न होता था। इस दलील से भूलाने में यह कर मैंने माता को दो हुई प्रतिज्ञा के होते हुए भी अण्डे लिए थे। लेकिन मेरी मूर्छा क्षणिक थी। प्रतिज्ञा का नया अर्थ करने का मुझे कुछ भी अधिकार न था। प्रतिज्ञा करानेवाली माता का ही अर्थ लिया जा सकता है और मैं यह जानता था कि मुझसे प्रतिज्ञा करानेवाली माता को अण्डे का ख्याल भी नहीं हो सकता था। इसलिए जैसे ही मुझे प्रतिज्ञा के रहस्य का ख्याल हुआ मैंने अण्डे छोड़ दिये और उस प्रयोग का भी त्याग कर दिया।

यह रहस्य मूकम और ग्यान देने योग्य है। विलायत में मांस की तीन व्याख्यायें पढ़ी थी। एक में मांस पशुपक्षी का मांस होता था। इसलिए उन व्याख्याकारों की दृष्टि में वह त्याग्य था परन्तु वे मछलियाँ खाते थे और अण्डे तो उनके मतानुसार खाये ही जा सकते थे। दूसरी व्याख्या के अनुसार जिसे सामान्य मनुष्य जीव नाम से जानते हैं उसका त्याग करना पड़ता था। इसलिए मछली त्याग्य थी परन्तु अण्डे प्रायः थे। तीसरी व्याख्या में सामान्यतया जीव माने जानेवाले सभी जीवों का और उनमें से उत्पन्न होनेवाली सभी चीजों का त्याग होता था। इस व्याख्या के अनुसार अण्डे और दूध का त्याग भी अनिवार्य था। इसमें यदि पहली व्याख्या को मान्य रखें तो मछली भी खायी जा सकती थी। लेकिन मैं यह समझ गया कि मेरे लिए तो मातृभी की व्याख्या ही मान्य होनी चाहिए थी। इसलिए यदि मुझे खाना के समझ ली हुई प्रतिज्ञा का पालन करना है तो मैं किसी भी प्रकार अण्डे नहीं ले सकता था। मैंने अण्डे का त्याग किया। इससे मुझे बड़ी कठिनाई महसूस हुई क्योंकि अधिक स्पष्टीकरण करने पर महसूस हुआ कि निरामिष भोजन के भोजनग्रहों में भी बहुत सी चीजों में अण्डा डाला जाता था। अर्थात् मेरे भाग्य में जबतक मैं अच्छी तरह जानकार न बना तबतक मुझे बड़ी भी परीक्षनेवालों से पूछताछ करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत से पुर्व्वीय में और केक में अण्डे तो होते ही थे। इससे मैं एक प्रकार से एक अज्ञान से बच गया क्योंकि मैं थोड़ी और केवल सारी ही चीजें खा सकता था। दूसरी तरफ कुछ थोड़ा भी पढ़ुंजी क्यों कि ऐसी बहुत सी चीजों का जिनका जीम घर स्वाद चढ़ गया था मुझे त्याग करना पड़ा था। परन्तु यह थोड़ा क्षणिक था। प्रतिज्ञापालन का शुद्ध सूक्ष्म और स्थायी दशाद मुझे उच्च क्षणिक स्वाद से अधिक प्रिय महसूस हुआ था।

परन्तु यह परीक्षा तो अभी होने की बाकी ही थी और यह भी एक दूसरे मत के कारण, लेकिन जिसकी राम रक्षा करते हैं उसको कौन मार सकता है।

इस अध्याय की समाप्ति करने के पहले प्रतिष्ठा के अर्थ के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है। मेरी प्रतिष्ठा माता के समक्ष किया हुआ मेरा इकरार था। इकरारनामा चाहे किसी भी स्पष्ट भाषा में क्यों न लिखा जाय अर्थशास्त्री उसका कुछ का कुछ कर देगा। इसमें सम्प्राप्त्यर्थ का कोई भेद नहीं होता है। स्वार्थ सभी को अपना बना देता है। राजा से के कर हरिश्चन्द्र तक भी अपने इकरारों का चाहे जैसा अर्थ कर के अपने को, दुनिया को और ईश्वर को ठगते हैं। इसे ही न्याय-शास्त्री व्रीधर्षी मध्यमपद कहते हैं। उत्तम मार्ग तो यह है कि विकृत पक्ष ने हमारे मन का जो अर्थ किया हो वही सही माना जाना चाहिए। हमारे मन में जो अर्थ हो वह गलत होता है या अपूर्ण होता है। और वैसा ही एक दूसरा उत्तम मार्ग यह है कि जहाँ दो अर्थ संभव हो सकते हैं वहाँ दुर्बल पक्ष जो अर्थ करे वही सही माना जाना चाहिए। इन दो सुवर्ण मार्गों के त्याग से ही बहुधा बहुत से झगड़े होते हैं और अन्त होता है। और इस अन्याय की जब अन्त है। जिसे सत्य के मार्ग पर ही चलना है उसे वह सुवर्ण मार्ग सहज ही प्राप्त हो जाता है। उसे कालों की शोष नहीं करनी होती। माता ने साँस शब्द का जो अर्थ माना था और जो अर्थ मैंने उस समय समझा था वही अर्थ मेरे लिए सही था, परन्तु मेरे अधिक अनुभव से और मेरी विद्वता के मर में जिसे मैंने सीखा हुआ समझा वह नहीं।

अबतक मेरे प्रयोग आरोग्य और आर्थिक दृष्टि से हो रहे थे। विलायत में अपने आर्थिक रूप ग्रहण नहीं किया था। इस दृष्टि से दक्षिण आफ्रिका में मैंने कठिन प्रयोग किये थे। उस पर आगे चल कर विचार करेंगे। लेकिन यह कहा जा सकता है कि उसका जीव विलायत ही में ढाला गया था।

जो नया धर्म स्वीकार करता है उसका उस धर्म में जन्म ग्रहण किये हुए मनुष्यों से अधिक उत्साह होता है। निरामिष भोजन विलायत में तो नया ही धर्म था और मेरे लिए भी वह वैसा ही गिना जा सकता था, क्योंकि बुद्धि से आमिष भोजन का समर्थक बनने के बाद ही मैं विलायत गया था। निरामिष भोजन की नीति का मैंने ज्ञानपूर्वक स्वीकार तो विलायत ही में किया था इसलिए वह नये धर्म में प्रवेश करने के समान था। मेरे में नवधर्मी का उत्साह था। इसलिए जिस महान् में मैं रहता था वहाँ मैंने एक निरामिषमोक्षी मण्डल स्थापित करने का निश्चय किया। वह महान् वेष्टवाटर का महान् था। इस महान् में सर एडविन आर्नेल्ड रहते थे। उनको उपस्थित बनने के लिए निमन्त्रण दिया। वे मण्डल के उपाध्यक्ष बने। डाक्टर आल्बर्ट प्रदान हुए और मैं मंत्री बना। कुछ समय के लिए यह संस्था चली लेकिन कुछ महीने के बाद उसका अंत हो गया, क्योंकि अपने निश्चयानुसार मैंने वह महान् कुछ समय के बाद छोड़ दिया। परन्तु इस बोधे से और थोड़े समय के अनुभव से लोगों की रचना करने का और उनको चलाने का मुझे कुछ महान् प्राप्त हुआ।

### ‘स्वत्वाधिकार सुरक्षित रखो’

एक भाई लिखते हैं:

“समाचारपत्रों को आपने अपनी आत्मकथा के अध्यायों को उद्धृत करके छापने की जो इजाजत दी है उससे मान्य होना है कि संग इन्डिया और नवजीवन की ग्राहक संख्या पर प्रतिकूल असर होगा। सभी समाचारपत्र व्यापारिक दृष्टि रखते हैं इसलिए वे सब उसके लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। मेरे काल में आपको उन्हें यह इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। यदि उनको यह इजाजत नहीं दी जायेगी तो जो लोग आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे उन्हें संग इन्डिया और नवजीवन के ही ग्राहक बनना होगा। उसके बिना वे उसे न पढ़ सकेंगे। जो ग्राहक न होंगे वे ग्राहक बनेंगे और उसके ग्राहक बनेंगे तो वे उसके दूसरे केलों को भी पढ़ेंगे। तब फिर आप यह इजाजत दे कर आपके संदेश के प्रचार को बढ़ाने का यह अनसर क्यों कोते हैं? और शराब और उसके जैसे ही दूसरे अनुचित विज्ञापनों को जैसे कि घुरी दवाइयाँ, घुरे पुस्तक और उपन्यासों—को फैलाने में अपना हिस्सा क्यों दे रहे हो? मेरे इस अभिप्राय में संग इन्डिया के बहुत से पाठक सहमत हैं।”

इस सलाह में जो छुम हेतु है वह मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन उसके उचित होने के सम्बन्ध में मुझे निश्चय नहीं है। मैंने मेरे किसी केल के स्वत्वाधिकारों को सुरक्षित नहीं रखे हैं। आत्मकथा के अध्यायों को प्रकाशित करने के लिए मेरे पास बड़ा प्रलोभन दिखानेवाली मांगे आई हैं और जिस प्रवृत्ति को आज मैं चला रहा हूँ उसके लिए संभव है कि ऐसी कालव में मैं पक भी जाऊँ। फिर भी यह नहीं हो सकता कि एक को इजाजत दूँ और दूसरे को न दूँ। जिन साप्ताहिकों को मैं चला रहा हूँ उसके केल सभी लोगों का धन है। ‘दापीराइट’ (प्रकाशन का स्वत्वाधिकार) यह कोई स्वाभाविक वस्तु नहीं है। यह तो आधुनिक सुधारों की पैदाइश है। शब्द कुछ अर्थों में यह इष्ट भी गिना जा सकता है। परन्तु समाचारपत्रों को आत्मकथा के अध्यायों को छापने से मना कर के मेरे संग इन्डिया और नवजीवन के ग्राहकों को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। इन साप्ताहिकों के द्वारा मैं जो संदेश देना चाहता हूँ उसे ऐसी कृत्रिम पुष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका तो अपने ही केल पर प्रचार होना चाहिए। मुझे इस बात का सन्तोष है कि आज जितने मनुष्य इन साप्ताहिकों को खरीदते हैं वे उसमें रहे हुए सत्त्वों के प्रतिपादन के लिए ही उसे खरीदते हैं, ‘आत्मकथा’ जैसे केलों से जो तात्कालिक कुतूहल उत्पन्न होता है उसके लिए नहीं।

और इन पत्रों में जो कुछ भी मैं लिखता हूँ उसको उद्धृत करने के लिए समाचारपत्रों को मनाई करने का हक मैंने छोड़ दिया है इसलिए जैसे कि उपरोक्त पत्र में कहा गया है मैं यह नहीं क्वाल करता कि विज्ञापनों के फैलाने के समाचारपत्रों के पाव में मैं कोई हिस्सा दे रहा हूँ। इन विज्ञापनों के प्रति मुझे बड़ा तिरस्कार है। मैं अवश्य ही यह मानता हूँ कि ऐसे अन्याय से भरे हुए विज्ञापनों के समाचारपत्रों को चलाना उचित नहीं है। मैं यह भी मानता हूँ कि विज्ञापन यदि केने ही हों तो उस पर समाचार पत्रों के साक्षिक और संपादकों को तरफ से बड़ी सख्त चौकौदारी होना आवश्यक है और केवल कुछ और पवित्र विज्ञापन ही लिए जाने चाहिए। परन्तु मैं अपने केलों को उद्धृत करने को मना नहीं करता हूँ इसलिए वह नहीं कहा जा सकता कि वे रहे



अनीतियुक्त विज्ञापनों के गुन्हे में शामिल हूँ। आज अच्छे प्रतिष्ठित मित्रे जानेवाले समाचारपत्र और मासिकों को भी यह रूपत विज्ञापनों का अनिष्ट लग रहा है। यह अनिष्ट तो समाचारपत्रों के मासिकों की विवेकबुद्धि को श्रद्ध कर के ही दूर किया जा सकता है। मेरे जैसे सोसाइटी सम्पादक के प्रभाव से यह श्रद्धे नहीं हो पाती है लेकिन जब उनकी विवेकबुद्धि इस बहनेवाले अनिष्ट के प्रति जागृत होगी, अथवा जब राष्ट्र का श्रद्धे प्रति-विधित्वयुक्त और राष्ट्र की नीति पर सदा ध्यान देनेवाला सत्यवचन उस विवेकबुद्धि का जागृत करेगा तभी वह हो सकेगी।

(सं० ६०)

साइमनदास करमचंद गांधी

### विविध अन्न

[ गांधीजी की डाक से निम्न लिखित प्रश्न लिये गये हैं प्रश्नों का केवल सार ही दिया गया है। उत्तर गांधीजी के शब्दों में है। ]

#### कुनैन का नियमित उपयोग करो!

एक मित्र ने गांधीजी को उनकी बीमारी के बाद बड़े आग्रह के साथ लिखा था कि कुनैन नियमित लेते रहो, बहुत दिनों तक कुनैन लेने पर ही मलेरिया के अणुओं का नाश होता है। गांधीजी ने उनको लिखा था:

अब मैं कुनैन नहीं लेता हूँ। क्या आपको यह पकीन हो गया है कि कुनैन लेने से मनुष्य मलेरिया (जुड़ी का बुखार) से बचा के लिए सुरक्षित पा जाता है अथवा आप ऐसा कोई अनुभव दे सकते हैं? जब बुखार आती थी मैंने तीन बार दिन के लिए थोड़े थोड़े डोज खुराक में कुनैन ली थी। अब बुखार चला गया है। डॉक्टर ने कुछ इन्जेक्शन भी दिये थे लेकिन मैं यह नहीं जानता कि उससे किन्ना लाभ होता है। परन्तु कोई लम्बी दलील किये बिना ही मैंने इन्जेक्शन के लिये था।

#### कुनैन क्यों ली?

वे दूसरे मित्र हैं जो केवल कुदरती इलाजों का ही समर्थन करते हैं। गांधीजी ने कुनैन ली इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे उनसे इस पर हाथड़ा करते हैं कि ऐसा सुन्दर शरीर आपने कुनैन से क्यों बिगाड़ा? कुनैन तो अनेक अनर्थों का घर है।

उ० कुनैन के जो अनिष्ट परिणाम आप गिनते हैं वे बहुत बड़ी खुराक में बहुत दिनों तक कुनैन लेने से होते हैं। मैंने तो केवल पांच पांच ग्रेन के डोज में ही कुनैन ली थी और दिन में १० ग्रेन से कभी अधिक कुनैन नहीं ली, और सो भी नीच्यु का रस, सोडा और पानी मिला कर ली थी। पांच दिन में सब मिला कर ३० ग्रेन से अधिक कुनैन नहीं खाई थी। बार दिन तो केवल पांच पांच ग्रेन कुनैन ही ली थी। इतना कुनैन खाने से मुझे कोई बुरा परिणाम नहीं दिखाई दिया है और बहुत से मित्र और डॉक्टर पंद्रह पंद्रह ग्रेन कुनैन लेने को कहते थे उन्हें सन्तोष पहुँचा सका यह एक और ही लाभ हुआ।

और इस प्रकार आँसू बन्द करके कुनैन पर अक्रमण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मलेरिया से थोड़े समय के लिए बचने के उपाय के तौर पर कुनैन की उपयोगिता तो स्पष्ट ही है। मलेरिया के सर्वांग परणामों से यदि मनुष्य उस समय के लिए बच जाय तो भविष्य में आनेवाले घुरे परिणामों की ओर

वह ध्यान नहीं देता है। इसलिए उस पर सीधा ही आक्रमण करना चाहिए और यह सिद्ध करना चाहिए कि कुनैन से कुछ भी लाभ नहीं होता है।

लेक में था उस समय जिस कारण से मैंने आपरेशन कराया था उसी कारण से कुनैन भी ली थी। कद के दबाव के कारण मैंने आपरेशन करवा था, तो कुनैन लेने के समय मित्रों के प्रेम का दबाव कितना बलवन्त हुआ इसकी जाप बतलाना करे। परन्तु वह सच है कि यदि मुझे यह विश्वास न होता कि आपरेशन करने की इच्छाशक्त मेरी बुद्धि का ही प्रतिफल है तो मैं आपरेशन भी न करता। परन्तु यह दुर्कला जिसे आ कुदरती इलाज कहते हैं उसके प्रति सम्पूर्ण विश्वास की कमी है। और इस इलाज की पद्धति भी सम्पूर्णतः को नहीं पहुँची है। प्रथम से ही इस दवा को पहुँच सकते हैं। यदि जब चाहे बख की तरह पहनी नहीं जा सकता है, और यह विश्वास कि जगतप्रतिपाक हमारी रक्षा करता है दलील से उपपन्न नहीं होता, दर्शन ही से होता है।

#### दूसरा खुलासा

एक दूसरे मित्र को इस विषय में गांधीजी ने लिखा था:

बरमा के मित्र से कहना कि यद्यपि मैंने कोह और सखिया के इन्जेक्शन लिये थे, फिर भी मे दवा और डॉक्टरों के विषय पर मेरे लेख में कनाये गये मेरे आग्रह पर हट रहना चाहता हूँ। आदवा या खाना पकवाने हैं और उसका पालन करना दूसरी बात है। आज तो मेरे मित्र कहते हैं कि मेरे शरीर पर मेरा कोई हक नहीं है। वह शरीर तो देश का है। उसके हित पर ध्यान देने का मेरे ही जितना दूरों का भी हक है और वे अपनी सुन्दर दलील से मुझे यह समझाने हैं कि मेरे शरीर की रक्षा के लिए मैं एक दूरी हूँ और उसे सुलाने का भी मुझे हक है। इसलिए बरमा के मित्र जैसे दूसरे मित्रों को भी मेरे आदर्श में आर आचर में विरोध साक्ष्य होता है। इसलिए उनसे कहना कि जब तक वे मेरी तरह मनुष्या न बने दवा को न छूने के और डॉक्टर को न सुलाने के अपने आग्रह पर हट बने हों और यदि वे इस नीति और युगम पथ पर हट रहेंगे तो आखिर उनका अन्त होगा। उनको खानगी तौर पर यह भी कहना कि मैंने मित्रों के आग्रह को मान्य रखा है परन्तु पांच दिन में केवल ३० ग्रेन कुनैन ही मैंने खाई है और पांच सप्ताह में पांच ही इन्जेक्शन लिये हैं।

#### चौली पसन्द है ता साड़ी क्यों नहीं?

एक बहन लिखती है साड़ी भी चौली बड़ी अच्छी होती है। गरमी के कारण पसीना हो तो उसे वह चूम लेती है और उससे टंकक रहती है परन्तु मुझे साड़ी-बाड़ी पसन्द नहीं क्योंकि मुझे चिरेली कपड़े का बड़ा शौक है।

उ० आपका पत्र मिला। आपको खादी को चौली पसन्द है तो क्या अब आप साड़ी का भी पसन्द न करोगी? स्वदेशी मनुष्यों का चिरेली कपड़ों का शौक क्यों होता होगा? यदि हमें हमारा देश प्रिय है तो हमें हमारे देश की चीजों का शौक होना चाहिए। हिन्दुस्तान के गरमियों के हाथ से कटे और हुए कपड़ों के प्रति जिन्हे अर्थात् हाँ वे क्या भारतवर्ष कहला सकते हैं?

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ३२

मुद्रक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

अहमदाबाद, प्रथम क्षेत्र सुबो १२, सेक्टर १९८९  
 २५ बुधवार, मार्च, १९२६ ई०

मुद्रकस्थान-नवजीवन मुद्रकालय,  
 सारंगपुर सरकोपरा की बाड़ी

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

### अध्याय १६

#### परिवर्तन

कोई यह न समझे कि नाथ इत्यादि सीकने का मेरा यह समय स्वच्छन्द का समय था। पाठकों ने यह देखा होगा कि उसमें भी कुछ ज्ञान अवश्य था। इन मुर्छा के समय में भी मैं कुछ अर्थों में बड़ा चौकला रहता था। एक एक पाई का हिसाब रक्ता था। खर्चे की मर्यादा बांध ही गई थी। यह निश्चय का रक्ता था कि प्रतिमास १५ पौंड से अधिक खर्चे न किया जाय। बस ( मोटर ) में जाने का खर्चे, डाक-खर्चे और समाचारपत्रों का खर्चे भी हमेशा लिखता था और सोने के पड़के में मिला लेता था। यह आदत आखिर तक रही और इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि सार्वजनिक कार्यों में मेरे हाथों कालों कर्मों का दिग्गम हुआ है, उसमें मैं उचित करकसर कर सका हूँ। मेरे हाथ से जितनी भी इलकमें हुए उनमें मैंने कभी कोई कर्म नहीं लिया परन्तु प्रत्येक इलकमें कुछ न कुछ रुपये जमा पाये में ही बाकी रहे हैं। प्रत्येक नवयुवक यदि उसकी मिलनेवाले कुछ थोड़े से रुपयों का भी ध्यानपूर्वक हिसाब रक्केगा तो जिस प्रकार मैंने उससे अभिष्य में लाभ उठाया और उससे जनता को भी लाभ मिला उसी प्रकार वह भी लाभ उठायगा और उससे जनता को भी लाभ होगा।

मेरे रहने-सहन पर मेरा अंकुश था इसलिए मैं यह समझ सका था कि मुझे कितना खर्चे करना चाहिए। अब मैंने खर्चे को आधा कर देने का निश्चय किया। हिसाब की जांच करने पर मालूम हुआ कि मेरा गाडी का खर्चे अधिक था। और कुटुम्ब में रहने के कारण प्रति सप्ताह एक रकम तो देनी ही पड़ती थी। कुटुम्ब के मनुष्यों को किसी दिन बाहर भोजन के लिए ले जाने का भी विवेक दिखाना चाहिए। और जब कभी उनके साथ किसी निमन्त्रण में जाना होता था तो गाडी-भाड़े का खर्चे भी होता था। साथ में यदि कोई लडकी होती तो उससे गाडी-भाड़े का खर्चे नहीं लिखा जा सकता। और बाहर जाने पर न जाने के समय पर पहुंच नहीं सकता था। वहाँ तो रुपये पड़के ही दिये जाते थे और बाहर जाने के

दाम तो अलग ही देने होते थे। मैंने सोचा कि इस प्रकार जो खर्चे होता था वह बचाया जा सकता है। मैंने देखा कि केवल नया शर्म के कारण जो खर्चे करना पड़ता था वह भी बचाया जा सकता है।

अब तक कुटुम्बों में रहता था लेकिन अब अर्थों लिए एक कमरा अलग किराये पर ले कर रहने का ही मैंने निश्चय किया। और काम के हिसाब से और अनुभव प्राप्त करने के लिए जुड़े जुड़े महलों में मकान बदलने का भी निश्चय किया।

मकान ऐसी जगह पसंद किया था कि वहाँ से पैदल काम की जगह पर मैं आये बगटे में ही जा सकता था और गाडी-भाड़ा बच जाता था। इसके पहले जाने के समय हमेशा गाडीभाड़ा खर्चे करना पड़ता था और घूमने के लिए अलग समय निकालना पड़ता था। अब काम पर जाने के समय घूमने की भी व्यवस्था हो गई और इस व्यवस्था से मैं रोजाना आठ दस मील घूम लेता था। खस कर इस एक आदत के कारण ही विकास में मैं शायद ही कभी बीमार हुआ हूँगा। शरीर ठीक कसा गया था। कुटुम्ब में रहना छोड़ दिया और दो कमरे किराये पर लिये, एक सोने के लिए और दूसरा बैठक के लिए। यह परिवर्तन का दूसरा काल गिना जा सकता है। अभी तीसरा परिवर्तन और आये होगा।

इस प्रकार आधा खर्चे बच गया। लेकिन समय का क्या ? मैं यह जानता था कि वेगीस्टरी की परीक्षा के लिए बहुत पढ़ने की आवश्यकता न थी। इसलिए मुझे दिल में शान्ति थी। मेरी कभी अंगरेजी मुझे बड़ा सुख देती थी। डेली साहेब के ये शब्द ' तुम पढ़ो नो. ए. पास करो, फिर जाना ' कटक रहे थे। मुझे वेरीस्टर होने के अलावा और कुछ दूसरी पढ़ाई भी करनी चाहिए। भावनपण्डे केम्प्रीज के समाचार प्राप्त किये। कुछ मित्रों को भी मिला। वहाँ जाने पर खर्चे बहुत बढ जाना था और उसका अभ्यासकम भी बड़ा लंबा था। मैं तीन साल से अधिक नहीं रह सकता था। एक मित्र ने कहा ' यदि तुम्हें कोई कठिन परीक्षा देनी हो तो तुम लंडन की मेडिकलुकेशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर लो। उसमें मिहनत भी ठीक ठीक करनी होगी और तुम्हारा सामान्य ज्ञान भी बढेगा और खर्चे तो जरा भी न बढेगा। ' यह सूचना मुझे पसंद आयी। परीक्षा के विषयों को देखा तो मैं

समझा गया। क्रेटीन और एक दूसरी भाषा अनिवार्य विषयों में थी। क्रेटीन ने मैं कैसे तैयार हो सकता था? एक मित्र ने कहा: 'बकीलों को क्रेटीन का बहुत कुछ उपयोग होता है। क्रेटीन जाननेवालों को कानून की पुस्तकों को समझना बड़ा आसान माध्यम होता है और रोमन ला की परीक्षा में एक प्रश्न तो केवल क्रेटीन भाषा में ही होता है। और क्रेटीन जानने से अंगरेजी पर अच्छा अधिकार हो जाता है।' इन सब बकीलों का मुझ पर असर पड़ा। कठिन हो या न हो, लेकिन क्रेटीन तो सीखनी ही होगी। फ्रेंच आरंभ की थी उसे पूरा करना था, इसलिए दूसरी भाषा फ्रेंच केना निश्चय किया। मेट्रीक्युलेशन का एक खानगी बर्ग चलता था उसमें मैं दाखिल हुआ। छः छः महीने में परीक्षा होती थी। मेरे लिए पंच ही महीने का समय था। यह काम मेरी शक्ति के बाहर का था; उसका परिणाम यह हुआ कि सभ्य बनने के बदले मैं एक बड़ा परिश्रमी विद्यार्थी बन गया। टइमटेबिल बनाया। मिनिटों का भी हिसाब रक्खा। लेकिन मेरी पुस्तक या स्मरणशक्ति ऐसी न थी कि मैं दूसरे विषयों के साथ साथ क्रेटीन और फ्रेंच भी तैयार कर सकूँ। परीक्षा में बैठे। क्रेटीन में अनुतीर्ण हुआ इससे मुझे दुःख हुआ लेकिन मैं हारा नहीं। क्रेटीन का रस लग गया था। फ्रेंच अधिक अच्छी होगी और विज्ञान का नया विषय लूंगा यह हयाल हुआ। रसायन शास्त्र जिसमें अब मैं देखता हूँ कि बड़ा दिल लगना चाहिए था उसमें प्रयोगों के अभाव से मेरा दिल ही न लगता था। देश में भी यह विषय अनिवार्य विषयों में था इसलिए लण्डन की मेट्रीक के लिए भी मैंने यही विषय पसंद किया। इस समय प्रकाश और उष्णता (लाइट और हीट) का विषय लिखा। यह सरल विषय समझा जाता था और मुझे भी बेसा ही मालूम हुआ।

फिर परीक्षा देने की तैयारी के साथ ही रहन-पहन को भी अधिक सादा बनाने का प्रयत्न किया। मुझे यह मालूम हुआ कि मेरे कुटुम्ब की गरीबी को देखते हुए उसके अनुकूल मेरा जीवन अब भी सादा नहीं हुआ है। भाई की लगी का और उनकी उदारता का विचार करने पर मुझे बड़ा सफोच होता था, जो विद्यार्थी प्रति-मास १५ पौंड या ८ पौंड खर्च करते थे उन्हें तो छात्रवृत्तियाँ मिलती थी। मुझसे भी अधिक सादगी के साथ रहनेवालों को भी मैं देखता था। ऐसे बहुत से गरीब विद्यार्थियों को भी मैं मिला था। एक विद्यार्थी लण्डन के गरीबों के महले में प्रति-सप्ताह दो शिलिंग किराया दे कर एक कमरे में रहते थे और लोकाटों की सस्ती दुकानों से दो पनी की रोटी और कोको के कर उसी पर गुजारा करते थे। उनके साथ स्पर्द्धा में खड़े रहने की तो मुझमें शक्ति न थी। लेकिन मैं अवश्य ही दो के बदले एक ही कमरे से चला सकता था और आधी रमोई हाथ से भी पका सकता था। इन प्रकार मैं प्रति मास चार या पांच पौंड में रह सकता था। भाई रहन-पहन से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ पुस्तक भी पढ़े थे। दो कमरों को जगह को छोड़ दिया और प्रति-सप्ताह आठ शिलिंग के हिसाब से एक कमरा किराये पर लिया। एक छपड़ी खरीदी और सुबह का खाना हाथ से पकाना शुरू किया। खाना पकाने में सायद ही बीस मिनिट लगते होंगे। ओटमील की राव और कोको के लिए पानी गरम करने में कितना समय लग सकता था? दोपहर को बाहर खाना खा केना था और शाम को फिर कोको बना कर उसके साथ रोटी खाता था। इस प्रकार मैं रोजाना एक या सवा शिलिंग में खाना खा केता था। मेरा यह समय अधिक से अधिक पढ़ने का समय था। सादा

जीवन हो जाने के कारण अधिक समय बचता था। मैं दूसरी मरतबा परीक्षा में बैठे और पास हुआ।

पाठक यह न मानें कि सादगी के कारण मेरा जीवन रचहीन बना था। बल्कि इन परिवर्तनों के कारण मेरी आन्तरिक और बाह्य परिस्थिति में ऐश्वर्य हो सका था। क्रांतिमिक स्थिति के साथ जीवन की एकता हुई। जीवन अधिक सत्यमय बना और उससे मेरे आत्मानन्द की कोई सीमा ही न रही।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

## विविध प्रश्न

[गांधीजी की डाक से निम्न लिखित प्रश्न लिखे गये हैं प्रश्नों का केवल धार ही दिया गया है। उत्तर गांधीजी के शब्दों में है।]

प्रतिज्ञा का भंग हो सकता है?

“यदि कोई मनुष्य मानसिक दुर्बलता के बश हो कर कोई प्रतिज्ञा कर ले और उस प्रतिज्ञा का कुछ दिनों तक पालन करने के बाद उसे यह मालूम हो कि प्रतिज्ञा करने में भूल हुई है तो क्या उस प्रतिज्ञा का त्याग किया जा सकता है?”

उ० प्रतिज्ञा किसी सत्कार्य के लिए ही हमेशा की जाती है। कुर्म करने की प्रतिज्ञा ही नहीं हो सकती है। यदि अज्ञान के कारण कोई ऐसी प्रतिज्ञा कर भी ले तो उसका भंग करना ही उसका धर्म हो जाता है। मान लो कि कोई मनुष्य व्यभिचार करने की प्रतिज्ञा करता है परन्तु उस मनुष्य की आयुति और शुद्धि इसीमें है कि वह उस प्रतिज्ञा का त्याग करे। उस प्रतिज्ञा का पाटन करना पाप है।

फिर शादी करना या देशसेवा?

एक बरराये हुए भाई अपने मन की उलझन को दूर करने के लिए गांधीजी को लिखते हैं। वे डेढ़ साल से विधुरावरणा में हैं।

“जिस वक्त पत्नी थी यह हयाल बना रहता था कि यदि यह घर का बंधन न होता तो मैं किसी न किसी देशसेवा में लग जाता। लेकिन अब, जब ईश्वर ने बंधन मुक्त कर दिया है, मैं यह समझ सका हूँ कि मैं कैसे भ्रम में पसा हुआ था। फिर शादी करने के लिए कुटुम्ब के लोग बड़ा आप्रह कर रहे हैं। अब तक तो मैं हट बना हुआ हूँ। और इससे रक्षा पाने के लिए सदा ईश्वर की प्रार्थना करता रहता हूँ। मैंने अपने हितैषियों से और बड़ेबूढ़ों से यह कह दिया है कि जब तक मेरे में कमाने की शक्ति नहीं आती तब तक मैं फिर शादी करना नहीं चाहता। लेकिन वे बड़े दुःखी हो रहे हैं। आप कोई मार्ग दिखावेंगे?”

उ० कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं कि उसका उपाय केवल समय ही दिखा सकता है। परन्तु इस दरम्यान हमें शान्ति रखनी चाहिए। यदि आप का निश्चय अटल है, और जबतक कोई कार्यक्षेत्र पसंद नहीं किया है और कमाने का सामर्थ्य नहीं है तबतक शादी न करने का आपने हट निश्चय किया है तो अपने बड़े बूढ़ों को और हितैषियों को दृढतापूर्वक बड़े क्षिण्य के साथ अपना निश्चय कह सुनाइये। वे सुनकर चुप होंगे। यदि आपका मन हतया स्थिर नहीं है, भीतर गहरे में विवाह की इच्छा है तो अपने बड़ेबूढ़ों का कहना मानना ही उत्तम मार्ग है। बल्कि कुटुम्ब के विधुर को पुनर्विवाह से बचना निःसन्देह बड़ा कठिन है। उससे बड़ी मनुष्य रक्षा या सकता है जिसे पुनर्विवाह करना और घर पर तलवार का पडना समान ही प्रतीत होता हो।

इसलिए मेरी सलाह तो यह है कि इस पर एकान्त में बैठ कर ध्यानात्मक विचार करना चाहिए और हृदय से इसका जैसा भी उत्तर मिले उस पर अमल करना चाहिए। मैं तो केवल मार्ग ही दिखा सकता हूँ। इसका निश्चय करने के समय मेरी सलाह का या दूसरे किसी की भी सलाह का विचार न करके जो अपना दिल कहे वही निर्णय हो कर करना चाहिए।

**नाक कान छिद्रवाने चाहिए ?**

‘यह ठीक है कि विवाह में अधिक धूमधाम और खर्च नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा विवाह करने के लिए कितने ही आई तैयार हुए हैं। उनकी सबकी अभी विवाह के योग्य नहीं हुई है, अभी छोटी है। नाक कान भी नहीं छिद्राये हैं। आज पुराने विवाहों में कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे, इसका विचार करते हुए यह सोचना चाहिए कि नाक कान छिद्रवाना क्या उचित है? क्या इसका आप निराकरण करेंगे?’

४० किसी भी लम्बी का एक भी अवयव छिद्रवाने में कुछ खर्चहीन माध्यम होता है।

**उत्तर किसको दें ?**

एक भाई गांधीजी के अमुक उद्धारों का अनर्थ कर के प्रकाशित किये गये एक हेन्डबिल को मेज कर लिखते हैं कि इसका उत्तर न दोगे तो एक पक्ष की बड़ी हानि होगी।

उ० हेन्डबिल पढा। निःसन्देह वह बड़ा गन्दा है। लेकिन मेरी तो राय यह है कि उस पर कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। ऐसी बातों का उत्तर देने से उन्हें थोड़ा बहुत महत्त्व मिल जाता है और कुछ लोग तो केवल प्रकाश में आने के लिए ही ऐसी बातें लिखते हैं। प्रसंगवशात् यदि कोई बात सःट करने की आवश्यकता माध्यम होती तो मैं कर लूँगा।

**एक रोगी की**

एक बिधार्थी है। कनेक पुरी आदतों के कारण शरीर दुर्बल हो गया है। दिन प्रति-दिन उनकी शक्ति का क्षय हो रहा है। कोई कहता है कि शादी करो, कोई कहता है कि आराम करो। पुरी आदतें छोड़ने की भी शक्ति नहीं रही है। वह क्या करे ?

उ० आपसे मुलाकात किये बिना इसका उत्तर देना आसान नहीं है। किंतु इतनी सूचनायें अवश्य की जा सकती हैं; जिनमें बहुतेरी सूचनाओं पर आप अमल कर सकोगे।

जहाँ तक हो सके सुली हुई हवा में अधिककालिक रहने का ध्यान रखने का प्रयत्न करो। बड़ा हल्का भोजन करो, मात्र शरीर निभाने के योग्य ही, पेट भरने के लिए नहीं। तमाम मसालों को छोड़ दो। यदि कोई दाल खाना आवश्यक हो तो बहुत थोड़ी खाओ। चरबीवाले, तले हुए और दुर्जर खाने बिल्कुल ही छोड़ दो। रोजाना सुबह शाम थोड़ी थोड़ी और हल्की कसरत करो।

केवल सस्संग ही करो। सस्संग अर्थात् अच्छे मनुष्यों का और अच्छे पुस्तकों का संग। अच्छी पुस्तकें अर्थात् पवित्र पुस्तकें।

यदि आपका शरीर बहुत दुर्बल नहीं हुआ है तो रोजाना ठंडे पानी से स्नान करो।

अपने मन को और शरीर को आपातस्थिति में सारा ही समय किसी अच्छी प्रवृत्ति में लगाये रखो।

जल्दी से जाओ और रोजाना चार बच्चे विछाने का रथान करो। अगवृत्ति, रसायनादि त्रिपु किसी पुस्तक में आपकी अटक अड्डा ही उसका उचित समय पाठ करो और उसका मनन करो।

इतना करो और विवाह का विचार ही छोड़ दो। यह मानना कि छुट्टी जीवन बीताने के लिए विवाह करना आवश्यक है बिल्कुल ही गलत कथाल है।

**सूत का बन्दे**

दो माइयों ने ‘यंग इंडिया’ का बन्दे सूत के रुपये कौने के लिए प्रार्थना की है। उनको यह उत्तर दिया गया है:

‘यंग इंडिया के बन्दे में हाथकता सूत मेजने की आपकी सूचना अवगत नहीं है। इसके लिए कोई नियम नहीं रक्खा गया है। और व. इ. आफिस में भी इसके लिए कोई प्रबंध नहीं रक्खा गया है। परन्तु यदि आप ५०००० गज सूत २० अंक का अच्छा बना हुआ मेजेंगे तो व. इ. के सम्बन्धस्थापक से उसका बन्दे के तौर पर स्वीकार करने की मैं प्रार्थना करूँगा। अर्थात् आश्रम उठे खरीद लेगा और व. इ. आफिस बंधा जमा कर लेगी। ५०,००० गज सूत कीमत से अधिक अवश्य है परन्तु ठीक पांच रुपये का सूत ही निश्चय कर के लेना नहीं हो सकता है। उसकी परीक्षा करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए तभी उसका स्वीकार किया जा सकता है। यदि सूत मेजने का निश्चय करो तो ५०० गज की लम्बियाँ बना कर मेजना। क्योंकि गिनने में या परीक्षा करने में कोई कठिनाई माध्यम होगी तो व. इ. के बन्दे में उसका स्वीकार न हो सकेगा। फिर यदि आपकी इच्छा होगी तो उसे आपको लौटा दिया जायगा। लौटाने का खर्च आप के जिम्मे रहेगा।

( नवजीवन )

**वितरंजन सेवाश्रम**

देशबन्धु के पुत्रोत्तरी बंगले में जो उन्होंने एक ट्रस्ट की शीघ्र किया था, उनके अखिल बगल स्मारक के लिए एक अस्पताल जोला जानेवाला था वह अस्पताल अब खोल दिया गया है। जिनों के लिए अस्पताल की स्थापना उसका एक उद्देश था। पाठक यह तो जानते ही हैं कि ट्रस्टियों ने जो १० लाख रुपया इकट्ठा करने की आशा रखी थी उसमें कोई आठ लाख रुपया जमा हो पाया है। ट्रस्टियों में से एक श्री नलिनी रंजन सरकार लिखते हैं:

‘अस्पताल की सुविधा के अनुकूल मकान का अब सम्पूर्ण परम्मत कर ही गई है। अस्पताल के लिए आवश्यक तमाम सामान खरीद लिया गया है। डाक्टर, दवाइयाँ और दूसरे काम करनेवालों को भी नियुक्त कर दिया है और उन्होंने अपना काम भी संभाल लिया है। डा. मीसेज पेटमेन जो एक ऐंग्लो इंडियन रमणी हैं, और कलकत्ता मेडिकल कालेज की बीपी लिये हुए हैं और जिसे लंडन की एल. आर. सी. पी. बीपी भी प्राप्त है, उन्हें प्रचारि डाक्टर के पद पर नियुक्त किया है और वे रहेंगी भी वहीं। डा. केदारनाथ जो जिनों के रोगों के निषेध में भारत में प्रसिद्ध हैं और डा. रामनारायण मुकरजी जो इस विषय में खास जानकारी रखते हैं और प्रसिद्धि में डा. केदारनाथ से दूसरा बंधर रखते हैं, वे दोनों महाशय इस संस्था के सलाहकार डाक्टर बनने के लिए राजी हो गये हैं। डा. मुकरजी इस संस्था में बड़ी दिक्कतों के रहे हैं। उन्हें कार्यकारिणी समिति में भी के लिया गया है। परलोकगत श्री देशबन्धु की जन्मतिथि २१ मार्च को यह अस्पताल खूला करने का प्रबंध किया गया है। सर राजेन्द्रनाथ के हाथ में जो बन्दे के रुपये हैं उनमें से हमने अब तक एक रुपया भी नहीं लिया है। सर राजेन्द्रनाथ का फंड बंद कर देने के बाद हम लोगों ने इकट्ठा किये हुए २००००) रुपयों से ही यह सब प्रबंध किया जा रहा है।



मि. एन. एन. सरकार और सर निकरतन सरकार को ट्रस्टियों में शामिल किया गया है और इस संबंध में तमाम आवश्यक लिखावटों को कर ली गई है।

बहरें, पढने, दुबाल, इत्यादि तमाम आवश्यक चीजें खादी प्रतिष्ठान से खादी के कर ही तैयार की गई हैं। हम लोगों ने इस अस्पताल का विश्वरंजन सेवास्त्रालय नाम रखा है। इस संस्था को सफल बनाने के लिए हम लोगों से जितना भी होगा हम प्रयत्न करेंगे। हमारे प्रयत्नों में हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है।

ऐसी छुम भावनाओं के साथ खोले गये इस अस्पताल की, जिसके कि पास काफी रुपये भी है, दिन प्रति दिन तरकी हो होनी चाहिए और उससे बंगाल की मध्यम वर्ग की स्त्रियों की आवश्यकताये पूरी होनी चाहिए। इस अस्पताल से हमें इस बात का स्मरण होता है कि श्री देशबंधु को सामाजिक कार्य भी उतना ही प्रिय था जितना कि राजनैतिक। अपनी आयदाय राजनैतिक कार्य में देने का मार्ग उनके लिए खुला हुआ था परन्तु उन्होंने आमकृत कर उसे समाजसेवा के समर्पण कर दिया और हममें भी स्त्रियों की सेवा को अधिक महत्व दिया।

( सं० इ० )

मि० क० गांधी

# हिन्दी-नवजीवन

शुक्रवार, प्रथम चैत्र सुदी १२, संवत् १९८१

## उसकी उलझन

यदि इस पत्र के लेखक ने 'यंगइन्डिया' के पृष्ठों को इंदने में जरा तकलीफ उठाई होती तो उन्हें यह लिखने की तकलीफ न कभी पड़ती:

“ मुख्य विषय पर आने के पहले मुझे यह कह देना चाहिए कि मैं उनमें से एक हूँ जो खादी पहनते हैं लेकिन कभी कान्ते नहीं। यंगइन्डिया के आपके लेखों में आने इस बात पर जोर दिया है कि खादी और अस्पृश्यों की मुक्ति से ही भारत को सच्ची मुक्ति मिल सकेगी। खादी के विषय में तो मैं आप से सम्पूर्ण सहमत हूँ परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि दूसरी बात (अस्पृश्यों की) से हमें हमारे उद्देश में क्यों कर सहायता मिल सकती है। बहुत दिनों से मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि इधर अस्पृश्यों का कोई क्रम नहीं है, इधर स्वयं अस्पृश्यों का ही क्रम है। मैं धर्मशास्त्रों के श्लोकों को उद्धृत करके आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उससे हमारा प्रश्न हल न हो सकेगा। सबसे पहले तो आप केवल यही उपदेश देते थे कि अस्पृश्यों को स्वतंत्रता पूर्वक धूमने छिड़ने देना चाहिए। फिर आप ने एक दूसरी ही बात कही और यह उनके साथ खाना खाने की। अब आप एक तीसरी और अजीब बात कहते हैं। आप अस्पृश्यों को मन्दिरो में आने की और बटो ईश्वर की पूजा करने की सलाह देते हैं। यदि कहर धर्माभिमानों लोग इसका विरोध करें तो आप उन्हें मर्यादाग्रह करने की सलाह देते हैं। यदि आप ही जिनको एक महात्मा सम्झा जाता है और यह ठीक ही समझा जाता है—ऐसी बातों की इजाजत देने तो यह बड़े ही आश्चर्य की बात होगी। अस्पृश्य लोग गाँव या शहर के बाहर बाहर रहते हैं। बहुत दिन हुए उनका जीवन तथा कुत्सित बन गया है और आप उन्हें अच्छी शिक्षा या अच्छा आध्यात्मिक भोजन

देने के बजाय ऐसे कामिकारी उपायों से समाज की जड़ ही को उखाड़ देने का प्रयत्न करते हैं। कुदरत के नियमों का उन्होंने हमेशा स्वीकार किया है और वे अपना कर्तव्य यही कुशाटनापूर्वक करते रहे हैं। यदि आप जातिभेद को ही उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा यह केवल ईश्वर ही जानते हैं। आप हिन्दुओं पर यह अपराध लगाते हैं कि वे अस्पृश्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। आप यह जानते ही हैं कि बहुतेरे हिन्दुओं का यह ख्याल है कि वे केवल उनके स्पर्श से ही अपवित्र हो जाते हैं। मैं आप का इस बात पर ध्यान दिवाना चाहता हूँ कि आखिरी साम्यवादियों की परिष्कृत में उपस्थित होने से आपने केवल इसलिए इन्कार किया था क्योंकि साम्यवादी एक सरकार और महासभा की दृष्टि में अविश्वसनीय समझा जाता है। अर्थात् आप को उससे भ्रष्ट हो जाने का भय हुआ। यदि साम्यवादी आक्रमण करे या महासभा के मन्वप में कुछ आय तो आप स्वयंसेवकों को या पुलिस को ही बुला भेजेंगे। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक तरफ आप उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो समाज में हिंसे मिलने के लिए सामाजिक दृष्टि से अयोग्य हैं और जिन्होंने अपने काम के कारण ही इस अधिकार को खो दिया है और दूसरी तरफ आप उनका विरोध कर रहे हैं जो केवल एक राजनैतिक प्रतिप्रक्षी हैं, यही नहीं, उनके साथ सम्बन्ध रखनेवालों का भी विरोध कर रहे हैं। यदि आप समाज की दृष्टि में जो अस्पृश्य हैं उनके अधिकार का समर्थन कर रहे हैं तो आप को राजनैतिक अस्पृश्यों का भी समर्थन करना चाहिए अथवा आपको उन दोनों को ही अपने भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। मैं आपको लोगों का नैना मानता हूँ, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से नहीं परन्तु राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे जीवन का यह प्रश्न हल कर देंगे।”

य. इ. के पिछले पृष्ठों को इंदने पर उन्हें यह मालूम होगा कि उन्होंने जो प्रश्न किये हैं उन सब का उत्तर पहले दिया जा चुका है। लेकिन सिद्धान्त की बात यह है कि जितनी दफा भूल की जाय उतनी दफा सत्य भी कहा जाना चाहिए। इसलिए पत्र-लेखक और उनके जैसे विचार रखनेवाले लोगों के लिए मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ।

बेशक, यदि हिन्दू विचारपूर्वक और समझ बुद्ध कर अपने प्रयत्नों से केवल एक नीति के तौर पर नहीं परन्तु आत्मशुद्धि के लिए अस्पृश्यता के बलक को दूर कर देते तो उनके इस कार्य से, राष्ट्र को एक अच्छा कार्य करने के विचार से नयी शक्ति प्राप्त होगी और उससे स्वराज प्राप्त करने में बड़ी मदद मिलती। आज हमलोग असमर्थ हैं क्योंकि हमारे में ऐक्य की शक्ति नहीं है। जब हम पाँच या छः बड़े-बड़े अस्पृश्यों को अपना समझना शीकेंगे तभी तो हम एक राष्ट्र बनने का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। आत्मशुद्धि के इसी कार्य से वायद हिन्दू-मुसलमानों का प्रश्न भी हल हो जायगा। क्योंकि हममें भी अस्पृश्यता का नाशकारक जहर जाने अजाने काम कर रहा है। यदि हिन्दू धर्म की रक्षा करने के लिए अस्पृश्यता की कुत्सित सूर्यादी की आवश्यकता है तो हिन्दू-धर्म क्या ही दुर्बल है।

यदि अस्पृश्यता और जातिवाद पर्यायवाची है तो इन जातियों का जितना जल्दी नाश हो, उतने सम्बन्ध रखनेवालों को उतने लाभ ही होगा। लेकिन जाति यदि वर्ण का पर्यायवाची है तो मुझे इस बात का शक्यता है कि यह व्यवस्था समाज के लिए स्वास्थ्यकर

वि. दे. अ. अ. ( ) का कि जा. उन. को. का. रहने. को. प्रति. और. के. की. ही. क. क. र. भी. का. का. की. का. का. का.

है। वर्तमान जातियाँ अपनी संकुचितता के साथ अब नष्ट हो रही हैं। असंख्य उपजातियाँ अब एबने इतनी श्रमों के साथ नष्ट हो रही हैं कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।

परन्तु मुझे हज़ारों बार यह दोहराना पड़ता है कि मैंने उनके साथ जाने के लिए कभी नहीं कहा है और न हीने उन्हें जबरदस्ती मन्दिर में घुसने की सलाह दी है। परन्तु मैंने यह अवश्य कहा है और आज फिर भी कहता हूँ कि मन्दिर में प्रवेश करने के हमारे इन देश-जातियों के अधिकार का इन्कार नहीं किया जा सकता है। मन्दिर में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम करने का समय अभी नहीं आया है।

यह हमारी ही लज्जा की बात है और हमारा ही यह अपराध है कि दलित-बर्ग गाँव और शहर के बाहर रहता है और कुश्चित जीवन व्यतीत करता है। जैसे हम हमारी लाचारी के लिए और हमारे ही स्फुरण और मौलिकता के अभाव के लिए अंगरेज अधिकारियों पर उचित दोष लगाते हैं वैसे ही हमें अस्पृश्यों की वर्तमान दशा के लिए अब बर्ग के हिन्दुओं का दोष स्वीकार करना चाहिए।

केवल, मास्त्रम होता है कि इस बात का स्वीकार करते हैं कि हमारे अज्ञान और बहम के अधिकार बने हुए इन लोगों को मौलिक और आध्यात्मिक शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जब तक समानता के साथ हमलोग उनके साथ दिके दिके नहीं यह कैसे हो सकेगा? उनके बनिस्वन तो निःसन्देह हमों को आध्यात्मिक शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। और अब हम अपने कंधे शिपर पर से उतरेंगे और उनके साथ एक होंगे तभी उसका आरंभ होगा।

केवलक ने साम्यवादियों की अस्पृश्यों के साथ तुलना की है। यह केवल बात को उलझन में डालना है। जन्म से साम्यवादी नहीं बनते हैं और अस्पृश्य तो जन्म से ही होते हैं। साम्यवाद एक प्रकार का अन्तरिक विश्वास है और अस्पृश्यता बाहर से लदी गई एक अशुभिया है। रही मेरी बात, महात्मा के सहाह में मैंने साम्यवादियों का टाल मढ़ी दिया था। मैं उनसे भ्रातर मिलता था और यदि समय होता तो मैं शायद उनकी सभा में भी गया होता। महात्मा के विधि-विधान का मानने पर साम्यवादी भी महात्मा में शामिल हो सकते हैं। मैं अस्पृश्यों के अधिकारों का समर्थन करता हूँ क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि हमने उन्हें बड़ा अन्याय किया है। यदि साम्यवादी की बात भी मुझे प्राध मास्त्रम होगी तो मैं उसका भी समर्थन करूँगा।

अन्त में यह लेखक खादी में विश्वास रखते हैं और खादी पहनते भी हैं तो उन्हें काँट कर अपना विश्वास सम्पूर्ण जाहिर करना चाहिए और इस प्रकार बहुत बड़ा भी क्यों न हो उसमें उन्हें अपना हिस्सा देना चाहिए और करोड़ों लोगों के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहिए।

(सं- ६-)

मोहनदास करमचंद गांधी

तीनों नियमों का अधिकाधिक पालन किया जाय। इन संकान्ति के समय में हमें दूसरे प्रयत्न भी करने होंगे, दूसरों की मदद भी लेनी होगी, प्रान्तों में आराम में सहानुभूति की भी आवश्यकता होगी। लेकिन यदि हम अपना दिशा ही भूल जायेंगे तो जैसी वे-जबर अलासी की दशा होती है वसी ही खादी-सेवक की भी दशा होगी। बंगाल हमें इसी याद दिलाता है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

## बंगाल की विशेषता

बहुत भी बातों में बंगाल ने अपना विशेषत्व दिखाया है। खादी के प्रचार में भी उसमें विशेषता है। दूसरे प्रान्तों में खादी ठीक ठीक बुनी जाती है परन्तु उसकी बिक्री के लिए तो उन्हें और प्रान्तों पर ही आधार रखना पड़ता है। परन्तु बंगाल ने तो प्रथम से ही स्वायत्ती बनने का विचार रखा है। यह विचार केवल एक संस्था में ही नहीं परन्तु बंगाल की सब खादी संस्थाओं में देखा जाता है। बंगाल ने अपने वहाँ से एक गज खादी भी दूसरी जगह बेचने के लिए नहीं भेजी है।

बंगाल का यह उदाहरण प्रत्येक खादी-संस्था के लिए बिकारणी है। आज एक भी प्रान्त ऐसा नहीं है जो अपनी आवश्यकता के अनुसार काफी खादी उत्पादन करता हो और उसे अपने यहाँ बेच कर जो बचे उसीको बाहर भेजता हो। इस स्थिति पर पहुचने के लिए तो हमें करोड़ों रुपये की खादी तैयार करनी पड़ेगी।

हमारा उद्देश खादी को व्यापक बनाना है। इसलिए साधारण तौर पर हमारा यही नियम होना चाहिए कि जहाँ खादी तैयार की जाय वही उसे पहन भी लिया जाय। इसे रकल बनाने के लिए हम जितना अधिक प्रयत्न करेंगे उतना अधिक शीघ्र खादी व्यापक हो जायगी। इसमें केवल वे ही प्रान्त अपवाद गिने जा सकते हैं जहाँ खादी तैयार करना मुश्किल हो। लेकिन ऐसा प्रान्त शायद ही कोई होगा। खादी के मुख्य स्थान तामीलनाडु, आंध्र-प्रेश, पंजाब और बिहार हैं। वहाँ काम करनेवाली संस्थाएँ बाहर के निवास पर अधिक आशर रखती हैं। इन सब स्थानों में अभी खादी की जितनी स्थानिक बिक्री होती है उससे अधिक बिक्री होने की आवश्यकता है। दूसरे प्रान्तों को यदि उन प्रान्तों की खादी की आवश्यकता होगी तो वे उसे सहज ही में प्राप्त कर सकेंगे। परन्तु प्रान्तिक संस्थाएँ तो अपने प्रान्त में ही खादी की बिक्री का प्रयत्न करें। इससे खादी की उत्पादन बहुत कुछ बढ़ जायगी और बहुत सा खर्च भी बच जायगा।

बंगाल यह माग हमें दिता रहा है। खादी-प्रतिष्ठान ने प्रथम तो निर्धन हाँ कर अर्द्ध परिमाण में खादी उत्पादन की। अब वह जादु की सैन्टिन इत्यादि के प्रयोगों से उसकी बिक्री का प्रचार कर रहे हैं। खादी का प्रचार करने के लिए जो धन की आवश्यकता होगी वह भी वहीं से प्राप्त कर लेने के लिए प्रयत्न करने का उनका विचार है। उन्होंने स्थानिक धन से ही उसका आरंभ किया था। इन तीन नियमों को — स्थानिक उत्पादन, स्थानिक उपयोग, स्थानिक सहाय — को ध्यान में रख कर खादी की प्रवृत्ति की जाय तो खादी का प्रचार बहुत कुछ बढ़ेगा और सर्वे भा जितना ही सके कम किया जा सकेगा। स. पूछ तो इसी में खादी की महत्ता है, इसी में उसका गूढ रहस्य समाया हुआ है। जन-समाज को खादी की आवश्यकता है इसी मान्यता पर तो उसके अस्तित्व का आशर है। हमें प्रति-क्षण इस मान्यता को सिद्ध करना चाहिए। और जब धन की स्थानिक सहायता मिलेगी तब आसों मनुष्यों के एक एक पीसे से भी लाखों रुपयों की मदद मिल सकेगी और इस सहायता में आ बरकत होगी वह एक मनुष्य के सायद एक करोड़ काय दे देने पर भी उसमें न होगी।

इस आदर्श पर पहुचने में शायद कुछ समय लगेगा। कठिनाई भी मास्त्रम होगी। परन्तु इस आदर्श को भूल जाने से तो खादी स्थान-प्रष्ट हो जायगी। खादी शुद्ध रंगों की पोषक बने इसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उरोग

## ज्ञाति सुधार

अग्रवाल महाराज के अध्यक्ष श्री जमनालालजी का व्याख्यान पढ़ने और विचार करने के योग्य है। हम व्याख्यान में श्री जमनालालजीने संपूर्ण स्वयंसेवा धार निरभयता दिखाई है। भारवाही समाज यदि जमनालालजी की सूचनाओं के अनुसार कार्य कर सके तो वह जितनी जन-कमान में आगे बढ़ी हुई है उतनी ही आवश्यक सुधारों को करने में भी आगे बढ़ सकेगी। जमनालालजीने जिन सुधारों को करने पर जोर दिया है उन सुधारों की सारे हिन्दुस्तान में और समस्त हिन्दु-समाज में आवश्यकता है। बहिष्कार के शुद्ध यंत्र का दुग्धमाग, नीतिहीन और देशहित विरुद्ध व्यापार, धनवानों में विलासिता, जीवर्ग में सुधार, बालविवाह, विवाह के कर्ष का बाध, उजातेधों की वृद्ध, बालशिक्षा का अभाव इत्यादि त्रुटियाँ हिन्दु-समाज में सब जगह कमोबेशी परिमाण में दिखाई देती हैं। इन त्रुटियों के कारण हम सत्त्वहीन बन जाते हैं और स्वराज्य के माग में ये रोका अटकानेवाली हैं। जमनालालजी ने अपने व्याख्यान में इन सब हानिकर नीति-विचारों पर और अस्पृश्यमानिकरण, खादी और शीर्षका के उपयोग में संशोधन करने पर काफी जोर दिया है। हम सब को यह आशा रखनी चाहिए कि अग्रवाल महाराज में उपस्थित हुए सब समाजदारी श्री जमनालालजी की सब सूचनाओं पर अमल करेंगे और हिन्दु-जाति का मार्ग सरल कर देंगे।

भी० क० गांधी

( नवजीवन )

श्री अग्रवाल महाराज के अध्यक्ष श्री जमनालालजी के व्याख्यान से कुछ आवश्यक अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है। इस व्याख्यान का शीर्षक व्यापक रखा गया है क्योंकि अग्रवाल जाति की बुराईयाँ कमोबेशी परिमाण में और दूसरी जातियों भी भी बुराईयाँ हैं और दूसरी जातियों की बुराईयाँ अग्रवाल जाति की बुराईयाँ हैं:

### ज्ञाति-बहिष्कार

महासभा का अधिकार नैतिक रहना चाहिए। जबरदस्ती का राज्य असम्भवता का चिह्न है। सभ्य समाज के लिए तो नैतिक शासन ही उपयुक्त है। नैतिक अधिकार का विचार करते हुए सब से पहले मेरा ध्यान जाति-बहिष्कार पर जाता है। हर समाज और जाति को अपनी आन्तरिक शुद्धि रखने के लिए बहिष्कार का अधिकार है। लेकिन आज बहिष्कार उची अवस्था में शुद्ध और उचित हो सकता है कि जब उसकी जड़ में नीति और सदाचार हों। जो लोग स्वयं सदाचारी हों, निष्पक्ष हों, दूसरों पर जिनका नैतिक प्रभाव हो, लोगों को जिनकी सज्जनता का विश्वास हो, जिनका हृदय प्रेम में भरा हो, वेही सच्चा न्याय कर सकते हैं और जाति-रक्तता पढ़ने पर दण्ड भी दे सकते हैं। केवल धन, बरतपत्र और हुकूमतारी के बल पर दूसरों का फसला करना दोनों में से किसी के लिए हितकर नहीं होता। लेकिन आजकल होता क्या है? समाज के पक्ष माने जानेवाले अथवा पट्टे लोग चाहे जितनी अनैतिक नीति लेंगे लोग सह लेते हैं; पर कोई सीधा-सादा या गरीब भाई उनके मत के विरुद्ध कुछ भी कर ले तो वे फौज भर्मे का काँटा ले कर बैठ जाते हैं। ऐसी दशा में जब सब बहिष्कार का अन्त्र उठाना अपने पैर कुनहाड़ी प्रारणा है। ऐसे बहिष्कार का नैतिक असर कुछ भी नहीं होता। लोग हमपाक और पाविडी हो जाते हैं। सत्ताधारी की सुशामद करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। बहिष्कार करने समय दुराचारी और सुशामक का भेद नहीं पदा सामने रखना चाहिए। दुराचारी पर समाज का दबाव रहना जरूरी है पर जो लोग अपनी धारणा के अनुसार न्याय और पवित्रता का कयाल रख कर सदाचार बढ़ाने के लिए देश-वाल के अनुसार पुरानी रूढ़ियों में परिवर्तन करना चाहते हैं, समाज को उनकी तो सहायता ही करनी चाहिए। उनके रास्ते में कम से कम काँटे तो न बनें।

पर मैं इस बात को मानता हूँ कि क्षत्रपट परिवर्तन करना उतना आसान नहीं है। समाज का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे लोगों को सुधार का अवसर दे जा सदाचार-परायण है।

नवयुवकों के लिए यह कहना कि समाज की जड़ को खोजनी कर देनेवाले पुरे नीति-विचारों को मिटाने में आप

हिचकें नहीं। इसके फल-स्वरूप यदि आपको कुटुम्बियों और समाज का रोष सहन करना पड़े तो उसे सहता, मजता और प्रसन्नता से सहन करें। पर उद्वेगता से दूर रहना चाहिए। यदि हानिकर रूढ़ियों को मिटाने के प्रयत्न का इतिहास देखें तो पता चलेगा कि उन महापुरुषों को भी कठोर दण्ड सहना पड़ा है जिन्होंने उस काल के समाज के दोषों को दूर करने का उद्योग किया था। उदाहरण के लिए श्री आशुशकगन्धर्व, श्री बलभावाचन आदि धर्मचार्य तथा प्रह्लाद मीराबाई और महर्षि दयानन्द एव कितने ही सन्तों और भगवद्गुरुओं को तथा महात्मा गांधीजी जैसे सत्पुरुषों को भी समाज के बहिष्कार का शिकार होना पड़ा था।

माइयो, जमाना बदल गया है। ऐसे परिवर्तन-काल में मतभेद होना स्वाभाविक है। परन्तु जहाँ मतभेद हो वहाँ अपने अपने विचारों पर दृढ़ रहते हुए भी एक-दूसरे के मत को सहन करने की शक्ति बढ़ानी चाहिए। किसी काम में एकाएक बहिष्कार कर बैठने की गळती न बरनी चाहिए।

जाति-बहिष्कार के सम्बन्ध में आरम्भ ही में इतनी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बहुतेरी जगह इसका दुष्प्रयोग होता हुआ देखता हूँ। माहेश्वरी भाइयों में विद्वला-परिवार के उस विवाह-प्रकरण को के कर जो द्वेष और कलह फैल रहा है उसका हृदय इस समय मेरे सामने है और मैं समझता हूँ, आप लोगों के सामने भी होगा। जिस कार्य का हमें समागत करना चाहिए या उसीकी बहोतत माहेश्वरी समाज में आज इनका कलह और धमनस्य फैल गया है। शिक्षा-दीक्षा, व्यापार-व्यवसाय, दान-धर्म, समाज और देश-सेवा आदि बातों में विद्वला-परिवार आज केवल माहेश्वरी ही नहीं सारे भारवाही समाज के भूषण हैं। मेरी राय में देश के लिए भी वह गौरव-रक्षक हैं। इन्होंने माहेश्वरी समाज की संकुचितता के लोचमें का जो साहस दिखाया है वह मेरी राय में अभिमन्दन करने योग्य है, न कि निन्दा करने योग्य।

### व्यापार का आदर्श

आज अंगरेजों से हमें यही शिक्षायत है कि वे हमारे देश का धन अपने वहाँ ले जाते हैं और हमें उसका कुछ फायदा नहीं मिलता। यही बात हमपर भी घट सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि जिस प्रान्त, समाज या देश में रह कर हम स्वयं उपायन करते हैं उसके हित का पूरा ध्यान रखें और आवश्यकता के समय उरसाहपूर्वक उसकी सेवा के लिए आगे बढ़ें।

यही नहीं, बल्कि हमें व्यापार भी ऐसा ही करना चाहिए जो देश के हित के अनुकूल हो। व्यापार में हमें व्यावसायिक

प्रामाणिकता का भी पालन करना चाहिए। परिश्रम, ईमानदारी और साथ ही होशियारी ये तीनों गुण जिस व्यापारी में होंगे वह कमी व्यापार में हानि नहीं उठा सकता। नेकी और सचाई पर चलते हुए भी यदि किसी व्यापारी को हानि हुई हो या होती हो तो सम्भव है उसका कारण यह हो कि उसके पूर्व-जन्म के हानि करानेवाले संस्कार बहुत प्रबल हों, और भी अधिक हानि के योग्य होते हुए वर्तमान जीवन की छुट्टा के कारण केवल इतनी ही हानि हो कर रह गई हो। कहने का मतलब यह है कि हमारी दिखाई देनेवाली सफलता या विफलता के कारण बड़े गहरे और दूरवर्ती हुआ करते हैं।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अधिकांश भाई इसपर यथेष्ट ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए विलायती कपड़े के व्यवसाय को ही लीजिए। यह जानते हुए भी कि इसकी बढ़तीत देश का करोड़ों रुपया विदेश चला जाता है और यहाँ हमारे लाखों भाई-बहन भूखी मरते हैं हमसे इस व्यापार का मोह नहीं छूटता। यदि हमारे इरादों में देश और देशवासियों के प्रति अपने कर्तव्य की ज्योति जगमगाती तो यह उस्टी गंगा हमारे समाज में न बह पाती।

देशहित के अनुकूल व्यापार करने तथा इन तीन गुणों में युक्त होने से हमें एक और बड़ा लाभ होगा। आज हमारे वैश्य-समाज में तेजस्विता और आरमत्मान की भारी कमी दिखाई देती है। भीड़भाड़ भी हम में बहुत आ गई है। अति-लोभ तो इसका कारण है ही, पर एक दूसरा कारण यह है कि जन्म-साधारण की महानुभूति हम अपने साथ रखने की आवश्यकता नहीं समझते और इसलिए उसकी चेष्टा भी नहीं करते। यदि हम नीति-नियमों के अनुसार अपना व्यापार करें, यदि हम अपने धन का उपयोग समाज और देश के हित में भी करते रहें तो हम केवल लोगों की महानुभूति ही नहीं बल्कि आदर के भी पात्र होंगे और जितना ही हम समाज और देश में लोकप्रिय होंगे उतना ही कम भय हमें राज्यकर्मचारियों और आततायियों का रहेगा।

### खादी

मेरी राय में खादी ही एक ऐसी वस्तु है जिसका व्यापार भी देशहित के अनुकूल है और जिसमें धन लगाना भी परम देशसेवा करना है। आचार्य राय ने बहुत ठीक कहा है कि जिस घर में खादी सदर दरवाजे से प्रवेश करती है उसमें से आइन्बर-कैसन और फज्जलखी चोर की तरह पिछले दरवाजे से निकल भागते हैं। चरने और खादी के द्वारा हमारी गरीब बहनें अपना पेट पाकते हुए अपने काल की भी रक्षा कर सकेगी। मैंने अपनी खादीबात्रा में प्रत्यक्ष भी इसका अनुभव किया है और आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप अवकाश निकाल कर खादी पैदा करनेवाले केंद्रों में जा कर स्वयं इसका अनुभव करें। मेरी राय में आज इन स्थानों का महत्त्व किसी तिर्थ-स्थान से कम नहीं है। महारमाजी ने खादी-प्रचार के लिए एक चरखा-संघ कायम किया है, यह तो आप में से बहुतरे जानते होंगे। उसको सहायता दे कर आप खादी के प्रचार में बहुत मदद कर सकते हैं। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप खुद खादी पहनिए। जिस तरह अपने घर का भोजन हमें रुचिकर और स्वादिष्ट जान पड़ता है और हम होटल के भोजन की अपेक्षा उसीको पसन्द करते हैं और स्वाभाविक समझते हैं उसी प्रकार घर की बनी खादी हमें प्रिय होनी चाहिए। कम से कम हम अपने शरीर, प्राणत या देश की ही खादी पहनने का संकल्प

तो अवश्य करें। इसके अलावा आप स्वयं खादी की उत्पत्ति के कारणों और चिन्नी के मण्डार भी खोलें। चरखा-संघ को हर तरह से मदद दें। कम से कम खादी की सरथाओं को बिना न्याय कपया तो अवश्य दें। राजस्थान खादी के लिए बड़ा अनुकूल क्षेत्र है। ऐसा अनुमान है कि वहाँ गारे भात से इस्ती खादी तैयार की जा सकती है। यह हम राजस्थानी व्यापारी तथा कार्यकर्ताओं के लिए लुभावनी वस्तु होनी चाहिए। हमें अपने रुपये और शक्ति बिल खोल कर खादी की उन्नति में बड़ा लगाना चाहिए। खादी के आचार्य महारमाजी तो गेज ही खादी का गुण गाते हैं उससे अधिक भया कहें। मैं तो अपने अनुभव से आपको यही कहना चाहता हूँ कि खादी हमारे चरित्र-सुधार के लिए एक महान उपदेशक का काम करती है, देश की दरिद्रता मिटाने के लिए ईश्वरी धरदान का काम करती है, और स्वराज्य को नजदीक लाने के लिए एक महान नेता या सेनापति का काम करती है। वर्तमान भारत की मुक्ति खादी से ही है इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है।

### गोरक्षा

गोरक्षा के लिए महारमा गांधीजी ने बड़ी अच्छी योजना तैयार की है और अखिल भारत गोरक्षा-मण्डल स्थापित कर के उसको अमल में लाने की भी तजवीज कर रहे हैं। उन्होंने उसपर बहुत ध्यान दिया है, अभ्ययन-मन्न भी किया है और वे बहुत उद्योग भी कर रहे हैं। देश के कितने ही गा-हितार्थियों ने उसे पसंद भी किया है। पर खेद है कि हम लोगों का ध्यान अभी इस बात की ओर नहीं गया। गोशालाओं और पीजरापोलों में जितना धन और शक्ति का उपयोग होता है वह यदि हम महारमाजी की योजना की कार्य-रूप में परिणत करने में लगावे तो थोड़े ही समय में हम गोरक्षा के प्रथम को इकट्ठा होता हुआ देखेंगे। गोरक्षा का काम विधियों के द्वारा होनेवाले गो-यथ के कारण नहीं, बल्कि गो-भाता के प्रति हमारी उदासीनता और अन्यायों के कारण ठका हुआ है।

### विलासिता और बेकारी

हमारे वैश्य-समाज में इन दिनों एक ओर विलासिता और दूसरी ओर बेकारी बढ़ रही है। विलासिता का मूल है जीवन के आदेश का अज्ञान या गलत खयाल या उसके प्रति उपेक्षा। सादा खाना, सादा पहनना केवल आरभ्य का ही पहला पाठ नहीं है, मनुष्यता की रक्षा का भी है।

बेकारी के कई कारण हैं। एक तो फज्जलखी हमें बरबाद कर देनी है। दूसरे ऐश-आराम या मिथ्या सामाजिक रस्म-रिवाज के मोह में बहुतेरा कर्षासर कर बैठते हैं, तीसरे सहाबाजी। चौथे, हमारी वह इच्छा रहती है कि बिना कमाये ही, बिना मिहनत किये ही हम घनवान हो जाय। इसमें हम बिना पूजी के रोजगार इंटते हैं और फलतः बेकारी माल लेते हैं। इसका सब से अच्छा उपाय यह है कि एक तो हम बेकार भाइयों के बिना मिहनत किये भोजन-वस्त्र पाने के भावों को बठने न दें जिससे कि पैस्य-बगी का पतन हो। दूसरे ऐसे कामों में उन्द लगा दें जिससे इजत के साथ दो पैसे कमा सके। ऐसा काम मुझे इस समय खादी का ही दिखाई पड़ता है। इसमें थोड़े रुपयों में बहुत आइमियों को काम दे सकते हैं। उनका स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं, जीवन में नादमी ला सकते हैं और उनके घर भर को उद्योगी बना सकते हैं।

### महिलासुधार

आपको ली-शिक्षा की आवश्यकता और लाभ बतलाने की जरूरत नहीं है। पर शिक्षा का एक पुस्तकों की अपेक्षा सवाचार



की ओर अधिक रहना चाहिए। वहाँ मैं तीन बातों की ओर खास तौर पर आपका ध्यान दिखाना चाहता हूँ। परदा, पोशाक और गहना परदा सच पूछिए तो हमारे यहाँ होता ही नहीं। जो कुछ है वह परदे का उपहास या दुर्लक्ष्य है। जिनसे परदे की आवश्यकता पड़ी उनका परदा होता है और जिनसे सावधान रहने की जरूरत ही सकती है, उनसे परदा नहीं होता। आज आँखों में रहनी चाहिए। परदे के कारण कियों का केवल स्वास्थ्य ही परबाद नहीं होता बल्कि उनमें प्रायः नैतिक साहस भी नहीं रह जाता। इससे जो और पुरुष दोनों का साक्षात्कार बहुत बार कलंकित हो जाता है और समाज की नैतिक स्वच्छता में भीतर ही भीतर घुन लगता रहता है। यदि कियों काज से आँखें और मिर नीचा कर के बड़े बूटों के सामने बिना घूँट निकाले जाती-जाती रहें तो इसमें कोई गुराई नहीं मालूम होती। उल्टा ऐसी कियों उन दोषों से बरी दिखाई देती हैं जो परदा-नशील बरों में अक्सर पाये जाते हैं।

इसी तरह हमारे यहाँ कियों का वर्तमान पहनाव भी अस्वाभाविक और बहुत घेतुका है। हमारे वर्तमान पहनाव से तो उल्टा शरीर और लज्जा दोनों को नुकसान पहुँचता है। व्यर्थ का खर्च जो उसमें लगता है सो अलग ही। कलाहीन मृगार की चरुचोष केवल असभ्यता का ही चिह्न नहीं है बल्कि वह अनीति की भी पावक होती है। मेरी राय में चादो साडी और नीचे गुजरात के चणिये जैसा हलका लड़ंगा तथा बदन में पूरा बज्जा कियों के लिए काफी और सुन्दर पोशाक है।

गहनों से लाभ तो कुछ भी नहीं, सग तरह से हानि ही हानि है। गहनों में केवल धन का अपभय ही नहीं होता है बल्कि स्वभाव में ओछापन भी आता है। कलङ और ड्रेप भी गहनों के बर्दाशत बचना है। गहनों का उपयोग न शरीररक्षा के लिए है और न काज ठाँकने के लिए। इसलिए गहनों का व्यवहार विष्कूल बन्द कर देना चाहिए।

### बालविवाह

समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मेरी यह राय है कि विवाह की स्वाभाविक अवस्था लड़के के लिए २० वर्ष और लड़की के लिए १६ होनी चाहिए। बाल-विवाह के ही कारण हमारी जाति में बाल-विधवाओं की भारी संख्या दिखाई पड़ती है जो कि हमारे लिए लज्जा और दुःख की बात होनी चाहिए। बालविवाह बन्द हो जाने से विधवाविवाह का सवाल अपने आप बहुत कुछ दूर हो जायगा। बालविधवाओं की भारी तादाद हो जाने के कारण तथा समाज में उनकी चरित्र-रक्षा के अनुकूल निर्मल वायुमण्डल न होने के कारण आज कितनी ही विधवाओं को दुराचारियों का शिकार हो जाता पड़ता है और इससे आज विधवाविवाह का प्रश्न हिन्दू-समाज के सम्मने उपस्थित है। परन्तु महासभा का एक ऐसा विधान इस सम्बन्ध में है कि जिसके कारण मैं इस विषय की चर्चा यहाँ नहीं कर सकता।

### उपजातियों में विवाह

रोटी-व्यवहार तो हमारी बहुतेरी जातियों में दिन दिन बढ़ता जा रहा है। पर बेटी-व्यवहार शुरू हो जाने से भी एक तो सारी जाति की एकत्रता बढ़ती जायगी और दूसरे समान गुण और धोल रखनवाले बरों और नपुंसों की खोज का क्षेत्र विशाल हो जायगा। इनके अलावा धर्म के अच्छे अच्छे ज्ञाताओं से भी मुझे मालूम हुआ है कि इसमें किसी प्रकार की धार्मिक रुकावट भी नहीं है।

### वैवाहिक कुरीतियाँ

विवाह एक धार्मिक संस्कार है। पर आजकल लोकाचार ने अपने मायावी जबड़े में उसे घुरी तरह जकड़ लिया है। केवल यही नहीं कि उसमें बहुतेरी फजूलखर्ची होती है बल्कि अनेक ऐसी कुरीतियाँ उसके साथ चल पड़ी हैं कि जिससे हमारे समाज की प्रगति रुक रही है। विवाह में हमें केवल धार्मिक विधि का ही पालन करना चाहिए और अन्य आदम्बरों से बचना चाहिए।

### अरूपच्युता-निवारण

मन्तोष की बात है कि मन्त्रालय मान्य या गुजरत-पटियावाड़ के वैष्णव-समाज की तरफ लुभाकृत की कुप्रथा का जोर हमारे राजस्थान में नहीं है। फिर भी हमें अपने अछूत भाइयों को एक मनुष्य के सामान्य अधिकारों से वञ्चित न रखना चाहिए। हमारे देवाल्यों के द्वार उनके लिए खोल देने चाहिए। हमारे मदर्सों में उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। अछूत लोग हमारे समाज की जो सेवा करते हैं वह यदि बन्द कर दी जाय तो समाज की बड़ी हानि हो। उनका सेवा का बदला हम उन्हें अछूत बना कर देते हैं!

### उपसंहार

मैं उल्लूक हूँ कि जिन विचारों से मुझे बहुत लाभ हुआ है, मेरे जीवन में कुछ सुधार हुआ है, अपनी दुष्टियों को पहचानने की शक्ति प्राप्त हुई है और भविष्य में अपना कमजोरी दूर होने की आशा है उनसे समाज का बधा बधा लाभ उठावे। पर मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ उपदेश देने का अधिकार नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने मन के भाव आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूँ। मैं अपने विचार किसीपर लादना नहीं चाहता। महासभा स्वतन्त्र है। यदि उसके बहुसदस्यक सदस्य मेरे विचारों से सहमत हों तो उनके अनुकूल प्रस्ताव आया पास कीजिए और उन्पर अमल कीजिए। जबतक महासभा अपने प्रस्तावों में मेरे विचारों को स्वकार नहीं कर लेगी तबतक वह उगसे बच्ची हुई नहीं है। हाँ, वे भाई अक्षय नैतिक रूप से बंधे हुए हैं जो चाहे संस्था में कम हों, पर जो इन विचारों को प्रदूषण करने योग्य समझने हों। और उनसे मेरा आग्रहपूर्वक निवेदन है कि महासभा अपने विचारों के अनुसार जो कुछ भी प्रस्ताव पास करे, आप अपने विचारों पर दृष्ट रूँधें। जिस दिन हम अपने आचार और साथ ही निर्मल प्रेमभाव के द्वारा समाज के अधिकांश प्रतिनिधियों को अपने विचारों को उपयोगिता समझा सकेंगे उसी दिन हमारे विचारों के अनुकूल प्रस्ताव होने में देर न लगेगी। मेरे नजदीक प्रस्तावों से अधिक मुख्य आचार का है। हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना ही है कि हम अपने विचारों के अनुसार सच्चाई के साथ बोलें। अब आगे के मार्ग को हम केवल व्याख्यानों, लेखों और प्रस्तावों के द्वारा नहीं तय कर सकते। उसके लिए तो अविचल आचार की जरूरत है। इसलिए अपने युवक भाइयों से कहता हूँ कि अधार और आतुर न बनो, बनना ही तो अपने लिए बनो, आँसु के लिए नहीं। दृष्ट बनो से मेरी प्रार्थना है कि देश और जाति का वर्तमान चाहे आपके हाथ हो, भविष्य निःसन्देह नहीं है। आप इस बात को अनुभव कीजिए। यदि नवयुवकों के विचार और मन्तव्य आपकी प्रिय न हों तो उन्हें उनके भविष्य पर छोड़ दीजिए। आप यदि उन्हें आशीर्वाद न दे सकें तो कम से कम अपनी तरफ से उनके रास्ते में कोई बाधा न खड़ी कीजिए। न वे आप पर जम करें न आप उन्हें रोके। बही मेरा सन्देश महासभा के लिए है।

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ३१

मुद्रक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

अहमदाबाद, प्रथम अंक सुबह ५, सितम्बर १९८१  
 १८ सुबहार, मार्च, १९२६ ई०

मुद्रकस्थान-नवजीवन मुद्रकालय,  
 धारंगपुर सरकोमरा की बाड़ी

## सत्य के प्रयोग भयवा आत्मकथा

अध्याय १५

सत्य वैद्य में

निरामिष भोजन पर मेरी भ्रष्टा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। खाद्य के पुस्तक के पढ़ने से आहार विषयक पुस्तकों को पढ़ने की मेरी जिज्ञासा तीव्र हो गई। मैंने तो जितने भी पुस्तक मिले, कहीं-कहीं और उन्हें पढ़ा। हार्बर्ट विलियम्स के 'आहार नीति' नामक पुस्तक में सुस्तलीक पुणों के ज्ञानी, अवतार और पद्मम्बरों के आहार का और उनपर उनके विचारों का वर्णन किया हुआ है। उन्होंने पाह्यागोराध, ईसा इत्यादि का निरामिषभोजी होना सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डा० गिरिस एन किंग्सफर्ड की 'उत्तम आहार की रीति' नामक पुस्तक भी बड़ी आकर्षक थी। और डा० एलिन्सन के आरोग्य विषयक लेखों से भी अच्छी मदद मिली। दवा के बदले खुराक में ही उचित परिवर्तन कर के रागी के अच्छा करने की रीति का वे समर्थन करते हैं। डा० एलिन्सन स्वयं निरामिषभोजी थे और अपने रोगियों को भी वे निरामिष भोजन करने की सलाह देते थे। इन सब पुस्तकों के पढ़ने का यह परिणाम हुआ कि मेरे जीवन में जुड़े जुड़े प्रकार के भोजन के प्रयोगों ने ही महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। उन प्रयोगों में प्रथम तो आरोग्य की दृष्टि को ही प्रधान स्थान था। परन्तु पीछे से धार्मिक दृष्टि ही सर्वोपरि बन गई।

परन्तु इस दरम्यान मेरे उस मित्र की मेरे विषय की चिन्ता दूर न हुई थी। वे तो प्रेम के बनीभूत हो यह मान बैठे थे कि यदि मैं मांसाहार न करूंगा तो दुबला हो जाऊंगा, यही नहीं मैं वैसा 'मोठु' ही बना रहूंगा; क्योंकि अंगरेज समाज में मैं हिल-मिल न सकूँगा। उन्हें मेरे निरामिषभोजन विषयक पुस्तकें पढ़ने की खबर थी। उन्हें ऐसा भय हुआ कि ऐसी पुस्तकें पढ़ने से मुझे कहीं विलस्रम न हो जाय, इन प्रयोगों में ही मेरा जीवन व्यर्थ हो जाय, मैं अपना कर्तव्य भूल जाऊँ और केवल पोषीपति ही बन जाऊँ। इसलिए उन्होंने मेरा सुधार करने का एक अन्तिम प्रयत्न किया। उन्होंने मुझे नाटक में ले जाने के लिए निमन्त्रण दिया। नाटक में जाने के पहले हमलोग हार्बर्ट भोजन-ग्रह में

जाना जानेवाले थे। यह ग्रह मेरी दृष्टि में महल था। विक्टोरिया हाटेल छोड़ने के बाद ऐसे ग्रह में जाने का मेरा यह प्रथम अनुभव था। विक्टोरिया हाटेल का अनुभव व्यर्थ था क्योंकि वहाँ तो यही कहा जा सकता है कि मेरे होशहवास ही ठिकाने न थे। सैकड़ों मनुष्यों में हम दोनों मित्रों ने एक टेबिल अपने किए भी ले लिया। मित्र ने प्रथम भोजन की वाली बेंगाई। वह 'सुप' (शोरबा) था। मैं चबराया। मित्र को क्या पूछता? मैंने तो परोसनेवाले को (वेस्टर) को ही आवाज दी।

मित्र समझ गये और चीट कर मुझसे पूछने लगे।

'क्या है?'

मैंने धीरे से और कुछ संकोचपूर्वक उत्तर दिया:

'मुझे यह पूछना है कि इसमें मांस है या नहीं?'

'इस ग्रह में ऐसा बंगलीपन नहीं चल सकता है। यदि तुम्हें अब भी इस विषय में मायापत्नी करनी हो तो तुम बाहर जा कर किसी छोटे से भोजन-ग्रह में जाना जा को और फिर बाहर मेरी राह देखना।'

इस निष्पत्ति से मैं बड़ा खूब हुआ और बाहर जा कर पुनः भोजन-ग्रह इतने लगा। पाठ ही एक निरामिष भोजन-ग्रह था लेकिन वह बन्द हो चुका था। मेरी समझ में कुछ भी न आया कि अब क्या करना चाहिए। मैं भूखा रहा। हमलोग नाटक में गये। उस मित्र ने उस दृश्य के सम्बन्ध में एक भी शब्द न कहा। मुझे तो बोलने को था ही क्या!

वही हमलोगों में आखिरी मित्र-युद्ध था। हमारा सम्बन्ध न टूटा और न उसमें कोई कटुता ही आ सकी। मैं उनके इस सब प्रयत्नों के मूल में रहा हुआ उनका प्रेम देख सका था। इसलिए विचार और आचार में मित्रता होने पर भी उनके प्रति मेरा आदर बढ गया।

परन्तु मैंने उनके भय को दूर कर देने का निश्चय किया और सोचा कि मैं जंगली न बना रहूँगा, सभ्य के लक्षणों का विकास करूँगा और दूसरे प्रकारों से समाज में हिलने-मिलने शीघ्र बन कर अपनी निरामिषता की चिन्तितता को सुपाऊँगा।

मैंने सभ्यता के गुणों का विकास करने के लिए अपनी शक्ति के बाहर का और ओका मार्ग ग्रहण किया।

बम्बई की काट-काट के कपड़े अच्छे अंगरेज समाज में खोभा नहीं होंगे इस कारण से अरबी और रंगी स्टोर में कपड़े तैयार करावेंगे। एक प सालिग की (उम उमान में तो यह बहुत बड़ी बीमन गिना जाती थी) 'चिमनी' टोपी सर पर ही। हमसे भी सन्तोष न माना और बॉक स्ट्रीट में जहाँ हाथीन लोग अपने कपड़े बनवाते हैं वहाँ इस पॉइंट पर पामी फिग कर शाम के लिए प'शाक तैयार करवाई। और थोके और गाववाही बिल के बड़े माई को बिल कर दो जेबों में छुट्टाई जा सकें ऐसी खास सोमे की एक बेलन तैयार करा के भंगवाई और वह मिळी भी। तैयार हुई केना शिष्टाचार नहीं गिना जाता था इसलिए दई बाँचने की कडा भी हस्तगत की। देस में तो बाक बनवाये के समय ही जईना देखने को मिलता था लेकिन यहाँ पर तो बड़े आइने के समझ करे रह कर दई को ठीक बाँचने की कडा दो देखने में और बालों की पांथी पाइने में कम से कम इस मिनट तो अवश्य ही नष्ट होते थे। बाल मुलायम न थे इसलिए उन्हें ठीक करने में ब्रश (अर्थात् झड़ ही न।) के साथ रोज़ मुझ करना पड़ता था। और टोपी बनें में तथा टोपी उतारने में बालों पांथी ठीक करने के लिए हाथ ता सर पर आता ही था। और बिच बिच में ब्रश समाज में बैठे हों तब पांथी के ऊपर हाथ रख कर बाल कां ठाक करने की जुदी और सभ्य क्रिया तो होती ही रहती थी।

लेकिन इतना संवारना भी काफी न था। अबेना सभ्य पोसाक पारण करने से ही थोड़े सभ्य बना जाता है? सभ्यता के दूसरे कितने ही बाह्य गुणों को भी मासूम कर लिए से और उनका अव्यास करना था—जैसे गृहस्थ को नाचना आना चाहिए, उसे फेंच भी अच्छी आनी चाहिए। क्योंकि फेंच इंग्लैण्ड के पंडोली क्रान्त की भाषा है और समस्त यूरोप की राष्ट्र भाषा भी बड़ी है और मुझे यूरोप का प्रवास करने की भी इच्छा थी। और सभ्य पुरुष को उत्तम व्याख्यान देना भा आना चाहिए। मैंने नाच सीकने का निश्चय किया और उसके एक वर्ग में शामिल भी हो गया। एक बत्र (टर्म) के तीन पॉइंट दिये। करीब तीन सप्ताह में ६ सबक ही से पाया हुआ। बराबर ताल पर पैर न पड़ता था। पोआनो बजता था लेकिन वह क्या कहता है यही समझ में न आता था। एक, दो, तीन बोलते थे लेकिन उसके बीच का अन्तर तो वह बाबा हा बतौंसकता था और वह समझ में ही न आता था। अब क्या करें? अब तो बाबाजी की बिल्ली का सा फिस्सा हुआ। यहाँ को दूर रखने के लिए बिल्ली और फिली के लिए गाय, इस प्रकार बाबाजी का परिवार बड़ा था और इसी तरह मेरे खान का परिवार भी बड़ा। ब्याल हुआ कि बाबोलीन बजाना सीखें ताकि ताल और सूर का ब्याल भा जाय। बाबोलीन खरीदने में तीन पॉइंट फेंक दिये और उसे सीकने के लिए और कुछ दिया। व्याख्यान करना सीकने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर हुवा। उसे एक गिनी तो दी। 'बेल्स स्टैंडर्ड एलांक्युशनलस्ट' करीदा और उन्होंने पिछ का व्याख्यान आरंभ कराया।

बेल साहब ने मेरे कान में पंठ बजाया और मैं आमत हो गया।

'मुझे इंग्लैण्ड में जहाँ जीवन बिताना है। मैं अच्छा व्याख्यान देना सीख कर क्या करूँगा? नाच नद कर मैं क्यों कर सभ्य बसूँगा। बाबोलीन का सीखना तो देश में भी हो सकता है। कौनो विद्यार्थी हूँ। मुझे तो अपने बन्धे से सम्बन्ध रखनेवाली

तैयारी ही करनी चाहिए। मेरे सहायक रहते हैं सभ्य गिना जाके तो यह ठीक है अन्यथा मुझे उसका खोन छोड़ना होगा।'

इन दिनों की पुन में मैंने इटी प्रकार के स्कूलों का एक पत्र अ ने व्याख्यान सभानेवाके शिक्षक को लिख दिया। मैंने उनके पास से दो तन ही सबक लिए होंगे। नाच-शिक्षिका को भी वैसा ही पत्र लिख दिया था। बाय लॉन शिक्षिका के घर बायोनिन के कर गया। उसके बाहे जो कुछ भी दाम आवें उसे बेल ब्राउने का उन्हें अधिकार दे दिया। उनके साथ कुछ मित्र का सम्बन्ध हो गया था इसलिए मैंने उनसे अपने मोह कि बात कही। उन्होंने मेरे नाच इत्यादि के जाल में से निकल आने की बात को पसन्द किया।

सभ्य बनने का मेरा पागलपन कोई तीन महीने रहा होगा। पेशक की टापटीय कई छात्रों तक रही लेकिन मैं विद्यार्थी बन चुका था।

(नवजीवन) मोहनदास करमचन्द गोधी

टिप्पणियाँ

मुनिस्त्रिाक शालाओं में कताई  
 अधिक भारतीय चरना सर क सहायक मन्त्री ने लुदी लुदी मुनिसिपल्टी और जवा बर्डी को अपने यहा की शालाओं में हाव-कताई की कैसी प्रगत हो रही है उच्छ: इौरा मेने के लिए जो पत्र लिखा था उसके उत्तर में केवल तीन पत्र ही प्राप्त हुए हैं। उनमें प्रथम अहमदाबाद मुनिसिपल्टी के स्कूल-बोर्ड के प्रधान का है। उसमें लिखा है कि 'गत वर्ष मुनिसिपल कन्याशालाओं के लिए कताई के शिक्षक तैयार करने के लिए दो कुशल कानने-बालों को रोका गया था। शिक्षकों की कोई ६ महीने तक जल्का ही गई और अब मुनिसिपल कन्याशालाओं में कताई के विषय को अनिवार्य विषय बना देने का विचार है।' सहायक जिका बोर्ड के उपप्रधान लिखते हैं कि '१९२५ में प्राथमिक शालाओं में कताई बालिक की गई थी। खास पसन्द की गई शालाओं के ८ शालकों को इस विषय का खास शिक्षा दी गई थी और इएक स्कूल को पांच बरसे दिय गये थे। १० से १५ साल तक के लुदी लुदी उम क १३९ स्कूलके आज इधरी शिक्षा पा रहे हैं।' पत्र में लिखा है कि 'अबतक बहुत ही कम कार्य हुआ है परन्तु अच्छे परिणाम की अशा की जाता है क्योंकि अब कार्य जांचक व्यवस्थित हो गया है। बाक ने मंजू: कने १०००) में से ३१ जनवरी तक २०४) रुपये ही खर्च किये हैं।' बस्ती के जिला-बोर्ड के पत्र के अनुसार '५५ लकके बराबर कातते हैं। १५ बरसे चलते हैं। रोमाना १ छटांक (५ लोके) की औसत कताई होती है। केवल दरी पुनवाने में ही उस सूत का उपयोग किया जाता है। दो दरियां पुनी जा पुनी है और उनका शालाओं में उपयोग किया जा रहा है। खर्च साहवार २०) का होता है। वह शिक्षक का वेतन है। आभाव करीद में ८१-२-० अबतक खर्च हुए हैं।'

मैं आया करता हूँ कि लुदे स्कूल बोर्ड की यदि उन्होंने अपने विषयों में कताई को भी रक्खा है तो उसकी प्रगति का ब्यौरा अवश्य ही लिख भेजेंगे। मैं तो इन पत्रों में पढ़के ही किच कुछ हूँ कि शालाओं में कानने के लिए तो सक्की का साधन ही अधिक सुविधाजनक और कारदेयकर है। एक बात तो यह है कि सैकड़ों लकके लककियों के तकनी पर कानने के काम को शिक्षक निगरानी कर सकते हैं परन्तु बाबके पर होनेवाली लककी में बह होना अवश्य है।

**क्या उसपर अमल होगा ?**

पोलाची में हुई कोंग्रेसवाला परिषद् ने निम्न लिखित प्रस्ताव पास किया है :

“ यह परिषद् कोंग्रेसवाला को शिष्टों को और कश्चियों को यह आग्रह करती है कि वे हाथ-कटाई को अपना जाति-उद्योग समझ कर उसका स्वीकार करने की सलाह दी गई है वे क्या उसका स्वीकार करेंगे ? और क्या शिष्टोंने खादी पहनने के लिए प्रत दिया है वे भी उसका स्वीकार करेंगे ? ये परिषद् के सभासदों को यह सूचित करना चाहता है कि जबतक पुरखलेय हाथ-कटाई को न अपनावेगे शिष्टों को कातने के लिए समझना उन्हें बड़ा ही मुश्किल काम साबुत होगा । यदि बहुत कातनेवाले पुष्टों की काफी संख्या न होगी तो बड़ा के स्थानिक घरों में और सूत में आवश्यक सुधार करने में हमसे भी अधिक कठिनाई साबुत होगी । प्रस्तावों के अनिश्चित डोस कार्य पर ही हाथ-कटाई का कार्य अधिक आधार रखता है । समाप्त करना एक कार्यों में प्रस्तावों की उपयोगिता बड़ी सर्वाधिक होती है । सिफं उससे थोड़ा सभ प्रचार होता है । केचिन द्वारा आधार तो सिफं बुद्धिपूर्वक लगातार किसे हुए कार्य पर ही होता है ।

ये परिषद् को इस प्रस्ताव को पास करने के लिए कवाई देता है केचिन शिष्ट हाथ-कटाई को अपना जाति-उद्योग समझ कर उसका स्वीकार करने की सलाह दी गई है वे क्या उसका स्वीकार करेंगे ? और क्या शिष्टोंने खादी पहनने के लिए प्रत दिया है वे भी उसका स्वीकार करेंगे ? ये परिषद् के सभासदों को यह सूचित करना चाहता है कि जबतक पुरखलेय हाथ-कटाई को न अपनावेगे शिष्टों को कातने के लिए समझना उन्हें बड़ा ही मुश्किल काम साबुत होगा । यदि बहुत कातनेवाले पुष्टों की काफी संख्या न होगी तो बड़ा के स्थानिक घरों में और सूत में आवश्यक सुधार करने में हमसे भी अधिक कठिनाई साबुत होगी । प्रस्तावों के अनिश्चित डोस कार्य पर ही हाथ-कटाई का कार्य अधिक आधार रखता है । समाप्त करना एक कार्यों में प्रस्तावों की उपयोगिता बड़ी सर्वाधिक होती है । सिफं उससे थोड़ा सभ प्रचार होता है । केचिन द्वारा आधार तो सिफं बुद्धिपूर्वक लगातार किसे हुए कार्य पर ही होता है ।

सं. सं. ६०)

श्री० क० गांधी

**कुरियाजों के साम्राज्य में क्या करें ?**

एक सज्जन लिखते हैं :

‘जमी हमारी जाति में शारिरीयों की धूम मच रही है । जहाँ बालबिवाह होते हैं, जहाँ केवल विदेशी कपड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता हो, और जहाँ कपड़े पानी की तरह बहके जाते हैं वहाँ इन बातों को पाप समझनेवालों को क्या करना चाहिए ?’

अंगरेज सरकार की पद्धति को जो निम्न लागू किया गया है वही नियम यहाँ भी लागू किया जाना चाहिए । यदि लोग सरकार के द्वारा उच्च पद्धति की रक्षा न करे तो वह पद्धति आधार रहित बन कर आप ही टूट कर गिर जयगी । उसी प्रकार कुरियाजों के साम्राज्य को तोड़ने के इच्छा रखनेवाला भी यदि असहयोग करे तो वह साम्राज्य भी टूट जायगा । पर सच ही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि एक मनुष्य ऐसा असहयोग करे भी तो उससे क्या काम होगा ? इसका उत्तर यह है कि जिसने असहयोग किया है वह तो जैन गया, शेषमुक्त हो गया । और उसके सहयोग के अभाव का होना ही उस साम्राज्य की बसने वाली निजी जायगी । पुमान की उबाव को एक ईंट गिर जाने के ही वह शीघ्र गिर गयी जाती, केवल मच वह समझते हैं कि जिन्ने हिमसे उसकी एक ईंट गिरा गई है वही दिन के वह स्थान समजोत होने लगा है । और एक ईंट निकालने में जसी शिष्टता की आवश्यकता होती है, वही शिष्टता दूसरे ईंटें निकालने में नहीं करना पड़ती है । अतः में यह ही मनुष्य के द्वारा प्रत्येक सुधार का कारण हुआ है आज तो मान-विवाह इत्यादि कुरियाजों के क्लेशक वायु-मण्डल में ठक तयार हो गया है । जो लोग उन्हें कुरियाज मानते हैं वे अमली तार पर उसका विरोध करें वही बिलंब है । यदि आज इस इस विषय पर प्रत समझ करने लगे तो बहुमती

तो बड़ी कहेगी कि बाक-विवाह बुरा है, विवाह में आर्थिक कार्य करना बुरा है, शिष्टी कपड़े का प्रचार स्वाभ्य है और बुरा है । इसी प्रकार दूसरे कुरियाजों के विरुद्ध भी बहुमती प्रार्थ की जा सकती है । यह होने पर भी कुरियाज दूर नहीं हो पाये हैं क्योंकि उनका विरोध करनेवाले स्वयं ही दुर्बल हैं । वे अभाव के घर हैं केचिन कार्य के कचे हैं । यह कारण तो तभी दूर होगी जब कि कुछ लोग कैसा भी कष्ट सहन क्यों न करें ऐसे प्रसंगों में हार्थिर न रहेंगे ।

( नवजीवन )

श्री० क० गांधी

**लखौी गोरक्षा**

मूंग में होनेवाले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की गोशाला और प्राणि-रक्षक संस्थाओं के सम्मेलन के मन्त्री को गांधीजी ने जो पत्र लिखा है उसमें गोरक्षा का रहस्य नये ही तरीके पर समझाया गया है । मन्त्री ने गोरक्षा के सम्बन्ध में एक बीजबा तैयार कर के भेजी थी । उसे प्राणहीन बना कर गोशाला और प्राणि-रक्षक संस्थाओं में किस प्रकार परिवर्तन किया जाय ताकि वे कभी गोरक्षक संस्थाएँ नबनें, इस विषय पर गांधीजी ने जो कहा है: ‘केवल सहर्षों में ही गोवध होता है और उसे रोकने का केवल एक ही मार्ग है । वह यह कि पशुओं की करीब करने में कसाइयों से बालीयार लेना और यह तो तभी हो सकता है जब कि हम पशुओं की करीब करने में जितना भी कार्य करें उतना जमी उखीने से फिर पैदा कर लें । और यह तभी होगा जब हम दूध की डेरियां बलावेगे और धार्मिक दृष्टि से भरे हुए होरों के कमरे इत्यादि का न्वापार करेंगे । जिस प्रकार गाय के दूध का स्वीकार कर के हम मोमाल अक्षण से बच गये हैं और वही सबब है कि हम दूध को प पत्र मानते हैं, उसी प्रकार अब गाय और बैक को काक होने से बचाने के लिए भरे हुए होरों के कमरे, डेरियां, इत्यादि का, उसे धार्मिक और पवित्र समझ कर हमें उपयोग करना होगा । अर्थात् इसलोगों के सामने दो बातें होंगी ।

- (१) डैरी और कमरे कमने के शाख को समझनेवालों की मदद का स्वीकार करना ।
  - (२) भरे हुए होरों का कमटा, उनकी डेरियां इत्यादि के न्वापार को आप लोग अज्ञानकता से कर जो दूषित समझते हैं, उसे ज्ञान द्वारा निर्दोष ही नहीं बल्कि पुण्य-कार्य समझना ।
- यदि यह दृष्टि सही है तो गोशाला और पीजरापोलों को ऐसे इस प्रकार चलाना चाहिए कि वे डैरी और कर्मालन ही बन जायें । गोरक्षा का कार्य व्याजशुक्त निरस हो गया है उसका कारण तो यह है कि गोरक्षा के नाम पर लाखों रुपयों का फंड जमा होने पर भी संस्था के हिसाब से इसलोग आज तक सँकड़े पँडे एक भी गाय की रक्षा नहीं कर सके हैं और गोरक्षा शाख के ज्ञान के अभाव के कारण गायें सस्ती हो गई हैं और इससे उनका बच अधिक होता है ।

( नवजीवन )

**हिन्दी-पुस्तकें**

लोकमान्य की अर्धाधिक	...	...	...	11)
आभयमज्जाविकि	...	...	...	12)
अरन्धि अंक	...	...	...	13)

बांक कार्य अजहदा । काम जनी अर्धर से मैथिए अथवा श्री. पी. मंगार—

अपराधक,  
हिन्दी-नवजीवन



## हिन्दी-नवजीवन

शुक्रवार प्रथम त्रैत्र सुदी ५, चैत्र १९८२

### राष्ट्रीय सप्ताह

हमारे राष्ट्रीय जीवन में ६ और १३ अप्रैल के दिन चिर-स्मरणीय हैं, उनकी स्मृति कभी विछल नहीं हो सकती। ६ अप्रैल के दिन सत्याग्रह का वह अनुपम दृश्य दिखाई दिया था कि जिसमें हिन्दू-मुसलमान और दूसरी जातियों के लोग सभी स्वतंत्रता-पूर्वक शामिल हुए थे। नीच गिने जानेवाले वर्गों की स्वतंत्रता के आरंभ का भी वही दिन है। उसी दिन सभी स्वदेशी की हलचल की नींव डाली गई थी। उस दिन सारे देश ने सविनय भंग किया था। सामुदायिक स्वतंत्रता और सामुदायिक रक्षा का भाव सर्वत्र फैल गया था।

और १३ अप्रील को जलियांवाले की कत्ल हुई, उसमें हिन्दू, मुसलमान और सिक्कों का खून एक रक्त-धारा हो कर बहा। एक ही दिन में एक मिट्टी का टिका सारे भारत के लिए राष्ट्र-नैतिक यात्रा का स्थान बन गया। और जबतक भारत का अस्तित्व रहेगा तबतक वह बैसा ही बना रहेगा। उस दिन से आज तक कई घटनायें हो चुकी हैं। १९२१ में आंध्र का सूर्य मध्याह्न पर बहना था और वह इसलिए कि उसका मध्याह्न होते ही उसके टुकड़े टुकड़े होते हुए दिखाई दें। तब से तो जीवन का लोत क्षीण होता हुआ ही दिखाई देता है। आज हम मध्यरात्री के बोर अंधकार में से ही गुजर रहे हैं। लेकिन शायद अभी हमको इससे भी अधिक बना अंधकार देखना बाकी है।

लेकिन इस पवित्र सप्ताह में अब भी हमारी आशा लगी हुई है। इसलिए यद्यपि हमलोग विभक्त हो गये हैं और सरकार हमारी राष्ट्रीय मांगे चाहे वे कितनी ही आवश्यक और योग्य क्यों न हो, निर्भय हो कर पूर फेंक दे सकती है फिर भी हमें यह राष्ट्रीय सप्ताह मनाना चाहिए।

परन्तु ईश्वर की इस दुनिया में रात कही भी सदा नहीं बनी रहती है। हमारी रात्री का भी अन्त होगा। लेकिन हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब इस सप्ताह को कैसे मनावे? इकतल से तो नहीं और सविनय भंग कर के भी नहीं। आज हम हिन्दू और अहिन्दुओं के ऐक्य को नहीं मना सकते हैं और न उसका दावा ही कर सकते हैं। क्योंकि हिन्दू मुसलमानों को और मुसलमान हिन्दुओं को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं और वे आपस की सहनशीलता और सहाय से अपनी शक्ति का संगठन करने के बजाय सरकार की ह्वा प्राप्त कर के ही उसका संगठन करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए इस प्रश्न को तो अपना मार्ग आप कर देने के लिए यों ही छोड़ देना चाहिए। अब केवल जादी ही रह जाती है कि जिससे सामुदायिक कार्य किया जा सकता है और जिसमें सामुदायिक भावों को व्यक्त किया जा सकता है। जादी के संघ पर सब लोग हाथ में हाथ मिला कर कार्य कर सकते हैं। उसकी बिक्री की व्यवस्था की जा सकती है। स्वेच्छा से कानून के कार्य को उत्तेजना दी जा सकती है, अखिल भारतीय श्रेष्ठतम स्मारक के लिए रुपये इकट्ठे किये जा सकते हैं। उसका जो एक मात्र उद्देश ही जादी और चरखे की प्रगति और प्रचार करना है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रीय सप्ताह मनाने के

और भी कई मार्ग हैं। स्थानिक कार्यकर्तागण जुदे जुदे मार्गों की योजना कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ उन्हीं बातों का विचार कर सकता हूँ जिनमें कि करोड़ों लोग शामिल हो सकते हो जिनसे हमें उन सात दिनों का स्मरण होगा और स्वास्थ्य प्राप्त के मार्ग में प्रगति होगी। मेरे विचार में दूसरी एक भी ऐसी बात नहीं आती है जो चरखे की तरह इन तीनों शर्तों को पूरा कर सके। — उससे हम एक काम कर सकते हैं और अच्छी तरह कर सकते हैं — उससे जोया हुआ आत्मविश्वास प्राप्त होगा और उससे वह शक्ति प्राप्त होगी जो अपने सामने सभी बातों से बढ कर होगी। अकेला चरखा ही ऐसा है कि जिस पर सब जाति और धर्म के ली, पुरुष, बालक और बालिकायें काम कर सकती हैं। पत्नी और गरीब लोगों में सम्बन्ध जोड़ने के लिए वही एक साधन है और उसीके द्वारा अधभूतों दिखानों के अन्धकार और दरिद्रतापूर्ण गृहों में प्रकाश का किरण डाला जा सकता है। जिन्हें चरखे में विश्वास हो वे इस राष्ट्रीय सप्ताह में जादी को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयत्न करें।

( व. इ. )

मीहानदास करमचंद गांधी

### केवल परिमाण का भेद

ग्लासगो भारतीय संघ के संचालकों ने ग्लासगो में रहनेवाले कुछ भारतीयों पर जो अकुशल रक्ते गये है उस पर प्रकाश डालने के उद्देश से एक पत्र लिखा है। उस पत्र से मैं नीचे का अंश उद्धृत करता हूँ:

“१८ मार्च १९२५ को यहाँ के आन्तरिक विभाग के प्रभाव ने एक हुक्म निकाला है, जिसकी कि नकल इसके साथ है। उसमें विदेशी कलासियों की रजिस्टर करने की सूचना की गई है। इस वर्ष के जनवरी महीने से ग्लासगो और उसके जिले में इस हुक्म पर अमल किया जा रहा है और आन्तरिक विभाग के अधिकारियों की सूचना अनुसार काम करनेवाले यहाँ के पुलिस के अधिकारियों ने उन व्यक्तियों को भी, जिनके कि नाम और पते साथ की सूची में दिये हुए हैं, विदेशी गिन कर दर्ज किया है। वे सब लोग इस देश में तीन से छे कर चौदा साल तक रह चुके हैं। उनका जन्म भारत में ही हुआ था — अधिकतर में पंजाब में — और इसलिए वे ब्रिटिश रियाया हैं। बहुत से तो लडाई के समय यहाँ काम पर लिये गये थे और अब भी उनसे सख्त की तरह काम लिया जाता है। कुछ फेरी का काम करते हैं और कहीं-कहीं कलासी का काम भी करते हैं। वे सब बड़े शांत और नियम का पालन करनेवाले नागरिक हैं। आन्तरिक विभाग के मंत्री का उनको विदेशी कलासी मान कर ही उन्हें दर्ज करने का इरादा है पर निःसन्देह वे विदेशी नहीं हैं और बड़े मार्के की बात तो यह है कि उनके बुद्धि की जो दिशा उनको दी गई है उसमें उनके राष्ट्र और जन्मस्थान के भावों की जगह खाली छोड़ दी गई है। हम भारतीयों का क्याल है कि आन्तरिक विभाग के मंत्री का यह कार्य भारतीयों का बहिष्कार करने की सामान्य नीति का, जो अभी अभी विकास को प्राप्त हुई है एक व्यक्त रूप ही है। ‘स्काटलैंड के सब से बड़े शहर ग्लासगो में तमाम भारतीयों को वे भारतीय होने के कारण ही कुछ सिनेमाओं में और दूसरी आनोद प्रमोद की जगहों में जाने की इजाजत नहीं होती है। इतिहास में प्रसिद्ध ब्रिटेन के सब से बड़े कष्ट के समय, ऐन सीके पर भारतीयों ने उनकी जो मदद की उसके लिए इस देश के लोगों की कृतज्ञता का वह बड़ा अच्छा सुदृष्ट है।”

इस पत्र के साथ आन्तर्विभाग के प्रधान के हस्तक्षेपों से निकला हुआ हुकम भी नष्टी किया हुआ है। उसको 'रंगवाले विदेशी खलाशियों पर' काय अंकुश रखने का हुकम, यह नाम दिया गया है। इस हुकम में ६३ मनुष्यों के प्रति इशारा किया गया है। वे शायद एक के सिवा सब मुसलमान हैं और वह एक नाम भी हिन्दू नाम का नाम होता है। उनमें से बहुतांश लोग तो फेरी करनेवाले ही न्यान किये गये हैं, केवल दो ही शहसों का खलाशी होना लिखा गया है। और वे सब कास कर भीरपुर और अकबर के जिलों के ही रहनेवाले हैं। वे सब बिना अपवाद के पंजाब के ही रहनेवाले हैं। यह अनुमान करना बड़ा ही कठिन है कि उन्हें एशियावासी न कह कर रंगवाले लोग क्यों कहा जा रहा है। और यह कहना उचित भी अधिक कठिन है कि जब वे ब्रिटिश प्रजा है तो फिर उन्हें विदेशी क्यों कहे जा रहे हैं।

इस रबीस्टेशन में जो व्यवहार छिपा हुआ है उसे समझना कोई कठिन बात नहीं है। यह व्यवहार भी दक्षिण आफ्रिका के जैसा ही है। केवल परिमाण में ही भेद है और मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि ब्रिटिश में यदि बहुसंख्यक भारतीय जा कर बस जायें तो वे भी भयभीत हो उठेंगे और कानूने बनाने लगेंगे। बहुत दिन नहीं हुए कि समाचार पत्रों में यह बात प्रकाशित हुई थी कि लीवरपूल में बिना कोई कारण के ही चीनी थोथियों को बहा सताया गया था। अमरिका में भी हालत कोई अच्छी नहीं है। अभी ही मैंने इस विषय में बर्मा के एक विद्यार्थी के पत्र को प्रकाशित किया था। अभी ही अमरिका से लौटे हुए एक विद्यार्थी ने मुझसे मुलाकात की थी। वे संस्कारी थे, अच्छी अंगरेजी बोलते थे और बड़े दिनयी थे। अमरिका में स्पष्ट जिस प्रकार का है उसका उन्होंने बड़ा दुःखमय चित्र खींचा था और मुझ पर वे यह छाप डाल कर गये थे कि वहाँ वह अभी बंद रहा है। इसलिए जो प्रश्न दक्षिण आफ्रिका में उठा हुआ है वह कोई स्थानिक प्रश्न ही नहीं है वह तो सारी दुनिया का बड़ा भारी प्रश्न है। जब कि एशिया में रहनेवाली जातियाँ गुलामी में हैं और वे अपनी लड़ाई के प्रति उदासीन हैं तब उनके साथ वैसा व्यवहार करना कैसा कि आज किया जा रहा है बड़ा ही आसान कार्य है, फिर चाहे वे इंग्लैण्ड में हो अमरिका में हो या आफ्रिका में हो; या चाहे अपने ही घर में, चीन में या भारत में ही हो। लेकिन वे बहुत दिनों तक नींद में न पड़े रहेंगे। परन्तु यह आशा रखनी चाहिए कि उनकी जागृति से वर्तमान गुप्त्यी और भी अधिक उलझ न जाय और जातीय कटुता का मास जो आज वर्तमान है और अधिक न बढ़ जाय। परन्तु जब तक दुसरे देशों को बूझने की जो वृत्ति पश्चिम में आज प्रधान रूपसे दिखाई दे रही है वह सभी सहाय और सेवा में परिणत न हो जाय और जब तक एशिया या आफ्रिका तकी जातिवा यह न समझने लगे कि उनके सहकार के बिना उनको कोई बूझ नहीं सकता है और यह समझ कर अपना सहकार खींच न लें तब तक उस दुःखदायी परिणाम को रोकने की कोई आशा नहीं है। अभी हाल ही के उदाहरण को लें। बहादुर पंजाबियों को जब पर जो जातिगत अंकुश रखे जाते हैं उन्हें स्वांकार करने के अपमान की सहन नहीं करना चाहिए। उन्हें बर्हा रहना ही नहीं चाहिए बर्हा कि वे अस्वागतार्ह प्रवासी समझे जाते हैं। यदि उन्हें बर्हा रहना ही है तो उन्हें उनके प्रति किये गये अपमान-कारक व्यवहार को संजूर नहीं कर लेना चाहिए। उन्हें उसका भंग कर के कैद की सजा भुगतनी चाहिए। अक्सर यह देखा गया है जिनके विरुद्ध कानून बनाये जाते हैं, वे ही चाहे बहुत थोड़े अंश में क्यों न हो, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि इन

पंजाबियों के मामले में भी यही बात हो तो उन्हें ऐसी दूर एक बात को धर कर देना चाहिए ताकि उनकी तरफ कोई उगली तक न दिखा सके। मनुष्य, चाहे वह किसी भी रंग का क्यों न हो यदि अपने अधिकार को समझ के तो फिर चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो वह बराबर खींचा खड़ा रह सकता है।

उस पत्र की जिसमें से कि मैंने उपरोक्त अंश उद्धृत किया है जिन्होंने रचना की है उनका मैं इस बात पर ध्यान खींचना चाहता हूँ कि यद्यपि उनका पत्र संक्षिप्त है और, और सब तरह से प्रशंसनीय है फिर भी उसमें बेसुभाषण बालम होता है क्योंकि लेखको ने 'इतिहास में प्रसिद्ध ब्रिटेन के सब से बड़े छह के समय ऐन मौके पर भारतीयों ने जो बड़ी सेवा की' उस पर अधिक जोर दिया गया है। यदि भारत ने युद्ध के समय स्पेष्का से मदद की थी तो उसके लिए कृतज्ञता की भाशा रखना उसका मुख्य बटाना है। क्योंकि यह मदद तो कर्तव्य समझ कर ही दी गई थी 'कर्तव्य तो सभी उपकार हो सकेगा जब बरजा अदा करना बर्हीस समझी जायगी।' लेकिन सब बात तो यह है कि उस समय जो सेवा दी गई थी वह स्पेष्का से नहीं दी गई थी। शक्ति और मज के कारण ही वह दी गई थी। जब जब इत्र सेवा का भिक किया जाता है तब तब अंगरेज लोग यह उत्तर नहीं देते हैं कि वह तो बेगार के तौर पर वैसे ही ले गई थी जैसे कि अधिकारी वर्ग गाँवों में बेगार में मजदूरी कराते हैं तोयह उनका बुद्धिपूर्वक एक बड़ा समय ही है। लड़ाई के समय जो लोग लड़ाई में जाने के लिए घर में से निकलने पर मजबूर किये गये थे उन्हें अपनी उस समय की सेवा पर अभिमान करने का कोई कारण नहीं है और ब्रिटिश सरकार से कृतज्ञता की भाशा रखने का कारण तो उससे भी कम है। माइकेल ओडायर ही उस कृतज्ञता के पात्र हैं क्योंकि पंजाब के हर एक जिले में से किसी भी कीमत दे कर के वे अपने रंगरुटों की संख्या पूरी कर सके थे।

(पृ. ६०)

मोहनदास कर्मचंद गांधी

## लड़ाई के दुष्परिणाम

नैतिक हानि

यूरोपीय महायुद्ध के फलस्वरूप जो शारीरिक और आर्थिक हानि हुई उसके अंक आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं किन्तु उसकी नैतिक हानि का परिमाण निकालना उतना आसान नहीं है। फिर भी ऐसे असंख्य प्रमाण मौजूद हैं जिनसे यह साबित किया जा सकता है कि उससे जो नैतिक हानि हुई वह भी बड़ी ही भयंकर है।

यह कहा जाता है कि लड़ाई से सब से प्रथम और बड़ी से बड़ी हानि सत्य की हानि हुई है और यह विस्फुल सब है। क्या और असत्य लड़ाई के अंग ही बन हुए हैं। उसका सत्य के अनुकूल चलना नहीं परन्तु समय के अनुकूल चलना ही राज-मार्ग है। लड़ाई के दिनों में जर्मनी ने अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए किस प्रकार बड़ी विशाल योजना पर प्रचारकार्य किया था यह मित्रराज्यों में रहनेवाले सब कोई जानते हैं। यह कहा जाता है कि लोकमत जर्मनी के विरुद्ध होने में यही एक मुख्य कारण था और अमरिका भी इसी कारण से लड़ाई में उतरा था। और इस विषय में जर्मनी के अपराध के संबन्ध में किसी भी प्रकार के संशेह क अवकाश भी नहीं है।

लेकिन मित्रराज्यों में रहनेवाली प्रजा जो बात नहीं जानती वह यह है कि जर्मन प्रजा भी, मित्रराज्यों ने अपने तरफ से जो प्रचार कार्य किया था उससे उतनी ही बरफीबत रखती थी। लड़ाई के १२ मित्रराज्यों के छह विभागों के लोगों के हाथ की दुष्प्रतिक्रमा



अधिकांशों को भी तो दवा दिये गये थे या जेल में बन्द कर दिये गये थे। नगरिक स्वातंत्र्य की लड़ाई की यह धिया लड़ाई कायम होने पर भी बहुत दिनों तक चली रही। जारी ही दुनिया पर मानों इत्याद व यु की एक तरह का भी था। इन्हीं प्रमाणों, उपायों, और सुनिश्चित सभी राज्यों में जनता के हित को ध्यान रखने के साधन बताये। उनमें बहुत से तो आज भी कानून के रूप में मौजूद हैं जो काफी और लेखन के साक्ष्य के लिए भयंकर हैं।

लड़ाई के फलस्वरूप और एक दूरी भी नैतिक शक्ति हुई है। जो युद्धों के संघर्ष के विषय में वेदों सुकमान हुआ दिखाई दे सकता है। लड़ाई के अन्त में हमेशा जो युद्धों के नैतिक आधार विचार की अभावगति होती रही है। वह लड़ाई कोई उन्में अपवाद-रूप न थी। परिणाम यह हुआ कि नैतिक आधार और आधार दुर्बल हो गये हैं। और उसमें भी बहुत से देशों में तो लड़ाई के कारण उत्पन्न हुई दुःख उद्योग की मर्दा और अधिक अनवस्था ने उत्पान-काया ही लक्या है। इन्हीं में बाजार व्यवस्था अत्यन्त परिमाण में बढ़ गया है। एक कुशल विरोधक ने इसका निकाला है कि लण्डन के मार्गों पर पड़ने के सम्बन्ध लड़ाई के बाद इस युग में वेदों का अन्तर्गत दिखे हुए है। पारिषद और अजि की मियात तो इससे भी बरत है। इन लड़ाई में बाड़े परो के एक ही मंडोले में आ कर देखो तो सम्पूर्ण वहाँ सेकड़ों नेदियों दिखाई देंगी, वह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। नाटकशुद्ध में और शरणस्थानों में आकरा तीर पर जंगल नाम जावनालों का भाव होता है और अधिकारी वर्ग को तरफ से उन्हें कोई बुरा नद नहीं होनी है। वह सब है कि १९१४ के पहले ही स्थिति बड़ी बुरा थी परन्तु इसमें कुछ भी अन्तर्गत नहीं है कि आज स्थिति उसके इन्तर्गत युग अधिक विषय हो गई है। इसका सुदूर वेदना का पेशा करनेवाली औरों की संख्या से ही नहीं परन्तु सब वर्ग के लोगों में आजकल भी नैतिक शिक्षता पायी जाती है उस पर से निकलना। और संभव है कि अन्त में जनव्यवस्था पर लड़ाई के परिणामों में यह नैतिक सुधारण हो सक से अधिक भयंकर सुधारणाम साधत ही।

### बहुता हुआ जख्म

कुछ समय पहले दक्षिण के एक अन्त्येन पर मन्दिर में प्रवेश कर के धने का अपमान करने के कारण में मुकदमा कलाव मान के विषय की चर्चा की गई थी। वेदादी एक दुःख सुधमा कला वहाँ हुआ है और उसमें भी वेदादी फैला दिया गया है। सुधमेसन नामक एक माला की विद्वान्ति के स्टेशनरा सभमेनीस्ट के समक्ष, सिधन्पुर के एक मन्दिर में पूजा के लिए प्रवेश करने के अन्तर्गत के कारण पेश किया गया था। छांटो अदालत में उस प्रवेश का फौजदारी कानून का १९५ की धारा के अनुसार 'अशुभ वर्ग के धर्म को अपमान करने के इरादे से (धोकर) अपमान करने का सुधमा मान कर' उद्ये ७५) सुधमान या सुधमाना न के तो एक संशोधन की संरक्ष केर की संस्था कलाया की। वेदारे अन्त्येन के लीलाय से बड़ी हितैषी सुधारक की मौजूद थे। उन्होंने अन्त्येन के लीलाय से बड़ी हितैषी सुधारक की मौजूद थे। उन्होंने अन्त्येन के लीलाय से बड़ी हितैषी सुधारक की मौजूद थे। उन्होंने अन्त्येन के लीलाय से बड़ी हितैषी सुधारक की मौजूद थे।

जोसे का अन्त्येन में सुधई की तरफ से सात वर्षों के इन्तर्गत हुए थे। उन्होंने अपने इन्तर्गत में कहा था कि सुधरेन माला कायते का है। मालाओं का मन्दिर में जाने की सुधानवत है। और यदि वह उन्में प्रवेश करे तो वह मन्दिर अपवित्र हुआ

माना जाता है। यह कहा गया है कि अपील करनेवाला मन्दिर में न कुछों तक पहुँच गया था। केवल संवर्ष हिन्दुओं को ही उस स्थान तक मान का इजाजत होती है। उस समय वह संवर्ष पोशाक पहन हुए थे और अन्त्येन तिष्ठ हुआ द किये हुए था। पुनर्तो न उसे अन्त्येन इन्तर्गत समझ था और उसका माध्यम के कर उसे अपूर का आगत की नद भी लेन दा थो और इसके लिए अपील करनेके न चार जाने का निश्चित चर्चा भी किया था। अपील करनेवाला जब वहाँ से चला गया तो मन्दिर के संवाजकों को मालूम हुआ कि वह माला जाति का था; और मन्दिर उसके प्रवेश से अपवित्र हुआ था इसलिए उसकी छुट्टी की विधि से छुट्टी करने की आवश्यकता प्रतीत हुई।

पहले तो इस बात पर विचार होना चाहिए कि सुधई की तरफ से जो काम करने के लिए आजन बातों को साबत करना जरूरी है व साबत की गई है या नहीं। मन्दिर में माला जाति के मनुष्य के जाने में बड़ा प्रश्न हो गया यह इसी अर्थ में सिद्ध होता है कि उसका सुध करने के लिए सुध के सरकार की आवश्यकता मालूम हुई। परन्तु इसके अलावा यह बात साबत करना जरूरी है कि उसके प्रवेश से अशुभ वर्ग के मनुष्यों के धर्म का अपमान हुआ है और दुःख यह कि सुधरेन का ऐसा अपमान करने का इरादा था, ॥ वह यह मानना था कि उसके वेदा कोई अपमान होगा। सुधई की तरफ से वेदा किये गये सुधों में इतनी युद्ध है इसलिए सुध साबित हुआ नहीं माना जा सकता है और इसलिए वह सना रद होना चाहिए। मेरे कयाक में मुकदमे का फिर जाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

पहले के मुकदमे का तरफ इसमें भा वेदार विरुद्ध अन्त्येन के एकदम मुकदमा दायर करनेवाल, न्यायाधीश और उसका कयाव करनेवाल सना १९५५ और अपराधी दोनों दफा संकट बंद की कया से बच सक था। (में मानना है कि सुधमाना धर्म को उनका सुधाना ही न था)। पर जो निष् का लियेय हाना चाहिए था वह न उस समय हुआ था और इस समय ही हुआ। हिन्दू न्यायाधीश यह निष्कर्ष कर सकते थे कि यह अन्त्येन हिन्दू पूजा करने के लिए यह मन्दिर में प्रवेश करे। उसका निष्कार हिन्दू धर्म में होने का वह दावा करता है और जिसका कि संतोहार किया जाता है उस हिन्दू धर्म का विधा का प्रकार, कथा भी अन्त्येन अपमान नहीं होता है। कुछ हिन्दुओं के विचार से जरायो का मन्दिर प्रवेश अन्त्येन तक होता, कथ के एकदम ही, और वह भी कुछ ही, यह हिन्दुधर्म के कथानी कानून के अनुसार सुध समझा जाय ऐसा उसका कथा भी धर्म के धर्म का अपमान नहीं होता है। यह बरत अन्त्येन है कि अपराधी के धारा पर विरुद्ध आगे के धई निष्कर्ष, उसका पोशाक संवर्ष था और वह संवर्ष और तिष्ठ किये हुए था। यह नही यह वे अन्त्येनपोषित लीन हुए ठाना चाहें तो उन्में दूरी के साथ में पहचान केना सुधिकल होगा। धने का पञ्च नाम के कर मनुष्यों के पाछे पकना यह सुध अन्त्येन दृष्ट है। इन अन्त्येनों के पाछे पकनेवालों को यह खबर नहीं है कि वे अन्त्येन हमारे होने का दावा करते हैं, कथनी ही दफा-बाके और हिन्दुओं को जिन धार्मिक विधियों का पालन करना चाहिए, उन सब धार्मिक विधियों का आधर करनेवाके मनुष्यों को धार्मिक मन्दिरों में दाखिल होने से रोक कर के स्वयं अपने ही धर्म का प्रथ कर रहे हैं। मनुष्य के दिक् की तो ईश्वर ही जानता है और यह संभव ही खबर है कि फोर्टे वेदा में उन्में हुआ अन्त्येन का इरादा बड़ा दावतीय के साथ वनों के साथ उन्त्येन के हिन्दू के इरादे की आवक निश्चल हो।

(वेद. ६०) अन्त्येनद्वारा करके मन्दिर गया



## यंत्र की अनर्थ परम्परा

(गर्नाक से आने)

और यन्त्रों ने कुदरत को कितना बदसूरत बना दिया है। सड़कों का धुंवां, रेल की आवाज, कारखानों का शोर, मोटरगाड़ी के झुरे आवाज, खाने और बटे हुए जंगलों से बदसूरत बनो हुई जमीन—कैसा नाश सूचित करती है? और यन्त्रों के कारण परिमाण में शहरों की आबादी बढ़ा है और गांवों की आबादी कम हुई है। हिन्दुस्थान में शहर की बस्ती १० प्रति सैकड़ा है, अमरिका में ४५ प्रति सैकड़ा और इंग्लैंड और बेल्जियम में ७८ प्रति सैकड़ा है।

उससे मनुष्य की उत्पन्न करने की मूल शक्ति का ह्रास होता है और यंत्र यन्त्रोंवाला मनुष्य यंत्र बनता है। और वह यंत्र बनता है इसलिए उसकी नैतिक और आत्मात्मिक कीमत घट जाती है। और जब कम नफा होता है और काम बन्द हो जाता है तब बुद्धिहीन कामों को करनेवाले कारीगर तो बेचारे मर ही जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं को निकाल दिया जाता है उनकी स्वतंत्र मिहनत कर के जीवन विमाने की शक्ति बूझ दी जाती है, उनके जीवन में भय प्रवेश करता है, और जब वे अत्याचार और भूखों मरने की हालत के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं तो पुलिस और फौज इनको तकलीफ देती है।

असहिष्णुता के कारण एक भयभीती दुश्मने से जुदा होता है। मजदूर और सैड का सम्बन्ध टूट जाता है, जुड़ी जुड़ी भेदों के लोगों में विरोध उत्पन्न होता है—दुकानदार, सेब और मण्डलों का विरोध। हास्य प्रथा गुरी भी परन्तु गुलामों को पूरा आनेवाले को और पहनने को मिलता था। अशुभ के पहले क्या भेदिका न थी, लेकिन उससमय रामा और जमींदार भी किसानों की तरह साहसी के साथ रहते थे, उनका खाना मोटा था, उनके चमड़े भी गरीबों के जैसे ही थे। उनके साम्राज्य जीवन में संकट और परिभय को विशेष स्थान था। उनका बहुत से मनुष्यों पर अधिकार न होता था और जहां उनका अधिकार चलता वहां वह अधिक ब्यापक और उत्तरदायित्व के साथ चलाया जाता था। यंत्रों से जो लाभ होता है उससे राज्य व्यक्तियों के लोग का पोषण करने का प्रयत्न करते हैं और विदेशों में हुकूमत प्राप्त करने का उन्हें कोश होता है, कच्चा माल पैदा करनेवाले देशों पर अधिकार प्राप्त करने और वहां अपने बाजार बनाने के लिए उन्हें कोश होता है। आर्थिक साम्राज्यवाद और उसमें से उत्पन्न अज्ञान और अज्ञात अज्ञानकारी क्रूरता उत्पन्न होती है। और लड़ाई के दुष्परिणामों को कौन नहीं जानता है?

मैंने जानबूझ कर तो इस विश्व को अधिक समंकर नहीं बनाया है? यन्त्रों के कार्यों को मैं भूल गया हूँ या सामान्यतया जो दोष दिखाई नहीं देते हैं उन्हीं पर मैं अधिक ध्यान दे रहा हूँ?

वह तो आप भूल ही जाते हैं कि उससे मिहनत की बचत होती है। मैं बचत नहीं देखता हूँ। आप मोटा सरीसृप हैं तो क्या उसके आपके समय की बचत होती है? नहीं, आप केवल प्रशंसा बजा केते हैं, आरके जीवन में कुछ उपाधि ही बच जाती है। एक कारखानेवाला मिहनत बनाने के लिए एक नया यंत्र लाता है। उससे क्या उसके नोकरों को कुछ कम काम करना पड़ता है? वह कितनों ही को मचाव दे देता है क्योंकि उनकी मिहनत कम जाती है। बाकी बचे हुए लोगों को चायद अधिक काम करना पड़ता है। क्योंकि वह नये यंत्र के द्वारा अधिक काम किया जाता है। १५० साल पर किसी भी यंत्राधीन भवा के जीवन में

कितना सुख या उतना सुख आम है? भाव बना भय से आत्मा की अधिक आराम और सन्तोष मिलता है?

कीमत बढ़ गई है—क्योंकि इस्तेमाल करनेवाले बचाने काये हैं। एक गांव की आवश्यकता को पूरी करने के लिए एक मिक कोलने से कुछ फायदा न होगा। थोड़ी ही थोक की आवश्यकता हो तो कारखाना चलता नहीं मढ़ंगा होगा। कारखाने से कीमत तभी बढेगी जब कि उसके दिनगत काम किया जायना। यदि लोग छोटे छोटे गांवों में बंट जाय, गांव अपना जीवन स्वतंत्र बना के तो यंत्र केवल बोझ रूप ही हो जायेंगे।

ऊपर जिस इतिहासकार का मैं उल्लेख कर आया हूँ वह—फैरेरो—अपनी जी के साथ हुई एक बातचीत का उल्लेख करता है "यंत्र बहुत और शीघ्र उत्पन्न करता है इसलिए क्या उससे मनुष्य के सुख और सुविधे के साधन नहीं बढेंगे? मैंने यह प्रश्न किया था। इसके उत्तर में मेरी पत्नी ने कहा "यंत्र अधिक उत्पन्न करते हैं तो वे आते भी अधिक हैं। अर्थात् यंत्राधीन सुधारों में हमेशा आवश्यकता से अधिक बस्तु पैदा होती है और उसमें खर्च भी इस से ज्यादा होता है इसलिए हमेशा दरिद्रता ही बनी रहती है। इस विचित्र स्थिति में से बचने का एकही मार्ग है—जिसे सुनने के लिए मनुष्य तैयार नहीं है। ऐसी धर्म-जगृति होनी चाहिए कि जिससे संसार अपनी आवश्यकताओं पर अनुकूल रख सके।"

विज्ञान को तिलाजली देनी होगी? नहीं। बहुतेरा विज्ञान तो कायम ही रहेगा। हमें प्रयोग करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होगी उन्हें हम हाथ से तैयार कर लेंगे अथवा हाथ के बने यन्त्रों से तैयार करेंगे। इन विज्ञानशास्त्रियों ने सोचें कर कर के इन बाधे यन्त्रों को अदृश्य बना दिये हैं। उन्होंने मूल में बाधे यंत्र उत्पन्न नहीं किये थे। उनकी सोचें हुए विज्ञान के कारण नहीं हुईं, बल्कि उपयों के लिए हुईं हैं।

मतलब कि यदि बिजली या माप की शक्ति से चलनेवाले यन्त्रों को तिलाजली दी जाय तो भी चरका करवा, लीने की मशीन, बेतार का तार, रेडियो, हाथसूत्रा यन्त्र, हल, और केंती के बूझे साधनों की तो आवश्यकता होगी ही। इसका मूल्य बहुत नहीं होगा। जो चाहे उसे खरीद सकेगा। कुछ धनी लोगों के हाथ में ही इसके होने की आवश्यकता न होगी। इन यन्त्रों से उतना ही उत्पन्न किया जा सकेगा जितने से कि हम लोग आरोग्यतापूर्वक रह सकेंगे। आवश्यकता से अधिक उत्पन्न करने की काल्प न रहेगी।

आल्फ्रेड रसेल बाल्फोर ने अपनी १० वीं जन्मतिथि के दिन कहा था "वह हमारी असल में निर्बलता है। जितना हमारा हाथ और विज्ञान बढ़ा है उतना हमारे हृदय का विकास नहीं हुआ है। हमारे हाथों में इतना बड़ा अधिकार आ गया है कि उसके अविश्व रीति से उपयोग करने की संयमशक्ति हमारे में नहीं है। मनुष्य के कल्याण के निमित्त कुदरत की महान् शक्तियों का उपयोग करने जितना अभ्रमविग्रह और अशुद्धि हम में नहीं है इसलिए हमने उन्हें अपने विचार के साधन ही बना दिये हैं।

इसमें किसी भी मनुष्य का दोष नहीं है। दोष हमारी इतियों का है। ज्ञान होने पर ही यह इति बुर हो सकती है। वह किसी का तिरस्कार और द्वेष करने से बुर नहीं होगी। इसीलिए तो मेरा यह मानना है कि यंत्राधीन यंत्र पर टीका करने में और यंत्रों के जनकों की बुर करने के साधनों की योजना करने में, जब साधनों में, उनकी टीका करनेवालों के बलिष्ठत धर्म के अधिक निकट है।

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ३०

मुद्रक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

अहमदाबाद, मयम क्षेत्र नं० १२, संवत् १९८२  
 ११ सुबहार, मार्च, १९२६ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 धारंगपुर सरकोमरा की बाड़ी

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

### अध्याय १४

#### मेरी पसंदगी

डा. महेता तो सोमवार को मुझसे मिलने के लिए विक्टोरिया होटल में गये थे। वहाँ उन्हें हमारा नया बत्ता दिया गया इसलिए वे हमें हमारे नये मुकाम पर आकर मिले। मेरी बेवकूफी के कारण मुझे अहमदाबाद के 'सत्य' को पढ़ने की आवश्यकता पड़ी थी। मैंने कहा कि मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। उससे साबुन का मेल न हो सकता था। मैंने तो साबुन के इस्तेमाल को सभ्यता का चिह्न माना था। उससे शरीर सफ होने के बड़े विकलता होता था। और परिणाम में मुझे 'दाद' हो गई। मैंने डाक्टर को यह दिखाई। उन्होंने उसे जका देने के लिए क्या-एसेटिक एसिड-दी। इस क्या ने मुझे बलाया था। डा. महेता ने हमारे कमरे, इत्यादि की व्यवस्था देखी और सिर दिखा कर कहा। "इस तरह से काम न चलेगा। विज्ञानमय में आ कर पढ़ने के बलिस्वत यहाँ का अनुभव लेना ही अधिक आवश्यक है। इसके लिए किसी कुटुम्ब के साथ रहना ही आवश्यक होगा। लेकिन अभी तो मैंने यह सोचा है कि कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए तुम—के यहाँ रहो। मैं तुमको यहाँ के आऊंगा।"

मैंने उनकी इस सुचना को स्वीकार किया और उनका उपकार माना। मित्र के यहाँ गया। उनके सरकार में कोई खुश नहीं थी। उन्होंने मुझे अपने सगे भाई की तरह रखा था। उन्होंने मुझे अंगरेजी रीतिरिवाज सीखाये, यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने ही मुझे अंगरेजी में बातचीत करने की आदत लायी थी।

मेरे खाने का प्रश्न बहुत बड़ा और संकीर्ण हो गया था। मित्र और मंडले से हीन खाने अच्छे न समते थे। उस तरह की पहिनी मेरे लिए क्या खाना बनाती? सुबह तो ओटमील की रस बनती थी। उससे कुछ पैर भरता भी था लेकिन दोपहर को और शाम को तो मुझे भूख ही रचना पड़ता था। मित्र यथासाध्य करने के लिए रोज मुझे बयनाते थे। मैं तो प्रतिज्ञा की बाधा बतल कर चुप हो जाता था। उनकी बकीलों का मैं उत्तर नहीं दे सकता था। दोपहर को सिके रोटी, सामा और गुरमने कर ही रहता था। शाम को भी वैसी ही आराम होती थी। रोटी

के तो दो तीन टुकड़े ही खाता था। अधिक माँगने में दर्भ मासूम होती थी। मुझे खूब खाना खाने की आदत थी। मेरा तेज था और सुराह की भी अच्छी आवश्यकता होती थी। दोपहर को या शाम को दूध तो कभी होता ही न था। मेरी यह हालत देख कर मित्र को एक दिन बड़ी बीहड़ हुई। उन्होंने कहा: "यदि तुम मेरे सगे भाई होते तो मैं तुम्हें जेबश्य ही जौटा देता। यहाँ की परिस्थिति को जाने बिना ही निरक्षर भाँ के समझ को मुझे प्रतिज्ञा थी किमत ही क्या हो सकती है? वह प्रतिज्ञा ही नहीं करी जा सकती है। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कानून में प्रानिहा के नाम से उसका स्वीकार ही न होगा। ऐसी प्रतिज्ञा को पकड़ कर बैठना तो केवल एक बहम ही गिना जावेगा। और ऐसे बहम पर टव रहने से तुम इस मुकाम में से अपने देश में कुछ भी न ले जा सकोगे। तुम तो कहते हो कि तुमने मांस खाया है, वह तुम्हें अच्छा भी लगा है। जहाँ उसे खाने की कुछ भी आवश्यकता न थी वहाँ उसे खाया और जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ उसका त्याग? यह कैसा आश्चर्य है?"

लेकिन मैं एक का दो न हुआ। रोजाना ऐसी बलीकें हुआ करती थी। जैसे जैसे वे मित्र मुझे समझाते जाते थे जैसे जैसे मेरी लक्ष्मी और भी बढ़ती जाती थी। रोजाना ईश्वर से अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करता था और मुझे वह प्राप्त भी होती थी। मैं यह न जानता था कि ईश्वर क्या वस्तु है? लेकिन उस रमा की दी हुई भद्रा अपना काम कर रहा थी।

एक दिन मित्र ने मुझे 'वेन्यम' पढ़ कर सुनाया शुरू किया। उपखोयितावाद (युटिलिटी) पढ़ा। मैं सुन कर बचकाया। भाषा कंचे प्रकार की थी। मैं उसे बची सुनिकल से समझ सकता था। उपरर उन्होंने विवेचन किया। मैंने उत्तर दिया:

"मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुझाफ करें। मैं ऐसी बारीक बातें समझ न सकूंगा। मैं स्वीकार करता हूँ कि मांस खाना बुरा है। लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा का बन्धन न तोड़ सकूंगा। मैं इसके लिए कुछ भी बकीकें न दे सकूंगा। मुझे इस बात का बकीकें है कि बकीकों में मैं आपसे न जीत सकूंगा। परन्तु मुझे बूझ या हकी खान कर इस विषय में आप मुझे रजतमत्र छोड़ दीजिएगा। मैं आपके प्रेम की समझ सकता हूँ, आपके आग्रह

का हेतु भी समझता हूँ। मैं आपको अपना परम हितधी मानता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि आपको दुःख होना है। इसीलिए आप इनना आपसू कर रहे हैं, परन्तु मैं लाचार हूँ। मेरी प्रतिज्ञा न दूँगी।

मित्र देखते ही रह गये। उन्होंने विनाश बन्द कर दी "बस, अब मैं कोई इलाज न करूँगा" यह कह कर वे चुप हो रहे। मैं बड़ा चुप हुआ। उसके बाद उन्होंने कभी दृष्टी नही की।

लेकिन मेरे सम्बन्ध में उनकी विस्तार धृष्ट न हुई। वे बाँड़ी पीते थे, और शराब भी पीते थे। उन्होंने मुझे इनमें से एक चीज का भी व्यवहार करने के लिए कभी न कहा था बल्कि वे उसका व्यवहार न करने के लिए ही कहते थे। लेकिन उनकी विंता तो यह थी कि विना मांसाहार के मैं दुर्बल हो जाऊँगा और इंग्लैण्ड में निश्चित हो कर न रह सकूँगा।

इस प्रकार मैं एक मनुष्य के विषय गये विस्तार उन्हेदवार की तरह उन्हेदवारी की। उस मित्र का गद्दान रिचमण्ड में था इसलिए सप्ताह भर में एक या दो मन्तवा ही इंग्लैण्ड जाना होता था। डॉ० महेता और श्री द्रष्टवतगाम सुक ने विचार किया की अब मुझे किसी न किसी कुटुम्ब में रख देना चाहिए। भाई सुफल ने वेस्ट केम्ब्रिजटन में एक एंग्लो-इन्डियन का घर उठ निकाला और मुझे वहाँ रहने के लिए ले गये। उस घर की वृष्टिगि विधवा थी। उसे उन्होंने मेरे मांसन्दाग की बात भी यह सुनाई। उस वृद्धा ने मेरी देख-भाल करना स्वीकार कर लिया। वहाँ भी भूलों ही दिन जाते थे। मैंने घर से मिठाई इत्यादि खाना मगाया था लेकिन वह अभी आ न पाया था। खाना सब फोका मालूम होता था। वृद्धा हमेशा ही पूछ-ताछ करती थी लेकिन वह क्या कर सकती थी? और मैं जब भी पैसा का बंधा लज्जारील या इसलिए अधिक मागने में मुझे धर्म मालूम होनी थी। वृद्धा की दो कबकियां थी। ये आपसू कर के कुछ आधिक रांटी देती थी। लेकिन वे विनाश यह क्या जाने कि उनको मारी गोटी यदि मैं ला जाऊँ तब तो मेरा पेट कहीं भर सकता था?

लेकिन अब मुझे भी घर लगने शुरू हुए थे। जहाँ पडाई तो शुरू ही न हुई थी। बड़ा मुदिकल से समाचार पत्र पढ़ने लगा था। यह भाई सुफल का प्रनाप था। भारत में मैंने कभी समाचारपत्र पढ़े न थे। लेकिन रोजाना पढ़ने से मैं उसके पढ़ने का शौक बढा सका था। 'डेलीन्युस', 'डेलीट्रेटीप्राफ' और 'पेलमेक गेक्षेट' इतने समाचार पत्रों पर भजर बाल जाता था। लेकिन उसमें प्रथम तो शायद हा एकाध पन्टा लगता होगा।

मैंने तो भ्रमण करना आरंभ किया मुझे निराश्रित भोजनगृह ढूँढना था। मुझे मालकिन ने भी कहा था कि कन्दन भद्र में कुछ ऐसे गृह हैं। न राजीना दस या बारह माल बनना था। किसी गरीब भोजनगृह में जा कर पेट भर गयीं का लता था लेकिन उससे सम्बन्ध न होता था। इस प्रकार भटकते भटकते मैं फेरिग्डन स्पीट में पहुँचा और वहाँ 'वेमिटाग्वन रेस्टरो' यह नाम पडा। हावकर वस्तु प्राप्त होने पर बालक को जैसा आनन्द होता है वैसा ही मुझे भी आनन्द हुआ। आति हर्षित हो कर जैसे ही मैं उसके अन्दर दाखिल होने लगा वैसे ही मैंने यह देखा कि नजदीक की कान की विबद्धी में किसी के लिए कुछ पुतके रक्ती हुई हैं। उसमें मैंने साँट का 'निराश्रित भोजन की ताईद' नामक पुस्तक भी देखा। मैंने एक चिल्ला कर उसे खरीदा और फिर भोजन करने के लिए बैठा।

बिलायत में आने के बाद प्रथम यही पेट भर कर खाना मिला था। ईश्वर ने मेरी इच्छा पूरी की। मैंने साँट का पुस्तक पढा। मुझ पर उसकी अच्छी छाप पडी। इस पुस्तक को जिस दिन पढा उस दिन से मैं स्वेच्छापूर्वक निराश्रितभोजी अथवा शाकाहारी बना। माता से समझ की हुई प्रतिज्ञा के कारण और भी अधिक आनन्द हुआ। और जिस प्रकार पहले यह मानता था कि सब लोग मांसाहारी बन जायें तो अच्छा हो और केवल सत्य की रक्षा के लिए और फिर प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैंने मांस का त्याग किया था और जिविय में किसी न किसी दिन स्वतन्त्रतापूर्वक शाकपक्का मांस खा कर, दूसरों को भी अपने साथ मिला देने की आशा रखता था उसी प्रकार अब स्वयं शाकाहारी रह कर दूसरों को भी वैसा ही बनाने की मुझे इच्छा हुई।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द्र गोधी

### लडाई के दुष्परिणाम

#### रुपयों की बरबादी

लडाई में कितनी जामें जाया हुई यह हम देख चुके, अब आधिक हानि कितनी हुई यह देखें। आधिक हानि के अंक आज ठीक निश्चयपूर्वक प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रो० वांगार्टे ने गहरे उत्तर कर उसका अध्ययन किया है और उसके परिणाम आंतरराष्ट्रीय शांति के लिए स्थापित कॉर्नेगी ट्रस्ट ने प्रकाशित किये हैं। उन्हींमें से नीचे दिये गये अंक लिए गये हैं:

#### स्वयं लडाई का खर्च

	कुल	मिश्रराज्यों को उधार दिये गये रुपये बाद कर के
अमेरिका	डालर ३२,०८०,२६६,९६८	२२,६२५,२५५,८४३
प्रेट्रिक्टन	" ४४,०२९,०११,८६८	३५,३३८,०११,८६८
बाकी ब्रिटिश		
साम्राज्य	" ४,४९३,८१३,०७२	४,४९३,८१३,०७२
फ्रांस	" २५,८१२,७८२,८००	२२,२६५,५८२,८००
रशिया	" २२,५९३,९५०,०००	२२,५९३,९५०,०००
इटली	" १२,४१३,९९८,०००	१२,४१३,९९८,०००
दूसरे मिश्रराज्यों	" ३,९६३,८६७,९१४	३,९६३,८६७,९१४
<b>कुल</b>	<b>" १४५,३८७,६९०,६२२</b>	<b>१२५,६९०,४७६,४९७</b>
जर्मनी	" ४०,१५०,०००,०००	३७,७७५,०००,०००
आस्टीयाहंगरी	" २०,६२२,६६०,६००	१०,६२२,६६०,६००
तर्की और		
बल्गेरिया	" २,२४५,२००,०००	२,२४५,२००,०००
<b>कुल</b>	<b>" ६३,०१८,१६७,०००</b>	<b>६०,६६२,१६०,६००</b>
<b>सब राज्यों का कुल</b>	<b>२०८,४०५,८५७,२२२</b>	<b>१८६,३३३,६३७,०९७</b>

#### लडाई के कारण दूसरा खर्च

दूसरा खर्च गिनने की अमेरिकन रीति बड़ी आवश्यकारी है। जो प्राणहानि हुई थी उसका हिसाब गत अन्वय में दिया गया है उसी हानि को अब हमें गिनने का प्रयत्न किया गया है। प्राणहीन हुए मनुष्यों का मूल्य

सिपाही	डालर ३३,५५१,२७६,२८०
युद्ध में न जाने पर भी मृत मनुष्यों की कीमत	" ३३,५५१,२७६,२८०

जमीन	२९,९६०,०००,०००
जहाज और उसका माल	६,८००,०००,०००
रकी हुई उपज की कीमत	४५,०००,०००,०००
लडाई के कारण संकट निवारण में	१,०००,०००,०००
न लड़नेवाले देशों का नुकसान	१,७५०,०००,०००

कुल खर्च १५१,६१२,५४२,५६०

कुल दूसरा खर्च बा. १५१,६१२,५४२,५६०

कुल सीधा खर्च बा. १८६,३३३,६३५,०९७

[ डालर = २५। ] बा. ३३५,९४६,१७९,६५७

ये अंक भी इतने मयंकर हैं कि उसका महत्त्व यकायक समझ में आना मुश्किल है। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से अब तक के वर्ष गिने जाय और उसके घण्टे बनाये जायें तो प्रति घण्टा १०००० डालर खर्च होगा। लडाई के दिनों में एक दिन में २१॥ करोड़ डालर अथवा एक घण्टे में ८० लाख डालर खर्च होते थे। यदि दूसरे शब्दों में कहे तो अमरिका के डेट्रोइट और क्लिबलैण्ड प्रान्त की तमाम शालाओं को एक माल चलाने के लिए जितना खर्च होता है उससे भी अधिक एक घण्टे में खर्च हुआ था और कैलिफोर्निया जैसी एक बड़ी विद्यापीठ की स्थापना करने में जितने रुपये लगाने की आवश्यकता होती है उतने रुपये खर्च हुए थे। और भी दूसरे हिसाब से गिने तो अमरिका के सब गिरजाघरों ने मिला कर एक साल में जो रकम इकट्ठी की वह भी लडाई के तीन दिन के खर्च से कम होती है। अमरिका और केनेडियन लोगों की तरफ से विदेशी मिशनरों को दी गई रकम लडाई के पांच घण्टे के खर्च से कम होती है। संसार के सभी ईसाई युवकों के मण्डलों को चलाने के लिए अगले वर्षों की आवश्यकता होती है उतने रुपये लडाई के दिनों में केवल ६ घण्टे में खर्च हुए थे। एक दिन के खर्च की रकम में २१५० कारीगरों को प्रति कारीगर एक साल में २५०० डालर के हिसाब से ४० साल तक रोजी दी जा सकती है।

[ भारत में यदि प्रति मनुष्य ३०) की वार्षिक आमदनी गिनी जाय तो समस्त देशकी ९ अरबों की आमदनी होती है, अर्थात् लडाई का कुल खर्च इस देश की ११ साल की आमदनी के बराबर होता है।

अफसोस तो यह है कि हममें भारत के जुड़े अंक नहीं दिये गये हैं बरना हिन्दुरतान जैसे गरीब देश से कितने मनुष्यों की खुराक खली गई उसका भी हिसाब निकाला जा सकता था।

योरप के उद्योगतंत्र पर जो इतना असर हुआ उसकी जांच करना भी इस आर्थिक हानि का ही एक विभाग है। हर्बर्ट हुबर के हिसाब से तो योरप की बस्ती ही इतनी है कि यदि विदेशों से माल न आने तो १० करोड़ मनुष्यों को अपने निर्वाह के लिए आयात के बनिस्वत विकास की बहती पर ही अधिक आचार रखना होगा अर्थात् एक अणुक हिसाब से सबका निर्वाह हो सके इसके लिए उद्योगतंत्र को बड़े ही व्यवस्थित तौर पर चलते रहना चाहिए। लडाई के पहले योरप के जुड़े जुड़े देश आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे से स्वतंत्र न थे परन्तु उसके उद्योगतंत्र के विभाग ही थे। जुड़े जुड़े देशों के सिद्धों के लिए सुवर्ण का एक माप मुकरंर था। और समस्त योरप में डेनवेन में स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार होता था। किसी भी सीमा प्रान्त पर कोई रोकटोक या अकाल न होती थी। रशिया, आस्ट्रीयाहंगरी और जर्मनी की ३० करोड़ की बस्ती थी और

योरप के आर्थिक जीवन में जर्मनी केन्द्रस्थान हो पडा था। जर्मनी की वेहवूदी पर ही समस्त योरप की वेहवूदी का आधार रहता था।

इसके बाद जब लडाई हुई, योरप का समस्त आर्थिक जीवन अस्तव्यस्त हो गया। बड़े बड़े राष्ट्रों के दरम्यान आयात और निर्यात बन्द हो गई। लाखों उत्पादक स्त्री-पुरुष उसमें लगाने गये। वे काम करने से रुक गये और जैसे पहले कमी न हुई थी वैसी विशाल विनाशक प्रवृत्ति में चार बये चली हुई इस लडाई के कारण सभी देशों की औद्योगिक और आर्थिक स्थिति पर बड़ा भारी बोझ पडा। आखिर रशिया और आस्ट्रीया-हंगरी नष्टप्राय गये और जर्मनी के आर्थिक अधिकार का नाश हो गया। नये राज्य उत्पन्न हुए। योरप की सीमा बहुत कुछ बह गई। राष्ट्रों की राष्ट्रभावनायें बह कर कुछ ऊंची हुईं और अनेक देशों ने अकाल से होनेवाली रक्षा का आभय लिया। देखते ही देखते टैक्स अनेक गुना बढ़ गये। पहले तो आमदनी होती हुई दिखाई तो लेकिन फिर दुनिया के सभी उद्योग बंद से गये। अत्यन्त प्राथम्य लॉग निर्धन हो गये। उत्पाति में बड़ी कमी हुई। रशिया पोलैण्ड इत्यादि देशों पर दुष्प्रल, लीग इत्यादि का आक्रमण हुआ। अमरिका संकट-निवारण मण्डल और लैबरी के प्रयत्नों से ही लाखों लोग जीवित रहे। बर्सेजों को बेकार होने के कारण भटकना पडा। गत तीन वर्षों में इंग्लैण्ड में कोई २० लाख मनुष्यों को सरकार की तरफ से मदद दी जाती है। और अमरिका में बेकार मनुष्यों की संख्या कोई ५० लाख से करीब थी। गेहूँ और चने का बाजार बन्द हो गया था इसलिए अमरिका के किसान बड़े ही मयत में आ पये।

चलते हुए सिद्धों की कीमत में बड़ी ही शिघ्रता के साथ कमी होने लगी। रशिया, जर्मनी, आस्ट्रीया और पोलैण्ड की लगभग ३० करोड़ जनता आज जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है वैसे ही सिद्धों से अपना व्यवहार चलाती है। इस संकट ने अपने योरप के पलाय में जर्मन मार्को को एक डालर के एक लाख से ६०० लाख के समतुल्य में टोके हुए खींचे हैं। एक घण्टे में माल की कोमत दसगुनी या गिन्नी हो जाती थी। आंतर-राष्ट्रीय व्यवहार भी अस्तव्यस्त हो गया।

इससे शयद दासगोलों के मान्य जितनी तकलीफ हुई थी उससे भी अधिक तकलीफ पैदा हुई होगी और अब भी इस अन्धाधुन्धी का बही अन्त नहीं दिखाई देता है। जीवन की मर्यादा का कोई ठिकाना नहीं रहा है और भूखी और रोग ने देश की प्रवृत्ति १०० साल पीछे हटा दी है। और लाखों निर्दोष मनुष्यों के भाग्य में तो अपना निन्दरी से भूखी रहकर या सिर्फ खाने भर को ले कर ही मन्दी करना पडा है। समस्त योरप ही हम दावानल से सुलग रहा है।

हिन्दी-पुस्तकें

लोकमान्य की अर्द्धांजलि	...	...	...	॥)
आधुनिक जनतावलि	...	...	...	॥)
अधुनिक अंक	...	...	...	॥)

डांक खर्च अलहदा। दायम मन्ती आर्डर से भेजिए अधिकांश वी. पी. मंगाए—

व्यवस्थापक,  
हिन्दी-नवजीवन



## हिन्दी-नवजीवन

भूतवार प्रथम खंड वही १२, संवत् १९८२

### श्री एण्ड्रयूज का कष्ट

उस उदार हृदय अंगरेज श्री चार्ली एण्ड्रयूज के पत्र को मेरे साथ पाठक भी पढ़ना पसंद करेंगे। भारत में हो या भारत के बाहर न हमारी तरफ से लड़ते हैं और उसमें उनका स्वार्थसाध और भक्ति इतनी होती है कि उसकी बरबरी करना कठिन है और उसमें उनसे बच जाना तो बेवक़्त असमभव है। उन्हें अक्सर गलत कहमियों के होते हुए काम करना पड़ता है। शायद वह तो हम कभी भी न जान सकेंगे कि दक्षिण आफ्रिका में हमारे देशवासियों को अपनी जहरत के समय उनकी उपस्थिति से कितनी सारथना और शक्ति प्राप्त हुई होगी। केपटाउन से ता. २३ फरवरी का लिखा हुआ उनका यह पत्र है। मैं उसके एक भी शब्द को इधर उधर किये बिना ज्यों का त्यों दे रहा हूँ :

“ यह तो बहुत ही बड़ी हृदय-पीडा है। ऐसी पीडा और उसकी आशा और पीस डालनेवाली निराशा, उसकी बुद्धि, और उम्मीद ह्राम मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, कुछ समय तक तो जब सब द्वार खुले हुए मान्य हुए आकस्मिक कान्ति के होने के आसार से ही मान्य होते थे और १९१४ की तरह फिर स्थिति का नरम होना और उसको समझ लेना असभव प्रतीत होता था। मैंने जमरल हर्टजोग और मलान के साथ, दोनों के साथ बड़ी देर तक बानबोत की थी। दोनों ही बड़े गभीर और जेसा कि मुझे प्रतीत हुआ, हृदय के सच्चे थे। मुझे यह भी मान्य हुआ था कि उनकी मूल स्थिति हिल उठी है और कम से कम बिल बहुत दिनों तक सुस्तवी रहना जावेगा। समय तो हमारे पक्ष में है क्योंकि उन्नति की नयी लहर आती दिखाई देती है। सुवर्ण की जगह प्लेटिनम की खोज मिली है और सुवर्ण के बनिस्वत उसका मूल्य अधिक है। ट्रान्सवाल में कोयला भी मिला है और यह करीब करीब उतना ही है जितना कि लडी की खानों में है। मतवर्ष की पसल गुआफिक मामूल से गुकाबले में दूती हुई है और थी भी अच्छी इसलिए सब तरफ से मजदूरों की कमी दिखाई देती है और पूर्वीय पुर्तगाल आफ्रिका से गुलावे जानेवाले मजदूरों की संख्या ७५००० से बढ़ा कर अधिक करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। ऐसे समय में हजारों बड़े उद्योगी काम करनेवालों को देश में से निकाल देना बहुत से लोगों को ऐसा मान्य होता है कि अपनी नाक काट कर नकट बनना है। यह स्पष्ट मान्य होता था कि एशियाटिक बिल का नरम बनाने के लिए इस स्वार्थसभ विचार का दृढ़ होना ही धात्री था। और अच्छे मानुषिक भावों का भी प्रचार होता हुआ दिखाई देता था। १९१४ की तरह रविन्द्रनाथ टागोर पर मैंने जो व्याकरण दिया उसमें ज़ारी भीड़ हुई थी। भावों में यकायक परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया था और मुझे उसे प्रकाशन करने के लिए, रोण्डेवुश में विद्यापीठ और शाखाओं में उसे दोहराने और करने के लिए भी कहा गया था। समाचारपत्रों ने इस प्रश्न को उठा लिया और उन्होंने यह यकीन दिलाया कि भारतीयों के खिलाफ उनमें कटुता का कोई भाव नहीं है।

लेकिन अब सब बातें बदल गई हैं। रणद्वेष बिल के साथ यह परिवर्तन हुआ है। पारलियामेंट के दृश्यों से बच कर

आध्यात्मिक दृष्टि से नीचा दिखानेवाली और कोई बात नहीं हो सकती है — हर एक पक्ष दूसरे पर दृग्म करने का आक्षेप रखता था। केसवाल और स्मट्स की अन्तिम बहस दोनों तरह से मिथ्या थी। जगहों का आरम्भ इस बात से हुआ कि किसका दोष अधिक था। वहाँ कोई ईश्वर का संदेशवाहक न था कि जो उन्हें यह कह सुनाता कि उनके सम्बन्ध में ईश्वर का क्या कहना है।

एशियाटिक बिल के सम्बन्ध में अब स्थिति फिर वैसी ही हो गई है जैसी कि पहले थी। हमें कुछ दिन या हफ्तों का समय मिल सकता है लेकिन बस और कुछ न होगा।

उसको पहली ही दफा बड़े जाने के समय का दृश्य बड़े महारव का था। स्मट्स, स्मार्ट और ड्रॉप केष्कीन तो हाजिर ही न थे। बाकी लोगों के मतों में ८१ के खिलाफ १०, इस प्रकार का नैद हुआ था। बिरुद्ध केवल वे मुद्दीभर सभासद थे कि जिनमें रंगवाले मतदाताओं पर आधार रखना होता है।

अब फिर भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा। वायसराय ही इसका निर्णय करेंगे। मेरी अपनी राय तो यह है कि हमें यदि ऐसा कोई मौका मिले तो जगता और सत्तार के समक्ष अपने सिद्धान्तों को जाहिर करने का एक भी मौका न जाने देना चाहिए। बिल के जिन महारव के सिद्धान्तों के हमलोग सर्वथा बिरुद्ध हैं उन पर बहस करने का मौका दिये बिना ही यदि उसको दूसरी मरतबा भी पास कर दिया जाय तो हमें अपनी तरफ से गवाही में एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए। जबतक हमलोग साम्राज्य में हैं तबतक हमें शाही काङ्ग्रेस में ही अन्तिम अपील करनी होगी। लेकिन हर्टजोग और टेलमेन रोड को अस्तुत्वर में वहाँ जानेवाले हैं जनरल स्मट्स की तरह इस सम्बन्ध में कुछ भी बात करने से इन्कार कर देंगे, फिर भी उन सिद्धान्तों का जिनके कि वे प्रतिनिधि हैं, खण्डन करने में कोई कठिनाई नहीं दोनी चाहिए।

कुछ भी हो उसके परिणाम का आधार फूटनीति पर नहीं है। यह बिल चले या नह, उसका कोई बहुत बड़ा परिणाम न होगा। मुख्य बात तो वृत्तों की बंभी ही रहेगी। यूनिवर्सल अरकार भारतीयों को अलग करने का, और उन्हें पहले समुद्र के किनारे पर और फिर देश के बाहर निकाल देने का निश्चय किये बंठी है। जबतक उसकी जाहिरा नीति यही रहेगी और एक के बाद दूसरा बिल तैयार कर के इस नीति पर अमल किया जावेगा तबतक शान्ति और शान्ति की आशा हो ही नहीं सकती है। ब्रिटिश शाही तन्त्र के आधार, 'कानून के बड़े न्याय' को सर्वथा दबा दिया जा रहा है। दक्षिण आफ्रिका की कानून की पुस्तक के पन्ने ऐसे नये कानूनों से कलंकित हुए हैं कि जो १८८५ के सुवर्ण कानून के बनिस्वत अधिक दोषमय हैं।

आज का दक्षिण आफ्रिका विचित्र बना हुआ है। १९१४ में मैंने और आपने जिन उदारतरकों को वहाँ देखा था, वे प्रायः आज नष्ट हुए मान्य होते हैं। वहाँ वहाँ कुछ थोड़ा विरोध प्रकट किया जाता है लेकिन वह थोड़ी ही देर में बैठ जाता है।

सिर्फ यही कहना करो कि यदि १९१४ में एशियाटिक और रणद्वेष बिल लाया जाता तो उससे क्या दृश्य उपस्थित होता। केप प्रान्त के लगभग उदार-चेला मनुष्य दूसरी जगहों की उदार शक्तियों के साथ एक हो गये होते। लेकिन अब सब पूछा जाय तो थोड़े से केप-सभासदों के सिवा, जो रंगवाले मतदाताओं के मत से वहाँ गये थे, किसीने उसका कुछ भी विरोध नहीं किया है। और इन वस सभासदों की भी हंसी उड़ाई गई थी।

परिणाम क्या आवेगा ? क्या परिणाम नहीं आया है ? बेशक हमें आखिरतक रुकना चाहिए और कोई बात उठा न रखनी चाहिए । लेकिन जितना कि संभव है यह बात स्पष्ट है कि आगे और कुछ नहीं है, केवल हमारी हार ही होगी ।

मनीलाक खूब अच्छा कार्य कर रहे हैं और किसी के भी अनिश्चित उनके दिक् को इसके अधिक बोट पहुंची है । ”

मैं भी एण्ड्रयूज की इस अंधकारमय अभिव्यवाणी से एक मत नहीं हूँ और मैं यह मानता हूँ कि शाही सरकार या भारत सरकार कोई बहादुरी का काम कर रही है । लेकिन मुझे 'सत्यमेव जयते' में, जब वह बहादुर आत्माओं में व्यक्त होता है पूर्ण विश्वास है और मुझे भारतीय प्रवासियों की ऐन मौके पर अपना कर्तव्य पालन करने की इच्छा और शक्ति पर पूरा भरोसा है । विषय प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहन करने के लिए उन्हें अच्छी तरह तैयार रहना चाहिए । जिन कानूनों के खिलाफ वे लड़ रहे हैं उनमें उनके लिए अनिवार्य और अपमानकारक कष्ट की योजना की गई है । उन्हें अपनी पसंदगी आप कर लेनी चाहिए ।

(पं० इ०)

माहनदास करमचंद गांधी

## टिप्पणियां

महासभा के सभासद होनेवालों को

अब महासभा के सभासद होने के लिए चरखा-सप के प्रार्थनापत्र में लिफ 'इच्छा प्रगट कर देने' से या 'अ+म' अथवा 'ब+म' लिख देने से ही काम न चलेगा । महासभा के लिए गिराला प्रार्थनापत्र तैयार किया गया है । जिन्हें महासभा के सभासद होना हो वे उसे संग्रह कर के भर कर भेज दें । परन्तु पत्र भेजने पर भी, इसी वर्ष में ( अर्थात् सन १९२६ में ) २००० गज सूत मिल जाने पर ही महासभा का प्रमाण-पत्र (सर्टीफिकेट) मिल सकेगा, उसके पहले नहीं; जैसे चरखा गज के 'अ' वर्ग के किसी सभासद ने अक्टूबर से दिसम्बर तक का २००० गज सूत दिया हो तो उनका फरवरी तक का २००० गज सूत जब तक और अधिक नहीं मिलता है तब तक उन्हें महासभा का प्रमाणपत्र नहीं भेजा जावेगा अथवा किसी ने जनवरी तक का भी दे दिया हो तो जब तक फरवरी का १००० गज सूत और उनकी तरफ की नहीं मिलता है वे महासभा के सभासद न बन सकेंगे । इसी तरह जो 'ब' वर्ग के सभासद अक्टूबर १९२५ में या नवम्बर या दिसम्बर में २००० गज सूत दे कर हो चुके हैं, वे भी २००० गज सूत दुबारा भेजने पर ही महासभा के सभासद बन सकेंगे ।

खर्चासंध के सभासदों के लिए

कुछ सभासद लोग अपना सूत, उसकी कीमत दे करके, अपने लिए कपड़ा बुनवाने के बाते वापिस मांगा करते हैं । ऐसे लोगों के लिए यह सुभीता किया गया था कि जो लोग एक धान का पूरा सूत भेजें या अपने सूत में दूसरा सूत वहां से मिला कर पूरा धान बुनवाना चाहें तो उन्हें सूत व बुनाई की कीमत के कर कपड़ा बुन दिया जायगा । परन्तु बहुतों को दूसरा सूत मिलाता पसंद नहीं होता और अपना ही, धान भर के लिए पूरा सूत भेजना भी मुश्किल होता है इसलिए इस योजना से सब को संतोष नहीं हुआ था ।

इसलिए अब दूसरा यह प्रबंध किया गया है कि जो लोग अपना सूत खरीदना चाहें उन्हें भी करके (वलीय कर के) थुलाई व सूत की कीमत देने पर सूत वापिस मिल सकेगा । जो बालने का हेतु यह है कि एकवार भेजा हुआ सूत दुबारा कोई भेज न

सके । इसी कठिनाई के कारण अब तक सूत का वापिस कौटाला बंद रखा गया था । धोने से सूत खराब न होगा बल्कि उजला हो जावेगा और किसी कदर मजदूती भी बढ़ेगी ।

इसलिए अब जिन्हें अपना सूत वापिस लेने का आग्रह हो, वे अपने सूत के बल पर मोटे व सफे अक्षरों में, "वापिस किया जाय" ऐसा लिख कर भेजें । और साथ ही पत्र लिख कर उसकी सूचना भी दें ।

यह भी हात रहे कि श्री. पी. द्वारा सूत वापिस नहीं किया जावेगा । मेरी राय में तो बेहतर यह होगा कि मनीआर्हर द्वारा अमानत के तौर पर पांच रुपये भेज दिये जाय । इसके मूल आने पर जमा होने ही धो कर के वापिस कर दिया जा सकेगा, या अगर भेजनेवालों की इच्छा होगी कि थोड़े से और आनेवाला सूत भी इच्छा हो जावे तब तक अलग जमा रखा जावे तो देखा भी किया जा सकेगा ।

रुपया भेजने आदि वा पता बही—

“ शिक्षण विभाग सन्वासण, सावरगती ”

अमरिका क्यों नहीं जाते ?

एक महाशय लिखते हैं:

“ आप अमरिका के आमंत्रण का अस्वीकार कर रहे हैं । बेशक मेरे मुकाबले में तो आप ही यह अधिक अच्छी तरह जानते होंगे कि वहां जाने का यह मौका है या नहीं । फिर भी मैं यह नहीं समझ सकता हूँ कि आप अमरिका क्यों न जाय । आपकी लिफ एक और मुख्य हकीकत तो यह है कि अभी आप अपने ही देश में अपने ही लोगों में सम्पूर्ण सफल नहीं हो पाये हैं । परन्तु ईश्वर ही अकेला सफलता या असफलता का निश्चय कर सकता है । क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आपने भारत की हुई अहिंसा की हलचल के मूल अभी दृष्ट नहीं हो पाये हैं ? सत्य ही सत्य का आधार है । क्या आप मेरे इस अभिप्राय के खिलाफ है कि अहिंसा की हलचल का सारे संसार में प्रचार होना चाहिए ? क्या सत्य और अहिंसा की दृष्टि से अमरिका और भारतवर्ष आपकी नजरों में समान न होने चाहिए ?

इस विषय में मैं एक या दो उदाहरण भी दूंगा । हमारे नबी महम्मद साहब ने जब उन्हें धावश्यकता हुई, अपनी जन्म-भूमि मक्का के बाहर रहनेवाले मदीने के अपने अनुयायियों की मदद लेने में जरा भी दिव्यपिचाहट न दिखाई थी । अभी हाल ही की बात है स्वामी विवेकानन्द ने भी संसार को अपना सम्बन्ध मुनाने के लिए अमरिका को ही अधिक अच्छा क्षेत्र पाया था ।

और यदि स्वामी की हलचल को सफल करने का कार्य ही आपके वहां में भेजा था तो आप यह तो जानते ही होंगे कि आप अमरिका में चरखा इकट्ठा कर सकते हैं । आप यह शर्त क्यों नहीं कर लेते (कम से कम अपने दिल में) कि आपको अमरिका में खादी के लिए इतने रुपये इकट्ठा करने चाहिए । 'लेन देन' को ही प्रधानता मिलनी चाहिए । खादी की हलचलको यदि काफी रुपयों की मदद मिले तो उसे लोकप्रिय और सफल बनाने में कोई देर न लगेगी । ”

अमरिका के निर्मंत्रण को स्वीकार करने के लिए अनुरोध करनेवाले अनेक पत्र मिले हैं । उनमें यह एह है । मेरी दलील तो बड़ी सीधी सादी है । मुझ में इतना आत्मविश्वास ही नहीं है कि अमरिका जाने का निश्चय कर सकूं । मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि अहिंसा के आन्दोलन की नींव दृढ़ हो गई है । आखिर उसके सफल होने के सम्बन्ध में भी मुझे कोई संदेह नहीं है । परन्तु मैं अहिंसा की शक्ति का कोई दृश्य प्रमाण नहीं दे सकता

हैं और जब तक मेरा हवाल है कि मुझे जराका भारत के संकुचित क्षेत्र में ही प्रचार करते रहना चाहिए।

मेरे मामले में और दिये गये एकाहरणों में कोई समानता नहीं है। लेकिन चाहे जो हो, महम्मद सादत और स्वामी विवेकानंद की उमकी आवश्यकता प्रतीत हुई थी, परन्तु मुझे वह प्रतीत नहीं होती है।

खादी की हलचल का सफल होना सिर्फ रूपों पर ही आधार नहीं रखता है। उसे स्थिर और दृढ़ करने के लिए और कितनी ही बातों का सहयोग होना आवश्यक है। यदि मैं कभी अमेरिका गया भी तो मैं इस इरादे से नहीं जाऊंगा कि किसी भारतीय हलचल के लिए जिसके कि साथ मेरा संबंध दो रूपों द्वारा कर। भारत को अपना बोज़ भाप ही उठाना चाहिए। और यदि अमेरिका को उसे मदद करना आवश्यक मामला हो तो वह 'केनदेन' के हिसाब से नहीं परन्तु रत्नप्र तार पर ही उमकी मदद करेगा। अमेरिका की मदद और मेरी सलाह दोनों अपने अपने गुणों पर ही स्थित होने चाहिए।

**कवि ठाकुर और चरखा**

अभय आश्रम के अपने न्यायस्थान में जैसा कि कवि ठाकुर ने कहा है उनका शरीर दुर्बल होने पर भी कौमीयता के अभय आश्रम के व्यवस्थापक डा. सुरेश चन्द्रजी उन्हें अपने आश्रम में रखा ले गये और यह अच्छा ही हुआ। पाठक यह तो जानते ही हैं कि खादी के विकास के लिए अभय आश्रम की स्थापना की गई थी। यदि किसी अमनाशक सूत की आवश्यकता हो तो कवि का उसके अभिनन्दन पत्र का स्वीकार करना और खादी की हलचल के साथ इस प्रकार सम्बन्ध रखना, यदि उसका कुछ अर्थ हो सकता है तो इस बहम को कि कवि चरखे और खादी की किसी भी प्रकार की हलचल के सर्वथा खिलाफ है, दूर करने के लिए काफी है। उनके न्यायस्थान में जिस का साथ 'सर्वज्ञ' में प्रकाशित हुआ है मेने इस हलचल से सम्बन्ध रखनेवाली नीचे लिखी बातें पायी हैं।

"केवल भाग्यवश उनमें जन्म ग्रहण करनेसे ही देश भिन्नी का नहीं हो जाता है लेकिन अपने जीवन का समर्पण करने में ही यह उमका ही मकाना है। जानवरों के शरीर पर तो थल होने के परन्तु मनुष्य को तो कातना और सुतना पड़ता है क्योंकि जनवरों को जो बाल दिये गये हैं वे हमेशा के लिए और सब तरह से तैयार कर के दिये गये हैं। परन्तु मनुष्य को तो अपने पास पड़े हुए साधनों को अपने काम में लाने के लिए उन्हें ठीक करने पड़ते हैं और उन पर मिहनत करनी होती है।"

न्यायस्थान में और भी रटस्थपण बाने कही गई है। वे स्वराज्य के लिए काम करनेवालों को बड़ी उपयोगी हैं। कवि यह कहते हैं:

"भारतवर्ष को उसके सबे रूप में हम इनसे दिनों तक नहीं पहचान सके थे और उसका कारण यह है कि हमने उसे क्षण क्षण कर के अपनी रोजाना की मिहनत से अनाप-पसन्द और फल-शायी बना कर उसकी रचना नहीं की है।"

इस प्रकार वे हमें हरएक को व्यंग्यशः यदि हमें स्वराज्य प्राप्त करना है तो रोजाना मिहनत करने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरे ही वाक्य में वे कहते हैं: "हमें किसी बग़ अक्षरमान से स्वराज्य प्राप्त करने का स्वप्न नहीं देखना चाहिए।" कवि कहते हैं "अपनी सेवा से देश में जितने अंशों में हम अपनी आत्मा तक सकेने और उसमें जागृति ला सकेने उसने ही अंशों में हमें स्वराज प्राप्त होगा।"

वे ऐंभ्य प्राप्त करने का उपाय भी बताने है: "केवल काम करने से ही हम ऐंभ्य हासिल कर सकते हैं" अभय आश्रम के निनामीगण यही तो कर रहे हैं। वे कताई कर के हिन्दुओं को, मुसलमानों, और सभी को बिन्हे उसकी आवश्यकता है मदद कर रहे हैं। वे अस्पृश्य लड़के और लड़कियों को अपनी शाळा में पढाते हैं और उसमें उन्हें कातना भी सिखाते हैं। अपने अस्पताल से वे जाति और धर्म का लिहाज रखे बिना ही सभी को आराम पहुँचाते हैं। उन्हें ऐंभ्य पर व्याख्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वे तो सिर्फ उसके अनुकूल ही अपना जीवन बनाये हुए हैं। इस कार्य से कवि को प्रेरणा मिली है और इसलिए वे आगे चल कर कहते हैं:

"जीवन एक सुगमठित और सजीव वस्तु है। महत्व तो आत्मा का ही है। यह नहीं कि हमारे हाथों में बल नहीं है। घात तो यह है कि हमारा मन जागृत नहीं हुआ है..... इसलिए हमें मानसिक शिक्षिता के विरुद्ध ही महान् युद्ध करना होगा। गांधी भी एक सर्जक इस्ती है। उसके दूसरे विभागों को हानि पहुँचाये बिना तुम उसके किसी भी विभाग का त्याग नहीं कर सकते हो। आज हमें यह अनुभव करना चाहिए कि हमारे देश का आत्मा एक विनाश और अविभक्त आत्मा है और इसलिए हमारे दुश्म और दुर्बलताओं को एक दूसरे से मुक्त हो और एकवच है।

हमारी अराकलता को उद्देश कर कवि कहते हैं:

"मनुष्य को रचना, जहाँ तक वह अपने आपको ही उस कार्य में लगा देता है वहाँ तक बड़ी सुन्दर होती है। अन्तर हमारे साहसों में हमें अमफलता क्यों मिलती है? कारण यह है कि अपने प्रिय कार्य में भी हम विनाशः प्यान देते हैं। हम-लोग दान्नि हाथ में जो देते हैं वह बायें हाथ से लौटा लेते हैं:

**किशोरवय के सभासद के लिए**

अ० भा० चरखा सब के मन्त्री ने किशोरवय के लड़के लड़कियों के लिए जो चरखा सब के सभासद होना चाहते हैं, नीचे लिखा प्रार्थनापत्र तैयार किया है। उन्हें अपना प्रथम सूत या चरखा चरखा सब के शिक्षण विभाग सरागाग्रहाश्रम साबरमती को भेजने समय उसपर दस्तखत कर के भेजना चाहिए।

**प्रार्थनापत्र**

महाशय,

मैं सब की किशोर शाळा का सभासद होना चाहता हूँ मैंने अपने पिता या अभिभावक की आज्ञा ली है। मेरा वय — है। मैं हमेशा ही हाथकती और हाथबुनी खादी पहनता हूँ और मैं अपने हाथ का अच्छा कता हुआ १००० गज सूत देने का वादा करता हूँ और रोजाना आधा घण्टा कातने का मैं सब तरह से प्रयत्न करूँगा। इसके साथ अपना सूत भेज रहा हूँ। उसका ब्याग हम प्रकार है

चन्टे का समय	
लम्बाई, गज	लच्छी की परिधि
वजन, तौला	हई की जात
धक	
तकरी से कता या चरखे से	
जिला	प्रान्त ( महाशय का )
तारीख	दस्तखत
नाम और पता	

हरएक लड़का और लड़की जिसे इस देश के गरीबों के प्रति कुछ भी सहानुभूति है वह इस सब के सभासद होना अपना कर्तव्य समझेगा।

( अ० इ० )

मो० क० गांधी

### यंत्र की अनर्थ परम्परा

[आज डेढ़ साल हुआ मि. ग्रेग नामक एक अमरिकन भाग्य में रहते हैं। उन्हें अमरिका के कारखानों का बड़ा अनुभव है और उनका वर्तमान संश्रुयुग का अध्ययन बड़ा गहरा है। उन्होंने यंत्रों के अनर्थों के सम्बन्ध में एक मित्र को एक महत्त्वपूर्ण पत्र लिखा था जो 'करन्ट थोट' में अभी प्रकाशित हुआ है। उनका संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है।]

बड़ी विशाल योजना पर चलाने वाले यंत्रों के तार्कालिक परिणामों के सामने हज़ारों लोग उसके दुष्परिणामों को मूल्य मानते हैं क्योंकि वे उनमें स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। परन्तु ये दुष्परिणाम ही अधिक विचारणीय हैं क्योंकि उसकी तुलना में उसके अच्छे परिणामों को कुछ भी गिनती नहीं हो सकती है।

यंत्रों के कारण पृथ्वी का सार खींच लेना इतना आसान हो गया है कि उससे करोड़ों मनुष्यों के रुपये कुल थोड़े से मनुष्यों के हाथ में बँट जाते हैं और वे मुट्ठी भर आदमी ही उन पर अधिकार चलाते हैं। वेक और हुडे की वर्तमान पद्धति से भी इन चीजों पर कुछ धाँड़े से ही मनुष्यों का अधिकार हो जाता है। वर्तमान उद्योगों की घटमाल ही ऐसी है कि उसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे अधिक अधिकार और भी थोड़े मनुष्यों के हाथ में चला जाता है और जब कोई ऐसा कठिन समय आ जाता है उस साथ छोटे कारखानेवाले बहुत दिनों तक धाँड़ा उठा कर कारखाना चलाने में असमर्थ होते हैं इसलिए बड़े कारखानेवाले उसे अपने आधिकार में ले लेते हैं।

आर यंत्रों का स्वभाव ही तो अपने आप बढने का है। मिल और कारखाने हुए तो उन्हें चलाने के लिए यंत्र बनाने के कारखानों की भी आवश्यकता होगी है और उसके द्वारा उत्पन्न हुए माल को ले जाने के लिए रेल और जहाज की भी जरूरत होती है। इन रेलों का चलाने के लिए कायक ही खान आवश्यक होती है और रेल के कारखानों में कोयला पट्टूचाने के लिए उसका यंत्र भी हाना आवश्यक है। रेल की पटरियों के लिए लोहा और पायल के बड़े कारखाने भी हाने चाहिए, पुल इत्यादि के लिए आवश्यक लोहे के सामान के कारखाने भी चाहिए। इस प्रकार एक यंत्र से उत्पन्न होनेवाली सृष्टि की कोई सीमा नहीं रहती है।

और इसके लिए हर के हर रुपये हाने चाहिए। यंत्र, अमारिका, एशिया और जाफिका के समान दुनर उद्योग का कुल खर्च पूरा तो १५०० या उससे भी कम मनुष्यों के हाथ में है। और ऐसे मनुष्यों के हाथ में इतने अधिकार का ज्ञान यह उनके लिए और उनके अधिकार में रहनेवाले मनुष्यों के लिए बड़ा ही भयकर है। इस अधिकार से कुल, मन्थ्याममान, खान, पट्टापत स्वर्ण, गुन्गी, गाना और दूसरी अनेक प्रकार की परार्थिता और अधमता उत्पन्न होती है।

इसके अलावा शक्ति के बल से चम्पेवाले यंत्रों को तो बड़ी शक्ति की आवश्यकता हाना है और उसके लिए कायला, तेल, पानी के बड़े पट्टा होता है। इसलिए उस जमीन का अधिकार प्राप्त करने के लिए जबसे कि वे साधन होते हैं बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। इसके आर्थिक साम्राज्यवाद पैदा होता है और बन्दों का बेचारी को बड़ी हानि होती है।

यंत्रों के बिना वर्तमान दुनर उद्योग अशभवनीय हो गया है। पृथ्वी तो पहले भी थी और आज भी है लेकिन जैसी इस संश्रुयुग में आज यह भयकर हो गई है वैसी भयकर बह कभी न थी। जमींदारी भी तो किसानों की तरह उत्तम ही पुरानी है

लेकिन आज उसके कारण जितना जन्म होता है उतना पहले कभी न होता था।

और ऐसे यंत्रों से मनुष्यों की और साधनों की बड़ी हानि होती है। अगलों का नाश होता है, कोयले की खाने खाली हो जाती हैं, तेल के कुए खाली हो जाते हैं, जमीन का रस खींच लिया जाता है। जंगलों का नाश होने से वर्षा कम हो गई है। दुष्माल पटना है और पानी की बाँटे भी आती हैं।

अमरिका के एक बड़े दैनिक के रावदार के अंक को छापने के लिए जितने कागज की आवश्यकता है उतना कागज बनाने के लिए बड़े उच्च पेटों से भरा हुई एक एकड़ जमीन के पेटों का भूसा बनाने की आवश्यकता होती है। सौ वर्ष में मिट्टी की कायक को खाने खाली हो जायगी। अमरिका के तेल के कुए ५० वर्ष में मूल जायगे।

और इसके परिणाम स्वरूप जो गरीबी आयेगी उसका कोई जमाना तक अन्त ही नीम पर बड़ा भयकर परिणाम होगा।

कारखानों में होनेवाले अकस्मिकों से जितनी प्राणहानि होती है, जजने अपत होते-ते उतने लड़ाई में नहीं होते। यंत्रों पर आधार रखनेवाले दुनर उद्योग की पैदाईश हमारे शहर है—बुबा, मरना, दुष्पत तथा स्मर कायम जीवन से मडे हुए हमारे शहर है। और बेकार बने हुए मनुष्यों की बेसी दुःखे होती है। पितना दुःख, दारिद्र्य और अम-लोथ होता है।

और उद्योगों की निमाने के लिए विज्ञानियों की आवश्यकता होगी है। जहाँ करन के लिए विज्ञानियों की आवश्यकता होती है। विज्ञानियों के सम्बन्ध में ज्ञान रखनेवाले एक विभाग ने विशेष गिनती कर के यह कहा है कि केवल अंदाजितन में ही प्रति वर्ष १० करोड़ डॉलर विज्ञानियों में खर्च होते हैं। इस मुकदान को ही केना। इसकी तुलना प्रजात कहनी है। मे यह नहीं कहता कि पहले जब सब चीजें हाथ से बनाई जाती थी उस समय कोई दुःखे न थी। परन्तु यह न अवश्य ही मानता हू कि वह दुःख इतना भयकर इतना सतत और व्यव्यापी न था।

मनुष्य-जीव के संपादन से साध्य होता है इस दुनर लयान के युग में हुए एक दिन ही मनुष्य-जीवों बहुत कुछ बढ गई है। इस शक्ति से जन्म पर आर्थिक नाश पडा है, मजदूर बनने के लिए बशुग से मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। एक देश से दूसरे देश में आनेवाले लोग भी बढ गये हैं और उसके कारण बहुत से प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। क्या इन सबके कारण यंत्र नहीं है!

यंत्रों के कारण मनुष्य परवश हो गया है, उसका काम करने का समय, खान पान का समय, सभी यंत्र और रेल के ऊपर ही आधार रखना है। उसका प्राण इत्यादि भी यंत्रों के आधार से ही हाना है। उनके खान-पान के साधन, उसके हाथियार इत्यादि, उसके घरदार, उसके कपडे, उसका आमाद-प्रनोद, इत्यादि सभी वस्तुओं में मनुष्य का इच्छा के नहीं, परन्तु यंत्र के अनु-कूल ही हाना पटना है, जनमान लोग नाकली पर आधार रखते हैं। उनसे ही स्थाव-धन की शक्ति का लोप हो जाता है और वे समाज के ऊपर नाश्वर हो जाते हैं और उसे चुसते हैं। सरकार रक्षक का चूषती है, लडायक वर्ग यिन लडायक वर्ग को चूषता है। लोग मानसिक में भा परतन हो जाते हैं। नाटकों में जा कर माना सुनने की उन्हें कवि होती है, स्वयं खेलने के बजाय गुडीधर मनुष्यों के भेषों को देख कर ही सन्तोष मान लेते हैं।



ऐसी हालत में रहनेवाले मनुष्यों को यदि सुरी रहना हो तो उन्हें दूसरों के दुःख से ही सुख प्राप्त करना होगा और उस दुःखी के भ्रम का स्वयं लाभ उठाने के लिए उसे यह साधन करना पड़ता है कि उससे बह लेछे। 'टास्टोय' की 'तब पया करे' यह पुस्तक इस विषय में हमारी आंख खोल देती है।

और अधिकार एक के हाथ में चले जाने से मनुष्य अनुत्तरदायी और लापरवा बन जाते हैं। मनुष्य की कल्पनाशक्ति भी मन्द हो गई है, वह स्वार्थियों को देखता है। योरोप में बैठा हुआ एक उद्योगपति दुःख करता है और उस दुःख के द्वारा वर मध्य अफ्रीका में बेचारे अनेक हवासियों के भाग्य फिर जाते हैं। उस करोड़पति को उन करोड़ों के दुरुपयोग का विचार तक नहीं होता है। उनके नीचे के अधिकारियों को सभी बातों का अच्छा होना बताना पड़ता है, उद्योगपति को सभी स्थिति का कुछ भी क्याक नहीं होता है। उन्हें कारीगरों के भाव, आशा और सुख-दुःख का कुछ भी क्याक नहीं होता है। अच्छे से अच्छे मनुष्य की दया और प्रेमभाव भी शयद ही अपने कुटुम्ब के बाहर जाता होगा। अपने कारीगरों की तरह वे भी स्वयं रात-दिन चलनेवाले उस यंत्र के गुलाम होते हैं।

और उसमें बग होनेवाले मालों का इस्तेमाल करनेवाले भी लापरवा बनते हैं। फ्रान्स में बैठा मैं अपने 'शोमे' में कालीमिरच बालता हूँ, परन्तु मुझे यह क्याक थोड़े ही है कि ये कालीमिरच जावा के द्वीप में किर्गा मजदूर ने, अनेक रात अर घूसे खा कर और शायद बुखार या बीमारी में ही एकट्टे किये होंगे? लेकिन यदि मेरे पड़ोश में ही ये पैदा होने तो क्या मुझे यह मालूम हुए बिना रह सकता था?

और काम करनेवाले कारीगर भी बेमिन्न हो जाते हैं। गावों में अपने पड़ोशियों के लिए अनेक प्रकार के नमूने तैयार करनेवाला बड़े अपने काम पर बड़ाही ध्यान देगा क्योंकि उसे अपना इंजत का क्याक रहेगा। अपने पौगी के सुख और सुविधा का वह विचार करेगा, वह उसकी अच्छी राग प्राप्त करने के लिए भी फिक्र करेगा। लेकिन यदि वह फर्निचर के किसी कारखाने में होगा तो उसे किसीके सुख-दुःख का क्या पड़ी है? वह तो अपनी रोजी का ही विचार करेगा। बड़ा उसकी न कोई प्रशंसा करनेवाला है और न कोई बुराई करनेवाला, इगलए वह क्या काम करना है उसकी उसे कुछ भी चिन्ता न रहेगी।

और इसके अलावा एक प्रकार का मानसिक अनुत्तरदायित्व भी पैदा होता है। एक स्वयंत्र बड़े का अपने हथियारों के साथ जो सम्बन्ध होता है और अपना साधन देख कर वह जिस प्रकार अपने हथियार का होशियारी और कारीगरी के भाव उपयोग करता है उस प्रकार यंत्र से चलनेवाले हथियारों को चलाने में उसे होशियारी या कारीगरी का उपयोग नहीं करना होता है।

विज्ञानियों से जो मंत्रकर आर्थिक हानि होती है उसे तो म ऊपर लिखा चुका है लेकिन उसकी अनौति भी उसी ही मंत्रकर है। कितना श्रुत, कितना दंभ, कितनी मंत्रकर अप्रामाणिकता! हाथ से किये जानेवाले कामों में प्रामाणिकता को, सत्य का अधिक अवकाश होता था। परन्तु आज यह अवकाश ही नहीं है। यंत्र सत्यता के शत्रु है। मंत्रकर कृत्रिमता से भरे हुए शहर से जब एक मनुष्य गाव में जाता है तब वह आनंद का भास लेता है वही यंत्र का किया हुआ सत्यानाश दिखाता है। एक इटालियन इतिहासकार लिखते हैं:

“यंत्र को किस अर्थ में हाथ से अधिक अच्छा गिना जाता होगा? उसकी पैदाइश की जाति के लिए नहीं लेकिन शोकबन्ध उत्पत्ति के लिए। हाथ तो बहुत थोड़ा माल तैयार कर सकता है और यंत्र से थोड़ा-बहुत माल तैयार होता है! परन्तु हाथ की कारीगरी में जो प्राण होता है वह कहीं यंत्र की कारीगरी में थोड़े ही हो सकता है? मनुष्य क्या कभी यंत्रों के द्वारा प्रीस के उत्तमोत्तम शिल्पकला के नमूने तैयार कर सकेगा? अथवा योरोप के सभ्यताधरानों में जो बुनाई का काम देखा जाता है वह क्या यंत्र से उत्पन्न हो सकेगा? लेकिन उसकी काम करने में किसी भी मनुष्य का हाथ यंत्र को पहुँच सकेगा? अर्थात् यंत्रप्रधान सुधारों के जमाने में मनुष्य को बड़ी ही शीघ्रता का जीवन धारण करना होगा। आज योरोप में धनवान से भी धनवान मनुष्य और गरीब से भी गरीब आदमी रुपये जुटाने के काम में मद्युक्त है। वर्तमान युग में दो जगत् आपस में स्पर्धा कर रहे हैं — योरोप और अमरिका नहीं, गुण और संख्या। आबादी बढ़ती जायगी और आवश्यकतायें भी बढ़ती ही जायगी और उसी प्रकार उत्पत्ति का आदर्श भी हलका होता जायगा। शीघ्रता और संख्या की आधी में नीति, सौंदर्य और कला का सत्यानाश हो जायगा।

वही लेखक एक दूसरे स्थान पर यह लिखते हैं कि महान धर्म और महाकला स्वास्थ्य और शान्ति में ही विकसित हो सकते हैं। यंत्र स्वास्थ्य और शान्ति के विनाशक है। जैसे जैसे यंत्र का युग आता गया कला और धर्म की अवनति होती गई। (अपूर्ण)

#### सूत्रयज्ञ

यह तो कितने ही होते हैं। कुछ परोपकार के लिए तो कुछ स्वार्थ के लिए किये जाते हैं। कुछ लोग तो दूसरे का बलिदान दे कर स्वयं यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त करने का हवा लोभ रखते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि यज्ञ तो आत्मबलि दे कर अपनी ही सिद्धन्त से किया जा सकता है। बराह के कुमारमन्दिर के आचार्य भी शंखेभाई ने अभी ऐसाही एक यज्ञ पूरा किया है। वे लिखते हैं:

“मेरा आरंभ किया हुआ यज्ञ पूर्ण हुआ है। एक वर्ष में ११ लाख गज, ७२ पौंड सूत काता है। उसमें ८ लाख गज तो महाभारत की अर्पण किया है। बाकी मेरे पास बचा हुआ है ६ उसे मैंने एक सप्ताह बाद स्वयं करधे पर हुन लेने का विचार किया है। १२ लाख गज काता जा सकता था लेकिन मैंने बारीक कातने का प्रयत्न किया था और इस प्रयत्न में मैं ८३ अक तक पहुँच सका हूँ। मेरी पत्नी ने और मेरी ग्याह्र वर्ष की साली ने दानों ने मित्रा कर तीन लाख गज सूत काता है।”

बारह महीने में लगभग बारह लाख गज सूत कातना कोई ऐसी बेसी सिद्धन्त नहीं है। एक महीने में एक लाख गज अर्थात् एक दिन में कोई साडे तीन हजार गज सूत हुआ। एक घण्टे में यदि बारसौ गज लगातार कात सके तो साडे तीन हजार गज सूत कातने में आठ से नव घण्टे लगेंगे। एकनिष्ठ हो कर इतने घण्टे एक साल तक रोजाना करके के पीछे लगा देना एक महायज्ञ ही गिना जा सकता है। उपरोक्त पत्र में ही शंखेभाई लिखते हैं: ‘मेरी इच्छा तो सिर्फ आत्मा की उत्पत्ति करना और उसके लिए यदि स्वैस्व का त्याग करना पड़े तो त्याग करना है। शंखेभाई की मैं उनके इस निस्वार्थ प्रयत्न के लिए धन्यवाद देता हूँ और यह चाहता हूँ कि वे सदा ही ऐसा यज्ञ करते रहें। इस उदाहरण को दृष्टि समझ रख कर हम लोग आधा घण्टा भी देश को कातने के लिए दें तो उससे देश को कितना बड़ा लाभ होगा।

(जबजीवन)

जी० क० गांधी

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

। अंक २९

मुद्रक-प्रकाशक  
स्वामी आनंद

अहमदाबाद, ज्येष्ठ वही ५, मंत्र १९८२  
४ शुक्रवार, मार्च, १९२६ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
कारंगपुर सरकीगरा की बाड़ी

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

आखिर विलायत में

जहाज में मुझे समन्दर तो जरा भी न लगा था। परन्तु ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे मैं गमबाने लगा। स्टुअर्ट के साथ बातचीत करने में भी शर्म मालूम होती थी। अंगरेजी में बात करने की तो मुझे आदत ही न थी। सब मुसाफिर तिस्रा मजमूदार के अंगरेज ही थे। उनके साथ बातचीत करना मुझे न आता था। यदि वे मेरे साथ बातचीत करने का प्रयत्न करते थे तो उनका बात ही समझ में न आती थी और यदि कुछ समझ भी जाता था तो उसका उत्तर कैसे दिया जाय यही समझ में न आता था। भोजन के पहले प्रत्येक बाक्य की दिल ही दिलमें रचना कर लेनी पड़ती थी। काटे और चम्मच से खाना खाना न जाता था और कान भी खींचा निरामिष है यह पृष्ठने का भी हौसला न पाने था। इसलिए मैं खाने के टेबिल पर तो कभी गया ही न था। अपने कमरे में ही खाना खा लेता था, साम कर मेरे रुख आ भटाई थी उसी पर गुजारा करता था। मजमूदार को तो कोई सकोच न था वे तो सब के साथ हिलमिल गये थे। स्वतन्त्रतापूर्वक डेक पर जाते थे। मैं तो सारा दिन अपने कमरे में ही बैठा रहता था। जब कभी डेक पर बहुत थोड़े मजुम्य हाने थे सब मैं वहाँ थोड़ी बैठ कर लौट जाता था। मजमूदार सब के साथ हिलमिल जान के लिए और बिना भंकोच बातचीत करने के लिए समझते थे। वे यह भी कहते थे कि वकाल की बाणि खुली हुई हाना नाहिण, बकील के तौर पर अंगरेज अनुअर्थों का बर्णन करते थे, नार कहते थे कि अंगरेजी भाषा अपनी भाषा नहीं है, उसमें गलतियाँ तो होंगी ही फिर भी बोलने में संकोच नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं अपनी भीक्षता का त्याग न कर सकता था।

मुझ पर दया कर के एक भले अंगरेज ने मेरे साथ बातचीत करना शुरू किया। वे मुझसे सज़ में बड़े थे। उन्होंने मैं क्या खाता हूँ, कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तयादि सबाल पूछे। वे मुझे खाने के सेज पर जाने के लिए कहते थे। मैं न खाने के मेरे आग्रह को सुन कर वे हँसे और दयाभाव से बोले “यहाँ (पोर्ट सेज पहुंचने के पहले) यो ठीक ही है लेकिन बिस्के के उपसागर में तुम अपने विचारों को बदलोगे। इंग्लैण्ड में तो इतनी ठंडी पड़ती है कि मांस के बिना गुजारा ही नहीं हो सकता है। मैंने कहा: मैंने सुना है कि यहाँ लोग मांसाहार के बिना रह सकते हैं।”

वे बोले ‘यह बात गलत ही समझो। मेरी जान पहिचान का ऐसा एक भी आदमी नहीं है जो मांसाहार न करता हो। वेरो, मैं शराब पीता हूँ लेकिन मैं तुम्हें शराब पीने के लिए नहीं कहता हूँ। लेकिन मेरे क्याल में तुम्हें मांसाहार तो करना ही होगा।’ मैंने कहा: ‘आपकी इस सलाह के लिए मैं आपका उपकार मानता हूँ परन्तु मांस न खाने के लिए मैंने अपनी माता के समक्ष प्रतिज्ञा की है। इसलिए मैं उसे ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। यदि उसके बिना काम न चलेगा तो मैं हिन्दुस्तान लैट जाऊंगा लेकिन मांस तो कभी भी न खाऊंगा।’

दिल्ले का उपसागर भी आ पडुचा। वहाँ मुझे न मांस की आवश्यकता मालूम हुई और न मदिरा की। मुझसे मांस न खाने के प्रमाणपत्र इकट्ठे करने के लिए कहा गया था इसलिए मैंने इम अंगरेज मित्र से एक प्रमाणपत्र भांगा। उन्होंने प्रमाणपत्र बर्जा खुर्श से दे दिया। उनको मैंने कई दिनों तक खजाने की तरह त्रिफाजन से रक्षित था। पीछे से मुझे यह मालूम हुआ कि ऐसे प्रमाणपत्र तो प्राप्त खाने पर भी प्राप्त किये जा सकते हैं। इसलिए उसके प्रति मेरा भाव नष्ट हो गया। यदि मेरे शब्दों पर ही विश्वास न किया जाय तो ऐसे विषयों में प्रमाणपत्र दिखा कर मैं क्या लाभ उठाऊंगा!

मुझ से या दुःख से सफ़ा पूरी करके हमलोग वाजवम्पदन पहुच गये। मुझे गया कुछ स्मरण है कि यह एनिवार का दिन था। मैं जहाज पर काले कपडे पहनता था। मित्रों ने मेरे लिए सफ़ेद पलेन्ड के बाट-पटलून भी तैयार करवाये थे। मैंने विलायत में जहाज से उतरने के समय यह समझ कर कि सफ़ेद कपडे अधिक शोभा देंगे यही पहनने का निश्चय किया था। मैं पलेन्ड के कपडे पहन कर जहाज से उतरा। सितम्बर के आखिरी दिन थे। ऐसे कपडे पहननेवाला मैंने अपने को, अकेले को ही पाया। मेरे कपस और जुआना तो प्रीन्सले कम्पनी के आदमी ले गये थे। जो सब करे वह मुझे भी करना चाहिए इस क्याल से मैंने अपनी कुंजियाँ भी दे दी थी।

मेरे पास चार सिफारिश की विट्टियाँ थी। बाब्टर प्राणजीवन महेशा, दलणतराय सुकल, प्रिन्स रणजीतसिंहजी और दाशमई नबरोजजी के नाम वे लिखी हुई थीं। मैंने बा० महेशा को साउथम्पटन से तार किया था। जहाज में किसी ने यह सलाह दी थी कि विकटोरिया होटल में आ कर ठहरना। इसलिए मैं और

मन्त्रालय पर होठक में गये। मैं तो अपने सफेद कपड़ों की धुने के बारे ही जमीन में गया था रहा था। और होठक में जाने पर वह मास्टर हुआ कि दूसरे दिन रविवार का और सांजवाण तक प्रीमिड के यहाँ से सामान न आ सकेगा। इससे मैं गहवाया।

घात का आठ बजे का, महेता जाये। उन्होंने प्रेममय विनोद किया। जैसे जनमान में ही उनकी रेशम के बाजवाकी टोपी देखने के लिए वडा की और उस पर वडा हुआ फिरा दिया। इससे टोपी के बाज कहे हो गये। बाकटर महेता ने यह देखा। उन्होंने मुझे रोका कैफियत पुन्हा तो हो चुका था। उसके रोकने का नही परिणाम हो सकता था कि फिर कभी ऐसा पुन्हा न हो। यहाँ से योरप के रीतिरिवाजों का मेरा अध्ययन शुरू हुआ गिना जा सकता है। बाकटर महेता इंसते जाते थे और बहुत ही बार्से समझाते जाते थे। सिधी की वस्तु को रक्षा नहीं करना चाहिए, परिष्कृत होने पर हिन्दुस्तान में जो प्रसन्न सहज ही पूछे जा सकते हैं वे यहाँ नहीं पूछे जा सकते; बातचीत करते समय यहाँ जोर से नहीं बोल्ना चाहिए; हिन्दुस्तान में साहब लोगों के साथ बातचीत करते समय 'सर' कहने का रवाज है यह अनिवार्य है। सर तो जोकर अपने मालिक को अथवा अपने से बड़े अधिकारी को कहा करते हैं। बार उन्होंने हाटके में रहने के कर्ष की भी बात कहा और कहा कि सिधी कुट्टर के साथ रहने की आवश्यकता होगी। इसका अर्थक विचार सोमवार पर मुस्तयी रक्खा गया। कितनी ही सूचनायें दे कर बाकटर महेता विदा हुए। हम दोनों को तो यहाँ बन्दम हुआ कि होठक में जा कर हम फंस गये हैं। हाटक भी महुना था। मास्टा से एक सिधी मुसाफिर का साथ हुआ था। उनके साथ मकसुदार बहुत कुछ हितमक गये थे। वे सिधी मुसाफिर संभन के बाकटरमार थे। उन्होंने हमारे लिए दो कमरे तय करने का भार अपने खिर के किया। हमने अपनी सम्मति ही और सोमवार को कैसा ही सामान लिया कि होठक का बिक चुका कर हम लोगोंने उन सिधी भाई के तय किये हुए कमरों में प्रवेश किया। मुझे स्मरण है कि मेरे हिले का होठक का बिक कमजम तीन घोंठ का था। मैं तो उठे देखते ही बकित हो गया। तीन घोंठ देने पर भी भूखा रहा। होठक का खाना कुछ भी अच्छा न लगता था। एक चीज मगाई वह पंभइ न भाई इसलिए फिर दूसरी मगाई। दोनों चीजों के दाम तो देने ही चाहिए। बम्बई के साथ में किए हुए जाने पर ही अब तक मेरी गुजर ही रही जो यह कहे तो भी बात ठोक ही होगी। उस कमरे में भी मैं तो बहुत कुछ बबका गया था। बक का स्मरण होता था, माता का प्रेम भूते रूप में दिखाई देता था। रात होते ही मेरा रोना भी शुरू होता था। अनेक प्रकार के बर के स्मरणों के जाग्रमण से नींद तो आ ही कैसे सकती थी? इस दुःख की कहानी भी तो किसी को सुनायी नहीं जा सकती थी। सुनाने से फावदा भी क्या हो सकता था? मैं स्वयं यह नहीं जानता था कि किन उपायों से मुझे जाग्रमण मिलेगा। सोम विचिन थे, उनकी चहन-चहन विचिन थी और बर भी विचिन थे। बरों में रहने के निरम भी देते ही थे। क्या बीकने से या क्या करने से निरमों का मंग होगा इसका क्माल भी बहुत ही कम था और उसके साथ जाने-जाने का बरहेज था। और जो उपार्थ जाने का करते थे वे मुफ्त और स्वाहदीक मास्टर होते थे इस लिए सब तरह से मुझे अग्र्यायन ही अग्र्यायन मास्टर होती थी। विभावत में अग्र्यायन न लगता था और देस में भी कोट कर नहीं जा सकता था। विभावत नगा था तो जब तीन शक पूरे कर के ही बीकने का मेरा आग्रह था।

### मजूरशालाओं में तकली

दो अकड़े महीने हुए भी राजगोपालाचार्य यहाँ जाये थे उस समय उन्हें भी शककाक बेंकर अग्रमदावाद की मजूरशालाओं में तकली से कातने का जो काम हो रहा है उसका मुकाहवा करने के लिए वे गये थे। उस समय एक बन्दा कामने की जो शर्त हुई थी उसका परिणाम मैं लिख चुका हूँ। यह परिणाम अबतक ही उल्लेख योग्य था परन्तु अभी भी विनोबा के अग्रम उन शालाओं के अकड़ों में कातने की जो शर्त हुई थी उसका परिणाम तो उससे भी अधिक महत्व का है और जानने अत्यन्त है। उस समय मैंने एक बन्डे में अग्रम मग के विभाव से सूत कातनेवालों के विभाव करके उसके परिणाम का उल्लेख किया है। इस समय भी उसीके अनुसार उसका परिणाम दिया जायगा कि जिसके तुकना करने में अग्रमकता हो। पहली शर्त के समय परिणाम यह था।

वर्षी संख्या	कातने	१२५	१००	७५	५०	२५	२५
५	११	१०	०	५	२	२	०
४	२०	२५	०	१	६	६	५
३	५३	४२	३	५	७	१३	१३
२	६२	४४	०	९	९	१३	११
१	११०	४२	०	०	३	१०	२४
बाल	३३३	३०	०	०	२	७	८
कुल	५२९	१०३	३	२५	३१	५२	६९

दो महीने के बाद इन अंकों में यह प्रगति हुई है:

वर्षी संख्या	कातने	१२५	१००	७५	५०	२५	२५
५	११	१०	२	२	३	१	२
४	२९	२३	१	३	९	८	२
३	५३	४४	३	२	१७	१३	८
२	६४	५४	२	५	१४	२०	११
१	१०७	६८	७	०	४	२५	३३
बाल	३१७	६७	०	१	१४	९	२५
कुल	५८१	२५९	८	१३	६१	७६	८१

उपरोक्त अंकों की तुकना करने पर मास्टर होना कि विद्यार्थियों की संख्या में ७५ की बढ़ती हुई है। कैफियत इससे कोई यह अनुमान न निकाले कि अच्छे कातनेवाले भी बडे हैं। क्योंकि यह बढ़ती करीब करीब बाकटरों और पहले वर्ग में ही हुई है। ऊपर के वर्ग के अंक करीब करीब समान ही है। पांचवें वर्ग के बाकटों में पांच अकड़े पहले १०० मग से अधिक कातने से परन्तु इस समय उनमें दो अकड़े तो १२५ मग से अधिक कातने लगे हैं। चौथे वर्ग के अंको में भी वैसी ही प्रगति हुई मास्टर होती है। तीसरे वर्ग के अंको में १२५ मग से अधिक कातनेवालों की संख्या तो उतनी ही है और १०० मग से अधिक कातनेवाले पांच के बढ़के तीन ही रह गये हैं परन्तु विशेष उल्लेख योग्य बात यह है कि ७५ मग से अधिक कातनेवालों की संख्या ७ से बढ़ कर १७ हो गई है और दूसरे वर्ग के कातनेवालों में भी अच्छी प्रगति हुई है। उनमें १२५ मग से अधिक कातनेवाला उस समय कोई न था परन्तु इस समय दो ऐसे कातनेवाले भी थे। ७५ मग से अधिक कातनेवाले उस समय ९ थे परन्तु अबके बढ़के अब १४ हो गये हैं और इससे कम कातनेवालों की संख्या भी सभी वर्गों में बढ़ी हुई मास्टर होती है। बाकटरों में ७५ मग से अधिक कातनेवाले सिर्फ दोही थे अब उनके बढ़के १४ हो गये हैं।

(कर्मवीर) जीवन्मुक्त करमचन्द्र गोधी

कहाँ शर्त के समय शिक्षकों के अंक प्राप्त न हो सके थे परन्तु इस समय दोनों शर्तों के अंक प्राप्त हुए हैं।

**पहली शर्त के समय**

अम्बाला की संख्या	१२५	१००	७५	५०	५०
कुल	१३	११	३	५	३

**दूसरी शर्त के समय**

१२५	१२५	५	३	६	११
-----	-----	---	---	---	----

१२५ गज से अधिक छात्रोंवाले दो विद्यालय बने हैं केवल ७५ गज और दो गज छात्रोंवाले कम हैं। इसके वह माहम होता है कि जो लोग कक्षाई में शिक्षकपदी के रहे हैं वे अपने अधिकाधिक शिक्षकपदी देने लगे हैं और जो लोग पहले से ही विविध

वे वे अधिकाधिक विविध होते जाते हैं।

वे अंक तो शिक्षापर और उत्पादपर हैं ही परन्तु उनके भी अधिक उत्पादपर अंक तो इस शर्त के अंक नहीं अधिक रोचकता होनेवाली कक्षाई के अंक को बड़े ध्यानपूर्वक रखते हैं वे हैं। इन अंकों में कमी कमी विद्यार्थी प्रगति करते हुए नहीं परन्तु पीछे हटते हुए भी दिखाई देते हैं परन्तु कुल शिक्षा जगहों पर तो प्रगति ही दिखाई देगी और बुर बुर करके अतोपर करने की कक्षागत बरिष्ठार्थ होती हुई माहम होगी। शिक्षकों को अपने विद्यार्थी के वेग को देखकर सन्तोष नहीं मानना चाहिए केवल व्यवस्थापरक मन्त्रक का आग्रह ही यह होना चाहिए कि औसतन वेग और उत्पन्न में रुचि होती है वा नहीं इस पर ही अधिक ध्यान दिया जाय। इसलिए औसतन अंक भी रखे गये हैं। जोकाई से दिग्दर्शन १९२५ तक के अंक ही हैं:

**जोकाई १८ दिन**

नं.	शाळा का नाम	संख्या	गज	बच्चन	१ दिन में	संख्या
				तोळा	१ मि. का काम	
१	अम्बरपुरा	४९	५३५६	३६॥	६	५०
२	फुटीमसीह	५०	५१५४	१९	६	५२
३	अम्बालापुरा	४३	२१३०९	७४	२७	३५
४	अम्बरपुर	२८	७३००	४६॥	१४	३३
५	रायकाठ	५४	५०२६	२१॥	५	६०
६	आनपुर	५०	७५००	२५	८	४५
७	पोपटीआमठ	१३	२०००	८॥	९	२०
८	आम्बालीबाह	१४	५००	२	३	१३
<b>कुल</b>	<b>३०१</b>	<b>५४१४५</b>	<b>२३३</b>	<b>१०</b>	<b>३०८</b>	

**अगस्त २० दिन**

नं.	शाळा का नाम	संख्या	गज	बच्चन	१ दिन में	संख्या
				तोळा	१ मि. का काम	
१	अम्बरपुरा	४९	६०६०	३६	८	५१
२	फुटीमसीह	५०	५४५१	२०	५	५१
३	अम्बालापुरा	४३	१८५७५	४६॥	२६	३२
४	अम्बरपुर	२८	४६२५	२५	७	३०
५	रायकाठ	५४	५२००	२६॥	४॥	४४
६	आनपुर	५०	६४००	२८	७	४३
७	पोपटीआमठ	१३	६७५	५	१॥	९
८	आम्बालीबाह	१४	५०००	२२	१९	१६
<b>कुल</b>	<b>३०१</b>	<b>५४१४५</b>	<b>२३३</b>	<b>१०</b>	<b>३०८</b>	

**दिसम्बर २१ दिन**

नं.	शाळा का नाम	संख्या	गज	बच्चन	१ दिन में	संख्या
				तोळा	१ मि. का काम	
१	अम्बरपुरा	४९	१९७००	१५	१८	५१
२	फुटीमसीह	५०	१६३५३	६०	१५	५१
३	अम्बालापुरा	४३	४६७४२	१५५	६९	३२
४	अम्बरपुर	२८	८३९०	३८	१२	३०
५	रायकाठ	५४	१२५६७	५३	१२	४४
६	आनपुर	५०	११२००	४१	१२	४३
७	पोपटीआमठ	१३	१०८७	८	६	९
८	आम्बालीबाह	१४	११०००	५८	३२	१६
<b>कुल</b>	<b>३०१</b>	<b>५४१४५</b>	<b>२३३</b>	<b>१०</b>	<b>३०८</b>	

**अगस्त १३ दिन**

नं.	शाळा का नाम	संख्या	गज	बच्चन	१ दिन में	संख्या
				तोळा	१ मि. का काम	
१	अम्बरपुरा	५७	३९५००	२१८॥	५६	८०
२	फुटीमसीह	५०	३४०२६	११६	५२	५०
३	अम्बालापुरा	४१	५०३०९	१८८	६४	४४
४	अम्बरपुर	३१	६१६०	२९॥	१५	३३
५	रायकाठ	४६	१८०००	१०७॥	३०	४०
६	आनपुर	४१	६३७८	२६	१३	४६
७	पोपटीआमठ	१२	३२१०	३५	२०	१४
८	आम्बालीबाह	२१	१३०००	६७	४७	
<b>कुल</b>	<b>२९९</b>	<b>१७०५८३</b>	<b>७९७॥</b>	<b>४५</b>	<b>३०७</b>	

**नवम्बर २० दिन**

नं.	शाळा का नाम	संख्या	गज	बच्चन	१ दिन में	संख्या
				तोळा	१ मि. का काम	
१	अम्बरपुरा	५७	३९६००	२१७	२३	७९
२	फुटीमसीह	५०	३८६८५	२०१	३८	५०
३	अम्बालापुरा	४१	५७८८०	२०४	६५	४५
४	अम्बरपुर	३१	६२००	४२	१२	३३
५	रायकाठ	४६	३१०००	१७०	४०	६३
६	आनपुर	४१	१०१००	३४॥	१२	४७
७	पोपटीआमठ	१२	१०६१	५३	३८	१४
८	आम्बालीबाह	२१	१३०००	६७	४७	
<b>कुल</b>	<b>२९९</b>	<b>१७०५८३</b>	<b>७९७॥</b>	<b>४५</b>	<b>३०७</b>	

**दिसम्बर १९ दिन**

नं.	शाळा का नाम	संख्या	गज	बच्चन	१ दिन में	संख्या
				तोळा	१ मि. का काम	
१	अम्बरपुरा	५७	२१९००	११२	१७	७९
२	फुटीमसीह	५०	२८५८२	९५	३५	५०
३	अम्बालापुरा	४१	२१५४७	७९	३९	४५
४	अम्बरपुर	३१	७२००	३५	१४	३३
५	रायकाठ	४६	४५७५४	२०५	४५	६३
६	आनपुर	४१	१४८६४	५७	१९	४७
७	पोपटीआमठ	१२	७३३७	३५	१९	१४
८	आम्बालीबाह	२१	१३०००	६७	४७	
<b>कुल</b>	<b>२९९</b>	<b>१७०५८३</b>	<b>७९७॥</b>	<b>४५</b>	<b>३०७</b>	

जोकाई और अगस्त ही के अंक के तो अगस्त में हो बच की कमी माहम होगी परन्तु दिसम्बर में तो वह दुर्गुने के भी अधिक बच जाती है और अगस्त में तो प्रति विद्यार्थी ४५ गज की अच्छी औसत कक्षाई हुई माहम होती है। इस महीने में १३ दिन में कक्षाई ने एक काक सतर हजार गज सूत काता था। फिर अगस्त और दिसम्बर की औसत में बड़ी माहम होती है फिर भी २८ गज अधिक औसत है और वह ६ गजसे पहले कि औसत के समान ही होगी है। कुल शाळाओं में तो एक प्रगति होती हुई दिखाई देती है। जैसे अम्बालापुरा की शाळा, अम्बाला से महीने की २७ और २९ की औसत अगस्त में वह २४ तक तक पहुँच गई थी। सिर्फ आम्बाली महीने में कक्षाई कमी कमी दिखाई देती है।

वे अंक इससे लक्ष्यपूर्ण हैं और परिणाम देना बचन है कि मुक्तिदाता शाकाए और दूसरी शाकाए तकली को दायित्व करने

में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं वह समझ ही में नहीं आ सकता है। किन शाळाओं में बरखा और तकली पर कक्षाई होती है उनके मेरा आग्रह है कि उनमें इरएक में ऐसे प्रगति पत्रक रखे जायें।

मन्त्रालय का व्यवस्थापरक मन्त्रक तो वर्तमान प्रगति से सन्तोष न मानकर शिक्षक और विद्यार्थियों से अधिकाधिक आशा रख रहा है। इस ६ महीने के परिणाम पर विचार करने के बाद शिक्षकों की सूचना की गई है कि वे कम से कम मण्डे में १०० गज कातने का वेग तो अवश्य ही प्राप्त करें और दोसरे और चौथे गज के प्रत्येक बालक का मण्डे में १०० गज का, तीसरे और चारों के का कम से कम ७५ गज का और प्रथम और आठवें का ५० गजका वेग तो अवश्य ही होना चाहिए और इरएक बालक को कम से कम ५० गज की औसत तो अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए। (समाजीयता) आशाएक हरिभाई देसाई



# हिन्दी-नवजावन

पुस्तक, पैत्र बरी ५, संवत् १९८२

## कलई खुल गई

भारत की १९१९-२० की जेल समिति की रिपोर्ट में राजनैतिक कैदियों के साथ किये जानेवाले व्यवहार के सम्बन्ध में लफ्टनन्ट कर्नल मूलवानी की दी हुई गवाही को प्रकाशित कर के कलकत्ते के 'फोरवर्ड' ने लोगों की बड़ी सेवा की है। उसमें सरकार के वर्तमान तन्त्र की दुःाइयों की तारी कलई खोल दी गई है और उसपर स्पष्ट प्रकाश डाला गया है। इससे यह मालूम होता है कि अधिकारियों को अनुचित कार्य करने के लिए किस प्रकार मजबूर किया जाता है और इस तरह वे कैसे भ्रष्ट और आत्मसम्मान की भावना से हीन हो जाते हैं। उस समय कर्नल मूलवानी अलीपुर सेन्ट्रल जेल के सुप्रीन्टेन्डन्ट थे। उनके इम्हार में से नीचे का भाग उद्धृत किया जा रहा है:

"... लोगों को यह बखूबी मालूम है कि सरकार अपने अधिकारयुक्त इजहारों में सदा इस बात को ध्यान रख सकती है कि उनकी शिकायतों निराधार थीं किन्तु भी मेरे अनुभव में तो उन शिकायतों के लिए सब प्रकार के कारण मौजूद थे। क्रान्तिकारी इलाक़ का आरम्भ हुआ तभी से कलकत्ते की जेलों में एक या दूसरी कोई न कोई जेल मेरे अधिकार में रही है और चायद भारत के किसी भी जेल-अधीनकारी के बनिस्वत राजनैतिक कैदियों की कैद से मेरा ही अधिक सम्बन्ध रहा है। और मैं विचारपूर्वक मेरे कथन की गंभीरता को सम्पूर्णतया समझ कर यह कहता हूँ कि इन लोगों को जैसी कैद की सजा सुनायी पड़ती है वह सिर्फ़ अमानुषी ही नहीं होती है, परन्तु जान-बुझ कर सरकार की उसकी गलत रिपोर्टें भी भेजी जाते हैं। इस विषय में मेरे विचार बड़े दृढ़ हैं और मैं यह बड़े तयमपूर्वक निश्चय रहा हूँ क्योंकि मेरा ह्याल है कि इस दुःखमय व्यापार में जो हिस्सा लेने के लिए मैं मजबूर किया गया था वह मेरे लिए एक कलंक था और वह आज भी है; यह कलंक कभी भी नहीं मिटाया जा सकता है। और मैं इससे न्यून और कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि जो निन्द्य व्यवहार करने की मुझे आज्ञा होती थी और जिसका अमल कराने की मुझसे आशा रखी जाती था उससे तो मेरे दिल पर आघातकार ही किया जाता था। इस विषय में मेरी जकानी विज्ञान का कुछ भी परिणाम न हुआ इसलिए-जानिवर १९१५ के सितम्बर में उसी एक मार्ग से जो मेरे लिए खुला था सरकार के ध्यान पर यह बात लाने का मैंने निवेद्य किया, और मैंने १९१८ के ३ कानून की ६ दफे के मुताबिक दो राजनैतिक कैदियों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्टें पेश कीं। उसमें मैंने अपनी राय यों ज़ाहिर की थी कि उनको जिस तरह सन्दर कर के रखा जाता है वह इतनी कड़ी सजा है कि उससे संभव है उनकी सन्दुरस्ती को हानि पहुँचे। मैंने यह भी कहा था कि उनकी बड़ एकान्त कैद प्रिजन्स एक्ट या जेल रेग्युलेशन में बताई किसी भी एकान्त कैद की सजा से, जो किसी भी प्रकार कैदों के लिए नहीं बनावे गयी है—अधिक कड़ी है। मैंने यह रिपोर्टें सब कैदों से पेश की थीं कि इसमें एक ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई कि जिसकी कलस्वयं या तो मुझे वहाँ से हटाना पड़े

(जिसकी मुझे उमीद नहीं थी) या उस निन्द्य व्यवहारों को कुछ गौम्य कर दिया जाय जिन्हें कि मुझे करना पड़ता था। नतीजा क्या हुआ? मेरा पत्र लौटा दिया गया और कहा गया कि मैं उसपर पुनः विचार करूँ। मुझे यह भी बाध दिखाई गई कि वह पत्र सिमला भेज दिया जानेवाला है; और संभव है वहाँ की अनिश्चानी देवता इसपर दरुप्य धरण करे, यह भी कहा गया कि सजा क्या और किस तरह की हो जाय इस विषय में तो पुलिस की तरफ से ही हुक्म आते हैं, मुझे तो यहाँ तक सूचित किया गया कि मैं इस तरह रिपोर्टें करूँ कि कैदी एकान्त दण्ड की सजा को भोग रहे हैं, उन्हें न्यायमान करने की इजाजत है, वे प्रसन्न हैं, उनका स्वास्थ्य जरा भी नहीं बिगड़ा या इसी अर्थ के और कई शब्द। अगर मैं इससे सहमत हो जाऊँ तो मुझे उस पत्र को अपनी बखी में से निकाल देना चाहिए और उसकी जगह पर दूसरा पत्र लिख देना चाहिए।"

के० कर्नल मूलवानी ने जिस पत्रव्यवहार की ओर संकेत किया है वह 'फोरवर्ड' में प्रकाशित हो चुका है। जेल के तत्कालीन इन्स्पेक्टर जनरल के उस पत्र के अंश को उद्धृत करने के लोभ को मैं सवरण नहीं कर सकता हूँ। के० क० मूलवानी की वह दोषमूलक रिपोर्टें निकले ही उन्होंने कर्नल मूलवानी को अपनी रिपोर्टें पर पुनः विचार करने के लिए लिखा और उन्हें अपनी नई रिपोर्टें में जो गूठ बाँटें लिखनी चाहिए थी वे भी बताईं। जरा पढ़िए—

"जरा अपने पत्र पर पुनः विचार कीजिए। स्मरण रहे कि यह पत्र सिमला जानेवाला है और वहाँ की देवता की कोषासि को प्रव्वलित कर देगा। पुलिस की यह आश्चर्यकता कि इन कैदियों को न केवल अन्य देशी कैदियों से अलग रक्खना चाहिए बल्कि उन्हें एक दूसरे से भी दूर दूर ही रक्खना चाहिए इसमें बाध्य करती है कि हम उन्हें कितना और किस तरह का एकान्त दण्ड दें। मेरा ह्याल है कि आप इस तरह अपनी रिपोर्टें भेजें कि कैदी एकान्त दण्ड को भोग रहे हैं, उन्हें रोजाना न्यायमान करने की इजाजत है, दोनों प्रसन्न हैं स्वास्थ्य भी खराब नहीं है या इसी अर्थ के और कुछ शब्द लिख सकते हैं।"

इस पत्र के मिलते ही के० कर्नल मूलवानी ने दुःख के साथ अपने स्वाभिमान के आग्रह को छोड़ दिया और ऐसी रिपोर्टें भेजी जिसे कि वे जानते थे कि सरासर झूठ है। इस रिपोर्टें के बाध यह कैसे हो सकता है कि सरकार द्वारा प्रकाशित या उसकी सीपापोती करने-वाली किसी रिपोर्टें पर हम विश्वास कर के। फिर यह बात भी नहीं कि यह एक अपवाद मात्र हो। इन रिपोर्टें या बनावों का गढ़ना एक बिलकुल मामूली बात है, और यह प्रत्येक प्रमुख जिसे सरकारी विभागों से कुछ भी सम्पर्क है इस बात को मलीमांति जानता है। आज तो हर बात का 'सपासन' बनाविकारियों द्वारा होता है।

जिन्हें बिना किसी प्रकार की तहकीकात के अभिविजित समय तक कैद में रक्खा जा रहा है, बंगाल के उन बहादुर पुलिसों के दिवसेदारी की बड़ी मुश्किल से उन कैदियों के विषय में वे बातें मालूम हुई हैं जो आज संसार को बताई जा रही हैं। इससे यह भी मांख्य होता है कि उन्हें कई बातों में फन्सल कष्ट दिखा जाता है। साधारणतया आरोपों का अस्वीकार ही किया जाता है। जहाँ पूरा इन्कार करना असम्भव होता है वहाँ दोषा बहुत सत्य झुठक कर लिया जाता है पर वहाँ भी इन वस्तुणाओं का दोष कैदियों के लिए ही मढ़ा जाता है। जब श्री. गौडवामी को पारासर्ग में इस विषय की बहल के लिए पेश करने में सफलता मिली तबकी

हैं। उन्हीं के द्वारा उन्हें यह कहा जाता है कि वे कर्मक मूकबानी का क्या काम कमिटी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था। सरकार अपने को असत्य की दीवार की ओर में और संगीतों की शक्ति के पीछे सुरक्षित समझती है और शिकायतों की और तिरस्कारपूर्ण मुद्रा से देखती है। उसे तो बहुत विकास है कि इन अंगरेजों की सुरक्षितता के लिए, जिनकी कि वह अपने को प्रतिनिधि समझती है, कैदीयों का कैद रहना और उनके साथ सुभ्यवहार करना आवश्यक है। बंगाल ने इसके प्रति विरोध जाहिर करने के लिए एक दिन की हड़ताल रखने का निश्चय किया है। सत्यहीन लोगों की हड़ताल की सरकार क्या परवाह करती है? शक्ति के सिवा, फिर वह समझेर की हो या आत्मा की हो, वह किसी भी शक्ति को नहीं समझती है। पहली प्रकार की शक्ति को वह जानती है और उसका आदर भी करती है। पर दूसरी को वह नहीं जानती अतएव उससे बरी है। हमारे पास पहली प्रकार की शक्ति नहीं है। पर हमारा स्थान था कि १९२१ में हमारे पास दूसरे प्रकार की शक्ति थी। पर अब — ?

(सं० ६-)

मोहनदास करमचंद गांधी

### कला का स्वरूप

प्र० आपके तत्त्वज्ञान में कला का क्या स्थान है? क्या आप यह मानते हैं कि कला साहित्य और संगीत की तरह — हमारी इन्द्रियों को संस्कारी बनाती है, विस्तृत करती है, उनकी पहुंच को बढ़ाती है सृष्टि को अधिक सुन्दर और योग्य बनाती है और इस प्रकार हमारे जीवन को अधिक शान्त और शुद्ध बनाती है?

उ० यह संभव है मेरी और आपकी कला की व्याख्या लुप्त हो। मेरे हिसाब से तो जितने शंको में कला को बाह्यबलबल होता है उतने ही शंको में वह कला अपूर्ण होती है। बाह्य साधन जैसे बहने हैं जैसे ही उसमें अधिक कृत्रिमता साक्षित होना संभव है। वह एक दृष्टि है। और दूसरी दृष्टि यह है कि सर्वोत्कृष्ट कला अस्वीकार्य न होगी केवल सर्वभोग्य होगी। और सर्वभोग्य कला यदि बाह्य साधनों से अधिक से अधिक मुक्त होगी तभी वह सर्वभोग्य बन सकेगी। इसीलिए मैं बहुत मरतबा यह कहता हूँ कि जो चंद्र और असंख्य ताराओं से प्रकाशित नभोमण्डल को देख कर अवतर्कता की लीला में तल्लीन हो सकता है उसे चित्रकार के हाथों से चित्रित नभोमण्डल और सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अनेक प्रकार के रंग से और चित्रों से विभूषित घर की छत की अपेक्षा उसे कुछ भी न रहेगी। वह तो प्रतिक्षण नये नये रंग धारण करते हुए, नया सौन्दर्य प्राप्त करते हुए आकाश ही से सब कुछ प्राप्त कर लेगा।

जिसे आत्मा के आनंद के साथ गानेवाले मुसाफिर का, मिष्ठक का और प्रभात के समय में पीसनेवाली का गाना सुनना प्राप्त हुआ है उसे शायद हजार रूपया के घर दीपक, पूर्वी, माल-कौश इत्यादि की धुन उमानेवाले को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और यह तो स्पष्ट ही है कि उपयुक्त चित्रकार द्वारा चित्रित नभोमण्डल का उत्तम चित्र और गानेवाले उस्ताद का गाना शरीर से शरीर आदमी को प्राप्त नहीं हो सकता है परन्तु सृष्टि का नभोमण्डल और उन अशिक्षित गानेवालों का गाना तो उन्हें कहीं भी प्राप्त हो सकेगा।

इस निर्वीच, सर्वभोग्य कला को मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में बहुत क्या स्थान है। परन्तु मनुष्य के जीवन में क्या समय भी जाता है कि जब वह इन्द्रियभोग्य कला के पर होने के लिए सज्जित रहता है और उसके चार भी पहुंच जाता

है। उसके लिए शरीर और इन्द्रिय की कला जैसी वस्तु बना-बसक होती है; वह आत्मा की कला में मुग्न हो जाता है।

प्र० तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जिस मनुष्य के चारों में आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं उसे इन्द्रियों के द्वारा देखना, सुनना, चूमना, सूंघना और स्पर्श करना, इत्यादि की कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है? शब्द, स्पर्श रूप और गन्ध उसके लिए अज्ञ हो जाते हैं? और यदि इस दशा को अपना प्रिय मानें तो क्या हमें आराम ही से इन्द्रियों को विधिक और अन्ध बनाने की आदत डालनी चाहिए?

उ० मेरे इस कहने का यदि आप उतावला अर्थ करेंगे तो आप इसी अन्तिम अनुमान पर पहुंचेंगे। परन्तु बस ही न करें। विचार कीजिए। चित्रकार के द्वारा चित्रित सूर्यास्त का आनन्द प्राप्त करने के लिए क्या हर समय उस चित्र को देखने के लिए शोका जायगा? जहाँ सृष्टि ने मनोहर सूर्यास्त और सूर्योदय की महार न फैलायी हो वहाँ तो मनुष्य चित्र देख कर ही तृप्त होंगे लेकिन जिस जगह बारहों महीने सृष्टि में होनेवाले सूर्यास्त और सूर्योदय की लीला देखने को प्राप्त होती है वहाँ मनुष्य सूर्योदय और सूर्यास्त के चित्रों को देखने के लिए यदि ही सज्जित हो रहेगा। साल में जिसे कभी कोई मरतबा सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन हो जाते हैं वह अपने लिए और अपने जैसों के लिए उसका रोज दर्शन करने को चित्र की रचना करता है — मूर्ति बनाता है, यह भी कह सकते हैं। परन्तु जो मूर्ति में रहे हुए भगवान का दर्शन और विस्तन बिना मूर्ति के ही कर सकता है उनको क्या? उसी प्रकार जो अपने हृदय में नित्य निरंतर भगव आकाश की लीला देख सकता है उसे बाह्य आकाश के चन्द्र और नक्षत्र मण्डल के प्रति देखते रहने की बहुत ही कम आवश्यकता होगी। कबीर जैसे ज्ञानी ने जब यह गाया कि:

या बट भीतर छात समुंदर,  
याही में नदी नारा;  
या बट भीतर काबी द्वारिका,  
याही में ठाकुरद्वारा,  
या बट भीतर चन्द्र सूर है,  
याही में नव लख तारा  
कहे कबीर सुनो भाई साधो,  
याही में छत किरतारा

उस समय क्या उन्हें बाह्यआकाश के प्रति देखने की कुछ भी अपेक्षा थी? उस समय तो उनके हृदयाकाश में चन्द्र स्पर्श रूप, रस और गंध की सारी सृष्टि उत्पन्न हुई थी। और यही सबब है कि उन्होंने बड़े आनंद के साथ यह गाया था:

हम से रहा न जाय, सुरलियां की धुन धुन के  
विना बसन्त फूल एक फूल के,  
अमर कदा बोलाय सुर०  
सगल शरजे विजली चमके,  
उठती हिये हिलोर;  
विकसत कमल मेघ घर साजे,  
चितवन प्रभु की ओर सुर०  
ताली जगती तहाँ मन पहुँचा,  
नेह स्वामी कहलस  
कहे कबीर आज साधु हमारा,  
जीवत ही नर जाय सुर०

कबीर तो लुकाइये और 'योगः कर्मसु कौशलम्' इस न्याय से वे बड़े अच्छे लुकाइये होंगे। अपने जुने हुए धान को उन्होंने अनेक रंग से रंगा कर उसके सौंदर्य की उन्होंने प्रशंसा भी की होगी। परन्तु एक समय तो उन्हें अपने जुने हुए कपड़े का, और रंगे हुए कपड़े का सौंदर्य देखने के बदले 'साई' की जुनी हुई बदरिया में कबा देखना प्राप्त हुआ था, 'साहब रंगरेज' की रंगी हुई चुनर में उन्हें अनुपम कला दिखाई दी थी।

श्रीनी, श्रीनी, श्रीनी, श्रीनी, श्रीनी बदरियां  
और  
साहब है रंगरेज, चुनर सोरी रंग बारी,  
भाब के कुंड नेह के जक में, प्रेम रंग रई बोर  
हुब के मेक छुटाय दे रे, सब रंगी झकझोर—चुनर०  
कड़े कबीर रंगरेज पीभारे, मुझ पर हुए दयाल  
शीतल चुनरी ओठि के रे, भये हो मगननिहाल—चुनर०

कबीर धड़े होते, अंधे होते या गूँसे होते तो भी क्या उनके आनंद में कुछ कमी हो सकती थी? सूरदासजी का चतुर्हीन होना उन्हें विभ्र टप होने के बदले सहाय रूप था नहीं क्यों न कहा जाय ?

परन्तु जैसे ज्ञानी को मूर्ति के दर्शन करने में कोई घृणा नहीं है, ज्ञानी तो मूर्ति के पास खड़ा रह कर वहाँ भी ईश्वर में तल्लीन हो कर ही खड़ा रहेगा, उसी प्रकार अज्ञानकाश में से ही सब कुछ प्राप्त करनेवाले को भी बाधाकाश देख कर दृष्ट होनेवालों से घृणा नहीं होती है। वह भी बाधाकाश को देख कर उतना ही आनन्द प्राप्त करेगा। और उसी प्रकार बाधाकाश को देख कर आनंद प्राप्त करनेवाला भी चित्रकार द्वारा चित्रित चित्र से घृणा न करेगा। यदि चित्र ही देखने को मिले तो वह चित्र देख कर प्रसन्न होगा। तीनों स्थितिमें एक से एक अधिक स्वतंत्रता की है। और वे तीनों स्थितियों मनुष्य में एक समय में एक साथ भी रह सकती है—रहनी है। क्योंकि हर एक मनुष्य जानने या अज्ञानमें भी स्थूल से सूक्ष्म के प्रति प्रयाण करता है। परन्तु आक्षिप्त आत्मा की कला अमृत है इसमें कोई संशय है ? बाधा साधनों पर जबका इन्द्रियज्ञान पर आधार रखनेवाली कला में जितनी आत्मा होती है उतने ही अंशों में वह अमृतकला के समान बनती है। और जिसमें आत्मा का बिल्कुल ही अभाव होगा वह कला न होगी किन्तु केवल कृति ही बन जायगी और क्षणभंगुर होगी। उस अमृतकला का अंश जिसमें अधिक है वह मोक्षदायी है।

प्र० आपने तो चरखे का मोक्ष के साधन के रूप में वर्णन किया है और फातने की कला को एक सुन्दर कला कह कर प्यार किया है। क्या स्थूल के ऊपर आधार रखनेवाली कला भी मोक्ष का साधन हो सकती है ?

उ० मैंने चरखे को सभी के लिए मोक्ष का साधन मान कर उसका वर्णन नहीं किया है। मेरे लिए तो वह मोक्ष का साधन है ही क्योंकि मेरी दृष्टि में चरखा कोई स्थूल चरखा नहीं है। मैंने तो उसके चारों ओर एक बड़ी सृष्टि की रचना की है। चरखे को गरीबों का जीवनतन्तु मान कर, उनके साथ प्रेम के तन्तु से बांधनेवाला — ऐक्य करानेवाला — मान कर ही मैं उसे चरखा हूँ और उसे मेरी नील-साधन का आधार मानता हूँ। सभी के लिए वह मोक्ष का साधन नहीं हो सकता है, जैसे किसी अंगरेज को रामनाम से कुछ भी विशेषता न आसक्त होगी परन्तु तुलसीदासजी को तो रामनामरदन के सामने धारा जगत् ही सिंधु प्रवृत्त होता था।

इस स्थूल साधन के द्वारा मोक्ष साधा क्यों नहीं जा सकता ? तंदुरे और मंजीरे की धुन में बहुतेरे एक भगवान के साथ तलीन हो जाते होंगे, उसी तरह चरखे की धुन में भगवान के साथ तलीन होने की मेरी कालका है।

(भवजीवन)

महादेव हरिभाई वैजारी

### एक स्मरणीय विवाह

[ श्री जमनाकाश बजाज की पुत्री बहन कमलाबाई के विवाह का विधि गत रविवार ता २८ को उत्तमहात्म्य में किया गया था। रुकि और परंपरा को अधिक है अधिक पकड़ कर बंटी हुई भारतीय जीवन के अग्रगण्य नेता श्री जमनाकाशजी ने परंपरा का त्याग करके बड़ी साहसी के साथ, किसी भी प्रकार के आडम्बर के बिना, भोजनार्थिक के बड़े भारी खर्च के बिना यह विधि होने दिया इसलिए श्री जमनाकाशजी और उनके समथी भी कैथ्यवेधनी धन्यवाद के पात्र हैं इस अवसर पर श्री गार्गीजी ने चर-बधु को जो आशीर्वाद दिया उसमें उसका महत्त्व स्पष्ट समझाया गया है और इस आदर्श विवाह के सम्बन्ध में उनके उद्गार प्रत्येक हिन्दू के लिए विचारणीय हैं। ]

आप लोग, माई और बहनें दोनों, जो बाहर से परिभ्रम उठा कर रामेश्वरप्रसाद और कमला इन दोनों को आशीर्वाद देने को आये हो इसके मुझे आनन्द होता है और मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। धन्यवाद देने का सबसे बड़ा है कि इसको आप सामान्य विवाह नहीं समझते। हिन्दू जाति में जो विवाह होता है, उसमें बहुत आडम्बर होता है। रंग-राम, नाच-तमाशा, खाना-पीना अनेक प्रकार का प्रकीर्ण होता है। विवाह का धार्मिक अंश जिसके कारण विवाह करना योग्य समझा गया है, वह धार्मिक कारण छुप जाता है, इस धार्मिक अंश को भूल जाते हैं। विवाह में पैसे का व्यवहृतना अधिक होता है कि गरीबों को विवाह करना आपसि भी हो जाती है। कई लोग कर्षदार हो जाते हैं, और उस कर्म में से जन्म भर भी उनके लिए छूटना मुश्किल हो जाता है, ऐसे विवाह से चर और कन्या दोनों दुःस्वभावन में पर्व-विधि का पालन करे वह आकाशपुण्यक हो जाता है। जिसमें इतना आडम्बर होता है और जो विवाह-विधि इतनी विकारमय होती है और जिसे विकारमय बनाने के लिए माता-पिता इतना परिभ्रम उठाते हैं उससे चर और कन्या संवसमय जीवन व्यतीत करें वह मुश्किल बात है। यद्यपि इस आशय का आदर्श यह है कि विवाहित होते हुए भी प्रज्ञाचर्य का पालन करना चाहिए और उसी प्रकार कुछ जोय रहते भी हैं। बालक और बालिकाओं को प्रज्ञाचर्य की शिक्षा और पर्यायवाचक विधि भी जाते हैं। देखा होते हुए भी आशय के समर्पक और उसकी छाया में विवाह किया जाता है इसका कारण क्या ? इसको चर्मे-संकेत माना जाय। अहिंसा का पालन करने वाले किसी पर बलद्वार नहीं करते; आशयवाहियों से से जो प्रज्ञाचर्य का पालन नहीं कर सकते उनके लिए विवाह करना कर्तव्य ही है। और इस कर्तव्य को करने में इन उनकी आशीर्वाद क्यों न दें ? और विधि भी अच्छी क्यों न चलायें ? यह भी कर्तव्य है और इसके पालन करते हुए और सोचते हुए मैंने यह देखा है कि हिन्दुस्तान में अजबया धारे संसार में जहाँ विवाह में धार्मिक विधि जाती जाती है वहाँ कर्म सेवक का अंश होता है। विवाह स्वैच्छाचार के लिए नहीं है, स्थितियों में भी शिक्षा है कि जो बचती विधवा है रहते हैं वे भी प्रज्ञाचर्य का पालन करते हैं। मैंने भी इसकी बहुत कम्य तक नहीं समझा था। पर बहुत विचार करने के बाद मैं



समझ सका। जो अपने विचारों का साथ नहीं कर सकते वे मर्दाना में रह कर विचारों पर अंकुश रखते हुए अभिवर्तन इतना ही व्यवहार कर सकते हैं। वे भी संयमी कहलाते हैं। जमना-काकनी का और मेरा जो सम्बन्ध है वह तो आप सब जानते ही हैं। हम दोनों में यह विषय हुआ कि बितानी साहनी से और कम कर्म से विवाह कर सकें करना चाहिए। इस तरह से विवाह की किया करनी चाहिए कि जिससे दोनों पर ऐसा प्रभाव पड़े कि वे विवाह का सचा कर्म समझ सकें। विवाह को आदर्शपर रहित बनाना, भोजनार्थ को और मजदूरी को स्थान नहीं देना ऐसा अच्छी तरह से कहा ही सकता है? अगर हममें में किया जान तो मारवाही समाज को और जमनाकाकनी के मित्रों को इससे पाठ मिलेगा। आजकल सुधारों के नाम से जो अर्थम चल रहा है, वह वास्तु नष्ट हो जावेगा। जो कर्म समझना चाहें उनके लिए इच्छा हो जावेगा। परन्तु मुझे यह भय था कि बितानी साहनी के साथ नहीं विवाह हो सकता है उसकी साहसी के साथ नहीं हो सकेगा। इसकी दलीलों में मैं उतरना नहीं चाहता। इसी कारण से मैंने सभी को भी छोड़ दिया और बम्बई को भी छोड़ दिया। परन्तु इस कार्य को कैसे किया जाय? जमनाकाकनी और उनके मातापिता की सम्मति से ही काम नहीं चल सकता था। रामेश्वरप्रसाद के बड़ील कर्म की भी सम्मति की जरूरत थी। प्रभु का प्रभुप्रद था कि केशवदेवजी ने भी इसे स्वीकार कर लिया। मारवाही समाज में जन बहुत है और कर्म भी अधिक होता है। इतना अधिक कि गरीबों को विवाह करवा अशक्य था हो जाता है और उन पर बोझ पड़ता है। विवाहों में फुलवाही, भोजन, बत्तियाँ और नहकाओं का नाच होता है। मैं नहीं जानता कि मारवाही लोगों में नाच होता है या नहीं परन्तु गुजरात के अनेक लोगों में तो कहीं कहीं होता है। इसका अन्तर सारे मारवाही समाज पर, और मारवाही समाज हिन्दू जाति का एक अंग है इसलिये उध पर भी, इतना ही नहीं, बल्कि सुखकाम इत्यादि जातिनों पर भी पड़ता है। हाँ, मैं यह मानता हूँ कि इन अन्व जातिनों पर थोड़ा पड़ता है। इससे आप सोच सकते हैं कि अनेक लोगों पर कितना बोझ है। परन्तु जो जनमानस को बच कमाने में मस्त हैं, और अहंकार से ईश्वर को भूल गये हैं, उनकी बात दूसरी है। मारवाही लोगों में जन है। दुश्चार होते हुए भी कर्म के लिए प्रेम है। यह बात मैं सब जानता हूँ। कर्म के लिए मैं प्रति कर्म लोगों रुपये देते हैं। इसका मुझे प्रयत्न अनुभव है। इसलिये हम दोनों ने सोचा कि बितानी साहनी से विवाह किया जाय। इसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों हैं। जमना-काकनी और केशवदेवजी का, रामेश्वरप्रसाद और कमला का मजा सोचना यह तो स्वार्थ, और दूसरों को मार्ग बताना यह परमार्थ। आप देखेंगे कि इस विवाह में आदर्श नहीं होगा। नाच-गाय नहीं होगा, विवाह के समय केवल धार्मिक विधियाँ ही ही जायगी। आप लोगों को निमन्त्रण इस भाव से दिया गया है कि आप इसके सचकी हों और इसमें आप सम्मत् हों और ऐसी प्रतिज्ञा करें कि आप इसका अनुकरण करेंगे। सम्भव है कि मेरी इच्छा नूक हो और आप ऐसा करना पसंद न करें। हिन्दुस्तान में अब धर्मिक लोग होने से यह धर्मिकों का देश नहीं हो जाता। यह कंगालों का मुक है। वहाँ पर जितने लोग भूख से मरते हैं और जन-मर-जन-मर मिलने से भयानि-प्रस हो जाते हैं और भूख कीचने से संभवतः जन जाते हैं उनमें दुनिया के और किसी देश में नहीं। यह मेरा कहना नहीं है अगर इतिहासकारों का कथन है—हिन्दू-सुखकाम इतिहासकारों का नहीं—संभवतः के लोग के लोगों का

यह कथन है। ऐसे कंगाल मुक के करोड़पतियों को भी ऐसा काम करने का अधिकार नहीं है जिससे कंगालों के पेट में दर्द हो। धर्मिक लोग हिन्दुस्तान में ही जन कमाते हैं। वे बाहर से जन कमाकर जनमान नहीं होते। यों तो बाहर के लोगों को दुःख देकर जन कमाना भी महापाप है। जितने करोड़पति या अरबपति हिन्दुस्तान में हैं वे कंगालों को और भी कंगाल बनाते हैं। हिन्दुस्तान के साथ काम देहात है। उनमें से कई का नाच हो रहा है। उनका सब पूरा जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जिसको एक समय भी खाने को नहीं मिलता वे लोग मर जाते हैं। इस देश में पशु और अनुप्य दोनों मरते हैं। ऐसी हाकत में इतना ही जन कर्म करना चाहिए जो कर्म के लिए अभिवर्तन हो। और बचा हुआ जन परोपकार में व्यय करें जिससे हिन्दुस्तान के कंगालों का भी मजा हो और धर्मिकों का भी मजा हो। इस दृष्टि से हम देखें तो यह विवाह अनुकरणीय है। यह एक सामान्य सुधार नहीं है। इसकी जड़ सब नीतर जाती है। और इसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। इस तरह का कार्य अगर गरीब करेंगे तो भी उसका काम तो होगा ही, पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। जमनाकाकनी इस हजार, बीच हजार, और पचास हजार भी केंद्र से सकते हैं। और उनके मारवाही भाई भी यह कहेंगे कि कैसा अच्छा विवाह किया! परन्तु उन्होंने जन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं किया। अपने अधिकार को छोड़ दिया। इसका परिणाम अच्छा ही होगा। कारण गीताजी में भी लिखा है कि श्रेष्ठ लोग जो करते हैं उसका अनुकरण दूसरे लोग करते हैं। यह सचा और अनुभवसिद्ध वाक्य है। मैंने आपका अनुभव माना है और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप कमला और रामेश्वरप्रसाद दोनों को आशीर्वाद देंगे। दूसरे भी ऐसा करेंगे तो अच्छी बात होगी। ऐसा करने से स्वतः की मुक की और कर्म की सेवा होगी। रामेश्वरप्रसाद और कमला दोनों वहाँ पर हैं ऐसा मैं जानता हूँ। दोनों समझते हैं। रामेश्वरप्रसाद समझता ही है और कमला भी इस कर्म की ही गई है कि उसके मा-बाप उसको मित्र केही समझ सकते हैं। इन दोनों को समझना चाहिए कि इनके मातापिता जो इतना परिक्रम कर रहे हैं, इतने लोग सार्थी बनने के लिए वहाँ जा गये हैं, यह विवाह स्वच्छन्द के लिए नहीं। विकार का गुलाम बनने के लिए नहीं। यह दम्पती आदर्श दम्पती बने; उनके ऊंचे भाव बढ़ाने के लिए ही यह सब कर रहे हैं। यह स्वाभिम में भी विकार को दवाने का मौका है। शाक तो यह बतताता है कि केवल प्रजा की इच्छा होने पर ही विकारवश हो सकते हो। इसको हम भूल गये हैं। और हमको यह बात कोई बतलाता नहीं। रामेश्वरप्रसाद को यह बात मैं बतलाना चाहता हूँ कि श्री पुरुष की गुलाम नहीं है। वह अर्वांगिनी है, सहचरिणी है। उसको मित्र समझना चाहिए। रामेश्वरप्रसाद स्वप्न में भी कमला को गुलाम न समझे। हिन्दूधर्म में भी ऐसे लोग अभी हैं जो श्री को अपना भ्रात समझते हैं। वे दोनों नये जीवन में प्रवेश करते हैं। मैंने एक बार कहा है यह तो एक नया जन्म है। यह दम्पती शिव-पार्वती या सावित्री-सत्यवान या सीता-राम के समान आदर्शभूत हो। हिन्दूधर्म ने स्त्रियों को इतना उंच स्थान दिया है कि इन सीता-राम कहते हैं राम-सीता नहीं, राधा-कृष्ण कहते हैं कृष्ण-राधा नहीं। अगर सीता नहीं होती तो राम की कोई नहीं जानता। अगर सावित्री नहीं होती तो सत्यवान का नाम भी नहीं सुनाई न जाता। अगर शीवही न होती तो पाण्डवों का पता भी न चलता। इच्छा कोकनी की जरूरत नहीं है।



मेरा विश्वास है कि यह कार्य हमको परिणामकारक होगा। मुझको ऐसा सोचने का मौका नहीं आने पावे कि मैंने कैसा अकार्य किया। अभी मेरे आयुष्य के शेष दिन रहे हैं उसमें मैं ईश्वर से बरकर चलना चाहता हूँ। जो कुछ करता हूँ अपनी अन्तरात्मा को पूछ कर करता हूँ। मेरी अन्तरात्मा कहती है कि यह दम्पती हमारे लिए आदर्श होगी हमको पश्चात्ताप का कोई मौका नहीं देगी। अन्त में मैं इन दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि ये दोनों दीर्घायु हों और अपने बच्चों को भी सुशोभित करें और धर्म की रक्षा तथा देश की सेवा करें।

### बादशाही क्रोध

वर्तमानपत्रों में प्रकाशित समाचारों से मालूम होता है कि शाहेनशाह ज्वाँज विलायत में जो आजकल हुन्नर उद्योग का प्रदर्शन हो रहा है उसे देखने के लिए गये थे। वहाँ उन्होंने देखा कि जिस विभाग में इंग्लैण्ड के टाइपराइटर दिखाये गये थे वही एक सरकारी कर्मचारी अमेरिका के बने हुए टाइपराइटर पर कागज टाइप कर रहा था। यह देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने पूछा: "यदि अंगरेजी टाइपराइटरों की आवश्यकता इंग्लैण्ड के बाहर होती है तो इंग्लैण्ड में अमेरिका के बने टाइपराइटर क्यों इस्तेमाल किये जाते हैं?" एक अधिकारी ने इसकी जाँच करने की प्रार्थना की और उन्हें शान्त करने का प्रयत्न किया लेकिन शाहेनशाह शान्त न हुए और उन्होंने कहा कि 'इसकी मुझे स्वयं जाँच करना होगी'। अंगरेजी टाइपराइटर बनानेवाले ने कहा: "यदि सरकारी आफिसों में अंगरेजी टाइपराइटर दालिक किया जाय तो प्रति टाइपराइटर में कम से कम एक मनुष्य का तो अवश्य ही रोजी दे सकता हूँ?" इसपर टीकाटिप्पणी करते हुए विलायत के वर्तमानपत्र कहते हैं कि जहाँ काम की सजा कुछ भी नहीं कर सकी है वहाँ बादशाह की छूटा और क्रोध काम कर जायगा।

हमें शायद यह मालूम हो कि जो इंग्लैण्ड सारी दुनिया में अपना माल बेजता है वह यदि अमेरिका के टाइपराइटरों का इतना द्वेष करे तो वह शायद अनुचित है। परन्तु यदि हम बादशाह की दृष्टि से विचार करें तो यह क्रोध वास्तविक प्रतीत होगा। इसका बचाव इस तरह किया गया या कि अमेरिका के टाइपराइटर विलायती टाइपराइटर के बनिस्बत अच्छे हैं इसलिए सरकारी आफिसों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रामा चतुर थे, ये समझ गये कि इस प्रकार परायी चीज अच्छी देख कर अपनी चीज फेंक नहीं दी जा सकती है। परायी वस्तु अच्छी हो तो वह उसीको धोभा देंगे जिसकी कि वह है। यदि हमसे बन पड़े तो हम उसका अनुकरण करें लेकिन यदि यह न हो सके तो जैसा भी हम बना सके हम उसीमें सन्तुष्ट रहना चाहिए। बादशाह को सद्व्र ही यह दलील सूझी होगी। यह चाहें जो हो, लेकिन यदि हम इस किसी से कुछ उपदेश ग्रहण करना चाहें तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अमेरिका के टाइपराइटर सरकारी आफिसों में बहुत तो एक हजार के करीब होंगे। उनको निकाल कर विलायती टाइपराइटर दालिक किये जायें और उस टाइपराइटर के मालिक की बात सच हो तो एक हजार अंगरेजों की रोजी मिल सकती है। लेकिन यदि हिन्दुस्तान में हमलोग बादशाह ज्वाँज के समान चतुर हो, उन्हीं के समान देश के प्रति प्रेम रखते हों और उन्हीं की तरह हम अपने ही ऊपर काय करें तो एक हजार का ही नहीं बल्कि करोड़ों भूखी मरनेवालों का पट भरा जा सकता है। और यह चीज सारी है। बिना परिश्रम के, तमस कर करकसर कपके और कर्ष बढाये बिना ही हर एक जी या पुरुष सारी का उपयोग

करे तो इतना परिवर्तन करने पर ही वह कम से कम एक मनुष्य को एक महीने की रोजी दे सकता है। क्योंकि प्रति मनुष्य कपडे का सामान्य कर्ष प्रतिवर्ष ८) होता है। इसमें ५) तो मजदूरी के ही जाते हैं और हिन्दुस्तान में करोड़ों मनुष्यों को इतने रुपये मिलते भी नहीं हैं। हिन्दुस्तान की वार्षिक आमदनी प्रति मनुष्य ३०) गिनी जाती है। यह तीस वर्ष पहले का अन्दाज है। मंहगी के कारण आज कुल ४०) गिनते हैं। लेकिन खर्च भी तो बढा हुआ है। इसलिए ३०) आज भी गिने जायें तो कोई भूल न होगी। लेकिन कोई भी अंक क्यों न लिया जाय, ५) की रकम एक मनुष्य की एक महीने की रोजी से अधिक ही है। और इतना बड़ा पुण्य संपादन करने के लिए राष्ट्र को सिर्फ अपनी भावना, अपना शोक बदलने की ही आवश्यकता है। विलायत के या मिल के अच्छे मुलायम कपडे का दर्जा गरीबों के हाथ से कटे हुए सूत के, उनके हाथ की बुनी सारी के बनिस्बत हमेशा १०) कम रहेगा।

(जबजीवन) मोहनदास करमचंद गांधी

### चरखा-संघ की नयी शाला

चरखा-संघ के नियमानुसार १८ साल से कम उमरवाले लड़के व बच्चे, दूसरे नियमों का पालन करने पर भी अब तक सभ्य नहीं बन सके थे और उनका सूत मेट में हो जमा किया जाता था। इसमें बहुत से लड़के, बच्चे पत्र द्वारा बार बार पूछा करते थे कि उनका नाम समासदों में क्यों नहीं लिखा जाता। इस विषय में विचार करने करते पिछली चरखा-संघ की बैठक में यह निमित्त किया गया कि १८ बरस से कम उमरवाले लड़के लड़कियाँ भी जो कि नियमपूर्वक सारी ही पहननेवाली हों, अपना ही कांता हुआ १००० गज सासिक सूत भेजने से चरखा-संघ के समासद बन सकेंगे। इसमें हेतु यह रहेगा कि लड़के लड़कियाँ नियमितता सीख सकेंगे और देश के गरीब लोगों के साथ एक प्रकार का नाता बांध सकेंगे। इसके सिवाय कांतने की कला से आस व अंगलियों को तालीम तो मिलेगी ही।

समासद होनेवाले नौजवानों से आशा रखी जावेगी कि वे रोज कम से कम आधा घण्टा कांतेंगे और इस काम के लिए अगर वे चाहे चास नियत समय रख छोड़ेंगे तो इससे उन्हें अभ्यास, व सूतरे दूरेक काम में भी नियमित होने की प्रेरणा होगी। उन्हें अपने बरखे सुध्वविधित रखने पड़ेंगे, उनको कुछ कुछ गुधारना भी सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे धुनने व पूर्ण बनाने की कला भी जान लेना होगा। इन सारी कियामों में अगर काम करने में जो लगे तब तो कुछ क्यादा बच नहीं लगता।

पाठशाला जानेवाले लड़के लड़कियाँ तो चरखे के बदले तकली का उपयोग करें तो बेहतर हाँगा। इतना निश्चित हो चुका है कि तकली पर फी घण्टा ८० गज तो आप्रानी से कांता जा सकता है। इसलिए रोजाना आधा घण्टा कांतने से महीने में १००० गज बिना दिक्कत सूत तैयार किया जा सकेगा।

आशा है कि अपने अपने संरक्षकों की इजाजत के कर बहुत से लड़के और लड़कियाँ इसमें अपना नाम लिखावेंगे। पाठशालाओं में तो अगर शिक्षक लोग लड़कों का सूत इकट्ठा कर के दूरेक पर उनका नाम बगैरह लिख कर एक साथ पारसल कर के भेज दें तो खर्च की बचत होगी।

सूत भेजने का पता-- शिक्षण विभाग चरखामंड, साबरमती।

सूत पर लिखने की बातें:-- भेजनेवाले का नाम, उम्र, ठिकाना, सूत की लंबाई, बजन व अंक।

( सं० ई० )

सी० क० गांधी

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक २८

मुद्रक-प्रकाशक  
स्वामी आनंद

अहमदाबाद, फाल्गुन शुद्धी १३, संवत् १९८२  
२५ गुजबाद, फरवरी, १९२६ ई०

मुद्रकस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
बारंगपुर सरकोमरा की बाड़ी

## सस्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

### अध्याय १२

#### जाति-बहिष्कृत

माता की आज्ञा और आशीष पा कर, आर कुछ भतीनों का बालक पत्नी के साथ छोड़ कर मैं उत्साहपूर्वक बम्बई पहुँचा। मैं वहाँ पहुँचा तो सही परन्तु मित्रों के मेरे बड़े भाई से कहा कि जून और अक्टूबर के महीनों में हिन्दी महासागर में बड़ा तूफान रहता है और समुद्र की मेरी यह पहली ही सफर होने के कारण मुझे दीव की बीतने के बाद नवम्बर के महीने में ही विदा करना चाहिए। और किसीने तूफान में स्टीमरों के डूब जाने की भी बात की थी। यह सुन कर बड़े भाई जरा चकचके। उन्होंने ऐसा जोखिम उठा कर मुझे उम समय जेजने से इन्कार किया और मुझे बम्बई में मित्रों के साथ छोड़ कर वे अपनी नौकरी पर राजकोट चले गये। तबसे वे हमारे एक बहनोई के पास छोड़ गये थे और मुझे मदद करने के लिए मित्रों से सिफारिश करते गये थे। बम्बई में मुझे दिन बड़े से मादम होने लगे और विलायत के ही स्वप्न आते थे।

परन्तु इस दरम्यान जाति में बड़ी खलबली मची। पंचायत बैठी। अब तक कोई मोठ बनिया विलायत नहीं गया था और इसलिए यदि मैं विलायत जाऊं तो मेरी खबर लेनी चाहिए। मुझे जाति की पंचायत में हाजिर रहने के लिए कहा गया। मैं वहाँ गया मुझे यह खबर नहीं है कि उस समय मुझ में क्यायक कहाँ से हिम्मत आ गई थी। मुझे वहाँ हाजिर होने में न संकोच मादम हुआ न डर। जाति के मुखिया कुछ दूर के रिश्तेदार भी होते थे। मेरे पिताजी के साथ उनका निकट परिचय था। उन्होंने मुझसे कहा:

“जाति का ख्याल है कि विलायत जाने का तुम्हारा विचार उचित नहीं है। हमारे धर्म में समुद्र पार करने की मनाई है। और हमको यह भी सुनते हैं कि विलायत जा कर धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। वहाँ साहब लोगों के साथ जाने पीने का व्यवहार रखना पड़ता है।”

मैंने उत्तर दिया: “मेरे ख्याल से विलायत जाने में बरा गी अर्थ नहीं है। मुझे तो वहाँ जा कर विलायत करना है। और

जिन बातों का आपको मय है उनसे दूर रहने की तो मैंने अपनी माताजी के समक्ष प्रतिज्ञा की है। इसलिए मैं उनसे दूर रह सकूँगा।

‘लेकिन हम तुमसे यह कहने हैं कि वहाँ धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी के साथ मेरा क्या परिचय था। तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए।’ सेठ बोले।

‘आप का मेरे पिताजी के साथ ऐसा परिचय था उसे मैं जानता हूँ। आप मेरे पृथ्व हैं लेकिन इस विषय में मैं लाचार हूँ। मेरा विलायत जाने का निश्चय मैं न बदल सकूँगा। मेरे पिताजी के मित्र और सलाह देनेवाले जो एक विद्वान ब्राह्मण हैं वे यह मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कुछ भी दोष नहीं है। मेरी माताजी और बड़े भाई की आज्ञा भी मुझे प्राप्त हो गई है।’ मैंने उत्तर दिया।

‘लेकिन जाति का हुक्म तुम न मानोगे?’

मैं असमर्थ हूँ। मेरे ख्याल से तो जाति को इस विषय में बीच में न पड़ना चाहिए।

इस उत्तर ने सेठ को कोण हुआ। उन्होंने मुझे दो चार सुना दीं। मैं हस्रव बैठा रहा। सेठ ने हुक्म दिया:

“यह लड़का आज से जातिबाहर समझा जायगा। जो कोई इसे मदद करेगा या पहुंचाने जायगा उससे जाति खयाल तलब करेगी और १) जुरमाना होगा।

इस निर्णय का मुझ पर कुछ भी असर न हुआ। मैंने सेठ से अपने मुकाम पर जाने के लिए इजाजत माँगी। इस निर्णय का मेरे भाई पर क्या असर होता है इसका विचार करना आवश्यक था। यदि वे डर जायेंगे तो? सद्भाव से वे हट बने रहे और मुझे लिखा कि जाति का ऐसा निर्णय होने पर भी मैं तुम्हें विलायत जाने से न रोकूँगा।

इस घटना के बाद मैं बड़ा आश्रित हो गया था। यदि बड़े भाई पर दबाव डाला जायगा तो? और दूसरा कोई विषय आयेगा तो? इस प्रकार चिन्ता ही चिन्ता में मैं दिन वरतीत कर रहा था कि यह समाचार मिले कि जयी सितम्बर को जानेवाले स्टीमर में जूनागढ के एक बकास वेस्टिटर बनने के लिए विलायत जा रहे हैं। बड़े भाई ने जिन मित्रों से मेरी निक रिश की थी उनसे मैं मिला। उन्होंने भी ऐसा साथ न छोड़ने की सलाह

ही। सुमय बहुत ही कम था। मैंने भाई को तार दिया और जाने के लिए इजाजत माँगी। उन्होंने इजाजत दे दी। मैंने बड़नोई से दाम्ये माँगे। उन्होंने जाति के हुक्म की मान कड़ी। जाति से बहिष्कृत होने के लिए वे तैयार न थे। हमारे कुटुम्ब के एक मित्र के पाग में पहुँचा और उनके प्रार्थना की कि वे मुझे भिराया ज्वाकि के लिए कुछ रुपये दें और बड़े भाई से फिर उसे वापस कर लें। उस मित्र ने यह स्वीकार कर लिया। यही नहीं उन्होंने मुझे हिम्मत भी दी। मैंने उन्हें चम्बवाट दिया। उनसे रुपये लेकर टिकट खरीदा। बिलायत के सफर का सब सामान तैयार करना था। एक दूमेरे अनुभवों मित्र थे। उन्होंने सामान तैयार करवाया। मुझे यह सब बड़ा विचित्र मालूम हुआ। कुछ बातें पसन्द आयी और कुछ तो बिल्कुल ही पसन्द न आयी थी। नेकटाई जिसे मैं पीछे से शौक से पहनता था उस समय बिल्कुल ही पसन्द न आयी थी। छोटा सा आकृत पहनना नंगा पोशाक मालूम हुआ। लेकिन बिलायत जाने के शौक की तुलना में ऐसी नापसन्दी का कुछ भी हिसाब न था। जानेपाने की चीजें भी अच्छे परिमाण में साथ ली थीं।

मित्रों ने मेरे लिए ग्रंथालय मजमुदार (जुरागह के उन बड़ील का नाम है) की खाली में हो जगह रखी थी। उनसे मेरे लिए सिकासि भी की थी। वे तो प्राइ वय के अनुभवों पृष्ठस्थ थे। मैं अठारह साल का अनुभव-रहित युवक था। मजमुदार ने मित्रों को मेरी चिन्ता न करने के लिए कहा।

इस प्रकार १८८८ के सितम्बर की ४ तारीख को मैंने बम्बई छोड़ा था।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गोधी

## एक विद्यार्थी के प्रश्न

एक भारतीय ईसाई जो लंडा (सीलोन) में जा बसे है और अभी संयुक्त प्रान्त अमरीका में अध्ययन कर रहे हैं, लिखते हैं:

“मैं जब से फोल्डों में था तब से आज तक अन्तिम कुछ महीनों को छोड़ करके इतने साल तक आपके कार्यों का और हलचल का बराबर अध्ययन करता चला आ रहा हूँ। हाल तो मैं संयुक्त प्रान्त अमरीका में मं. मं. कि. ए. काँजेज में अपने निवासस्थान सीलोन में कार्य करने के लिए तैयार होने के लिए अध्ययन कर रहा हूँ।

लेकिन इन अन्तिम कुछ महीनों से जब से मैं सीलोन छोड़ कर यहाँ आया हूँ, मुझे भारत में आपके कार्यों का कुछ भी समाचार नहीं मिलता है और इसलिए जब आपके और आपके कार्य के बारे में मुझसे प्रश्न किये जाते हैं तो मैं कुछ बातों का निश्चय नहीं कर सकना हूँ। इसलिए मैं आपको यह पत्र लिखने की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ के पत्र-पत्रिकाओं आपके कार्य के सम्बन्ध में मुक्तलिख तारें लिखते हैं इसलिए मुझे अपनी ओर मेरे अमरिकन मित्रों की जानकारी के लिए आपके कार्यों का सच्चा इतान्ना आपसे ही पूछना पड़ता है।”

जो प्रश्न पूछे गये हैं उनमें से कुछ का तो इस पत्र में उत्तर दिया जा चुका है। लेकिन ये इतने सामान्य उपयोग के हैं कि उन्हें पुश्ताना भी उचित ही होगा। उनका पहला प्रश्न यह है:

‘ईसा मसीह के उपदेशों के सम्बन्ध में आपका क्या कयाल है?’

मेरी दृष्टि में उसका नैतिक मूल्य बहुत भारी है। लेकिन इजिप्त में जो कुछ भी कहा गया है उसे मैं ईश्वर का अन्तिम वाक्य

नहीं मानता हूँ, न यह कि उसमें सब बातें आ जाती हैं या उसकी सब बातें नैतिक दृष्टि से स्वीकार्य हैं। मानवजाति के सब से महान् उपदेशों में से ईसा मसीह की ये एक मानता हूँ। लेकिन मैं उन्हें ईश्वर का ए-मात्र पुत्र नहीं मानता। इजिप्त के बहुत से वाक्य तो गूढ़वादिशों से हैं। मेरी दृष्टि में शब्दार्थ से न-सह होता है और तत्त्व से जीवन प्राप्त होना है।

दूसरा प्रश्न है: क्या आप जातिभेद को मानते हैं? यदि मानते हैं तो आप की दृष्टि में उसका क्या मूल्य है?

मैं जातिभेद को जैसा कि आज यह है नहीं मानता हूँ। लेकिन चार मुख्य वृत्तियों के कारण जो वर्ण के चार मुख्य भेद हैं उन्हें मैं अवश्य मानता हूँ। वर्तमान असंख्य जातियाँ या उसकी कृत्रिम मर्यादा और विशाल आच्छन्न धार्मिकता के विकास को हानि पहुँचाते हैं। उसके हिन्दुओं के सामाजिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचती है और इसलिए उसके पक्ष-सर्वों की भी हानि होती है।

तीसरा प्रश्न है: “आप की क्या यह इच्छा है कि भारतवर्ष को ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त हो या उसे सम्पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो और ब्रिटिश सरकार के साथ किसी प्रकार का भी सम्बन्ध न रहे? यदि आपकी इच्छा यह है कि भारत को सम्पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो तो ब्रिटिश संघ के बदले उसका स्थान ग्रहण करने के लिए आपने कौन-सा संघ सोच रक्खा है?”

यदि वह सच्चा हो और वाममात्र का न हो तो ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति से भी मैं सन्तोष मान लूँगा। केवल ब्रिटेन का सम्बन्ध त्याग करने के लिए ही मेरी इच्छा उसके साथ का तमाम सम्बन्ध त्याग करने की नहीं है। लेकिन यदि मुझ में उतनी शक्ति होती तो मैं वर्तमान अस्वा-भाविक और शक्ति विवृति का माश एक क्षण का भी विरोध किये बिना कर देता क्योंकि उससे राष्ट्र का सम्पूर्ण विकास होने में बाधा पहुँचती है। इसलिए ब्रिटेन के साथ एकमात्र जैसा सम्बन्ध रखने की मेरी इच्छा है और जिस सम्बन्ध को मैं मूल्यवान समझता हूँ वह सम्पूर्ण स्वतंत्र और स्वच्छता से दिया हुआ समान साहचर्य का सम्बन्ध है। यदि यह सम्बन्ध टूट गया तो भी भारत में सांस्कृतिक तौर पर लोगों की प्रकृति के अनुकूल प्रजासत्त राज्ज ही होगा। एक राज्य की इच्छा से नहीं बल्कि लाखों मनुष्यों की इच्छा से ही उसकी स्वरूप-रचना की जायगी।

चौथा प्रश्न है: “देशी राज्य और उसके राज्यकर्ताओं के प्रति आपका व्यवहार कैसा है?”

देशी राज्य और उनके राज्यकर्ताओं के प्रति मेरा सम्पूर्ण विभ्रता का व्यवहार है। मैं चाहता हूँ कि उनके राज्यतंत्र में सर्वथा सुधार हो जाय। बहुत से देशी राज्यों की हालत बड़ी शोचनीय है लेकिन सुधार भीतर ही से होना चाहिए और वह तो राज्यकर्ता और प्रजा के सम्बन्ध को एक सूत्र में बाने का सवाल है आसपास के प्रान्तों के अधिक शिक्षित जनसमाज की राय का उस पर जो कुछ दबाव पड़े वह पड़ेगा जैसा कि पचना लाजिमी है।

पाँचवा प्रश्न है: ‘संयुक्त राज्य अमरीका की पद्धति पर भारत का संयुक्त राष्ट्र क्या बनाया जाय तो क्या आपको यह पसंद होगा?’

यह तुलना खतरनाक है। अमेरिका के संयुक्त राज्यों में जो बात उपयोगी हो सकती है वह चायद भारत को उपयोगी न हो। लेकिन इसका क्याक रखते हुए अन्तिम राज्यतंत्र तो मेरे कर्वाक

है भाषा के आधार पर बने हुए प्रान्तों का स्वतंत्र और स्वायत्त कर संगठन ही होगा ।

उठा प्रश्न यह है: 'यहाँ के वर्तमानपत्रों में प्रकाशित होनेवाले बहुत से लेखों में यह लिखा जाता है कि आप बहुत सी बातों में डा. टागोर से निष्पत्ति प्राप्त रखते हैं और उनमें और आप में अन्तर पड़ गया है । क्या यह सच है ? यदि हाँ, तो किन बातों के कारण यह मतभेद हुआ है ?'

मेरा डा. टागोर से बहुत सी बातों में मतभेद नहीं है । कुछ बातों में मतभेद अवश्य है । यदि मतभेद न होता तो वह आश्चर्य की बात होती । लेकिन उससे या और किसी कारण से भी हमलोगों में केवल कोई अन्तर ही नहीं पड़ा है बल्कि हम दोनों में सच्चा दिली रिश्ता हमेशा रहा है और अब भी है । हमलोगों में बौद्धिक मतभेद होने के कारण तो हमारी मित्रता बलवत् और भी अधिक गहरी और सच्ची है ।

सातवाँ प्रश्न है: "अभी आर. आर. में क्या कर रहे हैं ? क्या आपने राजनीति और राजनैतिक नेतापन का त्याग कर दिया है ?"

अभी तो मैं गांधी जमाई से प्रसन्न विधायक का उपभोग कर रहा हूँ और उरीके साथ अ० भा० सरकार संघ के कार्य का विकास कर रहा हूँ; यही एक अखिल भारतीय हलचल है, जिसमें मेरा ध्यान लगा हुआ है । जिस वर्ष के लिए मैं महासभा का प्रमुख था उसके अन्त में ही मेरा राजनैतिक नेतापन भी समाप्त हो गया । बल्कि सच पूछा जाय तो मेरे जेल जाने बाद ही उसकी धमालि हो गई थी । क्योंकि राजनीति की मेरी व्याख्या के अनुसार तो मैंने उसका त्याग नहीं किया है । दूसरे किसी प्रकार से तो मैं कभी राजनीतिज्ञ था ही नहीं । मेरी राजनीति का संबंध आन्तरिक विकास के साथ है । परन्तु उसका रूप विश्व-व्यापी होने के कारण बाद-वस्तुओं पर उसका बहुत बड़ा असर होता है ।

आठवाँ प्रश्न है, "यहाँ पर मैंने बहुत कुछ वर्णद्वेष फैला हुआ पाया है और कभी कभी तो हमें अपने वर्ण के कारण बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं । ऐसी हालत में आप मुझे क्या करने की सलाह देंगे । क्या मैं उसके संबंध की सब बातें लोगों को जानकारी के लिए अपने देश को लिख कर भेजू तो यह उचित होगा ? अथवा जब कभी मुझे सार्वजनिक उद्घाटन देने के लिए निमन्त्रण मिले तब क्या यह उचित होगा कि मैं यहाँ के संयुक्त राज्य के लोगों को ही स्वयं यह सब बातें कह सुनाऊँ ?"

मेरी सलाह तो यह है कि जब वहाँ गये हो तो वर्णद्वेष की बातों को भूल कर ही वहाँ रहना चाहिए । लेकिन जहाँ किसी भी प्रकार से स्वमान को हानि पहुँचती हो वहाँ भी जान से उसका साधना करना चाहिए । जिन लोगों की प्रतिकूल वायुमण्डल में रहना और फिर भी अपने स्वमान की रक्षा करना है उनके भाग्य में तकलीफें तो बड़ी हुई हैं ही । उसके सम्बन्ध की बातें यदि आप बहुत और अत्युक्त की छोट कर लिखेंगे तो कहीं भी आप उसे प्रकाशित करायें, अवश्य यह उचित ही समझा जायगा । जब कभी मौका मिले, तब संयुक्त राज्य के लोगों को अपनी तकलीफें सुनाना ही बहुत उत्तम बात होगी ।

नवाँ प्रश्न है: "यहाँ के विद्यार्थियों के लिए क्या आप एक छोटा सा सन्देश भेजेंगे ? सामान्य तौर पर वे बड़े अच्छे लोग हैं और वे सं. मे. कि. ए. के कार्य को जीवन अर्पण करने की तैयारियाँ कर रहे हैं ।"

यदि आपका मतलब भारतीय विद्यार्थियों से है तो मेरी सलाह यह है "उस दूर विश्व में आपमें जो कोई उत्तम बात हो उसे व्यक्त करो जिससे आपके जीवन आपके पड़ोसियों के लिए अनुकरणीय बन जाय । पश्चिम में जो कुछ देखें उन सब का अनुकरण महज दुःख की तरह न करो । और आप ईसाई विद्यार्थियों की तरफ से लिखते हैं इसलिए ईश्वर से इस वाक्य की उद्भूत करने का मुझे कोश होता है—'प्रथम तुम ईश्वर का राज्य और उसकी पवित्रता ढूँढो और फिर सब बातें आपकी स्वयं प्राप्त हो जायगी ।"

(सं० ३०)

माहन्यास करमचंद गांधी

### त्रैमासिक व्योरा

अ० भा० सरकार संघ के पंजी लिखते हैं:

"१९२५ के आखिरी तीन महीनों में जितनी खादी पैदा हुई और बिकी उसके अंक सं. इ. में प्रकाशित होने के लिए भेजा रहा हूँ । ऐसे प्रगति के रिपोर्टों की तैयार करने में हमें बड़ी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है क्योंकि जुदी जुदी खादी की संस्थाओं की तरफ से किये गये कार्यों का व्योरा हमें समय पर नहीं मिलता है । क्या आप कृपा कर के खादी का कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रति-मास खादी की पैदाइश और बिक्री के व्योरे नियमपूर्वक भेजने के लिए कहेंगे ताकि हमारे महीने की २० तारीख तक यह हमें प्राप्त हो जाय । इन संस्थाओं की तरफ से यदि अच्छा सहयोग प्राप्त हो और समय पर उनका रिपोर्ट मिलता रहे तो हम प्रति मास ऐसे अंक तैयार कर के भेज सकेंगे ।

१९२५ के आखिरी तीन महीनों में जुदे जुदे प्रान्त की खादी की पैदाइश और बिक्री के अंक:

प्रान्त	पैदाइश (रुपयों में)	बिक्री (रुपयों में)
अजमेर	८२८१-०-०	३६८२-०-०
आन्ध्र	५६५८५-०-०	८९०४३-०-०
बंगाल	११०५६४-०-०	७४६०९-०-०
बिहार	४७४४८-०-०	५९८०७-०-०
बम्बई	...	७९३२९-०-०
बर्मा	...	६००३-०-०
सम्प्र. प्रान्त हिन्दी	८७७-०-०	१७०२-०-०
" मराठी	...	४७९४९-०-०
दिल्ली	३३९९-०-०	५०९९-०-०
गुजरात	१३१५७-०-०	२३०३६-०-०
केरल	९७६-०-०	४१९३-०-०
करनाटक	१३५८२-०-०	१९८७७-०-०
महाराष्ट्र	८२५-०-०	१८३४९-०-०
पंजाब	१८२३६-०-०	२६०२२-०-०
सिंध	...	६१८८-०-०
तामिलनाडु	२५९६०-०-०	२८५६२०-०-०
संयुक्त प्रान्त	११४८३-०-०	३८३७८-०-०
उत्तर	६७७७-०-०	९१७२-०-०
कुल	५४३९५९-०-०	७४४९५९-०-०



# हिन्दी-नवजीवन

शुक्रवार, फाल्गुन शुद्ध ६, संवत् १९८२

## हमारी शर्म

डा. मलान का प्रस्ताव और बाइसराय के द्वारा उसकी अन्तिम स्वीकृति, राष्ट्र के लिए शर्म की एक बड़ी कटु घंटा हो गई है। यूनियन सरकार ने एक सिलेक्ट कमिटी खड़ी की है जो एशियाटिक बिल के तत्त्व और उसकी छोटी मोटी बातों के सम्बन्ध में गवाहियां लेगी। डा. मलान ने उसे चार शर्तों से मर्यादित कर दिया है। भारत-सरकार की तरफ से केवल पेडीसन प्रतिनिधि मण्डल ही उस समिति के समक्ष गवाही दे सकेगा। भारतवर्ष से न कोई दूसरा प्रतिनिधि मण्डल और न कोई 'हलचल करनेवाला' ही — यह डा. मेलन के अपने शब्द हैं — गवाही की पूर्ति के लिए भेजा जा सकेगा। सिलेक्ट कमिटी को पहली मार्च के पहले अपनी रिपोर्ट दे देनी होगी और यूनियन पार्लियामेन्ट की वर्तमान बैठक में ही उसका अन्तिम निर्णय करने के लिए बिल लाया जाना चाहिए।

मेरी राय में तो कोई स्वतन्त्र राष्ट्र इसमें से एक भी शर्त को स्वीकार नहीं कर सकता है। पंजीसन प्रतिनिधि मण्डल तो केवल तथ्य बना है यह जानने के लिए वहां गया है समझौता करने के लिए नहीं। यदि उसे वहां समझौता करना होता और गवाही देनी होती तो उससे कहीं अधिक महत्व का प्रतिनिधि मण्डल ही वहां गया होता। दूसरा कोई भी प्रतिनिधि मण्डल दक्षिण अफ्रिका में नहीं जाना चाहिए यह शर्त लगाना अपमान करना है। उससे भी अधिक अपमान की बात भारत सरकार पर यह आरोप लगाना है कि वह कभी किसी हलचल मचानेवाले को भी वहां भेज सकती है। पेडीसन प्रतिनिधि मण्डल के मानों संरक्षक बन कर डा. मलान ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह उस अपमान को और भी बड़ा देता है। और सिलेक्ट कमिटी को अपनी रिपोर्ट पहली मार्च के पहले देनी होगी, यह शर्त होने के कारण भारत सरकार या दक्षिण अफ्रिका के भारतीयों को यह दिखाने लिए कि बिल का सिद्धान्त १९१४ के समझौते के खिलाफ है, उन तमाम सुबूतों को एकत्र करना और उन्हें कमिटी के समक्ष पेश करना, बड़ा ही मुश्किल है, चायद यह संभव भी न हो सके।

और सिलेक्ट कमिटी मुकर्रर कर के उसीके साथ इस बात को भी जाहिर करना कि यूनियन पार्लियामेन्ट की इसी बैठक में उस बिल का काम हाथ में लिया जावेगा, इस बात को जाहिर करता है कि यूनियन सरकार ने इसके सम्बन्ध में अपना विचार निश्चय कर लिया है और सिलेक्ट कमिटी बनाना तो केवल भारत सरकार के बचाव के लिए और हुनिया को यह विश्वास कराने के लिए कि यूनियन सरकार कुछ भी अन्याय नहीं कर रही है उसकी आंखों में धूल डालना है। इसलिए यूनियन सरकार की यह जो रियायत कही जाती है उससे दुर्भाग्य औपनिवेशिकों को कोई मन्तोष हो ऐसी मुझे कोई आशा नहीं है। सरकार को अपनी शक्ति का सम्पूर्ण प्रयोग है और वह औपनिवेशिकों के खिलाफ उसका उपयोग करने के लिए तैयारी है। यह तो स्पष्ट है कि भारत सरकार सिलेक्ट कमिटी के निर्णय को स्वीकार करेगी और भारतीयों को केवल उनके भाग्य पर ही छोड़

देगी। भारत अपनी वर्तमान हालत में यूनियन सरकार के कार्य के खिलाफ अपना अधिक दृढ़ जोरदार और सार्वत्रिक विरोध जाहिर करने के अलावा और कुछ भी करने के लिए असमर्थ है। तब फिर उपनिवेशों में जा कर बसे हुए भारतीय क्या करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर केवल वे ही दे सकते हैं।

(क. सं.)

मीहनदास करमचंद गांधी

## लडाई के दुष्परिणाम

मि. पेन की पत्रिका का अब दूसरा अध्याय आरंभ होता है। यह हमने देखा लिया कि लडाई कैसे चलनी। अब इस लडाई के नकेलुकसान का हिसाब इस अध्याय में दिया गया है। उसके कामों का विचार करते हुए केवल उसे 'मित्रराज्यों को हुआ लाभ' यह नाम देते हैं अर्थात् यह है ही नहीं कि मानवजाति को उससे कुछ भी लाभ हुआ हो। लेकिन उससे जो नुकसान हुआ है यह केवल मित्र राज्यों का ही नहीं है बरन् सारी मानवजाति का है। जर्मनी की आर्थिक स्वतंत्रता नष्ट कर दी गई। जर्मनी के आर्थिक विकास को असम्भवनीय बना दिया गया, जर्मनी की युद्धशक्ति का नाश हुआ और कुछ राष्ट्रों को नाम मात्र की स्वांत्रता प्राप्त हुई, यही मित्र राज्यों का लाभ कहा जा सकता है। परन्तु नुकसान का तो कोई हिसाब निकाला जा सकता है? आज केवल इसी एक बात का अन्दाज लगाते हैं कि उससे कितनी जाने जाया हुई थी।

नीचे दिये गये अंको से कितनी जाने जाया हुई उसकी कल्पना की जा सकेगी —

देश	सूत	घरत नकमी हुए
अमरिका	१०७,२८४	४३,०००
ग्रेटब्रिटन	८०७,४५१	२१७,७४०
फ्रान्स	१४२७,८००	७००,०००
रशिया	२७६२,०६४	१,०००,०००
इटली	५०७,१६०	५००,०००
बेल्जियम	२६७,०००	४०,०००
सर्विया	७०७,३४३	३२२,०००
रोमानिया	३३९,११७	२००,०००
ग्रीस	१५,०००	१०,०००
युगुगाल	४,०००	५,०००
जापान	२००	...

कुल ६,९३८,५१९ ३,४३७,७४०

देश	थोके बहुत नकमी हुए	कैद हुए या मृत हुए
अमरिका	१४८,०००	४,९१२
ग्रेटब्रिटन	१४४१,३९४	६८,९००
फ्रान्स	२३४४,०००	४५३,५००
रशिया	३९५०,०००	२५००,०००
इटली	४६२,१९६	१३५९,०००
बेल्जियम	१००,०००	१०,०००
सर्विया	२८,०००	१००,०००
रोमानिया	...	११६,०००
ग्रीस	३०,०००	४५,०००
युगुगाल	१२,०००	२००
जापान	९०७	३

कुल ८,५१६,४९७ ४,६५३,५२२

देश	मृत	सकल जन्मी हुए
जर्मनी	१६११,१०४	१६००,०००
ऑस्ट्रियाईगरी	९११,०००	८५०,०००
इटली	४३६,९०४	१०७,७७२
बल्गेरिया	१०१,१२४	३००,०००
<b>कुल</b>	<b>३,०६०,२५२</b>	<b>२,८५७,७७२</b>

देश	थोड़े बहुत जन्मी हुए	कैद हुए या गुम हुए
जर्मनी	२१८३,१८३	७७२,५५२
ऑस्ट्रियाईगरी	२१५०,०००	४४३,०००
इटली	३००,०००	१०३,७३१
बल्गेरिया	८५२,३९९	१०,८२५
<b>कुल</b>	<b>५,४८५,५४९</b>	<b>१,३३०,०७८</b>

सब राष्ट्रों का कुल नुकसान

मृत	९,९९८,७६१
सकल जन्मी हुए	६,२९५,५१२
थोड़े बहुत जन्म हुए	१४,००२,०३९
कैद या गुम हुए	५,९८३,६००

कोई एक करोड़ मनुष्य जान से हाथ धो बैठे यह कहने से हमारी कल्पना में यह बात नहीं आ सकती कि उससे कितना नुकसान हुआ है। जब कोई जुलूस निकलता है तब हम उसे देखने के लिए एक कतार में खड़े रहते हैं लेकिन एक करोड़ मनुष्यों का जुलूस कभी किसी ने न देखा होगा। दस दस सैनिकों की कतार परेड करती हों और दो कतारों के बीच दो सैनिकों का अन्तर हो तो एक करोड़ सैनिकों को एक निर्दिष्ट स्थान से जाने में ४८ दिन लगेंगे ?

और यह अंक भयंकर माहूम होते हैं परन्तु इसमें जो हानि हुई है उसकी सारी कथा नहीं कही गई। ५,९८३,६०० मनुष्य कैद या गुम हुए बताये गये हैं उनमें से बहुतेरों के तो युद्ध करने में ही प्राण निकल गये होंगे। इंग्लैण्ड में सरकार की तरफ से जो विनती हुई थी उसमें यह निश्चय किया गया था कि गुम हुए मनुष्यों में से कोई ६० प्रति सैकड़ा मनुष्यों का तो मर जाना ही संभव है। केनेडा के अंकों का अन्दाज ५६ प्रति सैकड़ा है और फ्रान्स के अंकों का ८० प्रति सैकड़ा है। अर्थात् कैदी या गुम हुए मनुष्यों में से यदि आधी संख्या भी मरे हुए मनुष्यों की सामें तो इन मनुष्यों की संख्या में कोई ३०,०००,०० मनुष्य और बचेंगे।

और यह अंक लड़ाई में गये हुए मनुष्यों के हैं। इसके अलावा न उबनेवालों लोगों में भी लड़ाई के कारण बहुतेरों को काल के गाल में फंस जाना पडा था— अर्थात् लड़ाई के रोगों के कारण, फल होने से, बम गिरने से, तोप के गोले उड़ने से, बहिष्कार से, भूख से और कप खाना मिलने से वे मृत्यु के मुक्त में जा पडे थे। असंख्य प्रमाणों की जाँच करने के बाद प्रो चोगार्ट कहते हैं “ यह आसानी से कहा जा सकता है कि युद्ध न करनेवाले मनुष्यों के प्राणों का लड़ाई के कारण अथवा लड़ाई से उत्पन्न कारणों के द्वारा जो हानि हुई है वह लड़ाई में जा कर लड़नेवाले लोगों की प्राण-हानि के बराबर ही है। जो प्रमाण दिये गये हैं उनमें तो हरसे हरसे यह अन्दाज लगाया गया है— वही कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि १ लाख ३०००० मनुष्यों की और भी अधिक प्राणहानि हुई है। लड़ाई के कारण पिताहीन हुए बालकों की संख्या तो बड़ी संभाव्य है। फ्रान्स के सरकारी अंकों से माहूम होता है कि ८७७,५०० बालक पिताहीन हुए थे। डॉ. कोचर ने अनुमान किया है कि ५१२,०००

इटालियन बालक पिताहीन हो गये थे। यदि फ्रान्स के पिताहीन बालकों और मृत सैनिकों का परिमाण दूसरे देशों पर भी लगाया जा सके तो लड़ाई से कुल ६५ लाख बालक पिताहीन हुए थे यह कहा जा सकेगा। यदि इटली की आँसत लें तो यह संख्या दूनी हो जावगी। फ्रान्स की आँसत सब से कम है और इटली की सब से अधिक। इसलिए लड़ाई के कारण पिताहीन हुए बालकों की संख्या ९० लाख के आसपास होगी।

फ्रान्स की पेन्शन आफिस में संधि होने के दिन लड़ाई के कारण विधवा हुई ५ लाख ८५ हजार स्त्रियों के नाम रजिस्टर किये गये थे। उनकी सभी संख्या तो अवश्य ही इससे अधिक होगी। दूसरे देशों की तुलना में फ्रान्स में विवाह का परिमाण कम है। इसलिए यदि यह कहा जाय कि ४०-४५ प्रति सैकड़ा मनुष्य अपने पीछे विधवाओं को छोड़ कर मर गये हैं तो यह कोई अत्युक्ति न होगी। अर्थात् यह कहने में कि कुल ५० लाख स्त्रियाँ लड़ाई के कारण विधवा हुई हैं कोई भूल न होगी।

आक्रमणों के कारण लाखों मनुष्यों को घरदार छोड़ कर भागना पडा था और उससे मनुष्यों का दुःख और प्राणहानि बहुत बढ़ गई थी। इसके सम्बन्ध में डॉ. काक्स लिखते हैं: ‘ हमने उन्हें सूजे हुए पंरों से घोर उठा कर, रास्तों पर गिरते पड़ते चलते हुए देखा है। रास्ते में बालकों का जन्म होना भी सुना है और हाल ही के जन्मे बच्चों को भीलों तक उठा कर के जानेवाली माताओं को भी देखा है। भागनेवाले मनुष्यों को ज्वन मालगोशियों में भर दिया जाता था और अनेक स्थानों में ठहरते हुए आखिर धीरे धीरे उन्हें एक अनजाने कौने में भूखेप्यासे, बके हुए पैकेटोंके निकाल देते हुए भी देखा है। बेसिक्वम में १,२५०,००० मनुष्यों की फ्रान्स में २०००,००० मनुष्यों की, इटली में ५००,००० मनुष्यों की, ग्रीस में ३००,००० मनुष्यों की, सर्बिया में ३००,००० मनुष्यों की और आर्मीनिया में २०००,००० मनुष्यों की ( सिवा इसके कि उनमें से बहुत से रेतोंके मैदान में चले गये थे और मृत्यु को प्राप्त हुए थे ) पूर्व जर्मनी में ४०००,००० मनुष्यों की और रोमानिया, रशिया और आस्ट्रीया में बहुत से मनुष्यों की इस प्रकार कुल एक करोड़ मनुष्यों की यह दशा हुई थी।

लड़ाई की सबसे बड़ी हानि तो मृत मनुष्यों के प्रकार की दृष्टि से हुई है। एक करोड़ तीस लाख सैनिकों की जो प्राण हानि हुई वह अच्छे से अच्छे लोगों की ही हुई है क्योंकि दुबके पतके लोग तो फौज में लिये ही नहीं जाते थे। बलवानों से भी बलवान, प्रामाणिकों से प्रामाणिक बचे अच्छे लाखों मनुष्य मर गये। संसार के इतने नवयुवकों का मृत बहा; उसकी भीषणता की कल्पना आब कैसे की जा सकती है। अब इसका संक्षिप्त चार दक्षिणः

- १ करोड़ सैनिकों की मृत्यु
- ३० लाख अधिक सैनिकों के मरण की संभावना
- १ करोड़ ३० लाख युद्ध में न गये हुए मनुष्यों की मृत्यु
- २ करोड़ जन्मी हुए
- ३० लाख कैदी बने
- ९० लाख बालक पिताहीन हुए
- ५० लाख स्त्रियाँ विधवा हुई
- १ करोड़ मनुष्य घरदार हीन हुए

इसे दो सैक्रेण्ड में पठ सकते हैं लेकिन इसके अर्थ को समझने के लिए मानसबुद्धि अक्षमर्ष है। हर एक मनुष्य यह जानता है कि उसके घर अब कोई मनुष्य मरता है तो कैसा हाहाकार होता है। विधवा दुःख से तप्त मनुष्यों को आश्वासन देना हमें प्राप्त हुआ

ह परन्तु जहाँ लाखों करोड़ों की गिनती में मनुष्यों की मृत्यु होती है वहाँ उनके मृत्यु से हुए दुःख का हिसाब कौन लगावेगा ?

सुसेटोनिया स्टीमर जब एक हजार मनुष्यों के साथ डूबा गया था तब उससे सारे समार क बचा आघात पहुंचा था। युद्ध में मरे २ करोड़ ६० लाख मनुष्यों को डूबाना हो तो ५० वर्ष तक प्रतिदिन एक एक सुसेटोनिया डूबानी होगी अथवा जब से कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की तब से आज तक प्रति सप्ताह एक एक स्टीमर डूबानी चाहिए। अर्थात् दूसरे प्रकार से कहें तो १५६७ दिन युद्ध चला था उसमें यह हिसाब निकलता है कि प्रतिदिन १६,५८५ मनुष्य मरे थे। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि १५६७ दिन तक प्रतिदिन इतने हजार की आबादीवाला एक एक शहर रोज सृष्टि के पट से उधर कर दिया जाना था। एक विधवा के दुःख में दयलोग भाग ले सकते हैं और एक बालक पिन्हीनकी जय तो उसका दुःख भी दम समझ सकते हैं परन्तु लाखों विधवाओं के और पिन्हीन बालकों के दुःख की कल्पना करना भी हमारी शक्ति के बाहर है। एक दुखी मित्र के प्रति सद्भावपूर्ण दिखाई जा सकती है परन्तु करोड़ मनुष्य के दुःख में कैसे भाग लिया जा सकता है? एक कुटुम्ब की हानि की नाप हम लगा सकते हैं लेकिन समस्त मानवजाति की हानि की नाप किस बुद्धि से निकाल सकते हैं ?

### रई दो

[ काशी प्रतिष्ठान के श्री. सतीशचन्द्र दास गुप्त ने बिहार के कुछ कताई के बेगमों का जो मुलाहजा किया था उसका यह स्पष्ट वर्णन है। उससे यह बात स्पष्ट होती है कि हमारे इस महान देश के गरीब लोगों की कताई से क्या लाभ हो रहा है। लाखों तार जो बाते गये हैं भारत के छंदे और अधेरे कैदखानों में—जिसे सूट सूट ही घर का नाम दिया जाता है—उतनी ही सूय-किरणों का काम कर रहे हैं। अपने वर्णन को उन्होंने जो नाम दिया है वह बड़ा मौजू है। इधर हमारे कराँडों लोभ 'रई दो, रई दो' चिन्ता रहे हैं उधर कच्चा माल हों माचेंरट्टर चला जाता है। क्यों? कुछ पैसे लेकर ही चतुर कातनेवालों की अंगुलिया उससे से जीवनदायी तार निकालने के लिए तैयार हैं के कन रई प्राप्त करना ही उन्हें मुश्किल मान्य होता है। इस सुन्दर वस्तु की हजारों गठरीयें भारत के जे-जवान लोगों को जूतने के कार्य में लगे हुए कगोडाधीशों का धन बहाने के लिए परदेस में न दी जाती हैं। यह प्रत्येक देश प्रेमी का कर्तव्य है कि वह उन लोगों को रई पहुंचाने के लिए जिनका सतीश बाबू ने वर्णन किया है अपने से जितना भी हो सके पूरा कार्य करे। वह यह कार्य दो तरह से कर सकता है: या तो वह स्वयं ऐसे ही भण्डारों पर अंकुश रखे या अ. भा. चरखा-संघ को अपना चन्दा मेज के जो उसकी तरफ से यह अंकुश रखने का कार्य करेगा। और उसे इस प्रकार कते हुए सूत से जुने हुए तमाम प्रकार के खदर का उपयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वह चाहे जी हो या पुरुष, इस मुख्य कार्य में फिर चाहे जितने कार्य शामिल कर सकता है।

मा. क० गांधी ]

#### सूत का बख़र

जब हम मातृवाणी, बिहार के दरभंगा जिले के एक गांव में पहुंचे तब कभी कभी दोपहर का समय हो रहा था। क्योंकि हम लोग सूत के बेगम के नज़दीक जा रहे थे अपने रई की छोटी छोटी पुटलियां ले कर लौटता हुई जियों की बतारें देखीं। उन्होंने अपने सूत के बंदे वह रई ली थी और अब वे घर जा रही थीं।

'हाट' होने पर जैसा शोर होता है वैसा शोर कुछ घड़ी पर घुनाई के रहा था। क्या वह हाट का दिन था? नहीं, राजेन्द्रबाबू ने कहा कि भण्डार के आगे सूत के बंदे रई लेने के लिए जो रई इकट्ठी हुई है उसका यह शोर है। कुछ मिनटों में तो हमलोग भण्डार में ही पहुंच गये। वहाँ एकत्र औरतों की भीड़ को देख कर मेरी आँखें आनंद से चमक उठीं और हृदय आनंद से धककने लगा। वहाँ छोटी बड़ी सभी उम्र की जियाँ थीं। अशफ बूढ़ी जियाँ, तन्दुस्त जवान जियाँ और प्रफुल्लित मुस्कवाली छोटी लड़कियाँ भी थीं। उम्र में इतनी विविधता होने पर भी उनके पहने हुए कपड़ों में समानता थी। सभी फटी हुई या पैबन्द लगी हुई धोतियाँ पहने हुए थीं। यदि किसी की नीली धोती में एक बगोफुट का सफेद मैका पैबन्द लगा हुआ था तो किसी दूसरी की धोती में एक दर्जन पैबन्द लगे हुए थे और बहुत-सी जियों की धोतियों के तो ऐसे तार निकल आये थे कि उन पर और पैबन्द लगाये ही नहीं जा सकते थे। वे फटी हुई मादूम होती थीं। ऐसी औरतें बहुत ही कम थीं कि जिनकी धोतियाँ फटी हुईं न हों।

वे हाते के बाहर जा कर लड़ी हुईं। हाते के अन्दर कुछ लोग, कार्यकर्ता और परोधी जो उन्हें त्वेषा से मदद करना चाहते थे, रई और सूत के ढेर में करीब करीब अदृश्य से कहे थे और जितना भी हो सके जल्दी जल्दी सूत के बंदे रई दे रहे थे। प्रत्येक ली के पास रई की कुछ पुटलियाँ थीं। कभी कभी तो एक ली अपने गाँव की आठ जियों का सूत देती थी और उसके बंदे रई लेनी थी। 'अरे भय्या अब मेरा सूत जो, मैं सुबह से यहाँ लड़ी हूँ और मुझे अभी तीन कोस जाना है।' और यह कह कर अभी लाली हुए बरतन में सूत की कुछ लच्छियाँ एक मूँले चींधे से निकाल कर उसने ढालीं। उस लाली चिंधे में बंदे में मिली रई वह बांध लेती है। वह अपने चिंधों को अच्छी तरह पहचानती है और उसके सूत के बंदे में मिली हुई रई को उली में खपेट कर, बड़ी हिकाजत के साथ अलग रखती है। उसने अपनी आठ पुटलियों को पूरा कर लिया लेकिन अब भी वह वहाँ से हटनी नहीं है। वह एक दूसरी औरत की कुछ और पुटलियों के लिए हाथ बचाती है, और उस रई देनेवाले मनुष्य से आप्रह कर्ती है कि वह उसको भी निबटा दे क्योंकि उन दोनों का माग एक ही है। दूसरी औरतें अधीर हो जाती हैं और क्रोध करती हैं। वहाँ फिर झगडा होता है। सारा समय वही क्यों ले लेती है। दूसरे भी तो हैं जो उससे भी अधिक दूर से आये हुए हैं। फिर मिन्नतें होती हैं और कोषयुक्त वाद भी होता है। उसमें सभी शामिल होते हैं और इससे हाट का सा शोरगुल होता है, वैसा ही जैसा कि रेल के स्टेशन पर तीसरे दर्जे के टिकिटधर के सामने हमेशा ही देखा जाता है।

और यह सब किस लिए? मैंने फॉरमू ही अनुमान कर लिया कि कताई की मजदूरी के लिए है। एक हिस्सा सूत के बंदे १॥ हिस्सा रई दी जाती है। वहाँ रई का भाव १५) जब है, और इसलिए एक मन रई कातने की मजदूरी १६) होती है। इस हिसाब से एक पौंड सूत पर तीन आने और १३ तोला सूत पर एक आना मिलता है। सूत ८ या १० अंक का होता है। कातनेवालों को इसी एक आने में से धुनिये को घुनाई भी देनी होती है। यह एक आना कमाने के लिए उसे ८ से १० घण्टे काम करना पड़ता होगा। इतनी आमदनी के लिए इतनी आकांक्षा! इधर आमदनी के लिए ८-१० प्रीक के कासके से

आसपास की औरतों का आना। आधे दिन में ही रुई की एक गठरी खतम हो गई और दोपहर के बाद दूसरी आधी गठरी रुई के बढके में ही खरिगी। और यह केवल एक ही मण्डार का कार्य है।

जब गांधीजी बंगाल में थे उन्होंने मुझे भावुकता के प्रवाह में बह न जाने के लिए चिन्तित था। वे चाहते थे कि मैं अपने बहुत लुटे हुए रस्मूँ और इस बात का निर्णय करूँ कि सम्मुख गरीबों को कताई की आवश्यकता है या नहीं। गांधीजी सातवानी का कर देखें कि सातवानी के आसपास के गाँवों में गरीबों के बरों में खरबों की क्या स्थान मिला है। बंगाल में भी सातवानी के जैसे बहुत से केन्द्र हैं और शायद तामिलनाडु में भी। सारे भारतवर्ष में निषय ही ऐसे हजारों केन्द्र विकास पा सकते हैं।

इस प्रकार के बढके के विवाज से संबन्ध है सूत बटिया दरजे का मिले। कार्यकर्ताओं को इसके लिए बड़े खबरदार रहना चाहिए और जो सूत एक नियत दर्जे का हो उसीको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जब हलके दर्जे का सूत आता है तो उसके बढके में रुई केवल १। गुनी अधिक दी जाती है। उद्य समय हृदय को दिला देनेवाला दृश्य उपस्थित होता है। इस दिसाब से वेद आना पीठ कताई मिलनी है। वह कान्पने लगेगी, बड़े कर से उसका विरोध करेगी और सूत बापिस ले जाने का और फिर कभी न कातने का कर दिखावेगी। डेडी रुई पाने का एक सावित करने के लिए सूत बूटी औरतों को दिखाया जाता है। फँसला माँगा जाता है और दिया जाता है। उस पर मुस्त-लिक रायें होती हैं और यह गोलमाल सामान्य गुरुभारक को और भी बढा देता है। कार्यकर्ता तो सिर्फे उसके बन्डक को पूर रख देता है और हमों के सूत के बढके रुई देने के कार्य में लग जाता है। बढस तो बढती ही रहती है। कार्यकर्ता उसके सूत का एक तार निकालता है और अच्छा कातने के लिए उसको समझाता है। फिर समझाना हो जाता है और चितावनी देने के बाद शगका निबटा दिया जाता है।

### बिक्री के योग्य सूत

मुझे इस बात पर आश्चर्य ही रहा था कि इन बहनों को मजदूरी के तौर पर जो आंधक रुई मिलती है उसका वे क्या करती हैं। वे अवश्य ही उसे कातती हैं लेकिन किस लिए? मुझसे यह कहा गया कि उस अधिक मिली हुए रुई के सूत से वे अपने कपडे बनवाती हैं। लेकिन इसमें मुझे सन्देह था। जिस दिसाब से वे कातनी थी उस दिसाब से तो वे शीघ्र ही अपने कपडों की तमाम आवश्यकताओं को पूरा कर सकती थी इसलिए उसका केवल यही उपयोग नहीं हो सकता है। ऐसा कोई मान्य अवश्य ही होना चाहिए कि जिससे वे अपनी मजदूरी के बढके में कुछ पैसे प्राप्त कर सकें। सूत को बढकने का उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उनके पास ऐसा कोई साधन अवश्य था कि जिससे वे अपने घर की आवश्यकताओं को—जो बहुत ही अधिक होती है—पूरा करने के लिए बचे हुए अधिक सूत को नकदी से बदल सकें। इस दिसा में विशेष माँव करने पर मुझे यह माखम हुआ कि ये कातनेवाली औरतें अपना सूत गाँव के जुआहों को बेच देती हैं। अर्थात् बिहार में जगई इस तरह तक पहुँच गई है कि जुआहे हुए कते सूत को खरीद सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं।

फिर भी इसमें कोई शक नहीं है कि इस कते हुए सूत में से कुछ सूत से तो कातनेवालों की खोतियाँ ही बुनी जाती हैं। सूत के मण्डार के पास की बीच में इधर उधर कादी की छातियाँ भी दिखाई देती थीं। दो पहर के बाद जुआहों के गाँव में आके हम लोग गये थे। अब जगह बुननेवाले खरबों से कता हुआ

सूत ही बुन रहे थे। उनका धंरा मन्द हो गया था। गांधीजी का रूपकार मानना चाहिए कि अब उन्हें अधिक काम मिल रहा है। इस गाँव की बुनाई में यह विशेषता थी कि सादी विभाग की तरफ से उन्हें काम नहीं दिया जाता था लेकिन वे केवल कातनेवालों की आवश्यकता के पूरा करने के लिए ही बुन रहे थे।

### अत्यधिक अच्छी चीज

कुछ क्षण हमने इन कातनेवालों से शान्ति के साथ बातचीत भी की थी। उन्हें अविद्य के सम्बन्ध में भय था "क्या आप यहाँ और अधिक रुई की गठरियाँ लावेंगे? क्या आप हमें सूत के बढके में रुई खराबर देते रहेंगे?" ये उनके प्रश्न थे। कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि लोगों में यह हयाल है यह कार्य शायद हमेशा न चले और इसलिए वे हमेशा के बनिम्बत अधिक शीघ्र कात रहे हैं। इस भय का कारण यह है कि कभी कभी रुई खतम हो जाती है और उससे लोगों में बड़ा भय फैल जाता है। यदि एक भी-मण्डार में रुई कम हो जाता है और वह सूत का बदला नहीं कर सकता है तो दूसरे मण्डारों में यह खबर पहुँच जाती है और बँडों में ऐसे समय में जैसे लंग नौड दौड कर पहुँच जाते हैं वैसा ही यहाँ भी परिणाम होता है। इराक शरभ उसे आखिरी सौदा मान कर अपन सूतके बढके में रुई ले लेना चाहता है। यह कल्पना की जा सकती है कि ये कातनेवाले अपनी मजदूरी में मिली हुई रुई फिर कातने के लिए इकट्ठी करते होंगे और अभी तो सिर्फ जितना भी हो सके अधिक बार सूत का बदला करने का ही प्रयत्न करते होंगे। वे बडे बूट्टि हैं। वे अपनी कमाई हुई रुई को फुरसद के समय में कातने के लिए जमा कर रहे हैं। मुझे सन्देह हुआ कि सातवानी के केन्द्र में भी अभी इसी तरह लोग दूट पडे होंगे क्योंकि मैं न अभी ही सुना है कि १० मंख की दूरी पर आया हुआ एक केन्द्र आज सूत के बढके रुई नहीं दे सका है। उन लोगों ने जो कि हम से हार्डिड भय से बातचीत करते थे कहा—“देखिए हमें क्याम देना न रह जाय।”

सातवानी भीई बुनई—केन्द्र नहीं ह और कातनेवाले यह नहीं जानते कि मण्डार एह में जाने के बाद सूत क्या होता है। एक बुँडया जरा ढोड सी माखम हुई। उसने कान में पूछा—गांधीजी इस कपडे को क्या करते हैं? राजेन्द्रबाबू ने अपने बदन के कपडे दिखाकर कहा—यह गांधीजी का कपडा है। बुँडिया बोल उठी—नहीं नहीं, यह गांधीजी का कपडा नहीं हो सकता।” उसे जो कुछ दिखाया गया वह बहुत वास्तविक और प्रत्यक्ष था और उससे उसके दिल को समीप न हुआ; क्योंकि उसने तो गाँधो-कपडे के विषय में किसी अनोखी वस्तु की कल्पना कर रखी थी।

गांधीजी जिन दिनों बिहार के बगोचेवालों के जुगलों से लोगों का बचक कर रहे थे, वहाँ की औरतों को उनकी खोतियाँ धोने के लिए समझाते थे। वे बडे चहाये जब उन्होंने सुना कि उनके बदन पर सिर्फे एक ही एक धातियाँ हैं जो वे पहने हैं। ऐसी घोर गरीबी वहाँ छा रही है। अब जब इस बात का क्याल मन में उठता है कि वे अपने कते सूत का एक हिस्सा अपने ही कपडों के लिए अकहदा रख छोटी हैं तब दिल कहता है कि आगे चलकर उनकी जरी-पुगानी और पैबन्द खमी खोतियाँ शीघ्र ही बली जांगी और इतना ही नहीं बल्कि वे दो खोतियाँ रखने का भी आनन्द प्राप्त कर सकेंगी और उन्हें रोजाना धोने का भी सुख ग्रहण कर सकेंगी। यदि यह सुस कार्य जारी रहा तो राजेन्द्र बाबू किसी दिन गांधीजी को बिहार बुला कर यह दिखा सकते हैं कि उन बहनों के पास दो दो खोतियाँ हो गई हैं और वे रीब उन्हें धोनी हैं।



## विधवा-विवाह

एक विधवा बहन लिखती हैं:

“नवजीवन” में आप या अन्य कोई समय समय पर विधवाओं के विषय में लेख लिखते हैं। उन सब का यह अभिप्राय होता है कि कम उम्रवाली विधवाओं का पुनर्विवाह हो तो अच्छा। आत्मोन्नति को अप्राप्य माननेवाले तो ऐसा लिख सकते हैं। पर जब आप ऐसा लिखते हैं तब हृदय को भारी चोट पहुंचती है। अन्य देशों के अनुकरण से भारत की जो अव्यवस्था हुई है उसमें अभी इतनी न्यूनता रह गई है। क्या अब उसकी भी पूर्ति कर देना है? कितने ही लोगों का कहना है कि “समाज की वर्तमान न्यायिक अवस्था तथा परिस्थिति को भी तो देखना पड़ता है”। पर मुझे तो यह कथन मनुष्य की केवल वासना का पोषण करने के लिए दूबा हुआ बहाना ही मान्य होता है। जब तक वासना रूपी दीपक में भोग रूपी तेल डालते जायेंगे तब तक वह अधिकाधिक प्रज्वलित होना रहेगा। इसका उपाय है यह देखना कि हम उसे किस तरह बुझा सकते हैं। बचपन ही से माता के दूध के साथ ही साथ कड़कों और कड़कियों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वे सयोगों के अनुकूल अपना जीवन बनाना सीखें। आप शायद कहेंगे “ऐसा होने में तो बहुत समय लगेगा”। पर यों भी आज सारा समाज पुनर्विवाह का समर्थक नहीं है। अतएव इस दिशा में अनुकूल कोकमत होने के लिए भी समय जरूर ही लगेगा। फिर ऐसी प्रगति किस काम की है जो काल-व्यय के साथ साथ आत्मा का भी दूषण करती हो। पुनीता गाँगी और मैत्रेयी, झाँसी की रानी और चितौड़ की पद्मिनी की जननी यही भारत माता है। उसकी लड़कियों को पुनर्विवाह क्यों करना चाहिए? चरखे के प्रताप से अब भरण-पोषण की भी बेसी बिंता नहीं रही। कुटुम्ब की यदि एक भी स्त्री विधवा हो जाय तो उससे धारे कुटुम्ब के पुण्य का खावी पाई जाती है। इसका प्रायश्चित्त वे उसके प्रति अपना कर्तव्य पाठन कर के करें। इसके विपरीत उससे दूर दूर भागने से कैसे काम चल सकता है? ब्रह्मचर्य के तो आप हामी हैं। विधवा, जिसे कुदरत ने ही दीक्षा दी है, देश की आदर्श सेविका क्यों न बने? जगत् की माना बन कर क्यों न संसार के दुःखों का हरण करे? मैंने ऐसी कई विधवायें देखी हैं जो पाँच से सात वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई हैं और जो अभी शान्ति और सतोष के साथ अपने कुटुम्बियों की यथाशक्ति सेवा कर रही हैं।”

लेखिका बहन को यह पत्र शोभा देना है। पर इससे विधवा-बहन के प्रश्न का निपटारा नहीं हो सकता। बाल-विधवा धर्म जैसी किसी वस्तु को ही नहीं जान सकती, फिर विधवा-धर्म की तो हम बात ही कैसे कर सकते हैं? धर्मपालन के साथ साथ हम यह कल्पना कर लेते हैं कि उसकी बुनियाद में ज्ञान बरकर है। यह हम कैसे कह सकते हैं कि एक बालक जिसे झूठ सब का कोई ज्ञान नहीं है अमरत्व के श्रेष्ठ का भाजन है? जो साक की बालिका यही नहीं जानती कि विवाह क्या वस्तु है, न वह यह भी जानती है कि वैधव्य क्या चीज है। अब उसने विवाह ही नहीं किया तो वह विधवा किस तरह मानी जा सकती है? उसका विवाह तो करने में माता-पिता और वे ही समझ लेते हैं कि वह विधवा हो गई। अर्थात् यदि वैधव्य का पुण्य किसीको मिलता ह्ये तो कहना होगा कि वह उन माता-पिता को ही मिलता है। पर क्या वे नौ साल की बालिका का बलिदान कर इस पुण्य के

यसमागी हो सकते हैं? और यदि हो भी सकते हों तो हमारे सामने उस बालिका का सवाल तो क्यों का क्यों उठना ही रहता है। मान लीजिए कि अब वह बीस बरस की हो गई। ज्यों ज्यों वह समझदार होती गई उसने अपने आसपास की परिस्थिति से यह जाना कि वह विधवा मानी जाती है। पर इस धर्म को तो वह नहीं समझती। यह भी हम मान लें कि बीस वर्ष की अवस्था को पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे उसमें स्वाभाविक विकास पैदा हुए और बड़े भी। अब उस बाला को क्या करना चाहिए? माता-पिता पर तो वह अपने माँको प्रकट कर ही नहीं सकती। क्योंकि उन्होंने यह संकल्प कर दिया है कि हमारी सुबती लड़की विधवा है और उसका विवाह नहीं करना है।

यह तो एक कल्पित दृष्टांत है। पर भारत में ऐसी एक दो नहीं, हजारों विधवायें हैं। हम यह तो देख ही चुके कि उन्हें वैधव्य का कोई पुण्यफल नहीं मिलता। वे युवतियाँ अपने विकारों को दूर करने के लिए अनेक पापों में फसती हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मेरे कपल से उनके माता-पिता तो अवश्य ही उनके इन पापों में हिस्सेदार होते हैं। पर इससे हिन्दू धर्म कलंकित होता है, प्रति दिन क्षीण होता जाता है। धर्म के नाम पर अनीति बढ़ती जाती है। इसलिए यद्यपि इन बहन के जैसे ही विचार स्वयं में भी पहले रखता था, पर अब, विशेष अनुभव से, मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि जो बाल-विधवायें युवावस्था को प्राप्त करने पर पुनर्विवाह करने की इच्छा करें, उन्हें उसके लिए पूरी स्वतंत्रता और उत्तेजन भी मिलना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि माता-पिता को बिनापूर्वक इन बालाओं का विवाह उचित रीति से कर देना चाहिए। इस समय तो पुण्य के नाम पर पाप का प्रचार हो रहा है।

बाल-विधवाओं का इस तरह विवाह कर देने पर भी हिन्दू-धर्म कुछ वैधव्य में तो जरूर ही अलंकृत रहेगा। दम्पती-स्नेह का अनुभव कर लेनेवाली स्त्री यदि विधवा हो जाय और वह स्वयं पुनर्विवाह न करना चाहे तो उसका संयम बाहरी नियंत्रण का अहसानमन्त्र न रहेगा। और न संसार में ऐसी शक्ति ही है जो उसे विवाहित करने के लिए बाध्य कर सके। उसकी स्वाधीनता तो हमेशा सुरक्षित रहेगी।

जहां आत्मलज ही नहीं वहां आत्मलज का आरोप करना अनीति कड़ी जायगी। बालकर्म में आत्मलज के लिए अवकाश ही नहीं। आत्मलज सावित्री ने किया, सीता ने किया, दम्पती ने किया। उनके विषय में हम यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्हें वैधव्य प्राप्त होने पर वे पुनर्विवाह करेंगीं। इस प्रकार का कुछ वैधव्य समावाह रानके का था। आज वासंती-देवी को यह वैधव्य प्राप्त है। ऐसा वैधव्य हिन्दू-संसार का अलंकार है उससे वह पुनीत होता है। बालविधवाओं के कल्पित वैधव्य से हिन्दू-संसार पतित होता जा रहा है। प्रौढ विधवायें अपने वैधव्य को सुसोमित करते हुए बालविधवाओं का विवाह करने के लिए कटिबद्ध हों और हिन्दू-समाज में इस प्रथा का प्रचार करें। उन बहनों को जो उपर्युक्त पत्र लिखनेवाली बहनों के सदृश विचार रखती हैं अपने इस विचार को सुधार केना चाहिए।

मैं जिस निर्णय पर पहुंचा हूँ उसका कारण बालिकाओं का दुःख नहीं है बल्कि इसका कारण है मेरे हृदय में उत्तम वैधव्यिकता से सम्बन्ध रखनेवाला सूक्ष्म धर्म-विचार, और उसीको प्रदर्शित करने का प्रयत्न मैंने नहीं किया है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गाँधी

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक २७

मुद्रक-मकारक

स्वामी आनंद

अहमदाबाद, कालिदास रोड, संख्या १९८४

१८ मुकबार, फरवरी, १९२६ ई०

मुद्रकस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,

सारंगपुर सरकोपरा की बाड़ी

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

- अध्याय ११

विलायत की तैयारी

ईसवी सन १८८६ में मेरे क्युलेशन (गण्टन्स) की परीक्षा पास की। देश की ओर गांधी कुटुम्ब की गरीबी ऐसी थी कि यदि बम्बई और अहमदाबाद ये दो स्थान ही परीक्षा देने लिए हों तो काठियावाड़ निवासी अमदाबाद ही को पसन्द करेगा। मेरे सम्बन्ध में भी यही बात हुई। राजकट से अहमदाबाद तक की सफर ही मेरी प्रथम अकेले की हुई सफर थी।

मेरे बड़े-बूढ़ों की इच्छा थी कि मुझे पास होने के बाद कालेज में जा कर और आगे पढ़ना चाहिए। बम्बई में भी कालेज था और भावनगर में भी। भावनगर में स्वर्धा कम था इसलिए भावनगर के शासकशास कालेज में ही जाना निश्चय किया गया। वहाँ मुझे कुछ भी न आता था, सब मद्रिकल ही मुद्रिकल मालूम होता था। अध्यापकों के भाषणों में कोई दिलचस्पी न मालूम होती थी और न कुछ समझ ही में आता था। इसमें दोष अध्यापकों का न था, बल्कि मेरे कल्पन या ही नोच था। क्योंकि उस समय सामलदास कालेज के अध्यापक प्रथम श्रेणी के गिने जाते थे। प्रथम टर्म पूरी करके मैं घर गया।

कुटुम्ब के पुराने मित्र और कलाह देववाचे एक विद्वान व्यवहार कुशल ब्राह्मण — माधजी दवे — थे। उन्होंने पिताजी के परलोकवास के बाद भी कुटुम्ब के साथ का अपना सम्बन्ध वैसा ही कायम रखला था। इन छुट्टियों के दिनों में वे हमारे घर आये। माताजी और बड़े भाई के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने मेरी पढ़ाई के सम्बन्ध में प्रश्न किया। यह सुन कर कि प्रो. शासकदास कालेज में हूँ उन्होंने कहा: "अब अमाणा बचल गया है। तुम सब भाइयों में से यदि कोई कदा गांधी (मेरे पिताजी) की गद्दी सम्भालना चाहोगे तो यह गद्दी बिना न होगा। यह लड़का अभी पढ़ना है इसलिए उस गद्दी को सम्भालने का बोझ इसीसे उठाना चाहिए। अभी उसे बी. ए. होने में ही चार पांच वर्ष लग जायेंगे और इतना समय देने पर भी

उमें ५०) ६०) की ही नोकरी मिलेगी, प्रधानपद न मिलेगा। और यदि मेरे लड़के की तरह उसे भी बर्कल बनाया जाय तो कुछ साल भांग लेंगे और तबतक प्रधानपद के लिए और बहुत से बर्कल भी तयार हुए होंगे। उसे विलायत भेजना चाहिए। केवलराम (माधजी दवे के लड़के का नाम है) कहता है कि वहाँ की पढ़ाई आसान है। तीन साल पढ़ाई खत्म करके लौट आयेगा। चार पांच हजार से अधिक खर्च भी न होगा। देखो न, वे जो नये वेरीगटर आये हुए हैं, कंती धान से रहते हैं? वे यदि प्रधानपद चाहें तो वह भी मिल सकता है। मेरी तो तुम्हें यही सलाह है कि इसी साल तुम्हें मोहनदास की विलायत भेज देना चाहिए। मेरे कैवलराम के विलायत में बहुत से मित्र हैं। उनको वह सिर्फ विश की 'लट्टी' सिख देगा तो उसे वहाँ कोई तकलीफ न होगी।

जोशजी (मयज दवे की हमलोग बरा नाम से पुकारते थे) ने इस तरह कि मामलों उन्हें अपनी सलाह की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई सम्बन्ध ही न था, मेरी सफ देना और पूछा

'क्यों, तुम्हें विलायत जाना पसन्द है या यहीं पढ़ना पसन्द है?'

मेरे लिए तो यह तान सचकर थी। मैं कालेज की कठिनाइयों से बर ही गया था। मैंने कहा, मुझे विलायत भेजो तो बड़ा हाँकच्छा हो। कालेज में मालूम होता है कहीं जल्दी पास न हो सकूंगा। लेकिन मुझे डॉक्टरी सीखने के लिए क्यों न भेजा जाय?

मेरे भाई नीच में ही बोल उठे—

"पिताजी की यह परम्परा न थी। जब तुम्हारी बात होती थी तब वे कहते थे कि हमलोग सैणिक हों, हमें हाइमर्स की चीज-फाइ का काम नहीं करना चाहिए। पिताजी का विचार तो तुम्हें बर्कल बनाने का ही था।"

जोशजी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा: "मुझे गांधीजी की तरह डॉक्टरी पन्थे के प्रति कोई घृणा नहीं है। हमारे शास भी इस पन्थे को बुरा नहीं बताते हैं। लेकिन डॉक्टर हो कर तुम विद्वान न होंगे। मुझे तो तुम्हारे लिए प्रधानपद या उधसे

भी अधिक महत्व का स्थान चाहिए। तभी तुम्हारा विशाल कुटुम्ब ठक सकता है। दिन प्रतिदिन जमाना बदल रहा है और कठिन होता जाता है, इसलिए बेरास्टर होना ही बुद्धिमानी का काम है।”

माताजी की तरफ फिर कर कहा: “आज तो मैं जाता हूँ। मैंने जो कुछ कहा है उसपर विचार कर देखना। जब मैं फिर आऊंगा तब मैं तैयारी के समाचार सुनने की ही आशा रखूंगा। यदि कोई कठिनाई मालूम हो तो मुझसे कहना।”

जोशीजी गये और मैंने ख्याली पुलाव पकाना शुरू किया।

बड़े भाई विचार में पड़ गये। रुपयों का कैसे इन्तजाम करे और मुझ जैसे नवयुवक को इतनी दूर भेजा भी कैसे जाय?

माताजी तो कुछ भी न समझ सकीं। उन्हें वियोग की बात ही पसन्द न थी। लेकिन उन्होंने प्रथम यही कहा: “अपने कुटुम्ब में अब काका ही बड़े हैं। इसलिए प्रथम उन्हीं की राय लेनी चाहिए। यदि वे आज्ञा दें तो फिर हमें विचार करना चाहिए।”

बड़े भाई को एक और विचार आया: “पोरबन्दर राज्य पर अपना हक है। लेली साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इस कुटुम्ब के सम्बन्ध में उनका मत भी अच्छा है। काका पर उनकी विशेष कृपा है। वे शासक राज्य की ओर से कुछ सहायता भी करे।” मुझे यह सब पसन्द आया। मैं पोरबन्दर जाने के लिए तैयार हुआ। उस समय रेलगाड़ी न थी, बेलगाड़ी का मार्ग था। पांच दिन का रास्ता था। मैं यह तो कही चुका हू कि मैं डरपोक था। लेकिन उस समय मेरा डर दूर हो गया था। विलायत जाने की इच्छा ने मुझपर सवारी कसी। मैंने भोराजी तक की बेलगाड़ी की। भोराजी से एक दिन जल्दी पहुँचने के लिए ऊट पर गया। ऊट की सवारी का भी यही प्रथम अनुभव था।

पोरबन्दर जा पहुँचा। काका को साष्टांग प्रणाम किये और सब बातें कह सुनाईं। उन्होंने विचार करके उत्तर दिया।

“मैं यह नहीं जानता कि विलायत जा कर हम अपने धर्म की रक्षा कर सकेंगे या नहीं। सब बातें सुनने से तो मुझे सन्देह होता है। बड़े बड़े बेरीस्टर्स का मुझसे साधका पडता रहना है। मैं उनके आंग गान्ध लोगों के रहनसहन में कोई भेद नहीं पाता हूँ। उन्हें खानेपीने का कोई विचार नहीं होता है। सींगार तो मुह से जरा भी दूर नहीं होता। पहनावा भी नगा होता है। इसमें हमारे कुटुम्ब की शोभा न रहेगी। लेकिन मैं तुम्हारे साहस में विघ्न डालना नहीं चाहता। मैं तो कुछ ही दिनों में यात्रा करने के लिए चला जाऊँगा। मुझे अब थोड़े ही बर्ष के लिए जीना है। मृत्यु के किनारे बंटा हुआ मैं तुम्हें विलायत जाने की — समुद्र पार करने की — इजाजत कैसे दे सकता हूँ? लेकिन मैं तुम्हारे रान्ते में बाधक न होऊँगा। सभी आज्ञा तो तुम्हारी माना की है। यदि वह तुम्हें विलायत जाने की इजाजत दे तो खुशी से चले जाना। यह कहना कि मैं तुम्हें रोकूँगा नहीं। तुमको मेरे आशीर्वाद तो मिलेंगे ही।”

मैंने कहा: “मैं इससे और अधिक की आपसे आशा नहीं रख सकता। अब मुझे अपनी माता को ही राजी करना होगा। लेकिन लेली साहब को आप सिफारिश का एक पत्र तो लिख देंगे न?”

उन्होंने कहा “यह मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन साहब भले हैं। तुम उन्हें चिठी लिखो और उसमें अपने कुटुम्ब का परिचय

दो। वे अवश्य ही तुम्हें मुलाकात के लिए समय देगे और यदि उनकी इच्छा हुई तो मदद भी करेंगे।”

मुझे यह ख्याल नहीं है कि काकाजी ने साहब के नाम सिफारिश की चिठी क्यों नहीं दी। कुछ आपष्ट समय है कि विलायत जाने के धर्मविरुद्ध कार्य में इतनी सीधी मदद करने में भी उन्हें सकोच हुआ।

मैंने लेली साहब को पत्र लिखा। उन्होंने अपने बंगले पर मुझे मुलाकात के लिए बुलाया। उस बंगले की सीढ़ी पर बैठते समय वे साहब मुझसे मिले और इतना ही कह कर कि “तुम बी. ए. पास करो फिर मुझसे मिलना, अभी तो कुछ भी मदद नहीं की जा सकती।” वे ऊपर चले गये। मैं बड़ी तैयारी कर के, बहुत से वाक्य रट कर तैयार कर के गया था। नीचे झुक कर दो हाथों से मैंने सलाम भी किया था। लेकिन मेरी सारी मिहनत व्यर्थ गई।

मेरी दृष्टि अब मेरी पत्नी के गहनों पर गई। बड़े भाई पर पारावार अद्धा थी। उनकी उदारता के कोई सीमा न थी, उनका पिता जैसा प्रेम था।

मैं पोरबन्दर से बिदा हुआ। राजकोट आ कर सब बातें कह सुनाईं, जोशीजी के साथ सलाह मशवरा किया। उन्होंने मुझे कर्ज कर के भी विलायत भेजने की सलाह दी। मैंने अपनी पत्नी के हिस्से के गहने निकाल देने की सूचना की। उससे दो तीन हजार से अधिक रुपये नहीं मिल सकते थे। भाई ने चाहे जिस प्रकार से भी रुपये इकट्ठे करने का भार उठाया।

लेकिन माताजी वैसे समझतीं? उन्होंने सब प्रकार की जाँच आरंभ कर दी थी। कोई कहता कि युवकगण विलायत जा कर विगड आते हैं। कोई कहता कि वे मांसाहार करते हैं। शासक के विना उन्हें एक दिन भी नहीं चलता। माताजी ने यह सब बातें मुझे कह सुनाईं। मैंने कहा: क्या तुम मेरा विश्वास न रखोगी? मैं तुम्हें दगा न दूँगा। कसम खा कर कहता हूँ कि इन तीनों चीजों से सदा बचता रहूँगा। ऐसा ही यदि जोखिम होता तो जोशीजी ही क्यों जाने डेंते?

माताजी बोली “मुझे तेरा विश्वास है, लेकिन दूर देश में क्या होगा? मेरी अहल तो कुछ काम नहीं करनी है। मैं बेचरजी स्वामी से पूछूँगी” बेचरजी स्वामी मोठ बनिये थे और बैज साधु हो गये थे। जोशीजी की तरह वे भी हमारे कुटुम्ब के सलाहकारों में से एक थे। उन्होंने मदद की। उन्होंने कहा “मैं इस सबके से इन तीनों बातों की प्रतिज्ञा कराऊँगा और फिर उसे बर्हा जाने देने में कोई बाधा न होगी। उन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा कराई और मैंने माँस, मदिरा और स्त्रीसंग से दूर रहने की प्रतिज्ञा की। माताजी ने आज्ञा दे दी।

हाइस्कूल में जलसा किया गया। राजकोट का युवक विलायत जाय, यह एक आशय ही समझा गया था। उत्तर देने के लिए मैं कुछ लिख कर ले गया था। वह बर्हा सायब ही पढ़ सका होगा। सिर फिर सा गया था। शरीर काँप रहा था, इतना ही मुझे बाध है।

बड़ेबूढ़ों के आशीर्वाद ले कर मैं बम्बई जाने के लिए रवाना हुआ। बम्बई की यह पहली सफर थी। बड़े भाई भी साथ आये थे।

लेकिन अच्छे काम में सौ विघ्न आते हैं। बम्बई एकदम छूट नहीं सकती थी।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

### टप्पणियां

#### और भी बदतर

दक्षिण आफ्रिका एशियाटिक बिल की १० वीं धारा की प्रस्तावित तरमीम में यहाँ मूल धारा सहित देता हूँ—

एशियाटिक बिल धारा १०, उपधारा १— “गवर्नर जनरल गैजेट में प्रकाशित कर के यह करे कि गजट में प्रकाशित तारीख से और उसके बाद उसमें उल्लिखित किसी जाति का कोई व्यक्ति नेटाल प्रांत में स्थावर सम्पत्ति को न प्राप्त करेगा अथवा न लीस पर ही लेगा, न स्थावर सम्पत्ति की लीस को नया करावेगा। इसमें इस धारा की उपधारा (२) में वर्णित समुद्र-तट का प्रांत्य मुस्तसना है। पर इस कानून के जन्म के पहले उल्लिखित 'लीस' के द्वारा प्राप्त स्थावर सम्पत्ति के पत्रों को नया करने से इस धारा की कोई बात न रोक सकेगी।”

अब संशोधित धारा इस प्रकार हुई— “गवर्नर जनरल गैजेट में प्रकाशित करके यह जाहिर करे कि गैजेट में उल्लिखित तारीख से और उसके बाद, जो कि १ अगस्त १९६५ से पहले की न होगी, उसमें वर्णित किसी श्रेणी का व्यक्ति एक तो, यूनिवर्स की सीमा में ५ गज से ज्यादा के लिए न तो कोई स्थावर सम्पत्ति अपने कब्जे में लेगा, न किराये पर लेगा, और न ही हुई लीस को नया करावेगा और, दूसरे, कैा भाव, गुण-होप और नेटाल प्रांतों में, रहने के इरादे के अलावा, 'क्लास रेसिडेन्सियल एरिया' में कोई स्थावर सम्पत्ति न प्राप्त करेगा और न 'क्लास ट्रेडिंग एरिया' में किसी निजामत की गरज से, या क्लास रेसिडेन्सियल और ट्रेडिंग एरिया में किसी भी गरज से कोई स्थावर सम्पत्ति करीयेगा।”

एक साधारण पाठक भी मूल धारा और संशोधन पर एक ही दृष्टिपात करके यह अच्छी तरह देख सकता है कि यह तरमीम तो मूल धारा से बेहद खराब है। केवल इतना ही नहीं कि उसमें किसी भी ममता के लिए जरा भी जोर नहीं की गई, बल्कि साफ तौर पर भारतीय लोकमत और यहाँ तक कि भारत सरकार की भी राय का भी उल्लंघन किया गया है। यूनिवर्स सरकार की यह कार्रवाई उस पौर अरन्डोलन के योग्य ही है जो दक्षिण आफ्रिका में एशियाटिक बिल के खिलाफ उभर रहा है।

#### ३०६० मील दूर

हिन्दुस्तान के मामलों की अपीलों की सुनवाई के लिए प्रिंसीपल कोर्टिसल में दो व्यापक जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव के संबंध में बड़ी धारामना में जो बहस दायर की हुई है उसमें इस बहस को फिर ताजा कर दिया है कि इस आखिरी अदालत की जरूरत कौनसी रहे। यदि हम पर किसी तरह का जादू असर नहीं कर गया है तो बिना विचारित इस बात को समझ आरंभ कि तीन हजार मील दूर इन्साफ को देने (या खरीदने?) जाना कितना फजूल है, कितना पापमय है। कहते हैं कि इतनी मजे की दूरी पर बैठे हुए जज लोग मामलों-मुकदमों का फैसला अधिक निष्पक्ष और निरद्वेष भाव से कर सकेंगे। पर यदि फर्ज कोटिए वेदली में उनकी अदालत रही तो वे ऐसा न कर पायेंगे। पर क्यों ही हम इस दलील का हारपील करने लगते हैं यह खोजी नहीं रहती। क्या बेचारे लन्दन-वासियों को प्रिंसीपल कोर्टिसल वेदली में होनी चाहिए? और कराची की तथा अन्यत्र की क्या करें? क्या कराची की ऐसा इतना मत करें कि उनकी सब से बड़ी अदालत अमेरिका में रहे और यदि हिन्दुस्तान एक आजाद मुल्क होता तो हम क्या करते? या क्या भारतवर्ष इस बाबत में मुस्तसना है, जिसके कि लिए लन्दन में जा कर अपील करने का अधिकार प्रदान करने की यह जास यहूदानी

की जा रही है? लन्दन में प्रिंसीपल कोर्टिसल वा स्थान रहने के सम्बन्ध में किसी को महान् उपनिवेशों की मिसाल न पेश करनी चाहिए। वे तो केवल भावना-बश हो कर इन जराजीर्ण पद्धति को अपना रहे हैं। और कितने ही उपनिवेशों में तो यह इच्छक ही भी रही है कि हमारी अपील-अदालत हमारे ही देश में रहे। पर भारत की भावना इससे भिन्न है। आत्म-सम्मान से युक्त भारतवर्ष कभी इस बात को गवारा न करेगा कि उसका आखिरी न्यायमन्दिर दूर विदेश में रहे।

#### विश्वासघात

समस्त दक्षिण आफ्रिका के सम्बन्ध में एशियाटिक बिल गांधी समुद्र समझौते के विरुद्ध है। नेटाल के सम्बन्ध में तो यह विश्वासघात ही है। मि. एण्ड्रयूज ने दक्षिण आफ्रिका के किसी एक वर्तमानपत्र में इस विषय पर एक पत्र लिखा है, दसका भाषार्थ नीचे दिया जाता है।

“सन १८६० से ही नेटाल सरकार बहुत से भारतीय श्रमिकों को ठेके पर अपने देश में बुलाती रही है। उनके भारत छोड़ने से पहले ही भारत सरकार और नेटाल सरकार में यह समझौता हो जाता था कि यदि भारतीय श्रमिक अपने ठेके के ५ वर्ष गन्ने की काश्त में व्यतीत कर देंगे तो उसके पश्चात् उन्हें नेटाल में वहाँ के निवासी की हैमियत से कुछ स्वत्व प्राप्त हो सकते हैं। भूमि तथा अन्य प्रकार की स्थावर सम्पत्ति को वे बिना रोक टोक के खरीद सकते हैं। नेटाल सरकार ने भारत से मजदूरों को प्राप्त करने की उत्पुक्तता में कहा था कि भारतीय श्रमिकों के साथ भारतीय स्थावरी भी आ सकते हैं।

इन भारतीयों ने अत्यन्तार्थक मूल्य पर इन स्वत्वों को खोल लिया। उनकी पन्धरीय अवधि में उनकी अनेक प्रकार के असहायारि तथा होषपूर्णकार्य करने पड़े। वे कार्य ऐसे अधिष्ठ थे कि अन्त में सरकार को यह बुरी पद्धति ही छोड़ देनी पड़ी।

नेटाल सरकार ने जिन शर्तों को स्वीकार किया था उनकी अभी निकट वर्तमान तक यथावत् पाला था। दक्षिण आफ्रिका के कानून की १४८ वीं धारा में यह प्रत्यक्ष रूप से लिखा है कि नेटाल औपनिवेशिक सरकार जिन शर्तों को स्वीकार करा लेगी वे यूनिवर्स के लिए भी मान्य होंगी।” (इंग्लिश पृष्ठ ७४)

#### शराबखोरी बन्द करने की शर्त

बम्बई के गवर्नर ने भडोच की अजुमन को यह साफ साफ सुना दिया है कि यदि वे चाहते हैं कि शराबखोरी बन्द हो तो उन्हें शराब से उत्पन्न होनेवाली आमदनी की कमी पूरी करने के लिए महसूल डालने योग्य दूसरे साधन ढूँढ निकालना चाहिए। अर्थात् शराब की बड़ी को रोकने के धाबे सरकार को कोई वास्ता नहीं है। लोग शराबी भिन्न कर नीतिमान् बनें और उसमें सरकार को महसूल की जो कमी रहे तो उसे पूरी करने का फर्ज सुधारक का है। अर्थात् मद्यनिषेधक मण्डलों को मद्यनिषेध का कार्य शिघ्र ही करना हो तो उन्हें बम्बई के गवर्नर के उत्तर का -- जो उत्तर इस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति का द्योतक है -- क्या उत्तर देना चाहिए वह भी विचार कर लेना होगा। जिन टैक्स देनेवालों पर आज भी टैक्स देने का असह्य बोझ है उनसे अधिक टैक्स देने की मैं केवल अन्दाज ही मानता हूँ। मद्यनिषेध कार्य की कमी करके ही किया जा सकता है। जो खर्च घटाया जा सकता है वह फौज का खर्च है। लेकिन यह मत सबा हो या न हो बम्बई के गवर्नर ने जो कठिनाई बताई है उसका क्या उत्तर देना चाहिए इसके सम्बन्ध की नीति मद्यनिषेधक मण्डलों को अवश्य ही निश्चित कर लेनी चाहिए।

( सं० ई० )

मी० क० गांधी



## हिन्दी-नवजावन

बुधवार, फाल्गुन शुक्ल ९, संवत् १९८२

### आज का प्रश्न

अबतक यह प्रवाशित हो कर लोगों के हाथों में पहुँचता तबतक तो दक्षिण आफ्रिका के प्रतिनिधि मण्डल के बहुतेर सदस्य जहाज में बैठ कर दक्षिण आफ्रिका लौट जाना के लिए अपना वास्ता तय करते होंगे। जहाज में बैठने के पहले श्री आनंद भागत जेम्स गोडफ्रैंक पातर और मिरजा मुस्तते मिलने आये थे और विधात कैसी कि दिनप्रतिदिन बढ़ रही है उस पर उन्होंने मेरे साथ बहस भी की थी। जहाँ गये वहाँ उनका जैसा अच्छा स्वागत किया गया और सब दलों ने, योरपीयन मण्डलों ने भी जो उपाय सम्भव लया था उसपर उन्होंने अपना सन्तुष जाहिर किया था। लेकिन मुझे यह कहने में बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने इस प्रकार का अनुमोदन मिलने के कारण अपने को रक्षित सम्भन के अठे स्थाल से थोका नहीं खाया है। उन्होंने यह अनुभव किया कि भारतवर्ष की मदद करने की बड़ी इच्छा है लेकिन उयमें उतनी शक्ति नहीं है।

रंगमेड का बिल दृढतापूर्वक प्रगति कर रहा है। सिद्धान्त की दृष्टि से वह उतना ही सुगम है जितना कि एशियाटिक बिल और इसलिए उसके खिलाफ भी करने की उभार लिये जा सकते हैं अतः कि एशियाटिक बिल के खिलाफ पेश किये जाते हैं। उसकी प्रगति से यूनेयन सरकार का एशियाटिक बिल के सम्बन्ध में जो इरादा और निश्चय है वह स्पष्ट साधित होता है। दिन प्रतिदिन यह बात स्पष्ट होती जाती है कि यूनेयन सरकार नियम को छोड़ा करने के अन्तर्गत अधिक कड़ा करने का ही इरादा रखती है। १० वीं कक्षा में जो सुधार होना वाला है उससे कोई वैसी राह नही मिलनी है और उयमें केप को भी शामिल किया जाना है इससे तो उस बिल के खिलाफ दक्षिण आफ्रिका के कुछ वामान पत्र भा सम्बन्ध उठे हैं। वे इतने बिगड़े हैं कि एक वर्तमानपत्र ने तो गहाँ तक लिखा है कि भारत में जा कर का अन्दुर रहमान जो कुछ पर रहे हैं उरखे जलभुन कर शायद दक्षिण आफ्रिका की सरकार केप को भी बिल की मर्यादा में शामिल करती है। हमें जाना करना चाहिए कि सरकार का दूसरा कुर्रु पाहे कुछ भी पया न हो वह इतनी गंभीर होगी। लेकिन चाहे जो कुछ हो सरकार का निश्चय के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। महा के दिवासी भारतवासियों को इसी आशा-आ-मूल नीति का सामना करना होगा और उरखे विरलाक लडना होगा। यदि उन्हें सायाक। सरकार और भारत सरकार को तय से सम्पूर्ण और इस मदद मिले तो वे सम्पूर्णतः उरखे सामना कर सकते हैं। लेकिन उन्हें उनकी मदद न मिलेगी। भारत सरकार साम्राज्य सरकार को छाया मात्र है। वर्तमान यूनेयन सरकार साम्राज्य सरकार से न करती है और न उयका आदर ही करती है। उरखे वही यूनेयन सरकार से करती है कि कहीं वह साम्राज्य में अलग न हो जाय। यह तो एखा मामला है कि मानो कुछ ही कुत्तों को हिला रहा है, कुत्ता पूँक फो नहीं। अबतक भारत को ही खो देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है साम्राज्य सरकार यूनेयन सरकार के सामने अपना कोई अधिकार

न बतायेगी। असहयोग की बाध निष्कभता को देख कर साम्राज्य सरकार को भारत की लाचारी की अभी आशा बन्धी है। इस लिए वेन मौके पर तो उयका अधिकारयुक्त वजन दक्षिण आफ्रिका के पक्ष में ही रहेगा — सिवा इसक कि भारतीय समुद्र के इस तरफ कोई आजायन बात नहीं होती। यदि यह बिल इस समय मुल्तवा रहेगा तो भी इस बात का तो पकीन ही है कि आखिर वह पाम तो होगा ही।

दक्षिण आफ्रिका के हमारे देशवासियों को अब क्या करना चाहिए? आत्मनिर्भरता के समान इस संसार में कोई चीज नहीं है जो अपनी सहायता करना है संसार भी उसकी सहायता करता है। उभ माण्डे में, शायद दूसरे तमाम मामलों की तरह आत्म-निर्भरता के मानी है स्वयं कष्ट उठाना। स्वयं कष्ट उठाना अर्थात् सत्याग्रह करना। अब अबतक नष्ट हो रही है, जब उनके अधिकार छूने लिए जा रहे हैं, जब आजायन भी भय में है तब उन्हें सत्याग्रह करने का अधिकार है, ऐसे समय में सत्याग्रह करना उनका कर्तव्य हो जाता है। १९०७ और १९१० में उन्होंने सत्याग्रह किया था और भारत सरकार की तरफ से उनको अनुमोदन भी प्राप्त हुआ था और योरपीयनों और दक्षिण आफ्रिका की सरकार ने उनको स्वीकार भी किया था। उनके सामान्य लाभ के लिए यदि उयमें नष्ट सदन करने की हिम्मत और इच्छा है तो वे आज भी वही कर सकते हैं।

अभी समय नहीं है। उन्हें ऐसा कि वे पर रहे हैं तमाम राजनैतिक उपाय पहलें आजमा लेने चाहिए। भारत सरकार जो यूनेयन सरकार के साथ सम्बन्ध कर रही है उसके परिणाम की भी उयके राह देखनी चाहिए। और जब वे जितने भी उपाय हो सके आजमा लें और फिर भी कोई रास्ता न दिखाई दे तब कहीं उनका पक्ष सत्याग्रह के लिए पूर्णपुष्ट होता है। फिर उस समय उयका भी हीलाहवाला करना कायमता होगी। संसार की कोई भी शक्ति किसी भी मनुष्य से उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। इस महान नियम की स्वीकृति का सीधा परिणाम ही सत्याग्रह है और वह उयमें शामिल होनेवाले लोगों की सहया पर कोई आधार नहीं रखता है। सत्याग्रह की शर्तें सभी लाजिमी होती हैं उयमें कोई भी अपवाद नहीं हो सकता। उयमें किसी भी प्रकार का अल्टीमेटम नहीं होना चाहिए। ऐसी निश्चित मांग होनी चाहिए कि जो पटाई ही न जा सके और जो किसी भी विचारशील और निष्पक्षन्यायाधीश को फारम ही अंच जाय। हमें बहुत सी चीजें पाने का न्यायपूर्ण अधिकार होता है लेकिन सत्याग्रह तो वहीके लिए किया जाता है जिसके कि बिना आत्मसम्मान या मानाई जीवन — यह दोनों एक ही बात है — अक्षय्य हो जाय।

उन्हें मूल्य का विचार कर लेना चाहिए। धांधली में या आजमाइश के तौर पर भी सत्याग्रह नहीं किया जा सकता। यह तो मनुष्य के हृदय के भावों की गहराई का माप है। यह इसी लिए किया जाता है कि वह रोका नहीं जा सकता। उसके लिए अर्थात् सत्य के लिए कोई भी मूल्य देना महंगा नहीं होता है। उसमें जब विजय की बहुत ही कम आशा होती है तभी विजय प्राप्त होती है। मनुष्यों की सहायता पर विश्वास रख कर उसका आरंभ नहीं किया जाता है, उसका तो ईश्वर और उसके न्याय में उभ अड्डा पर ही आधार होता है। ईश्वर कठोर भी है और दयालु भी है। यह हमारी सब तरफ से अत्यन्त कष्ट दे कर परीक्षा लेता है। लेकिन यह इतना दयालु है कि इस हद तक हमारी परीक्षा नहीं करता कि हमारी कमर ही टूट जाय।

(सं. हं.)

मोहनदास करमचंद गांधी

## जेल या अस्पताल ?

मलकासे में रोटेरा क्रम के सभ्यों के समक्ष जेलों के सम्बन्ध में बोलते हुए लार्ड लिटन ने अभी हाल ही में कहा कि जैसे हम शरीर के रोगियों को अस्पताल में भेजते हैं जेलों में नहीं, उसी प्रकार हमें मन के रोगियों के लिए अर्थात् मुजरिमों के लिए भी नीति के दृष्टिकोण और नीति के अस्पतालों का प्रबन्ध करना चाहिए। काट महोदय ने इस विषय को इस प्रकार छेड़ा था--

“जिन आदर्शों की मैं आशा हूँ कि आप परीक्षा करें वह यदि बोर्ड में और सारे शब्दों में कहा जाय तो यह होगा: सजा के बड़े सुधार करना ही हमारे पीनल कोड का आधार होना चाहिए। सजा से दिल में भय उत्पन्न किया जाता है, जबरदस्ती आदर्शों का ला सकती है लेकिन उससे मरुमन्सी कभी नहीं आ सकती। इसलिए नैतिक पुनरुत्थान के साधन के तौर पर वह केवल व्यर्थ ही नहीं है बुरी भी है, और इसलिए त्याज्य है। दुःख या सजा दे कर जो नैतिकता प्राप्त की जायगी वह सही नैतिकता होगी इसलिए जो लोग नीति की सजा का यकीन स्वीकार करना चाहते हैं उन्हें हमारे पाठनों का ही उपयोग करना होगा।”

सजा की उपयोगिता और सजा के सम्बन्ध में लार्ड लिटन कहते हैं:

‘सजा, यदि कभी भी जाय तो उभय उद्देश्य हमेशा उस मनुष्य के भले के लिए कुछ आदर्शों को ज्ञान और नीति के लिए आवश्यक नियमों का पालन सिखाना ही होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि सजा देने से हमेशा सफलता ही मिलेगी। किसी खास मामले में सजा देने का जो तरीका अन्वय किया गया हो वह उसके हेतु के पूरा करने के लिए अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी। और मैं यह भी नहीं कहता हूँ कि उस उद्देश्य को पूरा करने का निष्पत्ति यही एक उपाय है। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि सजा करने से सिर्फ ये ही दो उद्देश्य सिद्ध हो सकते हैं। कष्ट देने से एक बात कभी हासिल नहीं हो सकती और वह है मरुमन्सी या नैतिक सदाचार। अर्थात् बुराई दूर करने के लिए और भलाई सिखाने के लिए जो सजा दी जाती है वह निश्चय ही हानिकार होती है। स्वास्थ्य जैसे शरीर की एक स्थिति है उसी प्रकार भलाई भी मन की एक स्थिति है। शरीर की त्रुटियाँ जैसे सजा देने से दूर नहीं की जा सकती उसी प्रकार नैतिक त्रुटियाँ भी उससे दूर नहीं की जा सकती। एक जाति की स्वास्थ्य रक्षा के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि रोग के रोगी को जबरदस्ती अलग कर दिया जाय; उसी प्रकार इसी कारण से ऐसे लोगों को, जिनकी नैतिक त्रुटियाँ समाज को बड़ी खतरनाक मालूम होती हैं, दूर करना आवश्यक मालूम हो सकता है। लेकिन चैचक की बीमारीवाले की अर्थ, बड़े चैचक और कोड के रोगियों के साथ रख कर उसे स्वस्थ कर देने का प्रयत्न करना जितना अविचारयुक्त और बुरा है उतना ही किसी मनुष्य को दूसरे लोगों और दंगेबाजों के साथ रख कर उसे चोरी और दंगेबाजी की आदत से मुक्त करने का प्रयत्न करना अविचारयुक्त और बुरा है।”

इस कथन के बाद तो यह आशा रखी जा सकती है कि अब बंगाल की जेल में किये गये या होनेवाले सुधारों के प्रयत्नों का वर्णन होगा। लेकिन बंगाल के काट महोदय ने इंग्लैण्ड में किये गये दो दयाधर्मी प्रयत्नों के सकल उदाहरण दिये और कहा:

“आप यह पूछ सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने इस विषय पर बोलना क्यों पसन्द किया है। कारण यह है कि यह कार्य ऐसा है कि इसे वादे करना नहीं कर सकते। सरकारें अपने दस्तक्षेप से अक्सर इस तरह के कामों को अकारण देती हैं या उनकी गति रोक देती हैं। जिनकी यः करने की प्रेरणा और रुचि नहीं है उन्होंने यह कार्य करना चाहिए।”

इस प्रकार अपनी जोर दूसरे सम्बन्ध में लोगों को इस अति आश्चर्यकृत सुधार की जिम्मेदारी से हटा करके उन्होंने उसे बड़ा सपथित रोटेरा क्रम के सभ्यों के विशाल और आदर्शवादी कर्षों पर झाल दिया।

लेकिन मैं एक अनुभव और पुराने कर्दी का हिसाब से यह मानता हूँ कि सरकार को ही इस सुधार का आरम्भ करना चाहिए। परन्तु लार्ड लिटन उगाहा और अपने श्रोताओं से ही उठवाना चाहते हैं। दयाधर्मी मनुष्य तो सरकार के प्रयत्नों में सिर्फ मदद ही पहुँचा सकते हैं। आज जैसी स्थिति है उसमें तो दयाधर्मी मनुष्यों को यदि वे कुछ प्रयत्न कर भी ला पहले कैदमनों की सुगई को ही दूर करना होगा। यहाँ का वायुमण्डल पुनः करने की आदत को और भी दृढ़ कर देता है और निर्दोष कैदियों को बिन पकड़े गये पुनः जेल तरफ करना चाहिए यह मिश्रा वेता है। जेल में जा सुगई होता है उसे मेरे ह्याक में दयाधर्मी मनुष्यों के प्रयत्न दूर नहीं कर सकते। लार्ड लिटन ने अपनी अस्वास्थ्य में जब यह कहा कि राजा करने के बड़े सुधार करना ही पीनल कोड का आधार होना चाहिए तब उन्होंने इस सत्य को अवश्य ही माना होगा। लेकिन व्याख्यान देने समय वे यह भूल हो गये कि उनका इरादा तो उनकी पीनल कोड को ही सुधार का आधार बनाना है, और क्यों ही उन्होंने इस बात का महसूस किया कि उनकी सरकार में कोई सुधार नहीं कर दिखाया है उन्होंने अन्त में यह दिया कि सुधार करने का प्रयत्न करना सरकार का काम नहीं है।

जैसा कि लार्ड लिटन ने कहा है और उचित ही कहा है कि निर्दोष समाज की रक्षा के लिए ही सजा दी जानी चाहिए। तब तो वेबल उन्हें एक अग्रदूत रचना ही काफी होगा और वह भी तबतक के लिए जनतक कि साधारण तौर पर यह मान लिया जा सके कि उनकी बुरी आदतें छूट गई हैं और उनके अच्छे चाल-चलन का यकीन हो जाय। कैदियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने में, मानवहित की दृष्टि से कार्य का विभाग करने में, अच्छे वर्ग के बार्डर पसन्द करने में, कैदियों को ही बार्डर बनाने के रियान को दूर करने में और हमारे परिवर्तनों को जो आसानी से सुझाये जाय, करने में कोई कठिनाई नहीं मालूम हो सकती।

लार्ड लिटन के बातों से यह मालूम जाय तो भी राजनैतिक कैदियों को बिना किसी भी प्रकार का जाँच के ही कैद रखना और उनके प्रति जैसा कि कहा जाता है सुग ध्येयकार करना सर्वथा अनुचित है। यह चाहने योग्य है कि काट महोदय अपनी इस अर्थ कर्सी का उपयोग अपनी जेलों के इन्तजाम के सम्बन्ध में ही करें। इसमें कोई मन्देह नहीं कि इससे वे सुधार के रूप में बड़े आश्चर्यकारी शोध कर सकेंगे जिनपर कि सरकार आसानी से अमल करने का प्रयत्न कर सकती है, उतनी अधिक आसानी के साथ जितना कि दयाधर्मी लोग किसी बात को आसानी से करने की ओर सफल करने की आशा रख सकते हैं।

(सं-६-)

मोहनदास करमचंद गांधी

## सत्य वनाम ब्रह्मचर्य

एक मित्र महान् नैसाई को इस प्रकार लिखने हे :

"आपको यह तो स्मरण होगा ही कि कुछ महीने पहले 'नवजीवन' में 'सत्य' पर लेख लिखे गये थे — 'सत्य' नाम ही ने 'सत्य दाय' में नया अनुवाद किया था। गांधीजी ने उस समय इस बात को पढ़ कर कहा था कि मुझे अब भी दूषित स्वप्न आते हैं। यह पढ़ते ही मुझे ख्याल हुआ था कि ऐसी बातें प्रकट करने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता और पीछे से मेरा यह ख्याल सच साबित होता हुआ प्रतीत हुआ है।

नित्यगत की हमारी यात्रा में मेने और मेरे दो मित्रों ने अनेक प्रकार के प्रलोभनों के होते हुए भी अपना चरित्र शुद्ध रखा था। उन तीन 'म' से तो बिल्कुल ही दूर रहे थे। लेकिन गांधीजी का उपरोक्त लेख पढ़ कर मेरे मित्र बिल्कुल ही हताश हो गये और उन्होंने दृढ़तापूर्वक मुझसे कहा कि 'इतने भगीरथ प्रयत्न करने पर भी जब गांधीजी की यह हलत है तब फिर हमारा क्या दिमाग? यह ब्रह्मचर्यादि पालन करने का प्रयत्न करना क्या है। गांधीजी के इकबाल से मेरा दृष्टिकोण सर्वथा बदल गया है। मुझे तो अब क्या भीता ही समझो' कुछ म्लान मुख से मैंने उसका जवाब करना आरम्भ किया "यदि गांधीजी जैसी को भी इस मार्ग पर चलना इतना कठिन मालूम होता है तो फिर हमें अब तबुने अधिक प्रयत्नशील होना चाहिए। इत्यादि" — ऐसी कि दलीले आप या गांधीजी करेंगे। लेकिन यह सब शिथिल हुआ। आजतक जो निष्कलंक और सुन्दर चरित्र था वह फलंकेत हो गया। कर्म सिद्धान्तानुसार इस अवपत्न का कुछ वाप कोई गांधीजी पर लगावे तो आप या गांधीजी क्या कहेंगे?

जबतक मुझे इस एक ही उदाहरण का दृश्य था मैंने आपका कुछ भी न लिखा था — 'अपवाद' के नाम से आसानी से टाल दिये जानेवाले उत्तर से मैं मन्तोप मानने के लिए तैयार न था लेकिन उपरोक्त लेख के पढ़ने के बाद ही घटित हुए दूसरे ऐसे उदाहरणों ने मेरे मन को पुष्टि मिली है और ऊपर बनावे गये उदाहरण में मेरे मित्र पर उस लेख का जो परिणाम हुआ वह केवल अपवाद रूप न था इसका मुझे यकीन हो गया है।

मैं यह जानता हूँ कि गांधीजी को जो हजारों बातें आसानी से शक्य हो सकती हैं वे मेरे लिए सर्वथा अशक्य हैं। लेकिन भगवान की कृपा से इतना बल तो प्राप्त है कि जो गांधीजी की भी अशक्य मालूम हो ऐसी एकाध बात मेरे लिए शक्य भी हो जाय। गांधीजी का इकबाल पढ़ कर मेरा अन्तर बिलोडित हुआ है और ब्रह्मचर्य का स्वास्थ्य जो विचलित हुआ है सो अभीतक स्थिर नहीं हो सका है। फिर भी ऐसे ही एक विचार ने मुझे अधःपतन से बचा लिया है। बहुत समयों में एक दोष ही दूसरे दोष से मनुष्य की रक्षा करता है। इसमें भी मेरे अभिमान के दोष के कारण (गांधीजी को जो अशक्य वह मेरे लिए शक्य!) मेरा अधःपतन होता हुआ रुक गया। गांधीजी के ध्यान में यह बात लाने की कृपा करेंगे 'जास कर अभी जब कि वे आत्मरक्षा लिख रहे हैं। नर और शुद्ध सत्य लिखने में बहादुरी तो अवश्य है लेकिन मसार में और 'नवजीवन' और 'सत्य दाय' के पाठकों ने इससे विशुद्ध गुण का परिमाण ही अधिक है इसलिए एक का ख्याल दूसरे के लिए जहर हो सकता है।"

यह शिक्षागत कोई नयी नहीं है। असहयोग के आन्दोलन का जब बड़ा जोर था और उस समय जब मैंने अपनी गलती की

स्वीकार किया था तब एक मित्र ने मुझे ही सख्तभाव से लिखा था: "आप को तो गलती हो तो भी उसका इकबाल न करना चाहिए। लोगों को यह दृश्य घना रहना चाहिए कि ऐसा भी कोई एक है कि जिसे कोई गलती हो ली तो सारती है। आप ऐसे ही बिन आते थे। आपने गलती का स्वीकार किया है इसलिए अब लोग हताश होंगे।" इस पत्र का पठ कर मुझे हँसी आई और खेद भा हुआ। लेखक के आलोचन पर मुझे हँसी आई। इसलिए कभी गलती न हो ऐसा मनुष्य यदि न मिले तो किसी को भी ऐसा मानने का विचार करना मुझे प्राणदायक प्रतीत हुआ।

मुझसे गलती हो और वह यदि मालूम हो जाय तो उससे लोगों को हानि के बड़े लाभ ही होगा। मेरा तो यह सब विश्वास है कि गलतियों की मेरे शीघ्र स्वीकृति से जनता को लाभ ही हुआ है। और मैंने अपने सम्बन्ध में तो यह अनुभव किया है कि मुझे तो उससे अवश्य लाभ हुआ है।

मेरे दूषित स्वप्नों के सम्बन्ध में भी यही समझना चाहिए। सम्पूर्ण ब्रह्मचारी न होने पर भी यदि मैं बैसा होने का दावा करूँ तो उससे सखार को बड़ी हानि होगी। क्योंकि उससे ब्रह्मचर्य कलंकित होगा, सत्य का सूत्र म्लान हो जायगा। ब्रह्मचर्य का शिथिल दावा कर के मैं ब्रह्मचर्य का मूल्य क्यों घटा दूँ? आज तो मैं यह स्पष्ट देख सकता हूँ कि ब्रह्मचर्य के पालन के लिए मैं जो उपाय बताना हूँ वे सम्पूर्ण नहीं हैं, सब लोगों को वे सम्पूर्णतया सफल नहीं होते हैं क्योंकि मैं स्वयं सम्पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हूँ। मंसार यदि यह माने कि मैं सम्पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ और मैं उसकी अडीबूटी न दिला सकूँ तो यह कैसी बड़ी त्रुटि गिनी जायगी?

मैं सदा साधक हूँ, मैं सदा जाग्रत रहता हूँ। मेरा प्रयत्न यह है, इतना ही क्यों बस न माना जाय? इसी बात से दूसरों को मदद क्यों न मिले? मैं भी यदि विचार के विकारों से दूर नहीं रह सकता हूँ तो फिर दूसरों का कहना ही क्या! ऐसा गलत हिास करने के बड़े यह सीधा हिसाब ही क्यों न किया कि जो वास्तव एक समय स्वभेकारी और विकारी था वह आज यदि अपनी पत्नी के साथ भी अविकारी मित्रता रख सकता है और रंभा जैसी युवती के साथ भी अपनी लड़की या बहन का सा भाव रख कर रह सकता है तो हम लोग भी इतना क्यों न कर सकेंगे? हमारे स्वयं दोषों को, विचार-विकारों को ईश्वर दूर करेगा ही। यह सीधा हिसाब है।

लेखक के वे मित्र जो मेरे स्वप्नदोष के स्वीकार के बाद पीछे हटे हैं, कभी आगे बढे ही न थे। उन्हें झूठा नशा था, वह उतर गया। ब्रह्मचर्यादि महाव्रतों की सत्यता या सिद्धि मुझ जैसे किसी भी व्यक्ति पर अवलम्बन नहीं रखती है। उसके पीछे लाखों मनुष्यों ने तेजस्वी तपश्चर्या की हैं और कुछ लोगों ने तो सम्पूर्ण चित्रय भी प्राप्त की है।

उन चक्रवर्तियों की पांश में खड़े रहने का जब मुझे अधिकार प्राप्त हुआ तब मेरी भाषा में आज से भी अधिक निश्चय दिखाई देगा। जिसके विचार में विकार नहीं हैं, जिसकी निद्रा का भंग नहीं होता है जो निद्रित होने पर भी जाग्रत रह सकता है वह निरोधी होता है। उसे निवनीन के सेवन की आवश्यकता नहीं होती। उसके निर्बिकारी रक्त में ही ऐसी शुद्धि होती है कि उसे मरेरिया इ- के जन्तु कभी दुःख नहीं पहुंचा सकते। वह स्थिति प्राप्त करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। उसमें हारने की कोई बात ही नहीं है। उस प्रयत्न में लेखक को, उनके अज्ञानी मित्रों को और दूसरे पाठकों को मेरा साथ देने के लिए मैं निमन्त्रण देता हूँ और चाहता हूँ कि लेखक की

तरह से मुझसे भी अधिक तीव्र वेग से आगे बढ़ें। जो पीछे पड़े हुए हों वे मुझ जैसे के दृष्टांत से आत्मनिश्चिन्ता करें। मुझे जो कुछ भी सफलता प्राप्त हो सकी है उसे मैं निर्विकल होने पर भी, विकारबध होने पर भी — प्रयत्न करने से, धृष्टा से और ईश्वरकृपा से प्राप्त कर सका हूँ।

इसलिए किसीको भी निराशा होने का कोई कारण नहीं है। मेरा माहात्म्य मिथ्या उधार है। वह तो मुझे मेरी बाह्यप्रकृति के — मेरे राजनैतिक कार्य के — कारण प्राप्त है। वह क्षणिक है। मेरा सत्य का, अहिंसा का और ब्रह्मचर्यादि का आग्रह ही मेरा अविनाशक और सब से अधिक मूल्यवान अंग है। उसमें मुझे जो कुछ ईश्वरदत्त प्राप्त हुआ है उसकी कोई भूल कर भी अवज्ञा न करें, उसमें मेरा सर्वस्व है। उसमें दिखाई देनेवाली निष्फलता सफलता की छीड़ियाँ हैं। इसलिए निष्फलता भी मुझे प्रिय है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गोधी

## लडाई कैसे सुलगी ?

(गतांक से आगे)

कैसर ने या किसी दूसरे अधिकारयुक्त मनुष्य ने जानबूझ कर योरप में लडाई सुलगाई थी या नहीं यह मैं नहीं कह सकता हूँ। स्वयं भुझे तो हममें भन्देह है। एक मरतबा फौज को कूच कराने का हानिकार कदम उठाया गया कि फिर लडाई को रोकना असंभव था। जर्मनी की युद्धवृत्ति और योरप में अपना अपना स्वायं सिद्ध कर लेने की इच्छा रखनेवाले और एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते हुए राष्ट्र, वे दो जाने कदा इकट्ठी हुईं कि कदा लडाई के बिना और क्या परिणाम आ सकता है? जबतक आस्ट्रिया इसरी अपनी फौज को कूच करने से नहीं रोकता है तबतक रशिया अपनी फौज को कैसे रोक सकता है? और सर्बिया को एक मरतबा अल्टीमेटम दे चुकने के बाद जर्मनी या आस्ट्रिया भी फौज को कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि ऐसा करना तो उन राज्यों के लिए बड़े कलंक की बात हो जाती।

रशिया के जार और उनके सेनाध्यक्षों की जबाबदेही के सम्बन्ध में प्रो. फे ने अपनी जीव का परिणाम इस प्रकार जाहिर किया है। “(१) २९ वीं जुलाई की रात को ११ वजे रशिया की फौज का कितना ही हिस्सा चल दिया था। (२) इसका कारण यह था कि आस्ट्रिया ने सीधो बात करने से इन्कार किया और सर्बिया के साथ लडाई जाहिर कर दी। (३) कैसर का तार मिला कि जार ने फौज को रोकने का बड़ा प्रयत्न किया। (४) लेकिन रशिया के युद्धबाहियों ने जार के हुक्म का अनादर किया। क्योंकि जर्मनी न रुका इसलिए रशिया भी न रुका। १९१७ में रशिया के सेनाध्यक्ष ने इस प्रकार डी हाँकी थी। “मैं जानता था कि जबाबदेही मेरे ही सिर थी और मैंने हुक्म दिया कि कूच तो बराबर करते ही रहना चाहिए। दूसरे दिन जार के समक्ष मैं झूठ बोला था। उस दिन मैं करीब करीब दिग्भ्रष्ट था बन गया था। बड़े जगहों के साथ कूच हो चुका था उसकी मुझे खबर थी और उसे रोकना मुश्किल था। सुझा किस्वती की दृष्टि से यह थी कि उसी दिन जार को भी इस बात का निश्चय हो गया कि कूच का आरंभ तो कर ही देना चाहिए था और मैंने फौज ही काम आरंभ कर दिया था इसलिए मुझे धन्यवाद दिया था। यदि मैंने ऐसा न किया होता तो मैं कभी का जेल में पहुँच गया होता।”

एक प्रसिद्ध अंगरेज लेखक मि० लोस डिकिनसन इसके संबन्ध में लिखते हैं: “मित्रराज्य जिस प्रकार युद्ध सामग्री बढ़ा रहे थे, संस्थानों में मुक्त बढाने की जो स्पर्धा चल रही थी और योरप के अभिकोण में जुड़ी जुड़ी जातियों में जो हितविरोध उत्पन्न हुआ था उनका यदि दिवार किया जाय तो यह कहना मुश्किल होगा कि लडाई का उत्तरदायित्व केवल जर्मनी के ऊपर ही है। लडाई सुलगाने का जर्मनी का उत्तरदायित्व मैं कम नहीं करना चाहता हूँ लेकिन वह उत्तरदायित्व योग्य के दायानल को सुलगाने के लिए सब राष्ट्रों के उत्तरदायित्व का एक अंश मात्र है”

इसकी के पहले के मुख्य प्रधान नीली ने इस प्रकार लिखा है: “लडाई के पहले के गोरर के राष्ट्रों के दायित्व एक दूसरे के पत्र, स्वीकृति और संधियों की प्रामाणिक और गहरी जाँच करने के बाद मुझे गभीरतापूर्वक यह कहना पड़ता है कि लडाई का उत्तरदायित्व केवल हारे हुए राष्ट्रों के सिर पर ही नहीं है। जब हमारा देश लडाई में शामिल था तब हमारे वहाँ के लोगों को उत्साह दिलाने की वृत्ति से शत्रु को जितना बने उतना काला चित्रित करने का और उसीके सर पर लडाई की सारी जबाबदेही मढ़ने का हमारा कर्तव्य हो पडा था लेकिन अब चूंकि लडाई खतम हो गई है और जर्मनी भी शक्तिहीन हो गया है लडाई का उत्तरदायित्व सारा जर्मनी का ही था यह कहने में कुछ अर्थ नहीं है।

## जो बचे उससे खादी लो

‘घटे बलास’ की सफर भी एक बड़े मत्ते की चीज है — विशेष कर इस लिए कि वह बड़ी सस्ती और शान्त होती है। कोई व्यर्थ बातें कर के तुम्हारा सर भी न दुखावेगा। अपनेको और दूसरों को भी बहुत बड़े न समझनेवाले लोगों की भीड़ में तुम्हें कोई भी पहचान न सके इस तरह एक में बैठे रहने में बड़ा सुख है और यदि दिन की सफर ता सोने की जगह न मिले तो भी कोई दुःख की बात नहीं है शरीर को भी इससे कुछ अशुभिधा न मालूम होगी।

सायद आप यह पूछोगे: ‘इतना शोर होता है और उसे आप शान्त कहते हैं?’

भाई, मेवारे निर्वाण स्त्रीपुरुषों के कलबलाट को मन कर नाक में चढाना उचित नहीं है। बालक — हाँ, अक्षर वे गहक तकलीफ देते हैं जरूर लेकिन उनके कलबलाट में मजा आता है — परन्तु आपको बालकों के विचार का होना सीखना चाहिए और यदि आप यह समझ सकें कि वह किम लिए रो रहा है तो आप उसकी मदद भी कर सकेंगे। घटे बलास के डिब्बे के आवाज और कोलाहल की अत्युक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। ऊंचे बर्ग के मुसाफिरो की बेहूरी बातचीत से भी बहुत मरतबा उतना ही सर आ जाता है।

हाँ, लेकिन अभी आपको कोई बात खटक रही है और यह मैं जानता हूँ। आप कहेंगे कि डिब्बा गन्दा होता है और बैठनेवाले भी गन्दे होते हैं। सच है, लेकिन बिस्म मैल को आप समझ सकते हैं उसमें बैठना अच्छा या फस्टे या सेकन्ड बलास के मुसाफिरो के जो समझ में ही न आने गेसे रेल में — फेशन, मभक, धनमद और उनकी कुत्रिमता में — बैठना अच्छा? एक मरतबा आर अपना नाक में सिकोडना छोड़ दोगे तो आपको बेश की आँसुत सफाई के तदाहरण क्या स्थानों में जाने में कोई कठिनाई न मालूम होगी। रेल से आप कुछ सर न जाओगे। बहुत से लोग रेल की जितना जहरी समझते हैं उतना जहरी वह



नहीं है। चाहे कुछ भी हो, यदि दूसरों को साफल्यवादी रहने की कला सीखाने का आपको समय था कृति नहीं है तो फिर आपके फलधरे होने का भी कोई अर्थ नहीं है। कुशल को स्वार्थ के प्रवृत्ता है इसलिए आपकी सफाई का बहाना उसके आगे जरा भी चलेगा। यदि थक क्लाम के सुसाफों की सफाई के परिमाण को कुछ बढ़ाया हो, उनका इस काम करना हो तो हमलोगों को भी उनके साथ सफर करना चाहिए और उनकी असुविधा में भाग लेना चाहिए।

पर आप क्षमीर हो कर बोल चढ़ेंगे "लेकिन पाखानों का क्या? हाँ, यह बात सत्य है कि पानाने साफ नहीं होते हैं। मेरे मित्र पार्षदारथी यदि आपके साथ हों तो वे इस विषय में आपको कुछ समाजसेवा करना भी सिखा देंगे। जंकशन आने पर हाँ वह भगी को तुला कर उसे एकाध आना दे कर पानाना साफ करा लेंगे। इससे कुछ समय के लिए तो पानाने की दुर्गंध कम हो जायगी। पार्षदारथी की तरह हम सभी ऐसा कर सकते हैं लेकिन उस दिन उन्होंने जैसी बहादुरी बनाई वैसी बहादुरी शायद हम सब न दिखा सके। उन्होंने देखा कि भगी केवल बैंगर टाल गया है इसलिए उन्होंने उसके हाथ में से बास्ती और झाड़ू ले ली और स्वयं पानाने में जा कर उसे धो धा कर सब साफ कर दिया। लोग चकित हो कर देखने लगे और भगी भी बेचारा मुँह खोला खड़ा देखा देखा। निरुत्सुक पर गटे हुए कुछ लोग मुनमुनाने कि 'यह कोई गांधीवाला लोग चाहिए'।

थक क्लाम की सुसाफिरी का मेरा वर्णन पढ़ कर आप को हसी आती है। आप कहेंगे कि टिकटे के बमरे होने में बंटे हों तो भी पानाने की दुर्गंध आती है। लेकिन मैं कहना हूँ कि यदि सभी सफर करना होनी है तो ऐसी वाम नहीं आती है। कुछ ही समय में तुम्हारी भाक उसकी आधी हो जाती है। जिसको उसकी आदत नहीं है उसे थोड़ी दूर के सफर में जग असुविधा अवश्य माहूम हाती है। लेकिन तबे कटी यह एयू दे कि ऐसे पाखानों की दुर्गन्ध नाक को चाहे कैसी भी बुरी क्यों न मालूम हो फिर भी कुछ नाक भौंदा तीखाइनेवाले लोग जितनी मानते हैं उतनी वह आरोग्य का हानिकर्ता नहीं होती है। टोशियाय डाक्टर लोग हमें इस बात का यकीन दिलाने हैं—आर उनकी वाम में मानता है कि रोग गंध के द्वारा नहीं फैलता है अथवा तो स्पष्ट संसर्ग के बिना अथवा आर के मुँह में या आप के गाने गाने में कुछ आगे बिना रोग हवा में फैलते नहीं हैं। इसलिए बरा हो आयागी से फिर भी बेचबक हो कर हम लोग सब से थक क्लाम में सफर कर सकते हैं और सुधार करने के लिए देखे अधिकारियों के साथ सब भी सकते हैं।

अब भी यदि पाठकों को मे इस बात का यकीन नहीं दिला सका है कि थक क्लाम का सुसाफिरी में सजा है तो यह मेरी समझाने की शक्ति की कृति ही होने चाहिए। काई एक लोगों में जा कर देखो, आर को अवश्य ही थक पण्ड होना। आर भिन्नारियों को तो मैं भूल ही गया। 'गान्धे इण्डियन रेडो' के दिवसों में भीय मांगने के दिवस ही भिन्नारियों का देवी मान बहुत करतथा, पर प्रकार के शोर मचाया आर शक का बहाना चुना देना है। गाडी स्टेशन में चली गयी कि लगे में चली गयी एक मुनि खड़ी होती है, उसका मुँहा हुआ हाथ भीय के लिए बाहर निकलता है और देवी के हृदय में पिच्छा देनाला सगत शुरू होता है। सगत मुनने में यदि उस मुनने के गाल या पैर में थक अथवा उसका रोग या उसकी श्राय्य या हाथ पैर की कोई क्षति आप के कर्णम में कोई क्षति उत्पन्न करे तो आँस बन्द कर दो और केवल हृदय

को हिला देनेवाले उस ध्वनि का और उस पागल गानेवाले की धुन का आनंद लो। लेकिन जिस हाडपिंजर से यह सुन्दर सुर निकलता है उस हाडपिंजर को आप देख इसी में सब का लाम है।

जब हमारे यहाँ के भिन्नारी, रसापत्ती, लूके लंगके जिन्हें समय होने पर जब मुख लगेगी तब पैट कैसे भरना चाहिए इसकी भी खबर नहीं है, जिन्हें कभी लिखना पटना सिखाया नहीं गया है अथवा जिन्हें सिखाना भी असम्भव है ऐसे मनुष्य जब गंधर्व के जमा संगीत गाते हैं और अपने खर और मध्य विचार से थक क्लाम के दिवसों को भी मन्दिर बना देते हैं तब फिर हमें क्यों दुःखी होना चाहिए और किसलिए निराश होना चाहिए। हमारे महान कविगण आज भी जीवित हैं क्योंकि लूके लंगके और अंधे ऐसे हमारे मुगल भिन्नारियों की काव्यकला अभी विद्यमान है—हमारे विद्यालयों में और विद्यापीठों में विद्या का व्यापार सिखाया जाता है इसलिए नहीं। हमारे कवियों के पोषकों को जिन दिवसों में मुक्त सुसाफिरी करने का परवाना मिला हुआ होता है उन थक क्लाम के दिवसों में हमें भी क्यों न सफर करनी चाहिए? और उनके संगीत के लिए तो आप यदि कुछ देना चाहें तो वे अन्याया आपको इच्छा।

कुछ नहीं तो आप को यह माहूम होगा कि हमसे कितने बुरे बनते हैं आर जो बखल होगी उन्से आप खाडी खरीद लेंगे। लेकिन यह कहते हुए मुझे यह याद आता है कि मैं यह क्या लिखना क्यों आरम्भ किया। मैं थक क्लाम में सुसाफिरी कर रहा था। दो भिन्नारियों के लडकों ने एक सुन्दर गीत गाया। उसका, आर टिकिट थलेक्टर यदि ऐसे भिन्नारियों को निकाल दें तो हमारे साहित्य की कितनी हानि पहुँचे इसका विचार करता हुआ मैं बैठ था कि एक 'सुधित्त' और सफ सुधरे मह शय, जो मेरी तरह आवक्यता से अधिक जगह रोक कर बठ दें, जग आगे आगे और मुझसे पूछने लगे: 'क्या मैं आपको एक प्रश्न पूछ सकता हूँ?'

पथ एक न था एक बडी प्रथमाला थी। मुझे उसका उत्तर देते हुए खाडी का सोयी दफा बचार करना पडा। लेकिन वाम करने में मुझे कुछ आनन्द भी मालूम हुआ, क्योंकि उनकी शक से मेरा मन भी कोई अतुभुन प्रभार से स्वच्छ हो गया। लेकिन यह बात तो बमरे अक में लिखेगे—बेगक यदि यगइन्द्रिया के महरादक उसे प्रकाशित करने योग्य समझें तो।

**ख० गान्धोपालाचार्य**

[ कितने ही बने हुए महरादक की तां थक क्लाम का मजा और मुद्रिकों का अनुभव मिलता बन्द हो गया है इसलिए इन आमवर्ग के लोगों के सुसाफिरी के दिवसों के विषय की हाथपती समसय दवायें लेने के लिए महरादक तो हमेशा ही राजी होमे --- विज्ञेय कर जब वे दवायें लोगों के मुदेशीन चक के साथ गूंधी हुई हैं। ]

**आश्रम भजनार्थी**

पंचमी आशुलि छपकर तैयार हो गई है। पृष्ठ संख्या ३२० होने हुए भी कीमत सिर्फ ०-२-० रखी गई है। डाकखर्च शोधा को देना होगा। ०-२-० के टिकट भेजने पर पुस्तक बुकपोस्ट से फौज रखाना कर दी जायगी। १० प्रतिशे कडे प्रतिगों की थी. पी. नम्र। मेभी जाती।

वी. पी. मगानेवाले को एक थोथाई दाम पेशमी भेजने होंगे  
 कथापक, हिन्दी-नवजीवन

# हिन्दी नवजावन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक २६

मुद्रक—महाशय  
 स्वामी भाग्य

अहमदाबाद, काण्ड्युन नरी १४, संचय १९८१  
 ११ गुरुवार, फरवरी, १९२६ ई०

मुद्रकस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 धारंगपुर धरकीगरा की बाड़ी

## दक्षिण आफ्रिका के भारतीय

( विवाप फिगर का निष्पन्न अबलोकन )

२

[ विवाप फिगर के लेख का वाकी बचा हुआ भाग इस अंक में दिया जा रहा है । श्री एण्ड्रयुन ने दक्षिण आफ्रिका जा कर ईसाइयों के अनेक मण्डलों के समक्ष व्याख्यान दिये हैं । उससे बड़ी बालबली मची है । कुछ लोग तो अपना बचाव करने के लिए तैयार नहीं हैं; केवल किसान-वर्ग ही बचने के लिए एक-पादरिषी ने नये कानून को विनाशकारी माना जाहिर किया है ।

म० इ० वेल्साई ]

गोरे लोग यह तो भूल ही जाते हैं कि भारतीय किस परिस्थिति में मेटल आये थे । वन्ने के बागीचेवाले अगरेज वास्किंगों की आरंभ के दिनों में यह मान्य हुआ कि बांटु (श्वशी) अच्छा किसान नहीं है क्यों कि वह होर ले कर घुमने फिरनेवाला ही होता है । उसे न कोई स्थायी घर होता है, न क्षेत्र और न कोई निश्चित गांव ही । जहां इच्छा हुई जंगल काट कर दो तीन साल रहकर जमीन खोल लेता है । फिर जब जमीन का कस कम हो जाता है और स्थानान्तर करने को इच्छा प्रबल हो उठती है तो फिर वहां से आगे चल जाता है । उसका जीवन निश्चिन्त और सुखी होता था । इस जमाने के मुआफिक होकर एक जगह बस कर काम करना उसने स्वीकार नहीं किया । उसमें उसे एकसमय बहुत बड़े काम करना पड़ता था । यही नहीं बल्कि उसका समाजजीवन भी नष्टभ्रष्ट हो जाता था । उसका कुटुम्ब, उसकी शक्ति के नियम, और सामाजिक रीतिरिवाज जुड़े ही प्रकार की रहन-सहन के अनुकूल थे और इसलिए वह बस कर काम करना स्वीकार न करता था । इसलिए गोरे बागीचेवालों ने मजदूरों को प्राप्त करने के लिए किसानों की भूमि भारत-वर्ष के प्रति दृष्टि बरसी । मजदूर इकट्ठे करके मेजने के लिए हिन्दुस्तान के गांवों में प्रकट भेजे गये और उन्होंने सहकुटुम्ब या अकेले ही मजदूरों को तैयार कर के दक्षिण आफ्रिका भेज दिया । वे वलाक लोग उनको लकड़धाने के लिए पैलियों में भर भर कर मोने के वासे लाये थे और उसे भारतवर्ष के मूर्य के प्रकाश में चमकाते हुए वे मजदूरों को मोहित करते थे और दक्षिण आफ्रिका खिडि

मिडि से भरा हुआ मुल्क है ऐसी बातें करते थे । इस तरह फूसलाने पर बहुत से मजदूर तैयार हो कर आने लगे । इकरारनामे पर हस्तक्षर के बजाय अंगूठे का निशान कराया जाता था । जहाज के जहाज मजदूरों के गये और उन्होंने एकमिठा मे काम किया । भारतीय से बढ़कर किसान संसार में और कहीं नहीं है । धैर्य, मिहनत, और काम करने में स्थिरता, इन बातों में उसके समान कोई नहीं है । स्त्री, पुरुष और बालक सभी सुबह से लेकर रात तक काम करते थे । जिध पर उनके हस्तक्षर लिये गये थे उध इकरारनामों में लिखा था कि जो मजदूर एकाग्र, दो, सुकल, दीक दीक काम करेगा उसे दक्षिण आफ्रिका में जमीन खरीदने का और उस देश के वासिन्दे के तौर पर रहने का अधिकार प्राप्त होगा । मजदूरों ने एक दो या तीन तीन मूदन तक संतोषकारक रीति से काम किया था । उन्हें बहुत थोड़ी मजदूरी मिलती थी । उसमें से उन्होंने कुछ रुपये बचये और उससे उन्होंने थोड़ी जमीन खरीदी और उसमें वे गन्ने और शाक भाजी बोने लगे । इस संघ में वे सफल हुए और वह भी यहाँ तक कि कुछ समय के बाद करबन और वुमरे शहरों का शाकवाभार करीब करीब उन्हीं के हाथ में आ गया ।

इससे कट्टु विरोध उत्पन्न हुआ । भारतीयों को तिकाल बाहर करने का जो कानून आज तैयार हो रहा है, उसमें ता ऊपर जमा बनाया गया है, उनसे अपने पसीने से कमाई हुई जमीनें खीन ली जायगी । उससे समुद्र विचार का १- बोन का एक टुकड़ा भारतीयों के पास से खीन कर उसको गोरों का ही ठहराया जाता है । ईश्वर को खाली रख कर कही कि इसका नाम न्याय है या विभाषवान ; जमी जमी 'कागज का टुकड़ा' यह वाक्य अगरेज जनता के मुख में बहुत सुनाई देता है और वह हमारी नय मस में इनका व्यास हो गया है कि मान्य होता है कि आज हम लोग गंभीर प्रतिज्ञाओं को भी 'कागज का टुकड़ा' गिनने के लिए तैयार हो बैठे हैं । लेकिन वह वाद रकना चाहिए कि नामधारी ईसाई ऐसी प्रतिज्ञाओं को तोड़ेंगे और उसे ईसाई राज्य अनुकूल कानून बना कर मद्ध करेंगे तो भी वे अपने इस कृत्य के लिए हिन्दू-मुसलमानों के दिलों को और संसार के सुख लोगों को हमेशा ही जवाबदेह रहेंगे ।

भारतीय भाषापी लोग दक्षिण आफ्रिका में कैसे ल्याये ? नये देशमें जाके हुए लोगों को भी, पिटाई, मसाला, बचक इत्यादि

आवश्यक चीजें मिलना मुश्किल हो गई। भारत में प्रचलित और प्रिय नमूने के सोने चाँदी के जंवर भी न मिल सकते थे और न उस देशमें बंगबेरंगी शुद्ध साक्षियाँ ही मिलनी थी। यहाँ तो केवल सादा कपड़ा ही मिल सकता था। इसलिए कुछ भारतीय लोग भारतीयों के लिए उनकी रुचि की चीजें मंगाने लगे। जैसे जैसे वही बढ़ती गई वैसे वैसे यह व्यापार भी बढ़ता गया और कुछ समय के बाद यह व्यापार बहुत ही बढ़ गया।

इस दृष्ट्यान् भारतीयों ने देखा कि थोकबन्द बाल के गोरे व्यापारियों के आर इकट्ठी प्रजा के बीच में वे मध्यम धर्म के अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। उन्हें यह प्रतीत हुआ कि वे विशाक रूप से अच्छा व्यापार कर सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि जैसे इंग्लैंड लोग अच्छे चलते हुए व्यापार के प्रति खींचे हुए बले आने हैं उसी प्रकार भारतीय व्यापारियों की संख्या में और अधिकार में भी वृद्धि होती गई। आज दक्षिण आफ्रिका में निवास कर रहे हुए भारतीयों में करीब ७० प्रति सैकड़ा तो वहीं जन्म किये हुए हैं और उममे बहुतों के तो बापदाहों का भी वहीं जन्म हुआ था। जब इस बात का विचार करते हैं तब समस्त हिन्दी काम को वहाँ से निकाल बाहर करने की और उनकी नागरिकता के आधार इत्यादि के हकों का इन्कार करने की बात बड़ी ही कटोर मालूम होती है। इनमें से हजारों भारतीयों ने तो कभी भारतवर्ष का किनासा तक नहीं देखा है। अमेरिका में तीन तीन पीढ़ियाँ हुईं निवास किये हुए लोगों की इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रान्स, जर्मनी इत्यादि अपने अपने पुरखानों के असली बतन में झूट जाने की यदि कोई बात कहे तो यह बात कैसी समझी जावेगी? अमेरिका निवासियों को आने बनन में लौटा देने की और भारतीयों को भारत लौटा देने की बात की विनिश्चयता में कोई करक नहीं है।

कुछ वर्ष हुए दक्षिण आफ्रिका की सरकार ने इनाम का नियम अस्तित्व किया था, अर्थात् जो भारतीय कुनबा स्वयं हिन्दुस्तान लौट जाने के लिए तैयार होता या उसे सरकार अमुक रकम नकद देती थी। किन्तु ही कुनबों ने ऐसी रकम पा कर आफ्रिका छोड़ दिया और हिन्दुस्तान लौट आये। उनका बेचारा का बड़ा बुरा हाल है; क्योंकि उनका भारतीय जीवन और रीतिरिवाजों के साथ का संसर्ग बिल्कुल ही छूट गया था। भारतीयों से सम्बन्ध रखने वाले विभाग क अधिकारियों से मने हिन्दुस्तान गये हुए भारतीय कुनबों की दक्षिण आफ्रिका फिर लौट आने के लिए कठणमय अग्रजियों की बहुतसी बते सुनी हैं। विदेश में जा कर रहने-बाठे अपने कितने ही पुत्रों रीतिरिवाजों को छोड़ देते हैं और उसके बदले कितने ही नये रीतिरिवाजों को ग्रहण करते हैं। उन्हें अपने बतन में लौटा देने का परिणाम भाग्य ही बुरा जावेगा।

इस का एक ही उपाय है कि अभी जो १९१० भारतीय दक्षिण आफ्रिका में निवास किये हुए पड़े हैं उन्हें शान्ति से उस देश में रहने देना चाहिए और उन्हें नागरिकता के हक देने चाहिए और शिक्षा सम्बन्धी और दूसरे विषयों में प्रगति करने की सुविधाएँ कर देनी चाहिए। उन पर विश्वास रखना चाहिए और उन्हें श का अंग बना देना चाहिए। गांधी-स्मृत्यु समझौते के अनुसार नये भारतीय तो दक्षिण आफ्रिका में दक्षिण ही नहीं हो सकते हैं। वहाँ जितने भारतीयों का प्रन्म होता है उनको ही उस काम में वृद्धि हाती है। अब यदि यह कहा जाय कि विदाल प्रदेशवाले उन नये देश में पन्द्रह लाख गोरे १९१० भारतीयों के साथ सके नहीं रह सकते हैं तो इस में

भारतीयों की बड़ी भारी प्रसंसा है अथवा गोरी जनता बड़ी अपराधी साबित होती है। देश के भिन्न भिन्न प्रदेश में विकारी हुई परिमाण में छोटी सी प्रजा आफ्रिका की महाप्रजा में आसानी से समा जा सकती है और उचित समय में उन्हें वहाँ के नागरिक भाँ गिने जा सकते हैं।

भारतीयों की दुःख सहन करने की शक्ति अमर्यादित है यह मैंने दक्षिण आफ्रिका में अपने व्यापिक मित्रों को समझाने का प्रयत्न किया। दुःख, दमन और मुश्किलें सहन करना भारतीयों के लिए स्वभावसिद्ध बात हो गई है। उनका धैर्य अनुकरणीय है। भारतीयों के परिचय में आया हुआ कोई भी मनुष्य इस बात का यकीन दिला सकता कि उनपर यदि अंकुश चले जावे तो भी वे दुःख सहन करेंगे और आखिर विजय प्राप्त करेंगे। अभी जो कानून बननेवाला है उसका मसविदा बनाने में त्रिसका हाथ है ऐसे सरकार के एक मुख्य प्रतिनिधि ने जःहिरा तौर पर यह कहा है: "इन कानून की सभी रकमें समान अस्वरकारक साबित हो या न हों, लेकिन इस कानून को बनाने का एक हेतु यह है कि इस देश में (दक्षिण आफ्रिका में) भारतीयों की स्थिति ऐसी अच्छी बना दी जाय कि वे स्वयं ही भारतवर्ष का मार्ग ग्रहण करें" कानून बनाने से यह हेतु सफल न होगा। मिसर के फेरौद्ध राज्य में यहूदियों ने जो कर दिखाया था उसे भारतीय फिर कर दिखावेंगे। वाइबल में कहा है "उनपर जैसे जैसे जुल्म किया गया जैसे तैसे उनकी संख्या बढ़ती ही गई।"

जो प्रजा कुचली जा रही है उसके बनिश्चय सितमनर को ही दमननीति अधिक हानिप्रद साबित होती है। आज तो गोरी प्रजा इतिहास के ऐसे उदाहरणों के प्रति भी आँक बन्द कर लेती है। दक्षिण आफ्रिका के भारतीय दक्षिण आफ्रिका छोड़ कर जानेवाले नहीं हैं। वे तो वहाँ रहेंगे ही। भारत सरकार ने एक बात स्पष्ट की है। वाइबल और चारासमा ने उन्हें भारत-वर्ष लौटा देने की बात का विचार करने से भी इन्कार किया है। लेकिन यदि भारत सरकार भविष्य में अपना विचार बदले तो भी उसका इस प्रश्न पर कोई लाभ असर न होगा क्योंकि अपने जन्म और निवास के अधिकार से देश के नियम और न्यायपूर्वक नागरिक बने हुए लोगों का भावि बाड़े जिस प्रकार पड़ने का भारत सरकार और आफ्रिका की सरकार को — दोनों में से किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। जैसा एक गोरो का है वैसा उनका भी है। दोनों के बापदादा वहाँ बाहर से आ कर बसे हुए हैं। शायद इसी प्रश्न पर से ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता की कीमत आँकी जावेगी। दक्षिण आफ्रिका के भारतीय पूछते हैं: 'ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक होने में क्या लाभ है?' दक्षिण आफ्रिका साम्राज्य का एक विभाग है, हिन्दुस्तान भी साम्राज्य का एक विभाग है। फिर भी फ्रान्स, जर्मनी, जापान और अमेरिका की प्रजा के बराबर भी भारतीयों को दक्षिण आफ्रिका में अधिकार प्राप्त नहीं है। इन स्वतन्त्र नागरिकों को दक्षिण आफ्रिका में प्रवेश करने का जो परवाना मिलता है उसके अनुसार उन्हें कितने हक और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं उनमें ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक भारतीयों को प्राप्त नहीं होते हैं। दक्षिण आफ्रिका की वर्तमान परिस्थिति में वहाँ जाके गोरे के हकों की तुलना हो रही है वहाँ समस्त ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक बनने का कोई अर्थ नहीं है। यह मैंने बहुत से अंगरेजों के और भीनों भारतीयों से सुना है। यह हाकत कबतक भिन्न सकेगी?

विध विवाह का भय बता कर दक्षिण आफ्रिका की गोरी प्रजा को कानून का और भारतीयों को अलग करने की नीति का समर्थन करती है। वर्णभेद का पक्ष करनेवाले साम्राज्यवादी अब दूसरी दलीलें नहीं होते तब हमें क्या फ़ैसी ही दलीलों का आश्रय लेते हैं। इसलिए अब इसी दृष्टि से हमको दक्षिण आफ्रिका और दूसरे देशों का विचार करें। भारतवर्ष में गोरी को आये हुए तीर्थ संधियाँ हो गईं फिर भी आज १२ करोड़ की बस्तीवाले भारतवर्ष में मिश्रण प्रजा मात्र दो बार काक ही होगी। इसी प्रकार ११ करोड़ की बस्तीवाले अमेरिका के प्रदेश में भी इतनी ही मिश्रण प्रजा होगी। संसार के दूसरे बहुत से प्रदेशों के बनिस्वत दक्षिण आफ्रिका में काली प्रजा को अलग रखने की नीति पर बड़ी लक्ष्मी से अमल किया जा रहा है। वर्ण के अनुसार ही शहर के विभाग बनाये जाते हैं; समाज की रचना में भी वर्ण के अनुसार विभाग किये गये हैं; सैलकूट, व्यापार शिक्षा, धर्म इत्यादि जीवन के प्रत्येक व्यवहार में वर्ण के अनुसार अलग सीमायें मुकदमों की गई हैं। फिर भी ५० लाख दक्षिणियों की और १५ लाख गोरी की बस्ती में करीब करीब १० लाख मिश्रण प्रजा है। जिस देश में दूसरे किसी भी देश के बनिस्वत अलग रखने की नीति अपूर्ण सकती के साथ असह्यार की गई है वही मिश्रण प्रजा सब से अधिक है। इतना शिक्षा कर ही में इस विषय को यहाँ बन्द कर देता हूँ। जहाँ गोरी को अलग वर्ण लोगों के प्रति आदरभाव बहुत ही कम होता है वहाँ व्यापार का बहिर्देश अधिक होता है वह क्या सब नहीं है! क्योंकि यदि पुरुष जो को आदर की दृष्टि से देखता है तो वह जो के प्रति अपना व्यवहार बंदाही रखता है अर्थात् एक और को उचित है लेकिन यदि वह उसे अपने से उतरती हुई कोटि की मानता है तो उसकी दृष्टि उसके प्रति विषय की ही होती है। वर्णसंकरता से बचने का एक मात्र उपाय यही है कि प्रत्येक भिन्न भिन्न कौम की संस्कृति का आदर्श जितना हो सके ऊँचा रक्खा जाय। इससे परस्पर मैत्री, मान और स्वतंत्रता का भाव विकसित हो सकेगा।

अलग मंडलों बनाने का और विधेयियों से सम्बन्ध रखने-वाला और उनके नाम लिखने का कानून' ऐसा भला नाम जिस कानून को मिला है उससे निवृत्त और व्यापार दोनों बातों में लोगों का वर्णानुसार विभाग कर के उन्हें विशुद्ध अलग कर देने के सिद्धान्त पर अन्तिम सीमा तक अमल करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रसविले को धारासमा में एक मरतवा तो पड़ा जा चुका है। उसे तैयार करनेवाले प्रधान उसके पक्ष में प्रस्तावना करते हुए यह आह्वान करते हैं कि भारतीय परदेशी हैं और जबतक उनकी संख्या में बड़ी भारी कमी न आ जायगी तबतक इस प्रश्न का सन्तोषकारक निर्णय न हो सकेगा। इस पर से इस कानून का रहस्य स्पष्ट होता है। दक्षिण आफ्रिका में भारतीयों का मामोविभाग भी न रहने देना चाहिए यही स्पष्ट उद्देश्य है। किन्तु गोरी लोग यह भूक जाते हैं कि आफ्रिका में वे भी निवेशी हैं। अधिकार को प्राप्त एक विदेशी प्रजा राजकीय दृष्टि से निवेशी है एक दूसरी विदेशी प्रजा का अधिकार से नाश करने के लिए तत्पर हुई है। इसमें जो नीति का अर्थ है वह स्पष्ट ही है।

संश्लेष में कहे से कहे अंकुश और समाधान रखना नहीं है। इस देश में पहले उक्त उक्त अपमानों का वर्णन किया जा चुका है। इसलिए मैं उन्हें फिर से यहाँ नहीं विमना चाहता हूँ। किन्तु अंकुशों की ही दृष्टिकरण चाहते हैं वे करीब करीब जती

दुम्बवाल में हाल भी बुर है और फिर भी उस प्रांत में रहनेवाले १२-०० भारतीय गोरी के लिए बड़े अयक्ष है यह माना जा रहा है। यह मरविदा मन्वर किया जाय और अभी दुम्बवाल में है वेसा कानून सारे ही दक्षिण आफ्रिका में लागू किया जाय तो भी भारतीय कौम कम अयक्ष होगी इसका क्या विश्वास! हर एक प्रकार के अंकुश होने पर भी ये निश्चिन्त लोग गोरी व्यापारियों के लिए भय का कारण बने हुए हैं गोी फिर जब वह अंकुश सारे देश पर लागू किया जायगा तब वह कारण बनेगा क्यों नहीं!

दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों की स्थिति के सम्बन्ध में मेरे विचारों को प्रकाशित करते हुए सुखे बड़ा संकोच होगा है क्योंकि दक्षिण आफ्रिका में वर्णभेद का व्यवस्था ही उम है इसलिए उसके सम्बन्ध में कुछ भी बोलने से लोगों के दिल आगानी से उतेजित हो जा सकते हैं।-

प्रश्न बड़ा ही कठिन है और अभी उसका निर्णय भी होता हुआ नहीं मालूम होता है। यह तैयार किया गया मरविदा चाय पर अहम का नहीं मगर निमक का काम करता है। यह कानून होगा तो उमका यही परिणाम होगा कि दक्षिणों के कारण भारतीयों की स्थिति और भी कठिन हो जायगी। उनमें कठिनायन का क्याल उत्पन्न होगा और सारे समाज में जगह जगह उनके मित्र खड़े हो जायेंगे इसलिए सचमुच ही मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ कि वहाँ पुद्दिमानों की नीति ही अस्त-व्यस्त की जायगी और दक्षिण आफ्रिका की धारासमा इस कानून की अव्यवहारिकता समझ लेगी। इस कानून से भारतीय कौम पर आक्रमण किया गया है फिर भी यदि मैं दक्षिण आफ्रिका का निवासी गोरी होता तो मैं प्रत्येक गोरी को यह समझता हूँ कि इस कानून से गोरी पर ही आक्रमण होता है। भारतीय कौम को इससे जो प्रत्यक्ष हानि होगी उससे कहीं अधिक परोक्ष हानि दक्षिण आफ्रिका में रहनेवाली गोरी प्रजा की होगी। जुल्म करनेवाले और जब उजाड़ देनेवाले कानूनों से जिसपर जुल्म होता है उनके बनिस्वत जो जुल्म करते हैं उनमें सद्गुण और शक्ति का हास हो गया है यही साम इतिहास से साबित होगी है। इसके लिए प्रायः रूस, रूसिया और ऐसे दूसरे बहुत से देशों के राजकाय इतिहास से उदाहरण दिये जा सकते हैं।

भारतीयों में जुल्म महन करने को सदा शक्ति देगा रही है और दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों में भी अपने इस जातिगुण के अनुसार ही व्यवहार रखने के लिए कमर बन्दी है। उन्हें फाँसी पर चढ़ाया जायगा तो भी उन्हें जो उमने सामत्व है प्राप्त होगा। जहाँ जो नीति है उससे जो मैं यह मानता हूँ कि यह प्रश्न और भी विकट रूप धारण करेगा और यह प्रश्न बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मेरा क्याल है कि सजाध्य, भारतवर्ष और दक्षिण आफ्रिका की सरकार और दक्षिण आफ्रिका में रहनेवाले भारतीयों के प्रतिनिधि मित्रभाव से एकत्रित हों और सब देखभाल और विचार कर के निर्णय करें तो उससे सन्तोषकारक निर्णय हो सकेगा। इस प्रकार संभव है कि ऐसी शर्तें निश्चित की जा सकें कि जो सबको पसंद हो। 'दोनों कौमों किस प्रकार काम करी है' इसी प्रश्न पर सब आधार रहता है। अकेले विरोध से रा सताने से कुछ भी न होय। दोनों कौमों को सब तरह से विचार करना चाहिए और किसी के जीवन को, स्वतंत्रता को और प्रगति को कोई हानि न पहुँचे इस प्रकार से सब को एक साथ निकल कर निर्णय करने के लिए दृढ़ और दृष्ट निश्चयपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए।



## हिन्दी-नवजीवन

पुरुवा, काल्पुत्र वरी १४, संवत् १९८२

### स्वेडन से

स्वेडन-देश से एक सभ्य इस प्रकार लिखते हैं—

“आपका अखबार हर सप्ताह मुझे यहाँ भिजता है जिससे मुझे बड़ी खुशी हासिल होती है और ऐसा माखम होता है मानों मैं वहाँ आपके समागम में ही रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि आप य. इ. में हर देश के लोगों के भी सबलों के जवाब दिया करते हैं और मैं समझना हूँ कि आप मेरे प्रश्नों के भी उत्तर देंगे। ... .. क्या आप अपने अखबार में इस बात का उत्तर मुझे देंगे कि आप जब भी अपने कार्यक्रम के तमाम अंगों पर पहले की ही तरह अटक हैं। अखबार लिखा करते हैं कि आपने कितने ही विषयों में अपना मत बदल दिया है, किन्तु आप अखबारों के विषय में पहले जैसा ही उत्साह अब भी रखते हैं। हमारे देश के सब से बड़े अखबार में एक लेख आपके विषय में छपा है। उसकी मुख्य मुख्य बातों का उल्था अलहदा कागज पर मैं आपके लिए भेजता हूँ। मैं समझना हूँ कि उनसे यह साबित होता है कि हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत को भीतरी बातों के ज्ञान का कितना भारी जमाव यहाँ है। लोग यह समझते हुए नहीं दिखाई देते कि जब कि सर्वसाधारण जनता के आरिष्य की महत्ता के हर अंग को कुचक डालने का प्रयत्न अंगरेजों ने किया है तब मला वे एक दिन, माह या साल में अपनी सारी खोई हुई पूँजी को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अब तो वे जहाँ मौजूद हैं वहीं से उनका पुनर्निर्माण करना होगा। माना कि यह काम धीरे ही धीरे हो सकता है पर काम करने के लिए मजाल है बका ज्ञानदार।

मेरे अनुवादित उक्त क्लेश का उत्तर य. इ. में देने का कष्ट मैं आपको दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को आप की सखी राय से बाकिफ कर दूँ। मेरा हयाल है कि आ. के चरखे की ही पुनियाद पर ही भारत की स्वाधीनता, आर्थिक कल्याण और उनके फलस्वरूप आन्वयारिक 'पुनरुज्जीवन' का निर्माण किया जाने वाला है।

यदि गेरी यह भारी तीठता हो तो हम के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारी इंजील में एक वचन है — प्रेम भय को भगा देता है। मैं कोई चालीस बरसों से भारत और उनके निर्वाहियों को प्रेम की दृष्टि से देख रहा हूँ — और 'उन्नी के बल पर आप को कष्ट देने का यह साहस किया है।”

इन महाशय का मेजा अनुवादित अंश नीचे देखिए —

“गांधी अपने धर्मान्वितापूर्ण आण्वयारिक साम्राज्यवाद में और पश्चिमी सभ्यता के द्वेष में प्रनिगामी भारतवर्ष का ही मूर्तिमान रूप है। उसका आदर्श बही पुरानी सबसे अलग रहनेवाली ग्रामीण जातियाँ हैं जो कि खेती और पशु-पालन करती थीं और बाहरी दुनिया से अलग रहती थी और वह वा आर्थिक स्वाधीनता का परिणाम। इसीको फिर से प्राप्त करने के लिए गांधी पश्चिमी सभ्यता के संघर्ष से मुक्त होने के मार्ग-स्वरूप चरखे को अपनाये की सिफारिश करता है। इसके साथ ही वह ऐसी राजनीति को

कैला रहा है जो कि बहुत स्पष्टतः हाल-रोटी की राजनीति है और कहता है कि अंगरेजों को तमाम सरकारी पदों से हट जाना चाहिए तथा शासन और सेना तथा परराष्ट्रीय विभाग आदि के हर अंग हमारे अधिकार में हो जाने चाहिए। आधुनिक राज्य-प्रणाली में भारतवासियों को प्रविष्ट कराने के इस क्रम में गांधी कुलमकुला खुद अपने ही सिद्धान्तों के विरुद्ध खिलाफ चल रहा है। मुझे निश्चय है कि तिलक तथा दूसरे पूर्ववर्ती पुरुषों की अपेक्षा गांधी के सामने इस कार्यक्रम में सिद्धि प्राप्त करने के लिए परिस्थिति प्रतिकूल है। ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के आन्दोलन की विधियों का मनन किस शास्त्र ने किया है उसे पश्चिमी सभ्यता विषयक गांधी के विचार दुर्भेति-मूलक दिखाई देते हैं। यह प्रतिपादन करने में किसी प्रकार की आधुनिक नहीं है कि भारत की राजनैतिक जीवन-शास्त्र बहुतांश में पश्चिमी सभ्यता के एक मूल स्वरूप — रेकवे — पर अवलंबित है। इन्हीं साधनों के बल पर चरखे का आन्दोलन बकाके से हो रहा है, महासभा की बैठके एक के बाद एक हो रही हैं, स्थान स्थान और समय समय पर नेताओं की सभा-समितियाँ होती रहती हैं। पश्चिमी सभ्यता की निन्दा और मर्मना हर के गांधी अपने को कुछ बाधुमण्डल में पाता है। जिन साधनों के द्वारा दुनिया से अपने को अलग रखने का तथा पुराने रीति-रिवाजों और सामाजिक तरीकों को अपनाये का आन्दोलन सम्भव हो रहा है वे सब पुछिए तो प्राचीन आदर्श से उठे हुए ही हुए हटा के जा रहे हैं और एक तीखरा विपरीत पूर्वापर-विरोध तो सब गांधीवाद में ही अपना रंग दिखा रहा है।

“हम यह लिखा चुके हैं कि गांधी एक ओर वैराग्य और जप-तप के आदर्शों का उपदेश देते हुए किंच प्रकार हाल-रोटी की प्रबल राजनीति का संघालन कर रहा है और किंच तरह उसका सर्वे व्यापी आन्दोलन उन्ही बातों का रूप ग्रहण कर जाता है जिन्हें कि वह नष्ट कर देना चाहता है। और एक तीखरा पूर्वापर-विरोध तो गांधी के जाति-विषयक व्यवहार में खुद ही दिखाई पड़ता है। गांधी स्वभावतः अपने आर्थिक आदर्श अर्थात् ग्राम समाज की स्वाधीनता के अनुकूल समाज-व्यवस्था बनाने की चेष्टा करता है इसलिए वह अकरी है कि गांधी अपनी प्राचीन जाति-व्यवस्था का पूरा पूरा बकाव करे। पर बात ऐसी नहीं है। गांधी ने कितनी ही बातों में साक्ष्य कर अकृतों के बारे में, समाजनी कोनों के विचारों के खिलाफ अपनी राय जाहिर की है। इस प्रकार उसके काम से आधुनिक काल की सहायता मिलती है। यह साक्ष्य है कि जो हलचल इतने परस्पर विरोधी और विविध बातों से जैसे कि ऐकान्तिक राष्ट्रधर्म और उसके अन्तिम अन्तर्गत गांधीवाद से भरी पडी है उससे कोई महत्वपूर्ण बात पैदा नहीं हो सकती। भारासमाधों का पाठशाळाओं का, अदालतों का तथा मित्रों के कंधों का बहिष्कार तो पूरा पूरा अलसक हुआ है।

“इन कार्यक्रम के संघर्ष में समाजनी हिन्दू लोगों का विचार तथा राजनीति अनुकूल नहीं हो सकती। उनका आन्दोलन निर-पयोगी भी नहीं साबित हुआ है। पर उसका अभीष्ट अक्षर नहीं हुआ है। भारत की स्वाधीनता की हलचल ने पश्चिमी सभ्यता के संघर्ष को छोड़ नहीं दिया है। सरकारी पदों पर तथा उद्योग चरखों में भारतवासियों की नियुक्ति लेजी के साथ करना, नीची जातियों को विद्यालयों में भरती करना इत्यादि जो बापें भारतीय राजनीति में प्रधान रूप से दिखाई देती हैं वे इस प्रकृति की सूचक नहीं हैं। वर्तमान स्थिति की आधुनिक-आधुनिक तीखरा पर दृष्टि रखते हुए

कोई भारतीय राजनीति के इन दो महान् कार्यक्रमों—सनातनी और आतंक नवीन—का इस प्रकार वर्णन कर सकता है: सनातनी योजना को अक्षरशः यान्त्रिक ढङ्ग में परन्तु उसके आन्दोलन के कारण, जो कि भारत को आधुनिक ढाँच के लिये में ढाँचने के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण है, आतंक नवीन कार्यक्रम सिद्धि प्राप्त कर सकने के योग्य और बहुत मूल्यवान् हैं परन्तु उसके पुत्रपौत्रों की भिन्नधार तबीयत के बहोत ऐकान्तिक राष्ट्र-धर्म की प्रबल सहायता के बिना अपनी सिद्धि करने में असमर्थ है।”

पत्रलेखक के पत्र में किये गए प्रश्न के उत्तर में सुष्टे नहीं था फिर कही होगी जो कि पहले मैं इन पत्रों में कह चुका हूँ। यह यह कि असहयोग के उस असली कार्यक्रम पर आज भी मेरी अटक भ्रष्टा है। मेरा दिक् यह भी कहता है कि उस के द्वारा राष्ट्र-कार्य की भारी सेवा हुई है। जिन संस्थाओं पर उसने आक्रमण किया था उनकी यह धान-धान आज नहीं रह गई है। पर मैं मानता हूँ कि उसकी प्रतिक्रिया भी भारी हुई है और बहुतेरे लोग जिनका संबंध उन संस्थाओं से था अब फिर उन में बडे पडे हैं। पर मुझे यह विश्वास है कि अनुकूल समय आने पर वह सारा कार्यक्रम फिर से सजीव हुए बिना न रहेगा—हो सकता है कि उसका बाहरी रूप वह न रहे पर उसका अंतरंग बही रहेगा। तबतक मैं एक असली आतमी की तरह अपने उन साथियों को अपने सिद्धान्त या व्यवहार का स्थान न करते हुए भरसक सहायता देता रहूँगा।

अब स्वैच्छन के समाचार-पत्र के उस केलासा को लीजिए। मेरे हेतु और कार्य के विषय में उसमें बड़ी भ्रष्टा प्रकट होता है जो कि आम तौर पर विदेशी लोगों को रहता है। रेलवे को मिटा देने से मेरा कोई वास्ता नहीं। चरके के प्रचार को मैं रेलवे के अस्तित्व से विशुद्ध सुखगत मानता हूँ। चरके का प्रचार राष्ट्रीय धृष्ट-उद्योग के पुनरुत्थार के हेतु किया जाता है। खेती के बाद सबसे बड़ा उद्योग यही है। इसके उत्पन्न धन का समान और स्वाभाविक बटवारा चरका-प्रचार के द्वारा होगा। और ऐसा होने से देश पर कानून कड़ी काहिली और कंगाली का दुहरा बोध हो जायगा। और न मैंने कभी यही सुझाया है न सोचा ही है कि अंगरेज भारत से निकाल दिये जायें। पर ही मैं यह जरूर सोचता हूँ कि भारत-सरकार-संबंधी अंगरेजों की दृष्टि में आतंक परिवर्तन हो जाय।

सूक्ष्म रूप की गुलामी की यह मौजूदा अस्वाभाविक और नीचा गिराने वाली प्रणाली हर हालत में बदल जानी चाहिए। अंगरेज माफिक बन कर रहना चाहे तो उन के लिए स्थान नहीं है। यदि वे दोस्त और सहायक बनकर रहना चाहें तो जगह जरूर है। पूर्विक केंद्र के केन्द्रक असुहृदयता-निवारण का महान् तात्पर्य विशुद्ध नहीं समझ पाये हैं। यह बात उन के ज्ञान में ही नहीं आ सकती कि अहृदयता-निवारण के द्वारा तो भिन्धु धर्म का महान् दोष दूर होनेवाला है जो कि उसके अन्दर आ चुका है और ऐसा होने से भ्रम-विनाश की इस भयम व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचानी पर, हाँ, यह मानना होगा कि एक कार्यक्रम मनुष्य के लिए जो कि इतना बुरी पर बडे हुए एक महान् आन्दोलन पर दृष्टिगत करता है, यह सुझाव बत है कि अंगरेजों परन्तु परिचित बाहरी सिकन्दर के अन्दर छिपे हुए अपरिचित घरे का व्यवकीकन कर सके। उन के लिए मुझे की-म-ह भूली देखा भी कठिन नहीं है। यथित में

अब तक जो ऐतिहासिक कड़ाईय आजादी के लिए हुई हैं उनकी कोई बात सान्तिमय असहयोग आन्दोलन से नहीं मिलती है। इसका आचार पधु-बल या द्वेष नहीं है। जाकिम का विनाश भी इस का लक्ष्य नहीं है। यह तो आत्म-शुद्धि की इच्छा है। देश आज सामूहिक धारित के लिए तैयार नहीं है इसी लिए हो सकता है कि वह बेकार हो। परन्तु इस आन्दोलन को मिथ्या मन के नापना अनुचित होगा। मेरी अपनी राय तो यह है कि यह आन्दोलन किसी तरह असफल नहीं हुआ। भारत की आजादी की लड़ाई में अहिंसा को अटक स्थान मिल गया है। इस बात से कि कार्यक्रम एक ढाँच में पूरा न हो सका, सिर्फ यही जाना जाता है कि लोग इतने बडे समय में ऐसे प्रबल संक्षोभ को संभाल न सके। परन्तु यह तो एक ऐसा क्षमीर है जो कि तुपके तुपके परन्तु मिथ्य के साथ जनता के अन्दर अपना रास्ता तब कर रहा है।

( वं. इ. )

माहनदास करमचंद गांधी

सत्ता का कुदपयोग

हिन्दुस्तान में किये जानेवाले विरोधी की परवा न करते हुए आखिर दक्षिण आफ्रिका की यूनिनन पार्लियामेंट ने रंग-द्वेष के कानून को वास कर ही काठा। वहाँ के भारतीय निवासियों पर उसका इतना असर नहीं होता है जितना कि यूनिनवासियों पर। इस कानून के द्वारा वे तथा एशियाई लोग खानों पर उन कामों के करने से वस्तुतः रोक दिये गये हैं जिन्हें कि योरपियन लोग करते हैं। भारतवासियों का यह अकारण ही अपमान किया गया है। क्योंकि खानों पर तो बहुत ही कम भारतीय काम करते हैं। पर वहाँ तक आदिम निवासियों से संबंध है, यह कानून केवल उनका कानूनी दरजा ही कम नहीं कर देता है बल्कि खानों पर काम करनेवाले हजारों लोगों के दुनियावी हितों को नष्ट करता है। ऐसी अवस्था में यदि जनरल स्मट्स ने इस कानून के खिलाफ गंभीर चेतावनी दी और उसे वास के डेर में आग लगा देने की उपमा दी तो कोई आश्चर्य नहीं। यह कानून आदिम-निवासियों के लिए एक चुनौती है। वे चाहे अनपठ हो, पर हैं वे ही स्वाभिमानी और छुहैछुई जैसे, जैसे की दुनिया की अन्य जातियाँ हैं। आज वे अ-सहाय हैं, इसलिए चाहे भले ही इस चुनौती पर वे काम न ठोक सके; पर इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि यदि दक्षिण आफ्रिका के योरपियन अपनी इसी उद्धत नीति पर अडे रहे तो छद्म अपने हाथों अपने विनाश का बीज बोवेंगे। कहते हैं कि जब यह कानून सेनेट में पेश होगा तब वह उसे रद्द कर देगी। उसे यही करना चाहिए। पर उसी तार में यह खबर है कि वर्तमान सरकार का बहुमत उन संयुक्त समाजों में है जिन में कि वह अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेना चाहती है। यदि यही रफ्तार रही तो मौजूदा रंगद्वेष का कानून जो कि आज भारत में जन-क्षोभ का कारण हो रहा है, स्थिति नहीं हो सकता, जैसा कि इतने की आशा भी एण्ड्रयू ने प्रकटित की है। ये उपाय बच पूछिए तो एक ही पैली के बडे बडे हैं और रंगद्वेष के संरम्भ में वर्तमान यूनिनन सरकार की नीति को प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ भारत-सरकार का कथान ही इस नीति पर दुर्बिचार का सकता है।

( वं. इ. )

मोक्ष क० गांधी

### सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

#### अध्याय १०

#### धर्म की शलक

उ: या सत वर्षों से ले कर जबतक मोलह वर्ष का हुआ तबतक शाजा की पढाई में बड़ी भी मुझे धर्म की शिक्षा प्राप्त न हो सकी थी। बहा तो यही जा गहता है कि शिक्षकों के पास से जो शिक्षा ही में प्राप्त होना चाहते थे वह प्राप्त न हो सका था। यह होने पर भी बायुपण्डित से से भी कुछ न कुछ प्राप्त होता ही रहता था। यहाँ पर धर्म का बड़ा विशाल और उदार अर्थ करना चाहिए। धर्म अर्थात् आत्मा की शलक, आत्मज्ञान।

मेरा जन्म वैष्णव संप्रदाय से हुआ था इसलिए अक्सर मन्दिर में जाना होता था। लेकिन उनका प्रति मेरे हृदय में भ्रष्टा उत्पन्न न हो गयी। उसका नैष्ठिक मुझे पण्डित न आया। इसमें होनेवाली भ्रष्टाति ही जाने खुला था इसलिए उनके प्रति उदासीनता पैदा हुई। और मुझे वहाँ से कुछ भी प्राप्त न हो सका।

लेकिन जो मन्दिर ने प्राप्त न हो गया वह मुझे मेरी दाई से प्राप्त हुआ। वह हमारे कुटुम्ब की बड़ी पुगरी जोकर थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद आता है। ऊपर में यह लिख चुका हूँ कि मैं भूतप्रेतादि से डरता था। रंभा ने मुझे यह समझाया कि उसका औषध रामनाम है। रामनाम के बलिस्वत मुझे रंभा के प्रति अधिक भ्रष्टा थी इसलिए भूतप्रेतादि के प्रय से बचने के लिए मैंने वचन में ही रामनाम का जप करना शुरू किया। वह बहुत दिनों तक न टिक् गया लेकिन जो बीज वचन में बोया गया था वह नष्ट न हो सका। आज मेरे लिए रामनाम एक अद्वैत शक्ति है, उसका कारण मैं रंभाबाई ने बोया हुआ बीज ही मानता हूँ।

इन्हीं दिनों में मेरे एक काका के लड़के ने, जो रामायण के बड़े भक्त थे, हम दोनों भाइयों के लिए रामायण का पाठ सीखने का प्रयत्न कर दिया था। हम लोगों ने उसे कष्टग्रस्त कर लिया और प्रायःकाल में स्नान करने के बाद उसे हमेशा पढ़ जाने का नियम किया। जबतक पोरबंदर में रहे तबतक तो यह निम सका लेकिन राजकोट के बायु-पण्डित यह सिद्ध गया। हम क्रिया के प्रति भी मुझे कोई आस भ्रष्टा न थी। बड़े भाई के प्रति जो आदर था उसके कारण और कुछ रामायण का पाठ शुद्ध उच्चार से हो सकता था। हम अविमान के कारण ही उसका पाठ करता था। लेकिन जिस बात थी मेरे दिल पर गहरी छाप पड़ी वह रामायण का पठन था। पिताजी की बीमारी का कुछ समय पोरबंदर में बीता था। यहाँ पर वे निरर्थक गमजरी के मन्दिर में जा कर रामायण सुनते थे। वे रामायण सुनानेवाले महाराज रामचन्द्रजी के परम भक्त बिलेश्वर के लता महाराज थे। उनके सम्बन्ध में यह कथा कही जाती थी कि उन्हें तीर्थ निकला था। उसकी दवा करने के बदले उन्होंने वीरभद्र के प्रदातेव से लड़े हुए वीरपत्र कोटवाली जगह पर रखे और वेरल रामनाम का जप किया। आखिर उनका भद्र प्रसन्न हो कर दा गया। यह बात सब ही या ग ही, सुननेवालों-इमजोगी-ने सब मान ली। लेकिन यह बात सब थी कि जब उन्होंने कथा या आरम्भ किया तो उनका शरीर कीलक-मिरोच था। लम्बा महाराज का कण्ड मधुर था। वे वीर-भक्तों-मार्त-के और उनका धर्म समझते

थे। वे स्वयं उसके रस में डीन हो जाते थे और श्रोताओं को भी उसमें डीन कर देते थे। उस समय मेरा बय कोई तेरह साल का होगा लेकिन मुझे यह स्मरण है कि उनकी कथा में मुझे बड़ी दिलचस्पी माहूम होती था। मेरे रामायण पढ़ के अत्यन्त प्रेम की तीव्र ही मेरा यह रामायणभरण है। आज मैं दुल्सीदामजी के रामायण को नखि-नार्म का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ।

बोड़े महीने बाप इमजोग राजकोट आये। वहाँ ऐसी कोई कथा न होती थी। हाँ, एकादशी के दिन भागवत अक्षय पढ़ा जाता था। कभी कभी मैं भी सुनने के लिए बैठ जाता था परन्तु अटती उसमें दिलचस्पी उत्पन्न नहीं कर सकें थे। आज मैं यह समझ सका हूँ कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसे पढ़ कर वर्तमान उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने उसे गुजराती में बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा है। लेकिन अब मैंने मेरे इकस दिनों के उपवास के समय उसके कुछ भागों को भारतभूषण पण्डित माहवीरजी के सुन सुन से सुना तब मुझे यह हयाक हुआ कि उनके जैसे किसी भगवन्तक की जगती यदि बचपन में ही मैं भागवत सुनता तो मुझे बचपन से ही उसपर अच्छी प्रीति हो जाती। अब उस में पड़े हुए सस्कारों के मूल बड़े गहरे जम जाते हैं और इसका मैं अच्छी तरह अनुभव कर रहा हूँ, और इसीलिए मुझे यह बात खटखटी है कि उस उम्र में कितने ही उत्तम ग्रंथ सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त न हो सका था।

राजकोट में मुझे अनायास ही मुझे लुदे सम्प्रदायों के प्रति समानभाव रखने की तालीम मिली। हिन्दू-धर्म के प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रति आदरभाव रखना सीखा। क्योंकि माता-पिता वैष्णव मन्दिरों में जाते थे, शिवालय में जाते थे और इमजोगों को भी साथ के जाते थे वा सेवा देने थे।

पिताजी के पास जैन धर्माचार्यों में से भी कोई न कोई आचार्य हमेशा आते थे। वे उन्हें भिक्षा भी देने थे। वे पिताजी के साथ धर्म की और व्यवहार की बातें करते थे। उसी प्रकार पिताजी के जो पारसी और मुसलमान मित्र थे वे भी अपने अपने धर्म की बातें करते थे और पिताजी उनकी बातें आदर — और अक्सर रस — पूर्वक सुनते थे। वे 'नस' होने के कारण ऐसे बार्तालाप के समय अक्षर हाशिर होता था। इस बायुपण्डित का मुझ पर यह अमर हुआ कि सब धर्मों के प्रति मेरे में समानभाव पैदा हो गया।

ईसाई धर्म ही केवल अपवाद था। उसके प्रति कुछ अभाव था। इस समय हाइस्कूल के एक कोने में कोई ईसाई धर्म व्याख्यान देता तो वह हिन्दू देवताओं का और हिन्दू धर्मियों की अवगणना करता था। यह मुझे अस्वस्थ माहूम हुआ। मैं केवल एक ही मरतवा यह व्याख्यान सुनने के लिए गया होऊँगा। लेकिन फिर वहाँ खड़े रहने का भी मुझे कभी दिल नहीं हुआ। इसी समय यह सुना कि एक प्रसिद्ध हिन्दूधर्मी ईसाई बन गये हैं। उनके सम्बन्ध में प्रसन्नता यह थी कि जब उन्हें ईसाई धर्म में प्रवेश कराना गया उन्हें गोर्मास फिलाया गया था और शराब पिकायी गई थी। उनके कपड़े भी बदले गये थे। वे ईसाई होने के बाद कोट, पण्डित और अगोजी टोपी पहनने लगे थे। यह सुन कर मुझे बड़ा प्राम हुआ। जिस धर्म के कारण गोर्मास खाना पके, शराब पीना हो, और अपना पहनावा ही बदल देना पड़े उसे धर्म कैसे कहा जाय? मेरे मन ने यही दलील की। और यह भी सुना कि जो भाई ईसाई हो गये हैं उन्होंने अपने

पूर्वजों के धर्म की, रीतिरिवाजों की और देश की सुराई करना आरंभ किया है। इन सब बातों से मुझे ईसाई धर्म के प्रति अभाव हो गया।

अद्यपि दूसरे धर्मों के प्रति मेरे में समभाव हुआ तभी लेकिन सबसे यह नहीं कहा जा सकता कि मुझे ईश्वर के प्रति भक्ति थी। इसी समय मेरे पिताजी के पुस्तकसंग्रह में से मनुस्मृति का अनुवाद प्राप्त आया। उसमें संसार कि उत्पत्ति इत्यादि की बातें पढ़ी लेकिन उसपर विश्वास न हुआ, उस्टी कुछ नास्तिकता उत्पन्न हुई। मेरे पुत्रों काका के कड़के की बुद्धि पर जो हाल जीवित हैं, मुझे विश्वास था। उनके पास मैंने अपनी संकल्पों पेश की लेकिन वे मेरा समाधान न कर सके। उन्होंने उत्तर दिया "बड़े होने पर तुम ऐसे प्रश्नों का स्वयं ही निर्णय करना सीख लोगे। बालकों को ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए।" मैं चूर हो रहा लेकिन मन को शांति न हुई। मनुस्मृति के आद्याख्या अध्याय में और दूसरे अध्यायों में भी मैंने प्रकृत प्रथा का विरोध पाया। इस संका का उत्तर भी मुझे करीब करीब ऊपर के जैसा ही मिला। 'किसी दिन बुद्धि का विकास होगा, अधिक पढ़ेगा और समझेगा' इस कथान से दिल को संतुष्ट किया।

मनुस्मृति पढ़ कर उस समय में अहिंसा तो न गीऊ मथा। साक्षात्कार की बात तो ऊपर लिखी ही गई है। मनुस्मृति ने उगका समर्थन किया। यह भी लगातार हुआ कि सर्पों और खटमलों का मारना सीखे हैं। मुझे याद है कि उस समय धर्म मान कर खटमल आदि का मैंने नाश भी किया था।

लेकिन एक बात हृदय में जग गई — यह संसार नीति के आधार पर खड़ा है। नीतिमात्र का उत्तम में समावेश होता है। संसार का शोध करना चाहिए। दिन प्रतिदिन मेरी दृष्टि में मृत्यु का महिमा बढ़ता ही गया। संसार की व्याख्या विस्तृत होती गई और अब भी हो रही है।

और एक नीति का छाप भी हृदय में बैठ गया था। उससे जीवन का यह सूत्र बन गया कि अपकार का बदला अपकार नहीं लेकिन उपकार ही हो सकता है। उसने मुझ पर सामान्य प्राप्त करना आरंभ किया अपकार करनेवाले का भी मरना चाहना और करना मेरा अनुभव हो पड़ा और मैंने उमरी अनेक प्रकार से आजमाइश भी की।

(नवजीवन) मोहनदास करमचन्द्र गांधी

आश्रम भवनवाली

पाँचमी आश्रम छपकर नैवार हो गई है। छप्रा मसगा ३२० होते हुए भी कीमत सिर्फ ०-२-० रखी गई है। छात्रसंघ करीबान की देना होगा। ०-२-० के टिकट मेजने पर पुस्तक बुकपोस्ट से फौरन रवाना कर दी जायगी। १० प्रतिशत बसे प्रतिशत की बी. पी. नहीं भेजी जाती।

बी. पी. भेजनेवाले को एक बोकाई हाथ देवानी भेजने होंगे  
व्यवस्थापक, हिन्दी-नवजीवन

हिन्दी-पुस्तकें

- लोकमान्य की अर्द्धांजलि ... .. 11)
  - आश्रमभवनवाली ... .. 2)
  - अध्यात्म संक ... .. 1)
- डाक बॉक्स अलहाबा। काम मनी आकर से भेजिए अध्या  
वी. पी. संवाद— व्यवस्थापक,  
हिन्दी-नवजीवन ५

हिन्दू-धर्म की स्थिति

सनातनी हिन्दू का उपनाम धारण करके एक भाई लिखते हैं: "हिन्दू धर्म की आज की स्थिति जितनी विषम है उतनी ही विचित्र भी है। वरिष्ठ हिन्दू लोग दावा करते हैं कि वे शास्त्रों के बचनों के अनुसार ही चलते हैं लेकिन यही मालूम नहीं होता कि कोई शास्त्र पढ़ना भी है या नहीं। यदि शास्त्रों का अध्ययन करें तो दो बातों का स्पष्ट ज्ञान हो जाय।

१ आज सर्वसुम्न माने जानेवाले प्रसिद्ध लोग भी शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते हैं।

२ शास्त्रों में जो लिखा है और प्रकृतना प्रमाण माना गया है उसके अनुसार मोनह जाना न कइए एक सकता है और न कोई उस तरह चलना ही पसंद करेगा।

साधारण जनता का समझना तो यही होता है कि जिस प्रकार शिष्ट लोगों का व्यवहार होना है उसी प्रकार उन्हें भी चलना चाहिए। शिष्ट लोगों को यह विधान पडता है कि वे शास्त्रों के अनुकूल ही व्यवहार कर रहे हैं। अर्थात् सब जगह संभ ही संभ दिखाई देना है।

कौतूहली कठि मुक्त सनातनी है इसका यही पना ही नहीं चलता। सनातन कठि क्या हो सकती है इसके सम्बन्ध में भी जुदे जुदे प्रान्त की कल्पनायें निकाली जाती हैं। सामाजिक व्यवहार का समग्र रूप से अध्ययन करने की दृष्टि से कोई सारे देश में भ्रमण नहीं करता है, निरीक्षण नहीं करता है और न कहीं प्रकृतनामक चर्चा ही होती है। सामाजिक लोग जो टीकाये करने हैं उसके मूल में अक्सर धार्मिकता के प्रति कोई आदर नहीं होता है, यही नहीं बसुस्थित का अध्ययन भी पूरा नहीं होता है क्योंकि टीकायें अधी और निर्बीज होती हैं। आज यदि कोई हिन्दू-रिवाजों का कुछ अध्ययन करता है तो वे योरपियन अधिकारी और मिशनरी लोग ही हैं।

हिन्दुओं में हरएक का यह ह्यात है कि अपने प्रान्त का रिवाज ही वह हिन्दू-धर्म है। अस्पृश्यतानिवारण में कही या हिन्दू संगठन में, अपने अपने प्रांत की स्थिति का विचार करके ही नेतापण अपनी राय जाम करते हैं।

इसका एक ही उदाहरण इस हागा। आप कहते हैं कि अस्पृश्यता का निवारण करने के दाइ अनुष्ठानों की स्थिति शूद्र के जैसी रहेगी यदि तक तो ठीक है, लेकिन सब जगह शूद्रों की स्थिति भी वही एक समान है? जिन प्रान्तों में ब्राह्मण लोग भी भाषाहार या मत्स्याहार करते हैं वहाँ शूद्रों की एक प्रकार की स्थिति है, जहाँ ब्राह्मणों के दूसरे सब भी मांसमत्स्य का सेवन कर सकते हैं वहाँ शूद्रों की स्थिति दूसरी ही है और जिन प्रान्तों में ब्राह्मणों के साथ वेदवाचे दूसरे धर्म भी निरासिध भोजो हैं वहाँ की स्थिति और भी निराली है। आपने एक स्थान पर लिखा है कि शूद्रों के हाथ का पानी पीने में यदि अन्य वर्णों को कोई ऐतराज नहीं होता है तो अन्यको के हाथ का पानी पीने में भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए।

सब जहाँ किन्ते ही हिन्दू भाषाहार करनेवालों के हाथ का पानी न लेने का आग्रह रखते हैं वहाँ निररकार के बनिस्वत धार्मिक धर्म का विचार से प्रधान होता है। कुछ हिन्दुओं को सामान्य मांस खानेवालों के हाथ से शूद्र जल ग्रहण करने में कोई ऐतराज नहीं होता है लेकिन गोमांस खानेवाली जातियों के हाथ का पानी लेने में उन्हें बड़ा ऐतराज होता है और इसीलिए वे शूद्रों के हाथ का पानी पीने पर भी ईसाई, मुसलमान और अन्यको के हाथ से पानी नहीं लेते हैं। इन तीनों जाति के



लोगों को स्पर्श किया जा सकता है लेकिन उनके हाथ का पानी कैसे लिया जाय ?

शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि गुजरात के अन्वयज भरे हुए गाय बैलों का मांस खाते हैं, यही नहीं वे गोमांस बेचनेवाले कसाइयों के यहाँ से गोमांस ला कर खाने में भी कोई वाप नहीं समझते हैं। इस हाकल में कहर हिन्दू के हृदय में यह कयाल अवश्य हो होगा कि अन्य शूद्रों की तरह उनके हाथ का पानी कैसे पीया जाय ? इसके सम्बन्ध में आप अपना वक्तव्य प्रकाशित करेंगे तो अच्छा होगा।

आपके उपदेशक और अस्वज्य सेवक अस्त्यजों को मिट्टी न खाने को समझाते हैं। मिट्टी खाने से रोग होते हैं यही हमारी दलील होती है। अन्वयजलोग कहते हैं कि इतने जमाने से खाते चले आ रहे हैं, हमें रोग कहाँ हुआ है ? हमलोगों के तो यह अनुकूल हो गया है। यदि अन्वयजलोग मिट्टी और धूरा भी गोमांस खाना छोड़ दें तो अस्पृश्यतानिवारण का कार्य आसान हो जायगा और फिर उनके हाथ से पानी लेने में भी कोई ऐतराब न होगा। गुजरात के अन्वयजों की एक परिषद बुलाकर उनके साथ इतना करा सकी और उन्हीं की कौम के कुछ नेतागण इतना सुधार एकदम कर देने के लिए, कमर कम लें तो क्या अच्छा हो ? ”

इस पत्र में केवल एक पक्ष की ही दलीलें पेश की गई हैं। केवल की इस चिन्ता के लिए स्थान अवश्य है। हिन्दू-धर्म अविनाशित धर्म है उसमें भरती और ओट आनी ही रहती है। वह संसार के नियमों का ही अनुकरण करता है। मूल रूप से तो वह एक ही है लेकिन वृक्ष रूप से वह विभिन्न प्रकार का है। उस पर जड़ुओं का अन्ध होता है। उसका बसन्त भी होता है और पतन भी। उसकी शरदऋतु भी होती है और उष्णऋतु भी। वर्षा से भी वह बचित नहीं रहता है। उसके लिए शाख है और नहीं भी है। उसका एक ही पुस्तक पर आधार नहीं है। गीता सर्वमान्य है लेकिन वह केवल मार्गदर्शक है। ऋतियों पर उसका बहुत कम असर होता है। हिन्दू-धर्म गंगा का प्रवाह है। मूल में वह शुद्ध है। मार्ग में उसपर मैल चढता है फिर भी जिस प्रकार गंगा की प्रवृत्ति अन्त में पोषक है उसी प्रकार हिन्दू-धर्म भी है। हरएक प्रान्त में वह प्राकृतिक स्वभाव ग्रहण करता है फिर भी उसमें एकता तो होती ही है। ऋतु धर्म नहीं है। ऋतु में परिवर्तन होगा लेकिन धर्मसूत्र तो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे।

हिन्दू-धर्म की तपश्चर्या पर ही हिन्दू-धर्म की शुद्धता का आधार रहता है। जब कभी धर्म पर आफन आती है तभी हिन्दू-धर्म तपश्चर्या करता है, बुराई के कारण दूबता है और उसका उपाय करता है। शाखों में वृद्धि होती ही रहती है। वेद, उपनिषद्, स्मृति, इतिहासादि एक साथ एक ही समय में उत्पन्न नहीं हुए हैं। लेकिन प्रसंग आने पर ही उन उन ग्रंथों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए उनमें विरोधाभास भी होता है। वे प्रत्य शाश्वत सत्य को नहीं बताते हैं लेकिन अपने अपने समय में शाश्वत सत्य का किस प्रकार अमल किया गया था यही वे बताते हैं। उस समय जैसा अमल किया गया था वैसा दूसरे समय में भी करें तो निराशा के रूप में ही पढना होगा। एक समय हमारे यहाँ पशुव्रत होता था इसलिए क्या न्राज भी करेंगे ? एक समय हमलोग मांसाहार करते थे इसलिए क्या आज भी करेंगे ? एक समय बोर के हाथ पर काट डाले जाने थे, क्या आज भी उनके हाथ पैर काटेंगे ? एक समय हमारे यहाँ एक श्री अनेक पति करती थी क्या आज भी करेंगी ? एक समय हमलोग बालकन्या

का दान करते थे तो क्या आज भी नहीं करेंगे ? एक समय हमलोगों ने कुछ मनुष्यों की प्रजा को तिरस्कृत मर्जी थी इसलिए क्या आज भी उसे तिरस्कृत ही मानेंगे ?

हिन्दू-धर्म जब बन्देसे साफ इन्कार करता है। ज्ञान अमन्त है, सत्य की मर्यादा की किसी ने भी खोज नहीं पायी है। आत्मा की नयी नयी शोधें होती ही रहती हैं और होती ही रहेंगी। अनुभव के पाठ पढते हुए हमलोग अनेक प्रकार के परिवर्तन करते रहेंगे। सत्य तो एकही है लेकिन उसे सर्वांश में कौन देख सका है ? वेद सत्य है, वेद अनादि है लेकिन उसे सर्वांश में कौन जान सका है ? वेद के नाम से जो आज पहचाने जाते हैं वे तो उसका करोड़वाँ भाग भी नहीं हैं। जो हमलोगों के पास है उसका अर्थ भी सम्पूर्णतया कौन जानता है ?

इतना बड़ा जंजाल होने के कारण ही तो ऋषियों ने हमलोगों को एक बहुत बड़ी बात सिखायी है 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे'। ब्रह्माण्ड का वृथकरण करना असंभव है। अपना वृथकरण कर देना संभव है। और अपने आपको पहचानना कि सारे संसार को पहचान लिया। लेकिन अपने को पहचानने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। और वह प्रयत्न भी निर्मल होना चाहिए। निर्मल हृदय के बिना प्रयत्न का निर्मल होना असंभव है। समनिबन्धादि के प्रासन के बिना हृदय की निर्मलता भी संभव नहीं है। ईश्वर की कृपा के बिना यमादि का प्रासन कठिन है। भ्रष्टा और भक्ति के बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए तुलसीदास-जीने रामनाम का महिमा गाया है और भागवतकार ने ब्राह्मण सम्प्रदाय सिखाया है। जो दिक लगाकर यह जा नर सकता है वही सनातनी हिन्दू है, बाकी और सब तो अन्ध की भावा में अंधेरा कुवा है।

अब केवल की संकाओं का विचार करें। बोरपियन लोग हमारे रीतिरिवाजों को देखते अवश्य हैं लेकिन मैं उसे अध्ययन जैसा अच्छा नाम न दूंगा। वे तो टीका करने की दृष्टि से ही देखते हैं इसलिए उनके पास से मुझे धर्म प्राप्त न होगा।

भूतकाल में गोमांसादि खानेवालों का बहिष्कार भले ही उचित हो, आज तो वह अनुचित और असंभव है। अस्पृश्य मानेजाने-वाले लोगों से गोमांसादि का त्याग कराया हो तो यह केवल प्रेम ही से हो सकेगा, उनकी बुद्धि को जागृत करने पर ही होगा, उनका तिरस्कार करने से न होगा। उनकी बुरी आदतें छुड़ाने के प्रयत्न प्रयोग हो ही रहे हैं लेकिन जायाजाय में ही हिन्दू-धर्म की परितीमा कही बोधे ही आ जाती है। उससे अनन्तकोटि अति आवश्यक वस्तु अन्तरावरण है, सत्य अहिंसादि का सूक्ष्म प्रासन है। गोमांस का त्याग करनेवाले दंभी भुजि के वनिस्वत गोमांस खानेवाला क्यासय, मध्यमय, ईश्वर का भय करके बलनेवाला मनुष्य हजार गुना अधिक अच्छा हिन्दू है और जो सरयवादी, मस्यानरणी गोमांसादि के आहार में हिंसा देख सका है और जिसने उसका त्याग किया है, जिसको जीव भाव के प्रति दया है उसे कोटिस्तः नमस्कार ही। मछने लों ईश्वर की सेवा है, पहचाना है, वह परममण्ड है; वह जगद्गुरु है।

हिन्दूधर्म की और अन्य धर्मों की आज परीक्षा हो रही है। समातन सत्य एक ही है, ईश्वर भी एक ही है। केवलक, पाठक और हम सब मतमतान्तरों की ओझाल में न फँसकर सत्य के लाल मार्ग का ही अनुसरण करेंगे तभी हृदयकोण समस्तवी हिन्दू रह सकेंगे। समातनी माने जानेवाले बहुतेरे भटक रहे हैं। उसमें कौन जानता है किसका स्वीकार होगा ? रामनाम लेनेवाले बहुत से रह जायेंगे और सुपथाय राम का काम करनेवाले किरल लीय विभवमत्तक पहन लेंगे।

( नवजीवन )

प्राधान्यदायक कवचमन्थक नरुंजी

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक २५

मुद्रक-प्रकाशक  
स्वामी आनंद

अहमदाबाद, फाल्गुन मही ७, संवत् १९८२  
गुरुवार, ४ फरवरी, १९२६ ई०

मुद्रकस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
बारंगपुर बरकोथरा की बाड़ी

## दक्षिण आफ्रिका के भारतीय

( विश्व फिशर का निष्पक्ष अवलोकन )

[दक्षिण आफ्रिका के भारतवासियों की स्थिति खुद अपनी आंखों से देखने के लिए कलकत्ते के विश्व फिशर गत वर्ष में वहाँ गये थे। उन्होंने गोरो के, ईसाइयों के, व्यापारियों के और भारतवासियों के अनेक मण्डलों से और मुख्य सचिव से-यब से मुलाकात की थी। बहुत से भारतवासी और गोरपियनों के घर आ कर उनसे मिले थे। अलग अलग बाड़ों में रहनेवाले और मिलों के बागीचों के बरेकों में रहनेवाले भारतवासियों की रहनीकरनी का भी उन्होंने सूक्ष्म अवलोकन किया था। उस पर से उन्हें जो कुछ मालूम हो सका था उसे उन्होंने एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया है। वे लिखते हैं—“ वहाँ की हालत का उद्यो उद्यो अधिक विचार किया जाता है क्यों क्यों यह अधिक निश्चय होता जाता है कि साम्राज्य के और समार के सब ईसाइयों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि दक्षिण आफ्रिका के भारतवासियों के प्रश्न का निर्णय न्याय और नीति के अनुकूल किया जाय ... इस पत्रिका में लिखी गई हर एक बात के लिए मेरे पास सुबूत मौजूद हैं और भारतवासियों का जो अवमान और उनको जो अन्याय हो रहा है उसे बड़ा कर लिखने के बदले दूरी हुई कलम से ही उसका निम्न खींचा गया है। ” एक निष्पक्ष पत्राही की तरफ से इनके संक्षिप्त रूप में दक्षिण आफ्रिका के भारतवासियों की स्थिति का ऐसा अच्छा वर्णन शायद ही और कहीं मिल सकेगा इसलिए नवजीवन के पठकों के लिए उसका यह अनुवाद वहाँ दिया जाता है।

म. ड. टेंस्टाई ]

आधुनिक जमान में दक्षिण आफ्रिका में अनेक वर्णों के लोग एकट्ठे होने के कारण वहाँ जो कठिन प्रश्न उपस्थित हुआ है वैसा प्रश्न शायद ही और कहीं होगा। यह नहीं कि यह प्रश्न उसके एक ही विभाष का है, लेकिन यह समस्त आफ्रिका का प्रश्न है। आफ्रिका के मूल वासिन्दे १५ करोड़ कृषिवासी हैं और आखिरी सीमा पर पहुँचे हुए व्यापार सम्बन्धी सुधारों को के कर गये हुए और अब देश को ही इसमें किये बैठे हुए २० लाख से कम गोरो हैं जो हितविरोध है उससे ही प्रथम कठिनाई उपस्थित होती है। ये गोरो अधिकांश यह मिथ्य किये बैठे हैं कि राजनीति, व्यापार या उद्योगों में सब जगह सदा उन्हीं का अधिकार चलना

चाहिए। इस प्रकार के अधिकार चलाने पर काके और गंधुमी रंग के लोगों के शिक्षण और उन्नति की व्यवस्था कैसे की जाय यह प्रश्न होता है।

इसमें दक्षिण आफ्रिका के संयुक्त राज्य की परिस्थिति अब से अधिक कठिन मालूम होती है क्यों कि वहाँ का प्रजासत्तव बुरी जगहों की तरफ अभी उतना विकसित नहीं है। वर्णद्वेष इतना बढ गया है कि वहाँ २६ अब रहता है कि उसके कारण प्रजासत्तव के आदर्श ही भ्रष्ट न हो जायं। यह नहीं हो सकता कि संसार का लोकमत किसी भी सरकार को राजकीय अथवा व्यापारी नाविरक्षाही की किसी भी प्रथा के अनुसार दूसरे लोगों पर आज अधिकार चलाने दें। यही नहीं कि केवल विजित लोग ही न्याय और उन्नति करने की स्वतंत्र का अधिकार मांगें, परन्तु सरकार का लोकमत ही उनके लिए उन अधिकार को मांगेगा। इसलिए अब यह प्रश्न उन राज्यों की अपनी आन्तर्व्यवस्था का ही नहीं रहा है बल्कि समस्त संसार का ही गया है। दक्षिण आफ्रिका की सारी समृद्धि गोरो के हाथ में है। इसलिए उनका कुछ हिस्सा तो कच्चा माल और खनिज पदार्थों पर अकेले अधाधित अधिकार भोग रहा है। श्यामवर्ण के मजदूरों की मिहनत के कर ही यह समृद्धि बढाई गई है। ये मजदूर लोग अब अपनी विषम स्थिति को और गुलामी को समझने की दशा को प्राप्त हुए हैं। अब उनकी जवान खुली है और अब प्रश्न यह है कि दक्षिण आफ्रिका के राज्य के १५ लाख गोरे, इस समृद्धि को उत्पन्न करने में मदद करनेवाले मजदूरों को इसमें से थोड़ी सी समृद्धि पर भी अधिकार और कब्जा दिये बिना कितने दिनों तक चला सकेंगे। और इससे भी अधिक महत्व की बात तो यह है कि भूमि और खनिज द्रव्यों पर-दोनों पर मूलतः उस देशके वासिन्दों का ही अधिकार था; गोरो ने जिस प्रकार उन सब पर अधिकार प्राप्त किया हुआ है उसका इतिहास उजल नहीं है बलकयुक्त है।

दक्षिण आफ्रिका के संयुक्त राज्य में वर्ण के अनुसार बस्ती का परिमाण यह है: गोरे १५,१९,०००; भारतवासी १,६९,००० काके (जुरी जुरी जात के हवशी) ५०,०००००; मिश्रवर्ण के लोग ५,०००००।

भारतवासियों की बस्ती प्रान्तों के अनुसार इसप्रकार है: नेटाल १,५०,००० ट्रान्सवाल १२,०००; केप प्रान्त ९,००० आरेंज की स्टेट की गिनती करने की शायद ही कोई आवश्यकता

मादम होगी क्योंकि बहिष्कार के सख्त कानून ने कारण वहाँ भारतवासी ४०० से अधिक बंद नहीं सके हैं। नेटाल के बहुत से भारतवासी खेती की मजदूरी करनेवाले हैं। कुछ हजार कारखानों और पुतलीघरों में बुद्धि का काम करनेवाले भी हैं, और कुछ आफियों में बल्की का काम करते हैं तो कुछ होठलों में और खानगी घरों में नोकर हैं। भारतवासियों में जुरी जुरी बात का व्यापार सफलता पूर्वक करनेवाले कुछ भागे बड़े हुए-योक्वन्द और फुटकर माल बेचनेवाले और मंगानेवाले लोग भी हैं। इनमें से कुछ तो बड़े धनी हैं। वे बड़ी बड़ी हस्तियों में रहते हैं और छुबरे हुए डग के सुख और सुअंतों के सब साधनों का उपयोग करते हैं। दूसरे भी कुछ लोग हुबली हैं और शहरों में और गावों में फुटकर माल का व्यापार करते हैं। दूसरे प्रायतों में भी करीब करीब ऐसी ही स्थिति है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज की स्थिति के लिए तो जो भारतवासी व्यापार में सफल हुआ है वही कारण हो पड़ा है। आफ्रिका में रहनेवाले हबशी भारतीय व्यापारियों के साथ व्यापार करना ही अधिक पसंद करते हैं इसलिए गोरे यूरोपियनों को उसके साथ स्पर्द्धा करने में बड़ी मुश्किल मालूम होती है। पूर्व के लोगों की तरह आफ्रिकनों को भी 'हां, ना' करके खरीद करने का शौक है इसलिए व्यापार में भारतवासी ही अधिक सफल होते हैं। गरीब योरपियनों को भी तो बहुत मरतबा आफ्रिकन हबशियों की तरह भारतीय व्यापारी और दुकानदारों के साथ सौदा करने में काम होता है। भारतीय व्यापारी लम्बे बायदे पर और किरायत हफ्ते से माल देते हैं और वे शायद ही अपने करजदार को कमी अदालत में ले जाते होंगे। इसलिए योरपियन जो गरीब है वह भी योरपियन व्यापारी से माल खरीदने के बखले भारतीय व्यापारियों से माल खरीदते हैं। लेकिन अन्ततः की बात तो यह है कि आज जिस योरपियन को भारतीयों से किरायत भाव और हफ्ते से माल मिलता है वह भी जब वर्ण का प्रश्न उपस्थित होता है तब राजनीतिज्ञ गोरो के प्रभाव में आ जाता है। बहुत से योरपियनों ने मुझ से कहा था कि भारतीयों की दुकानों के बिना हमारा जीवन ही असंभव है फिर भी जब वर्ण का प्रश्न उपस्थित होता है तब हम गोरो के अधिकार के लिए ही मत देने को मजबूर होते हैं।

अर्थात् यह प्रश्न आर्थिक स्पर्द्धा का नहीं है लेकिन वर्णद्वेष के कारण ही उपस्थित हुआ है। भारतीय अपना माल सस्ता दे सकता है, उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि उनका जीवन योरपियनों की तरह खर्चीला नहीं है। योरपियन हमेशा इसका "हलके प्रकार के रहन सहन" के नाम से वर्णन करते हैं। बहुत मरतबा तो इसे व्यर्थ भी किये जाते हैं कि 'भारतीय लोग तो मरतबा उगे हुए नीधरों की गंध पर भी प्रसन्दा रह सकते हैं।' लेकिन इस "हलके प्रकार का रहन सहन" के मूल में दूसरी अनेक बातें रही हुई हैं। भारतीयों को खर्चीले होटलों में जाने की इजाजत नहीं है। शहर के अच्छे भोजनगृहों में भोजन करने की भी उन्हें इजाजत नहीं होती है और न उन्हें नाटक में और कैलों के स्थानों में जाने की इजाजत होती है। इसका स्वाभाविक परिणाम यही होता है कि भारतीयों का शहर का सस्ता और कम बाहने योग्य स्थान ही पसंद करना पड़ता है। उनपर रखे गये अंकुशों के कारण वे ऐसी करकसर करने के लिए मजबूर होते हैं कि जैसी करकसर करना किसी भी स्वमान की रक्षा करने-वाले नागरिक की तरह उन्हें भी अप्रिय मालूम होता है।

यदि कोई भारतीय इतना धनी हो जाय कि रोस्सरोइस मोटर में बैठ कर घूमने जा सके तो वह गोरो के आँसू में कमी तरह कटकने लगता है और इसप्रकार किसी के आँसू में कटकना भारतीय सहन नहीं कर सकता है इसलिए वह निमती मोटर में बैठकर मौन करने के बजाय सस्ती मोटर में ही बैठता है और किरावों के कटारों में भी बैठता है। मैं ऐसे बीसों भारतीयों को मिला हूँ जो अच्छी तरह रहना चाहें तो रह सकते हैं लेकिन वे मौन-शौक के साधन खरीदने से डरते हैं। क्योंकि अपने धन का जाहिरा उपयोग करनेवाले उनके मित्रों की गोरो के हाथों बड़ी बदनामी हुई थी। काले लोगों को सुखी देखकर गोरे लोग अजीब प्रकार के द्रव से बल उठते हैं।

दूसरा भी एक कारण है। भारतीय लोग शराब नहीं पीते हैं और दक्षिण आफ्रिका के गोरो का शराब का बिल बड़ा ही भयंकर होता है। ऐसा भयंकर शराब का बिल होने पर भी योरपीय समाज किस प्रकार टिक रहा है वही आश्चर्य होता है। जब शराब में इतने दाये कार्य किये जायें तो फिर कोई गोरा मन्वम आमदनी होने पर भी कैसे निभा सकता है? और भारतीय करकसर से रहनेवाला होने के कारण अपना माल सस्ता बेच सकता है। जुडदीड में जुगार खेलने से, बहुत खेल्कूद में पढ़ने से, दूसरे मौजशीक और गोरे मजदूरों के बड़े हुए मजदूरी के भाव से और दूसरे खर्चीलेपन से गोरो का जीवन बड़ा खर्चीला हो जाता है और इन सब बातों में से भारतीय और काले लोग बच जाते हैं इसलिए उनका जीवन बड़ा सस्ता होता है। दक्षिण आफ्रिका के गोरे जिस प्रकार के मौजशीक में रहना चाहते हैं उसे देख कर किसी परवेशी मुसाफिर को तो आश्चर्य ही होता। हाँ, इधर उधर कहीं भयंकर गलीचखानों में रहनेवाले गोरे भी मिलेंगे लेकिन सामान्य तौर पर गोरे लोग अपने मूल देश में जिस प्रकार रहते हैं उससे भी अधिक खर्चीला जीवन बिताने की उम्मीद रखते हैं। गोरो का भारतीयों के प्रति असदभाव होने का कारण अक्सर उनका 'हलके प्रकार का रहन-सहन' बताना जाता है। भारतीयों के बहुत से गोरे मित्रों को तो इस बात का विषय है कि जबतक उनका रहन-सहन जन्मे प्रकार का बनाने के लिए कुछ न किया जायगा तबतक वर्णभेद को रोकने की कोई आशा नहीं है। लेकिन इस हलके प्रकार के रहनसहन के कारणों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

पहला कारण तो अलग बातों का रखना है। भारतीयों के लिए शहर का एक छोटा सा विभाग अलग रक्षित जाता है और योरपियनों के लिए रखे गये अरबों विभाग में उन्हें रहने की इजाजत नहीं होती है। कुछ पहाड़ी और रम्य रम्ययुक्त प्रदेश तो गोरो के लिए ही निश्चित होने हैं। भारतीयों को वहाँ जमीन नहीं मिल सकती है। हरतन जैसे शहरों में जन्मे विभाग बन रहे हैं। वहाँ परदेक जमीन पर यह विभाजन का लक्ष्य लगा हुआ होता है कि 'सिर्फ योरपियनों के लिए'। और अच्छे विभागों की मालिकी के जो इस्तानेव हाते हैं उसमें एक बात यह भी लिखी जाती है कि वह मालिक उसे कभी एशियावासी को न दे और यदि वे तो समा का पात्र समझा जाय। इसलिए स्वाभाविकतया भारतीयों को तो एक प्रकार के डेहवाओं में ही बा कर रहना पड़ता है। वहाँ गद्गी और मलीचपन का कोई सुधार नहीं होता है। दूधवाले के जोहान्स्वगे जैसे शहर में वहाँ भारतीयों को अलग विभागों में भी अपनी जायदाद पर अधिकार नहीं होता है वहाँ उन्हें कायम के मकान बनाने की इजाजत नहीं होती। जमीन भी किराये से ही

मिलती है और जब चाहे उन्हें निकाल दिया जाता है। काम की समाप्ति भी नहीं होती है। भारतीयों के लिए आज अमुक स्थान है लेकिन तीन साल बाद स्थिति एकदम बदल सकती है। इसलिए सुनी भारतीयों को भी काम के लिए मकान बनवाने की शक्ति कैसे हो सकती है! स्वाभाविकतया उस पर रूखे गये बहुत अंकुशों से उसे दुःख होता है। उसे यह माहम है कि उसे हलके दमों का गिरा जाता है। पुरातन रूप में जिस प्रकार रूखियों के साथ व्यवहार किया जाता था उसी प्रकार उन्हें एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह पर हस्तों की तरह किसी छेदे कोने में धकेल कर भेज दिये जाते हैं और बहुत मतवा उसका परिणाम यह होता है कि उनमें भी गोरो की तरह ब्रेच इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।

कम खर्चीली रहनसहन का दूसरा कारण यह है कि लेनी की मजदूरी करनेवालों को बहुत घांसी रोजी मिलती है। ज्यादा से ज्यादा महीने में ५० शिलिंग मिलते होंगे। इनकी आमदनी के लंबे प्रकार की रहनसहन कैसे रखी जा सकती है? जो बेरोक और रहने के मकान बागीचावाले या मिठोंवाले बनवा देते हैं वे तो उनके इस कलंक को ही प्रकाशित करते हैं। उसमें कोई बात अच्छी हो तो वह उसके ऊपर का पूना है। हमलोग जब एक ऐसे बेरोक को देख रहे थे, तब एक मोरपिचन मित्र ने कहा था: "मुझे तो वे सफेदी किये हुए मकानों को देखकर ईसा मसीह का 'सफेदी की हुई चरों' वाला वचन ही याद आता है। वे मकान अर्थात् ईंट या मिट्टी की दिवालें और ऊपर टीन का छप्पर; अथवा तो दिवालें और छप्पर सभी टीन के होते हैं या तो मिट्टी, लकड़ और टीन के तीनों से बने हुए होते हैं। इन बेरोकों में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है और इसलिए वह ऐसा माहम होता है मानों कोई विचित्र शहर बना हो। उसकी स्थिति हिन्दुस्तान में अन्त्यजों के जहलों से भी बदतर होती है। हिन्दुस्तान की सामाजिक प्रथाएँ तो उनमें बहुत कुछ अंशों में नष्ट हो गई हैं इसलिए इन बेरोकों के बने हुए गांवों में हिन्दुस्तान के सामाजिक जीवन को नियम में रखनेवाले सामाजिक अंकुश और पुराने सामाजिक नियम नहीं होते। इन गांवों में गिनी हुई शालाएँ होती हैं इसलिए बालक कुछ बड़े होते ही बिकों में या खेतों में चले जाते हैं और इसलिए जमाने के जमाने यह सामाजिक, आध्यात्मिक और मानसिक गुलामी की प्रथा काम चलती है। मैं यह नहीं जानता कि दुनिया में दूसरा कोई भी देश इस तरह बला सकेगा लेकिन मुझे विश्वास है कि अनी कितनी ही जाती है उसकी कम रंजी पर और जैसे है जैसे गरीब चरों में दक्षिण आफ्रिका लंबे प्रकार का रहनसहन पैदा न कर सकेगा — फिर भले ही वे लोग भारतीय हों या किसी दूसरे राष्ट्र के हों।

परन्तु इसका जवाब ही स्वीकार करना होगा कि सफल भारतीय व्यापारी वहाँ के गोरो के लिए एक बड़ा विकट प्रश्न हो रहा है। एक बड़े शहर के मेयर ने मेरे साथ बहुत देर तक बात करने पर इस बात का स्वीकार किया था कि जो नया कानून बनाया जानेवाला है वह नीति की दृष्टि से एक क्षण भी नहीं टिक सकता है फिर भी इस शक्य ने यह तो कहा ही कि यह कानून होना आवश्यक है और ९९ प्रति सैकड़ा गोरे उसके पक्ष में है और उसमें नीति है या अननीति यह देखे बिना ही वे इस कानून को पास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि स्थिति ऐसी विषम तो

परी है कि अब तो गोरो के लिए मरने जीने का प्रश्न ही क्या है और उनके बालकों को भविष्य में भारतीयों के साथ शर्मा करना मुश्किल होगा इसलिए जो बात सीधे स्पष्ट से नहीं हो सकती है वह कानून बना कर ही करनी होगी।

ऐसी स्थिति में भारतीय लोग वहाँ जैसा अपमान सहन कर रहे हैं वैसे अपमान का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिल सकता है। यदि बर्बरके केवल सामाजिक ही है तो दूसरे देशों में भी वैसे उदाहरण मिल सकते हैं, लेकिन जहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, जातीय और धार्मिक कारणों से जब कोई उदात्त जाती जाती है तो उस स्थिति का दृष्टान्त ढूँढने के लिए अति पुरातन काल में जाना पड़ता है। ट्राम में आखिरी तीन बेंचों पर ही भारतीय लोग बैठ सकते हैं, अमुक सार्वजनिक पुस्तकालय या बाबनाठों में भी वे नहीं जा सकते हैं; ऊँची श्रेणी के होटलों में, भोजनघरों में, क्लबों में, ईसाई संस्थाओं में, और चर्च में जाने की भी उन्हें मनाई है। उन्हें सदा सर्वत्र सामान्य तौर पर कुली कहा जाता है। गोरे सबकी की शालाओं में पढ़ाई जानेवाली एक सरकारी अंगूठ में एक बंगाली गुरु का चित्र है; उसके नीचे इस प्रकार चित्रपरिचय दिया गया है "एक भारतीय कुली का मूना" के चित्र अथवा आफफके अथवा दूसरी किसी भी भारतीय विद्यापीठ के भारतीय स्नातक को देखकर अज्ञान गोरे और उनके लड़के उसे कुली कुली कह कर ही पहचानेंगे, इसका कारण यह है कि प्रतिष्ठा का आधार संस्कृति नहीं है, उसका आधार केवल वर्ण, वर्ण और वर्ण ही है।

सभी भारतीय व्यापारियों को व्यापार के लिए परवाने प्राप्त करने पड़ते हैं। गोरे अधिकारी अपनी सुविधा के मुताबिक परवाने देते हैं और उनके लिए समय समय पर भरनी करनी पड़ती है और नया परवाना लेना पड़ता है। व्यापार के लिए या कानूनी कामकाज के लिए एक प्रान्त में से दूसरे प्रान्त में जाने वाले सभी भारतवासियों को पासपोर्ट टिकट दिखाना पड़ता है। उसमें समय दिया हुआ होता है जो एक या दो सप्ताह से अधिक नहीं होता। यह अपमान तो जैसा मूल आफ्रिकावासियों का होता है वैसा ही है — क्योंकि इन आफ्रिकावासियों को बेकारों को, उनके देशमें दूसरे देश से गोरे लोग सिरजोरी करने के लिए आये हैं इसलिए अपने करीर पर एक परवाना पहनना पड़ता है — उसमें उसका रजिस्टर नंबर लिखा हुआ होता है और यह लिखा हुआ होता है। उसने टेक्स दे दिया है मानों सारी काली प्रजा ही मटकते हुए कैदी क्यों न हों। इस जमाने में ऐसा और कदो भी न पाया जायगा सिवा इसके कि द्वार की जोड़कियों के जमाने में जब 'पीली टिकट' का कानून था; वह समय ऐसा कहा जा सकता है।

उद्योग का विचार करेंगे तो भी वर्ण के कारण समासकी कारीगरों को कुछ कामदायी मजदूरी नहीं मिल सकती है और केवल चमड़ी का रंग देखकर ही वह विधित किया जाता है कि एक ही काम के लिए एक मनुष्य को २५ शिलिंग दिये जा सकते हैं या दो शिलिंग और खुराक। वर्णाभिमान कैसे उन्मादक सीमा को प्राप्त हो गया है उसका उदाहरण ट्रामवाल में मिल सकता है। वहाँ आफ्रिका के किसी भी आदिमवासी का यदि उसने तीन महीने किसी गोरे का काम किया हो तो आधा टेक्स भुगत कर दिया जाता है।

नेटाल जैसे प्रान्त में भारतवासियों के प्रति कितना द्वेष है यह वहाँ की चरती के परिमाण से अली भति समझ में आ



कफता है। सब प्रकार के योरपियनों को मिलाकर उनकी एक लाख की बस्ती है और भारतीयों की संख्या एक लाख और बाळीस हजार है और भारतीयों का जन्मप्रमाण भी अधिक है, फिर भी राष्ट्रीय और व्यापारी अधिकार का उपयोग करनेवाले और समाज में सर्वोपरि अधिकार रखनेवाले गोरे भारतीयों को परदेसी मानते हैं। वे यह जानते हैं कि आफ्रिका के मूल वाशियों को तो निकाला नहीं जा सकता है—क्योंकि उनका वही एक देश है और काँ प्रजा इनकी अधिक है कि उसे वहाँ से निर्मूल करना अशक्य है। गोरो को अपनी निरंकुश घना स्थापित करने की इच्छा होने के कारण उनकी यह मान्यता है कि उनका बड़ा दक्षिण आफ्रिका में से किसी भी प्रकार से भारतीयों को निकाल देने में ही है।

अपूर्ण

## हिन्दी-नवजावन

पुस्तक, कालगुप्त बंदी ७, संवर १९६१

### शराबखोरी की बन्दी

मद्रास के स्वराज्य दल ने अपने कार्यक्रम में शराबखोरी को संपूर्णतया रोक देने का काम भी शामिल किया है इसलिए वह बेकारे गरीब लोगों के मित्रों की मुबारकबादी का पात्र बन गया है। यदि गूढ शक्तिसंपन्न हमारी विवेकता का कारण न होता तो हमने इस जुराई को कभी की पूर कर ही होती। वह मजदूरी करनेवाले लोगों की जीवनीशक्ति की जब ही जोद बालगी है और वे अपवेतई इतने कमजोर हैं कि उन्हें मदद की बड़ी सरकार है। शराबखोरी को एकदम बन्द कर देने के लिए भारत-वर्ष के समान कोई दूसरा योग्य स्थान नहीं है। यहाँ इस विषय में जनता की राय सदा सके मांग पर ही रही है। योरप की तरह यहाँ लोगों की सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि योरप की तरह भारतवर्ष में युद्धिमत् और शिक्षित लोग शराब नहीं पीते हैं। मद्रास के पादरी श्री. डबल्यू. एल. फरग्युसन ने एक पत्रिका प्रकाशित की है और उसमें उन्होंने शराबखोरी को एकदम बन्द कर देने की आवश्यकता दिखाई है। उसके आर्थिक बोझ के सम्बन्ध में पादरी महाशय लिखते हैं:

“कोई भी देश, चाहे कैसा भी धनी और उन्नत क्यों न हो, शराबखोरी का खर्च बरदास्त करने की शक्ति नहीं रखता है क्योंकि शराबखोरी से राष्ट्र नाश की सीमा तक पहुँच जाता है और कभी कभी तो उससे भी गिर जाता है। भारतवर्ष तो अभी क्या ही गरीब देश है। उसके पास मूल धन का कभी के कारण वह दरिद्र है; वह शिक्षा की कमी के कारण दीन है, वह स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में हीन है, रहने के मकान, खेती, हुस्न-उद्योग, गाँवों में आपस में व्यवहार करने के लिए सुभीते के साधन इत्यादि सभी बातों में वह गरीब है। और यदि उसके जीवन का कोई भी अंग ऐसा हो कि उसमें उसे अभी है उससे अधिक उन्नति करने की आवश्यकता नहीं है तो उसे जो मान्य हो वह हमें बतावे क्योंकि हम यह नहीं जानते हैं कि वह क्या है और कहाँ है। भारतवर्ष में नशीली चीजों का हस्तेमाल करने की शक्ति नहीं है क्योंकि उससे बड़ी भारी आर्थिक हानि होती है,

जो लम्बा है। हम यह नहीं कह सकते कि इसमें कितने रुपये खर्च होते हैं लेकिन सरकार महसूल के तौर पर इसमें से जितना रुपया वसूल करती है उस पर से कुछ अन्दाज लगाया जा सकता सकता है। करीबन २०,००,००,०००) सालाना सरकार इसमें से पाती है। किसी किसी का यह अन्दाज है कि सरकार जितना महसूल पाती है उससे शराब और दूसरी नशीली चीजों में खर्च मिला कर पाँच गुना अधिक खर्च होता है और कोई उसके कुल खर्च का उससे तीन गुना होना ही बताते हैं। यदि हम-लोग इन दो अन्दाजों में से बीच का मार्ग ग्रहण कर के कुल खर्च ८०,००,००,०००) गिनेंगे तो में यह नहीं मानता कि उसमें बहुत बड़ी गलती होगी। अब इस बड़ी अर्द्ध में से बहुत बड़ा हिस्सा तो मजदूर वर्ग की कमाई से ही आता है—उन्हीं लोगों की आमदनी में से जिन्हें अपनी, अपने कुटुम्ब की और जाति की उन्नति के लिए हाँगों की बड़ी आवश्यकता है। यदि हम यह मान लें कि शराब और नशीली चीजों पर जितना खर्च होता है उसमें से ३ हिस्सा गरीब और मजदूर वर्ग की तरफ से आता है तो कोई ६०,००,००,०००) का बोझ वे उठाते हैं। यदि सालाना इसकी बड़ी रकम नशीली चीजों में खर्च होती बचायी जाय, और उसको मकान बनवाने और राष्ट्र को तैयार करने के काम में खर्च किया जाय तो भारतवर्ष के गरीब लोगों को स्वावलम्बी बनाने के कार्य में क्या क्या किया जा सकता है, थोड़े ही दिनों में बड़े बड़े शहरों में मरेपन के स्थान पर कारखाने और सफाई दक्षिक हो जायगी और गाँवों के विनम्र शहरों में उन्नति दिखाई देने लगेगी।”

आर्थिक हानि के बनिम्बत नैतिकहानि और भी अधिक होती है। शराब और नशीली चीजों से जो जनका हस्तेमाल करता है, और जो उनका व्यापार करता है उन दोनों का अक्षपात होता है। शराबी माता, बहन और पत्नी का नैद भी भूल जाता है और ऐसा पुन्दो कर बैठता है कि जिसके लिए यदि वह होस में हो तो उसे बड़ी शरम मात्तम होगी। जिन लोगों का मजदूरों के साथ कुछ भी सम्बन्ध है वे जानते हैं कि शराब के पुट प्रभाव के कारण उनकी हालत कैसी गिरी हुई हो गई है। दूसरे वर्ग भी कुछ अच्छे नहीं हैं। मैंने एक जहाज के कप्तान को शराबखोरी की हालत में अपने को भूला हुआ देखा है। जहाज उस समय दूसरे मुख्य अधिकारी को सौं देना पड़ा था। बेरीटर लोग भी शराब पी कर गटर में पड़े हुए पाये गये हैं। हाँ, इन अच्छी स्थिति के लोगों की संसार में सब जगह पुलिस के द्वारा रक्षा की जाती है और बेकारे गरीब शराबी को उसकी गरीबी के कारण सजा होती है।

शराबखोरी की जुराई उसमें अनेक हानियाँ होती हुए भी यदि अगरेजों में पेटानेनुल न मानी जाती हो जाय इस गरीब देश में उसे हम इस संगठन हालत में न पाते। यदि हम लोग मोहित न किये गये होते तो आज जुराई की आमदनी से अपने बच्चों को शिक्षा देने से ही इन्कार करते जैसी कि आधिकारी की आमदनी है।

मि. फरग्युसन इस जुराई की आमदनी के बजाय क्या टैक्स डालने की सूचना करते हैं। मेरी राय में तो यदि सरकार अपने बड़े भारी मजदूरी खर्च को जिसकी कि आक्रमणों से देशकी रक्षा करने के लिए नहीं लेकिन आन्तरिक बलबों को बचा देने के लिए ही आवश्यकता है, यदि घटा देगी तो नया टैक्स लगाने की कोई आवश्यकता न रहेगी। इसलिए शराबखोरी को खर्चया बन्द कर

देने की मांग के साथ साथ लश्करी खर्च में उतनी कमी करने की मांग भी पेश करनी चाहिए। यदि मिशनरी लोग जनता की राय का साथ देने और शराबखोरी को एकदम बन्द कर देने पर और इन्हीं को उन्हे लश्करी खर्च का भी अन्वयन करना होगा और जब उन्हें यह सन्तोष हो जाय कि बहुत सा खर्च तो आन्तरिक जगहों के झूठे भय के कारण ही बढ़ावा गया है तो उन्हें भी लश्करी खर्च को कमी करने पर जोर देना होगा, कम से कम उतना खर्च कम कराने के लिए तो अवश्य ही प्रयत्न करना होगा जितना कि नशीली चीजों के महसूल से बसूल होता है।

स्वराज्य और दूसरे राजनैतिक दलों का कर्तव्य तो स्पष्ट है। एक आवाज से शराबखोरी को एकदम सर्वथा बन्द कर देने की मांग पेश करने के लिए वे देश के प्रति अपने कर्तव्य से बचे हुए हैं। यदि यह मांग पूरी न की जायगी तो स्वराज्य दल को सरकार का दोष मानने का एक दूसरा कारण मिलेगा। श्री० राम-गोपालाचार्य ने उचित ही कहा है कि शराबखोरी को एकदम रोक देना जनता की राजनैतिक शिक्षा देने का प्रथम भेलि का कार्य है। और यह ऐसा कार्य है कि इसमें सभी दल, जाति और राष्ट्र के लोग आसानी से एक हो कर काम कर सकते हैं।

यह लिखने के बाद, मैंने दिवान बहादुर एम. रामचन्द्रराव की अध्यक्षता में वेदली में शराबखोरी को बन्द करने के उद्देश से हुई सभा के कार्य का अह्वाक पढा। उस सभा ने जो प्रस्ताव किया है वह मेरी राय में बड़े ही कचे दिल का प्रस्ताव है। उसमें शराबखोरी को एकदम बन्द कर देने की अति ही आवश्यकता है यह दिखा कर भारत सरकार और स्थानिक सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने आधिकारी जाते की नीति के तौर पर शराबखोरी को एकदम बन्द कर देना ही अपना ध्येय बनायें। मेरे ह्माक में भारत सरकार और स्थानिक सरकारों को भी इसका स्वीकार करने में कोई मुश्किल न आखम होगी। सभी दलों का, भारत सरकार का भी, अहितम ध्येय स्वराज्य है लेकिन महासभा के लिए तो यह सिध ही प्राप्त्य बस्तु है और भारत सरकार के ह्माक में यह दूर का और आदर का फिर भी अप्राप्त्य ध्येय है। उसी प्रकार सरकार की दृष्टि में शराबखोरी को बन्द कर देना भी अप्राप्त्य प्रतीत होगा। इसी प्रस्ताव के अनुकूल उस सभा ने सरकार को यह सलाह दी है: "यह इस विषय में लोगों की राय जानने के लिए पूरी सुविधा कर दे और सभा की राय में स्थानिक शराबबन्दी के कानून को दायित्व करना ही इस विषय में लोगों की राय जानने के लिए उत्तम उपाय है।" जैसा कि मैंने ऊपर कहा है लोगों की राय माखम करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्यों कि उसी तो सभी जानते है। प्रश्न तो यह है कि सरकार आधिकारी को आमदनी को छोक देने को तैयार है या नहीं। मैं चाहता हूँ कि सभा ने अधिक दृढ़ता से, अधिक विचार से अधिक सुसम्बद्ध कार्य किया होता। अब तो यह सभा भारतीय मादकद्रव्य निषेधक मण्डक के नाम से राष्ट्रीय निषेध मण्डक बन गया है। तो अब मैं यह आशा करता हूँ कि यह मण्डक अधिक स्पष्ट नीति अहस्त्यार करेगा और शराबखोरी को बन्दी को दूर अनिश्चित भविष्य में प्राप्त्य ध्येय न समझ कर, उन्हे सम्मति देने के जारी कार्य के किये बिना ही कारण ही अग्रक करने योग्य राष्ट्रीय नीति समझ कर उसके अनुकूल ही कार्य करेगा।

## टिप्पणियाँ

### श्री० एण्ड्रयूज का परिश्रम

यूनियन सरकार के भारतीयों के खिलाफ कानून बनाने के बिल का बाहे कुछ भी परिणाम क्यों न भाये, इस प्रश्न को हल करने में निःसन्देह श्री० एण्ड्रयूज का हिस्सा सब से बड़ कर ही रहेगा। उनका अमहीन उत्साह, उनकी नित्य शावधानता और सुधीक समझाने की शक्ति ने हमें सफलता की आशा दिलाई है। वे स्वयं, यद्यपि आरंभ में बड़े निराश थे परन्तु अब उन्हें आशा बंधी है कि वह बिल संभव है कम से कम इस बैठक के लिए तो मुक्त हो रहे। वे खाति के साथ पत्र-सम्पादकों से और आर्थिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वे पत्रकारों की सहायता प्राप्त कर रहे हैं और इस नये कानून का उन्हे जोरदार शब्दों में विरोध करा रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने दक्षिण आफ्रिका के योरपियनों की राय का जो इस कानून के पक्ष में था हिला दिया है। इस प्रश्न का उनका अन्वयन महारा होने के कारण दक्षिण आफ्रिका के कुछ नेताओं को संतोषकारक रीति से वे यह समझा सके हैं कि उस कानून से स्पट्स-गांधी समझौते का स्पष्ट मंग होता है। उन्होंने बिकरी हुई भारतीय शक्तियों को भी इस बिल पर आक्रमण करने लिए एकजित की है। इस प्रकार श्री० एण्ड्रयूज ने अपनी भारत की और मनुष्य समाज की सेवा में बड़ी अच्छी वृद्धि की है। अंगरेज और भारतीयों के सम्बन्ध को मधुर बनाने के लिए जितना प्रयत्न श्री एण्ड्रयूज ने किया है उतना आज किसी भी भीषित अंगरेज ने नहीं किया है। उनकी एक आशा हम दोनों राष्ट्रों के लोगों को एक ऐसे अमेय बन्धन में बांध देना है, जिसका कि आधार परस्पर का आदर और स्वतन्त्रता हो। उनका यह स्वप्न सच्चा हो।

### खादी प्रचार

यह समय का प्रभाव है कि अब कुछ बड़े शिक्षित लोग भी राष्ट्र और धर्मसेवा केवल उसके प्रेम के खातिर करने के इस भूमि के प्राचीन गौरव का स्मरण दिकाने हुए त्यागभाव से खादी प्रचार के कार्य में लगे हुए हैं। खादी प्रतिष्ठान के सतीश बाबू के पत्र के कारण मुझे इस बात का स्मरण हुआ है। वे लिखते हैं कि डा. प्रफुल्ल घोष, महासभा समितियों की तरफ से व्याख्यायन देते हुए बंगाल में प्रवास कर रहे हैं और खादी को कोफप्रिय बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे धम का कुछ भी ह्वाल नहीं रखते हैं और श्री० अहवा की तरह अपने कपो पर खादी के ताके से कर फेरी कर रहे हैं। डा. घोष डा. राय के प्रिय शिष्यों में से एक है और टंकशाल में ५००) माहवार वेतन की जगह पर काम करते थे। अब वे ३०) से अधिक वेतन नहीं लेते हैं और मैंने स्वयं उन्हें देखा है कि वे अब किस तरह रह रहे हैं। बंगाल में या सारे हिन्दुस्तान में अकेले वे ही नहीं है जो बहुत ही गरीबी से रहते हैं और बरबो के द्वारा गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। बंगाल और बंगाल के बाहर कितनी ही संस्थाओं में ऐसे शक्तिशाली और शिक्षित मुबक पाये जाते हैं, जिन्होंने खादी को अपना यदि एक मात्र नहीं तो मुख्य धंधा बना लिया है और वे यह काम केवल चरैना जितना वेतन के कर ही कर रहे हैं। लेकिन खादी के मानी भारत के करोड़ों अधभूके गरीब लोगों की सेवा करना है इसलिए स्वभावतः इसके लिए कुछ सौ ही नहीं बल्कि हजारों जवान श्री-पुरुषों की इसके प्रति अति होना आवश्यक है।

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

### अध्याय ९

#### पिताजी का देहान्त और मेरा कलंक

मेरे सोलहवें वर्ष का यह समय था। हम ऊपर यह तो देख ही चुके हैं कि पिताजी मगदर की व्याधि के कारण बिल्कुल ही शय्याबद्ध थे। उनका सेवा में माताजी, एक पुराना नौकर और मैं बहुतांश में लगे रहते थे। मेरा 'नर्म' का काम था। मण को घोना, उसमें दवा लगानी, मलहम लगाना ही तो मलहम लगाना और जब घर पर दवा तैयार करनी हो तो दवा तैयार कर देना यह मेरा विशेष कार्य था। रात्रि को हमेशा उनके पैर धानना और जब इजाजत दे अथवा वे सो जायं तो जा कर सो जाना यह मेरा नियम था। मुझे यह सेवा पकी प्रिय माहुरम होती थी। मुझे यह स्मरण नहीं होता कि मैंने कभी उसमें कोई भूल की है। ये डॉक्टर के दिन तो थे ही, इसलिए खानेपीने से जो समय बच जाता था वह शाला में या पिताजी की सेवा में ही व्यतीत होता था। जब उनकी आज्ञा होती और उनकी तबीयत के अनुकूल होता तभी शाम को घूमने जाता था।

इसी साल पत्नी गर्भवती हुई। आज मैं यह समझ सका हूँ कि यह दो तरह से लज्जा का कारण था। एक तो यह कि विद्याभ्यास करने का यह समय होने पर भी मैंने संयम न रखा और दूसरा यह कि शाला में अध्ययन करने का धर्म में समझता था और मातापिता की भक्ति का धर्म उससे भी अधिक समझता था—यहाँ तक कि बाल्यावस्था से ही इस विषय में भ्रमण मेरा आदर्श बन गया था—फिर भी जीसंभोग मेरे पर सवार हो सकता था। अर्थात् प्रत्येक रात्रि में यद्यपि मैं पिताजी के पैर धाता था फिर भी उस समय मन तो शयनगृह के प्रति ही दौड़ दौड़ कर जाता था और वह भी ऐसे समय कि जब धर्मशास्त्र, वैदकशास्त्र और ध्यवहारशास्त्र के अनुसार जीसंभोग वर्ज्य था। जब मुझे सेवा से छुटी मिलती थी मैं बड़ा लुश होता था और पिताजी का दंडवत कर के सीधा शयनगृह में दौड़ जाता था।

पिताजी की बीमारी बढ़ती जा रही थी। 'वैद्य' ने अपने केप आत्मनाये, हकीमों ने मलहमपट्टे आजमा देखे, सामान्य नई इस्वादि की भी दवाइयाँ की, अंगरेज डाक्टर ने भी अपनी बुद्धि का उपयोग किया। अंगरेज डाक्टर ने सूचना दी कि शलकिया ही उसका एक मात्र उपाय है। कुटुम्ब के मित्रवैद्य ने निषेध किया, उन्होंने उत्तरावस्था में शलकिया नावसेद की। अनेक प्रकार की दवाइयों की बातें करीदी हुई व्यर्थ गईं और शलकिया न हुई। वैदराज बड़े होशियार और नामांकित थे। मुझे ऐसा माहुरम होता है कि वैदराज ने यदि शलकिया होने की होती तो घाब के नर जाने में कोई कठिनाई न होती। शलकिया उससमय के बन्दई के प्रख्यात सर्जन के द्वारा होनेवाली थी। लेकिन मृत्यु नजदीक आ पहुँचा था इसलिए योग्य उपाय कैसे हो सकता था? पिताजी बन्दई से आपदेशन कराये बिना ही, उसके लिए खरीदा गया सामान के कर लौट। उन्होंने अब अधिक जीने की आशा छोड़ दी थी। कमजोरी बढ़ी गई और यह स्थिति आ पहुँची कि प्रत्येक क्रिया बिछोने में ही करनी पड़े। लेकिन वे आखिर तक उनका विरोध ही करते रहे और उन्होंने परिश्रम उठाने का ही आग्रह रखा। वैष्णव धर्म का यह कठिन साधन है। बाह्यशुद्धि अति आवश्यक है लेकिन पाश्चात्य वैदकशास्त्र ने यह सिखाया है कि सभी मलव्यागादि की और स्नानादि की क्रियाएँ

शय्या में पड़े पड़े ही पूरी सफाई के साथ की जा सकती है और बीमार को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। जब देखा उसका बिछौना साफ ही होगा। इस प्रकार से रक्की गई स्वच्छता को मैं तो वैष्णवधर्म के नाम से ही पहचानूँगा। लेकिन ऐसे समय में भी पिताजी का स्नानादि के लिए बिछौना त्याग करने का आग्रह देख कर मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता था और मन में उनकी स्तुति ही किया करता था।

अवसान की घोर रात्रि नजदीक आ पहुँची। उस समय मेरे काका राजकोट में ही मौजूद थे। मुझे कुछ ऐसा स्मरण है कि पिताजी की बीमारी बढ़ रही है यह समाचार मिलने पर ही वे आये थे। दोनों भाइयों में बड़ा सुन्दर प्रेमभाव था। काकाभी सारा दिन पिताजी के बिछोने के पास ही बैठे रहते थे। और हम लोगों को सो जाने के लिए छुड़ी देकर आप उनके बिछोने के पास ही सोते थे। किसी को यह शक तो था ही नहीं कि यह रात्रि आखिरी रात्रि साबित होगी, भय तो सदा ही बना रहता था। रात्रि के साठे दस या ग्यारह बजे होंगे। मैं उनके पैरों को मल रहा था। काकाभी ने मुझसे कहा: "अब तुम जाओ मैं बैठंगा। मैं बड़ा खुश हुआ और सीधा शयनगृह में बका गया। पत्नी तो बेचारी गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन मैं उसे क्यों सोने देने लगा। मैंने उसे जगाया। पाँच घात मिनट ही हुए होंगे कि उतने में जिस नोकर के सम्बन्ध में मैं ऊपर लिख चुका हूँ उसने किबाड कटकटाये। मुझे कटक का लगा और चौक उठा। नोकर ने कहा: 'उठो, पिताजी बहुत बीमार है' मैं यह तो जानना ही था कि वे बहुत बीमार हैं इसलिए नहीं पर 'बहुत बीमार' का जो विशेष अर्थ था वह मैं समझ गया। शय्या से एकदम कूद कर दूर हो गया और पूछा:

'क्या है? कदो तो सही।'

'पिताजी का देहान्त हो गया।' उत्तर मिला।

अब मैं पश्चात्ताप करूँ तो भी क्या फायदा ही? मैं बहुत गरमिन्दा हुआ, और बहुत कुछ कष्ट अनुभव करने लगा। पिताजी के कमरे में दौड़ गया। मैं यह समझा कि यदि मैं बिचब्याग्य न होता तो इस आखिरी समय में यह बियोग्य न होता और उनके अन्तकाल के समय में मैं उनके पैर ही धाते रहता। अब तो मुझे काकाभी के मुँह से ही यह सुनना पड़ा। 'पिताजी तो हम लोगों को छोड़ कर चले गये।' आखिर समय की सेवा का भेष अपने बड़े भाई के परमभक्त काका प्राप्त कर गये। पिताजी को अपने अवसान की आगाही हो चुकी थी। उन्होंने इसारे से लिखने का सामान मांगा था और एक कागज में लिखा था कि 'अवसान की तैयारी करो' यह लिख कर अपने हाथ पर जो ताबीज बंधा हुआ था उसे तोड़ कर फेंक दिया, सोने का हार था वह भी तोड़ कर फेंक दिया। एक क्षण में तो आत्मा उड़ गया।

यह अध्याय में मैंने अपनी जिस शरम की बात के प्रति इशारा किया है वह इस सेवा के समय की विषवेच्छा की कारण है। यह काका बाब में आज तक भी नहीं मिटा सका हूँ और न उसे भूला सका हूँ। और मैंने हमेशा ही यह माना है कि मातापिता के प्रति मेरी भक्ति अगाध थी, मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता था लेकिन उन सेवा के समय भी मेरा मन बिचब्याग्य का त्याग न कर सका था; यह उन सेवा में रही हुई अक्षय्य त्रुटि थी, और इसीलिए मैंने अपने को एकपरतीव्रत को पाक करकेवाला मानने पर भी विवायान्ध माना है। इससे मुक्ति प्राप्त करने में मुझे बहुत समय लगा और मुक्ति प्राप्त करने के पहले बहुत से धर्मसंकट भी सरन करने पड़े थे।

मेरी सोचिरी क्या का यह अन्वय समझ करने के पहले मुझे यह भी यह देना चाहिए कि मेरी सोचिरी जिस बालक को जन्म देना था वह दो या चार दिन के लिए श्वास लेकर चल गया। दूसरा परिणाम ही क्या हो सकता है? जिन माताओं को या बाल-शिशुओं को इस उदाहरण से चेतना हो वे चेत जायें।  
(व्यवस्था)

### विना वैराग्य का त्याग

अभी कुछ समय हुआ आंध्र प्रान्त के एक बकील ने बकीलात की सनद प्राप्त करने के लिए एक अरजी की थी। उन्होंने बाइस वर्ष तक बकीलात की थी और १९२१ में उन्होंने असहयोग किया था। उसी वर्ष के दिसम्बर महीने में उन्हें सविनय भंग के लिए एक साल की सजा भी दी गई थी। जेल में वे बीमार हो गये और जेल से रिहा होने पर भी दो साल तक बीमार रहे। १९२४ के मार्च महीने में हाइकोर्ट ने सनद वापिस खींच देने की मोटिस भी लेकिन बीमारी के कारण वे अदालत में हाजिर न हो सके और उनकी सनद खींच ली गई। इस साल उन्होंने अच्छे होने पर अरजी की। अरजी में लिखे कुछ उद्गार उल्लेख योग्य हैं। 'एक समय मैंने सारा प्रान्त दान दिया था और असहयोग में शामिल हुआ था ... .. जेल में से बाहर निकलने के बाद मैंने असहयोग में कोई भाग नहीं लिया है और न भविष्य में ऐसा करने का विचार ही है। ... अरजदार को अब अपनी गलती माफ़न हुई है और वह बचन से बच होता है कि यदि उसे बकीलात करने की इजाजत मिलेगी तो वह ऐसी अदालतों को चलायेवाली सरकार का बफादार रह कर उसकी मदद करने का ही काम करेगा,' और इतना कलक भी मानों काफी न था इसलिए जो पाकी रहा वह अरजदार के बकीलों ने और न्यायाधीशों ने पूरा किया। शरणनात को शरमाने विना उसके प्रति सहानुभूति दिखाने पर उसकी इज्जत की रक्षा करने का क्षाम-गुण जब इस सरकार में ही नहीं है तो उसके नोकरों में तो ही कैसे सकता है? अरजदार के बकील ने कहा कि जेल से बाहर जाने के बाद अरजदार ने असहयोग में ही नहीं लेकिन राजनीति के किसी भी कार्य में कोई भाग नहीं लिया है। न्यायाधीश ने कहा "यह तो वे बीमारी के कारण जवाब से इसलिए?" इस पर बकील ने विश्वास दिलाया "अच्छे होने पर भी उन्होंने असहयोग में और राजकार्य में कोई भाग नहीं लिया है और भविष्य में ऐसा करने का उनका इरादा भी नहीं है, यद्यपि अब उसमें शामिल होने में कोई जोखिम नहीं है।" अरजदार के बकील ने फिर आगे और कहा: "अरजदार सचे असहयोगी हैं, और उनमें चाहे कितने ही दोष क्यों न हो उनमें ऊंचे चरित्र का क्या भारी गुण है," अर्थात् उनके बचन पर विश्वास रखना चाहिए। इस पर एक भारतीय न्यायाधीश ने कटाक्ष करते हुए कहा: "हाँ, बहुत से असहयोगियों के चरित्र बड़े ऊंचे होते हैं।" इस पर बकील ने अरजदार के चरित्र के संबंध में दो बड़े बकीलों के, एक सज्जन का और अपना प्रमाणपत्र दिया। इतना ही जाने पर ही मुकम न्यायाधीश ने बाकी क्या हुआ व्यंग्य अपने फैसले में सुना कर सनद जारी करने का हुकम दिया।

इस मामले पर महासभा के वर्तमान पत्रों में बड़ी चर्चा हुई है। बकील आग्रह के सुपतित्त बकील से इसलिए उनसे सम्मान रखने-कर्मों इस बात पर बड़ी चर्चा हो यह स्वाभाविक है। लेकिन सबूतों के यह चर्चा मान से दूर जा कर ही की है इसीसे दुःख होता है। भी प्रकाशक ने तो ऐसी बकीलों की है कि वर्तमान कायम ही रहता है, जबवा उसका विभागत में और तरह से व्यक्त किया जाता

है और हिन्दुस्तान में और तरह से। सर एडवर्ड कारसन जैसे और भारत के वर्तमान प्रधान जैसे, सरकार के कृत्यों के विरुद्ध शकप्रयोग करने की शक्तियाँ देने हैं फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं होता है और यहाँ पर केवल सविनय भंग के लिए सजा ही जानी है। नीति के अपराध के सिवा और किसी भी कारण से बकील की सनद वापिस खींच लेने का अभिचार हाइकोर्ट को न होना चाहिए। और कुछ बकीलों ने तो महासभा पर ही टीका करते हुए कहा है कि ऐसे उत्तम चरित्रवाले बकील को इतनी दान देना प्राप्त हुई है और उन्हें ऐसा हीन भावों पर लिख कर देना पडा है उसका कारण यह है कि महासभा ने असहयोगियों के लिए कोई सेवा-संघ तैयार नहीं किया और इसीलिए उन्हें पेट के कारण इतना करने पर मजबूर होना पडा है।

यह मामला, उसपर अदालत में हुई चर्चा और बाहर वर्तमान पत्रों में हुई चर्चा, इस बाल को प्रकाशित करती है कि अब हमको क्या कितने गिर गये हैं अथवा जिस सभी स्थिति का हमें आज तक क्या तक न था उसे भाँख खोल दे इस प्रकार से वह प्रकाशित करती है। अन्यथा रण पर चढा हुआ कहीं पशु के कानून का भी कभी विचार करा है? दुकले होकर गिरने के लिए तो तैयार है, मरमिटने के लिए तो तैयार है यह क्या कभी इस बात का विचार करेगा कि महासभा ने उसके लिए क्या व्यवस्था की है? यह तो कभी नहीं कहा गया था कि ऐसा विचार करके ही कोई इस युद्ध में शामिल हो और ऐसा विचार करनेवालों को इस युद्ध से अलग रहने के लिए मैकडो वार चेतावनियाँ दी गई थीं। विना वैराग्य के त्याग के डेर से अब खूब पेट भर गया है। और आज हमलोग अपनी दीनदस्ता के कारणों को बाहर धुँडने का प्रयत्न करते हैं।

हमलोग उच्च शिक्षा और ऊंचे प्रकार के चरित्र भी चाहते हैं लेकिन उच्च शिक्षा और ऊंचा चरित्र किस में पाया जाता है उसका विचार किये विना ही हम प्रवाह में रींचे जा रहे हैं। "जिस मुल से पान खाया है उससे कोयला नहीं खाया जा सकता।" इस कहावत को तो बेपटले अंग ही हमें सिखा सकते हैं। तो क्या पढ़कर हमलोग सामान्य मनुष्यत्व को भी खो देंगे? जिस शिक्षा से स्वमान समझने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, जिससे अपने टेक का महत्व समझ में नहीं आता है उसे प्राप्त की तो भी क्या और न की तो भी क्या? जिस शिक्षा से संकट के समय में अपना टेक न छोड़ कर स्वमान की रक्षा करने हुए मजदुरी कर के पेट भरने जितनी शक्ति प्राप्त नहीं होती उस शिक्षा को से कर करेंगे ही क्या?

शेम्पीभर का एक वचन है कि शू लोगों की एक मरतबा मृत्यु होती है लेकिन कायर तो मरने के पहले अनेक बार मरते हैं। यह मरण क्या हो सकता है? हमलोग प्रार्थना करते हैं कि 'मृत्यु में से अमृत में ले जा' तो यह मृत्यु क्या है। मृत्यु अर्थात् आत्मा का — टेक का नाश। प्रतिज्ञा करने के बाद यदि मनुष्य उसको प्रसिद्धता लेंगे तो यह अनेक बार मृत्यु को प्राप्त होता हुआ पातकी होता है। लेकिन उसका पालन करते हुए जो मर मिटता है वह मर कर अमर बनता है।

अपना भविष्य का युद्ध तो समझ कर बाहर नीकलेवाके सेमिको से ही लडा जायेगा, रण में जा कर कभी न हारनेवाके सेमिकों से क्या जायेगा, पहले मन में खूब विचार करलेनेवालों से ही लडा जायेगा; देखादेखी युद्ध में जानेवालों से नहीं, लेकिन गर्वना होने के बाद पीछे न हटनेवाके और परमात्मा के नाम को रटते हुए मर मिटनेवालों से ही लडा जायेगा।

(व्यवस्था) महादेव परिभारी देसाई



## लड़ाई कैसे सुलगी ?

### तात्कालिक कारण

साराजेवो के आर्बेब्यूक के खून के बाद जो घटनायें हुई उनका महत्व सायद अब हम लोग अच्छी तरह समझ सकेंगे। स्वीय कालेजवाले सीडनी ब्राड शो के ने, जिन्होंने नये जर्मन प्रजा-तंत्र के अधिकार के नीचे प्रकाशित आर आस्ट्रिया के पुराने राजतंत्र के नष्ट हो जाने पर वहाँ के विदेश सम्बन्धी विभाग की तरफ से प्रकाशित, तथा रशिया की राज्यकान्ति के बाद बोल्शेविकों द्वारा प्रकाशित आज पत्रों का अच्छी तरह अध्ययन किया है, 'अमेरिकन हिस्टोरिकल रीव्यू' में सन १९२० में एक महत्व की लेखमाला प्रकाशित की थी। ये लेख साधारण तौर पर सर्वत्र प्रमाणभूत माने गये थे इसलिए उनमें से कुछ उद्धृत कर के यहाँ दिना जायगा तो यह अनुचित न होगा।

"ये दो शकस उन्हीं राजपत्रों का अध्ययन करने के बाद किस तरह आपस-पूर्वक अपनी पुरानी सरकार का ही धारा दोष बताते हैं यह देखने में बड़ी दिलचस्पी माहूम होती है।

काटस्की के मत के अनुसार जर्मनी ने द्विबपिचाने हुए बर्चटाल को सर्बिया पर आक्रमण करने के लिए और इस प्रकार दुनियाभर की लड़ाई में गिरने के लिए धकेल दिया था। गुल के मत के अनुसार भोला कैसर बर्चटाल के अन्धे दुराग्रह और दंगे का केवल शिकार ही हो पड़ा था।

आस्ट्रिया ने १९१४ के गरमों की ऋतु में देखा कि रशिया और फ्रान्स छुपे तौर से एक बृहद् सर्बियन इच्छाल चला रहे हैं और सर्बिया के अधिकार में जुगोस्लाविया के राज्यों का संगठन करने के लिए नयी बालकन मैत्री पैदा कर रहे हैं..... इस प्रकार कैसर ने और उसके परवेश सभीष बेधमनने अपना मार्ग निश्चित किया और उन्होंने आस्ट्रिया को सम्पूर्ण स्वतंत्रता दे दी और अपने हाथ के बाहर की स्थिति को बर्चटाल जैसे अविचारी और निःशक मनुष्य के हाथ में रखने की गलती की। क्यों कि यह करने में वे अपने हाथ पैरों की बाध कर अंधेरे में ही कूद पड़े थे। हम यह देखेंगे कि इस प्रकार उन्होंने अपने को कैसी उलझी हुई हालत में और जो काम उन्हें स्वीकार न थे उनमें फसे हुए और अपनी राय के खिलाफ निर्णयों से बंधे हुए पाया था। लेकिन अब कोई उपाय न था। अब न कोई खिलाफ राय जाहिर की जा सकती थी और न घमकाया ही जा सकता था क्यों कि आस्ट्रिया के पक्ष में खड़े रहने के लिए वे बंधे हुए थे और इसलिए अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि बरा भी चूंचा करने पर अपना ही पक्ष दुर्बल ही जाता था। इस प्रकार ५ वीं जोलाई को बेधमन और कैसर दुनिया भर की लड़ाई को सुलगाने की तैयारी करने के अपराधी नहीं लेकिन अपने गले में फाँसी की रस्सी डाल कर उसका सिगा एक भूले और अविचारी के हाथ में देनेवाले बेबकूफ और बौद्धम थे, जिसे वह अब जहाँ चाहे वहाँ और जितना चाहे खींच सकता था ...

अर्थात् बर्लिन और वियेना से प्राप्त इन कागज पत्रों पर से आस्ट्रिया का अपराध पहले से अब अधिक माहूम होता है और उसी प्रकार जर्मन सरकार ने ही जानबूझ कर लड़ाई कराई थी और उन्हें ऐसी लड़ाई चाहिए थी इस दोष का भी निराकरण हो जाता है। जर्मनी के युद्ध विषयक लेखकों ने और बृहद् जर्मनी के पक्षपातियों ने व्यक्तिगत चाहे कुछ भी क्यों न लिखा हो और वे कुछ भी क्यों न बोले हो इतना तो अवश्य ही सिद्ध होता है

कि चान्सेलर बेथमन हालवेगने जर्मनी के परदेश सम्बन्धी विभाग के जाहिर प्रतिनिधि की हैसियत से लड़ाई के आरंभ के दिनों में शान्ति, और पड़ोसी के साथ मधुरता की नीति को ही जर्मनी की नीति के तौर पर स्वीकार किया था। बेथमन अधिक विशास अर्थ में इसका विचार करेंगे तो जर्मनी लड़ाई से सम्बन्ध रखनेवाली जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकता है। क्यों कि ता. ५ जोलाई को आस्ट्रिया को स्वतंत्रता देने में और वियेना के दरबार में फिर समय पर कानून प्राप्त करने में उसने स्पष्ट गफलत की थी। अलावा इसके मुझे करने के अनेक प्रयत्नों को जानबूझ कर ध्वंस करने का दोष जो जर्मनी का ही है—खास कर फेसर का...इससे भी अधिक विशास अर्थ में देखा जाय तो जर्मनी का सब से बड़ा दोष उसके कश्कर का संगठन था और यही दुनिया की लड़ाई का सब से बड़ा कारण था। ऐसा नियम है कि बने बडे राजनैतिक प्रसंगों पर ही राजनैतिक पुरुषों को अपना दिमाग ठिकाने रखना और हाथ मुक्त रखना मुश्किल हो जाता है और मजहरी पक्ष का उन पर दबाव पड़ने से उसका परिणाम यह होता है कि वे या तो लड़ाई करने के पक्ष में हो जाते हैं या अपना प्रमुख जमावे रखने का ही प्रयत्न करते हैं। और इस प्रकार यूरोप में युद्धवाद को जो जमावट हुई उसके लिए जर्मनी के बराबर दूसरा कोई देश जवाबदेह नहीं है।

लड़ाई के तात्कालिक कारणों के सम्बन्ध में मि. फिलिप जो बहुत साल तक मि. लाइव उयार्म के सेक्रेटरी थे लिखते हैं: "लड़ाई को किस बस्तुने प्रत्यक्ष सुलगाई?...उत्तर: युद्ध का टाइमटेबल; जैसा आस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को दिवें हुए अपने आन्टीसेटम की तैयारी में सैन्य इकट्ठा करना शुरू किया कि रशियनों को भी वैसा ही करना आवश्यक माहूम हुआ। क्यों कि उसे भय था कि सायद अन्तिम फैसला जाय और वह स्वयं सोता हुआ फकैटा जाय। और जैसे रशिया ने तैयारी शुरू की, जर्मनी भी तैयारी करने पर मजबूर हुआ। क्योंकि जर्मन सैनिकों के टाइमटेबल में सैन्य एकत्रित करने के विषय में यह हिदायत था कि फ्रेन्च सैन्य से हमेशा कुछ दिन आगे रहना चाहिए और जबतक रशिया अपना सैन्य रणभेदान में ला सके उसके पहले ही उसे साफ कर देना चाहिए। इसीलिए, इसी कारण से जब कैसर ने देखा कि सैनिक तैयारियां विजली के वेग से की जा रही हैं तो उसने झार को सैन्य इकट्ठा करने से रोकने के लिए प्रार्थना करने के और परमानों के तार भी भेजे थे। अर्थात्

### आधम भजनावली

पाँचमी आशुति छपकर तैयार हो गई है। पृष्ठ संख्या ३९० होते हुए भी कीमत सिर्फ ०-२-० रखी गई है। हाककरब करीदार को देना होगा। ०-२-० के टिकट भेजने पर पुस्तक बुकपोस्ट से कौरब रवाना कर दी जायगी। १० प्रतिशत से कम प्रतियों की भी. पी. नहीं भेजी जाती।

बी. पी. यंगानेवाके को एक 'सोयाई' नाम दिशगी भेजने दोसे  
 लक्ष्मणापक, हिन्दी-नवजीवन

### हिन्दी-पुस्तकें

कोकमान्थ की भजनावली	...	...	...	॥)
आधमभजनावली	...	...	...	॥)
कवन्ति अंक	...	...	...	॥)

हाक करबे अकहदा। दाम मनी आठेर से भेजिए अवधम  
 बी. पी. यंगानेवा—  
 लक्ष्मणापक,  
 हिन्दी-नवजीवन



कडे, मैं से सोना काट लिया गया और कजे भी बदा हुआ। लेकिन मेरे लिए यह बात असह्य हो उठी। मैंने फिर कभी चोरी न करने का निश्चय किया। दिल में यह ख्याल हुआ कि पिताजी के पास इस अपराध का स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन कहुँ कैसे? यह भय नहीं था कि पिताजी मारेगे। मुझे यह स्मरण नहीं कि उन्होंने कभी इस में से किसी भाई को पीटा हो। परन्तु उन्हें कष्ट होगा, और शायद वे अपना सिर पीट ले तो! आखिर मैंने यही ख्याल किया कि यह जोखिम उठा कर के भी दोष का स्वीकार कर लेना चाहिए; उसके बिना शुद्धि नहीं हो सकेगी।

अन्त में मैंने यह निश्चय किया कि पत्र लिख कर अपना अपराध स्वीकार कर लूँ और माफी माग लूँ। मैंने चिट्ठी लिख कर पिताजी के हाथ में दी। चिट्ठी में सारा अपराध स्वीकार कर लिया और उसके लिए सजा मांगी। पिताजी की माफी मांगी थी और उनसे यह प्रार्थना की थी कि ये स्वयं दुःखित न हों। और आयदा फिर ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा भी ली थी।

मैंने काँपते हुए हाथों से वह चिट्ठी पिताजी के हाथों में रखी और उनके सामने जा बैठा। उस समय उन्हें भगंर की बीमारी थी और इसलिए शय्यावश थे। खटिया के बड़े लकड़ी का ताला इस्तेमाल करते थे।

उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। आँसुओं में से मोती से आँसू गिर पड़े। चिट्ठी भीग गई। थोड़ी देर उन्होंने आँसू बन्द कर ली और फिर चिट्ठी फाँट डाली और पढ़ने के लिए जो बँट थे सो फिर छेद गये।

मैंने भी रो दिया। मैं पिताजी के दुःख को समझ सका था। मैं चित्रकार होता तो उस चित्र को मैं जैसा का, तैसा चित्रित कर सकता था। वह चित्र आज भी मेरी दृष्टि के समक्ष है।

उस मोती के बिंदु के प्रेम-बाणने मुझे घायल कर दिया और मैं झुड़ हो गया। यह प्रेम तो जिसको अनुभव है वही जान सकता है।

‘ रामबाण बाणों रे होय ते जाणे । ’

मेरे लिये यह अहिंसा का पदार्थ-पाठ था। उस समय तो मैंने पिता-प्रेम के सिवाय इसमें और कुछ अधिक न देखा था लेकिन आज तो मैं उसे शुद्ध अहिंसा के नाम से पहचान सकता हूँ। ऐसी अहिंसा का यदि व्यापक हो जाय तो उसके स्पर्श से कौन अलिप्त रह सकता है? ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति का माग निकालना अशक्य है।

ऐसी शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव से प्रतिकूल थी। मैं मानता था कि वे क्रोध करेंगे कटु-बचन सुनावेंगे, और शायद अपना सिर भी पीट लेंगे। किन्तु उन्होंने ऐसी अगाध शान्ति रखी इसका कारण मैं मानता हूँ शुद्ध हृदय से मेरा अपराध का स्वीकार कर लेना था। जो आदमी अधिकारी के आगे अपनी इच्छा से अपने दोष का पूरा पूरा, और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा के साथ स्वीकार कर लेता है वह शुद्धतम प्रामाणिक करता है। मैं यह जानता हूँ कि मेरे इस दोष-स्वीकार से पिताजी मेरे विषयमें निर्भय हो गये और उनके महा-प्रेम की मेरे प्रति वृद्धि हुई।

( नवजीवन )

मोहनदास करमचंद गांधी

## चरखा बमुकाबले मिल

एक अध्यापक महाशय ने एक लंबा पत्र लिखा है। उसका सार इस प्रकार है:—

“ क्या भारतवर्ष को स्वराज्य मिलने के बाद भी आप चरखाप्रवृत्ति जारी रखियेगा? क्या उक्त बक देवी मिलें आसानी से नहीं बढ़ाई जा सकेंगी? और उनका माल सस्ता होने से चरखे को धक्का नहीं पहुँचेगा? और अन्त में विलासती कपड़े का बहिष्कार मिलों ही से होगा इसलिए आप जो चरखे के द्वारा गावों की भूख मिटाया चाहते हैं, वह उद्देश्य ज्यों का त्यों कल्पना में ही न रह जायगा? अथवा स्वराज्य के समय उनके दारिद्र्य का उपाय दूसरा कोई नहीं ढूँढ लिया जावेगा? जो ऐसा ही होने का संभव हो, तो चरखे को प्रवृत्ति के पीछे आप जो विराट् प्रयत्न कर रहे हैं, वह प्रयत्न अभी से ही मिलें बड़ा कर बहिष्कार सफल करने में क्यों न किया जाय? यदि आप यह मानते हों, कि स्वराज्य मिलने के बाद चरखे की प्रवृत्ति बन्द ही हो जानेवाली है, और वह प्रवृत्ति दस-पंद्रह बरस तो चलनी ही चाहिए, तो फिर उतने समय में क्यों मिलें खड़ी करके क्या एकदम बहिष्कार नहीं किया जा सकता? ”

इस दलील का उत्तर नवजीवन में कभी न कभी तो आ ही गया है, फिर भी एक विद्वान महाशय, जो हमें ‘ बंगईकिया ’ ‘ नवजीवन ’ के पढ़नेवाले हैं, उनकी भी आज यदि योंका उत्पन्न होती है, तो उसके उत्तर का विचार कर लेना निरर्थक नहीं होगा।

मेरा हृदय विश्वास है कि स्वराज्य मिलने के पीछे भी चरखा प्रवृत्ति तो जारी ही रहेगी। चरखा प्रवृत्ति का मूल गावों में है। स्वराज्य के पीछे भी किसानों को जेती के सिवाय दूसरे उद्योग की आवश्यकता रहेगी। और वह इस देश में तो मात्र चरखा ही हो सकता है। स्वराज्य के पीछे मिलें कहीं चिली की टोपियाँ जो बरसान के दिनों में एक रातभर में जगह जगह फूट निकलती हैं, उस तरह फूट नहीं निकलेगी। मिलों के लिए पूंजी चाहिए। पृथिवीवालों को व्याज चाहिए। उनके लिए मूँब जगह चाहिए, पानी बगैरह का सुभीता चाहिए, भजपुर चाहिए, और यंत्र चाहिए। ये साधन चरखे की तरह फूँक मारने से उत्पन्न नहीं हो सकते। यदि बहुतेरे लोग निश्चय कर लें तो हिन्दुस्तान में १ करोड़ चरखे १ दिन में उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन तीस करोड़ आदमी चाहें, तो भी ३० करोड़ तकली की मिलें एक दिन में उत्पन्न नहीं हो सकतीं और अनुभव से इतना तो सिद्ध हो ही गया है कि मिल का एक तकला जितना सूत आठ घण्टे में दे सकता है, करीब करीब उतना ही चरखा भी दे सकता है। इसलिए अगर हिन्दुस्तान की जनता चाहे, तो थोके ही महीनों में चरखे और करपों के अर्थ अपने सारे कपड़े बना सकती है। चरखे की प्रवृत्ति के द्वारा सहज संकल्प और तद्वत् प्रयत्न से तात्कालिक बहिष्कार का संभव है। परन्तु कैसे भी संकल्प और प्रयत्न से मिलों के अर्थ तात्कालिक बहिष्कार का होना असंभव है और मिलों के अर्थ बहिष्कार करने में दो चीजों के लिए हम लोगों को बहुत समय तक परावर्तनी रहना पड़ेगा। बहुत वर्षों तक कलें और इन्जिनियर हम लोगों को बहार से प्राप्त करने पड़ेंगे।

और मिलों की वृद्धि होने से कंगालों का भूखमरा तो जाय ही नहीं सकता। और इस कंगालियत के दूर करने का दूसरा उपाय हम लोगों को आज यदि नहीं मिलता, तो स्वराज्य मिलने पर, मिल

ही बाधगा, यह मानने को हमारे पास कोई कारण नहीं है। सार्वजनिक भूखमरे को दूर करने के जो जो उपाय चरके के बरके में आज तक बताये गये हैं, उनका अभी तक कोई प्रयोग मात्र भी नहीं कर सका है।

इसलिए मेरा अभिप्राय है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों की मूख मिटानेवाली चरके के सिवाय दूसरी कोई भी शक्ति नहीं है।

और यदि मेरा ऐसाही पक्का अभिप्राय है, तो चरके की सफलता निष्फलता का प्रश्न ही मेरे लिये उठ नहीं सकता। मैंने तो ऐसा अभिप्राय भी दिया है, कि परदेशी रुपये के बहिष्कार के बिना करोड़ों का स्वराज्य प्राप्त होना संभव नहीं है। इस अभिप्राय में भी मैं दृढ़ हूँ। इसलिए चरकी प्रवृत्ति के व्यापक होने में एक बर्ष लगे कि सौ, मेरे लिये यही स्वराज्य का सुवर्ण-इकाज है, और उसके द्वारा मैं अस्पृश्यों की सेवा करता हूँ और हिन्दू-मुसलमान ऐक्य में भी मेरा हिस्सा भरता हूँ। क्योंकि इनको भी मुझे तो धोखे, पुनकने, कांतने, गुनने के लिए समझाना होगा। मिल की प्रवृत्ति में तो ऐसा एक भी परिणाम नहीं आ सकता। वह प्रवृत्ति सफल होने पर ही अच्छी मानी जा सकती है। उसका परिणाम भी अल्प ही आ सकता है। चाहे जिस प्रकार से साथे हुए बहिष्कार को मैं अल्प परिणाम समझता हूँ। करोड़ों के प्रयत्न से और उनकी मूख मिटाकर जो बहिष्कार हो सकता है, वही महा परिणाम माना जा सकता है। और चरके की प्रवृत्ति तो सफल हो या निष्फल, उसमें तो कोई दोष ही नहीं है। यानि उसमें निष्फलता का होना हीसंभव नहीं है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गोधी

## जूते और कल्लगाहें (२)

हिन्दी अकास कमीशन के समस्त पत्र मन्त्रियों के इन्तजार से नीचे लिखी मन्त्रियाँ उद्धृत की गई हैं। उस पर विवेचन करना अनावश्यक है। यदि मांस भोजन करना दोष है तो कल्ल किये गये जानवरों के चमड़े के जूते पहनना भी उतना ही दोष गिना जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे जूते पहननेवाले और मांसाहारी दोनों ही पशुबन्ध को एकसा उन्मत्त करते हैं। दयावर्मी धनाढ्यों का यह परमधर्म है कि वे ऐसा प्रबंध करें कि लोगों को मरे हुए ढोरो के चमड़े के जूते मिल सके और वे पशुबन्ध के पाप के भागी बनने से बच जाय।

स० चमड़े का बाजार क्या यहाँ तक अपने कब्जे में है कि उस पर कितनी भी जकात क्यों न लगाई जाय, दूसरे देशों को हमारा चमड़ा खरीदना ही होगा ?

ज० यह बात तो नहीं है। १९१२-१३ में और रुवाई के पहले १९१४ के आरंभ में इस देश में केवल चमड़े के लिए ही ढोरो को कल्ल किया जाता था और उसके विकास पर १५) ऐकड़ा जकात चढ़ाई गई होती तो भी उसके बाजार पर कोई असर न होता। (पृ. २५४ सर लोगी वाटसन)

स० आपको जितना चाहिए उतना चमड़ा मिल सकता है ?

ज० नहीं, चमड़े की बड़ी कमी है, क्योंकि कि कल्ल करने में कोई काम नहीं रहता है।

स० लेकिन पहले तो चमड़े के लिए ढोरो को कल्ल किया जाता था ?

ज० यही कारण था कि उस समय मांस बचा जाता था।

स० अब क्या उतने जानवरों को कल्ल नहीं किया जाता है ?

ज० अब बहुत थोड़ी कल्ल ही जाती है। भनकारों को मांस मिल सके उतनी ही। (पृ. ३५३ नि. एक सी. नौबक)

चमड़े आजकल जुदी जुदी जात के थोकबन्द बेचे जाते हैं इसलिए प्रत्येक स्थानिक चर्मकार को उसे खरीदना मुश्किल मालूम होता है। क्योंकि थोकबन्द माल लेने में उन्हें जितने की आवश्यकता होती है उधरे या तो उसमें अधिक टुकड़े निकलते हैं या उन्हें जितनी जात के चमड़े चाहिए उतनी जात के चमड़े उसमें नहीं मिलते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो कुछ चमड़े कल्लगाहें हैं उनका इनकी मजदूरान सहारा लेना पड़ता है। (पृ. ४४० बाबु भुवनमोहन दास)

स० क्या आप यह मानते हैं कि मरे हुए ढोरो के चमड़े से अल्प रत्ने का चमड़ा कमाया जा सकता है ?

ज० मैं यह नहीं मानता।

स० तो क्या इसी लिए आपको कल्ल किये हुए ढोरो के चमड़े की जरूरत होती है ?

ज० हाँ, कल्ल किये गये ढोरो के चमड़े अधिक कीमती होते हैं और यह बहुत बड़े बड़े शहरों में या छावनी में मिल सकते हैं, उसके दाम पूरे तपसने दें। (पृ. ३५० बाबु भुवनमोहन दास)

ज० विकास पर अंकुश न रखने के कारण बाजार में तेजी मन्दी बहुत होती है। आज बकरे के दो रुपये देने पड़ते हैं तो कल्ल : देने पड़ेंगे। ऐसी हालत में हमारा धंधा कैसे चल सकता है ?

स० विकास पर जकात हो या न हो तो भी क्या भाव में तेजी मन्दी न होती रहेगी ?

ज० जकात हो तो तेजी मन्दी बहुत न होगी, क्योंकि अमरिकन व्यापारी बकरे के चमड़े का भाव तेज करने के पहले बहुत विचार करेंगे। इस देश में अधिकांश चमड़े के लिए ही बकरों को कल्ल किया जाता है। १९१९ में जब बकरे के चमड़े का भाव तेज था तब पूर्व-बंगाल में बकरे के चमड़े के लिए ही उनको कल्ल किया गया था और मांस तो लोगों ने घूरे पर केंक दिया था। मैं पूर्व बंगाल का वासदा हूँ इसलिए यह सब जानता हूँ। मेरी जान में तो उस समय बकरे का मांस एक आने का एक घेर बिकता था। ऐसी हालत में हिन्द के चर्मकारों की वसति कैसे हो सकती है।

स० विकास पर जकात डालने से भाव की तेजीमन्दी में क्यों फर्क पड़ेगा ?

ज० विकास से सबब से ही तो भाव में तेजीमन्दी होती है।

स० क्या आप विकास बिन्कुल ही बन्द कराना चाहते हैं ?

ज० नहीं, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि परदेशी मुह मांगे दाम न चढा दें। और विकास के ऊपर जकात डालने पर वे लोग एक हद में रहेंगे।

स० आप को क्या ऊंची किसम के चमड़े की ही जरूरत होती है ?

ज० चमड़े दो प्रकार के होते हैं। गाय-भैंस का चमड़ा और बकरे का चमड़ा। बकरे का चमड़ा ८० फी सदी ऊंची किसम का होता है। बकरे केवल कल्ल ही किये जाते हैं और उन्हें स्वामाधिक मौत से मरने नहीं दिया जाता है, इसलिए बकरे का चमड़ा सब ऊंची किसम का ही होता है। (पृ. ४५३ बाबु भुवनमोहन दास)

स० हिन्दुस्तान में चमड़ा कमाने का उद्योग बड़े, चमड़े का भाव तेज हो और गायों की अधिक कल्ल हो, यही न ?

ज० हम चर्मकारों का इसमें अलबत्ता काम है।

(पृ. ५१८ नीलरत्न सरकार)

शाकजी गोविंदजी देसाई



## हिन्दी-नवजीवन

पुस्तकार, माघ सुदी १५, संवत् १९८२

### दक्षिण आफ्रिका का प्रश्न

मुझे अफमोस के साथ यह कहना पड़ता है कि दक्षिण आफ्रिका में जो अति गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर कार्ड रीडिंग के अभिवक्तियों से मुझे कोई आशा नहीं होती है। वे अपनी कूटनीति की किसी बाल से यूनिवर्सल रास्कार की पारलियामेन्ट में उस बिल का विचार के लिए अभी हास आना रोक सकते हैं लेकिन हाल ही में आये हुए तारों से पता चलता है कि जिस कठोर सत्य का हमें सामना करना है वह यह है कि दक्षिण आफ्रिका में अब उसी तरह काम किया जा रहा है कि जैसे मानों वह बिल उस भूमि का कानून ही क्यों न बन गया हो, और परवाने बढके नहीं जा रहे हैं। इस बिल का स्वयं सिद्धान्त ही अन्यायमूलक है। मेरे ह्याल में कार्ड रीडिंग जिस बात का प्रयत्न कर रहे है वह यह है कि वे बिल की छोटी मोटी बातों में थोड़ी बहुत रद्दोबदल करावेंगे लेकिन उसके तत्त्व में कुछ भी परिवर्तन न करावेंगे। उनका तत्त्व यह है कि वहाँ के रहनेवाले भारतीयों को १९१४ के समझौते के अनुसार जो हक प्राप्त थे उन्हें कम करना है। उस बड़े युद्ध के बाद उस समझौते का मूल आधार अधिक अंशुओं का बढाना न था लेकिन सदा के लिए भारतवासियों का वहाँ आना अर्थात्तः हो जाने पर वहाँ रहने वालों की स्थिति और अधिकार में धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से घुघार करना था। वह भय केवल १९१४ में ही नहीं लेकिन नेटाल ने बाहर से अपने देशमें आनेवालों के लिए अपना कानून किया और केपने उसका अनुसरण किया तब दूर हो गया था। ट्रान्सवाल में तो भारतीयों की संख्या कभी भी अधिक न थी। आरिज प्री स्टेट में भी भारतीयों की बस्ती कुछ नहीं थी। लेकिन लोकप्रिय सरकार के जमाने में जब लोगों के दिल उत्तेजित हो उठते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से अवश्य सन्तुष्ट करना पड़ता है। दक्षिण आफ्रिका के सभी राज्यनीतिज्ञों ने लोगों के दिलों को उत्तेजित किया था और इस प्रश्न का अध्ययन किये बिना ही वे स्वयं भी उस उत्तेजना में मागे लेते थे। सरकार ने जब बाहर से आनेवालों पर अकुषा रखने के लिए एक बड़ा सख्त कानून बना कर उनके इस भय को दूर कर दिया है तो अब भारतीयों को यह आशा रखने का पूरा हक है कि जैसा समय बीतता जायगा उनकी स्थिति भी सुधरती जायगी। लेकिन स्पष्ट बात तो यह है कि यह नहीं हुआ है और १९१४ से आज तक का इतिहास यही बताता है कि भारतीयों के अधिकारों पर बराबर एक से एक इस प्रकार अनेक आक्रमण किये जा रहे हैं। यदि कार्ड रीडिंग अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ उस बिल के विचार को ही मुलनी नहीं रखना चाहिए लेकिन उन्हें फिर १९१४ की स्थिति प्राप्त हो — यद्यपि वह स्थिति भी बुरी है — यही आग्रह रखना चाहिए। जब समझौते के प्रयत्नों का परिणाम माध्यम हो तब यह न कहा जाना चाहिए कि कार्ड रीडिंग ने ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं किया है जो उन प्रवासी भारतीयों की दृष्टि में तात्विक लाभ गिना जा सके।

( सं० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

### बडोदादा

गांधीजी को तार मिला कि ता. १९ की सुबह 'बडोदादा' जो शांतिनिकेतन के पितामह के समान वे चिरंतन शांति में लीन हो गये हैं। तार पढ़ते ही छ सात महीने पहिले जिस आचीन ऋषि के दर्शन किये थे उनकी मूर्ति नगर के आगे लकी हो गई। 'आनन्दम् ब्रह्मणो विद्मान विद्येति कदाचन' (ब्रह्म के आनन्द को जाननेवाला कभी भय को प्राप्त नहीं होता। इस महावाक्य का बारंबार उच्चार करती हुई वह मूर्ति उपस्थित हुई और इस महावाक्य की प्रतिस्वनि काम पर पड़ने लगी। क्या उस दिन का उनका उल्लास, कैसा उस दिन का उनका बालोचित आनन्द! गांधीजी विदा लेते लेते उनके पैरों पड़े। उस समय उन्होंने कहा था 'आपका आगमन जीवन की सुखी मरुभूमि में अलविन्द के समान है। इस दिन की रात में मेरी भवाटपी की रात्रा मुझे मुश्किल न माध्यम हो तो अच्छा हो।' इन बचनों में केवल गांधीजी के वियोग का दुःख न था। इनमें तो अकल्प-द्वियोग का दुःख था। भगवद्भक्ति तो इन्होंने अपने लंबे आयुष्य में खर की थी। भगवान का कीर्तन भी केलों और प्रबचनों के द्वारा बहुत कुछ किया था। परंतु वह सब वियोगमयी थी। परंतु उस दिन तो 'बडोदादा' संयोगमयिक के लिए तडपते थे। अब कबतक वियोग रहेगा? विदा लेते लेते गांधीजी बोले, 'आप जिसका दर्शन चाहते हैं उसका अबतक दर्शन न हो काय तबतक इस देह को टिका रखना।' इन्होंने उत्तर में कहा 'हां और ईश्वर की भी कंसी कृपा। उस देह की जब वियोगमयिक के लिए भी जरूरत न रही, वह पके हुये फल की तरह गिर पड़ी। 'जरूरत न रही,' यह इसलिए कहता हूँ कि जिस वस्तु के लिये 'बडोदादा' तरफ रहे थे, वह उनको प्राप्त हो चुकी थी। पिछले दिसंबर की १५ तारीख को हम वर्षा थे, उस समय गांधीजी को एक छोटा सा पत्र मिला। उसमें वे लिखा हुआ था, 'ईश्वर की कृपा है कि आपकी प्रार्थना कर्मा है। जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ भी प्राप्त्य नहीं रहता, वह मुझे प्राप्त हो गया है।' इस प्रकार वे

यं लक्ष्णा चापरं कामं मन्यते नाधिकं ततः ॥

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचास्यते ॥

इसमें वर्णन की हुई स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। और महीने भर के बाद ही तो इन्होंने देह को सर्व की कंचुली की तरह त्याग दिया।

× × × ×  
इस महर्षि के दर्शन के लिए शांतिनिकेतन में साझभर में एकादश बार भी आना प्राप्त हो, तो यह भी एक लाभ ही था। उनके पास जा कर बैठें, उनके चरणस्पर्श करें, चाहे वे कुछ बोलते न हों, फिर भी केवल उनकी मौनधारी छात सुझा की भी देखते रहें, तो भी यही प्रतीत होना कि मानों उसमें से स्नेह और करुणा ही फूट रही है। उनसे परिचय प्राप्त करने की तो जरूरत ही क्या थी? यदि इन्होंने यह सुना कि आप किसी ही प्रकार से देश की छोटी मोटी सेवा करते हैं, तो उनकी आपके ऊपर सदा ही अभीष्ट रहेगी। और वास्तव की तरह वे आपके साथ बातें ही किया करेंगे। ८८ वर्ष की उमर में भी उनकी स्थिति बहुत मंद न हो पायी थी। बाद बात में पाश्चात्य तत्त्वज्ञान के अपने जगाध ज्ञान-मण्डार में से कुछ बचन सुनाएँ, उमदा अपने तत्त्वज्ञान के साथ मुकाबला करते, और अपने कथन के समर्थन में संकराचार्य के लिये वाक्यों को उद्धृत करते थे। उनका अपने शब्दों का अध्ययन जितना गहरा था, उतना ही

अन्ध शास्त्रों का भी था। इसी सिद्धान्तों के बारे में भी मैंने उन्हें ऐसे ज्ञान के साथ बात करते हुए सुना है कि विद्वान इसी भी वैसे सुन कर कजित होते थे। 'तत्त्वबोधिनी,' 'भारती,' तथा दूसरे मासिक उनके तत्त्वशास्त्र के लेखों से भरे पड़े हैं। परन्तु उनकी अभ्यवहन इतना गहरा होते हुए, और टागोर कुटुम्ब को सहज-प्राप्त ऐसे पाश्चात्य संस्कारवादी अनेक व्यक्तियों के संघर्ष में होते हुए भी आर्य संस्कृति और भारतवर्ष के प्रति उनका प्रेम सदा अबाधित रहा। कबिबर का संस्कृत और विशेष कर उपनिषदों के प्रति जो प्रेम है उसके लिए वे कितने महर्षि के शिष्य हैं उतने ही 'बड़ोदादा' के भी हैं। उनके जो निबन्ध व काव्य और पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, उनमें आर्य संस्कृति का उनका अभ्यवहन व अनुकरण और देशोद्धार की तीव्र आकांक्षा जहाँ तहाँ प्रगट होती है। वे अपने को धन्य माने जिन्हें ऐसे ऋषि के आशीर्वाद प्राप्त हों कि जिन्होंने अपने देश का करीब करीब एक शताब्दि का इतिहास देखा था, अपने पूर्व जीवन में अनेक सुधारक प्रवृत्तियों में हाथ बटाया था और पश्चिम के प्रवाह के सामने अपना दिमाग कर्तुर में रक्खा था।

× × × ×

गांधीजी का और उनका संबंध बहुत पुराना नहीं था। हाँ, दक्षिण आफ्रिका से जब गांधीजी लौटे थे तब सायद उन्होंने 'बड़ोदादा' के साथ कुछ थोड़ा समय बिताया होगा। लेकिन असहयोग के बाद उनका यह संबंध अधिक गहरा होता गया। गांधीजी ने उस घौके पर जब कभी कोई नयी बात की कि तब उनकी तरफ से आशिर्वाद और प्रोत्साहन का पत्र अवश्य ही जाता था। जब से शान्तिनिकेतन की स्थापना हुई है तब से वे सार्वजनिक जीवन से निवृत्त हो कर शान्तिनिकेतन के बालकों को थोड़ा-बहुत पढाते रहते हैं। 'भीतापाठ' पुस्तक, इन बालकों को सुनाये गये ग्रन्थों का ही संग्रह है। परन्तु फिर भी उनको देशीयता का विचार तो रहता ही था। वे बार बार नही कहा करते थे कि 'मैं एक ऐसे नेता के लिए तबका करता था कि जो देश को सच्चा मार्ग दिखावे और ईश्वर ने गांधी को और उनके कार्य को देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त कराया है। वे ८० वर्ष के हुए थे फिर भी अकसर निवृत्त पड़ते पड़ते थे और अपने विचारों का विनिमय करते थे। अपने पास आनेवाले युवानों को प्रोत्साहन देते थे और बहुत उत्साह में आ आते थे तो गांधीजी को पत्र लिखते थे: 'मेरे हाथ बलते होते तो कैसा अच्छा होता। मैं खुद बरखा बला कर आप के कार्य में मदद करता, आज तो विचार ही से मदद कर सकता हूँ'। गांधीजी को उन्होंने अनेक बार यह कहा था। गांधीजी तो उनके घरों में जा कर बैठे थे उनको गुरु के स्थान पर पूज्य मान कर ही उनके पास बैठे। लेकिन उन्होंने तो शिष्य को ही गुरु मानने की वृत्ति दिखाई थी।

× × × ×

कैसा उनका प्रेम और कैसी उनकी मजता! गांधीजी के बारे में अनुचित टीकाएँ सुन कर आगबबूला हो उठते थे, और कभी कभी तो उचित टीका सुन कर भी वे उत्तेजित हो उठते थे। उन्हें गांधीजी के प्रवृत्ति के लिए ऐसा ही तीव्र पक्षपात था। 'मैं तो शास्त्रद्वारा बोल कर ही बताता हूँ आप उसका आचरण कर रहे हैं' उसल साथ से यह कह कर गांधीजी को उन्होंने आशिर्वादी मुन्नाकाश में कितनी ही बार सरमाये थे। इतना ही नहीं उन्हें तो गांधीजी की सेवा का सबसे आशिरी कोटि का वैशिक भी आश्रय था। ऐसी विरल देशभक्ति से रगे हुए इस हृदय के

आशिर्वातनों ने गांधीजी के आशावाद को विरजायत रखने में कम हिस्सा नहीं दिया होगा।

× × × ×

और वह प्रेम सबल कारणों के ऊपर बंधा हुआ था। असहयोग पर पूरा विचार कर के उन्होंने उसे हिन्दुस्तान की जनता को मिला हुआ एक अनीय धर्मशास्त्र माना था और ईश्वर ने उन्हें खुद जैसी सेवा करने की कामना भी वैसी सेवा करने के लिए निमित्त बने हुए दूसरे लोगों को उत्पन्न किये थे यह देख कर उनका उदार हृदय प्रेम से भर आता था। १९११ में अपने मित्रों को लिखे हुए उनके कुछ संगीत पत्र मेरे पास हैं। एक पत्र में भी हुई असहयोग की समालोचना हृदयस्पर्शी है:—

"मोगशास्त्र में लिखा है कि सुखी मनुष्य को देखकर मेत्री-भाव धारण करने से विषय की ईर्ष्या कपी मलीनता उठ जाती है दुःखी जन को देखकर कारुण्यभाव धारण करने से चित्त का दूसरों का अपकार करने की वृत्ति कपी मूल भुक्त जाता है। पुण्यशील जन के प्रति अनुमोदनभाव धारण करने से चित्त का असुखा कपी मूल भुक्त जाता है। इसके बाद यह मन्त्र दिया हुआ है: 'अपुण्यशीलेषु य औदासीन्यमेव भावयेत्, नानुमोदनम् न वा त्रेपम्' अर्थात् अधर्मवरायण व्यक्ति के प्रति — खास करके ब्रिटिश राजपुरुष जैसे दिनदोपहर को पाक अनेवालों के प्रति — औदासीन्यभाव (असहयोगभाव) रक्खना यही कर्तव्य है — अनुमोदन का भाव ही नहीं और द्वेष का भाव भी नहीं। इतने में मेरा सारा कथन आ जाता है।" दूसरे एक पत्र में लिखते हैं:—

"हमलोगों ने धीरे धीरे इस राज्य के राजनीतिज्ञों से विषमिधित दान के कर अपना कर्ज अनहद बढ़ा लिया है। इस हालत में नया करज करना बन्द करके पुराना चुकाने के लिए अभी हमलोगों के पास जो रहेसँदे साधन मौजूद हैं उनका जीर्णोद्धार करनेवाले को क्या आप रोकेंगे और कहेंगे कि 'नहीं नहीं दान लिए आओ'! यी खाना लामदायी है, यी न खाना सूख जाने के बराबर है — अर्थात् 'ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्' (करज करके भी यी पीना चाहिए)।

मैं तो सब बाणों की एक बात यह समझता हूँ कि अंग्रेज राजनीतिज्ञों के साथ सहयोग करना ऐसा ही है जैसा बगुले का बिल्ली के साथ बैठ बाली में भोजन करना। हम सब जानते हैं कि गांधी काम, क्रोध, मद, मत्सर के कीचड़ में से निकल कर बहुत ही ऊँचे उठे हुए हैं और वे वहीं से अपना काम करते हैं। गांधी में रजोन्मत्तता जैसी कोई वस्तु नहीं है। वह अहिंसा का एकान्तिक सेवक है। वे ऐसे नहीं कि जोश में आ कर कोई प्रवृत्ति कर बैठे।

जिसे सब लोग पसंद करते हैं वैसे कामों को करने में भी वे जंश आ नशे में आ कर कुल न करेंगे। इसलिए इसीमें श्रेय है कि उनके मुक्त, विशुद्ध, साधुजनोचित सरकार्य में सर्वान्तः-करणपूर्वक शामिल हों। मेरा तो भ्रुव विश्वास है कि गांधी के जैसा विशुद्ध सोना इस घोर कलिकाठ में मिलना दुर्लभ है। इस सोने का व्यापार क्यों न कर लें?"

अपने प्रीतिभाजन, अपने पाष बैठनेवालों, और उनसे सलाह देनेवालों को इस प्रकार अपना अन्तर मधन करके उसका मधनीत देनेवाले इस महत्त्वा के विचारों से जना कि ऊपर कहा गया है असहयोग को कुछ कम पुष्टि नहीं मिली है।

देश सम्मार्ग पर चला है। गिरता पड़ता भी वह अब उसीसे चला जायगा, उसे छोड़ना नहीं। यह विश्वास ही उनके लिए

काकी था। वे स्वराज्य लेने के लिए अधीर न थे। उनके लिए तो देश को एक कदम आगे बढ़ा हुआ, अर्थात् सन्मार्ग पर जाता हुआ देखना ही बस था।

x                      x                      x                      x

इस विरल पुष्प के देशहित विषयक विचार तो देखें। जिस असहयोग का मूल गांधीजी के गीताभ्यास में है उस गीता के प्रति 'बडोदादा' के अनुराग के भी एक दो उदाहरण देकर उनके इस पुष्पस्मरण की समाप्ति करेंगे।

“गीता हमारे मन्दिर का बिना तेल अलगा अखंड दीपक है। पश्चिम का सारा तत्त्वज्ञान इकट्ठा होकर चाहे जितना प्रकाश क्यों न फैलावे हमारे इस छोटे से दीपक की अखंड व्योमिति उसे मद कर देगी, उसका प्रकाश उससे कहीं अधिक है। इस दीपक से जो एक सूक्ष्मवायु निकलती है उससे हमारे देश की वायु पवित्र होती है और उस वायु से प्रेरित भेष से सांतिजल की बूदबूद टपक कर हमारे त्रितापद्म हृदय को ठंडा करती है — वह जल मृतजीवनी-बुधा के समान है। हमारा शरीर बरक कर जब हार बैठता है, किसी काम में चित्त नहीं लगता उस समय एक अमृतबिन्दु भी हमें स्फूर्ति देती है —

‘उद्धरेदात्मनात्मानं, नत्नानमवसाद्येत् ।’

साधन और साध्य के सम्बन्ध में वे लिखते हैं:—

‘पृथ्वी को कितने ही युगों की तपस्या के बाद आत्मा की प्राप्ति हुई है। पृथ्वी के अन्तर्गत में आत्मा प्रकाश है, मरु भूमिका भदनवन है। आत्मा को प्राप्त करने पर पृथ्वी की भी-शोभा बढ़क गई है। सागर सहित पृथ्वी का समस्त धन एक तरफ रक्खा जाय और दूसरी तरफ आत्मा को रक्खा जाय तो उस धन की कोई कीमत न होगी। यदि इतना ही होता कि आत्मा 'है' तो उसे जानने की कोई भी परवा न करता। परंतु आत्मा तो 'अस्तित्व' 'भाति' 'प्रिय' इन तीन अर्थोंके रत्नों का बना हुआ है। 'अस्तित्व' में आत्मा की ध्रुव प्रतिष्ठा, 'भाति' में आत्मा का प्रकाश और 'प्रिय' में आत्मा का प्रेमासूत है। कूर्णों में कीचड़ हो जाने पर जब उसका जल मैला हो जाता है तब कूर्णों को जिस प्रकार उल्टेकर साफ करना पड़ता है उसीप्रकार विवेक वैराग्य और संयम के द्वारा आत्मा को भी शुद्ध रखना पड़ता है। वैसा न किया जाय तो साधक आत्मा का उपभोग नहीं कर सकता। संस्कृत भाषा में जैसे व्याकरण, अलंकार, काव्य, साहित्य सब आ जाता है, उसी तरह समग्र आत्मा में ज्ञान, वीर्य, प्रेम, आनंद सब आ जाता है। यह सहज ही समझ में आ सकता है: परन्तु साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति जानने के लिये सब से पहले संस्कृत भाषा का व्याकरण जानने की जरूरत होती है — धारक, विभक्ति, सर्वनाम, उपसर्ग आदि संस्कृत भाषा के विभिन्न अंगप्रत्यंगों का अच्छी तरह अध्ययन करना पड़ता है। इसके बाद इन सब अंगप्रत्यंगों का ज्ञान एकत्रित करके व्याकरण के ज्ञान का भाषा के व्यवहार के लिए जिस तरह उपयोग किया जा सकता यह तो हाथ में कलम लेकर सीख सकते हैं। यह न किया जाय तो संस्कृत काव्य साहित्य का रस लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। विद्यार्थी आचार्य को कहे कि एक तो व्याकरण पठने में ही कुछ मजा नहीं आता है और फिर इन्हें को इन्हें करके उनके वाक्य बनाना बड़ी निहनता का काम है इसे तो आकृतक नजर ही क्यों न पड़े? जिस प्रकार यह उसरी दुरा-काशा समझी जायगी उसी प्रकार साधक भी यदि आत्मिक की-तक न जानें तो वे समझमादि साधन अतिशय कठिन हैं,

इन सब में मेरा मन नहीं लगता — आध्यात्मिक प्रेम-आनंद फौरन ही मिल जाय ऐसा कुछ सदुपदेश दीजिए, — तो यह उससे भी बढकर दुराकाशा है। पातजल के योगशास्त्र में पांच सीढियाँ बताई गई हैं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। गीता में भी उपदेश में पहली वस्तु श्रद्धा है — आत्मा के ध्रुव अस्तित्व के प्रति विश्वास। दूसरी सीढ़ी वीर्य अर्थात् शमदमादि साधनों में और अनासक्त रहकर अबाधित रूप से कर्तव्य में लगे रहना, स्मृति — आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव, समाधि यानि एकाग्रता और प्रज्ञा अर्थात् ज्ञान। .. ... ये पांच सीढियाँ जब पूरी हो जाती हैं तब आनंद का फवारा साधक के मगज में फूटता है।”

‘बडोदादा’ की उत्तरावस्था का बहुत सा समय इन साधनों के करने ही में जाता था। चार पांच वर्ष पहले तो कुछ कुछ लिखने का काम भी करते थे। ८५ वर्ष की उम्र में तो इन्होंने बंगाली शार्टटैड (छथुलिपि) की एक अपनी ही नयी तर्ज निकाली थी। और उसके लिए वे पुनर्नाये अपने मोती के दाने से अक्षरों में लिखते थे। जब आँखों से देखना बंद हुआ और लिखना बंद करना पड़ा तब भी उपनिषद् आदि पढ़ाना जारी रक्खा था। अपने मनोरंजन के लिए कागज काट काट कर तरह तरह की संकेत बनाते और बालों को देते। छोटे छोटे काव्य बनाने — कोई उनकी गोंद में हमेदा खेलनेवाली गिलहरी पर, तो कोई रजिबाबू या बैसे ही 'कोई' प्यारे चिरंजीवी के जन्मदिन पर। आखिर को यह प्रवृत्ति भी कम की। भगवद् वियोगदुःख उन्हें चुभने लगा और भगवत्कृपासे अंतकाल में वे जिसके लिए तैयार थे वही उन्हें मिल गया।

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देसाई

## लडाई कैसे सुलगी ?

एक दूसरे का भय

इस अध्याय में लडाई के सुलगने में जो पांचवा कारण है उस पर विवेचन किया गया है, वह कारण एक दूसरे का भय है।

विदेश सम्बन्धी कामकाज करनेवाले सचिवों ने और युद्ध मन्त्रियों ने कितनी ही सदियाँ हुई अपनी नीति का अनुमोदन कराने के लिए राष्ट्रों के डर की वृत्ति को उत्तेजना दी है। समस्त यूरोप ही जब एक सशस्त्र छावनी बन गया हो और एक सो साल में ही जहाँ बड़ी बड़ी ८० लडाइयाँ हुई हो वहाँ जनता की भय की वृत्ति को बड़ी आसानी से उत्तेजित किया जा सकता है। जर्मनों के युद्धवादियों के केलों ने और कैसर और उसके सेनापतियों के युद्धप्रकाप ने फ्रांस, रशिया और इंग्लैण्ड को भय से कंपा दिया था। इसके लिए तो कोई सुदृढ़ क' जरूरत नहीं है। यह कंपकंपी सच्ची थी इसके सम्बन्ध में भी दो मत नहीं हो सकते हैं।

केकिन अधिकांश में इस बात पर शक नहीं किया जाता है कि जर्मन राष्ट्र और बहुतसे जर्मन-नेता भी भयभीत रहते थे। लडाई के पहले इस बात का फई मरतबा स्वीकार किया गया है और अभी प्रकाशित हुए मित्रगणों के नेताओं के व्याख्यानों में और पुस्तकों में भी यही दिखाया गया है १९०८ के जो लडाई महीने की २८ वीं तारीख को फवीन्स हाक में व्याख्यात करते हुए मि. लाइड जार्ज ने कहा था: 'जर्मनी की स्थिति देखो। हमकोयों के लिए जैसा हमारा अलसैन्य है वैसा ही उनके लिए उनका अलसैन्य है। आक्रमण होने पर अपने बचाव के लिए उनके पास वही एक साधन है। जर्मनी के पास इतना बड़ा दरार नहीं है कि वह दो शक्तियों के सामने

कह सकें। उसके पास फ्रान्स, रशिया, इटली और आस्ट्रिया से अधिक बलवान सैन्य भले ही हो लेकिन वह दो महाशक्तियों के बीच में पड़ा हुआ है। ये दोनों महाशक्तियाँ एकजिंत हो कर उसके सैन्य से भी बहुत अधिक लड़कर जर्मनी में उतर सकती हैं। आप यह पूछते हैं कि संधि और समझौते के सम्बन्ध में जब वर्तमानपत्रों में कितनी ही विचित्र बातें प्रकाशित होती हैं तब जर्मनी क्यों भटक उठता है — लेकिन उरा समय मैंने जो यह बात कही है उसे याद रखना चाहिए ... .. देखो जर्मनी यूरोप के मध्य में, दोनों तरफ फ्रांस और रशिया से — जिनका दोनों का एकजिंत लड़कर उसके लड़कर से बहुत बड़ा है — घिरा हुआ पड़ा है। यदि हमलोगों पर कोई दो राष्ट्र मिल कर आक्रमण करे — जर्मनी और फ्रान्स अथवा जर्मनी और आस्ट्रिया के दोनों का मिल कर इतना बड़ा जहाजी वेका हो कि वह हमलोगों से अधिक बलवान हो तो हमारी क्या दशा होगी? क्या हमलोग भी न डर जायेंगे? हम क्या अपनी शक्तसमृद्धि न बढ़ायेंगे? अवश्य ही बढ़ायेंगे। हमलोगों के सम्बन्ध में नियत करार हैं इसलिए जर्मनी घबड़ाया है, यह जो मानते हैं उन मित्रों को मैं यह कहता हूँ कि जिस परिस्थिति में जर्मनी घबड़ाया है उस परिस्थिति में यह याद रखना चाहिए कि हमलोग भी घबड़ा जायेंगे”।

१९०९ के मार्च में लार्ड एशर को लिखे गये एक पत्र में लार्ड फिशर ने लिखा था: “जर्मन लोग मनवाँरे बाँधने में इधर से उधर हो रहे हैं उसका कारण यह नहीं कि वह आप लोगों से लड़ना चाहता है। उन्हें तो शायद कभी कोई पीट या बिस्मार्क जैसे कोपनहेगन की सी लड़ाई जगानेवाला न निकल पड़े इस बात का डरबन डर लगा रहता है और यही उसका कारण है।” और १९११ के सितम्बर में लार्ड फिशर ने लिखा था: “मुझे विचित्र तीर से (लेकिन बिल्कुल निश्चित) समायार मिले हैं कि जर्मन ब्रिटिश अल्बेन के कारण काँप रहे हैं।”

अन्धन टाइम्स के संवाददाता कर्नेल रेविंगटन ने १९२१ में लिखा था “जर्मन युद्धशास्त्रीदल दो तरफ लड़ना पड़ेगा इस डर से दब रहे हैं और १९०१ में रशिया जिस सेजी से अपना लड़कर बढ़ा रहा है उसे डर कर उनका डर जल्दी पूरा न हो सकेगा।”

१९११ में किये गये अपने एक भाषण में वाइसराय — ब्रिटन के एक सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ — ने कहा था: बहुत मरतबा तो लड़ाई होती होती किसी प्रकार रुक गई थी लेकिन उससे छुदी छुदी सरकारें और लड़ायक राष्ट्र प्रतिबन्ध अधिक शान्तिशील रहने के बदले कम शान्तिशील रहते थे क्योंकि शान्ति की किसी को भी इच्छा न थी। हालाँकि यह थी कि जरा सी विनगारी पड़ जाने पर सारा दाइगोला एकदम भटक उठ सकता था। उसमें फिर भय और घामिल हुआ। रशिया और जर्मनी एक दूसरे से डरते। दोनों को यह डर लगा हुआ था कि शायद उसपर दूसरा राष्ट्र आक्रमण करे तो! जर्मनों के कूरियों का हमें इस दृष्टि से विचार करना चाहिए। उन्हें यह सच्चा भय लगा हुआ था कि रशिया किस समय क्या कर देगा और उन्होंने यह हथकौट किया था कि रशिया की तरफ से भी आक्रमण का होना निश्चित ही है वह आक्रमण हो उसके पहले उसपर आक्रमण किया जाय वही युद्धमार्गों का काम है। १९२० में लार्ड हेल्डन ने लिखा था: “जर्मनी और आस्ट्रिया को रशिया का डर लगा हुआ था यह सततता हमारे लिए कठिन है और

इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि आस्ट्रिया को सर्बिया निर्भय रहने दे ऐसा पड़ीसी न था।

बर्लिन के पुराने अमेरिकन प्रतिनिधि मि. गिराई ने लिखा है: “बाहर के लोगों को जर्मन लोगों का युद्धप्रिय और जोशीले होना मालूम होता है। लेकिन सच बात तो यह है कि जर्मनों में एक बहुत बड़ी संख्या ने लड़ाई के लिए बड़ी भारी तैयारी करने में जो बड़ा त्यागभाव दिखाया है उसका कारण उनका डर था।

## हाथकती कथा

(मतांक से आगे)

“यह क्या? यहाँ बुनाई में तार बिगने कम हैं? यह क्या मच्छरवाणी बनाई है या धोती? इसके दाम न मिलेंगे। इसे तुम्हीं वापस ले जाओ”।

“अरे दादा रे दादा, इसे मैं क्या करूँगा?”

“मुझदायम, इसे कह दो कि हमलोगों को ऐसा माल नहीं चाहिए। इसे कहो कि यह उसे अपने घर ले जाय या बाजार में बेच दे या चाहे जो करे। अब मैं दूसरों के ताके देखता हूँ। इसी अकेले पर इतना समय कैसे दे सकता हूँ? बुननेवाला बेचारा गमका गया वह स्तब्ध हो कर खड़ा रहा। यह समझ गया कि इस समय पार्थसारथी सचमुच ही गुस्से हुआ है। पहले पार्थसारथी किना भी गुस्सा क्यों न करता उसकी सख्ती और धमकियों से उन गरीब बुननेवालों को कभी कोई भय न लगता था। ऊपर ऊपर से कितनी सख्ती क्यों न दिखावे लेकिन नेत्रों में जो दया हो तो वह कहीं छिप सकती है? लेकिन आज तो पार्थसारथी सचमुच ही बिठा हुआ था।

यहाँ किस लिए खड़ा है? यह कुछ न होगा। बड़ा करारा कपडा है। यहाँ से चले जाओ” पार्थसारथी ने वह ताका फेंक दिया और इस प्रकार गर्जना कर के दूसरे आदमियों का माक देखना शुरू किया।

“लेकिन साहब” बुननेवाला बोलने आता था।

“नहीं, नहीं, कुछ नहीं”। पार्थसारथी ने उसे बिना रोक दिया।

वह बुननेवाला बोला “इस सप्ताह में मेरा लडका मर गया।” पार्थसारथी कुछ लज्जित हुआ और ऊँचे देखा। उस बुननेवाले ने अपनी कथा और आगे कहना शुरू किया, “और साहब, उसकी माँ भी बीमार है। ईश्वर जन्मे उसका क्या होगा। घर में किसी भी बात का ठिकाना नहीं है। ऐसी हालत में काम में मन ही कैसे लग सकता है? मैं तो करपे को एक ओर ही पडे रहने देता लेकिन चूल्हे पर हाँडी तो चढ़नी ही चाहिए न? बस इसीलिए उसे चलाया लेकिन अब हाथ से काम कर रहा था उस समय मिल तो दूसरी ही तरफ था। भाई इतनी बार जाने दो, इसके पहिले क्या मैंने आप को नाराज किया है?”

इस समय जरा शान्त हो कर पार्थसारथी ने कहा “क्या यह कोई कारण कहा जा सकता है? मैं ऐसे कपडे को ले कर क्या करूँ? क्या भाइकों से मैं यह कहूँ कि बुननेवाले का लडका मर गया था।”

“भाई साहब, इस मरतबा तो जाने दो।”

“नहीं, वह ताका तो रक्खूंगा ही नहीं; इसे तुम अपने घर ले जाओ” एक मरतबा वह बोल चूका था इसलिए पार्थसारथी अब अपना निधय क्यों कर बदलता?

गरीब बेचारा बुननेवाला रोता हुआ कहने लगा “मेरा सत्यानास हो जायगा। मेरे बालबच्चे इस सप्ताह में भूखों मर



जायेंगे। यह कह कर जमीन पर लम्बा लेट कर पार्थसारथी के पैरों को छू वह माफी मागने और निबन्धिताने लगा।

“सुब्रह्मण्यम, इसे कैसे दो।” लेकिन देखो अर्थात् ऐसे बहाने न चलेगें। तुम्हारा लक्ष्य कितना बड़ा था?

“अरे साहब बिल्कुल जवान था, कोई सत्तरह साल का था। वह गरीब बुजुर्गवाला बोल उठा, कितने ही वर्ष हुए मैं उसे बुजुर्ग का काम सारता था और अब वह वरुण पर बैठने लगा था और इस बुजुर्ग में मेरी मदद करने लायक हुआ था कि परमात्मा ने उसे अपने पाप बुझा दिया।”

बाकी सब ताके चुपचाप देखे गये। पार्थसारथी को उन पर टीका करने की हिम्मत न हुई। अब हम कुछ कर बैठते हैं और उसको फिर सुधार नहीं सकते हैं तो जैसे पछताते और विचार करते हुए बैठे रहते हैं जैसा ही पार्थसारथी का भी हाल था। भोजन के समय भी उनकी वही मृत्ति कायम रही। उनकी माता ने भी कोई सवाल नहीं किया और परीस दिया।

उस रात को उन्हें बहुत ही कम नींद आई। सुबह उठकर उठ कर बिछाने में बैठे बैठे उसने ईश्वर की प्रार्थना की तब कहीं वह स्वस्थ हुआ, दूसरे दिन वह फिर प्रफुल्लित दिखाई देने लगा। उनकी माता और सुब्रह्मण्यम दोनों की चिन्ता खर हुई।

× × × ×

पार्थसारथी ने कहा “इस प्रकार सब एक समान बुनाई की माँग का कोई अर्थ नहीं है, खादी खादी ही है। उससे बुजुर्ग-बालों के सुखदुःखों को कैसे अलग किया जा सकता है? आज बुजुर्गवाला आनन्द में है तो उसके हाथ, पैर और आँखे अच्छी तरह काम करते हैं। लेकिन कल दुःख आ पड़ा। दुःख में भी वह क्या करपा थोड़े ही छोड़ सकता है? वह एक दिन भी उसे छोड़ दे तो दूसरे ही दिन उसे इतर उभर दौटना पड़े। साँचे के करघे में जिस प्रकार आप ही आप काम होता है उस प्रकार कहीं इसमें थोड़े हो सकता है?”

सुब्रह्मण्यम बुनाई के काम में बड़ा होशियार था। उसने पार्थसारथी की इस टीका का अपने ही हँस में अर्थ किया।

“सच बात है, सूत को कितना भी बराबर क्यों न काता जाय, खादी में एक ही बुनाई कैसे आ सकती है? जहाँ बाना पतला होगा वहाँ बुनाई कम मादूम होगी। इसमें हमलोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमेशा बुजुर्गवाला का दोष थोड़े ही होता है? इन मजदूर-बालों को हमें साफ साफ कह देना चाहिए कि चरखे और करघे से उन्हें मिल के कपड़े की आशा न रखनी चाहिए। चरखे चरखे ही और करघे करघे ही हैं।”

“सच है” सुब्रह्मण्यम ने कहा “गांधीजी ने कालियुर में उनके लिए कोई पुतलीघर तो नहीं खड़ा किया है कि पुतलीघर बनवाने के लिए रुपये खर्च किन्ने बिना ही उन्हें पुतलीघर का कपड़ा प्राप्त हो।

बिल्कुल सच है। गांधीजी ने तो गृहउद्योग खड़ा किया है और इस प्रकार उन्होंने हजारों स्त्री-पुरुषों की सेवा की है। फेशन और टेस्ट (रुचि) बालों को दरिद्रता और दुःख में होनेवाली सेवा में ही सौन्दर्य मानना होगा, सुन्दर बुनाई और एक ही बुनाई को उन्हें आशा न रखनी चाहिए।

इस प्रकार खादी के मानसशास्त्र की चर्चा हो रही थी कि एक बुढ़िया जल्दी जल्दी वहाँ आई और पार्थसारथी के पैरों में कुछ पैसे केक कर रोने लगी।

“लेकिन है क्या? पार्थसारथी ने हंसते हंसते पूछा। उसे यह मादूम था कि नहीं जैसी बात के लिए भी इन कातनेवाली स्त्रियों को रोने की आदत है।”

“भाई साहब, ये अपने पैसे आप ले लो। मेरी अंधी की आँख अपनी एकलौती विधवा सज्जको को अभी मिट्टी दे कर आई हँ, अब मुझे भी कर करना ही क्या है?”

“लेकिन है क्या? पार्थसारथी ने पूछा।

“मुझे मरने ही हो। यह लो अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए।”

“मांली मत रोना बन्द कर दे और कह तो रही कि मुझे क्या चाहिए?” पार्थसारथी ने करुणामयी आवाज से कहा।

“भाई साहब, रामकृष्ण कहते हैं कि इस समय मेरा सूत बहुत मोटा है और एकमात्र नहीं है। और यह कह कर उन्होंने मेरा एक आना काट लिया है। इन सब दिनों में क्या मेरा सूत सब से अच्छा नहीं था? मैंने अपनी लकड़ी से भी बार बार यही कहा था कि दूसरों की तरह जैसा आना वैसा सूत न कात कर बहुत ध्यान दे कर बड़ा अच्छा सूत कातना चाहिए। हमारा सूत तो हमेशा चाँदी के तार सा ही रहा है। किसी भी बुजुर्गवाले को जिसको सूत की पहचान है पूछ देखो न? यह कह कर वह रोने लगी और उसके हाथ उसके रोने में लीन हो गये।

सुब्रह्मण्यम ने उसे शान्त करने का प्रयत्न किया और कहा कि अच्छा सूत हो तब अच्छे सूत कताई मिलती है और बुरा सूत हो तो कताई कम मिलती है। सूत एकठा न हो तो बुजुर्गवाला उसे के कर क्या करेगा? कल ही तो बुजुर्गवाले चिन्ता रहे थे।

अब सुढ़याने विस्तार से अपनी कथा कहना शुरू किया “ले लो अपने पैसे ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मेरी निराधार की आधार, अन्धी की लकड़ी—मेरी लकड़ी इस दुःखमय संसार में जैसे जैसे दिन निकालने में मदद करनी थी। यह मेवारी एक दिन के बुझार में परतों भर गई। लेकिन परमात्माने मुझे न बुझा की ओर यह भी न बताया कि बिना खाने के कैसे जी सकते हैं। चाबल का पानी पी कर पेट भरने को रोते रोते और आँसू पोंछते पोंछते मुझे कातना पड़ा ताकि इस सप्ताह का मेरा सूत कम न हो। इस दुःख के कारण सूत कुछ मोटा भी कता होगा। मेरे जैसी गरीब को क्यों घाताते हो? अपनी पकोसन से मैंने कुछ पैसे उधार लिये थे—परमात्मा उमका भला करे—अब मेरी लकड़ी खर रही थी और घर में एक भी पैसा न था तब उसने मदद की थी। उस घाट में अनाज खरीदने में मेरे सब पैसे खर्च हो गये। हो सप्ताह में तो पकोसन का रुपया लौटा देना होगा। और जिस समय मेरी छाती फट रही थी उस समय मैंने काता था और उस सूत के लिए आप एक आना कम देते हो? आनामी सप्ताह में तो आप दो आने कम कर दोगे। मैं फिर पेट कैसे भरूँगी और करजा कैसे सुहाऊँगी? आग लगे ऐसे जीने में। पार्थसारथी ने कहा ‘सुब्रह्मण्यम, सूत के खाले में जाओ और रामकृष्ण को कहो कि इस बुढ़िया को पूरे पैसे दें। इसे कुछ पैसे आने के लिए भी क्यों न दिये जायें? जाओ बुढ़ी माँ जाओ, उन्हें पूरे पैसे दिये जायेंगे, दो ओपते। बुढ़िया ने पैसे उठा लिए और चली गई।

“इस प्रश्न का निबटारा कैसे करें?” पार्थसारथी कुछ पर अपनी माँ के लिए पानी लेने जा रहे थे उस समय उन्होंने जरा खोर से कहा। कुछ पर लडा के कर खली हुई उनकी माता ने उस बुढ़िया की घारी कथा सुनी थी उसने आह भरी “बेवारी बुढ़िया!”

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

बंद ५ ]

[ एक २३

मुद्रक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

महमदाबाद, माघ सुदी ८, संवत् १९८९  
 गुरुवार, २१ जनवरी, १९२६ ई०

मुद्रकस्थान—नवजीवन मुद्रकालय,  
 कारंजपुर सरकीवरा की बाडी

## सत्य के प्रयोग मध्या आत्मकथा

अध्याय ७

दुःखद प्रसंग (२)

मुझपर किया हुआ दिन जो आ पहुंचा। मेरी स्थिति का पूरा पूरा वर्णन करना मुश्किल है। एक ओर पृथार करने का उत्साह और जीवन में बड़े ही मरत्य का परिवर्तन करने की अभीमना थी और दूसरी ओर चोर की तरह छुछुपकर कार्य करने की शर्ष थी। मुझे आज यह स्मरण नहीं है कि इनमें से कौनसी बात उस समय प्रधान थी। इसलोग नदी किनारे एकाम्त हुडने के लिए गये। वृ का कर अहाँ कोई भी तेकनेवाला न ही ऐना एक कोना हुड निकाला और वहाँ मैने जीवन में जो पहले कभी नहीं देखा था वह — मांस देखा। उसके साथ मँठगरे के घर की ककरोटी भी थी। दो में से एक भी चीन अटली न लगती थी। मांस तो बगवे सा माखम होता था। उसे खाना ही अममम माखम होता था। मुझे उठती थी आनैकणी और खाना छोडना पडा।

मुझे उस रात को बडी बेचैनी रही निशा ही न आती थी स्वप्ने में मानो यह माखम होता था कि शरीर में बकरा जिन्दा है और वह दहन करता है। मैं गमडा उठता था, पछताता था और फिर विचार करता था कि मांसाहार तो करना ही होगा, हिम्मत न हारनी चाहिए। मित्र भी हार माननेवाके न थे। अब उन्होंने मांस को जुदे जुदे प्रकार से पकाना, खाना और बाँकना आरम्भ किया और नदी किनारे के जाने के बड़े बकरचोंओं के साथ सहाह कर के छुपे तीर से राज्य के अतिथिगृह में ले जाने की योजना की। वहाँ मुझे कुरसी, मेज इत्यादि साधनों के प्रलोभन में डाल दिया। इसका असर हुआ। रंटा के प्रति जो तिरस्कार था वह अब कम हो गया और बकरे की भी माया छुटी। मांस तो नहीं कह सकता लेकिन मांसवाके पदाओं का मुझे स्वाद लग गया। इस प्रकार एक वर्ष बीता होगा और करीब करीब ५-६ मरतवा मांस खाने को मिला होगा। क्योंकि हमेशा राज्य का अतिथिगृह नहीं मिल सकता था और न हमेशा स्वादिष्ट मिने खानेवाके भोजन भी तैयार हो सकते थे। और ऐसे खाने तैयार करने में रुपयों की भी आवश्यकता होती है।

मेरे पास तो कानी बीडी भी न थी और इसलिए मैं तो कुछ भी न दे सकता था। इसमें जो कुछ कर्ने होता था वह उची मित्र को जुटाना पडता था। मुझे आज तक इस बात का पता नहीं लगा है कि वे स्वर्ष के लिए रुपये कहाँ से काते थे। उनका इरादा तो मुझे मांस की चाट लगा देना था, मुझे भ्रष्ट करना था इसलिए वे खर्च करने थे। लेकिन उनके पास भी कोई बडा खजाना तो था ही नहीं। इसलिए ऐसे खाने कबचित ही प्राप्त हो सकते थे।

जब कभी ऐसा खाना खाने को मिलता तब घर पर भोजन नहीं हो सकता था। माता जब भोजन करने के लिए पुनाती उस समय, 'भूख नहीं है, खाना इतम नहीं हुआ है' इत्यादि बहाने बनाने पडते थे। इस प्रकार बहाने बनाने में मुझे बडा आचात होता था। यह शूट, और वह भी सता के समझ। और यदि माता-पिता को यह पता चड जाय कि हमारे कडके मांसाहारी बने हैं तो उनपर तो बिबली ही कडक कर गिरती। ऐसे खालों से मेरे हृदय को बडा पीडा पहुंचती थी। इसलिए मैने निश्चय किया कि मांस खाना आवश्यक है; उसका प्रचार कर के हिन्दुस्तान को सुधारेंगे लेकिन माता-पिता को छाना और शूट बोकना तो मांस न खाने से भी अधिक दुरा है। इसलिए माता-पिता की जीवितावस्था में मांस न खाना चाहिए। उनकी मृत्यु के बाद बाहिरा तीर पर मांस खाना चाहिए और जबतक वह समय न आवे तबतक मांसाहार का त्याग करना चाहिए। मैने उन मित्र को अपना यह निश्चय हुना दिया और तब से मांसाहार जो छूटा तो छूटा। माता-पिता को कभी भी यह खबर न हुई कि उनके दो पुत्र मांसाहार कर चुके थे।

माता-पिता को न ठगने के छुम ख्याल से मैने मांसाहार का त्याग किया लेकिन उच्च मित्र की मित्रता को न छोडा। मैने सुधारने के लिए उसकी मित्रता की थी लेकिन मैं स्वयं ही भ्रष्ट हुना और उचका मुझे ज्ञान तक न रहा।

उन्हीं की मित्रता के कारण मैं व्यविचार में भी प्रवृत्त होता था। एक मरतवा वे मित्र मुझे वेदवाणों के महोत्से में ले गये। वहाँ मुझे उन्होंने एक वेदवा के मकान में योग्य सूचनायें दे कर मेजा। मुझे उसे कुछ रुपये पैसे तो देने ही न थे, सब हिसाब हो चुका था। मुझे तो केवल उसके साथ बातचीत ही करनी थी।

मैं उस मकान में रात तो हुआ; लेकिन जिसे ईश्वर बचाया चाहता है वह ब्रह्म होना चाहे तो भी पवित्र रह सकता है। इस कमरे में मुझे सब जगह अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। मुझे बोकने तक का होश न रहा। लम्बा का मारा स्तब्ध हो कर उसके पास खाट पर बैठ गया लेकिन कुछ भी बोल न सका। वह बड़ी गुस्से हुई और उसने मुझे दो चार गुना कर दरवाजा ही दिखा दिया। उस समय तो मुझे ऐसा मालूम हुआ था कि मेरी मर्दावगी को दाग लग गया है और इसलिए मैंने यह चाहा भी कि यदि पृथ्वी मार्ग दे तो उसमें समा जाऊँ। लेकिन इस तरह बच जाने के लिए मैंने सदा ईश्वर का उपकार मागा है। मेरे जीवन में ऐसे ही दूसरे दो चार प्रसंग और भी आये थे और उनका मुझे स्मरण है। उनमें से बहुत से प्रसंगों पर तो यही कहा जायगा कि मैं अपनी तरफ से किसी भी प्रकार के प्रयत्न के बिना ही संयोगवशा बच गया था। मैंने तो विषय की इच्छा की थी इसलिए मैं तो उसे कर ही चुका था। लेकिन इच्छा करने पर भी जो प्रत्यक्ष कर्म से बच जाता है उसे हम लौकिक दृष्टि से बचा हुआ कहते हैं और मैं इन प्रसंगों में इसी प्रकार उतने ही अंशों में बचा हुआ मिला था सकता हूँ। और कुछ कार्य तो ऐसे हैं कि जिनको करने से मनुष्य बच जाय तो वह उसे और उसके सहवास में आनेवालों को बड़ा लाभदायी सिद्ध होता है और जब विचार की शुद्धि होती है वह उस कार्य से बच जाने के लिए ईश्वर का उपकार मानता है। यह अनुभव की बात है कि मनुष्य की अच:पात की इच्छा न होने पर भी उसका अच:पात होता है, उसी प्रकार यह भी अनुभव सिद्ध है कि अच:पात की इच्छा रखनेवाला मनुष्य भी अनेक प्रकार से संयोगवशा बच जाता है। इसमें पुरुषार्थ कहाँ है, देव कहाँ है अथवा किन किन नियमों के बल हो कर मनुष्य का अच:पात या उसकी रक्षा होती है, ये प्रश्न गूढ़ हैं। उसका आजतक निर्णय नहीं हो सका है और उसका आखिरी निर्णय हो सकेगा या नहीं यह कहना भी मुश्किल है।

अब आगे बढ़ें।

मुझे अबतक भी यह ज्ञान न हुआ कि उस मित्र की मित्रता अमिट है। लेकिन ऐसा ज्ञान हो उसके पहले मुझे और भी कुछ कष्ट अनुभव प्राप्त करने थे। उनके दूसरे दोषों का जिक्रका मुझे क्लेश भी न था, जब मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ उस समय ही मुझे यह ज्ञान हो सका था। लेकिन मैं जहाँ तक मन पड़े समयानुसार क्लेश: अपने अनुभवों का वर्णन कर रहा हूँ इसलिए वे अनुभव भी आगे आ कर ही लिखे जायेंगे।

लेकिन एक बात जो इस समय की है, कहनी ही होगी। हम पतिपत्नी में कितना ही अंतरय और द्वेष होता था और उसका कारण यह मित्रता भी था। मैं यह तो ऊपर लिख ही चुका हूँ कि मैं प्रेमी और बहमी पति था। मेरे बहम में श्रद्धा करनेवाली यह मित्रता भी थी क्योंकि उन मित्र के सत्य के सम्बन्ध में मुझे कभी अनिश्चय ही न होता था। इन मित्र की बातें मान कर मैंने मेरी धर्मपत्नी को बहुत दु:ख दिया था और इस हिंसा के लिए मैंने अपने को कभी भी माफ नहीं किया है। ऐसे कष्ट तो हिन्दू जिया ही सहन करती होगी और इसलिए मैंने हमेशा जी को सहनशीलता की मूर्तिका ही माना है। नोकर के ऊपर जब सड़ा सम्बेह होता है उस समय वह नोकरों को देता है, पुत्र के ऊपर जब ऐसी आफत आती है वह बाप का घर छोड़ देता है। मित्रों में अब बहम को स्थान मिलता है तब मित्रता टूट जाती है, पतिव्रत को जब पति के ऊपर सम्बेह होता है तब वह विक मसोस कर

रह जाती है लेकिन यदि पति अपनी पत्नी को सम्बेह की दृष्टि से देखता है तो उस बेचारी की तो आफत हो जानी है। वह कहाँ जायगी? हिन्दू जी तो अदालत में जाकर विवाह की प्रंथी को भी नहीं तुडवा सकती है। उसके लिए ऐसा ही एकपक्षी न्याय है। मैंने ऐसा ही न्याय उसे दिया उसका दु:ख मैं भी नहीं भुला सकता हूँ। इस सम्बेह का तो सर्वथा नाश तभी हो सके जब कि मुझे अहंसा का सूक्ष्म ज्ञान हुआ। मैं महाशय का महिमा समझ सका और यह समझने लगा कि पत्नी पति की दाधी नहीं है लेकिन उसकी सहकारिणी है, सहधर्मिणी है: दोनों एक दूसरे के सुखदु:ख के समान हित्सेदार हैं; और पति को बुरा भला करने की जितनी स्वतंत्रता है उतनी ही स्वतंत्रता जी को भी है। उस समय का जब मुझे स्मरण होता है तब मुझे अपनी मूर्खता और विषयान्ध निर्दयता पर कोष आता है और मित्रता की मेरी मूर्ख के सम्बन्ध में दया आती है।

( नवजीवन )

मोहनदास करमण्डल गांधी

## अस्पृश्यता का बचाव

प्रायश्चोर से एक महाशय लिखते हैं:

“ ब्राह्मण और उनके आचार और रीतिरिवाजों के सम्बन्ध में कुछ गलतफहमी हुई मालूम होती है। आप अहिंसा की प्रवृत्ति करते हैं लेकिन मात्र ब्राह्मणों की ही जाति ऐसी है जो उसे धर्म-कार्य समझ कर उसका पालन करती है। यदि कोई उसका भंग करता है तो हम उसे जाति से बहिष्कृत समझते हैं। जो लोग मांस खाते हैं या दाँस के लिए इत्या करते हैं उनके सहवास में आना ही हमलोगों की दृष्टि में पाप है। कसाई, मच्छीमार, ताड़ी बनानेवाला, मांस खानेवाला, शराब पीनेवाला और बर्मेडीन मनुष्य के नजदीक आने से ही हमारा नैतिक और भौतिक वायुमण्डल भ्रष्ट हो जाता है। तप और धार्मिकता की हानि होती है और पवित्रता का प्रभाव नष्ट हो जाता है।

इसी हलसंग भ्रष्टता मानते हैं और इसलिए हमें स्नान करना पड़ता है। यद्यपि समय और साम्य ने तो कई मरतका पकड़ा लाया है लेकिन ऐसे नियमों के कारण ही तो ब्राह्मण लोग अबतक अपने परंपरागत गुणों की रक्षा कर सके हैं यदि इसप्रकार से संयम को दूर कर दिया जायगा और ब्राह्मणों को दूसरों से स्वतंत्रता पूर्वक मिलने जुटने दिया जायगा तो उनका इतना अच:पतन होगा कि वे हलके से भी हलके आहिंसीन शत्रुओं के समान बन जायेंगे, सुपे तार से वे बहुत कुछ दुराचार करेयें और पवित्र होने का भाग भी करेयें और साथ ही साथ संयम की मर्दाव को दूर करने का भी प्रयत्न करेयें क्योंकि इस मर्दाव के कारण अपने पापों को छिपाने में उन्हें बड़ी कठिनाई मालूम होती है। हम यह तो जानते ही हैं कि आज जो लोग नाम मात्र के ब्राह्मण हैं वे ऐसे ही हैं। और वे लोग अपनी गिरी हुई दशा पर दूसरों को लींष के जाने के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं।

उस स्थान में जहाँ लोगों की आदत और उनके मसोसुरे के क्लेश के अनुसार ( रंग, अधिकार और धन के भेद के अनुसार नहीं जैसा कि पश्चिम में मसोसुरे से किया जा रहा है ) उसका आत्यानुसार वर्गीकरण करके उनके धर्मों को और सामाजिक और पुराधिक्य सुविधाओं को देकर उनकी स्पष्ट मर्दाव वाँच कर उन्हें जुदे केन्द्रों में रहने के लिए स्थान दिया जाय, जैसा कि इसारी मासुभूमि में किया जाता है, तो यह संभव नहीं कि कोई मनुष्य यदि अपनी रहनीकरनी बर्के भी तो वह बहुत दिनों तक छिपा रह सके।





# हिन्दी-नवजीवन

शुक्रवार, माघ सुदी ८, संवत् १९८९

## तीन प्रश्न

एक महाशय ने बड़े ही विनम्र भाव से तीन प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने प्रश्नों के साथ अपने उत्तर भी लिखे हैं लेकिन स्थानाभाव से मैं उन्हें यहाँ नहीं दे रहा हूँ। प्रश्न इस प्रकार हैं, वे उन्हीं के शब्दों में दिये गये हैं।

“(१) वर्णभेद-जन्मजात — आप मानते हैं। किन्तु किसी आदमी को कौनसा भी कर्म करने में हजे नहीं तथा किसी भी आदमी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि द्विजों के गुण आ सकते हैं यह भी आपकी मान्यता है। ऐसी हालत में वर्ण या उपाधि की क्या आवश्यकत है? सिर्फ जन्म से नाम का आरोपण क्यों? जन्म को इतना महत्व क्यों?”

(२) आप अद्वैततत्त्व मानते हैं और यह भी कहते हैं कि सृष्टि अनादि अनन्त तथा सत्य है। अद्वैततत्त्व सृष्टि के अस्तित्व का इन्कार करता है। आप द्वैती भी नहीं, क्यों कि आप जीवात्मा के स्वतंत्र कर्तृत्व पर भ्रमा रखते हैं। इसलिए आपको अनेकतवादी या स्याद्वादी कहना क्यों ठीक नहीं है?

(३) आपने कई बार लिखा है कि ईश्वर के मायने देह-विरहित, भीतरागी, स्वतंत्र और उपाधिरहित शुद्धात्मा है। अर्थात् ईश्वर ने सृष्टि नहीं पैदा की और वह पापपुण्य का निकाल भी नहीं देने बैठता। तो भी आप ईश्वररेच्छा की बात बार बार करते ही रहते हैं। उपाधिरहित ईश्वर को इच्छा कैसे हो सकती है और उसकी इच्छा के अधीन आप कैसे हो सकते हैं? आपकी आत्मा जो कुछ करने चाहती है कर सकती है। यदि एकदम न (कर) सकती हो तो उसी आत्मा का पूर्वसंचित कर्म ही उसका कारण है न कि ईश्वर। आप सत्याग्रही होने के कारण सिर्फ मूढात्माओं को समझाने के लिए यह असत्य बात नहीं कहते होंगे। तो फिर वह ईश्वररेच्छा का देववाद क्यों?”

(१) वर्णभेद को मानने में मैं सृष्टि के नियमों का समर्थन करता हूँ। मातापिता के कुछ गुण-दोषों को हमलोग जन्म से ही प्राप्त करते हैं। मनुष्य योनि में मनुष्य ही पैदा होते हैं और यही अन्मानुसार वर्णों का सूत्रक है। और जन्म से प्राप्त गुण-दोषों में हमलोग अमुक अंशों में परिवर्तन कर सकते हैं इसलिए कर्म को भी स्थान है। एक ही जन्म में पूर्वजन्म के कर्मों को सर्वथा मिटा देना शक्य नहीं है। इस अनुभव की दृष्टि से तो जो जन्म से ब्राह्मण है उसे ब्राह्मण मानने में ही सब प्रकार का लाभ है। विपरीत कर्म करने से ब्राह्मण यदि इसी जन्म में शूद्र बने तो भी संसार उसे ब्राह्मण ही माना करे तो उससे संसार की कोई हानि न होगी। यह सच है कि आज वर्णभेद का उल्टा अर्थ हो रहा है और इसलिए यह भी सच है कि वह छिन्नभिन्न हो गया है। फिर भी जिस नियम का मैं पद पद पर अनुभव करता हूँ उसका मैं कैसे इन्कार कर सकता हूँ? मैं यह समझता हूँ कि यदि मैं उससे इन्कार करूँ तो बहुत सी मुश्किलों से बच जाऊँगा। लेकिन यह दुर्बुद्धि का पाप है। मैंने तो यह स्पष्ट प्रकार से कहा है कि वर्ण के स्वीकार में मैं ऊँच नीच के भेद का स्वीकार नहीं करता हूँ। जो सचा ब्राह्मण है वह तो सब

का भी सेवक बन कर रहता है। ब्राह्मण में भी क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के गुण रहते हैं। केवल उन्में ब्राह्मण गुण दूसरे गुणों की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। लेकिन आज तो वर्ण भी पाक पर बढा हुआ है और उसमें से क्या निकलेगा वह तो ईश्वर ही या ब्राह्मण ही जान सकते हैं।

(२) यह सच है कि मैं अपने को अद्वैतवादी मानता हूँ लेकिन मैं द्वैतवाद का भी समर्थन कर सकता हूँ। सृष्टि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है इसीलिए सृष्टि असत्य — अस्तित्वरहित — कही जाती है। लेकिन परिवर्तन होने पर भी उसका एक रूप ऐसा है, जिसे स्वरूप कह सकते हैं, उस रूप से यह है यह भी हमलोग देख सकते हैं इसलिए यह सत्य भी है। उसे सत्यासत्य कबो तो भी मुझे कुछ उग्र नहीं है। इसलिए यदि मुझे अनेकतवादी या स्याद्वादी माना जाय तो भी इसमें मेरी कोई हानि न होगी। जिन प्रकार मैं स्याद्वाद को जानता हूँ उसी प्रकार मैं उसे मानता हूँ, पंडित लोग जैसा मनाना चाहें वैसा धार्य नहीं मानता। वे मुझे वाद करने के लिए बुलावें तो मैं हार जाऊँगा। मैंने अपने अनुभव से यह देखा है कि मैं अपनी दृष्टि में हमेशा ही सचा होता हूँ और मेरे प्रमाणिक टीकाकार की दृष्टि में मैं बहुत सी बातों में गलती पर होता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि अपनी अपनी दृष्टि में हम दोनों ही सचे हैं। और इस ज्ञान के कारण मैं किसीको भी सहसा शूद्र, कपटी इत्यादि नहीं मान सकता हूँ। सात अन्धों ने हाथी का सान प्रकार से छूना किया था और वे सब अपनी अपनी दृष्टि में सचे थे, आपस में एक दूसरे की दृष्टि में गलत थे और ज्ञानी की दृष्टि में सब भ्रम थे और गलत भी थे। मुझे यह अनेकतवादी बडा ही प्रिय है। उसमें से ही मैं सुसम्मान की दृष्टि से सुसम्मान की और ईसाई की दृष्टि से ईसाई की पनीक्षा करना सीखा हूँ। मेरे विचारों को जब कोई गलत समझता था तो पहले मुझे उसपर बडा क्रोध होता था लेकिन जब मैं उसकी आँकों से उसका दृष्टिबन्धु भी देख सकता हूँ इसलिए मैं उस पर भी प्रेम कर सकता हूँ। क्योंकि मैं संसार के प्रेम का भूला हूँ। अनेकतवादी का मूल अहिंसा और सत्य का युगल है।

(३) ईश्वर के जिस रूप को मैं मानता हूँ उसीका मैं वर्णन करता हूँ। शूद्र-मूढ लोगों को समझा कर मैं अपना अकृपात किमलिए होने हूँ? मुझे उनसे कौनसा इनाम देना है? मैं तो ईश्वर को कर्ताजकर्ता मानता हूँ। उराल में मेरे स्वाह्वर से उद्भव होता है। जैनों के स्थान पर बठ पर उसका अवर्तुत्व निरुद्ध करता हूँ और रामायण के स्थान पर बठ कर उसका कर्तृत्व सिद्ध करता हूँ। इस सत्य अविनश्य का चिन्तन करते हैं। अवर्णनीय का वर्णन करते हैं और अज्ञेय को जानना चाहते हैं इसलिए हमारी भाषा तुलजानी है, अपूर्ण है और कभी कभी तो बक भी होती है। इसीलिए तो ब्रह्म के लिए वेदों ने अनीतिक शब्दों की रचना की और उसका 'मिति' के विशेषण से परिचय दिया। लेकिन यद्यपि वह 'यह नहीं है' फिर भी यह है। अस्ति सत्, सत्य ०,१,११.....यह कह सकते हैं। हमलोग हैं, हमें पैदा करनेवाले मात-पिता हैं और उनके भी पैदा करने वाले हैं.....इसलिए सब को पैदा करनेवाला भी एक है, यह मानने में कोई पाप नहीं है लेकिन पुण्य है। यह मानना कर्म है। यदि वह नहीं है तो हम भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हम सब उसे एक आत्मा से परमात्मा, ईश्वर, शिव, विष्णु, राम, अन्नद, लूका, दादा होरधन, जिहोका, गाढ इत्यादि अनेक और अनंत नामों से पुकारते हैं। यह एक है, अनेक है; अस्तु से भी

छोटा और हिमाच्छन्न से भी बड़ा है; समुद्र के एक बिन्दु में भी समा जा सकता है और ऐसा भारी है कि सान समुद्र मिल कर भी उसे सहन नहीं कर सकते हैं। उसे जानने के लिए बुद्धिवाद का उपयोग ही क्या हो सकता है! वह तो बुद्धि से गतीत है। ईश्वर के अस्तित्व को जानने के लिए भ्रष्टा की आवश्यकता है। मेरी बुद्धि अनेक तर्क निकाल कर सकती है। बड़े भारी गणितीय कष्ट विचार करने में मैं हार जा सकता हूँ, फिर भी मेरी भ्रष्टा बुद्धि से भी इतनी अधिक आगे चलायी है कि मैं सम्पूर्ण संसार का विरोध होने पर भी यही कहूँगा कि ईश्वर है, वह है ही है।

लेकिन जिसे ईश्वर का इन्कार करना न उसे उसका इन्कार करने का भी अधिकार है। क्योंकि वह तो बड़ा बलात्कृत है, रक्षित है, रक्षित है। वह मिट्टी का बना हुआ कोई राजा तो है ही नहीं कि उसे अपनी तुहाई कुचक करने के लिए सीपाही रखने पड़े। वह तो हम लोगों को सम्भ्रमना देता है फिर भी केवल अपनी हवा के बल से हमलोगों को नमन करने के लिए सम्भ्रमना करता है। लेकिन हमलोगों में से कौन-कौन नमन न भी करे तो भी वह कल्पना है: 'क्यों से न करो, वेग मये तो तुम्हारे लिए भी रोशागे देगा, मेरा मेह तो तुम्हारे लिए भी गनी बरमायगा। वेग अधिकार चलाने के लिए मृते मम पर सम्भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। का कारण है वह उसे तो उसे न मने लेकिन न कर्मों बुद्धिवादी में से एक ही समझे उसको प्रभाव करने से कभी नहीं सकता।

(नवजीवन) मोहनदास करमचंद गांधी

**गुरुकुल**

गुरुकुल नाम एक पवित्र एक स्थान को कहा है जहाँ उसका देव्य अमृत प्रकार के आर्यसमाज विद्यार्थियों के लिए ही प्रवेश किया जाता है। इन गुरुकुलों के सम्बन्ध में एक भाई लिखते हैं:

" मैं गत ९ वर्षों से होमरल, समाजोग इत्यदि इन्डियनों में शामिल होता आ रहा हूँ और वरका अनुभव कर रहा हूँ; और वरका ही आर्यसमाजियों का अनुभव करने का भी प्रयत्न करता हूँ क्योंकि मेरी यह मान्यता है कि यदि कुछ जीवन नहीं दिखाई देता है तो वह शरीर में है। क्यों क्यों मैं अवश्योग में गहरा उत्पत्ता जाता हूँ और नवजीवन पढ़ना जाता हूँ त्यों त्यों मेरी भ्रष्टा उस में दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। वहाँ देखी मैं देखा तो वहाँ के कर्मा गुरुकुल की मुख्य अधिष्ठात्री देवी (विद्यावती देव, बी. ए.) भी काशी में बड़ी भ्रष्टा रहती हैं और आपकी परम भक्त हैं। हरद्वार गुरुकुल में देखा तो वहाँ के मुख्य अधिष्ठाता स्वयं कात रहे थे और वे खुद अपने हाथ के बसे सून का बना हुआ कपड़ा पहनने की आज्ञा रखते हैं। अभी जो काशी में रहते हैं उसका सून उनकी माता ने काता था इस लिए वह भी वर का ही था। कागड़ी का भी यही हाल है। सूर्य गुरुकुल का तो अभी आरंभ ही है फिर भी वहाँ इसी विद्या में प्रवेश किया जा रहा है। वहाँ (हरद्वार में) अधिष्ठाता देखा तो उस में इन विद्या में कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। अस्तुत्वों के बारे में पूछताछ की तो उत्तर मिला कि उनको हू सकते हैं लेकिन अबतक वे द्वारा जन्म न के तबतक अध्ययन इत्यादि के लिए उनको वहाँ कोई स्थान नहीं है। यह सुन कर मुझे बड़ा दुःख हुआ। समाप्तन धर्म आये आनेवाके धर्म ने क्या कर-दिना है! अस्तुत्वों के सम्बन्ध में आर्यसमाज बड़ा प्रयत्न कर रही है। दक्षिण में एक इच्छा वाति है, उसे प्राणियों से १५ मज पर चलना पड़ता है। इस सीमा के अन्दर यदि कोई प्राणिय का वर हो तो कौन-कौन विकार देना पड़ता है और यदि इस

सीमा में कोई ईसा आ जाय तो भी यही होता है। इन लोगों में भी आर्यसमाजी काम कर रहे हैं।

करर कही गई बातों को आप अच्छी तरह जानते हैं और आर्य समाजियों के प्रति आप को प्रेम भी है। लेकिन प्रेमपूर्वक आपने जो उनके दोष बताये थे उसके आपके अनुयायियों में बड़ी गलतफहमी फैली हुई है और वे उनके प्रति घृणा की दृष्टि से बचते हैं। अब भी आप इस संस्था के यदि दोष हों तो दोष और गुण हों तो गुण वर्तमानपत्र द्वारा बाहिर करेंगे तो बड़ा उपकार होगा और लोगों की गलतफहमी दूर होगी। आप ने जो दोष बताये हैं उनका मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ लेकिन उनके गुणों को अधिक मानता हूँ। मैं समाजी नहीं हूँ लेकिन प्रेमी हूँ और और आपके नवजीवन से मेरा प्रेम अधिक बढ़ता जा रहा है। अब अखिर अखिर आप सूरत त्रिके में गये थे उस समय आप सूरत गुरुकुल की मुलाकान को भी गये थे। आपके साथ जाने वाले भाइयों ने मु सार का न कुछ रिपोर्ट भी किया था लेकिन उन्होंने सूरत गुरुकुल का नाम (कहीं छुन न उन साथ इस वर से या मैं नहीं जानता कि रिम क्या से) भी न आने दिया था।

मैं यह जानता हूँ कि मुझे किसी के भी प्रति घृणा नहीं है, फिर आर्यसमाजियों के प्रति कैसे हो सकती है? मैं हमेशा से आर्यसमाजियों के सम्बन्ध में आया हूँ और वर सम्बन्ध आज भी कायम है। इमान सम्बन्ध या प्रेम जरा भी कम नहीं हुआ है इनके गये मेरे लिखने से फेरी के दिव में उनके प्रति घृणा कायम हो गये मेरे लिए वह आश्चर्य और दुःख की बात है। आर्यसमाजियों के कुछ कृतियों के सम्बन्ध में यदि कोई मतभेद हो तो मैं उसे अपनी देखादेखा भूलाई नहीं जा सकता हूँ। उन्होंने प्रकृता में नवा जीवन बाला है। उन्होंने हिन्दू धर्म में घुमे हुए बल दोषों का दसन कराया है। उन्होंने साहस किया है, का शिक्षा म बहा भर' हिम्मा दिया है। शक्ति की सेवा की है, संस्कृत और हिन्दी के अध्ययन को तरकीब दी है। जपूरी दवावन्द में लक्ष्मण में ही मातापिता के साथ कथाग्रह करके जनता को ब्रह्मचर्य का पाठ सिखाया है, और इसका पवित्र स्मरण हमेशा ही ताजा रहेगा बिछादेवीकी के जाही प्रेम को मैं जानता हूँ। उन्हें एक बुनना जाननेवाली बहन भेजने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कागड़ी गुरुकुल का और मेरा सम्बन्ध पुराना है। स्वामीजी की प्रेरणा से गुरुकुल के अध्यापकों ने खुद विद्वान बनकर दक्षिण आफ्रिका में मुझे कुछ धन मेरा था उसे मैं किसी भी प्रकार नहीं भूम सकता हूँ। वहाँ के अध्यापक काशीप्रेमी हैं वह भी मैं जानता हूँ। सूर्य गुरुकुल का उत्कल वाद नवजीवन में न आ सका तो उसका कारण कापरवाही नहीं है, घृणा तो हो ही नहीं सकती है। उत्कल के अभाव की कथाबदेही या तो सुख वर या महादेव देसाई पर ही हो सकती है। मैं तो यह जानता हूँ कि इसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ और महादेव को घृणा हो वह मैं असंभव वस्तु मानता हूँ। लेकिन वहाँ हरामाजी की तरह लफार हो रही हो वहाँ किसी बात का उत्कल करना रह जाय तो वह संभव है। सूर्य गुरुकुल के प्रयत्न को मैं प्रशंसनीय प्रयत्न मानता हूँ। उसके अधिष्ठाता के उत्साह के प्रति मेरा ध्यान आकर्षित हुआ था। उन्हीं के उत्साह के बंध हो कर मैंने वहाँ जाना स्वीकार किया था। मैंने यह देखा था कि वहाँ काशी के लिए अच्छा प्रयत्न किया जा रहा था। मैं यह जानता हूँ कि गुरुकुल की शिक्षा-विषय में अपनी तरफ से अच्छा हिस्सा दे रही है। मैं उसकी उत्कल आह्वान हूँ।

(नवजीवन)

### हाथकती कथा

[ कथा भी कही हाथ से कती जाती है । लेकिन राजाजी ने यह भी कर दिखाया है । यह इंडिया के लिए सूत की सुन्दर कथा लिखी है और उसका हाथकती कथा नाम रखा है । इसका मतलब यह है कि उन्होंने यह कथा कही से पुराई नहीं है, वह यांत्रिक नहीं है लेकिन उसे अपने अनुभवों पर से तैयार की है । इसलिए हाथकते सूत के समान पवित्र सब रसों से युक्त होने पर भी इस जीवन की तरह यह कल्याण-प्रधान कथा है । इसीलिए उसे हाथकती कथा कह सकते हैं । यह उमका अनुवाद है—

मौ० क० गांधी ]

तामिल प्रान्त के एक दूर के कोने में, राज्यनिति को छोड़ कर पार्षदारथी खारी का काम कर रहे थे । वे अधिवाहित थे और उनकी मां उनके साथ रहती थी । कालियुर और उसके आसपास के गांवों के लोगों में वे प्रचार कार्य करते थे । गरीब पुरुषों को और खाल कर जमीनों को वे गांधीयुग की बातें सुनाते थे । उनके प्रचार का परिणाम यह हुआ कि घर में पड़े हुए पुराने चरखे फिर बाहर निकाले गये और चकाये जाने लगे । चरखे का मजुर शब्द फिर लुप्त हुआ कि गांव के बड़ों को नये चरखे बनाने का इयाल हुआ । यह रोजी कमाने का नया साधन हो पड़ा, इसलिए ' क्यों आपको चरखे सुवरवाने है या नये बनवाने है ? ' यह किसानों से पूछने में उनको बड़ा आनन्द होता था । किसी दिन उस गांव में जा कर यदि देखें तो रास्ते पर सूत से भरी ताक की बनी हुई टोकरीयां सिर पर टटा कर अर्धवस्त्रा जमीनों की कतार गांधी खादी कार्यालय की तरफ जाती हुई दिखाई देती थी । कार्यालय में तो उनकी भीड़ खीलन जाती थी । कोई अपना सूत देखती है तो कोई सूत पर लगी हुई पूर उठाती है, कोई अपनी टोकरी में रूई भरती है तो कोई पमीना बहा कर कमाये हुए दाम बार बार गिनती है । पर का काम करने के बाद उसमें से जितना भी समय वे तथा राहत थी उतना बचाती और चरखा चकाती थी ।

अपने गृहजीवन में इस परिवर्तन को देख कर पुरुषों का आनन्द भी इतन में न समाता था । जिनमें फुरसद के समय में कुछ काम कर लाने और बड़े हाट के दिन काम में आवे तो यह किसको पसन्द न होगा ? तीन साल हुए, सूखा पड़ा हुआ था । बेचारे मुंह फैलाये आकाश की तरफ देखते रहते थे और सर झुकाते थे । इससे बचने का क्या उपाय हो सकता था ? बहुत से तो मजदूरी के लिए विदेश जाने के लिए विदेश यात्रा के कायदे कानून जानने के लिए पृच्छा कर रहे थे । अंका और पूर्व के दूसरे द्वीपों के बगीचेवालों के पसन्द मजदूरों के नाम लिखने का काम बड़ी तेजी से कर रहे थे । उस समय एक दिन पार्षदारथी कालियुर पहुंचे आते उन्होंने अपना खारी कार्यालय वहां खोल दिया ।

पार्षदारथी ने काठेज क्यों छोड़ी, निराशा से उनके पिता की कंठे मूख्य हुई, उनकी माता कितनी दुःखी हुई और उन्हें किस प्रकार भाभासन मिला और आखिर पार्षदारथी कालियुर कैसे आये यह सब कथा यदि बरतत हुई तो फिर कभी कहने ।

X X X X

पार्षदारथी ने गांव को छोड़ते हुए एक बस ने आवास दे कर कहा " चरखे खरी को मैं देवता हूं तुम अपने कातो, खनीकर

पार्षदारथी ने इस गांव के सूत के लिए खनीकर का दिन सुकरर किया था । पचाई ने कहा ' अच्छा ' । घर में बच्चों की आंके खुशती थी और वे रोते थे इसलिए घर बैठ कर कातने की सहाय उसे बहुत अच्छी माहम हुई । अपनी झोंपड़ी के सामने के आंगन में चरखा निकाल कर बैठी और पूनियों की टोकरी के कर कातने लगी ।

आसपास के गांवों की भी यही कथा थी । पुरुषों ने खेत और घर का मोटा काम आप करमा शुरू कर दिया था और जिन, बुद्धि और खदान सब चरखा बनाने लगे थी । बुद्धि जिनों को बसे तो कान पूछे ? लेकिन चरखे का पुनरुद्धार होने पर उन्हें अपनी कथा दिखाने का मौका मिला और उनमें वे खदान जमीनों की भी बका देती थी । खदान औरतों का काता हुआ सूत जब बहुत मोटा निकलता था तब वे उनका मजाक उठाती थी । उनका हाथ तो कातने में अच्छा जमा हुआ था; इसलिए आंखों से दिखता न था, कंगलियां कांपती थी फिर भी वे आसानी से अच्छा सूत निकाल सकती थी । खदान औरतों को अभी यह कथा माहम न थी । लेकिन धीरे धीरे सभी का हाथ उस पर बढने लगा और पार्षदारथी इन सिखाक औरतों के सूत को भी सुवरता हुआ देख कर आनन्द से फूक उठते थे ।

यह अपने यंत्रि मित्र सुमझण्यम से कहते कि " बचपन में खीलने में कही देर थोड़े ही लगती है ? "

सुमझण्यम को उन कांपनी हुई धीरे धीरे बलनेवाली वस्त्राओं के प्रति पक्षपात था । यदि कोई कड़की बुरा सूत कात कर जाती तो वे फौरन उसकी मजदूरी कुछ कम कर देते थे । वे कहते: ' तुमनेवाले ऐसा सूत के कर उसे करेंगे क्या ? उससे क्या बड़े धेले बनये जायेंगे ।

लेकिन पार्षदारथी कहने " सब देखते ही देखते सुवर कायगे, यह देखो " यह कह कर उसने अभी ही देखी हुई सूत की लच्छी उनके प्रति फेंकी ।

इस प्रकार प्रति खनीकर को सूत आता था और कार्यालय की मजदूर के सहारे लगा हुआ दिन प्रतिदिन बढनेवाला सूत का टो देख कर पार्षदारथी और उसके सहकारी बड़े खुश होने थे ।

X X X X

कालियुर कार्यालय में इस प्रकार खारी की पैदाइश बढने लगी । लेकिन फिर सूखा पड़ा, जल में पानी सूख गया । बेचारे किसान लोग फिर गमहा गये । जमीनों को तो विचार करने की और चर्चा करने की फुरसद ही कहां मिलती थी । वे बेचारी तो सारा दिन अपना चरखा के कर ही बैठती थी — दिन को और रातको रात का कातती ही रहती थी । पार्षदारथी का छोटा सा कार्यालय सब को न पहुंच सकता था । कड़े के डेर के डेर पुरुष की रोशनी में चरख का गरह नभ जाते थे । सूत की मरी हुई टोकरीयां इतनी आनी थी कि सूत को रखने के लिए जगह का प्रश्न बड़ा बिकट हो गया था । गांव का पटेल मका आहसी था । उसके साथ उनकी दोस्ती थी इसलिए उसने एक काकी झोंपड़ा सूत मरने के लिए हट निकाला । जितना सूत आता था उसे सुवरवाने में और बुने हुए कपड़े को बेचने में जब उन्हें मुश्किल माहम होने लगी । पार्षदारथी ने उत्तर में रहनेवाले अपने कितने ही मित्रों को पत्र लिख कर उन्हें मदद करने के लिए कहा । कितनों की इससे दितकरी हुई और उन्होंने अपने दूसरे मित्रों की भी मदद करने के लिए कहा । आखिर कंठे के खारी-राका बेराजामी के साथ निचलपूरक खारी केने का कदार हुआ । यह होने पर तो कातने

घाँसों में खूब आगुति आ गई। कालियुर में तो जहाँ देखो वहाँ सत्साह और जीवन ही दिखाई देता था। कालियुर की इस अद्भुत प्रकृति को देखने के लिए दूर दूर के प्राँसों के लोग आते थे।

एक दिन पार्थसारथी को खादी-राजा का एक पत्र मिला। उसमें लिखा था:

‘आपकी खादी अच्छी है लेकिन अब सी उसमें सुधार किया जा सकता है। उसकी थोड़ी और चना व चुन्ना लकी? यदि ऐसा हो सके तो वह औरत बिक जायगी।’

पार्थसारथी यह पत्र पढ़ कर दिव्य में कुछ हँसि खौद बोले: ‘जेराजानी की दुकान में माखम होता है माल कुछ पका रहा है इसलिए अब उन्हें चुनाई देखने की फुरसद मिली है।’

पार्थसारथी ने चुन्नेवालों से कहा कि अब जरा चनी चुनाई करो। अब जेरजानी को माल पसंद आया उन्होंने पार्थसारथी को इसके लिए कास बन्दबाह दिया। बोले दिनों के बाद फिर एक पत्र आया। उसमें लिखा था ‘चुनाई सुधी है और माहकों को माल पसंद है लेकिन सब ताके एक से नहीं होते। आप चुन्नेवालों पर अब थोड़ा विशेष ध्यान दें।’

खादी-राजा की तरफ से ऐसा पत्र मिला है इसलिए बम्बई में अब खादी का बाजार अवश्य ही मन्द हो गया होगा।

‘लेकिन यह कैसे हो सकता है?’ सुब्रह्मण्य ने क्रोध में आकर कहा। ‘यह आदमी हम लोगों को धूना चाहता है।’

पार्थसारथी ने कहा: ‘नहीं, माई उन्हें भी तो अपने माहकों को सन्तोष देना होता है न! और यदि वे यह न करें तो उनके माह की कपत कैसे हो और वे हमें मदद भी कैसे करें!’

पार्थसारथी ने अब चुन्नेवालों पर कुछ सख्ती करना शुरू किया। पुस्वार का दिन चुन्नेवालों के लिए अपने अपने चुने हुए ताके के कर आने के लिए सुकर था। पार्थसारथी ने प्रत्येक ताके को देखना और उसके दोष बताना शुरू किया। एक दो सप्ताह के बाद तो वह चुनाई पर इतना अधिक जोर देने लगे कि उन्होंने चुन्नेवालों को यह बितावनी दे दी कि अत्युक्त प्रकार की चुनाई से जिसकी चुनाई इकट्टी होगी उसे चुनाई कम ही जायगी।

चुन्नेवालों को यह नया तरीका पसंद न था, उनमें से कितनी ही ने उसका विरोध किया और वे अपना हिसाब करके अपने पुराने साहिक मिक के सूत के व्यापारियों के पास चले गये। लेकिन बहुतेरों के दिव्य में यह क्या हुआ कि इस तरह उनके पास जाने में मान और मन — दोनों की हानि है क्योंकि वे उन्हें एक बार नभ मन के समकार कर के आते थे। और इस लिए पार्थसारथी का काम बराबर चलता रहा।

x x x x

पहले जितनी जल्दी जेरजानी की तरफ से माह की माँग जाती थी उतनी जल्दी अब न आती थी। इसलिए पार्थसारथी ने उन्हें एक पत्र लिख कर यह पूछा: ‘अब तो हमारा माह पसंद है न?’ कुछ दिनों के बाद उत्तर मिला:

‘चुनाई सुधी है। आप उस पर अधिक ध्यान दें रहे है इसके बका आनन्द होता है। लेकिन अभी उस में दोष भी बहुत से हैं। हमें तो हमारे माहकों की रिकामा पकता है। उन्हें तो मिकों के कपडों की सफाई चाहिए, हमलोग आपको मदद करने के लिए तो तैयार ही हैं लेकिन आपको भी यह समझना चाहिए कि जबतक माह ऐसा न हो कि करम ही मिक जाय इसलोग कर ही क्या सकते हैं?’

पार्थसारथी का काम क्यों क्यों चल रहा था। अब चुन्नेवाले कपडा लेकर आते थे उन्हें उनको गुस्सा दिखाना पकता था। हृदय में तो दया होती थी लेकिन ऊपर ऊपर से उन्हें सख्ती दिखानी पकती थी।

कुबते की खादी का एक टुकडा देख कर उन्होंने कहा: ‘यह ऐसा क्यों है? इस जगह चुनाई चनी है और इस जगह कम क्यों है?’ चुन्नेवाले भी इसके आदी हो गये थे। इस टुकडे के चुन्नेवाले ने कहा: ‘अब और अच्छा चुनेंगे।’

‘यह न होगा, इस समय बार आना काट केता हूँ।’

यु नेवाका विज्ञा कर बोल उठे: ‘बाप! ऐसा न होगा! भाई, मेरे पैद पर पै न रखो।’

आप कण्टे तक उसकी विचन और पार्थसारथी की सख्ती का बाह्य दिखाना होता रहा। इसप्रकार बहुत सा समय निकल गया, लेकिन चुनाई पत कैसे सुधर सकता है। बम्बई के माहकों को कैसे खुश किया जा सकता है। बम्बईवाले तो मिक के कपडे की खादी मिले तभी उसे पहनेंगे।

एक दिन पार्थसारथी ने सुब्रह्मण्य से कहा: ‘यह ठीक नहीं है। हमें बड़ी सख्ती खपानी होगी।’ सुब्रह्मण्य ने हँस कर कहा: ‘इन लोगों से एक थोटा का वेद खपाना न दिया जायगा— जबतक मिक की थोसिया इतनी ही किमत में दो मिक सख्ती हैं उनसे ऐसी जासा कैसे रखनी जा सकती है?’

पार्थसारथी ने कहा: ‘सब बात है। लेकिन हमें प्रयत्न करना ही होगा। प्रति सप्ताह अपना बाजार होता है वहाँ हमलोग जायेंगे। हमलोग बम्बई के धाँडीन फकाओं के लिए मजदूरी न कर सकेंगे।’

—अपूर्ण

## टिप्पणियाँ

### बड़े दादा का स्वर्गवास

इस बात पर विश्वास लाना कि हीजेन्द्रनाथ टागोर अब नहीं रहे बडा ही कठिन है। साम्प्रतिकेतर के तार से यह शोकजनक समाचार मिला है कि बड़े दादा को हीजेन्द्रनाथ टागोर के नाम से चिरशान्ति प्राप्ति हुई है। उनका वय ९० वर्ष के लगभग था फिर भी उनमें यह आनंद और उत्साह दिखाई देता था कि उनके पास जानेवाले को कभी यह माखम ही नहीं होता था कि उनके मौसिक अस्तित्व को अब थोड़े ही दिन बाकी हैं। प्रतिभासम्पन्न पुरुषों के उस कुटुम्ब में बड़े दादा का स्थान महान का था। वे विद्वान थे, संस्कृत और अंग्रेजी दोनों अच्छी तरह जानते थे। लेकिन इसके अलावा वे बड़े धार्मिक मनुष्य थे और उनका हृदय भी विशाल था। वे भद्रा से उपनिषदों को ही मानते थे फिर भी संसार की बुरी अर्थ-पुस्तकों से प्रकाश पाने के लिए भी वे स्थतंत्र थे। उन्हें अपने देस पर बडा प्रेम था, फिर भी उनकी देसपुक्ति दूसरे गुणों की विरोधी न थी। वे अधिचारमक असहयोग के आध्यात्मिक इष्टन को समझते थे लेकिन इसके साथ यह नहीं कि वे उसके साम्प्रतिक महत्त्व को भी न समझते हों। वे पहले से दिक से विश्वास रखते थे और अपनी उद्भावस्था में भी उन्होंने खादी धारण की थी। एक युवक में जितना उत्साह होता है उतने ही उत्साह के साथ वे वर्तमान शासकों को खाने के लिए प्रयत्न करते थे। बड़े दादा की मृत्यु से हमकोशों में से एक साधु, तपस्वामी और स्वदेशमक वड गया है। वे कवि और साम्प्रतिकेतरवादिनों के प्रति अपनी सहायभूति प्रकट करता हूँ।



अब भी लड़ रहे हैं।

नेकीर की खिलाफत कमिटी के मंत्री ने तार किया है: 'हिन्दू और मुसलमानों में तनाव बढ़ रहा है। उर्दू हिन्दू बायूक के खिलाफ मस्जिदों के सामने से बाजा बजाते हुए चलना निहाय रहे हैं, मुसलमानों ने गाय की कुरबानी करने का निर्णय किया है, मामला गंभीर है, कृपया आप बीचबचाव करें।'

मुझे बीचबचाव करने के लिए कहना मेरे अभिमान का पोषण करना है। यद्यपि मैं तो इस बात को कई दफा बाहिर कर चुका हूँ कि इन दंगेखोर लोगों पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। माहूम होता है उनका सितारा आजकल बड़ा तेज है। लेकिन मेरा यह अभिमान शान्ति की रक्षा के लिए कुछ ना मदद नहीं कर सकता है। मैं तो दोनों दलों को किसीको पंच मानने का सभ्य और बुद्धियुक्त मार्ग ही दिखाऊंगा। लेकिन यदि उन्हें यह मार्ग पसंद नहीं है तो लाठी का कानून उनके हाथ में ही है।

**एक भूक**

बिशनपुर से एक महाशय पत्र लिख कर मुझे इस बात की याद दिलाते हैं कि मेरी आदत के खिलाफ मैं अपने 'बिहारयाना' के लेख में धरमपुर गांधी विद्यालय के नीच डालने के कार्य का उल्लेख करना भूल गया हूँ। मैं शीघ्र ही उस भूल का जवाब सुधार देता हूँ। मुझे उसके संस्थापक और व्यवस्थापकों का अत्यंत अच्छी तरह याद है। वे मेरी कमजोर तन्मुरसी को उन्मत्त कर कर पांच मीठ हुए नीच डालने की जगह पर मुझे नहीं खूब के गये थे लेकिन धरमपुर से एक टैट ला कर मेरे उसके स्पर्श करने से ही उन्होंने संतोष मान लिया था। मुझे बड़ समानार भी मिले थे कि बहुतेरे आत्मत्यागी स्वयंसेवक इस काम में लगे हुए हैं। इच्छा न रहने पर भी मैं उसका उल्लेख करना भूल गया हूँ। एक ही दिन में बहुत से काम करने पड़ने थे और करीब २००० लोग एक ही काम करने पड़ते थे। इस लिए यदि मेरे लेख में बहुत सी बातों का बाहेर से स्वयंसेवक व्यवस्था को ही या धम से कम उन लोगों के लिए जो उनमें लगे हुए हैं, बड़ी ही महत्त्व की हो फिर भी यदि उल्लेख न हुआ हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे आशा है कि बड़ साला अब पूरी तैयार हो, गई होगी और व्यवस्थित तौर पर काम करती होगी।

**प्रसन्नानीय दृश्य**

महाराजा गार्डर की कालान्तर बीमारी के समय एक मित्र जो उनके पास थे, उनके अन्तिम समय के दृश्य का इस प्रकार वर्णन करते हैं:

'श्री महारानी बड़ी आश्चर्यमय हैं। उनको एक मरतवा देखने से ही बड़ा काम होता है। वे बड़ी बुद्धिमान और प्रभावशाली हैं। उनके चरु के चार दिन पहले से वे उनके पास ही बैठी रहती थीं। वहाँ से जरा भी न हटती थीं। न खाना खाती थीं न नींद ही लेती थीं और महाराजा की सेवा में ही लगी रहती थीं। वे सब काम अपने ही हाथों से करती थीं। अन्तिम समय में उनके कानों में उन्होंने अजब भी गा सुनाये थे और अन्तिम सांस निकल जाने पर उनकी आंखें भी बन्द की थीं। वे खुद न रोती हैं न दूसरों को रोने देती हैं। वे छाया की तरह घर में हजर उबर फिरती रहती हैं और अपना सब फर्ज अदा करती हैं। ऐसा प्रभावशाली शांकर मैंने कभी भी न देखा था।'

ऐसी भक्ति, प्रभाव और त्याग अनुकरणीय है। शास्त्रों में मृत-मनुष्य के पीछे रोना बना किया गया है फिर भी हिन्दुओं ने बहुत

कुछ रोना खोना किया जाता है। बहुत से स्थानों में तो रोना एक रिवाज हो गया है और वहाँ रोना ही नहीं आता वहाँ रोने का डोंग किया जाता है। यह रिवाज अंगली और अचार्जिक है और उसे रोकना चाहिए। जिन्हें ईश्वर ने भ्रष्टा है उन्हें मृत्यु को मुक्ति मान कर उसका स्वागत करना चाहिए। जबानी और बुद्धावस्था के समान ही यह परिवर्तन भी निश्चित ही है और इसलिए जैसे बुद्धावस्था के लिए कोई शोक नहीं करता है उसी प्रकार उसपर भी किसीको शोक न करना चाहिए।

**बड़ोदे का शिक्षा-कार्य**

बड़ोदे के राजा के अपने राज्य में अधिक न रहने के संबन्ध में और रियासत की थोड़े थोड़े सुधार देने की नीति के संबन्ध में बड़े कुछ भी क्यों न कहा जाय, उच्च रियासत में शिक्षा के संबन्ध में जो प्रगति की गई है उसके बारे में कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता है। महाराजा साहब के सुवर्ण महोत्सव के समय शिक्षा विभाग की तरफ से जो पुस्तिका प्रकाशित की गई है उससे यह बात स्पष्ट होती है। ५० साक पहले वहाँ संवल २०० प्राथमिक शालाएँ थीं और उनमें बेचक ८०० लड़के पढ़ते थे। आज वहाँ ५८ शालाएँ क स्कूल हैं। उनमें एक कॉलेज भी है। उनमें बड़े १०,०२५ लड़कियाँ पढ़ते हैं, जिसमें ३०५ लड़कियाँ हैं। २५० भाषा के २०१६ स्कूल हैं। उनमें २१७१२ लड़कियाँ पढ़ते हैं जिसमें ६७३० लड़कियाँ हैं। इनमें दलित बच्चों के ५१९ स्कूल भी शामिल हैं। १२४ उर्दू पढ़ाने के स्कूल हैं और उनमें बड़े २६ लड़कियों के लिए हैं। इनमें ६६९३ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। यह सब निःसन्देह प्रशंसनीय है। लेकिन यह प्रश्न होगा कि इस शिक्षा में लोगों की भाग पूरी होनी है या नहीं? हिन्दुस्तान के बड़े विभागों की तरह वहाँ भी किसानों की ही बस्ती अजबक है। क्या इन किसानों के लड़के अधिक अच्छे किसान बनते हैं? क्या उन्होंने शिक्षा पाकर कुछ नैतिक और भौतिक उन्नत कर लिये हैं? परिणाम जानने के लिए ५० साक का समय काफी लंबा है। लेकिन मुझे भय है कि इसका संतोषजनक उत्तर न मिल सकेगा। बड़ोदे के किसान दूसरे विभागों के किसानों के बनिस्वत न अधिक सुखी है और न अच्छे सुधरे ही हुए हैं। दुष्काल के समय में दूसरी जगहों के किसानों की तरह वे भी कष्टग्रस्त हो जाते हैं। हमारे गाँवों की तरह उनके गाँवों की स्वच्छता भी बंसी ही होती है। वे अग्ना कपडा आप बना लेने के महत्त्व को भी नहीं समझते हैं। बड़ोदे की कुछ जमीन तो बड़ी ही उपजाऊ है। उसे रई बाहर नहीं भेजनी चाहिए। यह राज्य आसानी से आत्मावकम्भी राज्य बन सकता है और उसके किसान अच्छी उन्नति कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो बिचारी कपडा बरा हुआ है—और यह उसकी दरिद्रता और कर्मक का स्पष्ट चिह्न है। शराबखोरी भी वहाँ कुछ कम नहीं है। शायद इस बात में तो यह और भी अधिक गिरा हुआ है। ब्रिटिश राज्य की तरह बड़ोदा राज्य की शिक्षा भी शराब की आगदानी से दूषित है। कार्शपरज के लोगों को अक्षरज्ञान मिलने पर भी शराबखोरी से तो उनका सत्यानाश निकल जाता है। इस बात से यह है कि बड़ोदा का शिक्षा-कार्य ब्रिटिश हिन्दुस्तान की शिक्षा पद्धति का अनुकरण-मान्य है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर हम हमारे देश में ही बिदेशी बन जाते हैं और प्राथमिक शिक्षा जो मिलती है उसका जीवन में कोई उपयोग न होने के कारण महत्त्वही हो जाती है। उसमें न मौलिकता है और न स्वाभाविकता ही है।

# हिन्दी नवजावन

संपादक—मो. दास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ।

क्र. ३६

मुद्रक—प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

अहमदाबाद, माघ बदी ३, संवत् १९८२  
 बुधवार, १५ जनवरी १९२६ ई०

मुद्रक—अहमदाबाद मुद्रक  
 सारंगपुर सरकारी की, गा०

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

### अध्याय ६

#### दुःखद प्रयोग १)

मैं ज़रा-बूढ़ हो चुकी थी कि हाईस्कूल में मेरे एकदम मित्र बहुत ही अच्छे थे। उन्हें ऐसे मित्र कह सकते हैं जो मेरी उम्र या बड़प्पन है कि मित्र मित्र प्रथम पर केवल दो हो के। एक तो अत्यंत सुखी दिनों तक रहा, क्योंकि मैंने उन मित्र का त्याग नहीं किया था। दूसरे मित्र से मित्रता होने पर मैंने मेरा त्याग किया था और इस दुःखी मित्र का संग ही मेरे जीवन का दुःख अन्वयाय है। यह मित्रता बहुत मीठी रही। मैंने उनके साथ एक सुधारक का दृष्टि से मित्रता की थी। प्रथम तो उस मित्र ही मेरे मसके भाई के साथ ही मित्रता थी। ये मेरे भाई के साथ एक ही वर्ग में पढ़ते थे। उनमें किमने ही दोष थे और मैंने यह समझ भी ली थी। लेकिन उनमें मैंने बर्कदारों के गुण का होना भी माना था। मेरी माता, मेरे बड़े भाई और मेरी अर्धभार्या को, उनके साथ ही मेरी यह मित्रता बहुत ही दुरी लगती थी। परन्तु की ही बनी-बनी का मैं अभिमान करने के लिए स्वीकार कर सकता था? मेरी माता के साथ ही मैंने उद्यम नहीं कर सकता था और बड़े भाई को बत भी मैं अत्यंत ही सुनता था। लेकिन मैंने उन्हें यह कह कर शान्त कर दिया "आप को उनके दोष बताते हैं उन सब को मैं जानता हूँ लेकिन उनके गुणों को आप नहीं जान सकते हैं। बड़ सखे कारण पर नहीं के जा सकता है क्योंकि मैंने उनमें सुधारने के लिए मैंने मित्रता की है। मेरा विश्वास है कि यदि वह सुधार भगा तो बड़ा अच्छा आदमी होगा। आप से मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे विषय में केवल निर्भय रहें। मैं यह नहीं मानता कि मेरे इन बखनों से उन्हें संतुष्ट हुआ होगा। लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपने मार्ग पर ही जाने दिया।

मालों में ही मित्रता शोभा देनी है और वही मित्रता भायन-दाही है। मित्रों का भावना में अंतर ही एक दुःख पर अंतर पड़े बिना नहीं रहता है इसलिए मित्रता में सुधार के लिए बहुत ही कम अवकाश होता है। मेरा तो यह अभिप्राय है कि अंगत मित्रता का होना भविष्य है क्योंकि मुख्य संघों की कौरन ही प्रथम रूप में है लेकिन गुणों को प्रथम करने के लिए उसे प्रथम करना पड़ता है। जिसे आत्म-वैश्वर्य के साथ मित्रता करना है। मैं तो एकमात्र रहना चाहिए या मेरे सुधार का ही अर्थ बनना चाहिए। मेरे उपयोग विचार उचित ही या अनुचित, लेकिन मेरा यह मित्रता का प्रथम निष्कर्ष हुआ।

मैंने मुझे इस मित्रता से प्रथम पढ़ा और प्रथम पढ़ा कि मैं "सुधारण" बन रहा था। इन दिनों तो बहानी मझे बड़े बान मालूम हुए कि बहुत से दिग्गज शिक्षक मुझे मेरे भांगदाह और मशयान करते हैं। इन्होंने उद्योग के द्वारा कुछ प्रथम पढ़ाई के नाम भी गिनाये थे। हाईस्कूल के पठने ही विद्यार्थियों के नाम भी उन्होंने मुझे इसके सम्बन्ध में गिनाये थे। मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य और बुझ हुआ और जब मैंने उभका कारण पूछा तो यह दलाल को गई हमलाप सांसाहम नहीं करते हैं तभी तो ऐसे कमजोर हैं। अंगत लोग हमपर राज्य करने हैं उभका कारण उभका सांसाहम ही है। यह तो तुम जानते ही हो कि मैं जोर से ऐसा दृष्ट हूँ और कितना दौड़ सकता हूँ। इसका कारण मेरा सांसाहम ही है। सांसाहम को फोड़े फुसेगी मरी होना है। यह होना ही है तो उभे, बड़ा जन्म आराम ही भगा है। हमारे शिक्षक उसे खाते हैं और हमने प्रायः प्रथम लोग भी खाते हैं तो क्या वे कुछ पथके बिना ही खाते होंगे? मुझे भी यह खाना ही चाहिए एक भरतवा का कर तो देखो शरीर में कितनी दुःखत आती है। यह कोई एक ही दिग्गज की दलील न थी। अनेक प्रकार के उदाहरणों से मजा मजा कर ऐसी दलीलें तो कई भरतवा मुझे सुनाई गई थी। मेरे मसके भाई अष्ट ही ही मुझे थे। उन्होंने भी इसमें अपनी सम्मति की। मेरे भाई और इस मित्र के साथ सुलना में मैं बड़ा ही दुर्बल जाँव था। उनके शरीर अधिक रत्नापुबद्ध थे। उनका शरीर-रत्न भी मेरे से अधिक था। वे हिंस्रताप थे। इस मित्र के पराक्रमों से मैं सुख ही जाना था।

लेकिन पीछे से मैं यह समझ सका हूँ कि मेरा यह बवाल गलत था। किसी को सुधारने के लिए मैं गहरे पानी में उतरने की आवश्यकता नहीं है। जिसको सुधारना है उसके साथ मित्रता ही ही नहीं सकती है। मित्रता में अद्वैत भावना होती है और ऐसी मित्रता संसार में उचित ही दिखाई देती है। समाज गुण-

वे चाहे जितना दौड़ सकते थे, उरका वेग भी अच्छा था। वे कूद भी अच्छा सकते थे। मार सहन करने की उनकी शक्ति भी बेसी ही थी। वे हमेशा अपनी इस शक्ति का मेरे सामने प्रदर्शन करते थे। मनुष्य अपने में जो शक्ति नहीं है उसे जब हमारे में देखता है उसे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे भी वैसा ही आश्चर्य हुआ। दौड़ने कूदने की शक्ति मुझमें कुछ नहीं सी थी। मुझे क्याकह हुआ कि इस मित्र के समान व भी बलवान होऊ तो क्या अच्छा हो ?

मैं बड़ा ही डरपोक था। चोर, भूत और सर्पों के भय से मैं सदा डरा करता था। इस डर के कारण मुझे बड़ा कष्ट होता था। रात को कहीं भी अकेले जाने की हिम्मत न होती थी। अंधेरे में तो कहीं भी न जाता था। बिना दीये के सोना तो मेरे लिए केवल असम्भव था। इधर से भूत आवेगा, तो उधर से चोर और तामरी तरफ से सर्पों! हम लिए दीये का होना जरूरी था। गण गायी हुई और अब कुछ तारुण्य का प्रसन्नता का भाव मैं अपना भय कैसे बता सकता था? लेकिन मैं यह समझ सका था कि मुझसे वह नाबक हिम्मतवान भी और इसलिए मुझे लज्जा भी, मात्तम भी जो सर्पों का उसे कभी भी भय न रहता था। अंधेरे में अकेली जा सकता था। मेरे दो मित्र मेरे इस दुर्बलता को जानते थे। और मुझसे कहते थे 'तू तो जिन्दगी सर्पों का भाई एकदम कैसा हूँ, चोर से जग ही नहीं डरता और भूत का तो भयना ही नहीं हूँ।' उन्होंने मुझे इस बात का यकीन कराया कि मांसाहार के कारण ही वे यह सब कर सकते थे।

इन्हीं दिनों में शास्त्र में 'नर्मद' (गुजरात का एक कवि) का निम्न लिखित काव्य गाया जाता था:

'अंधेजो राज करे देखी रहे दबाइ  
देखी रहे दबाइ जोने बेना शरीर माइ  
पेलो पांच हाथ पूगे, पूरो मान सेवे.'

[देखी लोग दबे हुए रहते हैं और अंगरेजलोग राज करते हैं। दोनों का शरीर ही देखो, वह पूरा पांच हाथ है क्यों कि मांस का सेवन करता है।]

इन सब बातों से मेरे मन पर बड़ा असर हुआ। मैं पिछला और यह मानने लगा कि मांसाहार अच्छी चीज है, उससे मैं बलवान और हिम्मतवान बनूंगा और यदि सम्भव हो तो मांसाहार करने लगे तो हम अंगरेजों को हरा सकते हैं।

मांसाहार का आरंभ करने के लिए एक दिन मुझपर किया गया।

पाठक यह न समझें कि इस निश्चय का और मान का क्या अर्थ हो सकता है। गांधी कुटुम्ब वैष्णव सम्प्रदाय का था। माना-पिता उनके धर्मगुरु माने जाते थे। वे हमेशा मन्दिर को जाते थे। कुछ मन्दिर तो हमारे कुटुम्ब के ही मन्दिर माने जाते थे। और गुजरात में जनसंप्रदाय का भी अधिक जोर है। हर एक प्रकृति में और हर एक स्थान में उनका भी अमर विश्वास होता है। इसलिए मांसाहार के प्रति जो तिरस्कार और विरोध गुजरात में, श्रावको में और देवगरी में पाया जाता है वैसा हिन्दुस्तान में और मेरे समाज में और कहीं भी नहीं पाया जाता है। वे मेरे सन्तार थे।

माना-पिता का मैं परम भक्त था। मैं यह मानता था कि यदि वे मेरे मांसाहार की बात जानें तो उनकी असमर्थता ही जान निकल आयेगी। जाने अजाने भी मैं सत्य का सेवक तो था ही।

मैं यह भी नहीं कह सकता कि मांसाहार करने में मैं माता-पिता को ठगता हूँ यह ज्ञान मुझे तब समय न था।

ऐसी निवृत्ति में मांसाहार करने का मेरा निश्चय मेरे लिए बड़ी गंभीर और भयंकर वस्तु थी।

लेकिन मुझे तो सुनार बनना था। मुझे कोई मांसाहार का शौक न था। उसमें बड़ा स्वाद है यह मान कर तो मैं मांसाहार का आरंभ नहीं करता था। मुझे बलवान और हिम्मतवान बनना था और दुसरे को भी वैसा ही बनने के लिए निमंत्रण देना था और फिर अंगरेजों को हरा कर हिन्दुस्तान को स्वतंत्र बनाना था। उस समय स्वराज्य शब्द तो गूँसे सुना ही न था। एसा दुधर करने के जोश में मुझे कुछ भी हाश न रहा।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

### व्यायकाम का सत्याग्रह

हिन्दू सुधारक जो अस्पृश्यता को दूर करना चाहते हैं उन्हें व्यायकाम के सत्याग्रह का रहस्य और उसके परिणाम समझ लेने चाहिए। सत्याग्रह का अर्थ मन्दिर के आसपास के रास्तों का खुला करना था, मन्दिरों में प्रवेश करना नहीं। उनका यह दाव था 'जो रास्ते जिन प्रकार दूसरे हिन्दुओं के लिए और अहिन्दुओं के खुले हुए होते हैं उसी प्रकार अस्पृश्यों के लिए भी होने चाहिए। इसमें उनकी पूरी पूरा विश्वास हुई है। लेकिन यद्यपि सत्याग्रह तो रास्तों को खुला करने के लिए ही किया गया था फिर भी सुधारकों का अन्तिम उद्देश्य तो यही है कि दूसरे हिन्दुओं को जो कठिनाइयाँ नहीं होती हैं और जो अस्पृश्यों को ही सहन करनी पड़ती हैं उन्हें दूर हो जाय। इसलिए इसमें मन्दिर, कुएँ और शाला इत्यादि जगहों में जहाँ हमारे अन्धकार लोग जा सकते हैं उनके जाने का भी समावेश हो जाना है।

लेकिन इन सुधारों का प्रसन्न करने के लिए संधि कार्य का अप्रत्यक्ष विधा जाय उपयुक्त पट्टे बहुत कुछ बात करना बाकी रह जाता है। सत्याग्रह का कभी भी एकदम भार नही किया जाता है भार प्रत्यक्ष दूसरे नरम उपचारों की आवश्यकता नहीं कर ला जाता उसका आरंभ कभी भी नहीं किया जा सकता है। दक्षिण के सुधारकों को मन्दिर प्रवेश इत्यादि सुधारों के सम्बन्ध में लोगों को शिक्षा दे कर उनकी राय कायम करनी होगी। यह कठनाई केवल दक्षिण में ही नहीं है लेकिन हमें इस लज्जाजनक बात का स्वीकार करना चाहिए कि दुर्भाग्य से सम्पूर्ण हिन्दुस्तान के हिन्दुओं में यह बात सामान्य है। इसलिए श्री मोहनदास करमचंद ने अस्पृश्यता में जो सब से अधिक दबे हुए और दुःखी हैं उन लोगों में अर्थान्त्रिजन्मी छाया भी अत्यन्त सानी जाती है उस पुस्तिका में बड़े उत्साह के साथ जा काम करने का निश्चय किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। इसका भी संधि कार्य के बाद स्वनात्मक कार्य—अर्थान्त्रिजन्मी उत्पन्न करने का कार्य करने का निश्चय बहुत ही अच्छा है। सुधार का कार्य दोनों सत्य से होना चाहिए। संधि को जिनका उन्होंने दण्ड रखा है उन अस्पृश्यों के प्रति अपना कर्तव्य करने के लिए उन्हें समझाना चाहिए और अस्पृश्यों को अधिक योग्य बनाने के लिए और उनकी पुरी आदतों का हटाने के लिए वे जब-बंद नहीं हो सकते हैं फिर भी समाज में उचित स्थान प्रसन्न करने के लिए जिन्हें उन्हें छुड़ देना चाहिए, उन्हें छुड़ाने के लिए मदद करनी चाहिए।

(पृ० ६०)

मो० क० गांधी

## टिप्पणियाँ

### भूत प्रेतारि

एक पदस्थ ने एक बड़ा सभा पत्र लिख कर उसका सार दिया है। उस सार का भी सार इस प्रकार है:

(१) "यदि आप प्रेतारि को मानते हैं तो उनके निवारण का उपाय क्या है ?

(२) यदि आप उन्हें अस्वस्थ मानते हैं तो जो दृष्टान्त मैंने दिये हैं उनका जवाब दे कर आप मेरे मन का सहायन करेंगे ?

मैं एक दूसरा हुआ मनुष्य हूँ। प्रेतारि को नहीं मानता। लेकिन मेरे घर में ही बहुत वर्षों से इसका उल्लेख हो रहा है इसलिए आखिर यह सब बात क्या है यह जानने के लिए आपको लिखा है।"

किर इन लेखक ने अपने को और अपने लोगों को हुई पीडा के कई दृष्टान्त दिये हैं लेकिन उन्हें यहाँ प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं मालूम होती है।

भूत प्रेतारि के वा नही इसका निर्णय मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि कितने ही वर्ष हुए, वे नहीं हैं यह मान कर ही मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। जो लोग उसकी हस्ती को नहीं मानते हैं उन्हें उससे कुछ भी हालि हुई हो, यह मैंने कभी भी नहीं सुना है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि जो लोग उसकी हस्ती को मानते हैं उन्हें उससे पीडा पहुंचती है इसलिए 'महा भूत और पाँका कविन' की रक्षा का आदर करना ही उचित है।

लेकिन थोड़ी देर के लिए यही मान लो कि भूत प्रेतारि हैं तो भी वे सब ईश्वर की ही माया हैं। जिस ईश्वर के करजे में हम लगे हैं अर्थात् भूत प्रेतारि को भी उत्पन्न किया है। और एकेश्वर को माननेवाला कभी दूसरे की आराधना न करेगा। जो ईश्वर का वंदा करता है वह दूसरे की गुलामी कभी भी न करेगा। इसलिए जिन मनुष्यों को तरफ से दुःख प्राप्त होने पर ईश्वरवादी के लिए राम ही रामबाण औषधि है उसी प्रकार भूतारि के सम्बन्ध में भी है। लिखनेवाले और उसके सगे सम्बन्धी यदि अद्याप्यक रामनाम का जप करेंगे तो भूतारि का नाश जायगा। संसार में करोड़ों मनुष्य भूत प्रेतारि को नहीं मानते हैं और उन्हें वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपना अनुभव लिखते हुए यह लिखते हैं कि भूतारि उनके पिताजी को बड़ी पीडा देने हैं लेकिन जब वे स्वयं पिताजी से दूर रहते हैं उस समय उन्हें कोई पीडा नहीं होती है। उपाय भी इसी में रहा हुआ है। उनके पिताजी भूत प्रेतारि से डरते हैं इसलिए उन्हें वे डरते हैं, जैसे रूढ़ से डरनेवाले को ही राजा रूढ़ दे सकता है उसी प्रकार। जो रूढ़ से डरता ही नहीं है उसके सामन्थ में राजरूढ़ का क्या उपक्रम होगा ? जो भूत से डरे ही नहीं उसे भूत क्या करेगा।

(मञ्जीवन)

श्री० क० गांधी

### दक्षिण आफ्रिका

श्री एण्ड्रयूज दक्षिण आफ्रिका में बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए हिन्दुस्तानियों की तरफ से रुक रहे हैं। भारत सरकार की तो सन्तोष हो गया है क्योंकि दक्षिण आफ्रिका की सरकार ने उसकी अरजी पर विचार करने का स्वीकार किया है और अपने भारतीय जासितों से डेर का डेर डेर कर उसे कुछ देने सोचा देने का भी स्वीकार किया है। श्री एण्ड्रयूज ऐसी ही सरकार से यह

आशा रखते हैं कि वह एसियावासियों के विरुद्ध जो बिल तैयार हुआ है उसको कम से कम बतने समय तक मुस्तकी रखने के लिए अपनी तरफ से दबाव डाले कि जब तक सारा जोश ठंडा पड़ जाय और विचार से काम लिया जा सके। लेकिन अब थोड़े ही दिन हैं कि इसे अधिक जुरी बात सुननी पड़ेगी। यूनिवर्सल पारलीयामेन्ट में यह बिल दीर्घ ही पेश किया जायगा। यदि यूनिवर्सल सरकार भारत सरकार के प्रति शिष्टाचार भी दिखावेगी तो वह उस बिल पर विचार करना तब तक मुस्तकी रखेगी जबतक कि भारत सरकार का प्रतिनिधि मण्डल अपनी जाँच पूरी करके भारत नहीं लौट आता है और भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सुनाता है और जबतक भारत सरकार को अपनी भरजी तैयार कर के यूनिवर्सल सरकार को देने का समय नहीं मिलता है। लेकिन दक्षिण आफ्रिका में जिस प्रकार काम होता है उस पर से यह बात बर्दास्पद है कि यूनिवर्सल सरकार वह शिष्टाचार भी दिखावेगी या नहीं, जैसे शिष्टाचार की कि एक सरकार दूसरी सरकार से आशा रखनी है।

### हार्निमेन का स्वागत

सम्बन्धी सरकार और मेरे क्याल से भारत सरकार भी अपने को इसलिए सुबारकवादी दे सकती हैं क्योंकि उन्होंने हिन्दुस्तान को और एक महादुर अंगरेज को जो अन्याय किया था उसे बड़ी आनाकानी के साथ भी आब हटा कर दूर किया है। उन्होंने हार्निमेन को भारत में, — जिस देश पर उन्हें बड़ा प्रेम है और जिसके लिए वे बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं — आने से न रोकने की बड़ा हिम्मत की है। यह कोई भी नहीं जानता है कि हार्निमेन को अकस्मात यहाँ से विसर्पार करने का सच्चा कारण क्या था। उन पर कोई मुकदमा न चलाया गया था और न उन्हें उन पर लगाये गये अपराधों से इन्कार करने का अवसर ही दिया गया था।

इस प्रकार अपनी ही इच्छा से जबरदस्ती ससुर पार भेज देने के योगे दृष्टान्तों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतसरकार का कैसा अनुत्तरदायी अधिकार है। हार्निमेन के बनिस्बत अर किसी ने भी ऐसे अधिकार को रोकने के लिए अधिक कोशिश और बहस न की थी और आखिर वे भी उसके बलि हो गये थे। श्री० हार्निमेन के स्वागत में मैं भी अपना नम्र दिग्ग बंता हूँ। उन के लौट आने से स्वराज्य के लिए जो शक्तियाँ युद्ध कर रही हैं उनमें सामर्थ्य और उत्साह की वृद्धि होगी और उसने जो लंग गेठे यशस्वी युद्ध में लगे हुए हैं उनके हृदय में बड़ा ही आनन्द होगा। उनके सामने जो कठिन कार्य पड़ा हुआ है उसे करने के लिए भी हार्निमेन को तन्दुरुस्ती और दीर्घ आयुध्य प्राप्त हों।

### महासभा के सभासद

जो लोक सूत दे कर महासभा के सभासद होना चाहते हैं उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्हें यदि वे सभासद होना था बने रहना चाहें तो अपना नन्दा देना होगा। बरखासंघ के सभासद होने से ही काम न चलेगा। बरखासंघ के सभासद का महासभा का सभासद होना कोई आवश्यक नहीं है। महासभा के सभासद बनने के लिए तो उसका कार्य भर कर बरखा संघ को भेजना पड़ता है। बरखासंघ के सभासदों की यदि वे सब के अपने का अपने हाथ कता सूत (कम से कम दो हजार गज) भेज चुके हैं तो उन्हें इस साल के लिए और अधिक सूत भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(सं० ई०)

श्री० क० गांधी



# हिन्दी-नवजीवन

प्रकाशक, माघ बही ३०, संवत् १९६९

## वर्णभेद का पाप

दक्षिण अफ्रीका में जाति और रंग के अपराध के कारण हमें सजा भुगतनी पड़ती है और हिन्दुस्तान में हम अपने धर्ममाइनों को ज़ाति और वर्ण के अपराध के कारण सजा करते हैं। पंचम वर्ण का मुख्य बहुत बड़ा अपराधी है और इसलिए वह अपसृष्टता, नकारक न आने दिया जाना, मजदूरी में भी न आना इत्यादि अनेक सजाओं का पात्र समझा जाता है। मजदूर प्रान्त में अग्री जो एक असाधारण मुकद्दमा हुआ था उससे हमारे नीचे गिने जानेवाले और दबे हुए देशवासियों की उग्रोक्त दशा पर कुछ प्रकाश पड़ता है। एक सादा और साफ कपड़े पहना हुआ पंचमा, किसी का भी दिल हुलाने की या किसी भी धर्म का अपमान करने की जग भी इच्छा न रखते हुए सम्पूर्ण भक्तिभाव से प्रेरित हो कर एक मन्दिर में गया था। वह हर माल यात्रा के लिए बड़ी जगता था, लेकिन वह कभी खन्दर नहीं गया था। परन्तु इस साल वह भक्ति के जोश में धार ध्यान में अपने को भूल गया और दूसरे जातियों के साथ मन्दिर में चला गया। पंचमी उसे दूसरे लोगों के साथ पहचान न सका और उगने उसकी पूजा का श्लोकार किया। लेकिन जब उसे होश आया उसने अपने को उस स्थान में पाया जहाँ उसे जाने की मनाई थी और इसलिए वह डर गया और मन्दिर में से भाग गया। पन्तु कुछ लोगों ने जो उसे पहचानते थे उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मन्दिर के अधिकारियों को जब इस अपराध का पता चला उन्होंने मन्दिर की छुड़ि की। फिर उन पर मुद्दमा चला। एक हिन्दू मैजिस्ट्रेट ने अपने धर्म का अपमान करने के लिए उसको ७५) जुर्माना किया और जुर्माना न देनी एक महिने की सजा के द की सजा दी। उस पर अपील की गई। फिर उस पर बनी लम्बी बहस हुई। फैसला दूसरे दिन पर सुनवी रखा गया और जब उसे मुक्त कर दिया गया तो इसका कारण यह नहीं था कि अदालत यह मानती थी कि उस गरीब पंचमा का मन्दिर में जाने का एक था लेकिन क्यों कि नीचे दी अदालत अपमान को साधित करना भूल गयी थी इसलिए उसे छोड़ दिया गया था। इसमें न्याय, परम, धर्म या नीति किसी की भी विजय नहीं हुई है।

इस अर्थ के सफल होने से तेजक यही सन्तोष हो सकता है कि यदि कोई पंचमा भक्ति के जोश में आकर अपने को भूल जाय और उसे इन बात का हवाल न रहे कि उसको मन्दिर में प्रवेश करने की मनाई है तो उसे उसके लिए सजा भुगतनी होगी। लेकिन यदि वह पंचमा था उसके साथ या कोई दूसरा पंचमा मन्दिर में प्रवेश करने की फिर दिम्भन करे तो यह बहुत कुछ संभव है कि जो लोग उनको पूजा की दृष्टि से देखते हैं वे यदि उन्हें आगे बढ़े कोई सजा न दें तो अदालत उनको बड़ी सख्त सजा देगी।

उक्त विषय की ही विस्मयकारी है। दक्षिण अफ्रीका में हमारे देशवासियों के प्रति जा व्यवहार किया जाता है उसमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं और यह उचित ही है। हम लोग स्वगत प्राप्त करने के लिए अधीर हो रहे हैं। लेकिन हम हिन्दू लोग हमारे स्वधर्मियों

के एक पाँचमें हिन्दू को एक कुत्ते से भी घुरा समझ कर उनके साथ व्यवहार करने में जो अनुचितता है उसे देखने से इन्कार करते हैं। क्यों कि कुत्ते अपसृष्ट नहीं हैं। हम लोगों में कुछ तो उन्हें अपनी बेटक की बोना समझ कर पालते हैं।

हमारी स्वराज की योजना में अपसृष्टों का स्थान क्या होगा? यदि स्वराज में उन्हें सब कठिनाइयों से और धर्मों से मुक्त कर दिया जायगा तो हम आज ही उनकी स्वतंत्रता का ऐलान क्यों नहीं करते? और यदि आज हम यह करने के लिए असमर्थ हैं तो क्या स्वराज मिलने पर हमलोग इससे कुछ कम असमर्थ होंगे?

इन प्रश्नों के बारे में चाहे हम अपनी आँखें और कान बन्द कर सकते हैं लेकिन पंचमाओं के लिए तो यह बड़ा ही महत्व का प्रश्न है। यदि हम लोग इस सामाजिक और धार्मिक अत्याचार के विरुद्ध एक हो कर खड़े न होंगे तो गरीब हिन्दू धर्म के विरुद्ध ही न्याय रहेगा।

हम घुमाई बों दूर करने के लिए अवश्य ही बहुत कुछ किया गया है। लेकिन अबदक मन्दिर में जाने के लिए उन पर फौजदारी मांगला चलाया जाना संभव हो सकता है और नीचे वर्णों को मन्दिर में जाने का, सार्वजनिक कुओं पर पानी भरने का और उनके बच्चों को स्कूल-गण्डालाओं में बिना किसी रक्षात्मक के जाने का अधिकार न दे दिया जाता है तबतक यह काम कुछ भी नहीं गिना जा सकता है। ऐसे उन्हें बड़ी दृक देने चाहिए जो दृक कि हम लोग चाहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में घुरा पियन लोग हमारे देशवासियों को हैं।

लेकिन यह नहीं कि इस मामले में भी कुछ सन्तोषकारक बातें न हों। यह स्वतंत्र ही सन्तोष का विषय है कि दूसरों जो सजा दी गई थी वह दूर दूर ही गई लेकिन सबसे अधिक सन्तोष का विषय तो यह है कि गरीब बेचारे पंचमाओं की तक से अब सबको हिन्दू भी मिल गया कर प्रयत्न कर रहे हैं। यदि अपराधी की मदद का कोई न गया होता तो इस अपील पर किसी का भी स्थान न जाता। और श्री. राजगोपालाचारी ने अपील में जो दृष्टि दी थी वह कुछ कम महत्व की बात न थी। मेरे हवाल से असहयोग के सिद्धान्त का यह उचित प्रयोग था। यदि उनके प्रयत्न करने पर मुद्दालेह छूट जा सकता था और फिर भी वे अदालत में जा कर हमने तो असहयोग किया है इस सन्तोष से बेचक हाथ जोड़ कर बैठे ही रहते तो वे धर्मघूर्त ही गिने जाते। उस पंचमा को असहयोग का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उसने तो जुर्माना या कैद की सजा माफ करने के लिए ही अपील की थी। चाहने योग्य बरतु तो यह है कि हर एक शिक्षित हिन्दू अपने को अपसृष्टों का मित्र समझे और इसे अपना कर्तव्य माने कि धर्म के नाम पर कठि के अत्याचार से वे उनकी रक्षा करें। पंचमा का मन्दिर में जाना धर्म का अपमान नहीं है लेकिन उनको मन्दिर में जाने की सुभानियत का होना ही धर्म का और मुख्यत्व का अपमान है।

श्रीहरनारायण कर्मचन्द गाँधी

(ब-६०)

### आश्विन भजनचरित

पाँचवीं आश्विन छपक देवार हो गई है। पृष्ठ संख्या ३१० होते हुए भी कीमत मात्र ०-२-० रखी गई है। आश्विन के श्राद्ध का देना होगा। ०-२-० के टिकट सेवन पर पुस्तक पुस्तकालय में फौजदर भाना कर दी जायगी। १० प्रतिशत से कम प्रतिशत की भी. पी. नहीं सेजी जायी। श्री. पी. गणेशचन्द्र को एक जोशई राम पेशमी सेवन का अधिकार, हिन्दी-नवजीवन

## धर्म का अपमान !

### बह घटना

मद्रास के पास तिरुपति नामक एक पवित्र तीर्थ है। उसका बहुत बड़ा महिमा है—बंगाल में जैसा नारकेश्वर का है वैसा ही मद्रास में तिरुपति का है। इस तीर्थ के सम्बन्ध में लोगों में बह भ्रम फैली हुई है कि पतितों में भी जो पतित हो बह भी वहाँ जा कर तिष्ठ जा सकता है। उसके नजदीक ही तिरुवनपुर नामक एक दूसरा तीर्थस्थल भी है। तिरुवनपुर के मन्दिर का भी वैसा ही महिमा है। इस मन्दिर में जा कर माला जाति का एक अन्धक दर्शन कर आया था और इसलिए उस वर के फौजदारी २९५ में के मुनाबिक धर्म का अपमान करने का और पवित्र स्थान को अपवित्र करने का जुर्म लगाया गया था। बह जुर्म उस पर साबित भी हो गया और उसे ५५) जुर्माना किया गया; यदि सुरमाना न वे सके तो एक महीने की सखत कैद की सजा दी गई थी।

यदि कोई बह पूछे कि मैजिस्ट्रेट ने यह सजा कैसे दी होगी? न्यायासन को भूषित करनेवाले उस न्यायाधीश ने इस धार की किस्मे का जिन प्रकार वर्णन किया है वह वर्णन उन्हीं के शब्दों में यहाँ देना चाहिए।

“मुद्देद दस वर्ष हुए तिरुवनपुर के मन्दिर को यात्रा की हर साल जाता है। गल अवतुवर्ग की ला. ५६ को भी यह हमेशा की तरह वहाँ गया था। करियादी साक्षी नं. ३ एक दूकानदार है। उसीकी दूकान पर से मुद्देद पूजा के लिए नारियल और कपूर खरीदता है। इस समय भी उसने उसीकी दूकान पर से ये चीजें खरीदीं। उस समय उसने दूकानदार से पूछा भी था कि माला लोगों को मन्दिर में जाने देते हैं या नहीं। दूकानदार ने उत्तर में कहा था कि मालाओं को मन्दिर में जाने की इजाजत नहीं मिल सकती है। बह सुन कर बह वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद करियादी साक्षी नं. २ ने उसे ‘गर्बागूडी’ के मंच में देखा। वहाँ उसने पूजारी को नारियल और कपूर दिये और धारती के लिए चार आने भी दिये। इसके बाद उसको परमाद दिया गया और बह वहाँ से चला गया।

करियादी साक्षी नं. ४ जिस समय मुद्देद ने दूकानदार को पूछा कि माला लोग मन्दिर में जा सकते हैं या नहीं उस समय वहाँ हाज़र था इसलिए उसे सन्देह हुआ। बीच में जा कर उसने उसकी तलाश की और मन्दिर के सुवर्णद्वार के नजदीक उसे पाया। करियादी साक्षी नं. ५ ने उसे मन्दिर से हाथ में टूटा हुआ नारियल लेकर आते हुए देखा था।

करियादी साक्षी नं. ६ मन्दिर का मिरासदार है। उसका और करियादी नं. २ का कहना है कि माला लोगों को हिन्दू मन्दिर में दाखिल होने की मनाई है। यदि कोई माला मन्दिर में जाता भी जाय तो जबरन उसकी छुट्टि न की जाय बह मन्दिर पूजा के योग्य नहीं होता है। उसी दिन मन्दिर की छुट्टि भी की गई थी क्योंकि मुद्देद मन्दिर में गया था। करियादी साक्षी नं. ७ तिरुपति के पब्लिक है। उन्हें महामहोपाध्याय को अपवित्र भी प्राप्त है। उनका भी अर्थ कहना है कि माला लोगों को हिन्दू मन्दिर में प्रवेश करने की मनाई है और वे अपने कथन का समर्थन करने के लिए शास्त्र के प्रमाण भी देते हैं।

मुद्देद स्वयं इस बात का स्वीकार करता है कि वह दूकानदार नारियल और कपूर खरीद कर वहाँ हमेशा पूजा किया करता

था और वहाँ रथ सजा किया जाता है वहाँ गया था। लेकिन इतने में ही उमने देखा कि यात्रालु लोग “गोविन्दा, गोविन्दा, गोविन्दा” पुकारते हुए चले आ रहे थे। इस ध्वनि को सुनते ही उसे भी आश आ गया और उसको कुछ भी होश न रहा। जब उसे हाश आया उसने अपने को मन्दिर के स्वजस्तम के नजदीक पाया और डर कर वहाँ से भाग गया।”

कैसे वित्तर से इस मुद्दे का वर्णन किया गया है? सजा करनेवाले की वाणि से भी कितनी करुणा टपक रही है! मुद्देद नेवारा कुछ सत्यबर्षा है—न्यायाधीश और करियादी साक्षियों के जितना ही सत्यवादी है—और न्यायाधीश भी इसका स्वीकार करते हैं क्योंकि वे भी मुद्देद के बचनों का ही उल्लेख करते हैं। मुद्देद मन्दिर के सुवर्णद्वार तक गया इतना ही नहीं, उसने धारती के लिए चार आने भी चढ़ाये थे! और दूकानदार से बह पूछ कर माहम कर लेने के बाद कि माला लोग मन्दिर को अपवित्र नहीं कर सकते हैं उमने ऐसा भयंकर अपराध किया था! क्योंकि मिरासदार कहता है इसलिए मन्दिर अपवित्र हुआ था! क्योंकि मन्दिर की छुट्टि की गई थी बह अपवित्र हुआ था! और सरकार से प्राप्त महामहोपाध्याय की उधि धारण करनेवाले एक पण्डित आ कर शास्त्र के बचनों का उल्लेख कर के कहते हैं इसलिए भी मन्दिर अपवित्र हुआ था! इतने अधिक सुबूतों की क्या आवश्यकता है?

### श्री राजगोपालाचार्य मद्द को दौड़े।

श्री राजगोपालाचार्य ने इस प्रासजनक कथा को सुना और वे सन्न हो गये। मिश्री ने उसे आग्रह किया कि अपील की जा रही है उसमें आप मद्द करने की कृपा न करेंगे? राजाजी, वहाँ पहुंचे। अपील करनेवाले वकील ने तोया राजाजी के पास ही अपील कराई जाय तो क्या अच्छा हो। उन्होंने राजाजी से इसके लिए प्रार्थना की। राजा ने कहा “मैं तो केवल एक मित्र के बतौर बहस करूँ।—वकील के तौर पर नहीं—अज साहेब से पूछो, क्या वे इसके लिए इजाजत देंगे? अज साहेब ने इजाजत दे दी और राजगोपालाचार्य ने अपील में बहस की।

कोई सात साल में राजगोपालाचार्य पहली दफा अदालत में गये—हाँ, एक गलती हुई, जब सविनय मंग के लिए उन्हें जेल भेजा गया उस समय अपराधी की हेतियत से अदालत में गये थे, उसे यदि न गिना जाय तो सात साल में पहली ही बार वे अदालत में गये थे। वे अवहयोगी हो कर अदालत में क्यों गये, अदालत के बहिष्कार में पूरा पूरा विश्वास रखने पर भी वे अदालत में क्यों गये? इस प्रश्न का मैं फिर उत्तर दूँगा। अभी तो मैं उन्होंने जो बलीले की थी उसीका ध्यान करूँगा। छोटी अदालत ने एक विचित्र कारण बता कर मुद्देद को अपना बचाव करने का भी मौका न दिया था। अपने बचाव में उमने तिरुवनपुरा के गणपतिशास्त्री का, स्वामी भद्रानन्द का और गांधीजी का शास्त्र के अर्थों के सम्बन्ध में अपना साक्षी होना बताया था। लेकिन मैजिस्ट्रेट ने इन साक्षियों को बुलाने का समय देने से इनकार किया और उसका कारण यह बताया कि मुद्देद समय बीताने के लिए ही ऐसे साक्षियों के नाम दे रहा है। श्री राजगोपालाचार्य ने कहा: “मुद्देद साक्षियों को बुला सकता है लेकिन मुद्देद नहीं बुला सकता यह कहाँ का न्याय है? मुद्देद को अपने गवाह पेश करने की अरजी को नामजद करने हुए मैजिस्ट्रेट ने यह कहा था कि माला लोगों के मन्दिर में

बाधित होने से धर्म का अपमान होता है यह मानने का विवाज है। इसलिए यह माहूम होता है कि मेजरस्ट्रेट ने तो उसे सजा करने का पदक ही से निश्चय कर दिया था। और यही उस अपमान की सारी कारवाही को गैरकानून साधित करना है।

राज ने राजगोपालाचार्य को बीचमें ही यह प्रश्न किया। "महात्मा गांधी ने कन्याकुमारी के मन्दिर में प्रवेश करने का अपमान एक बाहिर किया था या नहीं?"

राजाजी ने कहा: 'इस प्रश्न का मैं फिर जवाब दूंगा और इस मुद्देह ने मन्दिर में कैसे प्रवेश किया वह भी कहूंगा' यह कह कर उन्होंने उसके हेतु या उद्देश के सम्बन्ध में कहा। "मुद्देह का किसी का भी अपमान करने का हेतु था: वह तो केवल पूजा करने के लिए ही गया था — जिस धर्म और भक्ति के साथ वह उसमें दखिल हुआ था उसमें कोई अपमान-कारक हेतु या ऐसा कुछ भी न था।"

मेजरस्ट्रेट ने कहा: 'भक्ति भी तो मन्दिर में अनुकूल हीमा में रह कर ही की जा सकती है न?'

राजगोपालाचार्य: 'आप धर्म की भाषा तो नहीं बोल रहे हैं? भक्ति को कहीं मर्यादा होती है? लेकिन सच बात तो यह है कि मुद्देह तो हमेशा बाहर ही रहना था। इस समय गोविन्दा गोविन्दा की धुन में उसे जोन आ गया और वह भी दौड़ कर अन्दर चला गया। उसका इतर रस्ता न था। उसने कपड़े पहने हुए थे और हमारे कपड़ों की तरह उसने भी काम शय्य तक इत्यादि की छाप धारण की हुई थी। उसका हेतु केवल ईश्वर के नजदिक पहुंचने का ही था। मन्दिर में जा कर उसने न कुछ अपमान किया है और न कुछ उपमा ही किया है। यह भी नहीं माहूम होता कि उसको देख कर कोई गममा गया हो। वह जेंकारा तो दण्डन करके मराम जा रहा था कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया।

श्री राजगोपालाचार्य ने अपनी तीसरी श्लोक पेश की। "इसमें धर्म का अपमान किस तरह साधित होता है। सम्प्रोक्षण करके मन्दिर की छुट्टि की गई इसलिए धर्म का अपमान हुआ यह कैसे कहा जा सकता है? उसका हेतु किसीका अपमान करने का न था। वह तो अपने परमात्मा की मन्दिर में से पुजा कर अपने हृदय में भर कर वहाँ से चला दिया था। उसमें धर्म का अपमान किमा?

धर्म जुदी चीज है और ज्ञानिप्राप्ति भी जुदी चीज है। इस घटना से किसी ज्ञानि के लोगों के दिलों को बच पहुंचा हो तो यह सम्भव है। लेकिन किसी ज्ञानि के लोगों के दिलों को बच पहुंचने तो उसके लिए सजा देने का फौजदारी कानून नहीं बने है।"

मेजरस्ट्रेट ने कहा: 'क्या गैरकानून दृष्टप्रवेश की दफे में यह पुनहा जा सकता है?'

श्री राजगोपालाचार्य ने उसके विरुद्ध शरीर पेश की: 'यहाँ उधे कोई रोकनेवाला न था, सभी ने उधे वहाँ आते हुए देखा, किसीने भी रोक नहीं।

अदालत: 'मन्दिर के पुरानी इत्यादि लोगों के दिनों को इस अपमान के प्रवेश से क्या कुछ नहीं पहुंचा गया?'

राज: 'किस तरह? एक भी लुपुन नहीं है। छुट्टि की गई यह क्या छुट्टि है? किसी भी शकप ने यहाँ जा कर अपने शकप को नहीं कर सकता है।

दिव्य के बनौर बहुत कहने लगे थे लेकिन आखिर वे तो बकील ही न? उ-होंने कानून की किताबों में अपमान के सामने पेश की और पुराने न्यायाधीशों के इस अनुभव के बचनों का भी उल्लेख किया कि वह दफा स्पष्ट अपमान के — मूर्ति इत्यादि का अपमान दिया जाता है किने अपमान के — अपराध के लिए है। उन्होंने राजगोपालाचार्य के एक प्रसिद्ध मन्दिर में अमुक एक दिन के अन्वयों को भासे की इजाजत होने के विवाज की बात कह सुनई। मेजरस्ट्रेट ने स्वयं भी हुए एक मन्दिर का देखा ही उदाहरण कह सुनाया। यदि अन्वयों के प्रवेश से ही धर्म का अपमान हो जा। है तो यही कहा जायगा कि किसी खास दिन को धर्म का अपमान करने की उधे इजाजत की जाती है।

मेजरस्ट्रेट ने इस बात का स्वीकार किया कि यह मुकदमा समी टिक सकता है जब कि अपमान साधित किया जा सके।

लेकिन श्री राजगोपालाचार्य उधे इस तरह छेड़नेवाले न थे। 'क्या अपराधना के धारण रखने के लिए फौजदारी कानूनों की उपयोग करने?' यह पूछ कर उन्होंने आखिरी श्लोक यह की: "घोड़ी दूर के लिए यह भी मन लो कि मुद्देह का हेतु अत्यन्त हो कर भी मन्दिर में जाने का और अपमान एक साधित करने का था। तो भी जो दफा उस पर लागूई जाती है वह नहीं लगाई जा सकती है। यह दफा केवल अपमान के लिए ही है। इस दफे में कोई अपने हकों को मांगे तो उसके लिए कोई सजा नहीं उधरई गई है। कोई शकप किसी चीज का वह अपनी है वह उधेकर उधे कि जाय तो उसके फरर चोरी का धुन साधित नहीं हो सकता है। 10 साल बचक की बात दूसरी थी। लेकिन आज तो मैं यह कहता हूँ कि यह दफा भी छुट्ट मुट्टि से ही उधे प्राप्त है क्यों कि आज तो ऐसा दफा सांगनेवाले बहुत से पड़े हैं और उसका स्वीकार करनेवाले भी बहुतेरे दिग्ग पड़े हुए हैं।

अदालत: 'अन्वय का प्रवेश करने का एक छुट्ट मुट्टि से कहा जा सकता है?'

राज: 'अन्वयता के प्रश्न की इसका ही न होती तो बाहर ही दूरी थी लेकिन आज तो जन्मा की करण का धर्म हुआ है और मन्दिर प्रवेश के दफा का छुट्ट दफा किया जा रहा है।'

अदालत: यदि जन्मा की सजा का धर्म हुआ है तो कानून बनानेवाले अपमान को उसका उधेकर करके जो प्रजा करे बची करना चाहिए।"

श्री राज: 'कानून बनानेवालों को यह धर्म नहीं हुआ है, बाधा यह दावा तो है प्राधानिक।

अदालत: 'आपको अन्वय यह दफा दीवानी अदालत में पेश करना चाहिए।'

श्री राज: 'यदि आप मुझे उधे न समझें तो मैं अपना यह दावा बची पेश करना चाहता हूँ। फौजदारी मामलों में कानून अपने दावे का आधार बन सकता है। 1925 में संसद ने कानून बने दिग्ग होने का प्राधानिक दावा करता है। इसलिए सजा मन्दिर में इजाजत होने का दावा या प्राधानिक ही किया जाना चाहिए, और उधे अपमान नहीं मानता चाहिए।

श्री राज: 'यदि यह अनुभव करता हूँ कि आप मुद्देह के बचनों को धर्म बन कर लपका लही लही भरी करे, यह धर्म के बीच में जा कर ही मन्दिर में गया था। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात का स्वीकार करे कि यह छुट्ट सजा ही — उधे

अपना धर्म न माने । मैं नहीं चाहता हूँ कि समय अवमान नहीं होता है क्योंकि वह तो है। इसके बहिष्कार यह कुछ कुछ से अपने-आपनाधिक एक संज्ञा कर मन्दिर में गया था इस लिए अवमान ही ही नहीं सकता है, यह कारण बता कर उसे छोड़ दें। यह अवमान है, यह सब अवमान है कि मैं हिन्दू हूँ और हिन्दू-मन्दिर में पूजा करने का मुझे हक है। यदि मैं मन्दिर में जाने के लिए जाता हूँ तो प्रार्थना, अधिकारी और प्रतिनिधित्व, हिन्दू का कर सब करने के लिये मैं सब दावा करता हूँ। उसमें यह दावा नहीं ही शक्ति के साथ किया है। यह दावा तोड़ कर या खोल कर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उस पर जाने का अवमान करने का अवमान तो कनावा ही नहीं जा सकता है। महाराज को भी मैं अवमानाचारण की प्रवृत्ति को एक अवमान प्रवृत्ति बना दिया है। महाराज ने इस प्रवृत्ति को अपनाया है, अवमान जाने जानेवाले लोगों की अवमान हुई है और उनकी अवमानके किन्तु ही हिन्दू उन्हें स्वीकार और हिन्दू मानने लगे हैं। इन सब बातों का विचार करके अवमानों का मन्दिर में पूजा करनेका हक, प्रार्थनायक हक ही माना जाना चाहिए।”

अदालत: मैं इस बात का स्वीकार करता हूँ कि नमका सब हक कुछ रखना चाहिए लेकिन यह हक कुछ रख गया है यह पढ़ना तो इतनी ही बात है।

दूसरे दिन मैजिस्ट्रेट ने फैसला दिया। उसमें उन्होंने कहा: “यह भाविक नहीं होता है कि अवराधी ने धर्म का अपमान किया है या किसी के दिल को कष्ट पहुँचाया है इसलिए अवराधी को निर्दोष मान कर छोड़ दिया जाता है।”

**क्या अब भी न समझेंगे ?**

इस प्रकार मैजिस्ट्रेट ने ‘अवमान हिन्दू-मन्दिर में प्रवेश करे तो धर्म का अपमान नहीं होता है’ इन का न तो नहीं लेकिन इस मामले में अवमान सिद्ध नहीं होता है, यह कारण बता कर अवराधी को छोड़ दिया। कानून की दलीलें सत्य होने पर भी, राजनीत्याचार्य ने हिन्दू मैजिस्ट्रेट के आतिर को भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया लेकिन बारद नहींने कानून का ही विचार करने-वाले के उनमें के कड़े निकट लकड़े थे।

जै. राजनीत्याचार्य की इस दलील को पढ़ी देने विस्मय-पूर्ण है कि हिन्दूजनता ऐसी घटनाओं को छुन कर भी कुछ सोचें और समझें। अवमान के मन्दिर में प्रवेश करने के धर्म का अपमान तो कुछ भी नहीं होता है केवल ऐसे अवमान को जोड़ने के लिए जिस हिन्दूजनता में कोशिश ही जाती है और जिसे राजनीति के लिए कानून को ऐसी लकीरें खींची जाती हैं वह हिन्दूजनता अपने धर्म का उपहास ही करता है और समाज के सामने अपने को जनहायास्यद साबित करता है।

**धर्म और अवमान**

अब भी राजनीत्याचार्य अवमानों की जाने पर भी अदाकत नहीं करें और कानून का उन्होंने नहीं बचाव किया, इसका कारण यह है कि वह भी ठग है। अवमानों को अवमान करने का उद्देश्य है कि वे अपने-आपके भी सब दलीलें करके हिन्दूजनता के अवमानों को दे इसलिए कि अवमान में नहीं आते हैं। यदि राजनीत्याचार्य ने मुझे एक धर्म दिया है तो मैंने ही इस धर्म को नहीं अपनाया है। यह सब बातों का विचार करके अवमानों का मन्दिर में पूजा करनेका हक, प्रार्थनायक हक ही माना जाना चाहिए।”

“अधिक की धुन में दूसरे यात्रियों के साथ मन्दिर में जानेवाले अवमान को कानून के अनुसार अवराधी ठहराया गया, यह धुन कर मुझे बड़ा ही क्रोध हुआ। मुझे विष्णु पुकाया गया। बहील ने मुझ से कहा: ‘असली आप ही बचाव न करो?’ मैंने कहा यदि एक मित्र के तौर पर मुझे बड़ा करने दें तो मैं कहूँगा: ‘अदाकत ने’ इमानत ही। बहील का पोषाह भी न पहना था—सब मर और कुबला पहने—खाली हा जो उपरना भीड़ना हूँ यह बहर था। मेरा हवा है कि प्रत्येक नियम के लिये अवमानों का अवमान जाने पर भय कर के ही उसका सवा पालन किया जा सकता है। एक भला और भोला भक्तजन अवमान के सब विधियों से अकेल, बरसल पहने हुए, मारियल और कपूर के कर नाथ के जगह में आ कर मन्दिर में दौड़ जाता है, पूजा कर के बाहर भागा है। बाहर उपची ज्ञाति जानने पर पुलित उसे मन्दिर अवमान करने के लिए और धर्म का अपमान करने के लिए पकड़ती है और उसे सजा कराता है—ऐसे बौर अवमान का विचार करके हुए मैंने यह निश्चय किया कि अदाकत के साथ के अवमानों के नियम का अवमान नहीं किया जा सकता है। मुझे यह भी बयान हुआ कि अवमान के जाने जाने-वाले इस अवमान के समान में मेरा जो हवाक है वह अदाकत को सुना कर अवमानाचारण के काम को भी मैं मदद कर सकूँगा।

यह बेचारा न सत्याग्रही था और न सुधारक था और वह न कोई योद्धा ही था, वह तो एक गरीब अवमान था। वह अपने को हिन्दू समझनेवाला और हिन्दू-धर्म में भद्रा रखनेवाला था। मन्दिर में रहनेवाला ईश्वर उसकी भक्ति और उसकी आरती चाहता है यह उसकी निष्ठा थी। उसे यह सलाह देने की मेरी हिम्मत न हुई कि वह अदाकत की ही हुई सजा सहन कर ले। यह सजा सहन कर के तो उसे फिर बला ही मुन्हा करते रहना चाहिए—लेकिन वह ऐसा शर्य नहीं बच—और ऐसे भले और भक्त अवमानों के साथ हमलों का अभी ऐसा सादातन वा अनुभवान नहीं हुआ है कि उनकी रक्षा के लिए हम उनके हाथ में सविनय अंग की तन्वार रख सकें। उनके विरुद्ध बचवा करने की हिम्मत करनेवाले बहुत से लोगों को यही नहीं मान्य होता है कि ईश्वर क्या है। वे तो धर्म में समानता का दावा इसलिए करते हैं क्योंकि उससे राजकीय हक प्राप्त होते हैं, और इसलिए नहीं कि हिन्दूजनता में उन्हें पूजा करने का अधिकार प्राप्त हो। यह अवमान तो बेचारा प्रति वर्ष इस मन्दिर के पास जाता था और गरीबी से नम्रतापूर्वक अपना मारियल और कपूर दे कर चला जाता था। हम सब संभव है कि गांधीयुव की चर्चना का खति उनके काम पर पहुँचा हो और उसके विषय आस्था की लम्बी बच बने हो। उम्र बेचारे ने यह किती ही पूछ भी किया था कि मन्दिरोप मन्दिर में जा सकते हैं या नहीं? मारियल देनेवाले दूकानदार ने कहा कि वे नहीं जा सकते हैं। उसने इस पर कोई जवाब नहीं किया, वह तो दरवाजे पर धक-धक से खपीर ही अपनी मीठ रख कर लौट जानेवाला था कि इतने में सिधरति के यात्राओं की रणतुरी ‘मोविन्दा, मोविन्दा, मोविन्दा’ सुनाई दी। यात्राओं का हक देवता हुआ और रणवाद करता हुआ कल्प आ रहा था। वे गये उनके साथ बड़े भी जोर का गया और वह भी मन्दिर में चला गया। उसके कपूर और मारियल धुति के लिये बचके जाने मिले जाने के। लकड़ी की लकड़ा था और वह भी मन्दिरोप में चला गया। वह अवमान का रहा था कि उसकी बचकी बचकी और अवमान में अब



पर अपराध लगा कर उसे सजा की गई थी। उस बेचारे अन्वयज को जो विचार उस शुा घड़ी में यकायक मन्दिर में खींच ले गये थे उन विचारों को कौन जान सकता है ?”

व्यवहार और धर्म जुड़े जुड़े हैं। जो धर्म व्यवहार में निरर्थक होता है उस धर्म की कुछ भी कीमत नहीं होती है। एक कौने में बैठ कर गायत्री का जप करनेवाला मनुष्य या मुनि अपने सम्बन्ध किसी भी जन्तु के हुए और मृत्यु को प्राप्त होते हुए देखे या किसी का आर्तनाद सुने फिर भी बह बैठा पड़ा जप ही किया करे तो उस मनुष्य को धर्मनिष्ठ मनुष्य न कह कर जड़ ही कहेंगे। उस भक्त अन्वयज को बचाना थी। राजगोपालाचारी का कर्तव्य था, उनका यह धर्म था। अछहयोग के स्थूत अक्षरों का पालन करने में उतना धर्म न था। स्थूत अक्षरों को छोड़ कर के ही वे उस धर्म का सच्चा पालन कर सकते थे। ऐसे प्रसंगों में यदि नियम के अक्षरों का जान बूझ कर भंग न किया जाय तो नियम निरर्थक होना है, वह नियम आत्मा से हीन हो जाता है।

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देसाई

### लड़ाई कैसे सुलगी ?

(अनुसंधान अंक २० पृष्ठ १५७ से)

अर्थात् यूरोपीय राष्ट्रों ने केवल अपने ही उत्थार और जलसेना पर आश्रय रख कर सन्तोष न माना था लेकिन गंधिया भी की थी और अपने सब साधनों का 'संधि' से अपने साथ बद्ध हुए राष्ट्र की सेवा में धर दिये थे। लड़ाई के पहले बीन हीम वर्य में युद्धगामपी के इस प्रकार बटाने की दृष्टि का सही सही अर्थ सब समझ में आ सकता है। एक तरफ से इंग्लैंड, फ्रान्स, रूसिया और दूसरी तरफ से जास्ट्रीया, जर्मनी और इटली के १९१० से १९१३ तक के ४ वर्ष के लड़करी खर्च के अंक इस प्रकार हैं।

	लाख पौंड		
	स्थलसेना	जलसेना	कुल
जर्मनी	५५१५	१०४४	७६५९
आस्ट्रीया-हंगरी	०८२५	४६२	३२८७
इटली	१९३७	९५०	२८८७
<b>कुल</b>	<b>१०२७७</b>	<b>३५५६</b>	<b>१३८३३</b>
रशिया	६३६८	१७३८	८१०६
फ्रान्स	६६४०	१९६४	८६०४
ब्रिटेन	३९०१*	४९९५	८९०६
<b>कुल</b>	<b>३९०१</b>	<b>८६९३</b>	<b>१३६०२</b>

\* इसमें सोअर लड़ाई के समय जो १७८० लाख पौंड का खर्च हुआ था वह शामिल नहीं है। १९०० का अनुमान २८० लाख पौंड का खर्च इसमें शामिल है।

मन एका गाय तो इन अंकों से जो कुछ भावना होना है उससे भी अधिक गान देने योग्य दूसरे गंधोग भी थे। क्योंकि इटली ने महायुद्ध के समय अपना विचार बदल दिया था और वह ब्रिटेन की तरफ से लड़ा था। इसलिए यदि इटली का खर्च मित्रराज्यों के खर्च में शामिल कर दिया जाय तो उसके यह अंक होंगे। जर्मनी, आस्ट्रीया का कुल खर्च १०९२० लाख;

रशिया, फ्रान्स, ग्रेटब्रिटेन और इटली का १९१०-१९१३ तक ४ वर्षों में ग्रेटब्रिटेन और रशिया ने अपने जलसेना और स्थलसेना पर जर्मनी से अधिक खर्च किया था और इन चार राज्यों का कुल खर्च जर्मनी और आस्ट्रीया हंगरी के कुल खर्च के अनन्वयत २१ गुना अधिक था।

१९१३ की ७ वीं जून की रात को आग की राभा में युद्ध मंत्री से एक सभासद ने पत्र किया था कि रशिया, आस्ट्रीया हंगरी, जर्मनी और फ्रान्स के धार्मिक रक्षक मंत्र्य में गन दो वर्षों में कितनी बढ़ हुई है। उसका उस प्रकार उत्तर दिया गया था।

#### रशिया

सैन्य बढ़ाया गया	७५०००
वर्तमान शान्ति रक्षक सैन्य	१,२८४,०००
अविध्य का अभी माध्यम नहीं हो सका है।	

#### फ्रान्स

सैन्य बढ़ाया जायगा	१८३,७१५
अविध्य का शान्ति रक्षक सैन्य	७४१,५७२

#### जर्मनी

सैन्य बढ़ाया गया	३८,३७८
„ बढ़ाया जायगा	१३६,०००
अविध्य का शान्ति रक्षक सैन्य	८११,९६४

#### आस्ट्रीया हंगरी

सैन्य बढ़ाया गया	५८,५०५
वर्तमान शान्ति रक्षक सैन्य	४७६,६४३
अविध्य का सैन्य अभी माध्यम नहीं हो सका है।	

नीचे दिये गये अंका में १९१४ में नौकरा सभ्यों का पुरी पुरी शानियों की तुलना हो सकेगी।

मित्र त्रिपुटी	बड़े हथियार छंटी टोरपांकी क्रिस्टोयर लक्ष्मरीन		जहाज (विशेषक जहाज और जहाज)		गम-बोट	
	जहाज	बन्द कूसर	जहाज	कूसर		
जर्मनी	४८	९	४२	५४	१४४	३६
आस्ट्रीयाहंगरी	२०	२	१३	४८	१८	११
इटली	२०	९	१३	१०९	४८	२६
<b>कुल</b>	<b>८८</b>	<b>२०</b>	<b>७५</b>	<b>२४७</b>	<b>२१०</b>	<b>७३</b>
मित्र त्रिसेय						
ग्रेटब्रिटेन	८२	५१	९२	१२९	२४८	९७
फ्रान्स	३४	२०	११	१६६	८३	१०२
रशिया	२२	६	१६	३५	१४०	५५
<b>कुल</b>	<b>१३८</b>	<b>७७</b>	<b>११९</b>	<b>३३५</b>	<b>४७१</b>	<b>२५४</b>

#### द्वितीय-पुस्तकें

लोकरान्य की अर्थात्कलि	...	...	...	...	...	...
आध्यात्मजनावलि	...	...	...	...	...	...
अवजित अंक	...	...	...	...	...	...
डॉक कान अलखड़ा	...	...	...	...	...	...
डॉक कान अलखड़ा	...	...	...	...	...	...
डॉक कान अलखड़ा	...	...	...	...	...	...

व्यवस्थापक, द्वितीय-नवजीवन

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ ४ क ६१

सूचक-प्रकाशक स्वामी आनंद	अहमदाबाद, माघ चर्दी ८, संवत् १९८२ गुरुवार, ७ जनवरी, १९२६ ई०	मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय, खारंगपुर सरकोमरा की हाडी
-----------------------------	--	---

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

अध्याय ५

हाइस्कूल में

मैं यह ऊपर कह गया हूँ कि जब मेरा विवाह हुआ उस समय मैं हाइस्कूल में पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही शाना में पढ़ते थे। मेरे उज्ज्वल मधु ऊपर के बर्गों में थे और जिनका मेरे साथ ही साथ विवाह हुआ था वे मुझसे एक ही बर्ग आगे थे। विवाह का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों को एक एक वर्ष स्थगित किया गया। मेरे भाई के लिए तो इससे भी अधिक विषम परिणाम यह हुआ कि विवाह के बाद वे शाना में ही न रह सके। परमात्मा जाने कितने ही युवकों के सम्मुख में ऐसा अनिष्ट परिणाम आता होगा। विद्याभ्यास और विवाह के दोनों हिन्दू संसार में ही एक साथ रह सकते हैं।

मेरी पढ़ाई चलती रही। हाइस्कूल में मैं बोधा लड़का न गिना जाता था। शिक्षकों की प्रीति तो मैंने हमेशा ही सम्पदन की थी। प्रतिवर्ष विद्यार्थी के अभ्यास और उसके बालकजन के संग्रह में मतापिनाथों के पास प्रमाणपत्र लिख कर भेजे जाते थे। उसमें मेरा अभ्यास और बालकजन ठाक न होने की शिक्षावत् कभी भी न लिखी गई थी। दूसरे बर्गों में से पास हो जाने के बाद तो इनाम भी प्राप्त किये थे और पाँचवें और छठे बर्गों में तो अनुक्रम से चार रुपया और दस रुपया शिक्षावृत्ति (रकार्रणीय) भी प्राप्त की थी। इस शिक्षावृत्ति को प्राप्त करने में मेरी होशियारी के अनिश्चल भाग्य ही अधिक प्रबल था। क्योंकि कि ये वृत्तियाँ सब के लिए न थीं, लेकिन सीरठ प्रश्नों में जो लड़का प्रथम आये उसीको मिलती थी। बालीम या पैतंगलीस विद्यार्थियों के उस बर्ग में उस समय सीरठ प्राप्त के विद्यार्थी हो ही कितने सकते थे?

मेरे सम्बन्ध में मुझे यह बौर है कि मुझे अपनी होशियारी के प्रति कुछ भी मान न था। इनाम या शिक्षावृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था लेकिन मुझे अपनी बालकजन के सम्मुख में कभी शिन्ता रहती थी। बालकजन में जग भी प्रकट होती थी कि मुझे सलाई आ जाती थी। यदि मुझसे ऐसा कोई कार्य हो जाय कि जिससे शिक्षक को मुझे पुरा भला कहना पड़े या उनको ऐसा भाव ही हो तो मुझे यह असह्य हो जाता था। मुझे यह

याद है कि एक समय मार खानी पड़ी थी। मार का दुःख न था लेकिन मैं सजा का पात्र गिना गया यही बड़ा भारी दुःख था। मैं बहुत कुछ रोया। यह प्रसंग सामद पहले या दूसरे बर्ग का है। दूसरा एक प्रसंग सातवें बर्ग का भी है। उस समय दोराबजी एडलजी गिमी हेड मास्टर थे। वे विद्यार्थीप्रिय थे क्योंकि वे निन्दों का पालन कराते थे, निबन्धपूर्वक काम कराते थे और काम लेते भी थे और पढ़ते भी अच्छा थे। उन्होंने ऊपर के बर्गों के विद्यार्थियों के लिए कसरत करना और क्रिकेट खेलना फर्ज बना दिया था। मुझे यह नापसंद था क्योंकि वह अनिर्वाह विषय नहीं बना दिया गया तथाकथम कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी भी नहीं गया। न जाने मैं मेरी लज्जाशील प्रकृति भी एक कारण था। अब मैं यह समझ सका हूँ कि यह मेरी भूल थी। उस समय मुझे यह गलत क्याल हो गया था कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब समझ सका हूँ कि विद्याभ्यास में व्यायाम को अर्थात् शारीरिक विकास को भी मानसिक विकास के समान ही स्थान मिलना चाहिए।

फिर भी मुझे यह कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कुछ भी सुकमान न हुआ। सकारण यह था कि पुस्तकों में मैंने खुला हवा में घूमने जैसे दो विकारिण को पढा था और यह मुझे पसंद भी आई थी, इसलिए हाइस्कूल के ऊपर के बर्गों में ही बाहर घूमने जाने की जो मुझे आरत पड़ी थी वह आखिर तक रही। घूमना भी तो व्यायाम ही है। इसलिए मेरा शरीर भी अच्छा बना रहा।

मेरी इस नापसंदी का दूसरा कारण, पिताजी की सेवा करने की मेरी तीव्र इच्छा थी। काला बन्द होने पर फौरन ही घर जाता था और उनकी सेवा में लग जाता था। जब कसरत में जाना अनिर्वाह कर दिया गया तो इस सेवा में भी विघ्न पडा। मैंने गीमी सहज से पार्थना की कि पिताजी की सेवा करने के लिए मुझे कसरत में जाने से माफी मिलनी चाहिए। लेकिन वे माफी क्यों देवे सगे? एक घानीचर को सुबह की घाला थी। शाम को चार बजे कसरत में जाना पड़ता था। मेरे पास घड़ी न थी और आकश में पादल थे इसलिए दिन दिखाई न पड़ता था। बाइलों से मैं डगा गया। जब कसरत में पहुँचा उस समय सब काँके बके गये थे। दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो

मुझे गिरहाजिर पाया। मुझसे उसका कारण पूछा गया। मैंने जैसा था वैसा बता दिया। लेकिन उन्होंने मेरा कहा सब नहीं माना और एक आना या दो आना (ठीक ठीक राह नहीं है) खुरबाना कर दिया। मैं झूठा साबित हुआ और इसका मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं यह कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठा नहीं हूँ? उसका कोई उपाय ही न था। दिल ही दिल मैं समझ कर बैठ रहा और रोना रहा। उधर दिन में यह समझा कि सब बोलनेवाले को और सत्य काम करनेवाले को कभी गालियाँ भी न रहना चाहिए। मेरे विद्याभ्यास के समय में मेरी ऐसी यह गफ़लत पहली और आखिरी ही थी। मुझे कुछ कुछ ऐसा बाद पड़ता है कि यह खुरबाना मैं उस समय मुभाक करा सका था।

कसरत में से तो आखिर मुक्ति प्राप्त की ही। हेबमास्टर को पिताजी ने इस मतलब का एक पत्र लिखा कि शाला के समय के बाद के समय में वे अपनी सेवा के लिए मेरी हाजरी घर पर चाहते हैं। इस पत्र के कारण मुझे उससे छुट्टी मिली। लेकिन यद्यपि मुझे व्यायाम न करने की सजा न भुगतनी पड़ी थी लेकिन एक दूसरी भूल जो मैंने उस समय की थी उसकी सजा तो मैं आज भी भुगत रहा हूँ। पढाई में अक्षर सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है यह मलत ख्याल न मालूम कहां से मेरे दिल में आ चुका था। मैं बिलायत गया तबतक यह ख्याल बना रहा। उसके बाद और खास कर दक्षिण आफ्रिका में जब मैंने वकीलों के और पढ़े हुए नवयुवकों के अक्षर मोती के दोनों के समान सुन्दर देखे उधर समय मुझे शर्म मालूम हुई और बड़ा पछताया। उधर समय में यह समझा कि दुरे अक्षरों का होना अधूरी शिक्षा का ही चिह्न गिना जाना चाहिए। मैंने पीछे से अपने अक्षर सुधारने का बड़ा प्रयत्न किया लेकिन उसका कुछ भी फल न हुआ। अजबानी में मैंने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया था उस बात को मैं आज तक भी नहीं कर सका हूँ। मेरे उदाहरण से प्रत्येक युवक और युवती को यह चिन्तावनी मिल जानी चाहिए कि अच्छे अक्षरों का होना विद्या का एक आवश्यक अंग है। अच्छे अक्षर निकालना सीखने के लिए लेखनकला सीखने की आवश्यकता है। अब मैं तो इस राय पर पहुँचा हूँ कि बालकों को प्रथम लेखनकला ही सीखानी चाहिए। जिस प्रकार बालक पक्षी इत्यादि पक्षियों को देख कर उन्हें उड़ान ही में पहचान सकते हैं उसी प्रकार वे अक्षर पहचानना भी सीखें और जब लेखनकला सीख कर चित्र इत्यादि निकालने लगे उस समय अक्षर लिखना सीखें तो उनके अक्षर भी छपे हुए अक्षरों के समान ही होंगे।

इस समय के विद्याभ्यास से संबन्ध रखनेवाले दूसरे दो स्मरण भी उल्लेख योग्य हैं। विवाह के कारण मेरा जो एक वर्ष बिगड़ा था उसको बचा देने के लिए दूसरे वर्ग के मास्टर ने मुझसे कहा। मिहनत करनेवाले विद्यार्थियों को उधर समय इसके लिए इजाजत दी जाती थी। इसलिए मैं तीसरे वर्ग में कोई ६ ही महीने रहा और गरमी की छुट्टियों के पहले होनेवाली परीक्षा के बाद मैं चौथे वर्ग में चला गया। इस वर्ग में कितने ही विषयों की अंगरेजी के द्वारा शिक्षा देना शक्य होता है। इसमें मेरी गमना में कुछ भी न आता था। भूमिति भी चौथे वर्ग में ही सिखाना शक्य की जाती थी। मैं उसमें पीछे तो था ही और उसे तो मैं बिल्कुल ही न समझ सकता था। भूमितिशिक्षक बड़ी अच्छी तरह समझाते थे लेकिन मेरी समझ में कुछ भी न आता था। बहुत दफा तो मैं निराश हो जाता था। किसी किसी समय तो यह ख्याल भी होता था कि एक साल में दो वर्ग पास करने के प्रयत्न को छोड़ कर मैं तीसरे वर्ग में ही जा बैठूँ।

लेकिन ऐसा करने में तो मेरी आज जाती थी और जिस शिक्षक ने मेरे पर विश्वास रख कर मेरी शिक्षादिश की थी उसकी भी आज जाती थी। उसी भय के कारण नीचे उतरने का मैंने विचार छोड़ दिया। प्रयत्न करते करते जब मैं मुझिब के तेरहवें प्रमेय पर आया उस समय यकायक मुझे यह मालूम हुआ कि यह तो बड़ा ही सरल विषय है। जिसमें केवल मुझिब का सीधा और सरल उपयोग ही करना होता है उसमें मुझिब ही क्या हो सकती है? इसके बाद तो भूमिति का विषय मेरे लिए बका सरल और रसिक विषय हो गया था।

संस्कृत में मुझे भूमिति से भी अधिक कठिनाई मालूम हुई थी। भूमिति में कुछ भी रटना न पड़ता था लेकिन संस्कृत में तो मेरी दृष्टि में सभी बातें रटने की थीं। इस विषय का भी चौथे वर्ग से ही आरम्भ होता था। छठे वर्ग में मैं गमना गया। संस्कृत के शिक्षक बड़े सख्त थे। विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखा देने का उन्हें लोभ रहता था। संस्कृत के और फारसी के वर्ग में एक प्रकार की स्पर्धा रहती थी। फारसी सीखनेवाले मौलवी बड़े नम्र स्वभाव के थे। विद्यार्थी आपस आपस में बातें करते थे कि फारसी तो बड़ी सहल है और फारसी के शिक्षक भी बहुत ही भले हैं। विद्यार्थी जितना सीखते हैं उतने से ही वे सन्तोष मान लेते हैं। मैं भी फारसी सहल है यह सुन कर लसबा गया और एक दिन फारसी के वर्ग में जा कर बैठ गया। संस्कृत शिक्षक को इससे बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने मुझे बुला मेजा और कहा “यह तो समझो कि तुम किसके लडके हो। अपने ही वर्ग की भावा तुम न सीखोगे? तुमको जो कुछ कठिनाई मालूम होती हो वह मुझसे कहो। मैं तो सभी विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढाना चाहता हूँ। आगे चलने पर तो उसमें रस के घुंटे पीने को मिलेंगे। तुम्हें इस प्रकार न हारना चाहिए। फिर से तुम मेरे वर्ग में ही जा कर बैठो।” यह सुन कर मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई। शिक्षक के प्रेम का मैं अमादर न कर सका। आज मेरा आत्मा कृष्णाशंकर मास्टर का उपकार मान रहा है क्योंकि जितना संस्कृत में उस समय सीख सका था उतना यदि न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों में जो मैं दिलचस्पी ले रहा हूँ उतनी दिलचस्पी मैं कभी भी न ले सकता था। मुझे तो बड़ी पश्चाताप हो रहा है कि मैं कुछ अधिक संस्कृत न सीख सका क्योंकि पीछे से मैं यह समझ सका हूँ कि एक भी हिन्दू बालक ऐसा न होना चाहिए कि जिसका संस्कृत का अध्ययन अच्छा न हो।

अब तो मैं यह मानने लगा हूँ कि भारतवर्ष के सब शिक्षा के काम में मातृभाषा के सिवा राष्ट्रभाषा हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी, अंगरेजी को भी स्थान मिलना चाहिए। इतनी भाषाओं की संख्या से किसी को भी करने का कोई कारण नहीं है। यदि व्यवस्थित तौर पर भाषा सीखायें जाय और हम लोगों पर अंगरेजी में विचार करने का और उसके द्वारा सब विषयों को सीखने का बोझ न रहे तो उपरोक्त भाषाओं के सीखने में कोई बोजा न मालूम होगा, यही नहीं उधरमें बड़ी दिलचस्पी भी रहेगी। जो वाक्य एक भाषा को प्राकृतिक रीति से सीखता है उसकी दूसरी भाषाओं का ज्ञान बड़ा सुलभ है। सब पूछा जाय तो हिन्दी, गुजराती, संस्कृत एक भाषा में गिनी जा सकती है और उसी प्रकार फारसी और अरबी भी। फारसी यद्यपि संस्कृत से और अरबी हिन्दू से सम्बन्ध रखनेवाली है फिर भी दोनों इस्लाम के प्रकट होने के बाद विकसित हुई हैं इसलिए दोनों में निकट सम्बन्ध है। ऊर्दू का मैं अलग नहीं गिनता हूँ क्योंकि उसके व्याकरण का हिन्दी में

समावेश हो जाता है। उसमें सब्द ही कारखी और अरबी के ही हैं। कंचे प्रकार की ऊर्धु जाननेवालों को कारखी और अरबी सीखना आवश्यक है, उसी प्रकार जिस प्रकार कि कंचे प्रकार की शुभराती, हिन्दी, बंगाली, मराठी जाननेवालों को संस्कृत सीखना आवश्यक है।

( नवमीवन )

बीहमदास करमचंद गांधी

**कानपुर**

कानपुर आते हुए हमलोग भुसावळ से भी सरोजिनी देवी के साथ हुए। हमें यह समाचार तो पहले ही से मिल गये थे कि कानपुर में कुछ बोधे से मनुष्य श्रीमती के अध्यक्ष होने के विरुद्ध हैं और वे उनके स्वागत को हानि पहुंचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमलोग यही सोच रहे थे कि यदि उनके प्रयत्न सफल हुए तो कैसा कलक लगेगा। लेकिन सरोजिनी देवी तो इसके लिए तैयार हो कर आयी थीं। उन्होंने स्वयं यह बात उची और मुस्कुराते हुए कहा: 'मुझे बहुत से पत्र — कोम्युनिस्टों ( वसुधैव कुटुम्बवादियों ) के — मिले हैं। वे लिखते हैं कि हमलोगों को आप से कोई झगडा नहीं है लेकिन आप अपना धर्म भूल गयीं हैं और कोम्पोलिशन बन गयीं हैं यह हमलोगों को पसंद नहीं है और इसलिए हमलोग आपका स्वागत न करेंगे। गरीब बेचारे! उन्होंने काले भंडे भी तैयार रखे हैं। उन्हें देखने में बड़ा आनन्द आवेगा। पताजा तो यह तमाशा देखने के लिए ही साथ आई है। लेकिन सरोजिनी देवी ना उनकी उड़की को किली को भी यह देखने का मगान मिला और हमलोगों को भी यह कष्टप्रद अनुभव न हुआ। लोगों की भीड़ का, शहर की सजावट का और उनके उत्साह का कोई हिसाब न था। लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहिए कि हमारे इतिहास की इस असाधारण घटना — महासभा का अध्यक्ष एक लो का होना — देख कर भी इस प्रान्त की लीयें पर्दा छोड कर बाहर न निकलीं। बाहर या मन्थ में बोधी ही थी लीयें थी।

× × × ×

व्यवस्था—रहने—करने की, खानेपीने की, सफाई की— अच्छी कही जा सकती है। इसीसे सम्बन्धों व्यवस्था तो इतनी अच्छी थी कि पहले की जिननी भी महासभायें देखी हैं उनमें किसी में भी ऐसी व्यवस्था न दिखाई दी थी। हा, बेलगांव की सफाई कुछ अंशों में बड कर अवश्य थी। और यह सब एक ही मनुष्य के उत्साह का फल था। फूलचन्द जैन नामक एक व्यापारी हैं, वे लोहे का व्यापार करते हैं। उनकी मजता की कोई सीमा नहीं है। उनको देख कर कोई भी उन्हें सहायिपति न समझेगा, लेकिन सामान्य मजदूरी कर के पेट भरनेवाला ही समझेगा। परन्तु रसीद के खर्चे में जितनी भी कमी हो उसे अपनी तरफ से पूरा करना स्वीकार कर के उन्होंने अपनी ही देखभाल के नीचे सारी व्यवस्था की थी—य कभी उनका महासभा देखने के लिए दिक नका और न कभी प्रदर्शन देखने के लिए। वे तो अपने ही काम में लगे रहते थे। उन्होंने शहर में से ही परोसनेवालों का हेंक बड़ा संघ खडा किया था और वे जो लोग भोजन करने के लिए आते थे उन्हें अपने जेब और आग्रह के साथ भोजन कराते थे कि लोगों, वे अपने घर ही पर उन्हें खाना खिलाते हों। परोसनेवालों के प्रेम की देखा कर उनके भैंके बच्चों को भी बोधी कर के लिए भूल जाने का विरु होता था।

स्वयंसेवकों के सेव्य में भी अच्छा कार्य किया था। उनमें बहुत से ही प्राणी रात जागते थे। वे सब कानपुर समय पर

काम पर आते थे और समय पर ही जाते थे। महतरो का काता भी बड़ा आकर्षक था — दूसरी महासभाओं से भी अधिक—क्योंकि यहाँ पर संयुक्त प्रान्त का विनय और विवेक था — भैंके पर धूल भी वे ही डाल आते थे। उनके बारे में इतना कह कर एक मूठी भी कह चुगाऊं! यह सब स्वयंसेवकों को लागू नहीं होती है। शाम को तीन स्वयंसेवकों का ही इस्सूर होगा लेकिन उनके काम के लिए ही बड उल्लेख योग्य है। मुझे एक बीमार को प्रदर्शन में से उठा कर दूसरी जगह पर ले जाना आवश्यक था। उसको उबत न्यूमोनिया होगया था। डाक्टर ने फौरन ही उसे यहाँ से हटा कर ले जाने के लिए ताकीद की थी। रैडकासवाके स्वयंसेवकों का यह कार्य था। डाक्टर तो बेचारे फौरन ही बाहर निकले लेकिन रैडकासवाके कहीं दिखाई न देते थे। खोजने पर बहुत से मन्थ में मिले। डाक्टर ने उन्हें सूचना की कि वे फौरन ही 'स्टेयर' ले कर चले। लेकिन उन्होंने जबतक संगीत चलन न हो जाय वहाँ से निकलने से इन्कार किया। डाक्टर ने कहा: 'वे लोग यह नहीं समझ सकेंगे कि यह कार्य कितना आवश्यक है। वे तो संगीत सुन कर ही बाहर निकलेंगे।' यह तो केवक इने गिने प्रसंगो में से एक है। मैं फिर यह कहता हूँ कि टीका करने के लिए मैंने इस प्रसंग का यहाँ उल्लेख नहीं किया है। ऐसे कार्य जिन स्वयंसेवकों को लीये जाते हैं उन्हें तो सतत जाग्रत रहने के लिए और अच्छे से अच्छे संगीत को वा अत्युत्त भावण होते हों तो उनको भी त्याग करने के लिए तैयार ही रहना चाहिए। स्वयंसेवक में आदमी पुलिस की कर्तव्यबुद्धि और त्परा होनी चाहिए और पुलिस में जो नहीं पाया जाता है उतना ज्ञान और प्रेम होना चाहिए।

× × × ×

लेकिन अब हम महासभा में प्रवेश करें। व्यवस्था इत्यादि को देख कर कितना आनन्द हुआ उतना आनन्द महासभा का काम देख कर भी हुआ यह कैसे कहा जा सकता है? कानपुर की महासभा यह शिर्षक इस लेख को लेते समय बोधी घेर के लिए यह ख्याल हुआ कि 'कानपुर का दिवने साध' यह शिर्षक उसका रक्का जाय तो क्या बुरा है?

इस समय यद्यपि महासभा में प्रतिनिधियों की फीस एक रुपया रक्की गई थी — त गरीब लोग भी आ सकते थे, और बहुत से गांवों के रहने के लोग आवे भी थे। सारी प्रदर्शन का आकर्षण भी कुछ कम न था। इसलिए आम-वर्ग के लोगों की बडो भीड़ थी, फिर भी वही मालूम होता था कि इस वर्ष से महासभा आमवर्ग की न रह कर साध वर्ग की ही हो रही है।

× × × ×

( शेष पृष्ठ ११९ पर )

**साधम अजनाबकी**

पांचमी आशुति छपकर तैयार हो गई है। पृष्ठ संख्या २९० होते हुए भी कीमत सिर्फ ०-२-० रक्की गई है। साधमके करीदार को देना होगा। ०-२-० के टिकट मैजने पर पुस्तक बुकपोस्ट के फौरन रवाना कर दी जानगी। १० प्रतिशे से कम प्रतियों की श्री. पी. नहीं बेची जाती।

श्री. पी. संग्रहनेवाके को एक बोवाई साथ देसगी मैजने होंगे।



# हिन्दी-नवजीवन

शुक्रवार, भाष्य वरी ८, संवत् १९८२

## सालभर का संयम

बहुतेरे मित्र और सहयोगियों के साथ छलाह मसबरा करने के बाद मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूँ कि एक साल तक मुझे आश्रम में ही रह कर आराम लेना चाहिए और सार्वजनिक कार्यों के लिए और कहीं भी न जाना चाहिए। कच्छ की मुसाफरी के बाद तो यह निश्चय लिया गया था कि महासभा में हाजिर रह कर वहाँ से छोटने पर महाराष्ट्र, बिहार और आसाम की मुसाफरी का आरंभ कर दूँ। लेकिन मेरे सात दिनों के उपवास के बाद इस निश्चय को बदलना पड़ा है। मैं बहुत ही कमजोर हो गया हूँ। कच्छ की मुसाफरी में और उपवास में कुल मेरा २० पौंड वजन कम हो गया है। इसलिए डाक्टरों को और मुझे भी यह अवश्यक माख्य हुआ है कि मैं शान्ति प्राप्त करने के लिए एक ही स्थान पर रह कर आराम करूँ।

और मैंने यह भी अनुभव किया कि आश्रम में जो कुछ प्रतियाँ मैं देख पाया हूँ उसमें भी मेरी हमेशा की गैरहाजिरी ही कारणभूत थी। आश्रम की स्थापना करते समय मेरा यह ख्याल था कि मैं मेरा बहुतेरा समय तो आश्रम में ही व्यतीत करूँगा। लेकिन यह न हो सका और आश्रम में तो दिन प्रति दिन वृद्धि ही होती गई। मैंने अपने उपवासों के दिनों में यह महसूस किया कि यदि आश्रम मेरी सब से उत्तम कृति है तो मुझे उसके लिए मेरा ठीक ठीक समय देना ही होगा।

अरखासंध की उत्पत्ती का कारण भी तो मैं ही हूँ। उसकी व्यवस्था रद्द करनी हो तो भी मुझे एक ही स्थान में रह कर उसके कार्यों की देखभाल करनी चाहिए। मैं और मेरे सहयोगी सभी इस बात को मानते हैं।

अन्त में यदि खादी को स्वारस्य बनाना है तो उसे भी तो मेरी सफर से मिलनेवाली उत्तेजना से आराम देना होगा। इसके खादी की स्वतंत्र शक्ति का परिमाण माख्य किया जा सकेगा।

इसलिए थ कम करवाके सभी लोगों की यही राय कायम हुई कि इन न कार्यों को देख कर मुझे एक साल के लिए क्षेत्रसंन्या लेना चाहिए और इस वर्ष की २० वीं दिसम्बर तक आश्रम छोड़ कर कहीं भी न जाना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के कारण से या किसी ने कभी जिसकी कल्पना भी न की हो ऐसे कोई कार्य के आ पड़ने पर मुझे यदि कहीं जाना पड़े तो यह केवल एक अपवाद ही होगा।

मुझे आशा है कि मेरे इस निश्चय में सब लोग मेरी मदद करेंगे। मैं यह जानता हूँ कि मेरी यात्राओं में रुपये एकत्रित किए जा सकते हैं। अब यह कार्य भी मेरे साथ काम करनेवाले मित्रों को ही करना होगा। अरखासंध के लिए रुपयों की आवश्यकता तो है ही। अरखासंध अर्थात् देशबन्धु स्मारक। उसके कार्य के लिए अभी हाल ही में दस लाख रुपये की आवश्यकता है। देशबन्धु स्मारक के लिए मैं इस रकम को कुछ भी नहीं मानता हूँ। मेरी अभिलाषा तो एक करोड़ रुपये इकट्ठे करने की थी। अब मैं केवल इस अभिलाषा को पाठकों के सामने ही प्रकाशित कर सकता हूँ। उपरोक्त निश्चय को करते समय मैंने यह आशा तो रखी ही है कि इस कार्य में सब लोग सहायक मदद करेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी यह आशा सफल हो।

(समाप्त)

मोहनदास करमचंद गंधी

## द० आ० के राजनीतिकों को चितावनी

कानपुर की महासभा में दक्षिण आफ्रिका के मामले से सम्बन्ध रखनेवाला प्रस्ताव पेश करते हुए गांधीजी ने इस प्रकार व्याख्यान दिया था:

इस प्रस्ताव को आप लोगों के सामने मंजूरी के लिए पेश करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है; यही नहीं, श्री सरोजिनी देवी ने इसे आप के सामने पेश करने का कार्य मुझे सौंपा है इसे मैं अपना बड़ा सम्मान्य मानता हूँ। सरोजिनी देवी ने आप लोगों से मुझे 'दक्षिण आफ्रिका' कह कर मेरा परिचय कराया है लेकिन यदि उन्होंने इतने शब्द कि 'जन्म से हिन्दुस्तानी लेकिन दक्षिण आफ्रिका का अपना अंगिकाया किया हुआ' उभगे और बंद दिये होते तो अच्छा होता। दक्षिण आफ्रिका ने मुझे गोद लिया है और दक्षिण आफ्रिका से आये हुए जिस प्रतिनिधि मण्डल का आग्र प्रेमपूर्ण स्वागत करनेवाले हैं उसके नेता अब आप लोगों से यह कहेंगे कि दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों का यह दावा है कि हिन्दुस्तान को गांधी हम लोगों ने दिया है तब अबको उसका विभागा होगा। उनका यह दावा मुझे स्वीकार है। यह बात सच है कि हिन्दुस्तान की जो कुछ भी सेवा मैं कर सका हूँ—वह असेवा भी हो सकती है—उसका कारण ही यह है कि मैं दक्षिण आफ्रिका से आया हुआ हूँ। मेरी सेवा यदि वह असेवा है तो भी यह उनका देण नहीं है यह तो मेरी मर्चा है। इसलिए इस प्रस्ताव में जो कुछ कहा गया है उसके समर्थन में मुझे आप लोगों के सामने इस बात की गवाही देनी है कि यह बिल जो दक्षिण आफ्रिका के भाइयों के सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है, उसका उद्देश्य भारतीयों को केवल अधिक अत्याय करना ही नहीं है लेकिन दक्षिण आफ्रिका में से उन्हें निखाल देना है।

इस बिल का यही अर्थ है। दक्षिण आफ्रिका के गोरो तो इस बात का स्वीकार किया है। युनिवर्सल सरकार ने भी यह नहीं कहा है कि उसका यह अर्थ नहीं है। यदि बिल का परिणाम यही हो तो दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों को उससे कितना दुःख होगा इसकी आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए यह मान लो कि बड़ी धारासभा की बैठक में एक बहिष्कार का कानून पार होनेवाला है और उससे एक लाख भारतीयों को हिन्दुस्तान में से निकाल दिये जायेंगे। ऐसी आकत के समय में हमलोग क्या करेंगे? ऐसे प्रसंग पर हमारा व्यवहार कैसा होगा? ऐसा ही प्रसंग उपस्थित हुआ है इसलिए यह प्रतिनिधि-मण्डल आप लोगों के पास आया है। हिन्दुस्तान की पत्रा की तरफ से, महासभा से, बायसराम से, हिन्दी सरकार से और उसके अन्य शाही सरकार से मदद प्राप्त करने के लिए यह प्रतिनिधि मण्डल वहाँ पर आया हुआ है।

लार्ड रीडिंग ने उन्हें बड़ा सम्मान अर्पण किया है। उस उत्तर को मैं सन्तोषपूर्वक नहीं मान सकता हूँ। बायसराम का उत्तर जितना शरमा है उतना ही असन्तोषकरक भी है। लार्ड रीडिंग को प्रतिनिधि-मण्डल से यदि यही बात कहनी थी तो मे थोड़े शब्दों में ही उत्तर दे सकते थे। यही किया होता तो उन्हें इनसे ऊँची भाव न करनी पड़ती और जिस लोगों को उनके किसी भी प्रकार के अपराध के लिए नहीं, लेकिन दक्षिण आफ्रिका के कितने ही गोरो इस बात का स्वीकार करेंगे कि उनके शत्रुओं के लिए ही, जब दक्षिण आफ्रिका में से अपमान करके निकाल दिये जा रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की मदद करने में यह स्वयं अनुमर्ष है यह स्वीकार करके एक बड़ी सरदार अपनी कामरी बाहिर करती है, यह स्वाभाविक रूप प्रतिनिधि मण्डल को पत्रों को और इस देश को न देखना पड़ता। बिल को

वहाँ से निकाल देने का प्रयत्न हो रहा है उनमें कितनों की तो दक्षिण आफ्रिका जन्मभूमि है। इसलिए अपने इन मित्रों को और हमें भी उनके इन प्रकारके उत्तर से कैसे सन्तोष हो सकता है? वायसराय कहते हैं कि दक्षिण आफ्रिका की सरकार को 'अरजी' करने का — प्रार्थना करने का अधिकार भारत सरकार ने अपने हाथ में रक्खा है। 'अरजी' करने का अधिकार! और 'अरजी' भी क्यों करे? एक जबरदस्त सरकार, जिस सरकार के बारे में यह माना जाता है कि वह तीस करोड़ मनुष्यों के भविष्य को अपनी हथेली रखे हुए है वह सरकार! यह सरकार अपनी अव्यक्ति आदि करती है! और अव्यक्ति किस लिए है? दक्षिण आफ्रिका सैथानिक स्वराज्य प्राप्त किये हुए है इसलिए?

लार्ड रीडिंग ने प्रतिनिधि मण्डल से कहा है कि जो राज्य सैथानिक स्वराज्य प्राप्त किये हुए हैं उनके घर की — अर्थात् आंतरिक व्यवस्था में दखल करने का हिन्दी सरकार को और शाही सरकार को अधिकार नहीं है। हमारी भारतवासी जो वहाँ जा कर स्वाधीन रूप से बस गये हैं और हिन्दू मनुष्यत्व का साधारण हक भी नहीं दिया जाता है, उनके घरवालों का विनाश करने के लिए जो नीति ग्रहण की गई है उस नीति को आन्तरिक नीति या घर की व्यवस्था का नाम देने का क्या मतलब हो सकता है? भारतवासियों के राज्य यदि यूरोपियन या अंगरेज लोग ही ऐसी स्थिति में होते तो क्या होता?

एक उदाहरण पेटा करता हूँ। आप यह जानते हैं कि बोअर युद्ध किस लिए हुआ था? दक्षिण आफ्रिका में जो यूरोपियन लोग कायम के लिए बस गये थे जिनको ट्रान्सवाल की प्रजासत्ताक सरकार 'उटलेन्बर्ग' के नाम से पहचानती थी, उनका संरक्षण करने के लिए यह युद्ध की ज्वाला भड़क उठी थी। ब्रिटिश सरकार की तरफ से श्री चेम्बरलेन ने युद्ध कर यह कहा था कि ट्रान्सवाल भयानक सरकार हो तो भी उससे क्या? मैं तो इस बात का स्वीकार ही नहीं करता हूँ कि यह प्रथम आन्तरिक नीति का या घर की व्यवस्था का हो सकता है। उन्होंने ट्रान्सवाल के 'उटलेन्बर्ग' के हकों का रक्षण करने का भार अपने सिर के लिए था और इसीलिए महान बोअर युद्ध शुरू हुआ था।

लार्ड चेम्बरलेन ने कहा था कि ट्रान्सवाल के भारतीयों की तकलीफों का जब मैं विचार करता हूँ तब मेरा खून टाँखने लगता है। वे मानते थे कि दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों की तकलीफें भी बोअर युद्ध के कारणों में से एक थी। जब वे विज्ञापन कहा गये? आज जब डेढ़ लाख भारतवासियों की जान, इकत और रोजी जोखिम में आ पड़ी है उस समय ब्रिटिश सरकार को यूनेयन सरकार के साथ युद्ध धरने की क्यों नहीं सूझती है?

मैंने जिस बात का ऊपर वर्णन किया है उसके सम्बन्ध में किसी को कुछ भी सन्देह नहीं है। दक्षिण आफ्रिका में ब्रिटिश भारतवासियों की तकलीफें बढती जा रही हैं इसका भी कोई इन्कार नहीं कर सकता है। विषय किशर जो दक्षिण आफ्रिका हो आये हैं उन्होंने एक छोटी सी पत्रिका लिखी है। यदि उसकी देखीने तो उसमें दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों पर जो तकलीफें काही जा रही हैं उसका संक्षेप हाल दिया गया है। विषय किशर निष्पक्ष हो कर भी इस बात पर पहुँचे हैं कि हमें भारतीयों का कोई कृपार नहीं है। हम अन्याय के लिए गोरे लोग ही जवाबदेह हैं। हमके लिए देपी और सेटगोरी गोरे जवाबदेह हैं; यूरोपीयनों की सत्ता पूर्ण सङ्गति और उद्वनधि जवाबदेह है। विषय किशर कहते हैं कि भारतीयों की जायकी की देखते हुए तो दक्षिण

आफ्रिका के गोरो का उनके प्रति अच्छा बर्ताव होना चाहिए था।

इन्साफ यदि इस अधर्म को गुला करने में समर्थ होगा, दक्षिण आफ्रिका के गोरे राजपुत्रों की स्वीकृति यदि इस अन्याय को सिद्ध करने में काफ़ी होगी, संसार में यदि धर्म का साम्राज्य होगा, तो दक्षिण आफ्रिका के गोरे उस कानून को पास न कर सकेंगे, और ऐसे और प्रतिनिधि मण्डल को अपना अमूल्य समय खराब न करना होगा और दक्षिण आफ्रिका के गरीब लोगों के दरयो को पानी की तरह न बहाना होगा।

लेकिन नहीं। 'जिसकी छाठी उसकी भैंस, यही न्याय अभी दुनिया में चल रहा है। दक्षिण आफ्रिका के गोरो ने हमारे देशवासियों पर यह अन्याय करना चाहा है और वह किस लिए? जनरल स्मट्स कहते हैं कि दो संस्कृतियों का विरोध होने के कारण। वे इस विरोध को सहन नहीं करते हैं। जनरल स्मट्स यह मानते हैं कि यदि हिन्दुस्तान में से आनेवाले इन लोगों को दक्षिण आफ्रिका में आने से रोक न दिये जायें तो दक्षिण आफ्रिका के गोरो को भय है कि वे पूर्व के लोगों से दब ही जायेंगे। उनकी संस्कृति को हम लोग क्यों कर भ्रष्ट कर सकते हैं? हम लोगों में अप्रतिष्ठ करकसर से रहते हैं इसलिए क्या उनकी संस्कृति बिगड़ जायगी? हमलोगों को शाकभाजी या फलों की फेरी करने में और उन्हें दक्षिण आफ्रिका के किसानों के पर पर पहुँचाने में शर्म नहीं मान्य होती है इसलिए क्या उनकी संस्कृति जोखिम में पड़ जायगी? जिसे संस्कृति का विरोध कहते हैं वह यही है।

किसीने कहा है (कहाँ पर कहा है यह याद नहीं है लेकिन अभी अभी ही कहा है) कि दक्षिण आफ्रिका के गोरे इस्लाम के आने से डरते हैं। जिस इस्लाम ने स्पेन में सुल्तान मुहम्मद कीया और जिम्मे सारी दुनिया को प्राबुभाव का सिद्धान्त खीलाया उस इस्लाम से? दक्षिण आफ्रिका के मूल निवासी इस्लाम का स्वीकार कर रहे हैं यही उनको डर है। यदि प्राबुभाव का होना पाप है और यदि वे काले लोगों की समानता से डरते हैं तो यह कहा जा सकता है उनका डर साधारण है। सब बात तो यह है कि उन्हें आत्मगौर बनना है, दुनिया में जितनी जमीन है सब पचा लेनी है। कैसर कुचल गया है फिर भी उसे एशियाई संगठन का डर लगा हुआ है और एक कोने में डंठा हुआ भी वह यह आवाज निकालता रहता है कि यह संकट है और यूरोपीयनों को उधर से चेतते रहना चाहिए। संस्कृति का यही तो प्राणवा है और इसीलिए लार्ड रीडिंग में उनके घर की व्यवस्था में चंचुपात करने की शक्ति नहीं है।

इस युद्ध में ऐसे भयंकर परिणाम भरे हुए हैं। इस प्रस्ताव में इस युद्ध को असमान कहा गया है और प्रस्ताव में इस असमान युद्ध में महासभा को आना हिस्सा दे कर कृतार्थ होने के लिए कहा गया है। मेरा आशय यदि दक्षिण आफ्रिका तक पहुँच सकता है तो मैं वहाँ के राजनीतिज्ञों से जिनके हाथ में दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों का भविष्य है एक प्रार्थना करना चाहता हूँ।

अवतक मैंने दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों की काही बाधा का ही वर्णन किया है। इसलिए मुझे वहाँ पर यह भी कह देना चाहिए कि इन गोरो में कितने ऐसे भी हैं जिन्हें मैं अपने मित्र समझता हूँ। दक्षिण आफ्रिका के गोरो में से कुछ व्यक्तियों ने मुझ पर बड़ा प्रेम दिखाया है और मेरा बका आवर किया है जनरल स्मट्स के साथ भी मेरा परिचय है यद्यपि मैं उनके मित्र

हीने का दावा नहीं कर सकता हूँ। युनियन सरकार की तरफ से मेरे साथ समझौता करनेवाले वे ही थे। उन्होंने ही यह कहा था कि दक्षिण आफ्रिका के ब्रिटिश भागवासियों को वहाँ रहने का हक है। यह करार आखिरी करार है और अब भारतीय सरयाग्रह करने की धमकी न दें और दक्षिण आफ्रिका के गोरे भारतीयों को आराम से बैठने दें; वे बचन भी तो जनरल स्मट्स के ही हैं।

लेकिन दक्षिण आफ्रिका में से मैं इधर आया नहीं कि भारतीयों पर एक के बाद एक अन्याय होना शुरू हो गया है। जनरल स्मट्स का वह बचन अब कहाँ गया? मनुष्य मात्र को एक दिन जिस मार्ग से जाना है उस मार्ग से वे भी एक दिन जले जायेंगे। उनकी जाणि और करनी ही पीछे रह जायगी। जनरल स्मट्स कोई ऐसी बेसी व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने एक राष्ट्र के प्रतिनिधि की हैसियत से वह सत्य बचन दिया था। वे ईसाई होने का दावा करते हैं और दक्षिण आफ्रिका की सरकार का हर एक सदस्य ईसाई है। ईसाई होने का उनका दावा है। उनकी पार्लियामेंट कलने के पहले वे बाइबल में से प्रार्थना करते हैं और एक पादरी प्रार्थना से ही कार्य शुरू करता है। जिस ईश्वर की यह प्रार्थना की जाती है वह ईश्वर न गोरों का है, न हबेशियों का, न मुसलमानों का और न हिन्दुओं का। वह तो सभी का ईश्वर है।

मैं अपने प्रतिष्ठायुक्त स्थान से अपनी जवाबदेही को पूरी तरह समझ कर यह कहता हूँ कि दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों को जो न्याय प्राप्त करने का हक है उस न्याय को देने में जरा भी हिंसाहवाला किया जायगा और न्याय करने में वे निष्फल होंगे तो वे बाइबल का इन्कार करके हैं और अपने ईश्वर का भी इन्कार करते हैं।

### श्री एण्ड्रयूज की हलचल

श्री एण्ड्रयूज जब से वे दक्षिण आफ्रिका गये हैं वे बड़ा काम कर रहे हैं। वर्तमानपत्रों को तार भेजने के अलावा उन्होंने महासभा सप्ताह दरम्यान कानपुर को भी बराबर नियमपूर्वक तार भेजे थे। एक तार में वे लिखते हैं: "१९१७ में शाही प्रचार मण्डल में जनरल स्मट्स ने दक्षिण आफ्रिका में रहनेवाले भारतीयों के सम्बन्ध में यह बात जाद्विर की थी कि यदि किसी प्रश्न में कोई मुद्रिक मालूम हो तो हमलोग उस पर शहन्शाहन के इस मंत्रणास्थान में मित्रभाव से चर्चा कर सकते हैं और विचार करके उसका कुछ न कुछ निर्णय कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि इस प्रकार हम उसका अवश्य ही निबटारा कर सकेंगे।" उसके बाद तार में लिखा है कि 'जनरल स्मट्स के इस बचन को देख कर क्या हमारी यह माँग उचित नहीं है कि जब तक ऐसी मंत्रणा न कर ली जाय तबतक यह बिल रोक दिया जाय?' इस बिल को रोकने के लिए दूसरी बहुतसी बातें उचित गिनी जायगी और इस बिल को उठा देने के लिए भी दूसरे कितने ही उपाय उचित माने जायेंगे लेकिन उसे करेगा कौन? क्या शाही सरकार इस अव्यक्त अन्याय को जो होनेवाला है रोकने के लिए जितने भी साधन हो सके उनका उपयोग करने के लिए तैयार है? क्या भारतप्रकार शाही सरकार हर इसके लिए दबाव डालेगी? क्या हमलोग भारतसरकार को यह करने के लिए मजबूर कर सकते हैं?

श्री एण्ड्रयूज बटर के भेजे हुए महासभा के प्रस्ताव के सम्बन्ध में लिखते हैं: 'हा. स. म. म. में महासभा ने जो कुछ किया उसमें वहाँ सब लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं।'

### कानपुर

(अनुसंधान पृष्ठ ६२ से)

इसके कारणों की परीक्षा करें। प्रथम तो अव्यक्त के व्याख्यान ही को लें। महासभा के समापनों के व्याख्यानों में शायद यही सबसे छोटा व्याख्यान कहा जा सकता है, और सरोजिनी देवी ने जिन्हें अपना व्याख्यान लिखने की आज्ञा ही नहीं है इतना छोटा सा भी अपना व्याख्यान किस प्रकार लिखा होगा वही आश्चर्य होता है। इस छोटे से व्याख्यान में भी उतका वाग्वैभव परिपूर्ण था। लेकिन यह वाग्वैभव किसके लिए था? जनता के लिए? उत्तर में 'हाँ' नहीं कहा जा सकता है। मेरे लिए भी उनके व्याख्यान का अनुवाद करना मुद्रिक काम है और जनता के लिए तो उसका अच्छा अनुवाद भी समझना मुद्रिक काम होगा। श्रीमती ऊर्धु अच्छा बोल सकती हैं — एक दो दफा तो मैंने उन्हें ऊर्धु बोलते हुए सुना भी है — लेकिन कानपुर में न उनके व्याख्यान की हिन्दी या अंगरेजी नकल बाँटी गई और न खर्च उन्होंने ही ऊर्धु में अपना व्याख्यान किया। यदि कोई कहे कि चण्डे डेड एण्ड तक बोलने के बाद उनसे ऊर्धु में बोलने की आज्ञा रखना जुम्प है तो मैं उससे यह कहूँगा कि अंगरेजी में बोलने के बदले वे ऊर्धु में ही बोली होती तो यह उनको बड़ी सोभा देना।

यह तो अव्यक्त के व्याख्यान की बात हुई। अब रहे प्रस्ताव। दो तीन प्रस्तावों के सिवा जनता को जिसमें विलम्बरी हो ऐसा एक भी प्रस्ताव न था। अंगरेजी व्याख्यानों का ही आधिक्य था। जो प्रस्ताव चर्चा का केन्द्र बन बैठा था, उसकी भाषा मेरे अंशों को भी समझना मुद्रिक थी तो फिर सेपरेकियों का तो वहाँ ठिकाना ही क्या रख सकता था? और जहाँ प्रस्ताव की भाषा ही मुद्रिक और बेठक थी वहाँ उत पर गई चर्चा के मुद्रिक होने के बारे में पूछना ही क्या था।

× × × ×

ऊपर जो मैं यह कह गया हूँ कि आमलोग जिसमें विलम्बरी के सकते हैं ऐसे तीन ही प्रस्ताव थे। उनमें से प्रथम तो दक्षिण आफ्रिका के बारे में था और वह भी गांधीजी के व्याख्यान से पेश किया गया था इस लिए; दूसरा पटना के प्रस्ताव से बढ़ते गये मताधिकार को कायम रखने का प्रस्ताव और तीसरा महासभा का और उनके अधीन काम करनेवाली संस्थाओं का सब कामकाज हिन्दुस्तानी या अपने प्रान्त की भाषा में ही करने का प्रस्ताव।

दक्षिण आफ्रिका के प्रस्ताव का सार यहाँ दिये देता हूँ। वहाँ रहनेवाले हिन्दुस्तानियों को वहाँ से निकाल देनेकी पैरवी करनेवाला कानून पास न हो जाय इस लिए महासभा ने दो-एक उपाय करने के लिए बताया है। प्रथम तो यह कि स्मट्स और गांधीजी के दरम्यान १९१४ में जो समझौता हुआ था और जिस में दक्षिण आफ्रिका की सरकार ने यह स्वीकार किया था कि हिन्दुस्तानियों की तकलीफें बढ़े ऐसा एक भी कानून वह न बनावेगी, उसका अनेक बार भंग हुआ है फिर भी यही कहा जाता है कि भंग नहीं हुआ है इसलिए उसका दर असल भंग किया गया है या नहीं यह जांच करने के लिए एक पंच मुकर्रर किया जाय अथवा जिसमें दक्षिण आफ्रिका के हिन्दुस्तानियों के प्रतिनिधि भी हों ऐसी एक 'राइन्ड टेबल कॉन्फरन्स' की जाय। यदि इन दो में से एक भी बात न हो सके तो ब्रिटिश सरकारत. का फर्ज है कि यह दक्षिण आफ्रिका के वायसरय के नाम यह हुकम भेजे कि उस कानून पर वह बादशाह की तरफ से मन्त्री के दस्तखत

हरगिज न करे। इन तीनों बातों में से यदि कुछ भी न किया जाय तो उसके विरुद्ध भी युद्ध किया जाय या उसमें हिन्दुस्तान की तरफ से पूरी मदद की जाय। पूरी मदद करने से क्या मतलब हो सकता है यह गांधीजी ने अपने हिन्दी में दिये गये व्याख्यान में अच्छी तरह समझाया था: 'यह प्रस्ताव कर के आप लोग तो न जाना। लेकिन आप लोगों को तो यह विश्वास होना चाहिए कि आप लोगों को जो करना चाहिए वही आप करेंगे। स्वराज्य हक को भी यह निश्चय कर केना चाहिए कि प्रस्ताव में जो सूझनायें की गयी हैं उनका यदि वे सरकार से स्वीकार न करा सकें तो उन्हें युद्ध के लिए देश को तैयार करना होगा और महासभा भी यह निश्चय करे कि यदि द० आफ्रिका में सत्याग्रह किया जाय तो उसकी मदद की जाय, इतना ही नहीं यहाँ पर हमलोग भी सत्याग्रह करें। यह नहीं कि केवल बीरसद के महासूल के खिलाफ, या नामपुर में किये गये राष्ट्रीय झण्डे के अपमान के लिए ही सत्याग्रह करना चाहिए, लेकिन पूरे विदेशों में पड़े हुए अपने भाइयों के लिए भी हमें सत्याग्रह करना चाहिए। आज ही यदि मैं देश का बसावरण बदला हुआ पाऊँ और मुझे यकीन हो जाय कि हिन्दु-मुसलमान अपना पागलपन छोड़ कर एक हो गये हैं और यह समझने लगे हैं कि दक्षिण आफ्रिका में हिन्दु-मुसलमानों का दोनों का एकसा अपमान हो रहा है और वे मुझे अपनी तरफ से यह पंगाम भेजे कि हमलोग तैयार हैं सत्याग्रह करो तो मैं कहता हूँ कि आज यद्यपि मैं मुकदा सा मामलम होता हूँ फिर भी यह युद्ध करने के लिए फिर जिन्दा हो जाऊँगा।

× × × ×

दूसरा प्रस्ताव पटना के प्रस्ताव को कायम रखने का था। उसमें यह कहा गया था कि महासभा के सभ्य बनने के लिए या तो २००० मज मूत का बन्दा या चार आना देना चाहिए और महासभा के कार्यप्रसंगों पर झुझ खादी ही पहननी चाहिए; यदि कोई सभ्य इमेशा झुझ खादी न पहन सके तो उसे कम से कम विदेशी कपड़ा तो पहनना ही बर्ती चाहिए। इस मताधिकार के प्रस्ताव में जो खादी रखी गई थी वह कुछ लोगों को पसन्द न थी। इस पर बड़ी बर्बाद हुई। महाराष्ट्री उनके विरुद्ध थे और दूसरे भी दो चार होंगे। यह प्रस्ताव महासमिति में केवल थोके से मनुष्यों का ही विरोध होने से पास हो गया था। महासमिति में इस प्रस्ताव को पेश करते हुए गांधीजी को कुछ सक्त शब्द कहने पड़े थे।

'बाबा साहेब पराक्रमे आंद भी सावभूति ने मुझे यह प्रस्ताव लौटा देने के लिए कहा है। मैं किस अधिकार से उसे लौटाऊँ? यह तो केवल एक अकस्मान ही है कि उसे पेश करने का भार मुझ पर आ पड़ा है। यह तो कार्यवाहक समिति का प्रस्ताव है। और मुझ से 'अपील' क्यों करते हो? यह मुझे भी शोभा नहीं देता है और आपको भी शोभा नहीं देता है। मैं कीन! मुझे मूल भाव्ये — यदि आप लोग लोकतंत्र को चाहते तो छोटे बड़े का क्याक छोड़ दो, प्रस्ताव की योग्यता का ही विचार करो। और मुझे आप किस बात को लौटा देने का आग्रह कर रहे हैं? मेरे दिल में गहरे से गहरे बैठे हुए मेरे जीवन सिद्धान्तों को।

श्री जयकर और कैलकर ने भी उपरका विरोध किया है। आप लोग यह मूल खाते हैं कि मताधिकार का आधार ध्येय पर होता है। कजनी बात कठिन है — मुश्किल है इसलिए क्या हम लोग उसके साथ जायेंगे? हमलोगों के लिए स्वराज प्राप्त करना ही

मुश्किल है तो फिर उसकी बात ही क्यों नहीं छोड़ देते हो? यदि मुझे इस बात का यकीन हो जाय कि महासभा के एक करोड़ सदस्य हो जाने पर स्वराज मिल जायगा तो मैं चार आने का बन्दा भी निकाल दूँगा, उग्र का क्याक भी छोड़ दूँगा और कोई शर्त न रखूँगा। जो कुछ कार्य अब तक किया गया है उस पर यदि पानी फिगना है तो यह प्रस्ताव क्यों नहीं लाते कि जो चाहे महासभा में दाखिल हो सकता है। लेकिन भाई, महासभा के लिए जो चरा भी मिहनत करने के लिए तैयार नहीं है उसे क्या महासभामंत्री कहलाने में शर्म न माळम होगी? यदि आप लोगों को विदेशी कपडे का बहिष्कार करना है तो नीलों के कपडे का क्याक ही छोड़ दो। मैं नीलोंवाले प्रान्त में से ही आता हूँ। मेरा भीलवालों के साथ का सम्बन्ध बड़ा अच्छा है लेकिन मैं यह जानता हूँ कि वे देश की कठिनाइयों के समय में उसका कमी भी साथ नहीं देते हैं। वे तो साफ साफ यही कहते हैं वे देशप्रेमी नहीं हैं, उन्हें तो मन इच्छा करना है। यदि सरकार चाहे तो सभी नीले बन्द करा सकती है, बाहर से यंत्रों का हिन्दुस्तान में आना ही रोक दे सकती है लेकिन सरकार का यह सान्ध्य नहीं कि वह हमारे बरकों को और तकुओं को जला दे। एक जर्मन एन्जीनियर को यहाँ आते हुए उसने रोखा था। मुझे अंगरेजों के स्वभाव के सम्बन्ध में विश्वास है — जिस प्रकार मनुष्य स्वभाव में विश्वास है उसी प्रकार — लेकिन अंगरेज की यह खासीयत है कि वह अपने देश का हित पहले देखेगा। और ऐन्केशायर को जीवित रखने से ही और हिन्दुस्तान में उग्रवी इच्छा के विरुद्ध अपना रही माल खाली करने से ही वह हित-रक्षा हो सकती है। इस अंगरेज के साथ लड़ने में मन का पानी करना होगा, पानी। स्वराज कोई खेल नहीं है — स्वराज कोई सस्ती चीज नहीं है। वह तो सिर दे कर प्राप्त करने योग्य बड़ी मुश्किल से प्राप्तव्य वस्तु है। आज आप लोग मेरा विरोध कर सकते हैं लेकिन अब ऐसा समय आने ही वाला है जब आप सब लोग यही कहेंगे कि जो गांधी कहला या वही सत्य है। इसलिए जबतक इस मामले में मेरे पक्ष में बहुमति है तब तक मैं आप लोगों से यह प्रार्थना करता हूँ कि इतना चरा सा त्याग करना पड़ता है इसलिए उसे न ठुकराओ।

और हमलोग ऐसा विश्वास क्यों न रखें कि महासभा के सब सदस्य प्रामाणिक ही होंगे। क्या इतनी भी आशा न रखें कि लोग अपने किये हुए प्रस्तावों का पालन करेंगे? हाँ, यदि आपको खादी पहनने में सिद्धान्त का उग्र हो अथवा उससे आपके धर्म को हानि पहुंचती हो तो आप लोगों को महासभा छोड़ देनी चाहिए। लेकिन महासभा में रह कर आप महासभा के प्रस्ताव का कनादर नहीं कर सकते हो। जबतक मैं महासभा में रहला हूँ तबतक मेरे पक्ष में बड़ा अल्पमत हो तो भी मुझे प्रस्ताव का पालन तो करना ही चाहिए।

और आप बहुमति के जुलम की बातें कर रहे हैं? थोके से मनुष्य आप लोगों पर अपनी इच्छा के अनुसार अधिकार बला रहे हैं और उसके जुलम का तो आपको क्याक तक नहीं। और सभी बात के खिलाफ जुरे जुरे उग्र पेश करना हम लोगों का आग है। मैं आप लोगों को यह चेतावनी देता हूँ कि यदि आप खादी को विदा दोगे तो लोग भी आप लोगों को विदा कर देंगे— नरमदलवालों के साथ तुलना करने में आप लोगों में कोई भिषेपता ही न रहेगी। हम सब नडे असौबलोग हैं क्योंकि हम स्वयं खादी न पहनते होंगे तो भी नेताओं से तो हम खादी पहनने की ही आशा





# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक २०

सुरक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

अहमदाबाद, माघ वही १, संवत् १९८२  
 बुधवार, ३१ दिसम्बर, १९२५ ई०

सुरकस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
 चारंगपुर बरकीगरा की बाड़ी

## एक प्रेमी की चिन्ता

एक सम्बन्ध लखते हैं:

"आप 'नवजीवन' में किसानों के सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखते हैं। हिन्दुस्तान में किसानों की ही वरगी अधिक है और संयुक्त प्रान्तों में और बंगाल में तो कुछ भोजे से लोगों के पास ही सब जमीन है। इन जमीन के मालिकों के पास बहुतसी जमीन होती है और किसानों के पास जिनकी तादाद लाखों की है मात्र को भी जमीन नहीं होती। संयुक्त प्रान्त में लाखों किसान कई दिन तक बेचारे बनेना का कर ही अपना गुजारा करते हैं। इन किसानों का अन्त कैसे हो सकता है? किसानों को इस अन्त को रोकना कुकामी से पड़ा रहना होगा? क्या आप यह नहीं जानते कि साहूकारों से और जमींदारों से हिन्दुस्तान को सुखाना है, और वस हमारे जीवा जमीन जो अभी एक के हाथ में है वह ४०० किसानों को बाँट दी जाय तो हिन्दुस्तान की भरीबी का बीज ही जन्म हो?"

गुजरात के प्रत्येक गाँव में चार पाँच ऐसे 'वाडीदार' होते हैं जो 'बौदधिया' के नाम से पहचाने जाते हैं। इनमें एक मुन्ही होता है। वह सब बातों में हकाल करता है और लोगों का धन नहीं लेने देता है। वह जो अपने दिश में जाता है वही करता है। इसके सिवा गाँव के बनिसे भी किसानों को दिनाम में मात्र में इधरउधर कर के बूँत केते हैं।

आज सब जगह किसान लोग कपास बोते हैं इसलिए अनाज महंगा है। आप इकजाजिस्टों को कह कर ऐसा एक कारन न बनवायें कि वे कपास कम बाँचें।

गुजरात में किसान लोग सम्बाकु के पीछे पक पड़े हैं। कुछ लोग तो ७०-१०० बीघा जमीन में केवल सम्बाकु ही बोते हैं। मुझे कभी कभी तीसरे बरसे में मुसाफरी करनी पड़ती है वहाँ बीघी पीनेकाले बड़ा मात्र उपज करते हैं। सब लोग बन्ने में बैठे बैठे बीघी ही पीते हैं। प्रत्येक जो अपने को जब बर्ग के सावते हैं वे भी बीघी पीते हैं।

इसके सिवा आप विधवाओं के लिए भी काय जोर दे कर क्यों नहीं लिखते हैं? क्या शांति के महात्मन सभी विधवाओं को फिर से कम करने की सुझा देते? विधवाओं को तो अपना काम प्राप्त होना होगा। यह काम करने के लिए आप किसी

बहन को तैयार क्यों नहीं करते हैं? विधवायें बड़ा कष्ट उठाती हैं। महात्मन के घर के कारण वे फिर से विवाह नहीं करती हैं और परिणाम में पाव करती हैं। वे बच्चों को — एक दो दिन के बच्चों को मार डालती हैं। लेकिन यह हमारे यहाँ के कुछ शिवाजों का ही दोष है, अनाथ विधवाओं का नहीं।

हिन्दुओं में यदि कोई मर जाय तो उसके पीछे जेवतार करनी पड़ती है और शांति के लोग कष्ट खाते हैं, यह क्या हेतुमियत नहीं है? जब जेवारे के घर में तो अवार पोक होता है और जब समय सब लोग मिष्टान खाते हैं। इसके अलावा कन्याविधवा इत्यादि अनेक दोष हैं।

बनिये की एक शांति है, इनमें छोटी छोटी कितनी ही शांतियाँ होती हैं। अहमदाबाद के बनिये की सुरत के बनिये से कोई सम्बन्ध नहीं होता है, फिर अहमदाबाद के बनिये को अहमदाबाद के बनिये के प्रति सहायुभूति कैसे हो सकती है?

आपने विदेशी रुपये का पहगा क्यों बन्द कर दिया है यह समझ में नहीं आता। अब फिर आप ऐसा पहरा क्यों न शुरू करें?"

इस पत्र को मैंने कुछ छोटा कर दिया है। उसके विषय असम्बद्ध मास्य होने केकिन प्रत्येक का अन्तराभि के साथ सम्बन्ध है।

किसानों के सम्बन्ध में मैं 'नवजीवन'में अधिक कुछ नहीं लिखता हूँ क्योंकि भवहार-कुशल होने के कारण मैं ऐसे विषयों पर लेख नहीं लिखता हूँ जिनके सम्बन्ध में मैं या पाठकगण अभी हालत कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

'नवजीवन' का सम्पादन भा जो मैंने प्रण किया उस समय भारत में ही 'हिन्दुदेवी' की तस्वीर दी गई थी और उसने किसानों को ही प्रथम पद दिया गया था। किसानों की स्थिति को सुधारने की तो बड़ी आवश्यकता है लेकिन अबतक राज्य की हस्तक्षेप किसानों के प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं है अर्थात् अबतक स्वराज्य-सर्वेगात्र न होगा तबतक उनकी स्थिति का सुधार करना असंभव नहीं तो कठिन तो बरबश ही है। किसानों को पूरा 'बचैना' भी नहीं मिलता है और इसका मुझे सम्बन्ध है। इसलिए तो मैंने बरसे का पुनर्द्वार सूचित किया है।

किसी कार्यों को सुधारने की आवश्यकता है उसकी ही आवश्यकता किसानों की अन्तर् अवस्था सुधारने की भी है। यह कार्य तो सभी होगा जब ऐसे अनेक व्यवस्था निकल पड़ेंगे

जो गांवों में जाकर फलेच्छा से रहित आसनबद्ध होकर क्षेत्रसन्वास लेकर बैठ जायेंगे। युग युग की घुरी आदतें एक या दो साख में घूर नहीं घूरी जा सकती हैं।

जमींदारों और तालुकदारों के पास से हजारों बीघा जमीन बलात्कार कर के छीन नहीं ली जा सकती है। लेकर के ही भी किसको जाय ? तालुकदार और जमींदारों के पास से जमीन छीन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके हृदय का परिवर्तन होना ही आवश्यक है। जमींदार और तालुकदारों के हृदय में राम का निवास हो — दयाभाव उत्पन्न हो तो वे अपने किसानों के रक्षक बनेंगे और अपनी जमीन को किसानों की ही जमीन मान कर मुख्य रीतिरिवाज का मुख्य हिस्सा उन्हें ही देकर स्वयं केवल आजीविका के लिए यत्नरहित ही रहेंगे। यदि कोई कहे कि ऐसा युग तो कम चन्द्र सूर्य का उदित होना बन्द होगा तभी आ सकेगा, लेकिन मैं यह नहीं मानता। ससुर का प्रवाह ही शान्ति-अहिंसा के मार्ग के प्रति आ रहा है। राक्षसी बल का मार्ग तो युगों से लिया जा रहा था और आज भी लिया जा रहा है। कोई यह न माने कि रशिया इत्यादि देशों में लोग गुस्सी हो गये हैं। उनके सिर पर तालवार तो लटकती ही रहती है। जो लोग हिन्दुस्तान के किसानों की सेवा करना चाहते हैं उन्हें तो शान्ति के मार्ग पर अचल श्रद्धा रख कर ही कार्य करना होगा। दूसरे लोग तो सब केवल अपने अभिमान को ही घुस कर रहे हैं। उनकी कल्पना में किसानों का समावेश ही नहीं होता है अर्थात् यही कहे कि वे उनकी हालत को जानते ही नहीं हैं।

जो ऊपर कहा गया है वह 'बौद्धशिया' बनीये हों या 'पाटीदार,' सभी को लागू होता है। वे सब गांव के अनजान और भोले किसानों को छूटते हैं। उन्हें स्वार्थ के सिवा और किसी भी बात का हयाक नहीं होगा है। लेकिन वहाँ भी उपाय केवल नीति की शिक्षा ही है। दुःखी मनुष्य के लिए सत्पात्र और अवश्ययोग की शिक्षा की आवश्यकता है। अपनी संसति न हो तो गुलाम भी गुलाम नहीं बन सकता है। यदि लोग शरीरबल से शासन करने की तालीम ग्रहण कर सकते हैं तो क्या वे आत्म-बल की तालीम ग्रहण नहीं कर सकते? आत्मरहित एक पदार्थ-शरीर का उपयोग करना हम सीख सकते हैं लेकिन क्या शरीर के स्वामी का अर्थात् आत्मा का अधिकार हम नहीं जान सकते।

किसानों को मर्यादा में रह कर कपास बोना और तम्बाकू कम और बिल्कुल ही न बोना कौन सीखावेगा ?

विवाह के संबन्ध में दुष्ट रिवाजों का सुधार कैसे किया जा सकता है? व्याख्यानों से कितना कार्य हो सकेगा? इन सबका मूल भी नीति की शिक्षा ही है। नीति की शिक्षा के माने हैं जिसे वह मास्टर हुई है वह उसका आहिंसा तंत्र पर अमल करे और यह करने में जो कष्ट हों वे सब सहन कर ले।

छोटी छोटी शान्तियों को एक करने के लिए सम्भव है कि कुछ थोड़े ही दिनों में प्रयत्न होंगे।

जरा सी बीबी! यह भी दुनिया का कैसा नाश कर रही है। बीबी का ठंडा नशा कुछ अंशों में मद्यपान से भी अधिक हानिकर है क्योंकि मनुष्य नसका दोष सीधे नहीं देख सकता है। उसका उपयोग अवश्यता में नहीं मिला जाता है बल्कि सभ्य कहलाने वाले लोग ही उसका उपयोग बढ़ा रहे हैं। फिर भी जो लोग इससे बच सकते हैं उन्हें बचना चाहिए।

विधवा विवाह आवश्यक है। यह तो तभी होगा जब युवक-कर्म शुद्ध बन जायगा। लेकिन युवकवर्ग में शुद्धि कहा है? अपनी

पढ़ाई का वे सदुपयोग कहाँ करते हैं? अथवा तो पढ़ाई का ही दोष क्यों न निकालें? बाल्यकाल से ही हमें पराधीनता की तालीम मिलती है? उसमें से हम लोग स्वतंत्र विचार करना कैसे सीख सकते हैं। स्वतंत्र आचार तो हो ही कैसे सकते हैं? शान्ति के गुलाम, शिक्षा के गुलाम और सरकार के गुलाम। हमारे लिए तो सभी साधन बंधनकारक साबित हुए हैं यही कहा जा सकता है। इतने पढ़े हुए हैं उनमें से कितनों ने अपने यहाँ की बालविधवाओं का जीवन सुधारा है? रुपये के प्रलोभन में से कितने बच सके हैं? कितनों ने स्त्री जाति को अपनी मा बहन समझ कर उनका रक्षण किया है? कितनों ने शान्ति का भय छोड़ कर जो अपने को सत्य मास्टर हुआ है उसका पालन किया है? विधवा किस के पास जा कर अपनी गुहार सुनायें? मैं विधवा की तरफ से बकीरत भी निकाले आगे जा कर कहें? किसको प्रोत्साहन है? कितनी बालविधवायें 'नवजीवन' पढ़ती हैं? पढ़ती हैं उनमें से कितनी अपने विचारों पर अमल करती हैं? फिर भी प्रसंग आने पर 'नवजीवन' के द्वारा विधवाओं का आर्तनाद सुनाया करता है। समय आने पर और भी युनाकंगा। लेकिन इस दरम्यान में मैं यह दृष्टापूर्वक कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि जिसके यहाँ बाल-विधवा है उसका धर्म है कि वह उसका विवाह कर दे।

शान्ति की दूसरी बुराइयों का भी लेखक ने ठीक ठीक वर्णन किया है लेकिन जहाँ आस्मान ही फट पड़ा है वहाँ कौन क्या कर सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि मृत्यु के पीछे जेवनार करना एक जंगली रिवाज है। आर विवाह कार्य में जो भोजन दिया जाता है वह भी कुछ कम जगली नहीं है। उसके पीछे इतना कर्च क्यों किया जाय? इतना आडम्बर क्यों करें? लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी विवाह में कम ज्यादा कर्च अब भी किया जा रहा है इसलिए हम चाहे भले ही उसे कम जगली कहे लेकिन मृत्यु के बाद तो हिन्दू धर्म में ही कर्च होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे अनेक सुधारों की आवश्यकता स्पष्ट है। लेकिन जब समाज का जीवन विचारमय, स्वतंत्र और नीतिमय बनेगा तब सब सुधार एक साथ ही हो जायेंगे। जब तक हमलोग विचाररहित और पराधीन रहेंगे तब तक एक तार कोबने से तेरह तार टूट जायेंगे।

लेखक की आखिरी चिन्ता विदेशी कपड़े जलाने के सम्बन्ध में है। यदि लोग मुझे इस बात का बकीरत दिखावें की वे अपने विदेशी कपड़ों की ही होली करेंगे और दूसरों के कपड़ों की नहीं, कोई किसी की दोषी उठा कर 'दोषी' में न फेंके तो मैं आज विदेशी कपड़े की होली करने का प्रचार करूँगा। इस होली की उचितता के सम्बन्ध में मुझे बराबा भी सन्देह नहीं है लेकिन मुझे लोगों की हिंसा का भय है। जिस बन्दू की उत्पत्ति हिन्दू प्रेम से होनी है उसका भी जब पूरा पूरा सदुपयोग किया जाता है तब यह समझना चाहिए कि उस बस्तु को बाहर खाने का वह समय नहीं है। और जब मैंने बम्बई में अनुभव किया कि लोग स्वयं विदेशी कपड़े पहनते हैं फिर भी दूसरे के विदेशी कपड़ों की छीन छीन कर उसकी होली करने को तैयार है तब मैंने उस शब्द को लौटा लिया। अन्ती तो कुसंग, पाकण्ड इत्यादि मैं ऊपर उठ आया है। ऐसे समय में शान्तिमय प्रयोगों को कुछ हफका कर देना ही आवश्यक है। इसीलिए सारी उत्पन्न करने का, बरसात चलाने का और सारी बचने का महान् शान्तिमय प्रयोग, जो सर्वे काल में बचाया जा सकता है बचाया जा रहा है। जिन्हें शान्ति से हिन्दुस्तान का स्वराज-धर्मराज हासिल करना है वे तो उसे परम धर्म मान कर ही उस पर अमल करेंगे।

(नवजीवन)

जीवनभारस करमबन्ध नीची

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

### अध्याय ४

#### मेरा स्वामित्व

मेरे विवाह के समय निर्बंधों की छोटी छोटी पत्रिकाएँ — एक पैसे की या एक पाई की कीमत की आज याद नहीं है — निकलती थीं। उसमें संपत्तिपत्र, बालकपत्र और करकसर इत्यादि विषयों की चर्चा होती थी। इसमें से कोई भी निर्बंध जब मेरे हाथ पड़ता था तो मैं उसे समग्र पढ़ जाता था। और मेरी वह आदत तो थी ही कि जो पढ़ता था वह यदि पसंद न होता तो उसे मैं फौरन ही भूल जाता था और जो पसंद पड़ता था उस पर अमल करता था। एक मरतबा वह पढ़ा था कि एकपत्नीयता पालन करना पति का धर्म है और यह बात हृदय में बैठ गई थी। मुझे सत्य का शौक था इसलिए पत्नी को दगा नहीं दे सकता था और इस कारण वह भी समझ गया था कि दूसरी स्त्री के साथ सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए। छोटी उम्र में एकपत्नीयता का अंग होना बहुत ही कम संभव होता है।

लेकिन इन सद्बिचारों का एक बुरा परिणाम भी हुआ। यदि मुझे एकपत्नीयता का पालन करना चाहिए तो पत्नी को भी तो एकपत्नीयता पालन करना चाहिए न? इस हयाल से मेरे हृदय में ईर्ष्या ने प्रवेश किया 'पालन करना चाहिए' के विचार पर से मैं 'पालन कराना चाहिए' के विचार पर आया। और यदि मुझे उसका पालन कराना चाहिए तो मुझे उसके लिए जोकीदारी भी तो करनी चाहिए। मेरी पत्नी की पवित्रता के सम्बन्ध में मुझे संका करने का कोई कारण न था लेकिन ईर्ष्या कारण कहाँ देखनी है। मेरी पत्नी हमेशा कहाँ कहाँ जाती है वह मुझे अवश्य ही मालूम करना चाहिए और इसलिए वह मुझसे इजाजत लिये बिना कहीं जा ही नहीं सकती थी। यह हम लोगों में एक कष्टप्रद झगड़े का कारण हो गया। बिना इजाजत के कहीं भी न जाना चाहिए वह तो एक प्रकार की कैद है। लेकिन कस्तूरबाई ऐसी कैद सहन करनेवाली न थीं। चाहे जहाँ वह मुझे पूछे बिना ही जाती थीं। ज्यों ज्यों मैं अधिक अंकुश रखने का प्रयत्न करता था त्यों त्यों वह अधिक स्वतंत्रता दिखाती थी और मैं इससे अधिक चीढ़ जाता था। इसलिए हम लोगों में माना करना और एक दूसरे से न बोलना एक सामान्य विषय हो गया। कस्तूरबाई ने जो स्वतंत्रता दिखाई थी उसे मैं निर्दोष मानता हूँ। एक बाला जिनके मन में कुछ भी पाप नहीं है वह देवदत्त करने के लिए या किसी के निकले जुलने के लिए जाने के सम्बन्ध में पृथा अंकुश को कैसे सहन कर सकती है? और यदि मैं उस पर दाब रखना चाहूँ तो तो वह मुझ पर भी दाब रखना क्यों न चाहें। लेकिन वह तो आज समझ सका हूँ। उस समय तो मुझे अपना स्वामित्व सिद्ध करना था। लेकिन पाठक यह न मानें कि हमारे एहसंसार में कुछ भी मजबूती न थी। मेरी बकता के मूक में प्रेम था। मैं अपनी स्त्री को भावार्थ स्त्री बनाना चाहता था। वह छुड़ जाने, छुड़ रहे, जो मैं स्वीकृता होऊँ वह स्वीके, जो पड़ता होऊँ वह बटें और हम दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत रहें, यही मेरी भावना थी।

वह मुझे क्याक नहीं है कि कस्तूरबाईकी भावना भी ऐसी ही थी। वह निरक्षर थी। स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, विह्वल करनेवाली और मेरे साथ कम बोलनेवाली थी। अपने अज्ञान के कारण उसे असंतोष न था। मैं पढ़ता हूँ इसलिए वह भी पढ़े ऐसी उषकी इच्छा मैंने अपने लक्षकपत्र में कभी भी अनुभव नहीं की थी। इसलिए

मैं यह मानता हूँ कि मेरी भावना रक्षणी थी। मेरा विषयसुख एक ही स्त्री के ऊपर निर्भर था और मैं उस सुख का प्रतिषोष देखना चाहता था। जहाँ प्रेम एक पक्ष में ही हो वहाँ भी तो उसमें सर्वाथ न दुःख नहीं होता है।

मुझे यह कहना चाहिए कि मैं मेरी स्त्री के प्रति विषयासक्त था। शाका में भी उसीके विचार आते थे और यही क्याक बना रहता था कि कब रात हो और हमजोग मिलें। वियोग अवस्था मालूम होता था और मेरी कितनी ही इधर उधर की बातों से मैं कस्तूरबाई को सोने ही न देता था। यदि मैं इस भावार्थिक के साथ कर्तव्यपरायण न होता तो मैं रोग से पीड़ित हो कर अवश्य ही मृत्यु के वश हो गया होता अथवा मुझे ऐसा मास होता है कि मैं संसार में केवल पृथा ही जीवन व्यतीत करता होता। सुबह होने ही जेत्य कम तो काने ही चाहिए और किसी को भी जगना न चाहिए इस हयाल ने बड़े बड़े संकटों में मेरी रक्षा की है।

मैं ऊपर कह गया हूँ कि कस्तूरबाई निरक्षर थी। उसे पढ़ाने की मुझे बड़ी इच्छा थी लेकिन मेरी विषयवासना उसे पढ़ाने का अवसर ही कब देती थी? एक तो मुझे जबरदस्ती उसे पढ़ाना पड़ता था और वह भी तो रात्रि में एकान्त के समय ही हो सकता था। बड़ेबूढ़ों के समझ तो स्त्री के प्रति देख भी नहीं सकते थे और बात तो हो ही कैसे सकती थी? उस समय काठियावाड़ में पूंघट निकालने का अंगकी और निर्बंधक विवाह था और बहुतांश में वह आज भी मौजूद है। इसलिए पढ़ाने के लिए सब प्रकार की प्रतिकूलता थी। और इसलिए मुझे यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि सुवावस्था में मैंने उसे पढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किये सब निष्फल हुए। जिस समय मैं विषय की निद्रा में से जागृत हुआ उस समय तो मैंने मार्कजिनिक कार्यों में भाग लेना आरंभ कर दिया था और इसलिए मेरी ऐसी स्थिति न थी कि मैं उसमें कुछ अधिक समय दे सकूँ। शिक्षकों के द्वारा पढ़ाने के प्रयत्न भी निष्फल हुए। आज कस्तूरबाई जैसे जैसे पत्र लिख सकती है और सामान्य गुजरानी समझ सकती है। मैं यह मानता हूँ कि यदि मेरा प्रेम विषय से दूषित न होता तो वह आज विदुषी स्त्री होती। उसके पढ़ने के आलस्य को मैं जीत के सकता था। ये यह जानना हूँ कि शून्य प्रेम के लिए कुछ भी अशक्य नहीं है।

मैं स्वकी के साथ इस प्रकार विषयी होने पर भी कैसे बच गया उसका एक कारण मैं ऊपर दिखा चुका हूँ। एक दूसरी भी बात उल्लेख योग्य है। मेरे सैकड़ों अनुभवों पर से मैं यह निष्कर्ष निकाल सका हूँ कि जिसकी निद्रा सधी होती है उसकी ईश्वर ही रक्षा करता है। हिन्दूसंसार में बालकपत्र का हानिकर विवाह है तो उसके साथ साथ उसमें से कुछ मुक्ति मिले ऐसा भी एक विवाह है। बालक पतिव्रती को मातापिता अधिक समय तक एक साथ नहीं रहने देते हैं। बाल स्त्री का आशे से भी पशावह समय अपने मातापिता के घर ही में जीतता है। हम लोगों के सम्बन्ध में भी यही हुआ। अर्थात् १३-१४ वर्ष के दरम्यान हमजोग अलग अलग सब प्रसंगों को भिन्न कर तीन साल से अधिक एक साथ न रहे होंगे। ६-८ महीने तक साथ रहते कि पत्नी के लिए उसके मातापिता के यहाँ से बुकौआ जाही जाता था। १८ साल की उम्र में तो मैं विवाहगत गया था इसलिए हमकोनी में अच्छा करना वियोग आ पड़ा। विवाहगत से छोट आने पर-कीई



६ ही महीने एक साथ रहे होंगे क्योंकि मुझे रायकोट से बर्हई और बर्हई से रायकोट जाना जाना पड़ता था। उसके बाद दक्षिण आफ्रिका का निमंत्रण मिला और इस दरम्यान तो मैं अच्छी तरह जाग्रत भी हो गया था। —

( नवजीवन )

मोहनदास करमचंद गांधी

## हिन्दी-नवजीवन

प्रथम भाग, भाग नदी १, संख्या १९८१

### वफादारी का अतिरेक

एक सज्जन लिखते हैं:

“ यदि कोई सरकारी कर्मचारी देशहित के कार्य में सहाय-भूमि प्रकट करता है अथवा तदनुकूल कार्य करना आरम्भ करता है — उदाहरण के तौर पर जैसे खादी पहनने लग जाय — तो लोग कहते हैं कि जिसने सरकार का निष्क कामया है उसे सरकार के विरुद्ध किसी भी काम में सहाय न करनी चाहिए और न उसके विरुद्ध कोई काम ही करना चाहिए, और यदि ऐसा कोई करे तो वह सेवक का धर्म जो स्वामीभक्ति है उसके खिलाफ होगा। इसका समर्थन करने के लिए महाभारत में से उदाहरण देना किया जाता है। भीष्म, द्रोणादि यह जानते थे कि दुर्योधन का पक्ष गलत है फिर भी उसी की तरफ से वे लड़े। भीष्म जैसे धर्मस्थान ने दुर्योधन का स्थाय क्यों न किया ? ”

यह दलील केवल हिन्दुस्तान में ही हो सकती है। हिन्दुस्तान में स्वामीभक्ति को बहुत बढ़ाया है और उससे काम भी उठाया है। फिर भी आज तो हमलोग अच्छे से अच्छी बस्तु का भी अनिरेक और वफाता ही अनुभव कर रहे हैं।

प्रथम तो महाभारत के दृष्टांत को ही बीच में से उगार दे कर उड़ा दें। भीष्मादि के पास जब धर्मराज गये तब उन्होंने स्वामीभक्ति को निमित्त न बना कर अपने उदर के प्रति हाथ कर के कहा था कि 'पापी पेट के लिए यह कर रहे हैं। विदुश्वनी किसी के भी साथ न रहे। रामायण देखेंगे तो माछम होगा कि विभीषण ने धर्म का कपाल करते हुए न स्वामीभक्ति को देखा न भ्रातृप्रेम को, उन्होंने रामचन्द्र को सम्पूर्ण मदद की, लंका के छिपे हुए मेदों को—रहस्यों को बताया और प्रह्लादादि के साथ वे भक्तों में गिने गये।

लेकिन शाब्द हमें इससे विरुद्ध दृष्टांत भी मिले तो भी जहाँ नीतिविरुद्ध दृष्टांत मिलते हैं वहाँ हमें उनका अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए। रामायण में गोमांस का वर्जन हो या वेद में पशुबध का वर्जन देखा जाय तो उससे आज हम न गोमांस कायेंगे और न पशुबध करेंगे। सिद्धान्त तो तीनों कालों के एक ही होते हैं लेकिन उसके आधार से बनाये गये आचारों के नियमों में समय के बदलने पर, स्थिति के बदल जाने पर समय समय पर परिवर्तन तो होता ही रहेगा।

अब वफादारी का विचार करें। सरकार की नोकरी के सम्बन्ध में गभित या प्रसिद्ध ऐसा एक भी नियम नहीं है कि जिससे सरकारी कर्मचारी खादी न पहन सके। कुछ कर्मचारियों की खास सरकारी पोषाक पहनना पड़ता है लेकिन वह बात ही बूझरी है। ऐसे पोषाक पहननेवाले कर्मचारी भी अपने खानगी समय में आदिवासी तौर पर खादी पहन सकते हैं। खादी ऐसी वस्तु नहीं

है कि जो सरकार के विरुद्ध हो और न ऐसी गिनी ही जाती है। उसी प्रकार ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी सार्वजनिक इन्चक के प्रति सहायभूमि न बता सके। हाँ, जो नोकर वफादार है वह अवतक नोकरी करता है तबतक सरकार जिस इन्चक को देशद्रोही गिनती है उसमें भाग नहीं ले सकता है। लेकिन यदि वह सरकार के हुक्म को अनुचित मानता हो और उसमें उतनी हिम्मत हो तो नोकरी छोड़ कर के वह सरकार का विरोध भी कर सकता है। नीति का या दूसरा ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो एक सरतवा नोकर बना वह सदा ही नोकर बना रहेगा और सेवक को स्वामी के कार्य की नीति अनीति का विचार ही नहीं करना चाहिए। वफादारी को भी मर्यादा होती है। वफादारी से इतना ही अपेक्षित है कि जो नोकरी मिली हो उसमें अवतक सम्मन्ध है और अवतक वह न करी करता है उसे वफादार रहना चाहिए। अर्थात् बाबखाने में काम करनेवाला नोकर निश्चित किये हुए घण्टे पूरे भरे और रुपये की या पत्रों की बोरी न करे और अपनी नोकरी के समय पर सरकार की जो गुप्त बातें सख्त हुई हों उन्हें जाहिर न करे। लेकिन वह बोरीसों घण्टे का नोकर नहीं है, उसने अपना आत्मा नहीं बेच डाला है। जिसे वह राष्ट्रीय इन्चक माने उसके प्रति वह विचार में अवश्य ही सहायभूमि रख सकता है और यदि प्रसिद्ध नियमों के विरुद्ध न हों तो वह कार्य में भी सहायभूमि देखा सकता है।

( नवजीवन )

मोहनदास करमचंद गांधी

### लडाई कैसे सुलगी ?

( मतांग से आगे )

गुप्त पत्रव्यवहार

इस प्रकार सब देना लडाई के लिए बड़ी तैयारी कर रहे थे और लडाई की ही बातें करते थे। यही नहीं लेकिन जो गुप्त पत्रव्यवहार अवतक माछम हो सका है उसे देखने से भी यह प्रतीत होगा कि सभी यूरोपीय राजनीतिविहारद और बुद्धतावक-गण लडाई करना अनिवार्य समझने लगे। अनेक अंगरेज नेताओं की तरफ से हम लोग यह जान सके हैं कि ब्रिटिश जलसेन्य की पूर्णता के विषय में सभी को संतोष था। १९१० के नवम्बर में ब्रेडरुडे काकेज में बोलते हुए अनेक वर्ष के युद्ध मंत्री लार्ड हार्डेनने कहा था : “ जब लडाई हुई उस समय हमारा वेडा ऐसी अच्छी स्थिति में था कि पहले कभी उसका ऐसी स्थिति में होना याद नहीं है। जर्मन वेडे के विरुद्ध अपना बल बुझाया था। आगस्ट की तीसरी तारीख को सोमवार के दिन ११ बजे अर्थात् १६ घण्टे पहले हमलोगों ने लडाई की इन्चक शुरू की थी। कुछ ही घण्टों में हमारे जलसेन्य की सहायता से हमारा स्वक-सेन्य किसीको भी न माछम हो इस प्रकार इंग्लिश जेनक धर कर गया था। ”

दूसरे अनेक बड़े बड़े ब्रिटिश नेता तो इससे भी आगे बढ कर यह कहते हैं कि जलसेन्य में स्पर्धा का आरंभ कराने की जबाबदेही का सारा ही भार इंग्लैण्ड के ऊपर ही है। १९०८ की जनवरी की २६ वीं तारीख को ब्रिगे गण्ट एक भाषण में लार्ड कर्थाके ने कहा था : “ आरंभ हमलोगों ने किया था उन्होंने नहीं। हमारा जलसेन्य इतना बढा था कि कैसा भी बुद्धमय कर्वाँ न तैयार हो हमलोग हारनेवाले न थे। फिर भी हमें संतोष न था ' देवनीड तैयार करो ' यही हुकम करते रहे। ”

ब्रिटेन के विदेश सम्बंधी नीति के प्रधान पर एडवर्ड थे ने १९१४ के फरवरी महीने में यह कहा था 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहला ' देवनीड ' बनाने की जबाबदेही हमारे लिए है। इस

जर्मने ही सहायता की ऐसी टीका हमारे सम्बन्ध में अवश्य ही हो सकती है।

फ्रान्स भी लड़ाई की आशा रखता था और उसने भी हर प्रकार से तैयारी कर रखी थी। १९१४ में ही ८ वीं तारीख को पेरिस में रहनेवाले बेल्जियम प्रतिनिधि ने एक पत्र में अपने विदेश संबंधी नीति के प्रभाव को लिखा था "कुछ महीने हुए फ्रेंच प्रजा का लड़ाई करने के लिए अधिकाधिक उत्साह बढ़ रहा है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी सहायता बढ़ रही है। अच्छे जानकार और व्यवहार में पूर्ण अनुभवशील ऐसे कितने ही अनुभव हैं जो दो साल पहले फ्रान्स और जर्मनी के दरम्यान लड़ाई होने की बात सुन कर कोप उठते थे। आज उनकी बातचीत का रंग बदल गया है। वे यह जाहिर करते हैं कि उन्हें अपनी जीत के बारे में कोई संदेह नहीं है; फ्रेंच स्वच्छेता में जो सुधार हुआ है उसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि रशिया को लड़कर उतारने का, अपनी युद्ध सामग्री एकत्रित करने का और जर्मनी पर पश्चिम में आक्रमण करने का समय बिल्कुल तबतक वह जर्मनी के लड़कर को बराबर रोक सकता है।

१९१४ में भागस्ट की ४ तारीख को फ्रेंच पार्लियामेंट के समक्ष व्याख्यान देते हुए प्रेसिडेंट पॉकारे बोले थे "फ्रान्स तो समय की राह देख कर ही बैठा था। शांति और सावधानी के साथ यह तैयार है, दुश्मनों को हमारे शरवीर शीपाहियों का सामना करना होगा। फ्रेंच सेना के एक अधिकारी ने अपने १९१० में प्रकाशित हुए एक पुस्तक में लिखा था 'बेल्जियम लड़कर और ब्रिटेन के चार दलों को गिनती किये बिना ही लड़ाई के आरंभ में फ्रान्स अपने बलवान सत्रु के मुख्य दल का मुकाबला करने की शक्ति रखता था।

रशिया का लड़कर संसार में सबसे बड़ा था। आस्ट्रिया के सुवर्णम आर्थोयूक फर्डिनण्ड का हन होने के दो सप्ताह पहले ही रशिया के एक मुख्य वर्तमान पत्र में एक बड़ा ही महत्व का लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें लड़कर की स्थिति के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया था। सामान्य तौर पर इस लेख के बारे में यह मान्यता थी कि वह लेख रशिया के युद्धमंत्री का लिखा हुआ था। "अभी यहैनसाह का जो हुकम निकला था उसके अनुसार रंगरटों की संख्या ४५००० से बढ़ा कर ५८००० की कर दी गई है। इस प्रकार हमें प्रति वर्ष ११००० अनुपम अधिक मिलेंगे। और जोकरी का समय भी ६ महीना और बढ़ा दिया गया है। इसलिए प्रत्येक बाले की कटु में रंगरटों की चार दूकड़ियां तैयार रहेंगी। सामान्यतया त्रिरापी से गिन कर हमारे लड़कर की संख्या कितनी है यह कहा जा सकेगा। अर्थात् ५८०००० x ४ = २३२०,००० अनुपमों की है। अभी तक किसी भी देश के लड़कर में इतनी संख्या का होना कभी कहीं नहीं सुना है। केवल महान प्रतापी रशिया ही इतना बड़ा लड़कर रख सकता है। तुलना करने के लिए यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि जर्मनी में आखिरी लड़करी कानून के अनुसार ८,८०,००० का, आस्ट्रिया का ५००,००० का और इटली का ४००,००० का लड़कर था।

संयुक्त राष्ट्रों के सम्प्रतिरक्षणी के संघर्षाता ने १९१३ के सप्टेम्बर की १० वीं तारीख को लिखा था "सब इस बात का स्वीकार करते हैं कि रशियन लड़कर अभी बैठा तैयार है उसके अधिक जगड़ा शायद ही कमी होगा। उसके बावजूद काफी कपड़े हैं, काफी शराब है, और उसका लोहों का बल कैसा है यह कहना ही मुश्किल है। बेल्जियम लड़करी बलूक की ताबील तो बहुत बलूक रखती है।

### ३ संधि

हमलोग यह देख गये हैं कि यूरोप के सभी बड़े बड़े राज्य नये मुल्क, कच्चा माल, व्यापारमार्ग और अपने माल के लिए बाजार प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी पर जो स्पर्धा बल रही थी उसमें शान्ति के और जो जो आर्थिक लाभ उन्होंने प्राप्त किये वे उनकी रक्षा करने के लिए और बूधे और भी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सभी ने अलसेना और स्वच्छेता को तैयार रखा था। यही नहीं जो बाकी बना था उसे वे बूधे राष्ट्रों के साथ सन्धि और करार कर के पूरा करने का सवा ही मनारथ रखते थे। उसी प्रकार १८७९ में जर्मनी और आस्ट्रिया के बीच सन्धि हुई थी। सन १८८२ में इटली ने ट्यूनिश में फ्रान्स के आक्रमण का बचाव करने में निष्कलता प्राप्त करने पर जर्मनी और आस्ट्रिया के साथ सन्धि करना चाहा और सन्धि की। १८९१ में फ्रान्स और रशिया में सन्धि हुई और सन १९१४ में उनके बीच एक प्रकार का लड़करी करार कायम हुआ। इस करार में दोनों राष्ट्रों के दरम्यान ऐसा निश्चय हुआ कि इटली, जर्मनी और आस्ट्रिया में से यदि एक भी उनमें से एक पर भी आक्रमण करे तो दोनों राष्ट्रों को फौरन ही पहले किसी भी प्रकार की सूचना दिये बिना ही लड़कर मेजने की आरंभ पर मेजने की तैयारी करनी चाहिए। जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में लड़कर मेजने की संख्या निश्चित हुई थी। अन्विय में जो परिवर्तन करनी थी उसके सम्बन्ध में भी निश्चय किया गया था। दो में से किसी भी एक राष्ट्र ने दूसरे से अलग रह कर किसी भी प्रकार की संधि न करने का भी निश्चय किया था और यह भी निश्चय हुआ था कि जबतक उन तीन राष्ट्रों की संधि कायम रहेगी तबतक इन दोनों राष्ट्रों की संधि भी कायम रहेगी।"

सन १९०४ में इंग्लैंड और फ्रान्स में संधि हुई और यह निश्चय किया गया कि फ्रान्स इंग्लैंड को (इतिहास) भीतर देश में निर्दिष्ट स्वतंत्र रहने दे और उसके बदले में इंग्लैंड को चाहिए कि वह फ्रान्स को मोरोको में सर्वथा स्वतन्त्र रहने दे। यह करार कुछ दिनों के 'मैत्री की प्रणयी' के तौरके पर पका किया गया। फ्रान्स और इंग्लैंड की यह संधि तो मैत्री की मर्यादा को भी पार कर गई। लड़ाई के बाद प्रकाशित हुए एक पुस्तक में ब्रिटिश लड़कर का प्रधान लार्ड फ्रेंच लिखता है "जब जो संसार यह जान गया है कि एक बड़े जरासे से ग्रेटब्रिटेन और फ्रान्स के लड़कर के मुख्य प्रमाण सलाह मशवरा कर रहे थे और उनमें यह करार पाया था कि यदि असुख घटना हो तो दोनों को एक साथ मिल कर काम करना चाहिए.....यह निश्चय हुआ था कि ब्रिटिश लड़कर फ्रेंच लड़कर की बाँह और ध्यूह रचना करे और लुरे लुरे दलों के उतरने के लिए मोबाग और लाकाटो के बीच के प्रदेश में स्टेशन भी मुकरर किये गये थे। यह निश्चय किया गया था कि लाकाटो में लड़कर की बड़ी छावनी लगी जाय।"

इसी के सम्बन्ध में प्रसिद्ध लड़करी संवादाता कर्नल रेपिण्डर लिखते हैं; "१९०६ में अंगरेज और फ्रेंच लड़कर के अधिकारीयों में सलाह मशवरा होना आरंभ हुआ और १९१४ तक अर्थात् लड़ाई तक होने तक यह बराबर जारी रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश और फ्रेंच लड़करी अधिकारीयों में गहरे सहयोग हुआ और धीरे धीरे फ्रान्स में हमारा लड़कर के जाने के लिए अहम, लड़कर और वेल्चे इत्यादि की योजना तैयार होती रही।"

(अपूर्ण)

## वर्धा के आश्रम में

वर्धा में आ कर गांधीजी ने उपवास के दिनों में जो बचन गवाया था वह फिर प्राप्त कर लिया है। यह समानार तो शायद पाठकों को दैनिक वर्तमान पत्रों के द्वारा भी मिल गया होगा। वहाँ पर सत्याग्रहाश्रम की शाखा में जिसके श्री. विनोबा सहायक है, उन्होंने निवास किया है। वातावरण की शान्ति के सम्बन्ध तो "नर ही क्या है? आश्रम शहर से दूर है और आश्रम के पास श्री जमनालालजी चौकीदार बन कर पड़े हुए हैं इसलिए बिना काम के किसी भी मनुष्य का वहाँ आना जाना नहीं हो सकता है। चारों ओर मीलों तक खेत और खुले हुए मैदान फैले हुए हैं—कभी कभी आने जानेवाली गाड़ियों का आवाज सुनाई देता है और बस यही कुछ शान्ति का भंग करता है।

लेकिन यह तो बाह्य शान्ति का बात हुई। अन्तर शान्ति में विक्षेप डालनेवाली एक भी बात नहीं है यह कहना काफी न होगा। वहाँ पर तो शान्ति को पुष्ट करने के ही सब साधन हैं। अपने निश्चल कार्य में सदा परागण रहनेवाले आश्रमवासी शान्ति के सिवा और क्या दे सकते हैं! सुबह चार बजे से रात के ८ बजे तक सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। प्रार्थना के समय अभी एक ही दिन गांधीजी बांके थे और वह भी अपनी ही इच्छा से। यहाँ प्रार्थना में भजन नहीं गाये जाते हैं क्योंकि विनोबा की वाणि में तो तुकाराम और रामदास होते ही हैं—लेकिन इसका कारण मैं अभी तक नहीं जान सका हूँ। प्रतिदिन श्री. विनोबा प्रार्थना के बाद अपने अगाध ज्ञान भंडार में से एकाध बचन या मन्त्र ले कर उस पर प्रवचन करते हैं। उस प्रसादी का मैं अकेला ही उपभोग करूँ इसके अनिश्चित क्या यह अच्छा नहीं है कि मैं नवजीवन के पाठकों को भी उसमें से हिस्सा दूँ?

### गीता में हिंसा है या अहिंसा?

गीताजी में अहिंसा कैसे हो सकती है? यह शंका केवल नवजीवन के पाठकों से ही नहीं होती है लेकिन यहाँ पर भी श्री. विनोबा से यह प्रश्न पूछनेवाले बहुत से मनुष्य हैं। जहाँ गीताजी का अभ्यास हो रहा है वहाँ मानों गीताजी के संबंध में केवल यही एक प्रश्न पूछने लायक है यह मान कर ही लोग अपनी जिज्ञासा की समाप्ति करते हैं। इस प्रश्न का श्री विनोबा ने जो उत्तर दिया था उसका सार मैं यहाँ देना चाहता हूँ। इसी प्रश्न को ले कर गांधीजी ने आ लेख लिखा था वह तो पाठकों के स्मरण में अभी ताजा ही होगा। उसमें जो मुख्य बात कही गई थी उसी बात पर श्री विनोबा ने विस्तार से विवेचन किया है यह उन्हें तो भी यह ठीक ही होगा।

### मेरा गीताभ्यास

आरम्भ में अपना गीताजी के विषय का प्रेम न्यान करते हुए उन्होंने कहा: "शायद ही कोई दिन ऐसा जाना होगा कि जिस दिन मैंने गीताजी का उच्चारण या विचार न किया हो। आज बारह साल हुए मेरा गीताजी का अभ्यास सतत जारी है। उपनिषद् तो हैं ही, उसमें से कुछ कम हार्मिल होता है यह बात नहीं लेकिन उसमें से थोड़े भी लोगों को कुछ मिलता है। वेद है लेकिन वे गूढ़ हैं। वेद विशिष्टपावन अर्थात् अमुक वर्ग को ही पावन करनेवाले हैं। लेकिन गीताजी तो विश्वपावन है। इसका अभ्यास अर्थात् उसका पालन करने का मेरा प्रयत्न इतना अधिक है कि कहीं मैं यह कहूँ कि मैं अपने किसी मित्र या व्यक्ति को जितना प्यार करता हूँ, उससे अधिक मैं गीताजी को पहचानता हूँ तो यह ठीक ही होगा। इसलिए जब मुझसे यह प्रश्न पूछा गया कि गीताजी

हिंसा का प्रतिपादन करती है या अहिंसा का, तो मुझे उत्तर देने में जरा भी विचलन न करना पड़ा, और यह बात ही ऐसी है कि यदि इसके बारे में मुझसे सैकड़ों बार भी पूछा जाय तो भी मैं उससे ऊब न जाऊँगा।

### मूल प्रश्न

व्यासमुनि ने गीताजी को उपनिषदों का होइन करके तैयार किया है और उपनिषदों में अहिंसा के सिवा और दूसरी किसी भी बात का प्रतिपादन नहीं किया गया है इसलिए गीताजी में भी अहिंसा का ही प्रतिपादन हो सकता है। इस तर्क से तो इस बात का फोरम ही निर्णय किया जा सकता है लेकिन आहूँ, हमलोग उसका साक्षीय निरीक्षण भी करें।

गीताजी के विषय के सम्बन्ध में बहुतों को शंका होती है: क्योंकि उसका बाह्य परिवेश भ्रम में डालनेवाला है। यदि ऊपर ऊपर से ही देखा जाय तो उनका सारा ही पारिवेश युद्ध का है और इसलिए मनुष्य यह अनुमान कर लेता है कि उसका विषय भी यही होगा। लेकिन ऐसा नारियल का फल है वैसे ही गीताजी भी है। जो नारियल को नहीं जानता है वह इसे नारियल को देख कर यह कैसे कह सकता है कि उसमें खट्टा मिष्ठ पदार्थ भरा हुआ है। उसका बाह्यारण तो इतना कठिन है कि उसको तोड़ने में ही आन बध्ता लग जाता है और यही बात गीताजी के सम्बन्ध में भी है। तुलसीदास और वात्सीकि ने रामचन्द्रजी का ऐसा वर्णन किया है—बाहर से बज्र तुल्य और अन्तर में शीरिष जैसे बमल—केवल इसलिए ही नहीं कि उन्होंने गीताजी का त्याग किया था लेकिन उनका सारा ही जीवन ऐसा था—उसी प्रकार गीताजी में भी उसका आन्तर कोमल है और बाह्य स्वरूप कठोर है।

इसलिए हम उसके बाह्य स्वरूप का भेदन करके उसकी परीक्षा करें। अर्जुन को किस बात की कठिनाई है, वह भगवान् कृष्ण के पास किस बात का निर्णय कराने के लिए गया था? इसीका विचार करें। उसके हृदय में क्या ऐसा प्रश्न हुआ है कि हिंसा योग्य है या अहिंसा? उसकी कठिनाई तो यह है:

न च श्रेयोनुपपत्त्यामि ह्या स्वजनमाहवे ।

युद्ध में स्वजनो को मारने से परिणाम में श्रेय नहीं होता है। और वे स्वजन भी कैसे? ऐसे वैसे नहीं। प्रत्येक वस्तु का अतिघात भी मित भावा में वर्णन करनेवाले व्यासजी को भी स्वका वर्णन करने के लिए ५-६ श्लोक देने पड़े हैं। आचार्य, पितृ, माता, भ्राता और श्वसुर इत्यादि को सबको मारने से किस प्रकार 'सुखिनः स्याम मायव' ? उसके दिख में यह प्रश्न उठा है। उसने पहले बहुतसी हिंसा की थी आज भी वह मारने योग्य वस्तु को छोड़नेवाला न था लेकिन उसे तो सिर्फ अपने स्वजनो को देख कर मोह हुआ था और मात्र शिथिल हो गये थे।

यह सब है कि उसमें युद्ध के दोषों की बात की गई है, युद्ध से कुलक्षय, कुलक्षय से कुलधर्मनाश और जीवों का दूषित हो जाना इत्यादि सब परिणामों का वर्णन किया है लेकिन यह दलील तो पगरी ही है जैसे कोई न्यायाधीश जो हमेशा से फाँसी की सजा देता चला आया है वह जब उसका लक्षक खन करके गुन्हेवार पन के सामने आता है उस समय फाँसी की सजा के विचार दलीलें करता है। फाँसी की सजा करना सुरा है यह ज्ञान उसे पहले अपने जीवन में कभी न हुआ था लेकिन जब जब अपने ही लड़के की बात आई है उस समय उसे मोह होता है और वह कहता है कि 'फाँसी की सजा सुरी है, उसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं होता है, गुन्हे कम नहीं होते हैं;

नक्षत्रा मधी भी यही कहते हैं।' इस प्रकार मोहाविष्ट मनुष्य भी अक्षर अपने ही रोचक माझम होनेवाले राजों के प्रमाण देता है। परंतु हां; एक बात संभव हो सकती है। अपने पुत्र को धमा करने का प्रसंग ही उसकी आत्मा को जाग्रत करने का निमित्त बन सकता है लेकिन अर्जुन के बारे में यह बात न थी। उसने ऐसा एक भी क्षण न कहा था कि जिसका भविष्य यह हो कि युद्ध निश्चय वस्तु है या अहिंसा निश्चय वस्तु है इसलिए मैं उसका त्याग करना चाहता हूँ।

और श्री कृष्ण ने भी क्या किया है। उन्होंने भी तो युद्ध विषयक बलीक का कहीं उत्तर ही नहीं दिया है, उसकी चर्चा एक यही की है। कुलक्षय और कुलधर्मनाश, स्त्रियों की दूषिता होने पर भी युद्ध कर्तव्य है यह भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है। उन्होंने तो कहा था:

प्रज्ञावादाथ भाषते

अर्थात् 'युद्ध और हिंसा अनुचित है यह बात तो सब है लेकिन तुम तो केवल वाद कर रहे हो, तुम तो सत्य वस्तु का अपने मोह को पुष्ट करने के लिए उपयुक्त कर रहे हो, 'यह भगवान का कहना है। 'प्रज्ञावाद' कह कर के उन्होंने उस बात की समर्थता और अर्जुन ने उसका जो दुःखयोग किया था वह प्रकट कर दिया था।

यदि अर्जुन को युद्ध के प्रति वह युद्ध होने के कारण ही तिरस्कार पैदा हुआ होता तो भगवान ने उसको नरेश करके जो इतर बचन कहे थे उसका भी वह योग्य उत्तर देता। भगवान ने तो उसको कहा था:

अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्त्येत तेऽव्ययम्।

अर्जुन यह उत्तर दे सकता था कि यदि मेरी अकीर्ति होगी तो भी मुझे उसकी परवा नहीं है। मुझे हिंसा नाम भी न चाहिए। भगवान ने अर्जुन की मनोदशा को 'क्लेश' और 'धुंदे हृदयदोषस्व' कहा था। अर्जुन को यदि अहिंसा का सच्चा रंग पका होता तो वह उत्साहपूर्वक यह कह सकता था कि नहीं, मैं तो संपूर्ण वीरता से और हृदयबल के साथ चापूतावस्था में यह कहता हूँ कि मुझे यह युद्ध नहीं करना है। लेकिन वह तो स्वजनों की ही बात करता है, यही प्रश्न पूछता है कि पूजाई भीष्म और द्रोण को मैं क्यों कर मार सकता हूँ? अहिंसा ही श्रेय है यह कह कर यदि उसने हिंसा का त्याग किया होता तो भी कृष्ण को सारी गीता न कहनी पड़ती। लेकिन अर्जुन की हिंसा त्याग करने की इच्छा तो राजसी हो या तामसी, वह सार्विक न थी। उसके लिए युद्ध निमित्त कर्म था और यदि मोह के बल ही कर वह उसका त्याग करना चाहता ही तो वह त्याग तामस त्याग था।

'मोहमस्य परिस्थानः तामसः परिकीर्तितः।

मोह से निमित्त कर्म का त्याग करना यह तामसकार्य है। दुःख होता इस अर्थ के कारण वह उसका त्याग करना चाहता था जो वह त्याग तामस त्याग था।

दुःखमिदं च सक्रमे कार्यं क्लेशमयात्तज्जेत्।

स इत्या राजसं स्थानं नैव त्यागफलमेत् ॥

इन दोनों प्रकार के त्याग से भी कृष्ण भगवान अर्जुन को बचाना चाहते थे।

गीताजी में सारा प्रश्न ही तो मोह और मोह के निवारण का है। आरंभ ही में अर्जुन अपनी स्थिति का इस प्रकार वर्णन करते हैं:

'कार्यस्य दोषोपहतः स्वभावः

दुःखमिदं सर्वा धर्मे संयुतमेतः।'

और इन धर्म संमोह के नाश के लिए उसे सारी गीता सुना कर फिर भगवान उसमें प्रश्न करते हैं:

'कश्चिदज्ञान संमोहः प्रणष्टस्ते धर्मत्रय।'

क्या अब तुम्हारा अज्ञानजनित संमोह सष्ट हो गया है उसका अर्जुन स्पष्ट उत्तर देता है

'नरो मीहः सृष्टिर्नञ्जा त्वत्प्रज्ञावात्मव्याप्युत।'

इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर सारा मोह का ही प्रश्न सिद्ध होता है। युद्ध की कार्याकार्यता या हिंसा अहिंसा का तो उनमें प्रश्न ही नहीं है।

और तर्कों के निगमानुसार भी जिस पूर्वपक्ष का उत्तर नहीं दिया जाता है उसका स्वीकार ही मान लिया जाता है। युद्ध से होनेवाली परंपरा की दलील को 'प्रज्ञावाद' कह कर के वह वस्तुतः सच है (यद्यपि अर्जुन के मुख में वह शोभा नहीं देती है) यही कहा गया है। लेकिन उसका कुछ भी उत्तर न देने में भी उसके स्वीकार का समावेश हो जाता है।

दूसरे प्रमाण

अब एक दूसरे प्रमाण पर आते हैं। आठवें अध्याय में कहा है:

'सत्मात्मवेषु कालेषु सामनुस्मर युद्धय च'

इसका क्या अर्थ है? सर्वकाल मेरा अनुस्मरण कर और युद्ध कर; यह कहा है। तो क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सर्वकाल कुक्षेत्र या ही युद्ध किया करे? श्री भगवान ने तो इस प्रकार एक अनुमान बाधक कह दिया है: मेरा स्मरण करते करते जिसका अन्तकाल होता है उसको परमगति मिलती है। सर्वकाल मेरा स्मरण रखने से ही अन्तकाल में मेरा स्मरण रहता है। परमगति प्राप्त करने के लिए सर्वकाल मेरा स्मरण कर।

इसीके साथ 'युद्ध कर' शब्दों को भी जोड़ दिया है। उसका अर्थ स्थूल युद्ध करें तो अन्त्य होगा। मेरा स्मरण कर और सर्वकाल आधुरी सम्भ्र के साथ युद्ध करता रहे यही अर्थ 'सर्व काल' शब्द का प्रयोग होने के कारण अभीष्ट मालूम होता है।

और अन्त में श्री भगवान ने जगद अगह जो सीधा उपदेश किया है उसको देखने से भी मालूम होगा कि उनमें अहिंसा का ही उपदेश है। ज्ञानी, भक्त या कर्मयोगी सभी के लिए एक ही बात कही है। देवीसंपत् का वर्णन करते हुए अहिंसा का वर्णन तो किया है लेकिन 'अहिंसा'वाचक दूसरे गुणों का भी कथन किया है: जैसे अक्रोध, शान्ति, 'भूतेषु दया' मार्दव, ह्री इत्यादि। कृत्रिम के गुणों का वर्णन करते हुए 'युद्धेषु चाप्यपलायन' ही कहा गया है। युद्ध में निर्भय हो कर लड़े रहने को ही कहा है, युद्ध में मारना या संहार करना नहीं कहा गया। सतरवें अध्याय में त्रिविध ताप का वर्णन करते हुए शारीर तप में 'अहिंसा का, वाक्त्रय तप में अनुद्वेग कर वाक्त्रय' का (अर्थात् अहिंसा का) और मानसतप में भी 'मनःप्रवाहः सोम्यस्व' का (अर्थात् अहिंसा का ही) निर्देश किया गया है। अपने को सब से अधिक प्रिय भण्डों के लक्ष्णों का वर्णन करते हुए उसका आरंभ ही

अद्वेषा सर्वे भूतानाम्

से करते हैं और अन्त में

समः शत्रो च मित्रे च तथा सामापमानयोः

यह कह कर फिर से अहिंसा की ही पुनरुक्ति करते हैं।

अब टीकाकारों का भी विचार करें और यह इसलिए नहीं कि उनका ही कहना प्रमाण है लेकिन वह जानने के लिए कि उनका सबका क्या अभिप्राय है और अपने अर्थ का समर्थन करने में वे अनुसूक्त



# हिन्दी नवजीवन

लेखक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक १९ ]

मुद्रक—प्रकाशक स्वामी आनन्द	अहमदाबाद, पीप सुबी २०, संख्या १९८२ गुरुवार, २५ दिसम्बर, १९२५ ई०	प्रकाशक—नवजीवन मुद्रणालय, खारंगपुर सरकोगरा की बाड़ी
--------------------------------	--	--

## टिप्पणियाँ

### गुप्तों की छिपाना चाहिये

एक महात्म्य लिखते हैं:

‘आपके उपवास और दूसरे प्रायश्चित्त और पापनाओं के सबब में मेरा हयाल है कि उस में कोई न कोई नुस्ती अवश्य रह जाती है और नहीं खबर है कि उनका योग्य परिणाम नहीं आता है। इस प्रकार के त्यागों का यदि परिणाम आना हो तो उनका निष्पन्न नहीं करना चाहिए और जहाँ तक हो सके उसे सुपवास और छिपा कर ही करना चाहिए। साक्षों में कहा गया है कि गुप्तों को छिपाना चाहिये और पापों को जाहिर करना चाहिये।’

‘अमेरिकन मित्र’ महात्म्य को कहते हैं उसमें बहुत कुछ सत्य है। अब स्वयं मेरे उपवास, प्रायश्चित्त और पापनाओं के संबंध में; उनमें से कुछ तो अवश्य ही जाहिर होंगे क्योंकि सांजनिज प्रविष्टान आने के उद्देश से ही वे किये गये होते हैं। लेकिन मैं कहीं कहीं काम कर रहा हूँ। छिपे में छिपाना चाहता हूँ उसे भी मैं नहीं छिपा सकता हूँ। इसलिए मुझे तो मेरे माता का अनुसरण करना चाहिए और इस परिस्थिति में प्रायश्चित्तों से मुझे जो कुछ सामान्यता मिल सके प्राप्त करना चाहिए। यदि मैं अपने लिए इतना ही प्रमाण दे सकूँ कि मैं अपने सामान्य प्रायश्चित्तों को जाहिर करना नहीं चाहता हूँ तो यही बख होना। सांजनिज प्रायश्चित्तों के सम्बन्ध में मुझे उसकी सूक्ष्म योग्यता के बारे में कोई सन्देह नहीं है और इसलिए यदि मैं शीघ्र ही उनका परिणाम न दे सकूँ तो इसमें मेरा क्या विघ्नता है? यदि मुझे अच्छे या दुरे कामों का परिणाम फौरन ही मिल जाया करे तो अच्छा किसी बस्तु का कुछ भी खर्च न रहेगा। परिणामों का अनिश्चित स्वरूप ही मनुष्य की कसौटी करता है इसे कम बसुला है और उसकी सचाई और अच्छा की परीक्षा करता है।

### अनुकः पीप

पाठक जानते हैं कि श्री श्वेन कुरीपी हेमाज के प्रतिनिधि सम्बन्ध के साथ अहमदाबाद गये हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि संघ के लिए इस महिने का सूत मेला है। यदि संघ के सभी प्रकाशक उनका अनुसरण करेंगे और वे कहीं कहीं हों किसी भी स्थिति में कहीं न हों अपना सूत सेवते रहेंगे तो संघ का

प्रमाणशाली बन जायगा और जिस कार्य के लिए उसका आरंभ किया है वह सफल होगा। एक साथ या किसी के जरिये रुपये का चन्दा भेजना अस्मान है लेकिन अपनी मिहनत से तैयार की हुई चीज समय समय पर देने के लिए सुम्बधितक विभाग चाहिए और उसके लिए चिन्ता रखनी पड़ती है। मैं आशा करता हूँ जिस प्रकार श्री श्वेन कुरीपी अपनी कथाबही समझते हैं उसी प्रकार संघ के दूसरे प्रकाशक भी समझेंगे।

### एक अमेरिकन का संतोष

अब अमा अनी कुछ दि हुस्नी मित्र अमेरिका का निमंत्रण स्वीकार न करने के लिए कुछ खीखोड़ी हुआ रहे है, एक अमेरिकन मित्र को हिन्दुस्तान को अच्छी तरह समझते है लिखते है:

“इस देश में आने के लिए अमेरिकन मित्रों के निमंत्रण का आपने जो उत्तर दिया है उस पर मैं क्या अपना संतोष जाहिर कर सकता हूँ? मुझे आशा है कि आप इसी बात पर कायम रहेंगे क्योंकि आप हिन्दुस्तान में रह कर ही हमें बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। हमारे अच्छे से अच्छे लोगों में भी अपनी जिज्ञासा तुल्य करने के लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता है और आप उसके योग्य हो पड़े यह मुझे बिल्कुल ही पसन्द नहीं है।”

मैं इस अमेरिकन मित्र को यह मार्कन दिखा सकता हूँ कि वे ऐसा कोई भय न रखें कि मैं ऐसी व्यर्थ जिज्ञासा तुल्य करने के लिए अमेरिका आऊंगा। मेरे मन में तो यह बात स्पष्ट बैठी हुई है कि जबतक मैं आत्मदर्प में ही अपनी स्थिति रख नहीं कर जाता हूँ तबतक मैं अमेरिका या यूरोप जा कर भी पापना को या पूर्व की कुछ भी सेवा न कर सकूंगा।

(ने-६०)

श्री० क० गांधी

### आश्रम अहमदाबादी

पाकमी जाहिल उपकर तैयार हो गई है। कुछ संख्या ३२० होते हुए भी कीमत निर्भर ०-२-० रखी गई है। प्रकाशक कीदार को देना होगा। ०-२-० के टिकट भेजने पर पुस्तक इकठ्ठा होने और न खाना कर दी जायगी। २० प्रतिशत से कम प्रतियों की पी. पी. नहीं भेजी जाती।

पी. पी. संशोधक को एक जोपाई साथ भेजनी भेजने होंगे।

प्रकाशक, हिन्दी-नवजीवन



### 'मेरा धर्म'

मेरे ऐसे बहुत से मित्र हैं जो मुझे 'मेरा धर्म' बताते हैं। मुझे उनकी यह बात पसंद है। वे मुझे बिना हिचकिचाहट के लिखते हैं यह उनका मेरे प्रति प्रेम, और मुझे उससे दुःख न होगा यह उनका विश्वास साबित करता है। ऐसा एक पत्र मुझे अभी मिला है। लिखनेवाले प्रसिद्ध गुजराती कार्यकर्ता और अपने प्रदेश के नायक हैं। पाठक यह तो सहज ही में समझ लेंगे कि हमका यह पत्र मद्रास से प्रेरित हो कर लिखा गया है। इस लिए मैं मस पत्र को कुछ बढ़ा कर के यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ:

'पूज्यभाव से बंदन करते हुए हमलोग आपकी सेवा में हमारे विचार के उपस्थित हो रहे हैं।

१ आज आर्यी प्रवृत्त के सम्बन्ध में जनता में और नेताओं में अनेक मतभेद दिखाई दे रहे हैं:

- (१) 'असहयोग' की भरती उतर गई है और अब उनकी ओट का समय है और कुछ स्थानों में तो दिशा भी बदल दी गई है।
- (२) प्रजा में खादी के सम्बन्ध में बहुत ही बड़ा प्रेम दिखाई देता है।
- (३) 'छात्रों और पीढ़ों का कार्य' कुछ स्थानों में सम्पूर्ण और कुछ स्थानों में तो बहुमंश में बन्ध सा हो गया है।
- (४) 'हिन्दू-मुसलमान एक्य' का इष्ट परिणाम आने के बदले कुछ स्थानों में तो उसका अनपेक्षित विपरीत परिणाम ही दिखाई दिया है और कुछ जगहों में तो पहले से भी अधिक विद्वेषता बढ़ी हुई है।
- (५) 'अस्पृश्यतानिवारण' के लिए हार्दिक और अमसाध्य प्रयत्न किये गये, फिर भी उससे कुछ आर्थिक भेद सिद्ध नहीं हो सका है।
- (६) 'स्वराज प्राप्ति' के प्रयत्नों से भी नेताओं में संघटन होने के बदले अनेक विभाग हो रहे हैं।

अर्थात् आपका आर्यीक, मानसिक और आध्यात्मिक बल बहुत कुछ कम हो गया है और बसका कम कम भी हो रहा है। लेकिन बहुतसे लोगों को उसका दृग अभय होता हुआ माखन होता है।

१ कारण चाहे कुछ भी हो — प्रजा का दुर्भाग्य ही किना सम्य ही न आया हो, या यह प्रजा ईश्वर की तनी कुरापत न बनी हो, आरके विधान्त प्रयत्नों का यह फल नहीं आ सका है। इस से हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप की प्रवृत्त से केवल हानि ही हुई है। जनता में नया जीवन पैदा गया है और दूसरे काम भी हुए हैं लेकिन हमलोग हानि-हान का परमाण नहीं निराक सकते हैं।

२ आज भारतवर्ष में अनेक नेता हैं लेकिन यह बात बच है कि समस्त जनता एक भाव ही के प्रति मिलना प्रयत्न करती है और उसके कारण भाष से 'जतनी भाषा रखनी है उतनी और' इसलिए आपके अकर्मणी का हिन्दुत्वान्तकसा-मानी-क-वहा-रक्षणा में ही कर्म हो तो उसका परिणाम की सेवा में और जनता-प्रेम ही हमकोय हमारा यह विचार अधिक शुभ होगा यह मानना आपके बरगो में करते हैं: 'आज भारतवर्ष का किनारा छोड़ कर आप यूरोप या अमेरिका का प्रयाण कर जायें'

कर आप यूरोप या अमेरिका के कारण पश्चिम के रंग से रंगी होकर प्रवृत्त हो जायेंगे तो हमें यह है उसे रू करने के लिए पूर्व के ही समझना ही चाहे

कीये सारे और सरक उपाय अकफल साबित हुए हैं अथवा बहुत ही कम परिणाम ला सके हैं। इसलिए दूसरे अधिक कष्टदायक और संभवकीय उपायों का शोध कर के उसकी साधना करना ही जरूरत है। इसलिए आप जैसी महान् व्यक्ति के लिए यही उपाय है कि आप अमेरिका जैसे देश के भ्रमण को स्वीकार कर के कुछ समय के लिए उन भूमि में जा कर टोट जायें। अथवा अफ्रीका का क्षेत्र तो बेर ही है। माखन होता है यहाँ अधिक परिणाम ला ग आ सकेगा।

४ अमेरिका जैसे देश के प्रवास में ये लाभ हैं:

- (१) उन देश के महापुरुषों को जिनको आपके प्रति सद्भाव है अपनी विज्ञाना मृत होने के कारण शान्ति और सुख मिलेगा।
- (२) पश्चिम विषयों में अन्य देशों को भरतवर्ष से ही कुछ सीखना होगा। हम विश्वास में विवेकानन्द आदि ने जितना कार्य किया है उसमें कुछ वृद्ध की जा सकेंगी।
- (३) आपके पवास दृग्ग्यान आपका बड़े नेताओं से प्रधानों से और राजकीय तथा प्रजातीय अनेक नेताओं से समापन होगा और उसमें एक दूसरे के हृदयों को खोल कर अधिक विचार करने का अवसर प्राप्त होगा।
- (४) विदेशी जनता का भावतर्ष की जनता की मधो स्थिति का सच्चा मर्मबोध हउन विश्वासगम स्थान से प्राप्त होने के कारण, वे उन्ने अच्छी तरह समझ पायेंगे। और अधिकारयुक्त स्थान की ताक से जो पड़दा बाल देने की कोशिश हा रही है वह खुल जान से भारत के भावी के लिए आपने जो योजना तैयार की है उसमें एक प्रकार की सहान्ता साध कर सकेंगी।
- (५) पश्चिम की तरफ से 'हिन्दुत्वान्त' के लिए तन, मन, और धन तक समर्पण करनेवाली और सद्भाव रखनेवाली व्यक्तियाँ आपका साथ देंगी।
- (६) 'अहिंसात्मक असहयोग' अथवा 'अहिंसा' और 'सत्याग्रह' के अन्तर्गत पाकात्म जनता का जो मोह है वह आपके प्रत्यक्ष समापन के कारण अधिक पुष्ट होगा और वह भारत की बड़ा लाभप्रद होगा।

५ अन्तमें अब हम एक आर्यी आवश्यक पक्षु पेश करने की इजाजत चाहते हैं और वह यह कि 'हामकनारी और बुनारी के अलावा कादा पढ़ने से भी अधिकांश भ्रम होता है। और इस सत्य सिद्धान्त के प्रचार के लिए प्रत्येक ताकके में एक आर्यी की दृष्टान अोकने की आवश्यकता है, अथवा कुछ थोड़े ही समय में खादी के बिरजूक ही प्रदय हो जाने का भय है।'

बहुवि यह पत्र सद्भाव से लिखा गया है और प्रथम पढ़ने पर उसकी दलीमें सही माखन होती है फिर भी मैं इन आह्वानों की पकाह के मुनासिक काम नहीं कर सकता हूँ।

बर्षेसाक दोन बजा कर यही कहते हैं कि विपुल हो तो भी स्वयमे ही अच्छा होगा है। परन्तुमै उससे यह कर कपी न ही केकेन स्वयमे में रह कर मृ-मु से प्रेर करना भी उचित है। परन्तुमै तो भयावह है। आज मेरी बात लोगों को सही न माखन होती हो तो क्या मैं उसे छोड़ कर जाग जा सकता हूँ? 'असहयोग' की उत्पत्ति का मैं भेकेला ही तो सक्ती था। मैं यह भी नहीं जानता था कि उसका सरकार केना होगा। मैंने विठे धर्म समझा उसीके अनुसार कार्य किया और दूसरों को भी सही कार्य करने के लिए निमग्नण दिया। बहुत-से लोग उसके प्रोते आकशित हुए। यदि आज उनकी उसके प्रति कोई आकशित नहीं है तो उससे मेरा क्या विचार है क्या इसलिए उसे अपना धर्म छोड़ देना चाहिए?

## हिन्दी-नवजीवन

धुबवार, पौष सुदी १०, संवत् १९८१

### दक्षिण आफ्रिका की समस्या

दक्षिण आफ्रिका का प्रतिनिधि मण्डल जो कागसपत्र अपने साथ लाया है उसे जितना अधिक पढ़ेंगे उतनी ही अधिक यह समस्या मुश्किल साबित होती है। डा. मेल्न का स्पाक है उन्होंने जिस कानून को करना चाहा है उससे १९१५ के गांधी-स्मट्स समझौते का कहीं भी भंग नहीं होता है। उनके पास जो प्रतिनिधि मण्डल बनाया था उसके नेता श्री जेम्स गोडफ्रे ने जो आज प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य की हैमियत से हिन्दुस्तान आये हुए हैं, इनका सरकारी तौर पर किया था। इस समझौते में सरदार प्रह या उर समय जो पश्चिम रिपब्लिक के काम से प्रतिष्ठ या उस युद्ध का जिन जिन विषयों के साथ सम्बन्ध था उन विषयों का अन्तिम निर्णय किया गया था। रंगभेद या जाति भेद के आधार पर बनाये जानेवाले कानूनों को खत्म के लिए रोकने के लिए ही यह युद्ध किया गया था। उन ६ वर्षों में जबतक कि युद्ध चलता रहा यह मुख्य बात एक मतवादी ही नहीं लेकिन बार बार जाहिर की गई थी। युद्ध में ऐसा समय भी आया था कि जब जनरल बोथा और जनरल स्मट्स केवल इस बात पर महत्व की तमाम बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गये थे कि भारतीय प्रतिभेद के उस विरोध को छोड़ दे जिसे वे (जनरल बोथा और जनरल स्मट्स) केवल भावुकता के कारण ही किया गया विरोध मानते थे। उसके बाद १९०८ से युद्ध मुख्यतः इसी एक विरोध को ही केंद्र मान कर चलता रहा। जनरल बोथा ने उस समय यह जाहिर भी किया था कि इस बात पर दक्षिण आफ्रिका की कोई भी सरकार जग भी पीछे न हटेगी। और उन्होंने यह भी कहा था कि युद्ध को अब आगे और चलाने में हिन्दुस्तानी लोग एक काल में खाने लगाने का ही काम कर रहे हैं। इसलिए यह बात तो निश्चित ही है कि समझौते का सार ही यह था कि भारतीयों से संबंध रखनेवाले किसी भी कानून में जातिभेद के तत्व को किसी भी प्रकार से स्थान नहीं दिया जा सकता है लेकिन इधर तो डा. मेल्न के बिल के एक एक वाक्य से जातिभेद के तत्व की ही बूझानी है।

इसलिए मेरे नए अभिप्राय के अनुसार तो इस मामले में इस बिल से उस समझौते का भंग होता है। इसके अलावा भारतीयों के संबंध में कानून बनाकर नहीं बनायेंगे खरी करने के बिरुद्ध ही तो यह युद्ध किया गया था। वह समझौता भारतीयों के अधिक अच्छे भविष्य के मंगलाचरण रूप था। पत्रव्यवहार में तो यही बात कही गई है। समझौते का अर्थ क्या हो सकता है? आज यदि सरकार की एक इच्छा मात्र से ही भारतीयों पर अंकुश रक्खा जा सकता है तो भारतीयों के हकों पर फिर कभी आक्रमण न होगा इसका क्या यक़ीन हो सकता है? आठ साल के युद्ध के बाद जिसमें हजारों भारतीयों ने बड़ी तकलीफ उठाई थी और जिसमें कुछ लोगोंने और अच्छे लोगोंने अपनी जान भी गंवाई थी, वह समझौता एक अत्यंतकुछ सरकार को मजबूर कर के करा किया गया था। उस समझौते की कीमत ही क्या हो सकती है जिसमें आज एक वाक्य का तो अन्त होता है लेकिन दूसरे ही दिन

हमरा झण्डा कड़ा हो जाता है? क्या वर्तमान कानूनों का अन्त उनके वर्तमान हकों के प्रति पूरा ध्यान देकर इसीलिए किया जाता था कि उन पर नये कानून बना कर आक्रमण किया जाय? डा. मेल्न की कमील ऐसी ही साबित होती है और उनका समझौते का अर्थ भी ऐसा ही प्रतीत होता है। मंत्री की इस दुःखद दलील में इतनी बात सतोषकारक अर्थार्थ है कि वे समझौते का इनकार नहीं करते हैं लेकिन यह कहते हैं कि उनके बिल से उसका भंग नहीं होगा है। इसलिए यह क्याल किया जा सकता है कि यदि यह साबित हो सके कि बिल से समझौते का भंग होता है तो वह बिल खारज कर दिया जायगा।

लेकिन किसी समझौते के अर्थ के संबंध में जब दोनों पक्षों में मतभेद हो तो क्या करना चाहिए? उसका साधारण उपाय तो सभी जानते हैं लेकिन मैं दक्षिण आफ्रिका की ऐसी ही दो पक्षों की घटनाओं का उल्लेख करूंगा। १८९३ की साल के लगभग ट्रान्सवाल में प्रवासी भारतवासियों के हकों के सम्बन्ध में दक्षिण आफ्रिका (ट्रान्सवाल) की रिपब्लिक में और ब्रिटिश सरकार में कुछ मतभेद था। उनमें एक प्रश्न १८८५ के १ कानून के अन्त के सम्बन्ध में भी था। दोनों पक्षों की रजामन्दी से इसका निर्णय करने का कार्य एक सरपंच को सुकर करके उसे सौंपा गया था। आरेक्टर श्री स्टेट के मुख्य न्यायाधीश मेल्नम की, वीलि-अर्म, सरपंच बन गये थे। दूसरा ऐसा ही मतभेद वे(डिप्टी) की संघि के अर्थ के संबंध में ट्रान्सवाल सरकार के प्रतिनिधि जनरल बोथा और ब्रिटिश सरकार में उत्पन्न हुआ था। मेग ह्याल है कि उस समय सटून भर हेनरी केम्पबेल बेनरमेयर ने यह निर्णय दिया था कि कवचार पक्ष अर्थात् ट्रान्सवाल सरकार उसका जो अर्थ करे वही स्वीकार किया जाना चाहिए और बिना पंच के या किसी दूसरे प्रयत्न के ही छोड़ें किन्तु ब्रिटिश सरकार ने जनरल बोथा के अर्थ का स्वीकार किया था। क्या डा. मेल्न हमसे से किसी भी एक उदाहरण का अनुसरण करने या खोर और बंधरे की कहानी में जिस प्रकार खोर कहता है उसी प्रकार ने भी यही कहने उनको ही जान हमेशा सची होनी है? कुछ भी हो जब डा. मेल्न १९१४ के समझौते का स्वीकार करते हैं तो दक्षिण आफ्रिका के भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का पक्ष बहुत ही मजबूत है।

बावमरीय के समझौते पेश करने के लिए तैयार किये गये अपने इन्हार उन्होंने अपना पक्ष बड़ा ही मजबूत किया है। जिन तकलीफों का उन्होंने उसमें जिक्र किया है उनका १९१४ के समझौते की दृष्टि से उन्होंने कोई विशेष विचार नहीं किया है क्योंकि डा. मेल्न ने उन्हें यह कहा था कि उनके बिल से समझौते का कोई भंग नहीं होता है। लेकिन यह मामला ऐसा है कि उसे आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। उनका काम निःसन्देह बड़ा ही मुश्किल है। एक तरफ एक सरकार है और वह जातिभेद के तत्व के आधार पर कानून बनाये जाने का निश्चय किये हुए है। तमाम यूरोपियन लोग इस प्रश्न पर एकमत हैं। श्री एण्ड्रयूज कहते हैं मि. जनरल स्मट्स का भी अपना प्रभाव सरकार के पक्ष में है। लेकिन मुझे इससे आश्चर्य नहीं होता क्यों कि उन्होंने हमेशा जिधर की हवा देखी उधर ही मुक फेरने की नीति अक्षर्यार की है। यह उनकी खासियत है और इसलिए उन्हें 'स्लीम जैनी' का नाम मिला है। लेकिन सत्य तो भारतीयों के पक्ष में ही है। यदि उन्होंने सिद्धांत में एक ही भी पीछे न हटने का एक निश्चय किया है तो उनकी तीन अवश्य ही होनी।



डा. मेल्सन ने जेम्स मोडफे से इस कानून के सिद्धान्त की स्वीकार करके उसकी शर्तों के सम्बन्ध में बहस करने के लिए और जिसे वे कार्यात्मक सूचनायें कहते हैं वैसी सूचनायें करने के लिए कहा था लेकिन यह सुनी की बात है कि उन्होंने निश्चयपूर्वक इस जाल में फँसने से इन्कार किया। भारतवर्ष कमजोर है फिर भी इसमें उससे जो कुछ भी मदद हो सकेगी वह करेगा। सभी पक्षों की उन्हें मदद होगी। वे हिम्मत रखें और युद्ध करते रहें।

(यं. इं.)

मोहनदास करमचंद गांधी

### एन मीके पर

महासभा का आगामी सम्मेलन उसके इतिहास में निगला ही होगा। राष्ट्र की तरफ से अधिक से अधिक जो सम्मान और गौरव प्रदान किया जा सकता है वह एक भारतीय की को पहली ही मरतबा मिलेगा। चाहे हम लोग पृणापात्र ही, गुलाम ही, काचर ही और इसलिए चाहे दुनिया हमारी राष्ट्रीय सभा का क्या न करे फिर भी हमारे लिए तो हमारी इस सभा का सम्मर्शन ही सब कुछ होना चाहिए। ऐसा अनुपम गौरव प्राप्त करने का उनका हक है और आज उन्हें वह प्राप्त होगा। श्रीमती नरोत्तिनी नायडू कवि होने के कारण मरार में प्रसिद्ध है। जब से वे सार्वजनिक कार्य में भाग लेने लगी हैं उन्होंने उसे कभी नहीं छोड़ा है। उनके पास जो चाहे जा सकता है। राष्ट्र उनसे जो कुछ सेवा मांगे वह सेवा करने के लिए वे मरदा ही तैयार रहती हैं। एंग्लो ही उनका ध्येय है। उनके बहरे में ही वैचार्य और साहस प्रकट होता है। १९२१ के बंबई के दंगे के समय वे निर्भय हो कर बंबई की गलियों में जाती थी और हीराने लोगों की भीड़ को उनके अन्धे जोश के कारण जुरा मला भी सुनाती थी। और खबर मिलने पर फौरन ही आवश्यकता हो तो अपनी तन्दुरुस्ती का आखम उठा करके भी किसी भी काम के लिए तैयार हो जाना स्वाभाविक है तो वे भी बहुत बड़ा त्याग करने के लिए शक्तिमान हैं। जो लोग उनकी आफिका की यात्रा में उन के साथ थे उन्होंने मुझसे कहा है कि वे बड़ी कठिन परिस्थिति में भी अविभ्रान्त परिभ्रम करती थी — वह इतना परिभ्रम करती थी कि बहुत से युवक भी देख कर शरमा जाते थे। दक्षिण अफिका में उन्होंने जो कार्य किया उससे वे उच्च गुणों की ही प्रतिनिधि साबित हुई हैं। नूतन परिस्थिति में और कुशल राजनीति विचारकों में भी वे अपने कार्य के योग्य साबित हुई थी। यदि उनकी यात्रा से अपने कष्ट पीड़ित देशवासियों को कुछ राहत न मिली तो उसका कारण कोई उनकी अयोग्यता नहीं है बल्कि उससे तो यही सिद्ध होगा कि यह समस्या कितनी कठिन है। इससे अधिक और कोई भी कुछ न कर सकता था। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कर्तव्य का अंग किये बिना हम लोग सरोजिनी नायडू के इस हक को पूरा नहीं सकते हैं। गत वर्ष हम लोगों ने यह किया यही बस था।

इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हमसे जिनका भी मन पड़े हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उनका कार्य आसान हो जाय और उनका बोझ हलका हो। उनके सामने बड़े बाहुल्य और कठिन प्रश्न पड़े हुए हैं। उनके सही गिनने की जरूरत नहीं है। वे प्रश्न कांति हैं और बाह्य भी हैं। यदि हम उन्हें मूक ही में से बलाव कर खू कर सकें तो तीन बीघाई लडाई को हमलोग जीत लेंगे।

परिचय सामग्री तो ली ही: सब से अधिक कुशल अधि-कारिणी है। इसलिए क्या हमारे घर की कठिनाइयों को दूर करने

में जिनमें पुरुष लोग असफल हुए हैं। सरोजिनी देवी सफल होंगी! वे ली हैं फिर भी यदि हम उनकी मदद न करेंगे तो वे असफल न हो सकेगी। हर एक महासभापदी को इसको हल करने में अपना पूरा दिवसा देना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। बाह्य कठिनाइयों को तो कुशल व्यक्तियों आप देख लेंगी लेकिन हम सभी परेख मामले हल करने में कुशल हैं या हमें सभी को कुशल होना चाहिए। हम लोग सब वास्तव के लिए और आपस के झगड़े और युद्ध को बन्द करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, हमलोग सब स्वदेश-प्रेमी बन सकते हैं और संकुचितता छोड़ सकते हैं। हम लोग प्रस्ताव कर के अपना जो कर्तव्य निश्चित करें उसे प्रामाणिकता के साथ पूरा कर सकते हैं। हमारे सहयोग के बिना श्रीमती सरोजिनी कुछ भी नहीं कर सकती हैं। हमारी सहायता पाने से वे बड़े कार्य कर सकेगी जिसके कि लिए वे ली और कवि होने के कारण विशेष प्रकार से योग्य हैं। ईश्वर उन्हें अपने कठिन कर्तव्य को पूरा करने के लिए शक्ति और बुद्धि प्रदान करें।

(यं. इं.)

मोहनदास करमचंद गांधी

### लडाई कैसे सुलगी ?

पहले के एक अङ्क में लडाई के सुलजने के आर्थिक कारण दिखाये गये थे। अब यह लडाई दूसरा विभाग है। इसमें लडाई करने के संस्कार ने-युद्धवाद ने क्या किया है उसका स्पष्ट बतला है। मि. पेज के लेख का सार ही दिया जा रहा है :

#### लोभ के प्रभाव में लडाई के साधनों की वृद्धि

यूरोपीय शक्तियों को सब को अपना अरबा साम्राज्य बढाने का जो लोभ लगा हुआ था उसका सही सही अन्धाज तो हम सभी लगा सकते हैं जब कि हम यह देख लें कि उन्होंने प्रत्येक ने अपने इस लोभ को तृप्त करने के लिए युद्ध के साधन बढाने पर कितना विश्वास रक्खा था। लडाई के औचित्य और परिणाम के सम्बन्ध में किसी को कुछ भी संदेह न था और धनका दे कर निश्चित किये हुए मुक्त को प्राप्त करने की नीति अकस्मात की जाती थी। इसलिए संस्थानों के बढाने के लोभ के युग के साथ ही साथ लडाई के साधन बढाने के युग का भी आरम्भ होता है।

जुड़े जुड़े देश और राष्ट्र लडाई की कैसी और कितनी तैयारी कर रहे थे यह 'वेकर्स ट्रस्ट कंपनी (न्यूयॉर्क)' की तरफ से प्रकाशित की गई एक पुस्तक को देखने से मालूम हो सकेगा। फ्रांस और जर्मनी के दरम्यान प्रथम १८७१ में लडाई हुई थी और फिर १९१४ में दूसरी लडाई हुई। इन दोनों लडाइयों के दरम्यान के ४० वर्षों में यूरोप के राज्यों ने ४५ अरब डालर की कीमत का खर्च अपने जलसेना या स्थलसेना में खर्च किया था— अर्थात् साल में एक अरब से भी अधिक खर्च किया था यूरोप के बड़े बड़े राज्यों ने इस सशस्त्र-रक्षित शांति के युग में कितने अरब डालर खर्च किये थे उसके अंक इस प्रकार हैं :

	जल सेना	स्थल सेना	कुल	अरब डालर
१ फ्रांस	२.४	६.१	८.५	"
२ ग्रेटब्रिटन	४.१	४.३	८.४	"
३ रशिया	१.४	६.१	७.५	"
४ जर्मनी	१.७	५.७	७.४	"
५ इटली	०.८	२.२	३.०	"
६ आस्ट्रीया-हंगरी	०.३	२.४	२.७	"
	१०.७	२६.८	३७.५	अरब डालर

• इसमें जोर कहाई में जो एक अरब डॉलर खर्च किया गया था वह वही गया गया है। इसमें आत्म की उदाई में खर्च किये गये एक अरब डॉलर नहीं गने गये हैं।

इस प्रकार ४१ साल के कुल खर्च में फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया जर्मनी से बड़ जाते हैं। स्थलसेना में जर्मनों का सीधरा नम्बर है।

यह भी ४१ वर्ष का खर्च है। १९०० से १९१३ के दरम्यान इन राज्यों ने जो रुपये खर्च किये हैं वे भी जानने लायक हैं। पुस्तक में तो प्रत्येक वर्ष के खर्च के अंक दे कर यह दिखाया गया है कि सन १९०० में उन देशों में जितना खर्च किया गया था उसके बालम्बत १९१३ में दूना खर्च किया गया था और कुछ में तो तिगुना भी किया गया था।

इन सब अंकों का देने में बड़ा विस्तार होगा। यहाँ पर सन १९०० के सन १९१३ के और कुल १४ साल के अंक दिये जाते हैं। सभी अंक करोड़ पौंड में हैं।

	जर्मनी		रशिया		ग्रेट ब्रिटेन	
	अंक	रकम	अंक	रकम	अंक	रकम
१९००	०.८	३.२	०.९	३.५	१.९	९.४
१९१३	१.३	५.८	१.४	६.१	४.४	२.८
कुल १४ वर्ष के अंक	२१.४	५५.१	१७.३	६३.६	४९.९	५९.८

	फ्रान्स		आस्ट्रीया		इटली	
	अंक	रकम	अंक	रकम	अंक	रकम
१९००	१.४	२.६	०.१	१.६	०.४	०.९
१९१३	१.८	५.०	०.५	२.२	१.१	२.९
कुल १४ वर्ष के अंक	१९.६	४६.४	४.६	१८.१	९.५	१९.३

	जपान		अमेरिका	
	अंक	रकम	अंक	रकम
१९००	०.९	०.७	१.२	३.१
१९१३	०.९	०.९	२.७	३.३
कुल १४ वर्ष के अंक	८.८	१०.९	३२.२	४१.२

यह खर्च कम मात्राम होता है क्योंकि इनमें सन् १९०० के अंक में जोर कहाई के खर्च के अंक भी शामिल है।

**युद्ध ही युद्ध**

इन अंकों पर से यह बात साफ़ हो सकेगी कि प्रत्येक देश ने कहाई के साधन तैयार करने में कोई बात उठाने तकली थी। लेकिन इसके अलावा उनके विचार और वाणि भी इसी दिशा में कार्य कर रहे थे। जर्मनी के सेनाधिकारियों ने तत्काल चलाने की केंसी गर्भयुक्त बातों की थी उसका अब सारे ससार को पता है इसलिए उसके कुछ अधिक सुवृत्त इन की कई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह केवल उन्हीं का काम न था। सभी देश इसमें एक दूसरे से बढक कर साबित हो सकते थे। अमेरिका का सेनाधिकारियों का अधिकारी लार्ड फिशर बोलने में किसी भी बात की कमी न रखता था। १९१० में उसने कहा था: 'यदि लड़ाई का आरम्भ हो और उस समय मैं ही उसका मुख्य अधिकारी रहा तो मेरे तो २ही हुकम होंगे (१) लड़ाई करना अपर्याप्त करने काटनी है (२) लड़ाई में प्रमत्ता दिखाना काकरन है (३) बहका वार सुन्ही करो, बराबर वार करो, बाई जहाँ वार करो।'

कहाई के बाद लार्ड फिशर ने अपने जीवन के स्मरणों को प्रकाशित किये हैं। उसमें उन्होंने साइनेसाह को की हुई एक सूचना का उल्लेख है: 'सन १९०८ में भी जर्मनी के पास तो लिफ्ट

वार ही सम्भवीन थे। उस समय मैंने अपने साथ एकबड़े को लिखा, उनके पास भी क्या और उन्हें पिट के लिखके ही पक्षर भी वह सुनाये थे कि जिनमें भागी कसु बहुत बलवान हो जाय उनके पहले ही उठे सीधा घर देने के उद्देश्य है। विलसन ने कोपनहेगन के मभीर किसी प्रकार की सूचना किये बिना ही डे-मार्क के जहाजों ने पर हुला चरके उसे नष्ट कर दिया था। यह कीर्ति मलमस्ती तो नहीं कही जा सकती है लेकिन युद्ध में मलमस्ती कहाँ होता है? अब जर्मनों ने ता हमेशा से ही अपनी यह इच्छा प्रकट की थी कि हुलाक हो ऐसा पराग रक्या जाय कि उसे अपने बड़े से बड़े बड़े को भी समुद्र में डालने में हिर्षा बाइड शक्य हो। इसलिए जित्त समय जमान बैठे पर कठना कर लेने का अक्षर मिला था उस समय मैंने साइनेसाह को बताया था उसी प्रकार आसानी से और साफ़ बिना खूब बढ़ाये ही उस पर कठना कर केता बुद्धमाना नहीं ता और क्या हो सकता है?'

सन १९१० में लार्ड एसर को लिखे हुए अपने एक पत्र में से भी लार्ड फिशर ने इसी बात का उल्लेख किया है: '१९०९ की रींग परिषद में मैंने कहा था कि यदि वेगल बम बले तां में तो कश्चियों का लेलने हुए तैल की बडई में क्षान कर उनकी जान लू और युद्धानों के लार्दीव मनुष्यों को भी उठे कलेजे से बाह की तरह काट डार। यह करने में साधार में कुछ अर्धक कोल गया हुऊगा ऐकित कहाई में उतरने के बाद युद्धानों को प्राइ प्राइ पुकारने पर मजूर न को तो हम से बड़ कर और कपरी बेवकूफी ही क्या हो ता ही है। लडई लिख जाने पर तो जिसकी लठ उभरी थीम होनी है और नाका सेना ध्वस्त हो जाये है कि ऐसे अवसर पर उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन कहाई क्या बीत है अपना अपना यदि हम लोगों को हल बना कर न करायेंगे तो यह एक बड़ी भागी पूरी होगी।'

सन १९०४ के अमेरिका की १० ताजीस को एक मित्र को लिखे हुए पत्र में लार्ड फिशरने कहा था 'देखते माहुर, उन्हें यह लिखते भी लजा नहीं साह्य होनी है कि युद्धमें यह जान लिया है कि मैं यह कहता हूँ कि अमेरिनी का केवल रक्षण करने के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। सधमियों से आक्रमण क्यों न किया जाय? भले आसियों, यदि अपने माहापनि में कुछ नर हो ता यह कहाई जाहिर होने के पहले ही अपने सधमियों को बड़ा का दुश्मनों के बर्षों में क्यों न के जाने केता कि जपान ने रशिया के नाकापतियों को खबर हुई कि कहाई जाहिर हो गई है उनके पहले ही किया था।'

सन १९१० में लार्ड रोबर्ट्स ने मन्चेस्टर में ब्याहयान किये हुए कहा था (लार्ड रोबर्ट्स जोर लड़ाई में बड़े सेनाधिकारियों के यह तो सभी जानते होंगे) 'अवसर मिलने पर जपान अपना काम निकाल केता है और यही नति योग्य है। इतिहास में जिया राष्ट्र का नाम करना है उसे ऐसा ही करना चाहिए। जित्त साजाज की स्थपना किये हुई इलाका विचार करो। युद्ध से ही इस महाराज्य की नींव माला गई थी — युद्ध और जात। अर्थात् हम-योग का तलवार के बल से एक नृपमर्षा पृथ्वी के साहित्य बन गेडे है, यदि जर्मनी से यह नहें कि उसे अपना शक्य बल कम करना चाहिए और जर्मनी उसका इन्कार करे ता इपसे आशय ही क्या है? यह तो जित्त भागी से इन्कत अप्रतिम विधि को प्राप्त हुआ है उसी के प्रति अंगुली मारता है — और उसमें कुछ शीघ्र भी नहीं है — और आहिता तैर पर और राजनैतिक साया में कहता है कि जर्मनी भी इसी भागी से इसी विधि पर पहुँचना चाहता है। ऐसा केन सम्भव है जो इस

राष्ट्र के इतिहास को जानना है, जिन राष्ट्रों ने और सहोंने इतिहास में नाम कमाया है उनके इतिहास को जानना है और फिर भी वह जर्मनी को शेष देगा? केवल शक है कि इस देश के मुख्य युद्धगति में अथवा तीव्र युद्ध पर अग्रतः बनी हार्बिज की जड़र निकाले वे उनके प्रति आदर हुए बिना न रहेगा। १९०५ के फरवरी की दूसरी तारीख को ब्रिटिश असेम्बली के वीवानी प्रधान मि० आर्थर सी ने कहा था: 'यदि कड़ाई का हिसाब पड़े तो आत्म की हालत को देखते हुए तो ब्रिटिश असेम्बली भी ही पहले आक्रमण करना होगा — दोनों पक्ष वर्तमानपक्षों में कड़ाई शुरू हुई है यह जान सके उनके पहले ही।'

अमेक बने हुए कर्नेल फूजर (ब्रिटिश सरकार का एक अधिकारी) लड़ाई के विषय पर पुस्तकें लिख रहे हैं। जर्मनी की आधी युद्धगति के संयन्ध में एक निरन्तर लिखने पर उन्हें एक सुन्दर-सदक मिला था। १९११ में 'लड़ाई के सुधार' नामक एक पुस्तक उन्होंने प्रकाशित किया था उसमें वे लिखते हैं "लड़ाई का माहिरा देना एक बेवकूफ की तरह बर्बाद करना है और युद्ध अनुभव है यह कहना पड़ती की बरबाद ही है ... जो युद्ध हो न हा न मानवमन्दिर में ही बर्बाद पर डामे उनेगले मगानों को नैसे निकाल बहाद किया जा सकता है। बिना युद्ध के नीतिविले, नियम दंड और विचार भी सब सब जागते और मानवमति आने में ही दालेख हुई इसी दुःस्थि से ही सब आयगी। युद्ध के वर्तमान सधनों को सुदुर में हवा देने होंगे और उसके नवले दूसरे ऐसे साधनों का उपयोग करना होगा कि उपरोक्त जैतिक अक्षर ऐसी बर्बाद ही कि जसकी सब का प्रका सहन ही न हो सके और अपनी सकार को वह युद्धनति का अधिकार करने को मजबूर करे। युद्ध एक बड़ा भारी बला है, एक बड़ी बला है, जन-दहन सुनाव है। आन्तर राष्ट्रीय रक्षण सेना पर जो राष्ट्र अपनी इज्जत का आधार रखती है उसकी स्थित बेरवा के समान है। जब इज्जत को रक्षा करनी है तो वह से वा जहरी से भी युद्ध करना ही संघा क्योंक इस संसार में ऐसे आदमियों की कोई कमी नहीं है जिनको कुछ इज्जत ही नहीं है और राष्ट्र बर ऐसे मनुष्यों के साथ युद्ध न करे तो हारना का ही सब जगह बाक बाला हो जाय।

अब प्रश्न की क्या कहने है। बड़ी भी युद्ध की और सभ्यता की ही बात करनेवाले वर्तमानपक्ष है। कर्नेल फूजर नामक अति लोकप्रिय युद्ध संयन्धी पुस्तक के एक के पुस्तकों के नाम ही देखो। 'आक्रमण में प्रकाश हुआ जर्मनी', 'जर्मनी पर आक्रमण', 'जर्मनी के आध्यात्मिक युद्ध में आक्रमण का विषय' १९१६ में दूसरे एक फ्रान्सीसी केवलकने पियर हुआ जर्मनी' नामक पुस्तक प्रकाशित किया था।

फ्रान्सीसी नीति के संवेद में बोलते हुए रशियन प्रतिनिधि विन्डर कोफे ने कहा था: 'कांगोने मेरे साथ जो बातचीत की थी उसका सब आधार करता है, उनके सन्तों को याद करता है और जर्मनी के ही युद्ध का भी विचार करता है तब मुझे यह बर्बाद होना है कि सब देशों में एक क्रान्त ही ऐसा देस है जिनके बारे में यदि यह न कहे कि वह युद्ध चाहता है तो भी वह कह सकते हैं कि यदि युद्ध है तो उसे कुछ भी हुआ न होगा।

अब १९१४ के जनवरी की १६ तारीख की वेरेंस में रहने वाले वैलिग्राम प्रतिनिधि ने अपने देश के विदेश संधि नीति के प्रश्न को इस प्रकार किया था।

"हो इसके पहले वह तो किस युद्ध है कि जर्मनी, बेल्जियम, डेन्मार्क और उसके मित्रों ने वैलिग्राम और आन्तरिक संधि का शोर

मचा रक्खा है। यूरोप और वैलिग्राम के लिए यह एक आरति है। इसमें यूरोप की शांति के ऊपर बड़ा भारी जोखिम दिखाई दे रहा है। वह मानने का तो मुझे अधिकार नहीं है कि केवल सरकार जान-बूझ कर लड़ाई छेड़ देगी — शायद बिल्कुल अनुमान करने का भी कारण हो सकता है — लेकिन शायों के मन्थी-मण्डलने जो नीति अकारण की है उसी जर्मनी को भी अपने युद्ध के साधनों को बढ़ाने का उदाहरण हुआ है।

(अपूर्ण)

**सत्य के प्रयोग अथवा आरम्भकथा**

अध्याय ३  
वाक्यविवाह

वे कहता है कि मुझे यह ब्यापक लिखना ही न पड़े। लेकिन इन कथा के कहने में मुझे कितने ही कठने पूरे पीने पड़ेंगे। सत्य का पुनारी होने का दावा करने के कारण मुझ से और कुछ ही ही नहीं सकता है।

इस बात का उल्लेख करते हुए कि १२ साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था मुझे बड़ा कष्ट होता है। आज मेरी दृष्टि में जो बारह तेरह साल के बच्चे आते हैं उन्हें मैं देखता हूँ और मेरे विवाह का स्मरण करता हूँ ता मुझे अपने पर हवा आती है और उन बच्चों को मेरी ही स्थिति में से बच जाने के लिए सुधारकवादी होने की इच्छा होती है। तेरह साल की उम्र में लड़े गये मेरे विवाह के पक्ष में मुझे एक भी ऐसी नेतक शक्ति नहीं सूझती है जो उनका समर्थन कर सक।

वाक्य यह न समझे कि मैं सगाई की बात कर रहा हूँ। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ पाणिग्रहण ही होता है, सगाई नहीं। सगाई के नाम हैं दो बालकों को ब्याहने के लिए मातृपिताओं के बीच करार का होना। सगाई तोड़ा जा सकता है। सगाई ही जाने पर भी यदि ब्याहण मर जाय तो कन्या विधवा नहीं होती है। सगाई के साथ बरकन्या को कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है। उन्हें शायद उसको खबर तक नहीं होती। मेरी एक के बाद एक इन प्रकार तीन सगाइयां हुई थी। वे तीन सगाइयां कब हुई इसी मुझे कुछ या खबर नहीं है। मुझसे कहा गया था कि दो कन्याओं का बहान्त हो गया था और इसीलिए मैं यह जानना हूँ कि मेरी तीन सगाइयां हुई थी। मुझे कुछ ऐतर स्मरण है कि मेरी ताँसरी सगाई कोई बात साक की उम्र में हुई होगी। लेकिन मुझे यह ब्यापक तक नहीं है कि जब सगाई हुई उस समय मुझसे कुछ कहा गया था या नहीं। विवाह में बर-कन्या की आवश्यकता होती है, उस में विधि करना पड़ता है और मैं जो वह लिख रहा हूँ वह इसी विवाह के सम्बन्ध में है। अपना विवाह मुझे पुरापुरा याद है।

वाक्य यह जानते हैं कि हम तीन भाई थे। सबसे बड़े भाई की शादी तो ही गई थी। मसले भाई मुझसे कोई ही तीन साल की बड़े थे। जब विवाह, मेरे भाई के छोटे लड़के का विवाह किया कि जब मुझसे शावर ही एकाच वर्ष अधिक होगा, और मेरा विवाह, वे तीनों शादियां एकसाथ ही करने का पिताजी और काका ने मिल कर निश्चय किया। हम में हमारे कल्याण की कोई बात न थी। हमारा इच्छा की बात तो ही ही नहीं पड़ती थी। इसमें केवल उसी के सुरिधे की और अर्थ की ही बात थी।

हिन्दू-संसार में विवाह कोई वैसी ऐसी बात नहीं है। उन्हें और युद्धन के आत्मापिता उनकी शादी में बरबाद हो जाते हैं।

धन छूटाते हैं और समय भी छूटाते हैं। कई महिने पहले से तैयारियां होने लगती हैं। कपड़े बनाने जाते हैं, गहने बनवाये जाते हैं। शांति-भोजन के कर्त्तव्य का अन्दाजा लगाया जाता है। भोजन की सामग्री बनाने में स्पष्टी होती है। ज़ीयें गला हो या न भी हो तो भी गीत गा गा कर आवाज बँटा देती है, बीमार भी हो जाती हैं और पड़ोसी की शान्ति का भंग करती हैं। पड़ोसी भी अपने यहाँ प्रसंग आने पर बहती करते हैं इसलिए वे आवाज, झूठन, और दूसरी गन्दकी उदासीन भाव से सहन करते हैं।

ऐसा सुलगपाड़ा तीन मरतबा होने के बदले एक ही मरतबा हो तो क्या अच्छा हो! कर्त्तव्य कम होगा फिर भी विवाह की शोभा बनी रहेगी क्योंकि तीन शादियां एक साथ होने से धन कर्त्तव्य करने में कोई कसर करने की कोई जरूरत न रहेगी। पिताजी और काकाथी बूढ़ थे। हमलोग उनकी आखिरी सन्तान थे। इसलिए हमारी शादी खूब धूमधाम से करने की भी उनकी लालसा थी। इस विचार से और ऐसे ही दूसरे विचारों से उन्होंने तीनों शादियां एक साथ करने का निश्चय किया था। और उसमें मैंने जैसा ऊपर कहा है कई महिने पहले से तैयारियां की जा रही थी।

हमलोगों ने तो केवल उस तैयारी को देख कर ही यह जाना था कि शादी होनेवाली है। उस समय तो मुझे केवल यही अभिलाषा थी कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, बाजे बजेंगे, अच्छे भोजन खाने को मिलेंगे और एक नयी लकड़ी के साथ विलोद करने को मिलेगा। मुझे यह याद नहीं कि इसके सिवा और कोई खयाल हो। विषय करने की बुद्धि तो पीछे से उरान हुई। यह किस प्रकार उत्पन्न हुई उसका मैं वर्णन कर सकता हूँ लेकिन पाठकों को वैसे कोई सिफ़ाषा न रखनी चाहिए। मैं मेरी इस क्षम की बात पर पछदा डालना चाहता हूँ। जो कुछ जानने लायक है वह आगे कहा जावेगा। लेकिन जिस सम्बन्ध पर मैंने अपनी दृष्टि कायम की है उसके साथ इसका बहुत ही कम सम्बन्ध है।

हम दोनों भाइयों की राजकोट से पोरबन्दर बुला लिए गये। वहाँ तेल चकाना इत्यादि विधि ाया गया। यह सब विनोदमयक है लेकिन उसे छोड़ देना चाहिए।

पिताजी दीवान थे लेकिन फिर भां नाकर थे। और वे राज-प्रिय थे इसलिए और भी अधिक पराधीन थे। टाकुर साहब आखिर तक उन्हें जाने ही नहीं देते थे और जब जाने की इजाजत दी तो खाय इकी का बन्दोबस्त किया और दो ही दिन पहले उन्हें आने दिया। लेकिन विवाता ने तो कुछ और ही सोच रखी था। राजकोट से पोरबन्दर कोई ६० कोश दूर है। बैलगाड़ी से पांच दिनका रास्ता है। लेकिन पिताजी तीन ही दिन में आये। आखिरी दिन को टांगा उलट गया। उन्हें बहुत चोट लगी हाथों पर और पीठ पर पड़ियां बांधनी पड़ी। हमारा और उनका इस शादी में से आपा भजा फिरकिया हां गया था लेकिन शादी तो हुई। लिखे हुए मुहने कहीं फिर सकते हैं! मैं तो विवाह के बाकउल्लास में पिताजी का दुःख भूल गया था।

मैं पितृभक्त तो था ही लेकिन विषय भक्त भी बँधा ही था न! यहाँ पर विषय का अर्थ एक इन्द्रिय का विषय नहीं है, उसका मतलब भोग मात्र से है। मातापिता की भक्ति के पीछे सभी आनन्द का त्याग करना चाहिए यह ज्ञान तो अभी पीछे से झोनेवाला था। यह होने पर भी मेरे जीवन में एक उल्टी बात हो गई और वह मुझे आज तक सटक रही है। जब अब मैं लिच्छुकानन्दजीका यह भजन गाता हूँ और सुनता हूँ कि: ' त्याग

उके रे वैगव्य विना करीए कोी उपाय भी ' करोडो उपाय करने पर भी वैगव्य के बिना त्याग नहीं टिक सकता है, तब मुझे यह कदु प्रसंग याद आता है और मुझे लज्जा माझम होती है।

पिताजीने ऊपर ऊपर से अपनी हाकत ऐसी अच्छी दिखाई कि कुछ माझम ही न हो सके। तकलीफ हो रही थी फिर भी वे शादी में शामिल हुए। किस प्रसंग पर पिताजी कहां कहां बैठे थे इसका आज भी मुझे सूझ स्मरण है। बालकविवाह का विचार करके पिताजी के कार्य की जो टीका मैंने अभी की है वह टीका मैंने अपने मन में उस समय थोड़े ही की थी! उस समय सभी बातें योग्य और मनपसंद माझम होती थी, शादी करने का छोक था और पिताजी जो करते हैं बही उचित है यही क्याक था इसलिए उस समय के स्मरण अभी ताजे ही से हैं।

शादी हो गई, फेरे फिर लिए और, हम पतिपत्नी तनी से एक साथ रहने लगे। वह प्रथम रात। दो निर्दोष बालक बिना समझे ही ससुर में कूद पड़े। भाभी ने उपदेश किया कि प्रथम रात्रि को मुझे क्या करना चाहिए। यह स्मरण नहीं कि धर्मपतिन को उस समय दिखने उपदेश दिया होगा। यह मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं है। आज भी पूछा जा सकता है लेकिन पूछने तक की इच्छा नहीं है। पाठक यह जान ले कि मुझे आज ऐसा भास होता है कि हमलोग उस समय एक दूसरे से बरते थे। हमें क्या तो माझम होती ही थी। मैंने किस प्रकार की जाय कैसे की जाय इत्यादि बातें मैं क्यों कर जान सकता था! जो उपदेश मिला हुआ था वह भी क्या मरद कर सकता था! जहाँ संस्कार ही बलवान होते हैं वहाँ उपदेश का विस्तार भिन्ना होता है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे। हम दोनों की उम्र समान है। मैंने तो स्वामित्व दिखाना शुरू किया। लेकिन वह अब अगले अध्याय में कहा जावेगा।

( नवजीवन )

मोहनदास करमचंद गांधी

मृत नियमित भेजो

जिन लोगों ने जुदे जुदे प्राणत से अबतक नवम्बर का अपना मृत का चन्दा नहीं भेजा है उनके अंक इस प्रकार है

प्राणत	कुल संख्या	जिन का चन्दा नहीं मिला है	मरका परिणाम प्रति सैकडा
१ अजमेर	५	१	२०
२ आन्ध्र	१९९	१०१	५०
३ आसाम	५०	११	१२
४ बिहार	१०२	३२	३१
५ बंगाल	२३९	१०६	४४
६ बिहार	१	०	०
७ ब्रह्मदेश	५	०	०
८ मध्यप्रान्त (हिन्दी)	२५	१	४
९ " (मराठी)	५९	३	४
१० बंबई	१६	१४	२१
११ देहली	१०	१	६
१२ गुजरात	३५०	५२	१५
१३ कर्नाटक	९९	१४	१४
१४ केरल	४३	१६	३७
१५ महाराष्ट्र	१६८	२२	१३
१६ पंजाब	१६	५	३१
१७ सिंध	४०	११	२६
१८ तामिलनाडु	२७७	५६	२४
१९ संयुक्त प्राणत	६५	२३	३४
२० बरकल	२०	१	५
कुल	१८९३	४७९	२५



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक १८

मुद्रक-प्रकाशक  
स्वामी आनंद

अहमदाबाद, पीप सुडी २, संपत् १९८६  
गुरुवार, १७ दिसम्बर, १९२५ ई०

मुद्रकस्थान-नवजीवन मुद्रकालय,  
खारंगपुर सरकोमरा की बाडी

## सत्य के प्रयाग अथवा आत्मकथा

### अध्याय २

#### बाल्यावस्था

कोरबन्दर से जब पिताजी राजस्थानिक कोर्ट के सभ्य बन कर शाजकोट गये उस समय मेरी उम्र कोई सात साल की होगी। शाजकोट की किसी देहाली बाला में मुझे बिठाया गया था। उस बाला में पढ़ने के दिन मुझे अब भी अच्छी तरह याद है। बिल्लियों के नाम इत्यादि भी याद हैं। जिस प्रकार कोरबन्दर की उसी प्रकार बड़ों की पढ़ाई के संबन्ध में भी कोई विशेष आगने कायक बात नहीं है। उस समय शाजकोट ही मेरी सामान्य बर्ग के विद्यार्थियों में गिनती होती होगी। देहाती स्कूल में मे कच्चे की बाला में और कच्चे की बाला में से हाइस्कूल में जाने में मुझे बारहवर्ष वर्ष बीत गया। मुझे यह याद नहीं पड़ता कि तबतक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो। और न मुझे यह याद है कि मैंने उस समय कोई मित्र भी किये हो। मैं बड़ा उच्चांगील लड़का था। बाला में मुझे अपने काम से ही काम था। पढ़ाई करने के समय बाला में पहुँचता था और बाला बन्द हो जाने पर घर आता था। 'आग जाता था' यह विचारपूर्वक क्लिष्ट रहा है क्योंकि मुझे किसी के भी साथ बातचीत करना पधन्व न था। मुझे यह डर भी लगा रहता कि 'कोई मेरा मजाक बधावेगा तो !'

हाइस्कूल के प्रथम वर्ष की ही परीक्षा के समय को एक बड़का इन्कैल योग्य है। एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर आहल्य इम्टान केने के लिए आये थे। प्रथम बर्ग के लड़कों को पांच सप्तर शिक्षवायि यम थे। उनमें एक 'केटल' (kettle) शब्द भी था। उसके मैंने मलत हिउजे लिखे। शिक्षक ने मुझे अपने घूट की शीक से बिताया। लेकिन मैं चेतनेशाल्य कहाँ था ! मुझे यह क्याक भी न था कि शिक्षक मुझे सामने के घूरे लड़के की पाटी से देख कर अपने हिउजे सुधारने के लिए कह सकते थे। मैं तो बड़ी मान रहा था कि शिक्षक इस लोग कोरी न करे यही देख रहे थे। सब लड़कों के पांचो सप्तर लड़ी निकले, केवल मैं ही मन्वयुक्ति कावित हुआ। मेरी यह घेरकुप्यो मुझे शिक्षक ने पीछे से बससा, लेकिन उसकी मेरे मन पर कुछ भी असर न हुई। घूरे लड़के के पास से कोरी करमा में कमी भी न लीक सका।

यह होने पर भी मैंने उस शिक्षक के प्रति सदा सम्मान की एटि रखी थी। अपने से बड़ों का दोष न देखने का मेरे में सहन गुण था। इस शिक्षक के और भी घूरे दोष में पीछे से जान सका था लेकिन उनके प्रति मेरे हृदय में वसा ही सम्मान बना रहा। मैं यही समझा हुआ था कि अपने से बड़ों की जाहा का पालन करना चाहिए। जो वे कहे बड़ी करना चाहिए, लेकिन उनके कार्यों के बाजी न बनना चाहिए।

इस समय की दूसरी दो बातों की भी मैं कमी भी नहीं भूल सका हू। वे मुझे हमेशा से याद है। सामान्य तौर पर मुझे बाला के पाठ्य पुस्तकों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक न था। पाठ करने चाहिए, मास्टर बुरा-भला कहे यह क्यों सहन करे ? और मास्टर को धोखा नहीं देना चाहिए इस ब्याक से मैं पाठ तैयार करता था लेकिन मन में आलस होता था। इसलिए बहुत मरतबा तो पाठ कचे ही रह जाते थे और इसलिए घूमरी किताबें पढ़ने का मुझे ह्याक भी कैसे हो सकता था। लेकिन पिताजी ने खरीदा हुआ एक पुस्तक बने देखा। इस 'श्रवण विनूभक्तिनाटक' को पढ़ने के लिए मेरा दिल चला। उसे मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ पठ गया। इस समय काव में चित्र बतानेवाले भी घर आते थे। उनके पास मैंने यह दृश्य भी देखा कि अथग अपने मातापिता को कावड में बिठा कर यात्रा करने के लिए के जा रहे हैं। मेरे ऊपर इन दोनों बातोंही बड़ी गहरी छाप पड़ी। मुझे र मल कुभ कि "मुझे भी श्रवण जैसा ही बनना चाहिए" श्रवण को मृत्यु के समय उसके मातापिता का विलाप अब भी याद है। उस 'ललित' उद्ग को मैंने बाजे में भी उतारा था। बाजा लीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा भी ला दिया था।

उन्हीं दिनों में मुझे एकही नाटक कम्पनी का एक नाटक देखने की भी इजाजत मिली थी। हरिधन्त्र का नाटक था। इस नाटक को देखने से मैं कमी थकता ही न था। उसे बार बार देखने को दिल करता था लेकिन बार बार जाने कौन दे ? लेकिन मैंने अपने दिल में सेकडो बार इस नाटक का नाटय किया होगा। हरिधन्त्र के ही स्वप्न आते थे। यही घून लगी कि "हरिधन्त्र जैसे — सत्यवादी सभों क्यों न हो ?" हरिधन्त्र के ऊपर अच्छी विपत्ते पडी थी बड़ी विपत्तियाँ सहन कर के सत्य का पालन करना ही सत्य है। मैंने तो मान लिया था कि

हरिधन्य पर वैसी ही आपत्तियां पड़ी थी जैसी कि नाटक में दिखाई गई थी। हरिधन्य का सत्य देव कर, उसका स्मरण कर के मैं बहुत कुछ रोता था। लेकिन आज मेरी बुद्धि यह समझने लगी है कि हरिधन्य कोई ऐतिहासिक व्यक्ति न होगा। फिर भी मेरे लिए तो हरिधन्य आज भी जीवित हैं। मैं यदि आज भी उन नाटकों को पढ़ूँ तो मैं मानता हूँ कि मुझे आज भी आंसू आ जायेंगे।

( नवजीवन )

साहनदास करमचंद गांधी

### शरीर पर उपवास की असर

एक डॉक्टर मित्र ने जिन्हें कुछ रोगों पर उपवास के फायदेमन्द होने में श्रद्धा है, मुझे उपवास का शरीर पर जो जो परिणाम होता है और जो मुझे अपने उपवास के दिनों में मालूम हो सका है उन्हें लिख कर प्रकाशित करने के लिए लिखा है। मैंने उनकी इस प्रार्थना का स्वीकार कर लिया है क्योंकि उनका महत्व कुछ कम नहीं है और मैं यह जानता हूँ कि बहुत से हास्यों ने तो उपवास करके अपना नुकसान ही कर लिया है। मैंने जितने भी उपवास किये हैं, करीब करीब वे सभी नैतिक दृष्टि से किये हैं फिर भी भोजन के मध्यम म एक चुम्बन सुधारक होने के कारण और उपवास के कुछ असाध्य रोगों में भा उपवासियों होने के संबंध में मुझे विश्वास होने के कारण मैं उससे शरीर पर होनेवाले परिणामों पर ध्यान देना नहीं भूला हूँ। फिर भी मुझे यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि मैंने इसके संबंध में पूर्ण जांच नहीं की है। और उसका रिफ़े यही कारण है कि उन लोगों का जो एक साथ मिला देना मेरे लिए अर्थात् था। मैं उसके नैतिक मूल्य के विचार में ही इसका महत्त्व था कि मैं उसके शरीर संबंधी परिणामों पर ध्यान ही नहीं दे सकता था। इसलिए मैं केवल मेरे मन पर उनकी जो सामान्य छाप पड़ी है वही दे सकता हूँ। उसके ठीक ठीक परिणामों को जानने के लिए मैं डा. अम्सारी और डा. अन्दुर रहमान से ही पूछने के लिए कहूँगा। उन्होंने गत वर्ष मेरे उपवास के दिनों में मेरी पूर्ण देखभाल की थी। उन्होंने बड़ी मिहनत उठाई थी। वे हर समय मेरे पास रहते थे और दिल लगा कर मेरी निगरानी कर रहे थे।

मुझे आरंभ में ही मेरे दूसरे आठ दिनों के उपवास के समय जो हासिकारक बात हुई थी उसका प्रथम उत्तर दे देना चाहूँगा। यह उपवास ११.१२ में दक्षिण आफ्रिका में हुआ था और यह १४ दिन का उपवास था। उपवास खुलने के बाद दूसरे ही दिन यह जान कर कि उससे मेरी कुछ भी हासि न होगी मैंने तीन मील तक चलने का बड़ा परिश्रम किया। दूसरे या तीसरे ही दिन टॉय की मासिकीन पिंडकियों में बड़ा दर्द होने लगा। उसका कारण न समझ कर जथा ही यह दर्द बन्द हुआ कि मैंने फिर चलना शुरू किया। इसी हालत में मैं दक्षिण आफ्रिका छोड़ कर विलायत गया। और वहाँ मुझे डा. जीवराज महेता ने देखा। उन्होंने मुझे यह चेतावनी दी कि यदि तुम इसी प्रकार चलना कायम रखोगे तो जिन्दगी भर के लिए पशु बन जाओगे। मुझे कम से कम १५ दिन लेटे रहना चाहिए और आराम लेना चाहिए। लेकिन यह चेतावनी मुझे बहुत देर के बाद मिली और मेरी तन्दुरुस्ती बिगड़ गई। इसके पहले रोग स्वास्थ्य बड़ा अच्छा था। मैं १० मील तक बिना थकावट के आ सकता था। उन दिनों में २० मील चलना तो मेरे लिए कुछ बात न थी। अपने अज्ञान के कारण मैंने अपने शरीर को जो आघात भ्रम पहुंचाया उसीके कारण मुझे पक्षाघात के दर्द का रोग हुआ था। उसने मुझे बड़ी बुरा

पहुँचाई और मेरे स्वास्थ्य को जो पहले अच्छा था बिगाड़ दिया। मेरे जीवन में मेरे ऊपर यह किसी बड़े रोग का पहला ही आक्रमण था। इसका मूल्य दे कर मुझे जो अज्ञान हुआ उससे मैंने यह सीखा कि उपवास के दिनों में शरीर को सम्पूर्ण आराम देना चाहिए और उपवास के बाद भी उपवास के दिनों के प्रमाण में कुछ दिन आराम लेना अत्यन्त आवश्यक है। यदि इतने से सादे नियम का ही यथा योग्य पालन किया गया तो फिर किसी दूसरे बुरे परिणाम की आशंका रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना, मेरा यह विश्वास है कि नियमित तौर पर किये गये उपवास से शरीर को लाभ ही होता है। उपवास के दिनों में शरीर में से बहुत कुछ अशुद्धियाँ निकल जाती हैं। गत वर्ष उपवास के दिनों में और इस समय भी, पहले के उपवासों के नियम के विरुद्ध, मैं निमक और सोडा डाल कर पानी पीता था। उपवास के दिनों में पानी के प्रति मुझे अवधि ही गई थी। निमक और सोडा डालने से ही मैं कुछ पी सकता था। बहुत सा पानी पीने से पेट साफ रहता है और मुह में जमी रहती है। तीन छटांक या पाचभर पानी में २ गीले निमक और उतना ही सोडा डाला जाता था और मैं १-२ दफे में मक्खोरे या डेडवैर के करीब पानी पीता था। मैं हमेशा 'एनीमा' भी लेता था। करीब छूँ पीन्ड पानी, उसमें १६ रती निमक और उतना ही सोडा डाल कर लेता हूँ। पानी गरम ही होता था। मुझे हमेशा बिस्तरे में ही बपटा गिला कर के स्नान भी कराया जाता था। गत वर्ष के और इस वर्ष के उपवासों के दिनों में मुझे रात्री में और कुछ दिन में भी काफी जिद्दा मिली थी। आखिरी उपवास के समय तो मैंने प्रथम तीन दिनों में करीब करीब सुबह चार बजे से ले कर शाम के आठ बजे तक काम किया था और उध समय जिसके कारण उपवास करने पड़े थे उसपर बहुत होती रही और मैंने अपना पत्रमन्वहार और सागादन कार्य भी किया। बीस दिन तिर में बका मारी इतने श्रु हो गया और भ्रम असाध्य हो उठा। बीस दिन की श्रुपद्ध को मैंने तमाम काम बन्द कर दिया। दूसरे ही दिन से मुझे अच्छा मालूम होने लगा। थकावट दूर हो गई थी और सिर का दर्द भी करीब करीब बन्द हो गया था। छठे दिन में और भी ताकत मालूम होने लगा था और सातवें दिन तो मैं ऐसा ताकत-पूर्ण मकिलान मालूम होता था कि मैं उसदिन उपवास संबंधी अपना लेख भी लिख सका था।

मुझे यह क्या नहीं कि मुझे उपवास के दिनों में भूख का दुःख मालूम हुआ ही। उपवास खोलने के समय मुझे कोई कमी न थी। मुझे जिस समय उपवास खोलना चाहिए था उससे आधा थोड़ा विलम्ब करके ही मैंने उपवास खोला था। उपवास के दिनों में कातने के संबंध में भी कोई फटिगाई नहीं मालूम हुई। मैं तब तक लगा दर रोजाना कोई आधा पण्डे से भी ज्यादा बैठ सकता था और अपने मापूली बेग के साथ कात भी सकता था। रोयल की तीन समय की आभय की प्रार्थना मैं आज भी मुझे उठोकर पका था। आखिरी चार दिन तो मुझे कठिनाई में भी काम पड़ा था। पबल करने पर मैं वहाँ बैठ भी सकता था लेकिन मैंने उध समय अपनी शक्ति की रक्षा करना ही योग्य समझा। मुझे कुछ अधिक शारीरिक कष्ट मीगता पका ही यह क्याक नहीं होता है। सिर्फ मुझे एक ही कष्ट की बात याद है। चार बार मैं पबल करता था लेकिन अक्सर पानी के घूंट लेने पर आराम ही जाता था। नारंगी और अंगूर का रस, कुछ तीन छटांक के करीब के कर मैंने उपवास खोला था। मैंने नारंगी भी पी थी। दो बार चार फिर मैंने बड़ी किया और उसमें १० गीले निमक और सोडा



## हिन्दी-नवजीवन

शुक्रवार, पौष सुदी २, संवत् १८२

### विद्यार्थी के प्रश्न

एक विद्यार्थी जो अमरिका में अध्ययन कर रहे हैं लिखते हैं: "मैं उनमें से एक हूँ जो यह चाहते हैं और इस बात में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं कि हिन्दुस्तान की गरीबी को दूर करने के लिए उसके छात्रों के तौर पर हिन्दुस्तान के कच्चे माल का योग्य उपयोग किया जाय। इस देश में मुझे यह छटा साफ है। लकड़ी से सम्बन्ध रखनेवाला रसायनशास्त्र मेरा काम विषय है। यदि मुझे हिन्दुस्तान के हुस्कर उद्योग के विकास के महत्व के सम्बन्ध में सम्पूर्ण भ्रम न होती तो मैं वाकटरी में या सरकारी नोकरी में ही चला गया होता। यदि मैं कामकाज बनाने का या ऐसा ही कोई उद्योग करने का साहस करूँ तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? यदि हिन्दुस्तान के लिए विचारपूर्वक मानवसमाज का ह्याल करके एक दयाधर्ममूलक आधुनिक नीति अस्तित्व की जाय तो उसके संबंध में आप की क्या राय है? क्या आप विज्ञान की प्रगति चाहते हैं? मेरा ऐसी ही प्रगति से मतलब है जो मनुष्यजाति के लिए केवल आशीर्वाद रूप हो। उदाहरण के तौर पर फ्रान्स के पेस्टोर का और टारोन्टो के डा. बोन्टिंग का वैज्ञानिक कार्य।"

मैं इस प्रश्न का सार्वजनिक तौर पर इसलिए उत्तर दे रहा हूँ क्योंकि सच जगह के विद्यार्थियों के तर्क से मुझे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्यों कि मेरे विज्ञान संबंधी विचारों के बारे में बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। जिस प्रकार के आधुनिक साहस का यह विद्यार्थी जिक्र कर रहे हैं वैसा किसी भी प्रकार का साहस करने के खिलाफ मुझे कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ मैं उसे दयाधर्म मूलक नहीं कहूँगा। मेरे नज़दीक दयाधर्ममूलक एक ही व्यवसाय है और वह है हाथकटाई का पुनरुद्धार। क्यों कि उसीके जरिये दरिद्रता को जो इस देशमें करोड़ों मनुष्य के जीवन का उन्हीं के घरमें नाश कर रही है दूर की जा सकेगी। उसके साथ फिर और दूसरी बातें भी जो इस देश की आर्थिक शक्ति को बढा सकती हो शामिल की जा सकती हैं। इसलिए विज्ञान की शिक्षा पाये हुए युवकों से मैं तो यही आशा रखता हूँ कि वे चरका बनाने में ही अपनी तमाम शक्ति का उपयोग करे और यदि संभव हो तो हिन्दुस्तान के शोषकों में काम आने लायक दूसरे अधिक अच्छे यंत्र तैयार करे। मैं विज्ञान की स्वयं प्रगति के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं तो पश्चिम के वैज्ञानिक उस्ताह का प्रयासक हूँ। मेरी प्रशंसा को मैं यदि कोई विशेषण लगाता हूँ तो वह इसलिए कि पश्चिम के वैज्ञानिक ईश्वर की निम्न सृष्टि का कुछ भी विचार नहीं करते हैं। प्राणिव्यवच्छेदन को मैं नकरत की निगाह से देखता हूँ। विज्ञान और मनुष्यत्व के नाम से निर्दोष प्राणियों को जो अक्षय्य हत्या होती है उसके प्रति मुझे पृणा है। निर्दोष खून से रंगी हुई वैज्ञानिक शोधों की मेरी दृष्टि में कुछ भी कीमत नहीं है। प्राणिव्यवच्छेदन के बिना यदि खून के रंग के संबंध के सन्धों की शोध न हो सकती थी तो संसार का कार्य उनके बिना भी अच्छी तरह से चल सकता था। लेकिन अब मैं उस दिन को भी आते हुए देख रहा हूँ कि जब पश्चिम के प्रामाणिक वैज्ञानिक लोग ज्ञान की शोध के वर्तमान तरीकों को मर्यादित कर देंगे। मरिच्य के माप में सिर्फ मानवजाति का ही ह्याल नहीं किया जायगा लेकिन तमाम प्राणवान जीवों का ह्याल

किया जायेगा। और जिस प्रकार अब हम धीरे धीरे, लेकिन रकीनन इस बात को माहूम करते जा रहे हैं कि हिन्दू-समाज अपने पांचवे हिस्से के लोगों को गिरी हुई हाकल में रख कर उन्नति करने का ह्याल करे तो यह उसकी सरसर भूल है अथवा पश्चिम के लोग पूर्वीय या आफ्रिकन हिन्दुस्तानियों को खून कर और उन्हें हलके बना उन्नति करना चाहें तो उनका यह ह्याल गलत है; उसी प्रकार समय आने पर हम लोग यह भी समझ सकेंगे कि मनुष्यों को दूसरी सृष्टि से जो श्रेष्ठ बनाया है वह इसलिए नहीं कि वे उनकी कलक करे लेकिन इसलिए कि वे अपने साथ उनका भी भला करे। क्यों कि मुझे इस बात का सम्पूर्ण विश्वास है कि उनके भी वैसी ही आत्मा जैसी कि मेरे में है।

वही विद्यार्थी यह भी पूछते हैं: "हिन्दुस्तान में ईसाई मिशनरियों के कार्य के मूल्य के संबंध में मैं आपकी स्पष्ट राय जानना चाहता हूँ। अपने देशवासियों के जीवन को बनाने में ईसाई मजहब ने क्या कुछ हिस्सा दिया है? क्या हम ईसाई मजहब के बिना चला सकते हैं।"

मेरी राय में ईसाई मिशनरियों ने हमें प्रकारान्तर से काम पढनाया है सीधी तौर पर तो उनसे काम के बदले हानि ही हुई है। मैं धर्मान्तर करने के वर्तमान तरीके के खिलाफ हूँ। दक्षिण आफ्रिका और हिन्दुस्तान के धर्मान्तर करनेवाले मनुष्यों का अनुभव पाने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि उससे नये ईसाईयों की, जिन्होंने यूरोपीयन सभ्यता का बाढ़ रूप ही समझा होता है और जो ईसा मसीह के उपदेश का तत्व नहीं समझते हैं कोई नैतिक उन्नति नहीं होती है। मेरे इस कथन में सामान्य लोगों की मनोदृष्टि से ही संबंध है, उतम अथवादों से नहीं। लेकिन प्रकारान्तर से तो ईसाई मिशनरियों के प्रयत्न से हिन्दुस्तान को बहुत कुछ लाभ हुआ है। उसने हिन्दू और मुसलमानों को अपने अपने धर्म की शोध करने के लिए उत्साहित किया है। उसने हमें अपने ही घर को साफ करने के लिए मजबूर किया है। मैं मिशनरियों के शिक्षा मन्दिप और अस्पताल इत्यादि को भी ऐसे ही कार्यों में गिनता हूँ क्योंकि ये शिक्षा देने के लिए या अस्पताल बनाने के उद्देश से नहीं लेकिन धर्मान्तर करने के उद्देश से ही स्थापित किये जाने हैं।

जिस प्रकार संसार महम्मद या उपनिषद् के उपदेश के बिना नहीं चला सकता है उसी प्रकार ईसा मसीह के उपदेश के बिना भी नहीं चला सकता है और इसलिए हम भी उसके बिना नहीं चला सकते हैं। मैं तो इन सब को एक दूसरे के पूरक ही मानता हूँ और किसी प्रकार भी वे एक दूसरे से अलग नहीं हैं। उसका सचा अर्थ परस्पर आतुरसम्बन्ध, और परस्परव्यवहवन है लेकिन अभी हमें यह समझना बाकी है। हम लोग अपने धर्म के केवल उदासीन प्रतिनिधि हैं और अक्सर हमलोग उसका उपहास ही करते हैं।

इस विद्यार्थी ने तीसरा प्रश्न यह पूछा है:

"भारतवर्ष के संयुक्त राज्य में हम देशी राज्यों को क्या अभी है उसी हालत में रहने देंगे या वहाँ भी प्रजासत्त हो भावना? राज्यवैतक ऐश्व को कायम करने के लिए हमारी एक सामान्य राष्ट्रभाषा क्या होगी? अंगरेजी को ही हम क्यों न राष्ट्रभाषा कवायें?"

देशी राज्य भी, च हूँ दिखाई न दे, अब अपनी हाकल बढक रहे हैं। जब हिन्दुस्तान के एक बड़े हिस्से में प्रजासत्त हो जायगा उस समय देशी राज्यों में भी एक मनुष्य की स्वतंत्र सत्ता ब चल सकेगी। वह कोई नहीं कह सकता है कि हिन्दुस्तान का प्रजासत्त



क्या होगा। वही काफ़ी है कि हम यह देखें कि यदि अंगरेजी ही एक साम्राज्य भाषा रही तो भविष्य क्या हो सकता है। उस समय कुछ बोके ही लोगों का वह प्रजासत्तंत्र राज्य होया। यदि हम हिन्दुस्तान के सामन्तसाम्राज्य की राजनैतिक ऐक्यता देखना चाहते हैं और हमें पढ़ी करना भी चाहिए, तो जो उसका जैसा भविष्य कहेगा वह ईश्वर का परमगुरु ही होगा। हिन्दुस्तान की जमता की एक सामान्य भाषा अंगरेजी तो कभी भी नहीं हो सकती है। बढ़ती जिसे मैं हिन्दुस्तानी कहता हूँ और जो हिन्दी और उर्दू का परिणाम है वही हो सकती है। हमारे अंगरेजी के व्याख्यानों ने हमें हमारे करोड़ों देशवासी भाइयों से जुदा कर दिया है। हमलोग हमारे देश में ही विदेशी बन गये हैं। हिन्दुस्तान के राजनीतिकों के मन में अंगरेजी के व्याख्यानों ने जो घर कर लिया है उसे मैं अपने देश और मनुष्यत्व के प्रति गुन्हा मानता हूँ क्योंकि हमलोग अपने देश की उन्नति में रोका अटकानेवाले बन गये हैं। और जो एक बड़े भारी खण्ड की उन्नति है वही मनुष्यत्व की भी प्रगति होगी और उसी प्रकार मनुष्यत्व की प्रगति उसकी भी उन्नति होगी। अंगरेजी पढ़े लिखे मनुष्यों को जो गाँवों में गये हैं ५ ७ एक को मेरी तरह यह अनुभव हुआ है। मुझे अंगरेजी भाषा के प्रति और अंगरेज लोगों के बहुत से अच्छे गुणों के प्रति मान है और मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंगरेजी भाषा और अंगरेज लोग हमारे जीवन में वह स्थान प्राप्त किये हुए हैं कि जिससे हमारी और उनकी दोनों की प्रगति रुक रही है।

(सं- ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

### ओटा या चर्खी


यह यंत्र कातने के चक्के के मुकाबले में कुछ ठेकसा गया है, परंतु वह चीज चक्के की बनिस्बत किसी दर्जे में कम नहीं है। कई खादी प्रेमी तो चक्के की बात कुछ देर के लिए भूल कर ओटा का प्रचार करने के लिए उत्सुक हैं। उनकी दलील है कि अगर दूर दूर के गाँवों में मजदूरी पहुँचाने के सवाल को हल करना हो तो जो काम इस यंत्र के जरिये होगा वह और किसी से न होगा। इस दलील में यह मेरा है कि चक्के पर सारा दिन काम करने में जितनी मजदूरी मिलती है उससे तीन चार गुनी इस यंत्र पर काम करने वाले स्त्री या पुरुष को मिल सकती है। और इससे भी एक और विशेष बात यह है कि कल में एक मन कपास ओटने का जो खर्च पड़ता है लगभग उतना ही ओटे से आता है। और सूना जाता है कि दूर दूर के गाँवों को तो कलों में ओटाने को जाने से तुगुना खर्च सहन करना पड़ता है और गाँवियाँ भर कर कारखाने तक जाना और सारा दिन गुमाना नकमें। इसलिए ओटा प्रचार का आग्रह रखने वालों की कात में बल काफ़ी है लड़ी, पर चक्के के बिना चर्खी ही हस्ती नहीं; इसे न भूलना चाहिए। और इसलिए चक्के को अलग रख कर चर्खी का प्रचार नहीं हो सकता। चक्के की स्थापना से ही वह ही संकटा है। इतनी प्रस्तावना कर के अब चर्खी का विचार करें।

इस नये चर्खाभन्दोलन की प्रकृति में चक्के के सुधारने के लिए खूब आशाएँ उठी थी और चर्खी के सुधार के लिए भी वैसा ही कुछ हुआ था। जैसे चक्के के सुधार के लिए इनाम देना प्रपट हुआ था वैसे ही चर्खी के लिए भी प्रपट हुआ था। चर्खी के सुधारने का प्रयत्न भी हुआ था। लेकिन जैसे चर्खी सुधारकर मूल चक्के का अन्वय किये बिना आये वैसे वैसे चर्खी-

सुधारकों ने भी किया है। और इसका नतीजा यह हुआ है कि आगे जाने के बढ़ते पीछे हटे हैं।


परदेशी चोपकों ने एक हाथ-चर्खी की शोध की है उसकी कीमत देशी चर्खी से तीस चालीस गुनी यानी करीब तीनसौ रुपये होगी। वह दो आदमियों से चलायी जाती है। एक आदमी चक्कर घुमाता है और दूसरा कपास पुरता है। चोपक का दावा है कि उसमें से हर घण्टे ४ से ६ पौंड रई निकलती है। यानी फी घण्टा १२ से १८ पौंड कपास उसके जरिये ओटी जा सकती है। इस हिसाब से तो गोया एक आदमी हर घण्टे में ६ से ५ पौंड ओट सकता है।

यह जीचे का चित्र गुजरात की पुरानी चर्खी का है।



यह चर्खी माल और मजदूरी के अनुसार ५ से ७ रुपये के बीच में बनती है। और उसमें से हर घंटे लगभग दो पौंड रई निकल सकती है। अच्छा और साफ़ कपास एक घंटे में ६ पौंड तक ओटाते देखा है। अर्थात् उस परदेशी चर्खी के बनिस्बत सिर्फ़ जरा सा कम काम इसमें उत्तरता है।

जीचे हमारा चित्र दिया जाता है वह इसी चर्खी का दूसरा रूप है।




इसमें सिर्फ़ चर्खी की तरतीब में ही परिवर्तन किया गया है। पहले चित्रवाली चर्खी को दीवाल या ऊँचे के साथ ओटना पड़ता है। और अगर वह ठीक ठीक न पड़े तो बड़ी दिक्कत पड़ती

हैं। पर दूसरे चित्रवाली चर्खी इधर उधर फेरी जा सकती है। उसे किसी प्रकार के आधार की जरूरत न होने से आंगन में धूप के अन्दर बैठ कर काम करना हो तो कर सकते हैं। और अगर एक घर में से उठ कर पड़ोसी के घर में बैठ कर काम करना हो तो आसानी से वहाँ ले जा सकते हैं। उसमें बैठने के लिये तड़ता बड़ा है इसलिए आठनेवाले के बजान के कारण उसके लिसकने का कर नहीं रहता है। कर २ पर अलग चर्खी की पटली पर पत्थर का भार रख कर काम चलाया जाता है। लेकिन उसमें काफी अनुकूलता नहीं होती। चर्खी को तिरछी रखना जरूरी है जिससे कि निकले हुए बीज बेलन परसे खिसक कर गिर जाते हैं, और कपास पूरने के लिये जगह खाली होती जाती है। इसीसे कपास देनेका काम जल्दी से होता है और ओटाई अधिक होती है। बहुत सी जगहों पर ओटा खींचा रख कर काम करते हैं इससे काम कम होता है वह स्पष्ट बात है। दूसरे चित्रवाला ओटा बेंचक में तिरछा जबा होने से इसमें पूरा २ सुभीता पड़ता है।

यह चर्खी तिरछी रखने के लिये बेंचक के साथ जिन टेकों से टिकायी हुई दिख पड़ती है उनको इच्छानुसार निकाल और बाले जा सकें ऐसे बनाये जाते हैं। इसलिए इसे आराम कुर्मी की जाई समेट सकते हैं। गन्नी बनावट से कीमत में कुछ फर्क नहीं पड़ता है।

नीचे तीसरा चित्र दिया है। ऐसी चर्खी बिहार, बंगाल, आसाम, आंध्र और तामिल नाडु में आज भी प्रचलित है।



इन प्रांतों में उसकी कीमत कहीं एक और कहीं दो रुपये के करीब होती है। लेकिन गुजरातवाली चर्खी की अपेक्षा उस पर काम करीब चौथाई भाग के बराबर ही होता है। उसमें लकड़ी के ही दोनों बेलनों से कपास ओटी जाती है। गुजरात की चर्खी में जैसे नीचे काठ का बेलन और ऊपर काँड़े का होता है वैसे इसमें नहीं होता। दोनों काठ के बेलन होने से इतना फायदा जरूर है कि जो रुई भोटी जा कर निकलती है वह बिल्कुल मुलायम होती है। इससे उस रुई की धुलाई में बहुत कम मिहनत पड़ती है। उस रुई को देखते ही ऐसा भाव होता है कि चर्खी में उसके तंतुओं को जरा भी इना नहीं पहुँचती और यह भी कि धुलाई से भी उस रुई के रेशों को कुछ तरह नहीं पहुँचती है।

उन चर्खियों के बेलन की लंबाई बहुत कम रखी जाती है। ६-७ इंच से ज्यादा लंबी चर्खियाँ कहीं देखने में नहीं आती हैं। दूसरे चित्र में जो बेंचकवाली चर्खी दिखाई गई है वह इनका सुधाग हुआ रूप है। उसमें ५ से ११ इंच तक लंबा बेलन चलाया जाता है। और उसके काम का हिसाब देखने से मालूम कि लंबेवाला चर्खी से सिर्फ १-५ फ सदी कम काम होता है। चर्खी-जगत में यह सुधार बड़ा उपकारी हुआ है।

धुलाई हुई चर्खी में एक दूसरा फायदा यह हुआ है कि लंबे तनछ की ही लकड़ी लगती थी उसके एवज में

बबूल की लकड़ी लगाई जा सकती है। लंबे लकड़ों तिरछी चर्खी को लेनी पड़ती है। तनछकी लकड़ी दूसरे प्रांतों में मिलती नहीं है या अब तक पहुँचानी नहीं गई है इसलिए उसकी जगह बबूल का उपयोग हो सकता है यह बड़ी अनुकूलता हो गई।

तनछ की चर्खी का एक नमूना मिला है। उसमें लंबे की लकड़ी के बेलन लगाये गये माछम होते हैं। इस लकड़ी का उपयोग, उपयोग करनेवाले और बनानेवाले का इस बंध के बारे में अज्ञान सूचित करता है।

भिन्न २ लकड़ियों के बेलन का उपयोग करके देखने से मालूम हुआ है कि तनछ की लकड़ी सब से बढिया काम देती है। बबूल से भी काम चल जाता है, और इसके अलावा तीन बार दूसरी जाति की लकड़ियों का उपयोग भी मुना गया है, जया जामुन, पीपल, इलुंबा, डेववा आदि।

चित्रावली हाथ चर्खी और ऊपर कही हुई देखी हाथ चर्खियों की तुलना कर के समझनेवाले देख सकते हैं कि हाथ चर्खी में यांत्रिक संशोधन को स्थान नहीं है।

मनमलाक सुजातचंद गांधी

### पशुबंध

#### उसके कारण और उपाय

मुख्यतः बमड़े के लिए पशुबंध होता है। बमड़े का बाजार जैसा तेज होता जायगा वैसे ही पशुओं की कल भी बढ़ती जायगी।

पंजाब प्रांत में बीई आफ इकोनॉमिक इन्वेंचरी ने पंडित सिधरत कृत दूध बियरक एक उत्तम निबन्ध प्रकाशित किया है। उसमें डी बीजे की गई सुविधा ली गई है। उसमें बांध के बमड़े के माप की और उसकी कल की तुलना की गई है।

वर्ष	लाहौर में बांध के बमड़े का माप	माप और उसके बंदरों की कल
१९१५	६०॥	६,९३५
१९१६	४०॥	६,०३३
१९१७	अप्राम्य है	...
१९१८	३६	६,२६५
१९१९	३४	९,५०५
१९२०	३९	११,९५९

इन बांधों का निवेचन करते हुए श्री सिधरतजी लिखते हैं:

“यह प्रतीत होता है कि बांध के बमड़े के भाव में और उनकी कल में कोई भीषा राक्ष है। १९१९ में उनकी कल इसलिए बढ़ी थी क्योंकि उस वर्ष अमेरिकन बांधों के बमड़े बहुत महंगे थे और यहाँ दुष्काल होने के कारण बांध न मिलता था और दोर बचे सस्ते हो गये थे।”

कल किये गये बांधों के बमड़े ज्यादातर हिन्दुस्तान में ही कमाये जाते हैं और उसमें से बनाये हुए जूते भाव इसकोम पहुंचते हैं। इसलिए ब्यापक का माननेवाले कभी बांधों का बंध करनेव है कि वे केवल मरे हुए बांधों के बमड़े को ही कमानेवाले कारखानों (डेनरी) की स्थापना करें और ब्यापकों को तो इस उपकारी प्रयु के खर्च से जो सुविधा न ही ऐसे कभी काफी तादात्त में तैयार कर देने के लिए आवश्यक ही वह उद्योग करना चाहिए। मरे हुए बांधों के बमड़े की रक्षा की जाय और

इसका उपयोग किया जाय तो फिर केवल हमारे के लिए उसकी को फल होती है वह सीधे ही बन्द ही जायगी ।

इसके अलावा कहीं-कहीं हमारे का बन्द विदेशों में भेजा जाता है और इसको 'ब्याण्ड' अथवा सरकार की उल्टी राजनीति बन्द करती है । संयुक्त प्रान्त के हुन्नर उद्योग के अधिकारी मि. सिल्वर ने १९१२ में ब्याण्डमान देते हुए कहा था:

"क्या हमें आने यह देना है कि क्या माल विदेशों में बेचनेवाके आचारियों की मदद करने के लिए ही देते अपना भाव डहराती है । "रेल्वे मुद्रण टेरिफ" नामक सन्ध को उल्लेख में बाक देनेवासी पुस्तकें पढ़ोमे तो मालम होगा कि देश के अन्तःप्रदेश में से समुद्र किनारे तक अपनी यहाँ की पैदाइश को ले जाने के लिए रेलवे काय न्यून भावा लेकर काम करती है । इसका परिणाम यह होता है कि क्या माल परदेश बला जाता है और परदेशी उद्योगों का पोषण करता है । रेलवे की इस नीति के कारण अक्सर यह होता है कि हमलोग अपने कचे माल को लेकर कोई हुन्नर या उद्योग नहीं बला सकते हैं, अपने देशके मजदूरों के हाथ से इतना काम बला जाता है और हुन्नर उद्योग में से जो आर्थिक लाभ हो सकता है वह लाभ भी हम नहीं ले सकते हैं ।

बाबू विक्रमादित्य सिंह ने कानपुर में भारतीय हुन्नर उद्योग के कमीशनर समक्ष अपना इजहार देते हुए इस प्रकार कहा था:

"कचे हमारे यदि देहली या कानपुर से हावका ले जाने हों तो रेलवे क्रमशः एक सन पर चाले-कालत आने और तथा पांच आने किराया लेती है लेकिन यदि देहली से कानपुर काले हों तो अक्सर केवल २०१ मील का होने पर भी पांच आने और आठ पाई भावा लेती है । देहली या कानपुर से हावका ले जाने के लिए १०० मील पर १ पाई लेती है और देहली से कानपुर ले जाने के लिए १६ मील पर ९ पाई लेती है । कानपुर से हावका २१३ मील है फिर भी किराया सवापांच आने है और देहली से कानपुर १०१ मील है फिर भी किराया पांच आने और आठ पाई है । हमारे इस देश में ही कमाय जाय और इस देश के मुख्य मरने-वाके लोगों को रोजी मिले, इसे ही अन्वय बनाने के लिए कानपुर से हावका कमाया हुआ बमका ले जाने के लिए एक सन पर १ रुपया किराया किया जाता है । अर्थात् कानपुर से हावका कमा बमका ले जाना हो तो सवा पांच आने लगते है और कमाया हुआ बमका उतनी ही दर के जाना हो तो एक रुपया लगता है । "

हमारे के संबंध में जो हाल है वही अनाज, रई इत्यादि के बारे में भी है ।

पञ्चमथ के हमारे कारणों का फिर कभी विचार करेंगे ।

(संक्षेप) **मालजी बोबिखजी देसाई**

"हिन्दुध आर एडिक्शन" पुस्तक १ पृष्ठ १०१

**आधुनिक मजदूरजी**

मजदूरों का अधिक उपकार सेवार हो गई है । कुछ सख्ता ३२० होते हुए भी सीमित दिवस ०-२-० रखती गई है । बाइबल के कालीवार को देना होगा । ०-३-० के दिवस मेजने पर पुस्तक पुस्तक के और-रवाना कर दी जायगी । १० प्रतिशत से कम मजदूरों की भी-पी-वही लेकी जाती ।

आधुनिक, हिन्दी-नवजावन

**टिप्पणियां**

**मालवीयजी और लालाजी**

हिन्दू महासभा के एक उत्साही सदस्य मे मुझे 'य. इ.' और 'नवजावन' में उत्तर देने के लिए कोई १५ प्रश्न भेजे हैं । एक हमारे महासभा ने इन्हीं प्रश्नों के तरीके पर मेरे साथ इसी बारे में बहस की है । मैं उन सब प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहता हूँ लेकिन उनमें कुछ को तो मैं छोड़ देने की भी हिम्मत नहीं कर सकता हूँ । क्यों कि उन प्रश्नों से तो पंडित मदनमोहन मालवीयजी और लालाजी पर वर्तमान पत्रों में जो आक्रमण हो रहा है उस और मेरा प्यान खाया गया है । मुझसे ये प्रश्न पूछे गये हैं, 'क्या आपको उनके अके उद्देश के बारे में शंका है ? क्या आप उन्हें सीधी तौर पर या और किसी हमारे तरीके पर हिन्दू-मुस्लिम ऐजेंट के विरोधी मानते हैं ? आप मानते हैं कि क्या ये देश को जानबूझ कर किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं ?' मैं अक्सर यह देखता हूँ इन स्वदेश भक्तों की पर इस प्रकार आक्रमण होता है । मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे बहुत से मुसलमान मित्रों को इन दोनों प्रतिज्ञा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के प्रति सम्पूर्ण अनिश्चान है । लेकिन मैं, बहुतों की बातों में उनसे कितना भी मतभेद क्यों न रखूँ, उनमें से किसी एक पर भी कभी भी अविश्वास नहीं ला सकता हूँ । जिस प्रकार मैंने मुसलमानों को मालवीयजी और लालाजी पर इस प्रकार आक्षेप करते हुए देखे है उसी प्रकार हिन्दुओं को भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध मुसलमानों पर ऐसे आक्षेप करने हुए देखे है । लेकिन मैं उनमें से किसी भी पक्ष के आक्षेपों पर विश्वास नहीं ला सका हूँ और मैं अपना मन्तव्य भी किसी भी पक्ष को नहीं समझा सका हूँ । मालवीयजी और लालाजी दोनों ही देश के पक्षे हुए सेवक हैं । दोनों बहुत विमो से, देश को बराबर प्रशसनीय सेवा कर रहे हैं । उनके साथ बिल खोल कर बातचीत करने का सामान्य मुझे प्राप्त हुआ है लेकिन मुझे एक ही ऐसा मंत्रा वाद नहीं है कि जब मैंने उन्हें मुसलमानों के विरोधी पाये हों । लेकिन इधका मतलब यह नहीं कि उन्हें मुसलमान जेनाओं के प्रति अविश्वास नहीं है और इध बडे कठिन और नाजुक प्रश्न के उपाय के संबंध में हम लोग एक राय हैं । उन्हें ऐबय की आवश्यकता के बारे में कुछ भी शंका नहीं है और उन्होंने अपने विचारों के अनुसार उसके लिए प्रयत्न भी किया है । मेरी राय में तो इन नेताओं के उद्देश के संबंध में शंका करना ही ऐजेंट के होने के सम्बन्ध में शंका प्रकट करना है । जब हम लोग संधि करेंगे, किसी न किसी दिन इधे यह करना ही होगा, उस समय उनकी बातों का हिन्दू-समाज पर डोक देनाही असर पड़ेगा जैसा कि मुसलमानों ने मालाना अखुल कलाम आवाद और इकीम सादक की बातों का असर पड़ता है । बेशक, हरएक कार्यकर्ता को इसके लिए सही उपाय बताया जा सकता है कि जबतक किसी कार्यकर्ता के विरुद्ध कोई स्पष्ट प्रमाण न मिले तबतक तो उसे उसके शब्दों पर ही विश्वास रखना चाहिए । यदि उसमें गलती हो और उसको धोखा हो तो भी विश्वास रखनेवाके का उससे कुछ भी मुकसान नहीं होता है । शंका और अविश्वास के नातावरण में सार्वजनिक जीवन यदि असंभव नहीं तो असंभव अवश्य हो जाता है ।

**सादी प्रदर्शनी**

एक महासभा पत्र मिल कर पृच्छते है कि महासभा ससाह के वर्तमान कानपुर में जो सादी प्रदर्शनी होनेवाली है उसमें विदेशी या देशी मिके के सूत को बनी-बादी या रोंदों भी प्रदर्शनी में रखनी का सफगी या नहीं के विचार में जो इसी प्रकार का प्रश्न

वठा था और उस समय यह निर्णय किया गया था कि केवल शुद्ध खादी ही प्रदर्शनी में रखनी जा सकेगी और जिसमें विदेशी या देशी मिला का मूल होगा उसे वहाँ न रक्खा जा सकेगा। आज भी वही स्थिति काममें है, उसमें कोई फरक नहीं पड़ा है और मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि खादी प्रदर्शनी में शुद्ध खादी के सिवा और कुछ भी रखना घोखा देना है।

**धारासभा प्रवेश**

एक अमेरिकन पत्रकार लिखते हैं: "आपको धारासभा प्रवेश का किसी भी प्रकार से समर्थन करते हुए देख कर मुझे फसोस होता है। आप इस स्थिति पर पहुँचे उसके पहले यदि आप सही थे तो अब आप गलती पर हैं। मैंने धारासभा को हमेशा उस टीन के टुकड़े के साथ उपमा दी है जो बच्चे की कुमराने के लिए यह कह कर दिया जाता है कि देखो यह चाँद है। भाई, इससे खेसो। यही तुम चाहते थे न।"

मेरे लेखों में से कुछ इधर उधर की बातें पढ़ कर लेखक ने मेरी स्थिति के बारे में गलत व्याख्य किया है। धारासभा प्रवेश के संबंध में तो मैं अब भी उसी स्थिति पर कायम हूँ जिस पर कि मैं १९२०-२१ में कायम था। लेकिन मैं व्यावहारिक आन्दोलियों का दावा करता हूँ। मैं आँखें बंद करके जो बातें मेरे सामने स्पष्ट दिख रही हैं उन्हें न देखने का प्रयत्न नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने इस बात का स्वीकार कर लिया है कि मेरे कुछ मित्र और सहयोगी कार्यकर्ता जो १९२०-२१ में मेरे साथ एक ही जहाज में बैठे हुए थे अब उस जहाज को छोड़ कर चले गये हैं और उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया है। वे भी उनमें ही राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं जितना कि मैं खुद उसका प्रतिनिधि होने का दावा करता हूँ। इसलिए मुझे यह निर्णय करना पड़ा है कि मैं अपने मार्ग की उनके मार्ग के साथ अनुकूल बनाने के लिए जहाँ तक हो सके विशाल बनऊँ। धारासभा प्रवेश की बात ऐसी थी कि मैं उसे बदल नहीं सकता था इसलिए मुझे अपने सहयोगी स्वराजी भाइयों को इसमें जितनी भी मदद मुझसे हो सके, करने में कोई हिचकिचाहट नहीं मालूम होता है; उसी प्रकार जिस प्रकार कि मैं खुद शान्ति चाहनेवाला हूँ फिर भी यूरोपियों के श्लोकार बहादुर रिपोर्टों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित किये बिना मैं नहीं रह सकता हूँ।

**नव वर्ष का खादी कार्य**

४० न० खादी मण्डल के जो अब चरखा सच में परिणत हो गया है, सत वर्ष के कार्य का रिपोर्ट पर से बहुत कुछ जानने लायक बातें मालूम हो सकेंगी। मैं केवल खादी प्रेमियों से ही उसे पढ़ जाने की निफारिश नहीं करता हूँ लेकिन टीका करनेवालों से और जिन्हें खादी के संबंध में शक है, उनसे भी उसके लिए निफारिश करूँगा। साबरमती में अर्द्ध सच के मंत्री को लिखने से रिपोर्ट मिल सकती है। उसमें अपनी एक भी त्रुटि को लिखना नहीं छोड़ा है। उसमें प्रान्तिक समस्याओं की तरफ से किये गये विलम्ब और उदासीनता के संबंध में काफी विवेचन किया गया है। उसमें अरबों के प्रचार में जो बड़ी बठिनाहियाँ हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। लेकिन यह मन कहने के बाद भी अपने जो कार्य किया है उसकी रिपोर्ट से मालूम होगा कि खादी ने कितनी प्रगति की है। वह प्रगति इसनी नहीं है कि जोका है, वह इसनी नहीं है कि गांधी से रहनेवालों के जीवन पर उसका असर पड़े, वह इसनी नहीं है कि उसमें विदेशी कपड़े का बहिष्कार,

जिसके लिए हमलोग लाभायित रहते हैं किया जा सके लेकिन उसकी रिपोर्ट स्वयं अक्षर करनेवाली है। ऊपर ऊपर से देखने-वाले मुझसे कहते हैं कि खादी की प्रगति मन्द हो गई है क्योंकि शहरों में अब वे पहले के बनिस्वत सफेद टोपियाँ कम देखते हैं। मैं सफेद टोपियाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सब सफेद टोपियाँ खादी की नहीं होती हैं। अनुभव से मैं यह सीखा हूँ कि ये टोपियाँ बड़ी थोखा देनेवाली थीं। ऐसी टोपियाँ पहननेवाले उन सबे प्रामाणिक मनुष्यों से कुछ अधिक खादी-प्रेमी न थे जो विदेशी कपड़ों का और प्रचार से त्याग नहीं कर सकते थे इसलिए दिखावे के लिए या उससे भी बुरे उद्देश से खादी की टोपी पहनने से इन्कार करते थे। अग्रे से तो आज दूसरी ही बात मालूम होती है। १९२१ में जितनी खादी पैदा होती थी उससे अब अधिक खादी पैदा होती है, अब चरखे भी अधिक चल रहे हैं, उनसे मूल भी अधिक निकलता है और जो खादी तैयार होती है वह चार बने पहले जो खादी तैयार होती थी, उसके बनिस्वत कहीं अधिक अच्छी होती है। कार्य अब अच्छा व्यवस्थित और नियमित हो गया है और इसलिए अब क्षिप्रता से अधिक प्रगति की जा सकती है। अब कताई के कर कातनेवाले लोग भी पहले के बनिस्वत अधिक हैं। और धारे धीरे स्वेच्छा से कातनेवाले भी बढ रहे हैं। किसी भी दूसरे राष्ट्रीय खाते के बनिस्वत इस समय खादी का संगठन कार्य करने में ज्यादा ही-पुरुषों को रोजी मिल रही है। खादी का सेवा कार्य हमेशा प्रगत्यात्मक सेवा कार्य है। प्रामाणिक बुद्धिमान और निहन्त करने-वाले कार्यकर्ताओं को अच्छा वेतन देने की उसकी शक्ति अमर्यादित है। खादी कार्य में अर्बतनिक कार्यकर्ता भी अधिक मिले हैं। सब से बढ कर तो यह बात अब साबित हो गई है कि योग्य व्यवस्थित संस्था के बिना, जो खादी का ही कार्य करती हो और जिसमें वेतन लेनेवाले या न लेनेवाले बहुत से अच्छे कार्यकर्ता काम करते हों, खादी का कार्य नहीं हो सकता है। उसके कारीगर विभाग ने कुछ महत्व को शाये भी की है जैसे बोरे से मूल को भी एकाग्र के लिए मूल के दाब यंत्र को उसने सुधारा है। उसमें खादी और मूल के नमूनों की परीक्षा की जाती है और नकली खादी को फौरन ही पहचान लिया जाता है। अपने अपने स्थानों में कार्य करने के लिए हममें विद्यार्थी भी तैयार किये जाते हैं। रगने के काम के प्रयोग किये जाते हैं और पानों से भी बचानेवाली खादी तैयार करने का प्रयोग हो रहा है। इन दोनों प्रयोगों में ठीक ठीक सफलता मिली है। जो लोग खादी के कार्य के मन्त्र में शकित रहते हैं उन्हें यह रिपोर्ट पढ़ा कर स्वयं इस बात का यकीन कर लेना चाहिए। उन्हें संघ के महासद बनना चाहिए, और जो लोग उसकी शर्त को पूरा नहीं कर सकते हैं उन्हें जो कुछ भी वे कर सके अपने कार्य से उसकी मदद करनी चाहिए और उसमें जितना भी हो सके उन्हें चन्दा भी देना चाहिए।

(यं० इ०)

मौ० क० गांधी

**हिन्दी-पुस्तकें**

लोकमान्य की श्रद्धांजलि	...	...	...	॥
दक्षिण आफ्रिका का सरशापह (पूर्वांक) ले० गांधीजी	...	...	...	॥
आश्रमभजनावलि	...	...	...	॥
जयन्ति शंकर	...	...	...	॥
शंकु खंभ अजहदा। दाम मनी आठेर से मैकिए अधवा	...	...	...	॥

वी. पी. मंगेशम्—  
 व्यवस्थापक, हिन्दी-नवजीवन



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक १७ ]

मुद्रक-प्रकाशक स्वामी आनंद	अहमदाबाद, पीप बडी १०, संचित १९८२ शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९२५ ई०	मुद्रकस्थान-नवजीवन मुद्रकालय, खार्गपुर सरकोपरा की बाडी
-------------------------------	---	---

## सत्य के प्रयाग अथवा आत्मकथा

### अध्याय १

#### जन्म

गांधी कुटुम्ब पहले तो पंसारी की इकान या ऐसा ही फुटार माल का ध्यापार करते होंगे । लेकिन तीन पोटि हुई मेरे दादा से ले कर वे दिवानगिरी करते चले आ रहे थे । उसमधद गांधी जयवा ओता गांधी संतव है कडे टेक वाले थे । उन्हें राजसठपट के कारण पोरबंदर छोडना पडा । और उन्होंने जूनागट का लाभय किया । उन्होंने नवाब साहब को कयि हाथ से रक्षाम की । किसीने इस स्पष्ट दिखनेवाले अचिनय का कारण पूछा तो उसे जबाब मिला ' दाहिनी हाथ तो पोरबन्दर को डे चरा हूँ ' ।

ओता गांधी को एक के बाद एक इस प्रकार दो पत्नियां थी । पहली स्त्री से उन्हें चार पुत्र हुए थे और दूसरी से दो । मुझे मेरा जनपन याद करने पर यह कयाल नही हांगा है कि ये सब सोतेले माई थे । इनमें से पांचवें करमचंद गांधी अथवा कवा गांधी थे और आखिरी तुलसीदास गांधी थे । दोनों माई, एक के बाद एक इस प्रकार पोरबन्दर के दिवान रहे थे । कवा गांधी, मेरे पिताभी राजस्थानिक कोर्ट के सभ्य थे । फिर राजकोट में और कुछ समय वार्कानेर में दिवान थे । आखिर उन्होंने राजकाट दरबार से पेन्शन ले कर स्वर्गवास किया ।

कवा गांधी को एक के बाद एक इस प्रकार चार स्त्रियां हुई थी । पहली दो के दो लडकियां थी । आखिरी पुतलीबाई को एक लडकी और तीन लडके थे, उनमें से आखिरी मैं था ।

पिता कुटुम्बप्रेमी, सत्यप्रिय, शूर, उदार लेकिन कोधी थे । कुछ अंश में शायद वे विपयासक भी होंगे । उनका अन्तिम विवाह उनके चालीसवें वर्ष के बाद हुआ था । हमारे कुटुम्ब में और बाहर लोगों में भी उनके बारे में यह कहा जाता था कि वे रिशत से बुरहते थे इसलिए वे झुझ न्याय कर सकते थे । राज्य को बडे बफादार थे । एक समय किमी प्रान्त के एक गोरे साहब ने राजकोट के डाकोर साहब का अपमान किया था इसलिए वे उसके साथ रुठ पडे । साहब गुस्ते हो गये और उन्होंने माफी मांगने के लिए फरमाया । उन्होंने माफी मांगने से इन्कार किया इसलिए उन्हें कुछ घण्टे हाजत

में भी रहना पडा था लेकिन वे माफी मांगने को तैयार न हुए । आखिर साहब को उन्हें छोड देने का हुक्म देना पडा ।

पिताजी ने रूथ्य एकत्रित करने का कभी भी सोच नहीं किया था । इसलिए वे हम लोगों के लिए बहुत ही थोडा धन छोड गये थे ।

पिताजी को केवल अनुभव का शिक्षण मिला था । जिसे हम आज गुजगती पांच किताबों का ही ज्ञान मान सकते है उतना ही शिक्षण उन्हें मिला होगा । इतिहास भूगोल का तो उन्हें कुछ भी ज्ञान न था । फिर भी उनका व्यवहारिक ज्ञान इतना जंवा था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रश्नों का निर्णय करने में या हजार आदमियों से भी काम लेने में भी उन्हें जरा भी मुश्किल न मालूम होती थी ।

उन्हें धार्मिक शिक्षण भी कुछ नहीं सा ही मिला था । लेकिन मन्दिरों में जाने से या कथा इत्यादि सुनने से जो धार्मिक ज्ञान असंख्य हिन्दुओं को सहज ही प्राप्त होता है, वह ज्ञान उन्हें भी था । अपने अन्तिम वर्षों में कुटुम्ब के एक विद्वान ब्राह्मण मित्र की सलाह से उन्होंने गीता का पाठ आरंभ किया था और वे रोजाना अपने पूजा के समय पर कुछ शोक उच्च स्वर से पढ जाते थे ।

माता एक साध्वी स्त्री थी । मेरे मन पर उनकी ऐसी ही छाप पडी हुई है । वे बडी धर्मेभीत थीं । पूजापाठ किये बिना कभी भी भोजन न करनी थी । हमेशा मन्दिर जाती थी । जब से मैं समझने लगा हूँ मुझे यह याद नहीं पडता कि उन्होंने कभी चातुर्मास का व्रत छोडा हो । कठिन से कठिन व्रतों का वे आरंभ करती थीं और उन्हें वे निर्विघ्न पूरा करती थीं । बीमार पडने पर भी वे आरंभ किये हुए व्रत को न छोडती थी । मुझे ऐसा एक समय याद है कि जब उन्होंने चान्द्रायण व्रत किया था और बीमार पड गई थीं, लेकिन उन्होंने व्रत नहीं छोडा । चातुर्मास में एक ही समय भोजन करना उनके लिए सामान्य बात थी । इतने ही से संतोष न मान कर उन्होंने एक चातुर्मास में एक दिन उपवास और एक दिन एक समय भोजन करना इस प्रकार का भी व्रत रक्खा था । लगातार दो तीन दिनों का उपवास करना उनके लिए कुछ बडी बात न थी । एक चातुर्मास में उन्होंने ऐसा व्रत रक्खा था कि उसमें सुधेनारायण के दर्शन करने के बाद ही भोजन किया जा सकता था । इस वर्षाकृत में हमकोप बादलों के सामने ही देखा करते थे कि कब

सूर्यनारायण दिखाई दे और एब माता भोजन करे । वर्षाशु में सूर्य का दर्शन होना बहुत ही कठिन होता है यह सभी जानते हैं । ऐसे भी दिनों का मुझे स्मरण है कि सूर्य दिखाई देता और जहाँ हम पुकार उठते कि 'माँ, माँ, सूर्य दिखाई देता है' और माँ झींक कर आती कि सूर्य छिप जाय था । " कुछ नहीं, आज माय में भोजन नहीं लिया है " कह कर माता सोट जाती थी और अपने काम में लग जाती थी ।

माता व्यवहारकुशल थी । दरवार सम्बन्धी सभी बातें जानती थी । रमवाम में उनकी बुद्धि अच्छी गिनो जाती थी । मैं बालक होने के कारण माँ कभी कभी मुझे दरबार मंड में ले जाती थी और 'सा राहब' के साथ के उनके कुछ संवाद तो मुझे अब भी याद है ।

इन्हीं माता पिता के घर १९२५ के भाद्रपद मास १२ के दिन अर्थात् १८२९ के पौषमासी की रा. २ को मेरा पौरवन्दर में अर्थात् मुदामापुरी में जन्म मष्टा किया ।

लडकपन पौरवन्दर में ही बिताया । मुझे किसी शाला में बिठाया गया था यह याद है । मुकिल ही से कुछ पढ़ाते सीखा होगा । मुझे याद है उम्र समय में लडकों के साथ मुदको को केवल गाली देना ही सीखा था । और उनके शलाका और कुछ याद नहीं है इसलिए मैं यह अनुमान करता हू कि मेरी पढ़ाई मंद होगी और बादशाह भी उस समय इस जो मन्तरे मास्टर को गाली देने के लिए गाते थे उपमें के कभे पापट को री रही होगी ।

( नवजीवन )

मोहनदास करमचंद गांधी

### ईश्वर एक ही है

( गतांक से आगे )

(१) एकां ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जन्मः । य उ गतः अन्तः । यह एक ही देव है जो मन में प्रवेश किये हुए है, यह प्रथम प्रकट हुआ था और सब के मन में अन्तर में रहा हुआ है ।

(२) एकमेनेमे विप्रभिते दौष भुसभ निहनः । एकम् इदं सबभामन्यथाप्राणनिर्मिषत्तन्वत् ॥

एकम् कहने से विश्व के लम्भ रूप परमात्मा से ही यह वी और पृथ्वी टिके हुए है । ये सब जो आत्मना है, प्राणवान, निमिषवान है वही एकम् है ।

(३) वेदाहं सूत्र वितत यस्मिन्प्रोक्तः प्रजा इमाः । सूत्रं सूत्रस्याहं वेदायो यदाहाण मदन ।

विस्तृत ( दीर्घ=लम्बा )—जिस में यह प्रजा ग्रुप वही है उसे मैं जानता हूँ । इस सूत्र ( प्रति ) के सूत्र वी ( परमात्मा को ) भी मैं जानता हूँ जो गड़ड़ प्रहा है ।

(४) ब्रह्मैवा मधिष्ठातान्तिकादिव पश्यति । यस्तायन्मन्यते चरत्सर्वं देवाइद विदुः ॥

यस्मिन्प्रति चरति यश्च चरन्ति या नित्यं चरति यः प्रत्यक्षम् । ह्ये सनिपद्यन्मन्त्रयेते राजा शिद्धं तमण रत्नायः ॥ उत्तैय भूमिचरणस्य राजा उतासो दो श्रुता दूरे आता । उतो समुद्रो यदस्य कुक्षी उतामिन्नुत्पन्न उदके निकीनः ॥ उतयो धामति सर्गाः परस्तात म सुन्याने वशस्य राजः । दिवस्पताः प्रचरन्तोऽमरा महाराक्षा कति पश्यन्ति भूमिम् ॥ सर्वे तत्राज वरुणं नियते यदन्तरा रीदसी यत्परस्तात् । संख्याताः अन्य निर्गन्ते जन्तायश्चानिव श्रमा निमिनोति तानि ॥ केने पाशा वरुण सप्त सप्त प्राण विष्टन्ति विपिता रक्षन्तः सिनधु सर्वे अमृता नदन्त यः सत्पतायानि । मजन्तु ॥

इस जगत का महान अधिष्ठाता सानी पाप रह कर ही सब कुछ देखता है । चोर फिरता हुआ भी जो कुछ विचार करता है उन सब को वह देखता है; जो खडा रहता है, फिरता है टेदा चलता है, गुफा में जा बैठता है या लंबा चढ़ता है उसे भी, अर्थात् सब कुछ वह जानता है । दो शास्त्र इकठे बैठ कर बातें करते हैं उसे तीसरा वरुण राजा जानता है । और यह भूमि भी वरुण राजा की है । यह प्रकाशमान गगनमण्डल भी उसके अस्तिम और तक उसीका है । ये दो समुद्र-अन्तरिक्ष और पृथ्वी के—वरुण के दो पहलू हैं । और इस अल्पजल में—छोटे से कबू में भी वही छिपा हुआ है । यहाँ से भाग कर आकाश में चला जाय तो भी वरुण राजा के हाथ से कोई चीं छूट सकता है । हजार नेत्रवाके उसके दूत आकाश में से सब जगह फिरते हैं और यह सब देखते हैं । भूमि के उस पाग भी देखते हैं । जो आकाश और पृथ्वी के बिच में है और जो उससे उस पार है उन सब को वरुण राजा देखता है । प्राणियों के नेत्र-निमिष भी उसके गिने हुए हैं, उसी प्रकार जिन प्रकार कि पासा डालनेवाला पासे गिन केता है । हे वरुण, सेरे सात, गान, और तिन गुने पाश हैं वे सब जो अस्वय-पादी हैं इन्हीं की बापा पट्टुवावे और त्यवाही को छोड हैं ।

( अर्धव वेद )

(१) देव स्वहा यजिता विश्वरूपः सुषोष प्रजाः पुरुषा जजान इमा च विश्वा भुवनान्यपि सहदेवा नाम सुरत्वमेकम् ॥ देव-रवटा-सविता जो सर्वहवाला है, वह सब प्रजा ( उत्पन्न हुए क्षुद्र के सब पदार्थों ) का पोषण करता है; ये सब भुवन उसीके हैं । वही एक देवी का बरा असुरत्व-अस्तित्व अर्थात् प्राणशतापन-रैः अर्थात् देवों का अस्तित्व अर्थात् प्राणदान-सामर्थ्य इत्यां के कारण है, इसी में समाभिष्ट है ।

(२) विश्वतश्चक्षुस्त विधानोमुक्तो विश्वतोवाहू रुत विश्वतस्वात् से बाहुभ्यां भवति संपत्तेश्चाशिशुमी जनवन् देव एकः ॥ सब तरफ नेत्रवाला, सब तरफ मुन्धवाला, सब तरफ हाथवाला, सब तरफ परवाला, बाहु और पाँवों के द्वारा फूंक कर ( छहार जिस प्रकार आग्नि को फूंक कर लोहा तैयार करता है उसी प्रकार ) धीं और पृ-री को घनाने ॥ ता एक देव है ।

(३) किं स्वित्जगं कउ स वृक्ष आग यतो वावा पृथिवी निहतस्तुः । र्जीषिणः मनसा पृच्छते नवदश्यामिष्टमभुवनानि विश्वा । यह क्या बन था ? क्या वृक्ष था ? जिसमें से धीं और पृथ्वी बनाई ? बुद्धिमान मनुष्यों, अपने मन के साथ विचार करो : ( उत्तर ) भुवनों को धारण करनेवाला उसका अधिष्ठाता ही वह था ( यह बन और यह वृक्ष था ) ।

(४) यो नः पिता जनिता यो विधाना धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यो देवानां नामधा एक एव ते सप्रदां भुवना वन्त्यन्वा ॥ जो हारा पिता, हमारा उत्पन्न कर्ता, हमारा विधाता ( विशेष हः से रक्षनेवाला ) है, जो सभी भुवनरुपी धर्मों को जानता है । जो देवों का नाम पाइनेवाला है उसी अज्ञेय प्रश्नरूप ( रहस्यमय ) देव के प्रति जुड़े जुड़े विविध भुवन प्रयाण कर रहे हैं ।

(५) तमिदमं प्रथमं दत्तं आपो यत्र देवाः समगच्छन्ता विश्वे । अत्रस्य नामावधेकमर्षिर्न यद्विदन् विश्वानि भुवनानि सहस्रुः ॥ उसे गंधर्प से प्रथम जल से धारण किया था, जिस में सर्व देव एकत्रित होते है यह एक अजन्मा की नाभि में रहा हुआ है; और उसमें सभे भुवन रहे हुए हैं । अर्थात् देवों की एक महान्मा के अन्त में एकता होती है और यह जाहान अजन्मा की नाभि में से अर्थात् परमात्मा के मध्य में भी होता है ।

( अर्धवेद )

### शिक्षक और विद्यार्थी

आमकाल विद्यार्थियों के बहुत से सम्मेलन होते हैं, परन्तु वे भी होते हैं। वन्दे में सामद ही इस साल की एक निरस्मरणीय घटना पर बयान दिया होगा। यह घटना है गांधीजी के अपने प्राण प्रिय विद्यार्थियों के लिए किये हुए सात दिनों के उपवास। इस उपवास का महत्व केवल वही विद्यार्थियों के लिए नहीं है बल्कि कि लिए वे किये गये थे, लेकिन उसका महत्व समस्त विद्यार्थी-जनता के लिए है; इतना ही नहीं शिक्षकों के लिए भी यह उपवास बतना ही महत्व रखता है। यह महत्व उपवास विषयक विशेष लेख में से ( जो गतागत में दिया जा चुका है ) समझ सकते हैं। इसके अलावा उपवास की समर्पण के दिन सुबह विद्यार्थियों की अपने पास जुला कर उन्होंने धरे और पुस्तकें लड़ से जो उद्धार निकाले थे उस पर से भी समझ में आ सकेगा। वन्दे में से जितना दिया जा सकता है उतना भाग विद्यार्थी और शिक्षकों के — दोनों के सामर्थ्य वहाँ दिया जाता है:

‘ गत मंगलवार को मेने उपवास शुरू किया था। तुम सब लड़के उस मंगलवार को याद करो। उस दिन मेने यह क्यों किया? मेरे सामने तीन रास्ते थे:

( १ ) सजा करने का — जब बाउक कोई गलती करता है तो शिक्षक उसे सजा दे कर उत्तीव मान केता है। ‘ गलती पकड़ ली और उसे बन्द करने के लिए अधिकार का उपयोग किया यह कुछ कम मोझे ही है?’ ऐसा विचार कर के वह अपने को उत्तीव मान केता है। लेकिन मैं भी एक शिक्षक हूँ। आजकल हमारे कामों में उलझे रहने के कारण पढ़ाने के कार्य में अपना धिक्का नहीं दे सकता हूँ, फिर भी अपनी-आपना की उत्तीव के मूक से तो मेरा ध्यान ही मुख्य बाध है। एक शिक्षक को हैनियत से मेरे अनुभव में मुझे यह रास्ता निरर्थक और हानिकारक प्रतीत हुआ है।

( २ ) उदासीनता का — जो हुआ तो हुआ, वरामें अपना क्या ही क्या सकता है? लड़के पढ़ने हैं, लड़के हाथ जोड़ने हैं, लड़के विद्यार्थी में भी ठीक ठीक तैयार हो गये हैं और सीखा ज्ञान जोका बहुत तो उन्हें याद है, फिर व्यवस्था में पढ़ने से क्या लाभ? लड़कों में आपस में देना बर्बाद है यह आशय कदा और कितनी सरतबा देखने आया? ” इस उदासीनता में मुझे निम्नरता और कर्तव्य विगुलता दिखाई देती है।

( ३ ) भेष का — मैं तो तुम्हारे जीवन की पीक करनेवाला हूँ। तुम्हारी इच्छा जानने की इच्छा रखता हूँ। मेल के पीछे पक कर उसे साक करनेवाला हूँ। मेल निष्ठाकता ही प्रथम शिक्षा है और बाकी सब पीछे से ही आगम यह मानता हूँ इसलिए जब मैंने तुम लोगों में मेल देखा तो मेरा क्या कर्तव्य हो सकता है? न तुम की सजा कर सकता हूँ और न शिक्षकों को ही। मैं एक का प्रधान हूँ इसलिए मुझे अपने ही को सजा करनी चाहिए रही मैंने अपने मन में निर्णय किया। सात दिन की यह प्रतिज्ञा आज पूरी होती है।

मैंने तो इन दिनों में बहुत कुछ प्राप्त किया है। तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग फिर कभी गलती न करोने देना-यकीन शिक्षा सकते हो? तुम लोग मुझे दुःखी देख कर दुखी हो यह आशयता मेरे उपवास के अंदर नदरे में छिपी हुई है। यह हमारा विज्ञा है उसे कष्ट कैसे पहुँचाने? उसे तो सुखी करना चाहिए, किन्तु तुम को क्याक होवे यह जानने में ही मेरा अभिमान है।

मूल न जाने की दुर्गा तो तुम लोगों ने समझ ली है न? झूठ जवा भी न बोलना चाहिए, एक भी धान न छिपाओ चाहिए, यदि कोई चीज या भूल हुई हो तो उसका अपने शिक्षक या अपने लड़कों के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए। इतना करने में तुम मूल न करोगे तो बन जाओगे। इतना ही तुम करोगे तो मैं समझता कि अच्छा हुआ मेने उपवास किये। प्रथम यह शिक्षा प्रदण करनी चाहिए; विनय का त्याग मत करो, ड्रेप या ड्रेप्पा न करो, किसीकी उसकी पीठ पीछे निंदा न करो, काम में लगे रहो, अपने को मत ठगो— अर्थात् किसी हमरे को भी न ठगो। कांतना, पठना, पाठ करना विचार करना इत्यादि सब काम प्रामाणिकता के साथ करो। आभ बगटा काया हो तो एक घण्टा काता है यह बड़ कर दगा न करो।

प्रत्येक उपवास के समय में “ वैष्णव जन” तो गाने को कहता ही है। उमीनें से मुझे रात कुछ मिल जाता है। गीताजी यदि मैं भूल जाऊ तो भी यत्र भजन ही मेरे लिए काफी है। रात पृच्छे तो इगडे भी एक और बस्तु अल्प है — बालक उसे बायद न भी जनता संक — वह यह है कि सत्य ही परमेश्वर है, सत्य का भेष करना ही ईश्वर को ठगना है — इतना तुम याद रखोगे तो पाठ उतर जाओगे। ”

### महादेव हरिभाई देसाई

### कातनेवालों के प्रति

परसा संघ के मंत्री लिखते हैं: सभ्यों को सम्पूर्णत निम्न लिखित सूचनार्थ हम यहाँ दे रहे हैं:

- ( १ ) मेल की पुनियों से काता गया सूत सभ्यों के चन्दे के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।
- ( २ ) सूत का चन्दा बुद्धिपूर्वक या साधारण पारसक से भेजा जा सकता है, जबकी राजस्वो पराने की कोई जरूरत नहीं है।
- ( ३ ) सम्भासद होने के लिए छपी हुई अरजा भेजना ही कोई आवश्यक बात नहीं है। अरजा भेजना कर भी दी जा सकती है। यह पारले चन्दा के परामर्श के साथ भेजा जा सकती है या अलगा भी भेजा जा सकती है।
- ( ४ ) जो अल्प नये सभ्य बनना चाहते हैं और इसलिए अपना चन्दा भेजते हैं उन्हें यह बात हाथ लिख देना चाहिए।
- ( ५ ) पुमाने सभ्य जब चन्दा भेजे उन्हें अपना कर्मांक भी लिखना चाहिए। यदि वे कर्मांक न लिखें तो उन्हें कितनी सरतबा चन्दा भेजना है यह निश्चय नहीं है।
- ( ६ ) सूत पर जो निरन्तर जाय वह मोटे काँडे-बोर्ड का होना चाहिए, और उसके चारों की यह बातें और सूचनार्थ उसमें हाथ लिखनी चाहिए।
- ( ७ ) सभ्यों को हमेशा एक ही तरह के दस्तखान करने चाहिए।
- ( ८ ) किसी भी सम्भासद का चन्दे के तौर आया हुआ सूत उसे किसी प्रकार जेठाना न जायेगा और न देना जायेगा। लेकिन यदि सूत काफी तादाद में भेजा जायेगा तो यदि सम्भासद की इच्छा होगी और वे सूत और पुनाई के दाम देने के लिए तैयार होंगे तो वह कपडे के रूप में पुन कर दिया जा सकेगा। लेकिन, सम्भासदों का माहवारी चन्दा अलगा एकत्रित करके न रखना जा सकेगा।

# हिन्दी-नवजीवन

पुरुषार, पौष वदी १०, संवत् १९२५

## दक्षिण आफ्रिका का प्रतिनिधि मण्डल

दक्षिण आफ्रिका ने जो प्रतिनिधि मण्डल धा रहा है और जो १२ ता. को यहाँ पहुंचनेवाले है उसकी सम्पूर्ण सूची इस प्रकार है: डा. अब्दुर रहमान, सोराबजी दस्तमजी, श्री बी. एस. पथीर, सेठ बी. मीरजा, सेठ अमोद भायात, श्री जेम्स गोडफ्रे, सेठ हाजी इस्माइल, श्री भवानी दयाल ।

दक्षिण आफ्रिका के प्रतिष्ठित पुरुषों का यह प्रतिनिधि मण्डल बना है और वे वहाँ के योग्य प्रतिनिधि हैं । ये दक्षिण आफ्रिका में रहनेवाले प्रवासी भारतवासियों के जुदा जुदा वर्गों की तरफ से उनके लाभ की बात कह सकते हैं । इनके अध्यक्ष डा. अब्दुर रहमान हैं और उनका जन्म भी आफ्रिका में ही हुआ था और उसमें ऐसे हमारे भी कुछ लोग हैं । ये सुयोग्य डाक्टर मकाना डाक्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं लेकिन जन्म हिन्दुस्तानी हैं । दक्षिण आफ्रिका की जाति का मलया भी एक आन्तर विभाग है । वे सब मुसलमान हैं और मलया क्रायें बिना गंगांच के हिन्दुस्तानी मुसलमानों के साथ शादी कर लेनी है । ऐसे विवाहबद्ध युगल बड़े सुखी होते हैं और उनकी सन्तति में से कुछ तो बड़ी उत्कृष्ट शिक्षा पाये हुए हैं । डा. अब्दुर रहमान भी उसी श्रेणी के हैं । उन्होंने स्कॉटलैण्ड में डाक्टरी सीखी थी और केप टाउन में उनका भ्रमण चल रहा है । वे केप की पुरानी धारासभा के सभ्य थे और युनिवर्सिटी के महाधुर सदस्य थे । लेकिन वे भी रंगभेद से नहीं बच सके हैं ।

इस प्रतिनिधि मण्डल का वर्गीकरण अच्छा स्वागत होगा और उनकी बातें धैर्य से सुनी जायगी । हर्ष की बात है कि प्रवासी भारतवासियों प्रश्न किसी एक दल का प्रश्न नहीं है । यह प्रश्न ऐसा है कि हिन्दुस्तान में रहनेवाले अंगरेजों की भी इसमें हिन्दुस्तानियों के प्रति सहानुभूति है । उनका पक्ष है भी बड़ा ही न्यायपूर्ण । इसलिए अब यह प्रश्न केवल न्याय प्राप्त करने की हिन्दुस्तानियों की शक्ति का ही प्रश्न हो रहा है । यदि भारत सरकार दृढ़ रहे और शाही सरकार की उसे मदद मिले तो युनियन सरकार को केन्द्र की तरफ से आये हुए इस निर्णय-रत्न-क-दबाव के सामने झुकना ही पड़ेगा । लेकिन हमसे दक्षिण आफ्रिका के साम्राज्य से निकल जाने का भय है । ऐसे अनैतच्छुद्ध हिस्सेदारों को, जो बरा सी बात पर किनारा काट कर निकल जा सकते हैं एक सूत्र में बांध रखने का मुख्य सो केवल साम्राज्यवादी ही समझ सकते हैं । उन शक्तियों को जो आपस में विरोधी हैं एकत्र रखने की अत्यधिक चिन्ता के कारण ही तो शाही राज्यनिति इतनी गिर गई है कि केवल आफ्रिकावासी और एशियावासियों को चूमना ही उसका ध्येय हो गया है और वह जहाँ संभव हो उनकी इस लड़ में दूसरी योरपीय शक्तियों को शामिल नहीं होने देती है । प्रवासी भारतवासियों के प्रश्न के प्रति मेटरिटेन की जो नीति होगी वही उसकी और उसके हरादों की नरी कमाटी होगी । युनियन सरकार की तरफ से दबाव आने पर भी क्या वह न्याय कर सकेगी ? दक्षिण आफ्रिका का प्रतिनिधि मण्डल उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए धा रहा है । (सं० ६०) मोहनदास करमचंद गांधी

## राष्ट्रीय शिक्षा

राष्ट्रीय विद्यापीठ का वार्षिक उपाधिदान और इनामों का समांभ हुआ था । उस समय साल भर का कुल खौरा पढा गया था । उसमें बिना किसी प्रकार की बाध के यह सब बात जाहिर की गई थी कि विद्यापीठ के हाथ नीचे काम करनेवाले या उससे संबंध रखनेवाले विद्यामन्दिरो में पढनेवाले लड़के और लड़कियों की संख्या घट रही है । गुजरात में शायद यदि उत्तम व्यवस्थापूर्वक चलनेवाली राष्ट्रीय शालायें नदीं हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति तो अवश्य उत्तम है । इन शालाओं के बारे में कम से कम इतना अवश्य कहा जा सकता है कि हयों की कमी के कारण उनकी स्थिति डांवाडोल नहीं हो रही है ।

निन्देद इग समय राष्ट्रीय शालायें लोकप्रिय नहीं हैं । इनके पास न सुबसुरत और कीमती मकान हैं और न कंसा सामान ही है । और न उसमें बड़ी बड़ी तनख्वाह पानेवाले प्रोफेसर वा शिक्षक ही हैं । और उनमें से न कोई अपने पुराने इतिहास का दावा कर सकती है और न तरीके का । और न वे भविष्य जीवन की रोकदार आशाओं का भी धकीन दिला सकती है ।

लेकिन जिम बात का वे दावा करती हैं उसीसे बहुतेरों को तो उसके प्रति लालच होती है । वे उन आत्मन्यागी स्वदेशभक्त शिक्षकों के अपने पास होने दावा करती हैं जो हमेशा गरीबी और तर्गी की हालत में रहते हैं और वह इस लिए कि उनसे शिक्षा पा कर राष्ट्र के युवक लाभ उठावें । इन शालाओं में हाथकताई और उसके साथ साथ रखनेवाली सब बातें सिखाई जाती हैं । वे सेवा करने की कला सिखाती हैं । वे देशी भाषा में शिक्षा देने का प्रयत्न करती हैं । वे राष्ट्रीय खेल-तमाश और राष्ट्रीय संगीत का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न करती हैं । वे गाँवों में जा कर सेवा करने के लिए लड़कों को तैयार करती हैं और इसलिए हिन्दुस्तान के गरीबों के प्रति उनमें आनुभाव उत्पन्न करती हैं । लेकिन इतना आकर्षण काफी नहीं है इसीलिए तो मस्य्या घट रही है ।

इन शालाओं के लोकप्रिय न होने का कारण केवल उनका इस प्रकार आकषणहीन होना ही नहीं है । जोश के, नशे के और आशा के उस १९२१ के वर्ष में बहुत सी बातें की गई थीं । वह नशा अब दूर हो गया है और उसका स्वाभाविक परिणाम अब दिखाई दे रहा है । लड़कों ने अब हिसाब गिनना छुट किया है और स्वदेशभक्ति कोई गणित का हिस्सा नहीं है यह ज्ञान न होने के कारण उन्होंने उसका गलत परिणाम निकाला है, और इसीलिए उन्होंने सरकारी शालाओं को और कालिजों को ही अधिक पसंद किया है । इसमें उनका कुछ भी दोष नहीं है । हमारे वासवास आज जो कुछ भी है उसका व्यापार और नफे की भाषा में ही परिवर्तन हो गया है । लड़के और लड़कियों से यह आशा रखना कि वे आगपाम के वायुमण्डल से ऊपर उठ आवें बहुत ही अधिक आशा रखना है ।

इतना ही नहीं है । शिक्षक लोग भी पूर्ण नहीं हैं । वे सब आत्मन्यागी नहीं हैं । वे सब छोटे छोटे अंगरेज और प्रपंचों से दूर नहीं हैं । वे सब स्वदेशभक्त भी नहीं हैं । इसमें उनका भी कुछ दोष नहीं है । हम सब परिस्थिति के दास हैं । हमेशा दूरे रह कर नोकर का तरह काम करने की हमें शिक्षा मिली है, हमारे आरम्भ शक्ति वा नाश हो गया है, इसलिए हमलोग अपने देश के प्रेम के खातिर, केवल अपने प्रेम के कारण, कुटुम्ब के प्रेम के कारण या सेवा के लिए भी अर्थात् किमों के भी खतर आत्म त्याग करने के आह्वान का योग्य उत्तर नहीं दे सकते हैं ।



वर्तमान मन्द प्रवृत्ति का कारण क्या है यह बताया जा सकता है लेकिन जिस प्रकार मूल कार्यक्रम के दूसरे विषयों में मेरी भ्रष्टा अटक है उसी प्रकार राष्ट्रीय शालाओं में भी मेरी भ्रष्टा अटक है। मैं राष्ट्र के मापदण्ड में मन्दी का हीना स्वीकार करता हूँ और इसीलिए इस स्थिति का स्वीकार करनेवाले महासभा के प्रस्तावों का अनुमोदन भी करता हूँ लेकिन उसकी मुझ पर कुछ भी असर नहीं होती है। और मैं दूसरों को भी यही करने के लिए कहता हूँ। इन राष्ट्रीय शालाओं की संख्या घटती जाती है फिर भी, मेरे लिए तो वे आशा और आकांक्षा के रेतिके मैदान में पानीवाली और हरी मरी छोटी छोटी जगहों के समान हैं। जिस प्रकार वे आज हमें अवैतनिक और थोड़ा बेतन पानेवाले सेवक तैयार करके देती हैं उसी प्रकार भविष्य का राष्ट्र भी इन्हीं के द्वारा तैयार होगा। आप कहीं भी जायें आपको ऐसे असहयोगी युवक और युवतियाँ मिलेंगी जो मातृभूमि की सेवा में अपनी तमाम शक्ति लगा रहे हैं और बदले में कुछ भी आशा नहीं रखते हैं। इसलिए मुझे उन आलोचक महाशय की सलाह पर कुछ भी ध्यान न देना चाहिए जो मुझे गुजरात महाविद्यालय में लड़कों की संख्या घट रही है इसलिए उसे बन्द करने को लिखते हैं। यदि लोग उसे मद्द करेंगे या लोग मद्द करें या न भी करें लेकिन यदि उसके शिक्षकगण एव रद्दोंगे तो महाविद्यालय में जब तक एक भी सच्चा लड़का या लड़की उसके आदर्शानुसार अपनी पढ़ाई खतम करना चाहेगा तब तक तो उसका चलना ही पड़ेगा। उस रास्ता के चलाने के लिए उत्तम वायुमण्डल का होना ही कोई धर्म नहीं है। वायुमण्डल अच्छा हो या बुरा उसे चलाना ही चाहिए।

( यं. इं. )

माहन्यास करमचंद गांधी

## एक राष्ट्रीय शाला

कुछ दिन पहले पटना की एक राष्ट्रीय शाला की मुलाकात करने का सम्भाव्य मुझे प्राप्त हुआ था। पाँच साल पहले, असहयोग के आन्दोलन का जब बड़ा जोश था, यह शाला बड़ा खोली गई थी। उस समय लोगों का उत्साह बहुत ही अधिक था। लेकिन पीछे बाहर की संदता और उत्साहहीनता ने उस गाँव में भी प्रवेश किया और अब वह राष्ट्रीय शाला गिरी हुई हालत में है। गाँव बड़ा है और शाला का अच्छा फंड था इसलिए यह शाला दो तीन साल तक अच्छी तरह से चलाई गई। लेकिन लोगों की शिथिलता ने उनकी प्रामाणिकता पर भी आक्रमण किया। फंड का व्यय मिलना बन्द भी हो गया और शादी इत्यादि प्रसंगों पर जो खर्चा किया जाता था अथवा लिया जाता है वह शाहुकारों के घर में या दूसरे लोगों के घर में ही रह गया। विद्यापीठ की तरफ से मिलनेवाली एक निहाई ग्रान्ट के कारण शाला को कुछ भी मुकसान न हुआ। विद्यार्थियों की फीस के (२२००) और ग्रान्ट के (११००) मिल कर शाला का निभाव हो जाता है। विद्यापीठ से रुपये मिलते हैं इसलिए अब लोग उसमें रुपये क्यों दें ?

लेकिन इस प्रकार मुफ्त में चलनेवाली शाला भी अब लोगों को पुरी मात्तम होने लगी है। कोई कहता है कि उस पर दूसरी शालाओं का असर पड़ा है तो कोई कहता है लोगों को हम शाला की जरूरत ही नहीं है। कुछ समय के लिए उसे चलाना अनिवाय्य था इसलिए चलाई; अब उसे बन्द करनी चाहिए।

शाला के लड़कों के साथ मैंने खूब बिनोद किया। मैंने देखा उनमें स्वतंत्र विचार करने की शक्ति है, और निर्भयता भी है। मैं उनके मातापिताओं को और उनके नेताओं को भी

मिला और उनसे पूछा "ऐसे बालकों को आप सरकारी शालाओं में क्यों भजना चाहते हैं ?" उत्तर मिला "आप सब आते हैं उससे इन बालकों को तो संतोष होता है लेकिन हमें उससे संतोष नहीं होता। हम लोग तो यही जानना चाहते हैं कि इस शाला के होने के पहले प्रवेशिका—एण्ट्रन्स की परीक्षा में जितने लड़के उत्तीर्ण होते थे उतने अब उस परीक्षा में या विद्यापीठ की परीक्षा में पास होते हैं या नहीं ?" विद्यापीठ की परीक्षा में इन शब्दों का प्रयोग करना केवल दग्ध था। तीन बार घण्टे तक बातें होती रहीं। उसमें उनकी सब से बड़ी दलील यही थी। गाँव ही में से किसी सङ्गृह्य ने उनको उत्तर दिया कि इस शाला के विद्यार्थी दूसरी शाला में जाकर बड़ा अच्छा परिणाम दिखाते हैं। ६ लड़के तो गत वर्ष में बड़े ऊँचे नम्बर पर आये थे। लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वे आगे न बढ़ सके थे। उन्होंने एक दूसरी दलील भी की "लड़के हैं इस शाला की नहीं चाहते हैं।" इसका तो मैंने ही उत्तर दे दिया कि ७५ फी सदी लड़के इस शाला को चाहते हैं। यह सुन कर वे कहने लगे "लोगों को—साधारण लोगों को ही इस शाला की जरूरत नहीं है और हम लोग लोगों के प्रतिनिधि हो कर उन्हीं के अभिप्राय को जाहिर कर रहे हैं।" अन्यथा प्रतिनिधियों को शाला की आवश्यकता है। यह दलील कैसी हास्यजनक है यह तो वे भी समझ सके थे। एक बूढ़े ने १९२०-२१ में असहयोगी बन कर बड़ा उत्साह दिखाया था और खादी का स्वीकार कर लिया था लेकिन इस साल आठ वर्ष में पहली ही मरनशा उन्होंने मोझे संवदाये पधड़ी पहनी और गवर्नर साहय के साथ हाथ मिलाने का अहोभाग्य प्राप्त किया। वे तो बालकों को जमीन और जानवरों के तुल्य ही मानते हैं "जमीन में मनुष्य रुपये कितने लिए रोकता है ? आमदनी करने के लिए। गाव को चारा कितने लिए डालते हैं ? रुपये के लिए। उसी प्रकार बालक को भी पढ़ाए जाते हैं।" एक शिक्षक ने पूछा "लेकिन उनका चरित्र सुधरता है यह भी देखोगे या नहीं ?" बूढ़े ने कहा "चरित्र में से क्या रुपये मिलेंगे ?" 'तब तो आपके लिए रुपये ही परमेश्वर हैं' इसके उत्तर में उन्होंने कहा 'सभी को है' रुपये न हों तो यह शाला कैसे चलेगी ? और रुपये न हों तो गांधी महात्मा का कार्य भी कितने दिन चल सकेगा ?"

आश्चर्य की बात तो यह थी कि किसीको भी मिद्दान्त की कुछ भी न पड़ी थी। असहयोग का कितने लिए आरंभ हुआ राष्ट्रीय शिक्षा का कितने हेतु से आरंभ किया गया, इसका कोई विचार तक न करना था। स्वाभिमान का तो मानो अब कोई प्रश्न ही नहीं रहा है। हमलोगों के हृदय में मानो कोई भाव है ही नहीं।

इन नेताओं के साथ जो बातचीत हुई उसके कथन नाटक को देख कर मैंने बालकों के नाट्यप्रयोगों को देखा। मैंने कुचेले और पुरे दिलनेवाले मर्ग कर लाये गये विदेशी कपड़े पहना कर इन मर्गों को सजाये गये थे। उनको देखने के लिए लोगों की खाली भीड़ हुई थी। लेकिन अन्त्यजों को वहाँ कैसे आने दिया जा सकता है ? यदि मैं गते कर सकता होता तो मैं यह शर्त करता कि यदि अन्त्यजों को न आने दोगे तो मैं भी हम में शामिल न होऊँगा। लेकिन मुझे ऐसी प्रतीति न हुई कि मैं ऐसी सखती करने का अधिकारी हूँ। लड़कों के नाट्य-प्रयोगों को मैंने देखा और उनके रामने बोलने का नाटक मैंने भी दिया। मेरा 'नाटक' इसलिए, क्योंकि कि जिस दृष्टि से लोग बालकों को देखने के लिए आये थे उसी दृष्टि से वे मुझे भी

देखने के लिए आये थे। मे यह जानता था कि मेरा बालना  
अव्ययरोदन के समान ही है।

शाळा नहीं चाहिए इस के अन्ते है राष्ट्रीय शाळा के शिक्षक नहीं  
चाहिए और अब बच्चों के फालनेवाले, शाळा पढ़नेवाले और बार  
बार लड़कों की राशी पढ़ने के लिए बहनेवाले शिक्षकों भी  
निकाला जा रहा है तो फिर शाळा के मूखे हुए मूल अभी जो  
जमीन में बचे हुए हैं वे भी निराश फेंक दिये जाय तो उन्हें  
आराम मिले।

विश्वलता क्यों हुई? यह पूछा नर बड़ी बड़ी बातें करने-  
वाले तो मुझे बहुत से लोग मिले। "देश में कोई प्रवृत्ति नहीं हो  
रही है यह कारण तो न होगा? गांधीजी केवल चरम पर जोर दे  
रहे हैं यह कारण तो न होगा?" इस प्रकार न प्रश्न करते थे। मैंने  
कहा "भाई गांधीजी केवल चरम पर ही जोर नहीं दे रहे हैं।  
यदि वे जोर दे सकते होते तो वे सभी विषयों पर जोर देना चाहते  
हैं। पंचायत की स्थापना करके लोगों को अदालत में जाने से रोकने  
का कार्य करने से आपको क्या रोक्ता है? लोगों को शासक पीने  
से रोकने का कार्य करने से आप को कौन मना करता है?  
अस्पृश्यता का पाप भी दालने के कार्य को करने से आपको कौन  
मना करता है? जितना भी बन सके फगे लेकिन कम से कम,  
कमजोर से भी कमजोर जिसे कर सकता है वह एक घण्टा छातने  
का और खादी पहनने का काम तो करो-उनकी ऐसी ही दीन  
प्रार्थना है।" लेकिन उनके साथ दलील करना फिजूल था। जहाँ  
इच्छा ही नहीं है वहाँ दलील करने से क्या लाभ? दो या चार  
धनिकों को अपने लड़कों को अस्पृश्य पाम कराया है इसलिए  
साधारण वर्ग के लोगों के लड़कों को जिन्हें एण्ट्रन्स पास नहीं  
होना है लेकिन सामान्य शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद अपने  
खेत जा कर साहसकने हैं उन्हें भी राष्ट्रीय शाळाओं में जाने से  
रोक्ना है। अधिक लोग इस शाखा में से निकलने के बाद भी  
अपने लड़कों को एण्ट्रन्स की परीक्षा में भेज सकते हैं लेकिन  
उनको ऐसा मय है कि मातो यह शाळा ही उनके लड़कों की एण्ट्रन्स  
पास करने की शक्ति का तरण कर लेती है।

इस शाळा को बन्द करने की प्रवृत्ति के कारणों का पृथक्करण  
करने पर मुझे ऐसा ही कुछ मार्थ दिनाई दिना है। इससे यदि  
किसी को बुरा मालूम हो ले गे उससे क्षमा चाहना है। इसमें मैं  
किसी को भा अन्त्याय नहीं कर रहा हूँ यह मेरी आत्मा मुझे  
साक्षी दे रहा है।

मैनागण मुझसे कहते थे कि विद्यार्थियों के बहने से ही हम-  
सोमों ने यह शाळा खोला था। मैंने विद्यार्थियों की दृष्टि से ही  
हम उसे बन्द करेगा। इस आना करने इ कि विद्यार्थीगण यदि  
शाळा का कायम नहीं रख सकते हैं तो वे कम से कम माकागी  
बालागी में जाने से तो अवश्य ही प्रन्कार करेंगे।

म० ह० देसाई

[इस विषय से बह कर विरोध उद्रे न होगा? मुझे तो बहुत  
दुःख हो रहा है। इस आश को उतन राष्ट्रीय शाळाओं में  
गिनती होगी। उनमें प्रचियों की संख्या भी अन्तरी है।  
उसमें जो शाळा शिक्षक पान कर रहे हैं। उन्हें पाव रुपये  
भी नहीं मिले। और जो बन्द शाळा के निमित्त से टप, किये  
गये अपने भी न पान पान आय और विद्यार्थीगण इस शाळा का  
स्थापना का। तो उनके रान लापरवाही दिखाने की यह मा  
कितनी बन्धा है। लेकिन जिन्हें रुपये टप है उन्हें  
समझावेगा कि वे अपनी शाळा को सन्तुष्ट करनी दे  
वहाँ वहाँ से तो यह आन्त्याय न कि वे अवश्य ही पछवांते।

राष्ट्रीय शाळा चाहे किसी भी वर्गों न हो उसमें विद्यार्थियों को  
एकत्रय वायुमण्डल में रहने की जो सारीम मिलनी है वह और  
वहाँ मिल सकेगी ?

श्री० क० गांधी ]  
( मन्त्रीपत्र )

टिप्पणियाँ

अ० भा० देशबन्धु समाजक

इस फंड का ब्यौरा अब इस प्रकार है:

स्वीकृत रकम	रु. ८१९२३-६-६
कच्छ में इकट्ठी की गई रकम,	
श्री गोपालदा। खीमजी के द्वारा	८२५३-०-०
दा. इ० श्री० अलगांव के द्वारा	६२-०-०
सत्याग्रहाथम साबरमती में	४७३-६-६
श्री वेटरजी कृष्ण पेयार	४-१४-०
महात्मा गांधीजी की कच्छयात्रा में	२४९-१३-६
महात्मा गांधीजी की सफ से	
बम्बई स्टेशन पर	४९-०-०
हेरराबाद (विष) के कताई मण्डल के तरफ से	१०-०-०
देशबन्धु आश्रम की तरफ से	०-१४-०
श्री शमुनाथ	१५-०-०
एक सट्टप्रहस्थ	१८-०-०
श्री नंदरामदास हीरानंद	२५-०-०
श्री बीमनलाल मोहनलाल	४०१-०-०

९९२२-०-३

प्रगति यद्यपि धीरे धीरे हो रही है लेकिन रुक हो रही है।  
सूची से यह मालूम होता है कि दान के कारण को समक कर  
नहीं लेकिन किसी भी शासक के प्रभाव में आ कर दान देने की  
आदन अब भी बिली ही बची आ रही है।

उपवास की समाप्ति

उन मित्रों को जो मेरे स्वास्थ्य के लिए बड़े चिन्तामुर रहते  
हैं यह जान कर बड़ी खुशी होगी कि यद्यपि सात दिनों के  
उपवास में मेरा वजन ९ पौंड घट गया था तो भी उपवास कतम  
होने के बाद सात दिनों में मैंने उसमें से ६ पौंड वजन तो फिर  
प्राप्त कर लिया है। अब मैं कुछ थोड़ा कसरत भी कर सकता  
हूँ और रोजाना काम भी ठीक ठीक कर सकता हूँ। यह  
प्रकाशित होगा उसके पहले मैं बर्षा पहुंच बार्जया। महात्मा के  
बाद वहाँ जितना भी हो सके मैं आराम लेना चाहता हूँ।  
इसलिए मन्त्रीपत्र से और दूसरे मित्रों से यह प्रार्थना करता हूँ कि  
वे मुझे बर्षा में कार्य के लिए भाया हुए न समझें। 'साक्षात्कार'  
का समादन करने में और रोजाना पत्रव्यवहार करने में ही मेरी  
सारी शक्ति संध हो जायगी। मैं कातपुर पहुंच इसके पहले ही  
मेरा वजन जिनना घटा है उतना पूरा कर लेने की मैं आशा  
रखता हूँ।

पत्रलिखकों को

मुझे अकतोन के साथ मेरे साथ पत्र व्यवहार करनेवाले महाशयों  
को यह कहना पड़ता है कि मेरे उरकाद के कारण मेरा पत्रव्यवहार  
थकत रा बाकी रह गया है। यद्यपि मेरे महाशयों ने उसमें से  
बहुतेरे पत्रों का उत्तर दे दिया है फिर भी मेरे सामने ऐसे पत्रों  
का एक ढेर पका हुआ है जिस पर कि मुझे ध्यान देना आवश्यक  
है। पत्र लिखनेवाले मुझे इस विकल्प के कारण क्षमा करेंगे।  
जितना भी हो सके मैं विघ्न ही इस कार्य को पूरा करने की  
आशा रखता हूँ।

**शुद्ध खादी के प्रति**

बन्दनगर का प्रवर्तक संघ एक बड़ी संस्था है। अब तक इसमें निम्न खादी पैदाश होती थी और उसीको वे बेचते थे। मेरी पैदाश की मुलाकात के समय संघ के अधिष्ठाता श्री मोतीलाल रावने अपने कारखाने की शुद्ध खादी के कारखाने में बन्दन दिया है। अब वे लिखते हैं:

"हमने बन्दनगर के मुणालिनी बन्न कार्यालय को और कलकत्ता प्रवर्तक भण्डार को ता. ३० अक्टूबर से शुद्ध खादी के केशों में परिवर्तित कर दिया है। और इसकी सूचना आपको उसी समय दे दी गई थी।

अब सारी संस्था शुद्ध खादी का ही काम करेगी लेकिन आप यह तो जानते ही हैं कि यह साधन कर के हमने कितनी बड़ी कोशिश अपने लिए उठाई है।"

मुझे अफसोस है कि वे जिस सूचना का जिक्र करते हैं वह मुझे नहीं मिली है। मैं मोती बाबु को इस परिवर्तन के लिए मुनारिकबादी देता हूँ और आशा करता हूँ कि आरंभ में इस संस्था को कठिनाइयों को सामना करना पड़े तो भी वे खादी का काम ही करती रहेगी।

**अ० भा० गोरभा मण्डल**

मंत्री मिले हुए सूत्र का इस प्रकार स्वीकार करते हैं:

नं.	नाम	पत्र
<b>सभ्यता का सूत्र</b>		
<b>गुजरात ५-७</b>		
१०	के. सिद्धगुडा	साबरमती २४०००
११	मुलसी महेशजी	" २४०००
१२	बाकीलाल जीवनलाल शाना	" १२०००
<b>विध</b>		
१३	पानामाई मयया	करांची १००००

**मध्यप्रान्त**

१४ विश्वम्भर जयलपुर ४०००  
 नं. ६, ८ और ९ ने और भी अधिक सूत्र भेजा है। इनका कुल सूत्र अब क्रमशः १०८१५, १२०० और ५००० पत्र हो गया है।

**इन में मिला**

विद्यार्थीकाल अग्रतारास	अष्टमदावार	१०००
वि. बी. नरसिंह	चेन्नोस	३८६०

**बम्बई का व्यापार**

हिन्दुस्तान की पैदाशों में, बम्बई के उद्योग का, उसके महत्व के हिसाब से चौथमा नम्बर आता है। बाजार विदेशों में भी बम्बई भेजा जाता है उसकी साधारण तौर पर कीमत लगभग आठ तो साक्षात् ११५० तक बढ़ती है। उसमें से साक्षात् ६४४ लाख से भी अधिक कीमत का बम्बई तो कलकत्ते से ही विदेश में भेजा जाता है। मुख्यतः यह व्यापार लड़ाई के पहले जर्मनों के हाथ में था और अब भी वहाँ के हाथों में है। इसलिए यदि बम्बई के कारखाने राष्ट्रीय दृष्टि से बचावे जायेंगे तो बम्बई के लिए जिन इमारतों आवश्यकता का पता किया जा रहा है उनकी केवल रक्षा ही न होगी बल्कि भारत में ही बम्बई रहने से देश की कारीगरी का उपयोग होगा और इस प्रकार अधिक धन बच रहेगा।

(क. १०)

श्री० क० गांधी

**गुजरात विद्यापीठ**

उस दिन गुजरात विद्यापीठ का आरम्भहीन उपाधिदान समारंभ बड़ी शान्ति से हुआ। गांधीजी ने जो लडके गत वर्ष में उत्तीर्ण हुए वे उन्हें उपाधियाँ प्रदान कीं। उनमें दो जो विद्यार्थिनी भी थीं। वे ही विद्यापीठ की प्रथम स्त्री स्नातिकाएँ हैं। गत वर्ष कोई ५२ लडकों को उपाधि मिली थी इन नामों में कोई ४९ लडकों को मिली है (उनमें से १६ विद्यार्थियों का 'व्यारा' विषय था)। गुजरात पुरातत्व मन्दिर भी धनानुसूक्त प्रगति कर रहा है। उसने इस वर्ष में दो मंदिरों की पुस्तक प्रकाशा की है। वे पुस्तकें हैं: 'समाधिमार्य' और 'बौद्ध मंथनी परिचय'। दोनों प्रो. धर्मनिन्द कीसाम्बी की लिखी हुई हैं। विद्यापीठ का राज्य पुस्तक समिति ने इस साल ३ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इस वर्ष में विद्यापीठ से सम्बन्ध रखनेवाले ५६ शालाएँ हैं। गत वर्ष ऐसी ७५ शालाएँ थीं। उनमें लडकों की कुल संख्या ५३२० है। गत वर्ष में उनकी संख्या ८२६६ थी।

इन अंकों से पालन कुछ गिरती हुई मालूम होती है लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर किसी भी प्रकार के अंक या सूची प्रकाश नहीं डाल सकते हैं। विद्यापीठ ने गुजरात को तीन आजीवन कार्यकर्ता दिये हैं और उसने दो प्रोफेसर नियार किये हैं जो आज वर्तमान प्रोफेसरों स्थान खुशी से ले सकते हैं। कालिज का द्वैमानिक 'साबरमती' अपनी किस्म का एक ही है और वह एक ऐसे पत्रिका को कायम कर सका है कि जिन पर वाक्य ही नोई बूझा कालिज का मासिक पत्र पहुँचा हो। 'साबरमती' में जितने भी लेख प्रकाशित हुए हैं उनमें से श्री गोपालदास पटेल का 'काण्ट का नीतिशास्त्र' नामक लेख सब से उत्तम होने के कारण कुलपति ने उन्हें तारागोदी पदक प्रदान किया। लेकिन यह ऐसी बात है जो अंकों में नहीं मालूम हो सकती है। इस लेख में 'काण्ट के नीतिशास्त्र' को केवल सुस्पष्ट ब्यक्त ही नहीं किया गया है लेकिन उसमें उस तात्त्विकी के ज्ञान विषयक विचारों का भी सार दिया गया और वही अन्तर्गत गुजराती भाषा में लिखा गया है। यह इसका एक सुकल ही है। बम्बई यूनिवर्सिटी ने तदनुक्रम के बहुत से प्रेज्युएट पदक किये हैं लेकिन उनमें से वाक्य ही किसीने अपनी मातृभाषा में अपना तत्त्वज्ञान विषयक ज्ञान प्रकट करने का साहस किया होगा। और गुजरात को किसी पाश्चात्य तत्त्वज्ञानी का परिचय कराने के लिए तो किसी ने भी कोई पुस्तक नहीं लिखी है। श्री गोपालदास ने इस आवश्यकता को पूरी की है और उनका होना विद्यालय के एक गौरव का विषय है।

**उपाधिदान समारंभ के समय का व्याख्यान**

गांधीजी ने जोड़े में विद्यार्थियों को यह संदेश सुनाया था: "जिन विद्यार्थियों को आज उपाधि और इनाम मिले है उन्हें मैं मुबारकबादी देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये चिरजीवी हों और उनको उपाधि और उनका ज्ञान उन्हें और उनके देश के लिए मानास्पद विषय हों। हमें अपने आसपास फैले हुए निराशा के अंधकार में अपना मार्ग नहीं भूल जाना चाहिए। हमें बाहर के वायुमण्डल में आशा के किरण नहीं ढूँढना चाहिए लेकिन अपने हृदय के अन्दर ही उन्हें ढूँढना चाहिए। विद्यार्थी जिन में श्रद्धा है, जो भय से निर्भय हो गये हैं, जो अपने काम में लगे रहते हैं और जो अपने कर्तव्यों का पालन करना ही एक सपना है, वे आसपास की निराशाजनक स्थिति को देख कर कायर न बन जायेंगे। वे यह समझ लेंगे कि धर्मकार धार्मिक हैं और प्रकाश निकट ही है। अवश्योग अंधकार नहीं हुआ है। सद्गुरु और अवश्योग जब से काल की

उत्पत्ति हुई है तभी से है, सत और असत, शान्ति और अशान्ति, जीवन और मरण ये द्वंद्व होते ही हैं। यदि हमें सत्य के साथ सहयोग करना चाहिए तो असत्य के साथ असहयोग भी करना चाहिए। यदि मातृभूमि के प्रति बकादार रहना प्रशंसनीय है तो उसके प्रति बेवफा होना नफरत के योग्य अवश्य है। यदि हमें स्वतंत्रता के साथ सहयोग करना है तो हमें जुलामी के साथ अनहयोग करना ही होगा। राष्ट्रीय शालायें चाहे एक ही या अनेक, चाहे उनमें अनेक लड़के हों या एक ही हो, भविष्य के इतिहासकारों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधनों में राष्ट्रीय शालाओं को महत्व का स्थान देना ही होगा। हमारा साहस नया है। आलोचकों को उसमें दोष दिखाने के लिए बहुत सी बातें मिलेंगी। कुछ दोष तो हम खुद ही देख सकते हैं। हमें उनका उपाय करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि हमारे प्रबंध में बहुत सी बातों की कमी रहती है। हमारे व्यवस्थापक और प्रोफेसर लोग अपूर्ण हैं। हमलोग इन बातों पर बराबर ध्यान दे रहे हैं और दोषों को दूर करने में कोई बात उठा न रखेंगे।

विद्यार्थीगण ! धैर्य रखो, यह विश्वास करो कि स्वराज्य की सेना के तुम सिपाही हो। ऐसे सिपाही के जो योग्य न हो ऐसा कुछ भी न करो, न कहो और न लिखो। ईश्वर को तुम पर कृपा होगी।”

**चरखा संघ**

नवम्बर ता. १० तक के चरखा संघ के सदस्यों का और सहायकों का ब्योरा प्रान्तों के अनुसार इस प्रकार है:

	'अ' वर्ग		सहायक
	संख्य	संख्य	
१ अजमेर	५	०	०
२ आंध्र	१५८	४	०
३ आसाम	३६	०	०
४ बिहार	६२	८	०
५ बंगाल	१०३	१	४
६ विहार	१	०	०
७ बंबई	६६	२	२
८ मद्रास	३	२	१
९ मध्यप्रान्त (हिन्दी)	१६	२	०
१० ,, (मराठी)	३४	११	२
११ देहली	११	०	०
१२ गुजरात	२२४	५०	१
१३ कर्नाटक	६८	६	५
१४ केरल	२०	१	०
१५ महाराष्ट्र	१०३	१०	२
१६ पंजाब	१३	०	०
१७ सिंध	२९	१०	१
१८ तामिल नाडू	१४५	१२	१
१९ संयुक्त प्रान्त	५४	३	०
२० उत्तर	१०	०	०
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	११४४	१४०	१७

चरखे के प्रति जिन्हें उत्साह है, उनके आग्रह को मान्य रख कर 'अ' वर्ग के लिए माहवार २००० गज सूत के बदले १००० गज सूत खरीदा रखना गया है और 'ब' वर्ग के लिए केवल वार्षिक २००० गज का खर्चा रखा गया है। इसलिए इन अर्थी को

हम प्रगतिसूचक तो कभी भी नहीं कह सकते हैं। पुराने महा-धिकार के अनुसार कितने सभ्यों की तरफ से कितना खर्च कता सूत प्राप्त हुआ था इसके अह निश्चित रूप से माखम होवे तो उनकी तुलना की जा सकती थी। अभी हमारे पास निश्चित अंक मौजूद नहीं है लेकिन यदि सब प्रान्तों की तरफ से ऐसे अंक तैयार किये जायें तो हम किन्ने आगे बढ़ें या कितने पीछे हटे हैं यह माखम हो सकेगा। गुजरात में सूत खरीद कर देनेवाले बहुत थोड़े सभ्य थे इसलिए उसके अंक इसके सूचक हो सकते हैं। २५०० रजिस्टर किये गये सभ्यों में से २६६ सभ्यों ने साठ भर का पूरा खर्चा २००० गज का दे दिया था। ११४ सभ्यों ने १२००० गज सूत भेजा था; १२००० से कम सूत भेजनेवाले १२७३ सभ्यों में से अधिकतर लोगों ने २००० गज से अधिक सूत दिया था। इन सब कातनेवालों का क्या हुआ? चरखा-संघ यदि उनसे आशा न रखेगा तो किस से आशा रखेगा। क्या उनमें से बहुतेरों ने पटना की महासमिति के बाद कातना छोड़ दिया है। यदि ऐसा ही है तो उन्होंने महासमिति के प्रस्ताव का गलन अर्थ किया है। लेकिन ऐसा ही है यह मानने का कोई कारण नहीं है। ऐसे कितने ही लोगों को हम जानते हैं जो कातते हैं लेकिन चरखा-संघ में शामिल नहीं हुए हैं। शामिल न होने का कारण भी तो निश्चितता है। धर्म जैसी कम सख्त होगी वैसे प्रगति भी कम होती जायगी तो यह किसी के लिए भी शोभास्पद नहीं है।

म० ह० देसाइ

**दुष्काल में कमाई**

दुष्काल पीड़ितों का सहाय करने के लिए अब कताई का अच्छी तरह उपयोग किया जा रहा है। उत्कल जहाँ दुष्काल है वहाँ आमकल इसका प्रयोग सकलदापूर्वक किया जा रहा है। उसके परिणामों का रिपोर्ट इस प्रकार है:

बाद से पीड़ितों को और खास कर मजदूर वर्ग को, जिनकी कि यहाँ अच्छी संख्या है और जो बड़े कष्ट में है, उनकी राहत पहुंचाने के लिए ही इस प्रदेश में कमाई का उपयोग किया जा रहा है। यदि उन्हें कभी मजदूरी का काम मिलना भी है तो उन्हें मजदूरी बहुत ही कम मिलनी है, जैसे पपनपलायन में जहाँ दिन भर काम करने पर पुरुष को ४ आने मजदूरी के मिलते हैं और स्त्रियों को तो दो ही आने मिलते हैं। ऐसी स्थिति होने के कारण कताई आवश्यक हो गयी है और उससे बड़ी राहत मिलनी है। कातनेवाले कुटुंबों की आमदनी में उस से ठीक ठीक वृद्धि होती है। नीचे दिये गये अंकों से यह माखम हो सकेगा।

	१	२	३	४	५
गांव चरखे साल में कातते चरखे से कितना है					
आमदनी					
चायकी से					
५ से ५					
बेलापलायन	२५	१२८० पौ.	(४०१)	(१४००)	२६५ प्र. से.
पपनपलायन	६८	३८४९ पौ.	(१२०४-१०)	(५२२०)	२३ "
सेनापलायन	२४	१२१२ पौ.	(३००-१२)	(२६५२)	१६ "

यदि इन अंकों के साथ उस गांव के कपडे के खर्च की तुलना की जाय तो इसके अंक इस प्रकार होंगे:

गांव	चरखे से आमदनी	कपडे का खर्च	परिमाण
बेलापलायन	४०१)	(६४२)	४५ प्रति टोकरी
पपनपलायन	१२०५)	(१४८०)	८१ "
सेनापलायन	३००-१२	(४४२)	६६ "



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

बंद ५ ]

[ अंक १६ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
स्वामी आनंद

अहमदाबाद, पीप बंदी १, सेंचर १९८१  
गुरुवार, २ दिसम्बर, १९२५ ई०

मुद्रकस्थान-नवजीवन मुद्रकालय,  
सारेगपुर सरडीगरा की बाडी

## सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा

### भूमिका

चार या पाँच वर्ष के पहले मैंने लिखने के उद्योगी विद्यार्थियों के आग्रह के बराबर आत्मकथा लिखने का स्वीकार कर लिया था और उसका आरंभ भी किया था। फूले के कागज का एक गुट भी पूरा न लिख सका था कि बंबई में बनाना मुलम उठी और मेरा यह कार्य पूरा न हो सका। उसके बाद मैं एक के बाद दूसरे ऐसे अनिष्ट व्यवहारों में उलझ रहा और आखिर मुझे मेरा यरोडा का स्थान मिल गया। वहाँ मैंने 'आत्मकथा' भी लिखी। उनका मुझे यह आग्रह था कि और सब कामों को छोड़ करके भी मुझे आत्मकथा लिखनी ही लिख कर पूरा करनी चाहिए। मैंने उन्हें यह उत्तर दिया कि मेरा आत्मकथा निश्चित हो चुका है और जबतक वह पूरा नहीं होता, मैं आत्मकथा का आरंभ न कर सकूँगा। यदि मुझे यरोडा में देर पूरा समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ होता तो मैं अवश्य ही आत्मकथा लिख सकता था। लेकिन उसका आरंभ करने में मुझे अभी एक साल बाकी था। उसके पहले तो मैं उसका किसी प्रकार भी आरंभ न कर सकता था, इस लिए वह रह गया। अब स्वामी आनंदानंद ने फिर उसके लिए आग्रह किया है। और मैंने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास सम्पन्न किया है इन लिए मुझे आत्मकथा लिखने का भी मौका हुआ है। स्वामी तो यह चाहते थे कि मैं आत्मकथा पहले सम्पूर्ण लिख कर तैयार करूँ और फिर वह पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जाय। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। यदि लिखूँ तो 'नवजीवन' के लिए ही लिख सकता हूँ। नवजीवन के लिए मुझे कुछ तो लिखना ही पड़ता है। तो फिर आत्मकथा क्यों नहीं? स्वामी ने इस निर्णय का स्वीकार किया और अब आत्मकथा लिखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन एक मुद्दा विद्यार्थियों के मन में लोमटार के दिन मान में था मुझे भीतर लिखित पाठ्य पुस्तकें।

“आप आत्मकथा किस लिए लिखेंगे? यह तो पश्चिम की प्रथा है। पूर्व में किसीने लिखी ही वह पाठ नहीं है। और लिखने क्या? आज जिन जातों की आप सिद्धान्त के तौर पर जानते हैं उन्हें कल सिद्धान्त मानना छोड़ दें तो? यद्यपि अपने सिद्धान्त के अनुसार आप जो कार्य कर रहे हैं, उनमें

पीछे से कुछ परिवर्तन करना पड़े तो? आपके केलो को प्रमाण मान कर बहुत से लोग अपना व्यवहार बनाते हैं। यदि वे गुरु रास्ते पर चले जायें तो? इसलिए सावधान रह कर अभी हाल आप आत्मकथा जैसा कुछ भी न लिखें तो क्या यह ठीक नहीं है?”

इस दलील की मुझपर थोड़ी बहुत असर हुई। लेकिन मुझे आत्मकथा का लिखनी है? मुझे तो आत्मकथा लिखने के लक्ष्य में ही आग्रह है, जो अनेक प्रयोगों के लिए है। उसीकी कथा लिखनी है। यह सच है कि उसीमें मेरा जीवन जोतझोत होने के कारण कथा एक जीवन्तवस्तु जैसी ही बन जायगी। लेकिन यदि उसके पृष्ठों में सर्वत्र मेरे प्रयोग ही दिखाई देंगे तो मैं इस कथा को निर्दोष ही समझूँगा। मैं मानता हूँ कि मेरे सब प्रयोगों का समुदाय जन्तु के समान ही तो यह बड़ा ही लाभप्रद होगा। अथवा मैं कहूँ मुझे ऐसा प्रोह है। राजनैतिक क्षेत्र में किये गये मेरे प्रयोगों को अब हिन्दुस्तान तो जानता ही है, इतना ही नहीं सच कहलजानेवाला जगत भी थोड़े बहुत अंशों में उन्हें जानता है। मेरी दृष्टि में उनकी कीमत सबसे कम है और इसलिए इन प्रयोगों के कारण मुझे जो 'महात्मा' का पद मिला है उसकी कीमत भी बहुत ही कम है। बहुत भरतवा तो इस विवेचन ने मुझे अन्ततः कष्ट पहुँचाया है। मुझे ऐसी एक भी बात याद नहीं है कि इस विवेचन के कारण मैं कभी अभिमान के फूँक गया होऊँ। लेकिन मेरे आध्यात्मिक प्रयोगों का जिन्हें मैं ही जान सकता हूँ और जिनके कारण मेरी राजनैतिक क्षेत्र की शक्ति भी प्रकट हुई है, उनका वर्णन करना मुझे पसंद है। यदि वह सम्पूर्ण ही आध्यात्मिक है तो इसमें अभिमान की तो कहीं स्थान ही नहीं है। इससे तो कंकक जगता ही बचती है। ज्यों ज्यों मैं विचार करता हूँ, मेरे मृतकाल के जीवन पर दृष्टि डालता हूँ त्यों त्यों मैं मेरी उद्युता राह देख सकता हूँ। मुझे जो करना है, उसके लिए मैं ३० वर्ष हुए काकायित हो रहा हूँ वह तो आत्मवैशेष्य है, वह ईश्वर का साक्षात्कार है, मोक्ष है। मेरा चरित्र किताब सब की एक दृष्टि से होता है। मैं लिखता भी इसी दृष्टि से हूँ और राजनैतिक क्षेत्र में मेरा कूट पकड़ना भी इसी दृष्टि के अर्थों का है। लेकिन मेरा यह अभिमान तो पहले ही से पना हुआ है कि

जो बात एक के लिए शक्य है वह और सबके लिए भी शक्य हो सकती है। इसलिए मेरे प्रयोग गुप्त नहीं हुए हैं और न रहे हैं। उसे यदि सब देख सकते हों तो उसकी आध्यात्मिकता कम हो जाती है यह मैं नहीं मानता। कुछ ऐसी बातें अवश्य हैं जो केवल आत्मा ही जानता है और जो केवल आत्मा में ही समा जाती हैं। लेकिन यह तो मेरी जाति के बाहर की बात है। मेरे प्रयोगों में तो आध्यात्मिक अर्थात् नैतिक, धर्म अर्थात् नीति, आत्मा की दृष्टि से जो नीति का पालन किया जायगा वही धर्म होगा। अर्थात् बालक, जवान या युव जिन् बातों का नियंत्रण करते हैं या कर सकते हैं उन्हीं बातों का इंग कथा में समावेश होगा। यदि मैं तटस्थ भाव से निरभिमान रह कर यह लिख सकूंगा तो उसमें से दूबरे ऐसे ही प्रयोग करनेवालों को बहुत कुछ सामग्री प्राप्त हो सकेगी। मेरे प्रयोगों के सम्बन्ध में मैं किसी भी प्रकार की सम्पूर्णता का दावा नहीं कर रहा हूँ। विज्ञानशास्त्रों जिस प्रकार बहुत ही निश्चयपूर्वक विचार कर के और चाँकी के साथ प्रयोग करते हैं और फिर भी वे उनके परिणामों को आखिरी परिणाम मानने के लिए नहीं कहते हैं; और उनके वे परिणाम सच ही हैं इसके लिए यदि वे संशययुक्त नहीं रहते हैं तो तटस्थ अवश्य रहते हैं। मेरे प्रयोगों के सम्बन्ध में मेरा भी यही दावा है। मैंने बड़ा आत्मनिरीक्षण किया है, एक एक भाग की परीक्षा की है, उसका पुनर्करण किया है और उसमें से जो परिणाम निकाले हैं वे सच के लिए आखिरी हैं, वे सही हैं और वे ही परिणाम सही हो सकते हैं ऐसा दावा मैं कभी भी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मेरा यह दावा अवश्य है कि मेरी दृष्टि में वे सही हैं और आज तो वे ही अन्तिम परिणाम से मालूम होते हैं। यदि मुझे ऐसी प्रतीति न हो तो उनके आधार पर मुझे किसी कार्य की रचना न करना चाहिए। और मैं तो पद पद पर जिन् वस्तुओं का देखता हूँ उनके स्वाभाव और भाव ऐसे दो विभाग कर देता हूँ और ज्ञान वस्तु को समझ कर उसके अनुकूल अपने आचारों को बनाता हूँ। और जबतक इस प्रकार निश्चित किये गये मेरे आचार मेरी धृष्टि का और आत्मा का संतोष पहुँचाते हैं मुझे उन परिणामों के सम्बन्ध में अटल विश्वास ही रखना चाहिए।

यदि केवल गिद्दान्तों का अर्थात् तत्त्वों का ही वर्णन करना होता तो मैं यह आत्मकथा न लिखता। लेकिन मुझे उनके आधार पर रचे हुए कार्यों का इतिहास देना है और इसीलिए मैंने इन प्रयत्न को 'सत्य के प्रयोग' यह पहला नाम दिया है। इसमें सत्य से भिन्न माने जानेवाले अहिंसा, प्रत्यक्ष ज्ञानादि नियमों के प्रयोग भी समावेश हो जायेंगे। लेकिन मेरे लिए सत्य ही सर्वोपरि है और उसमें असंशय वस्तुओं का समावेश हो जाता है। यह सत्य काल वर्णन का सत्य नहीं है। यह तो जिस प्रकार वर्णन का सत्य है उसी प्रकार विचार का भी है। यह गणना केवल हमारा कल्पना का ही सत्य नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष विचारणा सत्य है अर्थात् देखना ही है। देखने की सामर्थ्य अपना दे क्योंकि उसकी विभक्तियाँ असंभव हैं, वे मुझे आत्मजनकित वगैरह देती हैं और एक क्षण के लिए सुख भी कर देती हैं। लेकिन मैंना सत्यज्ञानों के लिए का ही उदाहरण है। वही एक सत्य है और सब सत्य है। यह सत्य मुझे अभी तक मिला नहीं है लेकिन मैं उम्मीद शोधक हूँ। उसकी खोज प्राप्त करने के लिए मैं प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग करने को तैयार हूँ, मैंने इन शोधनायक में अपने शरीर की भी आहुति देने के लिए तैयार हूँ। और मुझे विश्वास है मेरे में

यह शक्ति है। लेकिन जबतक मैं इस सत्य का साक्षात्कार नहीं करता हूँ तबतक जिसे मेरा अन्तरात्मा सत्य मानता है उसी काल्पनिक सत्य को आधार मान कर, उसी की दार्शनिक समझ कर, उसीका आश्रय ले कर मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। इस मार्ग पर चलना यद्यपि तलवार की धार पर चलने के समान है फिर भी मुझे यही सबसे अधिक आसान मालूम होता है। इस मार्ग पर चलने से मुझे मेरी बड़ी से बड़ी भूल भी कुछ ज्ञान पड़ती है। क्योंकि भूलें करने पर भी मैं बच गया हूँ और मेरे श्यालं के मुताबिक कुछ आगे भी बढ़ा हूँ। दूर दूर मैं उस विशुद्ध सत्य की झाँकी भी कर रहा हूँ। सत्य ही है, और उसके सिवाय इस जगत में दूसरा कुछ भी नहीं है; मेरा यह विश्वास दिन प्रति दिन दृढ़ हो रहा है। यह कैसे कहा जाये मेरा जगत अर्थात् नवजीवन इत्यादि के पहनेवाले भले ही जान लें और मेरे प्रयोगों में वे भी हिस्सेदार बन कर मेरे साथ उसकी झाँकी करें। जितनी बातें मेरे लिए शक्य हैं उतनी एक बालक के लिए भी हैं। मेरा यह विश्वास अभिकाधिक दृढ़ हो रहा है और इसके लिए मेरे पास सबल कारण भी मौजूद हैं। सत्य की शोध के साधन जिनके कठिन हैं उतने ही आसान भी हैं। अभिमानी को वे अशक्य मालूम होंगे लेकिन एक बालक को वे सर्वथा शक्य भी मालूम हो सकेंगे। सत्य के शोधक को रजकण से भी अधिक नम्र बनना पड़ता है। सारा जगत रजकण को पैरों के नीचे कुचलता है लेकिन जबतक सत्य का शोधक इतना अन्ध नहीं बनता है कि रजकण भी उसको कुचल सके, तबतक उसे स्वयंज सत्य की झाँकी होना दुर्भ्रम है। दमिष्ट और विश्वासिन्त्र के शब्दों में यह बात स्पष्ट समझाई गई है। ईसाई-धर्म और इस्लाम भी इसी बान को सिद्ध करने हैं।

जो अन्धाय मैं आगे लिखनेवाला हूँ उसमें पाठकों को अभिमान का भाव भी हो तो वे यह समझ लें कि मेरी खोज में अवश्य कुछ दौप है और जिन् चीजों की मैं झाँकी कर रहा हूँ वे सृजकण के समान हैं। मेरे ऐसे अनेकों का भले ही क्षय हो, लेकिन सत्य का जय हो। अत्यात्मियों का नाप निकालने के लिए सत्य का गव कभी भी छोड़ा न हो।

मैं चाहता हूँ कि मेरे लेखों को कोई भी प्रमाणभूत न माने। मेरी यह प्रार्थना है। उनमें वर्णित प्रयोगों को दृष्टांत रूप मान कर सब कोष यथाशक्ति यथावधि अपने अपने प्रयोग करें यही मेरी इच्छा है। मेरा विश्वास है कि इस सकुचित क्षेत्र में मेरी आत्मकथा में से बहुत कुछ सामग्री मिल सकेगी। क्योंकि कहने योग्य एक भी बात मैं न छिपाऊँगा। मैं पाठकों को अपने दोषों का भी पूरा पूरा आभास कराने की आशा रखता हूँ। मुझे सत्य के शास्त्रीय प्रयोगों का वर्णन करना है। मैं कैसे अच्छा हूँ यह वर्णन करने की मुझे रज साध भी इच्छा नहीं है। जिस कसौटी पर मैं अपने को कसना चाहता हूँ और जिस कसौटी का हम सब को उपयोग करना चाहिए, उसके अनुसार तो मैं अवश्य यही कहूँगा:

'मैं सम कौन कुटिल सब कामों,

जिन तनु दियो ताहि चिसरावो ऐसी निमकहरामी'।

क्यों कि जिसे मैं सम्पूर्ण विश्वास के साथ अपने श्यामोच्छ्वास का स्वागी मानता हूँ और जिसे मैं अपने निमक का देनेवाला समझता हूँ उससे मैं अब भी दूर हूँ और मुझे यह प्रतिक्षण आकरता है। इसका कारण मैं अपने विकारों को समझता हूँ लेकिन मैं अब भी उन्हे दूर नहीं कर सकना हूँ।

लेकिन अब बस हुआ। प्रस्तावना में से मैं प्रयोगों की कक्षा में नहीं आ सकता हूँ। वह तो कथा-प्रकारों में ही निक सकेंगी।

(नवजीवन)

माहन्यास करमचंद गांधी

### लडाई कैसे सुलगी?

एक अमेरिकन मित्र ने कुछ समय पहले मुझे एक पत्रिका भेजी थी। आखिरी महान युद्ध के कारणों पर उससे बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। इस दावात्मक के प्रकट होने के कारणों पर हमें किसी भी समय विचार क्यों न करें वह पिष्टपेषण न कहा जायगा। इस पत्रिका में बड़ी बारीकी के साथ दलील कर के लडाई के सभी कारणों का समावेश किया गया है इसलिए उसमें से कुछ अवसरकारक 'अवसरणों' को यहाँ देने में मुझे उसके लेखक से माफी माँगने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती है। लेखक का नाम मि. पेज है। वे सचे स्थिति विज्ञान प्रतीत होते हैं। उन्होंने युद्ध के कारणों को पाँच विभागों में विभाजित कर दिये हैं। वे विभाग हैं: आर्थिक साम्राज्यवाद, युद्धवाद, रीति, गुप्तमंत्रणा और भय। पहले विभाग के संबन्ध में वे इस प्रकार लिखते हैं।

“विश्वमय टाऊन में, इन्स्टिट्यूट ऑफ पोलिटिक्स के समक्ष व्याख्यान देते हुए इटली के एक बड़े अर्थशास्त्री प्रोफेसर विसेट ने कहा था कि १८७८ की बर्लिन की कांग्रेस ने यूरोप के इतिहास का एक अध्याय समाप्त किया है। उसी दिन से केवल भोरप के ही प्रश्नों की दृष्टि से योरप के जुड़े जुड़े राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का विचार होना बन्द हो गया है और योरप बाहर के संस्कारों और बाजारों का कब्जा प्राप्त करने की दृष्टि से ही उसका विचार होने लगा है। द्राइन या डेन्यूब नदी पर योरप के प्रधान मंत्रियों की मंत्रणा का होना बन्द हो गया और टयूनिश, नाइजीरिया और सेन्ट्रिया ही उसकी मंत्रणा के प्रधान विषय बन बैठे हैं। उसके बाद ३५ वर्ष तक सभी बड़े बड़े योरपीयन राष्ट्रों में संस्थानों, अधिकारप्रद क्षेत्र, कक्षा माल, बाजार और व्यापार-मार्ग इत्यादि वस्तुओं के लिए कट्टे स्पर्द्धा होनी लगी। करीब करीब सारा ही आफ्रिका खण्ड और एशिया के बड़े बड़े देश इन राष्ट्रों ने आपस में बाँट लिए थे। ई. स. १८०५ में आफ्रिका का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा योरपियों के कब्जे में था। लेकिन अठारह इतना सीमित किया गया कि १९१२ में तो आफ्रिका निवासियों के हाथ में केवल दो छोटे से टुकड़े ही बाकी रह गये। इस छूट में किये अधिक काम हुआ है यह निम्न लिखित अंकों से मालूम हो सकेगा।

	वर्ग मील
ब्रिटिश आफ्रिका	३,००,१४११
फ्रेंच आफ्रिका	४,०८,६९५०
जर्मन आफ्रिका	९,९०,९५०
नेदरलैंड आफ्रिका	९,००,०००
पुर्तुगीज आफ्रिका	७८,०००
इटालियन आफ्रिका	६०,०००
स्पेनी आफ्रिका	७९,८००
स्वतंत्र राज्य	३,९३,०००

१,१४,५८९१

इस प्रकार आफ्रिका पर कब्जा कर लेने के बाद उनकी स्पर्द्धा दूसरे देशों के लिए होने लगी। वे एशिया के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा करने लगे। बीसवीं शताब्दी के पहले दश वर्षों में योरपीय राष्ट्रों का एशिया पर राजकीय प्रभाव किन्ना था यह इस सूची से मालूम हो सकेगा।

	वर्ग मील
रशिया	६,६९,९५०
चीन	४,२९,९६०
ब्रिटन	१,०९,८२९
तुर्की	६,८९,८०
इटली	५,८६,९८९
जर्मन	२,४७,५८०
जापान	१,६९,९१०
अमेरिका	१,९१,२३०
जर्मनी	१००
दूसरे स्वतंत्र प्रदेश	२,२३,२२९,००

१,६८,९८,९७३

७५ साल हुए योरप की बड़ी बड़ी राष्ट्र चीन में अपने व्यापारिक हित के लिए और अधिकारप्रद क्षेत्रों पर कब्जा प्राप्त करने के लिए स्पर्द्धा कर रहे हैं। उसके परिणामों का कथा प्रो विलोबी ने 'चीन में परदेशी राष्ट्रों का हक और उनका हितसंबंध' नामक ५९० पृष्ठ की पुस्तक में लिखी है। परदेशी राष्ट्रों ने महा युद्ध के कारण, युद्ध का डर दिखा कर या दंग से जिन हकों को प्राप्त किया है उनका हिसाब करे तो उनमें, दूसरों की दृष्टि में उनकी सत्ता, संधि की बंध बाँट लिए गये बंदग्याह, अधिकारप्रद क्षेत्र, ज्ञानें लौटने की स्वतंत्रता, रेलवे पर अंकुश, समुद्रों पर जकात और नमक पर कर डालने का अधिकार, युद्ध के प्रवेश, चीन देश में परदेशी अधिकार में रहने वाली बड़ी बड़ी लकड़ी छावनीय डालने का अधिकार, इत्यादि सभी बाँचे आ जाती हैं।

चीनकी छूट में से प्रत्येक परदेशी सत्ता के हाथ क्या क्या लगा है यह नीचे दिया गया है।

ग्रेट ब्रिटन : हांगकाङ, मकाओ, गारिकम, पाइलहाइ, और गान्घसे नदी के प्रान्त में, अकवाँ में और ट्रिबेट में अधिकार।

रशिया : संयुरिया का आदुर नदी का प्रदेश, नीगी तुर्कस्तान में पश्चिम इली, गॉर्टे लागर, हाइरेन और संयुरिया और मोमोथिया में अधिकार।

जर्मनी : क्यालकाङ, मिङ्गाओ, शान्तान में अधिकार। फ्रान्स : आशाम, टाङ्गांग, क्वाननोवान गयाङ्गुङ, क्वाङ्गी और गुवान में अधिकार।

जापान : कोरिया, फार्लोसा, लोऊचाङ्ग प्रीगामुङ, पेंकाडेसी, मोरेशाथेर और रशिया से लिया हुआ हाइरेन तथा कुनिन, शान्तान और चीन के दूसरे भागों में अधिकार।

आर्थिक स्पर्द्धा के मद्दय के सम्बन्ध में कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे. हेई कहते हैं: भिन्नदेश में, चीन में, सिवाम में, गुवान में मोरोकी में, देगान में, तुर्की के साम्राज्य में और बाङ्कन में, जो धर्म के क्षेत्र हैं उनसे जिन्हें कुछ भी परिणय है उन्हें बीसवीं शताब्दी के सभी युद्धों को और त्याग कर गत महायुद्ध के कारणों की बड़ी महत्व की कुंजी प्राप्त हो जायगी।”

दूसरे अंकों में स्थल की सुविधा के अनुसार हमारे गार कारणों के संबंध में भी अवतरण दिये जायेंगे।

(क. ई.) माहन्यास करमचंद गांधी

# हिन्दी-नवजीवन

धुलार, चौप बदी ३, संवत् १९८२

## मेरा आखिरी उपवास

मेरा आखिरी सात दिनों का उपवास कल मुब्त मुल्गो । मैं कितना भी प्रयत्न क्यों न कर मेरा छिपाया यह लोगों में छिप नहीं सकता है । उसके संबंध में लोगों ने मुझे कितना ही प्रश्न पूछे हैं और कुछ लोगों ने तो उसके प्रति अपना अविश्वसनीय विरोध भी जाहिर किया है ।

जनता मेरे स्वास्थ्य के संबंध में सम्पूर्ण क्षान्ति और विश्वास रखे । आज, उपवास के सातवें दिन मैं यह लिख रहा हूँ यह कुछ मेरे लिए कम नहीं है । लेकिन जब तक यह पाठकों के हाथ में पहुँचेगा तब तक तो मैं यह आशा करता हूँ कि मैं उबला होऊँगा और कार्य में लग जाऊँगा ।

चौथे दिन कुछ समय मानस हुआ था क्योंकि काम करते मैं उस दिन बहुत ही थक गया था । मैंने अभिमान कम के यह मोह रखा था कि इन थोड़े दिनों के उपवास में तो मैं सारा दिन बराबर काम कर सकूँगा । मुझे अपने प्राण न्यस्त करने के लिए यह भी कह देना चाहिए कि साठे तीन दिनों तक जो काम मैंने किया उसमें से बहुत सा काम तो केवल अनिवार्य था क्योंकि उसका संबंध मेरे उपवास के कारण के साथ था । लेकिन क्यों ही मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि मैं अत्यधिक थक के रहा हूँ मैंने सब कामों का छोड़ दिया और आज आखिरी दिन होने पर भी मैं चौथे दिन के बनिस्वत अधिक स्वस्थ हूँ । लेकिन जनता को मेरे उपवासों के संबंध में कोई विन्ना न करनी होगी, उन्हें उन पर कुछ भी ध्यान न देना होगा । मैं तो मेरे अज्ञोभूत हो बैठे हूँ । और, यदि मैं उपवासों के बिना सदा सक्रिय तो अपनी आँखों के बिना भी चला सकूँगा । काय जगत के लिए, आँख जैसा काम देती है उपवास भी जगत् जगत के लिए ऐसा ही काम देते हैं । और मैं कितना भी क्यों न चतु कि मेरा यह आखिरी उपवास मेरे जीवन में आखिरी ही रहे, लेकिन मेरी अन्तरात्मा कहती है कि मुझे अभी ऐसी बहुतारी सम्भवताओं में से गुजरना होगा । और यह भिसे मालूम है कि वे इसमें अधिक कष्टपद न होंगे ? मैं यह जानता हूँ कि मैं सर्वाथ गलत ही सकता हूँ । तब संसार मेरी मृत्यु के बाद मेरे नाम पर यह लिख सकेगा " हे मूर्ख, तुझे अपनी करनी का योग्य फल पाया है । " लेकिन अभी हान तो यदि सचमुच ही वह गलती है तो भी यह भोगे गलती ही मेरा जीवन है । मेरी अन्तरात्मा पूर्ण हृद्द न होने के कारण यदि वह गुमराह भी है तो भी हमारे संसों की सलाह पर—जो चाहें कैसे ही मित्र भाव से क्यों न दी गई हो, लेकिन जो गलत भी हो सकती है, उसपर चलने के बनिस्वत हवा उठी — अपनी अन्तरात्मा को मनोप पहुंचाना ही अधिक अच्छा नहीं है । यदि मेरे कोई मर्द होने, जोर में, मुझ ही सोच का होता हूँ, तो मेरा शरीर धार लापता सब मुझे उसीके चरणों से धर देना चाहिए था । लेकिन इस अथछा के जमाने में सर्व शुक का मिलना कठिन है । उनके बदले किसी को भी शुक मान लेना तो बुरा है, उससे अवश्य नुस्मान ही होता है । इसलिए मुझे लोगों को यह चेतावनी दे देनी चाहिए कि कोई अपना मनुष्यों

को अपना शुक न बनायें । उस शकस को, जो यह नहीं जानता है कि वह कुछ भी नहीं जानता है, अपने को सौंप देने के बनिस्वत अपने में अटकते रहना और करोड़ों गलतियाँ धर के भी सत्य के प्रति प्रयत्न करना कहीं अच्छा है । क्या गले में पत्थर बाँध कर किसीने तेरना सीखा है ?

और मेरे गलत तौर पर किये गये उपवास से नुस्मान भी किसका होगा ? अवश्य मेरा अकेले का ही । लेकिन यह कहा जाता है कि मे तो जनता का ही धन हूँ । लेकिन ऐसा भी हो तो भी मुझे मेरे तमाम दोषों के साथ ही गृहण करना चाहिए । मे स्वयं का शकस हूँ । मैं अपने प्रयोगों को हिमालय की शीत के लिए पूरा तमाम के साथ ही मर्द यात्रा से जो कहीं अधिक मरुतय देना हूँ । और परिणामों का ? यदि मेरी शोध वैज्ञानिक शोध है तो उन दोनों में कोई तुलना ही नहीं हो सकती है । इसलिए मुझे मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने दो । जिस दिन मैं अपने मूर्ख और नाद का दबा दगा उभी दिन मेरा जीवन धार हो जायगा ।

इस उपवास का जनता के साथ कोई संबंध नहीं है । मैं मे शकस नराम एक जरी अपना बना रहा हूँ । जिन मित्रों को साथ पर निराम से उद्देश्य मुझे देखल उनके सजावों के लिए ही तो साथ में अधिक रहते हैं । मैं उनके मानना सर्व के लिए साथ के प्रयत्न से कुछ कम नहीं देते हैं । मैं इस जगत् से पल रहते हैं कि मे नारियाँ का बनावाला हूँ । प्रथम में मुझ पर एक भी प्रथम रहते हैं । पहाँ लकके लकड़ियों भी हूँ । उनका जहाँ तक सम्भव हो अविनाशित रहने की शिप्रा ही जाती है । प्रथम में स्त्रीयों और लकड़ियों को जितना सम्भवता है तनी स्वयंशता उन्हें जहाँ तक मेरा लणक है और नहीं भी नहीं होती है । यह मेरी एक मात्र और उत्तम शक्ति है । उसके परिणामों से दुनिया मेरी भी कीमत करेगी ।

यदि मैं न चाहूँ तो बरतें कोई भी ली या मुझ, लकड़ा या लकड़ी नहीं रह सकता है । मेरा विश्वास है कि यहाँ भारतवर्ष के कुछ सय से उसम चारित्र्यमान योग रहते हैं । यदि मुझे उन मित्रों के, जो इस शकस का पोषण कर रहे हैं, शिप्रा के शाय्य बनना है तो मुझे अधिक आह्वान देना चाहिए । क्योंकि वे आश्रम का न तो शिप्रा देना है तब न उसमें उनमें पर ही नजर रखते हैं । मेरे शक्ति में शीघ्र हो, और कुछ लकड़ियों में भी देखे । मैं यह जानता हूँ कि प्रथम के दोषों का मैं जित्त करता हूँ वैसे लोगों में शकस ही कोई शकस या शकस बरी दोगी । मैं चाहता हूँ कि शकस का शकस भी बरी हो, आ शकस के मनुष्यत्व का नजर कर रहे ह और मुझों के शक्ति का शकस कर रहे हैं । सर्व लकड़ियों का जगत् नराम को जाय्य है । वे शकसों में अनुभव प्रथम पर ही सने यह शक्ति है कि सजा करने से शक्ति नहीं पाते हैं । तबमें कुछ होता है ता यह होता है कि सर्व अपने शक्ति में शकस आ शक्ति बनते हैं । मुझे भोगों पर मेने शक्ति अशक्ति में शकस ही किये थे और मेने शकस में उसका परिणाम ना अचर होना था । शकस भी मेने शक्ति शकस का अनुसरण किया है तब मुझे यह शकस जगत्त कि कुछ मुझमें तौर पर ही शकस शक्ति शक्ति है । शकस का प्रथम ही शकस आशर है । मैं यह जानता हूँ कि मुझे शकस के तौर लकड़ियों के प्रति शक्ति है । मैं यह भी जानता हूँ कि शकस में अपने प्राण दे कर भी शकस शकस बना सकता हूँ तो शकस प्राण शकस करने में मुझे शकस जानने शक्ति है । शकस में शकस शकस को उनका शकस शकस



के लिए इससे कम और कुछ भी न कर सकता था। यहां तक तो परिणाम भी आशाजनक है।

यदि मैं इसका सु-फल न देख सकू तो भी क्या? मैं तो मुझे यह जैसी प्रतीत होती है वैसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही काम कर सकता हूँ। फल का देना तो उसीके हाथ की बात है। छोटी बड़ी चीजों के लिए फल उठाना ही सत्याग्रह की कुञ्जी है।

लेकिन शिक्षकों को क्यों न प्रभावित करना चाहिए? जब तक मैं प्रधान हूँ वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि उन्होंने भी मेरे साथ उपवास विधे होने लगे तो सारा ही काम ठक जाता। बड़ी संस्थाओं के संबंध में जो बात है वही छोटी संस्थाओं के संबंध में भी है। जिस प्रकार एक राजा अपनी प्रजा के गुणों के लिए अभिमान लेता है और उसका कारण अपने को ही मानता है उसी प्रकार उसे प्रजा के पापों में भी हिस्सा बटाना पड़ता है। और यही सबब है कि मुझको — छोटे से आश्रम के पत्र लिखे गये छोटे से राजा को भी आश्रम के सदस्यों के पापों का प्रभावित करना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार कि मैं उनमें उत्तम आचार्यमान अनुभवों के होने का दावा करता हूँ। यदि मुझे भारत में भंडे से लोगों के ही दुखों को अज्ञान दुःख समझना है, यदि मुझमें योद्धा या शक्ति है तो मुझे उन सबों के दुखों को ही अपना दुःख समझना चाहिए, जिन्हीं कि विपत्तियों का भार मुझ पर है जो मैं समझूँक उस काम करने से ही मैं ईश्वर का — सत्य का साक्षात्कार कर सकता हूँ।

यं० ई० के लिए लिखा  
ता. ३० नवम्बर १९२५

मोहनदास करमचन्द गांधी

### तामिलनाडु का खादी कार्य

तामिलनाडु के खादी-कार्य पर प्रकाश डालनेवाली खादी के कार्य की रिपोर्ट में से नीचे के अन्वयण लिये गये हैं

मण्डल की तरफ से खादी पैदा करने की और उसकी बिक्री की इच्छाल के लिए मध्य समय काम करनेवाले २० कार्य-कर्तवियों को ध्यान देकर रखे गये हैं। उनके तैयारी में माइवार १०६१) खर्च होते हैं। बड़ी महत्व की अवस्था पर काम करने के लिए काम करनेवालों में जमानत के तौर पर एक रुपय देने का प्रयत्न किया गया था और यह प्रयत्न सफल भी हुआ है। अब तक पाँच शर्तों में ऐसी जमानत की है और वे जूदे जूदे कर्तव्य में खादी की पैदाइश और बिक्री को मदद करते हुए काम कर रहे हैं।

यहां तक संभव हो सकता है लागत की रकम का उपयोग बड़ी कुशलता से करने के और खादी के कार्य का व्यापार के एक आधार पर कायम करने के लिए मध्य प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं। हमारे पैदाइशी और बिक्री के खर्च के हिसाबों की कुशल हिसाब के निरीक्षणों के द्वारा छः महीने में एक बार जांच कराई जाती है। और हमारे अंशर की शक्तों और पैदाइशी केन्द्रों से माइवार हिसाब लिया जाता है। उन्हें यह दिखाना पड़ता है कि बिक्री कितनी हुई और खादी कितनी पैदा हुई। उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति का अंशर भी माइवार देना पड़ता है। इसके अलावा बिक्री के अंशरों की तरफ से रोजाना एक बिट्टी भेजी जाती है जिसमें वे आसानी और सर्व श्रेष्ठों का हिसाब लिख भेजते हैं।

#### खादी की पैदाइश

इस प्रान्त में स्वयं मण्डल ही की तरफ से खादी की पैदाइश की जाती है या उन साइली अनुभवों के द्वारा जिन्हें मण्डल ने

अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ अच्छी मदद पहुंचाई है। इस प्रान्त में १२ जिले हैं। उनमें दो जिलों को छोड़ कर सब में कुछ न कुछ खादी अवश्य तैयार होती है। खादी की पैदाइश की अनुकूलता देख कर जूदे जूदे केन्द्रों में रुपये लगाये गये हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस वर्ष में कोयंबेटर जिले में इस मण्डल के कार्य से खादी की पैदाइश बहुत कुछ बढ़ गई है। तीरुपुर में एक व्यापारी के प्रयत्नों से और सलेम जिले में पुदुपालायम आश्रम के कारण खादी की पैदाइश बढ़ी है। जैसा कि इन अंकों से मालूम होगा, गत वर्ष से इस साल बहुत अच्छी तरकीबी की गई है। इन साल इस प्रान्त में कुल र. ५,००,५८८-४-१० की खादी तैयार हुई थी। उसका पृथक्करण करने पर परिणाम इस प्रकार दिखाई देगा:

कुल पैदाइश	१५५१-०५	१५२३-२४
मण्डल की तरफ से	३,१५,८२६)	३,१०,१८८)
स्वामी व्यापारियों के तरफ से	३,१५,५६२)	१,८२,२९६)

यह अंक कुछ पूरे नहीं हैं। उनमें के कुछ हाथ कटाई और पुनाई कर्मी की खादी की पैदाइश के अंक शामिल नहीं हैं। यह कर्मी भी ठीक ठीक काम करती हैं। कुछ खादी तैयार करनेवालों ने तो अपने अंक छोड़े नहीं भेजे हैं। उस साल अपनी खादी की पैदाइश बनाने के लिए तीरुपुर के बख्तालव न बड़ी कोशिश की है। उसने भी अपने ही गहने तैयार की बड़े खादी से और बख्तालव के लिए ही काम करनेवाली खादी तैयार करनेवालों व्यापारियों को कम्प्लैट कर तैयार कराई गई खादी से अच्छी तादाद में खादी इकट्ठा की है। इन कम्प्लैट से काम करनेवाले शर्तों के साथ रुढ़ के यात्रार भाव के अनुसार भाव उद्वाराया जाता है और उनकी तरफ से जो माल तैयार हो कर जाता है उसमें से जो अंगूठ रुढ़ से गिरा हुआ न हो उसीका एरीकार किया जाता है। बख्तालव ने कानूर और पुदुपालायम के पैदाइशी केन्द्रों को भी बड़ी सहायता पहुंचाई है और दक्षिण आरकोट जिले के सून तैयार करनेवाले केन्द्रों को भी बड़ी सहाय पहुंचाई है। बख्तालव ने गत वर्ष कोई १,९१,२३२) की खादी पैदा की थी। लेकिन इस साल तो हमने करीब करीब उससे दूनी खादी तैयार की है। कोई र. ३,४६,९६८-७-१० की खादी तैयार हुई होगी। तीरुपुर के जलावा दुनरे केन्द्रों की पैदाइश भी बहुत कुछ बढ़ गई है। यह सन्तोष का विषय है कि स्वयं की इच्छाल के प्रति आसानी व्यापारियों की युक्ति और धन का अर्पण हो रहा है। अकेले तीरुपुर में ही स्वामी व्यापारियों ने १०००००) में भी अधिक रुपये इस काम में लगा दिये हैं। तीरुपुर के स्वामी व्यापारियों ने इस साल जोड़ाई के बाद ही इन काम की शुरु किया था इस लिए इसी जो समय उन्होंने अपने लगाई है उसका परिणाम अभी मालूम नहीं हो सका है। और यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस लागत का एक बड़ा हिस्सा भी आज काम में आ रहा है करनेवालों की जमानत के तौर पर ही मिला है और वह भी ५००००) से कुछ कम नहीं है।

#### बीबी

इस मण्डल ने धीरे धीरे सभी जिलों में बिट्टी के लिए व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है। इस समय बख्तालव की कोरे दस प्रायतों बिक्री का काम कर रही हैं। उनमें कोयंबेटर जिले का कानूर का बख्तालव भी शामिल है। यह बख्तालव सचमुच बिट्टी के लिए कोई बख्तालव नहीं कहा जा सकता है। फिर भी उसके द्वारा स्थानिक और व्यापार की बहुत कुछ खादी की बिक्री होती है। इतने स्थानों में बख्तालव है: भद्रास, पुदुलोर, मायलूर,



के केन्द्र बूँद निकालने प्रयत्न करेगा। इस प्रकार खादी की ताबाद और किस्में दोनों बढ जायंगी। जहाँ तक सुमकिन हांगा वह खादी की सस्ती करने का भी प्रयत्न करेगा। आर्य केन्द्रों में जो कार्य हो रहा है उसे सब प्रकार का उत्तेजन दिया जावेगा। मण्डल ऐसे केन्द्रों की भी उत्तेजन देगा जहाँ बाजार में काफी परिमाण में सूत विकला होगा। खादी गाँवों में अभी अितनी जा रही है उससे अधिक परिमाण में यह वहाँ जा सके इसके लिए भी मण्डल प्रयत्न करेगा।

इसके

संज्ञा

४-११-२०

तामिलनाडु खादी मण्डल

रिपोर्ट की बातें स्पष्ट हैं। खादी के चाहनेवालों का हमपर ध्यान खींचने के लिए अधिक तिकासिक की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट से तो खादी के प्रति जिन्हें सहानुभूति नहीं है ऐसे आलोचकों को भी अपनी राय बदलने के लिए काफी कारण मिलेंगे। तामिलनाडु में व्यापारिक रीति से नियमपूर्वक जो काम हो रहा है उससे बड़ी के आरम्भ-स्थानी कार्यकर्ताओं की शक्ति और दृढ़ता का बहुत कुछ परिचय मिलता है। वे खादी न.प.क. करने का और फेरो करने का नम कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़ कर गाँवों में ही रहना पसन्द किया है। जबतक शिक्षित पुरुष और स्त्रियों तन मन लगा कर खादी का कार्य न करेंगे तबतक खादी कुछ अधिक प्रगति कर सकेगी यह ह्याज भी नहीं दिमा जा सकता है। पाठकों को इस बात का यकीन रखना चाहिए कि अगर जो नियम खींचा गया है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

इस माल उस प्रान्त में बिक्री और पैदाइश के ३३ केन्द्र और अधिक सुलभ तक और उन्हें खोलना आवश्यक माकम हुआ यह इस बात का प्रमाण है कि बड़े बड़े विश्व होने पर भी खादी को स्थिरता प्राप्त हो रही है। गाँवों में फेरो करने का जो अच्छा परिणाम बताया गया है वह परिणाम तो आजा ही चाहिए था और रिपोर्ट में लिखने के अनुसार यदि अधिक व्यवस्था रखी जायगी और और भी समुद्र कर काम किया जायगा तो हमसे भी अधिक अच्छे परिणाम की आशा रखी जा सकेगी।

अपनी बूँद में खादी के कार्य में हमने के लिए जुड़े जुड़े ताखकों से (१०००) इकट्ठा करने के लिए जो प्रार्थना की है उस पर पाठकों को ध्यान देना चाहिए। हम यही चाहेंगे कि तीन लाखके ने इस प्रार्थना का जो उत्तर दिया है उसमें आम तौर पर और भी लाखों को उत्साह मिले।

जो प्रान्त तामिलनाडु के साथ स्पर्द्धा कर रहे हैं उन्हें अपने रिपोर्टें बहुत ही शीघ्र तैयार कर भेजने चाहिए।

**नकली खादी**

एक महाशय नागपुर से किसी कपड़े के टाके पर से एक तस्वीर निकाल कर भेजते हैं और लिखते हैं कि भाले लोगों को खाद कपडा दुख खादी के नाम से दिया जाता है और लोग उसे अच्छी खादी समझ कर खरीद लेते हैं। और उस पर धेरे से निकली जुलती एक भोटी तस्वीर और नरसे को देख कर उनका यह किंपास और भी दृढ़ हो जाता है। इस प्रकार के कामों को न पवित्र कह सकते हैं और न स्वदेशाभिमानयुक्त। और उससे मिलों के खिलाफ शुरे भाव उत्पन्न होने हैं। क्या मिलमालिकों का मण्डल ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में जिसका कि मुझे बार बार जिक्र करना पडा है कोई ह्मन्य न करेगा।

मो० क० गांधी

**ईश्वर एक ही है**

[ गन वर्ग के उपनाम के दिनों में गांधीजी ने बनारस विश्वविद्यालय के आचार्य श्री आनन्दगोपाल भूत से, एकेश्वरवाद के संबंध में चेदो में से कुछ सन्त लिख भेजने के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने एक लम्बी चिट्ठी लिख कर बहुत न मन लिख भेजे थे। उनका अनुवाद यहाँ दिया जाता है। महादेव देवर्मा ]

पुराणिक ग्रंथों में और महात्म्यादिक प्राचीनतर ग्रंथों में ईश्वर एक ही है इस मतलब का परिपादन करनेवाले अनेक श्लोक हैं। और उपनिषद् तो एक ही मत का प्रतिपादन करते हैं। उसमें जो प्राचीनतर माहाण ग्रंथों में 'प्रजापति' नाम से एक ही ईश्वर का प्रतिपादन किया गया है। अपने जो वेदमंत्र मांगे हैं उन्हें लिखने के पहले भी उनके सबक में थोड़ा न्य उपोद्घात लिखना चाहता हूँ।

उपनिषद् का एक वाक्य है:

... यः पृथिवीं तिस्रं पृथिव्या अन्तरो य पृथिवी न वेद मया पृथिवी खरीर य पृथिवीभस्मरो यमयत्थेप त आत्मानोऽन्तरो यमात्मा न वेद, यश्चात्मा खरीर य आत्मानमन्तरो यमयत्थेप त आत्मानोऽन्तरो यमात्मा ॥

जो पृथिवी में रहता है फिर भी पृथ्वी से भिन्न है, जिन् पृथ्वी नहीं जानती है, पृथ्वी जिसका शरीर है, जो पृथ्वी में और पृथ्वी के बाहर रह कर उसका निषमन करता है — वही मेरा अन्तर्यामी अगत आत्मा है। (इसी प्रकार जल नेत्र इत्यादि तत्त्वों में भी वह है यह कह कर आंगिर कहते हैं:)

जो आत्मा जीवानामें रहता है फिर भी उसे भिन्न है, जिसे आत्मा नहीं जानता है, आत्मा जिसका शरीर है जो आत्मा से और आत्मा से भिन्न रह कर उनका निषमन करता है — वही मेरा अन्तर्यामी अगत आत्मा है।

इस महा वाक्य में परमात्मा का, विश्वेश्वर, विश्व के अन्तर्यामी और विश्व से पर ऐसे परमात्मा के रूप में वर्णन किया गया है। हममें आखिरी रूप का महात्वा और इस्लाम धर्म में अच्छा वर्णन किया है, लेकिन इस्लाम के मुक्ति वाक्य को छोड़ कर) उन धर्मों में पहले दा स्वर्गों पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। इस तीसरे रूप के अन्वया ईसाई धर्म में दूसरे रूप के अर्थ भाग का भी प्रमाण किया गया है। यह इस प्रकार कि परमात्मा को वे मनुष्य के आत्मा में देखते हैं लेकिन बाग जगत में उसे नहीं देखते। पहला रूप तो जगमें भा नहीं है। यह होने के कारण ही तो वेद में परमात्मा को हम विश्व के अनेक पदार्थों के सृष्टि कर्ता के रूप में ही नहीं लेकिन उनके आत्मा के रूप में भी देखा गया है। विद्वान ईसाई लोग इस बात को मूल जानते हैं और जहाँ परमात्मा के शरीर रूप से उन पदार्थों का वर्णन किया जाता है वहाँ उन्हें अनेकेश्वरवाद की आन्ति होती है। इस अर्थक्य में जो ऐश्वर्य है उसका भी महसूस कर कुछ ज्ञान हुआ था लेकिन उन्होंने भी हमें परमात्मा के सत्य स्वरूप का स्वीकार किया हुआ है यह मानने के बदले उसे Henotheism अर्थात् एकेश्वरवाद नाम दे कर सजोय माना है। ईश्वर को Transcendental (परमात्मा) और Immanent (अन्तरात्मा) मानने के बदले केवल Transcendental (परमात्मा) मानने से Immanent (अन्तरात्मा) स्वरूप के कारण जिन पदार्थों में परमात्मा का दर्शन होता है वे अनेक होने के कारण अनेकता होती है। 'एक सद्दिमा बहुधा बद्धि' यह प्रसिद्ध मन्त्र

संहिताकाल के पिछले विभाग की कोरी कल्पना नहीं है। वेद में देवों के नाम विशेषणत्मक है जहाँ जानने पर यह मन्त्रव्य सही भाव्य होता है। सतिग्य अर्थात् प्रेरक जाना, वरुण अर्थात् सत्र पदार्थों को उरु कर रहना ताला परमात्मा, त्रिष्णु अर्थात् रात्र में व्याप्त हो कर रहनेवाला परमात्मा, पुरा अर्थात् शेषण करनेवाला परमात्मा, तित्र अर्थात् मिश्रभूत परमात्मा इत्यादि। उसी प्रकार, अग्नि इत्यादि देवों की स्तुति की गई है उनमें भी जो भाव प्रकट किये गये हैं उनका सामान्य अर्थ इत्यादि के साथ संबन्ध नहीं लगाया जा सकता है। सामान्य अर्थों का वर्णन करते करते ऋषि उनके अन्तर में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें परमात्मा के दर्शन करने के साथ ही उसीके साथ संबंध रखनेवाला और सामान्य अर्थों इत्यादि के साथ जिसका संबंध नहीं लगाया जा सकता है ऐसा ही वर्णन करते हैं। ईश्वर एक ही है यह लक्षण केवल ज्ञानी लोगों का ही न था। लेकिन यह लक्षण तो लोकप्रिय भी था, इसका भी प्रमाण है। जिस मन्त्रों में स्पष्ट एकेश्वरवाद का वर्णन है वे मन्त्र मात्र थोड़ा सा पाठान्तर कर के मन्त्रों के रूप में लिखे गये हैं। अर्थात् मूल ऋषि का मन्त्र दूसरे देववालों को भी बनाना प्रिय हो पड़ा कि सभी देववालों ने उसे लिया। एकेश्वरवाद के बहुत से मन्त्रों के संबंध में गयी हुआ है। जैसा उपर कहा गया है पूर्वार्ध में जो देव प्रसिद्ध थे उनके नाम भी विशेषण रूप में पाये जाते हैं। इनके अलावा एकेश्वरवाद का सबल प्रमाण यह है कि 'अदिति' पर से 'आदित्य' मन्त्र बना है, आदित्य पर से अदिति शब्द नहीं बना है। इसी से यह बात सिद्ध हो जाती है एक अदिति (Infinita) को पहले प्रदूषण किया है और उसके पुन रूप से अर्थात् आविर्भाव रूप से आदित्यों को अर्थात् देवों को प्रदूषण किया है।

अब आन को ब्रह्मचर्या कर कुछ वेदमन्त्रों को लिख रहा हूँ। मेरे विचार में आर्यों जिससे विषय का दिग्दर्शन हो सके उनसे अवतरण ही काफी होगी।

“हिरण्यगर्भः समवर्ततामं विश्वम् जातः पतिरेक आसीत् ।  
 य दाधार पृथिवी तामुत्तमां कर्म देवाय इविषा विधिम् ॥  
 य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपावते प्रसिप यस्य देवाः  
 यस्य छान्दामृत यस्य मृत्यु कर्म ॥  
 यः प्राणो निमिषतो महिषैक इराजा जगतां बभूव ।  
 य ईश अरय द्विपदशतुषट् कर्म ॥  
 थस्येभ द्विमत्रतो महिषा यरय मयुः रगया सहाहृ ।  
 यस्येसा प्रविशो यस्य बाहू कर्म ॥  
 येन औसगा पृथिवी व हठा येन स्यः स्तभि । येन नाकः ।  
 यो अन्नविज्ञे रजगो निमानः कर्म ॥  
 य कृन्सी अबसा तस्तयाने अर्धैततां मनसा वेजमाने ।  
 यत्राथि सूर उदिनो विभाति कर्म ॥  
 या देवेपुस्वधितेष्ट एक आसीन कर्म ॥  
 मानो द्विगीजनिषा य पृथिव्या यो वा दिनं सत्यधर्मा अजान ।  
 यधारयन्तां पृथगी अंगान कर्म ॥  
 प्रजापते न त्रैलोक्यन्तो विभाजानानि परिता बभूव ।”

प्रथम द्विरण्य गर्भ थे — वे प्रजा समस्त के एक ही स्वामी बने हुए थे । उन्होंने पृथिवी का धारण किया और यह आकाश धारण किया । हिम देव की रूप हवि दे कर उपासना करे !

जो आत्मदायी ( अन्ना वा देनेवाला ) है, बलदायी है । जिसकी आज्ञा का सब देव मान्य करते हैं, अमृत जिगकी साथ है, मृत्यु जिसकी छाया है । किस देव की०

अपने महिमा में, धास लेते और आंख मटमटाते जो ( प्राणीमात्र ) जगत का राजा बना हुआ है । दो परवाले और चार पैरवालों का जो ईश्वर है । किस देवकी०

जिसकी महिमा के कारण यह हिमालय स्थिर बना हुआ है । पृथिवी सहित-समुद्र जिसका कड़ा जाता है । ये विषाये जिसके हाथ हैं । किस देवकी०

जिसके कारण धौ ( प्रकाशमान आकाशमण्डल ) ऊपर स्थिर हो रहा है और पृथिवी उठ बनी हुई है;—जिसके कारण स्थी टिका हुआ है और अतरिक्ष टिका हुआ है, जो अन्तरिक्ष में जल का बनानेवाला है । किस देवकी०

जिसके रक्षण से स्थिर रहनेवाले पृथिवी और आकाश, दिन में कांपते हुए, जिसे देखते हैं । उदित सूर्य जिसमें रह कर प्रकाश देता है । किस देवकी०

जिस सद्य महाज जल विश्व में आये — गर्भ धारण करते हुए और अग्नि को उत्पन्न करते हुए — उस समय देवों का एक प्राण मधु था । किस देव की०

जो देवों में एक अभ्यक्ष देव था । किस देवकी०

हे देव हम को न मारना — जो सत्य धर्म का देव, पृथिवी का उत्पन्न करनेवाला है; जिगने धौ ( प्रकाशमान आकाश मण्डल ) उत्पन्न किया है, जिसने महान मनोहर जल उत्पन्न किया है । किस देवकी०

हे प्रजापति ' तेरे बिना और कोई इन सत्य उत्पन्न किये हुए पदार्थों को व्याप्त करके नहीं रहा है..... अपूर्ण

**गोरक्षा का निबंध**

गोरक्षा पर गये गये हेनासी निबंध में से कुछ निबंध लो जा भी गये हैं । उनमें से बहुत से तो बड़ी ला परवाही से लिखे गये हैं । कुछ तो कागज के दोनों तरफ लिखे गये हैं । कुछ तो इस तरह लिखे गये हैं कि पढ़े ही नहीं जा सकते । मधिस्य में जो इस सजाई में भाग लेना चाहें उनसे प्रार्थना की जाती है वे अपना निबंध:

- (१) कागज को एक बाज पर ही लिखे ।
- (२) शाही से सुवाच्य आर बड़े हरफों में लिखे ।
- (३) अच्छी ताद बंध हुए और मजबूत कागज पर लिखें और अपना पूरा नाम और पता भी उसमें लिखें ।

इसमें भाग लेनेवालों को चेतावनी दी जाती है कि नापास किये गये निबंध वापिस न लीटये जायेंगे । इसलिए उन्हें अपना निबंध भेजने के पहले उमड़ी नकल करके उसे अपने पास रख लेनी चाहिए ।

**मजदूरों की विजय**

जिस परिस्थिति के कारण मजदूर हो कर इनने दिनों बाद भी भारत सरकार को रई पर की अफास को बन्द कर देनी पडी है उससे अब इस कार्य के करने में उसका किसी प्रकार का भी गौरव नहीं रहा है । इस बुराई को दूर करने का सामा श्रेय कर्मचारी के मिल-मजदूरों की ही है । हम उसको इस विजय के लिए, जो उन्होंने की है मुबारकबादी देते हैं ।

उनकी यह विजय बड़ी अपूर्व है और अव्यवस्थित मजदूरों में उसे हासिल किया है इससे उनकी महता और भी बढ़ जाती है । मिह-मालिकों को इस विजय के लिए उन्हें अन्वयाद् देना चाहिए और इनके कारण मजदूरों का और उनका परस्पर का संबंध और भी गौरवयुक्त और अच्छा हो जाता चाहिए ।



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मानसदास न गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक १५ ]

संपादक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

प्रकाशकाल, अगस्त सुदी १२, अक्टूबर १९८२  
 गुरुवार, २६ नवम्बर, १९२५ ई०

संपादनस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 चारंगपुर सरकीपरा की बाड़ी

## कच्छ के संस्मरण

(गतागत से आते)

मुद्रा में सब से अधिक तड़ अनुभव हुआ। वहाँ तो दम्भ, आह्वार और नाटक ही देखने की मिला था। मुसलमानों की भी, आने से भी अस्पृश्यता में क्यों न मानते हों, भद्र लोगों में ही बिठये थे। अन्त्यज विभाग में तो केवल मेरे साथियों और मुसलमानों के साथ ही बिठे थे। हिन्दू (अस्पृश्यकों में से) यद्यपि बहुत से उनके कथनानुसार अस्पृश्यता की नहीं मानते थे फिर भी उन्हें भद्र लोगों के बाड़े में ही रखने लगे थे।

मुद्रा में एक अन्त्यज शाला है। लेकिन उसे तो मूल मूल मुसलमान सेंट इमाहीम प्रधान अपने कार्य से चलाते हैं।

इस शाला की कुछ बातें बड़ी अच्छी गिनी जा सकती हैं। बालकों को बड़े साफ रखने जाते हैं। शाला का मकान शहर के मध्यभाग में है। बालकों को दूधपूटे उबकर से कुछ भस्कुत भाक भी रखाये गये हैं। कताई, धुलाई, धुनकना इत्यादि काम शाला में ही होता है। केवल लड़कों को पहनने के कपड़ों में खादी का इस्तेमाल नहीं किया गया था लेकिन मन्नालको ने उसमें जिस कपड़े का इस्तेमाल किया था, उसे छुड़ खादी नाम कर ही उसका उपयोग किया था। पाठकवर्ग शायद यह ब्यास करेंगे कि मुझे इस शाला से तो कुछ संतोष हुआ ही होगा। लेकिन मुझे उससे संतोष न हुआ। मुझे उसे देख कर दुःख हुआ था। क्योंकि इसका धर्म या पुण्य किसी भी हिन्दू को प्राप्त नहीं हो सकता था। इसके दाता सेंट का नाम तो मैं ऊपर दे चुका हूँ। उसके संभालक श्रीमान् आम्बालान के मुद्रा के वारस हैं। सेंट इमाहीम प्रधान को तो उनके काम के लिए धन्यवाद ही दिया जा सकता है क्यों कि जैसा कि मुझसे कहा गया था वह शाला अन्त्यजों को या उसमें पहननेवाले बालकों को मुसलमान बनाने के लिए नहीं चलाई जा रही है। मुद्रावासियों ने भी मुझसे कहा था कि संभालक श्रीमान् मेघजी वेदान्ती और ज्ञानी हैं। यह सब संतोष-कारक अवश्य है। लेकिन इसमें हिन्दुओं का क्या है! अस्पृश्यता तो हिन्दू-धर्म का मैल है और हिन्दू-धर्म का पाप है। उसका पापक्षित भी तो हिन्दुओं को ही करना चाहिए। मेरे शरीर पर बड़े हुए थेक को जब मैं निकालूँगा तभी यह निकलेगा। यह

शाला सेंट इमाहीम प्रधान को जितनी शोभा देती है मुद्रा के हिन्दुओं को वह उतनी ही सरमानेवाली भी है।

लेकिन जिस प्रकार ऐसे दुःख प्रसंगों को देखने का मुझे पुर्भाग्य प्राप्त हुआ था उसी प्रकार मुझे कुछ अच्छे प्रसंग भी देखने का मिले थे। श्री जीवराम कल्याणजी के नाम से पाठक परिचित हैं। उन्होंने अन्त्यज-सेवा को अपना धर्म बना लिया है। उनकी दानवीरता उनका भव से बड़ा भारी गुण नहीं है लेकिन स्वयं सेवा करने का उनका आग्रह ही उनको अधिक शोभा देता है। वे अपना धन अपना समय सब खादी और अन्त्यजों के काम में लगा देते हैं। साँढवी के श्री गोकलदास शोभाजी भी निर्मल हो कर अन्त्यजों की अन्त्यज-सेवा कर रहे हैं। अपने प्राण से अन्त्यजों के लिए वे एक अन्त्यज शाला चलाते हैं। ऐसे अन्त्यज सेवाकों को मैंने वहाँ जगह जगह देखा। इसलिए कच्छ की अस्पृश्यता के संबंध में निराश होने का मुझे कुछ भी कारण नहीं दिखाई देता है। समाजों के लज्जाजनक दृश्यों को मैं क्षणिक मानता हूँ। स्थायी काम तो ही ही रखा है और इसमें मुझे कुछ भी संशय नहीं है कि वह और भी बढ़ता ही जायगा।

लेकिन अन्त्यजों को राज्य की तरफ से बहुत कुछ दुःख उठाना पड़ता है। अन्त्यजों के लिए यहाँ एक कानून है; उसे बहुत से लोग तो ब्यभिचार के टोके के नाम से जानते हैं। इस कानून की रू से अन्त्यजों को ब्यभिचार करने पर सजा की जाती है और इसका ठेका दे दिया जाता है। जो धरम इसके लिए सब से अधिक रुपये देता है उसे राज्य की तरफ से यह हक होता है कि वही अकेला ऐसे जुर्म पकड़ सकता है और उसमें जो कुछ भी जुर्माना होता है वह भी उसी को मिलता है। इसलिए ठेकेदार का काम यह होता है कि जैसे बने जैसे वह ऐसे जुर्मों को ढूँढे। अर्थात्, जहाँ ब्यभिचार नहीं होता है वहाँ भी उसे पैदा करके या उसका आराधन करके भी ठेकेदार जुर्माना बसूल करता है। अन्त्यज लोग इससे बड़े दुःखी हैं।

जुनाई का काम करनेवालों को भी बड़ी तकलीफ है। जिस किसी जुनमेवाले ने किसी महाजन से कुछ रुपये लिए कि वह जब तक उसे पूरा नहीं कर देता है वह किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं जुन सकता है। इसलिए उन्हें एक या दो आधमी के पुराम बन कर ही रहना पड़ता है। जो कुछ भी वह दाम दे उन्हें

लेने पड़ते हैं और उसी के लिए कपड़ा बुनना पड़ता है। वह लेनदार जो चाहे ब्याज मांग सकता है। इसलिए उसके हाथ से बेचारा अन्त्यज कभी भी रिहा नहीं हो सकता है। इस तकलीफ के कारण कुछ लोगों ने तो अपना यह धंधा ही छोड़ दिया है। कच्छ में हजारों अन्त्यज बुनने का काम जानते हैं और यदि यह कानून न होता तो वे खुशी से अपनी आजीविका इसीमें से प्राप्त कर सकते थे। मुझे आशा है कि कच्छनरेश इन दोनों कष्टों में से उन्हें बचा लेंगे। मैंने ये दोनों बातें उसके सामने पेश की हैं।

**वृक्षरक्षण और वृक्षारोपण**

कच्छ के सफर में जिन प्रश्नों का विचार करना पड़ा था उनमें से एक वृक्षरक्षण और वृक्षारोपण का भी प्रश्न है। कच्छ तो कुछ अंशों में सिंध का ही एक विभाग गिना जा सकता है। लेकिन सिंध को सिंधु नदी मिली है। उसीसे उसका निभाव होता है। यदि सिंधु नदी न हो तो सिंध बरबाद ही हो जाय। कच्छ में अजगर, मूत्रा इत्यादि कुछ थोड़े से प्रदेश को छोड़ कर कहीं भी वृक्ष इत्यादि देखने को भी नहीं मिलते हैं। और जहाँ वृक्ष इत्यादि नहीं होते हैं वहाँ वर्षा हमेशा हो कम होती है। कच्छ की भी यही हालत है। वर्षा इतनी कम और अनियमित होती है कि वहाँ राधा दुष्काल ही बना रहता है। पानी की हमेशा तंगी रहती है। यदि कच्छ में नियमपूर्वक और बड़े प्रयत्नों के साथ वृक्ष बोये जाय तो कच्छ में वर्षा का परिमाण भी बढ़ाया जा सकेगा और भूमि उबरा बन सकेगी। श्री० जयकृष्ण इन्द्रजी इसके लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। मांडवी सफर से कुछ दूर एक जगह पर उन्होंने मेरे हाथ से एक वृक्ष का आरोपण भी कराया था। यह कीया मुझे कच्छ में बड़ी ही प्रिय मास्टर हुई। उस दिन वहाँ वृक्षरक्षा मन्त्रा का भी आरंभ किया गया था। मैं चाहता हूँ कि जिन हेतु मेरे उन्मत्ता की स्थापना की गई है और जिस हेतु मेरे हाथ से वृक्षारोपण कराया गया था वह हेतु सफल हो।

श्री० जयकृष्ण इन्द्रजी गुजरात के रत्न हैं। गुजरात में गरीबी बहुत ही थोड़ी उपायों है जो अपने विषय के साथ तन्मय हो जाती हैं। सभी ही प्रधान व्यक्तियों में जयकृष्ण इन्द्रजी का स्थान है। बरबाद के एक एक वृक्ष को और पांडों को वे पकवाने हैं। वृक्षारोपण में उन्हें इतना विश्वास है कि वे उस कार्य को प्रथम स्थान देते हैं और यह मानते हैं कि उस में बड़े परिणाम ला सकते हैं। इस विषय में ननका नन्दा और विश्वस फाल्गुनका विषय है। मुझ पर तो चमत्कार कभी का था पड़ा है। २५ अगस्त को ही यदि हम ज्ञान पर स्थान दें तो वे जहाँ वृक्षों के मरुभूमि में ज्ञान रखनेवाली गरीबी एक नये मास्टर हैं वहाँ ननका के ज्ञान से ज्ञान उठा कर उस जगह को एक सुन्दर उद्यान के रूप में बदल दे सकते हैं।

जोहान्सबत एक रत्न ही देना था। वहाँ वृक्षों के सिंधु और वृक्ष भी न पंदा होना था। मरुजान एक भी न था। लेकिन आज चासीस वर्ष में वह सुनगपरी बन गया है। एक समय था कि जब लोगों को एक बाल्टी पानी के लिए बारह मील दूरी पड़ते थे अगर कभी कभी तो सोडावाटर से ही काम चलाया पड़ता था। वहाँ - नी हाथ मूत्रा भी सोडावाटर से ही पीने पड़ते थे। वहाँ आज पानी भी है और वृक्ष भी है। सबका की खासों के मास्टरों ने ननका नन्दा के साथ पहले पहल दर दर से वृक्षों के रोपण कर भोजे से और उसे हमसरा बना लिया था। उस में उन्होंने वर्षा का परिमाण भी बढ़ा लिया था। ऐसे दूसरे भी वृक्षरक्षण विधि जो सकते हैं ननका प्रकृत काट काटने से वर्षा कम हुई है और वृक्षों के बोने के कारण वर्षा कम गई है।

कच्छ का धनिक वर्ष यदि इस कार्य में उत्साह दिखावे तो बहुत कुछ कार्य हो सकेगा। जिस प्रकार भोरका धर्म है उसी प्रकार ऐसे प्रदेशों में वृक्षरक्षा भी धर्मकार्य है। हमारी मान्यता है कि एक माय के पालनेवाले को उसके पुत्र का कल मिलता है। उसी प्रकार कच्छ काटियावाड़ जैसे प्रदेशों में वृक्षों की रक्षा करनेवाले को या बोनेवाले को भी पुण्यफल मिलता है। नकाने के लिए या किसी और काम के लिए भी लकड़ी नहीं काटनी चाहिए। नजदीक के किसी वृक्ष को काट कर उसे जलाने के बनिस्बत जलाने के लिए बाहर से लकड़ी मंगाना ही अधिक सस्ता पड़ता है। वृक्ष काटनेवाले को यद्यपि उस समय तो लकड़ी मुफ्त में मिलती है लेकिन उससे कच्छ को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कभी भी न हो सकेगी। जिनमें से लकड़ी काटी जा सकती है ऐसा कोई भी वृक्ष उस वर्ष के पहले तैयार नहीं हो सकता है और जिन पर दस साल मिहनत की गई है और जो अनेक प्रकार से भूमि और मनुष्य का रक्षण करता है उसे कैसे काट सकते हैं।

काटियावाड़ की भी ऐसी ही स्थिति है। काटियावाड़ में भी वृक्षरक्षण का प्रश्न बड़ा महत्व रखता है। लेकिन काटियावाड़ की स्थिति तो और भी कठिन है क्योंकि काटियावाड़ यद्यपि एक छोटा और सुन्दर द्वीपकल्प है फिर भी उसके इतने विभाग हो गये हैं और वे एक दूसरे से इतने स्थान हैं कि अबतक उन सब में सहयोग न हो सकतक वृक्षरक्षण और वृक्षारोपण का कार्य सुदृश्यस्थित नहीं हो सकता है। लेकिन यदि कच्छ और काटियावाड़ को उन्नत नहीं बनाना है तो वहाँ के लोगों को पहले से ही उसका योग्य उपाय करना होगा।

**श्री० जयकृष्ण इन्द्रजी का समय की धरोहर**

इन वृक्षों में अक्सर मैंने गांधीजी के बारे में लिखा है कि उन्होंने अपने बहुतसे भोताओं से बहुतेरे प्रसंगों पर यह कहा है कि हमारा समय हमारे पास एक प्रकार की धरोहर है। लेकिन अभी जब मैंने ही मरुती की यह पाठ मेरे हृदय में गहरा बैठ गया। मैं अक्सर इसके लिए लोगों पर दसा हूँ। आज वे भी मेरी इसी उठा सकते हैं।

बाद दृष्टि से तो मैंने प्रेम सीखना कैसे शुरू किया और उसके अन्त क्या हुआ उसके यह कहानी है। लेकिन सब पूछा जाय तो यह मेरी लज्जा की और मेरी दीनता की कहानी है। मेरे लिए यह बहुत ही लज्जा की बात है क्योंकि "जिनका अधिक और अच्छा तुम जानते हो तुम्हारे कार्यों का वतना ही अधिक कहा न्याय होगा।" मैं जेठ में गया अभी समय से मुझे प्रेम सीखने बड़ी की इच्छा थी। लेकिन वहाँ का एक पहिला था क्योंकि उसे सीखने के लिए बहुत माँके मिले थे और मैंने वह जानना था कि उन्हें या हिन्दुस्तानी, अपनी राष्ट्र-भाषा सीखना मेरा धर्म था और प्रेम सीखने की तो मात्र एक जिज्ञासा ही थी। और यह जिज्ञासा तो थी ही, उसे जब सीखा गया वह प्रकट हुई। मैंने प्रेम सीखने के आधम में आये पर वह मेका पाया और हमका उपयोग करने के लिए जरा भी समय व्यर्थ न गया। वह तो सेवा करने के लिए आई है, लेने के लिए नहीं लेकिन लेने के लिए आई है। इसलिए जब उन्होंने कहा कि रो खाहती हूँ कि मैं आप की कुछ सेवा कर सकूँ, मैंने प्रेम सीखने की मेरी इच्छा जाहिर कर दी। "अवश्य"। उन्होंने कहा और मैंने बिना किसी विचार के ही सेवा शुरू कर दी। मैंने पहिला पाठ लिया और आदरतापूर्वक दूसरा पाठ लेने के लिए गया। एक ही दिन की पढ़ाई में कुछ बातों को

समझ किन्ना अभिमान का विषय था। मैंने अपने पुत्र से पूछा कि क्या गांधीजी जानते हैं कि मैंने फेंक पड़ना शुरू किया है? उन्होंने कहा वे जानते हैं और उन्हें इससे बड़ा आश्चर्य हुआ है। इस बातचीत के बाद मैंने मुझे भंडा का दिया और क्या होगा इसकी मैं कल्पना करने लगा। अभी मैंने दूसरा सबक पूरा भी न किया था कि मुझे सम्झना मिला कि गांधीजी बुद्धा रहे हैं। मैं उनके पास भवभ्रम करता और कोपड़ा हुआ गया, लेकिन जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तैयार न था। उन्होंने कुछ क्षण उभर की बातें पूछीं और मैंने सोचा कि मैं केवल अपने ही समाज से कातर बन गया था। लेकिन अभी मैं अपने को इस बात का बकीर ही दिख रहा था कि मुझे तूफान का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी नाराजी छिपा कर इससे हुए पूछा कि "तुमने फेंक सीखना शुरू किया है?" मैंने भी उत्तर में इससे हुए 'हां' कहा। उन्होंने फिर भी इससे हुए कहा "कल जब वह तुम्हारे साथ समय का निश्चय कर रही थी उस समय मैंने सोचा था कि तुम उनके पास उन्हें हिन्दी पढ़ाने के लिए जाओगे। लेकिन आज सुबह मैंने उनसे पूछा कि तुम अपना समय किस प्रकार बिताती हो तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह एक घण्टा तुम्हें फेंक सीखाने में बिताती है। तुम जानते हो कि मैंने उनसे क्या कहा था?" मैंने कहा "हां" उन्होंने मुझसे कहा या कि आपको उसने आश्चर्य हुआ है?" उन्होंने कहा "जी, मैं कहता हूँ कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि सीजर का श्रेय ताज था और उसमें वह नाकामयाब हुआ।" और फिर प्रश्नों के गोले छूटने लगे। "तुमने फेंक किस लिए सीखना शुरू की है? फेंक बिदुषी भीष स्तिव वहाँ पर है इस लिए? या तुम रोमां रोलां को फेंक भाषा में पढ़ना चाहते हो इसलिए? या क्या अपना फेंक पत्र-व्यवहार बनने के लिए?" मैंने कहा "नहीं, मुझे फेंक सीखने की बहुत दिनों से इच्छा थी और मेरे फेंक जाननेवाले मित्रों ने मुझसे कहा या कि वह भाषा सीखना आसान है और उपयोगी भी है। अब उन्होंने कुछ संक्षेपी से कहा "अच्छा, क्या तुम यह जानते हो कि सब अंग्रेज फेंक भाषा नहीं जानते हैं और उनसे से अच्छे से अच्छे लोग भी फेंक देखकी के अंग्रेजी अनुवादों को पढ़ कर ही समझोप मान लेते हैं? और बहुतेरे उत्तम फेंक साहित्य का तो वह प्रकाशित हुआ नहीं कि उसका अभिज्ञान में अनुवाद हो जाता है।" और फिर से एक या दो निमिड तक कुछ भी न बोले और फिर पूछा "तुम क्या मानते हो, इसके सीखने में कितने दिन लगेगे?" मैंने कहा "मुझसे कहा गया है कि छः महीने लगेगे।" "कितने घण्टे?" "रोजमा एक घण्टा।" "लेकिन जब हम लोग सफर में होंगे तब?" "तब मुश्किल है। लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं सफर में भी कुछ न कुछ समय निकालूँगा।" "क्या वह सब है? तुमको बकीर है?" मैं कुछ हिचकिचाया। उन्होंने फिर पूछा "और अब तुम फेंक सीखना चाहते हो इसलिए मुझे तुमको एक घण्टा रोजाना सुधी देनी होगी। क्या यह सब है न?" इसे मैं सदन न कर सका। मैंने उत्साहपूर्वक कहा "नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं किसी भी प्रकार समय निकालूँगा।" अब उन्होंने बकीर को स्पष्ट करते हुए कहा "तुम समय न पाओगे लेकिन समय पुरा कर निकालोगे।" मैं चुप हो रहा "क्या तुम्हारा वह क्याल नहीं है?" उन्होंने स्वीकृति की आशा से यह पूछा। मैंने कहा "मैं भी यही क्याल करता हूँ। फेंक सीखने से जितना समय लगेगा इसका समय मैं कतम में और अधिक क्या करूँगा।" उन्होंने कहा "हां, वेद भी बहुतसी बातें हैं। लेकिन जब हम

जीवन मरण के युद्ध में लगे हुए हैं उस समय तो तुम फेंक सीखने का क्याल ही कैसे कर सकते हो? स्वतःज भिन्न जाने के बाद तुम जितनी चाहो फेंक पढ़ो। लेकिन तब तक तो—"

मैंने क्षमा और जाने के लिए इजाजत जाने की आशा से कहा "मैं भाव से उसका सीखना बन्द कर देता हूँ।" उन्होंने कहा "लेकिन वह अभी संपूर्ण नहीं है। क्या तुम यह जानते हो कि मिश न्सेड अपना सब कुछ छोड कर के वहाँ आइ हुई है? तुम जानते हो कि हमारे से से किसी के भी त्याग से हम लोगों के लिए उनका स्थान अधिक है। क्या तुम यह जानते हो कि वह वहाँ सीखने के लिए, अभ्यसन करने के लिए और सेवा करने के लिए आई है और इस देश के लोगों की सेवा में और इस प्रकार अपने देश की सेवा में अपना सब समय लगा देने का उन्होंने निश्चय किया है और उनके देश में कुछ भी क्यों न हो उससे वह अपने निश्चय से चला भी न डिगेगी। इसलिए उनकी हर एक मिनट तुम महत्व रखती है और बड़ी कीमती है और वह हमारा कर्म है कि हमारे से जितना भी बन सके उन्हें कुछ दें। वह हमारे सम्बन्ध में सब कुछ जानना चाहती है और इसलिए उन्हें हिन्दुस्तानी सीख लेना चाहिए। जबतक हम लोग उन्हें अपने समय का अच्छे से अच्छा उपयोग करने में मदद न करेंगे तबतक वह यह कैसे कर सकेगी। हमारा समय बड़ा धार्मिक महत्व रखता है लेकिन उनका समय तो उससे भी अधिक पवित्र धरोहर है। इसलिए उसका फेंक सीखने में उपयोग न किया जाना चाहिए। मैं तो तुमसे यह आशा रखता हूँ कि तुम उन्हें संस्कृत हिन्दी या ऐसी ही दूसरी भाषा सीखाने के लिए रोजाना एक घण्टा समय दोगे।"

इसका मैं कुछ भी उत्तर न दे सकता था। मैंने चुप रह कर ही अपने दाव का स्वीकार कर लिया था "इसके लिए कोई प्रायश्चित भी है, जो मुझे करना चाहिए?" उनसे यह पूछना तो उचित न था। स्वयं मुझे ही उसकी स्फुरणा होनी चाहिए थी। लेकिन उनकी हवा मे मुझे क्षमा कर दिया था और उन्होंने ही मुझे प्रायश्चित बता दिया "कल फिर उसी समय उनके पास जाना और अपनी गलती को प्रकाशित कर के फेंक पढ़ने के बजाय उनके साथ झोक ही पढ़ना।"

महाशय देसाई  
बड़ी हिचकिचावट के साथ बहुत कुछ काटछांट कर के मैंने इसे वहाँ प्रकाशित किया है।

(य. इ.) मोहनदास करमचंद गांधी

उत्साहमय अंक

तायिलनाइ के ३० सितम्बर १९२५ तक के एक बर्दे के नीचे दिये गये खादी के अंक ध्यान देने योग्य हैं:		
	१९२४-२५	१९२३-२४
खादी बोर्ड की तरफ से उत्पन्न की गई खादी	३,२८८२६)	२,९०१४८)
दुसरे मदद ले कर या बिना मदद के ही खादी पैदा करनेवालों की तरफ से	२,९६४६९)	१,८२२१८)

कुल ७,०५७८८) ४,७२०६४)

१९२४-२५ में फुटकर बिकी बोर्ड ४,४५,३२४) की हुई थी जो मत बर्दे की खादी की पैदाइश के लगभग समान है।

इस साल की कुल बिकी, जिसमें दूसरे प्रांतों की बेसी खादी भी शामिल है, कुल ८,३२८४६) की होती है और १९२३-२४ में सिर्फ ३,६५,१५८) की बिकी हुई थी। इस साल की खादी की पैदाइश और बिकी दोनों ही बढ़ गई है। पैदाइश बढ़ी ही गई है और बिकी घुली से भी अधिक हो गई है।

## हिन्दी-नवजीवन

धुलवार अगहन सुदी ११, संवत् १९८२

### दक्षिण आफ्रिका के भारतवासी

श्री एण्ड्रयुज दक्षिण आफ्रिका चले गये, भारत सरकार की तरफ से एक शिष्ट मण्डल दक्षिण आफ्रिका जाने के लिए तैयार है और डा. अब्दुर्रहमान के नेतृत्व में जो शिष्ट मण्डल दक्षिण आफ्रिका गया था वह अब लौट रहा है। इन सब कारणों से दक्षिण आफ्रिका का प्रश्न आज बड़ा महत्व रखता है। दक्षिण आफ्रिका के भारतवासियों के लिए तो यह जीवन और मरण का प्रश्न है। यूनिवर्सल सरकार ने सीधे और खुले हुए साधनों से या जबरदस्ती से ही उन्हें बाहर निकाल कर नहीं लेकिन उनकी दवा कर और ऐसे ही दूसरे अप्रामाणिक साधनों के द्वारा ही दक्षिण आफ्रिका में से भारतवासियों के अस्तित्व के मिटा देने का निश्चय किया है। जिस कानून का जिक्र किया जा रहा है उससे तो भारतवासियों के लिए प्रामाणिक रोजी प्राप्त करने के सभी मार्ग बन्द हो जाते हैं और यूनिवर्सल सरकार यह कर के उनका स्वाभिमान ही नष्ट कर देना चाहती है। जब वहाँ स्वतंत्र विचार के और स्वाभिमान रखनेवाले भारतवासी ही न रहेंगे और सरकार को केवल मजदूरों से, रसोई बनानेवालों से, व्यवसायियों से और ऐसे ही दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करना होगा उस समय भारतियों का प्रश्न यूनिवर्सल सरकार को कुछ भी तकलीफ न देगा। उन्हें तो कुछ नोकियों की ही जरूरत है, वे उनके साथ समानता का दावा करनेवाले व्यापारियों को और किसानों को नहीं रखना चाहते हैं।

इसलिए यूनिवर्सल सरकार ने हिन्दुस्तान से उसके पान गये हुए शिष्ट मण्डल को जो उत्तर दिया उसे सुन कर मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। उन्होंने तो उस कानून का कायम करने के लिए अपना निश्चय ही जाहिर किया है। वे निर्णय लागू मोटे-बालों के संबंध में कार्यात्मक सुझावों का विचार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने गोल-मिति के बारे में अभी कुछ नहीं किया है।

यदि दक्षिण आफ्रिका के भारतवासी उद्वेग दिखाने और आपस में टोकन रखनेगे तो दक्षिण आफ्रिका में श्री एण्ड्रयुज की उपस्थिति से मुझे बहुत कुछ आशा बंधेगी। यदि सरकार शिष्ट मण्डल को गिदालत के उपायों में दृढ़ रहने की आज्ञा दी गई होगी तो वह भी बहुत कुछ कर सकेगा। १९५४ के समझौते के अनुसार जो दृढ़ मिले थे उसमें तो कम से कम कोई कमी न होनी चाहिए। इस कानून का जिक्र है उससे तो उन्हीं हकों को छीना जा रहा है।

दक्षिण आफ्रिका के बारे में जिन्हें कुछ भी ज्ञान है वे यह जानते हैं कि वहाँ के हिन्दुस्तानी बाशिन्दों के प्रति यूरोपीयन जनता का कोई विरोध नहीं है। यदि वहाँ की यूरोपीयन जनता के एक बड़े विभाग ने उनका विरोध किया होता तो बिना कानून के ही वे उनका वहाँ रहना दमन कर सकते थे। दक्षिण आफ्रिका के मूल निवासी भी उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। दक्षिण आफ्रिका के मूल निवासी या यूरोपीयन बाशिन्दे उनका विरोध नहीं कर रहे हैं इतना ही नहीं वे बड़ी छुपी से और स्वतंत्रता-

पूर्वक उनके साथ व्यवहार रखते हैं और तभी तो वे वहाँ रह सकते हैं। इस कानून को जिसका जिक्र हो रहा है बना कर एक तरफ से भारतवासी और दूसरी तरफ से यूरोपीयन बाशिन्दे और वहाँ के मूल निवासियों में, जो स्वतंत्र व्यापारिक सम्बन्ध है उसमें दखल करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। इसलिए यदि भारत-सरकार दृढ़ बनी रहेगी तो यूनिवर्सल सरकार की दलीलें कुछ भी काम न आयेगी। उन लोगों को भारतवर्ष के कठोरी लोगों से दब जाने का जो उचित डर लगा हुआ था वह १९५४ में पूर हो जाने पर तो वहाँ के भारतवासियों को व्यापार, जमीन की मालिकी और आन्तर्प्रवास के लिए इजाजत देने के लिए और उनके इन हकों की रक्षा करने के लिए यूनिवर्सल सरकार बंधी हुई थी और इसीमें उसका शौच था। लेकिन यह तो उस समझौते को ही बदल देने का प्रयत्न हो रहा है। मैं पाठकों के सुझावों के लिए १९५४ के समझौते से संबंध रखनेवाले पत्रव्यवहार को यहाँ फिर प्रकाशित कर रहा हूँ।

#### यूनिवर्सल सरकार का पत्र

कुछ दिन हुए हिन्दी कौम के संबंध में जनरल स्मट्स के साथ आपसी कुछ बान्धित हुई थी। पहली मुलाकात के समय आपने नये कानून के टाने पर धरना संतोष जाहिर किया था और कहा था कि जिन जिन बातों के लिए कानून की आवश्यकता थी उन बातों का इस कानून में विचार हो जाता है। लेकिन दूसरी मुलाकात में आपने उस कानून के अमल करने के संबंध में कुछ बातें पेश की थी जिसका कि इस बिल में कोई समावेश नहीं होता था। इन बातों के संबंध में जनरल स्मट्स का कहना यह है:

(१) १८९५ के १४ नंबर के कानून में जो भारतवासी आते हैं उन्हें १८९९ के २५ नंबर के कानून की १०६ दफे के मुताबिक उनकी पहली या दूसरी गिरफ्तारी पूरी होने पर उन्हें रिहा कर देने का सर्टिफिकेट देने का प्रबन्ध प्रोटेक्टर के साथ करने में कोई मुश्किल नहीं मालूम होती है।

(२) जिन भारतवासियों को एक से अधिक ज़ीपों है उनकी ज़ीपों का और बाल्कनों की यदि उनकी संख्या अधिक नहीं है तो अपने पति और मातापिता के पास जाने के लिए इजाजत दी जायगी।

(३) जिनका द. आफ्रिका में ही जन्म हुआ है ऐसे भारतवासी के सम्बन्ध में पहले जैसी स्थिति ही कामन रखी जावेगी और नये कानून का रगी रफा उनपर न लगायी जावेगी। लेकिन यदि पहले के बनिबस्त बहुत बड़ी संख्या में भारतवासी केप में शामिल होना चाहेंगे तो इस कानून की यह रफा भी उनपर लागू जावेगी।

(४) हिन्दुस्तानी कौम के हित के लिए जिन शिक्षित भारतवासियों को यूनिवर्सल सरकार में लिए जावेंगे उन्हें दूसरे प्रान्तों की हद में जाने पर कोई प्रश्न न भरना होगा। क्योंकि हमेशा कानून की १५ वीं दफे के अनुसार जो प्रश्न भरे जावेंगे वे ही काफी होंगे।

(५) जो भारतवासी अपने शिक्षित होने की परीक्षा से कर केप में या डेगल में १९५३ के पहले दाखिल हुए होंगे उन्हें यदि वे उन प्रान्तों में पहले कभी तीन साल तक न रहे होंगे तो भी उन्हें फिर वहाँ वापिस जाने में कोई रुकावट न होगी।

(६) जो सबे सत्याग्रही जेल में गये थे उनके मुकदमे जनरल स्मट्स न्याय विभाग के प्रधान के पास पेश करेंगे और इसमें उन्हें जो कुछ भी सवाये होंगी उनका सरकार अधिष्य में उनके खिलाफ



उपयोग न करेगी। उन्हें विश्वास है कि मि. सी. वेट को भी इसमें कोई बाधा न होगी।

(७) जिन भारतवासियों को खास कर के शिक्षित होने की परीक्षा देने के बाद दायित्व किये गये होंगे उन्हें विशेष परवाने दिये जायेंगे।

(८) कमीशन के रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं और जिन सिफारिशों का इस बिल में समावेश नहीं किया जा सकता है उनपर भी सरकार अमल करेगी। और आखिरी बफे में बताई गई शर्तें फुल्ल करने पर सरकार ऊपर लिखी गई तमाम बातों का धीमा ही प्रबन्ध कर देगी।

जो कानून जारी है उनके संबंध में जनरल स्मट्स लिखाते हैं कि उनका न्यायपूर्वक और अभी उनको जो हक प्राप्त है उनकी रक्षा करके ही अमल किया जावेगा।

अन्त में जनरल स्मट्स लिखाते हैं कि पुर्भाग से जो हाथे सरकार के साथ होते चले आ रहा है उनका इस नये कानून से और इस पत्र में दिये गये अभिवक्तियों से निबटारा ही जाता है और इस विषय में अब किसी को कुछ भी संशय न रहना चाहिए और हिन्दी कौम उसका समझाते के तौर पर ही स्वीकार करती है यही समझना चाहिए।

### गांधीजी का उत्तर

आप का पत्र जिस में जनरल स्मट्स के साथ मेरी मुलाकात के समय की बातें हुई थी उन का धार दिया गया है, मुझे आज मिला है। जनरल स्मट्स की और बहुत से काम होने पर जो उन्होंने गत शनिवार को मुझसे मुलाकात की यह उनको गुपा है। उन्होंने बड़े धैर्य और विनय के साथ मेरी सब बातें सुनी इसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। नये कानून से और मेरे और आप के दरम्यान इस प्रश्नपत्रधार से सारयाग्रह के युद्ध का अन्त होता है। यह युद्ध १९०६ में शुरू किया गया था और उसमें हिन्दुस्तानी कौम को बड़ी हानि उठानी पड़ी है और उस को हथियों की भी बड़ी हानि हुई है। इस युद्ध ने सरकार को भी विन्ता और विचार में डाल दिया था। जनरल स्मट्स यह जानते हैं कि मेरे कुछ भाई तो अब भी यह चाहते हैं कि मैं और भी कुछ आगे बढ़ूँ। जुदा जुदा प्रान्त में व्यापार करने के परवाने के कानून से, दान्सवाल के सोने के कानून, दान्सवरीप के कानून, और दान्सवाल के १९०५ के कानून से, वे सब नाराज हैं। और वे यह चाहते हैं कि उन कानूनों में ऐसी रद्दोबदल की जाय कि जिससे वहाँ की हिन्दुस्तानी कौम को रहने के लिए, व्यापार के लिए और जमीन की मालिकी के काफी हक प्राप्त हों। कितने ही लोगों को तो इस कारण असंतोष है क्योंकि हर एक प्रान्त में जाने के लिए उन्हें काफी स्वतंत्रता नहीं मिली है और कितने ही लोगों को इसलिए असंतोष है क्योंकि नये कानून में शारी के संबंध में जो निर्णय किया गया है उससे और भी अधिक अच्छा निर्णय नहीं किया गया है। उन्होंने मुझसे कहा कि वे सब बातें भी सारयाग्रह के युद्ध में सामिल होनी चाहिए। लेकिन मैं इसका स्वीकार नहीं कर सका हूँ। इसलिए यद्यपि उपरोक्त बातों का सारयाग्रह के युद्ध के साथ कोई संबंध नहीं है फिर भी उन पर सरकार को अधिक उदारतापूर्वक विचार करना होगा और इसका कोई भी इन्कार न कर सकेगा। जब तक इस देश में रहनेवाले हिन्दियों को संपूर्ण शीवानी हक प्राप्त न होंगे तब तक उन्हें कभी भी संतोष न हो सकेगा। इसकी भाशा करना ही व्यर्थ है। मैंने अपने भाइयों से कहा है कि उन्हें धैर्य रखना होगा और अभी सरकार ने जितना दिया है उससे यह अधिक दे सकें ऐसी

स्थिति उत्पन्न ही इसके लिए उन्हें वहाँ की आम प्रजा को उचित साधनों के द्वारा तैयार करनी होगी। मुझे आशा है कि जब वहाँ के गौरे लोग यह समझने लगे कि हिन्दुस्तान से गिरमिट लोगों का आना बन्द हो गया है, गत वर्ष के कार्मल के कारण हिन्दुस्तान से स्वतंत्र भारतवासियों का भी आना बहुत कुछ बन्द हो जायगा और हिन्दी कौम को राज्यसत्ता का लोभ नहीं है तो वे यह भी समझ सकेंगे कि हिन्दी कौम को जिन हकों का मैं ऊपर वर्णन कर चुका हूँ उनके देने में ही न्याय है इतना ही उन्हें वे हक देने ही पड़ेंगे। जिस उदारता के साथ सरकार ने इस प्रश्न का निबटारा कर दिया है उसी उदारता का यदि सरकार उसका अमल करने के समय भी अपने कर्तव्य के अनुसार परिचय देगी तो मुझे यकीन है कि समस्त यूनिजन में हिन्दी कौम कुछ शान्ति के साथ रह सकेगी और सरकार को कभी भी तकलीफ का कारण न होगी।”

(पृ० ६०)

मौहमदास करमचंद गांधी

### जूते और जानवरों की कत्ल

बंगाल और मध्यप्रान्त में भारतीय हुमर उद्योग कमिशन के सामने जो इजहार हुए वे उनमें से कुछ अवतरणों को हम पाठकों के सामने पेश कर रहे हैं। उससे इस विषय पर बड़ा प्रकाश पड़ता है और यद्यपि इसके प्रति हमलोग अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं और यह देखना नहीं चाहते हैं फिर भी यह बात तो निःसंकाप साबित हो जाती है कि जो उम्मा जूते हमलोग पहनते हैं, या हाथ में रखने के योग्य जो हमलोग अभिमान से किये लिये फिरते हैं या कपड़े रखने के योग्य जिनमें हमलोग अपने कीमती कपड़े, फिर चाहे वे खादी के हों, विदेशी हों या मिल के बने हुए हों, रखते हैं, वे सब निर्दोष जानवरों के खून से लाल रंगे हुए होते हैं। और यदि संसार में नीति की रक्षक कोई सरकार है तो हमें किसी न किसी दिन उसके सामने इसके लिए जवाब भी देना होगा।

(पृ. ८५ भी दास मेनेजर नेसनल टेनरी कलकत्ता)

जबाली इजहार

प्रश्न “आप कहते हैं कि आप कलकत्ते से ही बमबा खरीद लेते हैं; क्या आप यह काम भी करते हैं?”

उत्तर “मैं अक्सर कलकत्ताहों में जाता हूँ और वहाँ से बमबा खरीदता हूँ।

प्र०—आप बमबा खरीद करने में और बमबा कमाने में— तैयार करने में भी कुशल है?

उ०—जब आमकर जिन्दा होते हैं उसी समय उनका बमबा खरीद देने का कलकत्ते में रिवाज है। वे कलकत्ताहों में लभ्ये जाते हैं उस समय मैं उन्हें देख लेता हूँ और उनमें से पसंद कर के मैं अपने लिए बमडे की खरीद कर लेता हूँ। मुझसे गये बमडे में से बमबा पसंद करना बड़ा ही मुश्किल काम है।

(पृ. ३४१ डा. नीकरतन सरकार.)

केली इजहार

मुझे वहाँ यह कहना चाहिए कि क्रोम बमबा कमाने के लिए उत्तम प्रकार के बमडे की आवश्यकता होती है — कलकत्ताहों में से प्राप्त किया हुआ बमबा अधिक पसंद करने योग्य है — यदि ऐसा कोई प्रबन्ध किया जा सके कि जिससे यह यकीन हो जाय कि जुदे जुदे कलकत्ताहों से जैसा चाहिए वैसा बमबा उचित परिमाण में बराबर प्राप्त होता रहेगा तो बंगाल में क्रोम बमबा कमानेवालों को बड़ा काम होगा।

(पृ. ६८७-८ मि. लेफ्टविच, बेतीवाडी के बाइरेक्टर मध्यप्रान्त)

**जबानी इजहार**

प्र०—क्या आप कलगाहों के मुताबिक कुछ और भी ज्यादा इतिका दे सकेंगे ? मैंने सुना है कि इस प्रान्त के कलगाहों में कुछ विशेषता है ।

उ०—मुझे इस उद्योग के संबंध में कोई विशेष ज्ञान नहीं है फिर भी यदि मैं यह कहूँ कि दुष्काल के समय उसका आरंभ हुआ था तो मुझे विश्वास है कि मैं बिल्कुल ठीक ही कह रहा हूँ । किसान लोग तंगी में थे और तकलीफ में होने के कारण उन्होंने बहुत से जानवरों को बेच दिया था । बाबूक मुसलमान ठेकेदारों ने अपना अवसर देख लिया और उन्होंने बाकायदा अपना व्यापार शुरू कर दिया । यह इतना बड़ा कि उसमें उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी और उनका यह पंथा कायम हो गया । उनका चमड़े का उद्योग प्रधान उद्योग नहीं है । प्रधान उद्योग तो उनका मांस का उद्योग है । मांस के टुकड़े कर के उनको सूखा देते हैं और लकड़ी की मोली की तरह उनको बांध लेते हैं और फिर उसे कलकत्ता भेज देते हैं । वहाँ से रंगून, मलाया और कुछ तो चीन तक भेजा जाता है ।

प्र०—इन कलगाहों के संबंध में इस मामले में यहाँ के लोगों के भाव कैसे हैं ?

उ०—उनके संबंध में लोगों में क्रोध का कोई भाव नहीं है, उन्हें उसमें कालज है । म्युनिसिपलिटि के सदस्य भी उसमें हिस्सेदार हैं और मैं मानता हूँ कि बाह्य और हिन्दू-लोगों का भी उसके (शेर होकर) हिस्सेदार होना पाया गया है ।

(पृ. ७३ मि. जे. के. पीठरसन)

**लेखी इजहार**

कलकत्ते में जो लोग आम कल चमड़े का काम करते हैं वे सब ज्यादातर क्या हमेशा ही म्युनिसिपलिटि के कलगाहों से प्राप्त किये हुए ताजे चमड़े को ही कमाने का काम करते हैं ।

(पृ. ७६३ कटक टेनेरी के श्रीयुत एम. एच. दास)

**जबानी इजहार**

प्र०—आप कैसे चमड़े का उपयोग करते हैं—ताजे चमड़े का, सूखाने हुए चमड़े का, या संक्षिये से तैयार किये हुए चमड़े का ?

उ०—मैं ताजे चमड़े का ही उपयोग करता हूँ । संक्षिये से तैयार किया हुआ चमड़ा इस देश में नहीं मिलता है ।

प्र०—क्या आपने कभी नमक से तैयार किये गये चमड़े को आजमाया है ?

उ०—हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं ।

प्र०—क्या उसमें से आप अच्छा चमड़ा कमा सकते हैं ?

उ०—हां ।

प्र०—क्या ताजे चमड़े के बनिस्तर नमक के साथ सूखाने गये चमड़े को कमाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है ?

उ०—कलगाहों से प्राप्त किये गये ताजे चमड़े से उत्तम चमड़ा कमाया जा सकता है । यह अधिक मुलायम भी होता है । घूप में सूखाने गये चमड़े में बड़ी जोखिम उठानी पड़ती है क्योंकि सूखाने में कभी कभी तीन चौथाई चमड़ा नष्ट हो जाता है ।

**बाकजी गोविंदजी देसाइ**

श्रीयुत देसाइ ने हुसर उद्योग के कमीशन के समक्ष दिये गये बड़े लम्बे बीड़े इजहारों में से उपरोक्त अवतरणों को जकक कर के यहाँ दिया है । यदि पाठकों पर वे कुछ असर कर सकें तो उन्हें

प्र० सा० गोरक्षा मण्डल के सभ्य बनना चाहिए । यदि वे कुछ ज्यादा दे सकें तो उन्हें दान या भेट के रूप में भी कुछ रकम भेजनी चाहिए ताकि इन पृष्ठों में पहले बताई गई चमड़े के कारखानों की योजना पर असर किया जा सके । उसमें तो केवल सूत दोरों के चमड़े को ही कमा कर तैयार किया जावेगा ।

(मं० ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

**अहमदाबाद में तकली का कताई**

अहमदाबाद में इन महीने की १० वीं तारीख को श्रीमती अमसूया बहन ने मजूर महाजन की शालाओं के लकड़ों में तकली पर कातने की स्पर्धा कराने की व्यवस्था की थी । यह कार्य म्युनिसिपलिटि के हाल में हुआ था । श्री बहसमाई ने इस हाल का उपयोग करने की इजाजत देने की कृपा की थी । श्री राज-गोपालाचारी को इसका निरीक्षण करने के लिए और लकड़ों को कुछ उपवेश देने के लिए निर्मंत्रित किये गये थे । इस स्पर्धा में शामिल होने के लिए लकड़ों को कुछ ही घण्टे पहले खबर दी गई थी इसीलिए सब लकड़के इसमें भाग न ले सके थे । फिर भी २-२ लकड़के उसमें शामिल हुए थे । उसका परिणाम इतना उत्साह-प्रद था कि देश की सभी शालाओं को उसपर विचार करना चाहिए ।

कहीं भी इतने थोड़े समय में तकली की आजमाइश इतनी सफल नहीं हुई है । यह स्मरण होना कि ६ महीने पहले गांधीजी ने इन लकड़ों के कातने का निरीक्षण किया था और उनको इनाम दिया था । उस समय तकली पर कातने का वहाँ आरंभ ही किया गया था और अधिक से अधिक एक घण्टे में सिर्फ ७-७ गज सूत काता जा सकता था । यही जो परीक्षा हुई उसका परिणाम देखने से प्रतीत होता है कि इस दरम्यान में उन्होंने आश्चर्यकारक प्रगति की है ।

२-२ लकड़के इसमें शामिल थे । उनमें से १५ वर्ष के कोई ६ लकड़ों को छोड़ कर बाकी के लकड़ों की उम्र ७ से १२ वर्ष तक की थी और ७९ लकड़के तो अभी प्राथमिक शिक्षण ही कर रहे थे । एक घण्टे तक कताई होती रही । जो सूत मिला उसकी कताई में कुशल धक्कियों ने परीक्षा की थी । और यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि उनको जो रई दी गई थी वह कोई अच्छी रई भी नहीं कही जा सकती थी ।

परिणाम पर से साक्ष्य होता है कि २० लकड़ों ने औसतन घण्टे में ११५ गज सूत काता था और यह औसतन १२ अंक का सूत था । इनमें से जिस लकड़के का वेग सब से अधिक था वह घण्टे में १५ अंक का १३९ गज सूत काता सका था और जिसका वेग सब से कम था वह १५ अंक का १०१ गज सूत काता सका था । यह लकड़ों का सूत बहुत ही अच्छा था और १७, १८, १९, २५ अंक तक महीन कता हुआ था ।

३१ लकड़के घण्टे में ७५ से १०० गज तक के वेग को पहुँच सके थे । उनमें सबसे अधिक २६ गज का सूत था और सब से कम ७४ गज का सूत था ।

५२ लकड़के ५२ से ७५ गज के वेग तक पहुँच सके थे । उनमें ७४ गज सूत सबसे अधिक था और ५२ गज सबसे कम । ३१ लकड़के ४० से ५० गज के वेग को पहुँच सके थे और २९ लकड़के ३०-४० गज तक सूत कात सके थे ।

१५ लकड़के २० गज से अधिक सूत नहीं कात सके थे । १६ लकड़ों ने तो परीक्षा के लिए अपना सूत ही नहीं दिया था । ६ लकड़ों का सूत इतना खराब था कि उसकी परीक्षा ही नहीं

की जा सकती थी। वे उनके सब छोटे बच्चों के और बच्चों के मन के थे। उनकी मौखिक छत्र कोई एक का की होती।

१९० लड़कों का मूल उतना ही अच्छा था कि जिनने भी उनसे आशा रखी जा सकती है। दो एक सुसम्मान लड़कों को छोड़ कर सभी लड़के नीच मानी जासकती बर्णों के थे। उनके मातापिता बहमदा-बाद की मिलों में संघे पर कताई का काम करते हैं। इन लड़कों ने स्कूलों पर काल कर इतना मूल इकट्ठा किया है कि अनसूया बहम आगामी वर्ष को इन लड़कों को इसी मूल के लड़के पहनाने की आशा कर रही हैं।

बह शायद हिन्दुस्तान की शाखाओं में तकली की संघ से अधिक सफल आनमाइस है। और अगर मूल अच्छा दिया गया होता तो उसका और भी अच्छा परिणाम आ सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि श्री राजगोपालाचारी को यह देख कर बड़ा ही आश्चर्य हुआ था और उन्होंने यह आशा की थी कि सभी राष्ट्रीय और म्युनिसिपलिटि की साकार इसका अनुकरण करेंगी। उन्होंने कहा कि जिन लड़कों को गांधीजी ने एक साल अर्थ में अपने ही पुत्र माने हैं उन्होंने इस इच्छा के लिए अपने को योग्य सिद्ध किया है। उन्होंने लड़कों से कहा कि उन्हें इस बात को जान कर अभिमान करना चाहिए कि वे केवल लिखना पढ़ना सीखनेवाले लड़के ही नहीं हैं लेकिन स्वराज्य की शक्तिशाली सेना के सिपाही भी हैं।

महादेव देसाई

क्या म्युनिसिपलिटि के कमीश्नर इस पर ध्यान देंगे।

श्री. क. गांधी

### मौलाना आजाद की अपील

मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिन्दुसुसम्मानों के प्रश्न पर वर्तमानमंत्रों के लिए जो एक सम्वेद्या प्रकाशित किया है उसकी एक मकल उन्होंने मेरे पास भी भेजने की कृपा की है। वे उन लोगों में से एक हैं जो सम्मुख यह चाहते हैं कि उन्हें ऐक्य हो। उन्होंने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कार्य-समिति की प्रथा सुलभ के लिए भी सुझाये कहा है। लेकिन कानपुर में महासभा सप्ताह के शुरू होने के पहले ही कार्य-समिति को बुलाना नहीं चाहता है क्योंकि महासभा का वार्षिक जलसा अब बहुत ही शीघ्र होनेवाला है और इसलिए कार्यसमिति को अभी बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं मान्य होती। मैं यह चाहता हूँ कि यह समिति इस समस्या को इस कर दे लेकिन मुझे इस बात का स्पष्ट स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुझे उससे अब ऐसी कोई आशा नहीं है। लेकिन इससे मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं इस प्रश्न के हल होने के बारे में ही निराशा हो बैठा हूँ। लेकिन महासभा इस प्रश्न का निपट कर सके और उस निर्णय को कबूल करने के लिए दोषो कोषों को मजबूर कर सके ऐसी मुझे सबसे कोई आशा नहीं है। इस इस संघ काज को क्यों छिपाते कि महासभा हीनी तस्क से लकनेवाले लोगों के प्रतिनिधियों की नहीं बनी है। जबतक महासभा का प्रभाव सब लोगों पर नहीं पड़ता है जो इन लोगों में आन लेनेवाले लोगों के पीछे रह कर काम कर रहे हैं और जबतक वर्तमान बर्णों के वे सम्पादक जो प्रभाव केवलम मवा रहे हैं, ऐक्य की आवश्यकता में निर्माण नहीं करते हैं या विपत्ति ही ऐसी नहीं हो जाती कि जनता पर उनका कुछ भी प्रभाव न पड़े, तबतक

महासभा ऐक्य के संकल्प में कुछ भी फायदे का काम न कर सकी। मेरे कट्टे अनुभव ने तो मुझे यह शिक्षा दी है कि जो लोग ऐक्य का काम देते हैं वे अनैक्य के — मतभेद के अर्थ में ही उयका प्रयोग करते हैं। यूरोप में गत महायुद्ध के समय जैसा असत्य का बातावरण फैला हुआ था वैसा ही असत्य का बातावरण आज हमारे चारों ओर फैला हुआ है। यूरोप के वर्तमान मंत्रों ने उस समय कभी कोई बात कही न लिखी थी। जुदा जुदा राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने झूठ बोलने को एक उपाय लका का रूप दे दिया था। इस पुराने सिद्धान्त का कि जेद्दीका बर्णों के भी खून का प्यास है उसकी तमास मयंकरता के साथ पुनरुद्धार किया गया था। और आज यही हाल हमारा भी है। हमारे छोटे छोटे मंत्रों में हमारे धर्म की बचाने के लिए हम झूठ बोल सकते हैं और दगा भी कर सकते हैं। यह मुझसे किसी एक ही छट्टे ने नहीं कहा है लेकिन सैकड़ों मनुष्यों की जयान्ती मेने यही बात सुनी है।

लेकिन इसके लिए जरा भी निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ मतभेद का राक्षस अब अखीरी संघ के रहा है। असत्य का कोई आधार नहीं होता है। ऐक्य का अन्वय और मतभेद का होना असत्य वस्तु है। यदि वे सिर्फ अपने स्वार्थ का भी विचार करेंगे तो भी ऐक्य हो सकेगा। मैंने तो निःस्वार्थ ऐक्य की आशा रखी थी। लेकिन परस्पर स्वार्थ के आधार पर भी यदि ऐक्य होगा तो मैं उसका स्वागत करूँगा। मौलाना साहब जिस मार्ग का सूचन करते हैं उससे यह ऐक्य न होगा जब ऐक्य होगा, यह मायब ऐसे ही आपनों से ही सकेगा किन्तु कि हमें कुछ भी आशा न होगी। ईश्वर तो बड़ा मायावी है। यह हमें समझ देना है हमारे कुछ लड़कों को प्रकट कर देता है। जब किसी को मृत्यु का ख्याल भी नहीं होता है उस समय उसे यह काज के माक में फँसा देता है। जब हम जीवन का विचार भी नहीं देख पाते हैं उसी समय यह जीवन प्रदान करता है। हमें अपनी सुबेकता का स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें अपनी हार कबूल कर लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि हम लोग अपनी स्रता की धृति में से ही ऐक्य का अवलक पर्यत रूप सकेंगे।

मुझे अफसोस है कि मौलाना साहब की प्रार्थना का मैं इसके अधिक उत्साहमय और अच्छा उत्तर नहीं दे सकता हूँ। उन्हें यह जाब कर ही संतोष मान लेना चाहिए कि ऐक्य के लिए वे स्वयं जिनने आतुर हैं उतना ही उसके लिए मैं भी आतुर हूँ। ऐक्य हासिल करने के उनके मार्ग में यदि मुझे भड्डा नहीं है या मैं उसमें भड्डा नहीं रख सकता हूँ तो इसमें हानि ही क्या है? मैं उसके कार्य में कोई बाधा न डालूँगा। मैं ऐक्य के लिए तृष्ठा बेटा नहीं कर रहा हूँ इसके माने यह नहीं है कि मुझे अब उसमें कोई भड्डा नहीं रही। मैं फिर इस बात को बहिर् करता हूँ कि मुझे उसमें जटल भड्डा है। उसी ऐक्य के क्षतिर जो ऐक्य होनेवाला है उसके उत्पादक बनने के अधिकार का भी मुझे त्याग कर देना चाहिए। जब मेरी दक्षकमिती से जाब भरता नहीं है बरिफ उससे तकलीक ही बचती है तो मुझमें इतनी अवलक अवश्य है कि मैं यह बड्डा रहूँगा और जाब के भर जाने तक राह देना करूँगा।

(५६)

मौलाना अबुल कलाम आजाद

## टिप्पणियाँ

### कातनेवालों की मुश्किल

एक कातनेवाले पूछते हैं कि वहाँ सब के नियम के अनुसार सदस्यों से किस बात की आशा की जाती है। हाथ कटाई और खादी का प्रचार करना उनका कर्तव्य होगा। मेरा जैसा लोभी ता उसके सदस्यों से यह भी आशा रखेगा कि वे लोगों में जा कर उनसे खादी पहनने के लिए, रोजाना नियमपूर्वक कातने के लिए और वस्त्रसिंध के सदस्य बनने के लिए कहे। यह उनसे यह भी कहेगा कि वे उनमें जाकर खादी की फेरी करें, उन्हें कातना सीखानें और मित्रों से सब के लिए मेज के रुपये वसूल करें। लेकिन आशा रखना एक बात है और आशा का पूरा होना दूसरी बात है। इसलिए जब कोई शास्त्र उसका सदस्य बनता है और हमेशा विचार-पूर्वक मिहनत के साथ कातता है और जहाँ कहीं भी कपड़े की आवश्यकता हो वहाँ वह खादी का ही इस्तेमाल करना है तो कम से कम उसे जितनी बातें करनी चाहिए उतनी उसने की है यही मान लिया जायगा। बहुत से सदस्य तो बेशक इन दो सिरों के बिन्दु में ही कहीं न कहीं रहेंगे। दूसरे एक महाशय पूछते हैं "वस्त्रसिंध मेरी आदत खादी पहनने की है फिर भी कुछ मौकों पर मे विदेशी कपड़े भी पहनता हूँ। मैं कातता तो नियमपूर्वक हूँ तो क्या मैं वस्त्रसिंध का सदस्य बन सकता हूँ?" मुझे भय है कि ऐसे लोग वस्त्रसिंध के सदस्य नहीं बन सकते हैं। खादी पहनने की आदत के कहने ही से उसमें असाधारण और अनिवार्य कारण के सिवा दूसरे कपड़े के त्याग का समावेश हो जाता है। संघ के शास्त्राचार्यों की बड़ी इच्छा है कि उसके सदस्यों की संख्या बढ़ जाय। लेकिन उसके नियमों का सम्पूर्ण पालन करनेवालों को प्रोत्साहित करने के लिए वे उससे भी अधिक आतुर हैं। मण्डल को उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके सदस्य और कार्यकर्ता खादी में सम्पूर्ण और अटल विश्वास रखनेवाले हों। हमें करोड़ों लोगों में इसके लिए धृष्टता उत्पन्न करनी है। यदि हम इसमें पूरे दिल के साथ न जुड़ जायेंगे तो हमें सफलता न मिल सकेगी। जो लोग खादी नहीं पहन सकते हैं वे अपना हाथ कटा सूत, रुपये, रुई इत्यादि मेज कर इस हलचल को अनेक प्रकार से मदद कर सकते हैं।

### एक उत्तम परिणाम

एक महाशय लिखते हैं:—

"जहाँ तक मुझे समाचार मिले है तिरुपाटी, मेरे शहर में से १५२ व्यक्तियों ने हाथ कटाई के काम को अपना लिया है। उन्होंने डेढ़ साल से सब मिला कर अपने ही हाथ के कते सूत १७३३ गज कपड़ा तैयार किया है। गज कपड़े की बाँडई कोई एक गज ही नहीं। बहुत सा कपड़ा तो ४५ इंच चौड़ा बना गया था। कातनेवालों का न्योग इस प्रकार है।

- १ धारामभा के सभ्य और हाइकोर्ट वकील
- २ प्राक्तिक धारामभा के सभ्य (कुटुम्ब में सूत काता जाता है)
- ११ वकील (एक के सिवा सब यूनीवर्सिटी के पदवीधारी हैं)
- २ शिक्षक (बी. ए. एल टो एस)
- २ अमहयोगी वकील
- १ विद्यार्थी (ऊँच वर्ग का)
- १ डाक्टर (एल एम पी)
- ४ वकीलों के क्लर्क
- ३ लीबाँ
- १४ छोटे मेज के शिक्षक

- १ अमीन्दार और म्युनिसिपलिटि के सभ्य
- २ स्कूल के विद्यार्थी
- ५१ क्लर्क और छोटे छोटे व्यापारी
- ५० म्युनिसिपलिटि की शाखाओं के विद्यार्थी

१५२

हा सूची से यह साबित हो जायगा कि हाथकटाई को सफल करने के लिए सभी वर्ग के लोग प्रयत्न कर रहे हैं। जो सूत तैयार हुआ है वह सब आराम के समय में काता गया था और बहुत सा सूत तो २० अक के ऊपर का है। एक बड़े व्यवसायी वकील के बारे में ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने अपने हाथ से और उनके कुटुम्ब ने कात कर इतना सूत तैयार किया था कि वे अपने और घर के उपयोग के लिए १५१ गज कपड़ा तैयार कर सके थे।

इससे खादी चुपचाप किस तरह फैल रही है यह साबित होगा। पत्र लेखक महाशय ने बिन कातनेवालों का जिक्र किया है वैसे कातनेवाले मैंने हर जगह पाये हैं। लेकिन यह ध्योरा ध्यान खींचने लायक है। त्रिनता किसी मण्डल से कोई सम्बन्ध नहीं है और जो बिना किसी मण्डल की सहायता के ही स्वेच्छा से कत रहे हैं उनके कामने का परिणाम शायद ही दिखाई देता है। इस लिए मेरी राय तो यह है खादी को वास्तविक बनाने के लिए समय की जरूरत है और वह समय अब दूर नहीं है। और स्वेच्छा से किये गये प्रयत्नों के कारण यदि वह लोकप्रिय बन जायगी तो फिर यह समय नहीं कि संघ पर काम करनेवाले उसके साथ स्पष्टी कर सकें।

### बालकों की शाखा

छोटे बच्चे पत्र लिख कर पूछते हैं कि वे पके खादी पहनने वाले हैं और बहुत ही नियमपूर्वक कातते हैं फिर वे वस्त्रसिंध के सदस्य क्यों नहीं हो सकते हैं। उनमें एक नो साल की लड़की भी है। बालकों के लिए इसकी एक शाखा खोलने के प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। अभी मैं एक छोटी लड़की को इसका नेता बनने के लिए राजी करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और उसके माता-पिता से इसके लिए इजाजत प्राप्त करने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। यदि थोड़े ही लड़के और लड़कियाँ इसके लिए तैयार होंगे तो इसका कुछ भी उपयोग न होगा। यदि बहुतेरे माता-पिता इसमें सहयोग करेंगे तो इससे लाभ हो सकेगा। प्रत्येक शाला चाहे वह सरकारी हो या गैरसरकारी हो इन हलचल को मदद कर सकती है। इसे इसीलिये राजनीति से दूर रखा गया है। जो लोग उसके राजनैतिक परिणाम से अर्थात् विना कपड़े के बहिष्कार से डरते नहीं हैं उन्हें तो इसमें दूर रहने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। यदि बालकों के लिए यह शाखा स्थापित की गई तो वह एक सच्चा दया का संघ होगा जो दुष्काल पीड़ित करोड़ों लोगों के लिए कुछ त्याग करने के कर्तव्य के बंधन में बंधों को बांध रखेगा।

(य० इ०)

मो० क० गांधी

### दक्षिण आफ्रिका का अत्याग्रह

(पूर्वक)

ले० गांधी जी। पृष्ठ संख्या लगभग ३००। मूल्य (।।) सरला साहित्य प्रकाशक-मण्डल, अजमेर के स्थायी प्राइकों से। (३) स्थायी प्राइक अजमेर से मगाने और पत्र-सम्बन्ध करे।

व्यवस्थापक नवजीवन, अजमेर-राज



# हिन्दी नवजावन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक १४

मुद्रक-प्रकाशक  
 स्वामी आनंद

अहमदाबाद, अगहन सुदी ४, संवत् १९८२  
 बुधवार, १२ नवम्बर, १९२५ ई०

मुद्रकस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
 चारखपुर चरौगा की बाड़ी

## टिप्पणियां

### एक जरमन की शिकायत

जर्मनी से 'बड़े दादा' को एक पत्र मिला है। उगरे से नीचे लिखा भाग मैंने गहरा दिया है:

"बुराई तो आकाश में भी व्याप्त हो गई है। जो धरे लोप हैं वे धनी हैं और जो अचरित लोग हैं उन्हें आजीविका प्राप्त करने के लिए कष्ट प्रयत्न करने पड़ते हैं। हम लोग 'बड़े दादा' में बलकों का काम करते हैं सबसे अधिक गरीब हैं। हमारी तबकबाह बहुत ही कम है। मासिक ३५ कालर मिलते हैं और इसलिए हमें हमेशा ही तंगी में रहना पड़ता है।

मुझे अक्सर हिन्दुस्तान आने की, उसे देखने की और गांधीजी के चरणों में बैठने की बड़ी इच्छा होती है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे न जी है न बच्चे हैं। सवा बौमार रहनेवाली एक गरीब बेचारी मेरी सतीजी जिसका कोई दूसरा सहायक नहीं है मेरे घर की देखभाल करती है। यदि यह भतीजी न होती तो मैं पादरी बन गया होता। लेकिन मैं उसे कष्ट में डोक न देना चाहता हूँ। मैंने विश्वविद्यालय में शिक्षा भी पढ़ी है। मैंने पुरानी और वर्तमान विदेशी भाषाओं का अध्ययन भी किया है। मैंने बौद्धधर्म और कुछ अणभववाद का भी अध्ययन किया है। लेकिन मैं अच्छी जगह और अच्छी तनप्याह नहीं पा सकता हूँ। यह वर्तमान जर्मनी का हाल है। पंद्रह साल पहले जब यह भयंकर युद्ध लड़ना था मैं एक स्वतंत्र मनुष्य और शोधक था। लेकिन अब जब हमारे सिपों को कीमत बहुत ही घट गई है, जर्मनी के दूसरे हमारे विद्वानों की शरण में भी भिखारी बन गया हूँ। मेरी उम्र अब ४० वर्ष की है और मैं किसका विरथा हो गया हूँ इसका आरको दयान भी न हो सकेगा। मुझे बुरा तो बहुत ही घृणा हो रही है। यहाँ मनुष्यों के मानों कायमा ही नहीं है, वे उन अंगली जानवरों के से हैं जो एक दूसरे को खाते हैं। क्या मैं हिन्दुस्तान जा सकता हूँ? क्या मैं हिन्दुस्तान का दार्शनिक-तत्त्वज्ञानी बन सकता हूँ? मुझे भारत में विद्या है और मुझे आशा है कि भारत ही हमारी आश्रय भूमा है।"

इस पत्र के आरम्भिक पार्थक्य किन्ती हिन्दुस्तानी गलक में लिखे होते तो भी वे ठीक ही थे। जर्मन बच्चों के वनिस्तत उनकी हालत कोई अच्छी नहीं है। हिन्दुस्तान में भी बुरे लोग धनवान

बन बैठे हैं और अच्छे लोगों को आजीविका प्राप्त करने के लिए बड़ी गिदमत करनी पड़ती है। यह तो 'पहाड़ पर ही से सुन्दर मासूम होते हैं' इस उदाहरण को ही उचितार्थ करता है। हम जमन के एक जैसे मित्रों को गठ बनायनी मिल जानी चाहिए कि वे हिन्दुस्तान को जर्मनी से चा बिगो दूरे देश से अधिक अच्छा देश न मानें। उन्हें यह बात बतानी चाहिए कि धन का होना कोई राजनना का प्रमाण नहीं है। हाँ गरीबी अक्सर राजनना का प्रमाण अवश्य होती है। सख्त मनुष्य गरीबी का दुःखा से स्वीकार कर लेता है। यदि केवल एक समय बड़े सगृहस्थाली थे तो उन समय जर्मनी दूरे मुलकों के धन को चूम रहा था। इसका जाम हमें केश में उसकी हर एक व्यक्ति ही के श्राप में है। हमें अपने अन्तःकरण से ही शान्ति प्राप्त करनी चाहिए। और यदि वह सखी शान्ति है तो उसपर दाहरी परिस्थितियों का कुछ भी अछर न होगा। केवल कहते हैं कि उनकी गरीब भतीजी यदि न होतो तो वे पादरी बन आते। मुझे उक्तमें उनके विचार का का कुछ विगडा हुआ मालूम होता है। इससे तो उनके दयाल के सुताधिक पादरी बनने के बनि त केवल की वर्तमान स्थान ही कुछ अच्छी मासूम होती है। क्योंकि आज उनकी एक गरीब भतीजी की भी फिक करनी पड़ती है। लेकिन पादरीपन का दस्तावेज प्राप्त करने पर तो उन्हें किन्तीजी कुछ भी फिक न करनी होगी। लेकिन सब बात तो यह है कि पादरी बन जाने पर तो उन्हें सैबडों भतीजे, भतीजियों को फिक करनी चाहिए। पादरी की जवाबदेही का क्षेत्र भी हम गवार के समान विनाश होना चाहिए, अब आज वे अपनेलिंग और जर्मनी भतीजी के लिए मुलासी कर रहे हैं तो पादरी बन जाने पर तो तमाम कल्पवित्त मनुष्य जान के लिए भी मुलासी करने की आशा इनसे रखी जावेगी। इसलिए मैं इस मित्र को और उनकी जैसी को यह सलाह देता हूँ कि वे पादरीपन का कामा छोड़े बिना ही अपने को दुःखी मनुष्यों के साथ एक कर दे। इससे उन्हें पादरीयों के कर्तव्य का काम भी प्राप्त होगा और वे भयंकर पादरों से भी बच जायगे।

यह जर्मन मित्र हिन्दुस्तान के नरकों की बनना चाहते हैं। मैं उनको यह वकील दिखाना हूँ कि तन्पयज्ञान में कोई केश भिरय, जेर नहीं है। हिन्दुस्तान का तत्त्वज्ञानी जान ही लक था बुरा है जितना की दूर का तत्त्वज्ञानी।

मेरे क्याल में लेखक ने एक बात का कुछ ठीक ठीक अनुमान किया है। यद्यपि हिन्दुस्तान में भी कुछ जंगली और हीनात्मा दो पैर के जानवर बसते हैं फिर भी औसत दर्जे के हिन्दुस्तानियों के मन का मुकाब अपने में से ऐसी पशुता को बुर करने की तरफ ही होता है। और यह मेरा विश्वास है कि यदि हिन्दुस्तान, उसने १९२१ में जिस मार्ग को पसर किया है उसे ही कायम रखेगा तो बुरप उससे बहुत कुछ आशा रख सकता है। उस समय उसने बहुत कुछ विचार करने के बाद ही सत्य और शान्ति का मार्ग पर्यट किया था और उसे चरखे के स्वीकार में और बंदी के साथ असहयोग करने में अंकित किया था। जिस कदर मैं इस देश के बारे में जानता हूँ उसने उस मार्ग को नहीं छोड़ा है और उसके उल्टे छोड़ने की संभावना भी नहीं है।

**अप्रिय सन्ध**

“हिन्दुस्तानियों को ज्ञान पहुंचाने के लिए हमने हिन्दुस्तान को नहीं जीता है। मैं यह जानता हूँ कि मिशनरियों को मना में यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तानियों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हमने हिन्दुस्तान को जीता है। लेकिन यह एक टकोसला है। हमलोगों ने हिन्दुस्तान को प्रेट प्रिटेन के माल की खपत कराने के लिए ही जीता है। हमलोगों ने तलवार से उसे जीता है और तलवार से ही हमें उसे अपने अधिकार में रखना चाहिए, (“शरम है” की आवाजें हुईं) आप चाहें तो ‘शरम’ की आवाजें दे सकते हैं लेकिन मैं जो बात सब दे रही कह रहा हूँ। मैं हिन्दुस्तान में मिशनरियों के काम में बड़ी दिलचस्पी लेता हूँ और ऐसा बहुत सा कार्य मैंने किया भी है लेकिन मैं ऐसा दंभी नहीं कि यह कहूँ कि हिन्दुस्तान को हम लोग हिन्दुस्तानियों के लिए ही अपने अधिकार में रखे हुए हैं। हम इसलिए इसपर कब्जा किये हुए हैं क्यों कि सामान्य तौर प्रिटिश माल की और खास करके केन्देशावर के माल की बिक्री के लिए यह एक बड़ा अच्छा स्थान है।”

यह कहा जाता है कि ये शरर सर जायसन हिंस के हैं। लेकिन हमें अपनी गुलामी का स्मरण दिलानेवाले प्रधान यह पहले ही नहीं है। मह्य बात अलविश्व कपो मालूम होनी है! यह अच्छा है कि हम अपने बारे में यह जान लें कि हमलोगों के भाव्य में जो हमें तलवार के बल से जीत लेते हैं उनके लकड़ी काटनेवाले और पागी भग्नेवाले कुटी बनना ही लिखा है। लकड़े-धावर के माल पर जो बज्रन दिया गया है वह भी ठीक ही हुआ है। मैनेस्टर का कपडा हिन्दुस्तान में बिकना बंध हो जायगा कि उनकी तलवार भी ध्यान हो जायगी। सर विलियम की तलवार की धार को खण्डित करने की अपेक्षा मैनेस्टर के कपडे का और इर्मालण तमाम विदेशी कपडों का इन्वेमाल न करना कहीं आसान है। यह शिपता से भी हो सकेगा आगे यही अधिक सम्भव है और लाभप्रद भी है। उनकी तलवार की धार को खण्डित करने के लिए तो तलवारों की संख्या भी बढ़ानी होगी और उससे दुनिया में कप भी बहुत बढ़ जावेगा। अफ्रीम भी पैदाश की तरह तलवार बनाने के काम पर भी अंकुश होना जरूरी है। अफ्रीम के बनिस्वत तलवार ही के कारण संसार में अधिक कप पाये जाते हैं। और इसलिए मैं यह कहता हूँ कि यदि भारतवर्ष चरखे को अपना लेगा तो वह हथियारों पर अंकुश रखने में और दुनिया की शान्ति की रक्षा करने में दूसरे देशों के और साधनों के बनिस्वत बहुत ही अधिक इत्सा दे सकेगा।

**भैतिक दुर्बलता**

एक महाशय इस प्रकार लिखते हैं:

“मैं स्वयं हिन्दू हूँ और बड़ी कंठी जाति का ब्राह्मण हूँ। लेकिन मैं सुधारक वर्ग का हूँ। मुझे मनुष्य की विवेक-बुद्धि में विश्वास है। विवेकबुद्धि ही ईश्वर है, ईश्वर ही विवेकबुद्धि है। हिन्दुओं के तत्वज्ञान ने जो ‘सोऽहम्’ ‘वही मैं हूँ’ के सिद्धान्त पर जोर देता है आज ऐसी कफावटें कड़ी कर दी हैं कि उनके पार करना हिमालय को पार करने से भी अधिक दुष्कर है। जिस धर्म का आधार चित्तबुद्धि पर है उसी धर्म में विवाह और शुष्क धार्मिक क्रियाओं की इतनी कठौती हुई है कि तब प्रकटा दिखाई भी नहीं देता है। जिस संस्कृति ने ‘ईश्वर के एक पिता होने पर और दूसरे प्राणियों में परस्पर भावभाव होने पर’ ही अधिक जोर दिया था वही संस्कृति आज ब्राह्मण सन्तानों के द्वारा करोड़ों लोगों के कुचले जाने के पक्ष में दिखाई देती है। ब्राह्मणों में भी भिन्न इसके कि उनका एक (ब्राह्मण) धर्म की संतति होना पुरानी कथाओं से पाया जाता है और कोई सामान्य बात नहीं पायी जाती है। अहिंसा के सिद्धान्त ने हमें नीच कायर बना दिया है। हिन्दू हिन्दू के प्रति अपना व्यवहार साफ नहीं रखता है, मुसलमान मुसलमान के प्रति और ईसाई ईसाई के प्रति हमेशा साफ व्यवहार रखता है। हिन्दू-सामान्य से बाहर के रिवाजों को भी हिन्दू लोग ही अधिक सहन करते हैं। यह उनकी कायरता का प्रमाण है। मुसलमान यह कभी भी सहन नहीं करते हैं और ईसाई भी सायद ही सहन करते होंगे। क्या विद्वित हिन्दू लोग भी इस बर्तनके को इसी प्रकार बचाने रहेंगे या उसके विरुद्ध हथियार लेकर उसका अंत कर देंगे।”

पत्रलेखक महाशय ने जो बातें कही हैं उनपर मैं कोई प्रकटा नहीं बाल सकता हूँ लेकिन इसपर मैं अपनी सलाह दे सकता हूँ। सुधार अपने ही पक्षके शुष्क होना चाहिए। “वेध व अपनी ही दवा कर” वह सिद्धान्त विरुद्ध सही है। जो लोग हिन्दुओं की भैतिक दुर्बलता और कायरता का अनुभव करते हैं उन्हें कम से कम पहले अपने ही से काम शुरू करना चाहिए। जो आक्षेप किये गये हैं उनमें से कुछ बातों को छोड़ कर सामान्य तौर पर उन अक्षेपों की सत्यता का स्वीकार अवश्य ही कर लिया जायगा। लेकिन उसके विरुद्ध हथियार उठाने से क्या वह बड़ी दूर हो सकेगी? तलवार के पटे खेलेने से भैतिक दुर्बलता का उपाय कैसे हो सकेगा? क्या जबरदस्ती करने से छोटी छोटी शक्ति, असह्यता और अंधहीन रिवाज दूर हो जावेंगे? क्या उससे जबरदस्ती का धर्म हाजिल न हो जायगा? यदि ईश्वर विवेकबुद्धि ही है तो तलवार की मदद नहीं लेनी चाहिए, लेकिन विवेकबुद्धि को ही जागृत करना चाहिए।

अथवा क्या केवल हिन्दू-मुस्लिमों के वैमनस्य के बारे में इतना करते हैं और हिन्दुओं की तलवार उठाने को कहते हैं? लेकिन गुरुम परीक्षण करने पर यह बात मालूम हो जायगी कि बहुत से मामलों में तो हथियार उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, इत्सा ही नहीं वह हाजिकारक भी होता है। आवश्यकता मात्र कष्टसहिष्णु बनने का है। मैं मानता हूँ कि हमलोग अहिंसा के कारण कायर नहीं बने हैं लेकिन अहिंसा के अभाव के कारण ही बने हैं। अपने विरोधियों का घुरा बाहना यह अहिंसा के कारण तो कभी भी नहीं हो सकती है; लेकिन उसके अभाव में ही यह हो सकता है। वह नहीं कि जो लोग हथियार नहीं उठाते हैं वे अहिंसा के क्याल से ही हथियार नहीं उठाते हैं। लेकिन आज वे शत्रु से डरते हैं इसीलिए हथियार नहीं उठाते हैं।

अधिकांश मरीजों की रीति है कि जिन्हें इबियार के संबंध में और कोई क्लेश नहीं है वे इबियार ठहरने के लिए हिम्मत दिखाते हैं। तब हम उन्हें अस्त्रियादिओं से बरी हो आने की मार करने से बरते हैं और अपनी कायरता अहिंसा के नाम से छिपाना करते हैं, और जो जीवन के सब से बड़े सत्य को विहृत कर देते हैं, वही बात 'सो-सम' के बारे में भी कही जा सकती है। अस्त्रियों के साथ अपने व्यवहार से हमलाय इस वैज्ञानिक सत्य को कलंकित करते हैं। अन्त में जो आक्षेप किये गये हैं उनका समर्थन नहीं किया जा सकता है। जो बात हिन्दुओं के लिए सच है वही दूसरे धर्मों के लिए भी सच है। एक ही परिस्थिति में सब कर संसार का साधन एक ही प्रकार से काम करता है। भयं मुसलमान कभी कुछ भी सहन नहीं करते हैं। मैं अपनी यात्राओं में ऐसे सैकड़ों मुसलमानों को मिला हूँ जो हिन्दुओं के जैसे ही सहनशील हैं। मैंने ईसाइयों को भी बहुत मरतबा सहनशील पाया है। और निरीक्षण करने से अलग यह भी जान सकते हैं कि जो लोग दूसरे धर्मों के प्रति असहनशील हैं वे अपने धर्म में, आपस में भी असहनशील ही होते हैं।

अ० श्री० देवाचरण-स्मारक

देवाचरण-स्मारक बन्दे की यह बारंबारी सूची प्रकाशित की जाती है।

पहले वा रक्षित बन्दा कलकत्ता बन्दा

क.	आ.	पा.
६६,४४८	—	१—१
६,२५०	—	०—०
७४,६९८	—	१—१

कलकत्ता बन्दा कुछ अधिक या केंद्रित अभी कमी को धरना आजातों के पास नहीं पहुंचा है। केवल इस बन्दे में इसकी यदि जोर भी दिया जाय तो भी कोई बहुत कर्म न होगा। मैं कार्यकर्तों को यह याद दिलाऊंगा कि बन्दा एकत्रित करने के उत्साह में वे फिर कोई गलती न करें। जो जो बन्दा देता चाहते हैं वे उस शान्त में जबतक मैं न जाऊं तब तक मेरी राह देखते रहें और बन्दा न दें तो यह ठीक नहीं है। देवाचरण स्मारक के लिए जो बन्दा हो वह जित काम में वह समारा जायगा काम के और जनता के उस मित्र के योग्य अवश्य ही होना चाहिए। जबतक हमारे पास लक्ष्यों रुपों न होंगे तबतक धारे हिन्दुस्तान में लाठी की व्यवस्था न की जा सकेगी। बन्दा को यह स्मरण रखना चाहिए कि उसके एक रुपये में से हिन्दुस्तान के जाठ काम के मुले मनुष्यों को प्रामाणिक काम मिल रहेगा।

बरसा-संध की सज में, जिसका काम पांच दिन तक चला था, सभी की कमी के कारण यह निर्णय किया गया था कि जबतक कमी बन्दा इकट्ठा न कर लिया जाय तबतक बरसा-संध से रुपये सामने के लिए की गई कोई नयी धरजी का उसे स्वीकार ही न करना चाहिए और जो फरजिया हैं उनपर बन्दा कमी इकट्ठा करना है इस क्लेश से ही उसे विचार करना होगा। यदि लाठी का कार्य पूरा पूरा सम्पन्न करना है तो लाठी के समियों को भी प्रिय ही बन्दा एकत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए।

मुसाफिरो का दिन

मुसाफिरो का दिन सत्राने का और हिन्दुस्तान के एक भाग के दूसरे भाग में जाने के लिए कठोरी लोच को रोकथाम की या अज्ञानी का इस्तेमाल करने है। उनकी हालत में कितना दुःख हुआ है इसकी धारणा करने का विचार बहुत ही अच्छा है। पहले सब से तीसरे रजे में मुसाफिरो का काम ही सब समाप्त हो

अज्ञानों के तीसरे रजे में सफर करनेवाले मुसाफिरो की तकलीफों के बारे में बहुत कुछ कह सकता था। लेकिन इस सिद्धान्त के अनुसार कि 'जो दृष्टि से बाहर है वह दिल से भी बाहर है' अक क्योंकि मैं रजे के तीसरे रजे की तकलीफों का अनुभव नहीं कर रहा हूँ, मैंने उस विषय पर लिखना ही बंद कर दिया है। लेकिन यह मुसाफिरो का दिन हमें उन कठोरों लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य याद दिलाता है कि जो जोरी तरह से बने हुए गन्दे कमरों में श्रेष्ठों की तरह बन्द किये जाते हैं और जिनकी आनन्दकामों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। रजे के अधिकारियों की उदासीनता के कारण मुसाफिरो को जो तकलीफ उठानी पड़ती है वह उसका एक अंश मात्र है। इस अंश पर और देना ठीक है। लेकिन मुसाफिरो को स्वयं अपनी उदासीनता और उनका अज्ञान भी उनकी तकलीफों का एक कारण है और वह भी उनका ही महत्व रखता है। देश के जुरा जुदा विभागों में इसके लिए जो समर्थ होंगी उनमें व्याख्यान देनेवाले यदि मुसाफिरो का अपनेतई क्या कर्तव्य है इसी विषय पर अधिक जोर देंगे तो बड़ा अग्र्यथा होगा। तीसरे रजे की मुसाफिरो को सहन करने लायक बनाने को हमें हमारी अलसता आदतों को, अपने पडोसी के प्रति अपने अधिकार को, और भरे हुए बन्दे में तुलने की हमारी जिद्द को छोड़ देना होगा। इसके लिए बड़ा उत्साह चाहिए और आरंभ में जो प्रयत्न वह कार्य शुरू करेगा उसके लोगों में अभिय बनने की भी समावना है। मैं चाहता हूँ जीवराज मेननी और उनके साथ काम करनेवालों की इस कार्य में सफलता प्राप्त हो।

(२०-६०)

श्री० क० नाथी

बरसा-संध

बरसा-संध के सत्री लिखते हैं:

सूत की पहलूज अब हरएक सूत बेचनेवाले को एक एक कार्ड लिख कर मेज़मन विभित हुआ है, इसलिए नवजीवन में पूरी सूची छापना थं वर दिया गया है। अब केवल प्रान्तवार भीजान दिया जावेगा।

भीचे ता० ११-११-२५ तक का भीजान दिया जाता है:-

प्रान्त	अ वर्ग	प वर्ग	भंड	जोड	सहकारी
१ अजमेर	२	०	०	२	०
२ आंध्र	१४५	१	४	१५०	०
३ आसाम	३५	०	०	३५	०
४ बिहार	५६	८	०	६४	०
५ बंगाल	५९	१	१	६१	४
६ बरार	१	०	०	१	०
७ बर्मा	३	३	०	६	१
८ हिन्दु-मध्यप्रान्त	१५	३	१	१९	०
९ मराठी	३३	११	०	४४	३
१० चंबई शहर	१०	१	१	१२	१
११ दिल्ली	८	०	०	८	०
१२ गुजरात	१९४	६०	२३	२७७	१
१३ कर्नाटक	६१	४	६	७१	१
१४ केरल	१९	१	०	२०	०
१५ महाशष्ट्र	५८	१०	२५	९३	२
१६ पंजाब	१०	०	१	११	१
१७ सिंध	३८	६	०	४४	१
१८ तामिळनाडु	१२६	१४	७	१४७	०
१९ तेलुङ्गनाडु	३८	०	५	४३	०
२० उत्तरक	१३	०	०	१३	०

## हिन्दी-नवजायन

मुद्रण, भगहन एटी ४, संवत् १९०२

### सच्चे महासभावादी

१

'आप यह नहीं जानते कि हम महासभावाले क्या हैं ? मैं आपको यह मनाऊंगा । महासभा के एक बड़े मशहूर सदस्य एक बड़े अच्छे आराम के घर पर पढ़ते । उनका वहाँ आने के लिए कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था । उन मकान के मालिक को उन्होंने कुछ खबर भी न दी थी । वे वहाँ पहुँचें कि उस मकान के मालिक ने उनसे पूछा कि वे उहाँमें क्या ? उन्होंने उत्तर दिया: 'यहाँ, आर कहाँ ?' मकान का मालिक उनकी इस प्रश्न के लिए तैयार न था । लेकिन उसने उन समय जैसा भी बन पड़ा उनका लिए अच्छा प्रबंध कर दिया । परन्तु जिस मिहमान ने इस प्रकार अपने को उसपर उदा दिया था उसकी निन्दा करना वह भूला नहीं । उसने सूक्ष्म भाष से उनका अपमान करने के लिए भी मौके ढूँढ निकाले लेकिन उन्होंने ऐसे अपमानों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । मुझे आपको यह भी ऊँच देना चाहिए कि मिहमानी करनेवाला वह मकान का मालिक महासभा का सदस्य न था ।'

२

दूसरे एक महासभावाले ने बिना किसी भी प्रकार की हानि का दिखे एक महासभा के कार्यकर्ता के घर पर आ कर अड्डा जमा दिया था । उनके साथ बहुत से लोग थे और जिस प्रकार के आराम की उन्होंने आशा रखी थी वैसा आराम न मिलने पर वे उस कार्यकर्ता पर बहुत ही बिगड़े थे । हम महासभावाले अपने बारे में इनका ऊँचा ख्याल बना लेते हैं कि हम लोग यह मानने लगते हैं कि हमें बहुत ही गौरे खानों में सबसे अच्छी सेवा मिलने का और पाने का पुरा हक है ।'

यह ही हमारे महासभा के एक गले कार्यकर्ता ने ऐसे दर्द के साथ मुझसे ख्याल किया था कि मुझे यह ख्याल हुआ कि मैं उनका उल्लेख कर के उनमें कुछ शिक्षा मिल सकती हो तो उसका आदर कर । जबकि यह अपने लिए पर निर्भर ही नराम न बँट जाय तब तक किसीका भी हमें अपने लिए नहीं लीन लेना चाहिए । इन परनाओं की जा-बुझ कर धिक्का दिया गया है । मैं इसकी दूसरी बात नहीं जानता हूँ । इसलिए किसीको भी उन लोगों को पहचानने का प्रयत्न करने में अपना समय व्यर्थ नहीं बँवाना चाहिए ।

जो बात करनी आवश्यक है वह यह है कि उनका कभी भी अनुसरण न किया जाय । महासभावालों की सच्चे महासभावादी बनने के लिए शक्ति ले पने होना चाहिए । यह याद रखना चाहिए कि वे शैलियुक्त और ज्ञान माधनों से स्वच्छ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । बहुत दिनों से हमलोग उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं । इसलिए उससे जो सश्र अनुमान निकल सकता है वह यह है कि हमलोगों ने अपने परस्पर के व्यवहार में भी उन साधनों का उपयोग नहीं किया है जो ज्ञान करने पर उचित ही जान पड़े । एक महासभा ने जो पत्र लिख कर मुझे यह सूचना दी थी कि अपने प्रतिपक्षियों के प्रति तो हमें क्षम्य और अहिंसा

का व्यवहार रखना चाहिए लेकिन हमारे आपस के व्यवहार में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । लेकिन अनुभव से यह बात जानी जाती है कि यदि हम सब समय, सभी मौकों पर सत्य और अहिंसा का व्यवहार नहीं रखते हैं तो हम कुछ मौकों पर, कुछ लोगों के प्रति वैसा व्यवहार रखने में भी असमर्थ होते हैं । यदि हम आपस में ही एक दूसरे के प्रति विचार से काम नहीं लेते ह तो हम बाहर की दुनिया के प्रति भी विचार से काम न ले सकेंगे । यदि हम अपने अंदर के और बाहर के तमाम व्यवहारों में, छोटी छोटी बातों में भी, विचारपूर्वक छुट्ट न रहेंगे तो महासभा की प्रतिष्ठा सब जगह हो जायगी । यदि हम पाई की ही फिक्र करेंगे तो हमारा अन्ती फिक्र आप ही कर केगा ।

सच्चा महासभावादी एक सच्चा रोबू है । वह हमेशा सेवा करता है, लेता कभी नहीं । अर्थात् उसके अपने आराम से संबन्ध है उसको आशानी से सतोक हो जायगा । सबसे पीछे बैठने में ही वह सतोक मानता है । वह जातिगत या प्रांतिक अभिमान नहीं रखता है । उसके ख्याल में उसका देश ही सबसे बढ कर है । उसने सब दुःखों काशाओं का त्याग कर दिया है, यहाँ तक कि मृत्यु के भय को भी छोड़ दिया है और इसलिए वह बहुत ही अधिक बहादुर होता है । और क्यों कि वह बहादुर होता है इसलिए उदार भी होता है और अपनी जसता के कारण और अपने दोषों का और अपनी मर्यादा का उसे ज्ञान होने के कारण वह बड़ा क्षमावान भी होता है ।

यदि ऐसे महासभावादियों का मिलना मुश्किल है तो स्वराज बहुत दूर है । और हमें अपने श्रेय-उद्देश्य को बदलना होगा । अभी तक हमें स्वराज नहीं मिला है यही इस बात का सुबूत है कि आज मिलने चाहिए उतने सच्चे महासभावादी नहीं हैं । चाहे कुछ भी क्यों न हो, यदि मैंने बुरी बटमाओं का, जो बढ भी सकती है, उल्लेख किया है तो मुझे इस बात का भी प्रमाण देना चाहिए कि मैंने जिन कपीटी का नाम लिया है उसपर ठीक उतरने वाले महासभावादी भी हैं । वे थोड़े हैं लेकिन दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं । वे प्रगल्भ नहीं हुए हैं और यह अच्छा ही है कि वे मरहूँ नहीं हुए हैं । यदि वे चाहते लगे कि वे प्रकाश में आने और महासभा के कार्यों में उनका नाम इज्जत के साथ लिया जाय तो काम का होना ही असंभव हो जायगा । जो लोग 'बिक्रोरिया काय' का पदक पाते हैं वे सब से अधिक बहादुर और दखवान मेवक ही होते हैं वह बात नहीं है । दुनिया के जो सच्चे बहादुर और नायक हैं उन्हें आखिर तक कोई भी नहीं जान सकता है । उनके कार्य अमर-चिरजीवी होते हैं । उनका कल स्वयं उनका कार्य ही होता है । ऐसे लोग ही दुनिया में सच्चे श्रेष्ठ लगानेवाले हैं—वे उगका छुट्ट करते हैं । उनके बिना दुनिया ऐसी कष्टमग प्रतीत होगी कि उसमें कोई भी न रहे सकेगा । महासभा के सभासदों ने से ऐसे ही कुछ लोगों की मुलाकात करने का मुझे मौभाग्य प्राप्त हुआ है । लेकिन उनके लिए महासभा कोई ऐसी संस्था नहीं कि उसमें होने के कारण वे अस्तित्व करने लगे । वेसक इस समय महासभा के प्रथम प्रथम पदों पर कब्जा करने के लिए और महासभा की अपने-अपने अधिकार में लेने के लिए बड़ी स्पर्धा हो रही है । यह एक रोबू है जिसका कि अभी अभी स्फोट हुआ है । कुछ समय के बाद वह अवश्य ही दूर हा जायगा और फिर स्वच्छ स्वच्छ होगा । लेकिन जब तक महासभा प्रामाणिक, सश्ररहित और सख्त विद्वान बननेवाले लोगों की संस्था न बन जायगी तब तक यह न हो सकेगा ।



महासभा में सदा जनता का ही प्रतिनिधित्व रहे। लेकिन उससे किसीको लोगों से सेवा पाने का इच्छा प्राप्त हो जाता है यह नहीं मान लेना चाहिए। आगामी वर्ष के लिए एक ही महासभा की प्रधान होगी। यदि जो आत्मत्याग और पवित्रता की मूर्ति नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है। महासभा के सदस्य, जो हों या पुण्य हों वे अश्वेतर्ह स्वयं गम न करें अपने हृदय को शुद्ध करें और करोड़ों मूक लोगों के योग्य प्रतिनिधि बनें।

(च. इ.)

मोहनदास करमचंद गांधी

### हमारी अस्वच्छता

मेरी हिन्दुस्तान की यात्रा में मुझे हमारी अस्वच्छता को देख कर ही सबसे अधिक कष्ट हुआ है। जहाँ गया वही मैंने उसे पाया। मुझे अश्वरदस्ती सुधार करने की नीति मान्य नहीं है लेकिन करोड़ों लोगों में जो भारत पर कर बैठा है उनको बदलने में जो समय लगेगा उसका जब मैं विचार करता हूँ तब इस अस्वच्छता के बड़े महत्त्व के प्रश्न से जहाँतक सम्बन्ध है मैं अश्वरदस्ती सुधार करने की नीति को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हो जाता हूँ। बहुत से रोग तो केवल अस्वच्छता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अस्वच्छता के कारण ही नाक निकलता है। कोई भी क्यों न हो, जो स्वच्छता के मूल नियमों का पालन करता है उसे वह रोग कभी भी न होना चाहिए। वह रोग गरीबी के कारण भी नहीं होता है। स्वच्छता के मूल नियमों का अज्ञान ही उसका एकमात्र कारण है।

माँझी की गन्दगी को देख कर ही मुझे मैं विचार सूझे हैं। माँझी के लोग कुछ गरीब नहीं हैं, उनकी अज्ञान भी नहीं कहा जा सकता है फिर भी उनकी आदतें ऐसी गंदी हैं कि उनका कुछ वर्णन ही नहीं हो सकता है। जिन रास्तों पर वे नंगे पैर चलते हैं उन्हें ही वहाँके लोग गंदे करते हैं। वे प्रतिदिन प्रातःकाल में उन्हें गन्दा करते हैं। उस गंदह में कहीं पाखाना बेसी कोई चीज है ही नहीं। इन रास्तों पर से मैं बड़ी कठिनाई से जा सका था।

मुझे माँझी के लोगों के प्रति कठोर न होना चाहिए। मुझे याद है कि भारत की गलियों में और रास्तों पर भी मैंने इससे कुछ अच्छा दृश्य न देखा था। पुहन उग्र के लोग नदी के किनारे बैठ जाते हैं और फिर किनी भी प्रकार के विचार के बिना ही नदी में से पानी लेते हैं और उसके साथ मोतीबारा, हेम और धेवीश के अणुओं को भी उनमें दालिखल करते हैं। यही पानी पीने के लिए भी काम में आता है। पंजाब में हमलोग छत्रों को गंदा करते हैं और बड़ी बहुमती मत्स्यियाँ पैदा करते हैं और ईश्वर के बान्धन का भंग करते हैं। बंगाल में एक ही साकाश में मनुष्य और जानवर पानी पीते हैं और उसी में वे गहाने भी हैं और बड़ी बरतन भी साफ करते हैं। लेकिन मुझे इस सज्जाजनक बात का अधिक दर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि यह धरम की बात है तो उसकी छिपाना भी पाप है। लेकिन मैं इसके संबंध में अधिक लिखने की इच्छा नहीं करता हूँ। मैंने उसका कुछ हलका सा ही चित्र खींचा है।

मेरी माँझी के साहसी लोगों की आदर्श स्वच्छता का मार्ग दिखाने के लिए और उनके नेता बनने के लिए प्रार्थना रुहवा। राज्य की तरफ से मदद मिले या न मिले उन्हें इस कार्य में किसी मुझल व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए और सम्पूर्णतया स्वच्छता स्थापित करने के लिए रुपये खर्च करना चाहिए। साधुता के बाद स्वच्छता का ही महत्त्व अधिक है। मजलीस अन्तःकरण

के कारण जिस प्रकार हम ईश्वर के कृपापात्र नहीं बन सकते हैं उसी प्रकार मजलीस देह से भी नहीं बन सकते हैं। स्वच्छ देह अस्वच्छ नगर में नहीं रह सकता है।

हमें सभी कामों को स्वराज हासिल करने तक मुलतवी नहीं रखना चाहिए और इस प्रकार स्वराज को ही मुलतवी नहीं कर लेना चाहिए। बहादुर और साफ सुधरे लोग ही स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि सरकार बहुत सी बातों के लिए जवाबदेह है फिर भी मैं यह जानता हूँ कि हमारी अस्वच्छता के लिए ब्रिटिश अधिकारी जवाबदेह नहीं हैं। हाँ, यदि हम उन्हें पूरी स्वतंत्रता दें तो वे तलवार के बल से हमारी आदतों को सुधार देंगे। मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि समझे उन्हें कुछ रुपये मिलने की आशा नहीं है। लेकिन वे स्वच्छता के संबंध में कैसे भी सुधार करने के प्रयत्नों का स्वागत करेंगे और उन्हें उत्साहित करेंगे। इस मामले में हमें यूरोप से बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमलोग अमिमान के साथ मनु के कुछ भ्रम, और यदि मुसलमान हुए तो कुरान की कुछ आदतें पढ़ते हैं। लेकिन हमलोग उसपर अमल नहीं करते हैं। इन पुस्तकों में स्वच्छता के संबंध में जो सिद्धान्त पाये जाने हैं उनपर से युरोपियन लोगों ने स्वच्छता के सम्बन्ध में एक बड़ा शाख रच कर तैयार किया है। हमें उनके पास से उसे सीखना चाहिए और हमारी जावश्यकता और आदतों के अनुसार उसका स्वीकार करना चाहिए। केवल शोभा के लिए नहीं लेकिन काम करने के लिए एक स्वच्छता-प्रसारक-मण्डल स्थापित किया जाय तो मैं उसे बहुत ही पसन्द करूँगा। उसके सभासद ऐसे होने चाहिए कि वे झाड़ू, फावड़ा और एक बाल्टि लेकर काम करने में भी अपनी इज्जत समझे। समस्त भारत वर्ष की बालाओं में और कालिनों में पहनेवाले लड़के लड़कियों के लिए यह एक कमा ही अच्छा राष्ट्रीय कार्य है।

(च. इ०)

मोहनदास करमचंद गांधी

### रामनाम और खादी

एक पुराने 'जोगी' इस प्रकार लिखते हैं:

"आपका कार्य बिना रामनाम के प्रचार के अपूर्ण और रुका मायम होता है। स्वराज की अपेक्षा रामनाम पर ही अधिक जोर देना चाहिए। मुलसीदासजी के रामायण में बालकाण्ड की आरंभिक प्रस्तावना — कथा भाग के पृथ का भाग — बार बार पढ़ने पर मुझे यह यकीन हो गया है कि बिना जप किये मन को शुद्धि होना कठिन है। बहुत से लोग जब प्रेम में मस्त हो एक साथ मिल कर राम नाम का शोर करते हैं तब जो शक्ति उत्पन्न होती है उसके सामने कोई दूसरी शक्ति ठहर नहीं सकती है। अर्थशास्त्र के द्वारा खादी का प्रचार हो ही नहीं सकता। उससे न स्वराज मिल सकता है और न ऐक्य हो सकता है।

विद्वानों को तो संसार में कोई भी नहीं समझा सका है। भक्तों को समझा सकते हैं। आपको तो मोह हो गया है। श्री राम और श्री कृष्ण ने विद्वानों के साथ माथापकी नहीं की थी। विद्वान लोग तो जो पदार्थ हाती हैं उनपर चर्चा करते हैं और उस पदार्थ के होने में जिन कारणों की मदद है इसका ही विवेचन करते हैं। लेकिन पदार्थों को पढ़ाने के कार्य में तो भगवान और उनके भक्तों (भोयो और बानरों) का ही हाथ होता है। अजिन विद्वाना दिखाने गया इसलिए उसे अनाथ, अस्वार्थ, अकारि-कर, बचीब, क्षुद्र और दुर्बल दृश्य का कहर, लेकिन जब वह भक्त बनने उतका मोह नष्ट हो गया। भगवान स्वयं ही अपने भक्त हैं और संसार को भक्ति करना सिखाते हैं। आप भी जब एक

जगह शांति से बैठें, भटकना छोड़ दें और जो बर्तव्य है उसे ही करें; अर्थात् रामनाम का जप और कर्तव्य कर्म की स्थापना करें।

लिखने का दिवस बहुत होना है और बहुत दिनों से हो रहा है। लेकिन मेरा यह पत्र शाब्दिक पक्षों से नहीं पढ़ेंगे। आपके पास पढ़ने के पहले यह आपके बहुत से पार्षदों के हाथ से गुजरेगा। फिर भी इस बातका यह पत्र लिखा है। उसमें दोष न निकालिएगा। उसमें से जो ग्रहण करने योग्य हो उसे ग्रहण कर लीजिएगा।

यह पत्र दो महीने से मेरे ही पास पड़ा हुआ है। मैंने सोचा था कि कुछ फुरसत मिलने पर मैं उसे नवजीवन के पाठकों के सामने पेश करूँगा। आज यह फुरसत मिली है अथवा यों कहो कि मैंने ही इसके लिए कुछ फुरसत का समय निकाला है। पत्र-लेखक ने मुझे दोष न देने की सलाह दी है। और आज यदि मैं उनके पत्र पर टीका कर रहा हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं उसके दोषों को ही देख रहा हूँ, लेकिन उसका हेतु तो इस पत्र को नवजीवन में कहीं न कहीं स्थान दे कर रामनाम की महिमा प्रकट करना है। पत्रलेखक महाशय और दूसरे लोग भी इस बात का यकीन रखें कि जो ग्रहण करने योग्य है उसे मैं अवश्य ही ग्रहण करता हूँ। मुझे यह प्रतीत होता है कि रामनाम की महिमा में मुझे अब कुछ नया सीखना बाकी नहीं है। क्यों कि मुझे उसका अनुभवज्ञान है। और इसीलिए मेरा अभिप्राय यह है कि खादी और स्वराज्य के प्रचार की तरह रामनाम का प्रचार नहीं हो सकता है। इस कठिन काल में रामनाम का उलटा जाप होता है। अर्थात् बहुत से स्थानों में केवल आत्मन्तर के लिए, कुछ स्थानों में अपने स्वार्थ के लिए और कुछ जगहों में व्यभिचार करने के लिए इसका जाप होता हुआ मैंने देखा है। यदि केवल उसके बड़े अक्षरों का ही जाप हो तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं कहना है। यह हमने पढ़ा है कि कुछ हृदय के लोगों ने उलटा जाप जप कर के भी मुक्ति प्राप्त की है और इसे हम जान भी सकते हैं। लेकिन शुद्धोच्चारण करनेवाले पापी पाप की पुष्टि के लिए रामनाम के मंत्र का जप करें तो क्या कहेंगे? इसीलिए मैं रामनाम के प्रचार से डरता हूँ। जो लोग यह मानते हैं कि भजन मन्त्रों में बैठ कर नाम की रट लगाने से, शोर करने से ही भूत, भविष्य और वर्तमान के सब पाप नष्ट हो जायेंगे और कुछ भी करना बाकी न रहेगा, उन्हें तो दूर ही से नमस्कार करने चाहिए। उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता। रामनाम जपने की योग्यता प्राप्त करने के लिए मैं तो प्रथम खादीप्रचार इत्यादि की योग्यता ही अपेक्षा करूँगा। रामनाम के जाप से ही खादी के प्रचार के लिए वायुमण्डल तैयार होगा यह मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है।

विद्वानों को संसार में कोई भी नहीं समझा सका है यह वाक्य जो राम के दास हैं वे किस प्रकार लिख सकते हैं? मुझे यह नहीं मान्य होना कि मुझे कुछ भी मोह हुआ है। विद्वान भी तो राम की दुनिया में ही रहते हैं और बहुतेरे विद्वान राम का नाम लेकर फिर भी गये हैं। सच बात तो यह है कि विद्वानों को विद्या भक्त के और कोई भी नहीं समझा सकता है। और भक्त होने की अभिलाषा रखनेवाले में विद्वानों को समझाने का प्रयत्न भी कर रहा हूँ। और मुझे मोह न होने के कारण जो लोग समझते नहीं हैं उनपर मुझे कोप भी नहीं होता है किन्तु मुझे अपनी भक्ति में ही श्रद्धा होने के कारण स्वयं अपने पर ही कोप होता

है। और मेरे हृदय में राम सर्वदा निवास करे इसके लिए अधिक हृदयशुद्धि की आवश्यकता है यह उपदेश रामों के लिए मैं सदा कायम-वित रहता हूँ और मैं अपने को सदा यही उपदेश देता रहता हूँ। यदि भक्ति में रस पैदा न कर सके तो यह भक्त का दोष है। श्रोता का नहीं। रस हो तो श्रोता उसे अवश्य ही सुनेगा। लेकिन यदि रस ही न हो तो श्रोताओं का क्या दोष? कृष्ण की मन्त्री यदि फूटी होती और उसमें से कर्षण शब्द निकलता होता तो उसे सुनकर गोपियाँ भयभीत हो कर भाग भी जाती तो कर्षण की ही निंदा होती गोपी की नहीं। अर्जुन विचारा यह धोके ही जानता था कि यह पदा हुआ दुर्लभ है और अपनी विद्वत्ता दिखाने में बोलबाक कर रहा है। लेकिन कृष्ण की सुझता ने अर्जुन को सुझ कर दिया और उसका मोह दूर किया। इसीलिए जो रामनाम का प्रचार करना चाहता है उसे स्वयं अपने हृदय में ही उसका प्रचार करके उसे सुझ कर लेना चाहिए और उसपर राम का साम्राज्य स्थापित करके उसका प्रचार करना चाहिए। फिर उसे मंत्रार भी ग्रहण करेगा और लोग भी रामनाम का जप करने लगे। लेकिन जिस किसी स्थान पर रामनाम का जैसा जैसा भी जप कराना पासेड की पुष्टि करना है और नास्तिकता के अज्ञान का जग बढाना है।

एक जगह बैठने से मनुष्य स्थिर बंधे ही हो सकता है। जिसका मन सदा कुरीतों अज्ञान की सुसंस्कार करता है और जो शरीर को बांध कर बैठ है उसे राम भी क्यों कर पढ़ने सकेंगे? लेकिन जो दमर्सी की तरह अंगल अंगल भटकता है और पेड़ों को, अंगुली के जानवरों को भी अपने रामरुपों तक की खबर पूछता रहता है उसे भटकता हुआ कहेंगे या फिर कहेंगे? यह क्यों न कहें कि बैठे हुए जो जो भटकता देखता है और भटकते हुए जो जो स्थिर देखता है वही ठीक देखता है? कर्तव्य कर्म की स्थापना कैसे की जा सकती है? कर्म करने से ही होनी न? यदि ऐसा ही है तो मैं संसार जीत चुका हूँ क्योंकि जिस में न कर्मगा उसे मैं कभी भी न कहूँगा। इस 'पुराने जोगी' के मोह की बात मुझे पाठकों को सुनानी होगी। यदि इससे लोग यह सही जानते हैं तो यह ध्वस्तव्य है, लेकिन यह 'जोगी' तो यह जानते ही हैं कि मेरे पास ऐसे पार्षद हैं ही नहीं जो सम्भ्राम से लिखे गये ऐसे पत्र मेरे पास शीघ्र न पहुँचा दें। यह पत्र तो मुझे फौरन ही मिल गया था लेकिन मैं आज दो महीने के बाद उसका उत्तर दे सका हूँ। इसमें दोष किसका है? मेरे शरीर सिद्धापात्र बने हुए पार्षदों का है, मेरा है, विधि का है या पत्र लिखनेवाले का ही है? इसमें हमको लिखनेवाले का ही दोष मान लेंगे। जो लोग मुझे चर्मसंकेत में डालनेवाले ऐसे पत्र लिखते हैं उन्हें राह देखनी चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। उन्होंने जो समस्या से-सामने रखी है वह ऐसी तो है ही नहीं कि जिस प्रकार मैं यह एक पत्र में कह सकता हूँ कि मित्र के सुत का बना कपड़ा बाकी नहीं है उसी प्रकार उसका भी उत्तर दे सकूँ। ऐसे पत्रों का उत्तर देने से रामनाम का महिमा बढ जाने का भी डर मुझे लगा रहता है। इसलिए यह क्या भी होता है कि इसका उत्तर ही न दे तो उसमें क्या नुकसान होगा? और फिर यह किस मान्य है कि इन उत्तर में कुछ मोह न रहा होगा? यदि इसमें कुछ मोह होगा तो भी जिस प्रकार पोंटे बहुत सुन्दरने राम के कर्णों पर रक्त दिये जाते हैं उसी प्रकार यह मोह भी उसीके समर्पण हो।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

### कच्छ के संस्मरण

#### आशा का पतन

कच्छ जाने के लिए स्टीयर पर चढ़ा होने के पहले ही मैंने सख्त भाव से यह कहा था कि मुझे यह खबर नहीं है कि मैं कच्छ किसलिए जा रहा हूँ। और अब इस लंबी सफर को पूरा होने में केवल एक ही दिन बाकी है फिर भी मुझे यही कयाल होता है कि मैं यहाँ किसलिए आया था। हर एक कगड़ जाने के पहले मैं यह विचार कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ क्या करना होगा और मुझे यहाँ से क्या आशा रखनी चाहिए। कच्छ के बारे में तो मुझे कुछ भी खबर न थी। सिर्फ कुछ कच्छी मित्रों के प्रेम और आग्रह के बगल ही मैं कच्छ जाने के लिए तैयार हुआ था। 'कच्छ' शब्द का मैंने जान बूझ कर प्रयोग किया है। क्योंकि मैंने यहाँ जा कर देखा कि कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि मुझे कच्छ पुजाने के पहले जगहें कुछ भी पूछा न गया था और उन्हें तो आखिर पीछे से उनका साथ देना पड़ा था। मैंने तो बिना किसी आशर के ही आशा के सहल बांधे थे इसलिए अब ऐसा मानना होता है कि मार्गों चारों ओर निराशा ही निराशा देख रहा हूँ। लेकिन गीता जिसकी मार्गदर्शक बनी हुई है उसे कभी निराश नहीं होना सकता है अथवा यों कहें कि उसे कभी आशा रखनी ही न चाहिए। इस समय मैंने आशा या हवाई किला बनाया था इसलिए गीता का मानेबाका इतना हुआ लेकिन आज आँके बना कर यह कह रहा हूँ कि 'ज. कभी भूलना। अब अन्धरी भूख की लम्बा भी था के। आशा रखनी थी इसलिए अब कुछ निराशा का भी अनुभव करके। मुझे इस बात का अनुभव तो है ही कि निराशा से आरंभ करने पर उसके कुछ बड़े सुख होते हैं। अब फिर भूख न करना। निराशा भी मनका एक तरीका है इसलिए जो सामान्य इच्छा है उसे कभी भी निराशा नहीं होती है क्योंकि यह आशा की मन में कभी भी स्थान नहीं देता है।"

यह तो अन्धकार-किस्मती की बात हुई। आशा के जानप के लिए इसकी आवश्यकता थी। अब इतिहास कहता है।

२२ वीं जनवरी को माँझी पहुंचे थे। आज दूसरी बगमर है। हिन्दुस्तान के दूसरे भागों में तो अब तक मैंने बहुत से भागों की सफर कर ली होती। लेकिन कच्छ में जिसपर से मोटर जा लके ऐसे रास्ते बहुत ही कम हैं; सायद तीन या चार ही होंगे। रेकमारी तो सबसे भी बहुत कम करती है। भूख से एणी बन्दर का छोटी बन्दर जाने के लिए ही रोक है। माँझी से भूख, भूख से कोठरा, और मुन्ना से भूख जाने के लिए ही मोटर में सफर की जा सकती है। इसी जगहों को जाने के लिए तो बैलगाड़ी की ही जरूरत होती है और भाग बड़े विकट होते हैं। हर एक कगड़ यहाँ देखें यहाँ, रैन और घूम का तो कुछ ठिकाना ही न था। बैलगाड़ी भी एक छोटा सा इका होता है और उधमें केवल एक ही मनुष्य क्षमिता से बैठ सकता है, यह उसमें तो नहीं सकता है। पहले ही दिन मोटर में जान पर भी मेरा हाक तो बियक गया था। कुछ लकीर का सुखार भी आ गया था। इसलिए स्वागत-समिति में मोटर से जा बैलगाड़ी में मेरे लोने के लिए भी आवश्यकता की थी। मेरे लिए ने एक बड़ी बैलगाड़ी आवश्यक रूप से आविष्ये। इसपर भी कोठरा से कोठरा जाने का रास्ता बहुत ही खतरा था इसलिए मुझे आशा रास्ता पाकली में बैठ कर रैन करना पड़ा था। पाकली में बैठना मुझे पहले न था

लेकिन यहाँ पर, या तो बीमार पडना, या कोठरा जान ही छोड़ देना या पाकली में बैठना, इन तीनों में से एक बात पसंद करनी थी। मेरी बीमारी का जोखिम उठाने के लिए स्वागत-समिति भी तैयार न थी। इसलिए मैंने पाकली में बैठना ही पसंद किया। मुझे यहाँ पर इस बात का स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुझे कोठरा की तरफ से बहुत बड़ी लालच दी गई थी। यहाँ बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, यहाँ बहुत रुपये मिलेंगे और यहाँ जाने पर मैं कच्छ के दुष्काल के बारे में भी बहुत कुछ जान सखूंगा इत्यादि अनेक बातें कही गई थीं। इसलिए मैं पाकली की जाल में फन गया। पाकली उठानेवाके कठार राज्य के मुहलगे मास्तर होते थे। वे रास्ते भर स्वयंसेवकों पर सरकारी दिखाते थे और यदि वे कुछ कहते तो कोप करते थे और उन्हें बहुत कुछ सुनाते थे। रास्ते भर उन्होंने फ्लेश और असंतोष प्रकट किया। ऐसे अनुभवों के द्वारा उठाना जाना मुझे बहुत खतरा। पैदल चलने की इच्छा हुई लेकिन यह ही ही कैसे सकता था। इच्छे तो केवल सदा दिखाया हो सकता था। इसलिए जिस प्रकार घन को के जाते हैं और यह कुछ भी नहीं बोलता है उसी प्रकार मैं भी खुरचार पडा रहा। अब फिर कभी पाकली में बैठने के पहले मैं बहुत विचार करूंगा।

मेरे संवन्ध में जो बहुत से बहम प्रकटित हैं उनमें से एक यह भी है कि मुझे मोटर रोक इत्यादि बिल्कुल ही पसन्द नहीं है। एक माई ने संभारतापूर्वक मुझसे यह भी प्रश्न पूछा था कि मुझे कच्छ के जैसे रास्ते पसंद हैं या पकी सड़के? यह बहम पूर करने के लिए मुझे ठीक अवसर मिला है। मेरा यह विश्वास है कि मानवजाति की संभ्यता के लिए न रोक की आवश्यकता है और न मोटर की जरूरत है। लेकिन यह तो आदर्श की बात हुई। लेकिन आज हिन्दुस्तान में रोक ने पर किया है और जहाँ सब जगह रोक और मोटर हैं यहाँ एक ही सहर को रोक से अस्पृश्य रखने की चेष्टा में कभी भी न करेगा। माँझी तक यदि स्टीजरे जाती है तो वहमि भूख तक रेलगाड़ी हो तो मैं उसका ह्ये न करेगा बसिक मैं उसे पसन्द ही करूंगा। और यही मोटर के बारे में भी है। मैं यह मानता हूँ कि पकी सड़के तो होनी ही चाहिए। मोटर और रोक से बेग चलता है लेकिन उसमें कोई धर्म की बात नहीं है। लेकिन पकी सड़के बनवाने से तो धर्म की भी रक्षा होती है। कच्चे भूख से भरे हुए रास्तों में जानवरों को किसकी तकलीफ होती है? बैलगाड़ी में और बैलगाड़ी के रास्ते में हमेशा ही मैं सुधार करना चाहूंगा। अच्छे रास्ते होना सुव्यवस्थित राज्य का भूषण है। राजा और प्रजा का दोनों का पके और अच्छे रास्ते बनवाना फर्ज है। मोटर के लिए पकी सड़के चाहिए तो जानवरों के लिए क्यों न चाहिए? क्या वे नहीं बोल सकते हैं इसलिए? यदि राज्य यह साहस न करे तो बसिक भी क्यों न करे? कच्छ में यह साहस करना आसान है क्योंकि यहाँ के भागों के बीच कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। प्रजा के लिए ऐसा साहस करना कठिन अवश्य है लेकिन अवश्य नहीं है। पहले तो प्रजा को राजा के सामने ही इस बात की पेश करना चाहिए।

#### अन्वयज प्रश्न

अन्वयज प्रश्न के तमाम में कच्छ में जो कठिनाईयाँ उपस्थित हुई थी, बैली कठिनाईयों का मुझे और कहीं भी अनुभव न हुआ था। कच्छ के जनसंख्या में जायति का होना भी इसका एक कारण है। प्रत्येक स्थान की लम्बा में उसके मुँह के मुँह आते

ये, उन्हें स्वयंसेवकों ने इसके लिए उत्साहित भी किया था। लेकिन दूसरी तरफ से स्वागत-समिति ने सबको राजी रखने की नीति ग्रहण की थी। इसलिए सब जगह एक ऐसा पक्ष खड़ा हो गया था कि जो अन्यजों के साथ बैठने में विरोध करता था। मैंने भूज में प्रथम यह विरोध देखा। लेकिन मैंने यह मान लिया कि यहाँ उसका निबटारा अच्छी तरह से हो गया था। किन्तु मैंने देखा कि आखिर उसका अनर्थ किया गया। भूज में जो मान में भास्वर माहूम हुई थी वही और दूसरी जगहों पर अवित्रेकयुक्त और निर्दय प्रतीत हुई। सभी जगहों पर दो विभाग से हो गये थे और आखिर स्वागत-समिति भी ऐसी ही बन गई थी कि मानों वह अस्पृश्यता को धर्म मानती थी। हर एक जगह के अनुभव विचित्र, कल्पनामय और हास्यमय थे। हास्यमय इसलिए थे क्योंकि किसीने भी जानबूझ कर अवित्रेक नहीं किया था कुछ तो मेरे व्याख्यानों का अनर्थ हुआ था और कुछ जगहों पर निर्दोष बुद्धि से ही बड़ा अवित्रेक दिखाया गया था।

यदि इसपर से कोई यह मान ले कि कच्छ अस्पृश्यता का बहुत जोर है तो यह गलत होगा। यदि स्वागत समिति की प्रधान प्रधान व्यक्तियों ने कमजोरी न दिखाई होती और भूज में मैंने जो कार्य किया था उसका दूसरे स्थानों में अनर्थ न होता तो कच्छ के लोगों की ऐसी हसी कभी भी न होती। कच्छ में तो शहर में भी अन्यजों का मोहला होता है। यहाँके अन्यज भी काठियावाड़ के अन्यजों के बनिस्वत ज्यादा निरक्षर माहूम हुए। घायब वे कुछ अधिक बुद्धिमान भी होंगे। बहुत से अन्यज जुनाई का काम करते हैं। भूजपर में तो एक अन्यज का कुटुम्ब बड़े का काम करता है। कच्छ की समाजों में जिस तादाद में अन्यज लोग आये थे उतनी तादाद में और कहीं भी उन्हें आते हुए मैंने नहीं देखा है। समाजों में मैं अन्यजों को प्रथम पूछता था और वे निर्भय हो कर बड़े विचार के साथ उसका उत्तर देते थे। वे अपनी तकलीफें भी समझाते थे। मोहदी के अन्यजों में से कोई २५ कुनबों ने अर्थात् १०० आदमियों ने मद्य-मांसादि न खाने की और न्नादी पहनने की प्रतिज्ञा ली थी। अंजार में भी बहुत से अन्यजों ने एक विशाल सभा के समक्ष मिट्टी न खाने की और मद्यपान न करने की प्रतिज्ञा ली। मुझे कुछ गया भाग होना है कि कच्छ के अन्यजों में मद्य-पान का रिवाज कुछ कम है। और साधारण जनसमाज में तो अस्पृश्यता दिखाई भी न देती थी। केवल उच्च मानों जानेवाली कोमें, जैसे ब्राह्मण, बनिये, भाटिया और लुशना, ही अस्पृश्यता का लोग करने हुए दिखाई देते थे। लोग इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुतेरे ही केवल दर के मारे भूजनों में जा कर बैठे थे। उनमें से बहुत से लोगों ने मुझसे यह कहा था कि वे अस्पृश्यता को नहीं मानते हैं लेकिन उन्हें ज्ञाति से बहिष्कृत हो जाने का डर है इसीलिए वे जाहिर में उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। जो जन्म निकलते हैं उनमें अन्यज लोग भी शामिल हो जाते हैं लेकिन इसपर कोई ऐतराज न करता था। और यह तो मैंने कई जगहों पर देखा कि वहाँ उच्च वर्ण के युवक निर्भय हो कर अन्यजों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए मद्यपि कच्छ में अन्यजों के संबंध में कुछ दुःखद अनुभव अवश्य हुए हैं फिर भी वहाँ अस्पृश्यता का जोर भा बहुत कुछ कम हो गया है। कुछ परिणाम लोग तब तक पकड़े बने हैं लेकिन उनका यह प्रयत्न निरर्थक है। (अपूर्ण)

(वर्षजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

गौरक्षा-मण्डल

आज तक इस मण्डल की तरफ से जो सूत का बन्दा बरतल हुआ है उसही निम्न लिखित सूची श्री ने मुझे दी है।

क्रम सं.	नाम	राज
१	दियादीबाई क्षत्रियदास	८०००
२	अमनादास गांधामाई	४०००
३	के. डी. डेले	८०००
४	शंकरलाल गुप्त	६००००

मध्यप्रान्त (मराठी)

५	अमनालाल बकाज	वर्धा	४६००
---	--------------	-------	------

गुजरात

६	मोहनदास करमचंद गांधी	वावरमती	६३७५
७	कल्याणजी नरोत्तम	कोटडा	२६०५०
८	छगनलाल शिवलाल	दाहोद	८०२०
९	मगनलाल लु० गांधी	वावरमती	३०००

महाराष्ट्र

१०	यमुताई पार्वती	वाई	४०००
११	पार्वतीबाई चिटनंस	"	४०००
१२	बसोबाबू ई बापट	"	४०००
१३	सरस्वतीबाई बापट	"	४०००
१४	आनन्दीबाई टीटे	"	२०००
१५	विष्णुबाई बापाये	"	४०००
१६	भारिणीबाई बापाये	"	४०००
१७	गंगाबाई गोडबले	"	४०००
१८	पार्वतीबाई साठे	"	४०००
१९	अवन्तीबाई साठे	"	२०००
२०	नगबाई भावे	"	२०००
२१	इन्दिराबाई मंगटे	"	४०००
२२	व्यंकटचरण बाळे	"	४०००
२३	नरयण सुदाशिव मोन	"	६०००
२४	माणिकबाई गुजरबाई	"	२०००
२५	दुर्गाबाई देशराणे	"	२०००
२६	रमाबाई टांभरे	पुना	२४०००
२७	राधाबाई गरबळे	"	२०००
२८	एम. वी. परदेकर	"	४०००
२९	एम. एम. डोळे	थणा	२०००

भारत गवर्नमन्ट मण्डल आवि,

श्री. एम. के. जोशी के द्वारा १९५००

मैं दूसरे लोगों का भी इस मण्डल के कामनेवाले सभासद बनने के लिए उत्साहित करने को यह सूचि प्रकाशित करता हूँ। गांधी की पुत्री गोवर्धन संस्था के भी श्रीने महाराज के प्रयत्नों का कर्ण है। मुझे आशा है कि जिन्होंने नकद चन्दा दिया है उनकी सूचि भी मैं बहुत जल्दी प्रकाशित कर सकूंगा। यदि मण्डल अपनी काम अच्छी तरह से करना चहे तो उसे और भी अधिक मदद को वरकार है।

(५० ई०)

श्री० क० गांधी



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक १३

मुद्रक-प्रकाशक

स्वामी जगन्नाथ

अहमदाबाद, अगहन वही ११, सितम्बर १९८८

गुरुवार, १ नवम्बर, १९२५ ई०

मुख्यालय—नवजीवन मुद्रणालय,

सारांगपुर सरकीगरा की बाड़ी

## ऊंचनीच का ख्याल

लेखनसिद्धि का जिला वंशव्यवस्था की तरफ से मुझे नीचे लिखा पत्र लिखा गया था:

१ हमारी समिति का उद्देश्य प्रकृत करना और हमारी जाति का पुनरुद्धार करना है।

२ जैसा एक समझते हैं आपका कार्य तीन प्रकार का है:

- (क) चरखा और व्यापार का प्रचार
- (ख) हिन्दू-मुस्लिम मैत्रिय
- (ग) अस्पृश्यता का त्याग

पहले दो कार्य सर्वसामान्य हैं। हम लोग नेबल तीसरे कार्य के संबंध में ही आपके पास आये हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि बंगाल के हिन्दुओं को एक करने के कार्य में अस्पृश्यता की भावना किस प्रकार बाधा पहुँचाती है।

३ बंगाल के हिन्दुओं के मुन्ग दो विभाग किये जा सकते हैं। (१) वे जिनके श्रावण या अल प्रवृत्त किया जाता है; (२) वे जिनके हाथ का जल प्रवृत्त नहीं किया जाता। पहले विभाग में ब्राह्मण, वैद्य, कायस्थ और नवजायवाले हैं और हमारे विभाग में, वैद्यवादा, सुवर्णवर्णिक (मुन्ग) मृगधर (बहई) जोगी (पुनकर) मुन्गी (कलाह) मरहीमार, भोई, धावा (धोवा) चमार, फायालिक, नामधर ६० हैं। इनमें से कितने ही को सा मनुमण्डल में दलितवर्ग में गिने गये हैं।

प्रथम विभाग की तीन वर्गों में हिन्दू जाति को शामिल बन घंटी है और वे दूसरे विभाग की जातियों का केवल तिरस्कार ही नहीं करती हैं लेकिन उन्हें अनेक प्रकार से हँरान भी करती हैं। उन्हें देवमंदिरों में जाने की मुसामनियत है, इस वर्ग के 'व्यवहारियों को बोर्डिंगों में रहने की और खानेपीने की बहुत कुछ अनुविनयें होती हैं, होटलों में और हलबायों की दुकानों में उन्हें डरकारा जाता है।

बंगाल के अस्पृश्यता निवारक कार्यकर्ता, योग्य कार्य पद्धति न होने के कारण कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते हैं। १९२१ की मनुमण्डलभारी में बंगाल के हिन्दुओं की कुल संख्या २,०९,४०,००० से भी अधिक थी, उनमें से १७ प्रति सैकड़ा ब्राह्मण, १६ प्रति सैकड़ा कायस्थ और १० प्रति सैकड़ा वैद्य मिला कर उनकी कुल २८ लाख ९ हजार की संख्या होती है।

पूर्व बंगाल और सिन्धु की अकेली वैद्यवादा कौम ही जो व्यापार में सय से बड़ी हुई है ३,६०,००० अर्थात् हिन्दुओं की संख्या के प्रमाण से ३॥ प्रति सैकड़ा है। उनमें हजार में ३४२ लोग पटना सिन्धुता जानने हैं और बेशी में ६६२, ब्राह्मणों में ४८४, कायस्थों में २७३, सुवर्णवर्णिकों में ३८३ और मधुवर्णिकों में प्रति हजार ३४४ अनुसूच्य पद्धति लिखना जानने हैं। हमारे आचरणीय वर्णों में पटना सिन्धुता जाननेवालों की संख्या का प्रमाण बहुत ही कम है। फिर आनामगणीय वर्णों के बारे में क्या कहा जा सकता है?

हमारी टीम की तरफ से कलिंग, हाईस्कूल, अस्पताल, ताकाब, पंच कुंए इत्यादि अनेक संस्थाएँ बनी हैं और संस्थागत में भी वह किसीसे कम नहीं है। आचरविचार और अतिथि का साकार करने में भी वह किसीसे कम नहीं है। जी-शिक्षा के संबंध में भी वह कम नहीं है। फिर भी हम लोग हिन्दू समाज की कक्षा के बाहर माने जाते हैं। हमारी टीम किसी भी राष्ट्रीय प्रयत्न में कमी पीछे नहीं रही है, फिर भी हमारे योग्य वरजके का स्वीकार करने का विचार भी हिन्दू-समाज को कभी नहीं हुआ है। हमारे मार्ग में सामाजिक रुकावटें न हों तो हम आज के बनि-स्वयं कितने अधिक उपयोगी बन सकते हैं?

मुन्गियों (कलाहों) से हम लोग बिल्कुल ही जुदा हैं। लेकिन वे भी अपने को 'शहा' कहते हैं इसलिए संकुचित विचार के हिन्दू हमें भी उन्हींके साथ रम्य देते हैं। हमने तो पूरी शोष करके हम बात को मिट्ट कर दिया है कि हमारी कौम उत्तर और पश्चिम हिन्दुस्तान की तरफ से आयी हुई है और ब्राह्मण धर्म का फिरसे जब अधिक जोर हुआ उस समय हमलोग बौद्ध धर्म की तसर का सम्पूर्ण धर न कर सके इसलिए हिन्दूधर्म में हमें योग्य स्थान न मिला और तिरस्कृत बन रहे।"

एक बातों में समझ है कुछ अतिघायोक्ति हो, लेकिन ऊंचनीच के मेद का कीडा हिन्दू-धर्म के धर्म को ही खा रहा है यह दिखाने के लिए ही मैंने यह पत्र यहाँ दिया है। जिन्होंने ये बातें लिख जेजी हैं, उनका वे लोग जो उनसे ऊंचे गिने जाते हैं तिरस्कार करते हैं और वे उनसे भी जो अधिक तिरस्कृत हैं उनसे अपने को ऊंचे और अलग मानते हैं। इस प्रकार तिरस्कृत "अस्पृश्यों" में भी ऊंचनीच का मेद व्याप्त हो रहा है। कच्छ की बाडा में मैंने यह देखा कि हिन्दुस्तान के दूसरे भागों की तरह कच्छ में भी अस्पृश्यों में ऊंचनीच का मेद है और ऊंची

जाति का अन्त्यत्र नीची जाति के अन्त्यत्र को छूने से इन्कार करता है इतना ही नहीं नीची जाति के बालक जिस शाला में पढ़ने को जाते हैं उस शाला में अपने कदके को मेटने से भी वह साफ इन्कार करता है। जब ऐसी स्थिति है तो उनके दरम्यान रोट्टी बेट्टी के व्यवहार की बात ही कैसे हो सकती है? वर्णभेद का जो अर्थ अन्तर्गत हुआ है उसका यह उदाहरण है। और एक वर्ण अपने को दूसरे वर्ण से ऊंचा मान कर जो अभिमान करता है उस अभिमान का विरोध करने के लिए ही मैं अपने को भंगी कहलाने में आनन्द मानता हूँ, क्योंकि येरे स्याल से कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो भंगी से भी नीची हो। समाज में भंगी ही बेचारा कोड़ी है। उसे सब दुत्कारते हैं और फिर भी समाज के स्वास्थ्य के लिए अर्थात् समाज को जीवित रखने के लिए किसी दूसरे वर्ण के अनिश्चित भंगी का वर्ण ही अधिक उपयोगी और आवश्यक है। जिन्होंने मुझे यह पत्र लिखा है उनके प्रति भी मेरी पूर्ण सहानुभूति है। लेकिन जिनके भाग्य में उनसे भी नीचा गिना जाना लिखा है उन्हें वे अपने से नीचा न समझे। ऐसे लोगों को अपने वर्ण में मिला कर दूसरों को जो लाभ नहीं मिलता है उस लाभ को लेने से उन्हें भी साफ इन्कार कर देना चाहिए। हिन्दू-धर्म में से अत्याधिक असमानता के फलक को दूर करना ही तो उसे निम्न करने के लिए हममें से कितनों ही को खून पानी एक करना होगा। मेरे स्याल में तो वे जो ऊंचा होने का दावा करते हैं अपने इसी दावे के कारण उसके लिए नालायक साबिन होते हैं। सच्ची और स्वाभाविक बढाई तो बिना दावे के ही मिल जाती है। जो सबमुच बडा है उसके कहे बिना ही उसे सब कंई बडा कहने हैं और वह अपनी बढाई का इन्कार करता है, केवल अहम्बर में या शूद्रों नम्रता दिखाने के लिए नहीं लेकिन इस शुद्ध ज्ञान के कारण कि जो अपने को नीचा मानता है उसकी आत्मा और अपनी आत्मा में कोई भेद नहीं है। सृष्टि के सभी प्राणियों की एकता और अन्ते के ज्ञान में ऊंच-नीच के भाव को कहीं अवकाश ही नहीं होता है। जीवन तो कार्यक्षेत्र है, अधिकार और हकों का संग्रह नहीं है। जो बड़े ऊंच-नीच के भेदों की प्रथा पर आधार रखता है उसका सर्वथा नाश हो होगा। वर्ण-धर्म का मेरा अर्थ यह नहीं है। मैं वर्ण-धर्म को मानता हूँ क्योंकि मेरा यह स्याल है कि वह जुदा जुदा धर्मों के मनुष्यों के कर्तव्यों को निश्चित करता है। इस धर्म के अनुसार वही प्राण्य है जो सभी वर्णों का सेवक है—शूद्रों का और अस्पृश्यों का भी सेवक है। चारों वर्णों की सेवा करने के लिए वह अपना सब कुछ अर्पण कर देता है और प्राणिमात्र की दया पर ही अपनी आजीविका का आधार रखता है। अधिकार, सम्मान और अपने हकों का दावा करनेवाला क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय तो वही है जो समाज का रक्षण करने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए स्वार्पण कर देता है। अपने ही लिए फमानेवाला और संग्रह करनेवाला वैश्य नहीं है लेकिन चोर है। हिन्दू-धर्म की मेरी कल्पना के अनुसार पाँचवा, अर्थात् अस्पृश्यों का वर्ण है ही नहीं। जिन्हें अस्पृश्य कहते हैं वे दूसरे शूद्रों के समान हैं। अधिकार रखनेवाले समाजसेवक हैं। मैं यह मानता हूँ कि समाज का परम श्रेय करने के लिए नीची गड़े उसमात्तम प्रथा वर्ण-धर्म का प्रथा है। आज तो केवल उसकी विडंबना ही रही है। और यदि वर्ण धर्म की रक्षा करना है तो वर्णधर्म के इस उपहास योग्य दांचे का नाश कर के वर्णधर्म के प्राचीन गौरव का पुनरुद्धार करना होगा।

( मं. ई. )

मोहनदास करमचंद गांधी

## टिप्पणियाँ

### कातो, कातो और कातो

यदि आप अन्त्यत्र दिये गये हकीम साहेब के पत्र के मद्दत को समझ सकते हैं तो आप खरखा-संघ में अवश्य ही शामिल होंगे और जिसे गण्टू आज भी हासिल कर सकता है उसे हासिल करने में आप उसकी मदद करेंगे। यदि हमारे में से बहुत से लोग उस कार्य को करेंगे तभी तो राष्ट्र उसे कर सकेगा। और यह करने के लिए उत्तम मार्ग यही है कि हमलोग सब खरखा-संघ के समासद बनें और दूसरों को भी उसके समासद बनने के लिए कहे। खादी न पहनने के लिए और न छानने के लिए बहाने न रखी लेकिन खादी पहनने के और कातने के कारण ईश निकालो। आप अपने दूसरे कार्यों का त्याग किये बिना ही उसके समासद बन सकते हैं। आपको सिर्फ विदेशी और मिल् के बने कपड़े के प्रति आपकी रुचि का त्याग करने को ही कहा जाता है। यदि आप उसमें जो अगस्त्य लाभ हैं उनका हिस्सा करेंगे तो यह त्याग कोई बहुत बडा त्याग न होगा। तीस साल हुए हमलोग स्वदेशी की बाने कर रहे हैं। हमलोग कम से कम १०-६ से निवेशी और विभायनी कपड़े के बहिष्कार की बाने कर रहे हैं और उसपर अमल तो बहुत ही थोडा परते हैं। अनुभव से यह बात साबिन ही चुकी है कि हमलोग किसी भी कार्य में गफल नहीं हुए हैं। हमलोग सिर्फ विदेशी कपड़े का बहिष्कार ही एक मात्र सफल कर सकते हैं। यदि हम जीवित रहना चाहते हैं तो बुद्धि यह करती है कि हमें यह बहिष्कार सफल करना होगा। यह हमारा एक ही और फर्क भी है। मैं तो यह कहने का भी साहस करता हूँ कि इस सारे और आवश्यक बहिष्कार के अनिश्चित कोई भी कार्य अधिक सफल नहीं हो सका है। सदाशय लोग यदि कादी तादाद में खरखा-संघ के समासद बन जायें तो उसमें सम्पूर्ण सफलता भी प्राप्त की जा सकेगी।

### शांति का दून

श्री एण्डयूज का स्वयंनिर्णित कार्य यह है कि उससे जो कुछ भी बन पड़े वह से। करना और फिर उसे भूल जाना। उनकी सेवा का रूप अक्षर शांति स्थापित करना होता है। अभी उन्होंने उर्दूसा में दुःखी और पीडित मनुष्यों और बोरों के बीच और बर्बई के कष्ट-पीडित मिल-भजदूरों के सम्बन्ध में अपना काम पूरा किया ही न था कि उन्हें दक्षिण आफ्रिका में जा कर वहाँ के भारतीयों को जो कष्ट में पड़े हुए हैं मदद करने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। लेकिन वे वहाँ केवल भारतीयों की ही मदद नहीं करेंगे लेकिन युरोपियनों की भी सहायता करेंगे। उनमें न द्वेष है न क्रोध है। वे हिन्दुस्तानियों के प्रति मिहिर-बानियाँ-दिसाने को नहीं करते हैं। वे तो सिर्फ न्याय ही चाहते हैं। श्री एण्डयूज दक्षिण आफ्रिका के लिए कोई नये नहीं है। दक्षिण आफ्रिका के राशनीताह उन्हें जानते हैं और वे इस बात का स्वीकार करते हैं कि वे युरोपियनों के भी उतने ही मित्र हैं जितने कि हिन्दुस्तानीयों के। भारतीयों का प्रथम बड़ी विकट समस्या हो पडा है। दक्षिण आफ्रिका में रहनेवाले भारतीयों के लिए तो वह जीवनमरण का प्रश्न है। ऐसे विकट प्रसंग पर श्री एण्डयूज के उनके पास होने से उन्हें बड़ी शान्ति मिशेरी। पहले बिच प्रकार इन मळे मित्र के प्रयत्नों का अपना फल हुआ है उसी प्रकार इस समय भी उनका प्रयत्न सफल हो। लेकिन क्योंकि श्री एण्डयूज उनके दरम्यान है दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों को

यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे निर्भव हो गये हैं। उनके बर्तन होने से ही उनके कष्ट दूर नहीं हो सकते हैं। वे उन्हें सहाय दे सकते हैं, सभ्य शिक्षा सकते हैं, और सुलेह कराने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन जबतक स्वयं वहाँके निवासी भारतीयों में ही हिम्मत और ऐक्य न होगा तबतक उनकी सहाय, इत्यादि से भी कुछ लाभ न होगा।

**खादी का सूचीपत्र**

बम्बई के खादी मंडार के व्यवस्थापक ने जो अ. मा. का. मंडल के हस्त (अब चरखा-संघ के हस्त) चला रहा है, मुझे एक अच्छा छपा हुआ अपना सूचीपत्र भेजा है। खादी ने जो प्रगति की है वह अक्षर से मासूम की जा सकती है। उसकी चार साल हुए हैं और इस दरम्यान कुल ८३०,३२९ रुपये की बिक्री हुई है। १९२२-२३ में सब से ज्यादा बिक्री हुई थी अर्थात् २,४५,५१५ रुपये का माल बिका था। और सबसे कम बिक्री इस साल हुई है अर्थात् १,६८,२८० रुपये का माल बिका है। यह कहा जाता है कि १९२२-२३ में मेरे जेल में होने के कारण बिक्री अधिक हुई थी। लोगों ने यह ह्याल किया, और उनका यह ह्याल सही था कि जितना अधिक वे खर्च का इस्तेमाल करेगे उतना ही अधिक वे स्वराज्य के मजदूरीक पहुंच जायेंगे। और स्वराज्य मिल जायगा तो मैं भी रिहा हो जाऊंगा। अब जो उसमें कमी हुई है उसका कारण लोगों का यह ह्याल है कि खादी केवल थोड़े ही दिनों के लिए आवश्यक वस्तु थी। लेकिन सब जान तो यह है अपने देश का अनाज और हवा जिन प्रकार हर एक समय पर आवश्यक है उसी प्रकार खादी भी हर एक समय के लिए आवश्यक है। लेकिन कायम के प्रकार ही तो एक प्रकार से कम बिक्री का दोना भी अच्छा ही है। इस अण्डार के और हमारे अण्डारों के अस्तित्व से यह साबित होगा है कि वे जिस वस्तु की मांग है उसे पूरा कर रहे हैं। लेकिन खादी का राजनैतिक परिणाम तो साक्षात् १ लाख से कुछ अधिक रुपये की बिक्री होने से कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन करोड़ों भी, सब पूछो तो सौठ करोड़ की साखाना उसकी बिक्री हो सभी उसका राजनैतिक परिणाम आ सकता है। बम्बई में केवल ऐसे एक ही मंडार ही न होने चाहिए। आज जैसे वहाँ कुछ नौ विदेशी कपड़े के मंडार हैं वैसे ही खादी के सैकड़ों मंडार वहाँ होने चाहिए। ऐसे मंडारों की सहायता न करने का अब कोई बहाना भी नहीं चल सकता है, क्योंकि अब उनसे निम्न निम्न और योग्य रुचि के अनुकूल माल बिकता है। सूची पत्र में, कमीज की खादी, मजलीन की खादी, गाड़ी, धोती, टोपेल, रुमाक, तैयार कमीज, टोपी, शैलियाँ, चदरें इत्यादि बहुत थी चीजें हैं। लेकिन उसपर टीका करनेवाले महाशय कहते हैं कि उनकी करा कीमत भी तो देखिए। मैंने उनकी कीमत का भी हिसाब लगाया है और मुझे उससे सन्तोष हुआ है। बाइ एलि से देखने पर प्रीमत कुछ अधिक मासूम होती है लेकिन दर असल तो वह बड़ी सस्ती है क्योंकि खर्च खरीदने में आप स्वराज्य हासिल करने के कार्य में भी कुछ अपना हिस्सा देते हैं। यदि आपको यह विश्वास नहीं है कि खादी में स्वराज्य प्राप्त करने की शक्ति है तो आप कम से कम भूखों मरते श्री पुरुषों को तो अवश्य ही कुछ न कुछ सहाय करते हैं। यदि खादी पहननेवाले औसतन अपने कपड़े के लिए सालाना १० रुपया भी खर्च करे तो भी ऐसे चार खादी पहननेवाले ऐसे एक मनुष्य का तो सहाय हो पोषण करते हैं। जिस खादी में यह शक्ति है उसे, मैं जिनका अपने देश पर प्रेम है और जो गरीबों से प्रेम करते हैं क्या कभी मरगी समझेंगे ?

**नकली खादी**

एक मित्र ने किसी हिन्दुस्तानी मिल में बुनी हुई नकली खादी पर से एक चित्र निकाल कर मुझे भेजा है। उसपर एक चरखा छपा हुआ है और उसके पास ही पूनियों से भरी हुई एक टोकनी रखी हुई है और सूत से लपेटे हुए किरकियाँ उसके सामने रखी हुई हैं। ये पत्र लेखक महाशय किसते हैं कि ऐसी खादी करीब करीब सभी हिन्दुस्तानी मिलों में तैयार की जाती है और जावान भी ऐसा ही माल तैयार कर के यहाँ भेजता है। वे कहते हैं गरीब लोगों को जब खादी मांगने पर खादी जैसा दिखनेवाला यह कपड़ा बताया जाता है और उसपर वे चरखा इत्यादि के चित्र देखते हैं तो उन्हें कुछ भी सन्देह नहीं होता है और वे उसे खरीद लेते हैं और भारतवर्ष की आर्थिक तकलीफ को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ किया है इस ह्याल से वे अपनेतई अभिमान भी लेते हैं। यह बड़ी ही इशान्वक स्थिति है कि मिल मालिकों में स्वदेशाभिमान का अंश तक नहीं है। नफा उठाने के लिए या अब यों कहें कि मिलों को कायम रखने के लिए वे राष्ट्र का कुछ ह्याल नहीं रखते हैं। फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि मिलों की सहायता से विदेशी कपड़े का बहिष्कार सफल करने की आशा रखते हैं। इसमें बड़ा भारी भूल यह होती है कि वे यह मान लेते हैं कि खादी की इकलक सफल होने के पहले ही मिलों का राष्ट्र के लिए उपयोग किया जा सकेगा। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि एक दिन सभी मिलें राष्ट्र कार्य के अनुकूल हो जायेंगी। लेकिन जबतक खादी, सारी दुनिया के विरुद्ध होते हुए भी अपनी स्थिति कायम नहीं कर लेती है तबतक वह दिन कभी भी नहीं आ सकता है, अर्थात् दूसरे शब्दों में कहें तो आम जनता में उस समय इस विषय के संवेध में इनकी कान्ती हो जावेगी कि वे खादी के सिवा और दूसरा कपड़ा पहनने से ही इन्कार कर देंगे, वे सिर्फ देख कर ही असली और नकली खादी का पहचान सकेंगे।

**चरखा-संघ और सरकारी कर्मचारी**

एक सरकारी कर्मचारी लिखते हैं कि वे चार साल हुए खादी ही पहनते हैं और वह खादी उनके अपने हाथ के कते सूत से ही बनी हुई होती है। वे हमेशा कातते हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी होने के कारण वे अबतक किसी भी मंडल के सभासद न बने थे। वे अब यह पूछते हैं कि चरखा संघ, जिता कि उसके उद्देश से मासूम होता है कोई राजनैतिक संस्था नहीं है, तो क्या अब वे उसके सभासद हो सकते हैं। निश्चय ही मेरी राय तो यह है कि यदि वायमराय भी उसके उद्देश को कुबुल रखते हों तो उसके सभासद बन सकते हैं और उनपर किसी भी प्रकार का दाय न लगेगा सिवा इसके कि सरकारी नोकरी के नियमों में ऐसा कोई नियम हो जो कि सरकारी कर्मचारियों को कैसे भी मंडल का चाहे वह राजनैतिक मंडल हो या न हो, सभासद होने में निषेध करता हो। यदि ऐसा कोई नियम है तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को जिसे चरखा संघ से सहायभूति हो उसका सभासद नहीं बनना चाहिए। यही महाशय फिर यह भी पूछते हैं कि थाया बण्टा रोजाना कातना आवश्यक है या सभासद चाहे तो जितना भी खादी हो सके अपना चन्दा दे सकते हैं। संघ की वर्तमान रचना के अनुसार तो जो चाहे अपना साल भर का चन्दा इच्छा एक साथ ही भेज सकते हैं, रोजाना कातना कोई आवश्यक बात नहीं है। लेकिन अपना चन्दा दे देने पर भी रोजाना कातना उपयोगी अवश्य है।

# हिन्दी-नवजीवन

पुस्तक अगस्त वही ५, संवत् १९८२

## हमारी दुर्बलता

इकीम साहब अजमल खां और डा. अम्पारी शूष की और उसके साथ सीरिया की भी लंबी यात्रा पूरी कर के लौटे हैं। उन्होंने मुझे नीचे लिखा पत्र भेजा है।

“दक्षिण सीरिया में जहां कि रूस लोग रहते हैं और जहां इस पीछित लोगों के द्वारा फ्रान्सीसियों का अधिकार राख रखा जा रहा है, वहां अभी जो घटनाएँ हुई हैं, उनसे वहाँके फ्रान्सीसी अधिकारियों की मर्यादता प्रकट होती है। दो दिन पहले पेरिस में से वहाँ के लोगों की प्रतिज्ञा और प्रभावशाली संस्था लजनातून तन्कीझीया के मंत्री मेसूद ज. लुहोन अलहुसेनी की तरफ से जो तार मिला है उसमें लिखा है कि डेमास्कस के शहर को फ्रान्सीसियों के आक्रमण से और दाहगोले से बचा नुकसान पहुँचा है और उससे असह्य मनुष्य मर गये हैं। जिटन के बतमान-पत्रों में जो खबरें इसके सुताहक छपती थीं उनसे भी यह पता चलता था कि सीरिया की हालत खराब है लेकिन पेरिस के इस तार से और कैरो से शहर के तार से, जो उसके बाद में है, यह साबित होता है कि रूस लोगों के देश पर और डेमास्कस के लोगों पर फ्रान्सीसी लोग बड़ा अमानुष जुल्म कर रहे हैं।

इस मरकर जुल्मों के अलावा सीरिया को हमारी यात्रा में भी हमने किन्हीं ही बातों गंभी देखीं जिसे कि फ्रान्सीसियों की निर्दयता और सीरिया के देने अधिकार के प्रान्त के लोगों के प्राथमिक हकों के प्रति उनकी निष्ठुरता साबित होती है। हमने अपने अनुभवों का वर्णन हिन्दुस्तानी छात्रों में प्रकाशित किया है लेकिन हमसे पहले छपे हुए उन ऊर्ध्व रिपोर्टों को पढ़ने की आपकी तकलीफ को बचाने के लिए हम उनमें से सीरिया की वर्तमान स्थिति से संबंध रखनेवाली महत्व की बातों का सारांश ही यहाँ देने हैं। जब सीरिया के संबंध में राष्ट्रसंघ ने फ्रेंच सरकार को आज्ञापत्र दिया उस समय फ्रेंच सरकार ने और हाई कमिशनर ने आहिंसा और बहिष्कार किया था कि वे सीरिया को उसकी आतंश-दस्था के संबंध में संपूर्ण त्रता देंगे। सीरिया को कितने ही स्वतंत्र प्रान्तों में बाँट दिया जाने को था और उनमें हर एक में एक गवर्नर जो लोगों की तरफ से चुना गया हो रहनेवाला था। उसको सहाय देने के लिए लोगों की तरफ से चुना गया एक प्रतिनिधि मंडल भी रखा जानेवाला था। लेकिन बार-बार दिखाने के लिए लिबेनन और डेमास्कस के प्रान्तों में इन बातों पर अशक्त धमक किया गया लेकिन रूस लोगों के देश हारन को न तो प्रान्तिक स्वतंत्रता दी गई और न वहाँ लोगों की तरफ से चुना गया कोई प्रतिनिधि मंडल और उगाह प्रमुख ही रहना गया। लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध उनपर एक फ्रान्सीसी अफसर कैप्टन कारबियोलेट का रखा गया था और जब लोगों ने उसके विरुद्ध अपने भाव प्रकट किये और अपने प्रतिनिधियों को उनके पास भेजा तो उनका अपमान किया गया और उनके प्रतिज्ञा प्रसिद्ध लोगों को आहिंसा और पर कंधे मारे गये और उन्हें कैद कर लिया गया और उनकी आंतों के साथ भी बुरी तरह से पेश आये।

कैप्टन कारबियोलेट जो फ्रेंच लोगों से आये थे उन्होंने, फ्रेंच लोगों के गरीब निवासीयों पर फ्रान्सीसी लोगों ने जो जो जुल्म किये थे वे सब जुल्म यहाँ पर भी किये। लेकिन रूस जाति पुरानी है स्वाभिमान रखती है और बहादुर और लड़ाकू है इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया और वे इधियार उठाने के लिए भी मजबूर हुए। उन्होंने फ्रेंच लश्कर को बड़ा नुकसान पहुँचाया है और अबतक उनके देश पर किये गये फ्रान्सीसियों के आक्रमण को रोकने के प्रयत्न में सफल भी हुए हैं लेकिन सीरिया के दूसरे विभागों में जैसे कि डेमास्कस और अलेपो में फ्रान्सीसियों की तरफ से जो कार्य किये जाते हैं उनसे इन देशों में भी गहर के भाव फैल रहे हैं। ऊपर जिस तार कही बात की गई है उसमें डेमास्कस के लोगों पर अभी अभी जो जुल्म किये गये हैं उनका वर्णन है।

फ्रेंच सरकार अनुचित और अप्रामाणिक साधनों का भी उपयोग कर रही है और इस देश में कागज के नोट चला कर उसका सुवर्ण और धन सारा लींच ले जा रही है। वह धारे धारे उस देश के अधिक साधनों का महत्व घटा रही है और उसका नाश कर रही है, जिसका परिणाम यह होगा कि लोग बेचारे गरीब और साधनहीन बन रहे होंगे। और इस लूट को पूरा करने के लिए वे शहर और गाँवों के लोगों से, उनको सजा और जुरमाना करके भी सुवर्ण लींच रहे हैं।

हम आशा करते हैं कि इस एशियावासी भाइयों के लिए आपकी सहानुभूति प्राप्त हो और महासभा के प्रस्ताव की हेतुवत्त से आपको हमसे यह प्रार्थना करें कि राष्ट्रसंघ को, जिसने फ्रान्स का सीरिया की दुर्घटना के संबंध में आज्ञापत्र दिया है आप एक तार भेजें और दूसरी महासभा समितियों को भी ऐसा ही करने के लिए कहें। हमलोग यह जानते हैं कि भारतवासी, मुसलमान और एशियावासी होने के कारण हमें तमाम कष्टपीडित एशियावासीयों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए और उनके साथ मित्रता का संबंध जोड़ना चाहिए जिससे हमें भी लाभ हो और उन्हें भी।”

महासभा की तरफ से राष्ट्रसंघ को तार भेजने की उनकी सलाह का मैं किसी प्रकार भी स्वीकार न कर सका इसलिए मैंने उन्हें निम्न लिखित उत्तर भेजा है।

“आपका पत्र, जिस पर आपकी और इकीम साहब के हस्ताक्षर हैं, मुझे मिला है। महासभा का प्रमुख राष्ट्रसंघ को तार भेजें तो इससे क्या लाभ होगा? पीजडे में बन्धु सिंह का सा मेरा हाथ है, फर्के पिए इतना ही है कि सिद्ध व्यर्थ ही स्वतंत्र होने के लिए हाथ पैर पछाड़ता है, दाँत पीमता है और लोहे की चीकों को तोड़ डालने के लिए प्रयत्न करता है लेकिन मैं अपनी मर्यादाओं को जानता हूँ और इसलिए इस प्रकार हाथ पैर पछाड़ने से और दाँत पीसने से इनकार करता हूँ। यदि हमारी मदद के लिए हमारे में ऐसी कोई शक्ति होती तो मैं आपकी सूचना के अनुसार अवश्य ही तार भेज देता। सं. ह. में जिन बातों का मैं उल्लेख नहीं करता हूँ वे मेरे हृदय में बड़ी गहरी हैं और वे मैं जिन बातों को विकीर्ण करता हूँ उनसे कहीं अधिक बलवदार और महत्व की हैं। लेकिन मैं उस अदृश्य शक्ति के सामने उन्हें रोजाना आदि करना कभी भी नहीं भूलता हूँ। जब मैं हमारे चारों ओर के वायुमण्डल का विचार करता हूँ तब मैं दुःखी होता हूँ और ऊब जाता हूँ और फिर



जब हृष्य के अन्दर के शास्त्र गंभीर भाव को छुनता हूँ उस समय मुझे आशा दिखाई देती है और मेरे चारों ओर भीषण ज्वालाने दिखाई देती है फिर भी मैं मुस्कराता रहता हूँ। कृपया हमारी असहायता का विज्ञापन करने से आप मुझे बचा लेंगे।”

लेकिन इस मामले में दूसरा अच्छा कार्य जो मैं कर सकता हूँ वह उनके पत्र को और मेरे उत्तर को प्रकाशित करना है। जबतक किसी नैतिक या भौतिक शक्ति की सहाय न हो तबतक मैं यह नहीं मानता कि प्रार्थना करने से कुछ भी लाभ होगा। अपनी प्रार्थना को सफल करने के लिए प्रार्थना या अरबी करनेवाला जब कुछ कार्य करने का और उसके लिए कुछ त्याग करने का निश्चय कर लेता है तभी नैतिक शक्ति उत्पन्न होती है। बच्चे भी सहज ही इस सिद्धांत को समझ लेते हैं। वे रोते हैं, निझाते हैं और शैतान बच्चे तो उनकी इच्छा पूरी न की जाय तो अपनी माँ को मारने में भी नहीं हिचकिताने। जबतक हम शोध इस सिद्धान्त को समझ कर उसपर अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं तबतक प्रार्थना करके हम यदि और कुछ नहीं तो महासभा की ओर अपनी हंसी अवश्य ही करावेंगे।

हम यदि जादू तो भी शैतान बच्चों की तरह शैतान नहीं हो सकते हैं। लेकिन यदि हम जादू तो कुछ अवश्य सहन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सीरिया पर जो जुद्ध या कायरशाही बलाही यद्दे हे उसके संघर्ष में हमलोग मारतपाही, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी और ऐलियानिवासी की हिसीयत से कैसे लाया है इसका अनुभव करें। हमारी जानागी का जब हमें निश्चयात्मक ज्ञान होगा तब हम शायद उन जानवरों का अनुकरण करना सीखेंगे जो कि तुफान और वर्षा के समय में एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से गरमी और हिम्मत पाते हैं। वे उस तुफान के देवता से उसे रोकने के लिए स्वर्ध प्रार्थना नहीं करने हैं किन्तु सिर्फ उसका उपाय ही कर लेते हैं।

और हम हिन्दू-मुसलमान तो एक दूसरे से लड़ते हैं और दिनबदिन दोनों का भेद बढ़ता ही जा रहा है। हमलोगों ने अभीतक चरखे के रहस्य को नहीं समझा है और जो समझते हैं वे न कातन के लिए कुछ न कुछ बहाने ढूँढ निकालते हैं। हमारे चारों ओर तुफान है और फिर भी हम एक दूसरे से हिम्मत और गरमी (महानुभूति) प्राप्त करने के बजाय तुफान के देवताओं से अपना हाथ रोक लेने के लिए प्रार्थना करना और केवल कांपते रहना ही पसंद करते हैं। यदि मैं हिन्दू मुसलमानों में एकदम नहीं स्थापित कर सकता हूँ और लोगों से चरखे का स्वीकार करने के लिए नहीं समझा सकता हूँ तो कम से कम मुझे इतनी बुद्धि अवश्य है कि मैं दया की शिक्षा मागने के लिए किसी प्रार्थना पत्र पर दस्तकत भी नहीं करता हूँ।

और राष्ट्र-संघ क्या है? सच पूछा जाय तो क्या यह सिर्फ फ्रान्स और इंग्लैण्ड ही नहीं है? क्या दूसरी शक्तियों का कुछ भी बचन पड़ता है? क्या फ्रान्स से, जिसने समागता, न्याय और मातृभाव के अपने आदर्श को त्याग दिया है, प्रार्थना करने से कुछ लाभ होगा? उसने अरबनी को न्याय नहीं किया है, रीफों में और उनमें मातृभाव नहीं है और सीरिया में वह समानता के सिद्धान्त को कुचल रही है। यदि हमें इंग्लैण्ड से प्रार्थना करनी है तो राष्ट्र-संघ तक जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। वह तो हमारे घर के पास ही है। वह तो सिवा इसके कि कुछ दिनों के लिए बेइस्की में उतर आये सीसला की कंची पहाड़ियों पर बैठती है। लेकिन उससे प्रार्थना करना वैसा ही है जैसा कि आमास्टस के खिलाफ सीसर के पास प्रार्थना करना।

इसलिए हमें सत्य को उसके छुके रूप में देखना चाहिए और राष्ट्र से अपना कर्ज अदा करने के लिए प्रार्थना करना सीखना चाहिए। भारत के ज्यों ही सीरिया का दुःख दूर होगा। यदि हम अपनी कलाई की कीमत नहीं कर सकते हैं तो हमें अपना छोटापन स्वीकार कर लेना चाहिए और चुप रहना चाहिए। लेकिन हमें छोटे बनने की जरूरत नहीं है। हमें एक काम तो अच्छी तरह करना चाहिए—या तो अपने भाई पड़ुओं की तरह आखिर तक लड़ लेना चाहिए या हमें मनुष्यों की तरह विशाल सहयोग के आधार पर दुनिया को यह सीखाना चाहिए कि अपने से जो कमजोर हैं उन्हें घूसना अनुपयोगी है इनका ही नहीं वह पाय है। और ऐसा करोड़ों का सहयोग केवल चरखे से ही संभव हो सकता है। (य० इ०) मोहनदास करमचन्द गांधी

## अफीम संबंधी रिपोर्ट

महासभा की तरफ से अफीम के संबंध में जो जांच की गई थी उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है और महासभा समिति ओरहट, आसाम, से या श्री एण्ड्रयूज शान्तिनिकेतन, इस पत्र पर से १-८-० में या दो किलिंग में प्राप्त की जा सकती है। रिपोर्ट बड़ी अच्छी छरी है और उसमें १६० सके हैं। उसमें एक नकशा है, परिशिष्ट हैं, असाधारण शब्दों का कांप है और विषयानुक्रमिका है। अकेली रिपोर्ट २४ पन्ने में है। उसमें ९ प्रकरण हैं। उसकी प्रस्तावना भी एण्ड्रयूज ने लिखी है। वे उसके सहयोगो सभासद थे। और इस जांच समिति को बनाने में और इस जांच में मुख्य हाथ उन्हींका था। इस जांच समिति के प्रमुख श्री कुलधर चेत्री थे। श्री एण्ड्रयूज कार्यकर्ताओं की इस प्रकार तारीफ करते हैं:

“ इस समिति के कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने देस की इस सेवा के लिए अपना समय, आराम और सब कुछ त्याग दिया था, उनकी हीममत और रुग्तात काम करने की शक्ति को देख कर मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ है। यह जांच तो ऐसी जाचों की एक श्रेणी में प्रथम है। आसाम को पहले पसंद इसीलिए किया गया था क्यों कि भारत में अफीम की बढ़ी बड़ी अधिक कैली हुई है। राष्ट्र-संघ के निर्णय के अनुसार १०००० लोगों के लिए दवा के काम में ६ सेर अफीम की जरूरत होती है जब आसाम में उतने ही लोगों के लिए कम से कम ४५ सेर और अधिक से अधिक २३७ सेर अफीम औषतन् कार्य होती है। रिपोर्ट से साक्ष्य होता है कि असहयोग के जमाने में अफीम की बिक्री १९१४ मन से ८८४ मन तक गिर गई थी। यह पहले का परिणाम था जो गैर कानून करार दिया गया था। १९०० कार्य-कर्ताओं को जिनमें बकील, कालिज के विद्यार्थी और दूसरे शिक्षित लोग भी थे, गिरफ्तार किये गये थे। लेकिन एक देशसेवक को, सुधारक को इस रिपोर्ट के पढ़ने से कितनी खुशी होगी इसकी अमी से कल्पना न कर लेनी चाहिए। उसकी सिफारिशों को ही यहाँ लिख कर मैं इस रिपोर्ट की आलोचना को समाप्त करूँगा।

(१) अफीम और उससे बनी चीजों की बिक्री आखिर इतनी घटा देनी चाहिए कि उससे केवल आसाम की वैज्ञानिक और दवा की आवश्यकताओं को ही पूरा किया जा सके।

(२) ४० वर्ष से जिनकी अवस्था अधिक है और जो अफीम के आदी हैं उन्हें उचित प्रमाण में अफीम मिल सके ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए और इसलिए उनके नाम पत्र कर लेने चाहिए।

(३) जिनकी अवस्था ४० से कम है और जो अफीम के आदी हैं उन्हें रोगी की तरह डाक्टरों की सौंप देना चाहिए।

जब कभी उन्हें अफीम की जरूरत हो तो केवल डाक्टर ही को आज्ञा से उन्हें बंद दी जायगी। और तीन तीन महीने के बाद उसके लिए डाक्टर की उन्हें फिर दुबारा इजाजत देना होगी।

(४) आगामी पांच साल के अन्दर ही अन्दर यह सब परिवर्तन हो जाना चाहिए और पांच साल के बाद उसे बहर की सूची में, प्राणहारक औषधि कानून के अनुसार रजं कर लेना चाहिए और आसाम के निवासियों के लिए उन्हीं तरह उसे गिना जाना चाहिए।

सरकार इस बारे में क्या करेगी इस पर ही यद्यपि बहुत बातों आधार रहता है फिर भी जबतक लोगों को इस विषय में शिक्षा देकर उसके खिलाफ एक सार्वजनिक राय कायम न की जायगी तबतक कुछ भी प्रगति न हो सकेगी। असहयोग की हलचल ने यह दिखा दिया है कि अफीम की बर्दा को रोकने के लिए सार्वजनिक प्रचार कार्य से, स्वेच्छापूवक किये गये प्रयत्नों से कितना अच्छा कार्य किया जा सकता है। इन धारणों से क्या हो सकता है इसका प्रमाण यही है कि एक साल में ही अफीम की बिक्री बहुत कुछ घट गई थी। इस कार्य में और भी अधिक प्रगति होनी चाहिए और उसे बराबर जारी रखना चाहिए।

इसलिए हमारी उन लोगों से जो आसाम के इतिहासी हैं यह प्रार्थना है कि वे अफीम-निबन्धक मंडलियों की स्थापना करें और लोगों को आमतौर पर उसका उपयोग बन्द करने के लिए समझावें। इससे यह परिणाम होगा कि अफीम की बर्दा के खिलाफ लोगों को अपनी राय कायम करने की शिक्षा मिलेगी और नीति का वह वायुमण्डल तैयार होगा, जिस के कि बिना सफलता की आशा रखना स्वर्भ है। उन अशिक्षित लोगों को समझाने के लिए जो इसका अर्थ से अधिक उपयोग कर रहे हुए एक मार्ग से प्रयत्न होने चाहिए। और साथ करके आसाम की प्राथमिक शाळाओं में और पहाड़ी लोगों में छोटे छोटे बच्चों को बड़े ध्यान से इस विषय की शिक्षा देना अत्यन्त ही आवश्यक है।

हमलोग इन कार्य में निबन्ध-मंडलों की स्थापना करने के लिए समाज के सभी लोगों को और खास करके प्रियन्तरी लोगों को, क्योंकि मिशनरियों का उनके साथ बड़ा निकट संबंध है, सहयोग करने के लिए निमन्त्रण देते हैं।

और अंत में हमलोग महात्मा गांधीजी को फिर एक बार आसाम में जा कर अफीम निबन्धक हलचल के, जो केवल दान्त साधनों से ही बलाई आयेगी, नेता बनने के लिए प्रार्थना करते हैं।

मुझसे की गई प्रार्थना पर मेरा ध्यान गया है। मेरी बंगाल की यात्रा के समय जब देशबन्धु दास की निर्दय मृत्यु ने खींच लिया था उस समय मैं आसाम न जा सका था। इसके लिए मुझे बड़ा रज है। यदि सब ठीकठाक रहा तो आगामी वर्ष में उस सुन्दर बाग की मुलाकात करने का मैंने श्री फूकन को वादा किया है। मेरी शर्तें तो जाहिरा हैं। देशबन्धु का सिद्धान्त था, मनुष्य, दासगोत्रा और उपथा। यदि आज वे सदेह हमारे साथ नहीं हैं फिर भी मुझे इसका पालन करना चाहिए। दायकता सूत दासगोत्रा है। इससे किसीका हानि नहीं पहुंचती है और इसकी रक्षा करने की शक्ति तो अमर्यादित है। यदि श्री फूकन और उनके मित्र अपना ही उदाहरण पेश कर के आसाम निवासियों से चरले का स्वीकार करा के उनका आलस्य त्याग देने को उन्हें समझावेंगे तो मैं उनकी अफीम की बुरी आदत का दूर करने का भार अपने सिर के लूंगा। उनका विश्वास है और उनके साथ मेरा भी यह विश्वास है कि

आसाम में खर के लिए बहुत कुछ भासा है। वे कासावे सिध सफल हों। तब मैं शिक्षित आसाम निवासियों को धारासमा की आल में फंसे रहने के कारण माफ कर दूंगा।

( सं० ६० )

बोधनचौल करमचंद गांधी

### गारक्षा का निबंध

पाठकों को यह जान कर बड़ी खुशी होगी कि भी आचार्य धुव और श्री. व. वैद्य ने गोरक्षा पर इनामी निबन्धों के परीक्षक बनने के लिए अपनी स्वीकृति दे देने का कृपा की है। मैं तो अब सिर्फ यही आशा रखता हू कि जो निबंध आर्सेगे वे इस विषय के और जिन्होंने निबन्धों के परीक्षक बनना स्वीकार किया है उन विद्वानों के योग्य होंगे। आचार्य धव की सूचना है कि मुझे इस बात का स्पष्ट कर देना चाहिए, जो विद्वान निबंध लिखें वे केवल शुष्क और अनुपयोगी तर्क और विवाद की दृष्टि से ही शास्त्रों की परीक्षा न करें लेकिन विद्याल ऐतिहासिक दृष्टि से ही उनका विचार करें। और उन्हें यह भी आशा है कि निबंध लिखनेवाले कैरी और चमने के कारणाओं का भी इसी प्रकार विचार करेंगे। वे ऐतिहासिक दृष्टि से इस धान की खोज करेंगे कि गोरक्षा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और चम के अनुकूल गाथों को अर्थात् चोरों की रक्षा करने के जितने भी साधन और उपाय शक्य हों उन सबकी परीक्षा करेंगे।

एक महाशय पत्र लिख कर यह गुच्छते हैं कि निबन्ध कितना बड़ा होगा चाहिए। लेकिन इसकी मर्यादा रखने की कोई आवश्यकता नहीं माछम हुई है, वर्यो कि लेखक की इस विषय का विचार करने की शैली पर ही उसका आधार रहेगा। लेकिन सामान्य-तया मैं इतना अवश्य कह सकता हू कि निबन्ध जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा। मैं परीक्षकों को बुरा अच्छी तरह जानता हू और इसलिए यह कह सकता हू कि निबंध लंबा होने के कारण उनपर उसका कुछ भी असर न पड़ेगा। इसलिए हुएक लेखक को अपने आप ही इसका विचार कर लेना चाहिए। मैं भिर्फ उनसे यही आशा रखता हू कि वे निबंध लिख कर फिर उसे दुबारा पढ़ जायेंगे और जहाँ आवश्यक माछम हो उसे काट छंट देंगे। कसाई के निबंध के अरे अनुभव के कारण ही मैं यह चिन्तावनी दे रहा हू।

एक दूसरे महाशय समय बढाने के लिए लिख रहे हैं और उसके लिए यह योग्य कारण भी बताते हैं कि जो मरुत के प्रोफेसर इसमें भाग लेना चाहेंगे वे उस समय तक अपने निबंध को पूरा न कर सकेंगे। मैं इसलिए बड़ी खुशी से ३१ मार्च १९२६ के बजाम ३१ मई १९२६ तक समय बड़ा देता हू।

अब एक सूचना पर विचार करना बाकी रह जाता है। एक महाशय निबंध लिखने के लिए दूसरी भाषाओं के साथ संस्कृत भाषा को भी पसंद करने की उपयोगिता के बारे में सोचकर करते हैं। संस्कृत को पसंद करने का कारण यह है कि हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों के बहुसंख्यक विद्वान पंडितों को भी अपने राष्ट्र की अपनी विद्या का काम देने के लिए अवसर दिया जाय और उन्हें उसके लिए उत्साहित किया जाय। मेरी दक्षिण की यात्रा में मुझे कुछ ऐसे पंडितों से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जो वर्तमानकालीन हलचलों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन उनकी विद्या का हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलता है क्योंकि संस्कृत की कीमत आजकल घट गई है। मुझे आशा है कि संस्कृत के वे विद्वान जो अच्छी अंगरेजी नहीं जानते हैं या जो जानते हैं वे भी राष्ट्र की एक प्रमाणार्थ तैयार कर के देंगे।

मुझे यह कहने की तो कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती कि यदि कोई संस्कृत का निबंध ईनास के लिए पसन्द किया गया तो उसका केवल हिन्दी और अंगरेजी में ही अनुवाद न होना बल्कि ऊर्दू और दूसरी मूल्य की भाषाओं में भी उसका अनुवाद तैयार करवा जावेगा। ईनासी निबंध के गुणों के ऊपर ही हम सब बातों का आधार रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि इससे हमारे दार्शनिक साहित्य में बड़ा महत्व का स्थान प्राप्त करने योग्य एक अच्छा ग्रंथ तैयार हो सकेगा, फिर चाहे वह मूल में किसी भी भाषा में क्यों न लिखा गया हो।

(पं० ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

### कच्छ-यात्रा

बंबई से चल कर मांझरी होसे हुए कच्छ की प्रजा की लकड़ीकी की अनेकानेक बातें सुनते सुनते हम लोग भूख-कच्छ के मुख्य शहर—में पहुँचे। जिस राजे वहाँ पहुँचे उसी दिन एक सार्वजनिक सभा रखी गई थी और उसमें लोगों की तरफ से अभिनन्दन पत्र दिया जानेवाला था। नगरसेठ ने अभिनन्दन पत्र को पढ़ा। उसमें गांधीजी के अस्पृश्यता विषयक विचारों की स्तुति की गई थी और यह भी कहा गया था कि ये विचार उन्हें कुचल है, और उनका कर्णम कया है यह दिखाने के लिए विनति भी की गई थी। लेकिन अभिनन्दन पत्रों के प्रति महाभूति दिखाई गई थी वे कहाँ थे? गांधीजी ने देखा कि नन्हीं के बैठने की जगह के पीछे रस्सी से मर्यादित किये एक विभाग में उन्हें बिठाये गये थे। इसलिए गांधीजी को उन्हें एक गभीर चेतावनी देने की आवश्यकता प्रतीत हुई। उन्होंने कहा:

'आप लोगों के दिये अभिनन्दन पत्र पर से तो मैंने यह हयाक किया था कि आप लोग अपनी इस सभा में आपकों और अन्त्यजों के दरम्यान कोई कड़ी न लींचेंगे। लेकिन अब मैं देखता हूँ कि आपने ऐसा मेर रखना है तो अब मेरा स्थान भी अन्त्यज भाइयों में ही होगा क्योंकि जगह मैंने अपने को भंगी ही कहा है। मेरा कह दावा कोई मिथ्या-विज्ञान का नहीं है, यह मेरा महान भी नहीं है और न उसमें पधिम की हवा ही है। यह दावा केवल सेवास्य से किया गया है और वह भी जन्म से हिन्दू धर्म की पहचान कर लेने के बाद, जन्म से ही अमिष्ठ गाता-पिता का सुभ्र अनुकरण करके ही किया गया है। शरीर और शरीरी को पहचानने के लिए मैंने प्रयत्न किया है और एक प्राकृत मनुष्य शास्त्र का जितना अध्ययन कर सकता है उतना अध्ययन मैंने किया है और उसका अनुभव भी किया है। उस अध्ययन और अनुभव के कारण मेरा यह हृद निश्चय है कि यदि हिन्दू-धर्म अस्पृश्यता को कायम रखेगा तो हिन्दुओं का नाश होगा, हिन्दू धर्म का नाश होगा और हिन्दुस्तान का भी नाश होगा। भारतवर्ष में प्रमथ करते हुए मैं अनेक शक्तियों को और पक्षियों को बिल्ला हूँ और उनसे इस विषय पर चर्चा करने के बाद मेरा यह निश्चय अधिक दृढ़ हो रहा है। इसलिए मैं आपकी यह साक साक कह देता हूँ कि मेरे ये विचार हैं और इसलिए यदि मैं अस्पृश्य होऊँ, त्याग्य होऊँ तो आप लोग आपसे से मेरा स्वागत करेंगे और मुझसे एक दिन में ही इस सभा की समाप्ति करने के लिए कह देंगे। इससे मुझे कुछ भी दुःख न होगा। मैं समझता हूँ कि कच्छ में स्वामिभाव है, विनम्र है। इससे केवल आप ही का कल्याण न होया बल्कि मेरा और अन्त्यजों का भी सहा होगा। आप मेरा स्वागत करेंगे अपने आपके और मेरे संबंध में कोई कलं न होगा।'

अनाकर न होगा। लेकिन यदि मुझे बुका कर आप अन्त्यजों का अनाकर करने तो उसके मेरा बड़ा अपमान होगा। मैं हिन्दू-धर्म में ओतप्रोत हो गया हूँ, हिन्दू-धर्म के लिए जीता हूँ और उसीके लिए मरना चाहता हूँ। यदि मुझे आज यह मालूम हो जाय कि मेरी मृत्यु से हिन्दू-धर्म को लाभ होगा तो मैं जितने प्रेम और उरवाह के साथ आप लोगों के साथ मिल रहा हूँ उतने ही प्रेम और उरवाह के साथ मृत्यु का भी आश्रितन करूँगा। हिन्दू-धर्म की सेवा करता हुआ मैं अस्पृश्यता को उसका बहुत बड़ा भागी कलंक मानता हूँ और अन्त्यजों को प्राणसंगम गिनता हूँ। इसलिए जिस प्रकार रामायण से प्रेम रखनेवाला जहाँ रामनाम कि निंदा होती हो वहाँ से डेढ़ कोस दूर भागता है उसी प्रकार मैं भी जहाँ अन्त्यजों का निरस्कार होता है वहाँ से दूर रहता हूँ। आप लोगों ने मेरे सत्याग्रह की स्तुति की है। आज मैं उसीका सबक आपको सीखाना चाहता हूँ। आप या तो अन्त्यजों को यहाँ आने दें या मुझे ही वहाँ जा कर उनमें बैठने दें। यदि आप अन्त्यजों को यहाँ आने देना चाहते हैं तो उन्हें यह निश्चय करने के बाद ही यहाँ आने दीजिएगा कि आप ऐसा करने में पुण्य का काम कर रहे हैं पाप का नहीं। यदि आप उधमें पाप मानते हैं तो मुझको ही उनमें जाने दीजिएगा।'

इस पर मत लिए गये। बहुमति अन्त्यजों के विरुद्ध थी इसलिए गांधीजी ने उसका स्वीकार किया और कहा:

'बहुमति अन्त्यजों के विरुद्ध है। इसलिए अब आप इस मेज को अन्त्यजों के विभाग में रखने के लिए स्वयंसेवकों को इजाजत दें। वहाँ से किये गये, मेरे व्याख्याता को अब आप सुनें। अस्पृश्यता का नाश बलात्कार से न हो सकेगा लेकिन सत्याग्रह से होगा, प्रेम के आग्रह से होगा। कष्ट सहन करने से और तपश्चर्मा से ही धर्म में सुधार हो सकेगा, और दूसरे उपायों से न होगा। कोष से, तिरस्कार से या दुःख से भी न होगा। धर्म का जो विरोध करता ही उसका मन से भी दुरा न सोचना चाहिए; यही सत्याग्रही का धर्म है।'

अभिनन्दन-पत्र में और भी बहुमती बातें थी। राजा और प्रजा के कर्तव्यों को समझाने की भी विनति की गई थी। इस पर गांधीजी ने कहा:

'राजाओं के राज्य में अब धर्म होता है तभी वह राज्य चल सकता है। जिस राज्य में एक भी मनुष्य भूखों न मरता हो, बालिकायें निर्भय बन कर चाहे जहाँ घूम-फिर सकती हो और कोई दुराचारी नसपर नजर भी न डाल सके, राजा प्रजा का पुत्रवत् पालन करता हो और रयत को बिल्ला कर खाता हो, ऐसे ही राजतंत्र का मैं पुकारी हूँ। ऐसा राज्य होने के लिए मैं चाहता हूँ कि प्रजा और राजा में प्रेम हो। जब ऐसे राजा होंगे तब उस राज्य में न दुःखाल होगा, न व्यभिचार होगा, न शराब होगी और न कोई भूखों मरेगा। लेकिन आज राजालोग अपना धर्म भूल गये हैं। राजा जब तक पवित्र और अन्धका ही तब तक प्रजा उसे मदद करे। लेकिन यदि वह अत्याचारी बन जाय तो प्रजा का धर्म है कि राजा को सब बातें सुना दे। 'यथा राजा तथा प्रजा' यह जितना सच्चा है उतना ही 'यथा प्रजा तथा राजा' भी सच्चा है। प्रजा के सत्व का धीरे का और रजसा का प्रभाव राजा पर पड़े बिना नहीं रहता है और राजा के अत्याचार की और अस्वत्व की भी अन्धक हुए विना नहीं रहती है। जिन कष्टों के बारे में आप सोच निकल रहे हैं वे यदि सच्चे हैं तो प्रेम और

क्यों संकोच होता है ? यदि सबसुख ही ये कष्ट आपको सहन करने पड़ते हैं तो उसका उपाय भी आप ही के हाथों में है । वह अविनय और अमर्यादा का उपाय नहीं है लेकिन वह तो सत्य और प्रेम का उपाय है । वहाँ सत्य, प्रेम और शौर्य का त्रिवेणी-संगम होता है वहाँ कुछ भी अशक्य नहीं है ।

ता. २५ को भूज से कोटडा जाने के लिए रवाना हुए । कोटडा खादी और अन्त्यज प्रेमी भाई जीवराम कल्याणजी के लिए प्रसिद्ध है । अन्त्यज प्रेमी विशेषण का मद्त्व कोटडा जाने पर ही समझ में आ सकता है । क्यों कि अस्पृश्यता के कारण भूज में जो विरोध हुआ था उसका यहाँ के विरोध के आंग कुछ भी दिखाव न था । मूलजी तिका नामक एक व्यापारी ने खुद एक अच्छी रकम दे कर एक अन्त्यजशाला के लिए कोई सान आठ हजार रुपये इकट्ठे किये थे । उन्हें उसकी नींव गांधीजी के हाथ से रखवानी थी । अन्त्यजशाला के नाम से यदि कोई यह कल्पना करे कि वहाँ अन्त्यजों का बड़ा अच्छा जमघट होगा, वहाँ उनके बालकों को इकट्ठा कर के अस्पृश्यता के त्याग की नींव डाल कर शाळा की नींव रखी जानेवाली होगी तो यह गलत है । वहाँ ऐसा कुछ भी न था । वहाँ तो यह कहा जाता था कि रुपये देनेवालों ने इस शाला के लिए यही समझ कर रुपये दिये हैं कि अन्त्यजों के बालकों को कोई छूए नहीं, शिक्षक भी उनका स्पर्श न करे और सब काम अलग ही अलग रह कर किया जाय । हम लोगों का यह मन कर बड़ा आश्चर्य हुआ । भूज की तरह वहाँ भी सभा हुई । व्यवस्था भी वही तो रखी गई थी । रात्रि का अन्त्यजशाला की नींव रखी गई । दो एक सदगुरुद्वयों ने शाला में से अस्पृश्यता तो दूर रखने का बचन दिया तभी गांधीजी उसकी नींव रखने के लिए राजी हुए थे ।

अब हमारी यात्रा में हम वहाँ गये वहाँ कोटडा के ही हस्त नजर आते थे । आन्तर हम लोग नाइकी पहुँचे । भूज की क्या सब जगह फैल गई थी । बाँधवी में गांधीजी को ठहराने की जगह के बारे में ही चर्चा होने लगी । डेढ़ की लकड़ी को साथ रखनेवाले गांधीजी को ठहरने के लिए जगह ढेर कर जोखिम कौन उठावे ? आखिर एक धनवान साधु उनको ठहराने के लिए और सभा भरने के लिए जगह देने की राजी हो गये । सभा के लिए यह निगम रक्खा गया कि उसमें जाने के लिए दो रास्ते रखे जाय, एक भद्रलोगों के लिए और दूसरा अन्त्यजों के लिए । अन्त्यजों के रास्ते से केवल अन्त्यज लोग ही जा सकते थे । भद्रलोगों का तो दरवाजे से दामिल हो कर सीधे सभा में जाना पड़ता था । और फिर जो चाहे अन्त्यजों में जाकर बैठ सकता था और जो इस प्रकार उनके साथ जाकर बैठता था उसे अन्त्यजों के रास्ते से ही निकलना पड़ता था । स्वागत-समिति ने निश्चय किया था कि गांधीजी भी जन्म से तो भद्रलोग ठहरे इसलिए उन्हें भी भद्रलोगों के रास्ते से ही जाना चाहिए । लेकिन गांधीजी तो अपने स्वजनों के लिए निर्णित किये रास्ते से ही गये । स्वागत मंडल में से किसीन इसपर आपत्ति प्रकट की । गांधीजी ने उन्हें समझाया लेकिन वे समझ ही नहीं सकते थे । जिस जगह सभा रखी गई थी उस ब्रह्मपुरी के मालिक साधु गिद्धरजी ने यह बात सुनी । वे यह सुनते खींच गये और सभा छँड कर चले गये । गांधीजी तो जमी सभा में भी नहीं पहुँच पाये थे ।

गांधीजी दो विभागों के बीच में खड़े किये संघ पर खड़े हो कर लोगों को समझाने लगे: 'साधुजी को सभा छोड़ कर चले जाने की कोई आवश्यकता न थी वे अपनी जगह पर बैठे मुझे

स्पर्श किये बिना ही अभिनन्दन पत्र दे सकते थे । अब भी आप में से कोई मेरा यह संदेशा उन्हें पहुँचा सकते हो ।' लेकिन किसी की भी यह संदेशा पहुँचाने की हिम्मत न चली । इतने में साधुजी ने ही सभा को खाली करने के लिए अपने आदमी भेज दिये और वे अपनी काठीयों से अन्त्यजों को मार भगाते लगे । दूसरे दिन मैदान में सभा की गई और उसमें गांधीजी को अभिनन्दन पत्र दिया गया । गांधीजी ने शहर की सफाई के संबंध में और पहले दिन की घटना के संबंध में अपना दुःख प्रकट किया और और भी बहुत सी बातें कहीं ।

फिर मुद्रा पहुँचे । मुद्रा में जो कुछ हुआ उससे तो गांधीजी को मर्मवेदना हुई । कितने ही गुरुद्वयों ने यह दिखाने का भी प्रयत्न किया कि मुद्रा में अस्पृश्यता है ही नहीं । लेकिन शाम को सभा हुई, उस समय दाहिनी ओर के अन्त्यजों के विभाग में मुद्रा का एक भी शब्द न था । मुगल्मान भी भद्रलोगों में थे, अत्यजशाला के शिक्षक भी भद्रलोगों में थे । उस सभा में गांधीजी ने जो भाषण किया उसके प्रत्येक शब्द में से वेदना का लीभर टपक रहा था । गांधीजीने कहा कि कच्छ में था कर अब मुझे यह नया संबोधन 'अन्त्यज भाट और बहनें, और उनके साथ मरानुभुति रखनेवाले दूसरे हिन्दू भाई और बहनें' शुरू करना पड़ता है । यह सब है कि कच्छ का प्रथम सारे हिन्दुस्तान को दिखा रहा है लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा संबोधन करने का प्रसंग नहीं आया है । क्यों कि इस प्रथम ने यहाँ पर जो रूप धारण किया है वैसे रूप उगने कहीं भी धारण नहीं किया था । पहले पहल भूज में जब यह बन्देबा लड़ा हुआ था तब उसका पीरन ही निपटाया कर लेने के लिए मैंने भूज को मुबारकबादों का भी लेकिन दूसरे स्थानों पर मुबारकबादी देना मेरे दिल ने कुचल नहीं किया है । जहाँ सारी प्रजा अस्पृश्यता को मानती है वहाँ मुझे बुलाना ठीक नहीं है । जहाँ अन्त्यजों का अन्याय होता है वहाँ मुझे बखाना देना अपमान करना है । यहाँ आ कर अन्त्यजों की शाला के संबंध में भी सुना । मुझे ब्याल हुआ कि उसमें अन्त्यजों की सेवा होती होगी । लेकिन इस शाला के लिए तो मैं इस्लामी प्रधान साहब को धन्यवाद दूंगा । हिन्दू प्रजा को उनके लिए कुछ भी धन्यवाद नहीं दिया जा सकता है । उसका आस्तित्व ही हिन्दुओं के लिए लज्जा की बात है । मेरे लिए यदि कोई मुसलमान शिक्षालय बनवा दे तो यह मेरे लिए लज्जा की बात है । शाला की कातने की और धुनकने की प्रवृत्ति को दूर कर मुझे आनन्द हुआ था लेकिन फौरन ही मुझे यह ब्याल आया कि उसका पुण्य न मुझे है न हिन्दुओं को है । मेरे बजाय यदि मुसलमान गायत्री पढ़ कर सुनावे तो उसमें मेरा पैट कैसे भरेगा ? मुझे तो तभी संतोष होगा जब कोई वाक्षण आ कर यह कहे कि मैं गायत्री पढ़ कर सुनाऊंगा । लेकिन यहाँ पर जो काम हिन्दुओं को करना चाहिए वह खोजा लोग कर रहे हैं । यहाँ पर किसीको अन्त्यजों की कुछ भी नहीं पड़ी है । मेरे पास जो अन्त्यज लोग बैठे हैं उनमें मिहमनों के भिदा हमारे कोई अन्त्यजोंतरों का नहीं देख रहा हूँ । दिन को जो लोग मेरे साथ थे वे भी अन्त्यजों को छोड़ कर भद्रलोगों के बाँधे में जा बैठे हैं । आज यदि आप मेरे पीने को चीर कर देखेंगे तो उसमें आप बदन ही भरा हुआ पावेंगे । क्या यह हिन्दू-धर्म है कि जहाँ अन्त्यजों की किसी की कुछ भी नहीं पड़ी है । इस गाँव में अन्त्यजों की सहाय करनेवाला एक भी मनुष्य नहीं है !



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक १२ ]

मुद्रक—प्रकाशक स्वामी भावार्थ	अहमदाबाद, अगाहन नदी ५, संकल्प १९८२ सुकवार, ५ नवम्बर, १९२५ ई०	मुद्रकालय—नवजीवन मुद्रकालय, कारंगपुर सरकीगरा की बाड़ी
----------------------------------	---	--

## संयुक्त प्रान्त की यात्रा

नाजुक मंच

मेरी बिहार यात्रा हाजीपुर में समाप्त हुई। हाजीपुर में बड़ी अच्छी व्यवस्था और शान्ति रही। राष्ट्रीय-बान्ना के छोटे छोटे मकानों में मुझे ठहराया गया था और उसीके सामने एक बड़ी सारी सांस्कृतिक सभा की गई थी। लेकिन स्वयंसेवकगण व्यवस्था रखना जानते थे। भीड़ के लोगों को पढ़के ही से वह डिलला दे दी गई थी कि मैं भीड़, भीड़ का एक भागी ही बस आना और उसे परी को कुछ इशाराई समझ करके के लिए अलगमें हूँ। इससे उस सभा के ज्यादाते के कारों और मंचको आकर्मियों की भीड़ होने पर भी मुझे पूरी शान्ति मिली थी। बिहार में जितनी भी राष्ट्रीय शाखाएँ हैं उनमें शान्त इसी शाखा की व्यवस्था सब से उत्तम है और इसमें शिक्षक भी उत्तम कौटिक के हैं। बाबु बनकधारी, जो एक उत्तम कारिगवान असहयोगी बकीक हैं, इसके आचार्य हैं। हाजीपुर में करीब ५००० रु. की एक भेड़ी भी बेट की गई थी। इस प्रकार ऐसी आह्लादजनक समाप्ति के साथ और सोनपुर में उन हजारों लोगों को आराम पहुंचाने के लिए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कि जो हिन्दुओं के नये धर्म के पहले सहिने की पूर्णों को वहाँ मेले में बसा होते हैं, एक सेवाधर्म कोलने की क्रिया करके मैंने बिहार की यात्रा समाप्त की। सोनपुर के इस मेले में उत्तमोत्तम कोले, हाथी और भाष, बेल इशाराई और बुर बुर से आते हैं। इसके बाद मैंने संयुक्त प्रान्त में प्रवेश किया। बलिया में ही प्रथम मुकाम रहा। बलिया आने के लिए सिर्फ बार बन्दे का सफर करना पडा था। लेकिन इसमें मुझे बड़ी तकलीफ साहस हुई। यहाँकी सजा मुझे बड़ी ही कष्टमद साहस हुई थी और बिहार में मुझे जो अनुभव हुआ था उसके विपरीत ही यहाँ अनुभव हुआ। जिस सजा में हम लोग सफरा से बलिया गये वह बड़ी धीरे चलती थी, और कुछ विनिर्दों के बाद ही स्टेशन का आते थे। हरएक स्टेशन पर एक बड़ी सारी भीड़ होती थी और लोग बडा धीरे चलते थे। स्वयंसेवक उन्हें रोकने में असमर्थ थे। मैं वह जानता हूँ कि उनको मेरे प्रति सच्चा और अतिशय प्रेम था। मुझे १९२५ में ही बलिया आना चाहिए था लेकिन मैं उस समय वहाँ जा सका था। लोगों को इसलिए मेरे यहाँ आने के प्रयत्न में केवल अविश्राम का ही जवाब था लेकिन जब के यहाँ अनुभव का पहुंचा तो वे

सुनी से पालक बन गये। स्वयंसेवक उन्हें अपने कानू में न रख सके। लेकिन ज्यों ही वे उन्हें अपनी बात सुना सका और देखबन्तु-मानक फंड के लिए उनको समझा सका त्यों ही उन्होंने उदारता से रुपये देने छुट किये। बलिया ही में स्टेशन पर जो भीड़ थी उसमें किसी प्रकार की भी व्यवस्था नहीं रखी जा सकती थी। अमरिकन मिशन के पाद्री पेरिस साहब ने मेरे लिए अपनी मोटर स्टेशन पर काने की सेवा की थी। मैं बड़ी मुश्किलों से उस मोटर तक जा सका था। लेकिन उस मोटर के कारण ही मुझे कोई इनि पहुंचने के पहले मैं उस भीड़ में से बाहर निकल सका था। स्टेशन से दस कोम सौं: वहाँकी सांस्कृतिक सभा में गई। वहाँ एक बड़ा सारा और लंबा मंच तैयार किया गया था। उसे देखते ही मैं वह समझ गया कि किसी शाकिन ने उसकी रचना की है और जितने आदमी की उत्सपर जगह रखी गई थी उसने आदमियों का वहाँ बैठना सम्भवत न था। वहाँ कुछ घात अभिनन्दन-पत्र दिये गए थे। जिन जिन लोगों से, इनके साथ संबध था उस सबका वहाँ मंच पर होना स्वाभाविक था। उस मंच पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी वे भी हिलती थी, नसपर से फिसल जाने का डर बना रहता था और कोई सम्भवती न थी। यदि कोई उत्सपर जरा भी चलता फिरता कि सारा मंच हिलने लगता था। १० आदमियों का बज्र भी बढ नहीं सम्भाल सकता था और एक आदमी के लिए भी उसके कुछ भागों पर चलना भयकारी था। प्रमुख ने फैरन ही वह समझ लिया कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचना हो तो यह आवश्यक है कि मुझे अकेले की वहाँ छोड कर और सबको वहाँ से हट जाना चाहिए। इसलिए वे सब धीरेधीरे मुझे राजेन्द्रबाबु के हाथों में सौंपकर निचे चले गये। जिन्हें अभिनन्दन-पत्र पढ़ने थे वे एक के बाद एक इस प्रकार आते थे। और फिर भी, इतना खराब रखने पर भी, यह अन्वेदा बडा रहता था कि क्या माहम कि: समय वह मंच सारा का सारा डेर हो जाय। ऐसा भयमद और कमजोर मंच देखने का यह मेरा पहला ही अनुभव न था। मुझे कम से कम दो दुर्घटनायें पाइ हैं। लेकिन यह सबसे अधिक कमजोर था। कुशल दृष्टिकोण कोय तो उसे देखते ही उसकी कमजोरी साहस सकते थे। लेकिन जिन्होंने उसकी रचना की थी उन्हें कुछ भी अनुभव न था। यहाँ सजा के कार्यकर्ताओं की एक सहायण से शिखा ग्रहण करनी चाहिए और उन्हें बडे बडे मंच बनाने के लिए अनुभव नहीं करना चाहिए। यदि वे प्रिया मंच बनाना चाहें तो भी उन्हें कार्यकुशल

व्यक्तियों को ही यह काम सौंप देना चाहिए। स्वयंसेवक सभा को भी ठीक ठीक व्यवस्था में न रख सके थे। जब अभिनन्दन-पत्र बंदे जाते थे उस समय भी शोर हो रहा था। लेकिन जब मैंने उनसे मेरी बातें सुन लीने के लिए विनती की, वे सब गपूण शान्त हो गये थे। इससे मैंने यह अनुमान निकाला कि बिहार की तरह यदि यहाँपर भी कुछ पहले ही से तैयारी की गई होती तो उसका परिणाम भी अच्छा होता और बलिया में मे जो कुछ भी कार्य कर सका उससे कहीं ज्यादा और अच्छा कार्य में कर सकता था। शान्त और लम्बा-र काम करने की ही आवश्यकता है। बलिया में कुछ बड़े अच्छे कार्यकर्ता भी हैं और इसलिए उसे आज के बनिश्चत आर्थिक अर्थ के कार्य का केन्द्र भी बनाया जा सकता है। मे यह जानता हूँ कि बलिया के लोग बड़े धैर्यवान और कष्टसहिष्णु हैं। उन्होंने १९२०-२१ में कुछ कम खाम नहीं किया था।

### काशी विद्यापीठ

बलिया से हम लोग काशी गये। वहाँ सीतापुर जाते हुए हमें लखनौ जाने के लिए गाड़ी बदलनी थी। बनारस में पांच घण्टे का मुकाम रहा। बापु भगवानदास ने काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों की एक सभा रक्खी थी। म्युनिसिपलिटि के अधिकारों के चलनेवाले मिडिल-स्कूलों में कताई और बुनाई के गंभय में जो अच्छा कार्य किया गया है उसे देखने के लिए भी मैं मुझे ले गये थे। पाठकों को जागरूक यह याद होगा कि इस कार्य का आरंभ श्री रामदास गौड़ ने किया था और तबसे वह बराबर होता चला आ रहा है। इन शालाओं में चरखे और मकली दोनों का उपयोग होता है। यह आजमाइश ठीक ठीक सफल हुई नहीं जा सकती है। विद्यापीठ में मुझे उसका कारखाना दिखाया गया था। उसमें बटई का काम बड़ा अच्छा होता है और उसमें तरबी भी हो रही है। विद्यापीठ में चरखे की उन्नति अच्छी नहीं हुई है। मैंने अपने व्याख्यान में विद्यार्थियों में और अध्यापकों से यह कहा कि यदि उन्हें चरखे में श्रद्धा नहीं है तो विद्यापीठ के पाठ्य-विषयों में से ही उसे उन्हें निकाल देना चाहिए। क्योंकि चरखे को राष्ट्रीय हलचल का एक अंग मानने का सिवाज पक्क भया है उसे इस प्रकार रगान देने से कोई लाभ न होगा। वह समय अब आ गया है जब कि प्रत्येक राष्ट्रीय शाला को अपनी शिक्षा मन्त्री नीति का विकास करना होगा और उसका विरोध होने पर भी उसे सफल करने का प्रयत्न करना होगा।

### लखनौ में

बनारस से हम लोग लखनऊ गये। वहाँ कोई तीन घण्टे से ज्यादा मुकाम रहा। वहाँ मुझे लखनऊ म्युनिसिपलिटि ने अपनी तरफ से एक अभिनन्दन पत्र दिया। वह अभिनन्दन पत्र बड़े लच्छे प्रकार की ऊर्ध्व में लिखा हुआ था। मेरे जैसे मादे मनुष्य को सम्मानने के लिए, जो संयुक्त प्रान्त का निवासी नहीं है, भाषा को जितनी भी मुदिकल बनाई जा सकती थी उतनी ही उसे मुदिकल बनाने की खास कोशिश की गई थी। उसमें अरबी और फारसी के बड़े बड़े काठन शब्दों का प्रयोग किया गया था। और ऐसा मालूम होता था कि मानों एक सामूली बोलचाल का शब्द और जिसका मूल मस्कून से ही ऐसा एक भी शब्द उसमें न आने पावे इसके लिए खास कोशिश की गई थी। और इमंतिग मुझे उसका अंगरेजी अनुवाद दिया गया था। मैंने म्युनिसिपलिटि से कहा कि मे उन्हें उनकी बड़े लच्छे प्रकार का ऊर्ध्व के लिए मुबारिकवादी नहीं दे सकता हूँ। मे प्रान्त की आपस की बोलचाल और व्यापार के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता का स्वीकार करना हूँ लेकिन वह भाषा लखनवी ऊर्ध्व या संस्कृतमय हिन्दी नहीं हो सकती है।

वह भाषा तो हिन्दुस्तानी ही हो सकती है और हिन्दी और ऊर्ध्व जाननेवाले लोग जिन शब्दों का आम तौर पर प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों की बह बनी होगी। उसे हिन्दी और मुकमान दोनों समझ सकेंगे। लखनऊ की म्युनिसिपलिटि खाम कर के स्वराजियों के हाथों में है। उनके पहले के सभासदों के कार्य के बनिश्चत उनका कार्य भी कुछ कम महत्व का नहीं है। लेकिन मैंने मेरे उन धोताओं से यह कहा कि सिर्फ अपने पहले के कार्यकर्ताओं के समान ही काम कर सकने पर सतोष मान लेना ठीक नहीं है। महासभा के लोग जहाँ कहीं भी जिस किसी भी संस्था को हस्तगत कर लेते हैं वहाँ उन्हें अधिक अच्छा काम कर दिखाना चाहिए। और इसीलिए लखनऊ के रास्ते ऐसे खराब ह यह विचारणीय बन्दू है। यदि रुपये की कमी उसका कारण है तो यह बहाना नहीं चल सकता है क्योंकि महासभावालों से तो यह आशा रक्खी जाती है कि वे स्वयं फुहली और फावका ले कर स्वेच्छा से मिदनाम कर के रास्तों को दुरुस्त करें। मैंने म्युनिसिपलिटि को उसके ऊर्ध्व के प्रयोग के लिए मुबारिकवादी दी और उसे यह खंनावनी भी दे दी कि जबकि वे अपने शहर को सस्ता और अच्छा दृष न पड़वा सके तबतक उसे कभी भी संतोष नहीं होना चाहिए।

म्युनिसिपलिटि के अभिनन्दन पत्र में हिन्दू मुकलम प्रश्न पर जान-बूझ कर कोई बात न की गई थी। फिर भी मंत्रों (म्युनिसिपलिटि के बहन से हिन्दू और मुकमान सभासद मेरे मित्र थे) के साथ बाननीत करने में मैं इस प्रश्न को छोड़ न सका और इसलिए इन दोनों इन्तों में जो तनाका बहना जा रहा है उगरेर मुझे कुछ बहना पडा। मैंने उनसे कहा कि हिन्दुसतान के दुमरे हिम्नों में कुछ भी क्यों न हो कमसे कम लखनऊ में तो दोनों इन्तों को अपने मन-भेदों को दूर कर के ऐसा संयुक्त कर लेना चाहिए कि किसी भी स्थिति क्यों न तत्पक्ष हो और हिन्दुस्तान के दुमरे भागों में कैसे भी शरादे क्यों न चलेंगे वह उनका ऐय कभी उटे ही नहीं।

मुझे चलते चलते लीयों के विशान्य की भी मुलाकात करने का समय मिला था। यह विशालय अमेरिकन विशाल का है और यह कहा जाता है कि सारे एशिया खण्ड के लगे विशालयों में यह सबसे पुराना है। मैंने उसमें देखा कि हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों की लउकियाँ यहाँ पढ़नी ह। उन्होंने मुझे घेर लिया और वे अपनी हस्तक्षरों की पुस्तक में मुझसे मेरे हस्ताक्षर कर लेना चाहती थीं। मैंने अपनी साने गना कर बढ़तेरों को अपने हस्ताक्षर दिने हे और वह साने यह है कि जो लोग मुझसे मेरे हस्ताक्षर चाहें उन्हें खादी पहननी चाहिए और नियमपूर्वक कावना चाहिए। मैंने लउकियों को भी यह शय सुनायी। उन्होंने पारन ही उसका स्वीकार कर लिया और वहाँ की सांघिकिका ने मुझे इस बात का बकीन दिलाया कि वह स्वयं हम बात का स्पान रक्खेगी कि वे अपना वादा भय भाव से पूरा करती हैं या नहीं।

### सीतापुर में

लखनऊ से हम लोग मोटर में बेट कर सीतापुर गये। वहाँ कोई १० बजे शाम को पहुँचे होंगे। मैं अपने मुकाम पर पहुँचें उनके पहले ही मुझे हिन्दुसभा का अभिनन्दन पत्र प्रहण करने के लिए उसकी सभा में जाना पडा था। मैंने उस अभिनन्दन-पत्र का उत्तर देते हुए कहा कि मैं उस अभिनन्दन-पत्र के योग्य नहीं हूँ क्योंकि मैंने हिन्दुसभा के लिए अबतक कुछ भी काम नहीं किया है और मैंने उसकी कुछ हलचलों के विमल — यद्यपि मित्रभाव से — बहुत कुछ टीकाओं भी की हैं। मैंने इसीलिए इस अभिनन्दन-पत्र का स्वीकार किया है क्योंकि हिन्दू-धर्म

के प्रति मेरी भाषा किसी से कुछ कम नहीं है। मैंने सबसे पहले भी कहा कि जिसकी भी धार्मिक इच्छा है वे सभी सेवा सभी कर सकती हैं जब कि वे स्वयं और अहिंसा को संपूर्ण प्रवृत्त कर लें। हिन्दुसमा से मैं धार्मिक समा में गया। वहाँ म्युनिसिपलिटि की तरफ से अभिनन्दन पत्र दिया जानेवाला था। दूसरे दिन मैं अली-भाइयों के साथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परिषद में गया। उसके प्रमुख ने जो व्याख्यान दिया था वह और प्रकारों से अच्छा होने पर भी उसमें फारसी और अरबी का एक भी शब्द न आने पावे उसके लिए बड़ा ही ध्यान रखा गया था। इ लिए मुझे उन्हीं शानों की फिर वहाँ भी दोहरानी पड़ी जो मैंने लखनऊ की म्युनिसिपलिटि के अभिनन्दन पत्र के समय कही थी। मरुतमय और बड़े कृत्रिम हिन्दी उन्ही प्रकार स्थाप्य है जैसे कि फारसी मिली हुई कंचे प्रकार की ऊर्ध्व। मैंने हिन्दुस्तानी को इसीलिए एक सामान्य माध्यमिक भाषा माना है क्योंकि उसे कोई २० करोड़ से अधिक लोग समझते हैं। यह भाषा कृत्रिम लखनवी ऊर्ध्व नहीं है और न सम्मेलनो हिन्दी है। सबसे कम सम्मेलन से तो ऐश ही अभिनन्दन पत्र की आशा रखी जा सकती थी कि जिसे साधारण हिन्दू या मुसलमान कोई भी समझ सकता हो। वह प्राणि जो 'ईश्वर' का नाम लेता है लेकिन खुदा होने से डरता है अथवा वह जो हर मरतबा 'खुदा' कहता है और 'ईश्वर' का नाम लेना पाप समझता है वह कोई मोहक प्राण नहीं हो सकता है। मैंने उन दोनोंओं को यह भी याद दिलाई कि संयुक्त प्रान्त में हिन्दी प्रचार केवल हिन्दी साहित्य को सुधारने में और हिन्दी रविन्द्रनाथ को प्रवृत्त करने के लिए बाधुमण्डल तैयार करने में ही हो सकता है; और सम्मेलन की तो संयुक्त प्रान्त के बाहर हिन्दुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाने में और दूसरी भाषाओं की पुस्तकें लेखनागरी लिपि में प्रकाशित करने में ही अरुमा भारा ध्यान लगा देना चाहिए। मौलाना महमदखली ने मेरी पक्षी बात पर जोर दे कर कहा कि यदि हिन्दुस्तानी भाषा को अपने ही प्रान्त में लोकप्रिय बनाने के लिए किसी बाहरी कृत्रिम साधन की आवश्यकता है तो उसे एक सामान्य माध्यमिक भाषा बनाने के प्रयत्न का छांश देना होगा। गोपहर की गी० शैकतअली के सभापतित्व में एक सभा हुई थी। उन्होंने हिन्दू मुस्लिम गण्य पर व्याख्यान दिया था और अंग में अरबी और ख़ादी के बारे में भी कुछ कहा था। उनके बाद मुझसे व्याख्यान देने के लिए कहा गया। मैंने उन्हीं विषय पर व्याख्यान देना शुरू किया जिसका कि मौलाना साहब ने श्रोताओं को परिचय करा दिया था। मैंने उन्हें अरबी और ख़ादी की आवश्यकता समझाई और यह कह कर मेरी इच्छा स्वतन्त्र की कि पटना में जो निर्णय हुआ है उसमें उन्हें सहायता करनी चाहिए। मेरे कयाल में वह निर्णय कोई जबरवस्ती निर्णय नहीं हुआ था, बल्कि महासभा में आम जनता की राय का वह एक प्रतिबिम्ब था। पंडित मोतीलालजी ने मेरे बाद व्याख्यान दिया। उन्होंने पटना के निर्णय को खूबी समझाया, उसकी हरएक बात पर विवेचन किया और अरबी और ख़ादी में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए यह कहा कि जबतक महासभा प्रधानतः राजनैतिक संस्था न बन जायगी तबतक वह लोगों की सम्पूर्णतया प्रतिनिधि संस्था न बन सकेगी। पंडितजी का वह प्रस्ताव जिसमें पटना के निर्णय का समर्थन किया गया था और अरबी संघ की स्थापना का अनुमोदन किया गया था पास करने के बाद सब प्रतिनिधि गुजराती संघ में गये और वहाँ उन्होंने सीतापुर के गुजरातियों की भी हुई दावत का स्वीकार किया।

मेरी संयुक्त प्रान्त की यात्रा, यदि उसे यात्रा कह सकते हैं तो, लखनऊ से आये हुए हिन्दुसमा के शिष्टमण्डल के साथ लखनऊ के हिन्दू-मुसलमानों के वैमनस्य के बारे में बड़ी लम्बी और हार्दिक चर्चा के बाद काम हुई थी। मैंने उनसे कहा कि उनके झगड़े में पंच बनने का भार जो मैंने अपने सिर लिया है उसे मैं भूला नहीं हूँ। मैंने गत वर्ष देहली में इसका भार अपने सिर लिया था लेकिन एक समय बदल गया है और अब एक भी दल अपना झगड़ा मेरे सामने पैदा न करेगा। लेकिन यदि वे मुझे ही पंच बनाना चाहते हैं तो मैं बड़ी खुशी से लखनऊ जाने के लिए और उनका न्याय करने के लिए तैयार हूँ। और जब उन्होंने मुझ से यह कहा कि वे मुझे पंच बनाने के लिए राजी हैं तो मैंने उनसे कहा कि वे मुसलमानों के पास भी जायँ और फिर मुझे इस बात की इतिला दे कि दोनों दलों के नेतागण मेरे दिये हुए न्याय को कुबूल करने के लिए तैयार हैं या नहीं। इस प्रकार मेरी बिहार और संयुक्तप्रान्त की यात्रा समाप्त हुई।

( पं० इ० ) मोहनदास करमचंद गांधी

**एक कातनेवाले का संकट**

एक महाशय पत्र लिखते हैं कि चरका-संघ के चन्दे के सूत को मेजने में जो डाक खर्च आता है वह सूत के दायों से भी उठ जाता है। क्या यह खर्च बचाने का कोई रास्ता नहीं है? क्या सब पेंकेट मशीन्टी कना के ही मेजने चाहिए? यदि नहीं तो क्या वे बेरग मेज दिये जायँ? अहमदाबाद के प्रस्तावावुसतः जब सूत अ. भा, खादी-मंडल को भेजा जाता था तभी इस आपत्ति पर तो विचार प्र. लिया गया था। अभी या कभी भी सारा का साग वाक खर्च बचा लेना नो अथमव माज़म होता है। लेकिन आज में बहुत कुछ किया जा सकता है। सूत के पेंकेटो को रजोस्ट्री करा के मेजने का कुछ भी आवश्यकता नहीं है। और बेरग पेंकेट मेजने से भी काम न चलेगा। डाक खर्च तो सूत मेजनेवालों को ही देना होगा। लेकिन इसकी कोई बजह नहीं मास्म हीनी है कि हर एक महासद अपना सूत अलग अलग क्या मेजें। हरएक गांव में या मटोले में जहाँ सभासदगण एक दूसरे के नजदीक नजदीक रहते हो वहाँ उनमें से एक शक्य सब सूत एक जगह जमा कर के और फिर सारा ही एक पारसल में बाँध कर मेज दें। यदि उन. से कोई काम करने के लिए तैयार हो जायँ और उसकी जबाबदेही अपने सिर के ले तो यह आसानी से हो सकेगा। और मासिक चन्दे के बारह इफते अलग अलग मेजकर एक साल का चन्दा पूरा करना भी कोई आवश्यक नहीं है। जिन्हें काफी समय मिलता है वे एक महिने में ही १२००० गज सूत कात कर उसका एक पारसल बना कर मेज दे सकते हैं या फिर यदि चाहें मासिक चन्दे के रूप में भी मेज सकते हैं। उन्हें जैसे भी सुविधा हो वे कर सकते हैं। अब प्रथम यह है कि इसमें रोजाना नियमपूर्वक कातने की बात कहाँ रही। चन्दा दे देने पर भी रोजाना नियमपूर्वक काताई हो सकेगी और इस प्रकार जो सूत तैयार होगा वह खुद कातने-वाले के अपने उपयोग में ला सकेगा। हाथकता १२००० गज सुग मेजने के कर्तव्य से रोजाना नियमपूर्वक कातने का कर्तव्य भिन्न है। और राष्ट्रीय दृष्टि से इसके आर्थिक पहलू पर विचार किया जाय तो भी यह आवश्यक है कि डाकखर्च बचाने के लिए जितना भी जल्दी हो सके १२००० गज सूत कात देना चाहिए। मुझे आशा है कि कुछ समय के बाद यह डाकखर्च बचाने के लिए, सूत देने के लिए योग्य केन्द्रों का प्रबन्ध कर दिया जावेगा।

( पं० इ० ) मो० क० गांधी

# हिन्दी-नवजीवन

धुस्वार, अगस्त बरी ५, संवत् १९६२

## कवि ठाकुर और चरखा

कुछ समय पहले जब सर रविन्द्रनाथ ठाकुर की चरखे पर टीका प्रकाशित हुई थी तब समय कुछ भिन्नो मे मुझे उसका उत्तर देने के लिए कहा था। तब मे बहुत काम मे लगा हुआ था। इसलिए मे उसका पूरा पूरा अध्ययन नहीं कर सका था। लेकिन मेने उसे इतना अवश्य पढा था कि मे उसका प्रभाव किस ओर है यह समझ लं। उसका उत्तर देने की मुझे कोई जल्दी न थी। यदि मुझे समय होता तो भी जिन्होंने उस टीका को पढा था वे इतने उत्तेजित हो गये थे वा उसके प्रभाव मे इतने आ गये थे कि उस समय मे जो कुछ भी लिखता, उसकी जे कदर न कर सकते थे। इसलिए उस विषय पर मेरे उत्तर लिखने का तो नहीं उचित समय है क्योंकि अब कवित्री की टीका और मेरे उत्तर पर, यदि उसे उत्तर कहा जा सकता है तो, निखालस राव कायम की जा सकेगी।

उस टीका का तात्पर्य कवित्री और आचार्य डील की चरखे के संबंध मे जो स्थिति है उसके लिए अधीरता प्रकट करने के कारण आचार्य राव को फटकार बताना है और उसके प्रति मेरा एकांगी और अत्यधिक प्रेम होने के कारण मुझे भी कौमल शब्दों मे फटकार सुनाना है। लोगों को यह समझ केना चाहिए कि कवित्री उसकी आर्थिक महत्ता का इन्कार नहीं करते है। और उन्हें यह भी जान केना चाहिए कि इम लेख के लिखने के बाद उन्होंने देशबन्धु दास स्मारक फंड के लिए उसके प्रार्थनापत्र मे अपने दस्तखत भी किये है। उन्होंने उस प्रार्थनापत्र को ध्यान पूर्वक पढने के बाद ही उस पर दस्तखत किये थे और दस्तखत करते समय मुझे उन्होंने यह संदेशा भी भेजा था कि उन्होंने चरखे के विषय मे एक लेख लिखा है जिसे पढ कर मुझे नाराजी होगी। मे उस लेख को पढ कर नाराज नहीं हुआ हूं। मेरे विचारों से उनके विचार भिन्न होने से ही मे क्यों नाराज होऊंगा? यदि हर एक मतभेद के कारण नाराज होना पड़े तो, क्योंकि किसी भी को राष्ट्र के मत एक नहीं हो सकते है इसलिए जीवन केवल प्रतिकूल वेदना का एक मात्र संग्रह ही पडेगा और केवल भारस्व होगा। इसके विपरीत स्पष्ट टीकाएं पढ कर तो मुझे बड़ा सुखी होनी है। क्योंकि मतभेद के कारण हमारी मित्रता और भी गहरी होगी। मित्र को मित्र होने के लिए बहुत सी बातों मे एकमत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मतभेद मे तीव्रता और कटुता न होना चाहिए। मे सामान्य इस बात का स्वीकार करना हूं कि कवि की टीका मे ऐसी कोई तीव्रता या कटुता नहीं पाया जाता है।

मुझे इतनी प्रास्ताविक बातें इसलिए कहनी पडी है क्योंकि यह अफवा चल रही है कि ईर्ष्या ही इस टीका का मूल है। इस प्रकार अकारण शंका करना दुर्बलता और असहिष्णुता का बाधुमण्डल होना सूचित लगता है। जग सा विचार करने पर यह आक्षेप दूर हो सकता है। कवित्री मुझमे क्यों ईर्ष्या करेंगे। ईर्ष्या के लिए स्पष्टी का होना आवश्यक है। मे जीवन मे एक भी कविता लिखने मे सफल नहीं हुआ हूं। कवि मे जो कुछ है

उसका अंश भी मेरे मे नहीं है। उनकी सी महत्ता प्राप्त करने की मे आशा नहीं रख सकता हूं। वे अपनी सर्वता के साथ ही अभिहारी है। आज संसार मे उनका सानो कोई दूसरा कवि नहीं है। कवि की इस स्पर्धारहित महत्ता का मेरे महत्वापन मे कोई संबंध नहीं है। यह बात समझ केनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र अलग अलग है और कहीं भी एक दूसरे पर वे आक्रमण नहीं करने है। कवि अपनी ही सृष्टि की ब्रह्म दुनिया मे — अपने विचारों की दुनिया मे रहते है और मे किसी दूसरे की सृष्टि का-चरखे का सुलाम हूं। कवि अपनी बीगा के नाद पर अपनी गोपियों को नचाते फिरते है और मे अपनी प्यारी सीता-भरखा के पीछे भटकता फिरता हूं और उसे दस मस्तक के रावण से — जपान, मान्चेस्टर, पारिष इत्यादि से — मुक्ति दिखाना चाहता हूं। कवि नया आविष्कार करते है। वे उसकी रचना करते है, उसका नाश करते है और फिर उसकी रचना करते है। और मे तो केवल शोधक हूं। और इसलिए एक वस्तु का शोध पाने पर मुझे तो उसीसे पकड़ कर बैठ जाना चाहिए। कवि तो दिन प्रति दिन दुनिया के सामने नई नई मांझक चीजे रखते है। मे तो सिर्फ पुराना और जराबीग वस्तुओं मे लिपी हुई उनकी कार्यक्षमता को मात्र दिखाता हूं। संसार मे उस जादूगर को बड़ी आसानी से गोरब का स्थान प्राप्त हो जाता है जो रोमाना नई नई छद्म करनेवाले चीजे दिखाता है। इसलिए हम होनी मे कोई स्वप्न हो ही नहीं सकती है। लेकिन मे नम्रभाव से इतना कह सकता हूं कि हमारी इलजले एक दूसरे की पूरक अवश्य है।

सब बात सों यह है कि कवित्री की टीका मे कवित्री ने कविसुलभ स्वच्छन्द का उपयोग किया है और इसलिए जो कोई उसके संबंध जग को ग्रहण करेगा वह अपने को बड़ी ही वेदक स्थिति मे पावेगा। किसी पुराने कवि ने कहा है कि साकीमन अपने तमाम ठटबाट के साथ ही तो भी वह एक कमक की घोमा को नहीं पहुंन सकता है। इसमे उसका आशय कबल की प्राकृतिक शोभा और पवित्रता के प्रति इशारा करना है और साकीमन के कृत्रिम ठटबाट और जग के साथ, उसके बहुत से अच्छे कार्य होने पर भी, जो पापमय है उसकी तुलना करना है। या इसीमे कवि का स्वच्छन्द देखो न, "सूई के सुराज मे से ऊंट का निकल जाना आसान है लेकिन अन्धकार मनुष्य का स्वरा मे जाना उसना आसान नहीं है।" इम यह जानते है कि सूई के छेद मे से कभी भी ऊंट नहीं निकला है और न निकल सकता है और इम यह भी जानते है कि जमक जैसे भनवान मनुष्य भी स्वरा मे गये है। अथवा मनुष्यों के दांतों की ही सुन्दर अपमा क्यों नहीं केते, उसकी अन्तर के दांतों के साथ तुलना की जाती है। जो मुझे औरते इसका शब्दशः अर्थ फरती है वे अपने दांतों की सुन्दरता को बियाह देती है और उसे तुलना की पहुंनती है। चित्रकार और कवियों को सचा चित्र खींचने के लिए प्रमाओं को बहुत कुछ देना पडता है। इसलिए जो लोग चरखे के संबंध मे कवित्री के शब्दों का शब्दशः अर्थ करते है वे उन्हें अन्धकार करते है और स्वयं अपने ही को तुलना पहुंनते है।

कवित्री गंग इन्धिया नहीं पडते है, उनसे यह आशा ही नहीं रखनी जा सकती और उन्हें उसे पहने की कोई जरूरत भी नहीं है। इम इलजल के बारे मे जो कुछ भी मे जानते है वे सब उन्होंने सिर्फ इधर उधर की बातचीतों मे से ही ग्रहण किया है। और इसलिए उन्होंने जिस बात को चरखा-धमे की अतिशयता मान ली है उसीको उन्होंने सिद्धा की है। जैसे वे यह जानते है कि मे यह चाहता हूं कि सबको अपने और सब कामों से छुंन कर दिवदात कराता ही करे।



कपड़े में यह चाहता हूँ कि कवि अपनी कविता छोड़ दे, किसान इस छोड़ दे, बकील बकायत छोड़ दे और बापूवर अपना बंधा छोड़ दे। लेकिन यह बात कल्प से बहुत दूर है। मैंने किसीको भी यह नहीं कहा है कि यह अपना बंधा छोड़ दे। लेकिन मैंने तो उनसे यह कहा है कि वे राष्ट्र के लिए यह के तौर पर ३० मिनट कातने के लिए समय दे कर उसे और भी अधिक छोड़ा दे। मैंने कुम्हार, पीठिया, की-पुस्तों को, जो लोग काम व मिकने के कारखाने आलसी बन कर बैठे रहते हैं, अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए कातने को आवश्यक कहा है, और अथमुके किसानों को भी अपने पुरख के समय पर अपनी कोपी की आसपास में कुछ और बढ़ाने के लिए कातने को कहा है। यदि कवि भी रोजाना भाषण पढ़ा इस प्रकार कातने में समय व्यय करे तो उनकी कविता और भी अधिक मजबूत और गहरी बनेगी। क्योंकि इस प्रकार उनकी कविता में भाषण के बलिष्ठत शरीरों के दुखों का और आवश्यकताओं का अधिक अंतरकारक प्रतिबिम्ब दिखाई देगा।

कविता का क्याल है कि बरफे से राष्ट्र में सत्य के मुख्य एक साहस्य-समाप्ता दिखाई देगी और यह क्याल कर के वे बरि हो सके तो उसका त्याग भी करना चाहते हैं। लेकिन सत्य बात तो यह है कि बरफे का काम ही हिन्दुस्तान के करोड़ों लोगों में जो आधुनिक और जीवन्त ऐक्य है उसको प्रकट करना है। भव्य और रंग विरंगी विषय होने पर भी प्राकृतिक रचबाओं में भी ज्येष्ठ, रूप और कार्य में एक प्रकार का ऐसा ऐक्य पाया जाता है कि किसी हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। दो मनुष्य कभी भी एक से नहीं होते हैं, यमक लटक भी एक से नहीं होते हैं। और फिर भी मनुष्य जाति में बहुत सी बातें एकही और सामान्य होती हैं। और तमाम वस्तुओं की इस सामान्यता के मूल में एक सामान्य चैतन्य व्याप्त है। इस ऐक्य के-अद्वितीय प्रकट-के सिद्धान्त को संकराचार्य ने उसकी अन्तिम लेकिन स्वाभाविक सीमा तक पहुँचा दिया है और उन्होंने इस बात को संघार के सामने लाकर दिखा है कि सत्य एक ही है, ईश्वर एक ही है और कितने भेद रूप दिखाई देते हैं वे केवल प्रमथ है, उजु में सप की तरह दिखाई देते हैं। हमें इस बात पर बहुत करने की कोई जरूरत नहीं है कि किसी हम देख रहे हैं वह क्या अथवा है या इस संसार के मूल में जो वस्तु है और जिसे हम नहीं देख सकते हैं वह क्या सत् है। यदि आप की इच्छा हो तो आप दोनों ही को समान सत् कह सकते हैं। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वह यह है कि सभी वस्तुओं में एक प्रकार का ऐक्य है। मित्रता और असंख्य का होने पर भी हममें ऐक्य है, साहस्य है। और इसीलिए मैं यह मानता हूँ कि भजे भिन्न भिन्न होने पर भी सब लोगों के किसी एक भजे में एक प्रकार का अनिवार्य साहस्य और ऐक्य होना भी आवश्यक है। क्या खेती का काम बहुत से लोगों के लिए सामान्य नहीं है? और क्या बहुत दिनों पहले मनुष्य जाति के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए कताई भी एक सामान्य धंधा न था? जिस प्रकार राजा और रंक को, दोमों को खाने की और कपड़े पहनने की आवश्यकता है वही प्रकार दोमों की अपनी अपनी प्रथम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिहनत करनी भी पड़ती है। राजा यदि ही केवल पशु के लिए और भाष्यी के तौर पर यह मिहनत करे, लेकिन यदि वह अपने तर्प और अपनी प्रजा के प्रति धरम्य की रक्षा करना चाहता है तो उसके लिए इतनी मिहनत करना अनिवार्य होगा। आज मुरख शायद इस प्रति आवश्यक बात को व समझ सकेगा क्योंकि इसने उन जातियों को जो यूरपियन नहीं हैं, कुम्हारान पहुँचा कर अपना काम कर केना अपना धर्म प्राप्त किया है। लेकिन यह धर्म प्रमथक है और इसलिये निरक्षर मनुष्य में

उसका भाष ही ही जायता। वे जातियाँ जो यूरपियन नहीं हैं अपनी हानि को हमेशा के लिए सहन न कर सकेंगी। मैंने इसमें ही निकलने लिए एक रास्ता दिखाया है और वह धान्त और अहिंसामय होने के कारण औरवास्तव और उदार भी है। मेरे इस रास्ते का मैं इन्कार कर सकते हैं लेकिन उसका इन्कार करने पर एकही मार्ग बाकी रहेगा, और वह है युद्ध की सीमातानी; उधमें हरएक की तरफ से एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न होता रहेगा। जब समय जब कि वे जातियाँ जो यूरपियन नहीं हैं यूरपियन जातियों को युद्ध का प्रयत्न करेंगी तब बरफे का सत्य वे समझ सकेंगे। यदि हमें जीवित रहना है तो आसो-पुस सी केने होंगे लेकिन इन्केड से इना मंगा कर हम जिस प्रकार धांस नहीं के सकते हैं और न जाना ही नहीं के मंगवा कर आ सकते हैं उही प्रकार हमें कपड़े भी वहाँ से मंगाने चाहिए। मुझे इस सिद्धान्त को इस सीमा तक के जाने में भी कुछ हिचकिचाहट नहीं होती है कि बंगाल की बरई के और बंगालक्ष्मी से भी अपने लिए कपड़े नहीं मंगाने चाहिए। यदि बंगाल अपना स्वाभाविक और स्वतंत्र जीवन जीताना चाहे और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों को या बाहर के किसी देश को भी ब्रु कर अपना फायदा कर केने का निचार भी न करे तो जिस प्रकार वह अपने लिए अनाज तैयार कर केता है वही प्रकार अपने ही बाँवों में उसे कपड़े भी तैयार कर केने होंगे। रंगों को भी स्थान है, रंगोने अपना स्थान प्राप्त भी कर किया है। लेकिन मनुष्यों के लिए जिस प्रकार की मिहनत करना अनिवार्य होना चाहिए वही प्रकार की मिहनत का स्थान उसे न लक्ष्य कर केना चाहिए। अच्छा सुधरा हुआ एक अच्छी चीज है। लेकिन अपने किसी आधिकार से कोई सत्य ऐसा बंध बना सके कि उससे हिन्दुस्तान भर की बारी जमीन वह अकेला ही बोल सकता हो और हिन्दुस्तान की जितनी भी खेतीबाड़ी की उपज है उसपर, उसपर वह अपना ही अधिकार एक सकता हो, और लाखों लोगों को इससे बेकार हो जाना पडे तो वे सब लोग निकलने और मूल्य बन आभगे, और बहुत से ऐसे हो भी गये हैं। और यह भय है कि और भी बहुत से लोग उनी हारत को पहुँच जायेंगे। पर मैं बलाने कायक रंगों में सुधार किये जाँव तो मैं उसका स्वागत करूँगा। लेकिन मैं यह भी समझता हूँ कि जबतक लाखों किसानों को उनके घर में कोई दूसरा धंधा करने के लिए न दिया जाय तबतक हम मिहनत से बरफा बलाने के बरफे किसी और दूसरी शक्ति से कपड़े का कारखाना चलाया गुन्हा है।

आयलेक के जान तुलना करने से कोई बहुत प्रकाश नहीं पड़ता है। यह हमें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता समझाने के लिए समर्थ है। लेकिन हिन्दुस्तान की परिस्थिति सुदा होने के कारण हमलोग छुदे ही तरीके पर ऐसे सहयोग को सफल कर सकते हैं। हिन्दुस्तान के दुखों को दूर करने के लिए, यदि १९०० मील छंने और १५०० मील चौडे देश के अधिकांश लोगों को ही उधरी फायदा पहुँचाना है, तो सहयोग करने के अितने भी प्रयत्न किये जाँव वे सब बरफे को ही केंद्र मान कर उसीके आसपास किये जाने चाहिए। सर नमाराज हमें एक आदर्श केत का नमुना दिखा सकते हैं लेकिन जिनके शक लपये नहीं है और जमीन सिद्ध २-३ एकड़ के करीब है, और जिन्हें उसके भी कम हो जाने का अधिक भया रहता है उन किसानों के लिए वह आदर्श केत नहीं ही पड़ता है। बरफे को केवल बना कर अपनी-जिन्दीगी अपने आकस्य का त्याग कर देना है और सहयोग के कामों की समझ दिना है उन लोगों में आ कर काम करनेवाला राष्ट्रीय एक ऐसा कार्यक्रम तैयार

करेगा कि जिससे उनमें से मेलेरिया का नाश हो, स्वच्छता बढ़े, गाँवों के प्रांगण और लडाइयों का बर्ही न्याय कर दिया जाय, होरों की रक्षा और अच्छी उत्पात्ति की जा सके, और ऐसी ही सैकड़ों लाभ की हलचलें की जाय। जहाँ कहीं चरखे का ठीक ठीक प्रचार हुआ है वहाँ सब जगह, गाँवनिवासियों की और कार्यकर्ताओं की शक्ति के अनुसार ऐसी उपयोगी हलचलें भी हो रही हैं।

कवि की सब दलीलों का विस्तार से उत्तर देने का मेरा इरादा नहीं है। जहाँ हमारा मतमेव सिद्धान्तों में नहीं है, और ऐसा मतमेव दिखाने का मैंने प्रयत्न किया है, वहाँ कवि की दलीलों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका कि मैं स्वीकार करके चरखे के संबंध में अपनी स्थिति कायम न रख सकूँ। चरखे के संबंध में जिन बहुत सी बातों का उन्होंने मन्त्राक उदाहरा है वे मैंने कभी भी नहीं कही हैं। चरखे में जिन गुणों के होने का भ्रम दावा करता हूँ उनको उनके आक्रमण से कोई हानि नहीं पहुँची है।

एक बात ने, सिर्फ एक ही बात ने मुझे बड़ा दुःख पहुँचाया है। कवि ने फुरसद के समय की बातचीतों में सुना और उस पर विश्वास कर लिया है कि मैं राममोहनराय को बहुत छोटा समझता हूँ। मैंने कभी उन्हें यह नहीं कहा है और उन्हें छोटा तो कभी माना ही नहीं है। जिन प्रकार कवि की दृष्टि में वे बहुत बड़े आदमी हैं उसी प्रकार मेरी दृष्टि में भी वे हैं। सिर्फ एक घटना को छोड़ कर मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी उनके नाम का प्रयोग किया है। मुझे एक मरतबा उनके नाम का प्रयोग करना पड़ा था और यह पश्चिमीय शिक्षा के संबंध में था। चार साल हुए मुझे याद है कि कटक की रेत में मैंने यह कहा था कि पश्चिम की शिक्षा प्राप्त करने के बिना ही उत्तम प्रकार के संस्कार प्राप्त कर लेना संभवनीय है और जब किसीने इस वाक्य में राममोहन राय का नाम दिया तब मुझे याद है कि मैंने यह कहा था कि वे उपनिषद् इत्यादि ग्रंथों के अप्रतिष्ठ रचयिताओं की तुलना में बहुत छोटे हैं। यदि मैं यह कहूँ कि मिल्टन या शेक्सपीयर की तुलना में टेनीसन बहुत छोटा है तो इससे मैं टेनीसन के बारे में कोई हलका खयाल नहीं रखता हूँ। मेरा तो यह दावा है कि इससे तो मैं उन दोनों की बढाई की और भी बढाता हूँ। यदि मुझे कवि के प्रति भक्तिभाव है और वे जानते हैं मुझे उनके प्रति भक्तिभाव है तो मेरे लिए यह संभव नहीं कि मैं उस मनुष्य की बढाई को घटाने का प्रयत्न करूँ कि जिसने बंगाल की सबसे बड़ी सुधारक हलचल के लिए क्षेत्र का तैयार किया था और जिस हलचल का सबसे बड़ा उत्तम फल स्वयं अपने वे कवि हैं।

( यं. इं. )

मोहनदास करमचंद गाँधी

### ऊन या कई

एक मित्र पूछते हैं कि पहाड़ी लोग जो कई का कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं और जिनके पास बहुसंखी ऊन रहती है और जो ऊन के ही कपड़े पहनते हैं, क्या वे सूत के बजाय कता हुआ ऊन मेज कर महासभा के समासद बन सकते हैं। पहाड़ी लोग कता हुआ ऊन मेज कर अवश्य ही महासभा के सदस्य बन सकते हैं। कई के ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है। न हाथ-कताई पर ही जोर दिया जा रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि महासभा के वे कार्यकर्ता जो पहाड़ी मुस्को में काम कर रहे हैं जितने भी हो सके ऊन कतनेवालों के नाम महासभा और चरखा-संघ में दर्ज करावेंगे। ( यं. इं. )

## गोरक्षा की योजना

गोरक्षा का काम धीरे धीरे हो रहा है। मैं गो-सेवकों से यह कह सकता हूँ कि उसकी गति एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती है। मैं इसका दिन-रात विचार करता हूँ। इसपर बहुत भी काफ़ी करता हूँ। कच्छ में बहुत से गो-सेवक हैं और फिर कभी मैं कच्छ में आ सकूँगा इसकी मुझे कोई आशा नहीं है। इसलिए मैंने अपनी यह योजना उन्हें सुना कर कुछ रुपये भी इकट्ठे किये हैं। यह लिखने के समय तक तीन हजार के करीब रुपये इकट्ठे हो गये हैं और मुझे आशा है कि अभी और भी रुपये इकट्ठे होंगे।

कुछ मित्रों ने मुझे गो-रक्षा की योजना उसके अंकों के साथ प्रकट करने को कहा है। वह योजना यह है।

(१) मरे हुए होरों का चमड़ा बिदेसी में बला जाता है और कत्ल किये गये होरों का चमड़ा हमलोग अपने इस्तेमाल में लाते हैं। इसमें जो पाप होता है उसका लिए हमी जवाबदेह हैं। उसे रोकने के लिए चमड़े के कारखाने हमें अपना धर्म समझ कर चलाने होंगे। इसमें मुझे अब कोई संशय नहीं रहा है कि गोरक्षा का यह एक अंग हो बन जाना चाहिए। इस कार्य का आरम्भ एक चमड़े का कारखाना लाने हाथ में कर लेने से ही हो सकेगा। इस कार्य के लिए आज सवा लाख रुपये की जरूरत है। इस कार्य में आखिर कुछ मुकामान न होना चाहिए और भका तो कोई करना है ही नहीं। इसलिए इसमें किसीसे भी स्पर्धा होने का डर नहीं है।

(२) इस कार्य के लिए काम करनेवालों को भी तैयार करने होंगे। इसमें कुछ अभ्यस्य की भी आवश्यकता है। योग्य काम करनेवाले सीखने के लिए तैयार हों तो उन्हें शिक्षावृत्ति भी दी जायगी। इसमें मेरे हिसान से सालाना कोई ५,००० रुपये खर्च होंगे।

(३) मंडल के लिए एक पुस्तकालय की भी आवश्यकता है। उसमें होरों का बढाना, उनका पालनपोषण करना, दूध के लेने के कारखाने और चमड़े के कारखाने इत्यादि विषयों से संबंध रखनेवाली पुस्तकें होनी चाहिए। इसमें कोई ३,००० की आवश्यकता है। यह सिर्फ अन्दाज है।

(४) डैरी का प्रयोग करने के लिए अर्थात् मेरी के कार्य में कुशल ब्यापक को रोक कर उसका उससे रिपोर्ट तैयार कराने में, किमी शहर की उस दृष्टि से जांच कराने में, इत्यादि आरंभिक व्यय के लिए कोई १,००,००० रु. की आवश्यकता होगी।

इस प्रकार एक साल में इस योजना में रु. १,४३,००० खर्च होगा। चमड़े के कारखाने में तो रुपये लागत के तौर पर लगेगे। और उसकी तादाद कुल १,२०,००० रु. होगी। और दूसरा तैयारी और जांच का आरंभिक खर्च है।

मंडल का सामान्य खर्च इसमें नहीं गिना गया है क्योंकि यदि उसके सभासदों के चन्दों में से ही उसका खर्च न चल सके तो मंडल का होना मैं निरर्थक मानता हूँ। मंत्री की नियुक्ति हो गई है। इसके लिए मैंने श्री० बालजी गोविंदजी देसाई को पसंद किया है। वे पहले गुजरात कॉलेज में और फिर हिन्दू-विश्वविद्यालय में अध्यापक का काम करते थे। उन्हें २०० रु. माहवार वेतन देना निश्चय हुआ है। इसके अलावा उधको मकान का किराया भी देना होगा। अभी तो वे आश्रम में रहते हैं इस लिए मकान का किराया नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर कभी मकान के किराये के २५ रु. भी शायद उन्हें देने होंगे। आफीस के लिए अभी कोई दूसरा कार्य नहीं किया गया है।

दूसरे कार्यकर्ताओं को भी रकना होगा। लेकिन जैसे जैसे संभाव्य बढ़ने आयेगे वैसे वैसे इस काम में भी सुविधा होती जायेगी। मेरा यह सब विश्वास है कि किसी भी हालत में क्यों न हो रु. १,४२,००० का धन तो करना ही होगा, क्योंकि लम्बे का कारखाना और उंदी धर्मभाव से कलाके बिना मोरक्षा को मैं परसम्बन्धीय मानता हूँ।

मुझे आशा है कि गो-सेवकगण इस महान कार्य में अवश्य ही मदद करेंगे।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द्र गोधी

### प्रश्नों के संबन्धों में

यम इंडिया के कुछ पाठक ऐसे हैं जो अक्सर वेदम प्रश्न पूछा करते हैं। लेकिन क्योंकि उससे उन्हें आनंद होता है मुझे इतनी असुविधा को भी सहन कर लेना चाहिए और वे कितने ही अस्वस्थ-आजनक क्यों न हों मुझे उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। पत्रलेखक महाशय अपना पहला बार इस प्रकार करते हैं।

“पहली अपतृण के यम इंडिया में लखा-सय के कार्यकारी मंडल के सभासदों के नामों में आपके नाम के आगे 'महात्मा' शब्द लिखने के लिए कौन जबाबदेह है?”

पत्रलेखक महाशय यह विश्वास रखते कि लखा-सय के सभासदों के नामों में महात्मा शब्द के जाने के लिए उसका संपादक जबाबदेह नहीं है। जिन्होंने उसके विधि विधान को पाम किया था वे ही उसके लिए जबाबदेह हैं। यदि मैंने उसके निरुद्ध सभासद किया होता तो यह शब्द यहाँ न रहता लेकिन मेरे इस मुक्त को इतना गंभीर नहीं माना है कि मैं उसके लिए सत्याग्रह जैसे अयकर इन्धियार का उपयोग करूँ। जबतक कोई ऐसी विपत्ति न आ पड़ेगी जबतक यह आपसिजनक शब्द मेरे नाम के साथ हमेशा लगा ही रहेगा। और जिस प्रकार मैं उसे सहन करता हूँ उसी प्रकार धर्मबान आलोचकों को भी उसे सहन कर लेना चाहिए।

“आप कहते हैं कि आप और दूसरे आपके साथ काम करनेवाले लोग उन मित्रों की उदारता पर अपनी आजीविका का आधार रखते हैं जो लोग कि सत्याग्रहाश्रम का खर्च पूरा करते हैं। क्या उस संस्था को जिनमें सक्षम शरीर के आदर्मी हों, मित्रों की उदारता पर उनकी आजीविका के लिए आधार रखना उचित है?”

पत्रलेखक महाशय 'उदारता-दान' का केवल शब्दार्थ ही समझ रहे हैं। इस संस्था का हर एक सदस्य श्री हो या पुरुष उसके कार्य में अपने शरीर और बुद्धि का-दोनों का पूरा उपयोग करता है। लेकिन फिर भी यह तो कहा ही जायगा कि इस संस्था का आधार मित्रों की उदारता पर ही है। क्यों कि वे जो कुछ भी उसे दान में देते हैं उसके बढ़के में उन्हें तो कुछ भी नहीं दिखता है। उसके लोगों की मिहनत। फल तो राष्ट्र को मिलता है।

“जिसे ट्रांसपोर्ट 'रोटी' के लिए मिहनत करना' कहते हैं उसके बारे में आपका क्या अभिप्राय है? क्या आप शारीरिक मिहनत कर के अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं?”

सब पूछा जाय तो 'रोटी के लिए मिहनत करना' में शब्द ट्रांसपोर्ट के हैं ही नहीं। उन्होंने हमारे एक रशीम केरत सुहरण से उसे ग्रहण किया था और उसका अर्थ यह है कि हर एक का रोटी पाने के लिए काफी शारीरिक मिहनत करनी चाहिए। इसलिए आजीविका का विशाल अर्थ करने पर यह आवश्यक नहीं है कि

शारीरिक मिहनत करके ही आजीविका प्राप्त की जाय। लेकिन हर शक्ति को कुछ न कुछ उपयोगी शारीरिक मिहनत अवश्य करनी चाहिए। अभी तो मैं शारीरिक मिहनत सिर्फ ५ में ही करता हूँ। यह तो सिर्फ उदाहरण के लिए नाम मात्र है। मैं काफी शारीरिक मिहनत नहीं कर रहा हूँ। और यह भी एक कारण है कि मैं अपने को मित्रों के दान पर जीमेवाला कहता हूँ। लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि हर एक राष्ट्र में ऐसे मनुष्यों की आवश्यकता है कि जो अपना शरीर, मन और आत्मा सब कुछ राष्ट्र को अर्पण कर देते हैं और जिन्हें अपनी आजीविका के लिए दूसरे मनुष्यों पर अर्थात् ईश्वर पर आधार रखना पड़ता है।

“मुझे ख्याल है कि आपने कहीं यह कहा है कि युवकों को अपनी आवश्यकताओं से बड़ा देनी चाहिए और उन्हें साधारणता सिर्फ १० रुपया माहवार खर्च करना चाहिए। क्या शिक्षित युवकों के लिए यह समभव है कि वे बिना पुस्तकों के, बिना किसी भी प्रकार की सफर किये, या बड़े बड़े आदमियों के संबंध में आवे बिना रह सकेंगे? यह सब करने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। उन्हें बीमारी, वृद्धावस्था या ऐसी ही कोई दूसरी स्थिति में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ बचा भी रखना चाहिए।”

सुव्यवस्थित समाज में राष्ट्र के ऐसे सेवकों के लिए जिनका कि पत्र लेखक महाशय उल्लेख कर रहे हैं पुस्तकालय रहेंगे जिन कि वे मुफ्त में उपयोग कर सकेंगे। उनके सफर का खर्च भी राष्ट्र देगा। और उनका कार्य ही उनको बड़े बड़े आदमियों के संबंध में लानेगा। बीमारी वृद्धावस्था इत्यादि अवस्थाओं में भी राष्ट्र ही उसकी आजीविका की व्यवस्था करेगा। हिन्दुस्तान के लिए और किसी दूसरे देश के लिए भी यह बात की गई नहीं है।

“पंचभाओं की हानत सुधारने के लिए माह्रम होता है आप उनसे लिए मंदिर बनवाने की सलाह देते हैं। क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुओं की बुद्धि पीढियाँ-गुजरी मंदिरों में मर्मादिन हो जाने के कारण उन्हें ईश्वर के उससे कुछ बड़े और विशालरूप का कुछ दयाल भी नहीं होता है? जब आप अस्पृश्यता को दूर कर करना चाहते हैं, जब आप अस्पृश्यों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें समाज में स्वतंत्रता और इज्जत देना चाहते हैं तो क्या वर्तमान समय में उन्हें कहलानेवाले हिन्दुओं की बुराईयाँ, पाप और बुराई की भी नकार करने के लिए उन्हें उत्साहित करेंगे? अस्पृश्यों का सुधार करते समय तमाम हिन्दु जाति का भी सुधार क्यों न करें? कम से कम जहाँतक मंदिर के ईश्वर से उसका संबंध है तहाँ तक उसका सुधार क्यों न करें? अस्पृश्यों की वर्तमान सामाजिक अवहायता दूर करने में हम उनके मन की और विश्वास को भी स्वतंत्र बनाने का प्रयत्न क्यों न करें ता कि इससे इस सामाजिक सुधार के कारण धर्म का रूप विशाल हो जाय और प्रत्येक वस्तु का बुद्धिपूर्वक विचार करने में दृष्टि प्राप्त हो।

इसके साथ यह भी यहाँ दिखाना चाहिए कि खादी का प्रचार काय सफल होने के लिए उसका उद्देश केवल विदेशी कपड़ों का बहिष्कार ही न होना चाहिए लेकिन कपड़े इत्यादि में पहनाव के संबंध में जराष्ट्रीय और यहाँ की आवश्यकता के प्रतिकूल जो बानें चुन गई हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ अंशों में इसमें ऐसा कार्य हुआ भी है।”

मैं मन्दिरों का होना पाप या बहम नहीं मानता हूँ। मनुष्यों के लिए पूजा का या भजन का एक सामान्य प्रकार होना और पूजा के लिए या भजन के लिए एक सामान्य स्थान का होना

आवश्यक मादम होता है। मैं यह नहीं मानता हूँ कि हिन्दुओं का मन्दिर या रोमन कैथलिकों का गिरजाघर उसमें मूर्ति होने के कारण अवश्य ही कोई बुरा और बहम का स्थान होगा और मस्जिद या प्रोटेस्टंटों का गिरजाघर उसमें मूर्ति न होने कारण अच्छा और बहमरहित स्थान होगा। एक पुस्तक या कास के बिना से भी आपसनी से मूर्तिपूजा हो सकती है और इसलिए उसमें भी बहम हो सकता है और बाळकृष्ण और कुमारी मेरी की पूजा भी पूजा करनेवाले का उद्धार करनेवाली और बहम से रहित हो सकती है। इसका मक के हृदय की स्थिति पर ही मारा आधार रहता है। खहर के प्रचार कार्य में और अस्थुत्रियों के लिए मन्दिर बनवाने में मुझे कोई समानता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन मैं पत्रलेखक की इस दलील को स्वीकार कर लेता हूँ कि विदेशी कपडे के विरुद्ध हलचल में विदेशी हानिकर और अनावश्यक फैशन और रिवाजों के विरुद्ध हलचल भी शामिल होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए अलग उपदेश की आवश्यकता नहीं है। साधारण तौर पर तो जिन लोगों ने खहर का स्वीकार कर लिया है उन्होंने ऐसे हानिकर और आवश्यक के प्रतिकूल रिवाजों का और फैशन का त्याग कर ही दिया है।

“मेरा यह क्याल है कि आपने खिलाफत के काम में जो मदद की है वह इसलिए की है क्योंकि अपने भाई, हिन्दुस्तान के मुसलमानों के दिल का उभरे चोट पहुंची थी। क्या किसी भी काम के विषय में उसकी सही सही योग्यता के बारे में पूरा संतोष हुए बिना ही केवल इस क्याल से कि उससे किसी के दिल को चोट पहुंची है, उसकी मदद करना उचित होगा? अथवा क्या आपका इस बात का संतोष ही गया था कि खिलाफत का मामला योग्य और सच्चा था? और यदि आपको संतोष ही गया था तो इस बात का क्याल में रख कर कि वर्तमान टरकी ने इस क्याल से कि उससे इस्लामी दुनिया में अनुचित और प्रचलित धर्माभिमन फैलता है उस संस्था का जरासी ढेर में नष्ट कर दिया है, क्या आप उसके लिए अपने कारण बतावेंगे?”

पत्र लेखक की यह दलील बिल्कुल सही है कि अपने भाई का मामला ही तो भी उसमें मदद करने के पहले उनकी परीक्षा कर के उसके उचित और न्याययुक्त होने का संतोष प्राप्त कर लेना चाहिए। मुसलमानों का इस कार्य में भाग देने का अब मैंने निश्चय किया उसके पहले मुझे तो इस बात का संतोष हो गया था कि उनके मामले में उनके तरफ ही इन्साफ था। खिलाफत के मामले को उचित मानने के मेरे कारणों को जानने के लिए मैं उस समय की यंग इंडिया की फादले देखने की सलाह दूंगा। वर्तमान टरकी जो कुछ भी करता है वह सब उचित ही नहीं होता है। और अलावा इसके मुसलमान लोग अपने रीति-रिवाजों में जो चाहे नई बातें दालिल कर सकते हैं लेकिन जो मुसलमान नहीं है वह उस धर्म में कोई नई बात दालिल करने के लिए उन्हें नहीं कह सकता है। वह तो सिर्फ इतना ही कर सकता है कि उसका समर्थन करने के पहले यह देख ले कि सामान्य नीति की दृष्टि से वह उचित है या नहीं। मुझे इस बात का संतोष ही गया था कि खिलाफत की संस्था में कोई बात अनुचित न थी। जो मुसलमान नहीं है ऐसे कितने ही दूसरे लोगों ने, जिसमें स्वयं काहल जाई भी एक है, इस मामले में मुसलमानों के पक्ष का ठीक होना स्वीकार किया था। और जो मुसलमान नहीं है ऐसे लोगों के आक्रमण से ही इस संस्था की रक्षा करने में मैंने उसकी मदद की थी।

“अफ्रीका में और यहाँ पर भी अब आप कड़ाई में जाने के लिए आदेशियों को भरती करते थे उस समय क्या आप युद्ध के कार्य को मदद नहीं कर रहे थे? आपके अहिंसा के सिद्धान्त के साथ इसका मेल कैसे मिलेगा?”

दक्षिण अफ्रीका में पाथलों की मदद करने के लिए और हिन्दुस्तान में लड़ाई पर जाने के लिए आदेशियों को भरती करने में मैंने लड़ाई के कार्य को मदद नहीं की है लेकिन उससे मैंने ब्रिटिश साम्राज्य की ही मदद की थी। मुझे उस समय वह विश्वास था कि ब्रिटिश साम्राज्य आखिर हितावह मानित होगा। युद्ध के प्रति मुझे आज जितना तिरस्कार है उतना ही तिरस्कार उस समय भी था। जिस प्रकार आज मैं बंदूक नहीं उठा सकता हूँ उसी प्रकार उस समय भी मैं बंदूक नहीं ले सकता था। लेकिन जीवन कोई चीथी लड़ीर तो है ही नहीं। वह तो कर्तव्यों का एक मजमा है और एक कर्तव्य अथवा दूसरे कर्तव्य के विरुद्ध भी होता है, और मनुष्य को उनमें से किसी एक ही कर्तव्य को पसंद करने के लिए मजबूर होना पड़ना है। एक नागरिक की हिसियत से नहीं लेकिन युद्ध विरुद्ध हलचल करनेवाले एक नेता की हिसियत से ही मुझे उन लोगों की जो युद्ध की नीति का स्वीकार करते हैं, लेकिन कायरता, हलके स्वभाव और ब्रिटिश सरकार के प्रति क्रोध के होने के कारण नहीं होते थे, यह सलाह देनी पड़ी थी। मैंने उन्हें यह सलाह दी थी कि जबतक उन्हें युद्ध नीति में विश्वास है और वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति बफादार होना आहिर करते हैं तबतक तो उनका यह फने है कि वे लड़ाई में जाने के लिए भरती हो कर साम्राज्य की सहायता करें। मुझे इथियार रखने की नीति में श्रद्धा नहीं है और वह अहिंसा धर्म है, जिसका भी मैं इकार करता हूँ विरुद्ध है फिर भी मैं इथियारों के कानून को जिसे मैं भारतवर्ष में ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा कठक मानता हूँ, दूर करने के लिए आरंभ की गई किसी भी हलचल का अवश्य ही साथ दूंगा। मैं यद्यपि तखवार का जबाब तखवार से देने की नीति को नहीं मानता हूँ फिर भी बात साफ पहले मैंने बेनिया के निकटवर्ती ग्राम के लोगों से यह कहा था कि वे अहिंसा के रहस्य को कुछ भी न समझते थे इसलिए उन्होंने अपने माल अराबाब और जियों की इथियारों से रक्षा न करने में अपना कायरता का ही परिचय दिया था। और पत्र लेखक महाशय जानते होंगे कि मैंने हिन्दुओं को अभी यह कहने में भी जरा हिन्धिबाहट नहीं दिरवाई है कि यदि उन्हें अहिंसा में संपूर्ण श्रद्धा नहीं है और वे उसपर अमल नहीं कर सकते हैं तो जो कंडे भी उनकी आरतों को भगा ले ज्ञान, चाहे उनसे, वे इथियारों के बल से भी अपनी रक्षा न करेंगे तो वे अपने धर्म और मनुष्यत्व के खिलाफ बड़ा भारी गृन्हा करेंगे। मेरा पहले का व्यवहार, मेरी ये सलाहें, मेरे अहिंसा धर्म के साथ केवल सुसंबद्ध ही नहीं मान्य होती हैं लेकिन वह उसका परिणाम ही है। इस सिद्धान्त को जवान से कह देना आसान है लेकिन उसको समझ कर स्वर्धा, दुःख और विकारों से भरी हुई इस दुनिया में उसके अनुसार व्यवहार रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं उस शम्स की मुश्किलों को जा इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ अब दिन प्रतिदिन आधिकारिक समझ रहा हूँ। और फिर भी मेरी यह श्रद्धा कि उसके बिना जीवन जीने योग्य नहीं है हमेशा रहती आ रही है।



## अखिल भारतीय चरखा संघ का चन्दा

अ० भा० च० सं० के मंत्रीजी लिखते हैं—

अखिल भारतीय चरखा संघ के सदस्य बनने की इच्छा रखने वाले कितने ही महाशयों ने हमसे यह पूछा है कि इस संबंध में उनको क्या करना है। कुछ ने तो महासभा और चरखा संघ के लिए अलग २ सूत भेजा है। कुछ सज्जनों ने जो कि महासभा का इस वर्षभर के चन्दे का २०००० गज सूत दे चुके हैं वह पूछा है कि उनका दिया हुआ सूत चरखा संघ के चन्दे में भी गिन लिया जायगा या नहीं। कुछ ने और २ शर्काएँ उठाई हैं। इन महाशयों की तथा इस काम से संबंध रखने वाले अन्य महाशयों की जानकारी के लिए तथा इस काल से कि इस विषय की सारी शर्काएँ दूर हो जायें हम निम्न लिखित सूचनाएँ देना चाहते हैं—

(१) जो महाशय चरखा संघ के अ वर्ग या ब वर्ग के सदस्य होना चाहें उनको अवस्था १८ वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और वे स्वभावतः खारी ही रहनी हों। उनको चाहिए कि इन सूचनाओं के अन्त में जो प्रार्थना-पत्र दिया गया है उसे भर के अपने चन्दे के सूत के साथ २ साबरमती भेज दें।

(२) अ वर्ग के लिए चन्दा १००० गज सूत प्रति मास और ब वर्ग के लिए २००० गज सूत प्रति वर्ष पेशगी देना होता है।

(३) चन्दे में जो सूता भेजा जाये वह (अ) सदस्य का धुँद का काता हुआ हो (ख) एकसाँ और अजड़त हो (ग) टोक तरह से एक ही तरह की अट्टियाँ बनाई हुई हों (घ) दोनों सिरे टोक तरह बंधे हुए हों (च) अट्टियों में बराबर तारों की अट्टियाँ हों।

(४) चरखा संघ के जो सदस्य महासभा के भी सदस्य होना चाहते हों उनको अपने प्रार्थना-पत्र में यह बात साफ साफ लिखनी चाहिए।

(५) चरखा संघ के अ वर्ग के और ब वर्ग के सदस्य बिना ज्यादा चन्दा दिये हुए माल इच्छा दर्शाने से महासभा के सदस्य हो सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं कि वे इसके लिए अलग २ प्रार्थना-पत्र भर के भेजें। उनको तो केवल अपने वर्ग के सामने अगर वे अ वर्ग के सदस्य हो तो अ+अ और अगर ब वर्ग के सदस्य हो तो ब+म लिख देना काफी है।

(६) जो सूत महासभा के इस वर्ष के चन्दे के लिए दिया जा चुका है चाहे वह पूरा वर्षभर का २०००० गज क्यों न हो चरखा संघ के चन्दे में नहीं गिना जायेगा इस लिए जो चरखा संघ के सदस्य होना चाहें उनको चन्दा नये सिरे से भेजना चाहिए।

(७) जो महाशय महासभा को इस वर्ष का पूरा चन्दा यानी २०००० गज सूत दे चुके हैं अथवा जिन्होंने मार्च से सितम्बर तक का पूरा चन्दा यानी १४००० गज सूत दे दिया है वे बिना और चन्दा दिये हुए इस वर्ष के अन्त तक महासभा के सदस्य समझे जायेंगे।

(८) जो महाशय अवसक महासभा के सदस्य नहीं हुए हैं अगर अब महासभा और चरखा संघ दोनों के सदस्य होना चाहते हैं उनको चाहिए कि कौरम २००० गज सूत भेज दें और साथ में महासभा के सदस्य होने की इच्छा प्रकाशित करें। यदि वे अ वर्ग के सदस्य होना चाहेंगे तो उनका २००० गज सूत चरखा संघ के २ महीने के चन्दे में जमा कर लिया जायेगा और उसके पीछे उनको १००० गज सूत प्रति मास भेजते रहना होगा। और यदि वे ब वर्ग के सदस्य होना चाहेंगे तो वही सूत चरखा संघ के भी वर्षभर के चन्दे में जमा हो जायेगा।

(९) जो महाशय केवल महासभा के सदस्य होना चाहें उनको २००० गज सूत वर्षभर के लिए पेशगी भेज देना होगा और साथ में यह प्रार्थना-पत्र भर के भेजना होगा जिसका उल्लेख चरखा संघ के विधि-विधान की तर्ती भर में किया गया है। इन महाशयों को यह बात कैसा जरूरी है कि महासभा का वर्ष अवसक से दिसम्बर तक माना जाता है।

## सदस्य बनने के लिए प्रार्थना पत्र

पूरा नाम

ओर पता

अखिल भारतीय चरखा सघ,  
शिक्षण विभाग,  
सत्याग्रहाश्रम,  
साबरमती।

महोदय,

मैंने अखिल भारतीय चरखा सघ के नियम पढ़ लिये हैं। मैं मेरी अवस्था

बर्तमान सदस्य होना चाहता हूँ।

मैं साथ में तूत भेजता हूँ जिसका विवरण यह है

गज अटा के धरे का लंबाई  
तोला कपास की जाति  
अंक चन्दे की अवधि  
तारीख १५२

भवदीय,

पर: नाम

ओर पता

यह निश्चित हुआ है कि चन्दे के गुण का पत्रच परीक्षा नहीं बल्कि 'गम' 'उगा' और 'हिन्दी नवजीवन' में स्वीकार की जावे। अब चन्दे के सदस्यों से प्रार्थना है कि वे अपना 'सदस्य सख्या' जान ले और आगे प्रथम गुण भेजे तब उसके ऊपर वही 'सदस्य सख्या' लगावे। नीचे जो 'सदस्य सख्याएं' दी हैं उनमें पहली या पा प्रान्त में सवन्ध रचना है और दूसरी सख्या सदस्य का क्रम सख्या है। प्रान्तों को अंग्रेजी अक्षरक्रमानुसार नीचे लिखी सख्याएं दी गई हैं -

१ अजमेर; २ आंध्र ३ आसाम ४ बिहार ५ बंगाल और यमाप्रान्त; ६ बरार ७ बर्मा; ८ हिन्दी मध्यप्रान्त; ९ मराठी मध्यप्रान्त; १० बम्बई प्रान्त; ११ दिल्ली; १२ गुजरात; १३ कर्नाटक; १४ केरल; १५ महाराष्ट्र; १६ पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमान्त प्रदेश; १७ तमिल; १८ तामिलनाडु; १९ मयुक्त प्रान्त; २० उत्तराल।

अवधि में गुण की पत्रच स्वीकार करने गम। सदस्यों के नाम नहीं दिये जावेगे केवल 'सदस्य सख्याएं' लिख दी जाया करेगी।

जो गुण १००० गज से कम होगा वह चन्दे से स्वीकार नहीं किया जावेगा वरन् केवल हान के भार पर जमा कर लिया जावेगा।

इस अंक में प्रतिक स्थान न होने के कारण हम आगे हम आगे एक मादा हुआ सब सदस्यों का गुण स्वीकार नहीं कर सके हैं। कुछ सदस्यों का गुण प्राप्त स्वीकार कर लिया है। अन्य सदस्यों का तथा नये भेजने वालों का गुण आगे स्वीकार किया जावेगा।

प्रान्त	क्रम सख्या	सदस्य सख्या	नाम	वर्ग	गुण	अवधि	
अजमेर	१	१	(१) श्री० जेम्सबाबू जैन,	साबरमती	अ	२०००	अक्टूबर + नवंबर
	२	१	(२) " श्रीमान् उपस्थान	"	अ	१०००	अक्टूबर
आंध्र	३	२	(१) " श्री० जगन्नाथराव,	मद्रास	अ	१०००	"
	४	२	(२) " श्रीमान् लालू तिलीपुत्रु	रायचुरु	अ	१०००	"
	५	२	(३) " श्री० श्री० नरसिंहनाथ,	बर्मा	अ	१०००	अक्टूबर से दिसंबर
	६	२	(४) " श्री० एम० बरदाचारी,	तिरुपति	अ	१०००	अक्टूबर
	७	२	(५) " श्री० रामशर्मा,	बंगलौर	अ	१०००	"
	८	२	(६) " श्री० रामशर्मा	"	अ	१०००	"
	९	२	(७) " श्री० रामशर्मा	"	अ	१०००	"
आसाम	१०	३	(१) " श्री० एम० शर्मा	काशी	अ	२०००	अक्टूबर + नवंबर
	११	३	(२) " श्री० रामशर्मा	चुगी	अ	१०००	अक्टूबर
	१२	३	(३) " श्री० रामशर्मा	"	अ	१०००	"
	१३	३	(४) " श्री० रामशर्मा	बंगलौर	अ	१०००	अक्टूबर से जनवरी
	१४	३	(५) " श्री० रामशर्मा	जामशेदी	अ	१०००	अक्टूबर

\* यदि महाभागों में सदस्य होना ही तो अ + ग अथवा ब + म यथासकत लिखा देना चाहिये।  
† कृपया जिला और प्रान्त का नाम जरूर लिखिए।

वर्ग	क्र.सं.	दि.	नाम	पता	प्रकार	मूल्य	विवरण	
आयुक्त	१०	३	(५) श्री० गंगाधर बोरकोटकी	राजवाडली	अ	१०००	अक्टूबर	
	१८	३	(८) श्रीमती गिरबाला धेयी	जारुट	अ	५०००	अक्टूबर से फरवरी	
	१९	३	(९) " सुवर्णलता देवी	"	अ	१०००	अक्टूबर	
	२०	३	(१०) " बरोदा देवी	चुगी	अ	१०००	"	
	२१	४	(११) श्री० रामलक्ष्मणसिंह	पिलखी	अ	१०१५	"	
	२२	४	(१२) " ध्वजप्रसाद	दीधवाडा	अ	१०४०	"	
	२३	४	(१३) " सम्यनारायणसिंह	"	अ	१०३५	"	
	२४	४	(१४) " निजमसिंह	"	अ	१०५०	"	
	२५	४	(१५) " रामेश्वरसिंह	"	अ	१३६८	"	
	२६	४	(१६) " साधुभरण मेहता	भगवतीपुर	अ	१०००	"	
बंगाल	२७	४	(१७) " रामावलामणि	"	अ	१०१०	"	
	२८	४	(१८) " महाशारंगम	"	अ	१११०	"	
	२९	४	(१९) " रामप्रसाद साहू	"	अ	१०००	"	
	३०	४	(२०) " रामनरसिंह बसु	"	अ	४२००	अक्टूबर से जनवरी	
	३१	४	(२१) " विपिन विहारी बर्म	"	अ	१०००	अक्टूबर	
	३२	४	(२२) " रामशंभु पांडे,	सिमरी	अ	२०००	अक्टूबर + नवंबर	
	३३	४	(२३) " रामसुभाष	"	अ	१०००	अक्टूबर	
	३४	४	(२४) " मरेश्वर-रत्न लनडी	कामिला	अ	१०००	"	
	३५	४	(२५) " रामगणेशदास	गुरी	अ+म	१०००	अक्टूबर से दिसंबर	
	३६	४	(२६) " लक्ष्मणदास	साबरमती	अ	१०००	अक्टूबर	
हिंदी मध्यप्रान्त	३७	४	(२७) " राम कृष्ण बसु	गन्ना-ना कलकत्ता	अ	१०००	"	
	३८	४	(२८) " पद्म शंकर शर्मा	"	अ	१०००	"	
	३९	४	(२९) " दुर्गाशंकर	हुआ	अ	१०००	"	
	४०	४	(३०) " मनमोहन शुभ	"	अ	१०००	"	
	बम्बई	४१	५	(३१) " जमनालाल बजाज	बर्ली	अ	१०००	"
		४२	५	(३२) " आर० आर० पट्टक	रंहरा	अ	१०००	"
		४३	५	(३३) " विश्वनाथ जैनाजी	राई	अ	२०००	अक्टूबर + नवंबर
		४४	५	(३४) " इश्वरलाल मन्नाडकर	"	अ	३०००	अक्टूबर से दिसंबर
		४५	५	(३५) " इश्वरलाल मन्नाडकर	"	अ	२०००	अक्टूबर + नवंबर
		४६	५	(३६) " विश्वनाथ जैनाजी	"	अ	२०००	"
४७		५	(३७) " राम शंकर शर्मा	"	अ	२०००	अक्टूबर से मार्च	
४८		५	(३८) " राम शंकर शर्मा	"	अ	२०००	अक्टूबर + नवंबर	
४९		५	(३९) " राम शंकर शर्मा	"	अ	१०००	अक्टूबर	
दिल्ली		५०	५	(४०) " राम शंकर शर्मा	कटरा	अ	१०००	"
	गुजरात	५१	५	(४१) " राम शंकर शर्मा	साबरमती	अ	१०००	"
		५२	५	(४२) " चतुरभाई वी० पटेल	"	अ	१०००	"
		५३	५	(४३) श्रीमती अनुमया बेन	अहमदाबाद	अ	१०००	"
		५४	५	(४४) श्री० इमामअब्दुल कादिर बाबातर साबरमती	"	अ	१०००	"
		५५	५	(४५) " गलाम रसूल कुरेदा	"	अ	१०००	"
		५६	५	(४६) " अबादाल एम० पटेल	नाटयाद	अ	२०००	"
		५७	५	(४७) " मंगलदास के० देसाई	अहमदाबाद	अ+म	२०००	अक्टूबर + नवंबर
		५८	५	(४८) " इश्वरलाल माणिकलाल	"	अ	१०००	अक्टूबर
		५९	५	(४९) " लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम	बापडोली	अ	१०००	"
६०		५	(५०) " इश्वरलाल बकर	अहमदाबाद	अ	१०००	"	
६१	५	(५१) " केदारदास गणेशजी	बापडोली	अ	१०००	"		
६२	५	(५२) श्रीमती लक्ष्मीदास गणेशजी	साबरमती	अ	१०००	"		
६३	५	(५३) श्री० मंगलदास के० देसाई	"	अ+म	१०००	"		
६४	५	(५४) " बापडोली माणिकलाल	"	अ	२०००	अक्टूबर + नवंबर		
६५	५	(५५) " इश्वरलाल एम० जगनाथ	"	अ	१२००	अक्टूबर		
६६	५	(५६) " देवदास एम० गांधी	"	अ	१०००	"		
६७	५	(५७) " बापडोली वी० राम	कडो	अ	१०००	"		
६८	५	(५८) " एम० जे० शर्मा	अहमदाबाद	अ	२०००	अक्टूबर + नवंबर		
६९	५	(५९) " लक्ष्मीदास जे० पटेल	"	अ	१०००	अक्टूबर		
७०	५	(६०) " इश्वरलाल के० गांधी	"	अ	१०००	"		
७१	५	(६१) " मोतीभाई त्रेवरलाल	"	अ	२०००	अक्टूबर + नवंबर		

गुजरात	७२	१२	(२२)	श्री०	पुंजामाई गोवर्धनदास	साबरमती	अ	२०००	अक्टूबर + नवंबर		
	७३	१२	(२३)	"	बाडोलाल राणा	"	अ	१०००	अक्टूबर		
	७४	१२	(२४)	श्रीमती	चंचलबेन बी० राणा	"	अ	१०००	"		
	७५	१२	(२५)	"	गंगादेवी टो० सनट्टध	"	अ	२०००	अक्टूबर + नवंबर		
	७६	१२	(२६)	श्री०	बालकृष्ण भावे	"	अ	४०००	अक्टूबर से जनवरी		
	७७	१२	(२७)	"	मोहनलाल के० पड्या	कठलाल	अ	१०००	अक्टूबर		
	७८	१२	(२८)	"	केशवलाल एम० गांधी	साबरमती	अ	१३६६	"		
	७९	१२	(२९)	श्रीमती	कस्तूरबाई एम० गांधी	"	अ	१०६०	"		
	८०	१२	(३०)	श्री०	तोताराम सनाढध	"	अ	२०००	अक्टूबर + नवंबर		
	८१	१२	(३१)	"	साधवलाल पटेल	"	अ	४०००	अक्टूबर से जनवरी		
	८२	१२	(३२)	"	मगनलाल पी० टेंसाई	"	अ	१०००	अक्टूबर		
	कर्नाटक	८३	११	(१)	"	गंगाधरराव देशपांडे	बेलगाम	अ	१०००	"	
		८४	१३	(२)	"	डी० आर० मजला	"	अ	१०००	"	
		८५	१३	(३)	"	डी० ए० सुदकर	"	अ	१०००	"	
		८६	१३	(४)	"	डी० एम० अकवत	"	अ	१०००	"	
		८७	१३	(५)	"	एन० ए० कुलकर्णी	"	अ	१०००	"	
		८८	१३	(६)	"	एन० जी० कस्तूर	"	अ	१०००	"	
		८९	१३	(७)	"	एन० एम० दिवकर	"	अ	१०००	"	
		९०	१३	(८)	"	जी० वी० कडमरा	"	अ	१०००	"	
९१		१३	(९)	"	जी० एम० कोन्नेर	"	अ	१०००	"		
९२		१३	(१०)	"	एम० पी० डाडोहर	"	अ	१०००	"		
९३		१३	(११)	"	वी० पी० नदगावदा	"	अ	१०००	"		
महाराष्ट्र	९४	१५	(१)	"	बामदेव बी० दास्ताने	कडगाव	अ	१०००	"		
	९५	१५	(२)	"	गजानन एम० गवाणकर	साबरमती	अ	२०००	अक्टूबर + नवंबर		
	९६	१५	(३)	"	लालशकर बी० रेवाशकर,	सांताक्रुज	अ	१०००	अक्टूबर		
	९७	१५	(४)	"	के० आर० सामन्त,	कुईबाडी	अ+म	१०००	"		
	९८	१५	(५)	"	पी० वी० केशकर,	साबरमती	अ+म	२०००	अक्टूबर + नवंबर		
	९९	१५	(६)	"	एन० पी० पुन्नाम्बेकर,	भुसावळ	अ	१०००	अक्टूबर		
	१००	१५	(७)	श्रीमती	विद्यागौरी मेहला	"	अ	१०००	"		
	१०१	१५	(८)	श्री०	जी० आर० गोमटी	"	अ	१०००	"		
	१०२	१५	(९)	"	बाडि० ए० फडके	"	अ	१०००	"		
	१०३	१५	(१०)	"	बाबूमिह बल्लसिंह	"	अ	१०००	"		
	१०४	१५	(११)	"	जी० जी० नावरे	"	अ	१०००	"		
पंजाब	१०५	१५	(१२)	"	चम्पलाल भूमल	"	अ	१०००	"		
	१०६	१५	(१३)	"	ई० जी० डकारे	"	अ	१०००	"		
	१०७	१५	(१४)	"	जी० एम० प्रधान	"	अ	१०००	"		
	१०८	१५	(१५)	"	एन० आर० बालुजक	"	अ	१०००	"		
	पंजाब	१०९	१६	(१)	"	सुन्दरपाल जुलाह,	कर्मालिया	अ	२६००	अक्टूबर+नवंबर	
		सिंध	११०	१७	(१)	"	समभरसिंह मुरीजमल,	देवराबाद	अ	२०२१	"
			१११	१७	(२)	"	उत्तमचंद जे० गिहानी	"	अ	२०६१	अक्टूबर से जनवरी
			११२	१७	(३)	"	गिरिधारी कृपलानी	साबरमती	अ	१०००	अक्टूबर
			११३	१७	(४)	"	सेवकराम करमचन्द,	पुराना सकर	अ	१०००	"
	११४	१७	(५)	श्रीमती	गंगाबाई के० आर्डेदास	फारीब	अ	१०००	"		
	तामिलनाडु	संयुक्त प्रांत	११५	१८	(१)	श्री०	के० एम० सुब्रह्मण्यम्	साबरमती	अ	१०००	"
११६			१९	(१)	"	जवाहरलाल नेहरू	इलाहाबाद	अ	१०००	"	
११७			१९	(२)	श्रीमती	कमला नेहरू	"	अ	१०००	"	
११८			१९	(३)	श्री०	महावीर प्रसाद मालवीय	"	अ	१०००	"	
११९			१९	(४)	"	जमुना प्रसाद मथुरिया	साबरमती	अ	१०००	"	
१२०			१९	(५)	"	श्रीनिवास संगल	कूलपहाड	अ+म	५०००	अक्टूबर से फरवरी	
१२१			१९	(६)	स्वामी	सहजानन्द	सिमरी	अ+म	४०००	अक्टूबर से जनवरी	
१२२			१९	(७)	श्री०	शुशुभ कुरेशी	बबई	अ+म	१०८०	अक्टूबर	
उत्तरांचल			१२३	२०	(१)	"	निरजन घटनायक	बरहामपुर	अ	१०६७	"
			१२४	२०	(२)	श्रीमती	किशोरीमणी देवी	"	अ	१०००	"
			१२५	२०	(३)	श्री०	महावीरसिंह	हरसुगुडा	अ	१०००	"



# हिन्दी नवजावन

अपादक—माहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष १ ]

[ अंक ११

मुद्रण-प्रकाशक  
स्वामी आनन्द

अहमदाबाद, कार्तिक सुदी १३, संवत् १९८५  
शुक्रवार, २९ अक्टूबर, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान—नवजावन मुद्रणालय,  
छारंगपुर सरकोमरा की बाड़ी

## ईश्वर-भजन

एक पापही भाई ने इमान से एक वचन किया है और जन्म के दिन से ही गूढ प्रश्न पूछे हैं। वे ऐसे बड़े बड़े लोगों की प्रशंसा में लिखे देता है। उन्होंने दो तीन शब्दों पर अपनी कल्पना का भी प्रयोग किया है। मैं यहाँ पर उनका अनुवाद ही दूँगा।

(१) " ईश्वर का मेरी सपना भला है। मैं मानता हूँ कि ईश्वर ही मेरा सहायक है। मैंने अपनी तुरंत या अगले जन्म जैसे की सोचा है, गरीबी, दुःख, बीमारियों का अपने अपने तर्क बुद्धि, जन्म इत्यादि सभी बातें ईश्वर ही का करणी से होती हैं और हम लोग मनुष्यपुत्री होने के कारण ईश्वर के कानों को समझ नहीं सकते हैं।

(२) " हमसे मैं इस दुविधा में ही पड़ा रहता हूँ कि जब सब चीजों को ईश्वर ही बनाता है और वही अपनी खुशी से सब कुछ करता है तब फिर मेरा सा तुच्छ मानवी श्रद्धा की किस प्रकार सेवा कर सकता है। यदि गरीबी और दुःख खुदा ही की इच्छा से मनुष्य पर ला गिरते हैं तब फिर वही वही संस्थान, अस्पताल, अनाथालय इत्यादि चलाने से ईश्वर को इसकेसे सहाय कर सकेंगे? क्या ईश्वर को मेरे जैसे आर्क्षियों की मदद की दरकार है? वह सब कुछ कर सकता है, गरीबी, दुःख इत्यादि सब कुछ वह एक ही पल में दूर कर सकता है। लेकिन उन्हें वह स्वयं ही रहने देता है।

(३) " आप मुझे यह बतावें कि मुझे ईश्वर की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। यदि मैं गरीबों को अच्छी सलाह देने जाता हूँ, उनके दुःखों को कम करने का प्रयत्न करता हूँ तो मुझे यह क्या कहना होता है कि ईश्वर के काम में मैं नाहक श्रम दाल रहा हूँ और वह मुझे कभी भी न करना चाहिए।

(४) " अब इस छोटी सी जीवन्ती में हमें ईश्वर को किस प्रकार भजना चाहिए? और इस दुनिया में जीवित रहने का हेतु ही क्या हो सकता है? मेरा मन इस मोरक्कंधे में फँस गया है और मुझे यह नहीं भाव्य कि कौन सा मार्ग सचा हो सकता है।

ईश्वर की इच्छा के विना एक पत्ता भी दिक् नहीं सकता है तो फिर मनुष्य के लिये क्या करना बाकी रहेगा? यह प्रश्न अनादि है और वह सदा ही पूछा जावेगा। लेकिन उसका जवाब भी तो वही प्रश्न के अन्दर है क्योंकि सवाल पूछने की शक्ति भी तो

ईश्वर ने ही दी है। जिस प्रकार हम लोग एक नियम और कानून के तहत रहते हैं वही प्रकार ईश्वर भी रहता है। हमारा कानून और हमारा ज्ञान अपूर्ण होता है और इसलिए हम लोग अपने कानूनों का तन्निथ और अविनय भंग भी कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर ही सर्वज्ञ और सब शक्तिमान है और इसलिए वह अपने कानून का कभी भी भंग नहीं करता है। उसके कानून में न कोई बात बटाई जाती है और न कोई बटाई जाती है। उसके कानून और नियम अटल हैं। उसने हमें अनेक प्रकार के विचार करने को और उनमें से कुछ पसंद करने को, अच्छा बुरा समझने की शक्ति दी है और उसीमें हमारी स्वतन्त्रता का सम्बन्ध होता है। यह स्वतन्त्रता बहुत ही कम है। इतनी कम है कि एक ज्ञानी को यह कहना पडा कि एक अज्ञान के तहत पर घूमने फिरने की जितनी स्वतन्त्रता होती है उसने भी वह कम है। लेकिन चाहे जितनी भी कम कर्मों न हो वह आखिर स्वतन्त्रता तो है ही। वह कम होने पर भी इतनी अवश्य है कि मनुष्य इसके द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ईश्वर और पुरुषार्थ का युग्म कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है। लेकिन मुक्ति के पथ पर चलनेवालों को ईश्वर कभी भागा नहीं पहुँचाता है। इसलिए हमें अब इसी बात का विचार करना चाहिए कि ईश्वर की सेवा किस प्रकार की जाय, उसका भजन कैसे किया जाय। ईश्वर की सेवा एक ही प्रकार से हो सकती है। गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। एक चींटी की सेवा करने पर वह ईश्वर ही की सेवा होगी। लेकिन चींटियों के पदों के पास आटा डालने से उनको सेवा न होगी। ईश्वर चींटी को कम और हाथी को मन देता है। चींटी को भी जो जानबूझ कर नहीं कुचलता है वही उसकी सेवा करता है और इततरह जो जानपूर्वक चींटी को भी दुःख नहीं पहुँचाता है वह अन्तर्गत प्रार्थनों को और अपनी ही जाति के मनुष्य प्राणों को कभी भी दुःख न पहुँचवेगा। प्रत्येक स्थल पर और प्रत्येक समय पर सेवा का प्रकार बदलता रहता है, यद्यपि इति एक ही बनी रहती है। दुःखी मनुष्य की सेवा करने में ईश्वर ही की सेवा होती है लेकिन उसमें विभेद होना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन देने से सेवा ही होगी वही दान देने का कोई कारण नहीं है। जो मनुष्य आकषी है, और दूसरे के भरोसे बैठा रहता है और भोजन को आशा रखता है उसे भोजन देना नहीं है। जो काम देना मनुष्य का काम है और यदि वह काम करने

के लिए तैयार नहीं है तो उसे भूखा ही रखने में उसकी सेवा होगी। ईश्वर का नाम जपना, पूजा पाठ करना आवश्यक है क्योंकि उससे आत्मा की शुद्धि होती है और जो मनुष्य आत्मसुख है वह अपना मार्ग स्पष्ट देख सकता है। लेकिन पूजापाठ ही कुछ ईश्वर की सेवा नहीं है। वह सेवा का साधन है और इसीलिए गुजरानी कवि नरसिंह ने पाया है:

शुं शयुं स्नान सेवा ने पूजा बकी

शुं शयुं माल प्रही नाम कीधे

इस उतर में से तीसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है। तीसरा प्रश्न है जीवन का हेतु? जीवन का हेतु अपने को पहचानना है। नरसिंह की भाषा में कहें तो

ज्यां लगी आत्मा तत्त्व चीन्थो नही

ज्यां लगी साधना सब खठी

और आत्मतत्त्व-आत्मज्ञान, जीवमात्र के साथ अर्थात् ईश्वर के साथ ऐक्य-तन्मयता सिद्ध करने से ही प्राप्त होता है। जीवमात्र के साथ ऐक्य करने के मानी है उनके दुःखों को समझ कर स्वयं दुःखी होना और उनके दुःख का निवारण करना।

(मनजीवन)

मोहनदास करमचंद गंधी

## अपने मत का प्रचार

हम लोगों में आजकल बहुत ही मतभेद दिखाई दे रहा है। मतभेद होने में कोई बुराई नहीं है लेकिन सबे और दिखाऊ मतभेद में जो भेद है उसे समझ लेना चाहिए। स्वतंत्र मन जो कहे बरी मनुष्य का स्वतंत्र मत हो सकता है। लेकिन हमारे मन की स्थिति तो इंग्लैण्ड के राजा की सी है। इंग्लैण्ड के राजा का विचार स्वतंत्र कहा जाता है? पार्लियामेंट प्रस्ताव करती है और फिर उसे राजा के पाग औपचारिक मजूरी प्राप्त करने के लिए भेज देती है। राजा को उसपर हस्तक्षेप कर देने पड़ते हैं। ऐसी ही कुछ हालत हमारे मन की भी है। इन्द्रिय चाहे जैसा प्रस्ताव कर डालती हैं और मन उस पर हस्तक्षेप कर देता है। भेद केवल इतना ही है कि मन का स्वभाव उच्छेदित होता है और इसीलिए दस्तकत करने के पहले वह अपने समाधान के लिए कुछ दलीलें भी तैयार कर लेता है। उसके बिना उसका समाधान नहीं होता है। इन्द्रियों के विरुद्ध तर्क करने का मानों उसे कुछ अधिकार ही नहीं होता है। सनातन धर्म की यह मर्यादा है कि यदि साधक को कुछ तर्क करना है तो उसे वेद के अनुकूल ही तर्क करना चाहिए, उसी प्रकार इन्द्रियों के अनुकूल तर्क करने का मन का भी अर्थ होता है। उसे जो मत होने दें वे सच्चे मत नहीं होते। वह तो केवल आत्मवचन होती है। सुबह जल्दी उठने में इन्द्रियों को आवश्यक होता है और इसीलिए मन को भी वेमा ही माहुर होता है, और वह फिर उसीके अनुकूल दलीलें करने लगता है। जैसे 'सुबह जल्दी उठना उचित नहीं है क्योंकि उससे दिनभर शरीर में बराबर स्फूर्ति नहीं रहती है। और यह भी देखो कि यदि ईश्वर को हमारा जल्दी उठना ही मजूर होता तो उसने सुबह होने के पहले ही प्रकाश भी दे दिया होता।' ऐसी दलीलें करने पर मन को यह प्रतीत होता है कि अब उसका मत निश्चित हो गया है। हम लोग यह अवश्य कहने हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने मत की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन हम लोग मत-स्वातंत्र्य के सही अर्थ को नहीं समझते हैं। इन्द्रियों का अधिकार चलने न दे और फिर स्वतंत्र मन हमें जो कुछ भी कहे वही हमारा स्वतंत्र मत होगा। मन में जिस किसी बात की स्फुरण हो जाने उसे ही सच्चा मत नहीं कह सकते हैं लेकिन मन विवेक के

साथ जिस बात की योजना करना है वही सच्चा मत होता है। यदि इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाय तो बहुत से मत-भेद दूर हो जायेंगे।

इन्द्रियनिग्रह-पूर्वक हमें जो बात निश्चित माहुर होती हो उसी मत का प्रचार करना उचित होगा। लेकिन ऐसे मतों के प्रचार का उचित साधन आचार है, उचार नहीं। उचार से मत प्रचार करने की इच्छा करना केवल मोह है। और ऐसा मोह हम लोगों में बहुत मरा हुआ है। यदि हमारा मत उचित है तो उसके अनुकूल व्यवहार करने से उसका खूब बखुर प्रचार होगा। हमें सत्य पर विश्वास होना चाहिए। सत्य में अपना प्रचार करने की स्वयंभू शक्ति है। सत्य सूर्य को तरह स्वयंप्रकाशी है। सूर्य को जिस प्रकार कोई ढांक नहीं सकता है उसी प्रकार सत्य को भी कोई नहीं ढांक सकता है। आचार को छोड़ कर बाह्य साधनों से उसका प्रचार करने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। उसका कुछ भी परिणाम न होगा। उससे हिंसा बढती है और असत्य का प्रचार होता है। प्रचार जो भा मर्यादा होनी है। सूर्य में कैसी जबरदस्त प्रकाश-शक्ति है। फिर भी वह उसकी मर्यादा को जानता है। इसलिए वह मंसूर का 'मित्र' बन कर भी प्रचार कर सकता है। यदि कोई किबाड बन्द करके सो जाय तो सूर्य उसकी सेवा करने के लिए द्वार पर आ कर खड़ा रहेगा लेकिन द्वार को धरना दे नर अन्दर न घुस पड़ेगा। लेकिन उसी ही द्वार खुला कि वह मंसूर का सब अन्दर प्रवेश कर जाता है। यही प्रचार की मर्यादा है। हमारा मत सच्चा हो तो भी उसका प्रचार तो स्वाभाविक तौर पर ही होना चाहिए। मूक स्पष्टवार ही स्वाभाविक प्रचार-कार्य है। आचार का मौन सूटा कि हिंसा वाज्यस हूण दिना न रहणी। और हिंसा दाखल हुई कि मर्या भी वही से काफूर हो जायगा। आग जैसे पानी से बुझ जाती है उसी प्रकार सत्य भी हिंसा से उब जाता है। उसके अनुकूल व्यवहार न रफला जाय और प्रचार करने का प्रयत्न किया जाय तो यह खली हुई हिंसा हो है। प्रचार कार्य जल्दी करना भी हिंसा है। उसके अलावा उसमें अशुद्धा और अज्ञान तो अवश्य होता है। और उसे बंध भी क्यों न कहे! बालक जब बीज बोते हैं और उसका अंकुर फुटने लगता है तब उसे जल्दी उगाने के लिए जैसे वे उसे खींच लेते हैं वैसा ही प्रयत्न यह भी है।

मत अर्थात् इन्द्रियनिग्रही मन का विचार, और उसके प्रचार का साधन क्रिया है। यह दो सिद्धांत निश्चित हो जाने पर सब बातें स्पष्ट हो जायेंगी हैं। कृति के साथ प्रसंगानुसार कुछ और बातों की भी हम कल्पना कर सकते हैं। प्रतिभना ली जिरा प्रकार अपने पति का नाम नहीं लेती है उसी प्रकार कमयोगी भी अपने मत का उचार नहीं करता है। लेकिन इन दोनों ही पक्षों में हम अपवादों की कल्पना कर सकते हैं। किसी विशेष प्रसंग के उपस्थित होने पर अपना मत समझाने में कोई हानि नहीं है। लेकिन हमें केवल अपना मत ही समझाना चाहिए। दूसरे का खंडन करने का मोह छोड़ देना चाहिए। मत-प्रतिपादन के दो भाग हैं एक अपने मत का समझाना, और दूसरा विपक्षी का खण्डन करना। लेकिन वे विभाग केवल काल्पनिक हैं यथाय नहीं। दिया जलाना और अंधेरे को दूर करना कोई दो काम थोड़े ही हैं? सच पूछो तो दीपक जलाना ही एक सच्चा कार्य है। उसमें भी हम लोग तो दूसरे का खण्डन करने में ही अपनी शक्ति का अधिक व्यय करते हैं। दूसरे के मत का खण्डन करने से यह सिद्ध नहीं होता है कि हमारा मत सच्चा है। और यही खादी भाषा में अपना मत समझने पर दूसरे के मत का खण्डन करने की आवश्यकता नहीं होती है।

भूमिति से युक्तिक ने किसी भी प्रकार का खण्डनवाद न बसा कर केवल उसके सिद्धान्तों को ही सीधी भाषा में समझा दिया है। उन सिद्धान्तों का आज सारी दुनियाँ पर अधिकार है। दूसरे के मत का खण्डन करने का प्रयत्न करने में उसके मत के प्रति हमारा सूक्ष्म प्रेम ही कारण होता है। संत-साधुओं का कहना है कि भक्तिमार्ग में प्रेम से या द्वेष से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। बीभीषण अपने प्रेम के कारण और रावण अपने द्वेष के कारण सिर गये। इसका सावार्थ भी वैसा ही है जैसा कि ऊपर कहा गया है। मिल्डन ने अपने 'पेरेडाइज खोस्ट' में दैतान के दिल में सात्विकता के प्रति तार्किक द्वेष बतला कर उसके लिए पाठकों के हृदय में सहायभूति पैदा की है। जिसके दिल में सात्विकता के प्रति तीव्र द्वेष होता है उसके दिल में सूक्ष्म रूप से सात्विकता अवश्य होती है। इसी प्रकार जो लोग तमोगुण का अतिहाय विवेक करते हैं उनमें निःसंदेह कुछ न कुछ तमोगुण अवश्य होता है।

जिस प्रकार विशेष प्रसंगों पर अपना मत समझाने की आवश्यकता का होना स्वीकार किया गया है उसी प्रकार ऐसे प्रसंगों की भी कल्पना की जा सकती है जब कि दूसरों की भूल उन्हें बताना भी आवश्यक होता है। लेकिन दूसरे के मत को निर्मूल करना एक बात है और दूसरे ही को निर्मूल कर फेंक देना दूसरी ही बात है। किसी के मन का भूल उसे बताते हुए उसे माननेवाले को ही बिना में ला कर उस पर टीका करना अनुचित है। नारियल की नरेटी को तोड़ कर उसमें से गिरी निकाल लेनी चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य के मत (यदि वह गलत हो तो) को तोड़ कर उस मनुष्य को ग्रहण करना भी आज चाँहिए। नदी टेढ़ी होने से उसका पानी कुछ देवा नहीं होता है और रोटी गोल होने पर भी उसका मासुर्बे गोल नहीं बन सकता है, उसी प्रकार मनुष्य का मत झुपित होने से वह स्वयं झुपित नहीं हो जाता है। नदी का प्रवाह और रोटी का आकार जिस प्रकार बाह्य परिस्थितियों के कारण बना होता है उसी प्रकार मनुष्य के मत का भी आधार बाह्य परिस्थिति पर है। इसीलिए मत का विचार करते समय मनुष्य को अलग ही रखना चाहिए। बहुत मरतवा हम यह देखते हैं कि जो मत हमें कुछ समय पहले सही मान्य होता था वही मत आज हमें गलत मान्य होता है। जिन लोगों को विचार आने पर उसे फौरन ही लिख लेने की आदत है उनके लेखों पर से उनके मन की वृत्तियाँ धीरे धीरे किस प्रकार बदलती गई यह फौरन ही दिखाई देगा। इसलिए अदिमान मनुष्य, जबतक उनका विचार कृति में उतर कर, शरीर में पच कर हृदय में प्रवेश कर अपने जाप बाहर व्यक्त नहीं होता है तबतक उसे प्रकट ही नहीं करते हैं। अपना ही पुराना मत वह कुछ भी क्यों न हो आज यदि हमें पसंद न आवे तो हम उसे छोड़ देंगे और प्रसंग उपस्थित होने पर उसका खण्डन भी करेंगे। लेकिन यह किस भावना से और किस प्रकार? दूसरों के मत का खण्डन करने का प्रसंग उपस्थित हो तो भी हमें उसी प्रकार उसका खण्डन करना चाहिए जैसे कि मानों हम अपने ही पुराने मत का खण्डन कर रहे हों। इससे भी अच्छा न्याय तो इस प्रकार हो सकेगा। अपने पुराने मत के प्रति हम कटोर दृष्टि से नहीं देखते हैं। हमें उसे कटोर दृष्टि से देखना सीखना चाहिए। दूसरों के मत के प्रति हम कोय हमेशा कटोर दृष्टि से देखते हैं, हमें यह कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य को स्वयं ही इस बात की ठीक ठीक खबर नहीं होती है कि उसका क्या मत क्या है। कदली के स्तन के समान मनुष्य के सब पर एक ही शक्ति इस

प्रकार कितने ही आवरण पके हुए होते हैं। इन आवरणों को दूर करके यदि देखे तो अन्दर का मन अत्यंत निर्मल शुद्ध और सरल दिखाई देगा। और यह बात भी हमेशा याद रखनी चाहिए कि कल का हमारा धारणा मत जिस प्रकार आज बदल गया है उसी प्रकार आज का मत भी चाहे वह कितना भी दृढ़ क्यों न मान्य हो उसके कल बदल जाने की पूरी संभावना है। इससे यह मतलब नहीं है कि मनुष्य को हमेशा ही संदेह में पके रहना चाहिए। शंका में जरा भी न रहना चाहिए। आज जो मुझे ठीक जंचता है उसी के अनुकूल मुझे अपना व्यवहार रखना चाहिए। लेकिन दूसरों के मतों का खण्डन करते समय अपने अनुभव से सिद्ध अपने मतों की क्षणभंगुरता कभी भी न भूलनी चाहिए। किसी भी व्यक्त स्वरूप में सम्पूर्ण ईश्वर नहीं रह सकता है। उसमें उसका एक अल्पांश ही व्यक्त होता है। उसी प्रकार सम्पूर्ण सत्य भी हमारे मत में नहीं हो सकता है। जिस प्रकार ईश्वर का अंश एक ही वस्तु में नहीं होता है और कोने बहुत परिमाण में सभी वस्तुओं में रहता है उसी प्रकार यह बात भी नहीं हो सकती है कि सत्य का अंश हमारे ही मत में रहे और दूसरों के मत में न रहे। दूसरों के मतों में भी कुछ सत्य तो अवश्य ही होगा। यह भ्रमा ही सत्याग्रह का आधार है और सत्याग्रह की मर्यादा है। कोई भी मनुष्य, समाज या संस्था विष्कूल ही सत्य-हीन और ईश्वरहीन नहीं है। इसलिए सत्याग्रह से मनुष्य, समाज और संस्था कोई भी विजय प्राप्त कर सकता है। यही सत्याग्रह का आधार है और इसी कारण से हमारी दृष्टि में असत्य से अधिकृत मनुष्य, समाज और संस्था का प्रतिकार करने में हमें अहिंसामय साधनों का ही उपयोग करना चाहिए। यही सत्याग्रह की मर्यादा है। अर्थात् मनुष्य के मत का विचार करते हुए अथवा उसके कृत्यों का प्रतिकार करते हुए भी मनुष्य को तो उसके मत और कृति से अलग ही रखना चाहिए। यही सत्याग्रह का मुख्य सिद्धान्त है।

इस उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति ईश्वर हमें प्रदान करे :  
(सहाराष्ट्र धर्म) विनीवा

खादी किससे काढ़ते हैं ?

कितने ही लोग जिस प्रकार मिल के कपड़े और बुने लेकिन छोटे कपड़े को खादी समझ कर पहनते हैं उसी प्रकार कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि हाथ से कते हुए सूत का बना हुआ सिर्फ मोटा और खुरदरा कपड़ा ही खादी है। लेकिन यह बात ठीक नहीं है। हाथ से कते हुए सूत का हाथ से बुना हुआ कैसा भी बारीक कपड़ा क्यों न हो वह खादी ही है। वह रई की, रेसम की और ऊनकी भी हो सकती है। जिसे जो अनुकूल हो वही वह पहने। आंध की खादी बहुत ही बारीक होती है। आसाम में कुछ रेसम की खादी भी बनती है। काठियावाड़ में ऊन की खादी होती है। अर्थात् खादी का गुण और उसकी विशेषता उसकी हाथ की कतार और हाथ की बुनाई है। साधारण तौर पर हाथ की कती और बुनी खादी मोटी और खुरदरी होती है इसलिए लोग यह मान लेते हैं कि खादी ऐसी ही हो सकती है। लेकिन साठ से अस्सी अंक के सूत की बारीक खादी भी बनती है। किन्तु जो लोग मोटी और खुरदरी खादी का ही उपयोग करते हैं वे जानते हैं कि मोटी खादी पहन को बड़ी मुकामम मान्य होती है और यह खुरदरी होने के कारण काल की रक्षा भी करती है।

(नवजीवन)

मो० क० गांधी

## हिन्दी-नवजीवन

गुरुवार, क्रांतिक सुदी १३, संवत् १९६२

### एक प्रश्नमाला

जब मैं लखनौ में था वहाँ के 'इंडियन डेली टेलीग्राफ' के सहायक संपादक ने मुझे उत्तर देने के लिए एक प्रश्नमाला दी थी। उनके प्रश्न बड़े दिग्दर्शन हैं इसलिए मैं उनमें से बड़े महत्व के प्रश्नों को मेरी तरफ से उनका उत्तर दे कर यहाँ प्रकाशन कर रहा हूँ।

१. "क्या आप एक साल के भीतर या किसी निश्चित समय के अंदर ही अंदर सामुदायिक सविनय भंग आरंभ करने का कोई विचार रखते हैं?"

वर्तमान समय में मैं ऐसी कोई आशा नहीं रखता हूँ कि कितनी मर्यादित समय के अन्दर ही अन्दर मैं सामुदायिक सविनय भंग का आरंभ कर सकूँगा।

(२) "क्या आप इस कहावत को मानते हैं कि पारणाम से ही साधनों की उचितता समझी जाती है?"

मैंने इस कहावत को कभी भी नहीं माना है।

(३) "एक साल के पहले आपके बारे में यह कहा गया था कि आप सविनय भंग आरंभ करना चाहते थे और एक महत्वाकांक्षी आप उसका आरंभ कर लेंगे कि फिर कहीं कहीं अक्षान्त दंगे हो भी जायें तो भी आप उसको बन्द न करेंगे। जनता के लिए सम्पूर्ण अहिंसा का पालन करना असम्भव होने के कारण क्या आप कुछ अर्थों में हिंसा का भी जोखिम (उतना कम जितना कि आप से हो सकता है) उठा लेंगे और सविनय भंग का आरंभ करेंगे?"

एक साल पहले मैंने जा कहा था और आज भी फिर मैं दुबारा कहना चाहता हूँ यह यह है कि अब मैं जित्त किसी का कुछ भी आरंभ करना उसका आरंभ मुझे आशा है कि अब शर्तिया आरंभ न होगा लेकिन स्वतंत्र होगा और फिर उसमें जरा भी पीछे हटना न होगा। मैंने सविनय भंग को जब कभी रोक दिया है उस समय उसे सिर्फ किसी अक्षान्त दंगे के हो जाने के कारण ही नहीं रोक दिया है। मैंने इन बातों को आज लेने के बाद ही उसे रोक दिया है कि महात्मा के लोगों ने ही जिन्हें इस बारे में अधिक विचारशील होना चाहिए था, ऐसी प्रवृत्ति का आरंभ किया था और उसे उत्साहित किया था। किसी भी प्रकार की अक्षान्ति के कारण, जैसे कि गोपलाकांड के कारण, सविनय भंग एक नहीं सकता था। लेकिन चारीचारा के कारण उसे रोकना पड़ा क्योंकि महासमाजवादियों का उसमें हाथ था।

(४) "कलहते के दंगे में आपने सारा ही दोष हिन्दुओं पर मढ़ा था। लेकिन महासमाजवादियों के मण्डल ने का किसी हिन्दू संस्था ने आपकी राय के विरुद्ध उग्र किया था और हिन्दुओं को जोष देने में मुसलमानों का काफी दोष था यह साबित करने के लिए प्रमाण भी देकर दिये थे। आपने यह जवाब दिया था कि आपकी याद अपनी राय में भूल माफ होनी तो आप उसे आहिंसा और पर स्वीकार कर लेंगे। तो क्या अब आप अपनी पहले की राय को बदल कर उसे जाहिर करेंगे?"

मुझे अपनी पहली राय बदलने के लिए अबतक कोई कारण नहीं मिला है।

(५) "आप म्युनिसिपल्टी (को आज कल स्वराज एक के हाथों में है) के विरुद्ध अहिंसान्द पत्र को तो स्वीकार करने के लिए राजी हो गये, लेकिन आपने हिन्दू-सभा के अहिंसान्द पत्र को क्यों टाक दिया? आप हिन्दू हो कर भी हिन्दू जनता की प्रतिनिधि संस्था के प्रति ऐसा अनुचित नेह-भाव क्यों रख रहे हैं?"

मैंने लखनौ की हिन्दू-सभा के अहिंसान्द पत्र को टाक नहीं दिया है बल्कि मैंने तो उनसे यह कहा था कि जब मैं लखनौ कि मुलाकात को आऊँगा तब मैं उनके अहिंसान्द पत्र का खूबी से स्वाकार करूँगा। म्युनिसिपल्टी के स्वराज सभासद इसके बाद मुझे मिले और लखनौ हो कर मैं जा रहा था उस परमाण ही उनके अहिंसान्द पत्र को स्वीकार करने के लिए मुझसे आमह करने लगे। हिन्दू सभा भी बैसा ही कर सकती थी। उसमें टाक देने की तो कोई खान थी ही नहीं। मैंने तो सिर्फ नहीं हयाक किया था कि जब मैं लखनौ हो कर सिफ जा ही रहा था उस समय मे मुझे अहिंसान्द पत्र देना नहीं चाहेगा, खास कर के क्योंकि जब वे लखनौ में हिन्दू-भ्रमालियों के तमाजे के बारे में मुझसे खर्चा करना चाहते थे। सीतापुर में मैंने हिन्दू-सभा के अहिंसान्द पत्र का बड़ी खूबी से स्वीकार किया था।

(६) "अमीनाबाद पार्क के भारतीय-नैजाज के प्रश्न की तलवार एक साल से ज्वाबद अरसा हुआ कि लटक रही है। यदि दोनों एक आपके निर्णय को कुचल रखने का बचन दें तो क्या आप उस प्रश्न पर अपना निर्णय जाहिर करने की कृपा करेंगे?"

मैंने अपने संयुक्त प्रांत की पत्रा के वर्णन में इस मामले की चर्चा की है।

(७) "एक हिन्दू की हेतियत है इस मामले में आपकी क्या राय है?"

मुझे सब बातें माहम नहीं हैं इसलिए मैं कोई राय नहीं दे सकता हूँ। यदि मैंने पहले ही से अपनी राय कायम कर की होती तो मैं यदि दोनों एक मेरा निर्णय कुचल रखने के लिए राजी भी होते तब भी उनका पंच बनने के लिए कभी भी राजी नहीं हो सकता था।

(८) "माहर्म के विजो में जा ऐसे ही इतरे अवसरों पर मुसलमानों के बाजा बजाने का हिन्दू लोग तो कभी विरोध नहीं करते हैं। तो फिर हिन्दुओं के बाजों का मुसलमानों को क्यों विरोध करना चाहिए? क्या हिन्दुओं को हर उपाय से अपने धार्मिक हकों का रक्षण करने का हक नहीं है?"

इस प्रश्न में दो प्रश्न ऐसे हैं जिनका असल हाल मुझे माहम नहीं है। रहा सीधारा प्रश्न। हिन्दुओं को अपने धार्मिक हकों की हरक प्रकार के साधनों से नहीं, लेकिन प्रत्येक संयुक्त और मेरी राय में अहिंसात्मक साधनों से ही अमकी रक्षा करने का हक है।

(९) "पटना में दो भगाई गई लडकीयां आपके सामने खोई गई थीं। एक हिन्दू की हेतियत से सारे हिन्दुस्तान में उनके लडकीयां की मना के जाने की जो बड़ी फैल रही है उसके विरुद्ध आप हिन्दुओं को क्या करने की सलाह देंगे?"

मैंने रात सप्ताह में इस सवाल प्रश्न की चर्चा की है।

(१०) "क्या हिन्दुओं का, मुसलमानों के विरुद्ध कोई आत्म-मनात्मक कार्य करने के लिए नहीं लेकिन अपने धार्मिक हकों की रक्षा करने के लिए और लडकीयां की मना के जाने की चर्चा

+ इस पत्रा का वर्णन आभारों अंक में प्रकाशित किया जायेगा।



येही शक्तियों को पूरा करने के लिए और हिन्दू जाति की शारीरिक, सामाजिक, वैश्विक, और आर्थिक स्थिति के लिए उनका अपना संकल्प करना ठीक न होगा ?

उन्हीं यह संकल्प नहीं होता है कि कोई भी राष्ट्र-संघ प्रभु में किस प्रकार के संकल्प को प्राप्त करती गई है। वेही संकल्प का विरोध कर सकता है। वे ही अन्ततः उसका विरोध कर रहा है।

(११) "बौद्धिक लोकतन्त्र के आदर्शों द्वारा विहार विधानसभा का कार्य-सूची को एक संविधान देना था। यदि काका राजपतराय और पं. माधवीश्वरी किसी हिन्दू समाज को आदर्शों द्वारा कोई संविधान देना चाहें तो क्या आपको उन्हीं को ही आदर्श देनी ?"

बौद्धिक लोकतन्त्र ने मेरे द्वारा विहार विधानसभा का कार्य-सूची को कोई भी संकल्प नहीं देना है। यदि उन्हीं ने ऐसा किया भी होता तो भी यदि वह संकल्प आपत्तिका न होता तो मैं अन्ततः ही उनके संकल्पों को पढ़ना देता। यदि पं. माधवीश्वरी और काका राजपतराय मुझे ऐसा ही कोई काम सौंपे तो मैं उसे भी अन्ततः ही करूंगा।

(स. इ.)

माधवदास करमचंद गौधी

### बिहारयात्रा

५

मधुरी

यहाँ पर मधुरियों से, जिन्हें माधुर भी कहते हैं, मेरा परिचय हुआ। वे वैश्य जाति के हैं और यीशुवां हुई मधुरा और उसके आसपास के मुक्त से आ कर यहाँ बस गये हैं। वे मध्यम स्थिति के और सादसी हैं। उनका प्रमुख व्यवसाय व्यापार है। उनमें कुछ लोग तो बहर सुधारक भी हैं। उन्हींमें सादी को अपना लिया है और वे यह अच्छी तरह समझते हैं कि मरीचों की उत्पत्ति क्या साबवा होना। उन्हींने अपने अभिनन्दनपत्र में यह कहा था कि वे असहयोग की हलचल को कुछ आत्मसहिष्णु की हलचल समझते हैं और उसने उनके आंतरिक जीवन में कान्ति उत्पन्न कर दी है। वे राजनीति में कुछ भी भाग नहीं ले रहे हैं। लेकिन वे अपनी शक्ति में सब प्रकार के सुधार वाञ्छित करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। असहयोग की हलचल का इतने लोगों पर जो नैतिक अक्षर पड़ा है यहाँ उसका सबसे अधिक स्थायी परिणाम है। उसके साथ ही साथ ऐसे परिणाम भी लगे हुए हैं कि जिनका हमें ख्याल तक नहीं है। मुझे यह भी संवाद मिला है कि संघर्ष जाति में भी ऐसा ही सुधार हुआ है। बहुत से शराब के आदी अब शराब को छूते तक नहीं हैं। उनमें जो हलचल हो रही थी उसे अब पहला बन्द किया गया गया पढ़ना था। लेकिन अब उसकी हलचल फिर बल प्रवी है और ३९३१ की तरह उसके विज्ञात्मक हो जाने का संदेश भी नहीं रहा है। यदि संघर्ष की शराबखोरी से रक्षा की जायगी तो इनके जैसी सादी भीनी और अज्ञान जाति को हम बच होने से बच सकते हैं।

#### लोकल बोर्ड के समासदों का कार्य-सूची

गिरौधी की जो अभिनन्दन पत्र दिनें गये वे उनमें बड़ी विचारवत्तियों का वर्णन किया गया था। और नैकासा की तरह यहाँ भी बोधका समिति की तरफ से एक अभिनन्दन पत्र दिया गया था। लोकल बोर्ड की तरफ से जो अभिनन्दन पत्र दिया गया था उसमें उसकी प्रकृति के आधुनिकी रास्तों की बराबर हास्य का होना भी कहा गया था और उसका सबब उसकी कमी का होना बताया गया था। मैंने उसका उत्तर देते हुए वैश्विक उन्हें

यह कह दिया कि जब लोकल बोर्ड के समासद महासमासदी हैं तो सभी की कमी का होना रास्तों की बराबर हास्य में रखने का कोई कारण नहीं हो सकता है। रास्ते भी तो राष्ट्रीय धन हैं। महासमासदी राष्ट्र के सेवक हैं और लोकल बोर्ड में जाने से रास्तों की देखभाल करना जब उन्हीं के जिम्मे आ पड़ा है तो चाहे रुपये हों या न हों उनका तो यह फर्क है कि वे रास्तों को दुस्त रखें; वे हर एक अच्छी बात के लिए सरकार से नये ही मुक्त करें लेकिन उन्हें एकात्मक कार्य के प्रति धरा भी का-परवाही न दिखानी चाहिए। यदि वे अपने इस कार्य-भार को अच्छी तरह नहीं समझ सकते हैं तो उन्हें अपनी जगह का इतिहास दे देना चाहिए। सभी की कमी के कारण इतिहास दे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्वेच्छा से सिद्धत करने से भी यह कमी पूरी की जा सकती है। ऐसे बोर्डों के समासदों को चाहिए कि वे स्वयं कुवाली और काबला केकर, कमर बांध कर रास्तों पर कार्य करने के लिए निकल पडे और अपनी मदद के लिए स्वयंसेवकों को बुला लें। इससे प्रजा, उनको आशीर्वाद देगी, मूक हीरों का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होगा और नये अधिकारी भी उनकी इज्जत करेंगे। हर जगह म्युनिसिपलिटि का बहुत सा कार्य तो मेरा वह उसके समासद ही, अधिकार की क से नहीं किन्तु स्वेच्छा-पूर्वक की गई प्रजा की मदद से अपने आप करते हैं। स्वयंसेवकी भी कार्य-सूची के तन्त्राह पानेवाले नोकरों की मदद से ही नहीं बल्कि बर्मिगहाम-निवासियों की स्वेच्छापूर्वक की गई आर्थिक और दूसरे प्रकार की मदद के कारण ही बर्मिगहाम की मूर्तियों से और सूचरी समासदों से बचा हुआ स्तम्भ मगर बना सके थे। अपने नागरीकों से इच्छापूर्वक और आर्थिक मदद मिलने के कारण ही तो आसमों की म्युनिसिपलिटि बोर्ड ही दिनों में और अनुकरणीय रूप से प्लेग के आक्रमण की पूर कर सकी थी। यह तो मेरे अनुभव की बात है कि बौद्धिकबर्षी की म्युनिसिपलिटि में भी प्लेग के ऐसे ही आक्रमण को उसी प्रकार कुछ ही दिनों में नष्ट कर दिया था। प्लेग का समूह नाश करने के लिए उसने इस कार्य में सभी का कुछ भी हिस्सा न रखा था। उसने बाजार की जगह और मकानों को सब को बचा दिया और उसके दृढ नागरीकों ने अपनी धन सौकर सब इसमें लगा दी थी। मैंने अपने भोताओं से कहा कि यदि लोकल बोर्ड के पास काफी रुपया नहीं है तो उसके समासदों को महासमा के स्वयंसेवकों की मदद से रास्तों की स्वयं दुस्तरी करने के लिए जो मैं कहता हूँ, उसमें मैं उनको कोई बड़ा बहादुरी का काम करने को नहीं कह रहा हूँ। यदि हमने म्युनिसिपलिटि और लोकल बोर्डों पर कब्जा कर लिया है तो अधिकार की क से हमारे जिम्मे भी भी एकात्मक काम आवें उन्हें अच्छी तरह पूरा करने की हमारी शक्ति हमें देनी चाहिए।

#### गो-रक्षा

गिरौधी की बोधका समिति के अभिनन्दन पत्र में लिखा था की इसको दृढ इत्यादि से सालाना ६ ९-०० की आसदनी होती है और दृढ इत्यादि से ६ २-०० की आसदनी आसदनी होती है। इससे पाठकों को यह याद आनी कि नैकासा का सा दृढ यहाँ भी है। बातें तो बहुत होती हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। आदर्श बोधका अपने शहर को अपने ही पाके हुए बोरों का अच्छा और सस्ता दूध काफी परिमाण में पहुँचाती है और कसक लिये हुए बोरों के नहीं बल्कि बरे हुए बोरों के समवे से बने हुए कासे बकनेडाके जूते तैयार करके देती है। ऐसी बोधका शहर के सभी में था उसके आसपास कहीं नकरीक में

एक या दो एकड़ जमीन पर नहीं हो सकती है। लेकिन वह तो शहर से दूर जंगल में ५०-१०० एकड़ जमीन पर ही हो सकेगी। वहाँ डेरी और चमड़े का कारखाना भी होगा और वे पूर्ण व्यवसाय की दृष्टि से और उनकी राष्ट्रीयता का ख्याल रख कर चलाये जायेंगे। इससे व्याज और नफे का हिस्सा भी न बांटा जा सकेगा और कोई नुकसान भी न उठाना होगा। कुछ समय से बाद जब सारे हिन्दुस्तान में जगह जगह ऐसी गोशालाये बन जायेंगी तब वह समय हिन्दू-धर्म की सम्पूर्ण सफलता का समय होगा, और यह गोरक्षा अर्थात् चोपायों की रक्षा के संबन्ध में हिन्दुओं की सच्चाई का प्रमाण होगा। इससे हजारों आदिमियों को, शिक्षित मनुष्यों को भी प्रामाणिक रोजी मिलेगी; क्योंकि डेरी और चमड़े के काम में बड़े ही ऊँचे प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता है। डेरी संबन्धी उत्तमोत्तम अनुभवों के लिए हिन्दुस्तान ही आदर्श राज्य हो सकता है, डेन्मार्क नहीं। और हिन्दुस्तान को सालाना ९ करोड़ रुपये का मरे हुए डोरों का चमड़ा विदेशों को नहीं भेज देना चाहिए और कल किये हुए डोरों का चमड़ा उसे अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए; क्योंकि वह उसके लिए लज्जा की बात है। और यदि यह भारत के लिए लज्जा की बात है तो हिन्दुओं के लिए तो यह और भी अधिक लज्जा की बात है। मैं चाहता हूँ कि गिरीडीह के अभिनन्दन पत्र का उत्तर देते हुए मैंने जो कुछ कहा है उस पर सभी गोशाला समितियाँ ध्यान देंगी और वे अपनी गोशालाओं को सभी प्रकार की सुझाव और निकम्मी गौओं का आभरणधान, आदर्श डेरी और चमड़े के कारखानों में बदल देगी।

### कौन काते ?

गिरीडीह के अभिनन्दन पत्र में जो तीसरी दिक्कत बात कही गई थी वह है मजदूरों का न कातना। गिरीडीह में कुछ अमरख की खानें भी हैं। उन खानों में बहुत से मजदूर काम करते हैं। वे मजदूर लोग कातने से जितनी मजदूरी मिल सकती है उससे कहीं अधिक मजदूरी पाते हैं और इसलिए वे बिल्कुल ही नहीं कातते हैं। सब बात तो यह है कि उस अभिनन्दन पत्र में इसके लिए कोई क्षमा मांगने की आवश्यकता न थी। ए. ई. के पाठक यह जानते हैं कि मैंने यह कहा नहीं कहा कि वे लोग भी, जो किसी ऐसे व्यवसाय में लग हुए हैं जिससे कि उन्हें अच्छी आमदनी होती है, अपने व्यवसाय को छोड़ कर कातने ही को पसंद करें। मैंने तो बार बार यही कहा है कि उनसे ही कातने की आशा रखनी जा सकती है और वन्हीं से कातने के लिए कहना चाहिए जो किसी आमदनीवाले व्यवसाय में नहीं लगे हुए हैं, और वह भी उस समय जब उन्हें फुरसद हो। कताई की कल्पना का सारा आधार ही इस बात पर है कि इस देश में लाखों ली पुरुष ऐसे हैं जिन्हें गाल में कम से कम चार महीनें कुछ भी काम नहीं होता है और वे आलसी बने बैठे रहते हैं। इसलिए दाँ ही वर्ग के लोगों से कातने की आशा रखनी जा सकती है। एक तो वे हैं जो कताई की मजदूरी लेकर कातते हैं, और जिनका कि भे ऊपर बिक कर चुका हूँ। और दूसरे भारत के वे विचारशील लोग हैं जिन्हें त्याग भाव से उदाहरण पेश करने के लिए और खर्च को सस्ता करने के लिए कातना चाहिए। लेकिन यद्यपि मैं यह समझ सकता हूँ कि ये मजदूर लोग कातते क्यों नहीं हैं, फिर भी मैं यह नहीं समझ सकता कि वे लोग खादी क्यों नहीं पहनते हैं। उस बड़ी सभा में एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो खादी न पहनने के लिए कोई कारण दिखा सकता हो। गिरीडीह अपना सूत धाप तैयार कर सकता है

और उससे बिना किसी कठिनाई के अपने लिए खादी भी तैयार कर सकता है। यदि वे यह नहीं चाहते हैं तो वे तैयार खादी प्राप्त कर सकते हैं और वह प्रमाण में कुछ सस्ती भी होगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उन अभिनन्दन पत्रों में खादी और चरने के सम्बन्ध में यद्यपि उन्होंने अपनी त्रुटियों का स्वीकार किया था फिर भी मुझे डर है कि उनकी यह स्वीकृति निकट भविष्य में कोई सुधार करने की इच्छा से नहीं की गई थी। वह तो आजकी ही हालत कायम रखने के लिए केवल छान्त्वना रूप थी। अपनी त्रुटियों का स्वीकार तभी उपयोगी हो सकता है जब कि उसका स्वीकार कर लेने के बाद उससे दूर रहने का विचार दृढ़ हो। यदि उसका उपयोग किसी सुधार के विरुद्ध अपने को कठोर बनाना है तो उससे कुछ भी लाभ न होगा। इतना ही नहीं वह हानिकर भी है। मुझे आशा है कि मुझे दिये गये अभिनन्दन पत्रों में उनका अपनी त्रुटियों का स्वीकार करना उनमें एक मिथित सुधार का कारण बन जायगा।

### राष्ट्रीय शाला

गिरीडीह से हम लॉग माधुपुर गये। वहाँ एक छोटे से सुंदर नये टाउन हाल को खूब रखने का किया करने को मुझसे कहा गया था। मैंने उस किया को करने हुए और म्युनिसिपल्टी को उसका अपना मकान तैयार हो जाने पर मुबारकबादी देते हुए यह आशा व्यक्त की कि वह म्युनिसिपल्टी माधुपुर को उसकी आबादा और उसके आसपास के कुदरती दृश्यों के अनुकूल एक बहुत ही सुन्दर जगह बना देगी। बगई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों की पुनर्चना करने में बड़ी ही मुश्किलें पेश आती हैं। लेकिन माधुपुर जैसी छोटी जगहों में यद्यपि म्युनिसिपल्टी की आमदनी बहुत ही थोड़ी होती है फिर भी उन्हें अपनी अपनी हदों को साफ सुरा और रोमरहित रखने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। मैंने माधुपुर की राष्ट्रीय शाला की भी मुलाकात की। इक मास्टर ने अपने अभिनन्दन पत्र में उसके भविष्य का बड़ा ही उत्साहजनक चित्र खींचा था। उसमें लड़कों का हाँवरी घट रही है और लोगों की तरफ से अधिक सहानुभूति भी कम की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मा-बापों ने अपने बच्चों को निकर इसलिए उठा लिया है क्योंकि शाला में हाथ कताई का विषय अनिर्धार्य कर दिया गया है। उस अभिनन्दन पत्र में इन मुद्दों में से बाहर निकलने लिए मुझ से मार्ग पूछा गया था। मैंने उनसे कहा कि यदि शिक्षकों को अपने कार्य में श्रद्धा है तो उन्हें निराश न होना चाहिए। सभी नयी संस्थाओं को भले बुरे दिन देखने पड़ते हैं और यह स्वाभाविक ही है। उनकी ये कठिनाइयाँ उनकी परीक्षा का समय है। वही विश्वास दृढ़ विश्वास कहा जा सकता है जो एक लूकान का सामना करने पर भी स्थिर बना रहता है। यदि शिक्षकों को यह संपूर्ण विश्वास है कि उनकी शाला के जर्म उनके आसपास के लोगों को उन्हें अपना संदेश सुनाना है तो उन्हें बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। फिर यदि उनको इस बात का यकीन हो जाय कि उन्होंने अपनी शाला के लिए सब कुछ कर लिया है और उनकी त्रुटियों के कारण मा-बाप और लड़के शाला से अलग नहीं हो गये हैं किन्तु यह गिद्धागत ही जिसके लिए वे प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें ठीक नहीं जब रहा है तो फिर चाहे उनकी शाला में एक लड़का हो या १०० लड़के हों वे उसकी कुछ भी परवाह न करें। यदि उन्हें कताई में श्रद्धा है तो इस कारण से यदि मा-बाप अपने बच्चों को शाला से निकाल भी लें तो भी वे सब पर कुछ भी ध्यान न देंगे। और यदि उन्होंने कताई को निकर इसलिए

रक्खा है क्योंकि वह एक रिवाज हो गया है या महात्मन के प्रस्ताव में उसका होना आवश्यक बतलाया गया है, और इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें उसमें भ्रष्टा है तो उन्हें लोगों का सम्मान कायम रखने के लिए कृताई को निष्काश देने में जरा भी न हिच-किचाना चाहिए। वह समय अब आ गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक गण अपने आप ही अपनी परसंज्ञी का निवृत्त कर लें। क्योंकि नये सुधार वाञ्छित करने पर उनका विरोध करनेवाले कुछ लोग भी आवश्यक ही निवृत्त पड़ते हैं और शिक्षक जिन्हें अपने में और अपने उद्देश में भ्रष्टा है वे ही जिन सुधारों को वे आवश्यक समझते हैं उनके विरोध का सामना कर सकते हैं और शायद यही उनके नये साहम को उचित प्रमाणित करता है।

**फुटकर बातें**

माधुपुर से हमलोग पुरनिया जिले की ओर रवाना हुए। उसके आसपास ११ इंच जिल्कुल ही नया था और वह जिला भी नया था। क्योंकि पुरनिया जिला गंगा के उत्तर किनारे पर उत्तर-पूर्व की ओर है। सारा ही जिला हिमालय की तराई है। यहाँ की आबतवा और यहाँ के लोग करीब करीब सम्पारन की आबतवा और लोगों के समान है। हम लोग सक्कीगली घाट से मनियारी घाट गये। यह करीब दो घण्टे का सफर था। हमलोग नवव मनियारी पहुँचे। यहाँ के लोगों ने नेपाल-भारत फेड के लिए एक बस भेज थी। हमलोग देल्हाली में बैठ कर मनियारी से घंटौड़ तक बन पहुँच। यहाँ गुणाधिक मामूल सांख्यिक समान की गई थी। दूसरे दिन हमलोग विशानगंज पहुँचे। यहाँ भी समाने हुए थी और खेती जेठ की गई थी। विशानगंज में मारवाडियों की लाली आबादी है। उन्होंने अच्छा खेती इच्छा किया था। यहाँ एक शिक्षक ने मारवा सुभते यह शिक्षावत की कि यद्यपि वे खेती पढ़ाने को रात्री हैं और तैयार भी हैं लेकिन विशानगंज में खेती मिलती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कपड़े का सारा ही स्वयंभार मारवाडी लोगों के हाथों में है और वे सिर्फ विदेशी कपड़ा ही बेचते हैं क्योंकि उन्होंने उनसे कहा था कि उसमें उन्हें बहुत फायदा होता है। मैंने उस मंडल के शिष्ट लोगों से कहा कि वे मारवाडियों को बड़ी खुशी से इसके लिए कटुंग लेकिन उनका बहाना बल नहीं सकता है। क्योंकि यदि विशानगंज में खेती की बहुत भाग है तो वे खुद यहाँ पर एक सहयोगी भंडार खोल सकते हैं। हम मारवाडी व्यापारियों पर जो कि विशानगंज के व्यापार के लिए आये हैं, दोष लगाने से कुछ लाभ न होगा। क्योंकि भाप जैसे लोगों का ही बिन्दु खेती पर भ्रष्टा है, वह फर्म है कि खेती का राज डाले, उसका समर्थ करने के लिए कुछ तकनीक उद्योगों और फिर मारवाडियों को भी बड़ी मालखाने लिए कहें। लेकिन वे यह करने के लिए तैयार न थे। मैंने उनसे यह भी कहा कि यदि एक मिक्कर खेती की बिक्री का वे मुझे पकीन दिला सकते हैं तो मैं भी राजेन्द्रबाबू को विशानगंज में एक खेती मंडार खोलने के लिए भी कहूँगा। लेकिन यह जांचिम उद्योगों के लिए भी वे तैयार न थे। मैंने फिर बड़े बड़े मारवाडी व्यापारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कुछ मारवाडियों ने कुछ अर्थों के लिए कुछ खेती भी अपने यहाँ रखी थी लेकिन उसको कुछ अच्छी मिली न होती थी। उन्होंने हम बात का स्वीकार किया कि उन्होंने खेती को जनता के सामने बार बार रख कर उसे लोकप्रिय बनाने कोई प्रयत्न नहीं किया था।

**गौळभाळ**

हमलोग विशानगंज से धरिया बसे और धरिया से फारबस-गंज पहुँचे। यह बिहार की उत्तर-पूर्व की सीमा है और यहाँ से नेपाल की दूरी शुरू होती है। मुझसे यह कहा गया था कि जब

आकाश बस स्वच्छ होता है यहाँ से हिमालय की बरफ से ढकी हुई कतारें भी दिखाई देती हैं। हम लोग फारबसगंज पहुँचे इसके पहले मुझे यह इच्छा हुई थी कि मैं राजेन्द्रबाबू और उनके साथ काम करनेवाले कार्यकर्ताओं को लोगों पर अच्छा अधिकार प्राप्त करने के लिए सुधारिकवादी हूँ, क्योंकि लोगों की बड़ी भीड़ होने पर भी उनमें व्यवस्था थी, वे शोरोगुल न मचाते थे, और मेरे पैरों को न छुने में उन्होंने समय का परिचय दिया था। लेकिन फारबसगंज में मेरा यह भ्रम दूर हो गया। यहाँ व्यवस्था कुछ भी न रही। भीड़ बहुत ही अधिक थी। बड़े सस्त ताप में समा रक्की गई थी। लोगों के सिर पर कोई छाया न थी और वे सुबह से राह देखते बैठे हुए थे। गुलामपाटा बहुत हो रहा था। मेरे लिए जरा भी शान्ति पाना असंभव हो गया था। और स्वयंसेवकगण ऐसी भारी भीड़ को मेरे पास आने से और मुझे छुने से रोकने में असमर्थ थे। सब जान तो यह थी कि पहले यहाँ कुछ अधिक कार्य हुआ ही न था। स्वयंसेवक अपने काम के लिए जिल्कुल ही नये थे। उन्होंने अपने अरसक बड़ी कोशिश की। उसमें दोष किसी का भी न था। उनके लिए तो यह नयी बात और नया अनुभव था। और लोग तो मेरे नजदीक आकर मुझे छुने के इच्छाओं को जिसे वे अपूर्व मानते थे, खोजना नहीं चाहते थे। यह प्रेमयुक्त बहस है लेकिन मुझे यह बहुत ही तकलीफ देता है। मैंने उनसे खादी, चरखा, शरणाखोरी, जुगार इत्यादि के संबंध में बहुत कुछ बातें कहीं। लेकिन मुझे भय है कि उसमें से वे कुछ भी न समझ सकें होंगे। ईश्वर की लीला विचित्र है। हजारों लोग उस व्यक्ति के प्रति उम चोख के प्रति, अपने आप जीवें बचे जाते हैं जिसका कि उन्हें नाम मात्र ज्ञान है। मैं यह नहीं जानता कि मेरे जैसे एक अजनबी को देख कर उन्हें कुछ लाभ हुआ होगा या नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि मैंने फारबस गंज जाने में अपने समय का सदुपयोग किया या ना। उपपयोग। यदि हम ईश्वर और मनुष्यों की सेवा के लिए ही सब कुछ करते हों और जिसे हम बुरा समझते हैं उसे न करते हों तो फिर शायद यह अच्छा ही है कि हम अपने कार्यों के परिणामों को जान नहीं सकते हैं।

**उपसंहार**

फारबसगंज से हम लोग विशानपुर की ओर गये। विशानपुर पुरनिया से २५ मील दूर है। और क्योंकि यहाँ पका रास्ता नहीं है मोटर में बैठ कर जाने में जग तकलीफ होती है। इस गांव में एक बड़ी समा हुई थी। और इस छोटे से गांव में जो देखने लाइन से दूर है सांख्यिक कामों में लोगों का ऐसा उत्साह देख कर मुझे बड़ा ताकतुब हुआ था। लोगों ने स्मारक के लिए अच्छा खेती दिया था। इस समा की सबसे नयी बात तो यह थी कि समा के लिए एक स्थायी मंच तैयार किया गया था। वह करीब १५ फीट ऊँचा था और ईंटों का पक्का बना हुआ था। उसके नीचे के हिस्से में खेतीमंडार रक्खा गया है। उसकी सामी ही कल्पना में उपयोगिता के साथ सुन्दरता का मिश्रण किया गया है। इस गांव में सबसे अधिक आह्लादप्रद वस्तु तो उसका पुस्तकालय और वाचनालय है। मुझे ही उसे खुला रखने की किया करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पुस्तकालय के खारी और खुला हुआ विशाल बाड़ा है और उसमें संग्रहसर की बेंचें पकी रहती हैं। यह पुस्तकालय चौधरी लालचंद जी की स्वयंसेवकी प्रतिभा का स्मारक है। विशानपुर जैसी जगह में ऐसा स्मारक खोलने का विचार किया गया इसीसे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ लोगों को राजनीतिक शिक्षा सही सही और









पर उसकी जो कसौटियाँ ध्यान की गई हैं उनमें वे ठीक ठीक उतर सकेंगे। उस समय विद्यार्थियों के काम की रोजाना जाँच की जावेगी, जैसे दूसरे विषयों में उनको दिया हुआ सबक जाँचा जाता है और जो जाँचा ही जाना चाहिए। और जब तक सभी शिक्षक इस कला को उसकी बारीकियों के साथ सीख नहीं लेते हैं ऐसा होना संभव नहीं है। कताई में कुशल व्यक्ति को नौकर रखना रुपयों का दुरुपयोग करना है। यदि कताई अच्छी तरह सिखानी हो तो हर एक शिक्षक को कताई में कुशलता मपादन करनी होगी। यदि शिक्षक को कताई की आवश्यकता के बारे में पूरी पूरी श्रद्धा है तो वह रोजाना दो घण्टे मिहनत करने से एक महीने में ही उसे सीख लेगा। लेकिन ऐसा कि मैंने पहले कहा है लड़के और लड़कियों को अपने घर में बैठ कर कातने के लिए चरखा भले ही सिखाया जाय किन्तु वर्ग में कातने के लिए तो तकली ही बड़ी उपयोगी और कम खर्च की चीज है। ५० लड़के रोजाना चरखे पर आधा घण्टा काते और हर एक १०० गज सूत तैयार करे इससे तो यही बेहतर है कि ५०० लड़के रोजाना एक नियत समय पर तकली कात कर हर एक २५ गज सूत तैयार करे। इस प्रकार तकली से रोजाना १२,५०० गज सूत तैयार होगा जब चरखे से सिर्फ ५००० गज सूत ही तैयार हो सकेगा।

( यं० इ० ) मोहनदास करमचंद गांधी

### मारवाडियों को

१९२१ में आपत्ति की जो बाढ़ आई, उसका केवल एकही प्रश्न पर-विषय पर ध्यान नहीं पड़ा है। वह प्रकृति ऐसी स्थापक थी कि उसका अपार सभी जातियों पर और सभी प्रश्यों-विषयों पर पड़ा है। यदि कोई सकसूयक यही मान लेते कि उन प्रकृति का रंग केवल छोटे ही दिनों के लिए था तो वह यह भले ही मानें। लेकिन समय बीतने पर सभी को यह यकीन हुए बिना न रहेगा कि उनकी यह मान्यता बिल्कुल ही गलत थी। उसका स्वल्प परिवर्तित हुआ भले ही मालूम हो लेकिन अन्ततः तो वह एक ही वस्तु है वह कभी मालूम हुए बिना न रहेगा। आगलपन में मारवाड़ी सम्मेलन के समक्ष देनेको व्याख्यान किया उसपर विचार करने हुए मुझे ये विचार सुझे हैं। मारवाड़ी समाज में समाज-सुधार के लिए अनेक प्रकार की हलचल हो रही है। यह अग्रवाल मारवाड़ियों का सम्मेलन था। जिस प्रकार गुजराम में कहीं कहीं महाजन लोग अत्यन्त प्रश्न के निमित्त बहिष्कार के शास्त्र का उपयोग करने हुए दिखाई देने के उसी प्रकार मारवाड़ी समाज में भी, महाजन लोग दूसरे ही प्रसंगों पर उसी शास्त्र का प्रयोग करने हुए दिखाई देने हैं।

विधवाविवाह, बालविवाह इत्यादि प्रश्यों का कम न धार्मिक प्रमाण में लगभग सारे ही हिन्दू समाज में संबंध है। इसलिए मारवाड़ी भाइयों को मैंने जो बाने कहीं थी उनका यद्यपि संग इधिया में मैं कुछ अंश में उल्लेख कर चुका हूँ फिर भी मैं यहाँ यहाँ कुछ विस्तृत रूप से लिखना चाहता हूँ। बहिष्कार का अर्थ अर्थवत्तः यदि उसका विचारपूर्वक उपयोग न किया जायगा तो यह शत्रु हिंसा ही का रूप धारण कर लेगा। और यदि यह रूप वह शत्रु धारण कर ले तो उसका परिणाम न्यून जाति का नशा होगा। इसलिए मैंने मारवाड़ी भाइयों को यही सलाह दी कि वे इस शास्त्र का उपयोग ही न करें। जबतक उनके महाजन ज्ञानी, स्वार्थीन और प्रेममय न बन जायें, उन्हें बहिष्कार का विचार भी न करना चाहिए। सुधारक लोग भले ही अपना मन्दार कागिदल करें। उससे जाति को क्या हानि होगी? जिसे सारा संसार अनीति मानता है उसके लिए यदि किसी को खया की जाय तो यह बात किसी के भी

समक्ष में आ सकती है। लेकिन एक व्यक्ति जो धर्म समझ कर अंगरज को छूता है, दूसरा जो धर्म समझ कर पुस्त उन्न की होने पर ही अपनी लड़की की शादी करने को तैयार है, तीसरा जो बालविधवा की शादी करना चाहता है और चौथा कि जो अपनी ही जाति की छोटी छोटी जातों में से किसी भी एक जाति में अपने लड़के की शादी करना चाहता है, उसका बहिष्कार किसलिए किया जाय? उनका बहिष्कार करने से तो किसी भी प्रकार का सुधार न हो सकेगा और धर्म, जाति और वेद की उन्नति तक जायगी। मुझे यह निश्चय हो चुका है कि बहिष्कार का ऐसा दुरुपयोग कभी भी न किया जाना चाहिए। ज्यों ज्यों मैं अधिकाधिक प्रास्तों में सफर कर रहा हूँ, त्यों त्यों मुझे विधवाओं के दुःख की कथा, बालविधवाओं के कारण होनेवाली अनीति, छोटी उन्न के बर्णों का विवाह इत्यादि को सुन कर बड़ा कष्ट हो रहा है। ऐसे हिन्दू-समाज की संतति यदि नीचेहीन हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? महाजन लोग यदि अपना धर्म समझने लगे और अपनी मर्यादा का उन्हें ज्ञान हो जाय तो वे ही इस प्रकार के सामाजिक छेड़ को दूर करने के लिए सुधारकों को प्रोत्साहन देंगे।

सम्मेलन में समाज-सुधार के विषय पर मैंने जैसा विवेचन किया वैसा ही विवेचन मैंने गोरक्षा पर भी किया। दिनप्रतिदिन ज्यों ज्यों मुझे गोशालाओं का अधिक अनुभव हो रहा है त्यों त्यों यह ध्यान मुझे स्पष्ट मालूम होनी जाती है कि जनता के लिए उसका जैसा चाहिए वैसा उपयोग नहीं हो रहा है। ९ करोड़ रुपये का मरे हुए लोगों का शवदा बर्णनी नष्टा जाता है और इस लोग कलक लिए गये लोगों के शवदे से बने जूते पहनते हैं और यह मानते हैं कि अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं; यह कहीं दुःख की बात है? हिन्दुस्तान में बहुतेरी गोशालाएँ तो मारवाड़ी भाइयों के हाथों में हैं। गोरक्षा के नाम पर वे अधिक से अधिक धान करते हुए मालूम होते हैं लेकिन उन्हें यह ज्ञान नहीं कि उन धान का उपयोग क्यों कर किया जाय। इसलिए गाय बलों की कलक घटने से बचाव यह रही है। जानवरों को एक किस्म का क्षय लागू हो रहा है। यह प्रकृति ही है और उसकी अकसूरि भी बंद नहीं है। यह कितना अश्रेय है? मारवाड़ी भाई सारे इलाकह में तो कभी एसी कलक नहीं करते हैं। गोशालाओं के स्वयं से धान दे कर ये गमे उदासीन क्यों बने रहते हैं? क्या धर्म के काम में कार्यकालना और इतवार बहिष्कार की आवश्यकता नहीं है? कलक किये गए लोगों के शवदे का उपयोग क्यों करना नहीं के प्रायों की बात है। मरे हुए लोगों के शवदे के उपयोग को केवल प्रयोग करने की बृद्धि से ही अपने हाथ में कर लेना उनका धर्म है। आज धर्म के नाम से या केवल बहम के कारण गोशालाओं में मर जानेवाले लोगों के शवदे का इस उपयोग नहीं करते हैं और उनको कलक करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्योंकि सारा जानवरों के शवदे को इस इस्तेमाल ही से न लाते होने तो यह बात इसरी ही थी। लेकिन कोई भी हिन्दू उसका ऐसा धर्म नहीं कर रहा है। यही नहीं किम प्रकार कि इस लोग नाम की पूजा करने पर भी उसके रूप को पवित्र मानते हैं और उसका उपयोग करने के लिए लोगों को उत्साहित करते हैं जमी तरह हिन्दू धर्म में शवदे का भी बिना किसी कलाबट के उपयोग किया जा सकता है। मैं इस विषय पर तत्पर रह कर विचार कर सकता हूँ क्योंकि मैं गाय भेड़ के शव को शतक ही अपने उपयोग में नहीं लाता हूँ और शवदे का भी, जमा भी हो सके, बहुत ही बोधा उपयोग करता हूँ। अनुभव से मैं यह

देख सका हूँ कि यदि हम लोग गान्य भेष इत्यादि की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें उनके रूप का, लम्बे का और उनके उत्पन्न होनेवाली भाषा का संपूर्ण उपयोग करना होगा। ऐसा समय भले ही आवे कि जब हम रूप का भी इस्तेमाल न करके हों। लेकिन जब ऐसा समय आवेगा तब हम बोधाकार्य रखना भी बन्द कर देंगे और अनेक प्रकार के जानवर, जिनको हम पालते नहीं हैं उनकी कुदरत जिस प्रकार अपने विषयों के अनुसार रक्षा करती है उसी प्रकार वह गान्य भेषों की भी रक्षा करेगी। आज तो मैं गोरक्षा में, पके हुए और पालने के उपयोगी जानवरों की रक्षा का ही तत्त्व देख रहा हूँ। और आज गोरक्षा का अर्थ भी इतना ही हो सकता है कि बुराक के लिए या मनोरंजन के लिए गौशो की कत्ल नहीं करनी चाहिए और जबतक वे जिन्दा रहें, जिस प्रकार हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं उनके शरीर की रक्षा करनी चाहिए। इस मतलब को सिद्ध करने के लिए उनके घर जाने के बाद यदि उनके चमड़े का हम उपयोग न करेंगे तो उनकी कत्ल दिन ब दिन बढ़ती ही आवेगी। इसीलिए मैं गोशेख मातृभाषी भाइयों से विनती करता हूँ कि वे अपने दान में भी अपनी बुद्धि और अपनी व्यापार-साधक का परिचय दें। उनके पास अपने अधिकार में जितनी गोशेख है उनका सबका यदि वे आदर्श बद्ध हों तो वे एक साल में ही लाखों गायों भेषों को बचा सकते हैं। और फिर कुछ समय के बाद वे किसी से भी प्रार्थना किये बिना जानवरों की कत्ल को बिल्कुल ही रोक दे सकते हैं। जिन्हें गोमांस खाना हराम नहीं है वे इस कथानक से कि हिन्दुओं के दिव्य को ब्रूट पशुचंगी गोमांस यदि खस्ता होगा तो उसे खाना कभी न छोड़ेंगे। खस्ता होने पर भी उसे छोड़ देने के लिए तो बड़े ऊँचे प्रकार के इत्य की आवश्यकता है। लेकिन वह तो धर्मभावना की बात हुई। यह भावना बल करने से या विनती करने से प्रकट नहीं होती है। इसलिए मैंने जो कुछ भी मारवाही भाइयों से कहा है वही दूसरे हिन्दू भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ। चमड़े के कारखाने का उपयोग करने की अभिच्छा दूर करना होगा इतना ही नहीं मैंने जो मर्यादा कही है उसके अंदर रह कर ऐसे कारखानों चलाना गोशेखों का एक अनिवार्य अंग है यही समझना होगा।

जिस प्रकार गोरक्षा मारवाही भाइयों का विषय है उसी प्रकार हिन्दी प्रचार को भी उन्होंने अपने दान का विषय बना लिया है। उसमें भी जितनी आवश्यकता रूपों की है उतनी ही आवश्यकता बुद्धि की भी है। हिन्दी प्रचार के कार्य को तीन हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है।

एक तो यह कि जहाँ हिन्दी मातृभाषा के तौर पर बोली जाती है वहाँ उसका विकास करना। और यह कार्य काश्च हिन्दी जाननेवालों का ही है। उसमें आजतक एक भी रवींद्रनाथ वेदा नहीं हुआ है इसका जो मुझे दुःख है उसे प्रकट कर के मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूँ।

दूसरा कार्य है जहाँ हिन्दी नहीं बोली जाती वहाँ उसका प्रचार करना। मैं यह जानता हूँ कि यह कार्य दक्षिण के प्रान्तों में मुख्यतः तौर पर चल रहा है। लेकिन यदि यह कहे कि बंगाल जैसे विशाल प्रान्त में इसके लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं हो रहा है तो यह बात गलत न होगी। वहाँ भी उत्तम हिन्दी जाननेवालों को रक्ष कर हिन्दी सिखाने के लिए निःशुल्क शाखाएं खोलनी चाहिए और दक्षिण के प्रान्तों की तरफ वहाँ भी बंगाली से हिन्दी सिखाने के लिए सीधी भाषा में पुस्तकें लिखनी चाहिए।

तीसरा कार्य है देवनागरी लिपि का प्रचार करना। यदि सब लोग अपनी लिपि के साथ साथ देवनागरी लिपि भी सीख लें तो हिन्दी को और दूरे जगहों की भाषाओं को जो अज्ञान में है ही

लिखनी हुई है, समझने में बड़ी आसानी होगी। इसके प्रचार लिए सब से सरल मार्ग यही है कि बंगाली साहित्य के उतमोत्तम ग्रंथों को उनके साथ हिन्दी अनुवाद और शब्दकोशों के जोड़ कर देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया जाय। इस कार्य का मार मारवाही, गुजराती या दूसरे बनी लोग या विद्वान लोग उठा लें तो बड़े दिनों में ही बड़ा अच्छा कार्य किया जा सकता है।

(सं० ६०) **मोहनदास करमचंद गांधी**  
लोहानी कहाँ है ?

लोहानी का जब पता न चला और आखिर मैं निराश हो गया तब मुझे जिसकी तरफ से कुछ भी आशा न थी ऐसे ही एक स्थान से इसमें मदद मिली है और अब वर्तमान पत्रों के अवतरणों के रूप में उससे संबंध रखने वाली सब बातें मेरे सामने मौजूद हैं। मैं देखता हूँ कि इन अवतरणों का आचार बंग इंडिया में पहले पढ़क लोहानी के संबंध में लिखी मेरी टीप्पणी है। इन वर्तमान पत्र के संवाद दाताओं ने माखम होता है कि यह समझ लिया था कि मैं उनके लिखे हुए लेखों को पढ़ूँगा। माखम होता है कि वे इस बात को नहीं जानते हैं कि बंग इंडिया या नवजीवन के परिवर्तन में जितने पत्र आते हैं उन सब को पढ़ने का मुझे समय नहीं होता है। मैंने कई बार यह प्रार्थना की है और आज फिर वही प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग वर्तमान पत्रों में लेख लिख कर मुझे कुछ संवाद देना चाहते हैं, मेरी भूल सुधारना चाहते हैं या मुझे सलाह देना चाहते हैं वे उसमें से उस भाग को काट कर मेरे पास अवश्य भेज दें। अपने एक संवादपत्र में लेखक मुझे लोहानी कहाँ है यह नहीं माखम होने के कारण बड़ा आश्चर्य प्रकट करते हैं। इसके लिए रंज तो मुझे भी है लेकिन उन्हें आश्चर्य क्यों है? मैंने इसके पहले ही इस बात का स्वीकार कर लिया है कि मुझे अपने देश का भूगोल का बराबर ज्ञान नहीं है। जब मैं गुजराती शाखा में पढ़ता था तब हिन्दुस्तान की भूगोल से मेरा कुछ बौ ही परिचय कराया गया था और उग्रीही मैं अंग्रेजी पढ़ने लगा कि पहले ही दर्जे में मुझे बंग का हर दिशा कर बिलायत के प्रान्तों के नाम और दूसरे विदेशी नाम रटने को कहा गया। उनका उच्चारण करने में और उन्हें याद रखने में मेरा सिर दर्द करने लगता था। किसी ने भी मुझे यह नहीं सिखाया कि लोहानी कहाँ है। मुझे बकीन है कि मेरे अध्यापक भी यह नहीं जानते थे। मैं पंजाब जाने के पहले भीवानी को भी जिसके कि नजदीक लोहानी है नहीं जानता था। मेरे पास जो वर्तमान पत्रों के अवतरण हैं उस पुर से यह माखम होता है कि लोहानी हिन्दुओं का एक छोटा सा गाँव है। उस पर से यह भी पता चलता है कि लोहानी के हिन्दू जमींदारों ने मुसलमानों को वहाँ बुलाये थे। अब हिन्दू और मुसलमान जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। मुसलमानों दावा है कि वह भूमि उनके लिए पवित्र है और हिन्दुओं का दावा है कि वह जमीन इमेशा से उन्हाँ के अधिकार में रही है। यह मामला अभी अदालत में पेश है। और मुझे उसे वही छोड़ देना चाहिए। वर्तमान पत्र में लेख लिखने वाले वे महाशय मुझे इस मामले की जांच करने के लिए और उस पर अपनी राय आहिर करने लिए निमंत्रण देते हैं। यदि मुझे यह अधिकार होता, मैं मानता हूँ कि एक समय मुझे यह अधिकार था, तो मैं अवश्य ही इस मामले की जांच करता और इस मामले को अदालत में जाने से रोकता। लेकिन अब तो मुझे वही स्वीकार करना होगा कि मैं इसकी जांच करने के लिए असमर्थ हूँ। फिर भी मैं दोनों पक्षों को वही सलाह दूँगा कि वे उन लोगों के पास जायँ जिन पर कि उन्हें विश्वास हो और उन्हें इसमें पढ़ने के लिए प्रार्थना करें।

(सं० ६०) **मोहनदास करमचंद गांधी**

## हिन्दी-नवजावन

धुलवार, कलकत्ता सुदी ५, संवत् १९८२

### शाश्वत समस्या

हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न को मैं चाहे कितना भी टाल देना क्यों न चाहूँ वह प्रश्न तो मुझे छोड़ता ही नहीं है। सुसलमान मित्र इसका निबटारा करने के लिए मुझसे आग्रह कर रहे हैं और हिन्दू मित्र इस प्रश्न को लेकर मुझसे बहस करना चाहते हैं। कुछ तो यह भी कहते हैं कि मैंने वायू को संचारित किया है तो अब मुझे एफान का भी सामना करना चाहिए। जब मैं कलकत्ते में था उस समय एक बिहारी मित्र ने मुझे गुल्से में और रंज में आकर एक पत्र लिखा था और उसमें हिन्दू लड़कों को और खास कर लड़कियों को भगा ले जाने की कहानी बयान की थी। मैंने उन्हें तो टका सा जवाब दे दिया और कहा कि मुझे उनकी उस कहानी में विश्वास नहीं है और यदि उनके पास उसके सबूत हों तो वे मेरे; मैं बड़ी खुशी से उनकी जांच करूँगा और यदि मुझे बकील हो गया तो चाहें मैं और कुछ न कर सकूँ तो भी मैं उसकी निंदा अवश्य ही करूँगा। उसके बाद उन्होंने वर्तमान पत्रों में से काट काट कर भगा ले जाने के मामलों के दिल् इकलाने वाले वर्णन मेरे पास भेजे हैं। मैंने उन्हें लिख दिया है कि वर्तमान पत्रों के वर्णनों को ज़ुर्म का भुवूत नहीं माना जा सकता है। ऐसे बहुत से मामलों में वर्तमान पत्र तो ज्यादातर भटकाने वाले, गुमराह करने वाले झूठे होते हैं। हिन्दू और मुसलमानों के ऐसे कुछ पत्र ह जो एक दूसरों का बुरा कहने का ही काम करते हैं। मुझे तो इसके काफी सतर्पजनक प्रमाण मिले हैं कि उनकी बहुत सी बातें यदि झूठ नहीं होती हैं तो बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण अवश्य होती हैं। इसलिए मैंने उसके ऐसे ही अकाट्य प्रमाण मांगे जो किसी भी अदालत में स्वीकार किये जा सकते हैं। टीटागढ़ का मामला सबसुच ऐसा ही है। मुसलमान एक लड़की को भगा ले गये हैं। यह कहा जाता है कि उसने इस्लाम का स्वीकार कर लिया है। और अदालत का हुकम हा गया है फिर भी अभी तक जहाँ तक मुझे खयाल है वह वापिस नहीं लाई गई है। और उसमें विशेषता तो यह है कि लड़की को वापिस न लाने में बड़े बड़े इज्जतवालों का भी हाथ है। जिस वक्त मैं टीटागढ़ में था इस लड़की के बारे में किसी ने भी अपने ऊपर उसकी अवाधदही होना स्वीकार नहीं किया। पटना में भी मुझे कुछ ऐसी ही बाँका देने वाली खबरें मिली थीं। उनके सुबूत भी मेरे सामने पेश किये गये थे। इस समय मैं उसमें अधिक गहरा नहीं उतरना चाहता हूँ क्योंकि उसकी तयाम बातें मेरे सामने पेश नहीं की गई हैं। ऐसे मामलों को मुन कर सभी को विचार करना पड़ता है और देशहितधियों को, सबको उसपर ध्यान देना परम आवश्यक है।

अब मस्जिदों के सामने बाजा बजाने का मवाल रहा। मैंने यह सुना है कि मुसलमानों की यह माँग है कि मस्जिदों के सामने किसी भी समय, धीरे या जोर से कैसा भी बाजा न बजाया जाय। उनकी यह भी एक माँग है कि मस्जिदों के पास जो मन्दिर हों उनमें नमाज के वक्त पर आरती भी बन्द कर देनी चाहिए। मैंने यह भी सुना है कि कलकत्ते में प्रातःकाल के समय कुछ लड़के रामनाम रटते हुए मस्जिद के पास से जा रहे थे, उन्हें रोका गया था।

तो अब किया क्या जाय? ऐसे मामलों में अदालतों पर आधार रखना सदे बाँध पर आधार रखने के बराबर है। यदि मैं अपनी लड़की को भगा ले जाने हूँ और फिर अदालत में जाऊँ तो अदालत मुझे क्या मदद करेगी, कैसे मदद करेगी? वह तो खुद ही लाचार हो जायगी। और यदि मेजिस्ट्रेट मेरी कायरता को देख कर मुझ पर नाराज हो जाय तो वह मुझे घृणा के साथ जिसके कि मैं लायक हूँगा अपने सामने से हट जाने से ही कहेगा। अदालत साधारण जुर्मों का ही न्याय करती है। लड़कों को और लड़कियों को आम तौर पर भगा ले जाने का जुर्म साधारण जुर्म नहीं है। ऐसे मामलों में तो लोगों को अपने ही ऊपर आधार रखना चाहिए। अदालत तो उन्हींको मदद करती है जो लोग कि अकसर अपने आप अपनी मदद कर सकते हैं। हमें अदालत की तरफ से को रक्षा होती है वह सिर्फ सहायक होती है। जबतक मनुष्य निर्धल बने रहेंगे तबतक उनकी निर्धलता से लाभ उठानेवाले भी कोई न कोई अवश्य ही निकल पड़ेंगे। इसलिए अब आत्म-रक्षा के लिए अपना संगठन करना ही एक मात्र उपाय है। ऐसे मामलों में जिनका कि इससे संबंध है वे यदि शान्त प्रतिकार करने में असमर्थ हों तो वे अपनी रक्षा के लिए कैसे भी दिभात्मक साधनों को उपयोग क्यों न करें मैं उसे ठीक ही समझूँगा। अवश्य जहाँ गरीब और लाचार माबाप के लड़के और लड़कियाँ भगा दिये जाते हैं वहाँ बात बड़ी पेचीदा हो जाती है। वहाँ उन्का उपाय किसी एक व्यक्ति का ही नहीं इठना पड़ता है। लेकिन सारी जाति को ही, एक सारे वर्ग को ही उसका उपाय इक निकासना चाहिए। लेकिन आम जनता की राय का इसके लिए संगठित करने के पहले यह परम आवश्यक है कि लड़के लड़कियों को भगा ले जाने के मन्ब और प्रामाणिक मामलों को लोगों के सामने रखला जाय।

बाजों का मवाल तो बड़ा ही सीधा है। बाजा का लगातार बजाना, आरती धार रामनाम का रटना क्या सबसुच ही धार्मिक आवश्यकतायें हैं या नहीं? यदि वह धार्मिक आवश्यकता है तो अदालत का मनाई हुकम भी उसके लिए बचनकर्ता नहीं है। परिणाम चाहें कुछ भी क्यों न आवे बाजा बजाना ही चाहिए, आरती करनी ही चाहिए और रामनाम की धुन लगानी ही चाहिए। यदि मेरा आदिसा का धर्म स्वीकार रखला जाय तो मैं नम्र और विनीत निःशस्त्र स्त्रीपुरुषों का जिनके कि पास एक लाठी भी न हों एक जुद्धस निकालने की सलाह दूँगा। वे रामनाम को रटते जायेंगे और यदि यद्दो झगडे का विषय है तो वे मुसलमानों का धारा ही मुस्ता अपने सिर उठा लेंगे। यदि वे मेरे सूत्र का स्वीकार करना न चाहते हों तो भी उन्हें रामनाम की रट लगाते रहना चाहिए और अंत तक लड लेना चाहिए। परन्तु दंगा हो जाने के डर से या अदालत के हुकम से बाजा रोक देना अपने धर्म का ही इन्कार करना है।

लेकिन इस प्रश्न का दूसरा पहलू भी है। लगातार बाजा बजाना, और नमाज के वक्त मस्जिद के पास से जाते हुए भी हमेशा बाजा बजाना क्या वह धार्मिक आवश्यकता है? क्या रामनाम की रट लगाना भी ऐसी ही आवश्यक बन्दु है। आजकल सिर्फ मुसलमानों को विद्वानों के लिए ही बहुतसे जुद्धस निकालने का रिवाज हो गया है, नमाज के वक्त पर ही आरती की जाती है और रामनाम की धुन लगाई जाती है, और वह भी इसलिए नहीं, क्योंकि वह धार्मिक आवश्यकता है बल्कि इसलिए कि लड़के का अवसर प्राप्त हो; यह जो आक्षेप किया जाता है उसका क्या जवाब है? यदि ऐसा ही होता है, तो उससे तो



अपने ही मतलब को हानि पहुंचेगी और धार्मिक उत्साह न होने के कारण अदालत का हुकम, फौजी सिपाहियों का आना या हट्टी की बर्षा के कारण उस धार्मिक क्रिया का जरा में ही अंत हो जायगा।

इसलिए पहले यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि उसकी आवश्यकता है या नहीं। जरा सी भी उत्तेजना न दिखानी चाहिए। आपस में समझौता करने के लिए जरूरत कोशिश करनी चाहिए। और अहां समझौता होना संभव नहीं है वहां विपक्षियों का और उनके भावों का ख्याल करके हमें अदालत की मदद के बिना ही एक ऐसी हद बांध लेनी चाहिए कि उससे फिर हम किसी प्रकार से भी पीछे न हटें। अदालत का मनाई हुकम होने पर भी हमें उस हद पर काम्य रहने के लिए लड़ना चाहिए। कोई कभी भी मुझ पर यह दोष न लगाने कि मैं कमजोर बनने की सलाह देता हूँ या कमजोरी को उत्तेजना दे रहा हूँ या किसी से सिद्धान्त छोड़ देने के लिए कहता हूँ। लेकिन मैंने यह अवश्य कहा है और आज भी कहता हूँ कि हर एक छोटी मोटी बात को सिद्धान्त का रूप दे कर उसे बड़ा महत्व नहीं दे देना चाहिए।

( यं. इं. )

मोहनदास करमचंद गांधी

### बहिष्कार बनाम रचनात्मक कार्य

आगामी गंजाम जिला परिषद में हाजिर रहने के लिए मुझे एक बड़ा जहरी निमन्त्रण भेज कर एक आन्ध्र मित्र इस प्रकार लिखते हैं:—

“महासभा के रचनात्मक कार्यक्रम से संबंध रखनेवाला सबसे अच्छा नाम हीरामण्डलम के आसपास के गांधी में हुआ है। लोगों में से बहुतसे खादी पहनते हैं। शायद आप यह तो जानते ही हैं कि आन्ध्र देश को धारासभाओं के कार्य से प्रीति नहीं है। वह अपरिचितवादी दल में है। बहिष्कारों का छोड़ देने के कारण वह आपका कभी भी माफ नहीं कर सकता है। इसीलिए तो एक मात्र आशा रचनात्मक कार्य है। लोगों का दिल टूट रहा है और उनका उत्साह मंद हो गया है। हीरामण्डलम खादी की उत्पत्ति के लिए एक बड़ा भारी केन्द्र है। फिस्का महासभा समिति कितने ही प्रकार की खादी तैयार करती है, और इस मिले में उसकी एक बड़ी अच्छी दुकान भी है। वहां एक राष्ट्रीय शाल भी है। यह बच्चों का केन्द्र है और वे सब छाड़ीवाले हैं। लेकिन उससे क्या लाभ? स्वराज के लिए उनका उत्साह तो करीब करीब नष्ट हो गया है। बहिष्कारों के बिना लोगों को रचनात्मक कार्य में कुछ भी विश्वास नहीं है। उन्हें फिर से उत्साह दिलाने के लिए हमारे सब प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। मैंने अपने सभी दुन्यवी लाभों का त्याग दिया है, केवल भीखारी बन गया हूँ और फिर भी जहाँ आशा का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है वहाँ आशा रख कर स्वराज पाने के लिए कार्य कर रहा हूँ।”

मैंने उन्हें लिख दिया है कि गंजाम जिला परिषद में मैं कितना भी क्यों न जाऊँ मेरा हाजिर रहना केवल असम्भव है। मैं बड़ी सुविधाओं से, और मेरी दृष्टि में बहुत ही धीरे धीरे इस वर्ष की मुसाफरी के कार्यक्रम का बाकी बचा हुआ और बहुत ही जल्दी हिस्सा पूरा कर रहा हूँ। इस लगातार के सफर के बाद मैं फिर कुछ आराम करने की आशा रखूँगा। मुझे बड़ा ही रज है कि मुझे अपने आन्ध्र मित्रों को निराश करना पड़ा है। लेकिन मैंने मेरे धके हुए हाथ पैरों को आराम की जरूरत है इसका विज्ञापन करने के लिए उपरोक्त अवतरण को यहाँ प्रकाशित नहीं किया है; लेकिन मैंने उसे यहाँ इसलिए दिया है कि जिन विचारों के विषय के कारण केवल महासभा के बहिष्कारों को त्याग देने ही को रचनात्मक कार्य में लोगों का

उत्साह न्यून होने का कारण मानते हैं उस विषय को मैं दूर कर दूँ। पहली बात तो यह है कि यदि आंध्र देशनिवासियों को धारासभा से प्रेम नहीं है तो महासभा उन्हें उससे प्रेम करने को मजबूर नहीं करती है। वह तो सिर्फ उन लोगों को जिन्हें धारासभा में विश्वास है इस बात का अधिकार देती है कि वे महासभा के नाम से और उसकी तरफ से धारासभा का कार्य अपने ऊपर उठा लें। जिन्होंने अपने विश्वास के कारण नहीं किन्तु महासभा की अधिक के कारण धारासभा का कार्य छोड़ दिया था उनपर से उसने अब अपना मनाई हुकम वापिस खींच लिया है। धारासभा में जाने के कार्य की निंदा करने के लिए महासभा के नाम का उपयोग उसने रोक दिया है और जिन लोगों की ऐसे राजनीतिक कार्यों में भ्रष्टा है उन्हें वह कार्य बड़े उत्साह से करने के लिए उत्साहित किया है। महासभा अपने किसी भी समासद की अन्तरआत्मा को बांध नहीं लेती है। बाहरी मदद न मिलने पर जिनका उत्साह मंद पड़ जाता है उन्हें छुड़ अपने ही में बहुत कम विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा केवल यह भी भूल जाते हैं कि महासभा ने विदेशी कपड़े के बहिष्कार का त्याग नहीं किया है, बही नहीं वह तो जो उसको सफल कर दिखावेंगे उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए और उन्हें प्रमाणपत्र देने के लिए भी तैयार है। मैं यह प्रमाणपत्र पाने के लिए जरूरत कोशिश कर रहा हूँ और मैं मेरे इस प्रयत्न में धार्मिक होने के लिए हर एक को निमन्त्रण दे रहा हूँ। ऐसा बहिष्कार तो तभी सफल हो सकता है जब कि खादी इतनी लोकप्रिय हो जाय कि घर घर बही दिखाई पड़े। और इसीलिए बरखासंध की स्थापना हुई है। प्रत्येक बहिष्कार का एक रचनात्मक अंग भी होता है। यह संघ रचनात्मक कार्य में ही अपने सब प्रयत्न लगा देगा। खादी तैयार करने और पहनने के साथ दूसरे बहिष्कारों का जैसे उपाधि, शालाएं, अबाउरों इत्यादि के त्याग का क्या संबंध हो सकता है? इन बहिष्कारों की खूबी ही यह है कि वे स्वतंत्र हैं और अकेले रह सकते हैं। कोई व्यक्ति सभी बहिष्कारों का पालन करे या किसी भी एक बहिष्कार का पालन करे तो भी उसे लाभ तो होगा ही। और जब एक राष्ट्र में से काफी तादाद के लोग उनका पालन करने लगेंगे तो राष्ट्र स्वराज के लायक बन जायगा। अथभ्रष्टा और अंध प्रयत्न से स्थायी लाभ कुछ भी नहीं होता। इसलिए यह आवश्यक है कि हम यह समझ लें कि रचनात्मक कार्य में निरसंदेह बह शक्ति है जो हमें स्वराज्य के योग्य बनावेगी, इतना ही नहीं उसकी स्वतंत्र उपयोगिता भी कुछ कम नहीं है। केवल ने यह अच्छा ही किया है कि उन्होंने अपने दुन्यवी लाभों का त्याग कर दिया है और वे भीखारी बन गये हैं। लेकिन उन्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि वह त्याग ही स्वयं एक बड़ा भारी लाभ है, त्याग ही त्याग का फल है। राष्ट्र को स्वराज्य मिलने के पहले हजारों को उन्ही तरह त्यागी और भीखारी बनना पड़ेगा। जिसने स्वराज्य के लिए त्याग कर दिखाया है उसने छुड़ तो स्वराज्य पा ही लिया है। इसलिए उन्हें जहाँ आशा नहीं वहाँ आशा रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका त्याग स्नेच्छा से और बुद्धिपूर्वक है। उन्हें तो सब तरफ आशा ही आशा दिखानी चाहिए, निराशा तो उनके पास फटक भी नहीं सकती। दूसरों में भ्रष्टा पैदा करने के लिए पहले यही आवश्यक है कि हमारी भ्रष्टा स्वयं प्रकाशमय और बुद्धिपूर्वक हो। इसलिए जिन्हें १९२१ के खादी के और दूसरे कार्यक्रम में भ्रष्टा है उन्हें तो महासभा की नीति, राजनीति और कार्यक्रम में परिवर्तन हो तो भी अचल रह कर अपने काम में ही लगे रहना चाहिए। ( यं. इं. ) मोहनदास करमचंद गांधी

## बिहारयात्रा

३

### बहिष्कार की बिडंबना

फिर मुझे यहाँ के प्रान्तिक मारवादी सम्मेलन में हाजिर होना पड़ा था। वहाँ मैंने सामाजिक बहिष्कार, और समाजसुधार की आवश्यकता के प्रश्नों पर व्याख्यान दिया। मैंने मारवादी मित्रों से कहा कि बहिष्कार का हथियार न्याय-दृष्टि से सिर्फ उन्हीं लोगों के हाथ में होना चाहिए जो महाजन कहलाने के योग्य हैं। महाजन तो वेही कहे जा सकते हैं जो पवित्र हैं, अपनी जाति और वर्ग के सबसे प्रतिनिधि हैं और जो अपने व्यक्तिगत द्वेष और ईर्ष्या के कारण किसीका भी बहिष्कार नहीं करते हैं लेकिन अपने ज्ञातिबंधुओं के हित की रक्षा करने के लिए निःस्वार्थ हस्त से ही बहिष्कार की आज्ञा देते हैं। वे लोग जो विद्या संपादन करने के लिए या नीति से धन संपादन करने के लिए समुद्र-यात्रा करते हैं, या जो अपने लडके या लडकी के लिए योग्य घर या बधू प्राप्त करने के लिए अपनी छोटी सी जाती बाहर जाते हैं या अपनी छोटी उम्र की विधवा लडकी की फिर से शादी कर देते हैं, उनका बहिष्कार करना अनीति है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना है। वर्णाश्रम धर्म, जिसे हिन्दू समाज में योग्य और उपयोगी स्थान प्राप्त है उसकी रक्षा करने के लिए बड़ी तो योग्य समय है कि छोटी छोटी ज्ञाति सब एक कर दी जाय। उदाहरण के लिए मान लो कि यदि कोई मारवादी ब्राह्मण या वैश्य शादी करना चाहता है तो वह बंगाली ब्राह्मण या वैश्य के साथ वैवाहिक संबंध क्यों न जोड़े? महाजनों को सचमुच ही महान बनने के लिए इस प्रकार की एकता को उत्तेजना देनी चाहिए उन्हें उसे दबा न देना चाहिए।

यदि सचमुच ही आज कोई बहिष्कृत रहने के योग्य है तो वेही लोग हैं जो बचपन में ही अर्थात् १६ वर्ष की उम्र के पहले ही अपनी लडकीयों की शादी कर देते हैं। यदि गुप्त अनीति और स्पृहान का रोकना है तो मातापिताओं का यह फर्क है कि वे विधवा बालिकाओं के पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहन दें।

### वैजनाथ धाम के पण्डे

भागलपुर से हमलोग वांका पहुँचे। वहाँ जिला परिवद हुई थी। उसके प्रमुख मौलाना शर्मा साहब थे। यहाँ सिवा इसके कि एक बड़ी भीड़ थी और उसमें से मैं बड़ी मुश्किल से मेरे पों की संगती में एक जगह चोट खा कर बाहर निकल सका और उल्लेख योग्य बात कुछ भी न थी। वहाँ से हम देवगढ़ पहुँचे। उसे वैजनाथ धाम भी कहते हैं। यह केवल एक प्रसिद्ध यात्रा का स्थान ही नहीं है किन्तु चारों ओर पहाड़ियों से घिरि हुई एक सुन्दर जगह होने के कारण स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी अच्छी जगह है। बंगाली लोग तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं। मैंने यहाँ के पण्डों को देखा वे संस्कारी और सभ्य थे। यात्रा के दूसरे तीर्थों में ऐसे संस्कारी पण्डे देखने को नहीं मिलते हैं। मुझसे यह कहा गया कि वहाँ के स्वयंसेवकों में एक बहुत बड़ी संख्या युवक पण्डों की ही है और वे यात्रियों को बड़ी मदद पहुंचाते हैं। उनमें कुछ तो अच्छे शिक्षित पण्डे भी हैं। उनमें से एक तो हाईकॉर्ट बकील है। यहाँ कुछ बूढ़ पण्डों से मुलाक़ात करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे मुझसे यह जानना चाहते थे कि वे लोगों की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं और जब मैंने उनसे यह कहा कि उन्हें तो, यात्रीओं

से उनको दुःख दे कर रुपया कमाने के बजाय उनकी सेवा ही करनी चाहिए और तीर्थ को पवित्र और संयमी जीवन बीता कर सचमुच ही पवित्र बना देना चाहिए, तो उन्होंने उसका फौरन स्वीकार कर लिया और उनकी इस स्वीकृति में मुझे सचाई की बू आती थी। उन्होंने मेरी बताई हुई घुराहियों का अपने में होना भी नम्रता से स्वीकार कर लिया। जब मैंने मुना बहाँ का बड़ा मंदिर अर्थजों के लिए भी खुला हुआ है तब तो मुझे बड़ी खुशी हुई और आश्चर्य भी हुआ। मंदिर के सामने के विशाल मैदान में त्यों की सभा की गई थी। देवगढ़ में पण्डा स्वयंसेवकों ने जो व्यवस्था रक्खी थी वह व्यवस्था दूसरी जगहों की व्यवस्था से अवश्य ही बढ कर थी।

### कष्टसहिष्णुता

सावर्जानक सभा जो की गई थी उसमें इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि मपूर्ण शांति का यकीन हो सकता था। जनता की तरफ से उस समय जो अभिनन्दन दिया गया था उसमें १९२१-२२ में उस जिले के लोगों को जो भयंकर कष्ट सहने पड़े थे उनका उल्लेख किया गया था। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि यह जिला सन्धल परगना का जिला कहलाता है। बिहार का यह आम कानून के बहार है और इसलिए इस विभाग में कमीशनर की इच्छा ही कानून है। उसमें यह भी कहा गया था की १९२१-२२ में शराबखोरी इस प्रांत में से बिल्कुल ही उठ गई थी लेकिन अब फिर वह सन्धल लोगों में घर कर रही है। खर के लिए यह कहा गया था कि वहाँकी स्थिति बड़ी ही आशाजनक है। मैंने उत्तर देते हुए कहा कि पिना बहुत सा कष्ट उठाये कोई भी राष्ट्र बन नहीं सकता है। इसलिए मैं १९२१-२२ में आप लोगों को जो कष्ट उठाना पड़ा है उस पर कुछ भी ध्यान न दें। कष्टसहिष्णुता से फायदा उठाने के लिए सिर्फ स्वैच्छा से कष्ट सहन करना चाहिए और उसमें आनंद मानना चाहिए। जब कष्ट आ पड़ा है तो आखिर वह कष्ट उठानेवाले को अधिक दृढ और सुखी बना कर ही छोड़ेगा। लेकिन यह सुन कर मुझे बड़ा रज है कि इस जिले के लोगों का इस कष्ट के कारण अवभात हो रहा है। इसके तो भरी मानी हो सकते हैं कि उस समय जो कष्ट सहन करना पड़ा था वह कष्ट स्वैच्छापूर्वक सहन नहीं किया गया था। छुट और स्वैच्छापूर्वक कष्ट सहन करने के उदाहरण तो स्वयं कार्यकर्ताओं को ही लोगों के सामने रखने चाहिए। सन्धल लोगों ने शराबखोरी के विरुद्ध बराबर हलचल करते रहना चाहिए और बरखे के कार्य का बराबर व्यवस्थित करना चाहिए।

### दो चित्र

यहाँ की म्युनिमिपलिटि की तरफ से भी एक अलाहदा अभिनन्दन पत्र दिया गया था। मैं इसका सिर्फ इसीलिए उल्लेख कर रहा हू क्योंकि यह अभिनन्दन पत्र देने के लिए वहाँ खुले में बड़ी अच्छी और रोचक व्यवस्था की गई थी। निमंत्रित सदस्यद्वयों को टिकट दिये गये थे और उनकी संख्या इतनी थोड़ी थी कि किसी भी अच्छे मकान में वे बैठ सकते थे लेकिन प्रबंधकर्ताओं ने यह पसंद नहीं किया और उन्होंने एक जगह जहाँ का कुचरती दृश्य बड़ा ही सुन्दर था पत्तों से सजा हुआ एक छोटा सा संकष तैयार करवाया था। इसलिए मुझे म्युनिमिपलिटि के अभिनन्दन पत्र का उत्तर देते हुए, मन्दिर जाने के गन्दे मार्ग के बारे में और उसके आसपास की दूरी फूटी जगह के बारे में कुछ कहना पड़ा। मैंने हिन्दुस्तान के करीब करीब सभी तीर्थों की यात्रा की है और सब जगह मन्दिर के अन्दर और बहार ऐसी ही शोकाजनक स्थिति पायी है। सब जगह केवल लठकन्या, धूल,

कोलाहल और दुर्गन्ध पायी जाती है। शायद देवगढ़ में बहरी जगहों से हाकल कुछ अच्छी हो फिर भी जिस जगह अभिनन्दन पत्र दिया गया था उस जगह में और मन्दिर के आसपास की जगह में जो भेद पाया गया उससे मुझे बड़ा ही दुःख हुआ। यदि म्युनि-सिपलिटि, एंडे और नात्री सब मिल कर प्रयत्न करें तो वे मन्दिर और उसके आसपास की जगह को वैसा कि उसे होना चाहिए बहुत ही सुन्दर सुगन्धित और अच्छा बना सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि यदि अच्छी व्यवस्था और प्रमाणिकता का बकीन दिखाया जा सके तो मुझे बकीन है कि धनवान नात्री लोग ऐसे पवित्र तीर्थ स्थानों पर उन्हें जो आगम मिलेगा उसके बर्के में इसके लिए खरी खरी खर्चा देंगे।

### बहुरत और अनुपयोगी

देवगढ़ से हम लोग खजुरदेह की तरफ गये। वहाँ गीरीडीह हो कर जाना पड़ता है। गीरीडीह से मोटर के रास्ते से यह २६ मील दूर है। इस जगह श्रीयो की सभा से ही कार्यात्म हुआ। अबतक श्री श्रोताओं के भारी और अनधिक गहनों के श्रम को रोक कर, यद्यपि वे मुझे असह्य माहूम होते थे फिर भी उन पर टीका करने में मैं समय का पालन कर रहा था। लेकिन जब मैंने उन श्री श्रोताओं को कोनी तक 'बुद्धि', और नाक में बड़ी भारी नथ पहने जो उनसे सम्बन्ध भी न सकती थी देखा तो मुझे रहा न गया और मैंने उनसे धीरे से यह कहा: ऐसे भारी गहने पहनने से उनकी सुन्दरता में कोई वृद्धि नहीं होती है, उससे बहुत कुछ प्रसूचिषा होती है, अक्सर रोग उत्पन्न होने से आरंभ कि मैं स्पष्ट देख रहा हूँ उनमें मेक जम जाता है। मैंने इस कदर गहने पहनने का जाल कहीं भी नहीं देखा है। मैंने बजनदार गहने देखे हैं। काटियाबाड़ की श्रीया पाँच में बड़े बजनदार कड़े पहनती हैं। लेकिन मैंने बुद्धियाँ इत्यादि गहने से इतना शरीर टक देने का रिवाज और कहीं नहीं देखा था। किसीने मुझे यह खबर भी दी है कि कभी कभी नथ के बोझ से नाक की चमड़ी भी फट जाती है। मैं मेरे श्री श्रोताओं पर मेरी ऐसी सीधी टीका का क्या असर होता है यह देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो रहा था। इस लिए मेरा व्याख्यान पूरा हो जाने के बाद जब उन श्रीयों ने अपनी येलियाँ खोल कर देवायु के स्मारक के लिए उदारता से दान देना शुरू किया तब मुझे कुछ राहत मिली। मैं इराक दाता को खास कर यह समझाता था कि वे अपने गहनों में से कुछ मुझे दे दें। वे मेरी बातों को सुनकरते हुए कुछ लेती थी और उनमें से कुछ श्रीयों ने मुझे अपने कुछ गहने दे भी दिये थे। मैं यह नहीं जानता कि गहनों की संख्या और जाति का संबंध चारित्र्य से भी है या नहीं। लेकिन बहुतेरे उदाहरण देकर यह बात तो साबित की जा सकती है कि उसका संबंध बुद्धि से अवश्य है। और उसका संबंध चारित्र्य से नहीं तो भी सरकारिता से अवश्य है। लेकिन मैं संस्कारिता से भी चारित्र्य को अधिक महत्त्व देता हूँ इसलिए मैं इस दुविधा में हूँ कि हिन्दुस्तान के जुड़े जुड़े भागों में हजारों श्रीयों को व्याख्यान सुनाने का मुझे जो सामाग्य प्राप्त होता है उसका मैं यदि उनके श्रम करने की कला में सुधार करने की आवश्यकता को दिखाने में कुछ उपयोग करूँ तो क्या हमेशा यह ठीक ही होगा। किन्तु मैं इन खादी सीधी श्रीयों के माता पिताओं को और पतिवियों को यही समझाऊँगा कि करकषर और तन्दुरस्ती के लिहाज से उनके गहनों को बहुत कुछ कम कर देना परम आवश्यक है।

(अपूर्ण)

(च. इ.)

जीवनदास कदमबन्द गोधी

## टिप्पणियाँ

### एक मित्र की हेरानी

एक मित्र बड़ी हेरानी में है। वे एक हिन्दुस्तानी पेटी में काम करते हैं। उन्हें वहाँ सुबह के ८ बजे से रात के ९ बजे तक काम करना पड़ता है, विष में खाना खाने की कुछ छुटी मिलती होगी। लेकिन उस पेटी के मालिक उन्हें किस कपड़े के बने या कैसे कपड़े पहनना चाहिए इसके लिए कोई हुकम नहीं देते हैं और इसलिए वे अपनी खुशीसे खादी ही पहनते हैं। एक विदेशी पेटी उन्हें बूनी तनखाह देने के लिए तैयार है और वहाँ उनसे काम भी कम लिया जायगा। लेकिन उस पेटी के विदेशी मालिक उनका खादी पहनना सहन नहीं कर सकते हैं। अब उनके सामने जो मुश्किल पेश है वह यह है: यदि वे विदेशी पेटी की नोकरी कर लेते हैं तो उससे केवल उनकी भौतिक स्थिति ही का सुधार न होगा लेकिन उन्हें रोजाना कातने के लिए समय भी मिलेगा। उन्हें कातने में भद्दा है। लेकिन उन नोकरी को ले लेने पर उन्हें खादी को—जिस पर कि उन्हें प्रीति है—त्याग करना होगा। यदि वे वहीं रहते हैं जहाँ कि आज काम कर रहे हैं तो उन्हें बारह घण्टे की गुलामी करनी पड़ती है, रुपये-पैसे की तकलीफ उठानी पड़ती है और कातने के लिए समय भी नहीं मिलता है। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार के संकोच के बिना अपनी राय दे सकता हूँ। आदर के प्रश्न को इससे अलग कर लें तो श्री स्वामिनी अनुष्य के लिए विदेशी पेटी की यह लाकड़ केवल अस्वीकार्य ही होनी चाहिए। और उसकी भिन्न यही एक यजह है कि उनकी स्वतंत्रता पर अनधिकार आक्रमण किया जाता है और यह आक्रमण खास कर के उनके राष्ट्रीय भावों पर ही किया जाता है और दूसरी जो बातें उन्होंने ध्यान की है उस पर से यह भी प्रतीत होता है कि खादी के प्रति सद्भाव न होने के कारण ही उन्होंने यह शर्त रखी है। दूसरे, गुण-दोषों का विचार करके भी मैं तो खादी पहनना ही अधिक पसंद करूँगा, चाहे फिर उसके लिए कताई को कुछ समय के लिए छोड़ ही देना क्यों न पड़े। यदि सब लोग खादी पहनना छोड़ देंगे तो कताई का कुछ भी प्रयोजन न रहेगा। कताई की उपयोगिता स्वतंत्र नहीं अपेक्षित है। यदि तैयार किया हुआ सूत बाजार में बिक नहीं सकता है तो लाखों आये पेट रहनेवाले लोगों को कातने के लिए कहना निन्द्यता से उनका यजाक करना है। इस समय आवश्यकता तो इस बात की है कि खादी को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाई जाय। कातने की भी बेशक बहुत ही आवश्यकता है लेकिन जहाँ कातने में और खादी पहनने में से किसी एक को पसंद करना पड़ता है वहाँ निःसन्देह खादी पहनना ही पसंद करना होगा। जिस लोगों को अपनी थोड़ी सी धामदनी को कुछ और बढ़ाने की जरूरत है उन्हीं को कातने के लिए कहा गया है और वह भी फुरसद के समय में। और उन लोगों को बिना दाम किये कातने को कहा गया है जिन्हें फुरसद है और जो राष्ट्र को उस रूप में अपनी मिहनत नजर करना चाहते हैं। इन मित्र के भावले में उ-हे कातने की इच्छा है तो उन्हें किसी एक समय भी मिल रहेगा। शायद वे अपने कार्यालय को दूरम में या रेलगाड़ी में बैठ कर जाते होंगे। वे अपने साथ तकली के साथ करें और जब थोड़ी भी फुरसद मिले उसपर कात लिया करें। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इस तरह कातते हैं। इसलिए मुझे ज़रूरत है कि पत्रलेखक महाशय किसी लाकड़ के बरा हो कर अपना खादी का पहनावा कभी भी न छोड़ेंगे। मुझे यह ज़रूरत थी

कि विदेशी व्यापारी पेटियों में खादी में प्रति अब कोई दुर्भाव न रहा होगा। कलकत्ते में जिन यूरोपियन व्यापारियों से मुझे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उन्होंने तो खादी के प्रति कोई दुर्भाव न दिखाया था। मैं चाहता हूँ कि जो प्रभावशाली विदेशी व्यापारी इसे पढ़ें वे ऐसे दुर्भावों को दूर करने के लिए अपने प्रभाव का अवश्य ही उपयोग करें। और हिन्दुस्तानी पेटियों के लिए भी अब वह समय आ गया है कि वे अपने आदर्शों को कुछ बढ़ा दें और उनके नोकरों के काम के घण्टे कुछ कम कर दें। दुनिया का अनुभव यह है कि ज्यादा घण्टे काम लेने से काम कुछ ज्यादा नहीं होता है बल्कि कम ही होता है। इन आवश्यक सुधारों को स्वेच्छा-पूर्वक और उदारता-पूर्वक हाथिल करने के लिए कुछ थोड़ी हिम्मत और प्रथम कदम बढ़ाने ही की आवश्यकता है। यह सुधार जैसे तो स्वयं ही कुछ समय के बाद हुए बिना न रहेंगे लेकिन मजबूर हो कर जब इन सुधारों का दाखिल करना होगा तब उसमें कुछ गौरव न होगा। नोकरों से थोड़े घण्टे काम लेने को सारे सत्तार में हलबल हो रही है। उसे कोई नहीं रोक सकता है। क्या भारतवर्ष का व्यापारी मण्डल या ऐसा ही कोई दूसरा मण्डल इस कार्य को मद्द न करेगा ?

### स्वाधीन भाग्य में गोआवासियों का स्थान

एक गोआनिवासी मित्र पूछते हैं कि स्वराज्य मिल जाने पर आपके और समस्त भागवासियों के उन गोआवासियों के प्रति क्या भाव रहेंगे जो कि इसी देश में रहते हैं और यहाँ अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। थोड़े ही में मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि गोआवासियों के प्रति उनका वही भाव रहेगा जो कि किसी भी भारतीय के प्रति रहता है क्योंकि गोआनिवासी उतने ही अंशों में भारतवासी हैं जितने अशों में कि भारत के किसी भी हिस्से का रहने वाला दूसरा शख्स। वे ए० विदेशी सरकार के हाथ के नीचे हैं इससे उनके साथ किये जाने वाले व्यवहार में कोई भेद नहीं किया जा सकता। यदि उक्त प्रश्न में छिपा हुआ उभका धर्म-भेद के कारण हो तो मैं यह बार बार कह चुका हूँ कि स्वराज्य किसी एक मजहब के लिए नहीं होगा। वह सब धर्मों के लिए होगा और जिनका जन्म या पालन-पोषण भारत में नहीं हुआ है उनकी भी पूर्ण रूपसे रक्षा की प्रायगी, उनकी ही पूर्ण रूप से जितनी कि वर्तमान सरकार की छत्रछाया में बिना किसी भेद-भाव के की जाती है। मैं तो ऐसे ही स्वराज्य की कल्पना करता हूँ। अन्त में यह कहेगा होगा यह भारत के विचारवान पुरुष आगे चलकर क्या करेंगे इसपर निर्भर है। भविष्य के भारत को बनाना गोआनिवासियों के हाथों में भी जतना ही है जितना कि अन्य किसी जाति के हाथों में। इसलिए किसी को भी यह न पूछना चाहिए कि स्वराज्य के दिनों में उनका क्या होगा। क्योंकि दुख सहन करने के लिए तो सिर्फ वेधकुक और कायर ही जिन्दा रहते हैं। यदि राज्य व्यक्तियों के अधिकारों पर आक्रमण करेगा तो हर एक व्यक्ति अपने स्वातंत्र्य की रक्षा ही करेगा। जबतक बहुत सी व्यक्तियों में इस प्रकारका प्रतिरोध शक्ति नहीं आती है तबतक भारतवर्ष सच्ची स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकेगा।

### आपने क्या किया है ?

यदि कानने में आपको श्रद्धा है और आप सरस्वती-संघ को विश्वास की दृष्टि से देखते हैं तो क्या आप उसके सभासद बन गये हैं ? यदि आप उसके सभासद नहीं बने हैं तो क्यों नहीं बनें उसका आप कारण बतावेंगे ? यदि आप उसके सभासद बन गये

हैं तो अपने हाथ का अच्छा कता हुआ सूत चन्दे के लिए मेजने के अलावा खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं ? क्या आप ने अपने मित्रों को और कुटुंब के लोगों को भी बरखा-संघ में दाखिल होने के लिए पूछा है ? क्या आप ने अपने कुटुंब के बच्चों को भी देश के लिए कुछ काम करने के लिए कहा है ? बच्चे यदि बचपन में ही बुद्धिपूर्वक आत्म-त्याग करना सीख जाय और संगठन और व्यवस्था को समझने लगे तो यह पढ़ाई उनके लिए कुछ कम महत्व की वस्तु नहीं है। अव्यवस्थित और संगठनहीन आधे घण्टे की मिहनत से चाहे कुछ भी फायदा न हो लेकिन किसी संगठित सरथा के लिए व्यवस्थित तौर पर जाया घण्टा देश के किसी भी कोने में बैठ कर मिहनत की जाय तो उसमें वह शक्ति है कि वह राष्ट्रीय जीवन में कान्ति कर दे। बड़े रोजाना कुछ काम करके यदि अपने देश को इस प्रकार याद करते रहें तो यह भी कुछ कम नहीं है। इससे उन्हें संयम और व्यवस्था का बड़ा अमूल्य पाठ पढ़ने की मिलेगा। बच्चों को सारे सीधे मिहनत के काम करने के गुणों को दिखाने में बरखे का यह रहस्य जिम्मा आपको खगाल भी न होगा आप जान सकेंगे। यह पूछ कर वि. जय गारा हिन्दुस्तान आलसी बना हुआ है उस समय आपके छात्रा घण्टा कानने से क्या लाभ होगा कृपया कानिई-ना पढ़ाई भागने न खदा कीजिएगा। आप तो अपना कर्तव्य ही अच्छी तरह से कर दीजिए और फिर बाकी तो सब कुछ अपने हाथ में ही जायगा। हमारे हाथ, में कुछ संसार का राज्य तो है ही नहीं। लेकिन हमारी जान तो हमारे ही हाथ में है। और आप यह भंगेंगे कि सब लोगों के लिए भी हम यही कर सकते हैं। आप भी तो मद चुक हैं। इस कान्ति में बहुत कुछ समय है 'नैडी बचावेंगे तो कान्य आपही बच आयगा'।

### काननेवाले ध्यान दें

महासभा समिति के प्रभाव से अनुसार गन बर्ष में जो सूत प्राप्त हुआ वह जिनके अधिकार में था वे कहते हैं कि जो कानने वाले बरखा-संघ के सभासद बनना चाहते हैं उन्हें में एक चेतावनी दे दू कि वे खगल और बराबर कता हुआ न हो ऐसा सूत कभी भी न मेजे। बहुतया गणक सूत तो अब भी उनके पास पड़ा हुआ है। वे उसको अभी कुछ उपयोग में नहीं ला सके हैं। वह रोटी जो युगी तरह बनी हुई हो और बराबर मकी न हो रोटी ही नहीं कटी जा सकती, यही तरह वह सूत जो बराबर कता हुआ और समान न हो सूत के नाम के योग्य नहीं है। सभासद बनके के लिए जिनके अपने हाथ का कता १००० गज सूत मेजना ही काफी नती है लेकिन उसके लिए तो अपने हाथ का कता अच्छा एकसमान सूत १००० घात मेजना आवश्यक है। यह तो 'अ' बर्ग की बात हुई, 'ब' बर्ग के सभासदों को भी साल में घंसा ही अच्छा कता हुआ २००० गज सूत मेजना चाहिए। इसलिए यदि मेष के मंत्री अपना कर्तव्य बराबर करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि वे इस सूत को सेनेसे ही इन्कार कर दे जो सूत एक हद से गिरा हुआ मान्य हो। वह हद बड़ी कड़ी न होनी चाहिए लेकिन इसकी कड़ी तो अवश्य होनी चाहिए कि वह अगले बुनने लायक सूत की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करती हो। यदि चन्दा नकद लिया जाय तो मित्रों के टुकड़े को कोई रुपया मान कर न ले लेगा उसी तरह जब सूत का चन्दा लिया जाता है तब बरख सूत भी चन्दे में नहीं लिया जा सकता है।

(च० ६०)

मो० क० गांधी



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ९ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
 स्वामी आनन्द

अहमदाबाद, कातिक मही १३, सप्त १९८२  
 बुधवार, १५ अक्टूबर, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 अहमदाबाद

## टिप्पणियां

मान है या मानहानि ?

एक कार्यकर्ता लिखते हैं:

" मैं आप को बताना चाहता हूँ कि बहुत से कार्यकर्ताओं को महासभा के रुठ में से बचाने के लिए मानहानि माध्यम होती है लेकिन के अभाव है । मैं इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ की आप दंग दिवसों में कुछ लिख कर उन्हें इसके लिए उत्साहित करें । "

सिविल सप्लाय में शामिल होने के लिए युवक गण क्यों नहीं उद्यत निह्वन उठाते हैं और पानी भी तरह रुपया बहाते हैं ? वे उसमें अपना मानहानि नहीं समझते इतना ही नहीं वे उसमें अभिमान भी लेते हैं । जब वे परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उनके मित्र उनका सरकार करते हैं, और जब सिविल सप्लाय में उन्हें कहीं नोकरी मिल जाती है उन्हें अनौनस्यन पत्र भी बिये जाते हैं । क्या लोगों को पर अधिकार चलाना, तलवार को नोक से कर उखाड़ना यह भी अवसर उन लोगों से आ कर नहीं दे सकते हैं, महासभा की सेवा करने से अधिक आनन्द है ? महासभा में जो प्रेम और सेवा के अधिकार के सिवा दूसरा कोई अधिकार नहीं मिल सकता और मान निर्वाह के योग्य ही कुछ वेतन दिया जाता है । यदि यह दलील की जाय कि महासभा में वेतन देने वाले और अवैतनिक सेवकों का एक प्रकार का दानिकर योग होता है तो सरकारी नोकरीयों में भी तो यही पाया जाता है न । इस सरकार के पास भी जैसा कि हर एक सरकार के पास होना चाहिए, कहीं एक वेतन केनेवाला नोकर है वहाँ साथ में दस वेतन न पाने वाले नोकर भी हैं । इन दोनों वर्गों में अवसर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भी हुआ करती है । अहाँ तक इस बात को मैं समझ सकता हूँ महासभा की नोकरी में शामिल होने से अनिच्छा होने का सिर्फ एक ही कारण है और वह उसका भ्रष्टाचार और अवैतनिकता है । दूसरे सब कारण कमोमेंशी केवल कारणात्मक कारण होते हैं । वेसक जब महासभा को भी सभी इज्जत और सम्मान प्राप्त होगा तो आत्र उसे प्राप्त नहीं है — आत्र की उसकी प्रतिष्ठा केवल जगह से है स्वतंत्र नहीं — उस समय एक अपराधी भी राष्ट्र की सेवा करने में और अवैतनी योग्यता से कुछ दम प्राप्त करने में अपनी इज्जत समझेगा । लेकिन अभी तो महासभा के

प्रमाणिक वेतन केनेवाले कार्यकर्ताओं से फिर बाहे वे मुख्य विभाग में, सिखाविभाग में या खादी और स्वराज्य की छायाओं में कहीं भी काम करते हो मैं यही कहूंगा कि वे इस सस्था को अपनी ईमानदारी भक्ति और बराबर ध्यान देकर कार्य करने की शक्ति से लोगों की अपनी और आकर्षणकारी बनावे । जिन्हें इस बात का खयाल बना रहता है कि वेतन लेकर उन्हें उस के काम में मिलना भी समय और ध्यान देना चाहिए उतना वे दे रहे हैं उन्हें फिर महासभा के वैतनिक सेवकों में होने के कारण कुछ भी मतलब चाहिए । जैसे जैसे हम रचनात्मक कार्य में अधिकधिक प्रयत्न करते जायेंगे जैसे जैसे हमें वैतनिक सेवकों की भी अधिक आवश्यकता होगी । हम लोग एक राष्ट्र की दृष्टियत से इतने गरीब हैं कि हमें अपना सब समय केनेवाले बहुतसे अवैतनिक सेवक मिल ही नहीं सकते हैं । हमें वेतन केनेवाले सेवकों पर ही विशेष आशर रखना होगा । जिसे जरूरत है वह यदि वेतन के तो उसमें किसी प्रकार की उसकी मानहानि होती है वह खयाल जितना भी जल्दी दूर हो सके राष्ट्र के लिए उतना ही अच्छा है ।

क्या खरखा शेष केवल हिन्दुओं का रहेगा ?

मौलाना ने मुझसे कहा है कि उनके एक मुसलमान मित्र ने उन्हें इस बात की चेतावनी दी है कि ' खरखा-संघ ' की मातहतों में जो खादी काम होगा वह भी खादी बोर्ड ही की तरह हिन्दुओं के हाथ में ही रहेगा । मौलाना ने पहले ही उस मुसलमान मित्र के साथ इस विषय पर बहस कर ली है क्यों कि वे स्वयं जानते हैं कि धी-बेकर ने मुसलमान कार्यकर्ताओं की तलाश में कितनी जीजान से कोशिश की थी । मैं अपना निजी अनुभव भी कहता हूँ । मैं जहाँ कहीं गया हूँ मैंने खादी-संगठन के सचालकों से यही प्रथम शिका है कि उनके साथ कुछ मुसलमान कार्यकर्ता भी डया नहीं । इसके जवाब में सबों ने एक स्वर में यही कहा है कि खादी के कार्य में मुसलमान कार्यकर्ताओं का मिलना कठिन है । खादी-प्रतिष्ठान में कुछ मुसलमान हैं पर वे साधारण धेमी के हैं । अजय-आशम में भी एक या दो मुसलमान हैं । पर ऐसे उदाहरण मैं ज्यादा नहीं दे सकता । बात यह है कि खादी-सेवा का कोई अभी ज्यादा प्रतिष्ठित नहीं हुआ है । इसमें काम करने से ज्यादा रुचना नहीं बनाया जा सकता । कुछ समय पहले मैंने इसके अर्थों की छायाओं की तो मुझे माध्यम हुआ कि हमें (१९२५) २०

मासिक से अधिक वेतन कहीं नहीं दिया गया। यह १५०) ६० भी बड़े योग्य संगठन कर्ता को दिये गये थे। एक जगह खादी के कुशल कार्यकर्ता मुपत में काम करते हैं। सेवा की शर्तों का कठिन होना आवश्यक ही है। अपना पारा समय दे देनेवाले ऐसे खादी-कार्यकर्ता नहीं मिल सकते जो अपने हाथ से न कातते हों अथवा हमेशा खादी न पहनते हों। यदि कोई नेक मुगल्मान अपनी सेवाओं का अर्पण करेंगे तो मुझे उनसे बड़ी प्राप्ति होगी। जो यह करने के लिए तैयार हो वह मौलाना साहब को अर्थात् मेरे। उन्होंने प्रत्येक की परीक्षा स्वयं कर के फिर गध में उसके लिए सिफारिश करने का निश्चय किया है। पर मैं मुसल्मान, क्रिश्चियन, पारसी, बहूदी आदि जिस किसी का इसके साथ सम्बन्ध है उन्हें यह योग्य सूचना दे देता हूँ कि उनके प्रयत्न, योग्यता और खादी-प्रेम के अभाव में खादी-सेवा हिन्दुओं के हाथ में चली जाय तो इसके लिए वे फिर सच को दोष न दें।

( सं० ६० )

मो० क० गांधी

## शिक्षितवर्ग के संबंध में

मेरी बिहार की यात्रा में एक मित्र ने उत्तर देने के लिए मुझे निम्न लिखित प्रश्न लिख कर दिये हैं:

“आपको शिकायत है कि शिक्षित वर्ग आपका अनुसरण नहीं कर रहे हैं और आपका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या यह इसलिए तो नहीं है कि आपने हलचल के आरंभ में उनका कुछ विचार नहीं किया था और उनको ऐसी वस्तुओं का त्याग करने को कहा था जिनका कि त्याग करना उनके लिए असंभव था ?”

मुझे यह याद नहीं कि मैंने कभी किसी शिकायत दी हो कि शिक्षित वर्ग मेरा अनुसरण नहीं कर रहे हैं। यदि मैंने किसी बात की शिकायत की हो तो वह यह है कि उस वर्ग की ग अपनी स्थिति या जिसे मैं सरय मानता हूँ उसे समझाने में असमर्थ हुआ हूँ। यह कहना कि मैंने कभी भा शिक्षित वर्ग का त्याग किया था मेरे सम्बन्ध में एक बड़ी भारी गलतफहमी है। क्या कोई सुधारक भी किसी वर्ग का त्याग कर सकता है? वह तो हमेशा ही सब को किसी खास सुधार में शामिल होने के लिए निर्मग्न करता है। वह पहले अपना धर्मान्तर करके ही कार्य का आरंभ करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह समाज से अपने का प्रथम अलग कर लेता है और जबतक समाज उस सुधार के गुणों का न समझने लगे तबतक उसी हालत में पड़ा रहता है। यह समाज का दोष नहीं है, यदि उसका हृदय और मस्तिष्क किसी खास सुधार की समझ न सके या उसकी कीमत न कर सके। यदि सुधारक जिस समाज में बंध रहता है उसमें से अपने सुधार को ग्रहण करने के लिए लोगों की प्रसन्नता नहीं पड़ती है तो स्पष्ट है कि उस सुधार या सुधारक में, दो में से एक में दोष अवश्य है। मैं खयाल करता हूँ कि मुझे इस बात का स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शिक्षित वर्ग तो जिस प्रकार का त्याग करने का बड़ा गया था वैसे त्याग करना उसके लिए एक वर्ग के नीचे पर अगम्य था। लेकिन अपवाद रूप से क्या गहने के शिक्षितों ने बड़ा शानदार त्याग नहीं कर दिखाया है ?

“यदि हमें ठीक ठीक याद है तो आपने हलचल के आरंभ में यह कहा था कि यदि जनता आपका साथ देगी तो आप शिक्षित वर्ग की कुछ भा परवाह न करेंगे। यदि यह सच है तो क्या सब आपने अपनी राय बदल दी है? यदि यही बात है तो

आप उन्हें अपने खयाल के मुआफिक करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं ?”

मुझे यह आशा है कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं शिक्षित वर्ग की कुछ भी परवाह नहीं करता हूँ। एक सुधारक न ऐसा कह सकता है न कर ही सकता है। लेकिन मैंने यह अवश्य कहा था और मेरा आज भी यही खयाल है कि यदि असहयोग के तत्व का जनता ग्रहण कर ले तो बिना शिक्षित वर्ग की सहायता के ही स्वराज्य हासिल किया जा सकता है। इसके लिए जनता को प्रधानतः यह काम करना चाहिए कि वे परदेशी कपड़े और मिल के बने कपड़े के साथ असहयोग करें और अपने हाथ के काँ ओर बुने कपड़े से संपूर्ण सहयोग करें। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी सादी और सीधी दिखने वाली बात भी शिक्षित वर्ग की सहायता के बिना नहीं हो सकती है। मैं इस बात का बड़े गौरव के साथ स्वीकार करता हूँ कि यदि सैकड़ों शिक्षित स्त्री पुरुषों ने चरभे और खहर का संदेश फैलाने में मुझे मदद न की होती तो आज उसने जो प्रगति की है वह प्रगति कदापि न होती। और यदि जितना चाहिए उतनी अल्पी प्रगति नहीं हो रही है तो उसका कारण यह है कि शिक्षित लोग एक वर्ग के तौर पर खादी की हलचल से दूर रहे हैं।

“क्या सचमुच आपका यह खयाल है कि जनता आपका साथ दे रही है या आप यह मानते हैं कि वे सिर्फ आपको सहजता समझकर आपकी जाल पर खूब हो कर ताली ही पीटते हैं और आप जा मलाह देते हैं उनकी कुछ भी परवाह नहीं करते हैं ?”

मेरा यह विश्वास है कि जनता विचार में तो मेरे साथ है लेकिन बुद्धि जो उन्हें करने को बहती उसे करने के लिए उनमें हिम्मत नहीं। इस विषय में मैंने हजारों की परीक्षा ली है। वे सब बिना आपवाद के यही कहते हैं “हम क्या कर सकते हैं? आप जो कहते हैं हम सब समझते हैं। लेकिन हममें उतनी शक्ति नहीं है। आप हमें उसे करने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए” यदि शक्ति देना मेरे हाथों की बात होती तो अबतक जनता कभी की कुछ और भी और ही हो गई होती। लेकिन मैं जनता हूँ कि मैं इस विषय में लाचार हूँ। जिस शक्ति को मैं मुझसे पाने की व्यर्थ आशा रखते हैं उसे तो सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है।

“क्या आप यह खयाल करते हैं कि जनता का ऐसा सुधबन्धित संगठन किया जा सकता है कि वह सामुदायिक सचिनय भंग के लिए संपूर्ण लायक बन जाय ? और क्या यह भय हमेशा ही न बना रहेगा कि वे कहीं अधिक उत्साहित हो कर अपनी अव्यवस्था से और जाकर से ज्यादा उत्तेजना दिखा कर किसी भी राज्यनैतिक हलचल को नष्ट न कर डालें ?”

यद्यपि प्रमाण मेरे विश्वास है फिर भी मैं यह मानता हूँ कि सामुदायिक सचिनय भंग के लिए जनता को संगठित किया जा सकता है। अर्थात् जनता जादी उसे लड़ाई के लिए संगठित किया जा सकता है उससे कहीं अधिक जल्दी उसे इसके लिए संगठित कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में एकाद जगह कभी कभी हो जागेवाले निचारहीन हिंसात्मक शब्दों में और सुधबन्धित जनममुदाय के हिंसात्मक युद्ध में बड़ा भेद है। भारतवर्ष की जर्मनी की तरह एक युद्ध की छावनी बना देने में सीधियाँ चीत जायगी। पर इसके मुकाबले में लोगों को कुछ खेलने पर भी शान्त रहना सीखाना कहीं अधिक आसान है। जबई, नारीचौरा और दूसरी जगहों में कुछ दंगे हो जाने पर भी १९२१ में यह बात स्पष्ट और आश्चर्यकारी रूप में दिखाई दी थी। लेकिन मुझे इस बातका

स्वीकार तो अवश्य ही करना चाहिए कि निकट भविष्य में सामुदायिक सविनय भंग के लिए जनसमुदाय को संगठित करने से आज तो मैं भी निराश हो गया हूँ। इस समय उसके कार्यों की चर्चा में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यदि भारतवर्ष को कभी स्वराज्य मिलेगा और यदि वह जनसमाज का स्वराज होगा तो केवल सामुदायिक सविनय भंग करने की शक्ति का विकास करने पर ही ऐसा स्वराज्य मिल सकेगा। प्रश्न के अन्तिम भाग से प्रतीत होता है कि प्रश्नकर्ता को जनता के प्रति विश्वास नहीं है अथवा उसके सम्बन्ध में वे बड़े अंधीर हो जाते हैं। हम ऐसे कब या कितनी दफा साधारण जन-समाज के सम्बन्ध में आये कि हम उस पर अव्यवस्थितता और अधिक उत्प्रेरणा का दोषारोप कर सकें? जनसमुदाय के बनिश्चत यह गुन्हा करने के लिए तो हमी ज्यादा जवाबदेह हैं। मेरी बिहार यात्रा में भी मैंने इसी बात के प्रमाण पाये हैं। कार्यकर्ताओं ने देखा लिया कि शौरीगुल से मेरी तन्दुरस्ती को नुकसान होगा। वे हरेक जगह पहले ही से इस बात की तैयारी करते थे कि लोग एक बड़ी तादाद में इकट्ठे तो हों लेकिन वे वहाँ खड़े रहने के सिवा कुछ शौरीगुल न मचानें। और मैंने बड़े आश्चर्य के साथ बड़ी खूबी से यह देखा कि वे बंगाल की तरह वहाँ भी उसका बराबर पालन कर रहे थे। जिन्हें सफर में जनसमुदाय से सम्बन्ध पड़ा है उनका यह सार्वत्रिक अनुभव है।

‘आप जनसमुदाय को संगठित और व्यवस्थित बनाने के लिए क्या उपाय ले रहे हैं?’

‘मैं या कोई दूसरा जिस एक उपाय का अवलम्बन कर सकते हैं वह उपाय है त्यागभाव से जनसमाज की सेवा करना। और ऐसी सेवा सिर्फ खादी ही के जर्मे हो सकती है।’

‘महासभा में ऐसे बहुत से लोग शामिल हो गये हैं जो वहाँ न होने चाहिए थे। क्या आप इससे पुरेपूरे वाकफ हैं? इस हलचल में से मैंने लोगों को दूर करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं?’

‘मैं इन दुर्भाग्य की बात को जानता हूँ। सगी जनसत्तावादी संस्थाओं के भाग्य में ऐसी बातें होना बड़ा है। इसलिए मुझे या किसी अन्य व्यक्ति को यह पृष्ठना कि यह इसके लिए क्या उपाय कर रहा है निरर्थक है। जो लोग अपने को उसमें रहने योग्य मानते हैं उनका यह कर्ज है कि वे सब मिल कर महासभा को शुद्ध रखने के लिए भरपूर कोशिश करें।’

‘क्या आप यह नहीं जानते कि आपके अनुयायी बनने के लिए जिन लोगों ने अपनी आजीविका के साधन को त्याग दिया है उनमें से बहुतेरों का भार समाज और उनके कुटुम्बों पर पड़ा है और उनके रिश्तेदार जो अच्छी स्थिति में इनका पालन कर रहे हैं। यदि बात ऐसी ही है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप क्या उपाय योजेंगे?’

‘इस विषय में लेखक के विचार का समर्थन करने में मैं असमर्थ हूँ। बेशक कुछ ऐसे उद्धारण अवश्य हैं जिनमें उन्हें बहुत कष्ट उठाया पड़ा है लेकिन उसका कारण तो यह है कि वे अपनी रहन सहन का तरीका नहीं बदल सके हैं और खर्च को नहीं घटा सके हैं। उन्होंने अपने मामले में जोड़री पर कापस जाने के बनिश्चत या बकीलाप फिर से शुद्ध करने के बनिश्चत यही पसंद किया कि मित्र और रिश्तेदारों की मदद से ही वे अपना गुजारा चलायें। मेरी राय में उनकी यह पसंदगी उनको कोई भी वा दिलावेवाली बात नहीं है।’

‘मन्चे कार्यकर्ताओं के और उनके कुटुम्बों के पोषण के लिए ऐसे सार्वजनिक फंड की जिसका इन्तजाम एक ट्रस्टियों के बोर्ड के हाथ में हो क्या कोई आवश्यकता नहीं है?’

‘ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए जिनका कि वर्णन किया गया है, सार्वजनिक फंड उगाहने के में गिराव हूँ। इससे तो केवल आलसीयों की संख्या ही बढ़ जायगी। हर एक सच्चे कार्यकर्ता को महासभा की किसी भी शाखा में दाखिल होने में और अपनी सेवा के बदले में वेतन लेने में अपनी इज्जत समझना चाहिए।’

‘स्वराजदल को प्रालिप्त धारासभाओं में और बड़ी धारा-सभा में महासभा के प्रतिनिधि बन जाने के लिए आपने उन्हें इजाजत देते हुए केवल कोरे कागज पर दस्तकत ही तो कर दिये हैं। लेकिन क्या इसके पहले आपको इस बात का संतोष हो गया था कि वे सदा महसभा के अनुकूल ही रहेंगे? क्या उस दल के नेताओं ने अभी जो कुछ कहा है उस पर से यह नहीं प्रतीत होता कि वे महासभा के प्रस्तावों के अनुकूल अपना कार्यक्रम और उद्देश बदलने के बजाय महासभा को छोड़ देना ही अधिक पसंद करेंगे?’

‘जैसा लेखक का खयाल है वैसे कोई इजाजत स्वराजदल को नहीं दी गई है। मुझे इस बात का पूरा पूरा संतोष है कि स्वराज्य दल महासभा की राय के अनुकूल ही रहेगा। क्योंकि उनकी संस्था जनसत्तावादी होने के कारण उसे जनसमाज की राय पर ही बड़ा आधार रखना होगा।’

‘आप चरखा-संघ की स्थापना करते हैं इससे मुझे यह खयाल होता है कि आपने महासभा स्वराज-दल को सौंप दी है और इसलिए अब आप रचनात्मक कार्य को महासभा के मुख्य कार्य के तौर पर नहीं किन्तु एक सहायक कार्य के तौर पर ही करना चाहते हैं। यदि यह सच है तो क्या आप महासभा में से अपना हाथ खींच नहीं कर रहे हैं और क्या आप उन लोगों का त्याग नहीं कर रहे हैं जो गया की महासभा के बाद स्वराजदल के सुलभमन्त्राला विरोधी बन जाने पर भी आपके अनुयायी बने रहे?’

‘मैंने स्वराजदल को या और किसी भी दल को न महासभा सौंप दी है और न मुझे कोई ऐसा सौंप देने का कोई अधिकार ही है। यदि महासभावाले स्वराजदल के साथ न हो तो स्वराजदल एक दिन के लिए भी महासभा पर अपना अधिकार कायम नहीं रख सकता। मुझे आशा है कि रचनात्मक कार्य महासभा में केवल एक सहायक कार्य ही न बन जायगा। महासम्मिति के प्रस्ताव ने इतना ही किया है कि उसने धारासभा के कार्यक्रम को रचनात्मक कार्यक्रम के समान ही महत्व दिया है और उससे चरखा और खादी के कार्य को करने के लिए उसके हाताओं की एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना की गई है। जब तक महासभा अखिल भारत चरखा-संघ की पोषक बनी रहेगी तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि मैंने महासभा में से अपना हाथ खींच लिया है। मैंने जैसे उपर कहा है किसी का भी मैंने त्याग नहीं किया है।’

‘जिन्हें धारासभा में विश्वास नहीं है और केवल चरखे में ही विश्वास है वे चरखा-संघ में अब भी रह सकते हैं।’

‘यदि स्वराजदल अपने दिये हुए बन्धनों का पालन न कर सके तो चरखा और खादी के सिवा देना के राजकीय उद्धार के लिए भविष्य के दूसरे कार्यक्रम के संबंध में आपकी क्या राय है?’

‘मैं यह नहीं जानता कि इस प्रश्न में किन बन्धनों के संबंध में उल्लेख है। इस देश का राजकीय उद्धार तो तभी हो सकता है कि जब वह सविनय भंग के लिए या हथियार ले कर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाय। हथियारों से युद्ध करने की ताकत तो सिफ

बड़ी लम्बी और कठिन तैयारी से ही प्राप्त हो सकती है। सचिनय भंग की ताकत सिर्फ रोजाना जिन्दगी संस्था में वृद्धि हो रही है उन लोगों की रचनात्मक क्षमता का विकास करने से प्राप्त हो सकती है और क्योंकि अभी कई पीढ़ियों तक भारतवर्ष को कभी दृष्टिकारों से युद्ध करने की ताकत प्राप्त होगी हम पर मुझे विश्वास नहीं है मैं चरखे की शान्त, निष्कारणक और कार्यकारी कान्ति-क्षमता में ही विश्वास किये बैठा हूँ।

(पं० इ०)

माहनवास् करमचंद गांधी

## हिन्दी-नवजीवन

धुलवार, कृषिक बदी १३, संवत् १९८२

### गीता का अर्थ

एक मित्र इस प्रकार प्रश्न करते हैं:

“गीता का संदेश क्या है? हिंसा या अहिंसा? मान्य होता है यह सगला इमेधा ही चलता रहेगा। वह बान और है कि हम गीता में किस संदेश को देखना चाहते हैं और उसमें से कौनसा संदेश निकालना चाहते हैं और वह दूसरी ही बात है कि उसको सीधे ही पढ़ने पर क्या छाप पड़ती है। जिसके दिल में यह बान जम गई है कि अहिंसात्मक ही जीवनसंदेश है उसके लिए तो यह प्रश्न गौण है। वह तो यही कहेगा कि गीता में से अहिंसा निकलती हो तो मुझे वह प्राण्य है। इतने अल्प ग्रंथ में से अहिंसा जैसा अल्प धार्मिक सिद्धान्त ही निकलना चाहिए। किन्तु यदि न निकलता हो तो गीता को भी रहने दीजिए। उसको आधार से पूंजेगे लेकिन उसे प्रमाण-प्रथ मानेंगे नहीं।

“प्रथम अध्याय को पढ़ने पर यही प्रतीत होता है कि अहिंसायति से प्रेरित अस्तुन अबाध हो कर कौरवों के दार्यों मरने को तैयार है। हिंसा से होनेवाले पाप और हानि उसकी दृष्टि में स्पष्ट नजर आते हैं। विषाद से वह कांप उठता है और कहता है:

अहो बत महत्पाप कर्तुं व्यवसिता वयम्।

इस पर श्रीकृष्ण उसे कहते हैं: “समजदार हो कर भी यह क्या बोलते हो? कोई किसीको न मारता है न कोई मरता ही है। आत्मा अमर है और शरीर का नाश तो होगा ही। इसलिए इस धर्मप्राप्त युद्ध को रुक लो। बय क्या और पराजय क्या? केवल अपना कर्तव्य पूरा करो।

११ वे अध्याय में भी उसे विश्वरूप दिखा कर भगवान श्रीकृष्ण यही कहते हैं:

कालोऽस्मि लोकक्षयकृतप्रवृद्धः

लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः।

मया हतास्त्यं जहि मा व्यथिष्ठाः।

ईश्वर की दृष्टि में हिंसा और अहिंसा दोनों समान ही है। लेकिन मनुष्य के लिए ईश्वर का संदेश क्या हो सकता है?

‘युध्यस्व जेनासि रणे सपरान्त।

क्या यह? गीता का संदेश यदि अहिंसा हो तो १ और ११ अध्याय सुसंबद्ध नहीं मालूम होंगे। वे उसे पोषक तो हैं ही नहीं। ऐसी शंकाओं का समाधान कौन करे?

काम की भीड़ में से कुछ समय निकाल कर आप इसका जवाब दें तो अच्छा हो”

ऐसे प्रश्न तो हुआ ही करेंगे और जिसने कुछ अध्ययन किया है उसे उनका यथाशक्ति जवाब भी देना होगा। किन्तु इसका समाधान करने पर भी आखिर मुझे वह तो कहना ही पड़ेगा कि मनुष्य बही करेगा जो उसका हृदय उसे करने को कहेगा। प्रथम हृदय है और फिर बुद्धि। प्रथम सिद्धान्त और फिर प्रमाण। प्रथम स्फुरणा और फिर उसके अनुकूल तर्क। प्रथम कर्म और फिर बुद्धि। इसीलिए बुद्धि कर्मविचारणी पट्टी गई है। मनुष्य जो कुछ भी करता है या करना चाहता है उसका समर्थन करने के लिए प्रमाण भी हल निकालता है।

इसलिए मैं यह समझता हूँ कि मेरा गीता का अर्थ सब के अनुकूल न होगा। ऐसी स्थिति में यदि मैं इतना ही कहूँ कि गीता के मेरे अर्थ पर मैं किस तरह पहुंचा और धर्मशास्त्रों के अर्थ निकालने में मैंने किन किन सिद्धान्तों को मान्य रखा है तो यही बस होगा। “परिणाम चाहे कुछ आवे मुझे तो युद्ध करना चाहिए। जो शत्रु मरने योग्य है वे तो स्वयं ही मरे हुए हैं। मुझे तो उनकी मारने में मात्र निमित्त बनना है”।

१८८९ की साल में गीताजी से मेरा प्रथम परिचय हुआ। उस समय मेरी उम्र २० साल की थी। उस समय मैं अहिंसा धर्म को बहुत ही थोड़ा समझता था। शत्रु को भी प्रेम से जीतना चाहिए यह मैं गुजराती कवि शामल भट्ट के इस छाप्य से “पापी आपे ने पाय मलुं भोजन तो दीजे” सीखा था। इसमें रहा हुआ सत्य मेरे हृदय में अच्छी तरह बैठ गया था। किन्तु उस समय मुझे उसमें से जीवदया की स्फुरणा नहीं हुई थी। इसके पहले मैं देश ही में मांसाहार कर चुका था। मैं मानता था कि सर्पादि का नाश करना उभे है। मुझे याद आती है कि मैंने कटमल इत्यादि जीवों को मारे हैं। मुझे तो यह भी याद आता है कि मैंने एक बिच्छु को भी मारा था। आज यह समझा हूँ कि ऐसे जहरी जीवों को भी न मारना चाहिए। उस समय मैं यह मानता था कि हमें अंगरेजों के साथ लड़ने के लिए तैयारी करनी होगी। ‘अंगरेज राज्य करते हैं इसमें आश्रय ही क्या है’ इस मतकब की एक कविता गुनगुनाया करता था। मेरा मांसाहार इसी तैयारी का कारण था। विलायत जाने के पहले मेरे ऐसे विचार थे। मैं मांसाहार इ० से बच गया इसका कारण माना को दिने हुए बच्चों की मरणान्त पालन करने की मेरी प्रति थी। मेरे सत्य प्रति के प्रेम ने बहुत सी आपत्तियों में से मेरी रक्षा की है।

अब दो अंगरेजों से प्रसंग पढ़ने पर मुझे गीता पढ़नी पड़ी। ‘पढ़नी पड़ी’ इसलिए कहना हूँ क्योंकि उसे पढ़ने की मुझे कोई ज़ारा इच्छा न थी। लेकिन जब इन दो भाइयों ने मुझे उनके साथ गीता पढ़ने को कहा तब मैं शरमिन्दा हुआ। मुझे अपने धर्मशास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं है इस व्थाक से मुझे बड़ा दुःख हुआ। इस दुःख का कारण मादम होता है अभिमान था। मेरा संस्कृत का अध्ययन ऐसा तो था ही नहीं कि गीताजी के सब श्लोकों का अर्थ मैं बिना किसी मदद के ठीक ठीक समझ सकूँ। ये दोनों भाई तो कुछ भी न समझते थे। उन्होंने सर एकदिन आर्नोल्ड का गीताजी का उतमोत्तम काव्यानुवाद मेरे सामने रखा दिया। मैंने तो कारण ही उस पुस्तक को पढ़ बाधा और उसपर मैं मुग्ध हो गया। तब से लेकर आज तक दूसरे अध्याय के अन्तिम १९ श्लोक मेरे हृदय में अक्षित हैं। मेरे लिए तो सब धर्म उसी में आ गया है। उसमें संपूर्ण ज्ञान है। उसमें कहे हुए सिद्धान्त अचूक हैं। उसमें बुद्धि का भी संपूर्ण प्रयोग किया गया है। लेकिन यह युद्ध सरकारी बुद्धि है। उसमें अनुभवज्ञान है।



इस परिचय के बाद मैंने बहुत ही अनुवाद पढ़े, बहुत सी टीकाएँ पढ़ी, बहुत से तर्क किये और मुझे लेकिन उसे पढ़ने पर जो मुसपर छाप पड़ी थी वह बुर नहीं होती। ये श्लोक गीताजी के अर्थ समझने की कुञ्जी है। उससे विरोधी अर्थवाले बचन यदि मिले तो उन्हें त्याग करने की भी मैं सलाह दूँगा। मम और विनयी मनुष्य को तो त्याग करने की भी जरूरत नहीं है। यह तो भिक्तों को ही कह दे कि दूसरे श्लोकों का आज इसके साथ मेल नहीं मिलता है तो यह गेरी बुद्धि का ही दोष है: समय बीतने पर इनका और इन उग्रोक्त श्लोकों में कहे गये सिद्धान्तों का भी मेल मिल रहेगा। अपने मन से और दूसरों से यह कह कर यह शान्त हो रहेगा।

शास्त्रों का अर्थ करने में संस्कार और अनुभव की आवश्यकता है। 'शूद्र को वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं' यह वाक्य सर्वथा गलत नहीं है। शूद्र अर्थात् असकारी, मूख, अज्ञान; वे वेदादि का अध्ययन करके उनका अनर्थ करेंगे। बड़ी उस के भी सब लोग बीजगणित के कठिन प्रश्न अपने आप समझने के अधिकारी नहीं हैं। उनको समझने के पहले उन्हें कुछ प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। ध्वनिबारी के मुख में 'अहंमत्तास्मि' क्या शोभा देगा? उसका बहू क्या अर्थ (या अनर्थ) करेगा?

अर्थात् शास्त्र का अर्थ करनेवाला यमादि का पालन करनेवाला होना चाहिए। यमादि का शुष्क पालन जैसा कठिन है वैसा निरर्थक भी है। शास्त्रोंमें शुद्ध का होना आवश्यक माना है लेकिन इस जमाने में शुद्धों का तो करीब करीब लोप सा हो गया है। शास्त्री लोग इसलिए भक्तिप्रधान प्राकृत ग्रंथों का पठनपाठन करने की शिक्षा देते हैं। किन्तु जिसमें भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, वह शास्त्र का अर्थ करने का अधिकारी नहीं होता। विद्वान लोग विद्वत्पूर्ण अर्थ उद्यम में भलेही निकाले लेकिन वह शास्त्रार्थ नहीं। शास्त्रार्थ तो अनुभव ही कर सकता है।

परन्तु प्राकृत मनुष्यों के लिए भी कुछ सिद्धान्त तो हैं ही। शास्त्रों के वे अर्थ जो सत्य के विरोधी हैं सही नहीं हो सकते। जिसे सत्य के सत्य होने के बारे में ही शंका है उसके लिए शास्त्र है ही नहीं जयवा बों कहिए उसके लिए सब शास्त्र अज्ञान हैं। उसको कोई नहीं पढ़ सकता। जिसे शास्त्र में से अहिंसा नहीं प्राप्त हुई है उसके लिए मय है लेकिन उसका उद्धार न हो यह बात नहीं। सत्य विभवात्मक है, अहिंसा निवेधात्मक है। सत्य वस्तु का साक्षी है, अहिंसा वस्तु होने पर भी उसका निवेध करती है। सत्य है, असत्य नहीं है। हिंसा है, अहिंसा नहीं है। फिर भी अहिंसा ही होना चाहिए। यही परम धर्म है। सत्य स्वयं सिद्ध है। अहिंसा उसका संपूर्ण फल है, सत्य में वह छिपी हुई है। वह सत्य की तरह व्यक्त नहीं है। इसलिए उसका मान्य किये बिना मनुष्य भले ही शास्त्र का शोध करे। उसका सत्य आखिर उसे अहिंसा ही सीखावेगा।

सत्य के लिए तपश्चर्या तो करनी ही पड़ती है। सत्य का धाक्षर्यकर करनेवाले तपस्वी ने चारों ओर फैली हुई हिंसा में से अहिंसा देवी को सवार के सामने प्रगट कर के कहा: हिंसा मिथ्या है, माया है, अहिंसा ही सत्य वस्तु है। ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपवित्राह भी अहिंसा के लिए ही हैं। ये अहिंसा की सिद्ध करनेवाले हैं। अहिंसा सत्य का प्राण है। उसके बिना मनुष्य पशु है। सत्यार्थी अपनी शोच के लिए प्रयत्न करते हुए यह सब बड़ी जल्दी समझ लेगा और फिर उसे शास्त्र का अर्थ करने में कोई मुसीबत पैदा न आवेगी।

शास्त्र का अर्थ करने में दूसरा नियम यह है कि उसके शब्दों को पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए लेकिन उसका अर्थ देखना

चाहिए, उसका रहस्य समझना चाहिए। तुलसीदासजी की रामायण उत्तम ग्रन्थ है क्योंकि उसका अर्थ स्पष्टता है, दया है, भक्ति है। अपने 'शूद्र गंगार होल अरु नारी में सब ताइन के अधिकाारी' लिखा इसलिए यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री को मारे तो उसकी अधोमति होगी। रामचन्द्रजी ने सीताजी पर कभी प्रहार नहीं किया, इनका ही नहीं उन्हें कभी दुश्म भी नहीं पहुंचाया। तुलसीदासजी ने केवल प्रसलित वाक्य को लिखा दिया। उन्हें इस बात का खयाल भी न हुआ होगा कि इस वाक्य का आधार के कर अपनी अधोमति का ताइन करनेवाले पशु भी कहीं निकल पड़ेंगे। यदि स्वयं तुलसीदासजी ने भी रिवाज के बंध बर्ती हो कर अपनी पति का ताइन किया हो तो भी क्या? यह ताइन अवश्य ही होव है। फिर भी रामायण पति के ताइन के लिए नहीं लिखी गई है। रामायण तो पूर्ण पुरुष का दर्शन कराने के लिए, सती शिरो-मणी सीताजी का परिचय कराने के लिए और भरत की आदर्श भक्ति का चित्र चित्रित करने के लिए लिखी गई है। दोषयुक्त रियाजों का समर्पण जो उसमें पाया जाता है वह त्याज्य है। तुलसीदासजी ने भूलोक सीखाने के लिए अपना अमूल्य ग्रंथ नहीं बनाया है इसलिए उनके ग्रंथ में यदि गलत भूलोक पायी जाय तो उसका त्याग करना अपना धर्म है।

अब गीताजी देखें। ब्रह्मज्ञानप्राप्ति और उनके साधन यही गीताजी का विषय है। दो सेनाओं के बीच युद्ध का होना निश्चित है। यह भले ही कह सकते हो कि कवि स्वयं युद्धादि को निषिद्ध नहीं मानते थे और इसलिए उन्होंने युद्ध के प्रसंग का इन प्रकार उपयोग किया है। महाभारत पढ़ने के बाद तो मेरे उपर जुदी ही छाप पड़ी है। व्यासजी ने इतने सुन्दर ग्रंथ की रचना कर के युद्ध के विषयात्मक का ही वर्णन किया है। कौरव हारे तो उससे क्या हुआ? और पाण्डव जीते तो भी उससे क्या हुआ? विजयी कितने बच्चे? उनका क्या हुआ? कुन्ती माता का क्या हुआ? और आज यादव कुल कहाँ है?

जहाँ विषय युद्ध वर्णन और हिंसा का प्रतिपादन नहीं है वहाँ उस पर जोर देना केवल अनुचित ही माना जायगा। और यदि कुछ श्लोकों का संबंध अहिंसा के साथ बैठाना मुश्किल मादम होता है तो सागी गीताजी को हिंसा के चौकटे में पढ़ना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है।

कवि जब किसी ग्रंथ की रचना करता है तो वह उसके सब अर्थों की कल्पना नहीं कर लेता है। काव्य की यही खूबी है कि वह कवि से भी बड़ जाता है। जिस सत्य का वह अपनी तन्मयता में उच्चारण करता है वही सत्य उसके जीवनमें अक्सर नहीं पाया जाता। इसलिए बहुतेरे कवियों का जीवन उनके काव्यों के साथ सुसंगत नहीं आलम होता है। गीताजी का सर्वांग तात्पर्य हिंसा नहीं है लेकिन अहिंसा है; यह २ रा अध्याय जिससे विषय का आरंभ होता है और १८ वा अध्याय जिसमें उसकी पूर्णावृत्ति होती है देखने से प्रतीत होगा। रस्य में देखोगे तो भी यही प्रतीत होगा। बिना कोप के, राग के या द्वेष के हिंसा का होना संभव नहीं। और गीता तो क्रोधादि को पार कर के गुणातीत की स्थिति में पहुंचाने का प्रयत्न करती है। गुणातीत में कोप का सर्वथा अभाव होता है। अर्जुन ने काण तक खींच कर जबजब धनुष चढ़ाया उस समय की उसकी लाल लाल आंखों में आश्र भी देख सकता हूँ।

परन्तु अर्जुन ने कब अहिंसा के लिए युद्ध छोड़ने की दृष्ट की थी। उसने तो बहुत से युद्ध किये थे। उसे तो यथार्थक मोह हो गया था। यह तो अपने सगेसम्बन्धियों को नहीं मारना चाहता

था। अर्जुन ने दूसरों को जिन्हे वह पापी समझता हो न मारने की बात तो की न थी। श्रीकृष्ण तो अंतर्दामी हैं। वे अर्जुन का यह क्षणिक मोह समझ लेते हैं और इसलिए उससे कहते हैं। 'तुम हिंसा तो कर चुके हो। अब इस प्रकार यकाएक समझदार बनने का दंभ करके तुम अहिंसा न भीख सकोगे। इसलिए जिम काम का तुमने आरंभ किया है उसे अब तुम्हें पूरा ही करना चाहिए। पण्डे में प्वालीस मील के वेग से जानेवाली रेलगाडी में बैठे हुआ एक यकायक प्रवास से विरक्त हो कर यदि चलती हुई गाडी में ही बूढ़ पडे तो यही कहा जायगा कि उसने आत्महत्या की है। उसने उसने प्रवास या रेलगाडी में बैठने के मिथ्यात्व को कुछ नहीं सीखा है। अर्जुन का भी यही हाल था। अहिंसक कृष्ण अर्जुन को दूसरी सलाह दे ही नहीं सकता था। लेकिन उससे यह अर्थ नहीं निकाल सकते कि नीताजी में हिंसा ही का प्रतिपादन किया गया है। यह अर्थ निकालना उतना ही अनुचित है जितना कि यह कहना कि शरीर-ध्यायार के लिए कुछ हिंसा अनिवार्य है और इसलिए हिंसा ही धर्म है। सूक्ष्मदर्शी इस हिंसाय शरीर से अशरीरी होने का अर्थात् माक्ष का ही धर्म गिखाता है।

लेकिन धृतराष्ट्र कौन था? दुर्योधन, युधिष्ठिर और अर्जुन कौन थे? कृष्ण कौन थे? क्या वे सब ऐतिहासिक पुरुष थे? और क्या गीताजी में उनके स्थूल व्यवहार का ही वर्णन किया गया है? अकस्मात् अर्जुन सवाल करता है और कृष्ण सारी गीता पढ जाते हैं। और यही गीता अर्जुन उमका मोह नष्ट हुआ है यह कह कर भी फिर भूल जाता है और कृष्ण से दुबारा अटुगीता कहलवाना है।

में तो दुर्योधनादि को आसुरी और अर्जुनादि को देवी प्रति मानता हूँ। धर्मक्षेत्र यह शरीर ही है। उसमें द्रव्य चलता ही रहता है और अनुभवी ऋषि कवि उसका तादृश वर्णन करते हैं। कृष्ण तो अंतर्दामी हैं और हमेशा छुद चित्त में बडी की तरह टिक टिक करते रहते हैं। यदि चित्त को शुद्धिपूर्वी चावी नहीं दी गई हो तो अंतर्दामी यद्यपि वहाँ रहते ताँ हैं, लेकिन उनका टिकटिकाना तो अवश्य ही बन्द हो जाता है।

कहने का आशय यह नहीं कि इसमें स्थूल युद्ध के लिए अस्त्रकाण ही नहीं है। जिसे आत्मा सूणी ही नहीं है उसे यह धम नहीं लिखाया गया है कि कायर बनना चाहिए। जिसे भय लगसाँ, आ समझ करता है, जो विषयमें रग है वः अवश्य ही हिंसाय युद्ध करेगा। लेकिन उसका यह धम नहीं है। धर्म तो एक ही है। अहिंसा के मानी है मोक्ष और मोक्ष सत्यनारायण का साक्षात्कार है। पर इसमें पीठ दिखाने की तो कही अवकाश ही नहीं है। इस विचित्र मगर में हिंसा तो दानी ही रहेंगी। उससे बचने का मार्ग गीता दिखाती है। लेकिन साथ साथ गीता यह भी कहती है कि कायर हो कर भागने से हिंसा से न बच सकोगे। जो भागने का विचार करता है उसे तो मारना चाहिए या मरना ही चाहिए।

प्रश्नकर्ता ने जिन श्लोकों का उल्लेख किया है उनका रक्षय यदि अब भी उनकी समझ में न आता तो मैं समझाने को असमर्थ हूँ। सर्व शक्तिमान ईश्वर कर्ता, भर्ता, और सहर्ता है और वह ऐसा ही होना चाहिए। इस विषय में कोई शका तो न होगी न? जो उत्पन्न करना है वह उत्पादनाश करने का अधिकार भी अपने पास रखता है। यह सिरी की भी नहीं मारता है क्योंकि वह उत्पन्न भी नहीं करता है। नियम यह है कि जिसने जन्म लिया है उसने मरने ही के लिए जन्म लिया है। ईश्वर भी इस नियम का नहीं तोबता है। यह उसकी वया है। यदि ईश्वर ही स्वच्छंद और स्वैच्छाकारी बन जाय तो हम सब कहाँ जायेंगे?

(नवनीचन)

मोहनदास करमचंद गंधी

## बिहारयात्रा

(गतांक से आगे)

जिन्होंने लगातार चरणों तक खारी पहनी है उनका अनुभव तो यह है कि यदि हाथ के कते हुए अर्द्ध सूत की खाई बनाई जाय तो वह खारी धाँक के भय से बटिया बते हुए मिल के सूत से बडी अधिक शिकाऊ होती है। उदाहरण के लिए मेरे कुछ आन्प्र देशीय मित्रों ने मुझे अपनी धोतियाँ बतलाई थी जो चार वर्ष तक चली थीं। इसके विपरीत मिल की धोतियाँ एक ही साल में फट जाती हैं। लेकिन मैं इस बात पर जोर नहीं दे रहा हूँ कि हाथ का कता हुआ सूत अधिक टिकाऊ होता है। पर मेरा प्रतिपाद्य विषय तो यह है कि भारतीय कृषकों के लिए हाथ की कताई का काम ही एक सहायक धन्धा हो सकता है। भारत की कुल जन-संख्या में से एकठा पीछे ८५ कृषक हैं। अतएव वहाँ सबन्धी हमारी माँग हाथ के कते हुए सूत के द्वारा ही पूरी की जानी चाहिए। इस प्रकार हमारा शोधियाँ चाहे जहाँ, और चाहे जिस तरह कते हुए और गब से सते सूत की तलाश में नहीं बल्कि सबसे सस्ते और सबसे बढिया हाथ के कते हुए सूत की तलाश में ही लगानी चाहिए। यदि उपरोक्त बातों में से एक भी बात सच हो तो हम राष्ट्र के उद्योग विभाग की चरखे को ही मुख्य और केन्द्र स्थान देना चाहिए। चरखे ही के ऊपर उस विभाग की इमारत खडी की जानी चाहिए। अतएव उद्योग-विभाग को ज्यादा सूत पैदा करने के लिए चरखे में सुधार करने चाहिए। उन्हें केवल हाथ का कता हुआ सूत ही स्वीरदना चाहिए। इससे हाथ की कताई के धन्धे को अपने आप उत्तेजन मिल जायगा। उन्हें ऐसे उपायों की योजना करनी चाहिए कि जिससे सब प्रकार के हाथ के कते हुए सूत का उपयोग किया जा सके। उन्हें हाथ के कते हुए सबसे उत्तम सूत के लिए कुछ पारितोषिक सुवर्ग करना चाहिए। उन्हें ऐसी भूमि तैयार करनी चाहिए कि जिसमें कातने लायक बढिया सूत पैदा हो सके। इतना काम कर लेने से हाथ की कताई के धन्धे को कम उत्तेजन नहीं मिलेगा। ऐसा करने से हाथ की कताई के साथ ही साथ हाथ की बुनाई को भी प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे आदिमियों की सेवा की जा सकेगी जिन्हें कि सहायता की बडी आवश्यकता है।

लेकिन इसके विरुद्ध यह दर्लाल की जाती है कि हाथकताई से कुछ लाभ नहीं। हाथकताई उन लोगों के लिए तो अवश्य ही बडे फायदे की चीज है जिनको कि घण्टों बिना काम के बैठा रहना पडता है और जिनकी आमदनी में एक पैसा भी यदि बढ जाय तो वे उसे बडे स्वागत की वस्तु समझते हैं। यदि हिन्दुस्तान के लाखों किसानों को ताल में कम से कम चार महीने यों ही आलस्य में बिना काम के न बिताने पडते होते तो चरखे का कार्यक्रम व्यर्थ ही था। जहाँ कहीं खादी के कार्यकर्ताओं ने प्रेमभाव से कार्य किया है वहाँ गाँव के लोगों को उससे बेचल लाभ ही नहीं हुआ है किन्तु वे तो उसे आशिर्वाद रूप समझते हैं क्योंकि अब उनके पास वे लोग हैं जो उनका सूत खरीद लेते हैं। जिसकी माहवारो आमदनी ५-६ रुपये से अधिक नहीं है और जिन्हें काफी समय है वे अपनी आमदनी में माहवार दो रुपया बढाने के लिए अवश्य ही बडी खुशी से कानेंगे।

### मल्लखाचक और दूसरे केंद्र

बिहार के कुछ स्थानों में स्वयंसेवकोंने जो कुछ काम किया है उसका ज्योरा मेरे सामने क्या हुआ है। हुनर-उद्योग के कारखाने को देखने के बाद मैंने मल्लखाचक में एक दूसरे केन्द्र की भी देखा।

यह स्थान घटना से बारह मील दूर है। सिर्फ मलबानक में ही जहाँ की आबादी केवल १००० की है कोई ५०० बरखे चलते होंगे और १० जुलाई हाथकता सूत ही बुनते होंगे। मैंने वहाँ कुछ बहनों को बरखा कातते हुए देखा। बरखे कुछ ठीक नहीं बने हुए थे लेकिन फिर भी कातनेवाळियाँ तो बड़ी खुशी से उस पर कात रही थी। वे औसतन २ रुपया माहवार पाती हैं। १००० की आबादी के गाँव में प्रतिमास ८०० रुपये की आमदनी का बड़ जाना कमी भी एक बड़ी अच्छी आमदनी कही जा सकती है। मैं जुलाई का जो माहवार रु. १५ के हिसाब से कमाते हैं कुछ भी हिसाब नहीं लगाता हूँ। याद यह आमदनी नयी न हो। ये लोग कताई को व्यवस्थित करने के अलावा गाँव के लोगों को अपने मर्यादित साधन और मर्यादित वैद्यकीय ज्ञान के अनुकूल दवा इ० की भी मदद करते हैं। उन्होंने यह कार्य १९२१ में शुरू किया था और उनके कार्य के अतीतक के घ्योरे से मालूम होता है कि ये छः केन्द्रों में सेवा कर रहे हैं। वे ये हैं: मधुबनी, कपामिया, सको, माधेपुर, पपरी और मलबानक। उन्होंने १९२२ में ६२००० रु. की खादी तैयार की, १९२३ में ८४००० की, और १९२४ में ६३००० की। और १९२५ के इन नौ महीनों में एक लाख की खादी तो तैयार भी हो चुकी है। १९२४ में कई की कमी के कारण ही वे कम खादी तैयार कर सके थे। रिपोर्ट मालूम होता है कि यदि उनको बराबर कई पहुँचाई जाय और इधका उन्हें यहीन विलाया जाय कि तैयार किया हुआ माल सब बिक जायगा तो इस कार्य को और भी अधिक बढ़ाने की उनकी शक्ति तो अमर्यादित है। उनका विश्वास है कि पञ्जाब का हर एक गाँव इस काम के लिए उनके वहाँ जाने पर उनका स्वागत करेगा। वे जो खादी तैयार करते हैं वे बड़ी अच्छी होती है और उसकी सब किस्में कुछ मोटी और सुरदरी भी नहीं होती। उनमें कुछ तो बड़ी महीन और सफाईदार होती हैं। वे १० अंका सूत ४० तोला कातने पर चार अना कताई देते हैं और ४५ इंच पने के रूपके की टाई आना गज के हिसाब से बुनाई देते हैं। वे कुल २८ कार्यकर्ता हैं। इन केन्द्रों के पीछे सुराक और सफर सबे मिलाकर औसतन एक कार्यकर्ता के पीछे २५ रु. माहवार खर्च होता है। वे केन्द्र या मजार भी कुछ नुकसान उठाकर काम नहीं करते हैं। वे अपनी खादी की बिक्री को व्यवस्थित किये हुए हैं। अब प्रतिमास वे जिस किस्म का सूत पाते हैं उससे प्रतीत होता है कि धीरे धीरे उसमें बड़ा सुधार हो रहा है। इन कार्यकर्ताओं के बंदोबस्त ७००० बरखे और हाथकते सूत को बुनने वाले २५० करधे चलते हैं।

बिहार की स्थिति किसी प्रकार कुछ विशेष तो है ही नहीं। बंगाल, आंध्र, तामिल और संयुक्त प्रान्तों के बहुतेरे भागों में भी ऐसी ही स्थिति पाई जाती है। मैंने इन प्रान्तों का नाम इसलिए दिया है क्योंकि उन लोगों की स्थिति का जिन्होंने कताई को अपना लिया है वहाँ अच्छी तरह अभ्यसन किया जा सकता है। वर्तमान समय में तो बहुतेरे प्रान्तों की स्थिति भी वैसी ही प्रतीत होगी। उमीदा की ही लीजिए। वहाँ लोग किसी कदर गुजारा करते हैं और इसलिए उस प्रान्त में सिर्फ होशियार कार्यकर्ताओं की और सुव्यवस्थित कार्य की ही राह देखी जा रही है। राजपूताना में बहुत से लक्ष्यधरियों के होने पर भी वह एक ऐसा देश है जहाँ कताई का हुनर अब भी जीवित है और जहाँ आम लोग बहुत ही गरीब हैं। यदि राजा महाराजा लोग इस हलचल को मदद करेंगे, अपने अपने राज्य में खादी पहननेवालों को उत्तेजन देंगे, और जहाँ कहीं खादी के प्रचार में बाधाएँ उपस्थित की गई हों उन्हें

दूर कर देंगे तो इस पुराने जलहीन देश में बिना किसी भी प्रकार की सूझी के लयाये और बिना किसी प्रकार के आडंबर के लाखों रुपया गरीब लोगों को मिल सकेगा।

### हिन्दू-मुस्लिम-प्रश्न

घटना से हरा भागलपुर पहुँचे। भागलपुर में एक बड़ी सार्वजनिक सभा की गई थी। उसमें मुझे हिन्दू-मुस्लिम-प्रश्न के संबंध में कुछ विस्तार से बोलना पड़ा था। यद्यपि उन लोगों पर जो कि इय प्रश्न को लेकर हलचल किया करते हैं, अब मेरा कोई प्रभाव नहीं रहा है फिर भी ये इस प्रश्न से उत्पन्न होनेवाली जुदी जुदी समस्याओं के बारे में मुझसे बर्चा किया करते हैं। इसलिए मुझे यह खयाल हुआ कि मैं इस संबंध में अपने खयाल, चाहे उसकी कुछ भी कीमत क्यों न हो, फिर से जाहिर कर दूँ। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि दोनों पक्षों का बार बार उन मामलों के बारे में सरकार के पास जाना जिनको कि हम आपस के समझौते से या तलवार के बल से निबटा सकते हैं, उसके गुणदोष का विचार न करके भी, मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैंने धोताओं से कहा कि यदि दोनों में से एक भी पक्ष समझौता करने के लिए राजी नहीं है और दोनों को एक दूसरे की तरफ से डर लगा रहता है तो इस बात का प्रयत्न करने के बनिस्बत कि सरकार आकर हलचल करें और मामले को निबटाईं बेहतर तो यह है कि वे सब डर काठी के बल से ही उसका निबटारा कर लें। डर कर भाग जाना कायगता है और कायरता से न तो समझौता हो सकेगा और न अहिंसा की ही कुछ मदद मिलेगी। कायरता हिंसा को एक किस्म है और उसे जीतना बड़ा ही दुश्वार है। हिंसा से प्रेरित मनुष्य की हिंसा छोड़ कर अहिंसा की उत्तम शक्ति को ग्रहण करने को समझाने में सफल होने की आशा की जा सकती है लेकिन कायरता तो सब प्रकार की शक्ति का अभाव है और इसलिए हिंसा के संबंध में चूहे को अहिंसा सीखाना केवल अशभव ही है। और क्यों कि बिना काँ मारने की उसमें शक्ति नहीं है वह यह समझने में भी असमर्थ होगा कि अहिंसा किस चीजिया का नाम है। अन्ध को बुरी चीजों की देखने से मना करना क्या हास्यास्पद नहीं प्रतीत होता? १९२२ में मैं और मोलाना पौकतअली बैठिया गये थे। बैठिया के नजदीक एक गाँव के लोगों ने मुझसे कहा कि जब पुलिस उनके गाँव को छूट रही थी और धोरतों को हैरान कर रही थी उस समय वे माग गये थे, क्योंकि मैंने उन्हें अहिंसक रहने के लिए कहा था। यह सुनकर मैंने धारम के बारे में बहस शुरू की। फिर मैंने उन्हें यह यकीन दिखाया कि मेरी अहिंसा के मानी यह कदापि नहीं। मैंने तो उनसे यह आशा रखी थी कि यदि कोई सब से बड़ी ताकत भी उन लोगों को सताती हो जो उनकी रक्षा में है तो वे अवश्य ही बीच में पड़ने और सारा बार अपने सिर उठा लेंगे यहाँ तक कि मर जायेंगे लेकिन उन तूफान की जगह से भागें नहीं। तलवार की नोक से अपने माल, इज्जत और धर्म की रक्षा करने में काफ़ी मर्दानगी है और जालिम को कुछ भी नुकसान न करने की इच्छा रखते हुए उनकी रक्षा करना उससे भी अधिक मर्दानगी का और गौरव का कार्य है। लेकिन कर्तव्य की जगह या छोड़ कर भाग जाना और अपनी जान बचाने के लिए अपने माल इज्जत और धर्म को जालिम की दया पर छोड़ देना, केवल नाभर्सी का अस्वाभाविक और गौरवहीन कार्य है। वे जो मरना जानते हैं उन्हें मैं मेरी अहिंसा सफलतापूर्वक सीखा सकता हूँ लेकिन जो मरने से डरते हैं उन्हें मैं अहिंसा नहीं सीखा सकता। मैंने धोताओं से यह भी कहा कि जो लोग मेरी तरफ आब दूख कर लड़ना नहीं चाहते हैं और समझौता करने में

असमर्थ हैं वे उन मुसलमानों की तरह जो पहले चार खलीफ़ाओं के जमाने में जब भाई भाई आपस में लड़ने लगे थे गुफ़ाओं में जा कर बैठे थे, अलग जा बैठ सकते हैं। इन दिनों पर्वतों की गुफ़ाओं में जा कर रहना व्यवहार दृष्टि से असंभव मालूम होता है लेकिन इरेक आदमी अपने पास हथियारों जो गुफ़ा है उसमें अवश्य ही विभ्रान्ति के सकता है। लेकिन यह तो बढ़ो कर सकते हैं जो एक दूसरे के धर्म और रिवाज की सम्मान की दृष्टि से देखते हों। (अपूर्ण)  
 मोहनदास करमचंद गांधी

**ज्ञाति से बहिष्कृत**

जिस समाज के महाजन बिना विचारे केवल धर्म से, वधर्म के कारण या क़ानून या ईर्ष्या से प्रेरित हो कर व्यक्तियों का बहिष्कार करते हैं उस समाज में रहने के बलिष्ठत वह समाज हमारा त्याग कर दे रही इष्ट है। क्योंकि यदि समाज एक भी सत्यनिष्ठ व्यक्ति का त्याग कर दे तो फिर उसमें दूसरे सत्यनिष्ठ मनुष्य क्यों कर रह सकते हैं ?

यह तो सिद्धान्त की बात हुई। यदि हमेशा हम उसपर अमल नहीं कर सकते हैं तो भी हमें उसका स्मरण रखना आवश्यक है। मालूम होता है कि आजकल महाजनों का गुण बट रहा है। ऐसे भी महाजन पड़े हैं जो अत्यंत की आज्ञा कमाना भी दोष मानते हैं। उन्हें एक पक्ष में विधानेवाले और उसमें अपनी सम्मति देनेवाले हिन्दू तो पापा समझे जाते हैं। ऐसे पापियों के समाज में तो हमारे बीच जो जा पुण्यात्मानों हों वे सभी दाखिल हों।

लेकिन बहिष्कार कैसे सहा जाय ? किसीके यत्न भोजन नहीं पा सकते, धोबी बन्द कर डाले हैं, और नाई को भी बन्द कर देते हैं। फिर वे डाक्टर को भी क्यों न बन्द कर ? अब बेपल जान से मार डालना ही बाकी रहा न ? बहिष्कृत सुधारकों में गुरु पथेन अटक रहने की शक्ति तो अवश्य ही होनी चाहिए। बिशुद्ध बने हुए हिन्दू अन्त्यजों की आत्मार्थिक सेवा मर कर ही कर सकते हैं। किसीके यहां भोजन करने का आवश्यकता ही क्या है ? अपने घर बैठे स्वयंवादी बन कर शान्ति से भोजन क्यों न करें ? धोबी यदि बपडे न धोवे तो हाथ से धो ले और उतने पैरों की बखत करें। इजामत हाथसे कर लेना तो आजकल सामान्य बात ही पडी है। लेकिन कन्या का ब्याह करेगा कहा ? और पुत्र के लिए कन्या कहाँ ढूँढेंगे ? यदि अपनी ज्ञाति में से ही नया बधू ढूँढने का आग्रह हो और यदि न मिले तो उन्हें सयम का पालन करना चाहिए। यदि उतना सयम रखने का शक्ति न हो तो दूसरी ज्ञाति में उसके लिए शोध करना चाहिए। यदि उसमें भी निराशा होना पड़े तो जो वस्तु अपरिहार्य है उसके लिए उदासीन ही रहना चाहिए।

वर्ण तो चार ही है। ज्ञाति चार हो या चाहीस हजार हो। छोटी छोटी जातियों का समागम होना तो स्वागत के ही योग्य है। छोटी जातियों से हिन्दू धर्म को बड़ी हानि उठानी पडी है। जो बन्धु है वह समस्त हिन्दुस्तान की देखे जाय। मैं कहीं भी सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न क्यों न करे ? ब्राह्मण जाति के और सम्बन्ध प्रयोग के आधार-बिनावाले प्रायः सभी गुजरात के ब्राह्मण अपने लिए वर कन्या क्यों न करे ? दाता सुधार करने की भी यदि हिम्मत नहीं है तो हिन्दुत्व में जति गहकित हो जाने का भय है। समाल की लड़की गुजरात में अब और गुजरात की लड़की बंगाल में जाय यह बात कुछ सम्भाव्य ज्ञाति नहीं है। वर्ण की रक्षा करनेवाले यदि छोटी छोटी जातियों की भी रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे तो छोटी जातियाँ तो गई है और उसके साथ सम्भव है कि वे वर्ण की भी छो भँडेंगे।

आज वर्ण भी तो छिन्न भिन्न हो गये हैं। सभी पुरुषों को दण्ड विषय का पूरा पूरा मथन करने की आवश्यकता है। प्रथम गुजरात के ही वर्ण मिल कर अपने व्यवहार का विस्तार बढावें तो वे बहुत कुछ आगे बढ़े कहे जावेंगे। सब वर्ण अपनी छोटी छोटी ज्ञातियों को क्या एक नहीं कर सकते ?

छोटी छोटी जातियों के महाजनों में यदि इस पर विचार करने जितना उत्साह भी न हो तो व्यक्तियों को ही प्रथम आगे कदम बढाना चाहिए।

लेकिन मुझे बात तो बहिष्कार ही की करनी थी। छोटी छोटी जातियों के बारे में मैंने इतना विचार किया वह केवल बहिष्कृत व्यक्तियों की अपनी शान्ति के लिए ही। मुझ चारों घर का ही या बाहर का उसे दूर करने का उपाय एक ही है। बहिष्कृत व्यक्ति का मार्ग तो आज बहुत ही सरल है। लेकिन मान लो यदि छोटी छोटी जातियों का आज जो वातावरण है उसमें किसी छोटी जाति से बहिष्कृत व्यक्ति वर्ण से भी बाहर हो जाय तो ? ऐसा हुआ तो भी क्या ? आज हिन्दुस्तान में प्रत्येक स्थल में ऐसे सुधारकों का आवश्यकता है जिन्हें एकाकी खंड रहने की शक्ति प्राप्त हो।

लेकिन इस प्रकार जो गुरु व्यक्ति एकानी खंडे रहने की हिम्मत करता है उसे शोध नहीं होता, उसे द्वेष नहीं होता, वह सहनशील होता है। वह जातिम का भी तिरस्कार नहीं करता है। वह उमका भी मला चहता है और मोका मिलने पर उसकी सेवा करता है। सेवा का धर्म कोई कर्मी भी न छोड़े। सेवा करने का आँकार तो हो ही नैसे रूकता है ? धर्म तो यह कहता है : "मैं तो सेवा हूँ, मुझे विभाताने अधिकार दिया ही नहीं है।" जिसमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है वह खोवेगा क्या ? बहिष्कृत या तो सेवा करने की इच्छामान का भी त्याग कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को सेवा भी प्राप्त हो जाती है ऐसा कुछ विचित्र नियम है लेकिन उससे सेवक को कुछ मतलब नहीं। सेवा भी प्राप्त होगी इस दायान्त से जो सेवा के त्याग का दावा करता वह चार है। उसे अवश्य ही निराश होना पड़ेगा।

अन्त्यजों के सेवकगण ! तुम्हें जो कष्ट पहुँचाने उन्हें तुम रजकण के समान नम्र रह कर कष्ट पहुँचाने दो। पृथ्वी अपने पैरों के नीचे रादा दपी रहती है, कुपली जाती है फिर भी वह हमें अभय प्रदान करती है। इसीलिए हम उसे माता कहते हैं और रोम गुबह उठकर उसका स्तवन करते हैं।

"समुद्र जिसका बसन है, पर्वत जिसका स्तन-मण्डल, बिशु जेते रक्षा करनेवाले जिसके पति हैं, उसे कीटि कीटि नमस्कार हों। हे माता हमारे पादरपण की हमें क्षमा करना।" भूमी माता से जिन्होंने उच्चोत्तम नम्रता सीखी है उन सेवकों का बहिष्कार हो तो भी उन्हें कुछ भी हानि न होगी।

(नवजावन)

मोहनदास करमचंद गांधी

**रूप भेजा**

अनिल नारायण बरखा-संघ का वषे इस मने से शुरु होता है इसलिए जो उसके समागम होना चाहें उन्हें अपने सूत का मादानी चन्दा भौतल ही भेज देना चाहिए। महात्मा के वे समागम जो कतई की शर्त के अनुसार नियमित सूत का चन्दा भेजते थे उन्हें नगदा संघ के समागम बनने में कोई मुश्किल न मालूम होगी। लेकिन उन अनियमित समागमों को भी जो अपना सूत का चन्दा पूरा नहीं दे सकते थे, अब बरखा-संघ के समागम बनना चाहिए क्योंकि महात्मा के मूल चन्दे के बलिष्ठत अब वह चन्दा आणा ही रद गया है। इन अनियमित समागमों को कम से कम बरखा-संघ के 'ब' वर्ण के समागमों में दाखिल होने में तो कोई मुश्किल होनी ही न चाहिए।



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ८

मुद्रक—महाशय  
 देवीलाल कमानलाल शुभ

अहमदाबाद, कानिक बरी ६, सितम् १९८२.  
 बुधवार, ८ अक्टूबर, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 सारंगपुर जरकीमरा की बाकी

## टिप्पणियां

### बड़े भाई का असहचलन

मौलाना मौलानाजी अ. भा० न० से० की कार्य-प्रभा में अपनी स्थिति कायम रखने की ओर मुझे है। वे अपने काम के द्वारा जादी के प्रति अपनी विश्वास सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए पहले छोटा बहुत निमित्त कामने का काम किया था, पर अब वे उसे अधिक से अधिक निमित्त कार्य से करने तथा मुझे मानिक चंदा मेवने में हदता से काम लेंगे। उन्होंने इस कार्य के आखिर तक 'अ' वर्ग के कम से कम २००० मुसलमान सदस्य बनाने का प्रण किया है। मैंने मौलाना साहेब से कहा है कि इस गाल के आखिर के पहले 'अ' वर्ग के ३००० सदस्य बना केना मुझे पूर्ण संतोष देगा। किन्तु मैंने उन्हें यह भी कहा है कि अंतका कातना पैसा न हो परन्तु जो निगमपूर्वक कारते हों और मन्दीनेवार अपना मृत मेजते हों ऐसे ३००० मुसलमान पाने में उनकी बहुत ही ज्यादा शक्ति कार्यनी पडेगी। आज महा-सभा के रजिस्टर में सारे हिन्दुस्तान में श्री और पुरुष मिलाकर भी ३००० सदस्य ऐसे नहीं हैं जिन्होंने कि आज तक का २००० पज का चंदा दिया हो। यह बात अत्यंत दुःखद है परन्तु सत्य है। परिवर्तन तो निस्सन्देह चंदा आया रह जाने से होगा। परन्तु अनुभव से यह जाना गया है कि लोग उफसाये जाने पर और ओषा में आ के एक विशेष काम करने को तैयार हो जाते हैं मगर बहुत लोग ऐसे हैं जो लगातार हर दिन हर मास कोई काम नहीं किया करते। तो भी मेरा तो यही विश्वास है कि विशेष तरकीब करने के पहले हमें ऐसे महत्वपूर्ण चाहने पडेगे जो राष्ट्र के लिए की गई प्रतिज्ञाओं को कटने तक धारण करने में अपना गौरव समझेगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मौलाना साहेब को पूर्ण सफलता हो।

### १४ लाख जमा करके भी गरीब

एक मित्र लिखते हैं:—

“मैंने सुना है कि आप सन्वासी होने का दावा करते हैं। पर इसके साथही आपने अपने तथा अपने बालबच्चों के लिये एक बड़ी रकम जमा कर रखी है। रकम १४ लाख की सुनी जाती है। इस रकम का आपने एक ट्रस्ट भी बनाया है और आप बका

सीबा और आराममय जीवन ध्यतीत करते हैं। यह सुनकर हमसे से कुछ लोगों का दिल तो बहक उठा है। क्या आप मिहरबानी करके जनता के सामने उन विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे? मुझे खुद इस बात पर विश्वास नहीं हुआ है।”

यदि यह मकूल मेरे एक परिचित मित्र द्वारा उपस्थित नहीं किया जाता तो मैं इस की ओर ध्यान भी नहीं देता। साथ कर इतिहास कि कलही मास पूर्व मुझसे अपने निजी कार्य के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछा जा चुका है और उसका उत्तर देते हुए मैंने अपनी खानगी बातों का भी उससे उल्लेख कर दिया है। मेरे पास कभी भी मेरे निजके १४ लाख रुपये नहीं रहे हैं। जब मैंने अपनी सब सम्पत्ति का त्याग किया उस समय मेरे पास जो कुछ था उसे मैंने एक ट्रस्ट के आधीन कर दिया। पर यह रकम सार्वजनिक कार्यों के निमित्त की थी, उसमें से मैंने निजके लिये कुछ नहीं रक्खा था। मैंने अपने आपको कभी सन्वासी नहीं कहा है। सन्वास धारण करना बड़ा कठिन है। मैं अपने आपको सेवामय जीवन ध्यतीत करने वाला एक नव गृहस्थ मानता हूँ। साबरमती के सत्याग्रह आश्रम के सस्थापको में से मैं भी एक हूँ। मेरे मित्रवर्ग के शान पर मेरी गृहस्थी चलती है और आश्रम भी मित्रवर्ग की सहायता से ही चलता है। यदि आराम और सज्जनकी स्थितियां हैं तो सचमुच मैं बड़े आराम और सज्जन के साथ रहता हूँ। बिना प्रव्य की सहायता के ही मुझे अपनी आवश्यकता के अनुसार सब कुछ मिल जाता है। हमेशा कार्य से लगे रहने के कारण मेरा जीवन आत्मन्दमय रहता है। मैं एक पक्षी के समान स्वतन्त्र हूँ क्योंकि मुझे इस बात की चिन्ता नहीं रहती कि कल मेरा क्या होगा। स्वमुच मेरे वर्तमान जीवन को देखकर तो यह भी कहा जा सकता है कि मैं मुसलमान का जीवन ध्यतीत करता हूँ। कुछ ही दिन पहले जब श्री गया स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हुई थी एक अंग्रेज रमणी ने मेरे पास आकर प्रश्न किया था, “मैं तो समझती थी कि आप तीसरे दर्जे में मुसाफरी करते होंगे जहाँ बहुत भीड़ रहती है। पर मैं देखती हूँ कि आप तो कई आश्रमियों के साथ बड़े आराम से सेकन्ड क्लास में मुसाफरी कर रहे हैं। क्या आपने ऐसा नहीं कहा है कि मैं गरीबों के समान रहना चाहता हूँ। क्या आप यह सोचते हैं कि गरीब आदमी भी सेकन्ड क्लास में बैठने में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं? क्या आपका कार्य आपके सिद्धान्तों के प्रतिबन्ध

नहीं है ?" मैंने बिना किसी प्रकार की आनाकानी किये एकदम स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं अपराधी हूँ। मैंने उस बाई को यह बतला देने की परवा न की कि मेरा जीर्णशीर्ण शरीर लगातार की थड़े क्लास की मुसाफरी की बकावट को सहन करने में असमर्थ हो गया है। मेरे खयाल से शरीर की जीर्णता इस बात का बहाना नहीं हो सकती थी कि मैं सेकन्ड क्लास में मुसाफरी करूँ। मैं दुःख के साथ यह बात जानता हूँ कि लाखों स्त्री-पुरुष शरीर में मुझसे भी अधिक कृश हैं पर फिर भी जब तक उनके कोई ऐसे मित्र नहीं हैं जो उन्हें सेकन्ड क्लास का किराया दे सकें उन्हें तीसरे दर्जे में ही मुसाफरी करना पड़ती है। मैं कहा करता हूँ कि मैं गरीबों के साथ एक रूप होना चाहता हूँ। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि मेरा आचरण मेरे इस कथन से मेल नहीं खाता है। यही जीवन की दुःखान्तक कथा है पर इस दशा में भी मैं अपने आनन्द से दूर होना नहीं चाहता। मेरे वर्तमान जीवन में उस बाई को जो विरोध दिखाई दिया उसके रहते हुए भी यह विचार कि मैं ईमानदारी के साथ निरन्तर अपनी शारीरिक आवश्यकताओं से लड़ रहा हूँ मुझे पोषण देता है।

(य. ई.)

भा० क० गांधी

## बिहार यात्रा

२

चक्रधरपुर से चेबासा तक बड़ा ही अच्छा गेजोहर रास्ता है। इस रास्ते पर मोटर भी जा सकती है। चेबासा में मेरी 'हो' नामक जाति के साथ मुलाकात हुई। इस जाति के पुरुष और स्त्रियाँ सब के सब देखने लायक हैं। वे बालों के समान सरल बिलत हैं और उनमें इतना पक्का विश्वास है कि कोई भी मरकना से उसे हिला नहीं सकता। उनमें से बहुतसे तो चरखा और खादी का उपयोग करते हैं। ई. स. १९२१ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनमें सुधार का काम शुरू किया। उनमें से बहुतसों ने तो मृत शरीर का खाना बन्द कर दिया है और कई शाक-भोजी हो गये हैं। जब मैं रांची जा रहा था तो रास्ते में खुटी नामक स्थान पर मेरी मुष्ठा जाति के लोगों के साथ मुलाकात हुई। उनमें काम करने के लिए बड़ा विस्तीर्ण क्षेत्र है। कई पीढियों से क्रिश्चियन पादरी उनकी बहुमूल्य सेवाएँ कर रहे हैं पर इसके बदले में वे उन भोले प्राणियों को ईगाडे बनाना चाहते हैं और मेरी नाकिम राय में इसी लिये उन्हें विशेष लक्ष्य नर्त होना। मैंने वहाँ कुछ स्थानों में उनकी पाठशाळा भी देखीं। यह सब कुछ ठीक था पर पादरियों और हिन्दू कार्यकर्ताओं के बीच मुझे बड़ा झगडा होने की संभावना दिखाई दी। हिन्दू कार्यकर्ता यदि चाहें तो आसानी से इन दो, गण्डा आदि जातियों के दिलों में अपनी सेवाओं के प्रति विश्वास पैदा कर सकते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि पादरी लोग भी धर्म परिवर्तन करने की आन्तरिक इच्छासे नरी बल्कि अनुप्यजाति की सेवा के भाव से उनमें कार्य करें। इस संबंध में मैंने जो विचार मिशनरी कॉन्फेरन्स और कलकत्ता की अन्य क्रिश्चियन सभ्याओं के सामने रखे थे, उन्हें फिर से यहाँ दहराने की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी सद्भावना से चाहे जितना उपदेश दे क्रिश्चियन समाज के कार्यक्रम में इस प्रकार का क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता और खाम कर बंदी हालत में तो यह बिल्कुल ही असम्भव है जब कि यह उपदेश किसी बाहरी आदमी द्वारा दिया गया हो। यह तो तभी हो सकता है जबकि उनमें के किसी व्यक्ति को इस बातमें पूर्ण

विश्वास हो जाय अथवा उनकी गार्पूण जाति के अन्दर इसके लिये गामुदिक आन्दोलन सदा हो। इन्हीं जातियों में कुछ लोग हैं जो 'भक्त' कहलाते हैं। भक्त लोगों का खारी में विश्वास है। इस जाति के स्त्री और पुरुष सबके सब चरखा चलाते हैं। वे अपने ही हाथ की बुनी हुई खादी पहनते हैं। उनमें से कई तो अपने अपने चरखों को कंधों पर रख कर मीलों चले आये थे। यहाँ एक सभा में मुझे ब्याख्यायन देने का अवसर मिला था जहाँ ४०० आदमियों को लगातार चरखा चलाते हुए मैंने देखा। उनके कुछ भजन बने हैं जिन्हें वे एकत्रित हो कर गाते हैं।

छोटा नागपुर की मेरी सपूर्ण यात्रा मोटरों में हुई। सब रास्ते अच्छे हैं और उनके आसपास का दृश्य बड़ा ही मन्य है। चेबासा से हमें चक्रधरपुर लौट आना पड़ा। चक्रधरपुर से मोटर में चकर कर कुन्तो और एक दो दूसरे स्थानों पर ठहरते हुए रांची पहुँचे। रांची पहुँचने के कुछ ही पहले शाम के ९ बजे वहाँ एक महिलाओं की सभा करने का निश्चय हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि सभा के संवातकों अथवा महिलाओं ने मेरी देशबन्धु स्मारक फण्ड की अपील के लिये भी कुछ ठहरा लिया था या नहीं। पर जब कभी मैं सार्वजनिक सभा में कुछ जोलना हूँ तो यह अपील करना नहीं भूलता। इसलिए इस सभा में भी मैंने अपील पेश करदी। खापी से उगाडा त्रियॉ बगाड़ी थी। बहुतसी तो अपने साथ पैसे नहीं लाई थीं अतएव उन्होंने अपने सहने ही उत्तर कर दे दिए। कुछ सहने तो बडे कीरणी थे। बड़ बड़ा ही अच्छा दृश्य था जब कि ये बगालिन सहने अपने प्रिय पिता की स्मृति में अपनी खुशी में अपने सहने उत्तर कर दे रही थीं। कहना अनापययक होगा कि मैंने इन सभ्यों में साफ साफ प्रकाशित कर दिया कि दान की यह तयाम रकम चरखा और खादी के प्रचार में लाने की जायगी।

रांची में मुझे गठकन्हा ले गये। यह एक छोटासा गाँव है यहाँ बाबू गिरीशचन्द्र मानसदार की अधीनता में सहकारी समिति की ओर से हाथ की बुनाई का प्रयोग किया जा रहा है। बाबू गिरीशचन्द्र खादी का काम पूरे उत्साह से करते हैं। उन्हें आशा है कि बुनाई के काम में पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकेगी। प्रयोग हाल ही में शुरू किया गया है। यदि सगठन ठीक प्रकार से किया गया और चरखों ने अच्छा काम दिया तो दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी चरखा सफलता प्राप्त कर सकेगा।

रांची में देशबन्धु दाम स्मारक धोप के लिए कुछ लोगों ने कम्पनियों बनकर नाटक के दो खेल किये। एक खेल बंगालियों ने और दूसरा बिहारियों ने किया था। चकि ये नाटक कम्पनियों खेल करने का पणा नहीं करती थीं मैंने उनका निमन्त्रण स्वीकृत करने में कोई आपत्ति न की। पर बंगालियों द्वारा किये गये खेल से तो मैं बड़ा निराग्न हुआ। मुझे पता करनेवाली कम्पनियों और इस कम्पनी के खेलों में कोई अन्तर नहीं दिखाई दिया। इसमें भी पजेदार कम्पनियों की पूरी पूरी जकल थी। सब की सब पोशाकें विदेशी वस्त्रों की बनाई हुई थीं। चेहरों पर पाउडर भी लगाया गया था। मुझे तो यह आशा थी कि ऐसी बालें न होंगी और कस से कस इस तो खारी की ही होंगी। इसीलिए जब मैं बिहारी कम्पनी द्वारा किये गये खेल में जाने लगा तो मैंने यह ध्यान कर ली कि यदि आप मुझे अपना खेल दिखाना चाहते हैं तो आपको खादी के उसों का उपयोग करना होगा। मैं केवल अभी ही बरन हमेशा के लिए आप लोगों को खादी की इस काम से लानी होंगी। जब उन्होंने इस धर्न को एकदम स्वीकार कर लिया तो सबसुख मुझे आश्चर्य हुआ। बहुत बोधाशा समय बाकी

रह गया था और उसी में उन लोगों को तमाम परिवर्तन करना था। मेनेजर ने मेरे साथ जो वादा किया था उसका उल्लेख करते हुए उसे पूर्ण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। यद्यपि इस परिवर्तन के कारण विहारियों के खेल में चटकमटक की कमी रही पर मेरी राय में इससे उनका गौरव बढ गया। मैं तमाम ऐसी नाटक कम्पनियों के लिए इस प्रकार के परिवर्तन की सिफारिश करता हूँ। सच तो यह है कि नाटक का पेशा करनेवाली वे कम्पनियाँ जिनमें कि स्वदेशानुराग का अङ्कुर विद्यमान है इस प्रकार का परिवर्तन सरलता के साथ कर सकती है और इस तरह दिन पर दिन बढने वाले भारत के लाखों लोगों की आर्थिक उन्नति में कुछ वृद्धि करेगी, फिर वह चाहे कितनी ही थोड़ी हो।

उद्योग विभाग के मेल्स एन. के. राय और एम. के. राय से मेरी खादी पर बड़ी रोचक बहस हुई। एक प्रश्नचर्याश्रम भी मैंने देखा। यह आश्रम महाराजा कालिमबाजार के दान का फल है। रांची के मोटर में बैठ कर हम हजारीबाग पहुँचे। यहाँ कड़्यों से मुलाकात लेने के बाद मैं सेन्ट कोलम्बस मिशनरी कॉलेज के निवार्यी जर्म के सामने कुछ बोलने के लिए गया। यह मिशनरी कॉलेज बड़ी पुरानी संस्था है। मैंने विद्यार्थियों के सामने समाज सेवा पर कुछ कहा। मैंने यह दिखलाने का प्रयत्न किया कि यह सेवा यारिध्य के बिना नहीं हो सकती। छोटे छोटे गाँवों में प्रवेश विद्ये बिना भारत में शिक्षाल रूप में समाज-सेवा नहीं की जा सकती। और यहाँ उम सेवा का पुरस्कार होगा क्योंकि इसमें न जोश खरोश है, न शांद्हनबाजी है और अक्सर यह बड़ी कठिन परिस्थिति में तथा घने अज्ञान और वदम के मुकाबले में करनी पड़ती है। मैंने उन्हें यह दिखलाने का प्रयत्न किया कि भारतवर्ष में समाज-सेवा का सबसे अच्छा रूप कोई हो सकता ही नो वह है चरखे और खादी। क्योंकि इसके द्वारा युवक लोग देशातियों के सम्पर्क में आते रहेंगे, उनकी जब में रोज कुछ पैसे बालने रहेंगे और अपने तथा उनके बीच एक अटूट ममत्व कायम कर सकेंगे। एव इसके द्वारा उन्हें अपने कर्ता की पहचान होने में सहायता मिलेगी क्योंकि पान-दुस्त्रियों को निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर-सेवा है।

हजारीबाग से गया तक मोटर रास्ते पर के कुछ स्थानों में ठहरते हुए हम पटना पहुँचे यहाँ महासमिति का कार्य और अ० भा० चरखा संघ की स्थापना ये मुख्य कार्य थे। पटना में मुझे मादूम हुआ कि लगातार की मुसाफरी की थकावट के कारण मेरा स्वास्थ्य बडा खराब हो जायगा। उधों ही गया नजदीक आने लगा लोगों की भीड़ की आवाज मेरे कानों को असह्य मादूम होने लगी। यदि मैं कानों में उंगलियाँ न डाल लेता तो मुझे गश आ गया होता। राजेन्द्र बाबू ने इस अविवेकपूर्ण पर साथ ही सद्भाव प्रेरित शोरगुल को बन्द करने में बडे परिश्रमपूर्ण उपायों से काम लिया। उन्होंने बड़ी मिहरबानी कर के मेरे कार्बकम में सशोधन कर दिया और उसे बटा दिया। इस कारण और रथानों की बानिस्वत पटना में मुझे कुछ अधिक आराम करने को मिला। बहुत दिनों ने खुदाबख्श ओरियन्टल लायब्रेरी को देखने की मेरी इच्छा हो रही थी। अतएव मैं अपनी इस कामना को पूरी करने के लिए वहाँ गया। मैंने इस लायब्रेरी के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुना था। पर मेरा यह विश्वास नहीं था कि उसमें इतना बहुमूल्य खजाना है। इसके प्रेमी संस्थापक खान बहादुर खुदाबख्श एक वकील थे। उन्होंने बडे प्रेम और मिहनत के साथ समुद्र पार से भी बहुत से प्राचीन अरबी और फारसी के अप्राप्य ग्रन्थ संग्रह कर एकत्र किये थे। कुछ कुरान की हस्तलिखित प्रतियाँ भी इसमें

हैं। इन प्रतियों में बडे सुन्दर बेल-बूटे बनाये हुए हैं। इन बेलबूटों के बनानेवाले अज्ञात कारीगर ने इसके लिए बरसों तक चित्त लगा कर कार्य किया होगा। शाहनामा के बेल-बूटेदार संस्करण की प्रति का प्रत्येक पन्ना कला-सुन्दर है — यह आँखों के लिए बडा मनोहर दृश्य है। मैं समझता हूँ कि इस लायब्रेरी में ही कुछ हस्तलिखित प्रतियों का मूल्य साहित्य की दृष्टि से बहुत भारी है। इस लायब्रेरी के संस्थापक बडे सम्मान के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने राष्ट्र को इतना बडा दान दिया है।

पटना में मैंने एक और रोचक वस्तु देखी। यह था उद्योग विभाग का कारखाना। मि. राय इसके सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं। कारखाने की इमारत नये ढंग से बनी हुई है, उसका ढाँचा बडा अच्छा है, उसमें प्रकाश और हवा-काफी तौर से आती है और सादाई की ओर भी सावधानी से ध्यान दिया जाता है। इस कारखाने में खाम कर करघों की बुनाई और खिलौनों की बनवाई का काम होता है। पटना इन धन्धे के लिए मशहूर है। फीते बुनने और खाट की निवार बुनने के सुधरे हुए करघे प्रसिद्धीय हैं। इतने बडे कारखाने में खा. वस्तु चरखे की कमी मुझे जरूर पटकी। खिलौने बनाने की कला में जो सुधार किया गया है उससे खिलौने बनाने वालों की आमदनी में अवश्य वृद्धि होगी। अतएव इस कला को पटने के समान शहर के कारखानों में स्थान मिलना योग्य ही है। एक भारतीय कारखाना तबतक अधूरा ही है जबतक कि उसमें करघे का स्थान न मिले। साथ ही उद्योग-धन्धे का ऐसा कोई भी राष्ट्रीय विभाग सपूर्ण नहीं कहा जा सकेगा जो कि हाथ की बुनाई की ओर ध्यान नहीं देता। ऐसा करना उन लाखों ग्रामवासियों की अवहेलना करना होगा जिनके पास कोई सहायक धन्धा नहीं है। मेरे सामने हाथ की कताई के काम के मार्ग में आने वाला कठिनाइयाँ पेश की गई हैं :—

(१) हाथ का कता हुआ सूत मिल के सूत की स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि वह मिल के सूत के समान मजबूत किसी हालत में नहीं हो सकता।

(२) चरखी के द्वारा बहुत कम सूत काता जा सकता है अतएव उससे लाभ नहीं हो सकता। (अपूर्ण)

( य० इ० )

मोहनदास करमचंद गांधी

### दक्षिण आफ्रिका के विषय में

“दक्षिण आफ्रिका के भारतवासियों पर आजकल जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए उन्हें धैर्य देने तथा सहायता करने के लिए ११ वीं अक्टूबर को जगह जगह सभा करना इस आशय का एक प्रस्ताव अ० भा० स० स० ने पेश किया है। इन सभाओं में सब पक्षों के मनुष्यों को निर्मंत्रण करने की आवश्यकता है। इस प्रश्न के विषय में किसी का मतभेद तो है ही नहीं अतएव ऐसी आशा की जाती है कि सब पक्ष के लोग ऐसे अवसर पर हाजिर होंगे। हमारी सहायता से दक्षिण आफ्रिका के भारतीयों को कुछ धीरज होगा। यदि भारत-सरकार भी कुछ उनको मदद देना चाहे तो उसमें भी ये सहायें सहायक होंगी और कुछ नहीं तो अपने से जितनी बन सके उतनी सहायता तो उनको पढुँचेगी। इससे मुझे आशा है कि जगह जगह सभायें होंगी और उधमें लोग हाजिर होंगे। द० आफ्रिका के प्रश्न से कोई भी राजनीति जाननेवाला मनुष्य बिस्कुल अज्ञान तो न ही हो सकता।

( नवजीवन )

मो० क० गांधी

## हिन्दी-नवजागरण

गुप्तार, कालिक बदी ९, संवत् १९८२

### सिक्ख धर्म

पटनेवाली महासमिति की बैठक के समय सरदार मंगलसिंह ने मेरा ध्यान 'मेरे कान्तिकारी मित्र' नामक लेख का ओर खींचा। यह लेख ९ अप्रैल के यंगइन्डिया में छपा था। उन्होंने कहा कि कुछ सिक्ख मित्रों ने उसका यह आशय समझ लिया है कि आपने कृष्ण को तो बड़े गौरव के पद पर उठा दिया है और गुरु गोविंदसिंह का वर्णन ऐसा किया है मानों वे एक गुमराह देसभक्त हों। और इस पर उन्हें बुरा भी लगा है। सरदारजी ने मुझसे यह भी कहा कि अपने उन वाक्यों के आशय को यथासंभव शीघ्र ही स्पष्ट कर दीजिए। जो लोग मेरे लेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं वे देखेंगे कि मैंने अपनी भाषा में बड़ी सावधानी से काम किया है। मैंने ऐसी कोई बात निश्चयात्मक रूप से नहीं कही है। मैंने यही लिखा था कि गुरु गोविंदसिंह तथा अन्य लोगों के सम्बन्ध में जो २ बातें कही जाती हैं उनको यथार्थ मानते हुए यदि मैं उनका समकालीन होता तो सम्भवतः उन्हें गुमराह देसभक्त बताता। किन्तु दूसरे ही वाक्य में मैंने यह फौरन कहा है कि इस समय में उन व्यक्तियों पर किसी प्रकार की राय कायम करना मेरे लिए उचित न होगा क्योंकि जहाँतक उनके जीवन का प्रत्येक छोटी छोटी बातों से सम्बन्ध है मैं इतिहास का नहीं मानता। सिक्ख गुरुओं के सम्बन्ध में मेरा विश्वास है कि वे गहरे धार्मिक नेता और सुधारक थे। वे सब हिन्दू थे और गुरु गोविंदसिंह हिन्दू धर्म के जबरदस्त रक्षणकर्ताओं में से थे। भला यह भी विश्वास है कि उन्होंने हिन्दू धर्म की रक्षा ही के लिए नलवार उठाई। पर मैं उनके कार्यों पर अपनी सम्मति नहीं रख सकता और जहाँतक तलवार उठाने के साथ उनका सम्बन्ध है वे बतौर आदर्श के उनका उपयोग नहीं कर सकता। यदि मैं उनके समय में होता और मेरे बड़ी विचार होते जाँ कि आज है तो कह नहीं सकता कि मैं क्या करता। मैं समझता हूँ ऐसा बातों में 'भवति न भवति' करना व्यर्थ समय गबाना है। मैं सिक्ख धर्म को हिन्दू धर्म से भिन्न नहीं समझता। मैं उसे हिन्दू धर्म का अंग तथा वैष्णवधर्म की तरह एक सुधारक पथ समझता हूँ। सिक्खों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले जितने ग्रंथ मेरे हाथ - आ पाये मैंने मरवाडा जेल में पढ़े थे। ग्रंथसाहब के भी कुछ अंश मैंने पढ़े हैं। उसका आध्यात्मिक तथा नैतिक स्वरूप मुझे ऊँचा उठाने वाला माखम हुआ। आधमभजनावलि में हमने गुरु नानक के भी कुछ भजन रक्खे हैं। फिर भी यदि सिक्ख लोग सिक्ख पथ को हिन्दू धर्म से बिलकुल भिन्न समझें तो इसमें भी मेरा कोई झगडा नहीं है। जब मैं पहले पहल पंजाब गया तो मेरे कुछ सिक्ख मित्रों को मेरा सिक्ख पंथ को हिन्दू धर्म का अंग मानना बुरा माखम हुआ। यह देख कर मैंने ऐसा कहना बंद कर दिया। किन्तु पूछा जाने पर मुझे अपना विश्वास प्रकट करने के लिए सिक्ख भाई मुझे क्षमा करें। अब श्रीकृष्ण को कीजिए। सिक्ख गुरुओं को मैंने ऐतिहासिक व्यक्ति माना है क्योंकि इसके लिए हमारे पास विश्वसनीय प्रमाण मौजूद है परन्तु मुझे पता नहीं कि

महाभारत का कृष्ण कभी हुआ भी था। मेरे कृष्ण का कोई सम्बन्ध किसी ऐतिहासिक व्यक्ति से नहीं है। जो कृष्ण अपनी मान-गिरी होनेपर हत्या करने के लिए उत्साह होता हुआ बतलाया जाता है और अहिन्दू जिसका वर्णन बुराधारी बुधक के रूप में करते हैं उसके आगे मेरा सिर न छुकेगा। मैं जिस कृष्ण को मानता हूँ वह तो है पूर्णवितार, पूर्ण विष्कलंक और गीता के तथा लाखों मनुष्य प्राणियों के जीवन को अनुपाणित करनेवाला। यदि कोई मुझे यह समझा दे कि महाभारत श्री वर्तमान ऐतिहासिक पुस्तकों की तरह एक इतिहास ग्रंथ है और महाभारत का एक एक शब्द प्रमाणयुक्त है और यह कि महाभारत के कृष्ण ने वे ही कार्य किये हैं जो कि उनके लिये कहे जाते हैं तो मैं उस कृष्ण को ईश्वर का अवतार मानने के लिए तैयार न होऊँगा। फिर चाहे इसके लिए मैं हिन्दू समाज से बाहर ही क्यों न निकाल दिया जाऊँ। पर महाभारत मेरे नजदीक एक गहन धार्मिक ग्रंथ है। वह अधिकांश में एक रूपक है। इतिहास के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं। उसमें तो उस शाश्वत युद्ध का वर्णन है जो कि हमारे अन्दर निरन्तर होता रहता है। वह ऐसी सजीव भाषा में किया गया है कि जिससे कुछ समय के लिए हमारा यह खयाल हो जाता है कि उसमें वर्णित कृत्य सचमुच मनुष्यों के द्वारा ही किये गये हैं। और न मैं वर्तमान महाभारत को मूल प्रथ की वास्तविक प्रतिलिपि मानता हूँ। इसके विपरीत मैं तो समझता हूँ कि मूल महाभारत में जूझतक कई परिवर्तन हो गये हैं।

( य. इ. )

मोहनदास करमचंद गांधी

### असहयोगियों का भाग्य

एक मित्र पूछते हैं, "आपके अपने आपको पूर्णतया स्वराज्य दल का मौप देने पर उन लोगों का अविषय क्या होगा जिन्होंने असहयोग को अपना राजनैतिक धर्म बना लिया है?" प्रश्न कर्ता महाशय यह बात भूल जाते हैं कि मैं अब भी पहले का जैसाही वही असहयोगी हूँ; और असहयोग मेरा राजनैतिक धर्म ही नहीं बल्कि कौटुम्बिक और सामाजिक धर्म भी है। जैसा कि मैं बार बार इन्हीं लेखों में कह गया हूँ जब तक किन्हीं कास दशाओं में असहयोग करना सम्भवित न रक्खा जाय तबतक इच्छाजनित और कल्याणकारी सहयोग असम्भव है। महाशय किसी को उसका धर्म नहीं बतलाती। वह तो एक सूक्ष्म मापयंत्र है और भारत के राजनैतिक दिमाग के मिजाज की समय समय की तबदीली बतलाता है। महाशय का कोई भी मद्दब अपने राजनैतिक धर्म के प्रतिकूल आचरण करने के लिए बाध्य नहीं। पर अब उसे असहयोग के प्रचार में महाशय के नाम को इस्तेमाल न करना चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार महाशय की ताकत और रुपया पैसा जो कि पहले से ही किसी विशेष काम के लिए नहीं रख लिया गया है स्वराज्य दल की धारासमा सम्बंधी नैतिक प्रचार में खर्च किया जायगा। इसलिए अन्य महाशय संस्थाएँ इस काम में मदद करने की इकदार हो गईं इतना ही नहीं बल्कि वे इस बात के लिए बाध्य हैं कि अब कभी वे धारासमा प्रचार में धन खर्च करेंगी तो स्वराज्य-दल के लिए ही करेंगी। और इसी के विरुद्ध कोई भी महाशय सस्था जहाँ कि वह संस्थक रूप किसी भी कुछ राजनैतिक कार्य के लिए धन इकट्ठा करने और खर्च करने के विरुद्ध हो इस प्रस्ताव द्वारा अपने विश्वास के विरुद्ध आचरण करने को बाध्य नहीं



है। महासभा के सारे प्रस्ताव मार्ग-दर्शक रूप हैं वे स्वयं के लिए तो हरगिज नहीं।

लेखक महाशय और भी पूछते हैं, "असहयोग के संभव में चरखा-संघ की क्या स्थिति होगी?" चरखा-संघ को राज-नैतिक असहयोग से कोई वास्ता नहीं। आरंभ से ही राजनीति उसके क्षेत्र के बाहर है। मैं उस संघ का सभापति हूँ एक कहर असहयोगी की हैसियत से नहीं, बल्कि इस हैसियत से कि मैं खादी का आन्तरिक दूर्य से चाहनेवाला हूँ। वह तो व्यापारिक या आर्थिक संस्था है और उसके उद्देश्य आमजनता को लाभ पहुंचाने वाले हैं। वह खादी का व्यापार सदस्यों के लाभ के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लाभ के लिए चलावेगी। सदस्य लोग मुनाफेका भाग पाने के स्थान में आर्थिक बन्दा दिया करेंगे जिससे कि उनके बन्दे द्वारा सारा राष्ट्र सम्मिलित हो सके। यह संस्था राजनैतिक विचारों के माफिक सहयोगियों, असहयोगियों, राजाओं, महाराजाओं और तमाम जातियों और धर्मों के आदमियों को निमंत्रण देती है जिनको चरखे और खादी के आर्थिक मूल्या में भ्रष्टा है।

लेखक महाशय यह भी लिखते हैं, "चरखा-संघ का कार्यक्रम पंच-बहिष्कार विना पूरा न होगा।" मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता। अधिक से अधिक काम करनेवाला बकील भी खादी क्यों नहीं पहने जैसा कि कुछ बकील आज पहन रहे हैं? सरकारी मबरसों के विद्यार्थी तथा शिक्षकवर्ग भी क्यों न खादी पहनें? स्वराज्यदलवालों को देखें तो भारासभाओं में जानेवाले भी अवश्य खादी पहन रहे हैं उन्होंने तो खादी को बड़ी धारा-सभा तथा धारा-सभाओं तक में पहुंचा दिया। कई एक उपाधि धारी सज्जन भी हमेशा खादी पहनते हैं।

हमारे लेखक की अन्तिम कठिनाई यह है कि "यदि अटल असहयोगी महासभा से बाहर निकाल दिये गये और चरखा-संघ में भी उनको स्थान न मिला तो क्या यह संभव होगा कि वे अलग अपनी एक अखिल भारत संस्था बना लें?" प्रश्न बहुत ही बेहंगे रूप में किया गया है। महासभा से तो कोई भी कभी बाहर नहीं निकाला जाता। अवश्य ही वे लोग छोट के जा सकते हैं और जाया करते हैं जो यह देखते हैं कि बहुमत का कार्यक्रम उनकी आत्मा के खिलाफ पड़ता है। बहुमत इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वह अव्ययत के माफिक न रहा। इसलिए यदि ऐसे असहयोगी हैं जो महासभा में तब तक रहना गवारा नहीं कर सकते जब तक वह धारासभा में जाने की सिफारिश करती है तो वे अवश्य ही अलग हो सकते हैं। मैं तो और आगे बढ़ूंगा और यहाँ तक कहूंगा कि यदि वे महासभा के अन्दर रह कर धारासभा सम्बन्धी कार्यक्रम का विरोध करना चाहते हों तो उनको अलग ही हो जाना चाहिए। मेरी राय में तो महासभा का मंत्र इस प्रकार चलाया जाना आवश्यक है कि अन्दर से उसमें कोई संघर्ष न हो। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चरखा संघ में असहयोगियों को भी स्थान है जैसा कि सहयोगियों के लिए है। इतने पर भी यदि कोई असहयोगी ऐसे है जिनको अलग ही अपनी एक अखिल भारत संस्था बनाना कर्तव्य लगता है तो उनके लिए वैसा करना अवश्य ही सम्भव है मगर वैसा करना मैं तो बिल्कुल उचित नहीं मानता। इतना ही काफी होगा कि कुछ समय के लिए असहयोगी लोग असहयोग को खुद अपने ही तक मर्यादित रखें।

( सं० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## चरखा-संघ

चरखा-संघ की स्थापना कुछ ऐसी जैसी बात नहीं है। इसकी स्थापना स्थापकों की प्रतिज्ञा का चिह्न है; वह उनका चरखे के प्रति विश्वास, और उसके लिए अपना सबकुछ अर्पण करने का निश्चय जाहिर करता है।

मेरा मन तो यह कहता है कि उसीमें स्वराज्य है। उसके बिना करोड़ों की सेवा में अवश्य मत्बता हूँ। प्रत्येक मनुष्य खुद प्रत्येक मनुष्य की सेवा नहीं कर सकता, किंतु प्रत्येक मनुष्य एक ऐसे काम में मदद कर सकता है कि जो सबकी सेवा करनेवाला हो, जिसका फल सबको मिले। और वह है अकेला चरखा, जो करोड़ों के पास पहुंच सकता है, जो करोड़ों को भूखों मरने से बचा देता है, जो करोड़ों के लिए अन्नपूर्णा हो सकता है। मैं टोकनी बनाने के कारखाने में लंगू तो दो-चार हजार मनुष्यों को मदद कर सकता हूँ, साबुन के कारखाने में लंगू तो वहाँ भी दो-चार हजार को रोजी मिल सकती है, मिल में लंगू तो वहाँ भी दो-चार हजार को अथवा सब मिलों को मिलाकर दस-पंद्रह लाख को रोजी मिले और दो-चार हजार को स्वाज। किंतु जो मैं चरखे की प्रवृत्ति में लंगू तो मानों करोड़ों को भोजन देनेवाले कारखाने में सम्मिलित हुआ।

पाठक विचार कर देखेंगे तो उनको एक भी ऐसा भंषा न मिलेगा कि जिससे करोड़ों की सेवा हो सके। हाँ, एक खेती है। किंतु अमी खेती का लोप नहीं हुआ है, और वह एक ऐसी चीज है कि मनुष्य उसे चाहे जब, चाहे जिस समय, और चाहे जितने समय तक नहीं कर सकता। लेकिन सूत? मनुष्य उसे तो चाहे नहीं कात सकता है और तकली जब में रखकर चलते चलते भी दो-तीन गज मझार्ये कात सकता है। एक क्षण तक भी काता हुआ काम में आ सकता है, किंतु एक क्षण में खेती नहीं की जा सकती। उसमें तो कम से कम एक ही जगह पर विश्रुप रूप से और काफी समय देना जरूरी है। इसीसे चरखा महायज्ञ है और सबों के लिए सुकम है।

ऐसी वस्तु के संघ की सेवा कौन न करेगा? चरखे में जो दोष देखते हैं उन्हें कौन क्या समझावे? क्या, दो गज सूत इस देश की दौलत में बडे, यही अच्छा न लगने का कारण है? और ये दो गज भी पुरसत के समय में कातना है।

मेरी इच्छा है कि सब भाईबहनें इस संघ में शामिल हों। दो हजार के बजाय एक हजार केना ठहरा यह मुझे ठीक नहीं मालूम हुआ। और भी बहुतेरों को यह ठीक मालूम न हुआ। परंतु यह कुछ इस संघ में शामिल न होने का कारण नहीं। वे खुद भके ही दो हजार गज देनेवालों में रहें। प्रतिज्ञा केना वह बहुत अच्छा है लेकिन प्रतिज्ञा केने की कसम निकाल बाकी गई, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रतिज्ञा केने की इच्छा रखनेवाले शामिल न हों। वे खुद प्रतिज्ञा तो अवश्य लें, और प्रतिज्ञा न ली हो तो भी यह बात समझी हुई है कि अनिर्वाये धारण न हों तो सबभाषा बंदा तो कातेगे ही। प्रतिज्ञा-पत्र मौकूफ कर दिया गया किंतु व्यवस्थापक समिति में शामिल होनेवाले तो चरखे को अपनी प्रचाल प्रवृत्ति माँगे ही।

लेकिन जो अठारह बने से कम उम्र के हों, और जो नियम-पूर्वक न कात सकते हों उन्हें क्या करना चाहिए? वे पहले के मुताबिक कितना बन सकें उतना सूत कात करें।

इस समय किसीको खड़े नहीं दी जायगी। किसीकी झूठी सुशामद कर के उससे कताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कातने का धर्म समझें हो वे ही सूत जेने। खड़े का खर्च तो

नहीं के बराबर है। 'दमड़ी की बुढ़िया टका मुड़ाई' वाली कहावत न हो जाय। जो अपनी राजी खुशी से मृत दे राके उससे मृत की शिक्षा मांगने का हेतु यही है कि —

(१) उससे खादी सस्ती हो सकती है।

(२) उससे प्रजा आलस्य छोड़ कर अपना बचा हुआ समय प्रजाके कल्याण में खर्च करें।

(३) उससे धनवान गरीबों के साथ अपना सीधा सम्बन्ध बांधे और उन्हें रोज याद करे।

(४) उससे सब विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में मदद दे।

(५) उससे सब यथाशक्ति एक ही प्रकार की देशसेवा अवश्य कर पावें।

(६) उससे मध्यम वर्ग जो अभी देहातियों की मजदूरी के ऊपर अपना निर्वाह करता है वह उसका कुछ बदला दे जो कि वह आज स्वेच्छापूर्वक नहीं दे रहा है।

(७) मध्यम वर्ग के गरीबों को जो अपने जीवन की भी भ्रष्टा खो बैठे हैं उन्हें अपने कानने से भ्रष्टा प्राप्त करने का मार्ग बतलावे।

ऐसे परिणाम तो वहीं हो सकते हैं जहां मनुष्य अपनी उमग से कातता हो।

इस महान कार्य में रुपयों की भी मदद तो चाहिए। मुझे आशा है कि जिसे चरित्र में भ्रष्टा हो वे मृत तो मेजेगे दी, इतना ही नहीं पर यदि उनके धाम इन्व हो तो उमकी भी मदद करेंगे। यह संस्था अनेक मध्यम वर्ग के लोगों को रोजी देगी। जो अंक मैने प्रसिद्ध किये हैं उससे मालूम होगा कि आज भी कितने मनुष्य इस प्रवृत्ति से अपनी आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। यदि यह कार्य विशाल हो तो यह संस्था हजारों को रोजी देने वाली बन जाय। जिसमें करोड़ों का व्यापार चलता है उस वस्तु में हजारों, प्रामाणिकता से, अपनी रोजी पाये यह कौनसी बड़ी बात है।

अब एक विश्वास की बात रही। जो लोग समिति में हे वे विश्वासपात्र और कुशल हैं? मेरी नाकिस राय के अनुसार तो वे जरूर ऐसे ही हैं। यह मत्य है कि गंसे और दूसरे सवरु रह गये हैं जिनका नाम इसमें नहीं है। एक भिन्न गूनिता करने हैं कि कई तो ऐसे हैं जिन्हे इसमें होना ही चाहिए या इन सबकी एक विचारक समिति बनाई जाय। मैने इस पर विचार कर देखा है। मुझे वह अनावश्यक प्रतीत होता है। विचार करना थोड़ा है, उसका अमल करना बहुत है। इससे तो यही अच्छा है कि अमली कार्य को करने की समिति को खड़ी करने में थोड़े लेकिन अपना सारा समय देनेवाले कार्यकर्ता मिलें।

यह संघ सेवा के लिए है अधिकार के लिए नहीं। सरदारों की गंध के लिए भी जहां स्थान नहीं और जहां सेवा यही धर्म है वहां अधिकार की स्पर्धा तो हो ही नहीं सकती। मैं तो चाहता हूँ कि जिनको सेवा करना हो वे अपनी सूचनायें भेजते रहे। यदि विचारक समा बनाई जाय तो उसकी बैठकें होनी चाहिए। जहां नई पोलिसी अथवा पद्धति चलाना हो वहां ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यहां तो काम ही की देखरेख करना है। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि १२ लोगों की समिति यथार्थ है। उसमें भी अभी तीन जगहें भरना बाकी छोड़ दिया है। क्योंकि सब जगहें भरने की जरूरत नहीं मालूम हुई। विशेष बातें अनुभव से मालूम होंगी।

खादी का व्यापार परोपकार के लिए है। सामान्यतः व्यापार में परोपकार के लिए स्थान नहीं होता है। ऐसा माना गया है

कि व्यापार और परोपकार ये एक दूसरे की विरोधी वस्तुएं हैं। राज्यसत्ता की सहायता न हो और परोपकार भी न हो तो खादी का व्यापार चल ही नहीं सकता। व्यापार करनेवालों को जिस प्रकार परोपकार सीखने की आवश्यकता है उसी प्रकार खादी खरीदने वालों को भी परोपकार की भावना हासिल करने की जरूरत है। पेरिस की लेस अथवा मान्चेस्टर की मलमल बहुत ही अच्छी लगती हो तो भी उसका त्याग कर के जो खादी ही को अपनायगा वह तो परोपकार ही करेगा इसमें शक नहीं।

हे ईश्वर, सेनाभानवाले खादी सेवकों की वृद्धि कर।

( नवजीवन )

मोहनदास करमचंद गांधी

## विविध प्रश्न

कच्छ के एक शिक्षक ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। उनके जवाब सर्व-माधारण के सामने रखने योग्य हैं अतएव मैं उन प्रश्नों को यहाँ उभूत करके उनके जवाब लिखता हूँ।

१ " मैं विद्यालय का शिक्षक हूँ। मुझमें जैसा चाहिए वैसा चारित्र्य, सम्य और ब्रह्मचर्य नहीं है। मैं उसे प्राप्त करने के लिए भगीरथ प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे पिता के मर करके है। गंसी शालत में क्या आप मुझे शिक्षक के पद से इस्तीफा देने की सलाह देते हैं ?"

काञ्चनीय चारित्र्य के अभाव में इस्तीफा देने का विचार गुन्धर है, यह मैं स्वीकार करता हूँ। फिर भी इसमें विवेक ने काम लेने की आवश्यकता है। यदि कार्य करने करने ठीक कम होते जाय तो इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। शिक्षक वर्ग में चारित्र्य की बहुलता होती है ऐसा तो देखने में नहीं आता। अपने कार्य में जाग्रत रहने और यथाशक्ति उत्थम करते रहने से मनुष्य सतोंष पा सकता है। पर इस संबन्ध में सबको लिए एक ही तरीका काम नहीं दे सकता। सबका अपने अपने लिए संघ लेना चाहिए।

पिता के कर्म का प्रश्न सहल है। यदि कर्म योग्य कार्यों के लिए किया गया हो तो लुकाया जाना चाहिए। यदि वह कर्म शिक्षक की नींदगी करते रहने में न लुकाया जा सके तो कोई अन्य नाकरी या धन्य हठ लेना चाहिए।

२ " प्रनिसस्ताह एक दिन मान व्रत का पालन करने में नैतिक के अतिरिक्त कोई आरोग्य सम्बन्धी लाभ भी है ?"

सामान्यतया मान सं आरोग्य का भी लाभ पहुँचता है ऐसा कहा जा सकता है। परन्तु जो मनुष्य मान में आनन्द प्राप्त न कर सकता हो उसके आरोग्य को लाभ न होगा।

३ " आपने अपनी ' आरोग्य विषे सामान्य ज्ञान ' नामक पुस्तक में बतलाया है कि दूध और नमक ये दोनों वस्तुएं त्याज्य हैं। दूध अहिंसक दृष्टि से और नमक आरोग्य की दृष्टि से। यदि दूध त्याज्य है तो उसमें से उत्पन्न होने वाले घी, छाछ आदि पदार्थ भी त्याज्य होने चाहिए। अतएव इन पदार्थों के विषय में आप की राय में अब कोई परिवर्तन हो गया है या वह पूर्ववत् ही काम है ?"

इस विषय में मेरे विचारों में फेरफार नहीं हुआ है। हाँ, मेरे वर्तमान में अपश्य हुआ है। मेरा यह हठ विश्वास है कि जो दूध के बिना रह सकता है उसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। दूध और उससे उत्पन्न हुए पदार्थों का त्याग ब्रह्मचर्य के पालन में बड़ा सहायक होता है। जो दूध का सेवन नहीं करता है वह छाछ और घी से भी परहेज रखे तो अच्छा है। जीवन

के मोह के बशीभूत हो कर अथवा आवश्यक होने के कारण बकरी के दूध का घने स्वीकार किया है, यदि मैं सार्वजनिक कार्यों में न पडा होता तो दूध को फिर से छोड़ देता और मेरा प्रयोग शुरू रखता। दुर्भाग्य से मुझे कोई ऐसा डाक्टर बंध अथवा हकीम न मिला जो दूधत्याग के प्रयोग में मुझे मार्ग दिखलावे। वैद्यों से मुझे आशा थी। मेरी ऐसी धारणा थी कि उनकी विचार श्रेणी में अत्पा के स्वास्थ्य के लिए स्थान है। पर इस प्रकार के बंध जिनपर कि मेरी आँख जमे मुझे नहीं मिले। इसी कारण मझे दूध का उपयोग करना पडा है। केवल शरीर-संग्रह के लिये दूध उपयोगी हो सकता है ऐसा मैं समझता हूँ। इसीलिए अब मैं किसीको यह नहीं कहता कि दूध छोड़ दो। पर मेरी पुस्तक में रहे हुए विचारों को मैं बदलना नहीं चाहता। मेरे कई मित्र अब भी दूध के त्याग का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें मैं ऐसा करने से नहीं रोकता और न उन्हें इस सम्बन्ध में खाम तौर से प्रोत्साहित ही करता हूँ।

नमक के सम्बन्ध में भी मत है। नमक छोड़ देने से कुछ सुकसान होना ही ऐसा लोग समझ नहीं। पर अब मैं नमक का आहार-परक त्याग नहीं करता। मैं जानता हूँ कि कुछ समय के लिये अथवा मरुत के लिए नमक का त्याग आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। यह ध्यान में रखने लायक बात है कि पानी आदि के साथ थोड़ा बहुत नमक हम रोज खाने हैं। जो कोई शरीर-आरोग्य की दृष्टि से दूध, मीठा आदि का त्याग करे तो उसके लिए किसी अनुभवी डाक्टर से सलाह लेकर यह काम करना उचित होगा। आध्यात्मिक दृष्टि में इन वस्तुओं का त्याग करनेवाले की त्यागशक्ति पूर्णरूप से जागृत हो जानी चाहिए।

४ “अहिंसा का पालन करनेवाले को तो माने के लगभग सभी पदार्थों का त्याग करना पड़ेगा। फलाहार में भी हिंसा है क्योंकि फलफूल में जीव होते हैं। पर यदि वृक्ष पर से पके हुए फल अपने आप गिर पड़े तो उन्हें खाने में कोई हानि नहीं। परन्तु ऐसे फल मेरे समान शरीर मनुष्य के लिए बड़े महंगे पड़ेंगे। तद्योग तथा समय द्वारा ही गई छुट का उपयोग करके हमेशा केवल गेहूँ का उपयोग करना चाहिए। केवल पानी में पकाया हुआ उसकी दलिया ही खाया जाय, कोई बनस्पति या फल भी न खाया जाय तो क्या आपको यह धारणा अथवा अनुभव है कि मुझ ज्ञान केवल इतनी ही धली खा लेने से मेरे समान १९ वर्ष का युवक जिसे जीवनभर ब्रह्मचर्य का पालन करने की अभिलाषा है आजीवन केवल दलिये पर रह सकता है? क्या केवल दलिया ही से उसके शरीर को आवश्यक पोषण मिल सकता है?”

पका हुआ फल जो कि अपने आप जमीन पर गिरता है उसमें भी जीव हैं, अतएव उसे खाना भी दोषमय गिना जा सकता है। शरीर सम्बन्ध ही दोष है और जहाँ दोष है वहाँ दुःख भी है। इसीसे तो मोक्ष की आवश्यकता है। बलात्कार से शरीर का नाश करने से शरीर से मुक्त नहीं हो सकते। शरीर सम्बन्ध का आत्यन्तिक नाश, आत्यन्तिक अनिच्छा वैराग्य अर्थात् त्याग ही से हो सकता है। इच्छा अथवा अहंकार शरीर का मूल है। ये गये कि शरीर का खाना न खाना एकसा हुआ। पर रहे हुए शरीर को जितनी चंष्टा आवश्यक हो उतने ही अंशों में वह आवश्यक आहार करे। मनुष्य शरीर का आवश्यक आहार फलादिक बनस्पतियाँ हैं। इन्हें कम से कम मात्रा और कम से कम प्रकार में लेकर मनुष्य अपना निर्वाह करे तो दोषमय आहार लेते हुए भी वह निर्दोष रहता है ऐसा कहा जा सकता है। ऐसी अवस्था में चुराक स्वाद के

लिए नहीं ली जाती है प्रत्युत जीवन-व्यापार के अथवा बों कहिए कि शरीर-यात्रा के लिए ली जाती है। अब यह बात समझ में आ सकेगी कि स्वेच्छा से पका हुआ पका फल यदि रस के लिए लिया जाता है तो वह दोषमय आहार हुआ है और स्वतः प्राप्त बनस्पति का पकाया हुआ आहार यदि रस की इच्छा से नहीं बरन् केवल भूख मिटाने के लिए लिया जाय तो वह निर्दोष हुआ है।

संयमी और निरोगी मनुष्य केवल दलिये पर रह सकता है ऐसा मैं मानता हूँ। लेखक को तो मैं यह सलाह दूँगा कि वे उपासीन दृष्टि से मिर्च आदि मसाले से रहित सामान्य भोजन करें। यही उनके लिये काफी होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिये मुख्य आवश्यकता रस को मारने अथवा जीतने की है। छप्पनभोग का खानेवाला रसत्यागी है ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर जनता तो सामान्य आहार करके भी रसत्यागी हो सकती है। अन्त में सबको सूध्मता के साथ अपनी आत्मा से प्रथम करना चाहिये कि वह रसके लिए खाता है या केवल निर्वाह के लिये। सुराक में भी अपने पास कोई चीधी लकीर नहीं है। सीधी लकीर तो केवल अंतर में है। बाहर तो प्रपञ्च है। यह तो विशाल और रंगबिरंगा बटवृक्ष है। उसमें से मनुष्य को अद्वैत की साधना करनी है।

५ “मन को खाने की प्रबल इच्छा हो और शरीर को भी भूखा लगी हो तो क्या उसे दबाकर उपवास करने से लाभ होता है?”

कायदा और गैरकायदा उपवास के हेतु और मनुष्य की शक्ति पर अबलम्बित है। मन को तो कवियों ने मद्यपान किये हुए बन्दर की उपमा दी है। मन की इच्छाओं का पार नहीं। उनका तो प्रतिक्षण दमन करते रहना चाहिए।

६ “म चाय नहीं पीता पर मेरे घर के सब आदमी पीते हैं। मैं ही कमाता हूँ अतएव मैं घर में चाय लाऊ ही नहीं तो वह बन्द हो जाय। क्या ऐसा करना मेरे लिए योग्य होगा? मैं कमाता हूँ अथवा न कमाता हूँ पर यदि मैं उपवास कर के अपने घर वालों को चाय पीने से रोकू तो क्या यह मेरे सम्बन्धियों पर ही मेरा बलात्कार न होगा?”

यदि किसी कुटुम्ब का मुखिया अथवा कमाने वाला स्वयं चाय न पीने के कारण दूसरों को चाय नहीं पिलाता है तो वह बलात्कार करता है। उसे दूसरों को चाय के साथ समझाना चाहिए। पर जबतक वे न समझे तबतक उसे उसके लिए चाय ला देने चाहिए ऐसा मेरा मत है। दूसरे यदि न मानें तो उसके लिए उपवास करना यह मुडविरापन है और मुडविरापन जत्र है।

७ “मैं मानता हूँ कि शारीरिक शिक्षा करने से कोई नहीं सुधरता, पर फिर भी मैं अपने बर्ग के विद्यार्थियों को सजा देता हूँ। मेरा यह कार्य हिंसा है या नहीं? मैं यह जानता हूँ कि यदि मैं किसी शरीर या बुद्ध लडके को स्वयं गजा न दे कर हेड मास्टर के पास भेजूंगा तो वे भी उसे शारीरिक सजा ही देंगे। पर इतने पर भी यदि मैं उस लडके को वहाँ भेजता हूँ तो मैं हिंसा करता हूँ या नहीं?”

विद्यार्थी को स्वयं सजा देने और उच्च पाठक के पास सजा के लिए भेजने इन दोनों ही में हिंसा है। यद्यपि यह प्रथम पूछा नहीं गया है कि शिक्षक किसी बालक को सजा दे सकता है या नहीं तथापि वह मूल प्रश्न के गर्भ में आ जाता है। मैं ऐसे प्रसंग की कल्पना कर सकता हूँ कि कोमल बालक जब कोई दोष

करे, और उस दोष की खबर उसे हो तो उसे दण्ड देने का धर्म प्राप्त होता है। प्रत्येक शिक्षक को अपने धर्म को विचारने की आवश्यकता है। पर सामान्य नियम तो यह है कि शिक्षक कभी भी विद्यार्थी को शारीरिक दण्ड न दे। यह अधिकार यदि हो भी तो माता-पिता को भेजे ही हो सकता है। अनुकूल दण्ड बर्ती कहा जा सकता है जिसे विद्यार्थी स्वयं स्वीकार कर ले। ऐसे प्रसंग बार बार नहीं आते। यदि आज्ञा और दण्ड देना उचित है या नहीं हममें संका हो तो वह न दिया जाय। क्रोध में तो कभी भी दण्ड नहीं देना चाहिए।

८. "मैं जानता हूँ कि क्रोध शरीर को और चारित्र्य को नुकसान पहुंचाता है अतएव मैं क्रोधित न हुआ होऊँ पर फिर भी मैं विद्यार्थी पर क्रोधित होने का सा रूप धारण करूँ, दण्ड देने का विचार न होने पर भी दण्ड देने का भय बनलाऊँ तो मेरा यह आवरण असत्य गिना जायगा या नहीं?"

यह दोष कई बार होता हुआ पाया जाता है। मारने का भाव दिखाना इस प्रकार से रोपित है।

९. "संतति नियमन के लिए ब्रह्मचर्य ही एक मात्र उपाय है यह मुझे मान्य है। मेरा हृदय इसे स्वीकार करता है पर साथ ही बुद्धि बलवा खड़ा करती है। वह कहती है कि जिस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय का उपयोग करने में कोई नुकसान नहीं हो सकता बल्कि उपयोग न करने से हानि होती है उसी प्रकार इस इन्द्रिय का उपयोग न करने में भी कुछ नुकसान तो न होगा? इसी प्रकार संतति नियमन समिति के प्रधान ने भी 'कानिकल' में भाषण के नाम पर एक पत्र लिखा था। अतएव इस दलील का आप अनुमत्ता करें।"

यः सिद्धान्त ही नहीं है कि इन्द्रिय मात्र का उपयोग आवश्यक है। जो पुरुष ज्ञानपूर्वक बान्धा के उपयोग का त्याग करता है वह सत्ता पर उपकार करता है। इन्द्रिय-उपयोग धर्म नहीं है। इन्द्रिय-दमन धर्म है। ज्ञान और इच्छापूर्वक हुए इन्द्रिय-दमन से आत्मा का लाभ होता है, हानि नहीं। विषयेन्द्रिय का उपयोग केवल सतति की उत्पत्ति के लिए ही स्वीकार किया गया है। पर जो सतति का मोड़ छोड़ देना है उसकी शास्त्र भी बचन करते हैं। हम युगमें विकारों की महिमा इतनी बढ़ गई है कि अधर्म ही को लोग धर्म मानने लग गये हैं। विकारों की वृद्धि अथवा तृप्ति में ही जगत का कल्याण है ऐसी करना करना महा दोषमय है ऐसा मेरा विश्वास है। यही शास्त्र भी कहने हैं और यही आत्मदर्शियों का स्पष्ट अनुभव है। हिन्दुस्थान में तो बाल्यावस्था में ही हम विवाह जंगल में पड़ जाते हैं। ऐसी हालत में विकारतृप्ति के साधनों की योजना करना और उसके लिये समाजों की स्थापना करना यह अज्ञान और अंध-अनुकरण की परिचीमा है। विकार रोकें नहीं जासकते अथवा उन्हें रोकने में नुकसान है वह कथन ही असत्य अहितकर है। यदि इस दुर्बल देश में विकार तृप्ति उत्तेजक मद्राशय चल निकला तो भारतवर्ष की प्रजा निर्मूल्य हो जायगी और अन्तमें उसका नाश हो जायगा हममें मुझे कोई शक नहीं। विषय तृप्ति करते रह कर संतति रोकने में उपाय करना राक्षसी शरीर और राक्षसी खानपान वालों को भेजे ही है। ध्यान न पहुंचाने। हिन्दुस्तान को तो समय की शिक्षा ही लाभ पहुंचा सकती है।

१०. "अहिंसा का पालन करने वाला किसी भी वाहन का उपयोग नहीं कर सकता। बहुत से साधक पदार्थों का भी उसे त्याग करना पड़ता है। तब यह प्रश्न उठता है कि परमात्मा ने वे पदार्थ और वे प्राणी किस लिये पैदा किये होंगे? वयपि प्रभु की इच्छा तो

अकल है तो भी रुपा कर इस वाग का खुलासा कर दीजिये।"

इसका जवाब ऊपर आ जाता है। फिर भी इतना और कह देता हूँ कि अहिंसा का पालन आवश्यक वाहन का सर्वथा त्याग नहीं करता। बहुतसे वस्तुओं का सर्वथा त्याग इष्ट है और कुछ का यथाशक्ति त्यागही बख है। प्रभु की सब कृति ओतप्रोत है। प्राणी केवल मनुष्य की अनेक इच्छाओं का मूर्त स्वरूप है। अतएव जिस प्रकार इच्छा का त्याग इष्ट है उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उपयोग का त्याग भी इष्ट है। सब अपनी-२ मर्यादा अङ्कित करके। जैसे कि जिनका काम मिट्टी से बल सके वह साधुन का उपयोग न करे। पर साधुन काम में लानेवालों की निन्दा करके अधिक हिंसा दोष का भागी भी न बने। काँटेदार अथवा गद्दी जमीन पर चलते समय जूतों का उपयोग अच्छी तरह करे और जहाँ उसकी आवश्यकता न हो वहाँ जंगे पर ही चले।

दूसरे कई ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें उद्बुत करने की आवश्यकता नहीं। पर उन प्रश्नों का अनुमान जवाबों पर ही ही किया जा सकता है।

१. व्यायाम करने वालों को लंगोट पहनने की सम्पूर्ण आवश्यकता है। पाश्चात्य देशवासियों ने भी इसकी जरूरत को महसूस किया है।

२. प्रातःकाल नठ कर दोनों करना और उसके बाद गरम किया हुआ जल पीना चाहिये। इसमें फायदा है। बहुत से साफ ठंडा जल पीते हैं। इसमें भी नुकसान तो नहीं है।

३. गृहस्थी जीवन में बाल बढाना मेल बढाने के बराबर है। या उन्हें साफ रखने में बहुत समय खर्च करना पड़ता है। पुरुष के लिये तो यही योग्य मातृम होता है कि वह छोटी सी शिक्षा के सिवा सब भाग कच्ची या उल्टी नै कटवा डाले। यदि कोई मेरा कहना माने तो मैं तो लड़कियों के बाल भी कटवाऊँ। बालों में शोभा है यह तो हम अभ्यास पढ़ जाने के कारण मानते हैं। शोभा तो केवल बर्तव में है, बाहरी दिखावे में नहीं। यह कहम है कि बाल कूचरती है इसलिये वे न कटवाये जाने चाहिये। हम नख कटवाते हैं। यदि न कटवायें तो उनमें मेल भर जायगा अथवा सारा दिन उन्हें साफ रखना होगा। स्नान द्वारा हम चमकी पर का मेल हमेशा उतारने हैं। इसे नहीं यह विचारने की आवश्यकता नहीं कि जो जगलवामी हैं, जिन्होंने अपनी बहुतसी क्रियाओं को रोक रक्खा है उनके लिये कौनसा कायदा लागू होता है।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द्र गांधी

मरोजिनी देवी

मरोजिनी देवी आगामी वर्ष के लिए महासभा की समा नेत्री निर्वाचित हो गईं। यह सम्मान उनको पिछले वर्ष ही दिया जाने वाला था। बड़ी योग्यता द्वारा उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है। उनकी असीम शक्ति के लिए और पूर्व और दक्षिण अफ्रिका में राष्ट्रीय प्रतिनिधि की हैमियन से की गई महान सेवाओं के लिए वे इस सम्मान की पात्र हैं और आभक्तों के दिनों में जब कि श्री जाति के अन्दर भारी जाग्रति हो रही है स्वागत कारिणी समिति का भारतवर्ष की एक सर्वोत्तम प्रतिभाशालिनी पुत्री को सम्पाति चुनना भारतवर्ष की श्री जाति का समुचित सम्मान करना है। उनके सम्पाति चुने जाने से हमारे प्रवासी देश भाइयों को पूर्ण सन्तोष होगा और हमसे उनके अन्दर वह साहस पैदा होगा जिससे वे अपने सामने उपस्थित लड़ाई को लड़ सकेंगे। राष्ट्रव्यापि दिये जानेवाले सब से ऊँचे पद पर उनका होना स्वतंत्रता को हमारे अधिक नजदीक लावे।

(बं० इ०)

मो० क० गांधी





अपनेपर बलात्कार न होने देना चाहें। हमें आशा है, आप हमारे इस मुद्दे को समझ लेंगे। यदि ऐसा हो तो हम आपके सहज कृतज्ञ होंगे, यदि आप इस पत्र के उत्तर में ऐसा कहें, क्योंकि यह आवश्यक है कि योग के युवक इन सब बातों पर अपना ध्यान ही ठीक जान लें। पर यह न समझिए कि हम यह कहने से कि आप उस बात को स्वीकार करें जिसे आप आने गिद्धन्त-सत्याग्रह के विरुद्ध मानते हैं।

“परन्तु हमें सत्याग्रह पत्र भद्रिया में ही दिखाई देता—जिसे कि न तो खुद आप ही ने कभी चरितार्थ कर लिया था और न खुद हजरत ईसा ने ही। उन्होंने तो उन बहुरंग बन्देबाजों को 'टैम्बल' से मार भगाया था। हमारे नजदीक सत्यग्रह भ्रमभाव और रोग की मुक्त ब्रह्म है, जिसका कि पश्चिम और भारतवासियों के सहित हमें बड़ी उम्रलता के साथ दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि यही मन दगा निरन्तर बढ़े जाते जायेंगे; क्योंकि यह बात समझ में आ गई है कि कोई पणाली घुरी ही सकती है, परन्तु कोई सानी जानि या मारा जन-मगज नहीं (१३ जुलाई १९२१ में आपने इस विषय में लिखा था) और जो घुरी की तरफदारी करता है उसके प्रति हमें दया आनी चाहिए न कि निरहकार या द्वेष। जिन लोगों ने इसे समझ लिया है वे अनुसन्धान के प्रति बन्धु-भाव के इस नये माग में आना पहला कदम उठा रहे हैं और यह रास्ता हम मन्त्रिले-मकमल तक समाज के विजय तक, सत्याग्रह तक, पहुँचाये बिना न रहेगा।

“हम इसके उत्तर में आपसे केवल यही नहीं चाहते कि हमें आपका मुद्दा देना के लिए उम्मीदों के लहने की सलाह दें जिसे कि हमें पसन्द है, पर हम यह भी जानना चाहते हैं कि आप बात को ठीक समझते हैं, जहाँ तक यह कि सत्यग्रह पूर्ण भद्रिया की पृष्ठ करने है जो कि हमें “घुरी के घुरी विरक्ति” दिखने देती है, पर हमें समझता है कि खुद एक घुरी है—जैसे कि हमें हमें पश्चिम में घुरी कहते हैं कि मुक्ति को बिना मजबूत पाये निकल जने है।

“हमारा विश्वास तो यह है कि हमें सब से पहले खुद आने ही धर्म का पालन करना चाहिए और देश-निर्गम जन-साधन करना चाहिए; पर जब कि हमारे लोग हमें समझने को कहें, या जब हमें हमें स्वतन्त्रता के दिनांक के लिए एक भयकर घुरी से लड़ने का रास्ता देना तो हमें हमें अधिकार और कर्तव्य दिया गया है कि हम उनके जीवन में हस्तक्षेप करें। हमारा विश्वास है कि हमें भिक्षु याग के लिए जिम्मेदार किसीकी बात में हमें उल्लेख नहीं है, क्योंकि अकेला ईश्वर ही अनुसन्धान के हृदय को अभीर्षा देना और जान सकना है और निराश्रय कर सकता है कि अनुसन्धान के लिए केजमा मन्त्र नखिन है और हम मानते हैं कि इस बात में यह है कि खुद ईश्वर की जगह ले लें, कोई अन्तर्भाव नहीं हो सकता और हमारा विश्वास है कि संशोधन लोग हमें समझाएँ, के अन्तर्भाव है। क्योंकि वे समझते हैं दुनिया के समाज देशों के कारण मैं हस्तक्षेप कर। हमारा जीवनकाय है।

“इस कारण हम यह नहीं समझ सकते कि आप किम तरह विकारित लोगों को, बिना परस्पर समझौते के, पर-द के संयोग से इनकार करने की सिकाश करने है—क्योंकि 'बहादुर' द्वारा प्राप्त अधिकारों में ऐसा हस्तक्षेप करने से अनुसन्धान के और प्रेरित हो सकता है। एसी हालत में आ के सत्याग्रह की सलाह देनी चाहिए।

“कृपया हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके उपस्थित नमूने को पाकर हम उम्मीदें खाते हैं कि हम आपको निर्दिष्ट उच्च माता के अनुसार जीवन व्यतीत करने के समाज का स्पष्ट रूप से देख लेना चाहते हैं।”

मात्र में मैं य. ई. की कसल आने साथ नहीं रखता। पर हमें क्या ही कि “सत्याग्रह के लिए पूर्ण अहिंसा की आवश्यकता है और किसी खां को बलात्कार का स्वतंत्र रहने हुए भी हिंसा का अवलोकन कर के अपने रक्षण न करनी चाहिए।” पृष्ठ करने में कोई कठिनाई नहीं है। इन दोनों युक्तियों का संबंध अहिंसा स्थिति से है और इसलिए वे जल्दीपर घटित होनी हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को इतना शुद्ध बना लिया है कि उनके अन्दर अंग प्र मन्त्र, क्रोध या हिंसा का बंधन न रह गया हो। इसका यह तात्पर्य हरगिज नहीं है कि हमारी वह कठिनाई को सुपचाप अपने प बलात्कार होने देगी। अतः तब तो ऐसी खां पर कभी बलात्कार का आशय हो ही नहीं सकता और हमारे यदि हुई भी तो वह बिना ही हिंसा का अवलोकन किये उस बदमाश से अपनी इज्जत का पूर्ण पूर्ण रक्षा कर लेगा।

पर अब अधिक बढ़ते उत्तरने की आवश्यकता नहीं। ऐसी खिया भी जो कि हिंसाग्रह के द्वारा अपनी रक्षा कर सकती हैं, बहुत नहीं है। और खुशी की बात है, कि ऐसे नीच आक्रमणों की घटनाय भी बहुत ही नहीं होती है। जो हो। मैं तो इस सिद्धान्त को सोलने आना मानता हूँ कि पूर्ण शुद्धता स्वयं ही अपनी रक्षा करने में समर्थ होती है। बदलन शुद्ध के सामने घुरी से घुरा बदमाश भी नष्ट हो जाता है।

“हमारे समाज के समाज में मेरी शिक्षा के समाचार इन लेखकों को ठीक ठीक नहीं मिले हैं। वे यह जानकर खुश होकर कि मैंने न केवल उन्मत्त समाज देने की सिकाश नहीं की, बल्कि मेरे सारिणों में, अन्तर्भाव में मेरे प्रति उनके उत्तर सत्यग्रह के कारण, अपना हाथ को मजबूत देने का मतलब मकूम कर दिया। पर हाँ, वे जान लेने नहीं और अब भी जिम्मेदार जोर देता हूँ, वह है जन्मल हाथर का पन्नाय बंद कर देना। अन्तर्भावी का उसके अन्तर्भाव के लिए हमें देना भद्रिया का अंग नहीं है; पर यदि मैं जन्मल हाथर को पन्नाय देना पसन्द कर तो मैं यह सत्यग्रह विशेष-व्यय से समा ही देगा। परन्तु मेरे कथन का कोई मूलन अर्थ समझ लें। अन्तर्भाव विशेष में मैं अन्तर्भावियों को सजा देने की भी सिकाश कर सकता हूँ। जैसे समाज की वर्तमान अवस्था में मैं घुरी और हाकनी को नजरबंद कर रखने से बिल्कुल न बचेंगे, और यह एक प्रकार की सजा ही है। और मैं साथ ही यह भी कृतज्ञ करता कि यह सत्याग्रह नहीं है और यह उस उच्च सिद्धान्त में मिल जाता है। यह उस सिद्धान्त के दोष की स्वीकृति नहीं है बल्कि मेरी समझने की स्वीकृति है। समाज की वर्तमान स्थिति में ऐसे लोगों का समाज कोई इलाज मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं तैलवारों को दण्ड नहीं बल्कि सजा यह बन्धुओं के विचार का प्रयोग कर के मन्त्र हो रहता है।

परन्तु मैं तो सार्वत्रिक दण्ड के लिए भी मृत्यु दण्ड और सहाय बंद कर रखने में भेद करता हूँ। मेरे अन्तर्भाव में हमें न केवल मात्रा का भेद बल्कि पदार्थ का भी भेद है। किसीकी सहाय बंद करने की सजा तो हम वापस कर सकते हैं—हटा सकते हैं, सार्वत्रिक दण्ड जिनको दिया गया है उसकी क्षमिति की जा सकती है; पर मृत्यु-दण्ड तो जहाँ तक बार दे दिया गया कि फिर वह पुनः या रहने का सीना के बाहर हो जाता है। अन्तर्भाव ईश्वर ही प्राण के सकता है, क्योंकि अन्तर्भाव ही जीवन देता है।

केवल सत्याग्रही के आत्म-बाधदान तथा शत्रुओं के द्वारा शिथिल गये शक्ति को खिचड़ी कर दते हैं। पर आशा है कि उनके मन में ऐसा गोलमाल न होगा। परन्तु उनका संभावना भी न रहने देने के लिए मैं इस बात को स्पष्ट विवेक देता हूँ कि जब एक दूसरे की हानि पहुँचाना है तभी उसे दिया कहने है। स्वयं अपने शरीर को कुछ पहुँचाना तो उल्टा अहिंसा वा सत्य है और हिंसा के स्थान पर उसकी स्थापना की गई है। यह बात नहीं कि मैं जीव के मृत्यु को कम आँकना हूँ और इसलिए सत्याग्रह में प्राण-हानि करने को प्रसन्नवदन हो कर देखना हूँ, बल्कि इसका कारण यह है कि मैं जानता हूँ कि अन्त को आ कर इन प्राण मराने वालों की आत्मा उचलता की प्राप्त करता है और उनके आत्म बल के फल-स्वरूप संसार की भी जातक समृद्ध होती है। मैं समझता हूँ कि लेखक का यह कहना सही है कि "असहयोग केवल एक आदर्श ही नहीं है बल्कि, भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति का सुगन्धित और युग मार्ग है।" मैं तो यह भी करता हूँ कि यह गिद्वान्त राज्यों के परस्पर व्यवहार में भी काम दे सकता है। पच्छिम मह युद्ध को ही खींचिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस गिद्वान्त का लक्ष्य में नाजुक मामले में हाथ डाल रहा हूँ। पर अपने आक्षेप को स्पष्ट करने के लिए ऐ-म किने बिना चारा नहीं। जसा कि मैं समझता हूँ, यह युद्ध दोनों पक्षों में युद्ध था। यह युद्ध था निरर्थक आतियोगी लड़ में मिले माल के बंटवारे का युद्ध — इसी लड़ को लॉग बड़े जारों शत्रु के साथ 'विश्व-यापी व्यवहार' कहते हैं। यदि जर्मनी आज अपनी नाति बदल दे और यह निश्चय कर ले कि मैं अपनी आजादी का उपयोग विश्व-व्यापक बंटवारे के लिए नहीं, बल्कि अपना नैतिक धर्मता के द्वारा पृथिवी की निरर्थक जातियों की रक्षा के लिए करूँगा, तो यह युद्ध अनर्थ ही बिना शक्य-साधन के कर सकेगा। हम देखेंगे कि योरप में आम तौर पर निरर्थककरण हो के आरंभ के पहले, — यदि योरप अपने आत्मघात पर न चुका ही तो उसे यह एक न एक दिन करना काजिमा है — किसी न किसी राष्ट्र को, भंगी जातिम ठा कर निशक्तीकरण के लिए आगे बढ़ा होगा। और यदि ऐसा समय हमारे सुदूर से आया, तो उस राष्ट्र में अहिंसा इस दरजे तक पहुँच चुकेगा कि जिससे सब राष्ट्र उसे आपस की दृष्टि में समान होंगे। उसके निमित्तों में गलत के लिए जगह न रहनी, उसके निमित्त भटन होंगे, उसके स्वार्थ त्याग की क्षमता भारी होगी, और वह और राष्ट्रों के लिए भा उतना ही जीवित रहना चहेगा, जितना कि खुद अपने लिए। इस नाजुक विषय का अब यहाँ अतन करना ठीक है। हाँ, मैं जानता हूँ कि एक असला बात पर मैं यह विचार खूब में बैठ कर लिख रहा हूँ, 'बना ही उनके अर्थ की व्याप्त को जाना हुए। इसपर मेरा कहें यह है कि, यदि मैं केवल का भाव टी-टीक समझता हूँ, तो मैं नहीं मुसल कराना चाहते हूँ।

हाँ, मैं अवश्य सपूर्ण अहिंसा का समर्थन करता हूँ और उसको अनुष्ठी और राष्ट्रों के परस्पर व्यवहार में संभव-सम्यक्त मानता हूँ। परन्तु यह 'युद्धों के विरोध से व्यक्ति' नहीं है। बल्कि इसके प्रांतिकूल में अहिंसा तो दुष्टता और प्रिनिहिता के मुद्दामें मैं समझता हूँ कि स्वभावतः दुष्टता का बंधन है, अधिक और सत्ता-समाप्त हूँ अनीति का मानसिक और इसलए नैतिक विरोध करने का बजार करता हूँ। मैं आत्मिक की तलवार के मुकाबले में उससे भी ज्यादा सेवक हूँ के कर नहीं, बल्कि उसकी इस उम्मीद को निमू कर कि मैं उसका शारीरिक प्रतीकार करूँगा, उसके कल का बेकर कर देना चाहता हूँ। मैं जिस तलवार से उसकी तलवार का प्रतीकार

करूँगा उससे वह भीतर रह जायगा। पहले तो वह चौधिया जायगा और अन्त में वह उमका लोहा मान जायगा — और उससे उसका सिर नीचा नहीं हागा, बल्कि वह ऊंचा उठ जायगा। इसपर यह कहा जा सकता है कि यह 'आदर्श' स्थिति ही है। और ऐसा ही भी। जिस वस्तु के आधार पर मैंने अपनी युक्तियाँ खड़ी की हैं वह उतना ही सच है जितनी कि युद्ध की परिभाषा। उसके अनुसार हम बाले तहत पर सरल रेखा तक नहीं खींच सकते हैं; पर इससे व्यवहार में उन परिभाषाओं की सत्यता कम नहीं हो जाती। लेकिन जिस तरह रेखा-गणत बाले युद्ध की परिभाषाओं को ध्यान में रखे बिना आगे नहीं बढ़ सकते उठी तरह हम भी-ये जर्मन मित्र, उनके साथ और खुद में भा-उन मूलभूत बातों के बिना अपना काम नहीं चला सकते, जिनके कि आधार पर सत्याग्रह सिद्धान्त खड़ा है।

अब मेरे लिए सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देना बाकी रह गया है। लेखक ने बड़ी ही अनुश्रुति से अंगरेजों के सारी दुनिया के शिक्षक बनने के अधिकार की उच्छता की तुलना विवाहित लोगों के पारस्परिक सम्बन्ध-व्यवहार से विचारों से का है। परन्तु यह तुलना यथार्थ नहीं है। विवाह-बंधन का अभिप्राय यह है कि दोनों परस्पर राजमन्दी से एक दूसरे से संयोग करें। परन्तु अज्ञान के लिए किसीही राजमन्दी दरकार नहीं है। देना एक जीवन एक असह्य बात हो जायगा, ऐसी कि, वह जरूर ही जाता है, जब कि उनमें से एक जन संयम के समझ बंधनों को तह डालना है। विवाह के द्वारा और सब व्यक्तियों को छोड़ कर सिर्फ उन दो व्यक्तियों के संयोग का अधिकार कायम किया जाता है, जब कि दोनों की सम्मिलित इच्छा से ऐसा संयोग अर्थात् करना पड़े। परन्तु इसके प्रत्येक प्रसंग में जो क्षुब्धी इच्छा के अनुकूल दूसरे जन से आज्ञा पालन कराने का अधिकार कायम नहीं किया जाता है। अब यह प्रश्न जुदा है कि जब तक दो नैतिक अवस्था अन्य कारणों से दूसरे की इच्छा पर पूर्ण नियंत्रण तब क्या करना चाहिए। अपना तरफ से तो मैं, 'दो' तलवार ही उमका एक मात्र उपाय है, तो अपनी नैतिक प्रगति में बाधा डालने की अपेक्षा उस स्वीकार करने में न हिचकूँगा। यह मान कर कि मैं निरर्थक कारणों से ही संयम का पालन करना चाहता हूँ।

(अंगरेजी से अनु.दित) म हनद.स करमचंद गांधी

( पृष्ठ ५६ से आगे )

अब किसी प्रान्त में ५० सदस्य हो जायें तब वे 'अ' वर्ग के सदस्यों में से १ सदस्यों का चुन कर एक परामर्श-समिति बना लेंगे जो कि अन्तर प्रान्त के काम-काज के संबंध में सच का सलाह दिया करेंगी।

हरादक

जो मजदूर अ-भा-बरखा संघ को १२) हरसाल पेशगी देंगे अर सदा-सर्वदा खड़ी पहुँचेंगे वे संघ के सहायक सदस्य समझे जायेंगे।

जो सज्जन सदा-सर्वदा खारी पढ़ेंगे और संघ को ५००) एकमुस्त देंगे वे संघ के आ-जीवन सहायक हो जायेंगे।

समस्त 'सहायकों' का कार्य-सभा की दिक्षिप, कार्यवई हिसाब के कागज-स, बिना मूल्य पत्रों का इक हागा।

## हिन्दी-नवजीवन

सुमार, आश्विन सुदी १४, संवत् १९८२

### अखिल भारत च.खा-संघ

पाठकों को अग्रिम अ० मा० चरखा-संघ का विधान मिलेगा। उसका ध्यान-पूर्वक अवलोकन करने से मालूम होगा कि किलहाल यह न केवल प्रजासत्ताक संस्था नहीं है, बल्कि परिणाम में एक आदमी का कारोबार है। इससे या तो उसके उत्पादक की अहम्मन्यता सूचित होती है या उसका इस कार्य के तथा स्वयं अपने प्रति पूर्ण श्रद्धा। जहाँतक एक आदमी को अपनी पहचान हो सकती है, इस संघ को एक-तंत्रा स्वरूप देने में अहन्ता का अंधा नहीं है। व्यापारिक संस्थायें प्रजासत्ताक कभी नहीं हो सकती। और यदि चरखा-कताई को घर घर में पहुँचाना हो और देश में सकल बनाना हो तो उसके अराजनीतिक और आर्थिक अंग का पूरा पूरा विकास करना होगा। अ० मा० चरखा-संघ के द्वारा इसीका उद्योग किया जायगा। संघ में अपने सदस्यों का चुनाव करने में मैंने महत्त्व उपयोगिता का विचार रक्खा है। हर व्यक्ति उसके विशेष गुणों के कारण चुना गया है। चुनाव में प्रान्तों के प्रतिनिधित्व का कोई सवाल न रक्खा गया था। और कुछ तो सर्वोत्तम कार्य-कर्ता कार्य-सभा से इसलिये अलग रक्खे गये हैं कि जिससे गलत-कदमी की गंजावना न हो सके। शायद कोई पूछे कि चरखे की दृष्टि से अ० मा० कौकिलमाली में कौनसा विधान गुण है? हाँ, है। एक तो वे सुसम्मान हैं, दूसरे पक आदी-मण हैं, तीसरे १००० गज हर माह मूल कात कर देना चाहते हैं और चरखे तथा खादी के लिए अपने बस भर सब कुछ करना चाहते हैं। किसी स्वराजी का भी नाम मैंने जान-बूझ कर नहीं रक्खा है और उसका कारण स्पष्ट है।

चरखा-संघ की स्थापना के समय कोई १०० से ऊपर खादी मण, जिनमें स्वराजी भी थे, मेरी सहायता कर रहे थे। उस समय मुझसे यह पूछा गया था कि क्या खादी के राजनीतिक महत्व में आपका विश्वास नहीं रह गया है, अथवा सत्याग्रह के अनुकूल वायुमण्डल तैयार करने के उसके सामर्थ्य से विश्वास हट गया है? मैंने इसका जवाब के साथ उत्तर दिया — 'नहीं।' खादी का राजनीतिक महत्व उसकी आर्थिक क्षमता ही है। जो लोग पेशा या काम के अभाव में मूलों मर रहे हैं उनमें राजनीतिक आत्म-जागृति कहाँ से हो सकती है? खादी का उस दश में कोई राजनीतिक महत्व न होगा जहाँ कि लोगों का कपडे की जरूरत नहीं है, जहाँ वे जिकार पर गुजर करते हैं, या जहाँ के लोग दूसरे देशों के लोगों की छूट पर अपना गुजर करते हैं। हिन्दुस्तान में खादी के राजनीतिक मूल्य का कारण है उसकी विशिष्ट स्थिति अर्थात् यह कि उसे कपडे की जरूरत है, किसी दूसरे देश को यह छूटता नहीं है, और उसके लाखों लोगों का मूलों भरत हुए भाँ साल में चाद महान के लिए कोई काम-धन्धा नहीं है। सत्याग्रह के लिए वायुमण्डल तैयार करने का खादी का सामर्थ्य इस बात के सामर्थ्य में है कि यदि सफल हुई तो इसके द्वारा हमें अपने अन्दर कुछ शक्ति का भान होगा, शान्ति का वायुमण्डल उत्पन्न होगा और शान्ति के अन्दर भी अटक

निश्चय होगा। बहुतेरे आदमी जो सत्याग्रह का नाम जब तक लिया करते हैं, नहीं जानते कि उसका तात्पर्य क्या है? वे उसे गदरे उल्लेखनामय वायुमण्डल के साथ जोड़ देते हैं, जो कि सदा प्रकृत हिंसा का रुर धारण कर लेने के लिए उद्यत रहता है। हालांकि सत्याग्रह इसके विरुद्ध विपरीत है। और जबतक खादी आर्थिक दृष्टि से सफल न हो न तो राजनीतिक फल और न शान्त वायुमण्डल सम्भवनीय है। इसलिए इसके स्थायी और आर्थिक स्वरूप पर जोर देने की जरूरत है, जो कि इसका सीधा परिणाम है। इसलिए उसका प्राकथन विचार-पूर्वक रक्खा गया है और यह परम आवश्यक है। उम से उम राजनीतिक पुरुष और उम से उम सत्याग्रही इस संघ में शामिल हो सकता है। पर यह एक आर्थिक कार्यकर्ता की हेतियत से ऐसा करेगा। किसी भी महाराजा को संघ से दूर रहने की आवश्यकता नहीं, यदि वे खादी के महान् आर्थिक मूल्य के कायल हों और देश के लाखों मूलों रहने वाले लोगों के लिए एक उचित सहायक पेशे की आवश्यकता स्वीकर करते हों। इसलिए मैं उन तमाम लोगों को जो खादी और चरखे में विश्वास करते हैं, फिर वे किसी धर्म या जाति के हों और उनके राजनीतिक विचार केमे ही हों, आवाहन करता हूँ कि वे चरखा-संघ में शामिल हों। मैं उन अगरेजों तथा आर यारपियनों को भी निमंत्रण दूँगा जिन्हें कि भारत के लाखों लोगों की फाकेकशी का खयाल है, कि वे इस संघ में सम्मिलित हों। मैं जानता हूँ कि बहुतेरे सज्जन ऐसे हैं जो खादी को मानते हैं, जिनका विश्वास चरखा-कताई पर है, पर जो खुद कातना न चाहेंगे। वे लोग खादी पहन कर संघ के 'सहायक' हो सकते हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो किसी न किसी कारण खादी भी न पहनना चाहेंगे — पर फिर भी वे खादी की हर तरह से उन्नत चाहते हैं, वे संघ को आर्थिक सहायता दे सकते हैं।

पर यह बात न भूलना चाहिए कि जबतक महासभा की सुर्वा होगी, संघ महासभा का अंगभूत रहेगा। और उस अवस्था में महासभा की उसका खादी और हाथ-कताई के कार्यक्रम में हर तरह की सहायता देना उसका कर्तव्य होगा। इस तरह महासभा और संघ को ओढ़ने वाली कड़ी होगी दोनों का चरखे और खादी पर विश्वास। जो इस संघ का महासभा की विविध राजनीतिक बातों से कोई संबंध न रहेगा और न उनका कोई असर इसपर होगा। इसका आस्तित्व स्वतंत्र रहेगा, उसका उद्देश्य सिर्फ चरखे और खादी के प्रचार तक मर्यादित रहेगा, उसका अपना अलहदा विधान रहेगा और उसका अनुसार उसका काम-काज होगा। महासभा कि उसने अपना एक जुदा ही कर्ताधिकार बनाया है और यह, ऐसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, अ-महासभावादीयों का भी अपने सदस्य बना सकता है और कोई महासभावादी — कताई-सदस्य तक — संघ का सदस्य होने के लिए बाध्य नहीं है।

वर्तमान विधान उतना कड़ा नहीं है जितना कि मैंने पहले बनाना चाहा था। जो महासभा में तैयार किया था उसमें हर माह २००० गज मूल देना हर 'अ' वर्ग के सदस्य के लिए लाजमी था। साथ ही उसे नीचे लिखी प्रतिज्ञा भी करनी पड़ती थी —

यह मेरा दृढ विश्वास है कि भारत का आर्थिक उद्वार घर घर में चरखे और खादी का प्रचार हुए बिना असंभव है। इसलिए मैं उक्त अनुरोध को छोड़ कर अब कि मैं संसार होऊँ या अन्य कारण से असमर्थ हो जाऊँ, कम से कम आप पण्डा रोज कुछ खादी और



सदा-सर्वदा दायकती, दाय-दुनी खादी पहनूंगा और यदि मेरा वह विश्वास बदल जायगा या मैं बरखा कातना और खादी पहनना छोड़ दूंगा तो मैं संघ की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

हो हमार गज सूत की अगह अब १ हजार ही रह गया। वह उन लोगों के प्रबल विरोध का परिणाम है जो 'अ' वर्ग के सदस्य होना चाहते थे, पर फिर भी १००० गज हर माह सूत कात जाना अवने लिए मुश्किल मानते थे। पूर्वोक्त प्रतिज्ञा-पत्र भी उठा लिया गया; क्योंकि ऐसी मंत्रीर प्रतिज्ञा की बात ही औरों को मही-सी दिखाई थी, हालांकि मैं अब भी उनकी राय को गलत मानता हूँ। खुद मेरी तथा और कितने ही लोगों की यह राय है कि प्रतिज्ञाये और व्रत की आवश्यकता हठ से हठ मनुष्य के लिए भी रहती है। यह एक समझौते की तरह है—छपमग नहीं बल्कि ठीक १० अंश का। समझौते में यदि जरा भी गड़बड़ हो ती उससे उसका महान् उद्देश ही गिर जाता है। स्वच्छ-पूर्वक की गई प्रतिज्ञा थपई की उस दौरी की तरह है जो कि मनुष्य को हमेशा सीधे रास्ते पर रखती है और गलत रास्ते जाते ही चेतावनी देती है। सर्व-साधारण व्यवहार के नियम यह कम नहीं देते जो कि व्यक्तिगत व्रत या प्रतिज्ञा देते हैं। इसलिए हम समस्त सु-संचालित संस्थाओं में प्रतिज्ञाओं का रिवाज देखते हैं। बाइभराम को भी शपथ काली पड़ती है। सारी दुनिया में धारापत्रों के सदस्यों को शपथ खानी पड़ती है और मैं समझता हूँ कि वह ठीक भी है। सेना में साम्मलत होनेवाला सैनिक भी ऐसा ही करता है। फिर देखो प्रतिज्ञा मनुष्य को समय समय पर अपनी ग्रातज्ञा की याद दिलाती रहती है। स्मरण-शक्ति बहुत निर्बल वस्तु है। लिखित शब्द चर-आवी होते हैं। परन्तु शून्य इन ग्रातज्ञा-पत्रों का विरोध आया प्रबल था, मैंने उन्हें उठा केना ही उचित समझा, क्योंकि यह तो सारी कार्याई में एक माना हुई ही बात थी। सो अब यदापि वह प्रतिज्ञा-पत्रों कागज पर कायम नहीं रहा है तो भी हर शक का यह विश्वास तो अवश्य ही होना चाहिए और हर शक से यह उम्माद की जाी है कि वह बामात् आद आनबाय आवात के दिनों की छात्र कर आध चढा रोज सूत कातगा। कार्य-सभा के सदस्यों के प्रतिज्ञा-पत्र म इतनी बात और ज्यादा थी—

मैं संघ की सभा के अपने पद के कर्तव्यों का पालन ईमानदारी के साथ करने की प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने निजी सांवेजनिक तयाम कामों से इसे दर-भीह दूंगा।

यह कहा गया कि ऐसा प्रतिज्ञा-पत्र न लिखाया जाय; पर ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य अदा करने की बात को एक अंगीकृत वस्तु समझ केना चाहिए। ऐसे संघ में जिसका सभा में पद पाना कोई अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य ही कर्तव्य है, और जहाँ सब कुछ सेवा ही सेवा है, सिवा अपनी अन्तरात्मा के कोई प्रशंसा-पत्र इनवाला नहीं है, सब शान भाग ल सकते हैं—फिर वे चाहे यदाधिकारी ही वा न ही। ऐसी अवस्था में मैं आशा करता हूँ कि किसीका नाम रह जाने से न ता किसीको बुरा ही मान्य हागा और न गलतफहमी ही होगी। बल्कि इसके विपरीत मैं तो यह आशा करता हूँ कि तमाम खादी-कार्यकर्ता, जिसके पास कुछ नई बात या विशेष योजना ही, अपने विचार या बुद्धि के द्वारा इस संघ को सहायता देने में पीछे न रहेंगे। इसमें सफलता तभी ही संकेती जब छोटे से छोटा व्यक्ति भी हरतरह से इसमें सहायता देगा।

(मं. ई.)

मोहनदास करमचंद गांधी

## महा-समिति

पटना में महासमिति ने स्वराजियों के हाथ में महासभा की सत्ता देने का काम पूरा कर दिया। प्रस्तावों पर खूब जोर-शोर से बहस हुई और समष्टिरूप से संघम का पालन भी अधिक से अधिक दिखाई दिया। प्रस्तावों के भिन्न भिन्न भागों पर बहुमति उतनी अधिक संख्या में न थी जितनी कि मैंने उम्मीद की थी या जितनी कि एक छोटी संस्था के द्वारा एक बड़ी संस्था के विधान-परिवर्तन के लिए आवश्यक हो सकती है। पर मेरा दिल कहता है कि उन प्रस्तावों का उपस्थित होने से कर मैंने देश के हित के अनुकूल ही काम किया है। मैं पहले ही यह बात कबूल कर चुका हूँ कि विधान में परिवर्तन करना मामूली तौर पर महासमिति के अधिकार-क्षेत्र के बाहर है और यह एक किस्म की बगवत है। परंतु यह मेरा मत है कि हर संस्था का जिसे कि अपनी नेकनामी का क्याक है, कर्तव्य है कि वह ऐसे विषय अवसर का मुकाबला साहसपूर्वक करे, याद उसे इस बात का निश्चय हो गया हो कि खुद उस संस्था के हित के लिए इस बात की जरूरत है। इसी कारण मैं पहले समिति से यह तय करना चाहता कि उसी राय में महासभा के अधिवेशन तक इन्तजार न करत हुए विधान में परिवर्तन करने का अवसर उपस्थित हुआ है या नहीं। तुल्य परिवर्तन करने के पक्ष में बहुत भारी बहुमति थी। इसलिए खुद उस प्रस्ताव के संबंध में देता हूँ बहुमति का आग्रह मैंने नहीं रक्खा। अब यह महासभा के अधिकार की बात है कि वह महासमिति के कार्य को अच्छा कहे या उसको नापसंद करके बुरा कहे अथवा बुरा कह कर भी उसके कार्य को स्वाकार कर के, क्योंकि अब यह एक सिद्ध बात हो गई है। इसपर एक दा सदस्यों ने कहा कि महासभा के द्वारा निंदा होना तो असंभव बात है; क्योंकि महासमिति के प्रस्ताव पर अमल ता अभी से शुरू हो जायगा और जो लोग महासभा में आदंगे थे इन्हींके बर्तमान मास नये मताधिकार के बल पर आवेगे। सो उनसे यह उम्मीद केस की जा सकती है कि वे उसीकी निन्दा करें। इससे कि उनके साथ यह भलाई की है? पर ऐसा होने की जरूरत नहीं है। यदि केवल नियम-विच्छ होने की बुनियाद पर महासमिति का यह परिवर्तन ना-पसंद किया जाय तो वे लोग भी मिन्हे कि इससे लाभ पहुंचा है, समिति के अर्थ कार्य को बुरा कह सकते हैं और उनका ऐसा करना ठीक भी होगा। वे परिवर्तन के आक्षेप को स्वाकार करके भी महासमिति के किसी भी हाकत में परिवर्तन करने के अधिकार का खण्डन कर सकते हैं।

यह परिवर्तन कोई मारी नहीं हुआ है। किसीके हित का बात इससे नहीं हुआ है। किसी एक ही व्यक्ति का मताधिकार छोना नहीं गया है। कोई भी पक्ष परिवर्तन से पहले की अपनी अवस्था से बुरी अवस्था में नहीं है। असहयोगियों को शिकायत करने की जरूरत नहीं है; क्योंकि राष्ट्र-नीति के तौर पर असहयोग स्थिति ही चुका है। और रचनात्मक कार्यक्रम उन्हीं का त्यों अटक है। काह और कादी अब भी राष्ट्रीय कार्यक्रम का अग बना ही हुआ है। धारा-सभा का कार्यक्रम, जिसे कि स्वराज्य-दल महासभा के नाम पर चला रहा था उसे अब महासभा स्वराज्य-दल के द्वारा चलावेगी। यह मेरा ऐसा है जिसे भिन्नता नहीं कह सकते। जो लोग करके की राजनैतिक कार्यक्रम के ऊपर रखते हैं और राजनैतिक कार्यक्रम को छोड़ कर अकेले करके में ही विश्वास करते हैं, उन्हें किसी तरह इति नहीं पहुंची। क्योंकि उसकी उन्नति के लिए उनके

पास एक पृथक् संस्था हो गई है। और चरखा-कताई अब भी वैकल्पिक मन्त्राधिकार बना हुआ है और मार्क्सवादी तथा महासभा के अवसरों पर खादी पहनना अब भी लाजिमी बना हुआ है। और न महासभा के बाहर रहनेवाले दलों पर भी उसका बुरा असर हुआ है। बेलगाँव के ठहराव के अनुसार जहाँ उन्हें स्वराजी और अपरिवर्तनवादी दोनों से समझौते की बातचीत करने या उन्हें अपने मत का कायल करने की आवश्यकता थी तहाँ अब, सिर्फ स्वराजियों को ही अपने मत में मिला लेना है या उनके मत में मिल जाना है। अतएव यह परिवर्तन हर प्रकार से प्रतिनिधित्व के हक की सीमा को बढ़ाता है और सब दलों के संगम को कम कठिन बना देता है। कोई महासभा लोगों की स्वतंत्रता-वृद्धि के पक्ष में हुए परिवर्तन को एकाएक नापसंद नहीं कर सकती। यही नहीं, बल्कि यह परिवर्तन मेरी राय में उन लोगों की आवश्यकता के अनुसार ही हो पाया है जो कि अबतक महासभा से एक-दूर रहे हैं। पर उनके लिए शायद यह काफी नहीं है। यदि यहाँ बात हो तो मुझे इसपर दुःख होगा।

बहुस में कुछ सदस्यों ने यह भय जाहिर किया कि यदि चरखा-संघ को बन्दे का सूत सीधा भेज दिया गया तो सम्भव है कि इससे पेशेदार चरखा कातने वालों का अधाधुन रूपयोग हो या बेईमानी और चालबाजी कर के महासभा में अपने दल के लोग भर दिये जायें और इस तरह फिर वही अवाञ्छनीय स्थिति कर दी जाय और इस प्रस्ताव के द्वारा प्राप्त लाभ की जड़ पर ही कुठाराघात हो जाय। यह हर उस अवस्था में लोगों को होता था जब कि सूत प्रान्त का प्रान्त में ही जमा करने की आज्ञा दी हो। पर यदि प्रधान कार्यालय में सूत दिया जाय तो यह भय न रह जाता था। इस आक्षेप का उपाय सोचने में कोई कठिनाई नहीं। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए सभ के विधान में यह अंश जोड़ा गया है कि महासभा के सदस्य जो चार आना देने की अनिश्चित कालना पसंद करें वे अपना सूत प्रधान कार्यालय की भेजें। मेरा तो यह विचार हरगिज नहीं है कि महासभा को चरखा कातने वालों से भर दूँ। और इस तरह फिर महासभा को बिल्कुल या मुख्यतः सूतकारों की संस्था बना दूँ और भारतसभा के राजनैतिक कार्यक्रम को उसमें से हटा दूँ। हाँ, हममें कोई शक नहीं कि मैं ऐसा चाहता तो हूँ। पर यह तभी हो सकता है जब कि वे लोग भिन्न-ही आज सत्ता दी गई है सोलहों आना चरखे के कार्य हो जायें। और यह हो सकता है चरखा चलाने वालों के कार्य के द्वारा। महासभा के अंदर नहीं बल्कि बाहर रह कर किये कार्य के द्वारा। यदि चरखे में स्वयं ही ऐसी स्वाभाविक जीवनी शक्ति है और उसका प्रचार घर घर हो जाय या हो गया जिसे हम अपने दृष्टि-पथ में विदेशी कपड़े को हटाने का अनुमान बांध सकें तो आज के सब स्वराजी चरखावादी हो जायेंगे। परन्तु यह हो सकता है सिर्फ अकेले उन लोगों के प्रयत्नों के द्वारा जो कि सालहों आना चरखे के कायल है। वे अपने विश्वास को कार्यरूप में परिणत कर दें तो स्वराजी पूरेपूरे चरखे के मत में मिल जायेंगे। इसलिए मेरी यह बल-पूर्वक सलाह है कि जो लोग इस समय महासभा के कताई-सदस्य हैं वे यदि ऐसे ही सदस्य बने रहना चाहें तो अपना सूत प्रधान कार्यालय की भेज दें। कताई के द्वारा महासभा के सदस्यों की वृद्धि करने के फेर में उन्हें पहन की आवश्यकता नहीं। हाँ, संघ के सदस्य बनाने के लिए वे अपनी पूरी शक्ति और योग्यता लगावें। और यदि एक भारी तादाद में सूत कातने वाले सदस्य हमें प्राप्त हो सकें, पेशेदार कातनेवालों में से नहीं बल्कि उन लोगों में से जो कि केवल यह-भाव से कातते हैं,

जीविका के लिए नहीं, तो यह एक ऐसी प्राप्ति होगी जिसका असर हुए बिना रहेगा। परन्तु फिलहाल, जबतक कि सब तरह का शो-शुद्ध दूर नहीं हो जाता, उन्हें महासभा के सदस्य बनने से बाध आना चाहिए। मेरी सदा से यह राय रही है कि राष्ट्रीय महासभा में आपस के झगड़े न हुआ करे और महासभा पर कब्जा करने के लिए सभी कार्रवाहियाँ न होनी चाहिए। जो लोग बहुमत की नीति से सहमत न हों, वे या तो बहुत्वपूर्ण बानों में इस हद तक न लडे कि मतों की गिनती करने की नाबत आ जाय, या यदि उनकी अन्तरात्मा इसके खिलाफ होती हो तो वे कुछ समय के लिए महासभा से बिल्कुल अलग हो जायें। इसलिए मैं उन उम्र असहयोगियों से निवेदन करूँगा, जो कि यदि महासभा में रहें तो स्वराजियों से बार बार कदम कदम पर लड़ना अपना कर्तव्य समझते हों, वे महासभा से अलग हट जायें और यदि वे चाहें तो बाहर रह कर लोकमत तैयार कर। उन्हें स्वराजियों के लिए पूरा मैदान खाली रहने देना चाहिए और उनकी नीति के अनुसार काम करने का पूरा मौका दे देना चाहिए। मेरी राय में यदि वे सरकार पर अपना गम्का जमाना चाहें तो महासभा पूरी पूरी उनके अधिकार में रहनी चाहिए, असहयोगी उसमें कुछ भी हस्तक्षेप न करें।

इसलिए मेरी राय में जहाँ कहीं दोनों दल के लोगों की संख्या बराबर बराबर हो, असहयोगियों अथवा अपरिवर्तनवादियों को चाहिए कि खुद ही कर अपने तमाम पदों का बाण और दफतरो का कब्जा स्वराजियों की दे दें। जहाँ अपरिवर्तनवादियों का भारी बहुमत हो वहाँ वे स्वराजियों के काम में रुकावट न डालें और अपनी अन्तरात्मा के अनुकूल जहाँतक हो उनकी सहायता करें। कोई महासभासमिति किसी हालत में धारासभाओं के लिए ऐसा उम्मीदवार चुना न करे जिसे स्वराजियों ने पसन्द न किया हो और न उनके पसन्द किये उम्मीदवार के मुकाबले में किसीको खडा करें।

एक ऐसी दृष्टिकोण बात हुई है जिसका उल्लेख यहाँ किये बिना नहीं रह सकता। सभित्त के बहुसदस्यकों लोगों का यह विचार था कि तमाम महासभावादियों के लिए खादी एक राष्ट्रीय पहनावा करार दे दी जाय परन्तु अन्त में जब यह बात लोगों की कच गई कि हमसे स्वराजदल को पंशनी होगी तो फिर इसपर जग न दिया गया। परन्तु ये मान के प्रस्ताव में इतना सुधार तो सब लोगोंने खुशी खुशी मबूल कर लिया कि महासभा तथा दूसरे सार्वजनिक अवसरों पर खादी पहनना तो लाजिमी है ही। हर महासभावादी से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे तमाम अवसरों पर खादी पहनेंगे और दिखायती कता तो हर हालत में न पहनेंगे और न हस्तमाल करेगे।

(पं० ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

## महासभित्त का प्रस्ताव

[अ]

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महासभा की एक अच्छी जमात का यह मतालबा है कि मताधिकार बदल दिया जाय, और आम तौर पर यह राय पई जाती है कि मजूदा हालत का विचार करते हुए, मताधिकार का सीमा बढा दी जाय, महासभित्त यह निश्चय करता है कि महासभा सगठन का नियम, हटा लिया जाय और उसका जगह यह नियम आरा किया जाय—

नियम ७ (अ) जो कहस कि नियम ४ के अनुसार अ-योग्य न होगा, और ४ आना साक पेशगी कदा दे दगा, या अपसा,

काला एकसां मजबूत सूत २००० गज देगा, वह महासभा की किसी भी प्राथमिक समिति के सदस्य होने का मुस्तहक होगा। पर शर्त यह है कि कोई भी सदस्य एक ही साथ महासभा की किसी दो संस्थाओं का सदस्य न हो पावेगा।

(अ) उपनियम (अ) में लिखित सूत-बंदी सीमा ३० भा० चरखा संघ के मंत्रों या उनके नियुक्त किसी व्यक्ति को भेजा जाएगा, और अ० भा० संघ के मंत्री का यह प्रमाण-पत्र मिलने पर कि उप व्यक्ति ने २००० गज अपना काला एक सा सूत बतौर सालाना बंधे के दे दिया है, वह नियम (अ) में उल्लिखित सदस्यता के हक को प्राप्त करेगा। पर शर्त यह है कि अ० भा० संघ के सदस्यों की सवाई की जांच के लिए महासमिति या प्रांतीय समिति या उसकी कोई उप समिति को उसके हिमाश-किताब, समूह तथा अ० भा० चरखा संघ के रसीद बुक को जांचने का अधिकार होगा और यह भा० शर्त है कि यदि हिमाश-किताब, सूत के समूह वार रसीद बुक में किसी बात की गलती पाई जायगी, तो अ० भा० चरखा संघ का दिया उस व्यक्ति का प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जायगा। पर ही अ० भा० चरखा संघ को या अयोग्य कारण दिये गये मनुष्य को काय-मसिति को अपनी करने का हक रहेगा।

जो कोई महासभा के सदस्य होने के लिए सूत कानना न देगा उसे उचित जमानत के बाद रुई नाने के लिए दी जा सकती है।

(इ) सदस्यता का सूत १ जनवरी से ३१ दिसंबर तक गिना जायगा और जो इसके बीच में सदस्य होगा उसका बंधा कम न किया जायगा।

(ई) जो सदस्य उपनियम (अ) का पालन न करेगा या राजनैतिक तथा महासभा के जत्तों के समय अथवा महासभा का अन्य काम करते हुए हाथ-धती वार हाथ-बुनी आदी न पहनेगा वह महासभा की किसी समिति, या उपसमिति, या किसी महासभा-संस्था के लिए प्रतिनिधि के चुनाव में भाग देने या उसमें चुने जान का मुस्तहक न होगा और न महासभा की किसी बैठक में किसी महासभा-संस्था में, उसकी किसी समिति या उप समिति में शामिल हो पावेगा। इसके अलावा महासभा अपने सदस्यों से यह भी उम्मीद करती है कि वे और अबसों पर भी खादी ही पहनेंगे और बिलायती कपड़ा तो कितना हाजत में न पहनेंगे न इस्तेमाल करेंगे।

(२) इस साल के तमाम वर्तमान सदस्य आराम ३१ जनवरी तक सदस्य कायम रहेंगे, नये साल का बंधा उन्होंने नही न भी दिया हो।

**अध्यापक**

उपनियम (अ) उन लोगों के अधिकाओं का अहरण न करेगा, जो कि रद्द किये गये नियम के अनुसार पहले ही सदस्य हो चुके हैं—बशर्त कि यों उनकी सदस्यता बाकायदा हो। इसके अलावा जिन लोगोंने अपना या अरों का काला सूत सितम्बर १९२५ तक बंधे में दे दिया है वे इस साल के सदस्य रहने के मुस्तहक रहेंगे—यद्यपि वे आगे सूत न भी दें।

**(ब)**

चूंकि महासभा ने बेलगाँव में अपने ३० वें अधिवेशन में एक और महारमा गांधी और हमरी ओर स्वराज्य-दल की तरफ से वेधबन्धु वास और पण्डित मोतीलाल नेहरू में हुए ठहराव को स्वीकार किया था, जिसके कि द्वारा महासभा का कार्य रचनात्मक काम तक ही परिमित हो गया था। और यह तय किया गया था कि "बड़ी तथा प्रांतीय धारणाओं का काम महासभा की तरफ से महासभा का अंगभूत काम समझ

कर स्वराज्य-दल के द्वारा किया जाय और ऐसे काम के लिए स्वराज्य-दल खुद अपने नियमादि बनावे और अपने रुपये-पैसे का केन-देन करे" और

चूंकि उसके बाद की घटनाओं ने यह दिखाना दिया है कि देश के सामने आज जो परिवर्तित अवस्था खड़ी है उसमें यह बंधन जारी न रहना चाहिए और इसलिए अब से महासभा को मुख्यतः राजनैतिक संस्था बन जाना चाहिए;

यह निश्चय किया जाता है कि महासभा अब देश-हित के लिए आवश्यक तमाम राजनैतिक कार्यों को अपने हाथ में लेती है और इस प्रयोजन के लिए महासभा की सारी सत्ता और धन का उपयोग करती है। इसमें वह रकम मुस्तसना है जो खास तौर पर 'ईयर मार्क' है और जो अखिल भारत खादी मण्डल, या प्रान्तीय खादी मण्डल के ताबे है। पूर्वोक्त खादी मण्डलों का सारा कच्चा, मौजूदा केनकेन सहित, अखिल भारत चरखा-मण्डल को मिल जायगा, जिसे कि महात्मा गांधी ने महासभा के अंगभूत स्थापित किया है लेकिन जिसका अस्तित्व स्वतन्त्र है और जिसकी अपने उद्देश की पूर्ति के लिए इन मण्डलों के तथा अन्य कोष के केन-देन की पूरी सत्ता रहेगी।

इसमें शर्त यह है कि भारतीय तथा प्रांतीय धारासभाओं में काम स्वराज्य-दल के द्वारा उसके विधान तथा नियम के अनुसार निश्चित नीति और कार्यक्रम के मुताबिक किया जाय—इस शर्त पर कि महासभा उस नीति के अनुसार काम करने के लिए आवश्यक परिवर्तन समय समय पर करती रहेगी।”

**टिप्पणियाँ**

**धरमा-प्रार्थना**

मुझे निहायत अफसोस है कि बिहार की अपनी बाकी यात्रा को मुस्तकी करने का भागी मुझे होना पडा है। पर मैं लाचार था। पिछले उपवास के बाद से मैं जो लगतार सफर कर रहा हूँ उसके कारण, मैं देखा-हूँ, मेरी तन्दुर्गती धारे धीरे धीरे भीतर ही भीतर खरब हो रही है। मेरे शरीर के किसी अयक्ष्य को तो कोई बाधा पहुँचा हुई नहीं दिखाई देती। पर शरीर थक गया है और उसे कुछ आराम की जरूरत मालूम होती है। बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने मेरी जीण-शीण अवस्था को देखा। मैंने यह भी देखा कि हजारों लोगों के कुहराम को, फिर वह कितना ही सद्भाव-प्रेरित हो, सहन करने की शक्ति मुझ में न रह गई। इसलिए उन्होंने १५ अक्टूबर के बाद बिहार-यात्रा से मुझे मुक्त कर दिया है। और बर्दा का शेष कार्यक्रम भी इतना हलका कर दिया है कि जिससे मुझे रोज काफी आराम मिले और सप्ताह में दो दिन यं. इ. के सम्पादन के लिए मिल जायें। युक्तप्रान्त के मित्रों ने भी २ ही दिन युक्तप्रान्त में देने पर सन्तोष मान लिया है। महाराष्ट्र खादी-मणों ने भी मुझे नवंबर में महासभा के कुछ भागों में हारा करने के बंधन से मुक्त कर दिया है। अब मेरी इस साल की यात्रा कच्छ की १५ दिन की सुलकर यात्रा के बाद समाप्त हो जायगी। कच्छ के मित्रों का आग्रह है कि मैं अक्टूबर में ही कच्छ जाऊँ। पर उन्होंने बाधा किया है कच्छ की यात्रा में शेर-मुल न मिलेगा, सब जगह आराम दिया जायगा। उन्होंने मेरे सामने खादी और चरखे के प्रचार के लिए भारी रथली कटका रखली है। इन तमाम सज्जनों को मैं धन्यवाद देता हूँ जोकि मुझपर इतनी कृपा रखते हैं और मेरी तनी सुख रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कच्छ के मित्र अपने बंधन का पादन करेंगे। जिन प्रान्तों ने मुझे यात्रा से मुक्त कर दिया है उनसे मैं बाधा करता

हूँ कि मैं अगले साल आपके वहाँ आऊंगा, यदि अब भी वहाँ के लोग ऐसा चाहते होंगे। कार्यक्रम का निष्पत्त कानपुर में सप्ताह कर के कर लेंगे।

### स्वेच्छापूर्वक कातनेवालों से

ज० भा० चरखा मण्डल के मंत्री चाहते हैं कि स्वेच्छापूर्वक कातनेवालों का ध्यान नीचे लिखी बात की ओर दिलाया जाय—

१. "संघ के सदस्य होनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को नीचे लिखे मसूने के अनुसार आवेदन-पत्र भेजना चाहिए—

सेवा से—

मंत्री ज० भा० चरखा-संघ  
साबरमती

प्रिय महाशय,

मैंने ज० भा० चरखा-संघ के नियमों की पढाई है। मैं

वर्ग का सदस्य होना चाहता हूँ और के लिए

मेरा बंधा इसके साथ भेजता हूँ। कृपया सदस्यों में मेरा नाम लिख लीजिए।

२. सूत्र सीधा साबरमती को भेजा जाय।

३. सूत्र के साथ नीचे लिखा ब्योरा एक चिट पर लिख कर भेजना चाहिए—

(१) सदस्य का नाम, पता—जिसमें महासभा के प्रान्त और परगने का नाम हो।

(२) जिस मास का चन्दे हो उसका नाम

(३) (अ) सूत्र की लंबाई

(आ) ,, का दमन

(इ) ,, अंक

(ई) फालकी का आकार

(उ) सूई की किस्म

संघ की स्थापना के समय जिन २०० सज्जनों ने अपने नाम लिखे वे वे कृपया इस बात पर ध्यान रखें।

(य० इ०)

मो० क० गांधी

## अ० भारत चरखा-संघ का विधि-विधान

क्योंकि अब वह समय आ पहुँचा है कि कताई और खादी की उन्नति के लिए तज्ज्ञ लोगों का एक संगठन काममें किया जाय, और क्योंकि अनुभव ने यह दिखाया है कि बिना स्थायी संगठन के जो कि राजनीतियों, राजनैतिक परिवर्तनों या राजनैतिक संस्थाओं के परिवर्तनों के प्रभाव और अनुशा के बाहर हो, इसकी उन्नति सम्भवनीय नहीं है, इसलिए अखिल भारत चरखा-संघ की स्थापना महासम्मति की राजामन्दी के साथ की जाती है। यह महासभा का अंगभूत रहेगा परन्तु उसका अस्तित्व और सत्ता स्वतन्त्र होगी।

इस संघ में सदस्य, सहायक और दाता लोग रहेंगे जिनकी कि व्याख्या आगे की गई है और नीचे लिखे सज्जनों की एक कार्य-सभा पांच वर्ष के लिए रहेगी :—

- १ महारामा गांधी
- २ भालाना चौहानअली
- ३ श्रीयुत राजेन्द्रप्रसाद
- ४ ,, सतीशचन्द्र दास गुप्त
- ५ ,, मगनलाल कुवाळकर गांधी
- ६ ,, सेठ कमनालाल बजाज कर्जावी

- |   |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
| ५ | „ इन्दर कुरेष्           | } मंत्री |
| ८ | „ शंकरलाल बेलाभाई बेन्कर |          |
| ९ | „ पं. जवाहरलाल नेहरू     |          |

### सभा के अधिकार

सभा ज० भा० खादी-मण्डल तथा तमाम ग्रामीय खादी मण्डलों के रुपये जैसे तथा यात्र अलबाब की अपने कर्जों में लेगी और उसे उस तथा दूसरे कर्जों की रकम के देन-लेन करने का पूरा अधिकार होगा और उसके वर्तमान देन-लेन की जिम्मेदारी को अदा करेगी।

सभा को कर्ज लेने, चन्दा जमा करने, स्थावर सम्पत्ति रखने, उचित जमानत ले कर रुपया देने, बतवाई और खादी के प्रचार के लिए रद्द रखने रखाने, कर्ज, दान या सहायता (Bounty) के रूप में खादी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने, उन मददगारों या संस्थाओं को जहाँ बर्खा बानना सिखलाया जाता है स्थापित करने या सहायता देने, खादी मण्डलों को खोलने या सहायता देने, खादी सेवर संघ स्थापित करने, महासभा के चन्दे में आवे हाय कते सूत्र की महासभा की तरफ से लेने और उसकी रसीद देने तथा इसके गृहों की पूर्ति के लिए जिन जिन बातों की जरूरत समझी जाय उन सब को करने का अधिकार है। संघ के अध्यक्ष कार्यसभा के कामों के लिए नियमादि बनाने, उनमें तथा जब जब आवश्यक हो वर्तमान विधि-विधान में भी सुधार-संशोधन करने का अधिकार सभा को है।

इस्तीफे, मृत्यु आदि के द्वारा जो जमते वर्तमान सभा में खादी होगी उनकी पूर्ति शेष सदस्य कर लिया करेंगे।

सभा को किसी भी समय बरह की संख्या तक अपने सदस्यों को बढ़ाने का अधिकार है और सभा की बैठकों के लिए ४ सदस्यों का कोरम रहेगा।

सभा अपना हिसाब ठीक ठीक रखेगी और उसके बही खाते को कोई भी आदमी देख सकेगा।

संघ का प्रपान कार्यालय सत्याग्रह-आश्रम साबरमती में होगा।

### सदस्य

'अ' और 'ब' दो प्रकार के सदस्य रहेंगे।

(१) 'अ' वर्ग में वे सदस्य होंगे जिनकी उम्र १८ साल से ऊपर होगी, जो सदा खादी पहने होंगे और जो अपना खाता मजबूत और १००० गज एकसा सूत्र सज्जनों को या सभा के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति या स्थान को भेजेंगे।

(२) 'ब' वर्ग में वे लोग होंगे जिनकी उम्र १८ वर्ष से ज्यादा होगी और जो सदा-सर्वदा खादी पहनेंगे और साल में २००० गज अपना खाता मजबूत और एकसा सूत्र देंगे।

महासभा की सदस्यता के चन्दे के लिए जो सदस्य संघ को सूत्र देंगे वह इस संघ के चन्दे का अंश समझा जायगा।

### सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य

'अ' और 'ब' दोनों वर्ग के सदस्यों का कर्तव्य होगा कि वे कताई और खादी का प्रचार करें

वर्तमान कार्य-सभा के पांच वर्ष की मीयाद खतम होने के बाद सदस्य लोगों को 'अ' वर्ग के सदस्यों में से उसके सदस्य चुनने का अधिकार होगा। आज की तारीख से ५ साल की मीयाद खतम होने के बाद सदस्य लोग सूत्र के बहुमत से संघ के विधान में परिवर्तन कर सकते हैं।

(शेष पृष्ठ ५६ पर)



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

सं. ५ ]

[ अंक ३ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
 वैयक्तिक उद्यमकाय दून

अहमदाबाद, आश्विन सुदी ७, संवत् १९८२  
 बुधवार, २४ सितम्बर, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
 देवानगपुर धरकीगरा की बाड़ी

## बिहार-यात्रा

पुरलिया में हुई बिहार प्रादेशिक परिषद में उपस्थित होने के काम ही मेरा बिहार का दौरा शुरू हुआ। परिषद में मुख्य काम यह हुआ कि उसने कताई-मताधिकार में प्रस्तावित परिवर्तन के समर्थन करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। सभापतिजी ने अपनी बखतूता अगरेजी में पढ़ी। क्या अच्छा होता यदि मालवी जुवेर हिन्दुस्तानी में अपना भाषण लिखते। तस्वीर यों बाँटिया थी; पर भाषण भी प्रेक्षक उधे न समझ पायें होने। उसी मण्डप में हिन्दू, मुसलमान और दूसरे दिन लिखाफन परिषद भी हुई। मैंने चाहा कि मैं किसी परिषद में कुछ न बोलूँ। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि सब सभापतियों ने मेरी इस इच्छा को मान लिया। मैं जब बोलते बोलते आंजिज आ गया। मुझे अब कुछ कहना बाकी नहीं है। मैं धूमता भी इसलिए हूँ कि, मेरा खयाल है, कि जनता मुझसे मिलना चाहती है। मैं तो अवश्य ही उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने थोड़े शब्दों में अपना सीधा-सादा पैगाम सुनाया और उन्हें तथा मुझे इसपर सन्तोष हुआ। वह धीरे धीरे पारंगत बकीनन् जनता के हृदय में प्रवेश करता है।

परिषद के साथ ही एक सु-व्यवस्थित आयोजित प्रदर्शनी भी थी। हमने वहाँ खादी के असाधारण विकास को देखा। कताई की होड़ भी थी और इनाम भी बाँटा गया था। खादी-प्रतिष्ठान के उत्सव को पहला इनाम — स्वर्ण पदक — मिला। छः साल की एक छोटी लड़की ने भी इनाम पाया। उसका सूत किसी तरह सुरा न था। उसको इनाम इस बात पर मिला कि छः साल की होने पर भी वह होड़ में खली भाँति कात सकी। खादी प्रतिष्ठान के सिलीश बाबू ने 'खादी की छालटेन' के द्वारा खादी संबंधी व्याख्यानों का प्रयोग दिखाया। लोगों ने उसको खूब पसंद किया।

अभिनंदन-पत्र और रुपये की बैली तो भी थी। बैली दी गई अ. भा. देशबन्धु स्मारक-कोष के लिए। श्री और पुरुष दोनों की सभाओं में भी वेंदा एकत्र किया गया। मामूळ के माफिक जिनकी सभा में व्यावह रकम मिली।

मुझे मोहनदास गांधी को लिखा ले गये। वह सहयोग समिति का एक सदस्य है। वहाँ अपने का प्रयोग हो रहा है। प्रयोग दिवस

है और यदि वैज्ञानिक राति से किया गया तो सकल हुए और आश्चर्यजनक फल उत्पन्न किये बिना न रहेगा।

पुरलिया में एक पुराना कुष्ठभ्रम देखा। उसकी खाती व्यवस्था लन्दन निवासी सोसायटी की तरफ से होती है। कटक में मैंने पहली बार कुष्ठभ्रम देखा। पर वह जल्दी में देखा था। तिरुई कोठियों और सुपरिण्टेण्डेंट से ही मिल पाया। वहाँ के काम को न देख पाया। पुरलिया में मैंने कोठियों के रहने के स्थान को देखा तथा सस्था के काम की समझा। दोनों जगहों में सुपरिण्टेण्डेंट और उनकी धर्मपत्नियों कोठियों के प्यारे भिक्षु हो गये थे। और आश्रम में रहनेवालों के चेहरे पर मुझ का अभाव नहीं दिखाई दिया। अपने सुपरिण्टेण्डेंटों के प्रथमोप व्यवहार के कारण वे अपने दुःख को भूल गये थे। पुरलिया में मुझसे कहा गया कि तेल के इन्जेक्शन से, खाद्य कर आरंभिक अवस्था में, कुछ दन जाता है। सुपरिण्टेण्डेंट ने मुझसे यह भी कहा कि भयकर कुष्ठ ग्रसित लोग भी जिनकी कि बमबी निकल गई थी और डँग लियाँ गल गई थी, बिलकुल सकारात्मक न पाये गये। बीमारी अपना काम कर चुकी थी। वह न तो संक्रामक ही थी और न उसका कोई इलाज था। और छूत के रोगी तो वे थे जिनको न तो रोगी खुद ऐसा समझते हैं और न लोग ही। ऐसी भिखारियों भी हैं जिनमें इन्जेक्शन से पूरा आराम हो जाता है। हमारे लिए यह बड़े नीचा देखने की बात है कि ऐसे दुःखी मनुष्यों की सेवा जैसे इस आवश्यक कार्य का सारा भार विदेश के ईसाई लोग उठावे। वे तो इसके लिए हमारे आदर के पात्र हैं। पर हम ! पाठक यह जान कर दुःखी होंगे कि देश में कुष्ठ रोग बढ रहा है। इसका मामूळी सबब है अशुद्ध रहन सहन और अनुचित भोजन-पान।

बिहार के और हिस्सों से भिन्न पुरलिया और उसके आसपास के प्रदेश में मुख्यतः बंगाली-भाषी लोग रहते हैं। कलकत्ते से उसकी आबहवा बेहतर है और ठंडी भी है। बंगाली लोग पुरलिया को स्वास्थ्य-सुधार का स्थान समझते हैं। देशबन्धु के पिता ने पुरलिया में एक सुन्दर घर बनवाया था। मैं उसी घर में ठहराया गया था। देशबन्धु के स्वर्गवास के बाद उस घर में ठहरते हुए मुझे रंज हुआ। उनके माता-पिता की समाधियाँ उस जगह पर हैं। एक कोने में उनका स्थान है। एक सीधा-

बाबा आठंबर-हीन चौतरा उनकी चिता भस्म के स्थान पर बना हुआ है। सामने ही एक मकान टूटी-फूटी अवस्था में है जो कि देशबन्धु की एक बहन के द्वारा बनाया गया था और उसमें एक विधवाश्रम था। उनकी बहन के असामयिक स्वर्गवास से विधवाश्रम का भी अतकाल अपने-आप भा गया। एक और टूटी-फूटी इमारत मुझे बताई गई जिसमें गरीबों के रहने के लिए कोठरियां बनी हुई थीं। सारा आसपास का दृश्य इस परोपकारशील कुटुंब की आध्यात्मिक उदारता के अनुरूप था। ऐसी अवस्था में मेरा यह सौभाग्य था जो देशबन्धु के एक मित्र का अनावरण मेरे हाथों कराया गया तथा देशबन्धु मंग एवं देशबन्धु रोड दर्शक पटरियां खुलवाई गईं।

हो और मुंडा तथा अन्य आदिम निवासियों के वहां मेरे जाने तथा उनके अन्दर जो सुधार-कार्य सुपचार हो रहा है उसके संबंध में मुझे जरूर लिखना है। पर अब वह आगे के अंक में।

(पं० ६०)

मोहनदास करमचंद गांधी

## टिप्पणियां

### मेरे नाम का दुरुपयोग

अहमदाबाद का एक व्यापारी चाय का पेशा करता जान पड़ता है। वह खूब विज्ञापन-बाजी करता है। उसने विज्ञापनों में मेरे नाम का उपयोग इस तरह किया है कि मानों मैंने उसके व्यापार को प्रोत्साहन दिया हो, अथवा मैं चाय को पसंद ही करता हू। इस सिलसिले में मुझे चर-पांच शिकायती खत मिले हैं। नाम-ठाम देकर मैं इस चाय की अधिक शोहरत नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना ही लिख डालना बस है कि मैंने नारे हिन्दुस्तान में किसी चायवाले को उसकी चाय के लिए प्रमाण-पत्र नहीं दिया। अनेक वर्षों से मैंने चाय नहीं पी। मैं नहीं मानता कि मनुष्य के शरीर के लिए चाय की आवश्यकता है। चाय यदि उबाल कर बनाई जाय तो वह दूषित हो जाती है। चाय के द्वारा लोगों में दूध का बचाव किया है, पर मैं समझता हू कि उससे बहुत हानि हुई है। चाय के बागीचों में मजूरों को बहुत तकलाफ मिलती है इससे भी चाय मुझे ना-पसंद है। जिसे चाय की चाट लग जाती है उसे जब चाय नहीं मिलती तो जान सूखने लगती है। इसलिए ऐसे दुर्घटन का त्याग ही अच्छा है। जिसे जेल में जाना हो उसे तो चाय से बचना ही उचित है। क्योंकि जेल में चाय नहीं दी जाती। इस कारण चाय के विज्ञापन में मेरा नाम इस प्रकार घुसेटना अनुचित है। इससे मुझे दुःख होता है। अतएव जो लोग मेरे नाम का उपयोग कर रहे हैं वे अपने विज्ञापनों से मेरा नाम निकाल डालें।

वैसे मेरे नाम के दुरुपयोग की कहानी तो लंबी है। मेरे नाम पर मनुष्यों का बंध हुआ है, मेरे नाम पर अक्षय का प्रचार हुआ है, मेरे नाम का दुरुपयोग चुनावों के समय किया गया है, मेरे नाम पर बीडियां बेची जाती हैं, जिनका कि मैं शत्रु हू, मेरे नाम पर दवाइयां बेची जाती हैं। इस तरह जहां सारा आसमान कट पड़ा हो वहां पंख किस तरह लगावें ?

एक अंगरेजी लेखक ने कहा है कि जहां भूर्खों की या अज्ञानियों की संख्या अधिक है वहां धूर्त, धोखेबाज भूखों नहीं मरते। इस सत्य का अनुभव किसे न हुआ होगा ? मैं तो पुकार पुकार कर कह चुका हू कि मेरे नाम के उपयोग से कोई धोखे में न आवें। हर बीज के गुण-दोष का विचार स्वतन्त्रता-पूर्वक करें। जहां कोई मेरे प्रमाण-पत्र की आवश्यकता समझे और जहां भी छुबह पैदा हो तो मुझसे पूछ कर इत्मीनान कर लेना अति आवश्यक है।

(नवजीवन)

मदराम के एक सज्जन ने मेरे नाम एक छपी हुई खली बिड़ी भेजी है। उसमें उन्होंने तामिलनाडु में किये स्वराजियों के (उनकी राय के अनुसार) अनेक कृ-कृत्यों का वर्णन किया है और यह कह कर कि म्युनिसिपल चुनाव के अवसर में मेरे नाम का दुरुपयोग किया गया है मेरा ध्यान उनकी ओर खींचा है। नीचे उसके कुछ नमूने लीजिए

“स्वराजियों ने म्युनिसिपल्टी के इस बार के चुनाव के समय अपने अज्ञान मतदाताओं को जिस तरह संदेस्त झूठी बातें कहने के लिए पटा रक्खा था — इसके लिए जैसा विधिपूर्वक आन्दोलन मचाया, वह इस शहर में पहले कभी न देखा गया था। मतदाताओं से कहा गया कि वसरे प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार को राय देने का वादा कर लो, उनके बाहन का भी उपयोग कर लो, विरुद्ध दल से उनके चुनाव के भवर भी ले लो — फिर भी आ कर राय स्वराज्य-दल के हक में दो। × × इन चुनावों के समय घृत और नीति-भ्रष्टता का तो खासा बाजार गम रहा। स्वराजियों को जितनी कुछ सफलता की आशा थी रुपये के बल पर। × × नवयुवकों और युवतियों को मण्डलियां भजन-मण्डलियों का नाम धारण कर के, 'महात्मा गांधी की जय' बोलनी हुई कितने ही अनजान मतदाताओं के मन में यह भ्रम उत्पन्न करती हुई कि हमारी राय महात्मा गांधी के लिए ही जादगी, शहर में घूमनी थी। इससे भी भरी बात यह की गई कि मतदाताओं को कमजोरियों से फायदा उठाया गया और उन्हें शराब पिला कर महात्मा गांधी के नाम पर उनसे राय ले ली गई। एक महले में पतित बहनें मतदाता है। महासभा के उम्मीदवार या उनके मित्र वहां पहुंचें और इन अनागनी श्रियों से कहा कि हमारे मुकाबले में जो उम्मीदवार खड़ा है वह तुमकी शहर से निकलवा देने के पक्ष में है और इन महासभा के लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें अपना धना बाँटिजाज करने देंगे। × × एक चुनाव के अंते पर तो आपकी तस्वार बड़ माके की जगह पर लगाई गई थी, खूब फूल-मालाये पहनाई गई थी, आर शोहदों का एक दल आरती उतारने के लिए भी पैसे दे कर बुला रक्खा था। वह जरा जरा देर में 'महात्मा गांधी की जय' पुकारता था और कहता था महात्मा गांधी के हक में राय दो।”

यदि यह चित्र तद्गत हो तो अवश्य ही यह घोषनीय है कि लेखक मुझसे कहते हैं कि इन तरीकों से आपको अपना संबंध न होने की घोषणा करनी चाहिए। उनकी इस सूचना का वा तो यह अर्थ है कि वे मुझे जानते नहीं हैं, क्योंकि मैं तो कई बार अक्षय, हिंसा और शोहदवाजी के खिलाफ अपनी कभी से कभी नापसंदी जाहिर कर चुका हूँ। यहाँतक कि, जब कि मेरी स्थिति के संबंध में गलत-फझी होने का जरा भी मौका पेश आया, मैंने अपने नाम के बेजा उपयोग के लिए एक से अधिक बार प्रायश्चित्त भी किया है। फिर भी मेरे लिए यह असंभव बात है कि मैं अपनेको उन लोगों के कामों के लिए जिम्मेदार मानूँ, जो कि बिना किसी तरह के तकाजे के मेरे नाम पर जुरे काम करते हैं। या लेखक की सूचना का यह अभिप्राय हो सकता है कि यदि उनकी लिखी बातें सच हो तो मैं स्वराज्य-दल को सहायता देना बंद कर दूँ। मैं यह तबतक नहीं कर सकता जब तक पण्डित मोतीलालजी जैसे शख्स उसके पथदर्शक हैं और जब तक कि उसका मौजूदा सकल्प कायम है। स्वराज्य-दल को मैं जो आम तौर पर सहायता देता हूँ उसका यह अर्थ नहीं है कि मैं उस दल के नाम पर अक्षयार किये गये हर तरीके या स्वराज्य-दल के हर सदस्य के काम की ताईब करता हूँ। मुझे

इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वराज्य दल में निकम्मे और पाखण्डी लोग हैं; पर मुझे दुःख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि अभी तक मैं ऐसी किसी प्रजासत्तात्मक सस्था के संघर्ष में नहीं आया हू कि जो इस तरह के आशयियों से अपनेको साक-पाक रख सकी हो। मनुष्य अपनेको बरी रखने के लिए अधिक से अधिक इतना ही कर सकता है कि वह उस सस्था के सकल्प और उसके संचालकों के सामान्य गुण-शील की छान-बीन करे और जब कि उसे उसका संकल्प आपत्ति योग्य मालूम हो, या संकल्प के ठीक रहने पर भी सस्था बुरे लोगों के हाथों में चली गई हो तो अपना ताल्लुक उससे हटा के। यदि स्वराज्य-दल में बुरे लोग चुस गये हों तो उसमें बहुत से सुयोग्य, ईमानदार, त्यागी और कठिन परिश्रमी लोग भी हैं। दूसरे दल के मुकाबले में इससे उसकी हानि न होगी। लेखक इतनीनाम रखते कि यदि ऐक्यवर्णित कारंवाहियाँ एक आम बात हो गईं तो मैं किसी दल को चाहे कितना ही बढाऊ, उसे कोई तर्क-बाधा से नहीं बचा सकता। अतएव लेखक, सर्व-साधारण तथा मेरे सामने ख्याल यह है कि इस दल का पता लगाया जाय कि स्वराज्य-दल की तरफ से दर इत्कीकन ऐसी कारंवाहियाँ की गई हैं और उनको जारी रखने दिया गया है या नहीं? मेरे कर्तव्य का पालन भी इस विषय में इतने ही से हो जाता है कि मैं किसी प्रशासनीय कार्य के लिए भी बेजा और टेढ़े मार्ग से काम लेने के प्रति अपनी नासमझी प्रकट कर दिया कम। संभावना तो यह है कि वे लोग जिनपर ये इत्जाम लगाये गये ह, उनका खण्डन करेंगे। मैं उनपर विश्वास करने में सादधान रहता हू; क्योंकि नलदिये ने यह सिखाया है कि जहाँ दू-बन्दी के भाषों का दौर-दौंग होता है वहाँ एक दल दूसरे दल पर निर्भूल आगेप किया करता है। यहाँ तक कि मेरा महात्मान भी मुझे उन इत्जामों से नहीं बचा पाया है जो कि मैं जानता हूँ किष्कुल असरय है। अभी जब मैं रलकते में था तब मुझपर 'मनस्यैक वचस्यैक' तथा बेहद अमर्गति का आरोप लगाया गया था। रौलट कानून के आन्दोलन के अमाने में पञ्जाब के किनारे ही देश-भक्तों पर बदमाशी का इत्जाम लगाया गया था, जिससे कि वे किष्कुल बरी थे। मैं ऐसे एक भी सार्वजनिक कार्यकर्ता को नहीं जानता जो अपने सार्वजनिक जीवन में कभी न कभी संशय-पात्र न समझा गया हो। इसलिये दलों या उनके नेताओं पर जब इत्जाम लगाये जाते हैं तब उनके मानने में बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए।

**मिलमजूरों की बुर्दशा**

कलकत्ते से मिले एक पत्र में वहाँ के मिल मजूरों के नीचे लिखे अंक लिखे हैं और उनकी अवस्था का वर्णन किया है —

" बंगाल के अन्न अन्न भागों की मिलों में काम करने वाले मजूरों की औसतन संख्या इस प्रकार है —

कथरपाडा	१२,००
हाजीनगर नेहाटी गोरीपुर	३०,०००
कथरपाडा, इच्छापुर, धामनगर	५०,०००
कोकिनाडा, जगदल	८०,०००
टीटागढ	१,२५,०००
कमरहटी, कोसीपुर, बमरुम, बेलियाघाट,	
सियालहद	६५,०००

तेलिनिपाडा, धीरामपुर, रिशरा, चम्पदनी,	
सलखिया, सिनपुर, हाबडा, लिछुआ,	
बजबज, बोरिया, राजगंज,	
तोलीगंज, खिबरपुर	१,५०,०००
	<hr/>
कुल	६,६२,०००

" अधिकतम मजूर निरक्षर हैं। उनकी पत्नियाँ तो और भी अधिक। उनके बच्चों की नैतिक अवस्था दिन पर दिन बुरा होती जा रही है। उनकी आदतें ऐसी बिगडी हुई हैं कि जो कुछ कमाते हैं, जूआ, शराब और रडीबाजी में उबा देते हैं। जब रुपया चुक जाता है और खाने के काले पड़ते हैं तब कानुनियों से या महाजनों से २ आधा की रुपया प्रतिमास, या प्रतिमास तक, सूद पर रुपया कर्ज लेते हैं। वे लोग धीरे धीरे अज्ञान और अविद्या के कारण दिन पर दिन बरबाद हो रहे हैं। क्या इस अंधकार की अवस्था से उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं है? "

मैं यह नहीं कह सकता कि ये भक या यह वर्णन किष्कुल ठीक होगा; पर हाँ — आम तौर पर दोनों को सही मान सकते हैं। पत्र-लेखक लिखते हैं कि स्वर्गीय देशबन्धु ने 'इन दुकों से हमारा छुटकारा कराने का' वादा किया था, और अब उनकी मृत्यु हो जाने से जो काम शुरू तक न हो पाया था उसको संपन्न करने की प्रेरणा मुझे करते हैं। फिर वे कहते हैं कि आप इस-त्याग रुपये को पूजा अमा करके मिनेमा कंपनी के एक कार्यकर्ता को देजिए जिसके द्वारा मजूरों को शिक्षा दी जाय और उनके अन्तर चरने और करपे की प्रतिष्ठा की जाय।

लेखक का आशय तो अच्छा है पर वे यह नहीं जानते कि मिनेमा से लोग साक्षर नहीं हो जायेंगे या उनके बत्ताये बुर्गुनों से मुक्त हो जायेंगे। वे यह भी नहीं जानते कि मजूर लोग हलके या बरखे का अवलक्षण एक सहायक पेशे के तौर पर न करेंगे; क्योंकि इसकी उन्हें आवश्यकता नहीं। हाँ, इत्जाल के दिनों में काम आने या जब वे बे-कार हों तब के लिए वे कताई या बुनाई सीख सकते हैं। मजूरों का नैतिक और सामाजिक सुधार महा-कठिन और भ्रम-साध्य काम है। वह धीरे धीरे होने वाला है और उन्हें सुधारकों के द्वारा हो सकता है जो उन्हींके अन्दर रहते हो और अपने उज्ज्वल सदाचार के द्वारा मजूरों के जीवन को बेहतर बनायें। ऐसे काम के लिए किसी पूजा की जरूरत नहीं है और अन्न किसी रकम की जरूरत होगी खूब मिल-मजूर ही उसका प्रबंध कर देंगे जैसे कि अहमदाबाद में हुआ है और शायद शीघ्र ही जमशेदपुर में होवे।

( वं. ई. ) मो० क० गांधी

**दक्षिण आफ्रिका का सत्याग्रह**  
( पूर्वार्ध )

ले० गांधी जी। पृष्ठ संख्या लगभग ३००। मूल्य ॥॥) सस्ता साहित्य प्रकाशक-मण्डल, अजमेर के स्थायी प्राहकों से।  
स्थायी प्राहक अजमेर से मंगावे और पत्र-व्यवहार करें।  
व्यवस्थापक नवजीवन, अहमदाबाद

## हिन्दी-नवजीवन

शुक्रवार, आश्विन सुदी ७, संवत् १९८२

### ईश्वर-भजन

“ ईश्वरभजन-प्रार्थना किस तरह और किसकी कर यह समझ में नहीं आता और आप तो बार बार लिखते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मो आप समझाइए कि वह कैसे हो सकती है ? ”

एक सज्जन इस प्रकार पूछते हैं। ईश्वर-भजन का अर्थ है उसके गुण का गान; प्रार्थना का अर्थ है अपनी अयोग्यता की, अपनी अशक्ति की स्वीकृति। ईश्वर के सहस्र अर्थात् अनेक नाम हैं। अथवा यों कहिए कि वह नामहीन है। जो नाम हमको अच्छा मालूम हो उसी नाम से हम ईश्वर को भजे, उसकी प्रार्थना करें। कोई उसे राम के नाम से पहचानते है तो कोई कृष्ण के नाम से; कोई उसे रहीम कहते हैं तो कोई गाँव। ये सब एकही अंतन्य की मजते हैं। परंतु जिन प्रकार सब तरह का भोजन सब को नहीं चबना उसी तरह सब नाम सब को नहीं चबते। जिसको जिस का सहवास होता है उसी नाम से वह ईश्वर को पहचानता है और वह अंतर्दामी, सर्वशक्तिमान्, होने के कारण हमारे हृदय के भाव को पहचान कर हमारी योग्यता के अनुसार हमको जवाब देता है।

अर्थात् प्रार्थना या भजन जीम से नहीं बरन हृदय से होता है। इसीसे गुणे, सुतके, सूद भी प्रार्थना कर सकते हैं। जीम पर अमृत हो और हृदय में हलाहल हो तो जीम का अमृत किस काम का? कागज के गुलाब से सुगंध कैसे निकल सकती है? इम लिए जो सीधे तरीके से ईश्वर को भजना चाहता हो वह अपने हृदय को मुकाम पर रखे। हनुमान की जीम पर जो राम था वही उसके हृदय का स्वामी था और इसीसे उसमें अपरिचिन बल था। विश्वास से जडाज चलते हैं, विश्वास से पर्वत उठाने जाते हैं, विश्वास से समुद्र लांघा जाता है; इसका अर्थ यह है कि जिसके हृदय में सर्व-शक्तिमान् ईश्वर का निवास है वह क्या नहीं कर सकता? वह चाहे कोढ़ी हो, चाहे क्षय का रोगी हो। जिसके हृदय में राम बसते हैं उसके सब रोग सर्वथा नष्ट हो जाते हैं।

ऐसा हृदय किस प्रकार हो सकता है? वह बवाल-प्रश्र कर्ता ने नहीं पूछा है। परंतु मेरे जवाब में से निकलता है। मुह से बोलना तो हमें कोई भी सिखा सकता है; पर हृदय की वाणा कौन सिखा सकता है? यह तो भक्त-जन ही कर सकते हैं। भक्त किसे कहें? गीताजी में तीन जगह खाम तौर पर और सब जगह आम तौर पर इसका विवेचन किया गया है। परंतु उसी मज्ञा या व्याख्या मालूम हो जाने से भक्तजन भिल नहीं जाते। इम जमाने में यह दुर्लभ है। इसीसे मैंने तो सेवा धर्म पेश किया है। जो औरों की सेवा करता है उसके हृदय में ईश्वर अपने आप, अपनी गरज से, रहता है। इसीसे अनुभव-ज्ञान-प्राप्त नरसिंह महंता ने गाया है—

‘ वैष्णव जन तो उपका कहिए जो पीछे पड़ा जाने दे ।’

और पीछित कौन है? अन्यज और कंगाल। इन दोनों की सेवा तन, मन, धन से करनी चाहिए। जो अन्यज को अछूत मानना है वह उसकी सेवा तन से क्या करेगा? जो कंगाल के

लिए चक्का चलाने जितना भी शरीर हिलाने में आलस्य करता है, अनेक बहाने बनाता है, वह सेवा का भर्म नहीं जानता। कंगल यदि अपना हो तो उसे सदावर्त दिया जा सकता है। पर जिसके हाथ-पाँव मौजूद हैं उसे बिना मिहनत के भोजन देना मानों उसका पतन करना है। जो मनुष्य कंगाल के सामने बैठकर चक्का चलाता है और उसे चरखा चलाने के लिए बुलाता है वह ईश्वर की अनन्य सेवा करता है। भगवान् ने कहा है, ‘ जो मुझे पत्र पुष्प, पानी, इत्यादि भक्तिपूर्वक देता है वह मेरा सेवक है। ’ भगवान् कंगाल के घर अधिक रहते हैं, यह तो हम निरंतर सिद्ध होता हुआ देखते हैं। इसीसे कंगाल के लिए कातना भक्षा-प्रार्थना है, महायज्ञ है, महा-सेवा है।

अथ पश्र-कर्ता को जवाब दिया जा सकता है। ईश्वर की प्रार्थना किसी भी नाम से की जा सकती है। उसकी सही रीति है हृदय से प्रार्थना करना। हृदय की प्रार्थना सीखने का मार्ग सेवा-धर्म है। इस युग में जो हिंदू अंत्यज की सेवा हृदय से करता है वह शुद्ध प्रार्थना करता है। हिंदू तथा हिंदुस्तान के दूसरे अन्य धर्मी श्री कंगाल के लिए हृदय से चरखा चलाते हैं, वे भी सेवा-धर्म का पालन करते हैं और हृदय की प्रार्थना करते हैं।

( नवजीवन )

मोहनदास करमचंद म'जी

### ब्रिटिश सिंह का क्या?

सुदूर कैलिफॉर्निया (अमेरिका) से एक पत्र मिला है —

“ केनेडी अपनी पशु शाला में कैटा हुआ था, और संयोग से उसने अपने भांगन में नजर खाली। उसकी एक चार बरस की पौत्री खेल रही थी। उसने देखा कि एक पहाड़ों सिंह उसकी ओर चुपके से चला आ रहा है। केनेडी अपना रायफल लेने झट्टा और उठा ही सिंह लडकी पर खोट करनेवाला था। उसने खिडकी से निशाना ताक कर गोली मार दी। गोली उसके कलेजे को पार कर गई।

अब उस बच्चे के पिता कि इस कारवाई पर अपनी राय दीजिए और नीचे लिखे सवालों का जवाब दीजिए —

‘ उसका सिंह को मारना ठीक था? क्या उस पिता की अहिंसात्मक रहकर सिंह को बच्चे को फाड़ डालने देना चाहिए था? क्या पिता को सिंह से प्रार्थना करने रहना चाहिए था? और इस तरह अपन बच्चे की जान को खतरे में डालना चाहिए था? क्या पिता के लिए यह शक्य था कि वह अपने बच्चे को बचाने के लिए दया-प्रार्थना करता? क्या आप ब्रिटिश सिंह की आत्मा की इसी तरह प्रार्थना करते रहेंगे और उसे लाखों भारतवासियों को फाड़ खाने देंगे?’

पहले प्रश्न का मेरा उत्तर यह है कि पिता का सिंह को मार डालना ठीक था। दूसरे सवालों को पूछ कर लेखक ने अपने अहिंसा तथा और उसकी काय रीति विषयक अज्ञान का परिचय दिया है। अहिंसा एक मानसिक या बौद्धिक अवस्था उतनी नहीं है जितनी की हृदय का, आत्मा का गुण है। यदि केनेडी को सिंह का भय न होता — निर्भयता अहिंसा की पहली और अनिवार्य शर्त है — यदि उसका हृदय इस बात को कुबूल करता कि सिंह के भी ऐसी आत्मा है जैसी कि सुदूर मुझे है तो बंधक के कर दीजने और जबतक कि वह बंधक ले कर वापस न आ जाय और वह अछूत निशाना न मार दे, तबतक सिंह के इन्तजार करने के संशयास्पद संयोग पर दारोमदार न रखते हुए उसे सीधा



सिंह की ओर दौड़ कर उसके गले में बाँह डाल कर पूरे विश्वास के साथ उसकी अंतरात्मा को प्रेरणा कर के अपने बच्चे को बचा केना चाहिए था। यह बात बिल्कुल सच है कि अहिंसा की इस स्थिति पर पशुबन्धना बहुत ही भोले लोगों के लिए हाथ्य है। इसलिए मनुष्य-जाति धाम तौर पर हमेशा सिंह और शेर को धार कर अपने बच्चे और पशुओं की रक्षा करती रहेगी। परन्तु हमसे मूख सिद्धान्त में कोई बाधा नहीं पड़ती। साधु-सतों का जंगल में निःशब्द रहना और किसी भी जगली पशु को दुःख न पहुँचाने बिना रहना, यह सम्मन्कार हिन्दुस्तान में अज्ञात नहीं है। पश्चिम में भी, इस बात के इतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। केवल वे हीर पुरुषों के संबंध में भी एक अकल्प्य कल्पना करने की भूल की है। यदि केनेडी योंही ज्ञान खड़ा देखता रहना और उसके बच्चे को सिंह फँस कर खा जाता तो यह किसी मूख या हाकल में अहिंसा न होती। बल्कि तिरी हृदयहीन कायरता होती, जो कि अहिंसा के विपरीत है। केवल का आखरी प्रश्न ही ऐसा है जो कि इस पत्र के उद्देश तक के जाता है। उसमें केवल ने हमारे जमाने के इतिहास के प्रति और अज्ञान प्रकट किया है। उनको जानना चाहिए कि जिस आन्दोलन के लिए मैं जिम्मेदार हुआ हूँ वह उस तरह की प्रार्थना नहीं है जैसी की केवल का कहाल है। इस आन्दोलन के द्वारा हम ब्रिटिश सिंह की आत्मा तक नहीं, बल्कि भारतवर्ष की आत्मा तक पहुँचते हैं, इसलिए कि वह उसको प्राप्त कर ले। यह आंतरिक शक्ति को विकसित करने का आन्दोलन है। इसलिए अपने अन्तिम रूप में यह निःसन्देह ब्रिटिश सिंह की आत्मा तक पहुँचेंगा। परन्तु उस अवस्था में वह एक समान स्थिति वाले की एक समान स्थिति वाले की प्रार्थना होगी। एक भिखारी की उस दाना को नहीं जो शासक कुछ दे दे। अथवा एक बौद्ध की एक राजस से अपनी रक्षा करने की व्यर्थ याचना नहीं। उस अवस्था में एक आत्मा के प्रति दूसरी आत्मा की ऐसी जोरदार प्रार्थना होगी कि कोई उसे रोक न सकेगा। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि जबतक हमारी आंतरिक शक्ति का विकास हम कर रहे हों तबतक सिंह की हमें फाँस डालने की अनिहार्य क्रिया जारी ही रहेगी। पर वह उस अवस्था में भी यह नहीं हो सकती जब कि भारत-वर्ष केनेडी की तरह बबुक लेकर दौड़ पड़ेगा। परन्तु केनेडी तो लेने गया था उस बबुक को जो कि उसके पास थी और जिसे कि वह खलना जानता था, परन्तु हिन्दुस्तानी केनेडी, कैलिफोर्निया केनेडी के विपरीत बिनाही आचरणक शास्त्राज्ञ या उनको खलने की विद्या के ब्रिटिश सिंह को मारने की कोशिश करेगा! मेरे तरीके से ब्रिटिश सिंह को मरने की नहीं, बल्कि उसके स्वभाव को बदल देने की संभावना है। इसके अलावा केनेडी की विधि के अनुसार भारत-वर्ष की अपने अन्दर तन्हीं पुर्णों को उत्पन्न करना होगा जिन्हें कि हम आज ब्रिटिश सिंह के अन्दर शोचनीय मानते हैं। अन्त में तीसरा रास्ता बिदे कि केवल न केवल संभवनीय ही मानते हैं, बल्कि इस विधि का स्थान उसे देना चाहते हैं, भारतवर्ष के संबंध में मुत्सुक उत्पन्न नहीं होता, जैसा कि वह कैलिफोर्निया के संसद में भी उत्पन्न नहीं होता। भारत के पास अपनी आजादी के सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो अपनी आजादी के लिए और उस दर्जेतक, सिर्फ अहिंसात्मक साधनों का अवलंबन करें, या हिंसा के पश्चिमी साधनों को तथा उससे जो जो बाँधे पड़ीय होती है उन सब को बहाने का प्रयत्न करें।

## अछूतपन और सरकार

एक महाशय लिखते हैं:—

“ २७-८-२५ के 'यंग इंडिया' में आप फरमाते हैं कि मैं एक भी ऐसी मिशाल को नहीं जानता कि जिसमें सरकार ने लोगों के अछूतपन दूर करने के कार्य में रुकावट डाली हो। यह तो अच्छी नीति है कि हम बुरे के साथ भी न्याय का व्यवहार करें। पर हमें सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं ग्याथ के पक्ष में हम भूल न कर बैठें। मुझे कहना पड़ता है कि आपने यह बात असावधानी के क्षण में लिख डाली है—बड़ी दिव्यविवाहट के बाद मैं इस विचार को अपने हृदय में स्थान दे रहा हूँ। आपने सरकार को इस अप्रसृत्यता-निवारण-आन्दोलन में किसीका पक्ष लेने हुए न देखा हो, परन्तु मैं तथा इस आन्दोलन से सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे लोग इस बात को जानते हैं और जानते हैं अपनी बहुत हानि कर के कि सरकार यदि सम्भव इस सुधार में बाधा नहीं डाल रही है तो वह उसे दूसरा रूप देने की कोशिश निःसन्देह कर रही है। आप जानते ही हैं कि जब श्रीमन् युवराज का आगमन यहाँ हुआ तब एक अछूत मेरठ से अछूतों की एक टोली लाया और दलित जातियों की तरफ से युवराज को अभि-नन्दन पत्र दिया गया। जिस परिस्थिति में मान-पत्र दिया गया, जिस रंग से अछूतों को मिलाया गया और जिस रंग के लोग राष्ट्रमत के खिलाफ इस काम में लगाये गये उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार के सिवा और किसीका छिपा हाथ उसमें न था। और मताधारी इनना ही करके नहीं रहे, आगे जो जो कुछ हुआ उसमें यह मात्तम होता है कि वह एक सोची समझी नीति का भोगवेश-मात्र था। सावध आपको पता न हो कि भनपुरी, इटावा, एटा और कानपुर के भी जिलों में एक नई हलचल शुरू हुई है। इसमें उन्नी मनोभाव का स्मरण हो आता है जो युवराज के आगमन के समय दलित जातियों के कुछलोगों का पाया गया था। उसका नाम रक्खा गया है आदि-हिन्दू-आन्दोलन। इस आन्दोलन के नेता ने किलने ही परचे और विश्रमियां प्रकाशित की हैं और दलित जातियों में बाँटी है। वह उच्चवर्ग के हिन्दुओं का तीव्र विरोधी है और उन्हें वह 'विषयी' लोगों की अंगी में रखकर उन्हें दलित लोगों की वर्तमान बुरबस्था का जिम्मेदार बताता है। उसने आर्थी के इस देवा में तलवार और बन्दूक ले कर आने तथा आदि-निवासियों को गुलाम बना छोड़ने के सिद्धान्त को पकड़ लिया है। वह अछूतों के हृदयों तक पहुँचता है, जिन्हें कि वह यहाँ के असली वासिन्दे मानता है, और उन्हें उच्च वर्ण के हिन्दुओं के खिलाफ उठ खड़े होने की उमाहना है। जुदे प्रतिनिधित्व का मतलब किवा आता है, नौकरियों में अच्छी तादाद देने की माँग भी की जाती है वह उनके दिल में यह बात जंचाना चाहता है कि यदि संसदमय ब्रिटिश-राज न होता तो वे उच्च हिन्दू अछूतों को बेहाल कर देते। इस हलचल की मदद पर सत्ताधारी लोग हैं—इसे एक प्रकट रहस्य ही समझिए। सामाजिक कार्य के इस क्षेत्र में भी भेद-नीति का श्री-गणेश हुआ या दिखाई देता है। तब यह कैसे कहा जा सकता है कि सरकार इस झगड़े के मूल में नहीं है, वह अपनी हुकूमत को चिरजीव बनाने के लिए एक और निमित्त पैदा करने की कोशिश नहीं कर रही है? सरकार चाहे किसी समाज-सुधारक के मार्ग में रोड़े न अडकाती हो, पर वह हमारी सामाजिक उत्थानों से उत्पन्न स्थिति से क्यों न काम उठावे? क्या यह मनोभाव मनुष्य के लिए स्वाभाविक नहीं है? ”

इसमें स्पष्टतः विचार-दोष है। गुबराज के आगमन के समय अछूतों के उन्हें मान-पत्र देने की कथा मुझे मालूम है। और यद्यपि मैं लेखक लिखित आन्दोलन में सरकार के पृष्ठपोषक होने की बात से परिचित नहीं हूँ तथापि मुझे बिल्कुल ताज्जुब न होगा यदि यह इत्जाम अच्छा साधारण हो। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार का झुकाव हममें मेद डालने की ओर है। उसकी शक्ति हमारी फूट में ही है। हमारी एकता उसे चूर चूर कर देगी। पर यह नीति इस बात का प्रमाण नहीं है कि सरकार हमारे अछूत-सुधार के काम में दखल दे रही है। जैसे सरकार खुले आम या दूने-छिपे अछूतपन प्र करने, अछूतों के लिए मददसे चलाने और कुवे खोदने या हमारे कुओं से उन्हें पानी लेने देने के कार्यों में बाधा नहीं डाल रही है। अछूतों का उपयोग किया जाना एक बात है और हिन्दुओं के द्वारा उनका सुधार होना दूसरी बात है। यदि हम इतपुर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने और हिन्दू-धर्म से इस पाप को धो बहाने से मुह मोड़ेंगे तो उनका ऐसा उपयोग निश्चित रूप से होता रहेगा। और यदि हम इस तरह सरकार के मध्ये दोष मढते रहेंगे और स्वराज्य प्राप्त होने तक अछूतपन को मिटाने की राह देखते रहेंगे तो इस दिशा में हम अपनी पूरी शक्ति के साथ उपयोग न कर पावेंगे।

( यं. इं. )

मोहनदास करमचंद गांधी

### सत्याग्रह

बहुत समय से मैंने वायकम तथा बुरता दूर करने के प्रयास के संबंध में जानबूझ कर कुछ न लिखा था। और न अभी नमसे प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली कोई बात लिखना चाहता हूँ। पर यहाँ मैं यह बात पाठकों को जरूर कहना चाहता हूँ कि वायकम के सत्याग्रही किस तरह अपना समय व्यतीत कर रहे हैं।

पिछली १ अगस्त का वायकम से लिखा एक पत्र कलकत्ता में छुके मिला था। वह भूल से उस समय प्रकाशित करना रह गया। पर उसका आशय आज भी वही है। तारा बना हुआ है। इस लिए उसे यहाँ देता हूँ—

“अब मेरे सहित यहाँ सिर्फ १० स्वयंसेवक हैं। एक तो रोजाना रसोई का काम करता है और दूसरे, एक को छोड़कर, सत्याग्रह करते हैं—हर एक तीन तीन घंटा। सत्याग्रह के लिए जाने और आने का समय मिलाकर ४ घंटे होते हैं। हम नियमपूर्वक ४१ बजे उठते हैं और आध घंटा प्रार्थना में जाता है। ५ से ६ तक प्राण-सुधार, पानी लाना और बरतन मलना होता है। ७ बजे तक हम, दो आदमियों को छोड़ कर, ( जो कि नहाकर ५-४ पर सत्याग्रह को जाते हैं। ) स्नान करके लौटते हैं और चरखा कातते तथा कई धुनते हैं, जबतक कि सत्याग्रह के लिए जाने का समय न हो जाता। हममें से अधिकांश लोग नियमपूर्वक रोज एक एक हजार गज सूत देते हैं और कुछ तो इससे भी अधिक। रोजाना कोई १०,००० गज निकलता है। रविवार की मैं कोई काम करने पर जोर नहीं देता। उस दिन हर आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता है। कुछ लोग तो रविवार को भी दो तीन घंटे कानसे और धुनते हैं। जो हो; रविवार को सूत नहीं दिया जाता। जो लोग महासभा के सदस्य हैं वे रविवार को अपने चंदे का सूत कातते हैं। कुछ लोग रविवार को तथा और फुरसत के वक़्त में सूत कातकर देशबधु-स्मारक में देने के लिए रखते हैं। ४ सितंबर को अर्थात् दादाभाई जयति के दिन हम एक छोटा सूत का बडल आपके पास भेजना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आप उसे पाकर खुश होंगे। इसे हम अपने

दैनिक कार्य के अलावा कातेंगे। हम या तो उस दिन सूत की भिक्षा मांगेंगे या दिनभर सूत कातेंगे और जो कुछ भिक्षा आपकी सेवा में भेज देंगे; पर हम अभीतक तय नहीं कर पाये हैं कि क्या करेंगे ? ”

इससे जाना जाता है कि वायकम के सत्याग्रहियों ने अपने काम के भाव को समझ लिया है। न तो धूमधड़का है, न शोरगुल। बल्कि अपने यथोचित आचरण के द्वारा विजय प्राप्त करने का सीधा सरल निश्चय है। सत्याग्रही को अपने एक एक मिनट का अच्छा हिसाब देना चाहिए। वायकम के सत्याग्रही यही कर रहे हैं। पाठकों के ध्यान में महासभा के लिए सूत कातने की तथा दादाभाई जयति के लिए और समय निकाल कर सूत कातने की उनकी प्रामाणिकता आये बिना न रहेगी। देशबंधु स्मारक के लिए सूत कातने का विचार भी उनके अन्य कार्यों के अनुरूप ही है। मेरे सामने एक पत्र है, जिसमें रविवार को छोड़ कर, सप्ताह भर के हर स्वयंसेवक के सूत का हिसाब लिखा हुआ है। एक व्यक्ति ने अधिक से अधिक सूत ६८९५ गज १७ अंक का काता है। कम से कम सूत २९३६ गज, १८ अंक का है। इस कमी का कारण यह लिखा है कि वह तीन दिन तक सुटी पर गया था। उस सप्ताह का औसत की आदमी प्रतिदिन ८६६.६ गज था। २६ अगस्त को पूरे होनेवाले सप्ताह के अंक भी मेरे सामने हैं। एक व्यक्ति ने अधिक से अधिक ७,७०० गज काता है और कम से कम २०००। पिछले साप्ताह में दो ही दिन काता है। पाठक शायद पूछेंगे कि चरखा और अस्पृश्यता-निवारण में सहाय क्या है? यों ऊपर ऊपर देखने से कुछ भी नहीं। वास्तव में देरें तो बहुत हैं। किसी एक कार्य को, उसकी अनगंत भावना को हटा दे, तो सत्याग्रह नहीं कह सकते। कताई के अंदर जो भावना यहाँ पर है वह आगे चलकर अपना असर डाले बिना न रहेगी। क्योंकि इन नवयुवकों के नजदीक कनाई एक राष्ट्रीय यज्ञ है, जिसमें कि अनजान में सभी नम्रता, धैर्य और निश्चय ये गुण प्रकट हाने की आशा है, जो कि स्पष्ट सफलता के लिए अनिवार्य हैं।

( यं. इं. )

मोहनदास करमचंद गांधी

### कौमी पंचायत ?

पिछले साल देहली में, जालि-गन सगनों के निपटारे के लिए एक कौमी पंचायत कायम हुई थी। मैं उसका सभापति माना जाता हूँ। देहली, फिर पानीपत और अब इलाहाबाद से तार और खत मिले हैं कि मैं वहाँ के सगनों का सर्फिया कर्ता। मुझे बडे अफसोस के साथ उन लोगों को यह सलाह देनी पड़ी है कि दोनों फरीक पर अब मेरा प्रभाव नहीं रह गया है। पंचायत से उसी अवस्था में लाभ होता है जब उसका प्रभाव दोनों फरीक पर हो और वे उसके फैसले के अनुसार चलने को राजी हों। देहली के सभा के बाद जमाना बदल गया। इस वक़्त तो दोनों हल के लोग पंचायत के द्वारा निपटारा कराने के बजाय खडने के लिए ज्यादा संगठित हो रहे हैं। हाँ, अन्त को जा कर उन्हें मिलना होगा, इसमें तो कोई सन्देह नहीं। पर ऐसा मालूम होता है कि यह तक होगा जब दोनों तलवार की पंचायत से तृप्त हो चुकेंगे। मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी मर्यादितता का खयाल है और मेरा विश्वास है कि किसी किसम के जातीय सगनों के बीच में न रह कर ही मैं शांति-सुलह के कार्य की अधिक सेवा करूँगा।

( यं. इं. )

मो० क० गांधी

## खेती में हिंसा ?

‘ नवजीवन ’ के एक निरन्तर पाठक पूछते हैं —

मैंने ‘ नवजीवन ’ ( पुराने ) में पढ़ा है कि खेती शुरू यह है यह सच्चा परोपकार है ।

चींटी जैसे छोटे जीव के पैरों तले रूंध जाने से मन में दुःख होता है । खेती करने वाला किसान तो ऐसे अनेक असंख्य जीवों को अपनी आँखों के सामने करते हुए देखते हैं । इन्हीं उनके मनमें ‘ जी तो बहुतेरे जीव मरते हैं ’ यह मानते हुए क्या निष्पत्ति नहीं आ जायगी ?

जिसे चींटी जैसे कीड़े को भी मरता देख कर दुःख होता है वह खेती कैसे कर सकता है ? यह यदि भीम माँग कर पेट भरता हो तो क्या दुःख ? अथवा कोई और धन्य क्यों न करे ? पर आप तो मीख को हीन से हीन समझते हैं ? मैं अनुभव से इस बात को मानता हूँ ।

मुझे खेती करने की बर्दा चाह है । पर पूर्वोक्त प्रकार की जीव-हिंसा और बैल को भार लगाने में डरना हूँ ।

यह बात सब है कि खेती में सूक्ष्म जीवों की अन्धकार हिंसा है । पर दूसरा वाक्य भी इतना ही सब है । वह यह कि शरीर-निर्वाह में — आसोच्छ्वास करने में भी असीम सूक्ष्म जन्तुओं की हिंसा है । परन्तु जिस प्रकार आत्म-जात करने से शरीर-रूपी पिंजर का संशय नाश नहीं होता । उसी प्रकार खेती के त्याग से खेती का भी नाश नहीं होता । मनुष्य मिट्टी का पुतका है । मिट्टी से उसका शरीर पैदा हुआ है और मिट्टी के पर्यायों पर उसका जीवन निर्भर है । खेती में रहने वाले दोष से दूर रहने के लिए जो शिक्षा खाता है वह दुहेरा दोष-भागी होता है । खेती करने का दोष तो वह करता ही है, क्योंकि शिक्षा में भिन्न अन्न किसी न किसी किसान की शिक्षणत से ही पैदा हुआ है । उस किसान की खेती में शिक्षण भोजन करने वाले का हिंसा अवश्य आ जाता है । और दूसरा दोष है शिक्षा खाने वाले का अज्ञान और उससे उत्पन्न होने वाला आलस्य ।

यदि एक मनुष्य के लिए खेती का त्याग उचित है तो अनेक के लिए भी है । अनेक लोग यदि भीख माँगें तो थोड़े किसान बेचारे भिखारियों के लिए मजूरी करने के बोझ से ही कुचक जायें और उसका पाप भिखारी के सिर नहीं तो और किसके सिर होगा ?

खेती इत्यादि आवश्यक कर्म शरीर-व्यापार की तरह अनिवार्य हिंसा है । उसका हिंसापन चला नहीं जाता है और मनुष्य ज्ञान, भक्ति आदि के द्वारा अन्त को इन अनिवार्य दोषों से मोक्ष प्राप्त कर के इस हिंसा से भी मुक्त हो जाता है । इसलिए शरीर जिस प्रकार मनुष्य के लिए बन्धन का द्वार है उसी प्रकार मोक्ष का भी द्वार है । उसी तरह जो करोड़पति होने के लिए खेती करता है उसके लिए खेती बन्धन का द्वार है । जो केवल आजीविका के लिए करता है उसके लिए खेती मुक्ति का द्वार हो सकती है ।

कार्य-मात्र, प्रवृत्ति-मात्र, उद्योग-मात्र दोष हैं । आवश्यक उद्योग-मात्र में एक-सा दोष है । मोती के रोजगार में, रेशम के धन्ने में, सुनार के पेड़ों में खेती से बहुत अधिक दोष है । क्योंकि ये धन्ने आवश्यक नहीं हैं । उनमें हिंसा तो बहुतेरी ही है । मोती हिंसा बिना मिल नहीं सकते । सीप का कीड़ा उचाला जाता है । सुनार जो आसमानी आग पैदा करता है उसमें जलने वाले जन्तुओं से यदि पूछें और वे जवाब दे सकें तो हमें उनके धन्ने की शिक्षा का कुछ खयाल हो सकता है ।

चारों ओर हिंसा से घिरे और जलते हुए इस जगत् में विचरने वाले जिस महापुरुष ने अहिंसा-रूपी धर्म उत्पन्न किया उसको मेरा साष्टांग प्रणाम है ।

चींटी को भी बचा कर चलना यह हमारा सहज धर्म है । जो मनुष्य जंचा सिर कर के बिना विचारे, बिना देखे, अपने धमण्ड में मस्त चला जाता है और अपने पैरों के नीचे कुचके जाने वाले असंख्य जीवों का विचार तक नहीं करता वह तो जान-बूझ कर अनावश्यक पापकर्म करता है और अपने हाथों अपने लिए नरक का द्वार खला करता है । उसकी तुलना किसान से, जो कि उसके छुकावके में निर्दोष माने जाने चाहिए, हो ही नहीं सकती । खेती करने वाले असंख्य किसान चलते हुए शारीक नजर से चींटी आदि प्राणियों को बचाते हैं । उनमें गर्व नहीं होता । वे नम्र हैं । वे जगत् के पालनेवाले हैं । दुनिया का नव-वर्षाण भाग खेती करता है । उसीमें भ्रम है । खेती आवश्यक छुड़ जाय है । भेष धर्मवान उन्नत धन्ने को कर सकता है । और दूसरे अनावश्यक धन्नों को छोड़ कर खेती करे तो पुण्य है ।

बैल को भार लगाने की बात बिना विचारे लिखी गई है । सब किसान बैल को भार नहीं मारते । कितने ही किसान बैल इत्यादि अपने पशुओं को अपने कुटुंब की तरह मानते हैं और प्रेम-भाव से उनका पालन-पोषण करते हैं ।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

### चरखे का अस्तर

एक सज्जन देशी राज्य के निवासी है । महाशय्या के तो सदस्य नहीं है, परन्तु चरखे के कायल है, और रोज चरखा कातते है । वे लिखते हैं:—

“पिछले क्षात महीनों में मैंने कोई १५० घण्टे सूत काता है । अपने इस थोके अनुभव से मेरा यह खयाल हो गया है कि जब तक हम पुरुष खुद चरखा कात कर उम्दा, मजबूत, दुजने कायक सूत निकालने की मिसाल अपनी जियों के सामने न पेश करेंगे तबतक चरखे का जीर्णोद्धार असंभव है । मेरा मन यह भी कहता है कि हम जैसे अनियमित जीवन बिताने वालों को चरखा अवश्य ही नियमित बनावेगा और हमारे दायित्व-हीन स्वभाव में जिम्मेवारी का भाव उत्पन्न करेगा ।”

ये अकेले ही ऐसे पुरुष नहीं हैं जिन्होंने चरखे को नियम-पालन सिखानेवाला पाया है । और जो लोग चरखा-प्रचार के काम में लगे हुए हैं उनमें से कौन इस बात की पुष्टि नहीं करते कि यदि जियों से चरखा काताना हो तो पुरुष न केवल उदाहरण पेश करें बल्कि उन्हें उस कला का ज्ञान भी करावें ? चरखे में अबतक जो-कुछ थोड़े परन्तु महत्त्व-पूर्ण सुधार हुए हैं उसका भ्रम उन्हीं शिक्षित पुरुषों के प्रयत्नों को है जो कि इस काम में निस्वार्थ भाव से और नियमित रूप से लगे हुए हैं ।

( सं० ६० )

मो० क० गांधी

### हिन्दी-पुस्तकें

लोकमान्य को अज्ञातलि	...	...	...	॥)
दक्षिण आफ्रिका का सत्याग्रह (पूर्वार्ध) के० गाँधीजी	...	...	...	॥)
आश्रमभवनवालि	...	...	...	२)
जयन्ति अंक	...	...	...	१)

डाँक खर्च अलहदा । दाम मनी आर्बेर से मैजिए अथवा बी. पी. मंगार—

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद

## अनिवार्य फौजी शिक्षा

एक प्रयाग के प्रेज्युएट लिखते हैं —

“ मैं प्रयाग-विश्वविद्यालय का एक रजिस्टर्ड प्रेज्युएट हूँ। प्रयाग विश्वविद्यालय के कोर्ट में जुने जाने वाले उम्मीदवार को राय देने का हक मुझे हासिल है।

जैसे विश्वविद्यालयों में फौजी शिक्षा को अनिवार्य करने के विचार का विरोध किया है। इसपर आपात खड़ी की गई है। इस प्रश्न पर मैं य. ई. के द्वारा आपकी सम्मति जानना चाहता हूँ। मेरे विचार संक्षेप में इस प्रकार हैं —

‘ मैं इस बात को मानता हूँ कि स्वराज-सरकार में युवकों को फौज में, अपने जीवनकाल के लिए दाखिल होने की जरूरत होगी और उनकी इस प्रवृत्ति को हमें प्रोत्साहन देना होगा। पर मैं समझता हूँ कि विदेशी सरकार में इस बात की रक्षा का कोई साधन नहीं है कि विश्वविद्यालय की टुकड़ी का उपयोग भारतीय राष्ट्र के खिलाफ न किया जायगा, जैसा कि पिछले जमाने में भारतीय फौज का उपयोग किया जा चुका है। फिर यदि हमारे नवयुवक फौजी तालीम के लिए मजबूर किये गये तो क्या यह हमारी नैतिक गुलामी की जर्जर में एक और कड़ी न होगी? क्या यह विश्वविद्यालय के आदर्श के विरुद्ध नहीं है? विश्वविद्यालय ही में तो हम अपनी उम्र के लिए स्वतंत्र वायुमण्डल की आशा कर सकते हैं। क्या हमसे हमारा आदर्श फौजी साँचे में न डलेगा? विदेशों के विश्व-विद्यालयों की जानकारी मुझे थोड़ी है, फिर भी जहाँ तक मुझे ज्ञात है, इंग्लैण्ड और अमेरिका जैसे स्वायत्त देशों के विश्व-विद्यालयों में भी फौजी शिक्षा अनिवार्य नहीं है। यदि हम राजनीतिक दृष्टि का जवाब न करें तो भी क्या हमें धर्मियों को उनकी अन्तरात्मा की प्रेरणा के अनुसार चलने की हजाजत न देनी चाहिए—जिसकी कि रक्षा के लिए पिछले युद्ध के समय में अनेक अंगरेजों ने जेल भोगी, हालांकि उनमें से कोई भी मौत से डरने वाला न था।’

इन विचारों पर पूरे ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इसके विपरीत शारीरिक शिक्षा की अनिवार्यता की पुष्टि में खुशी के साथ कहना — और सब पूछिए तो मैं उसका प्रतिपादन भी करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यदि यह अनिवार्य कर दी जाय तो विश्व-विद्यालय की सब आवश्यकतायें पूरा हो जायगी।

उन लोगों के लिए जो कि जीवन या राजनीति संबंधी अपने जुदे विचार रखते हैं विश्व-विद्यालय का दरवाजा बंद न रखना चाहिए। यों ही ऐसी संस्थाओं में प्रतिबन्धक बातें बहुतेरी हैं।”

मैं धर्मतः शान्तिवादी हूँ। अतएव विश्वविद्यालय में फौजी शिक्षा को अनिवार्य करने के संबंध में लेखक की एक एक बात की हृदय से पुष्टि करता हूँ। परन्तु उपयोगिता तथा राष्ट्रीयता की दृष्टि से भी उनकी युक्ति सबल मात्तम होती है। केवल इतना ही नहीं कि विश्वविद्यालय की फौजी टुकड़ी का उपयोग राष्ट्रीयता-विरोधी कामों में किये जाने के खिलाफ कोई रक्षा-साधन नहीं है, बल्कि जबतक सरकार का यह राष्ट्रीयता-विरोधी स्वरूप बना हुआ है तबतक इस टुकड़ी का उपयोग सौका पड़ने पर राष्ट्र के खिलाफ भी किये जाने की बहुत संभावना है। जैसे, किसी भावी बायर को, एक और जालियाँवाला बाग बनाने में इन विश्व-विद्यालय के लोगों का उपयोग करने से कौन रोक सकता है? जब कि साम्राज्य के व्यापार के लिए चीनी और तिब्बती जैसे निर्दोष लोगों पर आपिपत्य अमाना आवश्यक मात्तम हो तो उनपर कड़ाई करने के लिए क्या वे अपनी सेवाये अर्पित न करेंगे? क्या पिछले

गोरपियन युद्ध में भाग लेने वाले कुछ युवक स्वयंसेवकों ने अपने काम का समर्थन यह कह कर नहीं किया था कि उसके द्वारा हमें युद्ध-कला का अनुभव मिला! ठीक इसी कारण ने, जान में हो या अनजान में, सीमा-प्रान्त की बडाइयों की प्रेरणा की थी। जो लोग सफलतापूर्वक साम्राज्य का संगठन करते हैं उन्हें अन्तस्फूर्ति से मनुष्य-स्वभाव का ज्ञान होता है। वह युद्धपूर्वक युवा वा युद्ध-हेतु पूर्ण नहीं होता। प्रेरक हेतु यदि उच्च हो तो उसका कार्य उमदा होता है। और हजारों नवयुवकों को किसी सैनिक टुकड़ी में शामिल होने के पहले राजभाषा की शपथ खानी होगी और बासों मौकों पर युनिफन जैक को सलाम करना होगा। ऐसी हालत में ये स्वभावतः अपनी राजभक्ति का अच्छी तरह पालन करेंगे, और अपने अफसरों के द्वारा गोली चलाने का हुक्म मिलते ही अपने देश-भाइयों पर खुशी से गोली चलावेंगे। अतएव यद्यपि मैं जो कि एक महा-अहिंसा-भक्त हूँ, उन लोगों के लिए जो प्रसंग पड़ने पर सशस्त्रों का उपयोग करने की आवश्यकता के कायल हैं फौजी शिक्षा को समझ सकता हूँ, तथापि मैं उस सरकार के अधीन रहते हुए जो कि लोगों की आवश्यकता की बिल्कुल पूर्ति नहीं करती है देश के युवकों के लिए फौजी-शिक्षा का प्रतिपादन करने में असमर्थ हूँ। और अनिवार्य फौजी-शिक्षा का तो हर हालत में, राष्ट्रीय सरकार की अधीनता में भी, विरोध करूँगा। जा लाय फौजी शिक्षा न ग्रहण करना चाहे वे राष्ट्रीय विश्व-विद्यालयों में शामिल होने से मना न किये जाने चाहिए। शारीरिक शिक्षा की बात इससे बिल्कुल भिन्न है। वह अलबत्ते प्रत्येक अच्छी शिक्षा-योजना का, और विषयों की तरह, एक अंग हो सकती है—होनी चाहिए।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचन्द गांधी

गो-शालाओं का गणना-पत्रक

अ० ना० गो-रक्षा-मण्डल का काम बीटों की तरह धीमे धीमे चल रहा है, पर पाठक जान लें कि वह चल रहा है।

पिछली समा में एक प्रस्ताव ऐसा हुआ था कि भारतवर्ष की मौजूदा गो-शालाओं और पीजरापोलों का गणना-पत्रक कुछ बातों के व्योरे साहत तैयार करना चाहिए। कुछ गो-शालाओं का घृतान्त तो मिश्रता है; पर सब गो-शालाओं के मिश्रने की आवश्यकता है। उस पत्रक में नीचे लिखी बातों की तफसील होनी चाहिए —

- (१) नाम
- (२) मुकाम
- (३) जन्म की तिथि
- (४) जानवरी की संख्या व्योरे सहित (जैसे कि गाय, बैल, अण्ण और बूध न देने वाली, बैल, साँढ, आदि)
- (५) जमीन और मकान का वर्णन, नाम इत्यादि
- (६) आमदनी और खर्च
- (७) समिति के सभ्यों के नाम, आदि। पत्रिका छपती हो तो यह भी भेजें।
- (८) प्रचारक की आवश्यकता है?
- (९) बूचखाना कितनी घूरी पर है?
- (१०) मवेशी बेचने का बाजार कहाँ है?

प्रत्येक गो-शाला और पीजरापोल के सचालक से श्रावना है कि वे इतनी खबरोंवाला पत्रक बंवाई श्री मंगीनदास अमलखाराव को (होमजी स्टूट, इन्सान बिल्डिंग, कोट बंवाई नं. १) भेजें।

चौंटे महाराज ने जहाँ तक हो सकेगा सेवकों को भेज कर सब व्योरा प्राप्त करना अंगीकार किया है। मैं मान लेता हूँ कि जहाँ जहाँ चौंटे महाराज के सेवक पहुँचेंगे वहाँ वहाँ सचालक उन्हें सन्ध करेंगे।

(नवजीवन) मो० क० गाँधी



# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ५ ]

मुद्रक-प्रकाशक

अहमदाबाद, आश्विन वशी १४, संवत् १९८२

मुद्रणस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,

बेनोलाल उम्वलाल पूव

गुरुवार, १७ सितम्बर, १९२५ ई०

वाराणसिपुर सरकीमरा की बाही

## टिप्पणियाँ

एक प्रश्न-माला

एक अंक में आपके राष्ट्रीय कार्यकर्ता ने कुछ प्रश्न मेरे पास उत्तर देने के लिए भेजे हैं। वे उत्तर-सहित नीचे दिये जाते हैं:—

“ आप कहते हैं कि हमें स्वराज्य-दल की सहायता करनी चाहिए। यहाँ सहायता से आपका क्या तात्पर्य है ? ”

मेरा तात्पर्य यह है कि हर एक मनुष्य जहाँ तक उसकी आत्मा तकली है अपनी योग्यता के अनुसार इस दल की ज्यादा से ज्यादा मदद करे। इस प्रकार जिस मनुष्य का मन धारासभा सम्बंधी कार्यक्रम की ओर झुकता हो और जिसे ऐसा करने में कोई तात्त्विक विरोध न हो वह इस दल में सम्मिलित हो सकता है। जिसको तात्त्विक विरोध हो वह उससे अलग रहेगा; पर सम्मिलित होने को छोड़ कर बाकी जितनी भी सहायता बढ़ कर सके करेगा। मुमकिन है उसे मत देने में भी आपत्ति हो। तो वह मत देने तक से अलग रहेगा। पर किसी भी हालत में वह इस दल की निन्दा तो न करेगा।

“ क्या गांधी के नवयुवक कार्यकर्ता चुनाव-सम्बंधी क्षमकों में भाग लें और स्वराज्य-दल वालों के लिए मत प्राप्त करने में योग्य हैं ? ”

अपरिवर्तन-वादियों के लिए ऐसा सम्भव हो यह मैंने अभी तक नहीं खयाल किया है। उदाहरणार्थ, जो प्रामाणिक कार्यकर्ता खादी का कार्य कर रहे हैं और राजनैतिक भावों को के कर उस ओर नहीं झुके हैं वे जरूर ही अपने आपको और अपने काम को उस हद तक बाधा न पहुंचाने देंगे जिस हद का खयाल इस प्रश्न में रक्खा गया है।

“ स्वराज्य-दल वाले प्रामाणिक संस्थाओं, युगियों तथा नागरिक संस्थाओं पर अधिकार कर लेना चाहेंगे। ऐसी हालत में खादी कार्यकर्ताओं को क्या करना होगा ? ”

मैं स्वराज्य-दल वालों से तो यह उम्मीद रखता हूँ कि वे खादी का कार्य करेंगे। उनके और अपरिवर्तन-वादियों के बीच में अन्तर केवल इतना ही है कि स्वराज्य-दल वाले खादी कार्य के साथ साथ धारासभा सम्बंधी कार्य भी करने फलतः वे खादी के प्रेमी होते हुए भी धारासभा-सम्बंधी कार्य को पहला स्थान

देंगे। अपरिवर्तन-वादियों के पास तो खादी तथा अन्य विधायक कार्यक्रम के सिवा कुछ हई नहीं। दोनों अपने अपने रास्ते जा सकते हैं और दोनों से यह उम्मीद है कि वे एक दूसरे की, जहाँ तक आत्मा साक्षी दे, ज्यादा से ज्यादा सहायता करेंगे।

“ जब एक ओर ब्राह्मण और दूसरी ओर अमात्यण चुनाव में एक-दूसरे के मुकाबिले खड़े होंगे तब आपकी क्या स्थिति होगी ? ”

ऐसी हालत में अगर मैं आपके स्थान पर हूँ तो ईर्ष्या, द्वेष और झगडा मिटाने के सिवा अन्य उद्देश्य से मैं इस मामले में पढ़ने से ही बचूंगा।

“ आपने कहा है कि अपरिवर्तनवादी, स्वराज्य-दल वालों को विरोध न करें, इतना ही नहीं बल्कि सहायता भी करें। यह सहायता किस प्रकार की होगी ? ”

इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ। जब मित्रता होती है तब अपने खास काम को कोई बाधा न पहुंचा कर भी अनेक प्रकार से हम सहायता कर सकते हैं। अगर किस हद तक सहायता करनी, यह तो हर एक व्यक्ति स्वयं ही अपने लिए विचार ले। ऐसी स्पेच्छा-पूर्वक दी जानेवाली सहायता में, जिसके बारे में दूसरा कुछ बतला तक नहीं सकता, दबाव डालने के लिए तो बिल्कुल स्थान नहीं। यहाँ दल-सम्बंधी तंत्र-निष्ठा का प्रश्न नहीं है। मेरी व्यक्तिगत रूप से यह राय है। मेरे खुद के आचरण से इस सहायता का अर्थ ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ सकता है।

“ आपने स्वराज्य-दल वालों को जो सहायता करने का निश्चय किया है वह महज जरूरत को देख कर या यह समझ कर कि भारतवर्ष को धारा-समाजों से कुछ लाभ पहुंचेगा ? ”

इसमें एक तीसरा कारण भी हो सकता है। मैं यह नहीं मानता कि वर्तमान दशा में धारा-समाजें भारतवर्ष को लाभ पहुंचा सकेंगी। और न सिर्फ जरूरत के खयाल से ही मैं स्वराज्य-दल वालों की अपनी थोड़ी शक्ति ने अनुसार सहायता करता हूँ। मुझे धारा-समाज-सम्बंधी कार्यक्रम पसन्द नहीं; मगर मैं देखता हूँ कि भारतवर्ष के अधिकांश पढ़े-लिखे लोग उस कार्यक्रम के बगैर रह ही नहीं सकते। इन लोगों में जो बड़े से बड़े नेता हैं उन्हें यदि सहा उग्र राजनैतिक प्रचार-कार्य दिया जाय तो वे खुशी से यहाँ से हट जायेंगे। उनको अकेले विधायक कार्यक्रम से संतोष नहीं हो सकता। उनको समझ में उसकी गति बहुत धीमी है।

में मानता हूँ कि उनका यह भाव प्रामाणिक है। इसलिए इस खयाल से कि सारी शक्तियाँ देश के उद्धार में लग सकें और यह समझ कर कि धारा-सभा में जा कर भी विधायक कार्यक्रम को बढ़ा पहुँचाई जा सकती है और जो-जो बातें सार्वजनिक मंचाई में बाधक हों उनका गौरव-युक्त विरोध किया जा सकता है, मैंने अपनी सहायता के लिए उस दल को पसन्द कर लिया है जो मेरी बातों को सब से अधिक पूरा करता है।

**क्या हिन्दू-धर्म में शैतान है ?**

एक सज्जन लिखते हैं —

“कुछ महीने पहले आपने मेरा एक पत्र कुछ धर्म-पत्रों तथा ईश्वर-संबंधी विश्वास के विषय में ऐसा शर्पक दे कर छपा था जो कि उसके विषय के सर्वांग में अनुकूल न था। (वेस्ट्रिए सं० सं० १९२५ पृ० १५५) अब मेरा जो चाहता हूँ कि आपसे दूसरा प्रश्न ईश्वर के विरोधी (ईसाई लोगों के विश्वास के अनुसार) के संबंध में करूँ, जिसका कि नाम आप बहुत बार अपने लेखों और व्याख्यानो में लिया करते हैं और जो कि खाली नहीं जाता, जैसा कि वेस्ट्रिए ६-८-२५ के सं० सं० में 'शैतान का जाल' नामक आपका लेख। यदि केवल भ्रातृकारिक प्रभाव डालना आपको अभीष्ट होता, क्योंकि आप उन लोगों की भाषा में लिख आर बोल रहे थे जिन्हें कि ईसाई-धर्म के द्वारा शैतान के अस्तित्व में विश्वास रखना सिखाया गया है, तो मुझे कुछ कहना न था। परन्तु नस लेख में और बातों के साथ यह भी पाया जाता है कि आप शैतान की इसी पर विश्वास रखते हैं। मेरी नाकाम राय में यह विश्वास बिल्कुल अहिन्दू है। जब अजुन ने भी कृष्ण से पूछा कि मनुष्य के पतन का कारण क्या है तो उन्होंने कहा— 'काम एष, क्रोध एष,' आदि। हिन्दू-धर्म के अनुसार यह ज्ञाना जाता है कि मनुष्य को मोह में डालने वाला उससे बाहर कोई व्यक्ति नहीं है और न वह 'एक' ही है; क्योंकि ज्ञान में तो मनुष्य के छः शत्रु बनाये गये हैं— काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इससे यह स्पष्ट है कि हिन्दू-धर्म में शैतान के लिए जगह नहीं है, जिसको कि ईसाई-धर्म में 'पतित करिस्ता' 'मोह में गिराने वाला' कहा है या एक क्रम केवल (अनातोके फ्राय) ने जिसे 'ईश्वर का व्यवहार आदमी' कहा है। तब यह कैसी बात है कि आप जो कि एक हिन्दू हैं, इस तरह बोलते और लिखते हैं मानें। आप उस पुराने शैतान के वास्तविक अस्तित्व में विश्वास रखते हों ?”

वे केवल 'यंग इंडिया' के पाठकों के सु-परिचित हैं। वे इनके सज्जन हैं कि 'शैतान' शब्द का प्रयोग मैं जिस आशय में करता हूँ उसे न जान पाते हों सो बात नहीं। पर उनका मैंने यह स्वभाव देखा है कि जहाँ कहीं धारा भी गलनफहमी की आशका हो, या जिसके अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो वहाँ वे मुझे छेके बिना नहीं रहते। मेरी राय में हिन्दू-धर्म की खूबी उसकी सर्व-व्यापकता और सर्व-अप्राहकता है। महाभारत के कर्ता ने अपनी महान् सृष्टि के संबंध में जो कुछ कहा है वह हिन्दू-धर्म पर भी उसना ही चटता है। और धर्मों में जो बातें काम की भिन्नती हैं वे हमेशा हिन्दू-धर्म में पाई जाती हैं। और जो कुछ उसमें नहीं है उसे धार-हीन या अनावश्यक सपन्नना चाहिए। मैं जरूर मानता हूँ कि हिन्दू-धर्म में शैतान के लिए जगह है। बाइबिल में यह विचार न तो नया है, न मौकिक है। बाइबिल में भी शैतान कोई व्यक्ति नहीं है। या बाइबिल में वह व्यक्ति उसी दर्जे तक है जिस दर्जे तक रावण या सारी असुर-धन्तसि हिन्दू-धर्म में है। मैं इस सिर और बीच हाथबाके ऐतिहासिक रावण

को उससे अधिक नहीं मानता जितना कि ऐतिहासिक शैतान को मानता हूँ। और जिस तरह कि शैतान और उसके साथी पतित करिस्ते हैं उसी तरह रावण और उनके साथी भी पतित करिस्ते, या चाहें तो येव कहिए, हैं। यदि दुर्विकारों और उच्च भावों को व्यक्तियों का जन्म पहचाना कोई अपराध है तो शायद हिन्दू-धर्म इस अपराध के लिए सब से अधिक जिम्मेवार है। क्या पूर्वोक्त छः विकारों को हिन्दू-धर्म में व्यक्ति का रूप नहीं दिया गया है? धृतराष्ट्र और उसके सौ पुत्र कौन और क्या हैं? काल के अन्त तक कल्पना-शक्ति अर्थात् काव्य मनुष्य के विकास में अपना उपयोगी और आवश्यक काम जरूर करेगा। इन विकारों का जिक्र इसीतरह करते रहेंगे मानों वे कोई व्यक्ति हों। क्या वे कुछ मनुष्यों की तरह इनमें नहीं सताते? इसलिए और स्थानों की तरह इन स्थान पर भी अक्षरार्थ करने से मृत्यु है और आशय प्रकण करने में जीवन-काम है।

**प्रिय और अप्रिय सत्य**

हाल ही प्रकाशित हुए एक लेखक के एक पत्र में वे मैंने कुछ वाक्य निकाल डाले थे। उनके सिलसिले में वे शिकायत करते हैं—

“मेरे उस पत्र से आपने जो कुछ अर्थ निकाल डाला, उसके होते हुए भी मैं कहना हूँ कि आपको मेजे अपने तमाम पत्रों में और सब कर उनमें जिनका संबंध जाति-गत प्रश्नों से है, मैंने 'सत्यं ब्रूयान् प्रियं ब्रूयान् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्' इस सूत्र-पूण वचन का पालन नहीं किया है, बल्कि विलियम लाइड गैरिसन की उस उक्ति का पालन किया है, जो कि 'इंडियन सोशल रिफार्म' बर्षों का ध्येय-सूत्र है— मैं सत्य की तरह कठोर-अप्रिय बोलूंगा और ग्याय की तरह अटक आग्रही रहूंगा आदि”

मैं अप्रिय सत्य का हयाल नहीं करता। हाँ, लीले चटपटे सत्य पर जरूर मेरा ऐतराज है। लीले-चटपटी भाषा सत्य के नम्रदीक उतनी ही विजातीय है जितनी कि निरोग जठर के लिए तेज िवियाँ। जो वाक्य मैंने हटा लिये थे वे लेखक के आशय को स्पष्ट करने के लिए या उसमें से कोई मुद्दा निकालने के लिए आवश्यक न थे। वे न तो उपयोगी थे न आवश्यक, उल्टा बिल बुलाने वाले थे। ऐसा विचार करने का रिवाज सा पक गया दिखाई देता है कि सब बोलने के लिए मनुष्य को अप्रिय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हालाँ कि जब सत्य अप्रियता के साथ में उपस्थित करते हैं तब उसकी हानि पहुँचती है। यह ऐसा ही है जैसा कि शक्ति को सहारा देना। सत्य स्वयं ही पूर्ण शक्तिमान् है और जब कचे शब्दों के द्वारा उसकी पुष्टि का प्रयत्न किया जाता है तब वह अपमानित होता है। मुझे उस संस्कृत वचन में जो गैरिसन के सूत्र में कोई विरोध नहीं दिखाई देता। मेरी राय में उस संस्कृत श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य को सत्य प्रिय-मृदु भाषा में बोलना चाहिए। यदि कोई मृदुलता से ऐसा न कर सके तो बेहतर है कि वह चुप रहे। इसका आशय यह है कि जो मनुष्य अपनी जिह्वा को कच्चे में नहीं रख सकता उसमें सत्य का अधिष्ठान नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो 'अहिंसा-शून्य सत्य, सत्य नहीं, बल्कि असत्य है।' गैरिसन के सूत्र का अर्थ उसके जीवन को सामने रखकर लगाना चाहिए। वह अपने धर्म का एक नम्र से नम्र मनुष्य था। उसकी भाषा को वेस्ट्रिए, वह सत्य कीही तरह कठोर होगी पर चूंकि सत्य वही होता है जो कि कभी कठोर नहीं होता बल्कि हमेशा प्रिय और हितकर होता है, उस सूत्र का यही अर्थ हो सकता है कि गैरिसन उसना

हा नम्र होना जितना कि सत्य। जब दोनों बचन बचा या केवल की आंतरिक अवस्था से संबन्ध रखते हैं, उस प्रभाव से नहीं जोकि उन लोगों पर पड़ेगा जिनके संबन्ध में वह लिखा या कहा गया हो। "इन्डियन सोशल रिफार्मर" यदि अप्रिय बात करना ही तो बहुत ही कम। वह सब के साथ न्यायोचित व्यवहार करता है। हालांकि कभी कभी जल्दी में एकदम नतीजे निकाल बैठता है और आगे चलकर व्यक्ति और वस्तु के संबन्ध में अपने अनुमान उसे बदलने पड़ते हैं। इन दिनों जब कि चारों ओर कटुता फैली हुई है अति सावधानी भी कोई भारी बात नहीं कही जा सकती। और आखिर पूर्ण सत्य को जानना ही कौन है? मामूली व्यवहार में तो सत्य सिर्फ एक सापेक्ष पात्र है। जो बात मेरे नजदीक सत्य है वही आवश्यक रूप से मेरे अन्य साथियों के नजदीक सत्य नहीं हो सकती। हम सब उन अन्धे आविषियों की तरह हैं जिन्होंने हाथों को टटोल टटोल कर ससका जुदा जुदा बर्णन किया था। और उनकी बुद्धि और विचार के अनुसार वे सब सब थे। परंतु हम यह भी जानते हैं कि वे सब गलती पर थे। हर आविषी सत्य से बहुत दूर रहा था। इसलिए यदि कोई आविषी कटुता से बचने रहने की आवश्यकता पर जोर दे तो वह कुछ ज्यादा बात नहीं कही जा सकती। कटुता से कल्पना-पथ मलिन हो जाता है। और मनुष्य उस मर्मादित सत्य को भी देखने में उस हर तक असमर्थ हो जाता है जिस हृदयक कि शरीर से अन्धे मनुष्य देख पाये।

**आधी-कार्यकर्ताओं का लेखा—**

नीचे लिखा ध्योरा और मिला है—

प्राप्त या केन्द्र का नाम	कार्यकर्ताओं की संख्या	वैतनिक या अतिरिक्त	प्रेषण	कुल वेतन	औसत खर्च की कार्यकर्ता
सिन्ध	१ पूरा समय काम करने वाले	५ वै० १ अर्धे०		२३०)	३८
पंजाब शारी प्रकृत	३ कुछ समय "	२ वै० १ अर्धे०	सफ़रीक	११५)	२८
देहली	५ पूरा समय काम करने वाले	६ वै० १ अर्धे०		१६५)	लिखी
	१ कुछ समय "	१ अर्धे०			२३-५
		तमाम अर्धे०			०

(५० इ०) श्री० क० गांधी  
 'माधुरी' और भदे विज्ञापन  
 'माधुरी' हिन्दी की लोक-प्रिय और उच्च-प्रतिष्ठ पत्रिका है। उसके कुछ गंदे विज्ञापनों की ओर लोगों का ध्यान गया।

एक विज्ञापन ने तो कुछ सनसनी भी फैला दी थी। मैंने उसके उरसाही और सेवेच्छु सम्पादक का ध्यान उसकी ओर कीया। उस पर उन्होंने जो कार्रवाई की और जो उत्तर मुझे मिला वह उनकी प्रतिष्ठा और 'माधुरी' की शोभा बढाने वाला है। आपने केवल उस विज्ञापन को ही नहीं निकलवा डाला, बल्कि अन्य ऐसे विज्ञापनों के निकाल डालने की भी तैयारी दिखलाई है। आप लिखते हैं कि मैं शुरू से ही अश्लील विज्ञापनों के खिलाफ हूँ। २ वर्ष हुए मैंने खुद 'माधुरी' में इसपर एक नोट लिखा था। 'तब 'माधुरी' में ऐसे विज्ञापन प्रायः छपते भी नहीं थे। इधर ही छपने लगे हैं।' पर अब तो आपने उन्हें न छपने देने का ही निश्चय प्रकट किया है। निस्सन्देह इस कार्य और नीति के लिए वे अपने पाठकों के धन्यवाद-भाजन हैं। माधुरी के आन्तरिक गुणों के साथ साथ बाहरी रूप और गुण में भी शुद्धि और बुद्धि होती रहेगी तो उसके हिन्दी-समाज की बड़ा सेवा होगी। सच्ची की बात है कि 'माधुरी' इसमें दिन दिन आगे बढ़ रही है। मुझे आशा है कि हिन्दी के अन्य पत्र-पत्रिका भी जो अबतक किसी न किसी कारण से गंदे विज्ञापनों के मोह से अपनेको छुटा नहीं पाये हैं 'प्रताप' और 'माधुरी' से खिन्ना ग्रहण करेंगे। दुराई दुराई ही है और उम्हें किसी भी अर्थ में कभी अच्छा फल नहीं निकल सकता। यदि आज किसी बात में उसका नतीजा अच्छा या हमारे अनुकूल दिखाई पड़ता है तो इसका कारण यही है कि उसके छिपे हुए नतीजे की ओर, जो कि हमें अप्रिय है और कलका नहीं रहा है, सहसा हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें अपने पत्रों का जीवन इच्छािए न प्यारा और अभीष्ट है कि हम उसके द्वारा जन-सेवा की आशा और संभावना देखते ह ? पर यदि गंदे विज्ञापनों को अपना करके आज हम प्रत्यक्ष रूप से अपने पाठकों का अहित-साधन कर रहे हैं तब हम यह कैसे कह सकते हैं कि हमें केवल पाठकों की सेवा का ही जयाल है ? हम एक बात में पाठकों की सेवा करते हैं तो दूसरी बात में अ-सेवा। सच्ची सेवा हमारे हाथों तभी होगी जब हमारी सेवा के साधन शुद्ध और स्वच्छ होंगे। यदि हिन्दी के पत्र-संचालक अपनी इस बोझी ही कमजोरी पर विजय प्राप्त कर ले तो वे देखेंगे कि उनके पत्र के भविष्य की चिन्ता उनकी अपेक्षा उनके पाठकों को, और उनसे भी अधिक उस जगदीश्वर को है जिसे अपने बाल-बच्चों का रित हम से अधिक प्यारा और अभीष्ट है और जिसको चिन्ता उसे हमसे अधिक है। पत्र पाठकों की सेवा के लिए निकाला जाता है, अतएव उसके भरण-पोषण की चिन्ता का भार संचालक के सिर पर नहीं, बल्कि पाठकों के सिर पर रहना चाहिए। पाठक इस जिम्मेवारी को तभी अनुभव कर सकेंगे जब एक तो हम उनकी स्वच्छ और सच्ची सेवा करें और दूसरे अपने केलों और व्यवहारों से उनके हृदय पर यह भाव अंकित करें कि वे केवल पाठक नहीं पत्र के मालिक भी हैं। संपादक केवारा पत्र को लिखने की चिन्ता करे या उसका पेट भरणे की भी ? पत्र का पेट भरण का काम पाठकों का है। हम विज्ञापनों के संबन्ध में अपनी न सि को संशोधित कर के, पाठकों का काम अपने सिर से हटा कर पाठकों को सौंपने के मार्ग में जरूर आगे बढ़ सकेंगे। आशा है, हिन्दी के अन्य पत्र-संपादन और संचालक इस विषय में उदासीन न रहेंगे।

देशबन्धु-स्मारक कोष  
 ६-८-२५ तक पं. जवाहरलाल नेहरू के पास २९,०५० १२-९ पहुँचे हैं और १६-९-२५ तक 'नवजीवन' कार्यालय में १२४६-१४-३ प्राप्त हुए हैं। कुल रकम ३०१९५-१०-० हो जाती है।

## हिन्दी-नवजीवन

धरवार, आश्विन वदी १४, संवत् १९८२

### अमेरिकन मित्रों से

मुझे कितने ही अ-ज्ञात योरपियन और अमेरिकन मित्रों की मित्रता का सौभाग्य प्राप्त है। मुझे यह लिखते हुए खुशी होती है कि उनका वायरा लगातार बढ़ रहा है खास कर वायद अमेरिका में। कोई एक साल पहले मुझे अमेरिका जाने के लिए एक आमद-पूर्ण निमंत्रण मिला था। अब और भी जोर के साथ वही निमंत्रण फिर दिया गया है और सो भी आने-जाने का तमाम खर्चा उठाने के आश्वासन-सहित। मैं तब उस कृपा-पूर्ण निमंत्रण को स्वीकार करने में असमर्थ रहा और आज भी हूँ। उसे स्वीकार करना तो बड़ा आसान काम है; पर मुझे इस मोह से अभी अवश्य बचना होगा; क्योंकि मेरा दिल कहता है कि जबतक मैं भारत के शिक्षित और बुद्धि-वादी लोगों का और मेरा संबंध ठीक न कर लें तब तक मैं उस महा-द्वीप के लोगों के हृदय की अच्छी तरह न समझा सकूंगा।

मुझे अपनी सैद्धांतिक स्थिति में तो कोई सन्देह नहीं है। पर अभी मैं अधिकांश शिक्षित लोगों को उसका फायला करने में समर्थ नहीं हो रहा हूँ। ऐसी अवस्था में जबतक भारत के शिक्षित-समुदाय ने मुझे छोड़ रक्खा है तबतक मैं अमेरिकन या योरपियन मित्रों से अपने देश के लिए कोई कारगर सहायता नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, मैं जरूर सारी दुनिया को दृष्टि-पथ में रख कर विचार करना चाहता हूँ। मेरी देश-भक्ति में सामान्यतः सारी मानव-जाति का हित समाविष्ट है। अतएव मेरी भारत-सेवा में सारी मनुष्य-जाति की सेवा का अन्तर्भाव हो जाता है; पर मेरा हृदय कहता है कि यदि मैंने उसे पश्चिम की सहायता पर छोड़ दिया तो मैं अपनी कक्षा के बाहर चला जाऊंगा। इसलिए फिलहाल तो मुझे अपने भारत के संकुचित मंत्र से पुकार कर ही पश्चिम से जो कुछ सहायता मिल सके उनपर सन्तुष्ट रहना चाहिए। यदि मुझे अमेरिका और योरप जाना ही हो तो मुझे अपनेको शक्तिमान् बना कर जाना चाहिए, न कि अपनी कम-जोरी की हालत में, जो कि मैं महसूस करता हूँ कि आज है। अपनी कमजोरी से मेरा अतलब देश की कमजोरी से है। क्योंकि भारत की आजादी की सारी तजवीज का दारोमदार उसकी भीतरी शक्ति के विकास पर है। वह आत्म-शुद्धि की तजवीज है। अतएव पश्चिम के लोग अपने यहाँ से विशेषज्ञों को उस योजना के मर्म को समझने, उसका अध्ययन करने के लिए भेज कर ही भारतीय आन्दोलन की सर्वोत्तम सहायता कर सकते हैं। वे अपने दिल और दिमाग को खुला रख कर यहाँ आँ, और आँ एक सत्य-सोधक के विनय-भाव को साथ ले कर। तब शायद वे उसकी वास्तविक स्थिति को देख पावेंगे। यदि मैं अमेरिका गया। तो तो मेरा पूर्ण सत्य-निष्ठ रहने का निश्चय होने पर भी संभव है कि मुझसे भारत का एक गौरव-पूर्ण संस्करण उनके सामने पेश हो जाय। लिखता अथवा कथित शब्द-बल की अपेक्षा मैं विचार-शक्तिका अधिक फायला हूँ। और यदि यह इच्छक अजिसको कि मैं पेश करना चाहता हूँ अपने अन्दर जीवनी बहाकित रखती होगी और ईश्वर का वरद हस्त इसपर होगा तो सर्वकार के भिन्न भिन्न भागों में मेरे शरीर की उपस्थिति के बिना

ही वह सारे विश्व में फँके बिना न रहेगी। जो हो; इस समय तो मुझे अपने सामने प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे खीरब ग्लव कर यही भारत में ही किसी तरह आफत-शक्त उठावे हुए अपना रास्ता तय करना होगा जब तक कि मुझे भारत की सीमा के बाहर जाने का साफ रास्ता न दिखाई दे।

निमंत्रण का आप्रह करने के बाद अब अमेरिकन मित्र ने मेरे विचार के लिए कई प्रश्न पेश किये हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और खुशी के साथ उनका उत्तर यहाँ देता हूँ। वे कहते हैं—

“आप चाहे आज या आगे कभी यहाँ पधारने का निश्चय करें या न करें, मुझे विश्वास है कि आप नीचे लिखे प्रश्नों को अपने विचार के योग्य समझेंगे। बहुत समय से वे मेरे दिमाग में घूम रहे हैं।”

उनका पहला प्रश्न यह है—

“क्या वह समय आ गया है—या आ रहा है—जब कि आप भारत की सब से अच्छी सहायता दुनिया और खास कर के योरप और अमेरिका में एक नये आत्म-वैतन्य का प्रादुर्भाव कर के, करें?”

इस प्रश्न के कुछ अर्थ का उत्तर ऊपर आ ही चुका है। मेरी राय में अभी वह समय नहीं आया है—किसी दिन आ सकता है—जब कि मैं भारत के बाहर जाऊँ और सारी दुनिया में नई आत्म-जागृति फैलाऊँ, जो कि अब भी अप्रत्यक्ष और अज्ञात-रूप से धीरे धीरे हो रही है।

“क्या सारी मानव जाति के वर्तमान हित सब जगह इतने जटिल रूप से परस्पर-संमिश्र नहीं हैं कि भारतवर्ष जैसा कोई भी एक देश दूसरे देशों के अपने वर्तमान संबंधों से बहुत दूर नहीं हटाया जा सकता?”

मैं लेखक की इस बात को मानता हूँ कि कोई भी देश बहुत समय तक दुनिया से अकेला नहीं रह सकता। भारत को स्वराज्य प्राप्त करने की वर्तमान योजना ऐकान्तिक स्थिति प्राप्त करने की योजना नहीं है, बल्कि सारे विश्व के लाभ के लिए पूर्ण आत्म-साक्षात्कार और आत्म-कथन की है। वर्तमान मुलामी और असहाय अवस्था से केवल भारत को ही नहीं, केवल इंग्लैंड को ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया को हानि पहुंचती है।

“क्या आपका संदेश और साधन आवश्यक अंश में विश्वव्यापी मात्र नहीं है, जो कि अनेक देशों के पत्र-तन्त्र बिचरे सहृदय जनों के हृदय पर अपनी सत्ता जमाविणा, और वे श्लोण उसको पा कर पीने धारे ससर का काया-पलट कर देंगे?”

यदि मैं बिना अहंकार के और उचित लगता के साथ कह सकता हूँ तो मेरा संदेश और मेरे साधन अवश्य ही अपने आवश्यक अंश में सारी दुनिया के लिए हैं और वह जानकर मुझे तीव्र सतौष होता है कि पश्चिम के कितने ही और दिन दिन बढ़ने वाले नर-नारियों ने इसे अपने हृदय में अपना लिया है।

“यदि आप सिर्फ पूर्व की ही भाषा में और केवल भारत की आवश्यक बातों को दृष्टि में रखकर अपने संदेश का प्रत्यक्ष प्रयोग करेंगे, तो क्या इस बात का खतरा नहीं है कि अनावश्यक बातों की लिखड़ी मूल सिद्धान्तों के साथ हो जाय—वे बातें जो कि केवल भारत की एक सिरे पर पहुंच जानेवाली स्थितियों के अनुकूल हैं, गलती से सारी दुनिया की दृष्टि से परम आवश्यक समझ ली जाय?”

लेखक का बताया खतरा मेरे ध्यान में है, पर वह अनिवार्य बाधक होता है। मैं एक ऐसे सैद्धांतिक की हालत में हूँ जिसका



कि प्रयोग अभी बहुत-कुछ अधूरा है और इसलिए जो अभी उसके बड़े बड़े परिणामों और उप-सिद्धान्तों का अनुयायन ऐसी भाषा में करना करने में असमर्थ है जिसे सब समझ सकें। इसलिए इस प्रयोगावस्था में तो गणतन्त्र-प्रणाली की जोखिम उठाये बिना छुटकारा नहीं दिखाई देता, और गणतन्त्रवादी तो होती ही आ रही है और अब भी शायद बहुत जगह जारी है।

“क्या आपको इसलिए अमेरिका, (जो कि अपने दोषों के रहते हुए भी शायद दुनिया की सब जीवित प्रजाओं से अधिक आध्यात्मिक बनने की शक्ति अपने गर्भ में रखता है) न जाना चाहिए, कि आप पश्चिमी और उर्वरी प्रकार पूर्वी सभ्यता की भाषा में दुनिया को अपने संदेश का तात्पर्य समझा सकें?”

लोग सामान्यतः मेरे सन्देश को उसके परिणामों पर ले समझेंगे। इसलिए उसके लोगों के द्वारा कारगर तौर पर सुने जाने का सब से छोटा रास्ता शायद नहीं होगा कि वह खुद ही अपनी बात कहे, कम से कम वर्तमान अवस्था में तो।

“जैसे—क्या आपकी प्रेरणा के पश्चिमी अनुयायी करना चाहें और उसका प्रचार करें?”

अवश्य ही पश्चिमी लोगों के लिए करना कातने और उसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है—हां, वे भारत के साथ अपनी सहायभूति प्रकट करने या अपनी संयम-साधना के लिए, अथवा करके की गृहउद्योग-संबंधी आवश्यक विशेषताओं को कायम रखते हुए उसे और अधिक उपयोगी बनाने में अपनी आविष्कारक बुद्धि-शक्ति का प्रयोग करने के लिए उसे बलावें तो हर्ष नहीं। परन्तु करके का सन्देश तो उसकी परिधि से बहुत ही व्यापक है। उसका पैगाम है—सादा जीवन, मानव-जाति की सेवा, औरों को हानि न पहुंचाते हुए रहना, बनी और निर्धन, रामा और रंक में अदृढ ममत्व-बंधन उत्पन्न करना। यह व्यापक सन्देश अवश्य ही सब के लिए है।

“रेक-रोक, बाकडर, अस्पताल तथा आधुनिक सभ्यता के अन्य अंगों की जो निन्दा अपने की है क्या वह परम आवश्यक है और अपरिवर्तनीय है? क्या हमें पहले अपनी आत्मिक शक्ति का इतना विकास न कर लेना चाहिए कि जिससे यन्त्र-साधन को तथा आधुनिक जीवन की सु-संगठित, वैज्ञानिक और उत्पादक शक्तियों को आध्यात्मिक रंग में रंग सकें?”

रेक-रोक आदि-संबंधी मेरी निन्दा है तो सब और वह ज्यों की त्यों कायम भी है, फिर भी वर्तमान आन्दोलन पर उसका कुछ असर नहीं है—इसमें तो केवल-वर्णित किसी बात का तिरस्कार नहीं है। वर्तमान हलचल में मैं न तो रेक-रोक पर हमला कर रहा हूं और न अस्पतालों पर; पर आदर्श अवस्था में मुझे उनके लिए या तो बिल्कुल नहीं, या बहुत कम स्थान दिखाई देता है।

वर्तमान आन्दोलन ठीक वैसा ही प्रयत्न है जैसी कि केवल की अनिच्छा है। पर वह यन्त्र-सामग्री को आध्यात्मिक रूप देने की हलचल नहीं है। यह तो मुझे असंभव बात भासना होती है। हां, इतना हो सकता है कि यन्त्रों के संवाक्य मनुष्यों में मानुष-भाव, दया-धर्म की प्रेरणा की जाय। धर्म, सत्ता को जोड़े लोगों के हार्थों में केन्द्रित करने और बहुतेरे लोगों को सुझने के लिए एकज करने के उद्देश से यन्त्र-कला का संगठन करना मैं बिल्कुल अनुचित समझता हूं। वर्तमान समय का बहुतेरा यन्त्र-संगठन इसी नमूने का है। करके की हलचल क्या है? यन्त्र-कला को उस एकाकी और छटाक की स्थिति से हटा कर उसके योग्य स्थान पर दिखाने का उद्योग। अतएव मेरी योजना में यन्त्र-उद्योग से संबंध रखनेवाले पुष्य न केवल अपना, न केवल अपने सम्पू ज, बल्कि

सारे मनुष्य-समाज का विचार करेंगे। इस तरह संकल्पायर का अपने यन्त्र-उद्योग का उपयोग भारत तथा दूसरे देशों की आर्थिक ह्रास के लिए करना न हो जायगा, और इसके प्रतिकूल वे ऐसे उपाय लोचने जिन्हें भारतवर्ष अपने कपास को खुद अपने ही गांधों में कपड़े के रूप में परिवर्तित कर सके। और न अमेरिकन लोग अपने आविष्कारक बुद्धि-कोशल के द्वारा पृथिवी की दूसरी जातियों को ह्रास कर अपनेको मातामक कर सकेंगे।

“अमेरिका जैसे देश की अनुकूल परिस्थिति में क्या यह संभवनीय नहीं है कि मनुष्य सर्वोत्तम आत्म-जागृति को विद्युत् करे और आगे बढ़ावे और उसे ऐसे प्रयोजन और शक्ति, साहस और योग्य के रूप में परिवर्तित करे जिससे भारत के करोड़ों तथा पृथिवी के चारों कोने के लोगों की आत्माओं को मुक्ति मिले?”

यह नकर हो सकता है। अवश्य ही मुझे यह आशा है कि अमेरिका मनुष्य की सर्वोत्तम आत्म-जागृति करने का उद्योग करेगा; पर शायद वह समय अभी नहीं आया है। शायद वह भारत के अपने आत्म-दर्शन के पहले न भी आवे। इससे बढ कर खुशी मुझे और किसी बात से नहीं हो सकती कि अमेरिका और योरोप अपनी शक्ति भर भारत के दुर्गम पथ को सुगम बनावें। भारत के रास्ते में जो जो मोह और प्रदीपन बामनी है उसे हटा कर और उसे अपने प्राचीन उद्योगों का अपने गांधों में पुनरुत्थान करने के लिए उत्साहित करते हुए वे ऐसा कर सकते हैं।

“इसका क्या कारण है कि हर देश में मुझ जैसे लोग आपके कृतज्ञ हैं और आपका अनुकरण करने के लिए उत्सुक हैं? क्या इसके ये दो कारण मुख्य नहीं हैं?”

पहला—सारे संसार को एक नयी आत्म-जागृति की आवश्यकता है—हर शक्ति के विचार और भाव में इस अनुभव की जरूरत है कि मनुष्य-मात्र में जमान रूनी अंश है, सब में बन्धु-भाव और एकता स्थापित होने की आवश्यकता है।

दूसरा—सारे किसी विश्व-विख्यात व्यक्ति की अपेक्षा आपमें वह आत्म-वैतन्य है—वही नहीं बल्कि उसे औरों में जाग्रत करने का सामर्थ्य भी है।”

मैं तर्क नहीं करता कर सकता हूं कि केवल का अनुमान सब हो।

“यह जारी दुनिया की आवश्यकता है—है न?—जिसका कि जवाब आप सबसे अच्छी तरह दे सकते हैं—वह जवाब जो कि ईश्वर ने मनुष्य को कृपा-पूर्वक बरसा है? आपका जीवन-कार्य अकेले भारत में ही कैसे पूरा हो सकता है? यदि मेरे हाथ या पद में इतनी जीवनी शक्ति छल की जाय कि जो मेरे शरीर के तीक से बहुत बाहर हो तो उससे मेरा सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहेगा—वा उक्त एक त्रिय अंग-विशेष को भी उससे स्वस्थी काम होगा?”

मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अकेले भारत में मेरा जीवन-कार्य पूरा न होगा। परन्तु, मैं समझता हूं मुझमें अपनी व्यक्तिता को स्वीकार करने की तथा इस बात को देखने की जरूरत है कि जबतक खुद भारतवर्ष में मेरे प्रयोग का परिणाम न मासूम हो जाय तबतक मुझे अपने भारत के मर्यादित मंच पर ही खड़े रहना चाहिए। जैसा कि मैं पहले जवाब दे चुका हूं, मैं भारतवर्ष को एक स्वतंत्र और बलवान् राष्ट्र देखावा चाहता हूं जिससे कि वह संसार के भके के लिए अपनेकी शुद्ध और उत्सुक बलिदान के विभिन्न अर्पित कर सके। शुद्ध व्यक्ति कुटुंब के लिए, कुटुंब गांध के लिए, गांध जिसे के लिए, जिला प्रांत के

लिए, प्रान्त राष्ट्र के लिए और राष्ट्र सारे मनुष्य-समाज के लिए अपना बलिदान करता है।

“क्या मैं यह भी निवेदन करूँ— आपके संघर्ष के प्रति भारी भाक्ति-भाव रखते हुए,— कि अकेले या मुख्यतः भारतवर्ष के साथ मिलान करने की अपेक्षा सारी दुनिया के साथ मिलान करने से शायद छद्म आपके भी दृष्टि-क्षेत्र और स्फूर्ति को कुछ लाभ हो ?”

हाँ, मैं मानता हूँ कि इस दक्तव्य में बहुत-कुछ बल है। यह कोई असंभव बात नहीं है कि मेरी पश्चिम-यात्रा के बदलेन मुझे व्यापक जीवन-दृष्टि तो नहीं— क्योंकि मैंने यह विगलाने की चेष्टा की है कि वह व्यापक से व्यापक है— पर हाँ, उस दृष्टि का अनुभव करने के लिए नये साधन मात्स्य हो सके।

मेरे लिए इसकी अन्तरत है तो ईश्वर इसका रास्ता मेरे लिए देगा।

“क्या भारतवर्ष अथवा अन्यत्र सरकार का राजनैतिक स्वरूप उसना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यक्ति का आत्म-बल— अपने अन्दर तथा आसपास व्याप्त दैवी-भाव से जो कुछ सर्वात्म्य स्फूर्ति वह ग्रहण कर सकता है उसका साहसपूर्ण प्रकाशन ?”

हाँ, व्यक्ति का आत्म-बल हमेशा बहुत महत्वपूर्ण बस्तु होती है। राजनैतिक स्वरूप उसी आत्म-बल का एक स्थूल रूप है। सर्व-सामान्य व्यक्ति के आत्म-बल से भिन्न मैं किसी सरकार के रूप को नहीं मानता। इसीलिए मैं मानता हूँ कि लोग उसी सरकार को पाते हैं जिसके कि लायक वे होते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो स्व-राज्य स्व-प्रयत्न के ही द्वारा प्राप्त हो सकता है।

“क्या सब जगह व्यक्तियों में इस आत्म-बल के शुद्धिकरण और विकास की आवश्यकता ही मुख्य नहीं है— जो कि शायद थोड़े लोगों से शुरू होगी और एक दैवी स्पर्श की तरह बहुतेरे लोगों में फैल जायगी ?”

हाँ, जरूर है।

“आपकी यह शिक्षा ठीक ही है कि ऐसे आत्म-बल का ठीक ठीक विकास होने से भारत की आजादी का निश्चय हो जायगा। क्या सभी जगह वह तमाम राजनैतिक, आर्थिक और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के, जिनमें मुझ और सुलह के प्रश्न भी शामिल हैं, स्वरूप को बचने में सहायता न देगी ? क्या आज जब कि सारा गानव-समाज परस्पर पड़ोसी है, मानव-सभ्यता के वे स्वरूप भारत में सारी दुनिया से आमूलतः श्रेष्ठ बनाये जा सकते हैं ?”

इससे पहले के छेदकों (paragraphs) में इसका उत्तर आ गया है। मैं इस पत्र में कई बार लिख चुका हूँ कि भारत की स्वाधीनता से दुनिया की स्थान और व्यक्ति-संबंधी वर्तमान दृष्टि में क्रान्ति हुए बिना न रहेगी। उसकी अर्थात् का अन्तर सारे मानव-समाज पर हो रहा है।

“मेरे तथा अन्य किसीकी अपेक्षा आप ही इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर कैसा दिया जाय। मैं मुख्य कर के आ-के पत्र में अपनी भ्रष्टा और अमेरिका तथा गरी मनुष्य-जाति के जरूरी कूट-प्रश्नों को हल करने में आपके नेतृत्व के प्रति अपनी अवृत्त तीव्र अभिलाषा प्रकट करना चाहता हूँ। इसलिए क्या आप कृपा कर के इस बात को याद रखेंगे कि यदि (और जब) वह समय आवे कि बड़ी स्फूर्ति के साथ निर्दिष्ट आपकी दिशा में भारत की प्रगति रुकती हुई दिखाई दे— इस बात के इन्तजार में कि पश्चिमी दुनिया उसके साथ लड़े— तो हम पश्चिम-निवासियों का वह निमंत्रण आपकी सेवा में

उपस्थित समझिए कि आप कुछ महीना अपना समय और अपनी मूर्ति का दर्शन हमें दीजिए। मेरे अपने दिल का भाव यह है कि यदि आप हमें बुलावेंगे और बसावेंगे तो हम (इस विशाल पृथिवी-पटल पर बिखरे हुए आपके अज्ञात अगणित अनुयायी) एक नये और उदात्त विश्व व्यापी आत्मिक कुटुंब के आविष्कार और साक्षात्कार में, जिसमें कि मनुष्य का विरकालीन बन्धुभाव, प्रजा-सत्ता, ज्ञान्ति और आत्मोन्नति का स्वप्न क्या भारत, क्या इंग्लैंड, क्या अमेरिका और क्या और जगह के हर व्यक्ति के दैनिक जीवन की खूबी हो जायगी, आपके प्राणों के साथ अपने प्राणों को मिला देंगे।”

क्या अच्छी होता यदि सारी दुनिया का नेतृत्व करने की अपनी शक्ति पर मेरा विश्वास होता। अपने संबंध में मैं मिथ्या विनय नहीं रखता। यदि मेरे मन में ऐसी प्रेरणा होगी तो मैं ऐसे हार्दिक निमंत्रण को स्वीकार करने में एक मिनिट की बेरी न करूँगा; परन्तु अपनी मर्यादितता के रहते हुए, जिसका कि दुःख-युक्त ज्ञान मुझे है, न जाने क्यों मेरा मन कहता है कि मेरा प्रयोग एक अंध तक मर्यादित ही रहे तो अच्छा। जो बात अंध पर घटित होगी बही पूर्ण पर होगी। हाँ, यह सच है कि मेरी निर्दिष्ट दिशा में भारत की प्रगति रुक गई थी मात्स्य होती है: पर मैं समझता हूँ कि यह स्थिति दिखाई ही देती है। १९२० में जो छोट-सा बाँज बोया गया था वह गष्ट नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि वह गहरी जड़ें पकड़ रहा है। बहुत जल्द वह एक विशाल वृक्ष के रूप में दिखाई देगा। पर यदि मैं भ्रम में गटक रहा हूँ तो मेरी अमेरिका-यात्रा से मिल सकने वाला इन्जिन और अस्थायी उत्साह उसको पुनर्जीवन नहीं दे सकता। मुझे उसका आगमन दिखाई दे रहा है। यह जरूरी निमंत्रण उसके अनेक लक्षणों में से एक लक्षण है। पर मैं जानता हूँ कि इसके लिए हमें अपनेको पात्र बनाना होगा— तभी वह एक भारी बाढ़ की तरह, ऐसी बाढ़ कि जो सफाई कर सकती है और बल-प्रदान करती है, हमारे सामने उपस्थित हागा।

( ५० ई० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## शिक्षादायक तालिका

गुजरात प्रांतिक समिति ने नीचे लिखी एक तालिका तैयार की है। यह बहुत ही शिक्षाप्रद और मनन करने योग्य है—

“३१ अगस्त को समाप्त होनेवाले आधे वर्ष तक गुजरात प्रांतिक समिति के सदस्यों के आये सूत्र-चन्दे का व्योरा—

सदस्य का नाम	साल भर का चन्दे देनेवाले	महीने का चन्दे देनेवाले	कतिपय दिनोंवाले	पूरा नाम करनेवाले	कुल मिला सूत्र चन्दे
‘अ’	‘ब’				
२२१५	३६५	२६६	३१४	१२५३	७२५
					१,५८,३८,०००

सूचना—इस तालिका से यह जाना जाता है कि कुल २५८० सदस्यों में से, जो कि शुरू में सदस्य हुए थे, सिर्फ ५८० आगामी महासमिति के चुनाव में राय देने के युक्त हैं।

अनियमित सूत्र देनेवालों का सूत्र ६७५० हजार गज अर्थात् औसतन ५५०० गज मिला है हाँकि मिलना चाहिए था १२००० गज।”

इन अंकों से हमें अपने सामने पड़े हुए काम का कुछ हवाला हो सकता है। गुजरात में न तो सगठन की कमी है और न खादी कार्यकर्ताओं की। परन्तु यह एक अजीब बात माहूम होगी कि एक चौथाई से भी कम रजिस्टर्ड सदस्यों ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। इन अंकों से हम कार्यकर्ता को जिसे कि भुन और लगन है और जिसे कि अपने लिये अपने अमीकृत काम पर विश्वास है, निराशा होने की आवश्यकता नहीं। पर उन्हे अपने काम के पथ की कठिनाइयों को कम न आंकना चाहिए। हम स्वराज्य तक तक न प्राप्त कर पावेंगे जब तक उसके लिए काम न करेंगे। महासभा के लोगों को झुपट बादा कर लेने की और उसकी भूल जाने की घुरी आदत पड गई है, जास कर तब जब किसी काम का बादा किया हो। जीवन के मामूली स्थितियों में भी हमें अपने दिये बचनों को पालना पडता है। व्यापारिक मामलों में तो बचन-भंग के लिए सत्ता भी भुगवनी पडती है। और अपनी बनाई संस्था को दिये स्वेच्छापूर्वक बचन का पालन करना तो सुव्यवस्थित समाज में व्यापारिक विषय में दिये बचन की अपक्षा अधिक कडा बधन होना चाहिए। हम नरर कानून की मना के द्वारा अदा किये जाने वाले ऋण की अपक्षा अपने मान-गौरव के लिहाज पर लिये ऋण की अदायगी पडके होनी चाहिए। परन्तु न जाने क्यों महासभा का ऋण अभी तक मामूली ऋणों की जखता और पवित्रता के भी पथ पर नहीं पदंश पाया है। जिन लोगों का विश्वास खादी पर नहीं है वे निस्सन्देह यह कहने कि वेको यह कनाई-मताधिकार की असफलता का चकन्म प्रमाण है। मुझे एमे आश्रयकों मे इस पर बहस करने की धृष्टता करनी चाहिए। कनाई मताधिकार ने ठीक ठीक अपने पथ से निबल मुकामों को हमारी आंखों के सामने ला रक्ता है। और यह भी याद रखना चाहिए कि ४ आना मताधिकार का भी हाल इसमे खन्खा नहीं रहा है। जिन लोगों ने एक बार अपना नाम रजिस्टर में लिखा लिया वे अपनी खुशी से हमरी बार अपना चन्दा देने नहीं आये। और यदि चन्दा हर महीने लिया जाना तो उनमें भी बने ही लोग नया करते जैसे कि मत भ करने है। परन्तु सपग देना नोज-मरी काम करने से बिल्कुल भिन्न चीज है। स्वास्थ कोई रुपये का देनलेन नहीं है। वह रुपया है कर खगीदने की भी चीज नहीं है। उसे तो ठोस, लग तार और जोरजोर के काम के द्वारा खरीदना होगा। और मे यह कहने की धृष्टता करता ह कि यदि महासभा ने चरमे की जगह पंक्तिब दुरुस्त करने का काम दिया होता तो भी फल यही निकलता। अतएव इन अंकों के अध्ययन से मे यही नतीजा निकालता ह कि हमको वेल्गाम में शुरू किये तरीके पर ही काम जारी रखना चाहिए, यदि हम यह चाहते हों कि महासभा एक काम करने वाली, फलदायी और शक्ति-संपन्न संगठित संस्था हो। जहाँ तक दिखाई देता है अनिवाय चरखा-कताई तो महासभा में से उठ जायगी, पर यदि महासभा कनाई के लिए रुपये के खंसे के साथ मताधिकार में स्थान रखने दे तो उसे कारगर बनाने के प्रयत्न मे शिथिलता न आने देनी चाहिए। ३० करोड नर-नारियों मे हम कुछ लाख ऐसे ली-पुरुष मिलने मे दिक्कत न होनी चाहिए जो राजी-खुशी देश के लिए बिला नाया निवमिन भ्रम करे। कनाई को इसी कारण मने खुना है कि राष्ट्रीय दृष्टि से उसका बडा मूय है और चरखा बहुत सादा औजार है। गुजरात के भिन्न भिन्न जिलों के काम की तफसील पढने का बोझ मने पाठकों पर नहीं डाला है। प्रांतिक समिति के विवरण में तो जिलों के काम का ब्यौरा दिया गया है। समिति का संवदन इतना पूर्ण और इतना सखा है कि

जहाँ लोगों की शक्ति ठीक तरह प्रकट की है तहाँ उनकी अ-शक्ति को भी छिपाने की चेष्टा नहीं की गई है। ब्योरे से माहूम होता है कि जो ५८० व्यक्ति अबनक अपना पूरा चंदा दे रहे हैं वे सारे गुजरात में फेले हुए नहीं हैं। बल्कि ५८०-संस्थाओं के लोग हैं। यदि वे न होती तो शायद ये ५८० भी नहीं रह जाते। इसलिए यदि स्वेच्छापूर्वक कताई को घर-घर में फलाना हो तो सारे भारत मे चरखा-सर्षों की बडी आवश्यकता है।

( य० इ० )

मोहनदास करमचंद गांधी

## हमारी गंदगी

२

पिछले सप्ताह में हमने अपनी गंदगी का विचार किया था।

जहाँ तहाँ शौच जाने की आदत लोगों को छोड देनी चाहिए। शहरों में या गावों में निर्दिष्ट स्थान पर ही शौच जाने की आदत हमें डालनी चाहिए। हमारी आबकल की आदत इससे उलटी है। इतना ही नहीं, बरन् घर के आंगन अथवा गली बिगाडने में भी हम लोग जरा नहीं सकुचाते। उससे दुर्गंध पडती है, हवा खराब होती है और आंगनों या गलियों में नगे पर चलना तक मुश्किल हो जाता है। गावों में कुछ खेत सुकरंर कर लें, बड़ी अथवा अपने अपने खेत में शौच जाना चाहिए और शौच-क्रिया पूरी करने के पीछे हरएक आदमी को उत्पन्न कोरी मिट्टी डाल देना चाहिए। ऐसा करने का अच्छे से अच्छा तरीका है छोटी कदाली वा पाखंडे से जमीन खोद कर गड्ढे में शौच जाना और फिर खोरी हुई मिट्टी से उस गड्ढे को भर देना। फिर अगर तमी जगहों पर कुछ निशानी रखने का विचार डाल दें तो सब लोग जान भी सक। ऐसा करने में एकत का भंग न हो इसलिए पांच सात जगह सुकरंर की जा सकती है।

लोग अगर समझ जाय और ऐसे प्रबन्ध के अनुकूल हों तो यह काम शीघ्र ही और बिना खर्च के हो सकता है। सब पूछा जाय तो इससे बिना परिश्रम ही प्रजा की सम्पत्ति बढ सकती है और तन्दुस्तती भी सुधर सकती है। जिन खेत में शौच आवेंगे उस खेत की पैदावार बढेगी, यह तो सारे ससार का अनुभव है। यदि लोग इस योजना का मूल्य समझ जाय तो अपने खेत का ऐसा उपयोग करने के लिए उठें और काम करेंगे। ऐसा दूसरे देशों में होता है। हमारे देश में भी कितने ही स्थानों में किसान लोग शौच का मेला ले जाने का ठेका लेते देखे गये हैं। मगर वे लोग हम घुरी तरह भला उठाते हैं कि देखने से भी धिन लगती है। यदि मेरा सूचना काम में लाई जाय तो किसीको कुछ उठाने जैसा न रहे, हवा भी न बिगडे और गांव भी साफ-सुधरे रहें।

यह तो हुई गांव की बात। शहरों में बंधा नहीं हो सकता। शहरों में तो पाखाने चाहिए ही। जहाँ बिलायती बंग के पाखाने हैं और नालियों के जरिये सारा मेला एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है उसकी चर्चा करना यहाँ निरर्थक है। हमें तो यही सिधारना है कि लोग अपने आप क्या कर सकते हैं। लोगों को नीचे लिखे नियम अपनी खुशी से पालन करने चाहिए:—

१. दोनों किषायें सुकरंर की हुई जगह पर ही की जानी चाहिए।

२. गलियों में जहाँ तहाँ पैशाब करने बैठ जाना भी बुरा गिना जाना चाहिए।

३. जहाँ पेशाब की हो वहाँ पेशाब करने के बाद सूखी मिट्टी से उसे अच्छी तरह धाँक लेना चाहिए।

४. पाखाने बिलकुल साफ रहने चाहिए जहाँ पानी गिरता है वह जगह भी स्वच्छ रहे। हमारे पाखाने मानों हमारी निन्दा करते हैं, स्वच्छता के नियमों का भंग वसति है।

५. मैला सारा खेतों में खाना चाहिए। इन तमाम नियमों का पालन कैसे हो सकता है? उत्तर यह है कि शिक्षा द्वारा। जबतक लोग नियमों की समझ न आंखेंगे, उनका प्रयोजन जब तक वे न जानेंगे तब तक कामकाज-कानून फिजूक है। कानून तो थोड़े से मनुष्यों के लिए हो सकता है। अधिकांश लोग जबतक कानून को न समझें अथवा न मानें तबतक उसके अनुसार ही जागिवाली सजा का कुछ भी उपयोग नहीं होता।

इस शिक्षा के लिए अक्षरज्ञान की जरूरत नहीं। 'जादू की छालटेन' द्वारा तथा भाषणों द्वारा गंदगी से पशुचने वाली हानियों का और साद के लिए मूले को बनाने के लाभों का ज्ञान लोगों को कराना चाहिए। भाँति भाँति के साधन बताने चाहिए।

पर सबसे बढ़िया शिक्षा तो स्वयं कर के दिखाना है। इसलिए जो लोग समझ गये हैं उन्हें स्वयं इन सूचनाओं पर अवल कर के दूसरों के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

## 'कलियुगी भीम' और ब्राह्मण-वर्ग

गत ८ सितम्बर को साबरमती में सुबह चार बजे पहले से समय ठीक कर के प्रो० राममूर्ति, जिन्हें कि अपनेको 'कलियुगी भीम' कहने में आनंद मिलता है, मुझसे मिले थे। उन्होंने काथुनिक ब्राह्मणों की इष्टता के विषय में मुझसे खासी बातचीत की और मुझसे ऐसे सवाल कराये जिनसे कि उन्हें बड़ा संतोष होता हुआ दिखाई दिया और हमारी ब्राह्मण आत्माओं में उन समय के लिए आत्मोद्य-भाव दिखाई दिया और उनके सामने ब्राह्मणों से जिनकी कि संरक्षण के कहते हैं सुद्धीभर हैं, ब्राह्मणों के युद्ध की कल्पना करी हुई।

हमारी इन बातचीत के बाद उन व्यायाम के प्रोफेसर ने मेरी शारीरिक शक्ति पर चिन्ता के साथ अपने विचार प्रकट किये और 'निर्गम शरीर में निर्गम मन' के रहस्यों में मेरा प्रवेश कराया। उन्होंने मुझे सुधी के साथ अपने मत में मिलता हुआ देखा। उन्होंने व्यायाम के जो प्रयोग मुझे बताये वे वे तो आनंददायी परंतु मेरा हयाल होता है कि मुझ जैसे अपेक्ष आदमी के लिए अब वे भारी हैं। उन्होंने कहा कि समस्त शौर्यपवन व्यायाम—विधियों से मेरी यह विधि श्रेष्ठ है। मैंने हार्दिक भाव से उनके इस प्रमाण-पत्र की पुष्टि की। उनकी व्यायाम क्रियायें और कुछ नहीं, हठ-योग के अभ्यास थे। मैं रामस्व नवयुवकों का ध्यान उनकी ओर दिखाता हूँ। प्राणायाम का अभ्यास यदि किसी सिद्ध-हस्त मनुष्य की देख-रेख में किया जाय तो उससे स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचता है। पर इसके रावण में कोई अपने आपको धोखा न दे लें। जो लोग इन अभ्यासों को करना चाहें वे केवल और एक-मात्र स्वास्थ्य के ही हेतु से ऐसा करें। एक हद तक उनका थोड़ा बहुत आध्यात्मिक मूल्य भी है। परन्तु मैं और के साथ कहूंगा कि नवयुवक आ-आत्मिक पुनर्जीवन प्राप्त करने के लिए हठ-योग के अभ्यास के फेर में न पड़ें। वर्तमान युग में शारीरिक अभ्यासों की अपेक्षा हार्दिक भक्ति से वह अधिक प्राप्त होता है और 'हठयोग' के द्वारा आध्यात्मिक गुण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ऐसे

गुण की आवश्यकता है जो इन अभ्यासों के द्वारा स्वयं आध्यात्म-सिद्ध हो गया है। मैंने ऐसे गुण की खोज की; पर सफलता न हुई। पर इसका यह अर्थ नहीं कि भारतवर्ष में पूरे हठ-योगी अभ्यास ही नहीं है। पर जहाँ मुझ जैसा जागरूक चौधक सफल न हुआ वहाँ नवयुवक सलभान रहें, और बिना कड़ी परीक्षा के किसी को अपना गुण न बना दें।

पर मैं तो इधर-उधर भटक गया। मुझे अपने उस बारे का पालन करना चाहिए जो कि मैंने प्रो० साहब से किया था जब कि वे मेरी और उनकी राजनैतिक बात-चीत का धार मुझे दिखाने के लिए लाये थे। वे ऐसे समय में उसे किन्न कर लाये थे जब कि उसे देखने का जरा भी अवकाश मुझे न था। इस लिए मैंने कहा था कि आप के लिये मकसूद को देखने के बनिस्वत मैं खुद ही उसका सार व. रं. में दे दूंगा। उन्होंने मुझ से कहा कि म्युनिसिपल तथा जिला बोर्डों के चुनाव में आपके नाम का उन लोगों के द्वारा जो अपनेको महासभावादी और स्वराजी कहते थे, विधि-विद्वद उपयोग हुआ था। और यह भी कहा कि इसके कारण जनता में आपका प्रभाव कम हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने प्रभाव का कुछ हयाल नहीं है, और यदि लोग मेरे नाम का विधि-विद्वद उपयोग करें तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। प्रो० साहब ने उसी क्षण जवाब दिया "क्या आप कम से कम यह भी नहीं कर सकते कि मनदाताओं पर अपना मत प्रकट कर दें कि वे क्या करें?" मैंने उत्तर दिया कि ऐसा तो मैं एक से अधिक बार कर चुका हूँ। मेरे नजदीक खाली महासभा के नाम लेने से दाद नहीं मिल सकती। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी राय दे सकता हूँ जो वास्तव में महासभावादी और स्वराजी हों। इसलिए मैं उन्हीं लोगों को अपनी राय देगा जो महासभा के ध्येय को मानते हों, जो सदा-सर्वदा हाथ-कती हाथ-बुनी खादी पहनते हों, जो सब जातियों की एकता पर विश्वास करते हों और यदि वे हिन्दू हैं तो वे अछूत कहलाने वाले भाइयों के सक्रिय हामी हों, और यह विश्वास करते हों कि अछूतपन का पाप अधिक बुर होना चाहिए, जो नशीली वस्तुओं के पूरे निषेधक हों और महासभा के तमाम प्रस्तुतों का पालन करते हों। और यदि मुझे ठोके उम्मीदवार न मिलें तो मैं अपनी राय अपने पास रख छोड़ूंगा। राय का न देना भी मत-दाता के अधिकार का उसी तरह प्रयोग करना है जिस तरह कि उसका देना।

उसके बाद प्रो० साहब ने मुझसे ब्राह्मण का लक्षण पूछा। मैंने कहा — "ब्राह्मण वह है जो अपने धर्म और देश के लिए अपने को त्याग कर दे और उनकी सेवा के लिए अपने जीवन में बलिदान-धर्म को सांनंद अंगीकार करे।" इसपर प्रो० साहब ने तुरंत पूछा "क्या ऐसे ब्राह्मण हैं भी?" मैंने जवाब दिया "बहुत नहीं, पर चायद जितना आप खोज रहे हों उससे अधिक होंगे।"

(यं. ई.)

मोहनदास करमचंद गांधी

## दक्षिण आफ्रिका का सत्याग्रह

(पूर्वार्ध)

डॉ० गांधीजी। पृष्ठ संख्या लगभग ३००। मूल्य ॥॥ सरता साहित्य प्रकाशक-संस्थान, अजमेर के स्वामी माह्वी से।

स्वामी माह्वक अजमेर से मगावें और पत्र-व्यवहार करें।

अध्यक्ष-स्वापक नवजीवन, अजमेर-साद





संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

बंद ५ ]

[ अंक ४

मुद्रक-प्रकाशक  
 के.पी.साहू, आनन्दपुर, बृ.व.

अहमदाबाद, आश्विन वदी ८, वसन्त १९२५  
 बुधवार, २० नवम्बर, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय,  
 वाराणसी शहर की बाड़ी

## अछूतों के संबंध में

उस दिन अठारके में आन्ध्र देश के श्री टी. एन. जर्नी मिले और उन लोगों के राह की कठिनाइयों के निश्चय मुझसे पूछा जो कि पंचम लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने उस बातचीत को लिख कर मेरे देखने के लिए और यदि मुमकिन हो तो छपने के लिए भेजा है। उसमें कार्यकर्ताओं की सहायता मिलने की आवश्यकता है, इसलिए मैं उनके लोगों और अपने जवानों को

१. अछूतपन दूर करने के लिए और जिस तरह का प्रचार-कार्य करने का राय देते हैं ?

अब बहुत जवानी प्रचार करने का जम्हरत नहीं है। काम की ही प्रचार समझना चाहिए। आपका सामाजिक विद्युतों की परवा न करते हुए वे-स्टके अछूतों की हालत सुधारने का अपना काम करना चाहिए। जब कोई बड़े लोग आवें तो उनके व्याख्यानों की सज्जीव करनी चाहिए।

२. हमारे प्रान्त में इस विषय पर दो रायें हैं और इस आशय का एक प्रस्ताव भी पास हो चुका है कि अ-पंचम लोगों में प्रचार-काम करने के लिए रुपया न खर्च करना चाहिए। कुछ लोगों का विश्वास है कि पहले पंचम लोगों का शिक्षा-पत्र देना चाहिए और उनकी तरफ से अछूतपन दूर करने की मांग पैदा होनी चाहिए, पर कुछ लोगों का राय है कि उच्च वर्ण हिन्दुओं में उपदेशकों के द्वारा प्रचार करना चाहिए जिससे उनके हृदय का पन्था हो और वे समझने लें कि अछूतपन एक पाप है और वैज्ञानिक परिणतों तथा दूसरे उपदेशकों की इस काम में नियुक्त करना चाहिए।

मैं पञ्चितों पर एक पैसा खर्च न करना। यदि आप उन्हें द्रव्य देंगे तो वे भड़क ही जायेंगे। वे वेतन के लिए काम करेंगे। हाँ, पंचमों को अपनी स्थिति का ज्ञान कराने के लिए रुपया अलगसे खर्च होना चाहिए। हमारे साधन हमेशा शान्तिमय हों। उच्च वर्ण कहलाने वाले हिन्दुओं को अपने भाव बदल देने चाहिए और अपनी ही उच्छता और शुद्धि के लिए उन्हें यह कलंक धो डालना चाहिए। यदि वे ऐसा न करेंगे और उन्हें दवाने पर तुले रहेंगे, तो ऐसा समय आये बिना न रहेगा जब कि खुद अछूत लोग ही हमारे खिलाफ बग़ावत का झंडा करेंगे और संभव है कि वे हिंसा-क्रान्त का भी आशय के लें।

मैं अपनी तरफ से ऐसे किसी महा-संकट को रोकने का प्रयत्न अपनी पूरी शक्ति के साथ कर रहा हूँ। और उन सब लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए जो कि अछूतपन को पाप मानते हैं।

३. क्या आप यह मानते हैं कि पंचम लोगों के लिए जो अलग-अलग स्कूल खोले जाते हैं उसमें अछूतपन के दूर होने में किसी तरह सहायता मिल सकती है ?

आगे बढ़ कर अवश्य ही सहायता मिलेगी, किसी कि हर प्रकार की शिक्षा से मिलती है। परन्तु ऐसे मरते-जके अछूतों ही के लिए न होने चाहिए और जातिवाद के लड़के न लेने चाहिए। फिलहाल वे न आवेंगे, परन्तु समय पा कर उनका दुर्भाव कम हो जायगा, यदि शाला की व्यवस्था अच्छी रही। यदि आप मित्र-शालाएँ चाहते हों तो आपको अपने मुहल्ले में ऐसी एक पाठशाला खोलनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका एक घर है। आपसे कोई यह न कहेंगा कि अपने घर से चले जाइए। एक अछूत लड़के को अपने घर में ले आइए और पाठशाला शुरू कर दीजिए। और लड़कों को भी समझा कर लाइए।

४. हमारे प्रान्त में उन शालाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है जिनमें अछूतों के तथा दूसरे लोगों के लड़के एक साथ पढ़ते हैं।

हाँ। आप उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं। परन्तु आपको उन मरतों या संस्थाओं की सहायता करने से बाज न आना चाहिए जिनमें अकेले अछूतों के लड़के हों।

५. कुछ तालुक बोर्डों में ऐसे हुकुम हुआ हुए हैं कि वे शालाएँ तोड़ दी जायेंगी जो अछूतों के लड़कों को लेने से इनकार करती हैं। क्या हमको अपने प्रचारकों द्वारा उन स्कूलों में पंचम लोगों को भरती कराने में सहायता देनी चाहिए ?

अवश्य। आपको उन्हें सहायता करनी चाहिए। पर खास तौर पर प्रचार रखने की जम्हरत नहीं है। आपके कार्यकर्ता ही उसके लिए काफी होंगे।

६. तो अब प्रचार-काम के बारे में आप क्या कहते हैं ? क्या आप समझते हैं कि रुपयाप काम करना भर बस है ?

हाँ, जब कि पंचम लोगों की हालत को ऊँचा उठाने के लिए कोई ठोस काम नहीं हो रहा हो तो जवानी प्रचार से लाभ न होगा। (इस सिलसिले में महात्माजी ने बायकम-सत्याग्रह का

जिक किया और कहा कि उसका उस प्रान्त के लोगों पर बड़ा भारी असर हुआ । )

तब मैंने पूछा —

७. तो फिर जब ऐसे प्रथम पैदा हों तब क्या हम भी योग्य कर प्रचार के लिए सपना खर्च करें ?

नहीं, जी खोल कर नहीं । ठोस काम खुद ही अपना प्रचार कर लेता है । बायकम में अधिकांश प्रव्य रचनात्मक कार्यों में खर्च किया गया है ।

८. क्या आप निकट भविष्य में अज्ञतपन के प्रश्न में और भी जोर-शोर के साथ मिल जाने का विचार रखते हैं ?

मैंने तो पहले ही उसे भरसक जोरशोर के साथ उठा लिया है । हम जहाँ करी सम्भव हो पाठशालायें खोलने, कुर्ने खुदवाने और मंदिर बनवाने आदि की चेष्टा कर रहे हैं । काम रुपये के अभाव में रुकता नहीं है । पर शायद आप इसलिए कि पत्रों में उसकी सीहरत नहीं होती है, समझते हैं कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है ।

९. बेल्गांव प्रस्ताव के अनुसार नौ बोर्ड भा स्कूल गणाय नहा हो सकता जिसमें पंचम लड़के न लिये जाय ।

बेगक, वे राष्ट्रीय स्कूल हुईं नहीं ।

१० क्या आपकी यह राय है कि जेम्स स्कूल बालि और गव शर्तों का पालन करने हों पर जेम्स न कर पाय हा तो क्या उक्त महासभा में सहायता न मिलनी चाहिए ?

नअ, कोई सहायता न मिलनी चाहिए ।

( सं० ३० )

मो० क० गांधी

## अहमदाबाद के मजदूरों के साथ

गांधीजी ने अहमदाबाद में कुल बोके बिनो के लिए मुकाम किया । उस दरम्यान उनके सामने एक बड़ा भारी कायकम था और उसमें एक बड़ी दिलचस्पी का कार्य था अहमदाबाद में मजूर-गध और खुद मिल-मजूरों की तरफ से खोली गई पाठशालाओं में पढ़ने वाले मिल के मजूरों के बालकों के साथ उनकी मुलाकात । इन पाठशालाओं में पढ़नेवाले बालकों की संख्या और शालाओं की संख्या का ब्योरा गांधीजी ने अन्यात्र दिया है । उन्होंने व्यवस्थापकों को उनकी सुव्यवस्था के लिए सुवाग्कवादी दी और उन्हें बालकों को साफ-सुथरा रहने की आदत डालने पर खास तौर पर ध्यान देने की सूचना की । इन शालाओं में कुछ अप्रुथय बालक भी पढ़ते हैं और उनमें कताई सुव्यवस्थित गति से की गई इन दो बातों ने गांधीजी को खास तौर पर आकर्षित किया । इन शालाओं में चरखे के बिना ही कताई करने की आजमायश होने के बारे में गांधीजी ने इस प्रकार कहा : “ अब मैं समझ सका हू कि शालाओं में चरखा दाखिल करने का विचार ठीक न था । तकली में जो फायदे हैं वे चरखे में नहीं हैं । मेरा विश्वास है कि सब चरखे नष्ट कर दिये जायं तोभी तकली में इतनी शक्ति है कि वह परदेशी कपडे का पुरअमर बहिष्कार करने में समर्थ है । चरखा दर असल गृह-उद्योग के योग्य है । और तकली ? उसमें न तो जगह की जरूरत है, न डोरी की और न तेल की । इसलिए वह शालाओं के योग्य है । ” अब गांधीजी सभा में व्याख्यान दे रहे थे उस समय लड़कों को उल्लेख सुनते हुए अपनी तकली च-अकर मजबूत एकमा तार निकालते हुए देखना बड़ा ही आनन्ददायक माहलम होता था । केवल दो महीने की आजमायश का परिणाम यह हुआ है कि २०० से अधिक लड़के तकली पर कातना सीख गये हैं और अब दूसरे लड़कों में भी उच्चता शौक फैल रहा है ।

शिक्षकों को और लड़कों को इस प्रकार कुछ कह कर उन्होंने लड़कों के साथ मन-बहुलाव शुरू किया । उन्होंने कहा “ लड़कों ! अब तुम समझ गये न कि तुम्हें अपने दांत खूब साफ रखना चाहिए और नाखून बराबर कतरे हुए होना चाहिए । तुम लोगों में से मुसल्मान लड़कों को मैं एक बात कहना हू । अरब के लोग अपने दांतों की खुबसूरती पर इतना ध्यान देते हैं कि जब वे जहाज पर चढ़ते हैं तब भी एक बड़ी रतौन अपने साथ रखते हैं और घण्टों उससे अपने दांत साफ किया करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे बड़े तन्दुरुस्त और खुबसूरत होते हैं । लेकिन आंतरशुद्धि का महत्व बाह्यशुद्धि के बराबर ही है ” और यह कह कर जब गांधीजी ने एक लड़के से पूछा कि आंतरशुद्धि का क्या मतलब है ? तो उसने फौग्न उत्तर दिया ‘ हृदय की शुद्धि ’ ‘ लेकिन हृदय कहां है ? ’ एक लड़के ने अपनी छाती पर हाथ रख कर कहा ‘ यहीं ’ ‘ और ऐसा चांकीदार कौन है जो दिन रात चांकी किया करता है ? ’ लड़को ने उत्तर दिया ‘ ईश्वर ’ । गांधीजी ने कहा ‘ ठीक ! तब तुम्हें इमोशा इस बात की चांकी करने रहना चाहिए ता कि हम चांकीदार को तुम्हें सुधारने के लिए दिन रात चांकी करने की तकलीफ न डालनी पड़े । क्षरीर और हृदय दोनों पर खूब ध्यान दे कर उन्हें शुद्ध रखना चाहिए । और मैं देखता हू कि तुममें से बहुत से तो अप्रुथय या डेड हैं । तुम जानते हो कि तुम लोगों को—दुनों के लड़कों को मैं अपने ही लड़के मानता हू । और यदि तुम इसके लायक बनना चाहो तो तुम्हें अपने लड़कों से भी अधिक साफ-सुथरा रहना चाहिए । ’

शाम को गांधीजी इन बालकों के मातापिताओं में उस हल के नीचे मिठे जो १९१८ की सकर इकताल के दिनों से गैरिहासिक महत्त्व प्राप्त कर चुका है । क्योंकि जिस वृक्ष के नीचे १९१८ में २३ दिन तक वे एकत्र हुए थे और गांधीजी और श्रीमती अनसूयाबाई के व्याख्यातों को सुना था वहाँ वे हर साल एकत्र होते हैं । यह बड़ी महत्त्व की बात है कि प्रधान मिलमालिकों में दो-सेठ अबालाल शाराभाई और श्री गोरधनभाई पटेल भी इस सभा में उपस्थित हुए थे । मजूर-गध की वार्षिक रिपोर्टें बहुत बड़ी थी । लेकिन मंत्री ने सारी नहीं पढ़ी । व्यवहारदक्ष मनुष्य की तरह सिर्फ थोड़े से ही महत्त्व के विषय कह सुनाये । शालाओं से संबंध रखने वाले अंक और बातों से वे कुछ कम महत्त्व नहीं रखते हैं । इस वर्ष में मजूर गध के कुल १४००० सदस्य हुए हैं और खर्च कुल २५००० रुपया इकट्ठा हुआ है । हर एक विभाग में से एक एक प्रतिनिधि चुन कर भेजा गया है और वे साल भर में ७४ परतबा एकत्र हुए थे । संघ के कार्यकर्ताओं की १३० सभायें मिलों के अहातों में दोपहर की छुट्टी में हुई थी । संघ ने इस साल १४३ शिकायतों पर गौर किया था । संघ की तरफ से सत्कारक-रूप से कोई इकताय नहीं हुई थी । मंत्री ने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि संघ के अधिकारियों के प्रति मिल के अधिकारियों ने बड़ी सहायभूति दिखाई थी और बड़ा शिक्ष व्यवहार किया था और अक्सर उनकी न्याय करने की सच्ची स्वाहिश दिखाई देती थी । हम आज यह कह सकते हैं कि शिकायत के कर हमें आज तक कुछ मिशों में तो जाना ही नहीं पडा है । संघ की तरफ से एक ‘ सेर्विस-बैंक ’ भी खोला गया है और रु. १०६६ बहुत थोड़े व्याज पर मजदूरों को उनकी अक्षरत के मुताबिक रुज पर दिये गये हैं । इसमें यह बात जानना बड़ा ही दिलचस्प प्रतीत होगा कि जो रकम करज पर दी गई है उसका ५० फी सदी रुपया तो खल खर्च की कमी पूरी करने के लिए

लिया गया है। ४१ की सदी रुपया उन लोगों को पुराना करवा अदा करने के लिए दिया गया था लिन पर २०० रुपया की सदी ध्यात देना पड़ता था। संघ का एक खासा दवाखाना भी है जो अच्छे योग्य डाक्टर के अधिकार में है। औरतों के लिए भी एक प्रसूति-गृह तथा रोगिणियों के रहने का प्रबंध है। संघ ने (१९६२) को सस्ती खादी और १००००) का अनाज बेचा। एक समाज सुधार विभाग भी है जो कि मजूरों की स्थिति का निरीक्षण करता रहता है। इसने २००० घरों से चोरा संग्रह किया और उसकी खोज का अच्छा फल मिलमजूरों की सामान्य झानडाइ तथा सामाजिक सुधार की प्रगति के हक में होगा। संघ ने मिलमालिकों से इस काम में सहयोग की प्रार्थना की है और वह ठीक भी है, क्योंकि मजूरों की हालत सुधारने से काम की सुचारुता बढ़ जायगी। पर यह ध्यान देने की बात है कि संघ मिलमालिकों के कुछ न करने को अपने कुछ न करने का बदला नहीं बनाना चाहता। रिपोर्टर कहती है 'हम जानते हैं कि हमें मिलकुल तैयार हो कर मिलमें आना चाहिए और ठीक समय पर आकर काम शुरू कर देना चाहिए। कुदरती जरूरत से ज्यादा एक मिनट भी अपने काम के कमरों को खाली न छोड़ना चाहिए। हमें मिलमालिकों की यकीन दिला देना चाहिए कि हमारा काम जुटिहीन है। मशीनों से हम बड़े सावधानी से काम लेते हैं। कम से कम छामप्रा खर्च होने और बिगड़ने देते हैं।' इस निश्चय के द्वारा संघ की स्थिति खास तौर पर मजबूत हो जाती है और उन्हें इस बात का हक हो जाता है कि मिलमालिकों से सहानुभूति और प्रोत्साहन प्राप्त करें। उनके एक प्रतिनिधि ने तो सभा में साफ साफ स्वीकार किया कि आजकल बाजार में जो बड़ी मंदी है उसकी वजाह से वेतन की कमी के कारण हम जोर नहीं दे सकते। और यदि पंचों के तय किये पिछले फैसलों की पाबंदी होती रहे तो बस है। मिलमजूरों के लिए यह कम श्रेय की बात नहीं है।

गांधीजी ने अपने भाषण में मजूरी के कर्तव्य पर खास तौर पर जोर दिया। वे जानते थे कि उन्हें पानी की कमी की, रसाई घर की जगह न होने की, पसाने ठीक ठीक साफ न होने की, काम केने वालों के द्वारा पीटे जाने और दुर्ब्यवहार होने की तथा घासल विभाग में सिरों की बहुत टूटफूट होने और इस लिए कम काम होने और कम मजूरी मिलने की तकलीफें उनको थी। पर उनको यह निश्चय था कि उनमें से कुछ बातें तो खुद उम्दींगर-उनके ठीक ठीक स्वाभिमान का भाव जाग्रत कर लेने पर अवलंबित हैं। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ इस बात का उल्लेख किया, कि संघ ने कुछ लोगों को कृणमुक्त कर दिया है और थोड़े सूर पर कर्जे दे कर भारी सूद के कर्ज से उनका पिंड छुड़ा दिया है। परंतु उन्हें इतना अधिक कर्ज लेना पड़ता है यह उनकी जीवन विधि पर एक शोकमय भाष्य ही है। उनको मजूरी कम मिलती हो पर उन्हें इसमें कुछ संदेह तथा कि यदि वे मितव्यय से काम लें, दागव आदि दूसरी गुरी बातों से बचें रहें तो उन्हें कर्ज केने की जरूरत न रहेगी। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि मजूरों को मिल मालिकों की आज की कठिन स्थिति का क्याल है। जब कि उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तब आप ज्यादा वेतन नहीं मांग सकते। ऐसा बरत भी आ सकता है जब कि स्वाभिभक्त मजूर यह कहेंगे कि अच्छा, हम बिना ही मजूरी लिए काम करने को तैयार हैं जिस से कि मिलें बंद न करनी पड़ें। पर मैं जानता हूँ कि आप आज उसके लिए तैयार नहीं हैं। आपके और मिल मालिकों के बीच इतना विश्वास नहीं है।

आप आज अनेक अन्यायों के होते हुए भी मजूरी घर रहे हैं और जबतक मिल-मालिक अपने सौजन्य और सद्व्यवहार के द्वारा आपको अपना नहीं बना लेते तबतक आप ऐसा कुछ न करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इसी उद्देश को कै कर काम करें।

यह कहते हुए खुशी होती है कि इस संघ और मिल-मालिकों के साथ हा संबंध परस्पर जितना अच्छा है उतना भारतवर्ष में शायद ही कहीं हो। इसका कारण है एक सुसंघटित और सबल मजूर संघ का होना। गांधीजी ने मिल-मालिकों के साथ के मंत्री से दिल खोल कर बातें कीं। और मिल-मालिकों के कर्तव्य की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और कहा कि किस तरह जमशेदपुर में ताता ने पानी पहुंचाने और मैला साफ करने के बारे में प्रबंध किया है और सुझाया कि उनके प्रबंध से एक पन्ना लेने योग्य है। मंत्री महाशय ने इस सूचना को अच्छी तरह ग्रहण किया और विद्यार्थियों की सभा में प्रकाशित किया कि पाठशालाओं के लिए रही बाकी रकम तुरंत ही दे दी जायगी और पानी की कमी तथा सिरों की टूट आदि के संबंध में जो शिकायतें झेरे पास पहुंचेंगी उनपर मैं जरूर ध्यान दूंगा। (पृ० ६०)।

महादेव हरिभाई देशाई

### बंगाली ईसाई-समाज

पिछले ६ महीने में गांधीजी ईसाइयों के जितने समागम में आये, पिछले सप्ताह में उन्होंने खास जस्से किये। 'भारतीय ईसाई' शब्द के बदल अब गांधीजी 'ईसाई भारतीय' संज्ञा का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग की सूचना करने वाले एक ईसाई भाई हैं। इसमें बड़ा रहस्य है। पहली संज्ञा में जोर धर्म के भेद पर है और दूसरी में भारतीयत्व पर है।

कटक में जो ईसाईयों की सभा हुई थी उसके समापति बानू मधुसूदन दास जादीधारी थे। एक छोटी सी धोती और कुर्ता पहने थे। आंखों में अधिकांश ईसाई ही थे। फिर भी बहुतेरे देशी पहनाव पहने थे और सभा का काम उठिया भाषा में हुआ था। यहां तो सब लोग सुबरे हुए शहर के बाहराती ठहरे। सब साहब और सब जमेजी बोलनेवाले, इसलिए यह सप्ताह कि ईसाई बन कर हिन्दुस्तानी-पन न को बैठो, मर्मभेदक मालूम हुंरे।

सभा में धर्मोत्तर के प्रश्न की चर्चा की। यहां धर्मोत्तर के एक नये पहलू की तरफ ध्यान खींचा। "यदि आपको जान वा अनजान में यह मालूम हुआ हो कि हिन्दु-धर्म में बहम और कुप्रथा ही धार्मिक तर्कों से भरे हुए हैं और इसलिए आप ईसाई हो गये हों तो उन बहमों से दूर रहिए। परन्तु देशी लोगों से क्यों दूर रहते हैं? ईसाई-धर्म यह तो नहीं शिक्षा देता कि बहमों की माया को छोड़ कर शराब की माया को पीछे लगा लो, विदेशी कपड़ों की माया को लगा लो, विदेशी रीतिरिवाज की माया को लगा लो, और बन्धु-प्रेम और विश्वप्रेम की बातें करने के पहले देशप्रेमी तो बनो, दस के गरीबों के दुःख से दुःखी होने वाले तो बनो। यदि देश के दुःख का अनुभव करोगे तो किसी दिन विदेश के दुःख का भी अनुभव कर सकोगे। और देश के दुःख के अनुभव करने का एक लक्षण है-खादी और चरखे को उत्तेजना देना। खुद कातने में यदि मन न लगता हो तो गरीब लोग जिस कपड़े को कात कर बनाते हैं उसको कम से कम पहनिए तो।"

गेरपिंगन और ईसाई लोगों के साथ मिखाप यह बंगाल निवास के बड़े महत्वपूर्ण उप-परिणाम कहे जा सकते हैं।

(पृ० ६०)

म. ह. दे०

## हिन्दी-नवजीवन

शुक्रवार, आश्विन वदी ८, संवत् १९८२

### गो-रक्षा

ज्यों ज्यों में गोरक्षा के प्रश्नों का अध्ययन करता हूँ त्यों त्यों मैं उसका महत्व समझता हूँ। हिन्दुस्तान में गोरक्षा का प्रथम दिन न-दिन गंभीर होता जायगा, क्योंकि उसमें इस देश की आर्थिक स्थिति का प्रश्न छिपा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि धर्म-मान में आर्थिक, राजनैतिक इत्यादि विषयों का समावेश है। जो धर्म शुद्ध अर्थ का विरोधी है वह धर्म नहीं है; जो धर्म शुद्ध राजनीति का विरोधी है वह धर्म नहीं है। धर्म-रहित अर्थ त्याज्य है। धर्म-रहित राज्यसत्ता राक्षसी है। अर्थ आदि से निराली धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। व्यक्ति अथवा समाज धर्म से जीवित रहते हैं और अधर्म से नष्ट होते हैं। सत्य के अखंडन के द्वारा किया अर्थ-संग्रह अर्थात् व्यापार प्रजा का पोषण करता है। सत्यासत्य के विचार से रहित व्यापार प्रजा का नाश करता है। ऐसे अनेक उदाहरण बताये जा सकते हैं कि असत्य से, छल-कपट से किया गया लाभ क्षणिक है और अंत में उससे हानि ही है।

इसलिए गोरक्षा के धर्म का विचार करते हुए हमको अर्थ का विचार करना ही पड़ेगा। यदि गोरक्षा शुद्ध अर्थ का विरोध करती हो तो उ का त्याग एकबारगी कर देना चाहिए। इसके बिना इस स्थिति में हम यदि गोरक्षा करना चाहेंगे भी तो यह असंभव सिद्ध होगी।

गोरक्षा के अंदर छिपे अर्थ-लाभ का विचार हमने नहीं किया। इसीसे जिस देश के असंख्य लोग गोरक्षा को धर्म मानते हैं उसी देश में गाय और उसके वंशज भूखों मरते हैं। उनकी सब हड्डियाँ बाहर निकली रहती हैं — ऐसी कि गिनी जा मकें। और उनका बंध हिन्दुओं की केवल असावधानी के कारण होता है। गोरक्षा में हिन्दुस्तान की खेती की हस्तों का भी समावेश होता है। जब हिन्दू-मात्र गोरक्षा का अर्थशास्त्र समझ लेंगे तभी गो-हत्या बंद हो सकती है। धर्म के नाम पर होनेवाली दृग्गाओं से, हिन्दुओं की केवल मूर्खता से की जानेवाली हत्याओं से-गुनी ज्यादा होगी। जबतक हिन्दू खुद गोरक्षा का शास्त्र न समझेंगे तबतक करोड़ों रुपये खर्च होने पर भी गाय बचनेवाली नहीं।

देश के हिन्दू व्यापारी, मारवाडी गोरक्षा का प्रयत्न करते हैं। वे उसके लिए खर्च धन खर्च करते हैं। उनमें भी सब से साहसी मारवाडी हैं। हिन्दुस्तान में ज्यादा से ज्यादा गौशाला खोलने वाले मारवाडी व्यापारी ही हैं। वे उसमें लाखों रुपये सुशी से देते हैं। और इसीसे मैंने कहा है कि मारवाड़ियों के बिना गोरक्षा का प्रश्न हल नहीं हो सकता। मैंने अनेक गोशालाएँ देखीं। किंतु उनमें से एक भी गोशाला के विषय में यह नहीं कह सकता कि यह आदर्श गोशाला है।

ये विचार कलकत्ते की लिलुआ की गोशाला देखने से उत्पन्न हुए हैं। इस गोशाला में हर वर्ष २॥ लाख रुपये खर्च होते हैं। किंतु उससे उसका मावजा कुछ नहीं मिलता ऐसा कहें तो इसमें कुछ अत्युक्ति नहीं। हर वर्ष २॥ लाख २० जिसे गोशाला को मिलते हैं उसमें हर साल कम से कम १० हजार जानवर बचने चाहिए। इस सस्या में तो इतने जानवर पलते भी नहीं हैं। इसमें संचालकों का दोष नहीं और न उनकी भोखापकी ही है।

मुझे जो मंत्री यह संस्था दिखाने के गये वे संस्था की यथासक्ति सेवा कर रहे थे। किंतु यहाँ पद्धति का दोष है। ऐसी सस्थाओं के संचालन के ज्ञान का अभाव है और इसीसे उन सस्थाओं से लोगों को लाभ नहीं मिलता है।

जैसे धर्म-कार्य में व्यवहार-कुशलता की आवश्यकता नहीं मानी जाती है। उसके योग्यत रूप से चलने का प्रमाण इतना ही काफी मान लिया जाता है कि उसके व्यवस्थापक जेरेमान अर्थात् खाक नहीं है। जिस व्यापार-काम में हरसाल २॥ लाख की रकम लगती हो उममें अच्छे अच्छे नाकर रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ तो घर के राजगार में लगे हुए व्यापारी संवाभाव से अपना थोड़ा समय उसे देते हैं। देनेवाले धन्यवाद के पात्र हैं। किंतु इससे गोमाता की रक्षा नहीं होती है। गोमाता की रक्षा के लिए कार्यक्षम मनुष्यों की सहायता प्रत्येक क्षण उम कार्य के लिए मिलनी चाहिए, और यह तो निकै ज्ञानवान, तपस्वी, त्यागी ही दे सकते हैं। अथवा कार्यक्षम गोमी उचित वेतन ले कर करें। धर्म करने वाले कार्य-कुशल भले ही न हों, किंतु धर्मदा कार्य के चलाने में तो व्यापारी से भी ज्यादा कुशलता, धम इत्यादि होने चाहिए। व्यापारियों के लिए जा नीति-नियम होते ह वे सब धर्म-कार्य में भी होना चाहिए। गोशाला यदि व्यापार के लिए चलती हो तो उसमें उस शास्त्र के ज्ञान वाले पुरुष काम करते होंगे और वे निम्न नये प्रयोग कर आधिकारिक गावों का रक्षण करेंगे, गोशाला में पशु पालन के, दूध की स्वच्छता के, दूध के बटाने के अनेक प्रयोग करेंगे। यह तो स्पष्ट ही है कि पशु-पालन का जो ज्ञान गोशाला के द्वारा मिलता है वह और कहीं नहीं मिल सकता। किंतु गोशाला एक धर्म-कार्य है। वह चाहे जिस रीति से चल सकता है। उसकी कोई फिकर नहीं करता है। वेद की पाठशाळा में यदि वेदों का ज्ञान कम से कम मिले तो जिस प्रकार उसकी अवज्ञा होती है वना ही हाल बनेमान गोशालाओं का है।

लिलुआ की गोशाला की जगह की उतमता के विषय में मुझे संदेह है। मुझ जैसा गोशाला-शास्त्र न जाननेवाला भी कह सकता है कि यहाँ के मकान ठीक नहीं हैं। वहाँ दूध इत्यादि की परीक्षा का कोई साधन नहीं है। यह भी कोई नहीं कह सकता कि गाय के दूध में बढ़ती हो सकती है या नहीं। ऐसा मानना होता है मानों मासिक होते हुए भी बिना मासिक की यह संस्था है। सस्या के संचालकों का मैं तो यह सलाह देता हूँ कि वे गोशाला चलाने वाले शास्त्रज्ञों की सलाह ले कर वेतन दे कर कुशल मनुष्यों के द्वारा अपना कार्य करें। गोशाला के अंगभूत पशुओं और साँडों का पालन, बधिया करने की क्रिया में सुधार, पशुओं की स्वराक, उम के बोन के साधन, दूध दुहने की स्वच्छ क्रियाएँ, — इन बातों का ज्ञान मिलना चाहिए। इस विषय में जबतक उदासीनता होगी तबतक यही समझना चाहिए कि गोशाला से पूरा लाभ नहीं मिलता है। उसमें से एक भी गाय या बैल मरे या परदेश भेजने में आवे तो यह हमारे लिए एक धर्म की बात है। मेरा दृढ विश्वास है कि गोशालों की मार्फत यह कार्य अच्छी तरह हो सकता है।

( नवजीवन )

मौहनदास करमचंद गांधी

दक्षिण आफ्रिका का सत्याग्रह

( पूर्वांश )

ले० गांधीजी । पृष्ठ सख्या लगभग ३०० । मुख्य ॥१॥ सस्ता साहित्य प्रकाशक-मण्डल, अजमेर के स्थायी प्राहकों से ।

स्थायी प्राहक अजमेर से मगानें और पत्र-व्यवहार करें।

व्यवस्थापक नवजीवन, अहमदाबाद



### एक प्रयोग

जो लोग ग्राम-संगठन से प्रेम रखते हैं उन्हें नीचे लिखा वर्णन शिक्षाप्रद होगा—

“कोइंबतूर जिले के एक कोने में कनूर नामक एक छोटा सा गाँव है। अब से खादी आन्दोलन आरंभ हुआ है तबसे वहाँ खादी काम का केन्द्र बना हुआ है। श्री बालाजीराव नाम के एक बकील ने काम की शुरुआत की। असहयोग की पहली पुकार पर उन्होंने यत्नात्मक छोड़ दी थी। पिछले साल तामिलनाडु खादी मण्डल ने उसका काम सीधे अपने हाथ आँर देखरेख में लिया और अब उसमें तीन हजार रुपये की पूंजी पर कोई एक हजार रुपये कीमत की खादी हर हफ्ते तैयार होती है। पैदावार और भी बढ़ सकती है; पर उसके लिए वहाँ के मौजूदा कार्यकर्ता श्री गोमेज को एक या अधिक सहायकों की आवश्यकता होगी। श्री गोमेज ईसाई भारतीय हैं और अपने धार्मिक कार्य आँर उखाड़ के द्वारा वे सबको प्रिय हो गये हैं।

परन्तु कनूर की खरी बिक्री के लिए खादी तैयार करने में नहीं है। बल्कि गाँव में जो लोग खुद अपना सूत कात कर खादी पहनते हैं, इस प्रगति-कार्य में हैं। अब तक के अच्छे कामों का यह परिणाम हुआ है कि वहाँ के नाथकर घरों में, जो इस गाँव में सबसे प्रभावशाली जाति हैं, चर्खा-कताई का रिवाज पड़ गया और दृढ़ हो गया है। उनके उदाहरण को देख कर और जातियों में भी आँर गोबर जाति के कुछ लोगों ने भी अपने ही कपडे सूत की खादी पहनना शुरू किया है। धनी और मध्यम श्रेणी के लोगों को फुरसत का समय बहुत मिलता है। इस लिए उन्होंने खुदही सूत कातना आगीकार किया है। चर्खा और खादी की मौजूदा हालत इस प्रकार कही जा सकती है—

एक उपयोग के लिए चलनेवाले चरखे	३४
मजदूरी के	७
बेकार चरखे	३२
लौढ़ने चलनेवाले	१०
“ बेकार	१४
खादी बुननेवाले करघे	४
मिल का सूत	०
१. सूत कातनेवालों के घरों में कपास जमा	५९३ मन
( २५ भायकर, ६ गोबर और १ ब्राह्मण कुटुम्ब मिल कर ३९२ पौंड लोड़ा हुआ कपास देंगे )	
२. सूत काता गया ( जैसा कि १९ जून को )	१८०३ पौंड
३. जानगी घरों में पूनियाँ और सूत जमा	८९३ पौंड
४. कपडा तैयार	४५०३ बर्गे गज
५. खुद कातनेवालों के घरों में कपडे सूत का कपडा बनेगा	१४८६ गज
६. गाँव की बल-संबंधी आवश्यकता	७५०० बर्गे गज अथवा ३६४०)

खुद उन्हींके परिश्रम से उत्पन्न खादी के द्वारा गाँव की जरूरत का कोई २० फी सदी कपडा मिलेगा। हर खुद सूत कातनेवाला घर भीसम पर अपनी जरूरत का कपास ले रखता है दो तीन महीने में उसका सूत कात डालता है। मजदूरी पर चलनेवाले चर्खे का सूत इन खुद कातने वालों के सूत में सहायक होता है। वह उन उत्पादक केन्द्रों में नहीं जाता जोकि बिक्री के लिए खादी बनाते हैं। गाँव का प्रायः हर किसान उसके लिए कपास देता है।

कपास के मौसम पर तथा उसके कुछ समय बाद चर्खा घर

में अपना सारा फुरसत का समय चर्खे को देती हैं। ऊपर लिखे धर्कों से यह मालूम होगा कि ४० से कम चर्खे साल में सिर्फ तीन और बहुत हुआ तो चार महीने काम करके और तो भी फुरसत के समय में, गाँव की जरूरत के कपडे का पाँचवाँ हिस्सा पूरा करते हैं। पिछले साल जिन आठ चर्खों ने काम किया था वे इस साल खास कर काफी कपास न मिलने के कारण ही बंद रहे। जो बनीस चर्खे बंद पड़े रहे वे यदि चलने लगे तो इस गाँव का आधा कपडा निकल आवे। रंगाई के इन्तजाम की कमी से धवतक साडियों में धर-कता सूत नहीं लग रहा है। परन्तु तामिलनाडु-मण्डल की ओर से उसका इंतजाम हो रहा है। एक रंगाई में निपुण युवक गाँव में बसने के लिए लुभाया गया है और तालिमनाडु मण्डल उसे कुछ स्थायी काम देने की तजवीज कर रहा है। इससे गाँव के लोगों को भी रंगाई की आवश्यक महुलियत हो जायगी।

खुद सूत कात कर कपडा पहनने से बहुत-सी बातों में खर्च कम हो जाता है। इसको जानने के लिए हम कपडे के खर्च का एक उदाहरण लें और फिर धर की जरूरत आँर खर्च के लिहाज से उसपर विचार करें। इस गाँव के एक सब से बड़े कुटुम्ब में जिसकी सालाना आमदनी ६ हजार ८ से अधिक है अपना आज का और तीन साल पहले का कपडे का हिसाब इस प्रकार दिया है।

१९२५ में	खादी	१९२१ में मिल और विदेशी कपडा
पुरुषों के लिए		
१२ धोती जोडे और चादर	७२ गज	१२ धोती जोडे और चादर ७२ गज
३ कुरते	३० गज	कुरतों का कपडा ५० गज
कोट का कपडा (आजकल सिर्फ एक ही कोट पहनता है) ४ गज		कोट “ १० गज
दीपावलि के लिए गैरमामूली ०		मुतफारिक
बियों के लिए		
२ खादी साडियाँ १६ गज		१२ साडियाँ ९६ गज
१० मिल और विदेशी सूत की साडियाँ ८० गज		३ दूसरी साडियाँ २४ गज
जाकेट आदि के लिए		जाकेट आदि के लिए १० गज
लडकों के लिए		
१२ गज पहनने के लिए और ८ गज फुट कर		२० गज बर्कों का कपडा
नौकरों के लिए		
४ धोतियाँ और ३ तौलिये	२० गज	८ धोतियाँ और ३ तौलिये
२५२ गज	२२५)	३०२ गज ४९२)

मिल की साडियों तथा कुछ ६० गज खादी को छोड़ कर जोकि खरीदना पड़ेगी बाकी सारा कपडा धर के कपडे सूत से बनाया जायगा। इस तरह कपडे का कुल खर्च जिसमें कपास की कीमत और मिल साडियों की कीमत शामिल है (२२५) होता है। अर्थात् २५०) या इससे ऊपर बचत कपडे में रहती है। इस कमखर्ची का ज्यादा तर कारण तो है नया खादा रहन-सहन जिसे कि इस खादी ने जीवित किया है। खर्च सच्चा सच्चा तो कम होता है कम लंबाई की धोतियाँ इस्तेमाल करने से और कीमती खादी न पहनने से। बडिया कपडे और धाँकीनी का

निकल जाना जिसमें कि रुपया बरबाद होता था, कोई ऐसा बैसा फायदा नहीं है। पर सबसे बड़ कर फायदा तो यह हुआ कि घर में मिहनत का रिवाज बढ़ने लगा और फुरसत का वक्त काम में लगने लगा। मिल तथा विदेशी कपड़े के मुकाबले में हाथ-कटे कपड़े से कीमत में तथा टिकाऊपन में जो लाभ है उससे भी ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि फुरसत के समय का उपयोग एक उत्पादक और अच्छे काम में होता है। गरीब लोगों के लिए तो रुपयों की जो कुछ बचत होती है वह भी बड़ी सहायक होती है। एक जगह २९ वर्ग गज कपड़े पर ६ से ज्यादा १० की बचत हुई है। इस कुटुंब के लिए आवश्यक तमाम १२५ गज कपड़ा यदि इस तरह उन्हींके कटे सूत से बनाया जाय तो उससे कोई ३०) की बचत होगी। यह उसकी कोई २० दिन की आमदनी के नजदीक पहुंच आती है।

सारे गांव के कपड़े के खर्च का मोटा अंदाज (३६४०) या ७५०५ वर्ग गज कपड़ा है। खादी केवल लोक-प्रिय ही नहीं है बल्कि उसकी जड़ भी जम गई है। विदेशी और मिल का कपड़ा बहुत तेजी के साथ गांव में से लुप्त हो रहा है। पहले पल बुट्टे और छाल खादी के बनाये गये। धोता चादर तथा कुर्ते का कपड़ा पीछे। खादी की साड़ियां अभी अभी बनने लगी है। खादों के पहनाव में तथा तमाम विदेशी और मिल के कपड़े के न्याय में किंच प्रकाश तेजी से प्रगति हो रही है वह नीचे लिखे अंकों से मालूम होगा:-

(१) कनूर की जन संख्या	६४५
(२) बलिंग लोगों की संख्या बच्चों को छोड़ कर	८७५
(३) खादी पहनने वालों की संख्या	९२
(४) (३) से (२) संख्या की कडा	२०

खादी पहनने वालों की संख्या जो ऊपर दी गई है सिर्फ उन लोगों की है जो खादी के सिवा किसी तरह का कपड़ा नहीं पहनते हैं और जिनके घर में एक रेशा भी विदेशी तथा मिल के सूत का नहीं है। यों तो कनूर का प्रायः हर आदमी अपने बदन पर कुछ न कुछ खादी पहनता है।

गांव में चार घर बुननेवालों के हैं और उनके पास चार करघे हैं। वे सब १० से १२ गज लंबाई का ताना बुनते हैं। इस सहूलियत से खुद सूत कातनेवालों को बड़ा लाभ होता है। यहां के कुटुंबों के सूत की बुनाई की मजदूरी महासभा की ठहराई मजदूरी से कुछ अधिक है। क्योंकि खुद कातनेवाले धाम तौर पर ज्यादा महिन सूत देते हैं और उसके लिए बुननेवालों को कुछ ज्यादा दाम देते हैं। कभी कभी तो मजदूरी रुपये के रूप में नहीं बल्कि सूत के रूप में दी जाती है।

कनूर के उदाहरण का असर पड़ोस के गांव पुडूर पर भी पड़ा है। यद्यपि यह नहीं कह सकते कि खादी पहनने और खुद सूत कातने में यहां बहुत कुछ प्रगति हुई है, पर हां शुद्धात् अच्छी हो चुकी है। कोई ५ फी सदी लोग बिलकुल खदर पहनते हैं। अभी तक १० घरों ने खुद कातना शुरू किया है। बरजे और करघे की हालत इस प्रकार है।

खुद अपना सूत कातनेवाले बरजे	१२
मजदूरी के लिए	४
खादी बुननेवाले करघे	१७
मिल का सूत	०
कातनेवालों के घर कपास जमा	५०८ पौंड
सूत कटा हुआ	११५३ पौंड
१९ जून को बुना कपड़ा	३०२ गज

कटाई के लिए जमा सूत से कपड़ा बनने का अनुमान { ५०८ गज या गांव की आवश्यकता का ५३ भाग कपड़ा

इस गांव में कुल खुद कातने वाले घरों से जो नतीजे पैदा हुए हैं वे बैसे ही हैं जैसे कि कनूर में हुए हैं। जिन कुटुंबों ने उनको अपनाया है, यद्यपि उनकी संख्या थोड़ी है, तथापि वे इसके विषय में बहुत सजग और उत्साही हैं और अपने रिश्तेदारों तथा इष्ट-मित्रों में उसका प्रचार करने के लिए उत्सुक हैं।

बहुत दृष्टियों से यह प्रयोग आधर्य और आनंददायी है। बिना शोरगुल और सोहरत के शक्ति के साथ काम हो रहा है। और सों भी प्रायः बिना पूंजी के। यह सभी हो सका जब कि लोग अपने लिबास की रुचि और सामग्रियों में परिवर्तन करने तथा अपने फुरसत के समय का उपयोग करने के लिए तैयार हुए। गांव की आबादी ६४५ है। कपड़े के खर्च का अनुमान ३६४०) है। इसलिए जब तमाम ग्रामवासी खादी पहनने लगेंगे तब वे अपने गांव की आमदनी में ३६४०) बड़ा लेंगे और सों भी अपने गपसप में बीतने वाले समय का उपयोग कर के। ग्राम-संगठन की ऐसी कोई तजवीज अबतक नहीं आई है जिसका फल इतना बढ़िया, प्रत्यक्ष और शीघ्र हो। यह खादी कार्य सहयोग का भी एक पदार्थपाठ है। और जब कि खादी ग्राम जीवन का एक स्थायी अंग हो जायगी, निस्वार्थ ग्राम कार्यकर्ता यदि चाहें तन्नुस्ती, शिक्षा और सामाजिक सुधार में भी तरकी कर सकते हैं। अमली स्वराज्य इसके सिवा और क्या है? जरा कल्पना कीजिए कि ऐसे हजारों गांव खादी के द्वारा एक दूसरे से सुगुंजलित हो गये हैं। तब आप देखेंगे कि स्वराज्य आपने मांगा नहीं कि मिला नहीं। क्योंकि जब भारतवर्ष विदेशी कपड़े के इस्तेमाल करने से इन्कार करना सीख जायगा तब वह ब्रिटिश लोगों के कितने ही अनिष्ट कामों को निर्जीव कर देगा और अपने स्वराज्य का रास्ता तैयार कर देगा। मुझे आशा है कि कनूर के लोग तब तक दम न लेंगे जब तक हर स्त्री पुरुष और बालक खादी के आदी न हो जाय। यह भी आशा की जाती है कि उसकी छूत अकेले पुडूर तक ही सीमित ही न रहेगी बल्कि वह एक गांव से दूसरे तक और दूसरे से तीसरे तक पहुंचेगी।

( ५० ६० )

मोहनदास करमचंद गांधी

आधी-खादी

एक लेखक ने महासभा-संस्थाओं की तरफ से आधी-खादी बनने और बेचे जाने का जिक्र किया है। यह बुराई काफी गंभीर है। महासभा-संस्था, जिसने कि खादी की प्रतिष्ठा की है, आधी-खादी से कोई वास्ता नहीं रख सकती। जबतक महासभा-खादी इस साधारण सिद्धान्त को नहीं समझ लेते कि आधी-खादी के बनाने से हाथ-कटे सूत की तरकी या सुधार रुकता है तबतक कताई बे-मन से हुआ करेगी। हाथ-कटे सूत को तानी में लगाने से उसकी मजदूरी की आजमाइश हो जाती है और यह हाथ-कटे सूत के सुधार का सब से तेज तरीका है। यह मानना एक बहम है कि धीरे धीरे तानी में मिल का सूत लगाना बंद हो जायगा। एक दिन इस कठिनाई का सामना करना ही होगा। कितनी ही महासभा-संस्थाओं ने तो उसका सामना कर भी लिया है। दायकता-सूत बुनाने में कोई शिकत नहीं है, यदि अपने जिले में नहीं तो दूसरे जिले में बुनाना भी सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि महासभा-संस्थाओं को आधी-खादी को बुनना या उससे संबंध रखना कताई बंद कर देना चाहिए। (५०६०)

## टिप्पणियाँ

### देशबन्धु-स्मारक

मैंने बड़े दुःख के साथ बंगाल को छोड़ा है। मैं प्रायः बंगाल का निवासी-सा ही हो गया था। अब मैं रोज भीमती वासन्ती देवी के यहाँ तीर्थ-यात्रा के लिए न जा सकूंगा और अब मैं उन बंगालियों के हँस-मुख चेहरों को न देख सकूंगा जो रोज नदा देने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों से आया करते थे। मैं जानता हूँ कि हम जो १० लाख पूरा नहीं कर पाये हैं उसका कारण देशबन्धु के स्मारक के प्रति भक्ति का या बंगालियों की हठता का अभाव नहीं, बल्कि सारों ओर सगठन की बुद्धियाँ हैं जिसके लिए हमी लोग जिम्मेदार हैं। यदि बंगाल के गाँव गाँव में हम पहुँच पाते तो कभी से सारी रकम पूरी हो जाती। फिर भी जो कुछ रकम मिली है वह बंगाल के अयोग्य नहीं है। मैंने मौटे तौर पर अन्वेषण लगाया है जिससे मालूम होता है कि कोई (२,५०,०००) वहाँ रहनेवाले मारवाडियों ने, कोई (६०,०००) वहाँ रहनेवाले गुजरातियों ने और शेष बंगाल के बंगालियों ने दी है, बंगाल के बाहर के बंगालियों ने बहुत ही थोड़ी रकम दी है। अब यह भार उन लोगों के सिर है जिनके कि जिम्मे स्मारक-कोष किया गया है कि वे उसके उद्देश को पूरा करें।

अब अ० भा० देशबन्धु स्मारक-कोष रहा। उसके बंधे के लिए अभी संगठित-रूप से कोशिश शुरू नहीं हुई है। पर भी मणिलाल कोठारी ने अपना काम शुरू कर दिया है। जिस पारसी सखन से उन्होंने (२५०००) दिलवाया है उन्होंने मुझसे कहा कि मणिलाल कोठारी की बात को टालना असंभव है। (५१०००) देनेवाले भाटिया सखन की भी नहीं हानत हुई होगी। मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि यद्यपि आपका दान निम्नरेह भारी है तो भी वह उस प्रयोजन के लिए बहुत ज्यादा नहीं है जिनके निमित्त वह लगाया जाना वाला है। देशबन्धु के स्मारक के प्रति हम अपने कर्तव्य का पालन जबतक न कर पावेंगे जब तक हम खादी-कार्य के द्वारा विदेशी करों को भेज से न हटा देंगे। और वह बिना धन और जन के नहीं हो सकता। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि लोग इसका अभाव बहुत जल्दी और उदारतापूर्वक देंगे।

अबतक पूर्वोक्त रकमों के अलावा २३०३-१५-६ और कुट कर प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें २०१६-१२-६ पंडित जवाहरलाल के पास आये और १२८७-३-० नवजीवन कार्यालय में प्राप्त हुए हैं।

### अखिल बंगाल देशबन्धु स्मारक

लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हम अभी अ० ब० दे० स्मा० कोष में चढ़ा दे सकते हैं? तो वा कायदा चढ़ा वसूली तो ३१ अगस्त को ही खत्म हो गई। मगर फिर भी जो लोग देना चाहें वे उसके ट्रस्टियों के द्वारा दे सकते हैं। परंतु यदि कोई वह स्पष्ट रूप में न लिखेगा तो अबसे मेरे पास आई रकम अ० भा० दे० स्मा० में जमा भी जायगी।

### बढ़िया काम

मेरे सामने मजदूर-संघ अहमदाबाद के व्यवस्थापक के द्वारा किये गये बुध्दय कार्य की बढ़िया और केवल आवश्यक बातों से युक्त संक्षिप्त रिपोर्ट है। मजदूरों के लड़कों में जो कुछ शिक्षाप्रचार का कार्य उक्त मजदूर-संघ के द्वारा हो रहा है उसका बंधन उसमें है। भीमती अमसूया बहन की देखरेख में यह काम हो रहा है। १९२४ में ८ दिन के मजदूरों के। आज ९ हैं। उनमें जो सब तरह के लड़कों के लिए हैं, छः अछूतों के लिए और एक मुसलमानों के लिए। १९२४ में ११ रात्रि पाठशालाएँ थीं। आज

१५ हैं। इनमें १ सबके लिए, ८ अछूतों के लिए, ५ मुसलमानों के लिए और १ बागरीयों के लिए। १९२४ में १११९ विद्यार्थी थे और हाजरी ९७९.४। उनमें ६९२ अछूत, २२१ छूत और २०६ मुसलमान थे। साल की शुरूआत में ११६६ विद्यार्थी थे जिनमें ७२८ अछूत, २१९ छूत और ७६९ मुसलमान और बागरी थे। हाजरी थी ९०७.९२। इस समय १२८५ हैं। मासुली प्राथमिक मदरसों में जो विषय पढाये जाते हैं उन सबको तो लड़के और लड़कियाँ पढ़नी ही हैं। पर इनके अलावा सूत-कताई और है। व्यवस्थापकों ने शुरू से चरखे को आजमाया था। इतने लड़के और लड़कियों में चरखे बहुत ही खर्च-तकल और अनुविभाजनक पाये गये। क्योंकि उनके लिए बहुत जगह दरकार होती थी। तब उन्होंने तकनी शुरू की, जिसे कि हर विद्यार्थी अपने पास रख सकता है। सैकड़ों लड़कों और लड़कियों को एक-साथ सूत कातते हुए देखना बड़ा उम्दा दृश्य था। उनकी कताई का औसत फी बण्डा ३५ से ४० गज था। अबतक उन्होंने २ मन ८ सेर अच्छा सूत कात डाला है।

एक ऐसी पाठशाला भी है जिसमें १६ अछूत लड़के रहते भी हैं और पढते भी हैं। इनमें से पांच ६ रुपये के हिसाब से खाने पीने का खर्च देते हैं। बाकी यों ही रहते हैं। वे बुनना, कातना और बुनना सीखते हैं। १९२४ में उन्होंने ११ मन सूत काता और १२५ गज खादी बुनी। १९२४ में ६६ शिक्षक थे। आज ७७ हैं। कुल खर्च २२२५४-८-४ है, जिसमें से १०५०) म निक मिल-मालिक-संघ की तरफ से दिया जाता है। यह रकम तिलक-स्वराज्य-कोष के ब्याज में से दी जाती है जो कि संघ के सदस्यों की ओर से दिया गया और मजदूरों के कल्याण के लिए सुरक्षित रक्का गया था। (६०) व. मासिक का दान श्री मजदूरमददास किसनदास की तरफ से मिलता है। उस आखरी पाठशाला का स्वर्ण प्रांतीय समिति की तरफ से दिया जाता है।

सबसे बढ़कर ध्यान खींचनेवाली बात तो यह है कि अछूत लड़कों की बहुत बड़ी तादाद उन मदरसों में शिक्षा पाती है। कहते हैं, कि उनके माता-पिताओं से इसके लिए तकाजा नहीं करना पड़ता। वे खुशीसे अपने लड़कों को भेज देते हैं। उल्टा और लड़कों के गा-बापों को ही ललचाना और उनसे तकाजा करना पड़ता है।

यह कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये मदरसे न सरकार से किसी तरह की सहायता पाते हैं, और न किसी तरह की उसकी देखरेख उनके ऊपर है।

लड़कों के साफ-सुधरेपन पर खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। अबश्य ही इन स्कूलों की तुलना भारतवर्ष के किसी भी प्राथमिक स्कूल से बच्ची हो सकती है। मैं तमाम शिक्षकों का ध्यान विद्यार्थियों की स्वच्छता और सुव्यवस्थितता की ओर दिलाता हूँ। इसके लिए किसी खास कोशिश की जरूरत नहीं है। सिर्फ वे पड़ाई शुरू होने के पहले एक फतार में सब लड़कों को खडा कर के उनके हाँत, नख, कान, आँख वगैरह देखें। मैंने इन साधारण बातों की उपेक्षा उन स्कूलों में भी देखी है जिनको माडल स्कूल कहते हैं।

### क्या यह अति-विश्वास है ?

एक आदरणीय मित्र, जिन्हें कि मेरे उचित कार्य करने की क्या-सी-रक्षा करने का बड़ा क्याल है, पूछते हैं कि आपने जो अभी स्वराजियों को पूरे बल के साथ पुष्टि दी है वह उचित ही है इसका विश्वास आपको किस तरह है? क्या आपने हिमाकय के

बराबर जबरदस्त भूलें नहीं की हैं? क्या आप नहीं देखते कि भारतके अपरिवर्तनवादी मित्र उनकी दृष्टि में आपकी इस असंगति पर बड़ी दुविधा में पड़ गये हैं? कहीं आप अपनी स्थिति पर अति-विश्वास तो नहीं कर रहे हैं?

मैं ऐसा नहीं समझता। क्योंकि सत्य-निष्ठ मनुष्य को सदा ऐसा विश्वास होना ही चाहिए — उसकी सत्यभक्ति का तकाजा है कि वह सोलहों आना विश्वास रखे। उसकी यह मुझ कि मनुष्य का स्वभाव स्थूलनशील है — भूल कर बैठने वाला है — उसे नम्र बनाये बिना न रहेगा और इसलिए क्यों ही उसे अपनी भूल दिखाई देगी, वह तुरन्त पीछे कदम हटाने के लिए तैयार रहेगा। इस बात से कि उसने पहले हिमालय के बराबर जबरदस्त भूलें की हैं, उसके विश्वास में कोई अन्तर नहीं पड़ता। उसकी भूलों की स्वीकृति और उनके लिए किया गया प्रायश्चित्त, उसे भावी कार्य के लिए और मजबूत बना देता है। भूल का ज्ञान सत्य-भक्त को किसी बात को मानने और अनुमान निकालने में अधिक चौकसा बना देता है; पर एक बार जहां उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि उसका विश्वास अबल रहना चाहिए। उसकी भूलों का यह परिणाम आये हो कि उसके विचार और विचार्य पर लोग जो अपना अवलंबन रखते हैं वह डगमगा जाय, पर एक बार जहां वह एक परिणाम पर पहुंच चुका तो फिर उसे अपने विचार की सत्यता पर सन्देह न करना चाहिए।

यह बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरी भूलें जो कुछ हुई हैं वे अनुमान में — गिन्ती करने में तथा मनुष्यों के संबंध में अपना खयाल बनाने में ही हुई हैं, मध्य और अहिंसा की वास्तविक प्रकृति को देखने में अथवा उनके प्रयोग में नहीं। निःसन्देह इन गलतियों तथा तुरन्त उनकी स्वीकृतियों ने मुझे मध्य और अहिंसा के गर्भितार्थ के भीतरी मर्म को समझने में अधिक निश्चल बना दिया है। क्योंकि मुझे इन बात का निश्चय हो चुका है कि मेरे अहमदाबाद, बंबई और बारडोली में सविनय अंग मुहत्तबी रखने के प्रस्ताव ने भारत की स्वाधीनता और बुनिया की शान्ति के कार्य की प्रगति ही की है। मुझे इस बात का विश्वास हो चुका है कि इन स्वयंजित कर देने के कारण हम आज स्वराज्य के अधिक नजदीक हैं, बनिश्चत न करने की अवस्था के। और यह मैं कहता हूँ कि जितना पर मेरे सामने मोटे मोटे दरफों में 'अनुसूहा' शब्द के लिखे रहते हुए भी। मेरा ऐसा गहरा विश्वास होने के कारण ही मैं स्वराज्यों तथा अन्य बातों संबंधी अपनी वर्तमान स्थिति पर विश्वास किये बिना नहीं रह सकता। इसका उद्गम-स्थान एक ही बस्तु है — सत्य और अहिंसा के गर्भितार्थ का सजीव परिज्ञान।

(इ. य.)

भा. क० गांधी

### राष्ट्रप्राप्तना में द्वेष का स्थान

कितनी ही संस्थाओं ने गांधीजी की उपास्यता से लाभ उठाने का प्रयत्न किया। एक संस्था ने पूर्वोक्त विषय पर बोलने के लिए गांधीजी को निमंत्रित किया था।

गांधीजी ने शुरु में ही "जाहिलिम पर प्रेम किम तरह किया जा सकता है" इस प्रश्न की चर्चा शुरू की। 'दक्षिण आफ्रिका में जितनी सरकार हुई सबके कानून में कालो-गोरे का भेद था, और यहाँ भी वैसा ही है। यदि मनुष्य का दिमाग ठिकाने न हो तो वे कानून तथा उनमें से प्रकट भारतीयों का द्वेष तो भारतीयों से शेरों के प्रति द्वेष करावेगा ही। प्रेम एक

सक्रिय बल है- किन्तु जाहिलिम का द्वेष किये बिना रह सकते हैं कि नहीं यह प्रश्न है। बहुत से युवक यह मानते हैं कि राष्ट्र से प्रेम करनेवाला ऐसा नहीं कर सकता। यह स्वाभाविक है। इसलिए उनको दोष कैसे दें? यह अपार हानि है। इससे द्वेष अधोगति के रास्ते के जाता है। तिरस्कार और द्वेष के परिणाम योरप में अभी ताजे ही देख सकते हैं। हिन्दुस्तान संसार की नया पाठ क्यों न गिखावे! क्या एक लाख अंग्रेजों का तीस करोड़ हिन्दुओं को द्वेष करना आवश्यक है? मैं समझता हूँ कि इससे मनुष्यत्व कलकित होता है, भारत कलकित होता है।

अब उपाय क्या?

परंतु तिरस्कार को निर्मूल करना अमभव सा मालूम होता है। गांधीजी ने कहा, तो तिरस्कार भले ही करो, द्वेष भले ही करो परंतु उसे कर्ता की ओर से स्वीच कर कृत्य की ओर ले जाओ। कृत्य के प्रति आपका तिरस्कार होगा तो आप उस काम से दो कोस दूर रहेंगे। कृत्य के साथ असहयोग करेंगे। परंतु कर्ता की तो सेवा ही करते रहेंगे। इसके बाद उन्होंने जो विचार प्रकट किये वे सदा के लिए हृदय में अंकित करने योग्य हैं। उन्होंने कहा—

"पाप से घृणा करो, पापी से पणा न करो। हम सब पाप से युक्त हैं। फिर भी हम चाहते हैं १५ सप्ताह हमें सहन करें, निवाहें। तब अंग्रेजों को भी हम क्यों न निवाहें कि? इन्धर जानता है कि अंग्रेज राजकार्मीयों के पाप की टीका मुझ ने अधिक सख्त जाय निडर करने किसीने न की होगी, मर्यादा शासन-प्रथा की दृष्टता की निष्ठा मुझसे अधिक कठोर किसीने न की होगी। फिर भी उस प्रथा के प्रवर्तकों या संचालकों से मुझे जग भी घृणा नहीं। अपने विषय में तो मेरा दावा है कि मैंने उनके प्रति प्रेम रखना है और फिर भी उनके अपराध के प्रति मैं अंधा नहीं। हम प्रेम तभी करें जब किसी में गुण हों, तो क्या इसे प्रेम कह सकते हैं? यदि मैं अपने धर्म का पालन करने वाला हूँ, यदि मैं मानव-जाति के प्रति अपना कर्तव्य पालन करता हूँ तो मुझे मनुष्य-जाति की दोष-पात्रता, अपने विरोधियों की न्यूनता और पाप के दखने पर उनके प्रति घृणा नहीं, बल्कि प्रेम करना चाहिए। मैंने तो प्रचलित शासन प्रणाली को राक्षसी कहा है और अब भी कहता हूँ। परंतु इसलिए यदि उसके सवालकों को सजा दिलाने में षडयंत्र रखने लगू तो बल मेरा आत्मा समक्षिए। असहयोग द्वेष या घृणा का मंत्र नहीं, प्रेम का मंत्र है। कितने ही सत्याग्रही और असहयोगी केवल नामधारी हैं, यह मैं जानता हूँ। वे कदम कदम पर अपने धर्म का ध्वंस करते हैं, यह मुझे पता है। परंतु इस प्रेम-मंत्र के रहस्य के विषय में तो बिलकूल सन्देह ही नहीं है। इसका रहस्य यह है कि स्वयं कष्ट उठा कर विरोधी को जीतना, स्वयं संकट सहन कर जाहिलिम को नम्र बनाना। सत्याग्रह का रहस्य यही है कि जो धर्म पिता और पुत्र में है वही एक समूह का दूसरे समूह के प्रति, शासक और शासित में पालन किया जाय। पुत्र पिता के और पिता पुत्र के पाप के प्रति अपनी आंख मूंद रखे तो उसका प्रेम अंधा है। पर उसके पाप को जानते हुए यदि प्रेम से उसे जीते, दुःख सहन करके, प्रायश्चित्त कर के तप कर के जीते तो ही उस प्रेम में विवेक है। यह विवेक-युक्त प्रेम सुधारक का प्रेम है। और यह प्रेम सब दुःखों के निवारण की कुजी है।"

(नवजीवन)

अ० ह० वै०



## हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक ३ ]

मुद्रक—महाशय वैजोलाक छगनकाक दूक	अहमदाबाद, आश्विन वही १, संवत् १९८१ बुधवार, ३ सितम्बर, १९२५ ई०	मुद्रणस्थान—नवजीवन मुद्रणालय, सारंगपुर हरकीमरा की बाड़ी
------------------------------------	--	--

### मिल और चरखा

सूत कातने वाली मिलों से संबंध रखने वाला एक मासिक पत्र बंधों से निकलता है — टेक्स्टाइल जनरल। सूत कातने वाली नई मिल खड़ी करना हो तो उसमें आजकल कितना खर्च पड़ता है तथा कितना लाभ होता है उसके अंक उसमें व्यौरे-वहित दिये गये हैं। जो वाक्य यह पूछते हैं कि मिलों से चरखा किस तरह बंद कर दें उन्हें इनपर खूब विचार करना चाहिए।

किसी मिल में एक मिलाली की मजदूरी कि २० हजार तकूए खाने वाली मिल खड़ी करनी हो तो कुल २० लाख की पूंजी इकट्ठा होती है। उसका व्यौरा इस तरह है —

यन्त्र-साधन—एक हजार अल्प-बल का एक स्टाम हरवाहन, कातने-संबंधी जुती जुती क्लिवाओं के यंत्र जैसे कि ड्राइंग, स्क्रिनिंग, हंडर, रोलिंग और रिंगमेम; धुनकने, कोटने और गांठें बांधने के यंत्र और उससे संबंध रखनेवाला कारखाना टेस्टिंग यंत्र इत्यादि इत्यादि की कीमत	८,००,०००)
इन यंत्रों के विदेशों से जहाज में लाने का खिदावा, जुगा, बीमा तथा बंदर में उतारने का खर्च की मती	८४,०००)
जमीन भूकान तथा रेडरे लाइडिंग बंगरह के खर्च के	२,२५,०००)
बंध, कौचके तथा स्टोर्स का जल्दा खर्च रखने के लिए पूंजी	५,००,०००)
बंधों की मिल में अमाने और चलाने का खर्च	१२,०००)

### मिल चलाने का मासिक खर्च

मजदूरों का मासिक वेतन	१२,०००)
स्टोर्स, सरम्मत तथा बर्तनी	१०,०००)
ईंधन,	७,५००)
तेल	१,५००)
मजदूरों आदि की देख-भाल रखने	
वालों का वेतन	३,०००)
दफ्तार-खर्च	२,०००)
कार	५००)

बंधों की कीमत (९,२४,०००) की

धिमाई के ५) की संख्या के हिसाब में एक मास के	३,८५०)
मकान आदि के खर्चा बी कास २० की धिमाई आदि के	
गरी के हिसाब से प्रति २ म	४७०)
मकान, यंत्र, बंध, इत्यादि भाग का कीमत (१६,६०,९००) का बीमा	
खर्च III) का गरी के हिसाब से	
एक मास के	१,०८०)
कुल	४२,८६० × ६ मास = २,५७,१६०)
कुल	१९,२४,१६०)

छः मास की पूंजी को खतरा रोक रखना मिल-मालिक के लिए अनिवार्य है।

जब २० लाख की कुल पूंजी हो तो २० हजार तकूएवाली मिल इस तरह चल सकती है। उसमें हर माह १२,०००) मजदूर-खर्च के लगाने गये हैं वे विचार करने योग्य है। ऐसी मिल में अंदाजन ६०० मजदूर भिन्न भिन्न विभागों में काम कर रहे हों तो उन्हें २०) पड़ता है। यहाँ की मिलों में कातनेवालों को २२ से २५) तक और कोकड़े एकत्र करना आदि काम में लड़कों और स्त्री-मजदूरों को १० से १५) वेतन मिलता है। इस हिसाब से २०) औसत कम नहीं है।

इस मिल में २० अंक का सूत हर तकूए पर साठ छः आंस रोक तैयार होता है अर्थात् एक साल में ( ६<sup>३</sup> आंस × २०,००० तकूए × ३६० दिन ) ४ करोड़ ६८ लाख आंस अथवा २९ लाख पौंड सूत होता है। उसका परता तथा मुनाफा इस प्रकार है —

एक पौंड रई की कीमत उचित मिश्रण विधि बाद	०—१०—०
सूत बनाने का खर्च का पौंड	०—२—१०
धुनकने और कानने में रई की सुचालनी	१५)
की मती के हिसाब से	०—१—२
एक पौंड भात की मती पर मुनाफा	०—१—८
एक पौंड सूत बनाने की कीमत	१—०—०

इतने काम पर एक महीने में जो आमदनी होती है उसका हिसाब इस तरह निकलता है —

- १ छा: और मजदूरों को ओपनरू २०) वेतन मिलना है ।
- २ एजेंट को २,५३९) प्रति मास मुनाफे में से मिलने हैं ।
- ३ जी. ए. और होल्डिंग को २३ ७ प्रति वष प्रति मजदूरों का मिलता है, अर्थात् १००) वॉल २० हजार अमर लने वाले को एक मास में २०,८५१) मिलने ।

इस हिसाब में मित्र का तीसों दिन चलना मना गया है । छुट्टी, हड़ताल अथवा अन्य कारणों से मिल बंद रहे अथवा कम घण्टे काम करे तो उतनी ही आमदनी कम होगी । इस हिसाब में मजदूर को जहां १) मिलता है तहां शेयर होल्डर तथा एजेंट को २-१-५ मिलता है । और विदेश से आने वाले स्टोर, कोयले, तेल, धर, दफनर, बीमा आदि मिल कर २-१०-६ खर्च होता है ।

अब इन २० लाख रुपये से चरखा चलाने की कल्पना करें । इसके लिए सारी पूंजी जमा होने तक शह देखने की जरूरत नहीं । मिल में २० लाख रुपये से २० हजार तक चलते हैं । अर्थात् एक तकिए के लिए १००) हुए । और जब वह दिन भर चले तब १६३ तांला सूत २० अंक का होता है । सौ रुपये में आधम-नमूने के सागोस की लकड़ी के गोल चारों १४, अथवा बेतगास की बात्री में सब से अधिक फात कर इनाम ले जाने वाले बिहार-नमूने के २०, या अफाल में संकट-निवारण का यटिया काम कर दिखाने वाले सतीश बाबू के खादी-प्रतिष्ठान के २५ चरखे आते हैं । मद्रास, मलयालम अथवा मद्रास में जहां लकड़ी सस्ती है और कटई की मजूरी कम है पांच अथवा इससे भी कम रुपये में चरखा बन सकता है । हमारे हिसाब के लिए हम गों गिनती का कि सौ रुपये में १६ चरखे के हिसाब से १६ लाख रुपये में २,५६,००० चरखे मिलेंगे । शेष ४ लाख रुपये में से फो सा चरखे पर ४०) के हिसाब से व्यवस्था-खर्च १,०२,४००) और कोई तीन लाख रुपये रुई में लगेंगे । यह भी जानने योग्य है कि मिल में रुई अनेक यंत्रों से ही कर निकलती है इससे उमका बस कम हो जाता है और इस कारण जिस रुई से मिल २० अंक का सूत देना है उससे चरखा कोई ३० अंक का सूत दे सकता है । काम का रचना यदि ठीक ठीक हो जाए और लोगों में उद्योग पैदा की जा सके तो थोड़े ही वर्ष में रुई में रुईनेवाली पूंजी भी बन सकती है । क्यों कि घर घर चलने वाले चरखे के लिए कपास घर के आंगठ अथवा पड़ोस के खेत दे सकते हैं । कातना कोई मुश्किल काम नहीं । उससे लिए तन्दरती और धर्रा की जरूरत है । फो कुट्टक एक चरखा २० अंक का रोज सवा तोला अर्थात् ५२५ गज कान ले तो एक साल में, अनभ्यास के ४० दिन छोड़ कर, ३२० दिन में दस पाँच सूत तैयार हो सकता है । इस प्रकार तैयार हुई रुई या सूत पर बीमा, दलाली, छोटे बड़े व्यापारियों का मुनाफा, गाँठ बांधने की मजदूरी, दुकान या कोठार का किराया और, तार, डाँक, जहाज तथा रेल का खर्च तो पड़ेगा ही क्यों ? एक साल में दस पाँच अर्थात् रोजाना सवा तोला कानने के लिए १ से २ घण्टे समय चाहिए । शेष समय में खाली चरखे पर घर के दूसरे लोग अथवा पड़ोसी कान सकते हैं । उसे हिसाब में न लें तो भी २,५,००० चरखे से २,५,६०,००० पाँच सूत होता है । तकली का इस्तेमाल बढ़ने पर उससे जो सूत तैयार होगा सो जुदा ही । इतनी ही

पूंजी पर चलने वाली मिल के तकिए सारा दिन और सारा साल काम करे तो २९ लाख पाँच सूत तैयार होता है । और सब पूछिए तो मिलें ३६० दिन चलती भी नहीं ।

फो घर दस पाँच २० अंक का सूत जो तैयार हुआ उसे बुनवाने में ( १ इंच में ४२ तार के हिसाब से ) ३६ इंच अर्ज वा लगभग ५६ गज अथवा ३० इंच अर्ज का ६६ गज कपडा बनता है । बुनाई यदि ठीकी हो तो कुछ अधिक अथवा सूत थोटा करा हो तो कुछ कम कपडा बनेगा । हिसाब से और जरूरत के लायक ही कपडा बतनेवाले दरती अथवा गरीब वर्ग के हजारों कुटुंब को एक साल के लिए आय तौर पर इतना कपडा बस होता है । चरखे की बुनाई में लकड़ी तथा मजदूरी की जो रकम लगी वह सब देश ही में रही । परन्तु मिल खड़ी करने में ९-१० लाख रुपये खर्च कर ले जाते हैं । उसे जारी रखने के लिए भी हर साल काफी रुपये विदेश भेजना पड़ते हैं । ऐसी छोटी सी मिल एक साल में ९०,०००) का कोयला और ४२,०००) का तेल खा जाती है, यह क्या और करने लायक नहीं है ? इतना साल पैदा करने में कितने लोग दरकार होते होंगे ? फिर कितनी ही मिर्छों के लिए तो कपास भी मिल, पूर्व आफ्रिका अथवा अमेरिका में खरीदा जाता है । धुएँ के बने के बिना चरखे से गाँव गाँव में जो सूत पैदा होता है उससे मिल के मकान के २। लाख रु. बन जाते हैं । और एजेंट तथा शेयर होल्डर को जो हर साल तीन लाख रु. मुनाफे के मिलते हैं वे सब मिहनत करनेवाले और कातनेवाले कुटुंबों में एक-साँ बट जाते हैं ।

हड़ताल का भय, मिल की दुर्घटनाएँ, विलायती माल के लिए हाया हुण्टी के द्वारा भेजने में लगनेवाला एजेंटान, धनी और मजदूर पर संघर्षण, मजदूरों की कमी, माल के भय में एकाएक घटा-बढ़ी और उसपर खेले जानेवाले रद्दों से होनेवाली बरबादी, ट्रेड मार्केटवाले माल का अनुकरण और उससे मालवालों में परस्पर चलनेवाले मामले-मुबद्दमे, मिल में एक ही जगह एकत्र रखने तथा माल को विदेश भेजने में होनेवाली खोशियाँ और उससे उत्पन्न होनेवाले मामलों के लिए समय और रुपये की बरबादी—गिमे अनेक प्रश्न मिल-उद्योग से निकट सम्बंध रखते हैं । इस प्रकार की तमाम कठिन स्थितियों से गृह-उद्योग हमें बचा लेगा ।

मजदूर देशत और रीतों को छोड़ कर अनेक परिस्थितियों तथा शहर के प्रलोभनों के बश हो कर मिलों में काम करने के लिए आते हैं । वहाँ उन्हें शुर्की हवा और रमतत्र जीवन के बदले आरोग्य-नाशक हवा में तथा दिमाग की कुद कर देने वाले शोरगुल में काम करना पड़ता है । इनके किर्जोर बालक घर पर मटकते रहते हैं और धियाँ नटने बच्चों को साथ ले कर दिन भर काम करती हैं । अंतर्नों हा को शराब की चाट पड़ जाती है और अन्त भी बरबाद हो जाते हैं । चरखा इन सब से उन्हें भी बचा लेगा ।

और सब से जरूरी फायदा तो यह होगा कि राम-नाम का इतना लिखाने वाली और ज्ञानित विलाने वाली बुन्दर कला, जो भारतवर्ष को विगत में मिली है और जो नेस्त-नाशूर हो जाने के किनारे आ पहुँची थी, फिर से राजीव होगी और इससे योरपीय महाभारत जैसे कठिन समय में विदेशी यंत्रों और उनके साधनों पर लटक रहने की पराधीनता से सदा के लिए हम बच जायेंगे ।

( मजजीवन )

छगनलाल खुशालखैर गाँधी

**बंगाल की सफर का अन्त**

बंगाल की सफर अपस्त मास के अन्त में पूरी होगी। जो सोचा था उससे कोई बेट महीना ज्यादा रहा होगा। बंगालियों का जो परिवेश इस बार हुआ है वह पहले न हुआ था। अनेक तरह के बंगालियों का मीठा अनुभव मुझे हुआ है। पर इस समय में उन अनुभवों का वर्णन करना नहीं चाहता। ये सतरहों में गुजरातियों को लक्ष्य कर के लिख रहा हूँ।

राधाभाई शताब्दी के सिन्धिले में मैं ३१० को बचड़े पहुंचंगा। ४१० को शताब्दी का उत्सव मना कर ५१० को आश्रम पहुंचने की आशा रखना हूँ। ६१० को आश्रम छोड़ देना होगा। इन चार दिनों में मैं बहुतेरे कामों को निबटाने की आशा रखता हूँ। उसमें काठियावाड़ राजकीय परिषद् के काम का हिस्सा देना भी चाहता हूँ। परिषद् ने खादी को प्रधान-पद दिया है। वह काम किंग दरजे तक हुआ है उसका हिस्सा देव-वद भई दोगे। मेरी दृष्टि में जिनका काम करना विचारा था उसके हिसाब से ठीक काम हुआ है। कार्यकर्ता खाली नहीं बैठ रहे।

अब ग्हा राजकीय काम। इनका भार कुछ अंशों तक मैंने अपने सिर लिया था। यद्यपि मैं थकले दिनों गुजरात में न रहा फिर भी मैं उसे भूला नहीं हूँ। इनका अर्थ यह नहीं कि कुछ सफलता मिली है। यहाँ तो मैं गिफ्त इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो सलाह काठियावाड़ को दी है उसके लिए मुझे जरा भी पछतावा नहीं है। मेरा अनुभव मुझे अपनी गलत पर दृढ़ करता है।

देवी राज्यों में जहाँ जहाँ अन्धेर हो रहा है उसे दूर करने का प्रथम विद्युत् है। दूर करना असंभव नहीं। पर उसका मंत्र यह है प्रजा की शक्ति बढ़ने से और राजाओं को शिक्षा देने से। प्रजा की शक्ति बाहर के आन्दोलन से नहीं बढ़ सकती, बल्कि उसे शिक्षा देने से बढ़ेगी। इसलिए राजकीय प्रथम का मन्त्र अर्थ रचनात्मक कार्य ही है। फिर इस बात में भले ही मन-भेद हो कि वह चरखा हो या और कुछ। पर वह समय नमदीह था रहा है जब सब लोग इन बात को कुचल करंगे कि राजनैतिक सबलों का सन्ध्या इस लोह-विद्या में है। लोकशिक्षा का अर्थ अक्षर-ज्ञान नहीं। बहिर मूर्खों से लोगों को जागृत। लोगों को अपने विषय में ज्ञान होना। यह ज्ञान लौकिक कार्यों के द्वारा ही हो सकता है, बातों से नहीं।

इनका अर्थ यह नहीं कि हर तरह का बाहरी आन्दोलन निरर्थक है। मै. ए. ई. के द्वारा कह चुका है कि उसे स्थान है। प्रश्नकार वह अवश्य करें। उसकी जगह उसका अवश्य होगा जितना कि उसमें सत्य और मार्गदा होगी। पर उसे प्रयत्नता नहीं सिद्ध सकती। वह गौण है और उसका अन्तर्धन है महज आन्तरिक अर्थान रचनात्मक कार्य की सफलता। सुरदे में साँप फूँकने से उसमें जान नहीं आ जाती। जीवित प्राणी को साँप बड़े डर भई हो और उसमें प्रयत्न करने की शक्ति हो तो साँप फूँकना सहानसा देता है। यही बात समाज की है। आन्दोलन सहायता-रुत है। मूल चरु नहीं। दृष्टियों के कष्टों की कथा सारी दुनिया किन्ती ही माली फिरे पर यदि दृष्टियों में ही कुछ जान न हो तो सारा आन्दोलन निरर्थक होगा। ऐसी कितनी ही आधुनिक मिसालें हैं। यदि दक्षिण आफ्रिका के भारतवासियों में कुछ भी सम न हो तो यहाँ के प्रयत्नों के होते हुए भी उनकी हालत कमजोर ही रहेगी। काठियावाड़ राजकीय परिषद् को अपना क्षेत्र पद करना है। (न० जी०) भो० क० गांधी

**डॉ० भाण्डारकर**

लोकमान्य तिलक-संबंधी अपने सम्मरण लिखते हुए गांधीजी ने लिखा है कि जब दक्षिण आफ्रिका के मंत्राम के विषय में मैं पूना के लोकमान्य को तैयार करने के लिए यहाँ गया तो लोकमान्य ने मुझसे कहा कि यदि तीव्र पथवाके पूने में समा सफलता-पूर्वक करना हो तो सब पक्षों के लिए पूजा और तटस्थ समापति योजना चाहिए और उन्होंने डॉ० भाण्डारकर का नाम सूचित किया था। पूना के वायुमण्डल में तटस्थ रहना और सर्वमान्य होना कोई आसान बात न थी। फिर भी डॉ० भाण्डारकर को अन्ततक यह स्थिति प्राप्त रही। पिछली कृषिपंचमी के दिन ८९ साल की वृद्धावस्था में जब उन्होंने देह-त्याग किया तब पूना के हर पक्ष के और गस्था के प्रतिनिधि उस विद्वान् के प्रति अपने अन्तिम कर्तव्य का पाठन करने के लिए अहमदाबाद के भाट पर उपस्थित हुए थे। सत्याग्रह विद्या के असाधारण विद्वान् और भाषाशास्त्री के गाने सारी दुनिया में उनकी ख्याति थी। महाराष्ट्र में आदर्श शिक्षक, शिष्यवन्दल गुरु, धर्मनिष्ठ और पवित्र समाज-गुधारक के नाते ये पूजा थे। समाज-सुधारकों में किया-वान, सार्वजनिक और सत्यनिष्ठ अग्रणी के रूप में आकर्षणीय थे। बंगले-विधानमण्डल को उनके बचन पर सदा ध्यान देना पड़ता। और सरकार भी जानती थी कि यह विद्या-पारंगी ब्राह्मण हमारा गुरुदेव हैं, पर सुशामदिया नहीं। परन्तु यह प्रत्येक पद कठिन तपस्वियों के बाद ही उन्हें प्राप्त हुआ था। आज जब कि भारत-वर्ष के पण्डित संशोधन-कार्य में दुनिया के पण्डितों की वृत्ति में सहज ही बैठ सकते हैं तब हमें खयाल नहीं हो सकता कि इन स्थिति को लाने के लिए हमारे पहले जमाने के विद्वानों का कितना कष्ट सहना पड़ा था और कितना धीरज रक्षना पड़ा था। डॉ० भाण्डारकर के पास संस्कृत-विद्या का पाठ लेनेवाले गोरे प्रोफेसर्स को उनके अफसर नियुक्त करने में सरकार को उस समय कुछ शरम नहीं साह्य होती थी। डॉ० भाण्डारकर को लोगों की सफ से भी कुछ कम न सहना पड़ा था। अपने समाज की सुशामद करना तो वे जानते ही न थे, पर उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि समाज-सेवा के लिए शान्ति-पूर्वक विना गुस्सा किये नार सहना भी वे जानते थे। लोकमान्य जब किसीर टीका करने तब यह नहीं हो सकता था कि वे जरा भी दया रखें। उनकी कठिनी टीका पर एक बार डॉ० भाण्डारकर को अपने दिल का दर्द प्रकट करना पड़ा था। फिर भी जब पूना में सरकार ने मध्य-पान-निषेध का विरोध किया तब सरकार को शांति के अर्थ समापति-पद के लिए लोकमान्य डॉ० भाण्डारकर को ले आ सके थे। डॉ० भाण्डारकर ने सारस्वती के अग्रम्य उपासक और जिम्मेवार नागरिक के रूप में जो आदर्श लोगों के सम्मुख उपस्थित किया है उसका अनुकरण और पाठन अति-उत्साही अर्थीर युवकों को अवश्य करना चाहिए। 'केपरी' ने एक ही वाक्य में उनके जीवन की खूबी इस प्रकार बता दी है —

“ संतति, सम्पात, विद्वान, सम्मान, दीर्घायु, आरोग्य, राज-दरबार और विद्वन्मण्डल में बहुमान — ये सब बातें सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर के भाग्य में थीं। उनका उपयोग करते हुए भी पवित्र रहा उनका आवरण, उनकी सारी रत्न-सङ्घन, निर्व्यसनता, निर-भिमन और तेजस्वी प्रकृति, इत्यादि गुणों के कारण ही उनकी मत्ता सुंदर अंगूठी में अडे हुए हीरे की तरह सुशोभित थी। ”

## हिन्दी-नवजीवन

पुस्तक. आश्विन बदी १, संवत् १९८२

### पश्चिम की समस्या

एक योरपियन मित्र इस प्रकार लिखते हैं—

“पश्चिम के भूखी मरनेवाले लाखों लोगों के हित के लिए क्या उपाय करें? आप क्या तद्वीर बताते हैं? भूखी मरनेवाले लाखों लोगों से मेरा मतलब है योरप और अमेरिका के किसानों और मजदूरों से, जो कि अवनति के गहरे में गिरे जा रहे हैं, जो जोर असह्य दारिद्र्य मय जीवन व्यतीत करते हैं, जो किसी प्रकार के स्वराज्य के द्वारा अपने भावी सुख का रवान नहीं देख सकते, जो घायब भारत के लाखों लोगों से भी अधिक निराश हैं; क्योंकि ईश्वर के प्रति श्रद्धा, धर्म-जात सान्त्वना उनसे दूर चली गई है और एक-मात्र द्वेष ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया है।

“जो फौलादी पंजा भारतीय राष्ट्र को कुचल रहा है वही वहाँ भी अपनी करामत दिखा रहा है। वही आसुरी प्रणाली इन स्वतन्त्र देशों में भी अपना काम कर रही है: राजनीति की वहाँ कुछ नहीं चलती, क्योंकि वहाँ लालची लोगों ने अपनी शक्तियों को खूब एकत्र कर रक्खा है। दोष और पाप वहाँ की जनता को उजाड़ रहे हैं। वे अपने जीवन के इग नरक से निकलने की कोशिश हर सूरत से उसे, और भी बड़ा नरक बना कर, करते हैं। धर्म से मिलनेवाली आशा का मार्ग उनके लिए खुला नहीं है, क्योंकि ईसाई-धर्म ने सदियों से सत्ताधारियों और लोभी लोगों का साथ दे कर अपनी साक्ष को गवां दिया है।

“मेरा खयाल है कि महात्माजी इसका बड़ा जवाब देंगे कि यदि सारी पश्चिमी दुनिया का सर्वनाश अबतक नहीं हो चला है, तो इसका एक ही उपाय है बड़े पैमाने पर सुव्यवस्थित शान्तिमय प्रतिहार का प्रयोग। परन्तु योरपियन भूमि और मरिचक में अहिंसा की कोई परंपरा नहीं है। यहाँतक कि इस सिद्धान्त के प्रचार में भी भारी दिक्कतें होंगी, तो फिर उसके यथावत् ज्ञान और प्रयोग की तो बात ही दूर है!”

इन मित्र के द्वारा शुद्ध अन्तःकरण से उपनिषत् किये गये इस प्रश्न में निर्दल समस्या मेरी कक्षा के बाहर है। इसलिए मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करने में हिचकिचाता हूँ। प्रश्नकर्ता के ओर मेरे बीच जो मित्रभाव है उसकी स्वीकृति के स्वरूप में ही मैं यह उत्तर दे रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मेरी इस राय की शकत नहीं है, या उतनी ही हो सकती है जितनी कि हर एक विचार-पूर्ण मुक्ति थी। मैं तो मैं योरप की उस बीमारी का निदान ही जानता हूँ और न उसका इलाज ही, उस अर्थ में जिरामें कि मैं भारत के रोग के निदान और चिकित्सा दोनों के जानने का दावा करता हूँ।

फिर भी मेरा मन कहता है कि असल में देखा जाय तो क्या योरप — यद्यपि योरप की राजनैतिक स्व-राज्य प्राप्त है — और क्या भारत दोनों को एक ही रोग है। केवल राजनैतिक सत्ता के एक हाथ से निकल कर दूसरे हाथ में चले जाने से मेरी महत्वा-कक्षा की संतोष न होगा, हालां कि मैं भारत के राष्ट्रीय जीवन के लिए सत्ता का इस प्रकार हस्तान्तरित होना परम आवश्यक मानता हूँ। योरप के रोग निःसन्देह राजनैतिक सत्ता तो रखते

हैं पर स्वराज्य नहीं। एशिया और आफ्रिका के लोगों को वे अपने आंशिक लाभ के लिए छूटते हैं और उनके शासक-धर्म या शासक-जाति उन्हें प्रजासत्ता के पवित्र भ्रम पर छूटते हैं। तो यदि जड़ को देखें तो रोग वही दिखाई देता है जो कि भारतवर्ष को है। इसलिए इलाज भी वही काम दे सकेगा। यदि सब प्रकार के ढकोसले को दूर कर दें तो योरप की जनता की यह छूट हिंसा के ही बल पर जारी है।

जनता के द्वारा हिंसा का अवलंबन होने से यह रोग कदापि दूर न होगा। अब तक के अनुभव यह दिखाते हैं कि हिंसा के द्वारा मिली सफलता थोड़े ही दिनों तक जीवित रही है। उससे अधिक हिंसा की उत्पत्ति हुई है। अब तक जो कुछ प्रयोग हुए हैं वे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के हिंसा-काण्ड तथा हिंसक की इच्छा पर आधार रखनेवाले कृत्रिम प्रतिबन्ध। पर ऐनकाल पर वे प्रतिबन्ध कुदरती तौर पर टूट गये हैं। इसलिए, मुझे ऐसा मालूम होता है, आगे-पीछे चल कर योरप की जनता को भी, यदि उन्हें अपनी मुक्ति की आकांक्षा होगी, तो अहिंसा का ही अवलंबन करना पड़ेगा। यह बात कि सामूहिक रूप से या सुरत से आज इसे ग्रहण नहीं कर सकते मुझे चिन्तित नहीं कर सकती। इस विशाल कालचक्र में कुछ हजार वर्ष तो एक कण के बराबर हैं। किसी न किसी को तो अटल श्रद्धा के साथ आरंभ करना ही होगा। मुझे इन बात में कोई संदेह नहीं कि योरप की जनता भी उसे अपनावेगी। परन्तु समय के विषय में अहिंसा का विशाल प्रयोग उतना आवश्यक नहीं है जितना कि मुक्ति के अर्थ में निश्चित रूप से ग्रहण कर लेना है।

जनता का उत्तर किस स्थिति से होगा? स्पष्ट कल्पना करने और उसका उत्तर देने से कि ‘लूट और पतन से’ काम न चलेगा। क्या इसका उत्तर यह नहीं है कि वे उस दुरजे को प्राप्त करना चाहते हैं जो आज पूँजीवालों को प्राप्त है? यदि यही बात है तो यह अकेले हिंसा के ही बल पर प्राप्त हो सकता है। पर यदि वे धन-सत्ता की सुराई को दूर करना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में यदि वे धन-सत्ता वालों के दृष्टि-बिन्दु को बदलना चाहते हैं, तो वे ‘धर्मजीवियों’ की कमाई वस्तु का अधिक न्यायोचित बटवारा कराने की कोशिश करेंगे। बस, यह हमें अविकार सन्तोष और सादगी पर ले जाता है जिन्हें कि हम नये दृष्टिबिन्दु के अनुसार अपनी खुशी से स्वीकार करेंगे। तब जीवन का सक्षम भौतिक सामग्रियों की दृष्टि न रहेगा, बल्कि सुख और आराम को कायम रखते हुए उनकी सीमा-बद्धता होगा। हम उस वस्तु को प्राप्त करने का खयाल छोड़ देंगे जिसे कि हम प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम उस वस्तु को लेने से इन्कार करेंगे जो कि सब लोगों को न मिलती हो। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आर्थिक दृष्टि से योरप की जनता से ऐसी प्रार्थना की जाय तो उसको सफल होना चाहिए और यदि ऐसे प्रयोग में कुछ अच्छी सफलता हुई तो उससे बहुत भारी और अज्ञात आध्यात्मिक परिणाम उत्पन्न होंगे। मैं इस बात को नहीं मानता कि आध्यात्मिक तब अपने ही क्षेत्र में काम करता है। बल्कि इसके प्रतिकूल यह जीवन के सामूहिक कार्यों के द्वारा ही अभिव्यक्त होता है। इस तरह यह आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव डालता है। यदि योरप की जनता मेरे द्वारा उपस्थित दृष्टि को स्वीकार करने के लिए राजी की जा सके तो यह ज्ञात हो जायगा कि इन लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हिंसाकाण्ड की विल्कुल आवश्यकता नहीं है और वे अहिंसा से प्रति-पत्तित होने वाले (एक सिद्धान्तों के पावन दर के ही अपनी अनीद-निधि कर सकेगे। और यह



भी हो सकता है कि मुझे जो बात मास्तानर्ष के लिए स्वाभाविक और वाच्य दिखाई पड़ती है वह भारत की सुस्त जनता में देखा होने के लिए क्वाइट समय ले, अनिश्चित कथिष्ठ वीरपीय जनता के। पर यहाँ फिर मुझे यह बात कह देनी चाहिए कि मेरी तयाम इलीके कल्याण और अनुमान पर अनलंबित है और इसलिए उनका जता ही मुख्य सम्भना चाहिए।

(पं० ई०)

मोहनदास करमचंद गांधी

### महारोग

हिन्दुस्तान किसानों का देश है। यों तो सारी पृथ्वी किसानों की है। परन्तु दूसरे देशों के लोग अकेली खेती पर निर्भर नहीं करते। कितने ही देशों के लोग शिकार पर अपना गुजारा करते हैं। इंग्लैंड हुनर पर जीता है। अपने लिए आवश्यक बहुतेरा अनाज बाहर से लाता है। परन्तु हिन्दुस्तान का आधार तो एक-मात्र खेती ही है। यदि पानी न बरसे तो लोगों को भूखों मरने की नीबत आ जाती है। बीमासे में किसानों को बाढ़ों का मुँह ताकते रहना पड़ता है।

परन्तु खेती तो बोके ही लोग बारहों मास कर सकते हैं। इस कारण करोड़ों लोग बार छः मास तक बे-रोजगार रहते हैं। इससे हम काहिल हो गये हैं। हमेशा से हमारी यह हालत नहीं रही है। जब हम खुद अपने कपडे तैयार करते थे तब करोड़ों लोग उद्योगी रहते थे। आज यही करोड़ों लोग आलस्य में दिन गवाते हैं। उनकी आँखों में तेज नहीं, आशा नहीं, उनके चेहरों पर उस्ताह नहीं। हमारी ऐसी दिन बसा हो गई है मानों आलस्य हमारा स्वभाव ही बन बैठा हो। किसान की काहिली मध्यम वर्ग में तो अवश्य ही है। काहिल कौम को स्वराज्य हरनिज नहीं मिल सकता। काहिली विनाश का कारण है। लाखों लोगों में भ्रमण करते हुए मैंने देखा है कि लोग जाते करते हुए अपना गुम-गुम बैठे रहते हुए नहीं सकते। यदि मैं जायस्क न रहूँ तो मेरे आस-पास अनेक लोग बैठ रहे और समझें कि हम पुण्य कर रहे हैं।

यह काहिली हमारा महारोग है। हमारी कंगाली उसका चिह्न है। मैं मानता हूँ कि हमारी कंगाली का कारण हमारे देश से धन का बाहर बका जाना अपना नहीं नहीं है। बल्कि कंगाली और हास का कारण हमारा आलस्य है। और आलसी आदमी यदि गुलाब न हो तो क्या हो? काहिल आदमी संसार में कभी स्वावलंबी नहीं हुए, न होंगे।

यह काहिली किस तरह दूर हो सकती है? कुछ न कुछ उद्यम करने से। ऐसा कौन-सा उद्यम है जिसे करोड़ों मनुष्य कर सकते हैं? मेरी नजर में तो एक ही है—बख्ता। यदि कोई धन-हित के लिए बरखे से अधिक अच्छा उद्यम खोज सके तो यह लौक से बरखा न काते। मेरा तो बरखे से ही यह कहना है कि बरखा निरक्षयी को उद्यमी बनाने का सर्वोत्तम साधन है। परन्तु यदि कोई इससे अधिक कारगर सार्वजनिक साधन प्रतियोगा तो उसे मेरा मस्तक अपने आप बंदन करेगा। मुझे ऐसा कहने काटे तो बहुत थिलके हैं जो खुद उद्यमी हैं। पर इससे क्या सारा हिन्दुस्तान उद्यमी हो गया? हिन्दुस्तान में दख-बोख करोड़पति है, कबीर-पचास राजा है; पर इससे क्या सब करोड़पति और राजा हो गये? सुखी लोग भी जब हिन्दुस्तान के दुःख में अपनेको दुःखी मानेंगे तब हम अपनेको एक-राष्ट्र कह सकेंगे। धीकृष्ण जसों को भी अपने लिए अवसरपरक होते हुए लोकसंग्रह के लिए उद्यम करना पडा था। और केवल स्वार्थ-प्रेरित उद्यम बस नहीं। करोड़ों लोग जिस उद्यम को स्वार्थ-वश करेंगे उसे

लोकनायक, या लोकसेवक कहिए, परमार्थ के लिए करेंगे। यदि वे न करें तो स्वार्थ के लिए उद्यम करनेवाले भी मोह में या भ्रम में पड कर उसका त्याग करते हैं। यहाँ तो निरक्षयी को उद्यमी बनाना है। और उद्यम भी ऐसा सिखलाना है जिससे हर बरख का और समाज का कल्याण हो। ऐसा उद्यम बरखा ही हो सकता है। इसीलिए मैं बरखे को कामधेनु कहता हूँ। एकबार लोग यदि बक की कीमत को गमन लें तो दूसरी जाते अपने आप सूँझ जायगी।

एण्ड्रयूज साहब ने दो सवाल पूछे हैं—'मवेशी का इन्तजाम अच्छा न होने के कारण करोड़ों का नुकसान हर साल होता है। और लोग भैके का सदुपयोग नहीं करते इससे करोड़ों का खाद फजूल जाना है और बीमारियाँ फैलती हैं। आप जो बरखे पर इतना जोर देते हैं तो मवेशी और गंदगी के सवाल पर जोर दे कर करोड़ों रुपये सहज बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते?' तो मवेशी की दिफाजत के लिए गो-रक्षा के काम का भार मैंने उठाया है। गंदगी का सवाल बडा टेडा है। और उसका भी कारण है कुछ अंश में आलस्य ही। यदि लोग उद्यम की कीमत समझ लें तो मवेशी का तथा गंदगी का सवाल तुरंत हल हो जाय। यदि बरखे जैसा आसान और तुरंत फलदायी उद्यम लोग न करें तो महा-प्रयत्न के बाद फल देनेवाला पशुओं का या गंदगी का मसला लोग किस तरह समझेंगे? इस तरह जिस दृष्टि से देखिए उसी दृष्टि से एक ही चीज दिखाई देगी। हिन्दुस्तान का महारोग आलस्य है, और उसे दूर करने का एक ही उपाय है बरखा।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

### टिप्पणियाँ

आगामी महासमिति

मैं आशा करता हूँ कि महासमिति का हर सदस्य आगामी महासमिति की बैठक में हाजिर हो कर उसकी चर्चा में घरीक हुए और अपनी राय जाहिर किये बिना न रहेगा। देवयोग से किसी कारणवश किसीको रुक जाना पडे तो बात दूसरी है। महासभा के विधान में जो परिवर्तन सूचित किया गया है वह उसी अवस्था में ठीक माना जा सकता है जब कि एकमत से आपहपूर्वक उसकी बरखत दिखाई जाय। यह एकमत और आपह किस प्रकार साबित हो सकता है? बहुत-कुछ अनुविधा और यदि आवश्यक हो तो हानि सहकर भी हर एक सदस्य के उपस्थित होने से। सदस्यों के यह मान लेने से कि अनुक बात होना निश्चित है, काम न चलेगा। उपस्थित सदस्य जो मुनासिब समझेंगे करेंगे। अनुसस्थिति जिम्मेवारी के भाव के अभाव का चिह्न माना जायगा—हां, यदि अनुपस्थिति का ठीक कारण बता दिया जायगा तो बात दूसरी है। सदस्यों को यह बात जानना चाहिए कि मैंने इस साल उन्हें अवतक तकलीफ नहीं दी है और यदि यह आवश्यक प्रसंग उपस्थित न होता तो मैं उन्हें अब भी तकलीफ न देता। मेरी राय में महासमिति की बैठक और उसके निमित्त होनेवाला खर्च सभी उचित माना जा सकता है जब कि कोई नई नीति निर्माण की जानेवाली हो, या शिक्षादायक सदस्यपूर्ण प्रस्ताव पास होने वाले हों। पहले विचार यह था कि समिति की बैठक १ अक्टूबर की बंधई में की जाय। पर यह सुझाया गया कि बैठक यदि जादी हो तो सदस्यों को सहूलियत होगी और यदि पठना उसका स्वाभ दरखा जाय भी और भी अच्छा। ऐसा मुकाम तो साबद ही हो जो सब को समान-रूप से सुधिवाजनक हो। अब बंधई का विचार किया गया था तब बंगाली विचलित हुए

ये । अब पटना नियत करने से गदर सिन्ध में विरोध होता है । यदि मैं तमाम सदस्यों और नवभाग प्रान्तों को इस बात पर कि पटना की तजवीज ठीक ही हुई है, यत्तुष्ट कर सकूँ तो क्या बात हो ! मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बहुतों के यद् मानने पर ही कि पटना सब के लिए बहुत ही अनुकूल जगह होगी, और खास कर इस समय से कि पण्डित मोतीलालजी ने अपने भारासमावाके राधियों के साथ सलाह कर के यही इच्छा प्रदर्शित की, पटना नियत किया गया है । और जब मैंने देखा कि पटना रस्वने से पण्डितजी की तन्दुरस्ती और अच्छी तरह कायम रखी जा सकेगी, तब मैंने पटना नियत करने में आगा-पीछा न किया । अभी वे ताकतवर या बिल्कुल चंगे नहीं हो पाये हैं । हमें का प्रक्षेप बड़ी चिन्ता और सावधानी के साथ अभी दम ही पाया है । इसलिए मैं आशा करता हूँ कि कोई सदस्य केवल इसलिए कि पटना स्थान रखना गया है, गैरहाजिर न रहेगा ।

#### आ० भा० चरखा-संघ

यदि सब बातें ठीक ठीक हुई तो मेरा यह भी उरादा है कि आ० भा० चरखा संघ का भी मंगलाचरण पकूँ । इसीलिए मैं चाहूँगा कि वे तमाम कार्यकर्ता जो इसके श्रीगणेश में दिलचस्पी रखते हों, महात्मनि के दिनों में पटना आँ, और अपनी अपनी कीमती सूचनायें गेश करें, फिर वे महात्मनि के सदस्य हों या न हों । मैं उन्हें सलाह दूँगा कि वे बाबू राजेन्द्रप्रसाद को अपने आने और रहने के मुकाम की सूचना दे दें । यदि वे यह चाहते हों कि बाबू राजेन्द्रप्रसाद उनके स्थान और भोजन पान का भी प्रबंध करें तो वे समय पर ही उन्हें हतिला कर दें । मैंने राजेन्द्र बाबू ने अवरोध किया है कि वे पत्रों में भोजन आदि के खर्च की तादाद प्रकाशित कर दें ।

#### सब दलों को क्यों नहीं ?

जो खयाल मेरे दिमाग में घूम रहा है वह यह है कि आगामी महात्मना का कार्य हलका कर व, महात्मनावाधियों में जो कुछ मतभेद हों उन्हें टोक-टाक कर दे और यदि हो सके तो महात्मना में सब दल के लिए एक ही घर काम करने की सुविधायें कर दें, जिससे कि महात्मना नई नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और चर्चा करने के लिए आजाद रहे । यहाँ यह कहा जा सकता है कि तब फिर मैं और दल के लोगों को भी पटना क्यों नहीं बुलाना ? मैंने इस मामले पर बहुत गौर किया है और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस अवस्था में ऐसे निर्माण से कुछ फल न निकलेगा । जब तमाम महात्मनावाधियों के मामले अपना कार्य स्पष्ट हो जानना और जब उनमें एकदिशी हो जायगी तब उपयुक्त समय होगा इस विषय में आगे कदम बढ़ाने का । महात्मनावाधियों तथा अन्य दलवालों के मत-भेद सब को मालूम है और वे स्पष्ट हैं । पहले पहले कुछ महात्मनावाधियों को ही यह विचार करना उचित है कि वे किस हद तक आगे जा सकते हैं और तब दूसरे दलों के नेताओं के साथ परामर्श करें । तब तक मुझे अपनी तरफ से यह आश्वासन दे कर ही मन्तव्य मानना पड़ेगा कि मैं सब दलों का एक भवन पर लाने की अपनी अभिलाषा में किसीसे पीछे नहीं हूँ । पर मैं जानता हूँ कि जब कि मतभेद शुरू से उत्पन्न है तब दुनिया भर की इच्छा रखते हुए भी एक मंच निर्माण करना मुश्किल होता है । मजबूत-प्रवृत्ति भी रमाने की तरह है । परन्तु विरोध बलुओं के संयोग का फल होता है उच्छेद । हर महात्मनावादी जिस बात को चाहता है और चाहना चाहता, वह है वास्तविक एकता या सम्मेलन जिसका परिणाम हो बल, न कि मजद लगाना जो

कि उल्टा काम का कमजोर बना देगा और इसीलिए उसकी तरफ की पीछे हटावेगा ।

#### बिहार में खादी

पुरलिया से एक मित्र लिखते हैं —

“ आप पुरलिया पधारने वाले हैं, इसलिए अब सब लोग खादी खरीदने लगे हैं— जब तक आप यहाँ रहें तब तक आपको दिखाने के लिए । आपकी अबाई के समाचार से कुछ लोगों को अपने खादी पहनने की प्रतिज्ञा की याद होने लगी है और कुछ लोग तो लोगों की नुकाचीनी से बचने के लिए खरीद रहे हैं । अब जो शरप आम तौर पर बिलायती कपड़ा पहनता है, पर सिर्फ कुछ मौकों पर खादी पहनता है, वह हाँसी नहीं तो क्या है ? और यदि आपके आगमन से ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती हो तो फिर उससे फायदा ही क्या ? पाखण्डी लोगों से कभी किसी देश के स्वराज्य की गहायता नहीं मिली है । एक समय था जब कि मैं विवाहोत्सव के अवसर पर खादी के कपड़े भेंट किया करता था । पर तजजिने से मैंने देखा कि यहाँ शुद्ध खादी मिलना प्रायः असम्भव है । शुद्ध खादी के नाम पर आम तौर पर जापान और भारतीय मिलों की खादी बिकती है और स्वराज्य आश्रम से जो खादी मैंने खरीदी उसमें ताना मिल के सूत का था । ”

इस खत में दो मार्क के सवाल पेश होते हैं । एक तो यह कि कभी कभी खादी पहनना अच्छा है या नहीं ? इस विद्वान्त के अनुसार कि ‘ कुछ नहीं से कुछ अच्छा है ’ प्रसंगोपात खादी पहनने को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । हम घर-बनी, घर-बुनी और घर-कती खादी बनना चाहते हैं । ऐसी अवस्था में ऐसी खादी की जितनी माँग होगी अच्छा ही है और जो लोग प्रसंग प्रसंग पर उसका इस्तेमाल करते हैं, संभव है कि वे हमेशा के लिए ऐसा करने लगे । इसलिए मैं हर मार्क पर उत्तम इस्तेमाल को प्रोत्साहन दूँगा । और न मैं इस बात की ही पुष्टि कर सकता हूँ कि जो लोग कभी कभी खादी पहनते हैं वे आवश्यक-हप से लौंगी और पाखण्डी हैं । जो शरप अपने जमली कप को छिपा कर अपनेको कुछ और ही दिखाता है वह पाखण्डी है, जो इस प्रकार डींग नहीं हाँकता वह गरी । जो शरप चुपके से शरप पीता है, पर जो अपने पटोरी की यह विश्वास दिलाता है कि उसने शरप छोड़ दी है वह पाखण्डी है मगर जो शरप अपनी शरपखोरी की आदत को नहीं छिपाता है, पर समाज में अथवा मित्र के सामने नहीं पीता है वह पाखण्डी नहीं है । बल्कि एक विचारधारा और समजदार आरम्भी है और उसके उस दुःखित से छूट जाने की पूरी पूरी आशा है । ऐसी अवस्था में पुरलिया के जो लोग मेरे आगमन के उपलक्ष्य में खादी खरीदते हुए पाये जाते हैं, वे यदि इसलिए खरीदते हैं कि मुझे यह विश्वास हो जाय कि उन्होंने कभी दूसरा कपड़ा पहना ही नहीं तो वे आवश्यक पाखण्डी हैं । पर मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ऐसे किसी पुरे विचार से वे खादी खरीद रहे होंगे । मेरे लिए यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि बहुतेरे लोगों ने अभी मिल बना बना हुआ कपड़ा पहना, फिर वह देशी मिलों का हो या विदेशी मिलों का, उँडा नहीं है । पर वे कभी कभी खादी पहनना बुरा नहीं समझते और बल्कि अब खादी पहनना महात्मना का पहनाव ही मानते हैं, वे लोग जो कि कभी कभी महात्मना के कामकाज में शरीक होते हैं खादी पहनना उचित समझते हैं । ऐसी अवस्था में यद्यपि मैं यह चाहूँगा कि बिहार के तमाम मजदूर-कहन को इस

लिए खादी खरीदते हैं कि मेरे हीरे के समान महासभा के जलसों में शरीक हो सकें, सदा-धरंदा खादी धारण किया करें। तथापि मैं उनके कभी कभी खादी पहनने पर उनकी निंदा नहीं कर सकता। इससे विहार की बचन की खादी बिक जायगी और उतना रुपया अधिक खादी बनाने के लिए मिल जायगा। यह लाभ छोटा होतें हुए भी कुछ जरूर है।

पत्र-लेखक की दूसरी बात ज्यादा गंभीर है। नकली माल से बचने का एक ही तरीका है और वह यह कि खरीददार माल की शुद्धता का विश्वास होने ही पर माल खरीदें। महासभा की संस्थाओं या खादी-मण्डल इस सुराई को बढ़ करने, कम से कम रोकने में बहुत-कुछ मदद कर सकती हैं। पत्रलेखक कहते हैं कि तमाम मुख्य मुख्य केन्द्रों में महासभा की तरफ से खादी-मण्डल खोलने चाहिए। इस तरह की कुछ न कुछ कोशिश की गई थी। पर यह सवाल है रुपये का और संपदन का। अ० भा० चरखा-संघ ऐसी ही सुराई का इन्तजाम करने के उद्देश से कायम करने का विचार किया गया है। पर तबतक मैं पत्रलेखक जैसे सज्जनों से आग्रह करूंगा कि वे सुविधा के अभाव में खादी को छोड़ न दें। खादी और चरखे का सफल संबन्धन तभी हो सकेगा जब हम अपने सर्वोत्तम भुणों का उपयोग करेंगे और इसीलिए मैं अक्षर कहता हूँ कि चरखे को अंगनाने से हम स्वराज्य तक पहुंच जायेंगे।

**गो-रक्षा**

जिन लोगों ने मुझपर अ० भा० गो-रक्षा-मण्डल की जिम्मेवारी का भार डाला है तथा जिन्होंने उसका मंगलाचरण किया है वे इमीनान रखते कि उसका काम-काज मेरे भ्रमण से बाहर नहीं रहा है। पर हाँ, मैं इस विषय का जितना ही अभियन करता हूँ उतना ही उसकी कठिनाई को पहचानता जाता हूँ। गो-रक्षा के साथ ही, जिस अर्थ में कि मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है, न केवल भारतवर्ष की पशु-जाति के कल्याण की ओर हिन्दू धर्म की मुक्ति की ही शंखला जुड़ी हुई है बल्कि एक बड़े दर्जे तक देश का वार्षिक कल्याण भी जुड़ा हुआ है। और दिन पर दिन यह विश्वास मेरे हृदय में दृढ़-गूढ होता जा रहा है कि इस समस्या का निपटारा खाता कर हिन्दुओं के और आम तौर पर भारतवासियों के इस मण्डल के साधनों की स्वीकृति पर अवलंबित है। इस उद्देश से कि मैं गो-रक्षा-संघी सब प्रकार के साहित्य का अध्ययन कर सकूँ मैं तमाम स्थानिक संस्थाओं को तथा उन लोगों को जो कि पशुओं के प्रश्न में दिलचस्पी रखते हैं, सरकार के प्राणि-विभाग तथा प्रांतीय सरकारों को भी निमंत्रण देता हूँ कि वे ऐसा साहित्य तथा पशु प्रश्न और दूध-शालाओं एवं चरों के कारखानों के संबालन से संबंध रखने वाले अंक मुझे पहुंचाने की कृपा करें। मण्डल की समिति की बैठक इस मास की २ ता० की बमई में होगी, जिसमें मैं मन्त्री तथा स्थायी सज्जानों के नाम प्रस्तावित करने की आशा रखता हूँ। मैं यह भी आशा करता हूँ कि जिन सज्जनों ने कुछ सदस्य बनाने का काम अपने जिम्मे लिया था वे अपने अंगीकृत कार्य की पूर्ति की सूचना दे सकेंगे। जो साहित्य आदि देने आगा है वह इस पते से भेजा जा सकता है—

मं० अ० भा० गो-रक्षा-मण्डल,  
 सरयाग्रहाश्रम, साबरमती  
 मं० क० गांधी

(मं० क०)  
 हमारी भेदगी

गंदगी के संबंध में मैंने दूसरी अगद एण्ड्यूज सा० के प्रश्न की चर्चा की है। फिर भी उसका विचार स्वतंत्र-रूप से करने की आवश्यकता है।

शौच के हमारे नियम निहायत उम्दा हैं। स्नान हमेशा अवश्य करना चाहिए। परन्तु इन तमाम कियामों का रहस्य हम नहीं जानते, इससे यह एक रिवाज-भर रह गया है। अथवा बदन के कारण हम ऐसा मांगते हैं कि कपड़े भी धोने से पानी का स्पर्श हमें पवित्र और स्वर्ग का अधिकारी बना देता है। विज्ञान तो हमें यह सिखाता है कि वही स्नान गुणकारक होता है जो निर्धूल जल से बदन मल कर दिया जाता है। नहज पानी के छोटे बदन पर डाल लेने से अथवा यों ही पानी उंडेल कर भेले कपड़े पहनने से लाभ तो कुछ नहीं उठता मुकसान होता है। हमारे पैराने तो इस पृथिवी पर ही मानों नरक की स्नान हैं। उनमें बैठना पाप ही है। जरा ही उद्यम से, विचार से, विवेक से हम उद्यम सुधार कर सकते हैं। उसमें खर्च का सवाल ही नहीं है। सिर्फे ज्ञान की आवश्यकता है। गरीब से गरीब आदमी भी यदि चर्हे तो शौच के नियम का पालन कर सकता है। हाँ, उसे अपना मैला देखने या साफ करने में पिन न होनी चाहिए। कियाम को यह पिन नहीं होती। किसान तो बड़े गंध तरीके से मैल की गाड़ियाँ भरते हैं।

अहमदाबाद, कानपुर आदि शहरों में जो गंदगी रहती है उसका कारण गरीबी नहीं, बल्कि धोर अज्ञान और काहिली है। शहरास में तो मैंने साफ़कारों के मजदूरे में ५० साल के धनिक आदमी को सारने में सुबह टटो जाते हुए देखा है। इस दृश्य का जब मैं विचार करता हूँ तो रोगके छडे ही जाते हैं। दरबार में पवित्र बंगला का किनारा शशीलोग सुपह-शाम दुर्गंधित कर डालते हैं। यहाँ बैठना और चलना असंभव हो जाता है। अल आदमी किलनी ही जंगल तो उधों के त्यों नदी में जा कर आबदस्त लेते हैं। शौचस्नान पर जल तक नहीं ले जाते। त्रिचननापल्ली में नदी में मैला यों आँखों से देख सकते हैं!!! और इसी पानी से नहाने हैं, इसीसे पीते हैं। बंगाल के पोखरे नदानी-धोन तथा मदेशी और इन्सान के पानी पाने के काम में आते हैं।

परन्तु एण्ड्यूज सा० के मित्र को शिकायत तो और ही है। वे कहते हैं— किसान जहाँ चाहे तहाँ टट्टी-पेशाब कर के जमीन खराब करते हैं। उसपर पानी बरसना है। और वह सारा मैला पानी में मिल जाता है। लाखों लोग मंगे पैर चलते हैं, इससे उन्हें नारू निकलते हैं, पंचिश बगैरह रोग होते हैं। अतःक्षय लोग तकलीक पाते हैं और वे-मुमर वे-मौत मर जाते हैं। इन मैले का बहिया खाद बन सकता है। चीन के लोग उसका खाद बना कर करोड़ों रुपये बचाते हैं। हिन्दुस्तान के लोग क्यों न बनावें और सन्दुपुरन भी रहें! दक्षिण अमेरिका में पहले हिन्दु-स्तान की तरह हालत थी। पुश्तान से उन्होंने २० साल में उसे बदल डाला और वहाँ के लोग बहुतेरे रोगों से बच गये।

हम भी मन में धार लें तो बच सकते हैं। किस तरह बच सकते हैं, इसका विचार अगले सप्ताह में करेंगे। (नवजीवन)

**सींगमपुर सरकारी बस्त्र-शाला**

करीदपुर परिषद के समय एक छोटी सी प्रदर्शनी भी की गई थी। बटफ इसे न भूले होंगे। उसमें सींगमपुर की बस्त्र-शाला के कपड़े और चरखे जाये थे और उन्हें देख कर गांधीजी को उस बस्त्र-शाला को देखने की इच्छा हुई थी। वह अब पूरी हुई। वह एक सरकारी संस्था है। छोटी-सी है पर बड़ी अच्छी तरह चल रही है। बंबई इसके में सरकारी हुनर-शालाये हैं परन्तु कहीं चरखे और जुनाई पर इतना जोर दिया जाता देखा नहीं गया — चरखे पर तो कहीं भी नहीं। जब हम गये २०-२५ चरखे पर विद्यार्थी बहिया सूत खेजी के साथ कात रहे थे।

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक २ ]

मुद्रक-महाशय  
विश्वविद्यालय का मुद्रक

अहमदाबाद, भाद्रपद सुदी ८, संवत् १९८२  
गुरुवार, २७ अगस्त, १९२५ ई०

मुद्रणस्थान—बनजीवन मुद्रणालय,  
बार्दोलपुर सरकोपरा की बाड़ी

## मनुष्य मात्र का बन्धुत्व

## मेरी साक्ष्यता

कलकत्ते के ईसाई-मार्ग के सम्मुख गांधीजी ने दो धाराएँ खोल दीं। एक भारतीय जन मित्रता की सोसाइटी के सम्बन्धों के सम्बन्धों और दूसरी ईसाई युवक समाज में।

पहले भाषण का विषय था मनुष्य-मात्र में प्राणमात्र। हिन्दुस्थानी ईसाई ही उसमें अधिक रोचक थे। आरम्भ में गांधीजी ने १८९३ से भी अधिक पुराना अपना सम्बन्ध ईसाइयों के साथ बसा कर कहा कि उनमें से कितने ही ने कभी भारतवर्ष को न देखा था। फिर भी मातृभूमि के प्रति उनका बड़ा प्रेम था। यह कि वह मुझे सम्बन्ध आर्षद्वे हुआ था। उनमें से अधिकांश लोग निरनिष्ठता, मां-बाप के सम्मान से और सर ब्रिटिश इन्टर ने उनकी स्थिति को गुलामी के आसपास की स्थिति कहा था। 'यह मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि आपको इस बात की बख्शना हो जाय कि हमारे इन देशबन्धुओं को विदेश में जाकर उस गुलामी से छूटने और सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने में कितनी शक्ति और निहत्त उन्नती पड़ी होगी। उनमें से कितने ही काम विधायक में शिक्षा पाकर आ गये हैं, कितने ही कुटुम्ब रोजगार करते हैं। धीरे-धीरे और कुछ बलबूते के जमाने में उनके कितने ही युवकों में सरकार की अपनी सेवा अर्पित की थी। कुछ तो मेरे ही घर में परवरिश पाये थे और उनमें से दो तो बैरिस्टर हो गये थे। इससे आप जान सकेंगे कि यहाँ हिन्दुस्थानी ईसाइयों के साथ मेरा कैसा सम्बन्ध था। यहाँ एक भी ऐसा पेशी ईसाई न होगा जिसे मैं न पहचानता होऊँ और इस सम्बन्ध के कारण आज मुझे आपके सामने मनुष्यमात्र के बन्धुत्व पर बोलते हुए आनन्द होता है। अब यहाँ हमारे जिन भाइयों की शिक्षणना हो रही है उन्हें मनुष्यमात्र के बन्धुत्व का क्या अर्थ हो सकता है? वे तो कहेंगे कि जहाँ से हिन्दुस्थानियों का निकलने का, अथवा एक अंग्रेज की मालिकी वाले अजबगार ने जसा कि कहा है, यहाँ से भूखी मार मार कर उन्हें निकालने का प्रयत्न यहाँ की सरकार कर रही है यहाँ बन्धुत्व किस तरह हो सकता है, यह हमारी गमना में नहीं आता। फिर भी मैंने आपके सम्बन्ध इस विषय पर जोरना इसीलिए स्वीकार किया है कि जमी निरन्धनता के समय और मुझे विश्व में ही मनुष्य के प्रति मनुष्य के बन्धुत्व की सभी मान्यता होती है।

बहुत बार मेरी स्तुति की जाती है। उसे मैं एक काम से चुन कर दूसरे काम से निकाल देता हूँ। पर आज आपने जिस युग का आरोप मुझपर किया है उसे स्वीकार करने की जी चाहता हूँ। जान कहते हैं कि मनुष्यमात्र के बन्धुत्व पर थोड़ने का एक यदि किसीको ही तो यह जानकी अवश्य होना चाहिए। मैं हम बात को मानता हूँ। मैंने अनेक बार यह उल्लेख की कीर्ति की है कि मैं अपने अनु का से गुणा कर सकता हूँ या नहीं—बहुत देखने का नहीं कि प्रेम कर सकता हूँ या नहीं, पर यह देखने का कि गुणा कर सकता हूँ या नहीं—अपने अपने प्रमाणकारी के साथ परन्तु पूरी पूरी नम्रता के साथ कहना चाहिए कि मुझे नहीं मालूम हुआ कि मैं उससे गुणा कर सकता हूँ। मुझे यह याद नहीं आता कि कभी किसी भी मनुष्य के प्रति मेरे मन में तिरस्कार उत्पन्न हुआ हो। मैं नहीं समझ सकता कि यह स्थिति मुझे किस तरह प्राप्त हुई है। पर आपसे यह कहता हूँ कि जीवन भर मैं इसीका आचरण करना आया हूँ।

## बन्धुत्व कितने कहते हैं ?

बन्धुत्व का अर्थ यह नहीं कि जो आपके भाई बनें, जो आप को चाहे उनके आप भाई बनें। यह तो रोना हुआ—बहला हुआ। बन्धुत्व में व्यापार नहीं होता। मेरा धर्म तो मुझे यह शिक्षा देता है कि बन्धुत्व मनुष्यत्व के साथ नहीं, प्राणिमात्र के साथ होना चाहिए। कितनी ही मान्यता—समाधि इंग्लैंड में मातृक पत्र निकालती है। एक में तीस पैंतीस साल पहले मैंने 'मेरा भाई बल' नाम की कविता पढ़ी थी। उसमें यह उपदेश नहीं बनोदर रीति से दिया गया था कि मनुष्य को चाहने वाला प्राणिमात्र पर प्रेम करे। मैं उसपर मुग्ध हो गया था। उस समय मुझे हिन्दुधर्म का बहुत कम ज्ञान था। मेरे आसपास के दासमंडल से, मेरे माता-पिता से तथा स्वजनों से जो कुछ शिक्षा सकता था भिन्ना था। तो भी इतना तो मैं समझ ही गया कि सप सप प्राणिमात्र के बन्धुत्व का उपदेश करते हैं। पर मैं आज इस स्थापके बन्धुत्व की बात करना नहीं चाहता। मैं तो यह बात यह शिक्षण के लिए करता हूँ कि यदि हम अपने अनु के साथ भी प्रेम करने के लिए तैयार न हों तो हमारा बन्धुत्व और कुछ नहीं, एक झूठीकता है। दूसरी तरफ़ मैं कहूँ कि कितने अपने





हृदय में मनुष्य के भाव का स्थान दिया है वह यह नहीं कहने दे सकता कि उसका कोई शत्रु है। लोग चाहे हमें अपना शत्रु मानते रहे पर हम ऐसा दावा न करें।

**शत्रु को भाई कैसे समझे ?**

“तब सवाल यह होता है कि जो हमें अपना शत्रु समझते हैं उनके साथ प्रेम किस तरह करें ? प्रतिदिन मुझे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई लोगों की चिट्ठियाँ मिलती हैं, जिनमें वे कहते हैं कि यह बात गलत है कि हम शत्रु को मित्र मान सकते हैं। हिन्दू लेखक लिखते हैं कि जो गाय हमारे लिए प्राणममान प्रिय है उसको मारने वाले मुसलमान के साथ प्रेम किस तरह हो सकता है ? ईसाई लेखक पूछते हैं कि अस्पृश्यता को मानने वाले, अपने भाइयों को अछूत समझ कर दलित करने वाले हिन्दुओं के साथ प्रेम किस तरह करें ? लेखक यदि मुसलमान ही तो बड़ पूछता है कि हुत-परस्त हिन्दुओं के साथ महद्वत कैसे हो सकती है ? उन तीनों से मेरा यह कहना है कि 'आपका मनुष्य बेकार है-- यदि आप अपने व्यक्ति उन लोगों को न चाह सकते हो' परन्तु इस तिरस्कार-भाव का अर्थ क्या है ? इसके मूल में भय है या सहिष्णुता ? यदि हम सब एक ईश्वर की सन्तान हैं तो हम एक दूसरे से क्यों डरे, अपना हमसे भिन्न मान रखनेवाले से ड्रप क्यों करें ? पर जिस क्रम से हम धृणा करते ही बढ़ कर किमी मुसलमान को करने दें / मेरा मनुष्य उत्तर देता है 'हां' ! और उसमें अपनी बात अधिक जोड़ता है 'आप अपनेको कुरबान कर दीजिए । जो बन्दु आपको प्रिय हो, यदि आप उसकी रक्षा करना चाहते हों तो आप बिना किसीपर हाथ उठाये उसके लिए मर जाइए ।' मुझे ऐसी बटनाओं का अनुभव है । आपके अन्दर यदि प्रेम के साथ कुछ शक्ति की हिम्मत हो तो आप पाषाण-हृदय को भी पानी पानी कर सकते हैं । बदमाश यदि आपसे सनाया उल्लान हो तो आप हथकड़ा कर क्या करेंगे ? इन्हें आपको जीत कर अधिक बदमाशी न करेगा ? दुष्टता की आग विरोध के पी से अधिक नहीं घबकती ? क्या इतिहास इस बात का साक्षी नहीं है ? और क्या इतिहास में ही ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि अहिंसा की पराकाष्ठा को पटु बन जाने वालों ने बड़े बड़े विकराल पशुओं को बच में कर लिया है ? पर इस पराकाष्ठा की अहिंसा को जाने दें । इसके लिए तो महा शूरवीर योद्धा से भी अधिक बहादुरी की जरूरत है । और जिसके प्रति आपके मन में तिरस्कार हो उसके साथ लड़ कर मर जाने के डर से बैठ रहने की अपेक्षा तो लड़ लेना अच्छा है । कागरता और मनुष्य परस्पर-विरोधी है । मगर शत्रु के साथ प्रीति करने की बात को स्वीकार नहीं करता । ईसा के अनुयायी योरप में भी अहिंसा के सिद्धान्त का सजाक उठाया जाता है । वहा से कोई साहब लिखते हैं, अहिंसा का सिद्धान्त अधिक समझाएँ, तो कोई कहते हैं हिन्दुस्तान में बैठे बैठे आप भले ही फाँसी बाँधे कीजिए । योरप में आप ऐसा नहीं कर सकते, और कितने ही लिखते हैं कि ईसाई-धर्म तो आज पाखण्ड हो रहा है, ईसाई लोग ईसा के सन्देश को नहीं समझते, इस तरह उसके पहचाने की जरूरत है कि हम समझ जाय । तीनों की परिधियों से तीनों का कथन ठीक है, पर मुझे कहना होगा कि यदि शत्रु का चाहने का सिद्धान्त स्वीकार न करें तो मनुष्य का बाँधे करना हवा में महल बनाना है । कितने ही स्त्री-पुरुष मुझसे पूछते हैं कि क्या लोग कहीं बर-मान का छाल सकते हैं ? मैं कहता हूँ 'हां' । हमें अपने मनुष्यत्व का पूरा मान नहीं, इसीसे वेर नहीं उठाया जाता । हमारे कहना है, हम यद्वर के जन्म हैं । यदि यह कथ्य हो तो हम अभी मनुष्य की दशा प्राप्त नहीं कर पाये हैं ।

डा० आनाकिमफर्ट ने लिखा है कि मैंने पेरिस में मनुष्य के रूप में सिंह, जेर, नाल और माप को खचने देखा है । इस पशुत्व को मिटाने के लिए मनुष्य का भय जन्म का आवश्यकता है । हर अपने अन्दर एक उगा धर के रूप किया जा सकता है इधियार से सुसज्जित ही कर नहीं । महाभारत ने वीर का भूषण अथवा वीर का गुण धमा बताया है । जनरल गार्डन का एक पुतला है, उसको बहादुरी बनाने के लिए उसके हाथ में तलवार नहीं, बल्कि एक छड़ी रखी गई है । यदि भी अल्पकार होता और भी गार्डन की मूर्ति बनता तो मैं उन्हें अल्प के साथ चीना ताने हुए खड़ा बनाता और नीचे लिखे शब्द गम्भार को गगाता हुआ बनाता-- 'चाहे कितने ही प्रहार करें, बिना भय न, बिना वीर के उन्हें खेलने के लिए यह सीना गृता हुआ है ।' यह है मेरे वीर का आदर्श । ऐसे वीर जगत् में अमर नग है । ईसाई-धर्म ने ऐसे शूरवीरों का जन्म दिया है । हिन्दू-धर्म और इस्लाम ने भी दिया है । मुझे यह कहना ठीक नहीं मान्य होता कि इस्लाम तलवार का धर्म है । इतिहास ऐसा नहीं लिखता ।

ये तो व्यक्तियों की बात है । जातियों के विवर हो जाने के भी उदाहरण है । उगों उगों हम मनुष्य का सचक रसने जायगे और उसके अनुचार चलते जायगे तो हमें वह व्यापक होता जायगा । कवेकर तथा टालस्टाय केरित दुर्गोचर का इतिहास क्या कहता है ?

**निर्बंरता का सम्बन्ध है ?**

“परन्तु योग्य के कितने ही जगत् जैदीर तथा भारत के बड़े लेखक कहते हैं कि ऐसा समय क्या नहीं आ गयता कि मनुष्य-जाति निर्बंर हो जाय । इसी बात पर मेरा विवाद है । मैं उलटा यह कहता हूँ कि मनुष्य जबतक निर्बंर नहीं हो जाता तबतक वह मनुष्य नहीं बन सकता, अपने धार की नहीं पटु बन सकता । हम चाहें या न चाहे, हमें हमी शरते जिना होगा, और आज में आपसे यह कहने आया है कि राचार हो कर इस राते जाने की अपेक्षा रवेरा से को नहीं जाने । यह बात जरा विचित्र मालूम होगी कि मुझे उमाओं के सामने यह बात करना पडती है । परन्तु हिन्दुओं के सामने भी यही बात करना पडती है । कितने ही ईसाई ना मुझे कहते हैं कि जरूरत ईसा की निर्बंरता का उपदेश केवल उनक पर शिष्यों के ही लिए था । हिन्दुस्तान में अहिंसा के विनांग लाग कहते हैं कि अहिंसा से नामर्दी फैलेगी । मैं आपसे बतने क लिए आया हूँ कि यदि भारतवर्ष अहिंसक न बनेगा तो उसका सनायन समाक्षिण, दूसरी तमाम कीर्तों का नाश समाक्षिण । भारतवर्ष तो एक भारी मनुष्य है । वह यदि हिंसक हो जाय तो जोर श्णों की तरह वह भी दुबक पर सीनाजंगी करेगा और यदि ऐसा हुआ तो इसका क्या फल होगा, इसकी कल्पना कर कीजिए ।

**राष्ट्रीयता में मनुष्यत्व है ?**

“मेरी राष्ट्रीयता में प्राणिमत्त का समावेश होता है, ससार की समस्त जातियों का समावेश होता है । और यदि मैं भारतवर्ष की अहिंसा का कायल कर सकू तो भारत भारे जगत् को भी कुछ समकार देखा सकेंगा । मैं नहीं चाहता कि भारत अपने राष्ट्रों की चिताभस्म पर भरा हो । मैं चाहता हूँ कि भारत अरम-बल प्राप्त करे और अपने राष्ट्रों को सनायन बनाता । अपने राष्ट्र धर्म बल का मार्ग नहीं दिखा रहे हैं । उमालग मुझ इस अथल सिद्धान्त का आश्रय लेना पडा है कि मैं कभी उस विधान का स्वीकार न करूँगा जिमका आचार पशु-बल ही ।



# हिन्दी-नवजीवन

पुस्तक, भागद गदी ८, संपत् १९२२

## दो प्रश्न

‘एक रियासती’ पढ़ने से—

ऐसे राज्य जिनमें सफेद सैनिकों का टोपा “(गान्धी केप) लगाना मना है, और जहाँ के अधिकारी वर्ग सफेद टोपी लगाने वाले को न-कुछ बात पर तम करना ही अपना धर्म समझते हैं, उन राज्यों में ऐसे लोगों को क्या गरीबों की टोपी पहनना अनुचित है ?”

मैं उन राज्यों का नाम जानना चाहता हूँ जहाँ मन्तव्य सफेद टोपी पहनना मना हो। मेरे नजदीक अब ऐसा होना असंभव-सा है। परन्तु यदि ऐसे राज्य हों तो वहाँ की प्रमुख तो एकाकी होते हुए भी सफेद टोपी विनय से पहनकर चल सकना जायगा। प्रजा ने ऐसा ही किया था। परन्तु अपना माहम करने की शक्ति जिसमें न हो वह गान्धी टोपी पहनना। गान्धी का त्याग कभी न करेगा।

‘एक रियासती’ का दूसरा प्रश्न यह है—

“जिन लोगों ने हाथ के कते-गुने वस्त्रों का धारण करने की प्रतिज्ञा ले ली थी उन्हें इस समय बेसी बख्त नहीं मिलने दे। यदि मिलते हैं तो बेचनेवाले कुछ खतर बनाकर भीड़ के सूत का कपड़ा दे देते हैं। साथ ही मरणा भी बतला देते हैं कि गरीब मनुष्य उसे खरीदने में धरना जाया है। जिनसे प्रतिज्ञा ली न उस स्वयं कानने-बुनने का प्रयत्न नहीं है। यदि हाथ का कता सूत तय्यार कर दिया जाये तो धरने के सूत का बपटा आलिंगनी बनाते। गरीब आपत्तियों के पटने पर क्या करना चाहिए? क्या मील के सूत का हाथ का बना कपड़ा पहनने की आपत्तियाँ हैं? खास करके धोतियों के लिए क्या ही कठिनायतें पड़ती हैं? क्या कहीं टिकाऊ, बारीक, सुन्दर धोतियाँ प्राप्त हो सकती हैं? क्या धरना उत्तर प्रदान करने का एक कोणिक है ?”

अधुना-काल में प्रत्येक स्थानक की आवश्यकता महान् बनने पड़ती है। एता ही खादी-प्रयोगों के लिए आवश्यकता चाहिए। खादी पहनने की चेष्टा में सामान्य है, कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा, विवेक, प्रेम-भाव है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि स्वयं से स्वराज्य है, स्वयंसे है। थोड़े कुछ ही महान् कर्म पर मनुष्य आज खादी पैदा कर सकता है। थोड़े जैने काल में तो मैंने खादीएँ और जिनकी खादी मित्र रहना है। महीना भी मिलती है। परन्तु अन्तर्गत की है। खादी गरीब अपने ही देहान में पहन सकें तो बस न कम अपने ही प्रान्त में रहे खादी पैदा कराने। स्वयं अन्तर्गत और पेशा सूत कानने, दूधों से कानने। सुलाहा लोगों को अच्छा हाथ का सूत मिले तो बुनने है। बाजार को खादी आज आवश्यक नहीं है। गरीबों के लिए ही खादी है— या स्वयं कानने, या आवश्यक कपड़े पहने और अनावश्यक कपड़ों का त्याग करें। त्याग और बालदान के सिवा अन्तर्गत ही कठिन बात है, बल्कि अगमन है।

मोहनदास करमचंद गांधी

## स्वराज्य या मौत

जीसे एक सत प्रकाशित करता हूँ—इसलिए नहीं कि वह कोई भाग महत्व की चीज है बल्कि इसलिए कि लेखक लगन वाले आदमी हैं, मैं उनको जानता हूँ, और इसलिए कि बहुतेरे लोग ऐसे ही प्रचार करते हैं।

‘किनारे पर’ (प. ड. २५ जन १९२५) नामक लेख में आपने इस पत्र के लेखक से इन बातों की वैकिक्यत चाही है—

‘आप यह क्यों समझते हैं कि हम स्वराज्य न मिलने तक धरना नहीं का। मरने, या खादी नहीं पहन सक्ते, या अछूतपत्र नर नहीं कर सकते, या मुगलानों के साथ मित्रता नहीं कर सकते? अगरेजों के चले जाने में हिन्दुओं को मुसलमानों पर या मुसलमानों को हिन्दुओं पर विश्वास करने में सहायता कैसे मिलेगी, या समानियों की आरंभ किस तरह गलत जायगी और दलित लोगों की दशा कैसे सुधर जायगी, या कठिन लोगों को तथा उन लोगों को जिनकी कति दलील मिल गई है कि उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता और वह खादी को ग्रहण नहीं कर सकती, कैसे धरने की लोच प्रवृत्ति होगी? निश्चय ही जब कि हम आज, अपनी विपत्त के दबाव से, नहीं कर सकते तब फिर जब कि हम नाम-मात्र के स्वराज्य से मिथ्या रक्षण के आव से शिथिल हो जायेंगे, कैसे कर सकेगे? आज ही से हमें इन नाममात्र या इनमें से किसी एक-भी वस्तु के पूरा करने से जिहा अपना धर्मिन्दा, कठिना आदि दुर्गुणों के और कौन सीक रहा है?’

मैं नहीं कह सकता कि लेखक इन सवालों का क्या जवाब देंगे? पर मैं यह भाषाकी नजर से जाना चाहता हूँ कि आपका यह कहना भी कि खादी, हिन्दु-मुसलिम-एकता और अछूतों-दलित के बिना स्वराज्य नहीं हो सकता, गलत आधार पर स्थित है। उन पत्र लेखक के कथन में भी कुछ सन्देह मालूम होती है और उसकी पुष्टि में मेरा कथन है—

(१) खादी और खादी का प्रचार स्वराज्य मिलने के बाद ही पूरी तरह हो सकता है, न कि उसके पहले। उसके कारण ये हैं—

सरकार हर समाज का मर्यादा है। हर शासक हर समय उसकी मदद चाहता है। लोगों की जान, माल और दणत उसीके जिम्मे रहती है। खादी प्रचार बहुत समय तक अपना सरकार के अपना काम नहीं चल सकता। साथ ही मेरे जिनमें खादी सरकार के लिये एक भाग बनाने का प्रयत्न है। वह बलवानों का लिबास या पहनावा माना जाता है। अन्तर्गत कानून में नहीं, पर व्यवहार में गरीब जान है। उनसे सरकार की जायजगी से डरता रहता है। ऐसा प्रचार भी गरीबों का प्रचार क्या हो सकता है? स्वराज्य के सिपाई और पदाधुर लोगों की उसको अपनावैने, अन्तर्गत नहीं। इस तरह खादी स्वराज्य के पहले धर पर नहीं पहुँच सकती। सब परमाणु तो खादी पहनना आजकल एक जुन हो गया है। आप कहें कि फिर वे लोग जो इनसे डरते हैं कि खादी तक नहीं पहुँचेंगे उन सरकार से क्या लवेंगे, और उसे कैसे उत्तर देंगे? महात्माजी, नगर में जो कोई महान घटना होती है वह देखा मनुष्यों के ही द्वारा होती है और मनुष्य उनका कारण नहीं जानता। गरीब अन्तर्गत सरकार का तत्त्वा देवी शक्ति ही कारण हो सकता है—खादी से राष्ट्र में भारी जोश प्रेरण फैलकर अन्तर्गत नतीजा होगा कि लोग कुछ बक्त के लिए पामल हो जायेंगे, सब नहीं कुछ खड़े ही लोग और उस भारी कौनो जोश के जमाने में हर क्षण इस काम के लिए कुछ समय तक उसी तरह पागल, निर और दिलेर हो जायगा।



स्वराज्य के बाद खादी इमाले घर घर फैल जायगी कि फिर उसके पहनने में कोई उर न रह जायगा। इसके अलावा लोगों की राष्ट्रीय सरकार के जिला बोर्डों आदि से प्रोत्साहन भी मिलेगा। और सब से बढ़कर ऐसा कानून बन जायगा कि विदेशी कपड़े पहनना जुर्म है, जैसा कि हर काम ने अपने घरेलू उद्योग धंधों को तरकी देने के लिए किया है।

(२) स्वराज्य के बिना रयायी हिन्दू-मुसलिम-एकता नहीं हो सकती। इसके कारण ये हैं—

मेरे लड़कपन में मेरे एक चचा ने एक किस्सा कहा था। दो गौजवान बड़े दोस्त थे, मानों एक जान दो कालिब। उनके मा-बापों को यह पसन्द न था और वे इन दोनों में दुश्मनी कराना चाहते थे। उन्होंने यह दिवारा पिटवाया कि जो इन दोनों दोस्तों में झगडा करा देगा उसको अच्छा इनाम दिया जायगा। एक बूढ़ी औरत ने जिसको लोग कूटनी कहते थे, इसका थोडा उठया। वह उनके पास गई और एक को दूसरे से अलहदा अपने पाम बुलाया। मगर सब तरह कि जिससे दूसरा देख ले। उमने अपना मुह उसके कान को लगाया और ऐसा दिखाया कि मानों कुछ कह रही है, हर हकीकत कहा कुछ नहीं और चली गई। वह अपने दोस्त के पास गया तो उसने पूछा कि बुढिया ने क्या कहा? बिचारे ने जवाब दिया कि कुछ नहीं। अब कुदरती तौर पर उस दोस्त के मन में शुबह पैदा हुआ। उसने खुद अपनी आंखों बुढिया का मुह उसके (दूसरे दोस्त के) कान के पास देखा, मगर वह नहीं जान पाता कि उसका उद्देश्य क्या था और फल क्या हुआ? दोनों में लडाईं तो गई और बुढिया ने इनाम पाया।

ठीक इसी तरह महात्माजी हिन्दू-मुसलमानों में तब तक पूरी एकता की उम्मीद न कीजिए जबतक कि एक तीसरी ताकत दोनों के बीच में मौजूद है, जिसके कि पास न केवल इस देश की बालिक छारे ब्रिटिश साम्राज्य की राधान-सामग्री है और जो अच्छी तरह जानती है कि मेरी हसी इस देश की जुदी जुदी जातियों की प्रुट और बाहमी झगडे पर ही अवलम्बित है और जो कि हरबन्क उनमें झगडे कराने की कोशिश करती रहती है। आप बहुत चाहते है कि हिन्दू-मुसलिम-एकता स्वराज्य की मडक बन जाय, पर अगर आप फिर फिर इसपर विचार करेंगे तो यकीनन आप इस नीति पर पहुंचेंगे कि इस सरकार का तन्त्रता उलट देना और स्वराज्य की स्थापना करना ही इस देश की भिन्न भिन्न जातियों में गलट और एकता करने की राडक होगी, न कि मुलह और एकता स्वराज्य की।

स्वराज्य के पहले स्थाना एकता अगम्भव है।

(३) अछुतपन भी इस देश में स्वराज्य के पहले दूर नहीं हो सकता। इसके सबब ये हैं—देश के लिए जो कुछ भी अच्छा काम किया जाता है वह सरकार और उसकी प्रेरणा से उससे देशी मित्र-देशी राज्य उसका विरोध करते हैं। अस्पृश्यता-निवारण में देश का हित है और इसलिए सरकार उसका आडे-टेड रास्ते से विरोध करवाती रहेगी। बाइकीम में मत्प्राप्तियों की सरकार ने कितना तंग किया? एक तो अछुतों को हिन्दू-मंदिर में कुछ हक और सुविधा दिलाने का विरोध खुद सनातनी हिन्दू ही करेंगे, दूसरे क्या यह सच नहीं है कि सरकार अछुतों के खिलाफ उनका मदद करेगी? ऐसी हालत में आप जबतक कि इस सरकार को न हटा दें कैसे इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं? महात्माजी, अभी तो देश की हर युगी बात के लिए अकेली यह सरकार ही जिम्मेवार है। आपके इस कार्यक्रम को देश के अधिकांश लोगों ने अपनाया है; पर इस सरकार की हस्ती के बदलाव ही यह पूरा नहीं हो पाया है।

अपने त्रिविध कार्यक्रम के मंथन में आप जो कुछ कहते हैं उसमें बहुत सत्यांश है। फिर भी मैं अदब के साथ कहता हूँ कि आप कुछ दजें तक अमली-पन को नजर-अन्दाज करते हैं। और हम आपके वैयक्तिक वफादारी के साथ अपने बम भर आप के हुकमों की तामील करते हैं। पर मेरी प्रार्थना है कि कृपा कर के स्वराज्य की बात पर पहले विचार कीजिए और बातों पर पीछे। एक-मात्र स्वराज्य ही तमाम राष्ट्रीय दुःखों को दूर कर सकता है। आप पहले ही कह चुके हैं कि यदि इस साल के अन्त तक लोग खादी कार्यक्रम को पूरा न कर सकेंगे तो देश को ऐसा कार्यक्रम दगा कि जिससे तमाम स्वराज्य के मतवालों के लिए या तो स्वराज्य होगा या मौत, कृपया खादी कीजिए नहीं तो सब काम मन्द पड जायगा। वह समय अब बनकराब आ पहुंचा है जब कि आप अपना वह कार्यक्रम प्रकाशित करें और काम को पुकारें—'या तो स्वराज्य लो, या मर मिटो।'

लेखक की दृष्टियों में कुछ सत्यांश जरूर है। पर उनका यह कहना बिल्कुल गलत है कि तमाम बुराइयों की जब यह सरकार ही है: क्योंकि इस क्रांति में क्या बहुत-कुछ सत्यांश नहीं है कि लोग वैसी ही सरकार को पाने हैं जिस लायक कि वे होते हैं? यदि हम ऐसे लोग न होते जो कि आसानी से डरल बना दिये जाते है या दबा दिये जाते हैं तो हम ईस्ट इन्डिया कम्पनी के लश्चरियों या बल के वर्गीभूत न हो गये होते और चरखा और खादी को न छोड बैठते होते। यदि हम हिन्दू और मुसलमान आपस में माटयों की तरह रहे होते तो ब्रिटिशों के प्रतिनिधि हम लोगों में फुट न टाल सकते। और, अछुतपन की हस्ती के लिए सरकार को दाय देना उसकी ताहीन करना है। यदि सरकार को सनातनी हिन्दुओं के विरोध का डर न होता तो मुमकिन था कि वह बहुत पहले अछुतपन को बहुत-कुछ कम कर सकी होती। मैं एक भां ऐसी मिसाल को नहीं जानता जिसमें सरकार ने इस सुधार में रुकावट डाली हो। बाइकीमवाले मामले में ब्रिटिश सरकार को दाय देना गलती है। उसका एकमात्र कारण है देशी सरकार की कम हिमती। मेरा वर्तमान सरकार अर्थात् शासन-प्रणाली से कोई प्रेम नहीं है। पर यदि मैं अपने क्रोध के आदेश में विवेक-शक्ति को खोचता मैं इस सरकार को फिटाने में समर्थ न हो सकूंगा। 'शतान को भी उमका हिस्सा दो' यह एक अच्छी कहावत है और न्यान में रखने योग्य है।

पर हां, मुझे यह स्वतःका जरूर है, परा पूरा है कि सब खादी में इतनी शक्ति आ जायगी कि वह विदेशी कपडे को देश से निकाल सके तो यह सरकार बहुत कर दे, उसके गला धोतने का प्रयत्न करेगी। मैं यह मानना नहीं चाहता कि यह बलवाइयों का लिबास है या उसके पैगा होने की आवश्यकता है। हां, बात यह है कि सरकाराने हलकों में खादी के खिलाफ कुछ न कुछ प्रचार होना रहता है। मुणसे कहा गया है कि खादी पहनने वालों पर तथा खादी के मुकामों पर नजर रखी जाती है। सरकारी हलकों में पहनने वालों को वे सुविधायें नहीं दी जाती जो उनके खादी न पहनने की अवस्था में दी गई होती। परन्तु हरखास और आम को खादी को अपनाने से कोई नहीं रोक्ता। निम्न ही स्याज आसमान से तो टपक पड़ेग नहीं। वह तो कल होगा हमारे धर्म का, अभ्यवसाय का, अविनाम कठिन परिश्रम का, साहस का और वायुनडल की पुंड्रपर्वक कपूर करने का। लेखक दवां शक्ति को बात करते है: पर यह भी प्रार्थना-पूर्वक किये गये कठिन परिश्रम को हो मिल सकती है। जिसका शरीर या मन शिथिल है उसको नहीं। बिना प्रय के प्रार्थना वैसी हो

किसी कि आन्तरण के बिना थड़ा—बिना पानी की नदी । इसलिए चाहे हम स्वराज्य के पहले विदेशी कपडे को सोकहो आना देश से न हटा सकें, पर हम खादी का एक 'अच्छा दृश्य' तो खादा कर सकते हैं । अच्छा, कहिए, महासभावादी को राष्ट्रीय कामों के लिए खादी पहनने और चर्खा चलाने में क्या रोकता है ? या क्या उनमें खादी पहनने और चर्खा चलाने की उम्मीद तब की जाय जब स्वराज्य स्थापित हो जायगा ? क्या हम वे फरिश्ते हैं जो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की राह देखते बैठे कि वह आ कर हमारे पंख फड़फड़ा देगी ? हो सकता है कि स्वराज्य के पहले भिन्न भिन्न जातियों में आदर्श एकता न हो; पर काम चलाने कायक एकता होने में क्या रुकावट है ? क्या यह सच बात नहीं है कि हम एक दूसरे को इनना अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं कि जिससे गणराज्य में स्वराज्य की इच्छा ही नहीं होती ?

पत्र-लेखक एक गलती कर रहे हैं । सरकार के कार्य के सम्बन्ध में उनका खयाल गलत है । वे यह समझते हैं कि आदर्श सरकार वह है जो हमारे लिए हर बात का हुक्म जारी कर दिया करे जिससे हमें कोई बात सोचने तक की जरूरत न रहे । पर सच बात यह है कि आदर्श सरकार वह है जो कम से कम हुक्मल करती हो । वह स्वराज्य ही नहीं है जो लोगों के लिए कुछ भी करना—परना बाकी नहीं छोड़ता । वह जो विधायी की अवस्था है । आज हमारी हालत यही है । केवल अभी उस स्थिति से ऊपर उठने में समर्थ नहीं प्राप्त होते वह यदि हमें स्वराज्य प्राप्त करना है तो हममें से अधिकांश लोगों को अपनी जमानत नामावली से आगे बढ़कर व्यवस्था का अनुभव करना होगा । हमें कम से कम उन बातों में तो जरूर अपना शासन स्थापित करना चाहिए जिनमें कि मशक सत्ता प्राणपण से हमारा विरोध नहीं कर रही है । विविध कार्यक्रम स्व-शासन-विषयक हमारी कसबता की कड़ौटी है । यदि हम अपनी तमाम कमजोरियों का दोष मौजूदा सरकार पर लगाते रहे तो हम उन्हें कदापि दूर न कर सकेंगे ।

लेखक मुझे बेवकूफ में कही अपनी इस बात की बाद बिसास है कि यदि सम्भवतः इस साल के अखीर में हम बहुत आगे बढ़ गये तो मैं कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा जिससे हम अपना अन्तिम निर्णय कर लें और कह दें 'बग या तो स्वराज्य लेंगे या मर मिटेंगे ।' वे अपने मन में वायद किसी ऐसी उधळापुधळ की बात समझ रहे हैं जिनमें हिंसा और अहिंसा का तथ मेद भुका दिया जायगा । ऐसे प्रम से हम स्वैच्छाचार को पहुँचेंगे, शासन-शासन की नहीं । वह स्वैच्छाचार और कुछ नहीं, अराजकता होगी, जो कि आत्मा की गुलामी या एकाव से हर हालत में बेहतर है; पर वह ऐसी अवस्था है जिसके जाने में मैं न केवल कामभीभूत न हूँगा बल्कि जिसके लिए मैं स्वभावतः अयोग्य हो गया हूँ । और मैं स्वराज्य लेने या मर मिटने का जो कुछ उपाय कर सकूँगा वह हर हालत में गौलमाल और अराजकता से दूर रहेगा । इस लिए मेरा स्वराज्य औरों के खून का फल न होगा, बल्कि स्वयंस्फूर्त लगातार क्रियातियों का फल होगा । मेरा स्वराज्य खून-खाराबी के द्वारा किसीसे अपने हकों का खीनना न होगा, बल्कि वह सत्ता का प्राप्त करना होगा जो कि कर्तव्य के अच्छी तरह बजाई के साथ प्राप्त करने का सुन्दर और स्वभावतः फल होगा । इस लिए उद्योग विषय के उपाय का काफी जोश होगा, ताकि

के दंग का नहीं । अभी तो मेरे पास कोई पुर तैयार नहीं है; पर लेखक के इस विचार को मैं भी मानता हूँ कि ईश्वर ही उनका रास्ता बतावेगा । मैं उस चिन्ह की राह देख रहा हूँ । वह तभी दिखाई दे सकता है, वरन् दिखाई देता है, जब कि क्षितिज घोर अंधकार से ध्यात हो । पर मैं इतना जानता हूँ कि वह तब दिखाई देगा जब देश में ऐसे युवा-युवतियों का एक दल निर्माण हो जायगा जिन्हें देश के लिए काम में, काम में और मएज काम में पूरा जोश मिलता हो ।

( य० इ० )

मौद्गन्दास कृष्णचंद्र गांधी

### एक-लिपि

यदि हमको अपना यह दावा मञ्जूर बनाया हो कि हम एक-राष्ट्र हैं तो हमें बहुतेरी बातें एक-सी रखनी पड़ेंगी । भिन्न भिन्न धर्म-मतों और बन्धों के रहते हुए भी हमारे यहाँ संस्कृति की एकता तो है । हमारी प्रदियां भी एक-सी हैं । मैं यह दिखाने की कोशिश कर ही रहा हूँ कि पहलाक के लिए एक तरह की कल-सामग्री केवल इष्ट ही नहीं आवश्यक भी है । हमें एक-भाषा की भी जरूरत है -- देशी भाषाओं की जगह पर नहीं, बल्कि उनके अलावा । और आम तौर पर यह बात मान ली गई है कि वह माध्यम हिंदुस्तानी ही होना चाहिए, जो कि हिन्दी और उर्दू के मिलाप का फल हो और जिसमें न तो भारी भारी संस्कृत के शब्द हों और न अरबी या फारसी के । जब हमारे रास्ते में सब से बड़ी बाधा है इसी देशी-भाषाओं की अनेक लिपियां । यदि हम एक-लिपि को अपना लें तो हम अपने एक-भाषा-संबंधी वर्तमान स्वप्न को सब बनाने के रास्ते की एक भारी रुकावट दूर कर देंगे ।

लिपियों की बहुतायत एक नहीं अनेक तरह से बाधक है । वह ज्ञान-प्राप्ति के रास्ते में एक अबरहस्त विघ्न है । आर्य-भाषाओं में इनकी समानता है कि यदि हमें उनकी विविध लिपियों को सीखने में बहुतेरा समय नष्ट न करना पड़े तो हम किसनी ही भाषाओं को बिना अधिक कठिनाई के जान सकें । जैसे-यदि किसी मनुष्य को थोड़ा भी संस्कृत का ज्ञान हो तो उसे कश्मिर रबीन्द्रनाथ ठाकुर की अनुपम रचनाओं का स्वाद लेने में कोई कठिनाई न होगी, यदि वे देवनागरी लिपि में प्रकाशित हों । परन्तु बंगला-लिपि तो मानों अ-बंगालियों को एक मोटिल ही है— 'मुझे न छुओ' । इसी तरह यदि बंगाली देवनागरी-लिपि को जानते हों तो वे मुलसीदास की अद्भुत सुन्दरता और भाषाशक्तिता का तथा दूसरे कितने ही हिन्दी लेखकों की कृतियों का रसास्वाद कर सकते हैं । जब कि मैं १९०५ में भारतवर्ष को देखा तब, मैं समझता हूँ, बंगाली की किसी एक समिति से मेरा पत्रव्यवहार हुआ था जो कि एक-लिपि-विस्तार के लिए प्रयत्न कर रही थी । मुझे इस-समय से अत्यन्त का हाक-बाहक नहीं है; पर यदि कुछ दस्ताही लगन वाले कार्यकर्ता धार हैं तो इस दिशा में बहुत पला और सार-रूप काम हो सकता है । हाँ, इस काम की मर्यादायें जरूर हैं और वे स्पष्ट हैं । सारे हिन्दुस्तान के लिए एक-लिपि का होना एक दूरवर्ती आदर्श है । परन्तु तब तक कामों के लिए जो कि संस्कृत से उत्पन्न होने वाली भाषाओं जिनमें दक्षिण की भाषाएँ भी शामिल हैं, बोलते हैं, एक लिपि का होना व्यावहारिक आदर्श है, यदि हम सिके अपनी प्रकृतियों को दूर कर दें । उदाहरण के लिए एक पुनराती के लिए पुनराती-लिपि पर विचार रहना कोई खास गुण नहीं है । भारत-भाष्य अच्छी चीज है जब तक वह है; बल्कि की मही भाषा की

यह शेष का अन्तर्ग्रहण है, जो कि अपने मगर का चलने की शक्ति से सम्बन्धित करने के लिए प्रस्तुत है ।

सहायक होती हो। इसी तरह वेसमय भी उसी हद तक अग्रणी बीज है जिस हद तक वह बड़ी धारा विश्व-भक्ति को सहायक होती हो। यह प्रान्त भक्ति जो कहती है कि भारतवर्ष अपने घर गया, हमारे लिए गुजरात ही सब कुछ है, बुरी बीज है। गुजरात का नाम यहाँ मैंने इसलिए दिया है कि एक तो वह इस बात में अग्रणी का ठिकाना है, और दूसरे में वह एक गुजराती है। गुजरात में ही थोड़े-थोड़े भाग्य से उन लोगों ने जिन्होंने कि प्रारम्भिक शिक्षा के सिद्धान्तों को स्थिर किया है, देवनागरी को अविनाशिक बना तय किया है। इसलिए वहाँ हर एक गुजराती लड़का या लड़की, जिसने किसी मद्रस में तालीम पाई है, देवनागरी और गुजराती दोनों लिपियों को जानती है। यदि उन्होंने सिर्फ देवनागरी लिपि ही तय की होती तो और भी अच्छा होता। हाँ, पुरातन के प्रेरितों को तो अवश्य पुराने ग्रन्थों और लेखों को पढ़ने के लिए गुजराती लिपि पढ़नी होगी। परन्तु गुजराती लड़कों की शक्ति दूसरे उपयोगी भूम के लिए खर्च रहती, यदि उन्हें दो के बजाय एक ही लिपि पढ़नी होती। जिस समिति ने महाराष्ट्र में शिक्षा-योजना तैयार की वह और भी अधिक विचारवान थी। उसने सिर्फ देवनागरी लिपि को ही कायम रखा। फल यह हुआ है कि एक महाराष्ट्रीय तुलसीदास के ग्रन्थों को उतने ही अर्थ प्रकार कम से कम पढ़ सकता है जितने कि तुकाराम के ग्रन्थों को, और गुजराती और हिन्दुस्तानी भी उतने ही अर्थी तरह तुकाराम के ग्रन्थों को पढ़ सकते हैं।

परन्तु बंगाल में इसके विपरीत निर्णय हुआ, जिसको हम सब लोग जानते हैं और मिले कि बहुतेरे शोचनीय मानसे हैं। भारत को सब से सपुत्र भाषा के जाँहर तक पहुँचना मानो जानबूझ कर अतन्त्र कश्मि बना दिया गया है। और इस बात के लिए कि देवनागरी ही सर्व-सामान्य लिपि हो, ये समझता हूँ, किसी अत्यन्त प्रमाण की आवश्यकता न होगी; क्योंकि वही तो एक ऐसी लिपि है जिसे भारत के अधिकांश भाग के लोग जानते हैं। उसका प्रचार ही उसके पक्ष में यह फैसला देता है।

मैं विचार मेरे मन में इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं कि अभी जब मैं कटक गया था, एक अमली सवाल हल करने के लिए मेरे सामने पेश किया गया था। वहाँ एक ऐसी खाति है जो बिहार के हिन्दी-भाषी और उड़ीसा के ब्रजिय-भाषी लोगों के बीच में है। सवाल यह था कि उनके बच्चों की पढ़ाई का कैसा इन्तजाम करें? उन्हें उड़िया सिखाई जाय या हिन्दी? उन्हें अपनी ही मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जाय और उनकी लिपि देवनागरी रहे या कोई नई ईजाद की जाय? उड़िया-वासियों का पहले पहल यह विचार हुआ कि उनको उड़िया लोगों में शामिल कर लिया जाय। बिहारी लोग उन्हें बिहारियों में ढिलाना चाहेंगे और यदि उस जाति के बच्चे-बच्चों से पूछा जाय तो सायद वे कुदरती तौर पर कहेंगे कि हमारी बोली उड़िया और बिहारी से कम नहीं है और उसकी लिपि भी जन्म बननी चाहिए और उनके लिए यदि कोई नई ईजाद की जाए लिपि न हो जैसा कि एक दो जगह वर्तमान युग में होता हुआ मैंने देखा है, तो इसवाल में कौचा-तानी होगी कि लिपि देवनागरी रहे या उड़िया? अखिर भारत को बिचार-पथ में रखने का प्रयास करते हुए मैंने उन मित्रों से कहा कि उनके लिए यह तो उचित है कि वे उड़िया-भाषी लोगों में उड़िया भाषा को अग्रणी बनायें, पर इस जाति के लोगों को हिन्दी सिखानी चाहिए और कुदरती तौर पर लिपि भी देवनागरी होनी चाहिए। जो लोग हिन्दु-प्रकार की बोली को स्थायी और उन्नत रूप देना चाहती हैं — यानी संकुचन और दूसरे से कटक कर रहती हैं, वह भाषा-

धर्म और विश्वभाव के प्रतिकूल है। मेरी नाकिल राय में तत्काल अनुमत और अलिखित बोलियाँ महान हिन्दुस्थानी के प्रवाह में शामिल हो जानी चाहिए। यह बड़ी ऊँची कुर्बानी होगी कोई कुदरती न होगी। यदि सुन्दरत हिन्दुस्थान के लिए हमें एक-भाषा बनाना है तो हमें भाषाओं और लिपियों की पुँद और भिन्नता को इस बड़ती को रोकना होगा। हमको जरूर एक-भाषा तैयार करनी होगी। उसको कुदरती कुदरती तौर पर लिपि से हो होनी और जबतक हिन्दु-मुसलिम प्रभु हल न होगा देश के हिन्दु लोगों में ही यह मर्यादा रहेगी। यदि मेरी बलती तो देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियों का, मान्य प्रान्तीय लिपियों के अलावा, हर प्रान्त में पढ़ना अनिवार्य कर देता और मैं भिन्न भिन्न देशी भाषाओं के मुख्य प्रयों को देवनागरी लिपि में छुपवाता और साथ ही उच्च अक्षरः अनुवाद भी हिन्दुस्थानी में छुपवाता। दुर्भाग्यवश जबतक थोड़े ही महासमा-वादियों ने देवनागरी लिपि छीनने की और उससे भी थोड़ों ने उर्दू-लिपि छीनने की तकलीफ गवारा की है।

( य० इ० )

मोहनदास करमचंद गांधी

**टिप्पणियाँ**

खादी कार्यकर्ताओं का लेखा

नीचे लिखे अंक स्वयं खादी कार्य की स्थिति बतलाते हैं। मुझे खुशी है कि प्रायः सब केंद्रों ने अपनी रिपोर्ट जल्दी भेज दी है—

केंद्र	पूरा समय काम करनेवाले कार्यकर्ताओं की संख्या	प्रे-ग्रुपेट	वैतनिक या अवैतनिक	अधिक से अधिक काम के कम मासिक वेतन	अंश	कुल संख्या
१. ताम्रिल्ल ड लादी मण्डल	२६	१	वैतनिक	१५	३१	५७
२. आखिल भारत (पंजाब) की मण्डल	२६	०	वैतनिक	१०	६	३२
३. खादी प्रसिद्धि बंगाल	८८	१३	वैतनिक	१०	२६	१२४
४. गुजरात खादी मण्डल	३२	५	वैतनिक	१५	४३	४०
५. पंजाब खादी मण्डल	१५	१	वैतनिक	२०	५	२०
६. मध्यप्रान्त ( बिन्दो )	६	०	वैतनिक	१०	१०	१६

# सभी क्यों नहीं दें देते ?

वार्षिक मूल्य (१)  
 समाप्त का (२)  
 एक प्रति (३)  
 विदेशों के लिए (४)

# हिन्दी नवजीवन

संपादक—मोहनदास करमचन्द गांधी

वर्ष ५ ]

[ अंक १ ]

मुद्रक-प्रकाशक  
 वैशालाल छगनलाल शूष

अहमदाबाद, भाद्रपद सुदी १, संवत् १९०५  
 गुरुवार, २० अगस्त, १९२५ ई०

प्रकाशस्थान-नवजीवन मुद्रणालय,  
 सारंगपुर सरडीमरा की बाड़ी

## टिप्पणियां

स्वराज्य-संबंधी घोषणा

एक आश्चर्याच सभान् में मुझे एक पत्र मिला है। वह इतना युक्तिसंगत और अर्थसा है कि उसमें लिखी तमाम बातों से कहमत न होसे हुए भी मैं उसे प्रकाशित करना चाहता हूं। परन्तु सुद पत्र-लेखक ने ही ऐसे सबल कारण पेश किये हैं कि उसका अधिकांश और अल्पसंख्यक भाग प्रकाशित न किया जाय। मैंने जो कुछ लिखने के लिये प्रस्ताव किया था, उसमें मैंने लिखा है कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता पर मेरी तरफ से दिया गया जोर, तथा उसके प्राप्त करने के तरीके का फल यह हुआ कि कम से कम कुछ समय के लिए तो दिन दिन मन-मुटाव बढ़ता जा रहा है। उसके बाद वे मुझे सलाह देते हैं कि अब आगे आप इसे न लाविए, न खींचिए और इस तरह पत्र को समाप्त करते हैं—

“ अब आप अपने किये और न किये कामों के अनपेक्षित फलों को देख ही रहे हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सर्व-साधारण पर यह अच्छी तरह स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर दें कि जिस स्वराज्य को मैं अपने देश के लिए प्राप्त करना चाहता हूँ वह है (आधुनिक) प्रजासत्ताक राज्य। राज्य लोगों के धार्मिक विश्वास का कोई हयाल न करेगा, धर्म के मामले में 'किसी प्रकार की अनिवार्यता न होगी' कोई शकस महज अपने जन्म के बंदोबस्त (जैसे अछूत, दरिद्र आदि) किसी बात से या कहीं जाने से संबंधित न रहेगा, और राज्य का यही सूत्र रहेगा — 'सब को एकसा भाका मिले,' हूँ-इसमें इस नीति का अन्तर्भाव है कि जिसके द्वारा प्रदान करते हुए देखें गये हैं उसका अर्थ है कि मुस्लिमों का बल प्राप्त नहीं होवे, अतः पत्र पर उल्लेखित किस्से जो हिन्दू-मुस्लिम-एकता के लिये लाये जाय इसका निर्णय हर व्यक्ति के लिये किया जाय, न कि महज उनके अल्पसंख्यक के विधान में। या मुस्लिमों में भी कदापि इस धार्मिक को अपने जीवन में कार्य करने का स्वतन्त्र श्रेय सम्पन्न न लायें। — जन्म या मजहब के कारण न किसीके साथ आस-रिश्तायत की जाय न किसीके राष्ट्रे में हकायट डाली जाय,— यह राज्य के हर विभाग का अन्तिम नियम होगा।

“ भिन्न भिन्न जातियों के प्रधान नेताओं ने इन गिजान्तों को स्वीकार कर लीजिए; बस आप आधे से ज्यादा भारत-माता के बालकों में एकता स्थापित करने के मुद्दे में विजय पा जायगे। पर वह घोषणा-पत्र तो आपको अपने तथा अपने प्रथित हिन्दू-मुस्लिम-भाइयों के लिए बर ही देना उचित है। यदि अड़ी-भाइयों से, खिलाफतियों की तरफ से ऐसी घोषणा आप करा सकें तो बहुत अच्छा होगा।”

हिन्दू-मुस्लिम-एकता के संबंध में मैंने पहले से अन्दाज कर लिया था कि पत्र-लेखक क्या सलाह देंगे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि महज उसके लिए मेरे कहने रहने से, जैसा कि मैं अबतक करना आया हूँ, कुछ लाभ न होगा। मैं इसी बात पर सन्तुष्ट हूँ कि मेरी कृति ही सुद मेरी तरफ से कहे। अब जहाँतक स्वराज्य सम्बन्धी घोषणा से सबब है, मैं इस सलाह को सोलहों आमा मान लेता हूँ और पाठकों से कहता हूँ कि लेखक के द्वारा मूचित इस घोषणा को वे मेरी ही घोषणा समझें।

## इस्माइलियों के लिए

उस दिन मुझे एक ऐसी सभा में व्याख्यात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जिसमें भारतीय ईसाई लोग अधिक संख्या में सम्मिलित होनेवाले थे; पर पीछे उधमें मुसलीम ईसाइयों की संख्या अधिक हो गई थी। इसलिए मुझे जो भाषण करना था उसका रूप बदल देना पड़ा। तो भी उस भाषण के कुछ अंशों का सार वहाँ पर देता हूँ जिससे मालूम हो जायगा कि जो शब्द उनके बीच में भिन्न भिन्न प्रसंगों और परिस्थितियों में रहा है उसने उनके सम्बन्ध में क्या अनुभव किया है और क्या सोचा है ?

जब मैं मुवा या नब मुने याद है कि एक हिन्दू ईसाई हो गया था। उस करने के सब कारणों ने यही समझा कि ईसाई होने का मतलब है ईसा-मसीह के नाम पर यो मर्म खाना खाना पाना, तथा अपनी राष्ट्रीय परंपरा को छोड़ देना। कुछ वर्षों बाद मुझे यह मालूम हुआ, जगा कि कइ ईसाई पाठकों कहने हैं कि ईसाई हो जाने में मन्तव्य में कुछ आने है और आजादी का जीवन व्यतीत करने है। इतना ही नहीं बरकरा है कुछ कर जमीरी की जिन्दगी बनार करने हैं। चूंकि मैं सारे भारत में खूबता रहता हूँ, मैंने कई ऐसे





भारतीय ईसाइयों को देखा है जो अपने जन्म के लिए, अपने बुजुर्गों के धर्म के लिए और बुजुर्गों की प्राचीन पोशाक के लिए प्रायः शर्मिदा होते हैं। अब-गोरे भाइयों का यूरोपियों की नकल करना तो बुरा है पर भारतीय ईसाइयों का उनकी नकल करना तो एकदम अपने देश के प्रति और अपने नये धर्म के प्रति अस्वाभाव करने के तुल्य है। न्यू टेस्टामेंट में एक जगह लिखा है कि यदि अपने परदासियों को दुख पहुंचता ही तो गौमांस न खाना चाहिए। मैं समझता हूँ इसमें शराब पीना और अपनी पोशाक बदलना भी शामिल है। प्राचीन बुरी बातों को छोड़ने की अच्छी प्रवृत्ति की मैं प्रशंसा कर सकता हूँ लेकिन जहाँ बुराई का कोई प्रथ नहीं है, इतना ही नहीं, बल्कि जहाँ प्राचीन बातें लाभदायक भी हैं तहाँ उनको छोड़ना मेरे ह्याल में एक जुम है जब कि यह इतना उनके मित्रों और सम्बन्धियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचानेवाली है। धर्मान्तर करने का यह अर्थ नहीं है कि हम राष्ट्रीयता को छोड़ दें। धर्म-परिवर्तन का अर्थ यह होना चाहिए कि हम पुराने जमाने की धुगाइयों को छोड़ दें और नये जमाने की अच्छी बातों को ग्रहण करें। इतना ही नहीं बल्कि नये जमाने में भी जो बुरी बातें हैं उन्हें भी छोड़ दें। इसलिए धर्म-परिवर्तन का अर्थ यह है कि हम अपना जीवन अपने देश के लिए और उससे भी अधिक ईश्वर के लिए और अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए समर्पण कर दें।

बहुत वर्ष पहले मैं स्वर्गीय कालोचरण बनर्जी से मिला था। यदि मुझे पहले उनके ईसाई होने की बात मालूम न होती तो मैं उनके घर के रहनसहन से कभी नहीं जान सकता था कि वे ईसाई हैं। आजकल के भारतीय घरों के सुभाषिक ही उनका मकान था, जिसमें मामूली रंग का साज-सामान था। वह महान् पुरुष मामूली हिंदू बगाली जैसे कपड़े पहने हुए थे। मैं जानता हूँ कि भारतीय ईसाइयों में भी बड़ा परिवर्तन हो रहा है। बहुत-से ईसाई अपनी प्राचीन सादगी की तरफ झुक रहे हैं, और अपने देश की सेवा करने की इच्छा कर रहे हैं। पर अभी उनकी गति बहुत धीमी है। अब बहुत समय तक इतजार करने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत प्रयत्न करने की भी जरूरत नहीं है। परन्तु मुझसे कहा गया है और यह टिप्पणी लिखते समय एक ईसाई का भेजा पत्र मेरे सामने पड़ा है, जिसमें यह लिखता है कि मैं तथा मेरे मित्र परिवर्तन करने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं; क्योंकि हमारे बड़े-बूढ़े उसका विरोध करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमपर गुरी तरह नजर रखी जाती है और राष्ट्रीय हलचलों के साथ हमारे किसी भी तरह के लगान की जरूरत निन्दा की जाती है। स्वर्गीय आकाश रू और मैं अक्सर इस कुप्रवृत्ति पर विचार किया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वे किस तरह इसको शोचनीय बताते थे। वे हम बात पर भारी खेद प्रकट करते थे कि अब उनके लिए अपनी पुरानी युरोपियन आदतों को बदलने का समय निकल गया है। पाठकों को यह खबर देकर अपने उन स्वर्गीय मित्रों की मैं प्रशंसा ही कर रहा हूँ। क्या सचमुच यह बात शोचनीय नहीं है कि बहुतेरे ईसाई भारतीय अपनी मातृभाषा को छोड़ दें, अपने लड़कों को लड़कपन से सिर्फ अंग्रेजी ही बोल्ने सिखायें? क्या इस तरह वे उस कौम से जिसके अन्दर उन्हें रहना है एकबारगी ही अपना नाता नहीं तोड़ के और उससे दूर नहीं हट जाते? पर इसके अबाव में शायद वे यह तफाई पेश करे कि इसतरह बहुतेरे हिन्दू और मुसलमानों ने भी राष्ट्रीयता को छोड़ दिया है।

परन्तु इस दलील से कि 'तुम भी ऐसे ही हो' कुछ काम नहीं निकल करे में एक समालोचक के तौर पर नहीं बल्कि एक मित्र के तौर पर लिख रहा हूँ, जो कि पिछले तीस साल से सैकड़ों ईसाई भारतीयों और से घनिष्ठ संबन्ध रखता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पादरी मित्र मुझसे ईसाई भारतीय उसी भाव में इसको ग्रहण करें जिसमें कि ति को पंक्तिवा किया गई है। मैं हृदय की एकता के नाम पर अधिकल उसीके लिए यह लिख रहा हूँ; क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भिन्न भिन्न धर्म-मतवाली इस भारतभूमि के जोगों में वह हृदयव्यवस्थापित हो। प्रकृति में हम उसकी बाहरी विविधता के अन्दर छिपी हुई एकता को अनुभव करते हैं। धर्म-मत इस प्राकृतिक नियम का अणवाद नहीं है। धर्म-मत मनुष्य-जाति को इसीलिए प्राप्त हुए हैं कि वे इस आमूलाम एकता के साक्षात्कार की गति का कदम आगे बढ़ाने।

#### सम्मति-वय

श्रीमती दोरोथी जिनराजदास ने एक गरीबी विद्वा बड़ी भारासभा में उपस्थित होने वाले सम्मति-वय को कम से कम १४ साल तक बढ़ाने के बिल के संबन्ध में मेजी है। उसकी एक प्रति उन्होंने मुझे भी भेजने की कृपा की है। उसे मैं यहाँ देता हूँ —

“बड़ी धारासभा के आगामी अधिवेशन में बालक-रक्षा-कानून उपस्थित होने वाला है। मैं यह पत्र आपको इस उद्देश से भेज रहा हूँ कि आप उसकी पुष्टि के लिए अपना प्रभाव खर्च करें। मेरा यह दृढ़ विचार है कि यदि नीरतर्क्य को तुनिया में एक सम्मानित राष्ट्र होना ही तो, उसके मापे से यह बाल-माताओं का कलंक मिट जाना चाहिए।

“पिछली दफा जब यह बिल पेश हुआ था तब वेसा में और भारासभा में इसकी पुष्टि मिली थी और मैं समझती हूँ कि इस आगामी अधिवेशन में इसे पास कराने में विशेष कठिनाई न होगी यदि कुछ कोकमत इसके पक्ष में प्रकाशित किया जाय। जहाँ तक मैं जानती हूँ वेसा में खास कर क्रियों के द्वारा बहुतेरी सभायें इस बिल की पुष्टि में हो रही हैं और मुझे यह विश्वास है कि देश की अधिकांश स्त्रियों की इच्छा के अनुकूल ही यह बात है कि लड़कियों की शादी की उम्र १४ साल तक बढ़ा दी जाय।

“मुझे बकीन है कि यदि आप अपनी राय उसके एक में प्रकाशित कर सकें और क्रियों और पुरुषों को इसकी पुष्टि करने के तथा दैनिक जीवन में इसके सिद्धान्तों का पालन करने के महत्त्व को जवा सके तो इस बिल की स्वीकृति के मार्ग में बड़ी सहायता पहुंचेगी।”

मुझे कबूल करना होगा कि मुझे इस बिल के विषय में कुछ मालूम नहीं है, मगर मेरा यह दृढ़ मत है कि केवल १४ ही नहीं बल्कि १६ साल तक सम्मति-वय (लड़कियों की शादी की उम्र) बढ़ा दी जाय। ऐसी अवस्था में उस बिल के सञ्चयन के संबन्ध में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। मैं समझती हूँ कि वेसा में इस बिल के अंग्रेजी में लड़की का विवाह करना और किशोर वय की अनौपचारिक और निर्दय व्यवहार है और बनाना। १४ साल का विवाह-विधि को कानून की स्वीकृति न मिलना मेरी राय में एक बुरा ही नीति-विषय है उसे किसी भी ऐसी किसी भी विधियों के अन्तर्गत पर जायज न मान लेना चाहिए। जो रिवाज बाल-माताओं के स्वास्थ्य को नष्ट करने के लिए सन्दिग्ध संरक्षक यदि बाल-विवाह की भीषणता के साथ बकाए देने कितनी ही बुरा है, और

शास्त्र-मैथिल्य को जोड़ दिया जाय तो फिर इस मानवी बुद्धि और शक्ति-काण्ड को परिपूर्णता ही समझिए। सम्मति-बन्ध को बढ़ाने के लिए किन्ना गया कोई भी उचित कानून अवश्य ही मेरी पुष्टि प्राप्त करेगा। पर मुझे यह बात बुद्धि के साथ मालूम है कि मौजूदा कानून भी लोकमत की पुष्टि के अभाव में निष्फल गिद्ध हुआ है। और बातों की तरह इस विषय में भी सुधारकों का मार्ग कठिन है। यदि सर्व-साधारण हिन्दुओं के चित्त पर कुछ भी सखा असर आसना हो तो लगातार आन्दोलन की जरूरत उसके लिए है। जो लोग कि भारतीय बालिकाओं को क्रम उन्न में ही पुढागे से तथा मनु से और हिन्दू-धर्म को दुबले-पतले चूँही जैसे बंध पैदा करने के लिए जिम्मेवार होने से बचाने के शुभ और ठक कार्य में लगे हुए हैं उनकी ये हर तरह से सफलता चाहता हूँ।

( पं० इ० )

मो० क० गांधी

### अहिंसा की समस्या

ऐसे प्रश्न मुझसे बराबर पूछ जाते हैं कि कब अहिंसा का और कब हिंसा का अवलंबन करना चाहिए और किस समय क्या कर्तव्य है। कितने ही सवाल तो ऐसे होते हैं कि जिनसे पूछने वाले का अज्ञान प्रकट होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे उनके संकट का परिचय मिलता है। एक पंजाबी ने प्रश्न पूछा है। उसका उत्तर लिखने योग्य है। वह इध प्रकार है —

‘ शेर भालू इत्यादि आ कर पशु और मनुष्य को उठा के जाय तो क्या करें? अथवा पानी में जन्तु इत्यादि हो तो क्या करें? ’

मेरी अव्यक्ति के अनुसार मामूली जबाब तो यही है कि जब शेर, भालू इत्यादि का उपद्रव हो तब उनका नाश अनिवार्य है। पानी में रहनेवाले जन्तुओं का नाश अविकल्प है। अनिवार्य हिंसा न रहकर अहिंसा नहीं हो जाती। हिंसा को हिंसा के ही रूप में जानना चाहिए। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि यदि कोई बिना शेर-भालू का नाश किये अपना काम चला के तो वह उत्तम है; पर यह करेगा कौन? वही जो शेर-भालू से डरता नहीं, बल्कि भिन्न की तरह उनसे मिल सकता हो। डर कर जो हिंसा नहीं करता वह ही हिंसा कर ही चुका है। चूँकि किसी के प्रति अहिंसक नहीं। उसका मन तो निरन्तर विद्रोह की हिंसा करता रहता है। निर्बल होने के कारण वह किसी को मार नहीं सकता। हिंसा करने का पूरा सामर्थ्य रखते हुए भी जो हिंसा नहीं करता है वही अहिंसा-धर्म में पालन करने में समर्थ होता है। जो मनुष्य स्वच्छ से और प्रेमभाव से किसीकी हिंसा नहीं करता वही अहिंसा धर्म का पालन करता है। अहिंसा का अर्थ है प्रेम, दया, क्षमा। शास्त्र उसका वर्णन धीरे के गुण के रूप में करते हैं। यह बीरता शरीर की नहीं, बल्कि हृदय की। शरीर से क्षीण पुरुष भी जारों की मर्द से घोर हिंसा करते हुए देखे गये हैं। शरीर से बलवान् होने हुए भी युद्धिष्ठिर जैसे विराटाराज जनों को क्षमाप्रदान करते हुए देखे गये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्योत्सक इन्द्र का बल प्राप्त नहीं होता तबसक मनुष्य अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकता। जात्रकाल की बन्धि अहिंसा अहिंसा नहीं। इसमें तो बहुत बार घोर निर्दयता दिखाई देती है और अज्ञान तो उसमें अवश्य ही है।

इसारी इस दुर्बलता को में जानता हूँ। इसीलिए मैंने खेडा में महासुद्ध के समय स्वयंसेवक विप्राहियों को मरती करने का महाप्रयत्न किया था और इसीसे मैंने उस समय कहा था कि विद्रोह सत्तान्त ने जो अनेक घोर कृत्य किये हैं उनमें उसका एक अति घोर कृत्य यह है कि करने लोगों को निःशक्त कर के

निर्धन बना दिया है। आज भी मेरी वही दृष्टि है। जिसके मन में भय भाव रह रहा है वह यदि निःशक्त रह कर भय को दूर नहीं कर सकता तो वह अवश्य लाठी या उससे भी जल्दी शक्ति का अवलंबन करे।

अहिंसा एक महाप्रत है। सत्कार की धार पर चलने से भी कठिन है। देहाणी के लिए उसका मालूम आना पालन अवलंबन है। उसके पालन के लिए धैर्य तपश्चर्या की आवश्यकता है। तपश्चर्या का अर्थ वहाँ त्याग और ज्ञान करना चाहिए। जिसे जमीन की मालिकी का मोह है उसे अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। किसान के लिए अपनी जमीन की रक्षा करना लाजिमी है। शेर भालू से उग्रही रक्षा करनी ही पड़ेगी जो किसान शेर, भालू अथवा घोर इत्यादि को दब देने के लिए तैयार न हो उसे खेत छोड़ देने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा।

अहिंसा-धर्म का पालन करने के लिए मनुष्य को शास्त्र तथा रिवाज की मर्यादा का पालन करना चाहिए। शास्त्र हिंसा की आज्ञा नहीं देता; परन्तु प्रयोग-विशेष पर हिंसा-विशेष को अनिवार्य समझ कर उसकी छुटी देता है। जसा कि कहते हैं मनुस्मृति में प्राणी-विशेष के बंध की आज्ञा है। बंध की आज्ञा नहीं है। उसके बाद विचार में उन्नति हुई और यह तब हुआ कि कलिकाल में वह अपवाद न रहे। इसलिए वर्तमान रिवाज हिंसा-विशेष को क्षतव्य मानता है और मनुस्मृति की धितनी ही हिंसा का प्रतिबन्ध करता है। शास्त्र ने इतनी छूट रखी है। उससे आगे बढ़ने की दलील स्पष्टतः गलत है। धर्म मयम में है, स्वच्छन्दता में नहीं। जो मनुष्य शास्त्र की दी हुई छूट से लाभ नहीं उठाता वह धन्यवाद का पात्र है। समय की कोई मर्यादा नहीं। इसलिए अहिंसा की भी कोई मर्यादा नहीं। समय का स्वागत बुद्धि का तमाम शास्त्र करते हैं। स्वच्छन्दता के विषय में शास्त्रों में भारी मतभेद है। समकोण सब जगह एक ही प्रकार का होता है। दूसरे कोण अगणित हैं। अहिंसा और सत्य ये गमस्त धर्म का समकोण है। जो आचार इस कर्तौटी पर न उतरे वह त्याज्य है। इतने किसीको धंका करने की आवश्यकता नहीं। अधूरे आचार की आज्ञा चाह ही। अहिंसा-धर्म का पालन करनेवाला निरन्तर जाग्रत रह कर अपने हृदय-बल को बढ़ाये और प्राप्त छुटों के क्षेत्र को मकुचित करता जाय। भोग हुरागत्र धर्म नहीं। गन्धार का ज्ञानमम त्याग ही मोक्ष-प्राप्ति है। संसार का सर्वथा त्याग तिसालय के दिग्दर्श पर ही नहीं है। तद्व्यक्त मुफा, सखा मुफा है। मनुष्य को चाहिए कि वह उसमें लुप कर मकुचित रह कर संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त रह कर अनिवार्य कर्तों में प्रवृत्त होने हुए विवरण करे।

(नवजीवन)

मोहनदास करमचंद गांधी

गांधीजी-लिखित

दक्षिणी अफ्रिका का सत्याग्रह

(पूर्वांक)

मूल्य सर्वसाधारण से ॥१॥

नवजीवन-संस्था, अहमदाबाद

सूचना

सस्ती-साहित्य-माला, अजमेर के स्थायी प्राहकों को सागत-मात्र मूल्य (१५) पर मिलेगा। आज के स्थायी प्राहक इस पते पर फरमावश करें—

सस्ती-साहित्य-प्रकाशक-मण्डल,

अजमेर

# हिन्दी-नवजीवन

शुक्रवार, मासपद सुदी १, संवत् १९८२

## बंग-केसरी

सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की मृत्यु क्या हुई मानों भारत के राजनैतिक जीवन से ऐसा पुरुष उठ गया जो अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप उसपर छोड़ गया है। नये आदर्श और नई आशाओं ली हुई जनता की नजरों में यदि वे पीछे हट गये तो क्या हुआ? हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल का ही तो परिणाम है। सर सुरेन्द्रनाथ जैसे पथ-दर्शक लोगों के बहुमूल्य कार्य के बिना वर्तमान समय के आदर्श और उच्च आकांक्षाओं का होना संभव ही न था। एक ऐसा समय था जब कि विद्यार्थी लोग उनको अपना आराध्य देव समझते थे, जब कि देश के राष्ट्रीय कामों में उनकी सलाह लेना अनिवार्य समझा जाता था और उनके बक्तव्य से लोग मन्त्र-मुग्ध हो जाते थे। जब हमें बंग-भंग के समय की दिक दहला देनेवाली घटनाओं का स्मरण होता है तब उसके साथ ही सर सुरेन्द्र की उस समय की गई अनुपम सेवाओं की स्मृति कृतज्ञता और अभिमान-पूर्वक हुए बिना नहीं रह सकती। ऐसे ही समय में सर सुरेन्द्रनाथ को अपने कृतज्ञ देश-बन्धुओं से 'कभी न झुकने वाला' की पदवी मिली थी। बंग-भंग के युद्ध की भीषण स्थिति में भी सर सुरेन्द्र कभी डकाराँल न हुए, कभी निराश न हुए। वे अपनी पूरी शक्ति के साथ उस आन्दोलन में खूब पथे थे। उनके प्रस्ताव से सारे बंगाल में उस्ताद फैल गया। सरकार को 'नान्यथा' को 'अन्यथा' करने के दृढ़ संकल्प में वे अचल रहे। उन्होंने हमको हिम्मत और दृढ़ता की शिक्षा दी। उन्होंने हमें सदान्ध अधिकारियों से 'नहीं' कहना सिखाया। राजनैतिक क्षेत्र के अनुसार ही शिक्षा विभाग में भी उनका काम बहुत उंचे दर्जे का था। रिपन कालेज के द्वारा हजारों विद्यार्थियों को उनकी सीपी देख-रेख और लगातार असर में रहने के कारण बड़ी उदार शिक्षा मिली। अपने नियमित जीवन के कारण वे हमेशा सन्तुष्ट और सदाक बने रहे और उन्हें दीर्घ जीवन — हिन्दुस्तान में समझा जाने वाला दीर्घ जीवन — मिला। अन्त समय तक वे अपनी मानसिक शक्तियों को कायम रख सके। ७७ वर्ष की उमर में अपने दैनिक 'बंगाली' पत्र का सम्पादन भार लेना कोई मामूली शक्ति का काम न था। अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति कायम रहने के सम्बन्ध में उनकी ऐसी दृढ़ धारणा थी कि दो मास पहले जब मुझे बालकपुर में उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तब उन्होंने मुझ से कहा था कि मैं ९९ वर्ष की आयु तक जीवन रहने की उम्मीद करता हूँ। इसके बाद मुझे जीने की इच्छा नहीं है। क्योंकि उसके बाद बेरी शक्ति कायम न रह सकेगी। पर मान्य ने तो उम्मीद उलटा कर दिखायी। बिना सूचना दिये ही उसने उन्हें हमसे छीन लिया। किसीको इसकी कल्पना तक न थी। शुक्रवार ता. ६ के प्रातःकाल तक उनकी मृत्यु का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। यद्यपि आज उनका शरीर हमारे बीच में नहीं है तो भी उनकी देश-सेवा तो कभी भुलाई नहीं जा सकती। परमाणु भारत के निर्माण करने वाली में उनका नाम गरा अमर रहेगा।

( अ. ६० )

मोहम्मद अली जिनगी

के प  
नि में नवजीवन  
ग लिख  
ही से थां

## सभी क्यों नहीं दे देते ?

“इस्राईली” की लिखा अपने डंग के पत्रों का एक नमूना है। दी जाय पंक्तिभों 'अपरिवर्तनवादी' लोगों के हस्ताक्षर इसपर है—  
प्रायः सब लीके लिए आपके इस अभिवचन पर कि महासभा स्वराजियों होगा। साहब धर्म-मत-जिससे कि महासभा मुख्यतः राजनैतिक संस्था है क्या चीज? नि हो। प्र.अपरिवर्तनवादियों के दिल को घटा लगे बिना क्या राजनैतिक है एकता न, पहले तो यही बताइए कि राजनैतिक का को दूसरे रूप में अण नहीं पहले साल आपका स्थिति कि काई बरकनहेड के भाषण से उत्पन्न न था? यदि कावला किया जा सके? पिछले साल आपने स्वराज्यों का बंद ठहराव किया था। क्या उन्होंने बेलगांव में की गई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ईमानदारी से उसका पालन किया है? किम बात ने उन्हें रोका था? आप जानते ही हैं कि बहुतरे अपरिवर्तनवादियों को बंद ठहराव पसन्द न था, पर आपके खातिर उन्होंने उसे अपनी मरजी के खिलाफ मजूर किया था। अब फिर आपने अपने इस अभिवचन के द्वारा बिना ही उनसे मशवरा किये, अपरिवर्तन-वादियों को एक तरफ टकेल दिया है। आपने एकबार जहाँ उसे मंजूर किया कि अपरिवर्तनवादियों को भी अपनी इच्छा के खिलाफ उसे मजूर करना ही पड़ेगा। ये उसमें यों ही खींचे जा रहे हैं।

“क्या धारा-मभा का कार्यक्रम ही एक-मात्र राजनैतिक कार्यक्रम है? क्या धारामभाये सविनय अंग अक्षय कर न देने की बात में देश का बल बढ़ावेंगी? साहब, आपके नेतृत्व में महासभा एक काम करनेवाली संस्था हो गई थी और अब फिर आप उसे एक ऐसी संस्था का रूप दे रहे हैं, जहाँ कि लोग कोय जपानी विरोध करने रहे। आज तो महासभा-समितियाँ कम से कम कताई-संघ, खादी-भण्डार या खादी-दुकान तो है; पर अब से वे महास चर्चा-समितियाँ रह जायगी।

“आपने प्रस्ताव किया है कि रुपया या उसकी जगह खूद-काता सूत बतौर फीस के लिया जाय। परन्तु महाराष्ट्र-इल को न तो यही पसन्द है और न खादी पहनना ही। वे उसका विरोध संगठित कर रहे हैं और यदि हम साल नहीं तो दूसरे साल उसे हटवा देंगे। चरखा-सभ आप महासभा के बाहर क्यों नहीं स्थापित करते, और स्वराजियों को सब कुछ क्यों नहीं दे डालते?”

केसरीगण इस बात को भूल जाते हैं कि मैं किसी दल के नेता होने का या किसी दल को रचने का दावा नहीं करता। और इसका कारण यदि और कुछ नहीं तो सिर्फ यही है कि मैं निरन्तर अपना पेटरा बदलता हुआ दिखाई देता हूँ। बात यह है कि बदलती हुई स्थिति के अनुकूल अपनेको बनाते हुए भी मुझे अपनेको अन्दर वैसा ही ज्यों का त्यों बनाये रखना है। मेरी बरा भी इच्छा नहीं है कि किसीको अपने साथ खींचूँ। मैं हमेशा लोगों के दिल और दिमाग दोनों तक अपना विहोर पहुँचाता हूँ। आगामी महासमिति की बैठक में मैं उम्मीद करता हूँ कि इध विषय पर खलमखल विला परीपेश के चर्चा हो और उसमें मेरी राय जनेकों की रायों में एक राय मानी जाय। संभव है यह बहुतों को एक गिरथक बात मालूम हो। पर यदि मैं अपनी राय को खलमखल जोर के साथ प्रकाशित करता रहूँ तो ये लोग जो कि यह समझने लगे कि हम खींचे जा रहे हैं, सुरन्ता ही मेरा प्रतिकार करे। परन्तु जातिपर मैंने लिया इसके कि देश



के शिक्षित समाज के मन की बात को ठीक ठीक समझ लिया है, और किया ही क्या है? मैं शिक्षित समुदाय से जबरदस्ती महासभा को छीन लेना नहीं चाहता। शिक्षित समाज की परिणति हो कर उसे इस नये विचार को ग्रहण करने की आवश्यकता है। यह काम उन लोगों का नहीं है जिनका विश्वास १९२० को विशेष प्रकार की असहयोगविधि से हट गया है, कि वे उसे फिर आजमावश का मौका दें और एक तीसरी चीज का पता लगायें। यह तो मुझ जैसे उन लोगों का जो अब भी उस तरह के असहयोग में विश्वास रखते हैं, काम है कि वे उसकी मीठदा उपयोगिता को प्रत्यक्ष कर दिखायें जिससे कि शकाधीन लोग उसके फिर कायल हो सकें। परन्तु, मैं यह बात कुबूल करता हूँ कि मैं उन लोगों के सामने जो कि अपने आन्तरिक विश्वास के कारण असहयोग में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि तुरन्त उदार की जो आवाज उससे बंधी थी उससे निश्चय कर आये थे, कोई गरमागरम और ओशीली सज्जीव पैदा नहीं कर सकता। परन्तु जब कि वह अपेक्षित मुक्ति उन्हें न मिली और उस कारण यदि वे अपने कार्यक्रम का ही, उसमें जो कुछ हो सकता हो सुधार कर के, सहारा के तो उन्हें कौन दोष लगा सकता है? और, किन लोगों ने पुराने तर्ज के अनुसार सक्रिय राजनैतिक जीवन व्यतीत किया है वे चुपचाप बैठ कैसे रह सकते हैं जब कि मुझ जैसे 'स्वाधी' लोग चरके जैसे 'मामूली खिलाड़ों' से एक उन्कट सक्रिय कार्यक्रम बनाने की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने महासभा को जन्म दिया था। उनका मत चरके के पक्ष में बदल जाने के बाद ही महासभा चरका-संघ का रूप धारण कर सकती है। तबतक मुझे राह देखनी चाहिए।

मुझे पता नहीं महाराष्ट्र दल क्या करेगा, अथवा क्या न करेगा? वह अथवा और कोई कताई को मलाजिखार में रुपये के सिक्के ही स्थान देने का अथवा खादी पहनने को मताधिकार के अंग बनाने का विरोध बराबर कर सकता है। इसी तरह और लोग भी कताई और खादी को कायम रखने पर जोर दे सकते हैं। यदि हम प्रायः प्रथम से किसी निर्णय पर न पहुँचेंगे तो कानपुर महासभा की बैठक के पहले किसी किसिम के परिष्कार की खाती नहीं की जा सकती। हम खुशी से लोगों की रायों का दोष लगा सकते हैं; पर वह असहिष्णुता का लक्षण होगा। दर-दोष को अपने कार्यक्रम में भ्रष्टा होनी चाहिए और यदि नद अकेला भी रह जाय तो आवश्यकता एवम पर उसे अकेला ही पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

तजरिबे से मुझे मालूम होता है कि देश में चरखा तथा धारा-सभा दोनों के कार्यक्रमों के लिए जगह है। ऐसी अवस्था में जहाँ सिद्धान्त-रूप में मैं अपने धारासभा-संबंधी विचारों पर टट रहूँ वहाँ मुझे धारा-सभा में जानेवाले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए; जिनके द्वारा मेरे आदर्शों को अधिक अच्छी सेवा होने की आशा हो, जिनमें प्रतिहार की अधिक शक्ति हो और जिनकी अधिक भ्रष्टा चरके और खादी में हो। ऐसे लोग आम तौर पर स्वराजी ही हैं।

इस नई सज्जीव के अन्दर चरका-संघ एक आवश्यक मस्तु हो जाती है। परन्तु जइसक महासभा उसे आश्रय देना चाहे तबतक वह अपनी छत्रच्छाया में होना चाहिए। महासभा के प्रति मेरा इतना आदर है कि मैं उसके बिना अपना काम चलाना नहीं चाहता। यही तो एक ऐसी मंथा है जिनमें अबतक अन्ध-धरे दिग्दर्श ही जमावों को देखते हैं। शिक्षित भारतवासियों के परिष्कार और धर्म का यह फल है। मैं जानबूझ कर

ऐसा कोई काम न करूँगा जिनसे उसकी उपयोगिता घटती हो।

अन्त में आगामी महासमिति के संबंध में कोई शरह किसी बान को पहले से निर्णीत न मान ले। हर शरह का फलफ्य है कि उसमें शरीक हो, राब की बात सुनने के लिए तैयार रहे, अपना जो कुछ स्वतंत्र मन और विचार हो उसे देशहित को सामने रख कर निर्णयता-पूर्वक प्रकट करे।

( चं. ई. )

## मोहनदास करमचंद गांधी जमशेदपुर में

जमशेदपुर

जमशेदपुर स्व० जमशेदजी ताता की रूढ़ि है। पहले जहाँ एक छोटा-सा गाँव था वहाँ आज लोह और फौलाद के उद्योग का एक नगर स्थापित हो गया है और १ लाख ६ हजार की आबादी है। कितने ही साल से इस नगर को देखने की इच्छा गांधीजी की थी। जब १९१६ में बिहार में थे तब गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने कहा था कि जमशेदपुर देखे बिना न आइएगा। इस नगर और इस उद्योग की उत्पत्ति का इतिहास लिखने का यह स्थान नहीं है। जमशेदजी ताता के जावन-चरित का एक उज्ज्वल अध्याय इस इतिहास से भरा हुआ है। अंगरेजों और अमेरिकियों का यह गर्व काष्ठित करने के लिए कि हिन्दुस्तान में कोहे का कारखाना हो ही नहीं सकता, फौलाद पैदा हो ही नहीं सकता, पत्तरे (टीन) बन ही नहीं सकते, इस कारखाने की स्थापना हुई। और आज १०-१२ बरस में इसकी जो वृद्धि हुई है उसे देख कर दिग्भ्रष्ट हो जाना पड़ता है। लड़ाई में जब सरकार को फौलाद और कोहे के सामान की बहुत तंगी पड़ने लगी तब लाइव टन सामान इस कम्पनी ने दिया था। नजदीक से कहा लोहा आता है, डालो माइट पत्थर भी नजदीक ही मिलता है, और बंगाल खानों के कोयले से कोक बना कर तीनों के मिश्रण से शुद्ध कोहा और फौलाद बनता है। इनके भीमकाय कारखाने हैं—३० हजार मजदूर काम करते हैं, जिनमें २५० योरपियन हैं। अग्निहोत्री की वेदी की तरह अथवा पारतियों की अगियारी की तरह ये कारखाने रात-दिन चलते हैं—यदि कारखाने नहीं तो आग अवश्य रात-दिन धधकती रहती है।

अग्निहोत्री की वेदी और अगियारी की उपमा दे तो दी, परन्तु इस उपमा की धार्मिकता कारखानों में भी अनुभूत होती हो तो? धर्म-क्रिया से जो शान्ति, और आराम की उन्नति होती है वह इन कारखानों में भी होती हो तो? परन्तु यह शान्ति और उन्नति कहीं हुई देखी जाती है? आज तो अशान्ति है। जमशेदजी ताता ने इस खयाल से यह महत्त किया था कि यह कारखाना भारत के लिए जारी श्रेयस्कर हो जायगा। वे इसके जन्म के पहले ही चल बसे। पर शायद उनके उच्च हेतु थी, इस कारखाने की तरह, पूर्ण हुए दिखाई देंगे।

उद्योग-नगरों में जो जो रूप दिखाई देते हैं उनसे उद्योग-नगर भी शुरू नहीं हैं। हाँ, यह सच है कि बहुतेरे लोगों को दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। कितनी ही कठिनाईयाँ तो कममग अनिवार्य थीं। पश्चिम उद्योग मंधे का यहाँ प्रवेश करने और पश्चिम के साथ सफलता-पूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के लिए आरंभ में पश्चिम पर अवलंबित रहना लाजिमी था—पश्चिम की रत्न-सामग्री, पश्चिम के लोगों की अधीनता, और उनकी अर्थात्-नाल सामस्त्य दृष्टियों को सहे ही छुटकारा था। दस वर्ष के उद्योग के फल-स्वरूप आज कठिन से दृष्टि सिद्धत और भारी सामग्री के बगुनरे काम अंगरेजों और अमेरिकियों की तरह भारतीय भी करते हैं। पर गोरो को अगिगचन दे दे

यहाँ लाये हैं, इसलिए उसीके अनुसार वेतन उन्हें मिलता है। उसी काम को करने वाला हिन्दुस्तानी उससे आधा भी वेतन पाता है। पारों के कारखाने में हमने देखा कि वेस का एक कपल कारीगर आम में जलते हुए लाल पतरे को बड़े चिमटे से रोटी की तरह सफलपुयल कर पतरे यन्त्र में डाल रहा है। उतनी ही फुरती से काम करने वाले हिन्दुस्तानी भी देखे। हर चीनों को एक-सा वेतन नहीं मिलता। फौलाद की बड़ी बड़ी कटती हुई पट्टियाँ बली जाती हैं। उनपर सावधानी से नजर रखना और बराबर कट जाने के बाद बाकी रहा टुकड़ा चिमटे से उठा कर फेंकना, काले नाम को चिमटे में पकड़ने से भी कठिन है। पर हिन्दुस्तानियों को यह करते हुए भी देखा। अनेक विभागों के निरीक्षक पहले अंगरेज थे। उनकी जगह हिन्दुस्तानी जाय उन्हीं की तरह कुशलता से काम करते हैं। परन्तु उन्हें बराबर वेतन नहीं मिलता। इसमें कम्पनी का दोष उतना नहीं है जितना यों दिखाई देता है। असाधारण सहाय-पूर्ण उद्योग के विकास के लिए कुशल विदेशियों को कालभ दे दे कर लाना पडा और जबतक उनके साथ किया इत्तार कायम है तबतक यह विपत्तियाँ कैसे न रहेगी? कम्पनी के शुभ हेतुओं पर ध्यान रख कर इस बलुस्थिति को एक समय तक तो गवारा ही करना होगा।

धीरे धीरे हिन्दुस्तानियों को ही अंगरेजों की जगह रखने के लिए कम्पनी ने एक उद्योग-शाला कायम की है। उसमें हिन्दुस्तान से हर साल २३ उम्मीदवार लिये जाते हैं। सामान्य के प्रोग्रामेट ही लिये जाते हैं, और उनपर हर साल हर व्यक्ति २०००) कम्पनी खर्च करती है। पाँच साल कम्पनी में काम करने की प्रशिक्षण पर कम्पनी २००-२५०) से छुट्ट कर के (५५-७००) की प्रक तक ले जाती है। यह प्रयत्न स्तुत्य है।

नगर की रचना कम्पनी के इंजिनियर ने ही की है। इसमें भी धीरे धीरे लोगों के साथ की गई अतो के कारण काँजे-गोरे का भेद दिखाई पड़ता है। रचना में जमीन की विद्यालता ने सहायता पहुंचाई है; परन्तु कम्पनी ने ऐसे मकान बनाये हैं जिनमें एक इंच तक वेतन पाने वाले ही लाभ उठा सकते हैं। मकानों की संख्या भी कम है। इससे चार कमरों वाले एक मकान में कम वेतनवाले चार चार कुटुम्ब भी रहते हुए बहुत देखे जाते हैं। फिर भी सफाई का इन्तजाम ठीक होता हुआ दिखाई देना है।

आरोग्य के लिए कम्पनी की ओर से अस्पताल है। इसमें सब की दवा और श्रुषा मुफ्त की जाती है। जो लोग काम नहीं करते हैं उन्हें भी दवा मुफ्त दी जाती है। कारखाने में दतनी सारी लियों काम करती हैं फिर भी आश्रय है कि एक भी स्त्री-बाफ्टर नहीं है। गांधीजी अस्पताल देखने गये थे। सफाई और सामग्री से उन्हें सन्तोष हुआ। एक अंगरेज रोगी पडा पडा पड रहा था। गांधीजी ने उससे पूछा— 'क्यों तुम्हारा समय पढ़ने में ही जाता है?' उसने उत्तर दिया 'जी हाँ'। तब गांधीजी कहते हैं— 'मैं जो तुम्हारी नस होता तो चरखा कतवाता।'

बाहर बस्त्र कम्पनी का निजी है। उससे सारे नगर को पानी मिलता है। शहर के बड़े भाग का मैला आदि गटरों के माफत साब हो कर उसका प्रवाही खाद बनता है और उससे जमी को लाभ पहुंचता है।

अठ आठ घण्टे आरंभिक काम करनेवालों में सार्वजनिक शौचालय न होने का कोई कारण नहीं—हालां कि बहुत अनुकूलता नहीं होती है। बड़े बड़े कर्मचारियों ने तो क्लब, बाथनालय आदि क्लब लिये हैं; परन्तु छोटे कारीगरों के लिए कुछ सुविधा नहीं। और सार्वजनिक जीवन के अभाव में न्यायी आदि का प्रचार कहाँ

हो सकता है? यों अगर ताता कम्पनी मन में लाये २० हजार मजदूरों को खादी पहना सकती है। कर्मचारी और क्लब में पारसी सेक्रेटरी की लड़की ने गांधीजी के गले फेर कर माफा पहनाई और हंसते हुए कहा— 'साहब स्वदेशी की गांधीजी ने तुरत उत्तर दिया—' हाँ, यनीमत है कि इतम स्वदेशी रहे हो।'

यों यहाँ के जीवन को देखें तो कह सकते हैं कि प कुपार का असर यहाँ बडा कष्टदायी हुआ है। कारखानों में करते समय तो पतखन इत्यादि पहनना ही पडते हैं—फिर कारखाने से पारिग हो कर घास को कोय साहब बन कर निकलते हैं। देशी धाराब की दो और अंगरेजी धाराब की एक दुकान का आइवेन्स कंपनी ने दो लिया है और उनमें हजारों रुपये मासिक की धाराब विकती है। धाराबखोरी के कारण शुभों की संख्या में बृद्ध है। बहुत समय पहले किलोसकर बन्धु का खेती के भी का कारखाना देखा था। वह इस कारखाने के मुकामले में हाथी के सामने लीटी के पैर के बराबर है। परन्तु यहाँ को का स्वास्थ्य, सुख-साधन देखे वे इस नगर में न दिखाई दिये।

ऐसी हालत में ताता कम्पनी के तिर पश्चिम के साथ स्पर्धा करके उसमें विजय प्राप्त करने के साथ ही अपने लाखों जीवों के भ्रम की चिन्ता रखने की महाविकट पूरी करने का भार भी है।

परन्तु यह सारा भार कम्पनी के तिर डालने के जारी सुद ही उठा लें—इस उद्देश से ऐसे उद्ये मजदूर-मण्डलों की रचना की जाती है। यहाँ भी मण्डल था। दो वर्ष पहले कम्पनी से उसका गण हकालत हुई, उपद्रव हुआ और मोक्षिया भी इतिहास पुराना है। बात यह थी कि कम्पनी मण्डल करने से इन्कार करती थी। मण्डल के मन्त्री श्री सेठी को उसने अपने यहाँ से हटा भी दिया था। मण्डल को कम्पनी मान्य कराने के लिए उसके सन्नापति श्री एण्ड्रयूज करते रहते थे, पर अबतक वह विकल गया था।

लिए अब की एण्ड्रयूज साहब ने गांधीजी को आग्रह कर के जुलाया था। पिछले साल कम्पनी और मजदूर-मण्डल का मण्डल निपटाने के लिए देशबन्धु और पण्डित नेहरु नियुक्त किये गये थे। देशबन्धु का स्वभाव हो उभरना। और पण्डितजी बीमार रहा करते हैं, इस लिए उनकी ताता से पण्डित अवाहरलाक आये थे। गांधीजी के आगमन के विषयमात्र ही ताता के साथ एण्ड्रयूज साहब और अवाहरलाकजी की बातचीत हुई। गांधीजी से भी अनुरोध किया गया कि वे उसमें सम्मिलित हों और इस सब का परिणाम अच्छा हुआ। श्री ताता ने स्वीकार किया कि मजदूर-मण्डल के संगठन को कम्पनी मान्य करती है—यही नहीं, बल्कि मण्डल का बन्दा मजदूरों के वेतन से काट कर देने में कम्पनी उसे सहायता भी देगी। श्री सेठी को फिर से नौकरी देने की भी आशा उन्होंने दिखाई।

इस शुभ परिणाम को प्रकट करने का श्री बस गांधीजी को सौंपा गया था और उन्होंने उसे कम्पनी के बलब से प्रकट में हुई विराट् सभा में प्रकाशित किया। एक अन्य मासिक में समझौते का वर्णन किया और मजदूरों तथा मासिकों के संघर्ष का विवेचन भी किया। वह महत्व-पूर्ण है। उसका बहुतायत यहाँ देता है। यहाँ मुझे यह भी बताना चाहिए कि देशबन्धु-स्मारक के लिए नगर में एक अच्छी रकम पड़ना की। मैं (५०) अक्षय तथा (३००-४००) के ग. और से (५००) मिले थे। इस तथा एक

हुआ। अगर वे अपनी तरफ से (५०००) महीने के अन्त तक बचक मिला है। अर्जिनदन-पत्र तथा यह क... के लिए कृतज्ञता प्रकाशित करते हुए

एण्ड्यूज सा० के साथ संबंध के इस सबसे बड़े साहसपूर्ण उद्योग को देखने के लिए मैंने भी, परन्तु इस बार उसकी सफलता का अन्त-के/अन्वय मेरे लगे भाई से भी ज्यादा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि बंगाल छोड़ने का कर मजूरों को कुछ सेवा करना। उनका कहना मुझे नहीं रहा था सकता — इनके साथ मेरा ऐसा कि उसके अधिक शायद ही किसीके साथ हो।

हिन्दुस्तान में और वे ठहरे अंगरेज। फिर भी पर दिन बढ़ता ही गया है। और वे मानते हैं कि यह के बदौलत एक ऐसा दिन आयेगा जब कि हिन्दुस्तानी में ऐसा ही बन्धुत्व स्थापित हो पुर। ईश्वर के हाथ हैं, मनुष्य तो अपने बस-भर के पुप हमारी ओर से यह कोषिष चाँबीसों घण्टे के पुप की काम के लिए हम लोग जीवित रहना चरके लिये की जा-करबी से ऊब उठे है, बनाने के मनुष्य, एक-दुपरे का गला काटते हैं, उनका म...

एक-दुपरे के मिलते हैं और पुके पता है। इनके अनुतेष मे... के यहाँ करेगा। यह... कि यदि आप इनसे ऐसी... जिससे ताता और आपके बीच विरोध बढ़े... हने। कारण कि इनका काम बगडा बढाना... है। आपने जो इनके अपना अन्वय बनाया... है कि वे आपकी सेवा के द्वारा भारत की भी... और इसी काम के लिए वे मुझे यहाँ लाये हैं।

**ताता की उदारता**

मिहमानदारी में हम दो दिन तक रहे। उन्होंने अपना सारा दिखाया और अब भी अपना अपार रहे हैं। मैं तो पारसी-जाति का छोटा भाई हूँ। मेरे विवाह में मेरा जीवन व्यतीत हुआ है। तनी मरह मेरी की है उसनी शायद ही किसी के को...। इसलिए पारसियों के पास जाते समय संकीच नहीं होता। जब मैं दक्षिण आफ्रिका में था ताता ने मेरी बहुत सहायता की थी। (२५०००) का बिने वाले नहीं थे। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कि... तो बंगला लीजिएगा। इसलिए ताताओं पर मजबूरी है। आज भी श्री ताता ने बहुत प्रेम से मुझे का मतभेद बसा जाता था उसे दूर... ऐण्ड्यूज सा० और उन्होंने मिल कर... है उसका मैं साधी हूँ।

**संभ्रमिता**

मजबूरी का यह है कि आपके मंडल की कंपनी... के अपने... कि आपकी बातों को सुनने के... के परि... मजबूरी का यह है कि कंपनी... मजबूरी का यह है कि...

तो बात की बात में कर बैठते हैं, पर ये होते हैं डरपोक। सभासद होने का मन होते हुए भी वे सभासदों में अपना नाम लिखाने से डरते हैं। अब आज के सनहीते से आपको कंपनी का आशीर्वाद मिला है। श्री ताता ने यह स्वीकार किया है कि आपके बेटन में है यदि आप यरा देना चाहें तो मैं ऐसी व्यवस्था कर दूँगे। आपके दिनों में से डर को निकाल दीजिए। श्री ताता आपकी भलाई चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं अपने काम करने वालों को अपने कर्मों के समान समझता हूँ। मुझसे या मेरे कर्मचारियों ने चाहे भूल हो जाय पर मेरा हेतु निर्मल है। मैं मजूरों को खिलाकर खाना चाहता हूँ। वे लोग सुखी रहें, यही मेरी इच्छा है। यह सब भाव साधित करने के लिए ही उन्होंने आपके मण्डल को आशीर्वाद दिया है। आपके चचे को ये एकत्र करेंगे; पर उसपर इनका दखल कभी न रहेगा। तीसरी बात यह है कि आपके मजरी को संघर्ष के कारण जो अलग कर दिया जा उसपर भी उन्होंने विचार किया है। किसी आदमी को रखना न रखना कंपनी की मरजी की बात है। परन्तु एण्ड्यूज सा० ने कहा कि श्री सेठी को उनकी जगह वापिस मिले और आपके मनेजर ने भी उन्हें फिरसे स्वीकार करने की तैयारी दिखाई। सो श्री सेठी की शराफत की परीक्षा हो सके, इसलिए श्री ताता ने कहा है कि मैं उन्हें फिर जगह दिखाने का प्रयत्न करूँगा। मुझे आशा है कि दूसरे डिरेक्टर भी आपत्ति न करेंगे।

**मजूरों का कर्तव्य**

इन तीन बातों का तो फलसा ही गया: पर अब आप लोगों का क्या कर्तव्य है? मैं मजूर इसलिए बना हूँ कि मजरी की खरी और उसकी युटियों को पहचानूँ। इसीलिए आपके साथ रहता हूँ और फिरता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग कंपनी की नफादारी से सेवा करेंगे और आपके मण्डल के नियमावुसार आप चलेंगे। अपने कामों से आप ऐसा साधित कर दीजिए कि जिस प्रेम-भाव से श्री ताता ने फैसला किया है उसके आप योग्य थे, एण्ड्यूज योग्य थे, अब एण्ड्यूज के योग्य थे। एण्ड्यूज आपसे कुछ महीना नहीं लेते। वे तो निरवाधे भाव से काम करते हैं। मुझे आशा है कि ऐसा समय कभी न आवेगा जब कि मुझे यह सुचना पड़े कि देखो, जो कुछ आपने किया उसका यह परिणाम है। का... लोग जो कुछ करें एण्ड्यूज की सलाह ले कर करें। मैं धनवानों की मित्रता का इसीलिए इच्छुक हूँ कि वे गरीबों को पेट भर के पैसा दें और पीछे अपने लिए पैसा इकट्ठा करें। पर गरीब को भूराँ मार कर न खावें। आज यह नियम नहीं है। इसीलिए पूंजी प्रेमभ्रम से डरती है और परिणाम पूंजी से सटता है। परन्तु मेरी इच्छा है कि इस तरह के पारस्परिक सम्बन्ध को नष्ट कर दोनो में प्रेम का रोचक कायम हो। इसमें आप लोग मेरी मदद करें।

मैं आपसे एक दो बातें चाहता हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ उसके मुकामके में जो आप कर रहे हैं वह कुछ भी नहीं है। आप हजारों मन लोहा पैदा करते हैं। पर मैं तो हिन्दुस्तान के लोगों के हृदय को स्पर्श कर के सोना निकालना चाहता हूँ। इसके लिए बन की जरूरत है। और इसके लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। आप बन द्वारा गंधा देहातियों की बनाई खादी की धारण कर के मदद कर सकते हैं। आप यह मजरी तो पेट भरने के लिए करते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के लिए भी भाव बनाया जाय मजरी करो। अथ बगडा बढाना खादी और खादी पहनो। इसके अलावा दो और प्रतिपाद्य



आपसे चाहता हूँ। शराब शैतान की बनाई चीज है। मजूर शराब पीकर बदन, भारत और माँ का भेड़ भूख जाता है। माँ और बहन को बीरत मान लेता है, मुह से गंदी गालियाँ निकालता है। इस शैतान से अपनेको बचाओ। शराब छोड़ दो, रंडीबाजी छोड़ दो। शराब का पक्का रंडीबाजी में लगा बैठा है। जो शरब अपनी बहन पर बुरी नजर डालता है, वह मनुष्य काहे का ? यदि आप देश के सेवक, चौकीदार, सबे संपूर्ण बनना चाहते हैं तो रंडीबाजी छोड़ दो। जब मनुष्य इन्सान बन रह कर हवान बनता है तब ईश्वर उससे बूट जाता है। आपके अन्दर बहादुर खालसा तथा फ़तान लोग हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपनी बहादुरी हिन्दुस्तान को बनाने में, अपनी बहनों की रक्षा में खर्च करो। जब शैतान आपके अन्दर घुस जाय तब हूब मरो, अथवा मर्दानगी हो तो खंजर भोंक कर मर जाओ, पर अपनी बहन की आबरू न बिगाड़ो। यदि आप स्वराज्य चाहते हैं तो इन दो बातों से बुर भागो। ईश्वर आपको सन्मति दे कि आप मेरा कथन समझ लें और उसके अनुसार चलने की कृति प्राप्त करें।”

**एक और भाषण**

शाम को एक छोटा-सा कल्ला हुआ। उसमें कर्मचारी लोग थे। वहाँ के भाषण में अगरेजों और भारत-वातियों के संबंध-विषयक उद्गार उल्लेख-योग्य हैं:

“भैंसे सुना है कि आपका परस्पर संबंध भीटा है। परमात्मा करें यह अक्षरशः सच हो। इस महा-उद्योग में एक साथ काम करना बड़े भाग्य की बात है। आप लोग उद्योग के क्षतिर तो अपने कारखाने के अन्दर एकता और प्रेम रखते होंगे; परन्तु मैं चाहता हूँ कि कारखाने के बाहर भी ऐसा ही प्रेम-भाव रखो, भाई-बहन जैसे रहो, किसीको अपनेसे हीन न समझो, अपनेको भी किसीसे हीन न समझो। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका यह एक छोटा-सा स्वराज्य ही हो जायगा।

“मे समय समय पर कहता आया हूँ कि मैं असहयोगी हूँ और सविनय भंग का हामी हूँ। पर यह अराहयोग अन्त को सहयोग करने के ही लिए है। मुझे सदा सहयोग पसन्द नहीं। ली टच का सोना ही मुझे पसन्द है। इसीलिए मैं असहयोगी बना हुआ हूँ। फिर भी मेरा असहयोग मुझे माइकल ओल्जायर और डायर की मित्रता करने से नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरा असहयोग दुष्टता के साथ है, दुष्ट प्रथा के साथ है, दुष्ट प्रथा के प्रचलित करने वालों के साथ नहीं। मेरा धर्म मुझे शिक्षा देता है कि बुरे काम करनेवाले के साथ भी प्रीति करो। और असहयोग मेरे धर्म का ही एक अंग है। यह सब मैं आपको ब्रह्म करने के लिए नहीं कह रहा हूँ — किसीको ब्रह्म करने के लिए कोई बात कहने की आदत मुझे नहीं — मैं तो साफ बात, आ की बात कहनेवाला आदमी हूँ, और इसी रीति से दूसरे के हृदय में मोथा प्रवेश करना चाहता हूँ। बुरा देर के लिए उसमें असफल भी होऊँ तो चिन्ता नहीं। मेरा अनुभव है कि अन्त में तो सत्य की सोच अवश्य ही सुमत और समझते हैं। अतएव यह इच्छा कि आपके पारस्परिक संबंध में मिठास रहे, मेरे सभे हृदय को दुःखा है। इसी प्रकार मेरे हृदय से प्रार्थना निकलती है कि आप एक एक साथ यह काम करते हुए भारत ही आप सब पराधीनता से उबारना, लोक बाहर की दुनिया को शान्ति का संदेश भारत से दिखाना। कारण कि अंगरेजों और भारतवातियों का यह समागम वही समय सार्थक होगा जब मनुष्य और शैतान के प्रकार के लिए हम एक-साथ रहेंगे। शान्ति की सेवा करते हुए आप भारतवातों की

भी सेवा करो और हमेशा यह समझते रहो कि केवल इस के ही लिए नहीं, बल्कि इसके भी अधिक उन्नत काम के लिए परिश्रम कर रहे हैं।”

(नवजीवन)

महादेव हरिभाई देव

**दानशीलता में विवेक**

मारवाडी भाइयों की दानशीलता स्तुत्य है। पर विवेक की आवश्यकता है, कानगों अरब-पति हैं। उन्हें विचारें पुस्तकालय स्थापित करने का शौक था। इसपर स्कॉट के अध्यापकों ने उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी और कि आपको ज्ञानी की सलाह लेकर दान करना उचित है। सलाह सब दानशीलों को देने की और उन्हें उसपर ध्यान की आवश्यकता है। यह मानने का कोई कारण नहीं है कि प्रकार के दान से पुण्य ही होता है। मारवाडी भाई गो-रक्षक हैं। वे इस काम में खूब धन लगाते हैं। परन्तु हमेशा विवेक से काम नहीं लिया जाता। यदि गोरक्षा सम्भावना किसीसे भी दो तो वह है मारवाडी भाइयों के से। क्योंकि गोरक्षा मुख्यतः इत्य का और उपायार्थक सुवि प्रथ है। ये दोनों उनके पास हैं। यदि विवेक-पूर्वक उद्योग हो तो उनके हाथों विशाल पैमाने पर बचाव होगी। (नवजीवन)

**खादी-कार्यकर्ताओं का लिखा**

अ० भा० खादी-मण्डल के मंत्री ने सब प्रांतों की खादी कार्यकर्ताओं की सूची भेज लीयाकत, काम वेतन के खेजने के सम्बन्ध में, एक पत्र भेजा था। अन्त में केवल बिहार, मुक्तप्रान्त, उत्तरक, अरुणाचल, अण्डा, और कर्नाटक इन सात प्रांतों से जेखा आया है। जिन प्रांतों में खादी-कार्य ज़ोरों से चक रहा है अभी तक उन्होंने जेखा नहीं भेजा है। जिन प्रांतों ने अपना जेखा भेजा भी पूरा नहीं है। मसकन्द बिहार ने ३२ वैतनिक और २ अर्ध कार्यकर्ताओं के नाम दिये हैं पर वह के खास कार्य-कर्ताओं से कुछ के नाम फिर भी छूट गये हैं। कई केमरों के वर्क हैं; पर मलखानक का नाम ही नहीं है। बंगाल के अमय-आथम ने अपनी सूची भेजी है; पर उसमें भी ज्ञा, बनर्जी, श्री हरिपाद कटर्जी और जमना बाबू के नाम छोड़ दिये हैं। कर्नाटक की सूची में भी श्री गंगाधरराव के नाम नहीं हैं जिन्होंने बेलगाँव महासभा के बाद से ही अन्त समय खादी के काम में लगा दिया है। केवल महाराष्ट्र की पूरी और दुस्त माकस होती है।

और, जो कुछ अचूरा और संक्षिप्त विवरण मिलता है वह अपने ढंग का विकसल है। वैतनिक कार्य-कर्ताओं की १४८ है जिनको कुल ३४२९) मासिक वेतन रूप में दिया है, अर्थात् औसतन २३) प्रति कार्यकर्ता पड़ता है। अन्त कार्य-कर्ताओं की संख्या ५८ है। यद्यपि कुछ लोगों की सम्बन्धी लिखाकत का उल्लेख नहीं है, फिर भी जो कुछ है मान्य होता है कि उनमें १६ बी. ए., तीन कमीक और के अन्त प्रमाण, है। (वैतनिक के अधिक वेतन ५०) (कमीक के कम वेतन २) दिया जाता है। प्रायः सब कार्यकर्ता समय काम करते हैं। अवैतनिक लोगों में पूरा समय धरने में तीव्र जिज्ञा भी है। सब जिका कर कुल १२८ आदमी का उल्लेख हुआ है।

(नं० ६०)

श्री० क० व०







वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

क्रमांक न०

(०५१५४४५४) ७६६

लेखक

बाणेश्वरी गौड़दास मंगलचन्द

शीर्षक

हिन्दू जीवन शैली

वर्ष

१९८०

संख्या

१५८

वीर सेवा मन्दिर  
दिल्ली

★

क्रम संख्या

काल नं०

खण्ड

४२५२

(०५) ४४५५

४४५५

जय, काल-विनाशिनि काली जय-जय  
जय, राधा भीता रुक्मिणि जय जय ॥  
सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शंकर ।  
सुखकर जय-तम-हर हर हर शंकर ॥  
हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे ।  
ारा । जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥  
राम । गौरीशंकर सीताराम ॥  
राम । ब्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥  
राम । पतितपावन सीताराम ॥

[ संस्कारण १,३५,००० ]

जिसमें दूसरे किसीका अहित होता हो—ऐसी बात न कभी सोचो, न कभी कहो, न कभी करो और न कभी समर्थन ही करो । जिससे परिणाममें दूसरेका अहित होता है, उससे अपना हित कभी हो ही नहीं सकता ।

अतएव अपना हित चाहते हो तो जिसमें दूसरेका हित होता हो—सदा वही सोचो, सदा वही कहो, सदा वही करो और सदा उसीका समर्थन करो ।

इससे सबका हित होगा और सबके रूपमें अभिव्यक्त भगवान् प्रसन्न होंगे ।

अर्थिक मूल्य

अक्षरों में ९.००

शिल्लों में १४.२५

( १५ शिल्लिंग )

जय पावकर वि चन्द्र जयति जय । सद्-चित्-आनन्द भूमि जय जय ॥

जय जय निखरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥

जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥

इस जड़का मूल्य

६० ९.००

शिल्लों में १३.२५

( १५ शिल्लिंग )

सम्पादक—हनुमानप्रसाद पांडेय, चिम्पनलाल गोस्वामी, एम्० ए०, शास्त्री  
मुद्रक-प्रकाशक—मोतीलाल जालान, गीताप्रेस, गोरखपुर





भगवान् अग्निदेव